पिछले चालीस सालों से उर्दू भाषा में लाखों
की तादाद में प्रकाशित होकर क़ुरआनी उलूम को
बेशुमार अफ़राद तक पहुँचाने वाली बेनज़ीर तफ़सीर
मआरिफ़ुल
क़ुरआन
7
तफ़सीर
हज़रत मौलाना मुफ़्ती मुहम्मद शफ़ी देवबन्दी रह०
(मुफ़्ती-ए-आज़म पाकिस्तान व दारुल-उलूम देवबन्द)

पिछले चालीस सालों से उर्दू भाषा में लाखों की तादाद में प्रकाशित होकर क़ुरआनी उलूम को बेशुमार अफ़राद तक पहुँचाने वाली बेनज़ीर तफ़सीर

मआ़रिफ़ुल-क़ुरआन

जिल्द (7)

उर्दू तफ़सीर

हज़रत मौलाना मुफ़्ती मुहम्मद शफ़ी देवबन्दी रह.

(मुफ़्ती-ए-आज़म पाकिस्तान व दारुल-उलूम देवबन्द)

हिन्दी अनुवादक

मौलाना मुहम्मद इमरान क़ासमी बिज्ञानवी (एम. ए. अलीग.)

रीडर अ़ल्लामा इक़बाल यूनानी मैडिकल कॉलेज मुज़फ़्फ़र नगर (उ.प्र.)

फ़रीद बुक डिपो (प्रा.) लि.

2158, एम. पी. स्ट्रीट, पटौदी हाऊस, दरिया गंज

नई दिल्ली-110002

****

तफ़सीर मआ़रिफ़ुल-क़ुरआन

हज़रत मौलाना मुफ़्ती मुहम्मद शफ़ी साहिब रह.

(मुफ़्ती-ए-आज़म पाकिस्तान)

हिन्दी अनुवाद

मौलाना मुहम्मद इमरान क़ासमी बिज्ञानवी एम. ए. (अ़लीग.)

मौहल्ला महमूद नगर, मुज़फ़्फ़र नगर (उ. प्र.) 09456095608

जिल्द (7) सूरः लुक़मान ------- सूरः अहक़ाफ़

(पारा 21 रुकूअ़ 10 से पारा 26 रुकूअ़ 4 तक)

15 अप्रैल 2014

प्रकाशक

फ़रीद बुक डिपो (प्रा.) लि.

2158, एम. पी. स्ट्रीट, पटौदी हाऊस, दरिया गंज, नई दिल्ली-110002

بسم الله الرحمن الرحيم

واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا
WA'A TASIMOO BIHAB LILLAHI JAMEE-'AN WA LAA TAFARRAQOO

समर्पित

○ अल्लाह सुब्हानहू व तआला के कलाम **क़ुरआन मजीद** के प्रथम व्याख्यापक, हादी-ए-आलम, आख़िरी पैग़म्बर, तमाम नबियों में अफ़ज़ल **हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम** के नाम, जिनका एक-एक कौल व अमल कलामे रब्बानी और मन्शा-ए-इलाही की अमली तफ़सीर था।

○ **दारुल-उलूम देवबन्द** के नाम, जो क़ुरआन मजीद और उसकी तफ़सीर (हदीसे पाक) की अज़ीमुश्शान ख़िदमत और दीनी रहनुमाई के सबब पूरी इस्लामी दुनिया में एक मिसाली संस्था है। जिसके इल्मी फ़ैज़ से मुस्तफ़ीद (लाभान्वित) होने के सबब इस नाचीज़ को इल्मी समझ और क़ुरआन मजीद की इस ख़िदमत की तौफ़ीक़ नसीब हुई।

○ **उन तमाम नेक रूहों और हक़ के तलाश करने वालों** के नाम, जो हर तरह के पक्षपात से दूर रहकर और हर प्रकार की कठिनाईयों का सामना करके अपने असल मालिक व ख़ालिक़ के पैग़ाम को क़ुबूल करने वाले और दूसरों को कामयाबी व निजात के रास्ते पर लाने के लिये प्रयासरत हैं

मुहम्मद इमरान क़ासमी बिज्ञानवी

दिल की गहराईयों से शुक्रिया

◎ मोहतरम जनाब अल-हाज मुहम्मद नासिर ख़ाँ साहिब (मालिक फ़रीद बुक डिपो नई दिल्ली) का, जिनकी मुहब्बतों, इनायतों, क़द्रदानियों और मुझे अपने इदारे से जोड़े रखने के सबब क़ुरआन मजीद की यह अहम ख़िदमत अन्जाम पा सकी।

◎ मेरे उन बच्चों का जिन्होंने इस तफ़सीर की तैयारी में मेरा भरपूर साथ दिया, तथा मेरे सहयोगियों, सलाहकारों, शुभ-चिन्तकों और हौसला बढ़ाने वाले हज़रात का, अल्लाह तआ़ला इन सब हज़रात को अपनी तरफ़ से ख़ास जज़ा और बदला इनायत फ़रमाये। आमीन या रब्बल्-अ़लमीन।

मुहम्मद इमरान क़ासमी बिज्ञानवी

****

प्रकाशक के क़लम से

अल्लाह तआला का लाख-लाख शुक्र व एहसान है कि उसने मुझे और मेरे इदारे (फ़रीद बुक डिपो नई दिल्ली) को इस्लामी, दीनी और तारीख़ी किताबों के प्रकाशन के ज़रिये दीनी व दुनियावी उलूम की ख़िदमत की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई।

अल्हम्दु लिल्लाह हमारे इदारे से क़ुरआन पाक, हदीस मुबारक और दीनी विषयों पर बेशुमार किताबें शाया हो चुकी हैं। बल्कि अगर यह कहा जाये कि आज़ाद हिन्दुस्तान में हर इल्म व फ़न के अन्दर जिस क़द्र किताबें फ़रीद बुक डिपो देहली को प्रकाशित करने का सौभाग्य नसीब हुआ है उतना किसी और इदारे के हिस्से में नहीं आया तो यह बेजा न होगा। कोई इदारा फ़रीद बुक डिपो के मुक़ाबले में पेश नहीं किया जा सकता। यह सब कुछ अल्लाह के फ़ज़्ल व करम और उसकी इनायतों का फल है।

फ़रीद बुक डिपो देहली ने उर्दू, अरबी, फ़ारसी, गुजराती, हिन्दी और बंगाली अनेक भाषाओं में किताबें पेश करके एक नया रिकॉर्ड बनाया है। हिन्दी ज़बान में अनेक किताबें इदारे से शाया हो चुकी हैं। हिन्दी भाषा हमारी मुल्की ज़बान है। पढ़ने वालों की माँग और तलब देखते हुए तफ़सीरे क़ुरआन के उस अहम ज़ख़ीरे को हिन्दी ज़बान में लाने का फ़ैसला किया गया जो पिछले कई दशकों से इल्मी जगत में धूम मचाये हुए है। मेरी मुराद तफ़सीर मआरिफ़ुल-क़ुरआन से है। इस तफ़सीर के परिचय की आवश्यकता नहीं, दुनिया भर में यह एक मोतबर और विश्वसनीय तफ़सीर मानी जाती है।

मौलाना मुहम्मद इमरान क़ासमी बिज्ञानवी ने फ़रीद बुक डिपो के लिये बहुत सी मुफ़ीद और कारामद किताबों का हिन्दी में तर्जुमा किया है। हज़रत मौलाना मुफ़्ती मुहम्मद तक़ी उस्मानी के इस्लाही ख़ुतबात की 15 जिल्दें और तफ़सीर तौज़ीहुल-क़ुरआन उन्होंने हिन्दी में मुन्तक़िल की हैं जो इदारे से छपकर मक़बूल हो चुकी हैं। उन्हीं से यह काम करने का आग्रह किया गया जिसे उन्होंने क़ुबूल कर लिया और अब अल्हम्दु लिल्लाह यह शानदार तफ़सीर आपके हाथों में पहुँच रही है। हिन्दी भाषा में क़ुरआनी ख़िदमत की यह अहम कड़ी आपके सामने है। उम्मीद है कि आपको पसन्द आयेगी और क़ुरआन पाक के पैग़ाम को समझने और उसको आ़म करने में एक अहम रोल अदा करेगी।

मैं अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ़ करता हूँ कि वह इस ख़िदमत को क़ुबूल फ़रमाये और हमारे लिये इसे ज़ख़ीरा-ए-आख़िरत और रहमत व बरकत का सबब बनाये आमीन।

ख़ादिम-ए-क़ुरआन
मुहम्मद नासिर ख़ान
मैनेजिंग डायरेक्टर, फ़रीद बुक डिपो, देहली

अनुवादक की ओर से

الحمد لله رب العالمين. والصلوة والسلام على رسوله الكريم. وعلى آله وصحبه اجمعين.

برحمتك ياارحم الراحمين.

तमाम तारीफ़ों की असल हक़दार अल्लाह तआ़ला की पाक ज़ात है जो तमाम जहानों की पालनहार है। वह बेहद मेहरबान और बहुत ही ज़्यादा रहम करने वाला है। और बेशुमार दुरूद व सलाम हों उस ज़ाते पाक पर जो अल्लाह तआ़ला की तमाम मख़्लूक़ में सब से बेहतर है, यानी हमारे आक़ा व सरदार हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम। और आपकी आल पर और आपके सहाबा किराम पर और आपके तमाम पैरोकारों पर।

अल्लाह करीम का बेहद फ़ज़्ल व करम है कि उसने मुझ नाचीज़ को अपने पाक कलाम की एक और ख़िदमत की तौफ़ीक़ बख़्शी। उसकी ज़ात तमाम ख़ूबियों, कमालात, तारीफ़ों और बन्दगी की हक़दार है।

इससे पहले सन् 2003 ईसवी में नाचीज़ ने **हकीमुल-उम्मत हज़रत मौलाना अशरफ़ अ़ली थानवी रह.** का तर्जुमा हिन्दी भाषा में पेश किया जिसको क़ाफ़ी मक़बूलियत मिली, यह तर्जुमा इस्लामिक बुक सर्विस देहली ने प्रकाशित किया। उसके बाद **तफ़सीर इब्ने कसीर मुकम्मल** हिन्दी भाषा में पेश करने की सआ़दत नसीब हुई, जो रमज़ान (अगस्त 2011) में प्रकाशित होकर मन्ज़रे आ़म पर आ चुकी है। इसके अ़लावा **फ़रीद बुक डिपो** ही से मौजूदा ज़माने के मशहूर आ़लिम **शैख़ुल-इस्लाम हज़रत मौलाना मुफ़्ती मुहम्मद तक़ी उस्मानी** दामत बरकातुहुम की मुख़्तसर तफ़सीर **तौज़ीहुल-क़ुरआन** शाया होकर पाठकों तक पहुँच रही है।

उर्दू भाषा में जो मक़बूलियत क़ुरआनी तफ़सीरों में तफ़सीर मआ़रिफ़ुल-क़ुरआन के हिस्से में आयी शायद ही कोई तफ़सीर उस मक़ाम तक पहुँची हो। यह तफ़सीर हज़ारों की संख्या में हर साल छपती और पढ़ने वालों तक पहुँचती है, और यह सिलसिला तक़रीबन चालीस सालों से चल रहा है मगर आज तक कोई तफ़सीर इतनी मक़बूलियत हासिल नहीं कर सकी।

हिन्द महाद्वीप की जानी-मानी इल्मी शख़्सियत **हज़रत मौलाना मुफ़्ती मुहम्मद शफ़ी** साहिब देवबन्दी (मुफ़्ती-ए-आज़म पाकिस्तान) की यह तफ़सीर क़ुरआनी तफ़सीरों में एक बड़ा क़ीमती सरमाया है। दिल चाहता था कि हिन्दी जानने वाले हज़रात तक भी यह उलूम और क़ुरआनी मतालिब पहुँचें मगर काम इतना बड़ा और अहम था कि शुरू करने की हिम्मत न होती थी।

जो हज़रात इल्मी काम करते हैं उनको मालूम है कि एक ज़बान से दूसरी ज़बान में तर्जुमा करना कितना मुश्किल काम है, और सही बात तो यह है कि इस काम का पूरा हक़ अदा होना बहुत ही मुश्किल है। फिर भी मैंने कोशिश की है कि इबारत का मफ़्हूम व मतलब तर्जुमे में उतर आये। कहीं-कहीं ब्रेकिट बढ़ाकर भी इबारत को आसान बनाने की कोशिश की है। तर्जुमे में जहाँ तक संभव हुआ कोई छेड़छाड़ नहीं की गयी क्योंकि उलेमा-ए-मुहक़्क़िक़ीन ने इस तर्जुमे को इल्हानी तर्जुमा क़रार

दिया है। जहाँ बहुत ही ज़रूरी महसूस हुआ वहाँ आसानी के लिये कोई लफ़्ज़ बदला गया या ब्रकिट के अन्दर मायनों को लिख दिया गया।

अरबी और फ़ारसी के शे'रों का मफ़्हूम अगर मुसन्निफ़ की इबारत में आ गया है और हिन्दी पाठकों के लिये ज़रूरी न समझा तो कुछ अश्आर को निकाल दिया गया है, और जहाँ ज़रूरत समझी वहाँ अरबी, फ़ारसी शे'रों का तर्जुमा लिख दिया है। ऐसे मौक़ों पर अहक़र ने उस तर्जुमे के अपनी तरफ़ से होने की वज़ाहत कर दी है ताकि अगर तर्जुमा करने में ग़लती हुई हो तो उसकी निस्बत साहिबे तफ़सीर की तरफ़ न हो बल्कि उसे मुझ नाचीज़ की इल्मी कोताही गरदाना जाये।

हल्ले लुग़ात और क़िराअतों का इख़्तिलाफ़ चूँकि इल्मे तफ़सीर पर निगाह न रखने वाले, क़िराअतों के फ़न से ना-आशना और अरबी ग्रामर से नावाक़िफ़ शख़्स एक हिन्दी जानने वाले के लिये कोई फ़ायदे की चीज़ नहीं, बल्कि बहुत सी बार कम-इल्मी के सबब इससे उलझन पैदा हो जाती है लिहाज़ा तफ़सीर के इस हिस्से को हिन्दी अनुवाद में शामिल नहीं किया गया।

हिन्दी जानने वाले हज़रात के लिये यह हिन्दी तफ़सीर एक नायाब तोहफ़ा है। अगर ख़ुद अपने मुताले से वह इसे पूरी तरह न समझ सकें तब भी कम से कम इतना मौक़ा तो है कि किसी आ़लिम से सबक़न् सबक़न् इस तफ़सीर को पढ़कर लाभान्वित हो सकते हैं। जिस तरह उर्दू तफ़सीरें भी सिर्फ़ उर्दू पढ़ लेने से पूरी तरह समझ में नहीं आतीं बल्कि बहुत सी जगह किसी आ़लिम से रुजू करके पेश आने वाली मुश्किल को हल किया जाता है, इसी तरह अगर हिन्दी जानने वाले हज़रात पूरी तरह इस तफ़सीर से फ़ायदा न उठा पायें तो हिम्मत न हारें, हिन्दी की इस तफ़सीर के ज़रिये उन्हें क़ुरआन पाक के तालिब-इल्म बनने का मौक़ा तो हाथ आ ही जायेगा। जो बात समझ में न आये वह किसी मोतबर आ़लिम से मालूम कर लें और इस तफ़सीरी तोहफ़े से अपनी इल्मी प्यास बुझायें। अल्लाह का शुक्र भेजिये कि आप तफ़सीर के तालिब-इल्म बनने के अहल हो गये वरना उर्दू न जानने की हालत में तो आप इस मौक़े से भी मेहरूम थे।

फ़रीद बुक डिपो से मेरी वाबस्तगी पच्चीस सालों से है। इस दौरान बहुत सी किताबें लिखने, प्रूफ़ रीडिंग करने और हिन्दी में तर्जुमा करने का मुझ नाचीज़ को मौक़ा मिला है। इदारे के संस्थापक **जनाब मुहम्मद फ़रीद ख़ाँ मरहूम** से लेकर मौजूदा मालिक और मैनेजिंग डायरेक्टर **जनाब अल-हाज मुहम्मद नासिर ख़ाँ** तक सब ही की ख़ास इनायतें मुझ नाचीज़ पर रही हैं। मैंने इस इदारे के लिये बहुत सी किताबों का हिन्दी तर्जुमा किया है, हज़रत **मौलाना क़ारी मुहम्मद तैयब साहिब** मोहतमिम दारुल-उलूम देवबन्द की किताबों और मज़ामीन पर किया हुआ मेरा काम सात जिल्दों में इसी इदारे से प्रकाशित हुआ है, इसके अ़लावा **"मालूमात का समन्दर"** और **"तज़किरा अ़ल्लामा मुहम्मद इब्राहीम बलियावी"** वग़ैरह किताबें भी यहीं से शाया हुई हैं। जो किताबें मैंने उर्दू से हिन्दी में इस इदारे के लिये की हैं उनकी तायदाद भी पचास से अधिक है, इसी सिलसिले में एक और कड़ी यह जुड़ने जा रही है।

इस तफ़सीर को उर्दू से मिलती-जुलती हिन्दी भाषा (यानी हिन्दुस्तानी ज़बान) में पेश करने की कोशिश की गयी, हिन्दी के संस्कृत युक्त अलफ़ाज़ से परहेज़ किया गया है। कोशिश यह की है कि मजमूई तौर पर मज़मून का मफ़्हूम व मतलब समझ में आ जाये। फिर भी अगर कोई लफ़्ज़ या

किसी जगह का कोई मज़मून समझ में न आये तो उसको नोट करके किसी आ़लिम से मालूम कर लेना चाहिये।

तफ़सीर की यह सातवीं जिल्द आपके हाथों में है इन्शा-अल्लाह तआ़ला बाक़ी की जिल्दें भी बहुत जल्द आपकी ख़िदमत में पेश की जायेंगी। इस तफ़सीर की तैयारी में कितनी मेहनत से काम लिया गया है इसका कुछ अन्दाज़ा उसी वक़्त हो सकता है जबकि उर्दू तफ़सीर को सामने रखकर मुक़ाबला किया जाये। तब मालूम होगा कि पढ़ने वालों के लिये इसे कितना आसान करने की कोशिश की गयी है। अल्लाह तआ़ला हमारी इस मेहनत को क़ुबूल फ़रमाये और अपने बन्दों को इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाने की तौफ़ीक़ अ़ता फ़रमाये आमीन।

इस तफ़सीर से फ़ायदा उठाने वालों से आ़जिज़ी और विनम्रता के साथ दरख़्वास्त है कि वे मुझ नाचीज़ के ईमान पर ख़ात्मे और दुनिया व आख़िरत में कामयाबी के लिये दुआ़ फ़रमायें। अल्लाह करीम इस ख़िदमत को मेरे माँ-बाप और उस्ताज़ों के लिये भी मग़फ़िरत का ज़रिया बनाये, आमीन।

आख़िर में बहुत ही आ़जिज़ी के साथ अपनी कम-इल्मी और सलाहियत के अभाव का एतिराफ़ करते हुए यह अ़र्ज़ है कि बेऐब अल्लाह तआ़ला की ज़ात है। कोई भी इनसानी कोशिश ऐसी नहीं जिसके बारे में सौ फ़ीसद यक़ीन के साथ कहा जा सके कि उसके अन्दर कोई ख़ामी और कमी नहीं रह गयी है। मैंने भी यह एक मामूली कोशिश की है, अगर मुझे इसमें कोई कामयाबी मिली है तो यह महज़ अल्लाह तआ़ला का फ़ज़्ल व करम, उसके पाक नबी हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के ज़रिये लाये हुए पैग़ाम (क़ुरआन व हदीस) की रोशनी का फ़ैज़, अपनी मादरे इल्मी दारुल-उलूम देवबन्द की निस्बत और मेरे असातिज़ा हज़रात की मेहनत का फल है, मुझ नाचीज़ का इसमें कोई कमाल नहीं। हाँ इन इल्मी जवाहर-पारों को समेटने, तरतीब देने और पेश करने में जो ग़लती, ख़ामी और कोताही हुई हो वह यक़ीनन मेरी कम-इल्मी और नाक़िस सलाहियत के सबब है। अहले नज़र हज़रात से गुज़ारिश है कि अपनी राय, मश्विरों और नज़र में आने वाली ग़लतियों व कोताहियों से मुत्तला फ़रमायें ताकि आईन्दा किये जाने वाले इल्मी कामों में उनसे लाभ उठाया जा सके। वस्सलाम

(पहली और दूसरी जिल्द प्रकाशित होकर मुल्क में फैली तो अल्हम्दु लिल्लाह उसे क़द्र व पसन्दीदगी की निगाह से देखा गया। मुझ नाचीज़ का दिल बेहद ख़ुश हुआ कि मुल्क के कई शहरों से मुझे फ़ोन करके मेरी इस मेहनत को सराहा गया और मुबारकबाद दी गयी। मैं उन सभी हज़रात का शुक्रगुज़ार हूँ और अल्लाह करीम का शुक्र अदा करता हूँ कि मुझ गुनाहगार को अपने कलाम की एक अदना ख़िदमत करने की तौफ़ीक़ बख़्शी, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं, उसी करीम का एहसान व तौफ़ीक़ है।)

तालिबे दुआ़

मुहम्मद इमरान क़ासमी बिज्ञानवी

79, महमूद नगर, गली नम्बर 6, मुज़फ़्फ़र नगर (उ. प्र.) 251001

15 अप्रैल 2014

फ़ोनः- 0131-2442408, 09456095608, 09012122788

E-mail: imranqasmialig@yahoo.com

एक अहम बात

क़ुरआन मजीद के मतन को अ़रबी के अ़लावा हिन्दी या किसी दूसरी भाषा के रस्मुलख़त (लिपि) में बदलने पर उलेमा की राय और फ़तवा इसके विरोध में है। कुछ उलेमा का ख़्याल है कि इस तरह करने से क़ुरआन मजीद के हर्फ़ों की अदायगी में तहरीफ़ (कमी-बेशी और रद्दोबदल) हो जाती है और उनको भय (डर) है कि जिस तरह इन्जील और तौरात तहरीफ़ का शिकार हो गई वैसे ही ख़ुदा न करे इसका भी वही हाल हो। यह तो ख़ैर नामुम्किन है, इसकी हिफ़ाज़त का वायदा अल्लाह तआ़ला ने ख़ुद किया है और करोड़ों हाफ़िज़ों को क़ुरआन मजीद मुँह-ज़बानी याद है।

इस सिलसिले में नाचीज़ **मुहम्मद इमरान क़ासमी बिज्ञानवी** (इस तफ़सीर का हिन्दी अनुवादक) अ़र्ज़ करता है कि हक़ीक़त यह है कि अ़रबी रस्मुलख़त के अ़लावा दूसरी किसी भी भाषा में क़ुरआन मजीद को क़तई तौर पर सौ फ़ीसद सही नहीं पढ़ा जा सकता। इसलिए कि हर्फ़ों की बनावट के एतिबार से भी किसी दूसरी भाषा में यह गुंजाईश नहीं कि वह अ़रबी ज़बान के तमाम हुरूफ़ का मुतबादिल (विकल्प) पेश कर सके। फिर अगर किसी तरह कोई निशानी मुक़र्रर करके इस कमी को पूरा करने की कोशिश भी की जाए तो **'मख़ारिजे हुरूफ़'** यानी हुरूफ़ के निकालने का जो तरीक़ा, मक़ाम और इल्म है वह उस वैकल्पिक तरीक़े से हासिल नहीं किया जा सकता। जबकि यह सब को मालूम है कि सिर्फ़ अलफ़ाज़ के निकालने में फ़र्क़ होने से अ़रबी ज़बान में मायने बदल जाते हैं। इसलिये अ़रबी मतन की जो हिन्दी दी गयी है उसको सिर्फ़ यह समझें कि वह आपके अन्दर अ़रबी क़ुरआन पढ़ने का शौक़ पैदा करने के लिये है। तिलावत के लिये अ़रबी ही पढ़िये और उसी को सीखिये। वरना हो सकता है कि किसी जगह ग़लत उच्चारण के सबब पढ़ने में सवाब के बजाय अ़ज़ाब के हक़दार न बन जायें। हिन्दी लिपि में जो अ़रबी दी गयी है उससे न क़ुरआन की तिलावत मुम्किन है और न सवाब मिलेगा, अ़रबी भाषा और ख़ास तौर पर क़ुरआन को सीखना बहुत आसान है तिलावत अ़रबी सीखकर ही करें।

मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि जितना मुझसे हो सके इस तफ़सीर को आसान बनाऊँ मगर फिर भी बहुत से मक़ामात पर ऐसे इल्मी मज़ामीन आये हैं कि उनको पूरी तरह आसान नहीं किया जा सका, मगर ऐसी जगहें बहुत कम हैं, उनके सबब इस अहम और क़ीमती सरमाये से मुँह नहीं मोड़ा जा सकता। अगर कोई मक़ाम समझ में न आये तो उस पर निशान लगाकर बाद में किसी आ़लिम से मालूम कर लें। तफ़सीर पढ़ने के लिये

यक्सूई और इत्मीनान का एक वक़्त मुक़र्रर करना चाहिये, चाहे वह थोड़ा सा ही हो। अगर इस लगन के साथ इसका मुताला जारी रखा जायेगा तो उम्मीद है कि आप इस क़ीमती ख़ज़ाने से इल्म व मालूमात का एक बड़ा हिस्सा हासिल कर सकेंगे। यह बात एक बार फिर अ़र्ज़ किये देता हूँ कि असल मतन को अ़रबी ही में पढ़िये तभी आप उसका किसी क़द्र हक़ अदा कर सकेंगे। यह ख़ालिक़े कायनात का कलाम है अगर इसको सीखने में थोड़ा वक़्त और पैसा भी ख़र्च हो जाये तो इस सौदे को सस्ता और लाभदायक समझिये। कल जब आख़िरत का आ़लम सामने होगा और क़ुरआन पाक पढ़ने वालों को इनामात व सम्मान से नवाज़ा जायेगा तो मालूम होगा कि अगर पूरी दुनिया की दौलत और तमाम उम्र ख़र्च करके भी इसको हासिल कर लिया जाता तो भी इसकी क़ीमत अदा न हो पाती।

हमने रुकूअ़, पाव, आधा, तीन पाव और सज्दे के निशानात मुक़र्रर किये हैं इनको ध्यान से देख लीजिये।

रुकूअ़	✿	पाव	❖
आधा	●	तीन पाव	▲
सज्दा	◎		

मुहम्मद इमरान क़ासमी बिज्ञानवी (मुज़फ़्फ़र नगर, उ. प्र.)

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

बिस्मिल्लाहिर्रह्मानिर्रहीम

पेश-लफ़्ज़

वालिद माजिद हज़रत मौलाना मुफ़्ती मुहम्मद शफ़ी साहिब मद्द ज़िल्लुहुम की तफ़सीर **'मआरिफ़ुल्-क़ुरआन'** को अल्लाह तआला ने अवाम व ख़्वास में असाधारण मक़बूलियत अता फ़रमाई, और जिल्दे अव्वल का पहला संस्करण हाथों हाथ ख़त्म हो गया। दूसरे संस्करण की छपाई के वक़्त हज़रत मुसन्निफ़ मद्द ज़िल्लुहुम ने पहली जिल्द पर मुकम्मल तौर से दोबारा नज़र डाली और उसमें काफ़ी तरमीम व इज़ाफ़ा अमल में आया। इसी के साथ हज़रते वाला की इच्छा थी कि दूसरी बार छपने के वक़्त पहली जिल्द के शुरू में क़ुरआनी उलूम और उसूले तफ़सीर से मुताल्लिक़ एक मुख़्तसर मुक़द्दिमा भी तहरीर फ़रमायें, ताकि तफ़सीर के मुताले (अध्ययन) से पहले पढ़ने वाले हज़रात उन ज़रूरी मालूमात से लाभान्वित हो सकें, लेकिन लगातार बीमारी और कमज़ोरी की बिना पर हज़रत के लिये बज़ाते ख़ुद मुक़द्दिमे का लिखना और तैयार करना मुश्किल था, चुनाँचे हज़रते वाला ने यह ज़िम्मेदारी अहक़र के सुपुर्द फ़रमाई।

अहक़र ने हुक्म के पालन में और इस सौभाग्य को प्राप्त करने के लिये यह काम शुरू किया तो यह मुक़द्दिमा बहुत लम्बा हो गया, और क़ुरआनी उलूम के विषय पर ख़ास मुफ़स्सल किताब की सूरत बन गई। इस पूरी किताब को 'मआरिफ़ुल-क़ुरआन' के शुरू में बतौर मुक़द्दिमा शामिल करना मुश्किल था, इसलिये हज़रत वालिद साहिब के इशारे और राय से अहक़र ने इस मुफ़स्सल किताब का ख़ुलासा तैयार किया और सिर्फ़ वे चीज़ें बाक़ी रखीं जिनका मुताला तफ़सीर मआरिफ़ुल-क़ुरआन के मुताला करने वाले के लिये ज़रूरी था, और जो एक आम पाठक के लिये दिलचस्पी का सबब हो सकती थी। उस बड़े मज़मून का यह ख़ुलासा 'मआरिफ़ुल-क़ुरआन' पहली जिल्द के इस संस्करण में मुक़द्दिमे के तौर पर शामिल किया जा रहा है, अल्लाह तआला इसे मुसलमानों के लिये नाफ़े और मुफ़ीद (लाभदायक) बनाये और इस नाचीज़ के लिये आख़िरत का ज़ख़ीरा साबित हो।

इन विषयों पर तफ़सीली इल्मी मबाहिस (बहसें) अहक़र की उस विस्तृत और तफ़सीली किताब में मिल सकेंगे जो इन्शा-अल्लाह तआला जल्द ही एक मुस्तक़िल किताब की सूरत में प्रकाशित होगी (अब यह किताब 'उलूमुल-क़ुरआन' के नाम से प्रकाशित हो चुकी है)। लिहाज़ा जो हज़रात तहक़ीक़ और तफ़सील के तालिब हों वे उस किताब की तरफ़ रुजू फ़रमायें। व मा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह, अ़लैहि तवक्कलतु व इलैहि उनीब।

अहक़र

मुहम्मद तक़ी उस्मानी

दारुल-उलूम कोरंगी, कराची- 14

23 रबीउल-अव्वल 1394 हिजरी

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर के बारे में एक ज़रूरी तंबीह

"मआरिफ़ुल-क़ुरआन" में ख़ुलासा-ए-तफ़सीर सय्यिदी हकीमुल-उम्मत हज़रत थानवी क़ुद्दि-स सिर्रुहू की तफ़सीर "बयानुल-क़ुरआन" से जूँ-का-तूँ लिया गया है। लेकिन उसके कुछ मौक़ों में ख़ालिस इल्मी इस्तिलाहात आई हैं जिनका समझना अवाम के लिये मुश्किल है, नाचीज़ ने अवाम की रियायत करते हुए ऐसे अलफ़ाज़ को आसान करके लिख दिया है, और जो मज़मून ख़ालिस इल्मी था उसको "मआरिफ़ व मसाईल" के उनवान में लेकर आसान अन्दाज़ में लिख दिया है। वल्लाहुल्-मुस्तआन।

बन्दा मुहम्मद शफ़ी

मुख़्तसर विषय-सूची

मआरिफ़ुल-क़ुरआन जिल्द नम्बर (7)

मज़मून	पेज

मज़मून	पेज

तफ़सीर बाईसवाँ पारा

मज़मून	पेज

मज़मून	पेज

मज़मून	पेज

मज़मून	पेज

सूरः ज़ुमर545 — 545

चौबीसवाँ पारा (फ़-मन् अज़्लमु)

मज़मून	पेज

मज़मून	पेज

मज़मून	पेज
✪ आयत नम्बर 21-22 मय ख़ुलासा-ए-तफ़सीर	819
✪ मआरिफ़ व मसाईल	820
✪ आख़िरत का जहान और उसमें जज़ा व सज़ा अक़्लन ज़रूरी है	820
✪ आयत नम्बर 23-26 मय ख़ुलासा-ए-तफ़सीर	822
✪ मआरिफ़ व मसाईल	823
✪ दहर या ज़माने को बुरा कहना अच्छा नहीं	824
✪ आयत नम्बर 27-37 मय ख़ुलासा-ए-तफ़सीर	826
✪ मआरिफ़ व मसाईल	827
छब्बीसवाँ पारः (हा-मीम्)	
सूरः अहक़ाफ़	**829**
✪ आयत नम्बर 1-6 मय ख़ुलासा-ए-तफ़सीर	830
✪ मआरिफ़ व मसाईल	831
✪ आयत नम्बर 7-10 मय ख़ुलासा-ए-तफ़सीर	833
✪ मआरिफ़ व मसाईल	835
✪ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के इल्मे ग़ैब के मुताल्लिक़ अदब का तक़ाज़ा	835
✪ आयत नम्बर 11-12 मय ख़ुलासा-ए-तफ़सीर	837
✪ मआरिफ़ व मसाईल	838
✪ आयत नम्बर 13-20 मय ख़ुलासा-ए-तफ़सीर	841
✪ मआरिफ़ व मसाईल	843
✪ माँ का हक़ बाप से ज़्यादा है	844
✪ हमल और दूध पिलाने की ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दत में उम्मत के फ़ुक़हा का मतभेद	846
✪ दुनिया की लज़्ज़तों और ऐश उठाने से परहेज़ की तरग़ीब	850
✪ आयत नम्बर 21-26 मय ख़ुलासा-ए-तफ़सीर	852
✪ इन आयतों के मज़मून का पीछे से संबन्ध	854
✪ आयत नम्बर 27-28 मय ख़ुलासा-ए-तफ़सीर	854
✪ आयत नम्बर 29-32 मय ख़ुलासा-ए-तफ़सीर	855
✪ मआरिफ़ व मसाईल	856
✪ आयत नम्बर 33-35 मय ख़ुलासा-ए-तफ़सीर	858
✪ मआरिफ़ व मसाईल	859

✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪

* सूरः लुक़मान *

यह सूरत मक्की है। इसमें 34 आयतें
और 4 रुकूअ़ हैं।

सूरः लुक़मान

सूरः लुक़मान मक्का में नाज़िल हुई। इसमें 34 आयतें और 4 रुकूअ़ हैं।

الٓمّٓ ۚ تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ الْحَكِيْمِ ۙ هُدًى وَّرَحْمَةً لِّلْمُحْسِنِيْنَ ۙ الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ
وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَهُمْ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ ۗ اُولٰٓئِكَ عَلٰى هُدًى مِّنْ رَّبِّهِمْ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ
الْمُفْلِحُوْنَ ۝ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشْتَرِيْ لَهْوَ الْحَدِيْثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۖ
وَّيَتَّخِذَهَا هُزُوًا ۗ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ ۝ وَاِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِ اٰيٰتُنَا وَلّٰى مُسْتَكْبِرًا كَاَنْ لَّمْ
يَسْمَعْهَا كَاَنَّ فِيْٓ اُذُنَيْهِ وَقْرًا ۚ فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ ۝ اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَهُمْ
جَنّٰتُ النَّعِيْمِ ۙ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۗ وَعْدَ اللّٰهِ حَقًّا ۗ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۝

बिस्मिल्लाहिर्रह्मानिर्रहीम

शुरू अल्लाह के नाम से जो बेहद मेहरबान निहायत रहम वाला है।

अलिफ़्-लाम्-मीम् (1) तिल्-क आयातुल्-किताबिल्-हकीम (2) हुदंव्-व रह्म-तल् लिल्मुह्सिनीन (3) अल्लज़ी-न युक़ीमूनस्सला-त व युअ्तूनज़्ज़का-त व हुम् बिल्-आख़िरति हुम् यूक़िनून (4) उलाइ-क अ़ला हुदम्-मिर्रब्बिहिम् व उलाइ-क हुमुल्-मुफ़्लिहून (5) व मिनन्नासि मंय्यश्तरी लह्वल्-हदीसि लियुज़िल्-ल	अलिफ़्-लाम्-मीम्। (1) ये आयतें हैं पक्की किताब की। (2) हिदायत है और मेहरबानी नेकी करने वालों के लिये। (3) जो कि क़ायम रखते हैं नमाज़ और देते हैं ज़कात और वे हैं जो आख़िरत पर उनको यक़ीन है। (4) उन्होंने पाई है राह अपने रब की तरफ़ से और वही मुराद को पहुँचे। (5) और एक वे लोग हैं कि ख़रीदार हैं खेल की बातों के ताकि

अन् सबीलिल्लाहि बिग़ैरि ज़िल्मिंव्-व यत्तख़ि-ज़हा हुज़ुवन्, उलाइ-क लहुम् अ़ज़ाबुम्-मुहीन (6) व इज़ा तुत्ला अ़लैहि आयातुना वल्ला मुस्तक्बिरन् क-अल्लम् यस्मअ़्हा क-अन्-न फ़ी उज़ुनैहि वक़्रन् फ-बश्शिरहु बि-अ़ज़ाबिन् अलीम (7) इन्नल्लज़ी-न आमनू व अ़मिलुस्-सालिहाति लहुम् जन्नातुन्-नअ़ीम (8) ख़ालिदी-न फ़ीहा, वअ़्दल्लाहि हक़्क़न्, व हुवल्-अ़ज़ीज़ुल्-हकीम (9)	बिचलायें अल्लाह की राह से बिन समझे, और ठहरायें उसको हंसी, वे जो हैं उनको ज़िल्लत का अ़ज़ाब है। (6) और जब सुनाये उसको हमारी आयतें पीठ दी जाये ग़ुरूर से गोया उनको सुना ही नहीं, गोया उसके दोनों कान बहरे हैं, सो ख़ुशख़बरी दे उसको दर्दनाक अ़ज़ाब की। (7) जो लोग यक़ीन लाये और किये भले काम उनके वास्ते हैं नेमत के बाग़। (8) हमेशा रहा करें उनमें वायदा हो चुका अल्लाह का सच्चा, और वह ज़बरदस्त है हिक्मतों वाला। (9)

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

अलिफ़्-लाम्-मीम् (इसके मायने तो अल्लाह ही को मालूम हैं)। ये (जो इस सूरत या क़ुरआन में ज़िक्र हुई हैं) आयतें हैं एक हिक्मत से भरी किताब (यानी क़ुरआन) जो कि हिदायत और रहमत (का सबब) है, नेक काम करने वालों के लिये। जो नमाज़ की पाबन्दी करते हैं और ज़कात अदा करते हैं, और वे लोग आख़िरत का पूरा यक़ीन रखते हैं। (सो) ये लोग (इस क़ुरआन के एतिक़ाद और अ़मल की बदौलत) अपने रब के सीधे रास्ते पर हैं, और यही लोग (इस हिदायत की बदौलत) फ़लाह पाने वाले हैं। (पस क़ुरआन इस तरह उनके लिये हिदायत और रहमत का सबब हो गया जिसका असर फ़लाह है। पस बाज़े आदमी तो ऐसे हैं जैसा बयान किया गया) और (उनके विपरीत) बाज़ा आदमी ऐसा (भी) है जो (क़ुरआन से मुँह फेर करके) उन बातों का ख़रीदार बनता है (यानी ऐसी बातें इख़्तियार करता है) जो (अल्लाह से) ग़ाफ़िल करने वाली हैं, (सो अव्वल तो लह्व "खेल की बातों" का इख़्तियार करना जबकि उसके साथ अल्लाह की आयतों से मुँह मोड़ना भी हो ख़ुद ही कुफ़्र और गुमराही है, फिर ख़ास तौर पर जबकि उसको इस ग़र्ज़ से इख़्तियार किया जाये) ताकि (उसके ज़रिये से दूसरों को भी) अल्लाह की राह (यानी हक़ दीन से) से बेसमझे-बूझे गुमराह करे और (उसी गुमराह करने के साथ) उस (हक़ रास्ते) की हंसी उड़ाये (ताकि दूसरों के दिल से बिल्कुल उसकी वक़अ़त और तासीर निकल जाये, तब तो कुफ़्र पर कुफ़्र और गुमराह होने के साथ दूसरों को गुमराह करना भी है और) ऐसे लोगों के लिये (आख़िरत में) ज़िल्लत का अ़ज़ाब (होने वाला) है (जैसा कि इनके उलट और विपरीत काम करने वालों के लिये फ़लाह का होना मालूम हुआ)। और (उस ज़िक्र हुए शख़्स के मुँह

मोड़ने की यह हालत है कि) जब उसके सामने हमारी आयतें पढ़ी जाती हैं तो वह शख़्स तकब्बुर करता हुआ (ऐसी बेतवज्जोही से) मुँह मोड़ लेता है जैसे उसने सुना ही नहीं, जैसे उसके कानों में भारीपन "यानी डाट" है (यानी जैसे बहरा है), सो उस (शख़्स) को एक दर्दनाक अ़ज़ाब की ख़बर सुना दीजिये। (यह तो मुँह मोड़ने और बेतवज्जोही करने वाले की सज़ा का बयान हुआ आगे हिदायत वाले लोगों की जज़ा का बयान है जो कि वायदा की गयी फ़लाह व कामयाबी की तफ़सील है, यानी) अलबत्ता जो लोग ईमान लाये और उन्होंने नेक काम किये उनके लिये ऐश की जन्नतें हैं, जिनमें वे हमेशा रहेंगे। यह अल्लाह ने सच्चा वायदा फ़रमाया है और वह ज़बरदस्त, हिक्मत वाला है (पस अपनी कामिल क़ुदरत से सवाब के वायदे और सज़ा की धमकी को ज़ाहिर व वाक़े कर सकता है, और हिक्मत से उसको वायदे के अनुसार सामने लायेगा)।

मआ़रिफ़ व मसाईल

يُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ

इस आयत में ज़कात का हुक्म है हालाँकि आयत मक्की है। इससे मालूम हुआ कि असल ज़कात का हुक्म मक्का मुकर्रमा ही में हिजरत से पहले आ चुका था। और यह जो मशहूर है कि ज़कात का हुक्म हिजरत के दूसरे साल में नाफ़िज़ हुआ इससे मुराद निसाबों का निर्धारण और वाजिब मात्रा व वज़न की तफ़सीलात और इस्लामी हुकूमत की तरफ़ से इसके वसूल करने और सही जगह पर ख़र्च करने का इन्तिज़ाम है, यह हिजरत के दूसरे साल में हुआ है।

इमाम इब्ने कसीर ने सूरः मुज़्ज़म्मिल की आयतः

اَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ

(यानी आयत नम्बर 20) तहत में यही तहक़ीक़ फ़रमाई है, क्योंकि सूरः मुज़्ज़म्मिल तो मक्की सूरतों में है और क़ुरआन नाज़िल होने के बिल्कुल शुरू के ज़माने में नाज़िल हुई है, इससे मालूम होता है कि जिस तरह क़ुरआने करीम की आयतों में अक्सर सलात और ज़कात को साथ-साथ बयान फ़रमाया है इसकी फ़र्ज़ियत भी साथ-साथ ही हुई है। वल्लाहु आलम

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشْتَرِىْ لَهْوَ الْحَدِيْثِ

लफ़्ज़ इश्तिरा के लुग़वी मायने ख़रीदने के हैं और कई बार एक काम के बदले दूसरे काम को इख़्तियार करने के लिये भी लफ़्ज़ इश्तिरा इस्तेमाल किया जाता है। जैसे 'अल्लज़ीनश्त-रवुज़्ज़लाल-त बिल्हुदा' वग़ैरह क़ुरआन की आयतों में इश्तिरा के यही मायने मुराद हैं।

इस आयत का शाने नुज़ूल एक ख़ास वाक़िआ़ है कि नज़र बिन हारिस मक्का के मुश्रिकों में से एक बड़ा व्यापारी था और कारोबार के लिये विभिन्न मुल्कों का सफ़र करता था। वह मुल्के फ़ारस से अ़जम (ग़ैर अ़रब) के बादशाहों किसरा वग़ैरह के ऐतिहासिक क़िस्से ख़रीदकर लाया और मक्का के मुश्रिकों से कहा कि मुहम्मद (सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम) तुमको आ़द व समूद वग़ैरह क़ौमों के वाक़िआ़त सुनाते हैं मैं तुम्हें उनसे बेहतर रुस्तम और इस्फ़न्दयार और फ़ारस के दूसरे बादशाहों के क़िस्से सुनाता हूँ। ये लोग उसके क़िस्से को शौक़ व दिलचस्पी से सुनने लगे, क्योंकि उनमें कोई

तालीम तो थी नहीं जिस पर अ़मल करने की मेहनत उठानी पड़े, सिर्फ़ मज़ेदार क़िस्म की कहानियाँ थीं उनकी वजह से बहुत से मुश्रिक जो इससे पहले अल्लाह के कलाम के बेजोड़ और चमत्कारी होने की वजह से उसको सुनने की रग़बत (रुचि) रखते और चोरी-चोरी सुना भी करते थे उन लोगों को क़ुरआन से मुँह फेरने का बहाना हाथ आ गया। (इसको रूहुल-मआ़नी और दुर्रे मन्सूर में नकल किया गया है)

और दुर्रे मन्सूर में हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि उक्त व्यापारी बाहर से एक गाने वाली कनीज़ (बाँदी) ख़रीद कर लाया था और उसके ज़रिये उसने लोगों को क़ुरआन सुनने से रोकने की यह सूरत निकाली कि जो लोग क़ुरआन सुनने का इरादा करें अपनी उस बाँदी से उनको गाना सुनवाता था और कहता था कि मुहम्मद तुमको क़ुरआन सुनाकर कहते हैं कि नमाज़ पढ़ो रोज़ा रखो और अपनी जान दो, जिसमें तकलीफ़ ही तकलीफ़ है। आओ तुम यह गाना सुनो और मस्ती का जश्न मनाओ।

क़ुरआने करीम की उपरोक्त आयत इसी वाक़िए पर नाज़िल हुई और इसमें 'खेल की बातों की ख़रीदारी' से अ़जम के बादशाहों के वो क़िस्से कहानियाँ या यह बाँदी मुराद है। आयत के उतरने के वाक़िए के एतिबार से लफ़्ज़ इश्तिरा अपने असली मायने में ख़रीदने के लिये इस्तेमाल हुआ है। और 'लह़्वल्-हदीस' के जो आ़म मायने आगे बयान हो रहे हैं उनके एतिबार से लफ़्ज़ इश्तिरा भी इस जगह आ़म है, यानी एक काम के बदले में दूसरे को इख़्तियार करना, इसमें खेल-तमाशे और बेकार के सामान की ख़रीदारी भी दाख़िल है। और 'लह़्वल्-हदीस' में लफ़्ज़ "हदीस" तो बातों और क़िस्से कहानियों के मायने में है और लह़्व के मायने ग़फ़लत में पड़ने के हैं। जो चीज़ें इनसान को ज़रूरी कामों से ग़फ़लत में डालें वे लह़्व कहलाती हैं, और कई बार ऐसे कामों को भी लह़्व कहा जाता है जिनका कोई ख़ास और क़ाबिले ज़िक्र फ़ायदा न हो, सिर्फ़ वक़्त गुज़ारी का मशग़ला या दिल बहलाने का सामान हो।

ऊपर बयान हुई आयत में लह़्वल्-हदीस के मायने और तफ़सीर में मुफ़स्सिरीन के क़ौल भिन्न और अलग-अलग हैं, हज़रत इब्ने मसऊद, हज़रत इब्ने अ़ब्बास और हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अ़न्हुम की एक रिवायत में इसकी तफ़सीर गाने बजाने से की गई है। (हाकिम व बैहक़ी)

और सहाबा व ताबिईन की अक्सरियत और ज़्यादातर मुफ़स्सिरीन के नज़दीक लह़्वल्-हदीस आ़म है तमाम उन चीज़ों के लिये जो इनसान को अल्लाह की इबादत और याद से ग़फ़लत में डालें, इसमें गाना, बाजा और संगीत के सामान व उपकरण भी दाख़िल हैं और बेहूदा क़िस्से कहानियाँ भी। इमाम बुख़ारी रह. ने अपनी किताब अल्-अदबुल-मुफ़्रद में और इमाम बैहक़ी ने अपनी सुनन में लह़्वल्-हदीस की यही तफ़सीर इख़्तियार की है। उसमें फ़रमाया है किः

لَهْوَ الْحَدِيْثِ هُوَ الْغِنَاءُ وَاَشْبَاهُهٗ

यानी लह़्वल्-हदीस से मुराद गाना और उसके जैसी दूसरी चीज़ें हैं (यानी जो अल्लाह की इबादत से ग़ाफ़िल कर दें) और सुनने बैहक़ी में है कि लह़्वल्-हदीस के ख़रीदने से मुराद गाने बजाने वाले मर्द या औरत को ख़रीदना या इसके जैसी ऐसी बेहूदा चीज़ों को ख़रीदना है जो अल्लाह की याद से ग़ाफ़िल करें। इमाम इब्ने जरीर ने भी इसी आ़म मायने को इख़्तियार फ़रमाया है। (रूहुल्-मआ़नी)

और इमाम तिर्मिज़ी की एक रिवायत से भी यही आ़म होना साबित होता है जिसमें आप

सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम का यह इरशाद है कि गाने वाली लौंडियों (बाँदियों) की तिजारत न करो और फिर फ़रमायाः

و فی مثل هذا انزلت هذه الایة وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشْتَرِىْ........ الخ

(कि इसी जैसी चीज़ों के बारे में यह आयत 'व मिनन्नासि मंय्यश्तरी लह्वल्-हदीसि.......' नाज़िल की गयी है। हिन्दी अनुवादक)

लह्व व लअ़िब और उसके सामान के शरई अहकाम

पहली बात ग़ौर करने के क़ाबिल यह है कि क़ुरआने करीम ने जितने मौक़ों पर **लह्व** या **लअ़िब** का ज़िक्र किया है वो निंदा और बुराई ही के मौक़े हैं, जिसका अदना दर्जा मक्रूह होना है। (रूहुल-मआ़नी व कश्शाफ़) और उक्त आयत लह्व की बुराई में बिल्कुल स्पष्ट और खुली है।

और मुस्तद्रक हाकिम 'किताबुल्-जिहाद' में हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमायाः

كُلُّ شَىْءٍ مِّنْ لَّهْوِ الدُّنْيَا بَاطِلٌ اِلَّا ثَلٰثَةٌ اِنْتِضَالُكَ بِقَوْسِكَ وَتَادِيْبُكَ لِفَرَسِكَ وَ مُلَاعَبَتُكَ لِاَ هْلِكَ فَاِنَّهُنَّ مِنَ الْحَقِّ.

"यानी दुनिया का हर लह्व (खेल) बातिल है मगर तीन चीज़ें- एक यह कि तुम तीर कमान से खेलो, दूसरे अपने घोड़े को सधाने के लिये खेलो, तीसरे अपनी बीवी के साथ खेल करो।"

(हाकिम ने इस हदीस को मुस्लिम की शर्तों पर सही कहा है, मगर अ़ल्लामा ज़हबी वग़ैरह ने इसकी सनद के मुत्तसिल होने को तस्लीम नहीं किया बल्कि इसको मुर्सल हदीस कहा है, मगर मुहद्दिसीन की बड़ी और अक्सर जमाअ़त के नज़दीक मुर्सल हदीस भी हुज्जत है)।

इस हदीस में हर लह्व को बातिल क़रार दिया है और जिन तीन चीज़ों को उससे अलग रखा है दर हक़ीक़त वो लह्व (खेल) में दाख़िल ही नहीं, क्योंकि लह्व तो उस काम को कहा जाता है जिसमें कोई ख़ास और माक़ूल दीनी या दुनियावी फ़ायदा न हो, और ये तीनों चीज़ें मुफ़ीद काम हैं जिनसे बहुत से दीनी और दुनियावी फ़ायदे जुड़े हैं। तीर-अन्दाज़ी और घोड़े को सधाना तो जिहाद की तैयारी में दाख़िल हैं और बीवी के साथ खेल बच्चे पैदा करने और नस्ल बढ़ाने के मक़सद की पूर्ति है। इनको सिर्फ़ देखने और ज़ाहिर के एतिबार से लह्व (खेल) कह दिया गया है वो हक़ीक़त के एतिबार से लह्व में दाख़िल ही नहीं। इसी तरह इन तीनों चीज़ों के अ़लावा और भी बहुत से ऐसे काम हैं जिनसे दीनी या दुनियावी फ़ायदे जुड़े हैं और देखने में वो लह्व (खेल) समझे जाते हैं, उनको भी हदीस की दूसरी रिवायतों में जायज़ बल्कि कुछ को अच्छा और पसन्दीदा क़रार दिया गया है जिसकी तफ़सील आगे आ जायेगी।

ख़ुलासा यह है कि जो काम हक़ीक़त में लह्व हों, यानी जिनमें न कोई दीनी फ़ायदा हो न दुनियावी वे सब के सब बुरे और मक्रूह तो ज़रूर ही हैं फिर उनमें तफ़सील है- बाज़े तो कुफ़्र की हद तक पहुँच जाते हैं, बाज़े खुले हराम हैं और कम से कम दर्जा मक्रूहे तन्ज़ीही यानी अच्छा और पसन्दीदा न होने का है जिससे कोई लह्व जो दर हक़ीक़त लह्व हो बाहर नहीं। और जिन खेलों को

हदीसों में लह्व से अलग रखा गया है वो हक़ीक़त में खेलों में दाख़िल ही नहीं जैसा कि एक हदीस में ख़ुद इसकी वज़ाहत मौजूद है। अबू दाऊद, तिर्मिज़ी, नसाई, इब्ने माजा में हज़रत उक़्बा बिन आ़मिर रज़ियल्लाहु अ़न्हु की रिवायत किताबुल्-जिहाद में है जिसके अलफ़ाज़ ये हैं:

لَيْسَ مِنَ اللَّهْوِ ثَلَاثٌ تَادِيْبُ الرَّجُلِ فَرَسَهٗ وَمَلَاعِبَتُهٗ اَهْلَهٗ وَرَمْيُهٗ بِقَوْسِهٖ وَنَبْلِهٖ. الحديث. (نصب الرايہ ص۲۷۳ ج۴)

इस हदीस ने ख़ुद वज़ाहत कर दी कि ये तीन चीज़ें जो इससे अलग की गई हैं दर हक़ीक़त ये लह्व (खेल) में दाख़िल ही नहीं और जो हक़ीक़त में लह्व है वह बातिल और बुरा है, आगे उसके बुरा होने के अलग-अलग दर्जे हैं।

1. जो खेल दीन से गुमराह होने या दूसरों को गुमराह करने का ज़रिया बने वह कुफ़्र है जैसा कि उपर्युक्त आयत 'व मिनन्नासि मंय्यश्तरी लह्वल्-हदीसि.............' में इसका कुफ़्र व गुमराही होना बयान फ़रमाया गया और इसकी सज़ा ज़िल्लत का अ़ज़ाब क़रार दी है जो काफ़िरों की सज़ा है, क्योंकि यह आयत नज़र बिन हारिस के जिस वाक़िए पर नाज़िल हुई है उसमें इस लह्व को उसने इस्लाम के ख़िलाफ़ लोगों को गुमराह करने के लिये इस्तेमाल किया था, इसलिये यह लह्व हराम होने के साथ कुफ़्र तक पहुँच गया।

2. दूसरी सूरत यह है कि कोई लह्व लोगों को इस्लामी अ़क़ीदों से तो गुमराह नहीं करता मगर उनको किसी हराम और गुनाह में मुब्तला करता है, वह कुफ़्र तो नहीं मगर हराम और सख़्त गुनाह है जैसे वो तमाम खेल जिनमें जुआ और क़िमार हो, यानी हार-जीत पर माल का लेन-देन हो, या जो इनसान को फ़राईज़ यानी नमाज़ रोज़े वग़ैरह के अदा करने से रुकावट हों।

गन्दे और फ़ुज़ूल नाविल या बुरे व गन्दे अश्आ़र और बातिल वालों की किताबें भी देखना नाजायज़ है

इस ज़माने में अधिकतर नौजवान गन्दे नॉवेल या अपराधी लोगों के हालात पर आधारित क़िस्से या बुरे व गन्दे अश्आ़र देखने के आ़दी हैं, ये सब चीज़ें लह्व ही इसी हराम क़िस्म में दाख़िल हैं। इसी तरह गुमराह ग़ैर-हक़ वालों के ख़्यालात का पढ़ना भी अ़वाम के लिये गुमराही का सबब होने की वजह से नाजायज़ है, मज़बूत और पुख़्ता इल्म रखने वाले उलेमा उनके जवाब और रद्द करने के लिये देखें तो कोई हर्ज नहीं।

3. और जिन खेलों में न कुफ़्र है न कोई खुली हुई नाफ़रमानी वो मक्रूह हैं कि एक बेफ़ायदा काम में अपनी ताक़त और वक़्त को ज़ाया करना है।

खेलों के सामान की ख़रीद-फ़रोख़्त

ऊपर बयान हुई तफ़सील से खेलों के सामान की ख़रीद व बेच का हुक्म भी मालूम हो गया कि जो सामान कुफ़्र व गुमराही या हराम व गुनाह ही के खेलों में इस्तेमाल होता है उसकी तिजारत और ख़रीद व फ़रोख़्त भी हराम है और जो मक्रूह लह्व में इस्तेमाल होता है उसकी तिजारत भी मक्रूह है, और जो सामान जायज़ और अलग रखे गये खेलों में इस्तेमाल होता है उसकी तिजारत भी जायज़

है, और जिस सामान को जायज़ और नाजायज़ दोनों तरह के कामों में इस्तेमाल किया जाता है उसकी तिजारत जायज़ है।

मुबाह और जायज़ खेल

उधर यह बात तफ़सील से आ चुकी है कि बुरे और वर्जित (मना किया गया) वह लह्व और खेल है जिसमें कोई दीनी या दुनियावी फ़ायदा नहीं। जो खेल बदन की वर्ज़िश, सेहत और तन्दुरुस्ती बाक़ी रखने के लिये या किसी दूसरी दीनी या दुनियावी ज़रूरत के लिये या कम से कम तबीयत की बोरियत दूर करने के लिये हों और उनमें ग़ुलू (हद से बढ़ना) न किया जाये कि उन्हीं को मशग़ला बना लिया जाये और ज़रूरी कामों में उनसे हर्ज पड़ने लगे तो ऐसे खेल शरई तौर पर मुबाह और दीनी ज़रूरत की नीयत से हों तो सवाब भी हैं।

ज़िक्र हुई हदीस में तीन खेलों को मनाही से अलग रखना ऊपर गुज़र चुका है। तीर-अन्दाज़ी, घोड़े की सवारी, अपनी बीवी के साथ खेलना व दिल्लगी। और हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु से एक मरफ़ूअ़ हदीस में है:

خيرلهو المؤمن السباحة وخيرلهو المرأة المغزل (جامع صغير برمزابن عدى باسناد ضعيف)

"यानी मोमिन का अच्छा खेल तैराकी है और औरत का अच्छा खेल चरख़ा है।"

सही मुस्लिम और मुस्नद अहमद में हज़रत सलमा इब्ने अक्वा रज़ियल्लाहु अ़न्हु की रिवायत है कि मदीना के अन्सार सहाबा में एक साहिब दौड़ में बड़े माहिर थे कोई उनसे आगे न निकल सकता था, उन्होंने एक दिन ऐलान किया कि कोई है जो मेरे साथ दौड़ में मुक़ाबला करे? मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से इजाज़त चाही कि मैं मुक़ाबला करूँ, आपने इजाज़त दे दी तो मैं मुक़ाबले में आगे बढ़ गया। इससे मालूम हुआ कि प्यादा दौड़ की मश्क़ करना भी जायज़ है।

एक मशहूर पहलवान रुकाना ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से कुश्ती ठहराई तो आपने उसको कुश्ती में पछाड़ दिया। (अबू दाऊद फ़िल्-मरासील)

हब्शा के कुछ नौजवान मदीना तय्यिबा में सिपहगिरी की फ़न की मश्क़ करने के लिये नेज़ों वग़ैरह से खेलते थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने उनका खेल हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा को अपनी पुश्त के पीछे खड़ा करके दिखलाया और उन लोगों को फ़रमायाः

اِلْهُوْا وَالْعَبُوْا.

"यानी खेल-कूद करते रहो।" (बैहक़ी- शुअ़बुल-ईमान, कन्ज़ुल्-उम्माल बाबुल्लह्व)

और कुछ रिवायतों में इसके साथ ये अलफ़ाज़ भी आये हैं:

فَاِنِّیْ اَکْرَهُ اَنْ یُّرٰی فِیْ دِیْنِکُمْ غِلْظَةٌ.

"यानी मैं इसको पसन्द नहीं करता कि तुम्हारे दीन में ख़ुश्की और सख़्ती देखी जाये।"

इसी तरह कुछ सहाबा किराम से मन्क़ूल है कि जब वे क़ुरआन व हदीस के मशग़लों में थक जाते तो कई बार अ़रब के अश्आ़र या तारीख़ी वाक़िआ़त से दिल बहलाते थे। (हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ि. ने इसको कफ़्फ़िर्रिआ में ज़िक्र किया है)

एक हदीस में इरशाद है:

رَوِّحُوا الْقُلُوْبَ سَاعَةً فَسَاعَةً (اخرجه ابو داؤد فى مراسيله عن ابن شهاب مرسلاً)

"यानी तुम अपने दिलों को कभी-कभी आराम दिया करो।" जिससे दिल व दिमाग़ की तफ़रीह और इसके लिये कुछ वक़्त निकालने का जायज़ होना साबित हुआ।

शर्त इन सब चीज़ों में यह है कि नीयत उन सही मक़सदों की हो जो उन खेलों में पाये जाते हैं, खेल सिर्फ़ खेल के लिये मक़सद न हो और वह भी ज़रूरत के मुताबिक़ हो, उसमें बहुत ज़्यादा मशग़ूल रहना और हद से ज़्यादती न हो। और वजह इन सब खेलों के जायज़ होने की वही है कि हक़ीक़त में ये जब अपनी हद के अन्दर हों तो **लह्व** की परिभाषा में दाख़िल ही नहीं।

बाज़े खेल जो स्पष्ट रूप से मना किये गये

इसके साथ कुछ खेल ऐसे भी हैं जिनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने ख़ास तौर पर मना फ़रमा दिया है अगरचे उनमें कुछ फ़ायदे भी बतलाये जायें जैसे शतरंज चौसर वग़ैरह, अगर इनके साथ हार-जीत और माल का देन-देन हो तो यह जुआ और क़तई हराम हैं, और यह न हो महज़ दिल बहलाने के लिये खेले जायें तब भी हदीस में इनको मना फ़रमाया है। सही मुस्लिम में हज़रत बुरैदा रज़ियल्लाहु अ़न्हु की रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि जो शख़्स चौसर खेलता है वह ऐसा है जैसे उसने अपने हाथ ख़िन्ज़ीर (सुअर) के ख़ून में रंगे हों। इसी तरह एक रिवायत में शतरंज खेलने वाले पर लानत के अलफ़ाज़ आये हैं। (उक़ैली, ज़ुअ़फ़ा में, हज़रत अबू हुरैरह रज़ि. की रिवायत से) इसी तरह कबूतर बाज़ी को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने नाजायज़ क़रार दिया। (अबू दाऊद, मरासील में हज़रत शुरैह की रिवायत से)

इनकी मनाही की ज़ाहिरी वजह यह है कि उमूमन इनमें ऐसी मशग़ूलियत होती है कि आदमी को ज़रूरी काम यहाँ तक कि नमाज़ और दूसरी इबादत से भी ग़ाफ़िल कर देती है।

गाने-बजाने के अहकाम

उक्त आयत में चन्द सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अ़न्हुम ने तो **लह्वल्-हदीस** की तफ़सीर गाने बजाने से की है और दूसरे हज़रात ने अगरचे तफ़सीर आ़म क़रार दी है, हर ऐसे खेल को जो अल्लाह से ग़ाफ़िल करे लह्वल्-हदीस फ़रमाया है, मगर उनके नज़दीक भी गाना बजाना इसमें दाख़िल है। और क़ुरआने करीम की एक दूसरी आयतः

لَا يَشْهَدُوْنَ الزُّوْرَ

(यानी सूरः फ़ुरक़ान की आयत 72) में इमाम अबू हनीफ़ा और मुजाहिद और मुहम्मद बिन हनफ़िया वग़ैरह ने ज़ूर की तफ़सीर ग़िना (गाने-बजाने) से की है।

और अबू दाऊद और इब्ने माजा ने सुनन में और इब्ने हिब्बान ने अपनी किताब सही में हज़रत अबू मालिक अश्अ़री रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत किया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमायाः

لَيَشْرَبَنَّ نَاسٌ مِّنْ اُمَّتِي الْخَمْرَ يُسَمُّوْنَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا يُعْزَفُ عَلٰى رُءُوْسِهِمْ بِالْمَعَازِفِ وَالْمُغَنِّيَاتِ، يَخْسِفُ اللّٰهُ بِهِمُ الْاَرْضَ وَيَجْعَلُ اللّٰهُ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيْرَ.

"मेरी उम्मत के कुछ लोग शराब को उसका नाम बदलकर पियेंगे, उनके सामने **मआज़िफ़** व **मज़ामीर** (बाजे-गाजे) के साथ औरतों का गाना होगा, अल्लाह तआ़ला उनको ज़मीन में धंसा देगा और कुछ की सूरतें बिगाड़ करके बन्दर और सुअर बना देगा।"

और हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि अल्लाह तआ़ला ने शराब और जुए और तबले व सारंगी को हराम किया है और फ़रमाया कि हर नशा लाने वाली चीज़ हराम है। (अहमद, अबू दाऊद, इब्ने हिब्बान)

روى عن ابى هريرةؓ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتخذ الفئ دولًا والامانة مغنمًا والزكوٰة مغرمًا وتعلم لغير الدين واطاع الرجل امرأته وعقّ اُمه وادنٰى صديقه واقصى اباه وظهرت الاصوات فى المساجد وسادالقبيلة فاسقهم وكان زعيم القوم ارذلهم واُكرِمَ الرّجل مخافة شره وظهرت القيان والمعازف وشربت الخمور ولعن اخرهٰذه الامة اولها فليرتقبوا عند ذٰلك ريحا حمراء وزلزلة وخسفًا ومسخًا وقذفًا وايات تتابع كنظام بال قطع سلكه فتتابع بعضه بعضا. (رواه الترمذى وقال هذا حديث حسن غريب)

"हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि जब माले ग़नीमत को ज़ाती दौलत बना लिया जाये और जब लोगों की अमानत को माले ग़नीमत समझ लिया जाये और जब ज़कात को एक तावान समझा जाने लगे और जब इल्मे दीन को दुनिया हासिल करने के लिये सीखा जाने लगे और जब मर्द अपनी बीवी की इताअ़त और माँ की नाफ़रमानी करने लगे और दोस्त को अपने क़रीब करे और बाप को दूर रखे और मस्जिदों में शोर व ग़ुल होने लगे और क़बीले का सरदार उनका फ़ासिक़ बदकार बन जाये, और जब क़ौम का सरदार उनमें घटिया तरीन आदमी हो जाये और जब शरीर आदमियों की इज़्ज़त उनके शर (बुराई) के ख़ौफ़ से की जाने लगे, और जब गाने वाली औरतों और बाजों गाजों का रिवाज आ़म हो जाये और जब शराबें पी जाने लगें और इस उम्मत के बाद वाले लोग पहले लोगों पर लानत करने लगें तो उस वक़्त तुम इन्तिज़ार करो एक सुर्ख़ आँधी का और ज़लज़ले का और ज़मीन धंस जाने और सूरतें बिगड़ जाने का, और क़ियामत की ऐसी निशानियों का जो एक के बाद एक इस तरह आयेंगी जैसे किसी हार की लड़ी टूट जाये और उसके दाने एक साथ बिखर जाते हैं।"

ज़रूरी तंबीह

इस हदीस के अलफ़ाज़ को बार-बार पढ़िये और देखिये कि इस वक़्त की दुनिया का पूरा-पूरा नक़्शा है और वो गुनाह जो मुसलमानों में आ़म हो चुके हैं और बढ़ते जा रहे हैं उनकी ख़बर चौदह सौ बरस पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने दे दी है। मुसलमानों को इस पर चेताया है कि ऐसे हालात से बाख़बर रहें और गुनाहों से बचने बचाने की पूरी पाबन्दी करें, वरना जब ये गुनाह

आ़म हो जायेंगे तो ऐसे गुनाह करने वालों पर आसमानी अ़ज़ाब नाज़िल होंगे और फिर क़ियामत की आख़िरी निशानियाँ सामने आ जायेंगी। इन गुनाहों में से औ़रतों का गाना और गाने बजाने के उपकरण तबला सारंगी वग़ैरह भी हैं, इस जगह इस रिवायत को इसी मुनासबत से नक़ल किया गया है। इसके अ़लावा और बहुत सी मुस्नद हदीसें हैं जिनमें गाने-बजाने को हराम व नाजायज़ फ़रमाया है और इस पर अ़ज़ाब की सख़्त धमकी है।

अच्छी आवाज़ के साथ बग़ैर बाजे-गाजे के मुफ़ीद अश्आ़र पढ़ना मना नहीं

इसके मुक़ाबिल कुछ रिवायतों से गाने का जायज़ होना भी मालूम होता है। तफ़सील इन दोनों में इस तरह है कि जो गाना अजनबी औ़रत का हो या उसके साथ तबला सारंगी वग़ैरह बाजे हों वह हराम है जैसा कि उपर्युक्त क़ुरआनी आयतों और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की पाक हदीसों से साबित हुआ, और अगर केवल अच्छी आवाज़ के साथ कुछ अश्आ़र पढ़े जायें और पढ़ने वाली औ़रत या नवयुवक न हों और अश्आ़र के मज़ामीन भी गन्दे, अश्लील और किसी दूसरे गुनाह पर आधारित न हों तो जायज़ है।

कुछ सूफ़िया-ए-किराम से जो गाये हुए कलाम का सुनना मन्क़ूल है वह इसी क़िस्म के जायज़ गाये हुए कलाम पर महमूल है, क्योंकि उनका शरीअ़त की पैरवी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की फ़रमाँबरदारी करना सूरज की तरह यक़ीनी है, उनसे ऐसे गुनाह का जुर्म करने का गुमान नहीं किया जा सकता। सूफ़िया-ए-किराम में के जो हज़रात मुहक़्क़िक़ हैं उन्होंने ख़ुद इसका ख़ुलासा किया है। इस मामले में चारों इमामों के मज़ाहिब के फ़ुक़हा और सूफ़िया-ए-किराम के अक़वाल हमारे रिसाले 'कश्फ़ुल्-ग़िना अ़न् वस्फ़िल्-ग़िना' में तफ़सील से जमा कर दिये गये हैं जो अ़रबी भाषा में है, यहाँ इसी मुख़्तसर वज़ाहत पर इक्तिफ़ा किया गया। वल्लाहुल्-मुस्तआ़न

خَلَقَ السَّمٰوٰتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا وَاَلْقٰى فِى الْاَرْضِ رَوَاسِىَ اَنْ تَمِيْدَ بِكُمْ وَبَثَّ فِيْهَا مِنْ كُلِّ دَآبَّةٍ ۭ وَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَاَنْۢبَتْنَا فِيْهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيْمٍ ۝ هٰذَا خَلْقُ اللّٰهِ فَاَرُوْنِىْ مَاذَا خَلَقَ الَّذِيْنَ مِنْ دُوْنِهٖ ۭ بَلِ الظّٰلِمُوْنَ فِىْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ۝

ख़-लक़स्समावाति बिग़ैरि अ़-मदिन् तरौनहा व अल्क़ा फ़िल्अर्ज़ि रवासि-य अन् तमी-द बिकुम् व बस्-स फ़ीहा मिन् कुल्लि दाब्बतिन्,	बनाये आसमान बग़ैर सुतूनों के तुम इस को देखते हो, और रख दिये ज़मीन पर पहाड़ कि तुमको लेकर झुक न पड़े, और बिखेर दिये उसमें सब तरह के जानवर,

व अन्ज़ल्ना मिनस्समा-इ मा-अन् फ़-अम्बत्ना फ़ीहा मिन् कुल्लि ज़ौजिन् करीम (10) हाज़ा ख़ल्क़ुल्लाहि फ़-अरूनी मा ज़ा ख़-लक़ल्लज़ी-न मिन् दूनिही, बलिज़्ज़ालिमू-न फ़ी ज़लालिम्-मुबीन (11) ✿	और उतारा हमने आसमान से पानी फिर उगाये ज़मीन में हर क़िस्म के जोड़े ख़ासे। (10) ये सब कुछ बनाया हुआ है अल्लाह का, अब दिखलाओ मुझको क्या बनाया है औरों ने जो उसके सिवा हैं, कुछ नहीं पर बेइन्साफ़ खुले भटक रहे हैं। (11) ✿

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

अल्लाह तआ़ला ने आसमानों को बिना सुतून के बनाया (चुनाँचे) तुम इनको देख रहे हो। और ज़मीन में (भारी-भारी) पहाड़ डाल रखे हैं कि वह तुमको लेकर डावाँडोल न होने लगे, और इस (ज़मीन) में हर क़िस्म के जानवर फैला रखे हैं। और हमने आसमान से पानी बरसाया, फिर इस ज़मीन में हर तरह की उम्दा क़िस्में (पेड़-पौधों के) उगाईं। (और उन लोगों से जो कि शिर्क करते हैं कहिये कि) ये तो अल्लाह की बनाई हुई चीज़ें हैं (सो अगर तुम दूसरों को माबूद होने में शरीक क़रार देते हो तो) अब तुम मुझको दिखाओ कि उसके सिवा जो (माबूद तुमने बना रखे) हैं उन्होंने क्या-क्या चीज़ें पैदा कीं? (ताकि उनका माबूद होने की पात्रता साबित हो, और इस दलील का तक़ाज़ा यह था कि वे लोग हिदायत पर आ जाते मगर उन्होंने हिदायत को क़ुबूल नहीं किया) बल्कि ये ज़ालिम लोग (बदस्तूर) खुली गुमराही में (मुब्तला) हैं।

मआ़रिफ़ व मसाईल

خَلَقَ السَّمٰوٰتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا.

इसी मज़मून की एक आयत सूरः रअ़द के शुरू में गुज़र चुकी है:

اَللّٰهُ الَّذِىْ رَفَعَ السَّمٰوٰتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا

अ़रबी ग्रामर के एतिबार से इस इबारत के दो मतलब हो सकते हैं:-

एक यह कि 'तरौनहा' को 'अ़-म-द' की सिफ़त क़रार दिया जाये और इसकी ज़मीर (संज्ञा) 'अ़-म-द' की तरफ़ लौटाया जाये तो मायने यह होंगे कि अल्लाह तआ़ला ने आसमानों को पैदा किया बग़ैर सुतूनों के जिनको तुम देखते हो, यानी अगर सुतून होते तुम उनको देखते, जब सुतून नज़र नहीं आते तो मालूम हुआ कि आसमान की यह अ़ज़ीमुश्शान छत बग़ैर सुतूनों के बनाई गई है। यह तफ़सीर हज़रत हसन रज़ियल्लाहु अ़न्हु और क़तादा रह. से मन्क़ूल है। (इब्ने कसीर)

दूसरी सूरत यह है कि 'तरौनहा' की ज़मीर समावात (आसमानों) की तरफ़ लौटे और यह मुस्तकिल जुमला क़रार दिया जाये। मायने यह होंगे कि अल्लाह तआ़ला ने आसमानों को बग़ैर सुतून

के पैदा किया जैसा कि तुम देख रहे हो, और पहली तरकीब की सूरत में एक मायने यह भी किये जा सकते हैं कि आसमान सुतूनों पर क़ायम हैं उनको तुम देख नहीं सकते वो न दिखाई देने वाले हैं। यह तफ़सीर हज़रत इब्ने अ़ब्बास और हज़रत इक्रिमा रज़ियल्लाहु अ़न्हुमा और मुजाहिद रह. से मन्क़ूल है। (इब्ने कसीर)

बहरहाल! इस आयत ने हक़ तआ़ला की कामिल क़ुदरत की यह निशानी बतलाई कि आसमान की इतनी लम्बी-चौड़ी और इतनी बुलन्द अ़ज़ीमुश्शान छत को ऐसा बनाया है कि उसमें कोई सुतून और स्तम्भ नहीं देखा जाता है।

एक सवाल और उसका जवाब

यहाँ यह सवाल पैदा होता है कि जैसा कि फ़ल्सफ़ी हज़रात कहते हैं और आ़म तौर पर मशहूर है कि एक आसमान एक कुर्रा यानी गोल चीज़ है और ऐसे गोल कुर्रे में वह जहाँ भी हो आ़दतन सुतून नहीं होते तो आसमान की इसमें क्या विशेषता है?

इसका जवाब यह भी हो सकता है कि जिस तरह क़ुरआने करीम ने अक्सर मौक़ों पर ज़मीन को फ़िराश (बिछौना) फ़रमाया जो गोल और कुर्रा होने के बज़ाहिर विरुद्ध है मगर उसके फैलाव की वजह से वह आ़म नज़रों में एक सतह की तरह देखी जाती है, इसी अ़वामी ख़्याल व धारणा की बिना पर क़ुरआने करीम ने इसको फ़िराश फ़रमाया, इसी तरह आसमान एक छत की तरह नज़र आता है जिसके लिये आ़दतन सुतूनों और खम्बों की ज़रूरत होती है, इस आ़म ख़्याल के मुनासिब इसका बिना सुतून होना बयान फ़रमाया गया है। और दर हक़ीक़त कामिल क़ुदरत के सुबूत के लिये इतने बड़े अ़ज़ीमुश्शान कुर्रे की रचना और बनाना ही काफ़ी है। और कुछ मुफ़स्सिरीन इमाम इब्ने कसीर वग़ैरह की तहक़ीक़ यह है कि आसमान और ज़मीन का मुकम्मल कुर्रा होना क़ुरआन व सुन्नत की रू से साबित नहीं, बल्कि कुछ आयतों व रिवायतों से इसका एक क़ुब्बे (गुंबद) की शक्ल में होना मालूम होता है। उनका कहना है कि एक सही हदीस में जो हर दिन सूरज का अ़र्श के नीचे पहुँचकर सज्दा करना बयान हुआ है वह इसी शक्ल में हो सकता है कि आसमान मुकम्मल कुर्रा न हो, उसी शक्ल में इसमें ऊपर-नीचे की दिशा मुतैयन हो सकती है, मुकम्मल कुर्रे में किसी दिशा व सिम्त को ऊपर या नीचे नहीं कह सकते। वल्लाहु सुब्हानहू व तआ़ला आलम

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا لُقْمٰنَ الْحِكْمَةَ اَنِ اشْكُرْ لِلّٰهِ ۖ وَمَنْ يَّشْكُرْ فَاِنَّمَا يَشْكُرُ
لِنَفْسِهٖ ۚ وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ حَمِيْدٌ ۝ وَاِذْ قَالَ لُقْمٰنُ لِابْنِهٖ وَهُوَ يَعِظُهٗ يٰبُنَيَّ لَا تُشْرِكْ
بِاللّٰهِ ۗ اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ ۝ وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ ۚ حَمَلَتْهُ اُمُّهٗ وَهْنًا عَلٰى وَهْنٍ وَّفِصٰلُهٗ
فِيْ عَامَيْنِ اَنِ اشْكُرْ لِيْ وَلِوَالِدَيْكَ ۗ اِلَيَّ الْمَصِيْرُ ۝ وَاِنْ جَاهَدٰكَ عَلٰٓى اَنْ تُشْرِكَ بِيْ مَا لَيْسَ لَكَ
بِهٖ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوْفًا ۡ وَّاتَّبِعْ سَبِيْلَ مَنْ اَنَابَ اِلَيَّ ۚ ثُمَّ اِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ
فَاُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ۝ يٰبُنَيَّ اِنَّهَآ اِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِيْ صَخْرَةٍ اَوْ

فِي السَّمٰوٰتِ اَوْ فِي الْاَرْضِ يَاْتِ بِهَا اللّٰهُ ۭ اِنَّ اللّٰهَ لَطِيْفٌ خَبِيْرٌ ﴿١٦﴾ يٰبُنَيَّ اَقِمِ الصَّلٰوةَ وَاْمُرْ بِالْمَعْرُوْفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلٰي مَآ اَصَابَكَ ۭ اِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْاُمُوْرِ ﴿١٧﴾ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْاَرْضِ مَرَحًا ۭ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُوْرٍ ﴿١٨﴾ وَاقْصِدْ فِيْ مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ ۭ اِنَّ اَنْكَرَ الْاَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيْرِ ﴿١٩﴾

व ल-क़द् आतैना लुक़्मानल्-हिक्म-त अनिश्कुर् लिल्लाहि, व मंय्यश्कुर् फ़-इन्नमा यश्कुरु लिनफ़्सिही व मन् क-फ़-र फ़-इन्नल्ला-ह ग़निय्युन् हमीद (12) व इज़् क़ा-ल लुक़्मानु लिब्निही व हु-व यअ़िज़ुहू या-बुनय्-य ला तुश्रिक् बिल्लाहि, इन्नश्शिर्-क ल-ज़ुल्मुन् अ़ज़ीम (13) व वस्सैनल्-इन्सा-न बिवालिदैहि ह-मलत्हू उम्मुहू वह्नन् अ़ला वह्निंव्-व फ़िसालुहू फ़ी आ़मैनि अनिश्कुर् ली व लिवालिदै-क, इलय्यल्-मसीर (14) ● व इन् जा-हदा-क अ़ला अन् तुश्रि-क बी मा लै-स ल-क बिही अ़िल्मुन् फ़ला तुतिअ़्हुमा व साहिब्हुमा फ़िद्दुन्या मअ़्रूफ़ंव्-वत्तबिअ़् सबी-ल मन् अना-ब इलय्-य सुम्-म इलय्-य मर्जिअ़ुकुम् फ़-उनब्बिउकुम् बिमा कुन्तुम् तअ़्मलून (15) या बुनय्-य

और हमने दी लुक़मान को अक़्लमन्दी कि हक़ मान अल्लाह का, और जो कोई हक़ माने अल्लाह का तो मानेगा अपने भले को और जो कोई मुन्किर होगा तो अल्लाह बेपरवाह है सब तारीफ़ों वाला। (12) और जब कहा लुक़मान ने अपने बेटे को जब उसको समझाने लगा ऐ बेटे! शरीक न ठहराईयो अल्लाह का, बेशक शरीक बनाना भारी बेइन्साफ़ी है। (13) और हमने ताकीद कर दी इनसान को उसके माँ-बाप के वास्ते, पेट में रखा उसको उसकी माँ ने थक-थककर और दूध छुड़ाना है उसका दो साल में कि हक़ मान मेरा और अपने माँ-बाप का, आख़िर मुझी तक आना है। (14) ● और अगर वे दोनों तुझसे अड़ें इस बात पर कि शरीक मान मेरा और उस चीज़ को जो तुझको मालूम नहीं तो उनका कहना मत मान और साथ दे उनका दुनिया में दस्तूर के मुवाफ़िक़ और राह चल उसकी जो रुजू हुआ मेरी तरफ़, फिर मेरी तरफ़ है तुमको फिर आना, फिर मैं जतला दूँगा तुमको जो कुछ तुम करते थे। (15) ऐ बेटे!

इन्नहा इन् तकु मिस्का-ल हब्बतिम् मिन् ख़र्-दलिन् फ़-तकुन् फ़ी सख़्रतिन् औ फ़िस्समावाति औ फ़िल्अर्ज़ि यअ्ति बिहल्लाहु, इन्नल्ला-ह लतीफ़ुन् ख़बीर (16) या बुनय्-य अक़िमिस्सला-त वअ्मुर् बिल्मअ्रूफ़ि वन्-ह अ़निल्-मुन्करि वस्बिर् अ़ला मा असा-ब-क, इन्-न ज़ालि-क मिन् अ़ज़्मिल्-उमूर (17) व ला तुसअ्अिर् ख़द्द-क लिन्नासि व ला तम्शि फ़िल्अर्ज़ि म-रहन्, इन्नल्ला-ह ला युहिब्बु कुल्-ल मुख़्तालिन् फ़ख़ूर (18) वक़्सिद् फ़ी मश्यि-क वग़्ज़ुज़् मिन् सौति-क, इन्-न अन्करल्-अस्वाति लसौतुल्-हमीर (19) ✿	अगर कोई चीज़ हो बराबर राई के दाने की फिर वह हो किसी पत्थर में, या आसमानों में या ज़मीन में, ला हाज़िर करे उसको अल्लाह, बेशक अल्लाह जानता है छुपी हुई चीज़ों को, ख़बरदार है। (16) ऐ बेटे! क़ायम रख नमाज़ को, सिखला भली बात और मना कर बुराई से, और बरदाश्त कर जो तुझ पर पड़े, बेशक ये हैं हिम्मत के काम। (17) और अपने गाल मत फुला लोगों की तरफ़ और मत चल ज़मीन पर इतराता, बेशक अल्लाह को नहीं भाता कोई इतराता बड़ाईयाँ करने वाला। (18) और चल बीच की चाल और नीची कर अपनी आवाज़, बेशक बुरी से बुरी आवाज़ गधे की आवाज़ है। (19) ✿

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

और हमने लुक़मान को दानिशमन्दी (जिसकी हक़ीक़त इल्म अ़मल के साथ है) अ़ता फ़रमाई, (और साथ ही यह हुक्म दिया) कि (सब नेमतों पर उमूमन और इस हिक्मत की नेमत पर जो कि तमाम नेमतों में अफ़ज़ल है ख़ास तौर पर) अल्लाह तआ़ला का शुक्र अदा करते रहो, और जो शख़्स शुक्र करेगा वह अपने ज़ाती नफ़े के लिये शुक्र करता है (यानी उसी का नफ़ा है कि इससे नेमत में तरक़्क़ी होती है जैसा कि अल्लाह तआ़ला का इरशाद है कि "अगर तुम शुक्र करोगे तो हम तुमको और ज़्यादा देंगे" दीनी नेमत में तो तरक़्क़ी दुनिया में भी होती है और आख़िरत में भी, दुनिया में तो नेमत के शुक्र से इल्म बढ़ता है और अ़मल की तौफ़ीक़ में इज़ाफ़ा होता है, और आख़िरत में बड़ा सवाब मिलता है, और दुनियावी नेमत में आख़िरत की तरक़्क़ी यानी सवाब में इज़ाफ़ा तो यक़ीनी है और कभी दुनिया में शुक्र करने से नेमत बढ़ जाती है) और जो नाशुक्री करेगा तो (अपना ही नुक़सान करेगा क्योंकि) अल्लाह तआ़ला (तो) बेनियाज़ (और सब) ख़ूबियों वाला है। (यानी चूँकि वह अपनी

ज़ात में कामिल है जिससे उसका क़ाबिले तारीफ़ होना समझ में आता है, इसलिये वह ग़नी (बेपरवाह) है, उसको किसी के शुक्र व तारीफ़ की ज़रूरत नहीं, कि इसमें दूसरों के ज़रिये कामिल होना लाज़िम आता है, और चूँकि लुक़मान हिक्मत यानी इल्म व अ़मल के वाहक हैं इससे मालूम हुआ कि उन्होंने शुक्र की तालीम पर भी शुक्र किया होगा, पस वह शाकिर भी थे और शाकिर होने से उनकी हिक्मत में तरक़्क़ी भी हुई होगी। पस वह आला दर्जे के हकीम "बुद्धिमान" हुए) और (ऐसे हकीम की तालीम ज़रूर क़ाबिले अ़मल होनी चाहिए। सो उनकी तालीमात इन लोगों के सामने ज़िक्र कीजिए) जब लुक़मान ने अपने बेटे को नसीहत करते हुए कहा कि बेटा! ख़ुदा के साथ किसी को शरीक न ठहराना, बेशक शिर्क करना बड़ा भारी ज़ुल्म है। (ज़ुल्म की हक़ीक़त उलेमा ने यह बयान की है कि किसी चीज़ को उसके स्थान से अलग इस्तेमाल किया जाये, और यह बात शिर्क में सबसे ज़्यादा स्पष्ट है कि पैदा करने वाले की जगह बुतों की पूजा की जाये)।

और (क़िस्से के बीच में तौहीद के हुक्म की ताकीद के लिये हक़ तआ़ला का इरशाद है कि) हमने इनसान को उसके माँ-बाप के बारे में ताकीद की है (कि उनकी फ़रमाँबरदारी और ख़िदमत करे, क्योंकि उन्होंने उसके लिये बड़ी मशक़्क़तें झेली हैं, ख़ास तौर पर माँ ने, चुनाँचे) उसकी माँ ने कमज़ोरी पर कमज़ोरी उठाकर उसको पेट में रखा, (क्योंकि ज्यों-ज्यों गर्भ बढ़ता जाता है गर्भवती की कमज़ोरी बढ़ती जाती है) और (फिर) दो साल में उसका दूध छूटता है (उन दिनों में भी वह हर तरह की ख़िदमत करती है। इसी तरह अपनी हालत के मुवाफ़िक़ बाप भी मशक़्क़त उठाता है, इसलिये हमने अपने हुक़ूक़ के साथ माँ-बाप के हुक़ूक़ अदा करने का हुक्म फ़रमाया, चुनाँचे यह इरशाद किया) कि तू मेरी और अपने माँ-बाप की शुक्रगुज़ारी किया कर (हक़ तआ़ला की शुक्रगुज़ारी तो असली इबादत व फ़रमाँबरदारी के साथ और माँ-बाप की ख़िदमत और शरई हुक़ूक़ की अदायेगी के साथ, क्योंकि) मेरी ही तरफ़ (सब को) लौटकर आना है (उस वक़्त मैं आमाल की जज़ा व सज़ा दूँगा, इसलिए अहकाम की तामील ज़रूरी है) और (बावजूद इसके कि माँ-बाप का इतना बड़ा हक़ है जैसा कि अभी मालूम हुआ, लेकिन तौहीद "अल्लाह को एक और अकेला माबूद मानना" ऐसा अहम और अ़ज़ीमुश्शान मामला है कि) अगर तुझ पर वे दोनों इस बात का ज़ोर डालें कि तू मेरे साथ ऐसी चीज़ को शरीक ठहराये जिस (के ख़ुदाई व इबादत में शरीक होने) की तेरे पास कोई दलील (और सनद) न हो (और ज़ाहिर है कि कोई चीज़ भी ऐसी नहीं कि जिसके शरीक होने की हक़दार होने पर कोई दलील क़ायम हो, बल्कि शरीक न होने की मुस्तहिक़ होने पर बहुत सी दलीलें क़ायम हैं। पस मुराद यह हुई कि अगर वे किसी चीज़ को भी इबादत व ख़ुदाई में शरीक ठहराने का तुझ पर ज़ोर दें) तो तू उनका कहना न मानना, और (हाँ यह ज़रूर है कि) दुनिया (की ज़रूरतों व मामलात) में (जैसे- उनके ज़रूरी ख़र्चे और ख़िदमत वग़ैरह) उनके साथ अच्छाई से बसर करना, और (दीन के बारे में सिर्फ़) उस (ही) शख़्स की राह पर चलना जो मेरी तरफ़ रुजू हो (यानी मेरे अहकाम का यक़ीन व एतिक़ाद रखने वाला और अ़मल करने वाला हो), फिर तुम सब को मेरे पास आना है, फिर (आने के वक़्त) मैं तुमको जतला दूँगा जो कुछ तुम करते थे (इसलिए किसी मामले में मेरे हुक्म के ख़िलाफ़ मत करो)।

(आगे फिर हज़रत लुक़मान की नसीहतों का बयान है कि उन्होंने अपने बेटे को और नसीहतें भी कीं, चुनाँचे तौहीद व अ़क़ीदों के बारे में यह नसीहत भी की कि) बेटा! (हक़ तआ़ला का इल्म और

क़ुदरत इस दर्जे की है कि) अगर (किसी का) कोई अ़मल (कैसा ही छुपा हुआ हो, मसलन फ़र्ज़ करो कि वह मात्रा में) राई के दाने के बराबर हो, (और) फिर (फ़र्ज़ करो कि) वह किसी पत्थर के अन्दर (छुपा रखा) हो (जो कि ऐसा पर्दा है कि उसका हटना और दूर होना दुश्वार है, और बिना हटे और दूर हुए किसी को उसके अन्दर का इल्म नहीं होता) या वह आसमान के अन्दर हो (जो कि आ़म मख़्लूक़ से जगह और स्थान के लिहाज़ से बहुत दूर है) या वह ज़मीन के अन्दर हो (जहाँ ख़ूब अंधेरी रहती है, और यही असबाब हैं आ़म मख़्लूक़ की नज़रों से छुपा रहने के, क्योंकि कभी कोई चीज़ छोटी और बारीक होती है कि नज़र में नहीं आती, और कभी कोई सख़्त पर्दा आड़ और बाधा होने से, कभी जगह और स्थान के दूर होने से, कभी अंधेरा होने से, लेकिन हक़ तआ़ला की ऐसी शान है कि अगर छुपने और पोशीदा रहने के ये असबाब भी जमा हों) तब भी (क़ियामत के दिन हिसाब के वक़्त) उसको अल्लाह हाज़िर कर देगा (जिससे इल्म और क़ुदरत दोनों साबित हुए) बेशक अल्लाह तआ़ला बड़ा बारीक नज़र वाला (और) बाख़बर है।

(और आमाल के बारे में यह नसीहत की कि) बेटा! नमाज़ पढ़ा करो (कि अ़क़ीदों के सही करने के बाद यही आला दर्जे का अ़मल है) और (जैसे अ़क़ीदों और आमाल को सही करके अपने को मुकम्मल किया है उसी तरह दूसरों की तकमील की भी कोशिश करनी चाहिए। पस लोगों को) अच्छे कामों की नसीहत किया कर और बुरे कामों से मना किया कर, और (इस अच्छे काम का हुक्म करने और बुराई से रोकने में ख़ास तौर पर और हर हालत में उमूमन) तुझ पर जो मुसीबत पड़े उस पर सब्र किया कर, यह (सब्र करना) हिम्मत के कामों में से है। और (अख़्लाक़ व आ़दतों के बारे में यह नसीहत की कि बेटा) लोगों से अपना रुख़ मत फेर, और ज़मीन पर इतराकर मत चल, बेशक अल्लाह तआ़ला किसी तकब्बुर करने वाले, फ़ख़्र करने वाले को पसन्द नहीं करते। और अपनी रफ़्तार में दरमियानी हालत इख़्तियार कर (न बहुत दौड़कर चल कि वक़ार के ख़िलाफ़ है, साथ ही गिर जाने का भी अन्देशा है, और न बहुत गिन-गिनकर क़दम रख कि यह घमंडियों का तरीक़ा और चलन है, बल्कि बेतकल्लुफ़ और दरमियानी रफ़्तार से तवाज़ो व सादगी की चाल इख़्तियार कर, जिसको एक दूसरी आयत में इस उनवान से ज़िक्र किया है 'यमशू-न अ़लल्-अर्ज़ि हौनन्') और (बोलने में) अपनी आवाज़ को पस्त कर (यानी बहुत शोर मत मचा, और यह मतलब नहीं कि आवाज़ इतनी पस्त कर कि दूसरा सुने भी नहीं। आगे शोर मचाने से नफ़रत दिलाते हैं कि) बेशक आवाज़ों में सबसे बुरी आवाज़ गधों की आवाज़ (होती) है (तो आदमी होकर गधों की तरह चीख़ना और चिल्लाना क्या मुनासिब है, साथ ही यह कि चीख़ने-चिल्लाने से कई बार दूसरों को घबराहट व तकलीफ़ भी होती है)।

मआ़रिफ़ व मसाईल

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا لُقْمٰنَ الْحِكْمَةَ.

वहब बिन मुनब्बेह रह. की रिवायत के मुताबिक़ हज़रत लुक़मान अ़लैहिस्सलाम हज़रत अय्यूब अ़लैहिस्सलाम के भांजे थे और मुक़ातिल रह. ने उनका ख़ालाज़ाद भाई बतलाया है। और तफ़सीरे बैज़ावी वग़ैरह में है कि उनकी उम्र लम्बी हुई यहाँ तक कि हज़रत दाऊद अ़लैहिस्सलाम का ज़माना

पाया, यह बात दूसरी रिवायतों से भी साबित है कि लुक़मान अ़लैहिस्सलाम हज़रत दाऊद अ़लैहिस्सलाम के ज़माने में हुए हैं।

और तफ़सीर दुर्रे मन्सूर में हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु की रिवायत यह है कि लुक़मान एक हब्शी ग़ुलाम थे, नज्जारी (बढ़ई) का काम करते थे।

(इब्ने अबी शैबा व अहमद, इब्ने जरीर व इब्ने मुन्ज़िर वग़ैरह)

और हज़रत जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से उनके हालात पूछे गये तो फ़रमाया कि छोटे क़द के हब्शी थे और मुजाहिद रह. ने फ़रमाया कि हब्शी ग़ुलाम मोटे होंठ वाले फटे हुए क़दमों वाले थे। (इब्ने कसीर)

एक काले रंग का हब्शी हज़रत सईद बिन मुसैयब रह. के पास कोई मसला मालूम करने के लिये हाज़िर हुआ तो हज़रत सईद रह. ने उसकी तसल्ली के लिये फ़रमाया कि तुम अपने काले होने पर ग़म न करो क्योंकि काले लोगों में तीन बुज़ुर्ग ऐसे हैं जो लोगों में सबसे बेहतर थे। हज़रत बिलाल हब्शी रज़ियल्लाहु अ़न्हु और महजा (हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अ़न्हु के आज़ाद किये हुए ग़ुलाम) और हज़रत लुक़मान अ़लैहिस्सलाम।

लुक़मान अ़लैहिस्सलाम पहले बुज़ुर्गों की अक्सरियत के नज़दीक नबी नहीं बल्कि वली और हकीम थे

इमाम इब्ने कसीर ने फ़रमाया कि पहले उलेमा व बुज़ुर्गों का इस पर इत्तिफ़ाक़ (एकमत) है कि वह नबी नहीं थे सिर्फ़ हज़रत इक्रिमा रज़ियल्लाहु अ़न्हु से उनका नबी होना नक़ल किया जाता है, मगर इसकी सनद कमज़ोर है। और इमाम बग़वी रह. ने फ़रमाया कि इस पर इत्तिफ़ाक़ है कि वह फ़क़ीह (मसाईल के माहिर आ़लिम) और हकीम (दानिश्मन्द व विद्वान) थे, नबी नहीं थे। (मज़हरी)

इब्ने कसीर ने फ़रमाया कि हज़रत क़तादा से उनके बारे में एक अ़जीब रिवायत यह मन्क़ूल है कि हक़ तआ़ला ने हज़रत लुक़मान को इख़्तियार दिया था कि नुबुव्वत ले लो या हिक्मत, उन्होंने हिक्मत (दानाई) को इख़्तियार कर लिया, और कुछ रिवायतों में है कि उनको नुबुव्वत का इख़्तियार दिया गया था उन्होंने अ़र्ज़ किया कि अगर इसके क़ुबूल करने का हुक्म है तो मेरे सर आँखों पर, वरना मुझे माफ़ फ़रमाया जाये।

और हज़रत क़तादा ही से यह मन्क़ूल है कि लुक़मान अ़लैहिस्सलाम से किसी ने पूछा कि आपने हिक्मत को नुबुव्वत पर क्यों तरजीह (वरीयता) दी जबकि आपको दोनों का इख़्तियार दिया गया था? आपने फ़रमाया कि नुबुव्वत बड़ी ज़िम्मेदारी का पद है अगर वह मुझे बग़ैर मेरे इख़्तियार के दे दिया जाता तो हक़ तआ़ला ख़ुद इसकी किफ़ालत फ़रमाते कि मैं उसके फ़राईज़ अदा कर सकूँ, और अगर मैं अपने इख़्तियार से उसको तलब करता तो ज़िम्मेदारी मुझ पर होती। (इब्ने कसीर रह.)

और जबकि लुक़मान अ़लैहिस्सलाम का नबी न होना जमहूर (अक्सरियत) के नज़दीक मुसल्लम है तो फिर उनको वह हुक्म जो क़ुरआन में बयान हुआ है "अनिश्कुर् ली' (कि अल्लाह तआ़ला का शुक्र अदा करते रहो) यह इल्हाम के ज़रिये हो सकता है जो औलिया-अल्लाह को हासिल होता है।

हज़रत लुक़मान अ़लैहिस्सलाम हज़रत दाऊद अ़लैहिस्सलाम से पहले शरई मसाईल में लोगों को फ़तवा दिया करते थे, जब दाऊद अ़लैहिस्सलाम को नुबुव्वत अ़ता हुई तो फ़तवा देना छोड़ दिया कि अब मेरी ज़रूरत नहीं रही। कुछ रिवायतों में है कि बनी इस्राईल के क़ाज़ी थे। हज़रत लुक़मान अ़लैहिस्सलाम से दानाई की बातें बहुत नक़ल की गयी हैं। वहब बिन मुनब्बेह रह. कहते हैं कि मैंने हज़रत लुक़मान अ़लैहिस्सलाम की हिक्मत के दस हज़ार से ज़्यादा बाब (अध्याय) पढ़े हैं। (क़ुर्तुबी)

हज़रत लुक़मान एक दिन बड़ी मज्लिस में लोगों को हिक्मत (अ़क़्ल व दानाई) की बातें सुना रहे थे, एक शख़्स आया और उसने सवाल किया कि क्या तुम वही नहीं जो मेरे साथ फ़ुलाँ जंगल में बकरियाँ चराया करते थे? लुक़मान अ़लैहिस्सलाम ने फ़रमाया कि हाँ! मैं वही हूँ। उस शख़्स ने पूछा कि फिर आपको यह मर्तबा कैसे हासिल हुआ कि अल्लाह की मख़्लूक़ आपकी इज़्ज़त व सम्मान करती है और आपकी बातें सुनने के लिये दूर-दूर से जमा होती है? लुक़मान अ़लैहिस्सलाम ने फ़रमाया कि इसका सबब मेरे दो काम हैं- एक हमेशा सच बोलना, दूसरे फ़ुज़ूल बातों से परहेज़ करना। और एक रिवायत में यह है कि हज़रत लुक़मान ने फ़रमाया कि चन्द काम ऐसे हैं जिन्होंने मुझे इस दर्जे पर पहुँचाया अगर तुम उन्हें अपना लो तो तुम्हें भी यही दर्जा और मक़ाम हासिल हो जायेगा। वे काम ये हैं- अपनी निगाह को नीची रखना और ज़बान को बन्द रखना, हलाल रोज़ी पर क़नाअ़त करना, अपनी शर्मगाह की हिफ़ाज़त करना, बात में सच्चाई पर क़ायम रहना, अ़हद को पूरा करना, मेहमान का सम्मान व मेहमान नवाज़ी करना, पड़ोसी की हिफ़ाज़त करना और फ़ुज़ूल काम और बेकार बात को छोड़ देना। (तफ़सीर इब्ने कसीर)

'हिक्मत' जो लुक़मान अ़लैहिस्सलाम को दी गई उस से क्या मुराद है?

लफ़्ज़ **हिक्मत** क़ुरआने करीम में कई मायनों के लिये इस्तेमाल हुआ है- इल्म, अ़क़्ल, संयम व बुर्दबारी, नुबुव्वत, राय का सही होना। अबू हय्यान ने फ़रमाया कि हिक्मत से मुराद वह कलाम है जिससे लोग नसीहत हासिल करें और उनके दिलों में असर डालने वाला हो, और जिसको लोग महफ़ूज़ करके दूसरों तक पहुँचायें। और इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने फ़रमाया कि हिक्मत से मुराद अ़क़्ल व समझ और ज़हानत है। और कुछ हज़रात ने फ़रमाया कि इल्म के मुताबिक़ अ़मल करना हिक्मत है, और हक़ीक़त में इनमें कोई टकराव नहीं, ये सभी चीज़ें हिक्मत में दाख़िल हैं। ऊपर ख़ुलासा-ए-तफ़सीर में हिक्मत का तर्जुमा दानिशमन्दी से और इसकी तफ़सीर इल्म या अ़मल से की गई है, यह बहुत जामे और स्पष्ट है।

उक्त आयत में हज़रत लुक़मान अ़लैहिस्सलाम को हिक्मत अ़ता करने का ज़िक्र फ़रमाकर आगे फ़रमाया है "अनिश्कुर् ली" इसमें एक गुमान व अन्दाज़ा तो यह है कि यहाँ 'क़ुलना' (हमने कहा) को पोशीदा माना जाये। मतलब यह होगा कि हमने लुक़मान को हिक्मत दी और यह हुक्म दिया कि मेरा शुक्र अदा किया करो। और कुछ हज़रात ने यह भी फ़रमाया है कि 'अनिश्कुर् ली' ख़ुद हिक्मत की तफ़सीर है, यानी वह हिक्मत जो लुक़मान को दी गई यह थी कि हमने उसको शुक्र का हुक्म

दिया उन्होंने तामील की। इस सूरत में मतलब यह होगा कि अल्लाह तआ़ला की नेमतों का शुक्रगुज़ार होना सबसे बड़ी हिक्मत है। इसके बाद यह जतला दिया कि यह शुक्रगुज़ारी का हुक्म हमने कुछ अपने फ़ायदे के लिये नहीं दिया, हमें किसी के शुक्र की हाजत नहीं, बल्कि यह ख़ुद उन्हीं के फ़ायदे के लिये दिया है, क्योंकि हमारा उसूल व क़ायदा यह है कि जो शख़्स हमारी नेमत का शुक्र अदा करता है हम उसकी नेमत में और ज़्यादती कर देते हैं।

इसके बाद लुक़मान अ़लैहिस्सलाम के अ़क़्लमन्दी भरे कुछ कलिमात का ज़िक्र फ़रमाया है जो उन्होंने अपने बेटे को संबोधित करके इरशाद फ़रमाये थे, अ़क़्ल व दानाई से भरे वे कलिमात (बातें) क़ुरआने करीम ने इसलिये नक़ल फ़रमाये कि दूसरे लोग भी उनसे फ़ायदा उठायें।

इन अ़क़्लमन्दी भरी बातों में सबसे पहले तो अ़क़ीदों को दुरुस्त करना है, और उनमें सबसे पहली बात यह है कि ख़ुदा तआ़ला को सारे आ़लम का ख़ालिक़ व मालिक बिना किसी दूसरे की शिर्कत के यक़ीन करे, उसके साथ किसी ग़ैरुल्लाह को इबादत में शरीक न करे कि इस दुनिया में इससे बड़ा भारी ज़ुल्म कोई नहीं हो सकता कि अल्लाह तआ़ला की किसी मख़्लूक़ को ख़ालिक़ के बराबर ठहराये, इसलिये फ़रमायाः

يٰبُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللّٰهِ ۔ اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ٥

(बेटा ख़ुदा के साथ किसी को शरीक मत ठहराना, बेशक शिर्क बड़ा भारी ज़ुल्म है।)

माँ-बाप की शुक्रगुज़ारी और फ़रमाँबरदारी फ़र्ज़ है, मगर अल्लाह के हुक्म के ख़िलाफ़ किसी की बात मानना जायज़ नहीं

आगे हज़रत लुक़मान की दूसरी नसीहतें और दानाई की बातें आयी हैं जो अपने बेटे को संबोधित करके फ़रमाई थीं। दरमियान में हक़ तआ़ला ने शिर्क के भारी ज़ुल्म होने और किसी हाल में उसके पास न जाने की हिदायत के लिये एक और हुक्म इरशाद फ़रमाया कि अगरचे हमने औलाद को अपने माँ-बाप की फ़रमाँबरदारी और शुक्रगुज़ारी की बड़ी ताकीद की है और अपनी शुक्रगुज़ारी व फ़रमाँबरदारी के साथ-साथ माँ-बाप की शुक्रगुज़ारी और फ़रमाँबरदारी का हुक्म दिया है लेकिन शिर्क ऐसा बड़ा भारी ज़ुल्म और संगीन जुर्म है कि वह माँ-बाप के कहने से और मजबूर करने से भी किसी के लिये जायज़ नहीं होता, अगर किसी को उसके माँ-बाप अल्लाह तआ़ला के साथ किसी को शरीक क़रार देने पर मजबूर करने लगें तो इस मामले में माँ-बाप का कहना भी मानना जायज़ नहीं।

और यहाँ जबकि माँ-बाप के हुक़ूक़ और उनकी शुक्रगुज़ारी का हुक्म दिया गया तो इसकी वजह व कारण यह बतला दिया कि उसकी माँ ने उसके वजूद व बक़ा में बड़ी मेहनत बरदाश्त की है कि नौ महीने तक उसको अपने पेट में रखकर उसकी हिफ़ाज़त की, और उसकी वजह से जो दिन-ब-दिन उसको कमज़ोरी पर कमज़ोरी और तकलीफ़ पर तकलीफ़ बढ़ती गई उसको बरदाश्त किया। फिर उसके पैदा होने के बाद भी दो साल तक उसको दूध पिलाने की परेशानी बरदाश्त की जिसमें माँ को रात-दिन ख़ासी मेहनत भी उठानी पड़ती है और उसकी कमज़ोरी भी इससे बढ़ती है, और चूँकि बच्चे की परवरिश में ज़्यादा मेहनत व मशक़्क़त माँ उठाती है इसलिये शरीअ़त में माँ का हक़ बाप से भी

आगे रखा गया है:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَّفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ

(यानी आयत 14) का यही मतलब है। और इसके बाद आयत नम्बर 15 में यह बतलाया है कि ग़ैरुल्लाह को अल्लाह के साथ शरीक करने के मामले में माँ-बाप की बात मानना भी हराम है।

इस्लाम का बेमिसाल न्यायिक क़ानून

और ऐसी सूरत में कि माँ-बाप उसको शिर्क व कुफ़्र पर मजबूर करें और अल्लाह तआ़ला का हुक्म यह हो कि उनकी बात न मानो, तो तबई तौर पर इनसान हद पर क़ायम नहीं रहता। इस पर अ़मल करने में इसकी संभावना थी कि बेटा माँ-बाप के साथ बद-कलामी या बुरे व्यवहार से पेश आये, उनकी तौहीन करे। इस्लाम एक इन्साफ़ वाला क़ानून है, हर चीज़ की एक हद है इसलिये शिर्क में माँ-बाप की फ़रमाँबरदारी न करने के हुक्म के साथ ही यह हुक्म भी दे दिया कि:

صَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوْفًا

यानी दीन में तो तुम उनका कहना न मानो, मगर दुनिया के कामों में जैसे उनकी जिस्मानी ख़िदमत या माली ख़र्चे वग़ैरह इसमें कमी न होने दो, बल्कि दुनियावी मामलात में उसके आ़म दस्तूर के मुताबिक़ मामला करो। उनकी बेअदबी न करो, उनकी बात का जवाब ऐसा न दो जिससे बिना ज़रूरत दिल दुखे। मतलब यह है कि शिर्क व कुफ़्र के मामले में उनकी बात न मानने से जो उनका दिल दुखेगा वह तो मजबूरी के लिये बरदाश्त करो मगर ज़रूरत को ज़रूरत की हद में रखो, दूसरे मामलात में उनका दिल दुखाने से परहेज़ करते रहो।

फ़ायदा:- इस आयत में जो बच्चे के दूध छुड़ाने की मुद्दत दो साल बतलाई गई है यह आ़म आ़दत के मुताबिक़ है, इसमें इसकी कोई वज़ाहत व ख़ुलासा नहीं कि इससे ज़्यादा मुद्दत तक दूध पिलाया जाये तो उसका क्या हुक्म है। इस मसले की वज़ाहत सूरः अहक़ाफ़ की आयत नम्बर 15 के तहत में इन्शा-अल्लाह तआ़ला आयेगी।

हज़रत लुक़मान की दूसरी वसीयत अ़क़ीदों के मुताल्लिक़

दूसरी वसीयत यह है कि इसका पुख़्ता और मज़बूत एतिक़ाद रखा जाये कि आसमान व ज़मीन और उनके अन्दर जो कुछ है उसके एक-एक ज़र्रे पर अल्लाह तआ़ला का इल्म भी छाया हुआ और उसको अपने इल्मी दायरे में समेटे हुए है और सब पर उसकी कामिल क़ुदरत भी है। कोई चीज़ कितनी ही छोटी से छोटी हो जो आ़म नज़रों में न आ सकती हो, इसी तरह कोई चीज़ कितनी ही दूर दराज़ पर हो, इसी तरह कोई चीज़ कितने ही अंधेरों और पर्दों में हो अल्लाह तआ़ला के इल्म व नज़र से नहीं छुप सकती, और वह जिसको जब चाहें जहाँ चाहें हाज़िर कर सकते हैं।

يٰبُنَيَّ إِنَّهَآ إِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ............ الآية

(यानी ऊपर दर्ज हुई आयत 16) का यही मतलब है। और हक़ तआ़ला के इल्म व क़ुदरत का हर चीज़ पर मुहीत (यानी उसको घेरे हुए) होना ख़ुद भी इस्लाम का बुनियादी अ़क़ीदा है, और अ़क़ीदा-ए-तौहीद (अल्लाह के एक और अकेला माबूद होने) की बहुत बड़ी दलील है।

हज़रत लुक़मान की तीसरी वसीयत अ़मल के सुधार के मुताल्लिक़

वाजिब व ज़रूरी आमाल तो बहुत हैं मगर उन सब में सबसे बड़ा और अहम अ़मल नमाज़ है, और ख़ुद अहम होने के साथ वह दूसरे आमाल के दुरुस्त करने का ज़रिया भी है जैसा कि नमाज़ के बारे में अल्लाह तआ़ला का इरशाद है:

اِنَّ الصَّلٰوۃَ تَنْھٰی عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْکَرِ.

(यानी इक्कीसवें पारे की पहली आयत में) इसलिये लाज़िमी नेक आमाल में से नमाज़ के ज़िक्र पर इक्तिफ़ा फ़रमाया 'या बुनय्-य अक़िमिस्सला-त' "यानी ऐ मेरे बेटे! नमाज़ को क़ायम करो।" और जैसा कि पहले गुज़र चुका है कि नमाज़ को क़ायम करने का मतलब सिर्फ़ नमाज़ पढ़ लेना नहीं बल्कि उसके तमाम अरकान व आदाब को पूरी तरह अ़मल में लाना है, उसके वक़्तों की पाबन्दी करना और उस पर हमेशगी करना यह सब नमाज़ के क़ायम करने के मतलब में दाख़िल है।

हज़रत लुक़मान की चौथी वसीयत मख़्लूक़ के सुधार के मुताल्लिक़

इस्लाम एक इज्तिमाई (सामूहिक) दीन है, व्यक्ति व फ़र्द की इस्लाह के साथ जमाअ़त की इस्लाह (सुधार) इसके निज़ाम का अहम हिस्सा है इसलिये नमाज़ जैसे अहम फ़रीज़े के साथ 'अमर बिल्-मारूफ़ व नही अ़निल्-मुन्कर' (अच्छाई का हुक्म करने और बुराई से रोकने) का फ़रीज़ा ज़िक्र फ़रमाया गया कि लोगों को नेक कामों की दावत दो और बुरे कामों से रोको:

وَاْمُرْ بِالْمَعْرُوْفِ وَانْہَ عَنِ الْمُنْکَرِ

ये दो फ़रीज़े हैं एक अपनी इस्लाह (सुधार) और दूसरा आ़म मख़्लूक़ का सुधार। दोनों ऐसे हैं कि दोनों की पाबन्दी में ख़ासी मशक़्क़त व मेहनत बरदाश्त करनी पड़ती है। इस पर जमे रहना आसान नहीं, ख़ुसूसन मख़्लूक़ की इस्लाह के लिये 'अच्छे और नेक काम का हुक्म करने' की ख़िदमत का सिला दुनिया में हमेशा दुश्मनियों और मुख़ालफ़तों से मिला करता है, इसलिये इसी वसीयत के साथ ही यह वसीयत भी फ़रमाई कि:

وَاصْبِرْ عَلٰی مَآ اَصَابَکَ. اِنَّ ذٰلِکَ مِنْ عَزْمِ الْاُمُوْرِ ۝

यानी इन कामों में तुम्हें जो कुछ तकलीफ़ पेश आये उस पर सब्र व जमाव से काम लो।

लुक़मान अ़लैहिस्सलाम की पाँचवीं वसीयत रहन-सहन के आदाब से संबन्धित

وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّکَ لِلنَّاسِ

'ला तसअ़्अ़िर' स-अ़-र से निकला है जो ऊँट की एक बीमारी है जिससे उसकी गर्दन मुड़ जाती है जैसे इनसानों में लक़्वा परिचित बीमारी है जिससे चेहरा टेढ़ा हो जाता है। मुराद इससे रुख़ फेर लेना है। मतलब यह है कि लोगों की मुलाक़ात और बातचीत में उनसे मुँह फेरकर बात न करो जो

उनसे बेतवज्जोही बरतने और तकब्बुर करने की निशानी है और शरीफ़ों के अख़्लाक़ के ख़िलाफ़ है।

وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا

'म-र-ह' अकड़कर इतराकर चलने को कहते हैं। मायने यह हैं कि ज़मीन को अल्लाह तआ़ला ने सारे अ़नासिर (तत्वों) से पस्त रहने वाली बनाया है तुम इसी से पैदा हुए इसी पर चलते फिरते हो अपनी हक़ीक़त को पहचानो इतराकर न चलो जो घमण्डियों का तरीक़ा है, इसी लिये इसके बाद फ़रमायाः

إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ۝

"यानी अल्लाह नहीं पसन्द करता किसी घमण्डी फ़ख़्र करने वाले को।"

وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ

यानी अपनी चाल में दरमियानी तरीक़ा इख़्तियार करो, न बहुत दौड़-भागकर चलो कि वह वक़ार के ख़िलाफ़ है। हदीस में है कि चलने में बहुत जल्दी करना मोमिन की रौनक़ ज़ाया कर देता है।

(जामे सग़ीर, हज़रत अबू हुरैरह रज़ि. की रिवायत से)

और इस तरह चलने में ख़ुद अपने आपको या किसी दूसरे को तकलीफ़ भी पहुँचने का ख़तरा रहता है। और न बहुत आहिस्ता चलो जो या तो उन तकब्बुर और बनावट करने वालों की आ़दत है जो लोगों पर अपनी विशेषता जताना चाहते हैं या औ़रतों की आ़दत है जो शर्म व हया की वजह से तेज़ नहीं चलतीं, या फिर बीमारों की आ़दत है जो इस पर मजबूर हैं। पहली सूरत हराम और दूसरी भी अगर औ़रतों की शक्ल व सूरत पैदा करने के इरादे से हो तो नाजायज़ है और यह इरादा न हो तो फिर मर्दों के लिये एक ऐब है, और तीसरी सूरत में अल्लाह की नाशुक्री है कि तन्दुरुस्ती के बावजूद बीमारों की हालत बनाये।

हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने फ़रमाया कि सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अ़न्हुम को यहूदियों की तरह दौड़ने से भी मना किया जाता था और ईसाईयों की तरह बहुत आहिस्ता चलने से भी। और हुक्म यह था कि इन दोनों चालों की दरमियानी चाल इख़्तियार करो।

हज़रत आ़यशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा ने किसी शख़्स को बहुत आहिस्ता चलते देखा जैसे अभी मर जायेगा तो लोगों से पूछा कि यह ऐसे क्यों चलता है? लोगों ने बतलाया कि यह क़ुर्रा में से है। क़ुर्रा क़ारी की जमा (बहुवचन) है, उस ज़माने में क़ारी उसको भी कहा जाता था जो क़ुरआन को उसके आदाब और सही तरीक़ से पढ़ने के साथ क़ुरआन का आ़लिम भी हो। मतलब यह था कि यह कोई बड़ा क़ारी आ़लिम है इसलिये ऐसे चलता है। इस पर हज़रत आ़यशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा ने फ़रमाया कि उमर बिन ख़त्ताब इससे ज़्यादा क़ारी थे मगर उनकी आ़दत यह थी कि जब चलते तो तेज़ चलते थे (मुराद वह तेज़ी नहीं जिसकी मनाही की गई है, बल्कि उस शख़्स के मुक़ाबले में तेज़ी है) और जब वह कलाम करते थे तो इस तरह कि लोग अच्छी तरह सुन लें (ऐसी पस्त आवाज़ न होती थी कि सुनने वालों को पूछना पड़े कि क्या फ़रमाया)।

وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ

"यानी आवाज़ को पस्त करो।" मुराद पस्त करने से यह है कि ज़रूरत से ज़्यादा बुलन्द आवाज़ न निकालो और शोर न करो, जैसा कि अभी हज़रत फ़ारूके आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु के मुताल्लिक़ गुज़रा है कि कलाम ऐसा करते थे कि मौजूद हज़रात सुन लें, उन्हें सुनने में तकलीफ़ न हो। इसके बाद फ़रमायाः

اِنَّ اَنْكَرَ الْاَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيْرِ ۝

"यानी चौपायों में सबसे ज़्यादा मक्रूह आवाज़ गधे की है जो बहुत शोर करता है।"

यहाँ सामाजिक ज़िन्दगी और रहन-सहन के आदाब में चार चीज़ें ज़िक्र की गई हैं- अव्वल लोगों से बातचीत और मुलाक़ात में घमण्डी अन्दाज़ से रुख़ फेरकर बात करने की मनाही, दूसरे ज़मीन पर इतराकर चलने की मनाही, तीसरे दरमियानी चाल चलने की हिदायत, चौथे बहुत ज़ोर से शोर मचाकर बोलने की मनाही।

हुज़ूर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की आदात व अख़्लाक़ में ये सब चीज़ें जमा थीं। किताब शमाईल-ए-तिर्मिज़ी में हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु फ़रमाते हैं कि मैंने अपने वालिद अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु से पूछा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम जब लोगों के साथ बैठते थे तो आपस में आपका क्या तरीक़ा व अन्दाज़ होता था? उन्होंने फ़रमायाः

كان دائم البشر سهل الخلق لين الجانب ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب في الاسواق ولا فحاش ولا عياب ولا مشاح يتغافل عما لا يشتهي ولا يؤيس منه ولا يجيب فيه قد ترك نفسه من ثلاث المراء والاكبار و ما لا يعنيه.

"कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम हमेशा ख़ुश व ख़ुर्रम मालूम होते थे, आपके अख़्लाक़ में नर्मी और बरताव में सहूलत का मामला था, आपकी तबीयत सख़्त न थी, बात भी सख़्त और कड़क अन्दाज़ न था, आप न शोर मचाने वाले थे न बुरी बात कहने वाले, न किसी को ऐब लगाते थे न कन्जूसी करते थे, जो चीज़ दिल को न भाती उसकी जानिब से बेतवज्जोही बरतते थे (मगर) दूसरे को उसकी तरफ़ से नाउम्मीद भी न करते थे (अगर हलाल हो और उसकी रुचि भी हो) और जो चीज़ अपनी पसन्दीदा न हो दूसरे के हक़ में उसकी काट न करते थे (बल्कि ख़ामोशी इख़्तियार फ़रमाते थे)। तीन चीज़ें आपने बिल्कुल छोड़ रखी थीं-

1. झगड़ना। 2. तकब्बुर करना। 3. जो चीज़ काम की न हो उसमें मशग़ूल होना।"

اَلَمْ تَرَوْا اَنَّ اللّٰهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ وَاَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهٗ ظَاهِرَةً وَّبَاطِنَةً ۭ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُّجَادِلُ فِي اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَّلَا هُدًى وَّلَا كِتٰبٍ مُّنِيْرٍ ۝ وَاِذَا قِيْلَ لَهُمُ اتَّبِعُوْا مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ قَالُوْا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ اٰبَآءَنَا ۭ اَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطٰنُ يَدْعُوْهُمْ اِلٰى عَذَابِ السَّعِيْرِ ۝ وَمَنْ يُّسْلِمْ وَجْهَهٗٓ اِلَى اللّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى ۭ وَاِلَى اللّٰهِ عَاقِبَةُ الْاُمُوْرِ ۝ وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزُنْكَ

كُفْرُهُ ۚ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ۝ نُمَتِّعُهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ
إِلَىٰ عَذَابٍ غَلِيظٍ ۝ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ ۚ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ ۚ
بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۝ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ۝ وَلَوْ أَنَّ مَا
فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِن بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَّا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ ۗ إِنَّ
اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۝ مَّا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ إِلَّا كَنَفْسٍ وَاحِدَةٍ ۗ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ۝ أَلَمْ تَرَ أَنَّ
اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى
وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۝ ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلُ وَ
أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ ۝ أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَتِ اللَّهِ لِيُرِيَكُم مِّنْ آيَاتِهِ ۚ
إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ۝ وَإِذَا غَشِيَهُم مَّوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ
لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُم مُّقْتَصِدٌ ۚ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ ۝

अलम् तरौ अन्नल्ला-ह सख़्ख़ा-र लकुम् मा फ़िस्समावाति व मा फ़िल्अर्ज़ि व अस्ब-ग़ अ़लैकुम् नि-अ़-महू ज़ाहि-रतंव्-व बाति-नतन्, व मिनन्नासि मंय्युजादिलु फ़िल्लाहि बिग़ैरि अ़िल्मिंव्-व ला हुदंव्-व ला किताबिम् मुनीर (20) व इज़ा क़ी-ल लहुमुत्तबिअ़ू मा अन्ज़लल्लाहु क़ालू बल् नत्तबिअ़ु मा वजद्ना अ़लैहि आबा-अना, अ-व लौ कानश्शैतानु यद्अ़ूहुम् इला अ़ज़ाबिस्-सअ़ीर (21) व मंय्युस्लिम् वज्हहू इलल्लाहि व हु-व मुह्सिनुन् फ-क़दिस्तम्-स-क

क्या तुमने नहीं देखा कि अल्लाह ने काम में लगाये तुम्हारे जो कुछ है आसमान और ज़मीन में, और पूरी कर दीं तुम पर अपनी नेमतें खुली और छुपी, और लोगों में ऐसे भी हैं जो झगड़ते हैं अल्लाह की बात में, न समझ रखें न सूझ और न रोशन किताब। (20) और जब उनको कहिये- चलो इस हुक्म पर जो उतारा अल्लाह ने, कहें नहीं! हम तो चलेंगे उस पर जिस पर पाया हमने अपने बाप दादाओं को, भला और जो शैतान बुलाता हो उनको दोज़ख़ की तरफ़ तो भी? (21) और जो कोई ताबे करे अपना मुँह अल्लाह की तरफ़ और वह हो नेकी पर सो उसने पकड़ लिया मज़बूत

बिल्अुर्वतिल्-वुस्क़ा, व इलल्लाहि आ़कि-बतुल्-उमूर (22) व मन् क-फ़-र फ़ला यह्ज़ुन्-क कुफ़्रुहू, इलैना मर्जिअुहुम् फ़नुनब्बिउहुम् बिमा अ़मिलू, इन्नल्ला-ह अ़लीमुम्-बिज़ातिस्-सुदूर (23) नुमत्तिअुहुम् क़लीलन् सुम्-म नज़्तर्रुहुम् इला अ़ज़ाबिन् ग़लीज़ (24) व ल-इन् स-अल्तहुम् मन् ख़-लक़स्समावाति वल्अर्-ज़ ल-यक़ूलुन्नल्लाहु, क़ुलिल्हम्दु लिल्लाहि, बल् अक्सरुहुम् ला यअ्लमून (25) लिल्लाहि मा फ़िस्समावाति वल्अर्ज़ि, इन्नल्ला-ह हुवल्-ग़निय्युल्-हमीद (26) व लौ अन्-न मा फ़िल्अर्ज़ि मिन् श-ज-रतिन् अक़्लामुंव्-वल्बहरु यमुद्दुहू मिम्बअ्दिही सब्अ़तु अब्हुरिम्-मा नफ़िदत् कलिमातुल्लाहि, इन्नल्ला-ह अ़ज़ीज़ुन् हकीम (27) मा ख़ल्क़ुकुम् व ला बअ़्सुकुम् इल्ला क-नफ़्सिंव्-वाहि-दतिन्, इन्नल्ला-ह समीअुम्-बसीर (28) अलम् त-र अन्नल्ला-ह यूलिजुल्लै-ल फ़िन्नहारि व यूलिजुन्नहा-र फ़िल्लैलि व सख़्ख़रश्-

कड़ा, और अल्लाह की तरफ़ है आख़िर हर काम का। (22) और जो कोई मुन्किर हुआ तो तू ग़म न खा उसके इनकार से, हमारी तरफ़ फिर आना है उनको, फिर हम जतला देंगे उनको जो उन्होंने किया है, बेशक अल्लाह जानता है जो बात है दिलों में। (23) काम चला देंगे हम उनका थोड़े दिनों फिर पकड़ बुलायेंगे उनको गाढ़े अ़ज़ाब में। (24) और अगर तू पूछे उनसे किसने बनाये आसमान और ज़मीन तो कहें अल्लाह तआ़ला ने, तू कह सब ख़ूबी अल्लाह को है पर वे बहुत लोग समझ नहीं रखते। (25) अल्लाह का है जो कुछ है आसमान और ज़मीन में, बेशक अल्लाह वही है बेपरवाह सब ख़ूबियों वाला। (26) और अगर जितने पेड़ हैं ज़मीन में क़लम हों और समन्दर हो उसकी रोशनाई उसके पीछे सात समन्दर, न तमाम हों बातें अल्लाह की, बेशक अल्लाह ज़बरदस्त है हिक्मतों वाला। (27) तुम सब का बनाना और मरने के बाद ज़िन्दा करना ऐसा ही है जैसे एक जी का, बेशक अल्लाह सब कुछ सुनता देखता है। (28) तूने नहीं देखा कि अल्लाह दाख़िल करता है रात को दिन में और दाख़िल करता है दिन को रात में, और काम में लगा दिया है

शम्-स वल्क़-म-र कुल्लुंय्यज्री इला अ-जलिम् मुसम्मंव्-व अन्नल्ला-ह बिमा तअ्मलू-न ख़बीर (29) ज़ालि-क बिअन्नल्ला-ह हुवल्-हक़्क़ु व अन्-न मा यद्ऊ-न मिन् दूनिहिल्-बातिलु व अन्नल्ला-ह हुवल् अलिय्युल्-कबीर (30) ✿	सूरज और चाँद को हर एक चलता है एक तयशुदा वक़्त तक, और यह कि अल्लाह ख़बर रखता है उसकी जो तुम करते हो। (29) यह इसलिये (कहा) कि अल्लाह वही है ठीक और जिस किसी को पुकारते हैं सिवाय उसके सो वही झूठ है, और अल्लाह वही है सबसे ऊपर बड़ा। (30) ✿
अलम् त-र अन्नल्-फ़ुल्-क तज्री फ़िल्बहि्र बिनिअ्मतिल्लाहि लियुरि-यकुम् मिन् आयातिही, इन्-न फ़ी ज़ालि-क लआयातिल्-लिकुल्लि सब्बारिन् शकूर (31) व इज़ा ग़शि-यहुम् मौजुन् कज़्ज़ु-ललि द-अ़वुल्ला-ह मुख़्लिसी-न लहुद्दी-न, फ़-लम्मा नज्जाहुम् इलल्बर्रि फ़मिन्हुम् मुक़्तसिदुन्, व मा यज्हदु बिआयातिना इल्ला कुल्लु ख़त्तारिन् कफ़ूर (32)	तूने न देखा कि जहाज़ चलते हैं समुद्र में अल्लाह की नेमत लेकर ताकि दिखलाये तुमको अपनी कुछ क़ुदरतें, बेशक इसमें निशानियाँ हैं हर एक संयम बरतने वाले एहसान मानने वाले के वास्ते। (31) और जब सर पर आये उनके लहर जैसे बादल, पुकारने लगें अल्लाह को ख़ालिस कर-कर उसी के लिये बन्दगी, फिर जब बचा दिया उनको जंगल की तरफ़ तो कोई होता है उनमें बीच की चाल पर, और मुन्किर वही होते हैं हमारी क़ुदरतों से जो क़ौल के झूठे हैं, हक़ न मानने वाले। (32)

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

क्या तुम लोगों को (दलीलों और देखने व अनुभव से) यह बात मालूम नहीं हुई कि अल्लाह तआ़ला ने तमाम चीज़ों को (प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से) तुम्हारे काम में लगा रखा है, जो कुछ आसमानों में (मौजूद) हैं और जो कुछ ज़मीन में (मौजूद) हैं। और उसने तुम पर अपनी ज़ाहिरी और बातिनी नेमतें पूरी कर रखी हैं। (ज़ाहिरी वो कि आँख कान वग़ैरह से मालूम हों और बातिनी वो जो कि अक़्ल से समझी जायें, और मुराद नेमतों से वो नेमतें हैं जो ज़मीन व आसमान के काम में लगाने पर मुरत्तब होती हैं, पस इससे तमाम मुख़ातब अफ़राद का इस्लाम ले आना लाज़िम नहीं आता) और बावजूद इसके कि (इस दलील से तौहीद साबित होती है मगर) बाज़े आदमी ऐसे हैं कि अल्लाह

तआ़ला के बारे में (यानी उसकी तौहीद में) बिना जानकारी (यानी ज़रूरी इल्म) और बिना दलील (यानी उस इल्म के जिससे अ़क़्ली दलील ली जा सके) और बिना किसी रोशन किताब (यानी किताबी और रिवायती दलील पकड़ने) के झगड़ा करते हैं। और जब उनसे कहा जाता है कि उस चीज़ की पैरवी करो जो अल्लाह तआ़ला ने नाज़िल फ़रमाई है (यानी हक़ को साबित करने वाली दलीलों में ग़ौर करके उनकी पैरवी करो) तो (जवाब में) कहते हैं कि (हम इसकी पैरवी) नहीं (करते), हम (तो) उसी की पैरवी करेंगे जिस पर हमने अपने बड़ों को पाया है। (आगे उन पर रद्द है कि) क्या अगर शैतान उनके बड़ों को दोज़ख़ के अ़ज़ाब की तरफ़ (यानी गुमराही की तरफ़ जो कि सबब है दोज़ख़ के अ़ज़ाब का) बुलाता रहा हो तब भी (उन्हीं की पैरवी करेंगे। मतलब यह कि ऐसे मुख़ालिफ़ व दुश्मन हैं कि बावजूद इसके कि उनको दलील की तरफ़ बुलाया जाता है मगर फिर भी बिना दलील बल्कि ख़िलाफ़े दलील महज़ गुमराह बाप-दादा की राह पर चलते हैं। यह हालत तो गुमराह लोगों की हुई)।

और जो शख़्स (हक़ की पैरवी करके) अपना रुख़ अल्लाह की तरफ़ झुका दे (यानी फ़रमाँबरदारी इख़्तियार करे, अ़क़ीदों में भी आमाल में भी, मुराद इस्लाम क़ुबूल करना और अल्लाह को एक व तन्हा माबूद मानना है) और (इसके साथ) वह मुख़्लिस भी हो (यानी महज़ ज़ाहिरी इस्लाम न हो) तो उसने बड़ा मज़बूत हल्क़ा थाम लिया (यानी वह उस शख़्स के जैसा हो गया जो किसी मज़बूत रस्सी का हल्क़ा हाथ में थामकर गिरने से सुरक्षित रहता है। इसी तरह यह शख़्स तबाही व घाटा उठाने से महफ़ूज़ हो गया) और आख़िर (अन्जाम व परिणाम) सब कामों का अल्लाह ही की तरफ़ पहुँचेगा (पस ये आमाल यानी हक़ व बातिल की पैरवी भी उसी के हुज़ूर में पेश होंगे। पस वह हर एक को मुनासिब जज़ा व सज़ा देगा)।

और जो शख़्स (हक़ को साबित करने वाली दलीलों के बावजूद) कुफ़्र करे सो आप के लिये उसका कुफ़्र ग़म का सबब न होना चाहिए (यानी आप ग़म न करें) उन सब को हमारे ही पास लौटना है, सो हम उन सब को जतला देंगे जो-जो कुछ वे किया करते थे। (क्योंकि) अल्लाह तआ़ला को (तो) दिलों की बातें (तक) ख़ूब मालूम हैं (तो ज़ाहिरी आमाल का मामला ज़ाहिर है। पस हम से कोई मामला और कोई बात छुपी नहीं, सब जतला देंगे और मुनासिब सज़ा देंगे, इसलिये आप कुछ ग़म न करें। और ये लोग अगर महज़ चन्द दिन के ऐश पर फूल रहे हैं तो इनकी बड़ी ग़लती है क्योंकि यह हमेशा रहने वाली चीज़ नहीं बल्कि) हम इनको चन्द दिन की ऐश दिये हुए हैं फिर इनको ज़बरदस्ती खींचते-खींचते एक सख़्त अ़ज़ाब की तरफ़ ले आएँगे (पस इस पर इतराना जहालत है)।

और (हम जिस तौहीद की तरफ़ इनको बुला रहे हैं उसकी बुनियादी बातों को ख़ुद ये लोग भी तस्लीम करते हैं, मगर उससे सही नतीजे तक पहुँचने का काम नहीं लेते। चुनाँचे) अगर आप उनसे पूछें कि आसमानों और ज़मीन को किसने पैदा किया है तो ज़रूर यही जवाब देंगे कि अल्लाह तआ़ला ने (इस पर) आप कहिए कि अल्हम्दु लिल्लाह! (जो असली बुनियादी बात थी वह तो तुम्हारे स्वीकार करने से साबित हुई और दूसरी यह बुनियादी बात निहायत ही ज़ाहिर है कि जो ख़ुद पैदा किया हुआ और बनाया हुआ हो वह इबादत का हक़दार नहीं, पस मक़सद साबित हो गया। मगर ये लोग मक़सद व मुद्दे को नहीं मानते) बल्कि इनमें अक्सर (तो इन बुनियादी बातों को भी) नहीं जानते (चुनाँचे दूसरे उसूल कि पैदा की हुई और बनाकर तैयार की हुई चीज़ इबादत के क़ाबिल नहीं की तरफ़ भी

तवज्जोह नहीं करते कि माबूद होना सिर्फ़ ख़ालिक़ का हक़ है और अल्लाह की वह शान है कि) जो कुछ आसमानों और ज़मीन में मौजूद है सब अल्लाह ही का (ममलूक) है, (पस सल्तनत तो उसकी ऐसी) और बेशक अल्लाह तआ़ला (खुद अपनी ज़ात में भी) बेपरवाह (और) सब ख़ूबियों वाला है (पस माबूद बनने का हक़दार वही है)।

और (उसकी ख़ूबियाँ इस कसरत से हैं कि) जितने पेड़ ज़मीन भर में हैं, अगर वे सब क़लम बन जाएँ (यानी परिचित क़लम के बराबर उनके हिस्से के क़लम बना लिये जायें और ज़ाहिर है कि इस तरह एक-एक दरख़्त में हज़ारों क़लम तैयार हों) और यह जो समन्दर है इसके अ़लावा सात समन्दर (रोशनाई की जगह) इसमें और शामिल हो जाएँ (और फिर उन क़लमों और उस रोशनाई से हक़ तआ़ला के कमालात लिखना शुरू करें) तो (सब क़लम रोशनाई ख़त्म हो जायें और) अल्लाह की बातें (यानी वो कलिमात जिनसे अल्लाह तआ़ला के कमालात का बयान होता हो) ख़त्म न हों, बेशक खुदा तआ़ला ज़बरदस्त, हिक्मत वाला है (कि वह क़ुदरत में भी कामिल है और इल्म में भी, और ये दोनों सिफ़तें चूँकि तमाम सिफ़ात व कामों से ताल्लुक़ रखती हैं शायद इसलिये उमूमी बयान के बाद इनको ख़ास तौर पर बयान फ़रमा दिया, और इस क़ुदरत की सिफ़त के कमाल की एक क़िस्म आख़िरत का जहान भी है जिसको समझ न रखने वाले लोग दुश्वार समझ रहे हैं, हालाँकि वह ऐसा क़ादिर है कि) तुम सब का (पहली बार) पैदा करना और (दूसरी बार) ज़िन्दा करना (उसके नज़दीक) बस ऐसा ही है जैसा कि एक शख़्स का (पैदा करना और ज़िन्दा करना। अगरचे मौक़े के लिहाज़ से यहाँ मक़सद मरने के बाद ज़िन्दा होने का ज़िक्र फ़रमाना है, लेकिन मख़्लूक़ को पैदा करने के ज़िक्र से दलील लेना और मज़बूत हो गया हे) बेशक अल्लाह तआ़ला सब कुछ सुनता, सब कुछ देखता है (पस जो लोग इन दलीलों के बावजूद क़ियामत का इनकार कर रहे हैं और इस दुस्साहस पर बुराईयाँ और गुनाह करते हैं उन सब को सुन रहा है, देख रहा है, उनको सज़ा देगा)।

(आगे फिर तौहीद का बयान है कि) ऐ मुख़ातब! क्या तुझको यह मालूम नहीं कि अल्लाह तआ़ला रात (के हिस्सों) को दिन में और दिन (के हिस्सों) को रात में दाख़िल कर देता है, और उसने सूरज और चाँद को काम में लगा रखा है कि हर एक निर्धारित वक़्त तक (यानी क़ियामत तक) चलता रहेगा, और (क्या तुझको) यह (मालूम नहीं) कि अल्लाह तआ़ला तुम्हारे सब आमाल की पूरी ख़बर रखता है। (पस इस इल्मी व अ़क़्ली का तक़ाज़ा यह है कि शिर्क छोड़ दिया जाये। और ऊपर जो इन मज़कूरा कामों को विशेष तौर पर हक़ तआ़ला के साथ बयान किया गया है) यह (ख़ास करना) इस सबब से है कि अल्लाह ही हस्ती में कामिल (और वाजिबुल-वजूद) है और जिन चीज़ों की अल्लाह के सिवा ये लोग इबादत कर रहे हैं वे बिल्कुल ही लचर हैं। और अल्लाह ही आ़लीशान (और) बड़ा है। (इसलिये ये सब काम करना और इख़्तियारात के लिये ख़ास हैं, लेकिन अगर दूसरे मौजूदात बातिल, फ़ानी और मुम्किन न होते, बल्कि नऊज़ु बिल्लाह कोई और भी वाजिबुल-वजूद होता तो फिर ये तसर्रुफ़ात हक़ तआ़ला के साथ ख़ास न होते, चुनाँचे ज़ाहिर है)।

ऐ मुख़ातब! क्या तुझको (तौहीद की) यह (दलील) मालूम नहीं कि अल्लाह ही के फ़ज़्ल से दरिया में कश्ती चलती है, ताकि तुमको अपनी (क़ुदरत की) निशानियाँ दिखलाये (चुनाँचे हर मुम्किन का वजूद अपने पैदा करने वाले के वजूद की दलील है, इसी तरीक़े से) इसमें (भी क़ुदरत की)

निशानियाँ हैं हर ऐसे शख़्स के लिये जो साबिर व शाकिर हो (इससे मुराद मोमिन है कि सब्र व शुक्र में कामिल होना उसी की सिफ़त है, साथ ही सब्र व शुक्र प्रेरित करता है इस जहान में सोच-विचार करने को, और दलील लेने के लिये सोच-विचार और ग़ौर करना ज़रूरी है, इसी लिये ये दोनों गुण यहाँ मुनासिब हुए विशेष तौर पर कश्ती की हालत के ऐतिबार से कि मौजों का उठना सब्र का मौक़ा है, और सलामती के साथ किनारे पर जा लगना शुक्र का मौक़ा है। पस जो लोग इन सब वाक़िआ़त में ग़ौर व फ़िक्र करते रहते हैं दलील लेने और समझने की तौफ़ीक़ उन्हीं को होती है) और (जैसा कि ऊपर आयत नम्बर 25 में दलील की बुनियादी बातों को उनकी तरफ़ से स्वीकार करना उन काफ़िरों की तरफ़ से साबित है, बाज़ी मर्तबा ख़ुद दलील के नतीजे यानी तौहीद का भी इक़रार करते हैं जिससे तौहीद ख़ूब ही स्पष्ट हो गई। चुनाँचे) जब उन लोगों को मौजें "लहरें" सायबानों (यानी बादलों) की तरह (चारों तरफ़ से छाकर) घेर लेती हैं तो वे ख़ालिस एतिक़ाद करके अल्लाह ही को पुकारने लगते हैं, फिर जब उनको निजात देकर ख़ुश्की की तरफ़ ले आता है, सो बाज़े तो उनमें सही राह पर रहते हैं (यानी शिर्क को छोड़कर तौहीद को जो कि सही रास्ता है उसको इख़्तियार कर लेते हैं) और (बाज़े फिर हमारी आयतों के इनकारी हो जाते हैं, और) हमारी आयतों के बस वही लोग मुन्किर होते हैं जो अ़हद के ख़िलाफ़ करने वाले और नाशुक्रे हैं (कि कश्ती में जो तौहीद का अ़हद किया था उसको तोड़ दिया और ख़ुश्की में आने का तक़ाज़ा था शुक्र करना उसको छोड़ दिया)।

मआ़रिफ़ व मसाईल

सूरत के शुरू में काफ़िरों व मुश्रिकों को इस पर तंबीह थी कि अल्लाह तआ़ला के हर चीज़ को शामिल इल्म और कामिल क़ुदरत के निशानात देखने के बावजूद ये लोग अपने कुफ़्र व शिर्क पर अड़े हुए हैं। और इनके मुक़ाबले में अल्लाह के फ़रमाँबरदार मोमिनों की तारीफ़ और उनके अच्छे अन्जाम का ज़िक्र था। बीच में हज़रत लुक़मान अ़लैहिस्सलाम की वसीयतों का ज़िक्र भी एक हैसियत से इन्हीं मज़ामीन की तकमील थी। उक्त आयतों में हक़ तआ़ला के इल्म व क़ुदरत के कामिल होने और मख़्लूक़ पर उसके इनामात व एहसानात का ज़िक्र करके फिर तौहीद की तरफ़ दावत है।

سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ

यानी मुसख़्ख़र कर दिया अल्लाह तआ़ला ने तुम्हारे लिये उन तमाम चीज़ों को जो आसमानों में हैं और जो ज़मीन में हैं। मुसख़्ख़र करने के मशहूर मायने किसी चीज़ को किसी के हुक्म के ताबे बना देने के हैं, यहाँ इस पर यह सवाल पैदा होता है कि अव्वल तो ज़मीन की सब चीज़ें भी इनसान के फ़रमान के ताबे नहीं बल्कि बहुत सी चीज़ उसके मिज़ाज के ख़िलाफ़ काम करती हैं, ख़ुसूसन जो चीज़ें आसमानों में हैं उनमें तो इनसान के फ़रमान के ताबे होने का कोई गुमान व शुब्हा ही नहीं। जवाब यह है कि दर असल तस्ख़ीर के मायने किसी चीज़ को ज़बरदस्ती किसी ख़ास काम में लगा देना और उस पर मजबूर कर देना है, आसमान व ज़मीन की सब मख़्लूक़ात को इनसान के लिये मुसख़्ख़र करने का मतलब यह है कि इन तमाम मख़्लूक़ात को इनसानों की ख़िदमत और फ़ायदा पहुँचाने में लगा दिया। इनमें बहुत सी चीज़ों को तो इस तरह ख़िदमत में लगाया कि उनको इनसान

के हुक्म व फ़रमान के ताबे भी बना दिया, वह जिस वक़्त जिस तरह चाहे उनको इस्तेमाल करता है। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि उनको इनसान के काम में तो लगा दिया गया है कि वो इनसान की ख़िदमत में लगी हुई हैं मगर अल्लाह की हिक्मत के तक़ाज़े के तहत उनको इनसान के ताबे नहीं बनाया गया, जैसा कि आसमानी मख़्लूक़, सितारे और बिजली व बारिश वग़ैरह कि इनको इनसान के हुक्म के ताबे बना दिया जाता तो इनसानों की तबीयतों, मिज़ाजों और हालात के अलग-अलग और भिन्न होने का इनपर असर पड़ता। एक इनसान चाहता कि सूरज जल्दी निकल जाये, दूसरे की ज़रूरत इस पर टिकी होती कि इसमें देर लगे। एक शख़्स बारिश माँगता दूसरा सफ़र में है खुले मैदान में है वह चाहता कि बारिश न हो, तो ये अलग अलग तक़ाज़े आसमानी कायनात के अ़मल में टकराव और ख़लल पैदा करते, इसलिये अल्लाह तआ़ला ने इन सब चीज़ों को इनसान की ख़िदमत में लगा दिया, मगर इसके हुक्म के ताबे नहीं बनाया, यह भी एक क़िस्म का ताबे करना ही है। वल्लाहु आलम

وَاَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهٗ ظَاهِرَةً وَّبَاطِنَةً

इस्बाग़ के मायने मुकम्मल करने के हैं। मायने यह हैं कि मुकम्मल कर दिया अल्लाह तआ़ला ने तुम पर अपनी ज़ाहिरी नेमतों को और बातिनी नेमतों को। ज़ाहिरी नेमतों से मुराद वो नेमतें हैं जो इनसान अपने पाँचों हवास (देखने, सुनने, सूँघने, चखने और छूने) से महसूस और मालूम कर लेता है जैसे अच्छी सूरत, इनसानी अंगों का दरमियाने पन और हर अंग को ऐसे अनुपात और मुनासिब अन्दाज़ से बनाना जो इनसान के काम में ज़्यादा से ज़्यादा मददगार भी हो और उसकी शक्ल व सूरत को भी न बिगाड़े। इसी तरह रिज़्क़, माल व दौलत, रोज़ी कमाने और गुज़ारे के असबाब, तन्दुरुस्ती और आ़फ़ियत ये सब ज़ाहिरी और महसूस होने वाली नेमतें हैं। इसी तरह दीने इस्लाम को आसान कर देना और अल्लाह व रसूल सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की फ़रमाँबरदारी की तौफ़ीक़ होना और इस्लाम का दूसरे दीनों पर ग़ालिब आना और दुश्मनों के मुक़ाबले में मुसलमानों की मदद होना भी इन्हीं ज़ाहिरी नेमतों में दाख़िल हैं। और बातिनी नेमतें वो हैं जो इनसान के दिल से संबन्धित हों जैसे ईमान और अल्लाह तआ़ला की पहचान और इल्म व अ़क़्ल, अच्छे अख़्लाक़, गुनाहों की पर्दापोशी और बुराईयों व गुनाहों पर फ़ौरी तौर पर सज़ा न मिलना वग़ैरह हैं।

وَلَوْ اَنَّ مَا فِى الْاَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ اَقْلَامٌ

इस आयत में हक़ तआ़ला ने अपनी मालूमात और अपनी क़ुदरत के तसर्रुफ़ात (इख़्तियारात इस्तेमाल करने) और अपनी नेमतों की एक मिसाल दी है कि वो असीमित और बेहद हैं, न किसी ज़बान से वो सब अदा हो सकते हैं न किसी क़लम से सब को लिखा जा सकता है। मिसाल यह बयान फ़रमाई कि सारी ज़मीन में जितने पेड़ हैं अगर उनकी सब शाख़ों के क़लम बना लिये जायें और उनके लिखने के लिये समन्दर को रोशनाई बना दिया जाये और ये सब क़लम हक़ तआ़ला की मालूमात और क़ुदरत के इख़्तियारात को लिखना शुरू करें तो समन्दर ख़त्म हो जायेगा और मालूमात व तसर्रुफ़ात ख़त्म न होंगे। और एक समन्दर नहीं इस जैसे सात समन्दर और भी शामिल कर दिये जायें तब भी सब समन्दर ख़त्म हो जायेंगे लेकिन अल्लाह तआ़ला के कलिमात ख़त्म न होंगे।

कलिमातुल्लाहि से मुराद उसके इल्म व हिक्मत के कलिमात हैं। (रूहुल-मआनी व मज़हरी)

और क़ुदरत की शानें और ख़ुदा की नेमतें भी इसमें दाख़िल हैं। और सात समन्दर से मतलब यह नहीं कि कहीं सात समन्दर मौजूद हैं बल्कि मुराद यह है कि एक समन्दर के साथ फ़र्ज़ कर लो सात समन्दर और मिल जायें तब भी उन सबसे अल्लाह के सब कलिमात को नहीं लिखा जा सकता। और सात की संख्या भी मिसाल के तौर है, सात में सीमित करना मक़सद नहीं, और इसकी दलील क़ुरआने करीम की दूसरी आयत है जिसमें फ़रमाया है:

قُلْ لَّوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِّكَلِمٰتِ رَبِّىْ لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ اَنْ تَنْفَدَ كَلِمٰتُ رَبِّىْ وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهٖ مَدَدًا ٥

यानी अगर समन्दर को कलिमातुल्लाह (अल्लाह की बातें) लिखने के लिये रोशनाई बना लिया जाये तो समन्दर ख़त्म हो जायेगा और अल्लाह के कलिमात ख़त्म न होंगे। और सिर्फ़ यही समन्दर नहीं इसी जैसे और समन्दर को भी शामिल कर दें तब भी यही बात रहेगी। इस आयत में 'बिमिस्लिही' फ़रमाकर इशारा कर दिया कि यह सिलसिला दूर तक चला जाये कि इस समन्दर के जैसे दूसरा समन्दर मिल गया, फिर उसके जैसा तीसरा चौथा, ग़र्ज़ के समन्दरों की कितनी ही मिक़्दार फ़र्ज़ कर लो, उनकी रोशनाई अल्लाह के कलिमात का इहाता नहीं कर सकती। अ़क़्ली तौर पर वजह ज़ाहिर है कि समन्दर सात नहीं सात हज़ार भी हों वो बहरहाल सीमित और एक हद के अन्दर हैं और अल्लाह के कलिमात यानी अल्लाह की मालूमात असीमित हैं, कोई सीमित चीज़ असीमित चीज़ का इहाता (घेराव) कैसे कर सकती है।

कुछ रिवायतों में है कि यह आयत यहूदियों के उलेमा व बुज़ुर्गों के एक सवाल के जवाब में नाज़िल हुई। वजह यह थी कि क़ुरआन की एक आयत है:

وَمَآ اُوْتِيْتُمْ مِّنَ الْعِلْمِ اِلَّا قَلِيْلًا ٥

"यानी तुम्हें नहीं दिया गया मगर थोड़ा सा इल्म।" जब नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम मदीना तय्यिबा में तशरीफ़ लाये तो यहूद के चन्द उलेमा व बुज़ुर्ग हाज़िर हुए और इस आयत के बारे में बहस व मुकालमा किया कि आप जो कहते हैं कि तुम्हें थोड़ा इल्म दिया गया, यह आपने अपनी कौम का हाल ज़िक्र किया है या इसमें आपने हमें भी दाख़िल किया है? आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि मेरी मुराद सब हैं, यानी हमारी क़ौम भी और यहूदी व ईसाई भी। तो उन्होंने यह बात पेश की कि हमें तो अल्लाह तआ़ला ने तौरात अ़ता फ़रमाई है जिसकी शान 'तिब्यानल् लिकुल्लि शैइन्' यानी हर चीज़ का बयान है। आपने फ़रमाया कि वह भी अल्लाह के इल्म के मुक़ाबले में थोड़ा ही है। फिर तौरात में जितना इल्म है उसका भी तुम्हें पूरा इल्म नहीं ज़रूरत के मुताबिक़ ही है इसलिये अल्लाह के इल्म के मुक़ाबले में सारी आसमानी किताबों और सब अम्बिया के उलूम का मजमूआ़ भी थोड़ा और कम ही है। इसी कलाम की ताईद के लिये यह आयत नाज़िल हुई।

وَلَوْ اَنَّ مَا فِى الْاَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ اَقْلَامٌ............. الاية. (ابن كثير)

(यानी ऊपर बयान हुई आयत नम्बर 27)

يَاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمْ وَاخْشَوْا يَوْمًا لَّا يَجْزِىْ وَالِدٌ عَنْ وَّلَدِهٖ ۚ وَلَا مَوْلُوْدٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَّالِدِهٖ شَيْـًٔا ۭ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا ۪ وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللّٰهِ الْغَرُوْرُ ۝ اِنَّ اللّٰهَ عِنْدَهٗ عِلْمُ السَّاعَةِ ۚ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ ۚ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْاَرْحَامِ ۭ وَمَا تَدْرِيْ نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا ۭ وَمَا تَدْرِيْ نَفْسٌۢ بِاَيِّ اَرْضٍ تَمُوْتُ ۭ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ ۝

या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुम् वख़्शौ यौमल्-ला यज्ज़ी वालिदुन् अंव्-व-लदिही व ला मौलूदुन् हु-व जाज़िन् अंव्वालिदिही शैअन्, इन्-न वअ्दल्लाहि हक़्क़ुन् फ़ला तग़ुर्रन्नकुमुल्-हयातुद्दुन्या, व ला यग़ुर्रन्न-कुम् बिल्लाहिल्-ग़रूर (33) इन्नल्ला-ह अिन्दहू अिल्मुस्सा-अति व युनज़्ज़िलुल्-ग़ै-स व यअ्लमु मा फ़िल्-अर्हामि, व मा तद्री नफ़्सुम्-माज़ा तक्सिबु ग़दन्, व मा तद्री नफ़्सुम् बि-अय्यि अर्ज़िन् तमूतु, इन्नल्ला-ह अलीमुन् ख़बीर (34) ✿

ऐ लोगो! बचते रहो अपने रब से और डरो उस दिन से कि काम न आये कोई बाप अपने बेटे के बदले और न कोई बेटा हो जो काम आये अपने बाप की जगह कुछ भी, बेशक अल्लाह का वायदा सच्चा है, सो तुमको न बहकाये दुनिया की ज़िन्दगानी और न धोखा दे तुमको अल्लाह के नाम से वह दग़ाबाज़। (33) बेशक अल्लाह के पास है क़ियामत की ख़बर और उतारता है बारिश और जानता है जो कुछ है माँ के पेट में, और किसी जी को मालूम नहीं कि कल को क्या करेगा, और किसी जी को ख़बर नहीं कि किस ज़मीन में मरेगा, तहक़ीक़ (कि) अल्लाह सब कुछ जानने वाला ख़बर रखने वाला है। (34) ✿

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

ऐ लोगो! अपने रब से डरो (और कुफ़्र व शिर्क छोड़ दो) और उस दिन से डरो जिसमें न कोई बाप अपने बेटे की तरफ़ से कुछ मुतालबा अदा कर सकेगा और न कोई बेटा ही है कि वह अपने बाप की तरफ़ से ज़रा भी मुतालबा अदा कर दे। (और यह दिन आने वाला ज़रूर है, क्योंकि उसके बारे में अल्लाह का वायदा है, और) यक़ीनन अल्लाह का वायदा सच्चा (होता) है। सो तुमको दुनियावी ज़िन्दगानी धोखे में न डाले (कि उसमें फंसकर उस दिन से ग़ाफ़िल रहो) और न वह धोखेबाज़ (यानी

शैतान) अल्लाह से धोखे में डाले (कि तुम उसके इस बहकाने में आ जाओ कि अल्लाह तुमको अ़ज़ाब न देगा जैसा कि कहा करते थे "कि अगर मैं अपने रब के पास लौटाया गया तो मेरे लिये वहाँ भी ख़ुशहाली है") बेशक अल्लाह तआ़ला ही को क़ियामत की ख़बर है, और वही (अपने इल्म के मुवाफ़िक़) बारिश बरसाता है (पस उसका इल्म और क़ुदरत भी उसी के साथ ख़ास है) और वही जानता है जो कुछ (लड़का लड़की गर्भवती के) रहम "यानी माँ के पेट" में है, और कोई शख़्स नहीं जानता कि वह कल क्या अ़मल करेगा (इसकी भी उसी को ख़बर है)। और कोई शख़्स नहीं जानता कि वह किस ज़मीन में मरेगा (इसकी भी उसी को ख़बर है, और इन्हीं चीज़ों की क्या ख़ुसूसियत है जितने ग़ैब हैं) बेशक अल्लाह तआ़ला (ही उन) सब बातों का जानने वाला (और उनसे) ख़बर रखने वाला है (कोई दूसरा इसमें शरीक नहीं)।

मआ़रिफ़ व मसाईल

ऊपर बयान हुई दो आयतों में से पहली आयत में मोमिन व काफ़िर आ़म लोगों को ख़िताब फ़रमाकर अल्लाह तआ़ला और क़ियामत के हिसाब व किताब से डराकर उसके लिये तैयारी की हिदायत की गई है:

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمْ

"यानी ऐ लोगो! डरो अपने परवर्दिगार से।"

इस जगह अल्लाह तआ़ला के नाम या किसी दूसरी सिफ़त के बजाय रब वाली सिफ़त का चयन करने में इशारा इस तरफ़ है कि अल्लाह तआ़ला से ख़ौफ़ का जो हुक्म है यह वह ख़ौफ़ नहीं जो किसी दरिन्दे या दुश्मन से आ़दतन हुआ करता है, क्योंकि अल्लाह तआ़ला तो तुम्हारा रब और पालने वाला है, उससे इस तरह का कोई ख़तरा नहीं होना चाहिये, बल्कि ख़ौफ़ से मुराद इस जगह वह ख़ौफ़ है जो अपने बड़ों और बुज़ुर्गों की बड़ाई व हैबत की वजह से होना लाज़िम है, जैसे बेटा अपने बाप से, शागिर्द उस्ताद से डरता है, वे कोई दुश्मन या नुक़सान पहुँचाने वाले नहीं मगर उनकी बड़ाई व सम्मान और डर दिलों में होता है वही उनको बाप और उस्ताद की इताअ़त पर मजबूर करता है। यहाँ भी यही मुराद है कि अल्लाह तआ़ला की बड़ाई व हैबत तुम्हारे दिलों पर हावी होनी चाहिये ताकि तुम उसकी मुकम्मल फ़रमाँबरदारी आसानी से कर सको।

وَاخْشَوْا يَوْمًا لَّا يَجْزِىْ وَالِدٌ عَنْ وَّلَدِهٖ وَلَا مَوْلُوْدٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَّالِدِهٖ شَيْئًا.

"यानी उस दिन से डरो जिसमें न कोई बाप अपने बेटे को कोई नफ़ा पहुँचा सकेगा और न बेटा बाप को नफ़ा पहुँचाने वाला होगा।"

इससे मुराद ये बाप और बेटे हैं जिनमें एक मोमिन हो दूसरा काफ़िर, क्योंकि मोमिन बाप न अपने काफ़िर बेटे के अ़ज़ाब में कोई कमी कर सकेगा न उसको कोई नफ़ा पहुँचा सकेगा। इसी तरह मोमिन बेटा अपने काफ़िर बाप के कुछ काम न आ सकेगा।

वजह इस ख़ास करने की क़ुरआने करीम की दूसरी आयतें और हदीस की रिवायतें हैं जिनमें इसकी वज़ाहत है कि क़ियामत के दिन माँ-बाप औलाद की और औलाद माँ-बाप की शफ़ाअ़त करेंगे

और उस शफ़ाअ़त की वजह से उनको कामयाबी भी होगी। क़ुरआने करीम में है:

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِاِيْمَانٍ اَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ

"यानी जो लोग ईमान लाये और उनकी औलाद भी ईमान में उनके ताबे हुई यानी वे भी मोमिन हो गये तो हम उनकी औलाद को भी उनके नेक माँ-बाप के दर्जे में पहुँचा देंगे।" अगरचे उनके अपने आमाल उस दर्जे के क़ाबिल न हों मगर नेक माँ-बाप की बरकत से क़ियामत में भी उनको यह नफ़ा पहुँचेगा कि माँ-बाप के मक़ाम पर पहुँचा दिया जायेगा, मगर इसमें शर्त यही है कि औलाद मोमिन हो अगरचे अ़मल में कुछ कोताही हुई हो।

इसी तरह एक दूसरी आयत में है:

جَنّٰتُ عَدْنٍ يَّدْخُلُوْنَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ اٰبَآئِهِمْ وَاَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيّٰتِهِمْ

यानी हमेशा रहने की जन्नतों में दाख़िल होंगे और उनके साथ वे लोग भी दाख़िल होंगे जो उनके माँ-बाप बीवियों और औलाद में से इस क़ाबिल होंगे, मुराद क़ाबिल होने से मोमिन होना है।

इन दोनों आयतों से साबित हुआ कि माँ-बाप और औलाद, इसी तरह शौहर और बीवी अगर मोमिन होने में साझा हों तो फिर एक से दूसरे को मेहशर में भी फ़ायदा पहुँचेगा, इसी तरह हदीस की अनेक रिवायतों में औलाद का माँ-बाप की शफ़ाअ़त करना मन्क़ूल है। इसी लिये उक्त आयत का यह उसूल कि कोई बाप बेटे को और बेटा बाप को मेहशर में कोई फ़ायदा न पहुँचा सकेगा यह उसी सूरत में है कि उनमें से एक मोमिन हो दूसरा काफ़िर। (तफ़सीरे मज़हरी)

फ़ायदा:- यहाँ यह बात ध्यान देने के क़ाबिल है कि इस आयत में 'बाप बेटे को नफ़ा न पहुँचा सकेगा' इसके मुक़ाबले में दूसरा हिस्सा 'बेटा बाप को नफ़ा न पहुँचा सकेगा' को अ़रबी ग्रामर के हिसाब से जिस तरह बयान किया है उससे इस आख़िरी हिस्से में ताकीद के मायने पाये जाते हैं। दूसरे इसमें वलद के बजाय लफ़्ज़ **मौलूद** इख़्तियार फ़रमाया, हिक्मत इसमें यह है कि बाद वाले हिस्से में जुमले की जो क़िस्म इस्तेमाल की गयी है उसमें ताकीद ज़्यादा है। और कलाम के इस अन्दाज़ व तब्दीली से उस फ़र्क़ की तरफ़ इशारा कर दिया जो बाप और औलाद में है कि बाप की मुहब्बत औलाद के साथ ज़्यादा सख़्त है इसके उलट औलाद की मुहब्बत का यह दर्जा दुनिया में भी नहीं होता मेहशर में नफ़ा पहुँचाने की नफ़ी तो दोनों से कर दी गई मगर औलाद के नफ़ा न पहुँचाने को ताकीद के साथ बयान फ़रमाया, और लफ़्ज़ वलद के बजाय मौलूद इख़्तियार करने में यह हिक्मत है कि मौलूद सिर्फ़ औलाद को कहा जाता है और लफ़्ज़ वलद आ़म है औलाद की औलाद को भी शामिल है। इसमें दूसरे रुख़ से इसी मज़मून की ताईद इस तरह हो गई कि ख़ुद अपना सगा बेटा भी बाप के काम न आयेगा तो पोते पड़पोते का हाल मालूम है।

और दूसरी आयत में पाँच चीज़ों के इल्म का ख़ासकर अल्लाह तआ़ला के साथ मख़्सूस होना उसके सिवा किसी मख़्लूक़ को उनका इल्म न होना बयान फ़रमाया है, और इस पर सूरः लुक़मान ख़त्म की गई है।

اِنَّ اللّٰهَ عِنْدَهٗ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِى الْاَرْحَامِ وَمَا تَدْرِىْ نَفْسٌ مَّا ذَا تَكْسِبُ غَدًا وَّمَا تَدْرِىْ نَفْسٌ م بِاَىِّ اَرْضٍ تَمُوْتُ.

"यानी अल्लाह ही के पास है इल्म क़ियामत का (कि किस साल किस तारीख़ में आयेगी) और वही बारिश को उतारता है और वही जानता है जो माँ के पेट में है (कि लड़की है या लड़का और किस शक्ल व सूरत का है) और कोई शख़्स नहीं जानता कि वह कल को क्या कमायेगा (यानी भलाई बुराई में से क्या हासिल करेगा) और कोई नहीं जानता कि वह किस ज़मीन में मरेगा।"

पहली तीन चीज़ों में अगरचे यह वज़ाहत नहीं की गई कि उनका इल्म अल्लाह के सिवा किसी को नहीं है मगर कलाम ऐसे उनवान से ज़िक्र किया गया है जिससे उन चीज़ों के इल्म का अल्लाह के इल्म में सीमित होना मालूम होता है, और बाक़ी दो चीज़ों में इसकी वज़ाहत मौजूद है कि उनका इल्म अल्लाह तआ़ला के सिवा किसी को नहीं। इन्हीं पाँच चीज़ों को सूरः अन्आ़म की आयत में 'मफ़ातिहुल-ग़ैबि' फ़रमाया गया है:

وَعِنْدَهٗ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَآ اِلَّا هُوَ

"यानी सिर्फ़ अल्लाह की के पास है इल्म मुफ़ातिह-ए-ग़ैब का, कोई नहीं जानता उनको सिवाय अल्लाह तआ़ला के।" हदीस में इसको मफ़ातीहुल-ग़ैब फ़रमाया गया है 'मफ़ातिह' और 'मफ़ातीह' मिफ़्ताह की जमा (बहुवचन) है, कुंजी या चाबी को कहते हैं जिससे ताले खुलते हैं, इससे मुराद ग़ैब के उसूल हैं जिनसे ग़ैब की मालूमात खुलती हैं।

इल्मे ग़ैब का मसला

इस मसले की तफ़सील बक़द्रे ज़रूरत सूरः नम्ल की आयतः

قُلْ لَّا يَعْلَمُ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ الْغَيْبَ اِلَّا اللّٰهُ

(यानी आयत नम्बर 65) के तहत में गुज़र चुकी है। इस आयत में बिना किसी क़ैद के इल्मे ग़ैब का हक़ तआ़ला के लिये मख़्सूस होना स्पष्ट रूप से बयान फ़रमाया गया है और यही पूरी उम्मत (यानी पहले और बाद के उलेमा) का अ़क़ीदा रहा है। इस आयत में जो सिर्फ़ पाँच चीज़ों को ख़ुसूसियत के साथ बयान किया गया है कि उनका इल्म किसी मख़्लूक़ को नहीं सिर्फ़ अल्लाह तआ़ला ही उनको जानता है, यह कोई ख़ास करने के लिये नहीं वरना सूरः नम्ल की आयत से टकराव हो जायेगा, बल्कि इन पाँच चीज़ों का ख़ास एहतिमाम बतलाने के लिये यहाँ इनका ज़िक्र फ़रमाया है।

और ख़ास करने और एहतिमाम की वजह यह है कि आम तौर पर जिन ग़ैब की चीज़ों को इनसान मालूम करने का इच्छुक होता है वो यही पाँच चीज़ें हैं, और इल्मे ग़ैब का दावा करने वाले नजूमी (ज्योतिषि) वग़ैरह जिन चीज़ों की ख़बरें लोगों को बताकर अपना आ़लिमुल-ग़ैब होना साबित करते हैं वो यही पाँच चीज़ें हैं। और कुछ रिवायतों में है कि किसी शख़्स ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से इन्हीं पाँच चीज़ों के बारे में मालूम किया था इस पर यह आयत नाज़िल हुई जिनमें इन पाँचों के इल्म का अल्लाह तआ़ला के साथ मख़्सूस होना बयान फ़रमाया गया है। (रूह)

और हदीस में जो हज़रत इब्ने उमर और हज़रत इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहु अ़न्हुमा की रिवायत से यह इरशाद आया है कि:

اُوْتِيْتُ مَفَاتِحَ كُلِّ شَيْءٍ اِلَّا الْخَمْسَ. (اخرجه الامام احمد، ابن کثیر)

इसमें लफ़्ज़ 'ऊतीतु' ने ख़ुद यह बात स्पष्ट कर दी कि इन पाँच चीज़ों के अ़लावा जिन ग़ायब चीज़ों और बातों का इल्म आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को हासिल हुआ वह अल्लाह तआ़ला की तरफ़ से वही के तौर पर दिया गया था इसलिये वह इल्मे-ग़ैब की परिभाषा में शामिल नहीं, क्योंकि अम्बिया अ़लैहिमुस्सलाम को वही के ज़रिये और औलिया-अल्लाह को इल्हाम (दिल में बात डाले जाने) के ज़रिये जो ग़ैब की चीज़ों की ख़बरें अल्लाह तआ़ला की तरफ़ से दे दी जाती हैं वो हक़ीक़त के एतिबार से इल्मे-ग़ैब नहीं, जिसकी बिना पर उनको आ़लिमुल-ग़ैब (ग़ैब का जानने वाला) कहा जा सके, बल्कि वह 'अम्बाउल्-ग़ैब' यानी ग़ैब की ख़बरें हैं। अल्लाह तआ़ला जब चाहता है और जितना चाहता है अपने फ़रिश्तों और रसूलों और मक़बूल बन्दों को अ़ता फ़रमा देता है। क़ुरआने करीम में इनको ''अम्बाउल्-ग़ैब'' फ़रमाया गया हैः

مِنْ اَنْبَآءِ الْغَيْبِ نُوْحِيْهَآ اِلَيْكَ.

इसलिये हदीस का मतलब यह है कि इन पाँच चीज़ों को तो अल्लाह तआ़ला ने अपनी ज़ात के साथ ऐसा मख़्सूस फ़रमाया है कि ग़ैब की ख़बरों के तौर पर भी फ़रिश्ते और रसूल को इसका इल्म नहीं दिया गया, इसके अ़लावा दूसरी ग़ैब की चीज़ों का इल्म बहुत कुछ अम्बिया अ़लैहिमुस्सलाम को वही के ज़रिये दे दिया जाता है।

इस तक़रीर से भी एक और वजह इन पाँच चीज़ों के ख़ुसूसी ज़िक्र की मालूम हो गई।

एक शुब्हा और उसका जवाब

उक्त आयत से यह साबित हुआ कि आ़म और पूरी तरह इल्मे-ग़ैब जो हक़ तआ़ला की ख़ुसूसियत है उसमें भी ख़ास तौर से पाँच मज़कूरा चीज़ें ऐसी हैं कि इनका इल्म किसी पैग़म्बर को वही के ज़रिये भी नहीं दिया जाता। इसका तक़ाज़ा यह है कि ये चीज़ें किसी को कभी मालूम न हों हालाँकि उम्मत के बहुत से औलिया-अल्लाह से ऐसे बेशुमार वाक़िआ़त मन्क़ूल हैं कि उन्होंने कहीं बारिश की ख़बर दी या किसी गर्भ के मुताल्लिक़ कोई ख़बर दी, किसी के मुताल्लिक़ आईन्दा किसी काम के करने या न करने की ख़बर दी, किसी के मरने की जगह मुतैयन करके बतला दी और फिर यह पेशीनगोई आँखों के देखने और अनुभव से सही भी साबित हुई।

इसी तरह कुछ नजूमी या जफ़र व रमल (यानी सितारों की चाल, ग्रहों और हिसाबात) वग़ैरह का फ़न जानने वाले इन चीज़ों के मुताल्लिक़ बाज़ी ख़बरें दे देते हैं और कई बार वो सही भी हो जाती हैं, तो फिर अल्लाह के इल्म के साथ इन पाँच चीज़ों के ख़ास होना किस तरह रहा।

इसका एक जवाब वही है जो सूरः नम्ल में तफ़सील से आ चुका है और संक्षिप्त रूप से ऊपर मज़कूर हुआ है कि इल्मे-ग़ैब दर हक़ीक़त उस इल्म को कहा जाता है जो तबई सबब के वास्ते और माध्यम से न हो, डायरेक्ट तौर पर ख़ुद-ब-ख़ुद हो। ये चीज़ें अम्बिया अ़लैहिमुस्सलाम को वही के ज़रिये और औलिया-अल्लाह को इल्हाम के ज़रिये और नजूमियों वग़ैरह को अपने हिसाबात व तबई असबाब के ज़रिये हासिल हो जायें तो वह इल्मे ग़ैब नहीं बल्कि ग़ैब की ख़बरें हैं जो किसी आंशिक और व्यक्तिगत मामले में किसी मख़्लूक़ को हासिल हो जाना उक्त आयत के विरुद्ध नहीं, क्योंकि इस

आयत का हासिल यह है कि इन पाँच चीज़ों का कुल्ली इल्म जो तमाम मख़्लूक़ात और तमाम हालात पर हावी हो वह अल्लाह तआ़ला ने किसी को वही या इल्हाम के ज़रिये नहीं दिया, किसी एक आध वाक़िए में कोई आंशिक इल्म इल्हाम के ज़रिये हासिल हो जाना इसके ख़िलाफ़ नहीं।

इसके अ़लावा इल्म से मुराद निश्चित और यक़ीनी इल्म है वह अल्लाह तआ़ला के सिवा किसी को नहीं। इल्हाम के ज़रिये जो इल्म किसी वली को हासिल होता है वह क़तई और यक़ीनी नहीं होता, उसमें मुग़ालतों के बहुत से गुमान व संभावनायें रहती हैं और नजूमियों वग़ैरह की ख़बरों में तो रोज़मर्रा देखा जाता है कि दस झूठ में एक सही का भी अनुपात नहीं होता, इसको यक़ीनी और निश्चित इल्म कैसे कह सकते हैं।

मसला इल्मे-ग़ैब के मुताल्लिक़ एक अहम फ़ायदा

उस्तादे मोहतरम शैख़ुल-इस्लाम हज़रत मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी रह. ने अपने 'तफ़सीरी फ़वाईद' में एक मुख़्तसर जामे बात फ़रमाई है जिससे मज़कूरा क़िस्म के सब शुब्हात व इश्कालात ख़त्म हो जाते हैं, वह यह है कि ग़ैब की दो क़िस्में हैं एक ग़ैबी अहकाम हैं जैसे शरीअ़त के अहकाम जिनमें अल्लाह तआ़ला की ज़ात व सिफ़ात का इल्म भी दाख़िल है जिसको अ़क़ाईद का इल्म कहा जाता है, और वो तमाम शरई अहकाम भी जिनसे यह मालूम होता है कि अल्लाह तआ़ला को कौनसे काम पसन्द हैं कौनसे नापसन्द, ये सब चीज़ें ग़ैब ही की हैं।

दूसरी क़िस्म 'अकवान-ए-ग़ैबिया' यानी दुनिया में पेश आने वाले वाक़िआ़त का इल्म है। पहली क़िस्म की ग़ैबी चीज़ों का इल्म हक़ तआ़ला ने अपने अम्बिया व रसूलों को अ़ता फ़रमाया है जिसका ज़िक्र क़ुरआने करीम में इस तरह आया है:

فَلَا يُظْهِرُ عَلٰى غَيْبِهٖٓ اَحَدًا○ اِلَّا مَنِ ارْتَضٰى مِنْ رَّسُوْلٍ

यानी अल्लाह तआ़ला अपने ग़ैब पर किसी को बाख़बर नहीं करते सिवाय उस रसूल के जिसको अल्लाह तआ़ला इस काम के लिये पसन्द फ़रमा लें।

और दूसरी क़िस्म यानी 'अकवान-ए-ग़ैबिया' उनका मुकम्मल इल्म तो हक़ तआ़ला किसी को अ़ता नहीं फ़रमाते, वह बिल्कुल ज़ाते हक़ के साथ मख़्सूस है, मगर आंशिक इल्म ख़ास-ख़ास वाक़िआ़त का जब चाहता है जिस क़द्र चाहता है अ़ता फ़रमा देता है। इस तरह असल इल्मे-ग़ैब तो सब का सब हक़ तआ़ला के साथ मख़्सूस है फिर वह अपने इल्मे-ग़ैब में से ग़ैब के अहकाम का इल्म तो आ़दतन अम्बिया अ़लैहिमुस्सलाम को वही के ज़रिये बतलाते ही हैं और यही इल्म उनके नबी बनाकर भेजने का मक़सद है। 'अकवान-ए-ग़ैब' का आंशिक इल्म भी अम्बिया व औलिया को वही या इल्हाम के ज़रिये जिस क़द्र अल्लाह तआ़ला को मन्ज़ूर होता है अ़ता फ़रमा देता है, जो अल्लाह तआ़ला की ओर से अ़ता किया हुआ इल्म है। इसको असली मायने के एतिबार से इल्मुल-ग़ैब नहीं कहा जा सकता, बल्कि ग़ैब की ख़बरें (अम्बाउल्-ग़ैब) कहा जाता है।

इस आयत से संबन्धित कुछ फ़ायदे

इस आयत में पाँच चीज़ों के इल्म का हक़ तआ़ला के साथ मख़्सूस होना एक ख़ास एहतिमाम के

साथ बयान करना मक़सद है जिसका ज़ाहिरी तक़ाज़ा यह था कि एक ही उनवान से पाँच चीज़ों को शुमार कराकर कह दिया जाता कि इनका इल्म अल्लाह तआ़ला की ज़ात के साथ मख़्सूस है, किसी मख़्लूक़ को इनका इल्म नहीं दिया गया। मगर मज़कूरा आयत में ऐसा नहीं किया गया बल्कि शुरू की तीन चीज़ों के इल्म को तो साबित करने के तौर पर अल्लाह तआ़ला के लिये ख़ास होने का ज़िक्र फ़रमाया और दो चीज़ों में ग़ैरुल्लाह से इल्म की नफ़ी फ़रमाई। और पहली तीन चीज़ों में भी क़ियामत के इल्म का ज़िक्र तो इस तरह फ़रमायाः

اِنَّ اللّٰهَ عِنْدَهٗ عِلْمُ السَّاعَةِ

यानी अल्लाह ही के पास है इल्म क़ियामत का। और दूसरी चीज़ का ज़िक्र उनवान बदलकर जुमला फ़ेलिया (वह वाक्य जो फ़ेल से शुरू हो) में इस तरह ज़िक्र फ़रमाया 'युनज़्ज़िलुल्-ग़ै-स' यानी अल्लाह तआ़ला उतारता है बारिश। इसमें बारिश के इल्म का ज़िक्र ही नहीं बल्कि इसमें उतारने का ज़िक्र है। तीसरी चीज़ का ज़िक्र फिर उनवान बदलकर इस तरह फ़रमाया किः

وَيَعْلَمُ مَا فِى الْاَرْحَامِ

इस उनवान बदलने को कलाम में उम्दगी पैदा करने का एक फ़न भी कहा जा सकता है और ग़ौर करने से इसमें कुछ और हिक्मतें भी मालूम होती हैं जो तफ़सीर बयानुल-क़ुरआन में हज़रत थानवी रह. ने बयान फ़रमाई हैं।

ख़ुलासा यह है कि आख़िरी दो चीज़ें यानी आने वाले कल में इनसान क्या कमायेगा, और यह कि वह किस ज़मीन में मरेगा ख़ुद इनसान की ज़ात के मुताल्लिक़ हालात हैं, इनमें शुब्हा व गुमान हो सकता था कि इनसान इनका इल्म हासिल कर ले, इसलिये इन दोनों में विशेष तौर पर ग़ैरुल्लाह के इल्म को मन्फ़ी करके बयान फ़रमाया गया, जिससे पहली तीन चीज़ों का इल्म ग़ैरुल्लाह के लिये न होना और भी अच्छी तरह साबित हो गया, कि जब इनसान ख़ुद अपने आमाल व कामों को और उनकी इन्तिहा यानी मौत और उसकी जगह नहीं जानता तो आसमान और बारिश के उतरने और माँ के पेट की अंधेरियों में छुपी चीज़ को क्या जानेगा? और आख़िरी चीज़ में सिर्फ़ मरने की जगह का इल्म इनसान को न होना बयान फ़रमाया है हालाँकि मौत की जगह की तरह मौत का वक़्त भी इनसान के इल्म में नहीं होता। वजह यह है कि मौत का स्थान अगरचे मुतैयन तौर पर मालूम न हो मगर ज़ाहिरी हालात के एतिबार से इनसान कुछ समझ सकता है कि जहाँ रहता सहता है वहीं मरेगा, और कम से कम वह मकान जिसमें उसको मरना है दुनिया में मौजूद तो है, बख़िलाफ़ मौत के वक़्त के जो कि आने वाला ज़माना है अभी वजूद में भी नहीं आया तो जो शख़्स मौत की जगह व स्थान को इस वक़्त मौजूद होने के बावजूद नहीं जान सकता, उसके मुताल्लिक़ यह तसव्वुर कैसे किया जाये कि मौत के वक़्त और समय जिसका इस वक़्त वजूद ही नहीं उसको जान ले।

ख़ुलासा यह है कि यहाँ एक चीज़ की नफ़ी से ख़ुद-ब-ख़ुद दूसरी चीज़ों की नफ़ी और भी अच्छी तरह मालूम हो जाती है, इसलिये इन दोनों को मनफ़ी (नफ़ करने के) उनवान से बयान फ़रमाया और पहली तीन चीज़ें तो इनसानी पहुँच से ज़ाहिरे हालात में ख़ुद ही ख़ारिज हैं, इनमें इनसान के इल्म का दख़ल न होना स्पष्ट है। इसलिये इनमें साबित करने वाला उनवान इख़्तियार करके इनका हक़ तआ़ला

के साथ ख़ास होना बयान कर दिया गया।

और इनमें से पहले जुमले को जुमला-ए-इस्मिया (वह वाक्य जो इस्म से शुरू हो) से और बाद के दोनों जुमलों को फ़ेलिया (फ़ेल वाले) के उनवान से ज़िक्र करने में शायद यह हिक्मत है कि क़ियामत तो एक मुतैयन चीज़ है इसमें नयापन नहीं, बख़िलाफ़ बारिश नाज़िल होने और गर्भ के कि उनके हालात में नयापन होता रहता है। और जुमला फ़ेलिया (फ़ेल वाला वाक्य) नयेपन पर दलालत करता है, इसलिये इन दोनों में वह इस्तेमाल किया गया, और इन दोनों में भी गर्भ के हालात में तो अल्लाह के इल्म का ज़िक्र फ़रमाया 'व यअ्लमु मा फ़िल्अरहामि' और बारिश के नाज़िल होने में इल्म का ज़िक्र ही नहीं। वजह यह है कि यहाँ बारिश नाज़िल करने का ज़िक्र करके उसके तहत में यह भी बतला दिया कि बारिश जिससे इनसान के हज़ारों फ़ायदे जुड़े हुए हैं वह अल्लाह ही के करने से होती है और किसी के इख़्तियार व कब्ज़े में नहीं, और उसके इल्म का अल्लाह तआ़ला के साथ ख़ास होना तो आयत के मज़मून ही से साबित हो जाता है। वल्लाहु सुब्हानहू व तआ़ला आलम

सूरः लुक़मान बिहम्दिल्लाह 5 ज़िलहिज्जा सन् 1391 हिजरी दिन पीर को मुकम्मल हुई।

अल्हम्दु लिल्लाह सूरः लुक़मान की तफ़सीर मुकम्मल हुई।

सूरः अस्सज्दा

सूरः अस्सज्दा मक्का में नाज़िल हुई। इसमें 30 आयतें और 3 रुकूअ़ हैं।

آياتها ٣٠ (٣٢) سُوْرَةُ السَّجْدَةِ مَكِّيَّةٌ (٧٥) ركوعاتها ٣

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

الٓمّٓ ۝ تَنْزِيْلُ الْكِتٰبِ لَا رَيْبَ فِيْهِ مِنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝ اَمْ يَقُوْلُوْنَ افْتَرٰىهُ ۚ بَلْ هُوَ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَّآ اَتٰىهُمْ مِّنْ نَّذِيْرٍ مِّنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُوْنَ ۝

बिस्मिल्लाहिर्रह्मानिर्रहीम

शुरू अल्लाह के नाम से जो बेहद मेहरबान निहायत रहम वाला है।

अलिफ़्-लाम्-मीम् (1) तन्ज़ीलुल्-किताबि ला रै-ब फ़ीहि मिर्रब्बिल्-आ़लमीन (2) अम् यक़ूलूनफ़्तराहु बल् हुवल्-हक़्क़ु मिर्रब्बि-क लितुन्ज़ि-र क़ौमम्-मा अताहुम् मिन् नज़ीरिम्-मिन् क़ब्लि-क लअ़ल्लहुम् यह्तदून (3)	अलिफ़्-लाम्-मीम्। (1) उतारना किताब का इसमें कुछ धोखा नहीं परवर्दिगारे आ़लम की तरफ़ से है। (2) क्या कहते हैं कि यह झूठ बाँध लाया है, कोई नहीं! वह ठीक है तेरे रब की तरफ़ से ताकि तू डर सुनाये उन लोगों को जिनके पास नहीं आया कोई डराने वाला तुझसे पहले ताकि वे राह पर आयें। (3)

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

अलिफ़्-लाम्-मीम् (इसके मायने तो अल्लाह ही को मालूम हैं)। यह नाज़िल की हुई किताब है (और) इसमें कुछ शुब्हा नहीं (और) यह रब्बुल-आ़लमीन की तरफ़ से है (जैसा कि इस किताब का मोजिज़ा होना ख़ुद इसकी दलील है) क्या ये (मुन्किर) लोग यूँ कहते हैं कि पैग़म्बर (सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम) ने यह अपने दिल से बना लिया है (यानी यह कहना बिल्कुल बेहूदा और झूठ है, यह बनाया हुआ नहीं) बल्कि यह सच्ची किताब है आपके रब की तरफ़ से (आई है) ताकि आप (इसके ज़रिये से) ऐसे लोगों को (अल्लाह के अ़ज़ाब से) डराएँ जिनके पास आप से पहले कोई डराने वाला नहीं आया, ताकि वे लोग राह पर आ जाएँ।

मआरिफ़ व मसाईल

مَآ اَتٰـهُمْ مِّنْ نَّذِيْرٍ

इस जगह नज़ीर से मुराद रसूल है। मतलब यह है कि मक्का के क़ुरैश में नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से पहले कोई रसूल नहीं आया था, इससे यह लाज़िम नहीं आता कि नबियों की दावत भी उनको अब तक पहुँची न थी, क्योंकि क़ुरआन की एक दूसरी आयत में स्पष्ट तौर पर इरशाद है:

وَاِنْ مِّنْ اُمَّةٍ اِلَّا خَلَا فِيْهَا نَذِيْرٌ○

यानी कोई उम्मत और जमाअ़त दुनिया में ऐसी नहीं जिसमें कोई अल्लाह से डराने वाला और उसकी तरफ़ दावत देने वाला न आया हो।

इस आयत में लफ़्ज़ नज़ीर अपने आ़म लुग़वी मायने में है, यानी अल्लाह तआ़ला की तरफ़ दावत देने वाला वह चाहे रसूल और पैग़म्बर हो या उनका कोई नायब, ख़लीफ़ा या आ़लिमे दीन। तो इस आयत से तमाम उम्मतों और जमाअ़तों तक तौहीद की दावत पहुँच जाना मालूम होता है, वह अपनी जगह सही व दुरुस्त और हक़ तआ़ला की आ़म रहमत का तक़ाज़ा है जैसा कि अबू हय्यान ने फ़रमाया कि तौहीद और ईमान की दावत किसी ज़माने और किसी स्थान और किसी क़ौम में कभी बन्द नहीं हुई, और जब कहीं नुबुव्वत पर लम्बा ज़माना गुज़र जाने के बाद उस नुबुव्वत का इल्म रखने वाले उलेमा बहुत कम रह गये तो कोई दूसरा नबी व रसूल भेज दिया गया। इसका तक़ाज़ा यह है कि अ़रब की क़ौमों में भी बक़द्रे ज़रूरत तौहीद की दावत पहले से ज़रूर पहुँची होगी मगर इसके लिये यह ज़रूरी नहीं कि यह दावत ख़ुद कोई नबी व रसूल लेकर आया हो, हो सकता है कि उनके नायब उलेमा के ज़रिये पहुँच गई हो।

इसलिये इस सूरत और सूरः यासीन वग़ैरह की वो आयतें जिनसे यह साबित होता है कि मक्का के क़ुरैश में आप से पहले कोई नज़ीर (डराने वाला) नहीं आया था, ज़रूरी है कि इसमें नज़ीर से मुराद पारिभाषिक मायने के एतिबार से रसूल व नबी हो, और मुराद यह हो कि उस क़ौम के अन्दर आप से पहले कोई नबी व रसूल नहीं आया था अगरचे ईमान व तौहीद की दावत दूसरे माध्यमों से यहाँ भी पहुँच चुकी हो।

ज़माना-ए-फ़तरत यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के नबी बनकर तशरीफ़ लाने से पहले बहुत से हज़रात के बारे में यह साबित हुआ है कि वे इब्राहीम व इस्माईल अ़लैहिमस्सलाम के दीन पर क़ायम थे, तौहीद पर उनका ईमान था, बुतपरस्ती और बुतों के लिये क़ुरबानी देने से नफ़रत व घिन करने वाले थे।

तफ़सीर रूहुल-मआ़नी में मूसा बिन उक़्बा की मग़ाज़ी से यह रिवायत नक़ल की है कि ज़ैद बिन अ़मर बिन नुफ़ैल जो नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की नुबुव्वत से पहले आप से मिले भी थे मगर नुबुव्वत से पहले उनका इन्तिक़ाल उस साल हो गया जिसमें क़ुरैश ने बैतुल्लाह की तामीर की थी और यह वाक़िआ़ आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की नुबुव्वत से पाँच साल पहले का है, उनका

हाल मूसा बिन उक़्बा ने यह नक़ल किया है कि क़ुरैश को बुतपरस्ती से रोकते थे और बुतों के नाम पर क़ुरबानी देने को बहुत बुरा कहते थे, और मुश्रिक लोगों के ज़िबह किये हुए का गोश्त न खाते थे।

और अबू दाऊद तयालिसी ने ज़ैद बिन अ़मर बिन नुफ़ैल के बेटे हज़रत सईद बिन ज़ैद बिन अ़मर से जो सहाबा में अशरा-ए-मुबश्शरा (यानी वे दस सहाबा-ए-किराम जिनको एक ही वक़्त में जन्नत की ख़ुशख़बरी मिली) में दाख़िल हैं, यह रिवायत किया है कि उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से अ़र्ज़ किया कि मेरे वालिद का जो कुछ हाल था वह आपको मालूम है कि तौहीद पर क़ायम और बुतपरस्ती के मुन्किर थे, तो क्या मैं उनके लिये दुआ़-ए-मग़फ़िरत कर सकता हूँ? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि हाँ! उनके लिये दुआ़-ए-मग़फ़िरत जायज़ है, वह क़ियामत के दिन एक मुस्तक़िल उम्मत होकर उठेंगे। (रूहुल-मआ़नी)

इसी तरह वरक़ा बिन नोफ़ल जो आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम का नुबुव्वत का ज़माना शुरू होने और क़ुरआन उतरने की शुरूआ़त के वक़्त मौजूद थे, तौहीद पर क़ायम थे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की मदद करने का अपना इरादा ज़ाहिर किया था मगर फ़ौरन बाद ही उनकी वफ़ात हो गई। ये वाक़िआ़त साबित करते हैं कि अ़रब क़ौमें भी अल्लाह की दावत और ईमान व तौहीद की दावत से से मेहरूम तो नहीं थीं मगर ख़ुद उनके अन्दर कोई नबी नहीं आया था। वल्लाहु आलम

इन तीनों आयतों में क़ुरआन की हक़्क़ानियत (सच्चाई) और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के रसूले बरहक़ होने को साबित किया गया है।

اَللّٰهُ الَّذِیْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ

وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِیْ سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ ؕ مَا لَكُمْ مِّنْ دُوْنِهٖ مِنْ وَّلِیٍّ وَّلَا شَفِيْعٍ ؕ اَفَلَا تَتَذَكَّرُوْنَ ۝ يُدَبِّرُ الْاَمْرَ مِنَ السَّمَآءِ اِلَى الْاَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ اِلَيْهِ فِیْ يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهٗۤ اَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّوْنَ ۝ ذٰلِكَ عٰلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ۝ الَّذِیْۤ اَحْسَنَ كُلَّ شَیْءٍ خَلَقَهٗ وَبَدَاَ خَلْقَ الْاِنْسَانِ مِنْ طِيْنٍ ۝ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهٗ مِنْ سُلٰلَةٍ مِّنْ مَّآءٍ مَّهِيْنٍ ۝ ثُمَّ سَوّٰىهُ وَنَفَخَ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِهٖ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْـِٕدَةَ ؕ قَلِيْلًا مَّا تَشْكُرُوْنَ ۝

अल्लाहुल्लज़ी ख़ा-लक़स्समावाति वल्अर्-ज़ व मा बैनहुमा फ़ी सित्तति अय्यामिन् सुम्मस्तवा अ़लल्-अ़र्शि, मा लकुम् मिन् दूनिही मिंव्वलिय्यिंव्-व ला शफ़ीअ़िन्, अ-फ़ला	अल्लाह है जिसने बनाये आसमान और ज़मीन और जो कुछ उनके बीच में है छह दिन के अन्दर फिर क़ायम हुआ अ़र्श पर, कोई नहीं तुम्हारा उसके सिवाय हिमायती और न सिफ़ारशी, फिर क्या तुम ध्यान

त-तज़क्करून (4) युदब्बिरुल्-अम्-र मिनस्समा-इ इलल्-अर्ज़ि सुम्-म यअ्रुजु इलैहि फ़ी यौमिन् का-न मिक़्दारुहू अल्-फ़ स-नतिम्-मिम्मा तअुद्दून (5) ज़ालि-क आलिमुल्-ग़ैबि वश्शहा-दतिल् अ़ज़ीज़ुर्-रहीम (6) अल्लज़ी अह्स-न कुल्-ल शैइन् ख़-ल-क़हू व ब-द-अ ख़ल्क़ल्-इन्सानि मिन् तीन (7) सुम्-म ज-अ़-ल नस्-लहू मिन् सुला-लतिम् मिम्मा-इम् महीन (8) सुम्-म सव्वाहु व न-फ़-ख़ फ़ीहि मिर्रूहिही व ज-अ़-ल लकुमुस्सम्-अ़ वल्-अब्सा-र वल्-अफ़्इ-द-त, क़लीलम्-मा तश्कुरून (9)	नहीं करते? (4) तदबीर से उतारता है काम आसमान से ज़मीन तक फिर चढ़ता है वह काम उसकी तरफ़ एक दिन में जिसका पैमाना हज़ार बरस का है तुम्हारी गिनती में। (5) यह है जानने वाला छुपे और खुले का ज़बरदस्त रहम वाला। (6) जिसने ख़ूब बनाई जो चीज़ बनाई और शुरू की इनसान की पैदाईश एक गारे से। (7) फिर बनाई उसकी औलाद निचड़े हुए बेक़द्र पानी से। (8) फिर उस को बराबर किया और फूँकी उसमें अपनी एक जान और बना दिये तुम्हारे लिये कान और आँखें और दिल, तुम बहुत थोड़ा शुक्र करते हो। (9)

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

अल्लाह ही है जिसने आसमानों और ज़मीन को और उस मख़्लूक़ को जो उन दोनों के बीच में (मौजूद) है छह दिन (की मात्रा) में पैदा किया, फिर अ़र्श पर (जो हुकूमत के तख़्त की तरह है इस तरह) क़ायम (और जलवा फ़रमा) हुआ (जो कि उसकी शान के लायक़ है। वह ऐसा अ़ज़ीम है कि) उसके अ़लावा उस (की मर्ज़ी व इजाज़त) के न तुम्हारा कोई मददगार है और न कोई सिफ़ारिश करने वाला। (हाँ इजाज़त से शफ़ाअ़त हो जायेगी और बिना इजाज़त के मदद का सवाल ही नहीं होगा) सो क्या तुम समझते नहीं हो (कि ऐसी ज़ात का कोई शरीक नहीं हो सकता और) वह (ऐसा है कि) आसमान से लेकर ज़मीन तक (जितने मामले हैं) हर मामले की (वही) तदबीर (और इन्तिज़ाम) करता है, फिर हर मामला उसी के हुज़ूर में पहुँच जायेगा, एक ऐसे दिन में जिसकी मिक़्दार ''यानी मात्रा'' तुम्हारी गिनती के हिसाब से एक हज़ार साल की होगी (यानी क़ियामत में सब मामले और उनसे संबन्धित चीज़ें उसके हुज़ूर में पेश होंगे जैसा कि अल्लाह तआ़ला का क़ौल है 'व इलैहि युर्जउल्-अमूरु कुल्लुहू') वही है जानने वाला छुपी और ज़ाहिर चीज़ों का, ज़बरदस्त, रहमत वाला। जिसने जो चीज़ बनाई ख़ूब बनाई (यानी जिस मस्लेहत के लिये उसको बनाया उसके मुनासिब बनाया) और इनसान (यानी आदम अ़लैहिस्सलाम) की पैदाईश मिट्टी से शुरू की, फिर उस (इनसान यानी आदम)

की नस्ल को अख़्लात के ख़ुलासे यानी एक बेक़द्र पानी से (यानी नुत्फ़े से जो फ़ुज़्ला (बचा हुआ और बेकार माद्दा) है गिज़ा के चौथे हज़्म का, जिसमें चार ख़िल्त ख़ून, बलग़म, सौदा, सफ़रा बनते हैं) बनाया। फिर (माँ के गर्भ में) उसके आज़ा "यानी अंग और हिस्से" दुरुस्त किए और उसमें अपनी (तरफ़ से) रूह फूँकी, और (पैदाईश के बाद) तुमको कान और आँखें और दिल (यानी ज़ाहिरी व बातिनी महसूस करने वाली चीज़ें) दिये (और इन सब बातों का जो कि अल्लाह की कामिल क़ुदरत और इनाम पर दलालत करती हैं तक़ाज़ा यह था कि शुक्र करते जिसका मुख्य अंग तौहीद है, मगर) तुम लोग बहुत कम शुक्र करते हो (यानी नहीं करते)।

मआरिफ़ व मसाईल

क़ियामत के दिन की लम्बाई

فِيْ يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهٗٓ اَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّوْنَ ٥

"यानी उस दिन की मिक़्दार तुम्हारी गिनती के एतिबार से एक हज़ार साल की होगी।"

और सूरः मआरिज की आयत में है:

فِيْ يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهٗ خَمْسِيْنَ اَلْفَ سَنَةٍ

"यानी उस दिन की मिक़्दार पचास हज़ार साल की होगी।"

इसका एक सीधा सा जवाब तो वह है जो तफ़सीर बयानुल-क़ुरआन में इख़्तियार किया गया है कि उस दिन के हौलनाक होने के सबब यह उन लोगों को बहुत लम्बा महसूस होगा। और यह लम्बा होना अपने ईमान व आमाल के एतिबार से होगा। जो बड़े मुजरिम हैं उनको ज़्यादा जो कम हैं उनको कम महसूस होगा, यहाँ तक कि जो दिन कुछ लोगों को एक हज़ार साल का मालूम होगा वह दूसरों के नज़दीक पचास हज़ार साल का होगा।

तफ़सीर रूहुल-मआनी में भी और भी कई मायने और वज़ाहतें उलेमा और सूफ़िया-ए-किराम से नक़ल की गई हैं, मगर वो सब के सब क़्यास और अन्दाज़े ही हैं। ऐसी चीज़ जिस को क़ुरआन का मफ़्हूम कहा जा सके या जिस पर यक़ीन किया जा सके कोई नहीं। इसलिये ज़्यादा बेहतर वही तरीक़ा है जो पहले बुज़ुर्गों सहाबा व ताबिईन ने इख़्तियार किया कि इस एक और पचास के फ़र्क़ को अल्लाह के इल्म के हवाले किया और ख़ुद इतना कहने पर बस किया कि हमें मालूम नहीं।

हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने इसके बारे में फ़रमायाः

هُمَا يَوْمَانِ ذَكَرَهُمَا اللّٰهُ تَعَالٰى فِيْ كِتَابِهٖ اَللّٰهُ تَعَالٰى اَعْلَمُ بِهِمَا وَاَكْرَهُ اَنْ اَقُوْلَ فِيْ كِتَابِ اللّٰهِ مَالَا اَعْلَمُ.

(اخرجه عبد الرزاق والحاكم وصححه)

"यानी ये दो दिन हैं जिनका ज़िक्र अल्लाह तआ़ला ने अपनी किताब में किया है और अल्लाह ही इनकी हक़ीक़त को जानता है, और मैं इसको बुरा समझता हूँ कि क़ुरआन में वह बात कहूँ जिसका मुझे इल्म नहीं।"

दुनिया की हर चीज़ अपनी ज़ात में अच्छी है, बुराई उसके ग़लत इस्तेमाल से आती है

اَلَّذِیْٓ اَحْسَنَ کُلَّ شَیْءٍ خَلَقَهٗ

यानी अल्लाह वह ज़ात है जिसने हर चीज़ की पैदाईश व बनावट को हसीन और बेहतर बनाया है। वजह यह है कि इस आ़लम में अल्लाह तआ़ला ने जो कुछ पैदा फ़रमाया वह हिक्मत और दुनिया की मस्लेहतों के मुताबिक़ बनाया है। इसलिये हर चीज़ अपनी ज़ात के एतिबार से एक हुस्न रखती है और इन सबसे ज़्यादा हसीन और बेहतर इनसान को बनाया है जैसा कि इरशाद फ़रमायाः

لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِیْٓ اَحْسَنِ تَقْوِیْمٍo

"यानी हमने इनसान को सबसे ज़्यादा हसीन साँचे और बेहतर शक्ल व सूरत में पैदा किया है।"

और दूसरी मख़्लूक़ात चाहे वे ज़ाहिर में कितनी ही बद-शक्ल और बुरी समझी जाती हों, कुत्ता, ख़िन्ज़ीर, साँप, बिच्छु, शेर और भेड़िया, ये सब ज़हरीले और दरिन्दे जानवर आ़म नज़रों में बुरे समझे जाते हैं मगर कुल मिलाकर दुनिया की मस्लेहतों के एतिबार से इनमें से कोई बुरा नहीं, किसी ने ख़ूब कहा हैः

नहीं है चीज़ निकम्मी कोई ज़माने में कोई बुरा नहीं क़ुदरत के कारख़ाने में

हज़रत हकीमुल-उम्मत (मौलाना थानवी) रह. ने फ़रमाया कि "कुल्लू शैइन" में वो तमाम चीज़ें दाख़िल हैं जो अपना मुस्तक़िल वजूद रखती हैं या अपने वजूद में दूसरों की मोहताज हैं, यानी वो चीज़ें भी जो ज़ाहिरी और जिस्मानी वजूद रखती हैं जैसे हैवानात, नबातात, जमादात वग़ैरह और ज़ाहिरी वजूद न रखने वाली भी जिनमें अख़्लाक़ व आमाल भी दाख़िल हैं, यहाँ तक कि जो अख़्लाक़ बुरे बतलाये जाते हैं जैसे गुस्सा, हिर्स, शहवत वग़ैरह ये भी अपनी ज़ात में बुरे नहीं, इनकी बुराई इनके ग़लत जगह और बेमौक़ा इस्तेमाल करने से होती है, अपने मौक़े और सही जगह में रहें तो इनमें कोई चीज़ बुरी नहीं। लेकिन इससे मुराद इन चीज़ों की पैदाईश और वजूद के एतिबार से है कि वह ख़ैर ही ख़ैर और बेहतर ही बेहतर है। और आमाल की दूसरी हैसियत से जो कि इनसान का उनको अपने इख़्तियार से करना है। यानी अपने इख़्तियार को किसी काम के करने में ख़र्च करना। तो इस हैसियत से सब अच्छे नहीं बल्कि इनमें तफ़सील है कि अल्लाह तआ़ला ने जिनकी इजाज़त नहीं दी वो अच्छे नहीं बुरे हैं। वल्लाहु आलम

وَبَدَاَ خَلْقَ الْاِنْسَانِ مِنْ طِیْنٍo

इससे पहले यह बताया गया है कि अल्लाह तआ़ला ने आ़लम (दुनिया) की हर चीज़ को अच्छा और उम्दा बनाया है, इसके बाद इनसान का ज़िक्र फ़रमाया जो इन सब में ज़्यादा हसीन है। इसके

साथ अपनी कामिल क़ुदरत के इज़हार के लिये यह भी बतला दिया कि जिस इनसान को हमने सब मख़्लूक़ से ज़्यादा बेहतर बनाया है वह यह नहीं कि इसकी पैदाईश और बनाने का माद्दा कुछ सबसे ज़्यादा उम्दा व आला और बेहतर लिया गया इसलिये सबसे बेहतर हो गया, बल्कि बनाने और पैदाईश का माद्दा तो इसका सबसे कमतर चीज़ यानी मनी (वीर्य) को बनाया गया, फिर अपनी कामिल क़ुदरत और पूर्ण हिक्मत से इस कमतरीन चीज़ को कहाँ से कहाँ पहुँचाया कि अशरफ़ुल-मख़्लूक़ात (तमाम मख़्लूक़ात में बेहतर) क़रार दिया गया।

وَقَالُوْٓا ءَاِذَا ضَلَلْنَا فِي الْاَرْضِ ءَاِنَّا لَفِيْ خَلْقٍ جَدِيْدٍ ۬ بَلْ هُمْ بِلِقَآئِ رَبِّهِمْ كٰفِرُوْنَ ۝ قُلْ
يَتَوَفّٰىكُمْ مَّلَكُ الْمَوْتِ الَّذِيْ وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ اِلٰى رَبِّكُمْ تُرْجَعُوْنَ ۝ وَلَوْ تَرٰٓى اِذِ الْمُجْرِمُوْنَ
نَاكِسُوْا رُءُوْسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۭ رَبَّنَآ اَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا اِنَّا مُوْقِنُوْنَ ۝ وَلَوْ
شِئْنَا لَاٰتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدٰىهَا وَلٰكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّيْ لَاَمْلَئَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ
اَجْمَعِيْنَ ۝ فَذُوْقُوْا بِمَا نَسِيْتُمْ لِقَآءَ يَوْمِكُمْ هٰذَا ۚ اِنَّا نَسِيْنٰكُمْ وَذُوْقُوْا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنْتُمْ
تَعْمَلُوْنَ ۝ اِنَّمَا يُؤْمِنُ بِاٰيٰتِنَا الَّذِيْنَ اِذَا ذُكِّرُوْا بِهَا خَرُّوْا سُجَّدًا وَّسَبَّحُوْا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا
يَسْتَكْبِرُوْنَ ۝ تَتَجَافٰى جُنُوْبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَّطَمَعًا ۡ وَّمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ۝
فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّآ اُخْفِيَ لَهُمْ مِّنْ قُرَّةِ اَعْيُنٍ ۚ جَزَآءًۢ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۝ اَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا
كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا ۭ لَا يَسْتَوٗنَ ۝ اَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فَلَهُمْ جَنّٰتُ الْمَاْوٰى ۡ نُزُلًۢا بِمَا
كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۝ وَاَمَّا الَّذِيْنَ فَسَقُوْا فَمَاْوٰىهُمُ النَّارُ ۭ كُلَّمَآ اَرَادُوْٓا اَنْ يَّخْرُجُوْا مِنْهَآ اُعِيْدُوْا فِيْهَا
وَقِيْلَ لَهُمْ ذُوْقُوْا عَذَابَ النَّارِ الَّذِيْ كُنْتُمْ بِهٖ تُكَذِّبُوْنَ ۝ وَلَنُذِيْقَنَّهُمْ مِّنَ الْعَذَابِ الْاَدْنٰى
دُوْنَ الْعَذَابِ الْاَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ ۝ وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِاٰيٰتِ رَبِّهٖ ثُمَّ اَعْرَضَ عَنْهَا ۭ
اِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِيْنَ مُنْتَقِمُوْنَ ۝

व क़ालू अ-इज़ा ज़लल्ना फ़िल्अर्ज़ि अ-इन्ना लफ़ी ख़ल्क़िन् जदीदिन्, बल् हुम् बिलिक़ा-इ रब्बिहिम् काफ़िरून (10) क़ुल् य-तवफ़्फ़ाकुम् म-लकुल्-मौतिल्लज़ी वुक्कि-ल बिकुम् सुम्-म इला रब्बिकुम् तुर्जअून (11) ❁

और कहते हैं कि जब हम रुल गये ज़मीन में क्या हमको नया बनना है? कुछ नहीं! वे अपने रब की मुलाक़ात से मुन्किर हैं। (10) तू कह- क़ब्ज़ कर लेता है तुमको मौत का फ़रिश्ता जो तुम पर मुक़र्रर है फिर अपने रब की तरफ़ फिर जाओगे। (11) ❁

व लौ तरा इज़िल्-मुज्रिमू-न नाकिसू रुऊसिहिम् ज़िन्-द रब्बिहिम्, रब्बना अब्सर्ना व समिअ्ना फ़र्जिअ्ना नअ्मल् सालिहन् इन्ना मूक़िनून (12) व लौ शिअ्ना लआतैना कुल्-ल नफ़्सिन् हुदाहा व लाकिन् हक़्क़ल्-क़ौलु मिन्नी ल-अम्लअन्-न जहन्न-म मिनल्-जिन्नति वन्नासि अज्मअ़ीन (13) फ़ज़ूक़ू बिमा नसीतुम् लिक़ा-अ यौमिकुम् हाज़ा इन्ना नसीनाकुम् व ज़ूक़ू अ़ज़ाबल्-ख़ुल्दि बिमा कुन्तुम् तअ्मलून (14) इन्नमा युअ्मिनु बिआयातिनल्लज़ी-न इज़ा ज़ुक्किरू बिहा ख़र्रू सुज्जदंव्-व सब्बहू बिहम्दि रब्बिहिम् व हुम् ला यस्तक्बिरून (15) ۞ त-तजाफ़ा जुनूबुहुम् अ़निल्-मज़ाजिअ़ि यद्अू-न रब्बहुम् ख़ौफ़ंव्-व त-मअ़ंव्-व मिम्मा रज़क़्नाहुम् युन्फ़िक़ून (16) फ़ला तअ्लमु नफ़्सुम्-मा उख़्फ़ि-य लहुम् मिन् क़ुर्रति अअ्युनिन् जज़ा-अम् बिमा कानू यअ्मलून (17) अ-फ़-मन् का-न मुअ्मिनन् क-मन् का-न फ़ासिक़न्, ला यस्तवून (18) अम्मल्लज़ी-न आमनू व अ़मिलुस्-

और कभी तू देखे जिस वक़्त कि मुन्किर सर डाले हुए होंगे अपने रब के सामने ऐ हमारे रब! हमने देख लिया और सुन लिया अब हमको भेज दे कि हम करें भले काम, हमको यक़ीन आ गया। (12) और अगर हम चाहते तो सुझा देते हर जी को उसकी राह लेकिन ठीक पड़ चुकी मेरी कही बात कि मुझको भरनी है दोज़ख़ जिन्नों से और आदमियों से इकट्ठे। (13) सो अब चखो मज़ा जैसे तुमने भुला दिया था इस अपने दिन के मिलने को हमने भी भुला दिया तुमको और चखो अ़ज़ाब हमेशा का बदला अपने किये का। (14) हमारी बातों को वही मानते हैं कि जब उनको समझाये उनसे गिर पड़ें सज्दा कर-कर, और पाक ज़ात को याद करें अपने रब की ख़ूबियों के साथ, और वे बड़ाई नहीं करते। (15) ۞ जुदा रहती हैं उनकी करवटें अपने सोने की जगह से, पुकारते हैं अपने रब को डर से और लालच से, और हमारा दिया हुआ कुछ ख़र्च करते हैं। (16) सो किसी जी को मालूम नहीं जो छुपा रख दी है उनके वास्ते आँखों की ठंडक, बदला उसका जो करते थे। (17) भला एक जो है ईमान पर क्या बराबर है उसके जो नाफ़रमान है? नहीं बराबर होते। (18) सो वे लोग जो यक़ीन लाये और किये काम भले तो

सालिहाति फ़-लहुम् जन्नातुल्-मअ्वा नुज़ुलम् बिमा कानू यअ्मलून (19) व अम्मल्लज़ी-न फ़-सक़ू फ़-मअ्वाहुमुन्नारु, कुल्लमा अरादू अंय्यख़्रुजू मिन्हा उअ़ीदू फ़ीहा व क़ी-ल लहुम् ज़ूक़ू अ़ज़ाबन्नारिल्लज़ी कुन्तुम् बिही तुकज़्ज़िबून (20) व ल-नुज़ीक़न्नहुम्-मिनल्-अ़ज़ाबिल्-अद्ना दूनल् अ़ज़ाबिल्-अक्बरि लअ़ल्लहुम् यर्जिअ़ून (21) व मन् अज़्लमु मिम्मन् ज़ुक्कि-र बिआयाति रब्बिही सुम्-म अअ़्र-ज़ अ़न्हा, इन्ना मिनल्-मुज्रिमी-न मुन्तक़िमून (22) ✿	उनके लिये बाग़ हैं रहने के, मेहमानी उन कामों की वजह से जो करते थे। (19) और वे लोग जो नाफ़रमान हुए सो उनका घर है आग, जब चाहें कि निकल पड़ें उसमें से उल्टा दिये जायें फिर उसी में और कहें उनको- चखो आग का अ़ज़ाब जिसको तुम झुठलाया करते थे। (20) और अलबत्ता चखायेंगे हम उनको थोड़ा अ़ज़ाब पहले उस बड़े अ़ज़ाब से ताकि वे फिर आयें। (21) और कौन बेइन्साफ़ ज़्यादा उससे जो समझाया गया उसके रब की बातों से फिर उनसे मुँह मोड़ गया, यह तय है कि हमको उन गुनाहगारों से बदला लेना है। (22) ✿

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

और ये (काफ़िर) लोग कहते हैं कि जब हम ज़मीन में (मिल-जुलकर) नेस्त-नाबूद हो गये तो क्या हम फिर (क़ियामत में) नये जन्म में आएँगे? (और ये लोग इस दोबारा ज़िन्दा होने और उठने पर सिर्फ़ हैरान ही नहीं हैं जैसा कि ज़ाहिरन उनके उनवान से मालूम होता है) बल्कि (दर हक़ीक़त) वे लोग अपने रब से मिलने के इनकारी ही हैं (और उनका यह पूछना इनकार करने के तौर पर है) आप (जवाब में) फ़रमा दीजिये कि तुम्हारी जान मौत का फ़रिश्ता क़ब्ज़ करता है जो तुम पर (अल्लाह की तरफ़ से) मुतैयन है, फिर तुम अपने रब की तरफ़ लौटाकर लाये जाओगे। (जवाब में असल मक़सद तो यही तुरजऊन है, और "यतवफ़्फ़ाकुम" बीच में बढ़ा देना डराने के लिये है कि मौत भी फ़रिश्ते के ज़रिये से आयेगी जो जान निकलने के वक़्त तुमको मारे धाड़ेगा भी, जैसा कि दूसरी आयत में है:

وَلَوْ تَرٰٓى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِيْنَ كَفَرُوا الْمَلٰٓئِكَةُ يَضْرِبُوْنَ وُجُوْهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ............ الخ

(यानी सूरः अनफ़ाल की आयत 50 में) पस मर जाने का अन्जाम सिर्फ़ ख़ाक ही में मिल जाना न होगा, जैसा कि तुम्हारे क़ौल 'अ-इज़ा ज़लल्ना.........' से मालूम होता है) और (इस वापसी के वक़्त जिस पर तुरजऊन दलालत कर रहा है) अगर आप (इन लोगों का हाल) देखें तो अ़जीब हाल देखें, जबकि ये मुजरिम (हद से ज़्यादा शर्मिन्दगी से) अपने रब के पास सर झुकाए (खड़े) होंगे, (और कहते होंगे) कि ऐ हमारे परवर्दिगार! बस (अब) हमारी आँखें और कान खुल गये (और मालूम हो

गया कि पैग़म्बरों ने जो कुछ कहा सब हक़ था) सो हमको (दुनिया में) फिर भेज दीजिए हम (अब की बार जाकर ख़ूब) नेक काम किया करेंगे (अब) हमको पूरा यक़ीन आ गया।

और (यह कहना उनका बिल्कुल बेकार होगा इसलिये कि) अगर हमको (यह) मन्ज़ूर होता (कि ज़रूर ही ये राह पर आयें) तो हम हर शख़्स को उस (की निजात) का रास्ता (यानी असल मक़सद तक पहुँचा देने के दर्जे में ज़रूर) अ़ता फ़रमाते (जैसा कि उनको मक़सद की तरफ़ रहनुमाई की और रास्ता दिखाया) और लेकिन मेरी (तो) यह (पहले दिन से तक़दीरी) बात (बहुत सी हिक्मतों से) तय हो चुकी है कि मैं जहन्नम को जिन्नात और इनसान दोनों (में जो काफ़िर होंगे उन) से ज़रूर भरूँगा (और कुछ हिक्मतों का बयान सूरः हूद के आख़िर में ऐसी ही आयत की तफ़सीर में गुज़रा है)। तो (उनसे कहा जायेगा कि) अब इसका मज़ा चखो कि तुम इस दिन के आने को भूले रहे। हमने तुमको भुला दिया (यानी रहमत से मेहरूम कर दिया जिसको दूसरे मायने में भुलाना कह दिया) और (हम जो कहते हैं कि मज़ा चखो तो एक-दो रोज़ का नहीं बल्कि उसकी हक़ीक़त यह है कि) अपने (बुरे) आमाल की बदौलत हमेशा के अ़ज़ाब का मज़ा चखो।

(यह तो काफ़िरों का हाल और उनका अन्जाम हुआ। आगे मोमिनों का हाल और अन्जाम मज़कूर है, यानी) बस हमारी आयतों पर तो वे लोग ईमान लाते हैं कि जब उनको वे आयतें याद दिलाई जाती हैं तो वे सज्दे में गिर पड़ते हैं (जिसकी तहक़ीक़ सूरः मरियम के रुकूअ़ चार में हुई है) और अपने रब की पाकी और तारीफ़ बयान करने लगते हैं, और वे लोग (ईमान से) तकब्बुर नहीं करते (जैसा कि काफ़िर का हाल आया है कि वह तकब्बुर करने लगता है। यह तो उनकी तस्दीक़ व इक़रार और अख़्लाक़ का हाल था और आमाल का हाल यह है कि रात को) उनके करवट सोने की जगहों "यानी बिस्तर व पलंग वग़ैरह" से अलग होते हैं (चाहे इशा के फ़र्ज़ों के लिये या तहज्जुद के लिये भी, और इससे सब रिवायतें जमा हो गईं। और सिर्फ़ अलग नहीं होते बल्कि) इस अन्दाज़ पर (अलग होते हैं) कि वे लोग अपने रब को (सवाब की) उम्मीद से और (अ़ज़ाब के) ख़ौफ़ से पुकारते हैं (इसमें नमाज़ और दुआ़ व ज़िक्र सब आ गया) और हमारी दी हुई चीज़ों में से ख़र्च करते हैं। (मतलब यह कि ईमान लाने वालों की ये सिफ़तें हैं, जिनमें से कुछ तो सिर्फ़ ईमान से संबन्धित हैं और कुछ ईमान के कामिल होने से) सो किसी शख़्स को ख़बर नहीं जो-जो आँखों की ठंडक का सामान ऐसे लोगों के लिये ग़ैब के ख़ज़ाने में मौजूद है, यह उनको उनके (नेक) आमाल का सिला मिला है।

(और जब दोनों फ़रीक़ों का हाल और अन्जाम मालूम हो गया) तो (अब बतलाओ) जो शख़्स मोमिन हो क्या वह उस शख़्स जैसा हो जायेगा जो नाफ़रमान (यानी काफ़िर) हो? (नहीं!) वे आपस में (न अपने हाल के एतिबार से न अन्जाम के एतिबार से) बराबर नहीं हो सकते। (चुनाँचे मालूम भी हुआ है, और ख़ास अन्जाम में बराबर न होने की तफ़सील ताकीद के लिये फिर भी सुन लो कि) जो लोग ईमान लाये और उन्होंने अच्छे काम किए सो उनके लिये हमेशा का ठिकाना जन्नतें हैं, जो उनके (नेक) आमाल के बदले में बतौर उनकी मेहमानी के हैं। (यानी मेहमान की तरह उनको ये चीज़ें सम्मान के साथ मिलेंगी न कि ज़रूरत मन्द सवाली की तरह बेक़द्री और बेवक़अ़ती के साथ) और जो लोग नाफ़रमान थे सो उनका ठिकाना दोज़ख़ है, वे लोग जब उससे बाहर निकलना चाहेंगे (और

किनारे की तरफ़ को बढ़ेंगे अगरचे उसकी गहराई और दरवाज़ों के ताला-बन्द होने की वजह से निकल न सकेंगे, मगर ऐसे वक़्त में यह तबई हरकत होती है) तो फिर उसी में धकेल दिये जाएँगे और उनको कहा जाएगा कि दोज़ख़ का वह अ़ज़ाब चखो जिसको तुम झुठलाया करते थे। (और यह वायदा हुआ अ़ज़ाब तो आख़िरत में होगा) और हम उनको क़रीब का (यानी दुनिया में आने वाला) अ़ज़ाब भी उस (आख़िरत में वायदा किये गये) बड़े अ़ज़ाब से पहले चखा देंगे (जैसे बीमारियाँ, परेशानियाँ और मुसीबतें। तफ़सीर दुर्रे मन्सूर में इसी तरह नक़ल किया गया है, क्योंकि क़ुरआनी वज़ाहत के मुताबिक़ बीमारियाँ व आफ़तें अक्सर बुरे आमाल के सबब आती हैं) ताकि ये लोग (मुतास्सिर होकर कुफ़ से) बाज़ आएँ। (जैसा कि यह मज़मून सूरः रूम की आयत 41 में इरशाद हुआ है) फिर जो बाज़ न आये उसके लिये बड़ा अ़ज़ाब है ही) और (ऐसे लोगों पर अ़ज़ाब होने से कुछ ताज्जुब न होना चाहिए क्योंकि) उस शख़्स से ज़्यादा कौन ज़ालिम होगा जिसको उसके रब की आयतें याद दिलाई जाएँ, फिर वह उनसे मुँह मोड़े (तो उसके अ़ज़ाब का हक़दार होने में क्या शुब्हा है, इसलिये) हम ऐसे मुजरिमों से बदला लेंगे।

मआरिफ़ व मसाईल

قُلْ يَتَوَفّٰكُمْ مَّلَكُ الْمَوْتِ الَّذِىْ وُكِّلَ بِكُمْ

इससे पहली आयत में क़ियामत का इनकार करने वालों को तंबीह और उनके इस ताज्जुब का जवाब था कि मरने और मिट्टी हो जाने के बाद दोबारा कैसे ज़िन्दा होंगे। इस आयत में इसका बयान है कि अपनी मौत पर ध्यान दो और ग़ौर करो तो वह ख़ुद हक़ तआ़ला की कामिल क़ुदरत का एक बड़ा मज़हर (निशानी) है, तुम अपनी ग़फ़लत व जहालत से समझते हो कि इनसान की मौत ख़ुद-ब-ख़ुद आ जाती है, बात यह नहीं बल्कि अल्लाह के नज़दीक तुम्हारी मौत का एक वक़्त मुक़र्रर है और उसके लिये फ़रिश्तों का एक ख़ास निज़ाम है जिनमें बड़े इज़राईल अ़लैहिस्सलाम हैं कि सारी दुनिया की मौत उनके इन्तिज़ाम में दी गई है। जिस शख़्स की जिस वक़्त जिस जगह मौत मुक़द्दर (तय) है ठीक उसी वक़्त वह उसकी रूह क़ब्ज़ करते हैं। उक्त आयत में इसी का बयान है और इसमें मलकुल-मौत दूसरे लफ़्ज़ से ज़िक्र किया गया है, इससे मुराद इज़राईल अ़लैहिस्सलाम हैं। और एक दूसरी आयत में फ़रमाया है:

الَّذِيْنَ تَتَوَفّٰهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ

इसमें मलायका का लफ़्ज़ बहुवचन लाया गया है इसमें इशारा है कि इज़राईल अ़लैहिस्सलाम तन्हा यह काम अन्जाम नहीं देते, उनके मातहत बहुत से फ़रिश्ते इसमें शरीक होते हैं।

रूह क़ब्ज़ करने और मलकुल-मौत के मुताल्लिक़ कुछ तफ़सीलात

इमामे तफ़सीर मुजाहिद रह. ने फ़रमाया कि सारी दुनिया मलकुल-मौत (मौत के फ़रिश्ते) के सामने ऐसी है जैसे किसी इनसान के सामने एक खुले तश्त में दाने पड़े हों, वह जिसको चाहे उठा ले। यह मज़मून एक मरफ़ूअ़ हदीस में भी आया है। (तज़्किरा- क़ुर्तुबी)

और एक हदीस में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने एक मर्तबा एक अन्सारी सहाबी के सिरहाने मलकुल-मौत को देखा तो फ़रमाया कि मेरे सहाबी के साथ नर्मी का मामला करो। मलकुल-मौत ने जवाब दिया कि आप मुत्मईन रहें, मैं हर मोमिन के साथ नर्मी का मामला करता हूँ और फ़रमाया कि जितने आदमी शहरों में या देहात और जंगलों पहाड़ों में या दरिया में आबाद हैं मैं उनमें से हर एक को दिन में पाँच मर्तबा देखता हूँ इसलिये मैं उनके हर छोटे बड़े से डायरेक्ट वाक़िफ़ हूँ। फिर फ़रमाया कि ऐ मुहम्मद (सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम)! यह जो कुछ है अल्लाह के हुक्म से है वरना मैं अगर एक मच्छर की रूह भी क़ब्ज़ करना चाहूँ तो मुझे इस पर क़ुदरत नहीं जब तक अल्लाह तआ़ला ही का हुक्म उसके लिये न आ जाये।

क्या जानवरों की रूह भी मलकुल-मौत क़ब्ज़ करते हैं?

ऊपर बयान हुई हदीस की रिवायतों से मालूम होता है कि मच्छर की रूह भी अल्लाह के हुक्म व इजाज़त से मलकुल-मौत ही क़ब्ज़ करते हैं। हज़रत इमाम मालिक रह. ने एक सवाल के जवाब में यही फ़रमाया है मगर कुछ दूसरी रिवायतों से यह मालूम होता है कि फ़रिश्ते के ज़रिये रूह क़ब्ज़ करना इनसान के लिये मख़्सूस है उसके सम्मान व बड़ाई के लिये, बाक़ी जानवर अल्लाह के हुक्म से बिना फ़रिश्ते के मर जायेंगे। (इब्ने अ़तिया, अज़ क़ुर्तुबी)

यही मज़मून अबू शैख़, उक़ैली, दैलमी वग़ैरह ने हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अ़न्हु की रिवायत से मरफ़ूअ़न नक़ल किया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि जानवरों और ज़मीनी कीड़े-मकोड़े सब के सब अल्लाह की तस्बीह में मशग़ूल रहते हैं (यही उनकी ज़िन्दगी है) जब उनकी तस्बीह ख़त्म हो जाती है तो अल्लाह तआ़ला उनकी रूह क़ब्ज़ फ़रमा लेता है। जानवरों की मौत मलकुल-मौत के सुपुर्द नहीं। इसी मज़मून की एक हदीस हज़रत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अ़न्हु से भी रिवायत की गई है। (तफ़सीरे मज़हरी)

और एक रिवायत में है कि जब अल्लाह तआ़ला ने इज़राईल अ़लैहिस्सलाम के सुपुर्द सारी दुनिया की मौत का मामला किया तो उन्होंने अ़र्ज़ किया ऐ मेरे परवर्दिगार! आपने मुझे ऐसी ख़िदमत सुपुर्द की कि सारी दुनिया और तमाम इनसान मुझे बुरा कहेंगे, और जब मेरा ज़िक्र आयेगा बुराई से करेंगे। हक़ तआ़ला ने फ़रमाया कि हमने इसकी तलाफ़ी इस तरह कर दी है कि दुनिया में मौत के कुछ ज़ाहिरी असबाब और रोग रख दिये हैं जिनके सबब सब लोग मौत को उन असबाब व बीमारियों की तरफ़ मन्सूब करेंगे, आप उनके बुराई करने से महफ़ूज़ रहेंगे। (क़ुर्तुबी, तफ़सीर में, तज़्किरा)

और इमाम बग़वी रह. ने हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत किया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि जितने रोग और दर्द और ज़ख़्म वग़ैरह हैं वो सब मौत के क़ासिद हैं, इनसान को उसकी मौत याद दिलाते हैं, फिर जब मौत का वक़्त आ जाता है तो मलकुल-मौत मरने वाले को मुख़ातब करके कहता है कि ऐ ख़ुदा के बन्दे! मैंने अपने आने से पहले कितनी ख़बरें कितने क़ासिद एक के बाद दूसरे तुझे ख़बरदार करने और मौत की तैयारी करने के लिये बीमारियों व हादसों की शक्ल में भेजे हैं, अब मैं आ पहुँचा जिसके बाद कोई और ख़बर देने

वाला या कोई क़ासिद नहीं आयेगा। अब तुम अपने रब के हुक्म को लाज़िमी तौर पर मानोगे चाहे ख़ुशी से या मजबूरी से। (तफ़सीरे मज़हरी)

मसलाः मलकुल-मौत (मौत का फ़रिश्ता) किसी की मौत का वक़्त पहले से नहीं जानता जब तक कि उसको हुक्म न दिया जाये कि फ़ुलाँ की रूह क़ब्ज़ कर लो। (अहमद, इब्ने अबिद्दुन्या, मज़हरी)

تَتَجَافٰى جُنُوْبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَّطَمَعًا

इससे पहले की आयतों में काफ़िरों व मुश्रिकों और क़ियामत का इनकार करने वालों को तंबीहें थीं। इसके बाद आयत नम्बर 15 (इन्नमा युअ्मिनु बिआयातिनल्लज़ी-न.........) से मुख़्लिस मोमिनों की ख़ास सिफ़ात और उनके लिये बड़े दर्जों का ज़िक्र है। उन मोमिनों की एक सिफ़त इस ज़िक्र हुई आयत में यह बतलाई गई है कि उनके पहलू (करवट) अपने बिस्तरों से अलग हो जाते हैं, और बिस्तरों से उठकर अल्लाह के ज़िक्र और दुआ़ में मश़्गूल हो जाते हैं। क्योंकि ये लोग अल्लाह की नाराज़ी और अ़ज़ाब से डरते हैं, और उसकी रहमत और सवाब के उम्मीदवार रहते हैं, यही उम्मीद व ख़ौफ़ की मिली-जुली हालत उनको ज़िक्र व दुआ़ के लिये बेचैन रखती है।

तहज्जुद की नमाज़

बिस्तरों से उठकर ज़िक्र व दुआ़ में मश़्गूल हो जाने से मुराद मुफ़स्सिरीन अक्सरियत के नज़दीक तहज्जुद की नमाज़ और नवाफ़िल हैं जो सोकर उठने के बाद पढ़ी जाती हैं। (यह इमाम मालिक, इमाम औज़ाई, इमाम मुजाहिद और हज़रत हसन रह. का क़ौल है) और हदीस की रिवायतों से भी इसकी ताईद होती है।

मुस्नद अहमद, तिर्मिज़ी, नसाई वग़ैरह में हज़रत मुआ़ज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि मैं एक मर्तबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के साथ सफ़र में था, एक दिन सफ़र के दौरान मैं सुबह के वक़्त आपके क़रीब हुआ तो मैंने अ़र्ज़ किया कि या रसूलल्लाह! मुझे कोई ऐसा अ़मल बतला दीजिये जो मुझे जन्नत में दाख़िल करे और जहन्नम से दूर कर दे। आपने फ़रमाया कि तुमने एक बड़ी चीज़ का सवाल किया मगर जिसके लिये अल्लाह तआ़ला आसान कर दे उसको वह आसान हो जाती है। और फ़रमाया कि वह अ़मल यह है कि अल्लाह की इबादत करो और उसके साथ किसी को शरीक न करो और नमाज़ क़ायम करो और ज़कात अदा करो और रमज़ान के रोज़े रखो और बैतुल्लाह का हज करो। और फिर फ़रमाया कि लो अब मैं तुम्हें ख़ैर यानी नेकी के बाब बतला देता हूँ (वो ये हैं कि) रोज़ा ढाल है (जो अ़ज़ाब से बचाता है) और सदक़ा आदमी के गुनाहों की आग बुझा देता है, इसी तरह आदमी की वह नमाज़ जो रात के बीच में है। और यह फ़रमाकर क़ुरआन मजीद की यही आयत नम्बर 16 तिलावत फ़रमाईः

تَتَجَافٰى جُنُوْبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ.

हज़रत अबूदर्दा रज़ियल्लाहु अ़न्हु और हज़रत क़तादा और इमाम ज़़ह्हाक ने फ़रमाया है कि पहलुओं (करवटों) के बिस्तरों से अलग हो जाने की यह सिफ़त उन लोगों पर भी सही बैठती है जो इशा की नमाज़ जमाअ़त से अदा करें फिर सुबह की नमाज़ जमाअ़त के साथ पढ़ें। और तिर्मिज़ी में

सही सनद के साथ हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि यह 'करवटों के अलग रहना' इशा की नमाज़ से पहले न सोने और इशा की जमाअ़त का इन्तिज़ार करने वालों के बारे में नाज़िल हुई है।

और कुछ रिवायतों में है कि यह आयत उन लोगों से बारे में है जो मग़रिब और इशा के दरमियान नवाफ़िल पढ़ते हैं। (मुहम्मद बिन नस्र) और हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने इस आयत के मुताल्लिक़ फ़रमाया कि जो लोग जब आँख खुले अल्लाह का ज़िक्र करें, लेटे, बैठे और करवट पर वे भी इसमें दाख़िल हैं।

इमाम इब्ने कसीर और तफ़सीर के दूसरे इमामों ने फ़रमाया कि इन सब अक़्वाल में कोई टकराव और विरोधाभास नहीं। सही बात यह है कि यह आयत इन सब को शामिल है, और रात के आख़िरी हिस्से की नमाज़ इन सब में आला व अफ़ज़ल है। तफ़सीर बयानुल-क़ुरआन में भी इसी को इख़्तियार किया गया है।

और हज़रत अस्मा बिन्ते यज़ीद रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि जब अल्लाह तआ़ला पहले व बाद के तमाम लोगों (यानी सारी मख़्लूक़) को क़ियामत के रोज़ जमा फ़रमायेंगे तो अल्लाह तआ़ला की तरफ़ से एक मुनादी खड़ा होगा जिसकी आवाज़ तमाम मख़्लूक़ात सुनेगी, वह ऐलान करेगा कि मेहशर वाले आज जान लेंगे कि अल्लाह के नज़दीक कौन लोग इ़ज़्ज़त व सम्मान के हक़दार हैं। फिर वह फ़रिश्ता आवाज़ करेगा कि मेहशर वालों में से वे लोग खड़े हों जिनकी सिफ़त यह थीः

تَتَجَافٰى جُنُوْبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ

यानी उनके पहलू बिस्तरों से अलग हो जाते हैं। इस आवाज़ पर ये लोग खड़े होंगे जिनकी संख्या कम ही होगी। (इब्ने कसीर)

और इसी रिवायत के कुछ अलफ़ाज़ में यह है कि ये लोग बग़ैर हिसाब के जन्नत में भेज दिये जायेंगे, उसके बाद और तमाम लोग खड़े होंगे उनसे हिसाब लिया जायेगा। (तफ़सीरे मज़हरी)

وَلَنُذِيْقَنَّهُمْ مِّنَ الْعَذَابِ الْاَدْنٰى دُوْنَ الْعَذَابِ الْاَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ۝

अदना बहुत क़रीब के मायने में है, और अ़ज़ाबे अदना से मुराद दुनिया की मुसीबतें व आफ़तें और बीमारियाँ वग़ैरह हैं, और बड़े अ़ज़ाब से मुराद आख़िरत का अ़ज़ाब है।

दुनिया की मुसीबतें उन लोगों के लिये रहमत हैं जो अल्लाह की तरफ़ रुजू करें

मतलब यह है कि अल्लाह तआ़ला बहुत से लोगों को उनके गुनाहों पर सचेत और चौकन्ना करने के लिये दुनिया में उन पर बीमारियाँ और मुसीबतें व आफ़तें मुसल्लत कर देते हैं, ताकि वे सचेत होकर अपने गुनाहों से बाज़ आ जायें और आख़िरत के बड़े अ़ज़ाब से निजात पायें।

इस आयत से मालूम हुआ कि गुनाहगारों के लिये दुनिया की मुसीबतें व आफ़तें और बीमारियाँ

व तकलीफ़ें भी एक क़िस्म की रहमत ही हैं कि ग़फ़लत से बाज़ आकर आख़िरत के अ़ज़ाब से बच जायें। अलबत्ता जो लोग आफ़तों पर भी अल्लाह की तरफ़ रुजू न करें उनके लिये यह दोहरा अ़ज़ाब हो जाता है, एक इसी दुनिया में नक़द और दूसरा आख़िरत का बड़ा अ़ज़ाब। और नबियों व औलिया-अल्लाह पर जो आफ़तें व मुसीबतें आती हैं उनका मामला इन सबसे अलग है, वो उनके इम्तिहान और इम्तिहान के ज़रिये दर्जों के बुलन्द करने के लिये होती हैं, और पहचान इसकी यह है कि उन लोगों को रोगों व आफ़तों के वक़्त भी एक क़िस्म का दिली सुकून व इत्मीनान अल्लाह तआ़ला पर होता है। वल्लाहु आलम

बाज़े जुर्मों की सज़ा आख़िरत से पहले दुनिया में भी मिलती है

إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ○

बज़ाहिर लफ़्ज़ मुजरिमीन में हर क़िस्म के मुजरिम शामिल हैं और बदला लेना भी आ़म है चाहे दुनिया में या आख़िरत में या दोनों में। मगर हदीस की कुछ रिवायतों से मालूम होता है कि तीन गुनाह ऐसे हैं कि उनकी सज़ा आख़िरत से पहले दुनिया में भी मिलती है:

1. हक़ के ख़िलाफ़ झण्डों और नारों के साथ ऐलान करते हुए कोशिश करना।
2. माँ-बाप की नाफ़रमानी।
3. ज़ालिम की इमदाद। (इब्ने जरीर, मुआ़ज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु अ़न्हु की रिवायत से)

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّنْ لِّقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ ﴿٢٣﴾ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا ۖ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ ﴿٢٤﴾ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿٢٥﴾ أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِّنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ ۖ أَفَلَا يَسْمَعُونَ ﴿٢٦﴾ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ ۖ أَفَلَا يُبْصِرُونَ ﴿٢٧﴾ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْفَتْحُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٢٨﴾ قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَانُهُمْ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ ﴿٢٩﴾ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانْتَظِرْ إِنَّهُمْ مُنْتَظِرُونَ ﴿٣٠﴾

व ल-क़द् आतैना मूसल्-किता-ब फ़ला तकुन् फ़ी मिर्यतिम्-मिल्लिक़ा-इही व जअ़ल्नाहु हुदल् लि-बनी इस्राईल (23) व जअ़ल्ना	और हमने दी मूसा को किताब सो तू मत रह धोखे में उसके मिलने से और किया हमने उसको हिदायत बनी इस्राईल के वास्ते। (23) और किये हमने उनमें पेशवा

मिन्हुम् अ-इम्मतंय्-यह्दू-न बिअम्रिना लम्मा स-बरू, व कानू बिआयातिना यूक़िनून (24) इन्-न रब्ब-क हु-व यफ़्सिलु बैनहुम् यौमल्-क़ियामति फ़ीमा कानू फ़ीहि यख़्तलिफ़ून (25) अ-व लम् यह्दि लहुम् कम् अह्लक्ना मिन् क़ब्लिहिम् मिनल्-क़ुरूनि यम्शू-न फ़ी मसाकिनिहिम्, इन्-न फ़ी ज़ालि-क लआयातिन्, अ-फ़ला यस्मअ़ून (26) अ-व लम् यरौ अन्ना नसूक़ुल्मा-अ इलल्-अर्ज़िल्-जुरुज़ि फ़नुख़्रिजु बिही ज़रअ़न् तअ्कुलु मिन्हु अन्आ़मुहुम् व अन्फ़ुसुहुम्, अ-फ़ला युब्सिरून (27) ▲ व यक़ूलू-न मता हाज़ल्-फ़त्हु इन् कुन्तुम् सादिक़ीन (28) क़ुल् यौमल्-फ़त्हि ला यन्फ़अ़ुल्लज़ी-न क-फ़रू ईमानुहुम् व ला हुम् युन्ज़रून (29) फ़-अअ़्रिज़् अ़न्हुम् वन्तज़िर् इन्नहुम् मुन्तज़िरून (30) ✿

जो राह चलाते थे हमारे हुक्म से जब वे सब्र करते रहे और रहे हमारी बातों पर यक़ीन करते। (24) तेरा रब जो है वही फ़ैसला करेगा उनमें क़ियामत के दिन जिस बात में कि वे झगड़ा करते थे। (25) क्या उनको राह न सूझी इस बात से कि कितनी ग़ारत कर डालीं हमने उनसे पहले जमाअ़तें कि फिरते हैं ये उनके घरों में, इसमें बहुत निशानियाँ हैं क्या वे सुनते नहीं? (26) क्या देखा नहीं उन्होंने हम हाँक देते हैं पानी को एक चटियल ज़मीन की तरफ़ फिर हम निकालते हैं उससे खेती कि खाते हैं उनमें से उनके चौपाये और ख़ुद वे भी, फिर क्या देखते नहीं? (27) ▲ और कहते हैं कब होगा यह फ़ैसला अगर तुम सच्चे हो। (28) तू कह कि फ़ैसले के दिन काम न आयेगा इनकारियों को उनका ईमान लाना और न उनको ढील मिलेगी। (29) सो तू ख़्याल छोड़ उनका और मुन्तज़िर रह वे भी मुन्तज़िर हैं। (30) ✿

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

और हमने मूसा (अ़लैहिस्सलाम) को (आप ही की तरह) किताब दी थी (जिसके फैलाने में उनको तकलीफ़ें बरदाश्त करनी पड़ीं, इसी तरह आपको भी बरदाश्त करना चाहिए। एक तसल्ली तो यह हुई, फिर इसी तरह आपको भी किताब दी) सो आप (अपनी) उस (किताब) के मिलने में कुछ शक न कीजिए (कि अल्लाह तआ़ला का क़ौल है 'व इन्न-क लतुलक़्क़ल् क़ुरआ-न' मतलब यह कि आप

किताब वाले और ख़िताब वाले हैं, पस जब आप अल्लाह के नज़दीक ऐसे मक़बूल हैं तो अगर मुट्ठी भर अहमक़ आपको क़ुबूल न करें तो कोई ग़म की बात नहीं। एक तसल्ली की बात यह हुई) और हमने उस (मूसा अ़लैहिस्सलाम की किताब) को बनी इस्राईल के लिए हिदायत का ज़रिया बनाया था। (इसी तरह आपकी किताब से बहुतों को हिदायत होगी, आप ख़ुश रहिये। एक तसल्ली यह हुई) और हमने उन (बनी इस्राईल) में बहुत-से (दीन के) पेशवा "यानी रहनुमा" बना दिए थे जो हमारे हुक्म से हिदायत करते थे, जबकि वे लोग (तकलीफ़ पर) सब्र किये रहे, और वे लोग हमारी आयतों का यक़ीन रखते थे (इसलिए उनको फैलाने और मख़्लूक़ की हिदायत में मशक़्क़त गवारा करते थे। यह तसल्ली है मोमिनों को कि तुम लोग सब्र करो, और जब तुम यक़ीन वाले हो और यक़ीन का तक़ाज़ा सब्र करना है तो तुमको सब्र ज़रूरी है, उस वक़्त हम तुमको भी दीन का पेशवा बना देंगे, यह तो तसल्ली दुनिया के ऐतिबार से है, और एक तसल्ली आख़िरत के ऐतिबार से तुमको रखनी चाहिए और वह तसल्ली का सबब मामला यह है कि) आपका रब क़ियामत के दिन उन सब के दरमियान में (अ़मली) फ़ैसला उन बातों में कर देगा जिनमें ये आपस में इख़्तिलाफ़ करते थे (यानी मोमिन को जन्नत में और काफ़िरों को दोज़ख़ में डाल देगा, और क़ियामत भी कुछ दूर नहीं इससे भी तसल्ली हासिल करनी चाहिए। और इस मज़मून को सुनकर काफ़िर लोग दो शुब्हे कर सकते थे, एक यह कि हम इसी को नहीं मानते कि अल्लाह तआ़ला को हमारा कुफ़्र नापसन्द है जैसा **यफ़सिलु** से समझ में आता है, दूसरा यह कि हम क़ियामत ही को नामुम्किन समझते हैं, आगे दोनों के दूर करने के लिये दो मज़मून हैं- अव्वल यह कि उनको जो कुफ़्र के नापसन्दीदा होने में शुब्हा है तो) क्या उनको इस बात से रहनुमाई नहीं हुई कि हम उनसे पहले (उनके कुफ़्र व शिर्क ही के सबब) कितनी उम्मतें हलाक कर चुके हैं (कि उनके तबाही के तरीक़े से और नबी की भविष्यवाणी के बाद बतौर एक असाधारण काम के ज़ाहिर होने से ख़ुदा का ग़ज़ब टपकता था, इससे कुफ़्र का नापसन्दीदा होना साफ़ वाज़ेह होता है) जिनके रहने की जगहों में ये लोग (मुल्क शाम के सफ़र के दौरान में) आते-जाते (गुज़रते) हैं, इस (मामले) में (तो कुफ़्र के नापसन्दीदा होने की) साफ़ निशानियाँ (मौजूद) हैं, क्या ये लोग (उन गुज़री उम्मतों के क़िस्से) सुनते नहीं हैं (जो कि मशहूर हैं और ज़बानों पर जारी हैं। दूसरा मज़मून यह कि उनको जो क़ियामत के बारे में उसके न आने का शुब्हा है तो) क्या उन्होंने इस बात पर नज़र नहीं की कि हम (बादलों या नहरों वग़ैरह के ज़रिये से) सूखी पड़ी ज़मीन की तरफ़ पानी पहुँचाते हैं। फिर उसके ज़रिये से खेती पैदा करते हैं, जिससे उनके मवेशी और वे ख़ुद भी खाते हैं, तो क्या वे (इस बात को रात-दिन) देखते नहीं (यह साफ़ नमूना है मरकर ज़िन्दा होने का, जैसा कि कई जगह इसका बयान गुज़रा है। पस दोनों शुब्हे दूर हो गये) और ये लोग (क़ियामत और फ़ैसले का ज़िक्र सुनकर मज़ाक़ उड़ाने और जल्द अज़ात माँगने के तौर पर यूँ) कहते हैं कि अगर तुम (इस बात में) सच्चे हो तो (बतलाओ) यह फ़ैसला कब होगा? आप फ़रमा दीजिये कि (तुम बेकार ही उसका तक़ाज़ा करते हो, तुम्हारे लिये तो वह पूरी मुसीबत का दिन है, क्योंकि) उस फ़ैसले के दिन काफ़िरों को उनका ईमान लाना (बिल्कुल) नफ़ा न देगा (और यही एक सूरत उनके बचाव की थी और वही ख़त्म हुई) और (निजात होने का नफ़ा तो क्या होता) उनको मोहलत भी (तो) न मिलेगी। सो (ऐ पैग़म्बर!) उनकी बातों का ख़्याल न कीजिए (जिनके ख़्याल से ग़म होता है) और आप (वायदा किये गये फ़ैसले

का) इन्तिज़ार कीजिये, ये भी (अपने गुमान व ख़्याल में आपके नुकसान का) इन्तिज़ार कर रहे हैं। (जैसा कि एक दूसरी आयत में है 'न-तरब्बसु बिही रैबल्-मनून', मगर मालूम हो जाएगा कि किसका इन्तिज़ार असल और हकीकत के मुताबिक है और किसका नहीं, जैसा कि अल्लाह तआला ने उनके जवाब में फ़रमायाः

قُلْ تَرَبَّصُوْا فَاِنِّیْ مَعَكُمْ مِّنَ الْمُتَرَبِّصِيْنَ۝

(आप फ़रमा दीजिये कि तुम मुन्तज़िर रहो सो मैं भी तुम्हारे साथ मुन्तज़िर हूँ।)

मआरिफ़ व मसाईल

فَلَا تَكُنْ فِیْ مِرْيَةٍ مِّنْ لِّقَآئِهٖ

लिका के मायने मुलाकात के हैं, इस आयत में किसकी मुलाकात किस से मुराद है? इसमें तफ़सीर के उलेमा के अकवाल मुख़्तलिफ़ हैं। उनमें से एक वह है जिसको ख़ुलासा-ए-तफ़सीर में इख़्तियार किया गया है कि 'उस के मिलने' में उस से मुराद किताब यानी क़ुरआन है और मतलब यह बयान किया गया कि जिस तरह मूसा अ़लैहिस्सलाम को अल्लाह तआ़ला ने किताब दी आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम भी अपनी किताब के आने में कोई शक न करें, जैसा कि एक दूसरी आयत में क़ुरआन के मुताल्लिक ऐसे अलफ़ाज़ आये हैं:

وَاِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْاٰنَ

(और आपको यकीनन क़ुरआन दिया जा रहा है) और हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु और कतादा रह. से इसकी तफ़सीर इस तरह मन्क़ूल है कि 'उसकी मुलाकात' में उस से मुराद हज़रत मूसा अ़लैहिस्सलाम हैं और इस आयत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की मुलाकात मूसा अ़लैहिस्सलाम के साथ होने की ख़बर दी गई है। और फ़रमाया है कि आप इसमें शक न करें कि आपकी मुलाकात मूसा अ़लैहिस्सलाम से होगी, चुनाँचे एक मुलाकात मेराज की रात में होना सही हदीसों से साबित है, फिर कियामत में मुलाकात होना भी साबित है।

और हज़रत हसन बसरी रह. ने इसकी यह तफ़सीर फ़रमाई है कि जिस तरह मूसा अ़लैहिस्सलाम को एक किताब दी गई और लोगों ने उनको झुठलाया और उनको सताया, आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम भी यकीन रखें कि ये सब चीज़ें आपको भी पेश आयेंगी, इसलिये आप काफ़िरों की तकलीफ़ों से दुखी न हों बल्कि इसको नबियों की सुन्नत समझकर बरदाश्त करें।

किसी क़ौम का पेशवा व इमाम बनने के लिये दो शर्तें

وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ اَئِمَّةً يَّهْدُوْنَ بِاَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوْا وَكَانُوْا بِاٰيٰتِنَا يُوْقِنُوْنَ۝

"यानी हमने बनी इस्राईल में से कुछ लोगों को इमाम और पेशवा व मुक्तदा बना दिया जो अपने पैग़म्बर के नायब होने की हैसियत से अल्लाह के हुक्म से लोगों को हिदायत किया करते थे जबकि उन्होंने सब्र किया और जबकि वे हमारी आयतों पर यकीन रखते हैं।"

इस आयत में बनी इस्राईल के उलेमा में से कुछ को इमामत व पेशवाई का दर्जा अ़ता फ़रमाने

के दो सबब ज़िक्र फ़रमाये हैं- अव्वल सब्र करना, दूसरे अल्लाह की आयतों पर यक़ीन करना। सब्र करने का मफ़्हूम अ़रबी भाषा के एतिबार से बहुत विस्तृत और आ़म है। इसके लफ़्ज़ी मायने बाँधने और जमे रहने के हैं। इस जगह सब्र से मुराद अल्लाह के अहकाम की पाबन्दी पर साबित-क़दम रहना और जिन चीज़ों को अल्लाह तआ़ला ने हराम या मक्रूह क़रार दिया है उनसे अपने नफ़्स को रोकना है, जिसमें शरीअ़त के तमाम अहकाम की पाबन्दी आ जाती है, और यह बहुत बड़ा अ़मली कमाल है। दूसरा सबब उनका अल्लाह की आयतों पर यक़ीन रखना है, इसमें आयतों के मफ़्हूम को समझना फिर समझकर उस पर यक़ीन करना दोनों दाख़िल हैं, यह बहुत बड़ा इल्मी कमाल है।

ख़ुलासा यह है कि इमाम व पेशवा बनने के लायक़ अल्लाह तआ़ला के नज़दीक सिर्फ़ वे लोग हैं जो अ़मल में भी कामिल हों और इल्म में भी, और यहाँ अ़मली कमाल को इल्मी कमाल से पहले बयान फ़रमाया है जबकि तबई तरतीब में इल्म अ़मल से पहले होता है। इसमें इशारा इस तरफ़ है कि अल्लाह तआ़ला के नज़दीक वह इल्म क़ाबिले एतिबार ही नहीं जिसके साथ अ़मल न हो।

इमाम इब्ने कसीर ने कुछ उलेमा का क़ौल इस आयत की तफ़सीर में नक़ल किया है किः

بِالصَّبْرِ وَالْيَقِيْنِ تُنَالُ الْاِمَامَةُ فِى الدِّيْنِ.

"यानी सब्र और यक़ीन ही के ज़रिये दीन में किसी को इमामत का दर्जा मिल सकता है।"

اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّا نَسُوْقُ الْمَآءَ اِلَى الْاَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهٖ زَرْعًا

"यानी क्या ये लोग नहीं देखते कि हम (कुछ मौक़ों पर) ख़ुश्क ज़मीन की तरफ़ पानी को ज़मीन पर चलाकर ले जाते हैं, जिससे उनकी खेतियाँ उगती हैं।"

जुरुज़ ख़ुश्क ज़मीन को कहते हैं जिसमें पेड़-पौधे नहीं उगते।

ज़मीन की सिंचाई का एक ख़ास हकीमाना निज़ाम

ख़ुश्क ज़मीन को सींचने और उसमें पेड़-पौधे उगाने का ज़िक्र क़ुरआने करीम में जगह-जगह इस तरह आया है कि इस ज़मीन पर बारिश बरसती है, इससे ज़मीन तरोताज़ा होकर उगाने के क़ाबिल हो जाती है मगर इस आयत में बारिश के बजाय पानी को ज़मीन पर चलाकर ख़ुश्क ज़मीन की तरफ़ ले जाने और उससे पेड़-पौधे उगाने का ज़िक्र फ़रमाया है।

यानी बारिश किसी दूसरी ज़मीन पर नाज़िल की जाती है वहाँ से नदी नालों के ज़रिये ज़मीन पर चलाकर पानी को ख़ुश्क ज़मीन की तरफ़ ले जाया जाता है, जहाँ पर बारिश नहीं होती।

इसमें इशारा इस तरफ़ है कि कुछ ज़मीनें ऐसी ख़ाम (कच्ची) और नर्म होती हैं जो बारिश की सहार नहीं रखतीं, अगर वहाँ बारिश बरसाई जाये तो इमारतें गिर जायें, दरख़्त उखड़ जायें इसलिये क़ुदरत ने ऐसी ज़मीनों के लिये यह निज़ाम बनाया है कि बारिश तो उस ज़मीन पर नाज़िल की जाती है जो उसकी अहल (योग्य) हो, फिर यहाँ से पानी बहाकर ऐसी ज़मीनों की तरफ़ ले जाया जाता है जो बारिश की अहल (योग्य) नहीं, जैसे मिस्र की ज़मीन है। और कुछ मुफ़स्सिरीन ने यमन और शाम की कुछ ज़मीनों को इसका मिस्दाक़ क़रार दिया है। (जैसा कि हज़रत इब्ने अ़ब्बास और हसन की रिवायत है)

और सही यह है कि यह मज़मून ऐसी तमाम ज़मीनों को शामिल है और मिस्र की ज़मीन ख़ुसूसियत से इसमें शामिल है जहाँ बारिश बहुत कम होती है मगर हब्शा अफ़्रीक़ा के मुल्कों की बारिशों का पानी दरिया-ए-नील के ज़रिये मिस्र में आता है और वहाँ की सुर्ख़ मिट्टी साथ लाता है जिसमें उगाने का माद्दा ज़्यादा है। इसलिये मिस्र के लोग अपने मुल्क में बारिश न होने के बावजूद हर साल नये पानी और नई मिट्टी से फ़ायदा उठाते हैं। सो बड़ी बरकत अल्लाह की जो सबसे बेहतर बनाने वाला है।

وَيَقُوْلُوْنَ مَتٰى هٰذَا الْفَتْحُ

"यानी काफ़िर लोग यह कहते हैं कि वह फ़तह कब होगी?" जिसका आप ज़िक्र करते हैं कि मोमिनों को काफ़िरों पर ग़लबा होगा, हमें तो कहीं इसके आसार नज़र नहीं आते, हम तो यह देखते हैं कि मुसलमान डरे हुए हैं, छुपते फिरते हैं। इसके जवाब में हक़ तआ़ला ने फ़रमायाः

قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنْفَعُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْآ اِيْمَانُهُمْ

"यानी आप उनके जवाब में यह कह दीजिये कि तुम हमारी फ़तह का दिन हम से क्या पूछते हो वह दिन तो तुम्हारी मुसीबत का होगा। क्योंकि जिस वक़्त हमारी फ़तह होगी तो उस वक़्त तुम अ़ज़ाब में गिरफ़्तार हो चुके होगे, चाहे दुनिया में जैसे जंगे-बदर में हुआ या आख़िरत में। और जब अल्लाह का अ़ज़ाब किसी को पकड़ लेता है फिर उसका ईमान क़ुबूल नहीं होता। (इब्ने कसीर)

और कुछ हज़रात ने इस जगह 'मता हाज़ल्-फ़त्हु' के मायने क़ियामत के दिन के लिये हैं। ऊपर ख़ुलासा-ए-तफ़सीर में इसी को इख़्तियार किया गया। वल्लाहु सुब्हानहू व तआ़ला आलम

सूरः अस्सज्दा बिहम्दिल्लाह 9 ज़िलहिज्जा की रात सन् 1391 हिजरी को मुकम्मल हुई।

अल्हम्दु लिल्लाह सूरः अस्सज्दा की तफ़सीर मुकम्मल हुई।

सूरः अहज़ाब

सूरः अहज़ाब मदीना में नाज़िल हुई। इसमें 73 आयतें और 9 रुकूअ़ हैं।

يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللّٰهَ وَلَا تُطِعِ الْكٰفِرِيْنَ وَالْمُنٰفِقِيْنَ ۭ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ۙ وَّاتَّبِعْ مَا يُوْحٰٓى اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ ۭ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا ۙ وَّتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ۭ وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَكِيْلًا

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

शुरू अल्लाह के नाम से जो बेहद मेहरबान निहायत रहम वाला है।

या अय्युहन्नबिय्युत्तक़िल्ला-ह व ला तुतिअ़िल्-काफ़िरी-न वल्मुनाफ़िक़ी-न, इन्नल्ला-ह का-न अ़लीमन् हकीमा (1) वत्तबिअ़् मा यूहा इलै-क मिर्रब्बि-क, इन्नल्ला-ह का-न बिमा तअ़्मलू-न ख़बीरा (2) व तवक्कल् अ़लल्लाहि, व कफ़ा बिल्लाहि वकीला (3)	ऐ नबी! डर अल्लाह से और कहा न मान मुन्किरों का और दग़ाबाज़ों का, बेशक अल्लाह है सब कुछ जानने वाला हिक्मतों वाला। (1) और चल उसी पर जो हुक्म आये तुझको तेरे रब की तरफ़ से, बेशक अल्लाह तुम्हारे काम की ख़बर रखता है। (2) और भरोसा रख अल्लाह पर, और अल्लाह काफ़ी है काम बनाने वाला। (3)

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

ऐ नबी! अल्लाह से डरते रहिये (और किसी से न डरिये और उनकी धमकियों की ज़रा परवाह न कीजिये) और काफ़िरों का (जो खुल्लम-खुल्ला दीन के ख़िलाफ़ मश्विरे देते हैं) और मुनाफ़िक़ों का (जो छुपे तौर पर उनके साथ मिले हुए हैं) कहना न मानिये (बल्कि अल्लाह ही का कहना कीजिये) बेशक अल्लाह तआ़ला बड़ा इल्म वाला, बड़ी हिक्मत वाला है (उसका हर हुक्म फ़ायदों और मस्लेहतों पर आधारित होता है)। और (अल्लाह का कहना मानना यह है कि) आपके परवर्दिगार की तरफ़ से जो हुक्म आप पर वही किया जाता है उस पर चलिये, (और ऐ लोगो!) बेशक तुम लोगों के सब आमाल

की अल्लाह तआ़ला पूरी ख़बर रखता है (तुम में से जो हमारे पैग़म्बर की मुख़ालफ़त और टकराव इख़्तियार कर रहे हैं हम सब को समझेंगे)। और (ऐ नबी सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम) आप (इन लोगों की धमकियों के मामले में) अल्लाह पर भरोसा रखिये और अल्लाह काफ़ी कारसाज़ है (उसके मुक़ाबले में इन लोगों की कोई तदबीर नहीं चल सकती, इसलिये कुछ फ़िक्र न कीजिए। हाँ अगर अल्लाह तआ़ला तआ़ला की हिक्मत किसी आज़माईश को चाहे और उसकी वजह से कोई वक़्ती तकलीफ़ पहुँच जाये तो वह नुक़सान नहीं बल्कि फ़ायदे ही की चीज़ है)।

मआ़रिफ़ व मसाईल

यह मदनी सूरत है इसके ज़्यादातर मज़ामीन रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की अल्लाह के यहाँ महबूबियत और ख़ुसूसियत पर मुश्तमिल हैं जिसमें आपकी ताज़ीम का वाजिब होना और आपको तकलीफ़ पहुँचाना हराम होना विभिन्न उनवानात से बयान हुआ है, और सूरत के बाक़ी मज़ामीन भी इन्हीं की पूर्ति व तकमील से मुनासबत रखते हैं।

शाने नुज़ूल

इस सूरत के नाज़िल होने के सबब में चन्द रिवायतें नक़ल की गयी हैं- एक यह कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम जब हिजरत करके मदीना तय्यिबा में तशरीफ़ लाये तो मदीना के आस पास यहूदियों के क़बीले- बनू क़ुरैज़ा, बनू नज़ीर, बनू क़ैनक़ा वग़ैरह आबाद थे। रहमतुल्-लिल्आ़लमीन की इच्छा और कोशिश यह थी कि किसी तरह ये लोग मुसलमान हो जायें। इत्तिफ़ाक़ से उन यहूदियों में से चन्द आदमी आपकी ख़िदमत में आने लगे और मुनाफ़िक़ाना तौर पर अपने आपको मुसलमान कहने लगे, दिलों में ईमान नहीं था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने इसको ग़नीमत समझा कि कुछ लोग मुसलमान हो जायें तो दूसरों को दावत देना आसान हो जायेगा, इसलिये आप उन लोगों के साथ ख़ास मुदारात (ख़ातिर तवाज़ो और अच्छे व्यवहार) का मामला फ़रमाते, और उनके छोटे-बड़े आने वालों का सम्मान करते थे, और कोई बुरी बात भी उनसे सादिर हो जाती तो दीनी मस्लेहत समझकर उसे अनदेखा फ़रमाते थे। इस वाक़िये पर सूरः अहज़ाब की शुरू की आयात नाज़िल हुईं।

(तफ़सीरे क़ुर्तुबी)

एक दूसरा वाक़िआ़ इमाम इब्ने जरीर रह. ने हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु से नक़ल किया है कि हिजरत के बाद मक्का के काफ़िरों में से वलीद बिन मुग़ीरा और शैबा इब्ने रबीआ़ मदीना तय्यिबा आये और नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के सामने यह पेशकश की कि हम सब मक्का के क़ुरैश के आधे माल आपको दे देंगे अगर आप अपने दावे को छोड़ दें और मदीना तय्यिबा के मुनाफ़िक़ों और यहूदियों ने आपको यह धमकी दी कि अगर आपने अपना दावा और दावत से रुजू न किया तो हम आपको क़त्ल कर देंगे, इस पर ये आयतें नाज़िल हुईं। (तफ़सीर रूहुल-मआ़नी)

तीसरा एक वाक़िआ़ सालबी और वाहिदी ने बग़ैर सनद के यह नक़ल किया है कि अबू सुफ़ियान और इक्रिमा इब्ने अबी जहल और अबुल-अअ़्वर सुलमी उस ज़माने में जब वाक़िआ़-ए-हुदैबिया में मक्का के काफ़िर और आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के बीच जंगबन्दी पर समझौता हो गया था

तो ये लोग मदीना तय्यिबा आये और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से अ़र्ज़ किया कि आप हमारे माबूदों का बुराई से ज़िक्र करना छोड़ दें, सिर्फ़ इतना कह दें कि ये भी शफ़ाअ़त करेंगे और नफ़ा पहुँचायेंगे। आप इतना कर लें तो हम आपको और आपके रब को छोड़ देंगे, झगड़ा ख़त्म हो जायेगा।

उनकी बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम और सब मुसलमानों को सख़्त नागवार हुई, मुसलमानों ने उनको क़त्ल करने का इरादा किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि मैं इनसे सुलह का समझौता कर चुका हूँ इसलिये ऐसा नहीं कर सकता। इस पर ये आयतें नाज़िल हुईं। (रूहुल-मआ़नी)

ये रिवायतें अगरचे अलग-अलग हैं मगर हक़ीक़त में इनमें कोई टकराव नहीं, ये वाक़िआ़त भी उक्त आयतों के नाज़िल होने का सबब हो सकते हैं।

इन आयतों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को दो हुक्म दिये गये। पहला 'इत्तक़िल्ला-ह' यानी अल्लाह से डरो। दूसरा 'ला तुतिअ़िल्-काफ़िरी-न' यानी काफ़िरों का कहना न मानो। अल्लाह से डरने का हुक्म इसलिये दिया गया कि उन लोगों को क़त्ल करना अ़हद तोड़ना है जो हराम है, और काफ़िरों की बात न मानने का हुक्म इसलिये कि इन तमाम वाक़िआ़त में काफ़िरों की जो फ़रमाईशें हैं वो मानने के क़ाबिल नहीं, इसकी तफ़सील आगे आती है।

يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللّٰهَ

यह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम का ख़ास सम्मान व इकराम है कि पूरे क़ुरआन में कहीं आपको नाम लेकर ख़िताब नहीं किया गया जैसा कि दूसरे अम्बिया के संबोधन में 'या आदमु, या नूहु, या इब्राहीमु, या मूसा' वग़ैरह बार-बार आया है, बल्कि ख़ास ख़ातमुल-अम्बिया सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को पूरे क़ुरआन में जहाँ ख़िताब किया गया वह किसी लक़ब या नबी या रसूल वग़ैरह से ख़िताब (संबोधित) किया गया। सिर्फ़ चार मौक़े जिनमें यही बतलाना मन्ज़ूर था कि आप अल्लाह के रसूल हैं, उनमें आपका नाम ज़िक्र किया गया है जो ज़रूरी था।

इस ख़िताब (संबोधन) में नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को दो हुक्म दिये गये- एक ख़ुदा तआ़ला से डरने का कि मक्का के मुश्रिकों से जो समझौता हो चुका है उसकी ख़िलाफ़वर्ज़ी न होनी चाहिये, दूसरे मुश्रिकों और मुनाफ़िक़ों व यहूद की बात न मानने का। यहाँ जो यह सवाल पैदा होता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम तो हर गुनाह से सुरक्षित हैं अ़हद तोड़ना भी बड़ा गुनाह है और काफ़िरों व मुश्रिकों की वो बातें जो आयत के शाने नुज़ूल में ऊपर बयान गई हैं उनका मानना भी बड़ा गुनाह है, तो आप ख़ुद ही उससे महफ़ूज़ थे, फिर इस हुक्म की ज़रूरत क्या पेश आई? तफ़सीर रूहुल-मआ़नी में है कि मुराद इन अहकाम से आईन्दा भी इन पर क़ायम रहने की हिदायत है जैसा कि इस वाक़िए में आप इन पर क़ायम रहे, और अल्लाह से डरने के हुक्म को इसलिये पहले बयान किया कि मुसलमानों ने मक्का के उन मुश्रिकों को क़त्ल करने का इरादा किया था जिनसे सुलह का समझौता हो चुका था। इसलिये अ़हद के ख़िलाफ़ करने से बचने की हिदायत लफ़्ज़ इत्तक़िल्ला-ह के ज़रिये पहले की गई, बख़िलाफ़ काफ़िरों व मुश्रिकों की बात मानने के कि इसका किसी ने इरादा भी न किया था इसलिये इसको बाद में बयान किया गया।

और कुछ मुफ़स्सिरीन हज़रात ने फ़रमाया कि इस आयत में अगरचे ख़िताब नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को है मगर मुराद उम्मत को सुनाना है, आप तो मासूम (गुनाहों से सुरक्षित) थे, अल्लाह के अहकाम की ख़िलाफ़वर्ज़ी का आप से कोई गुमान व ख़्याल न था, मगर क़ानून पूरी उम्मत के लिये है उनको सुनाने का उनवान यह इख़्तियार किया गया कि ख़िताब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को फ़रमाया जिससे हुक्म की बुरा व नापसन्दीदा बहुत बढ़ गया, कि जब अल्लाह तआ़ला के रसूल भी इसके मुख़ातब हैं तो उम्मत का कोई फ़र्द इससे कैसे अलग हो सकता है।

और इमाम इब्ने कसीर ने फ़रमाया कि इस आयत में काफ़िरों व मुश्रिकों की इताअ़त से मना करने का असल मकसद यह है कि आप उनसे मश्विरे न करें, उनको ज़्यादा मज्लिसों का मौक़ा न दें क्योंकि ऐसे मश्विरे और आपसी संपर्क कई बार इसका सबब बन जाया करते हैं कि उनकी बात मान ली जाये, तो अगरचे उनकी बात मान लेने का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से कोई गुमान व शुब्हा न था मगर उनके साथ ऐसे ताल्लुक़ात रखने और उनको अपने मश्विरों में शरीक करने से भी आपको रोक दिया गया, और इसको इताअ़त के लफ़्ज़ से इसलिये ताबीर कर दिया कि ऐसे मश्विरे और आपसी संपर्क आ़दतन बात मानने का सबब बन जाया करते हैं, तो यहाँ वास्तव में आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को इताअ़त के असबाब से मना किया गया है, ख़ास इताअ़त का तो आपसे कोई गुमान व संदेह ही न था।

रहा यह सवाल कि उक्त आयत में काफ़िरों की तरफ़ से शरीअ़त के ख़िलाफ़ और ख़िलाफ़े हक़ बातों का इज़हार तो कोई बड़ी बात नहीं, उनकी इताअ़त से मना करना भी ज़ाहिर है, मगर मुनाफ़िक़ों ने अगर इस्लाम के ख़िलाफ़ कोई बात आप से कही तो फिर वे मुनाफ़िक़ न रहे, खुले काफ़िर हो गये, उनको अलग ज़िक्र करने की क्या ज़रूरत हुई? जवाब यह है कि हो सकता है कि मुनाफ़िक़ों ने बिल्कुल खोलकर तो कोई बात इस्लाम के ख़िलाफ़ न कही हो, मगर दूसरे काफ़िरों की ताईद और हिमायत में कोई कलिमा कहा हो।

और मुनाफ़िक़ों का जो वाक़िआ़ आयत के शाने नुज़ूल में ऊपर बयान हुआ है अगर उसको आयत के उतरने का सबब क़रार दिया जाये तो इसमें संदेह व एतिराज़ ही नहीं, क्योंकि इस वाक़िए के एतिबार से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को इससे रोका गया है कि इन अपने आपको मुसलमान कहने वाले यहूदियों से आप ज़्यादा मुदारात (ख़ातिर-तवाज़ो) का मामला न करें।

इस आयत के आख़िर में 'इन्नल्ला-ह का-न अ़लीमन् हकीमा' फ़रमाकर उस हुक्म की हिक्मत बयान कर दी गई जो ऊपर दिया गया है कि अल्लाह से डरें, और काफ़िरों व मुनाफ़िक़ों का कहना न मानें, क्योंकि मामलात के अन्जाम और परिणामों का जानने वाला अल्लाह तआ़ला बड़ा हकीम है, वही बन्दों की मस्लेहतों को जानता है। यह इसलिये फ़रमाया कि काफ़िरों व मुश्रिकों की कुछ बातें ऐसी भी थीं जिनसे बुराई और ख़राबी कम होने और आपसी सौहार्द की फ़िज़ा क़ायम होने वग़ैरह के फ़ायदे हासिल हो सकते थे। मगर हक़ तआ़ला ने इससे मना फ़रमाया कि उन लोगों के साथ यह रवादारी और सौहार्द भी मस्लेहत के ख़िलाफ़ है, इसका अन्जाम अच्छा नहीं।

وَاتَّبِعْ مَا يُوْحٰى اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ. اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًاo

यह पहले ही हुक्म का आख़िरी हिस्सा (पूरक) है कि आप काफ़िरों व मुश्रिकों की बातों में न आयें, उनकी बात न मानें बल्कि जो कुछ अल्लाह की तरफ़ से आपको वही के ज़रिये बतलाया गया है बस आप और सहाबा उसी की पैरवी करें। चूँकि इस ख़िताब में सहाबा किराम और आ़म मुसलमान भी शामिल हैं इसलिये आख़िर में बहुवचन का कलिमा 'बिमा तअ़्मलून' फ़रमाकर तंबीह कर दी गई।

وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَكِيْلًا

यह भी इसी हुक्म की तकमील (पूरा करना) है, इसमें इरशाद है कि आप उन लोगों की बातों पर कान न धरें और अपने मक़सद की कामयाबी में सिर्फ़ अल्लाह पर भरोसा करें कि वही काफ़ी कारसाज़ है, उसके होते हुए आपको किसी की रवादारी की ज़रूरत नहीं।

मसलाः ऊपर ज़िक्र हुई आयतों से साबित हुआ कि दीन के मामलों में काफ़िरों से मश्विरा लेना भी जायज़ नहीं। दूसरे मामलात जिनका ताल्लुक़ तजुर्बे वग़ैरह से हो उनमें मश्विरा लेने में हर्ज नहीं। वल्लाहु आलम

مَا جَعَلَ اللّٰهُ لِرَجُلٍ مِّنْ قَلْبَيْنِ فِيْ جَوْفِهٖ ۚ وَمَا جَعَلَ اَزْوَاجَكُمُ الّٰٓـِٔيْ تُظٰهِرُوْنَ مِنْهُنَّ اُمَّهٰتِكُمْ ۚ وَمَا جَعَلَ اَدْعِيَآءَكُمْ اَبْنَآءَكُمْ ۭ ذٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِاَفْوَاهِكُمْ ۭ وَاللّٰهُ يَقُوْلُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيْلَ ۝ اُدْعُوْهُمْ لِاٰبَآىِٕهِمْ هُوَ اَقْسَطُ عِنْدَ اللّٰهِ ۚ فَاِنْ لَّمْ تَعْلَمُوْٓا اٰبَآءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّيْنِ وَمَوَالِيْكُمْ ۭ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيْمَآ اَخْطَاْتُمْ بِهٖ ۙ وَلٰكِنْ مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوْبُكُمْ ۭ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ۝

मा ज-अ़लल्लाहु लि-रजुलिम् मिन् क़ल्बैनि फ़ी जौफ़िही व मा ज-अ़-ल अज़्वा-जकुमुल्लाई तुज़ाहिरू-न मिन्हुन्-न उम्महातिकुम् व मा ज-अ़-ल अद्अ़िया-अकुम् अब्ना-अकुम्, ज़ालिकुम् क़ौलुकुम् बिअफ़्वाहिकुम्, वल्लाहु यक़ूलुल्-हक़्-क़ व हु-व यह्दिस्सबील (4) उद्अ़ूहुम् लिआबाइहिम् हु-व अक़्सतु अ़िन्दल्लाहि फ़-इल्लम् तअ़्लमू	अल्लाह ने रखे नहीं किसी मर्द के दो दिल उसके अन्दर और नहीं किया तुम्हारी बीवियों को जिनको माँ कह बैठे हो (सच्ची) माँयें तुम्हारी, और नहीं किया तुम्हारे लेपालकों को तुम्हारे बेटे, यह तुम्हारी बात है मुँह की, और अल्लाह कहता है ठीक बात और वही सुझाता है राह। (4) पुकारो लेपालकों को उनके बाप की तरफ़ निस्बत करके, यही पूरा इन्साफ़ है अल्लाह के यहाँ, फिर अगर न जानते

आबा-अहुम् फ़-इख़्वानुकुम् फ़िद्दीनि व मवालीकुम्, व लै-स अ़लैकुम् जुनाहुन् फ़ीमा अख़्तअ्तुम् बिही व लाकिम्-मा तअ़म्म-दत् क़ुलूबुकुम्, व कानल्लाहु ग़फ़ूरर्-रहीमा (5)	हो उनके बाप को तो तुम्हारे भाई हैं दीन में और साथी हैं, और गुनाह नहीं तुम पर जिस चीज़ में चूक जाओ, पर वह जो दिल से इरादा करो। और है अल्लाह बख़्शने वाला मेहरबान। (5)

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

अल्लाह तआ़ला ने किसी शख़्स के सीने में दो दिल नहीं बनाये, और (इसी तरह) तुम्हारी उन बीवियों को जिनसे तुम ज़िहार कर लेते हो तुम्हारी माँ नहीं बना दिया। और (इसी तरह समझ लो कि) तुम्हारे मुँह-बोले बेटों को तुम्हारा (सचमुच का) बेटा (भी) नहीं बना दिया, यह सिर्फ़ तुम्हारे मुँह से कहने की बात है (जो ग़लत है, हक़ीक़त के मुताबिक़ नहीं) और अल्लाह तआ़ला हक़ बात फ़रमाता है और वही सीधा रास्ता बतलाता है। (और जब मुहँ बोले बेटे वास्तव में तुम्हारे बेटे नहीं तो) तुम उनको (लेपालक बनाने वालों का बेटा मत कहो बल्कि) उनके (असली) बापों की तरफ़ मन्सूब किया करो, यह अल्लाह के नज़दीक रास्ती की बात है। और अगर तुम उनके बापों को न जानते हो तो (उनको अपना भाई या अपना दोस्त कहकर पुकारो, क्योंकि आख़िर) वे तुम्हारे दीन के भाई हैं और तुम्हारे दोस्त हैं, और तुमको इसमें जो भूल-चूक हो जाये तो उससे तो तुम पर कुछ गुनाह न होगा लेकिन हाँ जो दिल से इरादा करके कहो (तो उससे गुनाह होगा), और (उससे भी माफ़ी माँग लो तो माफ़ हो जायेगा, क्योंकि) अल्लाह मग़फ़िरत करने वाला, रहम करने वाला है।

मआ़रिफ़ व मसाईल

इनसे पहले की आयतों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को काफ़िरों व मुनाफ़िक़ों के मश्विरों पर अ़मल न करने और उनकी बात न मानने की हिदायत है। उपर्युक्त आयतों में काफ़िरों में चली हुई तीन रस्मों और बातिल ख़्यालों की तरदीद है। पहली बात यह है कि जाहिलीयत के ज़माने में अ़रब लोग ऐसे शख़्स को जो ज़्यादा ज़हीन हो यह कहा करते थे कि इसके सीने में दो दिल हैं। दूसरे यह कि उनमें अपनी बीवियों के बारे में एक रस्म यह थी कि जिस शख़्स ने अपनी बीवी को अपनी माँ की पीठ या और किसी बदनी अंग से तश्बीह (मिसाल) दी और कह दिया कि तू मेरे लिये ऐसी है जैसे मेरी माँ की पीठ, इसको उनके मुहावरे में ज़िहार कहा जाता था जो ज़ह्र से निकला है ज़ह्र के मायने हैं पीठ। और उनका ख़्याल यह था कि जिस शख़्स ने अपनी बीवी से ज़िहार कर लिया वह हमेशा के लिये उस पर हराम हो गई।

तीसरे यह कि उनमें एक रस्म यह थी कि एक आदमी किसी दूसरे के बेटे को अपना मुतबन्ना (मुँह बोला बेटा) बना लेता था और जो इस तरह बेटा बनाता यह लड़का उसी का बेटा मशहूर हो

जाता और उसी का बेटा कहकर पुकारा जाता था, और उनके नज़दीक यह मुँह बोला बेटा तमाम अहकाम में असल बेटे की तरह माना जाता था, जैसे मीरास में भी उसकी औलाद के साथ सगी औलाद की तरह शरीक होता था और नसबी रिश्ते से जिन औरतों के साथ निकाह हराम होता था ये मुँह बोले बेटे के रिश्ते को भी ऐसा ही क़रार देते। मस्लन जैसे अपने सगे और असली बेटे की बीवी से उसके तलाक़ देने के बाद भी निकाह हराम होता है ये मुँह बोले बेटे की बीवी को भी तलाक़ के बाद उस शख़्स के लिये हराम समझते थे।

जाहिलीयत (इस्लाम से पहले) के ज़माने के ये तीन बातिल ख़्यालात और रस्में थे जिनमें से पहली बात अगरचे मज़हबी अ़क़ीदे या अ़मल से मुताल्लिक़ नहीं थी इसलिये इस्लामी शरीअ़त को इसकी तरदीद की ज़रूरत न थी, यह महज़ बदन की रचना और तिब का मामला था कि इनसान के सीने में एक ही दिल होता है या दो भी होते हैं, इसका बातिल व ग़लत होना बिल्कुल आसान सी बात थी जो सभी को मालूम थी इसलिये शायद इसके ग़लत व बातिल होने के ज़िक्र को भी बाक़ी दो मसलों की ताईद व प्रारंभिका के तौर पर बयान कर दिया गया कि जिस तरह ज़माना जाहिलीयत के लोगों का यह कहना बातिल है कि किसी एक इनसान के सीने में दो दिल हो सकते हैं और इसके ग़लत और बातिल होने को आ़म व ख़ास सभी जानते हैं, इसी तरह ज़िहार और मुँह बोले बेटे के मसलों में भी उनके ख़्यालात बातिल (हक़ीक़त से दूर) हैं।

बाक़ी दो मसले एक ज़िहार दूसरे लेपालक बेटे के अहकाम यह उन सामाजिक और ख़ानदानी मसाईल में से हैं जिनकी इस्लाम में ख़ास अहमियत है, यहाँ तक कि इनमें से निकलने वाली बातें और मसाईल की तफ़सीलात भी हक़ तआ़ला ने क़ुरआन में ख़ुद ही बयान फ़रमाई हैं। दूसरे मामलात की तरह सिर्फ़ उसूल बयान करके तफ़सीली बयान को पैग़म्बर के हवाले नहीं फ़रमाया, इन दोनों मसलों में जाहिलीयत के लोगों ने अपनी बेबुनियाद इच्छाओं से हलाल व हराम और जायज़ व नाजायज़ के ख़ुद गढ़े हुए क़ानून बना रखे थे, दीने हक़ का फ़र्ज़ था कि वह इन बातिल रस्मों व ख़्यालों का बातिल व ग़लत होना ज़ाहिर करके हक़ बात स्पष्ट करे। इसलिये बयान फ़रमायाः

وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ الّٰئِىْ تُظٰهِرُوْنَ مِنْهُنَّ أُمَّهٰتِكُمْ.

यानी तुम्हारा यह ख़्याल ग़लत है कि अगर किसी ने बीवी को माँ के बराबर या जैसी कह दिया तो वह असली माँ की तरह हमेशा के लिये उस पर हराम हो गई। तुम्हारे कहने से बीवी हक़ीक़त में माँ नहीं हो जाती, तुम्हारी माँ तो वही है जिससे तुम पैदा हुए हो। इस आयत ने जाहिलीयत के लोगों के इस ख़्याल को तो बातिल कर दिया कि ज़िहार करने से हमेशा के लिये हुर्मत (हराम होना) नहीं होती। आगे यह बात कि ऐसा कहने पर कोई शरई असर मुरत्तब होता है या नहीं? इसका हुक्म मुस्तक़िल सूरः मुजादला में बतलाया गया है कि ऐसा कहना गुनाह है, इससे परहेज़ वाजिब है, और ऐसा कहने वाला अगर ज़िहार का कफ़्फ़ारा अदा कर दे तो बीवी उसके लिये हलाल हो जाती है। ज़िहार के कफ़्फ़ारे की तफ़सील सूरः मुजादला में आयेगी।

दूसरा मसला मुतबन्ना (मुँह बोले) बेटे का था उसके मुताल्लिक़ फ़रमायाः

وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَآءَ كُمْ أَبْنَآءَ كُمْ.

'अद्‌अ़िया' दअ़िय्युन' की जमा (बहुवचन) है। 'दअ़िय्युन' वह लड़का है जिसको मुँह बोला बेटा कहा जाता है। मतलब यह है कि जिस तरह एक इनसान के पहलू में दो दिल नहीं होते और जिस तरह बीवी को माँ के जैसा कहने से बीवी माँ नहीं बन जाती, इसी तरह मुँह बोला बेटा तुम्हारा बेटा नहीं बन जाता। यानी दूसरे बेटों के साथ न वह मीरास में शरीक होगा और न निकाह हराम होने के मसाईल उस पर लागू होंगे कि बेटे की तलाक़ दी हुई बीवी बाप पर हमेशा के लिये हराम है तो मुतबन्ना (मुँह बोले) बेटे की बीवी भी हराम हो।

और चूँकि इस आख़िरी मामले का असर बहुत से मामलात पर पड़ता है इसलिये यह हुक्म नाफ़िज़ कर दिया गया कि मुतबन्ना बेटे को जब पुकारो या उसका ज़िक्र करो तो उसके असली बाप की तरफ़ मन्सूब करके ज़िक्र करो। जिसने बेटा बना लिया है उसका बेटा कहकर ख़िताब न करो क्योंकि इससे बहुत से मामलात में शुब्हा व मुग़ालता पैदा हो जाने का ख़तरा है।

सही बुख़ारी व मुस्लिम वग़ैरह में हज़रत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अ़न्हु की हदीस है कि इस आयत के नाज़िल होने से पहले हम ज़ैद बिन हारिसा को ज़ैद बिन मुहम्मद कहा करते थे (क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने उनको मुतबन्ना बना लिया था) इस आयत के उतरने के बाद हमने यह आ़दत छोड़ दी।

मसलाः इससे मालूम हुआ कि अक्सर आदमी जो दूसरों के बच्चों को बेटा कहकर पुकारते हैं जबकि महज़ शफ़क़त की वजह से हो लेपालक क़रार देने की वजह से न हो तो यह अगरचे जायज़ है मगर फिर भी बेहतर नहीं, कि सूरतन मनाही में दाख़िल है। (तफ़सीर रूहुल-मआ़नी)

और यही वह मामला है जिसने अ़रब के क़ुरैश को मुग़ालते में डालकर एक बहुत बड़े ज़बरदस्त गुनाह का करने वाला बना दिया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम पर यह इल्ज़ाम लगाने लगे कि आपने अपने बेटे की तलाक़ दी हुई बीवी से निकाह कर लिया, हालाँकि वह आपके बेटे न थे बल्कि मुतबन्ना (लेपालक) थे जिसका ज़िक्र इसी सूरत में आगे आने वाला है।

اَلنَّبِيُّ اَوْلٰى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ وَاَزْوَاجُهٗٓ اُمَّهٰتُهُمْ ؕ وَاُولُوا الْاَرْحَامِ بَعْضُهُمْ اَوْلٰى بِبَعْضٍ فِيْ كِتٰبِ اللّٰهِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُهٰجِرِيْنَ اِلَّآ اَنْ تَفْعَلُوْٓا اِلٰٓى اَوْلِيٰٓئِكُمْ مَّعْرُوْفًا ؕ كَانَ ذٰلِكَ فِي الْكِتٰبِ مَسْطُوْرًا ۝

अन्नबिय्यु औला बिल्मुअ्मिनी-न मिन् अन्फ़ुसिहिम् व अज़्वाजुहू उम्महातुहुम्, व उलुल्-अर्हामि बअ्ज़ुहुम् औला बि-बअ्ज़िन् फ़ी किताबिल्लाहि मिनल्-मुअ्मिनी-न	नबी से लगाव है ईमान वालों को ज़्यादा अपनी जान से, और उसकी औरतें उनकी माँयें हैं, और क़राबत वाले एक दूसरे से लगाव रखते हैं अल्लाह के हुक्म में ज़्यादा सब ईमान वालों और हिजरत करने वालों

वल्मुहाजिरी-न इल्ला अन् तफ़्अलू इला औलिया-इकुम् मअ्रूफ़न्, का-न ज़ालि-क फ़िल्-किताबि मस्तूरा (6)	से मगर यह कि करना चाहो अपने रफ़ीक़ों से एहसान, यह है किताब में लिखा हुआ। (6)

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) मोमिनों के साथ ख़ुद उनके नफ़्स (और ज़ात) से भी ज़्यादा ताल्लुक़ रखते हैं (क्योंकि इनसान का नफ़्स तो कभी उसको नफ़ा पहुँचाता है कभी नुक़सान, क्योंकि अगर नफ़्स अच्छा है अच्छे कामों की तरफ़ चलता है तो नफ़ा है और बुरे कामों की तरफ़ चलने लगे तो ख़ुद अपना नफ़्स ही अपने लिये मुसीबत बन जाता है, बख़िलाफ़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के कि आपकी तालीम नफ़ा ही नफ़ा और ख़ैर ही ख़ैर है। और अपना नफ़्स अगर अच्छा भी हो और नेकी ही की तरफ़ चलता हो फिर भी उसका नफ़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के नफ़े के बराबर नहीं हो सकता। क्योंकि अपने नफ़्स को तो भलाई व बुराई और फ़ायदे व नुक़सान में मुग़ालता भी हो सकता है, और उसको नफ़े व नुक़सान का पूरा इल्म भी नहीं, बख़िलाफ़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के कि आपकी तालीमात में किसी मुग़ालते का ख़तरा नहीं। और जब नफ़ा पहुँचाने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम हमारी जान और हमारे नफ़्स से भी ज़्यादा हैं तो उनका हक़ हम पर हमारी जान से ज़्यादा है, और वह हक़ यही है कि आपकी हर काम में इताअत करें और आपका एहतिराम व सम्मान तमाम मख़्लूक़ात से ज़्यादा करें) और आपकी बीवियाँ उन (मोमिनों) की माँएँ हैं (यानी ऊपर बयान हुई तक़रीर से मालूम हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम मोमिनों के लिये रूहानी बाप हैं जो उनकी अपनी ज़ात से भी ज़्यादा उन पर शफ़ीक़ व मेहरबान हैं। इसी मुनासबत से आपकी पाक बीवियाँ उम्मत की माँएँ हो गईं यानी एहतिराम व सम्मान में उनका हक़ माँओं की तरह है।

इस आयत ने नबी करीम सल्ल. की पाक बीवियों को स्पष्ट रूप से उम्मत की माँएँ और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को इशारतन् उम्मत के रूहानी बाप क़रार दे दिया, तो इससे भी इसी तरह का एक धोखा व मुग़ालता हो सकता था जिस तरह का शुब्हा व मुग़ालता मुँह बोले बेटे को उसके ग़ैर-असली बाप की तरफ़ मनसूब करने में होता था, जिससे यह नतीजा निकाला जा सकता था कि उम्मत के मुसलमान सब आपस में असली भाई-बहन हो जायें तो उनमें आपस में निकाह का ताल्लुक़ हराम हो जाये, और मीरास के अहकाम में भी हर मुसलमान दूसरे का वारिस क़रार दिया जाये, इस धोखे और मुग़ालते को दूर करने के लिये आयत के आख़िर में फ़रमा दियाः

أُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ......... الاية

यानी) रिश्तेदार अल्लाह की किताब (यानी शरई हुक्म) में एक-दूसरे से (मीरास का) दूसरे मोमिनों और मुहाजिरों के मुक़ाबले में ज़्यादा ताल्लुक़ रखते हैं बनिस्बत दूसरे मोमिनों और मुहाजिरीन के, मगर यह कि तुम अपने (उन) दोस्तों से (वसीयत के तौर पर) कुछ सुलूक करना चाहो तो वह जायज़ है।

यह बात लौह-ए-महफ़ूज़ में लिखी जा चुकी है (कि शुरू में हिजरत में ईमानी भाईचारे की बिना पर मुहाजिरीन को अन्सार की मीरास का हक़दार बना दिया गया था मगर आख़िरकार मीरास की तक़सीम रिश्तेदारी और अरहाम ''यानी औरत की तरफ़ की रिश्तेदारी'' की बुनियाद पर रहेगी)।

मआरिफ़ व मसाईल

जैसा कि पहले बयान हो चुका है सूरः अहज़ाब में ज़्यादातर मज़ामीन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के सम्मान और आपको तकलीफ़ पहुँचाने के हराम होने से मुताल्लिक़ हैं। सूरत के शुरू में मुश्रिक व मुनाफ़िक़ लोगों की तकलीफ़ें पहुँचाने का ज़िक्र करके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को हिदायत दी गई थी, उसके बाद जाहिलीयत की तीन रस्मों का बातिल और ग़लत होना बयान किया गया जिनमें से आख़िरी रस्म का ताल्लुक़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की तकलीफ़ से था, क्योंकि काफ़िरों ने हज़रत ज़ैद रज़ियल्लाहु अ़न्हु की तलाक़ दी हुई बीवी ज़ैनब रज़ियल्लाहु अ़न्हा से नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के निकाह के वक़्त इसी अपनी जाहिलाना रस्म मुँह बोला बेटा बनाने की बिना पर आप पर यह इल्ज़ाम लगाया कि आपने अपने बेटे की तलाक़ शुदा बीवी से निकाह कर लिया। इस तरह सूरत के शुरू से यहाँ तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को तकलीफ़ देने से मुताल्लिक़ मज़मून था। इस उक्त आयत में आपके सम्मान व इताअ़त तमाम मख़्लूक़ से ज़्यादा वाजिब होना बयान किया गया है।

اَلنَّبِیُّ اَوْلٰی بِالْمُؤْمِنِیْنَ

'औला बिल्-मुअ्मिनी-न' का जो मतलब ख़ुलासा-ए-तफ़सीर में बयान किया गया है वह इब्ने अ़तिया वग़ैरह का क़ौल है जिसको अ़ल्लामा क़ुर्तुबी और अक्सर मुफ़स्सिरीन ने इख़्तियार किया है। इसका हासिल यह है कि आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम का हुक्म हर मुसलमान के लिये अपने माँ-बाप से भी ज़्यादा वाजिबुत्तामील (अ़मल करने के लिये ज़रूरी) है। अगर माँ-बाप आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के किसी हुक्म के ख़िलाफ़ कहें उनका कहना मानना जायज़ नहीं, इसी तरह ख़ुद अपने नफ़्स की तमाम इच्छाओं पर भी आपके हुक्म की तामील पहले है।

सही बुख़ारी वग़ैरह में हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु की हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमायाः

مَامِنْ مُّؤْمِنٍ اِلَّا وَاَنَا اَوْلَی النَّاسِ بِهٖ فِی الدُّنْیَا وَالْاٰخِرَةِ اِقْرَءُ وْآ اِنْ شِئْتُمْ اَلنَّبِیُّ اَوْلٰی بِالْمُؤْمِنِیْنَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ.

''यानी कोई मोमिन ऐसा नहीं जिसके लिये मैं दुनिया व आख़िरत में सारे इनसानों से ज़्यादा औला और ज़्यादा क़रीब न हूँ। अगर तुम्हारा दिल चाहे तो इसकी तस्दीक़ के लिये क़ुरआन की यह आयत पढ़ लो- ''अन्नबिय्यु औला बिल्-मुअ्मिनी-न।''

जिसका हासिल यह है कि मैं हर मोमिन मुसलमान पर सारी दुनिया से ज़्यादा शफ़ीक़ व मेहरबान हूँ और यह ज़ाहिर है कि इसका लाज़िमी असर यह होना चाहिये कि हर मोमिन को आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की मुहब्बत सबसे ज़्यादा हो, जैसा कि हदीस में यह भी इरशाद हैः

لَا یُؤْمِنُ اَحَدُکُمْ حَتّٰی اَکُوْنَ اَحَبَّ اِلَیْهِ مِنْ وَّالِدِهٖ وَوَلَدِهٖ وَالنَّاسِ اَجْمَعِیْنَ. (بخاری و مسلم، مظهری)

"यानी तुम में से कोई उस वक़्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक उसके दिल में मेरी मुहब्बत अपने बाप, बेटे और सब इनसानों से ज़्यादा न हो जाये।"

وَاَزْوَاجُهٗٓ اُمَّهٰتُهُمْ

नबी करीम की पाक बीवियों को उम्मत की माँयें फ़रमाने से मुराद एहतिराम व सम्मान के एतिबार से माँयें होना है। माँ और औलाद के दूसरे अहकाम निकाह के हराम होने और मेहरम होने की वजह से आपस में पर्दा न होना और मीरास में हिस्सेदार होना वग़ैरह ये अहकाम इससे संबन्धित नहीं, जैसा कि आयत के आख़िर में इसको स्पष्ट कर दिया गया है। और नबी करीम की पाक बीवियों से किसी उम्मती का निकाह हराम होना वह एक मुस्तक़िल आयत में अलग बयान फ़रमाया गया है इसलिये यह ज़रूरी नहीं कि यह हुर्मत भी माँयें होने की वजह से हो।

मसलाः उक्त आयत से साबित हुआ कि नबी करीम की पाक बीवियों में से किसी की शान में कोई ज़रा सी बेअदबी इसलिये भी हराम है कि वे उम्मत की मायें हैं, और इसलिये भी कि उनकी तकलीफ़ से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को तकलीफ़ पहुँचेगी जो सख़्त दर्जे का हराम है।

وَاُولُوا الْاَرْحَامِ بَعْضُهُمْ اَوْلٰى بِبَعْضٍ

"उलुल्-अरहाम" के लफ़्ज़ी मायने सब रिश्तेदारों और क़राबतदारों को शामिल हैं, चाहे वे लोग हों जिनको फ़ुक़हा असबात के नाम से ताबीर करते हैं या वे जिनको ख़ास इस्तिलाह के एतिबार से असबात के मुक़ाबले में उलुल्-अरहाम कहते हैं। क़ुरआने करीम में यह फ़िक़्ही इस्तिलाह जो बाद में इख़्तियार की गई है, मुराद नहीं।

मतलब यह है कि रसूल सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम और उनकी बीवियों का ताल्लुक़ उम्मत के मोमिनों से अगरचे इस दर्जा है कि माँ-बाप से भी पहले है मगर मीरास के अहकाम में इसका कोई दख़ल नहीं, बल्कि मीरास नसबी और क़राबती रिश्तों की बुनियाद पर ही तक़सीम की जायेगी।

मीरास की हिस्सेदारी शुरू इस्लाम में ईमानी और रूहानी रिश्ते की बुनियाद पर थी बाद में इसको निरस्त और ख़त्म करके क़राबती रिश्तों की बुनियाद पर कर दी गई, जिसकी तफ़सील क़ुरआने करीम ने ख़ुद बतला दी है, यह पूरी तफ़सील नासिख़ और मन्सूख़ आयतों की सूरः अनफ़ाल में गुज़र चुकी है और 'मिनल्-मोमिनीन' के बाद "वल्-मुहाजिरी-न" का ज़िक्र करना इस सूरत में उनके ख़ुसूसी दर्जे और विशेषता को बतलाने के लिये है।

और कुछ हज़रात ने फ़रमाया कि यहाँ मोमिनों से मुराद अन्सार और मुहाजिरों से मुराद क़ुरैश हैं। मुहाजिरों की तुलना से मोमिनों का लफ़्ज़ अन्सार के लिये होना मालूम हो गया। इस सूरत में यह आयत हिजरत की वजह से वारिस बनने के लिये नासिख़ (हुक्म को निरस्त करने वाली) होगी, क्योंकि हिजरत की शुरूआत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने मुहाजिरों व अनसार के बीच भाईचारा कराकर उनमें आपस में विरासत जारी होने का भी हुक्म दिया था, इस आयत ने हिजरत वाली उस विरासत को भी मन्सूख़ (ख़त्म) कर दिया। (तफ़सीरे क़ुर्तुबी)

اِلَّآ اَنْ تَفْعَلُوْٓا اِلٰٓى اَوْلِيٰٓئِكُمْ مَّعْرُوْفًا.

यानी विरासत तो सिर्फ़ रिश्तेदारी के ताल्लुक़ से मिलेगी, ग़ैर-रिश्तेदार वारिस नहीं होगा। मगर ईमानी भाईचारे की बिना पर जिन लोगों से ताल्लुक़ हो उनको कुछ देना चाहो तो इसका बहरहाल इख़्तियार है, अपनी ज़िन्दगी में भी हदिये-तोहफ़े के तौर पर उनको दे सकते हो और मौत के बाद उनके लिये वसीयत भी कर सकते हैं।

وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّنَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ
وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ۖ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ۝ لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ ۚ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ
عَذَابًا أَلِيمًا ۝

ع ٨ / ١٧

व इज़् अख़ज़्ना मिनन्नबिय्यी-न मीसा-क़हुम् व मिन्-क व मिन्-नूहिंव्-व इब्राही-म व मूसा व अ़ीसब्नि मर्-य-म व अख़ज़्ना मिन्हुम् मीसाक़न् ग़लीज़ा (7) लियस्अलस्-सादिक़ी-न अ़न् सिद्क़िहिम् व अ-अ़द्-द लिल्काफ़िरी-न अ़ज़ाबन् अलीमा (8) ✿	और जब लिया हमने नबियों से उनका इक़रार और तुझसे और नूह से और इब्राहीम से और मूसा से और ईसा से जो बेटा मरियम का, और लिया हमने उनसे गाढ़ा इक़रार (7) ताकि पूछे अल्लाह सच्चों से उनका सच और तैयार कर रखा है मुन्किरों के लिये दर्दनाक अ़ज़ाब। (8) ✿

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

और (वह वक़्त क़ाबिले ज़िक्र है) जबकि हमने तमाम पैग़म्बरों से उनका इक़रार लिया (कि अल्लाह के अहकाम की पैरवी करें, जिनमें अल्लाह की मख़्लूक़ को तब्लीग़ व दावत और आपसी सहयोग व मदद भी दाख़िल है) और (उन पैग़म्बरों में) आप से भी (इक़रार लिया) और नूह (अ़लैहिस्सलाम) और इब्राहीम (अ़लैहिस्सलाम) और मूसा और ईसा बिन मरियम (अ़लैहिस्सलाम) से भी, और (यह कोई मामूली अ़हद व इक़रार नहीं था बल्कि) हमने उन सबसे ख़ूब पक्का अ़हद लिया ताकि (क़ियामत के दिन) उन सच्चे लोगों से (यानी अम्बिया अ़लैहिमुस्सलाम से) उनके सच की तहक़ीक़ात करे, (ताकि उनका रुतबा व सम्मान बढ़ाये और न मानने वालों पर हुज्जत पूरी हो जाये, उस अ़हद और उसकी तहक़ीक़ात से दो बातों का वाजिब होना साबित हो गया कि वही वाले पर अपनी वही की पैरवी वाजिब है, और जो आ़म लोग वही वाले नहीं उन पर अपने वही वाले पैग़म्बर की पैरवी का वाजिब होना) और काफ़िरों के लिये (जो वही वाले यानी पैग़म्बर की पैरवी से विमुख हैं) अल्लाह तआ़ला ने दर्दनाक अ़ज़ाब तैयार कर रखा है।

मआरिफ़ व मसाईल

सूरत के शुरू में नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को अपनी वही की पैरवी का हुक्म दिया गया है:

وَاتَّبِعْ مَا يُوْحٰى اِلَيْكَ

और ऊपर गुज़री आयत नम्बर 6 'अन्नबिय्यु औला बिल्मुअ्मिनी-न.....' में मोमिनों पर पैग़म्बर के अहकाम की तामील वाजिब की गई है, इन्हीं दोनों बातों को और ज़्यादा साबित व ज़ाहिर करने के लिये उक्त दोनों आयतों में भी दो मज़मून बयान हुए हैं यानी पैग़म्बर को अपनी वही (अल्लाह की तरफ़ से आये हुए पैग़ाम) की पैरवी और जिस पर वही न आये (यानी उम्मती को) वही वाली (यानी पैग़म्बर) की पैरवी करना वाजिब है।

नबियों का अ़हद व इक़रार

ऊपर बयान हुई आयत में जो अम्बिया अ़लैहिमुस्सलाम से अ़हद व इक़रार लेने का ज़िक्र है, वह उस आ़म इक़रार के अ़लावा है जो सारी मख़्लूक़ से लिया गया है जैसा कि मिश्कात शरीफ़ में इमाम अहमद की रिवायत से मरफ़ूअ़न आया है कि:

خُصُّوْا بِمِيْثَاقِ الرِّسَالَةِ وَالنُّبُوَّةِ وَهُوَ قَوْلُهٗ تَعَالٰى وَاِذْ اَخَذْنَا مِنَ النَّبِيّٖنَ مِيْثَاقَهُمْ......... الاية

यह अ़हद अम्बिया अ़लैहिमुस्सलाम से नुबुव्वत व रिसालत के फ़राईज़ अदा करने और आपस में एक दूसरे की तस्दीक़ और मदद करने का अ़हद था जैसा कि इमाम इब्ने जरीर व इब्ने अबी हातिम वग़ैरह ने हज़रत क़तादा रह. से रिवायत किया है, और एक रिवायत में अम्बिया के इस अ़हद में यह भी शामिल था कि वे सब इसका भी ऐलान करें कि:

مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ لَا نَبِيَّ بَعْدَهٗ

''यानी मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम अल्लाह के रसूल हैं और ख़ातिमुल-अम्बिया हैं, आपके बाद कोई नबी नहीं होगा।''

और अम्बिया का यह अ़हद व इक़रार भी अज़ल (कायनात के पहले दिन) में उसी वक़्त लिया गया जबकि आ़म मख़्लूक़ से 'अलस्तु बि-रब्बिकुम्' (क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ) का अ़हद लिया गया था। (रूहुल-मआ़नी व तफ़सीरे मज़हरी)

وَمِنْكَ وَمِنْ نُّوْحٍ.................... الاية

अम्बिया अ़लैहिमुस्सलाम का आ़म ज़िक्र करने के बाद उनमें से पाँच अम्बिया का ख़ुसूसी ज़िक्र उनके उस ख़ास मक़ाम व मर्तबे और विशेषता की बिना पर किया गया जो उनको अम्बिया की जमाअ़त में हासिल है, और उनमें भी लफ़्ज़ ''मिन्-क'' में नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के ज़िक्र को औरों से आगे किया गया अगरचे आपका तशरीफ़ लाना सब के बाद है। वजह इसकी ख़ुद हदीस में यह बयान फ़रमाई है:

كُنْتُ اَوَّلَ النَّاسِ فِي الْخَلْقِ وَاٰخِرَهُمْ فِي الْبَعْثِ (رواه ابن سعد وابونعيم في الحلية عن ميسرة الفجر والطبراني في الكبير عن ابن عباسؓ۔ مظهري)

"यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि मैं पैदाईश व वजूद में सारे इनसानों से पहला हूँ और भेजे जाने व नुबुव्वत में सबसे आख़िर (यानी बाद में)।"

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ جَآءَتْكُمْ جُنُوْدٌ فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيْحًا
وَّجُنُوْدًا لَّمْ تَرَوْهَا ۭ وَكَانَ اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرًا ۝ اِذْ جَآءُوْكُمْ مِّنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ اَسْفَلَ مِنْكُمْ وَاِذْ
زَاغَتِ الْاَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوْبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّوْنَ بِاللّٰهِ الظُّنُوْنَا ۝ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُوْنَ وَزُلْزِلُوْا
زِلْزَالًا شَدِيْدًا ۝ وَاِذْ يَقُوْلُ الْمُنٰفِقُوْنَ وَالَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗۤ
اِلَّا غُرُوْرًا ۝ وَاِذْ قَالَتْ طَّاۗىِٕفَةٌ مِّنْهُمْ يٰۤاَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوْا ۚ وَيَسْتَاْذِنُ فَرِيْقٌ
مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُوْلُوْنَ اِنَّ بُيُوْتَنَا عَوْرَةٌ ڔ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ ڔ اِنْ يُّرِيْدُوْنَ اِلَّا فِرَارًا ۝ وَلَوْ دُخِلَتْ
عَلَيْهِمْ مِّنْ اَقْطَارِهَا ثُمَّ سُىِٕلُوا الْفِتْنَةَ لَاٰتَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُوْا بِهَاۤ اِلَّا يَسِيْرًا ۝ وَلَقَدْ كَانُوْا عَاهَدُوا
اللّٰهَ مِنْ قَبْلُ لَا يُوَلُّوْنَ الْاَدْبَارَ ۭ وَكَانَ عَهْدُ اللّٰهِ مَسْـُٔوْلًا ۝ قُلْ لَّنْ يَّنْفَعَكُمُ الْفِرَارُ اِنْ فَرَرْتُمْ مِّنَ
الْمَوْتِ اَوِ الْقَتْلِ وَاِذًا لَّا تُمَتَّعُوْنَ اِلَّا قَلِيْلًا ۝ قُلْ مَنْ ذَا الَّذِيْ يَعْصِمُكُمْ مِّنَ اللّٰهِ اِنْ اَرَادَ بِكُمْ
سُوْۗءًا اَوْ اَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً ۭ وَلَا يَجِدُوْنَ لَهُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلِيًّا وَّلَا نَصِيْرًا ۝ قَدْ يَعْلَمُ اللّٰهُ
الْمُعَوِّقِيْنَ مِنْكُمْ وَالْقَاۗىِٕلِيْنَ لِاِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ اِلَيْنَا ۚ وَلَا يَاْتُوْنَ الْبَاْسَ اِلَّا قَلِيْلًا ۝ اَشِحَّةً عَلَيْكُمْ ښ
فَاِذَا جَاۗءَ الْخَوْفُ رَاَيْتَهُمْ يَنْظُرُوْنَ اِلَيْكَ تَدُوْرُ اَعْيُنُهُمْ كَالَّذِيْ يُغْشٰى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ ۚ فَاِذَا
ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوْكُمْ بِاَلْسِنَةٍ حِدَادٍ اَشِحَّةً عَلَي الْخَيْرِ ۭ اُولٰۗىِٕكَ لَمْ يُؤْمِنُوْا فَاَحْبَطَ اللّٰهُ اَعْمَالَهُمْ ۭ
وَكَانَ ذٰلِكَ عَلَي اللّٰهِ يَسِيْرًا ۝ يَحْسَبُوْنَ الْاَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوْا ۚ وَاِنْ يَّاْتِ الْاَحْزَابُ يَوَدُّوْا لَوْ اَنَّهُمْ
بَادُوْنَ فِي الْاَعْرَابِ يَسْاَلُوْنَ عَنْ اَنْۢبَاۗىِٕكُمْ ۭ وَلَوْ كَانُوْا فِيْكُمْ مَّا قٰتَلُوْٓا اِلَّا قَلِيْلًا ۝ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ
فِيْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْاٰخِرَ وَذَكَرَ اللّٰهَ كَثِيْرًا ۝ وَلَمَّا رَاَ الْمُؤْمِنُوْنَ
الْاَحْزَابَ ۙ قَالُوْا ھٰذَا مَا وَعَدَنَا اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ وَصَدَقَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ ۡ وَمَا زَادَهُمْ اِلَّآ اِيْمَانًا
وَّتَسْلِيْمًا ۝ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ رِجَالٌ صَدَقُوْا مَا عَاهَدُوا اللّٰهَ عَلَيْهِ ۚ فَمِنْهُمْ مَّنْ قَضٰى نَحْبَهٗ وَمِنْهُمْ
مَّنْ يَّنْتَظِرُ ڮ وَمَا بَدَّلُوْا تَبْدِيْلًا ۝ لِّيَجْزِيَ اللّٰهُ الصّٰدِقِيْنَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ الْمُنٰفِقِيْنَ اِنْ شَاۗءَ
اَوْ يَتُوْبَ عَلَيْهِمْ ۭ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ۝ وَرَدَّ اللّٰهُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوْا خَيْرًا ۭ وَ

ع ٢ ١٨

كَفَى اللّٰهُ الْمُؤْمِنِيْنَ الْقِتَالَ ۚ وَكَانَ اللّٰهُ قَوِيًّا عَزِيْزًا ۚ وَاَنْزَلَ الَّذِيْنَ ظَاهَرُوْهُمْ مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ مِنْ صَيَاصِيْهِمْ وَقَذَفَ فِيْ قُلُوْبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيْقًا تَقْتُلُوْنَ وَتَاْسِرُوْنَ فَرِيْقًا ۚ وَاَوْرَثَكُمْ اَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ وَاَرْضًا لَّمْ تَطَـُٔوْهَا ۚ وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرًا

या अय्युहल्लज़ी-न आमनुज़्कुरू निअ्-मतल्लाहि अ़लैकुम् इज़् जाअत्कुम् जुनूदुन् फ़-अर्सल्ना अ़लैहिम् रीहंव्-व जुनूदल्-लम् तरौहा, व कानल्लाहु बिमा तअ्मलू-न बसीरा (9) इज़् जाऊकुम् मिन् फ़ौक़िकुम् व मिन् अस्फ़-ल मिन्कुम् व इज़् ज़ा-ग़तिल्-अब्सारु व ब-ल-ग़तिल् क़ुलूबुल्-हनाजि-र व तज़ुन्नू-न बिल्लाहिज़्ज़ुनूना (10) हुनालिकब्-तुलियल्-मुअ्मिनू-न व ज़ुल्ज़िलू ज़िल्ज़ालन् शदीदा (11) व इज़् यक़ूलुल्-मुनाफ़िक़ू-न वल्लज़ी-न फ़ी क़ुलूबिहिम् म-रज़ुम् मा व-अ़-दनल्लाहु व रसूलुहू इल्ला ग़ुरूरा (12) व इज़् क़ालत्ताइ-फ़तुम् मिन्हुम् या अह्-ल यस्रि-ब ला मुक़ा-म लकुम् फ़र्जिऊ व यस्तअ्ज़िनु फ़रीक़ुम् मिन्हुमुन्-नबिय्-य यक़ूलू-न इन्-न बुयूतना औ-रतुन्, व मा हि-य बिऔ़-रतिन्, इंय्युरीदू-न इल्ला फ़िरारा (13)	ऐ ईमान वालो! याद करो एहसान अल्लाह का अपने ऊपर जब चढ़ आईं तुम पर फ़ौजें फिर हमने भेज दी उन पर हवा और वो फ़ौजें जो तुमने नहीं देखीं, और है अल्लाह जो कुछ करते हो देखने वाला। (9) जब चढ़ आये तुम पर ऊपर की तरफ़ से और नीचे से और जब बदलने लगें आँखें और पहुँचे दिल गलों तक और अटकल करने लगे तुम अल्लाह पर तरह तरह की अटकलें। (10) वहाँ जाँचे गये ईमान वाले और झड़झड़ाये गये ज़ोर का झड़झड़ाना। (11) और जब कहने लगे मुनाफ़िक़ और जिनके दिलों में रोग है जो वायदा किया था हम से अल्लाह ने और उसके रसूल ने सब फ़रेब था। (12) और जब कहने लगी एक जमाअ़त उनमें ऐ यसरिब वालो! तुम्हारे लिये ठिकाना नहीं सो फिर चलो, और रुख़्सत माँगने लगा एक फ़िर्क़ा उनमें नबी से, कहने लगे हमारे घर खुले पड़े हैं, और वो खुले नहीं पड़े, उन की कोई ग़र्ज़ नहीं मगर भाग जाना। (13)

व लौ दुख़िलत् अलैहिम् मिन् अक़्तारिहा सुम्-म सुइलुल्-फ़ित्-न-त लआतौहा व मा तलब्बसू बिहा इल्ला यसीरा (14) व ल-क़द् कानू आ-हदुल्ला-ह मिन् क़ब्लु ला युवल्लूनल्-अद्बा-र, व का-न अ़ह्दुल्लाहि मस्ऊला (15) क़ुल् लंय्यन्फ़-अ़कुमुल्-फ़िरारु इन् फ़रर्तुम् मिनल्-मौति अविल्-क़त्लि व इज़ल् ला तुमत्तअू-न इल्ला क़लीला (16) क़ुल् मन् ज़ल्लज़ी यअ्सिमुकुम् मिनल्लाहि इन् अरा-द बिकुम् सूअन् औ अरा-द बिकुम् रह्म-तन्, व ला यजिदू-न लहुम् मिन् दूनिल्लाहि वलिय्यंव्-व ला नसीरा (17) क़द् यअ्लमुल्लाहुल्-मुअ़व्विक़ी-न मिन्कुम् वल्क़ाइली-न लि-इख़्वानिहिम् हलुम्-म इलैना व ला यअ्तूनल्-बअ्-स इल्ला क़लीला (18) अशिह्ह-तन् अ़लैकुम् फ़-इज़ा जाअल्-ख़ौफ़ु रऐ-तहुम् यन्ज़ुरू-न इलै-क तदूरु अअ्युनुहुम् कल्लज़ी युग़्शा अ़लैहि मिनल्-मौति फ़-इज़ा ज़-हबल्-ख़ौफ़ु स-लक़ूकुम् बि-अल्सि-नतिन् हिदादिन् अशिह्ह-तन् अ़लल्-ख़ैरि, उलाइ-क

और अगर शहर में कोई घुस आये उन पर उसके किनारों से फिर उनसे चाहे दीन से बिचलना तो मान लें और देर न करें उसमें मगर थोड़ी। (14) और इक़रार कर चुके थे अल्लाह से पहले कि न फेरेंगे पीठ, और अल्लाह के क़रार की पूछ होती है। (15) तू कह कुछ काम न आयेगा तुम्हारे यह भागना अगर भागोगे मरने से या मारे जाने से, और फिर भी फल न पाओगे मगर थोड़े दिनों। (16) तू कह कौन है तुमको बचाये अल्लाह से अगर चाहे तुम पर बुराई या चाहे तुम पर मेहरबानी, और न पायेंगे अपने वास्ते अल्लाह के सिवाय कोई हिमायती और न मददगार। (17) अल्लाह को ख़ूब मालूम हैं जो अटकाने वाले हैं तुम में और कहते हैं अपने भाईयों को- चले आओ हमारे पास, और लड़ाई में नहीं आते मगर कभी। (18) दरेग़ रखते हैं तुमसे फिर जब आये डर का वक़्त तो तू देखे उनको कि तकते हैं तेरी तरफ़, फिरती हैं उनकी आँखें जैसे किसी पर आये बेहोशी मौत की, फिर जब जाता रहे डर का वक़्त चढ़-चढ़ बोलें तुम पर तेज़-तेज़ ज़बानों से, ढले पड़ते हैं

लम् युअ्मिनू फ़-अह्बतल्लाहु अअ्मालहुम्, व का-न ज़ालि-क अ़लल्लाहि यसीरा (19) यह्सबूनल्-अह्ज़ा-ब लम् यज़्हबू व इंय्यअ्तिल्-अह्ज़ाबु यवद्दू लौ अन्नहुम् बादू-न फ़िल्-अअ्राबि यस्अलू-न अ़न् अम्बा-इकुम्, व लौ कानू फ़ीकुम् मा का-तलू इल्ला क़लीला (20) ✿
ल-क़द् का-न लकुम् फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन् ह-स-नतुल्-लिमन् का-न यर्जुल्ला-ह वल्यौमल्-आख़ि-र व ज़-करल्ला-ह कसीरा (21) व लम्मा र-अल्-मुअ्मिनूनल् अह्ज़ा-ब क़ालू हाज़ा मा व-अ़-दनल्लाहु व रसूलुहू व स-दक़ल्लाहु व रसूलुहू व मा ज़ा-दहुम् इल्ला ईमानंव्-व तस्लीमा (22) मिनल्-मुअ्मिनी-न रिजालुन् स-दक़ू मा अ़ा-हदुल्ला-ह अ़लैहि फ़मिन्हुम् मन् क़ज़ा नह्-बहू व मिन्हुम् मंय्यन्तज़िरु व मा बद्दलू तब्दीला (23) लियज्ज़ि-यल्लाहुस्सादिक़ी-न बिसिद्क़िहिम् व यु-अ़ज़्ज़िबल्-मुनाफ़िक़ी-न इन् शा-अ औ यतू-ब अ़लैहिम्, इन्नल्ला-ह का-न ग़फ़ूर्रहीमा (24) व रद्दल्लाहुल्लज़ी-न

माल पर, वे लोग यक़ीन नहीं लाये फिर अकारत कर डाले अल्लाह ने उनके काम, और यह है अल्लाह पर आसान। (19) समझते हैं कि काफ़िरों की फ़ौजें नहीं फिर गयीं, और अगर आ जायें वो फ़ौजें तो आरज़ू करें किसी तरह हम बाहर निकले हुए हों गाँव में, पूछ लिया करें तुम्हारी ख़बरें, और अगर हों तुममें लड़ाई न करें मगर बहुत थोड़ी। (20) ✿
तुम्हारे लिये भली थी सीखनी रसूलुल्लाह की चाल उसके लिये जो कोई उम्मीद रखता है अल्लाह की और पिछले दिन की और याद करता है अल्लाह को बहुत ज़्यादा। (21) और जब देखी मुसलमानों ने फ़ौजें बोले यह वही है जो वायदा दिया था हमको अल्लाह ने और उसके रसूल ने, और सच कहा अल्लाह ने और उसके रसूल ने और बढ़ गया यक़ीन और इताअ़त करना। (22) ईमान वालों में कितने मर्द हैं कि सच कर दिखलाया जिस बात का अ़हद किया था अल्लाह से, फिर कोई तो उनमें पूरा कर चुका अपना ज़िम्मा और कोई है उनमें राह देख रहा, और बदला नहीं एक ज़र्रा (23) ताकि बदला दे अल्लाह सच्चों को उनके सच का और अ़ज़ाब करे मुनाफ़िक़ों पर अगर चाहे, या तौबा डाले उनके दिल पर, बेशक अल्लाह है बख़्शने वाला मेहरबान। (24) और फेर दिया अल्लाह ने मुन्किरों को

क-फ़रू बिग़ैज़िहिम् लम् यनालू ख़ैरन्, व कफ़ल्लाहुल्-मुअ्मिनीनल्-क़िता-ल, व कानल्लाहु क़विय्यन् अज़ीज़ा (25) व अन्ज़लल्लज़ी-न ज़ा-हरूहुम् मिन् अह्लिल्-किताबि मिन् सयासीहिम् व क़-ज़-फ़ फ़ी क़ुलूबिहिमुर्-रुअ़्-ब फ़रीक़न् तक़्तुलू-न व तअ्सिरू-न फ़रीक़ा (26) व औ-र-सकुम् अर्-ज़हुम् व दिया-रहुम् व अम्वा-लहुम् व अर्ज़ल्-लम् त-तऊहा, व कानल्लाहु अ़ला कुल्लि शैइन् क़दीरा (27) ✿	अपने ग़ुस्से में भरे हुए हाथ न लगी कुछ भलाई, और अपने ऊपर ले ली अल्लाह ने मुसलमानों की लड़ाई, और है अल्लाह ज़ोरावर ज़बरदस्त। (25) और उतार दिया उनको जो उनके पुश्त-पनाह (सहारा) हुए थे किताब वालों में से उनके क़िलों से और डाल दी उनके दिलों में धाक, कितनों को तुम जान से मारने लगे और कितनों को क़ैद कर लिया। (26) और तुमको दिलाई उनकी ज़मीन और उनके घर और उनके माल और एक ज़मीन कि जिस पर नहीं फेरे तुमने अपने क़दम, और अल्लाह सब कुछ कर सकता है। (27) ✿

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

ऐ ईमान वालो! अपने ऊपर अल्लाह का इनाम याद करो, जब तुम पर बहुत-से लश्कर चढ़ आये (यानी उयैना का लश्कर और अबू सुफ़ियान का लश्कर और बनू क़ुरैज़ा के यहूदी) फिर हमने उन पर एक आँधी भेजी (जिसने उनको परेशान कर दिया और उनके ख़ेमे उखाड़कर फेंके) और (फ़रिश्तों की) ऐसी फ़ौज भेजी जो तुमको (आम तौर पर) दिखाई न देती थी (अगरचे कुछ सहाबा किराम जैसे हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने कुछ फ़रिश्तों को इनसानी शक्ल में देखा भी और काफ़िरों के लश्कर में यह जासूसी के लिये गये थे वहाँ यह आवाज़ भी सुनी कि भागो-भागो। और इस वाक़िए में फ़रिश्तों ने क़िताल नहीं किया सिर्फ़ काफ़िरों के दिलों में रौब डालने के लिये भेजे गये थे) और अल्लाह तआ़ला तुम्हारे (उस वक़्त के) आमाल को देखते थे (कि तुमने एक लम्बी-चौड़ी और गहरी खाई खोदने में बड़ी मेहनत उठाई, फिर काफ़िरों के मुक़ाबले के लिये बड़ी हिम्मत के साथ साबित-क़दम रहे और इस पर ख़ुश होकर तुम्हारी इमदाद फ़रमा रहे थे। यह वाक़िआ उस वक़्त हुआ था) जबकि वे (दुश्मन) लोग तुम पर (हर तरफ़ से घेरा डालकर) आ चढ़े थे, ऊपर की तरफ़ से भी और नीचे की तरफ़ से भी (यानी कोई क़बीला मदीने के निचले हिस्से की तरफ़ से और कोई क़बीला उसके ऊपर वाले हिस्से की तरफ़ से) और जबकि आँखें (दहशत के मारे) खुली की खुली रह गई थीं और कलेजे मुँह को आने लगे थे। और तुम लोग अल्लाह के साथ तरह-तरह के गुमान कर रहे थे (जैसा कि परेशानी व सख़्ती के मौक़ों पर तबई तौर पर मुख़्तलिफ़ क़िस्म के ख़्यालात आया करते हैं,

और यह ग़ैर-इख़्तियारी होने की वजह से कोई गुनाह नहीं। और उस कौल के मुवाफ़िक़ है जो आगे ईमान वालों का आयेगा यानीः

هٰذَا مَا وَعَدَنَا اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ وَصَدَقَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ.

क्योंकि इसमें लफ़्ज़ 'हाज़ा' ''यह'' का इशारा लश्करों और जमाअ़तों के चढ़ आने की तरफ़ है, चूँकि इसकी ख़बर अल्लाह तआ़ला की तरफ़ से दे दी गई थी, इसलिये यह तो यक़ीनी था लेकिन अन्जाम इस वाक़िए का नहीं बतलाया गया था इसलिये इसमें ग़ालिब आने और मग़लूब होने की विभिन्न शंकायें पैदा होती थी) उस मौक़े पर मुसलमानों का (पूरा) पूरा इम्तिहान किया गया (जिसमें वे पूरे उतरे) और (सख़्त) ज़लज़ले में डाले गये।

और (यह वाक़िआ़ उस वक़्त हुआ था) जबकि मुनाफ़िक़ और वे लोग जिनके दिलों में (निफ़ाक़ और शक का) रोग है, यूँ कह रहे थे कि हम से तो अल्लाह और उसके रसूल ने धोखे ही का वायदा कर रखा है (जैसा मातब बिन क़ुशैर और उसके साथ वालों ने यह क़ौल उस वक़्त कहा था जबकि खाई खोदते वक़्त कुदाल लगने से कई बार आग का शरारा निकला और हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने हर बार इरशाद फ़रमाया कि मुझको फ़ारस और रोम और शाम को महल इसकी रोशनी में नज़र आये और अल्लाह तआ़ला ने उनकी फ़तह का वायदा फ़रमाया है। जब गिरोहों और जमाअ़तों के एकत्र होने के वक़्त परेशानी हुई तो ये लोग कहने लगे कि यह तो हालत है और इस पर रोम व फ़ारस के फ़तह होने की ख़ुशख़बरियाँ सुना रहे हैं, यह पूरी तरह धोखा है और अगरचे वे इसको अल्लाह का वायदा नहीं समझते थे न आपको रसूल जानते थे, फिर यह कहना 'मा व-अ़-दनल्लाहु व रसूलुहू' या तो सिर्फ़ बात नक़ल करने के दर्जे में है और या बतौर फ़र्ज़ करने और मज़ाक़ उड़ाने के है)। और (यह वाक़िआ़ उस वक़्त का था) जबकि उन (मुनाफ़िक़ों) में से कुछ लोगों ने (लड़ाई में हाज़िर दूसरे लोगों से) कहा कि ऐ यसरिब (यानी मदीना) के लोगो! (यहाँ) ठहरने का मौक़ा नहीं, (क्योंकि यहाँ रहना मौत के मुँह में जाना है) सो (अपने घरों को) लौट चलो। (यह क़ौल औस बिन क़ेती ने कहा था, और भी कुछ लोग इसमें शरीक थे) और कुछ लोग उन (मुनाफ़िक़ों में) नबी (सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम) से (अपने घर वापस जाने की) इजाज़त माँगते थे, कहते थे कि हमारे घर ग़ैर-महफ़ूज़ ''असुरक्षित'' हैं (यानी सिर्फ़ औरतें बच्चे रह गये हैं, दीवारें क़ाबिले इत्मीनान नहीं कभी चोर न आ घुसें। यह क़ौल अबू अ़राबा और बनू हारिसा में के कुछ दूसरे लोगों का था) हालाँकि वे (उनके ख़्याल में) ग़ैर-महफ़ूज़ नहीं हैं (यानी उनको चोरी वग़ैरह का ख़तरा हरगिज़ नहीं और न वापस जाने से यह नीयत है कि उनका क़ाबिले इत्मीनान इन्तिज़ाम करके चले आयेंगे) ये सिर्फ़ भागना ही चाहते हैं और (इनकी यह हालत है कि) अगर मदीना में उसके (सब) किनारों (और हर) तरफ़ से उन पर (जब ये अपने घरों में हों काफ़िरों का) कोई (लश्कर) आ घुसे फिर उनसे फ़साद (यानी मुसलमानों से लड़ने) की दरख़्वास्त की जाये तो ये (फ़ौरन) उस (फ़साद) को मन्ज़ूर कर लें और उन घरों में बहुत ही कम ठहरें (यानी इतना तो रुकें कि कोई उनसे दरख़्वास्त करे और ये मन्ज़ूर करें और उसके बाद वे फ़ौरन ही तैयार हो जायें और मुसलमानों के मुक़ाबले में जा पहुँचें, और कुछ भी घरों का ख़्याल न करें कि हम तो दूसरों को लूट-मार करने जाते हैं, कभी कोई हमारे घर को लूट ले। तो

अगर उनका इरादा वाक़ई हिफ़ाज़त का है तो अब घरों में क्यों नहीं रहे। इससे साफ़ मालूम हुआ कि असल में उनको मुसलमानों से दुश्मनी और काफ़िरों से मुहब्बत है, इसलिये जमाअत की संख्या बढ़ाकर भी मुसलमानों की मदद पसन्द नहीं करते, बाक़ी घरों का तो बहाना है) हालाँकि ये लोग (इससे) पहले खुदा से अ़हद कर चुके थे कि (दुश्मन के मुक़ाबले में) पीठ न फेरेंगे (यह अ़हद उस वक़्त किया था जबकि कुछ लोग जंगे बदर में शिर्कत करने से रह गये थे तो कुछ मुनाफ़िक़ लोग भी मुफ़्त का एहसान जताने के तौर पर कहने लगे कि अफ़सोस! हम शरीक न हुए ऐसा करते वैसा करते, जब वक़्त आया सारी क़लई खुल गई) और अल्लाह से जो (इस क़िस्म का) अ़हद किया जाता है उसकी पूछ होगी।

आप (उनसे) फ़रमा दीजिये कि (तुम जो भागे-भागे फिरते हो जैसा कि अल्लाह तआ़ला ने इरशाद फ़रमाया 'इंय्युरीदू-न इल्ला फ़िरारा' तो) तुमको भागना कुछ फ़ायदेमन्द नहीं हो सकता। अगर तुम मौत से या क़त्ल से भागते हो और इस (भागने की) हालत में सिवाय थोड़े दिनों के (जो कि तयशुदा उम्र का बाक़ी हिस्सा है) और ज़्यादा (ज़िन्दगी से) फ़ायदा उठाने वाले नहीं हो सकते (यानी भागकर उम्र नहीं बढ़ सकती, क्योंकि उसका वक़्त पहले से तयशुदा है, और जब तयशुदा और मुक़र्रर है तो अगर न भागते तो भी वक़्त से पहले मर नहीं सकते। पस न ठहरने और जमे रहने से कोई नुक़सान और न फ़रार होने से कोई नफ़ा, फिर भागना बिल्कुल बेअ़क़्ली है। और इस तक़दीरी मसल की तहक़ीक़ के लिये उनसे) यह भी फ़रमा दीजिए कि वह कौन है जो तुमको खुदा से बचा सके अगर वह तुम्हारे साथ बुराई करना चाहे (मसलन तुमको हलाक करना चाहे तो क्या तुमको कोई बचा सकता है जैसा कि तुम फ़रार को लाभदायक ख़्याल करते हो) या वह कौन है जो खुदा के फ़ज़्ल से तुमको रोक सके अगर वह तुम पर फ़ज़्ल करना चाहे (मसलन वह ज़िन्दा रखना चाहे जो कि दुनियावी रहमत है तो कोई उसका रोकने वाला हो सकता है? जैसा कि तुम्हारा ख़्याल है कि जंग में शरीक रहने का ज़िन्दगी के ख़त्म होने का सबब समझते हो) और (वे लोग सुन रखें कि) खुदा के सिवा न कोई अपना हिमायती पाएँगे (जो नफ़ा पहुँचाये) और न कोई मददगार (जो नुक़सान से बचाये)।

(अब तक़दीर के मसले के बाद फिर मुनाफ़िक़ों की बुरी आ़दतों के बयान का सिलसिला है, यानी) अल्लाह तआ़ला तुम में से उन लोगों को (ख़ूब) जानता है जो (दूसरों को लड़ाई में जाने से) रुकावट बनते हैं और जो अपने (नसबी या वतनी) भाईयों से यूँ कहते हैं कि हमारे पास आ जाओ, (वहाँ अपनी जान क्यों देते हो। यह बात एक शख़्स ने अपने सगे भाई से कही थी। और उस वक़्त यह कहने वाला भुने हुआ गोश्त और रोटी खा रहा था, मुसलमान भाई ने कहा अफ़सोस! तू इस चैन में है और हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ऐसी तकलीफ़ में। वह बोला मियाँ तुम भी यहाँ ही चले आओ) और (उनकी बुज़दिली और हिर्स व कन्जूसी की यह कैफ़ियत है कि) लड़ाई में बहुत ही कम आते हैं (जिसमें ज़रा नाम हो जाये, यह तो उनकी बुज़दिली है और आते भी हैं तो) तुम्हारे हक़ में कन्जूसी लिए हुए (यानी आने में बड़ी नीयत यह होती है कि जंग में हासिल होने वाला सारा माल मुसलमानों को न मिल जाये, नाम के लिये शरीक होने से जंग से हासिल होने वाले माल में हिस्सेदारी का दावा तो किसी दर्जे में कर सकेंगे) सो (जब उनकी बुज़दिली और कन्जूसी दोनों साबित हो गयी हैं तो इस मजमूए का असर यह है कि) जब (कोई) ख़ौफ़ (का मौक़ा) पेश आता है तो उनको देखते हो

कि ये आपकी तरफ़ इस तरह देखने लगते हैं कि उनकी आँखें चकराई जाती हैं, जैसे किसी पर मौत की बेहोशी तारी हो। (यह तो बुज़दिली का असर हुआ) फिर जब वह ख़ौफ़ दूर हो जाता है तो तुमको तेज़-तेज़ ज़बानों से ताने देते हैं, (काफ़िरों से जंग में हासिल होने वाले) माल पर हिर्स लिये हुए (यानी माले ग़नीमत लेने के लिये दिल दुखाने वाली बातें करते हैं कि हम क्यों शरीक न थे, हमारी ही मदद से तुमको यह फ़तह मयस्सर नहीं हुई, यह असर कन्जूसी और हिर्स का है। यह मामला उनका तुमसे है, और अल्लाह तआ़ला के साथ इनका मामला यह है कि) ये लोग (पहले ही से) ईमान नहीं लाये तो अल्लाह तआ़ला ने इनके तमाम (नेक) आमाल (पहले ही से) बेकार कर रखे हैं (आख़िरत में कुछ सवाब न मिलेगा) और यह बात अल्लाह के नज़दीक बिल्कुल आसान है (कोई उसमें आड़े नहीं आ सकता कि हम इन आमाल का सिला देंगे। और यह हालत तो उनकी काफ़िरों की जमाअ़तों और लश्करों के जमा होने के वक़्त थी मगर इनकी बुज़दिली यहाँ तक बढ़ी हुआ है कि लश्करों के चले जाने के बाद भी) इन लोगों का यह ख़्याल है कि (अभी तक) ये लश्कर गये नहीं, और (हद से ज़्यादा कायर्ता से उनकी यह हालत है कि) अगर (फ़र्ज़ कर लें कि) ये (गये हुए) लश्कर (फिर लौटकर) आ जाएँ तो (फिर तो) ये लोग (अपने लिए) यही पसन्द करेंगे कि काश! हम (कहीं) देहातियों में बाहर जाकर रहें कि (वहीं बैठे-बैठे आने जाने वालों से) तुम्हारी ख़बरें पूछते रहें (और ये ज़बरदस्त जंग को अपनी आँख से न देखें) और अगर (इत्तिफ़ाक़ से तमाम या कुछ लोग देहात में न जा सकें) तुम ही में रहें तब भी (उस वक़्त की ले-दे सुनकर भी कभी ग़ैरत न आये और सिर्फ़ नाम करने को) कुछ यूँ ही-सा लड़ें।

(आगे जंग में साबित-क़दम रहने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की पैरवी व इक़्तिदा का ईमान का तक़ाज़ा होना बयान फ़रमाते हैं ताकि मुनाफ़िक़ों को शर्म दिलाई जाये कि ईमान के दावे के बावजूद उसके तक़ाज़े के ख़िलाफ़ किया, और मुख़्लिस व सच्चे लोगों को ख़ुशख़बरी मिले कि ये लोग वही हैं जिनके बारे में कहा गया है कि 'वह उम्मीद रखता है अल्लाह की और पिछले दिन की और याद करता है अल्लाह को बहुत ज़्यादा'। पस इरशाद फ़रमाते हैं कि) तुम लोगों के लिये यानी ऐसे शख़्स के लिये जो अल्लाह से और आख़िरत के दिन से डरता हो और कसरत से अल्लाह का ज़िक्र करता हो (यानी कामिल मोमिन हो उसके लिये) रसूलुल्लाह (सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम) का एक उम्दा नमूना मौजूद था (कि जब आप ही जंग में शरीक रहे तो आप से ज़्यादा कौन प्यारा है कि वह आपकी पैरवी न करे और अपनी जान बचाये फिरे) और (आगे मुनाफ़िक़ों के मुक़ाबले में सच्चे मोमिनों का ज़िक्र है) जब ईमान वालों ने उन लश्करों को देखा तो कहने लगे कि यह वही (मौक़ा) है जिसकी हमको अल्लाह और उसके रसूल ने ख़बर दी थी (चुनाँचे सूरः ब-क़रह की आयत 142 में इसका काफ़ी स्पष्ट इशारा मौजूद है क्योंकि सूरः ब-क़रह सूरः अहज़ाब से नाज़िल होने में पहले है, जैसा कि अल्-इतक़ान में बयान किया गया है। और अल्लाह व रसूल ने सच फ़रमाया था और उस (लश्करों के देखने) से (जो कि भविष्यवाणी की सच्चाई सामने आना है) उनके ईमान और फ़रमाँबरदारी में तरक़्क़ी हो गई।

(यह सिफ़त व गुण तो तमाम मोमिनों में मौजूद है और कुछ सिफ़तें व ख़ूबियाँ कुछ मोमिनों में ख़ास भी हैं, जिसका बयान यह है कि) उन मोमिनों में कुछ लोग ऐसे भी हैं कि उन्होंने जिस बात का

अल्लाह से अ़हद किया था उसमें सच्चे उतरे (इस तक़सीम का यह मतलब नहीं है कि बाज़े मुसलमानों ने अ़हद किया और सच्चे नहीं उतरे, बल्कि यह तक़सीम इस बिना पर है कि बाज़ों ने अ़हद ही नहीं किया था और बिना अ़हद ही साबित-क़दम रहे। इन अ़हद करने वालों के ज़िक्र की वज़ाहत ऊपर की आयत नम्बर 15 के मुक़ाबले में है जो मुनाफ़िक़ों के बारे में है, और मुराद इन अ़हद करने वालों से हज़रत अनस बिन नज़र और उनके साथी हैं। ये हज़रात इत्तिफ़ाक़ से जंगे बदर में शरीक नहीं होने पाये थे तो इनको अफ़सोस हुआ और अ़हद किया कि अगर अब के कोई जिहाद हो तो उसमें हमारी जानतोड़ कोशिश देख ली जायेगी, मतलब यह था कि मुँह न मोड़ेंगे चाहे मारे जायें)। फिर इन (अ़हद करने वालों) में (दो क़िस्में हो गईं) बाज़े आदमी तो उनमें वे हैं जो अपनी मन्नत पूरी कर चुके (मुराद वह अ़हद है जिसका पूरा करना मन्नत की तरह वाजिब है। मतलब यह कि शहीद हो चुके और आख़िर दम तक मुँह नहीं मोड़ा। चुनाँचे हज़रत अनस बिन नज़र जंगे उहुद में शहीद हो गये थे, इसी तरह हज़रत मुस्अ़ब) और बाज़े उनमें (इस अ़हद के पूरा करने के आख़िरी असर यानी शहादत के) आरज़ू करने वाले हैं (अभी शहीद नहीं हुए) और (अब तक) उन्होंने (इसमें) ज़रा भी बदलाव नहीं किया (यानी अपने इरादे पर क़ायम हैं, पस क़ौम का मजमूआ़ दो क़िस्म पर है- एक मुनाफ़िक़ जिनका ऊपर बयान हुआ, दूसरे मोमिन हज़रात। फिर मोमिनों की दो क़िस्में हैं- अ़हद करने वाले और अ़हद न करने वाले और जमाव साबित-क़दम रहने में दोनों शरीक और साझा हैं। जैसा कि ऊपर अल्लाह तआ़ला ने आयत नम्बर 22 में इरशाद फ़रमाया। फिर अ़हद करने वाले दो क़िस्म पर हैं- शहीद और शहादत के मुन्तज़िर। कुल चार क़िस्में इन आयतों में बयान हुई हैं)।

(आगे इस जंग व मुहिम की एक हिक्मत बयान फ़रमाते हैं कि) यह वाक़िआ़ इसलिए हुआ ताकि अल्लाह तआ़ला सच्चे मुसलमानों को उनके सच का सिला दे, और मुनाफ़िक़ों को चाहे सज़ा दे या चाहे उनको (निफ़ाक़ से) तौबा की तौफ़ीक़ दे (क्योंकि ऐसी मुसीबतों और हादसों में सच्चे ख़ुलूस वाले और बनावटी व नक़ली की पहचान व फ़र्क़ हो जाता है, और कभी-कभी मलामत से बाज़े बनावटी और नक़ली भी मुतास्सिर होकर सच्चे और मुख़्लिस हो जाते हैं, और बाज़े अपने हाल पर ही रहते हैं) बेशक अल्लाह तआ़ला माफ़ करने वाला, रहम करने वाला है (इसलिए तौबा का क़ुबूल हो जाना मुश्किल बात नहीं, इसमें तवज्जोह दिलाई गयी है तौबा की)।

(यहाँ तक मुसलमानों के इस मजमे की विभिन्न क़िस्मों के हालात थे, आगे मुख़ालिफ़ काफ़िरों की हालत का ज़िक्र है कि) अल्लाह तआ़ला ने काफ़िरों को (यानी मुश्रिकों को) उनके ग़ुस्से में भरा हुआ (मदीना से) हटा दिया कि उनकी कुछ भी मुराद पूरी न हुई (और उनका ग़ुस्सा भरा हुआ था) और जंग में अल्लाह तआ़ला मुसलमानों के लिये ख़ुद ही काफ़ी हो गया (यानी काफ़िरों को बाक़ायदा जंग करने की नौबत भी न आई कि पहले ही दफ़ा हो गये, और थोड़ी-बहुत लड़ाई जो मुतफ़र्रिक़ तौर पर जो हुई उसकी नफ़ी नहीं है) और (इस तरह काफ़िरों को हटा देना कुछ अ़जीब न समझो क्योंकि) अल्लाह तआ़ला बड़ी क़ुव्वत वाला, बड़ा ज़बरदस्त है (उसको कुछ दुश्वार नहीं)।

यह तो मुश्रिकों का हाल हुआ) और (मुख़ालिफ़ों में दूसरा गिरोह बनू क़ुरैज़ा के यहूदियों का था आगे उनका ज़िक्र है) जिन अहले किताब ने उन (मुश्रिकों) की मदद की थी उनको (अल्लाह तआ़ला ने) उनके क़िलों से (जिनमें वे घिरे हुए थे) नीचे उतार दिया और उनके दिलों में तुम्हारा रौब बिठा

दिया (जिससे वे उतर आये और फिर) कुछ को तुम क़त्ल करने लगे और कुछ को क़ैद कर लिया। और उनकी ज़मीन और उनके घरों और उनके मालों का तुमको मालिक बना दिया, और ऐसी ज़मीन का भी (तुमको अपने तक़दीरी इल्म में मालिक बना रखा है) जिस पर तुमने (अभी) क़दम (तक) नहीं रखा (इसमें उमूमन ख़ुशख़बरी है आने वाले ज़माने में हासिल होने वाली फ़ुतूहात की, या ख़ास तौर पर ख़ैबर के फ़तह होन की जो इससे कुछ बाद में हुई) और अल्लाह तआ़ला हर चीज़ पर पूरी क़ुदरत रखता है (इसलिए ये चीज़ें कुछ बईद नहीं हैं)।

मआ़रिफ़ व मसाईल

इनसे पहले की आयतों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की बड़ी शान और मुसलमानों को आपकी मुकम्मल पैरवी व फ़रमाँबरदारी की हिदायत थी। इसी की मुनासबत से ये पूरे दो रुकूअ़ क़ुरआन के जंगे-अहज़ाब के वाक़िए से संबन्धित नाज़िल हुए हैं, जिसमें काफ़िरों व मुश्रिकों की बहुत सी जमाअ़तों का मुसलमानों पर एक बार में हमला और सख़्त घेराबन्दी के बाद मुसलमानों पर अल्लाह तआ़ला के इनामात और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के अनेक मोजिज़ों का ज़िक्र है। और इसके तहत में ज़िन्दगी के विभिन्न विभागों और क्षेत्रों से मुताल्लिक़ बहुत सी हिदायतें और अहकाम हैं। इन्हीं अनमूल और क़ीमती हिदायतों की वजह से बड़े-बड़े मुफ़स्सिरीन (क़ुरआन के व्याख्यापकों) ने इस जगह अहज़ाब के वाक़िए को अच्छी ख़ासी तफ़सील से लिखा है, ख़ास तौर पर इमाम क़ुर्तुबी और क़ाज़ी सनाउल्लाह पानीपती वग़ैरह ने, इसलिये जंगे-अहज़ाब के वाक़िए की कुछ तफ़सील मय इन हिदायतों के लिखी जाती है जिसका अक्सर हिस्सा तफ़सीरे क़ुर्तुबी और तफ़सीरे मज़हरी से लिया गया है, जो किसी दूसरी किताब से लिया है उसका हवाला लिख दिया गया है।

जंगे-अहज़ाब का वाक़िआ़

अहज़ाब हिज़्ब की जमा (बहुवचन) है जिसके मायने पार्टी या जमाअ़त के आते हैं। इस लड़ाई में काफ़िरों की मुख़्तलिफ़ जमाअ़तें जमा होकर मुसलमानों को ख़त्म कर देने का मुआ़हदा करके मदीना पर चढ़ आई थीं इसी लिये इस लड़ाई का नाम ग़ज़्वा-ए-अहज़ाब रखा गया है। और चूँकि इस ग़ज़्वे (लड़ाई और जंग) में दुश्मन के आने के रास्ते पर नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के हुक्म से ख़न्दक़ (खाई) खोद दी गई थी इसलिये इसको ग़ज़्वा-ए-ख़न्दक़ भी कहते हैं। ग़ज़्वा-ए-बनू क़ुरैज़ा भी जो ग़ज़्वा-ए-अहज़ाब ही का एक हिस्सा था जैसा कि वाक़िए की तफ़सील से मालूम होगा।

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम जिस साल मक्का मुकर्रमा से हिजरत करके मदीना मुनव्वरा में तशरीफ़ फ़रमा हुए उसके दूसरे ही साल में जंगे-बदर का वाक़िआ़ पेश आया, तीसरे साल में जंगे-उहुद पेश आई, चौथे साल में यह ग़ज़्वा-ए-अहज़ाब वाक़े हुआ। और कुछ रिवायतों में इसको पाँचवें साल का वाक़िआ़ क़रार दिया है। बहरहाल हिजरत की शुरूआ़त से लेकर इस वक़्त तक काफ़िरों के हमले मुसलमानों पर लगातार जारी थे, ग़ज़्वा-ए-अहज़ाब का हमला बड़ी भरपूर ताक़त व क़ुव्वत और पुख़्ता इरादे और अ़हद व पैमान के साथ किया गया था, इसलिये नबी करीम सल्लल्लाहु

अलैहि व सल्लम और सहाबा किराम पर यह ग़ज़्वा (जंग) सब दूसरी लड़ाईयों से ज़्यादा सख़्त था क्योंकि इसमें काफ़िरों की हमलावर जमाअ़तों की तादाद बारह हज़ार से पन्द्रह हज़ार तक बतलाई गई है, और इस तरफ़ से मुसलमान कुल तीन हज़ार वह भी बेसर व सामान और ज़माना सख़्त सर्दी का। क़ुरआने करीम ने तो इस वाकिए की सख़्ती बड़े हौलनाक अन्दाज़ में यह बयान फ़रमाई है:

زَاغَتِ الْاَبْصَارُ.

(आँखें खुली की खुली रह गईं।)

بَلَغَتِ الْقُلُوْبُ الْحَنَاجِرَ

(कलेजे मुँह को आने लगे।)

وَزُلْزِلُوْا زِلْزَالًا شَدِيْدًا٥

(सख़्त ज़लज़ले में डाले गये।)

मगर जैसा कि यह वक़्त मुसलमानों पर सबसे ज़्यादा सख़्त था वैसे ही अल्लाह तआ़ला की मदद व हिमायत से इसका अन्जाम मुसलमानों के हक़ में ऐसी बड़ी फ़तह व कामयाबी की सूरत में सामने आया कि उसने तमाम मुख़ालिफ़ गिरोहों- मुश्रिकों, यहूदियों और मुनाफ़िक़ों की कमरें तोड़ दीं और आगे उनको इस काबिल नहीं छोड़ा कि वे मुसलमानों पर किसी हमले का इरादा कर सकें। इस लिहाज़ से यह ग़ज़्वा (जंग) कुफ़्र व इस्लाम का आख़िरी मुक़ाबला था जो मदीना मुनव्वरा की ज़मीन पर हिजरत के चौथे या पाँचवें साल में लड़ा गया।

इस वाकिए की शुरूआत यहाँ से हुई कि यहूदियों के बनू नज़ीर और बनू वाइल कबीलों के तक़रीबन बीस आदमी जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम और मुसलमानों से सख़्त दुश्मनी रखते थे मक्का मुकर्रमा पहुँचे और क़ुरैशी सरदारों से मुलाक़ात करके उनको मुसलमानों से जंग करने के लिये तैयार किया।

सियासत के अखाड़े में झूठ कोई नई चीज़ नहीं

क़ुरैशी सरदार समझते थे कि जिस तरह मुसलमान हमारी बुतपरस्ती को कुफ़्र कहते हैं और इसलिये हमारे मज़हब को बुरा समझते हैं यहूदियों का भी यही ख़्याल है, तो उनसे मुवाफ़क़त व मिलाप की क्या उम्मीद रखी जाये, इसलिये उन लोगों ने यहूदियों से सवाल किया कि आप लोग जानते हैं कि हमारे और मुहम्मद (सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम) के दरमियान दीन व मज़हब का इख़्तिलाफ़ (झगड़ा) है और आप लोग अहले किताब और इल्म वाले हैं, हमें यह बात बतलाईये कि आपके नज़दीक हमारा दीन बेहतर है या उनका?

उन यहूदियों ने अपने इल्म व अंतरात्मा के बिल्कुल ख़िलाफ़ उनको यह जवाब दिया कि तुम्हारा दीन मुहम्मद (सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम) के दीन से बेहतर है। इस पर ये लोग कुछ मुत्मईन हुए मगर इस पर भी मामला यह तय हुआ कि बीस आदमी ये आने वाले और पचास आदमी क़ुरैशी सरदारों के मस्जिदे हराम में जाकर बैतुल्लाह की दीवारों से सीने लगाकर अल्लाह के सामने यह अ़हद करें कि हम में से जब तक एक आदमी भी ज़िन्दा रहेगा हम मुहम्मद (सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम)

के ख़िलाफ़ जंग करते रहेंगे।

अल्लाह तआला के हिल्म व करम का एक अजूबा

अल्लाह के घर में अल्लाह के घर से चिमटकर अल्लाह के दुश्मन उसके रसूल के ख़िलाफ़ जंग लड़ने का मुआहदा कर रहे हैं और मुत्मईन होकर जंग का नया जज़्बा लेकर लौटते हैं, अल्लाह तआला के हिल्म (बरदाश्त) व करम का अजीब इज़हार है। फिर उनके इस मुआहदे का हश्र भी क़िस्से के आख़िरी हिस्से में मालूम होगा कि सब के सब उस जंग से मुँह मोड़कर भागे।

ये यहूदी मक्का के क़ुरैश के साथ मुआहदा करने के बाद अरब के एक बड़े और लड़ाकू कबीले ग़तफ़ान के पास पहुँचे और उनको बतलाया कि हम और मक्का के क़ुरैश इस पर सहमत हो चुके हैं कि इस नये दीन (इस्लाम) के फैलाने वालों का एक मर्तबा सब मिलकर ख़ात्मा कर दें, आप भी इस पर हम से मुआहदा करें और उनको यह रिश्वत भी पेश की कि ख़ैबर में जिस क़द्र खजूर एक साल में पैदा होगी वह और कुछ रिवायतों में है उसका आधा हिस्सा कबीला ग़तफ़ान को दिया जाने का वादा किया। ग़तफ़ान कबीले के सरदार उयैना बिन हिसन ने इस शर्त के साथ उनके साथ शरीक होने को मन्ज़ूर कर लिया और ये लोग भी जंग में शामिल हो गये।

इनकी आपसी क़रारदाद (प्रस्ताव) के मुताबिक़ मक्का से क़ुरैशियों का लश्कर चार हज़ार जवानों और तीन सौ घोड़ों और एक हज़ार ऊँटों के सामान के साथ अबू सुफ़ियान के नेतृत्व में मक्का मुकर्रमा से निकला और मर्रे ज़हरान में पड़ाव किया, यहाँ कबीला असलम, कबीला अश्जअ़, बनू मुर्रा, बनू किनाना, फ़ज़ारा और ग़तफ़ान के सब कबीले शामिल हो गये, जिनकी मजमूई तादाद कुछ रिवायतों में दस कुछ में बारह हज़ार और कुछ में पन्द्रह हज़ार बयान की गई है।

मदीना मुनव्वरा पर सबसे बड़ा हमला

जंगे-बदर में मुसलमानों के मुक़ाबिल आने वाला लश्कर एक हज़ार का था फिर जंगे-उहुद में हमला करने वाला लश्कर तीन हज़ार का था। इस मर्तबा लश्कर की तादाद भी हर पहली मर्तबा से ज़्यादा थी और सामान भी, और तमाम अरब व यहूदी के कबीलों की संयुक्त ताक़त भी।

मुसलमानों की जंगी तैयारी, अल्लाह पर भरोसा, आपसी मश्विरा और गुंजाईश के मुताबिक़ माद्दी साधनों की फ़राहमी

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को इस संयुक्त मोर्चे के हरकत में आने की इत्तिला मिली तो सबसे पहला कलाम जो ज़बाने मुबारक पर आया यह थाः

حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ

"यानी हमें अल्लाह काफ़ी है और वही हमारा बेहतर कारसाज़ है।"

इसके बाद मुहाजिरीन व अन्सार के ज़िम्मेदार लोगों को जमा करके उनसे मश्विरा लिया, अगरचे एक पैग़म्बर को दर हक़ीक़त मश्विरे की ज़रूरत नहीं होती, वह डायरेक्ट हक़ तआ़ला के हुक्म व

इजाज़त से काम करते हैं मगर मश्विरे में दो फ़ायदे थे- एक उम्मत के लिये मश्विरे की सुन्नत जारी करना, दूसरे मोमिनों के दिलों में आपसी संपर्क व एकता के नवीकरण और सहयोग व मदद का जज़्बा जगाना। इसके बाद बचाव और जंग के माद्दी तरीक़ों व सामानों पर ग़ौर हुआ, मश्विरे की मज्लिस में हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु अ़न्हु भी शामिल थे जो अभी हाल में एक यहूदी की बनावटी गुलामी से निजात हासिल करके इस्लामी ख़िदमात के लिये तैयार हुए थे, उन्होंने मश्विरा दिया कि हमारे मुल्क फ़ारस के बादशाह ऐसे हालात में दुश्मन का हमला रोकने के लिये ख़न्दक़ (खाई) खोदकर उनका रास्ता रोक देते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने यह मश्विरा क़ुबूल फ़रमाकर ख़न्दक़ खोदने का हुक्म दे दिया और ख़ुद अपने आप भी इस काम में शरीक हुए।

ख़न्दक़ की खुदाई

यह ख़न्दक़ (खाई) सुलअ़ पहाड़ के पीछे उस पूरे रास्ते की लम्बाई पर खोदना तय हुआ जिससे मदीना के उत्तर की तरफ़ से आने वाले दुश्मन आ सकते थे। इस ख़न्दक़ की लम्बाई चौड़ाई का नक़्शा ख़ुद रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने खींचा, यह ख़न्दक़ शैख़ैन के क़िले से शुरू होकर सुलअ़ पहाड़ के पश्चिमी गोशे तक आई और बाद में इसे बढ़ाकर वादी-ए-बतहान और वादी-ए-रातूना के मिलने के स्थान तक पहुँचा दिया गया। इस ख़न्दक़ की कुल लम्बाई तक़रीबन साढ़े तीन मील थी, चौड़ाई और गहराई की सही मात्रा किसी रिवायत से मालूम नहीं हुई लेकिन यह ज़ाहिर है कि चौड़ाई और गहराई भी अच्छी-ख़ासी होगी जिसको पार करना दुश्मन के लिये आसान न हो।

हज़रत सलमान रज़ियल्लाहु अ़न्हु के ख़न्दक़ खोदने के वाक़िए में यह आया है कि वह रोज़ाना पाँच गज़ लम्बी और पाँच गज़ गहरी ख़न्दक़ खोदते थे। (तफ़सीरे मज़हरी) इससे ख़न्दक़ की गहराई पाँच गज़ कही जा सकती है।

इस्लामी लश्कर की तादाद

उस वक़्त मुसलमानों की तादाद कुल तीन हज़ार थी और कुल छत्तीस घोड़े थे।

बालिग़ होने की उम्र पन्द्रह साल क़रार दी गई

इस्लामी लश्कर में कुछ नाबालिग़ बच्चे भी अपने ईमानी जोश से निकल खड़े हुए थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने उन बच्चों को वापस कर दिया जो पन्द्रह साल से कम उम्र वाले थे, पन्द्रह साल के नवयुवक ले लिये गये जिनमें हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उमर, ज़ैद बिन साबित, अबू सईद ख़ुदरी, बरा बिन आ़ज़िब रज़ियल्लाहु अ़न्हुम शामिल हैं। जिस वक़्त यह इस्लामी लश्कर मुक़ाबले के लिये रवाना होने लगा तो जो मुनाफ़िक़ लोग मुसलमानों में रले-मिले रहते थे उन्होंने सरकना शुरू किया, कुछ छुपकर निकल गये कुछ लोगों ने झूठे बहाने पेश करके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से वापसी की इजाज़त लेनी चाहिये, यह अपने अन्दर एक नई आफ़त फूटी। ऊपर बयान हुई आयतों में उन्हीं मुनाफ़िक़ों के बारे में चन्द आयतें नाज़िल हुई हैं। (तफ़सीरे क़ुर्तुबी)

एकता व क़ौमियत की बुनियाद इस्लाम है

कबाईली और नसबी क़ौमियतों का इन्तिज़ामी सामाजिक इम्तियाज़ इस्लामी एकता और इस्लामी

क़ौमियत के ख़िलाफ़ नहीं।

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने इस जिहाद के लिये मुहाजिरीन का झण्डा हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु अ़न्हु के सुपुर्द फ़रमाया और हज़राते अन्सार का झण्डा हज़रत सअ़द बिन उबादा के सुपुर्द फ़रमाया। उस वक़्त मुहाजिरीन व अन्सार के बीच मुवाख़ात (भाईचारे) के ताल्लुक़ात बड़ी मज़बूत व स्थिर बुनियादों पर क़ायम थे और सब भाई-भाई थे मगर इन्तिज़ामी सहूलत के लिये मुहाजिरीन का नेतृत्व अलग और अन्सार का अलग कर दिया गया था। इससे मालूम हुआ कि इस्लामी क़ौमियत और इस्लामी एकता इन्तिज़ामी और सामाजिक तक़सीम के ख़िलाफ़ नहीं बल्कि हर जमाअ़त पर ज़िम्मेदारी का बोझ डाल देने से आपसी भरोसा और मदद व सहयोग का जज़्बा मज़बूत होता था।

ख़न्दक़ की खुदाई की तक़सीम पूरे लश्कर पर की गई

इस जंग के सबसे पहले काम यानी ख़न्दक़ खोदने में यह मदद व सहयोग इस तरह सामने आया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने पूरे लश्कर के मुहाजिरीन व अन्सार को दस-दस आदमियों की जमाअ़त में तक़सीम करके हर दस आदमियों को चालीस गज़ ख़न्दक़ (खाई) खोदने का ज़िम्मेदार बनाया। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु अ़न्हु चूँकि ख़न्दक़ खोदने का मश्विरा देने वाले, काम से वाक़िफ़ और मज़बूत आदमी थे, और न अन्सार में शामिल थे न मुहाजिरों में, उनके बारे में अन्सार व मुहाजिरों में एक दौड़ और मुक़ाबले की फ़िज़ा पैदा हो गई। अन्सार उनको अपने में शामिल करना चाहते थे मुहाजिरीन अपने में, यहाँ तक कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को झगड़ा ख़त्म करने के लिये बीच में पड़ने की नौबत आई और आपने यह फ़ैसला दियाः

سَلْمَانُ مِنَّا اَهْلَ الْبَيْتِ

यानी सलमान हमारे अहले-बैत में शामिल हैं।

काम की सलाहियत में मुल्की ग़ैर-मुल्की, मक़ामी और बैरूनी का फ़र्क़

आज तो दुनिया में ग़ैर-मुल्की बाशिन्दे और ग़ैर-मक़ामी को अपनी बराबर का दर्जा देना लोग पसन्द नहीं करते, वहाँ हर फ़रीक़ सलाहियत वाले को अपने साथ शामिल करने में फ़ख़्र महसूस करता था, इसलिये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने उनको अहले-बैत (अपने घर वालों) में ख़ुद दाख़िल फ़रमाकर झगड़े को ख़त्म किया और अ़मली तौर पर चन्द अन्सार और चन्द मुहाजिरों को शामिल करके उनके दस की जमाअ़त बनाई, जिसमें हज़रत अ़मर बिन औ़फ़ और हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु अ़न्हुमा वग़ैरह मुहाजिरों में से थे।

एक ज़बरदस्त मोजिज़ा

इत्तिफ़ाक़ से ख़न्दक़ का जो हिस्सा हज़रत सलमान रज़ियल्लाहु अ़न्हु के सुपुर्द था उसमें एक

सख़्त और चिकने पत्थर की बड़ी चट्टान निकल आई, हज़रत सलमान रज़ियल्लाहु अन्हु के साथी अ़मर बिन औ़फ़ रज़ियल्लाहु अन्हु फ़रमाते हैं कि उस चट्टान ने हमारे औज़ार तोड़ दिये और हम उसके काटने से आ़जिज़ हो गये तो मैंने हज़रत सलमान से कहा कि अगरचे यह हो सकता है कि हम इस जगह से कुछ हटकर ख़न्दक़ खोदें और ज़रा सी कजी (टेढ़ा हो जाने) के साथ उसको असल ख़न्दक़ से मिला दें, मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के खींचे हुए ख़त (निशान) से इधर-उधर होना हमें अपनी राय से नहीं करना चाहिये, आप नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से यह वाक़िआ़ बयान करके हुक्म हासिल करें कि हमें क्या करना चाहिये।

क़ुदरत की तंबीहात

उस साढ़े तीन मील के मैदान में ख़न्दक़ खोदने वालों में किसी को ऐसी रुकावट पेश न आई जो आ़जिज़ कर दे, पेश आई तो हज़रत सलमान रज़ियल्लाहु अन्हु को पेश आई जिन्होंने ख़न्दक़ खोदने का मश्विरा दिया था और उसी को क़ुबूल करके यह सिलसिला जारी हुआ था। अल्लाह तआ़ला ने उनको दिखला दिया कि यह ख़न्दक़ खोदने और बनाने में भी अल्लाह की तरफ़ रुजू के सिवा चारा नहीं, उपकरण व औज़ार सब जवाब दे चुके जिसमें उन हज़रात को तालीम थी कि माद्दी असबाब को ताक़त व गुंजाईश के मुवाफ़िक़ जमा करना फ़र्ज़ है मगर उन पर भरोसा करना दुरुस्त नहीं। मोमिन का भरोसा तमाम माद्दी असबाब को जमा कर लेने के बाद भी अल्लाह तआ़ला ही पर होना चाहिये।

हज़रत सलमान रज़ियल्लाहु अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की ख़िदमत में हाज़िर हुए और वाक़िआ़ बतलाया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ख़ुद भी अपने हिस्से की ख़न्दक़ में काम कर रहे थे, ख़न्दक़ की मिट्टी को उस जगह से निकाल कर दूसरी जगह डालने में मसरूफ़ थे, हज़रात बरा बिन आ़ज़िब रज़ियल्लाहु अन्हु फ़रमाते हैं कि आपको देखा कि आपके जिस्म मुबारक को ग़ुबार ने ऐसा ढाँप लिया था कि पेट और पीठ की खाल नज़र न आती थी। उनको कोई मश्विरा या हुक्म देने के बजाय ख़ुद उनके साथ मौक़े पर तशरीफ़ लाये और दस हज़राते सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम मय हज़रत सलमान के जो उसके खोदने में मसरूफ़ थे ख़न्दक़ के अन्दर उतरकर आप भी उनमें शामिल हो गये और कुदाल अपने हाथ मुबारक में लेकर उस चट्टान पर एक चोट लगाई और यह आयत पढ़ी 'तम्मत् कलि-मतु रब्बि-क सिद्क़ा' (यानी पूरी हो गई नेमत आपके रब की सच्चाई के साथ)।

उस एक ही चोट से चट्टान का एक तिहाई हिस्सा कट गया और उसके साथ ही एक रोशनी पत्थर की चट्टान से निकली, उसके बाद आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने दूसरी चोट लगाई और उक्त आयत को आख़िर तक पढ़ा, यानी 'तम्मत् कलि-मतु रब्बि-क सिद्क़ंव्-व अ़द्ला' इस दूसरी चोट से एक तिहाई चट्टान और कट गई और इसी तरह पत्थर से एक रोशनी निकली। तीसरी मर्तबा फिर वही आयत पूरी पढ़कर तीसरी चोट लगाई तो बाक़ी चट्टान भी कटकर ख़त्म हो गई और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ख़न्दक़ से बाहर तशरीफ़ लाये और अपनी चादर जो ख़न्दक़ के किनारे पर रख दी थी उठा ली और एक तरफ़ बैठ गये। उस वक़्त हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु अन्हु ने अ़र्ज़ किया कि या रसूलल्लाह! आपने जितनी मर्तबा इस पत्थर पर चोट लगाई मैंने हर मर्तबा पत्थर

से एक रोशनी निकलती देखी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने हज़रत सलमान से फ़रमाया कि क्या वाक़ई तुमने यह रोशनी देखी है? उन्होंने अ़र्ज़ किया कि या रसूलल्लाह! मेरी आँखों ने उसको अच्छी तरह देखा है।

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि पहली चोट में जो रोशनी निकली मैंने उस रोशनी में यमन और किसरा के शहरों के महल देखे और जिब्रीले अमीन ने मुझे बतलाया कि आपकी उम्मत इन शहरों को फ़तह करेगी। और जब मैंने दूसरी चोट लगाई तो मुझे रूम वालों के सुर्ख़ महल दिखाये गये और जिब्रीले अमीन ने यह ख़ुशख़बरी दी कि आपकी उम्मत इन शहरों को भी फ़तह करेगी। यह इरशाद सुनकर सब मुसलमान मुत्मईन हुए और आईन्दा की अ़ज़ीमुश्शान फ़ुतूहात (जीत और कामयाबियों) पर यक़ीन हो गया।

मुनाफ़िक़ों का ताने मारना और मुसलमानों का बेनज़ीर ईमानी यक़ीन

उस वक़्त जो मुनाफ़िक़ लोग ख़न्दक़ की खुदाई में शामिल थे वे कहने लगे कि तुम्हें मुहम्मद (सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम) की बात पर हैरत व ताज्जुब नहीं होता। वह तुम्हें कैसे बातिल और बेबुनियाद वादे सुना रहे हैं कि यसरिब में ख़न्दक़ की खुदाई के अन्दर उन्हें हैरा और मदाइने किसरा के महल नज़र आ रहे हैं और यह कि तुम लोग उन्हें फ़तह करोगे। ज़रा अपने हाल को तो देखो कि तुम्हें अपने तन-बदन का तो होश नहीं, पेशाब पाख़ाने की ज़रूरत पूरी करने की मोहलत नहीं, तुम हो जो किसरा वग़ैरह के मुल्क को फ़तह करोगे? इसी वाक़िए पर उक्त आयतों में यह नाज़िल हुआः

إِذْ يَقُولُ الْمُنٰفِقُوْنَ وَالَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗٓ إِلَّا غُرُوْرًا ○

इस आयत मेंः

اَلَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ

(वे लोग जिनके दिलों में रोग है) में भी उन्हीं मुनाफ़िक़ों का हाल बयान किया गया है जिनके दिलों में निफ़ाक़ छुपा हुआ था।

ग़ौर कीजिये कि उस वक़्त मुसलमानों के ईमान और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की ख़बर पर पूरे यक़ीन का कैसा सख़्त इम्तिहान था कि हर तरफ़ से काफ़िरों के घेरे और ख़तरे में हैं, ख़न्दक़ खोदने के लिये मज़दूर और ख़ादिम नहीं ख़ुद ही यह मेहनत ऐसी हालत में बरदाश्त कर रहे हैं कि सख़्त सर्दी ने सब को परेशान कर रखा है, हर तरफ़ से ख़ौफ़ ही ख़ौफ़ है, असबाब की ज़ाहिरी हालत से अपने बचाव और बक़ा पर यक़ीन करना भी आसान नहीं, दुनिया की बड़ी और ज़बरदस्त हुकूमतों रोम व किसरा के फ़तह होने की ख़ुशख़बरी पर यक़ीन किस तरह हो? मगर ईमान की क़ीमत सब आमाल से ज़्यादा इसी बिना पर है कि असबाब व हालात के पूरी तरह ख़िलाफ़ होने के वक़्त भी उनको रसूल सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के इरशाद में कोई शक व शुब्हा पैदा न हुआ।

इस वाकिए में उम्मत के लिये ख़ास हिदायत

इस ऊपर बयान हुए वाकिए में उम्मत के लिये ख़ास हिदायत है कि बड़ों को छोटों की हर तकलीफ़ व मशक़्क़त में शामिल रहना चाहिये।

यह किसको मालूम नहीं कि सहाबा किराम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के ऐसे जाँनिसार ख़ादिम थे जो किसी हाल भी यह न चाहते थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ख़ुद भी उस मज़दूरी की मशक़्क़त भरी मेहनत में उनके शरीक हों। मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने सहाबा किराम की दिलजोई और उम्मत की तालीम के लिये उस मेहनत व मज़दूरी में बराबर का हिस्सा लिया, सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अ़न्हुम की जाँनिसारी, आपकी कमाल वाली सिफ़तों और नुबुव्वत व रिसालत की बुनियाद पर तो थी ही मगर ज़ाहिरी असबाब में एक बड़ा सबब यह भी था कि हर मेहनत व मशक़्क़त और तंगी व तकलीफ़ में आप सब अ़वाम की तरह उनमें शरीक होते थे, हाकिम व महकूम, बादशाह व प्रजा और हुकूमत व ताक़त वाले एवं अ़वाम के भेदभाव का कोई तसव्वुर वहाँ न पैदा होता, और जब से मुस्लिम बादशाहों ने इस सुन्नत को छोड़ दिया उसी वक़्त से यह आपसी संगठन बिखर गया और तरह-तरह के फ़ितने ज़ाहिर हो गये।

मुश्किलों पर क़ाबू पाने का नुस्ख़ा

ऊपर ज़िक्र हुए वाकिए में उस मज़बूत और क़ाबू में न आने वाली चट्टान पर चोट लगाने के साथ क़ुरआन की यह आयतः

تَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَّعَدْلًا، لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمٰتِهٖ

तिलावत फ़रमाई। इससे मालूम हुआ कि किसी मुश्किल को हल करने के लिये इस आयत की तिलावत एक आज़माया हुआ नुस्ख़ा है।

सहाबा किराम का ईसार और आपसी मदद व सहयोग

ऊपर मालूम हो चुका है कि ख़न्दक़ की खुदाई के लिये हर चालीस गज़ पर दस आदमी लगाये गये थे, मगर यह ज़ाहिर है कि कुछ लोग ताक़तवर और जल्दी काम कर लेने वाले होते हैं। सहाबा किराम में से जिन हज़रात का अपना हिस्सा खुदाई का पूरा हो जाता तो यह समझकर ख़ाली न बैठते थे कि हमारी ड्यूटी पूरी हो गई, बल्कि दूसरे सहाबा जिनका हिस्सा अभी मुकम्मल नहीं हुआ था उनकी मदद करते थे। (तफ़सीरे क़ुर्तुबी, मज़हरी)

साढ़े तीन मील लम्बी ख़न्दक़ छह दिन में मुकम्मल हो गई

सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अ़न्हुम की जिद्दोजहद और कोशिश का नतीजा छह दिन में सामने आ गया कि इतनी लम्बी-चौड़ी और गहरी ख़न्दक़ की छह दिन में तकमील हो गई। (तफ़सीरे मज़हरी)

हज़रत जाबिर रज़ि. की दावत में एक खुला हुआ मोजिज़ा

इसी ख़न्दक़ की खुदाई के दौरान वह मशहूर वाकिआ पेश आया कि एक दिन हज़रत जाबिर

रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को देखकर यह महसूस किया कि आप भूख से पीड़ित हैं, अपनी बीवी से जाकर कहा कि तुम्हारे पास कुछ हो तो पका लो, हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम पर भूख का असर देखा नहीं जाता। बीवी ने बतलाया कि हमारे घर में एक साअ़ भर जौ रखे हैं उनको पीसकर आटा बनाती हूँ। एक साअ़ हमारे वज़न के एतिबार से तक़रीबन साढ़े तीन सैर का होता है। बीवी पीसने पकाने में लगी, घर में एक बकरी का बच्चा था हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने उसको ज़िबह करके गोश्त तैयार किया और आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को बुलाने के लिये चले तो बीवी ने पुकारकर कहा कि देखिये हुज़ूरे पाक के साथ बहुत बड़ा मजमा सहाबा का है, सिर्फ़ हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को किसी तरह तन्हा बुला लायें, मुझे रुस्वा न कीजिये कि सहाबा किराम का बड़ा मजमा चला आये। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से पूरी हक़ीक़ते हाल अ़र्ज़ कर दी कि सिर्फ़ इतना खाना है मगर आपने पूरे लश्कर में ऐलान फ़रमा दिया कि चलो जाबिर के घर दावत है। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अ़न्हु हैरान थे, घर पहुँचे तो बीवी ने सख़्त परेशानी का इज़हार किया और पूछा कि आपने हुज़ूरे पाक को असल हक़ीक़त और खाने की मात्रा बतला दी थी? हज़रत जाबिर ने फ़रमाया कि हाँ वह मैं बतला चुका हूँ तो बीवी मोहतरमा मुत्मईन हुई कि फिर हमें कुछ फ़िक्र नहीं, हुज़ूरे पाक मालिक हैं जिस तरह चाहें करें।

वाक़िए की तफ़सील इस जगह ग़ैर-ज़रूरी है इतना नतीजा मालूम कर लेना काफ़ी है कि ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने अपने हाथ मुबारक से रोटी और सालन सब को देने और खिलाने का एहतिमाम फ़रमाया और पूरे मजमे ने पेट भरकर खाया, और हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अ़न्हु फ़रमाते हैं कि सब मजमे के फ़ारिग़ होने के बाद भी न हमारी हण्डिया में से कुछ गोश्त कम नज़र आता था और न गुंधे हुए आटे में कोई कमी मालूम होती थी, हम सब घर वालों ने भी पेट भरकर खाया बाक़ी पड़ोसियों में तक़सीम कर दिया।

इस तरह छह दिन में जब ख़न्दक़ से फ़राग़त हो गई तो अहज़ाब का लश्कर आ पहुँचा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम और सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अ़न्हुम ने सुलअ़ पहाड़ को अपनी पुश्त की तरफ़ रखकर फ़ौज की सफ़ बन्दी कर दी।

बनू क़ुरैज़ा के यहूदियों का अ़हद तोड़ना और अहज़ाब के साथ शिर्कत

उस वक़्त सामान से लैस दस बारह हज़ार के लश्कर के साथ तीन हज़ार हथियारों व सामान से ख़ाली लोगों का मुक़ाबला भी अ़क़्ल व गुमान में आने की चीज़ न थी, इस पर एक और नया इज़ाफ़ा हुआ कि अहज़ाब में क़बीला बनू नज़ीर के सरदार हुय्यि बिन अख़्तब ने जिसने सब को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम और मुसलमानों की दुश्मनी पर जमा करने में बड़ा काम किया था, मदीना पहुँचकर यहूदियों के क़बीले बनू क़ुरैज़ा को भी अपने साथ मिलाने का मन्सूबा बनाया, बनू क़ुरैज़ा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के बीच एक सुलह नामे पर दस्तख़त हो चुके थे

और समझौता मुकम्मल होकर एक दूसरे से बेफ़िक्र थे। बनू क़ुरैज़ा का सरदार कअ़ब बिन असद था। हुय्यि बिन अख़्तब उसके पास पहुँचा, जब कअ़ब को उसके आने की ख़बर मिली तो अपने क़िले का दरवाज़ा बन्द कर लिया कि हुय्यि उस तक न पहुँच सके मगर हुय्यि बिन अख़्तब ने आवाज़ें दीं और दरवाज़ा खोलने की ज़िद की। कअ़ब ने अन्दर ही से जवाब दिया कि हम तो मुहम्मद (सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम) के साथ सुलह कर चुके हैं और हमने आज तक उनकी तरफ़ से समझौते की पाबन्दी और सच्चाई के सिवा कुछ नहीं देखा, इसलिये हम उस समझौते के पाबन्द हैं, आपके साथ नहीं आ सकते।

देर तक हुय्यि बिन अख़्तब दरवाज़ा खोलने और कअ़ब से बातें करने पर इसरार (ज़िद) करता रहा और यह अन्दर से ही इनकार करता रहा मगर आख़िरकार जब कअ़ब को बहुत शर्म दिलाई तो उसने दरवाज़ा खोलकर हुय्यि को बुलाया। उसने बनू क़ुरैज़ा को वह सब्ज़ बाग़ दिखाये कि आख़िरकार कअ़ब उसकी बातों में आ गया और अहज़ाब में शिर्कत का वादा कर लिया और कअ़ब ने जब अपने क़बीले के दूसरे सरदारों को यह बात बतलाई तो सब ने एक ज़बान होकर कहा कि तुमने ग़ज़ब किया कि मुसलमानों से बिना वजह अ़हद के ख़िलाफ़ किया और उनके साथ लगकर अपने आपको ख़तरे में डाल दिया। कअ़ब भी उनकी बात सुनकर मुतास्सिर हुआ और अपने किये पर शर्मिन्दगी का इज़हार किया मगर अब बात उसके क़ब्ज़े से निकल चुकी थी और आख़िरकार यही अ़हद व समझौता तोड़ना हलाकत व बरबादी का सबब बना जिसका ज़िक्र आगे आयेगा।

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम और सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अ़न्हुम को इसकी इत्तिला मिली तो उस वक़्त में इनके समझौते व अ़हद को तोड़ने से सख़्त सदमा पहुँचा और बहुत बड़ी फ़िक्र इसकी लग गई कि अहज़ाब के रास्ते पर तो ख़न्दक़ खोद दी गई थी मगर ये लोग तो मदीना के अन्दर थे, इनसे बचाव कैसे हो? क़ुरआने करीम में जो इस जुमले के मुताल्लिक़ फ़रमाया है कि लश्करे अहज़ाब के काफ़िर लोग तुम पर चढ़ आये थेः

مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ اَسْفَلَ مِنْكُمْ

इसकी तफ़सीर में तफ़सीर के कुछ इमामों ने यही फ़रमाया है कि ऊपर की जानिब से मुराद बनू क़ुरैज़ा हैं और नीचे की तरफ़ से आने वाले बाक़ी अहज़ाब (लश्कर और जमाअ़तें) हैं।

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने इस अ़हद तोड़ने की हक़ीक़त और सही सूरतेहाल मालूम करने के लिये अन्सार के औस क़बीले के सरदार हज़रत सअ़द बिन मुआ़ज़ रज़ियल्लाहु अ़न्हु और ख़ज़रज क़बीले के सरदार हज़रत सअ़द बिन उबादा रज़ियल्लाहु अ़न्हु को वफ़्द (एक प्रतिनिधि मण्डल) की सूरत में कअ़ब के पास भेजा कि उससे बातचीत करें और यह हिदायत दे दी कि अगर अ़हद तोड़ने का वाक़िआ़ ग़लत साबित हो तो सब सहाबा के सामने खुलकर बयान कर देना, और अगर सही साबित हो तो आकर गोलमोल बात कहना, जिससे हम समझ लें और आ़म सहाबा में परेशानी व चिंता पैदा न हो।

ये दोनों बुज़ुर्ग जिनका नाम सअ़द था वहाँ पहुँचे तो अ़हद तोड़ने के सामान खुले देखे। इनके और कअ़ब के बीच सख़्त-कलामी भी हुई। वापस आकर हिदायत के मुताबिक़ गोलमोल बात कहकर

नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को अ़हद तोड़ने का वाक़िआ़ सही होने से बाख़बर कर दिया।

उस वक़्त जबकि यहूदियों का क़बीला बनू क़ुरैज़ा जो मुसलमानों का साथी बना था वह भी जंग के लिये मुक़ाबले पर पर आ गया तो जो निफ़ाक़ के साथ मुसलमानों में शामिल थे उनका निफ़ाक़ भी खुलने लगा। कुछ ने तो खुलकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के ख़िलाफ़ बातें कहनी शुरू कर दीं जैसा कि ऊपर गुज़रा 'इज़् यक़ूलुल्-मुनाफ़िक़ू-न............' और कुछ ने हीले बहाने बनाकर मैदाने जंग से भाग जाने के लिये आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से इजाज़त माँगी जिसका ज़िक्र उपर्युक्त आयत 13 में आया है।

अब जंग के मोर्चे की यह सूरत थी कि ख़न्दक़ की वजह से अहज़ाब का लश्कर अन्दर न आ सकता था उसके दूसरे किनारे पर मुसलमानों का लश्कर था, दोनों में हर वक़्त तीर-अन्दाज़ी का सिलसिला रहता था। इसी हाल में तक़रीबन एक महीना हो गया कि न खुलकर कोई निर्णायक जंग होती थी और न किसी वक़्त बेफ़िक्री, दिन रात सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अ़न्हुम और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ख़न्दक़ के किनारे उसकी हिफ़ाज़त करते थे। अगरचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम बज़ाते ख़ुद भी इस मेहनत व मशक़्क़त में शरीक थे मगर आप पर यह बात बहुत भारी थी कि सहाबा किराम सब के सब सख़्त बेचैनी व परेशानी में थे।

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की एक जंगी तदबीर

नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के इल्म में यह बात आ चुकी थी कि क़बीला ग़तफ़ान के सरदार ने उन यहूदियों के साथ शिर्कत ख़ैबर के फल और खजूर के लालच में की है, आपने ग़तफ़ान के दूसरे सरदार उयैना बिन हिसन और अबू हारिस बिन अ़मर के पास क़ासिद भेजा कि हम तुम्हें मदीना तय्यिबा का एक तिहाई फल देंगे अगर तुम अपने साथियों को लेकर मैदान से वापस चले जाओ। यह बातचीत बीच में थी और दोनों सरदार राज़ी हो चुके थे, क़रीब था कि सुलह के समझौते पर दस्तख़त हो जायें मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने आ़दत के अनुसार इरादा किया कि सहाबा किराम से इस मामले में मश्विरा लें औस व ख़ज़रज क़बीलों के दो बुज़ुर्ग हज़रत सअ़द बिन उबादा और हज़रत सअ़द बिन मुआ़ज़ को बुलाकर उनसे मश्विरा लिया।

हज़रत सअ़द रज़ियल्लाहु अ़न्हु की ईमानी ग़ैरत और ज़बरदस्त हिम्मत व इरादा

दोनों ने अ़र्ज़ किया कि या रसूलल्लाह! अगर आपको इस काम के लिये अल्लाह तआ़ला की तरफ़ से हुक्म हुआ है तो हमारी कुछ कहने की मजाल नहीं, हम क़ुबूल करेंगे, वरना बताईये कि यह आपकी तबई राय है या आपने हमें मशक़्क़त व तकलीफ़ से बचाने के लिये यह तदबीर की है।

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि न इसके लिये अल्लाह का हुक्म है और न मेरी अपनी तबीयत का तक़ाज़ा है, बल्कि सिर्फ़ तुम्हारी मुसीबत व तकलीफ़ को देखकर यह सूरत इख़्तियार की है, क्योंकि तुम लोग हर तरफ़ से घिरे हुए हो, मैंने चाहा कि मुक़ाबिल पक्ष की ताक़त

को इस तरह फ़ौरन तोड़ दिया जाये। हज़रत सअ़द बिन मुआ़ज़ रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने अ़र्ज़ किया कि या रसूलल्लाह! हम जिस वक़्त बुतों को पूजते थे अल्लाह तआ़ला को न पहचानते थे, न उसकी इबादत करते थे, उस वक़्त उन लोगों को हमारे शहर के फल में से एक दाने का लालच रखने की हिम्मत नहीं थी सिवाय इसके कि वे हमारे मेहमान हों, और मेहमानी के तौर पर हम उनको खिला दें, या फिर हम से ख़रीद कर ले जायें, आज जबकि अल्लाह तआ़ला ने हमें अपनी पहचान अ़ता फ़रमाई और इस्लाम का सम्मान अ़ता फ़रमाया, क्या आज हम उन लोगों को अपना फल और अपने माल दे देंगे? हमें उनके समझौते की कोई हाजत नहीं, हम तो उनको तलवार के सिवा कुछ नहीं देंगे, यहाँ तक कि अल्लाह तआ़ला हमारे और उनके बीच फ़ैसला फ़रमा दें।

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने हज़रत सअ़द की हिम्मत व बहादुरी और ईमानी ग़ैरत को देखकर अपना यह इरादा छोड़ दिया और फ़रमाया कि तुम्हें इख़्तियार है जो चाहो करो। हज़रत सअ़द ने सुलह नामे का काग़ज़ उनके हाथों से लेकर तहरीर मिटा दी क्योंकि अभी उस पर दस्तख़त नहीं हुए थे। ग़तफ़ान के सरदार उयैना और हारिस जो ख़ुद इस सुलह के लिये तैयार होकर मज्लिस में मौजूद थे सहाबा किराम की यह क़ुव्वत व मज़बूती देखकर अपने दिल में हिलकर रह गये।

हज़रत सअ़द बिन मुआ़ज़ रज़ियल्लाहु अ़न्हु का ज़ख़्मी होना और उनकी दुआ़

उधर ख़न्दक़ के दोनों तरफ़ से तीर-अन्दाज़ी और पथराव का सिलसिला जारी रहा। हज़रत सअ़द बिन मुआ़ज़ रज़ियल्लाहु अ़न्हु बनी हारिसा के क़िले में जहाँ औरतों को सुरक्षित कर दिया गया था अपनी वालिदा के पास गये थे, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा फ़रमाती हैं कि मैं भी उस वक़्त उसी क़िले में थी और औरतों के पर्दे के अहकाम उस वक़्त तक न आये थे, मैंने देखा कि सअ़द बिन मुआ़ज़ एक छोटी ज़िरह पहने हुए हैं जिसमें से उनके हाथ निकल रहे थे और उनकी वालिदा उनसे कह रही थीं कि जाओ जल्दी करो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के साथ लश्कर में शामिल हो जाओ। मैंने उनकी वालिदा से कहा कि इनके लिये कोई बड़ी ज़िरह होती तो बेहतर था, मुझे इनके हाथ-पाँव का ख़तरा है जो ज़िरह से निकले हुए हैं। वालिदा ने कहा कुछ हर्ज नहीं! अल्लाह को जो करना होता है वह होकर रहता है।

हज़रत सअ़द बिन मुआ़ज़ रज़ियल्लाहु अ़न्हु लश्कर में पहुँचे तो उनको तीर लगा जिसने उनकी अक्हल की रग को काट डाला, उस वक़्त सअ़द रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने यह दुआ़ की कि या अल्लाह! अगर आगे भी क़ुरैश का कोई हमला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के मुक़ाबले पर होना मुक़द्दर है तो मुझे उसके लिये ज़िन्दा रखिये, क्योंकि इससे ज़्यादा मेरी कोई तमन्ना नहीं कि मैं उस क़ौम से जंग व जिहाद करूँ जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को तकलीफ़ें पहुँचाईं, वतन से निकाला और आपको झुठलाया। और अगर आगे आपके इल्म में यह जंग का सिलसिला ख़त्म हो चुका है तो आप मुझे शहादत की मौत अ़ता फ़रमायें, मगर उस वक़्त तक मुझे मौत न आये जब तक कि बनू क़ुरैज़ा से उनकी ग़द्दारी का बदला लेकर मेरी आँखें ठंडी न हो जायें।

हक़ तआ़ला ने आपकी ये दोनों दुआयें क़ुबूल फ़रमाईं। अहज़ाब के इस वाक़िए को काफ़िरों का आख़िरी हमला बना दिया, इसके बाद मुसलमानों की जीत और कामयाबियों का दौर शुरू हुआ, पहले ख़ैबर फिर मक्का मुकर्रमा और फिर दूसरे इलाक़े फ़तह हुए। और बनू क़ुरैज़ा का वाक़िआ़ आगे आता है कि वे गिरफ़्तार करके लाये गये और उनके मामले का फ़ैसला हज़रत सअ़द रज़ियल्लाहु अ़न्हु के सुपुर्द किया गया, इनके फ़ैसले के मुताबिक़ उनके जवान क़त्ल किये गये और औ़रतें बच्चे क़ैद कर लिये गये।

अहज़ाब के इस वाक़िए में सहाबा किराम और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को रात भर ख़न्दक़ की देखभाल करनी पड़ती थी, अगर किसी वक़्त आराम के लिये लेटे भी तो ज़रा किसी तरफ़ से शोर-शराबे की आवाज़ आई तो आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम हथियार बाँधकर मैदान में जाते थे। उम्मुल-मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अ़न्हा फ़रमाती हैं कि एक रात में कई-कई बार ऐसा होता था कि आप ज़रा आराम करने के लिये तशरीफ़ लाये और कोई आवाज़ सुनी तो फ़ौरन बाहर तशरीफ़ ले गये, फिर आराम के लिये ज़रा कमर लगाई और फिर कोई आवाज़ सुनी तो बाहर तशरीफ़ ले गये।

उम्मुल-मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अ़न्हा फ़रमाती हैं कि मैं बहुत से ग़ज़वात (जंगों)- मुरैसीअ़, ख़ैबर, हुदैबिया, फ़त्हे मक्का और ग़ज़वा-ए-हुनैन में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के साथ रही हूँ आप पर किसी जंग व मुहिम में ऐसी सख़्ती और परेशानी नहीं हुई जैसी ग़ज़वा-ए-ख़न्दक़ में पेश आई। इस ग़ज़्वे (जंग) में मुसलमानों को ज़ख़्म भी बहुत लगे, सर्दी की तेज़ी से भी तकलीफ़ उठाई, इसके साथ खाने पीने की ज़रूरतों में भी तंगी थी। (तफ़सीरे मज़हरी)

इस जिहाद में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की चार नमाज़ें क़ज़ा हुईं

एक रोज़ मुक़ाबले में आये काफ़िरों ने यह तय किया कि सब मिलकर एक बार ही हमला करो और किसी तरह ख़न्दक़ को पार करके आगे पहुँचो। यह तय करके बड़ी बहादुरी से मुसलमानों के मुक़ाबले में आ गये और सख़्त तीर-अन्दाज़ी की। इसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम और सहाबा किराम को दिन भर ऐसा मशग़ूल रहना पड़ा कि नमाज़ के लिये भी ज़रा सी मोहलत न मिली, चार नमाज़ें इशा के वक़्त में पढ़ी गईं।

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की दुआ़

जब मुसलमानों पर सख़्ती व परेशानी की इन्तिहा हो गई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने काफ़िरों के लश्करों के लिये बद्दुआ़ की और तीन दिन- पीर, मंगल, बुध में मस्जिदे फ़तह के अन्दर लगातार अहज़ाब की शिकस्त व फ़रार और मुसलमानों की फ़तह के लिये दुआ़ करते रहे। तीसरे दिन बुध को ज़ोहर व अ़सर के बीच दुआ़ क़ुबूल हुई और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ख़ुशी-ख़ुशी सहाबा किराम के पास तशरीफ़ लाये, फ़तह की ख़ुशख़बरी सुनाई। सहाबा किराम

फ़रमाते हैं कि उस वक़्त के बाद से किसी मुसलमान को कोई तकलीफ़ पेश नहीं आई। (मज़हरी)

कामयाबी और फ़तह के असबाब का आग़ाज़

दुश्मनों की सफ़ों में ग़तफ़ान क़बीला एक बड़ी ताक़त थी, हक़ तआ़ला की कामिल क़ुदरत ने उन्हीं में से एक शख़्स नुऐम इब्ने मसऊद के दिल में ईमान डाल दिया और नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की ख़िदमत में हाज़िर होकर उन्होंने अपने इस्लाम का इज़हार किया और बतलाया कि अभी तक मेरी क़ौम में किसी को यह मालूम नहीं कि मैं मुसलमान हो चुका हूँ अब मुझे फ़रमाईये कि मैं इस्लाम की क्या ख़िदमत करूँ? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि तुम अकेले आदमी यहाँ कोई ख़ास काम न कर सकोगे, अपनी क़ौम में वापस जाकर उन्हीं में मिलकर इस्लाम की रक्षा का कोई काम कर सको तो करो। नुऐम इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहु अ़न्हु ज़हीन समझदार आदमी थे, एक योजना दिल में बना ली और आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से इसकी इजाज़त चाही कि मैं उन लोगों में जाकर जो मुनासिब देखूँ कहूँ। आपने इजाज़त दे दी।

नुऐम बिन मसऊद यहाँ से बनू क़ुरैज़ा के पास गये जिनके साथ जाहिलीयत के ज़माने में उनके पुराने ताल्लुक़ात थे, उनसे कहा कि ऐ बनू क़ुरैज़ा! तुम जानते हो कि मैं तुम्हारा पुराना दोस्त हूँ, उन्होंने इक़रार किया कि हमें आपकी दोस्ती में कोई शुब्हा नहीं, इसके बाद हज़रत नुऐम इब्ने मसऊद ने बनू क़ुरैज़ा के सरदारों से नसीहत और ख़ैरख़्वाही के अन्दाज़ में सवाल किया कि आप लोग जानते हैं कि मक्का के क़ुरैश हों या हमारा क़बीला या दूसरे यहूदी क़बीले वग़ैरह उनका वतन यहाँ नहीं, ये अगर शिकस्त खाकर भाग जायें तो इनका कोई नुक़सान नहीं, तुम्हारा मामला इन सबसे अलग है, मदीना तुम्हारा वतन है, तुम्हारी औरतें और माल सब यहाँ हैं, अगर तुमने इन लोगों के साथ जंग में शिर्कत की और बाद में ये लोग शिकस्त खाकर भाग गये तो तुम्हारा क्या बनेगा, क्या तुम तन्हा मुसलमानों का मुक़ाबला कर सकोगे?

इसलिये मैं तुम्हारी ख़ैरख़्वाही से यह मश्विरा देता हूँ कि तुम लोग इनके साथ इस वक़्त यसरिब की जंग में शरीक न हो जब तक ये लोग अपने ख़ास सरदारों की तादाद तुम्हारे पास गिरवी न रख दें कि वे तुमको मुसलमानों के हवाले करके न भाग जायें। बनू क़ुरैज़ा को इनका मश्विरा बहुत अच्छा मालूम हुआ, इसकी क़द्र की और कहा कि आपने बहुत अच्छा मश्विरा दिया।

इसके बाद नुऐम बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अ़न्हु क़ुरैशी सरदारों के पास पहुँचे और उनसे कहा कि आप लोग जानते हैं कि मैं आपका दोस्त हूँ और मुहम्मद (सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम) से बरी हूँ। मुझे एक ख़बर मिली है तुम्हारी ख़ैरख़्वाही का तक़ाज़ा है कि मैं वह ख़बर तुम्हें पहुँचा दूँ बशर्तेकि आप लोग मेरे नाम का इज़हार न करें। वह ख़बर यह है कि बनू क़ुरैज़ा के यहूदी तुम्हारे साथ मुआ़हदा करने के बाद अपने फ़ैसले पर पछता रहे हैं और इसकी इत्तिला मुहम्मद (सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम) के पास यह कहकर भेज दी है कि क्या आप हम से इस शर्त पर राज़ी हो सकते हैं कि हम क़ुरैश और ग़तफ़ान के चन्द सरदारों को आपके हवाले कर दें कि आप उनकी गर्दन मार दें, फिर हम आपके साथ मिलकर उन सबसे जंग करें। मुहम्मद ने उनकी बात को क़ुबूल कर लिया है। अब बनू क़ुरैज़ा तुम से गिरवी रखने के तौर पर तुम्हारे कुछ सरदारों का मुतालबा करेंगे, अब आप लोग अपने

मामले को सोच लें।

इसके बाद नुऐम इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु अपने क़बीले ग़तफ़ान में गये और उनको यही ख़बर सुनाई। इसके साथ ही अबू सुफ़ियान ने क़ुरैश की तरफ़ से इक्रिम बिन अबी जहल को और ग़तफ़ान की तरफ़ से वरक़ा इब्ने ग़तफ़ान को इस काम के लिये मुक़र्रर किया कि वे बनू क़ुरैज़ा को जाकर कहें कि अब हमारा जंग का सामान भी ख़त्म हो रहा है और हमारे आदमी भी लगातार की जंग से थक रहे हैं, हम आपके मुआ़हदे के मुताबिक़ आपकी इमदाद और शिर्कत के मुन्तज़िर हैं। बनू क़ुरैज़ा ने उनको अपने प्रस्ताव के मुताबिक़ यह जवाब दिया कि हम तुम्हारे साथ जंग में उस वक़्त तक शरीक न होंगे जब तक तुम दोनों क़बीलों के चन्द सरदार हमारे पास बन्दी के तौर न पहुँच जायें। इक्रिमा और वरक़ा ने यह ख़बर अबू सुफ़ियान को पहुचाँ दी तो क़ुरैश और ग़तफ़ान के सरदारों ने यक़ीन कर लिया कि नुऐम बिन मसऊद ने जो ख़बर दी थी वह सही है। और बनू क़ुरैज़ा से कहला भेजा कि हम अपना एक आदमी भी आपको नहीं देंगे। फिर आपका दिल चाहे तो हमारे साथ जंग में शिर्कत करें और न चाहे तो न करें। बनू क़ुरैज़ा को यह हाल देखकर उस बात पर जो नुऐम बिन मसऊद ने कही थी और ज़्यादा यक़ीन हो गया, इस तरह अल्लाह तआ़ला ने दुश्मन गिरोह में से एक शख़्स के ज़रिये उनमें आपस में फूट डाल दी और उन लोगों के पाँव उखड़ गये।

इसके साथ दूसरी आसमानी मुसीबत उन पर यह आई कि अल्लाह तआ़ला ने एक सख़्त और बर्फ़ानी हवा उन पर मुसल्लत कर दी जिसने उनके ख़ेमे उखाड़ फेंके, हण्डियाँ चूल्हों से उड़ा दीं। ये तो ज़ाहिरी असबाब अल्लाह तआ़ला ने उनके पाँव उखाड़ने के लिये पैदा फ़रमा दिये थे, इस पर अतिरिक्त यह कि अपने फ़रिश्ते भेज दिये जो अन्दरूनी तौर पर उनके दिलों पर रौब तारी कर दें। इन दोनों बातों का ज़िक्र मज़कूरा आयतों के शुरू में भी इसी तरह फ़रमाया गया है:

فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيْحًا وَّجُنُوْدًا لَّمْ تَرَوْهَا.

"यानी हमने भेज दी उनके ऊपर एक तुन्द व सख़्त हवा और भेज दिये फ़रिश्तों के लश्कर।"

इसका नतीज यह था कि उन लोगों के लिये भाग खड़े होने के सिवा कोई चारा-ए-कार न था।

हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु का दुश्मन के लश्कर में जाने और ख़बर लाने का वाक़िआ

दूसरी तरफ़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को नुऐम इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु की कारगुज़ारी और अहज़ाब के बीच फूट के वाक़िआत की ख़बर मिली तो इरादा फ़रमाया कि अपना कोई आदमी जाकर दुश्मन के लश्कर और उनके इरादों का पता लाये, मगर वह सख़्त बर्फ़ानी हवा जो दुश्मन पर भेजी गई थी बहरहाल पूरे मदीने पर हावी हुई और मुसलमान भी उस सख़्त सर्दी से प्रभावित हुए। रात का वक़्त था सहाबा किराम दिन भर की मेहनत व मुक़ाबले से चूर-चूर सख़्त सर्दी के सबब सिमटे हुए बैठे थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने मजमे को मुख़ातब करके फ़रमाया कि कौन है जो खड़ा हो और दुश्मन के लश्कर में जाकर उनकी ख़बर लाये और अल्लाह

तआला उसको जन्नत में दाख़िल फ़रमाये। जाँनिसार सहाबा का मजमा था मगर हालात ने ऐसा मजबूर कर रखा था कि कोई खड़ा नहीं हो सका। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम नमाज़ में मशग़ूल हो गये और कुछ देर नमाज़ में मशग़ूल रहने के बाद फिर मजमे को ख़िताब करके फ़रमाया कि है कोई शख़्स जो दुश्मन के लश्कर की मुझे ख़बर ला दे और उसके बदले में जन्नत हासिल कर ले। इस मर्तबा भी पूरे मजमे में सन्नाटा रहा कोई नहीं उठा। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम फिर नमाज़ में मशग़ूल हो गये और कुछ देर के बाद फिर तीसरी मर्तबा वही ख़िताब फ़रमाया कि जो ऐसा करेगा वह जन्नत में मेरे साथ होगा। मगर पूरी क़ौम दिन भर की सख़्त थकान, कई वक़्त के फ़ाक़े और भूख से और ऊपर से सर्दी की तेज़ी से ऐसी बेबस हो रही थी कि फिर भी कोई न उठा।

हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ियल्लाहु अ़न्हु हदीस को बयान करने वाले फ़रमाते हैं कि उस वक़्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने मेरा नाम लेकर फ़रमाया कि हुज़ैफ़ा तुम जाओ। हालत मेरी भी सब जैसी थी मगर नाम लेकर हुक्म देने पर इताअ़त के सिवा चारा न था, मैं खड़ा हो गया और सर्दी से मेरा तमाम बदन काँप रहा था, आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने अपना हाथ मुबारक मेरे सर और चेहरे पर फेरा और फ़रमाया कि दुश्मन के लश्कर में जाओ और मुझे सिर्फ़ ख़बर लाकर दो और मेरे पास वापस आने से पहले कोई काम न करो, और फिर आपने मेरी हिफ़ाज़त के लिये दुआ़ फ़रमाई। मैंने अपने तीर-कमान उठाये और अपने कपड़े ऊपर बाँध लिये और उनकी तरफ़ रवाना हो गया।

जब यहाँ से रवाना हुआ तो अ़जीब माजरा देखा कि ख़ेमे के अन्दर बैठे हुए जो सर्दी से कपकपी तारी थी वह ख़त्म हो गई और मैं इस तरह चल रहा था जैसे कोई गर्म हम्माम के अन्दर हो, यहाँ तक कि मैं उनके लश्कर में पहुँच गया। मैंने देखा कि हवा के तूफ़ान ने उनके ख़ेमे उखाड़ दिये थे और हाण्डियाँ उलट दी थीं। अबू सुफ़ियान आग के पास बैठकर सेंक रहे थे। मैंने यह देखकर अपना तीर कमान संभाला और अबू सुफ़ियान पर तीर फेंकने ही वाला था कि मुझे हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम का यह फ़रमान याद आ गया कि कुछ काम वहाँ से वापस आने तक न करना। अबू सुफ़ियान बिल्कुल मेरी ज़द (तीर की पहुँच) में था मगर इस फ़रमान की बिना पर मैंने अपना तीर अलग कर लिया।

अबू सुफ़ियान हालात से परेशान होकर वापसी का ऐलान करना चाहते थे मगर इसके लिये ज़रूरी था कि क़ौम के ज़िम्मेदारों से बात करें रात की अंधेरी और सन्नाटे में यह ख़तरा भी था कि कोई जासूस मौजूद हो और उनकी बात सुन ले, इसलिये अबू सुफ़ियान ने यह होशियारी की कि बात करने से पहले सारे मजमे को कहा कि हर शख़्स अपने बराबर वाले आदमी को पहचान ले ताकि कोई ग़ैर-आदमी हमारी बात न सुन सके।

हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु अ़न्हु फ़रमाते हैं कि अब मुझे ख़तरा हुआ कि मेरी बराबर का आदमी जब मुझसे पूछा कि तू कौन है? तो मेरा राज़ खुल जायेगा। उन्होंने बड़ी होशियारी और हिम्मत से ख़ुद पहल करके अपने बराबर वाले आदमी के हाथ पर हाथ मारकर पूछा तुम कौन हो? उसने कहा ताज्जुब है कि तुम मुझे नहीं जानते, मैं फ़ुलाँ पुत्र फ़ुलाँ हूँ। वह कबीला-ए-हवाज़िन का आदमी था, इस तरह अल्लाह तआ़ला ने हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु अ़न्हु को गिरफ़्तारी से बचा दिया।

अबू सुफ़ियान ने जब यह इत्मीनान कर लिया कि मजमा अपना ही है, कोई ग़ैर नहीं तो उसने परेशान कर देने वाले हालात और बनू क़ुरैज़ा की वायदा-ख़िलाफ़ी और जंग का सामान ख़त्म हो जाने के वाकिआत सुनाकर कहा कि मेरी राय यह है कि अब आप सब वापस चलें और मैं भी वापस जा रहा हूँ। उसी वक़्त लश्कर में भगदड़ मच गई और सब वापस जाने लगे।

हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु फ़रमाते हैं कि मैं यहाँ से वापस चला तो ऐसा महसूस हुआ कि मेरे गिर्द कोई गर्म हम्माम है जो मुझे सर्दी से बचा रहा है। वापस पहुँचा तो आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को नमाज़ में मशग़ूल पाया। जब आपने सलाम फेरा तो मैंने वाकिए की ख़बर दी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ख़ुशी की इस ख़बर से ख़ुश होकर हंसने लगे, यहाँ तक कि रात के अंधेरे में आपके दाँत मुबारक चमकने लगे। इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने मुझे अपने क़दमों में जगह दी और जो चादर आप ओढ़े हुए थे उसका एक हिस्सा मुझ पर डाल दिया, यहाँ तक कि मैं सो गया। जब सुबह हो गई तो आपने ही यह कहकर मुझे जगाया कि 'क़ुम् या नौमा-न':

"खड़ा हो जा ऐ बहुत सोने वाले।"

आईन्दा काफ़िरों के हौसले पस्त हो जाने की ख़ुशख़बरी

सही बुख़ारी में हज़रत सुलैमान बिन सरद रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत है कि अहज़ाब के वापस जाने के वक़्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमायाः

"اَلْاٰنَ نغزوهم وَلَايغزُوْنَنَا نَحْنُ نَسِيْرُاِلَيْهِمْ. (بخاری)

"यानी अब वे हम पर हमलावर न होंगे बल्कि हम उन पर हमला करेंगे और उनके मुल्क पर चढ़ाई करेंगे।" (तफ़सीरे मज़हरी)

यह इरशाद फ़रमाने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम और सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम शहर मदीना में वापस आ गये और एक महीने के बाद मुसलमानों ने अपने हथियार खोले।

तंबीहः हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु का यह वाकिआ सही मुस्लिम में है और यह मुस्तकिल तौर पर एक नसीहत लेने की बात है जो बहुत सी हिदायतों और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के मोजिज़ों पर मुश्तमिल है। ग़ौर करने वाले ख़ुद मालूम कर लेंगे, तफ़सील लिखने की ज़रूरत नहीं।

ग़ज़वा-ए-बनू क़ुरैज़ा

अभी आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम और सहाबा किराम मदीना वापस पहुँचे ही थे कि अचानक जिब्रीले अमीन हज़रत दहया कलबी सहाबी की सूरत में तशरीफ़ लाये और फ़रमाया कि अगरचे आप लोगों ने अपने हथियार खोल दिये हैं मगर फ़रिश्तों ने अपने हथियार नहीं खोले, अल्लाह तआ़ला का आपको यह हुक्म है कि आप बनू क़ुरैज़ा पर हमला करें और मैं आप से आगे वहीं जा रहा हूँ।

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने मदीना में ऐलान करने के लिये एक मुनादी भेज दिया

जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का यह हुक्म लोगों को सुनाया और पहुँचायाः

لَا يُصَلِّيَنَّ اَحَدٌ نِ الْعَصْرَ اِلَّا فِىْ بَنِىْ قُرَيْظَةَ

"यानी कोई आदमी असर की नमाज़ न पढ़े जब तक कि बनू क़ुरैज़ा में न पहुँच जाये।"

सहाबा किराम सब के सब इस दूसरे जिहाद के लिये फ़ौरन तैयार होकर बनू क़ुरैज़ा की तरफ़ रवाना हो गये। रास्ते में असर का वक़्त आया तो कुछ हज़रात ने हुक्मे नबवी के ज़ाहिर के मुवाफ़िक़ रास्ते में असर की नमाज़ अदा नहीं की बल्कि निर्धारित मन्ज़िल यानी बनू क़ुरैज़ा में पहुँचकर अदा की। और कुछ ने यह समझा कि आपके हुक्म का मक़सद असर के वक़्त में बनू क़ुरैज़ा पहुँच जाना है हम अगर नमाज़ रास्ते में पढ़कर असर के वक़्त में वहाँ पहुँच जायें तो यह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के इरशाद के विरुद्ध नहीं, उन्होंने असर की नमाज़ अपने वक़्त पर रास्ते में अदा कर ली।

मुज्तहिद इमामों के मतभेद बुरा या गुनाह नहीं

मुज्तहिद इमामों और उलेमा के मतभेद में कोई जानिब गुनाह या बुरी नहीं होती जिस पर मलामत की जाये (यानी उनको बुरा-भला कहा जाये)।

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को सहाबा-ए-किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम के इस अमली मतभेद की ख़बर दी गई तो आपने दोनों फ़रीक़ में से किसी को मलामत नहीं फ़रमाई बल्कि दोनों की राय को सही क़रार दिया। इससे उलेमा-ए-उम्मत ने यह उसूल निकाला है कि मुज्तहिद उलेमा जो हक़ीक़त में मुज्तहिद हों और इज्तिहाद (क़ुरआन व हदीस से अहकाम व मसाईल निकालने) की सलाहियत रखते हों, उनके विभिन्न क़ौलों में से किसी को गुनाह और बुरा (नकारने योग्य) नहीं कहा जा सकता, दोनों फ़रीक़ों के लिये अपने-अपने इज्तिहाद पर अमल करने में सवाब लिखा जाता है।

बनू क़ुरैज़ा से जिहाद के लिये निकलने के वक़्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने झण्डा हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु के सुपुर्द फ़रमाया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम और सहाबा किराम के आने की ख़बर सुनकर बनू क़ुरैज़ा क़िले में बन्द हो गये, इस्लामी लश्कर ने क़िले का घेराव कर लिया।

बनू क़ुरैज़ा के सरदार कअ़ब की तक़रीर

बनू क़ुरैज़ा का सरदार कअ़ब जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का अहद तोड़कर अहज़ाब के साथ समझौता किया था, उसने अपनी क़ौम को जमा करके हालात की नज़ाकत बयान करते हुए तीन सूरतें अमल की पेश कीं:-

अव्वल यह कि तुम सब के सब इस्लाम क़ुबूल कर लो और मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के ताबे हो जाओ, क्योंकि मैं क़सम खाकर कहता हूँ कि तुम सब लोग जानते हो कि वह हक़ पर हैं और तुम्हारी किताब तौरात में उनकी भविष्यवाणी मौजूद है जो तुम पढ़ते हो। अगर तुमने ऐसा कर लिया तो दुनिया में अपनी जान व माल और औलाद को महफ़ूज़ कर लोगे और आख़िरत भी दुरुस्त हो जायेगी।

दूसरी सूरत यह है कि तुम अपनी औलाद और औरतों को पहले ख़ुद अपने हाथ से क़त्ल करो

और फिर पूरी ताक़त से जंग व मुक़ाबला करो, यहाँ तक कि तुम सब भी मारे जाओ।

तीसरी सूरत यह है कि हफ़्ते के दिन तुम मुसलमानों पर एक बार में हमला कर दो, क्योंकि मुसलमान जानते हैं कि हमारे मज़हब में शनिवार के दिन में लड़ाई हराम है, इसलिये वे हमारी तरफ़ से उस दिन बेफ़िक्र होंगे, हम अचानक उन पर हमला करें तो मुम्किन है कि कामयाब हो जायें।

क़ौम के सरदार कअ़ब की यह तक़रीर सुनकर क़ौम के लोगों ने जवाब दिया कि पहली बात यानी मुसलमान हो जाना यह तो हम हरगिज़ क़ुबूल नहीं करेंगे, क्योंकि हम तौरात को छोड़कर और किसी किताब को न मानेंगे। रही दूसरी बात तो औरतों बच्चों ने क्या क़सूर किया है कि हम उनको क़त्ल कर दें। बाक़ी तीसरी बात ख़ुद तौरात के हुक्म और हमारे मज़हब के ख़िलाफ़ है, यह भी हम नहीं कर सकते।

इसके बाद सब ने इस पर इत्तिफ़ाक़ किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के सामने हथियार डाल दें और आप उनके बारे में जो फ़ैसला फ़रमा दें उस पर राज़ी हो जायें। अन्सारी सहाबा किराम में जो लोग औस क़बीले से ताल्लुक़ रखते थे उनके और बनू क़ुरैज़ा के दरमियान पूरे ज़माने में मुआहदा रहा था तो औस के सहाबा ने आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से अ़र्ज़ किया कि आप उन लोगों को हमारे हवाले कर दें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि क्या तुम इस पर राज़ी हो कि मैं उनका मामला तुम्हारे ही एक सरदार के सुपुर्द कर दूँ। ये लोग इस पर राज़ी हो गये और आपने फ़रमाया कि वह तुम्हारे सरदार सअ़द बिन मुआ़ज़ हैं, इसका फ़ैसला मैं उनके सुपुर्द करता हूँ। इस पर सब लोग राज़ी हो गये।

हज़रत सअ़द बिन मुआ़ज़ रज़ियल्लाहु अ़न्हु को ख़न्दक़ के वाक़िए में तीर का गहरा ज़ख़्म पहुँचा था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने उनकी तीमारदारी के लिये मस्जिद के इहाते में एक ख़ेमा लगवाकर उसमें ठहरा दिया था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के फ़रमान के मुताबिक़ बनू क़ुरैज़ा के क़ैदियों का फ़ैसला उन पर छोड़ दिया गया। उन्होंने यह फ़ैसला दिया कि उनमें से जो जंग करने वाले नौजवान हैं वे क़त्ल कर दिये जायें और औरतों, बच्चों, बूढ़ों के साथ जंगी क़ैदियों का मामला किया जाये, जो इस्लाम में परिचित है। यही फ़ैसला नाफ़िज़ कर दिया गया और इस फ़ैसले के फ़ौरन बाद ही हज़रत सअ़द बिन मुआ़ज़ रज़ियल्लाहु अ़न्हु के ज़ख़्म से ख़ून बह पड़ा, उसी में उनकी वफ़ात हुई। अल्लाह तआ़ला ने उनकी दोनों दुआयें क़ुबूल फ़रमाईं एक यह कि आईन्दा क़ुरैश का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम पर कोई हमला न होगा, दूसरे बनू क़ुरैज़ा की ग़द्दारी की सज़ा उनको मिल जाये, वह अल्लाह ने उन्हीं के ज़रिये दिलवा दी।

जिनको क़त्ल करना तजवीज़ हुआ था उनमें से कुछ मुसलमान हो जाने की वजह से आज़ाद कर दिये। अ़तीया क़ुर्ज़ी जो सहाबा किराम में मशहूर हैं उन्हीं लोगों में से हैं, उन्हीं लोगों में ज़ुबैर बिन बाता भी थे। इनको हज़रत साबित बिन क़ैस बिन शिमास सहाबी ने आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से दरख़्वास्त करके आज़ाद करा दिया, जिसका सबब यह था कि ज़ुबैर बिन बाता ने इन पर जाहिलीयत के ज़माने में एक एहसान किया था, वह यह कि जाहिलीयत के ज़माने की जंगे बुआ़स में साबित बिन क़ैस क़ैद होकर ज़ुबैर बिन बाता के क़ब्ज़े में आ गये थे, ज़ुबैर बिन बाता ने इनके सर के बाल काटकर इनको आज़ाद कर दिया, क़त्ल नहीं किया था।

एहसान के बदले और क़ौमी ग़ैरत के दो अजीब नमूने

हज़रत साबित बिन कैस ज़ुबैर बिन बाता की रिहाई हा हुक्म हासिल करके उनके पास गये और कहा कि मैंने यह इसलिये किया है कि तुम्हारे उस एहसान का बदला कर दूँ जो तुमने जंगे बुआ़स में मुझकर पर किया था। ज़ुबैर बिन बाता ने कहा कि बेशक शरीफ़ आदमी दूसरे शरीफ़ के साथ ऐसा ही मामला किया करता है, मगर यह तो बतलाओ कि वह आदमी ज़िन्दा रहकर क्या करेगा जिसके बीवी-बच्चे न रहे हों। यह सुनकर साबित बिन कैस रज़ियल्लाहु अ़न्हु हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की ख़िदमत में हाज़िर हुए और अ़र्ज़ किया कि इनके बीवी-बच्चों की भी जान बख़्शी कर दी जाये, आपने क़ुबूल फ़रमा लिया। ज़ुबैर बिन बाता को इसकी इत्तिला दी तो यह एक क़दम और आगे बढ़े कि साबित! यह तो बतलाओ कि कोई बाल-बच्चों वाला इनसान कैसे ज़िन्दा रहेगा जब उसके पास कोई माल न हो। साबित बिन कैस फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की ख़िदमत में हाज़िर हुए और उनका माल भी उनको दिलवा दिया। यहाँ तक तो एक मोमिन की शराफ़त और एहसान पहचानने का मामला था जो हज़रत साबित बिन कैस की तरफ़ से हुआ।

अब दूसरा रुख़ सुनिये कि ज़ुबैर बिन बाता को जब अपने और अपने बीवी-बच्चों की आज़ादी और अपने माल व सामान सब वापस मिल जाने का इत्मीनान हो चुका तो उसने हज़रत साबित से यहूदी कबीलों के सरदारों के बारे में सवाल किया और पूछा कि इब्ने अबी हुक़ैक़ का क्या हुआ जिसका चेहरा चीनी आईने जैसा था। उन्होंने बतलाया कि वह क़त्ल कर दिया गया। फिर पूछा कि बनू क़ुरैज़ा के सरदार कअ़ब बिन क़ुरैज़ा और अ़मर बिन क़ुरैज़ा का क्या अन्जाम हुआ? उन्होंने बतलाया कि ये दोनों भी क़त्ल कर दिये गये। फिर दो जमाअ़तों के मुताल्लिक़ सवाल किया उसके जवाब में उनको ख़बर दी गई कि वे सब क़त्ल कर दिये गये।

यह सुनकर ज़ुबैर बिन बाता ने हज़रत साबित बिन कैस से कहा कि आपने अपने एहसान का बदला पूरा कर दिया और अपनी ज़िम्मेदारी का हक़ अदा कर दिया, मगर मैं अब अपनी ज़मीन जायदाद को उन लोगों के बाद आबाद नहीं करूँगा, मुझे भी उन्हीं लोगों के साथ शामिल कर दो, यानी क़त्ल कर डालो। साबित बिन कैस रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने उसको क़त्ल करने से इनकार कर दिया फिर उसके ज़िद करने पर किसी दूसरे मुसलमान ने उसको क़त्ल किया। (तफ़सीरे क़ुर्तुबी)

यह एक काफ़िर की क़ौमी ग़ैरत थी जिसने सब कुछ मिलने के बाद अपने साथियों के बग़ैर ज़िन्दा रहना पसन्द न किया। एक मोमिन एक काफ़िर के ये दोनों अ़मल एक तारीख़ी यादगार की हैसियत रखते हैं। बनू क़ुरैज़ा की यह फ़तह हिजरत के पाँचवें साल में ज़ीक़ादा महीने के आख़िर और ज़िलहिज्जा महीने के शुरू में हुई है। (तफ़सीरे क़ुर्तुबी)

तंबीह

ग़ज़वा-ए-अहज़ाब व बनू क़ुरैज़ा को इस जगह किसी क़द्र तफ़सील से लाने की एक वजह तो ख़ुद क़ुरआने करीम का इनको तफ़सील से दो रुकूअ़ में बयान फ़रमाना है। दूसरी वजह यह भी है कि इन वाक़िआ़त में ज़िन्दगी के विभिन्न शोबों से संबन्धित बहुत सी हिदायतें और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के खुले मोजिज़े और बहुत सी नसीहतें और सीख लेने वाली बातें हैं जिनको इस

क़िस्से में उनवानात लगाकर वाज़ेह कर दिया गया है। इस पूरे वाक़िए के मालूम कर लेने के बाद उपर्युक्त आयतों की तफ़सीर के लिये ऊपर लिखे गये ख़ुलासा-ए-तफ़सीर का देख लेना काफ़ी है, किसी मज़ीद वज़ाहत की ज़रूरत नहीं रहती, सिर्फ़ चन्द बातें ध्यान देने के क़ाबिल हैं।

अव्वल यह कि इस ग़ज़वे (जंग) में मुसलमानों पर सख़्ती और विभिन्न प्रकार की तकलीफ़ों में मुब्तला होने का ज़िक्र फ़रमाकर उस बेचैनी व परेशानी के आलम में एक हाल तो मोमिनों का बतलाया गया है कि 'तज़ुन्नू-न बिल्लाहिज़्ज़ुनूना' यानी तुम लोग अल्लाह के साथ तरह-तरह के गुमान करने लगे थे। उन गुमानों से मुराद ग़ैर-इख़्तियारी वस्वसे और ख़्यालात हैं जो परेशानी व बेक़रारी के वक़्त इनसान के दिल में आया करते हैं, कि अब मौत आ ही गई, अब बचने की सूरत नहीं रही वग़ैरह वग़ैरह। ऐसे ग़ैर-इख़्तियारी ख़्यालात और वस्वसे न कामिल ईमान के ख़िलाफ़ हैं न विलायत के कामिल दर्जे के। अलबत्ता इनसे मुसीबत व परेशानी की अधिकता व सख़्ती का ज़रूर पता लगता है कि सहाबा किराम जैसे हिम्मत व इरादे के पहाड़ हज़रात के दिलों में भी वस्वसे आने लगे।

दूसरा हाल मुनाफ़िक़ों का ज़िक्र फ़रमाया है कि उन्होंने खुले तौर पर अल्लाह व रसूल सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के वादों को धोखा व फ़रेब कहना शुरू कर दियाः

وَاِذْ يَقُوْلُ الْمُنٰفِقُوْنَ وَالَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗٓ اِلَّا غُرُوْرًا ○

(देखिये ऊपर बयान हुई आयत 12) यह उनके छुपे और अन्दरूनी कुफ़्र का इज़हार था। आगे अ़मली तौर पर वे मुनाफ़िक़ जो ज़ाहिर में मुसलमानों के साथ जिहाद में शरीक थे, उनके दो तब्क़ों का ज़िक्र है। एक तब्क़ा तो बिना पूछे भागने लगा जिसने कहाः

يٰٓاَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوْا

(देखिये ऊपर बयान हुई आयत 13) और दूसरे तब्क़े ने हीले बहाने बनाकर आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से वापस चले जाने की दरख़्वास्त की जिनका हाल यह ज़िक्र किया गया है किः

وَيَسْتَاْذِنُ فَرِيْقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُوْلُوْنَ اِنَّ بُيُوْتَنَا عَوْرَةٌ............الاية

(देखिये ऊपर बयान हुई आयत 13) क़ुरआने करीम ने उनके हीले बहाने को खोल दिया कि यह सब झूठ है। हक़ीक़त इसके सिवा कुछ नहीं कि ये मैदान से भागना चाहते हैं। फ़रमाया 'इंय्युरीदू-न इल्ला फ़िरारा'। आगे कई आयतों में उनकी शरारत और मुसलमानों के साथ दुश्मनी फिर उनके बुरे अन्जाम का ज़िक्र फ़रमाया।

इसके बाद मुख़्लिस (पक्के सच्चे) मोमिनों का ज़िक्र फ़रमाकर उनके जमाव और हिम्मत की तारीफ़ की गई है। इसके तहत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की पैरवी व इक़्तिदा की ताकीद एक उसूल व नियम की शक्ल में बयान फ़रमाई गई हैः

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

(देखिये ऊपर बयान हुई आयत 21) इससे रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की बातों और कामों सब की पैरवी का हुक्म साबित हुआ, मगर तफ़सीर के मुहक़्क़िक़ इमामों के नज़दीक इसकी अ़मली सूरत यह है कि जिस काम का करना या छोड़ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व

सल्लम से वाजिब होने के दर्जे में साबित हो उसकी पैरवी वाजिब व लाज़िम है। और जिस काम का करना या छोड़ना मुस्तहब के दर्जे में साबित हो उसका करना या छोड़ना हम पर भी मुस्तहब के दर्जे में रहेगा, कि उसकी ख़िलाफ़वर्ज़ी गुनाह न क़रार दी जायेगी। (जस्सास, अहकामुल-क़ुरआन में)

मज़कूरा आयतों में से आख़िरी तीन आयतों में बनू क़ुरैज़ा के वाक़िए का ज़िक्र है:

وَاَنْزَلَ الَّذِيْنَ ظَاهَرُوْهُمْ مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ مِنْ صَيَاصِيْهِمْ

यानी जिन अहले किताब ने अहज़ाब (लश्करों) वालों की मदद की थी, अल्लाह तआ़ला ने उनके दिलों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम और मुसलमानों का रौब डालकर उनके मज़बूत क़िलों से उनको नीचे उतार दिया और उनके माल और घर-बार का मुसलमानों को वारिस बनाया।

आख़िरी आयत में आईन्दा होने वाली जीत और कामयाबियों की ख़ुशख़बरी दी गई है कि अब काफ़िरों के हमले ख़त्म हुए अब मुसलमानों की कामयाबियों का दौर शुरू होगा, और ऐसी-ऐसी ज़मीनें उनके क़ब्ज़े में आयेंगी जहाँ उनके क़दम भी अब तक नहीं पहुँचे। जिसका ज़हूर सहाबा किराम के दौर में सब की आँखों ने देख लिया कि क़ैसरा व किसरा की सबसे बड़ी सल्तनतें उनके क़ब्ज़े में आ गईं। और अल्लाह जो चाहता है करता है।

يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّاَزْوَاجِكَ اِنْ

كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا وَزِيْنَتَهَا فَتَعَالَيْنَ اُمَتِّعْكُنَّ وَاُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيْلًا ۝ وَاِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَالدَّارَ الْاٰخِرَةَ فَاِنَّ اللّٰهَ اَعَدَّ لِلْمُحْسِنٰتِ مِنْكُنَّ اَجْرًا عَظِيْمًا ۝ يٰنِسَآءَ النَّبِيِّ مَنْ يَّاْتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ يُّضٰعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ ۚ وَكَانَ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرًا ۝ وَمَنْ يَّقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُّؤْتِهَآ اَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ ۙ وَاَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيْمًا ۝ يٰنِسَآءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَاَحَدٍ مِّنَ النِّسَآءِ اِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِيْ فِيْ قَلْبِهٖ مَرَضٌ وَّقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوْفًا ۝ وَقَرْنَ فِيْ بُيُوْتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْاُوْلٰى وَاَقِمْنَ الصَّلٰوةَ وَاٰتِيْنَ الزَّكٰوةَ وَاَطِعْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ ۚ اِنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيْرًا ۝ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلٰى فِيْ بُيُوْتِكُنَّ مِنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ وَالْحِكْمَةِ ۚ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ لَطِيْفًا خَبِيْرًا ۝

या अय्युहन्नबिय्यु क़ुल् लिअज़्वाजि-क इन् कुन्तुन्-न तुरिद्नल्-हयातद्दुन्या व ज़ीन-तहा फ़-तआ़लै-न उमत्तिअ़्कुन्-न व उसर्रिह्कुन्-न सराहन् जमीला (28) व इन्	ऐ नबी! कह दे अपनी औरतों को अगर तुम चाहती हो दुनिया की ज़िन्दगानी और यहाँ की रौनक़ तो आओ फ़ायदा पहुँचा दूँ तुमको और रुख़्सत कर दूँ भली तरह से रुख़्सत करना। (28) और अगर तुम

कुन्तुन्-न तुरिद्नल्ला-ह व रसूलहू वद्दारल्-आख़िर-त फ़-इन्नल्ला-ह अ-अ़द्-द लिल्मुह्सिनाति मिन्कुन्-न अज्रन् अ़ज़ीमा (29) या निसाअन्-नबिय्यि मंय्यअ्ति मिन्कुन्-न बिफ़ाहि-शतिम् मुबय्यि-नतिंय्-युज़ाअफ़् ल-हल्-अ़ज़ाबु ज़िअ्फ़ैनि, व का-न ज़ालि-क अ़लल्लाहि यसीरा (30)

चाहती हो अल्लाह को और उसके रसूल को और पिछले घर को तो अल्लाह ने रख छोड़ा है उनके लिये जो तुम में नेकी पर हैं बड़ा सवाब। (29) ऐ नबी की औरतो! जो कोई कर लाये तुम में काम बेहयाई का खुला दूना हो उसको अ़ज़ाब दोहरा, और है यह अल्लाह पर आसान। (30)

व मंय्यक्नुत् मिन्कुन्-न लिल्लाहि व रसूलिही व तअ्मल् सालिहन् नुअ्तिहा अज्रहा मर्रतैनि व अअ्तद्ना लहा रिज़्क़न् करीमा (31) या निसाअन्नबिय्यि लस्तुन्-न क-अ-हदिम् मिनन्निसा-इ इनित्तक़ैतुन्-न फ़ला तख़्ज़अ्-न बिल्क़ौलि फ़यत्म-अ़ल्लज़ी फ़ी क़ल्बिही म-रज़ुंव्-व क़ुल्-न क़ौलम् मअ्रूफ़ा (32) व क़र्-न फ़ी बुयूतिकुन्-न व ला त-बर्रज्-न त-बर्रुजल्-जाहिलिय्यतिल्-ऊला व अक़िम्नस्सला-त व आतीनज़्-ज़का-त व अतिअ्नल्ला-ह व रसूलहू, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़्हि-ब अ़न्कुमुर्-रिज्-स अह्लल्-बैति व यु-तह्हि-रकुम् तत्हीरा (33) वज़्कुर्-न

और जो कोई तुम में फ़रमाँबरदारी करे अल्लाह की और उसके रसूल की और अ़मल करे अच्छे, देवें हम उसको उसका सवाब दोबार और रखी है हमने उसके वास्ते रोज़ी इ़ज़्ज़त की। (31) ऐ नबी की औरतो! तुम नहीं हो जैसे हर कोई औरतें, अगर तुम डर रखो सो तुम दबकर बात न करो फिर लालच करे कोई जिसके दिल में रोग है, और कहो बात माक़ूल (32) और क़रार पकड़ो अपने घरों में और दिखलाती न फिरो जैसा कि दिखलाना दस्तूर था पहले जहालत के वक़्त में, और क़ायम रखो नमाज़ और देती रहो ज़कात और इताअ़त में रहो अल्लाह की और उसके रसूल की, अल्लाह यही चाहता है कि दूर करे तुमसे गन्दी बातें ऐ नबी के घर वालो! और सुथरा कर दे तुमको एक सुथराई से। (33) और याद करो जो पढ़ी

मा युत्ला फ़ी बुयूतिकुन्-न मिन् आयातिल्लाहि वल्हिक्मति, इन्नल्ला-ह का-न लतीफ़न् ख़बीरा (34) ✿	जाती हैं तुम्हारे घरों में अल्लाह की बातें और अक़्लमन्दी की, बेशक अल्लाह है भेद जानने वाला ख़बरदार। (34) ✿

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

ऐ नबी! (सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम) आप अपनी बीवियों से फ़रमा दीजिये (तुम से दोटूक बात कही जाती है ताकि हमेशा के लिये क़िस्सा एक तरफ़ हो। वह बात यह है कि) कि तुम अगर दुनियावी ज़िन्दगी (का ऐश) और उसकी बहार चाहती हो तो आओ (यानी लेने के लिये मुतवज्जह हो) मैं तुमको (दुनिया का) कुछ (माल व) मता दे दूँ (या तो मुराद इससे वह जोड़ा है जो तलाक़ देते वक़्त उस तलाक़ पाने वाली औरत को देना मुस्तहब है जिससे सोहबत हो चुकी हो, या इद्दत के दिनों का ख़र्च देना मुराद है, या दोनों को शामिल है) और (मता देकर) तुमको ख़ूबी के साथ रुख़्सत करूँ (यानी सुन्नत के मुवाफ़िक़ तलाक़ दे दूँ ताकि जहाँ चाहो जाकर दुनिया हासिल करो) और अगर तुम अल्लाह को चाहती हो और (मतलब अल्लाह को चाहने का इस जगह यह है कि) उसके रसूल को (चाहती हो, यानी तंगदस्ती व ग़ुर्बत की मौजूदा हालत के साथ रसूल के निकाह में रहना चाहती हो) और आख़िरत के (बुलन्द दर्जों) को (चाहती हो जो कि रसूल की बीवी बनने पर मुरत्तब होने वाले हैं) तो (यह तुम्हारी नेक-किरदारी है और) तुम में नेक किरदारों के लिये अल्लाह तआ़ला ने (आख़िरत में) बड़ा अज्र मुहैया कर रखा है (यानी वह सवाब जो ख़ास है नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की बीवियों के लिये, कि दूसरी नेक औरतों के अज्र से वह बड़ा है। और जिस से नबी की बीवी बने रहने को इख़्तियार न करने की सूरत में मेहरूमी होगी, अगरचे ईमान और नेक आमाल के फल दलीलों के आ़म होने के सबब उस सूरत में भी हासिल होंगे। यहाँ तक तो इख़्तियार देने का मज़मून है जिस में हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की तरफ़ से आपकी बीवियों को इख़्तियार दिया गया कि मौजूदा हालत पर सब्र व क़नाअ़त करके आपके निकाह में रहना पसन्द करें, या फिर आप से तलाक़ हासिल कर लें। आगे हक़ तआ़ला उनको ख़ुद ख़िताब करके वो अहकाम बयान फ़रमाते हैं जो बीवी बने रहने के इख़्तियार की हालत में पाबन्दी के लिये वाजिब होंगे। इरशाद है कि) ऐ नबी (सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम) की बीवियो! जो कोई तुम में से खुली हुई बेहूदगी करेगी (इससे मुराद वह मामला है जिससे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम तंग व परेशान हों तो) उसको (उस पर आख़िरत में) दोहरी सज़ा दी जायेगी (यानी दूसरे शख़्स को उस अ़मल पर जितनी सज़ा मिलती उससे दोहरी सज़ा होगी) और यह बात अल्लाह को (बिल्कुल) आसान है (यह नहीं कि दुनियावी हाकिमों की तरह कभी-कभी सज़ा बढ़ाने से किसी की शान व बड़ाई उसके लिये रुकावट हो जाये, और इस सज़ा के बढ़ने की वजह अभी अज्र के बढ़ने की तक़रीर में आगे आती है)।

तफ़सीर बाईसवाँ पारा

और जो कोई तुम में अल्लाह की और उसके रसूल की फ़रमाँबरदारी करेगी (यानी जिन कामों

को अल्लाह तआ़ला ने वाजिब फ़रमाया है उनको अदा करेगी और ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के शौहर होने के जो हुक़ूक़ यानी आपकी फ़रमाँबरदारी वग़ैरह वाजिब हैं उनको अदा करेगी क्योंकि रसूल होने की हैसियत वाले हुक़ूक़ अल्लाह की फ़रमाँबरदारी में दाख़िल हो गये) और (ग़ैर-वाजिब कामों में से जो) नेक काम (हैं उनको) करेगी तो हम उसको उसका सवाब (भी) दोहरा देंगे, और हमने उसके लिये (वायदा किये गये दोहरे अज्र के अ़लावा) एक (ख़ास) उम्दा रोज़ी (जो जन्नत में नबी सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की बीवियों के लिये मख़्सूस है और जो अ़मल के सिले से अतिरिक्त है) तैयार कर रखी है। (हुक्म मानने की सूरत में दोहरे अज्र और हुक्म न मानने की सूरत में दोहरे अ़ज़ाब की वजह नबी की बीवी होने का सम्मान है जिस पर 'या निसाअन्नबिय्यि' दलालत कर रहा है। क्योंकि जो ख़ास अफ़राद होते हैं उनकी कोताही भी औरों की कोताही से ज़्यादा सख़्त होती है। इसी तरह उनकी फ़रमाँबरदारी भी औरों की फ़रमाँबरदारी से ज़्यादा मक़बूल होती है। पस वायदा वईद दोनों में वे दूसरों से विशेष और नुमायाँ होते हैं। और ख़ास तौर पर बयान के मौक़े लिहाज़ से यह कहना मुम्किन है कि मुसलमानों की माँओं यानी हुज़ूरे पाक की बीवियों से ख़िदमत व इताअ़त का मामला होने से हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के दिल की राहत में ज़्यादती का सबब होगा पस आपको राहत पहुँचाने की वजह से अज्र व सवाब में ज़्यादती हो गई। इसी तरह इसके उलट समझ लेना चाहिये। कि इताअ़त व ख़िदमत न करने की सूरत में आपकी तकलीफ़ के सबब अ़ज़ाब में भी ज़्यादती हो गयी)।

(यहाँ तक आपके हुक़ूक़ के मुताल्लिक़ बीवियों से ख़िताब था, आगे आ़म अहकाम के मुताल्लिक़ ज़्यादा एहतिमाम के लिये ख़िताब है कि) ऐ नबी की बीवियो! (महज़ इस बात पर मत फूल जाना कि हम नबी की बीवियाँ हैं और इसलिये आ़म औ़रतों से ख़ास और नुमायाँ हैं, यह ताल्लुक़ और सम्मान हमारे लिये काफ़ी है, सो यह ख़्याल मत करना। यह बात सही है कि) तुम मामूली औ़रतों की तरह नहीं हो (बेशक उनसे अलग और नुमायाँ हो, मगर बिना शर्त के नहीं, बल्कि इसके साथ एक शर्त भी है वह यह कि) अगर तुम परहेज़गारी इख़्तियार करो (तब तो वाक़ई इस ताल्लुक़ के सबब तुमको औरों से फ़ज़ीलत हासिल है, यहाँ तक कि सवाब डबल मिलेगा, और अगर यह शर्त नहीं पाई गयी तो यही ताल्लुक़ उल्टे तौर पर दोहरे अ़ज़ाब का सबब बन जाएगा। जब यह बात है कि बिना परहेज़गारी व नेकी के निस्बत कुछ नहीं) तो (हम तुमको उमूमन शरई अहकाम की पूरी पाबन्दी करनी चाहिए और अगली आयत में जो अहकाम बयान हो रहे हैं उनकी ख़ास तौर पर। और वो अहकाम ये हैं कि) तुम (नामेहरम मर्द से) बोलने में (जबकि ज़रूरत से बोलना पड़े) नर्मी और लचक मत करो (इसका मतलब यह नहीं कि जान-बूझकर नज़ाकत मत करो, क्योंकि इसका बुरा होना तो सब को मालूम है दूसरी बात यह कि नबी की बीवियों के बारे में इसका वहम व गुमान हीं नहीं, बल्कि मतलब यह है कि जैसे औ़रतों के कलाम का फ़ितरी अन्दाज़ होता है कि कलाम में तबई नर्मी और नज़ाकत होती है, उस अन्दाज़ को मत बरतो) कि (उससे) ऐसे शख़्स को (तबई तौर पर बुरा) ख़्याल (पैदा) होने लगता है जिसके दिल में ख़राबी (और बदी) है, (बल्कि ऐसे मौक़े पर तकल्लुफ़ और एहतिमाम से उस फ़ितरी अन्दाज़ को बदलकर गुफ़्तगू करो) और (पारसाई के) क़ायदे के मुवाफ़िक़ बात कहो (यानी ऐसे अन्दाज़ से जिसमें ख़ुश्की और रूखापन हो, कि यह आबरू की हिफ़ाज़त करने वाला है, और यह बद-

अख़्लाक़ी नहीं है। बद-अख़्लाक़ी वह है जिससे किसी के दिल को तकलीफ़ पहुँचे और बुरे लालच के रोकने से तकलीफ़ पहुँचना लाज़िम नहीं आता)।

(इसमें तो बोलने के मुताल्लिक़ हुक्म फ़रमाया) और (आगे पर्दे के मुताल्लिक़ इरशाद है और दोनों हुक्मों में साझा चीज़ सिर्फ़ पाकदामनी है। यानी) तुम अपने घरों में क़रार से रहो (इससे मुराद यह है कि केवल कपड़ा ओढ़ लपेटकर पर्दा कर लेने पर बस मत करो बल्कि पर्दा इस तरीक़े से करो कि बदन या उसका लिबास नज़र न आये, जैसा कि आजकल शरीफ़ लोगों के घरों में पर्दे का तरीक़ा है कि औरतें घरों ही से नहीं निकलतीं, अलबत्ता ज़रूरत के मौक़ों पर दूसरी दलील से इस हुक्म में छूट हैं)। और (आगे इसी हुक्म की ताकीद के लिये इरशाद है कि) पुराने जहालत के ज़माने के दस्तूर के मुवाफ़िक़ मत फिरो (जिसमें बेपर्दगी का रिवाज था चाहे बिना बुराई ही क्यों न हो। और पुरानी जाहिलीयत से मुराद वह जाहिलीयत है जो इस्लाम से पहले थी, और इसके मुक़ाबले में एक बाद की जाहिलीयत है जो कि इस्लामी अहकाम की तालीम व तब्लीग़ के बाद उन पर अ़मल न किया जाये। पस जो बेपर्दगी और बाहर फिरना इस्लाम के बाद होगा वह बाद की जाहिलीयत है, इसलिए मिसाल देने में पहली वाली जाहिलीयत को ख़ास करना ज़ाहिर है। मतलब यह कि बाद वाली जाहिलीयत जारी करके पहले वाली जाहिलीयत की पैरवी न करो जिसके मिटाने को इस्लाम आया है)।

(यहाँ तक पाकदामनी से संबन्धित अहकाम थे) और (आगे शरीअ़त के दूसरे अह़काम का हुक्म है कि) तुम नमाज़ों की पाबन्दी रखो और (अगर निसाब की मालिक हो तो) ज़कात दिया करो (कि दोनों इस्लाम के बड़े निशानात में से हैं, इसलिए इनको विशेष तौर पर बयान किया गया) और (भी जितने अहकाम हैं और तुमको मालूम हैं सब में) अल्लाह का और उसके रसूल (सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम) का कहना मानो (और हमने जो तुमको इन अहकाम की इस पाबन्दी और एहतिमाम का मुकल्लफ़ बनाया है तो तुम्हारा ही नफ़ा है, क्योंकि) अल्लाह तआ़ला को (इन अहकाम के बताने से शरई एतिबार से) यह मन्ज़ूर है कि ऐ (पैग़म्बर के) घर वालो! तुमसे (गुनाह व नाफ़रमानी की) गंदगी को दूर रखे, और तुमको (हर तरह ज़ाहिरी तौर पर भी, बातिनी तौर पर भी, अ़क़ीदे व अ़मल में भी और अख़्लाक़ में भी) पाक-साफ़ रखे (क्योंकि अहकाम का इल्म होने से ही अहकाम के ख़िलाफ़ करने से बचना मुम्किन है, और अहकाम के ख़िलाफ़ करना ही पाक-साफ़ होने और बुराईयों की गंदगी से बचने में रुकावट बनता है) और (चूँकि इन अहकाम पर अ़मल वाजिब है, और अ़मल मौक़ूफ़ है अहकाम के जानने और उनके याद रखने पर इसलिये) तुम अल्लाह की इन आयतों (यानी क़ुरआन) को और (अहकाम के) उस इल्म को याद रखो जिसका तुम्हारे घरों में चर्चा रहता है (और यह भी ध्यान में रखो कि) बेशक अल्लाह तआ़ला राज़ का जानने वाला है (कि दिलों के आमाल को भी जानता है और) पूरा ख़बर रखने वाला है (कि छुपे आमाल को भी जानता है। इसलिए ज़ाहिरी व छ छुपी हर हालत में हुक्मों पर अ़मल करने और जिन चीज़ों से रोका गया है उनसे बचने व परहेज़ करने की पाबन्दी करना वाजिब है)।

मआ़रिफ़ व मसाईल

इस सूरत के मक़ासिद में से अहम मक़सद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को तकलीफ़

देने से और हर ऐसी चीज़ से बचने की ताकीद है जिससे आपको तकलीफ़ पहुँचे। साथ ही आपकी फ़रमाँबरदारी और रज़ा तलब करने के ताकीदी अहकाम हैं। ग़ज़वा-ए-अहज़ाब का तफ़सीली वाक़िआ जो ऊपर गुज़रा है उसमें काफ़िरों व मुनाफ़िक़ों की तरफ़ से जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को तकलीफ़ें पहुँचीं उनका ज़िक्र और इसके साथ अंततः तकलीफ़ देने वाले काफ़िरों व मुनाफ़िक़ों का ज़लील व ख़्वार होना और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम का हर मौक़े पर विजयी और कामयाब होना ज़िक्र किया गया था, और इसके साथ ही सच्चे मोमिन जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के हुक्म व इशारे पर अपना सब कुछ क़ुरबान कर दिया उनकी तारीफ़ व प्रशंसा और आख़िरत के दर्जों का बयान था।

उपर्युक्त आयतों में नबी करीम की पाक बीवियों को ख़ास तालीम है कि वे ख़ुसूसन इसका एहतिमाम करें कि आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को किसी काम व बात से तकलीफ़ न पहुँचे, और यह तभी हो सकता है कि वे अल्लाह तआ़ला और उसके रसूल की मुकम्मल फ़रमाँबरदारी में लग जायें। इस सिलसिले के चन्द अहकाम इन पाक बीवियों को ख़िताब करके बतलाये गये हैं।

आयतों के शुरू में जो पाक बीवियों को तलाक़ लेने का इख़्तियार देना बयान हुआ है, इसका एक या चन्द वाक़िआ़त हैं जो हुज़ूरे अक़्दस की पाक बीवियों की तरफ़ से पेश आये, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के मंशा के ख़िलाफ़ थे, जिनसे बिना इरादा व इख़्तियार के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को तकलीफ़ पहुँची।

उन वाक़िआ़त में से एक वाक़िआ़ वह है जो सही मुस्लिम वग़ैरह में हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अ़न्हु की रिवायत से तफ़सील के साथ आया है, उसमें ज़िक्र है कि नबी करीम की पाक बीवियों ने जमा होकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से इसका मुतालबा किया कि उनका नान-नफ़क़ा (ख़र्चा पानी) बढ़ाया जाये। तफ़सीर बहरे मुहीत में अबू हय्यान ने इसकी वज़ाहत यह बयान की है कि ग़ज़वा-ए-अहज़ाब के बाद बनू नज़ीर फिर बनू क़ुरैज़ा की फ़ुतूहात और ग़नीमत के मालों की तक़सीम ने आ़म मुसलमानों में किसी क़द्र ख़ुशहाली पैदा कर दी थी, आपकी पाक बीवियों को उस वक़्त यह ख़्याल हुआ कि ग़नीमत के इन मालों में से आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने भी अपना हिस्सा रखा होगा इसलिये उन्होंने जमा होकर अ़र्ज़ किया कि या रसूलल्लाह! ये किसरा व क़ैसर की बीवियाँ तरह-तरह के ज़ेवरात और क़ीमती लिबासों में मल्बूस हैं, और उनकी ख़िदमत के लिये ख़ादिमायें हैं और तंगदस्ती व ग़ुर्बत का हमारा हाल आप देखते हैं इसलिये अब कुछ वुस्अ़त से काम लिया जाये।

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने अपनी पाक बीवियों की तरफ़ से यह मुतालबा सुना कि उनके साथ वह मामला किया जाये जो बादशाहों और दुनियादारों में होता है तो आपको इससे बहुत रंज हुआ कि इन्होंने नुबुव्वत के घराने की क़द्र न पहचानी। अज़्वाजे मुतह्हरात को ख़्याल न था कि इससे आपको तकलीफ़ पहुँचेगी, आ़म मुसलमानों में माली गुंजाईश व फ़रावानी देखकर अपने लिये भी वुस्अ़त का ख़्याल दिल में आ गया था। अबू हय्यान रह. ने फ़रमाया कि इस वाक़िए को ग़ज़वा-ए-अहज़ाब के वाक़िए के बाद बयान करने से भी इसकी ताईद होती है कि आपकी बीवियों का यह मुतालबा ही तलाक़ के लिये इख़्तियार देने का सबब बना। हदीस की कुछ रिवायतों में हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अ़न्हा के घर में शहद पीने का वाक़िआ़ जो आगे सूरः तहरीम में तफ़सीली तौर पर

आयेगा उसमें पाक बीवियों की आपसी ग़ैरत के सबब जो सूरत पेश आई वह इस तलाक़ के इख़्तियार का सबब बनी, अगर ये दोनों चीज़ें पुराने ज़माने में पेश आई हों तो यह भी बईद नहीं कि दोनों ही सबब हों, लेकिन इख़्तियार देने वाली आयत के अलफ़ाज़ से ज़्यादा ताईद इसी की होती है कि आपकी पाक बीवियों की तरफ़ से कोई माली मुतालबा इसका सबब बना है, क्योंकि इस आयत में फ़रमाया है:

إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا وَزِيْنَتَهَا............ الاية

इस आयत ने तमाम पाक बीवियों को इख़्तियार दे दिया कि वे नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की मौजूदा हालत यानी आर्थिक तंगी के साथ आपके निकाह में रहना क़ुबूल करें या फिर आप से तलाक़ के साथ आज़ाद हो जायें। पहली सूरत में उनको आ़म औ़रतों के मुक़ाबले में बहुत ज़्यादा बड़े अज्र और आख़िरत के ख़ास बुलन्द दर्जे अ़ता होंगे, और दूसरी सूरत यानी तलाक़ लेने में भी उनको दुनिया के लोगों की तरह किसी कड़वाहट व तकलीफ़ की नौबत नहीं आयेगी बल्कि सुन्नत के मुताबिक़ कपड़ों का जोड़ा वग़ैरह देकर इज़्ज़त के साथ रुख़्सत किया जायेगा।

इमाम तिर्मिज़ी ने उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा से रिवायत किया है कि जब यह इख़्तियार वाली आयत नाज़िल हुई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने इसके इज़हार व ऐलान की शुरूआ़त मुझसे फ़रमाई और आयत सुनाने से पहले फ़रमाया कि मैं तुम से एक बात कहने वाला हूँ मगर तुम उसके जवाब में जल्दी न करना बल्कि अपने माँ-बाप से मश्विरा करके जवाब देना। सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अ़न्हा फ़रमाती हैं कि यह मुझ पर ख़ास इनायत थी कि मुझे माँ-बाप से मश्विरे के बग़ैर इज़हारे राय से आपने मना फ़रमा दिया, क्योंकि आपको यक़ीन था कि मेरे माँ-बाप मुझे कभी यह राय नहीं देंगे कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से अ़लैहदगी इख़्तियार कर लूँ। मैंने जब यह आयत सुनी तो फ़ौरन अ़र्ज़ किया कि क्या मैं इस मामले में माँ-बाप से मश्विरा लेने जाऊँ? मैं तो अल्लाह को और उसके रसूल को और आख़िरत के घर को इख़्तियार करती हूँ। फिर मेरे बाद सब बीवियों को क़ुरआन का यह हुक्म सुनाया गया, सब ने वही कहा जो मैंने पहले कहा था (किसी ने भी दुनिया की ख़ुशहाली को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की बीवी बनने के मुक़ाबले में क़ुबूल न किया)। (इमाम तिर्मिज़ी ने फ़रमाया कि यह हदीस हसन सही है)

फ़ायदा

तलाक़ के इख़्तियार की दो सूरतें होती हैं- एक यह कि तलाक़ का इख़्तियार औ़रत के सुपुर्द कर दिया जाये, अगर वह चाहे तो ख़ुद अपने नफ़्स को तलाक़ देकर आज़ाद हो जावे। दूसरे यह कि तलाक़ शौहर ही के हाथ में रहे, अगर औ़रत चाहे तो वह तलाक़ दे दे।

मज़कूरा आयत में कुछ मुफ़स्सिरीन ने पहली सूरत को और कुछ ने दूसरी को इख़्तियार किया है। सय्यिदी हकीमुल-उम्मत रह. ने तफ़सीर बयानुल-क़ुरआन में फ़रमाया कि सही बात यह है कि आयत के अलफ़ाज़ में दोनों संभावनायें हैं, जब तक किसी स्पष्ट दलील से एक का निर्धारण हो जाये अपनी तरफ़ से किसी सूरत को मुतैयन करने की ज़रूरत नहीं।

मसलाः इस आयत से मालूम हुआ कि जब मियाँ-बीवी की तबीयतों में मुनासबत न हो तो

मुस्तहब यह है कि बीवी को इख़्तियार दिया जाये कि शौहर की मौजूदा हालत पर क़नाअ़त करके साथ रहना चाहे तो रहे वरना सुन्नत के मुताबिक़ तलाक़ देकर कपड़े के जोड़े देकर इज़्ज़त के साथ रुख़्सत कर दिया जाये।

ऊपर ज़िक्र हुई आयत से इस मामले का मुस्तहब और अच्छा होना साबित किया जा सकता है, वाजिब होने पर कोई दलील नहीं। मसाईल के माहिर कुछ उलेमा ने इस आयत से वाजिब होने पर दलील ली है और इसी बिना पर ऐसे मुफ़लिस आदमी की बीवी को अ़दालत की तरफ़ से तलाक़ देने का हक़ दिया है जो बीवी को नफ़क़ा (ख़र्चा) देने पर क़ादिर नहीं।

नबी करीम की पाक बीवियों की एक ख़ुसूसियत और उसकी वजह से उन पर कड़ी पाबन्दी

يٰنِسَآءَ النَّبِيِّ مَنْ يَّاْتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ يُّضٰعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ وَكَانَ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرًا ۝ وَمَنْ يَّقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُّؤْتِهَآ اَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ.......... الاٰية

इन दो आयतों में नबी करीम सल्ल. की पाक बीवियों की यह ख़ुसूसियत बयान फ़रमाई है कि अगर वे कोई गुनाह का काम करेंगी तो उनको दूसरी औरतों की तुलना में दोगुना अ़ज़ाब दिया जायेगा। यानी उनका एक गुनाह दो के बराबर क़रार दिया जायेगा। इसी तरह अगर वे नेक अ़मल करेंगी तो दूसरी औरतों के मुक़ाबले में उनको सवाब भी दोहरा दिया जायेगा, उनका एक नेक अ़मल दो के बराबर होगा।

यह आयत एक हैसियत से नबी करीम की पाक बीवियों के लिये उनके उस अ़मल की जज़ा (बदला) है जो उन्होंने इख़्तियार देने वाली आयत नाज़िल होने पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की बीवी बनने पर दुनिया की ख़ुशहाली व फ़राख़ी को क़ुरबान कर दिया। इसके सिले में अल्लाह तआ़ला ने उनके एक अ़मल को दो का दर्जा दे दिया और गुनाह की सूरत में दोहरा अ़ज़ाब भी उनकी ख़ास फ़ज़ीलत और विशेषता की वजह से हुआ, क्योंकि यह बात अ़क़्ली भी है और किताबी भी कि जितना किसी का सम्मान व एहतिराम होता है उतना ही उसकी तरफ़ से ग़फ़लत व सरकशी की सज़ा भी बढ़ जाती है।

नबी करीम सल्ल. की पाक बीवियों पर हक़ तआ़ला के बड़े इनामात हैं कि उनको अल्लाह तआ़ला ने अपने रसूल सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की बीवी बनने के लिये चुन लिया। उनके घरों में अल्लाह की वही नाज़िल होती रही, तो उनकी मामूली ग़लती और कोताही भी बड़ी होगी। अगर दूसरों से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को तकलीफ़ पहुँचे तो इससे कहीं ज़्यादा सख़्त बात होगी कि उनसे कोई बात रंज व तकलीफ़ की सर्ज़द हो। क़ुरआने करीम के इन अलफ़ाज़ में ख़ुद इस सबब की तरफ़ इशारा है 'वज़्कुर्-न मा युतला फ़ी बुयूतिकुन्-न'।

फ़ायदा

नबी करीम सल्ल. की पाक बीवियों की यह ख़ुसूसियत कि उनके अ़मल का दोहरा सवाब मिले

आम उम्मत के एतिबार से इससे यह लाज़िम नहीं आता कि उम्मत में किसी फ़र्द या जमाअत को किसी ख़ुसूसियत से ऐसा इनाम न बख़्शा जाये कि उसको दोहरा सवाब मिले। चुनाँचे अहले किताब में से जो लोग मुसलमान हो गये उनके बारे में क़ुरआने करीम में इरशाद है:

أُولَٰئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُم مَّرَّتَيْنِ.

और रूम के बादशाह कैसर के नाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने जो ख़त तहरीर फ़रमाया उसमें क़ुरआनी इरशाद की वजह से आपने कैसरे रूम को यह लिखा कि:

يُؤْتِكَ اللّٰهُ أَجْرَكَ مَرَّتَيْنِ

अहले किताब जो इस्लाम ले आयें उनके बारे में ख़ुद क़ुरआन में दोहरा अज्र मिलने की वज़ाहत है। और एक हदीस और भी है कि जिसमें तीन आदमियों के लिये इसी तरह दोहरा अज्र बयान हुआ है, इसकी तफ़सील सूरः क़सस में आयत नम्बर 54 के तहत में लिखी गई है।

आ़लिम के नेक अ़मल का सवाब भी दूसरों से ज़्यादा है और उसके गुनाह की सज़ा भी ज़्यादा

इमाम अबू बक्र जस्सास रह. ने अहकामुल-क़ुरआन में फ़रमाया कि जिस सबब से हक़ तआ़ला ने नबी करीम सल्ल. की पाक बीवियों के नेक अ़मल का सवाब दोगुना और उनकी नाफ़रमानी का अ़ज़ाब भी दोगुना क़रार दिया है वह यह कि नुबुव्वत के उलूम और अल्लाह की वही उतरने के ख़ास मौक़ा और स्थान हैं, यही सबब उलेमा-ए-दीन में भी मौजूद है। इसलिये जो आ़लिम अपने इल्म पर आ़मिल भी है उसको भी उस अ़मल का सवाब दूसरों से ज़्यादा मिलेगा, और अगर वह कोई गुनाह करेगा तो अ़ज़ाब भी दूसरों से ज़्यादा होगा।

بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ

लफ़्ज़ 'फ़ाहिशा' अ़रबी भाषा में बदकारी और ज़िना वग़ैरह के लिये भी इस्तेमाल किया जाता है और सिर्फ़ नाफ़रमानी व गुनाह के लिये भी। यह लफ़्ज़ क़ुरआन में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है। इस आयत में फ़ाहिशा के लफ़्ज़ से बदकारी और ज़िना मुराद नहीं हो सकता, क्योंकि अल्लाह तआ़ला ने अपने पैग़म्बरों की बीवियों को इस सख़्त ऐब से बरी फ़रमाया है। तमाम अम्बिया अ़लैहिमुस्सलाम की बीवियों में से किसी से भी ऐसा काम नहीं हुआ। हज़रत लूत और नूह अ़लैहिमस्सलाम की बीवियाँ उनके दीन से विमुख हुईं और सरकशी इख़्तियार की जिसकी सज़ा उनको मिली, लेकिन बदकारी का इल्ज़ाम उनमें भी किसी पर नहीं था। नबी करीम सल्ल. की पाक बीवियों में से किसी से किसी बेहयाई या बदकारी के होने का तो कोई शुब्हा व संभावना ही न थी, इसलिये इस आयत में फ़ाहिशा से मुराद आ़म गुनाह या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की तकलीफ़ और रंज है। और इस जगह फ़ाहिशा के साथ जो लफ़्ज़ मुबय्यिना आया है यह इस पर सुबूत है, क्योंकि बेहयाई और बदकारी कहीं भी मुबय्यिना (खुली) नहीं होती, वह तो पर्दों में छुपकर की जाती है। खुली बेहयाई से मुराद आ़म गुनाह हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की तकलीफ़? तफ़सीर के इमामों में

से मुक़ातिल बिन सुलैमान ने इस आयत में फ़ाहिशा का मतलब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की नाफ़रमानी या आप से कोई ऐसा मुतालबा क़रार दिया है जिसका पूरा करना आपके लिये भारी व नागवार हो। (बैहक़ी, सुनन में)

और क़ुरआने करीम ने दोहरे अ़ज़ाब के सिलसिले में तो सिर्फ़ फ़ाहिशा मुबय्यिना पर यह अ़ज़ाब मुरत्तब किया है मगर दोहरे अज्र व सवाब के लिये कई शर्तें रखी हैं:

وَمَنْ يَّقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَتَعْمَلْ صَالِحًا

इसमें क़ुनूत यानी अल्लाह की इताअ़त और उसके रसूल सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की शर्त है फिर नेक अ़मल शर्त है। सबब यह है कि अज्र व सवाब तो उसी वक़्त मिलता है जब इताअ़त मुकम्मल हो और सज़ा के लिये एक गुनाह भी काफ़ी है।

नबी करीम सल्ल. की पाक बीवियों को ख़ास हिदायतें

يٰنِسَآءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَاَحَدٍ مِّنَ النِّسَآءِ اِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ

इससे पहले की आयतों में पाक बीवियों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से ऐसे मुतालबे करने से रोका गया है जिनका पूरा करना आपके लिये दुश्वार हो या जो आपकी शान के मुनासिब न हों। और जब उन्होंने इसको इख़्तियार कर लिया तो उनका दर्जा आ़म औ़रतों से बढ़ा दिया गया कि उनके एक अ़मल को दो के बराबर बना दिया। आगे उनको अ़मल के सुधार और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की बीवी बनने और साथ नसीब होने के मुनासिब बनाने के लिये चन्द हिदायतें दी गई हैं। ये सब हिदायतें अगरचे आपकी पाक बीवियों के लिये ख़ास नहीं बल्कि तमाम ही मुसलमान औ़रतों को इनका हुक्म है, मगर यहाँ नबी करीम की पाक बीवियों को ख़ुसूसी ख़िताब करके इस पर मुतवज्जह किया है कि ये आमाल व अहकाम जो सब मुसलमान औ़रतों के लिये लाज़िम व वाजिब हैं आपको इनका एहतिमाम दूसरों से ज़्यादा करना चाहिये और 'तुम मामूली औ़रतों की तरह नहीं हो' से यही विशेषता और ख़ुसूसियत मुराद है।

क्या नबी करीम सल्ल. की बीवियाँ सारे आ़लम की औ़रतों से अफ़ज़ल हैं?

आयत के इन अलफ़ाज़ से बज़ाहिर यह मालूम होता है कि नबी करीम सल्ल. की पाक बीवियाँ सारी दुनिया की औ़रतों से अफ़ज़ल हैं, मगर क़ुरआने करीम की आयत में हज़रत मरियम अ़लैहस्सलाम के बारे में यह है:

اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفٰكِ عَلٰى نِسَآءِ الْعٰلَمِيْنَ○

इससे हज़रत मरियम अ़लैहस्सलाम का सारे जहान की औ़रतों से अफ़ज़ल होना साबित होता है और तिर्मिज़ी में हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अ़न्हु की हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व

सल्लम ने फ़रमाया कि काफ़ी हैं तुमको सारी औरतों में से मरियम बिन्ते इमरान और ख़दीजा बिन्ते ख़ुवैलद (उम्मुल-मोमिनीन) और फ़ातिमा बिन्ते मुहम्मद (सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम) और आसिया फ़िरऔन की बीवी। इस हदीस में हज़रत मरियम के साथ और तीन औरतों को सारे आ़लम की औरतों से अफ़ज़ल फ़रमाया है।

इसलिये इस आयत में जो आपकी पाक बीवियों का अफ़ज़ल और बरतर होना बयान किया गया है वह एक ख़ास हैसियत यानी नबी की बीवियाँ और नबी की औरतें होने की है, जिसमें वे बिला शुब्हा तमाम आ़लम की औरतों से अफ़ज़ल हैं। इससे मुतलक़ आ़म फ़ज़ीलत साबित नहीं होती जो दूसरी दलीलों और बयानात के ख़िलाफ़ हो। (तफ़सीरे मज़हरी)

'तुम मामूली औरतों की तरह नहीं हो' के बाद 'अगर तुम तक़्वा इख़्तियार करो' यह शर्त उस फ़ज़ीलत की है जो अल्लाह तआ़ला ने उनको नबी की औरतें होने की वजह से बख़्शी है। इस बात से मक़सद इस बात पर तंबीह करना है कि सिर्फ़ इस निस्बत व ताल्लुक़ पर भरोसा करके न बैठ जायें कि हम रसूल की बीवियाँ हैं बल्कि तक़्वा और अल्लाह के अहकाम की फ़रमाँबरदारी पर फ़ज़ीलत की शर्त है। (तफ़सीरे क़ुर्तुबी व मज़हरी)

इसके बाद चन्द हिदायतें नबी करीम सल्ल. की पाक बीवियों को दी गईं:-

पहली हिदायत औरतों के पर्दे से मुताल्लिक़ आवाज़ और कलाम पर पाबन्दी है:

فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ

यानी किसी ग़ैर-मेहरम से पर्दे के पीछे से बात करने की ज़रूरत भी पेश आये तो कलाम में उस नज़ाकत और नर्मी के लहजे से कोशिश करके परहेज़ किया जाये जो फ़ितरी तौर पर औरतों की आवाज़ में होती है। मतलब इस नर्मी और नज़ाकत से वह नर्मी है जो मुख़ातब (सामने वाले) के दिल में मैलान व रुझान पैदा करे जैसा कि इसके बाद फ़रमाया है:

فَيَطْمَعَ الَّذِىْ فِىْ قَلْبِهٖ مَرَضٌ

यानी ऐसी नर्म बातचीत न करो जिससे ऐसे आदमी को उम्मीद व लालच और मैलान पैदा होने लगे जिसके दिल में बीमारी हो। बीमारी से मुराद निफ़ाक़ है या उसका कोई हिस्सा व विभाग है। असली मुनाफ़िक़ से तो ऐसा लालच होना ज़ाहिर ही है, लेकिन जो आदमी सच्चा मोमिन होने के बावजूद किसी हराम की तरफ़ माईल होता है वह मुनाफ़िक़ न सही मगर कमज़ोर ईमान वाला ज़रूर है। और यह ईमान की कमज़ोरी जो हराम की तरफ़ माईल करती है दर हक़ीक़त एक निफ़ाक़ का एक शोबा व हिस्सा ही का है। ख़ालिस ईमान जिसमें निफ़ाक़ का शुब्हा तक न हो उसके होते हुए कोई हराम की तरफ़ माईल नहीं हो सकता। (तफ़सीरे मज़हरी)

इस पहली हिदायत का ख़ुलासा औरतों के लिये अजनबी मर्दों से बचना और पर्दे का वह ऊँचा स्तर हासिल करना है कि जिससे किसी अजनबी कमज़ोर ईमान वाले के दिल में कोई लालच या मैलान व रुझान पैदा हो सके, उसके पास भी न जायें। औरतों के पर्दे की तफ़सीली बहस इसी सूरत में आगे आने वाली आयतों के तहत में बयान होगी, यहाँ नबी करीम सल्ल. की पाक बीवियों के लिये ख़ुसूसी हिदायतें के अंतर्गत जो कुछ आया है सिर्फ़ उसकी वज़ाहत लिखी जाती है। कलाम के

मुताल्लिक़ जो हिदायत दी गई है उसको सुनने के बाद कुछ उम्महातुल-मोमिनीन इस आयत के नाज़िल होने के बाद अगर ग़ैर-मर्द से कलाम करतीं तो अपने मुँह पर हाथ रख लेतीं ताकि आवाज़ बदल जाये। इसी लिये हज़रत अमर बिन आ़स रज़ियल्लाहु अ़न्हु की एक हदीस में है:

اِنَّ النَّبِیَّ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ نَھٰی اَنْ یُّکَلِّمَ النِّسَآءَ اِلَّا بِاِذْنِ اَزْوَاجِھِنَّ. (رواہ الطبرانی بسند حسن، مظھری)

मसलाः इस आयत और ऊपर बयान हुई हदीस से इतना तो साबित हुआ कि औ़रत की आवाज़ सतर (छुपाने वाली चीज़) में दाख़िल नहीं, लेकिन इस पर भी एहतियाती पाबन्दी यहाँ भी लगा दी और तमाम इबादतों और अहकाम में इसकी रियायत की गई है कि औ़रतों का कलाम जहरी (आवाज़ के साथ) न हो जो मर्द सुनें, इमाम कोई ग़लती करे तो मुक़्तदियों को लुक़्मा ज़बान से देने का हुक्म है मगर औ़रतों को ज़बान से लुक़्मा देने के बजाय यह तालीम दी गई है कि अपने हाथ की पुश्त पर दूसरा हाथ मारकर ताली बजा दें, जिससे इमाम सचेत हो जाये, ज़बान से कुछ न कहें।

दूसरी हिदायत मुकम्मल पर्दा करने की है:

وَقَرْنَ فِیْ بُیُوْتِکُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاھِلِیَّۃِ الْاُوْلٰی.

"यानी बैठो अपने घरों में और पुराने ज़माने की जाहिलीयत वालियों की तरह न फिरो।"

यहाँ **जाहिलीयत-ए-ऊला** से मुराद वह जाहिलीयत है जो इस्लाम से पहले दुनिया में फैली हुई थी। इस लफ़्ज़ में इशारा है कि इसके बाद दूसरी भी कोई जाहिलीयत आने वाली है जिसमें इसी तरह की बेहयाई व बेपर्दगी फैल जायेगी, वह शायद इस ज़माने की जाहिलीयत है जिसको अब हर जगह खुली आँखों देखा जा रहा है।

इस आयत में पर्दे के मुताल्लिक़ असली हुक्म यह है कि औ़रतें घरों में रहें (यानी बिना शरई ज़रूरत बाहर न निकलें) इसके साथ यह भी फ़रमाया कि जिस तरह इस्लाम से पहले जाहिलीयत के ज़माने की औ़रतें खुलेआम बेपर्दा फिरती थीं ऐसे न फिरो। लफ़्ज़ **तबर्रुज** के असली मायने ज़ाहिर होने के हैं और इस जगह इससे मुराद अपनी ज़ीनत (बनाव-सिंगार) का इज़्हार है ग़ैर मर्दों पर, जैसा कि एक दूसरी आयत (सूरः नूर की आयत 60) में 'ग़ै-र मु-तबर्रिजातिम् बिज़ीनतिन्' आया है।

औ़रतों के पर्दे की पूरी बहस और मुफ़स्सल अहकाम आगे इसी सूरत में आयेंगे यहाँ सिर्फ़ ऊपर बयान हुई आयत की वज़ाहत लिखी जाती है। इस आयत से पर्दे के मुताल्लिक़ दो बातें मालूम हुई अव्वल यह कि औ़रतों के लिये अल्लाह के यहाँ असल पसन्दीदा यह है कि वे घरों से बाहर न निकलें, उनकी पैदाईश और वजूद घरेलू कामों के लिये हुआ है, उनमें मशग़ूल रहें और असल पर्दा जो शरीअ़त में बयान किया गया है वह घरों में रहने का पर्दा है।

दूसरी बात यह मालूम हुई कि अगर ज़रूरत के तहत कभी औ़रत को घर से निकलना ही पड़े तो ज़ीनत (बनाव-सिंगार) के इज़्हार के साथ न निकले, बल्कि बुरक़ा या बड़ी चादर जिसमें पूरा बदन ढक जाये वह पहनकर निकले। जैसा कि आगे इसी सूरः अहज़ाब की आयत नम्बर 59:

یُدْنِیْنَ عَلَیْھِنَّ مِنْ جَلَابِیْبِھِنَّ

में इसकी तफ़सील आयेगी। इन्शा-अल्लाह तआ़ला

घर में रहने से ज़रूरत का मौक़ा अलग है

قَرْنَ فِیْ بُیُوْتِکُنَّ

(क़रार पकड़ों अपने घरों में) के अन्दर औरतों पर घरों में रहने को वाजिब किया गया जिसका मफ़्हूम यह है कि औरतों के लिये घर से बाहर निकलना पूरी तरह ममनू और हराम है। मगर अव्वल तो ख़ुद इसी आयत 'व ला तबर्रज्-न' से इस तरफ़ इशारा कर दिया गया कि बाहर निकलना पूरी तरह वर्जित नहीं बल्कि बिना ज़रूरत के वह बाहर जाना मना है जिसमें ज़ीनत (बनाव-सिंगार) का इज़हार हो। दूसरे सूरः अहज़ाब की आयत जो आगे आ रही है इसमें ख़ुदः

یُدْنِیْنَ عَلَیْهِنَّ مِنْ جَلَابِیْبِهِنَّ

का हुक्म यह बतला रहा है कि किसी दर्जे में औरतों के लिये घर से निकलने की इजाज़त भी है बशर्तेकि बुरक़ा वग़ैरह के पर्दे के साथ निकलें।

इसके अलावा ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने ज़रूरत के मौक़ों का इससे अलग होना एक हदीस में वाज़ेह फ़रमा दिया, जिसमें अपनी पाक बीवियों को ख़िताब करके फ़रमायाः

قَدْ اُذِنَ لَکُنَّ اَنْ تَخْرُجْنَ لِحَاجَتِکُنَّ . (رواه مسلم)

"यानी तुम्हारे लिये इसकी इजाज़त है कि अपनी ज़रूरत के लिये घर से निकलो।"

फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का अमल पर्दे की आयत उतरने के बाद इस पर सुबूत है कि ज़रूरत के मौक़ों पर औरतों को घरों से निकलने की इजाज़त है जैसा कि हज व उमरे के लिये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के साथ आपकी पाक बीवियों का जाना सही हदीसों से साबित है। इसी तरह बहुत सी इस्लामी जंगों में साथ जाना साबित है, और बहुत सी रिवायतों से यह भी साबित है कि पाक बीवियाँ अपने माँ-बाप वग़ैरह से मुलाक़ात के लिये अपने घरों से निकलती थीं और रिश्तेदारों व ताल्लुक़ वालों की बीमारपुर्सी और ताज़ियत वग़ैरह में शिर्कत करती थीं, और हुज़ूरे पाक सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के ज़माने में उनको मस्जिदों में जाने की भी इजाज़त थी।

और सिर्फ़ यही नहीं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के साथ या आपके ज़माने ही में ऐसा हुआ हो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की वफ़ात के बाद भी हज़रत सौदा रज़ियल्लाहु अन्हा और हज़रत ज़ैनब बिन्ते जहश रज़ियल्लाहु अन्हा वग़ैरह के अलावा सब पाक बीवियों का हज व उमरे के लिये जाना साबित है जिस पर सहाबा किराम में से किसी ने नकीर (एतिराज़) नहीं किया, बल्कि फ़ारूक़े आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने दौरे ख़िलाफ़त में नबी करीम सल्ल. की पाक बीवियों को ख़ुद अपने एहतिमाम से हज के लिये भेजा और हज़रत उस्मान ग़नी रज़ियल्लाहु अन्हु और अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रज़ियल्लाहु अन्हु को उनके साथ निगरानी व इन्तिज़ाम के लिये भेजा, और उम्मुल-मोमिनीन हज़रत सौदा और हज़रत ज़ैनब बिन्ते जहश रज़ियल्लाहु अन्हुमा का नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की वफ़ात के बाद हज व उमरे के लिये न जाना इस आयत की बुनियाद पर नहीं बल्कि एक हदीस की बिना पर था वह यह कि हज्जतुल-विदा में जब पाक बीवियों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने ख़ुद अपने साथ हज करा दिया तो वापसी के वक़्त फ़रमायाः

هٰذِهٖ ثُمَّ لُزُوْمُ الْحُصُرِ

यानी तुम्हारा निकलना सिर्फ़ इसके लिये हो चुका, इसके बाद अपने घरों के बोरियों को लाज़िम पकड़ो, उनसे न निकलो।

हज़रत सौदा बिन्ते ज़मआ रज़ियल्लाहु अन्हा और ज़ैनब बिन्ते जहश रज़ियल्लाहु अन्हा ने इस हदीस का यह मतलब क़रार दिया कि तुम्हारा निकलना सिर्फ़ इसी हज्जतुल-विदा के लिये जायज़ था आगे जायज़ नहीं। बाक़ी और पाक बीवियाँ जिनमें सिद्दीक़ा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा जैसी क़ुरआन व हदीस की आ़लिम और मसाईल की माहिर भी दाख़िल थीं, सब ने इसका मतलब यह क़रार दिया कि जिस तरह का यह सफ़र था कि एक शरई इबादत की अदायेगी के लिये हो बस इसी तरह का निकलना जायज़ है वरना अपने घरों में रहना लाज़िम है।

ख़ुलासा यह है कि आयत 'व क़र्-न फ़ी बुयूतिकुन्-न........' के मफ़्हूम से क़ुरआन के इशारात, नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के अ़मल और सहाबा के एक राय होने से ज़रूरत के मौक़े अलग हैं जिनमें हज व उमरे की इबादतें भी दाख़िल हैं तबई ज़रूरतें भी, जैसे माँ-बाप और अपने ख़ास रिश्तेदारों की ज़ियारत, बीमारी का हाल पूछने जाना वग़ैरह भी। इसी तरह अगर किसी के गुज़ारे और ज़िन्दगी की ज़रूरतों का कोई और सामान न हो तो पर्दे के साथ मेहनत मज़दूरी के लिये निकलना भी, अलबत्ता ज़रूरतों के मौक़ों पर निकलने के लिये शर्त यह है कि बनाव-सिंगार के इज़हार के साथ न निकलें बल्कि बुरक़ा या जल्बाब (बड़ी चादर) के साथ निकलें।

हज़रत उम्मुल-मोमिनीन सिद्दीक़ा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा का बसरा शहर का सफ़र और जंगे जमल के वाक़िए पर शियाओं की बकवास

ऊपर यह बात वज़ाहत के साथ आ चुकी है कि उपर्युक्त आयत में 'व क़र्-न फ़ी बुयूतिकुन्-न' का मफ़्हूम ख़ुद क़ुरआनी इशारात बल्कि वज़ाहतों से तथा नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के अ़मल से और आपके बाद सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम के एक राय होने से यह साबित है कि ज़रूरत के मौक़े इससे बाहर हैं जिनमें हज व उमरा वग़ैरह दीनी ज़रूरतें शामिल हैं। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा और उनके साथ हज़रत उम्मे सलमा और हज़रत सफ़िया रज़ियल्लाहु अन्हमा ये सब हज के लिये तशरीफ़ ले गई थीं, वहाँ बग़ावत और हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत के वाक़िआत सुने तो सख़्त ग़मगीन हुईं और मुसलमानों के आपसी बिखराव और फूट से मुसलमानों की एकता व निज़ाम में ख़लल और फ़ितने का अन्देशा परेशान किये हुए था। इसी हालत में हज़रत तल्हा और हज़रत ज़ुबैर और हज़रत नौमान बिन बशीर और हज़रत कअ़ब बिन अ़जरा रज़ियल्लाहु अन्हुम और चन्द दूसरे सहाबा किराम मदीना से भागकर मक्का मुअ़ज़्ज़मा पहुँचे क्योंकि हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के क़ातिल इनके भी क़त्ल करने के पीछे लगे थे। ये हज़रात बाग़ियों के साथ शरीक नहीं थे बल्कि उनको ऐसी हरकत से रोकते थे, हज़रत उस्मान ग़नी रज़ियल्लाहु अन्हु के क़त्ल के बाद ये इनके भी पीछे लगे थे इसलिये ये लोग जान बचाकर मक्का मुकर्रमा पहुँच गये और उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की ख़िदमत में हाज़िर हुए और मश्विरा तलब

किया। हज़रत सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा ने इनको यह मश्विरा दिया कि आप लोग इस वक़्त मदीना न जायें जब तक कि बाग़ी लोग हज़रत अ़ली के गिर्द जमा हैं और वे उनसे ख़ून का बदला लेने से इसलिये रुके हुए हैं कि कहीं और फ़ितना न फैल जाये, आप लोग कुछ रोज़ ऐसी जगह जाकर रहें जहाँ अपने आपको सुरक्षित समझें, जब तक कि अमीरुल-मोमिनीन इन्तिज़ाम पर क़ाबू न पा लें और तुम लोग जो कुछ कोशिश कर सकते हो इसकी करो कि ये लोग अमीरुल-मोमिनीन के गिर्द से तितर-बितर हो जायें और अमीरुल-मोमिनीन (यानी हज़रत अ़ली) उनसे क़िसास या इन्तिक़ाम लेने पर क़ाबू पा लें।

ये हज़रात इस पर राज़ी हो गये और बसरा चले जाने का इरादा किया क्योंकि उस वक़्त वहाँ मुसलमानों के लश्कर जमा थे। इन हज़रात ने वहाँ जाने का इरादा कर लिया तो उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आ़यशा रज़ियल्लाहु अन्हा से भी दरख़्वास्त की कि हुकूमत का इन्तिज़ाम बरक़रार होने तक आप भी हमारे साथ बसरा में क़ियाम फ़रमायें।

उस वक़्त हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के क़ातिल और फ़सादी लोगों की क़ुव्वत व ग़लबे और हज़रत अ़ली रज़ियल्लाहु अन्हु का उन पर शरई सज़ा जारी करने से बेक़ाबू होना ख़ुद किताब 'नहजुल-बलाग़ा' की रिवायत से स्पष्ट है। याद रहे कि 'नहजुल-बलाग़ा' को शिया हज़रात मोतबर और विश्वसनीय मानते हैं। नहजुल-बलाग़ा में है कि "हज़रत अमीर से उनके कुछ साथी और दोस्तों ने ख़ुद कहा कि अगर आप उन लोगों को सज़ा दे दें जिन्होंने उस्मान ग़नी रज़ियल्लाहु अन्हु पर हमला किया है तो बेहतर होगा। इस पर हज़रत अमीर ने फ़रमाया कि:

> "मेरे भाई! मैं उस बात से बेख़बर नहीं जो तुम कहते हो, मगर यह काम कैसे हो जबकि मदीने पर यही लोग छाये हुए हैं और तुम्हारे ग़ुलाम और आस-पास के देहाती भी इनके साथ लग गये हैं, ऐसी हालत में उनकी सज़ा के अहकाम जारी कर दूँ तो नाफ़िज़ किस तरह होंगे।"

हज़रत सिद्दीक़ा आ़यशा रज़ियल्लाहु अन्हा को एक तरफ़ हज़रत अ़ली रज़ियल्लाहु अन्हु की मजबूरी का अन्दाज़ा था दूसरी तरफ़ यह भी मालूम था कि हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत से मुसलमानों के दिल ज़ख़्मी हैं और उनके क़ातिलों से बदला लेने में देरी जो अमीरुल-मोमिनीन हज़रत अ़ली रज़ियल्लाहु अन्हु की तरफ़ से मजबूरी में देखी जा रही थी और मज़ीद यह कि हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के क़ातिल, अमीरुल-मोमिनीन हज़रत अ़ली की मज्लिसों में भी शरीक होते थे, जो लोग अमीरुल-मोमिनीन हज़रत अ़ली की मजबूरी से वाक़िफ़ न थे उनको इस मामले में उनसे भी शिकायत पैदा हो रही थी, मुम्किन था कि यह शिकवा व शिकायत किसी दूसरे फ़ितने की शुरूआ़त न बन जाये इसलिये लोगों को तंबीह करके सब्र करने और अमीरुल-मोमिनीन हज़रत अ़ली रज़ियल्लाहु अन्हु को ताक़त पहुँचाकर हुकूमत के इन्तिज़ाम को मज़बूत करने और आपसी शिकवा व शिकायत को दूर करके लोगों के बीच मेल-मिलाप के इरादे से बसरा का सफ़र इख़्तियार कर लिया जिसमें उनके मेहरम भानजे हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु वग़ैरह उनके साथ थे। अपने इस सफ़र का मक़सद ख़ुद उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आ़यशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने हज़रत क़अ़क़ा रज़ियल्लाहु अन्हु के सामने बयान फ़रमाया था जैसा कि आगे आयेगा। और ऐसे सख़्त फ़ितने के

वक़्त मोमिनों के बीच सुलह व समझौते का काम जिस क़द्र अहम दीनी ख़िदमत थी वह भी ज़ाहिर है। इसके लिये अगर उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने बसरा का सफ़र मेहरमों के साथ और पर्दे के लोहे के होदज में इख़्तियार फ़रमा लिया तो इसको जो शिया और राफ़ज़ी लोगों ने एक तूफ़ान बनाकर पेश किया है कि उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा ने क़ुरआनी अहकाम की ख़िलाफ़वर्ज़ी की इसका क्या जवाज़ (औचित्य) हो सकता है।

आगे मुनाफ़िक़ों और फ़साद फैलाने वालों की शरारत ने जो आपसी जंग की सूरत पैदा कर दी उसका ख़्याल कभी सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा के वहम व गुमान में भी नहीं था। इस आयत की तफ़सीर के लिये इतना ही काफ़ी है, आगे जंगे-जमल के वाक़िए की तफ़सील का यह मौक़ा नहीं मगर संक्षिप्त तौर पर हक़ीक़त स्पष्ट करने के लिये चन्द लाईनें लिखी जाती हैं।

आपसी फ़ितनों और झगड़ों के वक़्त जो सूरतें दुनिया में पेश आया करती हैं उनसे कोई समझ व तजुर्बा रखने वाला ग़ाफ़िल नहीं हो सकता। यहाँ भी सूरत यह पेश आई कि मदीना से आये हुए सहाबा किराम के साथ में हज़रत सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा के बसरा के सफ़र को मुनाफ़िक़ों और फ़सादियों ने हज़रत अमीरुल-मोमिनीन अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु के सामने सूरत बिगाड़कर इस तरह पेश किया कि ये सब इसलिये बसरा जा रहे हैं कि वहाँ से लश्कर साथ लेकर आपका मुक़ाबला करें, अगर आप अमीर-ए-वक़्त हैं तो आपका फ़र्ज़ है कि इस फ़ितने को आगे बढ़ने से पहले वहीं जाकर रोकें। हज़रत हसन व हुसैन, अ़ब्दुल्लाह बिन जाफ़र हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुम जैसे सहाबा किराम ने इस राय से मतभेद भी किया और मश्विरा यह दिया कि आप उनके मुक़ाबले पर लश्कर की चढ़ाई उस वक़्त तक न करें जब तक कि सही हाल मालूम न हो जाये, मगर ज़्यादा लोग वे थे जो इसका उल्टा चाहते थे। हज़रत अली भी उसी तरफ़ माईल होकर लश्कर के साथ निकल आये और ये शरीर फ़ितना व बग़ावत वाले भी आपके साथ निकले।

जब ये हज़रात बसरा के क़रीब पहुँचे तो हज़रत क़अ़क़ा रज़ियल्लाहु अन्हु को उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के पास हाल मालूम करने के लिये भेजा, उन्होंने अ़र्ज़ किया कि ऐ उम्मुल-मोमिनीन! आपके यहाँ तशरीफ़ लाने का क्या सबब हुआ? तो सिद्दीक़ा आयशा ने फ़रमायाः

اَیْ بُنَیَّ الْاِصْلَاحُ بَیْنَ النَّاسِ

"यानी मेरे प्यारे बेटे! मैं लोगों के बीच सुलह व बेहतरी के इरादे से यहाँ आई हूँ।" फिर हज़रत तल्हा और हज़रत ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हुमा को भी क़अ़क़ा की मज्लिस में बुला लिया। हज़रत क़अ़क़ा ने उनसे पूछा कि आप क्या चाहते हैं? उन्होंने अ़र्ज़ किया कि हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के क़ातिलों पर शरई सज़ा जारी करने के सिवा हम कुछ नहीं चाहते। हज़रत क़अ़क़ा रज़ियल्लाहु अन्हु ने समझाया कि यह काम तो उस वक़्त तक नहीं हो सकता जब तक मुसलमानों की जमाअ़त संगठित और मज़बूत न हो जाये, इसलिये आप हज़रात पर लाज़िम है कि इस वक़्त आप समझौते की सूरत इख़्तियार कर लें।

इन हज़रात ने इसको तस्लीम किया। हज़रत क़अ़क़ा रज़ियल्लाहु अन्हु ने जाकर अमीरुल-मोमिनीन हज़रत अ़ली रज़ियल्लाहु अन्हु को इसकी इत्तिला दे दी, वे भी बहुत ख़ुश हुए और मुत्मईन

हो गये, और सब लोगों ने वापसी का इरादा कर लिया और तीन दिन उस मैदान में इस हाल में ठहरे रहे कि किसी को इसमें शक नहीं था कि अब दोनों फ़रीक़ों में सुलह व समझौते का ऐलान हो जायेगा और चौथे दिन सुबह को यह ऐलान होने वाला था और हज़रत अमीरुल-मोमिनीन की मुलाक़ात हज़रत तल्हा व हज़रत ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हुमा के साथ होने वाली थी जिसमें हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के क़ातिल शरीक नहीं थे।

यह चीज़ उन लोगों पर सख़्त भारी गुज़री और उन्होंने यह मन्सूबा बनाया कि तुम पहले हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की जमाअ़त में पहुँचकर क़त्ल व ग़ारतगरी शुरू कर दो ताकि वह और उनके साथी यह समझें कि हज़रत अ़ली की तरफ़ से वायदा ख़िलाफ़ी हुई और ये लोग इस ग़लत फ़हमी का शिकार होकर हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के लश्कर पर टूट पड़ें। उनकी यह शैतानी चाल चल गई और हज़रत अ़ली कर्रमल्लाहु वज्हहू के लश्कर में शामिल होने वाले फ़साद फैलाने वालों की तरफ़ से जब हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की जमाअ़त पर हमला हो गया तो वे यह समझने से माज़ूर थे कि यह हमला अमीरुल-मोमिनीन हज़रत अ़ली के लश्कर की तरफ़ से हुआ है, इसकी जवाबी कार्रवाई शुरू हो गई। हज़रत अ़ली कर्रमल्लाहु वज्हहू ने यह माजरा देखा तो मुक़ाबले व जंग के सिवा चारा न रहा और जो हादसा आपसी क़त्ल व क़िताल का पेश आना था वह आ गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊ़न। यह वाक़िआ़ ठीक इसी तरह तबरी और दूसरे मोतबर इतिहासकारों ने हज़रत हसन, हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन जाफ़र और हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास वग़ैरह की रिवायत से नक़ल किया है। (रूहुल-मआ़नी)

ग़र्ज़ कि फ़साद फैलाने वालों और मुजरिमों की शरारत और फ़ितना उठाने के नतीजे में इन दोनों पाकीज़ा जमाअ़तों में ग़ैर-शऊरी तौर पर क़िताल (जंग व लड़ाई) का वाक़िआ़ पेश आ गया, और जब यह फ़ितना ख़त्म हुआ तो दोनों ही हज़रात इस पर सख़्त ग़मगीन हुए। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा को यह वाक़िआ़ याद आ जाता तो इतना रोती थीं कि उनका दुपट्टा आँसुओं से तर हो जाता था, इसी तरह अमीरुल-मोमिनीन हज़रत अ़ली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अ़न्हु को भी इस वाक़िए पर सख़्त सदमा हुआ। फ़ितना ख़त्म होने के बाद क़त्ल हुए हज़रात की लाशों को देखने के लिये तशरीफ़ ले गये तो अपनी रानों पर हाथ मारकर यह फ़रमाते थे कि काश! मैं इस वाक़िए से पहले मरकर भूल-भुलैंया हो गया होता।

और कुछ रिवायतों में है कि उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा जब क़ुरआन में ये आयती पढ़तीं 'व क़र्‌-न फ़ी बुयूतिकुन्‌-न.........' तो रोने लगतीं, यहाँ तक कि उनका दुपट्टा आँसुओं से तर हो जाता। (रूहुल-मआ़नी)

उक्त आयत पढ़ने पर रोना इसलिये न था कि घरों में क़रार पकड़ने की ख़िलाफ़वर्ज़ी उनके नज़दीक गुनाह थी, या सफ़र मना था, बल्कि घर से निकलने पर जो नागवार वाक़िआ़ और सख़्त हादसा पेश आ गया उस पर तबई रंज व ग़म इसका सबब था (ये सब रिवायतें और पूरा मज़मून तफ़सीर रूहुल-मआ़नी से लिया गया है)।

नबी करीम सल्ल. की पाक बीवियों को क़ुरआन की तीसरी, चौथी और पाँचवीं हिदायत

وَاَقِمْنَ الصَّلٰوةَ وَاٰتِيْنَ الزَّكٰوةَ وَاَطِعْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ.

"यानी नमाज़ क़ायम करो और ज़कात अदा करो और अल्लाह तआ़ला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की इताअ़त करो।"

दो हिदायतें तफ़सील के साथ पहले गुज़र चुकी हैं यानी ग़ैर-मर्दों से कलाम में नर्मी व नज़ाकत से बचना और घरों से बिना ज़रूरत न निकलना। तीन हिदायतें इसमें आ गईं, यह कुल पाँच हिदायतें हैं जो औ़रतों के लिये दीन की अहम बातों में से हैं।

ये पाँचों हिदायतें सब मुसलमानों के लिये आ़म हैं

ऊपर ज़िक्र हुई हिदायतों में से आख़िरी हिदायतों में तो किसी को शुब्हा नहीं हो सकता कि यह नबी करीम सल्ल. की पाक बीवियों के साथ मख़्सूस हों, नमाज़, ज़कात और अल्लाह व रसूल सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की फ़रमाँबरदारी से कौनसा मुसलमान मर्द व औ़रत बरी हो सकता है, बाक़ी पहली दो हिदायतें जो औ़रतों के पर्दे से मुताल्लिक़ हैं ज़रा ग़ौर करने से यह भी वाज़ेह हो जाता है कि वे भी आपकी पाक बीवियों के साथ मख़्सूस नहीं बल्कि सब मुसलमान औ़रतों के लिये यही हुक्म है। रहा यह मामला कि इन हिदायतों के ज़िक्र से पहले क़ुरआन ने यह फ़रमाया है:

لَسْتُنَّ كَاَحَدٍ مِّنَ النِّسَآءِ اِنِ اتَّقَيْتُنَّ

यानी ऐ नबी की बीवियों तुम आ़म औ़रतों की तरह नहीं, तुम अगर तक़्वा इख़्तियार करो। इससे बज़ाहिर इस हिदायत के उनके लिये ख़ास होना मालूम होता है। तो इसका स्पष्ट जवाब यह है कि विशेषता अहकाम की नहीं बल्कि उन पर अ़मल करने की पाबन्दी की है, यानी पाक बीवियाँ आ़म औ़रतों की तरह नहीं बल्कि उनकी शान सबसे ऊँची और बुलन्द है इसलिये जो अहकाम तमाम मुसलमान औ़रतों पर फ़र्ज़ हैं उनकी पाबन्दी इनको सबसे ज़्यादा करनी चाहिये। वल्लाहु सुब्हानहू व तआ़ला आलम

اِنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيْرًا۝

इन से पहले की आयतों में जो हिदायतें नबी करीम सल्ल. की पाक बीवियों को मुख़ातब करके दी गई हैं वो अगरचे उनकी ज़ात के साथ मख़्सूस (विशेष) न थीं बल्कि पूरी उम्मत उन अहकाम की मुकल्लफ़ व पाबन्द है, मगर पाक बीवियों को ख़ुसूसी ख़िताब इसलिये किया गया कि वे अपनी शान और नुबुव्वत के घराने के मुनासिब इन आमाल की ज़्यादा पाबन्दी करें। इस आयत में इसी ख़ुसूसी ख़िताब की हिक्मत बयान हुई है कि आमाल को सही करने की ख़ास हिदायत से अल्लाह तआ़ला के नज़दीक पसन्दीदा यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के घर वालों को रिज्स (गन्दगी) से पाक कर दे।

लफ़्ज़ रिज्स क़ुरआन में कई मायनों के लिये इस्तेमाल हुआ है- एक जगह रिज्स बुतों के मायने में आया है:

فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْاَوْثَانِ

और कभी लफ़्ज़ रिज्स आम गुनाह के मायने में, कभी अ़ज़ाब के मायने में, कभी नजासत और गन्दगी के मायने में इस्तेमाल होता है, जिसका हासिल यह है कि हर वह चीज़ जो शरई या तबई तौर पर क़ाबिले नफ़रत समझी जाती हो वह रिज्स है। इस आयत में यही आम मायने मुराद हैं। (तफ़सीर बहरे मुहीत)

आयत में 'अहल-ए-बैत' से क्या मुराद है?

ऊपर की आयतों में हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की पाक बीवियों को ख़िताब था इसलिये स्त्रीलिंग के लफ़्ज़ से ख़िताब किया गया। यहाँ 'अहल-ए-बैत' में पाक बीवियों के साथ उनकी औलाद और बाप-दादा भी दाख़िल हैं इसलिये पुल्लिंग से ख़िताब फ़रमाया 'अ़नकुम', 'व युतह्हि-रकुम' और तफ़सीर के कुछ इमामों ने 'अहल-ए-बैत' से मुराद सिर्फ़ आपकी पाक बीवियों को क़रार दिया है। हज़रत इक्रिमा व मुक़ातिल ने यही फ़रमाया है और हज़रत सईद बिन जुबैर ने हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु से भी यही रिवायत नक़ल की है कि उन्होंने आयत में अहले-बैत (घर वालों) से मुराद पाक बीवियों को क़रार दिया और दलील में अगली आयत (यानी 34) पेश फ़रमाई:

وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلٰى فِيْ بُيُوْتِكُنَّ. (رواه ابن ابی حاتم و ابن جریر)

पहले वाली आयतों में 'या निसाअन्नबिय्यि' (ऐ नबी की औरतो!) के अलफ़ाज़ से ख़िताब भी इसकी तरफ़ इशारा है। हज़रत इक्रिमा तो बाज़ार में मुनादी करते थे कि आयत में अहले-बैत से मुराद नबी करीम की पाक बीवियाँ हैं क्योंकि यह आयत उन्हीं की शान में नाज़िल हुई है, और फ़रमाते थे कि मैं इस पर मुबाहला (यानी दो फ़रीक़ों का जमा होकर यह दुआ़ करना कि जो हक़ पर न हो उसको पहले मौत आये) करने के लिये तैयार हूँ।

लेकिन हदीस की अनेक रिवायतें जिनको इमाम इब्ने कसीर ने इस जगह नक़ल किया है इस पर गवाह हैं कि अहले-बैत में हज़रत फ़ातिमा, हज़रत अ़ली, हज़रत हसन और हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अ़न्हुम भी शामिल हैं। जैसे सही मुस्लिम की हदीस हज़रत आ़यशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा की रिवायत से है कि एक मर्तबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम घर से बाहर तशरीफ़ ले गये और उस वक़्त आप एक काली रूमी चादर ओढ़े हुए थे, हसन बिन अ़ली आ गये तो उनको उस चादर में ले लिया फिर हुसैन आ गये उनको भी उसी तरह चादर के अन्दर दाख़िल फ़रमा लिया, उसके बाद हज़रत फ़ातिमा फिर अ़ली मुर्तज़ा आ गये उनको भी चादर में दाख़िल फ़रमा लिया, फिर यह आयत तिलावत फ़रमाई:

اِنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيْرًا٥

(यानी यही ऊपर बयान हुई आयत 33) और कुछ रिवायतों में यह भी है कि आयत पढ़ने के बाद फ़रमाया:

اَللّٰهُمَّ هٰٓؤُلَآءِ اَهْلُ بَيْتِيْ. (رواه ابن جرير)

(यानी या अल्लाह! ये मेरे अहले बैत हैं।)

इमाम इब्ने कसीर ने इस मज़मून की अनेक मोतबर हदीसें नक़ल करने के बाद फ़रमाया कि दर हक़ीक़त इन दोनों अक़्वाल में जो तफ़सीर के इमामों से नक़ल किये गये हैं कोई टकराव और भिन्नता नहीं। जिन लोगों ने यह कहा है कि यह आयत नबी करीम सल्ल. की पाक बीवियों की शान में नाज़िल हुई और अहले-बैत (घर वालों) से वही मुराद हैं, यह इसके विरुद्ध नहीं कि दूसरे हज़रात भी अहले-बैत में शामिल हों। इसलिये सही यही है कि लफ़्ज़ अहले-बैत में पाक बीवियाँ भी दाख़िल हैं क्योंकि इस आयत के उतरने का सबब वही हैं, और जो आयत किसी के सबब और शान में उतरे उसके उसमें दाख़िल होने में किसी शुब्हे की गुंजाईश नहीं। और हज़रत फ़ातिमा, हज़रत अ़ली, हज़रत हसन और हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अ़न्हुम भी हुज़ूरे पाक के इरशाद के मुताबिक़ अहले-बैत (नबी करीम के घर वालों) में शामिल हैं, और इस आयत से पहले और बाद में दोनों जगह 'निसाउन्नबियि' (नबी की औरतों) के उनवान से ख़िताब और उनके लिये स्त्रीलिंग के कलिमे इस्तेमाल फ़रमाये गये हैं। ऊपर की आयतों में 'फ़ला तख़्ज़अ़्-न बिल्क़ौलि' से आख़िर तक सब कलिमे स्त्रीलिंग के इस्तेमाल हुए हैं, और आगे फिर 'वज़्कुर्-न मा युतला' में स्त्रीलिंग के कलिमे से ख़िताब हुआ है। इस बीच की आयत को आगे-पीछे के मज़मून से काटकर पुल्लिंग के कलिमे 'अ़न्कुम' और 'युतह्हि-रकुम' फ़रमाना भी इस पर मज़बूत दलील है कि इसमें सिर्फ़ बीवियाँ ही दाख़िल नहीं कुछ मर्द भी हैं।

आयत नम्बर 33 में जो यह फ़रमाया है कि:

لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيْرًا ٥

(अल्लाह तआ़ला को यह मन्ज़ूर है कि ऐ घर वालो! तुम से गंदगी को दूर रखे और तुमको पाक साफ़ रखे) ज़ाहिर है कि इससे मुराद यह है कि इन हिदायतों के ज़रिये शैतानी बहकावे और बुराईयों व नाफ़रमानी से हक़ तआ़ला अहले-बैत को महफ़ूज़ रखेगा और पाक कर देगा। ख़ुलासा यह है कि तशरीई तौर पर पाक करना मुराद है तकवीनी तौर पर पाक करना जो अम्बिया की विशेषता है वह मुराद नहीं। इससे यह लाज़िम नहीं आता कि ये सब मासूम (ख़ताओं से सुरक्षित) हों और इनसे अम्बिया अ़लैहिमुस्सलाम की तरह कोई गुनाह होना मुम्किन न हो, जो तकवीनी तौर पर पाक करने की ख़ुसूसियत (विशेषता) है। शिया हज़रात ने इस आयत में उम्मत की अक्सरियत से अलग रास्ता अपनाते हुए अव्वल तो लफ़्ज़ अहले-बैत का सिर्फ़ औलाद व रसूले पाक के नवासों के साथ मख़्सूस होने और आपकी पाक बीवियों के उनसे ख़ारिज होने का दावा किया, दूसरे उक्त आयत में पाक-साफ़ करने से मुराद उनका मासूम (गुनाहों व ख़ताओं से सुरक्षित व बरी होना) क़रार देकर अहले-बैत को अम्बिया की तरह मासूम किया। इसका जवाब और मसले की मुफ़स्सल बहस अहक़र ने अहकामुल-क़ुरआन सूरः अहज़ाब में लिखी है। उसमें अ़स्मत (गुनाहों से महफ़ूज़ होने) की परिभाषा और इसका अम्बिया और फ़रिश्तों के साथ ख़ास होना और उनके अ़लावा किसी का मासूम न होना शरई दलीलों से स्पष्ट कर दिया है, इल्म रखने वाले हज़रात उसको देख सकते हैं, अ़वाम को इसकी ज़रूरत नहीं।

وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلٰى فِىْ بُيُوْتِكُنَّ مِنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ وَالْحِكْمَةِ

आयातिल्लाह से मुराद क़ुरआन और हिक्मत से मुराद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की तालीमात और सुन्नते रसूल है जैसा कि आ़म मुफ़स्सिरीन ने हिक्मत की तफ़सीर इस जगह सुन्नत से की है, और लफ़्ज़ 'उज़्कुर्-न' के दो मतलब हो सकते हैं- एक यह कि इन चीज़ों को ख़ुद याद रखना, जिसका नतीजा इन पर अ़मल करना है, दूसरे यह कि जो कुछ क़ुरआन उनके घरों में उनके सामने नाज़िल हुआ या जो तालीमात रसूल सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने उनको दीं उसका ज़िक्र उम्मत के दूसरे लोगों से करें और उनको पहुँचायें।

फ़ायदा

अ़ल्लामा इब्ने अ़रबी ने अहकामुल-क़ुरआन में फ़रमाया कि इस आयत से यह साबित हुआ कि जो शख़्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से क़ुरआन की कोई आयत या हदीस सुने उस पर लाज़िम है कि वह उम्मत को पहुँचाये, यहाँ तक कि नबी करीम सल्ल. की पाक बीवियों पर भी लाज़िम किया गया कि क़ुरआन की जो आयतें उनके घरों में नाज़िल हों या जो तालीमात रसूल सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से उनको हासिल हों उसका ज़िक्र उम्मत के दूसरे अफ़राद से करें और अल्लाह की यह अमानत उनको पहुँचायें।

क़ुरआन की तरह हदीस की हिफ़ाज़त

इस आयत में जिस तरह क़ुरआनी आयतों की तब्लीग़ व तालीम उम्मत पर लाज़िम की गई है इसी तरह लफ़्ज़ **हिक्मत** फ़रमाकर रसूले पाक सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की हदीसों की तब्लीग़ व तालीम को भी लाज़िम किया गया है। इसी लिये सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अ़न्हुम ने इस हुक्म की तामील हर हाल में की है। सही बुख़ारी में हज़रत मुआ़ज़ रज़ियल्लाहु अ़न्हु का यह वाक़िआ़ कि उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से एक हदीस सुनी लेकिन उसको आ़म लोगों के सामने बयान नहीं किया, कि ख़तरा था कि लोग उसको उसके दर्जे में न रखें और किसी ग़लत-फ़हमी में मुब्तला हो जायें, लेकिन जब उनकी वफ़ात का वक़्त आया तो लोगों को जमा करके वह हदीस सुना दी और फ़रमाया कि मैंने इस वक़्त तक दीनी मस्लेहत से इसका ज़िक्र नहीं किया था मगर अब मौत का वक़्त क़रीब है इसलिये उम्मत की यह अमानत उनको पहुँचाना ज़रूरी समझता हूँ। सही बुख़ारी में उनके अलफ़ाज़ ये हैं:

فَاَخْبَرَ بِهٖ مُعَاذٌ عِنْدَ مَوْتِهٖ تَاَثُّمًا

"यानी हज़रत मुआ़ज़ रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने यह हदीस लोगों को वफ़ात के वक़्त इसलिये सुना दी कि वह गुनाहगार न हों कि हदीसे रसूल उम्मत को नहीं पहुँचाई।"

यह वाक़िआ़ भी इसी पर सुबूत है कि क़ुरआन के इस हुक्म की तामील सब सहाबा किराम वाजिब व ज़रूरी समझते थे और सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अ़न्हुम ने हदीस को एहतियात के साथ लोगों तक पहुँचाने का एहतिमाम फ़रमाया था, तो हदीस की हिफ़ाज़त भी एक दर्जे में क़ुरआन की हिफ़ाज़त के क़रीब-क़रीब हो गई। इस मामले में शुब्हात निकालना (शंकायें पैदा करना) दर हक़ीक़त क़ुरआन में शुब्हात निकालना है। वल्लाहु आलम

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمٰتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنٰتِ وَالْقٰنِتِينَ وَالْقٰنِتٰتِ وَالصّٰدِقِينَ وَالصّٰدِقٰتِ وَ
الصّٰبِرِينَ وَالصّٰبِرٰتِ وَالْخٰشِعِينَ وَالْخٰشِعٰتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقٰتِ وَالصّٰٓئِمِينَ وَالصّٰٓئِمٰتِ وَ
الْحٰفِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحٰفِظٰتِ وَالذّٰكِرِينَ اللّٰهَ كَثِيرًا وَّالذّٰكِرٰتِ أَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ مَّغْفِرَةً وَّأَجْرًا عَظِيمًا ۝

इन्नल्-मुस्लिमी-न वल्-मुस्लिमाति वल्-मुअ्मिनी-न वल्-मुअ्मिनाति वल्-क़ानिती-न वल्-क़ानिताति वस्सादिक़ी-न वस्सादिक़ाति वस्साबिरी-न वस्साबिराति वल्-ख़ाशिअ़ी-न वल्-ख़ाशिअ़ाति वल्-मु-तसद्दिक़ी-न वल्मु-तसद्दिक़ाति वस्सा-इमी-न वस्सा-इमाति वल्-हाफ़िज़ी-न फ़ुरू-जहुम् वल्-हाफ़िज़ाति वज़्ज़ाकिरीनल्ला-ह कसीरंव्-वज़्ज़ाकिराति अ-अ़द्दल्लाहु लहुम् मग़्फ़ि-रतंव्-व अज्रन् अ़ज़ीमा (35)	तहक़ीक़ कि मुसलमान मर्द और मुसलमान औरतें और ईमान वाले मर्द और ईमान वाली औरतें और बन्दगी करने वाले मर्द और बन्दगी करने वाली औरतें और सच्चे मर्द और सच्ची औरतें और मेहनत झेलने वाले मर्द और मेहनत झेलने वाली औरतें और दबे रहने वाले मर्द और दबी रहने वाली औरतें और ख़ैरात करने वाले मर्द और ख़ैरात करने वाली औरतें और रोज़ेदार मर्द और रोज़ेदार औरतें और हिफ़ाज़त करने वाले मर्द अपनी जिन्सी इच्छा की जगह को और हिफ़ाज़त करने वाली औरतें और याद करने वाले मर्द अल्लाह को बहुत ज़्यादा और याद करने वाली औरतें रखी है अल्लाह ने उनके वास्ते माफ़ी और बड़ा सवाब। (35)

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

बेशक इस्लाम के काम करने वाले मर्द और इस्लाम के काम करने वाली औरतें, और ईमान लाने वाले मर्द और ईमान लाने वाली औरतें (मुसलिमीन व मुस्लिमात की इस तफ़सीर पर इस्लाम से मुराद नमाज़, रोज़ा, ज़कात हज वग़ैरह आमाल हुए और मोमिनीन व मोमिनात में ईमान से मुराद अ़क़ीदे हुए जैसा सही बुख़ारी व मुस्लिम में हज़रत जिब्रील अ़लैहिस्सलाम के पूछने पर नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की तरफ़ से इस्लाम व ईमान के बारे में भी यही जवाब देना नक़ल किया गया है) और फ़रमाँबरदारी करने वाले मर्द और फ़रमाँबरदारी करने वाली औरतें, और सच्चे मर्द और सच्ची औरतें (इस सच्चे होने में बात का सच्चा होना भी दाख़िल है, अ़मल में सच्चा होना भी, और ईमान और नीयत में सच्चा होना भी। यानी न उनके कलाम में कोई झूठ है न अ़मल में सुस्ती और कम-हिम्मती और न दिखावा या निफ़ाक़) और सब्र करने वाले मर्द और सब्र करने वाली औरतें,

(इसमें सब्र की सब क़िस्में आ गईं यानी नेकी और इबादतों पर जमे रहना और गुनाहों से अपने नफ़्स को रोकना और मुसीबतों पर सब्र करना) और ख़ुशूअ़ करने वाले मर्द और ख़ुशूअ़ करने वाली औ़रतें (लफ़्ज़ ख़ुशूअ़ में नमाज़ व इबादत की आ़जिज़ी व झुकना भी दाख़िल है कि दिल से भी इबादत की तरफ़ मुतवज्जह हो और अपने बदन के अंगों व हिस्सों को भी उसके मुनासिब रखे, और इसमें आ़म विनम्रता व तवाज़ो भी दाख़िल है जो तकब्बुर के मुक़ाबले में बोली जाती है। यानी ये लोग तकब्बुर और अपनी बड़ाई से भी पाक हैं और नमाज़ वग़ैरह इबादतों में भी आ़जिज़ी व इन्किसारी और दिल के झुकाव इनका तरीक़ा और आ़दत है) और ख़ैरात करने वाले मर्द और ख़ैरात करने वाली औ़रतें (इसमें ज़कात और नफ़्ली सदक़े सब दाख़िल हैं) और रोज़ा रखने वाले मर्द और रोज़ा रखने वाली औ़रतें, और अपनी शर्मगाहों की हिफ़ाज़त करने वाले मर्द और हिफ़ाज़त करने वाली औ़रतें, और कसरत से ख़ुदा को याद करने वाले मर्द और याद करने वाली औ़रतें (यानी जो फ़र्ज़ इबादतों और ज़िक्रों के अ़लावा नफ़्ली ज़िक्रों को भी अदा करते हैं) इन सब के लिये अल्लाह तआ़ला ने मग़फ़िरत और बड़ा अज्र तैयार कर रखा है।

मआ़रिफ़ व मसाईल

क़ुरआन के आ़म ख़िताबात मर्दों को हैं औ़रतें ज़िमनी तौर पर शामिल हैं, इसकी हिक्मत

क़ुरआने करीम के आ़म अहकाम में अगरचे मर्द व औ़रत दोनों ही शामिल हैं मगर उमूमन ख़िताब (संबोधित) मर्दों को किया गया है, औ़रतें उसमें ज़िमनी तौर पर (यानी मर्दों के तहत में) दाख़िल हैं। हर जगह 'या अय्युहल्लज़ी-न आमनू' के अलफ़ाज़ इस्तेमाल फ़रमाकर औ़रतों को उनके ज़िमन में मुख़ातब किया गया है। इसमें इशारा है कि औ़रतों के सब मामलात छुपाने और पर्दापोशी पर आधारित हैं, इसमें उनकी इज़्ज़त व सम्मान है। ख़ुसूसन पूरे क़ुरआन में ग़ौर किया जाये तो मालूम होगा कि हज़रत मरियम बिन्ते इमरान के सिवा किसी औ़रत का नाम क़ुरआन में नहीं लिया गया बल्कि ज़िक्र आया तो मर्दों की निस्बत (ताल्लुक़ और रिश्ते) के साथ 'फ़िरऔ़न की बीवी' 'नूह की बीवी' 'लूत की बीवी' के अलफ़ाज़ से ताबीर किया गया है। हज़रत मरियम अ़लैहस्सलाम की ख़ुसूसियत शायद यह है कि हज़रत ईसा अ़लैहिस्सलाम की निस्बत किसी बाप की तरफ़ न हो सकती थी इसलिये माँ की तरफ़ निस्बत करना था, इस निस्बत के लिये उनका नाम ज़ाहिर किया गया। वल्लाहु आलम

क़ुरआने करीम का यह अन्दाज़ व तरीक़ा अगरचे ख़ुद एक बड़ी हिक्मत व मस्लेहत पर आधारित था मगर औ़रतों को इसका ख़्याल गुज़रना एक तबई चीज़ थी। इसलिये हदीस की किताबों में ऐसी अनेक रिवायतें हैं जिनमें औ़रतों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की ख़िदमत में यह अ़र्ज़ किया कि हम देखते हैं कि अल्लाह तआ़ला हर जगह मर्दों ही का ज़िक्र क़ुरआन में फ़रमाते हैं

उन्हीं को मुख़ातब फ़रमाते हैं, इससे मालूम हुआ कि हम औरतों में कोई ख़ैर ही नहीं, हमें डर है कि कहीं हमारी इबादत भी क़ुबूल न हो। (बग़वी, नबी करीम सल्ल. की बीवियों की रिवायत से)

और तिर्मिज़ी में हसन सनद के साथ हज़रत उम्मे अम्मारा अन्सारिया रज़ियल्लाहु अन्हा से और कुछ रिवायतों में हज़रत असमा बिन्ते उमैस रज़ियल्लाहु अन्हा से इसी तरह का ज्ञापन पेश करना नक़ल किया गया है और इन सब रिवायतों में मज़कूरा आयतों के नाज़िल होने का सबब उसी ज्ञापन को क़रार दिया है।

उक्त आयतों में औरतों की दिलजोई और उनके आमाल की मक़बूलियत का ख़ुसूसी ज़िक्र फ़रमाया गया है, जिसमें यह जतला दिया गया है कि अल्लाह तआला के यहाँ मक़बूलियत और फ़ज़ीलत का मदार नेक आमाल और अल्लाह तआला की इताअ़त है, इसमें मर्द व औरत में कोई फ़र्क़ और भेद नहीं।

अल्लाह के ज़िक्र की अधिकता का हुक्म और इसकी हिक्मत

इस्लाम के अरकान पाँच इबादतें हैं- नमाज़, ज़कात, रोज़ा, हज और जिहाद, लेकिन पूरे क़ुरआन में इनमें से किसी इबादत को कसरत (अधिकता) के साथ करने का हुक्म नहीं मगर ज़िक्रुल्लाह के मुताल्लिक़ क़ुरआने करीम की अनेक आयतों में बहुत ज़्यादा करने का इरशाद है। सूरः अनफ़ाल, सूरः जुमा में और इस सूरत में 'वज़्ज़ाकिरीनल्ला-ह कसीरंव्-वज़्ज़ाकिराति' फ़रमाया।

इसकी हिक्मत ग़ालिबन यह है कि अव्वल तो ज़िक्रुल्लाह सब इबादतों की असल रूह है जैसा कि हज़रत मुआज़ बिन अनस रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत से आया है कि किसी शख़्स ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से सवाल किया कि मुजाहिदीन में सबसे ज़्यादा अज्र व सवाब किसका है? तो आपने फ़रमाया जो सबसे ज़्यादा अल्लाह का ज़िक्र करे। फिर पूछा कि रोज़ेदारों में सबसे ज़्यादा सवाब किसका है? फ़रमाया कि जो सबसे ज़्यादा अल्लाह का ज़िक्र करे। फिर इसी तरह नमाज़, ज़कात और हज व सदक़े के मुताल्लिक़ सवालात किये, हर मर्तबा आपने यही फ़रमाया कि जो अल्लाह का ज़िक्र ज़्यादा करे वही ज़्यादा अज्र का हक़दार है। (अहमद, इब्ने कसीर)

दूसरे वह सब इबादतों में सबसे ज़्यादा आसान है। शरीअ़त ने भी इसके लिये कोई शर्त नहीं रखी, वुज़ू, बेवुज़ू, लेटे बैठे, चलते फिरते हर वक़्त में ज़िक्रुल्लाह किया जा सकता है। वह न इनसान से कोई मेहनत लेता है न किसी फ़ुर्सत को चाहता है, और असर व फ़ायदा इसका इतना बड़ा है कि ज़िक्रुल्लाह के ज़रिये दुनिया के काम भी दीन और इबादत बन जाते हैं। खाने से पहले और बाद की दुआ, घर से निकलने और वापस आने की दुआयें, सफ़र में जाने और दौराने सफ़र और वतन की वापसी की दुआयें, कोई कारोबार करने से पहले और बाद में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की तालीम फ़रमाई हुई दुआओं का हासिल यह है कि मुसलमान किसी वक़्त अल्लाह से ग़ाफ़िल होकर कोई काम न करे और उसने ये मन्क़ूल दुआयें अपने कामों में पढ़ लीं तो दुनिया के वो काम भी दीन बन जाते हैं।

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَّلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗٓ أَمْرًا أَنْ يَّكُوْنَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ۗ وَمَنْ يَّعْصِ
اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًا مُّبِيْنًا ﴿٣٦﴾ وَإِذْ تَقُوْلُ لِلَّذِيْٓ أَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ
عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللّٰهَ وَتُخْفِيْ فِيْ نَفْسِكَ مَا اللّٰهُ مُبْدِيْهِ وَتَخْشَى النَّاسَ ۚ وَاللّٰهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشٰهُ ۗ
فَلَمَّا قَضٰى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنٰكَهَا لِكَيْ لَا يَكُوْنَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ حَرَجٌ فِيْٓ أَزْوَاجِ أَدْعِيَآئِهِمْ إِذَا قَضَوْا
مِنْهُنَّ وَطَرًا ۗ وَكَانَ أَمْرُ اللّٰهِ مَفْعُوْلًا ﴿٣٧﴾ مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيْمَا فَرَضَ اللّٰهُ لَهٗ ۗ سُنَّةَ اللّٰهِ
فِي الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ ۗ وَكَانَ أَمْرُ اللّٰهِ قَدَرًا مَّقْدُوْرًا ﴿٣٨﴾ الَّذِيْنَ يُبَلِّغُوْنَ رِسٰلٰتِ اللّٰهِ وَ
يَخْشَوْنَهٗ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللّٰهَ ۗ وَكَفٰى بِاللّٰهِ حَسِيْبًا ﴿٣٩﴾

व मा का-न लिमुअ्मिनिंव्-व ला मुअ्मि-नतिन् इज़ा क़ज़ल्लाहु व रसूलुहू अम्रन् अंय्यकू-न लहुमुल्-ख़ि-य-रतु मिन् अम्रिहिम्, व मंय्यअ्सिल्ला-ह व रसूलहू फ़-क़द् ज़ल्-ल ज़लालम्-मुबीना (36) व इज़् तक़ूलु लिल्लज़ी अन्अमल्लाहु अ़लैहि व अन्अ़म्-त अ़लैहि अम्सिक् अ़लै-क ज़ौ-ज-क वत्तक़िल्ला-ह व तुख़्फ़ी फ़ी नफ़्सि-क मल्लाहु मुब्दीहि व तख़्शन्ना-स वल्लाहु अ-हक़्क़ु अन् तख़्शाहु, फ़-लम्मा क़ज़ा ज़ैदुम्-मिन्हा व-तरन् ज़व्वज्ना-कहा लिकैला यकू-न अ़लल्-मुअ्मिनी-न ह-रजुन् फ़ी अज़्वाजि अद्अ़िया-इहिम् इज़ा क़ज़ौ मिन्हुन्-न व-तरन्, व का-न अम्रुल्लाहि मफ़्अ़ूला (37) मा का-न

और काम नहीं किसी ईमान वाले मर्द का न ईमान वाली औरत का जबकि मुक़र्रर कर दे अल्लाह और उसका रसूल कोई काम कि उनको रहे इख़्तियार अपने काम का, और जिसने नाफ़रमानी की अल्लाह की और उसके रसूल की सो वह राह भूला खुली चूक कर। (36) और जब तू कहने लगा उस शख़्स को जिस पर अल्लाह ने एहसान किया और तूने एहसान किया, रहने दे अपने पास अपनी बीवी को और डर अल्लाह से और तू छुपाता था अपने दिल में एक चीज़ जिसको अल्लाह खोलना चाहता है, और डरता था लोगों से और अल्लाह से ज़्यादा चाहिए डरना तुझको, फिर जब ज़ैद तमाम कर चुका उस औरत से अपनी ग़र्ज़ हमने उसको तेरे निकाह में दे दिया ताकि न रहे मुसलमानों पर गुनाह निकाह कर लेना अपने लेपालकों की बीवियों से जब वे तमाम कर लें उनसे अपनी ग़र्ज़, और है अल्लाह का हुक्म बजा लाना। (37) नबी पर कुछ हर्ज नहीं

अ़लन्नबिय्यि मिन् ह-रजिन् फ़ीमा फ़-रज़ल्लाहु लहू, सुन्नतल्लाहि फ़िल्लज़ी-न ख़लौ मिन् क़ब्लु, व का-न अम्रुल्लाहि क़-दरम् मक़्दूरा (38) अल्लज़ी-न युबल्लिग़ू-न रिसालातिल्लाहि व यख़्शौनहू व ला यख़्शौ-न अ-हदन् इल्लल्ला-ह, व कफ़ा बिल्लाहि हसीबा (39)	उस बात में जो मुक़र्रर कर दी अल्लाह ने उसके वास्ते, जैसे दस्तूर रहा है अल्लाह का उन लोगों में जो गुज़रे पहले, और है हुक्म अल्लाह का मुक़र्रर ठहर चुका। (38) वे लोग जो पहुँचाते हैं पैग़ाम अल्लाह के और डरते हैं उससे, और नहीं डरते किसी से सिवाय अल्लाह के, और काफ़ी है अल्लाह किफ़ायत करने वाला। (39)

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

और किसी ईमान वाले मर्द और किसी ईमान वाली औरत को गुंजाईश नहीं है जबकि अल्लाह और उसका रसूल (सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम) किसी काम का (चाहे वह दुनिया ही की बात क्यों न हो लाज़िमी तौर पर) हुक्म दे दें कि (फिर) उन (मोमिनों) को उनके उस काम में कोई इख़्तियार (बाक़ी) रहे (यानी इस इख़्तियार की गुंजाईश नहीं रहती कि चाहे करें या न करें, बल्कि अ़मल ही करना वाजिब हो जाता है)। और जो शख़्स (लाज़िमी हुक्म के बाद) अल्लाह का और उसके रसूल (सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम) का कहना न मानेगा वह खुली गुमराही में जा पड़ा।

और (उस वक़्त को याद कीजिये) जब आप (समझाने और मश्विरे के तौर पर) उस शख़्स से फ़रमा रहे थे जिस पर अल्लाह ने भी इनाम किया (कि इस्लाम की तौफ़ीक़ दी जो दीनी इनाम है, और ग़ुलामी से छुड़ाया जो कि दुनिया की नेमत है) और आपने भी इनाम किया (दीन की तालीम दी और आज़ाद किया, और फूफीज़ाद बहन से निकाह कराया इससे मुराद हज़रत ज़ैद रज़ियल्लाहु अ़न्हु हैं कि आप उनको समझा रहे थे) कि अपनी बीवी (ज़ैनब रज़ियल्लाहु अ़न्हा) को अपने निकाह में रहने दे (और उसकी मामूली ख़ताओं पर नज़र न कर कि कभी-कभी इससे नामुवाफ़क़त हो जाती है) और ख़ुदा से डर (और उसके हुक़ूक़ में भी कोताही न कर कि कभी इससे नामुवाफ़क़त पैदा हो जाती है) और (जब शिकायतें हद से बढ़ गई और हालात व इशारात से सुधार व मुवाफ़क़त की उम्मीद न रही तो उस वक़्त समझाने के साथ) आप अपने दिल में वह बात (भी) छुपाए हुए थे जिसको अल्लाह तआ़ला (आख़िर में) ज़ाहिर करने वाला था (इससे मुराद आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम का निकाह है हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अ़न्हा से, जबकि ज़ैद रज़ियल्लाहु अ़न्हु उनको तलाक़ दे दें जिसको हक़ तआ़ला ने 'ज़व्वज्नाकहा' में क़ौली तौर पर और ख़ुद निकाह कर देने से अ़मली तौर पर ज़ाहिर फ़रमाया) और (इस सशर्त और अधर में लटके इरादे के साथ ही) आप लोगों (के ताना देने) से (भी) अन्देशा करते थे (क्योंकि उस वक़्त इस निकाह में किसी अहम दीनी मस्लेहत व बेहतरी का होना आपके मुबारक ज़ेहन में न आया होगा, सिर्फ़ दुनियावी मस्लेहत ख़ास हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अ़न्हा

के ख़्याल में होगी, और दुनियावी मामलात में ऐसा अन्देशा होना कोई हर्ज की बात नहीं, बल्कि कई हैसियतों से पसन्दीदा भी है, जबकि एतिराज़ से दूसरों की दीन की ख़राबी का अन्देशा हो और उनको उससे बचाना मक़सद हो) और डरना तो आपको ख़ुदा ही से ज़्यादा मुनासिब है (यानी चूँकि वास्तव में इसमें दीनी मस्लेहत है, जैसा कि आगे 'लिकैला यकू-न अलल्-मुअ्मिनी-न ह-रजुन्............' में बयान हुआ है, इसलिए मख़्लूक़ से अन्देशा न कीजिए। चुनाँचे इस दीनी मस्लेहत व बेहतरी के मालूम होने के बाद फिर आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने कोई अन्देशा नहीं किया और निकाह के इरादे में तो क्या अन्देशा होता ख़ुद निकाह के बाद भी अन्देशा नहीं किया, जिसका क़िस्सा आगे है कि) फिर जब ज़ैद रज़ियल्लाहु अ़न्हु का उस (ज़ैनब रज़ियल्लाहु अ़न्हा) से जी भर गया (यानी तलाक़ दे दी और इद्दत भी गुज़र गई तो) हमने आपसे उसका निकाह कर दिया, ताकि मुसलमानों पर अपने मुँह-बोले बेटों की बीवियों के (निकाह के) बारे में कुछ तंगी न रहे, जब वे (मुँह बोले बेटे) उनसे अपना जी भर चुकें (यानी तलाक़ दे दें। मतलब यह कि इस क़ानूनी हुक्म का इज़्हार मक़सूद था) और ख़ुदा का यह हुक्म तो होने वाला ही था (क्योंकि हिक्मत इसको चाहती थी)।

(आगे ताने का जवाब है कि) और उन पैग़म्बर के लिए ख़ुदा तआ़ला ने जो बात (तक़दीरी तौर पर या शरीअ़त के हुक्म के तौर पर) मुक़र्रर कर दी थी उसमें नबी पर कोई इल्ज़ाम (और ताने की बात) नहीं, अल्लाह तआ़ला ने उन (पैग़म्बरों) के हक़ में (भी) यही मामूल कर रखा है जो पहले हो गुज़रे हैं (कि उनको जिस बात की इजाज़त होती है बेतकल्लुफ़ वह उसको करते रहे हैं और उन पर ताने का कोई औचित्य नहीं। ऐसे ही यह नबी भी एतिराज़ व ताने का मौक़ा नहीं) और (उन पैग़म्बरों के भी इस क़िस्म के जितने काम होते हैं उन सब के बारे में भी) अल्लाह का हुक्म तजवीज़ किया हुआ (पहले से) होता है (और उसी के मुवाफ़िक़ फिर उनको हुक्म होता है और वे अ़मल करते हैं)।

(शायद आपके क़िस्से में इस मज़मून को लाना और फिर नबियों के तज़किरे में इसको दोहराना इस तरफ़ इशारा है कि दूसरे तकवीनी और क़ुदरती मामलों की तरह ऐसे अहकाम हिक्मत व मस्लेहत पर आधारित होते हैं जो पहले ही से अल्लाह के इल्म में तयशुदा हो चुके होते हैं, फिर नबी पर ताने मारना अल्लाह पर ताने मारना है। बख़िलाफ़ उन मामलात और अहकाम के जिन पर ख़ुद हक़ तआ़ला मलामत फ़रमा दें, अगरचे वो मुक़द्दर होने की वजह से हिक्मत व मस्लेहत पर आधारित हों मगर मलामत व बुराई का सबब होना दलील है इसके कि उनके अन्दर ख़राबियाँ हैं। इसलिए उन ख़राबियों और बुराईयों के एतिबार से उन पर एतिराज़ व मलामत करना जायज़ है)।

(आगे एक ख़ास तारीफ़ व प्रशंसा है उन पैग़म्बरों की ताकि आपको तसल्ली हो यानी पहले गुज़रे) ये सब (पैग़म्बर हज़रात) ऐसे थे कि अल्लाह तआ़ला के अहकाम पहुँचाया करते थे (अगर ज़बान से तब्लीग़ करने का हुक्म हुआ तो ज़बान से और अगर अ़मली तब्लीग़ का हुक्म हुआ तो अ़मली तब्लीग़) और (इस बारे में) अल्लाह ही से डरते थे और अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरते थे (पस आपको भी जब तक मालूम न था कि यह निकाह अ़मली तब्लीग़ है इसमें अन्देशा होना कोई हर्ज की बात नहीं, लेकिन आपको जब यह बात मालूम हो गई तो आप भी अन्देशा न कीजिए जैसा कि एक रसूल की शान का यही तक़ाज़ा है। चुनाँचे यह बात ज़ाहिर होने के बाद फिर आपने अन्देशा नहीं किया, और बावजूद इसके कि ख़ुद आपको रिसालत की तब्लीग़ में किसी से ख़ौफ़ नहीं हुआ, न

इसका शुब्हा व गुमान था, फिर भी अम्बिया अ़लैहिमुस्सलाम का क़िस्सा सुनाना यह दिल की अतिरिक्त मज़बूती के लिये है) और (आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की ज़्यादा तसल्ली के लिये फ़रमाते हैं कि) अल्लाह (आमाल का) हिसाब लेने के लिये काफ़ी है (फिर किसी से काहे का डर है, साथ ही आप पर ताने मारने वालों को भी सज़ा देगा, आप ताने देने से रंजीदा व दुखी न हों)।

मआ़रिफ़ व मसाईल

यह बात पहले कई मर्तबा मालूम हो चुकी है कि सूरः अहज़ाब में ज़्यादातर वो अहकाम हैं जिनका ताल्लुक़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की ताज़ीम व मुहब्बत और मुकम्मल फ़रमाँबरदारी से या आपको किसी क़िस्म की तकलीफ़ पहुँचाने और सताने की मनाही से है। ऊपर बयान हुई ये आयतें भी इसी सिलसिले के चन्द वाक़िआ़त से मुताल्लिक़ नाज़िल हुई हैं।

एक वाक़िआ़ यह पेश आया कि हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु अ़न्हु किसी शख़्स के ग़ुलाम थे, जाहिलीयत के ज़माने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने इनको उकाज़ बाज़ार से ख़रीद लिया था, अभी उम्र भी कम थी, आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने ख़रीदने के बाद इनको आज़ाद करके यह सम्मान बख़्शा कि अ़रब के आ़म रिवाज के मुताबिक़ इनको अपना मुँह बोला बेटा बना लिया और इनकी परवरिश फ़रमाई। मक्का मुकर्रमा में इनको ज़ैद बिन मुहम्मद (सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम) के नाम से पुकारा जाता था। क़ुरआने करीम ने इसको जाहिलीयत की ग़लत रस्म क़रार देकर इसकी मनाही कर दी कि मुँह बोले बेटे को उस शख़्स का बेटा कहकर पुकारा जाये, और हुक्म दिया कि उसको उसके असली बाप की तरफ़ मन्सूब किया जाये। इसी सिलसिले में वो आयतें नाज़िल हुईं जो इसी सूरत में पहले आ चुकी हैं।

यह हुक्म नाज़िल होने के बाद कि उनको उनके असली बाप की तरफ़ मन्सूब करके पुकारो सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अ़न्हुम ने इनको ज़ैद बिन मुहम्मद कहना छोड़ दिया और इनके वालिद हारिसा की तरफ़ मन्सूब करने लगे।

एक लतीफ़ा

पूरे क़ुरआन में अम्बिया अ़लैहिमुस्सलाम के सिवा किसी बड़े से बड़े सहाबी का भी नाम ज़िक्र नहीं किया गया सिवाय हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु अ़न्हु के, इसकी हिक्मत कुछ हज़रात ने यही बयान की है कि इनकी बाप की निस्बत को क़ुरआनी हुक्म के मुताबिक़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से काटा गया तो इनके लिये एक बहुत बड़े सम्मान से मेहरूमी हो गई, अल्लाह तआ़ला ने इसका बदल इस तरह कर दिया कि क़ुरआन में इनका नाम लेकर ज़िक्र फ़रमा दिया और लफ़्ज़ ज़ैद क़ुरआन का एक लफ़्ज़ होने की हैसियत से इसके हर लफ़्ज़ पर हदीस के वायदे के मुताबिक़ दस नेकियाँ आमाल नामे में लिखी जाती हैं, इनका नाम जब क़ुरआन में पढ़ा जाये तो सिर्फ़ इनका नाम लेने पर तीस नेकियाँ मिलती हैं।

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम भी इनकी इ़ज़्ज़त फ़रमाते थे। हज़रत सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अ़न्हा फ़रमाती हैं कि आपने जब कभी किसी लश्कर में इनको भेजा है तो लश्कर का अमीर इन्हीं को

बनाया है। (इब्ने कसीर)

तंबीह

यह थी इस्लाम में गुलामी की हक़ीक़त कि उनको तालीम व तरबियत देकर जो सलाहियत वाला साबित हुआ उसको पेशवाओं का दर्जा दिया।

ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु अ़न्हु जवान हुए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने इनके निकाह के लिये अपनी फूफी की लड़की हज़रत ज़ैनब बिन्ते जहश रज़ियल्लाहु अ़न्हा का चयन फ़रमाकर निकाह का पैग़ाम दिया। हज़रत ज़ैद रज़ियल्लाहु अ़न्हु पर आ़म पहचान का चूँकि यह ऐब लगा हुआ था कि आज़ाद किये हुए ग़ुलाम थे, हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अ़न्हा और उनके भाई अ़ब्दुल्लाह बिन जहश रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने इस रिश्ते से इनकार कर दिया कि हम ख़ानदान व नसब के एतिबार से उनसे आला व बेहतर हैं। इस वाक़िए पर यह आयत नाज़िल हुईः

مَاكَانَ لِمُؤْمِنٍ وَّلَا مُؤْمِنَةٍ............ الاٰية

(यानी ऊपर लिखी गयी आयत 36) जिसमें यह हिदायत की गई है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम किसी को किसी काम का हुक्म वाजिबी और लाज़िमी तौर पर दे दें तो उस पर वह काम करना वाजिब हो जाता है, शरई तौर पर उसको न करने का इख़्तियार नहीं रहता अगरचे अपने आप में वह काम शरीअ़त में वाजिब व ज़रूरी न हो, मगर जिसको आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने हुक्म दे दिया उसके ज़िम्मे लाज़िम व वाजिब हो जाता है, और जो ऐसा न करे आयत के आख़िर में इसको खुली गुमराही फ़रमाया है।

इस आयत को हज़रत ज़ैनब बिन्ते जहश रज़ियल्लाहु अ़न्हा और उनके भाई ने सुना तो अपने इनकार से बाज़ आ गये और निकाह पर राज़ी हो गये, चुनाँचे यह निकाह कर दिया गया। इनका मेहर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने अपनी तरफ़ से अदा किया जो दस दीनार सुर्ख़ (यानी पौने चार तौले सोना था) और साठ दिरहम (यानी पौने सोलह तौले चाँदी थी) और एक बोझ ढोने वाला जानवर और पूरा ज़नाना जोड़ा और पचास मुद आटा (यानी तक़रीबन तैंतालीस सैर) और दस मुद (साढ़े आठ सैर तीस माशे) खजूर था। (इब्ने कसीर) इस आयत के नाज़िल होने का मशहूर वाक़िआ़ अक्सर मुफ़स्सिरीन के नज़दीक यही हज़रत ज़ैद रज़ियल्लाहु अ़न्हु और हज़रत ज़ैनब बिन्ते जहश रज़ियल्लाहु अ़न्हा के निकाह का क़िस्सा है। (इब्ने कसीर, क़ुर्तुबी, मज़हरी)

इमाम इब्ने कसीर वग़ैरह मुफ़स्सिरीन ने इसी तरह के दो वाक़िए और भी नक़ल किये हैं। उनमें भी यह बयान हुआ है कि यह आयत इन वाक़िआ़त के बारे में नाज़िल हुई है। उनमें से एक वाक़िआ़ हज़रत जुलैबीब रज़ियल्लाहु अ़न्हु का वाक़िआ़ है कि उनका रिश्ता एक अन्सारी सहाबी की लड़की से करना चाहा तो उस अन्सारी और उनके घर वालों ने इस रिश्ते और निकाह से इनकार कर दिया, जब यह आयत नाज़िल हुई तो सब राज़ी हो गये और निकाह कर दिया गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने उनके लिये रिज़्क़ की वुस्अ़त और बढ़ोतरी की दुआ़ फ़रमाई। सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अ़न्हुम का बयान है कि अल्लाह ने उनके घर में ऐसी बरकत दी थी कि मदीना तय्यिबा के घरों में सब से ज़्यादा नुमायाँ और बड़ा ख़र्च इस घर का था, बाद में हज़रत जुलैबीब एक जिहाद

में शहीद हो गये, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने उनका कफ़न-दफ़न अपने हाथ मुबारक से फ़रमाया।

इसी तरह का एक वाक़िआ हदीस की रिवायतों में हज़रत उम्मे कुलसूम बिन्ते उक़बा बिन अबी मुईत का नक़ल किया गया है। (इब्ने कसीर, क़ुर्तुबी) और इसमें कोई टकराव और विरोधाभास की बात नहीं, हो सकता है कि इस तरह के अनेक वाक़िआत ही इस आयत के नाज़िल होने का सबब बने हों।

निकाह में नसबी बराबरी की रियायत का हुक्म और दर्जा

ऊपर ज़िक्र हुए निकाह में हज़रत ज़ैनब बिन्ते जहश रज़ियल्लाहु अ़न्हा और उनके भाई हज़रत अ़ब्दुल्लाह ने जो ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु अ़न्हु से निकाह को शुरू में नामन्ज़ूर किया था इसकी वजह इन दोनों में ख़ानदानी और नसबी बराबरी का न होना था। और यह वजह शरई तौर पर ख़ुद मतलूब है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम का इरशाद है कि लड़कियों का निकाह उनके कुफ़्व (बराबर वालों) में करना चाहिये (जिसकी तहक़ीक़ आगे आयेगी) इसलिये यहाँ यह सवाल पैदा होता है कि इस मामले में हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अ़न्हा और उनके भाई का उज़्र क्यों मक़बूल न हुआ।

जवाब यह है कि मियाँ-बीवी की दीनी एतिबार से तो लाज़िम व ज़रूरी है, किसी मुसलमान लड़की का निकाह किसी काफ़िर से हलाल नहीं अगरचे लड़की उस पर राज़ी हो, पूरी उम्मत का इस पर इत्तिफ़ाक़ है, क्योंकि यह सिर्फ़ औरत का हक़ नहीं जो उसकी रज़ामन्दी से ख़त्म हो जाये बल्कि अल्लाह का हक़ और उसका फ़रीज़ा है, बख़िलाफ़ नसबी और माली बराबरी के कि वह लड़की का हक़ है, और ख़ानदानी बराबरी के हक़ में लड़की के साथ उसके सरपरस्त भी शरीक हैं, अगर आ़क़िल बालिग़ लड़की मालदार ख़ानदान से होने के बावजूद किसी ग़रीब फ़क़ीर से निकाह पर राज़ी होकर अपना हक़ ख़त्म कर दे तो उसको इख़्तियार है, और ख़ानदानी बराबरी में लड़की और उसके सरपरस्त सब उस हक़ को किसी दूसरी अहम मस्लेहत की ख़ातिर छोड़कर किसी ऐसे शख़्स से निकाह पर राज़ी हो जायें जो नसब और ख़ानदान के एतिबार से उनसे कम दर्जे का है तो उनको इसका हक़ है, बल्कि दीनी मस्लेहतों को सामने रखते हुए इस हक़ को छोड़ देना अच्छा और पसन्दीदा है, इसी लिये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने कई मौक़ों पर इस हक़ को नज़र-अन्दाज़ करने और दीनी मस्लेहतों की वजह से निकाह कर देने का मश्विरा दिया।

और क़ुरआने करीम की वज़ाहतों से यह बात साबित है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम का हक़ अपनी उम्मत के मर्द व औरत पर सबसे ज़्यादा है, बल्कि अपने नफ़्स से भी ज़्यादा है जैसा कि क़ुरआने हकीम का इरशाद है:

اَلنَّبِيُّ اَوْلٰى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ

"यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम का हक़ मोमिनों पर उनके अपने नफ़्सों से भी ज़्यादा है।"

इसलिये हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अ़न्हा और हज़रत अ़ब्दुल्लाह के मामले में जब रसूलुल्लाह

सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने नसबी बराबरी के हक़ को नज़र-अन्दाज़ करके ज़ैद बिन हारिसा से निकाह मन्ज़ूर कर लेने का हुक्म दे दिया तो उनका फ़र्ज़ था कि इस हुक्म के सामने अपनी राय और अपने नफ़्स के हुक़ूक़ को छोड़ देते, इसलिये उनके इनकार पर क़ुरआने करीम का यह हुक्म नाज़िल हुआ।

रहा यह मामला कि जब नसबी बराबरी ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के नज़दीक रियायत के क़ाबिल चीज़ है तो ख़ुद आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इसकी रियायत क्यों न फ़रमाई? तो इसका जवाब भी ऊपर बयान हुई तक़रीर से स्पष्ट हो गया कि यह रियायत दूसरी दीनी मस्लेहतों के मुक़ाबले में छोड़ देने के क़ाबिल है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के मुबारक दौर में कई निकाह इसी तरह ग़ैर-कुफ़्व (नाबराबरी वालों) में इसी क़िस्म की दीनी मस्लेहतों की बिना पर किये गये, इससे असल मसले पर कोई असर नहीं पड़ता।

नसब व ख़ानदान में बराबरी का मसला

निकाह एक ऐसा मामला है जिसमें अगर मियाँ-बीवी की तबीयतों में मुवाफ़क़त न हो तो निकाह के मक़ासिद में ख़लल आता है, एक दूसरे के हुक़ूक़ अदा करने में ख़लल आता है, आपसी झगड़े-विवाद पैदा होते हैं, इसलिये शरीअ़त में बराबरी यानी आपस में दोनों का एक जैसा होने की रियायत करने का हुक्म दिया गया है। मगर इसका यह मतलब नहीं कि कोई आला ख़ानदान का आदमी अपने से कम ख़ानदान वाले आदमी को गिरा हुआ या ज़लील समझे, ज़िल्लत व इज़्ज़त का असल मदार इस्लाम में तक़वे और दीनदारी है, जिसमें यह चीज़ नहीं उसको ख़ानदानी शराफ़त कितनी भी हासिल हो अल्लाह के नज़दीक उसकी कोई हैसियत नहीं, सिर्फ़ इन्तिज़ामी मामलात को सही और दुरुस्त रखने के लिये निकाह में बराबरी की रियायत का हुक्म दिया गया है।

एक हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इरशाद है कि लड़कियों का निकाह उनके सरपरस्तों ही के ज़रिये होना चाहिये (यानी बालिग़ लड़की को भी यह मुनासिब नहीं कि अपने निकाह का मामला ख़ुद तय करे, शर्म का तक़ाज़ा यह है कि यह काम उसके माँ-बाप और सरपरस्त करें) और फ़रमाया कि लड़कियों का निकाह उनके बराबर वालों ही में करना चाहिये। इस हदीस की सनद अगरचे कमज़ोर है मगर सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम के अक़वाल व अ़मल से इसकी ताईद होकर हदीस दलील पकड़ने के क़ाबिल हो जाती है। इमाम मुहम्मद रह. ने किताबुल-आसार में हज़रत फ़ारूक़े आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु का यह क़ौल नक़ल किया है कि "मैं यह हुक्म जारी करूँगा कि किसी बड़े ऊँचे मशहूर ख़ानदान की लड़की का निकाह दूसरे कम दर्जे वाले से न किया जाये।" इसी तरह हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा और हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु ने भी इसकी ताकीद फ़रमाई कि निकाह में नसब में बराबरी की रियायत की जाये जो कई सनदों से मन्क़ूल है। इमाम इब्ने हुमाम ने भी फ़त्हुल-तक़दीर में इसकी तफ़सील लिखी है।

हासिल यह है कि निकाह में नसबी व ख़ानदानी बराबरी की रियायत करना दीन में पसन्दीदा और मतलूब है ताकि मियाँ-बीवी में मुवाफ़क़त रहे, लेकिन कोई दूसरी अहम मस्लेहत इस नसबी बराबरी से बढ़कर सामने आ जाये तो औरत और उसके सरपरस्तों को अपना यह हक़ छोड़कर

ग़ैर-बराबरी वालों में निकाह कर लेना भी जायज़ है। ख़ास तौर पर जबकि कोई दीनी मस्लेहत पेशे नज़र हो तो ऐसा करना अफ़ज़ल व बेहतर है जैसा कि सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम के कई वाक़िआत से साबित है। इससे यह भी मालूम हो गया कि इन वाक़िआत से नसबी व ख़ानदानी बराबरी के असल मसले की नफ़ी नहीं होती। वल्लाहु आलम

दूसरा वाक़िआ

हज़रत ज़ैनब बिन्ते जहश रज़ियल्लाहु अन्हा का निकाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के हुक्म से हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ हो गया मगर दोनों की तबीयतों में मुवाफ़क़त न हुई। हज़रत ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु उनकी तेज़-ज़बानी और नसबी बरतरी की बिना पर अपने को ऊँचा समझने और फ़रमाँबरदारी में कोताही करने की शिकायत किया करते थे। दूसरी तरफ़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को वही के ज़रिये यह बतला दिया गया था कि हज़रत ज़ैद उनको तलाक़ देंगे, उसके बाद ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा आपके निकाह में आयेंगी।

एक दिन हज़रत ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु ने इन्हीं शिकायतों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के सामने पेश करके अपना यह इरादा ज़ाहिर किया कि उनको तलाक़ दे दें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को अगरचे अल्लाह की तरफ़ से यह इल्म हो गया था कि वाक़िआ यूँ ही पेश आने वाला है कि ज़ैद उनको तलाक़ दे देंगे, फिर यह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के निकाह में आयेंगी, लेकिन दो वजह से आपने हज़रत ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु को तलाक़ देने से रोका- अव्वल यह कि तलाक़ देना अगरचे इस्लामी शरीअत में जायज़ है मगर पसन्दीदा नहीं बल्कि जायज़ चीज़ों में सबसे ज़्यादा नापसन्दीदा और मक्रूह है, और क़ुदरती तौर पर बिना ज़ाहिरी असबाब के किसी काम का ज़ाहिर होना शरई हुक्म को प्रभावित नहीं करता। दूसरे आपके दिल मुबारक में यह भी ख़्याल पैदा हुआ कि अगर इन्होंने तलाक़ दे दी और फिर हज़रत ज़ैनब का निकाह आप से हुआ तो अरब वाले अपने जाहिली दौर के दस्तूर के मुताबिक़ यह ताने देंगे कि अपने बेटे की बीवी से निकाह कर लिया। अगरचे क़ुरआन ने इस जाहिली दस्तूर को सूरः अहज़ाब की ही पहले गुज़री आयतों में ख़त्म कर दिया है, इसके बाद किसी मोमिन के लिये तो इसके वस्वसे (ख़्याल व गुमान) का भी ख़तरा न था मगर काफ़िर लोग जो क़ुरआन ही को न मानते थे वे अपनी जाहिलाना रस्म यानी मुँह बोले बेटे को तमाम अहकाम में सगे और असली बेटे की तरह समझने की बिना पर ताने ज़बान पर लायेंगे। यह अन्देशा भी हज़रत ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु को तलाक़ देने से मना करने का सबब बना। इस पर हक़ तआला की तरफ़ से महबूबाना नाराज़गी क़ुरआन की इन आयतों में नाज़िल हुईः

وَاِذْ تَقُوْلُ لِلَّذِیْٓ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاَنْعَمْتَ عَلَيْهِ اَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللّٰهَ وَتُخْفِیْ فِیْ نَفْسِكَ مَا اللّٰهُ مُبْدِيْهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللّٰهُ اَحَقُّ اَنْ تَخْشٰهُ.

यानी आप उस वक़्त को याद करें जबकि आप कह रहे थे उस शख़्स को जिस पर अल्लाह ने इनाम किया और आपने भी इनाम किया, उस शख़्स से मुराद हज़रत ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु हैं जिन पर अल्लाह तआला ने पहला इनाम तो यह फ़रमाया कि उनको इस्लाम से सम्मानित कर दिया, दूसरे आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की सोहबत का सम्मान अता फ़रमाया, और आपने उन पर एक इनाम

तो यह किया कि उनको ग़ुलामी से आज़ाद कर दिया, दूसरा यह कि उनकी तरबियत फ़रमाकर ऐसा बना दिया कि बड़े-बड़े सहाबा भी उनकी इज़्ज़त व अदब करते थे। आगे वह क़ौल नक़ल किया जो आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने हज़रत ज़ैद से फ़रमायाः

اَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللّٰهَ

यानी अपनी बीवी को आप अपने निकाह में रोकें, तलाक़ न दें और ख़ुदा से डरें।

ख़ुदा से डरने का हुक्म इस जगह इस मायने में भी हो सकता है कि तलाक़ एक बुरा और नापसन्दीदा काम है, इससे बचें। और इस मायने से भी हो सकता है कि निकाह में रोकने के बाद आपसी तबई नफ़रत व नापसन्दीदगी की वजह से उनके हुक़ूक़ की अदायेगी में कोताही न करें। आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम का यह फ़रमाना अपनी जगह सही व दुरुस्त था मगर अल्लाह की तरफ़ से होने वाले वाक़िए का इल्म हो जाने और दिल में हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अ़न्हा से निकाह का इरादा पैदा हो जाने के बाद हज़रत ज़ैद को तलाक़ न देने की नसीहत एक तरह की रस्मी ख़ैरख़्वाही के इज़हार के दर्जे में थी जो शाने रिसालत के मुनासिब न थी, ख़ुसूसन इसलिये कि इसके साथ लोगों के तानों का अन्देशा भी शामिल था इसलिये मज़कूरा आयत में इन अलफ़ाज़ में नाराज़गी नाज़िल हुई कि आप दिल में वह बात छुपा रहे थे जिसको अल्लाह तआ़ला ज़ाहिर करने वाला था।

जब अल्लाह की तरफ़ से हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अ़न्हा के साथ आपके निकाह की ख़बर मिल चुकी और आपके दिल में निकाह का इरादा पैदा हो चुका तो उस इरादे को छुपाकर ऐसी रस्मी बातचीत जो आपकी शान के मुनासिब नहीं थी, की। और लोगों के तानों के अन्देशे पर फ़रमाया कि आप लोगों से डरने लगे हालाँकि डरना तो आपको अल्लाह ही से चाहिये। यानी जब आपको यह मालूम था कि यह मामला अल्लाह तआ़ला की तरफ़ से होने वाला है, उसकी नाराज़ी का इसमें कोई ख़ौफ़ व ख़तरा नहीं तो फिर सिर्फ़ लोगों के तानों से घबराकर आपके लिये यह बातचीत करनी मुनासिब नहीं थी।

इस वाक़िए की जो तफ़सील ऊपर लिखी गई है यह सब तफ़सीर इब्ने कसीर, तफ़सीरे क़ुर्तुबी और तफ़सीर रूहुल-मआ़नी से ली गई है और आयतः

تُخْفِيْ فِيْ نَفْسِكَ مَا اللّٰهُ مُبْدِيْهِ

(यानी आयत 37) की यह तफ़सीर कि वह चीज़ जिसको आपने दिल में छुपाया था वह यह इरादा था कि हज़रत ज़ैद ने तलाक़ दे दी तो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक़ आप उनसे निकाह कर लेंगे, यह तफ़सीर इमाम हकीम, तिर्मिज़ी और इब्ने अबी हातिम वग़ैरह मुहद्दिसीन ने हज़रत अ़ली बिन हुसैन बिन ज़ैनुल-आ़बिदीन रज़ियल्लाहु अ़न्हु की रिवायत से नक़ल की है जिसके अलफ़ाज़ ये हैं:

اَوْحَى اللّٰهُ تَعَالٰى اِلَيْهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّ زَيْنَبَ سَيُطَلِّقُهَا زَيْدٌ وَّيَتَزَوَّجُهَا بَعْدَهٗ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ.

(روح المعانی، از حکیم ترمذی)

"यानी अल्लाह तआ़ला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को वही के ज़रिये यह इत्तिला दे दी थी कि हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अ़न्हा को हज़रत ज़ैद तलाक़ देने वाले हैं और

उसके बाद वह आपके निकाह में आयेंगी।"

और इमाम इब्ने कसीर ने इब्ने अबी हातिम के हवाले से ये अलफ़ाज़ नकल किये हैं:

اِنَّ اللّٰهَ اَعْلَمَ نَبِيَّهٗ اَنَّهَا سَتَكُوْنُ مِنْ اَزْوَاجِهٖ قَبْلَ اَنْ يَّتَزَوَّجَهَا فَلَمَّا اَتَاهُ زَيْدٌ لِيَشْكُوْهَا اِلَيْهِ قَالَ اتَّقِ اللّٰهَ وَاَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ فَقَالَ اَخْبَرْتُكَ اِنِّيْ مُزَوِّجُكَهَا وَتُخْفِيْ فِيْ نَفْسِكَ مَا اللّٰهُ مُبْدِيْهِ.

"यानी अल्लाह तआला ने अपने नबी को पहले ही बतला दिया था कि हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा भी आपकी पाक बीवियों में दाख़िल हो जायेंगी। फिर जब हज़रत ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु उनकी शिकायत लेकर आपकी ख़िदमत में आये तो आपने फ़रमाया कि अल्लाह से डरो और अपनी बीवी को तलाक़ न दो। इस पर अल्लाह तआला ने फ़रमाया कि मैंने तो आप से बतला दिया था कि मैं उनसे आपका निकाह करा दूँगा और आप अपने दिल में उस चीज़ को छुपाये हुए थे जिसको अल्लाह तआला ज़ाहिर करने वाला है।"

मुफ़स्सिरीन की बड़ी जमाअत- इमाम ज़ोहरी, बक्र बिन अ़ला, क़ुशैरी, क़ाज़ी अबू बक्र बिन अ़रबी ने इसी तफ़सीर को इख़्तियार किया है कि जिस चीज़ के दिल में छुपाने का ज़िक्र किया गया वह वही के ज़रिये निकाह का इरादा था। इसके ख़िलाफ़ जिन रिवायतों में 'मा फ़ी नफ़्सि-क' की तफ़सीर हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा की मुहब्बत से मन्क़ूल है उसके मुताल्लिक़ इमाम इब्ने कसीर ने फ़रमाया कि हमने उन रिवायतों को ज़िक्र करना इसलिये पसन्द नहीं किया कि उनमें से कोई रिवायत सही नहीं है। और ख़ुद क़ुरआन के अलफ़ाज़ से इसी तफ़सीर की ताईद होती है जो हज़रत ज़ैनुल-आ़बिदीन रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत से ऊपर बयान हुई है, क्योंकि इस आयत में अल्लाह तआ़ला ने ख़ुद बतला दिया कि दिल में छुपाई हुई चीज़ वह थी जिसको अल्लाह तआ़ला ज़ाहिर करने वाला है, और अल्लाह तआ़ला ने जिस चीज़ को अगली आयत में ज़ाहिर फ़रमाया वह निकाह है हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा के साथ, जैसा कि फ़रमाया 'ज़व्वज्नाकहा' (हमने उसको तेरे निकाह में दे दिया)। (रूहुल-मआ़नी)

लोगों के तानों व तश्नों से बचना अच्छा है जब तक किसी शरई मक़सद पर असर-अन्दाज़ न हो

यह सवाल पैदा होता है कि लोगों के तानों से बचने के लिये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने इस मामले को क्यों छुपाया जो नाराज़गी का सबब बना। जवाब यह है कि इस मामले में जो क़ुरआन व सुन्नत से साबित है वह उसूल यह है कि जिस काम के करने से लोगों में ग़लत-फ़हमी पैदा होने और उनके तानों-तश्नों में मुब्तला हो जाने का ख़तरा हो तो लोगों के दीन की हिफ़ाज़त और उनको तानो-तश्नों के गुनाह से बचाने की नीयत से छोड़ देना उस सूरत में तो जायज़ है जबकि वह काम ख़ुद शरीअ़त के मक़सद में से न हो, और कोई दीनी हुक्म हलाल व हराम का उससे संबन्धित न हो अगरचे यह काम अपने आप में अच्छा ही हो। इसकी नज़ीर हदीस व सुन्नते रसूल में मौजूद है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जाहिलीयत (इस्लाम से पहले) के ज़माने में

जब बैतुल्लाह की तामीर की गई तो उसमें कई चीज़ें इब्राहीमी बुनियाद के ख़िलाफ़ कर दी गई हैं- अव्वल तो यह कि बैतुल्लाह का कुछ हिस्सा तामीर से बाहर छोड़ दिया, दूसरे इब्राहीमी बुनियाद में लोगों के बैतुल्लाह में दाख़िल होने के लिये दो दरवाज़े थे एक पूर्वी दिशा में दूसरा पश्चिमी दिशा में, जिसकी वजह से बैतुल्लाह में दाख़िल होने और निकलने में दिक़्क़त व परेशानी न होती थी। दौरे जाहिलीयत वालों ने इसमें दो उलट-फेर किये कि पश्चिमी दरवाज़ा तो बिल्कुल बन्द कर दिया और पूर्वी दरवाज़ा जो ज़मीन की सतह से मिला हुआ था उसको इतना ऊँचा कर दिया कि बग़ैर सीढ़ी के उसमें दाख़िला न हो सके जिससे मक़सद यह था कि वे जिसको इजाज़त दें सिर्फ़ वह अन्दर जा सके।

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि अगर नौ-मुस्लिम लोगों के ग़लत-फ़हमी में मुब्तला हो जाने का ख़तरा न होता तो बैतुल्लाह को फिर इब्राहीमी बुनियाद के मुताबिक़ बना देता। यह हदीस सब मोतबर किताबों में मौजूद है। इससे मालूम हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने लोगों को ग़लत-फ़हमी से बचाने के लिये अपना यह इरादा जो शरई एतिबार से पसन्दीदा था इसको छोड़ दिया और अल्लाह तआ़ला की तरफ़ से इस पर कोई नाराज़गी का इज़हार नहीं हुआ, जिससे इस अ़मल का अल्लाह के यहाँ मक़बूल होना भी मालूम हो गया, मगर यह मामला बैतुल्लाह को इब्राहीमी बुनियादों के मुताबिक़ दोबारा तामीर करने का ऐसा नहीं जिस पर कोई शरई मक़सद आधारित हो या जिससे हलाल व हराम के अहकाम जुड़े हुए हों।

जबकि इसके उलट हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अ़न्हा के निकाह के वाक़िए में एक शरई मक़सद जुड़ा हुआ था कि जाहिलीयत की बुरी रस्म और इस ग़लत ख़्याल की अ़मली तरदीद (रद्द करना) हो जाये कि मुँह बोले बेटे की तलाक़ दी हुई बीवी से निकाह हराम है, क्योंकि क़ौमों में चली हुई ग़लत रस्मों को तोड़ना अ़मली तौर पर तब ही मुम्किन होता है जब उसका अ़मली प्रदर्शन हो। अल्लाह का हुक्म इसी की तकमील के लिये हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अ़न्हा के निकाह से संबन्धित हुआ था। इस तक़रीर से बैतुल्लाह की बुनियादों के छोड़ देने और हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अ़न्हा के निकाह पर ख़ुदावन्दी इरशाद के अ़मल के ज़ाहिरी टकराव दिखाई देने का जवाब हो गया।

और ऐसा मालूम होता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने इस हुक्म की क़ौली (ज़बानी) तब्लीग़ जो सूरः अहज़ाब की पहली आयतों में आ चुकी है उसको काफ़ी समझा, और उसके अ़मली इज़हार की हिक्मत की तरफ़ नज़र नहीं गई इसलिये बावजूद इल्म व इरादे के उसको छुपाया। अल्लाह तआ़ला ने मज़कूरा आयतों में इसकी दुरुस्ती फ़रमाई और इसका इज़हार फ़रमायाः

لِكَيْ لَا يَكُوْنَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ حَرَجٌ فِيْٓ اَزْوَاجِ اَدْعِيَآئِهِمْ اِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا.

यानी हमने ज़ैनब से आपका निकाह इसलिये किया ताकि मुसलमानों पर इस मामले में कोई अ़मली तंगी पेश न आये कि मुँह बोले बेटों की तलाक़ शुदा बीवियों से निकाह कर सकें।

और 'ज़व्वज्नाकहा' के लफ़्ज़ी मायने यह हैं कि हमने उनका निकाह आप से कर दिया, जिससे मालूम होता है कि अल्लाह तआ़ला ने इस निकाह को यह विशेषता बख़्शी कि ख़ुद ही निकाह कर दिया जो निकाह की आ़म शर्तों से अलग रहा, और यह मायने भी हो सकते हैं हमने इस निकाह का हुक्म दे दिया अब आप शरई क़ायदों व शर्तों के मुताबिक़ उनसे निकाह कर लें। मुफ़स्सिरीन हज़रात

में से कुछ ने पहली सूरत को तरजीह दी और कुछ ने दूसरी सूरत को।

और हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा का दूसरी औरतों के सामने यह फ़रमाना कि तुम्हारा निकाह तो तुम्हारे माँ-बाप ने किया और मेरा निकाह ख़ुद अल्लाह तआ़ला ने आसमान पर किया, जैसा कि रिवायतों में आया है ये दोनों सूरतों में सही फ़िट बैठता है। पहली सूरत में ज़्यादा स्पष्ट है और दूसरी सूरत भी इसके विरुद्ध नहीं।

शुब्हात व एतिराज़ात के जवाब की प्रारंभिका

سُنَّةَ اللّٰهِ فِی الَّذِیْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَكَانَ اَمْرُ اللّٰهِ قَدَرًا مَّقْدُوْرَا ۝

यह प्रारंभिका और शुरूआ़ती हिस्सा है इस निकाह पर पेश आने वाले शक व शुब्हात की, कि दूसरी बीवियों के होते हुए इस निकाह का एहतिमाम किस लिये किया गया। इरशाद फ़रमाया कि यह सुन्नत (तरीक़ा व दस्तूर) है अल्लाह की जो मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के साथ मख़्सूस नहीं आप से पहले नबियों में भी जारी रही है कि दीनी मस्लेहतों के तहत बहुत सी औरतों से निकाह की इजाज़त दी गई, जिनमें हज़रत दाऊद और हज़रत सुलैमान अ़लैहिमस्सलाम ज़्यादा परिचित हैं कि दाऊद अ़लैहिस्सलाम के निकाह में सौ और सुलैमान अ़लैहिस्सलाम के निकाह में तीन सौ बीवियाँ थीं। अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के लिये दीनी मस्लेहत से कई निकाह की इजाज़त हुई और यह निकाह भी उनमें शामिल है तो इसमें कौनसी बड़ी बात है, न यह नुबुव्वत व रिसालत की शान के ख़िलाफ़ है, न तक़वे व बुज़ुर्गी के ख़िलाफ़ है। आख़िरी जुमले में यह भी फ़रमा दिया कि निकाह का मामला भी आ़म रिज़्क़ की तरह अल्लाह की तरफ़ से तयशुदा है कि किसका निकाह किस से होगा, पहले दिन से तक़दीर में जो कुछ लिखा गया है वह होकर रहता है। इस वाक़िए में हज़रत ज़ैद और हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अ़न्हा के बीच तबीयत में टकराव होने और ज़ैद रज़ियल्लाहु अ़न्हु की नाराज़ी फिर तलाक़ देने का इरादा ये सब उसी क़ुदरती और तक़दीरी मामले की कड़ियाँ थीं।

आगे उन अम्बिया अ़लैहिमुस्सलाम की ख़ास सिफ़ात का ज़िक्र है जिनके लिये पिछले ज़माने में अनेक बीवियाँ रखने की इजाज़त ऊपर मालूम हुई है। फ़रमायाः

اَلَّذِیْنَ یُبَلِّغُوْنَ رِسٰلٰتِ اللّٰهِ

यानी ये हज़राते अम्बिया अ़लैहिमुस्सलाम सभी अल्लाह तआ़ला के पैग़ामात अपनी अपनी उम्मतों को पहुँचाते हैं।

एक हिक्मत

शायद इसमें अम्बिया अ़लैहिमुस्सलाम के एक से ज़्यादा निकाह करने की हिक्मत की तरफ़ भी इशारा हो कि उनके तमाम आमाल और बातें उम्मत को पहुँचनी ज़रूरी हैं, और मर्दों के वक़्त का एक बड़ा हिस्सा अपने ज़नाने मकान में औरतों और बच्चों के साथ गुज़रता है, उस वक़्त में जो कोई वही नाज़िल हो या ख़ुद पैग़म्बर कोई हुक्म सादिर फ़रमायें या कोई अ़मल करें यह सब उम्मत की अमानत है जिसको बीवियों ही के ज़रिये आसानी से उम्मत तक पहुँचाया जा सकता है, दूसरी सूरतें

मुश्किलों और परेशानियों से ख़ाली नहीं, इसलिये नबियों के लिये अगर बीवियाँ ज़्यादा हों तो उनकी घरेलू ज़िन्दगी के काम, बातें और उनकी घरेलू ज़िन्दगी के हालात आम उम्मत तक पहुँचना आसान हो जायेगा। वल्लाहु आलम

दूसरी सिफ़त अम्बिया अलैहिमुस्सलाम की यह बयान की गई:

وَيَخْشَوْنَهٗ وَلَا يَخْشَوْنَ اَحَدًا اِلَّا اللّٰهَ

यानी ये हज़रात अल्लाह से डरते रहते हैं और अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरते। इसमें यह भी दाख़िल है कि दीनी मस्लेहतों के तहत अगर उनको किसी काम की अमली तब्लीग़ का हुक्म किया जाता है तो वे उसमें भी कभी कोताही नहीं करते, अगर कुछ लोग उस पर ताना दें और एतिराज़ करें तो वे उससे नहीं डरते।

एक शुब्हा और उसका जवाब

यहाँ जबकि नबियों की पूरी जमाअत का यह हाल बयान फ़रमाया है कि वे अल्लाह तआला के सिवा किसी से नहीं डरते तो इससे पहली आयत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के मुताल्लिक़ यह इरशाद है कि 'तख़्शन्ना-स' (यानी आप लोगों से डरते हैं) यह किस तरह दुरुस्त होगा? इसका जवाब यह है कि उक्त आयत में नबियों का ग़ैरुल्लाह से न डरना रिसालत की तब्लीग़ के मामले में बयान हुआ है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को ख़ौफ़ ताने मारने का एक ऐसे काम में पेश आया जो बज़ाहिर एक दुनियावी काम था, रिसालत की तब्लीग़ से इसका ताल्लुक़ न था। फिर जब उक्त आयतों से आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर यह बात स्पष्ट हो गई कि यह निकाह भी अमली तब्लीग़ व रिसालत का एक हिस्सा है तो इसके बाद आपको भी किसी के ताने देने और एतिराज़ करने का ख़ौफ़ अमल करने में रुकावट नहीं हुआ और यह निकाह अमल में लाया गया, अगरचे बहुत से काफ़िरों ने एतिराज़ किये और आज तक करते रहते हैं।

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ اَبَآ اَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَلٰكِنْ رَّسُوْلَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيّٖنَ ۭ وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا ۝ ع

मा का-न मुहम्मदुन् अबा अ-हदिम्-मिर्रिजालिकुम् व लाकिर्रसूलल्लाहि व ख़ा-तमन्नबिय्यी-न, व कानल्लाहु बिकुल्लि शैइन् अलीमा (40) ✿	मुहम्मद बाप नहीं किसी का तुम्हारे मर्दों में से लेकिन रसूल है अल्लाह का और मुहर सब नबियों पर, और है अल्लाह सब चीज़ों का जानने वाला। (40) ✿

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

(इससे पहले की आयतों में हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा के निकाह का अमली तब्लीग़ और नबियों की सुन्नत होने की हैसियत से अच्छा और पसन्दीदा होना बतलाया गया था, आगे उन एतिराज़ करने वालों का जवाब है जो इस निकाह को बुरा समझकर ताने मारते थे, यानी) मुहम्मद

(सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम) तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं हैं (यानी जो लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से औलाद होने का रिश्ता नहीं रखते, जैसा कि इस आयत में आम सहाबा को मुख़ातब करके फ़रमाया 'रिजालिकुम' यानी तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं। इसमें निस्बत आम लोगों की तरफ़ से की गई और आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से निस्बत काटी गई। इसलिये अपने ख़ानदान के अफ़राद में से किसी मर्द का बाप होना इसके विरुद्ध नहीं, जिसका मतलब यह है कि आम उम्मत के लोगों के साथ आपको बाप होने की ऐसी हैसियत हासिल नहीं जो किसी सही दलील से उनकी तलाक़ दी हुई बीवी के साथ निकाह हराम होने का सबब हो) लेकिन (हाँ एक दूसरी क़िस्म की रूहानी बाप होने की निस्बत ज़रूर हासिल है, चुनाँचे) अल्लाह के रसूल हैं (और हर रसूल रूहानी मुरब्बी होने की वजह से उम्मत का रूहानी बाप होता है) और (इस रूहानी बाप होने में इस दर्जे कामिल हैं कि सब रसूलों से अफ़ज़ल व मुकम्मल हैं, चुनाँचे आप) सब नबियों के ख़त्म पर हैं (और जो नबी ऐसा होगा वह रूहानी बाप होने में सबसे बढ़कर होगा, क्योंकि आपके रूहानी बाप होने का सिलसिला क़ियामत तक चलेगा जिसके नतीजे में आपकी रूहानी औलाद सबसे ज़्यादा होगी। मतलब यह है कि उम्मत के लिये आपके बाप होने का रिश्ता जिस्मानी और नसबी नहीं है, जिससे तलाक़ दी हुई औरत के निकाह का हराम होना संबन्धित होता है बल्कि रूहानी बाप होने का रिश्ता है। इसलिए लेपालक बेटे की तलाक़ दी हुई बीवी से निकाह कोई क़ाबिले एतिराज़ नहीं, बल्कि इस रूहानी बाप होने का तक़ाज़ा यह है कि सब लोग आप पर मुकम्मल यक़ीन व भरोसा रखें, आपके किसी क़ौल व अ़मल पर शक व शुब्हा न करें) और (अगर यह ख़्याल दिल में गुज़रे कि यह निकाह नाजायज़ तो नहीं था, लेकिन अगर न होता तो बेहतर होता ताकि लोगों को एतिराज़ और ताने का मौक़ा ही न मिलता तो यह समझ लेना चाहिए कि) अल्लाह तआ़ला हर चीज़ (के होने या न होने की मस्लेहत) को ख़ूब जानता है।

मआ़रिफ़ व मसाईल

ऊपर बयान हुई आयत में उन लोगों के ख़्याल का रद्द है जो अपनी जाहिलीयत की रस्म के मुताबिक़ हज़रत ज़ैद बिन हारिसा को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम का बेटा कहते थे, और उनकी तलाक़ के बाद हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अ़न्हा से आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के निकाह पर ताने देते थे कि बेटे की बीवी से निकाह कर लिया। इसके रद्द के लिये यह कह देना काफ़ी था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम हज़रत ज़ैद के बाप नहीं बल्कि ज़ैद के बाप हारिसा हैं मगर इसमें और स्पष्टता और ताकीद के लिये इरशाद फ़रमायाः

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ اَبَآ اَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ

यानी मुहम्मद (सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम) तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप भी नहीं, तो ऐसे शख़्स पर जिसकी औलाद में कोई भी मर्द न हो यह ताना देना कैसे सही हो सकता है कि उसका कोई बेटा है, और उसकी तलाक़ दी हुई बीवी आपके बेटे की बीवी होने की वजह से आप पर हराम है।

इस मज़मून के बयान के लिये मुख़्तसर अलफ़ाज़ ये थे कि 'अबा अ-हदिम् मिन्कुम' कहा जाता,

इसके बजाय क़ुरआने हकीम ने लफ़्ज़ रिजाल का इज़ाफ़ा करके इस शुब्हे को दूर कर दिया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम तो चार बेटों के बाप हैं, तीन बेटे हज़रत ख़दीजा रज़ियल्लाहु अ़न्हा से क़ासिम, तय्यिब, ताहिर रज़ियल्लाहु अ़न्हुम हैं और एक हज़रत मारिया क़िब्तिया रज़ियल्लाहु अ़न्हा से इब्राहीम रज़ियल्लाहु अ़न्हु। क्योंकि ये सब बचपन में ही वफ़ात पा गये हैं, इनमें से कोई भी रिजाल (मर्द बनने) की हद में दाख़िल नहीं हुआ, और यह भी कहा जा सकता है कि आयत नाज़िल होने के वक़्त आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम का कोई बेटा न था। क़ासिम, तय्यिब और ताहिर रज़ियल्लाहु अ़न्हुम की वफ़ात हो गई थी और इब्राहीम रज़ियल्लाहु अ़न्हु अभी पैदा नहीं हुए थे।

मुख़ालिफ़ों के एतिराज़ और तानों का जवाब इसी जुमले से हो गया था मगर आगे दूसरे शुब्हात को दूर करने के लिये फ़रमाया 'व लाकिर्-रसूलल्लाहि'। हर्फ़ लाकिन अ़रबी भाषा में इस काम के लिये आता है कि पिछले कलाम में जो कोई शुब्हा हो सकता था उसको दूर किया जाये। यहाँ जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के बारे में यह बयान किया गया कि आप उम्मत के मर्दों में से किसी के बाप नहीं तो इस पर यह शुब्हा हो सकता था कि हर नबी व रसूल अपनी उम्मत का बाप होता है, इस लिहाज़ से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम उम्मत के सभी मर्दों के बल्कि मर्द व औरत के बाप हैं, आप से बाप होने की नफ़ी गोया नुबुव्वत की नफ़ी है।

इसका जवाब 'लाकिर्-रसूलल्लाहि' के लफ़्ज़ से यह दिया गया कि असली और नसबी बाप होना और चीज़ है जिस पर निकाह के हलाल व हराम के अहकाम लागू होते हैं, और नबी होने की हैसियत से उम्मत का रूहानी बाप होना दूसरी चीज़ है जिससे ये अहकाम मुताल्लिक़ नहीं होते। तो गोया इस पूरे जुमले का मतलब यह हो गया कि आप उम्मत के मर्दों में से किसी के भी नसबी बाप नहीं, लेकिन रूहानी बाप सब के हैं।

इसमें एक दूसरे ताने का जवाब भी हो गया जो कुछ मुश्रिकों ने दिया था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम मआ़ज़ल्लाह 'अब्तर' (यानी बेनस्ल हैं) यानी कोई पुरुष औलाद आपकी नहीं है, जिससे नसब चले और आपका पैग़ाम आगे बढ़े, चन्द रोज़ के बाद इनका क़िस्सा ही ख़त्म हो जायेगा। उक्त अलफ़ाज़ ने यह स्पष्ट कर दिया कि अगरचे नसबी पुरुष औलाद आपकी नहीं लेकिन आपकी रिसालत व नुबुव्वत के पैग़ाम को फैलाने और क़ायम रखने और बढ़ाने के लिये नसबी औलाद की ज़रूरत नहीं, इसके लिये रूहानी औलाद काम किया करती है, और चूँकि आप अल्लाह के रसूल हैं और रसूल उम्मत का रूहानी बाप होता है इसलिये आप पूरी उम्मत के रूहानी बाप होने की हैसियत से तुम सबसे ज़्यादा अधिक औलाद वाले हैं।

यहाँ जबकि आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की रिसालत व नुबुव्वत का ज़िक्र आया और इस नुबुव्वत के मर्तबे में आप तमाम दूसरे अम्बिया से ख़ास नुमायाँ और विशेष फ़ज़ीलत रखते हैं तो आगे आपकी मख़्सूस शान और तमाम अम्बिया अ़लैहिमुस्सलाम पर आपका बरतर होना इस लफ़्ज़ से वाज़ेह किया गयाः

وَخَاتَمَ النَّبِيّٖنَ

लफ़्ज़ ख़ातम में दो क़िराअतें हैं- इमाम हसन रज़ियल्लाहु अ़न्हु और आ़सिम रह. की क़िराअत

ख़ातम है और क़िराअत के दूसरे इमामों ख़ातिम पढ़ते हैं। दोनों के मायनों का हासिल एक ही है यानी अम्बिया को ख़त्म करने वाले, क्योंकि ख़ातिम हो या ख़ातम दोनों के मायने आख़िर के भी आते हैं और मुहर के मायने में भी ये दोनों लफ़्ज़ इस्तेमाल होते हैं, और नतीजा दूसरे मायने का भी वही आख़िर के मायने होते हैं क्योंकि मुहर किसी चीज़ पर बन्द करने के लिये आख़िर ही में लगाई जाती है। लफ़्ज़ ख़ातिम और ख़ातम दोनों के दोनों मायने अरबी लुग़त की तमाम किताबों- क़ामूस, सिहाह, लिसानुल-अरब, ताजुल-उरूस वग़ैरह में बयान हुए हैं, इसी लिये तफ़सीर रूहुल-मआनी में ख़ातिम जिसके मायने मुहर के हैं, का हासिल भी वही आख़िर के मायने बतलाये हैं। इसके अलफ़ाज़ ये हैं:

وَالْخَاتِمُ اِسْمُ اٰلَةٍ لِمَا يُخْتَمُ بِهٖ كَالطَّابِعِ لِمَا يُطْبَعُ بِهٖ فَمَعْنٰى خَاتَمَ النَّبِيّٖنَ الَّذِىْ خُتِمَ النَّبِيُّوْنَ بِهٖ وَ مَاٰلُهٗ اٰخِرُ النَّبِيّٖنَ.

यही मज़मून तफ़सीरे बैज़ावी और अहमदी में भी बयान हुआ है और इमाम राग़िब ने मुफ़रदातुल-क़ुरआन में फ़रमायाः

وَخَاتِمُ النُّبُوَّةِ لِاَنَّهٗ خَتَمَ النُّبُوَّةَ اَىْ تَمَّمَهَا بِمَجِيْئِهٖ

यानी आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को ख़ातिमे नुबुव्वत इसलिये कहा गया कि आपने नुबुव्वत को अपने तशरीफ़ लाने से ख़त्म और मुकम्मल कर दिया है।

और मोहकम इब्ने सय्यिदा में हैः

وَخَاتِمُ كُلِّ شَىْءٍ وَخَاتِمَتُهٗ عَاقِبَتُهٗ وَاٰخِرُهٗ.

यानी हर चीज़ का ख़ातिम और ख़ात्मा उसके अन्जाम और आख़िर को कहा जाता है।

ख़ुलासा यह है कि क़िराअत चाहे ख़ातम की ली जाये या ख़ातिम की मायने दोनों सूरतों में यह हैं कि आप ख़त्म करने वाले हैं अम्बिया के, यानी सब के आख़िर और बाद में आप भेजे गये हैं।

ख़ातमुल-अम्बिया की सिफ़त एक ऐसी सिफ़त है जो नुबुव्वत व रिसालत के तमाम कमालात में आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की आला फ़ज़ीलत और ख़ुसूसियत को ज़ाहिर करती है। क्योंकि आम तौर पर हर चीज़ में धीरे-धीरे तरक़्क़ी होती है और इन्तिहा पर पहुँचकर वह पूरी होती है। और जो आख़िरी नतीजा होता है वही असल मक़सूद होता है। क़ुरआने करीम ने ख़ुद इसको वाज़ेह कर दिया हैः

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِىْ.

यानी आज मैंने तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया है और अपनी नेमत तुम पर पूरी कर दी है।

पिछले अम्बिया अ़लैहिमुस्सलाम के दीन भी अपने-अपने वक़्त के लिहाज़ से मुकम्मल थे, कोई नाक़िस न था, लेकिन पूरी तरह कमाल इसी दीने मुस्तफ़ा को हासिल हुआ जो पहलों और बाद वालों सब के लिये हुज्जत और क़ियामत तक चलने वाला दीन है।

इस जगह **ख़ातमुन्नबिय्यीन** की सिफ़त के इज़ाफ़े से इस मज़मून की भी और ज़्यादा वज़ाहत और तकमील हो गई कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को नस्ल कट जाने वाला कहना जहालत है जबकि आप सारी उम्मत के बाप होने की हैसियत के मालिक हैं, क्योंकि लफ़्ज़ ख़ातमुन्नबिय्यीन ने यह भी बतला दिया कि आपके बाद क़ियामत तक आने वाली सब नस्लें और

क़ौमें आप ही की उम्मत में शामिल होंगी, इस वजह से आपकी उम्मत की तादाद भी दूसरी उम्मतों से ज़्यादा होगी और आपकी रूहानी औलाद दूसरे अम्बिया की तुलना में भी ज़्यादा होगी।

ख़ातमुन्नबिय्यीन की सिफ़त ने यह भी बतला दिया कि आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की शफ़क़त अपनी रूहानी औलाद यानी पूरी उम्मत पर दूसरे तमाम अम्बिया से ज़्यादा होगी, और आप क़ियामत तक पेश आने वाली ज़रूरतों को वाज़ेह करने का पूरा एहतिमाम फ़रमायेंगे, क्योंकि आपके बाद कोई नबी और कोई वही दुनिया में आने वाली नहीं, बख़िलाफ़ पिछले अम्बिया के कि उनको इसकी फ़िक्र न थी, वे जानते थे कि जब क़ौम में गुमराही फैलेगी तो हमारे बाद दूसरे अम्बिया आकर उसको दुरुस्त कर देंगे, मगर ख़ातमुल-अम्बिया सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को यह फ़िक्र लगी थी कि क़ियामत तक उम्मत को जिन हालात से वास्ता पड़ेगा उन सब हालात के मुताल्लिक़ हिदायतें उम्मत को देकर जायें जिस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की हदीसें गवाह व सुबूत हैं कि आपके बाद जितने लोग पैरवी के क़ाबिल आने वाले थे अक्सर उनके नाम लेकर बतला दिया है। इसी तरह जितने गुमराही के झण्डा उठाने वाले हैं उनके हालात और पते ऐसे खोलकर बतला दिये हैं कि ज़रा से ग़ौर करने वाले को कोई शुब्हा बाक़ी न रह जाये। इसी लिये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया है:

اِنِّیْ تَرَکْتُکُمْ عَلٰی شَرِیْعَةٍ بَیْضَآءَ لَیْلُهَا وَنَهَارُهَا سَوَآءٌ

"यानी मैंने तुमको ऐसे रोशन रास्ते पर छोड़ा है जिसमें रात दिन बराबर हैं, किसी वक़्त भी गुमराही का ख़तरा नहीं।"

इस आयत में यह बात भी ग़ौर करने के क़ाबिल है कि ऊपर नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम का ज़िक्र रसूल की सिफ़त के साथ आया है इसके लिये बज़ाहिर मुनासिब यह था कि आगे "ख़ातमुर्रुसुल" या "ख़ातमुल-मुर्सलीन" का लफ़्ज़ इस्तेमाल होता मगर क़ुरआने हकीम ने इसके बजाय "ख़ातमुन्नबिय्यीन" का लफ़्ज़ इख़्तियार फ़रमाया।

वजह यह है कि उलेमा की अक्सरियत के नज़दीक नबी और रसूल में एक फ़र्क़ है, वह यह कि नबी तो हर उस शख़्स को कहा जाता है जिसको हक़ तआ़ला मख़्लूक़ के सुधार के लिये मुख़ातब फ़रमायें और अपनी वही से सम्मानित करें, चाहे उसके लिये कोई मुस्तक़िल किताब और मुस्तक़िल शरीअ़त तजवीज़ करें या पहले ही किसी नबी की किताब व शरीअ़त के ताबे लोगों को हिदायत करने पर पाबन्द किया जाये, जैसे हज़रत हारून अ़लैहिस्सलाम हज़रत मूसा अ़लैहिस्सलाम की किताब व शरीअ़त के ताबे हिदायत करने पर लगाये गये थे। और लफ़्ज़ रसूल ख़ास उस नबी के लिये बोला जाता है जिसको मुस्तक़िल किताब व शरीअ़त दी गई हो। इसी तरह लफ़्ज़ नबी के मफ़्हूम में लफ़्ज़ रसूल के मुक़ाबले में ज़्यादा उमूम है, तो आयत का मतलब यह हुआ कि आप अम्बिया के ख़त्म करने वाले और सबसे आख़िर में हैं, चाहे वह शरीअ़त वाले नबी हों या सिर्फ़ पहले नबी के ताबे। इससे मालूम हुआ कि नबी की जितनी क़िस्में अल्लाह के नज़दीक हो सकती हैं वे सब आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम पर ख़त्म हो गईं, आपके बाद कोई नबी नहीं आयेगा।

इमाम इब्ने कसीर रह. ने अपनी तफ़सीर में फ़रमाया:

فَهٰذِهِ الْاٰيَةُ فِیْ اَنَّهٗ لَا نَبِیَّ بَعْدَهٗ وَاِذَا كَانَ لَا نَبِیَّ بَعْدَهٗ فَلَا رَسُوْلَ بِالطَّرِیْقِ الْاَوْلٰی لِاَنَّ مَقَامَ الرِّسَالَةِ اَخَصُّ مِنْ مَقَامِ النُّبُوَّةِ فَاِنَّ كُلَّ رَسُوْلٍ نَبِیٌّ وَّلَا یَنْعَكِسُ بِذٰلِكَ وَرَدَتِ الْاَحَادِیْثُ الْمُتَوَاتِرَةُ عَنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ مِنْ حَدِیْثِ جَمَاعَةٍ مِّنَ الصَّحَابَةِ.

"यानी यह आयत वाज़ेह दलील है इस अक़ीदे के लिये कि आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के बाद कोई नबी नहीं, और जब नबी नहीं तो रसूल भी तो है ही नहीं, क्योंकि लफ़्ज़ नबी आ़म और लफ़्ज़ रसूल ख़ास है, और यह वह अ़क़ीदा है जिस पर निरंतर हदीसें सुबूत हैं जो सहाबा किराम की एक बड़ी जमाअ़त की रिवायत से हम तक पहुँची हैं।"

इस आयत की लफ़्ज़ी वज़ाहत में किसी क़द्र तफ़सील से इसलिये काम लिया गया कि हमारे मुल्क में नुबुव्वत के दावेदार मिर्ज़ा क़ादियानी ने इस आयत को अपने रास्ते की रुकावट समझकर इस की तफ़सीर में तरह-तरह की रद्दोबदल और एहतिमाल पैदा किये हैं, उपर्युक्त तक़रीर से अल्हम्दु लिल्लाह उन सब का जवाब हो जाता है।

ख़त्म-ए-नुबुव्वत का मसला

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम का ख़ातमुन्नबिय्यीन होना और आपका आख़िरी पैग़म्बर होना, आपके बाद किसी नबी का दुनिया में न भेजा जाना और हर नुबुव्वत के दावेदार का झूठा व काफ़िर होना ऐसा मसला है जिस पर सहाबा किराम से लेकर आज तक हर दौर के मुसलमानों का इजमा (एकमत) व इत्तिफ़ाक़ रहा है। इसलिये ज़रूरत न थी कि इस पर कोई तफ़सीली बहस की जाये, लेकिन क़ादियानी फ़िर्क़े ने इस मसले में मुसलमानों के दिलों में शक व शुब्हात पैदा करने के लिये बड़ा ज़ोर लगाया है, सैंकड़ों छोटी बड़ी किताबें प्रकाशित करके कम-इल्म लोगों को गुमराह करने की कोशिश की है, इसलिये अहक़र ने इस मसले की पूरी तफ़सील एक मुस्तक़िल किताब "ख़त्मे नुबुव्वत" में लिख दी है जिसमें एक सौ आयतें और दो सौ से ज़्यादा हदीसें और पहले व बाद के बुज़ुर्गों के सैंकड़ों अक़वाल व आसार से इस मसले को पूरा वाज़ेह कर दिया है और क़ादियानी फ़रेब के शुब्हे का तफ़सील से जवाब दिया है, यहाँ उसमें से चन्द ज़रूरी बातें लिखी जाती हैं।

आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम का ख़ातमुन्नबिय्यीन होना आख़िरी ज़माने में ईसा अ़लैहिस्सलाम के नाज़िल होने के विरुद्ध नहीं

चूँकि क़ुरआने करीम की अनेक आयतों और निरंतर हदीसों से यह साबित है कि क़ियामत से पहले आख़िरी ज़माने में हज़रत ईसा अ़लैहिस्सलाम फिर दुनिया में तशरीफ़ लायेंगे और सबसे बड़े दज्जाल को क़त्ल करेंगे, और उस वक़्त हर गुमराही को ख़त्म करेंगे जिसकी तफ़सील अहक़र के रिसाले "अत्तसरीह बिमा तवातुरि फ़ी नुज़ूलिल्-मसीह" में बयान हुई है।

मिर्ज़ा क़ादियानी ने ईसा अ़लैहिस्सलाम का ज़िन्दा आसमान में उठाया जाना और फिर आख़िर ज़माने में तशरीफ़ लाना जो क़ुरआन व सुन्नत की बेशुमार वज़ाहतों और दलीलों से साबित हैं उनका इनकार करके ख़ुद लौटकर आने वाले मसीह होने का दावा किया और दलील में यह पेश किया कि

अगर बनी इस्राईल के नबी हज़रत ईसा इब्ने मरियम का फिर दुनिया में आना तस्लीम किया जाये तो यह आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के ख़ातमुन्नबिय्यीन होने के विरुद्ध होगा।

जवाब बिल्कुल स्पष्ट है कि ख़ातमुन्नबिय्यीन और तमाम नबियों के आख़िर में आने के मायने यह हैं कि आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के बाद कोई शख़्स नुबुव्वत के ओ़हदे पर बिराजमान न होगा, इससे यह लाज़िम नहीं आता कि आप से पहले जिसको नुबुव्वत अ़ता हो चुकी है उनकी नुबुव्वत बाकी न रहेगी, या उनमें से कोई इस आ़लम में फिर नहीं आ सकता। अलबत्ता आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के बाद जो भी आपकी उममत में सुधार व तब्लीग़ के लिये आयेगा वह अपने नुबुव्वत के ओ़दहे पर क़ायम होते हुए इस उम्मत में सुधार की ख़िदमत आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की तालीमात ही के ताबे अन्जाम देगा जैसा कि सही हदीसों में इसकी वज़ाहत है।

इमाम इब्ने कसीर रह. ने इसी आयत की तफ़सीर में फ़रमायाः

والمراد بكونه عليه السلام خاتمهم انقطاع حدوث فى وصف النبوة احد من الثقلين بعد تحليته عليه السلام بها فى هذه النشأة ولايقدح فى ذلك ماجمعت عليه الامة وشتهرت فيه الاخبار ولعلها بلغت مبلغ التواتر المعنوى ونطق به الكتب على قول ووجب الايمان به واكفرمنكره كالفلاسفة من نزول عيسٰى عليه السلام اخرالزمان لانّه كان نبيًّا قبل ان يحلى نبينا صلى الله عليه وسلم بالنبوة فى هذه النشأة.

"यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के ख़ातमुल-अम्बिया होने से यह मुराद है कि नुबुव्वत का वस्फ़ आपके बाद ख़त्म हो गया, अब किसी को यह वस्फ़ और ओ़हदा नहीं मिलेगा, इससे उस मसले पर कोई असर नहीं पड़ता जिस पर उम्मत का इजमा (सहमति) है और क़ुरआन उस पर गवाह है और रसूले पाक की हदीसें जो तक़रीबन तवातुर के दर्जे को पहुँची हुई हैं इस पर सुबूत हैं वह यह कि हज़रत ईसा अ़लैहिस्सलाम आख़िर ज़माने में नाज़िल होंगे क्योंकि उनको नुबुव्वत इस दुनिया में हमारे नबी सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से पहले मिल चुकी थी।"

नुबुव्वत के मफ़्हूम में रद्दोबदल, ज़िल्ली और बुरूज़ी नुबुव्वत की ईजाद

इस नुबुव्वत के दावेदार ने नुबुव्वत के दावे का रास्ता हमवार करने के लिये एक नई चाल यह चली कि नुबुव्वत की एक नई किस्म ईजाद की, जिसका क़ुरआन व हदीस में कोई वजूद व सुबूत नहीं, और फिर कहा कि नुबुव्वत की यह किस्म क़ुरआनी हुक्म ख़त्मे नुबुव्वत के विरुद्ध नहीं। ख़ुलासा इसका यह है कि उसने नुबुव्वत के मफ़्हूम में वह रास्ता इख़्तियार किया जो हिन्दुओं और दूसरी क़ौमों में परिचित है कि एक शख़्स किसी दूसरे के जन्म में दूसरे के रूप में आ सकता है और फिर यह कहा कि जो शख़्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की मुकम्मल पैरवी की वजह से आपका हम-रंग हो गया हो उसका आना गोया ख़ुद आप ही का आना है, वह हक़ीक़त में आप ही का ज़िल्ल (साया) और बुरूज़ (ज़हूर) होता है। इसलिये उसके दावे से ख़त्मे नुबुव्वत का अ़क़ीदा प्रभावित नहीं होता।

मगर अव्वल तो ख़ुद गढ़ी हुई नई नुबुव्वत इस्लाम में कहाँ से आई, इसका कोई सुबूत नहीं। इसके अ़लावा ख़त्मे नुबुव्वत का मसला चूँकि इस्लामी अ़कीदों का एक बुनियादी अ़कीदा है इसलिये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने इसको मुख़्तलिफ़ उनवानों से मुख़्तलिफ़ वक़्तों में ऐसा स्पष्ट कर दिया है कि किसी रद्दोबदल करने वाले की रद्दोबदल और कमी-बेशी चल नहीं सकती। इस जवाब की पूरी तफ़सील तो अहक़र की किताब ख़त्मे नुबुव्वत ही में देखी जा सकती है, यहाँ चन्द चीज़ें बक़द्रे ज़रूरत पेश करने पर इक्तिफ़ा किया जाता है।

सही बुख़ारी व मुस्लिम वग़ैरह हदीस की तमाम किताबों में हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु की यह रिवायत सही सनदों के साथ आई है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमायाः

ان مثلی ومثل الانبیآء من قبلی کمثل رجل بنی بیتًا فاحسنه واجمله الاموضع لبنة من زاویة فجعل الناس یطوفون به و یعجبون له ویقولون هلّا وضعت هذه اللبنة وانا خاتم النبیین، رواه احمد والنسائی والترمذی وفی بعض الفاظه فکنت انا سددت موضع اللبنة وختم بی البنیان.

"मेरी मिसाल और मुझसे पहले अम्बिया की मिसाल उस शख़्स जैसी है जिसने एक मकान बनाया हो और उसको ख़ूब मज़बूत किया और सजाया हो मगर उसके एक कोने में दीवार की एक ईंट की जगह ख़ाली छोड़ दी हो, तो लोग उसको देखने के लिये उसमें चले-फिरें और तामीर को पसन्द करें मगर सब यह कहें कि इस मकान बनाने वाले ने यह ईंट भी क्यों न रख दी जिस से तामीर बिल्कुल मुकम्मल हो जाती। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि (नुबुव्वत के महल की) वह आख़िरी ईंट मैं हूँ। और हदीस के कुछ अलफ़ाज़ में है कि मैंने उस ख़ाली जगह को पुर करके नुबुव्वत के महल को मुकम्मल कर दिया।"

इस उम्दा और पूर्ण मिसाल का हासिल यह है कि नुबुव्वत एक आलीशान महल की तरह है जिसके अरकान अम्बिया अ़लैहिमुस्सलाम हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से पहले यह महल बिल्कुल तैयार हो चुका था और इसमें सिर्फ़ एक ईंट के सिवा किसी और क़िस्म की गुंजाईश तामीर में बाक़ी नहीं थी, आपने उस जगह को पुर करके नुबुव्वत के महल की तकमील फ़रमा दी, अब इसमें न किसी नुबुव्वत की गुंजाईश है न रिसालत की। अगर नुबुव्वत या रिसालत की कुछ क़िस्में मान ली जायें तो अब उनमें से किसी क़िस्म की गुंजाईश नुबुव्वत के महल में नहीं है।

सही बुख़ारी व मुस्लिम और मुस्नद अहमद वग़ैरह में हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु की एक दूसरी हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमायाः

کانت بنواسرائیل تسوسهم الانبیاء کلماهلك نبی خلفه نبی وانه لانبی بعدی وسیکون خلفاء فیکثرون. الحدیث.

"बनी इस्राईल की सियासत और इन्तिज़ाम ख़ुद अम्बिया के हाथ में था, जब एक नबी की वफ़ात हो जाती तो दूसरा नबी उसके क़ायम-मक़ाम हो जाता (यानी उसकी जगह ले लेता) था और मेरे बाद कोई नबी नहीं, अलबत्ता मेरे ख़लीफ़ा होंगे जो बहुत होंगे।"

इस हदीस ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम चूँकि

ख़ातमुन्नबिय्यीन (नबियों के सिलसिले को ख़त्म और मुकम्मल करने वाले) हैं और आपके बाद कोई नबी नहीं आयेगा तो उम्मत की हिदायत का इन्तिज़ाम कैसे होगा? इसके मुताल्लिक़ फ़रमाया कि आपके बाद उम्मत की तालीम व हिदायत का इन्तिज़ाम आपके ख़लीफ़ाओं के ज़रिये से होगा जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के ख़लीफ़ा होने की हैसियत से नुबुव्वत के मक़ासिद और उद्देश्यों को पूरा करेंगे। अगर ज़िल्ली बुरूज़ी कोई नुबुव्वत की क़िस्म होती या ग़ैर-तशरीई नुबुव्वत बाक़ी होती तो ज़रूरी था कि यहाँ उसका ज़िक्र किया जाता कि अगरचे आ़म नुबुव्वत ख़त्म हो चुकी मगर फ़ुलाँ क़िस्म की नुबुव्वत बाक़ी है जिससे इस दुनिया का इन्तिज़ाम होगा।

इस हदीस में साफ़ खुले अलफ़ाज़ में बतला दिया कि नुबुव्वत की कोई क़िस्म आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के बाद बाक़ी नहीं, और मख़्लूक़ की हिदायत का काम जो पिछली उम्मतों में बनी इस्राईल के अम्बिया से लिया गया था वह इस उम्मत में आपके ख़लीफ़ाओं से लिया जायेगा।

सही बुख़ारी व मुस्लिम में हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु की मरफ़ूअ़ हदीस है:

لَمْ يَبْقَ مِنَ النُّبُوَّةِ إِلَّا الْمُبَشِّرَاتِ.

"यानी नुबुव्वत में से कुछ बाक़ी नहीं रहा सिवाय मुबश्शिरात (सच्चे ख़्वाबों) के।"

मुस्नद अहमद वग़ैरह में हज़रत सिद्दीक़ा आ़यशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा और उम्मे कुर्ज़ काबिया रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया:

لايبقى بعدى من النبوة شيء الاالمبشرات قالوا يارسول الله وماالمبشرات قال الرؤيا الصّالحة يراها المسلم او ترى له.

"मेरे बाद नुबुव्वत में से कुछ बाक़ी नहीं रहा सिवाय मुबश्शिरात के। सहाबा ने अ़र्ज़ किया या रसूलल्लाह! मुबश्शिरात क्या चीज़ है? फ़रमाया सच्चे ख़्वाब जो मुसलमान ख़ुद देखे या उसके मुताल्लिक़ कोई दूसरा देखे।" (तबरानी ने इस हदीस को सही कहा है जैसा कि कन्ज़ में है)

इस हदीस ने किस क़द्र वज़ाहत से बतला दिया कि नुबुव्वत की कोई क़िस्म तशरीई या ग़ैर-तशरीई और बक़ौल मिर्ज़ा क़ादियानी ज़िल्ली या बुरूज़ी, नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के बाद बाक़ी नहीं, सिर्फ़ मुबश्शिरात यानी सच्चे ख़्वाब लोगों को आयेंगे जिनसे कुछ मालूमात हो जायेंगी। और मुस्नद अहमद और तिर्मिज़ी में हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अ़न्हु की रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया:

ان الرسالة والنبوة قد انقطعت فلا رسول بعدى ولا نبى. (رواه الترمذى وقال هذا حديث صحيح)

"बेशक रिसालत और नुबुव्वत मेरे बाद ख़त्म हो चुकी है, मेरे बाद न कोई रसूल होगा और न नबी।"

इस हदीस ने स्पष्ट कर दिया कि ग़ैर-तशरीई नुबुव्वत भी आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के बाद बाक़ी नहीं, और ज़िल्ली बुरूज़ी तो नुबुव्वत की कोई क़िस्म ही नहीं, न इस्लाम में इस तरह की कोई चीज़ मालूम व परिचित है।

इस जगह ख़त्मे नुबुव्वत के मसले की हदीसें जमा करना मक़सूद नहीं, वो तो दो सौ से ज़्यादा

रिसाला "ख़त्मे नुबुव्वत" में जमा कर दी गई हैं, सिर्फ़ चन्द हदीसों से यह बतलाना मकसूद था कि मिर्ज़ा क़ादियानी ने जो नुबुव्वत के बाक़ी होने के लिये ज़ल्ली और बुरूज़ी का उनवान ईजाद किया है अव्वल तो इस्लाम में इसकी कोई असल बुनियाद नहीं और फ़र्ज़ करो अगर होती भी तो इन बयान हुई हदीसों ने स्पष्ट तौर पर यह बतला दिया कि आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के बाद नुबुव्वत की कोई क़िस्म किसी तरह की बाक़ी नहीं है।

इसी लिये सहाबा किराम से लेकर आज तक उम्मते मुस्लिमा के सब तबक़ों का इजमा (सर्वसम्मति) इस अ़क़ीदे पर रहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के बाद कोई किसी क़िस्म का नबी या रसूल नहीं हो सकता, जो दावा करे वह झूठा, क़ुरआन का इनकारी और काफ़िर है। और सहाबा किराम का सबसे पहला इजमा इसी मसले पर हुआ जिसकी रू से नुबुव्वत के दावेदार मुसैलमा कज़्ज़ाब से पहले ख़लीफ़ा सिद्दीक़े अकबर के दौर में जिहाद करके उसको और उसके मानने वालों को क़त्ल किया गया।

पहले उलेमा व बुज़ुर्गों के अक़्वाल और इस मामले की वज़ाहतें भी हमने अपने रिसाले "ख़त्मे नुबुव्वत" के तीसरे हिस्से में बड़ी तफ़सील से लिख दी हैं, इस जगह चन्द कलिमात नक़ल किये जाते हैं। इमाम इब्ने कसीर रह. ने अपनी तफ़सीर में इसी आयत के तहत लिखा है:

اخبر اللّٰہ تعالٰی فی کتابه ورسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و سلم فی السنة المتواترة عنه انه لا نبی بعده لیعلموا ان کل من ادعی هذا المقام بعده فهو کذّاب افّاك دجّال ضالّ مضلّ ولو حرّق وشعبذ واتی بانواع السحر والطلاسم والنیرنجیات فکلها محال وضلال عند اولی الالباب کما اجری اللّٰه سبحانه علی ید الاسود العنسی بالیمن ومسیلمة الکذاب بالیمامة من الاحوال الفاسدة والاقوال الباردة ما علم کل ذی لُبّ وفهم وحجی انهما کاذبان ضالّان لعنهما اللّٰه تعالٰی وکذٰلك کل مدّع لذٰلك الٰی یوم القیٰمة حتّٰی یختموا بالمسیح الدجال. (ابن کثیر)

"अल्लाह तआ़ला ने अपनी किताब में और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने मुतवातिर हदीसों में ख़बर दी है कि आपके बाद कोई नबी नहीं ताकि लोग समझ लें कि आपके बाद जो शख़्स नुबुव्वत के इस मक़ाम का दावा करे वह झूठा, बोहतान लगाने वाला, दज्जाल, गुमराह, गुमराह करने वाला है अगरचे वह कितनी ही करतब बाज़ी और चमत्कार दिखाये और क़िस्म-क़िस्म के जादू और अचंभे में डालने वाली चीज़ें दिखलाये कि सब के सब मुहाल और गुमराही हैं अ़क़्ल वालों के नज़दीक जैसा कि अल्लाह तआ़ला ने अस्वद अ़नसी (नुबुव्वत के दावेदार) के हाथ पर यमन और मुसैलमा कज़्ज़ाब (नुबुव्वत के दावेदार) के हाथ पर यमामा में इस तरह के बुरे हालात और बेहूदा बातें ज़ाहिर कराईं, जिनको देख-सुनकर हर अ़क़्ल व समझ वाले ने यह समझ लिया कि ये दोनों झूठे और गुमराह हैं, अल्लाह उन पर लानत फ़रमाये। इसी तरह जो शख़्स भी क़ियामत तक नुबुव्वत का दावा करे वह झूठा और काफ़िर है, यहाँ तक कि नुबुव्वत के दावेदारों का यह सिलसिला मसीह दज्जाल पर ख़त्म होगा।"

इमाम ग़ज़ाली रह. ने अपनी किताब "अल्-इक़्तिसाद फ़िल्-एतिक़ाद" में ऊपर बयान हुई आयत की तफ़सीर और ख़त्मे नुबुव्वत के अ़क़ीदे के बारे में ये अलफ़ाज़ लिखे हैं:

اِنَّ الْاُمَّةَ فَهِمَتْ بِالْاِجْمَاعِ مِنْ هٰذَا اللَّفْظِ وَمِنْ قَرَائِنِ اَحْوَالِهٖ اَنَّهٗ فُهِمَ عَدَمُ نَبِيٍّ بَعْدَهٗ اَبَدًا وَعَدَمُ رَسُوْلِ اللّٰهِ اَبَدًا وَاَنَّهٗ لَيْسَ فِيْهِ تَاوِيْلٌ وَّلَا تَخْصِيْصٌ. (الاقتصاد، طبع مصر ص ١٢٨)

"बेशक उम्मत ने इस लफ़्ज़ (यानी ख़ातमुन्नबिय्यीन और ला नबिय्-य बअ्दी) से और हालात के इशारात व दलाईल से एकमत होकर यही समझा है कि आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के बाद कभी भी न कोई नबी होगा और न कोई रसूल, और यह कि न इसमें कोई तावील (इधर-उधर का मतलब लेना) चल सकती है न तख़्सीस (किसी की विशेषता)।"

और क़ाज़ी अ़याज़ रह. ने अपनी किताब शिफ़ा में नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के बाद नुबुव्वत का दावा करने वाले को काफ़िर, झूठा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को झुठलाने वाला और मज़कूरा आयत का इनकारी कहकर ये अलफ़ाज़ लिखे हैं:

واجمعت الامة علٰى حمل هذا الكلام علٰى ظاهره وانّ مفهومه المراد به دون تاويل ولا تخصيص فلا شك فى كفر هؤلاء الطوائف كلها قطعًا اجماعًا وّسمعًا.

"उम्मत ने इजमा (सर्वसम्मति से इत्तिफ़ाक़े राय) किया है कि इस कलाम को अपने ज़ाहिर पर महमूल किया जाये और इस पर कि इस आयत का असल मफ़्हूम ही मुराद है बग़ैर किसी तावील या तख़्सीस के। इसलिये उन तमाम फ़िर्क़ों के कुफ़्र में कोई शक नहीं (जो किसी नुबुव्वत के दावेदार की पैरवी करें) बल्कि उनका कुफ़्र निश्चित तौर से उम्मत की सर्वसम्मति और नक़्ल यानी किताब व सुन्नत से साबित है।"

रिसाला ख़त्म-ए-नुबुव्वत के तीसरे हिस्से में दीन के इमामों और हर तबक़े के बड़े उलेमा के बहुत से अक़वाल जमा कर दिये गये हैं, और जो यहाँ नक़ल किये गये हैं एक मुसलमान के लिये वो भी काफ़ी हैं। वल्लाहु आलम

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اذْكُرُوا اللّٰهَ ذِكْرًا كَثِيْرًا ۝ وَّسَبِّحُوْهُ بُكْرَةً وَّاَصِيْلًا ۝ هُوَ الَّذِيْ يُصَلِّيْ عَلَيْكُمْ وَمَلٰٓئِكَتُهٗ لِيُخْرِجَكُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ ۭ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَحِيْمًا ۝ تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهٗ سَلٰمٌ ښ وَّاَعَدَّ لَهُمْ اَجْرًا كَرِيْمًا ۝ يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ اِنَّآ اَرْسَلْنٰكَ شَاهِدًا وَّمُبَشِّرًا وَّنَذِيْرًا ۝ وَّدَاعِيًا اِلَى اللّٰهِ بِاِذْنِهٖ وَسِرَاجًا مُّنِيْرًا ۝ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ بِاَنَّ لَهُمْ مِّنَ اللّٰهِ فَضْلًا كَبِيْرًا ۝ وَلَا تُطِعِ الْكٰفِرِيْنَ وَالْمُنٰفِقِيْنَ وَدَعْ اَذٰىهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ۭ وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَكِيْلًا ۝

या अय्युहल्लज़ी-न आमनुज़्कुरुल्ला-ह ज़िक्रन् कसीरा (41) व सब्बिहूहु बुक्रतंव्-व असीला (42) हुवल्लज़ी	ऐ ईमान वालो! याद करो अल्लाह की बहुत सी याद (41) और पाकी बोलते रहो उसकी सुबह और शाम। (42) वही

युसल्ली अ़लैकुम् व मलाइ-कतुहू लियुख़्रि-जकुम् मिनज़्ज़ुलुमाति इलन्नूरि, व का-न बिल्मुअ्मिनी-न रहीमा (43) तहिय्यतुहुम् यौ-म यल्क़ौनहू सलामुन् व अ-अ़द्-द लहुम् अज्रन् करीमा (44) या अय्युहन्नबिय्यु इन्ना अर्सल्ना-क शाहिदंव्-व मुबश्शिरंव्-व नज़ीरा (45) व दाअ़ियन् इलल्लाहि बि-इज़्निही व सिराजम्-मुनीरा (46) व बश्शिरिल्-मुअ्मिनी-न बि-अन्-न लहुम् मिनल्लाहि फ़ज़्लन् कबीरा (47) व ला तुतिअ़िल्-काफ़िरी-न वल्-मुनाफ़िक़ी-न व दअ् अज़ाहुम् व तवक्कल् अ़लल्लाहि, व कफ़ा बिल्लाहि वकीला (48)	है जो रहमत भेजता है तुम पर और उसके फ़रिश्ते ताकि निकाले तुमको अंधेरों से उजाले में, और है ईमान वालों पर मेहरबान। (43) दुआ उनकी जिस दिन उससे मिलेंगे सलाम है, और तैयार रखा है उनके वास्ते सवाब इज़्ज़त का। (44) ऐ नबी! हमने तुझको भेजा है बताने वाला और ख़ुशख़बरी सुनाने वाला और डराने वाला (45) और बुलाने वाला अल्लाह की तरफ़ उसके हुक्म से, और चमकता हुआ चिराग़। (46) और ख़ुशख़बरी सुना दे ईमान वालों को कि उनके लिये है ख़ुदा की तरफ़ से बड़ी बुज़ुर्गी। (47) और कहना मत मान इनकारी लोगों का और दग़ाबाज़ों का और छोड़ दे उनका सताना और भरोसा कर अल्लाह पर, और अल्लाह काफ़ी है काम बनाने वाला। (48)

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

ऐ ईमान वालो! तुम (अल्लाह के एहसानों को उमूमन और ऐसे सबसे कामिल रसूल के भेजे जाने के एहसान को ख़ुसूसन याद करके उसका यह शुक्र अदा करो कि) अल्लाह को ख़ूब कसरत से याद करो (इसमें सब नेकियाँ आ गईं) और (इस ज़िक्र व फ़रमाँबरदारी पर हमेशगी रखो। पस) सुबह व शाम (यानी हमेशा) उसकी तस्बीह (व पाकी बयान) करते रहो (यानी दिल से भी और बदनी अंगों से भी, और ज़बान से भी, पस पहले जुमले से आमाल व नेकियों के आ़म होने का और दूसरे जुमले में ज़माने और वक़्त का आ़म होना हासिल हो गया। यानी न तो ऐसा करो कि कोई हुक्म पूरा किया और कोई न किया, और न ऐसा करो कि किसी दिन कोई काम कर लिया किसी दिन न किया। और जैसा कि उसने तुम पर बहुत एहसान किये हैं और आगे भी करता रहता है तो इससे मालूम हुआ कि शुक्र व इबादत का लाज़िमी तौर पर वही हक़दार है, चुनाँचे) वह ऐसा (रहीम) है कि वह (ख़ुद भी) और (उसके हुक्म से) उसके फ़रिश्ते (भी) तुम पर रहमत भेजते रहते हैं (उसका रहमत भेजना तो

रहमत करना है और फ़रिश्तों का रहमत भेजना रहमत की दुआ़ करना है, जैसा कि सूरः मोमिन की आयत 7 में अल्लाह तआ़ला का इरशाद है। और यह रहमत भेजना इसलिए है) ताकि हक़ तआ़ला (उस रहमत की बरकत से) तुमको (जहालत व गुमराही की) अंधेरियों से (इल्म और हिदायत के) नूर की तरफ़ ले आये (यानी अल्लाह की रहमत और फ़रिश्तों की दुआ़ की बरकत है कि तुमको इल्म और हिदायत की तौफ़ीक़ और उस पर जमाव हासिल है, कि यह हर वक़्त नई-नई और ताज़ा होती रहती है) और (इससे साबित हुआ कि) अल्लाह तआ़ला मोमिनों पर बहुत मेहरबान है।

(और यह रहमत तो मोमिनों के हाल पर दुनिया में है और आख़िरत में भी वे रहमत के पात्र और उसको पाने वाले होंगे, चुनाँचे) वे जिस दिन अल्लाह से मिलेंगे तो उनको जो सलाम होगा वह यह होगा कि (अल्लाह तआ़ला ख़ुद उनसे इरशाद फ़रमायेगा) अस्सलामु अ़लैकुम (कि अव्वल तो ख़ुद सलाम ही सम्मान की निशानी है, फिर जबकि ख़ुद अल्लाह तआ़ला की तरफ़ से सलाम हो जैसा कि क़ुरआन में इरशाद है 'सलामुन् क़ौलम् मिर्रब्बिर् रहीम' और हदीस में है कि अल्लाह तआ़ला ख़ुद जन्नत वालों से फ़रमायेगा 'अस्सलामु अ़लैकुम' जैसा कि इब्ने माजा वग़ैरह की रिवायत है। और यह सलाम तो रूहानी इनाम है जिसका हासिल इ़ज़्ज़त व सम्मान बख़्शना है) और (आगे जिस्मानी इनाम की ख़बर आ़म उनवान से है कि) अल्लाह ने इन (मोमिनों के लिये) उम्दा सिला (जन्नत में) तैयार कर रखा है (कि इनके जाने की देर है, ये गये और वह मिला)।

(आगे हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को ख़िताब है कि) ऐ नबी! (आप मुट्ठी भर एतिराज़ करने वालों के ताने देने से दुखी और ग़मगीन न हों, अगर ये बेवक़ूफ़ आपको न जानें तो क्या हुआ हमने तो उन बड़ी-बड़ी नेमतों और रहमतों का जो कि मोमिनों को ख़िताब करने में बयान हुई हैं, आप ही को वास्ता बनाया है और आपके मुख़ालिफ़ों की सज़ा के लिये ख़ुद आपका बयान काफ़ी क़रार दिया गया है कि उनके मुक़ाबले में आप से सुबूत न लिया जायेगा। पस इससे ज़ाहिर है कि आप हमारे नज़दीक किस दर्जे महबूब व मक़बूल हैं। चुनाँचे) हमने बेशक आपको इस शान का रसूल बनाकर भेजा है कि आप (क़ियामत के दिन उम्मत के एतिबार से ख़ुद सरकारी) गवाह होंगे (कि आपके बयान के मुवाफ़िक़ उनका फ़ैसला होगा जैसा कि क़ुरआने करीम में है 'इन्ना अर्सल्ना इलैकुम् रसूलन् शाहिदन् अ़लैकुम' और ज़ाहिर है कि ख़ुद मामले वाले को मामले के दूसरे फ़रीक़ के मुक़ाबले में गवाह क़रार देना आला दर्जे का सम्मान और बड़ा मक़ाम है जिसका क़ियामत के दिन ज़हूर होगा)।

और (दुनिया में जो आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की कमाल वाली सिफ़ात ज़ाहिर हैं वो यह हैं कि) आप (मोमिनों को) ख़ुशख़बरी देने वाले हैं और (काफ़िरों को) डराने वाले हैं। और (आ़म तौर पर सब को) अल्लाह की तरफ़ उसके हुक्म से बुलाने वाले हैं (और यह ख़ुशख़बरी देना व डराना और दावत तब्लीग़ के तौर पर है) और (यूँ ख़ुद अपनी ज़ात व सिफ़ात, कमालात व इबादात और आ़दतों वग़ैरह मजमूई हालात के एतिबार से) आप (पूरी तरह हिदायत का नमूना होने में) एक रोशन चिराग़ (की तरह) हैं (कि आपकी हर हालत अनवार के तालिबों के लिये हिदायत का सरमाया है, पस क़ियामत में इन मोमिनों पर जो कुछ रहमत होगी वह आप ही की इन बशीर व नज़ीर, दाअ़ी व सिराज और मुनीर की सिफ़ात के वास्ते से है। पस आप इस ग़म व परेशानी को अलग कीजिए) और (अपने नुबुव्वत काम में लगिये, यानी) मोमिनों को ख़ुशख़बरी दे दीजिए कि उन पर अल्लाह की तरफ़ से बड़ा

फ़ज़्ल होने वाला है। और (इसी तरह काफ़िरों और मुनाफ़िक़ों को डराते रहिये जिसको एक ख़ास उनवान से ताबीर किया है, वह यह कि) काफ़िरों और मुनाफ़िक़ों का कहना न कीजिए। (रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की ज़ात से इसकी तो संभावना ही न थी कि आप काफ़िरों व मुनाफ़िक़ों के कहने में आकर तब्लीग़ व दावत छोड़ दें, लेकिन लोगों के ताने और बुरा कहने से बचने के लिये मुम्किन था कि आप उस अ़मली तब्लीग़ में जो हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अ़न्हा से निकाह करने के ज़रिये मक़सूद थी कोई सुस्ती करें, इसको काफ़िरों का कहना मानने से ताबीर कर दिया गया) और उन (काफ़िरों और मुनाफ़िक़ों) की तरफ़ से जो (कोई) तकलीफ़ पहुँचे (जैसा कि इस निकाह में जो कि अ़मली तब्लीग़ है उनकी तरफ़ से ताने मारने और बातें बनाने की तकलीफ़ पहुँची) उसका ख़्याल न कीजिए, और (अ़मली तकलीफ़ पहुँचने का भी अन्देशा न कीजिए। और अगर इसका ख़्याल व गुमान आये तो) अल्लाह पर भरोसा कीजिए और अल्लाह तआ़ला काफ़ी कारसाज़ है (वह आपको हर नुक़सान व परेशानी से बचायेगा, और अगर तब्लीग़ में कोई ज़ाहिरी नुक़सान पहुँचता है वह बातिनी तौर पर नफ़ा होता है, वह अल्लाह के काफ़ी और वकील होने के वायदे के ख़िलाफ़ नहीं)।

मआ़रिफ़ व मसाईल

पिछली आयतों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की ताज़ीम व सम्मान करने और आपको तकलीफ़ पहुँचाने से बचने के लिये हिदायतों के तहत में हज़रत ज़ैद रज़ियल्लाहु अ़न्हु और ज़ैनब रज़ियल्लाहु अ़न्हा का क़िस्सा और इसकी मुनासबत से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम का ख़ातमुन्नबिय्यीन होना बयान हुआ है, आगे भी आपकी कमाल वाली सिफ़ात का बयान आने वाला है। और आपकी ज़ात व सिफ़ात सब मुसलमानों के लिये दुनिया में सबसे बड़ी नेमत हैं, उनका शुक्र अदा करने के लिये मज़कूरा आयत में ज़िक्रुल्लाह की कसरत का हुक्म दिया गया है।

अल्लाह का ज़िक्र ऐसी इबादत है जिसके लिये कोई शर्त नहीं, और इसके कसरत से करने का हुक्म है

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اذْكُرُوا اللّٰهَ ذِكْرًا كَثِيْرًا

हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने फ़रमाया कि अल्लाह ने अपने बन्दों पर ज़िक्रुल्लाह के सिवा कोई ऐसी इबादत आ़यद नहीं की जिसकी कोई ख़ास हद मुक़र्रर न हो। नमाज़ पाँच वक़्त की और हर नमाज़ की रक्अ़तें मुतैयन हैं, रोज़े रमज़ान के महीने के मुतैयन और मुक़र्रर हैं, हज भी ख़ास जगह पर ख़ास मुक़र्ररा आमाल करने का नाम है, ज़कात भी साल में एक ही मर्तबा फ़र्ज़ होती है, मगर ज़िक्रुल्लाह ऐसी इबादत है कि न इसकी कोई हद और तादाद मुतैयन है, न कोई ख़ास वक़्त और ज़माना निर्धारित है, न इसके लिये कोई ख़ास हालत खड़े होने या बैठने की मुक़र्रर है, न इसके लिये पाक और बावुज़ू होना शर्त है। हर वक़्त हर हाल में ज़िक्रुल्लाह ख़ूब ज़्यादा करने का हुक्म है, सफ़र हो या हज़र (वतन में मौजूदगी), तन्दुरुस्ती हो या बीमारी, ख़ुश्की में हो या दरिया में, रात हो

या दिन हर हाल में ज़िक्रुल्लाह का हुक्म है।

इसी लिये इसके छोड़ने में इनसान का कोई उज़्र नहीं सुना जायेगा सिवाय इसके कि अक़्ल व हवास ही न रहें, बेहोश हो जाये। इसके अ़लावा दूसरी इबादतों में बीमारी और मजबूरी के हालात में इनसान को माज़ूर को इबादत में कमी या माफ़ी की छूट और रियायतें भी हैं, मगर अल्लाह के ज़िक्र के लिये अल्लाह तआ़ला ने कोई शर्त ही नहीं रखी इसलिये इसके छोड़ने में किसी हाल में कोई उज़्र सुने जाने के क़ाबिल भी नहीं, और इसके फ़ज़ाईल व बरकतें भी बेशुमार हैं।

इमाम अहमद रह. ने हज़रत अबूदर्दा रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत किया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने सहाबा किराम को ख़िताब करके फ़रमाया कि क्या मैं तुम्हें वह चीज़ न बतला दूँ जो तुम्हारे सब आमाल से बेहतर और तुम्हारे मालिक के नज़दीक सबसे ज़्यादा मक़बूल है और तुम्हारे दर्जे बुलन्द करने वाली है, और तुम्हारे लिये सोने चाँदी के सदक़े व ख़ैरात से ज़्यादा बेहतर है, और इससे भी बेहतर है कि तुम अल्लाह की राह में जिहाद के लिये निकलो और तुम्हारा दुश्मन से मुक़ाबला हो, तुम उनकी गर्दनें मारो वे तुम्हारी। सहाबा किराम ने अ़र्ज़ किया या रसूलल्लाह! वह कौनसी चीज़ और कौनसा अ़मल है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- "अल्लाह तआ़ला का ज़िक्र और उसकी याद।" (इब्ने कसीर)

इमाम अहमद रह. और इमाम तिर्मिज़ी ने रिवायत किया है कि हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने फ़रमाया कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से एक दुआ़ सुनी है जिसको मैं कभी नहीं छोड़ता। वह यह है:

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِىْ اُعَظِّمُ شُكْرَكَ وَاَتَّبِعُ نَصِيْحَتَكَ وَاُكْثِرُ ذِكْرَكَ وَاَحْفَظُ وَصِيَّتَكَ. (ابن کثیر)

अल्लाहुम्मज्अ़ल्नी उ-अ़ज़्ज़िमु शुक्र-क व अत्तबिउ नसीह-त-क व उक्सिरु ज़िक्र-क व अह्फ़ज़ु वसिय्य-त-क।

"या अल्लाह! मुझे ऐसा बना दे कि मैं तेरा बहुत शुक्र करूँ और तेरी नसीहत के ताबे रहूँ और तेरा ज़िक्र कसरत से किया करूँ और तेरी वसीयत को महफ़ूज़ रखूँ।"

इसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने अल्लाह तआ़ला से इसकी दुआ़ की कि ज़िक्रुल्लाह की कसरत की तौफ़ीक़ अ़ता हो।

एक देहाती ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से अ़र्ज़ किया कि इस्लाम के आमाल व फ़राईज़ और वाजिबात तो बहुत हैं, आप मुझे कोई ऐसी मुख़्तसर मुकम्मल बात बतला दें कि मैं उसको मज़बूती से इख़्तियार कर लूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया:

لَايَزَالُ لِسَانُكَ رَطْبًا بِذِكْرِاللّٰهِ تَعَالٰى. (مسند احمد، ابن کثیر)

"यानी तेरी ज़बान हमेशा अल्लाह के ज़िक्र से तरोताज़ा रहनी चाहिये।"

और हज़रत अबू सईद ख़ुदरी रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया:

اُذْكُرُوا اللّٰهَ تَعَالٰى حَتّٰى يَقُوْلُوْامَجْنُوْنٌ. (ابن کثیر از مسند احمد)

"यानी तुम अल्लाह का ज़िक्र इतना करो कि देखने वाले तुम्हें दीवाना कहने लगें।"

और हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि जो लोग किसी मज्लिस में बैठें जिसमें अल्लाह का ज़िक्र न आये तो क़ियामत के दिन यह मज्लिस उनके लिये हसरत साबित होगी। (अहमद, इब्ने कसीर)

وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَّ اَصِيلًا

"यानी अल्लाह की पाकी बयान करो सुबह व शाम।" सुबह व शाम से मुराद या तो तमाम वक़्त हैं या फिर सुबह व शाम को ख़ास करना इसलिये है कि इन वक़्तों में ज़िक्रुल्लाह की ताकीद भी ज़्यादा है और बरकत भी, वरना ज़िक्रुल्लाह किसी ख़ास वक़्त के साथ मख़्सूस व सीमित नहीं है।

هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَٰئِكَتُهُ

"यानी जब तुम ज़िक्रुल्लाह की कसरत के आ़दी हो गये और सुबह व शाम की तस्बीह पर पाबन्दी करने लगे तो इसकी क़द्र व इज़्ज़त अल्लाह के नज़दीक यह होगी कि अल्लाह तआ़ला तुम पर रहमत नाज़िल फ़रमायेगा और उसके फ़रिश्ते तुम्हारे लिये दुआ़ करेंगे।"

मज़कूरा आयत में लफ़्ज़ **सलात** अल्लाह तआ़ला के लिये भी इस्तेमाल किया गया है और फ़रिश्तों के लिये भी। लेकिन सलात का मतलब का अलग अलग है। अल्लाह की सलात तो यह है कि वह रहमत नाज़िल फ़रमाये और फ़रिश्ते ख़ुद तो किसी काम पर क़ादिर नहीं उनकी सलात यह है कि वे अल्लाह तआ़ला से रहमत के नाज़िल होने की दुआ़ माँगें।

हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने फ़रमाया कि सलात अल्लाह की तरफ़ से रहमत है और फ़रिश्तों की तरफ़ से इस्तिग़फ़ार यानी मग़फ़िरत की दुआ़, और आपस में एक दूसरे की तरफ़ से दुआ़। लफ़्ज़ **सलात** इन तीनों मायनों को शामिल है। उनके नज़दीक जो मुश्तरक के आ़म होने को जायज़ क़रार देते हैं यह लफ़्ज़ मायनों में मुश्तरक और साझा है, और तीनों मायने मुराद हैं। और जो मुश्तरक के आ़म होने को अ़रबी ग्रामर के एतिबार से जायज़ नहीं समझते वे मजाज़ के आ़म होने के तौर पर इन सब मायनों पर लफ़्ज़ **सलात** का इस्तेमाल सही क़रार देंगे।

تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ

यह उसी **सलात** की वज़ाहत व तफ़सीर है जो अल्लाह की तरफ़ से मोमिन बन्दों पर होती है, यानी जिस दिन ये लोग अल्लाह तआ़ला से मिलेंगे तो उसकी तरफ़ से इनको सम्मानित ख़िताब सलाम से किया जायेगा यानी "अस्सलामु अ़लैकुम" कहा जायेगा। अल्लाह से मिलने का दिन कौनसा है? इमाम राग़िब वग़ैरह ने फ़रमाया कि मुराद इससे क़ियामत का दिन है और तफ़सीर के कुछ इमामों ने फ़रमाया कि जन्नत में दाख़िले का वक़्त मुराद है, जहाँ उनको अल्लाह तआ़ला की तरफ़ से भी सलाम पहुँचेगा और सब फ़रिश्ते भी सलाम करेंगे। और कुछ हज़राते मुफ़स्सिरीन ने अल्लाह तआ़ला से मिलने का दिन मौत का दिन क़रार दिया है कि वह दिन सारे आ़लम से छूटकर सिर्फ़ एक अल्लाह तआ़ला के सामने हाज़िरी का दिन है, जैसा कि हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि मौत का फ़रिश्ता जब किसी मोमिन की रूह क़ब्ज़ करने के लिये आता है तो पहले उसको यह प्याम पहुँचाता है कि तेरे रब ने तुझे सलाम कहा है।

और लफ़्ज़ **लिक़ा** (मुलाक़ात) इन तीनों हालतों पर फ़िट है, इसलिये इन अक़्वाल में कोई

टकराव और विरोधाभास नहीं हो सकता कि अल्लाह तआ़ला की तरफ़ से यह सलाम तीनों हालतों में होता हो। (तफ़सीर रूहुल-मआ़नी)

मसलाः इस आयत से यह साबित हुआ कि मुसलमानों में आपस में एक दूसरे का सलाम लफ़्ज़ **अस्सलामु अ़लैकुम** होना चाहिये, चाहे बड़े की तरफ़ से छोटे के लिये हो या छोटे की तरफ़ से बड़े के लिये हो।

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की ख़ास सिफ़ात

يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ اِنَّآ اَرْسَلْنٰكَ شَاهِدًا وَّمُبَشِّرًا وَّنَذِيْرًا ۝ وَّدَاعِيًا اِلَى اللّٰهِ بِاِذْنِهٖ وَسِرَاجًا مُّنِيْرًا ۝

एक बार फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की कामिल ख़ास सिफ़ात और ख़ूबियों का बयान हो रहा है। इसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की पाँच सिफ़ात का ज़िक्र फ़रमाया शाहिद, मुबश्शिर, नज़ीर, अल्लाह की तरफ़ दावत देने वाला, सिराजे मुनीर। **शाहिद** से मुराद यह है कि आप क़ियामत के दिन उम्मत के लिये शहादत (गवाही) देंगे जैसा कि सही बुख़ारी, नसाई, तिर्मिज़ी वग़ैरह में हज़रत अबू सईद ख़ुदरी रज़ियल्लाहु अ़न्हु से एक लम्बी हदीस रिवायत है जिसके कुछ जुमले ये हैं कि क़ियामत दिन नूह अ़लैहिस्सलाम पेश होंगे तो उनसे सवाल किया जायेगा कि क्या आपने हमारा पैग़ाम अपनी उम्मत को पहुँचा दिया था? वह अ़र्ज़ करेंगे कि मैंने पहुँचा दिया। फिर उनकी उम्मत पेश होगी वह इससे इनकार करेगी कि उनको अल्लाह का कोई पैग़ाम पहुँचा हो। उस वक़्त हज़रत नूह अ़लैहिस्सलाम से पूछा जायेगा कि आप जो पैग़ामे हक़ पहुँचाने का दावा करते हैं इस पर कोई आपका गवाह भी है? वह अ़र्ज़ करेंगे कि मुहम्मद सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम और उनकी उम्मत गवाह है। कुछ रिवायतों में है कि वह गवाही में उम्मते मुहम्मदिया को पेश करेंगे। यह उम्मत उनके हक़ में गवाही देगी तो नूह अ़लैहिस्सलाम की उम्मत इन पर यह जिरह करेगी कि ये हमारे मामले में कैसे गवाही दे सकते हैं, ये तो उस वक़्त पैदा भी नहीं हुए थे, हमारे ज़माने से बहुत लम्बे ज़माने के बाद पैदा हुए हैं। इस जिरह का जवाब उम्मते मुहम्मदिया से पूछा जायेगा। वह यह जवाब देगी कि बेशक हम उस वक़्त मौजूद नहीं थे मगर हमने इसकी ख़बर अपने रसूल सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से सुनी थी जिस पर हमारा ईमान व एतिक़ाद है। उस वक़्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से आपकी उम्मत के इस क़ौल की तस्दीक़ के लिये गवाही ली जायेगी।

ख़ुलासा यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम अपनी गवाही के ज़रिये अपनी उम्मत की तस्दीक़ व ताईद फ़रमायेंगे कि बेशक मैंने इनको यह इत्तिला दी थी।

और उम्मत पर गवाह होने का एक आ़म मफ़्हूम यह भी हो सकता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम अपनी उम्मत के सब अफ़राद के अच्छे-बुरे आमाल की गवाही देंगे और यह गवाही इस बिना पर होगी कि उम्मत के आमाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के सामने हर दिन सुबह व शाम और कुछ रिवायतों में है कि हफ़्ते में एक दिन पेश होते हैं, और आप उम्मत के एक एक फ़र्द को उसके आमाल के ज़रिये पहचानते हैं। इसलिये क़ियामत के दिन आप उम्मत के गवाह बनाये जायेंगे। (इब्ने मुबारक, सईद बिन मुसैयब की रिवायत से, मज़हरी)

और **मुबश्शिर** के मायने हैं बशारत (ख़ुशख़बरी) देने वाला। मुराद यह है कि आप सल्लल्लाहु

अलैहि व सल्लम अपनी उम्मत के नेक दीनी हुलिये वाले लोगों को जन्नत की ख़ुशख़बरी सुनाने वाले हैं। और नज़ीर के मायने हैं डराने वाला। मुराद यह है कि आप उम्मत के लोगों को ख़िलाफ़वर्ज़ी व नाफ़रमानी की सूरत में अ़ज़ाब से डराने वाले भी हैं।

अल्लाह की तरफ़ दावत देने वाले से मुराद यह है कि आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम उम्मत को अल्लाह तआ़ला के वजूद और तौहीद और इताअ़त की तरफ़ दावत देने वाले हैं। दाअ़ियन् इल्लल्लाहि को **बिइज़्निही** के साथ मशरूत फ़रमाया कि आप लोगों को अल्लाह की तरफ़ दावत देने वाले और बुलाने वाले अल्लाह ही के हुक्म व इजाज़त से हैं। इस क़ैद व शर्त का इज़ाफ़ा इस इशारे के लिये है कि तब्लीग़ व दावत की ख़िदमत सख़्त दुश्वार है, वह अल्लाह तआ़ला के हुक्म और मदद के बग़ैर इनसान के बस में नहीं आ सकती।

सिराज के मायने चिराग़ और **मुनीर** के मायने रोशन करने वाला। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की पाँचवीं सिफ़त इसमें यह बयान फ़रमाई गई कि आप रोशन करने वाले चिराग़ हैं, और कुछ हज़रात ने सिराजे मुनीर से मुराद क़ुरआन लिया है, मगर कलाम की तरतीब से क़रीब यही मालूम होता है कि यह भी आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की सिफ़त है।

अपने वक़्त के बेनज़ीर आ़लिम हज़रत क़ाज़ी सनाउल्लाह साहिब रह. ने तफ़सीरे मज़हरी में फ़रमाया कि आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की सिफ़त दाअ़ी इलल्लाह (अल्लाह की तरफ़ दावत देने वाला) तो ज़ाहिर और ज़बान से एतिबार से है और सिराजे मुनीर आपकी सिफ़त आपके दिल मुबारक के एतिबार से है, कि जिस तरह सारा आ़लम सूरज से रोशनी हासिल करता है इसी तरह तमाम मोमिनों के दिल आपके दिल के नूर से रोशन होते हैं, इसी लिये सहाबा किराम जिन्होंने इस आ़लम में आपकी सोहबत पाई वे सारी उम्मत से अफ़ज़ल व आला क़रार पाये क्योंकि उनके दिलों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के दिल से डायरेक्ट बिना किसी माध्यम के ज़ाहिरी तौर पर फ़ैज़ और नूर हासिल किया। बाक़ी उम्मत को यह नूर सहाबा किराम के वास्ते (माध्यम) से वास्ता दर वास्ता होकर पहुँचा।

और यह भी कहा जा सकता है कि तमाम अम्बिया, ख़ुसूसन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम इस दुनिया से गुज़रने के बाद भी अपनी क़ब्रों में ज़िन्दा हैं, उनकी यह बर्ज़ख़ी ज़िन्दगी आ़म लोगों की बर्ज़ख़ी ज़िन्दगी से कई दर्जे ज़्यादा बरतर, नुमायाँ और ख़ास होती है जिसकी हक़ीक़त अल्लाह तआ़ला ही जानते हैं।

बहरहाल उस ज़िन्दगी की वजह से क़ियामत तक मोमिनों के दिल आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के दिल मुबारक से नूर का फ़ायदा हासिल करते रहेंगे, और जो जितनी मुहब्बत व ताज़ीम और दुरूद शरीफ़ का ज़्यादा एहतिमाम करेगा वह इस नूर का ज़्यादा हिस्सा पायेगा।

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के नूर को चिराग़ से तश्बीह (मिसाल) दी गई हालाँकि आपका बातिनी नूर सूरज के नूर से कहीं ज़्यादा है। सूरज से सिर्फ़ दुनिया का ज़ाहिर रोशन होता है लेकिन आपके दिल मुबारक से सारे जहान का बातिन और मोमिनों के दिल रोशन होते हैं। वजह इस तश्बीह (मिसाल देने) की यह मालूम होती है कि चिराग़ की रोशनी से फ़ायदा उठाना इख़्तियारी है, हर वक़्त फ़ायदा उठा सकते हैं, उस तक रसाई भी आसान है, उसका हासिल करना भी आसान है,

बख़िलाफ़ सूरज के कि वहाँ तक रसाई (पहुँच) भी मुहाल है और उससे ज़्यादा फ़ायदा भी हर वक़्त हासिल नहीं किया जा सकता।

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की ये सिफ़ात जैसे क़ुरआन में आई हैं, क़ुरआन से पहले तौरात में भी बयान हुई हैं जैसा कि इमाम बुख़ारी ने नक़ल किया है कि हज़रत अ़ता बिन यसार फ़रमाते हैं कि मैं एक दिन हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़मर बिन आ़स रज़ियल्लाहु अ़न्हु से मिला तो उनसे सवाल किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की जो सिफ़ात तौरात में आई हैं वो मुझे बतलाईये।

उन्होंने फ़रमाया बेशक मैं बतलाता हूँ। ख़ुदा की क़सम! रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की कुछ सिफ़ात जो क़ुरआन में बयान हुई हैं वो तौरात में भी मौजूद हैं और फ़रमायाः

إِنَّا أَرْسَلْنٰكَ شَاهِدًا وَّمُبَشِّرًا وَّنَذِيرًا وَّحِرْزًا لِّلْأُمِّيِّينَ أَنْتَ عَبْدِي وَرَسُولِي سَمَّيْتُكَ الْمُتَوَكِّلَ لَيْسَ بِفَظٍّ وَّلَا غَلِيظٍ وَّلَا سَخَّابٍ فِي الْأَسْوَاقِ وَلَا يَدْفَعُ السَّيِّئَةَ بِالسَّيِّئَةِ وَلٰكِنْ يَّعْفُوْا وَيَغْفِرُ لَنْ يَّقْبِضَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى حَتّٰى يُقِيْمَ بِهِ الْمِلَّةَ الْعَوْجَاءَ بِأَنْ يَّقُوْلُوْا لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَيَفْتَحُ بِهِ أَعْيُنًا عُمْيًا وَّآذَانًا صُمًّا وَّقُلُوْبًا غُلْفًا.

"ऐ नबी! हमने आपको भेजा है शाहिद बनाकर और बशारत देने वाला और डराने वाला और पनाह व हिफ़ाज़ते उम्मियों यानी अ़रब की। आप मेरे बन्दे और रसूल हैं, मैंने आपका नाम मुतवक्किल (यानी अल्लाह पर भरोसा करने वाला) रखा है, न आप कड़वे मिज़ाज वाले हैं न सख़्त मिज़ाज और न बाज़ारों में शोर मचाने वाले। और आप बुराई का बदला बुराई से नहीं देते बल्कि माफ़ कर देते हैं। और आपको अल्लाह तआ़ला दुनिया से उस वक़्त तक नहीं वापस लायेंगे जब तक कि आपके ज़रिये टेढ़ी उम्मत को सीधा न कर दें कि वे ला इला-ह इल्लल्लाहु कहने लगें। आपके ज़रिये अल्लाह अंधी आँखों, बहरे कानों और बन्द दिलों को खोल देगा।"

يٰٓأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنٰتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوْهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوْهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّوْنَهَا ۚ فَمَتِّعُوْهُنَّ وَسَرِّحُوْهُنَّ سَرَاحًا جَمِيْلًا ۝

या अय्युहल्लज़ी-न आमनू इज़ा नकह़्तुमुल् मुअ्मिनाति सुम्-म तल्लक़्तुमूहुन्-न मिन् क़ब्लि अन् तमस्सूहुन्-न फ़मा लकुम् अ़लैहिन्-न मिन् अ़िद्दतिन् तअ़्तद्दूनहा फ़-मत्तिअ़ूहुन्-न व सर्रिहूहुन्-न सराहन् जमीला (49)	ऐ ईमान वालो! जब तुम निकाह में लाओ मुसलमान औरतों को फिर उनको छोड़ दो इससे पहले कि उनको हाथ लगाओ तो उन पर तुमको हक़ नहीं इद्दत में बिठलाना कि गिनती पूरी कराओ, सो उन को दो कुछ फ़ायदा और रुख़्सत करो भली तरह से। (49)

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

ऐ ईमान वालो! (तुम्हारे निकाह के अहकाम में से तो एक हुक्म यह है कि) तुम जब मुसलमान औरतों से निकाह करो (और) फिर तुम उनको हाथ लगाने से पहले (किसी वजह से) तलाक़ दे दो तो तुम्हारी उन पर कोई इद्दत (वाजिब) नहीं, जिसको तुम शुमार करने लगो (ताकि उनको उस इद्दत में दूसरे निकाह से रोक सको जैसा कि इद्दत वाजिब होने की सूरत में शरअन यह रोकना जायज़ बल्कि वाजिब है। और जब इस सूरत में इद्दत नहीं) तो उनको कुछ (माल) सामान दे दो और ख़ूबी के साथ उनको रुख़्सत करो (और मोमिन औरतों की तरह किताबी औरतों का भी यही हुक्म है। आयत में मोमिनात की क़ैद शर्त के तौर पर नहीं बल्कि एक रुचि व तवज्जोह दिलाने वाली हिदायत है कि मोमिन को अपनी निकाह में मुसलमान औरत ही का चयन करना बेहतर है। और हाथ लगाना यह इशारा है सोहबत की तरफ़ चाहे हक़ीक़त में या हुक्मी तौर पर। जैसे आपस में सही तन्हाई हो जाये तो यह भी सोहबत के हुक्म में है, और सोहबत हक़ीक़त में हो या हुक्मी तौर पर दोनों सूरतों में इद्दत वाजिब है। जैसा कि हिदायत वग़ैरह में है। और अगर मेहर मुक़र्रर हो चुका है तो यह माल व मता आधे मेहर की अदायगी है। और ख़ूबी के साथ अच्छी तरह रुख़्सत करना यह है कि उनको बग़ैर हक़ के न रोके, और जो माल व सामान देना वाजिब है वह अदा कर दे, और दिया हुआ वापस न ले, ज़बान से भी कोई सख़्त बात न कहे)।

मआरिफ़ व मसाईल

पिछली आयत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की चन्द कमाली सिफ़ात और आपकी मख़्सूस शान का ज़िक्र था, आगे भी आपकी उन ख़ुसूसियतों का ज़िक्र आने वाला है जो निकाह व तलाक़ के मामलात में आपके साथ एक तरह से ख़ुसूसियत रखती हैं और आम उम्मत के मुक़ाबले में आपको उनमें एक विशेष और अलग हैसियत हासिल है। इससे पहले तम्हीद के तौर पर तलाक़ के बारे में एक आम हुक्म ज़िक्र किया गया है जो सब मुसलमानों के लिये आम है। उक्त आयत में इसके मुताल्लिक़ तीन अहकाम बयान किये गये हैं:-

पहला हुक्म यह कि किसी औरत से निकाह कर लेने के बाद सही तन्हाई से पहले ही किसी वजह से तलाक़ की नौबत आ जाये तो तलाक़ पाने वाली औरत पर कोई इद्दत वाजिब नहीं, वह फ़ौरन ही दूसरा निकाह कर सकती है। मज़कूरा आयत में हाथ लगाने से मुराद सोहबत और सोहबत का असली या हुक्मी होना और दोनों का एक हुक्म ख़ुलासा-ए-तफ़सीर में मालूम हो चुका है, और हुक्मी सोहबत सही और पूरी तन्हाई हो जाना है।

दूसरा हुक्म यह है कि तलाक़ पाने वाली औरत को शराफ़त और अच्छे अख़्लाक़ के साथ कुछ सामान देकर रुख़्सत किया जाये, कुछ सामान देकर रुख़्सत देना हर तलाक़ वाली के लिये अच्छा और मस्नून है, और कुछ सूरतों में वाजिब है जिसकी तफ़सील ख़ुलासा-ए-तफ़सीर में गुज़र चुकी है। और सूरः ब-क़रह की आयतः

لَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ مَالَمْ تَمَسُّوْهُنَّ

(यानी आयत नम्बर 236) के तहत में गुज़र चुकी है और क़ुरआन के इन अलफ़ाज़ में लफ़्ज़ मताअ़् इख़्तियार फ़रमाना शायद इस हिक्मत से हो कि यह लफ़्ज़ अपने मायने व मफ़्हूम के एतिबार से हर उस चीज़ के लिये आ़म है जिससे फ़ायदा उठाया जाये। इसमें औ़रत के वाजिब हुक़ूक़ यानी मेहर वग़ैरह भी शामिल हैं कि अगर अब तक मेहर न दिया गया हो तो तलाक़ के वक़्त ख़ुशदिली से अदा कर दें, और ग़ैर-वाजिब हुक़ूक़ जैसे तलाक़ पाने वाली को रुख़्सत के वक़्त कपड़ों का एक जोड़ा देकर रुख़्सत करना यह भी दाख़िल है जो हर तलाक़ पाने वाली औ़रत को देना मुस्तहब (अच्छा और बेहतर) है। (जैसा कि मब्सूत और मुहीत में हैं। रूहुल-मआ़नी) इस लिहाज़ से 'व मत्तिऊहुन्-न' का कलिमा एक आ़म मामले की तरग़ीब व तवज्जोह दिलाने के लिये है जिसमें वाजिब और ग़ैर-वाजिब दोनों क़िस्में शामिल हैं। (रूहुल-मआ़नी)

हदीस के इमाम अ़ब्द बिन हुमैद ने हज़रत हसन से नक़ल किया है कि मुता यानी मता व सामान देना हर तलाक़ पाने वाली औ़रत के लिये है चाहे उसके साथ सही तन्हाई हुई हो या न हुई हो, और उसका मेहर मुक़र्रर हो या न हो।

तलाक़ के वक़्त मुता यानी लिबास की तफ़सील

किताब बदाये में है कि तलाक़ के मुता से मुराद वह लिबास है जो औ़रत घर से निकलने के वक़्त ज़रूर ही इस्तेमाल करती है। इसमें पाजामा, कुर्ता, ओढ़नी और एक बड़ी चादर जो सर से पाँव तक बदन को छुपा सके शामिल है। और चूँकि लिबास क़ीमत के एतिबार से आला, अदना, औसत हर तरह का हो सकता है इसलिये फ़ुक़हा (मसाईल के माहिर उलेमा) ने इसकी यह तफ़सील फ़रमाई कि अगर शौहर बीवी दोनों मालदार घरानों के हैं तो कपड़े आला क़िस्म के दिये जायें, और दोनों ग़रीब हैं तो कपड़े अदना दर्जे के दिये जायें, और एक ग़रीब और दूसरा मालदार है तो औसत दर्जे का लिबास दिया जायेगा। (यही ख़िसाफ़ ने नफ़क़ात में ज़िक्र किया है)

इस्लाम में अच्छे मामले और बेहतरीन व्यवहार की बेनज़ीर तालीम

दुनिया में हुक़ूक़ की अदायेगी आ़म तौर पर सिर्फ़ दोस्तों, रिश्तेदारों तक और ज़्यादा से ज़्यादा आ़म लोगों तक सीमित रहती है, अच्छे अख़्लाक़, अच्छे मामले और अच्छे व्यवहार का सारा ज़ोर सिर्फ़ यहीं तक ख़र्च होता है, अपने मुख़ालिफ़ और दुश्मन के भी हुक़ूक़ पहचानना इसके लिये क़वानीन बनाना सिर्फ़ इस्लामी शरीअ़त ही का काम है। इस ज़माने में अगरचे इनसानी हुक़ूक़ की हिफ़ाज़त के लिये दुनिया में बहुत सी मुस्तक़िल संस्थायें क़ायम की गयी हैं, और इसके लिये कुछ क़ानून व उसूल और क़ायदे भी बनाये हुए हैं, इस मक़सद के लिये दुनिया की क़ौमों से लाखों रुपये का सरमाया भी जमा किया जाता है मगर अव्वल तो उन संस्थाओं पर सियासी उद्देश्य छाये हुए हैं, जो कुछ मुसीबत के मारों की इमदाद की जाती है वह भी बेग़र्ज़ और हर जगह नहीं, बल्कि जहाँ अपने सियासी उद्देश्य

पूरे होते हैं। और फ़र्ज़ करो ये संस्थायें बिल्कुल सही तौर पर भी मख़्लूक़ की ख़िदमत अन्जाम दें तो उनकी ज़्यादा से ज़्यादा उस वक़्त पहुँच सकती है जब ज़मीन के किसी ख़ित्ते में कोई आ़म हादसा तूफ़ान, वबाई बीमारियाँ वग़ैरह पेश आ जायें। इक्के-दुक्के की मुसीबत व तकलीफ़ की किसको ख़बर होती है, कौन मदद को पहुँच सकता है? इस्लामी शरीअ़त की हकीमाना तालीम देखिये कि तलाक़ का मामला ज़ाहिर है कि आपसी मुख़ालफ़त, गुस्से और नाराज़ी से पैदा होता है, और उसका नतीजा आ़म तौर पर यह होता है कि जो ताल्लुक़ बहुत ही ज़्यादा मेल-मिलाप और मुहब्बत व उलफ़त की बुनियाद पर कायम हुआ था वह अब इसके उलट बनकर नफ़रत, दुश्मनी, बदले की भावनाओं का मजमूआ़ बन जाता है। क़ुरआने करीम की उक्त आयत और इसी किस्म की बहुत सी आयतों ने तलाक़ के मौके भी पर जो मुसलमान को हिदायतें दी हैं वही ऐसी हैं कि उनमें अच्छे अख़्लाक़ और अच्छे व्यवहार का पूरा इम्तिहान होता है। नफ़्स का तक़ाज़ा होता है कि जिस औ़रत ने हमें सताया, तकलीफ़ दी, यहाँ तक कि ताल्लुक़ ख़त्म करने पर मजबूरी हुई उसको ख़ूब ज़लील करके निकाला जाये और जो बदला उससे लिया जा सकता है ले लिया जाये। मगर क़ुरआने करीम ने आ़म मुतल्लक़ा औ़रतों के लिये तो एक बड़ी पाबन्दी इद्दत की और इद्दत के दिनों को शौहर के मकान में गुज़ारने की लगा दी, तलाक़ देने वाले पर फ़र्ज़ कर दिया कि इस मुद्दत के अन्दर औ़रत को अपने घर से न निकाले, और उसको भी पाबन्द कर दिया कि इद्दत के दिनों में उस घर से न निकले। दूसरे शौहर पर फ़र्ज़ कर दिया कि तलाक़ दे देने के बावजूद इद्दत के उस ज़माने का ख़र्चा बदस्तूर जारी रखे। तीसरे शौहर के लिये मुस्तहब (अच्छा और बेहतर) क़रार दिया कि इद्दत पूरी होने के बाद भी जब उसको रुख़्सत करे तो मता यानी लिबास देकर इज़्ज़त के साथ रुख़्सत करे। सिर्फ़ वे औ़रतें जिनके साथ सिर्फ़ निकाह के बोल पढ़े गये हैं रुख़्सती और तन्हाई व सोहबत की नौबत नहीं आई वे इद्दत से बरी क़रार दी गईं लेकिन उनके मता (सामान या कपड़े वग़ैरह देने) की ताकीद दूसरी औ़रतों के मुक़ाबले में ज़्यादा कर दी गई। इसी के साथ तीसरा हुक्म यह दिया गया कि:

سَرِّحُوْهُنَّ سَرَاحًا جَمِيْلًا

यानी उनको रुख़्सत करो ख़ूबी के साथ। जिसमें यह पाबन्दी लगा दी गई कि ज़बान से भी कोई सख़्त बात न कहें, तान व तश्ने का तरीक़ा इख़्तियार न करें।

मुख़ालफ़त के वक़्त मुख़ालिफ़ के हुक़ूक़ की रियायत वही कर सकता है जो अपने नफ़्स के जज़्बात पर क़ाबू रखे, इस्लाम की सारी तालीमात में इसकी रियायत रखी गई है।

يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ اِنَّاۤ اَحْلَلْنَا لَكَ اَزْوَاجَكَ الّٰتِيْۤ اٰتَيْتَ اُجُوْرَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِيْنُكَ مِمَّاۤ اَفَآءَ اللّٰهُ عَلَيْكَ وَبَنٰتِ عَمِّكَ وَبَنٰتِ عَمّٰتِكَ وَبَنٰتِ خَالِكَ وَبَنٰتِ خٰلٰتِكَ الّٰتِيْ هَاجَرْنَ مَعَكَ ۫ وَ امْرَاَةً مُّؤْمِنَةً اِنْ وَّهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ اِنْ اَرَادَ النَّبِيُّ اَنْ يَّسْتَنْكِحَهَا ۗ خَالِصَةً لَّكَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ ؕ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِيْۤ اَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ لِكَيْلَا يَكُوْنَ عَلَيْكَ حَرَجٌ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ۞ تُرْجِيْ مَنْ تَشَآءُ مِنْهُنَّ وَتُـْٔوِيْۤ اِلَيْكَ مَنْ تَشَآءُ ؕ وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ؕ

ذٰلِكَ اَدْنٰٓى اَنْ تَقَرَّ اَعْيُنُهُنَّ وَلَا يَحْزَنَّ وَيَرْضَيْنَ بِمَآ اٰتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ ۗ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا فِيْ قُلُوْبِكُمْ ۗ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَلِيْمًا ۝ لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَآءُ مِنْۢ بَعْدُ وَلَآ اَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ اَزْوَاجٍ وَّلَوْ اَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ اِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِيْنُكَ ۗ وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ رَّقِيْبًا ۝

या अय्युहन्-नबिय्यु इन्ना अह्लल्ना ल-क अज़्वा-जकल्लाती आतै-त उजू-रहुन्-न व मा म-लकत् यमीनु-क मिम्मा अफ़ाअल्लाहु अ़लै-क व बनाति अ़म्मि-क व बनाति अ़म्माति-क व बनाति ख़ालि-क व बनाति ख़ालातिकल्लाती हाजर्-न म-अ़-क वम्र-अतम् मुअ्मि-नतन् इंव्व-हबत् नफ़्सहा लिन्नबिय्यि इन् अरादन्नबिय्यु अंय्यस्तन्कि-हहा, ख़ालि-सतल् ल-क मिन् दूनिल्-मुअ्मिनी-न, क़द् अ़लिम्ना मा फ़रज़्ना अ़लैहिम् फ़ी अज़्वाजिहिम् व मा म-लकत् ऐमानुहुम् लिकैला यकू-न अ़लै-क ह-रजुन्, व कानल्लाहु ग़फ़ूरर्-रहीमा (50) तुर्जी मन् तशा-उ मिन्हुन्-न व तुअ्वी इलै-क मन् तशा-उ, व मनिब्तग़ै-त मिम्मन् अ़ज़ल्-त फ़ला जुना-ह अ़लै-क, ज़ालि-क अद्ना अन् तक़र्-र अअ्युनुहुन्-न व ला यह्ज़न्-न व

ऐ नबी हमने हलाल रखीं तुझको तेरी औरतें जिनके मेहर तू दे चुका है, और जो माल हो तेरे हाथ का जो हाथ लगा दे तेरे अल्लाह, और तेरे चचा की बेटियाँ और फूफियों की बेटियाँ और तेरे मामूँ की बेटियाँ और तेरी ख़ालाओं की बेटियाँ जिन्होंने वतन छोड़ा तेरे साथ, और जो औरत हो मुसलमान अगर बख़्श दे अपनी जान नबी को अगर नबी चाहे कि उसको निकाह में लाये, यह ख़ास है तेरे लिये सिवाय सब मुसलमानों के। हमको मालूम है जो मुक़र्रर कर दिया हमने उन पर उनकी औरतों के हक़ में और उनके हाथ के माल में, ताकि न रहे तुझ पर तंगी और अल्लाह है बख़्शने वाला मेहरबान। (50) पीछे रख दे तू जिसको चाहे उनमें से और जगह दे अपने पास जिसको चाहे, और जिसको जी चाहे तेरा उनमें से जिन को किनारे कर दिया था तो कुछ गुनाह नहीं तुझ पर, इसमें क़रीब है कि ठंडी रहें उनकी आँखें और ग़म न खायें और

यर्जै-न बिमा आतै-तहुन्-न कुल्लुहुन्-न, वल्लाहु यअ्लमु मा फ़ी क़ुलूबिकुम्, व कानल्लाहु अ़लीमन् हलीमा (51) ला यहिल्लु लकन्निसा-उ मिम्बअ्दु व ला अन् तबद्द-ल बिहिन्-न मिन् अज़्वाजिंव्-व लौ अअ्-ज-ब-क हुस्नुहुन्-न इल्ला मा म-लकत् यमीनु-क, व कानल्लाहु अ़ला कुल्लि शैइर्-रक़ीबा (52) ✿	राज़ी रहें उस पर जो तूने दिया उन सब की सब को, और अल्लाह जानता है जो कुछ तुम्हारे दिलों में है और है अल्लाह सब कुछ जानने वाला बरदाश्त करने वाला। (51) हलाल नहीं तुझको औ़रतें इसके बाद और न यह कि इनके बदले करे और (दूसरी) औ़रतें चाहे अच्छी लगे तुझको उनकी सूरत मगर जो माल हो तेरे हाथ का, और अल्लाह है हर चीज़ पर निगहबान (52) ✿

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

ऐ नबी! (कुछ अहकाम आपके साथ मख़्सूस हैं जिनसे आपकी बड़ी शान और ख़ास होना भी साबित होता है। उनमें से कुछ ये हैं- पहला हुक्म) हमने आपके लिये आपकी ये बीवियाँ (जो कि इस वक़्त आपकी ख़िदमत में हाज़िर हैं और) जिनको आप उनके मेहर दे चुके हैं (बावजूद चार से ज़्यादा होने के) हलाल की हैं, (दूसरा हुक्म) और वे औ़रतें भी (ख़ास तौर पर हलाल की हैं) जो तुम्हारी मम्लूका हैं, जो अल्लाह तआ़ला ने आपको ग़नीमत में दिलवा दी हैं (इस ख़ास तौर का बयान मआ़रिफ़ व मसाईल में आयेगा। तीसरा हुक्म) और आपके चचा की बेटियाँ और आपकी फूफियों की बेटियाँ (इससे मुराद बाप के ख़ानदान की बेटियाँ हैं) और आपके मामूँ की बेटियाँ और आपकी ख़ालाओं की बेटियाँ (इससे मुराद माँ के ख़ानदान की बेटियाँ हैं, यानी इन सब को) भी (अल्लाह तआ़ला ने आपके लिये हलाल किया है, मगर ख़ानदान की ये औ़रतें आ़म तरीक़े से नहीं बल्कि उनमें से सिर्फ़ वही) जिन्होंने आपके साथ हिजरत की हो (साथ का मतलब यह है कि हिजरत के इस अ़मल में मुवाफ़क़त की हो, समय के एतिबार से साथ की क़ैद नहीं है, और इस क़ैद से वे निकल गईं जो मुहाजिर न हों। चौथा हुक्म) और उस मुसलमान औ़रत को भी (आपके लिये हलाल किया) जो बिना बदले (यानी बिना मेहर) के अपने को पैग़म्बर को दे दे (यानी निकाह में आना चाहे) बशर्ते कि पैग़म्बर उसको निकाह में लाना चाहें। (और मुसलमान की शर्त से काफ़िर औ़रत निकल गई कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को उससे निकाह दुरुस्त न था, और यह पाँचवाँ हुक्म है, और) ये सब (अहकाम) आपके लिये मख़्सूस किये गये हैं न कि दूसरे मोमिनों के लिये (कि उनके लिये दूसरे अहकाम हैं। चुनाँचे) हमको वे अहकाम मालूम हैं (और आयतों व हदीसों के ज़रिये औरों को भी मालूम करा दिये हैं) जो हमने उन (आ़म मोमिनों) पर उनकी बीवियों और बाँदियों के बारे में मुक़र्रर किये हैं। (जो इन अहकाम से अलग और भिन्न हैं जिनमें से नूमने के तौर पर एक ऊपर भी आयत

नम्बर 49 "इज़ा नकह्तुम" में बयान हुआ है, जिसमें "फ़-मत्तिऊहुन्-न" से मेहर का हर निकाह के लिये लाज़िम और ज़रूरी होना साबित होता है चाहे हक़ीक़त में या हुक्मी तौर पर, और चाहे आपसी तजवीज़ से हो या शरई हुक्म से, और चौथे हुक्म में निकाहे नबवी मेहर से ख़ाली है, और यह विशेषता इसलिये है) ताकि आप पर किसी क़िस्म की तंगी न हो। (पस जिन ख़ास अहकाम में औरों के मुक़ाबले में रियायत व छूट है जैसे पहले और चौथे हुक्म में, उनमें तो तंगी न होना ज़ाहिर है, और जिनमें ज़ाहिरी तौर पर बन्दिश और शर्त लगाना है जैसे तीसरा और पाँचवाँ हुक्म वहाँ तंगी न होने के यह मायने हैं कि हमने यह क़ैद आपकी कुछ मस्लेहतों के लिये लगाई है, अगर यह क़ैद न होती तो आपकी वह मस्लेहत ख़त्म हो जाती, और उस वक़्त आपको तंगी होती जो हमको मालूम है, इसलिये उस मस्लेहत की रियायत की गई ताकि वह संभावित तंगी सामने न आये। और दूसरे हुक्म के मुताल्लिक़ तफ़सील मआरिफ़ व मसाईल में आयेगी) और (तंगी हटाने और दूर करने की रियायत कुछ इन्हीं ख़ास अहकाम ही में नहीं है बल्कि आम मोमिनों के मुताल्लिक़ जो अहकाम हैं उनमें भी इस चीज़ का लिहाज़ रखा गया है, क्योंकि) अल्लाह तआ़ला माफ़ करने वाला, रहम करने वाला है (पस रहमत से अहकाम में सहूलत की रियायत फ़रमाते हैं और आसान अहकाम में भी कोताही हो जाने पर कभी मग़फ़िरत फ़रमाते हैं जो कि दलील है बहुत ज़्यादा रहमत की, जो बुनियाद है अहकाम में सहूलत और तंगी के दूर करने की)।

यह तो बयान था उन औरतों की क़िस्मों का जो आपके लिये हलाल की गईं, आगे इसका बयान है कि जो क़िस्में हलाल की गई हैं उनमें से जितनी जिस वक़्त आपके पास हों उनके क्या अहकाम हैं। पस छठा हुक्म यह इरशाद है कि) उनमें से आप जिसको चाहें (और जब तक चाहें) अपने से दूर रखें (यानी उसको बारी न दें) और जिसको चाहें (और जब तक चाहें) अपने नज़दीक रखें (यानी उसको बारी दें) और जिनको दूर कर रखा था उनमें से फिर किसी को तलब करें तब भी आप पर कोई गुनाह नहीं। (मतलब यह हुआ कि बीवियों में रात गुज़ारने की बारी वग़ैरह की रियायत आप पर वाजिब नहीं, और इसमें एक बड़ी ज़रूरी मस्लेहत है, वह यह कि) इसमें ज़्यादा उम्मीद है कि उन (बीवियों) की आँखें ठंडी रहेंगी (यानी ख़ुश रहेंगी) और ग़मगीन न होंगी। और जो कुछ भी आप उनको दे देंगे उस पर सब की सब राज़ी रहेंगी (क्योंकि आदतन रंज व ग़म की बुनियाद हक़दारी का दावा होता है, और जब मालूम हो जाये कि जो कुछ माल या तवज्जोह उनको मिलेगी वह ख़ालिस एहसान व इनायत है, हमारा वाजिब हक़ नहीं है, तो किसी को कोई शिकायत न रहेगी, और बाँदियों का हक़ बारी में न होना सब ही को मालूम है)। और (ऐ मुसलमानो! यह ख़ुसूसी अहकाम सुनकर दिल में यह ख़्यालात मत पका लेना कि ये अहकाम आम क्यों न हुए अगर ऐसा करोगे तो) ख़ुदा तआ़ला को तुम लोगों के दिलों की सब बातें मालूम हैं (ऐसा ख़्याल पका लेने पर तुमको सज़ा देगा, क्योंकि यह अल्लाह तआ़ला पर एतिराज़ और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम पर जलना है, जो अ़ज़ाब का सबब है) और अल्लाह तआ़ला (यही क्या) सब कुछ जानने वाला है (और एतिराज़ करने वालों को जो फ़ौरन और जल्दी सज़ा नहीं हुई तो इससे इल्म न होने की नफ़ी लाज़िम नहीं आती बल्कि उसकी वजह यह है कि वह) बुर्दबार (भी) है (इसलिये कभी सज़ा में ढील देता है)।

(आगे फिर उन अहकाम का बयान है जो जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के

लिये ख़ास हैं, जिनमें बाज़े तो ऊपर वाले अहकाम का नतीजा हैं और बाज़े नये हैं। पस इरशाद है कि ऊपर जो तीसरे और पाँचवे हुक्म में निकाह वाली औरतों में हिजरत और ईमान की शर्त लगाई है सो) इनके अलावा और औरतें (जिनमें यह शर्त न हो) आपके लिये हलाल नहीं हैं (यानी रिश्तेदारों में से हिजरत न करने वाली हलाल नहीं और दूसरी औरतों में से जो ईमान वाली न हों वे हलाल नहीं। यह तो ऊपर बयान हुए हुक्म का पूरक और आख़िरी हिस्सा हुआ) और (आगे सातवाँ नया हुक्म है कि) न यह दुरुस्त है कि आप इन (मौजूदा) बीवियों की जगह दूसरी बीवियाँ कर लें (इस तरह से कि इनमें से किसी को तलाक़ दे दें और उनकी जगह पर दूसरी कर लें, हाँ वैसे इनको तलाक़ दिये बग़ैर अगर किसी से निकाह कर लें तो उसकी मनाही नहीं, इसी तरह अगर बदलने के इरादे के बिना किसी को तलाक़ दे दें तो इसकी भी मनाही साबित नहीं, बल्कि इसमें जो मनाही है वह मौजूदा बीवियों की जगह बदलने की है, पस बदलना मना है) अगरचे आपको उन (दूसरियों) का हुस्न अच्छा मालूम हो, हाँ मगर जो आपकी मिल्क में हो (कि वह पाँचवें और सातवें हुक्म दोनों में से अलग है, यानी वह किताबिया होने पर भी हलाल है, और उसमें बदल लेना भी दुरुस्त है) और अल्लाह तआ़ला हर चीज़ (की हक़ीक़त और आसार और मस्लेहतों) का पूरा निगराँ है (इसलिए इन सब अहकाम में मस्लेहतें व हिक्मतें हैं अगरचे आम पाबन्द किये जाने वालों को वो निर्धारित करके न बतलाई जायें, इस वास्ते किसी को सवाल या एतिराज़ करने का हक़ व मक़ाम हासिल नहीं)।

मआ़रिफ़ व मसाईल

ऊपर दर्ज हुई आयतों में निकाह व तलाक़ वग़ैरह से मुताल्लिक़ उन सात हुक्मों का ज़िक्र है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के लिये मख़्सूस हैं और ये ख़ुसूसियात नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की एक विशेष और नुमायाँ शान और ख़ुसूसी सम्मान की निशानी हैं। इनमें से कुछ अहकाम तो ऐसे हैं कि उनका ख़ास होना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के साथ बिल्कुल वाज़ेह और स्पष्ट है और कुछ ऐसे हैं जो अगरचे सब मुसलमानों के लिये आ़म हैं मगर उनमें कुछ क़ैदें व शर्तें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के लिये ख़ास हैं, अब उनकी तफ़सील देखिये।

पहला हुक्म

إِنَّآ أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ الّٰتِيٓ اٰتَيْتَ أُجُوْرَهُنَّ

"यानी हमने हलाल कर दिया आपके लिये आपकी सब मौजूदा बीवियों को जिनके मेहर आपने अदा कर दिये हैं।"

यह हुक्म बज़ाहिर सभी मुसलमानों के लिये आ़म है मगर इसमें ख़ुसूसियत की वजह यह है कि इस आयत के नाज़िल होने के वक़्त आपके निकाह में चार से ज़्यादा औरतें मौजूद थीं और आ़म मुसलमानों के लिये चार से ज़्यादा औरतों को एक साथ निकाह में जमा करना हलाल नहीं, तो यह आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की ख़ुसूसियत थी कि चार से ज़्यादा औरतों को निकाह में रखना आपके लिये हलाल कर दिया गया है।

और इस आयत में जो 'अल्लाती आतै-त उजूरहुन्-न' फ़रमाया है यह कोई हलाल होने की शर्त

या एहतिराज़ी क़ैद नहीं बल्कि हक़ीक़त का इज़हार है कि जितनी औरतें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के निकाह में आईं आपने सब का मेहर नक़द अदा कर दिया, उधार नहीं रखा। आपकी आ़दते शरीफ़ा यह थी कि जिस चीज़ का देना आपके ज़िम्मे आ़यद हो उसको फ़ौरन देकर भारमुक्त हो जाते थे, बिना ज़रूरत ताख़ीर न फ़रमाते थे। इस वाक़िए के इज़हार में आ़म मुसलमानों को भी ऐसा करने की रुचि व तवज्जोह दिलायी गयी है।

दूसरा हुक्म

وَمَامَلَكَتْ يَمِيْنُكَ مِمَّآ اَفَآءَ اللّٰهُ عَلَيْكَ.

"यानी आपके लिये हलाल कर दिया उन औ़रतों को जो आपकी मिल्क में हों, इस तरह कि अल्लाह तआ़ला ने आपको उनका मालिक बना दिया हो।"

इस आयत में लफ़्ज़ अफ़ा फ़ै से निकला है। पारिभाषिक मायने के लिहाज़ से वह माल जो काफ़िरों से बग़ैर जंग के या समझौते के तौर हासिल हो जाये, और कभी सिर्फ़ माले ग़नीमत को भी लफ़्ज़ फ़ै से ताबीर किया जाता है। इस आयत में इसका ज़िक्र किसी शर्त के तौर पर नहीं कि आपके लिये सिर्फ़ वह बाँदी हलाल होगी जो फ़ै या ग़नीमत के माल में से आपके हिस्से में आई हो, बल्कि जिसको आपने क़ीमत देकर ख़रीदा हो वह भी इस हुक्म में शामिल है।

लेकिन इस हुक्म में बज़ाहिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की कोई विशेषता व इम्तियाज़ नहीं, पूरी उम्मत के लिये यह हुक्म है। जो बाँदी माले ग़नीमत से हिस्से में आये या जिसकी क़ीमत देकर ख़रीदें वह उनके लिये हलाल है, और इन तमाम आयतों का आगे-पीछे का मज़मून यह चाहता है कि इनमें जो अहकाम आये हैं वो कुछ न कुछ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के साथ ख़ुसूसियत रखते हों, इसी लिये तफ़सीर रूहुल-मआ़नी में बाँदियों के हलाल होने से मुताल्लिक़ भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की एक विशेषता यह बतलाई है कि जिस तरह आपके बाद आपकी पाक बीवियों में से किसी का निकाह किसी उम्मती से हलाल नहीं, इसी तरह जो बाँदी आपके लिये हलाल की गई है आपके बाद वह किसी के लिये हलाल न होगी, जैसा कि हज़रत मारिया क़िब्तिया रज़ियल्लाहु अ़न्हा हैं जिनको रूम के बादशाह मुक़ोक़स ने आपके लिये हदिये के तौर पर भेजा था, तो जिस तरह आपकी वफ़ात के बाद आपकी पाक बीवियों का निकाह किसी से जायज़ नहीं था उनका भी निकाह किसी से जायज़ नहीं रखा गया। इस लिहाज़ से बाँदियों के हलाल होने में भी आपकी एक ख़ुसूसियत साबित हो गई।

और सैयदी हज़रत हकीमुल-उम्मत ने दो और विशेषतायें तफ़सीर बयानुल-क़ुरआन में बयान फ़रमाई हैं जो उक्त ख़ुसूसियत से ज़्यादा स्पष्ट हैं।

अव्वल यह कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को हक़ तआ़ला की तरफ़ से यह ख़ुसूसी इख़्तियार दिया गया था कि माले ग़नीमत को तक़सीम करने से पहले आप उसमें से किसी चीज़ का अपने लिये इन्तिख़ाब फ़रमा (यानी चुन) लें तो वह आपकी ख़ास मिल्क हो जाती थी, उस ख़ास चीज़ को इस्तिलाह में 'सफ़िय्युन्नबी' कहा जाता था, जैसा कि ग़ज़वा-ए-ख़ैबर की ग़नीमत में से आपने हज़रत सफ़िया रज़ियल्लाहु अ़न्हा को अपने लिये मख़्सूस कर लिया था, तो मिल्के यमीन (ग़ुलाम

बाँदी) के मसले में यह सिर्फ़ आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की ख़ुसूसियत (विशेषता) है।

दूसरी ख़ुसूसियत यह है कि दारुल-हर्ब (काफ़िरों के मुल्क) से किसी ग़ैर-मुस्लिम की तरफ़ से अगर कोई हदिया मुसलमानों के अमीरुल-मोमिनीन के नाम पर आये तो शरई हुक्म यह है कि उसका मालिक अमीरुल-मोमिनीन नहीं होता बल्कि वह शरई बैतुल-माल की मिल्क क़रार दिया जाता है, बख़िलाफ़ नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के कि ऐसा हदिया आपके लिये ख़ुसूसियत से हलाल कर दिया गया, जैसा कि हज़रत मारिया किब्तिया रज़ियल्लाहु अ़न्हा का मामला है कि मुक़ौक़स ने इनको हदिये व तोहफ़े के तौर पर आपकी ख़िदमत में पेश किया तो यह आप ही की मिल्क क़रार पाई। वल्लाहु आलम

तीसरा हुक्म

بَنٰتِ عَمِّكَ وَبَنٰتِ عَمّٰتِكَ............ الاٰية

इस आयत में **अ़म्म** (चचा) और **ख़ाल** (मामूँ) को एक वचन और **अ़म्मात** (फूफियों) और **ख़ालात** (ख़ालाओं) को बहुवचन लाने की उलेमा ने बहुत सी वुजूहात लिखी हैं। तफ़सीर रूहुल-मआ़नी ने अबू हय्यान की इस तौजीह को इख़्तियार किया है कि अ़रब का मुहावरा इसी तरह है, अ़रब के अश्आ़र इस पर सुबूत हैं कि चचा की जमा (बहुवचन) इस्तेमाल नहीं करते, एक वचन ही इस्तेमाल होता है।

आयत का मतलब यह है कि आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के लिये चचा और फूफी की लड़कियाँ और मामूँ ख़ाला की लड़कियाँ हलाल कर दी गईं, चचा फूफी में बाप के ख़ानदान की सब लड़कियाँ और मामूँ ख़ाला में माँ के ख़ानदान की सब लड़कियाँ शामिल हैं, और उनसे निकाह का हलाल होना तो नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के साथ मख़्सूस नहीं, सब मुसलमानों का यही हुक्म है। लेकिन इनमें यह शर्त कि उन्होंने आपके साथ मक्का मुकर्रमा से हिजरत की हो, यह आप की विशेषता है। इसका हासिल यह है कि आ़म उम्मत के लिये तो बाप और माँ के ख़ानदान की ये लड़कियाँ बग़ैर किसी शर्त के हलाल हैं चाहे उन्होंने हिजरत की हो या न की हो, मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के लिये इनमें से सिर्फ़ वे हलाल हैं जिन्होंने आपके साथ हिजरत की हो। साथ हिजरत करने के लिये यह ज़रूरी नहीं कि सफ़र में आपके साथ रही हो या एक ही वक़्त में हिजरत की हो, बल्कि मुराद सिर्फ़ हिजरत में साथ और मुवाफ़क़त है। उनमें से जिसने किसी वजह से हिजरत नहीं की उससे आपका निकाह हलाल नहीं रखा गया जैसा कि आपके चचा अबू तालिब की बेटी उम्मे हानी रज़ियल्लाहु अ़न्हा ने फ़रमाया कि मुझसे आपका निकाह इसलिये हलाल नहीं था कि मैंने मक्का से हिजरत नहीं की थी, बल्कि मेरा शुमार तुलक़ा में था। तुलक़ा उन लोगों को कहा जाता है जिनको मक्का फ़तह होने के वक़्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने आज़ाद कर दिया था, न क़त्ल किया न ग़ुलाम बनाया। (रूहुल-मआ़नी व जस्सास)

और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से निकाह के लिये हिजरत करने वाली की शर्त सिर्फ़ अपने माँ-बाप के ख़ानदान की लड़कियों में थी, आ़म उम्मत की औ़रतों में हिजरत की शर्त न थी बल्कि उनका सिर्फ़ मुसलमान होना काफ़ी था। और ख़ानदान की लड़कियों में हिजरत की शर्त

लगाने में शायद यह हिक्मत हो कि उमूमन ख़ानदान की लड़कियों को अपने ख़ानदान का एक नाज़ और फ़ख़्र होता है और रसूल की बीवी बनने के लिये यह शायाने शान नहीं। इसका इलाज हिजरत की शर्त से किया गया, क्योंकि हिजरत सिर्फ़ वही औरत करेगी जो अल्लाह व रसूल की मुहब्बत को अपने सारे ख़ानदान और वतन व जायदाद की मुहब्बत से ग़ालिब रखे। फिर हिजरत के वक़्त इनसान को तरह-तरह की तकलीफ़ें पेश आती हैं और अल्लाह की राह में जो तकलीफ़ व मशक़्क़त उठाई जाये उसको आमाल के सुधारने में ख़ास दख़ल है।

ख़ुलासा यह है कि माँ और बाप के ख़ानदान की लड़कियों से निकाह में नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के लिये एक ख़ुसूसी शर्त यह है कि उन्होंने मक्का से हिजरत करने में आपका साथ दिया हो।

चौथा हुक्म

وَامْرَاَةً مُّؤْمِنَةً اِنْ وَّهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ اِنْ اَرَادَ النَّبِيُّ اَنْ يَّسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَّكَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ.

"यानी अगर कोई मुसलमान औरत अपने नफ़्स को आपके लिये हिबा कर दे यानी बग़ैर मेहर के आप से निकाह करना चाहे, अगर आप उससे निकाह का इरादा करें तो आपके लिये बिना मेहर के भी निकाह हलाल है, और यह ख़ास हुक्म आपके लिये है दूसरे मोमिनों के लिये नहीं।"

इस मामले की ख़ुसूसियत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के साथ बिल्कुल स्पष्ट है क्योंकि आ़म लोगों के लिये निकाह में मेहर लाज़िमी शर्त है यहाँ तक कि अगर निकाह के वक़्त किसी मेहर का ज़िक्र इनकार या नफ़ी के साथ आया कि औरत ने कहा कि मैं मेहर नहीं लूँगी या मर्द ने कहा कि निकाह इस शर्त पर करते हैं कि मेहर नहीं देंगे, दोनों सूरतों में उनका कहना और शर्त लगाना शरई हैसियत से बेकार व बेफ़ायदा होगा, शरई तौर पर मेहर-ए-मिस्ल वाजिब होगा। सिर्फ़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की ख़ुसूसियत के सबब बिना मेहर के निकाह हलाल किया गया है जबकि औरत बिना मेहर के निकाह करने की इच्छुक हो।

फ़ायदा

यह हुक्म कि जो औरत आपके लिये अपने आपको हिबा कर दे यानी बिना मेहर के निकाह करना चाहे वह आपके लिये हलाल है, इसमें उलेमा का मतभेद है कि कोई ऐसा वाक़िआ़ पेश भी आया या नहीं? कुछ हज़रात ने फ़रमाया कि किसी ऐसी औरत से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम का निकाह करना साबित नहीं, जिसका हासिल यह है कि आपने किसी हिबा करने वाली औरत से निकाह नहीं किया। और कुछ हज़रात ने कुछ ऐसी औरतों से निकाह होना साबित किया है। (तफ़सीर रूहुल-मआ़नी)

इस हुक्म के साथ जो जुमला 'ख़ालि-सतल् ल-क' (कि यह ख़ास है आपके लिये) का आया है, इसको कुछ हज़रात ने सिर्फ़ इसी चौथे हुक्म के साथ मख़्सूस किया है और अ़ल्लामा ज़मख़्शरी वग़ैरह मुफ़स्सिरीन ने इस जुमले को उन तमाम अहकाम के साथ लगाया है जो ऊपर ज़िक्र हुए हैं कि ये सब

ख़ुसूसियतें (विशेषतायें) नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की हैं। इसके आख़िर में फ़रमायाः

لِكَيْلَا يَكُوْنَ عَلَيْكَ حَرَجٌ.

यानी ये ख़ुसूसी अहकाम आपके लिये इसलिये दिये गये हैं कि आप पर कोई तंगी न हो।

जो ख़ुसूसी अहकाम ऊपर बयान हुए हैं उनमें पहला हुक्म यानी चार से ज़्यादा बीवियाँ आपके लिये हलाल कर दी गईं और चौथा हुक्म कि बग़ैर मेहर के निकाह हलाल कर दिया गया, इनमें तो तंगी का दूर करना और अधिक सहूलत दिया जाना ज़ाहिर है, मगर बाक़ी तीन हुक्म यानी दूसरा, तीसरा और पाँचवाँ इनमें तो बज़ाहिर आपके लिये और ज़्यादा शर्तें लगा दी गईं जिनसे तंगी और बढ़नी चाहिये, मगर इसमें इशारा फ़रमा दिया कि अगरचे ज़ाहिर में ये क़ैदें और शर्तें एक तंगी बढ़ाती हैं मगर इनमें आपकी ऐसी मस्लेहतों की रियायत है कि ये शर्तें और क़ैदें न होतीं तो आपको बड़ी तकलीफ़ पेश आती जो दिल की घुटन का सबब बनतीं, इसलिये इन अतिरिक्त शर्तों में भी आपकी तंगी को दूर करना ही मक़सूद है।

पाँचवा हुक्म जो ऊपर बयान हुई आयतों में औरत के मोमिन होने की क़ैद से समझ में आता है, यह अगरचे आ़म मुसलमानों के लिये यहूदी व ईसाई औरतों यानी किताबियात से निकाह क़ुरआनी दलील से हलाल है मगर रसूलुल्लाह सल्ल. के लिये औरत का मोमिन होना शर्त है, किताबियात से आपका निकाह नहीं हो सकता।

इन पाँचों अहकाम की ख़ुसूसियत नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के साथ बयान फ़रमाने के बाद आ़म मुसलमानों का हुक्म संक्षिप्त रूप से ज़िक्र फ़रमाया है:

قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِيْٓ اَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ

यानी ज़िक्र किये गये अहकाम आपके लिये मख़्सूस हैं, बाक़ी मुसलमानों के निकाह के लिये जो हमने फ़र्ज़ किया है वह हम जानते हैं। जैसे आ़म मुसलमानों का निकाह बग़ैर मेहर के नहीं हो सकता और किताबियात से उनका निकाह हो सकता है, इसी तरह पहले बयान हुए अहकाम में जो क़ैदें शर्तें आपके निकाह के लिये ज़रूरी क़रार दी गई हैं वो औरों के लिये नहीं हैं।

आख़िर में फ़रमायाः

لِكَيْلَا يَكُوْنَ عَلَيْكَ حَرَجٌ

यानी निकाह के मामले में आपके लिये ये ख़ुसूसी अहकाम इसलिये हैं कि आप पर कोई तंगी न हो, और जो क़ैदें व शर्तें दूसरे मुसलमानों के मुक़ाबले में आप पर ज़्यादा लगाई गई हैं अगरचे बज़ाहिर वह एक क़िस्म की तंगी है मगर जिन मस्लेहतों और हिक्मतों को सामने रखते हुए आपके लिये ये शर्तें लगाई हैं उनमें ग़ौर करें तो वो भी आपकी रूहानी परेशानी और तंगदिली को दूर करने ही के लिये हैं।

यहाँ तक निकाह के मुताल्लिक़ पाँच अहकाम आये हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के साथ कोई न कोई ख़ुसूसियत (विशेषता) रखते हैं। आगे दो हुक्म इन्हीं पाँच अहकाम से मुताल्लिक़ बयान फ़रमाये हैं जैसे छठा हुक्म है।

छठा हुक्म

تُرْجِيْ مَنْ تَشَآءُ مِنْهُنَّ وَتُئْوِيْٓ اِلَيْكَ مَنْ تَشَآءُ.

तुरजी इरजा से निकला है जिसके मायने दूर और बाद में करने के हैं, और तुअ्वी ईवा से निकला है जिसके मायने क़रीब करने के हैं। मतलब यह है कि आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को इख़्तियार है कि अपनी पाक बीवियों में से जिसको चाहें बाद में कर दें जिसको चाहें अपने क़रीब करें। यह रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम का मख़्सूस हुक्म है, आ़म उम्मत के लोगों के लिये जब कई बीवियाँ हों तो सब में बराबरी करना ज़रूरी है, इसके ख़िलाफ़ करना हराम है। बराबरी से मुराद ख़र्चे की बराबरी और रात गुज़ारने में बराबरी है, कि जितनी रातें एक बीवी के साथ गुज़ारें उतनी दूसरी और तीसरी के साथ गुज़ारनी चाहियें, कमी-बेशी नाजायज़ है। मगर नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को इस मामले में मुकम्मल इख़्तियार दे दिया गया, तमाम बीवियों में बराबरी के हुक्म से अलग कर दिया गया और आयत के आख़िर में यह भी इख़्तियार दे दिया कि जिस बीवी से एक मर्तबा दूरी बनाने का इरादा कर लिया फिर अगर चाहें तो उसको फिर क़रीब कर सकते हैं।

وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ

का यही मतलब है।

हक़ तआ़ला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को यह सम्मान बख़्शा कि अपनी पाक बीवियों में बराबरी करने के हुक्म से अलग और बरी फ़रमा दिया, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने इस रियायत व इजाज़त और हुक्म से छूट होने के बावजूद अपने अ़मल में हमेशा बराबरी करने की पाबन्दी ही फ़रमाई। इमाम अबू बक्र जस्सास रह. ने फ़रमाया कि हदीस की रिवायत यही है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम इस आयत के नाज़िल होने के बाद भी अपनी पाक बीवियों में बराबरी की रियायत हमेशा रखते थे, फिर अपनी सनदों के साथ हज़रत सिद्दीक़ा आ़यशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा से यह हदीस नक़ल की जो मुस्नद अहमद, तिर्मिज़ी, नसाई, अबू दाऊद वग़ैरह में भी मौजूद है:

كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْسِمُ فَيَعْدِلُ فَيَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ هٰذَا قَسْمِيْ فِيْمَآ اَمْلِكُ فَلَا تَلُمْنِيْ فِيْمَا لَآ اَمْلِكُ. قَالَ اَبُوْ دَاوٗدَ يَعْنِي الْقَلْبَ.

"रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम तमाम बीवियों में बराबरी फ़रमाते थे और यह दुआ़ किया करते थे कि या अल्लाह! जिस चीज़ में मेरा इख़्तियार है उसमें तो मैंने बराबरी कर ली (यानी ख़र्चा देने और रात गुज़ारने वग़ैरह में) मगर जिसमें मेरा इख़्तियार नहीं उस मामले में मुझे मलामत न फ़रमाईये। इससे मुराद दिल की मुहब्बत है, किसी से ज़्यादा किसी से कम होना इसका इख़्तियार नहीं।"

और सही बुख़ारी में हज़रत आ़यशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा ही की रिवायत है कि अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को किसी बीवी की बारी में उनके यहाँ जाने से कोई उज़्र होता तो आप

उससे इजाज़त लेते थे, जबकि यह आयत भी नाज़िल हो चुकी थी (जिसमें बीवियों में बराबरी करने का फ़र्ज़ आप से माफ़ कर दिया गया)।

यह हदीस भी हदीस की सब किताबों में जानी-पहचानी है कि वफ़ात की बीमारी में जब आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को अपनी पाक बीवियों के घरों में रोज़ाना मुन्तकिल होना मुश्किल हो गया तो आपने सबसे इजाज़त हासिल करके हज़रत सिद्दीक़ा आ़यशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा के घर में बीमारी के दिन गुज़ारना इख़्तियार फ़रमाया था।

अम्बिया अ़लैहिमुस्सलाम और ख़ास तौर पर तमाम नबियों के सरदार हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की आ़दते शरीफ़ा यही थी कि जिन कामों में आपको अल्लाह तआ़ला की तरफ़ से कोई छूट और रियायत आपकी आसानी के लिये दी जाती थी तो उसकी शुक्रगुज़ारी के तौर पर आप उमूमन आला दर्जे पर अ़मल करते और रियायत को सिर्फ़ ज़रूरत के वक़्त इस्तेमाल फ़रमाते थे।

ذٰلِكَ اَدْنٰٓى اَنْ تَقَرَّ اَعْيُنُهُنَّ وَلَا يَحْزَنَّ وَيَرْضَيْنَ............ الآية

यह छठा हुक्म यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से अपनी पाक बीवियों में बराबरी का फ़र्ज़ और लाज़िमी होने को उठा देना और आपको हर तरह का इख़्तियार दे देना, इसकी वजह और हिक्मत का बयान है। आपको यह आ़म इख़्तियार देने की मस्लेहत यह है कि आपकी तमाम पाक बीवियों की आँखें ठंडी रहें और वे अपने हिस्से पर राज़ी रहें।

यहाँ यह शुब्हा हो सकता है कि यह हुक्म तो बज़ाहिर पाक बीवियों की मर्ज़ी और मंशा के ख़िलाफ़ और उनके रंज का सबब हो सकता है, इसको पाक बीवियों की ख़ुशी का सबब कैसे क़रार दिया गया? इसका जवाब ख़ुलासा-ए-तफ़सीर में ऊपर आ चुका है कि दर असल नाराज़ी का असल सबब अपना हक़ होता है, जिस शख़्स के बारे में इनसान को यह मालूम हो कि मेरा फ़ुलाँ हक़ उसके ज़िम्मे वाजिब है अगर वह उसकी अदायेगी में कोताही करे तो रंज व ग़म पेश आता है, और जिस शख़्स पर हमारा कोई हक़ वाजिब न हो फिर वह जो कुछ भी मेहरबानी करे वह ख़ुशी ही ख़ुशी होती है। यहाँ भी जब यह बतला दिया गया कि बीवियों में बराबरी करना आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम पर वाजिब नहीं बल्कि आप मुख़्तार हैं, तो अब जिस बीवी को जितना हिस्सा भी आपकी तवज्जोह और साथ गुज़ारने का मिलेगा वह उसको एक एहसान व इनायत समझकर ख़ुश होगी।

आख़िर में फ़रमायाः

وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا فِيْ قُلُوْبِكُمْ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَلِيْمًاo

यानी अल्लाह तआ़ला जानता है जो कुछ तुम्हारे दिलों में है, और वह बड़े इल्म वाला बड़े हिल्म वाला है।

उपरोक्त आयतों में ऊपर से यहाँ तक उन अहकाम का ज़िक्र चला आता है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के निकाह के बारे में किसी तरह की ख़ुसूसियत रखते हैं, आगे भी ऐसे ही कुछ अहकाम का बयान आ रहा है, बीच में यह आयत कि अल्लाह तआ़ला तुम्हारे दिलों का हाल जानता है और सब कुछ जानने वाला और बुर्दबार है, बज़ाहिर पहले और बाद के मज़मून से कोई जोड़ नहीं रखता। तफ़सीर रूहुल-मआ़नी में फ़रमाया कि ज़िक्र किये गये अहकाम में रसूलुल्लाह

सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के लिये चार से ज़्यादा बीवियों की इजाज़त और बिना मेहर के निकाह की इजाज़त से किसी के दिल में शैतानी ख़्यालात व शुब्हात पैदा हो सकते थे इसलिये दरमियान में इस आयत ने यह हिदायत दे दी कि मुसलमान अपने दिलों की ऐसे वस्वसों (बुरे ख़्यालात) से हिफ़ाज़त करें और इस पर ईमान को पुख़्ता करें कि ये सब ख़ुसूसियतें अल्लाह तआ़ला की तरफ़ से हैं जो बहुत सी हिक्मतों और मस्लेहतों पर आधारित हैं नफ़्सानी इच्छाओं की पूर्ति का यहाँ गुज़र नहीं।

रसूलुल्लाह सल्ल. की दुनिया से बेताल्लुक़ी की ज़िन्दगी और इसके साथ कई निकाह करने का मसला

इस्लाम के दुश्मनों ने हमेशा एक से ज़्यादा निकाह करने और ख़ुसूसन इस्लाम की मुख़ालफ़त में बहस का विषय बनाया है, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की पूरी ज़िन्दगी को सामने रखा जाये तो किसी शैतान को भी शाने रिसालत के ख़िलाफ़ वस्वसा (बुरा ख़्याल) पैदा करने की गुंजाईश नहीं रहती। जिससे साबित है कि आपने सबसे पहला निकाह पच्चीस साल की उम्र में हज़रत ख़दीजा रज़ियल्लाहु अ़न्हा से किया जो बेवा, बड़ी उम्र की, औलाद वाली और दो शौहरों के निकाह में रहने के बाद आई थीं, और पचास साल की उम्र तक सिर्फ़ इसी एक उम्र रसीदा बीवी के साथ जवानी का पूरा ज़माना गुज़ारा। उम्र का यह पचास साला दौर मक्का के लोगों के सामने गुज़रा। चालीस साल की उम्र में नुबुव्वत के ऐलान के बाद शहर में आपकी मुख़ालफ़त शुरू हुई और मुख़ालिफ़ों ने आपको सताने और आप पर ऐब लगाने में कोई कसर उठा नहीं रखी। जादूगर कहा, शायर कहा, मजनूँ कहा, मगर कभी किसी दुश्मन को भी आपकी तरफ़ कोई ऐसी चीज़ जोड़ने का मौक़ा नहीं मिल सका जो परहेज़गारी व पवित्रता को मशकूक (संदिग्ध) कर सके।

उम्र शरीफ़ के पचास साल गुज़रने और हज़रत ख़दीजा रज़ियल्लाहु अ़न्हा की वफ़ात के बाद हज़रत सौदा रज़ियल्लाहु अ़न्हा निकाह में आईं, यह भी बेवा थीं।

मदीना की हिजरत और उम्र शरीफ़ चव्वन साल हो जाने के बाद सन् 2 हिजरी में हज़रत सिद्दीक़ा आ़यशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा की रुख़्सती नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के घर में हुई। इसके एक साल बाद हज़रत हफ़्सा रज़ियल्लाहु अ़न्हा से और कुछ दिनों के बाद हज़रत ज़ैनब बिन्ते ख़ुज़ैमा रज़ियल्लाहु अ़न्हा से निकाह हुआ, यह हज़रत ज़ैनब चन्द माह के बाद वफ़ात पा गईं। सन् 4 हिजरी में हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अ़न्हा जो साहिबे औलाद बेवा थीं आपके निकाह में आईं। सन् 5 हिजरी में हज़रत ज़ैनब बिन्ते जहश से अल्लाह के हुक्म से निकाह हुआ जिसका ज़िक्र सूरः अहज़ाब के शुरू में आ चुका है। उस वक़्त आपकी उम्र शरीफ़ अट्ठावन साल थी। आख़िरी पाँच साल में बाक़ी पाक बीवियाँ आपके निकाह में आईं। पैग़म्बर की घरेलू ज़िन्दगी और घरेलू मामलात से मुताल्लिक़ दीन के अहकाम का एक बहुत बड़ा हिस्सा होते हैं, इन नौ पाक बीवियों से जिस क़द्र दीन की ख़िदमत और उसका प्रचार-प्रसार हुआ उसका अन्दाज़ा सिर्फ़ इससे हो सकता है कि सिर्फ़ हज़रत सिद्दीक़ा आ़यशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा से दो हज़ार दो सौ दस हदीसें और हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अ़न्हा से तीन सौ अड़सठ हदीसों की रिवायत हदीस की मोतबर किताबों में जमा हैं। हज़रत उम्मे

सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने जो अहकाम व फ़तावा लोगों को बतलाये उनके मुताल्लिक़ हाफ़िज़ इब्ने क़य्यिम रह. ने अपनी किताब 'आलामुल-मुवक़्क़िईन' में लिखा है कि अगर उनको जमा किया जाये तो एक मुस्तक़िल किताब बन जाये, दो सौ से ज़्यादा सहाबा हज़रात हज़रत सिद्दीक़ा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के शागिर्द हैं, जिन्होंने हदीस और मसाईल व फ़तावा उनसे सीखे हैं।

और बहुत सी बीवियों को नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के निकाह और घराने में दाख़िल करने में उनके ख़ानदान को इस्लाम की तरफ़ लाने की हिक्मत भी थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की ज़िन्दगी के इस मुख़्तसर नक़्शे को सामने रखें तो क्या किसी को यह कहने की गुंजाईश रह सकती है कि यह संख्या और निकाहों की अधिकता मआ़ज़ल्लाह किसी नफ़्सानी और जिन्सी इच्छा की पूर्ति के लिये हुई थी? अगर यह होता तो सारी उम्र अकेले या एक बेवा के साथ गुज़ारने के बाद उम्र के आख़िरी हिस्से को इस काम के लिये क्यों मुन्तख़ब किया जाता। यह मज़मून पूरी तफ़सील के साथ, तथा एक से ज़्यादा निकाह करने के असल मसले पर शरई और अ़क़्ली, फ़ितरी और आर्थिक हैसियत से मुकम्मल बहस मआरिफ़ुल-क़ुरआन जिल्द दो सूरः निसा की तीसरी आयत के तहत में आ चुकी है, वहाँ देखा जाये। (मआ़रिफ़ जिल्द दोम, सूरः निसा आयत 2)

सातवाँ हुक्म

لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَآءُ مِنْ ، بَعْدُ وَلَآ اَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ اَزْوَاجٍ وَّلَوْ اَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ.

"यानी इसके बाद आपके लिये दूसरी औरतों से निकाह हलाल नहीं, और यह भी हलाल नहीं कि मौजूदा बीवियों में से किसी को तलाक़ देकर उसकी जगह दूसरी बदलें।"

इस आयत में लफ़्ज़ "मिम्-बअ़्दि" की दो तफ़सीरें हो सकती हैं- एक यह कि 'मिम्-बअ़्दि' से मुराद यह हो कि इन नौ औ़रतों के बाद जो इस वक़्त आपके निकाह में हैं और किसी से आपका निकाह हलाल नहीं, कुछ सहाबा और तफ़सीर के इमामों से भी यही मन्क़ूल है, जैसा कि हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने फ़रमाया कि जब अल्लाह तआ़ला ने नबी करीम सल्ल. की पाक बीवियों को इख़्तियार दिया कि दुनिया-तलबी के लिये आपसे जुदाई इख़्तियार करें या फिर तंगी व ख़ुशहाली जो कुछ पेश आये उस पर क़नाअ़त (सब्र) करके आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के निकाह में रहें, तो सब पाक बीवियों ने अपने ख़र्च की ज़्यादती के मुतालबे को छोड़कर उसी हाल में निकाह के अन्दर रहना इख़्तियार किया, तो इस पर ईनाम के तौर पर अल्लाह तआ़ला ने आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की ज़ाते गिरामी को भी उन्हीं नौ बीवियों के लिये मख़्सूस कर दिया, उनके सिवा किसी से निकाह जायज़ न रहा। (बैहक़ी, फ़िस्सुनन, रूहुल-मआ़नी)

और हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने फ़रमाया कि जिस तरह अल्लाह तआ़ला ने पाक बीवियों को आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के लिये मख़्सूस फ़रमा दिया कि आपके बाद भी वे किसी से निकाह नहीं कर सकतीं इसी तरह आपको भी उनके लिये मख़्सूस फ़रमा दिया कि आप उनके अ़लावा और कोई निकाह नहीं कर सकते। हज़रत इक्रिमा रज़ियल्लाहु अ़न्हु से भी एक रिवायत में यही तफ़सीर नक़ल की गयी है।

और तफ़सीर के इमामों में से हज़रत इक्रिमा, हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हुमा और

मुजाहिद रह. से एक रिवायत में लफ़्ज़ "मिम्-बअ़्दि" की यह तफ़सीर नक़ल की गई है कि:

مِنْ بَعْدِ الْاَصْنَافِ الْمَذْكُوْرَةِ

यानी आयत के शुरू में आपके लिये औरतों की जितनी क़िस्में हलाल की गई हैं इसके बाद यानी उनके सिवा किसी और क़िस्म की औरतों से आपका निकाह हलाल नहीं। जैसे आयत के शुरू में अपने ख़ानदान की औरतों में से सिर्फ़ वे हलाल की गईं जिन्होंने मक्का मुकर्रमा से मदीना तय्यिबा हिजरत करने में आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की मुवाफ़क़त की थी, ख़ानदान की औरतों में हिजरत न करने वालियों से आपका निकाह हलाल नहीं रखा गया। इसी तरह मोमिन होने की क़ैद लगाकर आपके लिये अहले किताब (यहूदियों व ईसाईयों) की औरतों से निकाह नाजायज़ क़रार दे दिया गया। तो आयत के जुमले "मिम्-बअ़्दि" का मतलब यह है कि जितनी क़िस्में आपके लिये हलाल कर दी गई हैं सिर्फ़ उन्हीं में से आपका निकाह हो सकता है, आ़म औरतों में तो मुसलमान होना ही शर्त है और ख़ानदान की औरतों में मुसलमान होने के साथ-साथ हिजरत करने वाली होना भी शर्त है। जिनमें ये दो शर्तें मौजूद न हों उनसे आपका निकाह हलाल नहीं। इस तफ़सीर के मुताबिक़ यह जुमला कोई नया हुक्म नहीं, बल्कि पहले ही हुक्म की ताकीद व वज़ाहत है जो आयत के शुरू में बयान हुआ है। और इस आयत की वजह से नौ के बाद किसी और औरत से निकाह हराम नहीं किया गया, बल्कि ग़ैर-मोमिन और ख़ानदान की हिजरत न करने वाली से निकाह वर्जित हुआ है, जो पहले ही मालूम हो चुका है। बाक़ी औरतों से मज़ीद निकाह आपके इख़्तियार में रहा। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा की एक रिवायत से भी इस दूसरी तफ़सीर की ताईद होती है कि आपके लिये मज़ीद निकाह करने की इजाज़त रही है। वल्लाहु आलम

وَلَآ اَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ اَزْوَاجٍ

उपर्युक्त आयत की अगर दूसरी तफ़सीर इख़्तियार की जाये तो इस जुमले का मतलब स्पष्ट है कि अगरचे आपको मौजूदा बीवियों के अ़लावा दूसरी औरतों से निकाह उक्त शर्तों के साथ जायज़ है मगर यह जायज़ नहीं कि एक को तलाक़ देकर उसकी जगह दूसरी को बदलें, यानी ख़ालिस तब्दीली की नीयत से कोई निकाह जायज़ नहीं, बिना इसका लिहाज़ और नीयत किये जितने चाहें निकाह कर सकते हैं।

और अगर उपर्युक्त आयत की पहली तफ़सीर मुराद ली जाये तो मायने यह होंगे कि आईन्दा न किसी औरत का इज़ाफ़ा मौजूदा बीवियों में आप कर सकते हैं, और न किसी की तब्दीली कर सकते हैं कि उसको तलाक़ देकर उसकी जगह किसी और औरत से निकाह कर लें। वल्लाहु सुब्हानहू व तआ़ला आलम

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَدْخُلُوْا بُيُوْتَ النَّبِيِّ اِلَّآ اَنْ يُّؤْذَنَ لَكُمْ اِلٰى طَعَامٍ غَيْرَ نٰظِرِيْنَ اِنٰىهُ وَلٰكِنْ اِذَا دُعِيْتُمْ فَادْخُلُوْا فَاِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوْا وَلَا مُسْتَاْنِسِيْنَ لِحَدِيْثٍ ۭ اِنَّ ذٰلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيٖ مِنْكُمْ ۡ وَاللّٰهُ لَا يَسْتَحْيٖ مِنَ الْحَقِّ ۭ وَاِذَا سَاَلْتُمُوْهُنَّ مَتَاعًا فَسْئَلُوْهُنَّ مِنْ وَّرَاۗءِ

حِجَابٍ ۚ ذٰلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ ۚ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللّٰهِ وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا ۚ إِنَّ ذٰلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللّٰهِ عَظِيمًا ﴿٥٣﴾ إِنْ تُبْدُوا شَيْئًا أَوْ تُخْفُوهُ فَإِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٥٤﴾ لَا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبَائِهِنَّ وَلَا أَبْنَائِهِنَّ وَلَا إِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَاءِ إِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَاءِ أَخَوَاتِهِنَّ وَلَا نِسَائِهِنَّ وَلَا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ ۚ وَاتَّقِينَ اللّٰهَ ۚ إِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ﴿٥٥﴾

या अय्युहल्लज़ी-न आमनू ला तद्ख़ुलू बुयूतन्नबिय्यि इल्ला अंय्युअ्-ज़-न लकुम् इला तआमिन् ग़ै-र नाज़िरी-न इनाहु व लाकिन् इज़ा दुईतुम् फ़द्ख़ुलू फ़-इज़ा तइम्तुम् फ़न्तशिरू व ला मुस्तअ्निसी-न लि-हदीसिन्, इन्-न ज़ालिकुम् का-न युअ्ज़िन्नबिय्-य फ़-यस्तह्यी मिन्कुम् वल्लाहु ला यस्तह्यी मिनल्-हक़्क़ि, व इज़ा सअल्तुमूहुन्-न मताअ़न् फ़स्अलूहुन्-न मिंव्वरा-इ हिजाबिन्, ज़ालिकुम् अत्हरु लिक़ुलूबिकुम् व क़ुलूबिहिन्-न, व मा का-न लकुम् अन् तुअ्ज़ू रसूलल्लाहि व ला अन् तन्किहू अज़्वाजहू मिम्बअ्दिही अ-बदन्, इन्-न ज़ालिकुम् का-न अ़िन्दल्लाहि अ़ज़ीमा (53) इन् तुब्दू शैअन् औ तुख़्फ़ूहु फ़-इन्नल्ला-ह का-न बिकुल्लि शैइन् अ़लीमा (54)

ऐ ईमान वालो! मत जाओ नबी के घरों में मगर जो तुमको हुक्म हो खाने के वास्ते न कि राह देखने वाले उसके पकने की, लेकिन जब तुमको बुलाये तब जाओ फिर जब खा चुको तो आप-आप को चले आओ और न आपस में जी लगाकर बैठो बातों में, तुम्हारी इस बात से तकलीफ़ थी नबी को, फिर तुमसे शर्म करता है और अल्लाह शर्म नहीं करता ठीक बात बतलाने में, और जब माँगने जाओ बीबियों से कुछ चीज़ काम की तो माँग लो पर्दे के बाहर से, इसमें ख़ूब सुथराई है तुम्हारे दिल को और उनके दिल को, और तुमको (हक़) नहीं पहुँचता कि तकलीफ़ दो अल्लाह के रसूल को और न यह कि निकाह करो उसकी औरत से उसके बाद कभी, यक़ीनन तुम्हारी यह बात अल्लाह के यहाँ बड़ा गुनाह है। (53) अगर खोलकर कहो तुम किसी चीज़ को या उसको छुपाओ सो अल्लाह है हर चीज़ को जानने वाला। (54)

ला जुना-ह अ़लैहिन्-न फ़ी आबा-इहिन्-न व ला अब्नाइहिन्-न व ला इख़्वानिहिन्-न व ला अब्ना-इ इख़्वानिहिन्-न व ला अब्ना-इ अ-ख़्वातिहिन्-न व ला निसा-इहिन्-न व ला मा म-लकत् ऐमानुहुन्-न वत्तक़ीनल्ला-ह, इन्नल्ला-ह का-न अ़ला कुल्लि शैइन् शहीदा (55)	गुनाह नहीं उन औरतों को सामने होने का अपने बापों से और न अपने बेटों से और न अपने भाईयों से और न अपने भाई के बेटों से और न अपनी बहन के बेटों से, और न अपनी औरतों से और न अपने हाथ के माल (यानी बाँदियों) से, और ऐ औरतो! डरती रहो अल्लाह से, बेशक अल्लाह के सामने है हर चीज़। (55)

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

ऐ ईमान वालो! नबी के घरों में (बिना बुलाये) मत जाया करो, मगर जिस वक़्त तुमको खाने के लिये (आने की) इजाज़त दी जाये, (तो जाने में कोई हर्ज नहीं, मगर तब भी जाना) ऐसे तौर पर (हो) कि उस (खाने) की तैयारी के मुन्तज़िर न रहो। (यानी बिना दावत के तो जाओ मत और दावत हो तब भी बहुत पहले से मत जा बैठो) लेकिन जब तुमको बुलाया जाये (कि अब चलो खाना तैयार है) तब जाया करो। फिर जब खाना खा चुको तो उठकर चले जाया करो और बातों में जी लगाकर मत बैठे रहा करो, (क्योंकि) इस बात से नबी को नागवारी होती है, सो वह तुम्हारा लिहाज़ करते हैं (और ज़बान से नहीं फ़रमाते कि उठकर चले जाओ) और अल्लाह तआ़ला साफ़-साफ़ बात कहने से (किसी का) लिहाज़ नहीं करता (इसलिये साफ़-साफ़ कह दिया गया)।

और (अब से यह हुक्म किया जाता है कि हज़रत की बीवियाँ तुमसे पर्दा किया करेंगी तो अब से) जब तुम उनसे कोई चीज़ माँगो तो पर्दे के बाहर (खड़े होकर वहाँ) से माँगा करो। (यानी बिना ज़रूरत तो पर्दे के पास जाना और बात करना भी न चाहिए, लेकिन ज़रूरत में बात करने में हर्ज नहीं, मगर बेपर्दगी न होना चाहिये) यह बात (हमेशा के लिये) तुम्हारे दिलों और उनके दिलों के पाक रहने का उम्दा ज़रिया है। (यानी जैसे अब तक दोनों तरफ़ के दिल पाक हैं इससे आईन्दा भी पाकीज़गी न रहने का शुब्हा व गुमान दूर हो गया जो कि ग़ैर-मासूम के एतिबार से अपनी ज़ात के एतिबार से संभव हो सकता था) और (नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को तकलीफ़ देने और सताने का हराम होना सिर्फ़ फ़ुज़ूल जमकर बैठ जाने ही की सूरत में सीमित नहीं बल्कि एक आ़म हुक्म है कि) तुमको (किसी मामले में) जायज़ नहीं कि रसूलुल्लाह (सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम) को तकलीफ़ पहुँचाओ, और न यह जायज़ है कि तुम आपके बाद आपकी बीवियों से कभी भी निकाह करो, यह ख़ुदा के नज़दीक बड़ी भारी (गुनाह और नाफ़रमानी की) बात है। (और जिस तरह यह निकाह नाजायज़ है ऐसे ही इसका ज़बान से ज़िक्र करना या दिल में इरादा करना सब गुनाह है, सो) अगर तुम (इसके मुताल्लिक़) किसी चीज़ को (ज़बान से) ज़ाहिर करोगे या इस (के इरादे) को (दिल में)

छुपाओगे तो अल्लाह तआ़ला (को दोनों की ख़बर होगी, क्योंकि वह) हर चीज़ को अच्छी तरह जानते हैं (पस तुमको उस पर सज़ा देंगे। और हमने जो ऊपर पर्दे का हुक्म दिया है कुछ लोग इससे अलग और बाहर भी हैं जिनका बयान यह है कि) पैग़म्बर की बीवियों पर अपने बापों के (सामने होने के) बारे में कोई गुनाह नहीं, और न अपने बेटों के, (यानी जिसके बेटा हो) और न अपने भाईयों के, और न अपने भतीजों के, और न अपने भानजों के, और न अपनी (दीन में शरीक) औ़रतों के, और न अपनी बाँदियों के (यानी उनके सामने आना जायज़ है)। और (ऐ पैग़म्बर की बीवियो! इन ज़िक्र हुए अहकाम की तामील में) ख़ुदा से डरती रहो (किसी हुक्म के ख़िलाफ़ न होने पाये) बेशक अल्लाह तआ़ला हर चीज़ पर हाज़िर (नाज़िर) है (यानी उससे कोई चीज़ छुपी नहीं, जो इसके ख़िलाफ़ करेगा उसको सज़ा से डरना चाहिए)।

मआ़रिफ़ व मसाईल

ऊपर बयान हुई आयतों में सामाजिक ज़िन्दगी और रहन-सहन के बारे में चन्द इस्लामी आदाब व अहकाम का बयान है जिसका ताल्लुक़ इनसे पहले की आयतों से यह है कि जो आदाब इन आयतों में तालीम किये गये हैं वो शुरूआ़त में नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के मकान और आपकी पाक बीवियों के बारे में नाज़िल हुए हैं, अगरचे इनका हुक्म आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की ज़ात के साथ ख़ास नहीं।

पहला हुक्म- खाने की दावत और मेहमान के कुछ आदाब

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَدْخُلُوْا بُيُوْتَ النَّبِيِّ اِلَّآ اَنْ يُّؤْذَنَ لَكُمْ اِلٰى طَعَامٍ غَيْرَ نٰظِرِيْنَ اِنٰىهُ وَلٰكِنْ اِذَا دُعِيْتُمْ فَادْخُلُوْا فَاِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوْا وَلَا مُسْتَاْنِسِيْنَ لِحَدِيْثٍ.

इसमें खाने की दावत और मेहमानी के मुताल्लिक़ तीन अहकाम का बयान है, और हुक्म अगरचे सब मुसलमानों के लिये आ़म है मगर नाज़िल होने का सबब चूँकि एक ख़ास वाकिआ़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के मकान में हुआ, इसलिये उनवान में नबी के घर का ज़िक्र फ़रमाया गया। पहला यह है कि नबी के मकानात में बग़ैर इजाज़त के दाख़िल न हो:

لَا تَدْخُلُوْا بُيُوْتَ النَّبِيِّ اِلَّآ اَنْ يُّؤْذَنَ لَكُمْ.

दूसरा अदब यह है कि जब दाख़िल होने की इजाज़त बल्कि खाने की दावत भी हो तो वक़्त से पहले आकर खाना तैयार होने के इन्तिज़ार में न बैठ जाओ:

غَيْرَ نٰظِرِيْنَ اِنٰىهُ

नाज़िर के मायने इस जगह मुन्तज़िर के हैं, और लफ़्ज़ इना खाना पकने को कहते हैं। आयत में 'दाख़िल न होने' से एक सूरत को अलग रखा गया है और वह है इजाज़त का दिया जाना। मतलब यह हुआ कि न बिना इजाज़त दाख़िल हो और न वक़्त से पहले आकर खाना पकने का इन्तिज़ार करो बल्कि वक़्त पर जब बुलाया जाये उस वक़्त मकान में दाख़िल हो:

وَلٰكِنْ اِذَا دُعِيْتُمْ فَادْخُلُوْا.

तीसरा अदब यह है कि खाने से फ़ारिग़ हो जाओ तो अपने-अपने कामों में फैल जाओ, दावत के घर में आपस में बातें करने के लिये जमकर न बैठोः

فَاِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوْا وَلَا مُسْتَاْنِسِيْنَ لِحَدِيْثٍ.

मसलाः यह आ़म हालात में है, जहाँ आ़दतन मेहमानों का खाने के बाद देर तक बैठे रहना मेज़बान के लिये परेशानी व नागवारी का सबब हो, चाहे इसलिये कि वह फ़ारिग़ होकर अपने दूसरे कामों में लगना चाहता है या इसलिये कि उनको फ़ारिग़ करके दूसरे मेहमानों को खिलाना मक़सूद है। और जहाँ हालात और आ़दत से यह मालूम हो कि खाने के बाद मेहमानों का देर तक आपस में बातों में मशग़ूल रहना मेज़बान के लिये परेशानी का सबब नहीं वह इससे अलग होगा, जैसा कि आजकल पार्टियों और दावतों में रिवाज हो गया है। इसकी दलील आयत का अगला जुमला है जिसमें इरशाद हैः

اِنَّ ذٰلِكُمْ كَانَ يُؤْذِى النَّبِىَّ فَيَسْتَحْىٖ مِنْكُمْ وَاللّٰهُ لَا يَسْتَحْىٖ مِنَ الْحَقِّ.

यानी खाने के बाद बातों में मशग़ूल होने की मनाही का सबब यह है कि ऐसा करने से नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को तकलीफ़ पहुँचती थी। क्योंकि मेहमानों के खाने का इन्तिज़ाम ज़नाना मकान में होता था, वहाँ मेहमानों का देर तक ठहरना घर वालों के लिये परेशानी का सबब होना ज़ाहिर है।

आयंत में यह भी इरशाद फ़रमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व.सल्लम को अगरचे मेहमानों के इस व्यवहार से तकलीफ़ पहुँचती है मगर चूँकि खुद अपने घर के मेहमान हैं इस हालत में उनको अदब सिखाने से शर्म रुकावट बनती है, मगर हक़ बात के इज़हार में अल्लाह तआ़ला हया (शर्म) नहीं करता।

मसलाः इस जुमले से मेहमानों के इकराम और ख़ातिरदारी का कितना बड़ा एहतिमाम मालूम हुआ कि अगरचे मेहमानी के आदाब सिखाना आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के फ़राईज़ में था मगर अपना मेहमान होने की हालत में आपने इसको भी बाद के लिये छोड़ दिया, यहाँ तक कि खुद हक़ तआ़ला ने क़ुरआन में यह अदब सिखाने का एहतिमाम फ़रमाया।

दूसरा हुक्म- औ़रतों का पर्दा

وَاِذَا سَاَلْتُمُوْهُنَّ مَتَاعًا فَسْئَلُوْهُنَّ مِنْ وَّرَآءِ حِجَابٍ، ذٰلِكُمْ اَطْهَرُ لِقُلُوْبِكُمْ وَقُلُوْبِهِنَّ.

इसमें भी अगरचे आयत के एक ख़ास वाक़िए में नाज़िल होने के सबब बयान और ताबीर में ख़ास नबी करीम सल्ल. की पाक बीवियों का ज़िक्र है मगर हुक्म सारी उम्मत के लिये आ़म है। खुलासा हुक्म का यह है कि औ़रतों से अगर दूसरे मर्दों को कोई इस्तेमाली चीज़ बर्तन, कपड़ा वग़ैरह लेना ज़रूरी हो तो सामने आकर न लें बल्कि पर्दे के पीछे से माँगें। और फ़रमाया कि यह पर्दे का हुक्म मर्दों और औ़रतों दोनों के दिलों को नफ़्सानी वस्वसों (बुरे ख़्यालात) से पाक रखने के लिये दिया गया है।

औ़रतों के पर्दे की ख़ास अहमियत

इस जगह यह बात ग़ौर करने के क़ाबिल है कि पर्दे के ये अहकाम जिन औ़रतों मर्दों को दिये

गये हैं उनमें औरतें तो नबी करीम सल्ल. की पाक बीवियाँ हैं जिनके दिलों को पाक-साफ़ रखने का हक़ तआ़ला ने ख़ुद ज़िम्मा ले लिया है, जिसका ज़िक्र इससे पहले गुज़री आयत 33:

لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ

में तफ़सील से आ चुका है। दूसरी तरफ़ जो मर्द मुख़ातब हैं वे नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के सहाबा किराम हैं जिनमें बहुत से हज़रात का मुक़ाम फ़रिश्तों से भी आगे है।

लेकिन इन सब बातों के होते हुए उनके दिलों की पाकीज़गी और नफ़्सानी ख़्यालात से बचने के लिये यह ज़रूरी समझा गया कि मर्द व औरत के बीच पर्दा कराया जाये। आज कौन है जो अपने नफ़्स को सहाबा किराम के पाक नफ़्सों से और अपनी औरतों के नफ़्सों को नबी करीम सल्ल. की पाक बीवियों के नफ़्सों से ज़्यादा पाक होने का दावा कर सके और यह समझे कि हमारा औरतों के साथ मिलना-जुलना किसी ख़राबी का सबब नहीं है?

इन आयतों के नाज़िल होने के असबाब

इन आयतों के नाज़िल होने के सबब के बारे में चन्द वाक़िआ़त बयान किये जाते हैं जिनमें कोई टकराव नहीं, हो सकता है कि तमाम वाक़िआ़त ही आयतों के नाज़िल होने का सबब बने हों। आयत के शुरू में जो मेहमानी के आदाब बयान हुए कि बग़ैर बुलाये खाने के लिये न जायें, और खाने के इन्तिज़ार में न बैठें। इसके उतरने का सबब इब्ने अबी हातिम ने सुलैमान बिन अरक़म से यह नक़ल किया है कि यह आयत उन बोझल लोगों के बारे में नाज़िल हुई जो बग़ैर दावत के किसी मकान में जा बैठें और खाने का इन्तिज़ार करें।

और इमाम अ़ब्द बिन हुमैद ने हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत किया है कि यह आयत उन बाज़े लोगों के बारे में नाज़िल हुई जो इन्तिज़ार में रहते और खाने के वक़्त से पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के मकान में जाकर बैठ जाते और आपस की बातों में मशग़ूल रहते, यहाँ तक कि खाना तैयार हो जाता तो उसमें शरीक हो जाते। ऐसे लोगों के लिये ये हिदायतें जारी हुईं जो आयत के शुरू में बयान हुई हैं। ये वाक़िआ़त पर्दे के अहकाम नाज़िल होने से पहले के हैं, जब आ़म मर्द ज़नाना मकान में आते जाते रहते थे।

दूसरा हुक्म जो औरतों के पर्दे से मुताल्लिक़ है उसके शाने नुज़ूल में इमाम बुख़ारी की दो रिवायतें हैं- एक रिवायत हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अ़न्हु से यह है कि हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से अ़र्ज़ किया कि या रसूलल्लाह! आपके पास अच्छे-बुरे हर तरह के आदमी आते जाते हैं, अगर आप अपनी पाक बीवियों को पर्दा करने का हुक्म दे दें तो बेहतर मालूम होता है, इस पर पर्दे की यह आयत नाज़िल हुई।

बुख़ारी व मुस्लिम में हज़रत फ़ारूक़े आज़म रज़ियल्लाहु अ़न्हु का यह क़ौल मन्क़ूल है कि उन्होंने फ़रमायाः

وافقتُ ربّی فی ثلٰث قلت یارسول اللّٰه لو اتخذت فی مقام ابراهیم مصلّٰی فانزل اللّٰه تعالٰی وَاتَّخِذُوْا مِنْ مَّقَامِ اِبْرٰهِيْمَ مُصَلًّى. وَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ نِسَآءَ كَ يَدْخُلُ عَلَيْهِنَّ الْبَرُّ وَالْفَاجِرُ فَلَوْ حجبتهن فَاَنْزَلَ اللّٰهُ اٰيَةَ

الْحِجَابِ وَقُلْتُ لِأَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا تمالان عَلَيْهِ فِي الْغَيْرَةِ عَسٰى رَبُّهٗ إِنْ طَلَّقَكُنَّ اَنْ يُّبْدِلَهٗ اَزْوَاجًا خَيْرًا مِّنْكُنَّ فَنَزَلَتْ كَذٰلِكَ.

"मैंने मुवाफ़क़त की अपने रब के साथ तीन चीज़ों में- एक यह कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से अ़र्ज़ किया कि मक़ामे इब्राहीम को अपनी नमाज़ की जगह बना लें, इस पर अल्लाह तआ़ला ने यह आयत नाज़िल फ़रमाईः

وَاتَّخِذُوْا مِنْ مَّقَامِ اِبْرٰهِيْمَ مُصَلًّى

(यानी सूरः ब-क़रह की आयत नम्बर 125) और मैंने आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से यह अ़र्ज़ किया कि आपकी पाक बीवियों के सामने हर नेक व बद इनसान आता है, बेहतर हो कि आप उनको पर्दा करायें। इस पर पर्दे की आयत नाज़िल हो गई। और जब पाक बीवियों में आपस में ग़ैरत व रश्क बढ़ने लगा तो मैंने उनसे कहा कि अगर रसूलुल्लाह तुम्हें तलाक़ दे दें तो बईद नहीं कि अल्लाह आपको तुम से बेहतर बीवियाँ अ़ता फ़रमा दें। चुनाँचे ठीक इन्हीं अलफ़ाज़ के साथ क़ुरआन नाज़िल हो गया।"

फ़ायदाः हज़रत फ़ारूके आज़म रज़ियल्लाहु अ़न्हु का अपने कलाम में अदब ग़ौर करने के क़ाबिल है कि बज़ाहिर कहना यह था कि तीन चीज़ों में मेरे रब ने मेरी मुवाफ़क़त फ़रमाई।

एक दूसरा वाक़िआ़ हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अ़न्हु ही की रिवायत से ही बुख़ारी में यह आया कि हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने फ़रमाया कि पर्दे की आयत की हक़ीक़त से मैं सबसे ज़्यादा वाक़िफ़ हूँ क्योंकि मैं उस वाक़िए में हाज़िर था जबकि हज़रत ज़ैनब बिन्ते जहश रज़ियल्लाहु अ़न्हा निकाह के बाद रुख़्सत होकर हुज़ूरे पाक के हरम में दाख़िल हुईं और मकान में आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के साथ मौजूद थीं। आपने वलीमे के लिये कुछ खाना पकवाया और लोगों को दावत दी, खाने के बाद कुछ लोग वहीं जमकर आपस में बातें करने के लिये बैठ गये। तिर्मिज़ी की रिवायत में है कि आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम भी वहीं तशरीफ़ रखते थे और उम्मुल-मोमिनीन ज़ैनब रज़ियल्लाहु अ़न्हा भी उसी जगह मौजूद थीं जो शर्म की वजह से दीवार की तरफ़ अपना रुख़ फेरे हुए बैठी थीं। उन लोगों के इस तरह देर तक बैठने से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को तकलीफ़ हुई, आप घर से बाहर तशरीफ़ लाये और दूसरी पाक बीवियों के पास मुलाक़ात व सलाम के लिये तशरीफ़ ले गये। जब आप फिर घर में वापस आये तो ये लोग वहीं मौजूद थे, आपके लौटने के बाद इन लोगों को एहसास हुआ तो इधर-उधर हो गये। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम मकान के अन्दर तशरीफ़ लाये तो थोड़ा सा वक़्त गुज़रा था कि आप फिर बाहर तशरीफ़ लाये, मैं वहाँ मौजूद था। आपने पर्दे की यह आयत जो उसी वक़्त नाज़िल हुई थी पढ़कर सुनाईः

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَدْخُلُوْا بُيُوْتَ النَّبِيِّ........ الاٰية

हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने यह वाक़िआ़ नक़ल करके फ़रमाया कि मैं इन आयतों के नाज़िल होने में सबसे ज़्यादा क़रीब हूँ कि मेरे सामने ही नाज़िल हुई हैं। (तिर्मिज़ी, किताबुत्तफ़सीर)

हिजाब की आयतों के नाज़िल होने के कारणों में ये तीन वाक़िआ़त हदीस की रिवायतों में

मज़कूर हैं, इनमें कोई टकराव नहीं। हो सकता है कि तीनों वाकिआत ही इन आयतों के नाज़िल होने का सबब बने हों।

तीसरा हुक्म

नबी करीम सल्ल. की पाक बीवियों का आपकी वफ़ात के बाद किसी से निकाह जायज़ नहीं:

وَمَا كَانَ لَكُمْ اَنْ تُؤْذُوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَلَآ اَنْ تَنْكِحُوْٓا اَزْوَاجَهٗ مِنْۢ بَعْدِهٖٓ اَبَدًا.

इसके पहले जुमले में तो आम अलफ़ाज़ में ऐसे हर कौल व फ़ेल को हराम कर दिया जिससे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को ईज़ा व तकलीफ़ पहुँचे, इसके बाद यह हुक्म दिया गया कि आपकी पाक बीवियों से आपकी वफ़ात के बाद किसी का निकाह हलाल नहीं।

उपरोक्त आयतों में ऊपर जितने अहकाम आये हैं उनमें अगरचे ख़िताब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम और आपकी पाक बीवियों को हुआ है, मगर हुक्म आम है सारी उम्मत के लिये, सिवाय इस आख़िरी हुक्म के कि आम उम्मत के लिये कानून यह है कि शौहर की वफ़ात के बाद जब इद्दत गुज़र जाये तो उसकी बीवी दूसरे आदमी से निकाह कर सकती है, नबी करीम सल्ल. की पाक बीवियों के लिये यह ख़ुसूसी हुक्म है कि वे आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की वफ़ात के बाद किसी से निकाह नहीं कर सकतीं।

इसकी वजह यह भी हो सकती है कि कुरआनी वज़ाहत के मुताबिक वे 'उम्महातुल-मोमिनीन' (मुसलमानों की रूहानी माँयें) हैं और अगरचे उनके माँयें होने का असर उनकी रूहानी औलाद पर नहीं पड़ता कि वे सब बहन-भाई होकर आपस में निकाह न कर सकें, मगर उनकी अपनी ज़ात की हद तक निकाह से रोक दिये जाने का हुक्म दिया गया।

यह भी कहा जा सकता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अपनी कब्र शरीफ़ में ज़िन्दा हैं, आपकी वफ़ात का दर्जा ऐसा है जैसे कोई ज़िन्दा शौहर घर से ग़ायब हो इसी लिये आपकी मीरास तकसीम नहीं हुई, इसी बिना पर आपकी पाक बीवियों का वह हाल नहीं जो आम शौहरों की वफ़ात पर उनकी बीवियों का होता है।

यह हिक्मत भी है कि शरई कायदे से जन्नत में हर औरत अपने आख़िरी शौहर के साथ रहेगी। हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपनी बीवी को वसीयत फ़रमाई थी कि अगर तुम जन्नत में मेरी बीवी रहो तो मेरे बाद कोई दूसरा निकाह न करना, क्योंकि जन्नत में औरत अपने आख़िरी शौहर को मिलेगी। (तफ़सीरे कुर्तुबी)

इसलिये पाक बीवियों को जो शर्फ़ (रुतबा व सम्मान) हक तआला ने दुनिया में आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की बीवी बनने का अता फ़रमाया है उसको आख़िरत और जन्नत में भी बाकी रखने के लिये उनका निकाह किसी दूसरे से हराम कर दिया गया।

इसके अलावा तबई तौर पर कोई शौहर इसको पसन्द नहीं करता कि उसकी बीवी दूसरे के निकाह में जाये, मगर इस तबई इच्छा का पूरा करना आम लोगों के लिये शरई तौर पर ज़रूरी नहीं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की इस तबई इच्छा का भी हक तआला ने एहतिराम फ़रमाया, यह आपका ख़ुसूसी सम्मान है।

मसलाः इस पर तो उम्मत का इत्तिफ़ाक़ है कि नबी करीम सल्ल. की जो पाक बीवियाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की वफ़ात तक आपके हरम में रहीं उन सब का यही हुक्म है लेकिन जिनको आपने तलाक़ दे दी या किसी दूसरी वजह से ये आपके निकाह से अलग हो गईं उनके बारे में उम्मत के फ़ुक़हा के अलग-अलग अक़वाल हैं, जिनको क़ुर्तुबी ने तफ़सील से लिखा है।

اِنَّ ذٰلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللّٰهِ عَظِيْمًا ٥

यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को किसी तरह से ईज़ा व तकलीफ़ पहुँचाना या आपकी वफ़ात के बाद आपकी बीवियों से निकाह करना अल्लाह तआ़ला के नज़दीक बड़ा गुनाह है।

اِنْ تُبْدُوْا شَيْئًا اَوْ تُخْفُوْهُ فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا ٥

आयत के आख़िर में फिर इस मज़मून को दोहराया गया कि अल्लाह तआ़ला दिलों के इरादों और ख़्यालों से भी वाक़िफ़ है, तुम किसी चीज़ को छुपाओ या ज़ाहिर करो अल्लाह तआ़ला के सामने ज़ाहिर ही है। इसमें ताकीद है कि उपरोक्त अहकाम में किसी क़िस्म का शक व शुब्हा या वस्वसा दिल में पैदा न होने दें और ऊपर बयान हुए अहकाम की मुख़ालफ़त से बचने की पूरी पाबन्दी करें।

उपरोक्त आयत में तीन अहकाम बयान किये गये हैं, उनमें औ़रतों के पर्दे का मसला कई वजह से तफ़सील चाहता है इसलिये ज़रूरत के मुताबिक़ लिखा जाता है।

पर्दे के अहकाम

बेहयाई व बुराई रोकने का इस्लामी निज़ाम

बेहयाई, बदकारी, ज़िना और उसकी तरफ़ ले जाने वाली दुनिया की तबाह करने वाली बुराईयों में से है जिनके तबाहकुन असरात सिर्फ़ व्यक्तियों व अफ़राद को नहीं बल्कि क़बीलों और ख़ानदानों को और कई बार बड़े-बड़े मुल्कों को तबाह कर देते हैं। इस वक़्त में दुनिया में जितने क़त्ल व ग़ारतगरी के वाक़िआ़त पाये जाते हैं अगर सही तहक़ीक़ की जाये तो अक्सर वाक़िआ़त के पीछे कोई औ़रत और जिन्सी जज़्बात का जाल नज़र आयेगा। यही वजह है कि जब से दुनिया पैदा हुई है इसमें कोई क़ौम, कोई मज़हब, कोई इलाक़ा ऐसा नहीं जो इसकी बुराई और तबाह करने वाले ऐब होने पर मुत्तफ़िक़ (सहमत) न हो।

दुनिया के इस आख़िरी दौर में यूरोपियन क़ौमों ने अपनी मज़हबी हदों और पुरानी व मज़बूत परम्पराओं सब को तोड़कर अगरचे ज़िना को अपनी ज़ात में जुर्म ही नहीं रखा और संस्कृति व माहौल को ऐसे साँचों में ढाल दिया है जिनमें हर क़दम पर जिन्सी बेइन्तिज़ामी और बेहयाई व बुराई को आ़म दावत है, मगर इनके परिणाम व नतीजों को वे भी जुर्मों से ख़ारिज न कर सके। आबरू बेचने (वैश्यावृत्ति), बलात्कार, खुलेआ़म गन्दी और बेहयाई की हरकतों को क़ाबिले सज़ा जुर्म क़रार देना पड़ा जिसकी मिसाल इसके सिवा कुछ नहीं कि कोई शख़्स आग लगाने के लिये सोख़्ते का ज़ख़ीरा जमा करे फिर उस पर तेल छिड़के फिर उसमें आग लगाये, और जब उसके शोले भड़कने लगें तो उन शोलों पर पाबन्दी लगाने और रोकने की फ़िक्र करे। हण्डिया पकाने के लिये उसके नीचे आग जलाये

फिर उसके उबाल और जोश को रोकना चाहे।

जबकि इस्लाम ने इसके विपरीत यह किया कि जिन चीज़ों को अपराध और इनसानियत के लिये नुक़सानदेह क़रार देकर क़ाबिले सज़ा जुर्म कहा है उनकी तरफ़ लेजाने वाली चीज़ों पर भी पाबन्दियाँ लगा दीं और उनको मना क़रार दिया है। इस मामले में असली मक़सद ज़िना और बदकारी से बचाना था तो इसको नज़र नीची रखने के क़ानून से शुरू किया, औरतों मर्दों के बेधड़क मेल-मिलाप को रोका, औरतों को घरों की चार दीवारी में सीमित रखने की हिदायत की और ज़रूरत के वक़्त बाहर निकलने के लिये भी बुरक़ा या लम्बी चादर से पूरा बदन छुपाकर निकलने और सड़क के किनारे चलने की हिदायत की, ख़ुशबू लगाकर या बजने वाला ज़ेवर पहनकर निकलने की मनाही की। फिर जो शख़्स इन सब हदों, क़ैदों और पाबन्दियों के घेरे को फाँदकर बाहर निकल जाये उस पर ऐसी सख़्त सबक़ लेने वाली सज़ा जारी की कि एक मर्तबा किसी बदकार पर जारी कर दी जाये तो पूरी क़ौम को मुकम्मल सबक़ मिल जाये।

यूरोप वालों और उनके पैरोकारों ने अपनी बेहयाई व बदकारी के जवाज़ (सही ठहराने) में औरतों के पर्दे को औरतों की सेहत और माली व आर्थिक हैसियत से समाज के लिये नुक़सानदेह साबित करने और बेपर्दा रहने के फ़ायदों की बहसें की हैं। उनका तफ़सील से जवाब मौजूदा ज़माने के बहुत से उलेमा ने मुफ़स्सल किताबों में लिख दिया है, उसके मुताल्लिक़ यहाँ इतना समझ लेना भी काफ़ी है कि फ़ायदे और नफ़े से तो कोई जुर्म व गुनाह भी ख़ाली नहीं, चोरी, डाका, धोखा, फ़रेब एक एतिबार से बड़े नफ़े का कारोबार है, मगर जब इसके परिणामों व नतीजों में आने वाले तबाहकुन नुक़सानात सामने आते हैं तो कोई शख़्स इनको फ़ायदे का कारोबार कहने की जुर्रत नहीं करता। बेपर्दगी में अगर कुछ माली और आर्थिक फ़ायदे भी हों मगर जब पूरे मुल्क व क़ौम को हज़ारों फ़ितने फ़साद में मुब्तला कर दे तो फिर इसको फ़ायदेमन्द कहना किसी अक़्लमन्द का काम नहीं हो सकता।

जराईम की रोकथाम के लिये इस्लाम में माध्यमों और असबाब की रोकथाम का सुनहरा उसूल और इसमें दरमियानी रास्ता

जिस तरह उसूली अक़ीदे- तौहीद, रिसालत, आख़िरत तमाम अम्बिया अ़लैहिमुस्सलाम की शरीअ़तों में साझा और माने हुए चले आये हैं, इसी तरह आ़म गुनाह, बेहयाई और बुराईयाँ हर शरीअ़त व मज़हब में हराम क़रार दिये गये हैं। लेकिन पिछली शरीअ़तों में इनके असबाब व माध्यम को पूरी तरह हराम नहीं किया गया था जब तक कि उनके ज़रिये कोई जुर्म वाक़े न हो जाये।

नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की शरीअ़त चूँकि क़ियामत तक रहने वाली शरीअ़त थी इसलिये इसकी हिफ़ाज़त का अल्लाह तआ़ला की तरफ़ से ख़ास एहतिमाम यह किया गया कि गुनाहों व अपराध तो हराम थे ही उन असबाब व ज़रियों (माध्यमों और तरीक़ों) को भी हराम क़रार दे दिया गया जो ज़्यादातर उन जुर्मों तक पहुँचाने वाले हैं, जैसे शराब पीने को हराम किया गया तो शराब बनाने, बेचने, ख़रीदने और किसी को देने को भी हराम क़रार दे दिया गया। सूद को हराम करना था तो सूद से मिलते-जुलते मामलात को भी नाजायज़ कर दिया गया। इसी लिये दीन के उलेमा हज़रात

ने तमाम फ़ासिद मामलात से हासिल होने वाले नफ़े को सूद की तरह ख़बीस और बुरा माल क़रार दिया। शिर्क व बुतपरस्ती को क़ुरआन ने भारी ज़ुल्म और नाक़ाबिले माफ़ी जुर्म क़रार दिया तो उसके असबाब व ज़रियों पर भी कड़ी पाबन्दी लगा दी। सूरज के निकलने, छुपने और दिन के बीच में होने के वक़्तों में चूँकि मुश्रिक लोग सूरज की पूजा करते थे, इन वक़्तों में नमाज़ पढ़ी जाती तो सूरज के पुजारियों के साथ एक तरह की समानता हो जाती, फिर यह समानात (और ज़ाहिरी मुवाफ़क़त) किसी वक़्त ख़ुद शिर्क में मुब्तला होने का सबब बन सकती थी, इसलिये शरीअ़त ने इन वक़्तों में नमाज़ और सज्दे को भी हराम व नाजायज़ कर दिया। बुतों के मुजस्समे और तस्वीरें चूँकि बुत-परस्ती का क़रीब ज़रिया थीं इसलिये बुत बनाने और तस्वीर बनाने को हराम और इनके इस्तेमाल को नाजायज़ कर दिया गया।

इसी तरह जबकि शरीअ़त ने ज़िना को हराम क़रार दिया तो उसके तमाम क़रीबी असबाब और ज़रियों (माध्यमों) को भी हराम होने वाली चीज़ों में दाख़िल कर दिया। किसी अजनबी औरत या मर्द पर जिन्सी इच्छा से नज़र डालने को आँखों का ज़िना क़रार दिया, उसका कलाम सुनने को कानों का, उसके छूने को हाथों का, उसके लिये कोशिश व मेहनत में चलने को पाँव का ज़िना फ़रमाया जैसा कि सही हदीस में आया है। इन्हीं जुर्मों से बचाने के लिये औरतों के वास्ते पर्दे के अहकाम नाज़िल हुए।

मगर असबाब व ज़रियों का निकट व दूर होना एक लम्बा सिलसिला है, अगर दूर तक इस सिलसिले को रोका जाये तो ज़िन्दगी दुश्वार हो जाये और अ़मल में बड़ी तंगी पेश आ जाये, जो इस शरीअ़त के मिज़ाज के ख़िलाफ़ है। क़ुरआने करीम का इसके बारे में खुला हुआ ऐलान यह है कि:

مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ

"यानी दीन में तुम्हारे ऊपर कोई तंगी नहीं डाली गई।" इसलिये असबाब व ज़रियों (माध्यमों) के मामले में यह हकीमाना फ़ैसला किया गया कि जो काम व आमाल किसी नाफ़रमानी का ऐसा क़रीबी सबब हों कि आ़म आ़दत के एतिबार से उसका करने वाला उस नाफ़रमानी व गुनाह में ज़रूर मुब्तला हो ही जाता है, ऐसे क़रीबी असबाब को इस्लामी शरीअ़त ने असल गुनाह व नाफ़रमानी के साथ जोड़ करके उसको भी हराम कर दिया, और जो दूर के असबाब हैं कि उनके अ़मल में लाने से नाफ़रमानी में मुब्तला होना आ़दतन लाज़िम व ज़रूरी तो नहीं मगर कुछ न कुछ दख़ल गुनाह में ज़रूर है ऐसे असबाब व ज़रियों को मक्रूह क़रार दिया। और जो असबाब उनसे भी ज़्यादा दूर के हैं कि नाफ़रमानी में उनका दख़ल इत्तिफ़ाक़न और बहुत कम है उनको नज़र-अन्दाज़ करके मुबाहात (जायज़ और गुंजाईश वाली चीज़ों) में दाख़िल कर दिया।

पहले मसले की मिसाल शराब बेचना है कि यह शराब पीने का क़रीबी सबब है, इसको भी शरीअ़त ने इसी तरह हराम कर दिया जिस तरह शराब पीना हराम है। किसी ग़ैर-औ़रत को जिन्सी इच्छा के साथ हाथ लगाना अगरचे ऐन ज़िना नहीं मगर उसका क़रीबी सबब है, शरीअ़त ने इसको इसी की तरह हराम क़रार दे दिया।

और दूसरे मसले की मिसाल यह है कि किसी ऐसे शख़्स के हाथ अंगूर बेचना जिसके मुताल्लिक़ मालूम है कि वह उससे शराब ही बनाता है, उसका पेशा यही है, या उसने स्पष्ट रूप से कह दिया है

कि मैं इस काम के लिये ख़रीद रहा हूँ। यह अगरचे शराब बेचने के दर्जे में हराम तो नहीं मगर मक्रूह व नाजायज़ यह भी है। यही हुक्म सिनेमा हॉल बनाने या सूदी बैंक चलाने के लिये ज़मीन मकान किराये पर देने का है कि मामले के वक़्त जब मालूम हो कि यह इस मकान को नाजायज़ काम के लिये ले रहा है तो किराये पर देना मक्रूह-ए-तहरीमी और नाजायज़ है।

तीसरे दर्जे की मिसाल यह है कि आम लोगों के हाथ अंगूर बेचे जायें, जिसमें यह भी मुम्किन है कि कोई शख़्स उनसे शराब बना ले, मगर न उसने इसका इज़हार किया न हमारे इल्म में वह ऐसा शख़्स है जो शराब बनाता है तो शरीअ़त में इस तरह की ख़रीद व बेच मुबाह व जायज़ क़रार दी।

ज़रूरी तंबीह

यहाँ यह बात याद रखना ज़रूरी है कि इस्लामी शरीअ़त ने जिन कामों को गुनाह का क़रीबी सबब पहले दर्जे का क़रार देकर हराम कर दिया, इस हराम होने के हुक्म के बाद वह सब के लिये बिल्कुल हराम है चाहे गुनाह में मुब्तला होने का सबब बने या न बने, अब वह ख़ुद एक शरई हुक्म है जिसकी मुख़ालफ़त करना हराम है।

इस शुरूआ़ती कलाम के बाद यह समझिये कि शरअ़न औ़रतों का पर्दा भी इसी असबाब व ज़राये को रोकने के उसूल पर आधारित है कि पर्दे का छोड़ना सबब है गुनाह और नाफ़रमानी में मुब्तला होने का, इसमें भी असबाब की मज़कूरा क़िस्मों के अहकाम जारी होंगे। जैसे किसी जवान मर्द के सामने जवान औ़रत को अपना बदन खोलना गुनाह में मुब्तला होने का ऐसा क़रीबी सबब है कि अक्सरी आ़दत के एतिबार से इस पर गुनाह का मुरत्तब होना लाज़िमी जैसा है, इसलिये यह तो शरई ज़िना की तरह हराम हो गया, क्योंकि शरीअ़त में इस अ़मल को बदकारी व बेहयाई का हुक्म क़रार दे दिया गया है, अब वह बिल्कुल हराम है। अगरचे मामला किसी मासूम (गुनाहों से सुरक्षित) के साथ हो या कोई शख़्स अपने नफ़्स पर मुकम्मल क़ाबू रखने की वजह से मुत्मईन होकर गुनाह से बच जायेगा। इलाज वग़ैरह की ज़रूरत के मौक़े इस हुक्म से बाहर हैं, उससे हराम होने के असल हुक्म पर कोई असर नहीं पड़ता। यह मसला समय और हालात से भी मुतास्सिर नहीं होता, इस्लाम के शुरूआ़ती दौर में भी इसका हुक्म वही था जो आज गुनाहों व बदकारी के ज़माने में है।

पर्दे को छोड़ने का दूसरा दर्जा यह है कि घरों की चार दीवारी से बाहर बुरक़े या लम्बी चादर से पूरा बदन छुपाकर बाहर निकले, यह दूर का सबब है फ़ितने का। इसका हुक्म यह है कि अगर ऐसा करना फ़ितने का सबब हो तो नाजायज़ है और जहाँ फ़ितने का ख़ौफ़ न हो वहाँ जायज़ है। इसी लिये इसका हुक्म ज़माने और हालात के बदलने से बदल सकता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के ज़माने में इस तरह औ़रतों का निकलना फ़ितने व ख़राबी का सबब नहीं था इसी लिये आपने औ़रतों को बुरक़े वग़ैरह में सारा बदन छुपाकर मस्जिदों में आने की चन्द शर्तों के साथ इजाज़त दी थी और उनको मस्जिद में आने से रोकने को मना फ़रमाया था। अगरचे उस वक़्त भी उनको रुचि व तरग़ीब इसी की दी थी कि नमाज़ अपने घरों में अदा करें, क्योंकि उनके लिये मस्जिदों में आने से ज़्यादा सवाब घर में पढ़ने का है, मगर फ़ितने का ख़ौफ़ न होने के सबब मना नहीं फ़रमाया था।

आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की वफ़ात के बाद सहाबा किराम ने देखा कि अब औ़रतों का

मस्जिदों में आना फ़ितने से ख़ाली नहीं रहा चाहे बुरक़े या चादर वग़ैरह लपेटकर आयें, तो उन हज़रात ने सर्वसम्मति और इत्तिफ़ाक़े राय से औरतों को मस्जिदों की जमाअ़त में आने से रोक दिया। हज़रत सिद्दीक़ा आयशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा ने फ़रमाया कि अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम आज के हालात को देखते तो ज़रूर औरतों को मस्जिदों में आने से रोक देते। इससे मालूम हुआ कि सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अ़न्हुम का फ़ैसला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के फ़ैसले से अलग नहीं बल्कि आपने जिन शर्तों की बिना पर इजाज़त दी थी अब वो शर्तें न रहीं तो हुक्म आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ही के फ़ैसले से बदल गया।

औरतों के पर्दे का बयान क़ुरआने करीम की सात आयतों में आया है। तीन सूरः नूर में गुज़र चुकी हैं चार आयतें सूरः अहज़ाब में हैं जिनमें से एक पहले आ चुकी है और यह आयत है जिसका बयान चल रहा है बाक़ी आगे आयेंगी, जिनमें पर्दे के दर्जों का निर्धारण और अहकाम की तफ़सील और जो उस हुक्म से अलग और छूट वाले हैं उनका विस्तृत बयान है। इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की सत्तर से ज़्यादा हदीसों में क़ौली व अ़मली तौर पर पर्दे के अहकाम बतलाये गये हैं, उन सब को एक जगह मालूम करने के लिये अहक़र ने एक मुस्तक़िल रिसाला "तफ़सीलुल्-ख़िताब फ़ी तफ़सीरि आयातिल्-हिजाब" के नाम से लिख दिया है जो अ़रबी भाषा में अहकामुल-क़ुरआन सूरः अहज़ाब का भाग होकर प्रकाशित हो चुका है। क़ुरआन की इस तफ़सीर में हर आयत की तफ़सीर तो अपनी अपनी जगह पर आती है बाक़ी रिसाले के मज़ामीन के चन्द ज़रूरी हिस्से यहाँ लिखे जाते हैं।

पर्दे का हुक्म नाज़िल होने का इतिहास

औरतों और मर्दों में बेपर्दा और बेरोक-टोक मेल-मिलाप तो दुनिया की पूरी तारीख़ में आदम अ़लैहिस्सलाम से लेकर ख़ातिमुल-अम्बिया सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम तक किसी ज़माने में दुरुस्त नहीं समझा गया, और सिर्फ़ मज़हबी और शरीअ़त वाले लोग ही नहीं दुनिया के आ़म शरीफ़ ख़ानदानों में ऐसे मेल-मिलाप को जायज़ नहीं रखा गया।

हज़रत मूसा अ़लैहिस्सलाम के मद्यन के सफ़र के वक़्त जिन औरतों का अपनी बकरियों को पानी पिलाने के लिये अलग रोके हुए खड़े होने का ज़िक्र है उसकी वजह यही बतलाई गई है कि उन औरतों ने मर्दों की भीड़ में घुसना पसन्द नहीं किया, सब के बाद बचे हुए पानी पर क़नाअ़त की। हज़रत ज़ैनब बिन्ते जहश रज़ियल्लाहु अ़न्हा जिनके निकाह के वक़्त पर्दे की पहली आयत नाज़िल हुई है उसके नाज़िल होने से पहले भी उनके घर में बैठने की यह सूरत बयान की हैः

وَهِيَ مُوَلِّيَةٌ وَجْهَهَا إِلَى الْحَائِطِ

"यानी वह अपना रुख़ दीवार की तरफ़ फेरे हुए बैठी थीं।" (जामे तिर्मिज़ी)

इससे मालूम हुआ कि पर्दे का हुक्म नाज़िल होने से पहले भी औरतों मर्दों में बेधड़क और बिना रोक-टोक के मिलना-जुलना और बेतकल्लुफ़ मुलाक़ात व बातचीत का रिवाज शरीफ़ और नेक लोगों में कहीं न था। क़ुरआने करीम में जिस पहली जाहिलीयते और उसमें औरतों के बेपर्दा फिरने और

बाहर निकलने का ज़िक्र है वह भी अ़रब के शरीफ़ ख़ानदानों में नहीं बल्कि बाँदियों और आवारा औ़रतों में था, अ़रब के शरीफ़ ख़ानदान उसको बुरा और ऐब की बात समझते थे, अ़रब की पूरी तारीख़ इसकी गवाह है। हिन्दुस्तान में हिन्दू, बुद्धमत और दूसरे मुश्रिकाना मज़हब वालों में औ़रतों मर्दों के बीच बेरोक-टोक के मिलना-जुलना गवारा न था। यह मर्दों के कन्धे से कन्धा मिलाकर काम करने के दावे और बाज़ारों और सड़कों पर परेड़ करने और तालीम से लेकर ज़िन्दगी के हर क्षेत्र और मैदान में मर्द व औ़रत के बेतकल्लुफ़ मेल-जोल, दावतों और क्लबों में बेतकल्लुफ़ मुलाक़ातों का सिलसिला सिर्फ़ यूरोपियन क़ौमों की बेहयाई और बदकारी की पैदावार है, जिसमें ये क़ौमें भी अपने अतीत से हट जाने के बाद मुब्तला हुई हैं। पुराने ज़माने में इनकी भी यह सूरत न थी। हक़ तआ़ला ने जिस तरह औ़रत की जिस्मानी बनावट को मर्दों से अलग रखा है इसी तरह उनकी तबीयतों में एक फ़ितरी हया का जौहर भी रखा है, जो उनको फ़ितरी तौर पर मर्दों से अलग-थलग रहने और ख़ुद को उनसे छुपाने पर आमादा करती है। और यह फ़ितरी और तबई हया का पर्दा औ़रतों मर्दों के दरमियान पैदाईश के पहले दिन से रुकावट रहा है, इस्लाम के शुरू के दौर में भी आपस में पर्दे का यही अन्दाज़ व तरीक़ा था।

औ़रतों के पर्दे का यह ख़ास अन्दाज़ कि औ़रतों का असल ठिकाना घरों की चार दीवारी हो और जब किसी शरई ज़रूरत से बाहर निकलना हो तो पूरे बदन को छुपाकर निकलें, यह मदीना की हिजरत के बाद सन् 5 हिजरी में जारी हुआ है। जिसकी तफ़सील यह है कि उम्मत के उलेमा की सर्वसम्मति से इस पर्दे के मुताल्लिक़ पहली आयत वह है जो ऊपर बयान हुई है (यानी आयत नम्बर 53):

لَا تَدْخُلُوْا بُيُوْتَ النَّبِيِّ.....................

और यह आयत हज़रत ज़ैनब बिन्ते जहश रज़ियल्लाहु अ़न्हा के निकाह और हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के घर में दाख़िले के वक़्त नाज़िल हुई है। इस निकाह की तारीख़ में हाफ़िज़ इब्ने हजर रह. ने इसबा में और इब्ने अ़ब्दुल-बर्र रह. ने इस्तीआ़ब में दो क़ौल नक़ल किये हैं कि सन् 3 हिजरी में हुआ या सन् 5 हिजरी में हुआ। इमाम इब्ने कसीर ने सन् 5 हिजरी को तरजीह दी, इब्ने सअ़द रह. ने हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अ़न्हु से भी सन् 5 हिजरी नक़ल किया है, हज़रत सिद्दीक़ा आ़यशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा की कुछ रिवायतों से भी इसी की तरजीह मालूम होती है। वल्लाहु आलम

उपर्युक्त आयत में औ़रतों को पर्दे के पीछे रहने का हुक्म दिया और मर्दों को हुक्म यह मिला कि अगर उनसे कोई चीज़ माँगनी है तो पर्दे के पीछे से माँगें। इसमें पर्दे की ख़ास ताकीद पाई गई कि बिना ज़रूरत तो मर्दों-औ़रतों को अलग ही रहना है, ज़रूरत के वक़्त उनसे बात करनी हो तो पर्दे के पीछे से कर सकते हैं।

क़ुरआने करीम में औ़रतों के पर्दे और उसकी तफ़सीलात के बारे में सात आयतें नाज़िल हुई हैं, चार सूरः अहज़ाब में और तीन सूरः नूर में गुज़र चुकी हैं। इस पर सब का इत्तिफ़ाक़ है कि पर्दे के मुताल्लिक़ सबसे पहले नाज़िल होने वाली यही आयत है:

لَا تَدْخُلُوْا بُيُوْتَ النَّبِيِّ اِلَّآ اَنْ يُّؤْذَنَ لَكُمْ.............. الْاٰيَة

(यानी ऊपर बयान हुई आयत नम्बर 53) सूरः नूर की तीनों आयतें और सूरः अहज़ाब के शुरू

की आयत जिसमें नबी करीम सल्ल. की पाक बीवियों को यह हुक्म दिया गया है कि अपने घरों में बैठें 'व क़र्-न फ़ी बुयूतिकुन्-न............' ये सब अगरचे क़ुरआन की तिलावत की तरतीब में पहले हैं मगर नाज़िल होने के एतिबार से बाद की हैं। सूरः अहज़ाब की पहली आयत में इसकी वज़ाहत मौजूद है कि यह हुक्म उस वक़्त दिया गया जबकि पाक बीवियों को अल्लाह की तरफ़ से इख़्तियार दिया गया था कि अगर दुनिया की वुस्अ़त (ख़ुशहाली) चाहती हैं तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से तलाक़ ले लें, और आख़िरत को तरजीह देकर दुनिया की ज़िन्दगी और गुज़ारे में मौजूदा हालत पर सब्र करें तो निकाह में रहें।

उस इख़्तियार देने के वाक़िए में यह भी ज़िक्र हुआ है कि जिन बीवियों को यह इख़्तियार दिया गया था उनमें हज़रत ज़ैनब बिन्ते जहश भी शामिल थीं। इससे मालूम हुआ कि उनका निकाह इस आयत से पहले हो चुका था, यह आयत बाद में नाज़िल हुई। इसी तरह सूरः नूर की आयतें जिनमें पर्दे के मुताल्लिक़ तफ़सीलात हैं, ये अगरचे क़ुरआनी तरतीब में पहले हैं मगर नाज़िल होने के एतिबार से वो भी इसके बाद इफ़्क वाले क़िस्से के साथ नाज़िल हुई हैं, जो ग़ज़वा-ए-बनी मुस्तलिक़ या मुरैसीअ़ से वापसी में पेश आया था। यह ग़ज़वा (जंग) सन् 6 हिजरी में हुआ है। और शरई पर्दे के अहकाम उस वक़्त जारी हुए हैं जबकि हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अ़न्हा के निकाह में पर्दे की आयत नाज़िल हुई, सूरः नूर पर्दे से संबन्धित आयतें सूरः नूर में गुज़र चुकी हैं।

सतर-ए-औ़रत के अहकाम और औ़रतों के पर्दे में फ़र्क़

मर्द व औ़रत का वह बदन का हिस्सा जिसको अ़रबी में **औ़रत** और उर्दू व फ़ारसी में **सतर** कहते हैं, जिसका सबसे छुपाना शरई, तबई और अ़क़्ली तौर पर फ़र्ज़ है, और ईमान के बाद सबसे पहला फ़र्ज़ जिस पर अ़मल ज़रूरी है वह सतर-ए-औ़रत यानी पोशीदा अंगों का छुपाना है। यह फ़रीज़ा तो दुनिया के पैदा होने के पहले दिन से फ़र्ज़ है, तमाम अम्बिया अ़लैहिमुस्सलाम की शरीअ़तों में फ़र्ज़ रहा है बल्कि शरीअ़त के वजूद से भी पहले जब जन्नत में प्रतिबन्धित पेड़ खा लेने के सबब हज़रत आदम व हव्वा अ़लैहिमस्सलाम का जन्नती लिबास उतर गया और सतर खुल गया तो वहाँ भी आदम अ़लैहिस्सलाम ने सतर खुला रखने को जायज़ नहीं समझा। इसी लिये आदम व हव्वा दोनों ने जन्नत के पत्ते अपने सतर (छुपाने के हिस्से) पर बाँध लियेः

طَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَّرَقِ الْجَنَّةِ

का यही मतलब है। दुनिया में आने के बाद आदम अ़लैहिस्सलाम से ख़ातिमुल-अम्बिया सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम तक हर दीन के पैग़म्बर की शरीअ़त में सतर छुपाना फ़र्ज़ रहा है। छुपाने वाले अंगों के निर्धारण और हद बन्दी में मतभेद हो सकता है कि सतर कहाँ से कहाँ तक है, मगर असल सतरे औ़रत के फ़र्ज़ होने को तमाम अम्बिया की शरीअ़तों में माना गया है, और यह फ़र्ज़ हर इनसान मर्द व औ़रत पर अपने आप में लागू है कोई दूसरा देखने वाला हो या न हो, इसी लिये अगर कोई शख़्स अंधेरी रात में नंगा नमाज़ पढ़े हालाँकि सतर छुपाने के क़ाबिल कपड़ा उसके पास मौजूद हो तो यह नमाज़ सब के नज़दीक नाजायज़ है, हालाँकि उसको नंगा किसी ने नहीं देखा। (बहरुर्राईक़) इसी तरह नमाज़ अगर किसी ऐसी जगह पढ़ी जहाँ कोई दूसरा आदमी देखने वाला नहीं उस वक़्त भी

अगर नमाज़ में सतर (छुपाने वाला हिस्सा) खुल गया तो नमाज़ फ़ासिद हो जाती है (जैसा कि मसाईल की सभी किताबों में लिखा है)।

नमाज़ के बाहर लोगों के सामने सतर छुपाने के फ़र्ज़ होने में तो किसी का मतभेद ही नहीं लेकिन तन्हाई में जहाँ कोई दूसरा देखने वाला मौजूद न हो वहाँ भी सही क़ौल यही है कि नमाज़ से बाहर भी बिना शरई या तबई ज़रूरत के सतर खोलकर नंगा बैठना जायज़ नहीं। (बहरुर्राइक़)

यह हुक्म तो सतरे औरत का था जो इस्लाम के शुरू दौर से बल्कि दुनिया के वजूद में आने के पहले दिन से तमाम अम्बिया की शरीअ़तों में फ़र्ज़ रहा है, जिसमें मर्द व औरत दोनों बराबर हैं। तन्हाई और दूसरों के सामने होने में भी बराबर हैं। जैसे लोगों के सामने नंगा होना जायज़ नहीं ऐसे ही तन्हाई में भी बिना ज़रूरत नंगा रहना जायज़ नहीं।

दूसरा मसला हिजाब और पर्दे का है कि औरतें अजनबी मर्दों से पर्दा करें। इस मसले में भी इतनी बात तो नबियों, नेक लोगों और शरीफ़ों में हमेशा से रही है कि अजनबी मर्दों के साथ औरतों का बेतकल्लुफ़ खुले तौर पर मिलना-जुलना न हो। हज़रत शुऐब अ़लैहिस्सलाम की दो लड़कियों का क़िस्सा जो क़ुरआने करीम में पारा नम्बर 20 में आया है उसमें लड़कियाँ अपनी बकरियों को पानी पिलाने के लिये बस्ती के कुएँ पर गईं जहाँ लोगों की भीड़ थी, वे अपने-अपने जानवरों को पानी पिला रहे थे। क़ुरआने करीम में है कि ये लड़कियाँ एक तरफ़ अलग खड़ी हो गईं। मूसा अ़लैहिस्सलाम जिनका उस वक़्त इत्तिफ़ाक़ी तौर पर मुसाफ़िराना अन्दाज़ में वहाँ गुज़र हुआ तो इन लड़कियों को अलग खड़ा देकर सबब पूछा तो लड़कियों ने दो बातें बतलाईं-

अव्वल यह कि इस वक़्त यहाँ मर्दों का हुजूम है, हम अपने जानवरों को पानी उस वक़्त पिलायेंगे जब ये लोग फ़ारिग़ होकर चले जायेंगे।

दूसरी बात यह भी बतलाई कि हमारे वालिद बूढ़े ज़ईफ़ हैं, जिसमें इशारा इस तरफ़ है कि जानवरों को पानी पिलाने के लिये निकलना उर्फ़ व आ़दत के एतिबार से औरतों का काम नहीं था मगर वालिद के बुढ़ापे, मजबूरी और किसी दूसरे आदमी के मौजूद न होने के सबब यह काम हमें करना पड़ गया।

यह हाल क़ुरआन में हज़रत शुऐब अ़लैहिस्सलाम की लड़कियों का बतलाया गया है जिससे मालूम हुआ कि उस ज़माने और उनकी शरीअ़त में भी औरतों-मर्दों का कन्धे से कन्धा मिलाकर चलना और बेतकल्लुफ़ मिलना-जुलना पसन्द नहीं था, और ऐसे काम जिनमें मर्दों के साथ घुलना-मिलना हो वो औरतों के सुपुर्द ही नहीं किये जाते थे। बहरहाल इस मजमूए से यह मालूम होता है कि औरतों को बाक़ायदा पर्दे में रहने का हुक्म उस वक़्त नहीं था, इसी तरह इस्लाम के शुरू के दौर में भी यही सूरत जारी रही। सन् 3 हिजरी में औरतों पर अजनबी मर्दों से पर्दा करना फ़र्ज़ कर दिया गया जिसकी तफ़सीलात आगे आती हैं।

इससे यह मालूम हो गया कि सतरे औरत और औरतों का पर्दा ये दो मसले अलग अलग हैं, सतरे औरत हमेशा से फ़र्ज़ है, औरतों का पर्दा सन् 5 हिजरी में फ़र्ज़ हुआ। सतरे औरत मर्द व औरत दोनों पर फ़र्ज़ है और हिजाब सिर्फ़ औरतों पर। सतरे औरत लोगों के सामने और तन्हाई दोनों में फ़र्ज़ है हिजाब सिर्फ़ अजनबी की मौजूदगी में। यह तफ़सील इसी लिये लिखी गई कि इन दोनों मसलों को

गड्मड् कर देने से बहुत से शुब्हात मसाईल और क़ुरआन के अहकाम को समझने में पैदा हो जाते हैं, जैसे औरत का चेहरा और हथेलियाँ सतरे औरत (बदन के छुपाने वाले हिस्से) से सब के नज़दीक बाहर हैं, इसी लिये नमाज़ में चेहरा और हथेलियाँ खुली हुई हों तो सब के नज़दीक और सर्वसम्मति से यह हुक्म है कि नमाज़ हो जायेगी। चेहरा और हथेलियाँ तो शरई दलील व वज़ाहत से इस हुक्म से बाहर हैं, दोनों क़दमों को फ़ुक़हा ने इन पर क़ियास करके सतर के हुक्म से अलग क़रार दिया है।

लेकिन अजनबी मर्दों से पर्दे में भी चेहरा और हथेलियाँ बाहर और अलग हैं या नहीं इसमें मतभेद है जिसकी तफ़सील सूरः नूर की आयतः

لَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا..........

(यानी सूरः नूर की आयत 31) के तहत गुज़र चुकी है जिसका ख़ुलासा आगे आता है।

शरई पर्दे के दर्जों और उनके अहकाम की तफ़सील

औरतों के पर्दे के बारे में क़ुरआने करीम की सात आयतों और हदीस की सत्तर रिवायतों का हासिल यह मालूम होता है कि शरीअत का असल मक़सद अफ़राद से पर्दा है, यानी औरतों का वजूद और उनकी गतिविधि और चलत-फिरत मर्दों की नज़रों से छुपी हो, जो घरों की चार दीवारी या ख़ेमों और लटके हुए पर्दों के ज़रिये हो सकता है। इसके सिवा जितनी सूरतें पर्दे की मन्क़ूल हैं वो सब ज़रूरत की बिना पर और वक़्ते ज़रूरत और क़द्रे ज़रूरत के साथ सशर्त और बंधी हुई हैं।

इस तरह पर्दे का पहला दर्जा जो शरीअत का असल मक़सद है वह अफ़राद से पर्दा है कि औरतें अपने घरों में रहें लेकिन इस्लामी शरीअत एक जामे और मुकम्मल निज़ाम है जिसमें इनसान की तमाम ज़रूरतों की रियायत पूरी की गई है, और यह ज़ाहिर है कि औरतों को ऐसी ज़रूरतें पेश आना लाज़िमी है कि वे किसी वक़्त घरों से निकलें, इसके लिये पर्दे का दूसरा दर्जा क़ुरआन व सुन्नत की रू से यह मालूम होता है कि सर से पाँव तक बुर्क़ा या लम्बी चादर में पूरे बदन को छुपाकर निकलें। रास्ता देखने के लिये चादर में से सिर्फ़ आँख खोलें या बुर्क़े में जो जाली आँखों के सामने इस्तेमाल की जाती है वह लगा लें, ज़रूरत के मौक़ों पर पर्दे का दूसरा दर्जा भी पहले की तरह सब उलेमा व फ़ुक़हा के बीच सर्वसम्मति प्राप्त है।

एक तीसरा दर्जा भी कुछ रिवायतों से समझ में आता है जिसमें सहाबा व ताबिईन और उम्मत के फ़ुक़हा की रायें अलग-अलग और भिन्न हैं, वह यह कि औरतें जब ज़रूरत के सबब घरों से बाहर निकलें तो वे अपना चेहरा और हथेलियाँ भी लोगों के सामने खोल सकती हैं बशर्तेकि सारा बदन छुपा हुआ हो, शरई पर्दे के इन तीनों दर्जों की तफ़सील यह है:

पहला दर्जा- घर के अफ़राद से पर्दा

क़ुरआने करीम और हदीस की रू से असल मतलूब यही दर्जा है। सूरः अहज़ाब की यह आयत जिसकी तफ़सीर बयान हो रही है:

وَاِذَا سَاَلْتُمُوْهُنَّ مَتَاعًا فَسْئَلُوْهُنَّ مِنْ وَّرَآءِ حِجَابٍ

इसकी स्पष्ट दलील और इससे ज़्यादा स्पष्ट सूरः अहज़ाब ही के शुरू की आयत 'व क़र्-न फ़ी बुयूतिकुन्-न.........' है। इन आयतों पर जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने अ़मल फ़रमाया, इससे और ज़्यादा इसकी वज़ाहत सामने आ जाती है।

यह ऊपर मालूम हो चुका है कि औरतों के पर्दे के मुताल्लिक़ पहली आयत हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अ़न्हा के निकाह के वक़्त नाज़िल हुई, हदीस की रिवायतों में हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने फ़रमाया कि मैं पर्दे के इस वाक़िए को दूसरे सब हज़रात से ज़्यादा इसलिये जानता हूँ कि मैं उस वक़्त हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की ख़िदमत में मौजूद था। जब पर्दे के लिये यह आयत नाज़िल हुई तो आपने मर्दों के सामने एक चादर वग़ैरह का पर्दा डालकर हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अ़न्हा को छुपा लिया। यह नहीं किया कि उनको बुर्क़ा या चादर में छुपा देते, आयत के शाने नुज़ूल में जो वाक़िआ़ हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अ़न्हु का ऊपर गुज़र चुका है उससे भी यही मालूम होता है कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अ़न्हु का मक़सद यह था कि उम्महातुल-मोमिनीन रज़ियल्लाहु अ़न्हुन्-न (यानी नबी करीम सल्ल. की पाक बीवियाँ) मर्दों की नज़रों से अलग अन्दर रहें। जैसा कि उनके इन अलफ़ाज़ से मालूम होता है 'आपके पास हर अच्छा बुरा आदमी आता है'।

सही बुख़ारी बाब ग़ज़्वा-ए-मूता में हज़रत सिद्दीक़ा आयशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा की रिवायत है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को हज़रत ज़ैद बिन हारिसा, हज़रत जाफ़र और हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन रवाहा रज़ियल्लाहु अ़न्हु की शहादत की ख़बर मिली तो तो आप मस्जिदे नबवी में तशरीफ़ रखते थे, आपके मुबारक चेहरे पर सख़्त ग़म व सदमे के आसार थे, मैं हुजरे के अन्दर दरवाज़े के एक झरोके से यह सब माजरा देख रही थी।

इससे साबित हुआ कि उम्मुल-मोमिनीन रज़ियल्लाहु अ़न्हा उस हादसे के वक़्त भी बाहर आकर बुर्के के साथ मजमे में शामिल नहीं हुईं बल्कि दरवाज़े की शिक़ (झरोके) से उस जलसे को देखा।

और सही बुख़ारी किताबुल-मग़ाज़ी उमरतुल-क़ज़ा के बाब में है कि हज़रत उरवा इब्ने ज़ुबैर (हज़रत सिद्दीक़ा आ़यशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा के भानजे) और अ़ब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अ़न्हु मस्जिदे नबवी में हज़रत आ़यशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा के हुजरे के बाहर उसके निकट तशरीफ़ रखते थे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के उमरों के बारे में आपस में बातचीत कर रहे थे। इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अ़न्हु फ़रमाते हैं कि इसी बीच में हमने हज़रत सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अ़न्हा की मिस्वाक करने और हलक़ साफ़ करने की आवाज़ हुजरे के अन्दर से सुनी। आगे वाक़िए में नबी करीम सल्ल. के उमरों का ज़िक्र है। इस रिवायत से भी मालूम हुआ कि पर्दे की आयतें नाज़िल होने के बाद नबी की पाक बीवियों का मामूल यह हो गया था कि घरों में रहकर पर्दा करती थीं।

इसी तरह सही बुख़ारी बाब ग़ज़्वतुत्-ताईफ़ में एक हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने एक पानी के बर्तन में कुल्ली करके हज़रत अबू मूसा और हज़रत बिलाल रज़ि. को अ़ता फ़रमाया कि इसको पी लें और अपने चेहरे पर मल लें। उम्मुल-मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अ़न्हा पर्दे के पीछे से यह वाक़िआ़ देख रही थीं, उन्होंने अन्दर से आवाज़ देकर इन दोनों हज़रात से कहा कि इस तबर्रुक में से कुछ अपनी माँ (यानी उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अ़न्हा) के लिये छोड़ देना।

यह हदीस भी सुबूत है कि पर्दे का हुक्म नाज़िल होने के बाद अज़्वाजे-मुतह्हरात रज़ियल्लाहु अ़न्हुन्-न घरों और पर्दों के अन्दर रहती थीं।

फ़ायदाः इस रिवायत में यह बात भी ध्यान देने के क़ाबिल है कि नबी करीम सल्ल. की पाक बीवियाँ भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के तबर्रुकात की ऐसी ही क़द्रदान और इच्छुक थीं जैसे दूसरे मुसलमान। यह भी आपकी पाक ज़ात की ख़ुसूसियत थी वरना बीवी से जो बेतकल्लुफ़ ताल्लुक़ शौहर का होता है उसके साथ उसकी बड़ाई और पवित्रता का यह दर्जा क़ायम रहना आ़दतन नामुम्किन है।

और सही बुख़ारी किताबुल-अदब में हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि वह और अबू तल्हा रज़ियल्लाहु अ़न्हु एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के साथ कहीं जा रहे थे, आप सल्ल. ऊँट पर सवार थे, आपके साथ उम्मुल-मोमिनीन हज़रत सफ़िया रज़ियल्लाहु अ़न्हा भी सवार थीं, रास्ते में अचानक ऊँट को ठोकर लगी, और अबू तल्हा के बयान के मुताबिक़ आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम और हज़रत सफ़िया रज़ियल्लाहु अ़न्हा ऊँट से गिर गये तो अबू तल्हा आपके पास हाज़िर हुए और अ़र्ज़ किया कि अल्लाह तआ़ला मुझे आप पर क़ुरबान कर दे आपको कोई चोट तो नहीं आई? आपने फ़रमाया कि नहीं, तुम औ़रत की ख़बर लो। अबू तल्हा रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने पहले तो अपना चेहरा कपड़े में छुपाया फिर हज़रत सफ़िया रज़ियल्लाहु अ़न्हा के पास पहुँचे और उनके ऊपर कपड़ा डाल दिया तो वह खड़ी हो गईं। फिर इसी तरह पर्दे में छुपी होने की हालत में उनको उनकी सवारी पर सवार किया।

इस वाक़िए में भी जो एक हादसे की सूरत में अचानक पेश आया, सहाबा किराम और नबी करीम की पाक बीवियों का पर्दे के मामले में इतना एहतिमाम इसकी बड़ी अहमियत का सुबूत है।

और जामे तिर्मिज़ी में हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अ़न्हु की हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमायाः

إِذَا خَرَجَتِ الْمَرْأَةُ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطٰنُ. (قال الترمذى هذا حديث حسن صحيح غريب)

मायने यह हैं कि "औ़रत जब घर से निकलती है तो शैतान उसको ताक लेता है।" (यानी उसको मुसलमानों में बुराई फैलाने का ज़रिया बनाता है।)

और इब्ने ख़ुज़ैमा व इब्ने हिब्बान ने इस हदीस में ये अलफ़ाज़ भी नक़ल किये हैं:

وَاَقْرَبُ مَا تَكُوْنُ مِنْ وَّجْهِ رَبِّهَا وَهِيَ فِىْ قَعْرِبَيْتِهَا

"यानी औ़रत अपने रब से सबसे ज़्यादा क़रीब उस वक़्त होती है जब वह अपने घर में मस्तूर (पर्दे में) हो।"

इस हदीस में भी इसका सुबूत मौजूद है कि असल औ़रतों के लिये यही है कि वे अपने घरों में बैठें, बाहर न निकलें (ज़रूरत के मौक़े इस हुक्म से अलग हैं)।

और एक हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम का इरशाद है:

لَيْسَ لِلنِّسَآءِ نَصِيْبٌ فِى الْخُرُوْجِ اِلَّا مُضْطَرَّةً. (رواه الطبرانى كذا فى الكنز ص٢١٣ ج٨)

"यानी औ़रतों का बाहर निकलने के लिये कोई हिस्सा नहीं सिवाय इसके कि बाहर निकलने के

लिये कोई सख़्त मजबूरी की सूरत पेश आ जाये।"

और हज़रत अली कर्रमल्लाहु वज्हहू से रिवायत है कि मैं एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की ख़िदमत में हाज़िर था, आपने सहाबा किराम से सवाल फ़रमायाः

اَىُّ شَىْءٍ خَيْرٌ لِّلْمَرْاَةِ

"औरत के लिये क्या चीज़ बेहतर है?" सहाबा किराम ख़ामोश रहे, कोई जवाब नहीं दिया। फिर जब मैं घर में गया और हज़रत फ़ातिमा से मैंने यही सवाल किया तो उन्होंने फ़रमायाः

لَا يَرَيْنَ الرِّجَالَ وَلَا يَرَوْنَهُنَّ

यानी औरतों के लिये बेहतर यह है कि न वे मर्दों को देखें और न मर्द उनको देखें।" मैंने उनका यह जवाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के सामने नक़ल किया तो आपने फ़रमायाः

صَدَقَتْ اِنَّهَا بِضْعَةٌ مِّنِّىْ

"उन्होंने दुरुस्त कहा, बेशक वह मेरा एक हिस्सा (टुकड़ा) हैं।"

इफ़्क (बोहतान वाले) वाक़िए में जो सबब हज़रत सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा के जंगल में रह जाने का पेश आया वह यही था कि हुज़ूर की पाक बीवियों का पर्दा सिर्फ़ बुर्के चादर ही का नहीं था बल्कि वह सफ़र में भी अपने होदज (ऊँट पर बैठने के लिये बनाये जाने वाले पालकी की तरह के मकाम) में रहती थीं, यह होदज ही ऊँट के ऊपर सवार कर दिया जाता था और इसी तरह उतारा जाता था। होदज मुसाफ़िर के लिये एक मकान की तरह होता है। इस वाक़िए में जब क़ाफ़िला चलने लगा तो आदत के मुताबिक़ ख़ादिमों ने होदज को यह समझकर ऊँट पर सवार कर दिया कि उम्मुल-मोमिनीन इसके अन्दर मौजूद हैं। और हक़ीक़त यह थी कि वह उसमें नहीं थीं, बल्कि तबई ज़रूरत के लिये बाहर गई हुई थीं। इस मुग़ालते में क़ाफ़िला रवाना हो गया और उम्मुल-मोमिनीन जंगल में तन्हा रह गईं।

यह वाक़िआ भी इस बात का पुख़्ता सुबूत है कि शरई पर्दे का मफ़्हूम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम और आपकी पाक बीवियों ने यही समझा था कि औरतें अपने मकानों में, सफ़र में हों तो अपने होदज और ठिकानों के अन्दर रहें, उनका वजूद मर्दों के सामने न आये, और जब सफ़र की हालत में लोगों से पर्दे का यह एहतिमाम था तो वतन में रहने में कितना एहतिमाम होगा?

दूसरा दर्जा- बुर्के के ज़रिये पर्दा

ज़रूरत के मौक़ों पर जब औरत को घर से बाहर जाना पड़े तो उस वक़्त किसी बुर्के या लम्बी चादर को सर से पैर तक ओढ़कर निकलने का हुक्म है, जिसमें बदन का कोई हिस्सा ज़ाहिर न हो। यह सूरः अहज़ाब की इस आयत से साबित है जो आगे आ रही हैः

يٰٓاَيُّهَا النَّبِىُّ قُلْ لِّاَزْوَاجِكَ وَبَنٰتِكَ وَنِسَآءِ الْمُؤْمِنِيْنَ يُدْنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيْبِهِنَّ

"यानी ऐ नबी! आप अपनी पाक बीवियों और बेटियों को और आम मुसलमानों की औरतों को हुक्म दें कि अपनी **जिलबाब** इस्तेमाल करें।" जलबाब उस लम्बी चादर को कहते हैं जिसमें औरत सर से पैर तक छुप जाये। (हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत से)

इब्ने जरीर ने अपनी सनद के साथ हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु से जलबाब के इस्तेमाल की सूरत यह नक़ल की है कि औ़रत सर से पाँव तक उसमें लिपटी हुई हो और चेहरा और नाक भी उससे छुपा हुआ हो, सिर्फ़ एक आँख रास्ता देखने के लिये खुली हो। इस आयत की पूरी तफ़सीर आगे आती है, यहाँ सिर्फ़ यह बतलाना मक़सद है कि ज़रूरत के वक़्त जब औ़रत घर से निकलने पर मजबूर हो तो उसको पर्दे का यह दर्जा इख़्तियार करना ज़रूरी है कि जलबाब वग़ैरह में सर से पाँव तक छुपा हुआ हो और चेहरा भी सिवाय एक आँख के छुपा हुआ हो।

यह सूरत भी उम्मत के तमाम फ़ुक़हा (क़ुरआन व हदीस के माहिर उलेमा) की सर्वसम्मति से ज़रूरत के वक़्त जायज़ है, मगर सही हदीसों में इस सूरत के इख़्तियार करने पर भी चन्द पाबन्दियाँ लगाई गयी हैं कि ख़ुशबू न लगाये हुए हो, बजने वाला ज़ेवर न पहना हो, रास्ते के किनारे पर चले, मर्दों की भीड़ में दाख़िल न हो, वग़ैरह।

शरई पर्दे का तीसरा दर्जा जिसमें फ़ुक़हा का मतभेद है

शरई पर्दे का तीसरा दर्जा यह है कि सर से पैर तक सारा बदन छुपा हो मगर चेहरा और हथेलियाँ खुली हों। जिन हज़रात ने 'इल्ला मा ज़-ह-र' की तफ़सीर चेहरे और हथेलियों से की है उनके नज़दीक चूँकि चेहरा और हथेलियाँ पर्दे से बाहर हो गईं इसलिये इनको खुला रखना जायज़ हो गया। (जैसा कि हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है) और जिन हज़रात ने 'मा ज़-ह-र' से बुर्क़ा और लम्बी चादर वग़ैरह मुराद ली है वे इसको नाजायज़ कहते हैं। (जैसा कि हज़रत इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है) जिन्होंने जायज़ कहा है उनके नज़दीक यह भी शर्त है कि फ़ितने का ख़तरा न हो, मगर चूँकि औ़रत की ज़ीनत का सारा केन्द्र उसका चेहरा है इसलिये उसको खोलने में फ़ितने का ख़तरा न होना बहुत कम होता है इसलिये अन्जाम कार आ़म हालात में उनके नज़दीक भी चेहरा वग़ैरह खोलना जायज़ नहीं।

चारों मशहूर इमामों में से इमाम मालिक, इमाम शाफ़ई और इमाम अहमद बिन हंबल रह. तीन इमामों ने तो पहला मज़हब इख़्तियार करके चेहरा और हथेलियाँ खोलने की बिल्कुल इजाज़त नहीं दी चाहे फ़ितने का ख़ौफ़ हो या न हो। इमामे आज़म अबू हनीफ़ा रह. ने अगरचे दूसरा मस्लक इख़्तियार फ़रमाया मगर फ़ितने के ख़ौफ़ का न होना शर्त क़रार दिया, और चूँकि आ़दतन यह शर्त पाई नहीं जाती इसलिये हनफ़ी फ़ुक़हा (मसाईल के माहिर उलेमा) ने भी ग़ैर-मेहरमों के सामने चेहरा और हथेलियाँ खोलने की इजाज़त नहीं दी।

चारों इमामों की रिवायतें उन मस्लकों की मोतबर किताबों के हवाले से रिसाले 'तफ़सीलुल-ख़िताब' में जो तफ़सीर अहकामुल-क़ुरआन का हिस्सा है में तफ़सील से बयान कर दी गई हैं। हनफ़ी हज़रात का असल मज़हब चूँकि चेहरे और हथेलियों को पर्दे से अलग होने का है इसलिये इस जगह हनफ़ी मज़हब की चन्द रिवायतें नक़ल की जाती हैं, जिनमें फ़ितने के ख़ौफ़ की वजह से मना करने का हुक्म बयान हुआ है।

اِعْلَمْ اَنَّهٗ لَا مُلَازَمَةَ بَيْنَ كَوْنِهٖ لَيْسَ عَوْرَةً وَّجَوَازِ النَّظَرِ اِلَيْهِ فَحِلُّ النَّظَرِ مَنُوْطٌ بِعَدَمِ خَشْيَةِ الشَّهْوَةِ مَعَ اِنْتِفَاءِ الْعَوْرَةِ وَلِذَا حَرُمَ النَّظَرُ اِلٰى وَجْهِهَا وَوَجْهِ الْاَمْرَدِ اِذَا شَكَّ فِي الشَّهْوَةِ وَلَا عَوْرَةَ. (فتح القدير ص١٨١ ج١)

"समझ लो कि किसी हिस्से (बदनी अंग) के सतर में दाख़िल न होने और उसकी तरफ़ नज़र के जायज़ होने में कोई जोड़ और लाज़िमीयत नहीं, क्योंकि देखने का जायज़ होना तो इस पर मौक़ूफ़ है कि शहवत (जिन्सी इच्छा) का ख़तरा न हो हालाँकि वह अंग सतर में दाख़िल नहीं, इसी वजह से अजनबी औरत का चेहरा या किसी बिना दाढ़ी वाले लड़के के चेहरे की तरफ़ नज़र करना हराम है जबकि शहवत पैदा होने में शक हो, हालाँकि चेहरा सतर में दाख़िल नहीं।"

किताब फ़त्हुल-क़दीर की उपर्युक्त इबारत से शहवत (जिन्सी इच्छा के भड़कने) के ख़तरे की यह तफ़सीर भी मालूम हो गई कि अगरचे उस वक़्त कोई जिन्सी इच्छा की नीयत न हो मगर ऐसा ख़्याल पैदा हो जाने का शक हो। जब ऐसा शक हो तो न सिर्फ़ अजनबी औरतों के बल्कि बिना दाढ़ी वाले लड़कों के चेहरे को देखना भी हराम है, और शहवत (जिन्सी इच्छा) का ख़्याल पैदा होने की वज़ाहत 'जामिउर्रमूज़' में यह की है कि नफ़्स में उसके क़रीब होने का मैलान पैदा हो जाये, और यह ज़ाहिर है कि नफ़्स में इतना मैलान भी पैदा न हो यह चीज़ तो पहले बुज़ुर्गों के ज़माने में भी बहुत ही कम थी। हदीस में हज़रत फ़ज़्ल को एक औरत की तरफ़ देखते हुए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का उनके चेहरे को अपने हाथ से दूसरी तरफ़ फेर देना इसकी स्पष्ट दलील है तो इस फ़साद के ज़माने में कौन कह सकता है कि इस ख़तरे से ख़ाली है।

और शम्सुल-अइम्मा सरख़्सी रह. ने इस मसले पर विस्तृत बहस के बाद लिखा है:

وَهٰذَا كُلُّهُ إِذَا لَمْ يَكُنِ النَّظَرُ عَنْ شَهْوَةٍ فَإِنْ كَانَ يَعْلَمُ أَنَّهُ إِنْ نَظَرَ اشْتَهٰى لَمْ يَحِلَّ لَهُ النَّظَرُ إِلٰى شَيْءٍ مِّنْهَا.

(مبسوط ص۱۵۲ ج۱۰)

"यह चेहरे और हथेलियों की तरफ़ नज़र का जायज़ होना सिर्फ़ उस सूरत में है जबकि यह शहवत (जिन्सी इच्छा) की नज़र से न हो, और अगर देखने वाला जानता है कि चेहरा देखने से बुरे ख़्यालात पैदा हो सकते हैं तो उसको औरत की किसी चीज़ की तरफ़ भी नज़र करना हलाल नहीं।"

और अ़ल्लामा शामी रह. ने रद्दुल-मुहतार किताबुल-कराहियत में फ़रमाया है:

فَإِنْ خَافَ الشَّهْوَةَ أَوْشَكَّ اِمْتَنَعَ النَّظَرُ إِلٰى وَجْهِهَا فَحِلُّ النَّظَرِ مُقَيَّدَةٌ بِعَدَمِ الشَّهْوَةِ وَإِلَّا فَحَرَامٌ وَهٰذَا فِيْ زَمَانِهِمْ وَأَمَّا فِيْ زَمَانِنَا فمنع مِنَ الشَّابَةِ إِلَّا النَّظَرُ لِحَاجَةٍ كَقَاضٍ وَشَاهِدٍ يَحْكُمُ وَيَشْهَدُ وَأَيْضًا قَالَ فِيْ شُرُوْطِ الصَّلٰوةِ وَتُمْنَعُ الشَّابَةُ مِنْ كَشْفِ الْوَجْهِ بَيْنَ رِجَالٍ لَا لِأَنَّهُ عَوْرَةٌ بَلْ لِخَوْفِ الْفِتْنَةِ.

"अगर शहवत (जिन्सी इच्छा) का ख़तरा या शक हो तो औरत के चेहरे की तरफ़ नज़र मना (वर्जित) होगी, क्योंकि नज़र का हलाल होना शहवत न होने के साथ मशरूत है, और जब यह शर्त न हो तो हराम है। और यह बात पहले बुज़ुर्गों के ज़माने में थी लेकिन हमारे ज़माने में तो मुतलक़ (बिना किसी शर्त के ही) औरत की तरफ़ देखना मना है, मगर यह कि किसी शरई हाजत की वजह से देखना पड़े, जैसे क़ाज़ी या गवाह जिनको किसी मामले में उस औरत के मुताल्लिक़ गवाही या फ़ैसला देना पड़े। और नमाज़ के शर्तों में फ़रमाया कि जवान औरत को (अजनबी) मर्दों के सामने चेहरा खोलना मना है, इसलिये नहीं कि यह औरत (छुपाने की जगह) है बल्कि फ़ितने के ख़ौफ़ से।"

इस बहस और फ़ुक़हा के मतभेद का ख़ुलासा यह है कि इमाम शाफ़ई, इमाम मालिक और अहमद बिन हंबल रह. ने नौजवान औरत की तरफ़ नज़र करने को आम आदत की बिना पर फ़ितने का सबब क़रार देकर इससे बिल्कुल ही मना कर दिया, चाहे वास्तव में फ़ितना हो या न हो। मिसाल के तौर पर शरीअत के बहुत से अहकाम में इसकी नज़ीरें मौजूद हैं, जैसे सफ़र चूँकि आदतन मशक़्क़त व मेहनत का सबब होता है इसलिये ख़ुद सफ़र ही को मशक़्क़त का हुक्म देकर सफ़र के वक़्त रियायत व छूट वाले तमाम अहकाम दायर कर दिये चाहे किसी शख़्स को सफ़र में कोई भी मशक़्क़त न हो बल्कि अपने घर से ज़्यादा आराम मिले मगर क़सर नमाज़ और रोज़े की छूट वग़ैरह के अहकाम उसको भी शामिल हैं। इसी तरह नींद की हालत में चूँकि इनसान बेख़बर होता है और आदतन हवा ख़ारिज हो जाती हैं इसलिये ख़ुद नींद ही को हवा निकलने के क़ायम-मक़ाम क़रार देकर नींद से वुज़ू टूट जाने का हुक्म दे दिया चाहे असल में हवा निकली हो या न निकली हो।

मगर इमामे आज़म अबू हनीफ़ा रह. ने औरत के चेहरे और हथेलियाँ खोलने को यह दर्जा नहीं दिया कि चेहरा खोलने ही को फ़ितने का क़ायम-मक़ाम क़रार दे दें, बल्कि हुक्म इस पर दायर रखा कि जहाँ फ़ितना यानी औरत की तरफ़ क़रीब होने के मैलान का ख़तरा या शंका हो वहाँ मना है और जहाँ यह शुब्हा व गुमान न हो वहाँ जायज़ है। मगर ऊपर मालूम हो चुका है कि इस ज़माने में ऐसा शुब्हा व गुमान न हो यह बहुत कम और इत्तिफ़ाक़ी ही है इसलिये बाद के हनफ़ी फ़ुक़हा (दीनी मसाईल के माहिर उलेमा) ने भी आख़िरकार वही हुक्म दे दिया जो तीनों इमामों ने दिया था कि जवान औरत के चेहरे या हथेलियों की तरफ़ भी देखना मना और वर्जित है।

इसका हासिल यह हुआ कि अब चारों इमामों के नज़दीक इत्तिफ़ाक़े राय से पर्दे का यह तीसरा दर्जा ममनू (वर्जित) हो गया कि औरत बुर्क़े चादर वग़ैरह में पूरे बदन को छुपाकर मगर सिर्फ़ चेहरे और हथेलियों को खोलकर मर्दों के सामने आये। इसलिये अब पर्दे के सिर्फ़ पहले ही दो दर्जे रह गये- एक असल उद्देश्य यानी औरतों का घरों के अन्दर रहना, बिना ज़रूरत बाहर न निकलना, और दूसरा ज़रूरत के वक़्त और ज़रूरत के मुताबिक़ बुर्क़े वग़ैरह के साथ निकलना।

मसलाः पर्दे के ऊपर बयान हुए अहकाम में कुछ सूरतें इससे अलग और रियायत की भी हैं जैसे कुछ मर्द यानी मेहरम मर्द पर्दे से अलग और छूट में दाख़िल हैं और कुछ औरतें जैसे बहुत बूढ़ी, वे भी पर्दे के आम हुक्म से किसी क़द्र अलग और बाहर हैं। इनकी तफ़सील कुछ तो सूरः नूर में गुज़र चुकी है कुछ आगे सूरः अहज़ाब की उन आयतों में आयेगी जिनमें यह अलग रखने का हुक्म मज़कूर है।

पर्दे के मसले की अहमियत को सामने रखते हुए अपने रिसाले "तफ़सीलुल-ख़िताब फ़ी अहकामिल-हिजाब" का कुछ ख़ुलासा यहाँ लिख दिया है जो अवाम के लिये काफ़ी है, पूरी तहक़ीक़ दरकार हो तो उक्त रिसाले में देखी जा सकती है। यह रिसाला अहकामुल-क़ुरआन तफ़सीर सूरः अहज़ाब में छप चुका है। वल्लाहु सुब्हानहू व तआला आलम

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ۝

इन्नल्ला-ह व मलाइ-क-तहू युसल्लू-न अ़लन्नबिय्यि, या अय्युहल्लज़ी-न आमनू सल्लू अ़लैहि व सल्लिमू तस्लीमा (56)	अल्लाह और उसके फ़रिश्ते रहमत भेजते हैं रसूल पर, ऐ ईमान वालो! रहमत भेजो उस पर और सलाम भेजो सलाम कह कर। (56)

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

बेशक अल्लाह तआ़ला और उसके फ़रिश्ते रहमत भेजते हैं इन पैग़म्बर (सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम) पर। ऐ ईमान वालो! तुम भी आप पर रहमत भेजा करो और ख़ूब सलाम भेजा करो (ताकि आपकी बड़ाई का जो हक़ तुम्हारे ज़िम्मे है अदा हो जाये)।

मआ़रिफ़ व मसाईल

इससे पहली आयतों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की कुछ ख़ुसूसियतें और विशेषताओं का ज़िक्र था, जिनके तहत में नबी करीम सल्ल. की पाक बीवियों के पर्दे का हुक्म आया था, और आगे भी कुछ अहकाम पर्दे के आयेंगे, बीच में उस चीज़ का हुक्म दिया गया जिसके लिये ये सब ख़ुसूसियतें और विशेषतायें रखी गयी हैं, वह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की शान की बड़ाई का इज़हार और आपकी बड़ाई व मुहब्बत और इताअ़त की तरफ़ तवज्जोह दिलाना है।

आयत का असल मक़सद मुसलमानों को यह हुक्म देना था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम पर दुरूद व सलाम भेजा करें मगर इसको इस अन्दाज़ से बयान फ़रमाया कि पहले हक़ तआ़ला ने ख़ुद अपना और फ़रिश्तों का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के लिये दुरूद का अ़मल ज़िक्र फ़रमाया, उसके बाद आ़म मोमिनों को इसका हुक्म दिया, जिसमें आपके सम्मान और बड़ी शान को इतना बुलन्द फ़रमा दिया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की शान में जिस काम का हुक्म मुसलमानों को दिया जाता है वह काम ऐसा है कि ख़ुद हक़ तआ़ला और उसके फ़रिश्ते भी वह काम करते हैं तो आ़म मोमिन जिन पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के बेशुमार एहसानात हैं उनको तो इस अ़मल का बड़ा एहतिमाम करना चाहिये। और एक फ़ायदा इस तरह बयान करने में यह भी है कि इससे दुरूद व सलाम भेजने वाले मुसलमानों की एक बहुत बड़ी फ़ज़ीलत यह साबित हुई कि अल्लाह तआ़ला ने उनको उस काम में शरीक फ़रमा लिया जो काम हक़ तआ़ला ख़ुद भी करते हैं और उसके फ़रिश्ते भी।

सलात व सलाम के मायने

लफ़्ज़ सलात अ़रबी भाषा में चन्द मायने के लिये इस्तेमाल होता है- रहमत, दुआ़, तारीफ़ व प्रशंसा। उपरोक्त आयत में अल्लाह तआ़ला की तरफ़ सलात की जो निस्बत है इससे मुराद रहमत नाज़िल करना है, और फ़रिश्तों की तरफ़ से सलात उनका आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के लिये

दुआ करना है, और आम मोमिनों की तरफ़ से सलात का मफ़्हूम दुआ और तारीफ़ व प्रशंसा का मजमूआ है। तफ़सीर के इमामों ने यही मायने लिखे हैं। और इमाम बुख़ारी रह. ने अबुल-आलिया से यह नक़ल किया है कि अल्लाह तआ़ला की सलात से मुराद आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम का सम्मान व इज़्ज़त अ़ता फ़रमाना और फ़रिश्तों के सामने तारीफ़ व प्रशंसा है और अल्लाह तआ़ला की तरफ़ से आपकी इज़्ज़त व सम्मान दुनिया में तो यह है कि आपको बुलन्द मर्तबा अ़ता फ़रमाया कि अक्सर मौक़ों जैसे अज़ान व तकबीर वग़ैरह में अल्लाह तआ़ला के ज़िक्र के साथ आपका ज़िक्र शामिल कर दिया है, और यह कि अल्लाह तआ़ला ने आपके दीन को दुनिया भर में फैला दिया और ग़ालिब किया, और आपकी शरीअ़त पर अ़मल क़ियामत तक जारी रखा। इसके साथ आपकी शरीअ़त को महफ़ूज़ रखने का ज़िम्मा हक़ तआ़ला ने ले लिया। और आख़िरत में आपकी इज़्ज़त व सम्मान यह है कि आपका मक़ाम तमाम मख़्लूक़ात से बुलन्द व बाला किया और जिस वक़्त किसी पैग़म्बर और फ़रिश्ते को शफ़ाअ़त की मजाल न थी उस हाल में आपको शफ़ाअ़त का मक़ाम व मर्तबा अ़ता फ़रमाया जिसको **मक़ाम-ए-महमूद** कहा जाता है।

इस मायने पर जो यह शुब्हा हो सकता है कि सलात व सलाम में तो हदीस की रिवायतों के मुताबिक़ आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के साथ आपकी आल और सहाबा को भी शामिल किया जाता है, अल्लाह तआ़ला की तरफ़ से होने वाली इज़्ज़त और तारीफ़ व प्रशंसा में आपके सिवा किसी को कैसे शरीक किया जा सकता है? इसका जवाब तफ़सीर रूहुल-मआ़नी वग़ैरह में यह दिया गया है कि इज़्ज़त व सम्मान और तारीफ़ व प्रशंसा वग़ैरह के दर्जे बहुत हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को उसका आला दर्जा हासिल है और एक दर्जे में आल व सहाबा और आ़म मोमिन हज़रात भी शामिल हैं।

एक शुब्हे का जवाब

और एक लफ़्ज़ सलात से एक ही वक़्त में कई मायने रहमत, दुआ, ताज़ीम व तारीफ़ मुराद लेना जो इस्तिलाह में कई मायनों में मुश्तरक होना कहलाता है, और कुछ हज़रात के नज़दीक वह जायज़ नहीं, इसलिये इसकी वज़ाहत इस तरह हो सकती है कि लफ़्ज़ सलात के इस जगह एक ही मायने लिये जायें यानी आपकी ताज़ीम (इज़्ज़त व सम्मान) और तारीफ़ व प्रशंसा और ख़ैरख़्वाही। फिर यह मायने जब अल्लाह तआ़ला की तरफ़ मन्सूब हों तो इसका हासिल रहमत होगा, और फ़रिश्तों की तरफ़ मन्सूब हों तो दुआ व इस्तिग़फ़ार होगा, आ़म मोमिनों की तरफ़ मन्सूब किया जाये तो दुआ और तारीफ़ व प्रशंसा और इज़्ज़त व एहतिराम का मजमूआ होगा।

और लफ़्ज़ सलाम सलामत के मायने में है जैसे मलाम मलामत के मायने में इस्तेमाल होता है और मुराद इससे कमियों व ऐबों और आफ़तों से सालिम रहना है। और "अस्सलामु अ़लै-क" के मायने यह हैं कि कमियों और आफ़तों से सलामती आपके साथ रहे। और अ़रबी भाषा के क़ायदे के मुताबिक़ यहाँ हर्फ़ अ़ला का मौक़ा नहीं मगर चूँकि लफ़्ज़ सलाम अपने अन्दर तारीफ़ के मायने भी रखता है इसलिये हर्फ़ अ़ला के साथ "अ़लै-क" या "अ़लैकुम" कहा जाता है।

और कुछ हज़रात ने यहाँ लफ़्ज़ सलाम से मुराद अल्लाह तआ़ला की ज़ात ली है, क्योंकि सलाम

अल्लाह तआ़ला के अच्छे और पाक नामों में से है तो "अस्सलामु अ़लै-क" की मुराद यह होगी कि अल्लाह तआ़ला आपकी हिफ़ाज़त व रियायत पर ज़िम्मेदार और कफ़ील है।

'सलात व सलाम' का तरीक़ा

हदीस की सब किताबों सही बुख़ारी व मुस्लिम वग़ैरह में यह हदीस आई है कि हज़रत कअ़ब बिन अ़जरा रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने फ़रमाया कि (जब यह आयत नाज़िल हुई तो) एक शख़्स ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से सवाल किया कि (आयत में हमें दो चीज़ों का हुक्म है **सलात** और **सलाम**) सलाम का तरीक़ा तो हमें मालूम हो चुका है (कि 'अस्सलामु अ़लै-क अय्युहन्नबिय्यु' कहते हैं) सलात का तरीक़ा भी बतला दीजिये। आपने फ़रमाया कि ये अलफ़ाज़ कहा करोः

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰٓى اِبْرٰهِيْمَ وَعَلٰٓى اٰلِ اِبْرٰهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ٥

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰٓى اِبْرٰهِيْمَ وَعَلٰٓى اٰلِ اِبْرٰهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ٥

(यानी वही पूरा दुरूद शरीफ़ जो नमाज़ में पढ़ा जाता है) दूसरी रिवायात में इसमें कुछ कलिमात और भी मन्क़ूल हैं।

और सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अ़न्हुम के सवाल करने की वजह ग़ालिबन यह थी कि उनको सलाम करने का तरीक़ा तो अत्तहिय्यात में पहले सिखाया जा चुका था कि 'अस्सलामु अ़लै-क अय्युहन्नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व ब-रकातुहू' कहा जाये, इसलिये लफ़्ज़ **सलात** में उन्होंने अपनी तरफ़ से अलफ़ाज़ मुक़र्रर करना पसन्द नहीं किया ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से पूछकर सलात (दुरूद) के अलफ़ाज़ मुतैयन कराये। इसी लिये नमाज़ में आ़म तौर पर इन्हीं अलफ़ाज़ के साथ सलात को इख़्तियार किया गया है, मगर यह कोई ऐसी तयशुदा और निश्चित बात नहीं जिसमें तब्दीली मना हो, क्योंकि ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से सलात यानी दुरूद शरीफ़ के बहुत से अलग-अलग कलिमे मन्क़ूल व मासूर हैं। सलात व सलाम के हुक्म की तामील हर उस कलिमे से हो सकती है जिसमें सलात व सलाम के अलफ़ाज़ हों। और यह भी ज़रूरी नहीं कि वो अलफ़ाज़ नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से बिल्कुल उसी तरह मन्क़ूल भी हों, बल्कि जिस इबारत से भी सलात व सलाम के अलफ़ाज़ अदा किये जायें इस हुक्म की तामील और दुरूद शरीफ़ का सवाब हासिल हो जाता है। मगर यह ज़ाहिर है कि जो अलफ़ाज़ ख़ुद आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से मन्क़ूल हैं वो ज़्यादा बरकत वाले और ज़्यादा सवाब का ज़रिया हैं, इसी लिये सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अ़न्हुम ने दुरूद के अलफ़ाज़ आप से मुतैयन कराने के लिये सवाल फ़रमाया था।

मसलाः नमाज़ के क़अ़दे (दो और चार रक्अ़त पर बैठने) में तो क़ियामत तक सलात व सलाम के अलफ़ाज़ उसी तरह कहना मस्नून है जिस तरह ऊपर मन्क़ूल हुए हैं और नमाज़ से बाहर में जब आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ख़ुद मुख़ातब हों जैसा कि आपके ज़माना मुबारक में वहाँ तो वही अलफ़ाज़ **अस्सलातु वस्सलामु अ़लै-क** के इख़्तियार किये जायें, आपकी वफ़ात के बाद रौज़ा-ए-पाक के सामने जब सलाम अ़र्ज़ किया जाये तो इसमें भी **अस्सलामु अ़लै-क** के कलिमा का इख़्तियार करना मस्नून है, इसके अ़लावा जहाँ ग़ायबाना सलात व सलाम पढ़ा जाये तो सहाबा व ताबिईन और

उम्मत के इमामों से ग़ायब का कलिमे का इस्तेमाल करना मन्क़ूल है जैसे "सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम" (सलात व सलाम नाज़िल फ़रमाये अल्लाह तआ़ला उन पर) जैसा कि आ़म मुहद्दिसीन की किताबें इससे भरी पड़ी हैं।

उक्त सलात व सलाम के तरीक़े की हिक्मत

जो तरीक़ा सलात व सलाम का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की ज़बाने मुबारक और आपके अ़मल से साबित हुआ उसका हासिल यह है कि हम सब मुसलमान आपके लिये अल्लाह तआ़ला से रहमत व सलामती की दुआ़ करें। यहाँ यह सवाल पैदा होता है कि आयत का मक़सद तो यह था कि हम आपकी ताज़ीम व सम्मान का हक़ ख़ुद अदा करें, मगर तरीक़ा यह बतलाया कि अल्लाह तआ़ला से दुआ़ करें, इसमें इशारा इस तरफ़ है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की इज़्ज़त व सम्मान और इताअ़त का पूरा हक़ अदा करना हमारे किसी के बस में नहीं, इसलिये हम पर यह लाज़िम किया गया कि अल्लाह तआ़ला से दुआ़ करें। (रूहुल-मआ़नी)

सलात व सलाम के अहकाम

नमाज़ के क़अ़दा-ए-अख़ीरा में सलात (दुरूद शरीफ़) सुन्नते मुअक्कदा तो सब के नज़दीक है, इमाम शाफ़ई और इमाम अहमद बिन हंबल रह. के नज़दीक वाजिब है जिसके छोड़ने से नमाज़ का फिर पढ़ना वाजिब हो जाता है।

मसलाः इस पर भी अक्सर उलेमा व फ़ुक़हा का इत्तिफ़ाक़ है कि जब कोई आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम का ज़िक्र करे या सुने तो उस पर दुरूद शरीफ़ वाजिब हो जाता है, क्योंकि हदीस में आपके ज़िक्रे मुबारक के वक़्त दुरूद शरीफ़ न पढ़ने पर वईद (तंबीह व धमकी) आई है। जामे तिर्मिज़ी में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमायाः

رَغِمَ اَنْفُ رَجُلٍ ذُكِرْتُ عِنْدَهٗ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ

"यानी ज़लील हो वह आदमी जिसके सामने मेरा ज़िक्र आये और वह मुझ पर दुरूद न भेजे (इमाम तिर्मिज़ी ने इस हदीस को हसन कहा है और इब्ने सनी ने इसको उम्दा सनद के साथ नक़ल किया है)।

और एक हदीस में इरशाद हैः

اَلْبَخِيْلُ مَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَهٗ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ.

"यानी बख़ील वह शख़्स है जिसके सामने मेरा ज़िक्र आये और वह मुझ पर दुरूद न भेजे।" (इमाम तिर्मिज़ी ने इस हदीस को हसन सही कहा है)

मसलाः अगर एक मज्लिस में आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम का ज़िक्रे मुबारक बार-बार आये तो सिर्फ़ एक मर्तबा दुरूद पढ़ने से वाजिब अदा हो जाता है, लेकिन मुस्तहब यह है कि जितनी बार ज़िक्रे मुबारक ख़ुद करे या किसी से सुने हर मर्तबा दुरूद शरीफ़ पढ़े। मुहद्दिसीन हज़रात से ज़्यादा कौन आपका ज़िक्र कर सकता है कि उनका हर वक़्त का मशग़ला ही हदीसे रसूल है जिसमें हर वक़्त बार-बार आपका ज़िक्र आता है, हदीस के तमाम इमामों का दस्तूर यही रहा है कि हर मर्तबा दुरूद व

सलाम पढ़ते और लिखते हैं। हदीस की तमाम किताबें इस पर सुबूत हैं। उन्होंने इसकी भी परवाह नहीं की कि सलात व सलाम के इस बार-बार दोहराने से किताब की ज़ख़ामत (साईज़ और पेज) काफ़ी बढ़ जाती है क्योंकि अक्सर तो छोटी छोटी हदीसें आती हैं जिनमें एक दो लाईन के बाद नामे मुबारक आता है और बाज़ जगह तो एक लाईन में एक से ज़्यादा मर्तबा नामे मुबारक का ज़िक्र होता है, मुहद्दिसीन हज़रात ने कहीं सलात व सलाम को नहीं छोड़ा।

मसलाः जिस तरह ज़बान से ज़िक्रे मुबारक के वक़्त ज़बानी सलात व सलाम वाजिब है इसी तरह क़लम से लिखने के वक़्त सलात व सलाम का क़लम से लिखना भी वाजिब है, और इसमें जो लोग हुरूफ़ को मुख़्तसर करके "सल्अ़म" लिख देते हैं यह काफ़ी नहीं, पूरा सलात व सलाम लिखना चाहिये।

मसलाः ज़िक्रे मुबारक के वक़्त अफ़ज़ल व आला और मुस्तहब तो यही है कि सलात और सलाम दोनों पढ़े और लिखे जायें, लेकिन अगर कोई शख़्स इनमें से एक यानी सिर्फ़ सलात या सिर्फ़ सलाम पर इक्तिफ़ा करे तो फ़ुक़हा की बड़ी जमाअ़त के नज़दीक कोई गुनाह नहीं। शैख़ुल-इस्लाम इमाम नववी रह. वग़ैरह ने दोनों में से सिर्फ़ एक पर इक्तिफ़ा करना मक्रूह फ़रमाया है। इब्ने हजर हैसमी रह. ने फ़रमाया कि उनकी मुराद कराहत से ख़िलाफ़े औला (बेहतर न) होना है जिसको परिभाषा में मक्रूहे तन्ज़ीही कहा जाता है। और उम्मत के उलेमा का मुसलसल अ़मल इस पर सुबूत है कि वे दोनों ही को जमा करते हैं और कई बार एक पर भी इक्तिफ़ा कर लेते हैं।

मसलाः लफ़्ज़ सलात अम्बिया अ़लैहिमुस्सलाम के सिवा किसी के लिये इस्तेमाल करना अक्सर उलेमा के नज़दीक जायज़ नहीं। इमाम बैहक़ी ने अपने सुनन में हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु का यह फ़तवा नक़ल किया है:

لَا يُصَلّٰى عَلٰى اَحَدٍ اِلَّا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لٰكِنْ يُدْعٰى لِلْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمٰتِ بِالْاِسْتِغْفَارِ.

इमाम शाफ़ई रह. के नज़दीक ग़ैर-नबी के लिये लफ़्ज़ सलात का इस्तेमाल मुस्तक़िल तौर पर मक्रूह है। इमामे आज़म अबू हनीफ़ा रह. और उनके साथी फ़ुक़हा का भी यही मज़हब है, अलबत्ता ताबे बनाकर ज़िक्र करना जायज़ है, यानी आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम पर सलात व सलाम के साथ आल व सहाबा या तमाम मोमिनों को शरीक कर ले तो इसमें हर्ज नहीं।

और इमाम जुवैनी रह. ने फ़रमाया कि जो हुक्म लफ़्ज़ सलात का है वही लफ़्ज़ सलाम का भी है कि नबी के अ़लावा किसी और के लिये इसका इस्तेमाल दुरुस्त नहीं, सिवाय इसके कि किसी को ख़िताब करने के वक़्त बतौर दुआ़ व सलाम के अस्सलामु अ़लैकुम कहे, यह जायज़ व मस्नून है। मगर किसी ग़ायब के नाम के साथ "अ़लैहिस्सलाम" कहना और लिखना ग़ैर नबी के लिये दुरुस्त नहीं। (ख़सा़ईस-ए-क़ुबरा, अ़ल्लामा सुयूती पेज 262 जिल्द 2)

अ़ल्लामा लिक़ाई ने फ़रमाया कि क़ाज़ी अ़याज़ ने फ़रमाया है कि उम्मत के मुहक़्क़िक़ उलेमा इस तरफ़ गये हैं और मेरे नज़दीक भी यही सही है और इसी को इमाम मालिक, हज़रत सुफ़ियान सौरी और बहुत से फ़ुक़हा व मुतकल्लिमीन ने इख़्तियार किया है कि सलात व सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम और दूसरे अम्बिया के लिये मख़्सूस है, नबी के अ़लावा किसी और के

लिये जायज़ नहीं, जैसे लफ़्ज़ सुब्हानहू और तआ़ला अल्लाह जल्ल शानुहू के लिये मख़्सूस है। नबियों के अ़लावा आम मुसलमानों के लिये मग़फ़िरत और अल्लाह की रज़ा की दुआ़ होनी चाहिये जैसे क़ुरआन में हज़राते सहाबा के बारे में आया है 'रज़ियल्लाहु अ़न्हुम व रज़ू अ़न्हु'। (रूहुल-मआ़नी)

सलात व सलाम के अहकाम की तफ़सीली बहस अहक़र के रिसाले "तन्क़ीहुल-कलाम फ़ी अहकामिस्सलाति वस्सलाम" में है जो अ़रबी भाषा में तफ़सीर अहकामुल-क़ुरआन में सूरः अहज़ाब का हिस्सा बनकर छप चुका है।

إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَ
الْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِينًا ۝ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا
فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا ۝

इन्नल्लज़ी-न युअ्ज़ूनल्ला-ह व रसूलहू ल-अ़-नहुमुल्लाहु फ़िद्दुन्या वल्-आख़िरति व अ-अ़द्-द लहुम् अ़ज़ाबम्-मुहीना (57) वल्लज़ी-न युअ्ज़ूनल्-मुअ्मिनी-न वल्मुअ्मिनाति बिग़ैरि मक्त-सबू फ़-क़दिह्त-मलू बुह्तानंव्-व इस्मम्-मुबीना (58) ✿	जो लोग सताते हैं अल्लाह को और उसके रसूल को उनको फटकारा अल्लाह ने दुनिया में और आख़िरत में, और तैयार रखा है उनके वास्ते ज़िल्लत का अ़ज़ाब। (57) और जो लोग तोहमत लगाते हैं मुसलमान मर्दों को और मुसलमान औ़रतों को बिना गुनाह किये तो उठाया उन्होंने बोझ झूठ का और खुले गुनाह का। (58) ✿

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

बेशक जो लोग अल्लाह तआ़ला और उसके रसूल (सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम) को (जान-बूझकर) तकलीफ़ देते हैं अल्लाह तआ़ला उन पर दुनिया और आख़िरत में लानत करता है, और उनके लिए ज़लील करने वाला अ़ज़ाब तैयार कर रखा है। और (इसी तरह) जो लोग ईमान वाले मर्दों को और ईमान वाली औ़रतों को बग़ैर इसके कि उन्होंने कुछ (ऐसा काम) किया हो (जिससे वह सज़ा के हक़दार हो जायें) तकलीफ़ पहुँचाते हैं तो वे लोग बोहतान और खुले गुनाह का (अपने ऊपर) बोझ लेते हैं (यानी अगर वह ज़ुबान से दी गयी तकलीफ़ है तो बोहतान है और अगर अ़मल से दी गयी तकलीफ़ है तो मुतलक़ गुनाह ही है)।

मआ़रिफ़ व मसाईल

पिछली आयतों में मुसलमानों को उन चीज़ों पर तंबीह की गई थी जिनसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को ईज़ा व तकलीफ़ पहुँचती थी, मगर कुछ मुसलमान नावाक़फ़ियत या बेतवज्जोही

की वजह से बिना इरादे के तकलीफ़ देने में मुब्तला हो जाते थे जैसा कि आपके घरों में बिना दावत चले जाना या दावत के वक़्त से पहले आकर बैठ जाना या खाने के बाद आपके घर में आपसी बातचीत में मशग़ूल होकर देर लगाना वग़ैरह, जिन पर आयतः

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَدْخُلُوْا بُيُوْتَ النَّبِيِّ......... الاٰية

(यानी इसी सूरत की ऊपर बयान हुई आयत 53) में तंबीह की गई है। यह वह तकलीफ़ देना था जो बिना इरादे के ग़फ़लत से तकलीफ़ पहुँच जाना था, इस पर तो सिर्फ़ तंबीह कर देना काफ़ी समझा गया। उपरोक्त दो आयतों में उस सताने और तकलीफ़ देने का ज़िक्र है जो इस्लाम के मुख़ालिफ़ों काफ़िरों व मुनाफ़िक़ों की तरफ़ से जान-बूझकर आपको पहुँचाई जाती थी। इसी लिये ख़ुलासा-ए-तफ़सीर में यहाँ जान-बूझकर का लफ़्ज़ बढ़ाया है जिसमें जिस्मानी तकलीफ़ें देना भी दाख़िल है जो विभिन्न वक़्तों में काफ़िरों के हाथों आपको पहुँची हैं और रूहानी तकलीफ़ें भी जो आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम पर ताने व तशने और आपकी पाक बीवियों पर बोहतान लगाने के ज़रिये पहुँचाई गईं। इस बिना इरादा तकलीफ़ पहुँचाने पर लानत और सख़्त अ़ज़ाब की वईद (धमकी) भी उपरोक्त आयत में आई है।

इस आयत के शुरू में जो यह इरशाद हुआ कि जो लोग अल्लाह तआ़ला को तकलीफ़ पहुँचाते हैं इसमें तकलीफ़ पहुँचाने से मुराद वो बातें और आमाल व हरकतें हैं जो आ़दतन तकलीफ़ का सबब बना करते हैं। अगरचे हक़ तआ़ला की पाक ज़ात हर तरह का असर लेने और प्रभावित होने से बालातर है, किसी की मजाल ही नहीं कि उस तक कोई तकलीफ़ पहुँचा सके, लेकिन ऐसे काम जिनसे आ़दतन तकलीफ़ पहुँचा करती है उनको अल्लाह को तकलीफ़ देने से ताबीर कर दिया गया है।

इसमें तफ़सीर के इमामों का मतभेद है कि यहाँ पर अल्लाह को तकलीफ़ देने से क्या मुराद है? कुछ हज़रात ने इन कामों और बातों को इसका मिस्दाक़ ठहराया है जिनके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की ज़बाने मुबारक से हदीसों में बतलाया गया है कि यह अल्लाह तआ़ला की ईज़ा (तकलीफ़) का सबब हैं, जैसे हादसों व मुसीबतों के वक़्त ज़माने को बुरा कहना क्योंकि हक़ीक़त में असल करने वाली ज़ात हक़ तआ़ला की है, ये लोग ज़माने को करने वाला समझकर गालियाँ देते थे, तो असल में वो असल काम करने वाली ज़ात तक पहुँचती थीं। और कुछ रिवायतों में है कि जानदार चीज़ों की तस्वीरें बनाना अल्लाह तआ़ला की तकलीफ़ का सबब है। तो आयत में अल्लाह को ईज़ा (तकलीफ़) देने से मुराद ये बातें और काम हुए।

और तफ़सीर के कुछ दूसरे इमामों ने फ़रमाया कि यहाँ हक़ीक़त में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को सताने और तकलीफ़ देने से रोकना और इस पर सज़ा की धमकी देना मक़सद है। मगर आयत में रसूले पाक की तकलीफ़ को हक़ तआ़ला की तकलीफ़ के उनवान से ताबीर कर दिया गया, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को तकलीफ़ पहुँचाना हक़ीक़त में अल्लाह तआ़ला ही को तकलीफ़ पहुँचाना है जैसा कि हदीस में आगे आता है। और क़ुरआन के आगे-पीछे के मज़मून से भी तरजीह इसी दूसरे क़ौल की मालूम होती है क्योंकि पहले भी रसूले पाक की तकलीफ़ का बयान था और आगे भी इसी का बयान आ रहा है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की तकलीफ़ का अल्लाह तआ़ला के लिये ईज़ा (तकलीफ़) होना हज़रत अ़ब्दुर्रहमान बिन मुग़फ़्फ़ल मुज़नी की

रिवायत से साबित है। वह रिवायत करते हैं:

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. اَللّٰهَ اَللّٰهَ فِیْٓ اَصْحَابِیْ لَا تَتَّخِذُوْهُمْ غَرَضًا مِّنْۢ بَعْدِیْ فَمَنْ اَحَبَّهُمْ فَبِحُبِّیْ اَحَبَّهُمْ وَمَنْ اَبْغَضَهُمْ فَبِبُغْضِیْٓ اَبْغَضَهُمْ وَمَنْ اٰذَاهُمْ فَقَدْ اٰذَانِیْ وَمَنْ اٰذَانِیْ فَقَدْ اٰذَى اللّٰهَ وَمَنْ اٰذَى اللّٰهَ يُوْشِكُ اَنْ يَّاْخُذَ. (ترمذی)

"रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि मेरे सहाबा के बारे में अल्लाह से डरो अल्लाह से डरो, उनको मेरे बाद अपने एतिराज़ों व आलोचनाओं का निशाना न बनाओ, क्योंकि उनसे जिसने मुहब्बत की मेरी मुहब्बत की वजह से की और जिसने बुग़्ज़ रखा मेरे बुग़्ज़ की वजह से रखा, और जिसने उनको तकलीफ़ पहुँचाई उसने मुझे तकलीफ़ दी और जिसने मुझे तकलीफ़ दी उसने अल्लाह को तकलीफ़ दी और जिसने अल्लाह को तकलीफ़ दी तो क़रीब है कि अल्लाह तआ़ला उससे गिरफ़्त करेगा।"

इस हदीस से जैसे यह मालूम हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की तकलीफ़ से अल्लाह तआ़ला को तकलीफ़ होती है इसी तरह यह भी मालूम हुआ कि सहाबा किराम में से किसी को तकलीफ़ पहुँचाना या उनकी शान में गुस्ताख़ी करना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की तकलीफ़ (का सबब) है।

इस आयत के शाने नुज़ूल (उतरने के मौक़े और सबब) के बारे में कई रिवायतें हैं। कुछ में है कि यह हज़रत सिद्दीक़ा आ़यशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा पर बोहतान लगाने के मुताल्लिक़ नाज़िल हुई है, जैसा कि हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि जिस ज़माने में हज़रत आ़यशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा पर बोहतान बाँधा गया तो अ़ब्दुल्लाह बिन उबई मुनाफ़िक़ के घर में कुछ लोग जमा हुए और इस बोहतान को फैलाने और चलता करने की बातें करते थे। उस वक़्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने सहाबा किराम से इसकी शिकायत फ़रमाई कि यह शख़्स मुझे तकलीफ़ पहुँचाता है। (तफ़सीरे मज़हरी)

कुछ रिवायतों में है कि हज़रत सफ़िया रज़ियल्लाहु अ़न्हा से निकाह के वक़्त कुछ मुनाफ़िक़ लोगों ने ताना दिया, उसके मुताल्लिक़ नाज़िल हुई। और सही बात यही है कि यह आयत हर ऐसे मामले के मुताल्लिक़ नाज़िल हुई है जिससे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को तकलीफ़ पहुँचे, इसमें सिद्दीक़ा आ़यशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा पर बोहतान भी दाख़िल है और हज़रत सफ़िया रज़ियल्लाहु अ़न्हा और हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अ़न्हा के निकाहों पर ताने व तश्ने देना भी शामिल है, दूसरे सहाबा किराम को बुरा कहना और उन पर तबर्रा करना (यानी उनकी शान में गुस्ताख़ी करना और लान-तान करना) भी दाख़िल है।

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को किसी तरह की भी तकलीफ़ पहुँचाना कुफ़्र है

मसलाः जो शख़्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को किसी तरह की तकलीफ़ पहुँचाये

आपकी ज़ात या सिफ़ात में कोई ऐब निकाले चाहे खुलकर या इशारों में वह काफ़िर हो गया, और इस आयत की रू से उस पर अल्लाह तआ़ला की लानत दुनिया में भी होगी और आख़िरत में भी।

(क़ाज़ी सनाउल्लाह पानीपती, तफ़सीरे मज़हरी)

दूसरी आयत में आ़म मोमिनों को तकलीफ़ पहुँचाने के हराम और बड़ा बोहतान होने को बयान किया है जबकि वे शरई एतिबार से उसके मुस्तहिक़ न हों। आ़म मोमिनों में यह क़ैद इसलिये लगाई कि उनमें दोनों सूरतें हो सकती हैं, यह भी मुम्किन है कि किसी ने कोई ऐसा काम किया है जिसके बदले में उसको तकलीफ़ देना शरई तौर पर जायज़ है और पहली आयत में चूँकि मामला अल्लाह व रसूल की तकलीफ़ का था उसमें कोई क़ैद नहीं लगाई, इसलिये वहाँ जायज़ होने का शुब्हा ही नहीं।

किसी मुसलमान को बग़ैर किसी शरई वजह के दुख पहुँचाना हराम है

ऊपर बयान हुई आयत में:

اَلَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ .... بُهْتَانًا عَظِيْمًا ۝

से किसी मुसलमान को बग़ैर शरई वजह के किसी क़िस्म की तकलीफ़ या दुख पहुँचाने की हुर्मत (हराम होना) साबित हुई और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने इरशाद फ़रमाया है:

اَلْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ لِّسَانِهٖ وَيَدِهٖ وَالْمُؤْمِنُ مَنْ اَمِنَهُ النَّاسُ عَلٰى دِمَآئِهِمْ وَاَمْوَالِهِمْ. رواه الترمذی عن ابی هريرةؓ (مظهری)

"मुसलमान तो सिर्फ़ वह आदमी है जिसके हाथ और ज़बान से सब मुसलमान महफ़ूज़ रहें, किसी को तकलीफ़ न पहुँचे और मोमिन तो सिर्फ़ वही है जिससे लोग अपने ख़ून और माल के मामले में महफ़ूज़ व अमन में हों।"

يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّاَزْوَاجِكَ وَبَنٰتِكَ وَنِسَآءِ الْمُؤْمِنِيْنَ يُدْنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيْبِهِنَّ ۚ ذٰلِكَ اَدْنٰۤى اَنْ يُّعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۚ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ۝ لَئِنْ لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنٰفِقُوْنَ وَالَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ وَّالْمُرْجِفُوْنَ فِي الْمَدِيْنَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُوْنَكَ فِيْهَاۤ اِلَّا قَلِيْلًا ۝ مَّلْعُوْنِيْنَ ۚ اَيْنَمَا ثُقِفُوْۤا اُخِذُوْا وَقُتِّلُوْا تَقْتِيْلًا ۝ سُنَّةَ اللّٰهِ فِي الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ ۚ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللّٰهِ تَبْدِيْلًا ۝

या अय्युहन्नबिय्यु क़ुल्-लि-अज़्वाजि-क	ऐ नबी! कह दे अपनी औरतों को और
व बनाति-क व निसाइल्-मुअ्मिनी-न	अपनी बेटियों को और मुसलमानों की

युद्नी-न अ़लैहिन्-न मिन् जलाबीबिहिन्-न, ज़ालि-क अद्ना अंय्युअ्रफ़्-न फ़ला युअ्ज़ै-न, व कानल्लाहु ग़फ़ूरर्रहीमा (59) ल-इल्लम् यन्तहिल्-मुनाफ़िक़ू-न वल्लज़ी-न फ़ी क़ुलूबिहिम् म-रज़ुंव्वल्-मुर्जिफ़ू-न फ़िल्मदी-नति ल-नुग्रियन्न-क सुम्-म ला युजाविरू-न-क फ़ीहा इल्ला क़लीला (60) मल्अूनी-न ऐ-नमा सुक़िफ़ू उख़िज़ू व क़ुत्तिलू तक़्तीला (61) सुन्नतल्लाहि फ़िल्लज़ी-न ख़लौ मिन् क़ब्लु व लन् तजि-द लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला (62) ❖

औ़रतों को नीचे लटका लें अपने ऊपर थोड़ी सी अपनी चादरें, इसमें बहुत क़रीब है कि पहचानी पड़ें तो कोई उनको न सताये, और अल्लाह है बख़्शने वाला मेहरबान। (59) अलबत्ता अगर बाज़ न आये मुनाफ़िक़ और जिनके दिल में रोग है और झूठी ख़बरें उड़ाने वाले मदीने में तो हम लगा देंगे तुझको उनके पीछे फिर न रहने पायें तेरे साथ इस शहर में मगर थोड़े दिनों (60) फटकारे हुए, जहाँ पाये गये पकड़े गये, और मारे गये जान से। (61) दस्तूर पड़ा हुआ है अल्लाह का उन लोगों में जो पहले हो चुके हैं और तू न देखेगा अल्लाह की चाल बदलती। (62) ❖

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

ऐ पैग़म्बर! अपनी बीवियों से और अपनी बेटियों से और दूसरे मुसलमानों की बीवियों से भी कह दीजिए कि (सर से) नीचे कर लिया करें अपने (चेहरे के) ऊपर थोड़ी-सी अपनी चादरें, इससे जल्दी पहचान हो जाया करेगी, तो तकलीफ़ न दी जाया करेंगी (यानी किसी ज़रूरत से बाहर निकलना पड़े तो चादर से सर और चेहरा छुपा लिया जाये जैसा कि सूरः नूर के ख़त्म के क़रीब 'ग़ै-र मु-तबर्रिजातिम् बिज़ीनतिन्' में इसकी तफ़सीर रिवायत से गुज़र चुकी है। चूँकि बाँदियों के लिये सर अपने आप में सतर में दाख़िल नहीं, और चेहरा खोलने में उनको आज़ाद औ़रतों से ज़्यादा छूट है जिसकी वजह यह है कि वे अपने आक़ा की ख़िदमत में लगी रहती हैं, इसलिये काम-काज के लिये उनको बाहर निकलने और चेहरा वग़ैरह खोलने की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है, बख़िलाफ़ आज़ाद औ़रतों के कि वे इतनी मजबूर नहीं। और चूँकि आवारा लोग आज़ाद औ़रतों को छेड़ने की हिम्मत उनकी ख़ानदानी शान व शौकत और हिमायत की वजह से न करते थे, बाँदियों को छेड़ते थे, कई बार बाँदियों के धोखे में आज़ाद औ़रतों को भी छेड़ने लगते थे, इसलिए इस आयत में आज़ाद औ़रतों को बाँदियों से अलग और नुमायाँ करने के लिये भी और इसलिए भी कि उनका सर और गर्दन वग़ैरह सतर में दाख़िल है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की पाक बीवियों और बेटियों और आ़म मुसलमानों की बीवियों को यह हुक्म दिया कि लम्बी चादर में छुपकर निकलें जिसको सर से कुछ नीचे चेहरे पर

लटका लिया करें जिसको उर्दू में घूँघट करना कहते हैं। इस हुक्म से शरई पर्दे के हुक्म की तामील भी हो जायेगी और बहुत सहूलत के साथ बदमाश और शरीर लोगों से हिफ़ाज़त भी। रह गईं वे औरतें जो आज़ाद नहीं हैं यानी बाँदियाँ सो उनकी हिफ़ाज़त का इन्तिज़ाम अगली आयत में आयेगा) और (इस चेहरे और सर के ढाँकने में अगर कोई कमी या बेएहतियाती बिना इरादे के हो जाये तो) अल्लाह बख़्शने वाला, मेहरबान है (उसको माफ़ कर देगा)।

(आगे उन लोगों को चेतावनी दी गई जो बाँदियों को छेड़ा करते थे और उन लोगों को भी जो एक दूसरी शरारत के करने वाले थे कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ ग़लत अफ़वाहें फैलाकर उनको परेशान करना चाहते थे। फ़रमाया) ये (ख़ास असल) मुनाफ़िक़ों और (आ़म मुनाफ़िक़ों में से) वे लोग जिनके दिलों में (जिन्सी इच्छा परस्ती की) ख़राबी है (जिसकी वजह से बाँदियों को छेड़ते और परेशान करते हैं) और (उन्हीं मुनाफ़िक़ों में) वे लोग जो मदीने में (झूठी और परेशान करने वाली) अफ़वाहें उड़ाया करते हैं, (ये लोग) अगर (अपनी इन हरकतों से) बाज़ न आये तो ज़रूर (एक न एक दिन) हम आपको उन पर मुसल्लत करेंगे, (यानी उनको मदीने से निकाल देने का हुक्म देंगे) फिर (उस हुक्म के बाद) ये लोग आपके पास मदीने में बहुत ही कम रहने पाएँगे। वे भी (हर तरफ़ से) फटकारे हुए (यानी मदीने से निकल जाने का सामान करने के लिये जो कुछ थोड़ी मुद्दत तय की जाएगी उस मुद्दत में तो ये यहाँ रह लेंगे और उस मुद्दत में भी हर तरफ़ से ज़लील व ख़्वार होंगे, फिर निकाल दिये जायेंगे और निकालने के बाद भी कहीं अमन न होगा बल्कि) जहाँ मिलेंगे पकड़-धकड़ और मार-धाड़ की जायेगी। (वजह यह है कि इन मुनाफ़िक़ों के कुफ़्र का तक़ाज़ा तो यही था, लेकिन निफ़ाक़ की आड़ में इनको पनाह मिली है, जब खुले तौर पर ऐसी मुख़ालफ़तें करने लगेंगे तो वह रुकावट दूर हो गयी इसलिए उनके साथ भी कुफ़्र के असली तक़ाज़े के मुवाफ़िक़ मामला होगा कि उनका निकालना और क़ैद व क़त्ल करना सब जायज़ है, और अगर निकलने के लिये कुछ मुद्दत निर्धारित हो जाये तो उस मुद्दत के अन्दर समझौते के सबब सुरक्षित होंगे, उसके बाद जहाँ मिलेंगे अ़हद ख़त्म हो जाने की बिना पर उनके क़त्ल व क़ैद की इजाज़त होगी। मुनाफ़िक़ों को जो यह धमकी दी गई इसमें बाँदियों को छेड़ने का भी इन्तिज़ाम किया और दूसरी शरारत अफ़वाहें फैलाने पर भी अंकुश लगाना हो गया।

आयत का मतलब यह हो गया कि अगर ये लोग खुले तौर पर अहकाम की मुख़ालफ़त और मुसलमानों के ख़िलाफ़ हरकतों से बाज़ आ गये अगरचे अपनी अन्दर की मुनाफ़िक़ाना चालों में लगे रहें तो यह सज़ा जारी न होगी, वरना फिर आ़म काफ़िरों के हुक्म में दाख़िल होकर सज़ा के पात्र हो जायेंगे, और फ़साद व गड़बड़ करने पर सज़ा जारी करना कुछ इन्हीं के साथ मख़्सूस नहीं बल्कि) अल्लाह तआ़ला ने उन (फ़साद करने वाले) लोगों में भी अपना यही दस्तूर (जारी) रखा है जो (इनसे) पहले हो गुज़रे हैं (कि उनको आसमानी सज़ायें दीं या नबियों के हाथ से जिहाद के ज़रिये सज़ायें दिलवाई हैं। पस अगर पहले ऐसा न हो चुकता तो ऐसी सज़ा को मुहाल समझा जा सकता था, और अब तो इसकी कोई गुंजाईश ही नहीं) और आप ख़ुदा तआ़ला के दस्तूर में (किसी शख़्स की तरफ़ से) रद्दोबदल न पाएँगे (कि ख़ुदा तो कोई हुक्म जारी करना चाहे और कोई उसको रोक सके। लफ़्ज़ **सुन्नतुल्लाह** में तो इसका इज़हार कर दिया कि अल्लाह तआ़ला की मर्ज़ी व इरादे से पहले कोई काम नहीं कर सकता, और 'व लन् तजि-द लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला' में यह बतला दिया कि जब अल्लाह

तआ़ला किसी चीज़ का इरादा फ़रमा लें तो कोई उसको रोक नहीं सकता)।

मआ़रिफ़ व मसाईल

इनसे पहले की आयतों में आ़म मुसलमान मर्दों और औ़रतों को तकलीफ़ पहुँचाने का हराम और बड़ा गुनाह होना और ख़ुसूसन सय्यिदुल-मोमिनीन सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की तकलीफ़ का कुफ़ और लानत का सबब होना बयान फ़रमाया गया है। मुनाफ़िक़ों की तरफ़ से दो तरह की तकलीफ़ें स मुसलमानों को और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को पहुँचती थीं, उपरोक्त आयतों में उन तकलीफ़ों की रोकथाम का इन्तिज़ाम है और इसके तहत में औ़रतों के पर्दे के कुछ मज़ीद अहकाम का बयान एक मुनासबत से आया है जो आगे मालूम हो जायेगी। इन दोनों तकलीफ़ों में से एक यह थी कि मुनाफ़िक़ों के अ़वाम और आवारा क़िस्म के लोग मुसलमानों की बाँदियों कनीज़ों को जब वे काम-काज के लिये बाहर निकलतीं तो छेड़ा करते थे और कभी बाँदियों के धोखे में आज़ाद औ़रतों को सताते थे जिसकी वजह से आ़म मुसलमानों को और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को तकलीफ़ पहुँचती थी।

दूसरी तकलीफ़ यह थी कि ये लोग हमेशा ऐसी झूठी ख़बरें उड़ाते थे कि अब फ़ुलाँ दुश्मन मदीने पर चढ़ाई करने वाला है, वह सब को ख़त्म कर देगा। उपरोक्त आयतों में पहली तकलीफ़ से आज़ाद बीवियों को बचाने का फ़ौरी और आसान इन्तिज़ाम यह हो सकता था कि उनको ये लोग उनके ख़ानदान के दबदबे और हिमायत की वजह से इरादा करके छेड़ने की जुर्रत न करते थे, कभी बाँदियों के शुब्हे में ये भी उनकी छेड़छाड़ की ज़द में आ जाती थीं, अगर इनकी पहचान हो जाती तो यह नौबत न आती, इसलिये ज़रूरत पेश आई कि आज़ाद औ़रतों का कोई ख़ास फ़र्क़ और पहचान हो जाये ताकि आसानी के साथ ख़ुद-ब-ख़ुद ही कम से कम आज़ाद औ़रतें तो उन शरीरों के फ़साद से फ़ौरी तौर पर महफ़ूज़ हो जायें और बाँदियों का दूसरा इन्तिज़ाम किया जाये।

दूसरी तरफ़ इस्लामी शरीअ़त ने आज़ाद औ़रतों और बाँदियों के शरई पर्दे में ज़रूरत के तहत एक फ़र्क़ भी रखा है कि बाँदियों का शरई पर्दा वह है जो आज़ाद औ़रतों का अपने मेहरमों के सामने होता है कि जैसे चेहरा वग़ैरह खोलना जो आज़ाद औ़रत के लिये अपने मेहरमों के सामने जायज़ है, बाँदियों के लिये बाहर भी इसकी इजाज़त इसलिये दी गई कि उनका काम ही अपने आक़ा और उसके घर की ख़िदमत है जिसमें उनको बाहर भी बार-बार निकलना पड़ता है और चेहरा और हाथ छुपाकर रखना मुश्किल होता है, बख़िलाफ़ आज़ाद औ़रतों के कि उनको किसी ज़रूरत से बाहर निकलना भी पड़े तो कभी-कभी होगा जिसमें पूरे पर्दे की रियायत मुश्किल नहीं, इसलिये आज़ाद औ़रतों को यह हुक्म दे दिया गया कि वे लम्बी चादर जिसमें छुपकर निकलती हैं उसको अपने सर पर से चेहरे के सामने लटका लिया करें ताकि चेहरा अजनबी मर्दों के सामने न आये, इससे उनका पर्दा भी मुकम्मल हो गया और बाँदियों और कनीज़ों से अलग एक पहचान भी हासिल हो गयी जिसके सबब वे शरीर लोगों की छेड़छाड़ से ख़ुद-ब-ख़ुद सुरक्षित हो गईं। और बाँदियों की हिफ़ाज़त का इन्तिज़ाम उन मुनाफ़िक़ों को सज़ा की वईद (धमकी) सुनाकर किया गया कि इससे बाज़ न आये तो अल्लाह तआ़ला उनको दुनिया में भी अपने नबी और मुसलमानों के हाथों सज़ा दिलवायेंगे।

ऊपर बयान हुई आयत में आज़ाद औरतों के पर्दे के लिये यह हुक्म हुआ है किः

يُدْنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيْبِهِنَّ

इसमें 'युदनी-न' 'इदना' से निकला है जिसके लफ़्ज़ी मायने क़रीब करने के हैं और लफ़्ज़ 'अ़लैहिन्-न'' के मायने अपने ऊपर और 'जलाबीब' बहुवचन है 'जिलबाब' की जो एक ख़ास लम्बी चादर को कहा जाता है। उस चादर की हालत के मुताल्लिक़ हज़रत इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने फ़रमाया कि वह चादर है जो दुपट्टे के ऊपर ओढ़ी जाती है। (इब्ने कसीर) और हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने इसकी शक्ल व सूरत यह बयान फ़रमाई हैः

اَمَرَاللّٰهُ نِسَآءَ الْمُؤْمِنِيْنَ اِذَا خَرَجْنَ مِنْ بُيُوْتِهِنَّ فِيْ حَاجَةٍ اَنْ يُّغَطِّيْنَ وُجُوْهَهُنَّ مِنْ فَوْقِ رُءُوْسِهِنَّ بِالْجَلَابِيْبِ وَيُبْدِيْنَ عَيْنًا وَّاحِدَةً. (ابن كثير)

"अल्लाह तआ़ला ने मुसलमानों की औरतों को हुक्म दिया कि जब वे किसी ज़रूरत से अपने घरों से निकलें तो अपने सरों के ऊपर यह चादर लटकाकर चेहरों को छुपा लें और सिर्फ़ एक आँख (रास्ता देखने के लिये) खुली रखें।"

और इमाम मुहम्मद बिन सीरीन रह. फ़रमाते हैं कि मैंने हज़रत उबैदा सलमानी रह. से इस आयत का मतलब और जिलबाब की कैफ़ियत मालूम की तो उन्होंने सर के ऊपर से चादर चेहरे पर लटकाकर चेहरा छुपा लिया और सिर्फ़ बाईं आँख खुली रखकर 'इदना व जलबाब' की तफ़सीर अ़मली तौर पर बयान फ़रमाई।

सर के ऊपर से चेहरे पर चादर लटकाना जो हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु और उबैदा सलमानी के बयान में आया है यह लफ़्ज़ 'अ़लैहिन्-न' की तफ़सीर है कि अपने ऊपर चादर को क़रीब करने का मतलब चादर को सर के ऊपर से चेहरे पर लटकाना है।

इस आयत ने स्पष्ट रूप से चेहरे के छुपाने का हुक्म दिया है जिससे इस मज़मून की मुकम्मल ताईद हो गई जो ऊपर हिजाब की पहली आयत के तहत में मुफ़स्सल बयान हो चुका है कि चेहरा और हथेलियाँ अगरचे अपने आप में सतर (छुपाने की जगह) में दाख़िल नहीं मगर फ़ितने के ख़ौफ़ से इनका छुपाना भी ज़रूरी है, सिर्फ़ मजबूरी की सूरतें इससे अलग हैं।

ज़रूरी तंबीह

इस आयत में आज़ाद औरतों को एक ख़ास तरह के पर्दे की हिदायत फ़रमाई कि चादर को सर के ऊपर से लटकाकर चेहरे को छुपा लें, ताकि आ़म बाँदियों से उनकी पहचान अलग हो जाये और ये शरीर लोगों के फ़ितनों से महफ़ूज़ हो जायें। उपरोक्त बयान में यह बात वाज़ेह हो चुकी है कि इसका यह मतलब हरगिज़ नहीं कि इस्लाम ने आबरू व पाकदामनी की हिफ़ाज़त में आज़ाद औरतों और बाँदियों के बीच कोई फ़र्क़ कर दिया, कि आज़ाद औरतों की हिफ़ाज़त कराई बाँदियों को छोड़ दिया, बल्कि दर हक़ीक़त यह फ़र्क़ ओबाश शरीर लोगों ने ख़ुद कर रखा था, कि आज़ाद औरतों पर हाथ डालने की तो जुर्रत व हिम्मत नहीं करते थे मगर बाँदियों को छेड़ते थे। इस्लामी शरीअ़त ने उनके इख़्तियार किये हुए इस फ़र्क़ से यह फ़ायदा उठाया कि औरतों की अक्सरियत तो ख़ुद उन्हीं के माने

और तय किये हुए तरीक़े से ख़ुद-ब-ख़ुद महफ़ूज़ हो जाये बाक़ी रहा बाँदियों का मामला सो उनकी आबरू की हिफ़ाज़त भी इस्लाम में ऐसी ही फ़र्ज़ व ज़रूरी है जैसी आज़ाद औरतों की। मगर इसके लिये क़ानूनी सख़्ती इख़्तियार किये बग़ैर चारा नहीं, तो अगली आयत में इसका क़ानून बतला दिया कि जो लोग अपनी इस हरकत से बाज़ न आयें उनको किसी तरह माफ़ न किया जायेगा बल्कि जहाँ मिलेंगे पकड़े जायेंगे और क़त्ल कर दिये जायेंगे। इसने बाँदियों की आबरू को भी आज़ाद औरतों की तरह महफ़ूज़ कर दिया।

इससे वाज़ेह हो गया कि अ़ल्लामा इब्ने हज़्म वग़ैरह ने जो ऊपर बयान हुए शुब्हे से बचने के लिये आयत की तफ़सीर उलेमा की अक्सरियत से अलग करने के लिये दूर का मतलब बयान किया है उसकी कोई ज़रूरत नहीं, शुब्हा तो तब होता जबकि बाँदियों की हिफ़ाज़त का इन्तिज़ाम न किया गया होता।

जो शख़्स मुसलमान होने के बाद मुर्तद हो जाये उसकी सज़ा क़त्ल है

ऊपर ज़िक्र हुई आयत में मुनाफ़िक़ों की दो शरारतों का ज़िक्र करके उनसे बाज़ न आने की सूरत में जिस सज़ा का ज़िक्र किया गया है कि:

مَلْعُوْنِيْنَ اَيْنَمَا ثُقِفُوْٓا اُخِذُوْا وَقُتِّلُوْا تَقْتِيْلًاO

"यानी ये लोग जहाँ रहेंगे लानत और फटकार इनके साथ होगी, और जहाँ मिलेंगे गिरफ़्तार किये जायेंगे और क़त्ल कर दिये जायेंगे।"

यह सज़ा आ़म काफ़िरों की नहीं। क़ुरआन व सुन्नत की बेशुमार दलीलें और वज़ाहतें इस पर सुबूत हैं कि आ़म काफ़िरों के लिये इस्लामी शरीअ़त में यह क़ानून नहीं है बल्कि क़ानून यह है कि पहले उनको इस्लाम की दावत दी जाये, उनके शुब्हात दूर करने की कोशिश की जाये, इस पर भी वे इस्लाम न लायें तो मुसलमानों के ताबे बनकर ज़िम्मी ही हैसियत से रहने का हुक्म दिया जाये, अगर वे इसको क़ुबूल कर लें तो उनकी जान व माल और आबरू की हिफ़ाज़त मुसलमानों पर मुसलमानों ही की तरह फ़र्ज़ हो जाती है। हाँ! जो इसको भी क़ुबूल न करें और जंग ही पर आमादा हो जायें तो उनके मुक़ाबले में जंग करने का हुक्म है।

इस आयत में उन लोगों को बिना किसी शर्त व क़ैद के क़त्ल करने व बन्दी बनाने की सज़ा सुनाई गई है, इसकी वजह यह है कि यह मामला मुनाफ़िक़ों का था जो अपने आपको मुसलमान कहते थे, और जब कोई मुसलमान इस्लामी अहकाम की खुली मुख़ालफ़त और इनकार करने लगे तो शरीअ़त की इस्तिलाह में वह मुर्तद कहलाता है, उसके साथ इस्लामी शरीअ़त में कोई समझौता नहीं सिवाय इसके कि वह तौबा करके फिर मुसलमान हो जाये और इस्लामी अहकाम को अपने क़ौल व अ़मल से तस्लीम कर ले, वरना फिर उसको क़त्ल किया जायेगा जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के स्पष्ट इरशादात और सहाबा किराम के मुत्तफ़िक़ा अ़मल से साबित है। मुसैलमा कज़्ज़ाब

और उसकी जमाअत के ख़िलाफ़ तमाम सहाबा के इत्तिफ़ाक़े राय से जंग व जिहाद और मुसैलमा का कत्ल इसका काफ़ी सुबूत है, और आयत के आख़िर में इसको अल्लाह तआ़ला की पुरानी आ़दत व दस्तूर क़रार दिया गया है जिससे मालूम हुआ कि पिछले अम्बिया अ़लैहिमुस्सलाम की शरीअ़तों में भी मुर्तद (दीने हक़ से फिर जाने) की सज़ा क़त्ल ही थी।

उपरोक्त ख़ुलासा-ए-तफ़सीर में इन सज़ाओं को आ़म काफ़िरों के क़ानून व नियम में लाने के लिये जो वजह बयान की गई है इस तक़रीर से उसकी ज़रूरत नहीं रहती।

चन्द मसाईल

इस आयत से यह साबित हुआ किः

1. औरतों को जब किसी ज़रूरत की बिना पर घर से निकलना पड़े तो लम्बी चादर से तमाम बदन छुपाकर निकलें, और उस चादर को सर के ऊपर से लटकाकर चेहरा भी छुपाकर चलें, राईज बुर्क़ा भी इसके क़ायम-मक़ाम है।

2. मुसलमानों में ऐसी अफ़वाहें फैलाना हराम है जिनसे उनको चिंता और परेशानी हो और नुक़सान पहुँचे।

يَسْئَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ ۖ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ ۚ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا ﴿٦٣﴾ إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْكٰفِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا ﴿٦٤﴾ خٰلِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۖ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴿٦٥﴾ يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ يٰلَيْتَنَا أَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولَا ﴿٦٦﴾ وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَا ﴿٦٧﴾ رَبَّنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا ﴿٦٨﴾

ع ८ ५

यस्अलुकन्नासु अ़निस्सा-अ़ति, क़ुल् इन्नमा अ़िल्मुहा अ़िन्दल्लाहि, व मा युद्री-क लअ़ल्लस्सा-अ़-त तकूनु क़रीबा (63) इन्नल्ला-ह ल-अ़नल्-काफ़िरी-न व अ-अ़द्-द लहुम् सअ़ीरा (64) ख़ालिदी-न फ़ीहा अ-बदन् ला यजिदू-न वलिय्यंव्-व ला नसीरा (65) यौ-म तुक़ल्लबु वुजूहुहुम् फ़िन्नारि यक़ूलू-न या लै-तना अतअ़्नल्ला-ह व अतअ़्नर्रसूला (66)	लोग तुझसे पूछते हैं क़ियामत को, तू कह उसकी ख़बर है अल्लाह ही के पास, और तू क्या जाने शायद वह घड़ी पास ही हो। (63) बेशक अल्लाह ने फटकार दिया है मुन्किरों को और रखी है उनके वास्ते दहकती आग। (64) रहा करें उसी में हमेशा, न पायें कोई हिमायती और न मददगार। (65) जिस दिन औंधे डाले जायेंगे उनके मुँह आग में, कहेंगे क्या अच्छा होता जो हमने कहा माना होता अल्लाह का और कहा माना होता रसूल का। (66)

व क़ालू रब्बना इन्ना अतअ़्ना सा-द-तना व कु-बरा-अना फ़-अज़ल्लूनस्-सबीला (67) रब्बना आतिहिम् ज़िअ़्फ़ैनि मिनल्-अ़ज़ाबि वल्अ़नुहुम् लअ़्नन् कबीरा (68) ✿	और कहेंगे ऐ रब! हमने कहा माना अपने सरदारों का और अपने बड़ों का, फिर उन्होंने चुका दिया हमको राह से। (67) ऐ रब उनको दे दूना अ़ज़ाब और फटकार उनको बड़ी फटकार। (68) ✿

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

ये (इनकार करने वाले) लोग आप से क़ियामत के मुताल्लिक़ (इनकार करने के तौर पर) सवाल करते हैं (कि कब होगी) आप (उनके जवाब में) फ़रमा दीजिये कि उस (के वक़्त) की ख़बर तो बस अल्लाह तआ़ला ही के पास है, और आपको उसकी क्या ख़बर (कि कब है, अलबत्ता संक्षिप्त रूप से उन लोगों को जान लेना चाहिए कि) अ़जब नहीं कि क़ियामत क़रीब ही ज़ाहिर हो जाये (क्योंकि जब कोई निर्धारित वक़्त नहीं तो क़रीब ज़माने में उसके ज़ाहिर हो जाने की संभावना को भी नज़र-अन्दाज़ नहीं किया जा सकता, जिसका तक़ाज़ा यह था कि ये लोग अन्जाम से डरते और उसकी तैयारी में लगते, इनकार करने के लिये सवालात करने और मज़ाक़ उड़ाने से बचते।

और क़ियामत को क़रीब फ़रमाने की वजह यह भी हो सकती है कि क़ियामत हर दिन क़रीब ही होती जा रही है, और जो चीज़ सामने से आ रही हो उसको क़रीब ही समझना अ़क़्लमन्दी है। और इस लिहाज़ से भी क़ियामत को क़रीब कहा जा सकता है कि क़ियामत के हौलनाक वाक़िआ़त और उसकी सख़्ती को देखते हुए यह सारी दुनिया की उम्र भी थोड़ी नज़र आयेगी, और हज़ारों साल की यह मुद्दत चन्द दिन के बराबर महसूस होगी) बेशक अल्लाह तआ़ला ने काफ़िरों को रहमत से दूर रखा है, और उनके लिये भड़कती हुई आग तैयार कर रखी है। जिसमें वे हमेशा-हमेशा रहेंगे (और) न कोई यार पाएँगे और न कोई मददगार। जिस दिन उनके चेहरे दोज़ख़ में उलट-पलट किए जाएँगे (यानी चेहरों के बल घसीटे जायेंगे, कभी चेहरे की इस करवट पर कभी दूसरी करवट पर और उस वक़्त बड़ी हसरत से) यूँ कहते होंगे कि ऐ काश! हमने (दुनिया में) अल्लाह की इताअ़त की होती और हमने रसूल (सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम) की इताअ़त की होती (तो आज इस मुसीबत में मुब्तला न होते) और (हसरत के साथ अपने गुमराह करने वालों पर गुस्सा आयेगा तो) यूँ कहेंगे कि ऐ हमारे रब! हमने अपने सरदारों का (यानी जिनको हमारे ऊपर सरदारी व हुकूमत हासिल थी उनका) और अपने बड़ों का (जिनमें किसी दूसरी वजह से यह सिफ़त पाई जाती थी कि उनकी बात मानना और पैरवी करना हमारे ज़िम्मे ज़रूरी था) कहना माना था। सो उन्होंने हमको (सीधे) रास्ते से गुमराह किया था। ऐ हमारे रब! उनको दोहरी सज़ा दीजिए और उन पर बड़ी लानत कीजिए (यह ऐसा मज़मून है जैसा सूरः आराफ़ के चौथे रुकूअ़ में पहले आ चुका है:

رَبَّنَا هٰٓؤُلَآءِ اَضَلُّوْنَا فَاٰتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِّنَ النَّارِ

जिसका जवाब उसी आयत में यह बयान फ़रमाया है 'लिकुल्लि ज़िअ़फ़ुंव्-व ला किल्ला तअ़्लमून' (कि सब ही के लिये दूना है मगर तुमको ख़बर नहीं)।

मआ़रिफ़ व मसाईल

इनसे पहले की आयतों में अल्लाह व रसूल की मुख़ालफ़त करने वालों को दुनिया और आख़िरत में लानत व अ़ज़ाब की वईद (धमकी) सुनाई गई थी, और काफ़िरों के बहुत से फ़िर्क़े ख़ुद क़ियामत और आख़िरत ही के इनकारी थे और इनकार की वजह से मज़ाक़ उड़ाने के तौर पर पूछा करते थे कि वह क़ियामत कब आयेगी? सूरत के आख़िर में उनका जवाब उपर्युक्त आयतों में दिया गया है जिनकी तफ़सीर ऊपर आ चुकी है।

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَىٰ فَبَرَّأَهُ اللَّهُ
مِمَّا قَالُوا ۚ وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا ﴿٦٩﴾ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٧٠﴾
يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿٧١﴾

या अय्युहल्लज़ी-न आमनू ला तकूनू कल्लज़ी-न आज़ौ मूसा फ़-बर्र-अहु-ल्लाहु मिम्मा क़ालू, व का-न अ़िन्दल्लाहि वजीहा (69) या अय्युहल्लज़ी-न आमनुत्तक़ुल्ला-ह व क़ूलू क़ौलन् सदीदा (70) युस्लिह् लकुम् अअ़्मा-लकुम् व यग़्फ़िर् लकुम् ज़ुनू-बकुम्, व मंय्युतिअ़िल्ला-ह व रसूलहू फ़-क़द् फ़ा-ज़ फ़ौज़न् अ़ज़ीमा (71)	ऐ ईमान वालो! तुम मत हो उन जैसे जिन्होंने सताया मूसा को फिर बेऐब दिखलाया उसको अल्लाह ने उनके कहने से, और था अल्लाह के यहाँ आबरू वाला। (69) ऐ ईमान वालो डरते रहो अल्लाह से और कहो बात सीधी (70) कि संवार दे तुम्हारे वास्ते तुम्हारे काम और बख़्श दे तुमको तुम्हारे गुनाह, और जो कोई कहने पर चला अल्लाह के और उसके रसूल के उसने पाई बड़ी मुराद। (71)

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

ऐ ईमान वालो! तुम उन लोगों की तरह मत होना जिन्होंने (कुछ तोहमत गढ़कर) मूसा (अ़लैहिस्सलाम) को तकलीफ़ दी थी, सो उनको ख़ुदा तआ़ला ने बरी साबित कर दिया उस चीज़ से जो वे कहते थे (यानी उनको तो कुछ नुक़सान न पहुँचा तोहमत लगाने वाले ही झूठे और सज़ा के हक़दार ठहरे), और वह (यानी मूसा अ़लैहिस्सलाम) अल्लाह के नज़दीक बड़े इ़ज़्ज़त वाले "यानी

सम्मानित" (पैग़म्बर) थे (इसलिए अल्लाह तआला ने उनकी बराअत ज़ाहिर फ़रमा दी, जैसा कि दूसरे अम्बिया अलैहिमुस्सलाम के लिये इस तरह की तोहमतों से बराअत आम है। मतलब यह है कि तुम रसूल की मुख़ालफ़त करके उनको मत सताना क्योंकि उनकी मुख़ालफ़त अल्लाह की मुख़ालफ़त है, वरना उसके नतीजे में तुम ख़ुद अपना ही नुक़सान कर लोगे इसलिए हर काम में अल्लाह व रसूल की फ़रमाँबरदारी करना जिसका हुक्म आगे आता है कि) ऐ ईमान वालो! अल्लाह से डरो (यानी हर मामले में उसकी फ़रमाँबरदारी करो) और (ख़ास तौर पर कलाम करने में इसकी बहुत रियायत रखो कि जब बात करो) सच्ची बात कहो (जिसमें इन्साफ़ व हक़ से निकलना न हो) अल्लाह तआला (इसके सिले में) तुम्हारे आमाल को क़ुबूल करेगा और तुम्हारे गुनाह माफ़ कर देगा (कुछ उन आमाल की बरकत से कुछ तौबा की बरकत से जो परहेज़गारी और सही व सीधी बात कहने में दाख़िल हैं) और (यह फ़रमाँबरदारी व नेक काम करने के फल हैं और नेकी इख़्तियार करना ऐसी चीज़ है कि) जो शख़्स अल्लाह और उसके रसूल की फ़रमाँबरदारी करेगा सो वह बड़ी कामयाबी को पहुँचेगा।

मआरिफ़ व मसाईल

इनसे पहली आयतों में अल्लाह व रसूल को तकलीफ़ देने का तबाहकुन और ख़तरनाक होना बयान किया गया था, इन आयतों में ख़ास तौर से मुसलमानों को अल्लाह व रसूल की मुख़ालफ़त से बचने की हिदायत है क्योंकि यह मुख़ालफ़त उनको तकलीफ़ पहुँचने का सबब है।

पहली आयत में एक वाक़िआ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जिसमें उनकी क़ौम ने उनको तकलीफ़ पहुँचाई थी, ज़िक्र करके मुसलमानों को तंबीह की गई है कि तुम ऐसा न करना। इसके लिये यह ज़रूरी नहीं कि मुसलमानों से कोई ऐसा काम हुआ भी हो बल्कि पेशगी हिफ़ाज़त और बचाव के तौर पर उनको यह क़िस्सा सुनाकर हिदायत की गई है। और एक रिवायत में कुछ सहाबा हज़रात जो क़िस्सा नक़ल किया गया है उसके बारे में भी यही समझा जा सकता है कि उनको उस वक़्त इस तरफ़ तवज्जोह न हुई होगी कि यह कलिमा आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की तकलीफ़ का सबब है, इरादे से तकलीफ़ पहुँचाने का किसी सहाबी से इमकान (संभावना) नहीं, जान-बूझकर सताने और तकलीफ़ देने के जितने क़िस्से हैं वो सब मुनाफ़िक़ों के हैं। और मूसा अलैहिस्सलाम का क़िस्सा ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने बयान फ़रमाकर इस आयत की तफ़सीर बयान फ़रमा दी है जिसको इमाम बुख़ारी ने किताबुत्तफ़सीर और किताबुल-अम्बिया में हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत फ़रमाया है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बहुत हया करने (शर्माने) वाले और अपने बदन को छुपाने वाले थे, उनके बदन को कोई न देखता था। जब ग़ुस्ल की ज़रूरत होती तो पर्दे के अन्दर ग़ुस्ल करते थे, उनकी क़ौम बनी इस्राईल में आम तौर पर यह रिवाज था कि मर्द सब के सामने नंगे होकर नहाते थे, तो कुछ बनी इस्राईल कहने लगे कि मूसा जो किसी के सामने नहीं नहाते इसका सबब यह है कि उनके बदन में कोई ऐब है, या तो सफ़ेदे की बीमारी है या फ़ोते बहुत बढ़े हुए हैं या कोई और परेशानी है। अल्लाह तआला ने इरादा फ़रमाया कि मूसा अलैहिस्सलाम के इस तरह के ऐबों से बरी होने का इज़हार फ़रमा दें।

एक दिन मूसा अलैहिस्सलाम ने तन्हाई में ग़ुस्ल करने (नहाने) के लिये अपने कपड़े उतारकर एक

पत्थर पर रख दिये, जब ग़ुस्ल से फ़ारिग़ होकर अपने कपड़े लेने चाहे तो यह पत्थर (अल्लाह के हुक्म से हरकत में आ गया) और कपड़े लेकर भागने लगा। मूसा अ़लैहिस्सलाम अपनी लाठी उठाकर पत्थर के पीछे यह कहते हुए चलेः

ثَوْبِیْ حَجَرُ ثَوْبِیْ حَجَرُ

"यानी ऐ पत्थर! मेरे कपड़े। ऐ पत्थर! मेरे कपड़े।"

मगर पत्थर चलता रहा यहाँ तक कि यह पत्थर ऐसी जगह जाकर ठहरा जहाँ बनी इस्राईल का एक मजमा था, उस वक़्त बनी इस्राईल ने मूसा अ़लैहिस्सलाम को सर से पाँव तक नंगा देखा तो बेहतरीन सही व सालिम बदन देखा (जिसमें उनका मन्सूब किया हुआ कोई ऐब न था) इस तरह अल्लाह तआ़ला ने मूसा अ़लैहिस्सलाम की बराअत उन ऐबों से सब के सामने ज़ाहिर फ़रमा दी। पत्थर यहाँ पहुँचकर ठहर गया था, मूसा अ़लैहिस्सलाम ने अपने कपड़े उठाकर पहन लिये, फिर मूसा अ़लैहिस्सलाम ने पत्थर को लाठी से मारना शुरू किया, ख़ुदा की क़सम! उस पत्थर में मूसा अ़लैहिस्सलाम के मारने से तीन या चार या पाँच निशान पड़ गये।

यह वाक़िआ बयान फ़रमाकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि क़ुरआन की इस आयत का यही मतलब है। यानी ऊपर बयान हुई आयत 69 का। मज़कूरा आयत में मूसा अ़लैहिस्सलाम की जिस तकलीफ़ का ज़िक्र है उसकी तफ़सीर इस क़िस्से में ख़ुद रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से मन्क़ूल है। कुछ सहाबा किराम से मूसा अ़लैहिस्सलाम की तकलीफ़ का एक क़िस्सा और भी मशहूर है वह भी इसके साथ ज़रूर जुड़ा हुआ है मगर आयत की तफ़सीर वही राजेह (ज़्यादा सही) है जो मरफ़ूअ़ हदीस में मौजूद है।

وَكَانَ عِنْدَ اللّٰهِ وَجِيْهًا ○

"यानी थे मूसा अ़लैहिस्सलाम अल्लाह के नज़दीक वजाहत वाले।" अल्लाह के नज़दीक किसी की वजाहत और जाह का मतलब यह है कि अल्लाह तआ़ला उसकी दुआ़ क़ुबूल फ़रमायें, उसकी इच्छा व मुतालबे को रद्द न करें। चुनाँचे हज़रत मूसा अ़लैहिस्सलाम का दुआ़ओं के क़ुबूल होने वाला होना क़ुरआन में उन बहुत से वाक़िआत से साबित है जिनमें उन्होंने किसी चीज़ की दुआ़ माँगी अल्लाह तआ़ला ने उसी तरह क़ुबूल फ़रमाया। उनमें सबसे ज़्यादा अ़जीब यह है कि हारून अ़लैहिस्सलाम को पैग़म्बर बनाने की दुआ़ की, अल्लाह तआ़ला ने क़ुबूल फ़रमाकर उनको मूसा अ़लैहिस्सलाम के साथ रिसालत में शरीक बना दिया, हालाँकि नुबुव्वत का मर्तबा और मक़ाम किसी को किसी की सिफ़ारिश पर नहीं दिया जाता। (इब्ने कसीर)

अल्लाह की आ़दत यह है कि अम्बिया अ़लैहिमुस्सलाम को ऐसे जिस्मानी ऐबों से भी बरी रखा जाता है जो नफ़रत का सबब हों

इस वाक़िए में क़ौम के ऐब लगाने पर उससे बराअत का हक़ तआ़ला ने इतना एहतिमाम फ़रमाया कि मोजिज़े के तौर पर पत्थर कपड़े लेकर भागा और मूसा अ़लैहिस्सलाम बिना इरादे के लोगों के सामने नंगे आ गये। यह एहतिमाम इस बात की तरफ़ इशारा करता है कि हक़ तआ़ला

अपने नबियों के जिस्मों को भी नफ़रत व अपमान वाले ऐबों से उमूमन पाक और बरी रखता है, जैसा कि बुख़ारी शरीफ़ की हदीस से यह बात साबित है कि अम्बिया सब के सब आला नसब (ऊँचे ख़ानदान व नस्ल) में पैदा किये जाते हैं क्योंकि उर्फ़ में जिस नसब और ख़ानदान को लोग हक़ीर (कम दर्जे का और गिरा हुआ) समझते हों उसकी बात सुनने मानने के लिये तैयार होना मुश्किल है। इसी तरह नबियों की तारीख़ में किसी पैग़म्बर का अंधा, बहरा, गूँगा या हाथ-पाँव से माज़ूर होना साबित नहीं, और हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के वाकिए से इस पर एतिराज़ नहीं हो सकता क्योंकि वह अल्लाह तआ़ला की हिक्मत से एक ख़ास आज़माईश व इम्तिहान के लिये चन्द दिन की तकलीफ़ थी फिर ख़त्म कर दी गई। वल्लाहु आलम

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَقُوْلُوْا قَوْلًا سَدِيْدًاo يُّصْلِحْ لَكُمْ اَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْلَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ،

क़ौल-ए-सदीद की तफ़सीर कुछ हज़रात ने सच्चाई के साथ की, कुछ ने सीधी बात और कुछ ने सही और दुरुस्त वग़ैरह से की है। इमाम इब्ने कसीर ने सब को नक़ल करके फ़रमाया कि सब हक़ हैं। मतलब यह हुआ कि क़ुरआने करीम ने इस जगह सादिक़ या मुस्तक़ीम वग़ैरह के अलफ़ाज़ छोड़कर सदीद का लफ़्ज़ इख़्तियार फ़रमाया क्योंकि लफ़्ज़ सदीद इन तमाम सिफ़तों को अपने अन्दर रखता है। इसी लिये काशिफ़ी ने तफ़सीर रूहुल-बयान में फ़रमाया कि क़ौले-सदीद वह क़ौल है जो सच्चा हो, झूठ का उसमें शुब्हा तक न हो, सही हो जिसमें ग़लती का कोई शुब्हा न हो, ठीक बात हो मज़ाक़ व दिल्लगी न हो, नर्म कलाम हो दिल को छील देने वाला न हो।

ज़ुबान का सुधार बाक़ी सब अंगों व आमाल के सुधार में प्रभावी ज़रिया है

इस आयत में असल हुक्म सब मुसलमानों को यह दिया गया है कि 'इत्तक़ुल्लाह' यानी तक़वा इख़्तियार करो, जिसकी हक़ीक़त अल्लाह के तमाम अहकाम की मुकम्मल फ़रमाँबरदारी है, कि शरीअ़त में जो हुक्म दिये गये हैं उनकी तामील करे और जिन चीज़ों से मना किया है या जो मक्रूह हैं उनसे बचे और परहेज़ करे। और ज़ाहिर है कि यह काम इनसान के लिये आसान नहीं, इसलिये 'इत्तक़ुल्लाह' के बाद एक ख़ास अ़मल की हिदायत है यानी अपने कलाम को सही और दुरुस्त करने की। यह भी अगरचे तक़वे का ही एक हिस्सा है मगर ऐसा हिस्सा और भाग है कि इस पर क़ाबू पा लिया जाये तो बाक़ी तक़वे के हिस्से ख़ुद-ब-ख़ुद हासिल होते चले जायेंगे। जैसा कि ख़ुद ऊपर बयान हुई आयत में क़ौले-सदीद (सही और सीधी बात) इख़्तियार करने के नतीजे में 'युस्लिह् लकुम् अअ़्मालकुम्' का वादा है। यानी अगर तुमने अपनी ज़ुबान को ग़लती से रोक लिया और सही कलाम सीधी बात कहने के आ़दी हो गये तो अल्लाह तआ़ला तुम्हारे सब आमाल की इस्लाह (सुधार) फ़रमायेंगे और सब को दुरुस्त कर देंगे। और आयत के आख़िर में यह वादा फ़रमाया कि 'यग़फ़िर् लकुम् ज़ुनूबकुम्' यानी जिस शख़्स ने अपनी ज़ुबान पर क़ाबू पा लिया, सच्ची और सीधी बात का आ़दी बन गया अल्लाह तआ़ला उसके बाक़ी आमाल की भी इस्लाह फ़रमा देंगे और जो ग़लतियाँ और

चूक उससे हुई हैं उनको माफ़ फ़रमा देंगे।

क़ुरआनी अहकाम में सहूलत व आसानी का ख़ास एहतिमाम

क़ुरआने करीम के आम अन्दाज़ में ग़ौर करने से मालूम होता है कि जहाँ कोई हुक्म ऐसा दिया गया जिसकी तामील में कुछ मशक़्क़त व दुश्वारी हो तो साथ ही उसको आसान करने का तरीक़ा भी बतला दिया गया है। और चूँकि सारे दीन का ख़ुलासा तक़वा (परहेज़गारी) है और इसमें पूरा उतरना बड़ी मशक़्क़त है, इसलिये उमूमन जहाँ 'इत्तक़ुल्ला-ह' (अल्लाह से डरो) का हुक्म दिया गया है तो उससे पहले या बाद में कोई एक अ़मल ऐसा बतला दिया है जिसके इख़्तियार करने से तक़वे के बाक़ी अरकान पर अ़मल अल्लाह की तरफ़ से आसान कर दिया जाता है। इसी की एक नज़ीर इस आयत में 'इत्तक़ुल्ला-ह' के बाद 'क़ूलू क़ौलन् सदीदा' की तालीम व हिदायत है, और इससे पहली आयत में 'इत्तक़ुल्ला-ह' से पहले 'व ला तकूनू कल्लज़ी-न आज़ौ मूसा.......' फ़रमाकर इस बात की तरफ़ हिदायत फ़रमा दी कि तक़वे की राह में सबसे बड़ी रुकावट अल्लाह के नेक और मक़बूल बन्दों को तकलीफ़ देना है, इसे छोड़ दो तो तक़वा आसान हो जायेगा।

एक आयत में इरशाद फ़रमाया 'इत्तक़ुल्ला-ह व कूनू मअ़स्सादिक़ीन' इसमें तक़वे को आसान करने के लिये ऐसे लोगों की सोहबत व मज्लिस की तालीम फ़रमाई जो बात के सच्चे हों और अ़मल के भी सच्चे हों, जिसका हासिल वलीयुल्लाह होना है। इसी तरह एक दूसरी आयत में ''इत्तक़ुल्ला-ह'' के साथ 'वल्तन्ज़ुर् नफ़्सुम् मा क़द्दमत् लि-ग़दिन्' बढ़ा दिया, जिसके मायने यह हैं कि हर इनसान को इसकी फ़िक्र चाहिये कि उसने कल यानी मेहशर के दिन के लिये क्या सामान भेजा है? जिसका ख़ुलासा आख़िरत की फ़िक्र है और यह फ़िक्र तक़वे के तमाम अरकान को आसान कर देने वाली चीज़ है।

ज़ुबान व कलाम की दुरुस्ती दीन व दुनिया दोनों के काम दुरुस्त करने वाली है

हज़रत शाह अ़ब्दुल-क़ादिर साहिब देहलवी रह. ने जो तर्जुमा इस आयत का किया है उससे यह मालूम होता है कि इस आयत में जो सीधी बात का आ़दी होने पर आमाल के सही होने का वादा है वह सिर्फ़ दीनी आमाल ही नहीं बल्कि दुनिया के सब काम भी इसमें दाख़िल हैं। जो शख़्स क़ौले-सदीद (सही और सच्ची बात करने) का आ़दी हो जाये यानी कभी झूठ न बोले, सोच-समझकर कलाम करे जो ख़ता व ग़लती से पाक हो, किसी को फ़रेब न दे, दिल दुखाने वाली बात न करे, उसके आख़िरत के आमाल भी दुरुस्त हो जायेंगे और दुनिया के काम भी बन जायेंगे। हज़रत शाह साहिब रह. का तर्जुमा यह है कि (कहो बात सीधी कि संवार दे तुमको तुम्हारे काम)।

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ ۖ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ۝ لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنٰفِقِينَ وَالْمُنٰفِقٰتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكٰتِ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنٰتِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ۝

इन्ना अ़रज़्नल्-अमान-त अ़लस्-समावाति वल्अर्ज़ि वल्जिबालि फ़-अबै-न अंय्यह्मिल्नहा व अश्फ़क़्-न मिन्हा व ह-म-लहल्-इन्सानु, इन्नहू का-न ज़लूमन् जहूला (72) लि-युअ़ज़्ज़िबल्लाहुल्-मुनाफ़िक़ी-न वल्-मुनाफ़िक़ाति वल्-मुश्रिकी-न वल्-मुश्रिकाति व यतूबल्लाहु अ़लल्-मुअ्मिनी-न वल्-मुअ्मिनाति, व कानल्लाहु ग़फ़ूरर्-रहीमा (73) ✿	हमने दिखलाई अमानत आसमानों को और ज़मीन को और पहाड़ों को फिर किसी ने क़ुबूल न किया कि उसको उठायें और उससे डर गये और उठा लिया उसको इनसान ने, यह है बड़ा बेतरस नादान। (72) ताकि अ़ज़ाब करे अल्लाह मुनाफ़िक़ मर्दों को और औ़रतों को और शिर्क करने वाले मर्दों को और औ़रतों को और माफ़ करे अल्लाह ईमान वाले मर्दों को और औ़रतों को, और है अल्लाह बख़्शने वाला मेहरबान। (73) ✿

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

हमने यह अमानत (यानी अहकाम जो अमानत के दर्जे में हैं) आसमानों और ज़मीन और पहाड़ों के सामने पेश की थी (यानी उनमें कुछ शऊर पैदा करके जो कि अब भी है उनके रूबरू अपने अहकाम और मानने की सूरत में उस पर इनाम व अकराम और न मानने की सूरत में उस पर अ़ज़ाब व तकलीफ़ें पेश करके उनको लेने न लेने का इख़्तियार दिया। और हासिल इस पेश करने का यह था कि अगर तुम इन अहकाम को अपने ज़िम्मे रखते हो तो इनके मुवाफ़िक़ अ़मल करने की सूरत में तुमको सवाब मिलेगा, और ख़िलाफ़ करने की सूरत में अ़ज़ाब होगा। और अगर नहीं लेते तो पाबन्द न बनाये जाओगे, और सवाब व अ़ज़ाब के भी मुस्तहिक़ न होगे, तुमको दोनों इख़्तियार हैं कि इसको न लेने से नाफ़रमान न होगे, जिस क़द्र उनको शऊर था वो मुख़्तसर तौर पर इस क़द्र मज़मून समझ लेने के लिये काफ़ी था, चूँकि उनको इख़्तियार भी दिया गया था) सो उन्होंने (ख़ौफ़ व अ़ज़ाब के सबब सवाब की सूरत व संभावना से भी अपने को अलग कर लिया और) इसकी ज़िम्मेदारी से इनकार कर दिया और इस (की ज़िम्मेदारी) से डर गये (कि ख़ुदा जाने क्या अन्जाम हो। और अगर वो अपनी ज़िम्मेदारी रख लेते तो इनसान की तरह उनको भी अ़क़्ल अ़ता की जाती जो अहकाम की तफ़सील और सवाब व अ़ज़ाब की बातों के समझने के लिये ज़रूरी है। चूँकि इसको नहीं मन्ज़ूर किया इसलिये अ़क़्ल की भी ज़रूरत न हुई। ग़र्ज़ कि उन्होंने तो उज़्र कर दिया) और (जब इन आसमानों, ज़मीन और पहाड़ों के बाद इनसान को पैदा करके उससे यही बात पूछी गई तो) इनसान ने (इस वजह से कि अल्लाह के इल्म में इसका ख़लीफ़ा होना मुक़र्रर था) इसको अपने ज़िम्मे ले लिया (ग़ालिबन उस वक़्त तक इसमें भी इतना ही ज़रूरत के मुताबिक़ शऊर होगा, और ग़ालिबन यह पेश करना रोज़े अव्वल के अ़हद लिये जाने से पहले की बात है, और वह अ़हद इसी अमानत के उठाने की शाख़ा है,

और उस अहद लेने के वक़्त इसमें अ़क़्ल अ़ता की गई होगी, और यह किसी ख़ास इनसान से जैसे आदम अ़लैहिस्सलाम के नहीं पूछा गया बल्कि रब होने का अहद लेने की तरह यह पेश किया जाना भी आ़म होगा और इसकी पाबन्दी भी आ़म थी। पस आसमान, ज़मीन और पहाड़ मुकल्लफ़ न हुए और यह मुकल्लफ़ बना दिया गया।

आयत में इसका याद दिलाना ग़ालिबन इसी हिक्मत से है जैसा कि पहले दिन का अहद लेना याद दिलाया। यानी इन अहकाम की पाबन्दी करना तुमने अपने आप अपने ज़िम्मे लिया है तो फिर निभाना चाहिए। और चूँकि मुकल्लफ़ जिन्न भी है इसलिए ग़ालिबन वह इस पेश किये जाने और ज़िम्मेदारी उठाने में शरीक है, मगर इनसान को ख़ास तौर पर ज़िक्र करना सिर्फ़ इसलिये है कि इस जगह में कलाम इसी से हो रहा है। फिर इस लाज़िम करने और पाबन्द होने के बाद इनसान की हालत अक्सर अफ़राद के एतिबार से यह हुई कि) वह (इनसान अ़मली बातों में) ज़ालिम है (और इल्मी मामलात में) जाहिल है। (यानी दोनों बातों में आमाल में भी और अ़क़ीदों में भी ख़िलाफ़वर्ज़ी करता है। यह हालत तो अक्सर अफ़राद के एतिबार से है बाक़ी मजमूए के एतिबार से इस ज़िम्मेदारी का) अन्जाम यह हुआ कि अल्लाह तआ़ला मुनाफ़िक़ मर्दों व मुनाफ़िक़ औ़रतों और मुश्रिक मर्दों व मुश्रिक औ़रतों को (कि ये लोग अहकाम को बरबाद करने वाले हैं) सज़ा देगा, और मोमिन मर्दों व मोमिन औ़रतों पर तवज्जोह (और रहमत) फ़रमा देगा, और (मुख़ालफ़त करने के बाद भी अगर कोई बाज़ आ जाये तो फिर उसको भी मोमिन मर्दों व मोमिन औ़रतों के वर्ग और जमाअ़त में शामिल कर लिया जायेगा, क्योंकि) अल्लाह तआ़ला मग़फ़िरत करने वाला, रहम करने वाला है।

मआ़रिफ़ व मसाईल

इस पूरी सूरत में रसूले पाक सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की ताज़ीम व सम्मान और उनकी इताअ़त पर ज़ोर दिया गया है। सूरत के आख़िर में इस इताअ़त का ऊँचा मक़ाम और दर्जा बतलाया गया है। इसमें अल्लाह व रसूल की इताअ़त और उनके अहकाम की तामील को अमानत से ताबीर किया गया है जिसकी वजह आगे आ जायेगी।

अमानत से क्या मुराद है?

इस जगह लफ़्ज़ अमानत की तफ़सीर में तफ़सीर के इमामों सहाबा व ताबिईन वग़ैरह हज़रात के बहुत से अक़वाल नक़ल किये गये हैं। शरीअ़त के फ़राईज़, आबरू व पाकदामनी की हिफ़ाज़त, मालों की अमानत, नापाकी की हालत को दूर करने के लिये ग़ुस्ल, नमाज़, ज़कात, रोज़ा, हज वग़ैरह। इसी लिये मुफ़स्सिरीन की अक्सरियत ने फ़रमाया है कि दीन के तमाम वज़ीफ़े व आमाल इसमें दाख़िल हैं। (तफ़सीरे क़ुर्तुबी)

तफ़सीरे मज़हरी में फ़रमाया कि शरीअ़त की 'अम्र व नही' (यानी हुक्म की गयी बातें और वो काम जिनसे मना किया गया है) की तमाम पाबन्दियों और ज़िम्मेदारियों का मजमूआ़ अमानत है। अबू हय्यान रह. ने बहरे मुहीत में फ़रमायाः

اَلظَّاهِرُ اَنَّهَا كُلُّ مَا يُؤْتَمَنُ عَلَيْهِ مِنْ اَمْرٍ وَّنَهْيٍ وَّشَانٍ وَّ دِيْنٍ وَّدُنْيَا وَالشَّرْعُ كُلُّهُ اَمَانَةٌ وَّهٰذَا قَوْلُ الْجُمْهُوْرِ.

"यानी हर वह चीज़ जिसमें इनसान पर एतिमाद किया जाता है यानी 'अम्र व नही' और हर हाल जिसका दीन या दुनिया से ताल्लुक़ हो, और पूरी की पूरी शरीअ़त अमानत है। यही अक्सर हज़रात का क़ौल है।"

ख़ुलासा यह है कि अमानत से मुराद शरीअ़त के अहकाम का मुकल्लफ़ व मामूर होना है जिनमें पूरा उतरने पर जन्नत की हमेशा की नेमतें और ख़िलाफ़वर्ज़ी या कोताही पर जहन्नम का अ़ज़ाब वायदा शुदा है। और कुछ हज़रात ने फ़रमाया कि अमानत से मुराद अल्लाह के अहकाम का बोझ उठाने की सलाहियत व क्षमता है जो अ़क्ल व शऊर के ख़ास दर्जे पर मौक़ूफ़ है, और तरक़्क़ी और अल्लाह की ख़िलाफ़त की पात्रता उसी ख़ास सलाहियत व क्षमता पर मौक़ूफ़ है। जिन मख़्लूक़ात की प्रजातियों में यह सलाहियत नहीं है वो अपनी जगह कितना ही ऊँचा और आला मक़ाम रखते हों मगर वो उस मक़ाम से तरक़्क़ी नहीं कर सकते। इसी वजह से आसमान ज़मीन वग़ैरह में यहाँ तक कि फ़रिश्तों में भी तरक़्क़ी नहीं, जिसका जो निकटता का मक़ाम है बस वही है, उनका हाल यह है:

مَا مِنَّآ اِلَّا لَهٗ مَقَامٌ مَّعْلُوْمٌ○

"यानी हम में से कोई नहीं मगर उसका एक निर्धारित मक़ाम है।"

अमानत के इस मायने व मतलब में हदीस की वो तमाम रिवायतें जो अमानत के मुताल्लिक़ आई हैं मुवाफ़िक़ हो जाती और आपस में मेल खाती हैं, मुफ़स्सिरीन में अक्सर हज़रात के अक़वाल भी इसमें तक़रीबन मुत्तफ़िक़ हो जाते हैं।

बुख़ारी व मुस्लिम और मुस्नद अहमद में हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु अ़न्हु की रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने हमें दो हदीसें सुनाई थीं, उनमें से एक को हमने ख़ुद आँखों से देख लिया दूसरी का इन्तिज़ार है।

पहली हदीस यह है कि पहले दीनदार हज़रात के दिलों में अमानत नाज़िल की गई फिर क़ुरआन उतारा गया, तो ईमान वालों ने क़ुरआन से इल्म और सुन्नत से अ़मल हासिल किया।

इसके बाद दूसरी हदीस यह सुनाई कि (एक वक़्त ऐसा आने वाला है जिसमें) आदमी सोकर उठेगा तो उसके दिल से अमानत छीन ली जायेगी, और उसका कुछ असर व निशान ऐसा रह जायेगा जैसे तुम कोई आग का अंगारा अपने पाँव पर लुढ़का दो (वह अंगारा तो चला गया मगर) उसका असर पाँव पर वरम या छाले की सूरत में रह गया, हालाँकि उसमें आग का कोई हिस्सा नहीं......। यहाँ तक कि लोग आपस में मामलात और मुआ़हदे करेंगे मगर कोई अमानत का हक़ अदा न करेगा और (अमानतदार आदमी का ऐसा क़हत हो जायेगा कि) लोग यह कहा करेंगे कि फ़ुलाँ क़बीले में एक आदमी अमानतदार है।

और हदीस में अमानत एक ऐसी चीज़ को क़रार दिया है जिसका ताल्लुक़ इनसान के दिल से है, और वही शरीअ़त के अहकाम और दीन के वज़ीफ़ों के मुकल्लफ़ होने की सलाहियत व इस्तेदाद रखता है। और मुस्नदे अहमद में हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उमर की रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि चार चीज़ें ऐसी हैं कि जब वो तुम्हें हासिल हो जायें तो दुनिया की और कोई चीज़ तुम्हें हासिल न हो तो कोई अफ़सोस की बात नहीं (वो चार चीज़ें ये हैं) अमानत की हिफ़ाज़त, बात की सच्चाई, अच्छा अख़्लाक़ और हलाल का लुक़मा। (अज़ इब्ने कसीर)

अमानत पेश करने की तहक़ीक़

ऊपर बयान हुई आयत में यह इरशाद है कि हमने अमानत को आसमानों पर, ज़मीन और पहाड़ों पर पेश किया तो सब ने उसका बोझ उठाने से इनकार कर दिया और इससे डर गये कि हम इसका हक़ अदा न कर सकेंगे और इनसान ने यह बोझ उठा लिया।

यहाँ यह बात ग़ौर करने की है कि आसमान, ज़मीन, पहाड़ जिनके अन्दर रूह नहीं और बज़ाहिर बेइल्म व बेशऊर हैं उनके सामने पेश करने और उनके जवाब देने की क्या सूरत हो सकती है? कुछ हज़रात ने तो इसको मिसाल और मजाज़ क़रार दे दिया जैसे क़ुरआने करीम ने एक मौक़े पर बतौर मिसाल देने के फ़रमायाः

لَوْاَنْزَلْنَا هٰذَا الْقُرْاٰنَ عَلٰى جَبَلٍ لَّرَاَيْتَهٗ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ

"यानी हम अगर यह क़ुरआन पहाड़ पर नाज़िल करते तो तुम देखते कि वह भी इसके बोझ से झुक जाता और टुकड़े टुकड़े हो जाता अल्लाह के ख़ौफ़ से।" कि इसमें फ़र्ज़ करने के तौर पर यह मिसाल दी गई है, यह नहीं कि हक़ीक़त में पहाड़ पर उतारा हो। उन हज़रात ने इस अमानत पेश करने वाली आयत को भी इसी तरह से मिसाल देना और मजाज़ क़रार दे दिया।

मगर उलेमा की अक्सरियत और बड़ी जमाअ़त के नज़दीक यह सही नहीं, क्योंकि जिस आयत से इसके मिसाल देने पर दलील ली गयी है वहाँ तो क़ुरआने करीम ने हर्फ़ 'लौ' के साथ एक वाक़िए को साबित किया है जिसको मजाज़ व तमसील (मिसाल देने) पर फ़िट करना बग़ैर किसी दलील के जायज़ नहीं। और अगर दलील में यह कहा जाये कि ये चीज़ें बेहिस व बेशऊर हैं, इनसे जवाब सवाल नहीं हो सकता तो यह क़ुरआन की दूसरी वज़ाहतों से नकारनीय है। क्योंकि क़ुरआने करीम का स्पष्ट इरशाद हैः

وَاِنْ مِّنْ شَيْءٍ اِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهٖ

"यानी कोई चीज़ ऐसी नहीं जो अल्लाह की तारीफ़ व तस्बीह न पढ़ती हो।" और ज़ाहिर है कि अल्लाह तआ़ला को पहचानना और उसको ख़ालिक़ व मालिक और सबसे आला व बरतर जानकर उसकी तस्बीह करना बग़ैर समझ व शऊर के मुम्किन नहीं। इसलिये इस आयत से साबित हुआ कि समझ व शऊर तमाम मख़्लूक़ात में यहाँ तक कि जमादात (बेजान चीज़ों) में भी मौजूद है, उसी समझ व शऊर की बिना पर उनको मुख़ातब भी बनाया जा सकता है और वो जवाब भी दे सकते हैं। जवाब की विभिन्न और अनेक सूरतें हो सकती हैं- अलफ़ाज़ व हुरूफ़ के ज़रिये भी हो सकता है, इसमें अ़क़्ली तौर पर कोई असंभव बात नहीं कि अल्लाह तआ़ला इन बेजान चीज़ों आसमान, ज़मीन और पहाड़ों को बोलने और बात करने की क़ुव्वत अ़ता फ़रमा दें। इसी लिये उम्मत की अक्सरियत के नज़दीक आसमान, ज़मीन और पहाड़ों पर अमानत को पेश करना वास्तविक तौर पर किया गया और उन्होंने हक़ीक़त में ही अपना इस बोझ के उठाने से आ़जिज़ होना ज़ाहिर किया इसमें कोई मिसाल देना या मजाज़ नहीं।

अमानत का पेश किया जाना इख़्तियारी था जबरी नहीं

रहा यह सवाल कि जब हक़ तआ़ला शानुहू ने आसमान ज़मीन वग़ैरह पर इस अमानत को ख़ुद पेश फ़रमाया तो उनको इनकार की मजाल कैसे हुई? अल्लाह के हुक्म से मुँह मोड़ा था तो उनको नेस्त व नाबूद हो जाना चाहिये था। इसके अ़लावा आसमान व ज़मीन का आज्ञाकारी और फ़रमान के ताबे होना क़ुरआने करीम की आयत 'अतैना ता-इअ़ीन' (सूरः हा-मीम अस्सज्दा आयत 11) से साबित है। यानी जब हक़ तआ़ला ने आसमान व ज़मीन को हुक्म दिया कि (हमारे हुक्म की तामील के लिये) आ जाओ चाहे अपनी ख़ुशी से या ज़बरदस्ती से, तो दोनों ने यह जवाब दिया कि हम हुक्म की तामील के लिये ख़ुशी से हाज़िर हैं।

जवाब यह है कि मज़कूरा आयत में उनको एक हाकिमाना पाबन्दी का हुक्म दे दिया गया था जिसमें यह भी कह दिया गया था कि तुम इस हुक्म पर दिल से राज़ी हो या न हो बहरहाल यह हुक्म मानना पड़ेगा, बख़िलाफ़ इस अमानत पेश करने वाली आयत के कि इसमें अमानत को पेश करके उनको इख़्तियार दिया गया था कि क़ुबूल करें या न करें।

इमाम इब्ने कसीर ने कई सनदों के साथ अनेक सहाबा व ताबिईन- हज़रत इब्ने अ़ब्बास, हसन बसरी, मुजाहिद रह. वग़ैरह से अमानत के पेश किये जाने की यह तफ़सील नक़ल की है कि अल्लाह तआ़ला ने पहले आसमान पर फिर ज़मीन पर फिर पहाड़ों पर इख़्तियारी सूरत में यह पेश किया कि हमारी अमानत (यानी अहकाम की इताअ़त) का बोझ उठा लो, उस मुआ़वज़े के साथ जो इसके लिये मुक़र्रर है। हर एक ने सवाल किया कि मुआ़वज़ा क्या है तो बतलाया गया कि अमानत (यानी अहकाम की तामील) तुम ने पूरी तरह की तो तुम्हें जज़ा व सवाब और अल्लाह तआ़ला के यहाँ ख़ास सम्मान मिलेगा और अगर अहकाम की तामील न की या उसमें कोताही की तो अ़ज़ाब व सज़ा मिलेगी। इन सब बड़े-बड़े जिस्मों ने यह सुनकर जवाब दिया कि ऐ हमारे परवर्दिगार! हम अब भी आपके हुक्म व फ़रमान के ताबे चल रहे हैं लेकिन (जब हमें इख़्तियार दिया गया तो) हम इस बोझ को उठाने से अपने को आ़जिज़ पाते हैं, हम न सवाब चाहते हैं न अ़ज़ाब को बरदाश्त कर सकते हैं।

और तफ़सीरे क़ुर्तुबी में हकीम तिर्मिज़ी के हवाले से हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु की यह रिवायत नक़ल की है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि (आसमान, ज़मीन वग़ैरह पर अमानत पेश करने और उनके जवाब के बाद) हक़ तआ़ला ने हज़रत आदम अ़लैहिस्सलाम को ख़िताब फ़रमाया और फ़रमाया कि हमने अपनी अमानत आसमान व ज़मीन के सामने पेश की तो वो इसका बोझ उठाने से आ़जिज़ हो गये, तो क्या आप अमानत के इस बोझ को उठायेंगे मय उस चीज़ के जो इसके साथ है? आदम अ़लैहिस्सलाम ने सवाल किया कि ऐ परवर्दिगार! वह चीज़ जो इसके साथ है क्या है? जवाब मिला कि अगर अमानत को उठाने में पूरे उतरे (यानी मुकम्मल फ़रमाँबरदारी की) तो आपको जज़ा मिलेगी (जो अल्लाह तआ़ला की निकटता व रज़ा और जन्नत की हमेशा वाली नेमतों की सूरत में होगी) और अगर इस अमानत को ज़ाया किया तो सज़ा मिलेगी। आदम अ़लैहिस्सलाम ने (अल्लाह तआ़ला की निकटता व रज़ा में तरक़्क़ी होने के शौक़ में) इसको उठा लिया यहाँ तक कि अमानत का बोझ उठाने पर इतना वक़्त भी न गुज़रा था जितना

ज़ोहर से असर तक होता है कि उसमें शैतान ने उनको उस मशहूर चूक और ख़ता (मना किये गये पेड़ का फल खाने) में मुब्तला कर दिया और जन्नत से निकाले गये।

अमानत पेश होने का वाक़िआ किस ज़माने में हुआ?

अभी जो रिवायत हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु की ऊपर गुज़री है उससे मालूम होता है कि आसमान, ज़मीन वग़ैरह पर अमानत पेश किये जाने का वाक़िआ हज़रत आदम की पैदाईश से पहले हुआ था, फिर जब आदम अ़लैहिस्सलाम को पैदा किया गया तो उनके सामने यह भी बयान फ़रमाया गया कि आप से पहले आसमान ज़मीन पर भी यह अमानत पेश की जा चुकी है जिसकी उनको ताक़त न थी, इसलिये उज़्र कर दिया।

और ज़ाहिर यह है कि यह अमानत पेश करने का वाक़िआ कायनात के पहले दिन में अल्लाह के रब होने का अ़हद लिये जाने से पहले का है, क्योंकि 'क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ' वाला अ़हद इसी अमानत के बोझ की पहली कड़ी और अपने ओहदे का हलफ़ उठाने के क़ायम-मक़ाम है।

ज़मीनी ख़िलाफ़त के लिये अमानत का बोझ उठाने की सलाहियत ज़रूरी थी

हक़ तआ़ला ने पहले से लिखी तक़दीर में आदम अ़लैहिस्सलाम को ज़मीन में अपना ख़लीफ़ा बनाना तय फ़रमाया था, और यह ख़िलाफ़त उसी को सुपुर्द की जा सकती थी जो अल्लाह के अहकाम की इताअ़त का बोझ उठाये, क्योंकि इस ख़िलाफ़त का हासिल ही यह है कि ज़मीन पर अल्लाह के क़ानून को नाफ़िज़ करे, अल्लाह की मख़्लूक़ को अल्लाह के अहकाम की इताअ़त पर तैयार करे। इसलिये फ़ितरी तौर पर हज़रत आदम अ़लैहिस्सलाम इस अमानत के उठाने के लिये तैयार हो गये हालाँकि दूसरी बड़ी-बड़ी मख़्लूक़ात का इससे आ़जिज़ हो जाना भी मालूम हो चुका था।

(तफ़सीरे मज़हरी व बयानुल-क़ुरआन)

اِنَّهٗ كَانَ ظَلُوْمًا جَهُوْلًاO

ज़लूम से मुराद अपने नफ़्स पर ज़ुल्म करने वाला और जहूल से मुराद अन्जाम से नावाक़िफ़। इस जुमले से बज़ाहिर यह समझा जाता है कि यह पूरी तरह इनसान की बुराई और निन्दा में आया है कि इस नादान ने अपनी जान पर ज़ुल्म किया कि इतना बड़ा बोझ उठा लिया जो इसकी ताक़त से बाहर था, मगर क़ुरआनी वज़ाहतों के मुताबिक़ हकीक़त में ऐसा नहीं, क्योंकि इनसान से मुराद हज़रत आदम अ़लैहिस्सलाम हों या पूरी इनसानी नस्ल, इनमें आदम अ़लैहिस्सलाम तो गुनाहों से सुरक्षित नबी हैं, उन्होंने जो बोझ उठाया था उसका हक़ भी यक़ीनी तौर पर अदा कर दिया। इसी के नतीजे में उनको अल्लाह का ख़लीफ़ा बनाकर ज़मीन पर भेजा गया, उनको फ़रिश्तों से सज्दा कराया गया, और आख़िरत में उनका मक़ाम फ़रिश्तों से भी बुलन्द व बाला है। और अगर इनसानी नस्ल व जाति ही मुराद हो तो इस पूरी नस्ल में लाखों तो नबी हज़रात हैं और करोड़ों वे नेक लोग और अल्लाह के

वली हैं जिन पर फ़रिश्ते भी रश्क करते हैं, जिन्होंने अपने अ़मल से साबित कर दिया कि वे अल्लाह की इस अमानत के योग्य और मुस्तहिक़ थे। उन्हीं अमानत का हक़ अदा करने वालों की बिना पर क़ुरआने हकीम ने इनसानी नस्ल व जाति को अशरफ़ुल-मख़्लूक़ात (मख़्लूक़ात में सबसे बेहतर) ठहराया, जैसा कि क़ुरआने पाक में इरशाद है:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِيْٓ اٰدَمَ

इससे साबित हुआ कि न आदम अ़लैहिस्सलाम बुरा कहे जाने के क़ाबिल हैं न पूरी इनसानी नस्ल, इसी लिये मुफ़स्सिरीन हज़रात ने फ़रमाया कि यह जुमला बुराई और निंदा के लिये नहीं बल्कि इनसानी नस्ल के अक्सर अफ़राद की हालत को सामने रखते हुए हक़ीक़त के बयान के तौर पर इरशाद हुआ है। मतलब यह है कि इनसानी नस्ल की अक्सरियत ज़लूम व जहूल साबित हुई जिसने इस अमानत का हक़ अदा न किया और ख़सारे में पड़ी। और चूँकि अक्सरियत का यह हाल था इसलिये इसको पूरी इनसानी नस्ल व जाति की तरफ़ मन्सूब कर दिया गया।

ख़ुलासा यह हुआ कि आयत में ज़लूम व जहूल ख़ास उन इनसानी अफ़राद को कहा गया है जो शरीअ़त के अहकाम की इताअ़त में पूरे न उतरे और अमानत का हक़ अदा न किया, यानी उम्मत के काफ़िरों व मुनाफ़िक़ों और बदकारों व गुनाहगार मुसलमानों को। यह तफ़सीर हज़रत इब्ने अ़ब्बास, हज़रत इब्ने ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अ़न्हुमा और हसन बसरी रह. वग़ैरह से मन्क़ूल है।

और कुछ हज़रात ने फ़रमाया कि लफ़्ज़ ज़लूम व जहूल इस जगह भोले-भाले के मायने में मुहब्बत भरे ख़िताब के अन्दाज़ में है, कि इसने अल्लाह जल्ल शानुहू की मुहब्बत और उसकी निकटता का मक़ाम पाने में और किसी अन्जाम को नहीं सोचा। इसी तरह यह लफ़्ज़ पूरी इनसानी नस्ल के लिये भी हो सकता है। तफ़सीरे मज़हरी में हज़रत मुजद्दिद अलिफ़े सानी रह. और दूसरे सूफ़िया-ए-किराम से इसी तरह का मज़मून नक़ल किया गया है।

لِيُعَذِّبَ اللّٰهُ الْمُنٰفِقِيْنَ وَالْمُنٰفِقٰتِ.......... الاٰية

"यानी ताकि अ़ज़ाब देगा अल्लाह तआ़ला मुनाफ़िक़ मर्दों और मुनाफ़िक़ औ़रतों को और मुश्रिक मर्दों और औ़रतों को, और रहमत व मग़फ़िरत से नवाज़ेगा मोमिन मर्दों व मोमिन औ़रतों को।" 'लियु-अ़ज़्ज़ि-ब' में हर्फ़ लाम इल्लत व ग़र्ज़ बयान करने के लिये नहीं बल्कि अ़रबी की इस्तिलाह के लिहाज़ से आ़क़िबत (अन्जाम व परिणाम) का लाम है। यानी जो किसी चीज़ का अन्जाम बयान करे जैसे एक अ़रबी शे'र में है:

لِدُوْا لِلْمَوْتِ وَابْنُوْا لِلْخَرَابِ

"यानी पैदा होओ मौत के लिये और तामीर करो वीरान होने के लिये।"

मुराद यह है कि हर पैदा होने वाले का अन्जाम मौत और हर तामीर का अन्जाम वीरानी है।

इस जुमले का ताल्लुक़ 'ह-म-लहल् इन्सानु' से है, यानी इनसान के अमानत का बोझ उठाने का अन्जाम यह होगा कि इनसानी नस्ल में दो फ़रीक़ हो जायेंगे- एक काफ़िर व मुनाफ़िक़ वग़ैरह का जो अल्लाह की फ़रमाँबरदारी से सरकश होकर अमानत के ज़ाया करने वाले हो गये, उनको अ़ज़ाब दिया जायेगा। दूसरे मोमिन मर्द व मोमिन औ़रतें जो शरीअ़त के अहकाम की फ़रमाँबरदारी व पालन करने

के ज़रिये अमानत का हक़ अदा कर चुके, उनके साथ रहमत व मग़फ़िरत का मामला होगा।

इस आख़िरी जुमले में भी ज़लूम व जहूल के अलफ़ाज़ की उस तफ़सीर की ताईद हुई जो तफ़सीर के अक्सर इमामों से ऊपर नक़ल की गई है कि यह सारी इनसानी नस्ल के लिये नहीं बल्कि ख़ास उन अफ़राद के लिये है जिन्होंने अल्लाह की अमानत को ज़ाया किया। वल्लाहु सुब्हानहू व तआ़ला आलम।

सूरः अहज़ाब अल्लाह की मदद व तौफ़ीक़ से 20 मुहर्रम सन् 1392 हिजरी मंगल के दिन पूरी हुई।

अल्हम्दु लिल्लाह सूरः अहज़ाब की तफ़सीर मुकम्मल हुई।

सूरः सबा

सूरः सबा मक्का में नाज़िल हुई। इसमें 54 आयतें और 6 रुकूअ़ हैं।

اٰیَاتُھَا ۵۴ (۳۴) سُوْرَۃُ سَبَاٍ مَّکِّیَّۃٌ (۵۸) رُکُوْعَاتُھَا ۶

بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ الَّذِیْ لَہٗ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی الْاَرْضِ وَلَہُ الْحَمْدُ فِی الْاٰخِرَۃِ ؕ وَھُوَ الْحَکِیْمُ الْخَبِیْرُ ۝ یَعْلَمُ مَا یَلِجُ فِی الْاَرْضِ وَمَا یَخْرُجُ مِنْھَا وَمَا یَنْزِلُ مِنَ السَّمَآءِ وَمَا یَعْرُجُ فِیْھَا ؕ وَھُوَ الرَّحِیْمُ الْغَفُوْرُ ۝

बिस्मिल्लाहिर्रह्मानिर्रहीम

शुरू अल्लाह के नाम से जो बेहद मेहरबान निहायत रहम वाला है।

अल्हम्दु लिल्लाहिल्लज़ी लहू मा फ़िस्समावाति व मा फ़िल्अर्ज़ि व लहुल्-हम्दु फ़िल्-आख़िरति, व हुवल् हकीमुल्-ख़बीर (1) यअ्लमु मा यलिजु फ़िल्अर्ज़ि व मा यख़्रुजु मिन्हा व मा यन्ज़िलु मिनस्समा-इ व मा यअ्रुजु फ़ीहा, व हुवर्रहीमुल्-ग़फ़ूर (2)	सब ख़ूबी अल्लाह की है जिसका है जो कुछ कि है आसमान और ज़मीन में, और उसी की तारीफ़ है आख़िरत में और वही है हिक्मतों वाला, सब कुछ जानने वाला। (1) जानता है जो कुछ कि अन्दर घुसता है ज़मीन के और जो कुछ कि निकलता है उससे, और जो उतरता है आसमान से और जो चढ़ता है उसमें, और वही है रहम वाला बख़्शने वाला। (2)

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

पूरी की पूरी तारीफ़ें (और प्रशंसा) उसी अल्लाह के लिये हैं जिसकी मिल्क में है जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ ज़मीन में है, और (जिस तरह वह फ़िलहाल तारीफ़ का हक़दार है इसी तरह) उसी को तारीफ़ (और प्रशंसा) आख़िरत में (भी) लायक़ है। (इसका ज़हूर इस तरह होगा कि जन्नत वाले जन्नत में दाख़िल होने के बाद अल्लाह तआ़ला की तारीफ़ इन अलफ़ाज़ से करेंगे:

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ الَّذِیْ ھَدٰنَا لِھٰذَا، اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ الَّذِیْٓ اَذْھَبَ عَنَّا الْحَزَنَ، اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ الَّذِیْ صَدَقَنَا وَعْدَہٗ

वग़ैरह) और वह हिक्मत वाला है (कि आसमान व ज़मीन की तमाम मख़्लूक़ात को बेशुमार मस्लेहतों और फ़ायदों पर आधारित बनाया है, और वह) ख़बर रखने वाला (भी) है (कि उन मस्लेहतों और फ़ायदों को पैदा करने से पहले से जानता है, हर चीज़ में मस्लेहतें और फ़ायदे बड़ी हिक्मत के साथ रख दिये, और वह ऐसा ख़बर रखने वाला है कि) वह सब कुछ जानता है जो चीज़ ज़मीन के अन्दर दाख़िल होती है (जैसे बारिश का पानी), और जो चीज़ उसमें से निकलती है (जैसे पेड़-पौधे, घास, सब्ज़ियाँ और हरियाली वग़ैरह) और जो चीज़ आसमान से उतरती है, और जो चीज़ उसमें चढ़ती है (जैसे फ़रिश्ते जो आसमान से उतरते और चढ़ते रहते हैं, और जैसे शरई अहकाम जो आसमान से उतारे जाते हैं और नेक आमाल जो आसमान में ले जाये जाते हैं) और (चूँकि इन सब चीज़ों में जिस्मानी या रूहानी फ़ायदे हैं जिनका तक़ाज़ा यह है कि सब लोग पूरा शुक्र अदा करें, और जो कोताही करे वह सज़ा का पात्र बने, लेकिन) वह (अल्लाह तआ़ला) रहीम (और) ग़फ़ूर (भी) है (और अपनी रहमत से छोटे गुनाह को नेक आमाल से और बड़े गुनाह को तौबा से, और कभी दोनों क़िस्म के गुनाहों को महज़ अपने फ़ज़्ल से माफ़ फ़रमा देता है। और जो गुनाह कुफ़ व शिर्क की हद तक पहुँच जाये उसको ईमान लाने से माफ़ कर देता है)।

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَا السَّاعَةُ ۖ قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ
عَالِمِ الْغَيْبِ ۖ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا أَصْغَرُ مِنْ ذَٰلِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي
كِتَابٍ مُبِينٍ ۝ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ۚ أُولَٰئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ۝ وَالَّذِينَ سَعَوْ فِي
آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مِنْ رِجْزٍ أَلِيمٌ ۝ وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ
مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقَّ ۙ وَيَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ۝ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَىٰ
رَجُلٍ يُنَبِّئُكُمْ إِذَا مُزِّقْتُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ ۙ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ ۝ أَفْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَمْ بِهِ جِنَّةٌ ۗ
بَلِ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ فِي الْعَذَابِ وَالضَّلَالِ الْبَعِيدِ ۝ أَفَلَمْ يَرَوْا إِلَىٰ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ
مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ۚ إِنْ نَشَأْ نَخْسِفْ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ نُسْقِطْ عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ
لَآيَةً لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ ۝

व क़ालल्लज़ी-न क-फ़रू ला तअ्तीनस्सा-अ़तु क़ुल् बला व रब्बी ल-तअ्ति-यन्नकुम् आ़लिमिल्-ग़ैबि ला यअ्ज़ुबु अ़न्हु मिस्क़ालु ज़र्रतिन् फ़िस्समावाति व ला फ़िल्अर्ज़ि व ला	और कहने लगे मुन्किर न आयेगी हम पर क़ियामत, तू कह क्यों नहीं! क़सम है मेरे रब की यक़ीनन आयेगी तुम पर उस आ़लिमुल-ग़ैब की, ग़ायब नहीं हो सकता उससे कुछ ज़र्रा भर आसमानों में और न

अस्ग़रु मिन् ज़ालि-क व ला अक्बरु इल्ला फ़ी किताबिम्-मुबीन (3) लि-यज्जि यल्लज़ी-न आमनू व अ़मिलुस्-सालिहाति, उलाइ-क लहुम् मग़्फ़ि-रतुंव्-व रिज़्क़ुन् करीम (4) वल्लज़ी-न सऔ फ़ी आयातिना मुआ़जिज़ी-न उलाइ-क लहुम् अ़ज़ाबुम् मिर्रिज़्ज़िन् अलीम (5) व यरल्लज़ी-न ऊतुल्-अ़िल्मल्लज़ी उन्ज़ि-ल इलै-क मिर्रब्बि-क हुवल्-हक़्-क़ व यह्दी इला सिरातिल् अ़ज़ीज़िल्-हमीद (6) व क़ालल्लज़ी-न क-फ़रू हल् नदुल्लुकुम् अ़ला रजुलिंय्-युनब्बिउकुम् इज़ा मुज़्ज़िक़्तुम् कुल्-ल मुमज़्ज़किन् इन्नकुम् लफ़ी ख़ल्किन् जदीद (7) अफ़्तरा अ़लल्लाहि कज़िबन् अम् बिही जिन्नतुन्, बलिल्लज़ी-न ला युअ्मिनू-न बिल्-आख़िरति फ़िल्अ़ज़ाबि वज़्ज़लालिल्-बअ़ीद (8) अ-फ़लम् यरौ इला मा बै-न ऐदीहिम् व मा ख़ल्फ़हुम् मिनस्समा-इ वल्अर्ज़ि, इन्न-शअ् नख़्सिफ़् बिहिमुल्-अर्-ज़ औ नुस्क़ित् अ़लैहिम् कि-सफ़म् मिनस्समा-इ, इन्-न फ़ी

ज़मीन में और कोई चीज़, नहीं उससे छोटी और न उससे बड़ी जो नहीं है खुली किताब में। (3) ताकि बदला दे उनको जो यक़ीन लाये और किये भले काम। वे लोग हैं उनके लिये है माफ़ी और इज़्ज़त की रोज़ी। (4) और जो लोग दौड़े हमारी आयतों के हराने को उनको बला का अज़ाब है दर्दनाक। (5) और देख लें जिनको मिली है समझ कि जो तुझ पर उतरा तेरे रब से वही ठीक है, और सुझाता है राह उस ज़बरदस्त ख़ूबियों वाले की। (6) और कहने लगे मुन्किर हम बतलायें तुमको एक मर्द कि तुमको ख़बर देता है जब तुम फटकर हो जाओगे टुकड़े टुकड़े तुमको फिर नये सिरे से बनना है। (7) क्या बना लाया है अल्लाह पर (झूठ या उसको सौदा (जुनून) है, कुछ भी नहीं पर जो यक़ीन नहीं रखते आख़िरत का आफ़त में हैं और दूर जा पड़े ग़लती में। (8) क्या देखते नहीं जो कुछ उनके आगे है और पीछे है आसमान और ज़मीन से, अगर हम चाहें धंसा दें उनको ज़मीन में या गिरा दें उन पर टुकड़ा आसमान से,

ज़ालि-क लआ-यतल्-लिकुल्लि अ़ब्दिम्-मुनीब (9) ❁	बेशक इसमें निशानी है हर रुजू करने वाले बन्दे के वास्ते। (9) ❁

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

और ये काफ़िर कहते हैं कि हम पर क़ियामत न आयेगी, आप फ़रमा दीजिये कि क्यों नहीं, (आयेगी) क़सम है अपने परवर्दिगार ग़ैब के जानने वाले की, वह ज़रूर तुम पर आयेगी। (उसका इल्म ऐसा बेइन्तिहा और हर चीज़ को हावी है कि) उस (के इल्म) से कोई ज़र्रा बराबर भी ग़ायब नहीं, न आसमानों में और न ज़मीन में (बल्कि उसके इल्म में हाज़िर हैं), और न कोई चीज़ इस (ज़िक्र हुई मात्रा) से छोटी है और न कोई चीज़ (इससे) बड़ी है, मगर ये सब (अल्लाह के इल्म के घेरे में होने के सबब) किताबे मुबीन (यानी लौह-ए-महफ़ूज़) में (लिखी हुई) है। (क़ियामत के बारे में काफ़िरों के कई शुब्हात थे, एक यह कि अगर आने वाली है तो उसका वक़्त बतलाईये जैसा कि अल्लाह का फ़रमान है- 'अय्यान मुरसहा' दूसरा यह कि जिन बदनी अंगों व हिस्सों को जमा करके उनमें ज़िन्दगी पैदा करना बतलाया जाता है उनका कहीं निशान भी न रहेगा, फिर जमा कैसे होंगे?

ग़ैब के इल्म को साबित करने के इस मज़मून पहले शुब्हे व एतिराज़ का जवाब हो गया, कि उसका इल्म हिक्मत के सबब अल्लाह के लिये ख़ास, अगर नबी को उसका निर्धारित वक़्त मालूम न हो तो लाज़िम नहीं आता कि वह आयेगी ही नहीं, अल्लाह तआ़ला का इरशाद है:

قُلْ اِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللّٰهِ

और अल्लाह के बेइन्तिहा और हर चीज़ को अपने घेरे में लेने के मज़मून के साबित करने से दूसरे शुब्हे का जवाब हो गया कि इन तमाम हिस्सों और अंगों के ज़मीन में बिखर और हवा में फैल जाने के बावजूद वह हमारे इल्म से ख़ारिज न होंगे, हम जब चाहेंगे जमा कर लेंगे। जैसा कि अल्लाह तआ़ला का क़ौल है:

اَفَلَمْ يَرَوْا اِلٰى مَابَيْنَ اَيْدِيْهِمْ............الخ

(यानी ज़िक्र हुई आयत नम्बर 9)

अब क़ियामत का मक़सद व उद्देश्य बतलाते हैं कि वह क़ियामत इसलिए आएगी) ताकि उन लोगों को (नेक) सिला दे जो ईमान लाये थे और उन्होंने नेक काम किये थे (सो) ऐसे लोगों के लिये मग़फ़िरत और (जन्नत में) इज़्ज़त की रोज़ी है। और जिन लोगों ने हमारी आयतों के मुताल्लिक़ (उनके बातिल करने की) कोशिश की थी (नबी को) हराने के लिये, (चाहे उस कोशिश में नाकाम ही रहे) ऐसे लोगों के वास्ते सख़्ती का दर्दनाक अ़ज़ाब होगा। और (क़ुरआनी आयतों के झुठलाने पर यह सज़ा होनी ही चाहिए। क्योंकि अव्वल तो क़ुरआन अपने आप में अल्लाह की तरफ़ से उतरी हुई एक हक़ चीज़ है और ऐसी हक़ चीज़ को झुठलाना ख़ुद हक़ तआ़ला को झुठलाना है, इस पर जितनी सज़ा हो सही और दुरुस्त है। दूसरे क़ुरआन सही और सीधे रास्ते की तालीम व हिदायत करता है, जो शख़्स इसको न मानेगा वह सही रास्ते से जान-बूझकर दूर रहेगा, न उसको सही और हक़ अ़क़ीदों का

का पता लगेगा न नेक आमाल का, और यही तरीक़ा था निजात का। पस निजात और छुटकारे के तरीक़े से जान-बूझकर दूर रहने पर सज़ा का होना बेजा नहीं है। और क़ुरआन का हक़ और हिदायत वाला होना ऐसा स्पष्ट है कि इसके अ़लावा दूसरी दलीलों से साबित है।

एक आसान तरीक़ा इसके साबित होने का यह है कि) जिन लोगों को (आसमानी किताबों का) इल्म दिया गया है वे इस क़ुरआन को जो कि आपके रब की तरफ़ से आपके पास भेजा गया है, ऐसा समझते हैं कि वह हक़ है और वह ख़ुदा-ए-ग़ालिब तारीफ़ वाले (की रज़ा) का रास्ता बतलाता है। (इस दलील पकड़ने की तक़रीर सूरः शु-अ़रा के आख़िरी रुकूअ़ में गुज़र चुकी है। और जिन बातों पर ईमान लाना वाजिब है उनमें से क़ुरआन के हक़ होने के बयान को एहतिमाम से शायद इसलिये बयान फ़रमाया हो कि यह उन बातों और अहकाम को शामिल है जिन पर ईमान लाना वाजिब है, ख़ास तौर पर क़ियामत की ख़बर भी इसमें है जिसके बारे में इस जगह पर कलाम है। पस इस बिना पर हासिल यह हुआ कि क़ियामत के दिन क़ियामत के इसी झुठलाने पर भी सज़ा होगी) और (आगे फिर क़ियामत के आने को साबित किया है, यानी) ये काफ़िर (आपस में) कहते हैं कि क्या हम तुमको एक ऐसा आदमी बताएँ जो तुमको यह (अ़जीब) ख़बर देता है कि जब तुम बिल्कुल रेज़ा-रेज़ा हो जाओगे तो (उसके बाद क़ियामत में) तुम ज़रूर एक नये जिस्म में आओगे। मालूम नहीं उस शख़्स ने ख़ुदा तआ़ला पर (जान-बूझकर) झूठ बोहतान बाँधा है या उसको किसी तरह का जुनून है (कि बिना इरादे के झूठ बोल रहा है। क्योंकि यह चीज़ तो मुहाल है, तो इसके ज़ाहिर व वाक़े होने की ख़बर ज़रूर ग़लत है, चाहे जान-बूझकर हो या ज़ेहन व अ़क़्ल की ख़राबी से हो। हक़ तआ़ला इन दोनों सूरतों को रद्द फ़रमाते हैं कि हमारे नबी तो झूठ बोहतान बाँधने वाले और मजनूँ कुछ भी नहीं) बल्कि जो लोग आख़िरत पर यक़ीन नहीं रखते (वही) अ़ज़ाब और दूर-दराज़ की गुमराही में (मुब्तला) हैं। (उस गुमराही का मौजूदा असर यह है कि सच्चे भी झूठे और मजनूँ नज़र आते हैं, और आख़िर व अन्जाम का असर यह है कि अ़ज़ाब भुगतना पड़ेगा। और ये जाहिल जो बेजान बिखरे हिस्सों और अंगों के जमा करने और उनमें जान डालने को अल्लाह की क़ुदरत से बाहर और नामुम्किन समझ रहे हैं) तो क्या इन्होंने (अल्लाह की क़ुदरत की अ़ज़ीम निशानियों में से) आसमान और ज़मीन की तरफ़ नज़र नहीं की, जो इनके आगे (भी) और इनके पीछे (भी) मौजूद हैं (कि जिधर देखें वो नज़र आ रहे हैं। पस इन ज़बरदस्त और विशाल जिस्मों और ढाँचों का पहली बार में पैदा करने वाला क्या छोटे जिस्मों के दोबारा में पैदा करने पर क़ादिर नहीं? अल्लाह तआ़ला ने फ़रमायाः

لَخَلْقُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ............ الخ

"कि ज़मीन व आसमान का बनाना और पैदा करना इनसानों के पैदा करने से बड़ी चीज़ है" और हक़ दलीलों व निशानियों के स्पष्ट रूप से सामने आने के बावजूद फिर भी इनकार व मुख़ालफ़त करने की वजह से ये लोग हैं तो इस क़ाबिल कि इनको अभी सज़ा दी जाये और सज़ा भी ऐसी कि क़ुदरत की ये निशानियाँ आसमान व ज़मीन जो इनके लिये बहुत बड़ी नेमत भी हैं इन्हीं को इनके लिये अ़ज़ाब देने का ज़रिया और सामान बना दिया जाये, कि जिस नेमत की नाशुक्री हो उसी नेमत को अ़ज़ाब बनाने से सख़्त हसरत होती है। और हम इस सज़ा पर भी क़ादिर हैं चुनाँचे) अगर हम

चाहें तो उनको ज़मीन में धंसा दें या (अगर चाहें तो) उन पर आसमान के टुकड़े गिरा दें (लेकिन हिक्मत का तक़ाज़ा देरी और बाद का है इसलिए मोहलत दे रखी है। ग़र्ज़ कि उन लोगों को अपने इस ख़्याल व वहम को दूर करने के लिये आसमान व ज़मीन पर नज़र करनी चाहिए क्योंकि) इस (ज़िक्र हुई निशानी) में (अल्लाह की क़ुदरत की) पूरी दलील है (मगर) उस बन्दे के लिये जो (ख़ुदा की तरफ़) मुतवज्जह (भी) हो (और हक़ की तलब हो, यानी दलील तो काफ़ी है मगर उनकी तरफ़ से तलब नहीं इसलिये मेहरूम हैं)।

मआ़रिफ़ व मसाईल

आ़लिमिल्-ग़ैबि यह रब की सिफ़त है जिसकी ऊपर क़सम खाई गई है, और अल्लाह जल्ल शानुहू की तमाम सिफ़ात में से इस जगह इल्मे-ग़ैब व इल्मे मुहीत की सिफ़त को शायद इसलिये ख़ास किया गया कि यहाँ कलाम क़ियामत के इनकारियों के मामले में है, और क़ियामत के इनकार का बड़ा सबब काफ़िरों के लिये यह था कि जब सब इनसान मरकर मिट्टी हो जायेंगे और उस मिट्टी के ज़र्रे भी दुनिया में फैल और बिखर जायेंगे तो सारे जहान में फैले हुए ज़र्रों को जमा करना, फिर हर एक इनसान के ज़र्रों को दूसरे इनसानों के ज़र्रों से अलग करके हर एक के ज़र्रे उसी वजूद में फिट करना कैसे मुम्किन है? और इसको नामुम्किन समझना इसी बिना पर था कि उन्होंने अल्लाह तआ़ला के इल्म व क़ुदरत को अपने इल्म व क़ुदरत पर क़्यास कर रखा था। हक़ तआ़ला ने बतला दिया कि अल्लाह तआ़ला का इल्म सारे आ़लम पर ऐसा मुहीत (हावी और उसको घेरे हुए) है कि आसमानों और ज़मीन में जो चीज़ भी है उसको सब मालूम है। और यह भी मालूम है कि वह कहाँ और किस हाल में है? कोई ज़र्रा मख़्लूक़ात का उसके इल्म से बाहर नहीं, और यह इल्मे मुहीत हक़ तआ़ला की ख़ुसूसियत है किसी मख़्लूक़ को चाहे फ़रिश्ता हो या पैग़म्बर ऐसा इल्मे मुहीत कि जहान का कोई ज़र्रा उससे बाहर न हो हासिल नहीं हो सकता। और जिस ज़ात को ऐसा इल्मे मुहीत हासिल हो उसके लिये एक इनसान के ज़र्रात को अलग-अलग सारे जहान में से जमा कर लेना और उससे उनके जिस्मों को दोबारा तैयार कर देना क्या मुश्किल है।

لِيَجْزِيَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا

इस जुमले का ताल्लुक़ इससे पहले जुमले 'लतअ्तियन्नकुम' से है। यानी क़ियामत ज़रूर आयेगी, और क़ियामत आने का मक़सद यह होगा कि ईमान वालों को जज़ा और जन्नत का बेहतरीन रिज़्क़ दिया जाये और उनके मुक़ाबले में 'अल्लज़ी-न सऔ़ फ़ी आयातिना' "यानी वे लोग जिन्होंने हमारी आयतों पर एतिराज़ किये और लोगों को उनके मानने से रोकने की कोशिश की" 'मुआ़जिज़ी-न' यानी उनकी यह कोशिश गोया इसलिये थी कि वे हमें उनकी पकड़ से आ़जिज़ कर देंगे और क़ियामत की हाज़िरी से छूट जायेंगे 'उलाइ-क लहुम् अ़ज़ाबुम् मिर्रिज्ज़िन् अलीम' यानी ऐसे लोगों के लिये अ़ज़ाब होगा जो सख़्त दर्दनाक क़िस्म का हो।

وَيَرَى الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ

यह क़ियामत के इनकारियों के मुक़ाबले में उन मोमिनों का ज़िक्र है जो क़ियामत पर ईमान लाये

थे और अल्लाह तआ़ला की तरफ़ से जो इल्म रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम पर नाज़िल हुआ था वे उस इल्म से फ़ायदा उठाने वाले बने।

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلٰى رَجُلٍ يُّنَبِّئُكُمْ اِذَا مُزِّقْتُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ اِنَّكُمْ لَفِيْ خَلْقٍ جَدِيْدٍ۝

यह क़ियामत का इनकार करने वालों का क़ौल नक़ल किया गया है, जो मज़ाक़ उड़ाने और अपमान करने के तौर पर यूँ कहा करते थे कि आओ हम तुम्हें एक ऐसे अ़जीब शख़्स का पता दें जो यूँ कहता है कि जब तुम पूरी तरह रेज़ा-रेज़ा हो जाओगे उसके बाद फिर तुम्हें नई पैदाईश दी जायेगी और फिर तुम इसी शक्ल व सूरत में तैयार करके ज़िन्दा कर दिये जाओगे।

यह बात ज़ाहिर है कि उस शख़्स से मुराद नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम हैं जो क़ियामत और उसमें सब मुर्दों के दोबारा ज़िन्दा होने की ख़बर देते और लोगों को इस पर ईमान लाने की ताकीद करते थे, और ये सब लोग आपको पूरी तरह जानते थे मगर यहाँ इस अन्दाज़ से ज़िक्र किया कि गोया ये आपके बारे में और कुछ नहीं जानते सिवाय इसके कि आप क़ियामत में मुर्दों के ज़िन्दा होने की ख़बर देते हैं। बात करने का यह अन्दाज़ मज़ाक़ उड़ाने और अपमानित करने के लिये इख़्तियार किया था।

और 'मुज़्ज़िक़्तुम' मज़्क़ से निकला है जिसके मायने चीरने फाड़ने और टुकड़े करने हैं और "कुल्-ल मुमज़्ज़क़िन" से मुराद इनसानी बदन का रेज़ा-रेज़ा (टुकड़े-टुकड़े) होकर अलग हो जाना है। आगे आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के क़ौल और क़ियामत के ज़िक्र के बारे में अपने ख़्याल का इज़हार इस करते हैं:

اَفْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اَمْ بِهٖ جِنَّةٌ

मतलब यह है कि जिस्म के रेज़ा-रेज़ा हो जाने के बाद सब ज़र्रों का जमा होकर फिर इनसानी बदन बन जाना और ज़िन्दा होना तो ऐसी नामाक़ूल बात है जिसको तस्लीम करने और मानने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, इसलिये उनका यह क़ौल या तो जान-बूझकर ख़ुदा तआ़ला पर झूठ बोलना और बोहतान बाँधना है या फिर यह कहने वाला मजनूँ है, जिसके कलाम की कोई सही बुनियाद नहीं होती।

اَفَلَمْ يَرَوْا اِلٰى مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ............ الاٰية

जैसा कि ख़ुलासा-ए-तफ़सीर से मालूम हो चुका है कि इस आयत में क़ियामत के क़ायम होने की दलीलें भी हैं कि आसमान व ज़मीन की मख़्लूक़ात में ग़ौर करने और अल्लाह तआ़ला की कामिल क़ुदरत को देखने व महसूस करने से वह मुहाल व नामुम्किन समझना दूर हो सकता है जो क़ियामत के इनकारियों को उसके मानने से रुकावट था, और साथ ही इनकार करने वालों के लिये सज़ा की धमकी भी है कि ये आसमान व ज़मीन की तमाम अ़ज़ीम मख़्लूक़ात तुम्हारे लिये बड़ी नेमतें हैं, अगर इनके देखने के बाद भी तुम झुठलाने और इनकार पर जमे रहे तो अल्लाह की क़ुदरत में यह भी है कि इन्हीं नेमतों को तुम्हारे लिये अ़ज़ाब बना दे, कि ज़मीन तुम्हें निगल जाये या आसमान टुकड़े-टुकड़े होकर तुम पर गिर पड़े।

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا دَاوٗدَ مِنَّا فَضْلًا ۭ يٰجِبَالُ اَوِّبِيْ مَعَهٗ وَالطَّيْرَ ۚ وَاَلَنَّا لَهُ
الْحَدِيْدَ ۝ اَنِ اعْمَلْ سٰبِغٰتٍ وَّقَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُوْا صَالِحًا ۭ اِنِّيْ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ۝۱۱ وَلِسُلَيْمٰنَ الرِّيْحَ
غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَّرَوَاحُهَا شَهْرٌ ۚ وَاَسَلْنَا لَهٗ عَيْنَ الْقِطْرِ ۭ وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَّعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِاِذْنِ رَبِّهٖ ۭ
وَمَنْ يَّزِغْ مِنْهُمْ عَنْ اَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيْرِ ۝۱۲ يَعْمَلُوْنَ لَهٗ مَا يَشَاۗءُ مِنْ مَّحَارِيْبَ وَتَمَاثِيْلَ وَجِفَانٍ
كَالْجَوَابِ وَقُدُوْرٍ رّٰسِيٰتٍ ۭ اِعْمَلُوْٓا اٰلَ دَاوٗدَ شُكْرًا ۭ وَقَلِيْلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُوْرُ ۝۱۳ فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ
الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلٰي مَوْتِهٖٓ اِلَّا دَاۗبَّةُ الْاَرْضِ تَاْكُلُ مِنْسَاَتَهٗ ۚ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ اَنْ لَّوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ
الْغَيْبَ مَا لَبِثُوْا فِي الْعَذَابِ الْمُهِيْنِ ۝۱۴

व ल-क़द् आतैना दावू-द मिन्ना फ़ज़्लन्, या जिबालु अव्विबी म-अ़हू वत्तै-र व अलन्ना लहुल्-हदीद (10) अनिअ़्मल् साबिग़ातिंव्-व क़द्दिर् फ़िस्सर्दि वअ़्मलू सालिहन्, इन्नी बिमा तअ़्मलू-न बसीर (11) व लिसुलैमानर्-री-ह ग़ुदुव्वुहा शह्रुंव्-व रवाहुहा शह्रुन् व असल्ना लहू अ़ैनल्-क़ित्रि, व मिनल्-जिन्नि मंय्यअ़्मलु बै-न यदैहि बि-इज़्नि रब्बिही, व मंय्यज़िग़् मिन्हुम् अ़न् अम्रिना नुज़िक़्हु मिन् अ़ज़ाबिस्-सअ़ीर (12) यअ़्मलू-न लहू मा यशा-उ मिम्-महारी-ब व तमासी-ल व जिफ़ानिन् कल्जवाबि व क़ुदूरिर्-रासियातिन्, इअ़्मलू आ-ल दावू-द शुक्रन्, व क़लीलुम् मिन् अ़िबादियश्-

और हमने दी है दाऊद को अपनी तरफ़ से बड़ाई। ऐ पहाड़ो! अच्छी आवाज़ से पढ़ो उसके साथ और उड़ते जानवरों को, और नरम कर दिया हमने उसके आगे लोहा (10) कि बना ज़िरहें खुली और अन्दाज़े से जोड़ कड़ियाँ और करो तुम सब काम भला, मैं जो कुछ तुम करते हो देखता हूँ। (11) और सुलैमान के आगे हवा को, सुबह की मन्ज़िल उसकी एक महीने की और शाम की मन्ज़िल एक महीने की, और बहा दिया हमने उसके वास्ते चश्मा पिघले हुए ताँबे का, और जिन्नों में कितने लोग थे जो मेहनत करते उसके सामने उसके रब के हुक्म से, और जो कोई फिरे उनमें से हमारे हुक्म से चखायें हम उसको आग का अ़ज़ाब। (12) बनाते उसके वास्ते जो कुछ चाहता क़िले और तस्वीरें और लगन जैसे तालाब और देगें चूल्हों पर जमी हुई। काम करो ऐ दाऊद के घर वालो! एहसान मानकर और थोड़े हैं मेरे बन्दों में एहसान मानने

शकूर (13) फ़-लम्मा क़ज़ैना अ़लैहिल्-मौ-त मा दल्लहुम् अ़ला मौतिही इल्ला दाब्बतुल्-अर्ज़ि तअ्कुलु मिन्स-अ-तहू फ़-लम्मा ख़र्-र तबय्य-नतिल्-जिन्नु अल्लौ कानू यअ्लमूनल्-ग़ै-ब मा लबिसू फ़िल्-अ़ज़ाबिल्-मुहीन (14)	वाले। (13) फिर जब मुक़र्रर किया हमने उस पर मौत को न जतलाया उनको उसका मरना मगर कीड़े ने घुन के खाता रहा उसका अ़सा (टेक लगाने वाली छड़ी) फिर जब वह गिर पड़ा मालूम किया जिन्नात कि अगर ख़बर रखते होते ग़ैब की न रहते ज़िल्लत की तकलीफ़ में। (14)

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

और हमने दाऊद (अ़लैहिस्सलाम) को अपनी तरफ़ से बड़ी नेमत दी थी। (चुनाँचे हमने पहाड़ों को हुक्म दिया था कि) ऐ पहाड़ो! दाऊद के साथ बार-बार तस्बीह करो (यानी जब यह ज़िक्र में मशग़ूल हों तुम भी इनका साथ दो) और (इसी तरह) परिन्दों को भी हुक्म दिया (कि उनके साथ तस्बीह करो। अल्लाह तआ़ला का क़ौल है किः

إِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ ۝ وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً......... الخ

शायद इसमें एक हिक्मत यह हो कि उनको ज़िक्र में लुत्फ़ और मज़ा आयेगा और यह भी हिक्मत हो कि आपका एक मोजिज़ा ज़ाहिर होगा, और ग़ालिबन यह तस्बीह ऐसी होगी कि सुनने वाले भी समझ लें वरना समझ में न आने वाली तस्बीह तो आ़म है, उसमें दाऊद अ़लैहिस्सलाम के साथी की क्या विशेषता है। अल्लाह तआ़ला ने फ़रमायाः

وَإِنْ مِّنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِنْ لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ

और (एक नेमत यह दे दी कि) हमने उनके वास्ते लोहे को (मोम की तरह) नरम कर दिया (और यह हुक्म दिया) कि तुम (इस लोहे की अच्छी) पूरी ज़िरहें बनाओ और (कड़ियों के) जोड़ने में (मुनासिब) अन्दाज़ा (का ख़्याल) रखो, और (जैसे हमने तुमको नेमतें दी हैं उनके शुक्र में) तुम सब (यानी दाऊद अ़लैहिस्सलाम और उनसे और ताल्लुक़ रखने वाले) नेक काम किया करो, मैं तुम्हारे सब आमाल देख रहा हूँ (इसलिए हदों की रियायत का पूरा ध्यान व पाबन्दी रखो)। और सुलैमान (अ़लैहिस्सलाम) के लिये हवा को ताबे कर दिया कि उस (हवा) की सुबह की मन्ज़िल एक महीने भर की दूरी थी और (इसी तरह) उसकी शाम की मन्ज़िल एक महीने भर की राह होती, (यानी वह हवा सुलैमान अ़लैहिस्सलाम को इतनी-इतनी दूर पहुँचाती थी। अल्लाह तआ़ला ने फ़रमायाः

وَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ

और (एक नेमत उनको यह दी कि) हमने उनके लिये ताँबे का चश्मा बहा दिया (यानी ताँबे को उसके निकलने की जगह में पतला और बहने वाला कर दिया ताकि उससे बिना औज़ारों और

उपकरणों के चीज़ें बनाने में सहूलत हो, फिर वह जम जाता, यह भी एक मोजिज़ा है)।

और (एक नेमत यह थी कि हमने जिन्नात को उनके ताबे कर दिया था चुनाँचे) जिन्नात में बाज़े वे थे जो उनके आगे (तरह-तरह के) काम करते थे उनके रब के हुक्म (उनको ताबे और कब्ज़े में कर देने) से (यानी चूँकि परवर्दिगार ने ताबे कर दिया था) और (ताबे करने के हुक्म के साथ उनको शरई हुक्म भी मय धमकी के यह दिया था कि) उनमें से जो शख़्स हमारे (इस) हुक्म से (कि सुलैमान अ़लैहिस्सलाम की इताअ़त करो) सरकशी करेगा (यानी मानने और फ़रमाँबरदारी से काम न लेगा चाहे क़ब्ज़े में और ताबे होने की वजह से सुलैमान अ़लैहिस्सलाम उससे जबरन काम लेने पर क़ादिर होंगे जैसे बेगारियों से काम लिया जाता है तो) हम उसको (आख़िरत में) अ़ज़ाब चखा देंगे। (इससे यह भी समझ में आ गया कि जो मानने और हुक्म की तामील से काम लेगा और पूरा मानना और हुक्म की तामील यह है कि ईमान भी इख़्तियार करे क्योंकि हर नबी अपने हुक्म के ताबे लोगों को इसका हुक्म करता है तो बिना उसके मानना और फ़रमाँबरदारी करना नहीं। पस हासिल यह कि जो जिन्न ईमान व इताअ़त इख़्तियार करेगा वह दोज़ख़ के अ़ज़ाब से महफ़ूज़ रहेगा, जैसा कि ईमान का तक़ाज़ा है। आगे उन कामों को बतलाते हैं जिन पर जिन्नात लगाये गये थे) वे जिन्नात उनके लिए वो-वो चीज़ें बनाते जो उनको (बनवाना) मन्ज़ूर होता। बड़ी-बड़ी इमारतें और मूरतें और लगन (ऐसे बड़े) जैसे हौज़ और (बड़ी-बड़ी) देगें जो एक ही जगह जमी रहें (हिलाये हिल न सकें, और हमने उनको यह हुक्म दिया कि जैसे हमने तुमको नेमतें भी दी हैं) ऐ दाऊद के ख़ानदान वालो (यानी सुलैमान अ़लैहिस्सलाम और उनके मुताल्लिक़ीन)! तुम सब (उन नेमतों के) शुक्रिए में नेक काम किया करो, और मेरे बन्दों में शुक्रगुज़ार कम ही होते हैं (इसलिए इस शुक्रगुज़ारी करने से जिसका असल मक़सद नेक आमाल करना है तुमको बहुत सारी मख़्लूक़ पर ख़ुसूसी दर्जा और विशेषता हासिल हो जायेगी। पस इस जुमले में उभारना और प्रेरित करना हो गया शुक्र और नेक अ़मल पर, जैसे दाऊद अ़लैहिस्सलाम को भी 'इअ़्मलू सालिहन्' हुक्म हुआ था, और इसी तरह वहाँ पहाड़ों और परिन्दों को ताबे करना था और यहाँ हवा और जिन्नात को ताबे करना बयान हुआ है। वहाँ लोहे को नरम कर देने का बयान था यहाँ ताँबे को नरम करने का। ग़र्ज़ कि ज़िन्दगी भर सुलैमान अ़लैहिस्सलाम के सामने जिन्नात का यह मामला रहा) फिर जब हमने उन पर (यानी सुलैमान अ़लैहिस्सलाम पर) मौत का हुक्म जारी कर दिया (यानी इन्तिक़ाल फ़रमा गये) तो (ऐसे अन्दाज़ से मौत वाक़े हुई कि जिन्नात को ख़बर नहीं हुई, वह यह कि सुलैमान अ़लैहिस्सलाम मौत के क़रीब डंडे को दोनों हाथों से पकड़कर उसको ठोड़ी के नीचे लगाकर तख़्त पर बैठ गये और उसी हालत में रूह क़ब्ज़ हो गई, और उसी तरह साल भर तक बैठे रहे। जिन्नात आपको बैठा देखकर ज़िन्दा समझते रहे, यह किसी की मजाल न थी कि पास जाकर या ख़ूब निगाह जमाकर देख सके, ख़ुसूसन जबकि संदेह करने की कोई वजह न हो, और ज़िन्दा समझकर बदस्तूर काम करते रहे और) किसी चीज़ ने उनके मरने का पता न बतलाया मगर घुन के कीड़े ने, कि वह सुलैमान (अ़लैहिस्सलाम) की लाठी को खाता था (यहाँ तक कि एक हिस्सा उसका खा लिया तो वह लाठी गिर पड़ी, उसके गिरने से सुलैमान अ़लैहिस्सलाम गिर पड़े) सो जब वह गिर पड़े (और घुन के खाने का अन्दाज़ा लगाने से मालूम हुआ कि इनकी वफ़ात हुए तो एक साल हो गया) तब जिन्नात को (अपने ग़ैब जानने के दावे की) हक़ीक़त मालूम हुई (वह यह कि) कि अगर वे ग़ैब जानते

होते तो (साल भर तक) इस ज़िल्लत की मुसीबत में न रहते (इससे मुराद बामुशक़्क़त काम करने हैं जिनमें हुक्म के ताबे होने की वजह से ज़िल्लत भी थी और मशक़्क़त की वजह से मुसीबत भी)।

मआरिफ़ व मसाईल

ऊपर क़ियामत का इनकार करने वाले काफ़िरों से ख़िताब था, जो मरने और जिस्म के हिस्से बिखर जाने के बाद दोबारा उनके जमा करने और उनमें ज़िन्दगी पैदा करने को ख़िलाफ़े अ़क़्ल समझकर इनकार करते थे। इन आयतों में उनके दूर की बात और मुहाल समझने को दूर करने के लिये हक़ तआ़ला ने हज़रत दाऊद और सुलैमान अ़लैहिस्सलाम के क़िस्से इसलिये ज़िक्र फ़रमाये कि अल्लाह तआ़ला ने उनके हाथों इसी दुनिया में ऐसे काम को दिखा दिया जिनको ये लोग मुहाल समझा करते थे, जैसे लोहे को मोम बना दिया, हवा को हुक्म के ताबे बना देना, ताँबे को एक बहने वाली चीज़ पानी की तरह कर देना।

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا دَاوٗدَ مِنَّا فَضْلًا.

"यानी अ़ता किया हमने दाऊद को अपना फ़ज़्ल।" फ़ज़्ल के लफ़्ज़ी मायने ज़्यादती के हैं, मुराद वो ख़ास सिफ़ात हैं जो दूसरों से ज़्यादा उनको अ़ता की गई हैं। अल्लाह तआ़ला ने हर नबी व पैग़म्बर को कुछ विशेष सिफ़तें अ़ता फ़रमाई हैं जो उनकी मख़्सूस फ़ज़ीलत समझी जाती है। हज़रत दाऊद अ़लैहिस्सलाम की मख़्सूस सिफ़ात ये थीं कि उनको अपनी नुबुव्वत व रिसालत के साथ पूरी दुनिया की सल्तनत व हुकूमत भी अ़ता फ़रमाई थी। और उम्दा आवाज़ वाला होने की ऐसी सिफ़त अ़ता फ़रमाई थी कि जब आप अल्लाह के ज़िक्र या ज़बूर की तिलावत में मशग़ूल होते तो हवा में उड़ते हुए परिन्दे सुनने को जमा हो जाते थे, इसी तरह उनको कई मोजिज़े ख़ास तौर से अ़ता हुए थे जिनका ज़िक्र आगे आता है।

يٰجِبَالُ اَوِّبِيْ

अव्विबी तअ़्वीब से निकला है जिसके मायने दोहराने और लौटाने के आते हैं। मुराद यह है कि अल्लाह तआ़ला ने पहाड़ों को हुक्म दे दिया था कि जब हज़रत दाऊद अ़लैहिस्सलाम अल्लाह का ज़िक्र व तस्बीह करें तो पहाड़ भी वे कलिमात पढ़कर लौटायें।

इसी तरह हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने अव्विबी की तफ़सीर सब्बिही से फ़रमाई है। (इब्ने कसीर) यह पहाड़ों की तस्बीह जो वो हज़रत दाऊद अ़लैहिस्सलाम के साथ करते थे उस आ़म तस्बीह के अ़लावा है जिसमें तमाम मख़्लूक़ात शरीक हैं और जो हर जगह हर वक़्त हर ज़माने में जारी है जैसा कि क़ुरआने करीम ने फ़रमाया है:

وَاِنْ مِّنْ شَيْءٍ اِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهٖ وَلٰكِنْ لَّا تَفْقَهُوْنَ تَسْبِيْحَهُمْ.

"यानी दुनिया की कोई चीज़ ऐसी नहीं जो अल्लाह तआ़ला की तारीफ़ व सना की तस्बीह न पढ़ती हो मगर तुम उनकी तस्बीह समझते नहीं।"

यहाँ जिस तस्बीह का ज़िक्र है वह हज़रत दाऊद अ़लैहिस्सलाम के मोजिज़े की हैसियत रखती है। इसी लिये यह ज़ाहिर है कि उस तस्बीह को आ़म सुनने वाले भी सुनते समझते होंगे वरना फिर

मोजिज़ा ही न होता।

इससे यह भी मालूम हुआ कि दाऊद अ़लैहिस्सलाम की आवाज़ के साथ पहाड़ों का आवाज़ मिलाना और तस्बीह को दोहराना यह आवाज़ के पलटकर वापस आने के तौर पर न था जो आ़म तौर पर गुंबद या कुएँ वग़ैरह में आवाज़ देने के वक़्त आवाज़ के लौटने से सुनी जाती है, क्योंकि क़ुरआने करीम ने इसको हज़रत दाऊद अ़लैहिस्सलाम पर ख़ुसूसी फ़ज़्ल व इनाम की हैसियत में ज़िक्र फ़रमाया है, पलटकर आने वाली आवाज़ में किसी फ़ज़ीलत व ख़ुसूसियत से क्या ताल्लुक़ है, वह तो हर इनसान चाहे काफ़िर ही हो जहाँ आवाज़ गूँजती और पलटकर आती है उसकी आवाज़ भी लौटती है।

वत्तै-र। यह लफ़्ज़ नहवी तरकीब में (अ़रबी भाषा के ग्रामर के हिसाब से) सख़्ख़रना लफ़्ज़ जिसके मायने यहाँ पोशीदा हैं, का मफ़ऊल (जिस पर फ़ेल वाक़े हो) होने की वजह से मन्सूब है। (रूहुल- मआ़नी) मायने यह हैं कि हमने परिन्दों को हज़रत दाऊद अ़लैहिस्सलाम के लिये ताबे कर दिया था। इस ताबे करने से मुराद यह है कि परिन्दे भी आपकी आवाज़ पर हवा में जमा हो जाते और आपके साथ पहाड़ों की तरह तस्बीह करते थे, जैसा कि एक दूसरी आयत में बयान हुआ है:

إِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ ۝ وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً.

"यानी हमने पहाड़ों को दाऊद अ़लैहिस्सलाम के ताबे कर दिया था कि सुबह शाम उनके साथ तस्बीह किया करें और परिन्दों को भी मुसख़्ख़र (ताबे) कर दिया।"

وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ

यह दूसरा मोजिज़ा है कि लोहे को उनके लिये नरम कर दिया था। हसन बसरी, क़तादा, आमश वग़ैरह तफ़सीर के इमामों ने फ़रमाया कि अल्लाह तआ़ला ने बतौर मोजिज़े के लोहे को उनके लिये मोम की तरह नरम बना दिया था कि उससे कोई चीज़ बनाने में न उनको आग की ज़रूरत पड़ती थी और न किसी हथोड़े या दूसरे औज़ारों व उपकरणों की। आगे आयत में इसका बयान है कि लोहे को उनके लिये नरम इसलिये बनाया गया था कि वह लोहे की ज़िरह आसानी से बना सकें, और एक दूसरी आयत में यह भी मज़कूर है कि अल्लाह तआ़ला ने ज़िरह बनाने की कारीगरी आपको ख़ुद सिखाई थी:

وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَّكُمْ

"यानी हमने सिखाई उनको कारीगरी ज़िरह बनाने की।" और इस आयत में भी आगे जो 'क़द्दिर् फ़िस्सर्दि' आया है यह भी उस कारीगरी और हुनर के सिखाने को पूरा करना है। लफ़्ज़ क़द्दिर तक़दीर से निकला है जिसके मायने एक अन्दाज़े पर बनाने के हैं, और सर्द के लफ़्ज़ी मायने बुनने के हैं। मतलब यह है कि ज़िरह के बनाने में उसकी कड़ियों को सन्तुलित और सही हिसाब से बनायें, कोई छोटी कोई बड़ी न हो ताकि वह मज़बूत भी बने और देखने में भी भली मालूम हो।

'क़द्दिर् फ़िस्सर्दि' की यह तफ़सीर हज़रत अ़ब्दुल्लाह इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु से नक़ल की गयी है। (इब्ने कसीर)

फ़ायदाः इससे यह भी मालूम हुआ कि चीज़ों के बनाने और कारीगरी में उनका ज़ाहिरी तौर पर

अच्छा दिखाई देने की रियायत भी पसन्दीदा चीज़ है कि इसके लिये अल्लाह तआ़ला ने ख़ास हिदायत फ़रमाई।

दूसरा फ़ायदाः कुछ हज़रात ने "क़द्दिर फ़िस्सर्दि" की तफ़सीर में तक़दीर से यह मुराद लिया है कि उस कारीगरी के लिये वक़्त की एक निर्धारित मात्रा तय कर लेनी चाहिये। सारा समय उसी में ख़र्च न हो जाये, ताकि इबादत और हुकूमत के मामलात में उसकी वजह से ख़लल न आये। इस तफ़सीर पर मालूम हुआ कि कारीगर, उद्योगपति और मेहनत कश लोगों को भी यह चाहिये कि इबादत और अपनी मालूमात हासिल करने के लिये अपने क़ाम में से कुछ वक़्त बचाया करें और समय की एक नियमावली बनाकर रखें। (रूहुल-मआ़नी)

कारीगरी और हुनर की बड़ी फ़ज़ीलत है

उपरोक्त आयत से साबित हुआ कि ज़रूरत की चीज़ों को बनाना और नई-नई चीज़ें वजूद में लाना ऐसी अहम चीज़ है कि हक़ तआ़ला ने ख़ुद इसकी तालीम देने का एहतिमाम फ़रमाया और अपने अज़ीमुश्शान पैग़म्बरों को सिखलाया है। हज़रत दाऊद अ़लैहिस्सलाम को ज़िरह (जंगी लिबास) बनाने की कारीगरी सिखाना इसी आयत से साबित हुआ। हज़रत नूह अ़लैहिस्सलाम को कश्ती बनाने का फ़न इसी तरह सिखाया गयाः

وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِاَعْيُنِنَا

"यानी हमारे सामने कश्ती बनाओ।" सामने बनाने का मतलब यही है कि जिस तरह हम बतलाते हैं उसी तरह बनाओ। इसी तरह दूसरे अम्बिया अ़लैहिमुस्सलाम को भी विभिन्न हुनर और कारीगरी सिखाना कुछ रिवायतों से साबित है। 'अत्तिब्बुन्नबवी' के नाम से एक किताब इमामे हदीस हाफ़िज़ शम्सुद्दीन ज़हबी की तरफ़ निस्बत के साथ छपी है, उसमें तो एक रिवायत यह नक़ल की है कि इनसानी ज़िन्दगी के लिये जितनी अहम और ज़रूरी कारीगरी और फ़न व हुनर हैं जैसे मकान बनाना, कपड़ा बुनना, दरख़्त बोना और उगाना, खाने की चीज़ें तैयार करना, सामान लाने ले जाने (परिवहन) के लिये पहियों की गाड़ी बनाकर चलाना वग़ैरह ये सब ज़रूरी हुनर और कारीगरी अल्लाह तआ़ला ने वही के ज़रिये अपने अम्बिया अ़लैहिमुस्सलाम को सिखलाई थीं।

कारीगर और हुनर-पेशा लोगों को छोटा और कम-दर्जा समझना गुनाह है

अ़रब में विभिन्न आदमी विभिन्न कारीगरी और उद्योग इख़्तियार करते थे, किसी काम को हक़ीर या ज़लील नहीं समझा जाता था और पेशे व काम की बुनियाद पर किसी शख़्स को कम या ज़्यादा न समझा जाता था। न पेशों की बुनियाद पर कोई बिरादरी बनती थी, पेशों की बुनियाद पर बिरादरी बनाना और कुछ पेशों को पेशे की हैसियत से हक़ीर व ज़लील समझना यह हिन्दुस्तान में हिन्दुओं की पैदावार है, उनके साथ रहने-सहने से मुसलमानों में भी ये असरात क़ायम हो गये।

हज़रत दाऊद अ़लैहिस्सलाम को ज़िरह बनाने का हुनर सिखाने की हिक्मत

तफ़सीर इब्ने कसीर में इमामे हदीस हाफ़िज़ इब्ने अ़साकिर की रिवायत से नक़ल किया है कि हज़रत दाऊद अ़लैहिस्सलाम अपनी ख़िलाफ़त व सल्तनत के ज़माने में भेस बदलकर बाज़ारों वग़ैरह में जाते और विभिन्न इलाक़ों से आने वाले लोगों से पूछा करते थे कि दाऊद कैसा आदमी है? चूँकि हज़रत दाऊद अ़लैहिस्सलाम की सल्तनत में अ़दल व इन्साफ़ आ़म था और सब इनसान आराम व ऐश के साथ गुज़ारा करते थे, किसी को हुकूमत से कोई शिकायत न थी इसलिये जिससे सवाल करते वह दाऊद अ़लैहिस्सलाम की तारीफ़ व प्रशंसा और अ़दल व इन्साफ़ पर शुक्रिये का इज़हार करता था।

हक़ तआ़ला ने उनकी तालीम के लिये अपने एक फ़रिश्ते को इनसानी शक्ल में भेज दिया, जब दाऊद अ़लैहिस्सलाम इस काम के लिये निकले तो यह फ़रिश्ता उनसे मिला। आ़दत के मुताबिक़ उससे भी वही सवाल किया। फ़रिश्ते ने जवाब दिया कि दाऊद बहुत अच्छा आदमी है और सब आदमियों से वह अपने नफ़्स के लिये भी और अपनी उम्मत व प्रजा के लिये भी बेहतर है मगर उस में एक आ़दत ऐसी है कि वह न होती तो वह बिल्कुल कामिल होता। दाऊद अ़लैहिस्सलाम ने पूछा वह क्या आ़दत है? फ़रिश्ते ने कहा कि वह अपना खाना पीना और अपने बाल-बच्चों का गुज़ारा मुसलमानों के माल यानी बैतुलमाल में से लेते हैं।

यह बात सुनकर हज़रत दाऊद अ़लैहिस्सलाम ने अल्लाह तआ़ला शानुहू की तरफ़ फ़रियाद की और दुआ़ का एहतिमाम किया कि मुझे कोई ऐसा काम सिखा दें जो मैं अपने हाथ की मज़दूरी से पूरा करूँ, और उसकी उजरत से अपना और अपने घर वालों का गुज़ारा करूँ और मुसलमानों की ख़िदमत और सल्तनत के तमाम काम बिना किसी मुआ़वज़े के करूँ। उनकी दुआ़ को हक़ तआ़ला ने क़ुबूल फ़रमाया, उनको ज़िरह बनाने की कारीगरी सिखा दी और पैग़म्बराना करिश्मा यह दिया कि लोहे को उनके लिये मोम बना दिया ताकि यह हुनर व कारीगरी बहुत आसान हो जाये, और थोड़े वक़्त में अपना गुज़ारा पैदा करके बाक़ी वक़्त इबादत और सल्तनत के कामों में लगा सकें।

मसलाः ख़लीफ़ा-ए-वक़्त या सुल्तान को जो अपना पूरा वक़्त सल्तनत के कामों के अन्जाम देने में लगाता है शरई तौर पर यह जायज़ है कि अपना दरमियानी गुज़ारा बैतुलमाल से ले ले, लेकिन कोई दूसरा हुनर और फ़न गुज़ारे का हो सके तो वह ज़्यादा पसन्द है। जैसे हज़रत सुलैमान अ़लैहिस्सलाम पर अल्लाह तआ़ला ने सारी दुनिया के ख़ज़ाने खोल दिये थे और ज़र व जवाहिरात और तमाम ज़रूरत की चीज़ों की बड़ी फ़रावानी थी और अल्लाह तआ़ला की तरफ़ से उनको बैतुलमाल के माल में मर्ज़ी के मुताबिक़ इख़्तियार चलाने और ख़र्च करने की इजाज़त भी दे दी गई थी। आयत 'फ़म्नुनु औ अम्सिक् बिग़ैरि हिसाब' में यह भी इत्मीनान दिलाया था कि आप जिस तरह चाहें ख़र्च करें, आपके ज़िम्मे हिसाब देना नहीं है, मगर अम्बिया अ़लैहिमुस्सलाम को हक़ तआ़ला जिस बुलन्द मक़ाम पर रखना चाहते हैं उसके तक़ाज़े से यह वाक़िआ़ पेश आया और उसके बाद हज़रत दाऊद अ़लैहिस्सलाम इतनी बड़ी सल्तनत के होते हुए अपनी मज़दूरी से अपना गुज़ारा पैदा करते और उसी पर क़नाअ़त

(ख़ुश रहते और सब्र) करते थे।

उलेमा जो तालीम व तब्लीग़ की ख़िदमत मुफ़्त में अन्जाम देते हों और क़ाज़ी व मुफ़्ती जो लोगों के काम में अपना वक़्त ख़र्च करते हों उनका भी यही हुक्म है कि बैतुलमाल से अपना ख़र्च ले सकते हैं, मगर कोई दूसरी सूरत गुज़ारे की हो जो दीनी ख़िदमत में ख़लल भी न डालती हो तो वो बेहतर है।

फ़ायदाः हज़रत दाऊद अ़लैहिस्सलाम के इस तर्ज़े-अ़मल (तरीक़े और अ़मल) से कि अपने आमाल व आ़दात के मुताल्लिक़ लोगों की रायें बेतकल्लुफ़ आज़ादाना मालूम करने का एहतिमाम फ़रमाते थे, यह साबित हुआ कि अपने ऐब चूँकि आदमी को ख़ुद मालूम नहीं होते इसलिये दूसरों से तहक़ीक़ करना चाहिये। हज़रत इमाम मालिक रह. भी इसका एहतिमाम फ़रमाते थे कि यह मालूम करें कि आ़म लोग उनके बारे में क्या राय रखते हैं।

وَلِسُلَيْمٰنَ الرِّيْحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَّرَوَاحُهَا شَهْرٌ

हज़रत दाऊद अ़लैहिस्सलाम के ख़ुसूसी फ़ज़ाईल व इनामात के ज़िक्र के बाद हज़रत सुलैमान अ़लैहिस्सलाम का ज़िक्र फ़रमाया और इरशाद हुआ कि जिस तरह हज़रत दाऊद के लिये अल्लाह तआ़ला ने पहाड़ों और परिन्दों को ताबे कर दिया था इसी तरह सुलैमान अ़लैहिस्सलाम के लिये हवा को ताबे फ़रमा दिया था, और हज़रत सुलैमान अ़लैहिस्सलाम के तख़्त को जिस पर वह अपने दरबार वालों के साथ बड़ी तायदाद में सवार होते थे, हवा उनके हुक्म के ताबे जहाँ वह चाहते ले जाती थी। हज़रत हसन बसरी रह. ने फ़रमाया कि हवा के ताबे होने का मोजिज़ा हज़रत सुलैमान अ़लैहिस्सलाम को इस अ़मल के सिले में अ़ता हुआ था कि एक दिन वो अपने घोड़ों के मुआ़यने में मशग़ूल थे, उसमें ऐसी मशग़ूलियत हुई कि अ़सर की नमाज़ क़ज़ा हो गयी। चूँकि घोड़े इस ग़फ़लत का सबब हुए थे ग़फ़लत के इस सबब को ख़त्म करने के लिये हज़रत सुलैमान अ़लैहिस्सलाम ने उन घोड़ों को ज़िबह करके क़ुरबान कर दिया (क्योंकि सुलैमान अ़लैहिस्सलाम की शरीअ़त में गाय बैल की तरह घोड़े की क़ुरबानी भी जायज़ थी) और ये घोड़े ख़ुद हज़रत सुलैमान अ़लैहिस्सलाम की मिल्क में थे, इसलिये बैतुलमाल के नुक़सान का सवाल ही पैदा नहीं होता, और क़ुरबानी की वजह से अपना माल ज़ाया करने का शुब्हा व एतिराज़ भी नहीं होता। इसकी पूरी तफ़सील सूरः सॉद में आयेगी। चूँकि सुलैमान अ़लैहिस्सलाम ने अपनी सवारी के जानवर क़ुरबान कर दिये अल्लाह तआ़ला ने उनको उससे बेहतर सवारी अ़ता फ़रमा दी। (तफ़सीरे क़ुर्तुबी)

غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَّرَوَاحُهَا شَهْرٌ.

ग़ुदुव्वुन् के मायने सुबह को चलने और **रवाह** के मायने शाम के चलने के हैं। आयत का मतलब यह हुआ कि सुबह से दोपहर तक यह तख़्ते सुलैमानी हवा के काँधों पर एक महीने की दूरी तय कर लेता था और फिर शाम से रात तक एक महीने की, इस तरह दो महीने का सफ़र और दूरी एक दिन में तय करता था।

हज़रत हसन बसरी रह. ने फ़रमाया कि हज़रत सुलैमान अ़लैहिस्सलाम सुबह को बैतुल-मुक़द्दस से रवाना होते तो दोपहर को अस्तख़र में जाकर क़ियाम फ़रमाते, और दोपहर का खाना खाते थे। फिर यहाँ से ज़ोहर के बाद वापस चलते तो काबुल में जाकर रात होती थी, और बैतुल-मुक़द्दस और

अस्तख़र के बीच इतनी दूरी है जो तेज़ सवारी पर चलने वाला एक महीने में तय कर सकता है। इसी तरह अस्तख़र से काबुल तक की दूरी भी तेज़ सवारी पर चलने वाला एक माह में तय कर सकता है। (तफ़सीर इब्ने कसीर)

وَاَسَلْنَا لَهٗ عَيْنَ الْقِطْرِ

यानी बहा दिया हमने सुलैमान अ़लैहिस्सलाम के लिये चश्मा ताँबे का। यानी ताँबे जैसी सख़्त धात को अल्लाह तआ़ला ने सुलैमान अ़लैहिस्सलाम के लिये पानी की तरह बहने वाला बना दिया जो पानी के चश्मे की तरह जारी था और गर्म भी न था, ताकि आसानी के साथ उससे बर्तन और ज़रूरत की दूसरी चीज़ें बना सकें।

हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने फ़रमाया कि यह चश्मा इतनी दूर तक जारी हुआ जिसकी दूरी तीन दिन तीन रात में तय हो सके, और यह यमन के इलाक़े में था। और मुजाहिद की रिवायत में है कि यह चश्मा सनआ़ (यमन) से शुरू हुआ और तीन दिन तीन रात की दूरी तक पानी के चश्मे की तरह जारी रहा। ख़लीले नहवी ने फ़रमाया कि लफ़्ज़ क़ित्र जो इस आयत में आया है इससे मुराद पिघला हुआ ताँबा है। (तफ़सीरे क़ुर्तुबी)

وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَّعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ

मतलब यह कि हमने सुलैमान अ़लैहिस्सलाम के लिये जिन्नात में से ऐसे लोगों को जो उनके सामने उनके काम अन्जाम दें अपने रब के हुक्म के मुवाफ़िक़। "उनके सामने" के अलफ़ाज़ बढ़ाने से शायद यह बतलाना हो कि सुलैमान अ़लैहिस्सलाम के लिये जिन्नात को ताबे करना इस तरह का नहीं जिस तरह चाँद सूरज वग़ैरह को इनसान के लिये ताबे करने का इरशाद क़ुरआन में आता है, बल्कि यह ताबे करना ऐसा था कि जिन्नात नौकरों चाकरों की तरह उनके सामने उनको सौंपी गयी ख़िदमतों में लगे रहते थे।

जिन्नात को ताबे और क़ाबू में करने का मसला

जिन्नात का ताबे होना जो इस जगह बयान हुआ है वह तो अल्लाह तआ़ला के हुक्म से है इसमें तो कोई सवाल ही नहीं हो सकता और कुछ सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अ़न्हुम के बारे में जो रिवायतों में आया है कि जिन्नात उनके क़ाबू में और ताबे थे, तो यह ताबे होना भी अल्लाह के हुक्म से इसी तरह का ताबे होना था जो करामत के तौर पर उन हज़रात को अ़ता किया गया था, उसमें किसी अ़मल व वज़ीफ़े का कोई दख़ल नहीं था जैसा कि अ़ल्लामा शिरबीनी ने तफ़सीर सिराजुल-मुनीर में इस आयत के तहत में हज़रत अबू हुरैरह, हज़रत उबई बिन कअ़ब, हज़रत मुआ़ज़ बिन जबल, हज़रत उमर बिन ख़त्ताब, हज़रत अबू अय्यूब अन्सारी, हज़रत ज़ैद बिन साबित वग़ैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हुम के अनेक वाक़िआ़त ऐसे लिखे हैं जिनसे साबित होता है कि जिन्नात उनकी इताअ़त व ख़िदमत करते थे मगर यह सब महज़ अल्लाह तआ़ला का फ़ज़्ल व करम था कि सुलैमान अ़लैहिस्सलाम की तरह कुछ जिन्नात को इन हज़रात के ताबे बना दिया। लेकिन जो ताबे करना अ़मलियात के ज़रिये आ़मिलों में मशहूर है वह क़ाबिले ग़ौर है कि शरई तौर पर उसका क्या हुक्म है? क़ाज़ी बदरुद्दीन शिबली हनफ़ी जो आठवीं सदी के उलेमा में से हैं, उन्होंने जिन्नात के अहकाम पर एक मुस्तक़िल किताब

"आकामुल-मरजान फ़ी अहकामिल-जान्न" लिखी है। उसमें बयान किया है कि जिन्नात से ख़िदमत लेने का काम सबसे पहले हज़रत सुलैमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से मोजिज़े के तौर पर किया है, और फ़ारस के लोग जमशेद बिन अवनजहान की तरफ़ मन्सूब करते हैं कि उन्होंने जिन्नात से ख़िदमत ली है। इसी तरह आसिफ़ बिन बरख़िया वग़ैरह जिनका ताल्लुक़ हज़रत सुलैमान अलैहिस्सलाम से रहा है, उनके मुताल्लिक़ भी जिन्नों से ख़िदमात लेने के वाक़िआत मशहूर हैं, और मुसलमानों में सबसे ज़्यादा शोहरत अबू नस्र अहमद बिन बिलाल बकील और हिलाल बिन वसीफ़ की है, जिनसे जिन्नात से ख़िदमात लेने के अजीब अजीब वाक़िआत मज़कूर हैं। हिलाल बिन वसीफ़ ने एक मुस्तकिल किताब में जिन्नात के कलिमात जो उन्होंने हज़रत सुलैमान अलैहिस्सलाम के सामने पेश किये और जो अहद व मीसाक़ (क़ौल व क़रार) सुलैमान अलैहिस्सलाम ने उनसे लिये उनको जमा कर दिया है।

क़ाज़ी बदरुद्दीन ने इसी किताब में लिखा है कि आम तौर से जिन्नात को क़ब्ज़े में करने का अमल करने वाले आमिलीन कुफ़्रिया और शैतानी कलिमात से और जादू से काम लेते हैं, जिनको काफ़िर जिन्नात व शैतान पसन्द करते हैं, और उनके ताबे होने का राज़ सिर्फ़ यह है कि वे उनके कुफ़्रिया व शिर्किया आमाल से ख़ुश होकर रिश्वत के तौर पर उनके कुछ काम भी कर देते हैं, और इसी लिये उन अमलियात में ज़्यादातर क़ुरआने करीम को नजासत या ख़ून वग़ैरह से लिखते हैं, जिससे काफ़िर जिन्न व शैतान राज़ी होकर उनके काम कर देते हैं। अलबत्ता एक शख़्स इब्नुल-इमाम के मुताल्लिक़ लिखा है कि यह ख़लीफ़ा मोतज़िद बिल्लाहि के ज़माने में था, जिन्नात को इसने अल्लाह के पाक नामों के ज़रिये से ताबे किया था, उसमें कोई बात ख़िलाफ़े शरीअत नहीं थी।

(आकामुल-मरजान पेज 100)

ख़ुलासा यह है कि जिन्नात की तसख़ीर (ताबे करना) अगर किसी के लिये बग़ैर इरादे व अमल के महज़ अल्लाह की तरफ़ से हो जाये जैसा कि सुलैमान अलैहिस्सलाम और बाज़े सहाबा किराम के मुताल्लिक़ साबित है, वह तो मोजिज़ा या करामात में दाख़िल है, और जो ताबे करना अमलियात के ज़रिये किया जाता है उसमें अगर कुफ़्रिया कलिमात या कुफ़्रिया आमाल हों तो कुफ़्र, और अगर सिर्फ़ गुनाह व नाफ़रमानी वाले कलिमात हों तो बड़ा गुनाह है, और जिन अमलियात में ऐसे अलफ़ाज़ इस्तेमाल किये जायें जिनके मायने मालूम नहीं उनको भी फ़ुक़हा (दीन के उलेमा) ने इस बिना पर नाजायज़ कहा है कि हो सकता है कि उन कलिमात में कुफ़्र व शिर्क या गुनाह व नाफ़रमानी पर आधारित कलिमात हों। क़ाज़ी बदरुद्दीन ने "आकामुल-मरजान" में ऐसे नामालूम मायने वाले कलिमात के इस्तेमाल को भी नाजायज़ लिखा है।

और अगर ताबे करने का यह अमल अल्लाह के पाक नामों या क़ुरआनी आयतों के ज़रिये हो और उसमें नजासत (गन्दगी) वग़ैरह के इस्तेमाल जैसी कोई नाफ़रमानी व गुनाह भी न हो तो वह इस शर्त के साथ जायज़ है कि उससे मक़सद (उद्देश्य) जिन्नात के सताने से ख़ुद बचना या दूसरे मुसलमानों को बचाना हो, यानी नुक़सान को दूर करना मक़सद हो, कुछ फ़ायदा उठाना मक़सद न हो, क्योंकि अगर इसको माल कमाने का पेशा बनाया गया तो इसलिये जायज़ नहीं कि इसमें एक आज़ाद को अपना ग़ुलाम बनाना और बिना शरई हक़ के उससे बेगार लेना है जो हराम है। वल्लाहु आलम

وَمَنْ يَّزِغْ مِنْهُمْ عَنْ اَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيْرِ○

"यानी हमने जिन्नात को सुलैमान अ़लैहिस्सलाम की ख़िदमत व इताअ़त का जो हुक्म दिया है अगर उनमें से कोई फ़र्द उस इताअ़त से मुँह मोड़ेगा तो उसको आग का अ़ज़ाब दिया जायेगा।"

अक्सर मुफ़स्सिरीन ने इससे आख़िरत का जहन्नम वाला अ़ज़ाब मुराद लिया है और कुछ हज़रात ने फ़रमाया कि दुनिया में भी अल्लाह तआ़ला ने उन पर एक फ़रिश्ते को मुसल्लत कर दिया था कि जो जिन्न सुलैमान अ़लैहिस्सलाम की इताअ़त में कोताही करे उसको आग के कोड़े मारकर काम करने पर मजबूर करता था। (तफ़सीरे क़ुर्तुबी) और इस पर यह शुब्हा नहीं हो सकता कि जिन्नात तो ख़ुद आग से बने हुए हैं आग उन पर क्या असर करेगी, क्योंकि जिन्नात के आग से बनने का मतलब वही है जो इनसान के मिट्टी से बनने का मतलब है, यानी इनसान के वजूद में मिट्टी का तत्व ज़्यादा है मगर उसको मिट्टी पत्थर से मारा जाये तो तकलीफ़ पहुँचती है, इसी तरह जिन्नात का ग़ालिब तत्व आग है मगर ख़ालिस और तेज़ आग से वे भी जल जाते हैं।

يَعْمَلُوْنَ لَهٗ مَا يَشَآءُ مِنْ مَّحَارِيْبَ وَتَمَاثِيْلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَ قُدُوْرٍ رّٰسِيٰتٍ.

इस आयत में उन कामों की कुछ तफ़सील है जो हज़रत सुलैमान अ़लैहिस्सलाम जिन्नात से लेते थे। **महारीब** मेहराब की जमा (बहुवचन) है जो मकान के सम्मानित व आला हिस्से के लिये बोला जाता है, बादशाह और बड़े लोग जो अपने लिये हुकूमत का कमरा बनायें उसको भी मेहराब कहा जाता है। और लफ़्ज़ मेहराब हरब से निकला है जिसके मायने जंग से के हैं, कोई आदमी जो अपना हुकूमत का ख़ास मक़ाम बनाता है उसको दूसरों की पहुँच से महफ़ूज़ रखता है, उसमें कोई हाथ डाले और दख़ल दे तो उसके ख़िलाफ़ लड़ाई करता है, इस मुनासबत से मकान के मख़्सूस हिस्से को मेहराब कहते हैं। मस्जिदों में इमाम के खड़े होने की जगह को भी इसी विशेषता और ख़ुसूसियत की बिना पर मेहराब कहते हैं और कभी ख़ुद मस्जिदों को महारीब के लफ़्ज़ से ताबीर किया जाता है। पुराने ज़माने में महारीबे बनी इस्राईल और इस्लाम में महारीबे सहाबा से उनकी मस्जिदें मुराद होती हैं।

मस्जिदों में मेहराबों के लिये मुस्तक़िल मकान बनाने का हुक्म

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम और ख़ुलफ़ा-ए-राशिदीन के ज़माने तक इमाम के खड़े होने की जगह को एक अलग मकान की हैसियत से बनाने का रिवाज नहीं था, शुरू के इस दौर के बाद बादशाहों ने इसको अपने बचाव के लिये रिवाज दिया और आ़म मुसलमानों में इसका रिवाज इस मस्लेहत से भी हुआ कि इमाम जिस जगह खड़ा होता है वह पूरी सफ़ ख़ाली रहती है, नमाज़ियों की कसरत और मस्जिदों की तंगी को देखते हुए सिर्फ़ इमाम के खड़े होने की जगह क़िब्ले की दीवार में गहरी करके बना दी जाती है ताकि उसके पीछे पूरी सफ़ें खड़ी हो सकें। चूँकि यह तरीक़ा इस्लाम के शुरू के दौर में नहीं था इसलिये कुछ उलेमा ने इसको बिदअ़त कह दिया है। शैख़ जलालुद्दीन सुयूती रह. ने इस मसले पर मुस्तक़िल रिसाला 'आलामुल-अरानीब फ़ी बिदअ़तिल-महारीब' के नाम से लिखा है और तहक़ीक़ और सही बात यह है कि अगर इस तरह की मेहराबें नमाज़ियों की सहूलत और मस्जिद की मस्लेहतों को सामने रखकर बनाई जायें और उनको ज़रूरी सुन्नत न समझा जाये तो

उनको बिदअ़त कहने की कोई वजह नहीं। हाँ! इसको ज़रूरी सुन्नत बना लिया जाये, इसके ख़िलाफ़ करने वाले पर लान-तान होने लगे तो इस ग़ुलू (हद से बढ़ने) से यह अ़मल बिदअ़त में दाख़िल हो सकता है।

मसलेः जिन मस्जिदों में इमाम की मेहराब एक मुस्तक़िल मकान की सूरत में बनाई जाती है वहाँ इमाम पर लाज़िम है कि उस मेहराब से किसी क़द्र बाहर इस तरह खड़ा हो कि उसके क़दम मेहराब से बाहर नमाज़ियों की तरफ़ रहें, ताकि इमाम और मुक़्तदियों का मकान (जगह) एक शुमार हो सके, वरना यह सूरत मक्रूह व नाजायज़ है कि इमाम अलग मकान में तन्हा खड़ा हो और सब मुक़्तदी दूसरे मकान में। कुछ मस्जिदों में मेहराब इतनी लम्बी-चौड़ी बनाई जाती है कि एक मुख़्तसर सी सफ़ मुक़्तदियों की भी उसमें आ जाये, ऐसी मेहराब में अगर एक सफ़ मुक़्तदियों की भी मेहराब में खड़ी हो और इमाम उनके आगे पूरा मेहराब में खड़ा हो तो इमाम व मुक़्तदियों के मकान के साझा हो जाने की वजह से कराहत नहीं रहेगी।

'तमासील' तिमसाल की जमा (बहुवचन) है। **क़ामूस** में है कि तमसाल मस्दर है और तिमसाल तस्वीर को कहा जाता है। अ़ल्लामा इब्ने अ़रबी ने अहकामुल-क़ुरआन में फ़रमाया कि तिमसाल यानी तस्वीर दो तरह की होती है- एक रूह वाली जानदार चीज़ों की तस्वीर, दूसरे बिना रूह वाली बेजान चीज़ों की। फिर बेजान चीज़ों में दो क़िस्में हैं एक जमाद जिसमें ज़्यादती और बढ़ोतरी नहीं होती, जैसे पत्थर मिट्टी वग़ैरह, दूसरी नामी जिसमें बढ़ोतरी और ज़्यादती होती है, जैसे दरख़्त और खेती वग़ैरह। जिन्नात हज़रत सुलैमान अ़लैहिस्सलाम के लिये इन सब क़िस्म की चीज़ों की तस्वीरें बनाते थे। अव्वल तो लफ़्ज़ तमासील के आ़म होने ही से यह बात समझी जाती है कि ये तस्वीरें किसी ख़ास क़िस्म की नहीं बल्कि हर क़िस्म के लिये आ़म थीं। दूसरे तारीख़ी रिवायतों में तख़्ते सुलैमानी पर परिन्दों की तस्वीरें होना भी बयान हुआ है।

इस्लामी शरीअ़त में जानदार की तस्वीर बनाने और इस्तेमाल करने की मनाही

मज़कूरा आयत से मालूम हुआ कि हज़रत सुलैमान अ़लैहिस्सलाम की शरीअ़त में जानदारों की तस्वीरें बनाना और इस्तेमाल करना हराम नहीं था, मगर चूँकि पिछली उम्मतों में इसका अनुभव और नज़ारा हुआ कि लोगों की तस्वीरें उनकी यादगार के तौर पर बनाईं और उनको अपने इबादत ख़ानों में इस ग़र्ज़ के लिये रखा कि उनको देखकर उनकी इबादत गुज़ारी का नक़्शा सामने आये तो ख़ुद हमें भी इबादत की तौफ़ीक़ हो जायेगी, मगर धीरे-धीरे उन लोगों ने उन्हीं तस्वीरों को अपना माबूद बना लिया और बुतपरस्ती शुरू हो गई।

ख़ुलासा यह है कि पिछली उम्मतों में जानदारों की तस्वीरें बुतपरस्ती का ज़रिया बन गईं, इस्लामी शरीअ़त के लिये चूँकि क़ियामत तक क़ायम और बाक़ी रखना अल्लाह की तरफ़ से तयशुदा है इसलिये इसमें इसका ख़ास एहतिमाम किया गया है कि जिस तरह असल हराम चीज़ों और गुनाहों को हराम व वर्जित किया गया है इसी तरह उनके माध्यमों और क़रीबी असबाब को भी असल गुनाहों से

जोड़ करके हराम कर दिया गया है। असल बड़ा जुर्म शिर्क व बुतपरस्ती है उसकी मनाही हुई तो जिन रास्तों से बुतपरस्ती आ सकती थी उन रास्तों पर भी शरई पहरा बैठा दिया गया और बुतपरस्ती के माध्यमों, ज़रियों और क़रीबी असबाब को भी हराम कर दिया गया। जानदार की तस्वीरों का बनाना और इस्तेमाल करना इसी उसूल की बिना पर हराम किया गया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की मुतवातिर सही हदीसों से इसकी हुर्मत (हराम होना) साबित है।

इसी तरह शराब हराम की गई तो उसकी ख़रीद-फ़रोख़्त, उसको लाने लेजाने की मज़दूरी, उसका बनाना सब हराम कर दिये गये जो शराब पीने के ज़रिये हैं। चोरी हराम की गई तो किसी के मकान में बिना इजाज़त दाख़िल होना बल्कि बाहर से झाँकना भी मना और वर्जित कर दिया गया। ज़िना हराम किया गया तो ग़ैर-मेहरम की तरफ़ इरादे के साथ नज़र करने को भी हराम कर दिया गया। इस्लामी शरीअ़त में इसकी बेशुमार नज़ीरें मौजूद हैं।

तस्वीर के हराम होने में एक आ़म शुब्हा और उसका जवाब

यह कहा जा सकता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के मुबारक ज़माने में तस्वीरों को जिस हैसियत से इस्तेमाल किया जाता था वह बुतपरस्ती का ज़रिया बन सकती थी, लेकिन आजकल तस्वीर से जिस तरह के काम लिये जाते हैं मुल्ज़िमों की शनाख़्त, तिजारतों के ख़ास मार्के, दोस्तों अ़ज़ीज़ों से मुलाक़ात, वाक़िआ़त व हालात की तहक़ीक़ में इमदाद वग़ैरह, जिसकी वजह से वो ज़िन्दगी की ज़रूरतों में दाख़िल कर ली गई हैं, इसमें बुतपरस्ती और इबादत का कोई तसव्वुर दूर दूर तक नहीं, तो यह मनाही जो बुतपरस्ती के ख़तरे से की गई थी अब ख़त्म हो जानी चाहिये।

जवाब यह है कि अव्वल तो यह कहना भी सही नहीं कि आजकल तस्वीर बुतपरस्ती का ज़रिया नहीं, आज भी कितने फ़िर्के और गिरोह हैं जो अपने पीरों की तस्वीर की पूजा-पाठ करते हैं, और जो हुक्म किसी इल्लत (सबब और कारण) पर दायर हो यह ज़रूरी नहीं कि वह हर फ़र्द में पाया जाये। इसके अ़लावा तस्वीर की मनाही का सबब सिर्फ़ एक यही नहीं कि वह बुतपरस्ती का ज़रिया है बल्कि सही हदीसों में इसके हराम होने की दूसरी वजहें भी बयान की गयी हैं- जैसे यह कि तस्वीर बनाना हक़ तआ़ला की ख़ास सिफ़त की नक़ल करना है, मुसव्विर हक़ तआ़ला के पाक नामों में से है और सूरत बनाना दर हक़ीक़त उसी लिये मुनासिब और उसी की क़ुदरत में है कि मख़्लूक़ात की हज़ारों जिन्सें और क़िस्में हैं फिर हर जिन्स और क़िस्म (यानी जातियों व प्रजातियों) में करोड़ों अफ़राद होते हैं, एक की सूरत दूसरे से नहीं मिलती। इनसान ही को ले लो तो मर्द की सूरत और औ़रत की सूरत में स्पष्ट फ़र्क़ है। फिर औ़रतों और मर्दों के करोड़ों अफ़राद में दो फ़र्द बिल्कुल एक जैसे नहीं हुए। ऐसे खुले हुए फ़र्क़ और निशानियाँ होती हैं कि देखने वालों को किसी संकोच और ग़ौर व फ़िक्र के बग़ैर ही फ़र्क़ मालूम हो जाता है। यह सूरत बनाना अल्लाह रब्बुल-इ़ज़्ज़त के सिवा किसकी क़ुदरत में है? जो इनसान किसी जानदार का प्रतिमा या नुक़ूश और रंग से उसकी तस्वीर बनाता है वह गोया अ़मली तौर पर इसका दावेदार है कि वह भी सूरत बनाने का काम कर सकता है। इसी लिये सही बुख़ारी वग़ैरह की हदीसों में है कि क़ियामत के दिन तस्वीरें बनाने वालों को कहा जायेगा कि जब तुमने हमारी नक़ल उतारी तो इसको मुकम्मल करके दिखलाओ अगर तुम्हारे बस में हो, कि हमने तो

सिर्फ़ सूरत ही नहीं बनाई उसमें रूह भी डाली है, अगर तुम्हें इस बनाने का दावा है तो अपनी बनाई हुई सूरत में रूह भी डालकर दिखलाओ।

एक सबब तस्वीर की मनाही का सही हदीसों में यह भी आया है कि अल्लाह के फ़रिश्तों को तस्वीर और कुत्ते से नफ़रत है, जिस घर में ये चीज़ें होती हैं उसमें रहमत के फ़रिश्ते दाख़िल नहीं होते, जिसके सबब उस घर की बरकत और नूरानियत मिट जाती है, घर में बसने वालों को इबादत व ताअ़त की तौफ़ीक़ घट जाती है। और साथ ही यह मशहूर मक़ूला भी ग़लत नहीं कि "ख़ाना-ए-ख़ाली रा देव मी गीरद" यानी ख़ाली घर पर जिन्न भूत क़ब्ज़ा कर लेते हैं। जब कोई घर रहमत के फ़रिश्तों से ख़ाली होगा तो शैतान उसको घेर लेंगे और उनके बसने वालों के दिलों में गुनाहों के वस्वसे (ख़्यालात) और फिर इरादे पैदा करते रहेंगे।

एक सबब कुछ हदीसों में यह भी आया है कि तस्वीर दुनिया की ज़रूरत से ज़ायद ज़ीनत हैं और इस ज़माने में जिस तरह तस्वीरों से बहुत से फ़ायदे हासिल किये जाते हैं हज़ारों जुर्म और बेहयाई भी इन्हीं तस्वीरों से जन्म लेते है। ग़र्ज़ कि इस्लामी शरीअ़त ने सिर्फ़ एक वजह से नहीं बहुत से असबाब पर नज़र करके जानदार की तस्वीरें बनाने और उसके इस्तेमाल करने को हराम क़रार दे दिया है। अब अगर फ़र्ज़ कर लें कि वो असबाब इत्तिफ़ाक़ से किसी ख़ास फ़र्द में मौजूद न हों तो इस इत्तिफ़ाक़ी वाक़िए से शरई क़ानून नहीं बदल सकता।

सही बुख़ारी व मुस्लिम में हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अ़न्हु की रिवायत से यह हदीस आई है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमायाः

اَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَّوْمَ الْقِيٰمَةِ الْمُصَوِّرُوْنَ.

यानी सबसे ज़्यादा सख़्त अ़ज़ाब में क़ियामत के दिन तस्वीर बनाने वाले होंगे।

और हदीस की कुछ रिवायतों में तस्वीर बनाने वालों पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने लानत फ़रमाई है, और बुख़ारी व मुस्लिम में हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमायाः

كُلُّ مُصَوِّرٍ فِى النَّارِ........الحديث

यानी हर मुसव्विर (तस्वीर बनाने वाला) जहन्नम में जायेगा।

इस मसले के मुताल्लिक़ हदीस की रिवायतें और बुज़ुर्गों के अ़मल के सुबूत तफ़सील के साथ अहक़र ने अपने रिसाले "अत्तस्वीर लि-अहकामित्तस्वीर" में जमा कर दिये हैं और लोगों के शुब्हात के जवाबात भी उसमें विस्तार से हैं, ज़रूरत हो तो उसको देखा जा सकता है।

फ़ोटो की तस्वीर भी तस्वीर ही है

कुछ लोगों का यह कहना क़तई ग़लत है कि फ़ोटो तस्वीर से ख़ारिज है, क्योंकि वह तो छाया और अ़क्स है, जैसे आईने और पानी वग़ैरह में आ जाता है, तो जिस तरह आईने में अपनी सूरत देखना जायज़ है ऐसे ही फ़ोटो की तस्वीर भी जायज़ है। जवाब स्पष्ट है कि अ़क्स और छाया उस वक़्त तक अ़क्स है जब तक वह किसी तरीक़े से क़ायम और पायदार न बना लिया जाये, जैसे आईने या पानी में अपना अ़क्स कि जिस वक़्त पानी के मुक़ाबले से आप हट जायेंगे ख़त्म हो जायेगा, अगर

आईने के ऊपर किसी मसाले या आले के ज़रिये उस सूरत के अक्स को पायदार बना दिया जाये तो यही तस्वीर हो जायेगी जिसकी मनाही और हराम होना मुतवातिर हदीसों से साबित है। फोटो की मुफ़स्सल बहस भी उक्त रिसाले 'अत्तस्वीर' में लिख दी गई है।

जिफ़ानिन् जफ़ना की जमा (बहुवचन) है, जो पानी के बड़े बर्तन जैसे तशले या टब वग़ैरह को कहा जाता है। **कल्जवाबि** जाबिया की जमा है, छोटे हौज़ को जाबिया कहते हैं। मुराद यह है कि पानी भरने के बड़े बर्तन ऐसे बनाते थे जिसमें छोटे हौज़ के बराबर पानी आता है। **क़ुदूर** क़िद्र की जमा (बहुवचन) है हण्डिया को कहा जाता है।

रासियात अपनी जगह ठहरी हुई। मुराद यह है कि इतनी वज़नी और बड़ी देगें बनाते थे जो हिलाये न हिलें, और मुम्किन है कि ये देगें पत्थर से तराशकर पत्थर ही के चूल्हों पर लगी हुई बनाते हों जिनको इधर-उधर न लेजाया जा सके। इमामे तफ़सीर ज़ह्हाक ने 'क़ुदूरिर्रासियात' की यही तफ़सीर बयान की है।

اِعْمَلُوْٓا اٰلَ دَاوٗدَ شُكْرًا. وَقَلِيْلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُوْرُ ○

हज़रत दाऊद व सुलैमान अ़लैहिमस्सलाम को अल्लाह तआ़ला ने अपने ख़ास फ़ज़्ल से नवाज़ा और मख़्सूस इनामात अ़ता फ़रमाये, उनका बयान फ़रमाने के बाद उनको मय उनके बाल-बच्चों और घर वालों के शुक्रगुज़ारी का हुक्म इस आयत में दिया गया है।

शुक्र की हक़ीक़त और उसके अहकाम

इमाम क़ुर्तुबी ने फ़रमाया कि शुक्र की हक़ीक़त यह है कि इसको माने और इक़रार करे कि यह नेमत फ़ुलाँ नेमत देने वाले ने दी है, और फिर उसको उसकी इताअ़त व मर्ज़ी के मुताबिक़ इस्तेमाल करे, और किसी की दी हुई नेमत को उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करना नाशुक्री और नेमत की नाक़द्री है। इससे मालूम हुआ कि शुक्र जिस तरह ज़बान से होता है इसी तरह अ़मल से भी शुक्र होता है, और अ़मली शुक्र उस नेमत का नेमत देने वाले इताअ़त व मर्ज़ी के मुताबिक़ इस्तेमाल है। और अबू अ़ब्दुर्रहमान असलमी ने फ़रमाया कि नमाज़ शुक्र है, रोज़ा शुक्र है और हर नेक काम शुक्र है और मुहम्मद बिन कअ़ब क़ुरज़ी ने फ़रमाया कि शुक्र तक़वे और नेक अ़मल का नाम है। (इब्ने कसीर)

उपरोक्त आयत में क़ुरआने हकीम ने शुक्र के हुक्म के लिये मुख़्तसर लफ़्ज़ 'उश्कुरूनी' के बजाय 'इअ़्मलू शुक्रन्' इस्तेमाल फ़रमाकर शायद इस तरफ़ भी इशारा फ़रमा दिया कि आले दाऊद से अ़मली शुक्र चाहिये। चुनाँचे इस हुक्म की तामील हज़रत दाऊद और सुलैमान अ़लैहिमस्सलाम और उनके ख़ानदान ने क़ौल व अ़मल दोनों से इस तरह की कि उनके घर में कोई वक़्त ऐसा न गुज़रता था जिसमें घर का कोई फ़र्द अल्लाह की इबादत में न लगा हुआ हो। ख़ानदान के अफ़राद पर वक़्त तक़सीम कर दिये गये थे। इस तरह हज़रत दाऊद अ़लैहिस्सलाम का मुसल्ला किसी वक़्त नमाज़ पढ़ने वाले से ख़ाली न रहता था। (इब्ने कसीर)

बुख़ारी व मुस्लिम में हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि नमाज़ों में अल्लाह के नज़दीक ज़्यादा प्यारी नमाज़ दाऊद अ़लैहिस्सलाम की है, वह आधी रात सोते थे, फिर एक तिहाई रात इबादत में खड़े रहते थे, फिर आख़िरी छठे हिस्से में सोते थे। और तमाम रोज़ों में

ज़्यादा प्यारा अल्लाह के नज़दीक दाऊद अलैहिस्सलाम के रोज़े हैं कि वह एक दिन रोज़ा रखते और एक दिन इफ़्तार करते थे। (इब्ने कसीर)

हज़रत फ़ुज़ैल रह. से मन्क़ूल है कि जब हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर यह शुक्र का हुक्म नाज़िल हुआ तो उन्होंने अल्लाह तआ़ला से अ़र्ज़ किया ऐ मेरे परवर्दिगार! मैं आपका शुक्र किस तरह पूरा कर सकता हूँ जबकि मेरा अ़मली या क़ौली शुक्र करना भी आप ही की अ़ता की हुई नेमत है, उस पर भी मुस्तक़िल शुक्र वाजिब है। हक़ तआ़ला ने इरशाद फ़रमायाः

اَلْاٰنَ شَكَرْتَنِىْ يَا دَاوٗدُ

यानी ऐ दाऊद! अब आपने शुक्र अदा कर दिया। क्योंकि शुक्र का हक़ अदा करने से अपने आ़जिज़ होने को समझ लिया और इसका इक़रार कर लिया।

हकीम तिर्मिज़ी और इमाम अबू बक्र जस्सास ने हज़रत अ़ता बिन यसार रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत किया है कि जब यह आयत नाज़िल हुईः

اِعْمَلُوْٓا اٰلَ دَاوٗدَ شُكْرًا.

(यानी उपरोक्त आयत 13) तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम मिम्बर पर तशरीफ़ लाये और इस आयत को तिलावत फ़रमाया, फिर इरशाद फ़रमाया कि तीन काम ऐसे हैं कि जो शख़्स उनको पूरा कर ले तो जो फ़ज़ीलत दाऊद की आल को अ़ता की गई थी वह उसको भी मिल जायेगी। सहाबा किराम ने अ़र्ज़ किया कि वो तीन काम क्या हैं? आपने फ़रमाया कि रज़ा और ग़ुस्से की दोनों हालतों में इन्साफ़ पर क़ायम रहना, और मालदारी व ग़रीबी की दोनों हालतों में दरमियानी राह और बीच की चाल इख़्तियार करना, और ख़ुफ़िया व ऐलानिया दोनों हालतों में अल्लाह से डरना।

(क़ुर्तुबी, अहकामुल-क़ुरआन, जस्सास)

وَقَلِيْلٌ مِّنْ عِبَادِىَ الشَّكُوْرُ٥

शुक्र के हुक्म और ताकीद के बाद इस वाक़िए का भी इज़हार फ़रमा दिया कि मेरे बन्दों में शुक्रगुज़ार कम ही होंगे। इसमें भी मोमिन के लिये चेताना और उभारना है शुक्र पर।

فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ.................. الاٰية

आयत में लफ़्ज़ मिन्स-अतु अ़सा और लाठी के मायने में है। कुछ हज़रात ने फ़रमाया कि यह हब्शी भाषा का लफ़्ज़ है जिसके मायने लाठी के हैं। और कुछ हज़रात ने फ़रमाया कि अ़रबी लफ़्ज़ है, नसा के मायने हटाने और पीछे करने के हैं, लाठी के ज़रिये इनसान नुक़सानदेह चीज़ों को हटाता है इसलिये इसको मिन्स-अतु कहा गया यानी हटाने का आला। इस आयत में हज़रत सुलैमान अ़लैहिस्सलाम की मौत का अ़जीब वाक़िआ़ बयान फ़रमाकर बहुत सी सीख और हिदायतों का दरवाज़ा खोल दिया।

हज़रत सुलैमान अ़लैहिस्सलाम की मौत का अ़जीब वाक़िआ़

इस वाक़िए में बहुत सी हिदायतें हैं जैसे यह कि हज़रत सुलैमान अ़लैहिस्सलाम जिनको ऐसी बेमिसाल हुकूमत व सल्तनत हासिल थी कि सिर्फ़ सारी दुनिया पर ही नहीं बल्कि जिन्नात और परिन्दों

और हवा पर भी उनकी हुकूमत थी, मगर इन सब सामानों के बावजूद मौत से उनको भी छुटकारा न था। और यह कि मौत तो मुक़र्ररा वक़्त पर आनी थी, बैतुल-मुक़द्दस की तामीर जो हज़रत दाऊद अ़लैहिस्सलाम ने शुरू की फिर हज़रत सुलैमान अ़लैहिस्सलाम ने उसको पूरा फ़रमाया, उसमें तामीर का कुछ काम बाक़ी था, और यह तामीर का काम जिन्नात के सुपुर्द था, जिनकी तबीयत में सरकशी ग़ालिब थी। हज़रत सुलैमान अ़लैहिस्सलाम के ख़ौफ़ में काम करते थे, उनकी वफ़ात का जिन्नात को इल्म हो जाये तो फ़ौरन काम छोड़ बैठें और तामीर रह जाये, इसका इन्तिज़ाम हज़रत सुलैमान अ़लैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से यह किया कि जब मौत का वक़्त आया तो मौत की तैयारी करके अपनी मेहराब में दाख़िल हो गये जो साफ़-सुथरे शीशे से बनी हुई थी, बाहर से अन्दर की सब चीज़ें नज़र आती थीं, और अपने मामूल के मुताबिक़ इबादत के लिये एक सहारा लेकर खड़े हो गये कि रूह परवाज़ करने के बाद भी जिस्म उस लाठी के सहारे अपनी जगह जमा रहे।

सुलैमान अ़लैहिस्सलाम की रूह मुक़र्ररा वक़्त पर क़ब्ज़ कर ली गई मगर वह अपने अ़सा (लाठी) के सहारे अपनी जगह जमे हुए बाहर से ऐसे नज़र आते थे कि इबादत में मशग़ूल हैं, जिन्नात की यह मजाल नहीं थी कि पास आकर देख सकते। हज़रत सुलैमान अ़लैहिस्सलाम को ज़िन्दा समझकर काम में मशग़ूल रहे यहाँ तक कि साल भर गुज़र गया और बैतुल-मुक़द्दस की तामीर का बक़ीया काम पूरा हो गया तो अल्लाह तआ़ला ने घुन के कीड़े को जिसको फ़ारसी में देवक और उर्दू में दीमक कहा जाता है, और क़ुरआने करीम ने उसको दाब्बतुल-अर्ज़ के नाम से नामित किया है, सुलैमान अ़लैहिस्सलाम की लाठी पर मुसल्लत कर दिया। दीमक ने डंडे की लकड़ी को अन्दर से खाकर कमज़ोर कर दिया, डंडे का सहारा ख़त्म हुआ तो सुलैमान अ़लैहिस्सलाम गिर गये, उस वक़्त जिन्नात को उनकी मौत की ख़बर हुई।

जिन्नात को अल्लाह तआ़ला ने दूर-दराज़ की दूरी चन्द लम्हों में तय कर लेने की क़ुव्वत अ़ता फ़रमाई है, वे बहुत से ऐसे हालात व वाक़िआ़त से वाक़िफ़ होते थे जिनको इनसान नहीं जानते, जब वे इनसानों को उन वाक़िआ़त की ख़बर देते तो इनसान यह समझते थे कि यह ग़ैब की ख़बर है और जिन्नात को भी इल्मे ग़ैब हासिल है, ख़ुद जिन्नात को भी इल्मे ग़ैब का दावा हो तो कुछ दूर की बात नहीं, मौत के इस अ़जीब वाक़िए ने इसकी भी हक़ीक़त खोल दी। ख़ुद जिन्नात को भी पता चल गया और सब इनसानों को भी कि जिन्नात आ़लिमुल-ग़ैब नहीं हैं, क्योंकि उनको ग़ैब का इल्म होता तो हज़रत सुलैमान अ़लैहिस्सलाम की मौत से एक साल पहले ही बाख़बर हो जाते और यह साल भर की मेहनत व मशक़्क़त जो उनको ज़िन्दा समझकर बरदाश्त करते रहे, इससे बच जाते। आयत के आख़िरी जुमले में इसी का बयान है:

فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَنْ لَّوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوْا فِي الْعَذَابِ الْمُهِيْنِ۝

इसमें 'अ़ज़ाबे मुहीन' से मुराद वह मेहनत व मशक़्क़त का काम है जिस पर बैतुल-मुक़द्दस की तामीर को पूरा करने के लिये उनको हज़रत सुलैमान अ़लैहिस्सलाम ने लगा दिया था। सुलैमान अ़लैहिस्सलाम की मौत का यह अ़जीब वाक़िआ़ कुछ तो ख़ुद क़ुरआन की इस आयत में मज़कूर है बाक़ी तफ़सील हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु वग़ैरह तफ़सीर के इमामों से मन्क़ूल है जो तफ़सीर इब्ने कसीर वग़ैरह सब तफ़सीरों में नक़ल की गई है।

इस अ़जीब वाक़िए से यह सीख और नसीहत भी हासिल हुई कि मौत से किसी को छुटकारा नहीं और यह भी कि अल्लाह तआ़ला को जो काम लेना होता है उसका जिस तरह चाहें इन्तिज़ाम कर सकते हैं, जैसा कि इस वाक़िए में हुआ कि मौत के बावजूद सुलैमान अ़लैहिस्सलाम को साल भर तक अपनी जगह क़ायम रखकर जिन्नात से काम पूरा करा लिया, और यह भी कि दुनिया के सारे असबाब व आलात उसी वक़्त तक अपना काम करते हैं जब तक अल्लाह को मन्ज़ूर होता है, जब मन्ज़ूर नहीं होता तो आलात व असबाब जवाब दे देते हैं। जैसे यहाँ लाठी का सहारा दीमक के ज़रिये ख़त्म कर दिया गया, और यह भी कि सुलैमान अ़लैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद ख़तरा था कि लोग जिन्नात के हैरत-अंगेज़ अ़मल और कारनामों और बज़ाहिर ग़ैब की चीज़ों से उनके बाख़बर होने वग़ैरह के अ़जीब आमालों को देखकर कहीं उन्हीं को अपना माबूद न बना बैठें, इस ख़तरे को भी इस मौत के वाक़िए ने ख़त्म कर दिया, सब को जिन्नात की बेख़बरी और बेबसी मालूम हो गई।

ऊपर बयान हुई तक़रीर से यह भी मालूम हो गया कि सुलैमान अ़लैहिस्सलाम ने मौत के वक़्त इस ख़ास तरीक़े को दो वजह से इख़्तियार किया था- अव्वल यह कि बैतुल-मुक़द्दस की तामीर का बाक़ी बचा काम पूरा हो जाये, दूसरे यह कि उन लोगों पर जिन्नात की बेख़बरी और बेबसी वाज़ेह हो जाये ताकि उनकी इबादत का ख़तरा न रहे। (तफ़सीरे क़ुर्तुबी)

इमाम नसाई रह. ने सही सनदों से हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उमर से यह रिवायत की है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि जब हज़रत सुलैमान अ़लैहिस्सलाम बैतुल-मुक़द्दस की तामीर से फ़ारिग़ हुए तो अल्लाह तआ़ला से चन्द दुआ़यें कीं जो मक़बूल हुईं। उनमें से एक दुआ़ यह है कि जो शख़्स इस मस्जिद में सिर्फ़ नमाज़ की नीयत से दाख़िल हो (और कोई दुनियावी ग़र्ज़ न हो) इस मस्जिद से निकलने से पहले उसको तमाम गुनाहों से ऐसा पाक कर दे जैसा कि उस वक़्त पाक था जब माँ के पेट से पैदा हुआ था।

और सुद्दी रह. की रिवायत में यह भी है कि बैतुल-मुक़द्दस की तामीर से फ़ारिग़ होने पर हज़रत सुलैमान अ़लैहिस्सलाम ने शुक्राने के तौर पर बारह हज़ार गाय-बैल और बीस हज़ार बकरियों की क़ुरबानी करके लोगों को आ़म दावत दी, उस दिन की ख़ुशी मनाई और सख़रा-ए-बैतुल् मुक़द्दस पर खड़े होकर अल्लाह तआ़ला से ये दुआ़यें माँगीं किः

"या अल्लाह! आपने ही मुझे यह क़ुव्वत और वसाईल अ़ता फ़रमाये जिनसे बैतुल-मुक़द्दस मुकम्मल हुई, तो या अल्लाह! मुझे इसकी भी तौफ़ीक़ दीजिये कि मैं तेरी इस नेमत का शुक्र अदा करूँ और मुझे अपने दीन पर वफ़ात दीजिये और हिदायत के बाद मेरे दिल में कोई टेढ़ और कजी न डालिये। और अ़र्ज़ किया कि ऐ परवर्दिगार! जो शख़्स इस मस्जिद में दाख़िल हो मैं उसके लिये आप से पाँच चीज़ें माँगता हूँ- एक यह कि जो गुनाहगार तौबा करने के लिये इस मस्जिद में दाख़िल हो तो आप उसकी तौबा क़ुबूल फ़रमा लें और उसके गुनाहों को माफ़ फ़रमा दें। दूसरे यह कि जो आदमी किसी ख़ौफ़ व ख़तरे से बचने के लिये इस मस्जिद में दाख़िल हो तो आप उसको अमन दे दें और ख़तरों से निजात अ़ता फ़रमा दें। तीसरे यह कि जो बीमार आदमी इसमें दाख़िल हो उसको शिफ़ा अ़ता फ़रमा दें। चौथे यह कि जो फ़क़ीर आदमी इसमें दाख़िल हो तो उसको मालदार कर दें। पाँचवे यह कि जो शख़्स इसमें दाख़िल हो, जब तक यह

इसमें रहे आप अपनी इनायत व रहमत की नज़र उस पर रखें सिवाय उस शख़्स के जो किसी ज़ुल्म या बे दीनी के काम में मशग़ूल हो। (तफ़सीरे क़ुर्तुबी)

इस हदीस से मालूम होता है कि बैतुल-मुक़द्दस की तामीर का काम हज़रत सुलैमान अ़लैहिस्सलाम की ज़िन्दगी में मुकम्मल हो चुका था मगर जो वाक़िआ़ ऊपर बयान हुआ है वह कुछ इसके विरुद्ध नहीं कि असल तामीर मुकम्मल होने के बाद बड़ी तामीरात में कुछ काम रहा करते हैं वो बाक़ी हों, उनके लिये हज़रत सुलैमान अ़लैहिस्सलाम ने मज़कूरा तदबीर इख़्तियार की हो।

हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु से यह भी मन्क़ूल है कि मौत के बाद अ़सा (लाठी) के सहारे हज़रत सुलैमान अ़लैहिस्सलाम एक साल खड़े रहे। (क़ुर्तुबी) और कुछ रिवायतों में है कि जब जिन्नात को यह मालूम हुआ कि सुलैमान अ़लैहिस्सलाम की मौत को लम्बा समय हो गया हम बेख़बर रहे तो मौत की मुद्दत मालूम करने के बाद यह तदबीर की कि एक लकड़ी पर दीमक छोड़ दी, एक दिन रात में जितनी लकड़ी दीमक ने खाई उससे हिसाब लगाया कि सुलैमानी लाठी पर एक साल इस तरह गुज़रा है।

फ़ायदाः इमाम बग़वी ने तारीख़ के उलेमा के हवाले से नक़ल किया है कि हज़रत सुलैमान अ़लैहिस्सलाम की उम्र कुल तरेपन साल की हुई और उनकी सल्तनत व हुकूमत चालीस साल रही, तेरह साल की उम्र में सल्तनत का काम संभाल लिया था, और बैतुल-मुक़द्दस की तामीर अपनी सल्तनत के चौथे साल में शुरू की थी। (तफ़सीरे मज़हरी, क़ुर्तुबी)

لَقَدْ كَانَ لِسَبَاٍ فِيْ مَسْكَنِهِمْ اٰيَةٌ ۚ جَنَّتٰنِ عَنْ يَّمِيْنٍ وَّشِمَالٍ ۥ
كُلُوْا مِنْ رِّزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوْا لَهٗ ۭ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَّرَبٌّ غَفُوْرٌ ۝ فَاَعْرَضُوْا فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ
وَبَدَّلْنٰهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ اُكُلٍ خَمْطٍ وَّاَثْلٍ وَّشَيْءٍ مِّنْ سِدْرٍ قَلِيْلٍ ۝ ذٰلِكَ جَزَيْنٰهُمْ بِمَا كَفَرُوْا
وَهَلْ نُجٰزِيْٓ اِلَّا الْكَفُوْرَ ۝ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِيْ بٰرَكْنَا فِيْهَا قُرًى ظَاهِرَةً وَّقَدَّرْنَا فِيْهَا
السَّيْرَ ۭ سِيْرُوْا فِيْهَا لَيَالِيَ وَاَيَّامًا اٰمِنِيْنَ ۝ فَقَالُوْا رَبَّنَا بٰعِدْ بَيْنَ اَسْفَارِنَا وَظَلَمُوْٓا اَنْفُسَهُمْ فَجَعَلْنٰهُمْ
اَحَادِيْثَ وَمَزَّقْنٰهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ ۭ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُوْرٍ ۝

ल-क़द् का-न लि-स-बइन् फ़ी मस्कनिहिम् आ-यतुन् जन्नतानि अ़य्यमीनिंव्-व शिमालिन्, कुलू मिर्रिज़्क़ि रब्बिकुम् वश्कुरू लहू, बल्दतुन् तय्यि-बतुंव्-व रब्बुन् ग़फ़ूर (15) फ़-अअ्रज़ू फ़-अर्सल्ना	तहक़ीक़ क़ौमे सबा को थी उनकी बस्ती में निशानी, दो बाग़ दाहिने और बायें। खाओ रोज़ी अपने रब की और उसका शुक्र करो, शहर है पाकीज़ा और रब है गुनाह बख़्शने वाला। (15) सो ध्यान में न लाये फिर छोड़ दिया हमने उन पर एक

अ़लैहिम् सैलल्-अ़रिमि व बद्दल्नाहुम् बिजन्नतैहिम् जन्नतैनि ज़वातै उकुलिन् ख़म्तिंव्-व अस्लिंव्-व शैइम्-मिन् सिद्रिन् क़लील (16) ज़ालि-क जज़ैनाहुम् बिमा क-फ़रू, व हल् नुजाज़ी इल्लल्-कफ़ूर (17) व जअ़ल्ना बैनहुम् व बैनल्-क़ुरल्लती बारक्ना फ़ीहा क़ुरन् ज़ाहि-रतंव्-व क़द्दर्ना फ़ीहस्सै-र, सीरू फ़ीहा लयालि-य व अय्यामन् आमिनीन (18) फ़क़ालू रब्बना बाअ़िद् बै-न अस्फ़ारिना व ज़-लमू अन्फ़ु-सहुम् फ़-जअ़ल्नाहुम् अहादी-स व मज़्ज़क़्नाहुम् कुल्-ल मुमज़्ज़किन्, इन्-न फ़ी ज़ालि-क लआयातिल् लिकुल्लि सब्बारिन् शकूर (19)	नाला ज़ोर का और दिये हमने उनको बदले में उन दो बाग़ों के दो और बाग़ जिनमें कुछ कसीला मेवा था और झाऊ और कुछ थोड़े से बेर। (16) यह बदला दिया हमने उनको इस पर कि नाशुक्री की, और हम यह बदला उसी को देते हैं जो नाशुक्र हो। (17) और रखी थीं हमने उनमें और उन बस्तियों में जहाँ हमने बरकत रखी है ऐसी बस्तियाँ जो राह पर नज़र आती थीं और मन्ज़िलें मुक़र्रर कर दीं हमने उनमें आने-जाने की, फिरो उनमें रातों को और दिनों को अमन से। (18) फिर कहने लगे ऐ रब! लम्बा कर दे हमारे सफ़रों को और ख़ुद ही अपना बुरा किया, फिर कर डाला हमने उनको कहानियाँ, और कर डाला चीरकर टुकड़े टुकड़े। इसमें पते की बातें हैं हर सब्र करने वाले शुक्रगुज़ार के लिये। (19)

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

सबा (के लोगों) के लिये (ख़ुद) उनके वतन (की मजमूई हालत) में (अल्लाह की इताअ़त की) निशानियाँ मौजूद थीं। (उनमें से एक निशानी) दो क़तारें थीं बाग़ की (उनकी सड़क के) दाएँ और बाएँ (यानी उनके तमाम इलाक़े में दो तरफ़ा मिले हुए बाग़ात चले गये थे कि जिसमें आमदनी भी काफ़ी और फल भी इस क़द्र कि ख़त्म किये ख़त्म न हों, साया भी रौनक़ भी। हमने अम्बिया अ़लैहिमुस्सलाम व नसीहत करने वालों के द्वारा उनको हुक्म दिया कि) अपने रब का (दिया हुआ) रिज़्क़ खाओ और (खाकर) उसका शुक्र अदा करो (यानी इताअ़त करो कि दो क़िस्म की नेमतें इताअ़त की चाहती हैं- एक दुनियावी कि रहने को) उम्दा शहर और (एक आख़िरत की कि ईमान लाने और इताअ़त करने की सूरत में अगर कुछ कोताही हो जाये तो गुनाह बख़्शने को) बख़्शने वाला परवर्दिगार है। (पस ऐसे तक़ाज़े पर अ़मल ज़रूर होना चाहिए) सो (इस पर भी) उन्होंने (उस हुक्म से) नाफ़रमानी की (शायद ये लोग सूरज परस्त भी हों जैसे उनमें से कुछ के बारे में सूरः नम्ल में इस

बात की वज़ाहत है कि वे सूरज को सज्दा करते हैं) तो हमने (उन पर अपना क़हर इस तरह नाज़िल किया कि) उन पर बन्द का सैलाब छोड़ दिया (यानी जो सैलाब बाँध से रुका रहता था बाँध टूटकर उस सैलाब का पानी चढ़ आया जिससे उनके वो दो तरफ़ा बाग़ात सब ग़ारत हो गये) और हमने उनके उन दो तरफ़ा बाग़ों के बदले और दो बाग़ दिये जिनमें ये चीज़ें रह गईं- बद्मज़ा फल और झाऊ और थोड़ी-सी बेरी (और वह भी शहरी नहीं जंगली अपने आप उगने वाली जिसमें काँटे बहुत होते हैं और फल में कोई ख़ास मज़ा नहीं होता) उनको यह सज़ा हमने उनकी नाशुक्री के सबब दी, और हम ऐसी सज़ा बड़े नाशुक्रे ही को दिया करते हैं (वरना मामूली ख़ताओं पर तो हम दरगुज़र ही करते रहते हैं, और ज़ाहिर है कि कुफ़्र से बढ़कर क्या नाशुक्री होगी जिसमें वे मुब्तला थे)।

और (उनके रहने की जगहों की इस ज़िक्र हुई उमूमी नेमत के अ़लावा एक और ख़ास नेमत जो सफ़र से संबन्धित थी वह यह कि) हमने उनके और उन बस्तियों के बीच में जहाँ हमने (पैदावार वग़ैरह के एतिबार से) बरकत कर रखी है, बहुत-से गाँव आबाद कर रखे थे जो (सड़क पर से) नज़र आते थे (कि मुसाफ़िर को सफ़र में भी घबराहट न हो और कहीं ठहरना चाहे तो वहाँ जाने में तकल्लुफ़ व संकोच भी न हो) और हमने उन गाँवों के दरमियान उनके चलने का एक ख़ास तरीक़ा रखा था कि (यानी एक गाँव से दूसरे गाँव तक चाल के हिसाब से ऐसा मुनासिब फ़ासला रखा था कि सफ़र के दौरान में आ़दत के मुताबिक़ आराम कर ले, वक़्त पर कोई न कोई गाँव मिल जाता जहाँ खा-पी सके, आराम कर सके) बिना किसी डर और ख़ौफ़ के उनमें (चाहो) रातों को और (चाहो) दिनों को चलो (यानी न रास्ते के लुटेरों का ख़तरा कि पास-पास गाँव थे, न खाने-पीने की चीज़ों और रास्ते की ज़रूरतों के मयस्सर न होने का ख़तरा क्योंकि हर जगह हर सामान मिलता था) सो (इन नेमतों की उन्होंने जैसे असली शुक्रगुज़ारी यानी अल्लाह की फ़रमाँबरदारी नहीं की ऐसे ही ज़ाहिरी शुक्रगुज़ारी यानी अल्लाह की नेमत को ग़नीमत समझना और उसकी क़द्र करना है वह भी नहीं की, चुनाँचे) वे कहने लगे कि ऐ हमारे रब! (ऐसे पास-पास देहात होने से सफ़र का लुत्फ़ नहीं आता, लुत्फ़ तो इसी में है कि कहीं रास्ते का खाना और सामान ख़त्म हो गया, कहीं प्यास है और पानी नहीं मिलता, शौक़ है इन्तिज़ार है, कहीं चोरों का अन्देशा है नौकर पहरा दे रहे हैं, हथियार बंधे हुए हैं, जैसे बनी इस्राईल मन्न व सलवा से उकता गये थे और तरकारी और ककड़ी खीरे की दरख़्वास्त की थी, और साथ ही यह कि इस मौजूदा हालत में हमको अपनी अमीरी व मालदारी के इज़्हार का मौक़ा भी नहीं मिलता, अमीर ग़रीब सब एक-सा सफ़र करते हैं। इसीलिए यूँ जी चाहता है कि) हमारे सफ़रों में लम्बाई (और फ़ासला) कर दे (यानी बीच के देहात उजाड़ दे कि मन्ज़िलों में ख़ूब फ़ासला हो जाये) और (इस नाशुक्री के अ़लावा) उन्होंने (और भी नाफ़रमानियाँ करके) अपनी जानों पर ज़ुल्म किया, सो हमने उनको अफ़सानां बना दिया और उनको बिल्कुल तितर-बितर कर दिया (या तो इस तरह कि कुछ को हलाक कर दिया कि उनके क़िस्से ही रह गये, और कुछ को परेशान कर दिया, और या उस नेमतों व ऐश व आराम की हालत के एतिबार से कि सब ही अफ़साना हो गये, यानी नेमत व ऐश का वह सामान सब का जाता रहा, और या इस मायने में कि उनकी हालत को एक सबक़ बना दिया कि लोग उनकी हिकायात सुनकर उनसे सबक़ हासिल करें। ग़र्ज़ कि ख़ुद उनके ठिकाने व मकानात और

बाग़ात भी और उनकी वह मिली-मिली बस्तियाँ भी सब वीरान हो गये)। बेशक इस (क़िस्से) में हर साबिर व शाकिर (यानी मोमिन) के लिये बड़ी इब्रतें (सबक़ और नसीहतें) हैं।

मआ़रिफ़ व मसाईल

नुबुव्वत व रिसालत और क़ियामत के इनकारियों को हक़ तआ़ला की कामिल क़ुदरत पर चेताने, आगाह करने और पिछले अम्बिया के हाथों आ़म आ़दत से ऊपर हैरत-अंगेज़ वाक़िआ़त व मोजिज़ों के ज़ाहिर होने के सिलसिले में पहले हज़रत दाऊद व सुलैमान अ़लैहिमस्सलाम के वाक़िआ़त का ज़िक्र फ़रमाया अब इसी सिलसिले में क़ौमे सबा पर अल्लाह के बेहिसाब इनामात का फिर उनकी नाशुक्री की वजह से उन पर अ़ज़ाब आने का ज़िक्र उपरोक्त आयतों में किया गया।

'सबा' क़ौम और उन पर अल्लाह तआ़ला के ख़ास इनामात

अ़ल्लामा इब्ने कसीर ने फ़रमाया कि सबा यमन के बादशाहों और उस मुल्क के बाशिन्दों का लक़ब (उपनाम) है। 'तबाबिआ़' जो उस मुल्क के रहनुमा व पेशवा थे वे भी इसी सबा क़ौम में से थे और रानी बिल्क़ीस जिनका वाक़िआ़ हज़रत सुलैमान अ़लैहिस्सलाम के साथ सूरः नम्ल में गुज़र चुका है वह भी इसी क़ौम में से थीं। अल्लाह तआ़ला ने इन पर अपने रिज़्क़ के दरवाज़े खोल दिये थे और इनके शहर में आराम व ऐश के तमाम सामान मुहैया कर दिये थे, और अपने नबियों के ज़रिये इनको अल्लाह की तौहीद और उसके अहकाम की इताअ़त के ज़रिये नेमतों के शुक्र का हुक्म दिया गया था। एक मुद्दत तक ये लोग इस हाल पर क़ायम और हर तरह की राहत व ऐश से मालामाल रहे, फिर इनमें ऐश व आराम में मस्त होने और डूब जाने से ख़ुदा तआ़ला से ग़फ़लत बल्कि इनकार तक नौबत पहुँच गई तो अल्लाह तआ़ला ने इनकी तंबीह के लिये अपने तेरह नबी भेजे जिन्होंने इनको समझाने-बुझाने और सही रास्ते पर लाने की पूरी कोशिश की मगर ये लोग अपनी ग़फ़लत व बेहोशी से बाज़ न आये तो इन पर एक सैलाब का अ़ज़ाब भेजा गया जिसने इनके शहर और बाग़ात सब को वीरान व बरबाद कर दिया। (मुहम्मद बिन इस्हाक़, इब्ने कसीर)

इमाम अहमद रह. हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु से यह रिवायत नक़ल करते हैं कि एक शख़्स ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से पूछा कि सबा जिसका क़ुरआन में ज़िक्र है यह किसी मर्द या औरत का नाम है या ज़मीन के किसी हिस्से का? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि यह एक मर्द का नाम है जिसकी औलाद में दस लड़के हुए जिनमें से छह यमन में आबाद रहे और चार शाम में चले गये, यमन में रहने वालों के नाम ये हैं- मुदजज, किन्दा, इज़्द, अश्अ़री, अनमार, हमियर (इन छह लड़कों से छह क़बीले पैदा हुए जो इन्हीं ज़िक्र हुए नामों से मशहूर व परिचित हैं)।

और शाम में बसने वालों के नाम ये हैं- लख़्म, जुज़ाम, आ़मिला, ग़स्सान (इनकी नस्ल के क़बीले इन्हीं नामों से मशहूर हुए)। यह रिवायत हाफ़िज़ इब्ने अ़ब्दुल-बर्र ने भी अपनी किताब (अल्-क़स्द वल्-उमम् बि-मअ़रिफ़ति अन्साबिल्-अ़रबि वल्-अजम्) में नक़ल की है।

'नसब' के उलेमा और माहिरीन के हवाले से अ़ल्लामा इब्ने कसीर की तहक़ीक़ यह है कि ये दस

लड़के सबा की पीठ और डायरेक्ट बेटे नहीं थे बल्कि सबा की दूसरी तीसरी या चौथी नस्ल में ये लोग हुए हैं, फिर इनके क़बीले शाम व यमन में फैले और इन्हीं के नामों से जाने गये, और सबा का असल नाम अ़ब्दुश्शम्स था। सबा अ़ब्दुश्शम्स बिन यश्हब बिन यअ़रिब बिन क़हतान से उनका नसब नामा स्पष्ट हो जाता है। और तारीख़ लिखने वालों ने लिखा है कि सबा अ़ब्दुश्शम्स ने अपने ज़माने में नबी आख़िरुज़्ज़माँ मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की ख़ुशख़बरी सुनाई थी, मुम्किन है कि उनको इसका इल्म पुरानी आसमानी किताबों तौरात व इन्जील से हुआ हो, या नजूमियों काहिनों (ज्योतिषियों) के ज़रिये। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की शान में उसने चन्द अ़रबी अश्आ़र भी कहे हैं जिनमें आपके तशरीफ़ लाने और नुबुव्वत का ज़िक्र करके यह तमन्ना की है कि काश! मैं उनके ज़माने में होता तो उनकी मदद करता, और अपनी क़ौम को उन पर ईमान लाने और मदद करने की हिदायत की है।

और ऊपर बयान हुई हदीस में जो यह ज़िक्र हुआ है कि सबा के दस लड़कों में से छह यमन में आबाद हुए चार शाम की तरफ़ चले गये, यह वाक़िआ उन पर सैलाब का अ़ज़ाब आने के बाद का है कि सैलाब आने के वक़्त ये लोग विभिन्न दिशाओं और शहरों में बिखर गये। (इब्ने कसीर) अ़ल्लामा क़ुर्तुबी ने क़ुशैरी के हवाले से सबा क़ौम का ज़माना हज़रत ईसा अ़लैहिस्सलाम के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के तशरीफ़ लाने से पहले ज़माना-ए-फ़तरत नक़ल किया है।

सैलाब और मआरिब का बाँध

فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ

लफ़्ज़ अ़रिम के अ़रबी लुग़त के एतिबार से कई मायने परिचित हैं और तफ़सीर के उलेमा ने हर मायने के एतिबार से इस आयत की तफ़सीर फ़रमाई है, मगर उनमें से क़ुरआन के मज़मून के मुनासिब वो मायने हैं जो क़ामूस और जोहरी सिहाह वग़ैरह लुग़त की किताबों में हैं कि अ़रिम के मायने बन्द (रुकावट और बाँध) के हैं जो पानी रोकने के लिये बनाया जाता है, जो आजकल डेम के नाम से जाना जाता है। हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने भी अ़रिम के मायने सुद्द यानी बन्द के बयान फ़रमाये हैं। (तफ़सीरे क़ुर्तुबी)

अ़ल्लामा इब्ने कसीर की रिवायत के मुताबिक़ इस बन्द (डेम) का वाक़िआ यह है कि यमन देश में उसकी राजधानी सन्आ़ से तीन मन्ज़िल के फ़ासले पर एक शहर मआरिब था जिसमें सबा क़ौम आबाद थी। दो पहाड़ों के बीच वादी में शहर आबाद था, दोनों पहाड़ों के बीच से और पहाड़ों के ऊपर से बारिश का सैलाब (पानी का बहाव) आता था। यह शहर उन सैलाबों की चपेट में रहता था। एक शहर के बादशाहों ने (जिनमें रानी बिल्क़ीस का नाम ख़ुसूसियत से ज़िक्र किया जाता है) इन दोनों पहाड़ों के बीच एक बन्द (डेम) निहायत मज़बूत व पुख़्ता तामीर किया, जिसमें पानी असर न कर सके। उस बन्द ने पहाड़ों के बीच से आने वाले सैलाबों को रोककर पानी का एक अ़ज़ीमुश्शान भण्डार बना दिया, पहाड़ों की बारिश का पानी भी उसमें जमा होने लगा, उस बन्द के अन्दर ऊपर नीचे पानी निकालने के लिये तीन दरवाज़े रखे गये ताकि पानी का यह ज़ख़ीरा इन्तिज़ाम के साथ शहर के लोगों के और उनकी ज़मीन व बाग़ की सिंचाई के काम आये। पहले ऊपर का दरवाज़ा

खोलकर उससे पानी लिया जाता था, जब ऊपर का पानी ख़त्म हो जाता तो उससे नीचे का और उसके बाद सबसे नीचे का तीसरा दरवाज़ा खोला जाता था, यहाँ तक कि दूसरे साल की बारिशों का ज़माना आकर फिर पानी ऊपर तक भर जाता, बन्द के नीचे एक बहुत बड़ा तालाब तामीर किया गया था जिसमें पानी के बारह रास्ते बनाकर बारह नहरें शहर के मुख़्तलिफ़ इलाक़ों में पहुँचाई गई थीं और सब नहरों में पानी बराबर अन्दाज़ में चलता और शहर की ज़रूरतों में काम आता था। (मज़हरी)

शहर के दाहिने बायें जो दो पहाड़ थे उनके किनारों पर बाग़ात लगाये गये थे जिनमें पानी की नहरें जारी थीं। ये बाग़ात एक दूसरे के बिल्कुल मिले हुए दो तरफ़ा पहाड़ों के किनारों पर थे। ये बाग़ात अगरचे संख्या में बहुत थे मगर क़ुरआने करीम ने इनको जन्नतान यानी दो बाग़ के लफ़्ज़ से इसलिये ताबीर फ़रमाया कि एक रुख़ के तमाम बाग़ों को मिले हुए होने की वजह से एक बाग़ और दूसरे रुख़ के तमाम बाग़ों को दूसरा बाग़ क़रार दिया है।

उन बाग़ों में हर तरह के दरख़्त और हर क़िस्म के फल इस कसरत से पैदा होते थे कि पहले के बुज़ुर्गों हज़रत क़तादा वग़ैरह के बयान के मुताबिक़ उन बाग़ों में एक औरत अपने सर पर ख़ाली टोकरी लेकर चलती तो दरख़्तों से टूटकर गिरने वाले फलों से ख़ुद-ब-ख़ुद भर जाती थी, उसको हाथ भी न लगाना पड़ता था। (इब्ने कसीर)

كُلُوا مِن رِّزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَّرَبٌّ غَفُوْرٌ۝

हक़ तआ़ला ने अपने नबियों के ज़रिये उनको यह हुक्म दिया था कि तुम अल्लाह तआ़ला के अ़ता किये हुए इस बेहिसाब रिज़्क़ को इस्तेमाल करो और इसकी शुक्रगुज़ारी नेक आमाल और अल्लाह के अहकाम पर अ़मल करने के साथ करते रहो कि अल्लाह तआ़ला ने तुम्हारे इस शहर को 'पाकीज़ा शहर' बनाया है जिसमें सर्दी गर्मी का भी सन्तुलन था और आब व हवा ऐसी साफ़-सुथरी और सेहत के लिये अच्छी थी कि उनके पूरे शहर में मच्छर मक्खी पिस्सू और साँप बिच्छू जैसे तकलीफ़ देने वाले जानवरों का नाम व निशान न था, बल्कि बाहर से आने वाले मुसाफ़िर जब उस शहर में पहुँचते तो अगर उनके कपड़ों में जुएँ या दूसरे तकलीफ़ देने वाले कीड़े-मकोड़े (मच्छर, पिस्सू, खटमल वग़ैरह) होते थे वो यहाँ पहुँचकर ख़ुद-ब-ख़ुद मर जाते थे। (इब्ने कसीर)

'बल्दतुन् तय्यिबतुन्' के साथ 'रब्बुन् ग़फ़ूर' फ़रमाकर अपनी नेमत को इस तरह मुकम्मल कर दिया कि यह ऐश व राहत सिर्फ़ दुनिया की ज़िन्दगी तक नहीं बल्कि अगर तुम शुक्रगुज़ारी पर क़ायम रहे तो आख़िरत में इससे बड़ी और हमेशा की नेमतों का भी वादा है, क्योंकि इन तमाम नेमतों का ख़ालिक़ व मालिक और तुम्हें पालने वाला ग़फ़ूर है कि अगर कभी इत्तिफ़ाक़ी तौर पर शुक्रगुज़ारी में कमी या ग़फ़लत व कोताही भी हो गई तो उसको अल्लाह तआ़ला माफ़ फ़रमा देगा।

فَاَعْرَضُوْا فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ

यानी अल्लाह तआ़ला की ऐसी बड़ी और विस्तृत नेमतों और अम्बिया अ़लैहिमुस्सलाम की तंबीहों के बावजूद जब सबा क़ौम के लोगों ने अल्लाह के अहकाम से मुँह मोड़ा और सरकशी की तो हमने उन पर 'सैले अ़रिम' छोड़ दिया। अ़रिम के मायने ऊपर गुज़र चुके हैं कि बन्द के हैं, उस सैलाब को अ़रिम की तरफ़ इसलिये मन्सूब किया कि जो अ़रिम (बाँध) उनकी हिफ़ाज़त और ख़ुशहाली का

ज़रिया था उसी को अल्लाह तआ़ला ने उनके लिये आफ़त व मुसीबत बना दिया। इसका वाक़िआ़ हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु, वहब बिन मुनब्बेह, क़तादा, ज़ह्हाक वग़ैरह तफ़सीर के इमामों ने यह बयान किया है कि जब अल्लाह तआ़ला ने उस क़ौम को सज़ा देने के लिये मआरिब का बाँध तोड़कर सैलाब से तबाह करने का इरादा किया तो उस पानी के अ़ज़ीमुश्शान बन्द पर अन्धे चूहे मुसल्लत कर दिये जिन्होंने उसकी बुनियाद को खोखला और कमज़ोर कर दिया। जब बारिश और सैलाब का वक़्त आया तो पानी के दबाव ने उस कमज़ोर बुनियाद को तोड़कर छेद पैदा कर दिये और आख़िरकार उस बन्द के पीछे जमा शुदा पानी उस पूरी वादी में फैल गया जिसमें यह शहर मआरिब स्थित था। तमाम मकानात गिर गये, दरख़्त तबाह हो गये और दो तरफ़ा पहाड़ों पर जो बाग़ात थे उनका पानी सूख गया।

वहब बिन मुनब्बेह रह. की रिवायत में है कि उन लोगों की किताबों में यह बात लिखी चली आती थी कि इस बन्द (बाँध) की ख़राबी व तबाही चूहों के ज़रिये होगी। जब लोगों ने उस बन्द के क़रीब चूहों को देखा तो ख़तरा पैदा हो गया, उसकी तदबीर यह की गई कि बन्द के नीचे बहुत सी बिल्लियाँ पाली गईं जो चूहों को बन्द के क़रीब न आने दें, मगर जब अल्लाह की तक़दीर नाफ़िज़ हुई तो ये चूहे बिल्लियों पर ग़ालिब आ गये और बन्द की बुनियाद में दाख़िल हो गये। (इब्ने कसीर)

तारीख़ी रिवायतों में यह भी है कि कुछ होशियार दूर-अन्देश लोगों ने चूहों को देखते ही यह जगह छोड़कर किसी दूसरी तरफ़ मुन्तक़िल हो जाने का इरादा कर लिया और धीरे-धीरे इन्तिज़ाम करके निकल गये, बाक़ी लोग वहाँ रहे, मगर जब सैलाब शुरू हुआ उस वक़्त मुन्तक़िल हो गये और बहुत से वहीं सैलाब की भेंट चढ़ गये। ग़र्ज़ कि यह पूरा शहर तबाह व बरबाद हो गया, शहर के कुछ बाशिन्दे जो दूसरे मुल्कों में शहरों की तरफ़ चले गये उनकी कुछ तफ़सील मुस्नद अहमद की हदीस में जो ऊपर गुज़र चुकी है बयान हुई है। छह क़बीले उनके यमन में फैले और चार शाम में, मदीना तय्यिबा की आबादी भी उन्हीं क़बीलों में से कुछ से शुरू हुई जिसकी तफ़सील तारीख़ की किताबों में बयान हुई है। सैलाब आने और शहर तबाह होने के बाद दो तरफ़ा बाग़ात का जो हाल हुआ वह आगे इस तरह ज़िक्र फ़रमाया कि:

وَبَدَّلْنٰهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ اُكُلٍ خَمْطٍ وَّاَثْلٍ وَّشَيْءٍ مِّنْ سِدْرٍ قَلِيْلٍo

यानी अल्लाह तआ़ला ने उनके क़ीमती फलों और मेवों के दरख़्तों के बदले उसमें ऐसे दरख़्त उगा दिये जिनके फल बदमज़ा ख़राब थे। लफ़्ज़ 'ख़मृत' के मायने अक्सर मुफ़स्सिरीन हज़रात ने अराक के पेड़ के किये हैं, और जौहरी लुग़वी ने लिखा है कि अराक के पेड़ की एक क़िस्म (प्रजाति) ऐसी भी है जिस पर कुछ फल होता है और खाया जाता है, मगर उस दरख़्त के फल भी बदमज़ा थे। और अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने फ़रमाया कि ख़मृत हर ऐसे दरख़्त को कहा जाता है जो काँटेदार भी हो कड़वा भी।

लफ़्ज़ अस्ल मुफ़स्सिरीन की अक्सरियत के नज़दीक तरफ़ा की एक क़िस्म है जिसको उर्दू में झाऊ कहा जाता है, उस पर कोई फल खाने के क़ाबिल नहीं होता। और कुछ हज़रात ने कहा कि अस्ल समर के मायने में है, यानी बबूल और कीकर का दरख़्त जो काँटेदार होता है, जिसका फल बकरियों को खिलाया जाता है।

सिद्र के मायने बेरी के हैं। यह दो क़िस्म की होती है- एक वह जो बाग़ों में एहतिमाम से लगाई जाती है, उसका फल मीठा और अच्छे ज़ायक़े वाला होता है, उसके दरख़्त में काँटे कम और फल ज़्यादा होता है। दूसरी क़िस्म जंगली बेरी की है जो जंगलों में अपने आप उगती और काँटेदार झाड़ियाँ होती हैं, उनमें काँटे ज़्यादा और फल कम होता है, और फल भी खट्टा होता है। उपरोक्त आयत में सिद्र के साथ **क़लील** (थोड़े) के लफ़्ज़ से ग़ालिबन इशारा इस तरफ़ है कि बेरी भी जंगली अपने आप उगने वाली थी जिस पर फल कम और खट्टा होता है। वल्लाहु आलम

ذٰلِكَ جَزَيْنٰهُمْ بِمَا كَفَرُوْا

यानी यह सज़ा हमने उनको इसलिये दी कि उन्होंने कुफ़्र किया। कुफ़्र के मायने नाशुक्री के भी आते हैं और हक़ दीन से इनकार के भी आते हैं। यहाँ दोनों मायने हो सकते हैं, क्योंकि उन्होंने नाशुक्री भी की और जो तेरह अम्बिया उनकी तरफ़ भेजे गये थे उनको झुठलाया भी था।

फ़ायदाः इस वाक़िए में जो यह बयान हुआ है कि सबा की तरफ़ अल्लाह तआ़ला ने अपने तेरह पैग़म्बर भेजे थे, और इसके साथ यह भी ऊपर गुज़र गया है कि इस क़ौम और अ़रिम के सैलाब का वाक़िआ़ हज़रत ईसा अ़लैहिस्सलाम के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की तशरीफ़ लाने से पहले बीच के ज़माने में था, जिसको ज़माना-ए-फ़तरत का कहा जाता है और उलेमा की अक्सरियत के नज़दीक इस ज़माने में कोई नबी व पैग़म्बर भेजा ही नहीं गया, इसी लिये उसको फ़त्‌रत के ज़माने से ताबीर करते हैं, तो यह तेरह अम्बिया का भेजा जाना कैसे सही हो सकता है? तफ़सीर रूहुल-मआ़नी में इसका जवाब यह दिया है कि अ़रिम के सैलाब का वाक़िआ़ फ़त्‌रत के ज़माने में होने से यह लाज़िम नहीं आता कि ये अम्बिया भी उसी ज़माने में आये हों, हो सकता है कि अम्बिया का आना उस क़ौम की तरफ़ फ़त्‌रत के ज़माने से पहले हो और उनकी सरकशी और कुफ़्र फ़त्‌रत के ज़माने में बढ़ी हो जिस पर अ़रिम के सैलाब का अ़ज़ाब फ़त्‌रत के ज़माने में उन पर भेजा गया हो। वल्लाहु आलम

وَهَلْ نُجٰزِيْٓ اِلَّا الْكَفُوْرَ

कफ़ूर काफ़िर का मुबालग़े का कलिमा है, जिसके मायने हैं बहुत कुफ़्र करने वाला, और आयत के मायने यह हुए कि "हम बहुत कुफ़्र करने वाले के सिवा किसी को सज़ा नहीं देते।" यह बज़ाहिर उन तमाम क़ुरआनी आयतों और सही हदीसों के ख़िलाफ़ है जिनसे साबित है कि मुसलमान गुनाहगारों को भी जहन्नम की सज़ा उनके अ़मल के मुताबिक़ दी जायेगी, अगरचे आख़िरकार सज़ा भुगतने के बाद वे ईमान की वजह से जहन्नम से निकालकर जन्नत में दाख़िल कर दिये जायेंगे। इस शुब्हे के जवाब में कुछ हज़रात ने फ़रमाया कि यहाँ महज़ अ़ज़ाब मुराद नहीं बल्कि ऐसा आ़म अ़ज़ाब जैसा कि सबा क़ौम पर भेजा गया, यह काफ़िरों के साथ मख़्सूस है मुसलमान गुनाहगारों पर ऐसा अ़ज़ाब नहीं आता। (रूहुल-मआ़नी)

इसकी ताईद एक ताबिई हज़रत इब्ने ख़ैरा रह. के क़ौल से भी होती है। उन्होंने फ़रमायाः

جَزَآءُ الْمَعْصِيَةِ الْوَهَنُ فِي الْعِبَادَةِ وَالضِّيْقُ فِي الْمَعِيْشَةِ وَالتَّعَسُّرُ فِي اللَّذَّةِ قَالَ لَا يُصَادِفُ لَذَّةً حَلَالًا اِلَّا جَآءَهٗ مَنْ يُّنَغِّصُهٗ اِيَّاهُ.

"यानी गुनाह व नाफ़रमानी की सज़ा यह है कि इबादत में सुस्ती पैदा हो जाये, मईशत (ज़िन्दगी गुज़ारे) में तंगी पैदा हो जाये और लज़्ज़त में दुश्वारी पैदा हो जाये। जिसका मतलब इब्ने ख़ैरा रह. ने यह बयान फ़रमाया कि जब उसको कोई हलाल लज़्ज़त नसीब होती है तो कोई न कोई ऐसा सबब पैदा होता है जो उस लज़्ज़त को बेमज़ा कर देता है।" (इब्ने कसीर)

मालूम हुआ कि मोमिन गुनाहगार की सज़ायें दुनिया में इस किस्म की होती हैं, उस पर आसमान से या ज़मीन से कोई खुला अ़ज़ाब नहीं आता, यह काफ़िरों ही के साथ ख़ास है।

और हज़रत हसन बसरी रह. ने फ़रमायाः

صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيْمُ لَا يُعَاقَبُ بِمِثْلِ فِعْلِهٖ إِلَّا الْكَفُوْرُ.

यानी अल्लाह तआ़ला ने सच फ़रमाया कि बुरे अ़मल की सज़ा उस अ़मल के बराबर किसी को नहीं दी जाती सिवाय कफ़ूर (बहुत कुफ़्र करने वाले) के। (इब्ने कसीर) क्योंकि ग़ैर-कफ़ूर यानी मोमिन को उसके गुनाहों में भी कुछ छूट दी जाती है।

और तफ़सीर रूहुल-मआ़नी में कश्फ़ के हवाले से इस आयत का मतलब इस तरह बयान किया गया है कि कलाम अपनी हकीकत पर है कि सज़ा सज़ा के तौर पर तो सिर्फ़ काफ़िर को दी जाती है और मोमिन गुनाहगार को जो तकलीफ़ आग वग़ैरह की दी जाती है वह सिर्फ़ सज़ा की सूरत होती है हकीकत में उसको गुनाह से पाक करना मकसद होता है। जैसे सोने को भट्टी में डालकर तपाने से उसका मैल दूर करना मकसद होता है, इसी तरह मोमिन को भी अगर किसी गुनाह की सज़ा में जहन्नम में डाला गया तो इसलिये कि उसके बदन के वो हिस्से जल जायें जो हराम से पैदा हुए हैं। और जब यह हो चुकता है तो वह जन्नत में जाने के काबिल हो जाता है, उस वक़्त जहन्नम से निकालकर जन्नत में दाख़िल कर दिया जाता है।

وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِىْ بٰرَكْنَا فِيْهَا قُرًى ظَاهِرَةً وَّقَدَّرْنَا فِيْهَا السَّيْرَ......... الآية

इस आयत में सबा वालों पर अल्लाह तआ़ला की एक और नेमत का और उस पर सबा वालों की नाशुक्री और नादानी का ज़िक्र है कि उन्होंने ख़ुद उस नेमत को बदलकर सख़्ती की दुआ़ और तमन्ना की।

'अलक़ुरल्लती बारक्ना फ़ीहा' से मुराद बज़ाहिर मुल्के शाम के देहात हैं, क्योंकि अल्लाह तआ़ला की तरफ़ से रहमत नाज़िल होने का ज़िक्र कई आयतों में मुल्के शाम ही के लिये आया है, और आयत का मतलब यह है कि जिन बस्तियों को अल्लाह तआ़ला ने बरकत वाली बनाया था यानी मुल्के शाम की बस्तियाँ और उन लोगों को अपनी तिजारत वग़ैरह के लिये मुल्के शाम का सफ़र अक्सर करना पड़ता था, आ़म दुनिया के हालात के मुताबिक मआरिब शहर से मुल्के शाम का लम्बा फ़ासला है, रास्ते हमवार नहीं, अल्लाह तआ़ला ने सबा कौम पर यह इनाम फ़रमाया कि उनके मआरिब शहर से लेकर मुल्के शाम तक थोड़े-थोड़े फ़ासले पर बस्तियाँ बना दी थीं। ये बस्तियाँ सड़क के किनारे थीं, इसलिये इनको 'क़ुरन् ज़ाहिरतन्' फ़रमाया। इन निरन्तर बस्तियों का फ़ायदा यह था कि इनका मुसाफ़िर घर से निकलकर दोपहर में आराम करना या खाना खाना चाहता तो आसानी से किसी बस्ती में पहुँचकर मामूल के मुताबिक खाना खाकर आराम कर सकता था। फिर उसी तरह ज़ोहर के

बाद रवाना होकर सूरज के छुपने तक अगली बस्ती में पहुँचकर रात गुज़ार सकता था। 'क़द्दर्ना फ़ीहस्सै-र सीरू फ़ीहा लयालि-य व अय्यामन् आमिनीन' का मतलब यह है कि ये बस्तियाँ ऐसे सन्तुलित और बराबर के फ़ासलों पर बनाई गई थीं कि एक मुक़र्ररा वक़्त के अन्दर एक बस्ती से दूसरी बस्ती तक पहुँच जाते।

سِيْرُوْا فِيْهَا لَيَالِيَ وَاَيَّامًا اٰمِنِيْنَ٥

यह एक तीसरी नेमत का ज़िक्र है जो सबा क़ौम पर हुई थी कि उसकी बस्तियाँ ऐसी बराबर और सन्तुलित फ़ासलों पर थीं कि सफ़र तय करने में कमी-बेशी न होती थी और रास्ते सब अमन वाले थे, किसी चोर डाकू का वहाँ गुज़र न था, रात दिन में हर वक़्त बेफ़िक्र सफ़र किया जा सकता था।

فَقَالُوْا رَبَّنَا بٰعِدْ بَيْنَ اَسْفَارِنَا وَظَلَمُوْٓا اَنْفُسَهُمْ فَجَعَلْنٰهُمْ اَحَادِيْثَ وَمَزَّقْنٰهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ.

"यानी उन ज़ालिमों ने अल्लाह तआ़ला की इस नेमत की कि सफ़र की तकलीफ़ ही न रहे नाक़द्री और नाशुक्री करके ख़ुद यह दुआ़ माँगी कि हमारे सफ़र में दूरी पैदा कर दे, क़रीब-क़रीब के गाँव न रहें, जंगल बयाबान आये जिसमें कुछ मेहनत व मशक़्क़त भी उठानी पड़े। उनकी मिसाल वही है जो बनी इस्राईल की थी कि बिना मेहनत के बेहतरीन रिज़्क़ मन्न व सलवा उनको मिलता था उससे उकताकर अल्लाह से यह माँगा कि इसके बजाय हमें सब्ज़ी तरकारी दे दीजिये। हक़ तआ़ला ने उनकी नाशुक्री और नेमत की बेक़द्री पर वह सज़ा जारी फ़रमाई जो ऊपर अ़रिम के सैलाब के उनवान से बयान हुई है। इसी का आख़िरी नतीजा इस आयत में यह बयान फ़रमाया कि उनको ऐसा तबाह व बरबाद किया कि दुनिया में उनके ऐश व आराम और दौलत व नेमत के क़िस्से ही रह गये, और ये लोग अफ़साना बन गये।

'मज़्ज़क़्नाहुम' तमज़ीक़ से निकला है, जिसके मायने टुकड़े-टुकड़े और पारा-पारा करने के हैं। मुराद यह है कि उस जगह यानी मआरिब शहर के बसने वाले कुछ हलाक हो गये कुछ ऐसे बिखर गये कि उनके टुकड़े मुख़्तलिफ़ मुल्कों में फैल गये। अ़रब में क़ौमे सबा की तबाही और बिखर जाना एक कहावत बन गया, ऐसे मौक़ों पर अ़रब का मुहावरा यह है:

تَفَرَّقُوْا اَيَادِيَ سَبَا

'तफ़र्रक़ू अयादि-य सबा' यानी ये लोग ऐसे बिखरे जैसे सबा क़ौम के नेमतों में पले-बढ़े लोग बिखर गये थे।

अ़ल्लामा इब्ने कसीर वग़ैरह मुफ़स्सिरीन ने इस जगह एक काहिन (ज्योतिषी, ग़ैब की बातें बताने वाले) का एक लम्बा क़िस्सा नक़ल किया है कि सैलाब का अ़ज़ाब आने से कुछ पहले उस काहिन को इसका इल्म हो गया था। उसने एक अ़जीब तदबीर के ज़रिये पहले तो अपनी ज़मीन जायदाद मकान वग़ैरह सब बेच दिया, जब रक़म उसके हाथ में आ गई तो उसने अपनी क़ौम को आने वाले सैलाब व अ़ज़ाब से बाख़बर किया और कहा कि जिसको अपनी जान सलामत रखनी है वह फ़ौरन यहाँ से निकल जाये। उसने लोगों को यह भी बतलाया कि तुम में जो लोग लम्बा सफ़र इख़्तियार करके सुरक्षित मक़ाम का इरादा करें वे अ़म्मान चले जायें और जो लोग शराब और ख़मीरी रोटी और फल वग़ैरह चाहें वे मुल्के शाम के बुसरा मक़ाम में चले जायें, और जो लोग ऐसी सवारियाँ चाहें जो कीचड़

में साबित-क़दम रहें और सूखे के ज़माने में काम आयें और जल्दी सफ़र की ज़रूरत के वक़्त साथ दें तो वे यसरिब (मदीना मुनव्वरा) चले जायें, जिसमें खजूर बहुत ज़्यादा हैं। उसकी क़ौम ने इस मश्विरे पर अमल किया। क़बीला इज़्द अम्मान की तरफ़ चले गये और ग़स्सान बुसरा मुल्के शाम की तरफ़ और औस व ख़ज़्रज और बनू उस्मान यसरिब खजूरों वाले की तरफ़ निकल खड़े हुए। बतने मुर्रा के स्थान पर पहुँचकर बनू उस्मान ने तो इसी जगह को पसन्द कर लिया और यहीं रह पड़े, और इसी कट जाने की वजह से बनू उस्मान का लक़ब ख़ुज़ाआ हो गया, ये बतने मुर्रा में जो मक्का मुकर्रमा के क़रीब है रह पड़े, और औस व ख़ज़्रज यसरिब पहुँचकर मुक़ीम हो गये। तफ़सीर इब्ने कसीर में लम्बे क़िस्से के बाद लोगों के विभिन्न स्थानों में बिखर जाने की यही तफ़सील सईद, क़तादा और शाबी की सनद से नक़ल करके फ़रमाया कि इस तरह यह सबा क़ौम टुकड़े-टुकड़े हो गई जिसका ज़िक्र 'मज़्ज़क़्नाहुम कुल्-ल मुमज़्ज़किन्' (यानी ऊपर गुज़री आयत 19) में आया है।

اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُوْرٍ○

यानी सबा क़ौम के उरूज व नुज़ूल (चढ़ने और उतरने) और उनके हालात के उलट-फेर में बड़ी निशानी और इब्रत है उस शख़्स के लिये जो बहुत सब्र करने वाला और बहुत शुक्र करने वाला हो। यानी कोई मुसीबत व तकलीफ़ पेश आ जाये तो उस पर सब्र करे और कोई नेमत व राहत हासिल हो तो उस पर अल्लाह का शुक्र करे, इस तरह वह ज़िन्दगी के हर हाल में नफ़ा ही नफ़ा कमाता है। जैसा कि बुख़ारी व मुस्लिम में हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु की हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया- मोमिन का हाल अजीब है कि उसके मुताल्लिक़ अल्लाह तआ़ला जो कुछ भी तक़दीरी हुक्म नाफ़िज़ फ़रमाते हैं सब ख़ैर ही ख़ैर और नफ़ा ही नफ़ा होता है, अगर उसको कोई नेमत राहत और उसकी ख़ुशी की चीज़ हासिल होती है तो वह अल्लाह का शुक्र अदा करता है वह उसकी आख़िरत के लिये ख़ैर और नफ़ा बन जाता है, और अगर कोई तकलीफ़ व मुसीबत पेश आती है तो वह उस पर सब्र करता है जिसका उसको बहुत बड़ा अज्र व सवाब मिलता है, इस तरह वह मुसीबत भी उसके लिये ख़ैर और नफ़ा बन जाती है। (इब्ने कसीर)

और मुफ़स्सिरीन (क़ुरआन के व्याख्यापकों) में से कुछ हज़रात ने लफ़्ज़ **सब्बार** को सब्र के आम मायने में लिया है जिसमें नेकियों पर साबित-क़दम रहना और गुनाहों से परहेज़ करना भी दाख़िल है। इस तफ़सीर पर मोमिन हर हाल में सब्र व शुक्र करने वाला रहता है, हर सब्र शुक्र है और हर शुक्र सब्र भी है। वल्लाहु आलम •

وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ اِبْلِيْسُ ظَنَّهٗ فَاتَّبَعُوْهُ اِلَّا فَرِيْقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ۝ وَمَا كَانَ لَهٗ عَلَيْهِمْ مِّنْ سُلْطٰنٍ اِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يُّؤْمِنُ بِالْاٰخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِيْ شَكٍّ ؕ وَرَبُّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيْظٌ۝

व ल-क़द् सद्-क़ अलैहिम् इब्लीसु ज़न्नहू फ़त्त-बअ़ूहु इल्ला फ़रीक़म् मिनल्-मुअ्मिनीन (20) व मा का-न	और सच कर दिखलाई उन पर इब्लीस ने अपनी अटकल फिर उसकी राह चले मगर थोड़े से ईमान वाले। (20) और उसका

लहू अ़लैहिम् मिन् सुल्तानिन् इल्ला लिनअ़्ल-म मंय्युअ्मिनु बिल्-आख़िरति मिम्मन् हु-व मिन्हा फ़ी शक्किन्, व रब्बु-क अ़ला कुल्लि शैइन् हफ़ीज़ (21) ❁	उन पर कुछ ज़ोर न था मगर इतने वास्ते कि मालूम कर लें हम उसको जो यक़ीन लाता है आख़िरत पर अलग करके उससे जो रहता है आख़िरत की तरफ़ से धोखे में, और तेरा रब हर चीज़ पर निगहबान है। (21) ❁

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

और वाक़ई शैतान ने उन लोगों के बारे में (यानी आदम की औलाद के बारे में) अपना गुमान सही पाया (यानी उसको गुमान था कि मैं आदम की अक्सर नस्ल को गुमराह कर दूँगा, क्योंकि यह मिट्टी से और मैं आग से पैदा हुआ हूँ (दुर्रे मन्सूर) उसका यह गुमान सही निकला) कि ये सब उसी की राह पर हो लिये, मगर ईमान वालों का गिरोह (कि उनमें से जो कामिल ईमान वाले वे तो बिल्कुल महफ़ूज़ रहे और जो कमज़ोर ईमान वाले थे वे अगरचे गुनाहों में मुब्तला हो गये मगर शिर्क व कुफ़्र से वे भी महफ़ूज़ रहे) और शैतान का उन लोगों पर (जो) क़ब्ज़ा (बहकाने और गुमराह करने के तौर पर है वह) इसके अ़लावा और किसी वजह से नहीं कि हमको (ज़ाहिरी तौर पर) उन लोगों को जो कि आख़िरत पर ईमान रखते हैं उन लोगों से (अलग करके) मालूम करना है जो उसकी तरफ़ से शक में हैं (यानी असल मक़सद इम्तिहान करना है कि काफ़िर व मोमिन में फ़र्क़ हो जाये ताकि अ़दल व हिक्मत के तक़ाज़े के मुताबिक़ सवाब और अ़ज़ाब के अहकाम जारी हों) और (चूँकि) आपका रब हर चीज़ का निगराँ है (जिसमें लोगों का ईमान व कुफ़्र भी दाख़िल है, इसलिये हर एक को मुनासिब जज़ा व सज़ा मिलेगी)।

قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ ۚ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِّنْ ظَهِيرٍ ﴿٢٢﴾ وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ ۚ حَتَّىٰ إِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا ۙ قَالَ رَبُّكُمْ ۖ قَالُوا الْحَقَّ ۖ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ ﴿٢٣﴾ قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ قُلِ اللَّهُ ۖ وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٢٤﴾ قُلْ لَا تُسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلَا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٢٥﴾ قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ ۖ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ ﴿٢٦﴾ قُلْ أَرُونِيَ الَّذِينَ أَلْحَقْتُمْ بِهِ شُرَكَاءَ ۖ كَلَّا ۚ بَلْ هُوَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٢٧﴾

क़ुलिद्अ़ुल्लज़ी-न ज़अ़म्तुम् मिन् दूनिल्लाहि ला यम्लिकू-न मिस्क़ा-ल	तू कह- पुकारो उनको जिनको गुमान करते हो सिवाय अल्लाह के वे मालिक नहीं ज़र्रा

ज़र्रतिन् फ़िस्समावाति व ला फ़िल्-अर्ज़ि व मा लहुम् फ़ीहिमा मिन् शिर्किंव्-व मा लहू मिन्हुम् मिन् ज़हीर (22) व ला तन्फ़अुश्शफ़ा-अतु अिन्दहू इल्ला लिमन् अज़ि-न लहू, हत्ता इज़ा फ़ुज़्ज़ि-अ अन् क़ुलूबिहिम् क़ालू माज़ा क़ा-ल रब्बुकुम्, क़ालुल्-हक़्-क़ व हुवल्-अलिय्युल्-कबीर (23) क़ुल् मंय्यर्ज़ुक़ुकुम् मिनस्-समावाति वल्अर्ज़ि, क़ुलिल्लाहु व इन्ना औ इय्याकुम् ल-अला हुदन् औ फ़ी ज़लालिम्-मुबीन (24) क़ुल् ला तुस्अलू-न अम्मा अज्रम्ना व ला नुस्अलु अम्मा तअ्मलून (25) क़ुल् यज्मअु बै-नना रब्बुना सुम्-म यफ़्तहु बै-नना बिल्हक़्क़ि, व हुवल् फ़त्ताहुल्-अलीम (26) क़ुल् अरूनियल्लज़ी-न अल्हक़्तुम् बिही शु-रका-अ कल्ला, बल् हुवल्लाहुल्-अज़ीज़ुल्-हकीम (27)	भर के आसमानों में और न ज़मीन में और न उनका उन दोनों में कुछ साझा है और न उनमें कोई उसका मददगार। (22) और काम नहीं आती सिफ़ारिश उसके पास मगर उसको कि जिसके वास्ते हुक्म कर दे, यहाँ तक कि जब घबराहट दूर हो जाये उनके दिल से कहें क्या फ़रमाया था रब ने? वे कहें फ़रमाया जो वाजिबी है और वही है सबसे ऊपर बड़ा। (23) तू कह कौन रोज़ी देता है तुमको आसमान से और ज़मीन से, बतला दे कि अल्लाह और या हम या तुम, बेशक हिदायत पर हैं या पड़े हैं खुली गुमराही में। (24) तू कह तुमसे पूछ न होगी उसकी जो हमने गुनाह किया और हमसे पूछ न होगी उसकी जो तुम करते हो। (25) तू कह जमा करेगा हम सब को हमारा रब फिर फ़ैसला करेगा हम में इन्साफ़ का, और वही क़िस्सा चुकाने वाला सब कुछ जानने वाला है। (26) तू कह मुझको दिखलाओ तो सही जिनको उससे मिलाते हो साझी क़रार देकर, कोई नहीं वही अल्लाह है ज़बरदस्त हिक्मतों वाला। (27)

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

आप (उन लोगों से) फ़रमाईये कि जिन (माबूदों) को तुम ख़ुदा के सिवा (ख़ुदाई में दख़ील) समझ रहे हो उनको (अपनी हाजतों के लिये) पुकारो (तो सही, मालूम हो जायेगा कि कितनी क़ुदरत और इख़्तियार रखते हैं। उनकी वास्तविक हालत तो यह है कि) वे ज़र्रा बराबर (किसी चीज़ का) इख़्तियार नहीं रखते, न आसमानों (की कायनात) में और न ज़मीन (की कायनात) में, और न उनकी इन दोनों

(के पैदा करने) में कोई शिर्कत है, और न उनमें से कोई अल्लाह का (किसी काम में) मददगार है। और ख़ुदा के सामने (किसी की) सिफ़ारिश किसी के लिये काम नहीं आती (बल्कि सिफ़ारिश ही नहीं हो सकती) मगर उसके लिये जिसके मुताल्लिक़ (किसी सिफ़ारिश करने वाले को) वह इजाज़त दे दे। (काफ़िरों व मुश्रिकों में कुछ जाहिल थे तो ऐसे थे जो पत्थर के ख़ुद बनाये हुए बुतों ही को हाजत पूरी करने वाला और काम करने वाला और ख़ुदाई का शरीक समझते थे, उनके रद्द के लिये तो आयत के पहले जुमले आये 'ला यम्लिकू-न मिस्क़ा-ल ज़र्रतिन् व मा लहुम् फ़ीहिमा मिन् शिर्किन्' और कुछ लोग इतना क़ादिर तो नहीं कहते थे मगर यह अ़क़ीदा रखते कि ये बुत ख़ुदा तआ़ला के कामों में उसके मददगार हैं, उनके रद्द के लिये यह फ़रमाया 'मा लहू मिन्हुम् मिन् ज़हीर' और कुछ ऐसे समझदार थे कि उन बेजान बुतों को किसी चीज़ का ख़ालिक़ या ख़ालिक़ का मददगार तो नहीं मानते थे मगर यह अ़क़ीदा रखते थे कि ये अल्लाह के नज़दीक मक़बूल हैं जिसकी सिफ़ारिश कर दें उसका काम बन जाता है, जैसा कि वे कहा करते थे 'हा-उला-इ शु-फ़आ़उना अ़िन्दल्लाहि' उनके रद्द के लिये फ़रमाया 'व ला तन्फ़उश्शफ़ा-अ़तु अ़िन्दहू' जिसका हासिल यह है कि इन बुतों में किसी क़ाबलियत के तो तुम भी क़ायल नहीं मगर तुम इस धोखे में हो कि इनको अल्लाह के नज़दीक मक़बूलियत हासिल है, यह तुम्हारा सिर्फ़ बेबुनियाद ख़्याल है, न इनमें कोई क़ाबलियत और न अल्लाह के नज़दीक मक़बूलियत।

आगे यह इरशाद फ़रमाया कि उनमें तो न कोई क़ाबलियत है न मक़बूलियत, जिनमें क़ाबलियत भी मौजूद हो और मक़बूलियत भी जैसे अल्लाह के फ़रिश्ते वे भी किसी की सिफ़ारिश करने में ख़ुद मुख़्तार नहीं बल्कि उनके लिये शफ़ाअ़त का क़ानून यह है कि जिस शख़्स के लिये सिफ़ारिश करने की इजाज़त अल्लाह तआ़ला की तरफ़ से मिल जाये सिर्फ़ उसकी सिफ़ारिश कर सकते हैं, और वह भी बड़ी मुश्किल से क्योंकि वे ख़ुद अल्लाह तआ़ला के ख़ौफ़ व जलाल से मग़लूब हैं, जब उनको कोई आ़म हुक्म दिया जाता है या किसी के लिये सिफ़ारिश ही का काम मिलता है तो हुक्म सुनने के वक़्त वे हैबत से मदहोश हो जाते हैं। जब यह हैबत (डर और घबराहट) की कैफ़ियत दूर हो जाती है उस वक़्त हुक्म पर ग़ौर करते हैं और आपस में एक दूसरे से पूछकर तहक़ीक़ कर लेते हैं कि हमने जो हुक्म सुना है वह क्या है, इस तहक़ीक़ के बाद वह हुक्म की तामील करते हैं जिसमें किसी की सिफ़ारिश का हुक्म भी दाख़िल है।

ख़ुलासा यह है कि जब अल्लाह के फ़रिश्ते जो क़ाबलियत भी रखते हैं और अल्लाह के यहाँ मक़बूलियत भी, वे भी किसी की सिफ़ारिश अपनी तरफ़ से बिना इजाज़त के नहीं कर सकते, और जब किसी के लिये इजाज़त मिलती है तो ख़ुद हैबत से मदहोश से हो जाते हैं, उसके बाद जब होश दुरुस्त होता है तो सिफ़ारिश करते हैं, तो ये पत्थरों के ख़ुद बनाये हुए बुत जिनमें न किसी तरह की क़ाबलियत है न मक़बूलियत, ये कैसे किसी की सिफ़ारिश कर सकते हैं? फ़रिश्तों के मदहोश हो जाने वग़ैरह का ज़िक्र आगे आयत में इस तरह आया है कि) यहाँ तक कि जब उनके दिलों से घबराहट (जो हुक्म सुनने के वक़्त तारी हुई थी) दूर हो जाती है तो एक-दूसरे से पूछते हैं कि तुम्हारे परवर्दिगार ने क्या हुक्म फ़रमाया? वे कहते हैं कि (फ़ुलाँ) हक़ बात का हुक्म फ़रमाया (जैसे तालिब-इल्म सबक़ पढ़ने के बाद उस्ताद की तक़रीर को सही करने और याद करने के लिये आपस में उसका तकरार

(दोहराना) किया करते हैं। ये फ़रिश्ते भी अपने सुने हुए हुक्म की आपस में एक दूसरे से तहक़ीक़ व तस्दीक़ करते हैं उसके बाद हुक्म की तामील करते हैं) और (उसके रू-ब-रू फ़रिश्तों का ऐसा हाल हो जाना क्या दूर की बात है) वह आलीशान, सबसे बड़ा है।

और आप (इनसे तौहीद की तहक़ीक़ के लिये यह भी) पूछिये कि तुमको आसमान और ज़मीन से (पानी बरसाकर और पेड़-पौधे निकालकर) कौन रोज़ी देता है? (चूँकि इसका जवाब उनके नज़दीक भी मुतैयन है इसलिये) आप (ही) कह दीजिये कि अल्लाह तआ़ला (रोज़ी देता है)। और (यह भी कहिये कि इस तौहीद के मसले में) बेशक हम या तुम ज़रूर सही रास्ते पर हैं या खुली गुमराही में (यानी यह तो हो नहीं सकता कि दो एक दूसरे के विपरीत और मुख़ालिफ़ चीज़ें तौहीद और शिर्क दोनों सही और हक़ हों, और दोनों तरह के अ़क़ीदे रखने वाले हक़ पर हों, बल्कि ज़रूरी है कि इन दोनों अ़क़ीदों में से एक सही दूसरा ग़लत हो। सही अ़क़ीदे के रखने वाले हिदायत पर और ग़लत का अ़क़ीदा रखने वाले गुमराही पर होंगे। अब तुम ग़ौर कर लो कि इनमें से कौनसा अ़क़ीदा सही है और कौन हक़ व हिदायत पर है कौन गुमराही पर) हैं।

आप (उनसे इस बहस व मुनाज़रे में यह भी) फ़रमा दीजिये कि (हमने खोलकर हक़ व बातिल को वाज़ेह तौर पर बयान कर दिया है, अब तुम और हम हर एक अपने अ़मल का ज़िम्मेदार है) तुमसे हमारे जुर्मों की पूछताछ न होगी और हमसे तुम्हारे आमाल की पूछताछ न होगी। और (आप उनसे यह भी) कह दीजिये कि (एक वक़्त ज़रूर आने वाला है जिसमें) हमारा रब हम सब को (एक जगह) जमा करेगा फिर हमारे बीच ठीक-ठीक (अ़मली) फ़ैसला कर देगा, और वह बड़ा फ़ैसला करने वाला और (सब का हाल) जानने वाला है। आप (यह भी) कहिये कि तुमने अल्लाह तआ़ला की बुलन्द शान और कामिल क़ुदरत की दलीलें सुन लीं और अपने बुतों की बेबसी भी देख ली) मुझको ज़रा वो तो दिखलाओ जिनको तुमने शरीक बनाकर (इबादत में हक़दार होने में) ख़ुदा के साथ मिला रखा है, हरगिज़ (उसका कोई शरीक) नहीं, बल्कि (हक़ीक़त में) वही है अल्लाह (यानी माबूद व बरहक़) ज़बरदस्त, हिक्मत वाला।

मआ़रिफ़ व मसाईल

ऊपर दर्ज हुई आयतों में अल्लाह के हुक्म के उतरने के वक़्त जो फ़रिश्तों का मदहोश हो जाना फिर आपस में एक दूसरे से पूछपाछ करने का ज़िक्र है, इसका बयान सही बुख़ारी में हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु की रिवायत से इस तरह आया है कि जब अल्लाह तआ़ला आसमान में कोई हुक्म नाफ़िज़ फ़रमाते हैं तो सब फ़रिश्ते आ़जिज़ी व विनम्रता से अपने पर मारने लगते हैं (और मदहोश जैसे हो जाते हैं) जब उनके दिलों से घबराहट और हैबत व जलाल का वह असर दूर हो जाता है तो कहते हैं तुम्हारे रब ने क्या फ़रमाया? दूसरे कहते हैं कि फ़ुलाँ हक़ हुक्म इरशाद फ़रमाया है..........।

और सही मुस्लिम में है कि हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु किसी सहाबी से यह रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि हमारा करीम रब जब कोई हुक्म देता है तो अ़र्श के उठाने वाले फ़रिश्ते तस्बीह करने लगते हैं, उनकी तस्बीह को सुनकर उनके क़रीब वाले आसमान के फ़रिश्ते तस्बीह पढ़ने लगते हैं, फिर उनकी तस्बीह को सुनकर उससे नीचे वाले आसमान के फ़रिश्ते तस्बीह पढ़ने लगते हैं, यहाँ तक कि यह नौबत दुनिया वाले आसमान (नीचे के

आसमान) तक पहुँच जाती है (और सब आसमानों के फ़रिश्ते तस्बीह में मशग़ूल हो जाते हैं) फिर वे फ़रिश्ते जो अ़र्श को उठाने वाले फ़रिश्तों के क़रीब हैं उनसे पूछते हैं कि आपके रब ने क्या फ़रमाया? वे बतला देते हैं। फिर इसी तरह उनसे नीचे के आसमान वाले ऊपर वालों से यही सवाल करते हैं यहाँ तक कि सवाल व जवाब का यह सिलसिला नीचे के आसमान तक पहुँच जाता है.......। (मज़हरी)

बहस व मुनाज़रे में मुख़ातब की ज़ेहनियत व मानसिकता की रियायत और उत्तेजित होने से परहेज़

وَاِنَّآ اَوْاِيَّاكُمْ لَعَلٰى هُدًى اَوْفِىْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ○

यह मुश्रिकों और काफ़िरों के साथ ख़िताब है। स्पष्ट दलीलों से अल्लाह तआ़ला का ख़ालिक़ व मालिक होना और क़ादिर व कुल-मुख़्तार होना वाज़ेह कर दिया गया, बुतों और ग़ैरुल्लाह की बेबसी और कमज़ोरी को सामने कर दिया गया, इन सब बातों के बाद मौक़ा इसका था कि मुश्रिकों को ख़िताब करके कहा जाता कि तुम जाहिल और गुमराह हो कि ख़ुदा तआ़ला को छोड़कर बुतों और शैतानों की पूजा करते हो, मगर क़ुरआने हकीम ने इस जगह जो हकीमाना उनवान इख़्तियार फ़रमाया वह दावत व तब्लीग़ और इस्लाम के मुख़ालिफ़ों और ग़ैर-हक़ वालों से बहस व मुनाज़रा करने वालों के लिये एक अहम हिदायत नामा है कि इस आयत में उनको काफ़िर गुमराह कहने के बजाय उनवान यह रखा कि इन खुली दलीलों की रोशनी में यह तो कोई समझदार आदमी कह नहीं सकता कि तौहीद व शिर्क दोनों बातें हक़ हैं, और ईमान वाले और मुश्रिक दोनों हक़ परस्त हैं, बल्कि यक़ीनी है कि इन दोनों में से एक हक़ पर दूसरा गुमराही पर है। अब तुम ख़ुद सोच लो और फ़ैसला कर लो कि हम हक़ पर हैं या तुम। मुख़ातब को ख़ुद काफ़िर गुमराह कहने से उसको उत्तेजना होती, इससे गुरेज़ किया गया और ऐसा शफ़क़त भरा उनवान इख़्तियार किया कि संगदिल मुख़ालिफ़ भी ग़ौर करने पर मजबूर हो जाये। (तफ़सीरे क़ुर्तुबी व बयानुल-क़ुरआन)

यह पैग़म्बराना दावत व नसीहत और बहस व मुनाज़रे का अच्छा तरीक़ा है जो उलेमा को हर वक़्त पेशे नज़र रखना चाहिये, इसके नज़र-अन्दाज़ होने ही से दावत व तब्लीग़ और बहस व मुनाज़रा बेअसर बल्कि नुक़सानदेह होकर रह जाता है। मुख़ालिफ़ लोग ज़िद पर आ जाते हैं, उनकी गुमराही और पुख़्ता हो जाती है।

وَمَآ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا كَآفَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا وَّلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿۲۸﴾

व मा अर्सल्ना-क इल्ला काफ़्फ़तल्-लिन्नासि बशीरंव्-व नज़ीरंव्-व लाकिन्-न अक्सरन्नासि ला यअ़्लमून (28)	और तुझको जो हमने भेजा सो सारे लोगों के वास्ते ख़ुशी और डर सुनाने को, लेकिन बहुत लोग नहीं समझते। (28)

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

और हमने तो आपको तमाम लोगों के वास्ते (चाहे जिन्न हों या इनसान, अ़रब वाले हों या अ़रब से बाहर के, मौजूद हों या आईन्दा होने वाले हों सब के लिये) पैग़म्बर बनाकर भेजा है (ईमान लाने पर उनको हमारी रज़ा और सवाब की) ख़ुशख़बरी सुनाने वाले और (ईमान न लाने पर उनको हमारे अ़ज़ाब व ग़ज़ब से) डराने वाले, लेकिन अक्सर लोग नहीं समझते (जहालत या मुख़ालफ़त व दुश्मनी की वजह से इनकार करने और झुठलाने में लग जाते हैं)।

मआ़रिफ़ व मसाईल

पहले की आयतों में तौहीद और हक़ तआ़ला के क़ादिर-ए-मुतलक़ होने का बयान था, इस आयत में रिसालत का और ख़ासकर हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की नुबुव्वत का दुनिया की तमाम मौजूदा व आईन्दा की क़ौमों के लिये आ़म होना बयान किया गया है।

كَآفَّةً لِّلنَّاسِ

लफ़्ज़ 'काफ़्फ़तु' अ़रबी मुहावरे में किसी चीज़ के सब को आ़म व शामिल होने के मायने में इस्तेमाल होता है, जिसमें से कोई अलग न हो। इबारत की तरकीब का असल तक़ाज़ा यह था कि "लिन्नासि काफ़्फ़तन्" कहा जाता, क्योंकि लफ़्ज़ काफ़्फ़तु हाल है नास का, मगर नुबुव्वत के आ़म होने को बयान करने का एहतिमाम स्पष्ट करने के लिये लफ़्ज़ काफ़्फ़तु को आगे कर दिया गया।

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से पहले जितने नबी तशरीफ़ लाये हैं उनकी रिसालत व नुबुव्वत किसी ख़ास क़ौम और ज़मीन के ख़ास ख़ित्ते के लिये थी। यह हज़रत ख़ातिमुल-अम्बिया सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की ख़ुसूसी फ़ज़ीलत है कि आपकी नुबुव्वत सारी दुनिया के लिये आ़म है, और सिर्फ़ इनसान ही नहीं जिन्नात के लिये भी है, और सिर्फ़ उन लोगों के लिये नहीं जो आपके ज़माने में मौजूद थे बल्कि क़ियामत तक आने वाली इनसानी नस्लों के लिये आ़म है। और आपकी नुबुव्वत व रिसालत का क़ियामत तक बाक़ी और मुसलसल रहना ही इसको चाहता है कि आप ख़ातमुन्नबिय्यीन हों, आपके बाद कोई नबी न आये, क्योंकि दूसरा नबी उस वक़्त भेजा जाता है जब पहले की शरीअ़त और तालीमात में रद्दोबदल या उनकी असल शक्ल को बिगाड़ दिया जाये, तो दूसरा नबी मख़्लूक़ के सुधार के मक़सद के लिये भेजा जाता है। हक़ तआ़ला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की शरीअ़त और अपनी किताब क़ुरआन की हिफ़ाज़त का क़ियामत तक के लिये ख़ुद ज़िम्मा ले लिया है इसलिये वह क़ियामत तक अपनी असली हालत में क़ायम रहेगी और किसी और नबी के भेजे जाने की ज़रूरत बाक़ी न रहेगी।

सही बुख़ारी व मुस्लिम वग़ैरह में हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि मुझे पाँच चीज़ें ऐसी अ़ता की गई हैं जो मुझसे पहले किसी को नहीं मिलीं। एक यह कि मेरी मदद अल्लाह तआ़ला ने मुझे ऐसा रौब देकर फ़रमाई कि एक महीने की दूरी और रास्ते तक लोगों पर मेरा रौब छा जाता है। दूसरे यह कि मेरे लिये पूरी ज़मीन को

मस्जिद और पाक करने वाली क़रार दे दिया गया है (पिछले नबियों की शरीअ़तों में उनकी इबादत ख़ास इबादत गाहों ही में होती थी, उनकी मस्जिदों से बाहर मैदान या घर में इबादत न होती थी, अल्लाह तआ़ला ने उम्मते मुहम्मदिया के लिये पूरी ज़मीन को इस मायने में मस्जिद बना दिया कि हर जगह नमाज़ अदा हो सकती है, और ज़मीन की मिट्टी को पानी न मिलने या पानी का इस्तेमाल नुक़सानदेह होने की सूरत में तहूर यानी पाक करने वाला बना दिया, कि इससे तयम्मुम कर लिया जाये तो वुज़ू के क़ायम-मक़ाम हो जाता है)।

तीसरे यह कि मेरे लिये माले ग़नीमत हलाल कर दिया गया, मुझसे पहले किसी उम्मत के लिये यह माल हलाल नहीं था (बल्कि हुक्म यह था कि जंग में जो माल काफ़िरों का हाथ आता उसको जमा करके एक जगह रख दें, वहाँ एक आसमानी आग बिजली वग़ैरह आकर उसको जला देगी और यह जला देना ही उस जिहाद की मक़बूलियत की पहचान होगी। उम्मते मुहम्मदिया के लिये माले ग़नीमत को क़ुरआन के बतलाये हुए उसूल के मुताबिक़ तक़सीम कर लेना और अपनी ज़रूरतों में ख़र्च करना जायज़ कर दिया गया)। चौथे यह कि मुझे बड़ी शफ़ाअ़त का मक़ाम दिया गया (यानी हश्र के मैदान में जिस वक़्त कोई पैग़म्बर शफ़ाअ़त की हिम्मत न करेगा मुझे उस वक़्त शफ़ाअ़त का मौक़ा दिया जायेगा)। पाँचवे यह कि मुझसे पहले हर नबी अपनी ख़ास क़ौम की तरफ़ भेजा जाता था, मुझे दुनिया की तमाम क़ौमों की तरफ़ पैग़म्बर बनाकर भेजा गया है। (तफ़सीर इब्ने कसीर)

وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٢٩﴾ قُلْ لَكُمْ مِيعَادُ يَوْمٍ لَا تَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ ﴿٣٠﴾ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ نُؤْمِنَ بِهَٰذَا الْقُرْآنِ وَلَا بِالَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ ۗ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ الْقَوْلَ يَقُولُ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لَوْلَا أَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ ﴿٣١﴾ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا أَنَحْنُ صَدَدْنَاكُمْ عَنِ الْهُدَىٰ بَعْدَ إِذْ جَاءَكُمْ ۖ بَلْ كُنْتُمْ مُجْرِمِينَ ﴿٣٢﴾ وَقَالَ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ إِذْ تَأْمُرُونَنَا أَنْ نَكْفُرَ بِاللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُ أَنْدَادًا ۚ وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا ۚ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٣٣﴾

व यक़ूलू-न मता हाज़ल्-वअ़्दु इन् कुन्तुम् सादिक़ीन (29) क़ुल्-लकुम् मीआ़दु यौमिल्-ला तस्तअ्ख़िरू-न अ़न्हु सा-अ़तंव्-व ला तस्तक़्दिमून (30) ❁ ●	और कहते हैं कब है यह वायदा अगर तुम सच्चे हो। (29) तू कह तुम्हारे लिये वायदा है एक दिन का, न देर करोगे उससे एक घड़ी न जल्दी। (30) ❁ ●

व क़ालल्लज़ी-न क-फ़रू लन्-नुअ्मि-न बिहाज़ल्-क़ुर्आनि व ला बिल्लज़ी बै-न यदैहि, व लौ तरा इज़िज़्-ज़ालिमू-न मौक़ूफ़ू-न अ़िन्-द रब्बिहिम् यर्जिअु बअ्ज़ुहुम् इला बअ्ज़ि-निल्-क़ौ-ल यक़ूलुल्लज़ीनस्तुज़्अिफ़ू लिल्लज़ीनस्तक्बरू लौ ला अन्तुम् लकुन्ना मुअ्मिनीन (31) क़ालल्-लज़ीनस्तक्बरू लिल्लज़ीनस्तुज़्अिफ़ू अ-नह्नु सदद्नाकुम् अ़निल्हुदा बअ्-द इज़् जा-अकुम् बल् कुन्तुम् मुज्रिमीन (32) व क़ालल्लज़ीन-स्तुज़्अिफ़ू लिल्लज़ीनस्तक्बरू बल् मक्रुल्लैलि वन्नहारि इज़् तअ्मुरू-नना अन् नक्फ़ु-र बिल्लाहि व नज्अ़-ल लहू अन्दादन्, व असर्रुन्नदा-म-त लम्मा र-अवुल् अ़ज़ा-ब, व जअ़ल्नल्-अग़्ला-ल फ़ी अअ्नाक़िल्लज़ी-न क-फ़रू, हल् युज्ज़ौ-न इल्ला मा कानू यअ्मलून (33)

और कहने लगे मुन्किर लोग- हम हरगिज़ न मानेंगे इस क़ुरआन को और न इससे अगले को, और कभी तू देखे जबकि गुनाहगार खड़े किये जायें अपने रब के पास, एक दूसरे पर डालता है बात को, कहते हैं वे लोग जो कमज़ोर समझे जाते थे बड़ाई करने वालों को- अगर तुम न होते तो हम ईमान वाले होते। (31) कहने लगे बड़ाई करने वाले उनसे जो कि कमज़ोर हो गये थे- क्या हमने रोका तुमको हक़ बात से तुम्हारे पास पहुँच चुकने के बाद? कोई नहीं! तुम्हीं थे गुनाहगार। (32) और कहने लगे वे लोग जो कमज़ोर गिने गये थे बड़ाई करने वालों को- कोई नहीं! पर फ़रेब से रात दिन के जब तुम हमको हुक्म किया करते कि हम न मानें अल्लाह को और ठहरायें उसके साथ बराबर के साझी, और छुपे छुपे पछताने लगे जब देख लिया अ़ज़ाब, और हमने डाले हैं तौक़ गर्दनों में इनकारियों के, वही बदला पाते हैं जो अ़मल करते थे। (33)

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

और ये लोग (क़ियामत के मुताल्लिक़ मज़ामीन कि 'जमा करेगा हमारा रब हम सब को फिर हम में इन्साफ़ का फ़ैसला करेगा.........' सुनकर) कहते हैं कि यह वायदा कब (ज़ाहिर) होगा अगर तुम (यानी नबी और आपके मानने वाले) सच्चे हो (तो बतलाओ)। आप कह दीजिए कि तुम्हारे वास्ते एक ख़ास दिन का वायदा (मुक़र्रर) है, कि उससे न एक घड़ी पीछे हट सकते हो और न आगे बढ़ सकते हो। (यानी अगरचे हम वक़्त न बतलायेंगे जो तुम पूछ रहे मगर आयेगी ज़रूर जिसका इस पूछने से

तुम्हारा मकसद इनकार करना है) और ये काफ़िर (दुनिया में तो ख़ूब-ख़ूब बातें बनाते हैं और) कहते हैं कि हम हरगिज़ इस क़ुरआन पर ईमान न लाएँगे और न इससे पहली किताबों पर, और (कियामत में ये सारी लम्बी-चौड़ी बातें ख़त्म हो जायेंगी, चुनाँचे) अगर आप (इनकी) उस वक़्त की हालत देखें (तो एक हौलनाक मन्ज़र नज़र आये), जब ये ज़ालिम अपने रब के सामने खड़े किए जाएँगे, एक-दूसरे पर बात डालता होगा (जैसे कि कोई काम बिगड़ जाने के वक़्त आदत होती है, चुनाँचे) अदना दर्जे के लोग (यानी पैरवी करने वाले) बड़े लोगों से (यानी जिनकी पैरवी की थी से) कहेंगे कि (हम तो तुम्हारे सबब से बरबाद हुए) अगर तुम न होते तो हम ज़रूर ईमान ले आये होते। (इस पर) ये बड़े लोग उन अदना दर्जे के लोगों से कहेंगे कि क्या हमने तुमको हिदायत (पर अमल करने) से (ज़बरदस्ती) रोका था इसके बाद कि वह (हिदायत) तुमको पहुँच चुकी थी? नहीं! बल्कि तुम ही क़सूरवार हो (कि हक़ के ज़ाहिर होने के बाद भी उसको क़ुबूल न किया, अब इल्ज़ाम हमारे सर धरते हो) और (इसके जवाब में) ये कम दर्जे के लोग उन बड़े लोगों से कहेंगे कि (हम यह नहीं कहते कि तुमने ज़बरदस्ती की थी) नहीं! बल्कि तुम्हारी रात-दिन की तदबीरों ने रोका था, जब तुम हम से फ़रमाईश करते रहते थे कि हम अल्लाह के साथ कुफ़्र करें, और उसके लिये शरीक क़रार दें। (तदबीरों से मुराद दिलचस्पी दिलाना और डराना है, यानी रात-दिन की उन तालीमात और उन तदबीरों का असर हो गया और तबाह व बरबाद हुए। बस हमको तुम्हीं ने ख़राब किया)।

और (इस गुफ़्तगू में तो हर शख़्स दूसरे पर इल्ज़ाम देगा मगर दिल में अपना-अपना क़सूर भी समझेंगे। गुमराह करने वाले समझेंगे कि वाक़ई हमने ऐसा किया था और गुमराह होने वाले समझेंगे कि अगरचे इन्होंने हमको ग़लत रास्ता बतलाया था लेकिन आख़िर हम भी तो अपना नफ़ा नुक़सान समझ सकते थे, ज़रूर हमारा भी बल्कि ज़्यादा हमारा ही क़सूर है। लेकिन) वे लोग (अपनी इस) शर्मिन्दगी को (एक-दूसरे से) छुपाकर रखेंगे जबकि (अपने-अपने अमल पर) अज़ाब (होता हुआ) देखेंगे (ताकि नुक़सान के साथ-साथ ज़िल्लत व रुस्वाई न हो, लेकिन आख़िर में अज़ाब की सख़्ती से वह बरदाश्त जाती रहेगी) और (उन सब को साझा यह अज़ाब दिया जायेगा कि) हम काफ़िरों की गर्दनों में तौक़ डालेंगे (और हाथ-पाँव में ज़न्जीर फिर मुशकें कसा हुआ जहन्नम में झोंक दिया जायेगा) जैसा करते थे वैसा ही तो भरा।

وَمَآ اَرْسَلْنَا فِیْ قَرْیَةٍ مِّنْ نَّذِیْرٍ اِلَّا قَالَ مُتْرَفُوْهَآ اِنَّا بِمَآ اُرْسِلْتُمْ بِهٖ كٰفِرُوْنَ ﴿۳۴﴾ وَقَالُوْا نَحْنُ اَكْثَرُ اَمْوَالًا وَّاَوْلَادًا ۙ وَّمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِیْنَ ﴿۳۵﴾ قُلْ اِنَّ رَبِّیْ یَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ یَّشَآءُ وَیَقْدِرُ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا یَعْلَمُوْنَ ﴿۳۶﴾ وَمَآ اَمْوَالُكُمْ وَلَآ اَوْلَادُكُمْ بِالَّتِیْ تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفٰٓی اِلَّا مَنْ اٰمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ۫ فَاُولٰٓئِكَ لَهُمْ جَزَآءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوْا وَهُمْ فِی الْغُرُفٰتِ اٰمِنُوْنَ ﴿۳۷﴾ وَالَّذِیْنَ یَسْعَوْنَ فِیْٓ اٰیٰتِنَا مُعٰجِزِیْنَ اُولٰٓئِكَ فِی الْعَذَابِ مُحْضَرُوْنَ ﴿۳۸﴾

ع ۱۰

व मा अर्सल्ना फ़ी क़र्यतिम्-मिन् नज़ीरिन् इल्ला का-ल मुत्रफ़ूहा इन्ना	और नहीं भेजा हमने किसी बस्ती में कोई डराने वाला मगर कहने लगे वहाँ के

बिमा उर्सिल्तुम् बिही काफ़िरून (34) व क़ालू नह्नु अक्सरु अम्वालंव्-व औलादंव्-व मा नह्नु बिमु-अ़ज़्ज़बीन (35) क़ुल् इन्-न रब्बी यब्सुतुर्-रिज़्-क़ लिमंय्यशा-उ व यक़्दिरु व लाकिन्-न अक्सरन्नासि ला यअ़्लमून (36) ✿	ख़ुशहाल लोग- जो तुम्हारे हाथ भेजा गया हम उसको नहीं मानते। (34) और कहने लगे हम ज़्यादा हैं माल और औलाद में, और हम पर आफ़त नहीं आने वाली। (35) तू कह मेरा रब है जो कुशादा कर देता है रोज़ी जिसको चाहे और माप कर देता है, लेकिन बहुत लोग समझ नहीं रखते। (36) ✿
व मा अम्वालुकुम् व ला औलादुकुम् बिल्लती तुक़र्रिबुकुम् अ़िन्दना ज़ुल्फ़ा इल्ला मन् आम-न व अ़मि-ल सालिहन् फ़-उलाइ-क लहुम् जज़ाउज़्-ज़िअ़्फ़ि बिमा अ़मिलू व हुम् फ़िल्-ग़ुरुफ़ाति आमिनून (37) वल्लज़ी-न यस्औ-न फ़ी आयातिना मुआ़जिज़ी-न उलाइ-क फ़िल्-अ़ज़ाबि मुह्ज़रून (38)	और तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद वह नहीं कि नज़दीक कर दें हमारे पास तुम्हारा दर्जा पर जो कोई यक़ीन लाया और भला काम किया सो उनके लिये है बदला दूना उनके किये काम का, और वे झरोखों में बैठे हैं सुकून के साथ। (37) और जो लोग दौड़ते हैं हमारी आयतों के हराने को वे अ़ज़ाब में पकड़े हुए आते हैं। (38)

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

और (ऐ पैग़म्बर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम इन लोगों की जहालत व गुमराही भरी बातों से आप दुखी न हों, क्योंकि यह मामला अनोखा आप ही के साथ नहीं हुआ बल्कि) हमने किसी बस्ती में कोई डराने वाला (पैग़म्बर) नहीं भेजा मगर वहाँ के ख़ुशहाल लोगों ने (इन मौजूदा काफ़िरों की तरह) यही कहा कि हम तो उन अहकाम का इनकार करने वाले हैं जो तुमको देकर भेजा गया है, और उन्होंने यह भी कहा कि हम माल और औलाद में तुम से ज़्यादा हैं (जैसा कि सूरः कहफ़ में है 'अ-न अक्स-र मिन्-क मालंव्-व अ-अ़ज़्ज़ु न-फ़रा') और (यह दलील है हमारे अल्लाह के यहाँ इज़्ज़त वाला और मक़बूल होने की, पस) हमको कभी अ़ज़ाब न होगा। (और यही बात मक्का के काफ़िर कहते हैं। जैसा कि काफ़िरों का यह क़ौल सूरः मरियम की आयत 37 में नक़ल किया गया 'क़ालल्लज़ी-न क-फ़रू लिल्लज़ी-न आमनू अय्युल-फ़रीक़ैनि ख़ैरुम् मक़ामंव्-व अह्सनु नदिय्या'। पस ग़म न कीजिये हाँ उनके क़ौल को ज़रूर रद्द कीजिए और उनसे यूँ) कह दीजिए कि (रिज़्क़ में वुस्अ़त और ज़्यादती का

मदार अल्लाह के यहाँ मक़बूल होने पर नहीं है बल्कि यह महज़ उसकी मर्ज़ी है चुनाँचे) मेरा परवर्दिगार जिसको चाहता है ज़्यादा रोज़ी देता है और जिसको चाहता है कम देता है (और इसमें हिक्मतें होती हैं) और लेकिन अक्सर लोग (इससे) वाक़िफ़ नहीं (कि इसका मदार दूसरी मस्लेहतों पर है अल्लाह के यहाँ मक़बूल होने पर नहीं है)।

और (ऐ काफ़िरो! यह भी सुन रखो कि जिस तरह तुम्हारे माल और औलाद अल्लाह के यहाँ मक़बूल होने और उसकी निकटता हासिल होने की दलील व निशानी नहीं इसी तरह) तुम्हारे माल और औलाद ऐसी चीज़ नहीं जो दर्जे में तुमको हमारा ख़ास और क़रीबी बना दे, (यानी हमारी निकटता दिलाने में इनकी कोई भूमिका भी नहीं, पस न माल व औलाद इसकी निशानी हैं कि अल्लाह के यहाँ मक़बूल हैं और न माल व औलाद से क़ुबूलियत मिल सकती है) मगर हाँ जो ईमान लाये और अच्छे काम करे (ये दोनों चीज़ें ज़रूर निकटता का सबब हैं) सो ऐसे लोगों के लिये उनके (नेक) अमल का दोगुना सिला है (यानी अमल से ज़्यादा चाहे दुगने से भी ज़्यादा हो जैसा कि अल्लाह तआ़ला का क़ौल है 'मन् जा-अ बिल्ह-सनति फ़-लहू अश्रु अमसालिहा' यानी एक नेकी का बदला दस गुना) और वे (जन्नत के) बालाख़ानों में चैन से (बैठे) होंगे। और जो लोग (उनके ख़िलाफ़ केवल माल व औलाद पर इतराते हैं और ईमान व नेक अमल को इख़्तियार नहीं करते बल्कि वे) हमारी आयतों के मुताल्लिक़ (उनको बातिल करने की) कोशिश कर रहे हैं (नबी को) हराने के लिये, ऐसे लोग अ़ज़ाब में लाये जाएँगे।

मआ़रिफ़ व मसाईल

दुनिया की दौलत व इज़्ज़त को मक़बूलियत इन्दल्लाह की दलील समझने का क़दीम शैतानी फ़रेब

दुनिया की शुरूआत से दुनिया की दौलत और ऐश व आराम के नशे में मस्त होने वालों ने हमेशा हक़ की आवाज़ की मुख़ालफ़त और नबियों व नेक लोगों से दुश्मनी का तरीक़ा इख़्तियार किया है इल्ला माशा-अल्लाह। और इससे आगे बढ़कर यह कि वे अहले हक़ के मुक़ाबले में अपनी मौजूदा हालत पर मगन और मुत्मईन होने की यह दलील भी देते थे कि अगर हमारे आमाल व आदतें अल्लाह तआ़ला को पसन्द न होते तो हमें दुनिया की दौलत, इज़्ज़त हुकूमत क्यों देते? क़ुरआने करीम ने इसका जवाब अनेक आयतों में मुख़्तलिफ़ उनवानों से दिया है। उपरोक्त आयतें भी इसी तरह के एक वाक़िए से मुताल्लिक़ और इस बेकार की दलील का जवाब है।

हदीस में है कि जाहिलीयत के ज़माने में दो शख़्स एक कारोबार में शरीक थे, फिर उनमें से एक यह जगह छोड़कर किसी साहिली इलाक़े में चला गया। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम तशरीफ़ लाये और आपकी नुबुव्वत व रिसालत का चर्चा हुआ तो साहिली साथी ने मक्की साथी को ख़त लिखकर पूछा कि उनके नुबुव्वत के दावे का तुम लोगों ने क्या असर लिया? इस पर मक्की साथी ने जवाब लिखा कि क़ुरैश में से तो कोई भी उनका ताबे (मानने वाला) नहीं हुआ, सिर्फ़ ग़रीब

मिस्कीन बेहैसियत लोग उनके पीछे लगे हैं। साहिली साथी वहाँ की अपनी तिजारत छोड़कर मक्का मुकर्रमा आया और अपने साथी से कहा कि मुझे उनका पता बतलाओ जो नुबुव्वत का दावा करते हैं। यह साहिली साथी कुछ पुरानी आसमानी किताबों तौरात व इन्जील वग़ैरह का अध्ययन किया करता था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की ख़िदमत में हाज़िर हुआ और पूछा कि आप किस चीज़ की तरफ़ दावत देते हैं? आपने अपनी इस्लामी दावत की अहम बातों का ज़िक्र फ़रमाया, इस्लाम की दावत को आपकी ज़ुबाने मुबारक से सुनते ही उसने कहा 'अश्हदु अन्न-क रसूलुल्लाह' यानी मैं गवाही देता हूँ कि आप बेशक अल्लाह के रसूल हैं। आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने उनसे पूछा कि आपको यह कैसे मालूम हुआ? उसने अ़र्ज़ किया कि (आपकी दावत का हक़ होना तो अ़क्ल से समझा और इसकी निशानी यह देखी कि) जितने अम्बिया अ़लैहिमुस्सलाम पहले आये हैं सब के मानने वाले शुरू में क़ौम के ग़रीब व फ़क़ीर दुनिया में कम हैसियत वाले लोग हुए हैं। इस पर यह मज़कूरा आयत 34 नाज़िल हुई। (इब्ने कसीर, तफ़सीरे मज़हरी)

मुत्रफ़ तरफ़ से निकला है जिसके मायने नाज़ व नेमत की ज़्यादती और अधिकता के आते हैं। 'मुत्रफ़ीन' से मुराद ग़नी और मालदार और क़ौम के बड़े लोग हैं। क़ुरआने करीम ने मज़कूरा आयतों में से पहली आयत में फ़रमाया है कि जब कभी हमने कोई रसूल भेजा तो माल व दौलत के नशे और नाज़ व नेमत में पले हुए लोगों ने उसका मुक़ाबला कुफ़्र व इनकार ही से किया है।

दूसरी आयत में उनका यह क़ौल नक़ल किया है कि:

نَحْنُ اَكْثَرُ اَمْوَالًا وَّاَوْلَادًا وَّمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِيْنَ۝

"यानी हम तुम से माल व दौलत में भी ज़्यादा और औलाद में भी, इसलिये हम अ़ज़ाब में मुब्तला नहीं हो सकते।" (बज़ाहिर उनके क़ौल का मतलब यह था कि अल्लाह तआ़ला के नज़दीक हम अ़ज़ाब के क़ाबिल होते तो हमें इतनी दौलत व इ़ज़्ज़त क्यों देता) क़ुरआने करीम ने तीसरी और चौथी (36 और 37 नम्बर की) आयत में उनका जवाब दिया है।

जवाब का ख़ुलासा यह है कि दुनिया में माल व दौलत या इ़ज़्ज़त व रुतबे की कमी-बेशी अल्लाह तआ़ला के नज़दीक मक़बूल या मरदूद होने की दलील नहीं, बल्कि क़ुदरती और कायनाती मस्लेहतों को सामने रखते हुए दुनिया में तो अल्लाह तआ़ला जिसको चाहता है माल व दौलत फ़रावानी के साथ देता है, जिसको चाहता है कम देता है, जिसकी असल हिक्मत को वही जानता है मगर माल व दौलत की अधिकता को अल्लाह के नज़दीक मक़बूलियत की दलील समझना जहालत है, क्योंकि उसके नज़दीक मक़बूलियत का मदार सिर्फ़ ईमान और नेक अ़मल पर है जिसको यह हासिल नहीं माल व औलाद कितना ही ज़्यादा हो वह उसको अल्लाह तआ़ला के नज़दीक मक़बूल नहीं बना सकता।

इसी मज़मून को क़ुरआने करीम ने कई आयतों में बयान फ़रमाया है। एक जगह इरशाद है:

اَيَحْسَبُوْنَ اَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهٖ مِنْ مَّالٍ وَّبَنِيْنَ۝ نُسَارِعُ لَهُمْ فِى الْخَيْرٰتِ بَلْ لَّا يَشْعُرُوْنَ۝

यानी क्या ये लोग समझते हैं कि हम जो माल और औलाद की अधिकता से इनकी इमदाद करते हैं यह कुछ उनके लिये अन्जाम व आख़िरत के एतिबार से ख़ैर है? (हरगिज़ नहीं!) बल्कि ये लोग हक़ीक़त से बेख़बर हैं (कि जो माल व औलाद इनसान को अल्लाह से ग़ाफ़िल करे वह उसके

लिये वबाल है)।

एक दूसरी आयत में फ़रमायाः

فَلَا تُعْجِبْكَ اَمْوَالُهُمْ وَلَآ اَوْلَادُهُمْ اِنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ اَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كٰفِرُوْنَ○

"यानी उन काफ़िरों के माल व औलाद से आप ताज्जुब न करें क्योंकि अल्लाह तआ़ला का इरादा यह है कि उनको उसी माल व औलाद के ज़रिये दुनिया में अ़ज़ाब में मुब्तला कर दे और अन्जामकार उनकी जान उसी कुफ़्र की हालत में निकल जाये।"

जिसका नतीजा आख़िरत का हमेशा का अ़ज़ाब हो। माल व औलाद के ज़रिये दुनिया में अ़ज़ाब देने का मतलब यह है कि वे दुनिया में माल व दौलत की मुहब्बत में ऐसे मुब्तला हो जायें कि अपने अन्जाम और ख़ुदा व आख़िरत की तरफ़ कभी तवज्जोह न हो, जिसका अन्जाम हमेशा का अ़ज़ाब है, और बहुत से माल व औलाद वालों को इस दुनिया में भी माल व औलाद ही की ख़ातिर बल्कि उन्हीं के ज़रिये हज़ारों मुसीबतें व तकलीफ़ें झेलनी पड़ती हैं, उनकी सज़ा व अ़ज़ाब तो इसी आ़लम से शुरू हो जाता है।

हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु की रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि अल्लाह तआ़ला तुम्हारी सूरतों को और तुम्हारे मालों को नहीं देखता, वह तो तुम्हारे दिलों को और आमाल को देखता है। (अहमद, इब्ने कसीर)

فَاُولٰٓئِكَ لَهُمْ جَزَآءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوْا وَهُمْ فِى الْغُرُفٰتِ اٰمِنُوْنَ○

यह ईमान और नेक अ़मल वालों का हाल बतलाया गया है कि अल्लाह तआ़ला के नज़दीक मक़बूल यही लोग हैं, दुनिया में कोई इनकी क़द्र पहचाने या न पहचाने, आख़िरत में इनको दूना बदला मिलेगा। ज़िअ़्फ़ मस्दर है जिसके मायने एक चीज़ के मिस्ल या अमसाल के आते हैं। मुराद यह है कि जिस तरह दुनिया में दौलत वाले अपनी दौलत को बढ़ाने में लगे रहते हैं, अल्लाह तआ़ला उनके आमाल की जज़ा को आख़िरत में बढ़ा देंगे कि एक अ़मल की जज़ा उसके दस अमसाल होंगे और इसमें भी सीमित नहीं उसके अ़मल के इख़्लास और दूसरे असबाब से एक अ़मल की जज़ा उसके सात सौ गुना तक मिलना भी सही हदीसों में साबित है। और इसमें भी हद बन्दी नहीं इससे भी ज़्यादा हो सकती है। और ये लोग जन्नत के बालाख़ानों में सुरक्षित और हमेशा के लिये हर रंज व ग़म से महफ़ूज़ रहेंगे। ग़ुरुफ़ात ग़ुरफ़ा की जमा (बहुवचन) है, मकान का जो हिस्सा दूसरे हिस्सों से नुमायाँ और आला समझा जाये उसको ग़ुरफ़ा कहते हैं। (तफ़सीरे मज़हरी)

قُلْ اِنَّ رَبِّىْ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ وَيَقْدِرُ لَهٗ ۚ وَمَآ اَنْفَقْتُمْ مِّنْ شَىْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهٗ ۚ وَهُوَ خَيْرُ الرّٰزِقِيْنَ○

क़ुल् इन्-न रब्बी यब्सुतुर्रिज़्-क़ लिमंय्यशा-उ मिन् अ़िबादिही व	तू कह- मेरा रब है जो कुशादा कर देता है रोज़ी जिसको चाहे अपने बन्दों में और

यक़्दिरु लहू, व मा अन्फ़क़्तुम् मिन् शैइन् फ़हु-व युख़्लिफ़ुहू व हु-व ख़ैरुर्-राज़िक़ीन (39)	माप कर देता है, और जो ख़र्च करते हो कुछ चीज़ वह उसका एवज़ (बदला) देता है और वह बेहतर है रोज़ी देने वाला। (39)

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

आप (मोमिनों से) यह फ़रमा दीजिये कि मेरा रब अपने बन्दों में से जिसको चाहे ज़्यादा रोज़ी देता है और जिसको चाहे तंगी से देता है, और (ख़र्च में हाथ रोकने और कन्जूसी से रिज़्क़ बढ़ नहीं सकता, और शरीअ़त के मुताबिक़ ख़र्च करने से घट नहीं सकता, इसलिये तुम माल से दिल न लगाओ बल्कि जहाँ अल्लाह के हुक़ूक़ और अपने बाल-बच्चों के हुक़ूक़ और ग़रीबों व मिस्कीनों वग़ैरह में ख़र्च करने का हुक्म है बेधड़क ख़र्च करते रहो, कि इससे मुक़द्दर और तयशुदा रिज़्क़ में तो किसी कमी का नुक़सान न होगा और आख़िरत में इससे नफ़ा हासिल होगा, क्योंकि) जो चीज़ तुम (अल्लाह के हुक्म के मौक़ों में) ख़र्च करोगे तो अल्लाह तआ़ला उसका (आख़िरत में तो ज़रूर और अक्सर दुनिया में भी) बदला देगा, और वह सबसे बेहतर रोज़ी देने वाला है।

मआ़रिफ़ व मसाईल

यह आयत तक़रीबन इन्हीं अलफ़ाज़ के साथ ऊपर गुज़री है 'क़ुल् इन्-न रब्बी यब्सुतुर्रिज़्-क लिमंय्यशा-उ व यक़्दिरु' यहाँ बज़ाहिर यही मज़मून दोबारा आया है मगर एक फ़र्क़ के साथ कि इस जगह "मंय्यशा-उ" के बाद "मिन् इबादिही" और 'यक़्दिरु' के बाद 'लहू' का इज़ाफ़ा है। "मिन् इबादिही" के लफ़्ज़ से यह समझा जाता है कि यह हुक्म अपने मख़्सूस बन्दों यानी मोमिनों के लिये इरशाद हुआ है और इससे मक़सद यह है कि ईमान वाले माल की मुहब्बत में ऐसे न लगें कि अल्लाह तआ़ला के बतलाये हुए हुक़ूक़ व मौक़ों पर ख़र्च करने से दिल-तंग होने लगें, और इससे पहली जो आयत इसी मज़मून की आई है उसका ख़िताब काफ़िरों व मुश्रिकों को था जो दुनिया के माल व औलाद पर फ़ख़्र करते और उनको अपनी आख़िरत की कामयाबी की दलील बताते थे। इस तरह कलाम के मक़सद और मुख़ातब के एतिबार से दोहराना न रहा, ख़ुलासा-ए-तफ़सीर में जो शुरू आयत की तफ़सीर में मोमिनों का लफ़्ज़ बढ़ाया है यह इसी मज़मून की तरफ़ इशारा है।

और कुछ हज़रात ने इन दोनों आयतों में यह फ़र्क़ बयान किया है कि पहली आयत में तो मुख़्तलिफ़ इनसानों में रिज़्क़ की तक़सीम का ज़िक्र था कि अल्लाह तआ़ला अपनी हिक्मत और दुनिया वालों की मस्लेहतों को सामने रखते हुए किसी को माल ज़्यादा किसी को कम देते हैं, और इस आयत में एक ही शख़्स के मुख़्तलिफ़ हालात का ज़िक्र है कि एक शख़्स को कभी माल की अधिकता और वुस्अ़त अ़ता होती है कभी उसी को तंगी और तंगदस्ती भी पेश आती है। लफ़्ज़ 'लहू' जो इस आयत में 'यक़्दिरु' के बाद आया है इसमें इस तरफ़ इशारा निकलता है। इस तक़रीर के मुताबिक़ भी मज़मून को दोबारा लाना न रहा बल्कि पहली आयत मुख़्तलिफ़ अफ़राद के मुताल्लिक़ और यह आयत

एक ही फर्द के मुख़्तलिफ़ हालात के मुताल्लिक हो गई।

وَمَآ اَنْفَقْتُمْ مِّنْ شَیْءٍ فَهُوَ یُخْلِفُهٗ

इस आयत के लफ़्ज़ी मायने यह हैं कि तुम जो चीज़ भी ख़र्च करते हो अल्लाह तआ़ला अपने ग़ैब के ख़ज़ाने से तुम्हें उसका बदल दे देते हैं, कभी दुनिया में और कभी आख़िरत में और कभी दोनों में। दुनियावी कायनात की तमाम चीज़ों में इसका नज़ारा और अनुभव होता है कि आसमान से पानी नाज़िल होता है, इनसान और जानवर उसको बेधड़क ख़र्च करते रहते हैं, खेतों और दरख़्तों को सैराब करते हैं, वह पानी ख़त्म नहीं होता कि दूसरा उसकी जगह और नाज़िल हो जाता है, इसी तरह ज़मीन से कुआँ खोदकर जो पानी निकाला जाता है उसको जितना निकाल कर ख़र्च करते हैं उसकी जगह दूसरा पानी क़ुदरत की तरफ़ से जमा हो जाता है, इनसान ग़िज़ा खाकर बज़ाहिर ख़त्म कर लेता है मगर अल्लाह तआ़ला उसकी जगह दूसरी ग़िज़ा मुहैया कर देते हैं। बदन की चलत-फिरत और मेहनत से जो हिस्से घुलते और काम में आ जाते हैं उनकी जगह दूसरे हिस्से बदल बन जाते हैं। ग़र्ज़ कि इनसान दुनिया में जो चीज़ ख़र्च करता है अल्लाह तआ़ला की आ़म आ़दत यह है कि उसके क़ायम-मक़ाम उसी जैसी दूसरी चीज़ दे देते हैं, कभी किसी को सज़ा देने के लिये या किसी दूसरी फ़ितरी मस्लेहत से इसके ख़िलाफ़ हो जाना अल्लाह तआ़ला के इस नियम के विरुद्ध नहीं।

सही मुस्लिम में हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु की हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि हर दिन जब लोग सुबह में दाख़िल होते हैं दो फ़रिश्ते आसमान से उतरते हैं और यह दुआ़ करते हैं:

اَللّٰهُمَّ اَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا وَّاَعْطِ مُمْسِکًا تَلَفًا.

"यानी या अल्लाह! ख़र्च करने वाले को उसका बदल अ़ता फ़रमा और कन्जूसी करने वाले का माल ज़ाया कर दे।"

और एक दूसरी हदीस में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि अल्लाह तआ़ला ने मुझ से इरशाद फ़रमाया है कि आप लोगों पर ख़र्च करें मैं आप पर ख़र्च करूँगा।

जो ख़र्च शरीअ़त के मुताबिक़ न हो उसके बदल का वायदा नहीं

हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अ़न्हु की हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि नेक काम सदक़ा है और कोई आदमी जो अपने नफ़्स या अपने बीवी-बच्चों पर ख़र्च करता है वह भी सदक़े के हुक्म में है जिसका सवाब मिलता है। और जो शख़्स कुछ ख़र्च करके अपनी आबरू बचाये वह भी सदक़ा है। और जो शख़्स अल्लाह के हुक्म के मुताबिक़ कुछ ख़र्च करता है तो अल्लाह तआ़ला ने अपने ज़िम्मे लिया है कि उसका बदल उसको देगा, मगर वह ख़र्च जो (फ़ुज़ूल ज़रूरत से ज़्यादा) तामीर में या किसी गुनाह के काम में किया हो उसके बदल का वादा नहीं।

हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अ़न्हु के शागिर्द इब्ने मुन्कदिर ने यह हदीस सुनकर उनसे पूछा कि

आबरू बचाने के लिये ख़र्च का क्या मतलब है? उन्होंने फ़रमाया कि जिस शख़्स के मुताल्लिक़ यह ख़्याल हो कि नहीं देंगे तो जब ऐब निकालेगा, बुरा कहता फिरेगा या बदगोई करेगा उसको अपनी आबरू बचाने के लिये देना मुराद है। (दारे क़ुतनी, क़ुर्तुबी)

जिस चीज़ का ख़र्च घट जाता है उसकी पैदावार भी घट जाती है

इस आयत के इशारे से यह भी मालूम हुआ कि अल्लाह तआ़ला ने जो चीज़ें सिर्फ़ इनसान और हैवानों के लिये पैदा फ़रमाई हैं जब तक वो ख़र्च होती रहती हैं उनका बदल अल्लाह की तरफ़ से पैदा होता रहता है, जिस चीज़ का ख़र्च ज़्यादा होता है अल्लाह तआ़ला उसकी पैदावार भी बढ़ा देते हैं। जानवरों में बकरे और गाय का सब से ज़्यादा ख़र्च है कि उनको ज़िबह करके गोश्त खाया जाता है और शरई क़ुरबानियों और कफ़्फ़ारों व जिनायात में उनको ज़िबह किया जाता है, वे जितने ज़्यादा काम आते हैं अल्लाह तआ़ला उतनी ही ज़्यादा उनकी पैदावार बढ़ा देते हैं, जिसको हर जगह खुली आँखों देखा जाता है कि बकरों की तादाद हर वक़्त छुरी के नीचे रहने के बावजूद दुनिया में ज़्यादा है, कुत्ते बिल्ली की तादाद उतनी नहीं, हालाँकि कुत्ते बिल्ली की नस्ल बज़ाहिर ज़्यादा होनी चाहिये कि वे एक ही पेट (गर्भ) से चार पाँच बच्चे तक पैदा करते हैं, गाय बकरी ज़्यादा से ज़्यादा दो बच्चे देती है गाय बकरी हर वक़्त ज़िबह होती रहती है, कुत्ते, बिल्ली को कोई हाथ नहीं लगाता मगर फिर यह नाक़ाबिले इनकार हक़ीक़त है कि दुनिया में गाय और बकरों की तादाद कुत्ते बिल्ली के मुक़ाबले में ज़्यादा है। जब से हिन्दुस्तान में गाय के ज़बीहे पर पाबन्दी लगी है उस वक़्त से वहाँ गाय की पैदावार उसी अनुपात से घटी है वरना हर बस्ती और हर घर गायों से भरा हुआ होता, जो ज़िबह न होने के सबब बची रहीं।

अ़रब वालों ने जब से सवारी और बोझ ढोने में ऊँटों से काम लेना कम कर दिया वहाँ ऊँटों की पैदावार भी घट गई। इससे उस गुमराही भरे शुब्हे का ख़ात्मा हो गया जो क़ुरबानी के अहकाम के मुक़ाबले में आर्थिक और माली तंगी का अन्देशा पेश करके किया जाता है।

وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَٰٓئِكَةِ أَهَٰٓؤُلَآءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ ۝ قَالُوا سُبْحَٰنَكَ أَنتَ وَلِيُّنَا مِن دُونِهِم ۖ بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ ۖ أَكْثَرُهُم بِهِم مُّؤْمِنُونَ ۝ فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَّفْعًا وَلَا ضَرًّا وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ ۝

व यौ-म यह्शुरुहुम् जमीअ़न् सुम्-म यक़ूलु लिल्मलाइ-कति अ-हाउला-इ इय्याकुम् कानू यअ़्बुदून (40) क़ालू	और जिस दिन जमा करेगा उन सब को फिर कहेगा फ़रिश्तों को क्या ये लोग तुमको पूजा करते थे? (40) वे कहेंगे

सुब्हान-क अन्-त वलिय्युना मिन् दूनिहिम् बल् कानू यअ्बुदूनल्-जिन्-न अक्सरुहुम् बिहिम् मुअ्मिनून (41) फ़ल्यौ-म ला यम्लिकु बअ्ज़ुकुम् लि-बअ्ज़िन् नफ़्अंव्-व ला ज़र्रन्, व नक़ूलु लिल्लज़ी-न ज़-लमू ज़ूक़ू अ़ज़ाबन्-नारिल्लती कुन्तुम् बिहा तुकज़्ज़िबून (42)	तेरी ज़ात पाक है हम तेरी तरफ़ में हैं उनकी तरफ़ में नहीं, पर पूजते थे जिन्नों को, ये अक्सर उन्हीं पर एतिक़ाद रखते थे। (41) सो आज तुम मालिक नहीं एक दूसरे के भले के न बुरे के, और कहेंगे हम उन गुनाहगारों को चखो तकलीफ़ उस आग की जिसको तुम झूठ बतलाते थे। (42)

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

और (वह दिन ज़िक्र करने के क़ाबिल है) जिस दिन अल्लाह तआ़ला इन सब को (क़ियामत के मैदान में) जमा फ़रमायेगा, फिर फ़रिश्तों से इरशाद फ़रमायेगा- क्या ये लोग तुम्हारी इबादत किया करते थे? (फ़रिश्तों से यह सवाल मुश्रिकों को लाजवाब करने के लिये होगा, जो फ़रिश्तों और ग़ैर-फ़रिश्तों को इस ख़्याल से पूजते थे कि ये राज़ी होकर हमारी शफ़ाअ़त करेंगे, जैसे सूरः मायदा की आयत 116 में इसी तरह का सवाल हज़रत ईसा अ़लैहिस्सलाम से किया गया है।

सवाल का मतलब यह है कि क्या तुम्हारी रज़ा से तुम्हारी इबादत किया करते थे? और साथ ही जवाब में भी इसी क़ैद का इशारा है जैसा कि जवाब के तर्जुमे से मालूम होगा) वे (पहले तो हक़ तआ़ला का शरीक से बालातर और पाक होना ज़ाहिर करने के लिये) अ़र्ज़ करेंगे कि आप (शरीक से) पाक हैं (यह जवाब से पहले इसलिये कहा गया कि उनकी तरफ़ जो शरीक होने की बात की निस्बत की गई है उससे घबराकर पहले ये जुमले अ़र्ज़ किये, फिर आगे इस सवाल का जवाब यह देंगे कि) हमारा तो (महज़) आप से ताल्लुक़ है न कि इनसे, (इससे राज़ी होने और हुक्म करने दोनों की नफ़ी हो गई। यानी न हमने इनसे कहा न हम इनके काम से राज़ी, हम तो आपके फ़रमाँबरदार हैं, जो चीज़ आपको नापसन्द है जैसे शिर्क वग़ैरह उससे हम भी नाख़ुश हैं। जब उस शिर्क में न हमारा हुक्म है न रज़ामन्दी तो वास्तव ये हमारी इबादत न करते थे) बल्कि ये लोग शैतानों को पूजा करते थे, (क्योंकि शयातीन ही उसकी तरफ़ रग़बत व रुचि भी दिलाते थे और उससे राज़ी भी थे, इसलिए वही इनके माबूद हुए। क्योंकि इबादत के लिये लाज़िमी है कि पूरी तरह उसका फ़रमाँबरदार बने कि उसके सामने और किसी की इताअ़त न करे। इसी तरह ऐसी मुकम्मल और बेचून व चरा इताअ़त का तक़ाज़ा है उसकी इबादत की जाये, पस जब हमारी तरफ़ से हुक्म व रज़ामन्दी साबित नहीं तो हमारी इताअ़त न हुई, और जब शयातीन की पूरी तरह फ़रमाँबरदारी की तो हक़ीक़त में इबादत भी उन्हीं की हुई, चाहे ये लोग उसका नाम कुछ और ही रखें, फ़रिश्तों की इबादत कहें या बुतों की इबादत, मगर हक़ीक़त में वह इबादत शयातीन ही की है।

और जैसा ऊपर बयान हुई तक़रीर से उन लोगों का शैतानों का इबादत करने वाला होना लाज़िम आया इसी तरह) उनमें अक्सर लोग (पाबन्दी के साथ भी) उन्हीं (शैतानों) के मोतक़िद थे (यानी जान-बूझकर भी बहुत से उनको पूजते थे, जैसे सूरः जिन्न की आयत में है:

وَاَنَّهٗ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْاِنْسِ يَعُوْذُوْنَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ (وغير ذلك من الايات)

सो (काफ़िरों से कहा जायेगा कि जिनसे तुम उम्मीदें रखते थे) आज (ख़ुद उनकी इस तुम से बेताल्लुक़ी ज़ाहिर करने से भी और उनके आजिज़ व बेबस होने से भी तुम्हारे गुमान के ख़िलाफ़ यह हालत ज़ाहिर हुई कि) तुम (इबादत करने वाले और जिनकी इबादत की जाती थी सब के सब) में से न कोई किसी को नफ़ा पहुँचाने का इख़्तियार रखता है और न नुक़सान पहुँचाने का (मतलब तो यह है कि ये तुम्हारे माबूद तुमको नफ़ा नहीं पहुँचा सकते, मगर मुबालग़े के लिये "बअ्ज़ुकुम लि-बअ्ज़िन" से ताबीर फ़रमाया ताकि इस अस्पष्ट रखने से दोनों की बराबरी इस बात में साबित हो जाये कि जैसे तुम आजिज़ हो वे भी आजिज़ हैं और नुक़सान का ज़िक्र आजिज़ी व बेबसी के आम होने को बयान करने के लिये है, इससे कलाम और भी मज़बूत व ताकीद वाला हो गया) और (उस वक़्त) हम ज़ालिमों (यानी काफ़िरों) से कहेंगे कि जिस दोज़ख़ के अ़ज़ाब को तुम झुठलाया करते थे (अब) उसका मज़ा चखो।

وَاِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ اٰيٰتُنَا بَيِّنٰتٍ قَالُوْا مَا هٰذَآ اِلَّا رَجُلٌ يُّرِيْدُ اَنْ يَّصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ اٰبَآؤُكُمْ ۚ وَقَالُوْا مَا هٰذَآ اِلَّآ اِفْكٌ مُّفْتَرًى ۭ وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِلْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُمْ ۙ اِنْ هٰذَآ اِلَّا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ ۝ وَمَآ اٰتَيْنٰهُمْ مِّنْ كُتُبٍ يَّدْرُسُوْنَهَا وَمَآ اَرْسَلْنَآ اِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِنْ نَّذِيْرٍ ۝ وَكَذَّبَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۙ وَمَا بَلَغُوْا مِعْشَارَ مَآ اٰتَيْنٰهُمْ فَكَذَّبُوْا رُسُلِيْ ۣ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيْرِ ۝ قُلْ اِنَّمَآ اَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ ۚ اَنْ تَقُوْمُوْا لِلّٰهِ مَثْنٰى وَفُرَادٰى ثُمَّ تَتَفَكَّرُوْا ۣ مَا بِصَاحِبِكُمْ مِّنْ جِنَّةٍ ۭ اِنْ هُوَ اِلَّا نَذِيْرٌ لَّكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيْدٍ ۝ قُلْ مَا سَاَلْتُكُمْ مِّنْ اَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ ۭ اِنْ اَجْرِيَ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ ۚ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدٌ ۝ قُلْ اِنَّ رَبِّيْ يَقْذِفُ بِالْحَقِّ ۚ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ ۝ قُلْ جَآءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيْدُ ۝ قُلْ اِنْ ضَلَلْتُ فَاِنَّمَآ اَضِلُّ عَلٰى نَفْسِيْ ۚ وَاِنِ اهْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوْحِيْٓ اِلَيَّ رَبِّيْ ۭ اِنَّهٗ سَمِيْعٌ قَرِيْبٌ ۝

व इज़ा तुत्ला अ़लैहिम् आयातुना बय्यिनातिन् क़ालू मा हाज़ा इल्ला रजुलुंय्-युरीदु अंय्यसुद्दकुम् अ़म्मा का-न यअ्बुदु आबाउकुम् व क़ालू मा हाज़ा इल्ला इफ़्कुम् मुफ़्तरन्, व	और जब पढ़ी जायें उनके पास हमारी आयतें खुली-खुली कहें- और कुछ नहीं मगर यह एक मर्द है चाहता है कि रोक दे तुमको उनसे जिनको पूजते रहे तुम्हारे बाप दादा, और कहें- और कुछ नहीं यह झूठ बाँधा हुआ, और कहते हैं मुन्किर

क़ालल्लज़ी-न क-फ़रू लिल्हक़्क़ि लम्मा जा-अहुम् इन् हाज़ा इल्ला सिह्रुम्-मुबीन (43) व मा आतैनाहुम् मिन् कुतुबिंय्-यद्रुसूनहा व मा अर्सल्ना इलैहिम् क़ब्-लक मिन् नज़ीर (44) व कज़्ज़बल्लज़ी-न मिन् क़ब्लिहिम् व मा ब-लग़ू मिअ्शा-र मा आतैनाहुम् फ़-कज़्ज़बू रुसुली, फ़कै-फ़ का-न नकीर (45) ❁

हक़ बात को जब पहुँचे उन तक- और कुछ नहीं यह एक जादू है खुला। (43) और हमने दी नहीं उनको कुछ किताबें कि जिनको वे पढ़ते हों और भेजा नहीं उनके पास तुझसे पहले कोई डराने वाला। (44) और झुठलाया है इनसे पहलों ने और ये नहीं पहुँचे दसवें हिस्से को उसके जो हमने उनको दिया था, फिर झुठलाया उन्होंने मेरे भेजे हुओं को तो कैसा हुआ मेरा इनकार। (45) ❁

क़ुल् इन्नमा अअ़िज़ुकुम् बिवाहि-दतिन् अन् तक़ूमू लिल्लाहि मस्ना व फ़ुरादा सुम्-म त-तफ़क्करू, मा बिसाहिबिकुम् मिन् जिन्नतिन्, इन् हु-व इल्ला नज़ीरुल्-लकुम् बै-न यदै अ़ज़ाबिन् शदीद (46) क़ुल् मा सअल्तुकुम् मिन् अज्रिन् फ़हु-व लकुम्, इन् अज्रि-य इल्ला अ़लल्लाहि व हु-व अ़ला कुल्लि शैइन् शहीद (47) क़ुल इन्-न रब्बी यक़्ज़िफ़ु बिल्हक़्क़ि अ़ल्लामुल्-ग़ुयूब (48) क़ुल जाअल्-हक़्क़ु व मा युब्दिउल्-बातिलु व मा युअ़ीद (49) क़ुल् इन् ज़लल्तु फ़-इन्नमा अज़िल्लु अ़ला नफ़्सी व इनिह्तदैतु फ़-बिमा यूही इलय्-य रब्बी, इन्नहू समीअुन् क़रीब (50)

तू कह मैं तो एक ही नसीहत करता हूँ तुमको कि उठ खड़े हो अल्लाह के नाम पर दो-दो एक-एक फिर ध्यान करो कि इस तुम्हारे रफ़ीक़ को कुछ सौदा (जुनून) नहीं, यह तो एक डराने वाला है तुमको एक बड़ी आफ़त के आने से। (46) तू कह- जो मैंने तुमसे माँगा हो कुछ बदला सो वह तुम्हीं रखो, मेरा बदला है उसी अल्लाह पर और उसके सामने है हर चीज़। (47) तू कह- मेरा रब फेंक रहा है सच्चा दीन और वह जानता है छुपी चीज़ें। (48) तू कह- आया दीन सच्चा और झूठ तो न किसी चीज़ को पैदा करे और न फेरकर लाये। (49) तू कह- अगर मैं बहका हुआ हूँ तो बहकूँगा अपने ही नुक़सान को और अगर हूँ रास्ते पर तो इस सबब से कि 'वही' भेजता है मुझको मेरा रब, बेशक वह सब कुछ सुनता है नज़दीक है। (50)

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

और जब उन लोगों के सामने हमारी आयतें जो (हक़ और हिदायत वाली होने की सिफ़त में) साफ़-साफ़ हैं पढ़ी जाती हैं तो ये लोग (पढ़ने वाले यानी नबी सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के बारे में नऊ़ज़ु बिल्लाह) कहते हैं कि यह महज़ एक ऐसा शख़्स है जो यूँ चाहता है कि तुमको उन चीज़ों (की इबादत) से रोक दे जिनको (पहले से) तुम्हारे बड़े पूजते (आ रहे) थे, और (उनसे बाज़ रखकर अपना ताबे बनाना चाहता है। मतलब उन कमबख़्तों का यह था कि यह नबी नहीं और इनकी दावत अल्लाह की जानिब से नहीं बल्कि इसमें ख़ुद उनकी ज़ाती ग़र्ज़ अपनी सरदारी की है) और (क़ुरआन के बारे में) कहते हैं कि (नऊ़ज़ु बिल्लाह) यह महज़ एक गढ़ा हुआ झूठ है। (यानी ख़ुदा की तरफ़ इसकी निस्बत करना अपनी तरफ़ से बनाई हुई बात है) और ये काफ़िर इस हक़ चीज़ (यानी क़ुरआन) के मुताल्लिक़ जबकि वह उनके पास पहुँचा (इस एतिराज़ के जवाब के लिये कि अगर यह ख़ुद बनाया हुआ झूठ है तो फिर बहुत से अ़क़्लमन्द इसकी पैरवी क्यों करते हैं और यह ऐसा असरदार क्यों है) यूँ कहते हैं कि यह महज़ एक खुला जादू है (बस इसको सुनकर लोग बेख़ुद और अ़क़्ल से मग़लूब हो जाते हैं)। और (उनको तो क़ुरआन की और नबी की बड़ी क़द्र करनी चाहिए थी क्योंकि उनके लिये तो ये अचानक और बिना उम्मीद के मिलने वाली नेमतें थीं इस सबब से कि) हमने (इस क़ुरआन से पहले) उनको (कभी आसमानी) किताबें नहीं दी थीं कि उनको पढ़ते-पढ़ाते हों, (जैसे बनी इस्राईल के पास किताबें थीं। तो इनके हक़ में तो क़ुरआन बिल्कुल एक नई चीज़ थी इसलिए इसकी क़द्र करनी चाहिए थी) और (इसी तरह) हमने आप से पहले इनके पास कोई डराने वाला (यानी पैग़म्बर) नहीं भेजा था। और (तो इनके हक़ में नबी भी एक नई दौलत थी इसलिये उनकी भी क़द्र करनी चाहिए थी, ख़ुसूसन जबकि नई नेमत होने के अ़लावा ख़ुद उनकी तमन्ना भी थी कि उनके पास कोई नबी आये तो यह उसकी इत्तिबा करें जैसा इस आयत में है:

وَاَقْسَمُوْا بِاللّٰهِ جَهْدَ اَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَآءَهُمْ نَذِيْرٌ لَّيَكُوْنُنَّ اَهْدٰى مِنْ اِحْدَى الْاُمَمِ.

मगर उन लोगों ने फिर भी क़द्र न की। जैसा कि क़ुरआन में फ़रमाया है:

فَلَمَّا جَآءَهُمْ نَذِيْرٌ مَّا زَادَهُمْ اِلَّا نُفُوْرًا............... الخ

बल्कि झुठलाया) और (ये लोग झुठला करके बेफ़िक्र न हो बैठें क्योंकि झुठलाने का वबाल बड़ा सख़्त है, चुनाँचे) इनसे पहले जो (काफ़िर) लोग थे उन्होंने (भी अम्बिया और वही को) झुठलाया था और ये (अ़रब के मुश्रिक लोग) तो उस सामान के जो हमने उनको दे रखा था दसवें हिस्से को भी नहीं पहुँचे। (यानी उनके जैसी क़ुव्वत, उनके जैसी उम्रें, उनके जैसी मालदारी व दौलत इनको नहीं मिली जो कि ग़ुरूर और फ़ख़्र करने का सबब होता है। अल्लाह तआ़ला का क़ौल है:

كَانُوْٓا اَشَدَّ مِنْكُمْ قُوَّةً وَّاَكْثَرَ اَمْوَالًا وَّاَوْلَادًا)

ग़र्ज़ कि उन्होंने मेरे रसूलों को झुठलाया सो (देखो) मेरा (उन पर) कैसा अ़ज़ाब हुआ। (सो ये बेचारे तो क्या चीज़ हैं, इनके पास तो इतना सामान भी नहीं जब इस क़द्र माल व दौलत काम न आई तो यह किस धोखे में हैं। और जब इनके पास सामान कम है जो ग़ुरूर व फ़ख़्र का सबब होता

है तो इनका जुर्म भी ज़्यादा सख़्त है, फिर ये कैसे बच जायेंगे।

यहाँ तक नुबुव्वत के इनकार पर काफ़िरों को धमकाकर आगे उनको नुबुव्वत की तस्दीक़ करने का एक तरीक़ा बतलाते हैं कि ऐ मुहम्मद सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम) आप (उनसे) यह कहिए कि मैं तो सिर्फ़ एक (मुख़्तसर सी) बात समझाता हूँ (उससे स्पष्ट हो जायेगा बस उसको कर लो) वह यह कि तुम (सिर्फ़) ख़ुदा के वास्ते (कि उसमें नफ़्सानियत व पक्षपात न हो) खड़े (यानी तैयार) हो जाओ (किसी मौक़े पर) दो-दो और (किसी मौक़े पर) एक-एक, (यानी चूँकि उद्देश्य ग़ौर व फ़िक्र है जैसा कि आगे आता है, और फ़िक्र व विचार का क़ायदा है कि कभी-कभी और बाज़ी तबीयतों के एतिबार से दो के मिलने से हर शख़्स की फ़िक्र को दूसरे से मज़बूती मिलती है, और बाज़ी बार और बाज़ी तबीयतों के एतिबार से अकेले सोच विचार में अच्छा ज़ेहन चलता है, और बहुत ज़्यादा मजमे में अक्सर सोच-विचार की क़ुव्वत बेचैनी का शिकार हो जाती है, इसलिए इसी पर इक्तिफ़ा फ़रमाया। ग़र्ज़ कि इस तरह मुस्तैद हो जाओ) फिर (ख़ूब) सोचो (कि जैसे दावे मैं करता हूँ मसलन यह कि क़ुरआन के जैसा दूसरा कलाम लाना मुम्किन नहीं, जैसे कि कई मक्की सूरतों में यह मज़मून है। ऐसे दावे दो ही शख़्स कर सकते हैं या तो वह जिसके दिमाग़ में ख़लल हो कि अन्जाम की ख़बर न हो और या वह कि जो नबी हो जिसको पूरा इस दावे की सच्चाई और अल्लाह की तरफ़ से होने में पूरा भरोसा हो, वरना अगर नबी न हो और आ़क़िल भी हो तो वह ऐसे दावे के वक़्त में रुस्वाई से अन्देशा करेगा कि अगर कोई इसके जैसा बना लायेगा तो मेरी क्या रह जायेगी।

इस तरदीद के बाद मेरे मजमूई हालात में ग़ौर करके यह सोचो कि क्या मुझको जुनून है या नहीं, सो ग़ौर करने और जायज़ा लेने से यह बात अच्छी तरह मालूम हो जायेगी) कि तुम्हारे इस साथी को (जो हर वक़्त तुम्हारे सामने रहता है और जिसके तमाम हालात तुम अपनी आँखों से देखा करते हो यानी मुझको) जुनून (तो) नहीं है। (जब ऊपर बयान हुई दो सूरतों में से एक सूरत बातिल हो गई तो दूसरी सूरत मुतैयन हो गई कि) वह (तुम्हारा साथी पैग़म्बर है, और पैग़म्बर होने की हैसियत से) तुमको एक सख़्त अ़ज़ाब आने से पहले डराने वाला है। (पस इस तरीक़े से नुबुव्वत का सुबूत और उसकी तस्दीक़ बहुत आसान है। और दूसरी जगह भी इसके क़रीब क़रीब मज़मून है। फ़रमायाः

اَمْ لَمْ يَعْرِفُوْا رَسُوْلَهُمْ............ الخ

अब आगे नुबुव्वत के साबित करने के बाद काफ़िरों के इस शुब्हे का जवाब है कि यह रसूल नहीं बल्कि अपनी सरदारी व हुकूमत के तालिब हैं। फ़रमाते हैं- ऐ मुहम्मद सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम) आप (यह भी) कह दीजिए कि मैंने तुमसे (इस तब्लीग़ पर) कुछ मुआवज़ा माँगा हो तो वह तुम्हारा ही रहा (यानी तुम अपने ही पास रखो, यह कुछ अज्र और बदला न चाहने की ज़ोरदार नफ़ी के लिये एक मुहावरा है) मेरा मुआवज़ा तो बस (फ़ज़्ल के वायदे के मुताबिक़) अल्लाह तआ़ला ही के ज़िम्मे है, और वही हर चीज़ पर इत्तिला रखने वाला है (पस वह आप ही मेरे हाल के लायक़ मुझको अज्र देंगे, मुआवज़े में माल और जाह यानी सरदारी व हुकूमत सब आ गया। क्योंकि माद्दी और ग़ैर-माद्दी दोनों चीज़ों में अज्र बनने की सलाहियत है। मतलब यह कि मैं तुमसे किसी ग़र्ज़ का तालिब नहीं हूँ जो ओहदे व सरदारी का शुब्हा किया जाये। रहा यह मामला कि मैं लोगों के मामलात और हालात की इस्लाह करता हूँ, मुजरिम को सज़ा देता हूँ, आपसी झगड़ों में फ़ैसला करता हूँ तो यह शुब्हे का

कारण इसलिए नहीं हो सकता कि इसमें मेरी कोई ग़र्ज़ नहीं। चुनाँचे आपके ज़िन्दगी गुज़ारने और रहन-सहन के तरीक़े से साफ़ ज़ाहिर है कि इन चीज़ों से आपने कोई ज़ाती फ़ायदा हासिल नहीं किया बल्कि ख़ुद क़ौम ही का नफ़ा था कि उनकी जान, माल, आबरू महफ़ूज़ रहते थे। बाप जो अपने छोटे बच्चों की हिफ़ाज़त और उनको अदब व तमीज़ सिखाना सिर्फ़ ख़ैरख़्वाही से करता है उसको ख़ुदग़र्ज़ी और हुकूमत व सरदारी हासिल करने से कोई ताल्लुक़ नहीं हो सकता।

जब नुबुव्वत भी साबित हो चुकी और सरदारी व मर्तबा हासिल करने का शुब्हा भी दूर हो गया आगे इसकी विपरीत हालत के बातिल होने को इसके साबित होने से निकालते हैं कि ऐ मुहम्मद सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम) आप कह दीजिए कि मेरा रब हक़ बात को (यानी ईमान और ईमानी बातों के सुबूत को बातिल यानी कुफ़्र और ईमानी चीज़ों के इनकार पर) ग़ालिब कर रहा है (दलीलें देने और कलाम के ज़रिये भी, चुनाँचे अभी देखा और जंग व मुक़ाबले का भी सामान करने वाला है। ग़र्ज़ कि हर तरह हक़ ग़ालिब है और) वह तमाम ग़ैब की बातों और चीज़ों को जानता है।

आप कह दीजिए कि (दीने) हक़ आ गया और (दीने) बातिल न करने का रहा न धरने का (उसको पहले ही से मालूम था कि हक़ ग़ालिब होगा औरों को तो अब उसके ज़ाहिर होने के बाद मालूम हुआ, और इसी तरह उसको मालूम है कि आईन्दा ग़लबा बढ़ेगा। चुनाँचे मक्का फ़तह होने के वक़्त हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम का अगली आयत को पढ़ना जैसा कि अ़ल्लामा इब्ने कसीर ने बुख़ारी व मुस्लिम वग़ैरह से नक़ल किया है, क़रीना है कि इस मज़मून में जो ग़ालिब होने की ख़बर दी गई है उसमें जंग और हथियारों के ज़रिये ग़ालिब आना भी दाख़िल है। आगे इसी मज़मून की अधिक वज़ाहत के लिये इरशाद है- ऐ मुहम्मद सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम) आप कह दीजिए कि (दीने) हक़ आ गया और (दीने) बातिल न करने का रहा न धरने का (यानी बिल्कुल गया-गुज़रा हुआ। इसका यह मतलब नहीं कि बातिल वालों को कभी शौकत व क़ुव्वत हासिल न होगी, बल्कि मतलब यह है कि जैसे इस दीने हक़ के आने से पहले बातिल पर कभी हक़ होने का शुब्हा हो जाया करता था अब बातिल इस हैसियत से बिल्कुल नेस्त व नाबूद हो गया। यानी उसका बातिल होना ख़ूब ज़ाहिर हो गया और हमेशा क़ियामत के क़रीब तक यूँ ही ज़ाहिर रहेगा।

आगे हक़ बात के साबित और वाज़ेह हो जाने के बाद निजात का इसकी पैरवी में सीमित होना बयान फ़रमाते हैं कि ऐ मुहम्मद सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम) आप (यह भी) कह दीजिए कि (जब इस दीन का हक़ होना साबित हो गया तो इससे भी यह लाज़िम आ गया कि) अगर (मान लो) मैं (इस हक़ को छोड़कर) गुमराह हो जाऊँ तो मेरी गुमराही मुझ ही पर वबाल होगी (दूसरों का क्या नुक़सान है) और अगर मैं (इस हक़ की पैरवी करके सही) रास्ते पर हूँ तो यह उस क़ुरआन (और दीन) की बदौलत है जिसको मेरा रब मेरे पास भेज रहा है। (असल मक़सद मुख़ातब लोगों को सुनाना है कि हक़ ज़ाहिर होने के बावजूद अगर तुमने हक़ को न माना तो तुम भुगतोगे मेरा क्या बिगड़ेगा, और अगर राह पर आ गये तो यह राह पर आना इसी हक़ दीन की पैरवी की बदौलत होगा। पस तुमको चाहिए कि सही रास्ते पर आने के लिये इस दीन को इख़्तियार करो, और किसी का गुमराह होना या राह पर आना ख़ाली न जायेगा कि बेफ़िक्री की गुंजाईश हो बल्कि हर एक का हाल अल्लाह को मालूम है, क्योंकि) वह सब कुछ सुनता (और) बहुत नज़दीक है (वह हर एक को उसके मुनासिब

बदला देगा)।

मआरिफ़ व मसाईल

وَمَابَلَغُوا مِعْشَارَ مَآ اٰتَيْنٰهُمْ

लफ़्ज़ **मिअ़शार** कुछ हज़रात ने अ़श्र के मायने में कहा है यानी दसवाँ हिस्सा और कुछ उलेमा ने अ़श्रुल-अ़श्र यानी सौवाँ हिस्सा, और कुछ ने अ़श्रुल-अ़शीर यानी हज़ारवें हिस्से को मिअ़शार कहा है। और यह ज़ाहिर है कि इस लफ़्ज़ में अ़श्र के मुक़ाबले में मुबालग़ा (ज़्यादती और अधिकता) है। आयत के मायने यह हैं कि दुनिया का माल व दौलत, हुकूमत, लम्बी उम्र और सेहत व क़ुव्वत वग़ैरह जो पिछली उम्मतों को दी गई थी मक्का वालों को उसका दसवाँ बल्कि हज़ारवाँ हिस्सा भी हासिल नहीं, इसलिये उनको चाहिये कि उन पिछली क़ौमों के हालात और बुरे अन्जाम से सबक़ हासिल करें कि वे लोग रसूलों को झुठलाकर ख़ुदा तआ़ला के अ़ज़ाब में मुब्तला हुए और वह अ़ज़ाब आ गया तो उनकी क़ुव्वत व हिम्मत, माल व दौलत और महफ़ूज़ किले कुछ काम न आ सके।

मक्का के काफ़िरों को हक़ की दावत

اِنَّمَآ اَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ

इसमें मक्का वालों पर हुज्जत पूरी करने के लिये उनको हक़ को जाँचने और समझने का एक मुख़्तसर रास्ता बतलाया गया है कि सिर्फ़ एक काम कर लो कि अल्लाह के लिये खड़े हो जाओ दो-दो और एक-एक। अल्लाह के लिये खड़े होने से मुराद ज़ाहिरी तौर पर खड़ा होना नहीं कि बैठे या लेटे हुए से उठ खड़ा हो जाये, बल्कि इससे मुराद मुहावरे के मुताबिक़ काम का पूरा एहतिमाम करना है। और यहाँ क़ियाम (खड़े होने) के साथ लफ़्ज़ लिल्लाह (अल्लाह के लिये) बढ़ाकर यह बतलाना मन्ज़ूर है कि ख़ालिस अल्लाह के राज़ी करने के लिये पिछले ख़्यालात व अ़क़ीदों से ख़ाली ज़ेहन होकर हक़ की तलाश में लगो, ताकि पिछले ख़्यालात और आमाल हक़ को क़ुबूल करने की राह में रुकावट न हों। और दो-दो या एक-एक में कोई ख़ास अंक मक़सूद नहीं, मतलब यह है कि ग़ौर करने के दो तरीक़े होते हैं, एक तन्हाई और एकांत में ख़ुद ग़ौर करना, दूसरा अपने बड़ों और यार-दोस्तों से मश्विरा और आपस में ग़ौर व फ़िक्र के बाद किसी नतीजे पर पहुँचना। इन दोनों तरीक़ों को या इनमें से जो पसन्द हो उसको इख़्तियार करो।

ثُمَّ تَتَفَكَّرُوْا

इस जुमले का जोड़ 'अन् तक़ूमू' पर है जिसमें खड़े होने के मक़सद को वाज़ेह किया गया है कि सब ख़्यालात से ख़ाली ज़ेहन होकर ख़ालिस अल्लाह तआ़ला के लिये इस काम के वास्ते तैयार हो जाओ कि मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की दावत में ग़ौर व फ़िक्र से काम लो कि हक़ है या नहीं, चाहे यह ग़ौर व फ़िक्र तन्हा-तन्हा करो या दूसरों के साथ मश्विरे और विचार व तहक़ीक़ के साथ।

आगे इस ग़ौर व फ़िक्र की एक वाज़ेह राह बतलाई गई, वह यह कि एक अकेला आदमी जिसके

साथ न कोई ताक़तवर जत्था और जमाअत है, न माल व दौलत की रेलपेल वह अपनी पूरी क़ौम बल्कि पूरी दुनिया के ख़िलाफ़ किसी ऐसे अक़ीदे का ऐलान करे जो सदियों से उनमें जड़ जमाये हुए है और वे सब उस पर मुत्तफ़िक़ हैं, ऐसा ऐलान सिर्फ़ दो सूरतों में हो सकता है- एक तो यह कहने वाला बिल्कुल मजनूँ व दीवाना हो जो अपने नफ़े नुक़सान को न सोचे और पूरी क़ौम को अपना दुश्मन बनाकर मुसीबतों को दावत दे, दूसरे यह कि उसकी वह बात सच्ची हो कि वह अल्लाह की तरफ़ से भेजा हुआ रसूल है, उसके हुक्म की तामील में वह किसी की परवाह नहीं करता।

अब तुम ख़ाली दिमाग़ होकर इसमें ग़ौर करो कि इन दोनों बातों में से हक़ीक़त में कौनसी बात है। इस तरीक़े से ग़ौर करोगे तो तुम्हें इस यक़ीन के सिवा कोई चारा न रहेगा कि यह दीवाने और मजनूँ नहीं हो सकते, इनकी अ़क़्ल व समझ और किरदार व अ़मल से सारा मक्का और सब क़ुरैश वाक़िफ़ हैं। इनकी उम्र के चालीस साल अपनी क़ौम के बीच गुज़रे, बचपन से जवानी तक के सारे हालात इनके सामने हैं, कभी किसी ने इनके क़ौल व फ़ेल को अ़क़्ल व समझ और सन्जीदगी व शराफ़त के ख़िलाफ़ नहीं पाया और सिर्फ़ एक कलिमा **ला इला-ह इल्लल्लाहु** जिसकी यह दावत देते हैं इसके सिवा आज भी किसी को इनके क़ौल व फ़ेल पर यह गुमान नहीं हो सकता कि यह अ़क़्ल व दानाई के ख़िलाफ़ है। इन हालात में यह तो ज़ाहिर हो गया कि यह मजनूँ नहीं हो सकते। इसी का इज़हार आयत के अगले जुमले में इस तरह फ़रमायाः

مَابِصَاحِبِكُمْ مِّنْ جِنَّةٍ

इसमें लफ़्ज़ 'साहिबिकुम' से इस तरफ़ इशारा है कि कोई अजनबी मुसाफ़िर बाहर से आ जाये जिसके हालात मालूम न हों, उसकी कोई पूरी क़ौम के ख़िलाफ़ सुनें तो कोई कह सकता है कि यह दीवाना है, लेकिन यह तो तुम्हारे शहर के रहने वाले तुम्हारी बिरादरी से और दिन रात के तुम्हारे साथी हैं, जिनकी कोई हालत व कैफ़ियत तुम से छुपी नहीं, और तुम ने भी कभी इससे पहले इन पर इस तरह का कोई शुब्हा नहीं किया।

और जब पहली सूरत का न होना वाज़ेह हो गया तो दूसरी सूरत मुतैयन हो गई, जिसका ज़िक्र आयत में इस तरह बयान फ़रमाया है:

اِنْ هُوَ اِلَّا نَذِيْرٌ لَّكُمْ بَيْنَ يَدَىْ عَذَابٍ شَدِيْدٍ ○

यानी आपका हाल इसके सिवा नहीं कि वह लोगों को क़ियामत के आने वाले सख़्त अ़ज़ाब से बचाने के लिये उससे डराने वाले हैं।

اِنَّ رَبِّيْ يَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ ○

यानी मेरा परवर्दिगार जो 'अ़ल्लामुल-ग़ुयूब' है वह हक़ को बातिल पर दे मारता है (जिसका नतीजा यह होता है कि बातिल टुकड़े-टुकड़े हो जाता है। जैसा कि अल्लाह तआ़ला ने फ़रमाया 'फ़-इज़ा हु-व ज़ाहिक़ुन्'।

लफ़्ज़ 'क़-ज़-फ़' के लुग़वी मायने फेंक मारने के हैं, यहाँ बातिल के मुक़ाबले में हक़ को पेश करना मुराद है, और लफ़्ज़ 'यक़्ज़िफ़ु' से ताबीर करने में शायद यह हिक्मत हो कि बातिल पर हक़ की ज़द (मार और चोट) पड़ने का असर बतलाना मक़सद हो। यह एक मिसाल है कि जिस तरह कोई

भारी चीज़ किसी नाज़ुक चीज़ पर फेंक दी जाये तो वह चीज़ टुकड़े-टुकड़े हो जाती है इसी तरह हक़ के मुक़ाबले में बातिल टुकड़े-टुकड़े हो जाता है। इसी लिये आगे फ़रमायाः

وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيْدُه

यानी हक़ के मुक़ाबले में बातिल ऐसा पस्त व नाकारा होकर रह जाता है कि वह किसी चीज़ की शुरूआत करने के क़ाबिल नहीं रहता, न दोबारा लौटाने के।

وَلَوْ تَرٰٓى اِذْ فَزِعُوْا فَلَا فَوْتَ وَاُخِذُوْا مِنْ مَّكَانٍ قَرِيْبٍ ۝ وَّقَالُوْٓا اٰمَنَّا بِهٖ ۚ وَاَنّٰى لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِنْ مَّكَانٍۢ بَعِيْدٍ ۝ وَّقَدْ كَفَرُوْا بِهٖ مِنْ قَبْلُ ۚ وَيَقْذِفُوْنَ بِالْغَيْبِ مِنْ مَّكَانٍۢ بَعِيْدٍ ۝ وَحِيْلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُوْنَ كَمَا فُعِلَ بِاَشْيَاعِهِمْ مِّنْ قَبْلُ ۭ اِنَّهُمْ كَانُوْا فِىْ شَكٍّ مُّرِيْبٍ ۝

व लौ तरा इज़् फ़ज़िअू फ़ला फ़ौ-त व उख़िज़ू मिम्-मकानिन् क़रीब (51) व क़ालू आमन्ना बिही व अन्ना लहुमुत्तनावुशु मिम्-मकानिम्-बअ़ीद (52) व क़द् क-फ़रू बिही मिन् क़ब्लु व यक़्ज़िफ़ू-न बिल्ग़ैबि मिम्-मकानिम्-बअ़ीद (53) व ही-ल बैनहुम् व बै-न मा यश्तहू-न कमा फ़ुअि-ल बिअश्याअिहिम् मिन् क़ब्लु, इन्नहुम् कानू फ़ी शक्किम् मुरीब (54) ❁	और कभी तू देखे जब ये घबरायें फिर न बचें भागकर और पकड़े हुए आयें नज़दीक जगह से। (51) और कहने लगें हमने उसको यक़ीन मान लिया, और अब कहाँ उनका हाथ पहुँच सकता है दूर जगह से। (52) और उससे इनकारी रहे पहले से, और फेंकते रहे बिन देखे निशाने पर दूर की जगह से। (53) और रुकावट पड़ गई उनमें और उनकी आरज़ू में जैसा कि किया गया है उनके तरीक़े वालों के साथ इससे पहले, वे लोग थे ऐसे शक व दुविधा में जो चैन न लेने दे। (54) ❁

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

और (ऐ मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) अगर आप वह वक़्त देखें (तो आपको हैरत हो) जब ये काफ़िर (क़ियामत के हौल व हैबत से) घबराये फिरेंगे, फिर निकल भागने की कोई सूरत न होगी और पास के पास ही (यानी फ़ौरन) पकड़ लिये जाएँगे। और (उस वक़्त) कहेंगे कि हम हक़ दीन पर ईमान ले आये (और जितनी बातें इसमें बतलायी गयी हैं सब को मान लिया इसलिए हमारी तौबा क़ुबूल कर लीजिए चाहे दोबारा दुनिया में भेजकर या बग़ैर भेजे हुए) और इतनी दूर जगह से (ईमान का) उनके हाथ आना कहाँ मुम्किन है (यानी ईमान लाने की जगह अमल की जगह होने की वजह से दुनिया थी जो बड़ी दूर हो गई, अब आख़िरत का आलम है जो अमल की जगह नहीं जज़ा

और बदले की जगह है, इसमें ईमान मक़बूल नहीं क्योंकि अब जो ईमान होगा वह ग़ैब पर ईमान नहीं बल्कि देखने और सामने आने के बाद है, देखने के बाद किसी चीज़ का इक़रार करना तो एक तबई चीज़ है, उसमें हुक्म के मानने और उस पर अ़मल करने का कोई पहलू नहीं) हालाँकि पहले से (दुनिया में) ये लोग उसका इनकार करते रहे, और (इनका इनकार भी ऐसा जिसका कोई सही मन्शा और मक़सद न था बल्कि) बिना तहक़ीक़ की बातें दूर ही दूर से हाँका करते थे। (दूर का मतलब यह है कि उसकी हक़ीक़त जानने से दूर थे, यानी दुनिया में तो कुफ़्र करते रहे अब ईमान सूझा है और उसके मक़बूल होने की आरज़ू है) और (चूँकि आख़िरत अ़मल की जगह नहीं है इसलिये) उनमें और उनकी (ईमान क़ुबूल करने की) आरज़ू में एक आड़ कर दी जायेगी (यानी उनकी आरज़ू पूरी न होगी) जैसा कि उनके हम-ख़्यालों के साथ (भी) यही (बर्ताव) किया जायेगा जो उनसे पहले (कुफ़्र कर चुके) थे, क्योंकि ये सब बड़े शक में थे जिसने इनको दुविधा में डाल रखा था।

मआ़रिफ़ व मसाईल

وَاُخِذُوْا مِنْ مَّكَانٍ قَرِيْبٍo

अक्सर मुफ़स्सिरीन के नज़दीक यह हाल हश्र के दिन का है कि काफ़िर और बदकार लोग घबराकर भागना चाहेंगे तो छूट न सकेंगे। और यह भी न होगा जैसे दुनिया में कोई मुजरिम भाग जाये तो उसको तलाश करना पड़ता है बल्कि सब के सब अपनी ही जगह में गिरफ़्तार कर लिये जायेंगे किसी को भाग निकलने का मौक़ा न मिलेगा। कुछ हज़रात ने इसको मरने के वक़्त का हाल क़रार दिया है कि जब मौत का वक़्त आ जायेगा और उन पर घबराहट तारी होगी तो फ़रिश्तों के हाथ से छूट न सकेंगे और वहीं अपनी जगह से रूह क़ब्ज़ करके पकड़ लिये जायेंगे।

وَقَالُوْٓا اٰمَنَّا بِهٖ وَاَنّٰى لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِنْ مَّكَانٍۢ بَعِيْدٍo

'तनावुश' के मायने हाथ बढ़ाकर किसी चीज़ को उठा लेने के हैं, और यह ज़ाहिर है कि हाथ बढ़ाकर वही चीज़ उठाई जा सकती है जो बहुत दूर न हो, हाथ वहाँ तक पहुँच सके। आयत का मज़मून यह है कि काफ़िर और क़ियामत के इनकारी लोग असल हक़ीक़त सामने आ जाने के बाद कहेंगे हम क़ुरआन पर या रसूल पर ईमान ले आये मगर उनको मालूम नहीं कि ईमान का मक़ाम उनसे बहुत दूर हो चुका है, क्योंकि ईमान सिर्फ़ दुनिया की ज़िन्दगी का मक़बूल है, आख़िरत अ़मल का मक़ाम नहीं, वहाँ कोई अ़मल हिसाब में नहीं आ सकता, इसलिये यह कैसे हो सकता है कि वे ईमान की दौलत को हाथ बढ़ाकर उठा लें।

وَقَدْ كَفَرُوْا بِهٖ مِنْ قَبْلُ وَيَقْذِفُوْنَ بِالْغَيْبِ مِنْ مَّكَانٍۢ بَعِيْدٍo

क़ज़्फ़ के मायने कोई चीज़ फेंककर मारने के आते हैं। अ़रब का मुहावरा है कि जो शख़्स बिना दलील के महज़ अपने ख़्याल से बातें करता है उसको **रजम बिल्-ग़ैब** और **क़ज़्फ़ बिल्-ग़ैब** के अलफ़ाज़ से ताबीर करते हैं कि ये अंधेरे में तीर चलाते हैं जिसका कोई निशाना नहीं होता, और यहाँ 'मिम्-मकानिम् बअ़ीद' के अलफ़ाज़ से मुराद यह है कि वे जो कुछ कहते हैं उनके दिलों से दूर होता है, दिल में उसका अ़क़ीदा नहीं रखते।

وَحِيْلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُوْنَ

यानी उन लोगों को जो चीज़ महबूब और मक़सूद थी उनके और उस चीज़ के दरमियान पर्दा रोक बनाकर उनको मेहरूम कर दिया गया। यह मज़मून क़ियामत के हाल पर भी सही बैठता है कि क़ियामत में ये लोग निजात और जन्नत के तालिब होंगे, वहाँ तक न पहुँच सकेंगे और दुनिया में मौत के वक़्त पर भी सही बैठता है कि दुनिया में उनको यहाँ की दौलत व सामान मक़सूद था मौत ने उनके इस मतलूब के दरमियान रुकावट होकर उनको इससे जुदा कर दिया।

كَمَا فُعِلَ بِاَشْيَاعِهِمْ

'अश्याअ्' शीआ़ की जमा (बहुवचन) है, किसी शख़्स के ताबे और हम-ख़्याल को उसका शीआ़ कहा जाता है। मतलब यह है कि जो अ़ज़ाब उनको दिया गया कि अपने मतलूब व महबूब से मेहरूम कर दिये गये यही अ़ज़ाब इससे पहले इन्हीं जैसे कुफ़्र के आमाल करने वालों को दिया जा चुका है क्योंकि ये सब लोग शक में पड़े हुए थे, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की नुबुव्वत और क़ुरआन के अल्लाह के अहकाम होने पर इनको यक़ीन व ईमान नहीं था। वल्लाहु सुब्हानहू व तआ़ला आलम।

सूरः सबा अल्लाह की मदद व तौफ़ीक़ से मुहर्रम सन् 1392 हिजरी के आख़िरी दिन पूरी हुई।

अल्हम्दु लिल्लाह सूरः सबा की तफ़सीर मुकम्मल हुई।

सूरः फ़ातिर

सूरः फ़ातिर मक्का में नाज़िल हुई। इसमें 45 आयतें और 5 रुकूअ़ हैं।

اٰیَاتُهَا ٤٥ (٣٥) سُوْرَةُ فَاطِرٍ مَّكِّيَّةٌ (٤٣) رُكُوْعَاتُهَا ٥

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ فَاطِرِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ جَاعِلِ الْمَلٰٓئِكَةِ رُسُلًا اُولِيْٓ اَجْنِحَةٍ مَّثْنٰى وَثُلٰثَ وَرُبٰعَ ۭ يَزِيْدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاۗءُ ۭ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰي كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝ مَا يَفْتَحِ اللّٰهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَّحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا ۚ وَمَا يُمْسِكْ ۙ فَلَا مُرْسِلَ لَهٗ مِنْۢ بَعْدِهٖ ۭ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۝ يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ ۭ هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللّٰهِ يَرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَاۗءِ وَالْاَرْضِ ۭ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ڮ فَاَنّٰى تُؤْفَكُوْنَ ۝

बिस्मिल्लाहिर्रह्मानिर्रहीम

शुरू अल्लाह के नाम से जो बेहद मेहरबान निहायत रहम वाला है।

अल्हम्दु लिल्लाहि फ़ातिरिस्समावाति वल्अर्ज़ि जाअ़िलिल्-मलाइ-कति रुसुलन् उली अज्नि-हतिम् मस्ना व सुला-स व रुबा-अ़, यज़ीदु फ़िल्-ख़ल्कि मा यशा-उ, इन्नल्ला-ह अ़ला कुल्लि शैइन् क़दीर (1) मा यफ़्तहिल्लाहु लिन्नासि मिर्रह्मतिन् फ़ला मुम्सि-क लहा व मा युम्सिक् फ़ला मुर्सि-ल लहू मिम्बअ़्दिही, व हुवल् अ़ज़ीज़ुल्-हकीम (2) या अय्युहन्नासुज़्कुरू निअ़्मतल्लाहि	सब ख़ूबी अल्लाह को है जिसने बना निकाले आसमान और ज़मीन जिसने ठहराया फ़रिश्तों को पैग़ाम लाने वाले जिनके पर हैं दो-दो और तीन-तीन और चार-चार, बढ़ा देता है पैदाईश में जो चाहे, बेशक अल्लाह हर चीज़ कर सकता है। (1) जो कुछ कि खोल दे अल्लाह लोगों पर रहमत में से तो कोई नहीं उसको रोकने वाला, और जो कुछ रोक रखे तो कोई नहीं उसको भेजने वाला उसके सिवाय, और वही है ज़बरदस्त हिक्मतों वाला। (2) ऐ लोगो! याद करो एहसान अल्लाह का अपने ऊपर, क्या

अ़लैकुम्, हल् मिन् ख़ालिकिन् ग़ैरुल्लाहि यर्ज़ुक़ुकुम् मिनस्समा-इ वल्अर्ज़ि, ला इला-ह इल्ला हु-व फ़-अन्ना तुअ्फ़कून (3)	कोई है बनाने वाला अल्लाह के सिवाय, रोज़ी देता है तुमको आसमान से और ज़मीन से, कोई हाकिम नहीं मगर वह, फिर कहाँ उल्टे जाते हो। (3)

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

सारी की सारी तारीफ़ (व सना उसी) अल्लाह को लायक़ है जो आसमान और ज़मीन का पैदा करने वाला है। जो फ़रिश्तों को पैग़ाम पहुँचाने वाला बनाने वाला है, जिनके दो-दो और तीन-तीन और चार-चार पर वाले बाज़ू हैं। (पैग़ाम से मुराद अम्बिया अ़लैहिमुस्सलाम की तरफ़ वही लाना है चाहे वह शरई अहकाम से मुताल्लिक़ हो या सिर्फ़ ख़ुशख़बरी वग़ैरह से, और बाज़ुओं की तादाद कुछ चार-चार ही में सीमित नहीं बल्कि) वह पैदाईश में जो चाहे ज़्यादा कर देता है (यहाँ तक कि कुछ फ़रिश्तों के छह सौ बाज़ू पैदा किये हैं जैसा कि हदीस में हज़रत जिब्राईल अ़लैहिस्सलाम के बारे में आया है) बेशक अल्लाह हर चीज़ पर क़ादिर है। (और क़ादिर भी ऐसा जिसका कोई आड़े आने वाला नहीं कि वह) अल्लाह जो रहमत लोगों के लिये खोल दे (मसलन बारिश, पेड़-पौधे और आ़म रिज़्क़) सो उसका कोई बन्द करने वाला नहीं, और जिसको बन्द कर दे सो उसके (बन्द करने के) बाद उसका कोई जारी करने वाला नहीं (अलबत्ता वह ख़ुद ही बन्दिश और खोलना कर सकता है) और वही ग़ालिब, (यानी क़ादिर और) हिक्मत वाला है (यानी खोलने और बन्द करने पर क़ादिर भी है और खोलना व बन्द करना हमेशा हिक्मत के साथ होता है)।

ऐ लोगो! (जैसे उसकी क़ुदरत कामिल है इसी तरह उसकी नेमत भी कामिल है, उसकी नेमतों का कोई शुमार नहीं, इसलिये) तुम पर जो अल्लाह के एहसान हैं उनको याद करो (और उनका शुक्र अदा करो, और वह शुक्र यह है कि तौहीद इख़्तियार करो, शिर्क छोड़ो, कम-से-कम उसकी दो बड़ी नेमतों में ग़ौर करो जो मख़्लूक़ात का पहली बार में पैदा करना फिर उनको बाक़ी और क़ायम रखना है) क्या अल्लाह तआ़ला के सिवा कोई पैदा करने वाला है जो तुमको आसमान और ज़मीन से रिज़्क़ पहुँचाता हो? (यानी उसके सिवा न कोई पैदा कर सकता और बना सकता है और न कोई बनाई हुई मख़्लूक़ात को बाक़ी और क़ायम रखने के लिये रिज़्क़ पहुँचाने का काम कर सकता है। इससे मालूम हुआ कि वह हर तरह कामिल है तो यक़ीनन) उसके सिवा कोई इबादत के लायक़ (भी) नहीं, तो (जब माबूद होना उसी का हक़ है तो) तुम (शिर्क करके) कहाँ उल्टे जा रहे हो।

मआ़रिफ़ व मसाईल

جَاعِلِ الْمَلٰٓئِكَةِ رُسُلًا

फ़रिश्तों को रसूल यानी अल्लाह तआ़ला का पैग़ाम और अहकाम पहुँचाने वाला बनाने का

मतलब ज़ाहिर यह है कि उनको अम्बिया अ़लैहिमुस्सलाम की तरफ़ अल्लाह का क़ासिद व रसूल बनाकर भेजा जाता है, वे अल्लाह की वही और अहकाम उनको पहुँचाते हैं। और यह भी मुम्किन है कि रसूल से मुराद इस जगह वास्ता (माध्यम और ज़रिया) हो अल्लाह तआ़ला और उसकी आ़म मख़्लूक़ात के बीच जिनमें अम्बिया अ़लैहिमुस्सलाम सबसे अफ़ज़ल व आला हैं, उनके और अल्लाह तआ़ला के बीच भी वही का वास्ता बनते हैं और आ़म मख़्लूक़ात तक अल्लाह तआ़ला की रहमत या अ़ज़ाब पहुँचाने का भी वास्ता फ़रिश्ते ही होते हैं।

أُولِيٓ أَجۡنِحَةٖ مَّثۡنَىٰ وَثُلَٰثَ وَرُبَٰعَ

यानी अल्लाह तआ़ला ने फ़रिश्तों को पर (पंख) वाले बाज़ू अ़ता फ़रमाये हैं जिनसे वे उड़ सकते हैं। इसकी हिक्मत ज़ाहिर है कि वे आसमान से ज़मीन तक की दूरी बार-बार तय करते हैं, यह तब ही हो सकता है कि उनको तेज़ चलने की ताक़त अ़ता की जाये और वह उड़ने ही की सूरत में होती है।

और लफ़्ज़ **मसना व सुला-स व रुबा-अ**, ज़ाहिर यह है कि **अजनिहा** (पर) की सिफ़त है कि फ़रिश्तों के पर विभिन्न तादाद पर आधारित हैं। बाज़ों के सिर्फ़ दो-दो पर हैं, बाज़ों के तीन-तीन, बाज़ों के चार-चार और इसमें कोई सीमितता नहीं जैसा कि सही मुस्लिम की हदीस से जिब्रील अ़लैहिस्सलाम के छह सौ पर होना साबित होता है, मिसाल देने के तौर पर चार तक ज़िक्र कर दिया गया है। (तफ़सीरे क़ुर्तुबी, इब्ने कसीर)

और यह भी हो सकता है कि लफ़्ज़ मसना व सुला-स रुसुलन की सिफ़त हो यानी ये फ़रिश्ते जो अल्लाह तआ़ला की तरफ़ से रिसालत (पैग़ाम) दुनिया में पहुँचाते हैं, कभी दो-दो आते हैं कभी तीन-तीन या चार-चार। और यह भी ज़ाहिर है कि इस सूरत में भी चार का अ़दद आख़िरी हद बयान करने लिये नहीं सिर्फ़ एक मिसाल के तौर पर है, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा संख्या में फ़रिश्तों का उतरना ख़ुद क़ुरआने करीम से साबित है। (अबू हय्यान, बहरे मुहीत)

يَزِيدُ فِي ٱلۡخَلۡقِ مَا يَشَآءُ

यानी अल्लाह तआ़ला को सब इख़्तियार है कि अपनी मख़्लूक़ात की तख़्लीक़ (बनाने और पैदा करने) पर जितनी चाहे और जिस क़िस्म की चाहे ज़्यादती करे। इसका ताल्लुक़ बज़ाहिर तो परों ही के साथ है कि फ़रिश्तों के पर व बाज़ू कुछ दो चार में सीमित नहीं, अल्लाह तआ़ला चाहे तो पर व बाज़ू इससे बहुत ज़्यादा भी हो सकते हैं। अक्सर मुफ़स्सिरीन का क़ौल यही है और ज़ोहरी, क़तादा वग़ैरह तफ़सीर के इमामों ने फ़रमाया कि इस बनाने और पैदा करने में ज़्यादती से आ़म मायने मुराद हैं, जिसमें फ़रिश्तों के पर व बाज़ू की अधिकता भी शामिल है और मुख़्तलिफ़ इनसानों की पैदाईश में ख़ास-ख़ास सिफ़ात की ज़्यादती भी। जिसमें सूरत का हुस्न, सीरत की अच्छाई, आवाज़ का अच्छा होना वग़ैरह सब दाख़िल हैं। अबू हय्यान ने बहरे मुहीत में इसी को इख़्तियार करके फ़रमाया है कि इस पैदाईश की ज़्यादती में अच्छे अख़्लाक़, अच्छी शक्ल व सूरत, अच्छी आवाज़, अच्छा ख़त, अ़क़्ल व इल्म में कमाल, गुफ़्तगू में मिठास वग़ैरह सब चीज़ें दाख़िल हैं। इस दूसरी तफ़सीर से साबित हुआ कि किसी चीज़ की भी ख़ूबी व कमाल जो इनसान को हासिल हो वह अल्लाह तआ़ला की अ़ता और नेमत है उसका शुक्रगुज़ार होना चाहिये।

مَا يَفْتَحِ اللّٰهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَّحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا

यहाँ लफ़्ज़ रहमत आम है, इसमें दीनी और उख़्रवी नेमतें दाख़िल हैं, जैसे ईमान, इल्म, नेक अमल और नुबुव्वत व विलायत वग़ैरह, और दुनियावी नेमतें भी जैसे रिज़्क़, असबाब, आराम व राहत, सेहत व तन्दुरुस्ती और माल व इज़्ज़त वग़ैरह। आयत के मायने ज़ाहिर हैं कि अल्लाह तआ़ला जिस शख़्स के लिये अपनी रहमत खोलने का इरादा करे उसको कोई रोक नहीं सकता।

इसी तरह दूसरा जुमला व मा युम्सिक् आम है कि जिस चीज़ को अल्लाह तआ़ला रोकता है उसको कोई खोल नहीं सकता। इसमें दुनिया की मुसीबतें और तकलीफ़ें भी दाख़िल हैं कि जब अल्लाह उनको अपने किसी बन्दे से रोकना चाहें तो किसी की मजाल नहीं कि उनको कोई तकलीफ़ व मुसीबत पहुँचा सके, और इसमें रहमत भी दाख़िल है कि अगर अल्लाह तआ़ला अपनी किसी हिक्मत से किसी शख़्स को रहमत से मेहरूम करना चाहें तो किसी की मजाल नहीं कि उसको दे सके। (अबू हय्यान)

आयत के इसी मज़मून के मुताल्लिक़ एक हदीस इस तरह आई है कि हज़रत मुआ़विया रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने कूफ़ा के अपने आ़मिल (गवर्नर) हज़रत मुग़ीरा बिन शोबा रज़ियल्लाहु अ़न्हु को ख़त लिखा कि मुझे कोई हदीस लिखकर भेजो जो तुमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से सुनी हो। हज़रत मुग़ीरा रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने अपने मीर मुंशी रवाद को बुलाकर लिखाया कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से उस वक़्त जबकि आप नमाज़ से फ़ारिग़ हुए ये कलिमात पढ़ते हुए सुनाः

اَللّٰهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا اَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ.

(यानी या अल्लाह! जो चीज़ आप किसी को अ़ता फ़रमा दें उसका कोई रोकने वाला नहीं, और जिसको आप रोकें उसको कोई देने वाला नहीं, आपके इरादे के ख़िलाफ़ किसी कोशिश करने वाले की कोशिश नहीं चलती।) (इब्ने कसीर अज़ मुस्नद अहमद)

और सही मुस्लिम में हज़रत अबू सईद ख़ुदरी रज़ियल्लाहु अ़न्हु की रिवायत यह है कि यह कलिमा आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने रुकूअ़ से सर उठाने के वक़्त फ़रमाया और इस कलिमे से पहले फ़रमायाः

اَحَقُّ مَا قَالَ الْعَبْدُ وَكُلُّنَا لَكَ.

(यानी यह कलिमा उन तमाम कलिमात में जो कोई बन्दा कह सकता है सबसे ज़्यादा सही और मुक़द्दम व आला है।)

अल्लाह पर तवक्कुल व भरोसा सारी मुसीबतों से निजात है

ऊपर बयान हुई आयत ने इनसान को जो सबक़ दिया है कि ग़ैरुल्लाह से नफ़े व नुक़सान की उम्मीद व ख़ौफ़ न रखे, सिर्फ़ अल्लाह तआ़ला की तरफ़ नज़र रखे, यह दीन व दुनिया की दुरुस्ती और हमेशा की राहत का नुस्ख़ा-ए-अक्सीर है, और इनसान को हज़ारों ग़मों और फ़िक्रों से निजात देने वाला है। (रूहुल-मआ़नी)

हज़रत आमिर बिन अब्दे कैस रज़ियल्लाहु अन्हु ने फ़रमाया कि जब मैं सुबह को चार आयतें क़ुरआने करीम की पढ़ लूँ तो मुझे यह फ़िक्र नहीं रहती कि सुबह को क्या होगा और शाम को क्या। वो आयतें ये हैं। एक यही आयतः

مَايَفْتَحِ اللّٰهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَّحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهٗ مِنْ ، بَعْدِهٖ.

(यानी ऊपर गुज़री सूरः फ़ातिर की आयत 2) दूसरी आयत इसी के जैसे मायनों वाली यह है:

اِنْ يَّمْسَسْكَ اللّٰهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهٗٓ اِلَّا هُوَ، وَاِنْ يُّرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَآدَّ لِفَضْلِهٖ.

(यानी सूरः यूनुस की आयत नम्बर 107) तीसरी आयतः

سَيَجْعَلُ اللّٰهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُّسْرًا○

(यानी सूरः तलाक़ की आयत नम्बर 7) चौथीः

وَمَا مِنْ دَآبَّةٍ فِي الْاَرْضِ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ رِزْقُهَا.

(यानी सूरः हूद की आयत नम्बर 6) (इब्नुल-मुन्ज़िर, रूहुल-मआनी)

और हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु जब बारिश होती देखते तो फ़रमाया करते थे 'मुतिरना बिनौइल् फ़त्हि' और फिर यही ऊपर दर्ज हुई सूरः फ़ातिर की आयत नम्बर 2 'मा यफ़्तहिल्लाहु........' पढ़ते थे। यह अरब के बातिल ख़्यालात की तरदीद है जो बारिश को ख़ास-ख़ास सितारों की तरफ़ मन्सूब करके कहा करते कि हमें यह बारिश फ़ुलाँ सितारे की वजह से मिली है। हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु फ़रमाते हैं कि हमें यह बारिश फ़तह से मिली है। फ़तह वाली आयत से मुराद यही उपरोक्त आयत है जिसको वह ऐसे वक़्त तिलावत फ़रमाया करते। (मुवत्ता इमाम मालिक)

وَاِنْ يُّكَذِّبُوْكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِكَ ۚ وَاِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُوْرُ○ يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا ۥ وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللّٰهِ الْغَرُوْرُ○ اِنَّ الشَّيْطٰنَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوْهُ عَدُوًّا ۭ اِنَّمَا يَدْعُوْا حِزْبَهٗ لِيَكُوْنُوْا مِنْ اَصْحٰبِ السَّعِيْرِ○ۭ اَلَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ ۥ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّاَجْرٌ كَبِيْرٌ○ اَفَمَنْ زُيِّنَ لَهٗ سُوْٓءُ عَمَلِهٖ فَرَاٰهُ حَسَنًا ۥ فَاِنَّ اللّٰهَ يُضِلُّ مَنْ يَّشَآءُ وَيَهْدِيْ مَنْ يَّشَآءُ ۡ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرٰتٍ ۭ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌۢ بِمَا يَصْنَعُوْنَ○

व इंय्युकज़्ज़िबू-क फ़-क़द् कुज़्ज़िबत् रुसुलुम् मिन् क़ब्लि-क, व इलल्लाहि तुर्जअुल्-उमूर (4) या अय्युहन्नासु इन्-न वअ्दल्लाहि हक़्क़ुन् फ़ला	और अगर तुझको झुठलायें तो झुठलाये गये कितने रसूल तुझसे पहले और अल्लाह तक पहुँचते हैं सब काम। (4) ऐ लोगो! बेशक अल्लाह का वायदा ठीक है, सो न

तग़ुर्रन्नकुमुल्-हयातुद्दुन्या व ला यग़ुर्रन्नकुम् बिल्लाहिल्-ग़रूर (5) इन्नश्शैता-न लकुम् अ़दुव्वुन् फ़त्तख़िज़ूहु अ़दुव्वन्, इन्नमा यद्अ़ू हिज़्बहू लि-यकूनू मिन् अस्हाबिस्सअ़ीर (6) अल्लज़ी-न क-फ़रू लहुम् अ़ज़ाबुन् शदीदुन्, वल्लज़ी-न आमनू व अ़मिलुस्सालिहाति लहुम् मग़्फ़ि-रतुंव्-व अज्रुन् कबीर (7) ✿	बहकाये तुमको दुनिया की ज़िन्दगानी और न दग़ा दे तुमको अल्लाह के नाम से वह दग़ाबाज़। (5) तहक़ीक़ शैतान तुम्हारा दुश्मन है सो तुम भी समझ लो उसको दुश्मन, वह तो बुलाता है अपने गिरोह को इस वास्ते कि हों दोज़ख़ वालों में। (6) जो मुन्किर हुए उनको सख़्त अ़ज़ाब है, और जो यक़ीन लाये और किये भले काम उनके लिये है माफ़ी और बड़ा सवाब। (7) ✿
अ-फ़-मन् ज़ुय्यि-न लहू सूउ अ़-मलिही फ़-रआहु ह-सनन्, फ़-इन्नल्ला-ह युज़िल्लु मंय्यशा-उ व यह्दी मंय्यशा-उ फ़ला तज़्हब् नफ़्सु-क अ़लैहिम् ह-सरातिन्, इन्नल्ला-ह अ़लीमुम्-बिमा यस्नअ़ून (8)	भला एक शख़्स कि भली सुझाई गई उसको उसके काम की बुराई फिर देखा उसने उसको भला, क्योंकि अल्लाह भटकाता है जिसको चाहे और सुझाता है जिसको चाहे, सो तेरा जी न जाता रहे उनपर पछता-पछताकर, अल्लाह को मालूम है जो कुछ करते हैं। (8)

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

और (ऐ पैग़म्बर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम) अगर ये लोग (तौहीद व रिसालत वग़ैरह के बारे में) आपको झुठलाएँ तो (आप ग़म न करें क्योंकि) आप से पहले भी बहुत-से पैग़म्बर झुठलाये जा चुके हैं (एक तो इससे तसल्ली हासिल कीजिये) और (दूसरी बात यह कि) सब मामलात अल्लाह ही के सामने पेश किये जाएँगे (वह ख़ुद सबसे समझ लेगा, आप क्यों फ़िक्र में पड़े। आगे आ़म लोगों को ख़िताब है कि) ऐ लोगो! (अल्लाह तक पहुँचते हैं सब काम) जिसमें क़ियामत की ख़बर है। इसको सुनकर ताज्जुब और दूर की बात मत समझना) अल्लाह तआ़ला का (यह) वायदा ज़रूर सच्चा है, सो ऐसा न हो कि यह दुनियावी ज़िन्दगी तुमको धोखे में डाले रखे (कि इसमें मशग़ूल होकर उस आने वाले दिन से ग़ाफ़िल रहो) और ऐसा न हो कि तुमको धोखेबाज़ शैतान अल्लाह से धोखे में डाले रखे (कि तुम उसके इस बहकाने में न आ जाओ कि अल्लाह तआ़ला तुमको अ़ज़ाब न देगा जैसा कि कहा करते थे कि 'अगर मैं अपने रब की तरफ़ लौटाया गया तो वहाँ भी मेरे लिये बेहतरी ही है' और) यह शैतान (जिसके धोखे का ऊपर ज़िक्र है) बेशक तुम्हारा दुश्मन है, सो तुम इसको (अपना)

दुश्मन (ही) समझते रहो। वह तो अपने गिरोह को (यानी अपने ताबेदारों और मानने वालों को) महज़ इसलिये (बातिल की तरफ़) बुलाता है ताकि वे लोग दोज़ख़ियों में से हो जाएँ। (पस) जो लोग काफ़िर हो गये (और उसकी दावत व धोखे में फंस गये) उनके लिये सख़्त अ़ज़ाब है, और जो लोग ईमान लाये और अच्छे काम किये (और उसकी दावत व धोखे में नहीं फंसे) उनके लिये (गुनाहों की) बख़्शिश और (ईमान व नेक अ़मल पर) बड़ा अज्र है।

(और जब काफ़िर का अन्जाम सख़्त और मोमिन का अन्जाम मग़फ़िरत और बड़ा अज्र है) तो क्या (दोनों बराबर और एक जैसे हो सकते हैं? यानी) ऐसा शख़्स जिसको उसका बुरा अ़मल अच्छा करके दिखलाया गया फिर वह उसको अच्छा समझने लगा (और ऐसा शख़्स जो बुरे को बुरा समझता है कहीं बराबर हो सकते हैं? पहले शख़्स से मुराद काफ़िर है जो शैतान के बहकाने से बातिल को हक़ और नुक़सानदेह को नाफ़ा देने वाला समझता है, और दूसरे शख़्स से मुराद मोमिन है जो नबियों की पैरवी और शैतान की मुख़ालफ़त करके बातिल को बातिल, हक़ को हक़, नुक़सानदेह को नुक़सानदेह, नफ़ा देने वाले को नफ़ा देने वाला जानता है। यानी दोनों बराबर कहाँ हुए बल्कि एक जहन्नमी और दूसरा जन्नती है। पस शैतान के धोखे में आने वाले और उसको दुश्मन समझने वालों में यह फ़र्क़ है। इसलिए हम कहते हैं कि 'वह तुम्हें धोखे में न डाल दे' और यह कि 'शैतान तुम्हारा दुश्मन है' और अगर इस पर ताज्जुब हो कि अ़क्ल रखने वाला आदमी बुरे को अच्छा और नेक कैसे समझ लेता है) सो (इसकी वजह यह है कि) अल्लाह तआ़ला जिसको चाहता है गुमराह करता है (उसकी अ़क्ल उल्टी हो जाती है) और जिसको चाहता है हिदायत करता है (उसका समझ व इदराक सही रहता है। फिर जब हिदायत पाने और गुमराह होने का असल मदार अल्लाह की मर्ज़ी व चाहत पर है) तो उन पर अफ़सोस कर-करके कहीं आपकी जान न जाती रहे (यानी कुछ अफ़सोस न कीजिये, सब्र से बैठे रहिये) अल्लाह तआ़ला को उनके कामों की ख़बर है (वक़्त पर उनसे समझ लेगा)।

मआ़रिफ़ व मसाईल

لَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللّٰهِ الْغَرُوْرُ○

ग़रूर मुबालग़े का सीग़ा है जिसके मायने हैं बहुत धोखा देने वाला, और मुराद इससे शैतान है कि उसका काम ही लोगों को धोखे में डालकर कुफ़्र व नाफ़रमानी में मुब्तला करना है। और 'ला यग़ुर्रन्नकुम् बिल्लाहि' यानी वह तुम्हें अल्लाह के मामले में धोखा न दे दे, इस धोखे से मतलब यह है कि शैतान बुरे कामों को अच्छा साबित करके तुम्हें उसमें मुब्तला न कर दे और तुम्हारा हाल यह हो जाये कि गुनाह करते रहो और साथ ही यह समझते रहो कि हम अल्लाह के नज़दीक मक़बूल हैं, हमें अ़ज़ाब नहीं होगा। (तफ़सीरे क़ुर्तुबी)

فَاِنَّ اللّٰهَ يُضِلُّ مَنْ يَّشَآءُ وَيَهْدِيْ مَنْ يَّشَآءُ .

इमाम बग़वी रह. ने हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु से नक़ल किया है कि यह आयत उस वक़्त नाज़िल हुई थी जबकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने यह दुआ़ की थी कि या अल्लाह! इस्लाम को इज़्ज़त व ताक़त अ़ता कर दे उमर बिन ख़त्ताब के ज़रिये या अबू जहल के

ज़रिये। अल्लाह तआ़ला ने इनमें से उमर बिन ख़त्ताब को हिदायत देकर इस्लाम की इ़ज़्ज़त व ताक़त का ज़रिया बना दिया और अबू जहल अपनी गुमराही में रहा। (तफ़सीरे मज़हरी)

وَاللّٰهُ الَّذِیْۤ اَرْسَلَ الرِّیٰحَ فَتُثِیْرُ

سَحَابًا فَسُقْنٰهُ اِلٰی بَلَدٍ مَّیِّتٍ فَاَحْیَیْنَا بِهِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ؕ كَذٰلِكَ النُّشُوْرُ ﴿۹﴾ مَنْ كَانَ یُرِیْدُ الْعِزَّةَ فَلِلّٰهِ الْعِزَّةُ جَمِیْعًا ؕ اِلَیْهِ یَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّیِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ یَرْفَعُهٗ ؕ وَالَّذِیْنَ یَمْكُرُوْنَ السَّیِّاٰتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِیْدٌ ؕ وَمَكْرُ اُولٰٓئِكَ هُوَ یَبُوْرُ ﴿۱۰﴾ وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ اَزْوَاجًا ؕ وَمَا تَحْمِلُ مِنْ اُنْثٰی وَلَا تَضَعُ اِلَّا بِعِلْمِهٖ ؕ وَمَا یُعَمَّرُ مِنْ مُّعَمَّرٍ وَّلَا یُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهٖۤ اِلَّا فِیْ كِتٰبٍ ؕ اِنَّ ذٰلِكَ عَلَی اللّٰهِ یَسِیْرٌ ﴿۱۱﴾ وَمَا یَسْتَوِی الْبَحْرٰنِ ۖۗ هٰذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَآئِغٌ شَرَابُهٗ وَهٰذَا مِلْحٌ اُجَاجٌ ؕ وَمِنْ كُلٍّ تَاْكُلُوْنَ لَحْمًا طَرِیًّا وَّتَسْتَخْرِجُوْنَ حِلْیَةً تَلْبَسُوْنَهَا ۚ وَتَرَی الْفُلْكَ فِیْهِ مَوَاخِرَ لِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهٖ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ﴿۱۲﴾ یُوْلِجُ الَّیْلَ فِی النَّهَارِ وَیُوْلِجُ النَّهَارَ فِی الَّیْلِ ۙ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ۖؗ كُلٌّ یَّجْرِیْ لِاَجَلٍ مُّسَمًّی ؕ ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ ؕ وَالَّذِیْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ مَا یَمْلِكُوْنَ مِنْ قِطْمِیْرٍ ﴿۱۳﴾ اِنْ تَدْعُوْهُمْ لَا یَسْمَعُوْا دُعَآءَكُمْ ۚ وَلَوْ سَمِعُوْا مَا اسْتَجَابُوْا لَكُمْ ؕ وَیَوْمَ الْقِیٰمَةِ یَكْفُرُوْنَ بِشِرْكِكُمْ ؕ وَلَا یُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِیْرٍ ﴿۱۴﴾

वल्लाहुल्लज़ी अर्सलर्-रिया-ह फ़-तुसीरु सहाबन् फ़-सुक़्नाहु इला ब-लदिम्-मय्यितिन् फ़-अह्यैना बिहिल्अर्-ज़ बअ़्-द मौतिहा, कज़ालिकन्-नुशूर (9) मन् का-न युरीदुल्-अ़िज़्ज़-त फ़लिल्लाहिल्-अ़िज़्ज़तु जमीअ़न्, इलैहि यस्अ़दुल्-कलिमुत्तय्यिबु वल्-अ़-मलुस्सालिहु यर्फ़अ़ुहू, वल्लज़ी-न यम्कुरूनस्सय्यिआति लहुम् अ़ज़ाबुन् शदीदुन्, व मक्रु उलाइ-क हु-व यबूर (10) वल्लाहु ख़-ल-ककुम् मिन्

और अल्लाह है जिसने चलाई हैं हवायें फिर वो उठाती हैं बादल को फिर हाँक ले गये हम उसको एक मुर्दा देस की तरफ़, फिर ज़िन्दा कर दिया हमने उससे ज़मीन को उसके मर जाने के बाद, इसी तरह होगा जी उठना। (9) जिसको चाहिए इज़्ज़त तो अल्लाह के लिये है सारी इज़्ज़त, उसकी तरफ़ चढ़ता है सुथरा कलाम और नेक काम उसको उठा लेता है, और जो लोग दाव में हैं बुराईयों के उनके लिये सख़्त अ़ज़ाब है और उनका दाव है टोटे का। (10) और अल्लाह ने तुमको बनाया मिट्टी से फिर बूँद पानी

तुराबिन् सुम्-म मिन् नुत्फ़तिन् सुम्-म ज-अ़-लकुम् अज़्वाजन्, व मा तह्मिलु मिन् उन्सा व ला त-ज़अ़ु इल्ला बिअ़िल्मिही, व मा युअ़म्म-रु मिम्-मुअ़म्म-रिंव्-व ला युन्क़सु मिन् अ़ुमुरिही इल्ला फ़ी किताबिन्, इन्-न ज़ालि-क अ़लल्लाहि यसीर (11) व मा यस्तविल्-बह्रानि हाज़ा अ़ज़्बुन् फ़ुरातुन् सा-इग़ुन् शराबुहू व हाज़ा मिल्हुन् उजाजुन्, व मिन् कुल्लिन् तअ्कुलू-न लह्मन् तरिय्यंव्-व तस्तख़्रिजू-न हिल्य-तन् तल्बसूनहा व तरल्-फ़ुल्-क फ़ीहि मवाख़ि-र लितब्तग़ू मिन् फ़ज़्लिही व लअ़ल्लकुम् तश्कुरून (12) यूलिजुल्लै-ल फ़िन्नहारि व यूलिजुन्नहा-र फ़िल्लैलि व सख़्ख़-रश्शम्-स वल्क़-म-र कुल्लुंय्-यज्री लि-अ-जलिम्-मुसम्मन्, ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम् लहुल्-मुल्कु, वल्लज़ी-न तद्अ़ू-न मिन् दूनिही मा यम्लिकू-न मिन् क़ित्मीर (13) इन् तद्अ़ूहुम् ला यस्मअ़ू दुआ़-अकुम् व लौ समिअ़ू मस्तजाबू लकुम्, व यौमल्-क़ियामति यक्फ़ुरू-न बिशिर्किकुम् व ला युनब्बिउ-क मिस्लु ख़बीर (14) ❁ ▲

से फिर बनाया तुमको जोड़े-जोड़े और न पेट (गर्भ) रहता है किसी मादा को और न वह जन्म देती है उसकी ख़बर के बग़ैर, और न उम्र पाता है कोई बड़ी उम्र वाला और न घटती है किसी की उम्र मगर लिखा है किताब में, बेशक यह अल्लाह पर आसान है। (11) और बराबर नहीं दो दरिया, यह मीठा है प्यास बुझाता है ख़ुशगवार और यह खारा कड़वा, और दोनों में से खाते हो गोश्त ताज़ा और निकालते हो गहना जिसको पहनते हो, और तू देखे जहाज़ों को उसमें कि चलते हैं पानी को फाड़ते ताकि तलाश करो उसके फ़ज़्ल से और ताकि तुम हक़ मानो। (12) रात घुसाता है दिन में और दिन घुसाता है रात में और काम में लगा दिया सूरज और चाँद को हर एक चलता है एक मुक़र्रर वायदे तक, यह अल्लाह है तुम्हारा रब उसी के लिये बादशाही है और जिनको तुम पुकारते हो उसके सिवाय वे मालिक नहीं खजूर की गुठली के एक छिलके के। (13) अगर तुम उनको पुकारो न सुनें तुम्हारी पुकार और अगर सुनें न पहुँचें तुम्हारे काम पर और क़ियामत के दिन मुन्किर हुए तुम्हारे शरीक ठहराने से, और कोई न बतलायेगा तुझको जैसा बतलायेगा ख़बर रखने वाला। (14) ❁ ▲

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

और अल्लाह ऐसा (क़ादिर) है जो (बारिश से पहले) हवाओं को भेजता है फिर वो (हवाएँ) बादलों को उठाती हैं (जिसकी कैफ़ियत सूरः रूम के रुकूअ़ पाँच की आयत नम्बर 48 की तफ़सीर में गुज़री है) फिर हम उस बादल को ज़मीन के सूखे टुकड़े की तरफ़ हाँक ले जाते हैं (जिससे वहाँ बारिश होती है) फिर हम उसके ज़रिये से (यानी उस बादल के पानी के ज़रिये से) ज़मीन को (पेड़-पौधों और हरियाली से) ज़िन्दा करते हैं उसके ख़ुश्क होने के बाद (और जिस तरह ज़मीन के मुनासिब उसको ज़िन्दगी अ़ता फ़रमाई) इसी तरह (क़ियामत में आदमियों का) जी उठना है (कि उनके मुनासिब ज़िन्दगी उनको अ़ता होगी। मिसाल देने की वजह ज़ाहिर है कि दोनों में एक ख़त्म हो जाने वाली सिफ़त को वापस लाना और फिर पैदा करना है, अगरचे ज़मीन में सिर्फ़ एक अस्थायी और ख़ुद अपना मुस्तक़िल वजूद न रखने वाली चीज़ यानी फलने-फूलने और बढ़ने का ताल्लुक़ हुआ है और इनसानी अंगों में एक मुस्तक़िल वजूद रखने वाली चीज़ यानी रूह का। दोबारा ज़िन्दा होने और उठने का यह मज़मून तौहीद की दलीलों के ज़िमन में ताबे होकर आ गया है। फिर इस क़ियामत में उठने और ज़िन्दा होने की मुनासबत से एक और मज़मून है, वह यह कि जब क़ियामत में ज़िन्दा होना है तो वहाँ की ज़िल्लत व रुस्वाई से बचने की फ़िक्र करना ज़रूरी है। इस बारे में मुश्रिकीन ने अपने ख़ुद बनाये हुए माबूदों को शैतान के फ़रेब में आकर इज़्ज़त हासिल होने का ज़रिया क़रार दे रखा था, वे कहते थे कि ये अल्लाह के यहाँ हमारे पूरी तरह सिफ़ारिशी हैं, यानी दुनियावी ज़रूरतों में भी और अगर क़ियामत कोई चीज़ है तो आख़िरत की निजात के लिये भी, जैसा हक़ तआ़ला ने सूरः मरियम में इरशाद फ़रमाया हैः

وَاتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اٰلِهَةً لِّيَكُوْنُوْا لَهُمْ عِزًّا۝

'कि उन्होंने अल्लाह के अ़लावा कुछ दूसरे माबूद बना रखे हैं ताकि वे उनके लिये इज़्ज़त दिलाने का ज़रिया बनें' इसके मुताल्लिक़ इरशाद है कि) जो शख़्स (आख़िरत में) इज़्ज़त हासिल करना चाहे (और यह चाहना इसलिये ज़रूरी भी है कि आख़िरत का ज़ाहिर होना एक यक़ीनी चीज़ है) तो (उसको चाहिए कि अल्लाह से इज़्ज़त हासिल करे, क्योंकि हक़ीक़त और असल में) पूरी की पूरी इज़्ज़त ख़ुदा ही के लिये (हासिल) है (और दूसरे के लिये जब होगी किसी वास्ते से होगी, और जो चीज़ दूसरे के वास्ते से हो वह अपनी असल की मोहताज होती है, पस इसमें सब ख़ुदा ही के मोहताज हुए। और ख़ुदा से इसके हासिल करने का तरीक़ा यह है कि क़ौली और अ़मली एतिबार से उसकी फ़रमाँबरदारी व इताअ़त इख़्तियार करे कि ख़ुदा के नज़दीक यही चीज़ें पसन्दीदा हैं। चुनाँचे) अच्छा कलाम उसी तक पहुँचता है (यानी वह उसको क़ुबूल करता है) और अच्छा काम उसको पहुँचाता है। (अच्छे कलाम में कलिमा-ए-तौहीद और अल्लाह के तमाम ज़िक्र और अच्छे काम में दिली तस्दीक़ और तमाम ज़ाहिरी व बातिनी नेक आमाल दाख़िल हैं। तो मायने यह हुए कि कलिमा-ए-तौहीद और तमाम अज़्कार के मक़बूल बनाने का ज़रिया नेक अ़मल है। और मक़बूलियत आ़म है असल क़ुबूलियत और मुकम्मल क़ुबूलियत दोनों को, और इस संक्षिप्तता को दूसरी दलीलों ने इस तरह

खोलकर बयान कर दिया कि दिली तस्दीक़ तो तमाम अच्छे कलामों के लिये क़ुबूल होने की शर्त है, उसके बग़ैर कोई ज़िक्र मक़बूल नहीं, और दूसरे नेक आमाल तमाम अच्छे कलामों के मुकम्मल क़ुबूल होने की शर्त है न कि सिर्फ़ क़ुबूल होने की। क्योंकि अगर गुनाहगार व बदकार से अच्छे और पाक कलिमे का सदूर हो तो भी क़ुबूल तो हो जाता है मगर मुकम्मल क़ुबूलियत नहीं होती। पस जब ये चीज़ें अल्लाह के यहाँ पसन्दीदा हैं तो जो शख़्स इसको इख़्तियार करेगा वह इज़्ज़त पाने वाला होगा) और जो लोग (इसके ख़िलाफ़ तरीक़ा इख़्तियार करके आपकी मुख़ालफ़त कर रहे हैं तो वह अल्लाह ही की मुख़ालफ़त है, और आपके साथ) बुरी-बुरी तदबीरें कर रहे हैं उनको सख़्त अ़ज़ाब होगा (जो उनकी ज़िल्लत का सबब होगा, और उनके ख़ुद बनाये हुए माबूद उनको ख़ाक इज़्ज़त न दे सकेंगे बल्कि इसके उलट यह होगा कि ख़ुद वे उनके ख़िलाफ़ हो जायेंगे। जैसा कि अल्लाह तआ़ला ने इसको सूरः मरियम की आयत 82 में बयान फ़रमाया है। यह तो उनका आख़िरत में घाटा और नुक़सान होगा) और (दुनिया में भी उनको यह घाटा होगा कि) उन लोगों का यह मक्र व दाव नेस्तनाबूद हो जायेगा (यानी इन तदबीरों में उनको कामयाबी न होगी। चुनाँचे ऐसा ही हुआ कि वे इस्लाम को मिटाना चाहते थे ख़ुद ही मिट गये।

ऊपर से चले आ रहे मज़मून से हटकर यह मज़मून बीच में आ गया था जो पूरा हुआ अब आगे फिर तौहीद के मज़मून की तरफ़ वापसी होती है। यानी हक़ तआ़ला की क़ुदरत का मज़हर और निशान एक तो वह था जो ऊपर आयत नम्बर 9 में बयान किया गया) और (दूसरा मज़हर जो तौहीद पर दलालत करता है यह है कि) अल्लाह ने तुमको मिट्टी से पैदा किया है (क्योंकि आदम अ़लैहिस्सलाम मिट्टी से पैदा किये गये इसलिये उनकी औलाद होने की वजह से वही हुक्म लगा दिया), फिर (मुस्तक़िल तौर पर) नुत्फ़े से पैदा किया, फिर तुमको जोड़े-जोड़े बनाया (यानी कुछ पुल्लिंग कुछ स्त्रीलिंग बनाये, यह तो उसकी क़ुदरत है) और (उसका इल्म ऐसा है कि) किसी औरत को न गर्भ रहता है और न वह जन्म देती है मगर सब उसकी इत्तिला से होता है (यानी उसको पहले से सब की ख़बर होती है) और (इसी तरह) न किसी की उम्र ज़्यादा (मुक़र्रर) की जाती है और न किसी की उम्र कम (मुक़र्रर) की जाती है मगर यह सब लौह-ए-महफ़ूज़ में (लिखा हुआ) होता है (जिसको हक़ तआ़ला ने अपने हमेशा वाले इल्म के मुवाफ़िक़ उसमें अंकित कर दिया है, और अगरचे मालूमात बेशुमार और असीमित हैं मगर यह ताज्जुब न करो कि ज़ाहिर व वाक़े होने से पहले सब वाक़िआ़त को कैसे मुक़द्दर व मुक़र्रर फ़रमाया, क्योंकि) यह सब अल्लाह को आसान है (क्योंकि उसका इल्म ज़ाती है जिसकी निस्बत तमाम मामूलात के साथ उनके वाक़े व ज़ाहिर होने से पहले और बाद में सब बराबर है)।

और (आगे क़ुदरत की दलीलें सुनो कि इसके बावजूद कि पानी एक ही माद्दा है मगर बावजूद एक होने के उसके कामों के भिन्न और अलग-अलग होने के सबब उसकी दो अलग-अलग क़िस्में पैदा कर दीं) दोनों दरिया बराबर नहीं हैं (बल्कि) एक तो मीठा प्यास बुझाने वाला है जिसका पीना भी (तबीयत के क़ुबूल करने की वजह से) आसान है और एक खारा कड़वा है (तो यह चीज़ भी क़ुदरत के अ़जायबात में से है) और (क़ुदरत की दूसरी दलीलें भी हैं जो क़ुदरत पर दलालत करने के साथ नेमत पर भी दलालत करने वाली हैं। कुछ तो उन्हीं दरियाओं के मुताल्लिक़ हैं मसलन यह कि) तुम

हर एक (दरिया) से (मछलियाँ निकालकर उनका) ताज़ा गोश्त खाते हो (तथा) ज़ेवर (यानी मोती) निकालते हो जिसको तुम पहनते हो। और (ऐ मुख़ातब) तू कश्तियों को उसमें देखता है पानी को फाड़ती हुई चली जाती हैं ताकि तुम (उनके ज़रिये से सफ़र करके) उसकी रोज़ी ढूँढो और ताकि रोज़ी हासिल करके तुम (अल्लाह का) शुक्र अदा करो।

(और कुछ और नेमतें हैं मसलन यह कि) वह रात (के हिस्सों) को दिन (के हिस्सों) में दाख़िल कर देता है और दिन (के हिस्सों) को रात (के हिस्सों) में दाख़िल कर देता है (जिससे दिन और रात घटने बढ़ने से संबन्धित फ़ायदे हासिल होते हैं) और (जैसे यह कि) उसने सूरज और चाँद को काम में लगा रखा है (उनमें से) हर एक मुक़र्रर वक़्त (यानी क़ियामत के दिन) तक (इसी तरह) चलते रहेंगे। यही अल्लाह (जिसकी यह शान है) तुम्हारा परवर्दिगार है, उसी की हुकूमत है और उसके सिवा जिनको तुम पुकारते हो वे तो खजूर की गुठली के छिलके के बराबर भी इख़्तियार नहीं रखते (चुनाँचे बेजान चीज़ों में तो ज़ाहिर है और जिनके अन्दर जान और रूह है वे इस मायने में कि वे अपना ज़ाती कुछ इख़्तियार नहीं रखते, और उनकी यह हालत है कि) अगर तुम उनको पुकारो भी तो वे तुम्हारी पुकार (पहले तो) सुनेंगे नहीं (बेजान चीज़ें तो इसलिये कि उनमें सुनने की सलाहियत नहीं, और जानदार इस मायने में कि मरने के बाद सुनना लाज़िमी और हमेशा के लिये नहीं, जब अल्लाह चाहे सुना दे जब न चाहे न सुनाये) और अगर (फ़र्ज़ कर लो कि) सुन भी लें तो तुम्हारा कहना न करेंगे, और क़ियामत के दिन वे (ख़ुद) तुम्हारे शिर्क करने की मुख़ालफ़त करेंगे (जैसा कि क़ुरआन में अनेक जगह उनका यह क़ौल नक़ल किया है कि 'वे लोग हमारी इबादत नहीं करते थे') और (हमने जो कुछ फ़रमाया है उसकी सच्चाई में ज़रा भी शक व शुब्हा नहीं, क्योंकि हम चीज़ों और मामलात की हक़ीक़तों की पूरी ख़बर रखने वाले हैं। और ऐ मुख़ातब) तुझको ख़बर रखने वाले के बराबर कोई नहीं बतलायेगा (पस हमारा बतलाना सबसे ज़्यादा सही है)।

मआरिफ़ व मसाईल

اِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهٗ.

इससे पहली आयत में यह बतलाया गया है कि जो शख़्स इज़्ज़त व क़ुव्वत का तलबगार हो तो उसको समझ लेना चाहिये कि वह अल्लाह के सिवा किसी के बस में नहीं। जिन चीज़ों को उन्होंने माबूद बना रखा है या जिनसे इज़्ज़त की अपेक्षा व उम्मीद पर दोस्ती कर रखी है वे किसी को इज़्ज़त नहीं दे सकते। इस आयत में अल्लाह तआ़ला से इज़्ज़त व क़ुव्वत हासिल करने का तरीक़ा बतलाया गया है जिसके दो हिस्से हैं- एक **कलिमुत्तय्यिब** यानी कलिमा-ए-तौहीद और अल्लाह की ज़ात व सिफ़ात का इल्म, दूसरे **अ़मले सालेह** यानी दिल से ईमान लाना फिर उसके तक़ाज़े के मुवाफ़िक़ शरीअ़त के हुक्म पर अ़मल करना। हज़रत शाह अ़ब्दुल-क़ादिर रह. ने मूज़िहुल-क़ुरआन में फ़रमाया कि इज़्ज़त हासिल करने का नुस्ख़ा बिल्कुल सही व मुजर्रब है, शर्त यह है कि ज़िक्रुल्लाह और नेक अ़मल पर पाबन्दी व हमेशगी हो, यह पाबन्दी एक मुक़र्ररा हद पर पहुँच जाती है तो अल्लाह तआ़ला उसके करने वाले को दुनिया व आख़िरत में हमेशा बाक़ी रहने वाली इज़्ज़त नसीब फ़रमाते हैं जिसकी

नज़ीर नहीं।

उपरोक्त आयत में इन दोनों हिस्सों की ताबीर इन अलफ़ाज़ से की गई है कि अच्छा कलाम अल्लाह की तरफ़ चढ़ता और पहुँचता है और नेक अ़मल को उठाता है और पहुँचाता है।

اَلْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهٗ

इस जुमले की अ़रबी ग्रामर के एतिबार से तरकीब में कई गुंजाईशें हैं, हर संभावना व गुंजाईश के एतिबार से जुमले के मायने अलग हो जाते हैं। तफ़सीर के इमामों ने उन मानवी गुंजाईशों के मुताबिक़ जो बेहतर मालूम हुआ उसके अनुसार तफ़सीर की है। पहला गुमान व संभावना तो वही है जिसके मुताबिक़ ख़ुलासा-ए-तफ़सीर में तर्जुमा किया गया है कि यह मायने हों कि अच्छे कलिमे अल्लाह तआ़ला की तरफ़ चढ़ते हैं मगर उनके चढ़ाने का ज़रिया नेक अ़मल होता है। तफ़सीर के इमामों की अक्सरियत- हज़रत इब्ने अ़ब्बास, हज़रत हसन, हज़रत इब्ने ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अ़न्हुम, इमाम मुजाहिद, इमाम ज़ह्हाक, शहर बिन हूशब वग़ैरह ने इसी को इख़्तियार किया है। और अल्लाह की तरफ़ चढ़ने और चढ़ाने से मुराद अल्लाह के नज़दीक मक़बूल होना है। इसलिये ख़ुलासा इस जुमले का यह होगा कि अच्छा कलाम चाहे कलिमा-ए-तौहीद हो या दूसरे अज़कार तस्बीह व हम्द बयान करना वग़ैरह उनमें से कोई चीज़ बग़ैर नेक अ़मल के अल्लाह के यहाँ मक़बूल नहीं होती। इसमें नेक अ़मल का अहम अंग दिल की तस्दीक़ है यानी दिल से अल्लाह पर और उसकी तौहीद पर ईमान लाना, यह तो आमाल के क़ुबूल होने की मुतलक़ तौर पर लाज़िमी शर्त है, इसके बग़ैर न कलिमा ला इला-ह इल्लल्लाहु मक़बूल है न कोई दूसरा ज़िक्र।

और नेक अ़मल के दूसरे हिस्से नमाज़, रोज़ा वग़ैरह नेक आमाल और हराम व मक्रूह चीज़ों से परहेज़ है। यह अगरचे मुतलक़न क़ुबूलियत की शर्त नहीं मगर मुकम्मल क़ुबूलियत की शर्त ये आमाल भी हैं। तो अगर एक शख़्स दिल में ईमान व तस्दीक़ ही नहीं रखता तो वह कितना भी ज़बान से कलिमा-ए-तौहीद पढ़े और अल्लाह की तारीफ़ व पाकी बयान करे अल्लाह के नज़दीक उसको कोई हिस्सा क़ुबूलियत का हासिल न होगा, और जो तस्दीक़ व ईमान तो रखता है मगर दूसरे नेक आमाल नहीं करता या उनमें कोताही करता है तो उसका ज़िक्रुल्लाह और कलिमा-ए-तौहीद बिल्कुल ज़ाया तो नहीं होगा सिर्फ़ इतना काम देगा कि हमेशा के अ़ज़ाब से उसको निजात मिल जायेगी मगर मुकम्मल क़ुबूलियत उसको हासिल नहीं होगी जिसका यह असर होगा कि अपने अ़मल छोड़ने के और कोताही करने के मुताबिक़ अ़ज़ाब भुगतेगा।

एक हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम का इरशाद है कि अल्लाह तआ़ला किसी क़ौल को बग़ैर अ़मल के और किसी क़ौल व अ़मल को बग़ैर नीयत के और किसी क़ौल व अ़मल और नीयत को बग़ैर सुन्नत की मुवाफ़क़त के क़ुबूल नहीं करता। (तफ़सीरे क़ुर्तुबी)

इससे मालूम हुआ कि मुकम्मल क़ुबूलियत की शर्त सुन्नत के मुताबिक़ होना है, अगर क़ौल भी अ़मल भी और नीयत भी ये सब दुरुस्त भी हों मगर अ़मल का तरीक़ा सुन्नत के मुताबिक़ न हो तो मुकम्मल क़ुबूलियत हासिल नहीं होगी।

और कुछ मुफ़स्सिरीन हज़रात ने इस जुमले की नहवी तरकीब इस तरह क़रार दी है कि नेक

अ़मल के अच्छे कलाम को उठाने और पहुँचाने के बजाय कलिमा-ए-तय्यिबा यानी ज़िक्रुल्लाह नेक अ़मल को चढ़ाता और उठाता है, यानी क़ाबिले क़ुबूल बनाता है। इसका हासिल यह होगा कि जो शख़्स नेक अ़मल के साथ ज़िक्रुल्लाह भी ख़ूब ज़्यादा करता है तो यह ज़िक्रुल्लाह उसके अ़मल को सजाता-संवारता और क़ाबिले क़ुबूल बना देता है।

और हक़ीक़त यही है कि जिस तरह सिर्फ़ कलिमा-ए-तौहीद और तस्बीहात बिना नेक अ़मल के काफ़ी नहीं इसी तरह नेक अ़मल शरीअ़त के अहकाम की पाबन्दी भी बग़ैर ज़िक्रुल्लाह की कसरत के बेरौनक़ रहती है, ज़िक्रुल्लाह की कसरत ही नेक आमाल को संवार करके क़ाबिले क़ुबूल बनाती है।

وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُّعَمَّرٍ وَّلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهٖٓ اِلَّا فِىْ كِتٰبٍ

इस आयत का मफ़्हूम (मतलब) मुफ़स्सिरीन की बड़ी जमाअ़त के नज़दीक यह है कि अल्लाह तआ़ला जिस शख़्स को लम्बी उम्र अ़ता फ़रमाते हैं वह पहले ही लौह-ए-महफ़ूज़ में लिखा हुआ है, इसी तरह जिसकी उम्र कम रखी जाती है वह भी सब लौह-ए-महफ़ूज़ में पहले ही दर्ज है, जिसका हासिल यह है कि यहाँ उम्र का ज़्यादा और कम होना एक फ़र्द के मुताल्लिक़ मुराद नहीं बल्कि बात पूरी इनसानियत के मुताल्लिक़ है कि उसके किसी फ़र्द को लम्बी उम्र दी जाती है किसी को उससे कम। यह तफ़सीर हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु से इब्ने कसीर ने नक़ल की है। अ़ल्लामा जस्सास ने हसन बसरी और ज़ह्हाक का यही क़ौल नक़ल किया है, इसी लिये इब्ने जरीर, इब्ने कसीर, रूहुल-मआ़नी वग़ैरह आ़म तफ़सीरों में इसी को अक्सर हज़रात की तफ़सीर क़रार दिया है। और कुछ हज़रात ने फ़रमाया कि अगर उम्र की कमी ज़्यादती को एक ही शख़्स के मुताल्लिक़ कहा जाये तो उम्र में कमी करने का यह मतलब है कि हर शख़्स की जो उम्र अल्लाह तआ़ला ने लिख दी है वह यक़ीनी है, और जो दिन गुज़रता है उम्र की उस मुक़र्ररा मुद्दत में से एक दिन की कमी कर देता है, दो दिन गुज़रते हैं तो दो कम हो जाते हैं, इसी तरह हर दिन बल्कि हर साँस उसकी उम्र को घटाता रहता है। यह तफ़सीर शअ़बी, इब्ने जुबैर, अबू मालिक, इब्ने अ़तीया और सुद्दी से मन्क़ूल है। (रूहुल-मआ़नी) इसी मज़मून को इस शे'र में अदा किया गया है:

حَيَاتُكَ اَنْفَاسٌ تُعَدُّ فَكُلَّمَا　　مَضٰى نَفَسٌ مِّنْهَا انْتَقَصْتَ بِهٖ جُزْءٗ

"यानी तेरी ज़िन्दगी चन्द गिने हुए साँसों का नाम है तो जब भी एक साँस गुज़रता है तेरी उम्र का एक हिस्सा घट जाता है।"

इमाम नसाई ने इस आयत की तफ़सीर में हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अ़न्हु से यह रिवायत किया है कि उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से सुना है कि आपने फ़रमाया:

مَنْ سَرَّهٗ اَنْ يُّبْسَطَ لَهٗ فِىْ رِزْقِهٖ وَيُنْسَأَ فِىْ اَثَرِهٖ فَلْيَصِلْ رَحِمَهٗ.

बुख़ारी, मुस्लिम, अबू दाऊद ने भी यह हदीस यूनुस बिन यज़ीद एली की रिवायत से नक़ल की है। हदीस के मायने यह हैं कि जो शख़्स चाहता है कि उसके रिज़्क़ में वुस्अ़त और उम्र में ज़्यादती हो तो उसको चाहिये कि सिला-रहमी करे, यानी अपने ज़ी-रहम (कोख वाले) रिश्तेदारों से अच्छा सुलूक करे। इससे बज़ाहिर यह मालूम होता है कि सिला-रहमी करने से उम्र बढ़ जाती है मगर इसका मतलब

एक दूसरी हदीस ने ख़ुद वाज़ेह कर दिया है, वह यह है:

इब्ने अबी हातिम ने हज़रत अबूदर्दा रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत किया है वह फ़रमाते हैं- हमने इस (मज़मून का ज़िक्र) रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के सामने किया तो आपने फ़रमाया कि (उम्र तो अल्लाह के नज़दीक एक ही मुक़र्रर और मुक़द्दर है) जब मुक़र्ररा मुद्दत पूरी हो जाती है तो किसी शख़्स को ज़रा भी मोहलत नहीं दी जाती, बल्कि उम्र के बढ़ने से मुराद यह है कि अल्लाह तआ़ला उसको नेक औलाद अ़ता फ़रमा देता है वे उसके लिये दुआ़ करते रहते हैं, यह शख़्स नहीं होता है और उन लोगों की दुआ़यें इसको क़ब्र में मिलती रहती हैं (यानी मरने के बाद भी उनको वह फ़ायदा पहुँचता रहता है जो ख़ुद ज़िन्दा रहने से हासिल होता है, इसी तरह गोया उसकी उम्र बढ़ गई। ये दोनों रिवायतें इब्ने कसीर ने नक़ल की हैं) ख़ुलासा यह है कि जिन हदीसों में कुछ आमाल के मुताल्लिक़ यह आया है कि उनसे उम्र बढ़ जाती है इससे मुराद उम्र की बरकत का बढ़ जाना है।

وَمِنْ كُلٍّ تَاْكُلُوْنَ لَحْمًا طَرِيًّا وَّتَسْتَخْرِجُوْنَ حِلْيَةً تَلْبَسُوْنَهَا

यानी खारे व नमकीले और मीठे दरिया दोनों से तुम्हें ताज़ा गोश्त खाने को मिलता है। इससे मुराद मछली है। इस आयत में मछली को गोश्त के लफ़्ज़ से ताबीर करने में इस तरफ़ इशारा पाया जाता है कि मछली ख़ुद-ब-ख़ुद हलाल गोश्त है उसको ज़िबह करने की ज़रूरत नहीं, बख़िलाफ़ दूसरे बड़े जानवरों के कि जब तक उनको अल्लाह के नाम पर ज़िबह न करो वो हलाल नहीं। मछली में यह शर्त नहीं इसलिये वह बना-बनाया गोश्त है। और 'हिल्या' के मायने ज़ेवर के हैं, इससे मुराद मोती हैं। आयत से मालूम हुआ कि मोती जिस तरह नमकीले और खारे दरिया में पैदा होते हैं इसी तरह मीठे दरियाओं में भी होते हैं जो आ़म शोहरत के ख़िलाफ़ है, क्योंकि परिचित और मशहूर यही बात है कि मोती खारे दरिया (समन्दर) में पैदा होते हैं, और हक़ीक़त यही है जो क़ुरआन के अलफ़ाज़ से ज़ाहिर है कि दोनों में मोती पैदा होते हैं, अलबत्ता मीठे दरियाओं में बहुत कम और समन्दर में बहुत ज़्यादा पैदा होते हैं, ज़्यादती की वजह से यह शोहरत हो गई कि मोती सिर्फ़ नमकीले दरिया से निकलते हैं।

और 'तल्बसूनहा' में पुल्लिंग का कलिमा इस्तेमाल करने से इस तरफ़ इशारा हो गया कि मोतियों का इस्तेमाल मर्दों के लिये भी जायज़ है, बख़िलाफ़ सोने चाँदी के कि उनका बतौर ज़ेवर इस्तेमाल करना मर्दों के लिये जायज़ नहीं। (रूहुल-मआ़नी)

اِنْ تَدْعُوْهُمْ لَا يَسْمَعُوْا دُعَآءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوْا مَا اسْتَجَابُوْا لَكُمْ

यानी ये बुत या बाज़े अम्बिया या फ़रिश्ते जिनको तुम ख़ुदा समझकर पूजा करते हो अगर इनको मुसीबत के वक़्त पुकारोगे तो पहली बात तो यह कि ये तुम्हारी बात सुन ही न सकेंगे, क्योंकि बुतों में तो सुनने की सलाहियत है ही नहीं, नबियों और फ़रिश्तों में अगरचे सलाहियत है मगर न वे हर जगह मौजूद हैं न हर एक के कलाम को सुनते हैं। आगे फ़रमाया कि अगर फ़र्ज़ करो वे सुन भी लें जैसे फ़रिश्ते और अम्बिया तो फिर भी वे तुम्हारी दरख़्वास्त पूरी न करेंगे क्योंकि उनको ख़ुद क़ुदरत नहीं और अल्लाह तआ़ला की इजाज़त के बग़ैर उससे किसी की सिफ़ारिश नहीं कर सकते।

मुर्दों के सुनने का मसला जो पहले गुज़र चुका है इस आयत से न उसका सुबूत मिलता है न नफ़ी, इस बहस की दलीलें दूसरी हैं जिनका ज़िक्र सूरः रूम में तफ़सील से आ चुका है।

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اَنْتُمُ الْفُقَرَآءُ اِلَى اللّٰهِ ۚ وَاللّٰهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيْدُ ﴿١٥﴾ اِنْ يَّشَاْ يُذْهِبْكُمْ وَ
يَاْتِ بِخَلْقٍ جَدِيْدٍ ﴿١٦﴾ وَمَا ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ بِعَزِيْزٍ ﴿١٧﴾ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ اُخْرٰى ۚ وَاِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ
اِلٰى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَّلَوْ كَانَ ذَا قُرْبٰى ۗ اِنَّمَا تُنْذِرُ الَّذِيْنَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَاَقَامُوا
الصَّلٰوةَ ۚ وَمَنْ تَزَكّٰى فَاِنَّمَا يَتَزَكّٰى لِنَفْسِهٖ ۚ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيْرُ ﴿١٨﴾ وَمَا يَسْتَوِي الْاَعْمٰى وَالْبَصِيْرُ ﴿١٩﴾
وَلَا الظُّلُمٰتُ وَلَا النُّوْرُ ﴿٢٠﴾ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُوْرُ ﴿٢١﴾ وَمَا يَسْتَوِي الْاَحْيَآءُ وَلَا الْاَمْوَاتُ ۗ اِنَّ اللّٰهَ يُسْمِعُ
مَنْ يَّشَآءُ ۚ وَمَآ اَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّنْ فِي الْقُبُوْرِ ﴿٢٢﴾ اِنْ اَنْتَ اِلَّا نَذِيْرٌ ﴿٢٣﴾ اِنَّآ اَرْسَلْنٰكَ بِالْحَقِّ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا ۗ وَاِنْ
مِّنْ اُمَّةٍ اِلَّا خَلَا فِيْهَا نَذِيْرٌ ﴿٢٤﴾ وَاِنْ يُّكَذِّبُوْكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۚ جَآءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ
وَبِالزُّبُرِ وَبِالْكِتٰبِ الْمُنِيْرِ ﴿٢٥﴾ ثُمَّ اَخَذْتُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَكَيْفَ كَانَ نَكِيْرِ ﴿٢٦﴾

ع ١٣ ١٥

या अय्युहन्नासु अन्तुमुल्-फ़ु-क़रा-उ इलल्लाहि वल्लाहु हुवल्-ग़निय्युल्-हमीद (15) इंय्यशअ् युज़्हिब्कुम् व यअ्ति बिख़ल्किन् जदीद (16) व मा ज़ालि-क अलल्लाहि बि-अ़ज़ीज़ (17) व ला तज़िरु वाज़ि-रतुंव् -विज़्-र उख़्रा, व इन् तद्अु मुस्क़-लतुन् इला हिम्लिहा ला युह्मल् मिन्हु शैउंव्-व लौ का-न ज़ा-क़ुर्बा, इन्नमा तुन्ज़िरुल्लज़ी-न यख़्शौ-न रब्बहुम् बिल्ग़ैबि व अक़ामुस्-सला-त, व मन् तज़क्का फ़-इन्नमा य-तज़क्का लि-नफ़्सिही, व इलल्लाहिल्-मसीर (18) व मा यस्तविल्-अअ्मा वल्बसीर (19) व

ऐ लोगो! तुम हो मोहताज अल्लाह की तरफ़, और अल्लाह वही है बेपरवाह सब तारीफ़ों वाला। (15) अगर चाहे तुमको ले जाये और ले आये एक नई ख़ल्क़त। (16) और यह बात अल्लाह पर मुश्किल नहीं। (17) और न उठायेगा कोई उठाने वाला बोझ दूसरे का और अगर पुकारे कोई बोझल अपना बोझ हटाने को कोई न उठाये उसमें से ज़र्रा भी, अगरचे हो रिश्तेदार, तू तो डर सुना देता है उनको जो डरते हैं अपने रब से बिन देखे और क़ायम रखते हैं नमाज़, और जो कोई संवरेगा तो यही है कि संवरेगा अपने फ़ायदे को और अल्लाह की तरफ़ है सब को फिर जाना। (18) और बराबर नहीं अंधा और देखता (19) और

लज़्ज़ुलुमातु व लन्नूर (20) व लज़्ज़िल्लु व लल्हरूर (21) व मा यस्तविल्-अह्या-उ व लल्अम्वातु, इन्नल्ला-ह युस्मिअु मंय्यशा-उ व मा अन्-त बिमुस्मिअिम्-मन् फ़िल्क़ुबूर (22) इन् अन्-त इल्ला नज़ीर (23) इन्ना अर्सल्ना-क बिल्हक़्क़ि बशीरंव्-व नज़ीरन्, व इम्-मिन् उम्म-तिन् इल्ला ख़ला फ़ीहा नज़ीर (24) व इंय्युकज़्ज़िबू-क फ़-क़द् कज़्ज़बल्लज़ी-न मिन् क़ब्लिहिम् जाअत्हुम् रुसुलुहुम् बिल्बय्यिनाति व बिज़्ज़ुबुरि व बिल्-किताबिल्-मुनीर (25) सुम्-म अख़ज़्तुल्लज़ी-न क-फ़रू फ़-कै-फ़ का-न नकीर (26) ✿	न अंधेरा और न उजाला (20) और न साया और न लू। (21) और बराबर नहीं जीते और न मुर्दे, अल्लाह सुनाता है जिसको चाहे और तू नहीं सुनाने वाला क़ब्र में पड़े हुओं को। (22) तू तो बस डर की ख़बर पहुँचाने वाला है। (23) हमने भेजा है तुझको सच्चा दीन देकर ख़ुशी और डर सुनाने वाला। (24) और कोई फ़िर्क़ा नहीं जिसमें नहीं हो चुका कोई डर सुनाने वाला। और अगर वे तुझको झुठलायें तो आगे झुठला चुके हैं जो लोग कि इनसे पहले थे, पहुँचे उनके पास उनके रसूल लेकर खुली बातें और सहीफ़े और रोशन किताब। (25) फिर पकड़ा मैंने इनकारियों को सो कैसा हुआ मेरा इनकार। (26) ✿

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

ऐ लोगो! तुम (ही) ख़ुदा तआ़ला के मोहताज हो और अल्लाह (तो) बेपरवाह (और ख़ुद तमाम) ख़ूबियों वाला है (पस तुम्हारी ज़रूरत देखकर तुम्हारे लिये तौहीद वग़ैरह की तालीम की गई है, अगर तुम नहीं मानोगे तो तुम अपना नुक़सान करोगे। बाक़ी हक़ तआ़ला को तो अपने ज़ाती कमाल और सबसे बेपरवाह होने की वजह से तुम्हारी या तुम्हारे अ़मल की कोई ज़रूरत ही नहीं कि उसके नुक़सान का शुब्हा व संभावना हो, और कुफ़्र पर जो नुक़सान होने वाला है ख़ुदा तआ़ला उसको फ़िलहाल भी सामने लाने पर क़ादिर है, चुनाँचे) अगर वह चाहे तो (तुम्हारे कुफ़्र की सज़ा में) तुमको फ़ना कर दे और एक नई मख़्लूक़ पैदा कर दे (जो तुम्हारी तरह कुफ़्र व इनकार न करें) और यह बात अल्लाह तआ़ला को कुछ मुश्किल नहीं (लेकिन मस्लेहत से मोहलत दे रखी है। ग़र्ज़ कि यहाँ तो वह नुक़सान ज़ाहिर होना सिर्फ़ संदेह और संभावना रखता है लेकिन क़ियामत में वह नुक़सान सामने आ जायेगा) और (उस वक़्त यह हालत होगी कि) कोई दूसरे का बोझ (गुनाह का) न उठायेगा। और (ख़ुद तो कोई किसी की क्या रियायत करता यह हालत होगी कि) अगर कोई बोझ का लदा हुआ (यानी कोई

गुनाहगार) किसी को अपना बोझ उठाने के लिये बुलायेगा (भी) तब भी उसमें से कुछ भी बोझ न हटाया जायेगा, अगरचे वह शख़्स (जिसको उसने बुलाया था उसका) क़रीबी रिश्तेदार ही (क्यों न) हो। (पस उस वक़्त पूरा नुक़सान इस कुफ़्र व बद-अ़मली का ख़ुद ही भुगतना पड़ेगा। यह तो इनकार करने वाले लोगों को डराना हो गया आगे हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के लिये तसल्ली का मज़मून है कि ऐ मुहम्मद सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम! आप इनके इनकार पर जिसकी सज़ा ये एक दिन ज़रूर भुगतेंगे इस क़द्र ग़म व अफ़सोस क्यों करते हैं) आप तो (ऐसा डराना जिस पर फ़ायदा सामने आये) सिर्फ़ ऐसे लोगों को डरा सकते हैं जो बिना देखे अपने रब से डरते हैं और नमाज़ की पाबन्दी करते हैं। (इससे मुराद ईमान वाले हज़रात हैं, यानी आपके डराने से सिर्फ़ ईमान वाले ही फ़ायदा उठाते हैं चाहे फ़िलहाल उठायें या आईन्दा के एतिबार से, और दोनों साझा चीज़ हक़ की तलब है। मतलब यह है कि तालिबे हक़ को नफ़ा हुआ करता है ये लोग तालिबे हक़ हैं ही नहीं इनसे उम्मीद न रखिये) और (आप इनके ईमान न लाने से इस क़द्र फ़िक्र क्यों करते हैं) जो शख़्स (ईमान लाकर शिर्क व कुफ़्र से) पाक होता है वह अपने (नफ़े के) लिये पाक होता है, और (जो नहीं ईमान लाता वहाँ भुगतेगा, क्योंकि सब को) ख़ुदा की तरफ़ लौटकर जाना है (पस नफ़ा है तो उनका, आप क्यों ग़म करते हैं)।

और (इन लोगों से क्या अपेक्षा रखी जाये कि इनका इल्म व समझ मोमिनों के इल्म व समझ की तरह हो और मोमिनों की तरह ये भी हक़ को क़ुबूल कर लें, और हक़ को क़ुबूल करने के परिणाम व फल दीनी में भी ये लोग शरीक हो जायें, क्योंकि हक़ को देखने-समझने में मोमिनों की मिसाल आँखों वाले आदमी जैसी है और इनकी मिसाल हक़ को समझने में अन्धे आदमी के जैसी है। और इसी तरह मोमिन ने हक़ को समझने और पाने के ज़रिये हिदायत के जिस रास्ते को इख़्तियार किया है उस हक़ रास्ते की मिसाल नूर के जैसी है, और काफ़िर ने हक़ को न पाने और समझने से जिस रास्ते को इख़्तियार किया है उसकी मिसाल अंधकार के जैसी है। अल्लाह तआ़ला ने फ़रमाया है:

وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَّمْشِيْ بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَّثَلُهُ فِي الظُّلُمٰتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا

और इसी तरह जो जन्नत वग़ैरह मिलने का फल इस तरीक़े पर मुरत्तब होगा उसकी मिसाल ठण्डे साये की तरह है, और जो जहन्नम वग़ैरह मिलने का फल जो बातिल तरीक़े पर मुरत्तब होगा उसकी मिसाल जलती धूप के जैसी है। अल्लाह तआ़ला का क़ौल है:

ظِلٍّ مَّمْدُوْدٍ..................فِيْ سَمُوْمٍ

और ज़ाहिर है कि) अन्धा और आँखों वाला बराबर नहीं हो सकते और न अंधेरा और रोशनी और न छाँव और धूप। (पस न उनका और मोमिनों का इल्म व पहुँच बराबर होगा और न उनका तरीक़ा और न उस तरीक़े का फल) और (मोमिन और काफ़िर में जो फ़र्क़ बीना और नाबीना के जैसा कहा गया है तो इससे कम होने की नफ़ी करना मक़सद है न कि ज़्यादती की नफ़ी करना, क्योंकि उनमें फ़र्क़ मुर्दे और ज़िन्दे के जैसा है, पस उनकी बराबरी की नफ़ी के लिये यूँ भी कहना सही है कि) ज़िन्दे और मुर्दे बराबर नहीं हो सकते (और जब ये मुर्दे हैं तो मुर्दों को ज़िन्दा करना तो ख़ुदा की क़ुदरत में है, बन्दे की क़ुदरत में नहीं। पस अगर ख़ुदा ही इनको हिदायत कर दे तब तो और बात है

क्योंकि) अल्लाह जिसको चाहता है सुनवा देता है (बाक़ी आपकी कोशिश से ये लोग हक़ को क़ुबूल नहीं करेंगे क्योंकि इनकी मिसाल तो मुर्दों की आपने सुन ली) और आप उन लोगों को नहीं सुना सकते जो क़ब्रों में (दफ़न) हैं।

(लेकिन अगर ये न मानें तो आप ग़म में न पड़िये क्योंकि) आप तो (काफ़िरों के हक़ में) सिर्फ़ डराने वाले हैं (आपके ज़िम्मे यह नहीं कि वे काफ़िर डरकर मान भी जायें। और आपका यह डराना अपनी तरफ़ से नहीं जैसा कि नुबुव्वत के इनकारी लोग कहते थे बल्कि हमारी तरफ़ से है क्योंकि) हम ही ने आपको हक़ (दीन) देकर (मुसलमानों को) ख़ुशख़बरी सुनाने वाला और (काफ़िरों को) डर सुनाने वाला बनाकर भेजा है। और (यह भेजना कोई अनोखी बात नहीं जैसा कि काफ़िर कहते थे बल्कि) कोई उम्मत ऐसी नहीं हुई जिसमें कोई डर सुनाने वाला (यानी पैग़म्बर) न गुज़रा हो। और अगर ये लोग आपको झुठलाएँ तो (आप उन पहले गुज़रे पैग़म्बरों का जिनका अभी संक्षिप्त रूप से ज़िक्र हुआ है और जिनकी कुछ तफ़सील अन्य आयतों में ज़िक्र है, काफ़िरों के साथ मामला याद करके अपने दिल को समझा लीजिये क्योंकि) जो लोग इनसे पहले गुज़र चुके हैं उन्होंने भी (अपने वक़्त के पैग़म्बरों को) झुठलाया था (और) उनके पास भी उनके पैग़म्बर मोजिज़े और सहीफ़े और रोशन किताबें लेकर आये थे। (यानी पहले अम्बिया हज़रात में से अपनी नुबुव्वत की तस्दीक़ के लिये बाज़े सहीफ़े "छोटी किताबें", बाज़े बड़ी किताबें और बाज़े सिर्फ़ मोजिज़े और अहकाम लेकर आये) फिर (जब उन्होंने झुठलाया तो) मैंने उन काफ़िरों को पकड़ लिया सो (देखो) मेरा कैसा अ़ज़ाब हुआ (इसी तरह इनके वक़्त पर इनको सज़ा दूँगा)।

मआ़रिफ़ व मसाईल

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ اُخْرٰى

यानी क़ियामत के दिन कोई आदमी दूसरे आदमी के गुनाहों का बोझ न उठा सकेगा, हर एक को अपना बोझ ख़ुद ही उठाना पड़ेगा। और सूरः अ़न्कबूत में जो यह आया है:

وَلَيَحْمِلُنَّ اَثْقَالَهُمْ وَاَثْقَالًا مَّعَ اَثْقَالِهِمْ

यानी गुमराह करने वाले लोग अपने गुमराह होने का बोझ भी उठायेंगे और इतना ही दूसरा बोझ इसका भी उठायेंगे कि उन्होंने दूसरों को गुमराह किया था। इसका यह मतलब नहीं कि जिनको गुमराह किया था उनका बोझ ये लोग कुछ हल्का कर देंगे, बल्कि उनका बोझ अपनी जगह उन पर पूरा रहेगा और गुमराह करने वालों का जुर्म डबल होने की वजह से उनका बोझ भी डबल हो जायेगा- एक गुमराह होने का, दूसरा दूसरों को गुमराह करने का। इसलिये इन दोनों आयतों में कोई टकराव नहीं। (तफ़सीर रूहुल-मआ़नी)

और हज़रत इक्रिमा रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने उक्त आयत की तफ़सीर में फ़रमाया कि उस दिन एक बाप अपने बेटे से कहेगा कि तुम जानते हो कि मैं तुम्हारा कैसा शफ़ीक़ और मेहरबान बाप था, वह इक़रार करेगा कि बेशक आपके एहसानात बेशुमार हैं और मेरे लिये आपने दुनिया में बहुत परेशानियाँ उठाई हैं। अब बाप कहेगा कि बेटा! आज मैं तुम्हारा मोहताज हूँ, अपनी नेकियों में से थोड़ी मुझे दे

दो कि मेरी निजात हो जाये। बेटा कहेगा कि अब्बा जान! आपने बहुत थोड़ी सी चीज़ तलब की मगर मैं क्या करूँ अगर मैं वह आपको दे दूँ तो मेरा यही हाल हो जायेगा इसलिये मजबूर हूँ। फिर वह अपनी बीवी से यही कहेगा कि मैंने दुनिया में तुम पर अपना सब कुछ क़ुरबान किया, आज मुझे तुम्हारी थोड़ी नेकियों की ज़रूरत है वह दे दो। बीवी भी वही जवाब देगी जो बेटे ने दिया था।

हज़रत इक्रिमा रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने फ़रमाया कि यही मुराद है इस आयत कीः

لَا تَزِرُوَا زِرَةٌ وِّزْرَ اُخْرٰى .

(कि कोई किसी का बोझ न उठायेगा) और फ़रमाया कि क़ुरआने करीम ने कई आयतों में इस मज़मून को बयान फ़रमाया है। एक जगह फ़रमायाः

لَايَجْزِىْ وَالِدٌ عَنْ وَّلَدِهٖ وَلَا مَوْلُوْدٌ هُوَجَازٍ عَنْ وَّالِدِهٖ شَيْئًا

यानी उस दिन न कोई बाप अपने बेटे को अ़ज़ाब से छुड़ा सकेगा न बेटा बाप को। मुराद यही है कि कोई दूसरे का गुनाह अपने सर पर लेकर उसको न बचायेगा, शफ़ाअ़त का मामला इससे अलग है। इसी तरह एक दूसरी आयत में फ़रमायाः

يَوْمَ يَفِرُّالْمَرْءُ مِنْ اَخِيْهِ وَاُمِّهٖ وَاَبِيْهِ وَصَاحِبَتِهٖ وَبَنِيْهِ

''यानी उस दिन इनसान भागेगा अपने भाई और बाप से और अपनी बीवी से और औलाद से।'' भागने का हासिल यही है वह डरेगा कि कहीं ये अपना गुनाह मुझ पर डालने की या मेरी किसी नेकी को लेने की फ़रमाईश न करें। (तफ़सीर इब्ने कसीर)

وَمَآ اَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّنْ فِى الْقُبُوْرِ٥

इस आयत के शुरू में काफ़िरों की मिसाल मुर्दों से और मोमिनों की ज़िन्दों से दी गई है। इसी की मुनासबत से यहाँ ''मन् फ़िल्-क़ुबूर'' से मुराद काफ़िर लोग हैं। मतलब यह है कि जिस तरह आप मुर्दों को नहीं सुना सकते इन ज़िन्दा काफ़िरों को भी नहीं सुना सकते।

इस आयत ने ख़ुद यह बात स्पष्ट कर दी कि यहाँ सुनाने से मुराद वह सुनाना है जो मुफ़ीद व असरदार और नफ़ा देने वाला है, वरना सिर्फ़ सुनाना तो काफ़िरों को हमेशा होता ही रहा, और यह देखने में आता रहा है कि आप उनको तब्लीग़ करते और वे सुनते थे। इसलिये इस आयत की मुराद यह है कि जिस तरह आप मुर्दों को हक़ कलाम सुनाकर हक़ रास्ते पर नहीं ला सकते, क्योंकि वे दुनिया के अ़मल के जहान से आख़िरत के जज़ा और बदले वाले जहान में मुन्तक़िल हो चुके हैं, वहाँ अगर वे ईमान का इक़रार भी कर लें तो मोतबर नहीं, इसी तरह काफ़िरों का हाल है। इससे साबित हुआ कि मुर्दों के सुनाने की जो नफ़ी इस आयत में की गई है उससे मुराद ख़ास किस्म का लाभदायक सुनाना मुराद है जिसकी वजह से सुनने वाला बातिल को छोड़कर हक़ पर आ जाये। इस तक़रीर से वाज़ेह हो गया कि मुर्दों के सुनने के मसले से इस आयत का कोई ताल्लुक़ नहीं, यह मसला अपनी जगह मुस्तक़िल है कि मुर्दे ज़िन्दों का कलाम सुनते हैं या नहीं। इसकी तफ़सीली तहक़ीक़ सूरः रूम और सूरः नम्ल में गुज़र चुकी है।

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُّخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا ۚ وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ ﴿٢٧﴾ وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَٰلِكَ ۗ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ ﴿٢٨﴾

अलम् त-र अन्नल्ला-ह अन्ज़-ल मिनस्समा-इ माअन् फ़-अख़्रज्ना बिही स-मरातिम्-मुख़्तलिफ़न् अल्वानुहा, व मिनल्-जिबालि जु-ददुम् बीज़ुंव्-व हुमुरुम् मुख़्तलिफ़ुन् अल्वानुहा व ग़राबीबु सूद (27) व मिनन्नासि वद्दवाब्बि वल्-अन्आ़मि मुख़्तलिफ़ुन् अल्वानुहू कज़ालि-क, इन्नमा यख़्शल्ला-ह मिन् अ़िबादिहिल्-अ़ु-लमा-उ, इन्नल्ला-ह अ़ज़ीज़ुन् ग़फ़ूर (28)	क्या तूने न देखा कि अल्लाह ने उतारा आसमान से पानी फिर हमने निकाले उससे मेवे तरह-तरह के उनके रंग, और पहाड़ों में घाटियाँ हैं सफ़ेद और सुर्ख़ तरह-तरह के उनके रंग और बहुत गहरे काले। (27) और आदमियों में और कीड़ों में और चौपायों में कितने रंग हैं इसी तरह, अल्लाह से डरते वही हैं उसके बन्दों में जिनको समझ है, बेशक अल्लाह ज़बरदस्त है बख़्शने वाला। (28)

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

(ऐ मुख़ातब!) क्या तूने इस बात पर नज़र नहीं की कि अल्लाह ने आसमान से पानी उतारा, फिर हमने (पानी) के ज़रिये से मुख़्तलिफ़ रंगतों के फल निकाले। (चाहे इस तरह कि उनकी किस्में और प्रजातियाँ ही अलग-अलग हों या एक ही किस्म और एक ही प्रजाति के फल मुख़्तलिफ़ रंगतों के हों) और (इसी तरह) पहाड़ों के भी मुख़्तलिफ़ हिस्से हैं- (बाज़े) सफ़ेद और (बाज़े) सुर्ख़ कि (फिर ख़ुद) उन (सफ़ेद व सुर्ख़) की भी रंगतें अलग-अलग हैं (बाज़े बहुत सफ़ेद और बहुत सुर्ख़, बाज़े हल्के सफ़ेद और हल्के सुर्ख़) और (बाज़े न सफ़ेद न सुर्ख़ बल्कि) बहुत गहरे काले। और इसी तरह आदमियों और जानवरों और चौपायों में भी कुछ ऐसे हैं कि उनकी रंगतें अलग-अलग हैं (कई बार क़िस्मों और प्रजातियों के साथ ये रंगों की विविधता और भिन्नता होती है और कई बार एक ही क़िस्म में विभिन्न रंग होते हैं, तो जो लोग क़ुदरत की निशानियों में ग़ौर करते हैं उनको ख़ुदा तआ़ला की बड़ाई का इल्म होता है और) ख़ुदा से उसके वही बन्दे डरते हैं जो (उसकी बड़ाई का) इल्म रखते हैं (अगर बड़ाई व अ़ज़मत का इल्म सिर्फ़ एतिक़ादी और अ़क़्ली है तो यह डरना भी एतिक़ादी व अ़क़्ली ही रहेगा और अगर बड़ाई का इल्म हाल के दर्जे तक पहुँच गया है तो डरना भी हाल के दर्जे का होगा

कि उसके ख़िलाफ़ करने-होने से तबई नफ़रत व तकलीफ़ होने लगेगी) वाक़ई अल्लाह तआला (से डरना अपने आप में भी ज़रूरी है क्योंकि वह) ज़बरदस्त है (कि सब कुछ कर सकता है और अपने मतलब के लिये भी ज़रूरी है क्योंकि वह डरने वालों के गुनाहों का) बड़ा बख़्शने वाला है।

मआरिफ़ व मसाईल

इन आयतों के मज़मून का पीछे से संबन्ध

कुछ हज़रात ने फ़रमाया है कि इन आयतों में तौहीद के मज़मून की तरफ़ वापसी है जिसको क़ुदरत की दलीलों से मज़बूत व साबित किया गया है, और कुछ हज़रात ने फ़रमाया कि इनसे पहले की आयतों में लोगों के हालात का मुख़्तलिफ़ और भिन्न होना और इसकी मिसालें बयान फ़रमाई हैं:

وَمَا يَسْتَوِى الْاَعْمٰى وَالْبَصِيْرُه وَلَا الظُّلُمٰتُ وَلَا النُّوْرُه وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُوْرُه

यह इसी का मज़ीद बयान व वज़ाहत है कि अल्लाह की मख़्लूक़ात के बीच आपसी फ़र्क़ एक पैदाईशी और तबई चीज़ है और पेड़-पौधों व बेजान चीज़ों तक में मौजूद है, और यह विविधता और भिन्नता सिर्फ़ सूरत और रंग में ही नहीं बल्कि तबीयतों में भी है।

ثَمَرٰتٍ مُّخْتَلِفًا اَلْوَانُهَا

समरात में रंगों के अलग-अलग और भिन्न होने को ग्रामर के एतिबार से देखा जाये तो इसमें यह इशारा हो सकता है कि समरात (फलों और मेवों) की रंगों की भिन्नता तो एक हाल पर नहीं वो थोड़े-थोड़े अन्तराल से बदलती रहती है, बख़िलाफ़ पहाड़ों, और इनसानों और जानवरों के कि उनके जो रंग हैं वे उमूमन क़ायम रहने वाले हैं, बदलते नहीं।

और पहाड़ों में **जु-ददुन** फ़रमाया, यह जुद्दह् की जमा (बहुवचन) है जिसके परिचित मायने उस छोटे से रास्ते के हैं जिसको जादा भी कहा जाता है। और कुछ हज़रात ने जुद्दह् को हिस्से और टुकड़े के मायने में क़रार दिया है, मतलब दोनों सूरतों में पहाड़ों के हिस्सों का विभिन्न रंगों वाला होना है जिनमें सबसे पहले सफ़ेद का और आख़िर में सियाह का ज़िक्र फ़रमाया, बीच सुर्ख़ के ज़िक्र के साथ रंगों के भिन्न और अलग-अलग होने का बयान फ़रमाया, इसमें इस तरफ़ इशारा निकल सकता है कि असल रंग दुनिया में दो ही हैं- सफ़ेद और सियाह, और बाक़ी रंग इसी सफ़ेदी और सियाही के मुख़्तलिफ़ दर्जों से तैयार होकर बनते हैं।

كَذٰلِكَ. اِنَّمَا يَخْشَى اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمٰٓؤُا.

इस जगह लफ़्ज़ 'कज़ालि-क' पर अक्सर हज़रात के नज़दीक वक़्फ़ (ठहरना) है, जो इसकी निशानी है कि यह लफ़्ज़ पिछले मज़मून के साथ जुड़ा हुआ है। यानी मख़्लूक़ात को विभिन्न और अलग-अलग रंगों, प्रजातियों और क़िस्मों पर बड़ी हिक्मत के साथ बनाना यह अल्लाह तआला की क़ुदरत व हिक्मत की ख़ास निशानी है, और कुछ रिवायतों से यह समझ में आता है कि इस लफ़्ज़ का ताल्लुक़ अगले जुमले से है, यानी जिस तरह फल, पहाड़, हैवानात और इनसान मुख़्तलिफ़ रंगों पर बंटे हुए हैं इसी तरह अल्लाह से डरने में भी लोगों के दर्जे मुख़्तलिफ़ और भिन्न हैं, किसी को उसका

आला दर्जा हासिल है किसी को कम, और इसका मदार इल्म पर है, जिस दर्जे का इल्म है उसी दर्जे का डर और ख़ौफ़ भी है। (तफ़सीर रूहुल-मआनी)

इनसे पहले की आयतों में इरशाद फ़रमाया थाः

إِنَّمَا تُنذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ.

जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को तसल्ली देने के लिये फ़रमाया था कि आपके डराने और तब्लीग़ का फ़ायदा तो सिर्फ़ वे लोग उठाते हैं जो ग़ायबाना अल्लाह तआ़ला से ख़ौफ़ व डर रखते हैं, इसकी मुनासबत से आयत नम्बर 28 'इन्नमा यख़्शल्ला-ह मिन् अ़िबादिहिल् उ-लमा-उ' में उन लोगों का ज़िक्र है जिनको अल्लाह तआ़ला का ख़ौफ़ व डर हासिल है। और जैसा कि पहले काफ़िरों व मुन्किरों का और उनके हालात का ज़िक्र आया है इसमें अल्लाह के ख़ास औलिया का ज़िक्र है। लफ़्ज़ इन्नमा अ़रबी भाषा में बयान को ख़ास और सीमित करने के लिये आता है, इसलिये इस जुमले के मायने बज़ाहिर यह हैं कि सिर्फ़ उलेमा ही अल्लाह से डरते हैं, मगर इब्ने अ़तीया वग़ैरह तफ़सीर के इमामों ने फ़रमाया कि हर्फ़ इन्नमा जैसे किसी बात को ख़ास व सीमित करने के लिये आता है ऐसे ही किसी की ख़ुसूसियत के बयान करने के लिये भी इस्तेमाल होता है, और यहाँ यही मुराद है कि अल्लाह का डर उलेमा की ख़ास सिफ़त व गुण और लाज़िमी चीज़ है। इससे यह लाज़िम नहीं आता कि ग़ैर-आ़लिम में डर व ख़ौफ़ न हो। (तफ़सीर बहरे मुहीत, अबू हय्यान)

और आयत में लफ़्ज़ उलेमा से मुराद वे लोग हैं जो अल्लाह तआ़ला की ज़ात व सिफ़ात का भरपूर इल्म रखते हैं, और दुनिया की मख़्लूक़ात में उसके इख़्तियार और कारीगरी पर और उसके एहसानात व इनामात पर नज़र रखते हैं। सिर्फ़ अ़रबी भाषा या उसके ग्रामर और भाषायी ख़ूबियों व कमालात जानने वालों को क़ुरआन की इस्तिलाह में आ़लिम नहीं कहा जाता जब तक उसको अल्लाह तआ़ला की मारिफ़त (पहचान) ऊपर बयान हुए तरीक़े पर हासिल न हो।

हज़रत हसन बसरी रह. ने इस आयत की तफ़सीर में फ़रमाया कि आ़लिम वह शख़्स है जो तन्हाई और आ़म जगह में अल्लाह से डरे, और जिस चीज़ की अल्लाह तआ़ला ने तरग़ीब दी है वह उसको पसन्दीदा हो और जो चीज़ अल्लाह के नज़दीक नापसन्दीदा है उसको उससे नफ़रत हो।

और हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने फ़रमायाः

لَيْسَ الْعِلْمُ بِكَثْرَةِ الْحَدِيْثِ وَلٰكِنَّ الْعِلْمَ عَنْ كَثْرَةِ الْخَشْيَةِ.

"यानी बहुत सी हदीसें याद कर लेना या बहुत बातें करना कोई इल्म नहीं, बल्कि इल्म वह है जिसके साथ अल्लाह का ख़ौफ़ हो।"

हासिल यह है कि जिस क़द्र किसी में ख़ुदा तआ़ला का ख़ौफ़ है वह उसी दर्जे का आ़लिम है। और अहमद बिन सालेह मिस्री ने फ़रमाया कि अल्लाह के डर और ख़ौफ़ को रिवायत और मालूमात की कसरत व अधिकता से नहीं पहचाना जा सकता बल्कि उसको किताब व सुन्नत पर अ़मल करने से पहचाना जाता है। (तफ़सीर इब्ने कसीर)

शैख़ शहाबुद्दीन सेहरवर्दी रह. ने फ़रमाया कि इस आयत में इशारा पाया जाता है कि जिस शख़्स में अल्लाह का ख़ौफ़ न हो वह आ़लिम नहीं। (तफ़सीरे मज़हरी) इसकी तस्दीक़ उम्मत के उलेमा

और बुज़ुर्गों के अक़वाल से भी होती है।

हज़रत रबीअ़ बिन अनस रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने फ़रमायाः

مَنْ لَّمْ يَخْشَ فَلَيْسَ بِعَالِمٍ.

"यानी जो अल्लाह से नहीं डरता वह आ़लिम नहीं।"

सअ़द बिन इब्राहीम से किसी ने पूछा कि मदीना में सबसे ज़्यादा फ़क़ीह (आ़लिम) कौन है? तो फ़रमाया 'अतक़ाहुम् लिरब्बिही' "यानी जो अपने रब से सबसे ज़्यादा डरने वाला हो।"

और हज़रत अ़ली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने फ़क़ीह (दीन के आ़लिम) की परिभाषा इस तरह से फ़रमाई हैः

اِنَّ الْفَقِيْهَ حَقَّ الْفَقِيْهِ مَنْ لَّمْ يُقَنِّطِ النَّاسَ مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ وَلَمْ يُرَخِّصْ لَهُمْ فِيْ مَعَاصِى اللّٰهِ تَعَالٰى، وَلَمْ يُؤْمِنْهُمْ مِّنْ عَذَابِ اللّٰهِ تَعَالٰى وَلَمْ يَدَعِ الْقُرْاٰنَ رَغْبَةً عَنْهُ اِلٰى غَيْرِهٖ اَنَّهٗ لَا خَيْرَ فِيْ عِبَادَةٍ لَّا عِلْمَ فِيْهَا وَلَا عِلْمٍ لَّا فِقْهَ فِيْهِ وَلَا قِرَاءَةٍ لَّا تَدَبُّرَ فِيْهِ. (قرطبی)

"फ़क़ीह, मुकम्मल फ़क़ीह (दीन का आ़लिम) वह है जो लोगों को अल्लाह की रहमत से मायूस भी न करे और उनको गुनाहों की छूट भी न दे, और उनको अल्लाह से अ़ज़ाब से मुत्मईन भी न करे, और क़ुरआन को छोड़कर किसी दूसरी चीज़ की तरफ़ दिलचस्पी न ले (और फ़रमाया) उस इबादत में कोई ख़ैर नहीं जो बिना इल्म के हो और उस इल्म में कोई ख़ैर नहीं जो बिना फ़िक़्ह यानी बिना समझ-बूझ के हो और उस किराअत (क़ुरआन पढ़ने) में कोई ख़ैर नहीं जो बग़ैर तदब्बुर (सोच-विचार) के हो।"

उपरोक्त वज़ाहतों और बयानात से यह शुब्हा भी जाता रहा कि बहुत से उलेमा को देखा जाता है कि उनमें ख़ुदा का ख़ौफ़ व डर नहीं। क्योंकि ऊपर बयान हुई वज़ाहतों से मालूम हुआ कि अल्लाह के नज़दीक सिर्फ़ अ़रबी जानने का नाम इल्म और जानने वाले का नाम आ़लिम नहीं, जिसमें अल्लाह का डर न हो वह क़ुरआन की इस्तिलाह में आ़लिम ही नहीं। अलबत्ता डर और ख़ौफ़ कभी सिर्फ़ एतिक़ादी और अ़क़्ली होती है जिसकी वजह से आदमी तकल्लुफ़ के साथ शरीअ़त के अहकाम का पाबन्द होता है और कभी यह डर और ख़ौफ़ हाली और मज़बूत आ़दत के दर्जे में हो जाता है जिसमें शरीअ़त की पैरवी और उस पर अ़मल करना एक तबीयत का तक़ाज़ा बन जाता है। डर और ख़ौफ़ के पहले दर्जे का हुक्म है और वह आ़लिम के लिये ज़रूरी है, दूसरा दर्जा अफ़ज़ल व आला है, ज़रूरी नहीं। (तफ़सीर बयानुल-क़ुरआन)

اِنَّ الَّذِيْنَ يَتْلُوْنَ كِتٰبَ اللّٰهِ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاَنْفَقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ سِرًّا وَّعَلَانِيَةً يَّرْجُوْنَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُوْرَ ۙ﴿۲۹﴾ لِيُوَفِّيَهُمْ اُجُوْرَهُمْ وَيَزِيْدَهُمْ مِّنْ فَضْلِهٖ ؕ اِنَّهٗ غَفُوْرٌ شَكُوْرٌ ﴿۳۰﴾ وَالَّذِيْٓ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ مِنَ الْكِتٰبِ هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ بِعِبَادِهٖ لَخَبِيْرٌۢ بَصِيْرٌ ﴿۳۱﴾ ثُمَّ اَوْرَثْنَا الْكِتٰبَ الَّذِيْنَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا ۚ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهٖ ۚ وَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ ۚ وَمِنْهُمْ سَابِقٌۢ بِالْخَيْرٰتِ بِاِذْنِ اللّٰهِ ؕ ذٰلِكَ

هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيْرُ ۝ جَنّٰتُ عَدْنٍ يَّدْخُلُوْنَهَا يُحَلَّوْنَ فِيْهَا مِنْ اَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَّلُؤْلُؤًا ۚ وَلِبَاسُهُمْ
فِيْهَا حَرِيْرٌ ۝ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْٓ اَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ ۭ اِنَّ رَبَّنَا لَغَفُوْرٌ شَكُوْرُۨ ۝ الَّذِيْٓ اَحَلَّنَا
دَارَ الْمُقَامَةِ مِنْ فَضْلِهٖ ۚ لَا يَمَسُّنَا فِيْهَا نَصَبٌ وَّلَا يَمَسُّنَا فِيْهَا لُغُوْبٌ ۝ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ ۚ
لَا يُقْضٰى عَلَيْهِمْ فَيَمُوْتُوْا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِّنْ عَذَابِهَا ۭ كَذٰلِكَ نَجْزِيْ كُلَّ كَفُوْرٍ ۝ وَهُمْ يَصْطَرِخُوْنَ
فِيْهَا ۚ رَبَّنَآ اَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِيْ كُنَّا نَعْمَلُ ۭ اَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَّا يَتَذَكَّرُ فِيْهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَ
جَاۗءَكُمُ النَّذِيْرُ ۭ فَذُوْقُوْا فَمَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ نَّصِيْرٍ ۝

इन्नल्लज़ी-न यत्लू-न किताबल्लाहि व अक़ामुस्सला-त व अन्फ़क़ू मिम्मा रज़क़्नाहुम् सिर्रंव्-व अलानि-यतंय्-यर्जू-न तिजा-रतल् लन् तबूर (29) लियुवफ़्फ़ि-यहुम् उजू-रहुम् व यज़ी-दहुम् मिन् फ़ज़्लिही, इन्नहू ग़फ़ूरुन् शकूर (30) वल्लज़ी औहैना इलै-क मिनल्-किताबि हुवल्-हक़्क़ु मुसद्दिक़ल्लिमा बै-न यदैहि, इन्नल्ला-ह बिअिबादिही ल-ख़बीरुम्-बसीर (31) सुम्-म औरस्नल्-किताबल्लज़ीनस्तफ़ैना मिन् अिबादिना फ़मिन्हुम् ज़ालिमुल्-लिनफ़्सिही व मिन्हुम् मुक़्तसिदुन् व मिन्हुम् साबिक़ुम् बिल्-ख़ैराति बि-इज़्निल्लाहि, ज़ालि-क हुवल् फ़ज़्लुल्-कबीर (32) जन्नातु अद्निंय्-यद्ख़ुलूनहा युहल्लौ-न फ़ीहा मिन् असावि-र मिन् ज़-हबिंव्-व लुअ्लुअन्

जो लोग पढ़ते हैं किताब अल्लाह की और सीधी करते हैं नमाज़ और ख़र्च करते हैं कुछ हमारा दिया हुआ छुपे और खुले, उम्मीदवार हैं एक व्यापार के जिसमें टोटा न हो। (29) ताकि पूरा दे उनको सवाब उनका और ज़्यादा दे अपने फ़ज़्ल से, तहक़ीक़ वह है बख़्शने वाला क़द्रदान। (30) और जो हमने तुझ पर उतारी किताब वही ठीक है तस्दीक़ करने वाली अपने से पहली किताबों की, बेशक अल्लाह अपने बन्दों से ख़बरदार है देखने वाला। (31) फिर हमने वारिस किये किताब के वे लोग जिनको चुन लिया हमने अपने बन्दों में से, फिर कोई उनमें बुरा करता है अपनी जान का और कोई उनमें है बीच की चाल पर, और कोई उनमें आगे बढ़ गया है लेकर ख़ूबियाँ अल्लाह के हुक्म से, यही है बड़ी बुज़ुर्गी। (32) बाग़ हैं बसने के जिनमें वे जायेंगे वहाँ उनको गहना पहनाया जायेगा, कंगन सोने के और

व लिबासुहुम् फ़ीहा हरीर (33) व क़ालुल्हम्दु लिल्लाहिल्लज़ी अज़्ह-ब अ़न्नल्-ह-ज़-न, इन्-न रब्बना ल-ग़फ़ूरुन् शकूर (34) अल्लज़ी अ-हल्लना दारल्-मुक़ामति मिन् फ़ज़्लिही ला यमस्सुना फ़ीहा न-सबुंव्-व ला यमस्सुना फ़ीहा लुग़ूब (35) वल्लज़ी-न क-फ़रू लहुम् नारु जहन्न-म ला युक़्ज़ा अ़लैहिम् फ़-यमूतू व ला युख़फ़्फ़फ़ु अ़न्हुम् मिन् अ़ज़ाबिहा, कज़ालि-क नज्ज़ी कुल्-ल कफ़ूर (36) व हुम् यस्तरिख़ू-न फ़ीहा रब्बना अख़्रिज्ना नअ़्मल् सालिहन् ग़ैरल्लज़ी कुन्ना नअ़्मलु, अ-व लम् नुअ़म्मिर्कुम् मा य-तज़क्करु फ़ीहि मन् तज़क्क-र व जा-अकुमुन्नज़ीरु, फ़ज़ूक़ू फ़मा लिज़्ज़ालिमी-न मिन् नसीर (37) ❁

मोती के और उनकी पोशाक वहाँ रेशमी है। (33) और कहेंगे शुक्र है अल्लाह का जिसने दूर किया हमसे ग़म, बेशक हमारा रब बख़्शने वाला क़द्रदान है। (34) जिसने उतारा हमको आबाद रहने के घर में अपने फ़ज़्ल से, न पहुँचे हमको उसमें मशक़्क़त और न पहुँचे हमको उसमें थकना। (35) और जो लोग इनकारी हैं उनके लिये है आग दोज़ख़ की, न तो उन पर हुक्म पहुँचे कि मर जायें और न उन पर हल्की हो वहाँ की कुछ तकलीफ़, यह सज़ा देते हैं हम हर नाशुक्रे को। (36) और वे चिल्लायें उसमें- ऐ रब! हमको निकाल कि हम कुछ भला काम कर लें वह नहीं जो (हम) करते रहे, क्या हमने उम्र न दी थी तुमको इतनी कि जिसमें सोच ले जिसको सोचना हो और पहुँचा तुम्हारे पास डराने वाला, अब चखो कि कोई नहीं गुनाहगारों का मददगार। (37) ❁

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

जो लोग अल्लाह की किताब (यानी क़ुरआन) की तिलावत (और साथ ही उस पर अ़मल भी) करते रहते हैं और (ख़ुसूसियत व एहतिमाम के साथ) नमाज़ की पाबन्दी रखते हैं और जो कुछ हमने उनको अ़ता फ़रमाया है उसमें से छुपे और खुले तौर पर (जिस तरह बन पड़ता है) ख़र्च करते हैं वे (अल्लाह के वायदे के सबब) ऐसी (हमेशा की नफ़ा देने वाली) तिजारत के उम्मीदवार हैं जो कभी मद्धम और फीकी न होगी। (क्योंकि उस सौदे का ख़रीदार कोई मख़्लूक़ात में से नहीं है जो कभी तो सौदे की क़द्र करता है और कभी नहीं करता, बल्कि इसका ख़रीदार ख़ुद हक़ तआ़ला होगा जो अपने वायदे के मुताबिक़ ज़रूर अपनी ग़र्ज़ से नहीं बल्कि महज़ उनको नफ़ा पहुँचाने के लिये उसकी क़द्र

करेगा) ताकि उनको उन (के आमाल) की उजरतें (भी) पूरी-(पूरी) दें (जिसका बयान आगे आयेगा यानी उनको जन्नत मिलेगी जिसका ज़िक्र उपरोक्त आयत 33 में है) और (अलावा उजरत के) उनको अपने फ़ज़्ल से और ज़्यादा (भी) दें (मसलन यह कि एक नेकी का सवाब दस के बराबर दें जैसा कि एक अन्य आयत में इसका ज़िक्र है कि अल्लाह तआ़ला एक नेकी का बदला दस गुना देंगे) बेशक वह बड़ा बख़्शने वाला, बड़ा कद्र करने वाला है (पस उनके आमाल में कुछ कोताही रह भी गई तब भी उसकी ऐसी कद्र की कि उजरत के अ़लावा इनाम भी दिया)।

और (क़ुरआन मजीद पर अ़मल करने की बरकत से जो उनको अज्र व फ़ज़्ल मिला सो वाक़ई क़ुरआन मजीद ऐसी ही चीज़ है क्योंकि) यह किताब जो हमने आपके पास वही के तौर पर भेजी है यह बिल्कुल ठीक है जो कि अपने से पहली किताबों की भी (इस मायने में) तस्दीक़ करती है (कि उनको असल के एतिबार से अल्लाह की तरफ़ से नाज़िल हुई बतलाती है अगरचे बाद में उनमें रद्दोबदल हो गई हों, ग़र्ज़ कि यह किताब हर तरह कामिल है, और चूँकि) यक़ीनन अल्लाह तआ़ला अपने बन्दों की (हालत की) पूरी ख़बर रखने वाला (और उनकी मस्लेहतों को) ख़ूब देखने वाला है (इसलिए इस वक़्त ऐसी ही कामिल किताब का नाज़िल करना हिक्मत के मुताबिक़ भी था और जो इस कामिल किताब पर अ़मल करे वह कामिल जज़ा ही का मुस्तहिक़ होगा जो कि मजमूआ़ है असल अज्र और अतिरिक्त फ़ज़्ल का, पस उस अज्र व फ़ज़्ल के इज़ाफ़े के लिये यह किताब हमने पहले आप पर नाज़िल की और) फिर यह किताब हमने उन लोगों के हाथों में पहुँचाई जिनको हमने अपने (तमाम दुनिया जहान के) बन्दों में से (ईमान के एतिबार से) पसन्द फ़रमाया (इससे मुराद इस्लाम वाले हैं जो इस ईमान की हैसियत से तमाम दुनिया वालों में अल्लाह के यहाँ मक़बूल हैं अगरचे उनमें कोई दूसरी वजह जैसे बद-अ़मली वग़ैरह की मलामत का सबब भी हो। मतलब यह कि मुसलमानों के हाथों में वह किताब पहुँचाई) फिर (उन चुने हुए और पसन्दीदा लोगों की तीन क़िस्में हैं, कि) बाज़े तो उनमें (कोई गुनाह करके) अपनी जानों पर ज़ुल्म करने वाले हैं और बाज़े उनमें (जो न गुनाह करते हैं और न नेकियों में ज़रूरी इबादतों से आगे बढ़ते हैं) दरमियानी दर्जे के हैं, और बाज़े उनमें ख़ुदा की तौफ़ीक़ से नेकियों में तरक़्क़ी किये चले जाते हैं (कि गुनाहों से भी बचते हैं और फ़राईज़ के साथ ग़ैर-फ़राईज़ "यानी नफ़्ली चीज़ों" की भी हिम्मत करते हैं। ग़र्ज़ कि हमने तीनों क़िस्म के मुसलमानों के हाथों में वह किताब पहुँचाई और) यह (यानी ऐसी कामिल किताब का पहुँचा देना ख़ुदा का) बड़ा फ़ज़्ल है (क्योंकि इस पर अ़मल करने की बदौलत कैसे अज्र व सवाब के मुस्तहिक़ हो गये। आगे ऊपर बयान हुए उस अज्र व फ़ज़्ल का बयान है कि) वे (अज्र व फ़ज़्ल) बाग़ात हैं हमेशा रहने के जिनमें ये लोग (यानी जिनका उपरोक्त आयत नम्बर 29 में ज़िक्र हुआ है) दाख़िल होंगे (और) उनको सोने के कंगन और मोती पहनाये जाएँगे, और वहाँ उनका लिबास रेशम का होगा और (वहाँ दाख़िल होकर) कहेंगे- अल्लाह का लाख-लाख शुक्र है जिसने हमसे (हमेशा के लिये रंज और) ग़म दूर किया, बेशक हमारा परवर्दिगार बड़ा बख़्शने वाला, क़द्रदान है। जिसने हमको अपने फ़ज़्ल से हमेशा रहने के ठिकाने में ला उतारा, जहाँ हमको न कोई परेशानी पहुँचेगी और न हमको कोई ख़स्तगी पहुँचेगी।

(यह तो अल्लाह के अहकाम और उसकी किताब पर अ़मल करने वालों का हाल हुआ) और जो लोग (उनके विपरीत) काफ़िर हैं उनके लिये दोज़ख़ की आग है, न तो उनको मौत आयेगी कि मर ही

जाएँ (और मरकर छूट जायें) और न उनसे दोज़ख़ का अ़ज़ाब ही हल्का किया जायेगा, हम हर काफ़िर को ऐसी ही सज़ा देते हैं। और वे लोग उस (दोज़ख़) में (पड़े हुए) चिल्लाएँगे कि ऐ हमारे परवर्दिगार! हमको (यहाँ से) निकाल लीजिये, हम (अब ख़ूब) अच्छे (-अच्छे) काम करेंगे, उन कामों के उलट जो (पहले) किया करते थे। (इरशाद होगा कि) क्या हमने तुमको इतनी उम्र न दी थी कि जिसको समझना होता वह समझ सकता? और (सिर्फ़ उम्र ही देने पर बस नहीं किया बल्कि) तुम्हारे पास (हमारी तरफ़ से) डराने वाला (यानी पैग़म्बर) भी पहुँचा था (चाहे किसी माध्यम से या बिना माध्यम के, मगर तुमने एक न सुनी) सो (अब उस न मानने का) मज़ा चखो कि ऐसे ज़ालिमों का (यहाँ) कोई मददगार नहीं (हम तो नाराज़ी के सबब मदद न करेंगे और दूसरे लोग कुछ क़ुदरत न रखने के सबब)।

मआ़रिफ़ व मसाईल

इन आयतों से पहली आयत में उलेमा-ए-हक़ जो अल्लाह की मारिफ़त रखने वाले हों उनकी एक ऐसी सिफ़त का ज़िक्र था जिसका ताल्लुक़ दिल से है, यानी अल्लाह का डर। उपर्युक्त पहली आयत में उन्हीं औलिया-अल्लाह की चन्द ऐसी सिफ़ात का ज़िक्र है जो जिस्मानी अंगों से अदा होती हैं। उनमें से पहली सिफ़त क़ुरआन की तिलावत है, और इससे मुराद वे लोग हैं जो अल्लाह की किताब की तिलावत पर पाबन्दी करते हैं। और कुछ हज़रात ने इस जगह 'यतलू-न' को उसके लुग़वी मायने में लिया है यानी वे अ़मल में क़ुरआन की पैरवी करते हैं मगर पहली तफ़सीर वरीयता प्राप्त है, अगरचे आगे-पीछे के मज़मून से यह भी मुतैयन है कि तिलावत वही मोतबर है जिसके साथ क़ुरआन पर अ़मल भी हो, मगर लफ़्ज़ तिलावत अपने परिचित मायने में है। इसी तरह हज़रत मुतर्रिफ़ बिन अ़ब्दुल्लाह इब्ने शख़्यिर रह. ने फ़रमाया है:

هٰذِهٖ اٰيَةُ الْقُرَّآءِ

यानी यह आयत क़ारियों के लिये है जो क़ुरआन की तिलावत को अपनी ज़िन्दगी का मशग़ला बनाते हैं।

उनकी दूसरी सिफ़त नमाज़ का क़ायम करना और तीसरी अल्लाह की राह में माल ख़र्च करना है। ख़र्च करने के साथ छुपे और खुले तौर पर फ़रमाकर इस तरफ़ इशारा कर दिया गया कि अक्सर इबादतों में रिया (दिखावे) से बचने के लिये ख़ुफ़िया करना बेहतर होता है मगर कभी-कभी दीनी मस्लेहतें इसका तक़ाज़ा होती हैं कि ऐलान के साथ किया जाये, जैसे जमाअ़त की नमाज़ कि मिनारों पर अज़ान देकर और ज़्यादा से ज़्यादा इज्तिमा के साथ ऐलानिया तौर पर अदा करने का हुक्म है, इसी तरह कई बार अल्लाह की राह में ख़र्च करने का इज़हार भी दूसरों को रुचि दिलाने के लिये ज़रूरी होता है। फ़ुक़हा हज़रात (दीनी मसाईल के माहिर उलेमा) ने नमाज़ और अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करने दोनों में यह तफ़सील बयान फ़रमाई है कि फ़र्ज़ व वाजिब या सुन्नते मुअक्कदा है तो उसको तो ऐलानिया करना बेहतर है, इसके सिवा नफ़्ली नमाज़ का ख़ुफ़िया अदा करना बेहतर है। इसी तरह जहाँ माल ख़र्च करना फ़र्ज़ या वाजिब है जैसे फ़र्ज़ ज़कात या सदक़ा-ए-फ़ित्र या क़ुरबानी इनमें ऐलानिया ख़र्च करना बेहतर और अफ़ज़ल है, बाक़ी नफ़्ली सदक़ात को ख़ुफ़िया ख़र्च करना

अफ़ज़ल है।

जो लोग इन तीनों सिफ़ात के मालिक हों यानी क़ुरआन की तिलावत पर पाबन्दी, नमाज़ की पाबन्दी और अल्लाह की राह में दिल की ख़ुशी के साथ माल ख़र्च करना कि सिर्फ़ फ़र्ज़ व वाजिब ही की हद तक न रहे बल्कि नफ़्ली सदक़ात भी करें। आगे उनकी एक सिफ़त यह बतलाई किः

يَرْجُوْنَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُوْرَ.

'लन् तबूर' यह बवार से निकला है जिसके मायने ज़ाया हो जाने के हैं। आयत के मायने यह हैं कि उक्त सिफ़ात के पाबन्द मोमिन एक ऐसी तिजारत के उम्मीदवार हैं जिसमें कभी ख़सारा नहीं होता। उम्मीदवार होने के लफ़्ज़ से इस तरफ़ इशारा है कि मोमिन को दुनिया में अपने किसी भी नेक अ़मल पर यक़ीन करने की गुंजाईश नहीं है कि यह हमें ज़रूर बख़्शवा देगा और इसका अज्र व सवाब हमें यक़ीनी मिलेगा, क्योंकि मुकम्मल मग़फ़िरत और बख़्शिश तो किसी इनसान की भी सिर्फ़ उसके अ़मल से नहीं हो सकती क्योंकि इनसान कितना भी नेक अ़मल करे मगर वह अल्लाह तआ़ला की अ़ज़मत के हक़ को पूरा नहीं कर सकता। इसलिये मग़फ़िरत सब की अल्लाह तआ़ला के फ़ज़्ल के बग़ैर नहीं होगी, जैसा कि एक हदीस में इस मज़मून की वज़ाहत आई है। इसके अ़लावा हर नेक अ़मल के साथ आदमी को इस ख़तरे से भी ग़ाफ़िल नहीं होना चाहिये कि बहुत से नेक आमाल में कोई छुपा शैतानी या नफ़्सानी फ़रेब और फंदा शामिल हो जाता है, जिसकी वजह से वह मक़बूल नहीं होता, या कई बार एक नेक अ़मल के साथ कोई बुरा अ़मल ऐसा हो जाता है जो नेक अ़मल की मक़बूलियत से भी रुकावट बन जाता है। इसलिये आयत में लफ़्ज़ यरजू-न (उम्मीदवार हैं) लाकर इस तरफ़ इशारा फ़रमा दिया कि सारे नेक आमाल की पाबन्दी के बाद भी किसी को अपनी निजात और बुलन्द दर्जों का यक़ीन कर लेने का हक़ नहीं, बस ज़्यादा से ज़्यादा उम्मीद ही कर सकते हैं। (रूह)

नेक आमाल की मिसाल तिजारत से

इस आयत में इन ज़िक्र हुए नेक आमाल को तशबीह व मिसाल के तौर पर एक तिजारत से ताबीर किया गया जैसा कि एक दूसरी आयत में ईमान और अल्लाह के रास्ते में जिहाद को तिजारत से ताबीर फ़रमाया हैः

هَلْ اَدُلُّكُمْ عَلٰى تِجَارَةٍ تُنْجِيْكُمْ مِّنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ ٥ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَتُجَاهِدُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ.

तिजारत की मिसाल इस वस्फ़ (सिफ़त व गुण) में है कि ताजिर (व्यापारी) अपना सरमाया और वक़्त किसी काम में उस वक़्त लगाता है कि उससे उसका सरमाया बढ़ जायेगा और नफ़ा पहुँचेगा। लेकिन दुनिया की हर तिजारत में नफ़े के साथ नुक़सान व ख़सारे की भी आशंका लगी रहती है। मज़कूरा आयत में तिजारत के साथ 'लन् तबू-र' का लफ़्ज़ बढ़ाकर इशारा कर दिया कि इस आख़िरत की तिजारत में नुक़सान व ख़सारे का कोई गुमान व अंदेशा नहीं और अल्लाह के नेक बन्दे जो नेक आमाल में मशक़्क़त व मेहनत उठाते हैं वे आम तिजारतों की तरह तिजारत नहीं करते बल्कि एक ऐसी तिजारत के उम्मीदवार हैं जिसमें कभी ख़सारा नहीं होता। और उनकी उम्मीदवारी का ज़िक्र

करना इस तरफ़ एक छुपा इशारा है कि अल्लाह तआला तमाम करीमों से ज़्यादा करीम हैं वह उम्मीदवारों की उम्मीद को ख़त्म नहीं करेंगे बल्कि पूरा करेंगे, बल्कि अगले जुमले में यह भी फ़रमा दिया कि उनकी उम्मीद तो सिर्फ़ अपने अ़मल का पूरा बदला मिलने तक सीमित है अल्लाह तआला अपने करम से उनकी उम्मीदों से भी ज़्यादा अ़ता फ़रमायेंगे।

لِيُوَفِّيَهُمْ اُجُوْرَهُمْ وَيَزِيْدَهُمْ مِّنْ فَضْلِهٖ

लफ़्ज़ 'लियुवफ़्फ़ीयहुम्' ताल्लुक़ 'लन् तबूर' से है। यानी उनकी तिजारत ख़सारे वाली नहीं बल्कि उनके अज्र व सवाब उनको पूरे-पूरे मिलेंगे और अल्लाह तआला अपने फ़ज़्ल व करम से उनके सोचे और गुमान लगाये हुए अज्र व सवाब से भी कहीं ज़्यादा अ़ता फ़रमायेंगे।

इस फ़ज़्ल व अधिकता में अल्लाह तआला का वायदा भी शामिल है कि मोमिन के अ़मल का अज्र हक़ तआला बहुत बढ़ाकर अ़ता फ़रमाते हैं जिसकी अदना मात्रा अ़मल का दस गुना और ज़्यादा सात सौ गुना तक बल्कि इससे भी ज़्यादा है, और दूसरे गुनाहगारों के हक़ में उनकी सिफ़ारिश क़ुबूल करना इस फ़ज़्ल में शामिल है जैसा कि एक हदीस में हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से इस फ़ज़्ल की तफ़सीर में यह रिवायत की है कि उन लोगों पर दुनिया में जिसने एहसान किया था ये लोग उसकी सिफ़ारिश करेंगे तो जहन्नम की सज़ा के हक़दार होने के बावजूद इनकी सिफ़ारिश से उनको निजात हो जायेगी। (तफ़सीरे मज़हरी इब्ने अबी हातिम के हवाले से) (और यह ज़ाहिर है कि शफ़ाअ़त सिर्फ़ ईमान वालों के लिये हो सकेगी, काफ़िर की शफ़ाअ़त की किसी को इजाज़त न होगी) इसी तरह जन्नत में हक़ तआला का दीदार भी इस फ़ज़्ल का मुख्य भाग है।

ثُمَّ اَوْرَثْنَا الْكِتٰبَ الَّذِيْنَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا

हर्फ़ सुम्-म मिलाने के लिये आता है और इस पर दलालत करता है कि इस हर्फ़ से पहले और बाद की दोनों चीज़ें असल वस्फ़ (गुण व सिफ़त) में साझा और एक होने के बावजूद पहले और बाद में होने का दर्जा रखती हैं। पहली चीज़ मुक़द्दम (पहले) और बाद की चीज़ मौख़्ख़र (पीछे) होती है फिर यह पहले और बाद में होना कभी ज़माने के एतिबार से होता है कभी रुतबे और दर्जे के एतिबार से। इस आयत में हर्फ़ सुम्-म अ़त्फ़ है इससे पहली आयत के लफ़्ज़ 'औहैना' पर, मायने यह हैं कि हमने यह किताब यानी क़ुरआन जो ख़ालिस हक़ ही है और तमाम पहली आसमानी किताबों की तस्दीक़ करता है पहले वही के तौर पर आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के पास भेजी, उसके बाद हमने इस किताब का वारिस उन लोगों को बना दिया जिनको हमने चुन लिया और पसन्द कर लिया है अपने बन्दों में से। यह अव्वल व आख़िर और पहले व बाद में होना रुतबे और दर्जे के एतिबार से तो ज़ाहिर है ही कि क़ुरआन का वही के ज़रिये आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के पास भेजना रुतबे और दर्जे में आगे और पहले है और उम्मते मुहम्मदिया को अ़ता फ़रमाना उससे पीछे और बाद है। और अगर उम्मत को क़ुरआन का वारिस बनाने का मतलब यह लिया जाये कि आपने अपने बाद के लिये उम्मत के वास्ते माल व ज़मीन की विरासत छोड़ने के बजाय अल्लाह की किताब विरासत के तौर पर छोड़ी जैसा कि एक हदीस में इसकी वज़ाहत मौजूद है कि अम्बिया दिरहम व दीनार की

विरासत नहीं छोड़ा करते, वे विरासत में इल्म छोड़ते हैं, और एक दूसरी हदीस में उलेमा को नबियों का वारिस फ़रमाया है, तो इस लिहाज़ से यह पहले और बाद में होना ज़माने और समय के एतिबार से भी हो सकता है कि हमने यह किताब आपको इनायत फ़रमाई है फिर आपने इसको उम्मत के लिये विरासत के तौर पर छोड़ दिया। वारिस बनाने से मुराद अ़ता करना है। इस अ़ता को मीरास के लफ़्ज़ से ताबीर करने में इस तरफ़ इशारा है कि जिस तरह वारिस को मीरास का हिस्सा बग़ैर उसके किसी अ़मल और कोशिश के मिल जाता है क़ुरआने करीम की यह दौलत भी उन चुनिन्दा बन्दों को इसी तरह बग़ैर मेहनत व मशक़्क़त के दे दी गई है।

उम्मते मुहम्मदिया, ख़ुसूसन इसके उलेमा की एक अहम फ़ज़ीलत व ख़ुसूसियत

اَلَّذِيْنَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا

यानी जिनको हमने चुनिन्दा और पसन्दीदा क़रार दे दिया अपने बन्दों में से। मुफ़स्सिरीन हज़रात की अक्सरियत के नज़दीक इससे मुराद उम्मते मुहम्मदिया है, इसके उलेमा डायरेक्ट और दूसरे लोग उलेमा के वास्ते से। अ़ली बिन अबी तल्हा ने हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु से इस आयत की तफ़सीर में नक़ल किया है कि 'अल्लज़ीनस्तफ़ैना......' से मुराद उम्मते मुहम्मदिया है। अल्लाह तआ़ला ने उनको हर उस किताब का वारिस बनाया है जो उसने उतारी है (यानी क़ुरआन पहली तमाम आसमानी किताबों की तस्दीक़ व हिफ़ाज़त करने वाली किताब होने की हैसियत से तमाम आसमानी किताबों के मज़ामीन को अपने अन्दर समोने वाली है, इसका वारिस बनना गोया सब आसमानी किताबों का वारिस बनना है)। फिर फ़रमायाः

فَظَالِمُهُمْ يُغْفَرُلَهٗ وَ مُقْتَصِدُ هُمْ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَّسِيْرًا وَّسَابِقُهُمْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ.

यानी इस उम्मत का ज़ालिम भी बख़्शा जायेगा और दरमियानी चाल चलने वाले से आसान हिसाब लिया जायेगा और नेकियों में आगे बढ़ने वाला बग़ैर हिसाब के जन्नत में दाख़िल होगा।

(तफ़सीर इब्ने कसीर)

इस आयत में लफ़्ज़ 'इस्तफ़ैना' से उम्मते मुहम्मदिया की सबसे बड़ी अ़ज़ीम फ़ज़ीलत ज़ाहिर हुई। क्योंकि लफ़्ज़ इस्तफ़ा क़ुरआने करीम में अक्सर अम्बिया अ़लैहिमुस्सलाम के लिये आया हैः

اَللّٰهُ يَصْطَفِىْ مِنَ الْمَلٰٓئِكَةِ رُسُلًا وَّ مِنَ النَّاسِ

और एक आयत में हैः

اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰٓى اٰدَمَ وَنُوْحًا وَّ اٰلَ اِبْرٰهِيْمَ وَاٰلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ ۝

उक्त आयत में हक़ तआ़ला ने उम्मते मुहम्मदिया को इस्तफ़ा यानी पसन्द करने और चुनने में अम्बिया और फ़रिश्तों के साथ शरीक फ़रमा दिया, अगरचे इस्तफ़ा (चुनिन्दा बनाने और ख़ास करने) के दर्जे विभिन्न हैं, अम्बिया व फ़रिश्तों का चुनना आला दर्जे में और मुहम्मद सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की उम्मत का बाद के दर्जे में है।

उम्मते मुहम्मदिया की तीन क़िस्में

فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهٖ وَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ وَّمِنْهُمْ سَابِقٌ ۢ بِالْخَيْرٰتِ.

यह जुमला पहले जुमले की तफ़सीर व वज़ाहत है। यानी हमने अपने जिन बन्दों को मुन्तख़ब और पसन्द फ़रमाकर उनको क़ुरआन का वारिस बनाया है उनकी तीन क़िस्में हैं- ज़ालिम, मुक़्तसिद, साबिक़।

इन तीनों क़िस्मों की तफ़सीर इमाम इब्ने कसीर रह. ने इस तरह बयान फ़रमाई है कि ज़ालिम से मुराद वह आदमी है जो कुछ वाजिबात में कोताही करता है और कुछ हराम कामों को भी कर लेता है और मुक़्तसिद (यानी दरमियानी चाल चलने वाला) वह शख़्स है जो तमाम शरई वाजिबात को अदा करता है और तमाम हराम कामों से बचता है मगर कभी-कभी कुछ मुस्तहब चीज़ों को छोड़ देता है और बाज़ी मक्रूह चीज़ों में मुब्तला हो जाता है, और नेकियों में साबिक़ वह शख़्स है जो तमाम वाजिब और मुस्तहब चीज़ों को अदा करता है और तमाम हराम व मक्रूह चीज़ों से बचता है और जायज़ व मुबाह चीज़ों को इबादत में मशग़ूलियत या हराम होने के शुब्हे की वजह से छोड़ देता है।

यह इमाम इब्ने कसीर का बयान है, दूसरे मुफ़स्सिरीन हज़रात ने इन तीन क़िस्मों की तफ़सीर में बहुत भिन्न और अलग-अलग अक़वाल नक़ल किये हैं। तफ़सीर रूहुल-मआनी में तहरीर के हवाले से तैंतालीस अक़वाल का ज़िक्र किया है मगर ग़ौर किया जाये तो उनमें से अक्सर का हासिल वही है जो ऊपर तफ़सीर इब्ने कसीर के हवाले से बयान किया गया है।

एक शुब्हा और उसका जवाब

ऊपर बयान हुई तफ़सीर से यह साबित हुआ कि 'अल्लज़ीनस्तफ़ैना' से मुराद उम्मते मुहम्मदिया है और इसकी ये तीन क़िस्में हैं। जिससे मालूम हुआ कि इसकी पहली क़िस्म यानी ज़ालिम भी 'अल्लज़ीनस्तफ़ैना' यानी अल्लाह के मुन्तख़ब और चुनिन्दा बन्दों में शामिल है, इसको बज़ाहिर दूर की बात समझकर कुछ लोगों ने कहा कि यह उम्मते मुहम्मदिया और चुनिन्दा बन्दों से ख़ारिज है। मगर बहुत मोतबर सही हदीसों से साबित है कि ये तीनों क़िस्में मुहम्मद सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की उम्मत की हैं, और 'ख़ास करने और चुन लेने' के वस्फ़ से ख़ारिज नहीं। यह उम्मते मुहम्मदिया के मोमिन बन्दों की बहुत बड़ी ख़ुसूसियत और फ़ज़ीलत है कि उनमें जो अ़मली तौर पर नाक़िस भी हैं वे भी इस शर्फ़ (सम्मान) में दाख़िल हैं। हाफ़िज़ इब्ने कसीर ने इस जगह हदीस की वो सब रिवायतें जमा कर दी हैं उनमें से कुछ ये हैं:

हज़रत अबू सईद ख़ुदरी रज़ियल्लाहु अ़न्हु की रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने उक्त आयत 'अल्लज़ीनस्तफ़ैना.....' की तीनों क़िस्मों के मुताल्लिक़ फ़रमाया कि ये सब एक ही मर्तबे में हैं और सब जन्नत में हैं। (अहमद, इब्ने कसीर) एक मर्तबे में होने से मुराद यह है कि सब की मग़फ़िरत हो जायेगी और सब जन्नत में जायेंगे, यह मतलब नहीं कि दर्जों के एतिबार से उनमें कमी-बेशी न होगी।

और हज़रत अबूदर्दा रज़ियल्लाहु अ़न्हु से कई सनदों से एक हदीस मन्क़ूल है, इमाम इब्ने कसीर

रह. ने उन सब को नक़ल किया है। उनमें से एक वह है जो इमाम इब्ने जरीर रह. ने अबू साबित रज़ियल्लाहु अ़न्हु से नक़ल की है कि वह एक दिन मस्जिद में गये तो वहाँ हज़रत अबूदर्दा पहले से बैठे थे, अबू साबित रज़ियल्लाहु अ़न्हु उनके बराबर में जाकर बैठ गये और यह दुआ करने लगेः

اَللّٰهُمَّ اٰنِسْ وَحْشَتِیْ وَارْحَمْ غُرْبَتِیْ وَيَسِّرْلِیْ جَلِيْسًا صَالِحًا

"यानी या अल्लाह! मेरे दिल की घबराहट व परेशानी को दूर फ़रमा और मेरी मुसाफ़िरी की हालत पर रहम फ़रमा और मुझे कोई नेक जलीस (पास बैठने वाला यानी साथी) नसीब फ़रमा।"

यहाँ यह बात याद रखने की है कि पहले बुज़ुर्गों में नेक हमनशीं की तलब व तलाश का क्या दर्जा था कि उसको अहम मक़सद और सब परेशानियों का इलाज समझकर अल्लाह तआ़ला से उसकी दुआयें माँगते थे) हज़रत अबूदर्दा रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने यह दुआ सुनी तो फ़रमाया कि अगर आप अपनी इस दुआ व तलब में सच्चे हैं तो मैं इस मामले में आप से ज़्यादा ख़ुशनसीब हूँ। (मतलब यह है कि मुझे अल्लाह ने आप जैसा नेक साथी बिना माँगे दे दिया) और फ़रमाया कि मैं आपको एक हदीस सुनाता हूँ जो मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से सुनी है मगर जब से मैंने इसको सुना है अब तक किसी से बयान करने की नौबत नहीं आई, वह यह है कि आपने इस आयत का ज़िक्र फ़रमायाः

ثُمَّ اَوْرَثْنَا الْكِتٰبَ الَّذِيْنَ اصْطَفَيْنَا............ الاٰية

(यानी ऊपर दर्ज हुई आयत नम्बर 32) फिर फ़रमाया कि इन तीनों क़िस्मों में से जो नेकियों की तरफ़ दौड़ने वाले हैं वे तो बिना हिसाब के जन्नत में जायेंगे, और जो मुक़्तसिद यानी दरमियानी चाल वाले हैं उनसे हल्का हिसाब लिया जायेगा और ज़ालिम यानी जो आमाल में कोताही करने वाले और गुनाहों में मुब्तला होने वाले हैं उनको इस मक़ाम में सख़्त रंज व ग़म तारी होगा, फिर उनको भी जन्नत में दाख़िले का हुक्म हो जायेगा और सब रंज व ग़म दूर हो जायेंगे। इसी का ज़िक्र अगली आयत में आया हैः

وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْٓ اَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ

"यानी वे कहेंगे शुक्र है अल्लाह का जिसने हमारा ग़म दूर कर दिया।"

और इमाम तबरानी ने हज़रत अ़ब्दुल्लाह इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत किया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमायाः

وَكُلُّهُمْ مِنْ هٰذِهِ الْاُمَّةِ

यानी ये तीनों क़िस्में इसी उम्मते मुहम्मदिया में से होंगी।

और अबू दाऊद तियालसी ने उक़्बा इब्ने सहबान हनाई से रिवायत किया है कि उन्होंने उम्मुल-मोमिनीन हज़रत सिद्दीक़ा आ़यशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा से इस आयत की तफ़सीर मालूम की तो उन्होंने फ़रमाया बेटा! ये तीनों क़िस्में जन्नती हैं, इनमें से नेकियों में आगे बढ़ने वाले तो वे लोग हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के ज़माने में गुज़र गये, जिनके जन्नती होने की शहादत ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने दे दी, और मुक़्तसिद वे लोग हैं जो उनके क़दमों के निशान पर चले (यानी उनकी सही पैरवी की) और पहलों की पैरवी पर क़ायम रहे यहाँ तक कि उनके साथ

मिल गये, बाक़ी रहे अपने ऊपर ज़ुल्म करने वाले लोग तो हम तुम जैसे लोग हैं।

यह हज़रत सिद्दीक़ा आयशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा की तवाज़ो थी कि अपने आपको भी उन्होंने तीसरे दर्जे में यानी अपने ऊपर ज़ुल्म करने वालों में शुमार किया हालाँकि वह सही हदीसों के वज़ाहतों के मुताबिक़ पहले दर्जे के साबिक़ीन (नेकियों में आगे निकल जाने वालों) में से हैं।

और इमाम इब्ने जरीर ने हज़रत मुहम्मद बिन हनफ़िया रह. से नक़ल किया है कि यह उम्मत उम्मते मरहूमा (रहम की गयी) है, इसका ज़ालिम भी बख़्शिश वाला और दरमियानी चाल वाला जन्नत में है और नेकियों में आगे बढ़ने वाला अल्लाह के नज़दीक ऊँचे दर्जों में है।

और हज़रत मुहम्मद बिन अ़ली बाक़िर रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने अपने ऊपर ज़ुल्म करने वाले की तफ़सीर में फ़रमायाः

اَلَّذِیْ خَلَطَ عَمَلًا صَالِحًا وَّ اٰخَرَ سَیِّئًا.

यानी वह शख़्स जिसने अच्छे बुरे दोनों तरह के आमाल में ख़ल्त-मल्त (मिलाना-जुलाना) किया हो।

उम्मते मुहम्मदिया के उलेमा की अ़ज़ीमुश्शान फ़ज़ीलत

इस आयत में हक़ तआ़ला ने यह फ़रमाया है कि हमने अपनी किताब का वारिस उन लोगों को बनाया जो हमारे बन्दों में मुन्तख़ब और मक़बूल हैं। और यह भी ज़ाहिर है कि किताबुल्लाह और नुबुव्वत के उलूम के डायरेक्ट वारिस उलेमा हज़रात हैं जैसा कि हदीस में भी इरशाद है:

اَلْعُلَمَآءُ وَرَثَةُ الْاَنْبِیَآءِ.

हासिल इसका यह है कि जिन लोगों को अल्लाह तआ़ला ने क़ुरआन व सुन्नत के उलूम का मशग़ला इख़्लास के साथ नसीब फ़रमाया यह इसकी निशानी है कि वे अल्लाह के मक़बूल और ख़ास बन्दे हैं जैसा कि हज़रत सालबा बिन हकम रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने रिवायत किया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि अल्लाह तआ़ला क़ियामत के दिन उम्मत के उलेमा से ख़िताब फ़रमाकर कहेंगे कि मैंने तुम्हारे सीनों में अपना इल्म व हिक्मत सिर्फ़ इसी लिये रखा था कि मेरा इरादा यह था कि तुम्हारी मग़फ़िरत कर दूँ अ़मल तुम्हारे कैसे भी हों (यह ऊपर मालूम हो चुका है कि जिस शख़्स में अल्लाह का डर और ख़ौफ़ नहीं वह उलेमा की फ़ेहरिस्त ही से ख़ारिज है इसलिये यह ख़िताब उन्हीं लोगों को होगा जो अल्लाह के ख़ौफ़ में रंगे हुए हों, उनसे यह मुम्किन ही नहीं होगा कि बेफ़िक्री से गुनाहों में मुलव्वस रहें, हाँ इनसानी तबीयत के तक़ाज़ों से कभी-कभी ख़ता व ग़लती उनसे भी होती है। इसी को इस हदीस में फ़रमाया कि अ़मल तुम्हारे कैसे भी हों तुम्हारे लिये मग़फ़िरत तय है)।

ये सब रिवायतें तफ़सीर इब्ने कसीर से ली गई हैं और आख़िरी हदीस जो हज़रत सालबा रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत की गई है इसको तबरानी ने भी रिवायत किया है जिसकी सनद के सब हज़रात मोतबर हैं। (तफ़सीरे मज़हरी) और तफ़सीरे मज़हरी में इब्ने असाकिर के हवाले से उक्त हदीस का यही मज़मून अबू उमर सनआ़नी से भी रिवायत किया है, इसी तरह हज़रत अबू मूसा अश्अ़री रज़ियल्लाहु अ़न्हु की रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि मेहशर में अल्लाह अपने सब बन्दों को जमा फ़रमायेंगे फिर उनमें से उलेमा को एक विशेष मक़ाम पर जमा

करके फ़रमा देंगेः

إِنِّي لَمْ أَضَعْ عِلْمِيْ فِيْكُمْ إِلَّا لِعِلْمِيْ بِكُمْ وَلَمْ أَضَعْ عِلْمِيْ فِيْكُمْ لِأُعَذِّبَكُمْ اِنْطَلِقُوْا قَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ

"यानी मैंने अपना इल्म तुम्हारे दिलों में इसी लिये रखा था कि मैं तुम से वाक़िफ़ था (कि तुम इस इल्म की अमानत का हक़ अदा करोगे) मैंने अपना इल्म तुम्हारे सीनों में इसलिये नहीं रखा था कि तुम्हें अ़ज़ाब दूँ। जाओ! मैंने तुम्हारी मग़फ़िरत कर दी।" (तफ़सीरे मज़हरी)

फ़ायदाः इस आयत में सबसे पहले अपने ऊपर ज़ुल्म करने वाले को, फिर दरमियानी चाल वाले को, आख़िर में नेकियों और अच्छाईयों में आगे बढ़ने वाले को ज़िक्र फ़रमाया है। इस तरतीब का सबब शायद यह हो कि संख्या के एतिबार से अपने ऊपर ज़ुल्म करने वाले सबसे ज़्यादा हैं, उनसे कम दरमियानी राह इख़्तियार करने वाले और उनसे कम नेकियों में आगे बढ़ने वाले हैं जिनकी तादाद ज़्यादा थी उनको पहले बयान किया गया।

ذٰلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيْرُ ○ جَنّٰتُ عَدْنٍ يَّدْخُلُوْنَهَا يُحَلَّوْنَ فِيْهَا مِنْ اَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَّلُؤْلُؤًا ۚ وَلِبَاسُهُمْ فِيْهَا حَرِيْرٌ ○

शुरू में अल्लाह तआ़ला ने अपने मक़बूल व ख़ास और चुनिन्दा बन्दों की तीन क़िस्में बतलाई हैं, फिर फ़रमायाः

ذٰلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيْرُ

यानी इन तीनों को मक़बूल बन्दों में शुमार करना यह अल्लाह का बहुत बड़ा फ़ज़्ल है। आगे उनकी जज़ा का बयान है कि ये जन्नत में जायेंगे, इनको सोने के कंगन और मोतियों के ज़ेवर पहनाये जायेंगे और लिबास इनका रेशमी होगा।

दुनिया में मर्दों के लिये सोने का ज़ेवर पहनना भी हराम है और रेशमी लिबास भी, इसके बदले में इनको जन्नत में ये सब चीज़ें दी जायेंगी। और इस पर यह शुब्हा न किया जाये कि ज़ेवर पहनना तो औ़रतों का काम है मर्दों की शान के लायक़ नहीं, क्योंकि आख़िरत और जन्नत के हालात को दुनिया के हालात पर अन्दाज़ा करना बेअ़क़्ली है।

हज़रत अबू सईद ख़ुदरी रज़ियल्लाहु अ़न्हु की रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि जन्नत वालों के सरों पर मोतियों से जड़े हुए ताज होंगे, उनके अदना मोती की रोशनी ऐसी होगी कि पूरब से पश्चिम तक पूरे आ़लम को रोशन कर देगी।

(तिर्मिज़ी, हाकिम, बैहक़ी, अज़ मज़हरी)

इमाम क़ुर्तुबी ने फ़रमाया कि मुफ़स्सिरीन हज़रात ने फ़रमाया है कि हर जन्नती के हाथ में कंगन पहनाये जायेंगे, एक सोने का एक चाँदी का एक मोतियों का। जन्नती कंगन के मुताल्लिक़ एक आयत में चाँदी के और दूसरी में सोने के होने का ज़िक्र है। इस तफ़सीर से इन दोनों आयतों में मुवाफ़क़त भी हो गई।

जो शख़्स दुनिया में सोने चांदी के बर्तन और रेशमी लिबास इस्तेमाल करेगा जन्नत में इनसे मेहरूम होगा

हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु अ़न्हु फ़रमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से

सुना है कि आपने फ़रमाया कि रेशमी लिबास न पहनो और सोने चाँदी के बर्तनों में पानी न पियो और न उनकी प्लेट खाने में इस्तेमाल करो क्योंकि ये चीज़ें दुनिया में काफ़िरों के लिये हैं और तुम्हारे लिये आख़िरत में। (बुख़ारी व मुस्लिम)

और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फ़रमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया है कि जिस मर्द ने दुनिया में रेशमी कपड़ा पहना वह आख़िरत में न पहन सकेगा। (बुख़ारी व मुस्लिम) और हज़रत अबू सईद ख़ुदरी रज़ियल्लाहु अ़न्हु की एक रिवायत में है कि दुनिया में रेशमी लिबास पहनने वाला मर्द आख़िरत में इससे मेहरूम रहेगा अगरचे जन्नत में चला भी जाये। (मज़हरी)

وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْٓ اَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ.

यानी जन्नत वाले जन्नत में दाख़िल होने के वक़्त कहेंगे- शुक्र है अल्लाह का जिसने हमारा ग़म दूर कर दिया। इस ग़म से क्या मुराद है इसमें तफ़सीर के इमामों के मुख़्तलिफ़ अक़वाल हैं, और सही यह है कि सारे ही रंज व ग़म इसमें दाख़िल हैं। दुनिया में इनसान कितना ही बड़ा बादशाह बन जाये या नबी और वली हो रंज व ग़म से किसी को छुटकारा नहीं:

दरीं दुनिया कसे बे-ग़म नबाशद् व गर बाशद् बनी आदम नबाशद्

इस दुनिया में ग़मों और फ़िक्रों से किसी नेक या बद को निजात नहीं, इसी लिये अ़क़्लमन्द लोग दुनिया को ग़म और परेशानी का घर कहते हैं। इस आयत में जिस ग़म के दूर करने का ज़िक्र है उसमें यह दुनिया के ग़म भी सब के सब दाख़िल हैं, दूसरा ग़म व फ़िक्र क़ियामत और हश्र व नश्र का तीसरा हिसाब व किताब का चौथा जहन्नम के अ़ज़ाब का, जन्नत वालों से अल्लाह तआ़ला ये सब ग़म दूर फ़रमा देंगे।

हज़रत अ़ब्दुल्लाह इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अ़न्हु की रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि कलिमा ला इला-ह इल्लल्लाहु वालों में न मौत के वक़्त कोई घबराहट होती है न क़ब्र में और न मेहशर में। गोया कि मैं यह देख रहा हूँ कि जिस वक़्त ये लोग अपनी अपनी क़ब्रों से उठेंगे तो यह कहते होंगे:

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْٓ اَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ. (رواه الطبرانی، مظهری)

(कि शुक्र है अल्लाह तआ़ला का जिसने हमारा ग़म दूर कर दिया।)

और हज़रत अबूदर्दा रज़ियल्लाहु अ़न्हु की हदीस जो ऊपर गुज़री है उसमें जो यह फ़रमाया है कि यह क़ौल उन लोगों का होगा जो अपनी जानों पर ज़ुल्म करने वाले हैं, क्योंकि मेहशर में उनको पहले सख़्त रंज व ग़म और परेशानी पेश आयेगी आख़िर में जन्नत में दाख़िल होने का हुक्म मिलकर यह रंज व ग़म दूर हो जायेगा, वह हज़रत अ़ब्दुल्लाह इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अ़न्हु की इस हदीस के विरुद्ध नहीं क्योंकि अपनी जानों पर ज़ुल्म करने वालों को दूसरों के ग़मों से ज़्यादा एक ग़म मेहशर में भी पेश आयेगा जो जन्नत में दाख़िल होने के वक़्त दूर हो जायेगा। ख़ुलासा यह है कि यह क़ौल तो सभी जन्नत वाले कहेंगे चाहे नेकियों में आगे बढ़ने वालों में से हों या दरमियानी चाल चलने वालों में से या अपनी जानों पर ज़ुल्म करने वालों में से, लेकिन हर एक के ग़मों की फ़ेहरिस्त अलग-अलग होना कुछ मुहाल व दूर की बात नहीं।

इमाम जस्सास रह. ने फ़रमाया कि मोमिन की शान यही है कि दुनिया में फ़िक्र व ग़म से ख़ाली न रहे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया है कि दुनिया मोमिन के लिये क़ैदख़ाना है। यही वजह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम और बड़े-बड़े सहाबा के हालात में है कि ये हज़रात अक्सर ग़मगीन व रन्जीदा नज़र आते थे।

الَّذِىٓ اَحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِنْ فَضْلِهٖ لَا يَمَسُّنَا فِيْهَا نَصَبٌ وَّلَا يَمَسُّنَا فِيْهَا لُغُوْبٌ○

इस आयत में जन्नत की चन्द ख़ुसूसियतें (विशेषतायें) बयान फ़रमाई हैं- अव्वल यह कि वह आबाद रहने का घर है, उसके ज़वाल या वहाँ से निकाले जाने का किसी वक़्त ख़तरा नहीं। दूसरे यह कि वहाँ किसी को कोई ग़म पेश न आयेगा। तीसरे यह कि वहाँ किसी को थकान भी महसूस नहीं होगी जैसे दुनिया में आदमी को थकान होती है, काम छोड़कर नींद की ज़रूरत महसूस करता है जन्नत इससे भी पाक होगी। हदीस की कुछ रिवायतों में भी यह मज़मून बयान हुआ है। (मज़हरी)

اَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَّا يَتَذَكَّرُ فِيْهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَآءَكُمُ النَّذِيْرُ

यानी जब जहन्नम में ये फ़रियाद करेंगे कि ऐ हमारे परवर्दिगार! आप हमें इस अ़ज़ाब से निकाल दीजिये अब हम नेक अ़मल करेंगे और पिछली बद-आमालियों को छोड़ देंगे। उस वक़्त यह जवाब दिया जायेगा कि क्या हमने तुम्हें इतनी उम्र की मोहलत नहीं दी थी जिसमें ग़ौर करने वाला ग़ौर करके सही रास्ते पर आ जाये। हज़रत अ़ली इब्ने हुसैन ज़ैनुल-आबिदीन रज़ियल्लाहु अ़न्हुमा ने फ़रमाया कि इससे मुराद सत्रह साल की उम्र है, और हज़रत क़तादा रह. ने अट्ठारह साल की उम्र बतलाई और मुराद इससे बालिग़ होने की उम्र है, और सत्रह-अट्ठारह का फ़र्क़ बालिग़ होने में हो सकता है कि कोई सत्रह साल में बालिग़ हो कोई अट्ठारह साल में। बालिग़ होने की उम्र शरीअ़त में पहली हद है जिसमें दाख़िल होकर इनसान को अल्लाह की तरफ़ से इतनी अ़क्ल दे दी जाती है कि अपने भले-बुरे को समझने लगे। इसलिये काफ़िरों से यह ख़िताब आम होगा चाहे लम्बी उम्र वाले हों या छोटी उम्र वाले, अलबत्ता जिसको लम्बी उम्र मिली और फिर भी उसने होश न संभाला और क़ुदरत की दलीलों (निशानियों) को देखकर और अम्बिया की बातें सुनकर हक़ को न पहचाना वह ज़्यादा मलामत का मुस्तहिक़ होगा।

ख़ुलासा यह है कि जिस शख़्स को सिर्फ़ बालिग़ होने की उम्र मिली उसको भी क़ुदरत ने इतना सामान दे दिया था कि हक़ व बातिल में फ़र्क़ व पहचान कर सके, जब न किया तो वह भी मलामत और अ़ज़ाब का मुस्तहिक़ है, लेकिन जिसको ज़्यादा लम्बी उम्र मिली उस पर अल्लाह तआ़ला की हुज्जत और ज़्यादा पूरी हो गई, वह अगर अपने कुफ़्र व नाफ़रमानी से बाज़ न आया तो वह अ़ज़ाब व मलामत का ज़्यादा हक़दार है।

हज़रत अ़ली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने फ़रमाया वह उम्र जिस पर अल्लाह तआ़ला ने गुनाहगार बन्दों को आ़र (शर्म) दिलाई साठ साल है। और हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने एक रिवायत में चालीस साल और दूसरी में साठ साल के बारे में फ़रमाया है कि यह वह उम्र है जिसमें इनसान पर अल्लाह की हुज्जत पूरी हो जाती है और इनसान को कोई उज़्र करने की गुंजाईश नहीं रहती। इब्ने

कसीर ने हज़रत इब्ने अ़ब्बास की इस दूसरी हदीस को तरजीह दी है।

मज़कूरा तक़रीर से वाज़ेह हो चुका है कि सत्रह-अट्ठारह साल की रिवायतों और साठ साल की रिवायतों में कोई टकराव नहीं। अगरचे इनसान सत्रह-अट्ठारह साल की उम्र में इस क़ाबिल होता है कि ग़ौर व फ़िक्र करके हक़ व बातिल में तमीज़ करे, इसी लिये इसी बालिग़ होने की उम्र से उसको शरई अहकाम का मुकल्लफ़ (पाबन्द) क़रार दिया गया है, मगर साठ साल ऐसी लम्बी उम्र है कि अगर इस में भी किसी ने हक़ को न पहचाना तो उसे किसी उज़्र (बहाना और मजबूरी पेश करने) की गुंजाईश नहीं रही, उस पर अल्लाह तआ़ला की हुज्जत पूरी तरह तमाम हो चुकी। इसी लिये उम्मते मरहूमा की आ़म उम्रें साठ साल से सत्तर साल तक मुक़द्दर हैं जैसा कि हदीसे पाक में इरशाद है:

أَعْمَارُ أُمَّتِيْ مَابَيْنَ السِّتِّيْنَ إِلَى السَّبْعِيْنَ وَأَقَلُّهُمْ مَنْ يَّجُوْزُ ذٰلِكَ. (رواه الترمذی و ابن ماجة، ابن کثیر)

"यानी मेरी उम्मत की उम्रें साठ से सत्तर साल तक होंगी, कम लोग होंगे जो इससे आगे बढ़ेंगे।"

आयत के आख़िर में फ़रमायाः

وَجَآءَكُمُ النَّذِيْرُ

(और आया तुम्हारे पास डराने वाला) इसमें इशारा है कि इनसान को बालिग़ होने की उम्र के वक़्त से इतनी अ़क़्ल व तमीज़ अल्लाह की तरफ़ से अ़ता हो जाती है कि कम से कम अपने ख़ालिक़ व मालिक को पहचाने और उसकी रज़ा तलब करने को अपनी ज़िन्दगी का मक़सद बनाये। इतने काम के लिये ख़ुद इनसानी अ़क़्ल भी काफ़ी थी मगर अल्लाह जल्ल शानुहू ने सिर्फ़ इसी पर बस नहीं फ़रमाया बल्कि इस अ़क़्ल की इमदाद के लिये नज़ीर भी भेजे। नज़ीर के मायने उर्दू में डराने वाले के किये जाते हैं, दर हक़ीक़त नज़ीर वह शख़्स है जो अपनी रहमत व शफ़क़त के सबब अपने लोगों को ऐसी चीज़ों से बचने की हिदायत करे जो उसको हलाकत या नुक़सान में डालने वाली हैं, और उन चीज़ों से लोगों को डराये। इससे मुराद परिचित मायने के एतिबार से अम्बिया अ़लैहिमुस्सलाम और उनके नायब उलेमा हैं। आयत का हासिल यह है कि हमने हक़ व बातिल को पहचानने के लिये अ़क़्ल भी दी, इसके साथ अपने पैग़म्बर भी भेजे जो हक़ की तरफ़ हिदायत करें, बातिल से बचायें।

और हज़रत इब्ने अ़ब्बास, हज़रत इक्रिमा रज़ियल्लाहु अ़न्हुमा और इमाम जाफ़र बाक़र से मन्क़ूल है कि नज़ीर से मुराद बुढ़ापे के सफ़ेद बाल हैं कि जब वे ज़ाहिर हो जायें तो वे इनसान को इसकी हिदायत करते हैं कि अब रुख़्सत होने का वक़्त क़रीब आ गया है। यह क़ौल भी पहले क़ौल से टकराने वाला नहीं कि सफ़ेद बाल भी अल्लाह तआ़ला की तरफ़ से नज़ीर (डराने वाले) हों और अम्बिया व उलेमा भी।

और हक़ीक़त यह है कि इनसान को बालिग़ होने के बाद से जितने हालात पेश आते हैं उसके अपने वजूद और आस-पास में जो बदलाव व इन्क़िलाबात आते हैं वे सब ही अल्लाह तआ़ला की तरफ़ से नज़ीर और इनसान को सचेत करने वाले हैं।

إِنَّ اللَّهَ عَٰلِمُ غَيْبِ السَّمَٰوَٰتِ وَالْأَرْضِ ۚ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ۝ هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَٰٓئِفَ فِي الْأَرْضِ ۚ فَمَن كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ ۖ وَلَا يَزِيدُ الْكَٰفِرِينَ كُفْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ إِلَّا مَقْتًا ۖ وَلَا يَزِيدُ الْكَٰفِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا خَسَارًا ۝ قُلْ أَرَءَيْتُمْ شُرَكَآءَكُمُ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَٰوَٰتِ أَمْ ءَاتَيْنَٰهُمْ كِتَٰبًا فَهُمْ عَلَىٰ بَيِّنَتٍ مِّنْهُ ۚ بَلْ إِن يَعِدُ الظَّٰلِمُونَ بَعْضُهُم بَعْضًا إِلَّا غُرُورًا ۝ إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَٰوَٰتِ وَالْأَرْضَ أَن تَزُولَا ۚ وَلَئِن زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّن بَعْدِهِ ۚ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ۝

इन्नल्ला-ह आ़लिमु ग़ैबिस्समावाति वल्अर्ज़ि, इन्नहू अ़लीमुम्-बिज़ातिस्-सुदूर (38) हुवल्लज़ी ज-अ़-लकुम् ख़लाइ-फ़ फ़िल्अर्ज़ि, फ़-मन् क-फ़-र फ़-अ़लैहि कुफ़्रुहू, व ला यज़ीदुल्-काफ़िरी-न कुफ़्रुहुम् अ़िन्-द रब्बिहिम् इल्ला मक़्तन् व ला यज़ीदुल्-काफ़िरी-न कुफ़्रुहुम् इल्ला ख़सारा (39) क़ुल् अ-रऐतुम् शु-रका-अकुमुल्लज़ी-न तद्अ़ू-न मिन् दूनिल्लाहि, अरूनी माज़ा ख़-लक़ू मिनल्-अर्ज़ि अम् लहुम् शिर्कुन् फ़िस्समावाति अम् आतैनाहुम् किताबन् फ़हुम् अ़ला बय्यि-नतिम् मिन्हु बल् इंय्यअ़िदुज़्ज़ालिमू-न बअ़्ज़ुहुम् बअ़्ज़न् इल्ला ग़ुरूरा (40) इन्नल्ला-ह युम्सिकुस्समावाति वल्अर्-ज़ अन् तज़ूला, व ल-इन्

अल्लाह भेद जानने वाला है आसमानों का और ज़मीन का, उसको ख़ूब मालूम है जो बात है दिलों में। (38) वही है जिसने किया तुमको क़ायम-मक़ाम ज़मीन में फिर कोई नाशुक्री करे तो उस पर पड़े उसकी नाशुक्री, और मुन्किरों को न बढ़ेगी उनके इनकार से उनके रब के सामने मगर बेज़ारी, और इनकारियों को न बढ़ेगा उनके इनकार से मगर नुक़सान। (39) तू कह भला देखो तो अपने शरीकों को जिनको पुकारते हो अल्लाह के सिवाय दिखलाओ तो मुझको क्या बनाया उन्होंने ज़मीन में या कुछ उनका साझा है आसमानों में, या हमने दी है उनको कोई किताब सो ये सनद रखते हैं उसकी, कोई नहीं! पर जो वायदा बतलाते हैं गुनाहगार एक दूसरे को सब फ़रेब है। (40) तहक़ीक़ कि अल्लाह थाम रहा है आसमानों को और ज़मीन को कि टल न जायें, और

ज़ा-लता इन् अम्स-कहुमा मिन् अ-हदिम् मिम्बअ़्दिही, इन्नहू का-न हलीमन् ग़फ़ूरा (41)	अगर टल जायें तो कोई न थाम सके उनको उसके सिवाय, वह है तहम्मुल वाला बख़्शने वाला। (41)

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

बेशक अल्लाह तआ़ला (वही) जानने वाला है आसमानों और ज़मीन की छुपी चीज़ों का। बेशक वही जानने वाला है दिल की बातों का। (पस उसका इल्मी कमाल तो ऐसा है, और अ़मली कमाल जो कि क़ुदरत और नेमत दोनों पर दलालत करता है यह है कि) वही ऐसा है जिसने तुमको ज़मीन में आबाद किया (और इन दलीलों व एहसानात का तक़ाज़ा यह था कि इनसे दलील लेकर और शुक्रगुज़ारी के तौर पर तौहीद व इताअ़त इख़्तियार कर लेते, मगर बाज़े इसके उलट कुफ़्र व दुश्मनी पर अड़े हुए हैं) सो (किसी दूसरे का क्या बिगड़ता है बल्कि) जो शख़्स कुफ़्र करेगा उसके कुफ़्र का वबाल उसी पर पड़ेगा, और (उस वबाल की तफ़सील यह है कि) काफ़िरों के लिये उनका कुफ़्र उनके परवर्दिगार के नज़दीक नाराज़ी ही बढ़ने का सबब हो जाता है, (जो दुनिया ही में ज़ाहिर व साबित हो जाती है) और (साथ ही) काफ़िरों के लिये उनका कुफ़्र (आख़िरत में) घाटा ही बढ़ने का सबब होता है (कि वह मेहरूमी है जन्नत से और कुन्दा बनना है जहन्नम का। और ये जो कुफ़्र व शिर्क पर अड़े और जमे हुए हैं) आप (इनसे ज़रा यह तो) कहिए कि तुम अपने बनाए हुए शरीकों का हाल तो बताओ जिनको तुम ख़ुदा के सिवा पूजा करते हो, यानी मुझको यह बतलाओ कि उन्होंने ज़मीन का कौनसा हिस्सा बनाया है, या उनका आसमान (बनाने) में कुछ साझा है (ताकि अ़क़्ली दलील से उनका इबादत का हक़दार होना साबित हो) या हमने उन (काफ़िरों) को कोई किताब दी है (जिसमें शिर्क के एतिक़ाद व यक़ीन को सही और दुरुस्त लिखा हो) कि ये उसकी किसी दलील पर क़ायम हों (और उस किताबी व रिवायती दलील से अपने दावे को साबित कर दें। असल यह है कि न अ़क़्ली दलील है न किताबी दलील है) बल्कि ये ज़ालिम एक-दूसरे से ख़ालिस धोखे की बातों का वायदा करते आये हैं (कि इनके बड़ों ने इनको बेसनद ग़लत बात बतला दी कि ये हमारे माबूद अल्लाह के यहाँ हमारे सिफ़ारिशी होंगे) हालाँकि वास्तव में वे बिल्कुल बेइख़्तियार हैं, पस वे इबादत के हक़दार नहीं हो सकते। अलबत्ता कुल मुख़्तार हक़ तआ़ला है तो वही इबादत के क़ाबिल है। चुनाँचे अल्लाह तआ़ला के मुख़्तार और दूसरों के ग़ैर-मुख़्तार होने की दलीलों में से नमूने के तौर पर एक मुख़्तसर सी बात बयान करते हैं कि देखो यह तो) यक़ीनी बात है कि अल्लाह तआ़ला आसमानों और ज़मीन को (अपनी क़ुदरत से) थामे हुए है कि वो मौजूदा हालत को छोड़ न दें। और अगर (मान लो) वो मौजूदा हालत को छोड़ दें तो फिर ख़ुदा के सिवा और कोई उनको थाम भी नहीं सकता। (जब उनसे पैदा हुए आ़लम की हिफ़ाज़त भी नहीं हो सकती तो आ़लम को वजूद में लाने और नये सिरे से बनाने की उनसे क्या उम्मीद रखी जा सकती है, फिर इबादत का हक़दार होना कैसा? और बावजूद उनके बातिल होने के शिर्क करना "यानी ख़ुदा की ख़ुदाई में उनको शरीक बनाना" इसको चाहता था कि

इनको अभी सज़ा दी जाये मगर चूँकि) वह बरदाश्त वाला (है इसलिये मोहलत दे रखी है, और अगर इस मोहलत में ये लोग हक़ की तरफ़ आ जायें तो चूँकि वह) मग़फ़िरत करने वाला (भी) है (इसलिये इनकी पहले की सब शरारतें माफ़ कर दी जायें)।

मआरिफ़ व मसाईल

هُوَ الَّذِیْ جَعَلَکُمْ خَلٰٓئِفَ فِی الْاَرْضِ

ख़लाईफ़ ख़लीफ़ा की जमा (बहुवचन) है जिसके मायने हैं नायब और क़ायम-मक़ाम। मुराद यह है कि हमने इनसानों को एक के बाद एक ज़मीन व मकान वग़ैरह का मालिक बनाया है, एक जाता है तो दूसरे को उसकी जगह मिलती है। इसमें अल्लाह तआ़ला की तरफ़ रुजू करने के लिये बड़ी इब्रत (सीख) है। और यह मायने भी हो सकते हैं कि यह ख़िताब उम्मते मुहम्मदिया को हो कि हमने पिछली क़ौमों के बाद उनके ख़लीफ़ा (जगह लेने वाले) की हैसियत से तुमको मालिक व बा-इख़्तियार बनाया है लिहाज़ा तुम्हारा फ़र्ज़ है कि अपने से पहले लोगों के हालात से सबक़ हासिल करो, उम्र के क़ीमती लम्हों को ग़फ़लत में न गुज़ारो।

اِنَّ اللّٰهَ یُمْسِکُ السَّمٰوٰتِ

आसमानों को रोकने का यह मतलब नहीं कि उनकी हरकत बन्द कर दी बल्कि मुराद अपनी जगह से हट जाना और टल जाना है, जैसा कि लफ़्ज़ 'अन् तज़ूला' इस पर शाहिद है, इसलिये इस आयत में आसमान के ठहरा हुआ या हरकत में होने में से किसी जानिब पर कोई दलील नहीं।

وَاَقْسَمُوْا بِاللّٰهِ جَهْدَ

اَیْمَانِهِمْ لَئِنْ جَآءَهُمْ نَذِیْرٌ لَّیَکُوْنُنَّ اَهْدٰی مِنْ اِحْدَی الْاُمَمِ ۚ فَلَمَّا جَآءَهُمْ نَذِیْرٌ مَّا زَادَهُمْ اِلَّا نُفُوْرَا ۙ﴿٤٢﴾ اسْتِکْبَارًا فِی الْاَرْضِ وَمَکْرَ السَّیِّیٴِ ؕ وَلَا یَحِیْقُ الْمَکْرُ السَّیِّیٴُ اِلَّا بِاَهْلِهٖ ؕ فَهَلْ یَنْظُرُوْنَ اِلَّا سُنَّتَ الْاَوَّلِیْنَ ۚ فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللّٰهِ تَبْدِیْلًا ۚ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللّٰهِ تَحْوِیْلًا ﴿٤٣﴾ اَوَلَمْ یَسِیْرُوْا فِی الْاَرْضِ فَیَنْظُرُوْا کَیْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الَّذِیْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَکَانُوْٓا اَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً ؕ وَمَا کَانَ اللّٰهُ لِیُعْجِزَهٗ مِنْ شَیْءٍ فِی السَّمٰوٰتِ وَلَا فِی الْاَرْضِ ؕ اِنَّهٗ کَانَ عَلِیْمًا قَدِیْرًا ﴿٤٤﴾ وَلَوْ یُؤَاخِذُ اللّٰهُ النَّاسَ بِمَا کَسَبُوْا مَا تَرَکَ عَلٰی ظَهْرِهَا مِنْ دَآبَّةٍ وَّلٰکِنْ یُّؤَخِّرُهُمْ اِلٰٓی اَجَلٍ مُّسَمًّی ۚ فَاِذَا جَآءَ اَجَلُهُمْ فَاِنَّ اللّٰهَ کَانَ بِعِبَادِهٖ بَصِیْرًا ﴿٤٥﴾

व अक़्समू बिल्लाहि जह्-द ऐमानिहिम् ल-इन् जा-अहुम् नज़ीरुल् ल-यकूनन्-न अह्दा मिन् इह्दल्-उ-ममि फ़-लम्मा	और क़समें खाते थे अल्लाह की ताकीद के साथ अपनी क़समें कि अगर आयेगा उनके पास डर सुनाने वाला तो ज़रूर बेहतर राह चलेंगे हर एक उम्मत से, फिर

जा-अहुम् नज़ीरुम् मा ज़ा-दहुम् इल्ला नुफ़ूरा (42) इस्तिक्बारन् फ़िल्अर्ज़ि व मक्रस्सय्यि-इ, व ला यहीक़ुल्-मक्रुस्सय्यि-उ इल्ला बि-अह्लिही, फ़-हल् यन्ज़ुरू-न इल्ला सुन्नतल्-अव्वली-न फ़-लन् तजि-द लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला, व लन् तजि-द लिसुन्नतिल्लाहि तह्वीला (43) अ-व लम् यसीरू फ़िल्अर्ज़ि फ़-यन्ज़ुरू कै-फ़ का-न आक़ि-बतुल्लज़ी-न मिन् क़ब्लिहिम् व कानू अशद्-द मिन्हुम् क़ुव्वतन्, व मा कानल्लाहु लियुअ्जि-ज़हू मिन् शैइन् फ़िस्समावाति व ला फ़िल्अर्ज़ि, इन्नहू का-न अ़लीमन् क़दीरा (44) व लौ युआख़िज़ुल्लाहुन्ना-स बिमा क-सबू मा त-र-क अ़ला ज़हरिहा मिन् दाब्बतिंव्-व लाकिंय्युअख़्ख़िरुहुम् इला अ-जलिम् मुसम्मन् फ़-इज़ा जा-अ अ-जलुहुम् फ़-इन्नल्ला-ह का-न बिअ़िबादिही बसीरा (45) ❁

जब आया उनके पास डर सुनाने वाला (तो) और ज़्यादा हो गया उनका बिदकना। (42) ग़ुरूर करना मुल्क में और दांव करना बुरे काम का, और बुराई का दाव उल्टेगा उन्हीं दांव वालों पर, फिर अब वही राह देखते हैं पहलों के दस्तूर की, सो तू न पायेगा अल्लाह का दस्तूर बदलता, और न पायेगा अल्लाह का दस्तूर टलता। (43) क्या फिरे नहीं मुल्क में कि देख लें कैसा हुआ अन्जाम उन लोगों का जो इनसे पहले थे और थे इनसे बहुत सख़्त ज़ोर में, और अल्लाह वह नहीं जिसको थकाये कोई चीज़ आसमानों में और न ज़मीन में, वही है सब कुछ जानता कर सकता। (44) और अगर पकड़ करे अल्लाह लोगों की उनकी कमाई पर न छोड़े ज़मीन की पीठ पर एक भी हिलने चलने वाला, पर उनको ढील देता है एक तयशुदा वायदे तक, फिर जब आयेगा उनका वायदा तो अल्लाह की निगाह में हैं उसके सब बन्दे। (45) ❁

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

और इन (क़ुरैश के) काफ़िरों ने (रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के नबी बनने से पहले) बड़ी ज़ोरदार क़सम खाई थी कि अगर उनके (यानी हमारे) पास कोई डराने वाला (यानी पैग़म्बर) आये तो वे (यानी हम) हर-हर उम्मत से ज़्यादा हिदायत क़ुबूल करने वाले हों (यानी यहूदियों व ईसाईयों वग़ैरह की तरह हम झुठलायेंगे नहीं। सो पहले से तो ये क़समें खाया करते थे) फिर जब

उनके पास एक पैग़म्बर (यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम) आ पहुँचे तो बस उनकी नफ़रत ही को तरक़्क़ी हुई दुनिया में अपने को बड़ा समझने की वजह से और (सिर्फ़ नफ़रत ही पर बस नहीं हुआ बल्कि) उनकी बुरी तदबीरों को (भी तरक़्क़ी हुई, यानी तकब्बुर की वजह से आपकी पैरवी और बात मानने से आ़र तो हुई ही थी मगर यह भी किया कि न पैरवी होती और न सताने के पीछे पड़ते, बल्कि आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को तकलीफ़ पहुँचाने की फ़िक्र में लग गये। चुनाँचे हर वक़्त उनका इसी में लगा रहना मालूम व मशहूर है) और (यह जो कुछ हमारे रसूल के लिये बुरी-बुरी तदबीरें कर रहे हैं ख़ुद अपना ही नुक़सान कर रहे हैं, क्योंकि) बुरी तदबीरों का (असल) वबाल उन तदबीर वालों ही पर पड़ता है (अगरचे ज़ाहिर में कभी उस शख़्स को भी नुक़सान पहुँच जाये जिसको नुक़सान पहुँचाना चाहा है, लेकिन वह नुक़सान दुनियावी है, बख़िलाफ़ नुक़सान पहुँचाने वाले ज़ालिम के कि उस पर आख़िरत का नुक़सान व वबाल पड़ेगा, और दुनियावी नुक़सान आख़िरत के नुक़सान के सामने कुछ भी नहीं है। पस उस असली नुक़सान को देखते हुए यह कहना सही है कि ये लोग नुक़सान उठाने वाले हैं) सो (यह जो आपकी दुश्मनी और नुक़सान पहुँचाने पर जमे और अड़े हुए हैं तो) क्या ये (अपने साथ भी हक़ तआ़ला के) उसी दस्तूर का इन्तिज़ार कर रहे हैं जो पहले (काफ़िर) लोगों के साथ होता रहा है (यानी अ़ज़ाब व तबाही) सो (वाक़ई इनके लिये भी यही होना है क्योंकि) आप ख़ुदा के (इस) दस्तूर को कभी बदलता हुआ न पाएँगे (कि इन पर बजाय अ़ज़ाब के इनायत होने लगे) और (इसी तरह) आप ख़ुदा के (इस) दस्तूर को मुन्तक़िल होता हुआ न पाएँगे (कि इनकी जगह दूसरों को जो ऐसे न हों अ़ज़ाब होने लगे। मतलब यह कि हक़ तआ़ला का वायदा है कि काफ़िरों को अ़ज़ाब होगा चाहे दुनिया में भी चाहे सिर्फ़ आख़िरत में, और हक़ तआ़ला का वायदा हमेशा सच्चा होता है। पस न यह शुब्हा व गुमान है कि इनको अ़ज़ाब न हो और न यह गुमान व संभावना है कि दूसरे बेगुनाहों को अ़ज़ाब होने लगे। इस दोहराने से मक़सद ताकीद के साथ बयान करना है अ़ज़ाब के वाक़े होने को)।

और (यह जो समझते हैं कि कुफ़्र अ़ज़ाब दिये जाने का सबब नहीं है तो इनकी बड़ी ग़लती है) क्या ये लोग ज़मीन में (मसलन शाम और यमन के सफ़रों में आ़द व समूद और लूत अ़लैहिस्सलाम की क़ौमों की बस्तियों में) चले-फिरे नहीं, जिसमें देखते-भालते कि जो (इनकार करने वाले) लोग इनसे पहले गुज़र चुके उनका (आख़िरी) अन्जाम (इसी झुठलाने के सबब) क्या हुआ? (कि अ़ज़ाब का शिकार हुए) हालाँकि वे क़ुव्वत में इनसे भी बढ़े हुए थे। और (किसी में चाहे कैसी ही क़ुव्वत हो लेकिन) ख़ुदा तआ़ला ऐसा नहीं है कि कोई (ताक़त वाली) चीज़ उसको हरा दे, न आसमान में और न ज़मीन में, (क्योंकि) वह बड़े इल्म वाला (और) बड़ी क़ुदरत वाला है। (पस इल्म से अपने हर इरादे के नाफ़िज़ करने का तरीक़ा जानता है और अपनी क़ुदरत से उसको नाफ़िज़ कर सकता है और दूसरा कोई ऐसा है नहीं। फिर उसको कौन चीज़ हरा सकती है) और (अगर यह इस धोखे में हों कि अगर हमको अ़ज़ाब होना होता तो हो चुकता, और इससे अपने शिर्क व कुफ़्र के अच्छा होने पर दलील पकड़ें तो यह भी इनकी ग़लती है, क्योंकि हिक्मत के तक़ाज़े से इनके लिये फ़ौरन अ़ज़ाब तजवीज़ नहीं किया गया वरना) अगर अल्लाह तआ़ला (इन) लोगों पर इनके (कुफ़्रिया) आमाल के सबब (फ़ौरन) पकड़ फ़रमाने लगता तो रू-ए-ज़मीन पर एक जानदार को न छोड़ता (क्योंकि काफ़िर तो कुफ़्र

से हलाक हो जाते और ईमान वाले कम संख्या में होने के सबब दुनिया में न रखे जाते। क्योंकि दुनिया का निज़ाम हिक्मत के तक़ाज़े से मजमूए के साथ वाबस्ता है, और यह ज़रूरी नहीं कि वे उसी अ़ज़ाब से हलाक होते, और दूसरी मख़्लूक़ात इसलिये कि उनकी पैदाईश का मक़सद इनसानों को फ़ायदा पहुँचाना है, जब ये न होते तो वे भी न रहते) लेकिन अल्लाह तआ़ला उनको एक मुक़र्ररा मियाद (यानी क़ियामत) तक मोहलत दे रहा है सो जब उनकी वह मियाद आ पहुँचेगी (उस वक़्त) अल्लाह तआ़ला अपने बन्दों को आप देख लेगा (यानी उनमें जो काफ़िर होंगे उनको सज़ा दे लेगा)।

मआ़रिफ़ व मसाईल

وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ

'ला यहीक़ु' के मायने 'ला युहीतु' या 'ला युसीबु' के हैं, जिसका हासिल यह है कि बुरी तदबीर का वबाल और किसी पर नहीं होता बल्कि ख़ुद ऐसी तदबीर करने वाले ही पर पड़ता है। यानी जो शख़्स दूसरों का बुरा चाहता है वह ख़ुद बुराई का शिकार हो जाता है।

इस पर जो यह शुब्हा हो सकता है कि दुनिया में तो बहुत मर्तबा यह भी देखने में आता है कि बुरी तदबीर करने वाले की तदबीर चल जाती है और जिसको नुक़सान पहुँचाना होता है उसको नुक़सान पहुँच जाता है, इसका एक जवाब तो ख़ुलासा-ए-तफ़सीर में आ गया है कि उसको जो तकलीफ़ या नुक़सान पहुँचा वह तो दुनिया का नुक़सान है और ऐसी बुरी तदबीर करने वाले का नुक़सान आख़िरत का अ़ज़ाब है जो ज़्यादा सख़्त भी है और हमेशा वाला भी, उसके मुक़ाबले में उसका दुनियावी नुक़सान न होने के बराबर है।

दूसरा जवाब कुछ हज़रात ने यह भी दिया है कि किसी बेगुनाह के ख़िलाफ़ तदबीर करने और उस पर ज़ुल्म करने का वबाल ज़ालिम पर अक्सर दुनिया में भी पड़ जाता है। मुहम्मद बिन कअ़ब क़ुरज़ी ने फ़रमाया है कि तीन काम ऐसे हैं जिनका करने वाला दुनिया में भी वबाल व अ़ज़ाब से नहीं बचता- एक किसी बेगुनाह के हक़ में बुरी तदबीर करके उसको तकलीफ़ पहुँचाना, दूसरे आ़म ज़ुल्म, तीसरे अ़हद करके उसको तोड़ना। (इब्ने कसीर) ख़ुसूसन जो ज़ुल्म किसी ऐसे शख़्स पर किया जाये जो बेकस बेबस हो, बदला लेने पर क़ुदरत न रखता हो या बावजूद बदला लेने की क़ुदरत के सब्र करे, उस पर ज़ुल्म के वबाल से दुनिया में भी किसी को बचते नहीं देखा गया।

बस तजुर्बा करदेम दरीं दीरे मुकाफ़ात ☆ बा दर्दकशाँ हर कि दर उफ़्ताद बर उफ़्ताद

इसका हासिल यह होगा कि आयत में जो ख़ास करके और सीमित तरीक़े से बयान किया गया है वह अक्सरी क़ायदे के एतिबार से है कुल्ली नहीं। वल्लाहु आलम

सूरः फ़ातिर अल्लाह की मदद व तौफ़ीक़ से 9 सफ़र सन् 1392 हिजरी को शनिवार दिन पूरी हुई।

अल्हम्दु लिल्लाह सूरः फ़ातिर की तफ़सीर मुकम्मल हुई।

सूरः यासीन

सूरः यासीन मक्का में नाज़िल हुई। इसमें 83 आयतें और 5 रुकूअ़ हैं।

اٰيَاتُهَا ٨٣ (٣٦) سُوْرَةُ يٰسٓ مَكِّيَّةٌ (٤١) رُكُوْعَاتُهَا ٥

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

يٰسٓ ۚ وَالْقُرْاٰنِ الْحَكِيْمِ ۙ اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ۙ عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ؕ تَنْزِيْلَ الْعَزِيْزِ الرَّحِيْمِ ۙ لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَّآ اُنْذِرَ اٰبَآؤُهُمْ فَهُمْ غٰفِلُوْنَ ۞ لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلٰٓى اَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ۞ اِنَّا جَعَلْنَا فِيْٓ اَعْنَاقِهِمْ اَغْلٰلًا فَهِيَ اِلَى الْاَذْقَانِ فَهُمْ مُّقْمَحُوْنَ ۞ وَجَعَلْنَا مِنْۢ بَيْنِ اَيْدِيْهِمْ سَدًّا وَّمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَاَغْشَيْنٰهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُوْنَ ۞ وَسَوَآءٌ عَلَيْهِمْ ءَاَنْذَرْتَهُمْ اَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ۞ اِنَّمَا تُنْذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمٰنَ بِالْغَيْبِ ۚ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَّاَجْرٍ كَرِيْمٍ ۞ اِنَّا نَحْنُ نُحْيِ الْمَوْتٰى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوْا وَاٰثَارَهُمْ ؕ وَكُلَّ شَيْءٍ اَحْصَيْنٰهُ فِيْٓ اِمَامٍ مُّبِيْنٍ ۞

बिस्मिल्लाहिर्रह्मानिर्रहीम

शुरू अल्लाह के नाम से जो बेहद मेहरबान निहायत रहम वाला है।

या-सीन् (1) वल्क़ुर्आनिल्-हकीम (2) इन्न-क ल-मिनल्-मुर्सलीन (3) अ़ला सिरातिम्-मुस्तक़ीम (4) तन्ज़ीलल् अ़ज़ीज़िर्-रहीम (5) लितुन्ज़ि-र क़ौमम्-मा उन्ज़ि-र आबाउहुम् फ़हुम् ग़ाफ़िलून (6) ल-क़द् हक़्क़ल्-क़ौलु अ़ला अक्सरिहिम् फ़हुम् ला युअ्मिनून (7) इन्ना जअ़ल्ना फ़ी अअ़्नाक़िहिम् अग़्लालन् फ़हि-य इलल्-अज़्क़ानि फ़हुम् मुक़्महून (8)

यासीन। (1) क़सम है इस पक्के क़ुरआन की। (2) तहक़ीक़ कि तू है भेजे हुओं में से। (3) ऊपर सीधी राह के। (4) उतारा ज़बरदस्त रहम वाले ने। (5) ताकि तू डराये एक क़ौम को कि डर नहीं सुना उनके बाप-दादाओं ने सो उनको ख़बर नहीं। (6) साबित हो चुकी है बात उनमें बहुतों पर सो वे न मानेंगे। (7) हमने डाले हैं उनकी गर्दनों में तौक़ सो वे हैं ठोड़ियों तक फिर उनके सर उलल रहे हैं। (8)

व जअ़ल्ना मिम्बैनि ऐदीहिम् सद्दंव्-व मिन् ख़ल्फ़िहिम् सद्दन् फ़-अग़्शैनाहुम् फ़हुम् ला युब्सिरून (9) व सवाउन् अ़लैहिम् अ-अन्ज़र्-तहुम् अम् लम् तुन्ज़िर्हुम् ला युअ्मिनून (10) इन्नमा तुन्ज़िरु मनित्त-ब-अ़ज़्ज़िक्-र व ख़शि-यर्-रह्मा-न बिल्ग़ैबि फ़-बश्शिर्हु बिमग़्फ़ि-रतिंव्-व अज्रिन् करीम (11) इन्ना नह्नु नुह्यिल्-मौता व नक्तुबु मा क़द्दमू व आसा-रहुम्, व कुल्-ल शैइन् अह्सैनाहु फ़ी इमामिम्-मुबीन (12) ❁	और बनाई हमने उनके आगे दीवार और पीछे दीवार फिर ऊपर से ढाँक दिया सो उनको कुछ नहीं सूझता। (9) और बराबर है उनको तू डराये या न डरायें, यक़ीन नहीं करेंगे। (10) तू तो डर सुनाये उसको जो चले समझाये पर और डरे रहमान से बिना देखे, सो उसको ख़ुशख़बरी दे माफ़ी की और इज़्ज़त के सवाब की। (11) हम में जो ज़िन्दा करते हैं मुर्दों को और लिखते हैं जो आगे भेज चुके और जो निशान उनके पीछे रहे और हर चीज़ गिन ली हमने एक खुली असल में। (12) ❁

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

या-सीन् (इसकी मुराद अल्लाह ही को मालूम है)। क़सम है हिक्मत वाले क़ुरआन की कि बेशक आप पैग़म्बरों में से हैं (और) सीधे रास्ते पर हैं (कि उसमें जो आपकी पैरवी करे ख़ुदा तक पहुँच जाये न कि जैसा काफ़िर लोग कहते हैं कि 'आप रसूल नहीं', या कहते थे कि 'आपने ख़ुद गढ़ लिया है' जिसके लिये गुमराह होना लाज़िम है और क़ुरआन हिदायत के आ़म होने के साथ-साथ आपकी रिसालत व नुबुव्वत की दलील भी है क्योंकि) यह क़ुरआन ज़बरदस्त, मेहरबान ख़ुदा तआ़ला की तरफ़ से नाज़िल किया गया है (और आप पैग़म्बर इसलिये बनाये गये हैं) कि आप (पहले) ऐसे लोगों को (अल्लाह के अ़ज़ाब से) डराएँ जिनके बाप-दादा (क़रीब के किसी रसूल के ज़रिये से) नहीं डराये गये थे, सो इसी वजह से ये बेख़बर हैं (क्योंकि अगरचे अ़रब में पिछले रसूलों की शरीअ़तों के कुछ मज़ामीन मन्क़ूल भी थे जैसा कि इस आयत में है:

اَمْ جَآءَهُمْ مَّالَمْ يَاْتِ اٰبَآءَهُمُ الْاَوَّلِيْنَ.

यानी क्या क़ुरआन उनके पास कोई ऐसी चीज़ लाया है जो उनके बाप-दादा के पास नहीं आई थी, यानी तौहीद की दावत कोई नई चीज़ नहीं, यह हमेशा उनके बाप-दादा में भी जारी रही है, मगर फिर भी नबी के आने से जिस क़द्र आगाही और चेतना होती है उसके सिर्फ़ कुछ अहकाम व ख़बरें नक़ल होकर पहुँचने से जबकि वो नामुकम्मल और तब्दील शुदा भी हो गये हों वैसी चेतना नहीं होती।

और शुरू में आपका डराना क़ुरैश को था, इसलिये इस जगह उन्हीं का ज़िक्र फ़रमाया, फिर आम लोगों को भी आपने दावत दी, क्योंकि आपकी नुबुव्वत आम है और बावजूद आपकी रिसालत के सही होने और क़ुरआन के सच्चा होने के ये लोग जो नहीं मानते आप इसका ग़म न कीजिये क्योंकि) इनमें से अक्सर लोगों पर (तक़दीरी) बात साबित हो चुकी है। (वह बात यह है कि ये हिदायत के रास्ते पर न आयेंगे) सो ये लोग हरगिज़ ईमान न लाएँगे।

(यह हाल उनके अक्सर का था और कुछ की क़िस्मत में ईमान भी था वे ईमान भी ले आये और इन लोगों की मिसाल ईमान से दूरी में ऐसी हो गई कि गोया) हमने इनकी गर्दनों में (भारी-भारी) तौक़ डाल दिये हैं, फिर वे ठोड़ियों तक (अड़ गये) हैं, जिससे इनके सर ऊपर को उठ रहे हैं (यानी उठे रह गये, नीचे को नहीं हो सकते, चाहे इस वजह से कि तौक़ में जो स्थान ठोड़ी के नीचे रहने का है वहाँ कोई कील वग़ैरह ऐसी हो जो ठोड़ी में जाकर अड़ जाये, और या तौक़ का चकला ऐसा हो कि उसकी कमर ठोड़ी में अड़ जाये। बहरहाल दोनों तरीक़े पर वे राह देखने से मेहरूम रहे और साथ ही उनकी मिसाल ईमान से दूर होने में ऐसी हो गई कि गोया) हमने एक आड़ उनके सामने कर दी और एक आड़ उनके पीछे कर दी, जिससे हमने (हर तरफ़ से) उनको (पर्दों में) घेर दिया, सो वे (पर्दों की इस घेराबन्दी की वजह से किसी चीज़ को) नहीं देख सकते, और (दोनों मिसालें देने से हासिल यह है कि) इनके हक़ में आपका डराना या न डराना दोनों बराबर हैं, ये (किसी हालत में भी) ईमान न लाएँगे (इसलिए आप इनसे मायूस होकर राहत हासिल कर लीजिये) बस आप तो (ऐसा डराना जिस पर नफ़ा मुरत्तब हो) सिर्फ़ ऐसे शख़्स को डरा सकते हैं जो नसीहत पर चले और ख़ुदा से बिना देखे डरे (कि डर ही से हक़ की तलब होती है और तलब से उस तक पहुँचना, और ये डरते ही नहीं) सो (जो ऐसा शख़्स हो) आप उसको (गुनाहों की) मग़फ़िरत और (नेकियों पर) उम्दा बदले की ख़ुशख़बरी सुना दीजिये। (और इसी से इस पर भी दलालत हो गई कि जो गुमराही और हक़ से मुँह मोड़ने का अपराधी हो वह मग़फ़िरत और अज्र से मेहरूम और अ़ज़ाब का हक़दार है, और अगरचे दुनिया में इस जज़ा व सज़ा का ज़हूर लाज़िमी नहीं लेकिन) बेशक हम (एक रोज़) मुर्दों को ज़िन्दा करेंगे (उस वक़्त इन सब का ज़हूर हो जायेगा) और (जिन आमाल पर जज़ा व सज़ा होगी) हम (उनको बराबर) लिखते जाते हैं वे आमाल भी जिनको लोग आगे भेजते जाते हैं और उनके वे आमाल भी जिनको पीछे छोड़ जाते हैं। (आगे भेजने से मुराद जो काम अपने हाथ से किया और पीछे छोड़ने से मुराद वह असर जो उस काम के सबब पैदा हुआ और मौत के बाद भी बाक़ी रहा, मसलन किसी ने कोई नेक काम किया और वह सबब हो गया दूसरों की भी हिदायत का, या किसी ने कोई बुरा काम किया और वह सबब हो गया दूसरों की भी गुमराही का। ग़र्ज़ कि ये सब लिखे जा रहे हैं और वहाँ इन सब पर जज़ा व सज़ा मुरत्तब हो जायेगी) और (हमारा इल्म तो ऐसा ज़बरदस्त और हर चीज़ पर हावी है कि हम उस लिखने के भी मोहताज नहीं जो आमाल के वजूद में आने के बाद हुआ है क्योंकि) हमने (तो) हर चीज़ को (जो कुछ क़ियामत तक होगा उसके ज़ाहिर व वाक़े होने से पहले ही) एक वाज़ेह किताब (यानी लौह-ए-महफ़ूज़) में दर्ज कर दिया था (सिर्फ़ कुछ हिक्मतों के सबब आमाल का लिखना होता है। पस जब चीज़ों और आमाल के ज़ाहिर होने से पहले हमको सब चीज़ों का इल्म है तो उनके ज़ाहिर होने के बाद तो क्यों न होता, इसलिये किसी अ़मल से मुकरने या छुपाने की गुंजाईश नहीं, ज़रूर सज़ा

होगी। और लौह-ए-महफ़ूज़ को वाज़ेह चीज़ों के विस्तार से लिखे होने की वजह से कहा गया है)।

मआ़रिफ़ व मसाईल

सूरः यासीन की फ़ज़ीलतें

हज़रत मअ़्क़ल बिन यसार रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- 'यासीन क़ल्बुल्-क़ुरआन' यानी यासीन क़ुरआन का दिल है। और इस हदीस के कुछ अलफ़ाज़ में है कि जो शख़्स सूरः यासीन को ख़ालिस अल्लाह और आख़िरत के लिये पढ़ता है उसकी मग़फ़िरत हो जाती है, इसको अपने मुर्दों पर पढ़ा करो।

(अहमद, अबू दाऊद, नसाई, इब्ने हिब्बान, हाकिम वग़ैरह। रूहुल-मआ़नी व मज़हरी)

इमाम ग़ज़ाली रह. ने फ़रमाया कि सूरः यासीन को क़ुरआन का दिल फ़रमाने की यह वजह हो सकती है कि इस सूरत में क़ियामत और हश्र व नश्र के मज़ामीन ख़ास तफ़सील व दिल में उतर जाने वाले अन्दाज़ में आये हैं और ईमानी उसूल में से आख़िरत का अ़क़ीदा वह चीज़ है जिस पर इनसान के आमाल का सही होना निर्भर है। आख़िरत का ख़ौफ़ ही इनसान को नेक अ़मल के लिये मुस्तैद करता है और वही इसको नाजायज़ इच्छाओं और हराम से रोकता है। तो जिस तरह बदन की सेहत दिल की सेहत पर टिकी हुई है इसी तरह ईमान की सेहत आख़िरत की फ़िक्र पर मौक़ूफ़ है। (रूहुल-मआ़नी) और इस सूरत का नाम जैसे सूरः यासीन जाना-पहचाना है इसी तरह एक हदीस में इस का नाम अ़ज़ीमा भी आया है। (अबू नस्र सजज़ी हज़रत आयशा की रिवायत से) और एक हदीस में है कि इस सूरत का नाम तौरात में मुअ़िम्मा आया है यानी अपने पढ़ने वाले के लिये दुनिया व आख़िरत की भलाईयाँ व बरकतें आ़म करने वाली। और इसके पढ़ने वाले का नाम शरीफ़ आया है और फ़रमाया कि क़ियामत के दिन इसकी शफ़ाअ़त क़बीला रबीआ़ के लोगों से ज़्यादा क़ुबूल होगी। (सईद बिन मन्सूर व बैहक़ी, हस्सान बिन अ़तीया की रिवायत से) और कुछ रिवायतों में इसका नाम मुदाफ़िआ़ भी आया है यानी अपने पढ़ने वाले से बलाओं को दफ़ा करने वाली और कुछ में इसका नाम क़ाज़िया भी ज़िक्र हुआ है यानी हाजतों को पूरा करने वाली। (रूहुल-मआ़नी)

और हज़रत अबूज़र रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि जिस मरने वाले के पास सूरः यासीन पढ़ी जाये तो उसकी मौत के वक़्त आसानी हो जाती है। (दैलमी, इब्ने हिब्बान, मज़हरी)

और हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने फ़रमाया कि जो शख़्स सूरः यासीन को अपनी हाजत के आगे कर दे तो उसकी हाजत पूरी हो जाती है। (महामली फ़ी अमालिया, मज़हरी)

और यहया बिन कसीर ने फ़रमाया कि जो शख़्स सुबह को सूरः यासीन पढ़ ले वह शाम तक ख़ुशी और आराम से रहेगा और जो शाम को पढ़ ले तो सुबह तक ख़ुशी में रहेगा। और फ़रमाया कि मुझे यह बात ऐसे शख़्स ने बतलाई है जिसने इसका तजुर्बा किया है। (इब्नुल फ़िरीस, मज़हरी)

'यासीन' इस लफ़्ज़ के मुताल्लिक़ मशहूर क़ौल तो वही है जिसको ऊपर ख़ुलासा-ए-तफ़सीर में लिया गया है कि यह हुरूफ़-ए-मुक़त्तआ़त में से है जिनका इल्म अल्लाह तआ़ला ही को है, आ़म बन्दों को नहीं दिया। और अ़ल्लामा इब्ने अ़रबी ने 'अहकामुल-क़ुरआन' में फ़रमाया कि इमाम मालिक रह.

ने फ़रमाया है कि यह अल्लाह के नामों में से एक नाम है। और हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु से भी एक रिवायत यही है कि यह अल्लाह के नामों में से है। और एक रिवायत में है कि यह हब्शी भाषा का लफ़्ज़ है जिसके मायने हैं "ऐ इनसान!" और मुराद इनसान से नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम हैं। और हज़रत इब्ने ज़ुबैर रह. के कलाम से यह समझ में आता है कि लफ़्ज़ यासीन नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम का नाम है। तफ़सीर रूहुल-मआ़नी में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम का नाम इन दो अ़ज़ीमुश्शान हर्फ़ों से रखना यानी या और सीन इसमें बड़ा राज़ है।

किसी का नाम 'यासीन' रखना कैसा है?

इमाम मालिक रह. ने इसको इसलिये पसन्द नहीं किया कि उनके नज़दीक यह अल्लाह के नामों में से है और इसके सही मायने मालूम नहीं। इसलिये मुम्किन है कि कोई ऐसे मायने हों जो अल्लाह तआ़ला के साथ मख़्सूस हैं, जैसे ख़ालिक़, राज़िक़ वग़ैरह, अलबत्ता इस लफ़्ज़ को यासीन (يَاسِيْن) के रस्मुल-ख़त (लिपि) से लिखा जाये तो यह किसी इनसान का नाम रखना जायज़ है क्योंकि क़ुरआने करीम में आया है:

سَلَامٌ عَلٰی اٰلِ يَاسِيْنَ (ابن عربی)

अगरचे उक्त आयत की मशहूर क़िराअत 'इल्यासीन' है मगर कुछ क़िराअतों में 'आलि यासीन' भी आया है।

لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَّآ اُنْذِرَ اٰبَآؤُهُمْ

इससे मुराद अ़रब के लोग हैं। मायने यह हैं कि इनके बाप-दादा में कोई नज़ीर यानी पैग़म्बर लम्बे अ़रसे से नहीं आया और बाप-दादों से मुराद क़रीबी बाप-दादा हैं, उनके पूर्वज हज़रत इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम और उनके साथ हज़रत इस्माईल अ़लैहिस्सलाम के बाद कितनी सदियों से अ़रब में कोई पैग़म्बर नहीं आया था अगरचे दावत व तब्लीग़ और डराने व ख़ुशख़बरी देने का सिलसिला बराबर जारी रहा जिसका ज़िक्र क़ुरआने करीम की आयत में भी है जो ख़ुलासा-ए-तफ़सीर में आ चुकी है और इस आयतः

اِنْ مِّنْ اُمَّةٍ اِلَّا خَلَا فِيْهَا نَذِيْرٌo

(यानी सूरः फ़ातिर की आयत 24) का भी यही तक़ाज़ा है कि रहमते ख़ुदावन्दी ने किसी क़ौम व मिल्लत को दावत व डराने से किसी ज़माने और किसी ख़ित्ते में मेहरूम नहीं रखा। मगर यह ज़ाहिर है कि अम्बिया की तालीमात उनके नायबों के ज़रिये पहुँचाना वह असर नहीं रखता जो ख़ुद नबी या पैग़म्बर की दावत व तालीम का होता है, इसलिये उक्त आयत में अ़रब वालों के मुताल्लिक़ यह फ़रमाया गया कि इनमें कोई नज़ीर (डराने वाला यानी पैग़म्बर) नहीं आया। इसी का यह असर था कि अ़रब में आ़म तौर पर पढ़ने पढ़ाने और तालीम का कोई मज़बूत निज़ाम नहीं था, इसी वजह से उनका लक़ब उम्मिय्यीन (बिना पढ़े-लिखे) हुआ।

لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلٰٓى اَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ۝ اِنَّا جَعَلْنَا فِىْٓ اَعْنَاقِهِمْ اَغْلٰلًا ....الاٰية

मुराद यह है कि हक़ तआला ने कुफ़्र व ईमान और जन्नत व दोज़ख़ के दोनों रास्ते इनसान के सामने कर दिये और ईमान की दावत के लिये नबी हज़रात और किताबें भी भेज दीं, फिर इनसान को इतना इख़्तियार दे दिया कि वह अपने भले-बुरे को पहचान कर कोई रास्ता इख़्तियार करे जो बदनसीब न ग़ौर व फ़िक्र से काम ले न क़ुदरत की निशानियों में ग़ौर करे, न नबियों की दावत पर कान धरे, न अल्लाह की किताब में ग़ौर व विचार करे तो उसने अपने इख़्तियार से जो राह इख़्तियार कर ली हक़ तआला उसी के सामान उसके लिये जमा फ़रमा देते हैं, जो कुफ़्र में लग गया फिर उसके वास्ते कुफ़्र ही के सामान होते रहते हैं। इसी को इस तरह ताबीर फ़रमायाः

لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلٰٓى اَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ۝

यानी उनमें से ज़्यादातर लोगों पर तो उनके बुरे इख़्तियार की बिना पर यह हक़ क़ौल जारी हो चुका है कि ये ईमान न लायेंगे।

आगे उनके हाल की एक मिसाल बयान फ़रमाई है कि उनकी मिसाल ऐसी है कि जिसकी गर्दन में ऐसे तौक़ डाल दिये गये हों कि उसका चेहरा और आँखें ऊपर उठ जायें, नीचे रास्ते की तरफ़ देख ही न सके, तो ज़ाहिर है कि अपने आप को किसी गढ़े में गिरने से नहीं बचा सकता।

दूसरी मिसाल यह दी है कि जैसे किसी शख़्स के चारों तरफ़ दीवार रुकावट कर दी गई, वह उस चारदीवारी में घिरकर बाहर की चीज़ों से बेख़बर हो जाता है, इन काफ़िरों के गिर्द भी इनकी जहालत और उस पर मुख़ालफ़त व हठधर्मी ने घेरा डाल लिया है कि बाहर की हक़ बातें इन तक गोया पहुँचती ही नहीं।

इमाम राज़ी रह. ने फ़रमाया कि नज़र (देखने) से रुकावट दो क़िस्म की होती हैं- एक रुकावट तो ऐसी होती है कि ख़ुद अपने वजूद को भी न देख सके, दूसरी यह कि अपने आस-पास को न देख सके। इन काफ़िरों के लिये हक़ देखने से दोनों क़िस्म की रुकावटें मौजूद थीं इसलिये पहली मिसाल पहली रुकावट की है कि जिसकी गर्दन नीचे को झुक न सके वह अपने वजूद को भी नहीं देख सकता, और दूसरी मिसाल दूसरी रुकावट की है कि आस-पास को नहीं देख सकता। (रूहुल-मआनी)

मुफ़स्सिरीन की बड़ी जमाअ़त ने उक्त आयत को उनके कुफ़्र व दुश्मनी की मिसाल ही क़रार दिया है। और मुफ़स्सिरीन हज़रात में से कुछ ने इसको बाज़ी रिवायतों की बिना पर एक वाक़िए का बयान क़रार दिया है कि अबू जहल और कुछ दूसरे लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को क़त्ल करने या तकलीफ़ पहुँचाने का पुख़्ता इरादा करके आपकी तरफ़ बढ़े मगर अल्लाह तआ़ला ने उनकी आँखों पर पर्दा डाल दिया, आ़जिज़ होकर वापस आ गये। इसी तरह के अनेक वाक़िआ़त तफ़सीर की किताबों- इब्ने कसीर, रूहुल-मआनी, क़ुर्तुबी, मज़हरी वग़ैरह में नक़ल किये गये हैं। मगर उन रिवायतों में से ज़्यादातर ज़ईफ़ हैं उस पर आयत की तफ़सीर का मदार नहीं रखा जा सकता।

وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوْا وَاٰثَارَهُمْ

"हम लिखेंगे उनके आमाल को जो उन्होंने आगे भेजे हैं। अ़मल करने को आगे भेजने से ताबीर करके यह बतला दिया कि जो आमाल अच्छे या बुरे इस दुनिया में किये हैं वे यहीं ख़त्म नहीं हो गये

बल्कि वे तुम्हारा सामान बनकर आगे पहुँच गये हैं जिनसे आने वाली ज़िन्दगी में साबक़ा पड़ना है। अच्छे आमाल हैं तो जन्नत की बाग़ व बहार बनेंगे, बुरे हैं तो जहन्नम के अंगारे। और उन आमाल को लिखने से असल मक़सद उनको महफ़ूज़ रखना है, लिखना भी उसका एक ज़रिया है कि भूल-चूक और कमी-बेशी का संदेह व गुमान न रहे।

आमाल की तरह आमाल के असरात भी लिखे जाते हैं

'व आसारहुम' यानी जिस तरह उनके किये हुए आमाल लिखे जाते हैं उसी तरह उनके आसार भी लिखे जाते हैं। आसार से मुराद आमाल के वे फल व नतीजे हैं जो बाद में ज़ाहिर होते और बाक़ी रहते हैं, जैसे किसी ने लोगों को दीन की तालीम दी, दीनी अहकाम बतलाये या इसके लिये कोई किताब लिखी जिससे लोगों ने दीन का नफ़ा उठाया, या कोई वक़्फ़ कर दिया जिससे लोगों को उसके बाद नफ़ा पहुँचा, या और कोई काम ऐसा किया जिससे मुसलमानों को फ़ायदा पहुँचा तो जहाँ तक उसके इस नेक अ़मल के आसार पहुँचेंगे और जब तक पहुँचते रहेंगे वे सब उसके आमाल नामे में लिखे जाते रहेंगे। इसी तरह बुरे आमाल जिनके बुरे परिणाम व आसार दुनिया में बाक़ी रहे जैसे ज़ालिमाना क़ानून जारी कर दिये, ऐसी संस्थायें क़ायम कर दीं जो इनसानों के आमाल व अख़्लाक़ को ख़राब कर देती हैं या लोगों को किसी ग़लत और बुरे रास्ते पर डाल दिया तो जहाँ तक और जब तक उसके अ़मल के बुरे नतीजे और ख़राबियाँ वजूद में आते रहेंगे उसके नामा-ए-आमाल में लिखे जाते रहेंगे, जैसा कि इस आयत की तफ़सीर में ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया है। हज़रत जरीर बिन अ़ब्दुल्लाह बजली रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया है:

مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهٗ اَجْرُهَا وَاَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ ، بَعْدِهٖ مِنْ غَيْرِ اَنْ يُنْقَصَ مِنْ اُجُوْرِهِمْ شَيْءٌ وَّمَنْ سَنَّ سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ ، بَعْدِهٖ لَا يَنْقُصُ مِنْ اَوْزَارِهِمْ شَيْئًا، ثُمَّ تَلَا: وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوْا وَاٰثَارَهُمْ. (ابن كثير عن ابن ابى حاتم)

"जिस शख़्स ने कोई अच्छा तरीक़ा जारी किया तो उसको उसका भी सवाब मिलेगा और जितने आदमी उस तरीक़े पर अ़मल करेंगे उनका भी सवाब उसको मिलेगा बग़ैर इसके कि उन अ़मल करने वालों के सवाब में कोई कमी आये। और जिसने कोई बुरा तरीक़ा जारी किया तो उसको उसका भी गुनाह होगा और जितने आदमी जब तक उस बुरे तरीक़े पर अ़मल करते रहेंगे उनका गुनाह भी उसको होता रहेगा बग़ैर इसके कि अ़मल करने वालों के गुनाहों में कमी आये।"

आसार के एक मायने क़दमों के निशान के भी आते हैं। हदीस में है कि इनसान जब नमाज़ के लिये मस्जिद की तरफ़ चलता है तो उसके हर क़दम पर नेकी लिखी जाती है। हदीस की कुछ रिवायतों से मालूम होता है कि इस आयत में आसार से मुराद यही क़दम के निशान हैं। जिस तरह नमाज़ का सवाब भी लिखा जाता है इसी तरह नमाज़ के लिये जाने में जितने क़दम पड़ते हैं हर क़दम पर एक नेकी लिखी जाती है। अ़ल्लामा इब्ने कसीर ने इन रिवायतों को इस जगह जमा कर दिया है

जिनमें यह मज़कूर है कि मदीना तय्यिबा में जिन लोगों के मकानात मस्जिदे नबवी से दूर थे उन्होंने इरादा किया कि मस्जिद के क़रीब मकान बना लें, नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने मना फ़रमाया कि जहाँ रहते हो वहीं रहो, दूर से चलकर आओगे तो यह वक़्त भी ज़ाया न समझो, जितने क़दम ज़्यादा होंगे उतना ही तुम्हारा सवाब बढ़ेगा।

इस पर जो यह शुब्हा हो सकता है कि यह सूरत मक्की है और जो वाक़िआ़ इन हदीसों में ज़िक्र हुए हैं वह मदीना तय्यिबा का है। इसका जवाब यह हो सकता है कि आयत तो अपने आ़म मायने में हो कि आमाल के असरात भी लिखे जाते हैं और यह आयत मक्का ही में नाज़िल हुई हो, फिर मदीना तय्यिबा में जब ये वाक़िआ़ पेश आया तो आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने दलील पेश करने के तौर पर इस आयत का ज़िक्र फ़रमाया। और क़दमों के निशान को भी उन बाक़ी रहने वाले आसार में शुमार फ़रमाया है जिनके लिखे जाने का ज़िक्र क़ुरआने करीम की इस आयत में है। इस तरह इन दोनों तफ़सीरों का ज़ाहिरी टकराव और विरोधाभास भी ख़त्म हो जाता है। (इब्ने कसीर)

وَاضْرِبْ لَهُمْ مَّثَلًا اَصْحٰبَ الْقَرْيَةِ ۘ اِذْ جَآءَهَا الْمُرْسَلُوْنَ ۚ۝ اِذْ اَرْسَلْنَآ اِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوْهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوْٓا اِنَّآ اِلَيْكُمْ مُّرْسَلُوْنَ ۝ قَالُوْا مَآ اَنْتُمْ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا ۙ وَمَآ اَنْزَلَ الرَّحْمٰنُ مِنْ شَيْءٍ ۙ اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا تَكْذِبُوْنَ ۝ قَالُوْا رَبُّنَا يَعْلَمُ اِنَّآ اِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُوْنَ ۝ وَمَا عَلَيْنَآ اِلَّا الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ ۝ قَالُوْٓا اِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ ۚ لَئِنْ لَّمْ تَنْتَهُوْا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِّنَّا عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۝ قَالُوْا طَآئِرُكُمْ مَّعَكُمْ ۭ اَئِنْ ذُكِّرْتُمْ ۭ بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُوْنَ ۝ وَجَآءَ مِنْ اَقْصَا الْمَدِيْنَةِ رَجُلٌ يَّسْعٰى قَالَ يٰقَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِيْنَ ۝ اتَّبِعُوْا مَنْ لَّا يَسْــَٔـلُكُمْ اَجْرًا وَّهُمْ مُّهْتَدُوْنَ ۝

وَمَا لِيَ لَآ اَعْبُدُ الَّذِيْ فَطَرَنِيْ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ۝ ءَاَتَّخِذُ مِنْ دُوْنِهٖٓ اٰلِهَةً اِنْ يُّرِدْنِ الرَّحْمٰنُ بِضُرٍّ لَّا تُغْنِ عَنِّيْ شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَّلَا يُنْقِذُوْنِ ۝ اِنِّيْٓ اِذًا لَّفِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ۝ اِنِّيْٓ اٰمَنْتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُوْنِ ۝ قِيْلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ ۭ قَالَ يٰلَيْتَ قَوْمِيْ يَعْلَمُوْنَ ۝ بِمَا غَفَرَ لِيْ رَبِّيْ وَجَعَلَنِيْ مِنَ الْمُكْرَمِيْنَ ۝ وَمَآ اَنْزَلْنَا عَلٰي قَوْمِهٖ مِنْۢ بَعْدِهٖ مِنْ جُنْدٍ مِّنَ السَّمَاۗءِ وَمَا كُنَّا مُنْزِلِيْنَ ۝ اِنْ كَانَتْ اِلَّا صَيْحَةً وَّاحِدَةً فَاِذَا هُمْ خٰمِدُوْنَ ۝ يٰحَسْرَةً عَلَي الْعِبَادِ ۚ مَا يَاْتِيْهِمْ مِّنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ۝ اَلَمْ يَرَوْا كَمْ اَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّنَ الْقُرُوْنِ اَنَّهُمْ اِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُوْنَ ۝ وَاِنْ كُلٌّ لَّمَّا جَمِيْعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُوْنَ ۝

वज़िरब् लहुम् म-सलन् अस्हाबल्-क़र्-यति। इज़् जा-अहल्-मुर्सलून (13) इज़् अर्सल्ना इलैहिमुस्नैनि	और बयान कर उनके वास्ते एक मिसाल उस गाँव के लोगों की जबकि आये उसमें भेजे हुए। (13) जब भेजे हमने उनकी

फ़-कज़्ज़बूहुमा फ़-अ़ज़्ज़ज़्ना बिसालिसिन् फ़क़ालू इन्ना इलैकुम् मुर्सलून (14) क़ालू मा अन्तुम् इल्ला ब-शरुम्-मिस्लुना व मा अन्ज़लर्-रह्मानु मिन् शैइन् इन् अन्तुम् इल्ला तक्ज़िबून (15) क़ालू रब्बुना यअ़्लमु इन्ना इलैकुम् लमुर्सलून (16) व मा अ़लैना इल्लल्-बलाग़ुल्-मुबीन (17) क़ालू इन्ना त-तय्यर्ना बिकुम् ल-इल्लम् तन्तहू ल-नर्जुमन्नकुम् व ल-यमस्सन्नकुम् मिन्ना अ़ज़ाबुन् अलीम (18) क़ालू ताइरुकुम् म-अ़कुम् अ-इन् ज़ुक्किर्तुम्, बल् अन्तुम् क़ौमुम्-मुस्रिफ़ून (19) व जा-अ मिन् अक़्सल्-मदीनति रजुलुंय्-यस्आ, क़ा-ल या क़ौमित्तबिअुल्-मुर्सलीन (20) इत्तबिअ़ू मल्ला यस्अलुकुम् अज्रंव्-व हुम् मुह्तदून (21)

व मा लि-य ला अअ़्बुदुल्लज़ी फ़-त-रनी व इलैहि तुर्जअ़ून (22) अ-अत्तख़िज़ु मिन् दूनिही आलि-हतन् इंय्युरिद्-निर्रह्मानु बिज़ुर्रिल्-ला तुग़्नि अ़न्नी शफ़ा-अतुहुम् शैअंव्-व ला

तरफ़ दो तो उनको झुठलाया, फिर हमने क़ुव्वत दी तीसरे से तब कहा उन्होंने हम तुम्हारी तरफ़ आये हैं भेजे हुए। (14) वे बोले तुम तो यही इनसान हो जैसे हम, और रहमान ने कुछ नहीं उतारा, तुम सारे झूठ कहते हो। (15) कहा हमारा रब जानता है हम बेशक तुम्हारी तरफ़ भेजे हुए आये हैं। (16) और हमारा ज़िम्मा यही है पैग़ाम पहुँचा देना खोलकर। (17) बोले हमने नामुबारक (अशुभ) देखा तुम को, अगर तुम बाज़ न रहोगे तो हम तुम को संगसार करेंगे और तुमको पहुँचेगा हमारा हाथ से दर्दनाक अ़ज़ाब। (18) कहने लगे तुम्हारी नामुबारकी तुम्हारे साथ है, क्या इतनी बात पर कि तुम को समझाया। कोई नहीं! पर तुम लोग हो कि हद पर नहीं रहते। (19) और आया शहर के परले सिरे से एक मर्द दौड़ता हुआ, बोला- ऐ क़ौम चलो राह पर भेजे हुओं की। (20) चलो राह पर ऐसे शख़्स की जो तुम से बदला नहीं चाहते और वे ठीक रास्ते पर हैं। (21)

और मुझको क्या हुआ कि मैं बन्दगी न करूँ उसकी जिसने मुझको बनाया और उसी की तरफ़ सब फिर जाओगे। (22) भला मैं पकड़ूँ उसके सिवाय औरों को पूजना कि अगर मुझ पर चाहे रहमान तकलीफ़ तो कुछ काम न आये मुझको

युन्क़िज़ून (23) इन्नी इज़ल्-लफ़ी ज़लालिम्-मुबीन (24) इन्नी आमन्तु बिरब्बिकुम् फ़स्मअ़ून (25) क़ीलद्ख़ुलिल्-जन्न-त, क़ा-ल या लै-त क़ौमी यअ़्लमून (26) बिमा ग़-फ़-र ली रब्बी व ज-अ़-लनी मिनल्-मुक्रमीन (27) व मा अन्ज़ल्ना अ़ला क़ौमिही मिम्बअ़्दिही मिन् जुन्दिम्-मिनस्समा-इ व मा कुन्ना मुन्ज़िलीन (28) इन् कानत् इल्ला सै-हतंव्-वाहि-दतन् फ़-इज़ा हुम् ख़ामिदून (29) या हस्रतन् अ़लल्-अ़िबादि, मा यअ्तीहिम् मिर्-रसूलिन् इल्ला कानू बिही यस्तह्ज़िऊन (30) अलम् यरौ कम् अह्लक्ना क़ब्लहुम् मिनल्-क़ुरूनि अन्नहुम् इलैहिम् ला यर्जिअ़ून (31) व इन् कुल्लुल्-लम्मा जमीअ़ुल्-लदैना मुह्ज़रून (32) ❁

उनकी सिफ़ारिश और न वे मुझको छुड़ायें। (23) तो तो मैं भटकता रहूँ खुला। (24) मैं यक़ीन लाया तुम्हारे रब पर मुझसे सुन लो। (25) हुक्म हुआ चला जा जन्नत में, बोला किसी तरह मेरी क़ौम मालूम कर लें (26) कि बख़्शा मुझको मेरे रब ने और किया मुझको इज़्ज़त वालों में। (27) और नहीं उतारी हमने उसकी क़ौम पर उसके बाद कोई फ़ौज आसमान से और हम (फ़ौज) नहीं उतारा करते। (28) बस यही थी एक चिंघाड़ फिर उसी दम सब बुझ गये। (29) क्या अफ़सोस है बन्दों पर कोई रसूल नहीं आया उनके पास जिससे (मज़ाक़-) ठट्ठा नहीं करते। (30) क्या नहीं देखते कितनी ग़ारत कर चुके हम उनसे पहले जमाअ़तें कि वो इनके पास फिरकर नहीं आयेंगी। (31) और उन सब में कोई नहीं जो इकट्ठे होकर न आयें हमारे पास पकड़े हुए। (32) ❁

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

और आप इन (काफ़िरों) के सामने (इस ग़र्ज़ से कि रिसालत की ताईद हो और इनको तौहीद व रिसालत के इनकार पर डराया जाये) एक क़िस्सा यानी एक बस्ती वालों का क़िस्सा उस वक़्त का बयान कीजिये जबकि उस बस्ती में कई रसूल आये। यानी जबकि हमने उनके पास (पहले) दो को भेजा, सो उन लोगों ने पहले दोनों को झूठा बतलाया, फिर तीसरे (रसूल) से (उन दोनों की) ताईद की, (यानी ताईद के लिये फिर तीसरे को वहाँ जाने का हुक्म दिया) सो उन तीनों ने (उन बस्ती वालों से) कहा कि हम तुम्हारे पास (ख़ुदा की तरफ़ से) भेजे गये हैं (ताकि तुमको हिदायत करें कि तौहीद इख़्तियार करो और बुत-परस्ती छोड़ो, क्योंकि वे लोग बुत-परस्त थे जैसा कि उपरोक्त आयत नम्बर

22 से इसकी तरफ़ इशारा मिलता है) उन लोगों ने (यानी बस्ती वालों ने) कहा कि तुम तो हमारी तरह (महज़) मामूली आदमी हो (तुमको रसूल होने की विशेषता व सम्मान हासिल नहीं) और (तुम्हारी क्या विशेषता है रिसालत का मसला ही ख़ुद बेबुनियाद है और) ख़ुदा-ए-रहमान ने (तो किताब व अहकाम की किस्म से कभी) कोई चीज़ नाज़िल (ही) नहीं की, तुम ख़ालिस झूठ बोलते हो। उन रसूलों ने कहा कि हमारा परवर्दिगार जानता है कि बेशक हम तुम्हारे पास (रसूल के तौर पर) भेजे गये हैं। और (इस क़सम खाने से यह मक़सद नहीं कि इसी से रिसालत को साबित करते हैं बल्कि दलीलें क़ायम करने बाद के भी जब उन्होंने न माना तब आख़िरी जवाब के तौर पर मजबूर होकर क़सम खाई जैसा कि आगे ख़ुद उनके फ़रमाने से मालूम होता है कि) हमारे ज़िम्मे तो सिर्फ़ स्पष्ट तौर पर (हुक्म का) पहुँचा देना था। (चूँकि स्पष्ट होना इस पर मौक़ूफ़ है कि स्पष्ट दलीलों से दावे को साबित कर दिया जाये, इससे मालूम हुआ कि पहले दलीलें क़ायम कर चुके थे, आख़िर में क़सम खाई। ग़र्ज़ यह कि हम अपना काम कर चुके तुम न मानो तो हम मजबूर हैं) वे लोग कहने लगे कि हम तो तुमको मन्हूस समझते हैं (यह या तो इसलिये कहा कि उन पर सूखा पड़ा था जैसा कि 'मआ़लिम' में है) और या इसलिये कहा कि जब कोई नई बात सुनी जाती है चाहे लोग उसको क़ुबूल न करें मगर उसका चर्चा ज़रूर होता है, और आम लोगों में अक्सर उसकी वजह से गुफ़्तगू और उस गुफ़्तगू में मतभेद और कभी विवाद व नाइत्तिफ़ाक़ी की नौबत पहुँच ही जाती है। पस मतलब यह होगा कि तमाम लोगों में एक फ़ितना झगड़ा डाल दिया, जिससे नुक़सानात पहुँच रहे हैं, यह नहूसत है, और उस नहूसत का कारण तुम हो) अगर तुम (इस दावत और दावे से) बाज़ न आये तो (याद रखो) हम पत्थरों से तुम्हारा काम तमाम कर देंगे, और (पत्थर बरसाने से पहले भी) तुमको हमारी तरफ़ से सख़्त तकलीफ़ पहुँचेगी (यानी और तरह-तरह से सतायेंगे, नहीं मानोगे तो आख़िर में संगसार कर देंगे)।

उन रसूलों ने कहा कि तुम्हारी नहूसत तो तुम्हारे साथ लगी हुई है (यानी जिसको तुम नुक़सान व मुसीबत कहते हो उसका सबब तो हक़ का क़ुबूल न करना है, अगर हक़ क़ुबूल करने पर मुत्तफ़िक़ हो जाते, न ये झगड़े फ़ितने होते, न सूखे के अ़ज़ाब में मुब्तला होते। रहा पहला इत्तिफ़ाक़ बुत-परस्ती पर तो ऐसा इत्तिफ़ाक़ जो बातिल पर हो वह ख़ुद फ़साद व वबाल है जिसको छोड़ना लाज़िम है, और उस ज़माने में क़हत न होना "सूखा न पड़ना" वह अल्लाह की तरफ़ से ढील दी हुई थी, या इस वजह से था कि उस वक़्त तक उन लोगों पर हक़ वाज़ेह नहीं हुआ था। और अल्लाह का क़ानून है कि हक़ को वाज़ेह करने से पहले किसी को अ़ज़ाब नहीं देते, जैसा कि इरशाद है 'हत्ता युबय्यि-न लहुम् मा यत्तक़ून' और यह ढील या हक़ का वाज़ेह न होना भी तुम्हारी ही ग़फ़लत, जहालत और बुरे आमाल की नहूसत थी। इससे मालूम हुआ कि हर हाल में इस नहूसत का सबब ख़ुद तुम्हारा फ़ेल था) क्या इसको नहूसत समझते हो कि तुमको नसीहत की जाये? (जो नेकबख़्ती की बुनियाद है, यह तो हक़ीक़त में नहूसत नहीं) बल्कि तुम (ख़ुद अ़क़्ल और शरीअ़त की) हद से निकल जाने वाले लोग हो (पस शरीअ़त की मुख़ालफ़त के सबब तुम पर यह नहूसत आई और अ़क़्ल की मुख़ालफ़त के सबब तुमने इसका सबब ग़लत समझा) और (इस गुफ़्तगू की ख़बर जो फैली तो) एक शख़्स (जो मुसलमान था) उस शहर के किसी दूर स्थान से (जो यहाँ से दूर था यह ख़बर सुनकर अपनी क़ौम की ख़ैरख़्वाही के लिये कि उन रसूलों का वजूद क़ौम की फ़लाह थी, या रसूलों की ख़ैरख़्वाही के लिये कि कहीं ये

लोग उनको क़त्ल न कर दें) दौड़ता हुआ (यहाँ) आया (और इन लोगों से) कहने लगा कि ऐ मेरी क़ौम! इन रसूलों की राह पर (ज़रूर) चलो। ऐसे लोगों की राह पर चलो जो तुमसे कोई मुआवज़ा और सिला नहीं माँगते, और वे ख़ुद सही रास्ते पर हैं (यानी ख़ुदग़र्ज़ी जो किसी की पैरवी में रुकावट होती है वह भी नहीं, और सही रास्ते पर होना जो पैरवी को चाहता है वह भी मौजूद है फिर इत्तिबा व पैरवी क्यों न की जाये)।

तेईसवाँ पारा (व मा लि-य)

और मेरे पास कौनसा उज़्र है कि मैं उस (माबूद) की इबादत न करूँ जिसने मुझको पैदा किया (जो कि एक दलील है अन्य दलीलों में से इबादत का हक़दार होने की) और (अपने ऊपर रखकर इसलिए कहा कि मुख़ातब को ग़ुस्सा व उत्तेजना न हो जो कि सोच-विचार में रुकावट हो जाता है और असल मतलब यही है कि तुमको एक अल्लाह की इबादत करने में कौनसा उज़्र है) तुम सब को उसी के पास लौटकर जाना है (इसलिए समझदारी का तक़ाज़ा यह है कि उसके रसूलों की पैरवी करो। यहाँ तक तो हक़ और सच्चे माबूद के इबादत का हक़दार होने का बयान किया, आगे झूठे माबूदों के इबादत का हक़दार व पात्र न होने का मज़मून है, यानी) क्या मैं अल्लाह तआ़ला को छोड़कर दूसरे ऐसे-ऐसे माबूद क़रार दे लूँ (जिनकी बेबसी और लाचारी की कैफ़ियत यह है) कि अगर ख़ुदा-ए-रहमान मुझको कुछ तकलीफ़ पहुँचाना चाहे तो न उन माबूदों की सिफ़ारिश मेरे कुछ काम आये और न वे मुझको (ख़ुद अपनी क़ुदरत व ज़ोर के ज़रिये उस तकलीफ़ से) छुड़ा सकें। (यानी न वे ख़ुद क़ादिर हैं न क़ुदरत वाले तक सिफ़ारिश का ज़रिया बन सकते हैं, क्योंकि अव्वल तो बेजान चीज़ों में शफ़ाअ़त की अहलियत ही नहीं, दूसरे शफ़ाअ़त वही कर सकते हैं जिनको अल्लाह की तरफ़ से इजाज़त हो। और) अगर मैं ऐसा करूँ तो खुली गुमराही में जा पड़ा (यह भी अपने ऊपर रखकर उन लोगों को सुनाना है)। मैं तो तुम्हारे रब पर ईमान ला चुका, सो तुम (भी) मेरी बात सुन लो (और ईमान ले आओ। मगर उन लोगों पर कुछ असर न हुआ बल्कि उसको पत्थरों से या आग में डालकर या गला घोंटकर (जैसा कि दुर्रे मन्सूर में है) शहीद कर डाला। शहीद होते ही उसको ख़ुदा की तरफ़ से) इरशाद हुआ कि जा जन्नत में दाख़िल हो जा, (उस वक़्त भी उसको अपनी क़ौम की फ़िक्र हुई) कहने लगा कि काश! मेरी क़ौम को यह बात मालूम हो जाती कि मेरे परवर्दिगार ने (ईमान और रसूलों की पैरवी की बरकत से) मुझको बख़्श दिया और मुझको इज़्ज़तदारों में शामिल कर दिया (तो इस हाल को मालूम करके वे भी ईमान ले आते और इसी तरह वे भी बख़्शिश और इज़्ज़त वाले हो जाते)।

और (जब उन बस्ती वालों ने रसूलों और उनकी पैरवी करने वाले के साथ यह मामला किया तो हमने उनसे बदला लिया और बदला लेने के लिये) हमने उस (शहीद शख़्स) की क़ौम पर उस (की शहादत) के बाद (फ़रिश्तों का) कोई लश्कर आसमान से नहीं उतारा और न हमको उतारने की ज़रूरत थी (क्योंकि उनका हलाक करना इस पर मौक़ूफ़ न था कि उसके लिये कोई बड़ी जमाअ़त लाई जाती (तफ़सीर इब्ने कसीर में हज़रत अ़ब्दुल्लाह इब्ने मसऊद की रिवायत से यही तफ़सीर बयान की गयी है, बल्कि) वह सज़ा बस एक सख़्त आवाज़ थी (जो जिब्राईल अ़लैहिस्सलाम ने कर दी।

तफ़सीर 'मआ़लिम' में यही नक़ल किया गया है, या और किसी फ़रिश्ते ने कर दी हो। या 'सैहतु' यानी चीख़ से मुतलक़ अ़ज़ाब मुराद हो जिसको मुतैयन नहीं किया गया कि किस तरह का अ़ज़ाब था जैसा कि सूरः मोमिनून की आयत 'फ़-अ-ख़-ज़्हुमुस्सैहतु......' की तफ़सीर में गुज़र चुका है) और वे सब उसी दम (उससे) बुझकर (यानी मरकर) रह गये।

(आगे क़िस्से का अन्जाम बतलाने के लिये झुठलाने वालों की निंदा फ़रमाते हैं कि) अफ़सोस (ऐसे) बन्दों के हाल पर कि उनके पास कभी कोई रसूल नहीं आया जिसकी उन्होंने हंसी न उड़ाई हो। क्या उन लोगों ने इस पर नज़र नहीं की कि हम उनसे पहले बहुत-सी उम्मतें (इसी झुठलाने और मज़ाक़ उड़ाने के सबब) ग़ारत कर चुके कि वे (फिर) उनकी तरफ़ (दुनिया में) लौटकर नहीं आते, (अगर इसमें ग़ौर करते तो झुठलाने और मज़ाक़ उड़ाने से बाज़ आ जाते। यह सज़ा तो झुठलाने वालों को दुनिया में दी गई) और (फिर आख़िरत में) उनमें कोई ऐसा नहीं जो इकट्ठा और जमा होकर हमारे सामने हाज़िर न किया जाये (वहाँ फिर सज़ा होगी और वह सज़ा हमेशा वाली होगी)।

मआ़रिफ़ व मसाईल

وَاضْرِبْ لَهُمْ مَّثَلًا اَصْحٰبَ الْقَرْيَةِ.

'ज़रबे-मसल्' किसी मामले को साबित करने के लिये उसी जैसे वाक़िए की मिसाल बयान करने को कहते हैं। ऊपर जिन नुबुव्वत व रिसालत के इनकारी काफ़िरों का ज़िक्र आया है उनको सचेत व आगाह करने के लिये क़ुरआने करीम बतौर मिसाल के पहले ज़माने का एक क़िस्सा बयान करता है जो एक बस्ती में पेश आया था।

वह कौनसी बस्ती है जिसका ज़िक्र इस क़िस्से में आया है?

क़ुरआने करीम ने उस बस्ती का नाम नहीं बतलाया, तारीख़ी रिवायतों में मुहम्मद बिन इस्हाक़ ने हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु, कअ़बे अहबार और वहब बिन मुनब्बेह से नक़ल किया है कि यह बस्ती अन्ताकिया थी। और मुफ़स्सिरीन की अक्सरियत ने इसी को इख़्तियार किया है। अबू हय्यान और इब्ने कसीर ने फ़रमाया कि मुफ़स्सिरीन में इसके ख़िलाफ़ कोई क़ौल मन्क़ूल नहीं। 'मुअ़जमुल-बलदान' की वज़ाहत के मुताबिक़ अन्ताकिया मुल्के शाम का मशहूर अ़ज़ीमुश्शान शहर है जो अपनी शादाबी और मज़बूती में जाना-पहचाना है, उसका किला और शहर पनाह की दीवार एक मिसाली चीज़ समझी जाती है। उस शहर में ईसाईयों के इबादत-ख़ाने कनीसा बेशुमार और बड़े शानदार सोने-चाँदी के काम से सजे हुए हैं। साहिली शहर है, इस्लाम के ज़माने में इसको मुल्क शाम को फ़तह करने वाले अमीनुल-उम्मत हज़रत अबू उबैद बिन जर्राह रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने फ़तह किया है। 'मोजमुल-बल्दान' में याक़ूत हमवी ने यह भी लिखा है कि हबीब नज्जार (जिसका क़िस्सा इस आयत में आगे आ रहा है, उस) की क़ब्र भी अन्ताकिया में परिचित है, दूर-दूर से लोग उसकी ज़ियारत के लिये आते हैं। उनकी वज़ाहत से भी यही मालूम होता है कि जिस बस्ती का ज़िक्र इस आयत में आया है वह यही अन्ताकिया शहर है।

इमाम इब्ने कसीर रह. ने लिखा है कि अन्ताकिया उन चार मशहूर शहरों में से है जो ईसाईयत और ईसाई दीन के केन्द्र समझे गये हैं यानी- क़ुदुस, रोमिया, इस्कन्दरिया और अन्ताकिया। और फ़रमाया कि अन्ताकिया सबसे पहला शहर है जिसने मसीह अ़लैहिस्सलाम के दीन को क़ुबूल किया। इसी बिना पर इमाम इब्ने कसीर को इसमें आशंका है कि जिस बस्ती का ज़िक्र इस आयत में है वह मशहूर शहर अन्ताकिया हो, क्योंकि क़ुरआने करीम की वज़ाहत के मुताबिक़ यह बस्ती रिसालत व नुबुव्वत के इनकारियों की बस्ती थी और तारीख़ी रिवायतों के मुताबिक़ वे बुत-परस्त मुश्रिक लोग थे, तो अन्ताकिया जो ईसाईयत और ईसाई दीन के क़ुबूल करने में सबसे पहला दर्जा रखता है वह कैसे इसका मिस्दाक़ हो सकता है।

और क़ुरआने करीम की उक्त आयतों ही से यह साबित है कि इस वाक़िए में इस पूरी बस्ती पर ऐसा अ़ज़ाब आया कि उनमें से कोई ज़िन्दा नहीं बचा। शहर अन्ताकिया के मुताल्लिक़ तारीख़ में उसका ऐसा कोई वाक़िआ मन्क़ूल नहीं कि किसी वक़्त उसके सारे बाशिन्दे एक वक़्त में मर गये हों इसलिये इमाम इब्ने कसीर की राय में या तो इस आयत में जिस बस्ती का ज़िक्र है वह अन्ताकिया के अ़लावा कोई और बस्ती है या फिर अन्ताकिया नाम ही की कोई दूसरी बस्ती है जो मशहूर शहर अन्ताकिया नहीं है।

'फ़त्हुल-मन्नान' के लेखक ने अ़ल्लामा इब्ने कसीर रह. के इन इश्कालात के जवाबात भी दिये हैं मगर आसान और बेग़ुबार बात वही है जिसको सय्यिदी हज़रत हकीमुल-उम्मत रह. ने बयानुल-क़ुरआन में इख़्तियार फ़रमाया है कि क़ुरआन की आयतों का मज़मून समझने के लिये उस बस्ती को मुतैयन करना ज़रूरी नहीं और क़ुरआने करीम ने इसको ग़ैर-वाज़ेह (अस्पष्ट) रखा है तो ज़रूरत ही क्या है कि इसके निर्धारण और मुतैयन करने पर इतना ज़ोर लगाया जाये। पहले बुज़ुर्गों का यह इरशाद किः

اَبْهِمُوْا مَآ اَبْهَمَهُ اللّٰهُ

यानी जिस चीज़ को अल्लाह ने अस्पष्ट रखा है तुम भी उसे अस्पष्ट ही रहने दो। इसका तक़ाज़ा भी यही है।

اِذْ جَآءَ هَا الْمُرْسَلُوْنَ ۝ اِذْ اَرْسَلْنَآ اِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوْهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوْٓا اِنَّآ اِلَيْكُمْ مُّرْسَلُوْنَ ۝

इस ऊपर ज़िक्र हुई बस्ती में तीन रसूल भेजे गये हैं- पहले उनका संक्षिप्त बयान 'इज़् जा-अहलु मुर्सलून' में फ़रमाया, उसके बाद इसकी यह तफ़सील दी गई कि पहले दो रसूल भेजे गये थे, बस्ती वालों ने उनको झुठलाया और उनकी बात न मानी तो अल्लाह तआ़ला ने उनकी ताईद व मज़बूती के लिये एक तीसरा रसूल भेज दिया। फिर उन तीनों रसूलों ने बस्ती वालों को ख़िताब किया 'इन्ना इलैकुम् लमुर्सलून' यानी हम तुम्हारी हिदायत के लिये भेजे गये हैं।

उस बस्ती में जो रसूल भेजे गये उनसे क्या मुराद है और वे कौन हज़रात थे?

लफ़्ज़ रसूल और मुर्सल क़ुरआने करीम में आ़म तौर पर अल्लाह के नबी व पैग़म्बर के लिये

बोला जाता है। इस आयत में उनके भेजने को हक़ तआला ने अपनी तरफ़ मन्सूब किया है, यह भी इसकी निशानी है कि इससे मुराद अम्बिया व मुर्सलीन हैं। इब्ने इस्हाक़ ने हज़रत इब्ने अ़ब्बास, हज़रत कअ़बे अहबार रज़ियल्लाहु अ़न्हुमा और हज़रत वहब बिन मुनब्बेह की रिवायत यही नक़ल है कि ये तीनों बुज़ुर्ग जिनका इस बस्ती में भेजने का ज़िक्र है अल्लाह तआला के पैग़म्बर थे, इनके नाम इस रिवायत में सादिक़, सदूक़ और शलूम मज़कूर हैं, और एक रिवायत में तीसरे का नाम शमऊन आया है। (तफ़सीर इब्ने कसीर)

और हज़रत क़तादा से यह मन्क़ूल है कि यहाँ लफ़्ज़ **मुर्सलून** अपने इस्तिलाही (पारिभाषिक) मायने में नहीं बल्कि क़ासिद के मायने में है। और ये तीनों बुज़ुर्ग जो उस बस्ती की तरफ़ भेजे गये ख़ुद पैग़म्बर नहीं थे बल्कि हज़रत ईसा अ़लैहिस्सलाम के हवारिय्यीन (सहाबा) में से थे। उन्हीं के हुक्म से ये उस बस्ती की हिदायत के लिये भेजे गये थे। (इब्ने कसीर) और चूँकि उनके भेजने वाले हज़रत ईसा अ़लैहिस्सलाम अल्लाह के रसूल थे, उनका भेजना भी प्रत्यक्ष रूप से अल्लाह तआला ही का भेजना था इसलिये आयत में उनके भेजने को अल्लाह तआला की तरफ़ मन्सूब किया गया है। मुफ़स्सिरीन में से इमाम इब्ने कसीर ने पहले क़ौल को और इमाम क़ुर्तुबी वग़ैरह ने दूसरे को इख़्तियार किया है, क़ुरआन के ज़ाहिर से भी यही समझा जाता है कि ये हज़रात अल्लाह के नबी और पैग़म्बर थे। वल्लाहु आलम।

قَالُوْٓا اِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ

'ततय्युर' के मायने बुरा शगुन लेने और किसी को मन्हूस समझने के हैं। मुराद यह है कि उस शहर के लोगों ने अल्लाह के उन भेजे हुओं की बात न मानी और यह कहने लगे कि तुम लोग मन्हूस हो। कुछ रिवायतों में है कि उनकी नाफ़रमानी और रसूलों की बात न मानने के सबब उस बस्ती में क़हत (सूखा और अकाल) पड़ गया था इसलिये बस्ती वालों ने उनको मन्हूस कहा या और कोई तकलीफ़ पहुँचाई होगी, तो जैसे काफ़िरों की आम आदत यही है कि कोई मुसीबत आये तो उसको हिदायत करने वाले नबियों और नेक लोगों की तरफ़ मन्सूब किया करते थे, इसको भी उन हज़रात की तरफ़ मन्सूब कर दिया। जैसा कि मूसा अ़लैहिस्सलाम की क़ौम के बारे में क़ुरआन में है:

فَاِذَا جَآءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوْا لَنَا هٰذِهٖ وَاِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَّطَّيَّرُوْا بِمُوْسٰى وَمَنْ مَّعَهٗ.

इसी तरह सालेह अ़लैहिस्सलाम की क़ौम ने उनको कहा 'ततय्यरना बि-क व बिमम् म-अ़-क'।

قَالُوْا طَآئِرُكُمْ مَّعَكُمْ

यानी तुम्हारी नहूसत तुम्हारे ही साथ है। मतलब यह है कि तुम्हारे ही आमाल का नतीजा है। ताइर का लफ़्ज़ असल में बुरा शगुन लेने के लिये बोला जाता है और कभी अपशगुन के असर यानी नहूसत के मायने में भी आता है, यहाँ यही मुराद है। (इब्ने कसीर, क़ुर्तुबी)

وَجَآءَ مِنْ اَقْصَا الْمَدِيْنَةِ رَجُلٌ يَّسْعٰى .

पहली आयत में उस जगह को जिसमें यह क़िस्सा पेश आया लफ़्ज़ क़रया (बस्ती) से ताबीर किया गया जो अ़रबी भाषा के एतिबार से सिर्फ़ छोटे गाँव को नहीं बल्कि सिर्फ़ बस्ती को कहते हैं, छोटी बस्ती हो या बड़ा शहर। और इस आयत में उस मक़ाम को लफ़्ज़ मदीना से ताबीर किया जो

सिर्फ़ बड़े शहर ही के लिये इस्तेमाल होता है। इससे मालूम हुआ कि जिस बस्ती में यह वाक़िआ हुआ है वह कोई बड़ा शहर था। इससे भी उस क़ौल की ताईद होती है जिसमें इसको अन्ताकिया क़रार दिया है। 'अक़्सल्-मदीनति' से मुराद शहर के किसी कोने से आना है। 'रजुलुंय्यस्आ' लफ़्ज़ 'यस्आ' सई से बना है जिसके लुग़वी मायने दौड़कर चलने के हैं। इसलिये मायने यह हुए कि शहर के किसी दूर कोने और इलाक़े से एक शख़्स दौड़ता हुआ आया, और कभी लफ़्ज़ सई एहतिमाम के साथ चलने के मायने में भी आता है चाहे दौड़कर न चले जैसे सूरः जुमा में 'फ़स्औ इला ज़िक्रिल्लाहि' में यही मायने मुराद हैं।

शहर के कोने से आने वाले शख़्स का वाक़िआ

क़ुरआने करीम ने इसको भी अस्पष्ट रखा है। उस शख़्स का नाम और हाल ज़िक्र नहीं फ़रमाया, तारीख़ी रिवायतों में इब्ने इस्हाक़ ने हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु, कअ़बे अहबार और वहब बिन मुनब्बेह के हवाले से यह नक़ल किया है कि उस शख़्स का नाम हबीब था, उसके पेशे के मुताल्लिक़ विभिन्न क़ौल हैं, उनमें मशहूर यह है कि नज्जार था, लकड़ी का काम करता था।

(तफ़सीर इब्ने कसीर)

तारीख़ी रिवायतों से जो मुफ़स्सिरीन ने इस जगह नक़ल की हैं मालूम होता है कि यह शख़्स भी शुरू में बुत-परस्त था, दो रसूल जो पहले उस शहर में आये इसकी मुलाक़ात उनसे हो गई, उनकी तालीम से और कुछ रिवायतों के अनुसार उनका मोजिज़ा या करामतें देखकर इसके दिल में ईमान पैदा हुआ। बुत-परस्ती से तौबा करके मुसलमान हो गया और किसी ग़ार (खोह) वग़ैरह में जाकर इबादत में मशग़ूल हो गया। जब इसको यह ख़बर मिली कि शहर के लोग उन रसूलों की तालीम व हिदायत को झुठलाकर उनको तकलीफ़ देने के पीछे पड़ गये और क़त्ल की धमकियाँ दे रहे हैं तो यह अपनी क़ौम की ख़ैरख़्वाही (भलाई) और उन रसूलों की हमदर्दी के मिलेजुले जज़्बे से जल्दी करके अपनी क़ौम में आया और उनको रसूलों की बात मानने और पैरवी करने की नसीहत की। और फिर अपने मोमिन होने का ऐलान कर दिया।

اِنِّیْٓ اٰمَنْتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُوْنِ ○

यानी मैं तुम्हारे रब पर ईमान ले आया हूँ तुम सुन लो। इसका मुख़ातब उसकी क़ौम भी हो सकती है और इसमें अल्लाह तआ़ला को उनका रब कहना हक़ीक़त के इज़हार के लिये था अगरचे वे इसको तस्लीम न करते थे, और यह भी हो सकता है कि यह ख़िताब रसूलों को हो और 'फ़स्मऊन' कहने का मक़सद यह हो कि आप सुन लें और अल्लाह के सामने मेरे ईमान की गवाही दें।

قِيْلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ قَالَ يٰلَيْتَ قَوْمِیْ يَعْلَمُوْنَ ○............ الاٰية

यानी उस शख़्स को जो शहर के किसी कोने से रसूलों पर ईमान लाने की तालीम व हिदायत करने के लिये आया था उसको कहा गया कि जन्नत में दाख़िल हो जाओ। ज़ाहिर यह है कि यह ख़िताब किसी फ़रिश्ते के ज़रिये हुआ है कि जन्नत में चले जाओ, और जन्नत में दाख़िल होने से मुराद यह ख़ुशख़बरी देना है कि जन्नत तुम्हारा ठिकाना तय हो चुका है जो अपने वक़्त पर क़ियामत के बाद हासिल होगा। (तफ़सीरे क़ुर्तुबी)

और यह भी दूर की बात और मुश्किल नहीं कि उनको उनका जन्नती ठिकाना उस वक़्त दिखला दिया गया हो। इसके अ़लावा बर्ज़ख़ में भी जन्नत वालों को जन्नत के फल-फूल और राहत की चीज़ें मिलती हैं इसलिये उनका बर्ज़ख़ की दुनिया में पहुँचना एक हैसियत से जन्नत ही में दाख़िल होना है।

क़ुरआने करीम के इस लफ़्ज़ से कि उसको कहा गया कि जन्नत में दाख़िल हो जा, इसकी तरफ़ इशारा है कि उस शख़्स को शहीद कर दिया गया था क्योंकि जन्नत में दाख़िला या जन्नत की चीज़ों का देखना मौत के बाद ही हो सकता है।

तारीख़ी रिवायतों में तफ़सीर के इमामों- हज़रत इब्ने अ़ब्बास, मुक़ातिल, मुजाहिद से मन्क़ूल है कि यह शख़्स हबीब इब्ने इस्माईल नज्जार (बढ़ई) था और यह उन लोगों में है जो हमारे रसूल सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम पर आपकी नुबुव्वत से छह सौ साल पहले ईमान लाया है जैसा कि 'तुब्बा-ए- अकबर' के बारे में मन्क़ूल है कि पहली आसमानी किताबों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की ख़ुशख़बरी पढ़कर आपकी पैदाईश से पहले आप पर ईमान लाया था। तीसरे बुज़ुर्ग आदमी जो आप पर आपके तशरीफ़ लाने और दावत से पहले ईमान लाये वरक़ा बिन नोफ़ल हैं जिनका ज़िक्र सही बुख़ारी की हदीस इब्तिदा-ए-वही के वाक़िआत में आया है, यह भी रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की ख़ुसूसियत है कि आपकी पैदाईश व नुबुव्वत से पहले आप पर ये तीन आदमी ईमान ले आये थे, यह मामला किसी और रसूल व नबी के साथ नहीं हुआ।

वहब बिन मुनब्बेह की रिवायत में है कि यह शख़्स जुज़ामी (कोढ़ी) था और इसका मकान शहर के सबसे आख़िरी दरवाज़े पर था। अपने ख़ुद गढ़े हुए माबूदों से दुआ़ करता था कि मुझे तन्दुरुस्त कर दें जिस पर सत्तर साल गुज़र चुके थे। ये रसूल शहर अन्ताकिया में इत्तिफ़ाक़ से उसी दरवाज़े से दाख़िल हुए तो इस शख़्स से शुरू ही में मुलाक़ात हुई तो उन्होंने इसको बुत-परस्ती से बाज़ आने और एक ख़ुदा तआ़ला की इबादत की तरफ़ दावत दी। इसने कहा कि आपके पास आपके दावे के सही होने की कोई दलील भी है? उन्होंने कहा हाँ है। इसने अपनी कोढ़ की बीमारी बतलाकर पूछा कि आप यह बीमारी दूर कर सकते हैं? उन्होंने कहा हाँ हम अपने रब से दुआ़ करेंगे वह तुम्हें तन्दुरुस्त कर देगा। इसने कहा कि क्या अ़जीब बात कहते हो, मैं सत्तर साल से अपने माबूदों से दुआ़ माँगता हूँ कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, तुम्हारा रब कैसे एक दिन में मेरी हालत बदल देगा। उन्होंने कहा कि हाँ हमारा रब हर चीज़ पर क़ादिर है और जिनको तुमने ख़ुदा बना रखा है उनकी कोई हक़ीक़त नहीं, ये किसी को नफ़ा नुक़सान नहीं पहुँचा सकते।

यह सुनकर यह शख़्स ईमान ले आया और उन बुज़ुर्गों ने इसके लिये दुआ़ की, अल्लाह तआ़ला ने इसको ऐसा तन्दुरुस्त कर दिया कि बीमारी का कोई असर बाक़ी न रहा। अब तो इसका ईमान पुख़्ता हो गया और इसने अ़हद किया कि दिन भर में जो कुछ कमायेगा उसका आधा अल्लाह की राह में ख़र्च करेगा। जब उन रसूलों पर शहर के लोगों की यलग़ार (धावा बोलने) की ख़बर पाई तो यह दौड़कर आया और अपनी क़ौम को समझाया और अपने ईमान का ऐलान कर दिया। पूरी क़ौम इसकी दुश्मन हो गई और सब मिलकर इस पर टूट पड़े। हज़रत इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहु अ़न्हु की रिवायत में है कि लातों और ठोकरों से सब ने मिलकर इसको शहीद कर दिया। कुछ रिवायतों में है कि इस पर पत्थर बरसाये और उस वक़्त भी उन सब की बेतहाशा मार पड़ने के वक़्त वह कहता

जाता थाः

رَبِّ اهْدِ قَوْمِیْ

"ऐ मेरे परवर्दिगार! मेरी क़ौम को हिदायत कर दे।"

कुछ रिवायतों में है कि उन लोगों ने तीनों रसूलों को भी शहीद कर दिया, मगर किसी सही रिवायत में इसका ज़िक्र नहीं है कि उनका क्या हाल रहा, बज़ाहिर वे मक़्तूल नहीं हुए। (क़ुर्तुबी)

يٰلَيْتَ قَوْمِیْ يَعْلَمُوْنَ٥ بِمَا غَفَرَلِیْ رَبِّیْ وَجَعَلَنِیْ مِنَ الْمُكْرَمِیْنَ٥

यह बुज़ुर्ग चूँकि बड़ी बहादुरी के साथ अल्लाह की राह में शहीद हुए हक़ तआ़ला ने इनके साथ ख़ास सम्मान व ऐज़ाज़ का मामला फ़रमाया और जन्नत में दाख़िल होने का हुक्म दिया। उसने इनाम व सम्मान और जन्नत की नेमतों को देखा तो फिर अपनी क़ौम याद आई और तमन्ना की कि काश! मेरी क़ौम को मेरा हाल मालूम हो जाता कि रसूलों पर ईमान लाने की जज़ा में मुझे इज़्ज़त व सम्मान और हमेशा की नेमतें कैसी मिलीं, तो शायद उनको भी ईमान की तौफ़ीक़ हो जाती। इस तमन्ना का इज़हार मज़कूरा आयत में फ़रमाया गया है।

पैग़म्बराना दावत व इस्लाह का तरीक़ा

इस्लाम के मुबल्लिग़ हज़रात के लिये अहम हिदायत

उस बस्ती की तरफ़ जो तीन रसूल भेजे गये उन्होंने मुश्रिकों व काफ़िरों से जिस तरह ख़िताब किया और उनकी सख़्त व कड़वी बातों और धमकियों का जिस तरह जवाब दिया, इसी तरह उनकी दावत से मुसलमान होने वाले हबीब नज्जार ने अपनी क़ौम से जिस तरह ख़िताब किया इन सब चीज़ों को ज़रा एक बार फिर देखिये तो इसमें दीनी तब्लीग़ और मख़्लूक़ की इस्लाह की ख़िदमत अन्जाम देने वालों के लिये बड़े सबक़ हैं।

उन रसूलों की नसीहत भरी तब्लीग़ व तालीम के जवाब में मुश्रिक लोगों ने तीन बातें कहीं:

1. तुम तो हमीं जैसे इनसान हो, हम तुम्हारी बात क्यों मानें?
2. अल्लाह रहमान ने किसी पर कोई पैग़ाम और किताब नहीं उतारी।
3. तुम ख़ालिस झूठ बोलते हो।

आप ग़ौर कीजिये कि बेग़र्ज़ नसीहत भरे कलाम के जवाब में यह उत्तेजना भरी बातचीत क्या जवाब चाहती थी, मगर उन रसूलों ने क्या जवाब दिया। सिर्फ़ यह कि:

رَبُّنَا يَعْلَمُ اِنَّآ اِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُوْنَ٥

यानी हमारा रब जानता है कि हम तुम्हारी तरफ़ भेजे हुए आये हैं। औरः

مَاعَلَيْنَآ اِلَّا الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ٥

यानी हमारा जो काम था वह कर चुके कि तुम्हें अल्लाह का पैग़ाम खोल करके पहुँचा दिया आगे तुम्हें इख़्तियार है मानो या न मानो। देखिये उनके किसी लफ़्ज़ में क्या उनके भड़काऊ अन्दाज़ का कोई प्रभाव है? कैसा शफ़क़त व मुहब्बत भरा जवाब दिया।

फिर उन लोगों ने और आगे बढ़कर यह कहा कि तुम लोग मन्हूस हो, तुम्हारी वजह से हम मुसीबत में पड़ गये। इसका मुतैयन जवाब यह था कि मन्हूस तुम ख़ुद हो, तुम्हारे आमाल की नहूसत तुम्हारे गले में आ रही है। मगर उन लोगों ने इस बात को ऐसे मुख़्तसर अलफ़ाज़ में अदा किया जिसमें उनके मन्हूस होने की वज़ाहत नहीं फ़रमाई, बल्कि यह फ़रमायाः

طَآئِرُكُمْ مَّعَكُمْ

यानी तुम्हारी बदशगुनी तुम्हारे साथ है। और फिर वही शफ़क़त भरा ख़िताब कियाः

اَئِنْ ذُكِّرْتُمْ

यानी तुम यह तो सोचो कि हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, हमने तो सिर्फ़ तुम्हें ख़ैरख़्वाही के तौर पर नसीहत की है। बस सबसे भारी जुमला जो बोला तो यह किः

بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُوْنَ○

"यानी तुम लोग हदों से आगे बढ़ने वाले हो।" बात को कहीं से कहीं लेजाते हो।

यह तो उन रसूलों की गुफ़्तगू थी अब वह बातचीत देखिये जो उन रसूलों की दावत पर ईमान लाने वाले नवमुस्लिम ने किया। उसने पहले तो अपनी क़ौम को दो बातें बताकर रसूलों की बात मानने की दावत दी- अव्वल यह कि ज़रा सोचो कि ये लोग दूर से चलकर तुम्हें ख़ुद नसीहत करने आये हैं, सफ़र की तकलीफ़ उठा रहे हैं और तुमसे कुछ माँगते नहीं, यह बात ख़ुद इनसान को सोचने की दावत देती है कि ये बेग़र्ज़ लोग हैं इनकी बात में ग़ौर तो कर लें। दूसरे यह कि जो बात कह रहे हैं वह सरासर अ़क़्ल व इन्साफ़ और हिदायत की बात है। इसके बाद क़ौम को उनकी ग़लती और गुमराही पर सचेत व आगाह करना था कि अपने पैदा करने वाले क़ादिरे मुतलक़ को छोड़कर तुम लोग ख़ुद गढ़े हुए बुतों को अपना हाजत रवा (ज़रूरतें पूरी करने वाला) समझ बैठे हो जबकि उनका हाल यह है कि न वे ख़ुद तुम्हारा कोई काम बना सकते हैं और न अल्लाह के यहाँ उनका कोई मक़ाम और दर्जा है कि उससे सिफ़ारिश करके तुम्हारा काम करा दें।

मगर हबीब नज्जार ने ये सारी बातें उनकी तरफ़ मन्सूब करने के बजाय अपनी तरफ़ मन्सूब करने का उनवान इख़्तियार किया कि मैं ऐसा करूँ तो बड़ी गुमराही की बात होगी।

وَمَا لِيَ لَآ اَعْبُدُ الَّذِيْ فَطَرَنِيْ............ الاية

यह सब इसलिये कि मुख़ालिफ़ को गुस्सा न आये, बात में ठण्डे दिल से ग़ौर करे। फिर जब उनकी क़ौम ने उनकी शफ़क़त व रहमत का भी कुछ असर न लिया और उनको क़त्ल करने के लिये उन पर पिल पड़ी तो उस वक़्त भी उनकी ज़बान पर कोई बददुआ़ का कलिमा न आया बल्कि यही कहते हुए जान दे दीः

رَبِّ اهْدِ قَوْمِيْ

"यानी मेरे परवर्दिगार! मेरी क़ौम को हिदायत फ़रमा दे।" इससे ज़्यादा अ़जीब बात यह है कि क़ौम के इस ज़ुल्म व सितम से शहीद होने वाले को जब अल्लाह की तरफ़ से इनाम व सम्मान और जन्नत की नेमतों का नज़ारा हुआ तो उस वक़्त भी अपनी यही ज़ालिम क़ौम याद आई और उसकी

ख़ैरख़्वाही व हमदर्दी से यह तमन्ना की कि काश! मेरी क़ौम मेरे इनाम व सम्मान के हालात से वाकिफ़ हो जाती तो शायद वह भी अपनी गुमराही से बाज़ आकर इन नेमतों की शरीक बन जाती। सुब्हानल्लाह! अल्लाह की मख़्लूक़ की ख़ैरख़्वाही उनके अत्याचारों और ज़ुल्मों के बावजूद किस तरह उन हज़रात के ख़ून व रग में शामिल होती है। यही वह चीज़ थी जिसने क़ौमों की काया पलटी है कुफ़्र व गुमराही से निकाल कर वह मक़ाम बख़्शा है कि फ़रिश्ते भी उन पर रश्क करते हैं।

आजकल के मुबल्लिग़ हज़रात और दावत व इस्लाह की ख़िदमत को अन्जाम देने वालों ने इस पैग़म्बराना उसूल को आम तौर पर छोड़ दिया है, इसी लिये उनकी दावत व तब्लीग़ बेअसर होकर रह गई है। तक़रीर व ख़िताब में ग़ुस्से का इज़हार, मुख़ालिफ़ पर फ़िक़रे कसना बड़ा कमाल समझा जाता है जो मुख़ालिफ़ को और ज़्यादा ज़िद व मुख़ालफ़त की तरफ़ धकेल देता है। या अल्लाह! हमें अपने नबियों की सुन्नत की पैरवी नसीब फ़रमा और उन आमाल की तौफ़ीक़ इनायत फ़रमा जो तेरी रज़ा व मुहब्बत वाले हों।

وَمَآ اَنْزَلْنَا عَلٰى قَوْمِهٖ مِنْ ۢ بَعْدِهٖ مِنْ جُنْدٍ مِّنَ السَّمَآءِ وَمَا كُنَّا مُنْزِلِيْنَ ○ اِنْ كَانَتْ اِلَّا صَيْحَةً وَّاحِدَةً فَاِذَا هُمْ خٰمِدُوْنَ ○

यह उस क़ौम पर आसमानी अ़ज़ाब का ज़िक्र है जिसने रसूलों को झुठलाया और हबीब नज्जार को मार-मारकर शहीद कर दिया था, और अ़ज़ाब के मज़मून से पहले यह फ़रमाया कि उस क़ौम को अ़ज़ाब में पकड़ने के लिये हमें आसमान से कोई फ़रिश्तों का लश्कर भेजना नहीं पड़ा और न ऐसा लश्कर भेजना हमारा दस्तूर है, क्योंकि अल्लाह का तो एक ही फ़रिश्ता बड़ी-बड़ी ताक़तवर बहादुर क़ौमों को तबाह कर देने के लिये काफ़ी है, उसको फ़रिश्तों का लश्कर भेजने की क्या ज़रूरत है। फिर उन पर आने वाले अ़ज़ाब को बयान फ़रमाया कि बस इतना हुआ कि फ़रिश्ते ने एक ज़ोर की आवाज़ लगाई जिससे ये सब के सब ठण्डे होकर रह गये।

रिवायतों में है कि जिब्रीले अमीन ने शहर के दरवाज़े के दोनों बाज़ू पकड़कर एक सख़्त डरावनी आवाज़ लगाई जिसके सदमे को किसी की रूह बरदाश्त न कर सकी, सब के सब मरे रह गये। उनके मर जाने को क़ुरआन ने ख़ामिदून के लफ़्ज़ से ताबीर किया है। ख़ुमूद आग बुझ जाने के मायने में आता है, जानदार की ज़िन्दगी बदन की क़ुदरती हरारत पर मौक़ूफ़ है जब यह हरारत ख़त्म हो जाये तो उसी का नाम मौत है। ख़ामिदून यानी बुझने वाले ठण्डे हो जाने वाले।

وَاٰيَةٌ لَّهُمُ الْاَرْضُ

الْمَيْتَةُ ۖۚ اَحْيَيْنٰهَا وَاَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَاْكُلُوْنَ ۝ وَجَعَلْنَا فِيْهَا جَنّٰتٍ مِّنْ نَّخِيْلٍ وَّاَعْنَابٍ وَّفَجَّرْنَا فِيْهَا مِنَ الْعُيُوْنِ ۝ لِيَاْكُلُوْا مِنْ ثَمَرِهٖ ۙ وَمَا عَمِلَتْهُ اَيْدِيْهِمْ ۭ اَفَلَا يَشْكُرُوْنَ ۝ سُبْحٰنَ الَّذِيْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْۢبِتُ الْاَرْضُ وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُوْنَ ۝ وَاٰيَةٌ لَّهُمُ الَّيْلُ ښ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَاِذَا هُمْ مُّظْلِمُوْنَ ۝ وَالشَّمْسُ تَجْرِيْ لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ۭ ذٰلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ ۝ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنٰهُ مَنَازِلَ

حَتّٰى عَادَ كَالْعُرْجُوْنِ الْقَدِيْمِ ۞ لَا الشَّمْسُ يَنْۢبَغِيْ لَهَآ اَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا الَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ ۗ وَكُلٌّ فِيْ فَلَكٍ يَّسْبَحُوْنَ ۞ وَاٰيَةٌ لَّهُمْ اَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُوْنِ ۞ وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِّنْ مِّثْلِهٖ مَا يَرْكَبُوْنَ ۞ وَاِنْ نَّشَاْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيْخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُوْنَ ۞ اِلَّا رَحْمَةً مِّنَّا وَمَتَاعًا اِلٰى حِيْنٍ ۞

व आ-यतुल् लहुमुल्-अर्ज़ुल्-मै-ततु अह्यैनाहा व अख़्रज्ना मिन्हा हब्बन् फ़मिन्हु यअ्कुलून (33) व जअ़ल्ना फ़ीहा जन्नातिम् मिन् नख़ीलिंव्-व अअ़्नाबिंव्-व फ़ज्जर्ना फ़ीहा मिनल्-अ़ुयून (34) लि-यअ्कुलू मिन् स-मरिही व मा अ़मिलत्हु ऐदीहिम्, अ-फ़ला यश्कुरून (35) सुब्हानल्लज़ी ख़-लक़ल्-अज़्वा-ज कुल्लहा मिम्मा तुम्बितुल्-अर्ज़ु व मिन् अन्फ़ुसिहिम् व मिम्मा ला यअ़्लमून (36) व आ-यतुल् लहुमुल्लैलु नस्लख़ु मिन्हुन्-नहा-र फ़-इज़ा हुम् मुज़्लिमून (37) वश्शम्सु तज्री लिमुस्त-क़र्रिल्-लहा, ज़ालि-क तक़्दीरुल् अ़ज़ीज़िल्-अ़लीम (38) वल्क़-म-र क़द्दर्नाहु मनाज़ि-ल हत्ता आ़-द कल्-अ़ुर्जूनिल्-क़दीम (39) लश्शम्सु यम्बग़ी लहा अन् तुद्रिकल् क़-म-र व लल्लैलु साबिक़ुन्-नहारि, व कुल्लुन् फ़ी फ़-लकिंय्-यस्बहून (40) व आ-यतुल्-

और एक निशानी है उनके वास्ते मुर्दा ज़मीन उसको हमने ज़िन्दा कर दिया और निकाला उसमें से अनाज, सो उसी में से खाते हैं। (33) और बनाये हमने उसमें बाग़ ख़जूर के और अंगूर के और बहा दिये उसमें बाज़े चश्मे (34) कि खायें उसके मेवों से और उसको बनाया नहीं उनके हाथों ने, फिर क्यों शुक्र नहीं करते। (35) पाक ज़ात है जिसने बनाये जोड़े सब चीज़ के उस क़िस्म में से जो उगता है ज़मीन में से और ख़ुद उनमें से और उन चीज़ों में कि जिनकी उनको ख़बर नहीं। (36) और एक निशानी है उनके वास्ते रात, खींच लेते हैं हम उस पर से दिन को फिर तब ही ये रह जाते हैं अंधेरे में। (37) और सूरज चला जाता है अपने ठहरे हुए रस्ते पर यह साधा है उस ज़बरदस्त बाख़बर ने। (38) और चाँद को हमने बाँट दी हैं मन्ज़िलें यहाँ तक कि फिर आ रहा जैसे पुरानी टहनी। (39) न सूरज से हो कि पकड़ ले चाँद को और न रात आगे बढ़े दिन से, और हर कोई एक चक्कर में तैरते हैं। (40) और एक

लहुम् अन्ना हमल्ना ज़ुर्रिय्य-तहुम् फ़िल्-फ़ुल्किल्-मश्हून (41) व ख़लक़्ना लहुम् मिम्-मिस्लिही मा यर्कबून (42) व इन्न-शअ् नुग़्रिक़्हुम् फ़ला सरी-ख़ लहुम् व ला हुम् युन्क़ज़ून (43) इल्ला रह़्म-तम् मिन्ना व मताअ़न् इला हीन (44)

निशानी है उनके वास्ते कि हमने उठा लिया उनकी नस्ल को उस भरी हुई कश्ती में (41) और बना दिया हमने उनके वास्ते कश्ती जैसी चीज़ों को जिस पर सवार होते हैं। (42) और अगर हम चाहें तो उनको डुबा दें फिर कोई न पहुँचे उनकी फ़रियाद को और न वे छुड़ाये जायें (43) मगर हम अपनी मेहरबानी से और उनका काम चलाने को एक वक़्त तक। (44)

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

और (क़ुदरत की निशानियाँ और अ़ज़ीमुश्शान नेमतें जो तौहीद की दलीलें भी हैं, उनमें से) एक निशानी उन लोगों के (दलील लेने के) लिये मुर्दा ज़मीन है। (और उसमें निशानी की बात यह है कि) हमने उसको (बारिश से) ज़िन्दा किया और हमने उस (ज़मीन) से (विभिन्न प्रकार के) ग़ल्ले निकाले, सो उनमें से लोग खाते हैं। और (साथ ही) हमने उस (ज़मीन में) में खजूरों और अंगूरों के बाग़ लगाये और उसमें (बाग़ की सिंचाई के लिये) चश्मे (और नाले) जारी किये ताकि (ग़ल्ले की तरह) लोग बाग़ के फलों में से (भी) खाएँ और उस (फल और ग़ल्ले) को उनके हाथों ने नहीं बनाया, (अगरचे बीज डालना और पानी देना बज़ाहिर उन्हीं के हाथों हुआ मगर बीज से दरख़्त और दरख़्त से फल पैदा करने में उनका कोई दख़ल नहीं, यह ख़ास ख़ुदा ही का काम है) सो (ऐसी दलीलें देखकर भी) क्या शुक्र नहीं करते (जिसका पहला ज़ीना अल्लाह के वजूद और तौहीद का इक़रार है)।

(यह दलील लेना तो ज़मीनी और आसमानी ख़ास निशानियों से था, आगे आ़म ज़मीनी और नफ़्सियाती निशानियों से दलील देते हैं, यानी) वह पाक ज़ात है जिसने तमाम मुक़ाबिल क़िस्मों को पैदा किया, ज़मीन में से उगने वाली चीज़ों पेड़-पौधों में से भी (चाहे मुक़ाबला एक जैसे होने का हो जैसे एक जैसे ग़ल्ले, एक जैसे फल, चाहे मुक़ाबला एक-दूसरे के विपरीत और भिन्न होने का हो जैसे गेहूँ और जौ और मीठे फल और खट्टे फल) और (ख़ुद) इन आदमियों में से भी (जैसे मर्द और औ़रत) और उन चीज़ों में से भी जिनको (आ़म) लोग नहीं जानते। (मुक़ाबले के आ़म मफ़्हूम के एतिबार से छुपी चीज़ों में भी कोई चीज़ मुक़ाबिल "यानी जोड़े" से ख़ाली नहीं, और इसी से हक़ आ़ला का बेमुक़ाबिल होना मालूम हो गया। यहाँ से सूरः ज़ारियात की आयत 49 'व मिन् कुल्लि शैइन् ख़लक़्ना ज़ौजैनि' की भी वज़ाहत हो गई)।

(आगे फ़लकी और आसमानी कायनात की कुछ निशानियों और उनके कुछ आसार से दलील पेश की जाती है यानी) और एक निशानी उनके लिये रात (का वक़्त) है कि (अंधेरे के असल होने की वजह से गोया असल वक़्त वही था और सूरज का नूर अस्थायी था, गोया उस अंधेरे को दिन ने

छुपा लिया था जैसे बकरी के गोश्त को उसकी खाल छुपा लेती है, पस) हम (इसी पेश आने वाली हालत को ख़त्म करके गोया) उस (रात) पर से दिन को उतार लेते हैं सो एक दम से (फिर रात ज़ाहिर हो जाती है और) वे लोग अंधेरे में रह जाते हैं। और (एक निशानी) सूरज (है कि वह) अपने ठिकाने की तरफ़ चलता रहता है। (यह आम है उस बिन्दू को भी जहाँ से चलकर सालाना दौरा करके फिर उसी बिन्दू और जगह पर जा पहुँचता है और अपने निकलने के उस आसमानी किनारे को भी कि रोज़ाना की हरकत में वहाँ पहुँचकर गुरूब हो जाता है) यह अन्दाज़ा बाँधा हुआ है उस (ख़ुदा तआ़ला) का जो ज़बरदस्त (यानी क़ादिर है और) इल्म वाला है (कि इल्म से इन इन्तिज़ामात में मस्लेहत व हिक्मत जानता है और क़ुदरत से इन इन्तिज़ामात को नाफ़िज़ करता है)।

और (एक निशानी) चाँद (है कि उसकी चाल) के लिये मन्ज़िलें मुक़र्रर कीं (कि हर रोज़ एक मन्ज़िल पूरी करता है) यहाँ तक कि (अपने आख़िर दौरे में पतला होता-होता) ऐसा रह जाता है जैसे खजूर की पुरानी टहनी (कि पतली और झुकी हुई होती है, और मुम्किन है कि रोशनी की कमी की वजह से पीलेपन में भी तश्बीह का एतिबार किया जाये, और सूरज और चाँद की चाल और रात व दिन का आना-जाना ऐसे अन्दाज़ और इन्तिज़ाम से रखा गया है कि) न सूरज की मजाल है कि चाँद को (उसके रोशन होने के वक़्त में यानी रात में जबकि वह चमक रहा हो) जा पकड़े (यानी वक़्त से पहले ख़ुद निकलकर उसको और उसके वक़्त यानी रात को हटाकर दिन बना दे जैसा कि चाँद भी इसी तरह सूरज को उसके रोशन होने के वक़्त नहीं पकड़ सकता कि दिन को हटाकर रात बना दे और उसमें चाँद का नूर ज़ाहिर हो जाये) और (इसी तरह) न रात दिन (के मुक़र्ररा वक़्त के ख़त्म होने) से पहले आ सकती है (जैसे दिन भी रात के मुक़र्ररा समय के ख़त्म होने से पहले नहीं आ सकता) और (चाँद और सूरज) दोनों एक-एक दायरे में (हिसाब से इस तरह चल रहे हैं जैसे गोया) तैर रहे हैं (और हिसाब से बाहर नहीं हो सकते कि रात-दिन के हिसाब में ख़लल पड़ सके)।

(आगे ज़मीनी कायनात में से एक ख़ास निशानी सफ़र और सवारी वग़ैरह के मुताल्लिक़ इरशाद फ़रमाते हैं, यानी) और एक निशानी उनके लिये यह है कि हमने उनकी औलाद को भरी हुई कश्ती में सवार किया (अपनी औलाद को अक्सर लोग तिजारत के लिये सफ़र में भेजते थे, पस इस ताबीर में तीन नेमतों की तरफ़ इशारा हो गया- अव्वल भरी हुई कश्ती को जो बोझल होने की वजह से पानी में ग़र्क़ होने वाली चीज़ है पानी की सतह पर जारी करना, दूसरे उन लोगों को औलाद अ़ता फ़रमाना, तीसरे रिज़्क़ व सामान देना जिससे ख़ुद घर बैठे रहें और औलाद को कारिन्दा बनाकर भेजें) और (सूखे के सफ़र के लिये) हमने उनके लिये कश्ती ही जैसी ऐसी चीज़ें पैदा कीं जिन पर ये लोग सवार होते हैं। (इससे मुराद ऊँट वग़ैरह हैं और कश्ती के साथ मिसाल देना उस ख़ास ख़ूबी और गुण के एतिबार से है कि उस पर भी सवारी, सामान ढोना और सफ़र तय करना किया जाता है, और इस तश्बीह व मिसाल की ख़ूबसूरती इससे बढ़ गयी कि अ़रब में ऊँट को "सफ़ीनतुल-बर" यानी ख़ुश्की की कश्ती कहने का मुहावरा आ़म और परिचित था। आगे कश्ती की मुनासबत से काफ़िरों के लिये अ़ज़ाब की एक धमकी बयान फ़रमाई कि) और अगर हम चाहें तो उनको ग़र्क़ कर दें फिर न तो (जिन चीज़ों को वे पूजते हैं उनमें से) कोई उनकी फ़रियाद को पहुँचने वाला हो (जो ग़र्क़ से बचा ले) और न ये (ग़र्क़ होने के बाद मौत से) ख़लासी "यानी छुटकारा और निजात" दिये जाएँ (यानी न

कोई मौत से छुड़ा सके), मगर यह हमारी ही मेहरबानी है, और उनको एक मुक़र्ररा वक़्त तक (दुनियावी ज़िन्दगी से) फ़ायदा देना (मन्ज़ूर) है (इसलिये मोहलत दे रखी है)।

मआ़रिफ़ व मसाईल

सूरः यासीन में ज़्यादातर मज़ामीन क़ुदरत की निशानियों और अल्लाह तआ़ला के इनामात व एहसानात बयान करके आख़िरत पर दलील और हश्र व नश्र (क़ियामत) के अ़क़ीदे पर पुख़्ता करने से संबन्धित हैं। उपरोक्त आयतों में अल्लाह की क़ुदरत की ऐसी ही निशानियाँ बयान फ़रमाई हैं जो एक तरफ़ उसकी कामिल क़ुदरत की स्पष्ट दलीलें हैं, दूसरी तरफ़ इनसान और आ़म मख़्लूक़ात पर हक़ तआ़ला के ख़ास इनामात व एहसानात और उनमें अ़जीब व ग़रीब हिक्मतों को साबित करती हैं।

पहली आयत में ज़मीन की एक मिसाल पेश फ़रमाई है जो हर वक़्त हर इनसान के सामने है कि सूखी ज़मीन पर आसमान से पानी बरसता है तो ज़मीन में एक क़िस्म की ज़िन्दगी पैदा होती है जिसके आसार उसमें पैदा होने वाले पेड़-पौधों, हरियाली और उनके फलों से ज़ाहिर होते हैं, और उन दरख़्तों के बढ़ाने और बाक़ी रखने के लिये ज़मीन के नीचे और ज़मीन की सतह पर चश्मों का जारी करना ज़िक्र फ़रमाया।

لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهٖ

यानी हवाओं, बादलों और ज़मीन की सारी ताक़तों को काम में लगाने का मंशा यह है कि लोग उनके फल खायें।

पेड़-पौधों की पैदावार में इनसान के अ़मल का दख़ल नहीं

ये सब चीज़ें तो आँखों से दिखाई देने वाली हैं जो हर इनसान देखता जानता है आगे इनसान को उस चीज़ पर चेताया और आगाह किया गया जिसके लिये यह सारा कारख़ाना क़ायम किया गया है। फ़रमाया 'व मा अ़मिलत्हु ऐदीहिम्'। मुफ़स्सिरीन की अक्सरियत ने इसमें हर्फ़ मा को नफ़ी के लिये क़रार देकर यह तर्जुमा किया है कि नहीं बनाया उन फलों को उन लोगों के हाथों ने। इस जुमले ने ग़ाफ़िल इसान को इस पर चेताया और आगाह किया है कि ज़रा अपने काम और मेहनत में ग़ौर कर कि तेरा काम इस बाग़ व बहार में इसके सिवा क्या है कि तूने ज़मीन में बीज डाल दिया, उस पर पानी डाल दिया, ज़मीन को नरम कर दिया कि नाज़ुक कोंपल के निकलने में रुकावट पैदा न हो, मगर उस बीज में से दरख़्त उगाना, दरख़्त पर पत्ते और शाख़ें निकालना फिर उस पर तरह-तरह के फल पैदा करना इन सब चीज़ों में तेरा क्या दख़ल है, यह तो ख़ालिस क़ादिरे मुतलक़ हकीम व दाना ही का काम हो सकता है, इसलिये तेरा फ़र्ज़ है कि इन चीज़ों से फ़ायदा उठाते वक़्त इनके ख़ालिक़ व मालिक को न भूले। इसी की नज़ीर सूरः वाक़िआ़ की ये आयतें हैं:

اَفَرَءَيْتُمْ مَّا تَحْرُثُوْنَ ۝ ءَاَنْتُمْ تَزْرَعُوْنَهٗٓ اَمْ نَحْنُ الزّٰرِعُوْنَ ۝

यानी देखो तो जो चीज़ तुम बोते हो उसको उगा और बढ़ाकर दरख़्त तुमने बनाया है या हमने? ख़ुलासा यह हुआ कि अगरचे उन फलों के बनाने में इनसान का कोई दख़ल नहीं, मगर हमने अपने

फ़ज़्ल से उनको पैदा भी किया और इनसान को उनका मालिक भी बना दिया और उसको उनके खाने और फ़ायदा उठाने का सलीक़ा भी सिखा दिया।

इनसानों और हैवानों की ग़िज़ा में ख़ास फ़र्क़

और इमाम इब्ने जरीर वग़ैरह कुछ मुफ़स्सिरीन ने 'व मा अमिलत्हु ऐदीहिम्' में लफ़्ज़ मा को नफ़ी के लिये नहीं बल्कि 'अल्लज़ी' के मायने में इस्मे मौसूल क़रार देकर यह तर्जुमा किया है कि ये सब चीज़ें इसलिये पैदा की हैं कि लोग इनके फल खायें और उन चीज़ों को भी खायें जो इन पेड़-पौधों और फलों से ख़ुद इनसान अपने हाथों की मेहनत व अमल से तैयार करता है, जैसे फलों से तरह तरह के हलवे अचार चटनी तैयार करना और कुछ फलों से तेल वग़ैरह निकालना जो इनसानी मेहनत व अमल का नतीजा है। इसका हासिल यह होगा कि ये फल जो क़ुदरत ने बनाये हैं बग़ैर किसी मेहनत व कमाई या इनसानी अमल व कोशिश के भी खाने के क़ाबिल बनाये गये हैं, और इनसान को अल्लाह तआला ने यह सलीक़ा भी दिया है कि एक-एक फल से तरह-तरह की उम्दा ज़ायक़े वाली और मुफ़ीद चीज़ें तैयार कर ले।

इस सूरत में फलों का पैदा करना और इनसान को इसका सलीक़ा देना कि एक फल को दूसरी चीज़ों से मुरक्कब करके तरह-तरह की चीज़ें खाने-पीने की उम्दा ज़ायक़े वाली और मुफ़ीद तैयार कर ले, यह दूसरी नेमत है। इमाम इब्ने कसीर रह. ने इब्ने जरीर की इस तफ़सीर को नक़ल करके फ़रमाया है कि इस तफ़सीर की ताईद हज़रत अ़ब्दुल्लाह इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहु अ़न्हु की क़िराअत से भी होती है, क्योंकि उनकी क़िराअत में लफ़्ज़ मा के बजाय **मिम्मा** आया है यानी 'मिम्मा अ़मिलत्हु ऐदीहिम्'। तफ़सील इसकी यह है कि दुनिया के तमाम हैवानात भी सब्ज़ियाँ और फल खाते हैं, कुछ जानवर गोश्त खाते हैं कुछ मिट्टी खाते हैं, लेकिन उन सब जानवरों की ख़ुराक मुफ़रदात ही की (यानी एक-एक ही चीज़ की) है। घास खाने वाला ख़ालिस घास, गोश्त खाने वाला ख़ालिस गोश्त खाता है, इन चीज़ों को दूसरी चीज़ों से मिला करके तरह-तरह के खाने तैयार करना, नमक, मिर्च, शक्कर, खटाई वग़ैरह से मिलकर एक खाने की दस क़िस्में बन जाती हैं। यह मुरक्कब ख़ुराक सिर्फ़ इनसान ही की है इसी को मुख़्तलिफ़ चीज़ों से एक मुरक्कब ग़िज़ा तैयार करने का सलीक़ा दिया गया है। यह गोश्त के साथ नमक, मिर्च, मसाले और फलों के साथ शक्कर वग़ैरह को मिलाना इनसान की कारीगरी है जो अल्लाह तआला ने इसको सिखा दी है। क़ुदरत की इन अज़ीमुश्शान नेमतों और उनमें क़ुदरत की कारीगरी की बेमिसाल निशानियों को ज़िक्र फ़रमाने के बाद आख़िर में फ़रमाया 'अ-फ़ला यश्कुरून' कि क्या ये अ़क़्ल रखने वाले लोग इन सब चीज़ों को देखने के बाद शुक्रगुज़ार नहीं होते?

आगे इस ज़मीनी पैदावार और पानी हवा के ज़िक्र के बाद इनसान और हैवानात को भी शामिल करके उसकी कामिल क़ुदरत की एक और निशानी से आगाह किया जाता है:

سُبْحٰنَ الَّذِیْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ کُلَّهَا مِمَّا تُنْۢبِتُ الْاَرْضُ وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا یَعْلَمُوْنَ ○

इसमें लफ़्ज़ अज़्वाज ज़ौज की जमा (बहुवचन) है जो जोड़े के मायने में आता है। जोड़े में एक-दूसरे के मुक़ाबिल दो चीज़ें होती हैं, उनमें से हर एक को दूसरे का ज़ौज (जोड़ा) कहा जाता है

जैसे मर्द व औरत हैं, मर्द को औरत का और औरत को मर्द का ज़ौज कहा जाता है, इसी तरह हैवानात के नर व मादा आपस में ज़ौज हैं। पेड़-पौधों के बहुत से दरख़्तों का भी नर व मादा का ज्ञान हासिल हुआ है। खजूर और पपीते के दरख़्तों में मारूफ़ व मशहूर यही है, औरों में भी हो तो कुछ दूर की बात नहीं। जैसा कि विज्ञान की नई खोजों में बताया गया है कि तमाम फल और फूलदार दरख़्तों में नर व मादा होते हैं, उनमें पैदाईश और नस्ल चलने को बतलाया गया है। इसी तरह अगर यही छुपा सिलसिला बेजान चीज़ों और दूसरी मख़्लूक़ात में भी हो तो क्या मुश्किल व मुहाल बात है जिसकी तरफ़ 'व मिम्मा ला यअ्लमून' में इशारा पाया जाता है। और आम तौर पर मुफ़स्सिरीन हज़रात ने अज़्वाज को क़िस्मों और प्रजातियों के मायने में लिखा है, क्योंकि जिस तरह नर व मादा को आपस में ज़ौजैन कहा जाता है इसी तरह एक-दूसरे के मुक़ाबिल की दो चीज़ों को भी ज़ौजैन कहते हैं, जैसे सर्दी-गर्मी, ख़ुश्की-तरी, रंज-ख़ुशी, बीमारी-तन्दुरुस्ती। फिर इनमें हर एक के अन्दर आला, अदना और दरमियानी के एतिबार से बहुत से दर्जे, क़िस्में और शाखायें बन जाती हैं। इसी तरह इनसानों और जानवरों में रंग व हालत और भाषा व ज़िन्दगी गुज़ारने के तरीक़े के एतिबार से बहुत सी क़िस्में हैं। लफ़्ज़ अज़्वाज उन तमाम क़िस्मों और हालतों को शामिल है। उपरोक्त आयत में पहले तो 'मिम्मा तुम्बितुल् अर्ज़ु' यानी नबातात (पेड़-पौधों और ज़मीन से उगने वाली चीज़ों) की क़िस्मों और प्रजातियों का ज़िक्र है और उसके बाद 'मिम्मा ला यअ्लमून' में हज़ारों मख़्लूक़ात शामिल हैं जिनका आज तक भी लोगों को मालूम नहीं हुआ, अल्लाह तआ़ला ही जानता है कि ज़मीन की तह में और दरियाओं और पहाड़ों में कितनी क़िस्म और कितनी तरह के हैवानात (जानदार), नबातात (पेड़-पौधे तथा वनस्पति) और जमादात (बेजान और न बढ़ने वाली चीज़ें) हैं।

وَاٰيَةٌ لَّهُمُ الَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ

ज़मीनी मख़्लूक़ात में अल्लाह की क़ुदरत की निशानियाँ बयान फ़रमाने के बाद आसमानी और ऊपर की मख़्लूक़ात का ज़िक्र है। सलूख़ के लफ़्ज़ी मायने खाल उतारने के हैं, किसी जानवर के ऊपर से खाल या दूसरी चीज़ों पर से ग़िलाफ़ उतार दिया जाये तो अन्दर की चीज़ ज़ाहिर हो जाती है। अल्लाह तआ़ला ने इस मिसाल में इशारा फ़रमाया है कि इस जहान में असल तो अंधेरा और अंधकार है, रोशनी वक़्ती है जो ग्रहों और सितारों के ज़रिये ज़मीन पर छा जाती है। तक़दीरी निज़ाम् में मुक़र्ररा वक़्त पर यह रोशनी जो दुनिया की अंधेरी पर छाई हुई होती है इसको ऊपर से हटा लिया जाता है तो अंधेरा रह जाता है इसी को उर्फ़ (आम मुहावरे) में रात कहा जाता है।

وَالشَّمْسُ تَجْرِيْ لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ذٰلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ ○

आयत का मफ़्हूम यह है कि सूरज चलता रहता है अपने मुस्तक़र (ठिकाने) की तरफ़। मुस्तक़र क़रार की जगह को कहा जाता है और क़रार के वक़्त को भी, यानी मुस्तक़र समय वाला भी हो सकता है और जगह वाला भी। और लफ़्ज़ मुस्तक़र (ठिकाना) सैर व सफ़र की आख़िरी हद के मायने में भी आता है, अगरचे उसके साथ ही बिना किसी वक़्फ़े, अन्तराल और ठहराव के सफ़र का दूसरा दौरा शुरू हो जाये। (तफ़सीर इब्ने कसीर)

मुफ़स्सिरीन (क़ुरआन के व्याख्यापकों) में से कुछ हज़रात ने तो इस जगह मुस्तक़र से समय वाला

मुस्तक़र मुराद लिया है, यानी वह वक़्त जबकि सूरज अपनी तयशुदा हरकत पूरी करके ख़त्म कर देगा, और वह वक़्त क़ियामत का दिन है। इस तफ़सीर पर आयत के मायने यह हैं कि सूरज अपने मदार (हरकत वाले दायरे) पर ऐसे स्थिर और मज़बूत निज़ाम के साथ हरकत कर रहा है जिसमें कभी एक मिनट एक सैकिंड का फ़र्क़ नहीं आता। हज़ारों साल इस चलन पर गुज़र चुके हैं मगर यह सब कुछ हमेशा के लिये नहीं, इसका एक ख़ास मुस्तक़र (ठिकाना और ठहराव) है जहाँ पहुँचकर सूरज का यह निज़ाम और हरकत बन्द और ख़त्म हो जायेगी और वह क़ियामत का दिन है। यह तफ़सीर हज़रत क़तादा रह. से मन्क़ूल है। (तफ़सीर इब्ने कसीर)

क़ुरआने करीम की सूरः ज़ुमर की एक आयत से भी इसकी ताईद होती है कि मुस्तक़र (ठिकाने) से मुराद समय वाला मुस्तक़र यानी क़ियामत का दिन है। सूरः ज़ुमर की वह आयत यह है:

خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ يُكَوِّرُ الَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى الَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَّجْرِيْ لِاَجَلٍ مُّسَمًّى.

इस आयत में भी तक़रीबन वही बयान है जो सूरः यासीन की ऊपर दर्ज हुई आयत का है कि पहले रात-दिन के आने जाने को को अ़वामी नज़र के मुताबिक़ एक मिसाल से बयान फ़रमाया है कि अल्लाह तआ़ला रात को दिन पर ढाँप देता है और दिन को रात पर, गोया रात और दिन को दो ग़िलाफ़ों से तश्बीह (मिसाल) दी गई है, रात का ग़िलाफ़ दिन पर चढ़ा दिया जाता है तो रात हो जाती है और दिन का ग़िलाफ़ रात पर चढ़ा दिया जाता है तो दिन हो जाता है। इसके बाद फ़रमाया कि सूरज व चाँद दोनों अल्लाह तआ़ला के हुक्म और फ़रमान के ताबे हैं, इनमें से हर एक एक ख़ास मियाद के लिये चल रहा है। यहाँ 'अ-जलिम् मुसम्मा' के अलफ़ाज़ हैं जिसके मायने निर्धारित मियाद के हैं और आयत के मायने यह हैं कि सूरज व चाँद दोनों की हरकत हमेशा के लिये नहीं, एक निर्धारित मियाद यानी क़ियामत के दिन पर पहुँचकर ख़त्म और बन्द हो जायेगी। सूरः यासीन की ऊपर दर्ज आयत में भी ज़ाहिर यही है कि लफ़्ज़ मुस्तक़र से यही निर्धारित मियाद यानी समय वाला ठहराव मुराद है। इस तफ़सीर में न आयत के मफ़्हूम व मुराद में कोई शुब्हा है न आकाशीय ज्ञान के उसूलों और हिसाबात का कोई एतिराज़।

और मुफ़स्सिरीन हज़रात में से कुछ ने इससे मुराद जगह और स्थान वाला मुस्तक़र (ठिकाना और ठहराव) मुराद लिया है जिसकी बुनियाद एक हदीस पर है जो बुख़ारी व मुस्लिम वग़ैरह में कई सहाबा किराम से अनेक सनदों के साथ मन्क़ूल है।

हज़रत अबूज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु अ़न्हु की रिवायत है कि वह एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के साथ सूरज ग़ुरूब होने के वक़्त मस्जिद में हाज़िर थे, आपने उनको ख़िताब करके सवाल किया कि अबूज़र! तुम जानते हो कि सूरज कहाँ छुपता है? फ़रमाते हैं कि मैंने अ़र्ज़ किया कि अल्लाह और उसका रसूल ही ज़्यादा जानते हैं। इस पर आपने फ़रमाया कि सूरज चलता रहता है यहाँ तक कि यह अ़र्श के नीचे पहुँचकर सज्दा करता है। फिर फ़रमाया कि इस आयत में मुस्तक़र (ठिकाने) से यही मुराद है:

وَالشَّمْسُ تَجْرِيْ لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا.

हज़रत अबूज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु अ़न्हु ही की एक रिवायत में ये अलफ़ाज़ भी हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से 'वश्शम्सु तजरी लिमुस्तक़र्रिल्-लहा' की तफ़सीर पूछी तो आपने फ़रमाया 'मुस्तक़र्रुहा तह्तल्-अ़र्शि' (कि उसका मुस्तक़र अ़र्श के नीचे है)। इमाम बुख़ारी रह. ने इस रिवायत को कई जगहों पर नक़ल किया है, और इमाम इब्ने माजा के अ़लावा हदीस की बाक़ी पाँच बड़ी किताबों में यह रिवायत मौजूद है।

हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अ़न्हु से भी इसी मज़मून की हदीस मन्क़ूल है, उसमें कुछ ज़्यादती है जिसका मफ़्हूम यह है कि रोज़ाना सूरज अ़र्श के नीचे पहुँचकर सज्दा करता है और नये दौरे की इजाज़त तलब करता है। इजाज़त पाकर नया दौरा शुरू करता है, यहाँ तक कि एक दिन ऐसा आयेगा जब इसको नया दौरा करने की इजाज़त नहीं मिलेगी बल्कि यह हुक्म होगा कि जिस तरफ़ से आया है उसी तरफ़ लौट जा। यानी पश्चिम की तरफ़ से ज़मीन के नीचे जा, फिर पश्चिम ही की तरफ़ से लौटकर पश्चिम से निकल जा। जिस दिन ऐसा होगा तो यह क़ियामत के बिल्कुल क़रीब होने वाली निशानी होगी और उस वक़्त तौबा करने और ईमान लाने का दरवाज़ा बन्द कर दिया जायेगा। उस वक़्त किसी गुनाह में मुब्तला शख़्स की गुनाह से और शिर्क व कुफ़्र में मुब्तला शख़्स की कुफ़्र से तौबा क़ुबूल न होगी। (इब्ने कसीर, अ़ब्दुर्रज़्ज़ाक़ के हवाले से)

सूरज के अ़र्श के नीचे सज्दा करने की तहक़ीक़

हदीस की इन रिवायतों से मालूम होता है कि मुस्तक़र से मुराद मकानी मुस्तक़र है, यानी वह जगह जहाँ सूरज की हरकत का एक दौरा पूरा हो जाये। और यह भी मालूम हुआ कि वह जगह अ़र्श के नीचे है। इस सूरत में आयत का मतलब यह होगा कि हर दिन सूरज एक ख़ास मुस्तक़र (मन्ज़िल व ठिकाने) की तरफ़ चलता है, फिर वहाँ पहुँचकर अल्लाह तआ़ला के सामने सज्दा करके अगले दौरे की इजाज़त माँगता है, इजाज़त मिलने पर दूसरा दौरा शुरू करता है।

लेकिन वाक़िआ़त व तजुर्बात और आसमानी व सितारों के इल्म के बयान किये हुए उसूलों की बिना पर इसमें अनेक मज़बूत शुब्हात व एतिराज़ात हैं।

अव्वल यह कि रहमान के अ़र्श की जो कैफ़ियत क़ुरआन व सुन्नत से समझी जाती है वह यह है कि तमाम ज़मीनों और आसमानों के ऊपर वह सब को घेरे हुए है। यह ज़मीन और सब आसमान मय सितारों और ग्रहों के सब के सब अ़र्श के अन्दर घिरे हुए हैं, और रहमान का अ़र्श इन तमाम आसमानी कायनात को अपने अन्दर लिये हुए है। इस लिहाज़ से सूरज तो हमेशा हर हाल और हर वक़्त ही अ़र्श के नीचे है फिर ग़ुरूब के वक़्त अ़र्श के नीचे जाने का क्या मतलब होगा?

दूसरे यह कि आ़म नज़ारा व मुशाहदा है कि सूरज जब किसी एक जगह से छुपता है तो दूसरी जगह निकल जाता है, इसलिये इसका छुपना और निकलना हर वक़्त हर हाल में जारी है, फिर ग़ुरूब होने के बाद अ़र्श के नीचे जाने और सज्दा करने के क्या मायने हैं?

तीसरे यह कि इस हदीस के ज़ाहिर से तो यह मालूम होता है कि सूरज अपने मुस्तक़र पर पहुँचकर ठहरता है जिसमें अल्लाह तआ़ला के सामने सज्दा करके अगले दौरे की इजाज़त लेता है हालाँकि सूरज की हरकत में किसी वक़्त भी ब्रेक और ठहराव न होना खुली आँखों देखी जाने वाली

चीज़ है। और फिर चूँकि सूरज का निकलना (उदय होना) और गुरूब होना (अस्त होना) मुख़्तलिफ़ मक़ामात के एतिबार से हर वक़्त ही होता रहता है तो यह ठहरना और रुकना भी हर वक़्त होना चाहिये, जिसका नतीजा यह हो कि सूरज को किसी वक़्त भी हरकत न हो।

ये इश्कालात (शुब्हात व एतिराज़ात) सिर्फ़ आसमान व सितारों का इल्म रखने वालों और हिसाब के माहिरीन ही के नहीं बल्कि आम अनुभव के और दिखाई देने वाले वाकिआत हैं जिनको अनदेखा नहीं किया जा सकता, और फ़न्नी एतिबार से ऊपर वाले फ़लक के ताबे सूरज की रोज़ाना की हरकत और सूरज का चौथे आसमान में केन्द्रित होना जो मशहूर फ़्लॉस्फ़र बतलीमूस का नज़रिया है, जिसके ख़िलाफ़ इससे पहले भी फ़ीसागोरिस ने इस नज़रिये की मुख़ालफ़त की थी और आजकल की नई तहक़ीक़ात ने बतलीमूस के नज़रिये का ग़लत और फ़ीसागोरिस के नज़रिये का सही होना यक़ीन के क़रीब कर दिया है, और अंतरिक्ष की मौजूदा यात्राओं और चाँद तक इनसान की पहुँच के वाकिआत ने इतनी बात तो यक़ीनी कर ही दी है कि तमाम सय्यारे (ग्रह) आसमान से नीचे की फ़िज़ा में हैं, आसमानों के अन्दर केन्द्रित नहीं। क़ुरआने करीम की उपरोक्त आयत 40 जिसकी तफ़सीर अभी आगे आ रही है, में है:

وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَّسْبَحُوْنَ۝

(कि चाँद और सूरज में से हर एक एक मदार में तैर रहे हैं) इससे भी इस नज़रिये की तस्दीक़ होती है। इस नज़रिये में यह भी है कि यह रोज़ाना का छुपना और निकलना सूरज की हरकत नहीं बल्कि ज़मीन की हरकत है। इस फ़न्नी नज़रिये के एतिबार से उक्त हदीस में एक और इश्काल (शुब्हा) बढ़ जाता है।

इसका जवाब समझने से पहले यह ध्यान में रहना चाहिये कि जहाँ तक मज़कूरा आयत का ख़ुलासा है उस पर उक्त शुब्हात व इश्कालात में से क़ुरआन पर कोई भी इश्काल नहीं होता। इसका मफ़्हूम तो सिर्फ़ इतना है कि सूरज को हक़ तआ़ला ने एक ऐसी व्यवस्थित और स्थिर हरकत पर लगाया हुआ है कि वह अपने मुस्तक़र (ठिकाने और मन्ज़िल) की तरफ़ बराबर एक हालत पर चलता रहता है। अगर उस मुस्तक़र से मुराद इमाम क़तादा रह. की तफ़सीर के मुताबिक़ समय वाला मुस्तक़र लिया जाये यानी क़ियामत का दिन तो इसके मायने यह हैं कि सूरज की यह हरकत क़ियामत तक बराबर तौर पर एक हाल पर चलती रहेगी, फिर उस दिन ख़त्म हो जायेगी। और अगर मुस्तक़र जगह और स्थान का मुराद लें तो भी उसका मुस्तक़र सूरज के मदार (हरकत करने) के उस बिन्दू और केन्द्र को कहा जा सकता है जहाँ से शुरू में अपने वजूद में आने के वक़्त सूरज ने हरकत शुरू की, उसी बिन्दू पर पहुँचकर उसका रात-दिन का एक दौरा मुकम्मल होता है, क्योंकि यही बिन्दू उसके सफ़र की हद है, उस पर पहुँचकर नये दौरे की शुरूआत होती है। रहा यह कि इस अ़ज़ीमुश्शान दायरे का वह नुक़्ता (बिन्दू) कहाँ और कौनसा है जहाँ सूरज की हरकत इसके पैदा होने और वजूद में आने के वक़्त शुरू हुई, क़ुरआने करीम इस किस्म की फ़ुज़ूल बहसों में इनसान को नहीं उलझाता जिसका ताल्लुक़ उसके किसी दीनी या दुनियावी फ़ायदे से न हो। यह इसी किस्म की बहस है इसलिये इसको छोड़कर क़ुरआने करीम ने असल मक़सद की तरफ़ तवज्जोह दिलाई और वह मक़सद हक़ तआ़ला की कामिल क़ुदरत व हिक्मत के ख़ास प्रतीक और निशानियों का बयान है कि इस जहान में सबसे बड़ा

और सबसे ज़्यादा रोशनी वाला सूरज है, वह भी न ख़ुद-ब-ख़ुद बन गया है और न ख़ुद-ब-ख़ुद उसकी कोई हरकत पैदा होती है न बाक़ी रह सकती है, वह अपनी इस रात-दिन की हरकत में हर वक़्त हक़ तआ़ला की इजाज़त व मर्ज़ी के ताबे चलता है।

जितने इश्कालात (शुब्हात व एतिराज़ात) ऊपर लिखे गये हैं मज़कूरा आयत के बयान पर उनमें से कोई भी शुब्हा और एतिराज़ नहीं, अलबत्ता ऊपर ज़िक्र हुई हदीसों में जिनमें यह आया है कि वह छुपने के वक़्त अ़र्श के नीचे पहुँचकर सज्दा करता है और अगले दौरे की इजाज़त माँगता है, ये सब शुब्हात उनसे मुताल्लिक़ हैं। और इस आयत के तहत में यह बहस इसलिये छिड़ी कि हदीस के कुछ अलफ़ाज़ में इस आयत का हवाला भी दिया गया है। इसके जवाबात मुहद्दिसीन व मुफ़स्सिरीन हज़रात ने मुख़्तलिफ़ दिये हैं, अलफ़ाज़ के ज़ाहिर के एतिबार से जो यह समझा जाता है कि सूरज का यह सज्दा दिन रात में सिर्फ़ एक मर्तबा ग़ुरूब होने के बाद होता है, जिन हज़रात ने हदीस को इसी ज़ाहिरी मफ़्हूम में लिया है उन्होंने छुपने के मुताल्लिक़ तीन एहतिमाल बयान किये हैं- एक यह कि **मुअ़ज़्ज़म मामूरा** का ग़ुरूब मुराद हो, यानी उस मक़ाम का जहाँ के छुपने पर दुनिया के अक्सर हिस्से की आबादी में ग़ुरूब हो जाता है, या मध्य रेखा का ग़ुरूब, या मदीना के सूरज छुपने के मक़ाम का ग़ुरूब। इस तरह यह इश्काल नहीं रहता कि सूरज का छुपना व निकलना तो हर वक़्त हर आन होता रहता है, क्योंकि इस हदीस में एक ख़ास उफ़ुक़ (आसमानी किनारे) के ग़ुरूब पर कलाम किया गया है। लेकिन साफ़ और बेग़ुबार जवाब वह मालूम होता है जो हज़रत उस्ताज़ अ़ल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी रह. ने अपने मज़मून "सुजूदुश्शम्स" में इख़्तियार फ़रमाया है और तफ़सीर के अनेक इमामों के कलाम से उसकी ताईद होती है।

उसके समझने से पहले पैग़म्बराना तालीमात व ताबीरात के मुताल्लिक़ यह उसूली बात समझ लेनी ज़रूरी है कि आसमानी किताबें और उनके लाने वाले अम्बिया अ़लैहिमुस्सलाम अल्लाह की मख़्लूक़ को आसमान व ज़मीन की मख़्लूक़ात में ग़ौर व फ़िक्र और विचार की तरफ़ लगातार दावत देते हैं, और उनसे अल्लाह तआ़ला के वजूद, तौहीद, इल्म व क़ुदरत पर दलील पेश करते हैं मगर इन चीज़ों में विचार और ग़ौर करना उसी हद तक शरई तौर पर पसन्दीदा और अच्छा है जिस हद तक उसका ताल्लुक़ इनसान की दुनियावी और ज़िन्दगी गुज़ारने की ज़रूरत से या दीनी और आख़िरत की ज़रूरत से हो। इससे ज़्यादा सिर्फ़ फ़ल्सफ़ियाना खोज-बीन, गहराई में जाना, बाल की खाल निकालना और चीज़ों की हक़ीक़त की खोज लगाने की फ़िक्र में अल्लाह की आ़म मख़्लूक़ को नहीं डाला जाता क्योंकि अव्वल तो चीज़ों की हक़ीक़तों का मुकम्मल वास्तविक इल्म ख़ुद ज्ञानियों व फ़्लॉस्फ़रों को भी उम्रें ख़र्च करने के बावजूद भी नहीं हो सका बेचारे अ़वाम तो किस गिनती में हैं, फिर अगर वह हासिल भी हो जाये और उससे न उनकी कोई दीनी ज़रूरत पूरी हो और न दुनिया का कोई सही मक़सद उससे हासिल हो तो उइस बेकार की और फ़ुज़ूल बहस में दख़ल देना उम्र और माल के बरबाद करने के सिवा क्या है।

क़ुरआन और नबियों का आसमान व ज़मीन की मख़्लूक़ात और उनमें होने वाली तब्दीलियों व उलट-फेर से सिर्फ़ उस हद तक होना चाहिये जो हर इनसान को देखने और मामूली ग़ौर व फ़िक्र से हासिल हो सके। विज्ञान और हिसाब की फ़न्नी गहरी बहसें और तहक़ीक़ात जो सिर्फ़ ज्ञानी, विचारक

और उलेमा ही कर सकते हैं न उन पर दलील हासिल करने का मदार रखा जाता है न उनमें खोजने और ग़ौर करने की तरग़ीब दी जाती है, क्योंकि ख़ुदा तआ़ला पर ईमान और उसके पैग़ाम पर अ़मल हर इनसान का फ़र्ज़ है आ़लिम हो या जाहिल, मर्द हो या औ़रत, शहरी हो या देहाती, किसी पहाड़ और टापू में रहता हो या किसी सभ्य शहर में, इसलिये पैग़म्बराना तालीमात अ़वाम की नज़र और उनकी अ़क्ल व समझ के मुताबिक़ होती हैं जिनमें किसी फ़न्नी महारत की ज़रूरत न हो।

नमाज़ के वक़्तों की पहचान, क़िब्ले के रुख़ को मुतैयन करना, महीनों व सालों और तारीख़ों का मालूम करना, इन सब चीज़ों का इल्म रियाज़ी के हिसाबात के ज़रिये भी हासिल किया जा सकता है मगर इस्लामी शरीअ़त ने इनमें से किसी चीज़ का मदार हिसाब और गणित की फ़न्नी तहक़ीक़ात पर रखने के बजाय आ़म दिखाई देने और अनुभव में आने वाली चीज़ों पर रखा है। महीने और साल और उनकी तारीख़ें चाँद के हिसाब से रखीं और चाँद के होने न होने का मदार सिर्फ़ चाँद के देखने और नज़र आने पर रखा, रोज़े और हज के दिन इसी बुनियाद से मुतैयन किये गये, चाँद के घटने बढ़ने छुपने और फिर निकलने का राज़ कुछ लोगों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से पूछा तो इसका जवाब क़ुरआन ने यह दिया कि:

قُلْ هِيَ مَوَاقِيْتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ.

यानी आप कह दें कि चाँद की ये सब तब्दीलियाँ इस मक़सद के लिये हैं कि तुम उनसे महीने का शुरू और ख़त्म और उसकी तारीख़ें मालूम करके हज वग़ैरह के दिन मुतैयन कर सको। इस जवाब ने उनको इस पर तंबीह फ़रमा दी कि तुम्हारा सवाल बेकार और फ़ुज़ूल है, इसकी हक़ीक़त मालूम करने पर तुम्हारा दीन या दुनिया का कोई काम अटका हुआ नहीं, इसलिये सवाल उस चीज़ का करो जिसका ताल्लुक़ तुम्हारी दीनी या दुनियावी ज़रूरत से हो।

इस शुरूआ़ती कलाम के बाद असल मामले पर ग़ौर कीजिये कि मज़कूरा आयतों में हक़ तआ़ला ने अपनी कामिल क़ुदरत और पूर्ण हिक्मत की चन्द निशानियों का ज़िक्र करके इनसान को अल्लाह की तौहीद और कामिल इल्म व क़ुदरत पर ईमान लाने की दावत दी है, इसमें सबसे पहले ज़मीन का ज़िक्र किया जो हर वक़्त हमारे सामने है फ़रमाया 'व आयतुल्-लहुमुल्-अर्ज़ु........' फिर उस पर पानी बरसाकर दरख़्त और पेड़-पौधे उगाने का ज़िक्र किया जो हर इनसान देखता और जानता है। जैसा कि फ़रमाया 'अहयैनाहा व अख़्रज्ना मिन्हा........' उसके बाद आसमान और आसमानी फ़िज़ा (स्पेस और अंतरिक्ष) से मुताल्लिक़ चीज़ों का ज़िक्र शुरू करके पहले रात और दिन के रोज़ाना के इन्क़िलाब (बदलने) का ज़िक्र फ़रमाया 'व आयतुल्-लहुमुल्लैलु.........' उसके बाद सूरज और चाँद जो सितारों और ग्रहों में सबसे बड़े सितारे हैं उनका ज़िक्र फ़रमाया। इनमें पहले सूरज के मुताल्लिक़ फ़रमाया:

وَالشَّمْسُ تَجْرِيْ لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ذٰلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ٥

इसमें ग़ौर कीजिये कि इसका मक़सद यह बतलाना है कि सूरज अपने आप अपने इरादे और अपनी क़ुदरत से नहीं चल रहा बल्कि यह एक ग़ालिब व अ़लीम यानी क़ुदरत वाले और जानने वाले के मुक़र्रर किये हुए निज़ाम के ताबे चल रहा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने सूरज छुपने के वक़्त के क़रीब हज़रत अबूज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु अ़न्हु को एक सवाल व जवाब के ज़रिये

इसी हक़ीक़त पर आगाह होने की हिदायत फ़रमाई जिसमें बतलाया कि सूरज ग़ुरूब होने के वक़्त अ़र्श के नीचे अल्लाह को सज्दा करता है और फिर अगला दौरा शुरू करने की इजाज़त माँगता है, जब इजाज़त मिल जाती है तो दस्तूर के मुताबिक़ आगे चलता है और सुबह को पूरब की तरफ़ से निकलता है। इसका हासिल इससे ज़्यादा नहीं कि सूरज के निकलने और ग़ुरूब होने के वक़्त दुनिया के जहान में एक नया इन्क़िलाब (बदलाव) आता है जिसका मदार सूरज पर है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने इस तब्दीली के वक़्त को इनसान को चेताने के लिये उचित व मुनासिब समझकर यह हिदायत फ़रमाई कि सूरज को ख़ुदमुख़्तार अपनी ताक़त से चलने वाला न समझो, यह सिर्फ़ अल्लाह तआ़ला के हुक्म व मर्ज़ी के ताबे चल रहा है। इसका हर निकलना और ग़ुरूब होना अल्लाह तआ़ला की इजाज़त से होता है, यह उसकी इजाज़त के ताबे है, उसके फ़रमान के अधीन हरकत करने ही को इसका सज्दा क़रार दिया गया, क्योंकि सज्दा हर चीज़ का उसके हाल के मुनासिब होता है जैसा कि क़ुरआने करीम ने ख़ुद वज़ाहत फ़रमा दी है:

كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ

यानी सारी मख़्लूक़ अल्लाह की इबादत और तस्बीह में मशग़ूल है मगर हर एक की इबादत व तस्बीह का तरीक़ा अलग-अलग है और हर मख़्लूक़ को उसकी इबादत व तस्बीह का तरीक़ा सिखला दिया जाता है। जैसे इनसान को उसकी नमाज़ व तस्बीह का तरीक़ा बतला दिया गया है, इसलिये सूरज के सज्दे के यह मायने समझना कि वह इनसान के सज्दे की तरह ज़मीन पर माथा टेकने ही से होगा, सही नहीं।

और जबकि क़ुरआन व सुन्नत की वज़ाहतों के मुताबिक़ अल्लाह का अ़र्श तमाम आसमानों, सितारों व ग्रहों, ज़मीनों को अपने घेरे में लिये हुए है तो यह ज़ाहिर है कि सूरज हर वक़्त हर जगह अ़र्श के नीचे ही है। और जबकि तजुर्बा गवाह है कि सूरज जिस वक़्त एक जगह छुप रहा होता है तो दूसरी जगह निकल भी रहा होता है इसलिये इसका कोई लम्हा निकलने और ग़ुरूब होने से ख़ाली नहीं तो सूरज का अ़र्श के नीचे रहना भी हमेशा और हर हाल में है, और ग़ुरूब होना व निकलना भी हर हाल में है। इसलिये हदीस के मज़मून का हासिल यह हुआ कि सूरज अपने पूरे दौरे में अ़र्श के नीचे अल्लाह के सामने सज्दे में पड़ा रहता है यानी उसकी इजाज़त और फ़रमान के ताबे हरकत करता है और यह सिलसिला इसी तरह क़ियामत के क़रीबी ज़माने तक चलता रहेगा, यहाँ तक कि क़ियामत की बिल्कुल क़रीबी निशानी ज़ाहिर करने का वक़्त आ जायेगा तो सूरज को अपने मदार पर अगला दौरा शुरू करने के बजाय पीछे लौटकर जाने का हुक्म दिया जायेगा और वह फिर पश्चिम की तरफ़ से निकलेगा। उस वक़्त तौबा का दरवाज़ा बन्द हो जायेगा, किसी का ईमान व तौबा उस वक़्त मक़बूल नहीं होगा।

ख़ुलासा यह है कि सूरज के ग़ुरूब होने की ख़ुसूसियत और उसके बाद अ़र्श के नीचे जाने और वहाँ सज्दा करने और अगले दौरे की इजाज़त माँगने के जो वाक़िआ़त इस रिवायत में बतलाये गये हैं वो असरदार पैग़म्बराना तालीम के मुनासिब बिल्कुल अ़वामी नज़र के एतिबार से एक मिसाल देना है, न कि इससे यह लाज़िम आता है कि वह इनसान की तरह ज़मीन पर सज्दा करे और न सज्दा करने के वक़्त सूरज की हरकत में कुछ वक़्फ़ा होना (ठहराव आना) लाज़िम आता है। और न यह मुराद है

कि वह दिन रात में सिर्फ़ एक ही सज्दा किसी ख़ास जगह जाकर करता है, और न यह कि सिर्फ़ छुपने के बाद अ़र्श के नीचे जाता है। मगर इस तब्दीली के वक़्त में जबकि सब अ़वाम यह देख रहे हैं कि सूरज हम से ग़ायब हो रहा है उस वक़्त मिसाल देने के तौर पर उनको इस हक़ीक़त से आगाह कर दिया गया कि यह जो कुछ हो रहा है वह हक़ीक़त में सूरज के अ़र्श के नीचे अल्लाह के फ़रमान के ताबे चलते रहने से हो रहा है, सूरज ख़ुद कोई क़ुदरत व ताक़त नहीं रखता। तो जिस तरह उस वक़्त मदीना वाले अपनी जगह यह महसूस कर रहे थे कि अब सूरज सज्दा करके अगले दौरे की इजाज़त लेगा इस तरह जहाँ-जहाँ वह छुपता जायेगा सब के लिये ही सबक़ हासिल करने की तालीम होगी और मामले की हक़ीक़त यह निकली कि सूरज अपने मदार पर हरकत के दरमियान हर लम्हा अल्लाह को सज्दा भी करता है और आगे चलने की इजाज़त भी माँगता रहता है, और उस सज्दे और इजाज़त के लिये उसको किसी ठहरने और रुकने की ज़रूरत नहीं होती।

इस तक़रीर पर ऊपर बयान हुई हदीस में न आ़म तरीक़े से देखने और अनुभव के एतिबार से कोई शुब्हा होता है न आकाशीय इल्म के सिद्धानतों और हिसाब के क़ायदों और उसूलों के एतिबार से। साथ ही यह कि सूरज के सिस्टम और सितारों व ग्रहों की हरकत में बतलीमूस की तहक़ीक़ सही हो या फ़ीसाग़ोरिस वाली तहक़ीक़ जिसकी आजकल की नई तहक़ीक़ात से पुष्टि हो गई है, दोनों सूरतों में उक्त हदीस पर कोई शुब्हा और इश्काल बाक़ी नहीं रहता।

रहा यह सवाल कि बयान हुई हदीस में जो सूरज का सज्दा करना और अगले दौरे की इजाज़त तलब करना ज़िक्र हुआ है यह काम तो ज़िन्दगी और इल्म व अ़क़्ल का है, सूरज व चाँद बेजान बेशऊर मख़्लूक़ात हैं, उनसे ये काम कैसे सादिर हुए? तो इसका जवाब क़ुरआन की आयतः

وَاِنْ مِّنْ شَیْءٍ اِلَّا یُسَبِّحُ بِحَمْدِهٖ

(यानी सूरः बनी इस्राईल की आयत 44) के तहत में आ चुका है कि हम जिन चीज़ों को बेजान और बेअ़क़्ल व बेशऊर समझते हैं वो भी हक़ीक़त में रूह, जान और अ़क़्ल व शऊर का एक ख़ास हिस्सा रखती हैं, अलबत्ता उनकी ज़िन्दगी और अ़क़्ल व शऊर इनसान व हैवान के मुक़ाबले में कम और इतनी कम है कि आ़म एहसासात उसको मालूम नहीं कर सकते, मगर इसकी नफ़ी पर भी कोई शरई या अ़क़्ली दलील मौजूद नहीं। और क़ुरआने करीम ने मज़कूरा आयत में उनका ज़िन्दगी वाला और अ़क़्ल व शऊर वाला होना साबित कर दिया है, और नई तहक़ीक़ात ने भी इसको तस्लीम किया है। वल्लाहु सुब्हानहू व तआ़ला आलम

फ़ायदाः क़ुरआन व हदीस की इन ज़िक्र हुई वज़ाहतों से यह बात वाज़ेह तौर पर साबित हुई कि सूरज व चाँद दोनों हरकत में हैं, एक निर्धारित मियाद के लिये चल रहे हैं। इससे उस नये नज़रिये की नफ़ी होती है जो सूरज की हरकत को तस्लीम नहीं करता और नवीनतम तहक़ीक़ात ने ख़ुद भी इसको ग़लत साबित कर दिया है।

चाँद की मन्ज़िलें

وَالْقَمَرَ قَدَّرْنٰهُ مَنَازِلَ حَتّٰی عَادَ كَالْعُرْجُوْنِ الْقَدِیْمِ○

उरजून खजूर के पेड़ की सूखी टहनी को कहा जाता है जो मुड़कर कमान के जैसी हो जाती है। मनाज़िल मन्ज़िल की जमा (बहुवचन) है, उतरने और नाज़िल होने की जगह को मन्ज़िल कहा जाता है। हक़ तआ़ला ने चाँद और सूरज दोनों की रफ़्तार के लिये ख़ास हदें मुक़र्रर फ़रमाई हैं जिनमें से हर एक को मन्ज़िल कहा जाता है। चाँद चूँकि अपना दौरा एक महीने में पूरा कर लेता है इसलिये उसकी मन्ज़िलें तीस या उनतीस होती हैं, मगर चूँकि हर महीने में चाँद कम से कम एक दिन ग़ायब रहता है इसलिये उमूमन उसकी मन्ज़िलें अट्ठाईस कही जाती हैं। हिसाब और आकाशीय चीज़ों का इल्म रखने वालों ने इन मन्ज़िलों के ख़ास-ख़ास नाम उन सितारों की मुनासबत से रख दिये हैं जो उन मन्ज़िलों के बराबर और मुक़ाबिल में पाये जाते हैं। अ़रब के जाहिली दौर में भी इन्हीं नामों से मन्ज़िलों को मुतैयन किया जाता था। क़ुरआने करीम उन इस्तिलाही नामों से ऊपर है, इसकी मुराद सिर्फ़ वो फ़ासले हैं जिनको चाँद ख़ास-ख़ास दिनों में तय करता है।

सूरः यूनुस में इसकी तफ़सील गुज़र चुकी है जो मआ़रिफ़ुल-क़ुरआन चौथी जिल्द में बयान हुई है उसको देख लिया जाये। सूरः यूनुस की आयत नम्बर 5 में सूरज व चाँद दोनों की मन्ज़िलों का ज़िक्र है, आयत यह है।

جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَآءً وَّالْقَمَرَ نُوْرًا وَّقَدَّرَهٗ مَنَازِلَ............ الاٰية

फ़र्क़ इतना है कि चाँद की मन्ज़िलें देखने से पहचानी जाती हैं और सूरज की मन्ज़िलें रियाज़ी के हिसाबों से।

حَتّٰى عَادَ كَالْعُرْجُوْنِ الْقَدِيْمِ○

में चाँद की कैफ़ियत महीने के आख़िर की बतलाई है जब वह पूरा होने के बाद घटता घटता एक क़ौस (कमान) की सूरत इख़्तियार कर लेता है। अ़रब वालों के माहौल के मुनासिब इसकी मिसाल खजूर की सूखी टहनी से दी गई है जो हिलाली (चाँद की) शक्ल इख़्तियार कर लेती है।

وَكُلٌّ فِىْ فَلَكٍ يَّسْبَحُوْنَ○

यानी सूरज व चाँद दोनों अपने-अपने मदार (दौरे की जगह) में तैरते रहते हैं। फ़लक के लफ़्ज़ी मायने आसमान के नहीं बल्कि उस दायरे के हैं जिसमें कोई सितारा व ग्रह हरकत करता है। यह आयत सूरः अम्बिया में भी गुज़र चुकी है जिसमें यह बतलाया गया है कि इस आयत से मालूम हुआ कि चाँद किसी आसमान के अन्दर केन्द्रित नहीं जैसा कि आकाशीय ज्ञान के बतलीमूसी नज़रिये में है बल्कि वह आसमान के नीचे एक ख़ास मदार में हरकत करता है और आजकल की नई तहक़ीक़ात और चाँद तक इनसान की पहुँच के वाक़िआ़त ने इसको बिल्कुल यक़ीनी बना दिया है।

وَاٰيَةٌ لَّهُمْ اَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِى الْفُلْكِ الْمَشْحُوْنِ○ وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِّنْ مِّثْلِهٖ مَا يَرْكَبُوْنَ○

पहले ज़मीनी मख़्लूक़ात का फिर आसमानी का बयान और उनमें अल्लाह तआ़ला शानुहू की हिक्मत व क़ुदरत की निशानियों का बयान आ चुका है। इस आयत में बहर (समन्दर व दरिया यानी पानी की दुनिया) और उससे सम्बन्धित चीज़ों में क़ुदरत की निशानियों का ज़िक्र है कि अल्लाह तआ़ला ने कश्तियों को ख़ुद वज़नी बोझ से भरी हुई होने के बावजूद पानी की सतह पर चलने के क़ाबिल बना दिया कि पानी उनको डुबोने के बजाय दूर मुल्कों तक पहुँचाता है। और आयत में

इरशाद यह है कि हमने इनकी नस्लों और औलादों को कश्तियों में सवार किया हालाँकि सवार होने वाले ख़ुद ये लोग थे नस्ल का ज़िक्र शायद इसलिये किया कि इनसान का बड़ा बोझ उसकी औलाद व नस्ल होती है, ख़ुसूसन जबकि वह चलने फिरने के क़ाबिल हो। और मतलब आयत का यह है कि सिर्फ़ यही नहीं कि तुम ख़ुद उन कश्तियों में सवार हो सको बल्कि छोटे बच्चे और ज़ईफ़ आदमी और उनके सब सामान ये कश्तियाँ उठाती हैं। और 'ख़लक़्ना लहुम् मिम्-मिस्लिही मा यर्कबून' के मायने यह हैं कि इनसान की सवारी और सामान ढोने के लिये सिर्फ़ कश्ती ही नहीं बल्कि कश्ती के जैसी और भी सवारी बनाई है। इससे अ़रब वालों ने अपनी आ़दत के मुताबिक़ ऊँट की सवारी मुराद ली है क्योंकि ऊँट बोझ उठाने में सब जानवरों से ज़्यादा है, बड़े-बड़े बोझ के अंबार लेकर मुल्कों का सफ़र करता है इसी लिये अ़रब वाले ऊँट को 'सफ़ीनतुल-बर' यानी ख़ुश्की की कश्ती कहा करते थे।

क़ुरआन में हवाई जहाज़ का ज़िक्र

मगर यह ज़ाहिर है कि क़ुरआन ने इस जगह ऊँट या किसी ख़ास सवारी का नाम नहीं लिया बल्कि इसको ग़ैर-वाज़ेह (अस्पष्ट) छोड़ा है जिसमें हर ऐसी सवारी दाख़िल है जो इनसान और उसके असबाब व सामान को ज़्यादा से ज़्यादा उठाकर मन्ज़िले मक़सूद पर पहुँचा दे। इस ज़माने की नई ईजाद हवाई जहाज़ों ने यह स्पष्ट कर दिया कि 'मिम्-मिस्लिही' का सबसे बड़ा मिस्दाक़ हवाई जहाज़ हैं, और कश्ती के साथ इसकी मिसाल देना भी इसकी ज़्यादा ताईद करती है कि जिस तरह पानी का जहाज़ पानी पर तैरता है पानी उसको ग़र्क़ नहीं करता, हवाई जहाज़ हवा पर तैरता है हवा उसको नीचे नहीं गिराती, और अ़जब नहीं कि क़ुरआने हकीम ने इसी लिये 'मिम्-मिस्लिही मा यर्कबून' को ग़ैर-वाज़ेह (अस्पष्ट) रखा हो ताकि क़ियामत तक ईजाद होने वाली सब सवारियाँ इसमें शामिल हो जायें। वल्लाहु आलम

وَاِذَا قِيْلَ لَهُمُ اتَّقُوْا مَا بَيْنَ اَيْدِيْكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ۞ وَمَا تَاْتِيْهِمْ مِّنْ اٰيَةٍ مِّنْ اٰيٰتِ رَبِّهِمْ اِلَّا كَانُوْا عَنْهَا مُعْرِضِيْنَ ۞ وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ اَنْفِقُوْا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ قَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَنُطْعِمُ مَنْ لَّوْ يَشَآءُ اللّٰهُ اَطْعَمَهٗٓ اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ۞

व इज़ा क़ी-ल लहुमुत्तक़ू मा बै-न ऐदीकुम् व मा ख़ल्फ़कुम् लअ़ल्लकुम् तुर्हमून (45) व मा तअ्तीहिम् मिन् आ-यतिम् मिन् आयाति रब्बिहिम् इल्ला कानू अ़न्हा मुअ्रिज़ीन (46) व इज़ा क़ी-ल लहुम् अन्फ़िक़ू मिम्मा	और जब कहिये उनको बचो उससे जो तुम्हारे सामने आता है और जो पीछे छोड़ते हो शायद कि तुम पर रहम हो। (45) और कोई हुक्म नहीं पहुँचता उनको अपने रब के हुक्मों से जिसको वे टालते न हों। (46) और जब कहिये उनको ख़र्च

र-ज़-क़कुमुल्लाहु क़ालल्लज़ी-न क-फ़रू लिल्लज़ी-न आमनू अ-नुत्अिमु मल्लौ यशाउल्लाहु अत्अ-महू इन् अन्तुम् इल्ला फ़ी ज़लालिम्-मुबीन (47)	करो कुछ अल्लाह का दिया, कहते हैं इनकारी लोग ईमान वालों को- हम क्यों खिलायें ऐसों को कि अल्लाह चाहता तो उसको खिला देता, तुम लोग तो बिल्कुल खुले बहक रहे हो। (47)

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

और जब उन लोगों से (तौहीद की दलीलें और उसके न मानने पर अ़ज़ाब की धमकी व वायदा सुनाकर) कहा जाता है कि तुम लोग उस अ़ज़ाब से डरो जो तुम्हारे सामने (यानी दुनिया में आ सकता) है (जैसे ऊपर की आयत 'व इन्-नशअ् नुग़्रिक़्हुम्' में बयान फ़रमाया कि कश्ती का सही सालिम मन्ज़िल पर पहुँचाना अल्लाह की क़ुदरत व मर्ज़ी से है, वह चाहे तो ग़र्क़ कर सकता है। ग़र्ज़ कि दुनिया में ग़र्क़ करने का अ़ज़ाब भी आ सकता है और दूसरे अ़ज़ाब भी) और तुम्हारे (मरने के) पीछे (यानी आख़िरत में यक़ीनी आने वाला) है। (मतलब यह है कि तौहीद के इनकार की वजह से जो अ़ज़ाब तुम पर आने वाला है चाहे सिर्फ़ आख़िरत में या दुनिया में भी, तुम उस अ़ज़ाब से डरो और ईमान ले आओ) ताकि तुम पर रहमत की जाये (तो वे इस ख़ौफ़ दिलाने और अ़ज़ाब से डराने की ज़रा परवाह नहीं करते) और (इसी बात के न मानने की क्या ख़ास बात है वे तो ऐसे संगदिल हो गये हैं कि) उनके रब की आयतों में से कोई आयत भी उनके पास ऐसी नहीं आती जिससे वे मुँह न मोड़ते हों। और (जिस तरह अ़ज़ाब की धमकी से वे मुतास्सिर नहीं होते इसी तरह सवाब और जन्नत का शौक़ व रग़बत दिलाना भी उनको नफ़ा देने वाला नहीं होता, चुनाँचे) जब (उनको अल्लाह की नेमतें याद दिलाकर) उनसे कहा जाता है कि अल्लाह ने जो कुछ तुमको दिया है उसमें से (अल्लाह की राह में फ़क़ीरों मिस्कीनों पर) ख़र्च करो तो (शरारत और मज़ाक़ उड़ाने के तौर पर) ये काफ़िर (उन) मुसलमानों से (जिन्होंने अल्लाह की राह में ख़र्च करने के लिये कहा था) यूँ कहते हैं कि क्या हम ऐसे लोगों को खाने को दें जिनको अगर ख़ुदा चाहे तो (बहुत कुछ) खाने को दे दे, तुम बिल्कुल खुली ग़लती में (पड़े) हो।

मआ़रिफ़ व मसाईल

इनसे पहले की आयतों में ज़मीन व आसमान वग़ैरह के अन्दर अल्लाह तआ़ला की क़ुदरत व हिक्मत की निशानियाँ बयान करके ख़ुदा को पहचानने और तौहीद (उसके अकेला और तन्हा माबूद होने) की दावत दी गई थी और इसके क़ुबूल करने पर जन्नत की हमेशा वाली नेमतों और राहतों का वादा था और न मानने पर सख़्त अ़ज़ाब की धमकी व चेतावनी। मज़कूरा आयतें और इनके बाद आने वाली आयतों में मक्का के काफ़िर जो इसके डायरेक्ट तौर पर मुख़ातब थे उनकी ग़लत चाल का बयान है कि न उन पर सवाब की तरफ़ रग़बत व दिलचस्पी दिलाने का असर होता है न अ़ज़ाब से

डराने का।

इस सिलसिले में काफ़िरों के साथ मुसलमानों के दो मुकालमे (बातचीत और गुफ़्तगू) ज़िक्र किये गये हैं कि जब मुसलमान उनसे यह कहते हैं कि तुम अल्लाह के अ़ज़ाब से डरो जो तुम्हारे सामने दुनिया में भी आ सकता है और तुम्हारे मरने के बाद आख़िरत में तो आना ही है, अगर तुमने उस अ़ज़ाब से डरकर ईमान क़ुबूल कर लिया तो तुम्हारे लिये बेहतर है। मगर यह सुनकर भी मुँह मोड़ते हैं, क़ुरआन के अलफ़ाज़ में इस जगह उनके मुँह फेरने का ज़िक्र स्पष्ट रूप से इस आयत में नहीं किया क्योंकि अगली आयत में जो मुँह मोड़ने का ज़िक्र है उससे ख़ुद-ब-ख़ुद यहाँ भी मुँह मोड़ना और बेतवज्जोही बरतना साबित हो जाता है। और अ़रबी भाषा के ग्रामर के हिसाब से भी यहाँ यह साबित है कि आयत का मतलब यही है कि उनके पास उनके रब की जो भी आयत आती है वे उससे मुँह मोड़ते और बेतवज्जोही ही इख़्तियार करते हैं।

अल्लाह का रिज़्क़ बाज़ों को डायरेक्ट न मिलने की हिक्मत

दूसरी गुफ़्तगू यह है कि जब मुसलमान काफ़िरों को ग़रीबों फ़क़ीरों को इमदाद करने और भूखों को खाना खिलाने के लिये कहते हैं कि ख़ुदा तआ़ला ने जो तुम्हें दिया है तुम उसमें से मोहताजों को दिया करो तो ये लोग मज़ाक़ उड़ाने के तौर पर कहते हैं कि जब तुम यह कहते हो कि राज़िक़ सब मख़्लूक़ का अल्लाह तआ़ला है और उसने इनको नहीं दिया तो हम क्यों दें, तुम जो हमें नसीहत करते हो कि हम इनको रिज़्क़ दिया करें यह तो तुम्हारी गुमराही है कि हमें राज़िक़ बनाना चाहते हो। ये काफ़िर लोग भी अगरचे हक़ तआ़ला के राज़िक़ होने का इक़रार करते थे जैसा कि क़ुरआने करीम में एक जगह इरशाद है:

وَلَئِنْ سَاَلْتَهُمْ مَّنْ نَّزَّلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَاَحْيَابِهِ الْاَرْضَ مِنْ م بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُوْلُنَّ اللّٰهُ.

"यानी अगर आप उन लोगों से पूछें कि आसमान से पानी किस ने नाज़िल किया जिससे ज़मीन में पैदावार की सलाहियत और नई ज़िन्दगी पैदा हुई और तरह-तरह के फल-फूल निकले? तो वे इक़रार करेंगे कि यह पानी अल्लह ही ने नाज़िल किया है।"

इससे मालूम हुआ कि ये लोग भी रज़्ज़ाक़ अल्लाह तआ़ला ही को मानते थे मगर मुसलमानों के जवाब में मज़ाक़ उड़ाने के तौर पर यह कहा कि जब ख़ुदा तआ़ला राज़िक़ है तो वही ग़रीबों को भी देगा, हम क्यों दें। गोया उन अहमक़ों ने अल्लाह की राह में ख़र्च करने और ग़रीबों को देने को अल्लाह की रज़्ज़ाक़ियत के विरुद्ध समझा, और यह न समझा कि रज़्ज़ाके मुतलक़ का हकीमाना क़ानून यह है कि एक इनसान को देकर उसको दूसरों के लिये वास्ता (ज़रिया और माध्यम) बनाता है और उस माध्यम से दूसरों को देता है, अगरचे वह यक़ीनन इस पर भी क़ादिर है कि सब को ख़ुद ही बिना किसी माध्यम के डायरेक्ट रिज़्क़ पहुँचा दे जैसा कि हैवानों में उमूमन इसी तरह हर कीड़े मकोड़े और दरिन्दे परिन्दे को डायरेक्ट रिज़्क़ मिलता है। उनमें कोई मालदार कोई ग़रीब नहीं, कोई किसी को नहीं देता, सब के सब क़ुदरती दस्तरख़्वान से खाते हैं, मगर इनसानों में रोज़ी कमाने और आर्थिक निज़ाम और आपसी मदद व सहयोग की रूह पैदा करने के लिये रिज़्क़ पहुँचाने में कुछ को कुछ के

लिये रास्ता बनाता है ताकि ख़र्च करने वाले को सवाब मिले और जिसको दिया जाये वह उसका एहसान मानने वाला हो, क्योंकि इनसानों का आपसी मदद व सहयोग जिस पर इस दुनिया का सारा निज़ाम कायम है यह तभी बाक़ी रह सकता है जबकि हर एक को दूसरे की ज़रूरत हो, ग़रीब को मालदार के पैसे की हाजत है और मालदार को ग़रीब की मेहनत की ज़रूरत, इनमें से कोई किसी से बेपरवाह नहीं। और ग़ौर करें तो किसी का किसी पर एहसान भी नहीं, हर शख़्स जो कुछ किसी को देता है वह अपने मतलब के लिये देता है।

रहा यह सवाल कि मुसलमानों ने काफ़िरों को अल्लाह की राह में ख़र्च करने का हुक्म किस बिना पर दिया जबकि उनका ईमान ही अल्लाह पर नहीं, और क़ुरआन व हदीस के माहिर उलेमा की वज़ाहत के मुताबिक़ वे इन ऊपर के अहकाम के मुख़ातब भी नहीं। सो इसका जवाब वाज़ेह है कि मुसलमानों का यह कहना शरीअ़त के किसी हुक्म की तामील कराने की हैसियत से नहीं बल्कि इनसानी हमदर्दी और शराफ़त के रिवाजी और प्रचलित उसूल की बिना पर था।

وَيَقُوْلُوْنَ مَتٰى هٰذَا الْوَعْدُ اِنْ

كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿٤٨﴾ مَا يَنْظُرُوْنَ اِلَّا صَيْحَةً وَّاحِدَةً تَاْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُوْنَ ﴿٤٩﴾ فَلَا يَسْتَطِيْعُوْنَ تَوْصِيَةً وَّلَآ اِلٰٓى اَهْلِهِمْ يَرْجِعُوْنَ ﴿٥٠﴾ وَنُفِخَ فِي الصُّوْرِ فَاِذَا هُمْ مِّنَ الْاَجْدَاثِ اِلٰى رَبِّهِمْ يَنْسِلُوْنَ ﴿٥١﴾ قَالُوْا يٰوَيْلَنَا مَنْۢ بَعَثَنَا مِنْ مَّرْقَدِنَا ٚ هٰذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمٰنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُوْنَ ﴿٥٢﴾ اِنْ كَانَتْ اِلَّا صَيْحَةً وَّاحِدَةً فَاِذَا هُمْ جَمِيْعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُوْنَ ﴿٥٣﴾ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْـًٔا وَّلَا تُجْزَوْنَ اِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿٥٤﴾ اِنَّ اَصْحٰبَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِيْ شُغُلٍ فٰكِهُوْنَ ﴿٥٥﴾ هُمْ وَاَزْوَاجُهُمْ فِيْ ظِلٰلٍ عَلَى الْاَرَآئِكِ مُتَّكِـُٔوْنَ ﴿٥٦﴾ لَهُمْ فِيْهَا فَاكِهَةٌ وَّلَهُمْ مَّا يَدَّعُوْنَ ﴿٥٧﴾ سَلٰمٌ قَوْلًا مِّنْ رَّبٍّ رَّحِيْمٍ ﴿٥٨﴾ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ اَيُّهَا الْمُجْرِمُوْنَ ﴿٥٩﴾ اَلَمْ اَعْهَدْ اِلَيْكُمْ يٰبَنِيْٓ اٰدَمَ اَنْ لَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطٰنَ ۚ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ﴿٦٠﴾ وَّاَنِ اعْبُدُوْنِيْ ؕ هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ ﴿٦١﴾ وَلَقَدْ اَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيْرًا ؕ اَفَلَمْ تَكُوْنُوْا تَعْقِلُوْنَ ﴿٦٢﴾ هٰذِهٖ جَهَنَّمُ الَّتِيْ كُنْتُمْ تُوْعَدُوْنَ ﴿٦٣﴾ اِصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُوْنَ ﴿٦٤﴾ اَلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلٰٓى اَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَآ اَيْدِيْهِمْ وَتَشْهَدُ اَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ﴿٦٥﴾ وَلَوْ نَشَآءُ لَطَمَسْنَا عَلٰٓى اَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَاَنّٰى يُبْصِرُوْنَ ﴿٦٦﴾ وَلَوْ نَشَآءُ لَمَسَخْنٰهُمْ عَلٰى مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوْا مُضِيًّا وَّلَا يَرْجِعُوْنَ ﴿٦٧﴾ وَمَنْ نُّعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ ؕ اَفَلَا يَعْقِلُوْنَ ﴿٦٨﴾

व यक़ूलू-न मता हाज़ल्-वअ़्दु इन् कुन्तुम् सादिक़ीन (48) मा यन्ज़ुरू-न	और कहते हैं कब होगा यह वायदा अगर तुम सच्चे हो। (48) ये तो राह देखते हैं

इल्ला सै-हतंव्-वाहि-दतन् तअ्ख़ुज़ुहुम् व हुम् यख़िस्सिमून (49) फ़ला यस्ततीअू-न तौसि-यतंव्-व ला इला अह्लिहिम् यर्जिअून (50) ❁
व नुफ़ि-ख़ फ़िस्सूरि फ़-इज़ा हुम् मिनल्-अज्दासि इला रब्बिहिम् यन्सिलून (51) क़ालू या वैलना मम्ब-अ-सना मिम्-मर्क़दिना। हाज़ा मा व-अ-दर्रह्मानु व स-दक़ल्-मुर्सलून (52) इन् कानत् इल्ला सै-हतंव्-वाहि-दतन् फ़-इज़ा हुम् जमीअुल्-लदैना मुह्ज़रून (53) फ़ल्यौ-म ला तुज़्लमु नफ़्सुन् शैअंव्-व ला तुज्ज़ौ-न इल्ला मा कुन्तुम् तअ्मलून (54) इन्-न अस्हाबल्-जन्नतिल्-यौ-म फ़ी शुग़ुलिन् फ़ाकिहून (55) हुम् व अज़्वाजुहुम् फ़ी ज़िलालिन् अ़लल्-अराइकि मुत्तकिऊन (56) लहुम् फ़ीहा फ़ाकि-हतुंव्-व लहुम् मा यद्-दअून (57) सलामुन्, क़ौलम् मिर्रब्बिर्-रहीम (58) वम्ताज़ुल्-यौ-म अय्युहल् मुज्रिमून (59) अलम् अअ्हद् इलैकुम् या बनी आद-म अल्ला तअ्बुदुश्-शैता-न इन्नहू लकुम्

एक चिंघाड़ की जो इनको आ पकड़ेगी जब आपस में झगड़ रहे होंगे। (49) फिर न कर सकेंगे कि कुछ कह ही मरें और न अपने घर को फिरकर जा सकेंगे। (50) ❁
और फूँकी जाये सूर फिर तब ही वे क़ब्रों से अपने रब की तरफ़ फैल पड़ेंगे। (51) कहेंगे ऐ हमारी ख़राबी किसने उठा दिया हमको हमारी नींद की जगह से। यह वह है जो वायदा किया था रहमान ने और सच कहा था पैग़म्बरों ने। (52) बस एक चिंघाड़ होगी फिर उसी दम वे सारे हमारे पास पकड़े चले आयें। (53) फिर आज के दिन ज़ुल्म न होगा किसी जी पर ज़रा और वही बदला पाओगे जो करते थे। (54) तहक़ीक़ कि जन्नत के लोग आज एक मशग़ले में हैं बातें करते। (55) वे और उनकी औरतें सायों में तख़्तों पर बैठे हैं तकिया लगाये। (56) उनके लिये वहाँ है मेवा और उनके लिये है जो कुछ माँगें। (57) सलाम बोलना है रब मेहरबान से। (58) और तुम अलग हो जाओ आज ऐ गुनाहगारो। (59) मैंने न कह रखा था तुमको ऐ आदम की औलाद कि न पूजियो शैतान को, वह तुम्हारा खुला

अदुव्वुम्-मुबीन (60) व अनिअ्बुदूनी, हाज़ा सिरातुम् मुस्तक़ीम (61) व ल-क़द् अज़ल्-ल मिन्कुम् जिबिल्लन् कसीरन्, अ-फ़लम् तकूनू तअ्क़िलून (62) हाज़िही जहन्नमुल्लती कुन्तुम् तू-अदून (63) इस्लौहल्-यौ-म बिमा कुन्तुम् तक्फ़ुरून (64) अल्यौ-म नख़्तिमु अ़ला अफ़्वाहिहिम् व तुकल्लिमुना ऐदीहिम् व तश्हदु अर्जुलुहुम् बिमा कानू यक्सिबून (65) व लौ नशा-उ ल-तमस्ना अ़ला अअ्युनिहिम् फ़स्त-बक़ुस्सिरा-त फ़-अन्ना युब्सिरून (66) व लौ नशा-उ ल-मसख़्नाहुम् अ़ला मका-नतिहिम् फ़-मस्तताअू मुज़िय्यंव्-व ला यर्जिअून (67) ❁	दुश्मन है। (60) और यह कि पूजो मुझ को, यह राह है सीधी। (61) और वह बहका ले गया तुम में से बहुत ख़ल्क़त को, फिर क्या तुमको समझ न थी? (62) यह दोज़ख़ है जिसका तुम से वायदा था। (63) जा पड़ो इसमें आज के दिन बदला अपने कुफ़्र का। (64) आज हम मुहर लगा देंगे उनके मुँह पर और बोलेंगे हमसे उनके हाथ और बतलायेंगे उनके पाँव जो कुछ वे कमाते थे। (65) और अगर हम चाहें मिटा दें उनकी आँखें फिर दौड़ें रस्ता पाने को, फिर कहाँ से सूझे। (66) और अगर हम चाहें सूरत बिगाड़ दें उनकी जहाँ की तहाँ, फिर न आगे चल सकें और न वे उल्टे फिर सकें। (67) ❁
व मन् नुअ़म्मिर्हु नुनक्किस्हु फ़िल्ख़ल्क़ि, अ-फ़ला यअ्क़िलून (68)	और जिसको हम बूढ़ा करें औंधा करें उसकी पैदाईश में, फिर क्या उनको समझ नहीं? (68)

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

और ये (काफ़िर) लोग (पैग़म्बर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम और आपके पैरोकारों से इनकार के तौर पर) कहते हैं कि यह वायदा (क़ियामत का जो ऊपर आयत में ज़िक्र हुआ है और वैसे भी अक्सर उसकी ख़बर दिया करते हो वह) कब होगा? अगर तुम (इस दावे में) सच्चे हो (तो बतलाओ। अल्लाह तआ़ला का इरशाद है कि यह जो बार-बार पूछ रहे हैं तो गोया) ये लोग बस एक सख़्त आवाज़ (यानी पहली बार के सूर फूँकने) के मुन्तज़िर हैं जो इनको (यानी सब काफ़िरों को) आ पकड़ेगी और वे सब (उस वक़्त) आपस में (आ़म मामूल के मुताबिक़ अपने मामलात में) लड़-झगड़ रहे होंगे। सो (उस आवाज़ के साथ एक साथ इस तरह फ़ना हो जायेंगे कि) न तो वसीयत करने की

फ़ुर्सत होगी और न अपने घर वालों के पास लौटकर जा सकेंगे (बल्कि जो जिस हाल में होगा मरकर रह जायेगा)।

और (फिर दोबारा) सूर फूँका जायेगा तो वे सब एक दम से क़ब्रों से (निकल-निकल कर) अपने रब की तरफ़ (यानी जहाँ हिसाब होगा) जल्दी से चलने लगेंगे (और वहाँ की हौल व दहशत देखकर) कहेंगे कि हाय! हमारी कमबख़्ती हमको हमारी क़ब्रों से किसने उठाया? (कि यहाँ के मुक़ाबले में तो वहीं राहत में थे। फ़रिश्ते जवाब देंगे कि) यह वही (क़ियामत) है जिसका रहमान ने वायदा किया था और पैग़म्बर सच कहते थे (मगर तुमने न माना था। आगे हक़ तआ़ला का इरशाद है कि) वह (सूर का दोबारा फूँका जाना) बस एक ज़ोर की आवाज़ होगी (जैसे पहली बार का सूर फूँकना भी एक सख़्त आवाज़ थी। अल्लाह तआ़ला का क़ौल है:

مَايَنظُرُوْنَ اِلَّا صَيْحَةً وَّاحِدَةً

इसी तरह यह भी एक आवाज़ होगी) जिससे एक बार ही में सब जमा होकर हमारे पास हाज़िर कर दिये जाएँगे। (पहले हिसाब-किताब में खड़े होने की जगह की तरफ़ चलना बयान हुआ था और यहाँ पहुँच जाना और यह चलना और पहुँचना जबरन और डाँट के साथ होगा। क़ुरआने करीम के अल्फ़ाज़ "मुह्ज़रून' और 'जाअत् कुल्-ल नफ़्सिम् म-अ़हा साइक़ुन्' से मालूम होता है)।

फिर उस दिन किसी शख़्स पर ज़रा ज़ुल्म न होगा और तुमको बस उन्हीं कामों का बदला मिलेगा जो तुम (दुनिया में कुफ़्र वग़ैरह) किया करते थे। (यह तो जहन्नम वालों का हाल हुआ और) जन्नत वालों (का हाल यह है कि वे) बेशक उस दिन अपने मश्ग़लों में ख़ुशदिल होंगे। वे और उनकी बीवियाँ सायों में मसेहरियों पर तकिया लगाये बैठे होंगे। (और) उनके लिये वहाँ (हर तरह के) मेवे होंगे, और जो कुछ माँगेंगे उनको मिलेगा। (और) उनको मेहरबान रब की तरफ़ से सलाम फ़रमाया जायेगा (यानी हक़ तआ़ला फ़रमायेंगे 'अस्सलामु अ़लैकुम् या अह्लल्-जन्नति'। इब्ने माजा) और (आगे फिर जहन्नम वालों के क़िस्से का आख़िरी हिस्से का बयान है कि उनको हिसाब की जगह में हुक्म होगा कि) ऐ (कुफ़्र करने वाले) मुजरिमो! आज (ईमान वालों से) अलग हो जाओ (क्योंकि इनको जन्नत में भेजना है और तुमको दोज़ख़ में और उस वक़्त उनसे मलामत के तौर पर यह फ़रमाया जायेगा कि) ऐ आदम की औलाद! (और इसी तरह जिन्नात से भी ख़िताब होगा जैसा कि अल्लाह तआ़ला ने सूरः अन्आ़म की आयत 131 में दोनों को एक साथ मुख़ातब फ़रमाया है) क्या मैंने तुमको ताकीद नहीं कर दी थी कि तुम शैतान की इबादत न करना, वह तुम्हारा खुला दुश्मन है। और यह कि मेरी (ही) इबादत करना, यही सीधा रास्ता है (इबादत से मुराद पूरी तरह इताअ़त करना है। और इसी तरह का अल्लाह तआ़ला का क़ौल क़ुरआन पाक में दूसरी जगहों पर भी है। इरशाद है 'तुम शैतान के क़दमों पर मत चलो' और 'और न फ़ितने में डाल दे तुमको शैतान') और (साथ ही तुमको शैतान के बारे में यह बात भी मालूम कराई थी कि) वह तुम में (यानी तुम्हारी इनसानी नस्ल में से) एक बड़ी मख़्लूक़ को गुमराह कर चुका (है जिनकी गुमराही का बवाल भी पिछली काफ़िर क़ौमों के अ़ज़ाब के वाक़िआ़त के सिलसिले में बतला दिया गया था), सो क्या तुम (इतना) नहीं समझते थे? (कि अगर हम उसके गुमराह करने से गुमराह हो जायेंगे तो हम भी इसी तरह अ़ज़ाब के हक़दार होंगे, तो अब) यह जहन्नम है जिसका (कुफ़्र पर बाक़ी रहने की हालत में) तुम से वायदा किया जाया करता था। आज अपने

कुफ़्र के बदले में इसमें दाख़िल हो। आज हम इनके मुँहों पर मुहर लगा देंगे (जिससे ये झूठे उज़्र पेश न कर सकें, जैसा कि शुरू-शुरू में वे कहेंगे कि ऐ हमारे रब! हम शिर्क करने वाले नहीं थे) और उनके हाथ हमसे बोलेंगे और उनके पाँव गवाही देंगे, जो कुछ ये लोग किया करते थे।

(यह अ़ज़ाब तो आख़िरत में होगा) और अगर हम चाहते तो (दुनिया ही में उनके कुफ़्र की सज़ा में) उनकी आँखों को मलियामेट कर देते (चाहे आँख की रोशनी को या ख़ुद आँख के अंग ही को) फिर ये रास्ते की तरफ़ (चलने के लिये) दौड़ते-फिरते, सो इनको कहाँ नज़र आता। (जैसे क़ौमे लूत पर ऐसा ही अ़ज़ाब आया था। अल्लाह तआ़ला का क़ौल है "फ़-तमस्ना") और (इससे बढ़कर) अगर हम चाहते तो (उनके कुफ़्र की सज़ा में) उनकी सूरतें बदल डालते, (जैसे पहले बाज़े लोग बन्दर और ख़िन्ज़ीर हो गये) इस हालत से कि ये जहाँ हैं वहीं रह जाते, (यानी सूरत बदलने के साथ यह भी होता कि इनको जानवर बना देते और जानवर भी अपाहिज जो अपनी जगह से न हिल सकें) जिससे ये लोग न आगे को चल सकते हैं और न पीछे को लौट सकते हैं।

और (इसमें कुछ ताज्जुब न करना चाहिए कि आँखों का मिटाना और सूरतों का बदल देना कैसे हो जाता? देखो हमारी क़ुदरत इसकी एक नज़ीर पर सुबूत है कि) हम जिसकी उम्र ज़्यादा कर देते हैं (यानी बहुत बूढ़ा कर देते हैं) तो उसको तबई हालत में उल्टा कर देते हैं (तबई हालत से मुराद अ़क़्ल व शऊर और सुनने देखने वग़ैरह की क़ुव्वतें तथा हाज़मे व बढ़ौतरी करने वाली क़ुव्वतें वग़ैरह और रंग व रोग़न और हुस्न व जमाल हैं, और उल्टा करने से मुराद है उनका बदलना और हालात में तब्दीली आला से अदना की तरफ़, अच्छे से बुरे की तरफ़, पस मिटाना और सूरतें बदलना भी एक क़िस्म की तब्दीली है कामिल से नाक़िस की तरफ़) सो क्या (इस हालत को देखकर भी) वे लोग नहीं समझते? (कि जब एक तब्दीली पर क़ुदरत है तो दूसरी पर भी है, बल्कि क़ुदरत की निस्बत तो तमाम संभव चीज़ों के साथ बराबर तौर पर है चाहे उनकी मिसाल व नज़ीर भी मौजूद न हो। सो इन लोगों को इस पर नज़र करके डरना और कुफ़्र को छोड़ देना चाहिये)।

मआ़रिफ़ व मसाईल

مَا يَنْظُرُوْنَ إِلَّا صَيْحَةً وَّاحِدَةً.

यह उन काफ़िरों का जवाब है जो मज़ाक़ व इनकार के तौर पर मुसलमानों से पूछा करते थे कि तुम जिस क़ियामत के आने के क़ायल हो वह कब, किस साल और किस तारीख़ में आयेगी?

उन लोगों का यह सवाल हक़ीक़त में किसी वाक़िए की तहक़ीक़ के लिये नहीं बल्कि मज़ाक़ उड़ाने के तौर पर था, और फ़र्ज़ करो तहक़ीक़ के लिये भी होता तो रब्बुल-आ़लमीन की हिक्मत का तक़ाज़ा यह है कि क़ियामत के साल और तारीख़ का पूरा यक़ीनी इल्म किसी को न दें, यहाँ तक कि अपने नबियों व रसूलों को भी नहीं दिया। उन अहमक़ों का यह सवाल फ़र्ज़ करो तहक़ीक़ करने ही के लिये होता तो भी बेकार और बेहूदा था। इसलिये इसके जवाब में क़ियामत की तारीख़ बताने के बजाय उन लोगों को इस पर तंबीह फ़रमाई कि जो चीज़ यक़ीनी तौर पर आने वाली है अ़क़्लमन्द का काम यह है कि उसकी तैयारी में लगे, न यह कि उसके वक़्त और तारीख़ की तहक़ीक़ में वक़्त ज़ाया करे।

अक़्ल का तकाज़ा यह था कि क़ियामत की ख़बर सुनकर ईमान लाते और वो काम करते जिससे उस जहान में फ़लाह व कामयाबी हासिल हो, मगर ये लोग अपनी ग़फ़लत में ऐसे फंसे हुए हैं गोया इसका इन्तिज़ार कर रहे हैं कि जब क़ियामत आये तो कुछ सोचें। इसलिये फ़रमाया कि ये क़ियामत के मुन्तज़िर हैं, और क़ियामत का हाल यह होगा कि वह एक ही ज़ोर की आवाज़ सूर की होगी जो सब को अचानक इस तरह पकड़ेगी कि लोग अपने-अपने कारोबार में और आपसी मामलात के झगड़ों में लगे हुए होंगे, सब के सब उसी हाल में मरे रह जायेंगे।

हदीस में है कि दो आदमी एक कपड़े की ख़रीद व फ़रोख़्त में लगे हुए होंगे, कपड़ा फैलाया हुआ होगा कि अचानक क़ियामत आ जायेगी और वे कपड़ा तह न कर पायेंगे। कोई आदमी अपने हौज़ को मिट्टी से लीपकर दुरुस्त कर रहा होगा कि उसी हाल में मरा रह जायेगा।

(अबू नुऐम, हज़रत अबू हुरैरह की रिवायत से, क़ुर्तुबी)

فَلَا يَسْتَطِيْعُوْنَ تَوْصِيَةً وَّلَآ اِلٰٓى اَهْلِهِمْ يَرْجِعُوْنَ۞

यानी उस वक़्त जो लोग मजमे में होंगे वे आपस में किसी को किसी काम की वसीयत करने की मोहलत नहीं पायेंगे, और जो घरों से बाहर होंगे वे अपने घरों में वापस आने की भी मोहलत न पायेंगे उसी जगह मरे के मरे रह जायेंगे। यह बयान क़ियामत के पहली बार के सूर फूँकने का है जिससे सारा आ़लम ज़मीन व आसमान तबाह हो जायेंगे।

इसके बाद फ़रमायाः

وَنُفِخَ فِى الصُّوْرِ فَاِذَا هُمْ مِّنَ الْاَجْدَاثِ اِلٰى رَبِّهِمْ يَنْسِلُوْنَ۞

अजदास जदस की जमा (बहुवचन) है जिसके मायने हैं क़ब्र, और यन्सिलून नसलान से निकला है जिसके मायने तेज़ चलने के हैं जैसा कि एक दूसरी आयत मेंः

يَخْرُجُوْنَ مِنَ الْاَجْدَاثِ سِرَاعًا

आया है, कि ये लोग अपनी क़ब्रों से जल्दी करते हुए निकलेंगे। और एक आयत में जो इरशाद हैः

فَاِذَا هُمْ قِيَامٌ يَّنْظُرُوْنَ۞

यानी हश्र के वक़्त लोग अपनी क़ब्रों से उठकर खड़े देखते रहेंगे, यह इसके विरुद्ध नहीं, क्योंकि पहले तो हैरत से खड़े होकर देखने का वाक़िआ़ हो और बाद में तेज़ी से मेहशर की तरफ़ दौड़ना, इन दोनों में कोई टकराव और विरोधाभास नहीं। और जैसा कि क़ुरआन की आयतों से साबित है कि फ़रिश्ते उन सब को पुकारकर मैदाने हश्र में लायेंगे, इससे मालूम होता है कि काफ़िरों की हाज़िरी मेहशर में अपनी ख़ुशी से नहीं बल्कि ज़बरदस्ती होगी और फ़रिश्तों के पुकारने की वजह से दौड़ते हुए मेहशर में आ जायेंगे।

قَالُوْا يٰوَيْلَنَا مَنْۢ بَعَثَنَا مِنْ مَّرْقَدِنَا.

काफ़िर लोग अगरचे क़ब्रों में भी क़ब्र के अ़ज़ाब में मुब्तला थे, वहाँ कुछ आराम न था मगर क़ियामत के अ़ज़ाब के मुक़ाबले में वह पहला अ़ज़ाब कुछ भी मालूम नहीं होगा, इसलिये पुकारेंगे कि हमें किसने क़ब्रों से निकाल लिया, वहीं रहते तो अच्छा होता। इस पर फ़रिश्ते या आ़म मोमिन हज़रात

जवाब देंगेः

هٰذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمٰنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُوْنَ○

यानी यह वही क़ियामत है जिसका रहमान ने वायदा किया था, और उसके रसूलों ने इसकी सच्ची ख़बर तुमको सुनाई थी। तुमने तवज्जोह न दी। इस मक़ाम पर अल्लाह की सिफ़ात में से लफ़्ज़ रहमान इख़्तियार करने में इशारा है कि उसने तो अपनी रहमत से तुम्हारे लिये इस अ़ज़ाब से बचने के बहुत सामान किये थे। और वक़्त से पहले इसका वायदा और अपनी किताबों और नबियों के ज़रिये इसकी ख़बर तुम तक पहुँचाना भी रहमत की सिफ़त ही का तक़ाज़ा था।

اِنَّ اَصْحٰبَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِيْ شُغُلٍ فٰكِهُوْنَ○

जहन्नम वालों की परेशानियों का ज़िक्र करने के बाद क़ियामत में जन्नत वालों का हाल ज़िक्र फ़रमाया कि वे अपनी तफ़रीहों में मशग़ूल होंगे। **फ़ाकिहून** फ़ाकेह की जमा है ख़ुशदिल ख़ुशहाल को कहा जाता है। और इससे पहले 'फ़ी शुग़ुलिन' का यह मफ़्हूम भी हो सकता है कि वे जहन्नम वालों को पेश आने वाली परेशानियों से बिल्कुल बेग़म होंगे। (जैसा कि कुछ मुफ़स्सिरीन हज़रात ने फ़रमाया है)

और यह भी मुम्किन है कि इस जगह यह लफ़्ज़ **फ़ी शुग़ुलिन** इस ख़्याल के दूर करने के लिये बढ़ाया हो कि जन्नत में जबकि न कोई इबादत न होगी न कोई फ़र्ज़ व वाजिब और न रोज़ी कमाने का कोई काम तो क्या इस बेकारी में आदमी का जी न घबरायेगा? इसलिये फ़रमाया कि उनकी अपनी तफ़रीहों ही का बड़ा मशग़ला होगा, जी घबराने का सवाल ही पैदा नहीं होता।

هُمْ وَاَزْوَاجُهُمْ

(वे और उनकी बीवियाँ) बीवियों में जन्नत की हूरें भी दाख़िल हैं और दुनिया की बीवियाँ भी।

وَلَهُمْ مَّا يَدَّعُوْنَ○

यद्दऊन दावत से निकला है जिसके मायने बुलाने के हैं। यानी जन्नत वाले जिस चीज़ को बुला देंगे वह उनको मिल जायेगी। क़ुरआने करीम ने इस जगह 'यस्अलून' का लफ़्ज़ नहीं फ़रमाया क्योंकि किसी चीज़ का सवाल करके हासिल करना भी एक मेहनत मशक़्क़त है जिससे जन्नत पाक है, बल्कि वहाँ हर ज़रूरत की चीज़ हाज़िर व मौजूद होगी।

وَامْتَازُوا الْيَوْمَ اَيُّهَا الْمُجْرِمُوْنَ○

मैदाने हश्र में पहले जब लोग अपनी क़ब्रों से उठेंगे तो सब गड्मड् बिखरे हुए होंगे, जैसा कि क़ुरआन में फ़रमाया 'क-अन्नहुम् जरादुम् मुन्तशिर' यानी वे बिखरे हुए टिड्डियों के दल की तरह होंगे। मगर बाद में उनके गिरोह-गिरोह अपने आमाल के एतिबार से अलग कर दिये जायेंगे, काफ़िर लोग एक जगह मोमिन दूसरी जगह। बदकार व गुनाहगार अलग, नेक और मक़बूल बन्दे अलग। जैसा कि एक दूसरी जगह सूरः वश्शम्सि में फ़रमाया हैः

وَاِذَا النُّفُوْسُ زُوِّجَتْ○

यानी जबकि नुफ़ूस जोड़-जोड़ कर दिये जायेंगे। उक्त आयत में भी इसी फ़र्क़ व भेद का बयान है।

اَلَمْ اَعْهَدْ اِلَيْكُمْ يٰبَنِيْٓ اٰدَمَ اَنْ لَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطٰنَ.

यानी तमाम इनसानों को (बल्कि जिन्नात को भी) मुख़ातब करके क़ियामत में कहा जायेगा कि क्या मैंने दुनिया में तुमको यह हिदायत न की थी कि तुम शैतान की इबादत न करना। यहाँ सवाल यह पैदा होता है कि काफ़िर लोग उमूमन शैतान की तो इबादत न करते बल्कि बुतों को या दूसरी चीज़ों को पूजते थे इसलिये उन पर शैतान की इबादत का इल्ज़ाम कैसे लगाया गया? जवाब यह है कि किसी की मुतलक़ इताअ़त करना कि हर काम और हर हाल में उसका कहना माने इसी का नाम इबादत है। चूँकि उन लोगों ने हमेशा शैतानी तालीम ही की पैरवी की इसलिये उनको शैतान की इबादत करने वाला कहा गया। जैसा कि हदीस में उस शख़्स को जो माल या बीवी की मुहब्बत में आकर वह काम करने लगे जिससे माल बढ़े या बीवी राज़ी हो अगरचे ख़ुदा तआ़ला उससे नाराज़ हो, ऐसे शख़्स को हदीस में माल का बन्दा और बीवी का बन्दा कहा गया है। कुछ सूफ़िया-ए-किराम के कलिमात में जो अपने नफ़्स के लिये बुतपरस्ती के अलफ़ाज़ आये हैं उससे मुराद नफ़्स की इच्छाओं की पैरवी करना है, कुफ़्र व शिर्क मुराद नहीं।

اَلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلٰى اَفْوَاهِهِمْ

मेहशर में हिसाब-किताब के लिये पेशी में पहले तो हर शख़्स को आज़ादी होगी जो चाहे उज़्र (मजबूरी और बहाना) पेश करे, मगर मुश्रिक लोग वहाँ क़समें खाकर अपने शिर्क व कुफ़्र से मुकर जायेंगे और कहेंगे कि हम अपने रब अल्लाह की क़सम खाते हैं कि हम मुश्रिक नहीं थे, और बाज़े यह भी कहेंगे कि फ़रिश्तों ने हमारे नामा-ए-आमाल में जो कुछ लिख दिया है हम तो उससे बरी हैं। उस वक़्त अल्लाह तआ़ला उनके मुँहों पर मुहर लगा देंगे कि बोल न सकें और उनके मुक़ाबले में ख़ुद उन्हीं के हाथ-पाँव और बदनी हिस्सों को सरकारी गवाह बनाकर उनको बोलने की सलाहियत दे देंगे, वे उनके तमाम आमाल की गवाही देंगे। उक्त आयत में तो हाथ-पाँव का बोलना ज़िक्र किया गया है एक दूसरी आयत में इनसान के कान, आँख और खाल का बोलना बयान हुआ है। फ़रमायाः

شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَاَبْصَارُهُمْ وَجُلُوْدُهُمْ

और एक जगह जो 'तश्हदु अ़लैहिम् अल्सि-नतुहुम्' आया है, यानी ख़ुद उनकी ज़बानें गवाही देंगी, यह इसके विरुद्ध नहीं कि उनके मुँहों पर मुहर लगा दी जायेगी, क्योंकि मुहर लगाने का मतलब यह है कि वे अपने इख़्तियार से कुछ न बोलेंगे, उनकी ज़बान उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ चलेगी और गवाही देगी। रहा यह शुब्हा कि इन बदनी अंगों में बोलने की ताक़त कैसे पैदा होगी तो इसका जवाब ख़ुद क़ुरआन ने दे दिया है:

اَنْطَقَنَا اللّٰهُ الَّذِیْٓ اَنْطَقَ كُلَّ شَیْءٍ

यानी ये बदनी अंग कहेंगे कि जिस अल्लाह ने हर बोलने वाले को बोलने की ताक़त दी है उसने हमें भी यह सिफ़त इनायत कर दी।

وَمَنْ نُّعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِی الْخَلْقِ. اَفَلَا يَعْقِلُوْنَ٥

नुअ़म्मिर् तामीर से निकला है जिसके मायने हैं लम्बी उम्र देने के, और **नुनक्किस्हु** तन्कीस से निकला है जिसके मायने हैं औंधा-उल्टा कर देने के। इस आयत में हक़ तआ़ला ने अपनी कामिल क़ुदरत और हिक्मत की एक और निशानी का बयान फ़रमाया है कि हर इनसान व हैवान हर वक़्त

अल्लाह तआला के कब्ज़े व इख़्तियार में है, क़ुदरत का अ़मल उसमें बराबर अपना काम कर रहा है, एक गन्दे और बेजान क़तरे से उसका वजूद शुरू हुआ, माँ के पेट की तीन अंधेरियों में इस कायनात के ख़ुलासे और छोटी सी दुनिया की पैदाईश व बनावट हुई, कैसी-कैसी नाज़ुक मशीनें इसके वजूद में फ़िट की गईं, फिर रूह डालकर ज़िन्दा किया गया, नौ महीने माँ के पेट के अन्दर इसका पालन-पोषण होकर एक मुकम्मल इनसान बना और इस दुनिया में आया। तो मुकम्मल होने के बावजूद इसकी हर चीज़ कमज़ोर है, क़ुदरत ने इसके मिज़ाज के मुनासिब ग़िज़ा माँ की छातियों में पैदा कर दी जिससे इसको धीरे-धीरे ताक़त व मज़बूती मिली और उस वक़्त से जवानी तक कितने मरहलों से गुज़रकर इसके बदनी अंग, क़ुव्वतें और हिस्से मज़बूत हुए। क़ुव्वत व शौकत के दावे होने लगे, हर मुक़ाबिल को शिकस्त देने के हौसले पैदा हुए।

फिर जब ख़ालिक़ व मालिक को मन्ज़ूर हुआ तो अब उन सब ताक़तों क़ुव्वतों में कमी शुरू हुई, कमी भी बेशुमार मराहिल से गुज़रते हुए आख़िरकार बुढ़ापे की उम्र तक पहुँची, जहाँ पहुँचकर ग़ौर किया जाये तो फिर वह उस मन्ज़िल में पहुँच गया जिससे बचपन में गुज़रा था। सारी आ़दतें ख़स्लतें बदलने लगीं, जो चीज़ें सबसे ज़्यादा महबूब थीं वो नापसन्दीदा नज़र आने लगीं, जिनसे राहत मिलती थी अब वो मुसीबत व परेशानी का सबब बन गई हैं। इसी को क़ुरआने करीम ने तन्कीस यानी औंधा कर देने से ताबीर फ़रमाया है। किसी शायर ने क्या ख़ूब कहा है:

مَنْ عاش اخلقت الایام جدّته وخانه ثقتاه السمع والبصرُ

"यानी जो शख़्स ज़िन्दा रहेगा तो ज़माना उसकी गर्मी व सख़्ती को बोसीदा और पुराना कर देगा, और उसके सबसे बड़े दो मोतबर दोस्त यानी सुनने और देखने की ताक़तें भी उससे ख़ियानत करके अलग हो जायेंगी।"

यानी इनसान को दुनिया में सबसे ज़्यादा भरोसा अपनी आँख से देखी या कान से सुनी हुई चीज़ पर होता है, बुढ़ापे की आख़िर उम्र में ये भी क़ाबिले भरोसा नहीं, सुनने में भारीपन के सबब बात पूरी समझना मुश्किल, बीनाई की कमज़ोरी के सबब सही-सही देखना मुश्किल। अ़रबी के मशहूर शायर मुतनब्बी ने इसी मज़मून को इस तरह बयान किया है:

ومن صحب الدنیا طویلا تقلّبَتْ علیٰ عینه حتّٰی یریٰ صدقها کذبا

"यानी जो शख़्स दुनिया में ज़्यादा ज़िन्दा रहेगा दुनिया उसकी आँखों के सामने ही पलट जायेगी यहाँ तक कि जिस चीज़ को पहले सच जानता था वह झूठ मालूम होने लगेगी।"

इनसान के वजूद में क़ुदरत की ये तब्दीलियाँ हक़ तआ़ला शानुहू की अ़जीब व ग़रीब निशानी तो है ही इसमें इनसान पर एक अ़ज़ीम एहसान भी है कि ख़ालिक़े कायनात ने जितनी ताक़तें इनसान के वजूद में रखी हैं वो दर हक़ीक़त सरकारी मशीनें हैं जो उसको दे दी गई हैं, और यह भी बतला दिया गया है कि ये तेरी मिल्क नहीं और हमेशा के लिये भी नहीं, आख़िरकार तुझसे वापस ले ली जायेंगी। इसका ज़ाहिरी तक़ाज़ा यह था कि जब तयशुदा वक़्त आ जाता सब ताक़तें एक साथ वापस ले ली जातीं मगर मौला-ए-करीम ने उनकी वापसी की भी बड़ी लम्बी क़िस्तें कर दी हैं और धीरे-धीरे वापस लिया है ताकि इनसान सचेत होकर आख़िरत के सफ़र का सामान कर ले। वल्लाहु आलम

وَمَا عَلَّمْنٰهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْۢبَغِيْ لَهٗ ؕ اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ وَّقُرْاٰنٌ مُّبِيْنٌ ۙ﴿۶۹﴾ لِّيُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَّيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ ﴿۷۰﴾ اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِّمَّا عَمِلَتْ اَيْدِيْنَاۤ اَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مٰلِكُوْنَ ﴿۷۱﴾ وَذَلَّلْنٰهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوْبُهُمْ وَمِنْهَا يَاْكُلُوْنَ ﴿۷۲﴾ وَلَهُمْ فِيْهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ ؕ اَفَلَا يَشْكُرُوْنَ ﴿۷۳﴾ وَاتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اٰلِهَةً لَّعَلَّهُمْ يُنْصَرُوْنَ ﴿۷۴﴾ لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ نَصْرَهُمْ ۙ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُّحْضَرُوْنَ ﴿۷۵﴾

व मा अ़ल्लम्नाहुश्-शिअ़्-र व मा यम्बग़ी लहू, इन् हु-व इल्ला ज़िक्रुंव्-व क़ुर्आनुम्-मुबीन (69) लियुन्ज़ि-र मन् का-न हय्यंव्-व यहिक़्क़ल्-क़ौलु अ़लल्-काफ़िरीन (70) अ-व लम् यरौ अन्ना ख़लक़्ना लहुम् मिम्मा अ़मिलत् ऐदीना अन्आ़मन् फ़हुम् लहा मालिकून (71) व ज़ल्लल्नाहा लहुम् फ़मिन्हा रकूबुहुम् व मिन्हा यअ्कुलून (72) व लहुम् फ़ीहा मनाफ़िअ़ु व मशारिबु, अ-फ़ला यश्कुरून (73) वत्त-ख़ज़ू मिन् दूनिल्लाहि आलि-हतल् लअ़ल्लहुम् युन्सरून (74) ला यस्ततीअ़ू-न नस्-रहुम् व हुम् लहुम् जुन्दुम् मुह्ज़रून (75)	और हमने नहीं सिखाया उसको शे'र कहना और यह उसके लायक़ नहीं, यह तो ख़ास नसीहत है और क़ुरआन है साफ़। (69) ताकि डर सुनाये उसको जिसमें जान हो और साबित हो इल्ज़ाम मुन्किरों पर। (70) क्या और नहीं देखते वे कि हमने बना दिये उनके वास्ते अपने हाथों की बनाई हुई चीज़ों से चौपाये, फिर वे उनके मालिक हैं। (71) और आ़जिज़ कर दिया उनको उनके आगे फिर उनमें कोई है उनकी सवारी और किसी को खाते हैं। (72) और उनके वास्ते चौपायों में फ़ायदे हैं और पीने के घाट, फिर क्यों शुक्र नहीं करते? (73) और पकड़ते हैं अल्लाह के सिवाय और हाकिम कि शायद उनकी मदद करें। (74) न कर सकेंगे उनकी मदद और ये उनकी फ़ौज होकर पकड़े आयेंगे। (75)

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

(और ये काफ़िर लोग जो नुबुव्वत की नफ़ी करने के लिये आपको शायर कहते हैं यह बिल्कुल झूठ है, क्योंकि) हमने आपको शायरी (यानी ख़्याली मज़ामीन मुरत्तब करने का) का इल्म नहीं दिया, और वह (शायरी) आपके लिये मुनासिब भी नहीं, वह (यानी आपको अ़ता किया हुआ इल्म जिसको ये

लोग शायरी कहते हैं वह) तो पूरी तरह नसीहत (का मज़मून) और एक आसमानी किताब है जो अहकाम को ज़ाहिर करने वाली है ताकि (अहकाम के बयान करने असर से) ऐसे शख़्स को (फ़ायदा देने वाला डराना) डराये जो (दिल की ज़िन्दगी के एतिबार से) ज़िन्दा हो और ताकि काफ़िरों पर (अ़ज़ाब की) हुज्जत साबित हो जाये। क्या उन (मुश्रिक) लोगों ने इस पर नज़र नहीं की कि हमने उनके (फ़ायदे के) लिये अपने हाथ की बनाई हुई चीज़ों में से मवेशी पैदा किये, और (हमारे मालिक बनाने से) ये लोग उनके मालिक बन रहे हैं। और (आगे इस नफ़े की कुछ तफ़सील है कि) हमने उन मवेशियों को इनका ताबे बना दिया, सो (वे इनके काम में लाने से काम देते हैं, चुनाँचे) उनमें बाज़े तो इनकी सवारियाँ हैं और बाज़ों को वे खाते हैं। और उनमें इन लोगों के और भी नफ़े हैं (जैसे बाल, खाल, हड्डी वग़ैरह मुख़्तलिफ़ तरीक़ों से इस्तेमाल में आते हैं) और (उनमें इन लोगों के) पीने की चीज़ें भी हैं (यानी दूध), सो क्या (इस पर भी) ये लोग शुक्र नहीं करते (और शुक्र का सबसे पहला और अहम दर्जा तौहीद पर ईमान है)। और उन्होंने (बजाय शुक्र और तौहीद के कुफ़्र और शिर्क इख़्तियार कर रखा है, चुनाँचे) ख़ुदा के सिवा और माबूद क़रार दे रखे हैं, इस उम्मीद पर कि इनको (उन माबूदों की तरफ़ से) मदद मिले। (लेकिन) वे उनकी कुछ मदद कर ही नहीं सकते, और (मदद तो क्या करते) वे (माबूद और उल्टे) इन लोगों के हक़ में एक (मुख़ालिफ़) फ़रीक़ हो जाएँगे जो (हिसाब के स्थान में मजबूर करके) हाज़िर किये जाएँगे (और वहाँ हाज़िर होकर इनकी मुख़ालफ़त का इज़हार करेंगे। अल्लाह तआ़ला ने सूरः मरियम में फ़रमायाः

وَيَكُوْنُوْنَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا○

और सूरः यूनुस में अल्लाह तआ़ला का इरशाद है:

شُرَكَآؤُهُمْ مَّا كُنْتُمْ اِيَّانَا تَعْبُدُوْنَ○

इसी तरह और दूसरी आयतों में भी इस मज़मून को बयान किया गया है, कि मुश्रिकों के माबूद हश्र में उल्टे अपने पुजारियों के मुख़ालिफ़ हो जायेंगे और यह गवाही देंगे कि ये लोग हमारी पूजा व इबादत बिल्कुल नहीं करते थे, बल्कि ये लोग अपनी इच्छाओं के पुजारी थे)।

मआ़रिफ़ व मसाईल

وَمَا عَلَّمْنٰهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِيْ لَهٗ.

चूँकि नुबुव्वत व रिसालत के इनकारी लोग क़ुरआन की अ़जीब तासीर व प्रभाव और दिलों पर असर-अन्दाज़ होने की कैफ़ियत का जो आ़म तौर पर देखने में आता था इनकार नहीं कर सकते थे इसलिये कभी तो अल्लाह के कलाम को जादू और नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को जादूगर कहते थे, और कभी इस कलाम को शे'र और आपको शायर कहकर यह साबित करना चाहते थे कि इस कलाम में यह अ़जीब तासीर अल्लाह का कलाम होने की वजह से नहीं बल्कि या तो ये जादू के कलिमात हैं जो दिलों पर असर-अन्दाज़ होते हैं या शायराना कलाम है वह भी आ़म दिलों पर असर-अन्दाज़ हुआ करता है।

हक़ तआ़ला ने उक्त आयत में फ़रमाया कि हमने नबी को शे'र व शायरी नहीं सिखलाई और न

उनकी शान के मुनासिब थी, आपको शायर कहना बातिल और ग़लत है।

यहाँ यह सवाल पैदा होता है कि अ़रब तो वह क़ौम है जिसकी फ़ितरत में शे'र व शायरी पड़ी हुई है, औरतें बच्चे बेतकल्लुफ़ शे'र कहते हैं, वे शे'र की हक़ीक़त से पूरी तरह वाक़िफ़ हैं, उन्होंने क़ुरआन को शे'र और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को शायर किस एतिबार से कहा? क्योंकि न तो क़ुरआन शे'र के वज़न का पाबन्द है न कहीं रदीफ़ क़ाफ़िये का, इसको तो जाहिल और शे'र व शायरी से नावाक़िफ़ भी शे'र नहीं कह सकता।

इसका जवाब यह है कि शे'र दर असल ख़्याली खुद गढ़े हुए मज़ामीन को कहा जाता है, चाहे नज़्म में हों या नसर में। उनका मक़सद क़ुरआन को शे'र और आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को शायर कहने से यह था कि आप जो कलाम लाये हैं वह महज़ ख़्याली अफ़साने हैं। या फिर शे'र के परिचित मायने के एतिबार से शायर कहा तो इस मुनासबत से कि जिस तरह नज़्म और शे'र ख़ास असर रखता है इसका असर भी वैसा ही है।

इमाम जस्सास रह. ने अपनी सनद से रिवायत किया है कि हज़रत आ़यशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा से किसी ने सवाल किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम कभी कोई शे'र पढ़ते थे? तो आपने फ़रमाया कि नहीं! अलबत्ता एक शे'र इब्ने तरफ़ा का आपने पढ़ा थाः

ستبدی لك الایام ما کنت جاهلاً ویاتیك بالاخبار من لم تزوّد

इसको आपने शे'र के वज़न को तोड़कर 'मल्लम् तज़व्विद बिल्-अख़बारि' पढ़ा। हज़रत अबू बक्र रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने अ़र्ज़ किया या रसूलल्लाह! यह शे'र इस तरह नहीं, तो आपने फ़रमाया कि मैं शायर नहीं और न मेरे लिये शे'र व शायरी मुनासिब है।

यह रिवायत इमाम इब्ने कसीर रह. ने भी अपनी तफ़सीर में नक़ल की है और तिर्मिज़ी, नसाई, इमाम अहमद ने भी इसको रिवायत किया है। इससे मालूम हुआ कि खुद कोई शे'र बनाना तो क्या आप दूसरों के शे'र भी पढ़ने को अपने लिये मुनासिब न समझते थे। और कुछ रिवायतों में जो खुद हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से शे'री वज़न के मुताबिक़ कुछ कलिमात मन्क़ूल हैं वे शायरी के इरादे से नहीं, इत्तिफ़ाक़ी हैं, और ऐसे इत्तिफ़ाक़ी कोई एक दो शे'र बन जाने से कोई आदमी शायर नहीं कहलाता, मगर आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के इस फ़ितरी हाल से जो बड़ी हिक्मतों पर आधारित था यह लाज़िम नहीं आता कि शे'र कहना बिल्कुल ही बुरा है। शे'र व शायरी के अहकाम की तफ़सील सूरः शु-अ़रा के आख़िरी रुकूअ़ में गुज़र चुकी है वहाँ देख लिया जाये।

اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِّمَّا عَمِلَتْ اَيْدِيْنَآ اَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مٰلِكُوْنَ٥

इस आयत में चौपाये जानवरों की पैदाइश में इनसानी फ़ायदों और उनमें क़ुदरत की अ़जीब व ग़रीब कारीगरी का ज़िक्र फ़रमाने के साथ अल्लाह तआ़ला के एक और ज़बरदस्त एहसान को बतलाया गया है, कि ये चौपाये जानवर जिनकी पैदाईश में किसी इनसान का कोई दख़ल नहीं, ख़ालिस दस्ते क़ुदरत के बनाये हुए हैं। अल्लाह तआ़ला ने सिर्फ़ यही नहीं किया कि इनसान को इन चौपायों से फ़ायदा उठाने का मौक़ा मिला और इजाज़त दे दी बल्कि उनको इनका मालिक बना दिया कि वे इनमें हर तरह के मालिकाना इख़्तियार इस्तेमाल कर सकते हैं, खुद नफ़ा उठायें या उनको

बेचकर उनकी क़ीमत से फ़ायदा उठायें।

चीज़ों का मालिक बनने में असल वजह अल्लाह तआ़ला की अ़ता है, न सरमाया न मेहनत

आजकल नये-नये आर्थिक सिस्टमों और नज़रियों में यह बहस छिड़ी हुई है कि चीज़ों के बनाने और उनकी मिल्कियत में सरमाया और दौलत असल है या मेहनत? सरमायेदाराना अर्थव्यवस्था के क़ायल दौलत व सरमाये को असल क़रार देते हैं और सोशलिज़्म और कम्यूनिज़्म वाले मेहनत को ख़ालिक व मालिक बनने की असल इल्लत क़रार देते हैं। क़ुरआन मजीद के इस फ़ैसले ने बतला दिया कि चीज़ों के बनाने और उनकी मिल्कियत में दोनों का कोई दख़ल नहीं, किसी चीज़ का बनाना और पैदा करना इनसान के क़ब्ज़े में नहीं, वह डायरेक्ट हक़ तआ़ला का फ़ेल है। और अ़क़्ल का तक़ाज़ा है कि जो किसी चीज़ को पैदा करे वही उसका मालिक भी हो। इस तरह दुनिया की चीज़ों में असल और वास्तविक मिल्कियत हक़ तआ़ला की है, इनसान की मिल्कियत किसी भी चीज़ में सिर्फ़ अल्लाह तआ़ला के अ़ता करने से हो सकती है, अल्लाह तआ़ला ने चीज़ों की मिल्कियत के साबित करने और एक दूसरे की तरफ़ उसको मुन्तकिल करने का क़ानून अपने पैग़म्बरों के ज़रिये नाज़िल फ़रमा दिया है। उस क़ानून के ख़िलाफ़ कोई किसी चीज़ का मालिक नहीं हो सकता।

وَذَلَّلْنٰهَا لَهُمْ

इसमें एक और एहसान व इनाम की तरफ़ इशारा फ़रमाया कि अक्सर जानवर- ऊँट, घोड़ा, हाथी, बैल वग़ैरह अगर देखो तो ताक़त में इनसान से बहुत ज़्यादा हैं, इनसान उनके मुक़ाबले में कमज़ोर है, इसका असर यह होना चाहिये था कि इन जानवरों पर क़ाबू न पा सकता, मगर हक़ तआ़ला ने जैसे इन जानवरों के पैदा करने का इनाम इनसान को बख़्शा, इसी तरह यह भी फ़ितरत बना दी कि उन मस्त जानवरों को इनसान के सामने ताबेदार बना दिया। एक लड़का एक ताक़तवर घोड़े के मुँह में लगाम डाल देता है और फिर उसकी पुश्त पर सवार होकर जहाँ चाहे लिये फिरता है, यह बात भी इनसान का कोई अपना कमाल नहीं सिर्फ़ हक़ तआ़ला की अ़ता और बख़्शिश है।

وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُّحْضَرُوْنَ○

इस आयत का एक मफ़्हूम तो वह है जो ऊपर ख़ुलासा-ए-तफ़सीर में बयान हुआ है कि जुन्द से मुराद मुख़ालिफ़ फ़रीक़ लिया जाये और आयत का मतलब यह हो कि जिन चीज़ों को इन्होंने दुनिया में माबूद बना रखा है यही क़ियामत के दिन इनके मुख़ालिफ़ होकर इनके ख़िलाफ़ गवाही देंगे।

और हज़रत हसन व क़तादा रह. से इसकी तफ़सीर यह मन्क़ूल है कि इन लोगों ने बुतों को ख़ुदा तो इसलिये बनाया था कि वे इनकी मदद करेंगे, और हो यह रहा है कि वो तो इनकी मदद करने के क़ाबिल नहीं ख़ुद यही लोग जो उनकी इबादत करते हैं, उनके ख़िदमतगार और उनके सिपाही बने हुए हैं, उनकी हिफ़ाज़त करते हैं, कोई उनके ख़िलाफ़ काम करे तो ये उनकी तरफ़ से लड़ते हैं। (क़ुर्तुबी)

فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ ۘ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ۝ أَوَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن نُّطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ ۝ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ ۖ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ ۝ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ ۖ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ ۝ الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ ۝ أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُم ۚ بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ ۝ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ ۝ فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۝

फ़ला यह्ज़ुन्-क क़ौलुहुम्। इन्ना नअ्लमु मा युसिर्रून व मा युअ्लिनून (76) अ-व लम् यरल्-इन्सानु अन्ना ख़लक़्नाहु मिन् नुत्फ़तिन् फ़-इज़ा हु-व ख़सीमुम्-मुबीन (77) व ज़-र-ब लना म-सलंव्-व नसि-य ख़ल्क़हू, क़ा-ल मंय्युह्यिल्-अ़िज़ा-म व हि-य रमीम (78) क़ुल् युह्यीहल्लज़ी अन्श-अहा अव्व-ल मर्रतिन्, व हु-व बिकुल्लि ख़ल्क़िन् अ़लीम (79) अल्लज़ी ज-अ़-ल लकुम् मिनश्श--जरिल्-अख़्-ज़रि नारन् फ़-इज़ा अन्तुम् मिन्हु तूक़िदून (80) अ-व लैसल्लज़ी ख़-लक़स्-समावाति वल्अर्-ज बिक़ादिरिन् अ़ला अंय्यख़्लु-क़ मिस्लहुम्, बला, व हुवल् ख़ल्लाक़ुल्-अ़लीम (81) इन्नमा अम्रुहू इज़ा अरा-द शैअन् अंय्यक़ू-ल लहू कुन् फ़-यकून (82)

अब तू ग़मगीन मत हो उनकी बात से हम जानते हैं जो वे छुपाते हैं और जो ज़ाहिर करते हैं। (76) क्या देखता नहीं इनसान कि हमने उसको बनाया एक क़तरे से फिर तब ही वह हो गया झगड़ने बोलने वाला। (77) और बिठलाता है हम पर एक मिसाल और भूल गया अपनी पैदाईश, कहने लगा कौन ज़िन्दा करेगा हड्डियों को जब खोखरी हो गईं? (78) तू कह उनको ज़िन्दा करेगा जिसने बनाया उनको पहली बार और वह सब बनाना जानता है। (79) जिसने बना दी तुमको सब्ज़ पेड़ से आग फिर अब तुम उससे सुलगाते हो। (80) क्या जिसने बनाये आसमान और ज़मीन नहीं बना सकता उन जैसे? क्यों नहीं! और वही है असल बनाने वाला सब कुछ जानने वाला। (81) उसका हुक्म यही है कि जब करना चाहे किसी चीज़ को तो कहे उसको हो, वह उसी वक़्त हो जाये। (82)

फ़-सुब्हानल्लज़ी बि-यदिही म-लकूतु कुल्लि शैइंव्-व इलैहि तुर्जअून (83) ✿	सो पाक है वह ज़ात जिसके हाथ है हुकूमत हर चीज़ की और उसी की तरफ़ फिरकर चले जाओगे। (83) ✿

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

(जब ये लोग ऐसी स्पष्ट और खुली हुई चीज़ों में भी ख़िलाफ़ ही करते हैं) तो इन लोगों की बातें (तौहीद व रिसालत के इनकार से मुताल्लिक़) आपके लिये दुख व रंज का सबब न होनी चाहिएँ (क्योंकि दुख और रंज होता है उम्मीद से और उम्मीद होती है मुख़ातब के अ़क्ल व इन्साफ़ से, और इन लोगों में न अ़क्ल है न इन्साफ़, तो इनसे किसी चीज़ की उम्मीद ही नहीं हो सकती, फिर ग़म क्यों हो। आगे दूसरे तरीक़े से नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की तसल्ली है कि) बेशक हम सब जानते हैं जो कुछ ये दिल में रखते हैं और जो कुछ (ज़बान से) ज़ाहिर करते हैं (इसलिये तयशुदा वक़्त पर इनको इनके अ़मल की सज़ा मिलेगी)। क्या (उस) आदमी को (जो क़ियामत का इनकार करता है) यह मालूम नहीं कि हमने उसको (एक हक़ीर) नुत्फ़े से पैदा किया, (जिसका तक़ाज़ा यह था कि अपनी शुरू की हालत को याद करके अपनी हिक़ारत और पैदा करने वाले की बड़ाई को देखकर ख़ुद शर्माता ताकि गुस्ताख़ी की जुर्रत न करता। दूसरे ख़ुद अपने हालात से इस पर दलील पकड़ता कि मरने के बाद दोबारा ज़िन्दा कर देना उसकी क़ुदरत से क्या बईद है) सो (उसने ऐसा न किया बल्कि उक्त तक़ाज़े और हालात के ख़िलाफ़) वह खुलेआम एतिराज़ करने लगा। और (वह एतिराज़ यह कि) उसने हमारी शान में एक अ़जीब मज़मून बयान किया (अ़जीब इसलिये कि उससे क़ुदरत का इनकार लाज़िम आता है) और अपनी असल को भूल गया (कि हमने उसको हक़ीर नुत्फ़े से एक कामिल इनसान बनाया) कहता है कि हड्डियों को जबकि वे बोसीदा हो गई हों कौन ज़िन्दा कर देगा? आप जवाब दे दीजिये कि उनको वह ज़िन्दा करेगा जिसने पहली बार में उनको पैदा किया है (कि पहली बार के पैदा करने के वक़्त उन हड्डियों का ज़िन्दगी से कोई ताल्लुक़ ही न था और अब तो एक मर्तबा उनमें ज़िन्दगी पैदा होकर एक क़िस्म का ताल्लुक़ ज़िन्दगी से हो चुका है, अब उनमें ज़िन्दगी पैदा करना क्या मुश्किल है) और वह सब तरह का पैदा करना जानता है (यानी पहली बार में किसी चीज़ को पैदा कर देना या पैदा शुदा को फ़ना करके दोबारा पैदा कर देना)।

वह ऐसा (मुकम्मल क़ुदरत वाला) है कि (बाज़े) हरे पेड़ से तुम्हारे लिये आग पैदा कर देता है, फिर तुम उससे और आग सुलगा लेते हो (जैसा कि अ़रब में एक पेड़ था, मरुख़ दूसरा इफ़ार, इन दोनों दरख़्तों से चक़माक़ का काम लेते थे, दोनों के मिलाने से आग पैदा हो जाती थी। तो जिस क़ुदरत वाले ने हरे दरख़्त के पानी में आग पैदा फ़रमा दी तो दूसरी बेजान चीज़ों में ज़िन्दगी पैदा कर देना उसके लिये क्या मुश्किल है) और जिसने आसमान और ज़मीन पैदा किये हैं, क्या वह इस पर क़ादिर नहीं कि इन जैसे आदमियों को (दोबारा) पैदा कर दे? ज़रूर क़ादिर है, और वह बड़ा पैदा करने वाला, ख़ूब जानने वाला है।

(और उसकी क़ुदरत ऐसी है कि) जब वह किसी चीज़ (के पैदा करने) का इरादा करता है तो बस

उसका मामूल तो यह है कि उस चीज़ को कह देता है कि हो जा, तो वह हो जाती है। (इन सब बातों और दलीलों से साबित हो गया कि) उसकी ज़ात पाक है जिसके हाथ में हर चीज़ का पूरा इख़्तियार है, और (इस बात में अब कोई शुब्हा नहीं रहा कि) तुम सब को उसी के पास लौटकर जाना है (यानी क़ियामत के दिन)।

मआरिफ़ व मसाईल

اَوَلَمْ يَرَالْاِنْسَانُ اَنَّا خَلَقْنٰهُ مِنْ نُّطْفَةٍ

सूरः यासीन की ये आख़िरी पाँच आयतें एक ख़ास वाक़िए में नाज़िल हुई हैं जो कुछ रिवायतों में उबई बिन ख़लफ़ की तरफ़ मन्सूब किया गया है और कुछ रिवायतों में आ़स बिन वाईल की तरफ़। और इसमें भी कोई दूर की बात नहीं कि दोनों से ऐसा वाक़िआ पेश आया हो। पहली रिवायत इमाम बैहक़ी ने 'शु-अ़बुल-ईमान' में और दूसरी रिवायत इब्ने अबी हातिम ने हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु से नक़ल की है, वह यह है कि आ़स बिन वाईल ने बतहा-ए-मक्का से एक बोसीदा हड्डी उठाई और उसको अपने हाथ से तोड़कर रेज़ा-रेज़ा किया, फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से कहा कि क्या अल्लाह इस हड्डी को ज़िन्दा करेगा जिसका हाल यह देख रहे हैं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि हाँ! अल्लाह तआ़ला तुझे मौत देगा फिर ज़िन्दा करेगा फिर तुझको जहन्नम में दाख़िल करेगा। (तफ़सीर इब्ने कसीर)

خَصِيْمٌ مُّبِيْنٌ○

यानी यह हक़ीर (मामूली और घटिया) नुत्फ़े से पैदा किया हुआ इनसान कैसा खुलकर मुक़ाबले पर आने लगा कि अल्लाह की क़ुदरत का इनकार कर रहा है।

ضَرَبَ لَنَا مَثَلًا

यहाँ मिसाल बिठलाने से मुराद उसका यह वाक़िआ है कि बोसीदा हड्डी को हाथ से रेज़ा-रेज़ा (टुकड़े-टुकड़े) करते हुए उसके दोबारा ज़िन्दा होने को मुहाल या असंभव समझा। इसके बाद फ़रमायाः

وَنَسِيَ خَلْقَهٗ

यानी इस मिसाल के बयान करने के वक़्त वह ख़ुद अपनी पैदाईश को भूल गया कि एक हक़ीर और नापाक बेजान क़तरे में जान डालकर उसको पैदा किया है। अगर वह अपनी इस असल को न भूलता तो ऐसी मिसालें पेश करके अल्लाह की क़ुदरत के इनकार की जुर्रत न करता।

جَعَلَ لَكُمْ مِّنَ الشَّجَرِ الْاَخْضَرِ نَارًا

अ़रब में दो दरख़्त मशहूर व परिचित थे- एक मरख़ दूसरा इफ़ार। अ़रब के लोग इन दोनों दरख़्तों की दो शाख़ें (टहनियाँ) मिस्वाक के बराबर काट लेते थे जो बिल्कुल हरी ताज़ा पानी से भरी होती थीं, एक को दूसरी पर रगड़ने से आग पैदा हो जाती थी। हरे दरख़्त से आग पैदा करने में इसी तरफ़ इशारा है। (तफ़सीरे क़ुर्तुबी)

और अगर दरख़्तों के आख़िरी अन्जाम को देखा जाये तो हर दरख़्त शुरू में हरा-भरा होने के बाद

आख़िर में ख़ुश्क होकर आग का ज़रिया बनता है। इस तरह हर दरख़्त भी इसका मिस्दाक़ हो सकता है जैसा कि क़ुरआने करीम की इस आयत में बज़ाहिर यही मुराद हैः

اَفَرَءَيْتُمُ النَّارَ الَّتِىْ تُوْرُوْنَ○ ءَ اَنْتُمْ اَنْشَاْتُمْ شَجَرَتَهَآ اَمْ نَحْنُ الْمُنْشِئُوْنَ○

यानी क्या तुम उस आग को नहीं देखते जिसको तुम सुलगाकर अपने काम में लेते हो। क्या उस आग से शोला बनने वाले दरख़्त को तुमने पैदा किया या हमने?

लेकिन मज़कूरा आयत में चूँकि पेड़ के साथ हरा होने की सिफ़त भी ज़िक्र की गई है इसलिये यहाँ ज़ाहिर यही है कि वो ख़ास पेड़ मुराद हैं जिनसे हरे-भरे होने के बावजूद आग पैदा होती है।

اِنَّمَآ اَمْرُهٗٓ اِذَآ اَرَادَ شَيْـًٔا اَنْ يَّقُوْلَ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ○

आयत की मुराद यह है कि अल्लाह तआ़ला जब किसी चीज़ को पैदा करना चाहें तो इनसान के ज़रिये बनाई हुई चीज़ों की तरह उनको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती कि पहले सामग्री जमा फ़रमायें फिर उसके लिये कारीगर बुलायें फिर एक मुद्दत तक काम करके वह चीज़ तैयार हो, बल्कि वह जब और जिस वक़्त जिस चीज़ को पैदा फ़रमाना चाहें उनको सिर्फ़ हुक्म दे देना काफ़ी होता है कि "पैदा हो जा" तो जिस चीज़ को यह हुक्म मिलता है वह फ़ौरन उसके हुक्म के मुताबिक़ वजूद में आ जाती है। इससे यह लाज़िम नहीं आता कि हर चीज़ की पैदाईश और तैयार होना फ़ौरन और एक ही बार में हो, बल्कि पैदा करने वाले की हिक्मत के ताबे जिस चीज़ का फ़ौरी तौर पर पैदा हो जाना मस्लेहत है वह फ़ौरी तौर पर बिना ढील और दर्जा-ब-दर्जा हुए पैदा हो जाती है और जिस चीज़ का पैदा करना किसी हिक्मत व मस्लेहत की बिना पर धीरे-धीरे दर्जा-ब-दर्जा मुनासिब समझा गया वह उसी रफ़्तार के साथ वजूद में आ जाती है चाहे उसकी सूरत यह हो कि उसको पहले ही हुक्म में ख़ास मर्हलों में पैदा होना बतलाया गया हो या हर मर्हले में उसको अलग से 'कुन' (हो जा) के हुक्म का ख़िताब होता हो। वल्लाहु सुब्हानहू व तआ़ला आलम

सूरः यासीन अल्लाह की मदद व तौफ़ीक़ से 28 सफ़र सन् 1392 हिजरी को जुमेरात के दिन पूरी हुई। रब्बे करीम का एहसान है कि क़ुरआने करीम की सात मन्ज़िलों में से पाँच मन्ज़िल यहाँ मुकम्मल हो गयीं, जितना उसका शुक्र अदा किया जाये कम है।

अल्हम्दु लिल्लाह सूरः यासीन की तफ़सीर मुकम्मल हुई।

सूरः सॉफ़्फ़ात

सूरः सॉफ़्फ़ात मक्का में नाज़िल हुई। इसमें 182 आयतें और 5 रुकूअ़ हैं।

اٰيَاتُهَا ١٨٢ (٣٧) سُوْرَةُ الصّٰٓفّٰتِ مَكِّيَّةٌ (٥٦) رُكُوْعَاتُهَا ٥

وَالصّٰٓفّٰتِ صَفًّا ۙ فَالزّٰجِرٰتِ زَجْرًا ۙ فَالتّٰلِيٰتِ ذِكْرًا ۙ اِنَّ اِلٰهَكُمْ لَوَاحِدٌ ۗ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشَارِقِ ۗ اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَآءَ الدُّنْيَا بِزِيْنَةِ ِۨالْكَوَاكِبِ ۙ وَحِفْظًا مِّنْ كُلِّ شَيْطٰنٍ مَّارِدٍ ۚ لَا يَسَّمَّعُوْنَ اِلَى الْمَلَاِ الْاَعْلٰى وَيُقْذَفُوْنَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ ۖ دُحُوْرًا وَّلَهُمْ عَذَابٌ وَّاصِبٌ ۙ اِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَاَتْبَعَهٗ شِهَابٌ ثَاقِبٌ

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

शुरू अल्लाह के नाम से जो बेहद मेहरबान निहायत रहम वाला है।

वस्सॉफ़्फ़ाति सफ़्फ़ा (1) फ़ज़्ज़ाजिराति ज़ज्रा (2) फ़त्तालियाति ज़िक्रा (3) इन्-न इला-हकुम् लवाहिद् (4) रब्बुस्समावाति वल्-अर्ज़ि व मा बैनहुमा व रब्बुल्-मशारिक़् (5) इन्ना ज़य्यन्नस्समा-अद्दुन्या बिज़ी-नति-निल्-कवाकिब (6) व हिफ़्ज़म् मिन् कुल्लि शैतानिम्-मारिद (7) ला यस्सम्मअ़ू-न इलल् म-लइल्-अअ़्ला व युक़्ज़फ़ू-न मिन् कुल्लि जानिब (8) दुहूरंव्-व लहुम् अ़ज़ाबुंव्-वासिब् (9)

क़सम है सफ़ बाँधने वालों की क़तार होकर। (1) फिर डाँटने वालों की झिड़क कर। (2) फिर पढ़ने वालों की याद कर कर। (3) बेशक हाकिम तुम सब का एक है। (4) रब आसमानों का और ज़मीन का और जो कुछ उनके बीच में है, और रब मश्रिक़ों का। (5) हमने रौनक़ दी वरले आसमान को एक रौनक़ जो तारे हैं (6) और बचाव बनाया हर शैतान सरकश से। (7) सुन नहीं सकते ऊपर की मज्लिस तक और फेंके जाते हैं उन पर हर तरफ़ से (8) भगाने को और उन पर मार है हमेशा को। (9)

इल्ला मन् ख़ातिफ़ल्-ख़त्फ़-त फ़-अत्ब-अ़हू शिहाबुन् साक़िब (10)	मगर जो कोई उचक लाया झप से फिर पीछे लगा उसके चमकता अंगारा। (10)

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

क़सम है उन फ़रिश्तों की जो (इबादत में या हक़ तआ़ला का हुक्म सुनने के वक़्त) सफ़ बाँधकर खड़े होते हैं (जैसा कि इसी सूरत में आगे आयेगा 'व इन्ना ल-नहनुस्साफ़्फ़ून') फिर (क़सम है) उन फ़रिश्तों की जो (शिहाबे साक़िब के ज़रिये आसमानी ख़बरें लाने से शैतानों की) बन्दिश करने वाले हैं (जैसा कि इसी सूरत में आगे आ रहा है) फिर (क़सम है) उन फ़रिश्तों की जो (अल्लाह के) ज़िक्र (यानी उसकी तारीफ़ व पाकीज़गी) की तिलावत करने वाले हैं (जैसा कि इसी सूरत में आयेगा 'व इन्ना ल-नहनुल्-मुसब्बिहून' ग़र्ज़ कि इन सब की क़सम खाकर कहते हैं) कि तुम्हारा माबूद (बरहक़) एक है (और इस तौहीद "एक होने" की दलील यह है कि) वह परवर्दिगार है आसमानों का और ज़मीन का और जो कुछ उनके बीच में है (यानी उनका मालिक और इख़्तियार चलाने वाला) और परवर्दिगार है (सब सितारों के) निकलने और उदय करने के स्थानों का। (और) हम ही ने रौनक़ दी है इस तरफ़ वाले आसमान को एक अ़जीब सजावट यानी सितारों के साथ। और (उन्हीं सितारों के साथ इस आसमान की यानी इसकी ख़बरों की) हिफ़ाज़त भी की है हर शरीर शैतान से (जिसका तरीक़ा आगे बयान किया गया है। और इसी हिफ़ाज़त के इन्तिज़ाम की वजह से) वे शयातीन ऊपर के जहान (यानी फ़रिश्तों) की (बातों की) तरफ़ कान भी नहीं लगा सकते (यानी अक्सर तो मार खाने के डर से दूर ही दूर रहते हैं) और (अगर कभी इत्तिफ़ाक़न इसकी कोशिश करते भी हैं तो) वे हर तरफ़ से (यानी जिस तरफ़ भी जो शैतान जाये) मारकर धक्के दिये जाते हैं। (यह अ़ज़ाब और ज़िल्लत तो उन्हें फ़िलहाल मिलती है) और (फिर आख़िरत में) उनके लिये (जहन्नम का) हमेशा का अ़ज़ाब होगा। (ग़र्ज़ कि कोई आसमानी ख़बर सुनने से पहले ही उन्हें मार भगाया जाता है, वे सुनने का इरादा लेकर आते हैं मगर नाकाम रहते हैं) मगर जो शैतान कुछ ख़बर ले ही भागे तो एक दहकता हुआ शोला उसके पीछे लग लेता है (कि उसको जलाकर फूँक देता है। लिहाज़ा जो कुछ सुना है उसे दूसरों तक पहुँचाने में नाकाम रहता है। ये सारे के सारे इन्तिज़ामात और क़ब्ज़ा व इख़्तियारात अल्लाह की तौहीद "यानी उसके एक होने" पर दलालत करते हैं)।

मआ़रिफ़ व मसाईल

इस सूरत के मज़ामीन

यह सूरत मक्की है और दूसरी मक्की सूरतों की तरह इसका बुनियादी विषय भी ईमान से मुताल्लिक़ बातें हैं और इसमें तौहीद, रिसालत और आख़िरत के अ़क़ीदों को मुख़्तलिफ़ तरीक़ों से दलीलों के साथ साबित किया गया है। इसी सिलसिले में मुश्रिकों के अ़क़ीदों का रद्द भी है, और आख़िरत में जन्नत व दोज़ख़ के हालात का मन्ज़र पेश किया गया है। जो अ़क़ीदे तमाम अम्बिया

अलैहिमुस्सलाम की दावत में शामिल रहे उनको दलील से मज़बूत करने और काफ़िरों के शुब्हात व एतिराज़ात को दूर करने के बाद यह बयान किया गया है कि गुज़रे ज़माने में जिन लोगों ने इन अक़ीदों को तस्लीम किया उनके साथ अल्लाह तआला का मामला क्या रहा? और जिन्होंने कुफ़ व शिर्क की राह इख़्तियार की उनका क्या अन्जाम हुआ? चुनाँचे इस सिलसिले में हज़रत नूह, हज़रत इब्राहीम और उनके बेटों, हज़रत मूसा व हारून, हज़रत इलियास, हज़रत लूत और हज़रत यूनुस अलैहिमुस्सलाम के वाकिआत कहीं मुख़्तसर तौर पर और कहीं तफ़सील से ज़िक्र किये गये हैं।

मक्का के मुश्रिक लोग फ़रिश्तों को ख़ुदा की बेटियाँ कहा करते थे, आख़िर में इस अक़ीदे को विस्तार से रद्द किया गया है। इस सूरत के मजमूई तर्ज़ से यह मालूम होता है कि इस सूरत में शिर्क की इस ख़ास क़िस्म (यानी फ़रिश्तों को ख़ुदा की बेटियाँ क़रार देने) की तरदीद (रद्द करना) ख़ास तौर पर पेशे नज़र रही है। इसी लिये सूरत को फ़रिश्तों की क़सम खाकर और उनकी बन्दगी की सिफ़ात को ज़िक्र करके शुरू किया गया है। वल्लाहु सुब्हानहू व तआला आलम

पहला मज़मून तौहीद

इस सूरत को तौहीद (अल्लाह के एक और अकेला माबूद होने) के अक़ीदे के बयान से शुरू किया गया है और पहली चार आयतों का असल मक़सद यह बयान करना है कि 'इन्-न इला-हकुम् लवाहिद' (बिला शुब्हा तुम्हारा माबूद एक है) लेकिन इस बात को बयान करने से पहले तीन क़समें खाई गई हैं, उन क़समों का सादा लफ़्ज़ी तर्जुमा यह है:

"क़सम सफ़ बाँधकर खड़े होने वालों की। फिर क़सम बन्दिश करने वालों की। फिर क़सम ज़िक्र की तिलावत करने वालों की।"

ये "सफ़ बाँधकर खड़े होने वाले", "बन्दिश करने वाले" और "ज़िक्र की तिलावत करने वाले" कौन हैं? क़ुरआने करीम के अलफ़ाज़ में इसकी स्पष्टता नहीं है इसलिये इसकी तफ़सीर में मुख़्तलिफ़ बातें कही गई हैं। कुछ हज़रात का कहना है कि इनसे मुराद अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने वाले वे ग़ाज़ी हैं जो सफ़ बाँधकर खड़े होते हैं, ताकि बातिल की क़ुव्वतों पर बन्दिश लगायें और सफ़ बाँधते वक़्त "ज़िक्र" व तस्बीह और तिलावते क़ुरआन में भी मशग़ूल रहते हैं।

कुछ हज़रात ने कहा कि इनसे मुराद वे नमाज़ी हैं जो मस्जिद में सफ़ बाँधकर शैतानी ख़्यालात व सोच और आमाल पर "बन्दिश" लगाते हैं, और अपना पूरा ध्यान "ज़िक्र व तिलावत" पर केन्द्रित कर देते हैं। (तफ़सीरे कबीर व क़ुर्तुबी) और इसके अलावा भी कुछ तफ़सीरें बयान की गई हैं जो क़ुरआन के अलफ़ाज़ के साथ ज़्यादा मुनासबत नहीं रखतीं। लेकिन मुफ़स्सिरीन की अक्सरियत के यहाँ जिस तफ़सीर को सबसे ज़्यादा मक़बूलियत व पसन्दीदगी हासिल हुई वह यह है कि इनसे मुराद फ़रिश्ते हैं और यहाँ उनकी तीन सिफ़तें बयान की गई हैं:

पहली सिफ़त 'अस्साफ़्फ़ाति सफ़्फ़न्' है। यह लफ़्ज़ "सफ़" से निकला है और इसके मायने हैं "किसी जमाअ़त और भीड़ को एक लकीर पर ठीक रखना"। (तफ़सीरे क़ुर्तुबी) लिहाज़ा इसके मायने हुए "सफ़ बाँधकर खड़े होने वाले।"

फ़रिश्तों की सफ़बन्दी का ज़िक्र इसी सूरत में आगे चलकर भी आया है। फ़रिश्ते ख़ुद अपने बारे

में कहते हैं 'व इन्ना ल-नहनुस्साफ़्फ़ून' (यानी बिला शुब्हा हम सब सफ़ बाँधे खड़े रहते हैं)। यह सफ़-बन्दी कब होती है? इसके जवाब में कुछ मुफ़स्सिरीन हज़रात जैसे हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु, हज़रत हसन बसरी और हज़रत क़तादा रह. ने यह फ़रमाया कि फ़रिश्ते हमेशा फ़िज़ा (ज़मीन व आसमान के बीच) में सफ़ बाँधे अल्लाह के हुक्म के लिये अपने कान लगाये रहते हैं, और जब कोई हुक्म मिलता है उसकी तामील करते हैं। (तफ़सीरे मज़हरी) और कुछ हज़रात ने इसे इबादत के वक़्त के साथ मख़्सूस किया है, यानी जब फ़रिश्ते इबादत और ज़िक्र व तस्बीह में मशग़ूल होते हैं तो सफ़ बाँध लेते हैं। (तफ़सीरे कबीर)

व्यवस्था और इन्तिज़ाम दीन में पसन्दीदा है

इस आयत से मालूम हुआ कि हर काम में नज़्म व ज़ब्त (व्यवस्था व इन्तिज़ाम) और तरतीब व सलीक़े का लिहाज़ रखना दीन में पसन्दीदा और अल्लाह तआ़ला को महबूब है। ज़ाहिर है कि अल्लाह तआ़ला की इबादत हो या उसके अहकाम की तामील, ये दोनों मक़सद इस तरह भी हासिल हो सकते थे कि फ़रिश्ते सफ़ बाँधने के बजाय एक ग़ैर-मुनज़्ज़म (अव्यवस्थित) भीड़ की शक्ल में जमा हो जाया करें, लेकिन इस बद-नज़्मी के बजाय उन्हें सफ़बन्दी की तौफ़ीक़ दी गई और इस आयत में उनकी अच्छी सिफ़ात में सबसे पहले इसी सिफ़त व ख़ूबी को ज़िक्र करके बता दिया गया कि अल्लाह तआ़ला को उनकी यह अदा बहुत पसन्द है।

नमाज़ में सफ़ों का सही करना और उसकी अहमियत

चुनाँचे इनसानों को भी इबादत के दौरान इस सफ़बन्दी की तरग़ीब (रुचि व दिलचस्पी) और ताकीद की गई है। हज़रत जाबिर बिन समुरा रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने हम से फ़रमाया- "तुम (नमाज़ में) उस तरह सफ़बन्दी क्यों नहीं करते जिस तरह फ़रिश्ते अपने रब के हुज़ूर करते हैं?" सहाबा रज़ियल्लाहु अ़न्हुम ने पूछा- "फ़रिश्ते अपने रब के हुज़ूर किस तरह सफ़बन्दी करते हैं?" आपने जवाब दिया- "वे सफ़ों को पूरा करते हैं और सफ़ में मिलकर खड़े होते हैं (यानी बीच में ख़ाली जगह नहीं छोड़ते)।" (तफ़सीरे मज़हरी)

नमाज़ में सफ़ों को पूरा करने और सीधा रखने की ताकीद में इतनी हदीसें बयान हुई हैं कि उनसे एक पूरा रिसाला (छोटी पुस्तक) बन सकता है। हज़रत अबू मसऊद बदरी रज़ियल्लाहु अ़न्हु फ़रमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम नमाज़ में हमारे कन्धों को हाथ लगाकर फ़रमाया करते थे- "सीधे रहो, आगे पीछे मत हो वरना तुम्हारे दिलों में इख़्तिलाफ़ पैदा हो जायेगा।"

(जमउल्-फ़वाइद, मुस्लिम व नसाई के हवाले से, पेज 92 जिल्द 1)

फ़रिश्तों की दूसरी सिफ़त 'फ़ज़्ज़ाजिराति ज़ज्रन्' बयान की गई है। यह लफ़्ज़ "ज़जरुन्" से निकला है जिसके मायने हैं "रोकना", "डाँटना", "फटकारना"। हज़रत थानवी रह. ने इसका तर्जुमा "बन्दिश करने वाले" से किया है जो लफ़्ज़ के हर मुम्किन मफ़्हूम को अपने अन्दर लिये हुए है। फ़रिश्ते किस चीज़ पर बन्दिश लगाते हैं? क़ुरआने करीम के मज़मून को सामने रखते हुए ज़्यादातर मुफ़स्सिरीन ने इसका यह जवाब दिया है कि यहाँ "बन्दिश लगाने से" मुराद फ़रिश्तों का वह अ़मल है जिसके ज़रिये वे शैतानों को ऊपर के जहान तक पहुँचने से रोकते हैं और जिसका तफ़सीली ज़िक्र

ख़ुद क़ुरआने करीम में आगे आ रहा है।

तीसरी सिफ़त 'फ़त्तालियाति ज़िक्रन्' है। यानी ये फ़रिश्ते "ज़िक्र" की तिलावत करने वाले हैं। "ज़िक्र" का मफ़्हूम "नसीहत की बात" भी है और "अल्लाह की याद" भी। पहली सूरत में मतलब यह होगा कि अल्लाह तआ़ला ने आसमानी किताबों के ज़रिये जो नसीहत की बातें नाज़िल की हैं ये उनकी तिलावत करने वाले हैं। और यह तिलावत बरकत के हासिल करने और इबादत के तौर पर भी हो सकती है और यह भी मुम्किन है कि इससे वही (अल्लाह का पैग़ाम) लाने वाले फ़रिश्ते मुराद हों कि वे अम्बिया अ़लैहिस्सलाम के सामने उन नसीहत की किताबों की तिलावत करके उन्हें अल्लाह का पैग़ाम पहुँचाते हैं। और दूसरी सूरत में जबकि "ज़िक्र" से मुराद ख़ुदा की याद ली जाये तो इसका मतलब यह होगा कि ये हर दम उन कलिमात की तिलावत में मसरूफ़ रहते हैं जो अल्लाह की तस्बीह व पाकीज़गी पर दलालत करते हैं।

यहाँ क़ुरआने करीम ने फ़रिश्तों की ये तीन सिफ़ात ज़िक्र करके बन्दगी के तमाम औसाफ़ (सिफ़तों और गुणों) को जमा कर दिया है। यानी इबादत के लिये सफ़ बाँधकर रहना, शैतानी ताक़तों को अल्लाह की नाफ़रमानी से रोकना और अल्लाह के अहकाम व नसीहतों को ख़ुद पढ़ना और दूसरों तक पहुँचाना। और ज़ाहिर है कि बन्दगी का कोई अ़मल इन तीन शोबों (विभागों) से ख़ाली नहीं हो सकता, लिहाज़ा चारों आयतों का मफ़्हूम यह हो गया कि "जो फ़रिश्ते बन्दगी की तमाम सिफ़तों के हामिल हैं उनकी क़सम! तुम्हारा माबूदे बरहक़ एक ही है।"

फ़रिश्तों की क़सम क्यों खाई गई?

इस सूरत में ख़ास तौर पर फ़रिश्तों की क़सम खाने की वजह यह मालूम होती है कि जैसा कि पहले अ़र्ज़ किया गया इस सूरत का असल विषय शिर्क की उस ख़ास किस्म की तरदीद (रद्द करना और नकारना) है जिसके तहत मक्का के लोग फ़रिश्तों को अल्लाह की बेटियाँ कहा करते थे। चुनाँचे सूरत के शुरू ही में फ़रिश्तों की क़सम खाकर उनकी वो सिफ़तें और गुण बयान कर दिये गये जिनसे उनकी मुकम्मल बन्दगी का इज़्हार होता है। गोया मतलब यह है कि फ़रिश्तों की इन बन्दगी की सिफ़तों पर ग़ौर करोगे तो वे ख़ुद तुम्हारे सामने इस बात की गवाही देंगे कि अल्लाह तआ़ला के साथ उनका रिश्ता बाप बेटी का नहीं बल्कि बन्दे व आक़ा का है।

हक़ तआ़ला का क़सम खाना और उसके मुताल्लिक़ अहकाम और सवाल व जवाब

क़ुरआन मजीद में हक़ तआ़ला ने ईमान और अ़क़ीदों के बहुत से उसूली मसाईल की ताकीद के लिये मुख़्तलिफ़ तरह की क़समें खाई हैं। कभी अपनी ज़ात की, कभी अपनी मख़्लूक़ात में से ख़ास ख़ास चीज़ों की। इसके मुताल्लिक़ बहुत से सवालात होते हैं, इसी लिये क़ुरआन शरीफ़ की तफ़सीर में यह एक मुस्तक़िल उसूली मसला बन गया है। हाफ़िज़ इब्ने क़य्यिम रह. ने इस पर एक मुस्तक़िल किताब "अत्तिबयान फ़ी अक़सामिल-क़ुरआन" लिखी है। अ़ल्लामा सुयूती रह. ने अपनी उसूले

तफ़सीर की किताब "इतक़ान" में मबाहिस की 67वीं क़िस्म इसको क़रार देकर तफ़सील के साथ कलाम किया है। यहाँ कुछ ज़रूरी हिस्से लिखे जाते हैं।

पहला सवालः अल्लाह तआ़ला के क़सम खाने में फ़ितरी तौर पर यह सवाल पैदा होता है कि हक़ तआ़ला सबसे बेपरवाह हैं (उनको किसी की ज़रूरत नहीं) उनको क्या ज़रूरत है कि किसी को यक़ीन दिलाने के लिये क़सम खायें?

'इतक़ान' में अबू क़ासिम क़ुशैरी रह. से इस सवाल के जवाब में यह लिखा है कि हक़ तआ़ला को तो कोई ज़रूरत क़सम खाने की न थी मगर उसको जो शफ़क़त व रहमत अपनी मख़्लूक़ पर है उसने इसका तक़ाज़ा किया कि किसी तरह ये लोग हक़ को क़ुबूल करें और अ़ज़ाब से बच जायें। एक देहाती ने जब यह आयतः

وَفِي السَّمَآءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوْعَدُوْنَ ۝ فَوَرَبِّ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ اِنَّهٗ لَحَقٌّ

सुनी तो कहने लगा कि अल्लाह जैसी अ़ज़ीमुश्शान हस्ती को किसने नाराज़ किया है कि उसको क़सम खाने पर मजबूर कर दिया।

ख़ुलासा यह है कि मख़्लूक़ पर शफ़क़त व रहमत का तक़ाज़ा है कि जिस तरह दुनिया के झगड़े चुकाने और विवाद मिटाने का परिचित तरीक़ा यह है कि दावे पर गवाही पेश की जाये, गवाही न हो तो क़सम खाई जाये, इसी तरह हक़ तआ़ला ने इनसान के इस मानूस तरीक़े को इख़्तियार फ़रमाया है, कहीं तो गवाही के अलफ़ाज़ से मज़मून की ताकीद फ़रमाई जैसेः

شَهِدَ اللّٰهُ اَنَّهٗ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ...... الاية

(सूरः आले इमरान आयत 18) और कहीं क़सम के अलफ़ाज़ से जैसेः

اِیْ وَرَبِّیْٓ اِنَّهٗ لَحَقٌّ

(सूरः यूनुस आयत 53) वग़ैरह।

दूसरा सवाल यह है कि क़सम अपने से बहुत बड़े की खाई जाती है, हक़ तआ़ला ने अपनी मख़्लूक़ात (पैदा की हुई चीज़ों) की क़सम खाई जो हर हैसियत से कमतर हैं?

जवाब यह है कि जब हक़ तआ़ला से बड़ी कोई ज़ात न है न हो सकती है तो यह ज़ाहिर है कि हक़ तआ़ला की क़सम आ़म मख़्लूक़ की क़सम की तरह नहीं हो सकती। इसलिये हक़ सुब्हानहू व तआ़ला ने कहीं अपनी पाक ज़ात की क़सम खाई है जैसे (सूरः यूनुस आयत 53 में) और इस तरह ज़ाते हक़ की क़समें क़ुरआन में सात जगह आई हैं। और कहीं अपने कामों व सिफ़ात की और क़ुरआन की क़सम खाई है जैसेः

وَالسَّمَآءِ وَمَا بَنٰهَا ۝ وَالْاَرْضِ وَمَا طَحٰهَا ۝ وَنَفْسٍ وَّمَا سَوّٰهَا ۝

(यानी सूरः वश्शम्सि में) और ज़्यादातर क़समें अपने किये हुए कामों (यानी क़ुदरत की कारीगरी) और मख़्लूक़ की इस्तेमाल हुई हैं, जो अल्लाह की पहचान का ज़रिये होने की हैसियत से उसी की ज़ात की तरफ़ लौटती हैं। (इमाम इब्ने क़य्यिम ने यही मज़मून बयान किया है)

मख़्लूक़ात में से जिन चीज़ों की क़सम खाई गई है कहीं तो उससे उस चीज़ की बड़ाई व फ़ज़ीलत का बयान करना मक़सूद होता है जैसा कि क़ुरआने करीम में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व

सल्लम की उम्र की कसम आई है:

لَعَمْرُكَ اِنَّهُمْ لَفِیْ سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُوْنَO

(सूरः हिज्र आयत 72) इब्ने मरदूया ने हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु का यह कौल नक़्ल किया है कि अल्लाह तआ़ला ने कोई मख़्लूक़ और कोई चीज़ दुनिया में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की ज़ाते गिरामी से ज़्यादा सम्मानित और इज़्ज़त वाली नहीं पैदा की, यही वजह है कि पूरे क़ुरआन मजीद में किसी नबी व रसूल की ज़ात की क़सम नहीं आई, सिर्फ़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की उम्र की क़सम उक्त आयत में आई है। इसी तरह:

وَالطُّوْرِ وَكِتَابٍ مَّسْطُوْرٍO

(सूरः तूर आयत 1 व 2) की क़सम भी तूर और किताब की बड़ाई और ऊँचा मक़ाम ज़ाहिर करने के लिये आई है।

और कई बार किसी मख़्लूक़ की क़सम इसलिये खाई गई है कि वह बहुत ज़्यादा फ़ायदों वाली है, जैसे 'वत्तीनि वज़्ज़ैतूनि' (यानी इन्जीर व ज़ैतून की क़सम) और कुछ जगहों पर किसी मख़्लूक़ की क़सम इसलिये खाई है कि उसकी पैदाईश और बनाने से अल्लाह तआ़ला की अ़ज़ीम क़ुदरत का इज़हार और इस दुनिया को बनाने वाले की पहचान का अहम ज़रिया है। और उमूमन जिस चीज़ की क़सम खाई गई है उसको उस मज़मून के साबित करने में कुछ दख़ल ज़रूर होता है जिस मज़मून के लिये क़सम खाई है, जो हर जगह ग़ौर करने से मालूम होता है।

तीसरा सवाल यह है कि शरीअ़त का मशहूर हुक्म आ़म इनसानों के लिये यह है कि अल्लाह तआ़ला के सिवा किसी की क़सम खाना जायज़ नहीं, हक़ तआ़ला की तरफ़ से ख़ुद मख़्लूक़ात की क़सम खाना क्या इसकी दलील नहीं कि दूसरों के लिये भी ग़ैरुल्लाह की क़सम जायज़ है? इसके जवाब में हज़रत हसन बसरी रह. ने फ़रमाया है:

اِنَّ اللّٰهَ يقسم بما شاء من خلقه وليس لاحد ان يقسم الا باللّٰه. (رواه ابن ابی حاتم ازمظهری)

"अल्लाह तआ़ला को इख़्तियार है कि वह अपनी मख़्लूक़ात में से जिस चीज़ की चाहे क़सम खाये, मगर किसी दूसरे के लिये अल्लाह के सिवा किसी की क़सम खाना जायज़ नहीं।"

मतलब यह है कि अपने आपको अल्लाह जल्ल शानुहू पर क़ियास करना ग़लत और बातिल है, जब अल्लाह के क़ानून में आ़म इनसानों के लिये ग़ैरुल्लाह की क़सम वर्जित और मना कर दी गई तो अल्लाह तआ़ला के अपने ज़ाती फ़ेल से उसके ख़िलाफ़ दलील पकड़ना बातिल है।

इसके बाद उपरोक्त आयतों की तफ़सीर पर ग़ौर फ़रमाईये।

पहली चार आयतों में फ़रिश्तों की क़सम खाकर यह बयान किया गया है कि तुम सब का असली और सच्चा माबूद एक है। अगरचे क़सम के दौरान फ़रिश्तों की सिफ़ात भी वो ज़िक्र की गई हैं जिन पर थोड़ा-सा भी ग़ौर कर लिया जाये तो वो तौहीद के अ़क़ीदे ही की दलील मालूम होती हैं, लेकिन आगे की छह आयतों में तौहीद की दलील मुस्तक़िल बयान की गई है। इरशाद है:

رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشَارِقِO

(वह परवर्दिगार है आसमानों और ज़मीन और इनके बीच जितनी मख़्लूक़ात हैं उनका, और परवर्दिगार है मश्रिक़ों का) तो जो ज़ात इतनी अज़ीम मख़्लूक़ात की पैदा करने वाली और परवर्दिगार हो इबादत की मुस्तहिक़ भी वही है, और यह सारी कायनात उसके वजूद और एक होने की दलील है। यहाँ मशारिक़ मश्रिक़ (सूरज के निकलने की जगह) की जमा (बहुवचन) है, और चूँकि सूरज साल के हर दिन में एक नई जगह से निकलता है इसलिये उसकी मश्रिक़ें (उदय-स्थल) बहुत सारी हैं, इसी बिना पर यहाँ जमा का लफ़्ज़ लाया गया है।

إِنَّا زَيَّنَّا السَّمَآءَ الدُّنْيَا بِزِينَةِ ۨالْكَوَاكِبِ ٥

इसमें 'दुनिया वाले आसमान' से मुराद सबसे नज़दीक वाला आसमान है। और मतलब यह है कि हमने इस नज़दीक वाले आसमान को सितारों के ज़रिये ज़ीनत बख़्शी है। अब यह कोई ज़रूरी नहीं कि ये सितारे ठीक आसमान के अन्दर हों, बल्कि अगर उससे अलग हों तब भी ज़मीन से देखा जाये तो वे आसमान ही पर मालूम होते हैं और उनकी वजह से आसमान जगमगाता नज़र आता है। बतलाना सिर्फ़ इस क़द्र है कि यह तारों भरा आसमान इस बात की दलील है कि वह ख़ुद-ब-ख़ुद वजूद में नहीं आ गया बल्कि उसे पैदा करने वाले ने पैदा किया है, और जो ज़ात इतनी अज़ीमुश्शान चीज़ों को वजूद में ला सकती है उसे किसी शरीक और साझी की क्या ज़रूरत है? साथ ही यह कि जब यह बात मुश्रिकों के नज़दीक भी तयशुदा है कि इन तमाम आसमानी जिस्मों (यानी सितारों, चाँद सूरज और ग्रहों वग़ैरह) का ख़ालिक़ अल्लाह तआ़ला है तो यह बड़े ज़ुल्म की बात है कि ख़ालिक़ व मालिक तो वह हो और इबादत किसी और की की जाये।

रहा यह मसला कि सितारे क़ुरआन के एतिबार से आसमान में जड़े हुए हैं या उससे अलग हैं? और यह कि क़ुरआने करीम का आकाशीय इल्म के साथ क्या ताल्लुक़ है? इस विषय पर विस्तार पूर्वक बहस सूरः हिज्र में गुज़र चुकी है।

وَحِفْظًا مِّنْ كُلِّ شَيْطٰنٍ مَّارِدٍ ٥............... فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ ٥

इन आयतों (यानी आयत 7-10) में ज़ीनत व सजावट के अ़लावा सितारों का एक फ़ायदा यह भी बयान किया गया है कि उनके ज़रिये शरीर क़िस्म के शैतानों को ऊपर के जहान की बातें सुनने से रोका जाता है। वे ग़ैबी ख़बरों की सुनगुन लेने के लिये आसमान के क़रीब जाते हैं लेकिन उन्हें फ़रिश्तों की बातें सुनने का मौक़ा नहीं दिया जाता, कोई शैतान अगर कोई आधी तिहाई बात सुन भागता है तो उसे एक दहकते हुए शोले के ज़रिये मार लगाई जाती है ताकि वह दुनिया में पहुँचकर अपने मानने वाले काहिनों और नजूमियों को कुछ बता न सके। इसी दहकते हुए शोले को "शिहाबे साक़िब" कहा गया है।

"शिहाबे साक़िब" की कुछ तफ़सील सूरः हिज्र में गुज़र चुकी है। यहाँ इतनी तंबीह ज़रूरी है कि पुराने यूनानी फ़्लॉस्फ़र इस बात के क़ायल थे कि "शिहाबे साक़िब" असल में कोई ज़मीनी माद्दा होता है जो बुख़ारात (भाप) के साथ ऊपर चला जाता है और आग के कुर्रे के क़रीब पहुँचकर जल उठता है, लेकिन क़ुरआने करीम के ज़ाहिरी अलफ़ाज़ से यह मालूम होता है कि "शिहाबे साक़िब" कोई ज़मीनी माद्दा नहीं बल्कि ऊपर के जहान ही में पैदा होने वाली कोई चीज़ है। पहले ज़माने के क़ुरआन

के मुफ़स्सिरीन इस मौक़े पर यह कहते आये हैं कि यूनानी फ़ल्सफ़े का यह ख़्याल कि "शिहाबे साक़िब" कोई ज़मीनी माद्दा है महज़ क़्यास और अन्दज़े पर आधारित है इसलिये इससे क़ुरआन पर कोई एतिराज़ नहीं हो सकता। इसके अ़लावा अगर कोई ज़मीनी माद्दा ऊपर जाकर जल जाता हो तो क़ुरआने करीम से इसकी भी कोई टकराने वाली बात और विरोधाभास नहीं।

लेकिन आज की नई साइंसी तहक़ीक़ात ने यह सवाल ही ख़त्म कर दिया है। मौजूदा वैज्ञानिकों का ख़्याल यह है कि "शिहाबे साक़िब" अनगिनत सितारों ही के छोटे-छोटे टुकड़े होते हैं और उमूमन बड़ी-बड़ी ईंटों के बराबर। और ये अनगिनत टुकड़े फ़िज़ा में रहते हैं, इन्हीं का एक मजमूआ़ "असदिया" कहलाता है जो सूरज के गिर्द चाँद के जैसी शक्ल में गर्दिश करता रहता है, और उसका एक दौरा 33 साल में पूरा होता है। उन टुकड़ों की रोशनी उनकी तेज़-रफ़्तारी और ख़ला में मौजूद जिस्म व माद्दों की रगड़ से पैदा होती है, ये टुकड़े 10 अगस्त और 27 नवम्बर की रातों में ज़्यादा गिरते हैं, और 20 अप्रैल, 28 नवम्बर, 18 अक्तूबर और 6, 9, 13 दिसम्बर की रातों में कम हो जाते हैं। (तफ़सीरुल-जवाहिर, अ़ल्लामा तन्तावी पेज 15 जिल्द 8)

जदीद साइंस (आधुनिक विज्ञान) की यह तहक़ीक़ क़ुरआनी अन्दाज़े बयान के ज़्यादा मुताबिक़ है, अलबत्ता जो लोग "शिहाबे साक़िब" के ज़रिये शैतानों के मारे जाने को गुमान से दूर की बात समझते हैं उनके बारे में अ़ल्लामा तन्तावी मरहूम ने 'अल्-जवाहिर' में बड़ी अच्छी बात लिखी है:

> "हमारे पूर्वजों और फ़्लॉस्फ़रों को भी यह बात भारी महसूस होती थी कि क़ुरआने करीम उनके ज़माने के आकाशीय विज्ञान के ख़िलाफ़ कोई बात कहे, लेकिन मुफ़स्सिरीन इस बात पर राज़ी नहीं हुए कि उनके फ़ल्सफ़ियाना नज़रियों को क़ुबूल करके क़ुरआन को छोड़ दें, इसके बजाय उन्होंने उन फ़ल्सफ़ियाना नज़रियों को छोड़ा और क़ुरआन के साथ रहे। कुछ अ़रसे के बाद ख़ुद-ब-ख़ुद साबित हो गया कि पुराने यूनानी फ़्लॉस्फ़रों का ख़्याल बिल्कुल बातिल और ग़लत था। अब बताईये कि अगर हम यह तस्लीम कर लें कि ये सितारे शैतानों को जलाते, मारते और तकलीफ़ पहुँचाते हैं तो इसमें कौनसी रुकावट है? हम क़ुरआने करीम के इस बयान को तस्लीम करते हुए भविष्य के इन्तिज़ार में हैं (जब विज्ञान भी इस हक़ीक़त को तस्लीम कर लेगा)।
>
> (जवाहिर, पेज 14 जिल्द 8)

असल मक़सद

यहाँ आसमानों, सितारों और शिहाबे साक़िब का तज़किरा करने से एक मक़सद तो तौहीद (अल्लाह के एक और अकेला माबूद होने) को साबित करना है कि जिस ज़ात ने अकेले और तन्हा इतने ज़बरदस्त आ़लमी इन्तिज़ामात किये हुए हैं वही इबादत के लायक़ भी है। दूसरे इसी दलील में उन लोगों के ख़्याल की तरदीद भी कर दी गई है जो शैतानों को देवता या माबूद क़रार देते हैं, और जता दिया गया है कि ये तो एक मरदूद व क़हर का शिकार मख़्लूक़ हैं इनको ख़ुदाई से क्या वास्ता?

इसके अ़लावा इसी मज़मून में उन लोगों की भी भरपूर तरदीद मौजूद है जो क़ुरआने करीम का नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम पर नाज़िल होने वाली वही को काहिनों की कहानत से ताबीर किया करते थे। इन आयतों में इशारा कर दिया गया कि क़ुरआने करीम तो काहिनों (ज्योतिषियों और

ग़ैब की ख़बरें बताने वालों) की तरदीद करता है। ले-देकर उनकी मालूमात का सबसे बड़ा ज़रिया शैतान हैं, और क़ुरआन यह कहता है कि शैतानों की ऊपर के आ़लम तक पहुँच मुम्किन नहीं, वे ग़ैब की सच्ची ख़बरें नहीं ला सकते। जब कहानत के बारे में क़ुरआने करीम का बयान किया हुआ अ़क़ीदा यह है तो वह ख़ुद कहानत कैसे हो सकता है? इस तरह ये आयतें तौहीद और रिसालत दोनों मज़ामीन की तरफ़ इशारों पर मुश्तमिल हैं और आगे इन्हीं आसमानी मख़्लूक़ात के ज़रिये आख़िरत के अ़क़ीदे को साबित किया गया है।

فَاسْتَفْتِهِمْ أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمْ مَّنْ خَلَقْنَا ۚ إِنَّا خَلَقْنَاهُم مِّن طِينٍ لَّازِبٍ ﴿١١﴾ بَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخَرُونَ ﴿١٢﴾ وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ ﴿١٣﴾ وَإِذَا رَأَوْا آيَةً يَسْتَسْخِرُونَ ﴿١٤﴾ وَقَالُوا إِنْ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿١٥﴾ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ ﴿١٦﴾ أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ ﴿١٧﴾ قُلْ نَعَمْ وَأَنتُمْ دَاخِرُونَ ﴿١٨﴾

फ़स्तफ़्तिहिम् अ-हुम् अशद्दु ख़ल्क़न् अम्मन् ख़लक़्ना, इन्ना ख़लक़्नाहुम् मिन् तीनिल्-लाज़िब (11) बल् अ़जिब्-त व यस्ख़रून (12) व इज़ा ज़ुक्किरू ला यज़्कुरून (13) व इज़ा रऔ आ-यतंय्-यस्तस्ख़िरून (14) व क़ालू इन् हाज़ा इल्ला सिह्रुम्-मुबीन (15) अ-इज़ा मित्ना व कुन्ना तुराबंव्-व अ़िज़ामन् अ-इन्ना लमब्अ़ूसून (16) अ-व आबा-उनल्-अव्वलून (17) क़ुल् न-अ़म् व अन्तुम् दाख़िरून (18)	अब पूछ उनसे- क्या ये बनाने मुश्किल हैं या जितनी ख़ल्क़त कि हमने बनाई? हमने ही उनको बनाया है एक चिपकते गारे से। (11) बल्कि तू करता है ताज्जुब और वे करते हैं ठट्ठे। (12) और जब उनको समझाईये नहीं सोचते। (13) और जब देखें कुछ निशानी हंसी में डाल देते हैं (14) और कहते हैं कुछ नहीं! यह तो खुला जादू है। (15) क्या जब हम मर गये और हो गये मिट्टी और हड्डियाँ तो क्या हमको फिर उठायेंगे? (16) क्या और हमारे अगले बाप-दादों को भी? (17) तू कह कि हाँ और तुम ज़लील होगे। (18)

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

(जब तौहीद की दलीलों से मालूम हो गया कि अल्लाह तआ़ला इन अ़ज़ीमुश्शान मख़्लूक़ात में ऐसे-ऐसे बड़े उलट-फेर और कारगुज़ारी पर क़ादिर हैं और यह सारी अ़ज़ीम मख़्लूक़ात उसकी क़ुदरत के क़ब्ज़े में हैं) तो आप इन (आख़िरत का इनकार करने वालों) से पूछिये कि ये लोग बनावट में ज़्यादा सख़्त हैं या हमारी पैदा की हुई ये चीज़ें (जिनका अभी ज़िक्र हुआ? हक़ीक़त यही है कि यही

चीज़ें ज़्यादा सख़्त हैं, क्योंकि) हमने इन लोगों को (तो आदम अ़लैहिस्सलाम की पैदाईश के वक़्त इसी मामूली) चिपकती मिट्टी से पैदा किया है (जिसमें न कुछ क़ुव्वत है न सख़्ती, और इनसान जो इससे बना है वह भी ज़्यादा मज़बूत और सख़्त नहीं है, अब सोचने की बात है कि जब हम ऐसी ताक़तवर और सख़्त मख़्लूक़ात को अ़दम से वजूद में लाने पर क़ादिर हैं तो इनसान जैसी कमज़ोर मख़्लूक़ को एक बार मौत देकर दोबारा ज़िन्दा करने पर क्यों क़ुदरत न होगी? मगर ऐसी स्पष्ट दलील के बावजूद ये लोग आख़िरत के आने और संभावना के क़ायल नहीं हुए) बल्कि (इससे बढ़कर बात यह है कि) आप तो (इनके इनकार से) ताज्जुब करते हैं और ये लोग (इनकार से बढ़कर आख़िरत के अ़क़ीदे का) मज़ाक़ उड़ाते हैं। और जब इनको (अ़क़्ली दलील से) समझाया जाता है तो ये समझते नहीं। और जब कोई मोजिज़ा देखते हैं (जो आपकी नुबुव्वत साबित करने के लिये इनको दिखाया जाता है जिससे आख़िरत के अ़क़ीदे को साबित किया जाये) तो (ख़ुद) उसकी हंसी उड़ाते हैं, और कहते हैं कि यह तो खुला जादू है (क्योंकि अगर यह मोजिज़ा हो तो इससे आपकी नुबुव्वत साबित हो जायेगी और आपको नबी मानने के बाद आपका बयान किया हुआ आख़िरत का अ़क़ीदा भी मानना पड़ेगा, हालाँकि हम आख़िरत का अ़क़ीदा नहीं मान सकते, क्योंकि) भला जब हम मर गये और मिट्टी और हड्डियाँ हो गये तो क्या हम (फिर) ज़िन्दा किये जाएँगे? और क्या हमारे अगले बाप-दादा भी (ज़िन्दा होंगे?) आप कह दीजिये कि हाँ (ज़रूर ज़िन्दा होंगे) और तुम ज़लील भी होगे।

मआ़रिफ़ व मसाईल

तौहीद (अल्लाह के एक होने) के अ़क़ीदे को साबित करने के बाद इन आठ आयतों में आख़िरत के अ़क़ीदे का बयान है और उससे संबन्धित मुश्रिकों के शुब्हात का जवाब दिया गया है। सबसे पहली आयत में इनसानों के दोबारा ज़िन्दा होने की संभावना पर अ़क़्ली दलील पेश की गई है जिसका खुलासा यह है कि कायनात के जिन अ़ज़ीम जिस्मों (माद्दी चीज़ों) का ज़िक्र पिछली आयतों में किया गया है इनसान तो उनके मुक़ाबले में बहुत कमज़ोर मख़्लूक़ है। जब तुम यह तस्लीम करते हो कि अल्लाह तआ़ला ने फ़रिश्ते, चाँद, सितारे, सूरज और शिहाबे साक़िब जैसी मख़्लूक़ात अपनी क़ुदरत से पैदा फ़रमाई हैं तो उसके लिये इनसान जैसी कमज़ोर मख़्लूक़ को मौत देकर दोबारा ज़िन्दा कर देना क्या मुश्किल है? जिस तरह तुम्हें पहली बार में चिपकती हुई मिट्टी से बनाकर तुम में रूह फूँक दी थी इसी तरह जब तुम मरकर दोबारा ख़ाक हो जाओगे उस वक़्त फिर अल्लाह तआ़ला तुम्हें ज़िन्दगी अ़ता कर देगा।

और यह जो इरशाद फ़रमाया गया है कि "हमने उन्हें चिपकती हुई मिट्टी से पैदा किया" इससे मतलब या तो यह है कि उनके पूर्वज और बाप हज़रत आदम अ़लैहिस्सलाम को मिट्टी से पैदा किया गया था, और यह भी हो सकता है कि इससे मुराद हर इनसान हो। इसलिये अगर ग़ौर से देखा जाये तो हर इनसान की असल पानी मिली हुई मिट्टी होती है, वह इस तरह कि इनसान नुत्फ़े (वीर्य के क़तरे) से पैदा होता है, नुत्फ़ा ख़ून से बनता है, ख़ून ग़िज़ा से पैदा होता है और ग़िज़ा चाहे किसी शक्ल में हो उसकी असल पेड़-पौधे हैं, और पेड़-पौधे मिट्टी और पानी से पैदा होते हैं।

बहरहाल पहली आयत आख़िरत के अ़क़ीदे की अ़क़्ली दलील पर आधारित है, और इसे ख़ुद

उन्हीं से यह सवाल करके शुरू किया गया है कि तुम ज़्यादा सख़्त मख़्लूक़ हो या जिन मख़्लूक़ात का हमने ज़िक्र किया है वो ज़्यादा सख़्त हैं? जवाब ज़ाहिर था कि वही मख़्लूक़ात ज़्यादा सख़्त हैं इसलिये इसकी वज़ाहत करने के बजाय इसकी तरफ़ यह कहकर इशारा कर दिया गया है कि "हमने तो इन्हें चिपकती मिट्टी से पैदा किया है।"

इसके बाद की पाँच आयतों में उस प्रतिक्रिया का बयान किया गया है जो आख़िरत की दलीलें सुनकर मुश्रिक लोग ज़ाहिर करते हैं। मुश्रिकों के सामने आख़िरत के अ़क़ीदे की जो दलीलें बयान की जाती थीं वो दो क़िस्म की थीं- एक तो अ़क़्ली दलीलें जैसे पहली आयत में बयान किया गया, दूसरे किताबी और रिवायती दलीलें यानी उनको मोजिज़े दिखलाकर नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की नुबुव्वत व रिसालत का बयान किया जाता था और कहा जाता था कि आप अल्लाह के नबी हैं, नबी कभी झूठ नहीं बोल सकता, उसके पास आसमानी ख़बरें आती हैं। जब आप यह ख़बर दे रहे हैं कि क़ियामत आयेगी, दोबारा ज़िन्दा होकर उठना होगा, इनसानों से हिसाब-किताब लिया जायेगा तो यह ख़बर यक़ीनन सच्ची है इसे मान लेना चाहिये। जहाँ तक अ़क़्ली दलीलों पर मुश्रिक लोगों की प्रतिक्रिया का ताल्लुक़ है इसके बारे में इरशाद है:

بَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخَرُوْنَ○ وَاِذَا ذُكِّرُوْا لَا يَذْكُرُوْنَ○

यानी आपको तो इन लोगों पर यह ताज्जुब होता है कि कैसी स्पष्ट दलीलें सामने आने के बावजूद ये लोग नहीं मान रहे, लेकिन ये उल्टा आपकी दलीलों और अ़क़ीदों का मज़ाक़ उड़ाते हैं, और इन्हें कितना ही समझा लो समझकर नहीं देते। रही किताबी और मोजिज़े वाली दलीलें सो इसके बारे में उनकी प्रतिक्रिया यह है कि:

وَاِذَا رَاَوْا اٰيَةً يَّسْتَسْخِرُوْنَ○ ....الخ

यानी जब कोई मोजिज़ा देखते हैं जो आपकी नुबुव्वत और आख़िरकार आख़िरत के अ़क़ीदे पर दलालत करता है तो ये उसे भी मज़ाक़-ठट्ठों में उड़ाकर यह कह देते हैं कि यह तो खुला जादू है। और इस सारे मज़ाक़ व ठट्टा उड़ाने की उनके पास एक ही दलील है और वह यह है कि:

ءَ اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَّعِظَامًا ءَ اِنَّا لَمَبْعُوْثُوْنَ○ اَوَ اٰبَآؤُنَا الْاَوَّلُوْنَ○

यानी यह बात हमारे तसव्वुर व कल्पना में नहीं आती कि हम या हमारे बाप-दादा ख़ाक हो जाने और हड्डियाँ बन जाने के बाद दोबारा कैसे ज़िन्दा कर दिये जायेंगे? इसलिये हम न कोई अ़क़्ली दलील मानते हैं और न किसी मोजिज़े वग़ैरह को तस्लीम करते हैं। अल्लाह तआ़ला ने इसके जवाब में सिर्फ़ एक जुमला आख़िर में इरशाद फ़रमायाः

قُلْ نَعَمْ وَاَنْتُمْ دَاخِرُوْنَ○

"यानी आप कह दीजिये कि हाँ! तुम ज़रूर दोबारा ज़िन्दा होगे और ज़लील व रुस्वा होकर ज़िन्दा होगे।"

देखने में तो यह एक हाकिमाना जवाब है जैसा हठधर्मी करने वालों को दिया जाता है, लेकिन थोड़ा-सा ग़ौर किया जाये तो यह एक पूरी दलील भी है जिसकी वज़ाहत इमाम राज़ी रह. ने तफ़सीरे कबीर में की है, और वह इस तरह कि ऊपर दोबारा ज़िन्दा होने की अ़क़्ली दलील से साबित हो चुका

है कि इनसानों का मरकर फिर ज़िन्दा होना कोई नामुम्किन बात नहीं, और यह क़ायदा है कि जो बात अक़्ली तौर पर मुम्किन हो उसका हक़ीक़त में वजूद में आ जाना किसी सच्चे ख़बर देने वाले की ख़बर से साबित हो सकता है। जब यह बात तय हो गई कि दोबारा ज़िन्दा होना मुम्किन है तो इसके बाद किसी सच्चे नबी का सिर्फ़ इतना कह देना कि "हाँ! तुम ज़रूर दोबारा ज़िन्दा होगे" इस बात की निश्चित दलील है कि यह वाक़िआ ज़रूर पेश आकर रहेगा।

नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के मोजिज़ों का सुबूत

وَاِذَا رَاَوْا اٰيَةً يَّسْتَسْخِرُوْنَ۝............... الخ

में "आयत" लफ़्ज़ के लुग़वी मायने निशानी के हैं, और इससे यहाँ मोजिज़ा मुराद है। लिहाज़ा यह आयत इस बात की दलील है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को अल्लाह तआ़ला ने क़ुरआने करीम के अ़लावा भी कुछ मोजिज़े अ़ता फ़रमाये थे, और इससे उन गुमराह और बेदीन लोगों की तरदीद हो जाती है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के मोजिज़ों को महसूस होने वाले असबाब के ताबे क़रार देकर यह दावा करते हैं कि आपके हाथ मुबारक पर क़ुरआने करीम के सिवा कोई मोजिज़ा ज़ाहिर नहीं किया गया।

चौथी आयत में अल्लाह तआ़ला ने साफ़ इरशाद फ़रमाया है:

وَاِذَا رَاَوْا اٰيَةً يَّسْتَسْخِرُوْنَ۝

(जब ये कोई मोजिज़ा देखते हैं तो उसका ठट्ठा उड़ाते हैं) मोजिज़ों के कुछ इनकारी लोग कहते हैं कि यहाँ "आयत" से मुराद मोजिज़ा नहीं बल्कि अ़क़्ली दलीलें हैं, लेकिन यह बात इसलिये ग़लत है कि अगली आयत में है 'व क़ालू इन् हाज़ा इल्ला सिहरुम् मुबीन' "यानी वे कहते हैं कि यह तो खुला जादू है।" ज़ाहिर है कि किसी दलील को खुला जादू क़रार देने की कोई तुक नहीं है, यह बात वे मोजिज़ा देखकर ही कह सकते हैं।

मोजिज़ों के कुछ इनकारी यह भी कहते हैं कि "आयत" से मुराद क़ुरआने करीम की आयतें हैं कि ये लोग उन्हें जादू क़रार देते हैं, लेकिन क़ुरआने करीम का लफ़्ज़ "रऔ" (देखते हैं) इसकी साफ़ तरदीद कर रहा है। क़ुरआनी आयतों को देखा नहीं सुना जाता था। चुनाँचे क़ुरआने करीम में जहाँ कहीं क़ुरआनी आयतों का ज़िक्र है वहाँ उसके साथ सुनने के अलफ़ाज़ आये हैं देखने के नहीं, और क़ुरआने करीम में जगह-जगह "आयत" का लफ़्ज़ मोजिज़े के मायने में आया है, जैसे हज़रत मूसा अ़लैहिस्सलाम से फ़िरऔन का मुतालबा नक़ल करते हुए इरशाद है:

اِنْ كُنْتَ جِئْتَ بِاٰيَةٍ فَاْتِ بِهَآ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ۝

"अगर तुम कोई मोजिज़ा लेकर आये हो तो लाओ, अगर सच्चे हो।"

इसी के जवाब में हज़रत मूसा अ़लैहिस्सलाम ने लाठी को साँप बनाने का मोजिज़ा दिखलाया था।

रहीं क़ुरआने करीम की वो आयतें जिनमें ज़िक्र है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने मोजिज़ा दिखाने के मुतालबे को नहीं माना, सो हक़ीक़त में वहाँ बार-बार मोजिज़े दिखाये जा चुके थे लेकिन वे हर दिन अपनी मर्ज़ी का एक नया मोजिज़ा तलब करते थे, इसके जवाब में मोजिज़ा दिखाने

से इनकार किया गया, इसलिये कि अल्लाह का नबी अल्लाह के हुक्म से मोजिज़े दिखाता है, अगर कोई फिर भी उसकी बात न माने तो हर दिन एक नया मोजिज़ा ज़ाहिर करना नबी के वक़ार के भी ख़िलाफ़ है और अल्लाह तआ़ला की मशीयत के भी।

इसके अलावा अल्लाह तआ़ला का दस्तूर यह रहा है कि जब किसी क़ौम को उसका माँगा हुआ मोजिज़ा अ़ता कर दिया गया और उसके बाद भी वह ईमान नहीं लाई तो आ़म अ़ज़ाब के ज़रिये उसको हलाक किया गया। उम्मते मुहम्मदिया को चूँकि बाक़ी रखना और आ़म अ़ज़ाब से बचाना पेशे नज़र था इसलिये इसे मतलूबा (तलब किया गया) मोजिज़ा नहीं दिखाया गया।

فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنْظُرُونَ ۝ وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا هَٰذَا يَوْمُ الدِّينِ ۝ هَٰذَا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ ۝ احْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ ۝ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَاهْدُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطِ الْجَحِيمِ ۝ وَقِفُوهُمْ ۖ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ ۝ مَا لَكُمْ لَا تَنَاصَرُونَ ۝ بَلْ هُمُ الْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ ۝

ع
२१
५

फ़-इन्नमा हि-य ज़ज्रतुंव्-वाहि-दतुन् फ़-इज़ा हुम् यन्ज़ुरून (19) व क़ालू या वै-लना हाज़ा यौमुद्दीन (20) हाज़ा यौमुल्-फ़स्लिल्लज़ी कुन्तुम् बिही तुकज़्ज़िबून (21) ✿	सो वह उठाना तो यही है एक झिड़की फिर उसी वक़्त ये लगेंगे देखने। (19) और कहेंगे ऐ हमारी ख़राबी! यह आ गया दिन बदले का। (20) यह है दिन फ़ैसले का जिसको तुम झुठलाते थे। (21) ✿
उह्शुरुल्लज़ी-न ज़-लमू व अज़्वा-जहुम् व मा कानू यअ्बुदून (22) मिन् दूनिल्लाहि फ़ह्दूहुम् इला सिरातिल्-जहीम (23) ❖ वक़िफ़ूहुम् इन्नहुम् मस्ऊलून (24) मा लकुम् ला तना-सरून (25) बल् हुमुल्-यौ-म मुस्तस्लिमून (26)	जमा करो गुनाहगारों को और उनके जोड़ों को और जो कुछ पूजते थे (22) अल्लाह के सिवा, फिर चलाओ उनको दोज़ख़ की राह पर। (23) ❖ और खड़ा रखो उनको, उनसे पूछना है (24) क्या हुआ तुमको एक दूसरे की मदद नहीं करते? (25) कोई नहीं! वे आज अपने आपको पकड़वाते हैं। (26)

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

पस क़ियामत तो बस एक ललकार होगी (यानी दूसरी बार का सूर फूँका जाना), सो (उससे) सब एक दम से (ज़िन्दा होकर) देखने-भालने लगेंगे। और (हसरत से) कहेंगे कि हाय! हमारी कमबख़्ती यह

तो वही बदले का दिन (मालूम होता) है। (इरशाद होगा कि हाँ) यह वही फ़ैसले का दिन है जिसको तुम झुठलाया करते थे। (आगे क़ियामत ही के कुछ वाक़िआत की तफ़सील है कि फ़रिश्तों को हुक्म होगा) जमा कर लो ज़ालिमों को (यानी जो कुफ़्र व शिर्क की बुनियाद डालने वाले और पेशवा थे) और उनके हम-मशरबों को (यानी जो उनके साथ ताबे और लगे हुए थे) और उन माबूदों को जिनकी वे लोग ख़ुदा को छोड़कर इबादत किया करते थे (यानी शयातीन और बुत) फिर उन सब को दोज़ख़ का रास्ता बतलाओ (यानी उधर ले जाओ)। और (फिर यह हुक्म होगा कि अच्छा) उनको (ज़रा) ठहराओ, उनसे कुछ पूछा जायेगा। (चुनाँचे उनसे यह सवाल होगा) कि अब तुमको क्या हुआ कि (अ़ज़ाब का हुक्म सुनकर) एक-दूसरे की मदद नहीं करते (यानी काफ़िरों के बड़े-बड़े रहनुमा इनसान हों या शयातीन अपने ताबेदारों और मानने वालों की मदद नहीं करते, जिस तरह दुनिया में उनको बहकाया करते थे? मगर इस सवाल के बाद भी वे मदद न कर सकेंगे) बल्कि वे सब-के-सब उस दिन सर झुकाये (खड़े) होंगे।

मआ़रिफ़ व मसाईल

आख़िरत की संभावना और सुबूत के बाद बारी तआ़ला ने इन आयतों में दोबारा ज़िन्दा होकर उठने के कुछ वाक़िआ़त बयान फ़रमाये हैं, और दोबारा ज़िन्दा होने के बाद काफ़िरों और मुसलमानों को जो हालात पेश आयेंगे उनका तज़किरा फ़रमाया है।

सबसे पहली आयत में मुर्दों के ज़िन्दा होने का तरीक़ेकार बयान फ़रमाया है किः

فَاِنَّمَا هِیَ زَجْرَةٌ وَّاحِدَةٌ ٥

(यानी क़ियामत तो बस एक ललकार होगी) ज़ज्रतुन लफ़्ज़ के अ़रबी भाषा में कई मायने आते हैं। उनमें से एक मायने हैं "मवेशियों को चलने पर आमादा करने के लिये ऐसी आवाज़ें निकालना जिन्हें सुनकर वे उठ खड़े हों" यहाँ इससे मुराद वह दूसरा सूर है जो हज़रत इस्राफ़ील अ़लैहिस्सलाम मुर्दों को ज़िन्दा करने के लिये फूँकेंगे, और उसे "ज़ज्रतुन" से इसलिये ताबीर किया गया है कि जिस तरह मवेशियों को उठाकर चलाने के लिये कुछ आवाज़ें निकाली जाती हैं उसी तरह मुर्दों को ज़िन्दा करने के लिये यह सूर फूँका जायेगा। (तफ़सीरे क़ुर्तुबी)

अगरचे बारी तआ़ला इस पर भी क़ादिर है कि सूर फूँके बग़ैर मुर्दों को ज़िन्दा कर दे लेकिन यह सूर मुर्दों के दोबारा ज़िन्दा होकर उठने के मन्ज़र को डरावना और हैबतनाक बनाने के लिये फूँका जायेगा। (तफ़सीरे कबीर) इस सूर फूँकने का असर काफ़िरों पर यह होगा कि 'फ़-इज़ा हुम् क़ियामुंय्यन्ज़ुरून' (पस अचानक वे देखने भालने लगेंगे) यानी जिस तरह दुनिया में वे देखने पर क़ादिर थे उसी तरह वहाँ भी देख सकेंगे। और कुछ मुफ़स्सिरीन ने इसका मतलब यह बयान किया है कि वे हैरानी के आ़लम में एक दूसरे को देखने लगेंगे। (तफ़सीरे क़ुर्तुबी)

اُحْشُرُوا الَّذِیْنَ ظَلَمُوْا وَاَزْوَاجَهُمْ

(यानी उन ज़ालिमों को जिन्होंने शिर्क के भारी ज़ुल्म को किया और उनके हम-मशरबों (यानी जो इस काम में उनका साथ देने और पैरवी करने वाले होंगे, को जमा कर लो)। यहाँ हम-मशरबों के लिये

अज़्वाज का लफ़्ज़ इस्तेमाल किया गया है जिसके लफ़्ज़ी मायने हैं "जोड़" और यह लफ़्ज़ शौहर और बीवी के मायने में भी कसरत से इस्तेमाल होता है। इसी लिये कुछ मुफ़स्सिरीन ने इसके मायने बयान करते हुए यह कहा है कि इससे मुश्रिकों की वे बीवियाँ मुराद हैं जो ख़ुद भी मुश्रिक थीं, लेकिन अक्सर मुफ़स्सिरीन के नज़दीक यहाँ "अज़्वाज" से मुराद हम-मश्रब हैं, और इसकी ताईद हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अ़न्हु के एक इरशाद से भी होती है। इमाम बैहक़ी और इमाम अ़ब्दुर्रज़्ज़ाक़ रह. वग़ैरह ने इस आयत की तफ़सीर में हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अ़न्हु का यह क़ौल नक़ल किया है कि यहाँ 'अज़्वाजुहुम' से मुराद हैं उन जैसे दूसरे लोग। चुनाँचे सूदख़ोर दूसरे सूदख़ोरों के साथ, ज़िनाकार दूसरे ज़ानियों के साथ, और शराब पीने वाले दूसरे शराब पीने वालों के साथ जमा किये जायेंगे। (तफ़सीर रूहुल-मआ़नी व मज़हरी)

इसके अ़लावा 'मा कानू यअ़्बुदून' के अलफ़ाज़ से बता दिया गया कि मुश्रिकों के साथ उनके वे झूठे माबूद यानी बुत और शैतान भी जमा किये जायेंगे जिन्हें ये लोग दुनिया में अल्लाह के साथ शरीक ठहराते थे ताकि उस वक़्त उन झूठे माबूदों की बेबसी का अच्छी तरह नज़ारा कराया जाये।

इसके बाद फ़रिश्तों को हुक्म होगा कि:

فَاهْدُوْهُمْ اِلٰى صِرَاطِ الْجَحِيْمِ○

यानी इन लोगों को जहन्नम का रास्ता दिखलाओ। और जब फ़रिश्ते उन लोगों को ले चलेंगे तो पुलसिरात के क़रीब पहुँचने के बाद हुक्म होगा कि 'वक़िफ़ूहुम् इन्नहुम् मस्ऊलून' (इनको ठहराओ, इनसे सवाल होगा)। चुनाँचे उस मक़ाम पर उनसे उनके अ़क़ीदों व आमाल के बारे में वो सवालात किये जायेंगे जिनका ज़िक्र क़ुरआन व हदीस में बहुत-सी जगहों पर आया है।

وَاَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ يَّتَسَآءَلُوْنَ ۞ قَالُوْٓا اِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَاْتُوْنَنَا عَنِ الْيَمِيْنِ ۞ قَالُوْا بَلْ لَّمْ تَكُوْنُوْا مُؤْمِنِيْنَ ۞ وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ مِّنْ سُلْطٰنٍ ۚ بَلْ كُنْتُمْ قَوْمًا طٰغِيْنَ ۞ فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَآ ۖ اِنَّا لَذَآئِقُوْنَ ۞ فَاَغْوَيْنٰكُمْ اِنَّا كُنَّا غٰوِيْنَ ۞ فَاِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِى الْعَذَابِ مُشْتَرِكُوْنَ ۞ اِنَّا كَذٰلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِيْنَ ۞ اِنَّهُمْ كَانُوْٓا اِذَا قِيْلَ لَهُمْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ يَسْتَكْبِرُوْنَ ۞ وَيَقُوْلُوْنَ اَئِنَّا لَتَارِكُوْٓا اٰلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَّجْنُوْنٍ ۞ بَلْ جَآءَ بِالْحَقِّ وَصَدَّقَ الْمُرْسَلِيْنَ ۞ اِنَّكُمْ لَذَآئِقُوا الْعَذَابِ الْاَلِيْمِ ۞ وَمَا تُجْزَوْنَ اِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ۞ اِلَّا عِبَادَ اللّٰهِ الْمُخْلَصِيْنَ ۞

व अक़्ब-ल बअ़्ज़ुहुम् अ़ला बअ़्ज़िंय्-य-तसा-अलून (27) क़ालू इन्नकुम् कुन्तुम् तअ्तू-नना अ़निल्-यमीन (28) क़ालू बल्-लम् तकूनू	और मुँह किया बाज़ों ने बाज़ों की तरफ़ लगे पूछने। (27) बोले तुम ही थे कि आते थे हम पर दाहिनी तरफ़ से। (28) वे बोले कोई नहीं! पर तुम ही न थे यक़ीन

मुअ्मिनीन (29) व मा का-न लना अ़लैकुम् मिन् सुल्तानिन् बल् कुन्तुम् क़ौमन् ताग़ीन (30) फ़-हक़्-क़ अ़लैना क़ौलु रब्बिना इन्ना लज़ा-इक़ून (31) फ़-अग़्वैनाकुम् इन्ना कुन्ना ग़ावीन (32) फ़-इन्नहुम् यौमइज़िन् फ़िल्-अ़ज़ाबि मुश्तरिकून (33) इन्ना कज़ालि-क नफ़्अ़लु बिल्-मुज्रिमीन (34) इन्नहुम् कानू इज़ा क़ी-ल लहुम् ला इला-ह इल्लल्लाहु यस्तक्बिरून (35) व यक़ूलू-न अ-इन्ना लतारिकू आलि-हतिना लिशाअ़िरिम्-मज्नून (36) बल् जा-अ बिल्हक़्क़ि व सद्द-क़ल् मुर्सलीन (37) इन्नकुम् लज़ा-इक़ुल् अ़ज़ाबिल्-अलीम (38) व मा तुज्ज़ौ-न इल्ला मा कुन्तुम् तअ़्मलून (39) इल्ला अ़िबादल्लाहिल्-मुख़्लसीन (40)	वाले। (29) और हमारा तुम पर कुछ ज़ोर न था, पर तुम ही लोग थे हद से निकल चलने वाले। (30) सो साबित हो गई हम पर बात हमारे रब की बेशक हम को मज़ा चखना है। (31) हमने तुमको गुमराह किया जैसे हम ख़ुद गुमराह थे। (32) सो वे सब इस दिन तकलीफ़ में शरीक हैं। (33) हम ऐसा ही करते हैं गुनाहगारों के हक़ में। (34) वे थे कि उनसे जब कोई कहता किसी की बन्दगी नहीं सिवाय अल्लाह के, तो ग़ुरूर करते (35) और कहते क्या हम छोड़ देंगे अपने माबूदों को एक शायर दीवाने के कहने से? (36) कोई नहीं! वह लेकर आया है सच्चा दीन और सच मानता है सब रसूलों को। (37) बेशक तुमको चखना है दर्दनाक अ़ज़ाब। (38) और वही बदला पाओगे जो कुछ तुम करते थे (39) मगर जो बन्दे अल्लाह के हैं चुने हुए। (40)

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

(बजाय इसके कि मुश्रिक लोग एक दूसरे की मदद कर सकें उनमें उस वक़्त उल्टा झगड़ा होगा) और वे एक-दूसरे की तरफ़ मुतवज्जह होकर जवाब-सवाल (यानी झगड़ा) करने लगेंगे। (चुनाँचे) पैरोकार (अपने सरदारों से) कहेंगे कि (हमको तो तुमने गुमराह किया, क्योंकि) हम पर तुम्हारी आमद बड़े ज़ोर की हुआ करती थी (यानी तुम हम पर ख़ूब ज़ोर डालकर हमें गुमराह करने की कोशिश किया करते थे)। जिनकी पैरवी की जाती थी वे कहेंगे कि नहीं बल्कि तुम ख़ुद ही ईमान नहीं लाये थे, और (हम पर नाहक़ इल्ज़ाम लगाते हो, क्योंकि) हमारा तुम पर कोई ज़ोर तो था ही नहीं, बल्कि तुम ख़ुद ही सरकशी किया करते थे। सो (जब कुफ़्र के करने वाले हम भी थे और तुम भी तो मालूम

हुआ कि) हम सब पर ही हमारे रब की यह (अज़ली "यानी पहले दिन की") बात साबित हो चुकी थी कि हम सब को (अ़ज़ाब का) मज़ा चखना है तो (उसका सामान यह हो गया कि) हमने तुमको बहकाया (जिस से तुम हमारे ज़ोर-ज़बरदस्ती के बग़ैर खुद अपने इख़्तियार में गुमराह हुए और हमारा) हम खुद भी (अपने इख़्तियार से) गुमराह थे (पस दोनों की गुमराही के असबाब जमा हो गये, जिसमें तुम्हारा अपना इख़्तियार भी अपनी गुमराही का बड़ा सबब है, फिर अपने आपको बरी कैसे करना चाहते हो? आगे हक़ तआ़ला का इरशाद है कि जब दोनों फ़रीक़ों का कुफ़्र में साझा होना साबित है) तो वे सब-के-सब उस दिन अ़ज़ाब में (भी) शरीक रहेंगे। (और) हम ऐसे मुजरिमों के साथ ऐसा ही किया करते हैं।

(आगे उनके कुफ़्र व जुर्म का बयान है कि) वे लोग ऐसे थे कि (तौहीद के भी मुन्किर थे और रिसालत के भी, चुनाँचे) जब उनसे (रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के माध्यम से) कहा जाता था कि अल्लाह के सिवा कोई बरहक़ माबूद नहीं तो (इसके मानने से) तकब्बुर किया करते थे। और कहा करते थे कि क्या हम अपने माबूदों को एक शायर दीवाने (के कहने की वजह से छोड़ देंगे? (पस इसमें तौहीद और रिसालत दोनों का इनकार हो गया, हक़ तआ़ला फ़रमाते हैं कि यह पैग़म्बर न शायर हैं न मजनूँ) बल्कि (पैग़म्बर हैं कि) एक सच्चा दीन लेकर आये हैं, और (तौहीद के उसूल वग़ैरह में) दूसरे पैग़म्बरों की तस्दीक़ (और मुवाफ़क़त) करते हैं। (यानी ऐसे उसूल बतलाते हैं जिनमें सब रसूल मुत्तफ़िक़ हैं। पस वे उसूल बेशुमार दलीलों की रोशनी में हक़ हैं, ख़्याल बन्दी नहीं, और हक़ बात का कहना जुनून नहीं। दूसरी उम्मतों ने भी अपने अम्बिया के साथ इसी क़िस्म का बर्ताव किया। यहाँ चूँकि डायरेक्ट अ़रब के काफ़िर लोग मुख़ातब हैं इसलिए सिर्फ़ इसी उम्मत के काफ़िरों का ज़िक्र किया गया है। आगे इस बात का बयान है कि उन्हें आमने-सामने इस साझा अ़ज़ाब की वईद सुनाई जायेगी कि) तुम सब (पैरवी करने वाले और जिनकी पैरवी की जाती थी उन) को दर्दनाक अ़ज़ाब चखना पड़ेगा। और (इस हुक्म में तुम पर कोई ज़ुल्म नहीं हुआ क्योंकि) तुमको उसी का बदला मिलेगा जो कुछ तुम (कुफ़्र वग़ैरह) किया करते थे। हाँ! मगर जो अल्लाह के ख़ास किए हुए बन्दे हैं (इससे मुराद वे ईमान वाले हैं जिन्होंने हक़ की पैरवी की और अल्लाह तआ़ला ने उन्हें मक़बूल और मख़्सूस फ़रमाया लिया, ऐसे लोग अ़ज़ाब से महफ़ूज़ रहेंगे)।

मआ़रिफ़ व मसाईल

मैदाने हश्र में जमा होने के बाद काफ़िरों के बड़े-बड़े सरदार जिन्होंने अपने छोटों को बहकाया था अपनी पैरवी करने वालों के सामने आयेंगे तो बजाय इसके कि एक दूसरे की मदद कर सकें आपस में बहस व तकरार शुरू कर देंगे। इन आयतों में उसी बहस व तकरार का कुछ नक़्शा खींचकर दोनों फ़रीक़ों का बुरा अन्जाम बयान किया गया है। आयतों का मफ़्हूम ख़ुलासा-ए-तफ़सीर से स्पष्ट है सिर्फ़ चन्द मुख़्तसर बातें क़ाबिले ज़िक्र हैं:

(1) اِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَاْتُوْنَنَا عَنِ الْيَمِيْنِ○

इस आयत में "यमीन" के कई मायने हो सकते हैं, उनमें से एक मायने क़ुव्वत व ताक़त भी हैं।

ऊपर इसी मायने के लिहाज़ से तफ़सीर यह की गई है कि "हम पर तुम्हारी आमद बड़े ज़ोर की हुआ करती थी" यानी तुम हम पर ख़ूब ज़ोर डालकर हमें गुमराह किया करते थे और यही तफ़सीर ज़्यादा साफ़ और बेग़ुबार है। इसके अ़लावा यमीन के मायने क़सम के भी आते हैं, इसलिये कुछ हज़रात ने इसकी तफ़सीर इस तरह की है कि "तुम हमारे पास क़समें लेकर आया करते थे" यानी क़सम खा-खाकर हमको यह यक़ीन दिलाते थे कि हमारा मज़हब दुरुस्त है और रसूल की तालीम (मआ़ज़ल्लाह) बातिल है। क़ुरआनी अलफ़ाज़ के लिहाज़ से ये दोनों तफ़सीरें बेतकल्लुफ़ मुम्किन हैं।

(२) فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ ۝

इस आयत से मालूम हुआ कि अगर कोई शख़्स किसी दूसरे को नाजायज़ काम की दावत दे और उसे गुनाह पर तैयार करने के लिये अपना असर व रसूख़ इस्तेमाल करे तो उसे गुनाह की दावत का अ़ज़ाब तो बेशक होगा लेकिन जिस शख़्स ने उसकी दावत को अपने इख़्तियार से क़ुबूल कर लिया वह भी अपने अ़मल के गुनाह से बरी नहीं हो सकता। वह आख़िरत में यह कहकर छुटकारा नहीं पा सकता कि मुझे तो फ़ुलाँ शख़्स ने गुमराह किया था। हाँ! अगर उसने गुनाह को अपने इख़्तियार से न किया बल्कि ज़बरदस्ती मजबूर करने की हालत में अपनी जान बचाने के लिये कर लिया हो तो इन्शा-अल्लाह तआ़ला उसकी माफ़ी होने की उम्मीद है।

أُولَٰئِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَعْلُومٌ ۝ فَوَاكِهُ ۖ وَهُمْ مُكْرَمُونَ ۝
فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ ۝ عَلَىٰ سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ ۝ يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِكَأْسٍ مِنْ مَعِينٍ ۝ بَيْضَاءَ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ ۝ لَا فِيهَا غَوْلٌ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنْزَفُونَ ۝ وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عِينٌ ۝ كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَكْنُونٌ ۝ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ ۝ قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ ۝ يَقُولُ أَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ ۝ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَدِينُونَ ۝ قَالَ هَلْ أَنْتُمْ مُطَّلِعُونَ ۝ فَاطَّلَعَ فَرَآهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ ۝ قَالَ تَاللَّهِ إِنْ كِدْتَ لَتُرْدِينِ ۝ وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ ۝ أَفَمَا نَحْنُ بِمَيِّتِينَ ۝ إِلَّا مَوْتَتَنَا الْأُولَىٰ وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ ۝ إِنَّ هَٰذَا لَهُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۝ لِمِثْلِ هَٰذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ ۝

उलाइ-क लहुम् रिज़्कुम्-मअ़्लूम (41) फ़वाकिहु व हुम् मुक्रमून (42) फ़ी जन्नातिन्-नअ़ीम (43) अ़ला सुररिम् मु-तक़ाबिलीन (44) युताफ़ु अ़लैहिम् बिकअ्सिम् मिम्-मअ़ीन (45)	वे लोग जो हैं उनके वास्ते रोज़ी है मुक़र्रर (41) मेवे, और उनकी इज़्ज़त है (42) नेमत के बाग़ों में (43) तख़्तों पर एक दूसरे के सामने। (44) लोग लिये फिरते हैं उनके पास प्याला साफ़ शराब का। (45)

बैज़ा-अ लज़्ज़तिल्-लिश्शारिबीन (46) ला फ़ीहा ग़ौलुंव्-व ला हुम् अ़न्हा युन्ज़फ़ून (47) व अ़िन्दहुम् क़ासिरातुत्-तर्फ़ि अ़ीन (48) क-अन्नहुन्-न बैज़ुम्-मक्नून (49) फ़-अक़्ब-ल बअ्ज़ुहुम् अ़ला बअ्ज़िंय्-य-तसा-अलून (50) क़ा-ल क़ाइलुम्-मिन्हुम् इन्नी का-न ली क़रीन (51) यक़ूलु अ-इन्न-क लमिनल्-मुसद्दिक़ीन (52) अ-इज़ा मित्ना व कुन्ना तुराबंव्-व अ़िज़ामन् अ-इन्ना ल-मदीनून (53) क़ा-ल हल् अन्तुम् मुत्तलिअ़ून (54) फ़त्त-ल-अ़ फ़-रआहु फ़ी सवाइल्-जहीम (55) क़ा-ल तल्लाहि इन् कित्-त ल-तुर्दीन (56) व लौ ला निअ्मतु रब्बी लकुन्तु मिनल्-मुह्ज़रीन (57) अ-फ़मा नह्नु बिमय्यितीन (58) इल्ला मौत-तनल्-ऊला व मा नह्नु बिमुअ़ज़्ज़बीन (59) इन्-न हाज़ा ल-हुवल् फ़ौज़ुल्-अ़ज़ीम (60) लिमिस्लि हाज़ा फ़ल्यअ्मलिल्-आ़मिलून (61)	सफ़ेद रंग की मज़ा देने वाली पीने वालों को। (46) न उसमें सर फिरता है और न वे उसको पीकर बहकें। (47) और उनके पास हैं औरतें नीची निगाह रखने वालियाँ बड़ी आँखों वालियाँ। (48) गोया वे अण्डे हैं छुपे धरे। (49) फिर मुँह किया एक ने दूसरे की तरफ़ लगे पूछने। (50) बोला एक बोलने वाला उनमें मेरा था एक साथी (51) कहा करता क्या तू यक़ीन करता है। (52) क्या जब हम मर गये और हो गये मिट्टी और हड्डियाँ क्या हमको जज़ा मिलेगी? (53) कहने लगा भला तुम झाँक कर देखोगे? (54) फिर झाँका तो उसको देखा बीचों-बीच दोज़ख़ के। (55) बोला क़सम अल्लाह की तू तो मुझको डालने लगा था गढ़े में। (56) और अगर न होता मेरे रब का फ़ज़्ल तो मैं भी होता उन्हीं में जो पकड़े हुए आये। (57) क्या अब हमको मरना नहीं (58) मगर जो पहली बार मर चुके और हमको तकलीफ़ नहीं पहुँचेगी। (59) बेशक यही है बड़ी मुराद मिलनी। (60) ऐसी चीज़ों के वास्ते चाहिए (कि) मेहनत करें मेहनत करने वाले। (61)

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

उन (अल्लाह के मक़बूल बन्दों) के वास्ते ऐसी ग़िज़ाएँ हैं जिनका हाल (क़ुरआन की दूसरी सूरतों

में) मालूम (हो चुका) है यानी मेवे, (जिनका मिलना सूरः यासीन आयत 57 में और जिनकी सिफ़तें सूरः वाकिआ की आयत 32-33 में इससे पहले नाज़िल हो चुकी हैं, क्योंकि सूरः यासीन और सूरः वाकिआ सूरः सॉफ़्फ़ात से नाज़िल होने में पहली हैं जैसा कि इतकान में बयान किया गया है) और वे लोग बड़ी इज़्ज़त से आराम के बाग़ों में तख़्तों पर आमने-सामने बैठे होंगे (और) उनके पास शराब का ऐसा जाम लाया जायेगा (यानी ग़िलमान "जन्नत के ख़ादिम" लायेंगे) जो बहती हुई शराब से भरा जायेगा (इससे शराब की अधिकता और लतीफ़ होना मालूम हुई, और देखने में) सफ़ेद होगी, (और पीने में) पीने वालों को मज़ेदार मालूम होगी। (और) न उसमें सरदर्द होगा (जैसे दुनिया की शराब में होता है जिसको ख़ुमार करते हैं) और न उससे अ़क्ल में फ़तूर आयेगा, और उनके पास नीची निगाह वाली बड़ी-बड़ी आँखों वाली (हूरें) होंगी (जिनकी रंगत ऐसी साफ़ होगी कि) गोया कि वे अण्डे हैं जो (परों के नीचे) छुपे हुए रखे हैं (कि गर्द व ग़ुबार और दाग़ से बिल्कुल महफ़ूज़ होते हैं। यह मिसाल सिर्फ़ सफ़ाई में है)।

फिर (जब सब लोग एक जलसे में जमा होंगे तो) एक-दूसरे की तरफ़ मुतवज्जह होकर बातचीत करेंगे। (उस बातचीत के दौरान में) उन (जन्नत वालों) में से एक कहने वाला (मज्लिस में मौजूद लोगों से) कहेगा कि (दुनिया में) मेरा एक मिलने वाला था वह (मुझसे ताज्जुब के तौर पर) कहा करता था कि क्या तू मरने के बाद ज़िन्दा होने का यक़ीन रखने वालों में से है? क्या जब हम मर जाएँगे और मिट्टी और हड्डियाँ हो जाएँगे तो क्या हम (दोबारा ज़िन्दा किये जायेंगे और ज़िन्दा करके) जज़ा और सज़ा दिये जाएँगे? (यानी वह आख़िरत का इनकारी था, इसलिये ज़रूर वह दोज़ख़ में गया होगा। हक़ तआ़ला का) इरशाद होगा कि (ऐ जन्नत वालो) क्या तुम झाँककर (उसको) देखना चाहते हो? (अगर चाहो तो तुमको इजाज़त है) सो वह शख़्स (जिसने किस्सा बयान किया था) झाँकेगा तो उसको बीच जहन्नम में (पड़ा हुआ) देखेगा। (उसको वहाँ देखकर उससे) कहेगा कि ख़ुदा की क़सम! तू तो मुझे तबाह ही करने को था। (यानी मुझको भी आख़िरत का इनकारी बनाने की कोशिश किया करता था) और अगर मेरे रब का (मुझ पर) फ़ज़्ल न होता (कि मुझको उसने सही अ़क़ीदे पर क़ायम रखा) तो मैं भी (तेरी तरह) पकड़े गये लोगों में होता। (और इसके बाद वह जन्नती मज्लिस वालों से कहेगा कि) क्या हम पहली बार के मर चुकने के (जो कि दुनिया में मर चुके हैं) अब नहीं मरेंगे और न हमको अ़ज़ाब होगा? (ये सारी बातें ख़ुशी के इस जोश में कही जायेंगी कि अल्लाह तआ़ला ने सब आफ़तों और परेशानियों से बचा लिया और हमेशा के लिये बेफ़िक्र कर दिया। आगे हक़ तआ़ला का इरशाद है कि जन्नत की जितनी जिस्मानी और रूहानी नेमतें ऊपर बयान की गई) यह बेशक बड़ी कामयाबी है, ऐसी ही कामयाबी (हासिल करने) के लिये अ़मल करने वालों को अ़मल करना चाहिये (यानी ईमान लाना और नेकी करना चाहिये)।

मआ़रिफ़ व मसाईल

दोज़ख़ वालों के हालात बयान करने के बाद इन आयतों में जन्नत वालों के अहवाल का तज़किरा किया गया है। यह तज़किरा दो हिस्सों पर मुश्तमिल है- शुरू की दस आयतों में आ़म जन्नत वालों को जो ऐश व आराम हासिल होगा उसका बयान है और उसके बाद की आयतों में एक ख़ास

जन्नती का सबक़ लेने वाला वाक़िआ बयान किया गया है। शुरू की दस आयतों में चन्द बातें ख़ास तौर पर क़ाबिले ज़िक्र हैं।

(١) أُولَٰئِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَّعْلُومٌ ○

इसका लफ़्ज़ी तर्जुमा यह है "उन्हीं लोगों के लिये ऐसा रिज़्क़ है जिसका हाल मालूम है।" मुफ़स्सिरीन ने इसके विभिन्न मतलब बताये हैं। कुछ हज़रात का कहना यह है कि इससे जन्नती ग़िज़ाओं की उन तफ़सीली सिफ़तों की तरफ़ इशारा है जो अनेक सूरतों में बयान की गई हैं। चुनाँचे ख़ुलासा-ए-तफ़सीर में हकीमुल-उम्मत हज़रत थानवी रह. ने इसी तफ़सीर को इख़्तियार फ़रमाया है। कुछ हज़रात ने फ़रमाया कि "रिज़्क़े मालूम" से मुराद यह है कि उसके वक़्त मुतैयन और मालूम हैं यानी वह सुबह शाम पाबन्दी के साथ अ़ता किया जायेगा, जैसा कि एक दूसरी आयत में 'बुक्रतंवू-व अ़शिय्या' (सुबह व शाम) के अलफ़ाज़ स्पष्ट रूप से आये हैं। एक तीसरी तफ़सीर और है और वह यह है कि "रिज़्क़े मालूम" का मतलब यह है कि वह यक़ीनी और हमेशा के लिये होगा, दुनिया की तरह नहीं कि कोई शख़्स यक़ीन के साथ नहीं कह सकता कि कल मुझे क्या और कितना रिज़्क़ मिलने वाला है। और न किसी को यह इल्म है कि जितना रिज़्क़ मुझे हासिल है वह कब तक मेरे पास रहेगा। हर इनसान को हर वक़्त धड़का लगा हुआ है कि जो नेमतें मुझे इस वक़्त हासिल हैं वो शायद कल मेरे पास न रहें, जन्नत में यह ख़तरा नहीं होगा बल्कि वहाँ का रिज़्क़ यक़ीनी भी होगा और हमेशा के लिये भी। (तफ़सीरे क़ुर्तुबी वग़ैरह)

(٢) فَوَاكِهُ

इस लफ़्ज़ के ज़रिये क़ुरआन ने जन्नत के रिज़्क़ की ख़ुद तफ़सीर फ़रमा दी है कि वह रिज़्क़ मेवों पर मुश्तमिल होगा। फ़वाकिहु फ़ाकि-हतुन की जमा (बहुवचन) है और अ़रबी में फ़ाकि-हतुन हर उस चीज़ को कहते हैं जो भूख की ज़रूरत पूरी करने के लिये नहीं बल्कि लज़्ज़त हासिल करने के लिये खाई जाये, उर्दू में इसका तर्जुमा "मेवा" इसलिये कर दिया जाता है कि मेवा भी लज़्ज़त हासिल करने के लिये खाया जाता है, वरना हक़ीक़त में "फ़ाकि-हतुन" का मफ़्हूम मेवे के मफ़्हूम से ज़्यादा आ़म है। इमाम राज़ी रह. ने इसी फ़ाकि-हतुन के लफ़्ज़ से यह नुक्ता निकाला है कि जन्नत में जितनी ग़िज़ायें दी जायेंगी वो सब लज़्ज़त बख़्शने के लिये दी जायेंगी, भूख की ज़रूरत दूर करने के लिये नहीं। इसलिये कि जन्नत में इनसान को किसी चीज़ की हाजत नहीं होगी वहाँ उसे अपनी ज़िन्दगी बरक़रार रखने या सेहत की हिफ़ाज़त के लिये भी किसी ग़िज़ा की ज़रूरत नहीं होगी, हाँ इच्छा होगी उस इच्छा के पूरे होने से लज़्ज़त हासिल होगी और जन्नत की तमाम नेमतों का मक़सद लज़्ज़त अ़ता करना होगा। (तफ़सीरे कबीर पेज 98 जिल्द 7)

(٣) وَهُم مُّكْرَمُونَ ○

यह कलिमा कहकर बता दिया गया कि जन्नत वालों को यह रिज़्क़ पूरे सम्मान व इज़्ज़त के साथ दिया जायेगा, क्योंकि सम्मान व इज़्ज़त न हो तो लज़ीज़ से लज़ीज़ ग़िज़ा भी बेमज़ा हो जाती है। इसी से यह भी मालूम हुआ कि मेहमान का हक़ सिर्फ़ खाना खिलाने से पूरा नहीं होता बल्कि उसका सम्मान व इकराम भी उसके हुक़ूक़ में दाख़िल है।

(४) عَلٰى سُرُرٍ مُّتَقٰبِلِيْنَ٥

यह जन्नत वालों की मज्लिस का नक़्शा है कि वे "तख़्तों पर आमने सामने बैठे होंगे" किसी की किसी की तरफ़ पुश्त नहीं होगी। इसकी अ़मली सूरत क्या होगी? इसका सही इल्म तो अल्लाह तआ़ला ही को है, कुछ हज़रात ने फ़रमाया कि मज्लिस का दायरा इतना बड़ा होगा कि किसी को किसी की तरफ़ पुश्त करने की ज़रूरत न होगी, और अल्लाह तआ़ला जन्नत वालों को देखने, सुनने और बोलने की ऐसी क़ुव्वत अ़ता फ़रमा देगा कि वे दूर बैठे हुए लोगों से बड़े आराम के साथ बातें कर सकें।

और कुछ हज़रात ने यह भी फ़रमाया है कि ये तख़्त घूमने वाले होंगे और जिससे बात करनी हो उसी की तरफ़ घूम जायेंगे। वल्लाहु सुब्हानहू व तआ़ला आलम

(५) لَذَّةٍ لِّلشّٰرِبِيْنَ٥

"लज़्ज़त" असल में मस्दर है जिसके मायने हैं लज़ीज़ होना। इसी लिये कुछ हज़रात ने कहा है कि यहाँ एक कलिमा पोशीदा है, असल में "ज़ाते लज़्ज़तिन" था यानी "लज़्ज़त वाली"। लेकिन इस तकल्लुफ़ की ज़रूरत नहीं है, अव्वल तो अगर "लज़्ज़त" को मस्दर ही समझा जाये तो मस्दर काम को करने वाले या जिस पर काम का असर हो उसके मायने में ख़ूब ज़्यादा इस्तेमाल होता है, इस सूरत में मायने यह होंगे कि वह शराब पीने वालों के लिये "पूरी की पूरी या भरपूर लज़्ज़त" होगी इसके अ़लावा "लज़्ज़त" का सिफ़त का सीग़ा लज़ीज़ुन के अ़लावा लज़्ज़ुन भी आता है, हो सकता है कि यहाँ लज़्ज़तुन उसी लज़्ज़ुन का स्त्रीलिंग हो। (तफ़सीरे क़ुर्तुबी) इस सूरत में मायने होंगे "पीने वालों के लिये लज़ीज़ और मज़ेदार"।

(६) لَا فِيْهَا غَوْلٌ

ग़ौलुन के मायने किसी ने "सर का दर्द" बयान किये हैं किसी ने "पेट का दर्द" किसी ने "बदबू और गन्दगी" और किसी ने "अ़क़्ल का बहक जाना"। हक़ीक़त में लफ़्ज़ "ग़ौल" इन सभी मायनों में इस्तेमाल होता है। और हाफ़िज़ इब्ने जरीर रह. फ़रमाते हैं कि यहाँ "ग़ौल" आफ़त के मायने में है और मतलब यह है कि जन्नत की शराब में ऐसी कोई आफ़त नहीं होगी जैसी दुनिया की शराबों में पाई जाती हैं। न सरदर्द होगा न पेट का दर्द, न बदबू का भभकारा न अ़क़्ल का बहक जाना। (तफ़सीर इब्ने जरीर)

(७) قٰصِرٰتُ الطَّرْفِ

यह जन्नत की हूरों की सिफ़त है कि वे "निगाहें नीची रखने वाली होंगी" मतलब यह है कि जिन शौहरों के साथ उनका निकाह का रिश्ता अल्लाह तआ़ला ने क़ायम कर दिया वे उनके अ़लावा किसी भी मर्द को आँख उठाकर नहीं देखेंगी। अ़ल्लामा इब्ने जौज़ी रह. ने नक़ल किया है कि ये औरतें अपने शौहरों से कहेंगी- "मेरे परवर्दिगार की इज़्ज़त की क़सम! जन्नत में मुझे तुम से बेहतर कोई नज़र नहीं आता, जिस अल्लाह ने मुझे तुम्हारी बीवी और तुम्हें मेरा शौहर बनाया तमाम तारीफ़ें उसी के लिये हैं।"

"निगाहें नीची रखने वाली" का एक मतलब अ़ल्लामा इब्ने जौज़ी रह. ने यह भी लिखा है कि वे अपने शौहरों की निगाहें नीची रखेंगी। यानी वे ख़ुद इतनी ख़ूबसूरत और वफ़ा वाली होंगी कि उनके शौहरों को किसी और की तरफ़ नज़र उठाने की इच्छा ही न होगी।

(तफ़सीर ज़ादुल-मसीर, इब्ने जौज़ी पेज 57,58 जिल्द 8)

(८) كَاَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَّكْنُوْنٌ○

इस आयत में जन्नत की हूरों को "छुपे हुए अण्डों" से तश्बीह दी गई है। अ़रब के लोगों में यह तश्बीह (मिसाल) मशहूर व प्रचलित थी। जो अण्डा परों में छुपा हुआ हो उस पर बाहरी गर्द व ग़ुबार का असर नहीं पहुँचता। इसलिये वह निहायत साफ़ सुथरा होता है। इसके अ़लावा उसका रंग पीलेपन पर सफ़ेद होता है जो अ़रब वालों के यहाँ औ़रतों के लिये बहुत दिलकश और ख़ूबसूरत रंग माना जाता था इसलिये इससे तश्बीह दी गई। और कुछ मुफ़स्सिरीन हज़रात ने फ़रमाया कि यहाँ अण्डों से मिसाल नहीं दी गयी है बल्कि अण्डों की उस झिल्ली से दी गयी है जो छिलके के अन्दर छुपी होती है, और मतलब यह है कि वे औ़रतें उस झिल्ली की तरह नर्म व नाज़ुक और भरे जिस्म वाली होंगी। (रूहुल-मआ़नी) वल्लाहु सुब्हानहू व तआ़ला आलम

एक जन्नती और उसका काफ़िर मुलाक़ाती

शुरू की दस आयतों में जन्नत वालों के उमूमी हालात बयान फ़रमाने के बाद एक जन्नती का ख़ास तौर पर तज़किरा किया गया है कि वह जन्नत की मज्लिस में पहुँचने के बाद अपने एक काफ़िर दोस्त को याद करेगा जो दुनिया में आख़िरत का इनकारी था और फिर अल्लाह तआ़ला की इजाज़त से उसे जहन्नम के अन्दर झाँककर उससे बातें करने का मौक़ा दिया जायेगा। क़ुरआने करीम में उस शख़्स का कुछ नाम व पता नहीं बताया गया इसलिये यक़ीन के साथ नहीं कहा जा सकता कि यह कौन होगा? फिर भी कुछ मुफ़स्सिरीन ने यह ख़्याल ज़ाहिर किया है कि उस मोमिन शख़्स का नाम यहूदा और उसके काफ़िर मुलाक़ाती का नाम मतरूस है, और ये वही दो साथी हैं जिनका ज़िक्र सूरः कहफ़ में पन्द्रहवें पारे के रुकूअ़ 17 में गुज़र चुका है। (तफ़सीरे मज़हरी)

और अ़ल्लामा सुयूती रह. ने कई ताबिईन से उस शख़्स के मुतैयन करने के लिये एक और वाक़िआ़ नक़ल किया है जिसका ख़ुलासा यह है कि दो आदमी कारोबार में शरीक थे, उनको आठ हज़ार दीनार की आमदनी हुई और दोनों ने चार-चार हज़ार दीनार आपस में बाँट लिये। एक साझी ने अपनी रक़म में से एक हज़ार दीनार ख़र्च करके एक ज़मीन ख़रीदी। दूसरा साझी बहुत नेक था उसने यह दुआ़ की कि "या अल्लाह! फ़ुलाँ शख़्स ने एक हज़ार दीनार में एक ज़मीन ख़रीदी है, मैं आप से एक हज़ार दीनार के बदले में जन्नत में ज़मीन ख़रीदता हूँ" और एक हज़ार दीनार का सदक़ा कर दिया। फिर उसके साथी ने एक हज़ार दीनार ख़र्च करके एक घर बनवाया तो इस शख़्स ने कहा "या अल्लाह! फ़ुलाँ शख़्स ने एक हज़ार दीनार में एक घर तामीर किया है, मैं एक हज़ार दीनार में आप से जन्नत का एक घर ख़रीदता हूँ" यह कहकर उसने एक हज़ार दीनार और सदक़ा कर दिये। इसके बाद उसके साथी ने एक औ़रत से शादी की और उस पर एक हज़ार दीनार ख़र्च कर दिये, तो उसने कहा "या अल्लाह! फ़ुलाँ ने एक औ़रत से शादी करके उस पर एक हज़ार दीनार ख़र्च कर दिये हैं

और मैं जन्नत की औरतों में से किसी को पैग़ाम देता हूँ और यह एक हज़ार दीनार पेश करता हूँ।" यह कहकर वह एक हज़ार भी सदक़ा कर दिये। फिर उसके साथी ने एक हज़ार दीनार में कुछ ग़ुलाम और सामान ख़रीदा तो इसने फिर एक हज़ार सदक़ा करके अल्लाह तआ़ला से उसके बदले में जन्नत के ग़ुलाम और जन्नत का सामान तलब किया।

इसके बाद इत्तिफ़ाक़ से उस मोमिन बन्दे को कोई ज़रूरत पेश आई, उसे ख़्याल हुआ कि मैं अपने पुराने साथी के पास जाऊँ तो शायद वह नेकी का इरादा करे। चुनाँचे उसने अपने साथी से अपनी ज़रूरत का ज़िक्र किया साथी ने पूछा तुम्हारा माल क्या हुआ? उसके जवाब में इसने पूरा क़िस्सा सुना दिया। इस पर उसने हैरान होकर कहा कि "क्या वाक़ई तुम इस बात को सच्चा समझते हो कि हम जब मरकर ख़ाक हो जायेंगे तो हमें दूसरी ज़िन्दगी मिलेगी और वहाँ हमको हमारे आमाल का बदला दिया जायेगा? जाओ! मैं तुम्हें कुछ नहीं दूँगा।" इसके बाद दोनों का इन्तिक़ाल हो गया। उपरोक्त आयतों में जन्नती से मुराद वह बन्दा है जिसने आख़िरत की ख़ातिर अपना सारा माल सदक़ा कर दिया था और उसका जहन्नमी मुलाक़ाती वही कारोबार का शरीक है जिसने आख़िरत की तस्दीक़ करने पर उसका मज़ाक़ उड़ाया था। (तफ़सीर दुर्रे मन्सूर इब्ने जरीर वग़ैरह के हवाले से, पेज 165 जिल्द 5)

बुरी सोहबत से बचने की तालीम

बहरहाल! इससे मुराद चाहे कोई हो यहाँ इस वाक़िए को ज़िक्र करने से क़ुरआने करीम का असल मंशा लोगों को इस बात पर चेताना और आगाह करना है कि वे अपने दोस्तों के दायरे का पूरी एहतियात के साथ जायज़ा लेकर यह देखें कि उसमें कोई ऐसा शख़्स तो नहीं है जो उन्हें धीरे-धीरे खींचकर दोज़ख़ के अन्जाम की तरफ़ लेजा रहा हो। बुरी सोहबत से जो तबाही आ सकती है उसका सही अन्दाज़ा आख़िरत ही में होगा और उस वक़्त उस तबाही से बचने का कोई रास्ता न होगा, इसलिये दुनिया में दोस्तियाँ और ताल्लुक़ात बहुत देख-भालकर क़ायम करने चाहियें। बहुत सी बार किसी काफ़िर या नाफ़रमान शख़्स से ताल्लुक़ात क़ायम करने के बाद इनसान ग़ैर-महसूस तरीक़े पर उसकी सोच, ख़्यालात, नज़रियात और तरीक़ा-ए-ज़िन्दगी से मुतास्सिर होता चला जाता है और यह चीज़ आख़िरत के अन्जाम के लिये बहुत ही ख़तरनाक साबित होती है।

मौत के ख़ात्मे पर ताज्जुब

यहाँ जिस शख़्स का यह वाक़िआ ज़िक्र किया गया है कि वह अपने काफ़िर साथी को देखने के लिये जहन्नम में झाँकेगा उसी के बारे में आगे यह ज़िक्र है कि वह जन्नत की नेमतों को हासिल करके बेहद ख़ुशी से यह कहेगा कि "क्या अब हम कभी नहीं मरेंगे"। इसका मक़सद यह नहीं है कि जन्नत की हमेशा बाक़ी रहने वाली ज़िन्दगी का यक़ीन नहीं होगा बल्कि जिस शख़्स को ख़ुशियों का इन्तिहाई दर्जा हासिल हो जाये वह बहुत सी बार ऐसी बातें करता है जैसे उसे यक़ीन नहीं है कि ये ख़ुशियाँ उसे हासिल हो गई हैं, ये जुमले भी इसी अन्दाज़ के हैं।

आख़िर में क़ुरआने करीम इस वाक़िए के असल सबक़ (नसीहत) की तरफ़ मुतवज्जह करके फ़रमाता है 'लिमिस्लि हाज़ा फ़ल्यअ़्मलिल् आ़मिलून' (कि ऐसी ही कामयाबी के लिये अ़मल करने वालों को अ़मल करना चाहिये)।

اَذٰلِكَ خَيْرٌ نُّزُلًا اَمْ شَجَرَةُ الزَّقُّوْمِ ۞ اِنَّا جَعَلْنٰهَا فِتْنَةً لِّلظّٰلِمِيْنَ ۞ اِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِيْٓ اَصْلِ الْجَحِيْمِ ۞ طَلْعُهَا كَاَنَّهٗ رُءُوْسُ الشَّيٰطِيْنِ ۞ فَاِنَّهُمْ لَاٰكِلُوْنَ مِنْهَا فَمَالِـُٔوْنَ مِنْهَا الْبُطُوْنَ ۞ ثُمَّ اِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِّنْ حَمِيْمٍ ۞ ثُمَّ اِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَاِلَى الْجَحِيْمِ ۞ اِنَّهُمْ اَلْفَوْا اٰبَآءَهُمْ ضَآلِّيْنَ ۞ فَهُمْ عَلٰٓى اٰثٰرِهِمْ يُهْرَعُوْنَ ۞ وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ اَكْثَرُ الْاَوَّلِيْنَ ۞ وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا فِيْهِمْ مُّنْذِرِيْنَ ۞ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنْذَرِيْنَ ۞ اِلَّا عِبَادَ اللّٰهِ الْمُخْلَصِيْنَ ۞

अज़ालि-क ख़ैरुन् नुज़ुलन् अम् श-ज-रतुज़्-ज़क़्क़ूम (62) इन्ना जअ़ल्नाहा फ़ित्नतल् लिज़्ज़ालिमीन (63) इन्नहा श-ज-रतुन् तख़्रुजु फ़ी अस्लिल्-जहीम (64) तल्अुहा क-अन्नहू रुऊसुश्शयातीन (65) फ़-इन्नहुम् ल-आकिलू-न मिन्हा फ़-मालिऊ-न मिन्हल्-बुतून (66) सुम्-म इन्-न लहुम् अ़लैहा लशौबम् मिन् हमीम (67) सुम्-म इन्-न मर्जि-अ़हुम् ल-इलल्-जहीम (68) इन्नहुम् अल्फ़ौ आबा-अहुम् ज़ाल्लीन (69) फ़हुम् अ़ला आसारिहिम् युह्रअ़ून (70) व ल-क़द् ज़ल्-ल क़ब्लहुम् अक्सरुल्-अव्वलीन (71) व ल-क़द् अर्सल्ना फ़ीहिम् मुन्ज़िरीन (72) फ़न्ज़ुर् कै-फ़ का-न आ़क़ि-बतुल्-मुन्ज़रीन (73) इल्ला अ़िबादल्लाहिल्-मुख़्लसीन (74) ✿	भला यह बेहतर है मेहमानी या दरख़्त ज़क़्क़ूम का? (62) हमने उसको रखा है एक बला ज़ालिमों के वास्ते। (63) वह एक दरख़्त है कि निकलता है दोज़ख़ की जड़ में। (64) उसका ख़ोशा जैसे सर शैतान के। (65) सो वे खायेंगे उसमें से फिर भरेंगे उससे पेट। (66) फिर उनके वास्ते उसके ऊपर मलूनी है जलते पानी की। (67) फिर उनको लेजाना है आग के ढेर में। (68) उन्होंने पाया अपने बाप-दादाओं को बहके हुए (69) सो वे उन्हीं के क़दमों पर दौड़ते हैं। (70) और बहक चुके हैं उनसे पहले बहुत लोग अगले। (71) और हमने भेजे हैं उनमें डर सुनाने वाले। (72) अब देख कैसा हुआ अन्जाम डराये हुओं का (73) मगर जो बन्दे अल्लाह के हैं चुने हुए। (74) ✿

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

(अ़ज़ाब और सवाब दोनों की तुलना करके अब ईमान वालों को शौक़ दिलाते और काफ़िरों को डराते हैं कि बतलाओ) भला यह दावत (जन्नत की नेमतों की) बेहतर है (जो ईमान वालों के लिये है) या ज़क्क़ूम का पेड़ (जो काफ़िरों के लिये है)। हमने उस पेड़ को (आख़िरत की सज़ा बनाने के अ़लावा दुनिया में भी इन) ज़ालिमों के लिये इम्तिहान का ज़रिया बनाया है (कि इसको सुनकर तस्दीक़ करते हैं या झुठलाते और मज़ाक़ उड़ाते हैं। चुनाँचे काफ़िर लोग झुठलाने और मज़ाक़ उड़ाने से पेश आये, कहने लगे कि ज़क्क़ूम तो मक्खन और खजूर को कहते हैं, वह तो ख़ूब मज़ेदार चीज़ है। और कहने लगे कि ज़क्क़ूम अगर पेड़ है तो दोज़ख़ में जो आग ही आग है पेड़ कैसे हो सकता है? इसका जवाब अल्लाह तआ़ला ने यह दिया है कि) वह एक पेड़ है जो दोज़ख़ की गहराई में से निकलता है (यानी मक्खन और खजूर नहीं है। और चूँकि वह ख़ुद आग ही में पैदा होता है इसलिए वहाँ रहना कोई मुहाल चीज़ नहीं, जैसे समन्दर नाम का जानवर आग में पैदा होता है और आग ही में रहता है। इससे दोनों बातों का जवाब हो गया। आगे ज़क्क़ूम की एक कैफ़ियत बयान हुई है कि) उसके फल ऐसे (बुरे दिखने वाले) हैं जैसे साँप के फन (पस ऐसे पेड़ से ज़ालिमों की दावत होगी) तो वे लोग (भूख की सख़्ती में जब और कुछ न मिलेगा तो) उसमें से खाएँगे और (चूँकि भूख से बेचैन होंगे इसलिये) उसी से पेट भरेंगे। फिर (जब प्यास से बेक़रार होकर पानी माँगेंगे तो) उनको खौलता हुआ पानी (पीप में) मिलाकर दिया जायेगा। और (यह नहीं कि इस मुसीबत का ख़ात्मा हो जाये बल्कि उसके बाद) फिर उनका आख़िरी ठिकाना दोज़ख़ ही की तरफ़ होगा (यानी उसके बाद भी वहीं हमेशा के लिये रहना होगा। और उन्हें यह सज़ा इसलिये दी गई कि) उन्होंने (अल्लाह की भेजी हुई हिदायत की पैरवी नहीं की थी बल्कि) अपने बड़ों को गुमराही की हालत में पाया था, फिर ये भी उन्हीं के क़दम-ब-क़दम "यानी उन्हीं के तरीक़े पर" तेज़ी के साथ चलते थे (यानी शौक़ और दिलचस्पी से उनके ग़लत रास्ते पर चलते थे)। और इन (मौजूदा काफ़िरों) से पहले भी अगले लोगों में अक्सर गुमराह हो चुके हैं। और हमने उनमें भी डराने वाले (पैग़म्बर) भेजे थे सो देख लीजिए उन लोगों का कैसा (बुरा) अन्जाम हुआ जिनको डराया गया था (और उन्होंने न माना था, कि उन पर दुनिया ही में क्या-क्या अ़ज़ाब नाज़िल हुआ) हाँ! मगर जो अल्लाह के ख़ास किये हुए (यानी ईमान वाले) बन्दे थे (वे उस दुनियावी अ़ज़ाब से भी महफ़ूज़ रहे)।

मआ़रिफ़ व मसाईल

दोज़ख़ और जन्नत दोनों के थोड़े-थोड़े हालात बयान फ़रमाने के बाद बारी तआ़ला ने हर इनसान को तुलना करने की दावत दी है कि ग़ौर करो कि इनमें से कौनसी हालत बेहतर है? चुनाँचे फ़रमायाः

اَذٰلِكَ خَيْرٌ نُّزُلًا اَمْ شَجَرَةُ الزَّقُّوْمِ؟

जन्नत की जिन नेमतों का तज़किरा किया गया है वो बेहतर हैं या ज़क्क़ूम का पेड़ जो दोज़ख़ियों को खिलाया जायेगा?

ज़क़्क़ूम की हकीक़त

ज़क़्क़ूम नाम का एक पेड़ अ़रब के इलाक़े तिहामा में पाया जाता है और अ़ल्लामा आलूसी रह. ने लिखा है कि यह दूसरे बंजर जंगलों में भी होता है। कुछ हज़रात ने फ़रमाया है कि यह वही पेड़ है जिसे उर्दू में "थोहड़" कहते हैं, इसी के क़रीब-क़रीब एक और पेड़ हिन्दुस्तान में "नागफन" के नाम से परिचित है, कुछ हज़रात ने उसको ज़क़्क़ूम क़रार दिया है, और यह अन्दाज़े के ज़्यादा क़रीब है। अब मुफ़स्सिरीन हज़रात की रायें इसमें अलग-अलग हैं कि जहन्नमियों को जो पेड़ खिलाया जायेगा वह यही दुनिया का ज़क़्क़ूम है या कोई और पेड़ है? कुछ हज़रात ने फ़रमाया कि यही दुनिया का ज़क़्क़ूम मुराद है, और कुछ ने कहा कि दोज़ख़ का ज़क़्क़ूम बिल्कुल अलग चीज़ है, दुनिया के ज़क़्क़ूम से उसका कोई ताल्लुक़ नहीं। बज़ाहिर ऐसा मालूम होता है कि जिस तरह साँप बिच्छू वग़ैरह दुनिया में भी होते हैं, इसी तरह दोज़ख़ में भी होते हैं, लेकिन दोज़ख़ के साँप बिच्छू यहाँ के साँप-बिच्छुओं से कहीं ज़्यादा ख़ौफ़नाक होंगे, इसी तरह दोज़ख़ का ज़क़्क़ूम भी अपनी प्रजाति के लिहाज़ से तो दुनिया ही के ज़क़्क़ूम की तरह होगा लेकिन यहाँ के ज़क़्क़ूम से कहीं ज़्यादा बुरी शक्ल वाला और खाने में कहीं ज़्यादा तकलीफ़देह होगा। वल्लाहु सुब्हानहू व तआ़ला आलम

إِنَّا جَعَلْنٰهَا فِتْنَةً لِّلظّٰلِمِيْنَ ۝

यानी "हमने उस (ज़क़्क़ूम के पेड़) को इन ज़ालिमों के लिये फ़ितना बनाया है।" इसमें फ़ितने से कुछ मुफ़स्सिरीन के नज़दीक अ़ज़ाब मुराद है, यानी उस पेड़ को अ़ज़ाब का ज़रिया बना दिया है। लेकिन अक्सर हज़रात का कहना यह है कि यहाँ "फ़ितने" का तर्जुमा "आज़माईश" और "इम्तिहान" करना ज़्यादा मुनासिब है। मतलब यह है कि उस पेड़ का तज़किरा करके हम यह इम्तिहान लेना चाहते हैं कि कौन इस पर ईमान लाता है? और कौन इसका मज़ाक़ उड़ाता है? चुनाँचे अ़रब के काफ़िर इस इम्तिहान में नाकाम रहे, उन्होंने बजाय इसके कि इस अ़ज़ाब से डरकर ईमान लाते मज़ाक़ व ठट्ठा उड़ाने का तरीक़ा इख़्तियार किया। रिवायतों में है कि जब क़ुरआने करीम की वो आयतें नाज़िल हुईं जिनमें काफ़िरों को ज़क़्क़ूम खिलाने का तज़किरा है तो अबू जहल ने अपने साथियों से कहा- "तुम्हारा दोस्त (हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम) कहता है कि आग में एक पेड़ है, हालाँकि आग तो पेड़ को खा जाती है और ख़ुदा की क़सम! हम तो यह जानते हैं कि ज़क़्क़ूम खजूर और मक्खन को कहते हैं तो आओ यह खजूर मक्खन खाओ।"

(दुर्रे मन्सूर पेज 277 जिल्द 5)

दर असल ज़क़्क़ूम बरबरी भाषा में खजूर और मक्खन को कहते थे इसलिये उसने मज़ाक़ उड़ाने का यह तरीक़ा इख़्तियार किया। अल्लाह तआ़ला ने एक ही जुमले में उसकी दोनों बातों का जवाब दे दिया किः

إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِيْٓ اَصْلِ الْجَحِيْمِ ۝

यानी "ज़क़्क़ूम तो जहन्नम की तह में उगने वाला एक पेड़ है।" लिहाज़ा न तो इससे मुराद खजूर और मक्खन है और न यह एतिराज़ माक़ूल है कि आग में पेड़ कैसे हो सकता है? जब वह पेड़

पैदा ही आग में हुआ तो अल्लाह तआ़ला ने उसमें ऐसी विशेषतायें रख दी हैं कि वह आग से जलने के बजाय उससे पोषण और फलना-फूलना पाता है। नमूने के तौर पर ऐसे कई जानवर मौजूद हैं जो आग ही में ज़िन्दा रह सकते हैं, आग उन्हें जलाने के बजाय और पालन-पोषण करती है।

طَلْعُهَا كَاَنَّهٗ رُءُوْسُ الشَّيٰطِيْنِ○

इस आयत में ज़क़्क़ूम के फल को "शैतानों के सरों" से तश्बीह दी गई है। कुछ मुफ़स्सिरीन ने तो यहाँ "शयातीन" का तर्जुमा "साँपों" से किया है यानी ज़क़्क़ूम का फल ऐसी शक्ल का होता है जैसे साँप का फन, उर्दू में उसे "नागफन" इसी लिये कहते हैं, लेकिन अक्सर मुफ़स्सिरीन ने फ़रमाया कि यहाँ "शयातीन" से उसके परिचित मायने ही मुराद हैं। अब यहाँ यह शुब्हा न होना चाहिये कि शैतानों को तो किसी ने देखा नहीं फिर उनके साथ मिसाल क्यों दी गई? इसलिये कि यह एक ख़्याली और काल्पनिक मिसाल है, मुहावरे में बदसूरत और बुरी डरावनी चीज़ों को शैतानों और जिन्न भूत से तश्बीह (मिसाल) दे दी जाती है, इसका मंशा महज़ इन्तिहाई दर्जे की बदसूरती बयान करना होता है, यहाँ भी इसी अन्दाज़ की मिसाल है। (रूहुल-मआ़नी वग़ैरह)

बाक़ी आयतों का मफ़्हूम ख़ुलासा-ए-तफ़सीर से स्पष्ट है।

وَلَقَدْ نَادٰىنَا نُوْحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيْبُوْنَ۝ وَنَجَّيْنٰهُ وَاَهْلَهٗ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيْمِ۝ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهٗ هُمُ الْبٰقِيْنَ۝ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْاٰخِرِيْنَ۝ سَلٰمٌ عَلٰى نُوْحٍ فِي الْعٰلَمِيْنَ۝ اِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِيْنَ۝ اِنَّهٗ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِيْنَ۝ ثُمَّ اَغْرَقْنَا الْاٰخَرِيْنَ۝

व ल-क़द् नादाना नूहुन् फ़-लनिअ्मल्-मुजीबून (75) व नज्जैनाहु व अह़्लहू मिनल्-कर्बिल्-अ़ज़ीम (76) व जअ़ल्ना ज़ुर्रिय्य-तहू हुमुल्-बाक़ीन (77) व तरक्ना अ़लैहि फ़िल्-आख़िरीन (78) सलामुन् अ़ला नूहिन् फ़िल्-आ़लमीन (79) इन्ना कज़ालि-क नज्ज़िल्-मुह्सिनीन (80) इन्नहू मिन् अ़िबादिनल्-मुअ्मिनीन (81) सुम्-म अग़्रक़्नल्-आख़रीन (82)	और हमको पुकारा था नूह ने सो क्या ख़ूब पहुँचने वाले हैं हम पुकार पर (75) और बचा दिया उसको और उसके घर को उस बड़ी घबराहट से (76) और रखा उसकी औलाद को वही बाक़ी रहने वाले (77) और बाक़ी रखा उस पर पिछले लोगों में (78) कि सलाम है नूह पर सारे जहान वालों में। (79) हम यूँ बदला देते हैं नेकी वालों को। (80) वह है हमारे ईमान वाले बन्दों में। (81) फिर डुबा दिया हमने दूसरों को। (82)

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

और हमको नूह (अ़लैहिस्सलाम) ने (मदद के लिये) पुकारा (यानी दुआ़ की) सो (हमने उनकी फ़रियाद पूरी की और) हम ख़ूब फ़रियाद सुनने वाले हैं। और हमने उनको और उनके मानने वालों को बड़े भारी ग़म से (जो काफ़िरों के झुठलाने और तकलीफ़ें पहुँचाने से पेश आया था) निजात दी (कि तूफ़ान से काफ़िरों को ग़र्क़ कर दिया और उनके मानने वालों को बचा लिया) और हमने उन्हीं की औलाद को बाक़ी रहने दिया (और किसी की नस्ल नहीं चली) और हमने उनके लिये बाद में आने वाले लोगों में यह बात (लम्बी मुद्दत के लिये) रहने दी कि नूह पर सलाम हो आ़लम वालों में (यानी ख़ुदा करे उन पर तमाम जहान वाले इनसान व जिन्नात और फ़रिश्ते सलाम भेजा करें)। हम इख़्लास वालों को ऐसा ही सिला दिया करते हैं। बेशक वह हमारे ईमान वाले बन्दों में से थे। फिर हमने दूसरे (तरीक़े के) लोगों को (यानी काफ़िरों को) डुबो दिया।

मआ़रिफ़ व मसाईल

पिछली आयतों में तज़किरा किया गया था कि हमने पहली उम्मतों के पास भी डराने वाले पैग़म्बर भेजे थे लेकिन अक्सर लोगों ने उनकी बात नहीं मानी, इसलिये उनका अन्जाम बहुत बुरा हुआ। अब यहाँ से इसी संक्षिप्तता की कुछ तफ़सील बयान की जा रही है और इस सिलसिले में कई अम्बिया अ़लैहिमुस्सलाम के वाक़िआ़त बयान किये गये हैं। सबसे पहले इन आयतों में हज़रत नूह अ़लैहिस्सलाम का तज़किरा किया गया है। हज़रत नूह अ़लैहिस्सलाम का वाक़िआ़ तफ़सील के साथ सूरः हूद में गुज़र चुका है, यहाँ चन्द बातें जो ख़ास तौर से इन्हीं आयतों की तफ़सीर से संबन्धित हैं लिखी जाती हैं।

وَلَقَدْ نَادٰنَا نُوْحٌ

इसमें फ़रमाया गया है कि हज़रत नूह अ़लैहिस्सलाम ने हमें आवाज़ दी थी। अक्सर मुफ़स्सिरीन के क़ौल के मुताबिक़ इससे मुराद हज़रत नूह अ़लैहिस्सलाम की वह दुआ़ है जो सूरः नूह में ज़िक्र हुई है, यानीः

رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْاَرْضِ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ دَيَّارًا٥

(ऐ मेरे परवर्दिगार! ज़मीन पर काफ़िरों में से एक बाशिन्दा भी मत छोड़) या जो सूरः क़मर में ज़िक्र हुई है यानीः

اَنِّىْ مَغْلُوْبٌ فَانْتَصِرْ٥

(मैं मग़लूब हूँ मेरी मदद कीजिये) यह दुआ़ हज़रत नूह अ़लैहिस्सलाम ने अपनी क़ौम की लगातार सरकशी और नाफ़रमानी के बाद उस वक़्त की थी जबकि आपकी क़ौम ने आपको झुठलाने पर बस करने के बजाय उल्टा आपको क़त्ल करने का मन्सूबा बनाया था।

وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهٗ هُمُ الْبٰقِيْنَ٥

(और हमने बाक़ी उन्हीं की औलाद को रहने दिया) मुफ़स्सिरीन (क़ुरआन की व्याख्या करने वालों) में से अक्सर हज़रात के नज़दीक इस आयत का मतलब यह है कि हज़रत नूह अ़लैहिस्सलाम के ज़माने में जो तूफ़ान आया था उसमें दुनिया की अक्सर आबादी हलाक हो गई थी, और उसके बाद सारी दुनिया की नस्ल हज़रत नूह अ़लैहिस्सलाम ही के तीन बेटों से चली। एक बेटे का नाम साम था और उनकी औलाद से अ़रब और फ़ारस वालों वग़ैरह की नस्ल चली। दूसरे बेटे हाम थे और उनसे अफ़्रीक़ी देशों की आबादियाँ दुनिया में फैलीं, कुछ हज़रात ने हिन्दुस्तान के बाशिन्दों को भी इसी नस्ल में शामिल किया है और तीसरे बेटे याफ़िस थे उनसे तुर्क, मंगोल और याजूज-माजूज की नस्लें निकली हैं। जो लोग हज़रत नूह अ़लैहिस्सलाम की कश्ती में सवार होकर तूफ़ान से बच गये थे उनमें से हज़रत नूह अ़लैहिस्सलाम के इन तीनों बेटों के सिवा किसी और से कोई नस्ल नहीं चली।

लेकिन कुछ उलेमा जिनकी तादाद बहुत कम है इस बात के क़ायल रहे हैं कि तूफ़ाने नूह पूरी दुनिया में नहीं बल्कि सिर्फ़ अ़रब के इलाक़े में आया था, उनके नज़दीक इस आयत का मतलब यह है कि अ़रब के इलाक़े में सिर्फ़ हज़रत नूह अ़लैहिस्सलाम की औलाद बाक़ी रही, और उन्हीं से अ़रब वालों की नस्ल चली, दुनिया के दूसरे ख़ित्तों में दूसरों की नस्ल चलने की इस आयत से नफ़ी नहीं होती। (तफ़सीर बयानुल-क़ुरआन)

मुफ़स्सिरीन का एक तीसरा गिरोह यह कहता है कि तूफ़ाने नूह तो पूरी दुनिया में आया था लेकिन दुनिया की नस्ल सिर्फ़ हज़रत नूह अ़लैहिस्सलाम के बेटों से नहीं बल्कि उन तमाम लोगों से चली है जो कश्ती में हज़रत नूह अ़लैहिस्सलाम के साथ सवार थे। यह गिरोह आयत ख़ास करने को एक इज़ाफ़ी बात क़रार देकर यह कहता है कि यहाँ असल मक़सद यह बयान करना है कि डूबने वालों की नस्ल नहीं चली। (तफ़सीरे क़ुर्तुबी)

क़ुरआने करीम के मज़मून के लिहाज़ से तीसरा क़ौल बहुत कमज़ोर है और पहला क़ौल सबसे बेहतर है, इसलिये कि इसकी ताईद कुछ हदीसों से भी होती है जो इमाम तिर्मिज़ी रह. वग़ैरह ने इस आयत की तफ़सीर में नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से रिवायत की हैं। हज़रत समुरा बिन जुन्दब रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने इरशाद फ़रमाया- "साम अ़रब वालों का बाप है, हाम हब्शा वालों का बाप है और याफ़िस रोम वालों का।" इमाम तिर्मिज़ी रह. ने इस हदीस को हसन और इमाम हाकिम रह. ने इसे सही क़रार दिया है।

(तफ़सीर रूहुल-मआ़नी पेज 98 जिल्द 23)

وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِى الْاٰخِرِيْنَ ٥ سَلٰمٌ عَلٰى نُوْحٍ فِى الْعٰلَمِيْنَ ٥

(और हमने उनके लिये पीछे आने वाले लोगों में यह बात रहने दी कि नूह पर सलाम हो जहान वालों में) इसका मतलब यह है कि हज़रत नूह अ़लैहिस्सलाम के बाद जो लोग पैदा हुए उनकी नज़र में हज़रत नूह अ़लैहिस्सलाम को ऐसा सम्मानित व इज़्ज़त वाला बना दिया कि वे क़ियामत तक हज़रत नूह अ़लैहिस्सलाम के लिये सलामती की दुआ़ करते रहेंगे। चुनाँचे असलियत भी यही है कि वो तमाम धर्म जो अपने आपको आसमानी किताबों से जोड़ते हैं सब के सब हज़रत नूह अ़लैहिस्सलाम की नुबुव्वत और पाकीज़गी के क़ायल हैं, मुसलमानों के अ़लावा यहूदी और ईसाई भी आपको अपना पेशवा (धर्मगुरु) मानते हैं।

وَاِنَّ مِنْ شِيْعَتِهٖ لَاِبْرٰهِيْمَ ۝ اِذْ جَآءَ رَبَّهٗ بِقَلْبٍ سَلِيْمٍ ۝ اِذْ قَالَ لِاَبِيْهِ وَقَوْمِهٖ مَاذَا تَعْبُدُوْنَ ۝ اَئِفْكًا اٰلِهَةً دُوْنَ اللّٰهِ تُرِيْدُوْنَ ۝ فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝ فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُوْمِ ۝ فَقَالَ اِنِّيْ سَقِيْمٌ ۝ فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِيْنَ ۝ فَرَاغَ اِلٰٓى اٰلِهَتِهِمْ فَقَالَ اَلَا تَاْكُلُوْنَ ۝ مَا لَكُمْ لَا تَنْطِقُوْنَ ۝ فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِالْيَمِيْنِ ۝ فَاَقْبَلُوْٓا اِلَيْهِ يَزِفُّوْنَ ۝ قَالَ اَتَعْبُدُوْنَ مَا تَنْحِتُوْنَ ۝ وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُوْنَ ۝ قَالُوا ابْنُوْا لَهٗ بُنْيَانًا فَاَلْقُوْهُ فِي الْجَحِيْمِ ۝ فَاَرَادُوْا بِهٖ كَيْدًا فَجَعَلْنٰهُمُ الْاَسْفَلِيْنَ ۝

व इन्-न मिन् शी-अ़तिही ल-इब्राहीम। (83) इज़् जा-अ रब्बहू बिक़ल्बिन् सलीम (84) इज़् का-ल लि-अबीहि व क़ौमिही माज़ा तअ्बुदून (85) अ-इफ़्कन् आलि-हतन् दूनल्लाहि तुरीदून (86) फ़मा ज़न्नुकुम् बिरब्बिल्-आ़लमीन (87) फ़-न-ज़-र नज़्र-तन् फ़िन्नुजूम (88) फ़क़ा-ल इन्नी सक़ीम (89) फ़-तवल्लौ अ़न्हु मुद्बिरीन (90) फ़रा-ग़ इला आलि-हतिहिम् फ़क़ा-ल अला तअ्कुलून (91) मा लकुम् ला तन्तिक़ून (92) फ़रा-ग़ अ़लैहिम् ज़र्बम्-बिल्यमीन (93) फ़-अक़्बलू इलैहि यज़िफ़्फ़ून (94) क़ा-ल अ-तअ़्बुदू-न मा तन्हितून (95) वल्लाहु ख़-ल-क़कुम् व मा तअ़्मलून (96) क़ालुब्नू लहू बुन्यानन् फ़-अल्क़ूहु फ़िल्-जहीम (97)

और उसी की राह वालों में है इब्राहीम। (83) जब आया अपने रब के पास लेकर निरोगा दिल। (84) जब कहा अपने बाप को और उसकी क़ौम को तुम क्या पूजते हो? (85) क्या झूठ बनाये हुए हाकिमों को अल्लाह के सिवा चाहते हो? (86) फिर क्या ख़्याल किया है तुमने परवर्दिगारे आ़लम को? (87) फिर निगाह की एक बार तारों में (88) फिर कहा मैं बीमार होने वाला हूँ। (89) फिर फिर गये वह उससे पीठ देकर। (90) फिर जा घुसा उनके बुतों में फिर बोला तुम क्यों नहीं खाते? (91) तुमको क्या है कि नहीं बोलते? (92) फिर घुसा उन पर मारता हुआ दाहिने हाथ से। (93) फिर लोग आये उस पर दौड़कर घबराते हुए। (94) बोला क्यों पूजते हो जो ख़ुद गढ़ते (बनाते) हो? (95) और अल्लाह ने बनाया तुमको और जो तुम बनाते हो। (96) बोले बनाओ उसके वास्ते एक इमारत फिर डालो उसको आग के ढेर में। (97)

फ़-अरादू बिही कैदन् फ़-जअ़ल्नाहुमुल्-अस्फ़लीन (98)	फिर चाहने लगे उस पर बड़ा दाव करना फिर हमने डाला उन्हीं को नीचे। (98)

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

और नूह (अ़लैहिस्सलाम) के तरीक़े वालों में से (यानी उन लोगों में से जो बुनियादी अ़क़ीदों में नूह अ़लैहिस्सलाम के साथ मुत्तफ़िक़ थे) इब्राहीम भी थे (उनका वह वाक़िआ़ याद रखने के क़ाबिल है) जबकि वह अपने रब की तरफ़ साफ़ दिल से मुतवज्जह हुए (साफ़ दिल का मतलब यह कि उनका दिल बुरे अ़क़ीदे और दिखलावे के जज़्बे से पाक था) जबकि उन्होंने अपने बाप से और अपनी क़ौम से (जो बुत-परस्त थी) फ़रमाया कि तुम किस (वाहियात) चीज़ की इबादत किया करते हो? क्या झूठ-मूठ के माबूदों को अल्लाह के सिवा (माबूद बनाना) चाहते हो? तो तुम्हारा रब्बुल-आ़लमीन के साथ क्या ख़्याल है? (यानी तुमने जो उसकी इबादत छोड़ रखी है तो क्या उसके माबूद होने में कोई शुब्हा है? यानी अव्वल तो ऐसा न होना चाहिए और अगर कोई शुब्हा है तो उसे दूर कर लो। ग़र्ज़ कि यूँ ही बहस व मुबाहसा होता रहता था। एक बार का वाक़िआ़ है कि उनका कोई त्यौहार आया, क़ौम ने इनसे भी दरख़्वास्त की कि हमारे मेले में चलो) सो इब्राहीम (अ़लैहिस्सलाम) ने सितारों को एक निगाह भरकर देखा और कह दिया कि मैं बीमार होने को हूँ (इसलिये मेले में नहीं जा सकता)।

ग़र्ज़ कि वे लोग (इनका यह उज़्र सुनकर) इनको छोड़कर चले गये (कि बिना वजह बीमारी में इनको और इनकी वजह से औरों को तकलीफ़ होगी) तो यह (यानी इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम) उनके बुतों में जा घुसे और (मज़ाक़ उड़ाने के तौर पर उनसे) कहने लगे कि क्या तुम (यह चढ़ावे जो तुम्हारे सामने रखे हैं) खाते नहीं हो? (और) तुमको क्या हुआ तुम बोलते भी नहीं हो? फिर उन पर ताक़त के साथ जा पड़े "यानी पिल पड़े" और मारने लगे (और कुल्हाड़ी वग़ैरह से उनको तोड़-फोड़ दिया)।

सो (उन लोगों को जब इसकी इत्तिला हुई तो) वे लोग इनके पास दौड़ते हुए (घबराये हुए गुस्से में) आये और (गुफ़्तगु शुरू हुई)। इब्राहीम (अ़लैहिस्सलाम) ने फ़रमाया- क्या तुम उन चीज़ों को पूजते हो जिनको ख़ुद (अपने हाथ से) तराशते हो (तो जो तुम्हारा मोहताज हो वह ख़ुदा क्या होगा?) हालाँकि तुमको और तुम्हारी उन बनाई हुई चीज़ों को (सब को) अल्लाह ही ने पैदा किया है (सो इबादत उसी की करनी चाहिए)। वे लोग (जब मुनाज़रे "तर्क देने" में मग़लूब हुए तो झुंझलाकर आपस में) कहने लगे कि इब्राहीम के लिये एक आतिशख़ाना "यानी आग का घर" तामीर करो (और उसमें आग दहकाकर) उनको उस दहकती आग में डाल दो। ग़र्ज़ कि उन लोगों ने इब्राहीम के साथ बुराई करनी चाही थी (कि यह हलाक हो जायेंगे) सो हमने उन्हीं को नीचा दिखाया (जिसका क़िस्सा सूरः अम्बिया में गुज़र चुका है)।

मआ़रिफ़ व मसाईल

हज़रत नूह अ़लैहिस्सलाम के वाक़िए के बाद क़ुरआने करीम ने हज़रत इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम की

पवित्र ज़िन्दगी के दो वाक़िए ज़िक्र किये हैं। दोनों वाक़िए ऐसे हैं जिनमें हज़रत इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम ने महज़ अल्लाह के वास्ते बड़ी क़ुरबानियाँ पेश कीं। उनमें से पहला वाक़िआ जो मज़कूरा आयतों में बयान किया गया है हज़रत इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम को आग में डालने का वाक़िआ है, और इसकी तफ़सीलात सूरः अम्बिया में गुज़र चुकी हैं, अलबत्ता यहाँ जिस अन्दाज़ में इसको बयान किया गया है उसमें चन्द बातें ख़ुलासा चाहती हैं।

اِنَّ مِنْ شِيْعَتِهٖ لَاِبْرٰهِيْمَ○

शीअ़तुन अ़रबी भाषा में उस गिरोह या जमाअ़त को कहते हैं जिसके अफ़राद बुनियादी नज़रियों और तौर-तरीक़े में समान और बराबर हों, और यहाँ ज़ाहिर यही है कि हज़रत नूह अ़लैहिस्सलाम की तरफ़ निस्बत है, लिहाज़ा इसका मतलब यह हुआ कि हज़रत इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम अपने से पहले वाले नबी हज़रत नूह अ़लैहिस्सलाम के तरीक़े पर थे और दीन के बुनियादी उसूल में दोनों का मुकम्मल इत्तिफ़ाक़ था। और यह भी मुम्किन है कि दोनों की शरीअ़तें भी एक जैसी या मिलती जुलती हों। स्पष्ट रहे कि कुछ तारीख़ी रिवायतों के मुताबिक़ हज़रत नूह अ़लैहिस्सलाम और हज़रत इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम के बीच दो हज़ार छह सौ चालीस साल का फ़ासला है और दोनों के बीच हज़रत हूद और हज़रत सालेह अ़लैहिमस्सलाम के सिवा कोई और नबी नहीं हुआ।

(कश्शाफ़, पेज 48 जिल्द 4)

اِذْ جَآءَ رَبَّهٗ بِقَلْبٍ سَلِيْمٍ○

इसके ठेठ लफ़्ज़ी मायने यह हैं- "जबकि वे आये अपने परवर्दिगार के पास साफ़ दिल लेकर।" और परवर्दिगार के पास आने से मुराद है अल्लाह की तरफ़ रुजू करना, उसकी तरफ़ मुतवज्जह होना और उसकी इबादत करना। इसके साथ "साफ़ दिल" की क़ैद लगाकर इशारा कर दिया गया है कि अल्लाह की कोई इबादत उस वक़्त तक क़ाबिले क़ुबूल नहीं है जब तक कि इबादत करने वाले का दिल ग़लत अ़क़ीदों और बुरे जज़्बात से पाक न हो, अगर ग़लत अ़क़ीदे के साथ कोई इबादत की जाये तो चाहे इबादत करने वाले ने उस पर कितनी भी मेहनत उठाई हो वह क़ाबिले क़ुबूल नहीं। इसी तरह अगर इबादत करने वाले का असल मक़सद अल्लाह की ख़ुशनूदी हासिल करने के बजाय दिखावा हो या कोई माद्दी फ़ायदा व स्वार्थ हो तो वह इबादत क़ाबिले तारीफ़ नहीं। हज़रत इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम का अल्लाह की तरफ़ रुजू करना इन तमाम मिलावटों से पाक था।

فَنَظَرَ نَظْرَةً فِى النُّجُوْمِ○ فَقَالَ اِنِّىْ سَقِيْمٌ○

इन आयतों के पीछे का मन्ज़र यह है कि हज़रत इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम की क़ौम एक ख़ास दिन में त्यौहार मनाया करती थी, जब वह दिन आया तो उसने हज़रत इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम को दावत दी कि आप भी हमारे साथ जश्न में शिर्कत के लिये चलें। मक़सद यह था कि हज़रत इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम उस जश्न में हमारे साथ रहेंगे तो शायद हमारे दीन से प्रभावित हो जायें और अपने दीन की दावत छोड़ दें। (दुर्रे मन्सूर व इब्ने जरीर वग़ैरह) लेकिन हज़रत इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम उस मौक़े से दूसरा फ़ायदा उठाना चाहते थे, आपका इरादा यह था कि जब सारी क़ौम जश्न मनाने चली जायेगी तो मैं इनकी इबादत गाहों में जाकर उनके बुतों को तोड़ डालूँगा ताकि ये लोग वापस आकर अपने

झूठे माबूदों की बेबसी का अ़मली नक़्शा अपनी आँखों से देख लें, हो सकता है कि अपने बुतों को बेबस देखकर किसी के दिल में ईमान पैदा हो और वह शिर्क से तौबा कर ले। इस ग़र्ज़ से हज़रत इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम ने उनके साथ जाने से इनकार फ़रमा दिया, लेकिन इनकार का तरीक़ा यह इख़्तियार फ़रमाया कि पहले निगाह भरकर सितारों को देखा और फिर कहा कि "मैं बीमार हूँ" क़ौम वालों ने आपको माज़ूर समझकर छोड़ दिया और जश्न मनाने चले गये।

इस वाक़िए से कई तफ़सीरी और फ़िक़्ही मबाहिस संबन्धित हैं यहाँ उनका ख़ुलासा पेश किया जाता है।

सितारों पर निगाह डालने का मक़सद

सबसे पहली बहस तो यह है कि हज़रत इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम ने जवाब देने से पहले जो सितारों पर नज़र डाली इसका मक़सद क्या था? कुछ हज़रात ने तो फ़रमाया है कि यह महज़ एक इत्तिफ़ाक़ी अ़मल था किसी अहम बात को सोचते हुए इनसान कई बार बेइख़्तियार आसमान की तरफ़ देखने लगता है। जिस वक़्त हज़रत इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम को जश्न में शिर्कत की दावत दी गई तो आप इस सोच में पड़ गये कि इस दावत को किस तरह टलाऊँ? इसी सोच के आ़लम में आपने बेइख़्तियार सितारों की तरफ़ देखा और उसके बाद जवाब दिया। सितारों पर नज़र डालने की यह वज़ाहत बज़ाहिर बेग़ुबार मालूम होती है लेकिन क़ुरआने करीम के बयान के अन्दाज़ को देखते हुए इसे दुरुस्त कहना मुश्किल है। अव्वल तो इसलिये कि क़ुरआने करीम का अन्दाज़ यह है कि वह वाक़िआ़त के सिर्फ़ अहम और ज़रूरी हिस्सों को बयान फ़रमाता है और ग़ैर-ज़रूरी तफ़सीलात को छोड़ देता है, ख़ुद इन्हीं आयतों में वाक़िए के कई हिस्से छोड़ दिये गये हैं, यहाँ तक कि इसका पूरा-पूरा मन्ज़र भी बयान नहीं किया गया, इसलिये यह यक़ीन करना मुम्किन नहीं कि क़ुरआने करीम ने वाक़िए के पीछे के मन्ज़र को तो लम्बा होने के ख़्याल से छोड़ दिया हो और एक क़तई ग़ैर-इख़्तियारी अ़मल जिसका वाक़िए से बहुत दूर का भी ताल्लुक़ नहीं था उसे पूरी एक आयत में बयान फ़रमाया हो। दूसरे अगर सितारों को देखने में कोई ख़ास हिक्मत पेशे नज़र नहीं थी बल्कि यह एक ग़ैर-इख़्तियारी अ़मल था तो अ़रबी भाषा के ग्रामर के हिसाब से 'फ़-न-ज़-र नज़्रतन् इलन्नुजूम' कहना चाहिये था "फ़िन्नुजूम" नहीं।

इससे मालूम हुआ कि सितारों को देखने में कोई ख़ास मस्लेहत हज़रत इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम का मक़सद थी इसी लिये क़ुरआने करीम ने अहमियत के साथ इसका ज़िक्र फ़रमाया है। अब वह मस्लेहत क्या थी? इसके जवाब में अक्सर मुफ़स्सिरीन ने यह फ़रमाया है कि दर असल हज़रत इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम की क़ौम नुजूम (सितारों) के इल्म की बड़ी शैदाई थी, और सितारों को देख-देखकर अपने कामों का निर्धारण किया करती थी। हज़रत इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम ने सितारों की तरफ़ देखकर जो जवाब दिया उसका मक़सद यह था कि क़ौम वाले यह समझें कि हज़रत इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम अपनी बीमारी के बारे में जो कुछ फ़रमा रहे हैं वह कोई हवाई बात नहीं है बल्कि सितारों के चलन पर ग़ौर करके कह रहे हैं। अगरचे हज़रत इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम बज़ाते ख़ुद सितारों के इल्म के क़ायल न हों लेकिन जश्न की शिर्कत से अपना पीछा छुड़ाने के लिये आपने तरीक़ा वह इख़्तियार फ़रमाया जो उनकी नज़र में ज़्यादा भरोसे के क़ाबिल हो, और चूँकि आपने ज़बान से इल्मे नुजूम का

कोई हवाला नहीं दिया न यह बताया कि सितारों को देखने से मेरा मक़सद इल्मे नुजूम से मदद लेना है बल्कि सिर्फ़ नज़र भरकर सितारों को देखा इसलिये इसमें झूठ का भी कोई पहलू नहीं हुआ।

यहाँ यह शुब्हा हो सकता है कि हज़रत इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम के इस अ़मल से उन काफ़िरों की हिम्मत-अफ़ज़ाई हुई होगी जो न सिर्फ़ इल्मे नुजूम (सितारों के इल्म) के क़ायल थे बल्कि सितारों को दुनिया के वाक़िआ़त में असल प्रभावी मानते थे। लेकिन इसका जवाब यह है कि हिम्मत-अफ़ज़ाई तो तब होती जबकि हज़रत इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम बाद में उन्हें खोलकर उनकी गुमराहियों पर आगाह और सचेत न फ़रमाते, यहाँ तो यह सारी तदबीर की ही इसलिये जा रही थी कि उन्हें तौहीद (अल्लाह के एक होने) की दावत ज़्यादा से ज़्यादा असरदार बनाकर दी जाये। चुनाँचे थोड़े ही समय के बाद हज़रत इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम ने क़ौम की एक-एक गुमराही को खोल-खोलकर बयान फ़रमा दिया इसलिये महज़ इस अस्पष्ट अ़मल से काफ़िरों की हिम्मत-अफ़ज़ाई का कोई सवाल पैदा नहीं होता। यहाँ असल मक़सद जश्न की शिर्कत से अपनी जान छुड़ाना था ताकि हक़ की दावत के लिये ज़्यादा असरदार फ़िज़ा पैदा की जा सके। इस मक़सद के लिये यह ग़लत-फ़हमी में डालने वाला तरीक़ा पूरी तरह हिक्मत पर आधारित है, और इस पर कोई माक़ूल एतिराज़ नहीं किया जा सकता।

सितारों की तरफ़ देखने की यह वज़ाहत अक्सर मुफ़स्सिरीन से नक़ल की गयी है और हकीमुल-उम्मत हज़रत थानवी रह. ने भी तफ़सीर बयानुल-क़ुरआन में इसी को इख़्तियार फ़रमाया है।

सितारों के इल्म की शरई हैसियत

इस आयत के तहत दूसरा मसला यह है कि इल्मे नुजूम (सितारों के ज्ञान) की शरई हैसियत क्या है? यहाँ मुख़्तसर तौर पर इस सवाल का जवाब अ़र्ज़ किया जाता है।

यह तो एक तयशुदा हक़ीक़त है कि अल्लाह तआ़ला ने चाँद, सूरज और सितारों में कुछ ऐसी ख़ासियतें रखी हैं जो इनसानी ज़िन्दगी पर असर-अन्दाज़ होती हैं, उनमें से कुछ ख़ासियतें (विशेषतायें) ऐसी हैं जिनको हर शख़्स देख सकता और अनुभव कर सकता है। जैसे सूरज के क़रीब और दूर होने से गर्मी और सर्दी का पैदा होना, चाँद के उतार-चढ़ाव से समन्दर में उतार-चढ़ाव वग़ैरह। अब कुछ हज़रात का कहना तो यह है कि उन सितारों की ख़ुसूसियतें सिर्फ़ इतनी ही हैं जितनी आ़म अनुभव और देखने से मालूम होती हैं और कुछ लोगों का कहना यह है कि उनके अ़लावा भी सितारों की गर्दिश की कुछ ख़ासियतें होती हैं जो इनसान की ज़िन्दगी के अक्सर मामलों पर असर डालती हैं। एक इनसान के लिये किसी सितारे का किसी ख़ास बुर्ज में चले जाना ख़ुशियों और कामयाबियों का सबब बनता है और किसी के लिये ग़मों और नाकामियों का। फिर कुछ लोग तो उन सितारों ही को कामयाबियों और नाकामियों के मामले में असल प्रभावी मानते हैं और कुछ लोग यह कहते हैं कि असल असर डालने वाला तो अल्लाह तआ़ला ही है मगर उसने सितारों को ऐसी विशेषतायें अ़ता कर दी हैं इसलिये दुनिया के दूसरे असबाब की तरह वो भी इनसान की कामयाबियों और नाकामियों का एक सबब होते हैं।

जहाँ तक उन लोगों का ताल्लुक़ है जो सितारों को असल प्रभाव डालने वाला मानते हैं, यानी यह समझते हैं कि दुनिया के उलट-फेर, तब्दीलियाँ और वाक़िआ़त सितारों ही की वजह से होते हैं, सितारे

ही दुनिया के तमाम वाक़िआत के फ़ैसले करते हैं, तो बिला शुब्हा उनका ख़्याल ग़लत और बातिल है और यह अ़क़ीदा इनसान को शिर्क की हद तक पहुँचा देता है। अ़रब के लोग बारिश के बारे में यही अ़क़ीदा रखते थे कि एक ख़ास सितारा (जिसे ''नुअ़'' कहा जाता था) बारिश लेकर आता है और वह बारिश के लिये असल प्रभावी की हैसियत रखता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने इस अ़क़ीदे की सख़्त तरदीद फ़रमाई है जिसकी वज़ाहत हदीसों में मौजूद है।

रहे ये लोग जो दुनियावी वाक़िआ़त में असल प्रभाव डालने वाला तो अल्लाह तआ़ला ही को मानते हैं लेकिन साथ ही इस बात के भी क़ायल हैं कि अल्लाह ने सितारों को ऐसी ख़ासियतें अ़ता फ़रमाई हैं जो सबब के दर्जे में इनसानी ज़िन्दगी पर असर डालती हैं। जिस तरह बारिश बरसाने वाला तो अल्लाह तआ़ला ही है लेकिन उसका ज़ाहिरी सबब बादल हैं, इसी तरह तमाम कामयाबियों और नाकामियों का असल स्रोत तो अल्लाह तआ़ला की मर्ज़ी ही है लेकिन ये सितारे उन कामयाबियों और नाकामियों का सबब बन जाते हैं, सो यह ख़्याल शिर्क नहीं है और क़ुरआन व हदीस से इस ख़्याल की न तस्दीक़ होती है न तरदीद। लिहाज़ा यह कुछ मुश्किल नहीं है कि अल्लाह तआ़ला ने सितारों की गर्दिश और इनके निकलने व छुपने में कुछ ऐसे असरात रखे हों, लेकिन उन असरात की जुस्तजू करने के लिये इल्मे नुजूम (सितारों के ज्ञान) का हासिल करना, उस इल्म पर भरोसा और उसकी बिना पर भविष्य के बारे में फ़ैसला करना बहरहाल ममनू (मना किया गया) और नाजायज़ है, और हदीसों में इसकी मनाही आई है। हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने इरशाद फ़रमायाः

إِذَا ذُكِرَ الْقَدْرُ فَاَمْسِكُوْا وَإِذَا ذُكِرَتِ النُّجُوْمُ فَاَمْسِكُوْا وَإِذَا ذُكِرَ اَصْحَابِىْ فَاَمْسِكُوْا

(تخريج احياء العلوم للعراقى بحواله طبرانى، و هو حديث حسنه العراقى)

''जब तक़दीर का ज़िक्र छिड़े तो रुक जाओ (यानी उसमें ज़्यादा सोच-विचार और बहस व मुबाहसा न करो) और जब सितारों का ज़िक्र छिड़े तो रुक जाओ और जब मेरे सहाबा का (यानी उनके आपसी विवादों और मतभेदों वग़ैरह का) ज़िक्र छिड़े तो रुक जाओ।''

और हज़रत फ़ारूके आज़म रज़ियल्लाहु अ़न्हु का इरशाद हैः

تَعَلَّمُوْا مِنَ النُّجُوْمِ مَا تَهْتَدُوْنَ بِهٖ فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ثُمَّ اَمْسِكُوْا. (احياء علوم الدين للغزالى)

''सितारों के इल्म में से इतना इल्म हासिल करो जिसके ज़रिये तुम ख़ुश्की और समन्दर में रास्ते जान सको, इसके बाद रुक जाओ।''

इस मनाही से सितारों की ख़ासियतों, विशेषताओं और असरात का इनकार लाज़िम नहीं आता लेकिन उन ख़ासियतों और असरात के पीछे पड़ने और उनकी जुस्तजू में क़ीमती समय बरबाद करने को मना किया गया है। इमाम ग़ज़ाली रह. ने एहयाउल-उलूम में इस पर तफ़सील से बहस करते हुए इस मनाही की कई हिक्मतें बताई हैं।

इल्मे नुजूम (सितारों के ज्ञान) के वर्जित व बुरा होने की पहली हिक्मत तो यह है कि जब इस इल्म में इनसान की दिलचस्पी और तवज्जोह बढ़ती है तो तजुर्बा यह है कि वह धीरे-धीरे सितारों ही को सब कुछ समझ बैठता है और यह चीज़ उसे आहिस्ता-आहिस्ता सितारों के असल प्रभाव डालने

वाले होने के शिर्क भरे अ़क़ीदे की तरफ़ ले जाती है।

दूसरी हिक्मत यह है कि अगर सितारों में अल्लाह तआ़ला ने कुछ ख़ासियतें और असरात रखे भी हों तो उनके यक़ीनी इल्म का हमारे पास सिवाय वही (अल्लाह की तरफ़ से आने वाले इल्म) के कोई रास्ता नहीं है। हज़रत इदरीस अ़लैहिस्सलाम के बारे में हदीसों में आया है कि उन्हें अल्लाह तआ़ला ने इस क़िस्म का कोई इल्म अ़ता फ़रमाया था, लेकिन अब वह इल्म जिसकी बुनियाद अल्लाह की वही पर थी दुनिया से मिट चुका है, अब इल्मे नुजूम के विशेषज्ञों के पास जो कुछ है वह महज़ क़ियासात, अन्दाज़े और तख़्मीने हैं जिनसे कोई यक़ीनी इल्म हासिल नहीं किया जा सकता। यही वजह है कि नजूमियों की बेशुमार भविष्यवाणियाँ आये दिन ग़लत साबित होती रहती हैं। किसी ने इस इल्म के बारे में बेहतरीन टिप्पणी की है किः

مفیده غیر معلوم و معلومه غیر مفید

"यानी इस इल्म का जितना हिस्सा मुफ़ीद हो सकता है वह किसी को मालूम नहीं, और जितना लोगों को मालूम है वह फ़ायदेमन्द नहीं।"

अ़ल्लामा आलूसी रह. ने तफ़सीर रूहुल-मआ़नी में तारीख़ी वाक़िआ़त की ऐसी कई मिसालें पेश की हैं जिनमें इल्मे नुजूम के माने हुए उसूलों और क़ायदों के तहत एक वाक़िआ़ जिस तरह पेश आना चाहिये था हक़ीक़त में उसके बिल्कुल उलट पेश आया। चुनाँचे जिन बड़े-बड़े लोगों ने इस इल्म के सीखने में अपनी उम्रें खपाई हैं वे आख़िर में यह कहने पर मजबूर हुए कि इस इल्म का अन्जाम क़ियास व अन्दाज़े से आगे कुछ नहीं। सितारों के इल्म के एक मशहूर माहिर दैलमी ने इल्मे नुजूम पर 'किताबुल-मुजूमल फ़िल्-अहकाम' में लिखा हैः

> "इल्मे नुजूम (सितारों का ज्ञान) एक बिना दलील का इल्म है और इसमें इनसान के वस्वसों और गुमानों के लिये बड़ी गुंजाईश है।" (रूहुल-मआ़नी पेज 116 जिल्द 23)

अ़ल्लामा आलूसी रह. ने सितारों के उलूम के और भी कई उलेमा के इसी क़िस्म के क़ौल नक़ल फ़रमाये हैं। बहरहाल! यह बात तयशुदा है कि इल्मे नुजूम कोई यक़ीनी इल्म नहीं है और इसमें ग़लतियों की बेहिसाब संभावनायें और अन्देशे होते हैं, लेकिन होता यह है कि जो लोग इस इल्म के हासिल करने में लगे रहते हैं वे इसे बिल्कुल क़तई और यक़ीनी इल्म का दर्जा दे बैठते हैं, इसी की बिना पर भविष्य के फ़ैसले करते हैं, इसी की वजह से दूसरों के बारे में अच्छी बुरी रायें क़ायम कर लेते हैं, और सबसे बढ़कर यह कि इस इल्म का झूठा घमण्ड कई बार इनसान को इल्मे ग़ैब के दावों तक पहुँचा देता है, और ज़ाहिर है कि इनमें से हर चीज़ बेशुमार ख़राबियाँ पैदा करने वाली है।

इल्मे नुजूम (सितारों के ज्ञान) की मनाही की तीसरी वजह यह है कि क़ीमती उम्र को एक बेफ़ायदा काम में लगाने के बराबर है। जब इससे कोई नतीजा यक़ीनी तौर पर हासिल नहीं किया जा सकता तो ज़ाहिर है कि दुनिया के कामों में यह इल्म बिल्कुल भी मददगार नहीं हो सकता। अब बिना वजह एक बेफ़ायदा चीज़ के पीछे पड़ना इस्लामी शरीअ़त की रूह और मिज़ाज के बिल्कुल ख़िलाफ़ है इसलिये इसको ममनू (वर्जित) कर दिया गया है।

हज़रत इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम की बीमारी का मतलब

इस आयत से मुताल्लिक़ तीसरा मसला यह है कि हज़रत इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम ने अपनी क़ौम की दावत के जवाब में जो 'इन्नी सक़ीम' (मैं बीमार हूँ) फ़रमाया तो क्या हज़रत इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम उस वक़्त वाक़ई बीमार थे? क़ुरआने करीम में इसके मुताल्लिक़ कोई स्पष्टता नहीं है लेकिन सही बुख़ारी की एक हदीस से मालूम होता है कि आप उस वक़्त ऐसे बीमार नहीं थे कि क़ौम के साथ न जा सकें, इसलिये यह सवाल पैदा होता है कि हज़रत इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम ने यह बात कैसे इरशाद फ़रमाई?

इसका जवाब मुफ़स्सिरीन की अक्सरियत के नज़दीक यह है कि हक़ीक़त में इन अलफ़ाज़ के ज़रिये हज़रत इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम ने "तौरिया" किया था। "तौरिया" का मतलब है "कोई ऐसी बात कहना जो बज़ाहिर हक़ीक़त के ख़िलाफ़ हो लेकिन कहने वाले ने उससे कोई ऐसे दूर के मायने मुराद लिये हों जो हक़ीक़त के मुताबिक़ हों।" यहाँ हज़रत इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम ने जो जुमला इरशाद फ़रमाया उसका ज़ाहिरी मफ़्हूम तो यही है कि "मैं इस वक़्त बीमार हूँ" लेकिन आपकी असल मुराद यह नहीं थी। अब असल मुराद क्या थी? इसके बारे में मुफ़स्सिरीन ने मुख़्तलिफ़ रायें ज़ाहिर की हैं- कुछ ने फ़रमाया कि इससे आपका मक़सद वह तबई नागवारी और तबीयत का बोझ था जो आपको अपनी क़ौम की मुश्रिकाना हरकतें देख-देखकर पैदा हो रहा था, इसकी ताईद इससे भी होती है कि यहाँ "सक़ीम" का लफ़्ज़ इस्तेमाल किया गया है जो "मरीज़" के मुक़ाबले में बहुत हल्का लफ़्ज़ है और इसका मफ़्हूम उर्दू में इस तरह अदा किया जा सकता है कि "मेरी तबीयत नासाज़ है" ज़ाहिर है कि इस जुमले में तबई नागवारी और तबीयत में ताज़गी न होने के मफ़्हूम की भी पूरी गुंजाईश पाई जाती है। और कुछ हज़रात ने फ़रमाया कि 'इन्नी सक़ीम' से हज़रत इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम का मक़सद यह था कि "मैं बीमार होने वाला हूँ" इसलिये कि अ़रबी भाषा में इस्मे फ़ाअ़िल (काम करने वाले) का कलिमा भविष्यकाल के मायने में कसरत से इस्तेमाल होता है क़ुरआने करीम ही में नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से ख़िताब करते हुए इरशाद है:

اِنَّكَ مَيِّتٌ وَّاِنَّهُمْ مَّيِّتُوْنَ.

इसके ज़ाहिरी अलफ़ाज़ का तर्जुमा यूँ भी हो सकता है कि "तुम भी मुर्दा हो और वे भी मुर्दा हैं।" लेकिन ज़ाहिर है कि यहाँ मुराद यह मायने हैं कि "तुम भी मरने वाले हो और वे भी मरने वाले हैं" इसी तरह 'इन्नी सक़ीम' के मायने हज़रत इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम ने यह मुराद लिये थे कि "मैं बीमार होने वाला हूँ" और यह इसलिये फ़रमाया कि मौत से पहले पहले हर इनसान का बीमार होना यक़ीनी चीज़ है, अगर किसी को ज़ाहिरी बीमारी न हो तो तब भी मौत से ज़रा पहले इनसान के मिज़ाज में ख़लल का उत्पन्न होना लाज़िमी है।

और अगर किसी का दिल इन तावीलात (बयानात व वुजूहात) पर मुत्मईन न हो तो सबसे बेहतर वज़ाहत यह है कि हज़रत इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम की तबीयत उस वक़्त वास्तव में थोड़ी बहुत नासाज़ थी लेकिन बीमारी ऐसी न थी जो जश्न में शिर्कत से रुकावट होती, आपने अपनी मामूली तबीयत की

नासाज़ी का ज़िक्र ऐसे माहौल में किया जिससे सुनने वाले यह समझे कि आपको कोई बड़ी बीमारी लगी है जिसकी वजह से आप वाक़ई हमारे साथ नहीं जा सकते। हज़रत इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम के तौरिया की यह वज़ाहत व ख़ुलासा सबसे ज़्यादा माक़ूल और इत्मीनान-बख़्श है।

इस वज़ाहत से यह भी स्पष्ट हो जाता है कि सही बुख़ारी की एक हदीस में हज़रत इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम के इरशाद "इन्नी सक़ीम" के लिये जो "कज़ि-बतुन" (झूठ) के अलफ़ाज़ इस्तेमाल किये हैं उनसे मुराद "तौरिया" है जिसकी ज़ाहिरी शक्ल झूठ होती है लेकिन बोलने वाले की मुराद के लिहाज़ से वह झूठ नहीं होता। ख़ुद इसी हदीस की कुछ रिवायतों में ये अलफ़ाज़ भी आये हैं:

مَامِنْهَا كَذِبَةٌ اِلَّا مَا حَلَّ بِهَا عَنْ دِيْنِ اللّٰهِ.

"इनमें से कोई झूठ ऐसा नहीं है जो अल्लाह के दीन की रक्षा व हिफ़ाज़त और हिमायत में न बोला गया हो।"

इन अलफ़ाज़ ने ख़ुद यह वाज़ेह कर दिया है कि यहाँ "किज़्ब" अपने आ़म मायनों से अलग मायने रखता है। इस हदीस से मुताल्लिक़ थोड़ी सी तफ़सीली बहस सूरः अम्बिया में आयत नम्बर 63 के तहत गुज़र चुकी है।

तौरिया का शरई हुक्म

इन्हीं आयतों से यह मसला भी निकलता है कि ज़रूरत के मौक़ों पर "तौरिया" करना जायज़ है। "तौरिया" एक तो क़ौली होता है यानी ऐसी बात कहना जिसका ज़ाहिरी मफ़्हूम ख़िलाफ़े हक़ीक़त हो और बातिनी मुराद हक़ीक़त के मुताबिक़। और एक तौरिया अ़मली होता है यानी ऐसा अ़मल करना जिसका मक़सद देखने वाला कुछ समझे और हक़ीक़त में उसका मक़सद कुछ और हो, इसे "ईहाम" भी कहा जाता है। हज़रत इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम का सितारों को देखना (अक्सर मुफ़स्सिरीन के क़ौल के मुताबिक़) ईहाम था और अपने आपको बीमार कहना तौरिया।

ज़रूरत के मौक़े पर तौरिया की ये दोनों क़िस्में ख़ुद सरकारे दो आ़लम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से साबित हैं। जिस वक़्त आप हिजरत के लिये तशरीफ़ लेजा रहे थे और मुश्रिक लोग आपकी तलाश में लगे हुए थे तो रास्ते में एक शख़्स ने हज़रत अबू बक्र सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अ़न्हु से आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के बारे में पूछा कि "यह कौन हैं?" हज़रत सिद्दीक़े अकबर रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने जवाब दिया:

هُوَ هَادٍ يَهْدِيْنِىْ.

(वह मेरे रहनुमा हैं, मुझे रास्ता दिखाते हैं) सुनने वाला यह समझा कि आ़म रास्ता बताने वाले रहनुमा मुराद हैं, इसलिये छोड़कर चल दिया हालाँकि हज़रत अबू बक्र रज़ियल्लाहु अ़न्हु का मक़सद यह था कि आप दीनी और रूहानी रहनुमा हैं। (तफ़सीर रूहुल-मआ़नी)

इसी तरह हज़रत कअ़ब बिन मालिक रज़ियल्लाहु अ़न्हु फ़रमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को जिहाद के लिये जिस दिशा में जाना होता मदीना तय्यिबा से निकलते वक़्त उस दिशा में रवाना होने के बजाय किसी दूसरी दिशा में चलना शुरू फ़रमाते थे ताकि देखने वालों को सही मन्ज़िल मालूम न हो सके। (सही मुस्लिम वग़ैरह) यह अ़मली तौरिया और ईहाम था।

मज़ाक़ और दिल्लगी के मौक़े पर भी आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से तौरिया साबित है। शमाईले-तिर्मिज़ी में रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने एक बूढ़ी औरत से मज़ाक़ में फ़रमाया- "कोई बूढ़ी औरत जन्नत में नहीं जायेगी।" वह औरत यह सुनकर बहुत परेशान हुई तो आपने वज़ाहत फ़रमाई कि बूढ़ियों के जन्नत में न जाने का मतलब यह है कि ये बुढ़ापे की हालत में जन्नत में न जायेंगी, हाँ जवान होकर जायेंगी।

इसके बाद की आयतों का मफ़्हूम (मतलब) ख़ुलासा-ए-तफ़सीर से वाज़ेह है और वाक़िए की तफ़सीलात सूरः अम्बिया में गुज़र चुकी हैं।

وَقَالَ اِنِّیْ ذَاهِبٌ اِلٰی رَبِّیْ سَیَهْدِیْنِ ۝ رَبِّ هَبْ لِیْ مِنَ الصّٰلِحِیْنَ ۝ فَبَشَّرْنٰهُ بِغُلٰمٍ حَلِیْمٍ ۝ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْیَ قَالَ یٰبُنَیَّ اِنِّیْۤ اَرٰی فِی الْمَنَامِ اَنِّیْۤ اَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرٰی ؕ قَالَ یٰۤاَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ ۫ سَتَجِدُنِیْۤ اِنْ شَآءَ اللّٰهُ مِنَ الصّٰبِرِیْنَ ۝ فَلَمَّاۤ اَسْلَمَا وَتَلَّهٗ لِلْجَبِیْنِ ۝ وَنَادَیْنٰهُ اَنْ یّٰۤاِبْرٰهِیْمُ ۝ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّءْیَا ۚ اِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِی الْمُحْسِنِیْنَ ۝ اِنَّ هٰذَا لَهُوَ الْبَلٰٓؤُا الْمُبِیْنُ ۝ وَفَدَیْنٰهُ بِذِبْحٍ عَظِیْمٍ ۝ وَتَرَكْنَا عَلَیْهِ فِی الْاٰخِرِیْنَ ۝ سَلٰمٌ عَلٰۤی اِبْرٰهِیْمَ ۝ كَذٰلِكَ نَجْزِی الْمُحْسِنِیْنَ ۝ اِنَّهٗ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِیْنَ ۝ وَبَشَّرْنٰهُ بِاِسْحٰقَ نَبِیًّا مِّنَ الصّٰلِحِیْنَ ۝ وَبٰرَكْنَا عَلَیْهِ وَعَلٰۤی اِسْحٰقَ ؕ وَمِنْ ذُرِّیَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَّظَالِمٌ لِّنَفْسِهٖ مُبِیْنٌ ۝

व क़ा-ल इन्नी ज़ाहिबुन् इला रब्बी स-यह्दीन (99) रब्बि हब् ली मिनस्सालिहीन (100) फ़-बश्शर्नाहु बिग़ुलामिन् हलीम (101) फ़-लम्मा ब-ल-ग़ म-अ़हुस्सअ़्-य क़ा-ल या बुनय्-य इन्नी अरा फ़िल्-मनामि अन्नी अज़्बहु-क फ़न्ज़ुर् माज़ा तरा, क़ा-ल या अ-बतिफ़्अ़ल् मा तुअ्मरु, स-तजिदुनी इन्शा-अल्लाहु मिनस्-साबिरीन (102) फ़-लम्मा अस्लमा व तल्लहू लिल्जबीन (103) व नादैनाहु अंय्या इब्राहीम (104) क़द् सद्दक़्तर्-	और बोला मैं जाता हूँ अपने रब की तरफ़ वह मुझको राह देगा। (99) ऐ रब! बख़्श मुझको कोई नेक बेटा। (100) फिर ख़ुशख़बरी दी हमने उसको एक लड़के की जो होगा संयम वाला। (101) फिर जब पहुँचा उसके साथ दौड़ने को कहा ऐ बेटे मैं देखता हूँ ख़्वाब में कि तुझको ज़िबह करता हूँ फिर देख तो तू क्या देखता है? बोला ऐ बाप! कर डाल जो तुझको हुक्म होता है तू मुझको पायेगा अगर अल्लाह ने चाहा सहारने वाला। (102) फिर जब दोनों ने हुक्म माना और पछाड़ा उसको माथे के बल। (103) और हमने उसको पुकारा यूँ कि ऐ इब्राहीम! (104) तूने सच कर

रुअ्या इन्ना कज़ालि-क नज्ज़िल्-मुह्सिनीन (105) इन्-न हाज़ा ल-हुवल् बलाउल्-मुबीन (106) व फ़दैनाहु बिज़िब्हिन् अ़ज़ीम (107) व तरक्ना अ़लैहि फ़िल्-आख़िरीन (108) सलामुन् अ़ला इब्राहीम (109) कज़ालि-क नज्ज़िल्-मुह्सिनीन (110) इन्नहू मिन् अ़िबादिनल्-मुअ्मिनीन (111) व बश्शर्नाहु बि-इस्हा-क़ नबिय्यम् मिनस्सालिहीन (112) व बारक्ना अ़लैहि व अ़ला इस्हा-क़, व मिन् ज़ुर्रिय्यतिहिमा मुह्सिनुंव्-व ज़ालिमुल्-लिनफ़्सिही मुबीन (113) ❁

दिखाया ख़्वाब हम यूँ देते हैं बदला नेकी करने वालों को। (105) बेशक यही है खुला जाँचना। (106) और उसका बदला दिया हमने एक जानवर ज़िबह करने के वास्ते बड़ा (107) और बाक़ी रखा हमने उस पर पिछले लोगों में (108) कि सलाम है इब्राहीम पर। (109) हम यूँ देते हैं बदला नेकी करने वालों को। (110) वह है हमारे ईमान वाले बन्दों में। (111) और ख़ुशख़बरी दी हमने उसको इस्हाक़ की जो नबी होगा नेकबख़्तों में। (112) और बरकत दी हमने उस पर और इस्हाक़ पर और दोनों की औलाद में नेकी वाले हैं और बदकार भी अपने हक़ में खुले। (113) ❁

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

और इब्राहीम (अ़लैहिस्सलाम जब उन लोगों के ईमान से मायूस हो गये तो) कहने लगे कि मैं तो (तुम से हिजरत करके) अपने रब की (राह में किसी) तरफ़ चला जाता हूँ वह मुझको (अच्छी जगह) पहुँचा ही देगा। (चुनाँचे मुल्क शाम में जा पहुँचे और यह दुआ़ की कि) ऐ मेरे रब! मुझको एक नेक फ़रज़न्द दे। सो हमने उनको एक हलीमुल-मिज़ाज "यानी बुर्दबार और नरम मिज़ाज वाले" फ़रज़न्द की ख़ुशख़बरी दी (और वह फ़रज़न्द पैदा हुआ और होशियार हुआ) सो जब वह लड़का ऐसी उम्र को पहुँचा कि इब्राहीम (अ़लैहिस्सलाम) के साथ चलने-फिरने लगा तो इब्राहीम (अ़लैहिस्सलाम) ने (एक ख़्वाब देखा कि मैं उस फ़रज़न्द को ख़ुदा के हुक्म से ज़िबह कर रहा हूँ, और यह साबित नहीं कि हलक़ूम कटा हुआ भी देखा या नहीं। ग़र्ज़ कि आँख खुली तो इसे अल्लाह का हुक्म समझे, क्योंकि नबियों का ख़्वाब भी वही होता है और इस हुक्म की तामील पर आमादा हो गये। फिर यह सोचकर कि ख़ुदा जाने मेरे फ़रज़न्द की इस बारे में क्या राय हो, उसको इत्तिला करना ज़रूरी समझा, इसलिए उससे) फ़रमाया कि बेटा! मैं ख़्वाब में देखता हूँ कि मैं तुमको (अल्लाह के हुक्म से) ज़िबह कर रहा हूँ, सो तुम भी सोच लो कि तुम्हारी क्या राय है? वह बोले कि अब्बा जान! (इसमें मुझसे पूछने की क्या बात है, जब आपको ख़ुदा की तरफ़ से हुक्म किया गया है तो) आपको जो हुक्म हुआ है आप (बिना झिझक उसको पूरा) कीजिये, इन्शा-अल्लाह आप मुझको सहार करने वालों में से पाएँगे।

ग़र्ज़ कि जब दोनों ने (ख़ुदा के हुक्म को) तस्लीम कर लिया और बाप ने बेटे को (ज़िबह करने के लिये) करवट पर लिटा दिया और (चाहते थे कि गला काट डालें, और उस वक़्त) हमने उनको आवाज़ दी कि ऐ इब्राहीम! (शाबाश है) तुमने ख़्वाब को सच कर दिखाया। (यानी ख़्वाब में जो हुक्म हुआ था अपनी तरफ़ से उस पर पूरा अ़मल किया, अब हम उस हुक्म को मन्सूख़ करते हैं बस इनको छोड़ दो। ग़र्ज़ कि उनको छोड़ दिया, जान की जान बच गई और बुलन्द दर्जे उस पर अतिरिक्त अ़ता हुए) हम मुख़्लिस लोगों को ऐसा ही सिला दिया करते हैं (कि दोनों जहान की राहत उन्हें अ़ता करते हैं) हक़ीक़त में यह था भी बड़ा इम्तिहान (जिसको सिवाय मुख़्लिस कामिल के दूसरा बरदाश्त नहीं कर सकता, तो हमने ऐसे इम्तिहान में पूरा उतरने पर सिला भी बड़ा भारी दिया। और इसमें जैसे इम्तिहान इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम का था इसी तरह इस्माईल अ़लैहिस्सलाम का भी था, तो वह सिले में शरीक होंगे) और हमने एक बड़ा ज़बीहा "यानी क़ुरबानी का जानवर" उसके बदले में दे दिया (कि इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम से वह ज़िबह कराया गया) और हमने पीछे आने वालों में यह बात उनके लिए रहने दी कि इब्राहीम पर सलाम हो (चुनाँचे उनके नाम के साथ अब तक "अ़लैहिस्सलाम" कहा जा रहा है) हम मुख़्लिस लोगों को ऐसा ही बदला दिया करते हैं (कि उन्हें लोगों की दुआ़ओं और सलामती की ख़ुशख़बरियों का मर्कज़ बना देते हैं) बेशक वह हमारे ईमान वाले बन्दों में से थे।

और हमने (एक इनाम उन पर यह किया कि) उनको इस्हाक़ (अ़लैहिस्सलाम) की ख़ुशख़बरी दी कि नबी और नेकबख़्तों में से होंगे। और हमने इब्राहीम पर और इस्हाक़ पर बरकतें नाज़िल कीं (उन बरकतों में से एक यह है कि उनकी नस्ल बहुत फैली और उस नस्ल में कसरत से नबी पैदा हुए) और (फिर आगे) उन दोनों की नस्ल में बाज़े अच्छे भी हैं और बाज़े ऐसे भी जो (बुराईयाँ करके) खुले तौर पर अपना नुक़सान कर रहे हैं।

मआ़रिफ़ व मसाईल

बेटे की क़ुरबानी का वाक़िआ़

इन आयतों में हज़रत इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम की पाक ज़िन्दगी का एक दूसरा अहम वाक़िआ़ बयान किया गया है जिसमें हज़रत इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम ने अल्लाह के लिये अपने इकलौते बेटे की क़ुरबानी पेश की। वाक़िए के बुनियादी हिस्से ख़ुलासा-ए-तफ़सीर से वाज़ेह हो जाते हैं, कुछ तारीख़ी तफ़सीलात आयतों की तफ़सीर के तहत में आ जायेंगी।

وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي

(और इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम कहने लगे कि मैं तो अपने रब की तरफ़ चला जाता हूँ) यह बात हज़रत इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम ने उस वक़्त इरशाद फ़रमाई जबकि आप अपने वतन वालों से बिल्कुल मायूस हो गये और वहाँ आपके भानजे हज़रत लूत अ़लैहिस्सलाम के सिवा कोई आप पर ईमान नहीं लाया। "रब की तरफ़ चले जाने" से मुराद यह है कि मैं कुफ़्र के स्थान को छोड़कर किसी ऐसी जगह चला जाऊँगा जहाँ का मुझे अपने रब की तरफ़ से हुक्म मिला है और जहाँ मैं अपने परवर्दिगार की इबादत कर सकूँगा। चुनाँचे आप अपनी बीवी साहिबा हज़रत सारा रज़ियल्लाहु अ़न्हा और अपने

भानजे हज़रत लूत अ़लैहिस्सलाम को साथ लेकर सफ़र पर रवाना हुए और इराक़ के मुख़्तलिफ़ हिस्सों से होते हुए आख़िरकार शाम तशरीफ़ ले गये। इस तमाम अ़रसे में हज़रत इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम के कोई औलाद नहीं हुई थी इसलिये आपने वह दुआ़ फ़रमाई जिसका अगली आयत में ज़िक्र है, यानीः

رَبِّ هَبْ لِىْ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ○

(ऐ मेरे परवर्दिगार! मुझे एक नेक फ़रज़न्द अ़ता फ़रमा) चुनाँचे आपकी यह दुआ़ क़ुबूल हुई और अल्लाह तआ़ला ने आपको एक बेटे की पैदाईश की ख़ुशख़बरी सुनाईः

فَبَشَّرْنٰهُ بِغُلٰمٍ حَلِيْمٍ○

(पस हमने उनको एक हिल्म वाले मिज़ाज के बेटे की ख़ुशख़बरी दी) "हिल्म वाले मिज़ाज के" फ़रमाकर इशारा कर दिया गया कि यह नवजात अपनी ज़िन्दगी में ऐसे सब्र व बरदाश्त और बुर्दबारी का प्रदर्शन करेगा कि दुनिया उसकी मिसाल पेश नहीं कर सकती। इस बेटे की पैदाईश का वाक़िआ़ यह हुआ कि जब हज़रत सारा रज़ियल्लाहु अ़न्हा ने यह देखा कि मुझसे कोई औलाद नहीं हो रही तो वह समझीं कि मैं बाँझ हो चुकी हूँ। उधर मिस्र के फ़िरऔ़न ने हज़रत सारा रज़ियल्लाहु अ़न्हा को अपनी बेटी जिनका नाम हाजरा रज़ियल्लाहु अ़न्हा था ख़िदमत गुज़ारी के लिये दे दी थी। हज़रत सारा रज़ियल्लाहु अ़न्हा ने यही हज़रत हाजरा हज़रत इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम को अ़ता कर दीं और हज़रत इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम ने इनसे निकाह कर लिया। इन्हीं हाजरा रज़ियल्लाहु अ़न्हा के पेट से यह बेटे पैदा हुए और इनका नाम इस्माईल (अ़लैहिस्सलाम) रखा गया।

فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْىَ قَالَ يٰبُنَىَّ اِنِّىْٓ اَرٰى فِى الْمَنَامِ اَنِّىْٓ اَذْبَحُكَ

(सो जब वह बेटा ऐसी उम्र को पहुँचा कि इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम के साथ चलने फिरने लगा तो इब्राहीम ने फ़रमाया- बेटे! मैं ख़्वाब में देखता हूँ कि मैं तुमको ज़िबह कर रहा हूँ) कुछ रिवायतों से मालूम होता है कि यह ख़्वाब हज़रत इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम को तीन दिन लगातार दिखाया गया। (तफ़सीरे क़ुर्तुबी) और यह बात तयशुदा है कि अम्बिया अ़लैहिमुस्सलाम का ख़्वाब वही (अल्लाह का हुक्म और पैग़ाम) होता है इसलिये इस ख़्वाब का मतलब यह था कि अल्लाह तआ़ला की तरफ़ से हज़रत इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम को हुक्म हुआ है कि अपने इकलौते बेटे को ज़िबह कर दो। यूँ यह हुक्म डायरेक्ट किसी फ़रिश्ते वग़ैरह के ज़रिये भी नाज़िल किया जा सकता था लेकिन ख़्वाब में दिखाने की हिक्मत बज़ाहिर यह थी कि हज़रत इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम का अल्लाह के हुक्म का पालन करना अपने कमाल के साथ ज़ाहिर हो। ख़्वाब के ज़रिये दिये हुए हुक्म में इनसानी नफ़्स के लिये इधर-उधर के मतलब निकालने की बड़ी गुंजाईश थी लेकिन हज़रत इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम ने इधर-उधर का मतलब निकालने का रास्ता इख़्तियार करने के बजाय अल्लाह के हुक्म के आगे फ़रमाँबरदारी का सर झुका दिया। (तफ़सीरे कबीर)

इसके अ़लावा यहाँ अल्लाह तआ़ला का असल मक़सद न हज़रत इस्माईल अ़लैहिस्सलाम को ज़िबह कराना था न हज़रत इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम को यह हुक्म देना कि उन्हें ज़िबह कर ही डालो, बल्कि मंशा यह हुक्म देना था कि अपनी तरफ़ से उन्हें ज़िबह करने के सारे सामान करके उनके ज़िबह की तरफ़ क़दम बढ़ाओ। अब यह हुक्म अगर ज़बानी दिया जाता तो इसमें आज़माईश न होती

इसलिये उन्हें ख़्वाब में दिखलाया कि वह बेटे को ज़िबह कर रहे हैं। इससे हज़रत इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम यह समझे कि ज़िबह का हुक्म हुआ है और वह पूरी तरह ज़िबह करने पर आमादा हो गये। इस तरह आज़माईश भी पूरी हो गई और ख़्वाब भी सच्चा हो गया। यह बात ज़बानी हुक्म के ज़रिये आती तो या तो आज़माईश न होती या हुक्म को बाद में निरस्त करना पड़ता। यह इम्तिहान किस क़द्र सख़्त था इसकी तरफ़ इशारा करने के लिये यहाँ अल्लाह तआ़ला ने 'फ़-लम्मा ब-ल-ग़ म-अ़हुस्सअ़्-य' के अलफ़ाज़ बढ़ाये हैं, यानी अरमानों से माँगे हुए इस बेटे को क़ुरबान करने का हुक्म उस वक़्त दिया गया था जब यह बेटा अपने बाप के साथ चलने फिरने के क़ाबिल हो गया था और परवरिश की मशक़्क़तें बरदाश्त करने के बाद अब वक़्त आया था कि वह बराबर की ताक़त बनकर बाप का सहारा साबित हो। मुफ़स्सिरीन ने लिखा है कि उस वक़्त हज़रत इस्माईल अ़लैहिस्सलाम की उम्र तेरह (13) साल थी और कुछ मुफ़स्सिरीन ने फ़रमाया कि बालिग़ हो चुके थे। (तफ़सीरे मज़हरी)

فَانْظُرْ مَاذَا تَرٰى

(सो तुम भी सोच लो कि तुम्हारी क्या राय है?) हज़रत इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम ने यह बात हज़रत इस्माईल अ़लैहिस्सलाम से इसलिये नहीं पूछी कि आपको अल्लाह के हुक्म की तामील में कोई दुविधा और पसोपेश थी बल्कि एक तो वह अपने बेटे का इम्तिहान लेना चाहते थे कि वह इस आज़माईश में किस हद तक पूरा उतरता है? दूसरे अम्बिया अ़लैहिमुस्सलाम का तरीक़ा हमेशा यह रहा है कि वह अल्लाह के अहकाम की इताअ़त के लिये तो हर वक़्त तैयार रहते हैं लेकिन इताअ़त के लिये हमेशा रास्ता वह इख़्तियार करते हैं जो हिक्मत और जहाँ तक मुम्किन हो सहूलत वाला हो। अगर हज़रत इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम पहले से कुछ कहे बग़ैर बेटे को ज़िबह करने लगते तो यह दोनों के लिये मुश्किल का सबब होता, अब यह बात आपने मश्विरे के अन्दाज़ में बेटे से इसलिये ज़िक्र की कि बेटे को पहले से अल्लाह का यह हुक्म मालूम हो जायेगा तो वह ज़िबह होने की तकलीफ़ सहने के लिये पहले से तैयार हो सकेगा, साथ ही यह कि अगर बेटे के दिल में कुछ पसोपेश हुआ भी तो उसे समझा जा सकेगा। (रूहुल-मआ़नी व बयानुल क़ुरआन)

लेकिन वह बेटा भी अल्लाह के ख़लील (दोस्त) का बेटा था और उसे ख़ुद रिसालत के मक़ाम पर फ़ाइज़ (बिराजमान) होना था इसलिये जवाब में कहाः

يٰاَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ

(अब्बा जान! जिस बात का आपको हुक्म दिया गया है उसे कर गुज़रिये) इससे हज़रत इस्माईल अ़लैहिस्सलाम के अल्लाह की राह में जान क़ुरबान करने के बेमिसाल जज़्बे की तो शहादत मिलती ही है इसके अ़लावा यह भी मालूम होता है कि इस कमउम्री ही में अल्लाह ने उन्हें कैसी समझदारी और कैसा इल्म अ़ता फ़रमाया था। हज़रत इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम ने उनके सामने अल्लाह के किसी हुक्म का हवाला नहीं दिया था बल्कि महज़ एक ख़्वाब का तज़किरा फ़रमाया था लेकिन हज़रत इस्माईल अ़लैहिस्सलाम समझ गये कि अम्बिया अ़लैहिमुस्सलाम का ख़्वाब वही होता है और यह ख़्वाब भी दर हक़ीक़त अल्लाह के हुक्म की ही एक शक्ल है चुनाँचे उन्होंने जवाब में ख़्वाब के बजाय अल्लाह के हुक्म का तज़किरा फ़रमाया।

'वही-ए-ग़ैर मतलू' का सुबूत

यहीं से हदीस के उन इनकारियों की स्पष्ट तरदीद हो जाती है जो 'वही-ए-ग़ैर मतलू' के वजूद को नहीं मानते और कहते हैं कि वही सिर्फ़ वह है जो आसमानी किताब में नाज़िल हो गई उसके अ़लावा वही की कोई दूसरी क़िस्म मौजूद नहीं है। आपने देख लिया कि हज़रत इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम को बेटे की क़ुरबानी का हुक्म ख़्वाब के ज़रिये दिया गया और हज़रत इस्माईल अ़लैहिस्सलाम ने स्पष्ट अलफ़ाज़ में उसे अल्लाह का हुक्म क़रार दिया, अगर वही ग़ैर-मतलू कोई चीज़ नहीं है तो यह हुक्म कौनसी आसमानी किताब में उतरा था?

हज़रत इस्माईल अ़लैहिस्सलाम ने अपनी तरफ़ से अपने वालिदे बुज़ुर्गवार को यह यक़ीन भी दिलाया किः

سَتَجِدُنِيْٓ اِنْ شَآءَ اللّٰهُ مِنَ الصّٰبِرِيْنَ○

(इन्शा-अल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में से पायेंगे) इस जुमले में हज़रत इस्माईल अ़लैहिस्सलाम की हद से ज़्यादा तवाज़ो और बेइन्तिहा अदब देखिये, एक तो इन्शा-अल्लाह कहकर मामला अल्लाह के हवाले कर दिया और इस वादे में दावे की जो ज़ाहिरी सूरत पैदा हो सकती थी उसे ख़त्म फ़रमा दिया। दूसरे आप यह भी फ़रमा सकते थे कि "आप इन्शा-अल्लाह मुझे सब्र करने वाला पायेंगे।" लेकिन इसके बजाय आपने फ़रमाया कि "आप मुझे सब्र करने वालों में से पायेंगे" जिससे इस बात की तरफ़ इशारा फ़रमा दिया कि सब्र व बरदाश्त तन्हा मेरा कमाल नहीं बल्कि दुनिया में और भी बहुत से सब्र करने वाले हुए हैं, इन्शा-अल्लाह मैं भी उनमें शामिल हो जाऊँगा। इस तरह आपने इस जुमले में फ़ख़्र व ग़ुरूर ख़ुद-पसन्दी और अपने को बड़ा समझने के हर अदना शुब्हे को ख़त्म करके इसमें इन्तिहाई दर्जे की तवाज़ो और विनम्रता का इज़हार फ़रमा दिया। (रूहुल-मआ़नी)

इससे यह सबक़ मिलता है कि इनसान को किसी मामले में अपने ऊपर चाहे कितना ही भरोसा हो लेकिन उसे ऐसे खुले दावे नहीं करने चाहियें जिनसे ग़ुरूर व तकब्बुर टपकता हो, अगर कहीं ऐसी कोई बात कहने की ज़रूरत हो तो अलफ़ाज़ में इसकी रियायत होनी चाहिये कि उनमें अपने बजाय अल्लाह पर भरोसे का इज़हार हो और जिस हद तक मुम्किन हो तवाज़ो के दामन को न छोड़ा जाये।

فَلَمَّآ اَسْلَمَا

(पस जब वे दोनों झुक गये) 'अस्ल-म' के मायने हैं झुक जाना फ़रमाँबरदार हो जाना, ताबे हो जाना। मतलब यह है कि जब वे अल्लाह के आगे झुक गये यानी बाप ने बेटे को ज़िबह करने का और बेटे ने ज़िबह हो जाने का इरादा कर लिया। यहाँ 'लम्मा' (जब) का लफ़्ज़ इस्तेमाल किया गया है लेकिन इसका जवाब ज़िक्र नहीं है, यानी आगे यह नहीं बताया गया कि जब ये वाक़िआ़त पेश आ चुके तो क्या हुआ? इससे इस बात की तरफ़ इशारा है कि बाप बेटे का फ़िदाकारी का यह इक़्दाम इस क़द्र अ़जीब व ग़रीब था कि अलफ़ाज़ उसकी पूरी कैफ़ियत को बयान कर ही नहीं सकते।

कुछ तारीख़ी और तफ़सीरी रिवायतों से मालूम होता है कि शैतान ने तीन मर्तबा हज़रत इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम को बहकाने की कोशिश की, हर बार हज़रत इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम ने उसे सात कंकरियाँ मारकर भगा दिया। आज तक मिना के तीन जमरात पर इसी महबूब अ़मल की याद

कंकरियाँ मारकर मनाई जाती है। आख़िरकार जब दोनों बाप बेटे यह अनोखी इबादत अन्जाम देने के लिये क़ुरबानी की जगह पर पहुँचे तो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद से कहा कि अब्बा जान! मुझे ख़ूब अच्छी तरह बाँध दीजिये ताकि मैं ज़्यादा तड़प न सकूँ और अपने कपड़ों को भी मुझसे बचाईये, ऐसा न हो कि उन पर मेरे ख़ून की छींटे पड़ें तो मेरा सवाब घट जाये, इसके अलावा मेरी वालिदा ख़ून देखेंगी तो उन्हें ग़म ज़्यादा होगा और अपनी छुरी भी तेज़ कर लीजिये और उसे मेरे हलक़ पर ज़रा जल्दी-जल्दी फेरियेगा ताकि आसानी से मेरा दम निकल सके, क्योंकि मौत बड़ी सख़्त चीज़ है, और जब आप मेरी वालिदा के पास जायें तो उनसे मेरा सलाम कह दीजिये और अगर आप मेरा कुर्ता वालिदा के पास ले जाना चाहें तो ले जायें शायद उन्हें कुछ तसल्ली हो। इकलौते बेटे की ज़बान से ये अलफ़ाज़ सुनकर एक बाप के दिल पर क्या गुज़र सकती है, लेकिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम सब्र व हिम्मत के पहाड़ बनकर जवाब यह देते हैं कि "बेटे! तुम अल्लाह का हुक्म पूरा करने के लिये मेरे कितने अच्छे मददगार हो।" यह कहकर उन्होंने बेटे को बोसा दिया नम आँखों से उन्हें बाँधा। (तफ़सीरे मज़हरी) और 'व तल्लहू लिल्जबीन' (उन्हें पेशानी के बल मिट्टी पर लिटा दिया)। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से इसका मतलब यह मन्क़ूल है कि उन्हें इस तरह करवट पर लिटा दिया कि पेशानी का एक किनारा ज़मीन से छूने लगा। (मज़हरी) लुग़त के एतिबार से यह तफ़सीर ज़्यादा सही है इसलिये कि "जबीन" अरबी भाषा में पेशानी की दोनों करवटों को कहते हैं और पेशानी का बीच का हिस्सा 'जब्हतुन' कहलाता है। इसी लिये हकीमुल-उम्मत हज़रत थानवी रह. ने इसका तर्जुमा करवट पर लिटाने से किया है, लेकिन कुछ दूसरे हज़राते मुफ़स्सिरीन ने इसका मतलब यह बताया है कि औंधे मुँह ज़मीन पर लिटा दिया। बहरहाल तारीख़ी रिवायतों में इस तरह लिटाने की वजह यह बयान की गई है कि शुरू में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उन्हें सीधा लिटाया था लेकिन जब छुरी चलाने लगे तो बार-बार चलाने के बावजूद गला कटता नहीं था क्योंकि अल्लाह तआ़ला ने अपनी क़ुदरत से पीतल का एक टुकड़ा बीच में रुकावट बना दिया था, उस मौक़े पर बेटे ने ख़ुद यह फ़रमाईश की कि अब्बा जान! मुझे चेहरे के बल करवट से लिटा दीजिये इसलिये कि जब आपको मेरा चेहरा नज़र आता है तो बाप की शफ़क़त जोश मारने लगती है और गला पूरी तरह कट नहीं पाता, इसके अलावा छुरी मुझे नज़र आती है तो मुझे भी घबराहट होने लगती है चुनाँचे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उन्हें उसी तरह लिटाकर छुरी चलानी शुरू की। (तफ़सीरे मज़हरी वग़ैरह) वल्लाहु आलम

وَنَادَيْنٰهُ اَنْ يّٰۤاِبْرٰهِيْمُ. قَدْ صَدَّقْتَ الرُّءْيَا.

(और हमने उन्हें आवाज़ दी कि ऐ इब्राहीम! तुमने ख़्वाब सच कर दिखाया) यानी अल्लाह के हुक्म की तामील में जो काम तुम्हारे करने का था उसमें तुमने अपनी तरफ़ से कोई कसर नहीं उठा रखी। (ख़्वाब में भी ग़ालिबन सिर्फ़ यही दिखाया गया था कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उन्हें ज़िबह करने के लिये छुरी चला रहे हैं) अब यह आज़माईश पूरी हो चुकी इसलिये अब इन्हें छोड़ दो।

اِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ○

(हम मुख़्लिस लोगों को ऐसा ही सिला दिया करते हैं) यानी जब कोई अल्लाह का बन्दा अल्लाह

के हुक्म के आगे इताअ़त का सर झुका करके अपने तमाम जज़्बात को क़ुरबान करने पर आमादा हो जाता है तो हम आख़िरकार उसे दुनियावी तकलीफ़ से भी बचा लेते हैं और आख़िरत का अज्र व सवाब भी उसके आमाल नामे में लिख देते हैं।

وَفَدَيْنٰهُ بِذِبْحٍ عَظِيْمٍ○

(और हमने एक बड़ा ज़बीहा इसके बदले में दिया) रिवायतों में है कि हज़रत इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम ने यह आसमानी आवाज़ सुनकर ऊपर की तरफ़ देखा तो हज़रत जिब्रील अ़लैहिस्सलाम एक मेंढा लिये हुए खड़े थे। कुछ रिवायतों से मालूम होता है कि यह वही मेंढा था जिसकी क़ुरबानी हज़रत आदम अ़लैहिस्सलाम के बेटे हाबील रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने पेश की थी। वल्लाहु आलम

बहरहाल! यह जन्नती मेंढा हज़रत इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम को अ़ता हुआ और उन्होंने अल्लाह के हुक्म से अपने बेटे के बजाय उसको क़ुरबान किया। इस ज़बीहे को "अ़ज़ीम" इसलिये कहा गया कि यह अल्लाह की तरफ़ से आया था और इसकी क़ुरबानी के मक़बूल होने में किसी को कोई शक नहीं हो सकता। (तफ़सीरे मज़हरी वग़ैरह)

ज़बीह हज़रत इस्माईल अ़लैहिस्सलाम थे या हज़रत इस्हाक़?

ऊपर आयतों की तफ़सीर यह तस्लीम करते हुए की गई है कि हज़रत इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम को जिस बेटे के ज़िबह करने का हुक्म दिया गया था वह हज़रत इस्माईल अ़लैहिस्सलाम थे, लेकिन हक़ीक़त में इस मामले में मुफ़स्सिरीन और इतिहासकारों के दरमियान सख़्त मतभेद पाया जाता है। हज़रत उमर, हज़रत अ़ली, हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊद, हज़रत अ़ब्बास, हज़रत इब्ने अ़ब्बास, कअ़ब बिन अहबार रज़ियल्लाहु अ़न्हुम, सईद बिन जुबैर, क़तादा, मसरूक़, इक्रिमा, अ़ता, मुक़ातिल, ज़ोहरी और सुद्दी रह. से मन्क़ूल है कि वह बेटे हज़रत इस्हाक़ अ़लैहिस्सलाम थे, इसके उलट हज़रत अ़ली, हज़रत इब्ने अ़ब्बास, हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उमर, हज़रत अबू हुरैरह, हज़रत अबू तुफ़ैल रज़ियल्लाहु अ़न्हुम, सईद बिन मुसैयब, सईद बिन जुबैर, हसन बसरी, मुजाहिद, हज़रत उमर बिन अ़ब्दुल-अ़ज़ीज़, शाबी और मुहम्मद बिन कअ़ब क़ुरज़ी रह. और दूसरे बहुत से ताबिईन से मन्क़ूल है कि वह बेटे हज़रत इस्माईल अ़लैहिस्सलाम थे।

बाद के मुफ़स्सिरीन में से हाफ़िज़ इब्ने जरीर रह. ने पहले क़ौल को तरजीह दी है और हाफ़िज़ इब्ने कसीर रह. वग़ैरह ने दूसरे क़ौल को इख़्तियार करके पहले क़ौल की सख़्ती के साथ तरदीद फ़रमाई है। यहाँ दोनों फ़रीक़ों की दलीलों पर मुकम्मल टिप्पणी मुम्किन नहीं लेकिन क़ुरआने करीम के अन्दाज़े बयान और रिवायतों की मज़बूती के लिहाज़ से राजेह (ज़्यादा सही) यही मालूम होता है कि हज़रत इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम को जिन बेटे के ज़िबह करने का हुक्म दिया गया वह हज़रत इस्माईल अ़लैहिस्सलाम थे, इसकी दलीलें निम्नलिखित हैं:

1. क़ुरआने करीम ने बेटे की क़ुरबानी का पूरा वाक़िआ़ नक़ल करने के बाद फ़रमाया है कि:

وَبَشَّرْنٰهُ بِاِسْحٰقَ نَبِيًّا مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ○

(और हमने उनको इस्हाक़ अ़लैहिस्सलाम की ख़ुशख़बरी दी कि नबी और नेक लोगों में से होंगे) इससे यह साफ़ मालूम होता है कि जिस बेटे की क़ुरबानी का हुक्म दिया गया था वह हज़रत इस्हाक़

अलैहिस्सलाम के अलावा कोई और थे, और हज़रत इस्हाक़ अलैहिस्सलाम की ख़ुशख़बरी उनकी क़ुरबानी के वाक़िए के बाद दी गई।

2. हज़रत इस्हाक़ अलैहिस्सलाम की इसी ख़ुशख़बरी में यह भी मज़कूर है कि हज़रत इस्हाक़ अलैहिस्सलाम नबी होंगे। इसके अलावा एक दूसरी आयत में ज़िक्र हुआ है कि हज़रत इस्हाक़ अलैहिस्सलाम की पैदाईश के साथ यह ख़ुशख़बरी भी दे दी गई थी कि उनसे हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम पैदा होंगे।

فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحٰقَ وَمِنْ وَّرَآءِ إِسْحٰقَ يَعْقُوْبَ.

इसका साफ़ मतलब यह था कि वह बड़ी उम्र तक ज़िन्दा रहेंगे, यहाँ तक कि औलाद वाले होंगे, फिर उन्हीं को बचपन में ज़िबह करने का हुक्म क्योंकर दिया जा सकता था और उन्हीं को बचपन में नुबुव्वत से पहले ज़िबह करने का हुक्म दिया जाता तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम समझ जाते कि इन्हें तो अभी नुबुव्वत के मर्तबे को पहुँचना है और इनकी पीठ से हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम की पैदाईश मुक़द्दर है इसलिये ज़िबह करने से इन्हें मौत नहीं आ सकती। ज़ाहिर है कि इस सूरत में न यह कोई बड़ा इम्तिहान होता और न हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इसके अन्जाम देने में किसी तारीफ़ के मुस्तहिक़ होते, इम्तिहान तो उसी सूरत में मुम्किन है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पूरी तरह यह समझे हुए हों कि मेरा यह बेटा ज़िबह करने से ख़त्म हो जायेगा और इसके बाद वह ज़िबह करने का क़दम उठायें। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के मामले में यह बात पूरी तरह सादिक़ आती है इसलिये कि अल्लाह तआ़ला ने उनके ज़िन्दा रहने और नबी बनने की कोई भविष्यवाणी नहीं फ़रमाई थी।

3. क़ुरआने करीम के बयान से मालूम होता है कि जिस बेटे को ज़िबह करने का हुक्म हुआ था वह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का पहला बच्चा था इसलिये कि उन्होंने अपने वतन से हिजरत करते वक़्त एक बेटे की दुआ की थी उसी दुआ के जवाब में उन्हें यह ख़ुशख़बरी दी गई कि उनके यहाँ एक हलीम (बुर्दबार और संयम वाला) लड़का पैदा होगा और फिर उसी लड़के के बारे में यह कहा गया है कि जब वह बाप के साथ चलने फिरने के क़ाबिल हो गया तो उसे ज़िबह करने का हुक्म दिया गया। वाक़िआत का यह सारा सिलसिला बता रहा है कि वह लड़का हज़रत इब्राहीम का पहला बेटा था। इधर यह बात सब के नज़दीक मानी हुई है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पहले बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम हैं और हज़रत इस्हाक़ अलैहिस्सलाम उनके दूसरे बेटे हैं, इसके बाद इस में कोई शुब्हा नहीं रहता कि ज़बीह (ज़िबह होने वाले) हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ही थे।

4. यह बात भी तक़रीबन तयशुदा है कि बेटे की क़ुरबानी का यह वाक़िआ मक्का मुकर्रमा के आस-पास पेश आया है, इसी लिये अरब के लोगों में बराबर हज के दौरान क़ुरबानी का तरीक़ा राईज (प्रचलित) रहा है, इसके अलावा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे के फ़िदये में जो मेंढा जन्नत से भेजा गया उसके सींग सालों साल तक काबा शरीफ़ के अन्दर लटके रहे हैं। हाफ़िज़ इब्ने कसीर रह. ने इसकी ताईद में कई रिवायतें नक़ल की हैं, और हज़रत आमिर शाबी रह. का यह क़ौल भी ज़िक्र किया है कि "मैंने उस मेंढे के सींग काबे में ख़ुद देखे हैं।" (इब्ने कसीर पेज 18 जिल्द 4) और हज़रत सुफ़ियान रह. फ़रमाते हैं कि "उस मेंढे के सींग लगातार काबे में लटके रहे यहाँ तक कि जब

(हज्जाज बिन युसूफ़ के ज़माने में) काबतुल्लाह में आग लगी तो ये सींग भी जल गये।"

(इब्ने कसीर पेज 17 जिल्द 4)

अब ज़ाहिर है कि मक्का मुकर्रमा में हज़रत इस्माईल अ़लैहिस्सलाम तशरीफ़ फ़रमा रहे हैं न कि हज़रत इस्हाक़ अ़लैहिस्सलाम, इसलिये साफ़ ज़ाहिर है कि ज़िबह का हुक्म हज़रत इस्माईल अ़लैहिस्सलाम ही से संबन्धित था न कि हज़रत इस्हाक़ अ़लैहिस्सलाम से।

रहीं वो रिवायतें जिनमें मुख़्तलिफ़ सहाबा रज़ियल्लाहु अ़न्हुम व ताबिईन रह. के बारे में मज़कूर है कि उन्होंने ज़बीह हज़रत इस्हाक़ अ़लैहिस्सलाम को क़रार दिया, सो उनके बारे में हाफ़िज़ इब्ने कसीर रह. ने लिखा है कि:

> अल्लाह ही बेहतर जानता है लेकिन बज़ाहिर यह सारे अक़वाल कअ़बे अहबार रह. से लिये गये हैं इसलिये कि जब वह हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अ़न्हु के ज़माने में इस्लाम लाये तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अ़न्हु को अपनी पुरानी किताबों की बातें सुनाने लगे, कई बार हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अ़न्हु उनकी बातें सुन लेते थे इससे और लोगों को भी गुंजाईश मिली और उन्होंने भी उनकी रिवायतें सुनकर उन्हें नक़ल करना शुरू कर दिया। उन रिवायतों में हर तरह की कमज़ोर व मज़बूत और मोतबर व नामोतबर बातें जमा थीं, और इस उम्मत को इन बातों में से एक हर्फ़ की भी ज़रूरत नहीं है। वल्लाहु आलम (तफ़सीर इब्ने कसीर, पेज 17 जिल्द 4)

हाफ़िज़ इब्ने कसीर रह. की यह बात बहुत मुनासिब और हालात के मुताबिक़ मालूम होती है इसलिये कि हज़रत इस्हाक़ अ़लैहिस्सलाम को ज़बीह क़रार देने की बुनियाद इस्राईली रिवायतों ही पर है इसी लिये यहूदी व ईसाई लोग हज़रत इस्माईल अ़लैहिस्सलाम के बजाय हज़रत इस्हाक़ अ़लैहिस्सलाम को ज़बीह क़रार देते हैं, मौजूदा बाईबिल में यह वाक़िआ़ इन अलफ़ाज़ में बयान किया गया है:

> "इन बातों के बाद यूँ हुआ कि ख़ुदा ने इब्रहाम को आज़माया और उसे कहा ऐ अब्रहाम! उसने कहा मैं हाज़िर हूँ। तब उसने कहा कि तू अपने बेटे इज़्हाक़ को जो तेरा इकलौता है और जिसे तू प्यार करता है साथ लेकर मोरयाह के मुल्क में जा और वहाँ उसे पहाड़ों में से एक पहाड़ पर जो मैं तुझे बताऊँगा जल जाने वाली क़ुरबानी के तौर पर चढ़ा।" (पैदाईश 22:1 व 2)

इसमें ज़बीह (ज़िबह होने वाले) का वाक़िआ़ हज़रत इस्हाक़ अ़लैहिस्सलाम की तरफ़ मन्सूब किया गया है, लेकिन अगर इन्साफ़ और तहक़ीक़ से काम लिया जाये तो साफ़ मालूम हो जाता है कि यहाँ यहूदियों ने अपने पारम्परिक तास्सुब (पक्षपात और जानिबदारी) से काम लेकर तौरात की इबारत में रद्दोबदल का जुर्म किया है, इसलिये कि किताब पैदाईश की मज़कूरा इबारत ही में "जो तेरा इकलौता है" के अलफ़ाज़ बता रहे हैं कि हज़रत इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम को जिस बेटे की क़ुरबानी का हुक्म दिया गया वह उनका इकलौता बेटा था, इसी बाब में आगे चलकर फिर लिखा है कि:

> "तूने अपने बेटे को भी जो तेरा इकलौता है मुझसे दरेग़ न किया।" (पैदाईश 22:12)

इस जुमले में भी यह वज़ाहत मौजूद है कि वह बेटा हज़रत इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम का इकलौता था। इधर यह बात तयशुदा है कि हज़रत इस्हाक़ अ़लैहिस्सलाम उनके इकलौते बेटे न थे अगर "इकलौते" का हुक्म किसी पर हो सकता है तो वह सिर्फ़ हज़रत इस्माईल अ़लैहिस्सलाम हैं, ख़ुद

किताब पैदाईश ही की दूसरी कई इबारतें इसका सुबूत देती हैं कि हज़रत इस्माईल अ़लैहिस्सलाम की पैदाईश हज़रत इस्हाक़ अ़लैहिस्सलाम से बहुत पहले हो चुकी थी। मुलाहिज़ा फ़रमाईयेः

"और अब्राम की बीवी सारा के कोई औलाद न हुई, उसकी एक मिस्री लौंडी थी जिसका नाम हाजरा था, और वह हाजरा के पास गया और वह गर्भवती हुई .... और ख़ुदावन्द के फ़रिश्ते ने उससे कहा कि तू गर्भवती है और तेरे बेटा होगा और उसका नाम इस्माईल रखना और जब अब्राम से हाजरा के इस्माईल पैदा हुआ तब अब्राम छियासी बरस का था।"

(पैदाईश बाब 16 आयात 1,4,10 व 16)

और अगले बाब में लिखा हैः

"और ख़ुदा ने अब्रहाम से कहा कि सारा जो तेरी बीवी है उससे भी तुझे एक बेटा बख़्शूँगा। तब अब्रहाम ने सर झुका लिया और हंसकर दिल में कहने लगा कि क्या सौ बरस के बूढ़े से कोई बच्चा पैदा होगा, और क्या सारा के जो नब्बे बरस की है औलाद होगी? और अब्रहाम ने ख़ुदा से कहा कि काश! इस्माईल ही तेरे हुज़ूर जीता रहे, तब ख़ुदा ने फ़रमाया कि बेशक तेरी बीवी सारा के तुझसे बेटा होगा तू उसका नाम इज़हाक रखना।" (पैदाईश 17: 15-20)

इसके बाद हज़रत इस्हाक़ अ़लैहिस्सलाम की पैदाईश का तज़किरा इस तरह किया गया हैः

"और जब उसका बेटा इज़हाक़ उससे पैदा हुआ तो अब्रहाम सौ बरस का था।" (पैदाईश 21:5)

इन इबारतों से साफ़ वाज़ेह है कि हज़रत इस्हाक़ अ़लैहिस्सलाम हज़रत इस्माईल अ़लैहिस्सलाम से चौदह साल छोटे थे, और इस चौदह साल के अ़रसे में वह हज़रत इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम के इकलौते बेटे थे, इसके उलट हज़रत इस्हाक़ अ़लैहिस्सलाम पर ऐसा कोई वक़्त नहीं गुज़रा जिसमें वह अपने वालिद के इकलौते हों। अब इसके बाद जब किताब पैदाईश के बाईसवें बाब में बेटे की क़ुरबानी का ज़िक्र आता है तो उसमें "इकलौता" का लफ़्ज़ साफ़ गवाही दे रहा है कि इससे मुराद इस्माईल अ़लैहिस्सलाम हैं और किसी यहूदी ने इसके साथ "इज़हाक़" का लफ़्ज़ महज़ इसलिये बढ़ाया है ताकि यह फ़ज़ीलत इस्माईल की औलाद के बजाय इस्हाक़ की औलाद को हासिल हो।

इसके अ़लावा बाईबिल की इसी किताब पैदाईश में जहाँ हज़रत इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम को हज़रत इस्हाक़ अ़लैहिस्सलाम की पैदाईश की ख़ुशख़बरी दी गई है वहाँ यह भी मज़कूर है किः

"यक़ीनन मैं उसे (यानी हज़रत इस्हाक़ को) बरकत दूँगा कि क़ौमें उसकी नस्ल से होंगी।"

(पैदाईश 17:16)

अब ज़ाहिर है कि जिस बेटे के बारे में उसकी पैदाईश से पहले ही यह ख़बर दी जा चुकी हो कि वह औलाद वाला होगा और "क़ौमें उसकी नस्ल से होंगी" उसको क़ुरबान करने का हुक्म कैसे दिया जा सकता है। इससे भी मालूम होता है कि यह हुक्म हज़रत इस्हाक़ अ़लैहिस्सलाम से मुताल्लिक़ नहीं था बल्कि हज़रत इस्माईल अ़लैहिस्सलाम के बारे में था।

बाईबिल की इन इबारतों को देखने के बाद अन्दाज़ा होता है कि हाफ़िज़ इब्ने कसीर रह. का यह ख़्याल किस क़द्र सही है किः

"यहूदियों की मुक़द्दस किताबों में वज़ाहत है कि जब इस्माईल अ़लैहिस्सलाम पैदा हुए तो

हज़रत इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम की उम्र छियासी साल थी और जब हज़रत इस्हाक़ अ़लैहिस्सलाम पैदा हुए तो उनकी उम्र सौ साल थी। और उन्हीं किताबों में यह भी दर्ज है कि अल्लाह तआ़ला ने हज़रत इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम को उनके इकलौते बेटे के ज़िबह का हुक्म दिया था और एक और नुस्ख़े में ''इकलौते'' के बजाय ''पहलूठे'' का लफ़्ज़ है, पस यहूदियों ने यहाँ ''इस्हाक़'' का लफ़्ज़ अपनी तरफ़ से बोहतान के तौर पर बढ़ा दिया और इसको दुरुस्त क़रार देने का कोई जवाज़ नहीं है, क्योंकि यह ख़ुद उनकी किताबों की वज़ाहतों के ख़िलाफ़ है और यह लफ़्ज़ उन्होंने इसलिये बढ़ाया कि हज़रत इस्हाक़ अ़लैहिस्सलाम उनके पूर्वज हैं और हज़रत इस्माईल अ़लैहिस्सलाम अ़रब वालों के, पस यहूदियों ने हसद (जलन और ईर्ष्या) की वजह से यह लफ़्ज़ बढ़ा दिया और अब ''इकलौते'' के मायने यह बताते हैं कि वह ''बेटा जिसके सिवा उस वक़्त कोई और तुम्हारे पास मौजूद नहीं है'' क्योंकि हज़रत इस्माईल अ़लैहिस्सलाम और उनकी वालिदा वहाँ नहीं थीं (इसलिये हज़रत इस्हाक़ अ़लैहिस्सलाम को इस मायने में इकलौता कहा जा सकता है) लेकिन यह बिल्कुल ग़लत मतलब है और रद्दोबदल करना है इसलिये कि ''इकलौता'' उस बेटे को कहते हैं जिसके बाप का उसके सिवा कोई बेटा न हो।'' (इब्ने कसीर पेज 14 जिल्द 4)

हाफ़िज़ इब्ने कसीर रह. ही ने यह भी नक़ल किया है कि यहूद के उलेमा में से एक शख़्स हज़रत उमर बिन अ़ब्दुल-अ़ज़ीज़ रह. के ज़माने में मुसलमान हो गया था, हज़रत उमर बिन अ़ब्दुल-अ़ज़ीज़ रह. ने उससे पूछा कि इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम के बेटों में से कौनसे बेटे को ज़िबह करने का हुक्म हुआ था? तो उसने कहा कि ''ख़ुदा की क़सम! अमीरुल-मोमिनीन! वह इस्माईल अ़लैहिस्सलाम थे, यहूदी इस बात को ख़ूब जानते हैं लेकिन वे आप अ़रब वालों से जलन की वजह से ऐसा कहते हैं।''

(इब्ने कसीर पेज 18 जिल्द 4)

इन दलीलों की रोशनी में यह बात तक़रीबन यक़ीनी है कि ज़बीह हज़रत इस्माईल अ़लैहिस्सलाम ही थे। वल्लाहु सुब्हानहू व तआ़ला आलम

وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَّظَالِمٌ لِّنَفْسِهٖ مُبِيْنٌ○

(इन दोनों की नस्ल में कुछ अच्छे भी हैं और कुछ ऐसे भी हैं जो खुले तौर पर अपना नुक़सान कर रहे हैं) इस आयत के ज़रिये यहूदियों के इस झूठे गुमान व घमण्ड की तरदीद कर दी गई है कि इन हज़राते अम्बिया अ़लैहिमुस्सलाम की औलाद में से होना ही इनसान की फ़ज़ीलत और निजात के लिये काफ़ी है। इस आयत ने वज़ाहत के साथ बता दिया कि किसी नेक इनसान से नसबी ताल्लुक़ निजात के लिये काफ़ी नहीं बल्कि उसका असल मदार इनसान के अपने अ़क़ीदों और आमाल पर है।

وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلٰى مُوْسٰى وَهٰرُوْنَ ۝ وَنَجَّيْنٰهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيْمِ ۝ وَنَصَرْنٰهُمْ فَكَانُوْا هُمُ الْغٰلِبِيْنَ ۝ وَاٰتَيْنٰهُمَا الْكِتٰبَ الْمُسْتَبِيْنَ ۝ وَهَدَيْنٰهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۝ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِى الْاٰخِرِيْنَ ۝ سَلٰمٌ عَلٰى مُوْسٰى وَهٰرُوْنَ ۝ اِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ ۝ اِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِيْنَ ۝

व ल-क़द् मनन्ना अ़ला मूसा व हारून (114) व नज्जैनाहुमा व क़ौमहुमा मिनल् कर्बिल्-अ़ज़ीम (115) व नसर्नाहुम् फ़कानू हुमुल्-ग़ालिबीन (116) व आतैनाहुमल् किताबल्-मुस्तबीन (117) व हदैनाहुमस्सिरातल् मुस्तक़ीम (118) व तरक्ना अ़लैहिमा फ़िल्-आख़िरीन (119) सलामुन् अ़ला मूसा व हारून (120) इन्ना कज़ालि-क नज्ज़िल्-मुह्सिनीन (121) इन्नहुमा मिन् अ़िबादिनल्-मुअ्मिनीन (122)	और हमने एहसान किया मूसा और हारून पर। (114) और बचा दिया हमने उनको और उनकी क़ौम को उस बड़ी घबराहट से। (115) और उनकी हमने मदद की तो रहे वही ग़ालिब। (116) और हमने दी उनको स्पष्ट किताब। (117) और सुझाई उनको सीधी राह। (118) और बाक़ी रखा उन पर पिछले लोगों में (119) कि सलाम है मूसा और हारून पर। (120) हम यूँ देते हैं बदला नेकी करने वालों को। (121) तहक़ीक़ कि (वे) दोनों हैं हमारे ईमान वाले बन्दों में। (122)

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

और हमने मूसा और हारून (अ़लैहिमस्सलाम) पर भी एहसान किया (कि उनको नुबुव्वत और दूसरे कमालात अ़ता फ़रमाये) और हमने उन दोनों को और उनकी क़ौम (यानी बनी इस्राईल) को बड़े ग़म से (यानी फ़िरऔ़न की जानिब से पहुँचाई जाने वाली तकलीफ़ों से) निजात दी। और हमने उन सब की (फ़िरऔ़न के मुक़ाबले में) मदद की, सो (आख़िर में) यही लोग ग़ालिब आये (कि फ़िरऔ़न को ग़र्क़ कर दिया गया और यह हुकूमत वाले हो गये) और हमने (फ़िरऔ़न के ग़र्क़ होने के बाद) उन दोनों (साहिबों) को (यानी मूसा अ़लैहिस्सलाम को डायरेक्ट और हारून अ़लैहिस्सलाम को उनके ताबे बनाकर) वाज़ेह किताब दी (इससे मुराद तौरात है कि उसमें अहकाम स्पष्ट तौर पर मज़कूर थे) और हमने उन दोनों को सीधे रास्ते पर क़ायम रखा (जिसका आला दर्जा यह है कि उन्हें गुनाहों से सुरक्षित नबी बनाया) और हमने उन दोनों के लिए पीछे "यानी बाद में" आने वाले लोगों में (लम्बी मुद्दतों के लिये) यह बात रहने दी कि मूसा और हारून पर सलाम (चुनाँचे दोनों हज़रात के नामों के साथ आज तक अ़लैहिस्सलाम कहा जाता है) हम मुख़्लिस लोगों को ऐसा ही सिला दिया करते हैं (कि उनको तारीफ़ और दुआ़ का मुस्तहिक़ बना देते हैं) बेशक वे दोनों हमारे (कामिल) ईमान वाले बन्दों में से थे (इसलिये सिला भी कामिल अ़ता हुआ)।

मआ़रिफ़ व मसाईल

इन आयतों में तीसरा वाक़िआ़ हज़रत मूसा व हारून अ़लैहिमस्सलाम का बयान किया गया है

यह वाक़िआ अनेक मक़ामात पर तफ़सील के साथ गुज़र चुका है, यहाँ इसकी तरफ़ सिर्फ़ इशारा किया गया है, और इसे ज़िक्र करने से असल मक़सद यह बताना है कि अल्लाह तआ़ला अपने मुख़्लिस और फ़रमाँबरदार बन्दों की किस तरह मदद फ़रमाते हैं और उन्हें कैसे-कैसे इनामात से नवाज़ते हैं। चुनाँचे यहाँ हज़रत मूसा व हारून अ़लैहिमस्सलाम पर अपने इनामों का तज़किरा फ़रमाया है इनामों की दो क़िस्में होती हैं एक **मुस्बत इनामात** यानी फ़ायदे पहुँचाना आयत नम्बर 114 में इसी क़िस्म के इनामात की तरफ़ इशारा है। दूसरे **मन्फ़ी इनामात** यानी नुक़सान से बचाना, अगली आयतों में इसी क़िस्म की तफ़सील है। आयतों का मफ़्हूम ख़ुलासा-ए-तफ़सीर से स्पष्ट हो जाता है।

وَاِنَّ اِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ۝ اِذْ قَالَ لِقَوْمِهٖٓ اَلَا تَتَّقُوْنَ ۝ اَتَدْعُوْنَ بَعْلًا وَّتَذَرُوْنَ اَحْسَنَ الْخَالِقِيْنَ ۝ اللّٰهَ رَبَّكُمْ وَرَبَّ اٰبَآئِكُمُ الْاَوَّلِيْنَ ۝ فَكَذَّبُوْهُ فَاِنَّهُمْ لَمُحْضَرُوْنَ ۝ اِلَّا عِبَادَ اللّٰهِ الْمُخْلَصِيْنَ ۝ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْاٰخِرِيْنَ ۝ سَلٰمٌ عَلٰٓى اِلْ يَاسِيْنَ ۝ اِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِيْنَ ۝ اِنَّهٗ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِيْنَ ۝

व इन्-न इल्या-स लमिनल्-मुर्सलीन (123) इज़् क़ा-ल लिक़ौमिही अला तत्तक़ून (124) अतद्अू-न बअ़्लंव्-व त-ज़रू-न अह्स-नल्-ख़ालिक़ीन (125) अल्ला-ह रब्बकुम् व रब्-ब आबा-इकुमुल् अव्वलीन (126) फ़-कज़्ज़बूहु फ़-इन्नहुम् ल-मुह्ज़रून (127) इल्ला अ़िबादल्लाहिल्-मुख़्लसीन (128) व तरक्ना अ़लैहि फ़िल्-आख़िरीन (129) सलामुन् अ़ला इल्यासीन (130) इन्ना कज़ालि-क नज्ज़िल्-मुह्सिनीन (131) इन्नहू मिन् अ़िबादिनल्-मुअ्मिनीन (132)	और तहक़ीक़ (कि) इलियास है रसूलों में। (123) जब उसने कहा अपनी क़ौम को क्या तुमको डर नहीं? (124) क्या तुम पुकारते हो बअ़ल को और छोड़ते हो बेहतर बनाने वाले को। (125) जो अल्लाह है रब तुम्हारा और रब तुम्हारे अगले बाप दादाओं का। (126) फिर उसको झुठलाया सो वे आने वाले हैं पकड़े हुए (127) मगर जो बन्दे हैं अल्लाह के चुने हुए। (128) और बाक़ी रखा हमने उस पर पिछले लोगों में (129) कि सलाम है इलियास पर। (130) हम यूँ देते हैं बदला नेकी करने वालों को। (131) वह है हमारे ईमान वाले बन्दों में। (132)

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

और इलियास (अ़लैहिस्सलाम) भी (बनी इस्राईल के) पैग़म्बरों में से थे। (उनका उस वक़्त का

वाक़िआ ज़िक्र कीजिये) जबकि उन्होंने अपनी क़ौम (बनी इस्राईल) से (कि वह बुत-परस्ती में मुब्तला थी) फ़रमाया कि क्या तुम ख़ुदा से डरते नहीं? क्या तुम बअ्ल को (जो एक बुत का नाम था) पूजते हो, और उस (की इबादत) को छोड़े बैठे हो जो सबसे बढ़कर बनाने वाला है (क्योंकि और लोग तो सिर्फ़ कुछ चीज़ों को घुलाने-मिलाने और तैयार करने पर क़ुदरत रखते हैं और वह भी अस्थायी, और वह तमाम चीज़ों को अ़दम से वजूद में लाने पर अपनी ज़ाती क़ुदरत रखता है, फिर कोई दूसरा जान नहीं डाल सकता और वह जान डालता है और वह) माबूदे बरहक़ है (और) तुम्हारा भी रब है और तुम्हारे अगले बाप-दादाओं का भी रब है। सो उन लोगों ने (इस तौहीद के दावे में) उनको झुठलाया, सो (इस झुठलाने की बुराई और नहूसत में) वे लोग (आख़िरत के अ़ज़ाब में) पकड़े जाएँगे। मगर जो अल्लाह के ख़ालिस बन्दे (यानी ईमान वाले) थे (वे सवाब व अज्र में होंगे)। और हमने इलियास के लिये पीछे आने वाले लोगों में (लम्बी मुद्दतों के लिये) यह बात रहने दी कि इलियासीन पर (कि यह भी इलियास अ़लैहिस्सलाम का नाम है) सलाम हो, हम मुख़्लिस लोगों को ऐसा ही सिला दिया करते हैं (कि उनको तारीफ़ व प्रशंसा और दुआ़ का मुस्तहिक़ बनाते हैं) बेशक वह हमारे (कामिल) ईमान वाले बन्दों में से थे।

मआ़रिफ़ व मसाईल

हज़रत इलियास अ़लैहिस्सलाम

इन आयतों में चौथा वाक़िआ़ हज़रत इलियास अ़लैहिस्सलाम का बयान किया गया है। आयतों की तफ़सीर से पहले हज़रत इलियास अ़लैहिस्सलाम से बारे में चन्द मालूमात दर्ज की जाती हैं:

क़ुरआने करीम में हज़रत इलियास अ़लैहिस्सलाम का ज़िक्र सिर्फ़ दो जगहों पर आया है- एक सूरः अन्आ़म में और दूसरे सूरः सॉफ़्फ़ात की इन्हीं आयतों में। सूरः अन्आ़म में तो सिर्फ़ अम्बिया अ़लैहिमुस्सलाम की फ़ेहरिस्त में आपका नाम शुमार करा दिया गया है और कोई वाक़िआ़ ज़िक्र नहीं हुआ अलबत्ता यहाँ बहुत ही मुख़्तसर तौर पर आपकी दावत व तब्लीग़ का वाक़िआ़ बयान फ़रमाया गया है।

चूँकि क़ुरआने करीम में हज़रत इलियास अ़लैहिस्सलाम के हालात तफ़सील से मज़कूर नहीं हैं और न मोतबर हदीसों में आपके हालात आये हैं इसलिये आपके बारे में तफ़सीर की किताबों के अन्दर विभिन्न अक़वाल और अलग-अलग तरह की रिवायतें मिलती हैं, जिनमें ज़्यादातर बनी इस्राईल की रिवायतों से ली गयी हैं।

मुफ़स्सिरीन में से एक छोटी जमाअ़त का कहना यह है कि "इलियास" हज़रत इदरीस अ़लैहिस्सलाम ही का दूसरा नाम है और इन दोनों शख़्सियतों में कोई फ़र्क़ नहीं है। और कुछ हज़रात ने यह भी कहा है कि हज़रत इलियास अ़लैहिस्सलाम और हज़रत ख़िज़र अ़लैहिस्सलाम में कोई फ़र्क़ नहीं है। (दुर्रे मन्सूर पेज 285, 286 जिल्द 5)

लेकिन गहराई से तहक़ीक़ करने वाले हज़रात ने इन अक़वाल की तरदीद की है। क़ुरआने करीम ने भी हज़रत इदरीस और हज़रत इलियास अ़लैहिमस्सलाम का इस तरह अलग-अलग तज़किरा

फ़रमाया है कि दोनों को एक क़रार देने की कोई गुंजाईश नज़र नहीं आती, इसलिये हाफ़िज़ इब्ने कसीर रह. ने अपनी तारीख़ में सही इसी को क़रार दिया है कि दोनों अलग-अलग रसूल हैं।

(अल्-बिदाया वन्निहाया पेज 339 जिल्द 1)

हज़रत इलियास के भेजे जाने का ज़माना और स्थान

क़ुरआन व हदीस से यह भी पता नहीं चलता कि हज़रत इलियास अ़लैहिस्सलाम कब और कहाँ भेजे गये थे? लेकिन तारीख़ी और इस्राईली रिवायतें इस बात पर तक़रीबन सहमत हैं कि आप हज़रत हिज़क़ील अ़लैहिस्सलाम के बाद और हज़रत अल्-यसअ् अ़लैहिस्सलाम से पहले बनी इस्राईल की तरफ़ मबऊस हुए थे। यह वह ज़माना था जबकि हज़रत सुलैमान अ़लैहिस्सलाम के जानशीनों की बदकारी की वजह से बनी इस्राईल की सल्तनत दो हिस्सों में बंट गई थी- एक हिस्सा यहूदा या यहूदिया कहलाता था और इसका केन्द्र बैतुल-मुक़द्दस था और दूसरा हिस्सा इस्राईल कहलाता था और इसका केन्द्र और राजधानी सामरा (मौजूदा नाबुलस) था। हज़रत इलियास अ़लैहिस्सलाम उर्दुन के इलाक़े जलआ़द में पैदा हुए थे, उस वक़्त इस्राईल के मुल्क में जो बादशाह शासक था उसका नाम बाईबिल में अख़ी-अब और अ़रबी तारीख़ों व तफ़सीरों में अजब या अख़ब मज़कूर है। उसकी बीवी ऐज़बिल बअ़ल नाम के एक बुत की पुजारन थी और उसी ने इस्राईल में बअ़ल के नाम पर एक बड़ी क़ुरबानी की जगह तामीर करके तमाम बनी इस्राईल को बुतपरस्ती के रास्ते पर लगा दिया था। हज़रत इलियास अ़लैहिस्सलाम को अल्लाह तआ़ला की तरफ़ से हुक्म हुआ कि वह उस ख़ित्ते में जाकर तौहीद की तालीम दें और इस्राईलियों को बुपरस्ती से रोकें। (देखिये- तफ़सीर इब्ने जरीर पेज 53 जिल्द 32 व इब्ने कसीर पेज 19 जिल्द 4 व तफ़सीरे मज़हरी पेज 134 जिल्द 8 और बाईबिल की किताब सलातीने अव्वल 16, 29 से 33, व 17: 1)

क़ौम के साथ कश्मकश

दूसरे अम्बिया अ़लैहिमुस्सलाम की तरह हज़रत इलियास अ़लैहिस्सलाम को भी अपनी क़ौम के साथ सख़्त कश्मकश और खींचतान से दोचार होना पड़ा। क़ुरआने करीम चूँकि कोई तारीख़ की किताब नहीं है इसलिये इसने इस कश्मकश का तफ़सीली हाल बयान करने के बजाय सिर्फ़ उतनी बात बयान फ़रमाई है जो इब्रत व नसीहत हासिल करने के लिये ज़रूरी थी, यानी यह कि उनकी क़ौम ने उनको झुठलाया और चन्द मुख़्लिस बन्दों के सिवा किसी ने हज़रत इलियास अ़लैहिस्सलाम की बात न मानी, इसलिये आख़िरत में उन्हें हौलनाक अन्जाम से दोचार होना पड़ेगा।

कुछ मुफ़स्सिरीन ने यहाँ इस कश्मकश के तफ़सीली हालात बयान फ़रमाये हैं। परिचित व परचलित तफ़सीरों में हज़रत इलियास अ़लैहिस्सलाम का सबसे तफ़सीली तज़किरा तफ़सीरे मज़हरी में अ़ल्लामा बग़वी रह. के हवाले से किया गया है। उसमें जो वाक़िआ़त मज़कूर हैं वे तक़रीबन सारे के सारे बाईबिल से लिये गये हैं, दूसरी तफ़सीरों में भी इन वाक़िआ़त के कुछ हिस्से हज़रत वहब बिन मुनब्बेह रह. और कअ़बे अहबार रह. वग़ैरह के हवाले से बयान हुए हैं जो अक्सर इस्राईली रिवायतें नक़ल करते हैं।

इन तमाम रिवायतों से ख़ुलासे के तौर पर जो साझा नतीजा निकलता है वह यह है कि हज़रत

इलियास अलैहिस्सलाम ने इस्राईल के बादशाह अख़ी-अब और उसकी रियाया को बअ़ल नाम के बुत की पूजा से रोककर तौहीद की दावत दी, मगर दो एक हक़-पसन्द अफ़राद के सिवा किसी ने आपकी बात नहीं मानी बल्कि आपको तरह-तरह से परेशान करने की कोशिश की, यहाँ तक कि अख़ी-अब और उसकी बीवी एज़बिल ने आपको शहीद करने के मन्सूबे बनाये। आपने एक दूर के ग़ार (खोह) में पनाह ली और लम्बे समय तक वहीं मुक़ीम रहे। उसके बाद आपने दुआ फ़रमाई कि इस्राईल के लोग क़हत-साली (सूखे) का शिकार हो जायें ताकि उस क़हत-साली को दूर करने के लिये आप उनको मोजिज़े दिखायें तो शयद वे ईमान ले आयें। चुनाँचे उन्हें सख़्त किस्म के क़हत (सूखे और अकाल) में मुब्तला कर दिया गया।

उसके बाद हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम अल्लाह तआ़ला के हुक्म से अख़ी-अब से मिले और उससे कहा कि यह अ़ज़ाब अल्लाह की नाफ़रमानी की वजह से है और अगर तुम अब भी बाज़ आ जाओ तो यह अ़ज़ाब दूर हो सकता है, मेरी सच्चाई के इम्तिहान का भी यह बेहतरीन मौक़ा है तुम कहते हो कि इस्राईल में तुम्हारे माबूद बअ़ल के साढ़े चार सौ नबी हैं, तुम एक दिन उन सब को मेरे सामने जमा कर लो वे बअ़ल के नाम पर क़ुरबानी पेश करें और मैं अल्लाह के नाम पर क़ुरबानी करूँगा जिसकी क़ुरबानी को आसमानी आग आकर भस्म कर देगी उसका दीन सच्चा होगा। सब ने इस तजवीज़ को ख़ुशी से मान लिया।

चुनाँचे करमल पहाड़ के स्थान पर यह इज्तिमा हुआ, बअ़ल के झूठे नबियों ने अपनी क़ुरबानी पेश की और सुबह से दोपहर तक बअ़ल से इल्तिजायें करते रहे मगर कोई जवाब न आया। उसके बाद हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम ने अपनी क़ुरबानी पेश की, उस पर आसमान से आग नाज़िल हुई और उसने हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम की क़ुरबानी को भस्म कर दिया। यह देखकर बहुत से लोग सज्दे में गिर गये और उन पर हक़ वाज़ेह हो गया, लेकिन बअ़ल के झूठे नबी अब भी न माने इसलिये हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम ने उनको क़ैशून की घाटी में क़त्ल करा दिया।

इस वाक़िए के बाद मूसलाधार बारिश भी हुई और पूरा ख़ित्ता पानी से निहाल हो गया, लेकिन अख़ी-अब की बीवी की अब भी आँख न खुली, वह हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने के बजाय उल्टी उनकी दुश्मन हो गई और उसने आपको क़त्ल कराने की तैयारियाँ शुरू कर दीं। हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम यह सुनकर फिर सामरिया से रूपोश हो गये और कुछ अ़रसे के बाद बनी इस्राईल के दूसरे मुल्क यहूदिया में तब्लीग़ शुरू कर दी, क्योंकि धीरे-धीरे बअ़ल की वबा वहाँ भी फैल चुकी थी। वहाँ के बादशाह यहूराम ने भी आपकी बात न सुनी यहाँ तक कि वह हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम की भविष्यवाणी के मुताबिक़ तबाह व बरबाद हुआ। चन्द साल बाद आप दोबारा इस्राईल तशरीफ़ लाये और यहाँ फिर अख़ी-अब और उसके बेटे अख़्ज़ियाह को सही रास्ते पर लाने की कोशिश की मगर वे बदस्तूर अपने बुरे आमाल में मुब्तला रहे, यहाँ तक कि उन्हें बाहरी हमलों और हलाक कर देने वाली बीमारियों का शिकार बना दिया गया और इसके बाद अल्लाह तआ़ला ने अपने नबी को वापस बुला लिया।

क्या हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम ज़िन्दा हैं?

इतिहासकारों और क़ुरआन के मुफ़स्सिरीन के बीच यहाँ यह मसला भी बहस का विषय है कि

हज़रत इलियास अ़लैहिस्सलाम ज़िन्दा हैं या वफ़ात पा चुके? तफ़सीर मज़हरी में अ़ल्लामा बग़वी रह. के हवाले से जो लम्बी रिवायत बयान की गई है उसमें यह भी मज़कूर है कि हज़रत इलियास अ़लैहिस्सलाम को एक आग के घोड़े पर सवार करके आसमान की तरफ़ उठा लिया गया था और वह हज़रत ईसा अ़लैहिस्सलाम की तरह ज़िन्दा हैं। (तफ़सीरे मज़हरी पेज 141 जिल्द 8) अ़ल्लामा सुयूती रह. ने भी इब्ने अ़साकिर और इमाम हाकिम रह. वग़ैरह के हवाले से कई ऐसी रिवायतें नक़ल की हैं जिनसे मालूम होता है कि वह ज़िन्दा हैं। कअ़बे अहबार रह. से मन्क़ूल है कि चार अम्बिया अ़लैहिमुस्सलाम अब तक ज़िन्दा हैं दो ज़मीन में- हज़रत ख़ज़िर अ़लैहिस्सलाम और हज़रत इलियास अ़लैहिस्सलाम और दो आसमान में हज़रत ईसा और हज़रत इदरीस अ़लैहिमस्सलाम। (दुर्रे मन्सूर पेज 285, 286 जिल्द 5) यहाँ तक कि कुछ हज़रात ने यह भी कहा है कि हज़रत ख़ज़िर और हज़रत इलियास अ़लैहिस्सलाम हर साल रमज़ान के महीने में बैतुल-मुक़द्दस में इकट्ठे होते हैं और रोज़े रखते हैं। (तफ़सीरे क़ुर्तुबी पेज 116 जिल्द 15)

लेकिन हाफ़िज़ इब्ने कसीर रह. जैसे मुहक़्क़िक़ उलेमा ने इन रिवायतों को सही क़रार नहीं दिया वे इन जैसी रिवायतों के बारे में लिखते हैं:

وهومن الاسرائیلیات التی لا تصدق ولا تکذب بل الظاهر أن صحتها بعدة (البداية والنهاية ص۳۳۸ج۱)

"यह उन इस्राईली रिवायतों में से है जिनकी न पुष्टि की जाती है न झुठलाया जाता है, बल्कि ज़ाहिर यह है कि इनका सही होना दूर की बात है।"

साथ ही फ़रमाते हैं:

"इब्ने अ़साकिर ने कई रिवायतें उन लोगों की नक़ल की हैं जो हज़रत इलियास अ़लैहिस्सलाम से मिले हैं, लेकिन उनमें से कोई भी क़ाबिले इत्मीनान नहीं। या तो इसलिये कि उनकी सनद कमज़ोर है या इसलिये कि जिन शख़्सों की तरफ़ वो वाक़िआ़त मन्सूब किये गये हैं वे अपरिचित हैं।" (अल-बिदाया वन्निहाया पेज 339 जिल्द 1)

ज़ाहिर यही है कि हज़रत इलियास अ़लैहिस्सलाम के आसमान पर उठाने का नज़रिया इस्राईली रिवायतों ही से लिया गया है। बाईबिल में लिखा है कि:

"और वह आगे चलते और बातें करते जाते थे कि देखो एक आग के रथ और आग के घोड़ों ने उन दोनों को जुदा कर दिया और ईलियाह (1) बगूले में आसमान पर चला गया।"

(2 सलातीन 2:11)

इसी वजह से यहूदियों में यह अ़क़ीदा पैदा हुआ था कि हज़रत इलियास अ़लैहिस्सलाम दो बार ज़मीन पर तशरीफ़ लायेंगे, चुनाँचे जब हज़रत यहया अ़लैहिस्सलाम तशरीफ़ लाये तो उन्होंने उन पर इलियास अ़लैहिस्सलाम होने का शुब्हा ज़ाहिर किया। यूहन्ना की इन्जील में है:

"उन्होंने उससे पूछा फिर कौन है? क्या तू इलियाह है? उसने कहा मैं नहीं हूँ।" (यूहन्ना 1:21)

ऐसा मालूम होता है कि कअ़बे अहबार रह. और वहब बिन मुनब्बेह रह. जैसे उलेमा ने जो अहले किताब के उलूम के माहिर थे यही रिवायतें मुसलमानों के सामने बयान की होंगी, जिनसे हज़रत

(1) मालूम रहे कि बाईबिल में हज़रत ईलियास अ़लैहिस्सलाम का नाम ईलियाह ज़िक्र हुआ है।

इलियास अ़लैहिस्सलाम की ज़िन्दगी का नज़रिया कुछ मुसलमानों में भी फैल गया, वरना क़ुरआन या हदीस में ऐसी कोई दलील नहीं है जिससे हज़रत इलियास अ़लैहिस्सलाम की ज़िन्दगी या आपका आसमान पर उठाया जाना साबित होता हो, सिर्फ़ एक रिवायत मुस्तदूरक हाकिम में मिलती है जिसमें मज़कूर है कि तबूक के रास्ते में नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की मुलाक़ात हज़रत इलियास अ़लैहिस्सलाम से हुई, लेकिन यह रिवायत मुहद्दिसीन की वज़ाहत के मुताबिक़ मौज़ू (गढ़ी हुई और ग़लत) है। हाफ़िज़ ज़हबी रह. फ़रमाते हैं:

بل هوموضوع قبح الله من وضعه وماكنت احسب ولا اُجوزان الجهل يبلغ بالحاكم الى ان يصحح هذا.

(درمنثور ص۲۸۶ ج۵)

"बल्कि यह हदीस मौज़ू (गढ़ी हुई) है, ख़ुदा बुरा करे उस शख़्स का जिसने यह हदीस बनाई और गढ़ी, इससे पहले मेरे गुमान में भी न था कि इमाम हाकिम रह. की बेख़बरी इस हद पहुँच सकती है कि वह इस हदीस को सही क़रार दें।"

ख़ुलासा यह है कि हज़रत इलियास अ़लैहिस्सलाम का ज़िन्दा होना किसी मोतबर इस्लामी रिवायत से साबित नहीं है। लिहाज़ा इस मामले में सलामती की राह यह है कि इसमें ख़मोशी इख़्तियार की जाये और इस्राईली रिवायतों के सिलसिले में नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की तालीम पर अ़मल किया जाये कि "न उनकी तस्दीक़ करो न झुठलाओ" क्योंकि क़ुरआने करीम की तफ़सीर और इब्रत व नसीहत का मक़सद इसके बग़ैर भी पूरी तरह हासिल हो जाता है। वल्लाहु सुब्हानहू व तआ़ला आलम। अब आयतों की तफ़सीर मुलाहिज़ा फ़रमाईये।

اَتَدْعُوْنَ بَعْلًا

(क्या तुम बअ़्ल को पूजते हो?) बअ़्ल के लुग़वी मायने शौहर और मालिक वग़ैरह के हैं, लेकिन यह उस बुत का नाम था जिसे हज़रत इलियास अ़लैहिस्सलाम की क़ौम ने अपना माबूद बनाया हुआ था। बअ़्ल की पूजा की तारीख़ बहुत पुरानी है, शाम के इलाक़े में हज़रत मूसा अ़लैहिस्सलाम के ज़माने में उसकी पूजा होती थी और यह उनका सबसे ज़्यादा मक़बूल देवता था। शाम का मशहूर शहर बअ़्लबक्क भी इसी के नाम से नामित हुआ, और कुछ लोगों का ख़्याल है कि हिजाज़ के लोगों का मशहूर बुत हुबल भी यही बअ़्ल है। (क़ससुल-क़ुरआन पेज 28 जिल्द 2)

وَتَذَرُوْنَ اَحْسَنَ الْخَالِقِيْنَ○

(और उसको छोड़ बैठे हो जो सबसे बढ़कर बनाने वाला है) इससे मुराद अल्लाह तआ़ला हैं। और "अहसनुल-ख़ालिक़ीन" (सबसे अच्छा बनाने और पैदा करने वाले) का मतलब यह नहीं कि मआ़ज़ल्लाह कोई दूसरा भी ख़ालिक़ हो सकता है बल्कि मतलब यह है कि जिन झूठे माबूदों को तुम ने ख़ालिक़ (बनाने और पैदा करने वाला) क़रार दिया हुआ है वह उन सबसे ऊँची शान वाला है। (तफ़सीरे क़ुर्तुबी) और कुछ मुफ़स्सिरीन ने कहा है कि यहाँ "ख़ालिक़" (बनाने वाले) के मायने में इस्तेमाल हुआ है यानी वह तमाम बनाने वालों से बढ़कर है इसलिये कि दूसरे बनाने वाले सिर्फ़ इतना ही तो करते हैं कि मुख़्तलिफ़ हिस्सों और चीज़ों को जोड़कर कोई चीज़ तैयार कर लेते हैं, किसी चीज़

को अदम से वजूद में लाना उनके बस से बाहर है, और अल्लाह तआ़ला बिना वजूद की चीज़ों को वजूद बख़्शने पर ज़ाती क़ुदरत रखता है। (बयानुल-क़ुरआन)

ग़ैरुल्लाह की तरफ़ पैदा करने की सिफ़त मन्सूब करना जायज़ नहीं

यहाँ यह बात याद रखनी चाहिये कि "ख़ल्क़" के मायने पैदा करने के हैं, जिसका मतलब है कि किसी चीज़ को बिल्कुल नापैदी की हालत से ज़ाती क़ुदरत के बल पर वजूद में लाना, इसलिये यह सिफ़त अल्लाह तआ़ला के साथ ख़ास है, किसी और की तरफ़ इसकी निस्बत जायज़ नहीं। लिहाज़ा हमारे ज़माने में जो रिवाज चल पड़ा है कि लेखकों के मज़ामीन, शायरों के शे'र और चित्रकारों की तस्वीरों को उनकी "तख़्लीक़ात" कह दिया जाता है वह बिल्कुल जायज़ नहीं और न लेखकों को उन मज़ामीन का ख़ालिक़ कहना दुरुस्त है। ख़ालिक़ अल्लाह के सिवा कोई नहीं हो सकता इसलिये उनके लिखे मज़मूनों को "काविश" या "मज़मून" वग़ैरह कहना चाहिये "तख़्लीक़" नहीं।

فَكَذَّبُوْهُ فَاِنَّهُمْ لَمُحْضَرُوْنَ۝

(सो उन लोगों ने उनको झुठलाया सो वे पकड़े जायेंगे) मतलब यह है कि उन्हें अल्लाह के सच्चे रसूल को झुठलाने का मज़ा चखना पड़ेगा। इससे आख़िरत का अ़ज़ाब भी मुराद हो सकता है और दुनिया का बुरा अन्जाम भी। पीछे गुज़र चुका है कि हज़रत इलियास अ़लैहिस्सलाम को झुठलाने के नतीजे में यहूदा और इस्राईल दोनों मुल्कों के हुक्मरानों को तबाही का सामना करना पड़ा, इस तबाही की तफ़सील तफ़सीरे मज़हरी में और बाईबिल की किताब सलातीने अव्वल बाब 22 सलातीने दोम बाब अव्वल और तवारीख़े दोम बाब 21 में मौजूद है।

اِلَّا عِبَادَ اللّٰهِ الْمُخْلَصِيْنَ۝

यहाँ "मुख़्लसीन" का लफ़्ज़ इस्तेमाल हुआ है जिसके मायने हैं "ख़ालिस किये हुए लोग" यानी वे लोग जिन्हें अल्लाह ने अपनी इताअ़त और अज्र व सवाब के लिये ख़ास कर लिया हो, लिहाज़ा इसका तर्जुमा "मुख़्लिस" के बजाय "बरगुज़ीदा" ज़्यादा मुनासिब है।

سَلٰمٌ عَلٰٓى اِلْ يَاسِيْنَ۝

"इल्यासीन" भी इलियास अ़लैहिस्सलाम ही का एक नाम है। अ़रब के लोग अक्सर अ़जमी (ग़ैर-अ़रबी) नामों के साथ या और नून बढ़ा देते हैं, जैसे "सीना" से "सीनीन" इसी तरह यहाँ भी दो हुरूफ़ बढ़ा दिये गये हैं।

وَاِنَّ لُوْطًا لَّمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ۝ اِذْ نَجَّيْنٰهُ وَاَهْلَهٗٓ اَجْمَعِيْنَ۝ اِلَّا عَجُوْزًا فِى الْغٰبِرِيْنَ۝ ثُمَّ دَمَّرْنَا الْاٰخَرِيْنَ۝ وَاِنَّكُمْ لَتَمُرُّوْنَ عَلَيْهِمْ مُّصْبِحِيْنَ۝ وَبِالَّيْلِ ۭ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ۝

व इन्-न लूतल्-लमिनल्-मुर्सलीन (133) इज़् नज्जैनाहु व अह्लहू अज्मअ़ीन (134) इल्ला अजूज़न् फ़िल्-ग़ाबिरीन (135) सुम्-म दम्मर्नल्-आख़रीन (136) व इन्नकुम् ल-तमुर्रू-न अ़लैहिम् मुस्बिहीन (137) व बिल्लैलि, अ-फ़ला तअ़्किलून (138) ❁	और तहक़ीक़ (कि) लूत है रसूलों में से। (133) जब बचा दिया हमने उसको और उसके सारे घर वालों को (134) मगर एक बुढ़िया कि रह गई रह जाने वालों में। (135) फिर जड़ से उखाड़ फेंका हम ने दूसरों को। (136) और तुम गुज़रते हो उनपर सुबह के वक़्त (137) और रात को भी। फिर क्या नहीं समझते? (138) ❁

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

और बेशक लूत (अ़लैहिस्सलाम) भी पैग़म्बरों में से थे। (उनका उस वक़्त का क़िस्सा क़ाबिले ज़िक्र है) जबकि हमने उनको और उनके मुताल्लिक़ीन को सब को निजात दी सिवाय उस बुढ़िया (यानी उनकी बीवी) के कि वह (अ़ज़ाब के अन्दर) रह जाने वालों में रह गई। फिर हमने और सब को (जो लूत और उनके मानने वालों और अपनों के सिवा थे) हलाक कर दिया (जिनका क़िस्सा कई जगह आ चुका है)। और (ऐ मक्का वालो) तुम तो उनके (घरों और ठिकानों पर शाम के सफ़र में कभी) सुबह होते और (कभी) रात में गुज़रा करते हो (और उनकी बरबादी के निशानात देखते हो) तो क्या (उसको देखकर) फिर भी नहीं समझते हो (कि कुफ़्र का क्या अन्जाम हुआ। और जो आईन्दा कुफ़्र करेगा उसके लिये भी यही अन्देशा है)।

मआ़रिफ़ व मसाईल

इन आयतों में पाँचवाँ वाकिआ़ हज़रत लूत अ़लैहिस्सलाम का ज़िक्र फ़रमाया गया है। यह वाकिआ़ पीछे कई जगहों पर गुज़र चुका है इसलिये यहाँ तफ़सील की ज़रूरत नहीं। यहाँ मक्का वालों को ख़ास तौर पर यह तंबीह की गई है कि तुम शाम के तिजारती सफ़र में सदूम के उस इलाक़े से दिन रात गुज़ारते हो जहाँ यह इब्रतनाक वाकिआ़ पेश आया लेकिन इससे कोई इब्रत (सबक़ और नसीहत) हासिल नहीं करते। सुबह और रात का ज़िक्र ख़ास तौर से इसलिये फ़रमाया गया कि अ़रब के लोग उमूमन इन्हीं वक़्तों में यहाँ से गुज़रा करते थे, और क़ाज़ी अबू सऊद रह. फ़रमाते हैं कि ग़ालिबन सदूम का यह इलाक़ा रास्ते की ऐसी मन्ज़िल पर स्थित था कि यहाँ से कूच करने वाले सुबह के वक़्त रवाना होते थे और आने वाले शाम के वक़्त आते थे। (तफ़सीर अबी सऊद)

وَاِنَّ يُوْنُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ۝ اِذْ اَبَقَ اِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُوْنِ ۝ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِيْنَ ۝ فَالْتَقَمَهُ الْحُوْتُ وَهُوَ مُلِيْمٌ ۝ فَلَوْلَآ اَنَّهٗ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِيْنَ ۝ لَلَبِثَ فِىْ بَطْنِهٖٓ اِلٰى يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ ۝ فَنَبَذْنٰهُ بِالْعَرَآءِ وَهُوَ سَقِيْمٌ ۝ وَاَنْۢبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّنْ يَّقْطِيْنٍ ۝ وَاَرْسَلْنٰهُ اِلٰى مِائَةِ اَلْفٍ اَوْ يَزِيْدُوْنَ ۝ فَاٰمَنُوْا فَمَتَّعْنٰهُمْ اِلٰى حِيْنٍ ۝

व इन्-न यूनु-स लमिनल्-मुर्सलीन (139) इज़् अ-ब-क़ इलल्-फ़ुल्किल्-मश्हून (140) फ़-सा-ह-म फ़का-न मिनल्-मुद्-हज़ीन (141) फ़ल्त-क़-म-हुल्-हूतु व हु-व मुलीम (142) फ़-लौ ला अन्नहू का-न मिनल्-मुसब्बिहीन (143) ल-लबि-स फ़ी बत्निही इला यौमि युब्अ़सून (144) ● फ़-नबज़्नाहु बिल्अ़रा-इ व हु-व सक़ीम (145) व अम्बत्ना अ़लैहि श-ज-रतम् मिंय्यक़्तीन (146) व अर्सल्नाहु इला मि-अति अल्फ़िन् औ यज़ीदून (147) फ़-आमनू फ़-मत्तअ़्नाहुम् इला हीन (148)	और तहक़ीक़ (कि) यूनुस है रसूलों में से। (139) जब भागकर पहुँचा उस भरी कश्ती पर (140) फिर क़ुर्आ डलवाया तो निकला ख़तावार। (141) फिर लुक़मा किया उसको मछली ने और वह इल्ज़ाम खाया हुआ था। (142) फिर अगर न होती यह बात कि वह याद करता था पाक ज़ात को (143) तो रहता उसी के पेट में जिस दिन तक कि मुर्दे ज़िन्दा हों। (144) ● फिर डाल दिया हमने उसको चटियल मैदान में और वह बीमार था। (145) और उगाया हमने उस पर एक दरख़्त बेल वाला। (146) और भेजा उसको लाख आदमियों पर या इससे ज़्यादा। (147) फिर वे यक़ीन लाये फिर हमने फ़ायदा उठाने दिया उनको एक वक़्त तक। (148)

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

और बेशक यूनुस (अ़लैहिस्सलाम) भी पैग़म्बरों में से थे (उनका उस वक़्त का क़िस्सा याद कीजिये) जबकि (उन्होंने अपनी क़ौम से ईमान न लाने पर अल्लाह के हुक्म से अ़ज़ाब की भविष्यवाणी की, और ख़ुद वहाँ से चले गये और जब निर्धारित वक़्त पर अ़ज़ाब के आसार ज़ाहिर होने लगे तो क़ौम को ईमान लाने की ग़र्ज़ से यूनुस अ़लैहिस्सलाम की तलाश हुई, जब वह न मिले तो सब मुत्तफ़िक़ होकर हक़ तआ़ला के सामने रोये और फ़रियाद की और बुनियादी व संक्षिप्त रूप से ईमान ले आये, और वह अ़ज़ाब टल गया। यूनुस अ़लैहिस्सलाम को किसी माध्यम से यह ख़बर मालूम हुई तो शर्मिन्दगी की वजह से अपने विचार से अल्लाह तआ़ला की स्पष्ट इजाज़त के बग़ैर कहीं दूर चले

जाने का इरादा करके अपनी जगह से) भागकर (चले, रास्ते में दरिया था, उसमें मुसाफ़िरों से भरी हुई कश्ती थी, उस) भरी हुई कश्ती के पास पहुँचे (कश्ती चली तो तूफ़ान आया, कश्ती वाले कहने लगे कि हममें कोई नया क़सूरवार है, उसको कश्ती से अलग करना चाहिए। उस शख़्स को मुतैयन करने के लिये सब का इत्तिफ़ाक़ इस पर हुआ कि क़ुर्आ डाला जाये) सो यूनुस (अलैहिस्सलाम) भी क़ुर्आ में शरीक हुए तो (क़ुर्आ में) यही मुल्ज़िम ठहरे (यानी इन्हीं का नाम निकला, पस इन्होंने अपने को दरिया में डाल दिया। शायद किनारा क़रीब होगा, तैरकर किनारे पर पहुँचने का इरादा होगा, पस ख़ुदकुशी का शुब्हा लाज़िम नहीं आता) फिर (जब दरिया में गिरे तो हमारे हुक्म से) उनको मछली ने (पूरा का पूरा) निगल लिया और यह (उस वक़्त) अपने को (उस अपनी वैचारिक ग़लती पर) मलामत कर रहे थे (यह तो दिल से तौबा हुई और ज़बान से भी तौहीद व तस्बीह के साथ इस्तिग़फ़ार कर रहे थे जैसा कि दूसरी आयत में है 'ला इला-ह इल्ला अन्-त सुब्हान-क इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन') सो अगर वह (उस वक़्त) तस्बीह (व इस्तिग़फ़ार) करने वालों में से न होते तो क़ियामत तक उसी के पेट में रहते (मतलब यह कि पेट से निकलना मयस्सर न होता बल्कि उसकी ग़ज़ा बना दिये जाते) सो (चूँकि उन्होंने तस्बीह और तौबा की इसलिए) हमने (उनको इससे महफ़ूज़ रखा और मछली के पेट से निकालकर) उनको एक मैदान में डाल दिया (यानी मछली को हुक्म दिया कि किनारे पर उगल दे) और वह उस वक़्त कमज़ोर व निढाल थे (क्योंकि मछली के पेट में काफ़ी हवा और ग़िज़ा न पहुँचती थी) और हमने (धूप से बचाने के लिये) उन पर एक बेलदार दरख़्त भी उगा दिया था (और कोई पहाड़ी बकरी उन्हें दूध पिला जाती थी) और हमने उनको एक लाख या इससे भी ज़्यादा आदमियों की तरफ़ (शहर नेनवा में मूसल के क़रीब) पैग़म्बर बनाकर भेजा था, फिर वे लोग ईमान ले आये थे (अज़ाब के आसार देखकर संक्षिप्त रूप से और मछली के वाक़िए के बाद हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम वहाँ दोबारा तशरीफ़ ले गये उस वक़्त तफ़सील और विस्तार से) तो (ईमान की बरकत से) हमने उनको एक ज़माने तक (यानी जब तक ज़िन्दा रहे ख़ैर व ख़ूबी से) ऐश दिया।

मआरिफ़ व मसाईल

इस सूरत में आख़िरी वाक़िआ हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का बयान किया गया है। यह वाक़िआ और इससे सम्बन्धित तफ़सीलात सूरः यूनुस के आख़िर में गुज़र चुकी हैं (देखिये मआरिफ़ुल-क़ुरआन की जिल्द 4) और उनका ख़ुलासा ऊपर ख़ुलासा-ए-तफ़सीर में भी आ गया है इसलिये यहाँ उसको दोहराने की ज़रूरत नहीं है, अलबत्ता ख़ास इन आयतों के बारे में चन्द बातें दर्ज की जाती हैं:

وَاِنَّ يُوْنُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ۝

कुछ मुफ़स्सिरीन और इतिहासकारों ने इस पर बहस की है कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के वाक़िए से पहले ही रसूल बना दिये गये थे या बाद में बनाये गये? कुछ हज़रात का ख़्याल है कि मछली के वाक़िए के बाद उन्हें रसूल बनाया गया, लेकिन क़ुरआने करीम के ज़ाहिरी अन्दाज़े बयान और ज़्यादातर रिवायतों से यही राजेह (वरीयता प्राप्त) है कि आपको पहले ही रिसालत के मर्तबे से नवाज़ दिया गया था, मछली का वाक़िआ बाद में पेश आया।

إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ ۝

(जबकि वे भागे भरी हुई कश्ती की तरफ़) लफ़्ज़ अ-ब-क़ इबाक़ुन् से निकला है जिसके मायने हैं किसी ग़ुलाम का अपने आक़ा के पास से भाग जाना। यह लफ़्ज़ अल्लाह तआ़ला ने हज़रत यूनुस अ़लैहिस्सलाम के लिये इस वजह से इस्तेमाल फ़रमाया कि वह अपने परवर्दिगार की तरफ़ से वही का इन्तिज़ार किये बग़ैर रवाना हो गये थे। अम्बिया अ़लैहिमुस्सलाम अल्लाह तआ़ला के ख़ास और क़रीबी बन्दे होते हैं और उनकी मामूली सी चूक व ख़ता भी बड़ी गिरफ़्त का सबब बन जाती है, इसलिये यह सख़्त लफ़्ज़ इस्तेमाल किया गया है।

فَسَاهَمَ

(पस वह क़ुर्रा-अन्दाज़ी में शरीक हुए) यह क़ुर्रा-अन्दाज़ी उस वक़्त की गई जबकि कश्ती बीच दरिया के पहुँचकर तूफ़ान में घिर गई और वज़न की ज़्यादती से उसके डूबने का अन्देशा हो गया और तय यह पाया कि एक शख़्स को दरिया में फेंक दिया जाये। क़ुर्रा यह मुतैयन करने के लिये डाला गया कि वह शख़्स कौन है?

क़ुर्आ डालने का हुक्म

यहाँ यह याद रखना चाहिये कि क़ुर्आ डालने के ज़रिये न किसी का हक़ पर होना साबित किया जा सकता है न किसी को मुजरिम क़रार दिया जा सकता है। जैसे क़ुर्आ के ज़रिये किसी को चोर साबित नहीं किया जा सकता इसी तरह अगर दो आदमियों में यह विवाद हो कि फ़ुलाँ जायदाद किसकी मिल्कियत है तो क़ुरे के ज़रिये उसका फ़ैसला नहीं हो सकता। हाँ क़ुर्आ-अन्दाज़ी उस मौक़े पर जायज़ बल्कि बेहतर है जहाँ एक शख़्स को शरई मुकम्मल इख़्तियार हासिल हो कि वह चन्द जायज़ रास्तों में से किसी भी रास्ते को इख़्तियार कर ले। अब वह अपनी मर्ज़ी से कोई रास्ता मुतैयन करने के बजाय क़ुर्आ डालकर फ़ैसला करे। जैसे किसी शख़्स की एक से ज़्यादा बीवियाँ हों, उसे सफ़र में जाते वक़्त यह इख़्तियार हासिल है कि वह जिस बीवी को चाहे साथ ले जाये, अब वह अपनी मर्ज़ी से ऐसा करने के बजाय क़ुर्आ-अन्दाज़ी कर ले तो बेहतर है ताकि किसी का दिल न टूटे। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम का यही मामूल था।

हज़रत यूनुस अ़लैहिस्सलाम के वाक़िए में भी क़ुर्आ-अन्दाज़ी से किसी को मुजरिम साबित करना मक़सूद नहीं था बल्कि पूरी कश्ती को बचाने के लिये किसी को भी दरिया में डाला जा सकता था, क़ुरे के ज़रिये इसको निर्धारित किया गया।

فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ ۝

(पस वह मग़लूब हो गये) 'इद्हाज़' के लुग़वी मायने हैं किसी को नाकाम बना देना। मतलब यह है कि क़ुर्आ-अन्दाज़ी में उन्हीं का नाम निकल आया और उन्होंने अपने आपको दरिया में डाल दिया। इस पर ख़ुदकुशी का शुब्हा न होना चाहिये इसलिये कि हो सकता है कि किनारा क़रीब हो और वह तैराकी के ज़रिये वहाँ तक पहुँचने का इरादा रखते हों।

فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ ۝

इस आयत से यह समझना ग़लत है कि अगर हज़रत यूनुस अ़लैहिस्सलाम तस्बीह न करते तो वह मछली कियामत तक ज़िन्दा रहती, बल्कि मतलब यह है कि उस मछली के पेट ही को हज़रत यूनुस अ़लैहिस्सलाम की क़ब्र बना दिया जाता।

तस्बीह व इस्तिग़फ़ार से मुसीबतें दूर होती हैं

इस आयत से यह भी मालूम हुआ कि मुसीबतों और आफ़तों को दूर करने में तस्बीह और इस्तिग़फ़ार ख़ास अहमियत रखते हैं। सूरः अम्बिया में गुज़र चुका है कि जब हज़रत यूनुस अ़लैहिस्सलाम मछली के पेट में थे तो यह कलिमा ख़ास तौर से पढ़ते थेः

لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ سُبْحٰنَكَ اِنِّيْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ۝

ला इला-ह इल्ला अन्-त सुब्हान-क इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन।

अल्लाह तआ़ला ने इसी कलिमे की बरकत से उन्हें इस आज़माईश से निजात अ़ता फ़रमाई और वह मछली के पेट से सही सालिम निकल आये। इसी लिये बुज़ुर्गों से यह मन्क़ूल चला आता है कि वह व्यक्तिगत या सामूहिक मुसीबत के वक़्त यह कलिमा सवा लाख मर्तबा पढ़ते हैं और इसकी बरकत से अल्लाह तआ़ला मुसीबत को दूर फ़रमा देता है।

अबू दाऊद में हज़रत सअ़द बिन अबी वक़्क़ास रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- हज़रत यूनुस अ़लैहिस्सलाम ने जो दुआ़ मछली के पेट में की थी यानी **'ला इला-ह इल्ला अन्-त सुब्हान-क इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन'** इसे जो मुसलमान भी किसी मक़सद के लिये पढ़ेगा उसकी दुआ़ क़ुबूल होगी। (तफ़सीरे क़ुर्तुबी)

فَنَبَذْنٰهُ بِالْعَرَآءِ وَهُوَ سَقِيْمٌ۝

(पस हमने उनको मैदान में डाल दिया और वह उस वक़्त निढ़ाल व कमज़ोर थे) अल्-अ़रा के मायने हैं खुला मैदान जिसमें कोई दरख़्त न हो। कुछ रिवायतों से मालूम होता है कि उस वक़्त हज़रत यूनुस अ़लैहिस्सलाम मछली के पेट में रहने की वजह से बहुत ही कमज़ोर हो गये थे और जिस्म पर बाल भी बाक़ी न रहे थे।

وَاَنْۢبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّنْ يَّقْطِيْنٍ۝

(और हमने उन पर एक बेलदार दरख़्त भी उगा दिया था) 'यक़तीन' हर उस दरख़्त को कहते हैं जिसका तना न हो। रिवायतों में है कि यह कद्दू की बेल थी। इस दरख़्त को उगाने का मंशा यह था कि हज़रत यूनुस अ़लैहिस्सलाम को साया हासिल हो। यहाँ श-ज-रतन् का लफ़्ज़ बता रहा है कि या तो उसी कद्दू की बेल को अल्लाह ने मोजिज़े के तौर पर तनेदार बना दिया था या कोई और दरख़्त था जिस पर वह बेल चढ़ा दी थी ताकि उससे घना साया मिल सके, वरना बेल से साया मिलना मुश्किल था।

وَاَرْسَلْنٰهُ اِلٰى مِائَةِ اَلْفٍ اَوْ يَزِيْدُوْنَ۝

(और हमने उनको एक लाख या इससे भी ज़्यादा आदमियों की तरफ़ पैग़म्बर बनाकर भेजा था) यहाँ यह शुब्हा हो सकता है कि अल्लाह तआ़ला तो सब कुछ जानने और ख़बर रखने वाले हैं उनको

इस शक के इज़हार की क्या ज़रूरत है कि एक लाख या इससे ज़्यादा आदमी थे। इसका जवाब यह है कि यह जुमला आम लोगों की मुनासबत से कहा गया है यानी एक आम आदमी उन्हें देखता तो यह कहता कि उनकी तादाद एक लाख या इससे कुछ ऊपर है। (तफ़सीरे मज़हरी) और हज़रत थानवी रह. ने फ़रमाया कि यहाँ शक का इज़हार मक़सूद ही नहीं है, उन्हें एक लाख भी कहा जा सकता है और इससे ज़्यादा भी, और वह इस तरह कि अगर कस्र (दशमलव) का लिहाज़ न किया जाये तो उनकी तादाद एक लाख थी और अगर कस्र को भी शुमार किया जो तो एक लाख से ज़्यादा।

(तफ़सीर बयानुल-क़ुरआन)

यह जुमला चूँकि मछली के वाक़िए के बाद आया है इसलिये इससे कुछ मुफ़स्सिरीन ने यह नतीजा निकाला है कि हज़रत यूनुस अ़लैहिस्सलाम को नुबुव्वत मिलना इस वाक़िए के बाद हुआ था। और अ़ल्लामा बग़वी रह. ने यहाँ तक फ़रमा दिया कि इस आयत में नेनवा की तरफ़ भेजे जाने का ज़िक्र नहीं है बल्कि मछली के वाक़िए के बाद उन्हें एक दूसरी उम्मत की तरफ़ भेजा गया जिसकी तादाद एक लाख से ज़्यादा थी, लेकिन क़ुरआने करीम और रिवायतों से उनके इस क़ौल की ताईद नहीं होती। यहाँ हज़रत यूनुस अ़लैहिस्सलाम के वाक़िए के शुरू ही में आपकी रिसालत का तज़किरा साफ़ बता रहा है कि मछली का वाक़िआ रसूल बनने के बाद पेश आया है, उसके बाद यहाँ इस जुमले को दोबारा इसलिये लाया गया कि हज़रत यूनुस अ़लैहिस्सलाम के तन्दुरुस्त होने के बाद उन्हें दोबारा वहीं भेजा गया था। यहाँ यह स्पष्ट कर दिया कि वे लोग थोड़े-बहुत अफ़राद नहीं थे बल्कि उनकी तादाद लाख से भी ऊपर थी।

فَاٰمَنُوْا فَمَتَّعْنٰهُمْ اِلٰى حِيْنٍ ٥

(पस वे ईमान ले आये सो हमने उनको एक ज़माने तक ऐश दिया) "एक ज़माने तक" का मतलब यह है कि जब तक वे दोबारा कुफ़्र व शिर्क में मुब्तला नहीं हुए उन पर कोई अ़ज़ाब नहीं आया।

मिर्ज़ा क़ादियानी के धोखा देने का जवाब

यह बात सूरः यूनुस की तफ़सीर में भी वाज़ेह की जा चुकी है और इस आयत से भी वाज़ेह होती है कि हज़रत यूनुस अ़लैहिस्सलाम की क़ौम पर से जो अ़ज़ाब टलाया गया वह इसलिये कि आपकी क़ौम वक़्त पर ईमान ले आई थी। इससे पंजाब के झूठे नबी मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी के इस मुग़ालता देने और धोखे में डालने का ख़ात्मा हो जाता है कि जब उसने अपने मुख़ालिफ़ों को यह चुनौती दी कि अगर वे इसी तरह मुख़ालफ़त करते रहे तो ख़ुदा का फ़ैसला हो चुका है कि फ़ुलाँ वक़्त अल्लाह का अ़ज़ाब आ जायेगा लेकिन मुख़ालिफ़ों की जिद्दोजहद और तेज़ हो गई, फिर भी अ़ज़ाब न आया, तब नाकामी की ज़िल्लत से बचने के लिये क़ादियानी ने यह कहना शुरू कर दिया कि चूँकि मुख़ालिफ़ों के दिल डर गये हैं इसलिये उन पर से अ़ज़ाब टल गया जिस तरह यूनुस अ़लैहिस्सलाम की क़ौम पर से टल गया था, लेकिन क़ुरआने करीम की यह आयत इस ग़लत मतलब को मरदूद क़रार देती है इसलिये कि यूनुस अ़लैहिस्सलाम की क़ौम तो ईमान की वजह से अ़ज़ाब से बची थी, इसके विपरीत मिर्ज़ा क़ादियानी के मुख़ालिफ़ न सिर्फ़ यह कि ईमान नहीं लाये बल्कि उनकी

मुख़ालिफ़ाना जिद्दोजहद और तेज़ हो गई।

فَاسْتَفْتِهِمْ أَلِرَبِّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ ۝ أَمْ خَلَقْنَا الْمَلٰٓئِكَةَ إِنَاثًا وَّهُمْ شٰهِدُونَ ۝ أَلَآ إِنَّهُمْ مِّنْ إِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ ۝ وَلَدَ اللّٰهُ ۙ وَإِنَّهُمْ لَكٰذِبُونَ ۝ أَصْطَفَى الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِينَ ۝ مَا لَكُمْ ۟ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ۝ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ۝ أَمْ لَكُمْ سُلْطٰنٌ مُّبِينٌ ۝ فَأْتُوا بِكِتٰبِكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِينَ ۝ وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا ۭ وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ ۝ سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا يَصِفُونَ ۝ إِلَّا عِبَادَ اللّٰهِ الْمُخْلَصِينَ ۝ فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ ۝ مَآ أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفٰتِنِينَ ۝ إِلَّا مَنْ هُوَ صَالِ الْجَحِيمِ ۝ وَمَا مِنَّآ إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَّعْلُومٌ ۝ وَّإِنَّا لَنَحْنُ الصَّآفُّونَ ۝ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ ۝

फ़स्तफ़्तिहिम् अ-लिरब्बिकल्-बनातु व लहुमुल्-बनून (149) अम् ख़लक़्नल्-मलाइ-क-त इनासंव्-व हुम् शाहिदून (150) अला इन्नहुम् मिन् इफ़्किहिम् ल-यक़ूलून (151) व-लदल्लाहु व इन्नहुम् ल-काज़िबून (152) अस्तफ़ल्-बनाति अ़लल्-बनीन (153) मा लकुम्, कै-फ़ तह्कुमून (154) अ-फ़ला तज़क्करून (155) अम् लकुम् सुल्तानुम्-मुबीन (156) फ़अ्तू बिकिताबिकुम् इन् कुन्तुम् सादिक़ीन (157) व ज-अ़लू बैनहू व बैनल्-जिन्नति न-सबन्, व ल-क़द् अ़लि-मतिल्-जिन्नतु इन्नहुम् ल-मुह्ज़रून (158) सुब्हानल्लाहि अ़म्मा यसिफ़ून (159) इल्ला अ़िबादल्लाहिल्-मुख़्लसीन (160)

अब उनसे पूछ क्या तेरे रब के यहाँ बेटियाँ हैं और उनके यहाँ बेटे? (149) या हमने बनाया फ़रिश्तों को औरत और वे देखते थे? (150) सुनता है! वे अपना झूठ कहते हैं (151) (कि) अल्लाह के औलाद हुई और वे बेशक झूठे हैं। (152) क्या उसने पसन्द कीं बेटियाँ बेटों से। (153) क्या हो गया है तुमको कैसा इन्साफ़ करते हो? (154) क्या तुम ध्यान नहीं करते हो। (155) या तुम्हारे पास कोई खुली सनद है? (156) तो लाओ अपनी किताब अगर हो तुम सच्चे। (157) और ठहराया है उन्होंने ख़ुदा में और जिन्नों में नाता, और जिन्नों को तो मालूम है कि बेशक वे पकड़े हुए आयेंगे। (158) अल्लाह पाक है उन बातों से जो ये बताते हैं (159) मगर जो बन्दे हैं अल्लाह के चुने हुए। (160)

फ़-इन्नकुम् व मा तअ्बुदून (161) मा अन्तुम् अ़लैहि बिफ़ातिनीन (162) इल्ला मन् हु-व सालिल्-जहीम (163) व मा मिन्ना इल्ला लहू मक़ामुम् मअ्लूम (164) व इन्ना ल-नह्नुस्-साफ़्फ़ून (165) व इन्ना ल-नह्नुल्-मुसब्बिहून (166)	सो तुम और जिनको तुम पूजते हो (161) किसी को उसके हाथ से बहकाकर नहीं ले सकते (162) मगर उसी को जो पहुँचने वाला है दोज़ख़ में। (163) और हम में जो है उसका एक ठिकाना है मुक़र्रर। (164) और हम ही हैं सफ़ बाँधने वाले। (165) और हम ही हैं पाकी बयान करने वाले। (166)

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

(तौहीद की दलीलें तो ऊपर बयान हो चुकीं) सो (अब इसके बाद) उन लोगों से (जो फ़रिश्तों को ख़ुदा का शरीक ठहराते हैं, इस तरह कि फ़रिश्तों को नऊज़ु बिल्लाह ख़ुदा की बेटियाँ और जिन्नात के सरदारों की बेटियों को उन फ़रिश्तों की माँयें क़रार देते हैं, जिससे यह लाज़िम आता है कि अल्लाह तआ़ला का फ़रिश्तों से नसबी रिश्ता है, और जिन्नात से निकाह का ताल्लुक़ है, सो इन सब से) पूछिये कि क्या ख़ुदा के लिये तो बेटियाँ (हों) और तुम्हारे लिये बेटे (हों। यानी जब अपने लिये बेटे पसन्द करते हो तो उक्त अ़क़ीदे में ख़ुदा के लिये बेटियाँ कैसे तजवीज़ करते हो। पस इस अ़क़ीदे में एक ख़राबी तो यह है और) हाँ (दूसरी बात सुनो कि) क्या हमने फ़रिश्तों को औ़रत बनाया है और वे (उनके बनने के वक़्त) देख रहे थे (यानी एक दूसरी बुराई यह है कि फ़रिश्तों पर बिना दलील के स्त्रीलिंग होने की तोहमत रखते हैं) ख़ूब सुन लो कि वे लोग (दलील कुछ नहीं रखते बल्कि महज़) बात बनाकर कहते हैं कि (नऊज़ु बिल्लाह) अल्लाह तआ़ला औलाद वाला है, और वे यक़ीनन (बिल्कुल) झूठे हैं। (पस इस अ़क़ीदे में तीसरी बुराई यह है कि हक़ तआ़ला की तरफ़ औलाद की निस्बत लाज़िम आती है, इनमें से पहली बुराई का बुरा व नापसन्दीदा होना उर्फ़ से, दूसरी का नक़ल से और तीसरी का अ़क़्ल से साबित है। और चूँकि जाहिलों के लिये उर्फ़ी बुराई का साबित होना ज़्यादा असर रखता है इसलिये पहली बुराई को दूसरे उनवान से दोहराते हैं कि हाँ) क्या अल्लाह तआ़ला ने बेटों के मुक़ाबले में बेटियाँ ज़्यादा पसन्द कीं? तुमको क्या हो गया, तुम कैसा (बेहूदा) हुक्म लगाते हो? (जिसको उर्फ़ में ख़ुद भी बुरा समझते हो) फिर (अ़लावा उर्फ़ के) क्या तुम (अ़क़्ल और) सोच से काम नहीं लेते हो (कि यह अ़क़ीदा अ़क़्ल के भी ख़िलाफ़ है) हाँ (अगर अ़क़्ली दलील नहीं तो) क्या तुम्हारे पास (इस पर) कोई स्पष्ट दलील मौजूद है? (इससे मुराद किताबी व रिवायती दलील है) सो तुम अगर (इसमें) सच्चे हो तो अपनी वह किताब पेश करो।

और (ज़िक्र हुए अ़क़ीदे में फ़रिश्तों को औलाद क़रार देने के अ़लावा) इन लोगों ने अल्लाह में और जिन्नात में (भी) रिश्तेदारी क़रार दी है (जिसका बातिल और ग़लत होना और भी ज़्यादा ज़ाहिर है। क्योंकि बीवी जिस काम के लिये होती है उससे हक़ तआ़ला पाक है, और जब निकाह मुहाल है

तो ससुराली रिश्ते जो उसी से निकलते हैं वो भी मुहाल होंगे) और (जिस-जिसको ये लोग ख़ुदा का शरीक ठहरा रहे हैं उनकी तो यह कैफ़ियत है कि उनमें जो) जिन्नात (हैं ख़ुद उन) का यह अक़ीदा है कि (उनमें जो काफ़िर हैं) वे (अ़ज़ाब में) गिरफ़्तार होंगे। (और अ़ज़ाब में क्यों गिरफ़्तार न हों कि हक़ तआ़ला के बारे में बुरी-बुरी बातें बयान करते हैं हालाँकि) अल्लाह उन बातों से पाक है जो-जो ये बयान करते हैं (पस इन काफ़िराना बयानात से वे अ़ज़ाब में गिरफ़्तार होंगे) मगर जो अल्लाह तआ़ला के ख़ास (यानी ईमान वाले) बन्दे हैं (वे उस अ़ज़ाब से बचेंगे) सो तुम और तुम्हारे सारे माबूद (सब मिलकर भी) अल्लाह से किसी को नहीं फेर सकते (जैसा कि तुम कोशिश किया करते हो) मगर उसी को जो कि (ख़ुदा तआ़ला के इल्म में) जहन्नम में जाने वाला है।

और (आगे फ़रिश्तों का ज़िक्र फ़रमाते हैं कि उनमें जो फ़रिश्ते हैं उनका कहना यह है कि हम तो महज़ बन्दे हैं। चुनाँचे जो ख़िदमत हमारे सुपुर्द है उसमें) हम में से हर एक का एक तयशुदा दर्जा है (कि उसी की तामील और पूरा करने में लगे रहते हैं, अपनी राय से कुछ नहीं कर सकते) और हम (ख़ुदा के हुज़ूर में हुक्म सुनने के वक़्त या इबादत के वक़्त अदब से) सफ़ बाँधे खड़े होते हैं। और हम (ख़ुदा की) पाकी बयान करने में भी लगे रहते हैं (ग़र्ज़ कि हर तरह हुक्म के ताबे और बन्दे हैं। सो जब फ़रिश्ते ख़ुद अपनी बन्दगी का इक़रार कर रहे हैं तो फिर उन पर माबूद होने का शुब्हा करना बड़ी बेवक़ूफ़ी है। पस जिन्नात और फ़रिश्तों के हक़ में ख़ुदाई का एतिक़ाद और भी प्रबल तरीक़े से बातिल हो गया)।

मआ़रिफ़ व मसाईल

अम्बिया अ़लैहिमुस्सलाम के वाक़िआ़त नसीहत व इब्रत के लिये बयान किये गये थे अब फिर तौहीद को साबित करने और शिर्क के बातिल होने का असल मज़मून बयान किया जा रहा है और यहाँ शिर्क की एक ख़ास क़िस्म का बयान है। अ़रब के काफ़िरों का यह अ़क़ीदा था कि फ़रिश्ते अल्लाह तआ़ला की बेटियाँ हैं और जिन्नात की सरदार ज़ादियाँ (सरदारों की बेटियाँ) फ़रिश्तों की माँयें हैं। बक़ौल अ़ल्लामा वाहिदी रह. यह अ़क़ीदा क़ुरैश के अ़लावा जुहैना, बनू सलमा, बनू ख़ुज़ाआ़ और बनू मलीह के यहाँ भी राईज था। (तफ़सीरे कबीर, पेज 112 जिल्द 7)

فَاسْتَفْتِهِمْ .... اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ۝

इन आयतों (यानी आयत 149 से 157 तक) में अ़रब के काफ़िरों के इसी अ़क़ीदे की तरदीद (रद्द करने) के लिये दलीलें पेश की गयी हैं जिनका ख़ुलासा यह है कि अव्वल तो तुम्हारा यह अ़क़ीदा ख़ुद तुम्हारे उर्फ़ और रस्म व रिवाज के लिहाज़ से बिल्कुल ग़लत है। इसलिये कि तुम बेटियों को शर्मिन्दगी का कारण समझते हो अब जो चीज़ तुम्हारे अपने लिये शर्म व बदनामी है वह अल्लाह तआ़ला के लिये कैसे साबित हो सकती है? फिर तुमने जो फ़रिश्तों को ख़ुदा की बेटियाँ क़रार दिया है इसकी तुम्हारी पास क्या दलील है? किसी दावे को साबित करने के लिये तीन क़िस्म की दलीलें हो सकती हैं- एक उसको देखना, दूसरे नक़ली दलील यानी किसी ऐसी ज़ात का क़ौल जिसकी सच्चाई मानी हुई हो और तीसरे अ़क़्ली दलील। जहाँ तक देखने का ताल्लुक़ है ज़ाहिर है कि तुमने अल्लाह

तआ़ला को फ़रिश्तों को बनाते हुए नहीं देखा है, जिससे फ़रिश्तों का स्त्रीलिंग होना मालूम हो सकता, लिहाज़ा देखने की कोई दलील तो तुम्हारे पास है नहीं। आयत नम्बर 150 का यही मतलब है)। अब रही नक़ली दलील सो वह भी तुम्हारे पास नहीं, इसलिये कि क़ौल उन लोगों का मोतबर होता है जिनकी सच्चाई मानी हुई हो, इसके उलट जो लोग इस अ़क़ीदे के क़ायल हैं ये झूठे लोग हैं, उनकी बात कोई हुज्जत नहीं हो सकती। आयत 151 और 152 का यही मतलब है)। रही अ़क़्ली दलील सो वह भी तुम्हारी ताईद नहीं करती इसलिये कि ख़ुद तुम्हारे ख़्याल के मुताबिक़ बेटियाँ बेटों के मुक़ाबले में कम रुतबा रखती हैं, अब जो ज़ात तमाम कायनात से अफ़ज़ल है वह अपने लिये कम रुतबे वाली चीज़ को कैसे पसन्द कर सकती है? आयत 153 का मतलब यही है)। अब सिर्फ़ एक ही सूरत रह जाती है कि तुम्हारे पास कोई आसमानी किताब आई हो और उसमें वही के ज़रिये तुम्हें इस अ़क़ीदे की तालीम दी गई हो, सो अगर ऐसा है तो दिखाओ वह वही और वह किताब कहाँ है? आयत 156 और 157 का यही मफ़्हूम है)।

हठधर्मी करने वालों के लिये इल्ज़ामी जवाब ज़्यादा मुनासिब है

इन आयतों से मालूम हुआ कि जो लोग हठधर्मी पर तुले हुए हों उनको इल्ज़ामी जवाब देना ज़्यादा मुनासिब है। **इल्ज़ामी जवाब** का मतलब यह होता है कि उनके दावे को ख़ुद उन्हीं के किसी दूसरे नज़रिये के ज़रिये बातिल किया जाये, उसमें यह ज़रूरी नहीं होता कि दूसरा नज़रिया हमें भी तस्लीम (माननीय) है बल्कि कई बार वह दूसरा नज़रिया भी ग़लत होता है लेकिन मुख़ालिफ़ को समझाने के लिये उससे काम लिया जाता है। यहाँ बारी तआ़ला ने उनके अ़क़ीदे की तरदीद के लिये ख़ुद उन्हीं के इस नज़रिये को इस्तेमाल फ़रमाया है कि बेटियों का वजूद शर्मिन्दगी का सबब है, ज़ाहिर है कि इसका यह मतलब नहीं कि अल्लाह तआ़ला के नज़दीक भी बेटियों का वजूद शर्म व नंग का सबब हो, न यह मतलब है कि अगर वे फ़रिश्तों को अल्लाह की बेटियों के बजाय ख़ुदा के बेटे कहते तो यह दुरुस्त होता, बल्कि यह एक इल्ज़ामी जवाब है जिसका मक़सद ख़ुद उन्हीं के माने हुए नज़रियों और ख़्यालात से उनके अ़क़ीदे को रद्द करना है, वरना इस क़िस्म के अ़क़ीदों का असली जवाब वही है जो क़ुरआने करीम ही में कई जगह मज़कूर है कि अल्लाह तआ़ला बेनियाज़ है और उसे किसी औलाद की न ज़रूरत है और न उसकी बुलन्द शान के यह मुनासिब है कि उसकी औलाद हो।

وَجَعَلُوْا بَيْنَهٗ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا.

(और उन्होंने अल्लाह तआ़ला और जिन्नात के बीच नसबी ताल्लुक़ क़रार दिया है) इस जुमले की एक तफ़सीर तो यह है कि यह अ़रब के मुश्रिकों के इस फ़ासिद अ़क़ीदे का बयान है कि जिन्नात की सरदार ज़ादियाँ फ़रिश्तों की माँयें हैं। गोया मआ़ज़ल्लाह जिन्नात की सरदार ज़ादियों से अल्लाह तआ़ला का निकाह का ताल्लुक़ है, और इसी ताल्लुक़ के नतीजे में फ़रिश्ते वजूद में आये हैं। चुनाँचे

एक तफ़सीरी रिवायत में है कि जब अ़रब के मुश्रिकों ने फ़रिश्तों को अल्लाह की बेटियाँ क़रार दिया तो हज़रत अबू बक्र रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने पूछा कि उनकी माँ कौन है? उन्होंने जवाब में कहा कि जिन्नात की सरदार ज़ादियाँ (सरदारों की बेटियाँ)। (तफ़सीर इब्ने कसीर पेज 23 जिल्द 4)

लेकिन इस तफ़सीर पर यह इश्काल रहता है कि आयत में अल्लाह तआ़ला और जिन्नात के दरमियान नसबी ताल्लुक़ का ज़िक्र है और निकाह का ताल्लुक़ नसबी नहीं होता।

इसलिये एक दूसरी तफ़सीर यहाँ ज़्यादा मुनासिब और सही मालूम होती है जो हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु, हसन बसरी और ज़ह्हाक रह. से मन्क़ूल है और वह यह कि अ़रब के कुछ लोगों का अ़क़ीदा यह भी था कि मआ़ज़ल्लाह शैतान अल्लाह तआ़ला का भाई है, अल्लाह तआ़ला ख़ैर का ख़ालिक़ (पैदा करने वाला) है और वह बुराई का ख़ालिक़, यहाँ इसी बातिल अ़क़ीदे की तरदीद की गई है। (मुलाहिज़ा हो तफ़सीर इब्ने कसीर, तफ़सीरे क़ुर्तुबी और तफ़सीरे कबीर)

وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُوْنَ○

(और जिन्नात का अ़क़ीदा यह है कि वे गिरफ़्तार होंगे) "वे" से मुराद ऐसे मुश्रिक लोग भी हो सकते हैं तो जिन्नात और शैतानों को ख़ुदा का हमसर (बराबर का) क़रार देते थे और ख़ुद जिन्नात भी। दूसरी सूरत में मतलब यह है कि जिन शैतानों और जिन्नों को तुमने अल्लाह के साथ शरीक ठहरा रखा है वे ख़ुद अच्छी तरह जानते हैं कि आख़िरत में उनका बुरा हश्र होने वाला है जैसे इब्लीस (शैतान) कि वह अपने बुरे अन्जाम से अच्छी तरह वाक़िफ़ है, अब जो ख़ुद यह यक़ीन रखता हो कि मुझे अ़ज़ाब में मुब्तला होना है उसे ख़ुदा का हमसर (बराबर का) क़रार देना भी बड़ी हिमाक़त है।

وَإِنْ كَانُوْا لَيَقُوْلُوْنَ ۝ لَوْ أَنَّ عِنْدَنَا ذِكْرًا مِّنَ الْأَوَّلِيْنَ ۝ لَكُنَّا عِبَادَ اللّٰهِ الْمُخْلَصِيْنَ ۝ فَكَفَرُوْا بِهٖ فَسَوْفَ يَعْلَمُوْنَ ۝ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِيْنَ ۝ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُوْرُوْنَ ۝ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغٰلِبُوْنَ ۝ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتّٰى حِيْنٍ ۝ وَّأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُوْنَ ۝ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُوْنَ ۝ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَآءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِيْنَ ۝ وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتّٰى حِيْنٍ ۝ وَّأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُوْنَ ۝

व इन् कानू ल-यक़ूलून (167) लौ अन्-न अ़िन्दना ज़िक्रम् मिनल्-अव्वलीन (168) लकुन्ना अ़िबादल्लाहिल्-मुख़्लसीन (169) फ़-क-फ़रू बिही फ़सौ-फ़ यअ़्लमून (170) व ल-क़द् स-बक़त् कलि-मतुना लिअ़िबादिनल्-मुर्सलीन (171)	और ये तो कहा करते थे (167) अगर हमारे पास कुछ अहवाल होता पहले लोगों का (168) तो हम होते अल्लाह के चुने हुए बन्दे। (169) सो उससे मुन्किर हो गये अब आगे जान लेंगे। (170) और पहले हो चुका हमारा हुक्म अपने बन्दों के हक़ में जो कि रसूल हैं। (171)

इन्नहुम् लहुमुल्-मन्सूरून (172) व इन्-न जुन्दना लहुमुल्-ग़ालिबून (173) फ़-तवल्-ल अ़न्हुम् हत्ता हीन (174) व अब्सिर्हुम् फ़सौ-फ़ युब्सिरून (175) अ-फ़बि-अ़ज़ाबिना यस्तअ्जिलून (176) फ़-इज़ा न-ज़-ल बिसा-हतिहिम् फ़सा-अ सबाहुल्-मुन्ज़रीन (177) व तवल्-ल अ़न्हुम् हत्ता हीन (178) व अब्सिर् फ़सौ-फ़ युब्सिरून (179)	बेशक उन्हीं को मदद दी जाती है। (172) और हमारा लश्कर जो है बेशक वही ग़ालिब है। (173) सो तू उनसे फिर आ एक वक़्त तक (174) और उनको देखता रह कि वे आगे देख लेंगे। (175) क्या हमारी आफ़त को जल्द माँगते हैं। (176) फिर जब उतरेगी उनके मैदान में तो बुरी सुबह होगी डराये हुओं की। (177) और फिर आ उनसे एक वक़्त तक (178) और देखता रह अब आगे देख लेंगे। (179)

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

और ये लोग (यानी अ़रब के काफ़िर, नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के नबी बनने से पहले) कहा करते थे कि अगर हमारे पास कोई नसीहत (की किताब) पहले लोगों की (किताबों के) तौर पर आती (यानी जैसे यहूदियों व ईसाईयों के पास रसूल और किताबें आईं, अगर हमारे लिये ऐसा होता) तो हम अल्लाह तआ़ला के ख़ास बन्दे होते (यानी उस किताब की तस्दीक़ और उस पर अ़मल करते, उनकी तरह झुठलाना और मुख़ालफ़त न करते), फिर (जब वह नसीहत की किताब रसूल के ज़रिये से इनको पहुँची तो) ये लोग उसका इनकार करने लगे (और अपना अ़हद तोड़ दिया) सो (ख़ैर) अब इनको (इसका अन्जाम) मालूम हुआ जाता है (चुनाँचे मरते ही कुफ़्र का अन्जाम सामने आ गया, और कुछ सज़ायें मौत से पहले भी मिल गईं)। और (आगे हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को तसल्ली है कि अगरचे इस वक़्त इन मुख़ालिफ़ों को किसी क़द्र शान व शौकत हासिल है लेकिन यह चन्द दिन की है, क्योंकि) हमारे ख़ास बन्दों यानी पैग़म्बरों के लिये हमारा यह क़ौल पहले ही से (यानी लौह-ए-महफ़ूज़ ही में) मुक़र्रर हो चुका है कि बेशक वही ग़ालिब किये जाएँगे। और (हमारा तो आ़म क़ायदा और उसूल है कि) हमारा लश्कर ग़ालिब रहता है (जो रसूलों के पैरोकारों को भी शामिल है। सो जब यह बात है कि आप ग़ालिब आने वाले हैं ही) तो आप (तसल्ली रखिये और) थोड़े ज़माने तक (सब्र कीजिये और) इन (की मुख़ालफ़त और तकलीफ़ देने का) का ख़्याल न कीजिये। और (ज़रा) इनको देखते रहिये (यानी इनकी हालत का थोड़ा इन्तिज़ार कीजिये) सो जल्द ही ये भी देख लेंगे। (इसका भी वही मतलब है जो 'फ़सौ-फ़ यअ़्लमून' का था कि उनको मरने के बाद भी और मरने से पहले भी अल्लाह की तरफ़ से सज़ा का सामना करना पड़ेगा। इस धमकी पर वे कह सकते थे और अक्सर वे कहा भी करते थे कि ऐसा कब होगा? तो इसके जवाब में इरशाद फ़रमाते हैं कि)

क्या हमारे अ़ज़ाब का तक़ाज़ा कर रहे हैं? सो वह (अ़ज़ाब) जब उनके सामने आ नाज़िल होगा सो वह दिन उन लोगों का जिनको (पहले) डराया जा चुका था बहुत ही बुरा होगा (कि वह अ़ज़ाब टल न सकेगा)। और (जब यह बात है कि उन लोगों पर अ़ज़ाब आ पड़ने वाला है तो) आप (तसल्ली रखिये और) थोड़े ज़माने तक (सब्र कीजिये और) इन (की मुख़ालफ़त और सताने) का ख़्याल न कीजिए। और (ज़रा इनकी हालत को) देखते रहिये (यानी इन्तिज़ार कीजिये) सो जल्दी ही ये लोग भी देख लेंगे (यानी आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को तो हमारे कहने से यक़ीन है ही, आँखों से देखकर इन्हें भी यक़ीन आ जायेगा)।

मआ़रिफ़ व मसाईल

इस्लाम के बुनियादी अ़क़ीदों को दलीलों व शहादतों से साबित करने के बाद इन आयतों में काफ़िरों की हठधर्मी का ज़िक्र किया गया है कि ये लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के (नबी बनाकर) भेजे जाने से पहले तमन्ना किया करते थे कि अल्लाह का कोई पैग़म्बर आये तो ये उसकी पैरवी करें, लेकिन जब आप तशरीफ़ ले आये तो इन्होंने ज़िद और मुख़ालफ़त का वतीरा इख़्तियार किया हुआ है। इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को तसल्ली दी गई है कि आप इन लोगों की तकलीफ़ों से रंजीदा न हों जल्द ही वह वक़्त आने वाला है कि आप ग़ालिब और फ़तह पाने वाले होंगे और ये मग़लूब और अ़ज़ाब का निशाना। आख़िरत में तो इसका मुकम्मल इज़हार होगा ही, दुनिया में भी अल्लाह ने दिखा दिया कि ग़ज़वा-ए-बदर (बदर की जंग) से लेकर फ़त्हे मक्का तक हर जिहाद में अल्लाह तआ़ला ने अपने रसूल सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को कामयाब व विजेता बनाया और आपके मुख़ालिफ़ ज़लील व रुस्वा हुए।

अल्लाह वालों के ग़लबे का मतलब

وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِيْنَ ۝ اِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُوْرُوْنَ ۝ وَاِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغٰلِبُوْنَ ۝

इन आयतों का मफ़्हूम यह है कि हमने यह बात पहले से तय कर रखी है कि हमारे ख़ास बन्दे यानी पैग़म्बर ही ग़ालिब होते हैं। इस पर यह शुब्हा हो सकता है कि कुछ पैग़म्बरों को दुनिया में ग़लबा हासिल नहीं हुआ। इसका जवाब यह है कि मालूम (जाने-पहचाने) पैग़म्बरों में अक्सरियत तो ऐसे ही हज़रात की है जिनकी क़ौमें उन्हें झुठलाकर अ़ज़ाब में मुब्तला हुई और उन हज़रात को अ़ज़ाब से महफ़ूज़ रखा गया, सिर्फ़ चन्द अम्बिया अ़लैहिमुस्सलाम ऐसे हैं जिन्हें दुनिया में आख़िर वक़्त तक बज़ाहिर माद्दी तौर पर ग़लबा न मिल सका, लेकिन दलील व हुज्जत के मैदान में हमेशा वही सर-बुलन्द रहे और नज़रियाती फ़तह हमेशा उन्हीं को हासिल हुई। हाँ! इस सर-बुलन्दी के माद्दी असरात किसी ख़ास हिक्मत जैसे आज़माईश वग़ैरह की वजह से आख़िरत तक पीछे कर दिये गये। लिहाज़ा बक़ौल हज़रत थानवी रह. इसकी मिसाल ऐसी है जैसे कोई रास्ते का ज़लील लुटेरा किसी बड़े हाकिम अफ़सर के साथ सफ़र की हालत में लूटमार करने लगे मगर वह हाकिम अपनी ख़ुदादाद सब्रदारी की वजह से हरगिज़ उस ज़लील लुटेरे की ख़ुशामद नहीं करेगा यहाँ तक कि जब वह हाकिम अपने इलाक़े में पहुँचेगा उस लुटेरे को गिरफ़्तार करके सज़ा देगा। लिहाज़ा इस अस्थायी और वक़्ती

ग़लबे की वजह से न उस लुटेरे को हाकिम कह सकते हैं और न उस अफ़सर को महकूम (हुक्म के ताबे), बल्कि असली हालत के एतिबार से वह रास्ते का लुटेरा उस ग़लबे में भी महकूम है और वह अफ़सर मग़लूब होने में भी हाकिम है। इसी बात को हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने एक मुख़्तसर और सहज उनवान से ताबीर फ़रमाया है:

إِنْ لَّمْ يُنْصَرُوْا فِى الدُّنْيَا يُنْصَرُوْا فِى الْاٰخِرَةِ

कि अगरचे उनको दुनिया में मदद व ग़लबा हासिल नहीं हुआ मगर आख़िरत में ग़लबा व फ़तह हासिल होगा। **हिन्दी अनुवादक** (बयानुल-क़ुरआन तफ़सीर सूरः मायदा)

लेकिन यह बात हमेशा ज़ेहन में रखनी चाहिये कि यह ग़लबा चाहे दुनिया में हो या आख़िरत में किसी क़ौम को सिर्फ़ नस्ली विशेषताओं या दीन के साथ महज़ नाम के ताल्लुक़ से हासिल नहीं होता बल्कि यह उस वक़्त होता है जब इनसान अपने आपको ''अल्लाह के लश्कर'' का एक फ़र्द बना ले जिसका लाज़िमी मतलब यह है कि वह ज़िन्दगी के हर क्षेत्र और शोबे में अल्लाह की इताअ़त को अपनी ज़िन्दगी का मक़सद बनाये हुए हो। यहाँ ''जुन्दना'' (हमारा लश्कर) का लफ़्ज़ बता रहा है कि जो शख़्स इस्लाम क़ुबूल करे उसे अपनी सारी ज़िन्दगी नफ़्स और शैतान की ताक़तों से जंग करने में ख़र्च करने का अ़हद व समझौता करना होगा और उसका ग़लबा चाहे माद्दी हो या अख़्लाक़ी दुनिया में हो या आख़िरत में, इसी शर्त पर मौक़ूफ़ है।

فَاِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَآءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِيْنَ٥

(पस जब वह अ़ज़ाब उनके आँगन में आ उतरेगा तो जिन लोगों को पहले डराया जा चुका था उनकी वह सुबह बहुत बुरी होगी) **साहतुन** के लफ़्ज़ी मायने सेहन (आँगन) के हैं और 'न-ज़-ल बिसा-हतिही' (उसके सेहन में उतरा) अ़रबी मुहावरा है जिसका मफ़्हूम किसी आफ़त का सामने आ जाना है, और सुबह के वक़्त की विशेषता यह है कि अ़रब वालों में दुश्मन का हमला उमूमन इसी वक़्त हुआ करता था। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम का मामूल भी यही था कि अगर किसी दुश्मन के ख़ित्ते में रात के वक़्त पहुँचते तो हमले के लिये सुबह तक इन्तिज़ार फ़रमाते थे। (तफ़सीरे मज़हरी) रिवायतों में है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने ख़ैबर के किले पर सुबह के वक़्त हमला किया तो इरशाद फ़रमायाः

الله اكبر، خربت خيبر، انا اذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين.

(अल्लाहु अक्बर! ख़ैबर वीरान हो गया। बिला शुब्हा जब हम किसी क़ौम के सेहन में उतरते हैं तो जिन लोगों को पहले डराया जा चुका था उनकी वह सुबह बहुत बुरी होती है।)

سُبْحٰنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ ۞ وَسَلٰمٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ ۞ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۞

सुब्हा-न रब्बि-क रब्बिल्-अ़िज़्ज़ति अ़म्मा यसिफ़ून (180) व सलामुन्	पाक ज़ात है तेरे रब की, वह परवर्दिगार इज़्ज़त वाला पाक है उन बातों से जो वे बयान करते हैं। (180) और सलाम है

अलल्-मुर्सलीन (181) वल्हम्दु लिल्लाहि रब्बिल्-आलमीन (182) ✿	रसूलों पर। (181) और सब ख़ूबी है अल्लाह तआला को जो रब है सारे जहान का। (182) ✿

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

आपका परवर्दिगार जो बड़ी अ़ज़मत वाला है उन बातों से पाक है जो ये (काफ़िर) बयान करते हैं (पस ख़ुदा को उन बातों से पाक ही क़रार दो)। और (पैग़म्बरों की पैरवी लाज़िम समझो, क्योंकि हम उनकी शान में यह कहते हैं कि) सलाम हो पैग़म्बरों पर। और (ख़ुदा को शिर्क वग़ैरह से पाक समझने के साथ-साथ तमाम कमालात को अपने अन्दर रखने वाला भी समझो, क्योंकि) तमाम की तमाम ख़ूबियाँ अल्लाह ही के लिये हैं जो तमाम आ़लम का परवर्दिगार (और मालिक) है।

मआ़रिफ़ व मसाईल

इन आयतों पर सूरः सॉफ़्फ़ात को ख़त्म किया गया है और हक़ीक़त यह है कि इस ख़ूबसूरत ख़ात्मे की वज़ाहत व व्याख्या के लिये दफ़्तर चाहियें। मुख़्तसर यह है कि अल्लाह तआ़ला ने इन तीन मुख़्तसर आयतों में सूरत के तमाम मज़ामीन को समेट दिया है। सूरत की शुरूआ़त तौहीद (अल्लाह को एक और अकेला माबूद मानने) के बयान से हुई थी जिसका हासिल यह था कि मुश्रिक लोग जो जो बातें अल्लाह तआ़ला की तरफ़ मन्सूब करते हैं बारी तआ़ला उन सब से पाक है। चुनाँचे पहली आयत में इसी लम्बे मज़मून की तरफ़ इशारा है। उसके बाद सूरत में अम्बिया अ़लैहिमुस्सलाम के वाक़िआ़त बयान किये गये थे, चुनाँचे दूसरी आयत में उनकी तरफ़ इशारा है। इसके बाद खोल खोलकर काफ़िरों के अ़क़ीदे और शुब्हात व एतिराज़ात की अ़क़्ली व नक़ली तरदीद करके यह भी बता दिया गया था कि ग़लबा आख़िरकार (अंततः) हक़ वालों को हासिल होगा। इन बातों को जो शख़्स भी अ़क्ल व समझ की निगाह से पढ़ेगा वह आख़िरकार अल्लाह तआ़ला की तारीफ़ व सना पर मजबूर होगा, चुनाँचे इसी तारीफ़ व सना पर सूरत को ख़त्म किया गया है।

साथ ही इन आयतों में इस्लाम के बुनियादी अ़क़ीदों- तौहीद और रिसालत का स्पष्ट रूप से और आख़िरत का उनके तहत में ज़िक्र भी आ गया है जिनको साबित करना सूरत का असल मक़सद था, और इसके साथ-साथ यह तालीम भी दे दी गई है कि हर एक मोमिन का काम यह है कि वह अपने हर मज़मून हर ख़ुतबे (संबोधन) और हर मज्लिस का समापन बारी तआ़ला की बड़ाई बयान करने और उसकी तारीफ़ व सना पर करे। चुनाँचे अ़ल्लामा क़ुर्तुबी रह. ने यहाँ अपनी सनद से हज़रत अबू सईद ख़ुदरी रज़ियल्लाहु अ़न्हु का यह क़ौल नक़ल किया है कि "मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से कई बार सुना कि आप नमाज़ ख़त्म होने के बाद ये आयतें तिलावत फ़रमाते थेः

سُبْحٰنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ ۝ وَسَلٰمٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ ۝ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝ (قرطبی)

(यानी यही ऊपर दर्ज हुई सूरत की आख़िरी तीन आयतें) और अनेक तफ़सीरों में इमाम बग़वी

रह. के हवाले से हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु का यह क़ौल मन्क़ूल है कि "जो शख़्स यह चाहता हो कि क़ियामत के दिन उसे भरपूर पैमाने से अज्र मिले उसे चाहिये कि वह अपनी हर मज्लिस के आख़िर में यह पढ़ा करेः

सुब्हा-न रब्बि-क रब्बिल्-इज़्ज़ति अ़म्मा यसिफ़ून। व सलामुन् अ़लल्-मुर्सलीन। वल्हम्दु लिल्लाहि रब्बिल् आ़लमीन।

(यानी यही ऊपर दर्ज हुई सूरत की आख़िरी तीन आयतें) यही क़ौल इमाम इब्ने अबी हातिम ने हज़रत शअ़बी रह. की रिवायत से मरफ़ूअ़न भी नक़ल किया है। (तफ़सीर इब्ने कसीर)

سُبْحٰنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ ٥ وَسَلٰمٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ ٥ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ٥

अल्लाह की मदद व तौफ़ीक़ से आज 17 मुहर्रमुल-हराम सन् 1392 हिजरी को इतवार की रात में इशा के वक़्त सूरः सॉफ़्फ़ात की तफ़सीर पूरी हुई।

अल्हम्दु लिल्लाह सूरः सॉफ़्फ़ात की तफ़सीर का हिन्दी तर्जुमा मुकम्मल हुआ।

सूरः सॉद

सूरः सॉद मक्का में नाज़िल हुई। इसमें 88 आयतें और 5 रुकूअ़ हैं।

آیاتها ۸۸ (۳۸) سُوْرَةُ صٓ مَكِّيَّةٌ (۳۸) رکوعاتها ۵

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

صٓ وَالْقُرْاٰنِ ذِي الذِّكْرِ ۝ بَلِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فِيْ عِزَّةٍ وَّشِقَاقٍ ۝ كَمْ اَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِّنْ قَرْنٍ فَنَادَوْا وَّلَاتَ حِيْنَ مَنَاصٍ ۝ وَعَجِبُوْا اَنْ جَآءَهُمْ مُّنْذِرٌ مِّنْهُمْ ۫ وَقَالَ الْكٰفِرُوْنَ هٰذَا سٰحِرٌ كَذَّابٌ ۝ اَجَعَلَ الْاٰلِهَةَ اِلٰهًا وَّاحِدًا ۚ اِنَّ هٰذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ ۝ وَانْطَلَقَ الْمَلَاُ مِنْهُمْ اَنِ امْشُوْا وَاصْبِرُوْا عَلٰٓى اٰلِهَتِكُمْ ۚ اِنَّ هٰذَا لَشَيْءٌ يُّرَادُ ۝ مَا سَمِعْنَا بِهٰذَا فِي الْمِلَّةِ الْاٰخِرَةِ ۚ اِنْ هٰذَآ اِلَّا اخْتِلَاقٌ ۝ ءَاُنْزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنَا ۭ بَلْ هُمْ فِيْ شَكٍّ مِّنْ ذِكْرِيْ ۚ بَلْ لَّمَّا يَذُوْقُوْا عَذَابِ ۝ اَمْ عِنْدَهُمْ خَزَآئِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ الْعَزِيْزِ الْوَهَّابِ ۝ اَمْ لَهُمْ مُّلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۣ فَلْيَرْتَقُوْا فِي الْاَسْبَابِ ۝ جُنْدٌ مَّا هُنَالِكَ مَهْزُوْمٌ مِّنَ الْاَحْزَابِ ۝ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوْحٍ وَّعَادٌ وَّفِرْعَوْنُ ذُو الْاَوْتَادِ ۝ وَثَمُوْدُ وَقَوْمُ لُوْطٍ وَّاَصْحٰبُ لْـَٔيْكَةِ ۭ اُولٰۗىِٕكَ الْاَحْزَابُ ۝ اِنْ كُلٌّ اِلَّا كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ عِقَابِ ۝ وَمَا يَنْظُرُ هٰٓؤُلَاۗءِ اِلَّا صَيْحَةً وَّاحِدَةً مَّا لَهَا مِنْ فَوَاقٍ ۝ وَقَالُوْا رَبَّنَا عَجِّلْ لَّنَا قِطَّنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ ۝

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

शुरू अल्लाह के नाम से जो बेहद मेहरबान निहायत रहम वाला है।

सॉद् वल्-क़ुरआनि ज़िज़्ज़िक्र (1) बलिल्लज़ी-न क-फ़रू फ़ी अ़िज़्ज़तिंव्-व शिक़ाक़ (2) कम् अह्लक्ना मिन् क़ब्लिहिम् मिन् क़र्निन् फ़नादव्-व ला-त ही-न मनास (3) व अ़जिबू अन् जा-अहुम्	सॉद। क़सम है इस क़ुरआन समझाने वाले की। (1) बल्कि जो लोग मुन्किर हैं ग़ुरूर में हैं और मुक़ाबले में। (2) बहुत ग़ारत कर दीं हमने इनसे पहले जमाअ़तें फिर लगे पुकारने और वक़्त न रहा था ख़लासी (छुटकारे) का। (3) और ताज्जुब करने लगे इस बात पर कि आया उनके पास

मुन्ज़िरुम्-मिन्हुम् व क़ालल्-काफ़िरू-न हाज़ा साहिरुन् कज़्ज़ाब (4) अ-ज-अ़लल् आलि-ह-त इलाहंव्-वाहिदन् इन्-न हाज़ा लशैउन् अुजाब (5) वन्त-लक़ल्-म-ल-उ मिन्हुम् अनिम्शू वस्बिरू अ़ला आलि-हतिकुम् इन्-न हाज़ा लशैउंय्-युराद (6) मा समिअ्ना बिहाज़ा फ़िल्-मिल्लतिल्-आख़िरति इन् हाज़ा इल्लख़्तिलाक़् (7) अ-उन्ज़ि-ल अ़लैहिज़्ज़िक्रु मिम्-बैनिना, बल् हुम् फ़ी शक्किम् मिन् ज़िक्री बल् लम्मा यज़ूक़ू अ़ज़ाब (8) अम् अ़िन्दहुम् ख़ज़ा-इनु रह्मति रब्बिकल्-अ़ज़ीज़िल्-वह्हाब (9) अम् लहुम् मुल्कुस्समावाति वल्अर्ज़ि व मा बैनहुमा, फ़ल्यर्तक़ू फ़िल्-अस्बाब (10) जुन्दुम्-मा हुनालि-क मह्ज़ूमुम् मिनल्-अह्ज़ाब (11) कज़्ज़बत् क़ब्लहुम् क़ौमु नूहिंव्-व आ़दुंव्-व फ़िर्औ़नु ज़ुल्-औताद (12) व समूदु व क़ौमु लूतिंव्-व अस्हाबुल्-ऐ-कति, उलाइकल्-अह्ज़ाब (13) इन् कुल्लुन् इल्ला कज़्ज़-बर्रुसु-ल फ़-हक़्-क़ अ़िक़ाब (14) ❁

एक डर सुनाने वाला उन्हीं में से, और कहने लगे मुन्किर- यह जादूगर है झूठा। (4) क्या उसने कर दी इतनों की बन्दगी के बदले एक ही की बन्दगी, यह भी है बड़े ताज्जुब की बात। (5) और चल खड़े हुए कई पंच उनमें से कि चलो और जमे रहो अपने माबूदों पर, बेशक इस बात में कोई ग़र्ज़ है। (6) यह नहीं सुना हमने उस पिछले दीन में, और कुछ नहीं यह बनाई हुई बात है। (7) क्या इसी पर उतरी नसीहत हम सब में से? कोई नहीं! उन को धोखा है मेरी नसीहत में, कोई नहीं! अभी उन्होंने चखी नहीं मेरी मार। (8) क्या उनके पास हैं ख़ज़ाने तेरे रब की मेहरबानी के जो ज़बरदस्त है बख़्शने वाला। (9) या उनकी हुकूमत है आसमानों में और ज़मीन में और जो कुछ उनके बीच में है? तो उनको चाहिए कि चढ़ जायें रस्सियाँ तानकर। (10) एक लश्कर यह भी वहाँ तबाह हुआ उन सब लश्करों में। (11) झुठला चुके हैं इनसे पहले नूह की क़ौम और आ़द और फ़िरऔ़न मेख़ों वाला (12) और समूद और लूत की क़ौम और ऐका के लोग, वो बड़ी-बड़ी फ़ौजें। (13) ये जितने थे सब ने झुठलाया रसूलों को फिर साबित हुई मेरी तरफ़ से सज़ा। (14) ❁

व मा यन्ज़ुरु हा-उला-इ इल्ला सै-हतंव्-वाहि-दतम् मा लहा मिन् फ़वाक़ (15) व क़ालू रब्बना अ़ज्जिल्-लना क़ित्तना क़ब्-ल यौमिल्-हिसाब (16)	और राह नहीं देखते ये लोग मगर एक चिंघाड़ की जो बीच में दम न लेगी। (15) और कहते हैं ऐ रब! जल्द दे हम को हमारी चिट्ठी हिसाब के दिन से पहले। (16)

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

सॉद (इसके मायने तो अल्लाह को मालूम हैं)। क़सम है क़ुरआन की जो नसीहत से पुर है (कि काफ़िर लोग आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की रिसालत का इनकार करते हुए जो कुछ कह रहे हैं वह ठीक नहीं) बल्कि (ख़ुद) ये काफ़िर (ही) तास्सुब और (हक़ की) मुख़ालफ़त में (पड़े) हैं (और उस तास्सुब व मुख़ालफ़त का वबाल एक दिन इन पर पड़ने वाला है जैसा कि) इनसे पहले बहुत-सी उम्मतों को हम (अ़ज़ाब से) हलाक कर चुके हैं। सो उन्होंने (हलाकत के वक़्त) बड़ी हाय-पुकार की (और बहुत शोर व ग़ुल मचाया) और (उस वक़्त शोर व ग़ुल से क्या होता है, क्योंकि) वह वक़्त ख़लासी का न था (इसलिये कि अ़ज़ाब जब आ चुके तो तौबा भी क़ुबूल नहीं होती)। और इन (क़ुरैश के) काफ़िरों ने इस बात पर ताज्जुब किया कि उनके पास उन (ही) में से (यानी जो कि उनकी तरह बशर है) एक (पैग़म्बर) डराने वाला आ गया। (ताज्जुब की वजह यह थी कि वे अपनी जहालत से इनसान होने को नुबुव्वत के ख़िलाफ़ समझते थे) और (रिसालत के इस इनकार में यहाँ तक पहुँच गये कि आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के मोजिज़ों और नुबुव्वत के दावे के बारे में) कहने लगे कि (नऊज़ु बिल्लाह) यह शख़्स (अ़जीब व ग़रीब और चमत्कारी चीज़ें दिखाने के मामले में) जादूगर और (नुबुव्वत के दावे के मामले में) झूठा है। (और) क्या (यह शख़्स सच्चा हो सकता है जबकि) इसने इतने माबूदों की जगह एक ही माबूद रहने दिया (और सब के माबूद होने की नफ़ी कर दी) वाक़ई यह बहुत अ़जीब बात है (जिसकी वजह अभी आगे आती है)।

और (तौहीद का मज़मून सुनकर) इन काफ़िरों में के सरदार (और बड़े लोग मजलिस से उठकर लोगों से) यह कहते हुए चले कि (यहाँ से) चलो और अपने माबूदों (की इबादत) पर क़ायम रहो, (क्योंकि अव्वल तो) यह (तौहीद की दावत) कोई मतलब की बात (मालूम होती) है (यानी इस बहाने से आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम मआ़ज़ल्लाह सरदारी व हुकूमत के इच्छुक हैं। दूसरे तौहीद का दावा भी बातिल और अ़जीब है, क्योंकि) हमने तो यह बात (अपने) पिछले मज़हब में नहीं सुनी, हो न हो यह (इस शख़्स की) मन-गढ़त है। (पिछले मज़हब का मतलब यह है कि दुनिया में बहुत से तरीक़े के लोग हुए हैं, सबसे पिछले हम आये हैं और हक़ पर हैं, सो हमने इस तरीक़े के बुज़ुर्गों से कभी यह बात नहीं सुनी। और यह शख़्स जो नुबुव्वत का दावेदार है और तौहीद को अल्लाह की तालीम बतलाता है सो अव्वल तो नुबुव्वत बशर होने के विरुद्ध है, दूसरे अगर इसको नज़र-अन्दाज़ किया जाये तो) क्या हम सब में से इसी शख़्स (को कोई बरतरी व फ़ज़ीलत थी कि इसी को नुबुव्वत मिली

और इसी) पर अल्लाह का कलाम नाज़िल किया गया? (बल्कि किसी सरदार और बड़े आदमी पर होता तो हर्ज न था। आगे हक् तआ़ला का इरशाद है कि उनका यह कहना कि इन पर अल्लाह का कलाम क्यों नाज़िल हुआ? किसी सरदार पर क्यों न हुआ? इस वजह से नहीं है कि अगर ऐसा होता तो ये उसकी पैरवी करते) बल्कि (असल बात यह है कि) ये लोग (ख़ुद) मेरी वही की तरफ़ से शक (यानी इनकार) में हैं (यानी नुबुव्वत के मसले ही के इनकारी हैं, ख़ुसूसन बशर "इनसान" को नबी मानने के लिये तैयार नहीं। और यह इनकार भी कुछ इसलिये नहीं कि इनके पास कोई दलील है) बल्कि (इसकी असल वजह यह है कि) इन्होंने अभी तक मेरे अ़ज़ाब का मज़ा नहीं चखा (वरना सब अ़क्ल ठिकाने आ जाती)।

(आगे दूसरे तरीक़े पर जवाब है कि) क्या इन लोगों के पास आपके परवर्दिगार ज़बरदस्त, अ़ता करने वाले की रहमत के ख़ज़ाने हैं? (जिसमें नुबुव्वत भी दाख़िल है कि जिसको चाहें दें जिसको चाहें न दें। यानी अगर रहमत के सारे ख़ज़ाने इनके क़ब्ज़े में होते तब तो इनको यह कहने की गुंजाईश थी कि हमने बशर को नुबुव्वत नहीं दी, फिर वह नबी कैसे हो गया?) या (अगर सारे ख़ज़ाने क़ब्ज़े में नहीं हैं तो) क्या इनको आसमान व ज़मीन और जो चीज़ें इनके बीच हैं उन (सब) का इख़्तियार हासिल है? (कि अगर इतना ही इख़्तियार होता तब भी यह कहने की गुंजाईश थी कि यह आसमान व ज़मीन की मस्लेहतों से बाख़बर हैं इसलिए जिसे चाहें उसे नुबुव्वत मिलनी चाहिए)।

(आगे उनके आ़जिज़ व बेबस होने को ज़ाहिर करने के तौर पर इरशाद है कि अगर इनको इस पर इख़्तियार है) तो इनको चाहिए कि सीढ़ियाँ लगाकर (आसमान पर) चढ़ जाएँ (और ज़ाहिर है कि यह इस पर क़ादिर नहीं, पस जब इन्हें इतनी भी क़ुदरत नहीं तो आसमान व ज़मीन की मालूमात और उन पर क्या इख़्तियार होगा? फिर इनको ऐसी बेसर-पैर की बातें कहने का क्या हक़ है? मगर ऐ मुहम्मद सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम! आप इनकी मुख़ालफ़त से फ़िक्र न करें, क्योंकि) इस मक़ाम पर (यानी मक्का में) इन लोगों की यूँ ही एक भीड़ है (अम्बिया के दूसरे मुख़ालिफ़) गिरोहों की तरह जो (बहुत जल्द) शिकस्त दिये जाएँगे। (चुनाँचे जंगे बदर में यह भविष्यवाणी पूरी हुई। और) इनसे पहले भी नूह (अ़लैहिस्सलाम) की क़ौम और आ़द और फ़िरऔ़न ने जिस (की सल्तनत) के खूँटे गड़ गये थे और समूद ने और क़ौमे लूत ने और ऐका वालों ने (जिनके क़िस्से कई जगह आ चुके हैं, उन सब ने) झुठलाया था (और) वह गिरोह (जिसका ऊपर 'मिनल्-अहज़ाबि' में ज़िक्र आया है) यही लोग हैं उन सब ने सिर्फ़ रसूलों को झुठलाया था (जैसे ये क़ुरैश के काफ़िर आपको झुठला रहे हैं) सो मेरा अ़ज़ाब (उन पर) आ गया (पस जब जुर्म एक जैसा है तो अ़ज़ाब के एक जैसा होने से ये क्यों मुत्मईने हैं)। और ये लोग (जो झुठलाने पर अड़े हुए हैं तो) बस एक ज़ोर की चीख़ (यानी क़ियामत में दूसरी बार फूँके जाने वाले सूर) के मुन्तज़िर हैं, जिसमें दम लेने की गुंजाईश न होगी (इससे मुराद क़ियामत है)। और ये लोग (क़ियामत का वायदा व डाँट सुनकर रसूल सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को झुठलाने और मज़ाक़ उड़ाने के तौर पर) कहते हैं कि ऐ हमारे रब! (आख़िरत में जो काफ़िरों को अ़ज़ाब होगा उसमें से) हमारा हिस्सा हमको हिसाब के दिन से पहले ही दे दे (मतलब यह कि क़ियामत नहीं है, और अगर है तो हमको अभी अ़ज़ाब दरकार है, जब अ़ज़ाब नहीं होता तो मालूम हुआ क़ियामत न आयेगी)। (नऊज़ु बिल्लाह)

मआरिफ़ व मसाईल

इन आयतों के उतरने का मौक़ा व सबब

इस सूरत की शुरूआती आयतों का पसे-मन्ज़र यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के चचा अबू तालिब मुसलमान न होने के बावजूद आपकी पूरी हिफ़ाज़त व हिमायत कर रहे थे। जब वह एक बीमारी में मुब्तला हुए तो क़ुरैश के बड़े-बड़े सरदारों ने एक मश्विरे की सभा आयोजित की जिसमें अबू जहल, आ़स इब्ने वाईल, अस्वद बिन मुत्तलिब, अस्वद बिन अ़ब्दे यग़ूस और दूसरे सरदार शरीक हुए। मश्विरा यह हुआ कि अबू तालिब बीमार हैं अगर वह इस दुनिया से गुज़र गये और उसके बाद हमने मुहम्मद (सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम) को उनके नये दीन से बाज़ रखने के लिये कोई सख़्त क़दम उठाया तो अ़रब के लोग हमें यह ताना देंगे कि जब तक अबू तालिब ज़िन्दा थे उस वक़्त तक तो ये लोग मुहम्मद का कुछ न बिगाड़ सके और जब उनका इन्तिक़ाल हो गया तो इन्होंने आपको निशाना बना लिया। लिहाज़ा हमें चाहिये कि हम अबू तालिब की ज़िन्दगी ही में उनसे मुहम्मद (सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम) के मामले का निपटारा कर लें ताकि वह हमारे माबूदों को बुरा कहना छोड़ दें।

चुनाँचे ये लोग अबू तालिब के पास पहुँचे और जाकर उनसे कहा कि तुम्हारा भतीजा हमारे माबूदों को बुरा-भला कहता है, आप इन्साफ़ से काम लेकर उनसे कहिये कि वह जिस ख़ुदा की चाहें इबादत करें लेकिन हमारे माबूदों को कुछ न कहें। हालाँकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम उनके माबूदों को इसके सिवा कुछ न कहते थे कि बेहिस और बेजान हैं, न तुम्हारे ख़ालिक़ है न राज़िक़ हैं, न तुम्हारा कोई नफ़ा नुक़सान उनके क़ब्ज़े में है। अबू तालिब ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को मज्लिस में बुलवाया और आप से कहा कि भतीजे! ये लोग तुम्हारी शिकायत कर रहे हैं कि तुम इनके माबूदों को बुरा कहते हो। इन्हें अपने मज़हब पर छोड़ दो और तुम अपने ख़ुदा की इबादत करते रहो। इस पर क़ुरैश के लोग भी बोलते रहे।

आख़िरकार नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने इरशाद फ़रमाया कि "चचा जान! क्या मैं इन्हें उस चीज़ की दावत न दूँ जिसमें इनकी बेहतरी है?" अबू तालिब ने कहा "वह क्या चीज़ है?" आपने फ़रमाया "मैं इनसे एक ऐसा कलिमा कहलवाना चाहता हूँ जिसके ज़रिये सारा अ़रब इनके आगे सर झुका ले और ये पूरे अ़जम (अ़रब से बाहर के इलाक़े) के मालिक हो जायें।" इस पर अबू जहल ने कहा "बताओ वह कलिमा क्या है? तुम्हारे बाप की क़सम! हम एक कलिमा नहीं दस कलिमे कहने को तैयार हैं।" इस पर आपने फ़रमाया "बस ला इला-ह इल्लल्लाहु कह दो।" यह सुनकर तमाम लोग कपड़े झाड़कर उठ खड़े हुए और कहने लगे "क्या हम सारे माबूदों को छोड़कर सिर्फ़ एक को इख़्तियार कर लें? यह तो बड़ी अ़जीब बात है।" इस मौक़े पर सूरः सॉद की ये आयतें नाज़िल हुईं। (तफ़सीर इब्ने कसीर पेज 27, 28 जिल्द 4)

وَانْطَلَقَ الْمَلَاُ مِنْهُمْ............ الخ

(और उन काफ़िरों में के सरदार यह कहते हुए चल दिये कि ....) इससे मज़कूरा वाक़िए ही

की तरफ़ इशारा है कि तौहीद की दावत सुनकर वे मज्लिस से चल खड़े हुए।

وَفِرْعَوْنُ ذُو الْاَوْتَادِ ۝

इसके लफ़्ज़ी मायने हैं "मेख़ों वाला फ़िरऔन" और इसकी तफ़सीर में मुफ़स्सिरीन के विभिन्न अक्वाल हैं। कुछ हज़रात ने फ़रमाया कि इससे उसकी सल्तनत की मज़बूती की तरफ़ इशारा है, इसी लिये हज़रत थानवी रह. ने इसका तर्जुमा यह किया है कि "जिसके खूँटे गड़ गये थे" और कुछ हज़रात ने फ़रमाया कि वह लोगों को इस तरह सज़ा दिया करता था कि उसे चित लिटाकर उसके चारों हाथ-पाँव में मेख़ें (बड़ी कीलें) गाड़ देता और उस पर साँप-बिच्छू छोड़ देता था। और कुछ ने कहा कि वह रस्सी और कीलों से कोई ख़ास खेल खेला करता था, और कुछ का कहना है कि "मेख़ों" से मुराद इमारतें हैं और उसने बड़ी मज़बूत इमारतें बनाई थीं। (तफ़सीरे क़ुर्तुबी) वल्लाहु सुब्हानहू आलम

اُولٰٓئِكَ الْاَحْزَابُ

इसकी तफ़सीर तो यह है कि यह जुमला 'महज़ूमुम् मिनल् अहज़ाबि' का बयान है। यानी जिन गिरोहों की तरफ़ इस आयत में इशारा किया गया है वो ये हैं। हज़रत थानवी रह. ने इसी के मुताबिक़ तफ़सीर की है, लेकिन दूसरे मुफ़स्सिरीन ने इसके मायने यह बताये हैं कि "गिरोह वो थे" यानी असल ताक़त व क़ुव्वत के मालिक क़ौमे नूह और आद व समूद वग़ैरह की क़ौमें थीं। मक्का के मुश्रिक लोगों की उनके मुक़ाबले में कोई हैसियत नहीं, जब वे लोग अल्लाह के अ़ज़ाब से न बच सके तो इनकी क्या हस्ती है? (तफ़सीरे क़ुर्तुबी)

مَا لَهَا مِنْ فَوَاقٍ ۝

फ़वाक़ के अ़रबी में कई मायने आते हैं- एक तो "फ़वाक़" उस बीच के वक़्फ़े (अन्तराल) को कहते हैं जिसमें एक मर्तबा दूध दूहने के बाद दोबारा उसके थनों में दूध आ जाये। साथ ही इसके मायने "राहत व आराम" के भी हैं। बहरहाल मतलब यह है कि हज़रत इस्राफ़ील अ़लैहिस्सलाम का फूँका हुआ सूर इस क़द्र निरंतर और लगातार होगा कि उसमें कोई वक़्फ़ा न होगा। (क़ुर्तुबी)

عَجِّلْ لَّنَا قِطَّنَا

"क़ित्तुन" असल में उस दस्तावेज़ को कहते हैं जिसके ज़रिये किसी को इनाम देने का वादा किया गया हो। फिर यह लफ़्ज़ सिर्फ़ "हिस्से" के मायने में भी इस्तेमाल होने लगा, यहाँ यही मायने मुराद हैं कि "आख़िरत की जज़ा व सज़ा से जो कुछ हमें हिस्सा मिलना है वह यहाँ दिलवा दीजिये।"

اِصْبِرْ عَلٰى مَا يَقُوْلُوْنَ

وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوٗدَ ذَا الْاَيْدِ اِنَّهٗٓ اَوَّابٌ ۝ اِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهٗ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْاِشْرَاقِ ۝ وَالطَّيْرَ مَحْشُوْرَةً كُلٌّ لَّهٗٓ اَوَّابٌ ۝ وَشَدَدْنَا مُلْكَهٗ وَاٰتَيْنٰهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ ۝

इस्बिर् अ़ला मा यक़ूलू-न वज़्कुर् अ़ब्दना दावू-द ज़ल्ऐदि इन्नहू अव्वाब (17) इन्ना सख़्ख़र्नल्-जिबा-ल म-अ़हू युसब्बिह्-न बिल्-अ़शिय्यि वल्-इश्राक़ (18) वत्तै-र मह्शू-रतन्, कुल्लुल्लहू अव्वाब (19) व श-दद्ना मुल्कहू व आतैनाहुल्-हिक्म-त व फ़स्लल्-ख़िताब (20)	तू बरदाश्त करता रह उस पर जो वे कहते हैं और याद कर हमारे बन्दे दाऊद क़ुव्वत वाले को, वह था रुजू रहने वाला। (17) हमने ताबे किये पहाड़ उसके साथ पाकी बोलते थे शाम को और सुबह को। (18) और उड़ते जानवर जमा होकर सब थे उसके आगे रुजू रहते। (19) और क़ुव्वत दी हमने उसकी सल्तनत को और दी उसको तदबीर और फ़ैसला करना बात का। (20)

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

आप इन लोगों की बातों पर सब्र कीजिये और हमारे बन्दे दाऊद (अ़लैहिस्सलाम) को याद कीजिये जो (इबादत में जिस में सब्र भी दाख़िल है) बड़ी क़ुव्वत (और हिम्मत) वाले थे। (और) वह (ख़ुदा की तरफ़) बहुत रुजू होने वाले थे। (और हमने उनको ये नेमतें अ़ता फ़रमाई थीं। एक यह कि) हमने पहाड़ों को हुक्म कर रखा था कि उनके साथ (शरीक होकर) शाम और सुबह (कि हज़रत दाऊद अ़लैहिस्सलाम की तस्बीह के यही वक़्त थे) तस्बीह किया करें। और (इसी तरह) परिन्दों को भी (यही हुक्म दे रखा था) जो कि (तस्बीह के वक़्त उनके पास) जमा हो जाते थे, (और यह पहाड़ और परिन्दे वग़ैरह) सब उनकी (तस्बीह की) वजह से ज़िक्र में मशग़ूल रहते। और (दूसरी नेमत यह कि) हमने उनकी हुकूमत को बड़ी क़ुव्वत दी थी, और (तीसरी नेमत यह कि) हमने उनको हिक्मत (यानी नुबुव्वत) और फ़ैसला करने वाली तक़रीर (जो बहुत ही स्पष्ट और पूर्ण हो) अ़ता फ़रमाई थी।

मआ़रिफ़ व मसाईल

काफ़िरों के झुठलाने और मज़ाक़ उड़ाने से नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को जो सदमा होता था उसे दूर करने के लिये तसल्ली देने के लिये उमूमन अल्लाह तआ़ला ने पिछले अम्बिया अ़लैहिमुस्सलाम के वाक़िआ़त सुनाये हैं। चुनाँचे यहाँ भी आपको सब्र की हिदायत फ़रमाकर कुछ नबियों के वाक़िआ़त ज़िक्र किये गये हैं जिनमें से पहला वाक़िआ़ हज़रत दाऊद अ़लैहिस्सलाम का है।

وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُدَ ذَا الْاَيْدِ

(और याद कीजिये हमारे बन्दे दाऊद को जो क़ुव्वत वाले थे) तक़रीबन तमाम मुफ़स्सिरीन ने इसका मतलब यह बयान फ़रमाया है कि वह इबादत में बड़ी ताक़त व हिम्मत का सुबूत देते थे, इसी लिये इसके बाद यह जुमला है कि 'इन्नहू अव्वाब' (बिला शुब्हा वह अल्लाह की तरफ़ बहुत रुजू करने वाले थे)। चुनाँचे बुख़ारी व मुस्लिम की एक हदीस में हुज़ूरे पाक सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने

फ़रमाया- "अल्लाह तआला के नज़दीक सबसे ज़्यादा पसन्दीदा नमाज़ दाऊद अ़लैहिस्सलाम की है और सबसे ज़्यादा पसन्दीदा रोज़े दाऊद अ़लैहिस्सलाम के हैं, वह आधी रात सोते एक तिहाई रात इबादत करते और फिर रात के छठे हिस्से में सो जाते थे, और एक दिन रोज़ा रखते और एक दिन इफ़तार फ़रमाते थे, और जब दुश्मन से उनका मुक़ाबला हो जाता तो मुक़ाबले से भागते न थे और बिला शुब्हा वह अल्लाह तआला की तरफ़ बहुत रुजू करने वाले थे।" (तफ़सीर इब्ने कसीर)

इबादत के इस तरीक़े को सबसे ज़्यादा पसन्दीदा इसलिये क़रार दिया गया कि एक तो इसमें मशक़्क़त ज़्यादा है, सारी उम्र रोज़ा रखने से आदमी रोज़े का आदी हो जाता है और कुछ अ़रसे के बाद उसमें ज़्यादा मशक़्क़त नहीं रहती, लेकिन एक दिन छोड़कर रोज़ा रखने में तकलीफ़ मुसलसल रहती है। दूसरे इस तरीक़े से इनसान इबादत के साथ-साथ अपने नफ़्स, बाल-बच्चों और मुताल्लिक़ीन के हुक़ूक़ भी पूरी तरह अदा कर सकता है।

إِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ.............. الخ

इस आयत में पहाड़ों और परिन्दों के हज़रत दाऊद अ़लैहिस्सलाम के साथ तस्बीह में शरीक होने का तज़किरा गया गया है। इसकी वज़ाहत सूरः अम्बिया और सूरः सबा में गुज़र चुकी है। यहाँ यह बात क़ाबिले ज़िक्र है कि पहाड़ों और परिन्दों की तस्बीह को बारी तआला ने यहाँ इस तरह ज़िक्र फ़रमाया है कि यह हज़रत दाऊद अ़लैहिस्सलाम पर एक ख़ास इनाम था। सवाल यह है कि यह हज़रत दाऊद अ़लैहिस्सलाम के लिये नेमत कैसे हुई? पहाड़ों और परिन्दों की तस्बीह से क्या ख़ास फ़ायदा पहुँचा?

इसका एक जवाब तो यह है कि इससे हज़रत दाऊद अ़लैहिस्सलाम का एक मोजिज़ा ज़ाहिर हुआ और ज़ाहिर है कि यह एक बड़ा इनाम है। इसके अ़लावा हज़रत थानवी रह. ने एक बारीक बात बयान फ़रमाई है कि पहाड़ों और परिन्दों की तस्बीह से ज़िक्र व शग़ल का एक ख़ास लुत्फ़ व सुरूर पैदा हो गया था जिससे इबादत में चुस्ती व ताज़गी और हिम्मत पैदा होती है। सामूहिक ज़िक्र का एक फ़ायदा यह भी है कि ज़िक्र की बरकतों का एक दूसरे पर अ़क्स पड़ता रहता है। सूफ़िया-ए-किराम के यहाँ ज़िक्र व शग़ल का एक ख़ास तरीक़ा परिचित व परचलित है जिसमें ज़िक्र करते हुए यह ध्यान किया जाता है कि पूरी कायनात ज़िक्र कर रही है, बातिन की इस्लाह और इबादत के शौक़ में यह तरीक़ा एक अ़जीब असर रखता है। इस आयत से ज़िक्र के इस तरीक़े की बुनियाद भी निकलती है। (मसाईले सुलूक)

सलातुज़्ज़ुहा

بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ۝

'अ़शिय्युन' के मायने हैं ज़ोहर के बाद अगले दिन सुबह तक का वक़्त और 'इशराक़ुन' के मायने सुबह का वह वक़्त, जिसमें धूप ज़मीन पर फैल गई हो। इस आयत से हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने सलातुज़्ज़ुहा के मशरू होने पर दलील ली है। सलातुज़्ज़ुहा को अव्वाबीन की नमाज़ और कुछ हज़रात इशराक़ की नमाज़ भी कहते हैं। अगरचे बाद में अव्वाबीन की नमाज़ का नाम मग़रिब के बाद की छह नफ़िलों के लिये और इशराक़ की नमाज़ सूरज निकलने के बाद वाली दो या

चार नफ़्लों के लिये ज़्यादा मशहूर हो गया।

सलातुज़्ज़ुहा में दो से लेकर बारह तक जितनी रक्अ़तें चाहें पढ़ी जा सकती हैं। हदीस में इसके बहुत से फ़ायदे बयान हुए हैं। जामे तिर्मिज़ी में हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया "जो शख़्स सलातुज़्ज़ुहा की दो रक्अ़तों की पाबन्दी कर ले उसके गुनाह बख़्श दिये जाते हैं चाहे वो समन्दरी झाग जितने हों" और हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि आपने फ़रमाया "जो शख़्स सलातुज़्ज़ुहा की बारह रक्अ़तें पढ़े अल्लाह तआ़ला उसके लिये जन्नत में सोने का महल बना देगा।" (तफ़सीरे क़ुर्तुबी)

उलेमा ने फ़रमाया है कि यूँ तो दो से लेकर बारह तक जितनी रक्अ़तें पढ़ी जा सकें वो ठीक हैं लेकिन संख्या के लिये कोई ख़ास मामूल बना लिया जाये तो बेहतर है, और यह मामूल कम से कम चार रक्अ़त हो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम का आ़म मामूल चार रक्अ़तें ही पढ़ने का था।

وَاٰتَيْنٰهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ○

(और हमने उनको हिक्मत और फ़ैसला कर देने वाली तक़रीर अ़ता फ़रमाई) **हिक्मत** से मुराद तो दानाई (समझ व दानिशमन्दी) है, यानी हमने उन्हें अ़क़्ल व समझ की दौलत बख़्शी थी। और कुछ हज़रात ने फ़रमाया कि इससे नुबुव्वत मुराद है। और "फ़स्लुल-ख़िताब" की मुख़्तलिफ़ तफ़सीरें की गई हैं, कुछ हज़रात ने फ़रमाया कि इससे मुराद बयान और संबोधन की ताक़त व ज़ोर है। चुनाँचे हज़रत दाऊद अ़लैहिस्सलाम ऊँचे दर्जे के ख़तीब (तक़रीर करने वाले) थे और ख़ुतबों में अल्लाह की तारीफ़ व सना और दुरूद व सलाम के बाद लफ़्ज़ "अम्मा बअ़द" सबसे पहले उन्होंने ही कहना शुरू किया। और कुछ हज़रात ने फ़रमाया कि इससे फ़ैसले की बेहतरीन क़ुव्वत व सलाहियत मुराद है, यानी अल्लाह तआ़ला ने आपको झगड़े चुकाने और विवादों का फ़ैसला करने की ताक़त अ़ता फ़रमाई थी। हक़ीक़त में इन अलफ़ाज़ में एक साथ दोनों मायनों की पूरी गुंजाईश है और ये दोनों बातें ही मुराद हैं। हज़रत थानवी रह. ने जो इसका तर्जुमा फ़रमाया है उसमें भी दोनों मायने समा सकते हैं।

وَهَلْ اَتٰىكَ نَبَؤُا الْخَصْمِ اِذْ

تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ ۝ اِذْ دَخَلُوْا عَلٰى دَاوٗدَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوْا لَا تَخَفْ خَصْمٰنِ بَغٰى بَعْضُنَا عَلٰى بَعْضٍ فَاحْكُمْ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تُشْطِطْ وَاهْدِنَآ اِلٰى سَوَآءِ الصِّرَاطِ ۝ اِنَّ هٰذَآ اَخِيْ لَهٗ تِسْعٌ وَّتِسْعُوْنَ نَعْجَةً وَّلِيَ نَعْجَةٌ وَّاحِدَةٌ فَقَالَ اَكْفِلْنِيْهَا وَعَزَّنِيْ فِي الْخِطَابِ ۝ قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ اِلٰى نِعَاجِهٖ وَاِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ الْخُلَطَآءِ لَيَبْغِيْ بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَقَلِيْلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوٗدُ اَنَّمَا فَتَنّٰهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهٗ وَخَرَّ رَاكِعًا وَّاَنَابَ ۝ فَغَفَرْنَا لَهٗ ذٰلِكَ وَاِنَّ لَهٗ عِنْدَنَا لَزُلْفٰى وَحُسْنَ مَاٰبٍ ۝

وقف لازم — السجدة (١٠)

व हल् अता-क न-बउल्-ख़स्मि। इज़्	और पहुँची है तुझको ख़बर दावे वालों की।

तसव्वरुल्-मिह़्राब (21) इज़् द-ख़लू अ़ला दावू-द फ़-फ़ज़ि-अ़ मिन्हुम् क़ालू ला तख़ाफ़् ख़स्मानि बग़ा बअ़्ज़ुना अ़ला बअ़्ज़िन् फ़ह़्कुम् बैनना बिल्हक़्क़ि व ला तुश्तित् वह्दिना इला सवा-इस्सिरात (22) इन्-न हाज़ा अख़ी, लहू तिस्अुंव्-व तिस्अू-न नअ़्-जतंव्-व लि-य नअ़्-जतुंव्-वाहि-दतुन्, फ़क़ा-ल अक्फ़िल्नीहा व अ़ज़्ज़नी फ़िल्-ख़िताब (23) क़ा-ल ल-क़द् ज़-ल-म-क बिसुआलि-नअ़्जति-क इला निआ़जिही, व इन्-न कसीरम् मिनल्-ख़ु-लता-इ ल-यब्ग़ी बअ़्ज़ुहुम् अ़ला बअ़्ज़िन् इल्लल्लज़ी-न आमनू व अ़मिलुस्सालिहाति व क़लीलुम्-मा हुम् व ज़न्-न दावूदु अन्नमा फ़तन्नाहु फ़स्तग़्फ़-र रब्बहू व ख़र्-र राकिअंव्-व अनाब (24) ۞ फ़-ग़फ़र्ना लहू ज़ालि-क, व इन्-न लहू अ़िन्दना ल-ज़ुल्फ़ा व हुस्-न मआब (25)

जब दीवार कूदकर आये इबादत-ख़ाने में। (21) जब घुस आये दाऊद के पास तो उनसे घबराया। वे बोले मत घबरा हम दो झगड़ते हैं। ज़्यादती की है एक ने दूसरे पर, सो फ़ैसला कर दे हम में इन्साफ़ का, और दूर न डाल बात को और बतला दे हमको सीधी राह। (22) यह जो है भाई मेरा इसके यहाँ हैं निन्नानवे दुंबियाँ और मेरे यहाँ एक दुंबी, फिर कहता है हवाले कर दे मेरे वह भी और ज़बरदस्ती करता है मुझसे बात में। (23) बोला वह बेइन्साफ़ी करता है तुझ पर कि माँगता है तेरी दुंबी मिलाने को अपनी दुंबियों में, और अक्सर शरीक ज़्यादती करते हैं एक दूसरे पर, मगर जो यक़ीन लाये हैं और काम किये नेक और थोड़े लोग हैं ऐसे। और ख़्याल में आया दाऊद के कि हमने उसको जाँचा फिर गुनाह बख़्शवाने लगा अपने रब से और गिर पड़ा झुककर और रुजू हुआ। (24) ۞ फिर हमने माफ़ कर दिया उसको वह काम और उसके लिये हमारे पास मर्तबा है और अच्छा ठिकाना। (25)

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

और भला आपको उन मुक़द्दमे वालों की ख़बर भी पहुँची है (जो दाऊद अ़लैहिस्सलाम के पास मुक़द्दमा लाये थे)। जबकि वे लोग (दाऊद अ़लैहिस्सलाम के) इबादत-ख़ाने की दीवार फाँदकर दाऊद

(अ़लैहिस्सलाम) के पास आये। (क्योंकि दरवाज़े से पहरेदारों ने इसलिये नहीं आने दिया कि वह वक़्त आपकी इबादत का था, मुक़द्दमों के फ़ैसले का नहीं) तो वह (उनके इस बेक़ायदा आने से) घबरा गये (कि कहीं ये लोग दुश्मन न हों जो क़त्ल के इरादे से इस तरह तन्हाई में घुसे हों)। वे लोग (उनसे) कहने लगे कि आप डरें नहीं, हम दो मामले वाले हैं कि एक ने दूसरे पर (कुछ) ज़्यादती की है (उसके फ़ैसले के लिये हम आये हैं, चूँकि पहरेदारों ने दरवाज़े से नहीं आने दिया इसलिए इस तरह ग़लत तरीक़े से आये) सो आप हम में इन्साफ़ से फ़ैसला कर दीजिए और बेइन्साफ़ी न कीजिए, और हमको (मामले की) सीधी राह बतला दीजिये।

(और फिर एक शख़्स बोला कि मुक़द्दमे का मामला यह है कि) यह शख़्स मेरा भाई है (यानी दीनी भाई, जैसा कि तफ़सीर दुर्रे मन्सूर में हज़रत इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु से मन्क़ूल है, और) इसके पास निन्नानवे दुंबियाँ हैं और मेरे पास (सिर्फ़) एक दुंबी है। सो यह कहता है कि वह भी मुझको दे डाल, और बातचीत में मुझको दबाता है (और मेरी बात को अपनी मुँहज़ोरी से चलने नहीं देता)। दाऊद (अ़लैहिस्सलाम) ने कहा यह जो तेरी दुंबी अपनी दुंबियों में मिलाने की दरख़्वास्त करता है तो वाक़ई तुझ पर ज़ुल्म करता है, और अक्सर शरीकों (की आ़दत है कि) एक-दूसरे पर (यूँ ही) ज़्यादती किया करते हैं, मगर हाँ! जो लोग ईमान रखते हैं और नेक काम करते हैं, और ऐसे लोग बहुत ही कम हैं (यह बात आपने मज़लूम की तसल्ली के लिये इरशाद फ़रमाई)।

और दाऊद (अ़लैहिस्सलाम) को ख़्याल आया कि (इस मुक़द्दमे को इस तरह पेश करके) हमने उनका इम्तिहान किया है, सो उन्होंने अपने रब के सामने तौबा की और सज्दे में गिर पड़े और (ख़ास तौर पर ख़ुदा की तरफ़) रुजू हुए। सो हमने उनको वह (मामला) माफ़ कर दिया और हमारे यहाँ उनके लिये (ख़ास) निकटता और (आला दर्जे की) नेक-अन्जामी (यानी जन्नत का ऊँचा दर्जा) है।

मआ़रिफ़ व मसाईल

इन आयतों में अल्लाह तआ़ला ने हज़रत दाऊद अ़लैहिस्सलाम का वाक़िआ़ ज़िक्र फ़रमाया है। क़ुरआने करीम में यह वाक़िआ़ जिस अन्दाज़ से बयान किया गया है उससे सिर्फ़ इतना मालूम होता है कि अल्लाह तआ़ला ने उनकी इबादत-गाह (इबादत करने की जगह) में दो फ़रीक़ों को झगड़ते हुए भेजकर उनका कोई इम्तिहान लिया था। हज़रत दाऊद अ़लैहिस्सलाम ने उस इम्तिहान पर सचेत व मुतनब्बेह होकर अल्लाह तआ़ला से इस्तिग़फ़ार किया और सज्दे में गिर पड़े और अल्लाह तआ़ला ने उनकी मग़फ़िरत फ़रमा दी। क़ुरआने करीम का असल मक़सद चूँकि यहाँ यह बयान करना है कि हज़रत दाऊद अ़लैहिस्सलाम अपने हर मामले में अल्लाह तआ़ला की तरफ़ रुजू फ़रमाते थे और कभी ज़रा सी भूल-चूक भी हो जाये तो फ़ौरन इस्तिग़फ़ार की तरफ़ मुतवज्जह होते थे, इसलिये यहाँ यह तफ़सील बयान नहीं की गई कि वह इम्तिहान क्या था? हज़रत दाऊद अ़लैहिस्सलाम से वह कौनसी ग़लती हुई थी जिससे उन्होंने इस्तिग़फ़ार किया था? और जिसे अल्लाह तआ़ला ने माफ़ फ़रमा दिया।

इसी लिये कुछ गहरा इल्म रखने वाले और एहतियात-पसन्द मुफ़स्सिरीन ने इन आयतों की व्याख्या व तशरीह में यह फ़रमाया है कि अल्लाह तआ़ला ने ख़ास हिक्मत व मस्लेहत से अपने ऊँचे रुतबे वाले पैग़म्बर की उस ग़लती और इम्तिहान की तफ़सील को खोलकर बयान नहीं फ़रमाया

इसलिये हमें भी इसके पीछे नहीं पड़ना चाहिये और जितनी बात क़ुरआने करीम में मज़कूर है सिर्फ़ उसी बात पर ईमान रखना चाहिये। हाफ़िज़ इब्ने कसीर रह. जैसे बड़े आ़लिम व मुफ़स्सिर ने अपनी तफ़सीर में इसी पर अ़मल करते हुए वाक़िए की तफ़सीलात से ख़ामोशी इख़्तियार की है। और कोई शक नहीं कि यह सबसे ज़्यादा मोहतात (एहतियात वाला) और सलामती का रास्ता है। इसी लिये पहले ज़माने के उलेमा से मन्क़ूल है कि 'अब्हिमू मा अब्ह-महुल्लाहु' यानी जिस चीज़ को अल्लाह ने अस्पष्ट छोड़ा है तुम भी उसको अस्पष्ट रहने दो, इसी में हिक्मत व मस्लेहत है, और यह ज़ाहिर है कि इससे मुराद ऐसे मामलात का अस्पष्ट रहना है जिनसे हमारे अ़मल और हलाल व हराम का ताल्लुक़ न हो, और जिन मामलात से मुसलमानों के अ़मल का ताल्लुक़ हो उस अस्पष्टता को ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने अपने क़ौल व अ़मल से दूर कर दिया है।

अलबत्ता दूसरे मुफ़स्सिरीन ने रिवायतों व बुज़ुर्गों के अक़वाल की रोशनी में इस इम्तिहान और आज़माईश को मुतैयन करने की कोशिश की है। इस सिलसिले में एक आ़म दर्जे की रिवायत तो यह मशहूर है कि हज़रत दाऊद अ़लैहिस्सलाम की नज़र एक मर्तबा अपने एक फ़ौजी अफ़सर औरय्या की बीवी पर पड़ गई थी जिससे उनके दिल में उसके साथ निकाह करने की इच्छा पैदा हुई और उन्होंने औरय्या को क़त्ल कराने की ग़र्ज़ से उसे अत्यन्त ख़तरनाक मिशन सौंप दिया जिसमें वह शहीद हो गया और बाद में आपने उसकी बीवी से शादी कर ली, इस अ़मल पर तंबीह करने के लिये ये दो फ़रिश्ते इनसानी शक्ल में भेजे गये।

लेकिन यह रिवायत पूरी तरह और बिला शुब्हा उन ख़ुराफ़ात में से है जो यहूदियों के असर में आकर मुसलमानों में भी फैल गई थीं। यह रिवायत दर असल बाईबिल की किताब समूईल द्वतीय बाब 11 से ली गयी है, फ़र्क़ सिर्फ़ इतना है कि बाईबिल में खुल्लम-खुल्ला हज़रत दाऊद अ़लैहिस्सलाम पर यह इल्ज़ाम लगाया गया है कि उन्होंने मआ़ज़ल्लाह औरय्या की बीवी से निकाह से पहले ही ज़िना का जुर्म किया था और इन तफ़सीरी रिवायतों में ज़िना के हिस्से और भाग को छोड़ दिया गया है। ऐसा मालूम होता है कि किसी ने इस इस्राईली रिवायत को देखा और इसमें से ज़िना के क़िस्से को निकालकर इसे क़ुरआने करीम की मज़कूरा आयतों पर फ़िट कर दिया। हालाँकि यह किताब समूईल ही सिरे से बेबुनियाद है और यह रिवायत पूरी तरह झूठ और बोहतान की हैसियत रखती है, इसी वजह से तमाम मुहक़्क़िक़ मुफ़स्सिरीन ने इसकी सख़्त तरदीद की है।

हाफ़िज़ इब्ने कसीर रह. के अ़लावा अ़ल्लामा इब्ने जौज़ी, क़ाज़ी अबू सऊद, क़ाज़ी बैज़ावी, क़ाज़ी अ़याज़, इमाम राज़ी, अ़ल्लामा अबू हय्यान उन्दुलसी, ख़ाज़िन, ज़मख़्शरी, इब्ने हज़्म, अ़ल्लामा ख़फ़ाजी, अहमद बिन नसर, अबू तमाम और अ़ल्लामा आलूसी रह. वग़ैरह ने भी इसे झूठ व बोहतान क़रार दिया है। हाफ़िज़ इब्ने कसीर रह. लिखते हैं:

"कुछ मुफ़स्सिरीन ने यहाँ एक क़िस्सा ज़िक्र किया है जिसका अक्सर हिस्सा इस्राईली रिवायतों से लिया गया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से इस बारे में कोई ऐसी बात साबित नहीं जिसका मानना और पैरवी करना वाजिब हो, सिर्फ़ इब्ने अबी हातिम रह. ने यहाँ एक हदीस रिवायत की है मगर उसकी सनद सही नहीं है।"

ग़र्ज़ कि बहुत सी दलीलों की रोशनी में जिनकी कुछ तफ़सील इमाम राज़ी रह. की तफ़सीरे

कबीर और इब्ने जौज़ी रह. की ज़ादुल-मसीर वग़ैरह में मौजूद है, यह रिवायत तो इस आयत की तफ़सीर में क़तई बहस से ख़ारिज हो जाती है।

हकीमुल-उम्मत हज़रत थानवी रह. ने इस आज़माईश और चूक की वज़ाहत इस तरह फ़रमाई है कि मुक़द्दमे के ये दोनों फ़रीक़ दीवार फाँदकर दाख़िल हुए और गुफ़्तगू का अन्दाज़ भी इन्तिहाई गुस्ताख़ी भरा इख़्तियार किया कि शुरू ही में हज़रत दाऊद अ़लैहिस्सलाम को इन्साफ़ करने और ज़ुल्म न करने की नसीहतें शुरू कर दीं, इस अन्दाज़ की गुस्ताख़ी की बिना पर कोई आम आदमी होता तो उन्हें जवाब देने के बजाय उल्टी सज़ा देता, अल्लाह तआ़ला ने हज़रत दाऊद अ़लैहिस्सलाम का यह इम्तिहान फ़रमाया कि वह भी ग़ुस्से में आकर उन्हें सज़ा देते हैं या पैग़म्बराना माफ़ी व बरदाश्त से काम लेकर उनकी बात सुनते हैं।

हज़रत दाऊद अ़लैहिस्सलाम इस इम्तिहान में पूरे उतरे, लेकिन इतनी सी भूल हो गई कि फ़ैसला सुनते वक़्त ज़ालिम को ख़िताब करने के बजाय मज़लूम को मुख़ातब फ़रमाया, जिससे एक तरह का पक्षपात होता था मगर इस पर फ़ौरन सचेत हुए और सज्दे में गिर गये और अल्लाह तआ़ला ने उन्हें माफ़ फ़रमा दिया। (बयानुल-क़ुरआन)

कुछ मुफ़स्सिरीन ने चूक और ख़ता की यह वज़ाहत की है कि हज़रत दाऊद अ़लैहिस्सलाम ने मुद्दआ़ अ़लैहि (जिसके ख़िलाफ़ दावा दायर किया गया था) को ख़ामोश देखा तो उसका बयान सुने बग़ैर सिर्फ़ मुद्दई (दावा करने वाले) की बात सुनकर अपनी नसीहत में ऐसी बातें फ़रमाईं जिनसे कुल मिलाकर मुद्दई की ताईद होती थी हालाँकि पहले मुद्दआ़ अ़लैहि से पूछना चाहिये था कि उसका पक्ष क्या है? हज़रत दाऊद अ़लैहिस्सलाम का यह इरशाद अगरचे सिर्फ़ नसीहत के अन्दाज़ में था और अभी तक मुक़द्दमे के फ़ैसले की नौबत नहीं आई थी फिर भी उन जैसे बड़े रुतबे वाले पैग़म्बर के शायाने शान नहीं था, इसी बात पर आप बाद में सचेत होकर सज्दे में गिर गये। (रूहुल-मआ़नी)

कुछ हज़रात ने फ़रमाया कि हज़रत दाऊद अ़लैहिस्सलाम ने अपने वक़्तों का निज़ाम ऐसा बनाया हुआ था कि चौबीस घन्टे में हर वक़्त घर का कोई न कोई फ़र्द इबादत, ज़िक्र और तस्बीह में मशग़ूल रहता था। एक रोज़ उन्होंने बारी तआ़ला से अ़र्ज़ किया कि परवर्दिगार! दिन और रात की कोई घड़ी ऐसी नहीं गुज़रती जिसमें दाऊद के घर वालों में से कोई न कोई आपकी इबादत नमाज़ और तस्बीह व ज़िक्र में मशग़ूल न हो। बारी तआ़ला ने फ़रमाया कि दाऊद! यह सब कुछ मेरी तौफ़ीक़ से है अगर मेरी मदद शामिले हाल न हो तो यह बात तुम्हारे बस की नहीं है, और एक दिन मैं तुम्हें तुम्हारे हाल पर छोड़ दूँगा, उसके बाद यह वाक़िआ़ पेश आया कि वह वक़्त हज़रत दाऊद अ़लैहिस्सलाम के इबादत में मशग़ूल होने का था, इस अचानक के मामले से उनके वक़्तों के निज़ाम में ख़लल आ गया, हज़रत दाऊद अ़लैहिस्सलाम झगड़ा चुकाने में मशग़ूल हो गये, आपके घर वालों में का कोई और फ़र्द भी उस वक़्त इबादत और अल्लाह के ज़िक्र में मशग़ूल न था। इससे हज़रत दाऊद अ़लैहिस्सलाम को तंबीह हुई कि वह फ़ख़्र व गर्व का कलिमा जो ज़बान से निकल गया था यह मुझसे ग़लती हुई थी इसलिये आपने इस्तिग़फ़ार फ़रमाया और सज्दे में गिर गये। इस वज़ाहत व मतलब की ताईद हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु के एक इरशाद से भी होती है जो मुस्तद्रक हाकिम में सही सनद के साथ मन्क़ूल है। (अहकामुल-क़ुरआन)

इन तमाम वज़ाहतों में यह बात साझा तौर पर तस्लीम की गई है कि मुक़द्दमा फ़र्ज़ी नहीं बल्कि वास्तविक था और मुक़द्दमे की शक्ल व सूरत का हज़रत दाऊद अ़लैहिस्सलाम की आज़माईश या भूल-चूक से कोई ताल्लुक़ न था, इसके विपरीत बहुत से मुफ़स्सिरीन ने इसकी ऐसी वज़ाहत फ़रमाई है जिसका हासिल यह है कि मुक़द्दमे के ये दोनों फ़रीक़ इनसान नहीं बल्कि फ़रिश्ते थे, और उन्हें अल्लाह तआ़ला ने इसलिये भेजा था कि वे मुक़द्दमे की ऐसी फ़र्ज़ी सूरत पेश करें जिससे हज़रत दाऊद अ़लैहिस्सलाम को अपनी चूक और ख़ता का एहसास हो जाये।

चुनाँचे उन हज़रात का यह कहना है कि औरय्या को क़त्ल कराने और उसकी बीवी से निकाह कर लेने का वह क़िस्सा तो ग़लत है लेकिन असल हक़ीक़त यह थी कि बनी इस्राईल में किसी शख़्स से यह फ़रमाईश करना ऐब की बात और बुरा नहीं समझा जाता था कि "तुम अपनी बीवी को तलाक़ देकर उसका निकाह मुझसे कर दो" उस ज़माने में इस फ़रमाईश का आ़म रिवाज भी था और यह बात ख़िलाफ़े मुरव्वत भी न समझी जाती थी। हज़रत दाऊद अ़लैहिस्सलाम ने इसी बिना पर औरय्या से यही फ़रमाईश की थी जिस पर अल्लाह तआ़ला ने ये दो फ़रिश्ते भेजकर आपको तंबीह फ़रमाई। और कुछ हज़रात ने फ़रमाया कि बात सिर्फ़ इतनी थी कि औरय्या ने एक औ़रत को निकाह का पैग़ाम दिया हुआ था, हज़रत दाऊद अ़लैहिस्सलाम ने भी उसी औ़रत को अपना पैग़ाम दे दिया इससे औरय्या को बहुत रंज हुआ, अल्लाह तआ़ला ने इस पर तंबीह के लिये ये दो फ़रिश्ते भेजे और एक लतीफ़ अन्दाज़ में इस चूक पर तंबीह फ़रमाई। क़ाज़ी अबू यअ़ला रह. ने इस वज़ाहत व मतलब पर क़ुरआने करीम के अलफ़ाज़ 'व अ़ज़्ज़नी फ़िल्-ख़िताब' से दलील पकड़ी है। वह फ़रमाते हैं कि यह जुमला इस बात पर दलालत करता है कि यह मामला महज़ मंगनी (रिश्ता चाहने) के सिलसिले में पेश आया था और अभी हज़रत दाऊद अ़लैहिस्सलाम ने उससे निकाह नहीं फ़रमाया था।

(ज़ादुल-मसीर, इब्ने जौज़ी रह. पेज 116 जिल्द 7)

मुफ़स्सिरीन (क़ुरआन के व्याख्यापकों) में से अक्सर हज़रात ने इन आख़िरी दो वज़ाहतों को तरजीह दी है और उनकी ताईद सहाबा रज़ियल्लाहु अ़न्हुम के कुछ अक़वाल से भी होती है (मुलाहिज़ा हो तफ़सीर रूहुल-मआ़नी, तफ़सीर अबू सऊद, ज़ादुल-मसीर, तफ़सीरे कबीर वग़ैरह)।

लेकिन वाक़िआ़ यह है कि इस आज़माईश और ख़ता व चूक की तफ़सील न क़ुरआने करीम से साबित है न किसी सही हदीस से, इसलिये इतनी बात तो तयशुदा है कि औरय्या को क़त्ल कराने का जो क़िस्सा मशहूर है वह ग़लत है, लेकिन असल वाक़िए के बारे में उपरोक्त तमाम एहतिमाल (गुमान व ख़्याल और संभावनायें) मौजूद हैं, और इनमें से किसी एक को निश्चित और यक़ीनी नहीं कहा जा सकता, लिहाज़ा सलामती की राह वही है जो हाफ़िज़ इब्ने कसीर रह. ने इख़्तियार की कि जिस बात को अल्लाह तआ़ला ने अस्पष्ट छोड़ा है हम अपने गुमानों, ख़्यालात और अन्दाज़ों के ज़रिये उसकी तफ़सील (स्पष्टता और ख़ुलासा करने) की कोशिश न करें, जबकि इससे हमारे किसी अ़मल का ताल्लुक़ नहीं। इस स्पष्ट न करने में भी यक़ीनन कोई हिक्मत है लिहाज़ा सिर्फ़ उतने वाक़िए पर ईमान रखा जाये जो क़ुरआने करीम में ज़िक्र हुआ है, बाक़ी तफ़सीलात को अल्लाह तआ़ला के हवाले किया जाये। अलबत्ता इस वाक़िए से कई अ़मली फ़ायदे हासिल होते हैं, ज़्यादा तवज्जोह उनकी तरफ़

देनी चाहिये। इसलिये अब आयतों की तफ़सीर मुलाहिज़ा फ़रमाईये जिसमें इन्शा-अल्लाह तआ़ला उन फ़ायदों का ज़िक्र आ जायेगा।

اِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ○

(जब वे मेहराब की दीवार फाँदकर दाख़िल हुए) 'मेहराब' दर असल बालाख़ाने (ऊपर के कमरे) या किसी मकान के सामने के हिस्से को कहते हैं। फिर ख़ास तौर से मस्जिद या इबादत-ख़ाने के सामने के हिस्से को कहा जाने लगा। क़ुरआने करीम में यह लफ़्ज़ इबादत की जगह के मायने में इस्तेमाल हुआ है। अ़ल्लामा सुयूती रह. ने लिखा है कि मस्जिद की दायरा-नुमा मेहराबें जैसी आजकल जानी-पहचानी हैं ये नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के ज़माने में मौजूद नहीं थीं।

(तफ़सीर रूहुल-मआ़नी)

فَفَزِعَ مِنْهُمْ

(पस हज़रत दाऊद अ़लैहिस्सलाम उनसे घबरा गये) घबराने की वजह साफ़ ज़ाहिर थी कि दो आदमियों का बेवक़्त पहरा तोड़कर इस तरह घुस आना उमूमन किसी बुरी नीयत ही से होता है।

तबई ख़ौफ़ नुबुव्वत या विलायत के ख़िलाफ़ नहीं है

इससे मालूम हुआ कि किसी ख़ौफ़नाक चीज़ से तबई तौर पर घबरा जाना नुबुव्वत और विलायत के विरुद्ध नहीं है। हाँ! उस ख़ौफ़ को दिल व दिमाग़ पर सवार करके अपने फ़राईज़ को छोड़ देना ज़रूर बुरा है। इस पर यह शुब्हा हो सकता है कि क़ुरआने करीम में नबियों की शान यह बयान की गई है:

لَا يَخْشَوْنَ اَحَدًا اِلَّا اللّٰهَ

(वे अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरते) फिर यहाँ हज़रत दाऊद अ़लैहिस्सलाम को ख़ौफ़ क्यों हुआ? इसका जवाब यह है कि डरने की दो क़िस्में होती हैं- एक डर तो तकलीफ़ देने वाली चीज़ों के तकलीफ़ पहुँचाने से होता है उसे अ़रबी में ख़ौफ़ुन् कहते हैं। दूसरा डर किसी बड़े की बड़ाई, शान, बड़े रुतबे और रौब की वजह से होता है उसे ख़श्यतुन कहा जाता है। (मुफ़रदात, राग़िब) ख़शीयत अल्लाह के सिवा किसी की नहीं होनी चाहिये और अम्बिया अ़लैहिमुस्सलाम की शान यही होती है कि अल्लाह के सिवा उन पर किसी की ख़शीयत तारी नहीं होती, हाँ तबई ख़ौफ़ तकलीफ़ देने वाली चीज़ों से हो सकता है।

बेक़ायदगी पर असल हक़ीक़त के ज़ाहिर होने तक सब्र करना चाहिये

قَالُوْا لَا تَخَفْ

(उन्होंने कहा डरिये नहीं) आने वालों ने यह कहकर अपनी बात बयान करनी शुरू कर दी और हज़रत दाऊद अ़लैहिस्सलाम ख़ामोशी से उनकी बात सुनते रहे। इससे मालूम हुआ कि अगर कोई

शख़्स अचानक किसी बेक़ायदगी का काम करे तो उसे फ़ौरन मलामत और डाँट-डपट शुरू नहीं कर देनी चाहिये, बल्कि पहले उसकी बात सुन लेनी चाहिये ताकि उसको यह मालूम हो जाये कि उसके पास उस बेक़ायदगी का जवाज़ (औचित्य) था या नहीं। कोई और होता तो आने वालों पर फ़ौरन बरस पड़ता लेकिन हज़रत दाऊद अ़लैहिस्सलाम ने हक़ीक़त ज़ाहिर होने का इन्तिज़ार फ़रमाया कि हो सकता है कि ये लोग माज़ूर हों।

وَلَا تُشْطِطْ

(और बेइन्साफ़ी न कीजिये) आने वाले का गुफ़्तगू का यह अन्दाज़ बज़ाहिर बड़ा गुस्ताख़ाना था। अव्वल तो दीवार फाँदकर बेवक़्त आना फिर आकर हज़रत दाऊद अ़लैहिस्सलाम जैसे बड़े रुतबे वाले पैग़म्बर को इन्साफ़ करने और ज़ुल्म न करने का सबक़ देना। ये सब अक्खड़पन की बातें थीं लेकिन हज़रत दाऊद अ़लैहिस्सलाम ने इन सब बातों पर संयम बरता और उन्हें कुछ बुरा-भला नहीं कहा।

बड़े आदमी को चाहिये कि ज़रूरत लेकर आने वालों की ग़लतियों पर जहाँ तक हो सके सब्र करे

इससे मालूम हुआ कि जिस शख़्स को अल्लाह ने कोई बड़ा मर्तबा दिया हो और लोगों की ज़रूरतें उससे जुड़ी हुई हों उसे चाहिये कि वह ज़रूरत मन्दों की बेक़ायदगियों (अनियमितताओं) और बातचीत की ग़लतियों पर जहाँ तक हो सके सब्र करे कि यही उसके मर्तबे का तक़ाज़ा है। ख़ास तौर से हाकिम, क़ाज़ी और मुफ़्ती को इसका लिहाज़ रखना चाहिये। (तफ़सीर रूहुल-मआ़नी)

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ اِلٰى نِعَاجِهٖ.

(दाऊद अ़लैहिस्सलाम ने कहा कि इसने जो तेरी दुंबी अपनी दुंबियों में मिलने की दरख़्वास्त की है तो वाक़ई तुम पर ज़ुल्म किया है) यही दो बातें क़ाबिले ग़ौर हैं- एक तो यह कि हज़रत दाऊद अ़लैहिस्सलाम ने यह जुमला सिर्फ़ मुद्दई (दावा करने वाले) की बात सुनकर इरशाद फ़रमा दिया, मुद्दआ़ अ़लैहि (जिस पर दावा किया गया उस) का बयान नहीं सुना। इस पर कुछ हज़रात ने तो यह कहा है कि वह चूक जिस पर आपने इस्तिग़फ़ार फ़रमाया यही चूक थी। लेकिन दूसरे मुफ़स्सिरीन ने कहा है कि हक़ीक़त में यहाँ मुक़द्दमे की पूरी तफ़सीलात बयान नहीं हो रही हैं सिर्फ़ ज़रूरी बातें बयान की गई हैं। हज़रत दाऊद अ़लैहिस्सलाम ने यक़ीनन मुद्दआ़ अ़लैहि से उसका पक्ष सुना होगा लेकिन उसे यहाँ इसलिये बयान नहीं किया गया कि फ़ैसलों का परिचित तरीक़ा यही है, हर शख़्स समझ सकता है कि यहाँ मुद्दआ़ अ़लैहि से पूछने का हिस्सा बयान नहीं हुआ है।

साथ ही यह भी मुम्किन है कि अगरचे आने वालों ने हज़रत दाऊद अ़लैहिस्सलाम से अ़दालती फ़ैसला तलब किया था लेकिन न वह वक़्त अ़दालत का था न फ़ैसले की मज्लिस थी, न वहाँ हज़रत दाऊद अ़लैहिस्सलाम के पास अपने फ़ैसले को नाफ़िज़ (लागू) करने के असबाब जमा थे। इसलिये हज़रत दाऊद अ़लैहिस्सलाम ने क़ाज़ी की हैसियत में नहीं बल्कि मुफ़्ती की हैसियत में फ़तवा दिया, और मुफ़्ती का काम वाक़िए की तहक़ीक़ करना नहीं होता बल्कि जैसा सवाल हो उसी के मुताबिक़

जवाब देना होता है।

किसी क़िस्म के दबाव के साथ चन्दा या हदिया भी तलब करना ग़सब है

दूसरी बात यहाँ यह ध्यान देने के क़ाबिल यह है कि हज़रत दाऊद अ़लैहिस्सलाम ने एक शख़्स के महज़ दुंबी माँगने को ज़ुल्म क़रार दिया हालाँकि बज़ाहिर किसी से सिर्फ़ कोई चीज़ माँग लेना कोई जुर्म नहीं है। वजह यह है कि अगरचे सूरत पूछने की थी लेकिन जिस क़ौली और अ़मली दबाव के साथ यह सवाल किया जा रहा था उसकी मौजूदगी में इसकी हैसियत ग़सब (छीनने और दबाने) की सी हो गई थी।

इससे मालूम यह हुआ कि अगर कोई आदमी किसी से इस तरह कोई चीज़ माँगे कि मुख़ातब (सामने वाला) राज़ी हो या नाराज़ लेकिन उसके पास देने के सिवा कोई चारा न रहे तो इस तरह हदिया तलब करना भी ग़सब (छीनने और ज़बरदस्ती लेने) में दाख़िल है। लिहाज़ा अगर माँगने वाला कोई ताक़त व रुतबे वाला और सम्मानित शख़्स हो और मुख़ातब उसकी शख़्सियत के दबाव की वजह से इनकार न कर सकता हो तो वहाँ सूरत चाहे हदिया तलब करने की हो लेकिन हक़ीक़त में वह ग़सब ही होता है, और माँगने वाले के लिये इस तरह हासिल की हुई चीज़ का इस्तेमाल जायज़ नहीं होता। यह मसला ख़ास तौर पर उन लोगों के लिये बहुत तवज्जोह करने का है जो मदरसों व मकतबों, मस्जिद या अन्जुमनों और जमाअ़तों के लिये चन्दे वसूल करते हैं। सिर्फ़ वह चन्दा हलाल है जो देने वाले ने अपने मुकम्मल इख़्तियार और दिल की ख़ुशी के साथ दिया हो। और अगर चन्दा करने वालों ने अपनी शख़्सियत का दबाव डालकर या एक साथ आठ-दस आदमियों ने किसी एक शख़्स को परेशान व मजबूर करके चन्दा वसूल कर लिया तो यह खुला नाजायज़ काम है। हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम का स्पष्ट इरशाद है कि:

لايحل مال امرئ مسلم الا بطيب نفس منه.

किसी मुसलमान का माल उसकी दिल की ख़ुशी के बग़ैर हलाल नहीं।

मामलात की शिर्कत में बड़ी एहतियात की ज़रूरत है

وَاِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ الْخُلَطَآءِ لَيَبْغِىْ بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ.

(और बहुत से शरीक एक-दूसरे पर ज़्यादती किया करते हैं) इससे इस बात पर तंबीह कर दी है कि जब दो इनसानों में शिर्कत का कोई मामला हो तो उसमें अक्सर एक दूसरे की हक़-तल्फ़ियाँ हो जाती हैं, कई बार एक आदमी एक काम को मामूली समझकर कर गुज़रता है लेकिन हक़ीक़त में वह गुनाह का सबब बन जाता है। इसलिये इस मामले में बड़ी एहतियात की ज़रूरत है।

وَظَنَّ دَاوٗدُ اَنَّمَا فَتَنّٰهُ

(और दाऊद अ़लैहिस्सलाम को ख़्याल आया कि हमने उनका इम्तिहान लिया है) अगर मुक़द्दमे

की सूरत को हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की ख़ता और चूक की एक मिसाली शक्ल क़रार दिया जाये तब तो यह ख़्याल आना ज़ाहिर ही है, और अगर मुक़द्दमे की सूरत का इससे कोई ताल्लुक़ न हो तब भी दोनों फ़रीक़ों की मजमूई हालत यह ज़ाहिर करने के लिये काफ़ी थी कि ये इम्तिहान के लिये भेजे गये हैं। एक तरफ़ तो उन फ़रीक़ों ने मुक़द्दमे के फ़ैसले के लिये इतनी जल्दबाज़ी और जुर्रत से काम लिया कि दीवार फाँदकर चले आये, दूसरी तरफ़ जब मुक़द्दमा पेश हुआ तो मुद्दआ़ अ़लैहि ख़ामोश बैठा रहा और क़ौली या अ़मली तौर से मुद्दई की बात को कुछ कहे बग़ैर तस्लीम कर लिया।

अगर मुद्दई (दावा करने वाले) के बयान किये हुए वाक़िए को मुद्दआ़ अ़लैहि (जिस पर दावा किया गया) तस्लीम करता था तो झगड़े का फ़ैसला कराने के लिये हज़रत दाऊद अ़लैहिस्सलाम के पास आने की ज़रूरत ही न थी, एक मामूली अ़क्ल का आदमी भी समझ सकता था कि हज़रत दाऊद अ़लैहिस्सलाम इस सूरत में मुद्दई के हक़ ही में फ़ैसला करेंगे। फ़रीक़ों का यह रहस्यमय अन्दाज़े अ़मल बता रहा था कि यह कोई ग़ैर-मामूली (असाधारण) क़िस्सा है। हज़रत दाऊद अ़लैहिस्सलाम ने भाँप लिया कि ये अल्लाह के भेजे हुए आये हैं और मेरा इम्तिहान मक़सूद है। और कुछ रिवायतों में यह भी आया है कि फ़ैसला सुनने के बाद वे एक दूसरे की तरफ़ देखकर मुस्कुराये और देखते ही देखते आसमान पर चले गये। वल्लाहु आलम

فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهٗ وَخَرَّ رَاكِعًا وَّاَنَابَ ○

(पस उन्होंने अपने परवर्दिगार से मग़फ़िरत तलब की और सज्दे में गिर पड़े और रुजू हुए) यहाँ दर असल 'रुकूअ़' का लफ़्ज़ इस्तेमाल हुआ है जिसके लुग़वी मायने झुकने के हैं, और अक्सर मुफ़स्सिरीन के नज़दीक इससे मुराद सज्दा है। हनफ़ी हज़रात के नज़दीक इस आयत की तिलावत से सज्दा वाजिब हो जाता है।

रुकूअ़ से सज्दा-ए-तिलावत अदा हो जाता है

और इमाम अबू हनीफ़ा रह. ने इस आयत से इस बात पर दलील ली है कि अगर नमाज़ में सज्दे की आयत की तिलावत की गई है तो रुकूअ़ में सज्दे की नीयत कर लेने से सज्दा अदा हो जाता है, इसलिये कि यहाँ बारी तआ़ला ने सज्दे के लिये रुकूअ़ का लफ़्ज़ इस्तेमाल फ़रमाया है जो इस बात की दलील है कि रुकूअ़ भी सज्दे के क़ायम-मक़ाम हो सकता है, लेकिन इस सिलसिले में चन्द ज़रूरी मसाईल याद रखने चाहियें।

सज्दा-ए-तिलावत के कुछ मसाईल

मसलाः नमाज़ के फ़र्ज़ रुकूअ़ के ज़रिये सज्दा सिर्फ़ उस सूरत में अदा हो सकता है जबकि सज्दे की आयत नमाज़ में पढ़ी गई हो, नमाज़ से बाहर तिलावत करने में रुकूअ़ से सज्दा अदा नहीं होता। इसलिये कि रुकूअ़ सिर्फ़ नमाज़ में इबादत है, नमाज़ से बाहर इसका हुक्म नहीं। (बदाए)

मसलाः रुकूअ़ में सज्दा सिर्फ़ उस वक़्त अदा होगा जबकि सज्दे की आयत तिलावत करने के फ़ौरन बाद या ज़्यादा से ज़्यादा दो तीन आयतें मज़ीद तिलावत करके रुकूअ़ कर लिया हो। और अगर सज्दे की आयत के बाद खड़े-खड़े लम्बी क़िराअत की हो तो सज्दा रुकूअ़ में अदा नहीं होगा।

मसलाः अगर सज्दा-ए-तिलावत रुकूअ़ में अदा करने का ख़्याल हो तो रुकूअ़ में जाते वक़्त

सज्दा-ए-तिलावत की नीयत कर लेनी चाहिये वरना उस रुकूअ़ से सज्दा अदा नहीं होगा। हाँ जब सज्दे में जाने लगा तो बिना नीयत भी सज्दा अदा हो जायेगा।

मसलाः अफ़ज़ल बहरहाल यही है कि सज्दा-ए-तिलावत को नमाज़ के फ़र्ज़ रुकूअ़ में अदा करने के बजाय मुस्तकिल सज्दा किया जाये, और सज्दे से उठकर एक दो आयतें तिलावत करके फिर रुकूअ़ में जायें। (बदाए)

وَاِنَّ لَهٗ عِنْدَنَا لَزُلْفٰى وَحُسْنَ مَاٰبٍ ۝

(और बिला शुब्हा उनके लिये हमारे यहाँ ख़ास निकटता और नेक-अन्जामी है) इस आयत पर वाक़िए को ख़त्म करके इस बात की तरफ़ इशारा कर दिया गया कि हज़रत दाऊद अ़लैहिस्सलाम की चूक जो कुछ भी रही हो उनके इस्तिग़फ़ार और अल्लाह की तरफ़ रुजू के बाद अल्लाह तआ़ला के साथ उनके ताल्लुक़ में और इज़ाफ़ा हो गया।

ग़लती पर तंबीह में हिक्मत की रियायत

इस वाक़िए से मुताल्लिक़ एक और बात क़ाबिले ज़िक्र है कि हज़रत दाऊद अ़लैहिस्सलाम की भूल-चूक चाहे कुछ रही हो अल्लाह तआ़ला डायरेक्ट वही के ज़रिये भी आपको उस पर मुतनब्बेह (आगाह व सचेत) फ़रमा सकते थे लेकिन इसके बजाय एक मुक़द्दमा भेजकर तंबीह के लिये यह ख़ास तरीक़ा क्यों इख़्तियार किया गया? हक़ीक़त में इस तरीक़े पर ग़ौर करने से 'अम्र बिल्-मारूफ़ व नही अ़निल्-मुन्कर' का फ़रीज़ा अन्जाम देने वालों को यह हिदायत दी गई है कि किसी शख़्स को उसकी ग़लती पर तंबीह के लिये हिक्मत से काम लेने की ज़रूरत है, और उसके लिये ऐसा तरीक़ा इख़्तियार करना ज़्यादा अच्छा है जिससे सम्बन्धित शख़्स अपने आप अपनी ग़लती को महसूस कर ले और उसे ज़बानी तंबीह की ज़रूरत ही पेश न आये। और इसके लिये ऐसी मिसालों और अ़मली शक्लों से काम लेना ज़्यादा असरदार होता है जिससे किसी का दिल भी न दुखे और ज़रूरी बात भी वाज़ेह हो जाये।

يٰدَاوٗدُ اِنَّا جَعَلْنٰكَ خَلِيْفَةً فِى الْاَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۗ اِنَّ الَّذِيْنَ يَضِلُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌۢ بِمَا نَسُوْا يَوْمَ الْحِسَابِ ۝

ع ۲ 11

या दावूदु इन्ना जअ़ल्ना-क ख़ली-फ़तन् फ़िल्अर्ज़ि फ़ह्कुम् बैनन्नासि बिल्हक़्क़ि व ला तत्तबिअ़िल्-हवा फ़युज़िल्ल-क अ़न् सबीलिल्लाहि, इन्नल्लज़ी-न यज़िल्लू-न अ़न् सबीलिल्लाहि लहुम् अ़ज़ाबुन् शदीदुम्- बिमा नसू यौमल्-	ऐ दाऊद! हमने किया तुझको नायब मुल्क में सो तू हुकूमत कर लोगों में इन्साफ़ से और न चल जी की इच्छा पर फिर वह तुझको बिचलावे अल्लाह की राह से। मुक़र्रर (बेशक) जो बिचलते हैं अल्लाह की राह से उनको सख़्त अ़ज़ाब है इस बात पर कि भुला दिया उन्होंने

हिसाब (26) ✪	हिसाब का दिन। (26) ✪

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

ऐ दाऊद (अ़लैहिस्सलाम)! हमने तुमको ज़मीन पर हाकिम बनाया है सो (जिस तरह अब तक करते रहे हो इसी तरह आईन्दा भी) लोगों में इन्साफ़ के साथ फ़ैसला करते रहना, और (जिस तरह अब तक कभी नफ़्सानी इच्छा की पैरवी नहीं की इसी तरह आईन्दा भी) नफ़्सानी इच्छा की पैरवी मत करना (अगर ऐसा करोगे तो) वह ख़ुदा के रास्ते से तुमको भटका देगी। (और) जो लोग ख़ुदा के रास्ते से भटकते हैं उनके लिये सख़्त अ़ज़ाब होगा, इस वजह से कि वे हिसाब के दिन को भूले रहे।

मआ़रिफ़ व मसाईल

हज़रत दाऊद अ़लैहिस्सलाम को अल्लाह तआ़ला ने नुबुव्वत के साथ हुकूमत व सल्तनत भी अ़ता फ़रमाई थी, चुनाँचे इस आयत में हुकूमत व सियासत के लिये आपको एक बुनियादी हिदायत नामा अ़ता कर दिया है, इस हिदायत नामे में तीन बुनियादी बातें इरशाद फ़रमाई गई हैं:

1. हमने आपको ज़मीन में अपना ख़लीफ़ा बनाया है।

2. इस हैसियत से आपका बुनियादी काम हक़ के मुताबिक़ फ़ैसला करना है।

3. और इस काम के लिये नफ़्सानी इच्छाओं की पैरवी से बचना एक लाज़िमी शर्त की हैसियत रखता है।

जहाँ तक ज़मीन में ख़लीफ़ा बनाने का ताल्लुक़ है इसका मफ़्हूम सूरः ब-क़रह में गुज़र चुका है (देखिये मआ़रिफ़ुल-क़ुरआन की पहली जिल्द) और इसी से इस्लामी सियासत का यह बुनियादी उसूल वाज़ेह होता है कि "असल और सबसे बड़ी ताक़त व हुकूमत अल्लाह तआ़ला को हासिल है" ज़मीन के हुक्मराँ (शासक) उसी के अहकाम के मुताबिक़ चलने के लिये बाध्य हैं उससे बाहर नहीं जा सकते। लिहाज़ा मुसलमानों का हाकिम, शूरा या संसद इस्लामी क़ानून की व्याख्या व तशरीह या मुरत्तब तो कर सकती है लेकिन हक़ीक़त में वो क़ानून बनाने वाले नहीं बल्कि अल्लाह के क़ानून को पेश करने वाले हैं।

इस्लामी हुकूमत का बुनियादी काम हक़ को क़ायम करना है

दूसरी बात यहाँ वाज़ेह कर दी गई है कि इस्लामी रियासत (हुकूमत) का बुनियादी काम हक़ को क़ायम करना है, हुकूमत पर लाज़िम है कि वह अपने इन्तिज़ामी मामलात और विवादों के तस्फ़िये में हक़ व इन्साफ़ क़ायम करे।

इस्लाम चूँकि एक हमेशा रहने वाला दीन है इसलिये इसने सियासत व हुक्मरानी के लिये ऐसे इन्तिज़ामी अहकाम और आंशिक बातों का निर्धारण नहीं किया जो हालात और ज़माने के बदलने से तब्दीली के क़ाबिल हो जायें, बल्कि कुछ ऐसी बुनियादी हिदायतें अ़ता फ़रमा दी हैं जिनकी रोशनी में हर ज़माने के मुताबिक़ इन्तिज़ामी अहकाम और उन उसूलों से निकलने वाली हिदायतें ख़ुद तय की

जा सकती हैं, इसी लिये यहाँ यह बात तो बता दी गई है कि हुकूमत का असल काम हक़ को क़ायम करना है लेकिन उसकी इन्तिज़ामी तफ़सीलात हर दौर के सही समझ रखने वाले मुसलमानों की राय पर छोड़ी गई हैं।

न्याय पालिका और इन्तिज़ामिया का रिश्ता

चुनाँचे यह बात कि न्याय पालिका इन्तिज़ामिया (प्रशासन) से बिल्कुल अलग है या उसके साथ जुड़ी हुई है, इस मसले में कोई ऐसा मुतैयन हुक्म नहीं दिया गया जो हर दौर में नाक़ाबिले तब्दील हो, अगर किसी ज़माने में हुक्मरानों की ईमानदारी व सच्चाई पर पूरा भरोसा किया जा सकता हो तो न्याय पालिका और इन्तिज़ामिया की दूई को मिटाया जा सकता है। और अगर किसी दौर में हुक्मरानों की ईमानदारी व सच्चाई पर पूरा भरोसा न हो तो न्याय पालिका को इन्तिज़ामिया से बिल्कुल आज़ाद भी रखा जा सकता है।

हज़रत दाऊद अ़लैहिस्सलाम अल्लाह के ख़ास और चुनिन्दा पैग़म्बर थे, उनसे ज़्यादा ईमानदारी व सच्चाई का कौन दावा कर सकता था? इसलिये उन्हें एक साथ इन्तिज़ामिया और न्याय पालिका दोनों का ज़िम्मेदार व अध्यक्ष बनाकर विवादों और झगड़ों के फ़ैसले की ज़िम्मेदारी भी सौंपी गई। अम्बिया अ़लैहिमुस्सलाम के अ़लावा ख़ुलफ़ा-ए-राशिदीन में भी यही तरीक़ा रहा कि अमीरुल-मोमिनीन ख़ुद ही क़ाज़ी भी होता था, बाद की इस्लामी हुकूमतों में इस तरीक़े को बदला गया और अमीरुल-मोमिनीन को इन्तिज़ामिया (शासन व प्रशासन) का और क़ाज़ी को न्याय पालिका का मुखिया बनाया गया।

तीसरी हिदायत जिस पर इस आयत में सबसे ज़्यादा ज़ोर दिया गया है वह यह है कि नफ़्सानी इच्छाओं की पैरवी मत करो और हिसाब के दिन को हर वक़्त ध्यान में रखो। इस हिदायत पर सबसे ज़्यादा ज़ोर इसलिये दिया गया है कि यह चीज़ हक़ को क़ायम करने की बुनियाद है। जिस हाकिम या क़ाज़ी के दिल में ख़ुदा का ख़ौफ़ और आख़िरत की फ़िक्र है वही सही मायने में हक़ व इन्साफ़ क़ायम कर सकता है, और अगर यह नहीं है तो आप अच्छे से अच्छा क़ानून बना लीजिये इनसानी नफ़्स की साज़िशें और मक्कारियाँ हर जगह अपना रास्ता ख़ुद बना लेती हैं और उनकी मौजूदगी में कोई बेहतर से बेहतर क़ानूनी निज़ाम भी हक़ व इन्साफ़ क़ायम नहीं कर सकता। दुनिया की तारीख़ और मौजूदा ज़माने के हालात इस पर गवाह हैं।

ज़िम्मेदारी के ओहदों में सबसे पहले देखने की चीज़ इनसान का किरदार है

यहीं से यह भी मालूम हो गया कि किसी शख़्स को हाकिम, क़ाज़ी या किसी महकमे का अफ़सर बनाने के लिये सबसे पहले देखने की बात यह है कि उसमें ख़ुदा का ख़ौफ़ और आख़िरत की फ़िक्र है या नहीं, और उसके अख़्लाक़ व किरदार (आचरण) की क्या हालत है? अगर यह महसूस हो कि उसके दिल पर ख़ौफ़े ख़ुदा के बजाय नफ़्सानी इच्छा की हुक्मरानी है तो चाहे वह कैसी ही ऊँची डिग्रियाँ रखता हो और अपने फ़न में कितना ही माहिर और पुख़्ता हो, इस्लाम की नज़र में वह किसी

ऊँचे पद और ज़िम्मेदारी का मुस्तहिक़ (पात्र) नहीं है।

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَآءَ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ۚ ذٰلِكَ ظَنُّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ۚ فَوَيْلٌ لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنَ النَّارِ ۞ اَمْ نَجْعَلُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ كَالْمُفْسِدِيْنَ فِى الْاَرْضِ ۡ اَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِيْنَ كَالْفُجَّارِ ۞ كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ اِلَيْكَ مُبٰرَكٌ لِّيَدَّبَّرُوْا اٰيٰتِهٖ وَلِيَتَذَكَّرَ اُولُوا الْاَلْبَابِ ۞

व मा ख़लक़्नस्समा-अ वल्अर्-ज़ व मा बैनहुमा बातिलन्, ज़ालि-क ज़न्नुल्लज़ी-न क-फ़रू फ़वैलुल्-लिल्लज़ी-न क-फ़रू मिनन्नार (27) अम् नज्अलुल्लज़ी-न आमनू व अ़मिलुस्सालिहाति कल्-मुफ़्सिदी-न फ़िल्अर्ज़ि अम् नज्अ़लुल्-मुत्तक़ी-न कल्फ़ुज्जार (28) किताबुन् अन्ज़ल्नाहु इलै-क मुबारकुल्-लियद्-दब्बरू आयातिही व लि-य-तज़क्क-र उलुल्-अल्बाब (29)	और हमने नहीं बनाया आसमान और ज़मीन को और जो उनके बीच में है निकम्मा, यह ख़्याल है उनका जो मुन्किर हैं, सो ख़राबी है मुन्किरों के लिये आग से। (27) क्या हम कर देंगे ईमान वालों को जो करते हैं नेकियाँ बराबर उनके जो ख़राबी डालें मुल्क में, क्या हम कर देंगे डरने वालों को बराबर ढीठ लोगों के? (28) एक किताब है जो उतारी हमने तेरी तरफ़ बरकत की ताकि ध्यान करें लोग उसकी बातें और ताकि समझें अ़क्ल वाले। (29)

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

और हमने आसमान व ज़मीन को और जो चीज़ें उनके बीच में मौजूद हैं उनको हिक्मत से ख़ाली पैदा नहीं किया (बल्कि बहुत सी हिक्मतें हैं जिनमें सबसे बड़ी हिक्मत यह है कि उनसे तौहीद और आख़िरत साबित होती है) यह (यानी उनका हिक्मत से ख़ाली होना) उन लोगों का ख़्याल है जो काफ़िर हैं (क्योंकि जब तौहीद और आख़िरत की जज़ा व सज़ा का इनकार किया तो कायनात के बनाने की सबसे बड़ी हिक्मत का इनकार कर दिया) सो काफ़िरों के लिये (आख़िरत में) बड़ी ख़राबी है यानी दोज़ख़ (क्योंकि वे तौहीद का इनकार करते थे) हाँ! (एक ग़लती उनकी यह है कि क़ियामत के इनकारी हैं हालाँकि क़ियामत में यह हिक्मत है कि नेकियों को जज़ा और बुरे काम करने वालों को सज़ा मिले, अब उनके क़ियामत के इनकार से लाज़िम आता है कि इस हिक्मत का ज़हूर न हो बल्कि सब बराबर रहें) तो क्या हम उन लोगों को जो कि ईमान लाये और अच्छे काम किए उनके बराबर उन्हें कर देंगे जो (कुफ़्र वग़ैरह करके) दुनिया में फ़साद करते फिरते हैं, या (दूसरे अलफ़ाज़ में क्या) हम परहेज़गारों को बदकारों के बराबर कर देंगे? (यानी ऐसा नहीं हो सकता, लिहाज़ा क़ियामत ज़रूर

आयेगी ताकि नेकों को जज़ा और बदकारों को सज़ा मिले। इसी तरह तौहीद और आख़िरत के साथ रिसालत पर ईमान रखना भी ज़रूरी है क्योंकि) यह (क़ुरआन) एक बरकत वाली किताब है जिसको हमने आप पर इस वास्ते नाज़िल किया है ताकि लोग इसकी आयतों में ग़ौर करें (यानी उनके बेमिसाल होने में भी और बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाले मज़ामीन में भी) और ताकि (ग़ौर से इसकी हक़ीक़त मालूम करके इससे) समझदार लोग नसीहत हासिल करें (यानी इस पर अ़मल करें)।

मआ़रिफ़ व मसाईल

आयतों में एक लतीफ़ तरतीब

ये आयतें जिनमें इस्लाम के बुनियादी अ़क़ीदों, ख़ास तौर से आख़िरत को साबित किया गया है हज़रत दाऊद व सुलैमान अ़लैहिमस्सलाम के वाक़िआ़त के बीच में बहुत ही लतीफ़ तरतीब के साथ आई हैं। इमाम राज़ी रह. फ़रमाते हैं कि अगर कोई शख़्स हठधर्मी की वजह से न समझ रहा हो तो उससे हिक्मत भरा तरीक़ा यह है कि जिस विषय में बात चल रही हो उसको छोड़कर कोई ग़ैर-संबन्धित बात शुरू कर दी जाये और जब उसका ज़ेहन पहली बात से हट जाये तो बातों ही बातों में उसे पहली बात मानने पर मजबूर कर दिया जाये। यहाँ आख़िरत को साबित करने के लिये यही तरीक़ा इख़्तियार किया गया है। हज़रत दाऊद अ़लैहिस्सलाम के वाक़िए से पहले काफ़िरों की हठधर्मियों का ज़िक्र चल रहा था जो इस आयत पर ख़त्म हुआ किः

وَقَالُوْا رَبَّنَا عَجِّلْ لَّنَا قِطَّنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ۝

जिसका हासिल यह था कि वे लोग आख़िरत का इनकार करते और उसका मज़ाक़ उड़ाते हैं। इसके फ़ौरन बाद यह इरशाद हुआ किः

اِصْبِرْ عَلٰى مَا يَقُوْلُوْنَ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوٗدَ

(उनकी बातों पर सब्र कीजिये और हमारे बन्दे दाऊद को याद कीजिये) इस तरह एक नई बात शुरू कर दी गई लेकिन हज़रत दाऊद अ़लैहिस्सलाम के वाक़िए को इस बात पर ख़त्म किया गया किः

"ऐ दाऊद! हमने तुमको ज़मीन में ख़लीफ़ा बनाया है लिहाज़ा तुम लोगों में इन्साफ़ के साथ फ़ैसला करते रहना।"

अब यहाँ से एक ग़ैर-महसूस तरीक़े पर आख़िरत को साबित कर दिया गया कि जो ज़ात ज़मीन में अपने ख़लीफ़ा को अ़दल व इन्साफ़ क़ायम करने का हुक्म दे रही है, जिसका हासिल यह है कि बदकारों को सज़ा मिले और नेकों को राहत, क्या वह ख़ुद इस कायनात में अ़दल व इन्साफ़ क़ायम नहीं करेगी? यक़ीनन उसकी हिक्मत का तक़ाज़ा यह है कि वह अच्छे और बुरे तमाम लोगों को एक लाठी से हाँकने के बजाय बदकारों को सज़ा दे और नेकोकारों को इनाम अ़ता फ़रमाये, यही इस कायनात के बनाने का मक़सद है और इसको अ़मल में लाने और ज़ाहिर करने के लिये क़ियामत व आख़िरत का वजूद उसकी हिक्मत के ऐन मुताबिक़ है। जो लोग आख़िरत का इनकार करते हैं वे गोया ज़बाने हाल से यह कहते हैं कि यह कायनात बेमक़सद और हिक्मत से ख़ाली पैदा कर दी गई

है और इसमें अच्छे-बुरे तमाम लोग ज़िन्दगी गुज़ारकर मर जायेंगे और फिर उनसे कोई पूछने वाला न होगा। हालाँकि अल्लाह तआ़ला की हिक्मत पर ईमान रखने वाला इस बात को कभी तस्लीम नहीं कर सकता।

اَمْ نَجْعَلُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ كَالْمُفْسِدِيْنَ فِي الْاَرْضِ اَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِيْنَ كَالْفُجَّارِ ○

(तो क्या हम ईमान लाने वालों और नेकोकारों को ज़मीन में फ़साद फैलाने वालों के बराबर कर देंगे, या परहेज़गारों को बदकारों के बराबर कर देंगे?) यानी ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता, बल्कि दोनों का अन्जाम बिल्कुल अलग और भिन्न होगा। इसी से यह बात मालूम हो गई कि मोमिन और काफ़िर का यह फ़र्क़ आख़िरत के अहकाम के एतिबार से है, दुनिया में यह भी हो सकता है कि काफ़िर को मोमिन से बढ़कर माद्दी राहतें मिल जायें, साथ ही इससे यह नतीजा भी नहीं निकाला जा सकता कि काफ़िर के दुनियावी हुक़ूक़ मोमिन के बराबर नहीं हो सकते, बल्कि काफ़िर को मुसलमान के बराबर इनसानी हुक़ूक़ दिये जा सकते हैं, चुनाँचे इस्लामी हुकूमत में जो ग़ैर-मुस्लिम अल्पसंख्यक वर्ग अ़हद व पैमान के साथ बस्ते हों उन्हें तमाम इनसानी हुक़ूक़ मुसलमानों के बराबर ही दिये जायेंगे।

وَوَهَبْنَا لِدَاوٗدَ سُلَيْمٰنَ ۭ نِعْمَ الْعَبْدُ ۭ اِنَّهٗٓ اَوَّابٌ ۝ اِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصّٰفِنٰتُ الْجِيَادُ ۝ فَقَالَ اِنِّيْٓ اَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّيْ ۚ حَتّٰى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ ۝ رُدُّوْهَا عَلَيَّ ۭ فَطَفِقَ مَسْحًۢا بِالسُّوْقِ وَالْاَعْنَاقِ ۝

व व-हब्ना लिदावू-द सुलैमा-न, निअ्मल्-अ़ब्दु इन्नहू अव्वाब (30) इज़् अुरि-ज़ अ़लैहि बिल्अ़शिय्यिस्-साफ़िनातुल्-जियाद (31) फ़क़ा-ल इन्नी अह्बब्तु हुब्बल्-ख़ैरि अ़न् ज़िक्रि रब्बी हत्ता तवारत् बिल्-हिजाब (32) रुद्दूहा अ़लय्-य फ़-तफ़ि-क़ मस्हम्-बिस्सूक़ि वल्-अअ्नाक़ (33)	और दिया हमने दाऊद को सुलैमान बहुत ख़ूब बन्दा, वह है रुजू होने वाला। (30) जब दिखाने को लाये उसके सामने शाम को घोड़े बहुत ख़ास (31) तो बोला मैंने दोस्त रखा माल की मुहब्बत को अपने रब की याद से यहाँ तक कि सूरज छुप गया ओट में। (32) फेर लाओ उनको मेरे पास फिर लगा झाड़ने उनकी पिण्डलियाँ और गर्दनें। (33)

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

और हमने दाऊद (अ़लैहिस्सलाम) को सुलैमान (अ़लैहिस्सलाम बेटा) अ़ता किया, बहुत अच्छे बन्दे थे कि (ख़ुदा तआ़ला की तरफ़) बहुत रुजू होने वाले थे (चुनाँचे उनका वह क़िस्सा याद करने के

क़ाबिल है) जबकि शाम के वक़्त उनके रू-ब-रू असील (और) उम्दा घोड़े (जो जिहाद वग़ैरह के मक़सद से रखे जाते थे) पेश किये गये (और उनके देखने में इस क़द्र देर हो गई कि दिन छुप गया और उनका कोई मामूल जो नमाज़ से जुड़ा हुआ था छूट गया और रौब व हैबत की वजह से किसी ख़ादिम की जुर्रत न हुई कि आगाह करे और याद दिलाये। फिर जब ख़ुद ही तवज्जोह हुई) तो कहने लगे कि (अफ़सोस) मैं इस माल की मुहब्बत की ख़ातिर (लगकर) अपने रब की याद से (यानी नमाज़ से) ग़ाफ़िल हो गया, यहाँ तक कि सूरज पर्दे (मग़रिब) में छुप गया। (फिर ख़ादिमों को हुक्म दिया कि) उन घोड़ों को ज़रा फिर मेरे सामने लाओ (चुनाँचे लाये गये) सो उन्होंने उन (घोड़ों) की पिण्डलियों और गर्दनों पर (तलवार से) हाथ साफ़ करना शुरू किया (यानी उनको ज़िबह कर डाला)।

मआरिफ़ व मसाईल

इन आयतों में हज़रत सुलैमान अलैहिस्सलाम का एक वाक़िआ ज़िक्र किया गया है। इस वाक़िए की मशहूर तफ़सीर वही है जो ऊपर ख़ुलासा-ए-तफ़सीर में ज़िक्र की गई है। जिसका ख़ुलासा यह है कि हज़रत सुलैमान अलैहिस्सलाम घोड़ों के देखने में ऐसे मशग़ूल हुए कि अ़सर का वक़्त जो नमाज़ पढ़ने का मामूल था वह छूट गया, बाद में सचेत होकर आपने उन तमाम घोड़ों को ज़िबह कर डाला कि उनकी वजह से अल्लाह की याद में ख़लल पड़ा था।

यह नमाज़ नफ़्ली भी हो सकती है और इस सूरत में कोई इश्काल नहीं क्योंकि अम्बिया अलैहिमुस्सलाम इतनी ग़फ़लत की भी तलाफ़ी (पूर्ति) करने की कोशिश करते हैं, और यह भी हो सकता है कि फ़र्ज़ नमाज़ हो और घोड़ों के देखने में लगकर भूल तारी हो गई हो, भूल जाने की सूरत में फ़र्ज़ नमाज़ के क़ज़ा होने से गुनाह तो नहीं होता लेकिन हज़रत सुलैमान अलैहिस्सलाम ने अपने बुलन्द मुक़ाम को देखते हुए उसकी भी भरपाई की।

इन आयतों की यह तफ़सीर अनेक तफ़सीर के इमामों से मन्क़ूल है और हाफ़िज़ इब्ने कसीर रह. जैसे बड़े और ज़बरदस्त आ़लिम ने भी इसी को तरजीह दी है और इसकी ताईद एक मरफ़ूअ़ हदीस से भी होती है जो अ़ल्लामा सुयूती रह. ने 'मोजम तबरानी इस्माईली' और 'इब्ने मरदूया' के हवाले से नक़ल की है:

عن ابی بن کعبؓ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی قولہٖ "فَطَفِقَ مَسْحًا م بِالسُّوْقِ وَالْاَعْنَاقِ" قال قطع سوقھا واعناقھا بالسیف.

अ़ल्लामा सुयूती रह. ने इसकी सनद को हसन क़रार दिया है। (दुर्रे मन्सूर पेज 309 जिल्द 5) और अ़ल्लामा हसीमी रह. 'मजमउज़्ज़वाइद' में यह हदीस नक़ल करके लिखते हैं:

"इसे इमाम तबरानी रह. ने औसत में रिवायत किया है, इसमें एक रावी सईद बिन बशीर हैं जिन्हें शोबा वग़ैरह ने मोतबर कहा है, और इब्ने मुईन रह. वग़ैरह ने ज़ईफ़ क़रार दिया है, और इसके बाक़ी रावी भरोसेमन्द हैं।" (मजमउज़्ज़वाइद पेज 99 जिल्द 7 किताबुत्तफ़सीर)

इस मरफ़ूअ़ हदीस की वजह से यह तफ़सीर काफ़ी मज़बूत हो जाती है, लेकिन इस पर उमूमन यह शुब्हा होता है कि घोड़े अल्लाह का अ़ता किया हुआ एक इनाम था और अपने माल को इस तरह

ज़ाया कर देना एक नबी के शान के लायक़ मालूम नहीं होता। लेकिन मुफ़स्सिरीन ने इसका यह जवाब दिया है कि ये घोड़े हज़रत सुलैमान अलैहिस्सलाम की ज़ाती मिल्कियत में थे और उनकी शरीअ़त में गाय, बकरी, ऊँट की तरह घोड़ों की क़ुरबानी भी जायज़ थी, लिहाज़ा उन्होंने घोड़ों को ज़ाया नहीं किया बल्कि उन्हें अल्लाह तआ़ला के नाम पर क़ुरबान किया। जिस तरह गाय, बकरी, ऊँट की क़ुरबानी से उनको ज़ाया करना लाज़िम नहीं आता बल्कि यह इबादत ही एक का शोबा है इसी तरह यहाँ भी इबादत ही के तौर पर उनकी क़ुरबानी पेश की गई। (तफ़सीर रूहुल-मआ़नी)

अक्सर हज़राते मुफ़स्सिरीन ने आयत की यही तफ़सीर की है लेकिन इन आयतों की एक और तफ़सीर हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु से मन्क़ूल है जिसमें वाक़िआ़ बिल्कुल दूसरे तरीक़े से बयान किया गया है। उस तफ़सीर का ख़ुलासा यह है कि हज़रत सुलैमान अ़लैहिस्सलाम के सामने वो घोड़े पेश किये गये जो जिहाद के लिये तैयार किये गये थे। हज़रत सुलैमान अ़लैहिस्सलाम उन्हें देखकर ख़ुश हुए और साथ ही यह इरशाद फ़रमाया कि मुझे इन घोड़ों से जो मुहब्बत और दिल का ताल्लुक़ है वह दुनिया की मुहब्बत की वजह से नहीं बल्कि अपने परवर्दिगार ही की याद की वजह से है, क्योंकि ये जिहाद के लिये तैयार किये गये हैं और जिहाद एक आला दर्जे की इबादत है। इतने में घोड़ों की वह जमाअ़त आपकी निगाहों से एक तरफ़ हो गई, आपने हुक्म दिया कि उन्हें दोबारा सामने लाया जाये, चुनाँचे जब वो दोबारा सामने आये तो आप उनकी गर्दनों और पिण्डलियों पर प्यार से हाथ फेरने लगे।

इस तफ़सीर के मुताबिक़ 'अ़न् ज़िक्रि रब्बी' में 'अ़न्' सबब के मायने में है और छुप जाने वाले घोड़े हैं और साफ़ करने से मुराद काटना नहीं बल्कि मुहब्बत से हाथ फेरना है।

पहले ज़माने के मुफ़स्सिरीन में से हाफ़िज़ इब्ने जरीर तबरी रह. और इमाम राज़ी रह. वग़ैरह ने इसी तफ़सीर को तरजीह दी है, क्योंकि इस पर माल ज़ाया करने का शुब्हा नहीं होता। क़ुरआने करीम के अलफ़ाज़ से दोनों तफ़सीरों की गुंजाईश है, लेकिन पहली तफ़सीर के हक़ में चूँकि एक मरफ़ूअ़ हदीस आ गई है जो सनद के एतिबार से हसन है इसलिये उसकी मज़बूती बढ़ जाती है।

सूरज की वापसी का क़िस्सा

कुछ हज़रात ने पहली तफ़सीर को इख़्तियार करते हुए यह भी कहा है कि अ़सर की नमाज़ क़ज़ा हो जाने के बाद हज़रत सुलैमान अ़लैहिस्सलाम ने अल्लाह तआ़ला से या फ़रिश्तों से यह दरख़्वास्त की कि सूरज को दोबारा लौटाया जाये, चुनाँचे सूरज लौटा दिया गया और आपने अपना मामूल पूरा कर लिया, उसके बाद दोबारा सूरज छुपा। ये हज़रात 'रुद्दूहा' में वापस लाने से सूरज मुराद लेते हैं।

लेकिन मुहक़्क़िक़ मुफ़स्सिरीन जैसे अ़ल्लामा आलूसी रह. वग़ैरह ने इस क़िस्से को नकार दिया और कहा है कि 'रुद्दूहा' में जिनके वापस लाने का ज़िक्र है उससे घोड़े मुराद हैं न कि सूरज, इसलिये नहीं कि मआ़ज़ल्लाह सूरज को दोबारा लौटा देना अल्लाह तआ़ला की क़ुदरत में नहीं बल्कि इसलिये कि यह क़िस्सा क़ुरआन व हदीस की किसी दलील से साबित नहीं है। (तफ़सीर रूहुल-मआ़नी)

ख़ुदा की याद में ग़फ़लत हो तो अपने ऊपर सज़ा मुक़र्रर करना दीनी ग़ैरत का तक़ाज़ा है

बहरहाल! इस वाक़िए से यह बात साबित होती है कि अगर किसी वक़्त अल्लाह की याद से ग़फ़लत हो जाये तो नफ़्स को सज़ा देने के लिये उसे किसी जायज़ काम से मेहरूम कर देना जायज़ है, और हज़राते सूफ़िया-ए-किराम की इस्तिलाह में इसे "ग़ैरत" कहा जाता है। (बयानुल-क़ुरआन)

किसी नेकी की आदत डालने के लिये अपने नफ़्स पर ऐसी सज़ायें मुक़र्रर करना नफ़्स की इस्लाह का एक नुस्ख़ा है और इस वाक़िए से इसका जवाज़ (जायज़ होना) बल्कि मुस्तहब (अच्छा और पसन्दीदा होना) मालूम होता है। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से भी नक़ल किया गया है कि एक मर्तबा हज़रत अबू जहम रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक शामी चादर तोहफ़े के तौर पर पेश की जिस पर कुछ नक़्श व निगार (फूल-बूटे) बने हुए थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उस चादर में नमाज़ पढ़ी और वापस आकर हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से फ़रमाया कि यह चादर अबू जहम को वापस कर दो, क्योंकि नमाज़ में मेरी निगाह इसके नक़्श व निगार पर पड़ गई तो क़रीब था कि यह नक़्श व निगार (डिज़ाईन और फूल-बूटे) मुझे फ़ितने में डाल दें।

(अहकामुल-क़ुरआन मुवत्ता इमाम मालिक के हवाले से)

इसी तरह हज़रत तल्हा रज़ियल्लाहु अन्हु एक मर्तबा अपने बाग़ में नमाज़ पढ़ते हुए एक परिन्दे को देखने में मशग़ूल हो गये जिससे नमाज़ की तरफ़ ध्यान न रहा तो बाद में आपने पूरा बाग़ सदक़ा कर दिया।

लेकिन यह याद रखना चाहिये कि इस मक़सद के लिये सज़ा ऐसी ही होनी चाहिये जो अपने आप में जायज़ हो, किसी माल को बिना वजह ज़ाया कर देना जायज़ नहीं। लिहाज़ा ऐसा कोई काम दुरुस्त नहीं जिससे माल का बरबाद करना लाज़िम आता हो। सूफ़िया हज़रात में से हज़रत शिबली रह. ने एक मर्तबा इसी सज़ा के तौर पर अपने कपड़े जला दिये थे लेकिन सूफ़िया में ऊँचे रुतबे वाले जैसे शैख़ अ़ब्दुल-वह्हाब शेरानी रह. ने उनके इस अ़मल को सही क़रार नहीं दिया। (रूहुल-मआनी)

हाकिम को बज़ाते ख़ुद हुकूमत के कामों की निगरानी करनी चाहिये

इस वाक़िए से दूसरी बात यह मालूम हुई कि हुकूमत के ज़िम्मेदार या ऊँचे दर्जे के अफ़सर को चाहिये कि वह अपने मातहत विभागों पर अपने आप निगरानी रखे और उन्हें अपने मातहतों पर छोड़कर बेफ़िक्र न हो बैठे। यही वजह है कि हज़रत सुलैमान अलैहिस्सलाम ने मातहतों की अधिकता के बावजूद अपने आप घोड़ों का मुआयना फ़रमाया। ख़ुलफ़ा-ए-राशिदीन और ख़ास तौर से हज़रत फ़ारूक़े आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु के अ़मल से भी यही साबित होता है।

एक इबादत के वक़्त दूसरी इबादत में मशग़ूल होना ग़लती है

तीसरी बात इस वाक़िए से यह साबित होती है कि एक समयबद्ध इबादत के वक़्त को किसी दूसरी इबादत में भी ख़र्च न करना चाहिये। ज़ाहिर है कि जिहाद के घोड़ों का मुआयना एक बड़ी इबादत थी लेकिन चूँकि वह वक़्त उस इबादत के बजाय नमाज़ का था इसलिये हज़रत सुलैमान अ़लैहिस्सलाम ने इसको भी ग़लती में शुमार करके उसकी तलाफ़ी की। इसी लिये हमारे फ़ुक़हा ने लिखा है कि जुमे की अज़ान के बाद जिस तरह ख़रीद व बेच में मशग़ूलियत जायज़ नहीं इसी तरह नमाज़े जुमा की तैयारी के अ़लावा किसी और काम में मशग़ूल होना भी दुरुस्त नहीं, चाहे वह क़ुरआन की तिलावत या नफ़िल पढ़ने की इबादत ही क्यों न हो।

وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمٰنَ وَأَلْقَيْنَا عَلٰى كُرْسِيِّهٖ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ ۝

व ल-क़द् फ़तन्ना सुलैमा-न व अल्क़ैना अ़ला कुर्सिय्यिही ज-सदन् सुम्-म अनाब (34)	और हमने जाँचा सुलैमान को और डाल दिया उसके तख़्त पर एक धड़ फिर वह रुजू हुआ। (34)

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

और हमने सुलैमान (अ़लैहिस्सलाम) को (एक और तरह से भी) इम्तिहान में डाला, और हमने उनके तख़्त पर धड़ डाला, फिर उन्होंने (अल्लाह तआ़ला की तरफ़) रुजू किया।

मआ़रिफ़ व मसाईल

इस आयत में अल्लाह तआ़ला ने हज़रत सुलैमान अ़लैहिस्सलाम की एक और आज़माईश का तज़किरा फ़रमाया है, और इस सिलसिले में सिर्फ़ इतना ज़िक्र किया गया है कि इस आज़माईश के दौरान कोई धड़ हज़रत सुलैमान अ़लैहिस्सलाम की कुर्सी पर डाल दिया गया था। अब वह धड़ क्या था, उसके कुर्सी पर डालने का क्या मतलब है और उससे आज़माईश क्योंकर हुई? ये तफ़सीलात न क़ुरआने करीम में मौजूद हैं न किसी सही हदीस से साबित हैं। इसलिये कुछ मुहक़्क़िक़ मुफ़स्सिरीन जैसे हाफ़िज़ इब्ने कसीर रह. का रुझान यहाँ भी इस तरफ़ मालूम होता है कि क़ुरआने करीम ने जिस बात को संक्षिप्त और अस्पष्ट छोड़ा है उसकी तफ़सीलात में पड़ने की कोई ज़रूरत नहीं। बस इतनी बात पर ईमान रखना चाहिये कि अल्लाह तआ़ला ने हज़रत सुलैमान अ़लैहिस्सलाम की कोई आज़माईश की थी जिसके बाद हज़रत सुलैमान अ़लैहिस्सलाम ने अल्लाह तआ़ला की तरफ़ पहले से ज़्यादा रुजू फ़रमाया और क़ुरआने करीम का असल मक़सद इतने बयान से पूरा हो जाता है।

और कुछ मुफ़स्सिरीन ने इस आज़माईश की तफ़सीलात की खोज लगाने की कोशिश की है और इस सिलसिले में अनेक ख़्याल व गुमान और संभावनायें बयान फ़रमाई हैं। उनमें से कुछ ख़्यालात व गुमान तो ख़ालिस इस्राईली रिवायतों से लिये गये हैं जैसे यह कि हज़रत सुलैमान अ़लैहिस्सलाम की

हुकूमत का राज़ उनकी अंगूठी में था, एक दिन एक शैतान ने उस अंगूठी को कब्ज़े में कर लिया और उसकी वजह से वह हज़रत सुलैमान अ़लैहिस्सलाम के तख़्त पर आप ही की शक्ल में हाकिम व बादशाह बन बैठा। चालीस दिन के बाद हज़रत सुलैमान अ़लैहिस्सलाम को यह अंगूठी एक मछली के पेट में से मिली, उसके बाद आपने दोबारा हुकूमत पर कब्ज़ा कर लिया। यह रिवायत कई मज़ीद किस्सों के साथ तफ़सीर की कई किताबों में आई है लेकिन हाफ़िज़ इब्ने कसीर रह. इस किस्म की तमाम रिवायतों को इस्राईली रिवायतों में शुमार करने के बाद लिखते हैं किः

> "अहले किताब (यहूदियों व ईसाईयों) में एक जमाअ़त ऐसी है जो हज़रत सुलैमान अ़लैहिस्सलाम को नबी नहीं मानती। बस ज़ाहिर यह है कि ये झूठे किस्से उन्हीं लोगों ने गढ़े हैं।" (तफ़सीर इब्ने कसीर पेज 36 जिल्द 4)

हज़रत सुलैमान अ़लैहिस्सलाम का एक और वाकिआ सही बुख़ारी वग़ैरह में मज़कूर है। मुफ़स्सिरीन हज़रात में से कुछ ने उस वाकिए के कुछ हिस्सों को क़ुरआने करीम की इस आयत से मिलता-जुलता देखकर उसे इस आयत की तफ़सीर करार दिया है। उस वाकिए का ख़ुलासा यह है कि एक मर्तबा हज़रत सुलैमान अ़लैहिस्सलाम ने यह ख़्याल ज़ाहिर फ़रमाया कि आज रात मैं अपनी बीवियों के साथ उनके निकाह के हक़ की अदायेगी में मश्ग़ूल हूँगा (यानी उनसे सोहबत करूँगा) और उनमें से हर बीवी से एक लड़का पैदा होगा जो अल्लाह के रास्ते में जिहाद करेगा, लेकिन यह ख़्याल ज़ाहिर फ़रमाते वक़्त आप "इन्शा-अल्लाह" कहना भूल गये। अल्लाह तआ़ला को अपने बुलन्द रुतबे वाले पैग़म्बर की यह चूक पसन्द न आई और उसने आपके दावे को इस तरह ग़लत साबित कर दिया कि आपकी तमाम बीवियों में से सिर्फ़ एक बीवी के यहाँ मुर्दा बच्चा पैदा हुआ जिसका एक पहलू (करवट का हिस्सा) ग़ायब था।

कुछ मुफ़स्सिरीन ने इस वाकिए को आयत पर फिट करके यह फ़रमाया कि तख़्त पर धड़ के ला डालने से मुराद यह है कि हज़रत सुलैमान अ़लैहिस्सलाम के किसी ख़ादिम ने यह बच्चा आपके तख़्त पर लाकर रख दिया। हज़रत सुलैमान अ़लैहिस्सलाम इस पर सचेत हुए कि यह अन्जाम मेरे "इन्शा-अल्लाह" न कहने का है चुनाँचे आपने अल्लाह तआ़ला की तरफ़ रुजू फ़रमाया और अपनी इस चूक और भूल पर इस्तिग़फ़ार किया।

इस तफ़सीर को अनेक मुहक़्क़िक़ मुफ़स्सिरीन जैसे क़ाज़ी अबू सऊद और अ़ल्लामा आलूसी रह. वग़ैरह ने इख़्तियार किया है। हकीमुल-उम्मत हज़रत थानवी रह. ने बयानुल-क़ुरआन में भी इसके मुताबिक़ तफ़सीर की है, लेकिन हक़ीक़त यह है कि इस वाकिए को भी आयत की यक़ीनी और निश्चित तफ़सीर नहीं कहा जा सकता, इसलिये कि यह वाकिआ जितनी रिवायतों में आया है उनमें कहीं इस बात की कोई अ़लामत नहीं कि आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने इसको इस आयत के बारे में ज़िक्र फ़रमाया हो। इमाम बुख़ारी रह. ने भी यह हदीस किताबुल-जिहाद किताबुल-अम्बिया और किताबुल-ईमान वन्नुज़ूर वग़ैरह में कई तरीक़ों से नक़ल की है, लेकिन किताबुत्तफ़सीर में सूरः सॉद की तफ़सीर के तहत इसे कहीं ज़िक्र नहीं किया बल्कि सूरः सॉद की आयत 35 के तहत एक दूसरी रिवायत नक़ल की है और उस हदीस का कोई हवाला तक नहीं दिया। इससे मालूम होता है कि इमाम बुख़ारी रह. के नज़दीक भी यह वाकिआ इस आयत जिसका यह बयान चल रहा है की तफ़सीर

नहीं बल्कि जिस तरह अम्बिया अ़लैहिमुस्सलाम के दूसरे अनेक वाक़िआ़त नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने बयान फ़रमाये हैं उसी तरह यह भी अलग से एक वाक़िआ़ है जिसका किसी आयत की तफ़सीर होना कोई ज़रूरी नहीं।

एक तीसरी तफ़सीर इमाम राज़ी रह. वग़ैरह ने बयान की है और वह यह है कि हज़रत सुलैमान अ़लैहिस्सलाम एक मर्तबा सख़्त बीमार हो गये और उसकी वजह से कमज़ोरी इस क़द्र बढ़ गई कि जब तख़्त पर लाकर बैठाये गये तो एक बेरूह जिस्म मालूम होता था, उसके बाद अल्लाह तआ़ला ने उनको सेहत अ़ता फ़रमाई, उस वक़्त उन्होंने अल्लाह तआ़ला की तरफ़ रुजू करके शुक्र भी अदा किया और मग़फ़िरत भी तलब फ़रमाई, और आइन्दा के लिये बेनज़ीर हुकूमत की दुआ़ भी की। लेकिन यह तफ़सीर भी सिर्फ़ अन्दाज़े से की गयी है क़ुरआने करीम के अलफ़ाज़ से भी ज़्यादा मुनासबत नहीं रखती और किसी रिवायत से भी इसका सुबूत नहीं है।

हक़ीक़त यह है कि उपरोक्त आयत में जिस वाक़िए की तरफ़ इशारा किया गया है उसकी यक़ीनी तफ़सीलात मालूम करने का हमारे पास कोई ज़रिया (तरीक़ा और साधन) नहीं है और न हम इसके पाबन्द हैं, लिहाज़ा इतनी बात पर ईमान रखना काफ़ी है कि अल्लाह तआ़ला ने हज़रत सुलैमान अ़लैहिस्सलाम की कोई आज़माईश की थी जिसके बाद उनमें अल्लाह की तरफ़ रुजू करने का जज़्बा पहले से ज़्यादा पैदा हुआ, और इस वाक़िए को ज़िक्र करने से क़ुरआने करीम का असल मक़सद तमाम इनसानों को इस बात की दावत देना है कि वे किसी मुसीबत या आज़माईश में मुब्तला हों तो उन्हें हज़रत सुलैमान अ़लैहिस्सलाम की आज़माईश की तरह अल्लाह की तरफ़ पहले से ज़्यादा रुजू करना चाहिये, रहीं हज़रत सुलैमान अ़लैहिस्सलाम की आज़माईश की तफ़सीलात सो उनको अल्लाह के हवाले करना चाहिये। वल्लाहु आलम

قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِيْ وَهَبْ لِيْ مُلْكًا لَّا يَنْۢبَغِيْ لِاَحَدٍ مِّنْۢ بَعْدِيْ ۚ اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ ۞ فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيْحَ تَجْرِيْ بِاَمْرِهٖ رُخَآءً حَيْثُ اَصَابَ ۞ وَالشَّيٰطِيْنَ كُلَّ بَنَّآءٍ وَّغَوَّاصٍ ۞ وَّاٰخَرِيْنَ مُقَرَّنِيْنَ فِي الْاَصْفَادِ ۞ هٰذَا عَطَآؤُنَا فَامْنُنْ اَوْ اَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ۞ وَاِنَّ لَهٗ عِنْدَنَا لَزُلْفٰى وَحُسْنَ مَاٰبٍ ۞

क़ा-ल रब्बिग़्फ़िर् ली व हब् ली मुल्कल्-ला यम्बग़ी लि-अ-हदिम् मिम्बअ़्दी इन्न-क अन्तल्-वह्हाब (35) फ़-सख़्ख़र्ना लहुर्-री-ह तज्री बि-अम्रिही रुख़ाअन् हैसु असाब (36) वश्शयाती-न कुल्-ल बन्नाइंव्-व ग़व्वास (37) व आख़री-न	बोला ऐ मेरे रब! माफ़ कर मुझको और बख़्श मुझको वह बादशाही कि मुनासिब न हो किसी को मेरे बाद, बेशक तू है सब कुछ बख़्शने वाला। (35) फिर हमने ताबे कर दिया उसके हवा को चलती थी उसके हुक्म से नरम-नरम जहाँ पहुँचना चाहता। (36) और ताबे किये शैतान सारे इमारत बनाने वाले और ग़ोते लगाने वाले (37) और बहुत से और जो आपस में

मुक़र्रनी-न फ़िल्-अस्फ़ाद (38) हाज़ा अ़ता-उना फ़म्नुन् औ अम्सिक् बिग़ैरि हिसाब (39) व इन्-न लहू ज़िन्दना ल-ज़ुल्फ़ा व हुस्-न मआब (40) ✿	जकड़े हुए हैं बेड़ियों में। (38) यह है बख़्शिश हमारी अब तू एहसान कर या रख छोड़ कुछ हिसाब न होगा। (39) और उसके लिये हमारे यहाँ मर्तबा है और अच्छा ठिकाना। (40) ✿

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

(हज़रत सुलैमान अ़लैहिस्सलाम ने अल्लाह से) दुआ़ माँगी कि ऐ मेरे रब! मेरा (पिछला) क़सूर माफ़ फ़रमा और (आईन्दा के लिये) मुझको ऐसी हुकूमत दे कि मेरे सिवा (मेरे ज़माने में) किसी को मयस्सर न हो (चाहे कोई ग़ैब से दिया जाने वाला सामान अ़ता कर दीजिए चाहे मेरे ज़माने के बादशाहों को वैसे ही दबा दीजिए ताकि मुक़ाबला ही न कर सकें, और) आप बड़े देने वाले हैं (आपको इस दुआ़ का क़ुबूल कर लेना कुछ दुश्वार नहीं)। सो (हमने उनकी दुआ़ क़ुबूल की और उनकी ख़ता भी माफ़ कर दी और साथ ही) हमने हवा को उनके ताबे कर दिया कि वह उनके हुक्म से जहाँ वह (जाना) चाहते नरमी से चलती (कि इससे घोड़ों की ज़रूरत न रही) और जिन्नात को भी उनका ताबे कर दिया, यानी तामीर बनाने वालों को भी और (मोती वग़ैरह के लिये) ग़ोता लगाने वालों को भी, और दूसरे जिन्नात को भी जो ज़न्जीरों में जकड़े रहते थे (ग़ालिबन जो सौंपी गयी ख़िदमात से गुरेज़ या उसमें कोताही करता हो उसको क़ैद की सज़ा होती होगी। और हमने यह सामान देकर इरशाद फ़रमाया कि) यह हमारी दैन है सो चाहे (किसी को) दो या न दो, तुमसे कुछ पूछगछ नहीं (यानी जितना सामान हमने तुमको दिया है इसमें तुमको दूसरे बादशाहों की तरह महज़ ख़ज़ानची और प्रबन्धक व व्यवस्था करने वाला ही नहीं बनाया बल्कि तुमको मालिक भी बना दिया है) और (उस सामान के अ़लावा जो दुनिया में उनको अ़ता हुआ था) उनके लिये हमारे यहाँ (ख़ास) निकटता और (आला दर्जे की) नेक-अन्जामी है (जिसका फल पूरे तौर पर आख़िरत में ज़ाहिर होगा)।

मआ़रिफ़ व मसाईल

هَبْ لِیْ مُلْکًا لَّا یَنْۢبَغِیْ لِاَحَدٍ مِّنْۢ بَعْدِیْ.

(मुझको ऐसी सल्तनत दे कि मेरे बाद किसी को मयस्सर न हो।) इस दुआ़ का मतलब कुछ मुफ़स्सिरीन ने तो यह बताया है कि मेरे ज़माने में मेरे जैसी अ़ज़ीमुश्शान सल्तनत किसी और को मयस्सर न हो। गोया उनके नज़दीक "मेरे बाद" का मतलब "मेरे सिवा" है। हज़रत थानवी रह. ने भी इसी के मुताबिक़ तर्जुमा किया है। लेकिन ज़्यादातर मुफ़स्सिरीन के नज़दीक दुआ़ का मफ़्हूम यह है कि मेरे बाद भी किसी को ऐसी अ़ज़ीमुश्शान हुकूमत हासिल न हो, चुनाँचे वास्तविकता भी यही है कि अल्लाह तआ़ला ने हज़रत सुलैमान अ़लैहिस्सलाम को जैसी हुकूमत अ़ता फ़रमाई वैसी बाद में भी

किसी को नसीब न हो सकी, क्योंकि हवाओं का हुक्म के ताबे होना और जिन्नात का ऐसा ताबे होना बाद में किसी को मयस्सर न हो सका। कुछ लोग अ़मलियात वग़ैरह के ज़रिये बाज़े जिन्नात को जो ताबे कर लेते हैं वह इसके ख़िलाफ़ नहीं, क्योंकि जिन्नात को हज़रत सुलैमान अ़लैहिस्सलाम के ताबे करने से उसको कोई निस्बत नहीं, अ़मलियात के माहिरीन दो एक या चन्द जिन्नात को ताबे बना लेते हैं लेकिन जिस तरह की कामिल और पूर्ण हुकूमत हज़रत सुलैमान अ़लैहिस्सलाम को हासिल थी वैसी किसी को हासिल नहीं हुई।

हुकूमत और सत्ता की दुआ़

यहाँ यह बात भी याद रखनी चाहिये कि अम्बिया अ़लैहिमुस्सलाम की कोई दुआ़ अल्लाह तआ़ला की इजाज़त के बग़ैर नहीं होती, हज़रत सुलैमान अ़लैहिस्सलाम ने यह दुआ़ भी बारी तआ़ला की इजाज़त से माँगी थी, और चूँकि इसका मंशा सिर्फ़ ताक़त व हुकूमत को हासिल करना नहीं था बल्कि इसके पीछे अल्लाह तआ़ला के अहकाम नाफ़िज़ करने और कलिमा-ए-हक़ को बुलन्द करने का जज़्बा काम कर रहा था और बारी तआ़ला को मालूम था कि हुकूमत मिलने के बाद हज़रत सुलैमान अ़लैहिस्सलाम इन्हीं बुलन्द मक़सदों के लिये काम करेंगे और ओहदे व शान की मुहब्बत व चाहत के जज़्बात उनके दिल में जगह नहीं पायेंगे इसलिये उन्हें इस दुआ़ की इजाज़त भी दे दी गई, और इसे क़ुबूल भी कर लिया गया। लेकिन आ़म लोगों के लिये ख़ुद अपनी तरफ़ से सत्ता व हुकूमत के तलब करने को हदीस में इसलिये मना किया गया है कि उसमें माल व ओहदे की मुहब्बत के जज़्बात शामिल हो जाते हैं। चुनाँचे जहाँ इनसान को इस क़िस्म के नफ़्सानी जज़्बात से ख़ाली होने का यक़ीन हो और वह वास्तव में हक़ के कलिमे को बुलन्द करने के सिवा किसी और मक़सद से हुकूमत व सत्ता हासिल न करना चाहता हो तो उसके लिये हुकूमत की दुआ़ माँगना जायज़ है। (रूहुल-मआ़नी वग़ैरह)

مُقَرَّنِيْنَ فِى الْاَصْفَادِ ٥

(ज़न्जीरों में जकड़े हुए) जिन्नात के ताबे करने और जो ख़िदमात वे अन्जाम देते थे उनकी तफ़सील सूरः सबा में गुज़र चुकी है, यहाँ यह बताया गया है कि सरकश जिन्नात को हज़रत सुलैमान अ़लैहिस्सलाम ने ज़न्जीरों में जकड़ा हुआ था। अब उन ज़न्जीरों के लिये यह ज़रूरी नहीं कि वो यही नज़र आने वाली लोहे की ज़न्जीरें हों, हो सकता है कि जिन्नात को जकड़ने के लिये कोई और तरीक़ा इख़्तियार किया गया हो जिसे आसानी से समझाने के लिये यहाँ ज़न्जीरों से ताबीर कर दिया गया है।

وَاذْكُرْ عَبْدَنَآ اَيُّوْبَ م اِذْ نَادٰى رَبَّهٗٓ اَنِّىْ مَسَّنِىَ الشَّيْطٰنُ بِنُصْبٍ وَّعَذَابٍ ۞ اُرْكُضْ بِرِجْلِكَ ج هٰذَا مُغْتَسَلٌۢ بَارِدٌ وَّشَرَابٌ ۞ وَوَهَبْنَا لَهٗٓ اَهْلَهٗ وَمِثْلَهُمْ مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنَّا وَذِكْرٰى لِاُولِى الْاَلْبَابِ ۞ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِّهٖ وَلَا تَحْنَثْ ط اِنَّا وَجَدْنٰهُ صَابِرًا ط نِعْمَ الْعَبْدُ ط اِنَّهٗٓ اَوَّابٌ ۞

वज़्कुर् अ़ब्दना अय्यू-ब। इज़् नादा रब्बहू अन्नी मस्सनि-यश्शैतानु बिनुस्बिंव्-व अ़ज़ाब (41) उर्कुज़् बिरिज्लि-क हाज़ा मुग़् त-सलुम् बारिदुंव्-व शराब (42) व व-हब्ना लहू अह्लहू व मिस्लहुम् म-अ़हुम् रह्म-तम्-मिन्ना व ज़िक्रा लि-उलिल्-अल्बाब (43) व ख़ुज़् बि-यदि-क ज़िग़्सन् फ़ज़्रिब् बिही व ला तह्नस्, इन्ना वजद्नाहु साबिरन्, निअ़्मल्-अ़ब्दु, इन्नहू अव्वाब (44)	और याद कर हमारे बन्दे अय्यूब को जब उसने पुकारा अपने रब को कि मुझको लगा दी शैतान ने ईज़ा और तकलीफ़। (41) लात मार अपने पाँव से यह चश्मा निकला नहाने को ठंडा और पीने को। (42) और बख़्शे हमने उसको उसके घर वाले और उनके बराबर उनके साथ अपनी तरफ़ की मेहरबानी से और याद रखने को अ़क्ल वालों के। (43) और पकड़ अपने हाथों में सींकों का मुट्ठा फिर उससे मार ले और अपनी क़सम में झूठा न हो, हमने उसको पाया झेलने वाला बहुत ख़ूब बन्दा, तहक़ीक़ वह है रुजू होने वाला। (44)

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

और आप हमारे बन्दे अय्यूब (अ़लैहिस्सलाम) को याद कीजिये जबकि उन्होंने अपने रब को पुकारा कि शैतान ने मुझको रंज और दुख पहुँचाया है (और यह रंज व तकलीफ़ कुछ मुफ़स्सिरीन के क़ौल के मुताबिक़ वह है जो इमाम अहमद रह. ने 'किताबुज़्ज़ोहद' में हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत किया है कि हज़रत अय्यूब अ़लैहिस्सलाम की बीमारी के ज़माने में एक बार शैतान एक हकीम की शक्ल में हज़रत अय्यूब अ़लैहिस्सलाम की बीवी को मिला था। उसे उन्होंने हकीम समझकर इलाज की दरख़्वास्त की, उसने कहा इस शर्त से कि अगर उनको शिफ़ा हो जाये तो यूँ कह देना कि तूने उनको शिफ़ा दी, मैं और कुछ नज़राना नहीं चाहता। उन्होंने अय्यूब अ़लैहिस्सलाम से ज़िक्र किया, उन्होंने फ़रमाया कि भली मानस वह तो शैतान था। मैं अ़हद करता हूँ कि अगर अल्लाह तआ़ला मुझको शिफ़ा दे दे तो मैं तुझको सौ कमचियाँ मारूँगा। पस आपको इससे सख़्त रंज पहुँचा कि मेरी बीमारी की बदौलत शैतान का यहाँ तक हौसला बढ़ा कि ख़ास मेरी बीवी से ऐसे कलिमात कहलवाना चाहता है जो ज़ाहिरन शिर्क का सबब हैं अगरचे उनका दूसरा मतलब भी हो सकता है जो शिर्क नहीं। अगरचे हज़रत अय्यूब अ़लैहिस्सलाम मर्ज़ के दूर होने के लिये पहले भी दुआ़ कर चुके थे मगर इस वाक़िए से और ज़्यादा तवज्जोह और गिड़गिड़ाकर दुआ़ की, पस हमने उनकी दुआ़ क़ुबूल कर ली और हुक्म दिया) अपना पाँव (ज़मीन पर) मारो (चुनाँचे उन्होंने ज़मीन पर पाँव मारा तो वहाँ से एक चश्मा पैदा हो गया)। (अहमद)

पस हमने उनसे कहा कि यह (तुम्हारे लिये) नहाने का ठन्डा पानी है और पीने का। (यानी इसमें

गुस्ल करो और पियो भी। चुनाँचे नहाये और पिया भी और बिल्कुल अच्छे हो गये) और हमने उनको उनका कुनबा अ़ता फ़रमाया और उनके साथ (गिनती में) उनके बराबर और भी (दिये) अपनी ख़ास रहमत के सबब से, और अ़क्ल वालों के लिये यादगार रहने के सबब से। (यानी अ़क्ल वाले याद रखें कि अल्लाह तआ़ला सब्र करने वालों को कैसी जज़ा देते हैं। और अब अय्यूब अ़लैहिस्सलाम ने अपनी क़सम पूरे करने का इरादा किया मगर चूँकि उनकी बीवी ने अय्यूब अ़लैहिस्सलाम की ख़िदमत बहुत की थी और उनसे कोई गुनाह भी सादिर न हुआ था इसलिये अल्लाह तआ़ला ने अपनी रहमत से उनके लिये एक सहूलत और आसानी फ़रमाई) और (इरशाद फ़रमाया कि ऐ अय्यूब) तुम अपने हाथ में एक मुट्ठा सींकों का लो (जिसमें सौ सींकें हों) और (अपनी बीवी को) उससे मार लो और (अपनी) क़सम न तोड़ो, (चुनाँचे ऐसा ही हुआ। आगे अय्यूब अ़लैहिस्सलाम की तारीफ़ की है कि) बेशक हमने उनको (बड़ा) साबिर पाया, अच्छे बन्दे थे कि (ख़ुदा की तरफ़) बहुत रुजू होते थे।

मआ़रिफ़ व मसाईल

हज़रत अय्यूब अ़लैहिस्सलाम का वाक़िआ़ यहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को सब्र की तालीम करने के लिये लाया गया है। यह वाक़िआ़ तफ़सील के साथ सूरः अम्बिया में गुज़र चुका है यहाँ चन्द बातें क़ाबिले ज़िक्र हैं।

مَسَّنِيَ الشَّيْطٰنُ بِنُصْبٍ وَّعَذَابٍo

(शैतान ने मुझको रंज और तकलीफ़ पहुँचाई है) कुछ हज़रात ने शैतान के रंज व तकलीफ़ पहुँचाने की तफ़सील यह बयान की है कि हज़रत अय्यूब अ़लैहिस्सलाम जिस बीमारी में मुब्तला हुए वह शैतान के क़ब्ज़े व ग़लबे की वजह से आई थी। और हुआ यह था कि एक मर्तबा फ़रिश्तों ने हज़रत अय्यूब अ़लैहिस्सलाम की बहुत तारीफ़ की जिस पर शैतान को सख़्त हसद (जलन) हुआ और उसने अल्लाह तआ़ला से दुआ़ की कि मुझे उनके जिस्म और माल व औलाद पर क़ब्ज़ा व इख़्तियार अ़ता कर दिया जाये जिससे मैं उनके साथ जो चाहूँ सो करूँ। अल्लाह तआ़ला को भी हज़रत अय्यूब अ़लैहिस्सलाम की आज़माईश मक़सूद थी इसलिये शैतान को यह हक़ दे दिया गया और उसने आपको इस बीमारी में मुब्तला कर दिया।

लेकिन मुहक़्क़िक़ मुफ़स्सिरीन ने इस क़िस्से की तरदीद (रद्द) करते हुए कहा है कि क़ुरआने करीम की वज़ाहत के मुताबिक़ अम्बिया अ़लैहिमुस्सलाम पर शैतान को क़ब्ज़ा व इख़्तियार हासिल नहीं हो सकता, इसलिये यह मुम्किन नहीं है कि उसने आपको बीमार डाल दिया हो।

कुछ हज़रात ने शैतान के रंज व तकलीफ़ पहुँचाने की यह वज़ाहत की है कि बीमारी की हालत में शैतान हज़रत अय्यूब अ़लैहिस्सलाम के दिल में तरह-तरह के वस्वसे डाला करता था, इससे आपको और ज़्यादा तकलीफ़ होती थी, यहाँ आपने उसी का ज़िक्र फ़रमाया है। लेकिन इस आयत की सबसे बेहतर तफ़सीर व व्याख्या वह है जो हज़रत थानवी रह. ने अपनी तफ़सीर बयानुल-क़ुरआन में इख़्तियार की है और जो ख़ुलासा-ए-तफ़सीर में ऊपर लिखी गई है।

हज़रत अय्यूब अ़लैहिस्सलाम के रोग का अन्दाज़

क़ुरआने करीम में इतना तो बताया गया है कि हज़रत अय्यूब अ़लैहिस्सलाम को एक सख़्त किस्म का मर्ज़ (रोग) लग गया था लेकिन उस मर्ज़ का अन्दाज़ व क़िस्म नहीं बताई गई। हदीसों में भी उसकी कोई तफ़सील नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से मन्क़ूल नहीं है, अलबत्ता कुछ अक़्वाल और रिवायतों से यह मालूम होता है कि आपके जिस्म के हर हिस्से पर फोड़े निकल आये थे यहाँ तक कि लोगों ने घिन की वजह से आपको एक कूड़ी पर डाल दिया था। लेकिन कुछ मुहक़्क़िक़ मुफ़स्सिरीन ने इन रिवायतों और अक़्वाल को दुरुस्त तस्लीम करने से इनकार किया है। उनका कहना यह है कि अम्बिया अ़लैहिमुस्सलाम पर बीमारियाँ तो आ सकती हैं लेकिन उन्हें ऐसी बीमारियों में मुब्तला नहीं किया जाता जिनसे लोग घिन करने लगें। हज़रत अय्यूब अ़लैहिस्सलाम की बीमारी भी ऐसी नहीं हो सकती बल्कि यह कोई आ़म क़िस्म की बीमारी थी, लिहाज़ा वो अक़्वाल जिनमें हज़रत अय्यूब अ़लैहिस्सलाम की तरफ़ फोड़े फुन्सियों की निस्बत की गई है या जिनमें कहा गया है कि आपको कूड़ी पर डाल दिया गया था रिवायत व दलील के एतिबार से क़ाबिले भरोसा नहीं हैं।

(रूहुल-मआ़नी व अहकामुल-क़ुरआन, संक्षिप्तता के साथ)

خُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا

(तुम अपने हाथ में एक मुट्ठा सींकों का लो) इस वाक़िए का पसे मन्ज़र ऊपर ख़ुलासा-ए-तफ़सीर में आ चुका है, यहाँ इस वाक़िए से मुताल्लिक़ चन्द मसाईल दर्ज किये जाते हैं:

पहला मसला तो यह है कि इस वाक़िए से यह मालूम हुआ कि अगर कोई शख़्स किसी को सौ क़मचियाँ मारने की क़स्म खा ले और बाद में सौ क़मचियाँ अलग-अलग मारने के बजाय तमाम क़मचियों का एक गट्ठा बनाकर एक ही मर्तबा मार दे तो उससे क़ाम पूरी हो जाती है। इसी लिये हज़रत अय्यूब अ़लैहिस्सलाम को ऐसा करने का हुक्म दिया गया। यही इमाम अबू हनीफ़ा रह. का मस्लक है। लेकिन जैसा कि अ़ल्लामा इब्ने हुमाम रह. ने लिखा है कि इसके लिये दो शर्तें ज़रूरी हैं- एक तो यह कि उस शख़्स के बदन पर हर कमची लम्बाई-चौड़ाई के हिसाब से ज़रूर लग जाये, दूसरे यह कि उससे कुछ न कुछ तकलीफ़ ज़रूर हो। अगर इतने हल्के से क़मचियाँ बदन को लगाई गईं कि बिल्कुल तकलीफ़ न हुई तो क़सम पूरी नहीं होगी। हज़रत थानवी रह. ने बयानुल-क़ुरआन में जो लिखा है कि क़सम पूरी नहीं होगी तो ग़ालिबन उसकी मुराद यही है कि तकलीफ़ बिल्कुल न हो या कोई क़मची बदन को लग जाने से रह जाये, वरना हनफ़ी फ़ुक़हा ने वज़ाहत फ़रमाई है कि अगर ज़िक्र हुई दो शर्तों के साथ मारा जाये तो क़सम पूरी हो जाती है। (देखिये फ़त्हुल-क़दीर पेज 137:4)

हीलों की शरई हैसियत

इस आयत से दूसरा मसला यह मालूम होता है कि किसी नामुनासिब या मक्रूह बात से बचने के लिये कोई शरई हीला इख़्तियार किया जाये तो वह जायज़ है। ज़ाहिर है कि हज़रत अय्यूब अ़लैहिस्सलाम के वाक़िए में क़सम का असली तक़ाज़ा यह है कि आप अपनी बीवी को पूरी सौ क़मचियाँ मारें, लेकिन चूँकि उनकी बीवी साहिबा बेगुनाह थीं और उन्होंने हज़रत अय्यूब अ़लैहिस्सलाम

की बेमिसाल ख़िदमत की थी, इसलिये अल्लाह तआ़ला ने ख़ुद हज़रत अय्यूब अ़लैहिस्सलाम को एक हीले की तालीम व हिदायत फ़रमाई और यह वज़ाहत कर दी कि इस तरह उनकी क़सम नहीं टूटेगी। इसलिये यह वाक़िआ़ हीले के जायज़ होने पर दलालत करता है।

लेकिन यह याद रखना चाहिये कि इस क़िस्म के हीले उसी वक़्त जायज़ होते हैं जबकि उन्हें शरई मक़ासिद के बातिल व बेअसर करने का ज़रिया न बनाया जाये। और अगर बहाने का मक़सद यह हो कि किसी हक़दार का हक़ बातिल (ज़ाया और ख़त्म) किया जाये या किसी स्पष्ट हराम काम को उसकी रूह बरक़रार रखते हुए अपने लिये हलाल कर लिया जाये तो ऐसा हीला बिल्कुल नाजायज़ है। जैसे ज़कात से बचने के लिये कुछ लोग यह हीला करते हैं कि साल के ख़त्म होने से ज़रा पहले अपना माल बीवी की मिल्कियत में दे दिया, फिर कुछ अ़रसे के बाद बीवी ने शौहर की मिल्कियत में दे दिया, और जब अगला साल ख़त्म होने के क़रीब हुआ तो फिर शौहर ने बीवी को हिबा कर दिया। इस तरह किसी पर ज़कात वाजिब नहीं होती। ऐसा करना चूँकि शरीअ़त के मक़ासिद को बातिल करने की एक कोशिश है इसलिये हराम है, और शायद इसका वबाल ज़कात न देने के वबाल से ज़्यादा बड़ा हो। (तफ़सीर रूहुल-मआ़नी, मब्सूत सरख़्सी के हवाले से)

नामुनासिब काम पर क़सम खाना

तीसरा मसला यह मालूम हुआ कि अगर कोई शख़्स किसी नामुनासिब, ग़लत या नाजायज़ काम पर क़सम खा ले तो क़सम लागू हो जाती है और उसके तोड़ने पर भी कफ़्फ़ारा लाज़िम आता है। ज़ाहिर है कि अगर इस सूरत में कफ़्फ़ारा न आता तो हज़रत अय्यूब अ़लैहिस्सलाम को यह हीला तालीम न फ़रमाया जाता, लेकिन साथ ही यह भी याद रखना चाहिये कि किसी नामुनासिब काम पर क़सम खा ली जाये तो शरई हुक्म यह है कि उसे तोड़कर कफ़्फ़ारा अदा कर दिया जाये। एक हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम का इरशाद है किः

> "जो शख़्स एक क़सम खा ले फिर बाद में उसकी राय यह हो कि उस क़सम के ख़िलाफ़ अ़मल करना ज़्यादा बेहतर है तो उसे चाहिये कि वह वही काम करे जो बेहतर हो और अपनी क़सम का कफ़्फ़ारा अदा कर दे।"

وَاذْكُرْ عِبٰدَنَآ اِبْرٰهِيْمَ وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ اُولِى الْاَيْدِىْ وَالْاَبْصَارِ ۝ اِنَّآ اَخْلَصْنٰهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى
الدَّارِ ۝ وَاِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْاَخْيَارِ ۝ وَاذْكُرْ اِسْمٰعِيْلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ وَكُلٌّ مِّنَ الْاَخْيَارِ ۝
هٰذَا ذِكْرٌ وَاِنَّ لِلْمُتَّقِيْنَ لَحُسْنَ مَاٰبٍ ۝ جَنّٰتِ عَدْنٍ مُّفَتَّحَةً لَّهُمُ الْاَبْوَابُ ۝ مُتَّكِـِٕيْنَ فِيْهَا يَدْعُوْنَ
فِيْهَا بِفَاكِهَةٍ كَثِيْرَةٍ وَّشَرَابٍ ۝ وَعِنْدَهُمْ قٰصِرٰتُ الطَّرْفِ اَتْرَابٌ ۝ هٰذَا مَا تُوْعَدُوْنَ لِيَوْمِ الْحِسَابِ ۝ اِنَّ
هٰذَا لَرِزْقُنَا مَا لَهٗ مِنْ نَّفَادٍ ۝ هٰذَا ۚ وَاِنَّ لِلطّٰغِيْنَ لَشَرَّ مَاٰبٍ ۝ جَهَنَّمَ ۚ يَصْلَوْنَهَا ۚ فَبِئْسَ الْمِهَادُ ۝ هٰذَا ۙ
فَلْيَذُوْقُوْهُ حَمِيْمٌ وَّغَسَّاقٌ ۝ وَّاٰخَرُ مِنْ شَكْلِهٖٓ اَزْوَاجٌ ۝ هٰذَا فَوْجٌ مُّقْتَحِمٌ مَّعَكُمْ ۚ لَا مَرْحَبًا بِهِمْ ۚ اِنَّهُمْ صَالُوا
النَّارِ ۝ قَالُوْا بَلْ اَنْتُمْ ۟ لَا مَرْحَبًا بِكُمْ ۚ اَنْتُمْ قَدَّمْتُمُوْهُ لَنَا ۚ فَبِئْسَ الْقَرَارُ ۝ قَالُوْا رَبَّنَا مَنْ قَدَّمَ لَنَا هٰذَا

فَزِدْهُ عَذَابًا ضِعْفًا فِي النَّارِ ۝ وَقَالُوا مَا لَنَا لَا نَرَىٰ رِجَالًا كُنَّا نَعُدُّهُم مِّنَ الْأَشْرَارِ ۝ أَتَّخَذْنَاهُمْ سِخْرِيًّا أَمْ زَاغَتْ عَنْهُمُ الْأَبْصَارُ ۝ إِنَّ ذَٰلِكَ لَحَقٌّ تَخَاصُمُ أَهْلِ النَّارِ ۝

वज़्कुर् अिबा-दना इब्राही-म व इस्हा-क़ व यअ़्क़ू-ब उलिल्-ऐदी वल्-अब्सार (45) इन्ना अख़्लस्नाहुम् बिख़ालि-सतिन् ज़िक्रद्दार (46) व इन्नहुम् अिन्दना लमिनल्-मुस्तफ़ैनल्-अख़्यार (47) वज़्कुर् इस्माअ़ी-ल वल्य-स-अ़ व ज़ुल्किफ़्लि, व कुल्लुम् मिनल्-अख़्यार (48) हाज़ा ज़िक्रुन्, व इन्-न लिल्-मुत्तक़ी-न लहुस्-न मआब (49) जन्नाति अ़द्निम्-मुफ़त्त-ह-तल् लहुमुल्-अब्वाब (50) मुत्तकिई-न फ़ीहा यद्अू-न फ़ीहा बिफ़ाकि-हतिन् कसी-रतिंव्-व शराब (51) व अिन्दहुम् क़ासिरातुत्तर्फ़ि अत्राब (52) हाज़ा मा तू-अ़दू-न लियौमिल्-हिसाब (53) ▲ इन्-न हाज़ा ल-रिज़्क़ुना मा लहू मिन्-नफ़ाद (54) हाज़ा व इन्-न लित्ताग़ी-न लशर्-र मआब (55) जहन्न-म यस्लौनहा फ़बिअ्सल्-मिहाद (56) हाज़ा फ़ल्यज़ूक़ूहु हमीमुंव्-व ग़स्साक़ (57) व आ-ख़रु मिन् शक्लिही

और याद कर हमारे बन्दों को इब्राहीम और इस्हाक़ और याक़ूब हाथों वाले और आँखों वाले। (45) हमने विशेषता दी उन को एक चुनी हुई बात की, वह याद उस घर की। (46) और वे सब हमारे नज़दीक हैं चुने हुए नेक लोगों में। (47) और याद कर इस्माईल को और अल्-यसअ़् और ज़ुलकिफ़्ल को और हर एक था ख़ूबी वाला। (48) यह एक मज़कूर हो चुका, और तहक़ीक़ कि डर वालों के लिये है अच्छा ठिकाना (49) बाग़ हैं सदा बसने के खोल रखे हैं उनके वास्ते दरवाज़े। (50) तकिया लगाये हुए बैठे उनमें मंगवायेंगे उनमें मेवे बहुत और शराब। (51) और उनके पास औरतें हैं नीची निगाह वालियाँ एक उम्र की। (52) यह वह है जो तुम से वादा किया गया हिसाब के दिन पर। (53) ▲ यह है रोज़ी हमारी दी हुई इसको नहीं निपटना (ख़त्म होना)। (54) यह सुन चुके, और तहक़ीक़ कि शरीरों के वास्ते है बुरा ठिकाना (55) दोज़ख़ है जिसमें उनको डालेंगे, सो क्या बुरी आराम करने की जगह है। (56) यह है अब इसको चखें गर्म पानी और पीप (57) और कुछ और

अज़्वाज (58) हाज़ा फ़ौजुम्-मुक़्तहिमुम् म-अकुम् ला मर्-हबम् बिहिम्, इन्नहुम् सालुन्नार (59) क़ालू बल् अन्तुम्, ला मर्-हबम् बिकुम्, अन्तुम् क़द्दम्तुमूहु लना फ़बिअ्सल्-क़रार (60) क़ालू रब्बना मन् क़द्द-म लना हाज़ा फ़ज़िद्हु अ़ज़ाबन् ज़िअ्फ़न् फ़िन्नार (61) व क़ालू मा लना ला नरा रिजालन् कुन्ना नअुद्दुहुम्-मिनल्-अशरार (62) अत्तख़ज़्नाहुम् सिख़्रिय्यन् अम् ज़ागत् अ़न्हुमुल्-अब्सार (63) इन्-न ज़ालि-क ल-हक़्क़ुन् तख़ासुमु अह्लिन्नार (64) ❁

इसी शक्ल की तरह-तरह की चीज़ें। (58) यह एक फ़ौज है धंसती आ रही है तुम्हारे साथ, जगह न मिलियो इनको ये हैं घुसने वाले आग में। (59) वे बोले बल्कि तुम ही हो जगह न मिलियो तुमको, तुम ही सामने लाये हमारे यह बला, सो क्या बुरी ठहरने की जगह है। (60) वे बोले ऐ हमारे रब! जो कोई लाया हमारे सामने यह, सो बढ़ा दे उसको दूना अ़ज़ाब आग में। (61) और कहेंगे क्या हुआ कि हम नहीं देखते उन मर्दों को कि हम उन को शुमार करते थे बुरे लोगों में। (62) क्या हमने उनको ठट्ठे में पकड़ा था या चूक गईं उनसे हमारी आँखें। (63) यह बात ठीक होनी है, झगड़ा करना आपस में दोज़ख़ियों का। (64) ❁

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

और हमारे बन्दों इब्राहीम और इस्हाक़ और याक़ूब (अ़लैहिमुस्सलाम) को याद कीजिए जो हाथों (से काम करने) वाले और आँखों (से देखने) वाले थे। (यानी उनमें अ़मली क़ुव्वत भी थी और इल्मी क़ुव्वत भी, और) हमने उनको एक ख़ास बात के साथ मख़्सूस किया था कि वह आख़िरत की याद है। (चुनाँचे यह ज़ाहिर है कि अम्बिया में यह सिफ़त सबसे ज़्यादा कामिल व मुकम्मल होती है, और शायद यह जुमला इसलिये बढ़ा दिया है कि ग़फ़लत में पड़े लोग सोचें समझें कि जब अम्बिया अ़लैहिमुस्सलाम इस फ़िक्र से ख़ाली न थे तो हम किस गिनती में हैं) और वे (हज़रात) हमारे यहाँ चुनिन्दा और सबसे अच्छे लोगों में से हैं (यानी चुने हुए लोगों में भी सबसे बढ़कर। चुनाँचे ज़ाहिर है कि अम्बिया दूसरे औलिया और नेक लोगों से अफ़ज़ल होते हैं)। और इस्माईल और य-सअ् और ज़ुलकिफ़्ल को भी याद कीजिये, और ये सब भी सबसे अच्छे लोगों में से हैं।

(आगे तौहीद, आख़िरत और रिसालत का किसी क़द्र तफ़सील से बयान है) एक नसीहत का मज़मून तो यह हो चुका (इससे मुराद अम्बिया अ़लैहिमुस्सलाम के वाक़िआत हैं कि इन वाक़िआत में काफ़िरों के लिये रिसालत के अ़क़ीदे की तब्लीग़ है, और मोमिनों के लिये अच्छे व उम्दा अख़्लाक़ और

अच्छे व बेहतरीन आमाल की तालीम है) और (दूसरा मज़मून आख़िरत की जज़ा व सज़ा के मुताल्लिक़ अब शुरू होता है जिसकी तफ़सील यह है कि) परहेज़गारों के लिये (आख़िरत में) अच्छा ठिकाना है। यानी हमेशा रहने के बाग़ात जिनके दरवाज़े उनके वास्ते खुले होंगे। (ज़ाहिर मुराद यह है कि पहले से खुले होंगे) वे उन बाग़ों में तकिया लगाये बैठे होंगे (और) वे वहाँ (जन्नत के ख़ादिमों से) बहुत-से मेवे और पीने की चीज़ें मंगवाएँगे। और उनके पास नीची निगाह वालियाँ उन्हीं की उम्र वाली होंगी (मुराद हूरें हैं। ऐ मुसलमानो!) यह (जिसका ऊपर ज़िक्र हुआ) वह (नेमत) है जिसका तुम से हिसाब का दिन आने पर वायदा किया जाता है। बेशक यह हमारी अ़ता है, इसका कहीं ख़त्म ही नहीं (यानी हमेशा रहने वाली नेमत है)। यह बात तो हो चुकी (जो नेकबख़्त परहेज़गारों के बारे में थी) और (आगे काफ़िरों के बारे में मज़मून है, वह यह कि) सरकशों के लिये (यानी जो कुफ़्र में दूसरों के लीडर और अगुवाई करने वाले थे उनके लिये) बुरा ठिकाना है, यानी दोज़ख़, उसमें वे दाख़िल होंगे, सो वह बहुत ही बुरी जगह है। यह खौलता हुआ पानी और पीप (मौजूद) है, सो ये लोग उसको चखेंगे। और (इसके अ़लावा) और भी इसी क़िस्म की (नागवार और तकलीफ़ देने वाली) तरह-तरह की चीज़ें (मौजूद) हैं (उसको भी चखें। और जो ताबेदार थे उनके लिये भी यही चीज़ें हैं, चाहे पहले व बाद में या कम ज़्यादा होने का फ़र्क़ हो, बाक़ी अ़ज़ाब के मामले में सब शरीक हैं। चुनाँचे जब काफ़िरों के रहनुमा शुरू में जहन्नम में दाख़िल हो चुकेंगे फिर उनके पैरोकार आयेंगे तो रहनुमा आपस में कहेंगे कि लो) यह एक जमाअ़त और आई जो तुम्हारे साथ (अ़ज़ाब में शरीक होने के लिये दोज़ख़ में) घुस रहे हैं, इन पर ख़ुदा की मार, यह भी दोज़ख़ ही में आ रहे हैं। (यानी कोई ऐसा आता जो अ़ज़ाब का मुस्तहिक़ न होता तो उसके आने की ख़ुशी भी होती और उसकी आव-भगत भी करते, ये तो ख़ुद ही जहन्नमी हैं इनसे क्या उम्मीद, और इनके आने की क्या ख़ुशी और क्या आव-भगत?)।

वे (पैरवी करने वाले अपने रहनुमाओं से) कहेंगे- बल्कि तुम्हारे ही ऊपर ख़ुदा की मार (क्योंकि) तुम ही तो यह (मुसीबत) हमारे आगे लाये, (क्योंकि तुम ही ने हमको बहकाया था) सो (जहन्नम) बहुत ही बुरा ठिकाना है (जो तुम्हारी बदौलत हमारे आगे आया। उसके बाद जब उनमें हर शख़्स दूसरे पर इल्ज़ाम रखने लगेगा तो उस वक़्त यह पैरोकार उनसे ख़िताब छोड़कर हक़ तआ़ला से) दुआ़ करेंगे कि ऐ हमारे रब! जो शख़्स इस (मुसीबत) को हमारे आगे लाया हो उसको दोज़ख़ में दोगुना अ़ज़ाब दीजिये। और वे लोग (यानी पैरवी करने वाले या सब दोज़ख़ी आपस में) कहेंगे कि क्या बात है हम उन लोगों को (दोज़ख़ में) नहीं देखते जिनको हम बुरे लोगों में शुमार करते थे (यानी मुसलमानों को बुरी राह वाला और हक़ीर समझा करते थे, वे क्यों नज़र नहीं आते)। क्या हमने (नाहक़) उनकी हंसी कर रखी थी (और वे इस क़ाबिल न थे और जहन्नम में नहीं आये), या (यह कि जहन्नम में मौजूद हैं मगर) उन (के देखने) से निगाहें चकरा रही हैं (कि उन पर नज़र नहीं जमती। मतलब यह कि अ़ज़ाब के साथ यह एक हसरत होगी कि जिन लोगों को हम बुरा समझते थे वे अ़ज़ाब से बच गये। और) यह बात यानी दोज़ख़ियों का लड़ना-झगड़ना बिल्कुल सच्ची बात है (कि ज़रूर होकर रहेगी)।

मआरिफ़ व मसाईल

أُولِى الْاَيْدِىْ وَالْاَبْصَارِo

इसके लफ़्ज़ी मायने यह हैं कि "वे हाथों और निगाहों वाले थे" मतलब यह है कि अपनी फ़िक्री और अ़मली ताक़तें और ऊर्जा अल्लाह तआ़ला की इताअ़त में ख़र्च करते थे। इससे इस बात की तरफ़ इशारा कर दिया कि इनसानी बदन के हिस्सों (अंगों) के इस्तेमाल में लाने की असल जगह यह है कि वो अल्लाह की इताअ़त में ख़र्च हों और जो अंग इसमें ख़र्च न हों उनका होना न होना बराबर है।

आख़िरत की फ़िक्र अम्बिया का ख़ुसूसी गुण है

ذِكْرَى الدَّارِo

इसके लफ़्ज़ी मायने हैं "घर की याद" और "घर" से मुराद आख़िरत है। आख़िरत के बजाय यह लफ़्ज़ इस्तेमाल करके तंबीह कर दी गई है कि इनसान को अपना असली घर आख़िरत ही समझना चाहिये और उसी की फ़िक्र को अपने आमाल और सोच की बुनियाद बनाना चाहिये। यहीं से यह भी मालूम हो गया कि आख़िरत की फ़िक्र इनसान की वैचारिक और अ़मली क़ुव्वत को और ज़्यादा ताक़त व ऊर्जा बख़्शती है। कुछ गुमराह व बेदीन लोगों का यह ख़्याल बिल्कुल बेबुनियाद है कि आख़िरत की फ़िक्र इनसान की ताक़तों को बेकार कर देती है।

हज़रत अल्-यसअ़् अ़लैहिस्सलाम

وَالْيَسَعَ

(और अल्-यसअ़् अ़लैहिस्सलाम को याद करो) हज़रत अल्-यसअ़् अ़लैहिस्सलाम बनी इस्राईल के नबियों में से हैं और क़ुरआने करीम में उनका ज़िक्र सिर्फ़ दो जगह आया है- एक सूरः अन्आ़म में और दूसरे यहाँ। दोनों में से किसी जग आपके तफ़सीली हालात ज़िक्र नहीं हुए बल्कि अम्बिया अ़लैहिमुस्सलाम की फ़ेहरिस्त में सिर्फ़ आपका नाम शुमार कराया गया है।

तारीख़ की किताबों में मन्क़ूल है कि आप हज़रत इलियास अ़लैहिस्सलाम के चचाज़ाद भाई हैं और हज़रत इलियास अ़लैहिस्सलाम के नायब और ख़लीफ़ा थे, उन्हीं के साथ रहते थे। उनके बाद आपको नुबुव्वत अ़ता की गई। बाईबिल की किताब सलातीन प्रथम बाब 19 और सलातीन द्वितीय बाब 2 वग़ैरह में आपके तफ़सीली हालात बयान किये गये हैं, वहाँ आपका नाम 'इलीशअ़्' बिन साफ़ित ज़िक्र हुआ है।

وَعِنْدَهُمْ قٰصِرٰتُ الطَّرْفِ اَتْرَابٌo

(और उनके पास नीची निगाह वाली हमउम्र औरतें होंगी) इनसे मुराद जन्नत की हूरें हैं और "हमउम्र" का मतलब यह भी हो सकता है कि वे सब आपस में हमउम्र होंगी, और यह भी कि वे अपने शौहरों के साथ उम्र में बराबर होंगी। पहली सूरत में उनके हमउम्र होने का फ़ायदा यह है कि

उनके बीच आपस में मुहब्बत, मेल और दोस्ती का ताल्लुक़ होगा, सौतनों के जैसा बुग़्ज़ और नफ़रत नहीं होगी, और ज़ाहिर है कि यह चीज़ शौहरों के लिये बड़ी ही राहत का सबब है।

मियाँ-बीवी के बीच उम्र के अनुपात की रियायत बेहतर है

और दूसरी सूरत में जबकि "हमउम्र" का मतलब यह लिया जाये कि वे अपने शौहरों की हमउम्र होंगी। इसका फ़ायदा यह है कि हमउम्री की वजह से तबीयतों में ज़्यादा मुनासबत और मुवाफ़क़त होगी और एक दूसरे की राहत व दिलचस्पी का ख़्याल ज़्यादा रखा जा सकेगा। इसी से यह भी मालूम हुआ कि मियाँ-बीवी के बीच उम्र में तनासुब (अनुपात) की रियायत रखनी चाहिये, क्योंकि इससे आपस में लगाव और ताल्लुक़ पैदा होता है और निकाह का संबन्ध ज़्यादा ख़ुशगवार और पायदार हो जाता है।

قُلْ إِنَّمَآ أَنَا مُنذِرٌ ۖ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا

ٱللَّهُ ٱلْوَٰحِدُ ٱلْقَهَّارُ ﴿٦٥﴾ رَبُّ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ٱلْعَزِيزُ ٱلْغَفَّٰرُ ﴿٦٦﴾ قُلْ هُوَ نَبَؤٌا۟ عَظِيمٌ ﴿٦٧﴾ أَنتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ ﴿٦٨﴾ مَا كَانَ لِىَ مِنْ عِلْمٍۭ بِٱلْمَلَإِ ٱلْأَعْلَىٰٓ إِذْ يَخْتَصِمُونَ ﴿٦٩﴾ إِن يُوحَىٰٓ إِلَىَّ إِلَّآ أَنَّمَآ أَنَا۠ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿٧٠﴾ إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَٰٓئِكَةِ إِنِّى خَٰلِقٌۢ بَشَرًا مِّن طِينٍ ﴿٧١﴾ فَإِذَا سَوَّيْتُهُۥ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِى فَقَعُوا۟ لَهُۥ سَٰجِدِينَ ﴿٧٢﴾ فَسَجَدَ ٱلْمَلَٰٓئِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ﴿٧٣﴾ إِلَّآ إِبْلِيسَ ٱسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ ٱلْكَٰفِرِينَ ﴿٧٤﴾ قَالَ يَٰٓإِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَىَّ ۖ أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ ٱلْعَالِينَ ﴿٧٥﴾ قَالَ أَنَا۠ خَيْرٌ مِّنْهُ ۖ خَلَقْتَنِى مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُۥ مِن طِينٍ ﴿٧٦﴾ قَالَ فَٱخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ ﴿٧٧﴾ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِىٓ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلدِّينِ ﴿٧٨﴾ قَالَ رَبِّ فَأَنظِرْنِىٓ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿٧٩﴾ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظَرِينَ ﴿٨٠﴾ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْوَقْتِ ٱلْمَعْلُومِ ﴿٨١﴾ قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٨٢﴾ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلَصِينَ ﴿٨٣﴾ قَالَ فَٱلْحَقُّ وَٱلْحَقَّ أَقُولُ ﴿٨٤﴾ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنكَ وَمِمَّن تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٨٥﴾ قُلْ مَآ أَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَآ أَنَا۠ مِنَ ٱلْمُتَكَلِّفِينَ ﴿٨٦﴾ إِنْ

هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَٰلَمِينَ ﴿٨٧﴾ وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُۥ بَعْدَ حِينٍۭ ﴿٨٨﴾

क़ुल् इन्नमा अ-न मुन्ज़िरुंव्-व मा मिन् इलाहिन् इल्लल्लाहुल्-वाहिदुल्-क़ह्हार (65) रब्बुस्समावाति वल्अर्ज़ि व मा बैनहुमल्-अ़ज़ीज़ुल्-ग़फ़्फ़ार (66) क़ुल् हु-व न-बउन् अ़ज़ीम (67)	तू कह- मैं तो यही हूँ डर सुना देने वाला और हाकिम कोई नहीं मगर अल्लाह अकेला दबाव वाला। (65) रब आसमानों का और ज़मीन का और जो उनके बीच में है, ज़बरदस्त, गुनाह बख़्शने वाला। (66) तू कह- यह एक बड़ी ख़बर है (67)

अन्तुम् अन्हु मुअ्रिज़ून (68) मा का-न लि-य मिन् अ़िल्मिम्-बिल्म-लइलिल्-अअ्ला इज़् यख़्तसिमून (69) इंय्यूहा इलय्-य इल्ला अन्नमा अ-न नज़ीरुम्-मुबीन (70) इज़् क़ा-ल रब्बु-क लिल्मलाइ-कति इन्नी ख़ालिक़ुम् ब-शरम्-मिन् तीन (71) फ़-इज़ा सव्वैतुहू व नफ़ख़्तु फ़ीहि मिर्रूही फ़-क़अू लहू साजिदीन (72) फ़-स-जदल् मलाइ-कतु कुल्लुहुम् अज्मअ़ून (73) इल्ला इब्ली-स, इस्तक्ब-र व का-न मिनल्-काफ़िरीन (74) क़ा-ल या इब्लीसु मा म-न-अ़-क अन् तस्जु-द लिमा ख़लक़्तु बि-यदय्-य, अस्तक्बर्-त अम् कुन्-त मिनल्-आ़लीन (75) क़ा-ल अ-न ख़ैरुम्-मिन्हु ख़लक़्तनी मिन्-नारिंव्-व ख़लक़्तहू मिन् तीन (76) क़ा-ल फ़ख़्रुज् मिन्हा फ़-इन्न-क रजीम (77) व इन्-न अ़लै-क लअ़्नती इला यौमिद्दीन (78) क़ा-ल रब्बि फ़-अन्ज़िर्नी इला यौमि युब्अ़सून (79) क़ा-ल फ़-इन्न-क मिनल्-मुन्ज़रीन (80) इला यौमिल्-वक़्तिल्-मअ्लूम (81)

कि तुम उसको ध्यान में नहीं लाते। (68) मुझको कुछ ख़बर न थी ऊपर की मज्लिस की जब वे आपस में तकरार करते हैं। (69) मुझको तो यही हुक्म आता है कि और कुछ नहीं मैं तो डर सुना देने वाला हूँ खोलकर। (70) जब कहा तेरे रब ने फ़रिश्तों को मैं बनाता हूँ एक इनसान मिट्टी का। (71) फिर जब ठीक बना चुकूँ और फूँकूँ उसमें एक अपनी जान तो तुम गिर पड़ो उसके आगे सज्दे में। (72) फिर सज्दा किया फ़रिश्तों ने सब ने इकट्ठे होकर (73) मगर इब्लीस ने ग़ुरूर किया और था वह मुन्किरों में। (74) फ़रमाया ऐ इब्लीस! किस चीज़ ने रोक दिया तुझको कि सज्दा करे उसको जिसको मैंने बनाया अपने दोनों हाथ से। या तूने ग़ुरूर किया या तू बड़ा था दर्जे में। (75) बोला मैं बेहतर हूँ उससे, मुझ को बनाया तूने आग से और उसको बनाया मिट्टी से। (76) फ़रमाया तो तू निकल यहाँ से कि तू मरदूद हुआ। (77) और तुझ पर मेरी फटकार है उस जज़ा के दिन तक। (78) बोला ऐ रब! मुझको ढील दे जिस दिन तक मुर्दे जी उठें। (79) फ़रमाया तो तुझको ढील है (80) उसी वक़्त के दिन तक जो मालूम है। (81)

क़ा-ल फ़बिअिज़्ज़ति-क ल-उग़्वियन्नहुम् अज्मअ़ीन (82) इल्ला अ़िबा-द-क मिन्हुमुल्-मुख़्लसीन (83) क़ा-ल फ़ल्-हक़्क़ु वल्-हक़्क़्-क़ अक़ूल (84) लअम्ल-अन्-न जहन्न-म मिन्-क व मिम्-मन् तबि-अ़-क मिन्हुम् अज्मअ़ीन (85) क़ुल् मा अस्अलुकुम् अ़लैहि मिन् अज्रिंव्-व मा अ-न मिनल् मु-त-कल्लिफ़ीन (86) इन् हु-व इल्ला ज़िक्रुल्-लिल्आ़लमीन (87) व लतअ़्-लमुन्-न न-ब-अहू बअ़्-द हीन (88) ❁	बोला तो क़सम है तेरी इज़्ज़त की मैं गुमराह करूँगा उन सब को (82) मगर जो बन्दे हैं उनमें तेरे चुने हुए। (83) फ़रमाया तो ठीक बात यह है और मैं ठीक ही कहता हूँ। (84) मुझको भरना है दोज़ख़ तुझसे और जो उनमें तेरी राह चले उन सब से। (85) तू कह मैं माँगता नहीं तुमसे इस पर कुछ बदला और मैं नहीं अपने आपको बनाने वाला। (86) यह तो तंबीह व समझाना है सारे जहान वालों को। (87) और मालूम कर लोगे उसका अहवाल थोड़ी देर के बाद। (88) ❁

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

आप कह दीजिये कि (तुम जो रिसालत और तौहीद के मसले में झुठलाने व इनकार से काम लेते हो तो तुम्हारा ही नुक़सान है मेरा कुछ नुक़सान नहीं, क्योंकि) मैं तो (तुमको सिर्फ़ अल्लाह के अ़ज़ाब से) डराने वाला (पैग़म्बर) हूँ। और (जैसे मेरा रसूल और डराने वाला होना यक़ीनी और वास्तविक है इसी तरह तौहीद भी बरहक़ है, यानी) सिवाय एक अल्लाह ग़ालिब के कोई इबादत के लायक़ नहीं है। वह परवर्दिगार है आसमानों और ज़मीन का और उन चीज़ों का जो उनके बीच में हैं (और वह) ज़बरदस्त (और गुनाहों का) बड़ा बख़्शने वाला है। (और चूँकि तौहीद को किसी दर्जे में वे लोग मानते भी थे और रिसालत के बिल्कुल ही इनकारी थे इसलिये रिसालत की अधिक तहक़ीक़ के लिये इरशाद है कि ऐ पैग़म्बर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम!) आप कह दीजिए कि यह (यानी अल्लाह तआ़ला का मुझको तौहीद और शरीअ़त के अहकाम की तालीम के लिये रसूल बनाना) एक अ़ज़ीमुश्शान मज़मून है जिस (का तुमको बड़ा एहतिमाम चाहिए था, मगर अफ़सोस कि इस) से तुम (बिल्कुल ही) बेपरवाह हो रहे हो (और इसके अ़ज़ीमुश्शान मज़मून होने की वजह यह है कि इसका यक़ीन रखे बग़ैर असल नेकबख़्ती और कामयाबी का हासिल होना नामुम्किन है। आगे नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की रिसालत साबित करने की एक दलील है। वह यह कि) मुझको ऊपर की दुनिया (की बहस व गुफ़्तगू) की (किसी माध्यम से) कुछ भी ख़बर न थी जबकि वे (आदम अ़लैहिस्सलाम की पैदाईश के बारे में जिसकी तफ़सील आगे आती है, अल्लाह तआ़ला से) गुफ़्तगू कर रहे थे। (अब मैं जो उस

गुफ़्तगू का वाक़िआ़ बता रहा हूँ तो सोचने की बात यह है कि मुझे यह वाक़िआ़ कहाँ से मालूम हुआ? मैंने अपनी आँख से तो इसे देखा नहीं, अहले किताब "यानी आसमानी मज़हब वालों अर्थात यहूदियों व ईसाईयों" से भी मेरा ऐसा मेलजोल नहीं कि उनसे मालूम कर लेता, यक़ीनन मुझे यह इल्म वही के ज़रिये ही हासिल हुआ है, लिहाज़ा साबित हो गया कि) मेरे पास (जो) वही (आती है जिससे ऊपर के जहान के हालात भी मालूम होते हैं, तो) महज़ इस सबब से आती है कि मैं (अल्लाह तआ़ला की जानिब से) साफ़-साफ़ डराने वाला (करके भेजा गया) हूँ। (यानी चूँकि मुझे पैग़म्बरी मिली है इसलिये वही नाज़िल होती है। पस वाजिब है कि तुम मेरी रिसालत की तस्दीक़ करो। और ऊपर के जहान की अल्लाह तआ़ला से गुफ़्तगू जिसका तज़किरा ऊपर किया गया है उस वक़्त हुई थी) जबकि आपके परवर्दिगार ने फ़रिश्तों से इरशाद फ़रमाया कि मैं गारे से एक इनसान को (यानी उसके पुतले को) बनाने वाला हूँ सो मैं जब उसको (यानी उसके जिस्मानी अंगों को) पूरा बना चुकूँ और उसमें अपनी (तरफ़ से) जान डाल दूँ तो तुम सब उसके रू-ब-रू सज्दे में गिर पड़ना।

सो (जब अल्लाह तआ़ला ने उसको बना लिया तो) सारे-के-सारे फ़रिश्तों ने (आदम अ़लैहिस्सलाम को) सज्दा किया मगर इब्लीस ने, कि वह ग़ुरूर में आ गया और काफ़िरों में से हो गया। हक़ तआ़ला ने फ़रमाया कि ऐ इब्लीस! जिस चीज़ को मैंने अपने हाथों से बनाया (यानी जिस चीज़ को वजूद में लाने के लिये अल्लाह की ख़ास इनायत मुतवज्जह हुई, फिर उसके सामने सज्दा करने का हुक्म दिया गया तो) उसको सज्दा करने से तुझको कौनसी चीज़ रुकावट हुई? क्या तू ग़ुरूर में आ गया? (और वास्तव में बड़ा नहीं है), या यह कि तू (वास्तव में ऐसे) बड़े दर्जे वालों में है (जिसको सज्दे का हुक्म करना ही उचित नहीं)।

कहने लगा कि (दूसरी बात सही है, यानी) मैं आदम से बेहतर हूँ। (क्योंकि) आपने मुझको आग से पैदा किया है और उस (आदम अ़लैहिस्सलाम) को ख़ाक से पैदा किया है (पस मुझको हुक्म देना कि उसके सामने सज्दा करूँ हिक्मत के ख़िलाफ़ है)। इरशाद हुआ तो (अच्छा फिर) आसमान से निकल, क्योंकि बेशक तू (इस हरकत से) मरदूद हो गया। और बेशक तुझ पर मेरी लानत रहेगी क़ियामत के दिन तक (और उसके बाद रहमत का पात्र होने का शुब्हा व संभावना नहीं है) कहने लगा (कि अगर मुझको आदम की वजह से मरदूद किया है) तो फिर मुझको (मरने से) मोहलत दीजिये क़ियामत के दिन तक (ताकि उनसे और उनकी औलाद से ख़ूब बदला लूँ)। इरशाद हुआ (जब तू मोहलत माँगता है) तो (जा) तुझको निर्धारित वक़्त की तारीख़ तक मोहलत दी गई। कहने लगा (जब मुझको मोहलत मिल गई) तो (मुझको भी) तेरी (ही) इज़्ज़त की क़सम (है) कि मैं उन सब को गुमराह करूँगा सिवाय आपके उन बन्दों के जो उनमें चुन लिये गये हैं (यानी आपने उनको मेरे प्रभाव से महफ़ूज़ रखा है)। इरशाद हुआ कि मैं सच कहता हूँ और मैं तो (हमेशा) सच ही कहा करता हूँ कि मैं तुझसे और जो उनमें तेरा साथ दे उन सबसे दोज़ख़ को भर दूँगा।

(इस सूरत की शुरू की आयतों से स्पष्ट है कि इस सूरत का बुनियादी मक़सद नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की रिसालत को साबित करना है। इस विषय पर दलीलें तो दी जा चुकीं अब नसीहत भरे तरीक़े पर ईमान लाने की दावत दी जाती है) आप (हुज्जत पूरी करने के तौर पर)

कह दीजिये कि मैं तुम से इस (क़ुरआन की तब्लीग़) पर न कुछ बदला चाहता हूँ और न मैं बनावट करने वालों में से हूँ (कि बनावट के तौर पर नुबुव्वत का दावा किया हो, और ग़ैर-क़ुरआन को क़ुरआन कह दिया हो। यानी अगर झूठ बोलता तो उसका मन्शा या तो कोई माद्दी और दुनियावी नफ़ा होता जैसे मुआवज़ा, या कोई तबई आदत होती जैसे तकल्लुफ़, सो ये दोनों बातें नहीं, बल्कि हक़ीक़त में) यह क़ुरआन तो (अल्लाह का कलाम और) दुनिया जहान वालों के लिये बस एक नसीहत है (जिसकी तब्लीग़ के लिये मुझको नुबुव्वत मिली है और जिसमें सरासर तुम्हारा ही नफ़ा है)। और (अगर हक़ के स्पष्ट हो जाने के बावजूद भी तुम नहीं मानते तो) थोड़े दिनों के बाद तुमको इसका हाल मालूम हो जायेगा (यानी मरने के साथ ही हक़ीक़त खुल जायेगी कि यह हक़ था और इसका इनकार ग़लत था, मगर उस वक़्त मालूम होने से कोई फ़ायदा न होगा)।

मआरिफ़ व मसाईल

इस सूरत के मज़ामीन का ख़ुलासा

قُلْ إِنَّمَا أَنَا مُنذِرٌ

सूरत के शुरू में आप देख चुके हैं कि इस सूरत का असल मक़सद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की रिसालत को साबित करना और काफ़िरों की बातों और ख़्यालात का रद्द करना है। इसी सिलसिले में अम्बिया अलैहिमुस्सलाम के वाकिआत दो वजह से ज़िक्र किये गये थे- एक यह कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को तसल्ली हो और पहले अम्बिया अलैहिमुस्सलाम की तरह आप भी काफ़िरों की बेहूदा बातों पर सब्र फ़रमायें। दूसरे यह कि इन वाकिआत से ख़ुद वे लोग इब्रत (सबक़ व नसीहत) हासिल करें जो एक सच्चे नबी की नुबुव्वत व रिसालत का इनकार कर रहे हैं। इसके बाद एक और तरीक़े से काफ़िरों को इस्लाम की दावत दी गई और वह इस तरह कि मोमिनों के अच्छे अन्जाम और काफ़िरों को होने वाले सख़्त अज़ाब का नक़्शा खींचा गया और इस बात पर तंबीह की गई कि जिन लोगों की पैरवी में तुम आज तमाम रसूलों से अफ़ज़ल रसूल को झुठला रहे हो आख़िरत के दिन वही लोग तुम्हारी मदद से हाथ खींच लेंगे, वे तुम्हें बुरा भला कहेंगे और तुम उन पर लानत भेजोगे।

इन तमाम मज़मूनों के बाद आख़िर में असल मुद्दा यानी रिसालत को साबित करने का बयान किया गया है और दलीलें पेश करने के साथ नसीहत भरे अन्दाज़ में दावत भी दी गई है।

مَا كَانَ لِيَ مِنْ عِلْمٍ بِالْمَلَإِ الْأَعْلَىٰ إِذْ يَخْتَصِمُونَ ۝

(मुझको ऊपर के जहान की कुछ भी ख़बर न थी जबकि वे बातचीत कर रहे थे) यानी यह मेरी रिसालत की खुली और स्पष्ट दलील है कि मैं तुम से ऊपर के जहान की ऐसी बातें बयान करता हूँ जो वही (अल्लाह की तरफ़ से आने वाले पैग़ाम व ख़बर) के सिवा किसी भी ज़रिये से मालूम नहीं हो सकतीं। इन बातों से मुराद एक तो वह बातचीत है जो आदम अलैहिस्सलाम की पैदाईश के वक़्त अल्लाह तआला और फ़रिश्तों के बीच हुई थी, और जिसका तज़किरा सूरः ब-क़रह में आ चुका है।

फ़रिश्तों ने कहा था कि:

اَتَجْعَلُ فِيْهَا مَنْ يُّفْسِدُ فِيْهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ

(क्या आप ज़मीन में ऐसे इनसान को पैदा कर रहे हैं जो वहाँ फ़साद फैलाये और ख़ून बहाये?) इस बातचीत को यहाँ "इख़्तिसाम" के लफ़्ज़ से ताबीर किया गया है जिसके लफ़्ज़ी मायने हैं "झगड़ा" या "बहस व मुबाहसा" हालाँकि हक़ीक़त यह है कि फ़रिश्तों का यह सवाल कोई एतिराज़ या बहस व मुबाहसे के मक़सद से न था बल्कि वे तो सिर्फ़ हज़रत आदम की पैदाईश की हिक्मत मालूम करना चाहते थे, लेकिन सवाल व जवाब की ज़ाहिरी शक्ल चूँकि बहस के जैसी हो गयी थी इसलिये उसे "इख़्तिसाम" के लफ़्ज़ से ताबीर किया गया, और यह ऐसा ही है जैसे जब कोई छोटा किसी बड़े से कोई सवाल करता है तो बहुत सी बार बड़ा आदमी उसका ज़िक्र करते हुए बात में लुत्फ़ और नया अन्दाज़ पैदा करते हुए उसके सवाल व जवाब को "झगड़े" से ताबीर कर देता है।

اِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ

(जब आपके परवर्दिगार ने फ़रिश्तों से कहा ......) यहाँ हज़रत आदम की पैदाईश का जो वाक़िआ ज़िक्र किया गया है उससे अल्लाह तआ़ला और फ़रिश्तों की ऊपर बयान हुई बातचीत की तरफ़ इशारे के साथ-साथ इस बात की तरफ़ भी तवज्जोह दिलाई गई है कि जिस तरह इब्लीस ने महज़ जलन और तकब्बुर की वजह से हज़रत आदम अ़लैहिस्सलाम को सज्दा करने से इनकार कर दिया था इसी तरह अ़रब के मुश्रिक लोग भी हसद और तकब्बुर की वजह से आपकी बात नहीं मान रहे और जो अन्जाम इब्लीस का हुआ वही इनका भी होना है। (तफ़सीरे कबीर)

لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَىَّ

यहाँ हज़रत आदम अ़लैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह तआ़ला ने यह इरशाद फ़रमाया है कि मैंने अपने हाथों से उन्हें पैदा किया। उम्मत की अक्सरियत का इस पर इत्तिफ़ाक़ है कि "हाथों" से मुराद यह नहीं कि अल्लाह तआ़ला के ऐसे ही हाथ हैं जैसे इनसानों के होते हैं, क्योंकि अल्लाह तआ़ला बदनी अंगों की ज़रूरत से पाक और बरी है। लिहाज़ा इससे मुराद अल्लाह तआ़ला की क़ुदरत है और अ़रबी भाषा में लफ़्ज़ 'यद' (हाथ) कसरत से क़ुदरत के मायने में इस्तेमाल हुआ है। जैसे इरशाद है:

بِيَدِهٖ عُقْدَةُ النِّكَاحِ

(जिसके हाथ में है निकाह का ताल्लुक़) लिहाज़ा आयत का मतलब यह है कि मैंने आदम को अपनी क़ुदरत से पैदा किया। और यूँ तो कायनात की सारी चीज़ें अल्लाह की क़ुदरत ही से पैदा हुई हैं लेकिन जब बारी तआ़ला किसी चीज़ का ख़ुसूसी सम्मान ज़ाहिर करना चाहते हैं तो उसे ख़ास तौर से अपनी तरफ़ मन्सूब फ़रमा देते हैं। जैसे काबे को बैतुल्लाह, हज़रत सालेह अ़लैहिस्सलाम की ऊँटनी को नाक़तुल्लाह और हज़रत ईसा अ़लैहिस्सलाम को कलिमतुल्लाह या रूहुल्लाह कहा गया है। यहाँ भी यह निस्बत हज़रत आदम अ़लैहिस्सलाम की फ़ज़ीलत ज़ाहिर करने के लिये की गई है। (क़ुर्तुबी)

तकल्लुफ़ और बनावट की बुराई

وَمَآ اَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِيْنَ○

(और मैं बनावट करने वालों में से नहीं हूँ) मतलब यह है कि मैं तकल्लुफ़ और बनावट करके अपनी नुबुव्वत व रिसालत और इल्म व हिक्मत का इज़हार नहीं कर रहा, बल्कि अल्लाह के अहकाम को ठीक-ठीक पहुँचा रहा हूँ। इससे मालूम हुआ कि तकल्लुफ़ और बनावट शरई तौर पर बुरा और नापसन्दीदा है। चुनाँचे इसकी बुराई में कुछ हदीसें भी आई हैं। बुख़ारी व मुस्लिम में हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊद का इरशाद मन्क़ूल है कि:

"ऐ लोगो! तुम में से जिस शख़्स को किसी बात का इल्म हो वह तो लोगों से कह दे लेकिन जिसका इल्म न हो तो वह "अल्लाहु आलम" कहने पर बस कर ले (क्योंकि) अल्लाह तआ़ला ने अपने रसूल सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के बारे में फ़रमाया है।

قُلْ مَآ اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ وَّمَآ اَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِيْنَ○

(कह दीजिये कि मैं तुम से इस क़ुरआन की तब्लीग़ पर न कुछ बदला चाहता हूँ और न मैं बनावट करने वालों में से हूँ। हिन्दी अनुवादक)" (तफ़सीर रूहुल-मआ़नी)

अल्हम्दु लिल्लाह सूरः सॉद की तफ़सीर का हिन्दी तर्जुमा मुकम्मल हुआ।

सूरः ज़ुमर

सूरः ज़ुमर मक्का में नाज़िल हुई। इसमें 75 आयतें और 8 रुकूअ़ हैं।

آياتها ٧٥ (٣٩) سُورَةُ الزُّمَرِ مَكِّيَّةٌ (٥٩) رُكُوعَاتُهَا ٨

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ۝ إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ ۝ أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ ۚ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ ۝ لَوْ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا لَاصْطَفَىٰ مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۚ سُبْحَانَهُ ۖ هُوَ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ۝ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ ۖ يُكَوِّرُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ ۖ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ۖ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُسَمًّى ۗ أَلَا هُوَ الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ ۝ خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ ۚ يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ ۚ ذَٰلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ ۖ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ فَأَنَّىٰ تُصْرَفُونَ ۝

बिस्मिल्लाहिर्रह्मानिर्रहीम

शुरू अल्लाह के नाम से जो बेहद मेहरबान निहायत रहम वाला है।

तन्ज़ीलुल्-किताबि मिनल्लाहिल् अ़ज़ीज़िल्-हकीम (1) इन्ना अन्ज़ल्ना इलैकल्-किता-ब बिल्-हक़्क़ि फ़अ़्बुदिल्ला-ह मुख़्लिसल्-लहुद्दीन (2) अला लिल्लाहिद्-दीनुल्-ख़ालिसु, वल्लज़ीनत्त-ख़ज़ू मिन् दूनिही औलिया-अ। मा नअ़्बुदुहुम् इल्ला	उतारना है किताब का अल्लाह से जो ज़बरदस्त है हिक्मतों वाला। (1) हमने उतारी है तेरी तरफ़ किताब ठीक-ठीक सो बन्दगी कर अल्लाह की ख़ालिस कर-कर उसके वास्ते बन्दगी। (2) सुनता है! अल्लाह ही के लिये है बन्दगी ख़ालिस, और जिन्होंने पकड़ रखे हैं उससे वरे हिमायती, कि हम तो पूजते हैं उनको इस वास्ते कि

लियुक़र्रिबूना इलल्लाहि ज़ुल्फ़ा, इन्नल्ला-ह यह्कुमु बैनहुम् फ़ीमा हुम् फ़ीहि यख़्तलिफ़ू-न, इन्नल्ला-ह ला यह्दी मन् हु-व काज़िबुन् कफ़्फ़ार (3) लौ अरादल्लाहु अंय्यत्तख़ि-ज़ व-लदल्लस्तफ़ा मिम्मा यख़्लुक़ु मा यशा-उ सुब्हानहू, हुवल्लाहुल्-वाहिदुल्-क़ह्हार (4) ख़-लक़स्-समावाति वल्अर्-ज़ बिल्हक़्क़ि युकव्विरुल्लै-ल अ़लन्नहारि व युकव्विरुन्-नहा-र अ़लल्लैलि व सख़्ख़-रश्शम्-स वल्क़-म-र, कुल्लुंय्यज्री लि-अ-जलिम् मुसम्मन्, अला हुवल्-अ़ज़ीज़ुल्-ग़फ़्फ़ार (5) ख़-ल-क़कुम् मिन् नफ़्सिंव्वाहि-दतिन् सुम्-म ज-अ़-ल मिन्हा ज़ौ-जहा व अन्ज़-ल लकुम् मिनल्-अन्आ़मि समानि-य-त अज़्वाजिन्, यख़्लुक़ुकुम् फ़ी बुतूनि उम्म-हातिकुम् ख़ल्क़म्-मिम्बअ़्दि ख़ल्किन् फ़ी ज़ुलुमातिन् सलासिन्, ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम् लहुल्-मुल्कु, ला इला-ह इल्ला हु-व फ़-अन्ना तुस्रफ़ून (6)

हमको पहुँचा दें अल्लाह की तरफ़ क़रीब दर्जे में, बेशक अल्लाह फ़ैसला कर देगा उनमें जिस चीज़ में वे झगड़ रहे हैं, बेशक अल्लाह राह नहीं देता उसको जो हो झूठा, हक़ न मानने वाला। (3) अगर अल्लाह चाहता कि औलाद कर ले तो चुन लेता अपनी मख़्लूक़ में से जो कुछ चाहता, वह पाक है, वही है अल्लाह अकेला दबाव वाला। (4) बनाये आसमान और ज़मीन ठीक, लपेटता है रात को दिन पर और लपेटता है दिन को रात पर, और काम में लगा दिया सूरज और चाँद को हर एक चलता है एक तयशुदा मुद्दत पर। सुनता है! वही है ज़बरदस्त, गुनाह बख़्शने वाला। (5) बनाया तुमको एक जी से फिर बनाया उसी से उसका जोड़ा और उतारे तुम्हारे वास्ते चौपायों से आठ नर मादा, बनाता है तुमको माँ के पेट में एक तरह पर दूसरी तरह के बाद तीन अंधेरों के बीच, वह अल्लाह है तुम्हारा रब, उसी का राज है, किसी की बन्दगी नहीं उसके सिवाय, फिर कहाँ से फिरे जाते हो। (6)

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

यह नाज़िल की हुई किताब है अल्लाह ग़ालिब, हिक्मत वाले की तरफ़ से (ग़ालिब होना इसको चाहता था कि जो इसको झुठलाये उसको सज़ा दे दी जाये, मगर चूँकि हिक्मत वाला भी है और मोहलत में मस्लेहत थी इसलिये सज़ा में मोहलत दे रखी है)। हमने ठीक तौर पर इस किताब को आपकी तरफ़ नाज़िल किया है सो आप (क़ुरआन की तालीम के मुवाफ़िक़) ख़ालिस एतिक़ाद करके अल्लाह की इबादत करते रहिये (जैसा कि अब तक करते रहे हैं। और जब आप पर भी यह वाजिब है तो औरों पर तो क्यों वाजिब नहीं होगा। ऐ लोगो!) याद रखो, इबादत जो कि (शिर्क व दिखावे से) ख़ालिस हो अल्लाह ही के लिये लायक़ है और जिन लोगों ने (इख़्लास वाली इबादत छोड़कर) ख़ुदा के सिवा और शरीक तजवीज़ कर रखे हैं (और कहते हैं) कि हम तो उनकी पूजा सिर्फ़ इसलिये करते हैं कि हमको ख़ुदा का क़रीबी बना दें (यानी हमारी ज़रूरतों या इबादत को ख़ुदा के हुज़ूर में पेश कर दें जैसा कि दुनिया में बादशाहों के दरबार में वज़ीर लोग इस काम के होते हैं) तो उनके (और उनके मुक़ाबिल ईमान वालों के) आपसी झगड़ों का (क़ियामत के दिन) अल्लाह तआ़ला (अमली) फ़ैसला कर देगा (कि ईमान वालों को जन्नत में और शिर्क वालों को दोज़ख़ में दाख़िल कर देगा। यानी उन लोगों के न मानने पर आप ग़म न करें, उनका फ़ैसला वहाँ होगा। और इसका भी ताज्जुब न करें कि दलीलें क़ायम होने के बावजूद हक़ पर नहीं आते, क्योंकि) अल्लाह तआ़ला ऐसे शख़्स को राह पर नहीं लाता जो (ज़बान का) झूठा और (एतिक़ाद में) काफ़िर हो (यानी मुँह से कुफ़्रिया बातों और दिल से कुफ़्रिया अक़ीदों पर अड़ा और जमा हुआ हो और उससे बाज़ न आने का और हक़ को तलब करने का इरादा ही न करता हो। उसकी इस दुश्मनी व मुख़ालफ़त से अल्लाह तआ़ला भी उसको हिदायत की तौफ़ीक़ नहीं देता, और चूँकि मुश्रिकों में बाज़े ख़ुदा की तरफ़ औलाद की निस्बत करते थे जैसे फ़रिश्तों को अल्लाह की लड़कियाँ कहते थे, आगे उनका रद्द है कि) अगर (मान लो) अल्लाह तआ़ला (किसी को औलाद बनाता तो इस वजह से कि बिना अल्लाह के इरादे के कोई काम ज़ाहिर व वाक़े नहीं होता, पहले औलाद बनाने का इरादा करता और अगर) किसी को औलाद बनाने का इरादा करता तो (चूँकि अल्लाह के अ़लावा सब मख़्लूक़ हैं इसलिये) ज़रूर अपनी मख़्लूक़ (ही) में से जिसको चाहता (इस चीज़ के लिये) चुन लेता (और मख़्लूक़ ख़ालिक़ की जिन्स से नहीं हो सकती इसलिये लाज़िम आया कि यह बातिल है क्योंकि) वह (ऐबों से) पाक है (और ग़ैर-जिन्स होना ऐब है इसलिये किसी मख़्लूक़ को औलाद बनाने के लिये चुनना मुहाल हुआ और मुहाल का इरादा करना भी मुहाल है। इस तरह साबित हो गया कि) वह ऐसा अल्लाह है जो अकेला है (कि उसका कोई फ़िलहाल और मौजूदा शरीक नहीं और) ज़बरदस्त है (आगे भी उसका कोई शरीक बनने की क़ुव्वत व सलाहियत नहीं रखता क्योंकि सलाहियत तब होती कि कोई वैसा ही ज़बरदस्त होता और वह है नहीं)।

(आगे तौहीद की दलीलें इरशाद फ़रमाते हैं कि) उसने आसामन व ज़मीन को हिक्मत से पैदा किया। वह रात (की अंधेरी) को दिन (की रोशनी के मौक़े व महल यानी हवा) पर लपेटता है (जिससे दिन ग़ायब और रात आ मौजूद होती है) और दिन (की रोशनी) को रात (की अंधेरी के मौक़े व महल यानी हवा) पर लपेटता है (जिससे रात ग़ायब और दिन आ मौजूद हो जाता है), और उसने सूरज और

चाँद को काम में लगा रखा है कि (उनमें से) हर एक मुक़र्ररा वक़्त तक चलता रहेगा। याद रखो कि (इन दलीलों के बाद तौहीद यानी अल्लाह के एक और अकेला माबूद होने के इनकार से अ़ज़ाब का अन्देशा है और अल्लाह तआ़ला उस पर क़ादिर भी है क्योंकि) वह ज़बरदस्त है (लेकिन अगर इनकार के बाद भी कोई मान ले और क़ुबूल कर ले तो पीछे किये गये इनकार पर अ़ज़ाब न देगा, क्योंकि वह) बड़ा बख़्शने वाला (भी) है। (इससे तौहीद की तरफ़ रग़बत दिलाना और शिर्क से डराना हो गया और ऊपर कायनाती दलीलों से बात को पुख़्ता किया गया था आगे रूह व जान रखने वाले अफ़राद की दुनिया से दलील पकड़ी गयी है जिसमें ज़िमनी तौर पर कुछ संसार व कायनात के हालात भी आ गये हैं यानी) उसने तुम लोगों को एक तन (यानी आदम अ़लैहिस्सलाम) से पैदा किया (कि पहले वह अकेला तन पैदा हुआ) फिर उसी से उसका जोड़ा बनाया (इससे मुराद हज़रत हव्वा हैं, आगे फिर उनसे तमाम आदमी फैला दिये), और (वजूद में आने के बाद) तुम्हारे (फ़ायदे और बाक़ी रहने के) लिये आठ नर व मादा चौपायों के पैदा किये (जिनका ज़िक्र आठवें पारे के रुकूअ़ नम्बर 4 में आया है। और इनको ख़ास तौर पर इसलिए ज़िक्र किया कि ये ज़्यादा काम में आते हैं। यही है वह भाग जो संसार की दूसरी चीज़ों में से ज़िमनी तौर पर ज़िक्र हो गया। और ज़िमनी तौर पर इसलिये कहा गया कि असल मक़सद नफ़्सों और जानों के बाक़ी रहने को बयान करना है और यह बाक़ी रहने के असबाब में से है। आगे इनसानी नस्ल की पैदाईश की कैफ़ियत बयान फ़रमाते हैं)।

वह तुमको माँओं के पेट में एक कैफ़ियत (हालत) के बाद दूसरी कैफ़ियत पर (और दूसरी कैफ़ियत के बाद तीसरी कैफ़ियत पर और इसी तरह विभिन्न कैफ़ियतों पर) बनाता है (कि पहले नुत्फ़ा होता है, फिर जमा हुआ ख़ून, फिर लोथड़ा। और यह बनाना) तीन अंधेरियों में (होता है एक पेट की अंधेरी, दूसरी गर्भ की, तीसरी उस झिल्ली की जिसमें बच्चा लिपटा होता है। इन विभिन्न कैफ़ियतों, अनेक अंधेरियों में पैदा करना क़ुदरत के कमाल की दलील है, और तीन अंधेरियों में पैदा करना इल्म के कमाल की दलील है) यह है अल्लाह तुम्हारा रब (जिसकी सिफ़ात अभी तुमने सुनीं) उसी की सल्तनत है उसके सिवा कोई इबादत के लायक़ नहीं, सो (इन दलीलों के बाद) तुम कहाँ (हक़ से) फिरे चले जा रहे हो (बल्कि वाजिब है कि तौहीद को क़ुबूल करो और शिर्क को छोड़ दो)।

मआ़रिफ़ व मसाईल

فَاعْبُدِ اللّٰهَ مُخْلِصًا لَّهُ الدِّيْنَo اَلَا لِلّٰهِ الدِّيْنُ الْخَالِصُ.

इस जगह लफ़्ज़ दीन के मायने इबादत के हैं या इताअ़त के, जो दीन के तमाम अहकाम की पाबन्दी को आ़म और शामिल है। इससे पहले जुमले में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को ख़िताब करके हुक्म दिया गया है कि अल्लाह की इबादत व ताअ़त को ख़ालिस उसी के लिये करें जिसमें किसी ग़ैरुल्लाह के शिर्क या दिखावे का शुब्हा भी न हो। दूसरा जुमला इसी की ताकीद के लिये है कि दिन का ख़ालिस करना सिर्फ़ अल्लाह ही के लिये लायक़ है उसके सिवा और कोई इसका मुस्तहिक़ नहीं।

हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि एक शख़्स ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि

व सल्लम से अ़र्ज़ किया कि या रसूलल्लाह! कभी-कभी मैं कोई सदक़ा ख़ैरात करता हूँ या किसी पर एहसान करता हूँ जिसमें मेरी नीयत अल्लाह तआ़ला की रज़ा हासिल करने की भी होती है और यह भी कि लोग मेरी तारीफ़ व प्रशंसा करेंगे। रसूले ख़ुदा सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया क़सम है उस ज़ात की जिसके क़ब्ज़े में मुहम्मद की जान है कि अल्लाह तआ़ला किसी ऐसी चीज़ को क़ुबूल नहीं फ़रमाते जिसमें किसी ग़ैर को शरीक किया गया हो। फिर आपने यही ऊपर बयान हुई आयत दलील के तौर पर तिलावत फ़रमाई 'अला लिल्लाहिद्दीनुल् ख़ालिसु.............'। (क़ुर्तुबी)

अल्लाह के यहाँ आमाल का मक़बूल होना इख़्लास के हिसाब से है

अनेक क़ुरआनी आयतें इस पर सुबूत हैं कि अल्लाह तआ़ला के यहाँ आमाल का हिसाब गिनती से नहीं बल्कि वज़न से होता है। एक जगह इरशाद है:

وَنَضَعُ الْمَوَازِيْنَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيٰمَةِ.

और ऊपर बयान हुई आयतों ने बतला दिया कि अल्लाह के नज़दीक आमाल की क़द्र और वज़न इख़्लास के मुताबिक़ होता है, और यह ज़ाहिर है कि कामिल इख़्लास बिना कामिल ईमान के हासिल नहीं होता क्योंकि कामिल इख़्लास यह है कि अल्लाह के सिवा न किसी को नफ़ा व नुक़सान का मालिक समझे न अपने कामों में किसी ग़ैरुल्लाह को इख़्तियार व क़ब्ज़े वाला ख़्याल करे, न किसी इबादत व नेकी में ग़ैरुल्लाह का अपने तसव्वुर में ध्यान आने दे। ग़ैर-इख़्तियारी वस्वसों (आने वाले ख़्यालात) को अल्लाह तआ़ला माफ़ फ़रमा देता है।

सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अ़न्हुम जो मुसलमानों की पहली सफ़ और जमाअ़त हैं उनके आमाल व दीनी मेहनत की तादाद कुछ ज़्यादा नज़र न आयेगी मगर इसके बावजूद उनका एक छोटा और मामूली सा अ़मल बाक़ी उम्मत के बड़े-बड़े आमाल से बढ़ा हुआ होने की वजह उनके ईमान व इख़्लास का कामिल होना ही तो है।

وَالَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهٖٓ اَوْلِيَآءَ. مَانَعْبُدُهُمْ اِلَّا لِيُقَرِّبُوْنَآ اِلَى اللّٰهِ زُلْفٰى.

यह अ़रब के मुश्रिकों का हाल है। और उस ज़माने के आ़म मुश्रिक लोग भी तक़रीबन यही अ़क़ीदा रखते थे कि ख़ालिक़ व मालिक और तमाम कामों में इख़्तियार व हुक्म चलाने वाला तो सिर्फ़ अल्लाह तआ़ला ही है, शैतान ने उनको बहकाया तो अपने ख़्याल के मुताबिक़ फ़रिश्तों की शक्लों पर बुत बनाये और यह जानते हुए कि ये बुत हमारे बनाये हुए हैं इन्हें कोई अ़क़्ल व शऊर और क़ुदरत व क़ुव्वत हासिल नहीं, उनका अ़क़ीदा यह था कि इन बुतों के सम्मान व ताज़ीम से वे फ़रिश्ते हम से ख़ुश होंगे जिनकी शक्लों पर बुत बनाये गये हैं, और फ़रिश्ते अल्लाह के नज़दीक और ख़ास हैं। उन्होंने अल्लाह की बारगाह को दुनिया के बादशाहों पर क़ियास किया कि जैसे बादशाहों के यहाँ निकटता और ख़ुसूसियत रखने वाले किसी से ख़ुश हों तो वे बादशाह के पास उनकी सिफ़ारिश करके उनको भी बादशाह का क़रीबी और ख़ास बना देते हैं। ये समझते थे कि फ़रिश्ते भी बादशाही दरबारियों की तरह जिसकी चाहें सिफ़ारिश कर सकते हैं, मगर उनके ये सारे ख़्यालात शैतानी धोखा और बातिल ही बातिल थे। अव्वल तो ये बुत फ़रिश्तों की शक्ल पर हक़ीक़त में हैं नहीं, और हों भी

तो अल्लाह के ख़ास और क़रीबी फ़रिश्ते अपनी पूजा से कब ख़ुश होने वाले हैं, उनको तो हर उस चीज़ से तबई नफ़रत है जो अल्लाह के नज़दीक नापसन्द हो। इसके अलावा अल्लाह की बारगाह में वे अपनी तरफ़ से किसी की सिफ़ारिश नहीं कर सकते जब तक उनको किसी ख़ास शख़्स के बारे में सिफ़ारिश की इजाज़त न मिल जाये। क़ुरआन की आयत-

وَكَمْ مِّنْ مَّلَكٍ فِى السَّمٰوٰتِ لَا تُغْنِىْ شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا اِلَّا مِنْۢ بَعْدِ اَنْ يَّاْذَنَ اللّٰهُ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيَرْضٰى٥

का यही मतलब है।

उस ज़माने के मुश्रिक लोग भी आज के काफ़िरों से बेहतर थे

आज के माद्दापरस्त (भौतिकवादी) काफ़िर तो ख़ुद अल्लाह तआ़ला के वजूद ही के इनकारी हैं और अल्लाह तआ़ला की शान में डायरेक्ट और खुलकर गुस्ताख़ियाँ करते हैं। यूरोप से लाया गया कुफ़्र चाहे उसके रंग अलग और भिन्न हों- कोई सरमाया परस्त हो, कोई कम्यूनिज़म का क़ायल यह बात सब में साझा तौर पर मौजूद है कि मआ़ज़ल्लाह ख़ुदा कोई चीज़ नहीं, हम अपनी मर्ज़ी के मालिक हैं, हम से हमारे आमाल की पूछताछ और सवाल करने वाला कोई नहीं। इसी बदतरीन कुफ़्र और नाशुक्री का नतीजा है कि पूरी दुनिया से अमन व इत्मीनान, सुकून व राहत ख़त्म हो चुका है, राहत व आराम के नये-नये सामान बहुत मगर राहत ग़ैर-मौजूद। इलाज व उपचार के नये उपकरणों और खोजों की अधिकता मगर बीमारियों और रोगों की इतनी कसरत जो पहले किसी ज़माने में नहीं सुनी गई। पहरे, चोकियाँ, पुलिस, ख़ुफ़िया पुलिस क़दम-क़दम पर मगर अपराधों की रफ़्तार हर दिन बढ़ रही है। जब ग़ौर करें तो यही नये उपकरण व सामान और राहत व आराम के नये-नये तरीक़े ख़ुदा की मख़्लूक़ के लिये वबाले जान बने हुए नज़र आते हैं। कुफ़्र की सज़ा तो आख़िरत में सब ही काफ़िरों के लिये हमेशा की जहन्नम है मगर इस अंधी नाशुक्री की सज़ा कुछ दुनिया में भुगतनी पड़ती है कि जिसकी दी हुई नेमतों में उलट-फेर और प्रयोग करके आसमान पर चढ़ने के हौसले पैदा हुए उसी का नाम इनकार है।

दर मयान-ए-ख़ाना गुम करदेम साहिबे ख़ाना रा

لَوْ اَرَادَ اللّٰهُ اَنْ يَّتَّخِذَ وَلَدًا

यह उन लोगों पर रद्द है जो फ़रिश्तों को अल्लाह की औलाद कहते थे। उनके इस बातिल और ग़लत ख़्याल और एक नामुम्किन चीज़ को असंभावित तौर पर फ़र्ज़ करके फ़रमाया कि अगर अल्लाह तआ़ला के मआ़ज़ल्लाह कोई औलाद होती तो वह बग़ैर उसके इरादे और चाहत के होना मुहाल (असंभव) है कि ज़बरदस्ती औलाद उस पर मुसल्लत नहीं हो सकती। फिर अगर फ़र्ज़ करो उसका इरादा होता तो उसकी ज़ात के सिवा उसकी मख़्लूक़ात ही हैं, उन्हीं में से किसी को औलाद बनाते और औलाद का अपने वालिद की जिन्स से होना लाज़िम है, और मख़्लूक़ ख़ालिक़ की हम-जिन्स हो

ही नहीं सकती, इसलिये मख़्लूक़ को औलाद बनाने का इरादा करना मुहाल हो गया।

يُكَوِّرُ الَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ.

तकवीर के मायने एक चीज़ को दूसरी पर डालकर उसको छुपा देने के हैं। क़ुरआने करीम ने दिन रात के उलट-फेर को यहाँ आम नज़रों के एतिबार से तकवीर के लफ़्ज़ से ताबीर किया है कि रात आती है तो गोया दिन की रोशनी पर एक पर्दा डाल दिया गया और दिन आता है तो रात की अंधेरी पर्दे में चली जाती है।

चाँद सूरज दोनों हरकत में हैं

كُلٌّ يَّجْرِىْ لِاَجَلٍ مُّسَمًّى.

इससे मालूम हुआ कि चाँद और सूरज दोनों हरकत करते हैं। आकाशीय विज्ञान और भूविज्ञान की माद्दी तहक़ीक़ात क़ुरआन पाक या किसी आसमानी किताब की बहस का विषय नहीं होता मगर इस मामले में जितनी बात कहीं ज़िमनी तौर पर आ जाती है उस पर यक़ीन रखना फ़र्ज़ है। वैज्ञानिकों की पुरानी और नई तहक़ीक़ात तो मोम की नाक हैं रोज़ बदलती रहती हैं। क़ुरआनी हक़ीक़तें अटल और नाक़ाबिले तब्दील हैं, उक्त आयत ने जितनी बात बतलाई कि चाँद और सूरज दोनों हरकत कर रहे हैं इस पर यक़ीन रखना फ़र्ज़ है। अब रहा यह मामला कि हमारे सामने सूरज का निकलना व ग़ुरूब होना ज़मीन की हरकत से है या ख़ुद इन ग्रहों की हरकत से, क़ुरआने पाक न इसको साबित करता है न इसका इनकार करता है। तजुर्बे से जो कुछ मालूम हुआ उसके मानने में हर्ज नहीं।

وَاَنْزَلَ لَكُمْ مِّنَ الْاَنْعَامِ ثَمٰنِيَةَ اَزْوَاجٍ.

चौपायों (जानवरों व पशुओं) की पैदाईश को इस आयत में "इन्ज़ाल" यानी आसमान से उतारने के साथ ताबीर फ़रमाकर इस तरफ़ इशारा फ़रमा दिया कि इनकी पैदाईश में बड़ा दख़ल उस पानी का है जो आसमान से नाज़िल होता है। इसलिये यह कहा जा सकता है कि ये भी गोया आसमान से नाज़िल हुए। क़ुरआने करीम ने इनसानी लिबास के लिये भी यही लफ़्ज़ इस्तेमाल फ़रमाया है:

اَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا

और कुछ ज़मीन से निकलने वाली चीज़ों जैसे लोहे के लिये भी यह लफ़्ज़ आया है:

وَاَنْزَلْنَا الْحَدِيْدَ

इन सब का हासिल इन चीज़ों का अपनी क़ुदरत से पैदा करना और इनसान को अ़ता करना है। (तफ़सीरे क़ुर्तुबी)

خَلْقًا مِّنْ م بَعْدِ خَلْقٍ فِىْ ظُلُمٰتٍ ثَلٰثٍ.

इसमें अल्लाह की क़ुदरत के उन भेदों और छुपी चीज़ों की कुछ निशानदेही की गई है जो इनसान की पैदाईश में काम कर रहे हैं। अव्वल तो यह कि अल्लाह तआ़ला की क़ुदरत में तो यह भी था कि बच्चे को पेट में एक ही वक़्त में मुकम्मल पैदा कर देते, मगर क़ुदरत व हिक्मत के तक़ाज़े के तहत ऐसा नहीं किया बल्कि एक कैफ़ियत के पैदा करने के बाद दूसरी कैफ़ियत व हालत बनाई और दर्जा-

-ब-दर्जा इस अ़मल को पूरा किया, कि औ़रत जिसके पेट में एक छोटी सी दुनिया तैयार हो रही है वह आहिस्ता-आहिस्ता उसका बोझ बरदाश्त करने की आ़दी होती चली जाये। दूसरे इस बेनज़ीर हसीन तरीन मख़्लूक़ को जिसमें सैंकड़ों नाज़ुक मशीनें और बाल के बराबर रगें ख़ून और रूह पहुँचाने के लिये लगाई गई हैं यह आ़म कारीगरों की तरह ऐसी खुली जगह रोशनियों की मदद से नहीं बल्कि तीन अंधेरियों में ऐसी जगह पैदा की गई है जहाँ किसी की नज़र तो क्या सोच की भी रसाई और पहुँच नहीं। वाक़ई क्या ही बड़ी शान है अल्लाह की जो सबसे बेहतर बनाने वाला है।

إِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنكُمْ ۖ

وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ ۖ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ ۗ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۗ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۚ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ۝ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِن قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَندَادًا لِّيُضِلَّ عَن سَبِيلِهِ ۚ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا ۖ إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ ۝ أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ ۗ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۗ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ ۝ قُلْ يَا عِبَادِ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ ۚ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ ۗ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ ۗ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ ۝

ع ١٥

इन् तक्फ़ुरू फ़-इन्नल्ला-ह ग़निय्युन् अ़न्कुम्, व ला यर्ज़ा लिअ़िबादिहिल्-कुफ़्-र व इन् तश्कुरू यर्-ज़हु लकुम्, व ला तज़िरु वाज़ि-रतुंव्-विज़्-र उख़्रा, सुम्-म इला रब्बिकुम् मर्जिअ़ुकुम् फ़-युनब्बिउकुम् बिमा कुन्तुम् तअ़्मलू-न, इन्नहू अ़लीमुम्-बिज़ातिस्सुदूर (7) व इज़ा मस्सल्-इन्सा-न ज़ुर्रुन् दआ रब्बहू मुनीबन् इलैहि सुम्-म इज़ा ख़व्व-लहू निअ़्-मतम् मिन्हु नसि-य मा का-न	अगर तुम मुन्किर होगे तो अल्लाह परवाह नहीं रखता तुम्हारी और पसन्द नहीं करता अपने बन्दों का मुन्किर होना, और अगर उसका हक़ मानोगे तो इसको तुम्हारे लिये पसन्द करेगा, और न उठायेगा कोई उठाने वाला बोझ दूसरे का, फिर अपने रब की तरफ़ तुमको फिर जाना है तो वह जतलायेगा तुमको जो तुम करते थे। बेशक उसको ख़बर है दिलों की बात की। (7) और जब आ लगे इनसान को सख़्ती पुकारे अपने रब को रुजू होकर उसकी तरफ़, फिर जब बख़्शे उसको नेमत अपनी तरफ़ से भूल जाये उसको

यद्‌अू इलैहि मिन् क़ब्लु व ज-अ-ल लिल्लाहि अन्दादल् लियुज़िल्-ल अन् सबीलिही, क़ुल् त-मत्तअ् बिकुफ़्रि-क क़लीलन् इन्न-क मिन् अस्हाबिन्नार (8) अम्मन् हु-व क़ानितुन् आनाअल्-लैलि साजिदंव्-व क़ाइमंय्यह्-ज़रुल्-आख़िर-त व यर्जू रह्म-त रब्बिही, क़ुल् हल् यस्तविल्लज़ी-न यअ्लमू-न वल्लज़ी-न ला यअ्लमू-न, इन्नमा य-तज़क्करु उलुल्-अल्बाब (9) ❁ क़ुल् या अिबादिल्लज़ी-न आमनुत्तक़ू रब्बकुम्, लिल्लज़ी-न अह्सनू फ़ी हाज़िहिद्-दुन्या ह-स-नतुन्, व अर्ज़ुल्लाहि वासि-अतुन्, इन्नमा युवफ़्फ़स्-साबिरू-न अज्रहुम् बिग़ैरि हिसाब (10)

कि जिसके लिये पुकार रहा था पहले से और ठहराये अल्लाह के बराबर औरों को ताकि बहकाये उसकी राह से। तू कह- बरत ले साथ अपने कुफ़्र के थोड़े दिनों, तू है दोज़ख़ वालों में। (8) भला एक जो बन्दगी में लगा हुआ है रात की घड़ियों में सज्दे करता हुआ और खड़ा हुआ ख़तरा रखता है आख़िरत का और उम्मीद रखता है अपने रब की मेहरबानी की, तू कह- कोई बराबर होते हैं समझ वाले और बेसमझ, सोचते वही हैं जिनको अक़्ल है। (9) ❁

तू कह- ऐ मेरे बन्दो! जो यक़ीन लाये हो डरो अपने रब से जिन्होंने नेकी की इस दुनिया में उनके लिये है भलाई, और अल्लाह की ज़मीन कुशादा (बहुत बड़ी) है, सब्र करने वालों ही को मिलता है उनका बेशुमार हिसाब। (10)

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

(ऐ लोगो तुमने कुफ़्र व शिर्क का बातिल होना सुन लिया, इसके बाद) अगर तुम कुफ़्र करोगे (जिसमें शिर्क भी दाख़िल है) तो ख़ुदा तआ़ला (का कोई नुक़सान नहीं, क्योंकि वह) तुम्हारा (और तुम्हारी इबादत का) ज़रूरत मन्द नहीं (कि तुम्हारे इबादत व तौहीद इख़्तियार न करने से कुछ उसको नुक़सान पहुँचे) और (यह बात ज़रूर है कि) वह अपने बन्दों के लिये कुफ़्र को पसन्द नहीं करता (क्योंकि कुफ़्र से बन्दों को नुक़सान पहुँचता है), और अगर तुम शुक्र करोगे (जिसका मुख्य फ़र्द ईमान है) तो (उसको कोई नफ़ा नहीं, मगर चूँकि तुम्हारा नफ़ा है इसलिये वह) इसको तुम्हारे लिये पसन्द करता है। और (चूँकि हमारे यहाँ क़ायदा मुक़र्रर है कि) कोई किसी का (गुनाह का) बोझ नहीं उठाता (इसलिये कुफ़्र करके यूँ भी न समझना कि हमारा कुफ़्र दूसरे के नामा-ए-आमाल में किसी वजह से दर्ज हो जायेगा और हम बरी हो जायेंगे, चाहे इस वजह से कि हम दूसरों के ताबेदार व पैरोकार हैं चाहे वह पैरवी अपने ज़माने के लोगों की हो या अपने पूर्वज और पहले गुज़रे बाप-दादा की, इस

वजह से कि कुछ दूसरे उस बोझ के उठा लेने का वायदा करते हैं जैसा कि बाज़े काफ़िर कहा करते थे 'वल्नह्मिल् ख़तायाकुम्..........' "कि हम तुम्हारे गुनाहों का बोझ अपने सर ले लेंगे" ग़र्ज़ कि यह न होगा बल्कि तुम्हारा कुफ़्र तुम्हारे जुर्मों में लिखा जायेगा) फिर अपने परवर्दिगार के पास तुमको लौटकर जाना होगा सो वह तुमको तुम्हारे सब आमाल जतला देगा (और सज़ा देगा। पस यह गुमान भी ग़लत है कि उनके आमाल की पेशी का वक़्त न आयेगा, और) वह दिलों तक की बातों का जानने वाला है (पस यह गुमान भी मत करना कि हमारे कुफ़्र की शायद उसको इत्तिला न हो जैसा कि हदीसों में है कि कुछ लोगों में गुफ़्तगू हुई कि मालूम नहीं अल्लाह तआ़ला हमारी बातें सुनता है या नहीं, किसी ने कुछ जवाब दिया किसी ने कुछ जवाब दिया, जिस पर यह आयत नाज़िल हुई:

وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُوْنَ اَنْ يَّشْهَدَ .... اَلخ

(यानी सूरः हा-मीम अस्सज्दा की आयत 22)

और (मुश्रिक) आदमी (की हालत यह है कि उस) को जब कोई तकलीफ़ पहुँचती है तो अपने (असली) रब को उसी की तरफ़ रुजू होकर पुकारने लगता है (और सब माबूदों को भूल जाता है), फिर जब अल्लाह तआ़ला उसको अपने पास से (अमन व सुकून की) नेमत अ़ता फ़रमा देता है तो जिस (तकलीफ़ के दूर करने) के लिये पहले से (ख़ुदा को) पुकार रहा था उसको भूल जाता है (और ग़ाफ़िल हो जाता है) और ख़ुदा के शरीक बनाने लगता है। जिसका असर (अ़लावा अपने गुमराह होने के) यह होता है कि अल्लाह की राह से दूसरों को (भी) गुमराह करता है। (और अगर उस मुसीबत को पेशे नज़र रखता तो तौहीद में इख़्लास को क़ायम रखता। यह मुश्रिक की बुराई व निंदा हो गई, आगे अ़ज़ाब से डराना है कि) आप (ऐसे शख़्स से) कह दीजिए कि अपने कुफ़्र की बहार थोड़े दिनों और लूट ले (फिर आख़िरकार) तू दोज़ख़ियों में से होने वाला है।

(आगे तौहीद वालों की तारीफ़ व ख़ुशख़बरी है यानी) भला जो शख़्स (उक्त मुश्रिक के हाल के उलट) रात के वक़्तों में (जो उमूमन ग़फ़लत का वक़्त होता है) सज्दा व क़ियाम (यानी नमाज़) की हालत में इबादत कर रहा हो (यह तो उसका ज़ाहिर है, और बातिन यह हो कि) आख़िरत से डर रहा हो और अपने परवर्दिगार की रहमत की उम्मीद (भी) कर रहा हो, (क्या ऐसा शख़्स और उक्त मुश्रिक बराबर हो सकते हैं? हरगिज़ नहीं, बल्कि यह बन्दगी में लगने वाला जो इबादत पर पाबन्दी करने वाला और अल्लाह से डरने वाला भी है और उससे माफ़ी व करम की उम्मीद रखने वाला भी, यह क़ाबिले तारीफ़ है, और मुश्रिक जो मतलब निकाल लेने के बाद इख़्लास को छोड़ देता है नापसन्दीदा व बुरा है। और चूँकि इन इबादतों के छोड़ने को काफ़िर लोग बुरा न समझते थे इसलिये इस फ़र्क़ व भेद की बिना पर पसन्दीदा व नापसन्दीदा होने के हुक्म में उनको शुब्हा हो सकता था, इसलिये आगे इससे ज़्यादा स्पष्ट और माने हुए उनवानों से इस हुक्म को साबित फ़रमाते हैं, यानी ऐ पैग़म्बर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम!) आप (उनसे इस उनवान से) कहिये- क्या इल्म वाले और जहल वाले (कहीं) बराबर होते हैं? (चूँकि जहल को हर शख़्स बुरा समझता है, इसके जवाब में उनकी तरफ़ से भी यही कहा जा सकता है कि जहल वाले बुरे हैं। आगे यह साबित करना रह जायेगा कि अ़मल करने वाला इल्म वाला है और अ़मल से मुँह मोड़ने वाला जहल "अज्ञानता" वाला है, सो यह चीज़ ज़रा से विचार से साबित है, और अगरचे इस बयान से कुफ़्र और कुफ़्र वालों का बुरा व नापसन्दीदा

और ईमान व ईमान वालों का पसन्दीदा व क़ाबिले तारीफ़ होना साबित हो गया लेकिन फिर भी) वही लोग नसीहत पकड़ते हैं जो (सही) अ़क्ल वाले हैं।

और (जब फ़रमाँबरदारों और नेकी करने वालों का अल्लाह के नज़दीक पसन्दीदा व क़ाबिले तारीफ़ होना मालूम हो गया तो इताअ़त की तरफ़ उभारने के लिये) आप (मोमिनों को मेरी तरफ़ से) कह दीजिये कि ऐ मेरे ईमान वाले बन्दो! तुम अपने परवर्दिगार से डरते रहो। (यानी नेकी व फ़रमाँबरदारी पर पाबन्दी से जमे रहने और गुनाहों व नाफ़रमानी से बचने वाले रहो कि ये सब तक़वे ही की क़िस्में और शाखायें हैं। आगे इसका फल है कि) जो लोग इस दुनिया में नेकी करते हैं उनके लिये नेक सिला है (आख़िरत में तो ज़रूर और दुनिया में भी बातिनी राहत तो ज़रूर और कभी ज़ाहिरन भी) और (अगर वतन में कोई नेकी करने से रुकावट व बाधा हो तो हिजरत करके दूसरी जगह चले जाओ क्योंकि) अल्लाह की ज़मीन फ़राख़ "बहुत बड़ी और फैली हुई" है, (और अगर वतन छोड़ने में कुछ तकलीफ़ पहुँचे तो हिम्मत व जमाव से काम लो क्योंकि दीन में) साबित-क़दम रहने वालों को उनका सिला बेशुमार ही मिलेगा (पस इससे नेकी की तरफ़ रग़बत दिलाना हो गया)।

मआ़रिफ़ व मसाईल

اِنْ تَكْفُرُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِیٌّ عَنْكُمْ.

यानी न तुम्हारे ईमान से अल्लाह तआ़ला का अपना कोई फ़ायदा, न तुम्हारे कुफ़्र से कोई नुक़सान। सही मुस्लिम की हदीस में है कि अल्लाह तआ़ला ने फ़रमाया "ऐ मेरे बन्दो! अगर तुम्हारे पहले और बाद के और तुम्हारे इनसान और जिन्न सब के सब बेइन्तिहा गुनाहों व बुराईयों में मुब्तला हो जायें तो मेरे मुल्क व सल्तनत में ज़रा भी कमी नहीं आती। (तफ़सीर इब्ने कसीर)

وَلَا يَرْضٰی لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ.

यानी अल्लाह तआ़ला अपने बन्दों के कुफ़्र से राज़ी नहीं। रज़ा से मुराद मुहब्बत है, या किसी काम का इरादा करना बग़ैर एतिराज़ के। इसके मुक़ाबले **सुख़्त** का लफ़्ज़ आता है जिसके मायने किसी चीज़ को नापसन्दीदा रखना या किसी चीज़ को क़ाबिले एतिराज़ क़रार देना है, अगरचे उसके साथ इरादा भी जुड़ा हो।

मसलाः 'अहले-सुन्नत वल्-जमाअ़त' का अ़क़ीदा यह है कि दुनिया में कोई अच्छा या बुरा काम ईमान या कुफ़्र अल्लाह तआ़ला की मर्ज़ी या इरादे के बग़ैर वजूद में नहीं आ सकता। इसलिये हर चीज़ के वजूद में आने के लिये अल्लाह जल्ल शानुहू का इरादा शर्त है। अलबत्ता रज़ा और पसन्दीदगी हक़ तआ़ला की सिर्फ़ ईमान और अच्छे कामों से जुड़ी होती है, कुफ़्र व शिर्क और नाफ़रमानी उसको पसन्द नहीं। शैख़ुल-इस्लाम अ़ल्लामा नववी रह. ने अपनी किताब 'अल-उसूल वज़्ज़वाबित' में लिखा हैः

مذهب اهل الحق الايمان بالقدر واثباته وان جميع الكائنات خيرها وشرها بقضاء الله وقدره وهو مريد لها كلها ويكره المعاصى مع انه تعالٰى مريد لها لحكمة يعلمها جل وعلا. (روح المعانى)

अहले हक़ का मज़हब तक़दीर पर ईमान लाना है, और यह कि तमाम कायनात अच्छी हों या बुरी सब अल्लाह तआ़ला के हुक्म व तक़दीर से वजूद में आती हैं, और अल्लाह तआ़ला उनके पैदा करने व बनाने का इरादा भी करता है, मगर वह गुनाह व नाफ़रमानी को मक्रूह व नापसन्द समझता है अगरचे उनके वजूद में लाने का इरादा किसी हिक्मत व मस्लेहत से होता है, जिसको वह ख़ुद ही जानता है।

اَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ اٰنَآءَ الَّيْلِ

लफ़्ज़ ''अम्मन'' दो लफ़्ज़ों से मिलकर बना है- 'अम' सवालिया हर्फ़ और 'मन' इस्मे मौसूल है। इस जुमले से पहले काफ़िरों को अल्लाह तआ़ला की तरफ़ से कहा गया है कि दुनिया की चन्द दिन की ज़िन्दगी में अपने कुफ़्र और बुराईयों व गुनाहों के मज़े उड़ा लो, आख़िरकार तुम जहन्नम के ईंधन होगे। इसके बाद इस जुमले में 'फ़रमाँबरदार मोमिन' का बयान है जिसको 'अम्मन' के सवाल वाले लफ़्ज़ से शुरू किया गया है। तफ़सीर के उलेमा ने फ़रमाया कि इससे पहले एक जुमला पोशीदा है कि काफ़िर से कहा जायेगा कि तू अच्छा है या वह नेकी करने वाला मोमिन जिसका ज़िक्र आगे आता है। लफ़्ज़ क़ानित के कई तर्जुमे किये गये हैं। हज़रत इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहु अ़न्हु का क़ौल उन सब को अपने अन्दर समोये हुए है, इसके मायने हैं इताअ़त गुज़ार। और यह लफ़्ज़ जब ख़ास नमाज़ के लिये बोला जाये जैसे 'क़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन' तो वहाँ मुराद वह शख़्स होता है जो नमाज़ में अपनी निगाह को नीचे रखे, इधर-उधर न देखे, न अपने बदन या कपड़ों से खेल करे न दुनिया की किसी चीज़ को अपने इख़्तियार से नमाज़ में याद करे। भूल और ग़ैर-इख़्तियारी वस्वसे इसके विरुद्ध नहीं। (तफ़सीरे क़ुर्तुबी)

'आनाअल्लैलि' के मायने रात की घड़ियों के हैं, जिससे मुराद रात का शुरू हिस्सा और बीच का और आख़िर है। हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने फ़रमाया कि जो शख़्स यह चाहता है कि मेहशर के हिसाब के मक़ाम में अल्लाह तआ़ला उस पर आसानी फ़रमा दें उसको चाहिये कि अल्लाह तआ़ला उसको रात की अंधेरी में सज्दे और क़ियाम की हालत में पाये, इस तरह कि उसको आख़िरत की फ़िक्र भी हो और रहमत की उम्मीद भी। कुछ हज़रात ने मग़रिब व इशा के बीच के वक़्त को भी 'आनाअल्लैलि' कहा है। (तफ़सीरे क़ुर्तुबी)

وَاَرْضُ اللّٰهِ وَاسِعَةٌ

इससे पहले जुमले में नेक आमाल का हुक्म है। इसमें कोई यह उज़्र कर सकता था कि मैं जिस शहर या मुल्क में रहता हूँ या जिस माहौल में फंसा हुआ हूँ उसका माहौल मुझे नेक आमाल से रोकता है। इसका जवाब इस जुमले में दे दिया गया कि अगर किसी ख़ास मुल्क व शहर या ख़ास माहौल में रहते हुए शरीअ़त के अहकाम की पाबन्दी मुश्किल नज़र आये तो उसको छोड़ दो, अल्लाह की ज़मीन बहुत बड़ी है, किसी ऐसी जगह और ऐसे माहौल में जाकर रहो जो अल्लाह के अहकाम पर चलने के लिये साज़गार हो। इसमें उभारना और तवज्जोह दिलाना है ऐसी जगह से हिजरत की जिसमें रहते हुए इनसान दीन के अहकाम की पाबन्दी न कर सके। हिजरत के तफ़सीली अहकाम सूरः निसा में आ चुके हैं।

إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ۝

बग़ैर हिसाब से मुराद यह है कि सब्र करने वालों का सवाब किसी मुक़र्रर अन्दाज़े और पैमाने से नहीं बल्कि बेअन्दाज़ा व बेहिसाब दिया जायेगा जैसा कि हदीस की रिवायतों में आगे आता है। और कुछ हज़रात ने बग़ैर हिसाब के मायने दरख़्वास्त व मुतालबे के लिये हैं, यानी जैसे दुनिया में किसी का कोई हक़ किसी के ज़िम्मे हो तो उसे अपने हक़ का ख़ुद मुतालबा करना पड़ता है लेकिन अल्लाह के यहाँ साबिरों को दरख़्वास्त और मुतालबे के बग़ैर ही उनका सवाब अ़ता किया जायेगा।

हज़रत क़तादा रह. ने फ़रमाया कि हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने यह हदीस सुनाई कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि क़ियामत के दिन इन्साफ़ की तराज़ू क़ायम की जायेगी। सदक़े वाले आयेंगे तो उनके सदक़ों को तौलकर उसके हिसाब से पूरा-पूरा अज्र दे दिया जायेगा। इसी तरह नमाज़ और हज वग़ैरह इबादतों वालों की इबादतों को तौलकर हिसाब से उनका अज्र पूरा दे दिया जायेगा। फिर जब बला और मुसीबत में सब्र करने वाले आयेंगे तो उनके लिये कोई नाप-तौल और वज़न नहीं होगा बल्कि बग़ैर हिसाब व अन्दाज़े के उनकी तरफ़ अज्र व सवाब बहा दिया जायेगा, क्योंकि अल्लाह तआ़ला ने फ़रमाया है:

إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ۝

(सब्र करने वालों को ही मिलता है उनका बेशुमार सवाब) यहाँ तक कि वे लोग जिनकी दुनियावी ज़िन्दगी आ़फ़ियत में गुज़री, तमन्ना करने लगेंगे कि काश दुनिया में उनके बदन कैंचियों के ज़रिये काटे गये होते तो हमें भी सब्र का ऐसा ही सिला मिलता।

हज़रत इमाम मालिक रह. ने इस आयत में साबिरीन (सब्र करने वालों) से मुराद वे लोग लिये हैं जो दुनिया की मुसीबतों और रंज व ग़म पर सब्र करने वाले हैं। और कुछ हज़रात ने फ़रमाया कि साबिरीन से मुराद वे लोग हैं जो गुनाहों व बुराईयों से अपने नफ़्स को रोकें। इमाम क़ुर्तुबी रह. फ़रमाते हैं कि लफ़्ज़ साबिर जब बग़ैर किसी दूसरे लफ़्ज़ के बोला जाता है तो इससे मुराद यही होता है जो अपने नफ़्स को गुनाहों से बाज़ रखने की मशक़्क़त पर सब्र करे, और मुसीबत पर सब्र करने वाले के लिये लफ़्ज़ साबिर बोला जाता है तो सब्र के साथ उसका ज़िक्र होता है, यानी फ़ुलाँ मुसीबत पर सब्र करने वाला। वल्लाहु आलम

قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ ۝ وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ ۝ قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ۝ قُلِ اللَّهَ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَهُ دِينِي ۝ فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُمْ مِنْ دُونِهِ ۚ قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۚ أَلَا ذَٰلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ ۝ لَهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِنَ النَّارِ وَمِنْ تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ ۚ ذَٰلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ ۚ يَا عِبَادِ فَاتَّقُونِ ۝ وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَىٰ ۚ فَبَشِّرْ عِبَادِ ۝ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ ۚ أُولَٰئِكَ

الَّذِيْنَ هَدٰىهُمُ اللّٰهُ وَاُولٰٓئِكَ هُمْ اُولُوا الْاَلْبَابِ ۝ اَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ ۗ اَفَاَنْتَ تُنْقِذُ مَنْ فِى النَّارِ ۝ لٰكِنِ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ مِّنْ فَوْقِهَا غُرَفٌ مَّبْنِيَّةٌ ۙ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ۬ وَعْدَ اللّٰهِ ۗ لَا يُخْلِفُ اللّٰهُ الْمِيْعَادَ ۝

क़ुल् इन्नी उमिर्तु अन् अअ़्बुदल्ला-ह मुख़्लिसल्-लहुद्दीन (11) व उमिर्तु लि-अन् अकू-न अव्वलल्-मुस्लिमीन (12) क़ुल् इन्नी अख़ाफ़ु इन् अ़सैतु रब्बी अ़ज़ा-ब यौमिन् अ़ज़ीम (13) क़ुलिल्ला-ह अअ़्बुदु मुख़्लिसल्-लहू दीनी (14) फ़अ़्बुदू मा शिअ्तुम् मिन् दूनिही, क़ुल् इन्नल्-ख़ासिरीनल्-लज़ी-न ख़सिरू अन्फ़ु-सहुम् व अह्लीहिम् यौमल्-क़ियामति, अला ज़ालि-क हुवल्-ख़ुस्रानुल्-मुबीन (15) लहुम् मिन् फ़ौक़िहिम् ज़ु-ललुम्-मिनन्नारि व मिन् तह्तिहिम् ज़ु-ललुन्, ज़ालि-क युख़व्विफ़ुल्लाहु बिही अ़िबादहू, या अ़िबादि फ़त्तक़ून (16) वल्लज़ीनज्त-नबुत्ताग़ू-त अंय्यअ़्बुदूहा व अनाबू इलल्लाहि लहुमुल्-बुश्रा फ़-बश्शिर् अ़िबाद (17) अल्लज़ी-न यस्तमिअ़ूनल्-क़ौ-ल फ़-यत्तबिअ़ू-न अह्स-नहू, उलाइ-कल्लज़ी-न हदाहुमुल्लाहु व उलाइ-क हुम् उलुल्-

तू कह- मुझको हुक्म है कि बन्दगी करूँ अल्लाह की ख़ालिस कर कर उसके लिये बन्दगी। (11) और हुक्म है कि मैं हूँ सब से पहले हुक्म मानने वाला। (12) तू कह- मैं डरता हूँ अगर हुक्म न मानूँ अपने रब का एक बड़े दिन के अज़ाब से। (13) तू कह- मैं तो अल्लाह को पूजता हूँ ख़ालिस कर-कर अपनी बन्दगी उसके वास्ते। (14) अब तुम पूजो जिसको चाहो उसके सिवा तू कह- बड़े हारने वाले वे जो हार बैठे अपनी जान को और अपने घर वालों को क़ियामत के दिन, सुनता है! यही है खुला घाटा। (15) उनके वास्ते ऊपर से बादल हैं आग के और उनके नीचे से बादल, इस चीज़ से डराता है अल्लाह अपने बन्दों को, ऐ मेरे बन्दो! तो मुझसे डरो। (16) और जो लोग बचे शैतानों से कि उनको पूजें और रुजू हुए अल्लाह की तरफ़ उनके लिये है ख़ुशख़बरी, सो तू ख़ुशी सुना दे (17) मेरे बन्दों को जो सुनते हैं बात फिर चलते हैं उस पर जो उसमें नेक है, वही हैं जिन को रस्ता दिया अल्लाह ने और वही हैं

अल्बाब (18) अ-फ़-मन् हक़्-क़ अ़लैहि कलि-मतुल्-अ़ज़ाबि, अ-फ़ अन्-त तुन्क़िज़ु मन् फ़िन्नार (19) लाकिनिल्लज़ीनत्तक़ौ रब्बहुम् लहुम् ग़ु-रफ़ुम्-मिन् फ़ौक़िहा ग़ु-रफ़ुम्-मब्निय्यतुन् तज्री मिन् तह्तिहल्-अन्हारु, वअ़्दल्लाहि, ला युख़्लिफ़ुल्लाहुल्-मीआ़द (20)	अ़क़्ल वाले। (18) भला जिस पर ठीक हो चुका अ़ज़ाब का हुक्म भला तू ख़लास कर सकेगा उसको जो आग में पड़ चुका (19) लेकिन जो डरते हैं अपने रब से उनके वास्ते हैं झरोके उनके ऊपर और झरोके चुने हुए उनके नीचे बहती हैं नदियाँ, वादा हो चुका अल्लाह का, अल्लाह नहीं ख़िलाफ़ करता अपना वादा। (20)

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

आप कह दीजिये कि मुझको (अल्लाह तआ़ला की तरफ़ से) हुक्म हुआ है कि मैं अल्लाह तआ़ला की इस तरह इबादत करूँ कि इबादत को उसी के लिये ख़ास रखूँ (यानी उसमें शिर्क का मामूली शुब्हा भी न हो) और मुझको यह (भी) हुक्म हुआ है कि (इस उम्मत के लोगों में) सब मुसलमानों में अव्वल (इस्लाम को हक़ मानने वाला) मैं हूँ। (और ज़ाहिर है कि अहकाम के क़ुबूल करने में नबी का अव्वल होना ज़रूरी है। और) आप (यह भी) कह दीजिये कि अगर (मान लो जबकि ऐसा होना असंभव है) मैं अपने रब का कहना न मानूँ तो मैं एक बड़े दिन (यानी क़ियामत) के अ़ज़ाब का अन्देशा रखता हूँ।

और आप (यह भी) कह दीजिये कि (मुझे जिस बात का हुक्म हुआ है मैं तो उसी पर आ़मिल हूँ चुनाँचे) मैं तो अल्लाह ही की इबादत इस तरह करता हूँ कि अपनी इबादत को उसी के लिये ख़ालिस रखता हूँ (जिसमें शिर्क का ज़रा सा शुब्हा भी नहीं) तो (इसका तक़ाज़ा यह है कि तुम भी ऐसी ही ख़ालिस इबादत करो, लेकिन अगर तुम नहीं मानते तो तुम जानो और) ख़ुदा को छोड़कर तुम्हारा दिल जिस चीज़ (की इबादत) को चाहे उसकी इबादत करो (क़ियामत के दिन उसका मज़ा चखोगे। और) आप उनसे (यह भी) कह दीजिये कि पूरे घाटे वाले वही लोग हैं जो अपनी जानों से और अपने संबन्धियों से क़ियामत के दिन ख़सारे में पड़े (यानी न अपनी जान से उसको कोई फ़ायदा पहुँचा और न अपने संबन्धियों से, क्योंकि वे संबन्धी भी अगर उन्हीं की तरह गुमराह थे तो वे भी अ़ज़ाब में गिरफ़्तार होंगे दूसरों को क्या फ़ायदा पहुँचायेंगे, और अगर वे सच्चे मोमिन होकर जन्नत में होंगे तो भी वे काफ़िरों की कोई सिफ़ारिश करके नफ़ा नहीं पहुँचा सकते) याद रखो कि खुला हुआ घाटा यह है कि उनके लिये उनके ऊपर से भी आग के शोले होंगे और उनके नीचे से भी आग के घेरने वाले शोले होंगे, यह वही (अ़ज़ाब) है जिससे ख़ुदा तआ़ला अपने बन्दों को डराता है (और इससे बचने की तदबीरें बतलाता है जो दीने हक़ पर अ़मल करना है। सो) ऐ मेरे बन्दो! मुझसे (यानी मेरे अ़ज़ाब से)

डरो। (यह हाल तो काफ़िरों व मुश्रिकों का हुआ) और जो लोग शैतान की इबादत से बचते हैं (शैतान की इबादत से मुराद उसकी बात मानना और पैरवी करना है) और (पूरी तरह) ख़ुदा तआ़ला की तरफ़ मुतवज्जह होते हैं वे ख़ुशख़बरी सुनाने के पात्र हैं, सो आप मेरे उन बन्दों को ख़ुशख़बरी सुना दीजिये जो (इस सिफ़त को भी अपने अन्दर रखते हैं कि अल्लाह के) इस कलाम को कान लगाकर सुनते हैं, फिर इसकी अच्छी-अच्छी बातों पर (और अल्लाह के अहकाम सब अच्छे हैं जैसा कि आगे आयत 'अह्सनल्-हदीस' "यानी आयत नम्बर 23" में आता है) चलते हैं। यही हैं जिनको अल्लाह ने हिदायत की, और यही हैं जो अ़क्ल वाले हैं (सो इन लोगों को ख़ुशख़बरी दे दीजिए। जिस चीज़ की ख़ुशख़बरी देनी है उसका बयान तो आगे आयत नम्बर 20 में आयेगा बीच में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को तसल्ली देने के लिये यह बयान किया गया है कि इन काफ़िरों का मोमिन बना देना आपके इख़्तियार से बाहर है इसलिए इस पर कोई ग़म न करें कि) भला जिस शख़्स पर अ़ज़ाब की (अज़ली तक़दीरी) बात साबित हो चुकी तो क्या आप ऐसे शख़्स को जो कि (अल्लाह के इल्म में) दोज़ख़ में है (जहन्नम को वाजिब करने वाली चीज़ों से) छुड़ा सकते हैं? (यानी जो दोज़ख़ में जाने वाले हैं वे कोशिश करने से भी गुमराही से बाज़ नहीं आयेंगे, इसलिये उन पर अफ़सोस और ग़म करना बेकार है) लेकिन जो लोग (ऐसे हैं कि उनके हक़ में अ़ज़ाब का कलिमा साबित नहीं हुआ और इस वजह से वे आप से अहकाम सुनकर) अपने रब से डरते हैं उनके लिये (जन्नत के) बालाख़ाने (चौबारे और ऊपर के कमरे) हैं जिनके ऊपर और बालाख़ाने हैं, जो बने बनाये तैयार हैं। (और) उनके नीचे नहरें चल रही हैं। यह अल्लाह तआ़ला ने वायदा किया है (और) अल्लाह वायदे के ख़िलाफ़ नहीं करता।

(यह मज़मून उस ख़ुशख़बरी देने का है जिसका आपको आयत नम्बर 17 'फ़-बश्शिर् अ़िबाद' में हुक्म दिया गया है।)

मआ़रिफ़ व मसाईल

فَبَشِّرْ عِبَادِo الَّذِيْنَ يَسْتَمِعُوْنَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُوْنَ اَحْسَنَهٗ. اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ هَدٰهُمُ اللّٰهُ وَاُولٰٓئِكَ هُمْ اُولُوا الْاَلْبَابِo

इस आयत की तफ़सीर में मुफ़स्सिरीन हज़रात के क़ौल अनेक हैं। एक क़ौल वह है जिसको इमाम इब्ने कसीर ने लिया और ऊपर बयान हुए ख़ुलासा-ए-तफ़सीर में उसी को इख़्तियार किया गया है। वह यह है कि क़ौल से मुराद अल्लाह का कलाम क़ुरआन या क़ुरआन मय रसूल की तालीमात है, और वह सब अहसन ही अहसन (अच्छा ही अच्छा) है। इसलिये इस जगह का तक़ाज़ा बज़ाहिर यह था कि 'यस्तमिअ़ूनल्-क़ौ-ल फ़-यत्तबिअ़ूनहू' कहा जाता, मगर इसकी जगह लफ़्ज़ अह्स-न का इज़ाफ़ा करके इस तरफ़ इशारा फ़रमा दिया कि उन लोगों ने क़ुरआन और रसूल की तालीमात की पैरवी समझ-बूझ से काम न लेने की वजह से नहीं की जैसा कि बेवक़ूफ़ लोगों का तरीक़ा यह है कि जिसकी बात सुनी बग़ैर किसी तहक़ीक़त व सोच-समझ के उसकी पैरवी करने लगे। बल्कि उन लोगों ने अल्लाह और उसके रसूल के कलाम को हक़ और अह्सन (अच्छा) देखने के बाद उसकी पैरवी की है। इसके नतीजे में आयत के आख़िर में उनको "उलुल्-अल्बाब" यानी अ़क्ल वाले होने का ख़िताब

दिया गया है। इसकी नज़ीर क़ुरआन ही में वह इरशाद है जो हज़रत मूसा अ़लैहिस्सलाम को तौरात के मुताल्लिक़ हुआ है:

وَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَّأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوْا بِأَحْسَنِهَا.

यहाँ भी अह्सन से मुराद पूरी तौरात और उसके अहकाम हैं। इसी तरह उक्त आयतों में बात सुनने से मुराद क़ुरआन सुनना और अच्छी पैरवी से मुराद पूरे क़ुरआन की पैरवी है जिसको अगली आयत में **अह्सनल-हदीस** फ़रमाया गया है। इसी तफ़सीर में कि **क़ौल** से मुराद ख़ास क़ुरआन लिया जाये कुछ हज़रात ने यह भी फ़रमाया है कि क़ुरआने करीम में भी बहुत से अहकाम में हसन और अहसन के दर्जे रखे हैं, जैसे बदला लेना और माफ़ करना दोनों जायज़ हैं मगर माफ़ करना अफ़ज़ल है, जैसा कि इरशाद है:

وَاَنْ تَصْبِرُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ.

बहुत सी चीज़ें जिसमें क़ुरआन ने इनसान को इख़्तियार दिया है कि दोनों में से जिसको चाहे इख़्तियार करे कोई गुनाह नहीं, मगर उनमें से किसी एक को अह्सन व अफ़ज़ल (अच्छा और बेहतर) भी फ़रमा दिया है जैसे 'व अन् तअ़्फ़ू अक़्रबु लित्तक़्वा' में है। बहुत सी चीज़ों में रियायत व छूट दी गई है मगर आला दर्जे पर अ़मल को अह्सन व अफ़ज़ल फ़रमाया है। तो आयत की मुराद यह हो गई कि ये लोग रियायत व छूट के क़ुरआनी अहकाम भी सुनते हैं और आला दर्जे और पुख़्तगी वाले भी मगर पैरवी बजाय छूट और रियायत वाले अहकाम के आला दर्जे के अहकाम की करते हैं। और जिन दो चीज़ों में एक बेहतर हो और दूसरी बहुत ज़्यादा बेहतर ये उनमें से अह्सन (बहुत ज़्यादा अच्छी और आला) ही को अ़मल के लिये इख़्तियार करते हैं।

और बहुत से मुफ़स्सिरीन हज़रात ने इस जगह **क़ौल** से मुराद आ़म लोगों के क़ौल लिये हैं जिन में तौहीद व शिर्क, कुफ़्र व इस्लाम, हक़ व बातिल, फिर हक़ में बेहतर और ज़्यादा बेहतर और वरीयता प्राप्त व ग़ैर-वरीयता प्राप्त सब दाख़िल हैं। इस तफ़सीर पर आयत का मतलब यह है कि ये लोग बातें तो सब की सुनते हैं, काफ़िरों की भी मोमिनों की भी, हक़ भी बातिल भी, अच्छी भी और बुरी भी लेकिन पैरवी सिर्फ़ उसी बात की करते हैं जो अह्सन (ज़्यादा अच्छी) है। तौहीद व शिर्क में से तौहीद की, हक़ व बातिल में से हक़ की, और हक़ के विभिन्न दर्जे हों तो उनमें जो ज़्यादा अच्छा और वरीयता प्राप्त हो उसकी पैरवी करते हैं, इसी लिये इनको दो सिफ़तों वाला फ़रमाया गया- पहली 'हदाहुमुल्लाहु' यानी ये लोग अल्लाह की तरफ़ से हिदायत पाने वाले हैं। इसलिये मुख़्तलिफ़ क़िस्म की बातें सुनकर भटकते नहीं। दूसरे 'उलाइ-क हुम् उलुलु-अल्बाब' यानी ये लोग अ़क़्ल वाले हैं। अ़क़्ल का काम ही यह है कि अच्छे-बुरे और हक़ व बातिल में तमीज़ करे और अच्छे और ज़्यादा अच्छे को पहचान कर ज़्यादा अच्छे और ज़्यादा बेहतर को इख़्तियार करे।

इसी लिये कहा गया है कि यह आयत हज़रत ज़ैद बिन अ़मर बिन नुफ़ैल, हज़रत अबूज़र ग़िफ़ारी और हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु अ़न्हुम के बारे में नाज़िल हुई। हज़रत ज़ैद बिन अ़मर बिन नुफ़ैल जाहिलीयत के ज़माने में भी शिर्क व बुत-परस्ती से नफ़रत करते थे, हज़रत अबूज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु अ़न्हु और हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु अ़न्हु विभिन्न और अनेक धर्मों वालों- जैसे

मुश्रिक फिर यहूदी व ईसाई लोगों की बातें सुनने और उनके तौर-तरीक़े देखने के बाद ईमान लाये और क़ुरआनी तालीमात को सबसे अच्छा व उम्दा पाकर उनको तरजीह दी। (तफ़सीरे क़ुर्तुबी)

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطَامًا ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ ﴿٢١﴾ أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَىٰ نُورٍ مِنْ رَبِّهِ ۚ فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ ۚ أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴿٢٢﴾ اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ ۚ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴿٢٣﴾

अलम् त-र अन्नल्ला-ह अन्ज़-ल मिनस्समा-इ माअन् फ़-स-ल-कहू यनाबी-अ़ फ़िल्अर्ज़ि सुम्-म युख़्रिजु बिही ज़र्अ़म्-मुख़्तलिफ़न् अल्वानुहू सुम्-म यहीजु फ़-तराहु मुस्फ़र्रन् सुम्-म यज्अ़लुहू हुतामन्, इन्-न फ़ी ज़ालि-क लज़िक्रा लि-उलिल्-अल्बाब (21) ✿	क्या तूने नहीं देखा कि अल्लाह ने उतारा आसमान से पानी फिर चलाया वह पानी चश्मों में ज़मीन के फिर निकालता है उससे खेती कई-कई रंग बदलते उस पर, फिर आये तैयारी पर तो तू देखे उसका रंग ज़र्द, फिर कर डालता है उसको चूरा चूरा, बेशक इसमें नसीहत है अ़क्लमन्दों के वास्ते। (21) ✿
अ-फ़मन् श-रहल्लाहु सद्-रहू लिल्इस्लामि फ़हु-व अ़ला नूरिम्-मिर्रब्बिही, फ़-वैलुल्-लिल्क़ासि-यति क़ुलूबुहुम् मिन् ज़िक्रिल्लाहि, उलाइ-क फ़ी ज़लालिम्-मुबीन (22) अल्लाहु नज़्ज़-ल अह्स-नल्-हदीसि किताबम्-मु-तशाबिहम्-मसानि-य तक़्शअ़िर्रु मिन्हु जुलूदुल्लज़ी-न यख़्शौ-न रब्बहुम् सुम्-म तलीनु जुलूदुहुम् व	भला जिसका सीना खोल दिया अल्लाह ने दीन इस्लाम के वास्ते सो वह रोशनी में है अपने रब की तरफ़ से, सो ख़राबी है उनके लिये जिनके दिल सख़्त हैं अल्लाह की याद से, वे पड़े फिरते हैं खुले भटकते। (22) अल्लाह ने उतारी बेहतर बात किताब आपस में मिलती दोहराती हुई, बाल खड़े होते हैं उससे खाल पर उन लोगों के जो डरते हैं अपने रब से, फिर नर्म होती हैं

क़ुलूबुहुम् इला ज़िक्रिल्लाहि, ज़ालि-क हुदल्लाहि यह्दी बिही मंय्यशा-उ, व मंय्युज़्लिलिल्लाहु फ़मा लहू मिन् हाद (23)	उनकी खालें और उनके दिल अल्लाह की याद पर, यह है राह देना अल्लाह का इस तरह राह देता है जिसको चाहे, और जिसको राह भुलाये अल्लाह उसको कोई नहीं सुझाने वाला। (23)

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

(ऐ मुख़ातब!) क्या तूने इस (बात) पर नज़र नहीं की कि अल्लाह तआ़ला ने आसमान से पानी बरसाया फिर उसको ज़मीन के सोतों में (यानी उन ख़ित्तों और टुकड़ों में जहाँ से पानी निकलकर उबल कर कुओं और चश्मों के ज़रिये निकलता है) दाख़िल कर देता है। फिर (जब वह उबलता है तो) उसके ज़रिये से खेतियाँ पैदा करता है जिसकी मुख़्तलिफ़ क़िस्में हैं। फिर वह खेती बिल्कुल सूख जाती है, सो तू उसको ज़र्द देखता है। फिर (अल्लाह तआ़ला) उसको चूरा-चूरा कर देता है। इस (नमूने) में अ़क्ल वालों के लिये बड़ी इब्रत है (कि बिल्कुल यही हालत इनसान की दुनियावी ज़िन्दगी की है, आख़िर फ़ना आख़िर फ़ना, तो इसमें मशग़ूल होकर हमेशा की राहत से मेहरूम रहना और हमेशा की मुसीबत को सर पर लेना बहुत ही बड़ी हिमाक़त है)।

(अगरचे हमारा बयान बिल्कुल स्पष्ट और दिल में उतर जाने वाला है मगर फिर भी सब सुनने वाले आपस में भिन्न और अलग-अलग दर्जे के होते हैं) सो जिस शख़्स का सीना अल्लाह तआ़ला ने इस्लाम (के क़ुबूल करने) के लिये खोल दिया (यानी इस्लाम की हक़ीक़त का उसको यक़ीन आ गया) और वह अपने परवर्दिगार के (अ़ता किये हुए) नूर (यानी हिदायत के तक़ाज़े) पर (चल रहा) है (यानी यक़ीन लाकर उसके मुवाफ़िक़ अ़मल करने लगा, क्या वह शख़्स और जिसका दिल सख़्त और अल्लाह से ग़ाफ़िल है वह बराबर हैं? जिनका ज़िक्र आगे आता है) सो जिन लोगों के दिल ख़ुदा के ज़िक्र से (इसमें अहकाम और वायदे-वईद सब आ गये) मुतास्सिर नहीं होते (यानी ईमान नहीं लाते) उनके लिये (क़ियामत में) बड़ी ख़राबी है (और दुनिया में) ये लोग खुली गुमराही में (गिरफ़्तार) हैं।

(आगे उस नूर और ज़िक्र का बयान है यानी) अल्लाह तआ़ला ने बड़ा उम्दा कलाम (यानी क़ुरआन) नाज़िल फ़रमाया है जो ऐसी किताब है कि (अपने ज़ाहिरी व बातिनी, लफ़्ज़ी और मानवी हर एतिबार से उम्दा व बेमिसाल होने में) आपस में मिलती-जुलती है (और जिसमें सिखाने के लिये बाज़ी-बाज़ी बहुत ज़रूरी बात) बार-बार दोहराई गई (और यह मज़मून क़ुरआन की और भी आयतों में बयान हुआ है मगर इस दोहराने में क़ौल व हुक्म में ताकीद और मज़बूती के साथ मुख़ातब के दिल में हर जगह ख़ास-ख़ास नुक्तों और गहरी छुपी बातों का भी लिहाज़ होता है जिससे ख़ाली दोहराना नहीं रहता, और बार-बार दोहराया जाना दलील हिदायत पर मुश्तमिल होने की) हैं, जिससे उन लोगों के जो कि अपने रब से डरते हैं बदन काँप उठते हैं (यह बयान है अल्लाह के ख़ौफ़ का, चाहे वह दिल ही में रहे बदन पर उसका असर न आये, और चाहे वह ख़ौफ़ अ़क़्ली और ईमानी हो, तबई व हाली न हो)। फिर उनके बदन और दिल नर्म होकर अल्लाह के ज़िक्र (यानी किताबुल्लाह पर अ़मल

करने) की तरफ़ मुतवज्जह हो जाते हैं (यानी डरकर बदनी अंगों और दिल के आमाल को फ़रमाँबरदारी और तवज्जोह से बजा लाते हैं, और) यह (क़ुरआन) अल्लाह की हिदायत है जिसको वह चाहता है इसके ज़रिये से हिदायत करता है (जैसा कि डरने वालों का हाल अभी सुनाया गया), और ख़ुदा जिसको गुमराह करता है उसका कोई हिदायत देने वाला नहीं (जैसा कि सख़्त-दिल काफ़िरों का हाल अभी सुनाया गया)।

मआरिफ़ व मसाईल

فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ

यनाबी-अ़ यम्बूअ़ की जमा (बहुवचन) है जिसके मायने ज़मीन से फूटने वाले चश्मे के हैं। मतलब यह है कि आसमान से पानी नाज़िल कर देना ही एक अ़ज़ीमुश्शान नेमत है, मगर उस नेमत को अगर ज़मीन के अन्दर सुरक्षित कर देने का इन्तिज़ाम न किया जाता तो इनसान उससे सिर्फ़ बारिश के वक़्त या उसके निकट के चन्द दिन तक फ़ायदा उठा सकता, हालाँकि पानी उसकी ज़िन्दगी का मदार और ऐसी ज़रूरत है जिससे वह एक दिन भी बरी नहीं हो सकता, इसलिये हक़ तआ़ला ने सिर्फ़ इस नेमत के नाज़िल करने पर बस नहीं फ़रमाया बल्कि इसके महफ़ूज़ करने के अ़जीब-अ़जीब सामान फ़रमा दिये, कुछ तो ज़मीन के गड्ढों, हौज़ों और तालाबों में महफ़ूज़ हो जाता है और बहुत बड़ा ज़ख़ीरा बर्फ़ बनाकर पहाड़ों की चोटियों पर लाद दिया जाता है जिससे उसके सड़ने और ख़राब होने की संभावना नहीं रहती। फिर वह बर्फ़ आहिस्ता-आहिस्ता पिघलकर पहाड़ी रगों के साथ ज़मीन में उतर जाता है और जगह-जगह उबलने वाले चश्मों की सूरत में ख़ुद-ब-ख़ुद बग़ैर किसी इनसानी अ़मल के फूट निकलता है और नदियों की शक्ल में ज़मीन में बहने लगता है, और बाक़ी पानी पूरी ज़मीन की गहराई में चलता रहता है जिसको कुआँ खोदकर हर जगह निकाला जा सकता है।

क़ुरआने करीम में इस सिंचाई सिस्टम की पूरी तफ़सील को सूरः मोमिनून में आयत नम्बर 18 के तहत बयान किया गया है।

مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ

खेती के उगने के वक़्त और पकने के वक़्त उस पर विभिन्न रंग आते-जाते रहते हैं और चूँकि उन रंगों में तब्दीली और नया पन है इसलिये **मुख़्तलिफ़न्** को नहवी तरकीब में हाल बनाकर मन्सूब किया गया है जो नये होने पर दलालत करता है।

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ ۝

यानी पानी उतारने और उसको महफ़ूज़ करके इनसान के काम में लगाने फिर उससे क़िस्म-क़िस्म की नबातात (पेड़-पौधे, घास हरियाली) और दरख़्त उगाने और उन दरख़्तों पर मुख़्तलिफ़ रंग आने के बाद आख़िर में ज़र्द व ख़ुश्क होकर ग़ल्ला अलग और भूसा अलग हो जाने में बड़ी नसीहत है अ़क़्ल वालों के लिये, कि वो अल्लाह तआ़ला की अ़ज़ीमुश्शान क़ुदरत व हिक्मत की दलीलें हैं जिनको देखकर इनसान अपनी पैदाईश के मामले की हक़ीक़त भी पहचान सकता है जो ज़रिया और सबब हो सकता है अपने ख़ालिक़ व मालिक के पहचानने का।

اَفَمَنْ شَرَحَ اللّٰهُ صَدْرَهٗ لِلْاِسْلَامِ فَهُوَ عَلٰى نُوْرٍ مِّنْ رَّبِّهٖ.

शरह के लफ़्ज़ी मायने खोलने, फैलाने और वसीअ़ करने के हैं। शरह-ए-सदर के मायने दिल के बड़ा होने के हैं। जिसका मतलब यह है कि दिल में इसकी सलाहियत व क्षमता मौजूद हो कि वह आसमान व ज़मीन और ख़ुद अपनी पैदाईश वग़ैरह में मौजूद अल्लाह की बनाई हुई निशानियों में ग़ौर करके इब्रत और फ़ायदे हासिल करे। इसी तरह अल्लाह की जो निशानियाँ किताब व अहकाम की सूरत में नाज़िल की जाती हैं उनमें ग़ौर करके फ़ायदा उठा सके। इसके मुक़ाबले में दिल की तंगी और सख़्ती है। क़ुरआने करीम की एक आयत 'यज्अ़ल् सद्रहू ज़य्यिक़न् ह-रजन्' और इस जगह अगली आयत में 'लिल्क़ासि-यति क़ुलूबुहुम' इसी तरह शरह-ए-सदर के मुक़ाबले में आया है।

हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने जब यह आयत 'अ-फ़मन् श-रहल्लाहु सद्रहू' (यानी यही आयत नम्बर 22 जिसकी तफ़सीर बयान हो रही है) तिलावत फ़रमाई तो हमने आप से शरह-ए-सदर का मतलब पूछा, आपने फ़रमाया कि जब ईमान का नूर इनसान के दिल में दाख़िल होता है तो उसका दिल बड़ा और खुला हुआ हो जाता है (जिससे अल्लाह के अहकाम का समझना और अ़मल करना उसके लिये आसान हो जाता है) हमने अ़र्ज़ किया या रसूलल्लाह! इस (शरह-ए-सदर) की पहचान क्या है तो आपने फ़रमायाः

الانابة الى دار الخلود والتجافى عن دار الغرور والتاهب للموت قبل نزوله. (رواه حاكم فى المستدرك والبيهقى فى شعب الايمان. روح المعانى)

हमेशा रहने वाले घर की तरफ़ रुचि व दिलचस्पी और माईल होना और धोखे के घर यानी दुनिया (की लज़्ज़तों और ज़ीनत) से दूर रहना और मौत के आने से पहले उसकी तैयारी करना।

उक्त आयत को सवाल के हर्फ़ 'अ-फ़मन्' से शुरू किया गया जिसका मफ़्हूम यह है कि क्या ऐसा शख़्स जिसका दिल इस्लाम के लिये खोल दिया गया हो और वह अपने रब की तरफ़ से आये हुए नूर पर है, यानी उसकी रोशनी में सब काम करता है, और वह आदमी जो तंगदिल और सख़्त-दिल हो कहीं बराबर हो सकते हैं? इसके मुक़ाबले में सख़्त-दिल का ज़िक्र अगली आयत में 'वैल के अ़ज़ाब' के साथ किया गया है।

فَوَيْلٌ لِّلْقٰسِيَةِ قُلُوْبُهُمْ

क़ासियति क़सावत से निकला है जिसके मायने हैं सख़्त-दिल होना, जिसको किसी पर रहम न आये और जो अल्लाह के ज़िक्र और उसके अहकाम से कोई असर क़ुबूल न करे।

اَللّٰهُ نَزَّلَ اَحْسَنَ الْحَدِيْثِ كِتٰبًا مُّتَشَابِهًا مَّثَانِىَ

इससे पहली आयत में अल्लाह के मक़बूल बन्दों का यह हाल ज़िक्र किया था किः

يَسْتَمِعُوْنَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُوْنَ اَحْسَنَهٗ

इस आयत में बतला दिया कि पूरा क़ुरआन ही अह्सनुल-हदीस है। हदीस के लफ़्ज़ी मायने उस कलाम या किस्से के हैं जो बयान किया जाता है। क़ुरआन को अह्सनुल-हदीस फ़रमाने का हासिल यह है कि इनसान जो कुछ कहता बोलता है उस सब में अह्सनुल-कलाम क़ुरआन है। आगे क़ुरआन

की चन्द सिफ़तें ज़िक्र फ़रमाई हैं। एक 'किताबम् मु-तशाबिहन्' मु-तशाबिहन् से मुराद इस जगह मुतमासिल है, यानी क़ुरआनी मज़ामीन एक दूसरे से जुड़े हुए और एक जैसे हैं, कि एक आयत की वज़ाहत व तस्दीक़ दूसरी आयत से हो जाती है। इस कलाम में टकराव और विरोधाभास का नाम नहीं है। दूसरी सिफ़त **मसानी** है जो मसना की जमा (बहुवचन) है जिसके मायने बार-बार आने के हैं मतलब यह है कि क़ुरआने करीम में एक मज़मून को ज़ेहन में बैठाने के लिये बार-बार दोहराया जाता है। तीसरी सिफ़त यह बयान फ़रमाई किः

تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُوْدُ الَّذِيْنَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ

यानी अल्लाह की अज़्मत (बड़ाई और ऊँची शान) से प्रभावित होकर डरने वालों का क़ुरआन पढ़कर ख़ौफ़ व डर और हैबत का यह आलम होता है कि उनके बदन पर बाल खड़े हो जाते हैं। चौथी सिफ़त यह है किः

ثُمَّ تَلِيْنُ جُلُوْدُهُمْ وَ قُلُوْبُهُمْ اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ

यानी क़ुरआन की तिलावत (पढ़ने) का असर कभी अज़ाब की वईद सुनकर यह होता है कि बदन के बाल खड़े हो जाते हैं और कभी रहमत व मग़फ़िरत की आयतें सुनकर यह हाल होता है कि बदन और दिल सब अल्लाह की याद में नर्म हो जाते हैं। हज़रत अस्मा बिन्ते अबू बक्र रज़ियल्लाहु अन्हा फ़रमाती हैं कि सहाबा किराम का आम हाल यही था कि जब उनके सामने क़ुरआन पढ़ा जाता तो उनकी आँखों में आँसू आ जाते और बदन पर बाल खड़े हो जाते। (तफ़सीरे क़ुर्तुबी)

हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि जिस बन्दे के बदन पर अल्लाह के ख़ौफ़ से बाल खड़े हो जायें तो अल्लाह तआला उसके बदन को आग पर हराम कर देते हैं। (तफ़सीरे क़ुर्तुबी)

اَفَمَنْ يَّتَّقِيْ بِوَجْهِهٖ سُوْٓءَ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ؕ

وَقِيْلَ لِلظّٰلِمِيْنَ ذُوْقُوْا مَا كُنْتُمْ تَكْسِبُوْنَ ۝ كَذَّبَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَاَتٰىهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُوْنَ ۝ فَاَذَاقَهُمُ اللّٰهُ الْخِزْيَ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ وَلَعَذَابُ الْاٰخِرَةِ اَكْبَرُ ۘ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ۝ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِيْ هٰذَا الْقُرْاٰنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ ۝ قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِيْ عِوَجٍ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ ۝

अ-फ़मंय्यत्तक़ी बिवज्हिही सूअल्-अज़ाबि यौमल्-क़ियामति, व क़ी-ल लिज़्ज़ालिमी-न ज़ूक़ू मा कुन्तुम् तक्सिबून (24) कज़्ज़बल्लज़ी-न मिन्	भला एक वह जो रोकता है अपने मुँह पर बुरा अज़ाब क़ियामत के दिन, और कहेगा बेइन्साफ़ों को चखो जो तुम कमाते थे। (24) झुठला चुके हैं इनसे अगले फिर

क़ब्लिहिम् फ़-अताहुमुल्-अ़ज़ाबु मिन् हैसु ला यश्अुरून (25) फ़-अज़ा-क़-हुमुल्लाहुल्-ख़िज़्-य फ़िल्-हयातिद्-दुन्या व ल-अ़ज़ाबुल्-आख़िरति अक्बरु। लौ कानू यअ़्लमून (26) व ल-क़द् ज़रब्ना लिन्नासि फ़ी हाज़ल्-क़ुर्आनि मिन् कुल्लि म-सलिल्-लअ़ल्लहुम् य-तज़क्करून (27) क़ुर्आनन् अ़-रबिय्यन् ग़ै-र ज़ी अ़ि-वजिल्-लअ़ल्लहुम् यत्तक़ून (28)	पहुँचा उन पर अ़ज़ाब ऐसी जगह से कि उनको ख़्याल भी न था। (25) फिर चखाई उनको अल्लाह ने रुस्वाई दुनिया की ज़िन्दगी में और अ़ज़ाब आख़िरत का तो बहुत ही बड़ा है, अगर उनको समझ होती। (26) और हमने बयान की लोगों के वास्ते इस क़ुरआन में सब चीज़ की मिसाल ताकि वे ध्यान करें। (27) क़ुरआन अ़रबी भाषा का जिसमें कजी (टेढ़) नहीं, ताकि वे बचकर चलें। (28)

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

भला जो शख़्स अपने मुँह को क़ियामत के दिन अ़ज़ाब की ढाल बना देगा और ऐसे ज़ालिमों को हुक्म होगा कि जो कुछ तुम किया करते थे (अब) उसका मज़ा चखो, तो क्या (अ़ज़ाब में गिरफ़्तार) और जो ऐसा न हो बराबर हो सकते हैं? (और काफ़िर लोग इन अ़ज़ाबों को सुनकर इनकार न करें क्योंकि) जो लोग इनसे पहले हो चुके हैं उन्होंने भी (हक़ को) झुठलाया था, सो उन पर अ़ज़ाब ऐसे तौर पर आया कि उनको ख़्याल भी न था। सो अल्लाह ने उनको इसी दुनियावी ज़िन्दगी में भी रुस्वाई का मज़ा चखाया (कि ज़मीन में धंस जाने और चेहरा बिगड़ जाने और आसमान से पत्थर बरसने वग़ैरह के अ़ज़ाब से दुनिया में बदनाम हुए) और आख़िरत का अ़ज़ाब और भी बड़ा है, काश! ये लोग समझ जाते। (ऊपर की एक आयत नम्बर 22 में यह बयान हुआ था कि क़ुरआन सुनकर बाज़े लोग मुतास्सिर होते हैं बाज़े नहीं होते। आगे आयत में यह बयान है कि बाज़े लोगों का इससे मुतास्सिर न होना उनकी अपनी क़ाबलियत और सलाहियत की कमी की वजह से है वरना क़ुरआन अपने आप में सब के लिये बराबर असर रखता है, जिसका ख़ुलासा यह है कि यह फ़र्क़ क़ाबलियत के एतिबार से है, काम करने वाले में कोई कमी और नुक़्स नहीं)।

और हमने लोगों की (हिदायत) के लिये इस क़ुरआन में हर किस्म के (ज़रूरी) उम्दा मज़ामीन बयान किये हैं ताकि ये लोग नसीहत पकड़ें। जिसकी कैफ़ियत यह है कि वह अ़रबी क़ुरआन है जिसमें ज़रा भी टेढ़ नहीं (और ये मज़ामीन इसलिये लाये गये) ताकि ये लोग (इन सच्चे और साफ़ मज़ामीन को सुनकर) डरें। (मालूम हुआ कि क़ुरआन पाक के हिदायत की किताब होने में जिन सिफ़ात की ज़रूरत थी वे सब इसमें जमा हैं, कि इसके मज़ामीन भी सब सच्चे और साफ़ स्पष्ट हैं और भाषा भी अ़रबी है जिसको मौजूदा मुख़ातब डायरेक्ट बिना किसी माध्यम के समझ सकते हैं, फिर उनके ज़रिये

से दूसरों को समझ लेना भी आसान हो सकता है। ग़र्ज़ कि हिदायत की इस किताब में तो कोई कमी नहीं, किसी में क़ुबूल करने की सलाहियत व क़ाबलियत ही न हो तो क्या किया जाये)।

मआरिफ़ व मसाईल

اَفَمَنْ يَّتَّقِيْ بِوَجْهِهٖ

इसमें जहन्नम के सख़्त हौलनाक होने का बयान है कि इनसान की आदत दुनिया में यह है कि कोई तकलीफ़ की चीज़ सामने आ जाये तो अपने हाथों और पाँवों को चेहरा बचाने के लिये ढाल बनाकर बचाव करता है। मगर ख़ुदा की पनाह जहन्नम वालों को यह हाथ पाँव से बचाव करना भी नसीब न होगा, उन पर जो अ़ज़ाब आयेगा वह डायरेक्ट उनके चेहरों पर पड़ेगा। वह बचाव भी करना चाहे तो चेहरे ही को ढाल बना सकेगा, क्योंकि जहन्नम में उसको हाथ-पाँव बाँधकर डाला जायेगा। अल्लाह तआ़ला हमें अपनी पनाह में रखे।

तफ़सीर के इमामों में से हज़रत अ़ता इब्ने ज़ैद ने फ़रमाया कि जहन्नमी को जहन्नम में हाथ-पाँव बाँधकर घसीटकर डाला जायेगा। (तफ़सीरे क़ुर्तुबी)

ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا رَّجُلًا فِيْهِ شُرَكَآءُ مُتَشٰكِسُوْنَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِّرَجُلٍ ۭ هَلْ يَسْتَوِيٰنِ مَثَلًا ۭ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ ۚ بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ۝ اِنَّكَ مَيِّتٌ وَّاِنَّهُمْ مَّيِّتُوْنَ ۝ ثُمَّ اِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُوْنَ ۝
فَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللّٰهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ اِذْ جَآءَهٗ ۭ اَلَيْسَ فِيْ جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكٰفِرِيْنَ ۝ وَالَّذِيْ جَآءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهٖٓ اُولٰۗىِٕكَ هُمُ الْمُتَّقُوْنَ ۝ لَهُمْ مَّا يَشَآءُوْنَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۭ ذٰلِكَ جَزٰۗؤُا الْمُحْسِنِيْنَ ۝ لِيُكَفِّرَ اللّٰهُ عَنْهُمْ اَسْوَاَ الَّذِيْ عَمِلُوْا وَيَجْزِيَهُمْ اَجْرَهُمْ بِاَحْسَنِ الَّذِيْ كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۝

الجزء الرابع والعشرون — ٢٤

ज़-रबल्लाहु म-सलर्-रजुलन् फ़ीहि शु-रका-उ मु-तशाकिसू-न व रजुलन् स-लमल्-लि-रजुलिन्, हल् यस्तवियानि म-सलन्, अल्हम्दु लिल्लाहि, बल् अक्सरुहुम् ला यअ्लमून (29) इन्न-क मय्यितुंव्-व इन्नहुम् मय्यितून (30) सुम्-म इन्नकुम् यौमल्-क़ियामति अ़िन्-द रब्बिकुम्	अल्लाह ने बतलाई एक मिसाल एक मर्द है कि उसमें शरीक हैं कई ज़िद्दी और एक मर्द है पूरा एक शख़्स का, क्या बराबर होती हैं दोनों मिसाल? सब ख़ूबी अल्लाह के लिये है पर वे बहुत लोग समझ नहीं रखते। (29) बेशक तू भी मरता है और वे भी मरते हैं (30) फिर मुक़र्रर (कि) तुम क़ियामत के दिन अपने

तख़्तसिमून (31) ❁	रब के आगे झगड़ोगे। (31) ❁
फ़-मन् अज़्लमु मिम्मन् क-ज़-ब अ़लल्लाहि व कज़्ज़-ब बिस्सिद्क़ि इज़् जा-अहू, अलै-स फ़ी जहन्न-म मस्वल्-लिल्-काफ़िरीन (32) वल्लज़ी जा-अ बिस्सिद्क़ि व सद्द-क़ बिही उलाइ-क हुमुल्-मुत्तक़ून (33) लहुम् मा यशाऊ-न अ़िन्-द रब्बिहिम्, ज़ालि-क जज़ाउल्-मुह्सिनीन (34) लियुकफ़्फ़ि-रल्लाहु अ़न्हुम् अस्वअल्लज़ी अ़मिलू व यज्ज़ि-यहुम् अज्रहुम् बि-अह्सनिल्लज़ी कानू यअ़्मलून (35)	फिर उससे ज़्यादा ज़ालिम कौन जिसने झूठ बोला अल्लाह पर और झुठलाया सच्ची बात को जब पहुँची उसके पास, क्या नहीं दोज़ख़ में ठिकाना मुन्किरों का। (32) और जो लेकर आया सच्ची बात और सच माना जिसने उसको वही लोग हैं डर वाले। (33) उनके लिये है जो वे चाहें अपने रब के पास, यह है बदला नेकी वालों का (34) ताकि उतार दे अल्लाह उन पर से बुरे काम जो उन्होंने किये थे और बदले में दे उनको सवाब बेहतर कामों का जो वे करते थे। (35)

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

अल्लाह तआ़ला ने (ईमान वाले और मुश्रिक के बारे में) एक मिसाल बयान फ़रमाई कि एक शख़्स (गुलाम) है जिसमें कई साझी हैं, जिनमें आपस में ज़िद्दा-ज़िद्दी (भी) है, और एक और शख़्स है कि पूरा एक ही शख़्स का (गुलाम) है, (तो) क्या इन दोनों की हालत बराबर (हो सकती) है? (और ज़ाहिर है कि ये दोनों बराबर नहीं। पहला शख़्स तकलीफ़ में है कि हमेशा हैरान व परेशान रहता है कि किसका कहना मानूँ किसका न मानूँ। दूसरा आराम में है कि एक ही शख़्स से ताल्लुक़ है। पस पहली मिसाल शिर्क की है कि हमेशा डाँवाडोल रहता है, कभी ग़ैरुल्लाह की तरफ़ दौड़ता है, कभी ख़ुदा की तरफ़ फिर ग़ैरुल्लाह में भी एक पर इत्मीनान नहीं होता, कभी किसी की तरफ़ रुजू करता है कभी किसी की तरफ़। इस सवाल का जवाब काफ़िर लोग भी इसके सिवा नहीं दे सकते कि साझे वाला गुलाम बड़ी मुसीबत में रहता है इसलिए उन पर हुज्जत पूरी हो गई। इस हुज्जत पूरी होने पर फ़रमाया) अल्हम्दु लिल्लाह हक़ साबित हो गया लेकिन फिर भी ये लोग क़ुबूल नहीं करते बल्कि (क़ुबूल तो क्या) इनमें अक्सर समझते भी नहीं (क्योंकि समझने का इरादा ही नहीं करते। आगे क़ियामत के फ़ैसले का ज़िक्र है जो आख़िरी फ़ैसला होगा जिससे कोई भाग नहीं सकेगा, और क़ियामत के फ़ैसले से पहले मौत की ख़बर देते हैं क्योंकि मौत ही शुरूआत और रास्ता है आख़िरत तक पहुँचने का, इसलिये फ़रमाया ऐ पैग़म्बर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम! ये लोग अगर दुनिया में

किसी अ़क़्ली और किताबी व रिवायती फ़ैसले को नहीं मानते तो आप ग़म न कीजिए क्योंकि दुनिया से) आपको भी मर जाना है और इनको भी मर जाना है, फिर क़ियामत के दिन तुम (दोनों फ़रीक़ अपने-अपने) मुक़द्दमे अपने रब के सामने पेश करोगे (उस वक़्त अ़मली फ़ैसला हो जायेगा जिसके ज़ाहिर होने का बयान आगे आता है आयत 32 में)।

चौबीसवाँ पारह (फ़-मन् अज़्लमु)

सो (उस झगड़े और अ़दालत में मुक़द्दमे पेश होने के वक़्त फ़ैसला यह होगा कि बातिल परस्तों को जहन्नम का अ़ज़ाब होगा और हक़ परस्तों को बड़ा अज्र मिलेगा। और ज़ाहिर है कि) उस शख़्स से ज़्यादा बेइन्साफ़ (और नाहक़ परस्त) कौन होगा जो अल्लाह पर झूठ बाँधे (यानी ख़ुदा तआ़ला के मुताल्लिक़ यह कहे कि उसके साथ दूसरे भी शरीक हैं) और सच्ची बात को (यानी क़ुरआन) को जबकि वह उसके पास (रसूल के ज़रिये) पहुँची झुठला दे। (तो ऐसे शख़्स का बड़ा ज़ालिम होना भी ज़ाहिर है और ज़ुल्म का बड़े अ़ज़ाब का मुस्तहिक़ होना भी ज़ाहिर है, और बड़ा अ़ज़ाब जहन्नम का है तो) क्या (क़ियामत के दिन) जहन्नम में ऐसे काफ़िरों का ठिकाना न होगा? (यह फ़ैसला तो बातिल परस्तों का हुआ) और (उनके उलट) जो लोग सच्ची बात लेकर (ख़ुदा की तरफ़ से या रसूल की तरफ़ से लोगों के पास) आये और (ख़ुद भी) उसको सच जाना (यानी ये लोग सच्चे भी हैं और तस्दीक़ करने वाले भी जैसा कि पहले लोग झूठे भी थे और झुठलाने वाले भी) तो ये लोग परहेज़गार हैं (उनका फ़ैसला यह होगा कि) वे जो कुछ चाहेंगे उनके लिये उनके परवर्दिगार के पास सब कुछ है, यह सिला है नेक काम करने वालों का (और यह सिला उनके लिये इस वास्ते तजवीज़ किया) ताकि अल्लाह उनसे उनके बुरे आमाल को दूर करे और उनके नेक कामों के बदले उनको उनका सवाब दे।

मआ़रिफ़ व मसाईल

اِنَّكَ مَيِّتٌ وَّاِنَّهُمْ مَّيِّتُوْنَ ۝

लफ़्ज़ **मय्यित** उसको कहते हैं जो आने वाले ज़माने (भविष्यकाल) में मरने वाला हो और **मैत** उसको कहते हैं जो मर चुका हो। इस आयत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को मुख़ातब करके फ़रमाया गया है कि आप भी मरने वाले हैं और आपके दुश्मन और दोस्त-अहबाब भी सब मरने वाले हैं। मक़सद इसके बयान करने से सब को आख़िरत की फ़िक्र की तरफ़ मुतवज्जह करना और आख़िरत के अ़मल में लगने की तरफ़ उभारना है, और ज़िमनी तौर पर यह भी बतला देना है कि तमाम मख़्लूक़ात से अफ़ज़ल और तमाम रसूलों के सरदार होने के बावजूद मौत से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम भी बरी नहीं, ताकि आपकी वफ़ात के बाद लोगों में इस पर इख़्तिलाफ़ (मतभेद व विवाद) पैदा न हो। (तफ़सीरे क़ुर्तुबी)

मेहशर की अ़दालत में मज़लूम का हक़ ज़ालिम से वसूल करने की सूरत

ثُمَّ اِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُوْنَ ۝

हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु फ़रमाते हैं कि यहाँ लफ़्ज़ इन्नकुम में मोमिन व काफ़िर और मुसलमान ज़ालिम व मज़लूम सब दाख़िल हैं, ये सब अपने-अपने मुक़द्दमे अपने रब की अ़दालत में पेश करेंगे और अल्लाह तआ़ला ज़ालिम से मज़लूम का हक़ दिलवायेंगे वह काफ़िर हो या मोमिन। और सूरत इस हुक़ूक़ की अदायेगी की वह होगी जो सही बुख़ारी में हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु की रिवायत से बयान हुई है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि जिस शख़्स के ज़िम्मे किसी का हक़ है उसको चाहिये कि दुनिया ही में उसको अदा या माफ़ कराकर हलाल हो जाये क्योंकि आख़िरत में दिरहम व दीनार तो होंगे नहीं, अगर ज़ालिम के पास कुछ नेक आमाल हैं तो ज़ुल्म की मात्रा के हिसाब से ये आमाल उससे लेकर मज़लूम को दे दिये जायेंगे और अगर उसके पास नेकियाँ नहीं हैं तो मज़लूम की बदी और गुनाहों को उससे लेकर ज़ालिम पर डाल दिया जायेगा।

और सही मुस्लिम में हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने एक दिन सहाबा किराम से सवाल किया कि आप जानते हो कि मुफ़लिस कौन होता है? सहाबा ने अ़र्ज़ किया या रसूलल्लाह! हम तो मुफ़लिस उसको समझते हैं जिसके पास न कोई नक़द रक़म हो न ज़रूरत का सामान। आपने फ़रमाया कि असली और वास्तविक मुफ़लिस मेरी उम्मत में वह शख़्स है जो क़ियामत में बहुत से नेक आमाल नमाज़, ज़कात, रोज़ा, ज़कात वग़ैरह लेकर आयेगा मगर उसका हाल यह होगा कि उसने दुनिया में किसी को गाली दी, किसी पर तोहमत बाँधी, किसी का माल नाजायज़ तौर पर खा गया, किसी को क़त्ल कराया, किसी को मारपीट से सताया तो ये सब मज़लूम अल्लाह तआ़ला के सामने अपने ज़ुल्मों का मुतालबा करेंगे और उसकी नेकियाँ उनमें तक़सीम कर दी जायेंगी, फिर जब ये नेकियाँ ख़त्म हो जायेंगी और मज़लूमों के हुक़ूक़ अभी बाक़ी होंगे तो मज़लूमों के गुनाह उस पर डाल दिये जायेंगे और उसको जहन्नम में डाल दिया जायेगा (तो यह शख़्स सब कुछ सामान होने के बावजूद क़ियामत में मुफ़लिस रह गया, यही असली मुफ़लिस है)।

और तबरानी ने एक मोतबर सनद के साथ हज़रत अबू अय्यूब अन्सारी रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत किया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि सब से पहले जो मुक़द्दमा अल्लाह तआ़ला की अ़दालत में पेश होगा वह मर्द और उसकी बीवी का होगा और ख़ुदा की क़सम वहाँ ज़बान नहीं बोलेगी बल्कि औरत के हाथ पाँव गवाही देंगे कि वह अपने शौहर पर क्या-क्या ऐब लगाया करती थी, और इसी तरह मर्द के हाथ-पाँव इस पर गवाही देंगे कि वह किस तरह अपनी बीवी को तकलीफ़ व दुख पहुँचाता था। उसके बाद हर आदमी के सामने उसके नौकर चाकर लाये जायेंगे, उनकी शिकायतों का फ़ैसला किया जायेगा, फिर आ़म बाज़ार के लोग जिनसे उसके मामलात रहे थे वे पेश होंगे, अगर उसने उनमें से किसी पर ज़ुल्म किया है तो उसका हक़ दिलवाया जायेगा।

सारे आमाल ज़ुल्मों और हुक़ूक़ के बदले में दे दिये जायेंगे मगर ईमान नहीं दिया जायेगा

तफ़सीरे मज़हरी में ऊपर बयान हुई हदीस की सब रिवायतें नक़ल करने के बाद लिखा है कि

मज़लूमों के हुक़ूक़ में ज़ालिम के आमाल दे देने का जो ज़िक्र आया है इससे मुराद ईमान के अ़लावा दूसरे आमाल हैं, क्योंकि जितने जुल्म व अत्याचार हैं वे सब अ़मली गुनाह हैं, कुफ़्र नहीं हैं और अ़मली गुनाहों की सज़ा सीमित होगी, बख़िलाफ़ ईमान के कि वह एक असीमित अ़मल है, उसकी जज़ा भी असीमित यानी हमेशा जन्नत में रहना है, अगरचे वह गुनाहों की सज़ा भुगतने और कुछ मुद्दत जहन्नम में रहने के बाद हो। इसका हासिल यह है कि जब ज़ालिम के नेक आमाल अ़लावा ईमान के सब मज़लूमों को देकर ख़त्म हो जायेंगे सिर्फ़ ईमान रह जायेगा तो ईमान उससे नहीं लिया जायेगा बल्कि मज़लूमों के गुनाह उस पर डालकर हुक़ूक़ की अदायेगी की जायेगी जिसके नतीजे में यह गुनाहों के अ़ज़ाब भुगतने के बाद फिर आख़िरकार जन्नत में दाख़िल होगा और फिर यह हाल उसका हमेशा के लिये होगा। तफ़सीरे मज़हरी के लेखक ने फ़रमाया कि इमाम बैहक़ी ने भी ऐसा ही फ़रमाया है।

"कज़्ज़-ब बिस्सिद्क़ि" और "अल्लज़ी जा-अ बिस्सिद्क़ि" में सिद्क़ से मुराद वो तालीमात हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम लेकर आये हैं चाहे क़ुरआन हो या क़ुरआन के अ़लावा दूसरी हदीसों की तालीमात। और 'सच जानने और मानने वालों' में सब मोमिन दाख़िल हैं जो उसकी तस्दीक़ करने वाले हैं।

أَلَيْسَ اللّٰهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ

وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ ۚ وَمَن يُضْلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ۞ وَمَن يَهْدِ اللّٰهُ فَمَا لَهُ مِن مُّضِلٍّ ۗ أَلَيْسَ اللّٰهُ بِعَزِيزٍ ذِي انتِقَامٍ ۞ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللّٰهُ ۚ قُلْ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللّٰهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللّٰهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ ۚ قُلْ حَسْبِيَ اللّٰهُ ۖ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ ۞ قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ ۖ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ۞ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ۞ إِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ ۖ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَلِنَفْسِهِ ۖ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۖ وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلٍ ۞

अलैसल्लाहु बिकाफ़िन् अ़ब्दहू, व युख़व्विफ़ून-क बिल्लज़ी-न मिन् दूनिही, व मंय्युज़्लिलिल्लाहु फ़मा लहू मिन् हाद (36) व मंय्यह्दिल्लाहु फ़मा लहू मिम्-मुज़िल्लिन्, अलैसल्लाहु बि-अ़ज़ीज़िन् ज़िन्तिक़ाम (37) व ल-इन् स-अल्तहुम् मन् ख़-लक़स्-	क्या अल्लाह बस (काफ़ी) नहीं अपने बन्दों को, और तुझको डराते हैं उनसे जो उसके सिवाय हैं, और जिसको राह भुलाये अल्लाह तो कोई नहीं उसको राह देने वाला। (36) और जिसको राह सुझाये अल्लाह तो कोई नहीं उसको भुलाने वाला, क्या नहीं है अल्लाह ज़बरदस्त, बदला लेने वाला। (37) और जो तू उनसे पूछे किसने बनाये आसमान और ज़मीन तो कहें

समावाति वल्अर्-ज़ ल-यक़ूलुन्नल्लाहु क़ुल् अ-फ़-रऐतुम् मा तद्अ़ू-न मिन् दूनिल्लाहि इन् अरा-दनियल्लाहु बिज़ुर्रिन् हल् हुन्-न काशिफ़ातु ज़ुर्रिही औ अरा-दनी बिरह्मतिन् हल् हुन्-न मुम्सिकातु रह्मतिही, क़ुल् हस्बियल्लाहु अ़लैहि य-तवक्कलुल्-मु-तवक्किलून (38) क़ुल् या क़ौमिअ्मलू अ़ला मकानतिकुम् इन्नी आमिलुन् फ़सौ-फ़ तअ़्लमून (39) मंय्यअ्तीहि अ़ज़ाबुंय्-युख़्ज़ीहि व यहिल्लु अ़लैहि अ़ज़ाबुम्-मुक़ीम (40) इन्ना अन्ज़ल्ना अ़लैकल्-किता-ब लिन्नासि बिल्हक़्क़ि फ़-मनिह्तदा फ़लिनफ़्सिही व मन् ज़ल्-ल फ़-इन्नमा यज़िल्लु अ़लैहा व मा अन्-त अ़लैहिम् बि-वकील (41) ✿

अल्लाह ने, तू कह भला देखो तो जिनको पूजते हो अल्लाह के सिवा अगर चाहे अल्लाह मुझ पर कुछ तकलीफ़ तो वे ऐसे हैं कि खोल दें तकलीफ़ उसकी डाली हुई? या वह चाहे मुझ पर मेहरबानी तो वे ऐसे हैं कि रोक दें उसकी मेहरबानी को? तू कह मुझको बस है अल्लाह उसी पर भरोसा रखते हैं भरोसा रखने वाले। (38) तू कह ऐ क़ौम! काम किये जाओ अपनी जगह पर मैं भी काम करता हूँ, अब आगे जान लोगे (39) किस पर आती है आफ़त कि उसको रुस्वा करे और उतरता है उस पर अ़ज़ाब सदा रहने वाला। (40) हमने उतारी है तुझ पर किताब लोगों के वास्ते सच्चे दीन के साथ, फिर जो कोई राह पर आया सो अपने भले को और जो कोई बहका सो यही बात है कि बहका अपने बुरे को, और तू उनका ज़िम्मेदार नहीं। (41) ✿

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

क्या अल्लाह तआ़ला अपने (ख़ास) बन्दे (मुहम्मद सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की हिफ़ाज़त) के लिये काफ़ी नहीं (यानी वह तो सब ही की हिफ़ाज़त के लिये काफ़ी है तो अपने महबूब ख़ास बन्दे के लिये क्यों काफ़ी न होगा) और ये लोग (ऐसे अहमक़ हैं कि अल्लाह की हिफ़ाज़त से अनजान बन करके) आपको उन (झूठे माबूदों) से डराते हैं जो ख़ुदा के सिवा (तजवीज़ कर रखे) हैं (हालाँकि वे ख़ुद बेजान आ़जिज़ हैं, और क़ादिर भी होते तो ख़ुदा की हिफ़ाज़त के मुक़ाबले में आ़जिज़ ही होते) और (असल बात यह है कि) जिसको ख़ुदा गुमराह करे उसका कोई हिदायत देने वाला नहीं और जिसको वह हिदायत दे उसका कोई गुमराह करने वाला नहीं। (आगे ख़ुदा तआ़ला की कामिल क़ुदरत का ज़िक्र करके उनकी हिमाक़त को ज़ाहिर किया गया है कि) क्या ख़ुदा तआ़ला (उनके नज़दीक)

ज़बरदस्त (और) इन्तिकाम लेने (पर क़ुदरत रखने) वाला नहीं (यानी अल्लाह तआ़ला की मदद करने की सिफ़त भी कामिल और बन्दे की मदद लेने वाला होने की सलाहियत भी कामिल, और झूठे माबूदों का क़ुदरत व मदद करने से आ़जिज़ होना भी ज़ाहिर, फिर आपको इन बातों से डराना हिमाक़त नहीं तो क्या है) और (अ़जीब बात यह है कि हक़ तआ़ला की कामिल क़ुदरत और मदद के उसूलों और बातों को यह भी तस्लीम करते हैं चुनाँचे) अगर आप इनसे पूछें कि आसमान और ज़मीन को किसने पैदा किया है? तो यही कहेंगे कि अल्लाह तआ़ला ने, (इसलिये) आप (इनसे) कहिये कि भला (जब तुम अल्लाह को पैदा करने में तन्हा और अकेला मानते हो तो) फिर यह तो बतलाओ कि ख़ुदा के सिवा तुम जिन माबूदों को पूजते हो अगर अल्लाह तआ़ला मुझको कोई तकलीफ़ पहुँचाना चाहे क्या ये माबूद उसकी दी हुई तकलीफ़ दूर कर सकते हैं? या अल्लाह तआ़ला मुझ पर अपनी इनायत करना चाहे क्या ये माबूद उसकी इनायत को रोक सकते हैं? (आगे इरशाद है कि जब इस तक़रीर से अल्लाह तआ़ला का कामिल क़ुदरत वाला होना साबित हो जाये तो) आप कह दीजिये कि (इससे साबित हो गया कि) मेरे लिये ख़ुदा काफ़ी है, तवक्कुल करने वाले उसी पर तवक्कुल करते हैं (इसी लिये मैं भी उसी पर तवक्कुल और भरोसा रखता हूँ और तुम्हारी मुख़ालफ़त व दुश्मनी की कोई परवाह नहीं करता)।

(और चूँकि ये लोग इन सब बातों को सुनकर भी अपने ग़लत और बातिल ख़्याल पर जमे हुए थे इसलिये आपको आख़िरी जवाब की तालीम है कि) आप (उनसे) कह दीजिये कि (अगर इस पर भी तुम नहीं मानते तो तुम जानो) तुम अपनी हालत पर अ़मल किये जाओ, मैं भी (अपने तरीक़े पर) अ़मल कर रहा हूँ (यानी जब तुम अपने ग़लत और बातिल तरीक़े को नहीं छोड़ते तो मैं हक़ और सही तरीक़े को कैसे छोड़ूँ) सो अब जल्दी ही तुमको मालूम हुआ जाता है कि वह कौन शख़्स है जिस पर (दुनिया में) ऐसा अ़ज़ाब आया चाहता है जो उसको रुस्वा कर देगा और (मौत के बाद) उस पर हमेशा रहने वाला अ़ज़ाब नाज़िल होगा। (चुनाँचे दुनिया में जंगे बदर में मुसलमानों के हाथ से उनको सज़ा मिली, उसके बाद आख़िरत का हमेशा वाला अ़ज़ाब है। यहाँ तक तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को मुख़ालिफ़ों के ख़ौफ़ से तसल्ली दी गई, आगे आपको जो काफ़िरों और अल्लाह की आ़म मख़्लूक़ के साथ शफ़क़त व मेहरबानी की बिना पर उनके कुफ़्र व इनकार से ग़म होता था उस पर तसल्ली दी गई कि) हमने आप पर यह किताब लोगों के (नफ़े के) लिये उतारी, जो हक़ को लिये हुए है सो (आपका काम इसका पहुँचा देना है। फिर) जो शख़्स सच्ची राह पर आयेगा तो अपने नफ़े के वास्ते, और जो शख़्स बेराह रहेगा तो उसका बेराह होना उसी पर पड़ेगा, और आप उन पर (इस तरह) मुसल्लत नहीं किये गये (कि उनकी बेराही की आप से पूछगछ हो, तो आप उनकी गुमराही से क्यों ग़मगीन होते हैं)।

मआ़रिफ़ व मसाईल

أَلَيْسَ اللّٰهُ بِكَافٍ عَبْدَهٗ

इस आयत का शाने नुज़ूल (उतरने का मौक़ा और सबब) एक वाक़िआ़ है कि काफ़िरों ने

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम और सहाबा रज़ियल्लाहु अ़न्हुम को इससे डराया था कि अगर आपने हमारे बुतों की बेअदबी की तो इन बुतों का असर बहुत सख़्त है, उससे आप बच न सकेंगे। उनके जवाब में कहा गया कि क्या अल्लाह अपने बन्दे के लिये काफ़ी नहीं?

इसलिये कुछ मुफ़स्सिरीन हज़रात ने यहाँ बन्दे से मख़्सूस बन्दा यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को मुराद लिया है। ख़ुलासा-ए-तफ़सीर में इसी को इख़्तियार किया गया है, और दूसरे मुफ़स्सिरीन ने बन्दे से मुराद आ़म ली है और आयत की दूसरी क़िराअत जो 'इबादहू' आई है वह इसकी ताईद करती है, और मज़मून बहरहाल आ़म है कि अल्लाह तआ़ला अपने हर बन्दे के लिये काफ़ी है।

इब्रत व नसीहत

وَيُخَوِّفُوْنَكَ بِالَّذِيْنَ مِنْ دُوْنِهٖ

यानी काफ़िर आपको डराते हैं अपने झूठे माबूदों के ग़ज़ब से। इस आयत को पढ़ने वाले उमूमन यह ख़्याल करके गुज़र जाते हैं कि यह एक ख़ास वाक़िए का ज़िक्र है जिसका ताल्लुक़ काफ़िरों की धमकियों और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की पवित्र ज़ात से है। इस तरफ़ ध्यान नहीं देते कि इसमें हमारे लिये क्या हिदायत है। हालाँकि बात बिल्कुल खुली हुई है कि जो शख़्स भी किसी मुसलमान को इसलिये डराये कि तुमने फ़ुलाँ हराम काम या गुनाह न किया तो तुम्हारे हाकिम और अफ़सर या जिनके तुम मोहताज समझे जाते हो वे तुम से ख़फ़ा हो जायेंगे और तकलीफ़ पहुँचायेंगे। यह भी इसी में दाख़िल है, अगरचे डराने वाला मुसलमान ही हो और जिससे डराया जाये वह भी मुसलमान ही हो, और यह ऐसी आ़म सूरतेहाल है कि दुनिया की अक्सर नौकरियों में लोगों को पेश आती है कि अल्लाह के अहकाम की ख़िलाफ़वर्ज़ी पर आमादा हो जायें या फिर अपने अफ़सरों के ग़ुस्से व सज़ा के पात्र बनें। इस आयत ने उन सब को यह हिदायत दी कि क्या अल्लाह तआ़ला तुम्हारी हिफ़ाज़त के लिये काफ़ी नहीं, तुमने ख़ालिस अल्लाह के लिये गुनाहों के करने से बचने का इरादा कर लिया और अल्लाह के अहकाम के ख़िलाफ़ किसी हाकिम व अफ़सर की परवाह न की तो ख़ुदा तआ़ला की इमदाद तुम्हारे साथ होगी। ज़्यादा से ज़्यादा यह नौकरी छूट भी जायेगी तो अल्लाह तआ़ला तुम्हारे रिज़्क़ का दूसरा इन्तिज़ाम कर देंगे, और मोमिन का काम तो यह है कि ऐसी नौकरी को छोड़ने की ख़ुद ही कोशिश करता रहे कि कोई दूसरी मुनासिब जगह मिल जाये तो उसको फ़ौरन छोड़ दे।

اَللّٰهُ يَتَوَفَّى الْاَنْفُسَ حِيْنَ مَوْتِهَا وَ

الَّتِيْ لَمْ تَمُتْ فِيْ مَنَامِهَا ۚ فَيُمْسِكُ الَّتِيْ قَضٰى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْاُخْرٰٓى اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى ۭ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ۝ اَمِ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ شُفَعَاۗءَ ۭ قُلْ اَوَلَوْ كَانُوْا لَا يَمْلِكُوْنَ شَيْـــًٔا وَّلَا يَعْقِلُوْنَ ۝ قُلْ لِّلّٰهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيْعًا ۭ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۭ ثُمَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ۝ وَاِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَحْدَهُ اشْمَاَزَّتْ قُلُوْبُ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ ۚ وَاِذَا ذُكِرَ الَّذِيْنَ مِنْ دُوْنِهٖٓ اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُوْنَ ۝

अल्लाहु य-तवफ़्फ़लू-अन्फ़ु-स ही-न मौतिहा वल्लती लम् तमुत् फ़ी मनामिहा फ़-युम्सिकुल्लती क़ज़ा अ़लैहल्-मौ-त व युर्सिलुल्-उख़्रा इला अ-जलिम्-मुसम्मन्, इन्-न फ़ी ज़ालि-क लआयातिल् लिक़ौमिंय्-य-तफ़क्करून (42) अमित्त-ख़ज़ू मिन् दूनिल्लाहि शु-फ़आ-अ, क़ुल् अ-व लौ कानू ला यम्लिकू-न शैअंव्-व ला यअ़्क़िलून (43) क़ुल् लिल्लाहिश्शफ़ा-अ़तु जमीअ़न्, लहू मुल्कुस्समावाति वल्अर्ज़ि, सुम्-म इलैहि तुर्जअ़ून (44) व इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वह्दहुश्-म-अज़्ज़त् क़ुलूबुल्लज़ी-न ला युअ्मिनू-न बिल्-आख़िरति व इज़ा ज़ुकिरल्लज़ी-न मिन् दूनिही इज़ा हुम् यस्तब्शिरून (45)	अल्लाह खींच लेता है जानें जब वक़्त हो उनके मरने का और जो नहीं मरें उनको खींच लेता है उनकी नींद में, फिर रख छोड़ता है जिन पर मरना ठहरा दिया है और भेज देता है औरों को एक निर्धारित वादे तक, इस बात में पते हैं उन लोगों को जो ध्यान करें। (42) क्या उन्होंने पकड़े हैं अल्लाह के सिवा कोई सिफ़ारिश वाले, तू कह अगरचे उनको इख़्तियार न हो किसी चीज़ का और न समझ? (43) तू कह अल्लाह के इख़्तियार में हैं सारी सिफ़ारिश, उसी का राज है आसमान और ज़मीन में, फिर उसी की तरफ़ फेरे जाओगे। (44) और जब नाम लीजिये ख़ालिस अल्लाह का रुक जाते हैं दिल उनके जो यक़ीन नहीं रखते पिछले घर का, और जब नाम लीजिये उसके सिवा औरों का तब वे लगें ख़ुशियाँ करने। (45)

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

अल्लाह ही क़ब्ज़ (यानी मोअ़त्तल व निलंबित और बेताल्लुक़) करता है उन जानों को (जिनका मौत का वक़्त आ गया है) उनकी मौत के वक़्त (मुकम्मल तौर पर कि ज़िन्दगी बिल्कुल ख़त्म हो जाये) और उन जानों को भी जिनकी मौत नहीं आई उनके सोने के वक़्त, (यह बेकार करना पूरी तरह नहीं होता, एक एतिबार से ज़िन्दगी बाक़ी रह जाती है मगर और इल्म व एहसास नहीं रहता, और मौत की सूरत में न इल्म व एहसास रहता है न ज़िन्दगी) फिर (इस निलंबित और बेताल्लुक़ करने के बाद) उन जानों को तो (बदन की तरफ़ लौट आने से) रोक लेता है जिन पर मौत का हुक्म फ़रमा चुका है और बाक़ी जानों को (जो नींद की वजह से बेकार व मोअ़त्तल हो गई थीं और अभी उनकी मौत का

वक़्त नहीं आया) एक मुक़र्ररा मियाद (यानी मुद्दत) तक के लिये आज़ाद कर देता है (कि फिर वापस जाकर बदन में पहले की तरह अपने काम करने लगें) इस (अल्लाह के इस अ़मल व कारीगरी) में उन लोगों के लिये जो कि सोचने के आ़दी हैं (ख़ुदा तआ़ला की कामिल क़ुदरत और बिना किसी दूसरे की शिर्कत के तमाम आ़लम के इन्तिज़ामात करने पर) दलीलें हैं (जिनसे अल्लाह की तौहीद पर दलील लेते हैं) हाँ, क्या (तौहीद की स्पष्ट दलीलें क़ायम होते हुए) उन लोगों ने ख़ुदा के सिवा दूसरों को (माबूद) क़रार दे रखा है जो (उनकी) सिफ़ारिश करेंगे? (जैसा कि मुश्रिक लोग अपने बुतों के बारे में कहा करते थे कि ये अल्लाह के यहाँ हमारे सिफ़ारिशी हैं) आप कह दीजिये कि अगरचे ये (तुम्हारे गढ़े हुए सिफ़ारिशी) कुछ भी क़ुदरत न रखते हों और कुछ भी इल्म न रखते हों (क्या फिर भी तुम यही समझते चले जाओगे कि ये तुम्हारी सिफ़ारिश करेंगे? क्या इतना भी नहीं समझते कि सिफ़ारिश के लिये इल्म और उसके मुनासिब क़ुदरत तो ज़रूरी है जो उनमें नहीं है। यहाँ बाज़े मुश्रिक लोग यह कह सकते थे कि ये पत्थर के तराशे हुए बुत हमारा मक़सूद नहीं बल्कि ये मूर्तियाँ और शक्लें फ़रिश्तों या जिन्नात की हैं, वे तो रूह वाले भी हैं और क़ुदरत व इल्म भी रखते हैं। इसलिये इसके जवाब की यह तालीम दी गई कि) आप (यह भी) कह दीजिये कि सिफ़ारिश तो मुकम्मल तौर पर ख़ुदा ही के इख़्तियार में है (बिना उसकी इजाज़त के किसी फ़रिश्ते या इनसान की मजाल नहीं कि किसी की सिफ़ारिश कर सके और सिफ़ारिश के लिये अल्लाह तआ़ला की इजाज़त की दो शर्तें हैं- एक सिफ़ारिश करने वाले का अल्लाह के यहाँ मक़बूल होना, दूसरे जिसकी सिफ़ारिश की जाये उसका मग़फ़िरत व माफ़ी के क़ाबिल होना। अब समझ लो कि मुश्रिक लोगों ने बुतों को जिनकी शक्लें समझकर इख़्तियार किया है अगर वे जिन्नात व शयातीन हैं तो दोनों शर्तें नहीं पाई जातीं। न सिफ़ारिश करने वाले अल्लाह के यहाँ मक़बूल हैं न ये मुश्रिक लोग मग़फ़िरत के क़ाबिल हैं, और अगर इन शक्लों और मूर्तियों को फ़रिश्तों या नबियों की शक्लें क़रार दे रखा है तो शफ़ाअ़त करने वालों के मक़बूल होने की शर्त तो मौजूद हुई मगर दूसरी शर्त मौजूद नहीं है, कि इन मुश्रिक लोगों में मग़फ़िरत व बख़्शिश की सलाहियत नहीं है। आगे फ़रमाया कि ख़ुदा तआ़ला की यह शान है कि) तमाम आसमानों और ज़मीन की बादशाही उसी की है, फिर उसी की तरफ़ लौटकर जाओगे (इसी लिये सब को छोड़कर उसी से डरो, उसी की इबादत करो) और (तौहीद "अल्लाह के एक और अकेला माबूद होने" की स्पष्ट दलीलें क़ायम होने के बावजूद काफ़िरों व मुश्रिकों का हाल यह है कि) जब केवल अल्लाह का ज़िक्र किया जाता है (कि वह बिना किसी के साझे और शिर्कत के तमाम आ़लम के सियाह सफ़ेद का मालिक, मुख़्तार और सब कुछ करने वाला है) तो उन लोगों के दिलों को नागवार होता है जो कि आख़िरत का यक़ीन नहीं रखते, और जब उसके सिवा औरों का ज़िक्र आता है (चाहे सिर्फ़ उन्हीं का ज़िक्र हो या अल्लाह के ज़िक्र के साथ उनका भी ज़िक्र हो) तो उसी वक़्त वे लोग ख़ुश हो जाते हैं।

मआरिफ़ व मसाईल

मौत और नींद के वक़्त रूह का क़ब्ज़ होना और दोनों में फ़र्क़ की तफ़सील

اَللّٰهُ يَتَوَفَّى الْاَنْفُسَ حِيْنَ مَوْتِهَا وَالَّتِيْ لَمْ تَمُتْ فِيْ مَنَامِهَا.

तवफ़्फ़ा के लफ़्ज़ी मायने लेने और क़ब्ज़ कर लेने के हैं। इस आयत में हक़ तआ़ला ने यह बतलाया है कि जानदारों की रूहें हर हाल में हर वक़्त अल्लाह तआ़ला के क़ब्ज़े व इख़्तियार में हैं, वह जब चाहे उनको क़ब्ज़ कर सकता और वापस ले सकता है। और अल्लाह के इस क़ब्ज़े व इख़्तियार का एक नमूना तो हर जानदार रोज़ाना देखता और महसूस करता है कि नींद के वक़्त उसकी रूह एक हैसियत से क़ब्ज़ हो जाती है, फिर जागने के बाद वापस मिल जाती है, और आख़िरकार एक वक़्त ऐसा भी आयेगा कि बिल्कुल क़ब्ज़ हो जायेगी फिर वापस न मिलेगी।

तफ़सीर-ए-मज़हरी में है कि रूह क़ब्ज़ करने के मायने उसका इनसानी बदन से ताल्लुक़ ख़त्म कर देने के हैं, कभी यह ज़ाहिरी व बातिनी तौर पर बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाता है इसी का नाम मौत है, और कभी सिर्फ़ ज़ाहिरी तौर पर ख़त्म किया जाता है बातिनी तौर पर बाक़ी रहता है जिसका असर यह होता है कि सिर्फ़ एहसास और इरादी हरकत जो ज़िन्दगी की ज़ाहिरी निशानी है वह ख़त्म कर दी जाती है और बातिनी तौर पर जिस्म से रूह का ताल्लुक़ बाक़ी रहता है जिससे वह साँस लेता और ज़िन्दा रहता है, और सूरत उसकी यह होती है कि इनसानी रूह को 'आ़लम-ए-मिसाल' के देखने समझने और वहाँ से जुड़ने की तरफ़ मुतवज्जह करके इस आ़लम से ग़ाफ़िल और बेताल्लुक़ कर दिया जाता है ताकि इनसान मुकम्मल आराम पा सके, और कभी यह बातिनी ताल्लुक़ भी काट दिया और ख़त्म कर दिया जाता है जिसकी वजह से जिस्म की ज़िन्दगी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है।

ऊपर बयान हुई आयत में लफ़्ज़ **तवफ़्फ़ा** क़ब्ज़ करने के मायने में इस्तेमाल के तौर पर दोनों मायनों को शामिल है, मौत और नींद दोनों में रूह का क़ब्ज़ होना यह फ़र्क़ जो ऊपर बयान किया गया है हज़रत अ़ली कर्रमल्लाहु वज्हहू के एक क़ौल से भी इसकी ताईद होती है। उन्होंने फ़रमाया कि सोने के वक़्त इनसान की रूह उसके बदन से निकल जाती है मगर रूह की एक किरन बदन में रहती है जिससे वह ज़िन्दा रहता है, और उसी किरन के राब्ते से वह ख़्वाब (सपना) देखता है। फिर यह ख़्वाब अगर रूह के 'मिसाली जहान' की तरफ़ मुतवज्जह रहने की हालत में देखा गया तो वह सच्चा ख़्वाब होता है और अगर उस तरफ़ से बदन की तरफ़ वापसी की हालत में देखा तो उसमें शैतानी दख़ल-अन्दाज़ी हो जाती हैं, वह सच्चा ख़्वाब नहीं रहता। और फ़रमाया कि नींद की हालत में जो इनसानी रूह उसके बदन से निकलती है तो जागने के वक़्त आँख झपकने से भी कम वक़्त में बदन में वापस आ जाती है।

قُلِ اللّٰهُمَّ فَاطِرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ عٰلِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ اَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيْ مَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ﴿٤٦﴾ وَلَوْ اَنَّ لِلَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مَا فِي الْاَرْضِ جَمِيْعًا وَّمِثْلَهٗ مَعَهٗ لَافْتَدَوْا بِهٖ مِنْ سُوْٓءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۚ وَبَدَا لَهُمْ مِّنَ اللّٰهِ مَا لَمْ يَكُوْنُوْا يَحْتَسِبُوْنَ ﴿٤٧﴾ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّاٰتُ مَا كَسَبُوْا وَحَاقَ بِهِمْ مَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ﴿٤٨﴾ فَاِذَا مَسَّ الْاِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ۫ ثُمَّ اِذَا خَوَّلْنٰهُ نِعْمَةً مِّنَّا ۙ قَالَ اِنَّمَآ اُوْتِيْتُهٗ عَلٰى عِلْمٍ ۭ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَّلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٤٩﴾ قَدْ قَالَهَا الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَمَآ اَغْنٰى عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ﴿٥٠﴾ فَاَصَابَهُمْ سَيِّاٰتُ مَا كَسَبُوْا ۭ وَالَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْ هٰٓؤُلَاۗءِ سَيُصِيْبُهُمْ سَيِّاٰتُ مَا كَسَبُوْا ۙ وَمَا هُمْ بِمُعْجِزِيْنَ ﴿٥١﴾ اَوَلَمْ يَعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَاۗءُ وَيَقْدِرُ ۭ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ﴿٥٢﴾

ع ۵ ۱۱

कुलिल्लाहुम्-म फ़ातिरस्-समावाति वल्अर्ज़ि आ़लिमल्-ग़ैबि वश्शहा-दति अन्-त तह्कुमु बै-न अ़िबादि-क फ़ी मा कानू फ़ीहि यख़्तलिफ़ून (46) व लौ अन्-न लिल्लज़ी-न ज़-लमू मा फ़िल्-अर्ज़ि जमीअ़ंव्-व मिस्लहू म-अ़हू लफ़्तदौ बिही मिन् सूइल्-अ़ज़ाबि यौमल्-क़ियामति, व बदा लहुम् मिनल्लाहि मा लम् यकूनू यह्तसिबून (47) व बदा लहुम् सय्यिआतु मा क-सबू व हा-क़ बिहिम् मा कानू बिही यस्तह्ज़िऊन (48) फ़-इज़ा मस्सल्-इन्सा-न ज़ुर्रुन् दआ़ना सुम्-म इज़ा ख़व्वल्नाहु निअ्-मतम् मिन्ना क़ा-ल इन्नमा ऊतीतुहू अ़ला अ़िल्मिन्, बल् हि-य

तू कह- ऐ अल्लाह पैदा करने वाले आसमानों के और ज़मीन के, जानने वाले छुपे और खुले के, तू ही फ़ैसला करे अपने बन्दों में जिस चीज़ में वे झगड़ रहे थे। (46) और अगर गुनाहगारों के पास हो जितना कुछ कि ज़मीन में है सारा और उतना ही और उसके साथ तो सब डालें अपने छुड़वाने में बुरी तरह के अ़ज़ाब से क़ियामत के दिन, और नज़र आये उनको अल्लाह की तरफ़ से जो ख़्याल भी न रखते थे। (47) और नज़र आयें उनको अपने बुरे काम जो कमाते थे और उलट पड़े उन पर वह चीज़ जिस पर ठट्ठा करते थे। (48) सो जब आ लगती है आदमी को कुछ तकलीफ़ हमको पुकारने लगता है, फिर जब हम बख़्शें उसको अपनी तरफ़ से कोई नेमत कहता है यह तो मुझको मिली कि पहले से मालूम थी, कोई नहीं! यह जाँच

फ़ित्-नतुंव्-व लाकिन्-न अक्स-रहुम् ला यअ्लमून (49) क़द् क़ा-लहल्-लज़ी-न मिन् क़ब्लिहिम् फ़मा अग़्ना अन्हुम् मा कानू यक्सिबून (50) फ़-असाबहुम् सय्यिआतु मा क-सबू, वल्लज़ी-न ज़-लमू मिन् हाउला-इ सयुसीबुहुम् सय्यिआतु मा क-सबू व मा हुम् बिमुअ्जिज़ीन (51) अ-व लम् यअ्लमू अन्नल्ला-ह यब्सुतुर्-रिज़्-क़ लिमंय्यशा-उ व यक़्दिरु, इन्-न फ़ी ज़ालि-क ल-आयातिल् लिक़ौमिंय्युअ्मिनून (52) ❁	है पर वे बहुत से लोग नहीं समझते। (49) कह चुके हैं यह बात उनसे अगले फिर कुछ काम न आया उनको जो कमाते थे। (50) फिर पड़ गईं उन पर बुराईयाँ जो कमाई थीं, और जो गुनाहगार हैं उन में से उन पर भी अब पड़ती हैं बुराईयाँ जो कमाई हैं, और वे नहीं थकाने वाले। (51) और क्या नहीं जान चुके कि अल्लाह फैलाता है रोज़ी जिसके वास्ते चाहे और माप कर देता है, यक़ीनन इसमें पते हैं उन लोगों के वास्ते जो मानते हैं। (52) ❁

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

आप (उनकी दुश्मनी व मुख़ालफ़त के ज़्यादा होने से ग़मगीन न हो जाईये और अल्लाह से दुआ में यह) कहिये कि ऐ अल्लाह आसमान और ज़मीन के पैदा करने वाले! बातिन और ज़ाहिर के जानने वाले! आप ही (क़ियामत के दिन) अपने बन्दों के बीच उन मामलों में फ़ैसला फ़रमा देंगे जिनमें वे आपस में झगड़ा करते थे (यानी आप इन विरोधियों और मुख़ालिफ़ों की फ़िक्र में न पड़िये बल्कि इनका मामला अल्लाह के सुपुर्द कीजिये वह ख़ुद अमली फ़ैसला कर देंगे) और (उस फ़ैसले के वक़्त यह हालत होगी कि) अगर ज़ुल्म (यानी शिर्क व कुफ़्र) करने वालों के पास दुनिया भर की तमाम चीज़ें हों और उन चीज़ों के साथ उतनी ही चीज़ें और भी हों, तो वे लोग क़ियामत के दिन सख़्त अज़ाब से छूट जाने के लिये (बिना सोचे) उनको देने लगें (अगरचे उनकी तरफ़ से क़ुबूल न की जायें। इसका ज़िक्र सूरः मायदा में है 'मा तुक़ुब्बि-ल मिन्हुम्.....') और ख़ुदा की तरफ़ से उनको वह मामला पेश आयेगा जिसका उनको गुमान भी न था (क्योंकि अव्वल तो आख़िरत के इनकारी थे फिर उसमें भी इसका दावा करते थे कि वहाँ भी उनको इज़्ज़त व दौलत मिलेगी)।

और (उस वक़्त) उनको अपने तमाम बुरे आमाल ज़ाहिर हो जाएँगे और जिस (अज़ाब) के साथ वे हंसी-मज़ाक़ किया करते थे वह उनको आ घेरेगा। (यूँ तो मुश्रिक आदमी ग़ैरुल्लाह के ज़िक्र से ख़ुश और सिर्फ़ अल्लाह के ज़िक्र से नफ़रत करने वाला रहता है) फिर जिस वक़्त (उस मुश्रिक) आदमी को कोई तकलीफ़ पहुँचती है तो (जिनके ज़िक्र से ख़ुश हुआ करता था उन सब को छोड़कर

सिर्फ़) हमको पुकारता है (जिससे पहले नफ़रत करता था) फिर जब हम उसको अपनी तरफ़ से कोई नेमत अ़ता फ़रमा देते हैं तो (उस तौहीद पर जिसका हक़ होना ख़ुद उसके इक़रार से साबित हो चुका था क़ायम नहीं रहता, चुनाँचे उस नेमत को हक़ तआ़ला की तरफ़ मन्सूब नहीं करता बल्कि यूँ) कहता है कि यह तो मुझको (मेरी) तदबीर से मिली है (और चूँकि निस्बत हक़ तआ़ला की तरफ़ नहीं करता बल्कि अपनी तदबीर का नतीजा समझता है इसलिये तौहीद पर क़ायम नहीं रहता बल्कि अपने पुराने शिर्क के तरीक़े की तरफ़ लौटकर ग़ैरुल्लाह की इबादत में लग जाता है। आगे हक़ तआ़ला उसके क़ौल 'इन्नमा ऊतीतुहू अ़ला अ़िल्मिन्.......' को रद्द फ़रमाते हैं कि नेमत उसकी तदबीर का नतीजा नहीं है) बल्कि वह (नेमत ख़ुदा की दी हुई और उसकी तरफ़ से इनसान की) एक आज़माईश है (कि देखें उसके मिलने पर हमको भूल जाता है और कुफ़्र करता है या याद रखता है और शुक्र करता है। और इसी आज़माईश के लिये बाज़ी नेमतों में असबाब व हासिल करने का वास्ता भी रख दिया है, इससे और ज़्यादा आज़माईश हो गई कि देखें उस ज़ाहिरी सबब पर नज़र करता है या असल वजह पर) लेकिन अक्सर लोग (इस बात को) समझते नहीं (इसलिये उसको अपनी तदबीर का नतीजा बतलाते हैं और शिर्क में मुब्तला रहते हैं। आगे इसी पर यह बात बयान की जाती है कि) यह बात (बाज़े) उन लोगों ने भी कही थी जो इनसे पहले गुज़र चुके हैं (जैसे क़ारून ने कहा था 'इन्नमा ऊतीतुहू अ़ला अ़िल्मिन् अ़िन्दी' या जो लोग ख़ुदा के इनकारी हो गुज़रे हैं जैसे नमरूद, फ़िरऔ़न, ज़ाहिर है कि वे भी किसी नेमत की निस्बत ख़ुदा की तरफ़ न करते थे बल्कि बिना मेहनत व कोशिश वाली और ग़ैर-इख़्तियारी में मुक़द्दर व इत्तिफ़ाक़ की तरफ़ और मेहनत से हासिल की जाने वाली और इख़्तियारी में हुनर और तदबीर की तरफ़ निस्बत करते थे) सो उनकी कार्रवाई उनके कुछ काम न आई (और अ़ज़ाब से बचाने और रोकने वाली न हुई) फिर (रोकने वाली न हो सकने के बाद अ़ज़ाब को हटाने और दूर करने वाली भी न हुई बल्कि) उनके तमाम बुरे आमाल उन पर आ पड़े (और सज़ा पाने वाले हुए)।

और (मौजूदा ज़माने के लोग यह ख़्याल न करें कि जो कुछ होना था अगलों के साथ हो चुका बल्कि) इनमें भी जो ज़ालिम हैं उन पर भी उनके बुरे आमाल अभी पड़ने वाले हैं, और ये (ख़ुदा तआ़ला को) हरा नहीं सकते (चुनाँचे बदर की जंग में ख़ूब सज़ा हुई। आगे इसकी दलील बयान फ़रमाई कि बाज़े अहमक़ जो नेमत व रिज़्क़ को अपनी तदबीर की तरफ़ मन्सूब करते हैं तो) क्या उन लोगों को (हालात में ग़ौर करने से) यह मालूम नहीं हुआ कि अल्लाह ही जिसको चाहता है ज़्यादा रिज़्क़ देता है और वही (जिसके लिये चाहता है) तंगी भी कर देता है (इस रिज़्क़ खोल देने और तंग करने) में (ग़ौर करने से) ईमान वालों के वास्ते (जो कि समझदार होते हैं इस बात पर) निशानियाँ (यानी दलीलें क़ायम) हैं (कि ज़्यादा करने और तंग करने वाला वही है, अच्छी बुरी तदबीर उसमें असल इल्लत नहीं। पस इन दलीलों को जो शख़्स समझ लेगा वह अपनी तदबीर की तरफ़ निस्बत न करेगा बल्कि ख़ुदा के नेमत देने वाला होने से ग़फ़लत व बेतवज्जोही न करेगा जो सबब हो गया था शिर्क में मुब्तला होने का, बल्कि वह तौहीद व ईमान वाला रहेगा और मुसीबत व राहत में उसका क़ौल व हाल विरोधाभासी और टकराने वाला न होगा)।

मआरिफ़ व मसाईल

قُلِ اللّٰهُمَّ فَاطِرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ....الاٰية

सही मुस्लिम में हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन औफ़ रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है, वह कहते हैं कि मैं ने सिद्दीक़ा आयशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा से मालूम किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम रात की नमाज़ (यानी तहज्जुद) को किस चीज़ से शुरू फ़रमाते थे, तो उन्होंने फ़रमाया कि आप जब तहज्जुद की नमाज़ को उठते थे तो यह दुआ़ पढ़ते थे:

اَللّٰهُمَّ رَبَّ جِبْرِيْلَ وَمِيْكَآئِيْلَ وَاِسْرَافِيْلَ فَاطِرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ عٰلِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ اَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيْمَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ. اِهْدِنِيْ لِمَا اخْتُلِفَ فِيْهِ مِنَ الْحَقِّ بِاِذْنِكَ اِنَّكَ تَهْدِيْ مَنْ تَشَآءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ.

अल्लाहुम्-म रब्-ब जिब्री-ल व मीकाई-ल व इस्राफ़ी-ल फ़ातिरस्समावाति वल्अर्ज़ि आ़लिमल्-ग़ैबि वश्शहादति अन्-त तह्कुमु बै-न इबादि-क फ़ीमा कानू फ़ीहि यख़्तलिफ़ून। इह्दिनी लिमख़्तुलि-फ़ फ़ीहि मिनल्-हक़्क़ि बि-इज़्नि-क इन्न-क तह्दी मन् तशा-उ इला सिरातिम् मुस्तक़ीम।

दुआ़ का क़ुबूल होना

हज़रत सईद बिन जुबैर रह. फ़रमाते हैं कि मुझे क़ुरआने करीम की एक ऐसी आयत मालूम है कि उसको पढ़कर आदमी जो दुआ़ करता है क़ुबूल होती है, फिर यही आयत बतलाई:

اَللّٰهُمَّ فَاطِرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ عٰلِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ اَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيْمَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ۝

यानी यही ऊपर दर्ज आयत नम्बर 46। (तफ़सीरे क़ुर्तुबी)।

وَبَدَا لَهُمْ مِّنَ اللّٰهِ مَا لَمْ يَكُوْنُوْا يَحْتَسِبُوْنَ۝

हज़रत सुफ़ियान सौरी रह. ने इस आयत को पढ़कर फ़रमाया कि हलाकत है रियाकारों के लिये, हलाकत है रियाकारों के लिये, यह आयत उन्हीं से मुताल्लिक़ है जो दुनिया में नेक काम लोगों को दिखाने के लिये करते थे, और लोग भी उनको नेक समझते थे, वे ख़ुद इस धोखे में थे कि उनके ये आमाल उनके लिये आख़िरत में निजात का ज़रिया बनेंगे, मगर चूँकि उनमें इख़्लास नहीं था इसलिये अल्लाह के नज़दीक ऐसे नेक आमाल का कोई अज्र व सवाब नहीं, इसलिये वहाँ अचानक उनके गुमान के ख़िलाफ़ क़हर व अ़ज़ाब होने लगेगा। (तफ़सीरे क़ुर्तुबी)

सहाबा किराम के आपसी इख़्तिलाफ़ात के मुताल्लिक़ एक अहम हिदायत

हज़रत रबीअ़ इब्ने ख़ैसम से किसी ने हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अ़न्हु की शहादत के मुताल्लिक़ सवाल किया तो उन्होंने एक आह भरी और इस आयत की तिलावत फ़रमाई:

قُلِ اللّٰهُمَّ فَاطِرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ عٰلِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ اَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيْمَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ○

और फ़रमाया कि सहाबा किराम के आपसी इख़्तिलाफ़ात (झगड़ों विवादों) के मुताल्लिक़ जब तुम्हारे दिल में कोई खटक पैदा हो तो यह आयत पढ़ लिया करो। तफ़सीर रूहुल-मआनी में इसको नक़ल करके फ़रमाया है कि यह अदब की अज़ीमुश्शान तालीम है जिसको हमेशा याद रखना चाहिये।

قُلْ يٰعِبَادِيَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ ۚ اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا ۚ اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ۝ وَاَنِيْبُوْٓا اِلٰى رَبِّكُمْ وَاَسْلِمُوْا لَهٗ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنْصَرُوْنَ ۝ وَاتَّبِعُوْٓا اَحْسَنَ مَآ اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِّنْ رَّبِّكُمْ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَّاَنْتُمْ لَا تَشْعُرُوْنَ ۝ اَنْ تَقُوْلَ نَفْسٌ يّٰحَسْرَتٰى عَلٰى مَا فَرَّطْتُّ فِيْ جَنْۢبِ اللّٰهِ وَاِنْ كُنْتُ لَمِنَ السّٰخِرِيْنَ ۝ اَوْ تَقُوْلَ لَوْ اَنَّ اللّٰهَ هَدٰىنِيْ لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِيْنَ ۝ اَوْ تَقُوْلَ حِيْنَ تَرَى الْعَذَابَ لَوْ اَنَّ لِيْ كَرَّةً فَاَكُوْنَ مِنَ الْمُحْسِنِيْنَ ۝ بَلٰى قَدْ جَآءَتْكَ اٰيٰتِيْ فَكَذَّبْتَ بِهَا وَاسْتَكْبَرْتَ وَكُنْتَ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ ۝ وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ تَرَى الَّذِيْنَ كَذَبُوْا عَلَى اللّٰهِ وُجُوْهُهُمْ مُّسْوَدَّةٌ ۚ اَلَيْسَ فِيْ جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِيْنَ ۝ وَيُنَجِّي اللّٰهُ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ ۖ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوْٓءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ۝

क़ुल् या अ़िबादि-यल्लज़ी-न अस्रफ़ू अ़ला अन्फ़ुसिहिम् ला तक़्नतू मिर्रहमतिल्लाहि, इन्नल्ला-ह यग़्फ़िरुज़्ज़ुनू-ब जमीअ़न्, इन्नहू हुवल्-ग़फ़ूरुर्रहीम (53) व अनीबू इला रब्बिकुम् व अस्लिमू लहू मिन् क़ब्लि अंय्यअ्ति-यकुमुल्-अ़ज़ाबु सुम्-म ला तुन्सरून (54) वत्तबिअ़ू अह्स-न मा उन्ज़ि-ल इलैकुम् मिर्रब्बिकुम् मिन् क़ब्लि अंय्यअ्ति-यकुमुल्-अ़ज़ाबु बग़्ततंव्-व अन्तुम् ला तश्अ़ुरून (55) अन् तक़ू-ल	कह दे- ऐ मेरे बन्दो जिन्होंने कि ज़्यादती की है अपनी जान पर! आस मत तोड़ो अल्लाह की मेहरबानी से, बेशक अल्लाह बख़्शता है सब गुनाह, वह जो है वही है गुनाह माफ़ करने वाला मेहरबान। (53) और रुजू हो जाओ अपने रब की तरफ़ और उसका हुक्म मानो इससे पहले कि आये तुम पर अ़ज़ाब, फिर कोई तुम्हारी मदद को न आयेगा। (54) और चलो बेहतर बात पर जो उतरी तुम्हारी तरफ़ तुम्हारे रब से, इससे पहले कि पहुँचे तुम पर अ़ज़ाब अचानक और तुमको ख़बर न हो। (55) कहीं कहने लगे कोई जी- ऐ

नफ़्सुंय्-या हस्रता अला मा फ़र्रत्तु फ़ी जम्बिल्लाहि व इन् कुन्तु ल-मिनस्साख़िरीन (56) औ तक़ू-ल लौ अन्नल्ला-ह हदानी लकुन्तु मिनल्-मुत्तक़ीन (57) औ तक़ू-ल ही-न तरल्-अज़ा-ब लौ अन्-न ली कर्र-तन् फ़-अकू-न मिनल्-मुह्सिनीन (58) बला क़द् जाअत्-क आयाती फ़-कज़्ज़ब्-त बिहा वस्तक्बर्-त व कुन्-त मिनल्-काफ़िरीन (59) व यौमल्-क़ियामति तरल्लज़ी-न क-ज़बू अलल्लाहि वुजूहुहुम् मुस्वद्द-तुन्, अलै-स फ़ी जहन्न-म मस्वल्-लिल्-मु-तकब्बिरीन (60) व युनज्जिल्लाहु--ल्लज़ीनत्तक़ौ बि-मफ़ा-ज़तिहिम् ला यमस्सुहुमुस्सू-उ व ला हुम् यह्ज़नून (61)	अफ़सोस इस बात पर कि मैं कोताही करता रहा अल्लाह की तरफ़ से और मैं तो हंसता ही रहा। (56) या कहने लगे कि अगर अल्लाह मुझको राह दिखाता तो मैं होता डरने वालों में (57) या कहने लगे जब देखे अज़ाब को- किसी तरह मुझको फिर जाना मिले तो मैं हो जाऊँ नेकी वालों में। (58) क्यों नहीं! पहुँच चुके थे तेरे पास मेरे हुक्म, फिर तूने उनको झुठलाया और ग़ुरूर किया, और तू था मुन्किरों में। (59) और क़ियामत के दिन तू देखे उनको जो झूठ बोलते हैं अल्लाह पर कि उनके मुँह हों सियाह, क्या नहीं दोज़ख़ में ठिकाना ग़ुरूर वालों का। (60) और बचायेगा अल्लाह उनको जो डरते रहे उनके बचाव की जगह, न लगे उनको बुराई और न वे ग़मगीन हों। (61)

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

आप (इन सवाल करने वालों के जवाब में मेरी तरफ़ से) कह दीजिये कि ऐ मेरे बन्दो! जिन्होंने (कुफ़्र व शिर्क करके) अपने ऊपर ज़्यादतियाँ की हैं कि तुम ख़ुदा की रहमत से नाउम्मीद मत हो (और यह ख़्याल न करो कि ईमान लाने के बाद पिछले कुफ़्र व शिर्क पर पकड़ और पूछगछ होगी, सो यह बात नहीं, बल्कि) यक़ीनन ख़ुदा तआ़ला (इस्लाम की बरकत से पिछले) तमाम गुनाहों को (चाहे वह कुफ़्र व शिर्क ही क्यों न हो) माफ़ फ़रमा देगा। वाक़ई वह बड़ा बख़्शने वाला और बड़ी रहमत वाला है। और (चूँकि इस माफ़ी की शर्त और तरीक़ा कुफ़्र से तौबा करना और इस्लाम लाना है इसलिये) तुम (कुफ़्र से तौबा करने के लिये) अपने रब की तरफ़ रुजू करो और (इस्लाम क़ुबूल करने में) उसकी फ़रमाँबरदारी करो, इससे पहले कि (इस्लाम न लाने की सूरत में) तुम पर (अल्लाह का)

अज़ाब वाक़े होने लगे (और) फिर (उस वक़्त किसी की तरफ़ से) तुम्हारी कोई मदद न की जाये (यानी जैसे इस्लाम लाने की सूरत में सब कुफ़्र व शिर्क माफ़ हो जायेगा इसी तरह इस्लाम न लाने की सूरत में उस कुफ़्र व शिर्क पर अज़ाब होगा, जिसका कोई दूर करने और हटाने वाला नहीं)।

और (जब यह बात है कि इस्लाम न लाने का यह अन्जाम है तो) तुम (को चाहिए कि) अपने रब के पास से आये हुए अच्छे-अच्छे हुक्मों पर चलो, इससे पहले कि तुम पर अचानक अज़ाब आ पड़े और तुमको (उसका) ख़्याल भी न हो (इससे मुराद आख़िरत का अज़ाब है जैसा कि बाद वाली आयतों से मालूम हो रहा है, और अचानक या तो इसलिये कहा कि पहली बार के सूर फूँकने में सब रूहें बेहोश हो जायेंगी, फिर दूसरी बार के सूर फूँकने के बाद अज़ाब का एहसास अचानक होने लगेगा। और या इसलिये कि जैसा अज़ाब पड़ेगा उसके पड़ने और ज़ाहिर होने से पहले उसकी हक़ीक़त का इल्म न था और वैसा गुमान न था। गुमान के ख़िलाफ़ वाक़िआ सामने आने को अचानक से ताबीर किया गया। और अल्लाह की तरफ़ रुजू, इस्लाम और अल्लाह के अहकाम की पैरवी का हुक्म इसलिये दिया जाता है कि) कभी (कल क़ियामत के दिन) कोई शख़्स कहने लगे कि अफ़सोस मेरी उस कोताही पर जो मैंने ख़ुदा तआ़ला की जनाब में की (यानी उसकी फ़रमाँबरदारी और हुक्म मानने में जो मुझसे कोताही और क़सूर हुआ) और मैं तो अल्लाह के अहकाम पर हंसता ही रहा। या कोई यूँ कहने लगे कि अगर अल्लाह तआ़ला (दुनिया में) मुझको हिदायत करता तो मैं भी परहेज़गारों में से होता (मगर हिदायत ही से मेहरूम रहा इसलिये यह सारी ग़लती और कोताही हुई जिसमें मैं माज़ूर हूँ) या कोई अज़ाब को देखकर यूँ कहने लगे कि काश! मेरा (दुनिया में) फिर जाना हो जाये, फिर मैं नेक बन्दों में हो जाऊँ (दूसरे क़ौल में जो यह कहा गया था अगर मुझे हिदायत की जाती तो मैं भी मुत्तक़ी हो जाता। आगे इसके जवाब में फ़रमाया है) हाँ! बेशक तेरे पास मेरी आयतें पहुँची थीं सो तूने उनको झुठलाया और (झुठलाना किसी शुब्हे से न था बल्कि) तूने तकब्बुर किया (यह भी न हुआ कि दूसरे वक़्त दिमाग़ दुरुस्त हो जाता, बल्कि हमेशा) काफ़िरों में शामिल रहा (और इसलिए तेरा यह कहना ग़लत है कि मुझे हिदायत नहीं पहुँची)।

और (आगे कुफ़्र पर जमे और अड़े रहने वाले तथा कुफ़्र से तौबा करने वाले की सज़ा और जज़ा का मुख़्तसर तौर पर ज़िक्र फ़रमाते हैं कि ऐ पैग़म्बर) आप क़ियामत के दिन उन लोगों के चेहरे स्याह देखेंगे जिन्होंने ख़ुदा पर झूठ बोला था। (इसमें दो चीज़ें आ गईं- जो बात ख़ुदा ने नहीं कही जैसे शिर्क वग़ैरह उसको यह कहना कि ख़ुदा ने कही है, और जो बात ख़ुदा ने कही जैसे क़ुरआन उसको यह कहना कि ख़ुदा ने नहीं कही है) क्या इन तकब्बुर करने वालों का ठिकाना जहन्नम में नहीं है (जो कि दुश्मनी व मुख़ालफ़त से या घमण्ड व तकब्बुर से झुठलायें)। और जो लोग (शिर्क और कुफ़्र से) बचते थे, अल्लाह तआ़ला उन लोगों को कामयाबी के साथ (जहन्नम से) निजात देगा। उनको (ज़रा) तकलीफ़ न पहुँचेगी और न वे ग़मगीन होंगे (क्योंकि जन्नत में ग़म नहीं)।

मआ़रिफ़ व मसाईल

قُلْ يٰعِبَادِيَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا .... الآية

हज़रत सईद बिन जुबैर रह. हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत करते हैं कि कुछ

लोग ऐसे थे जिन्होंने नाहक़ क़त्ल किये और बहुत किये और ज़िना का जुर्म किया और बहुत किया, उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से अ़र्ज़ किया कि जिस दीन की तरफ़ आप दावत देते हैं वह है तो बहुत अच्छा लेकिन फ़िक्र यह है कि जब हम इतने बड़े-बड़े गुनाह कर चुके अब अगर मुसलमान भी हो गये तो क्या हमारी तौबा क़ुबूल हो सकेगी? इस पर अल्लाह तआ़ला ने यह आयत (नम्बर 53) नाज़िल फ़रमाई। (बुख़ारी, तफ़सीरे क़ुर्तुबी)

इसलिये आयत के मज़मून का ख़ुलासा यह हुआ कि मरने से पहले-पहले हर बड़े से बड़े गुनाह यहाँ तक कि कुफ़्र व शिर्क से भी जो तौबा कर ले क़ुबूल हो जाती है। और सच्ची तौबा से सब गुनाह माफ़ हो जाते हैं इसलिये किसी को अल्लाह की रहमत से मायूस न होना चाहिये।

हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने फ़रमाया कि यह आयत गुनाहगारों के लिये क़ुरआन की सब आयतों से ज़्यादा उम्मीद दिलाने वाली है, मगर हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने फ़रमाया कि सबसे ज़्यादा उम्मीद व आस वाली यह आयत है:

إِنَّ رَبَّكَ لَذُوْ مَغْفِرَةٍ لِّلنَّاسِ عَلٰى ظُلْمِهِمْ.

(यानी सूरः रअ़द की आयत 6)

وَاتَّبِعُوْٓا اَحْسَنَ مَآ اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ.

अह्स-न मा उन्ज़ि-ल से मुराद क़ुरआन है और पूरा क़ुरआन अह्सन है। और क़ुरआन को **अह्स-न मा उन्ज़ि-ल** इस एतिबार से भी कहा जा सकता है कि जितनी किताबें तौरात, इन्जील, ज़बूर अल्लाह तआ़ला की तरफ़ से नाज़िल हुईं उन सब में अह्सन (बेहतर) व अक्मल (ज़्यादा कामिल) क़ुरआन है। (तफ़सीरे क़ुर्तुबी)

اَنْ تَقُوْلَ نَفْسٌ يّٰحَسْرَتٰى عَلٰى مَا فَرَّطْتُّ فِيْ جَنْۢبِ اللّٰهِ وَاِنْ كُنْتُ لَمِنَ السّٰخِرِيْنَ o اَوْ تَقُوْلَ لَوْ اَنَّ اللّٰهَ هَدٰىنِيْ لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِيْنَ o اَوْ تَقُوْلَ حِيْنَ تَرَى الْعَذَابَ لَوْ اَنَّ لِيْ كَرَّةً فَاَكُوْنَ مِنَ الْمُحْسِنِيْنَ o

इन तीन आयतों में उसी मज़मून की वज़ाहत व ताकीद है जो इससे पहले की तीन आयतों में बयान फ़रमाया है, कि किसी बड़े से बड़े मुजरिम काफ़िर बदकार को भी अल्लाह की रहमत से मायूस न होना चाहिये, अगर वह तौबा कर लेगा तो अल्लाह उसके पिछले सब गुनाह माफ़ फ़रमा देगा।

इन तीन आयतों (56-58) में यह बतलाया कि अल्लाह तआ़ला हर गुनाह यहाँ तक कुफ़्र व शिर्क को भी तौबा से माफ़ फ़रमा देता है, मगर यह याद रखो कि तौबा का वक़्त मरने से पहले पहले है मरने के बाद क़ियामत के दिन कोई तौबा करे या अपने किये पर अफ़सोस करे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा।

जैसा कि बाज़े काफ़िर व बदकार लोग क़ियामत के दिन मुख़्तलिफ़ तमन्नायें करेंगे- कोई तो अफ़सोस व मायूसी का इज़हार करेगा कि अफ़सोस मैंने अल्लाह तआ़ला की फ़रमाँबरदारी में कोताही क्यों की थी। कोई वहाँ भी अपना इल्ज़ाम तक़दीर पर डालकर बचना चाहेगा, वह कहेगा कि अगर अल्लाह तआ़ला मुझे हिदायत कर देता तो मैं भी मुत्तक़ियों में दाख़िल होता, मगर ख़ुदा ही ने हिदायत न की तो मैं क्या करूँ। कोई यह तमन्ना करेगा कि काश! मुझे दोबारा दुनिया में भेज दिया जाये तो मैं सच्चा पक्का मुसलमान बनूँ और अल्लाह के अहकाम की पूरी पैरवी करूँ। मगर उस वक़्त की ये

हसरतें और तमन्नायें किसी के काम न आयेंगी।

हो सकता है कि ये तीन क़िस्म की तमन्नायें मुख़्तलिफ़ लोगों की हों और यह भी मुम्किन है कि ये तीनों तमन्नायें एक के बाद एक, एक ही जमाअ़त के काफ़िरों की तरफ़ से हों, क्योंकि आख़िरी क़ौल जिसमें दोबारा दुनिया में आने की तमन्ना है उसके साथ आयत में मज़कूर है कि वह अ़ज़ाब को देखने के बाद होगा। इससे बज़ाहिर यह मालूम होता है कि पहले दोनों क़ौल अ़ज़ाब देखने से पहले के हैं कि क़ियामत के दिन शुरू ही में अपने अ़मल की कोताही को याद करके कहेंगेः

يٰحَسْرَتٰى عَلٰى مَا فَرَّطْتُّ فِىْ جَنْۢبِ اللّٰهِ.

फिर उज़्र और बहाने के तौर पर कहेंगे कि हम तो माज़ूर थे। अगर अल्लाह तआ़ला हिदायत कर देता तो हम भी फ़रमाँबरदार और मुत्तक़ी बन जाते, मगर जब उसने हिदायत ही न की तो हमारा क्या क़सूर है। फिर जब अ़ज़ाब को देखेंगे तो यह तमन्ना होगी कि काश! दुनिया में दोबारा भेज दिये जायें। हक़ तआ़ला ने इन तीनों आयतों में बतला दिया कि अल्लाह की मग़फ़िरत और रहमत बहुत बड़ी और विस्तृत है मगर वह तभी हासिल हो सकती है कि मरने से पहले तौबा कर लो। इसलिये हम अभी बतलाये देते हैं, ऐसा न हो कि तुम मरने के बाद पछताओ और आख़िरत में इस तरह की फ़ुज़ूल हसरत व तमन्ना में मुब्तला हो।

بَلٰى قَدْ جَآءَتْكَ اٰيٰتِىْ فَكَذَّبْتَ بِهَا

इस आयत में काफ़िरों की इस बात का जवाब है कि अगर अल्लाह हिदायत कर देता तो हम मुत्तक़ी हो जाते। इस आयत का हासिल यह है कि अल्लाह ने पूरी हिदायत कर दी थी, अपनी किताबें और आयतें भेजी थीं, इसलिये उनका यह कहना ग़लत और बेकार है कि अल्लाह ने हमें हिदायत नहीं की। हाँ! हिदायत करने के बाद नेकी और इताअ़त पर अल्लाह ने किसी को मजबूर नहीं किया बल्कि बन्दे को यह इख़्तियार दे दिया कि वह जिस रास्ते हक़ या बातिल को इख़्तियार करना चाहे करे, यही बन्दे का इम्तिहान था, इस पर उसकी कामयाबी या नाकामी मौक़ूफ़ थी, जिसने अपने इख़्तियार से गुमराही का रास्ता इख़्तियार कर लिया वह ख़ुद उसका ज़िम्मेदार है।

اَللّٰهُ خَالِقُ كُلِّ شَیْءٍ وَّهُوَ عَلٰى كُلِّ شَیْءٍ وَّكِیْلٌ ۝ لَهٗ مَقَالِیْدُ
السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ وَالَّذِیْنَ كَفَرُوْا بِاٰیٰتِ اللّٰهِ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ۝ قُلْ اَفَغَیْرَ اللّٰهِ تَاْمُرُوْٓنِّیْٓ اَعْبُدُ اَیُّهَا
الْجٰهِلُوْنَ ۝ وَلَقَدْ اُوْحِیَ اِلَیْكَ وَاِلَى الَّذِیْنَ مِنْ قَبْلِكَ ۚ لَئِنْ اَشْرَكْتَ لَیَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِیْنَ ۝
بَلِ اللّٰهَ فَاعْبُدْ وَكُنْ مِّنَ الشّٰكِرِیْنَ ۝ وَمَا قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهٖ ۖۗ وَالْاَرْضُ جَمِیْعًا قَبْضَتُهٗ یَوْمَ الْقِیٰمَةِ وَ
السَّمٰوٰتُ مَطْوِیّٰتٌۢ بِیَمِیْنِهٖ ؕ سُبْحٰنَهٗ وَتَعٰلٰى عَمَّا یُشْرِكُوْنَ ۝

अल्लाहु ख़ालिक़ु कुल्लि शैइंव्-व हु-व अ़ला कुल्लि शैइंव्-वकील (62)	अल्लाह बनाने वाला है हर चीज़ का और वह हर चीज़ का ज़िम्मा लेता है। (62)

लहू मक़ालीदुस्-समावाति वल्अर्ज़ि, वल्लज़ी-न क-फ़रू बिआयातिल्लाहि उलाइ-क हुमुल्-ख़ासिरून (63) ❁ क़ुल् अ-फ़ग़ैरल्लाहि तअ्मुरून्नी अअ्बुदु अय्युहल्-जाहिलून (64) व ल-क़द् ऊहि-य इलै-क व इलल्लज़ी-न मिन् क़ब्लि-क ल-इन् अश्रक्-त ल-यह्-बतन्-न अ्-मलु-क व ल-तकूनन्-न मिनल्-ख़ासिरीन (65) बलिल्ला-ह फ़अ्बुद् व कुम् मिनश्-शाकिरीन (66) व मा क़-दरुल्ला-ह हक़्-क़ क़द्रिही वल्अर्ज़ु जमीअ़न् क़ब्ज़तुहू यौमल्-क़ियामति वस्समावातु मत्विय्यातुम् बि-यमीनिही, सुब्हानहू व तआ़ला अ़म्मा युश्रिकून (67)	उसके पास हैं कुन्जियाँ आसमानों की और ज़मीन की, और जो मुन्किर हुए हैं अल्लाह की बातों से वे लोग जो हैं वही हैं घाटे में पड़े। (63) ❁ तू कह- अब अल्लाह के सिवाय किसको बतलाते हो कि पूजूँ ऐ नादानो। (64) और हुक्म हो चुका है तुझको और तुझसे पहलों को कि अगर तूने शरीक मान लिया तो बेकार जायेंगे तेरे अ़मल और तू होगा घाटे में पड़ा। (65) नहीं! बल्कि अल्लाह ही को पूज और रह हक़ मानने वालों में। (66) और नहीं समझे अल्लाह को जितना कुछ वह है, और ज़मीन सारी एक मुट्ठी है उसकी क़ियामत के दिन और आसमान लिपटे हुए हों उसके दाहिने हाथ में, वह पाक है और बहुत ऊपर है उससे कि शरीक बतलाते हैं। (67)

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

अल्लाह ही पैदा करने वाला है हर चीज़ का, और वही हर चीज़ का निगहबान है। उसी के इख़्तियार में कुन्जियाँ हैं आसमान व ज़मीन की (यानी इन सब चीज़ों का पहली बार बनाने और पैदा करने वाला भी वही है और इनको बाक़ी रखने वाला हिफ़ाज़त करने वाला भी वही है, जो मफ़्हूम है लफ़्ज़ वकील का। और इन सब मख़्लूक़ात में क़ब्ज़ा व इख़्तियार और उलट-फेर करना भी उसी का काम है, यह मफ़्हूम है 'लहू मक़ालीदुस्समावाति वल्अर्ज़ि' का। क्योंकि जिसके हाथ में ख़ज़ानों की कुन्जियाँ होती हैं वही आ़दतन उनमें इख़्तियारात चलाने का मालिक होता है। और जब सारी कायनात का ख़ालिक़ भी बिना किसी की शिर्कत के वही है, मुहाफ़िज़ भी वही है, अ़मल-दख़ल और इख़्तियारात चलाने का मालिक भी वही है तो इबादत भी सिर्फ़ उसी की होनी चाहिए और सज़ा व जज़ा का मालिक भी वही होना चाहिये, जो ख़ुलासा है **तौहीद** का। और चूँकि इन सब बुनियादी बातों को ये मुश्रिक लोग भी तस्लीम करते थे तो इन पर लाज़िम था कि तौहीद के अ़क़ीदे को भी तस्लीम करें, इसलिये फ़रमाया) जो लोग (इस पर भी) अल्लाह की आयतों को (जो तौहीद और जज़ा व सज़ा

के मज़मून पर आधारित हैं) नहीं मानते वे बड़े घाटे में रहेंगे।

(और ये लोग ख़ुद तो कुफ़्र व शिर्क में मुलव्वस थे ही अब इनका हौसला यहाँ तक बढ़ा कि आपको भी अपने तरीक़े पर लाने के लिये फ़रमाईश करते हैं, सो) आप कह दीजिये कि ऐ जाहिलो! (बयान हुई दलीलों से तौहीद का मुकम्मल सुबूत और कुफ़्र व शिर्क का बातिल होना स्पष्ट हो जाने के बाद) फिर भी तुम मुझको ग़ैरुल्लाह की इबादत करने के लिये कहते हो? (और आप से कुफ़्र व शिर्क का सादिर होना कैसे मुम्किन है जबकि) आपकी तरफ़ भी और जो पैग़म्बर आप से पहले हो गुज़रे हैं उनकी तरफ़ भी यह वही भेजी जा चुकी है कि (हर उम्मती को पहुँचा दें कि) अगर तू शिर्क करेगा तो तेरा किया-कराया काम सब ग़ारत हो जायेगा और तू घाटे में पड़ेगा (इसलिये तू कभी शिर्क के पास न जाना) बल्कि अल्लाह ही की इबादत करना और (उसी का) शुक्रगुज़ार रहना।

(और जब अम्बिया अलैहिमुस्सलाम को जिनमें आप भी दाख़िल हैं तौहीद का हक़ होना और कुफ़्र व शिर्क का बातिल होना वही के ज़रिये साबित हो चुका और वे इस पर मामूर किये गये कि दूसरों को भी इस अक़ीदे की हिदायत करें तो इन मुश्रिक लोगों का आप से कुफ़्र व शिर्क की उम्मीद व अपेक्षा रखना सिवाय हिमाक़त के और क्या हो सकता है) और (अफ़सोस है कि) इन लोगों ने ख़ुदा तआ़ला की कुछ बड़ाई व क़द्र न पहचानी जैसा कि पहचानना चाहिए था, हालाँकि सारी ज़मीन उसी की मुट्ठी में होगी क़ियामत के दिन, और तमाम आसमान लिपटे होंगे उसके दाहिने हाथ में, वह पाक और बरतर है उनके शिर्क से।

मआ़रिफ़ व मसाईल

لَهٗ مَقَالِيْدُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ

मक़ालीद जमा (बहुवचन) है मिक़्लाद या मक़्लीद की जो ताले की कुंजी (चाबी) के लिये बोला जाता है। और कुछ हज़रात ने कहा कि दर असल यह लफ़्ज़ फ़ारसी भाषा से अ़रबी में लाया गया है। फ़ारसी में कुंजी (चाबी) को कलीद कहते हैं इसको अ़रबी का रूप देकर अक़्लीद बनाया गया, फिर इसकी जमा मक़ालीद लाई गई। (रूहुल-मआ़नी)

कुन्जियों (चाबियों) का किसी के हाथ होना उसके मालिक व इख़्तियार वाला होने की अ़लामत है, इसलिये आयत की मुराद यह है कि आसमानों और ज़मीनों में जो नेमतों के ख़ज़ाने छुपे हैं उन सब की कुन्जियाँ अल्लाह तआ़ला के हाथ में हैं, वही उनका मुहाफ़िज़ है और वही मालिक व मुख़्तार है कि जब चाहे जिसको चाहे जिस क़द्र चाहे दे और जिसको चाहे न दे।

और हदीस की कुछ रिवायतों में तीसरे कलिमे यानीः

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَآ اِلٰـهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ. وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِo

सुब्हानल्लाहि वल्हम्दु लिल्लाहि व ला इला-ह इल्लल्लाहु वल्लाहु अक्बरु व ला हौ-ल व ला क़ुव्व-त इल्ला बिल्लाहिल् अ़लिय्यिल् अ़ज़ीम।

को 'ज़मीन व आसमान की चाबियाँ' फ़रमाया है। इसका हासिल यह है कि जो शख़्स सुबह व शाम यह कलिमा पढ़ता है उसको अल्लाह तआ़ला आसमान व ज़मीन के ख़ज़ानों की नेमतें अ़ता

फ़रमाते हैं। इन रिवायतों को अ़ल्लामा इब्ने जौज़ी ने मौज़ू (बेअसल) कह दिया है मगर दूसरे मुहद्दिसीन ने कमज़ोर हदीसें क़रार दिया है जिनका आमाल के फ़ज़ाईल में एतिबार किया जा सकता है। (तफ़सीर रूहुल-मआ़नी)

وَالْاَرْضُ جَمِيْعًا قَبْضَتُهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَالسَّمٰوٰتُ مَطْوِيّٰتٌۢ بِيَمِيْنِهٖ

क़ियामत के दिन ज़मीन का अल्लाह तआ़ला की मुट्ठी में होना और आसमानों का लपेटकर उसके दाहिने हाथ में होना पहले बुज़ुर्गों के नज़दीक अपने असली मायनों में हैं, मगर यह मज़मून 'आयत-ए-मुतशाबिहात' में से है जिसकी हक़ीक़त सिवाय ख़ुदा तआ़ला के किसी को मालूम नहीं। आ़म लोगों को इसकी हक़ीक़त मालूम करने की कोशिश भी मना और वर्जित है, बस इस पर ईमान लाना है कि जो कुछ इससे अल्लाह तआ़ला की मुराद है वह हक़ और सही है। और चूँकि इस आयत के ज़ाहिरी अलफ़ाज़ से अल्लाह तआ़ला के लिये मुट्ठी और दाहिने हाथ का होना मालूम होता है जो जिस्मानी अंग हैं और अल्लाह तआ़ला जिस्म और जिस्मानियत से पाक है इसकी तरफ़ आयत के समापन में इशारा कर दिया कि इन अलफ़ाज़ को अपने बदनी अंगों पर क़ियास मत करो, अल्लाह तआ़ला इनसे पाक है। चुनाँचे फ़रमाया 'सुब्हानहू व तआ़ला अ़म्मा युश्रिकून'।

और बाद के उलेमा ने इस आयत को एक मिसाल और इशारे का अन्दाज़ क़रार देकर ये मायने बयान किये कि किसी चीज़ का मुट्ठी में होना और दाहिने हाथ में होना इशारा होता है उस पर पूरी तरह क़ब्ज़ा व क़ुदरत से, यही मुकम्मल क़ब्ज़ा व क़ुदरत मुराद है। वल्लाहु सुब्हानहू व तआ़ला आलम

وَنُفِخَ فِي الصُّوْرِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِي

الْاَرْضِ اِلَّا مَنْ شَآءَ اللّٰهُ ۭ ثُمَّ نُفِخَ فِيْهِ اُخْرٰى فَاِذَا هُمْ قِيَامٌ يَّنْظُرُوْنَ ۝ وَاَشْرَقَتِ الْاَرْضُ بِنُوْرِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتٰبُ وَجِايْٓءَ بِالنَّبِيّٖنَ وَالشُّهَدَآءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ۝ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُوَ اَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُوْنَ ۝ وَسِيْقَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِلٰى جَهَنَّمَ زُمَرًا ۭ حَتّٰٓى اِذَا جَاۗءُوْهَا فُتِحَتْ اَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَآ اَلَمْ يَاْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَتْلُوْنَ عَلَيْكُمْ اٰيٰتِ رَبِّكُمْ وَيُنْذِرُوْنَكُمْ لِقَاۗءَ يَوْمِكُمْ هٰذَا ۭ قَالُوْا بَلٰى وَلٰكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ ۝ قِيْلَ ادْخُلُوْٓا اَبْوَابَ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۚ فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِيْنَ ۝ وَسِيْقَ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ اِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا ۭ حَتّٰٓى اِذَا جَاۗءُوْهَا وَفُتِحَتْ اَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوْهَا خٰلِدِيْنَ ۝ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ صَدَقَنَا وَعْدَهٗ وَاَوْرَثَنَا الْاَرْضَ نَتَبَوَّاُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاۗءُ ۚ فَنِعْمَ اَجْرُ الْعٰمِلِيْنَ ۝ وَتَرَى الْمَلٰۗىِٕكَةَ حَاۗفِّيْنَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُوْنَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ ۚ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيْلَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝

व नुफ़ि-ख़ फ़िस्सूरि फ़-सअ़ि-क़ मन्	और फूँका जाये सूर में फिर बेहोश हो

फ़िस्समावाति व मन् फ़िल्अर्ज़ि इल्ला मन् शा-अल्लाहु, सुम्-म नुफ़ि-ख़ फ़ीहि उख़्रा फ़-इज़ा हुम् क़ियामुंय्-यन्ज़ुरून (68) व अश्र-क़तिल्-अर्ज़ु बिनूरि रब्बिहा व वुज़िअ़ल्-किताबु व जी-अ बिन्नबिय्यी-न वश्शु-हदा-इ व क़ुज़ि-य बैनहुम् बिल्हक़्क़ि व हुम् ला युज़्लमून (69) व वुफ़्फ़ियत् कुल्लु नफ़्सिम्-मा अ़मिलत् व हु-व अअ़्लमु बिमा यफ़्अ़लून (70) ❁

व सीक़ल्लज़ी-न क-फ़रू इला जहन्न-म ज़ु-मरन्, हत्ता इज़ा जाऊहा फ़ुतिहत् अब्वाबुहा व क़ा-ल लहुम् ख़-ज़-नतुहा अलम् यअ्तिकुम् रुसुलुम्-मिन्कुम् यत्लू-न अ़लैकुम् आयाति रब्बिकुम् व युन्ज़िरू-नकुम् लिक़ा-अ यौमिकुम् हाज़ा, क़ालू बला व लाकिन् हक़्क़त् कलि-मतुल्-अ़ज़ाबि अ़लल्-काफ़िरीन (71) क़ीलद्ख़ुलू अब्वा-ब जहन्न-म ख़ालिदी-न फ़ीहा फ़बिअ्-स मस्वल्-मु-तकब्बिरीन (72) व सीक़ल्लज़ीनत्तक़ौ रब्बहुम् इलल्-जन्नति ज़ु-मरन्, हत्ता इज़ा जाऊहा व फ़ुतिहत् अब्वाबुहा व क़ा-ल लहुम् ख़-ज़-नतुहा सलामुन् अ़लैकुम्

जाये जो कोई है आसमानों में और ज़मीन में मगर जिसको अल्लाह चाहे, फिर फूँकी जाये दूसरी बार तो फ़ौरन वे खड़े हो जायें हर तरफ़ देखते। (68) और चमके ज़मीन अपने रब के नूर से और ला धरें दफ़्तर और हाज़िर आयें पैग़म्बर और गवाह और फ़ैसला हो उनमें इन्साफ़ से, और उन पर ज़ुल्म न होगा। (69) और पूरा मिले हर जी को जो उसने किया और उसको ख़ूब ख़बर है जो कुछ करते हैं। (70) ❁

और हाँके जायें जो इनकारी थे दोज़ख़ की तरफ़ गिरोह गिरोह यहाँ तक कि जब पहुँच जायें उस पर खोले जायें उसके दरवाज़े और कहने लगें उनको उसके दरोग़ा- क्या न पहुँचे थे तुम्हारे पास रसूल तुम में के? पढ़ते थे तुम पर बातें तुम्हारे रब की और डराते थे तुमको इस तुम्हारे दिन की मुलाक़ात से, बोलें- क्यों नहीं! पर साबित हुआ हुक्म अ़ज़ाब का इनकार करने वालों पर। (71) हुक्म होवे कि दाख़िल हो जाओ दरवाज़ों में दोज़ख़ के हमेशा रहने को उसमें, सो क्या बुरी जगह है रहने की ग़ुरूर वालों को। (72) और हाँके जायें वे लोग जो डरते रहे थे अपने रब से जन्नत की तरफ़ गिरोह गिरोह यहाँ तक कि जब पहुँच जायें उस पर और खोले जायें उसके दरवाज़े और कहने लगें उनको दरोग़ा उसके- सलाम पहुँचे

तिब्तुम् फ़द्ख़ुलूहा ख़ालिदीन (73) व क़ालुल्-हम्दु लिल्लाहिल्लज़ी स-द-क़ना वअ्दहू व और-सनल्-अर्-ज़ न-तबव्व-उ मिनल्-जन्नति हैसु नशा-उ फ़निअ्-म अज्रुल्-आमिलीन (74) व तरल्-मलाइ-क-त हाफ़्फ़ी-न मिन् हौलिल्-अ़र्शि युसब्बिहू-न बि-हम्दि रब्बिहिम् व क़ुज़ि-य बैनहुम् बिल्हक़्क़ि व क़ीलल्-हम्दु लिल्लाहि रब्बिल्-आलमीन (75) ❁ ❖	तुम पर तुम लोग पाकीज़ा हो, सो दाख़िल हो जाओ इसमें हमेशा रहने को। (73) और वे बोलें शुक्र है अल्लाह का जिसने सच्चा किया हमसे अपना वादा और वारिस किया हमको इस ज़मीन का, घर ले लें जन्नत में से जहाँ चाहें, सो क्या ख़ूब बदला है मेहनत करने वालों का। (74) और तू देखे फ़रिश्तों को घिर रहे हैं अ़र्श के गिर्द, पाकी बोलते हैं अपने रब की ख़ूबियाँ, और फ़ैसला होता है उनमें इन्साफ़ का और यही बात कहते हैं कि सब ख़ूबी है अल्लाह को जो रब है सारे जहान का। (75) ❁ ❖

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

और (क़ियामत के दिन जिसका ऊपर ज़िक्र आया है) सूर में फूँक मारी जायेगी जिससे तमाम आसमान और ज़मीन वालों के होश उड़ जाएँगे (फिर ज़िन्दा तो मर जायेंगे और मुर्दों की रूहें बेहोश हो जायेंगी) मगर जिसको ख़ुदा चाहे (वह उस बेहोशी और मौत से महफ़ूज़ रहेगा)। फिर उस (सूर) में दोबारा फूँक मारी जायेगी तो एक दम से सब-के-सब (होश में आकर रूहों का ताल्लुक़ बदनों से होकर क़ब्रों से निकल) खड़े हो जाएँगे। (और) चारों तरफ़ देखने लगेंगे (जैसा कि अ़जीब घटना के पेश आने के वक़्त तबई आ़दत होती है) और (फिर हक़ तआ़ला हिसाब के लिये ज़मीन पर अपनी शान के मुनासिब नुज़ूल और तजल्ली फ़रमायेंगे और) ज़मीन अपने रब के (बिना कैफ़ियत के) नूर से रोशन हो जायेगी और (सब का) नामा-ए-आमाल (हर एक के सामने) रख दिया जायेगा। और पैग़म्बर और गवाह हाज़िर किये जाएँगे (गवाह का मतलब आ़म है जिसमें पैग़म्बर भी दाख़िल हैं और फ़रिश्ते भी और उम्मते मुहम्मदिया भी और बदन के अंग व हाथ-पैर वग़ैरह भी, जिसकी तफ़सील आगे मआ़रिफ़ व मसाईल के तहत में आती है) और सब (शरीअ़त के पाबन्द अफ़राद) में (आमाल के मुताबिक़) ठीक-ठीक फ़ैसला किया जायेगा और उन पर ज़रा भी ज़ुल्म न होगा (कि कोई नेक अ़मल जो उसकी शर्तों के साथ किया गया हो छुपा लिया जाये या कोई बुरा अ़मल बढ़ा दिया जाये) और हर शख़्स को उसके आमाल का पूरा-पूरा बदला दिया जायेगा (नेक आमाल में बदले के पूरा होने से मक़सूद कमी की नफ़ी है और बुरे आमाल में पूरा होने से मक़सूद ज़्यादती की नफ़ी है) और वह सब के कामों को ख़ूब जानता है (पस उसको हर एक के मुवाफ़िक़ जज़ा दे देना कुछ मुश्किल नहीं)।

और (उस बदले का बयान जो फ़ैसले का नतीजा है यह है कि) जो काफ़िर हैं वे जहन्नम की तरफ़ गिरोह-गिरोह बनाकर (धक्के देकर ज़िल्लत व रुस्वाई के साथ) हाँके जाएँगे। (गिरोह-गिरोह इसलिये कि कुफ़्र की क़िस्में और दर्जे अलग-अलग हैं पस एक-एक तरह के काफ़िर का एक-एक गिरोह होगा) यहाँ तक कि जब दोज़ख़ के पास पहुँचेंगे तो (उस वक़्त) उसके दरवाज़े खोल दिये जाएँगे और उनसे दोज़ख़ के मुहाफ़िज़ (फ़रिश्ते मलामत करने के तौर पर) कहेंगे कि क्या तुम्हारे पास तुम ही लोगों से (जिनसे फ़ायदा उठाना और बात का समझना तुम्हारे लिये मुश्किल न था) पैग़म्बर नहीं आये थे? जो तुमको तुम्हारे रब की आयतें पढ़कर सुनाया करते थे और तुमको तुम्हारे इस दिन के पेश आने से डराया करते थे। काफ़िर कहेंगे कि हाँ! (रसूल भी आये थे और उन्होंने डराया भी) लेकिन अ़ज़ाब का वायदा काफ़िरों पर (जिनमें हम भी दाख़िल हैं) पूरा होकर रहा। (यह उज़्र बयान करना नहीं बल्कि अपनी ग़लती स्वीकार करना है कि बावजूद दावत पहुँचने के हमने कुफ़्र किया और काफ़िरों के लिये जिस अ़ज़ाब का वायदा किया गया था वह हमारे सामने आया, वाक़ई हम मुजरिम हैं। फिर उनसे) कहा जायेगा (यानी वे फ़रिश्ते कहेंगे) कि जहन्नम के दरवाज़ों में दाख़िल हो (और) हमेशा उसमें रहा करो। ग़र्ज़ कि (ख़ुदा के अहकाम से) तकब्बुर करने वालों का बुरा ठिकाना है (फिर उसके बाद वे जहन्नम में दाख़िल किए जायेंगे और दरवाज़े बन्द कर दिये जयेंगे। जैसा कि सूरः हु-मज़ह् में अल्लाह तआ़ला का इरशाद है कि 'बेशक वह उन पर बन्द कर दी जायेगी' यह तो काफ़िरों का हाल हुआ) और जो लोग अपने रब से डरते थे (जिसका सबसे पहला और शुरूआती दर्जा ईमान है फिर आगे उसके विभिन्न दर्जे हैं) वे गिरोह-गिरोह होकर (कि जिस दर्जे का तक़वा होगा उस दर्जे के मुत्तक़ी एक जगह कर दिये जायेंगे और) जन्नत की तरफ़ (शौक़ दिलाकर जल्दी) रवाना किये जाएँगे यहाँ तक कि जब उस (जन्नत) के पास पहुँचेंगे और उसके दरवाज़े (पहले से) खुले हुए होंगे (ताकि ज़रा भी देर न लगे और सम्मानित लोगों के साथ होता भी ऐसा ही है, जैसे मेहमान के लिये आ़दत है कि पहले से दरवाज़ा खोल दिया जाता है। जैसा कि अल्लाह तआ़ला ने एक दूसरी जगह पर फ़रमाया है 'मुफ़त्त-हतल् लहुमुल्-अब्वाबु' कि उनके लिये दरवाज़े खुले होंगे) और वहाँ के मुहाफ़िज़ (फ़रिश्ते) उनसे (उनकी तारीफ़ व सम्मान के तौर पर) कहेंगे कि अस्सलामु अ़लैकुम! तुम मज़े में रहो, सो इस (जन्नत) में हमेशा रहने के लिये दाख़िल हो जाओ (उस वक़्त उसमें दाख़िल हो जायेंगे) और (दाख़िल होकर) कहेंगे कि अल्लाह तआ़ला का (लाख-लाख) शुक्र है जिसने हमसे अपना वायदा सच्चा किया और हमको इस सरज़मीन का मालिक बना दिया कि हम जन्नत में जहाँ चाहें ठहरें (यानी हर शख़्स को ख़ूब फ़राग़त की जगह मिली है, ख़ूब खुल-खेलकर चलें फिरें, बैठें उठें, ठहरने के तौर पर तो अपनी ही जगह में और सैर के तौर पर दूसरे जन्नती के दर्जे में भी) ग़र्ज़ कि (नेक) अ़मल करने का अच्छा बदला है (यह जुमला ख़ुद जन्नत वालों का हो या अल्लाह तआ़ला की तरफ़ से हो दोनों बातों की संभावना है)।

और (आगे इजलास से आख़िरी फ़ैसले तक के इसी मज़मून को मुख़्तसर और रौबदार अल्फ़ाज़ में ख़ुलासे के तौर पर बयान फ़रमाते हैं कि) आप फ़रिश्तों को देखेंगे कि (हिसाब के लिये उतरने वाले इजलास के वक़्त) अ़र्श के इर्द-गिर्द घेरा बनाये होंगे (और) अपने रब की पाकी और तारीफ़ बयान करते होंगे, और तमाम बन्दों में ठीक-ठीक फ़ैसला कर दिया जायेगा और (उस फ़ैसले के ठीक होने

पर हर तरफ़ से जोश के साथ यही शोर व आवाज़ होगी और) कहा जायेगा कि सारी ख़ूबियाँ ख़ुदा को लायक़ हैं जो तमाम आलम का परवर्दिगार है (जिसने ऐसा उम्दा फ़ैसला किया। फिर तारीफ़ के नारे पर दरबार बरख़ास्त हो जायेगा)।

मआरिफ़ व मसाईल

فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِي الْاَرْضِ اِلَّا مَنْ شَآءَ اللّٰهُ

सअि-क़ के लफ़्ज़ी मायने बेहोश होने के हैं और मुराद यह है कि पहले बेहोश हो जायेंगे फिर सब मर जायेंगे, और जो पहले मर चुके हैं उनकी रूहें बेहोश हो जायेंगी (जैसा कि सूरः नम्ल की तफ़सीर में 'बयानुल-क़ुरआन' में और तफ़सीर इब्ने कसीर में बयान किया गया है)।

اِلَّا مَنْ شَآءَ اللّٰهُ

(मगर जिसको अल्लाह चाहे वह इस बेहोशी और मौत से महफ़ूज़ रहेगा) इसमें दुर्रे मन्सूर की रिवायतों के मुताबिक़ चार फ़रिश्ते जिब्रील, मीकाईल, इस्राफ़ील और मलकुल-मौत हैं, और कुछ रिवायतों में अ़र्श को उठाने वाले फ़रिश्ते भी इसमें दाख़िल हैं। इनको इस हालत से अलग रखने का मतलब यह है कि सूर फूँके जाने के असर से इनको मौत नहीं आयेगी मगर उसके बाद इनको भी मौत आ जायेगी और सिवाय हक़ सुब्हानहू व तआ़ला की एक ज़ात के कोई उस वक़्त ज़िन्दा नहीं रहेगा। इमाम इब्ने कसीर ने भी इसी को इख़्तियार किया है और फ़रमाया है कि उन सब में भी सब से आख़िर में मलकुल-मौत (मौत के फ़रिश्ते) को मौत आयेगी। सूरः नम्ल में भी एक आयत इसी के जैसी गुज़री है उसमें 'सअि-क़' के बजाय 'फ़ज़ि-अ़' का लफ़्ज़ आया है, वहाँ भी इसकी कुछ तफ़सील गुज़री है।

وَجِآیْٓءَ بِالنَّبِيّٖنَ وَالشُّهَدَآءِ

मुराद यह है कि मैदाने हशर में हिसाब व किताब के वक़्त सब अम्बिया भी मौजूद होंगे और दूसरे सब गवाह भी हाज़िर होंगे। उन गवाहों में ख़ुद अम्बिया अ़लैहिमुस्सलाम भी होंगे जैसा कि क़ुरआने करीम ने फ़रमाया है 'जिअ्ना मिन् कुल्लि उम्मतिन् बि-शहीदिन्' और फ़रिश्ते भी गवाहों में होंगे जैसा कि क़ुरआने करीम में है 'म-अ़हा सा-इक़ुंव्-व शहीद' कि इसमें साईक़ और शहीद से मुराद फ़रिश्ते होना (तफ़सीर दुर्रे मन्सूर) सूरः क़ॉफ़ में मज़कूर है, और उन गवाहों में उम्मते मुहम्मदिया भी होगी जैसा कि क़ुरआने करीम में है 'लि-तकूनू शु-हदा-अ अ़लन्नासि' और उन गवाहों में ख़ुद इनसान के बदनी अंग और हाथ-पैर वग़ैरह भी होंगे जैसा कि क़ुरआने करीम सूरः यासीन में है 'तुकल्लिमुना ऐदीहिम् व तश्हदु अर्जुलुहुम'।

نَتَبَوَّاُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَآءُ

मतलब यह है कि जन्नत वालों के लिये अपने-अपने मकानात महल और बाग़ तो होंगे ही उनको यह इख़्तियार भी दिया जायेगा कि दूसरे जन्नत वालों के पास मुलाक़ात व तफ़रीह के लिये जाया

करें। तबरानी, अबू नुऐम और ज़िया ने हसन सनद के साथ हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा की यह रिवायत नकल की है कि एक साहिब ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की ख़िदमत में हाज़िर होकर अ़र्ज़ किया या रसूलल्लाह! मुझे आप से इतनी मुहब्बत है कि अपने घर भी जाता हूँ तो आपको याद करता रहता हूँ और जब तक फिर हाज़िरे ख़िदमत न हो जाऊँ मुझे सब्र नहीं आता, मगर जब मैं अपनी मौत को याद करता हूँ और आपकी वफ़ात को याद करता हूँ तो यह समझता हूँ कि आप तो जन्नत में अम्बिया अ़लैहिमुस्सलाम के ऊँचे दर्जों में होंगे और मैं अगर जन्नत में पहुँच भी गया तो किसी नीचे के दर्जे में हूँगा, मुझे यह फ़िक्र है कि मैं आपको कैसे देखूँगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने उनकी बात सुनकर कुछ जवाब नहीं दिया यहाँ तक कि जिब्रीले अमीन यह आयत लेकर नाज़िल हुएः

وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ فَاُولٰٓئِكَ مَعَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيّٖنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَآءِ وَالصّٰلِحِيْنَ وَحَسُنَ اُولٰٓئِكَ رَفِيْقًا ۝

(यानी सूरः निसा की आयत 69) इस आयत में बतला दिया कि अल्लाह व रसूल की इताअ़त करने वाले मुसलमान अम्बिया व सिद्दीक़ीन वग़ैरह के साथ ही होंगे और ऊपर बयान हुई आयत में इसकी वज़ाहत यह हो गई कि उनको बुलन्द दर्जों में भी जाने की इजाज़त होगी। या अल्लाह तू महज़ अपने फ़ज़्ल व करम से हमें भी उनका साथ और उनमें शामिल होना नसीब फ़रमा।

अल्हम्दु लिल्लाह सूरः ज़ुमर की तफ़सीर मुकम्मल हुई।

सूरः मोमिन

सूरः मोमिन मक्का में नाज़िल हुई। इसमें 85 आयतें और 9 रुकूअ़ हैं।

اٰيَاتُهَا ٨٥ (٤٠) سُوْرَةُ الْمُؤْمِنِ مَكِّيَّةٌ (٦٠) رُكُوْعَاتُهَا ٩

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝

حٰمٓ ۝ تَنْزِيْلُ الْكِتٰبِ مِنَ اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ ۙ ۝ غَافِرِ الذَّنْۢبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيْدِ الْعِقَابِ ۙ ذِي الطَّوْلِ ۭ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۭ اِلَيْهِ الْمَصِيْرُ ۝ مَا يُجَادِلُ فِيْٓ اٰيٰتِ اللّٰهِ اِلَّا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَلَا يَغْرُرْكَ تَقَلُّبُهُمْ فِي الْبِلَادِ ۝ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوْحٍ وَّالْاَحْزَابُ مِنْۢ بَعْدِهِمْ ۠ وَهَمَّتْ كُلُّ اُمَّةٍۢ بِرَسُوْلِهِمْ لِيَاْخُذُوْهُ وَجٰدَلُوْا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوْا بِهِ الْحَقَّ فَاَخَذْتُهُمْ ۣ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ ۝ وَكَذٰلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَنَّهُمْ اَصْحٰبُ النَّارِ ۝ اَلَّذِيْنَ يَحْمِلُوْنَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهٗ يُسَبِّحُوْنَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُوْنَ بِهٖ وَيَسْتَغْفِرُوْنَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ۚ رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَّعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِيْنَ تَابُوْا وَاتَّبَعُوْا سَبِيْلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيْمِ ۝ رَبَّنَا وَاَدْخِلْهُمْ جَنّٰتِ عَدْنِ ِۨ الَّتِيْ وَعَدْتَّهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ اٰبَاۗىِٕهِمْ وَاَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيّٰتِهِمْ ۭ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۝ وَقِهِمُ السَّيِّاٰتِ ۭ وَمَنْ تَقِ السَّيِّاٰتِ يَوْمَىِٕذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهٗ ۭ وَذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ۝

ع

बिस्मिल्लाहिर्रह्मानिर्रहीम

शुरू अल्लाह के नाम से जो बेहद मेहरबान निहायत रहम वाला है।

हा-मीम् (1) तन्ज़ीलुल्-किताबि मिनल्लाहिल् अ़ज़ीज़िल्-अ़लीम (2) ग़ाफ़िरिज़्-ज़म्बि व क़ाबिलित्तौबि शदीदिल्-अ़िक़ाबि ज़ित्तौलि, ला इला-ह इल्ला हु-व, इलैहिल्-मसीर (3)	हा मीम। (1) उतारना किताब का अल्लाह से है जो ज़बरदस्त है ख़बर रखने वाला (2) गुनाह बख़्शने वाला और तौबा क़ुबूल करने वाला, सख़्त अ़ज़ाब देने वाला मक़्दूर वाला, किसी की बन्दगी नहीं सिवाय उसके, उसी की तरफ़ फिर जाना है। (3)

मा युजादिलु फ़ी आयातिल्लाहि इल्लल्लज़ी-न क-फ़रू फ़ला यग़्रुरु-क त-क़ल्लुबुहुम् फ़िल्-बिलाद (4) कज़्ज़बत् क़ब्लहुम् क़ौमु नूहिंव्-वल्-अह्ज़ाबु मिम्बअ्दिहिम् व हम्मत् कुल्लु उम्म-तिम् बि-रसूलिहिम् लियअ्ख़ुज़ूहु व जादलू बिल्बातिलि लियुद्हिज़ू बिहिल्-हक़्-क़ फ़-अख़ाज़्तुहुम् फ़कै-फ़ का-न अ़िक़ाब (5) व कज़ालि-क हक़्क़त् कलि-मतु रब्बि-क अलल्लज़ी-न क-फ़रू अन्नहुम् अस्हाबुन्नार। (6) अल्लज़ी-न यह्मिलूनल्-अ़र्-श व मन् हौलहू युसब्बिहू-न बिहम्दि-रब्बिहिम् व युअ्मिनू-न बिही व यस्तग़्फ़िरू-न लिल्लज़ी-न आमनू रब्बना वसिअ्-त कुल्-ल शैइर्रह्म-तंव्-व अ़िल्मन् फ़ग़्फ़िर् लिल्लज़ी-न ताबू वत्त-बअू सबील-क वक़िहिम् अ़ज़ाबल्-जहीम (7) रब्बना व अद्ख़िल्हुम् जन्नाति अद्नि-निल्लती वअ़त्त-हुम् व मन् स-ल-ह मिन् आबाइहिम् व अज़्वाजिहिम् व ज़ुर्रिय्यातिहिम्, इन्न-क अन्तल्-अ़ज़ीज़ुल् हकीम (8)

वही झगड़ते हैं अल्लाह की बातों में जो मुन्किर हैं, सो तुझको धोखा न दे यह बात कि वे चलते फिरते हैं शहरों में। (4) झुठला चुके हैं उनसे पहले क़ौम नूह की और कितने फ़िर्क़े उनके बाद, और इरादा किया हर उम्मत ने अपने रसूल पर कि उसको पकड़ लें और लाने लगे झूठे झगड़े कि उससे डिगा दें सच्चे दीन को, फिर मैंने उनको पकड़ लिया (कहो) फिर कैसा हुआ मेरा सज़ा देना। (5) और इसी तरह ठीक हो चुकी बात तेरे रब की मुन्किरों पर कि ये हैं दोज़ख़ वाले। (6) जो लोग उठा रहे हैं अ़र्श को और जो उसके गिर्द हैं पाकी बोलते हैं अपने रब की ख़ूबियाँ और उस पर यक़ीन रखते हैं और गुनाह बख़्शवाते हैं ईमान वालों के, ऐ हमारे परवर्दिगार! हर चीज़ समाई हुई है तेरी बख़्शिश और ख़बर में सो माफ़ कर उनको जो तौबा करें और चलें तेरी राह पर और बचा उनको आग के अ़ज़ाब से। (7) ऐ हमारे रब! और दाख़िल कर उनको सदा बसने के बाग़ों में जिनका वादा किया तूने उनसे, और जो कोई नेक हो उनके बापों में और औ़रतों में और औलाद में, बेशक तू ही है ज़बरदस्त हिक्मत वाला। (8)

वक़िहिमुस्सय्यिआति, व मन् तक़िस्सय्यिआति यौमइज़िन् फ़-क़द् रहिम्-तहू, व ज़ालि-क हुवल् फ़ौज़ुल्-अ़ज़ीम (9) ❁	और बचा उनको बुराईयों से और जिस को तू बचाये बुराईयों से उस दिन उस पर मेहरबानी की तूने, और यह जो है यही है बड़ी मुराद पानी। (9) ❁

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

हा-मीम् (इसके मायने अल्लाह ही को मालूम हैं)। यह किताब उतारी गई है अल्लाह की तरफ़ से जो ज़बरदस्त है, हर चीज़ का जानने वाला है। गुनाह का बख़्शने वाला है और तौबा का क़ुबूल करने वाला है। सख़्त सज़ा देने वाला है, क़ुदरत वाला है, उसके सिवा कोई इबादत के लायक़ नहीं, उसी के पास (सब को) जाना है। (पस क़ुरआन मजीद और तौहीद की हक़ीक़त का तक़ाज़ा यह है कि इसमें इनकार व बहस न किया जाये मगर फिर भी) अल्लाह तआ़ला की इन आयतों में (यानी क़ुरआन में जो तौहीद पर भी आधारित है) वही लोग (नाहक़ के) झगड़े निकालते हैं जो (इसके) इनकारी हैं (और उस इनकार का तक़ाज़ा यह है कि उनको सज़ा दी जाती, लेकिन फ़ौरन सज़ा न होना चन्द दिन की मोहलत देना है) सो उन लोगों का शहरों में (अमन व अमान से दुनियावी कारोबार के लिये) चलना-फिरना आपको शुब्हे में न डाले (कि उससे यह समझ लिया जाये कि यह इसी तरह सज़ा व अ़ज़ाब से बचे रहेंगे और आराम से रहेंगे। और आपके इस ख़िताब से दूसरों को सुनाना मक़सद है। ग़र्ज़ कि उन पर पकड़ ज़रूरी होगी चाहे दुनिया में भी और आख़िरत में भी या सिर्फ़ आख़िरत में, चुनाँचे) उनसे पहले नूह (अ़लैहिस्सलाम) की क़ौम ने और दूसरे गिरोहों ने भी जो उनके बाद हुए (जैसे आ़द व समूद वग़ैरह ने सच्चे दीन को) झुठलाया था, और हर उम्मत (में से जो लोग ईमान न लाये थे उन्होंने) अपने पैग़म्बर को गिरफ़्तार करने का इरादा किया (कि पकड़कर क़त्ल कर दें) और नाहक़ के झगड़े निकाले, ताकि उस नाहक़ से हक़ को बातिल कर दें, सो मैंने (आख़िर) उन पर पकड़ की, सो (देखो) मेरी तरफ़ से (उनको) कैसी सज़ा हुई।

और (जिस तरह उनको दुनिया में सज़ा हुई) इसी तरह तमाम काफ़िरों पर आपके रब का यह क़ौल साबित हो चुका है कि वे लोग (आख़िरत में) दोज़ख़ी होंगे। (यानी यहाँ भी सज़ा हुई और वहाँ भी सज़ा होगी। इसी तरह कुफ़्र के सबब इन मौजूदा काफ़िरों को भी सज़ा होने वाली है, चाहे दोनों आ़लम में या आख़िरत में। यह तो हाल है इनकारियों का, कि वे ज़िल्लत व अ़ज़ाब के मुस्तहिक़ हैं और जो लोग अल्लाह को एक मानने वाले और मोमिन हैं वे ऐसे इज़्ज़त वाले हैं कि अल्लाह के ख़ास और क़रीबी फ़रिश्ते उनके लिये दुआ़ व इस्तिग़फ़ार करने में मशग़ूल रहते हैं, और जबकि फ़रिश्ते वही काम करते हैं जिसका उनको हुक्म होता है इससे मालूम होता है कि वे अल्लाह की तरफ़ से इस पर मामूर हैं कि मोमिनों के लिये इस्तिग़फ़ार किया करें। इससे मोमिनों का अल्लाह के नज़दीक महबूब होना साबित होता है, चुनाँचे इरशाद है कि) जो फ़रिश्ते कि (अल्लाह के) अ़र्श को उठाये हुए हैं और जो फ़रिश्ते उसके इर्द-गिर्द हैं वे अपने रब की तस्बीह व तारीफ़ करते रहते हैं, और उस पर ईमान

रखते हैं और ईमान वालों के लिये (इस तरह दुआ) इस्तिग़फ़ार किया करते हैं कि ऐ हमारे परवर्दिगार! आपकी रहमत (जो कि आम है) और इल्म हर चीज़ को शामिल है (पस ईमान वालों पर तो और ज़्यादा रहमत होगी, और उनके ईमान का आपको इल्म भी है) सो उन लोगों को बख़्श दीजिए जिन्होंने (शिर्क और कुफ़्र से) तौबा कर ली और आपके रास्ते पर चलते हैं, और उनको जहन्नम के अ़ज़ाब से बचा लीजिये।

ऐ हमारे परवर्दिगार! और (दोज़ख़ से बचाकर) उनको हमेशा रहने की जन्नतों में जिसका आपने उनसे वायदा किया है, दाख़िल कर दीजिये, और उनके माँ-बाप और बीवियों और औलाद में जो (जन्नत के) लायक़ (यानी मोमिन) हों (अगरचे उन मोमिनों के दर्जे के न हों) उनको भी दाख़िल कर दीजिये, बेशक आप ज़बरदस्त, हिक्मत वाले हैं (कि मग़फ़िरत पर क़ादिर हैं और हर एक के मुनासिब उसको दर्जा अ़ता फ़रमाते हैं)। और (जैसे उनको दोज़ख़ से जो कि बड़ा अ़ज़ाब है बचाने के लिये आप से दुआ है इसी तरह यह भी दुआ है कि) उनको (क़ियामत के दिन हर तरह की) तकलीफ़ से बचाईये (अगरचे वो जहन्नम से हल्की हों जैसे मैदाने क़ियामत की परेशानियाँ) और आप जिसको उस दिन की तकलीफ़ से बचा लें तो उस पर आपने (बहुत) मेहरबानी फ़रमाई। और यह (जो ज़िक्र हुआ मग़फ़िरत होना, छोटे-बड़े अ़ज़ाब से हिफ़ाज़त और जन्नत में दाख़िल होना) बड़ी कामयाबी है (पस अपने मोमिन बन्दों को इससे मेहरूम न रखिये)।

मआ़रिफ़ व मसाईल

सूरः मोमिन की विशेषतायें और फ़ज़ाईल वग़ैरह

यहाँ से सूरः अहक़ाफ़ तक सात सूरतें हा-मीम् से शुरू होती हैं इनको आले हा-मीम् या हवामीम् कहा जाता है। हज़रत इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने फ़रमाया कि आले हा-मीम् दीबाजुल्-क़ुरआन है (दीबाज रेशमी कपड़े को कहते हैं, इससे मुराद ज़ीनत है)। और मिस्अ़र बिन किदाम फ़रमाते हैं कि इनको अ़राईस कहा जाता है यानी दुल्हनें। और हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने फ़रमाया कि हर चीज़ का एक मग़ज़ और ख़ुलासा होता है, क़ुरआन का ख़ुलासा आले हा-मीम् हैं या फ़रमाया कि हवामीम हैं। ये सब रिवायतें इमामे आ़लम अबू उबैद क़ासिम बिन सलाम रह. ने अपनी किताब फ़ज़ाईल-ए-क़ुरआन में लिखी हैं।

और हज़रत अ़ब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने फ़रमाया कि क़ुरआन की मिसाल ऐसी है कि कोई शख़्स अपने घर वालों और बाल-बच्चों के रहने के लिये जगह की तलाश में निकला तो किसी हरे-भरे मैदान को देखकर ख़ुश हो रहा है, अचानक आगे बढ़ा तो ऐसे बाग़ात मिले जिनकी ज़मीन में उगाने का माद्दा सबसे ज़्यादा है, उनको देखकर कहने लगा मैं तो बारिश की पहली ही हरियाली को देखकर ताज्जुब कर रहा था ये तो उससे भी ज़्यादा अ़जीब हैं। तो उससे यह कहा जायेगा कि पहली हरियाली और सरसब्ज़ी की मिसाल आ़म क़ुरआन की मिसाल है और बाग़ों की मिसाल क़ुरआन में आले हा-मीम् की मिसाल है। इसी लिये हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने फ़रमाया कि जब मैं क़ुरआन पढ़ते हुए आले हा-मीम पर आ जाता हूँ तो गोया उनमें मेरी बड़ी तफ़रीह होती (यानी

बहुत मज़ा आता) है।

हर बला से हिफ़ाज़त

और मुस्नदे बज़्ज़ार में अपनी सनद के साथ हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत किया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि जिस शख़्स ने शुरू दिन में आयतुल्-कुर्सी और सूरः मोमिन (की पहली तीन आयतें हा-मीम से इलैहिल्-मसीर तक) पढ़ लीं वह उस दिन हर बुराई और तकलीफ़ से महफ़ूज़ रहेगा। इसको इमाम तिर्मिज़ी ने भी रिवायत किया है जिसकी सनद में एक रावी के बारे में कलाम है। (इब्ने कसीर पेज 69 जिल्द 4)

दुश्मन से हिफ़ाज़त

अबू दाऊद व तिर्मिज़ी में सही सनद से हज़रत महलब बिन अबी सफ़रा रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है, उन्होंने फ़रमाया कि मुझसे ऐसे शख़्स ने रिवायत की कि जिसने ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से सुना है कि आप (किसी जिहाद के मौक़े पर रात में हिफ़ाज़त के लिये) फ़रमा रहे थे कि अगर रात में तुम पर छापा मारा जाये तो तुम 'हा-मीम् ला युन्सरून' पढ़ लेना जिसका हासिल लफ़्ज़ हा-मीम् के साथ यह दुआ़ करना है कि हमारा दुश्मन कामयाब न हो। और कुछ रिवायतों में हा-मीम् ला युन्सरू आया है जिसका हासिल यह है कि जब तुम हा-मीम् कहोगे तो दुश्मन कामयाब न होगा। इससे मालूम हुआ कि हा-मीम् दुश्मन से हिफ़ाज़त का क़िला है।

(तफ़सीर इब्ने कसीर)

एक अ़जीब वाक़िआ़

हज़रत साबित बिनानी रह. फ़रमाते हैं कि मैं हज़रत मुस्अ़ब बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अ़न्हु के साथ कूफ़े के इलाक़े में था। मैं एक बाग़ के अन्दर चला गया कि दो रक्अ़त पढ़ लूँ मैंने नमाज़ से पहले सूरः मोमिन की हा-मीम् से इलैहिल्-मसीर तक की पढ़ीं, अचानक देखा कि एक शख़्स पीछे एक सफ़ेद ख़च्चर पर सवार खड़ा है जिसके बदन पर यमनी कपड़े हैं, उस शख़्स ने मुझसे कहा कि जब तुम लफ़्ज़ 'ग़ाफ़िरिज़्ज़म्बि' कहो तो उसके साथ यह दुआ़ करो 'या ग़ाफ़िरिज़्ज़म्बि इग़फ़िर् ली' यानी ऐ गुनाहों को माफ़ करने वाले! मुझे माफ़ कर दे। और जब पढ़ो 'क़ाबिलित्तौबि' तो यह दुआ़ करो 'या क़ाबिलित्तौबि इक़्बल् तौबती' यानी ऐ तौबा के क़ुबूल करने वाले! मेरी तौबा क़ुबूल फ़रमा। फिर जब पढ़ो 'शदीदिल्-अ़िक़ाब' तो यह दुआ़ करो 'या शदीदिल्-अ़िक़ाबि ला तुआ़क़िब्नी' यानी ऐ सख़्त सज़ा देने वाले मुझे अ़ज़ाब न दीजिये। और जब 'ज़ित्तौलि' पढ़ो तो यह दुआ़ करो 'या ज़त्तौलि तुल् अ़लय्-य बिख़ैरिन्' यानी ऐ इनाम व एहसान करने वाले मुझ पर इनाम फ़रमा।

साबित बिनानी रह. कहते हैं यह नसीहत उससे सुनने के बाद जो उधर देखा तो वहाँ कोई न था। मैं उसकी तलाश में बाग़ के दरवाज़े पर आया, लोगों से पूछा कि एक ऐसा शख़्स यमनी लिबास में इधर से गुज़रा है? सब ने कहा कि हमने कोई ऐसा शख़्स नहीं देखा। साबित बिनानी रह. की एक रिवायत में यह भी है कि लोगों का ख़्याल है कि यह इलियास अ़लैहिस्सलाम थे, दूसरी रिवायत में इसका ज़िक्र नहीं। (तफ़सीर इब्ने कसीर)

मख़्लूक़ की इस्लाह में इन आयतों की तासीर और फ़ारूक़े आज़म रज़ि. की सुधारकों के लिये एक अ़ज़ीम हिदायत

इमाम इब्ने कसीर रह. ने इब्ने अबी हातिम की सनद से नक़ल किया है कि शाम वालों में से एक बड़ा रौबदार ताक़तवर आदमी था और फ़ारूक़े आज़म रज़ियल्लाहु अ़न्हु के पास आया करता था। कुछ अ़रसे तक वह न आया तो फ़ारूक़े आज़म ने लोगों से उसका हाल पूछा, लोगों ने कहा कि अमीरुल-मोमिनीन! उसका हाल न पूछिये वह तो शराब में मदहोश रहने लगा है। फ़ारूक़े आज़म रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने अपने मुंशी को बुलाया और कहा कि यह ख़त लिखोः-

من عمربن الخطاب الى فلان من فلان، سلام عليك فانى احمد اليك الله الذى لا الٰه الاّ هو غافر الذنب و قابل التوب شديد العقاب ذى الطول لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ اِلَيْهِ الْمَصِيْرُ.

उमर बिन ख़त्ताब की तरफ़ से फ़ुलाँ पुत्र फ़ुलाँ के नाम। सलामु अ़लैक! इसके बाद- मैं तुम्हारे लिये उस अल्लाह की तारीफ़ पेश करता हूँ जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, वह गुनाहों को माफ़ करने वाला, तौबा को क़ुबूल करने वाला, सख़्त अ़ज़ाब वाला, बड़ी क़ुदरत वाला है। उसके सिवा कोई माबूद नहीं, उसी की तरफ़ लौटकर जाना है।

फिर मज्लिस में मौजूद लोगों से कहा कि सब मिलकर उसके लिये दुआ़ करो कि अल्लाह तआ़ला उसके दिल को फेर दे और उसकी तौबा क़ुबूल फ़रमाये। फ़ारूक़े आज़म रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने जिस क़ासिद के हाथ यह ख़त भेजा था उसी को हिदायत कर दी थी कि यह ख़त उसको उस वक़्त तक न दे जब तक कि वह नशे से होश में न आये, और किसी दूसरे के हवाले न करे। जब उसके पास हज़रत फ़ारूक़े आज़म रज़ियल्लाहु अ़न्हु का यह ख़त पहुँचा और उसने पढ़ा तो बार-बार इन कलिमात को पढ़ता और ग़ौर करता रहा कि इसमें मुझे सज़ा से भी डराया गया है और माफ़ करने का वादा भी किया गया है। फिर रोने लगा और शराब पीने से बाज़ आ गया तो ऐसी तौबा की कि फिर उसके पास न गया।

हज़रत फ़ारूक़े आज़म रज़ियल्लाहु अ़न्हु को जब इस असर की ख़बर मिली तो लोगों से फ़रमाया कि ऐसे मामलात में तुम सब को ऐसा ही करना चाहिये कि जब कोई भाई किसी ग़लती और बुराई में मुब्तला हो जाये तो उसको सही रास्ते पर लाने की फ़िक्र करो और उसको अल्लाह की रहमत का भरोसा दिलाओ, और अल्लाह से उसके लिये दुआ़ करो कि वह तौबा कर ले और तुम उसके मुक़ाबले पर शैतान के मददगार न बनो, यानी उसको बुरा-भला कहकर या गुस्सा दिलाकर और दीन से दूर कर दोगे तो यह शैतान की मदद होगी। (तफ़सीर इब्ने कसीर)

तंबीह

जो लोग मख़्लूक़ की इस्लाह (सुधार) और तब्लीग़ व दावत की ख़िदमत अन्जाम देने वाले हैं उनके लिये इस वाक़िए में एक अ़ज़ीमुश्शान हिदायत है कि जिस शख़्स की इस्लाह (सुधार और सही रास्ते पर लाना) मक़सूद हो उसके लिये ख़ुद भी दुआ़ करो, फिर नरम तदबीरों से उसको सुधार की

तरफ़ लाओ। भड़काने और उत्तेजित करने का काम न करो कि उससे उसको नफ़ा नहीं पहुँचेगा बल्कि शैतान की इमदाद होगी और वह उसको और ज़्यादा गुमराही में मुब्तला कर देगा (आगे आयत की तफ़सीर देखिये):-

हा मीम्। मुफ़स्सिरीन में से कुछ हज़रात ने फ़रमाया कि यह अल्लाह तआ़ला का नाम है। मगर पहले के इमाम हज़रात और बुज़ुर्गों के नज़दीक ये सब **हुरूफ़-ए-मुक़त्तआ़त** मुतशाबिहात में से हैं जिनके मायने अल्लाह तआ़ला ही जानता है या अल्लाह तआ़ला और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के दरमियान एक राज़ हैं।

غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ

ग़ाफ़िरिज़्ज़म्बि के लफ़्ज़ी मायने हैं गुनाह पर पर्दा डालने वाला, और **क़ाबिलित्तौबि** के मायने तौबा क़ुबूल करने वाला। ये दो लफ़्ज़ अलग-अलग लाये गये अगरचे मफ़्हूम दोनों का तक़रीबन एक मालूम होता है। वजह यह है कि 'ग़ाफ़िरिज़्ज़म्बि' में इशारा इस तरफ़ करना है कि अल्लाह तआ़ला को इस पर भी क़ुदरत है कि किसी बन्दे का गुनाह बग़ैर तौबा के भी माफ़ कर दे और तौबा करने वालों को भी माफ़ी देना उसकी दूसरी सिफ़त है। (तफ़सीरे मज़हरी)

ذِى الطَّوْلِ

तौल के लफ़्ज़ी मायने वुस्अ़त व ग़िना के हैं और क़ुदरत के मायने में भी आता है, और फ़ज़्ल व एहसान के मायने में भी। (तफ़सीरे मज़हरी)

مَا يُجَادِلُ فِىٓ اٰيٰتِ اللّٰهِ اِلَّا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا

इस आयत ने जिदाल फ़िल-क़ुरआन को कुफ़्र क़रार दिया है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमायाः

اِنَّ جِدَالًا فِى الْقُرْاٰنِ كُفْرٌ

यानी क़ुरआन में बाज़े जिदाल (झगड़े) कुफ़्र होते हैं। (बग़वी, बैहक़ी शुअ़बुल-ईमान में हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु की रिवायत से, अबू दाऊद व हाकिम। मज़हरी)

और हदीस में है कि एक रोज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने दो शख़्सों की आवाज़ सुनी जो क़ुरआन की किसी आयत के मुताल्लिक़ झगड़ रहे थे, आप ग़ुस्से में होकर बाहर तशरीफ़ लाये कि आपके चेहरे मुबारक से ग़ुस्से के आसार महसूस हो रहे थे और फ़रमाया कि तुम से पहली उम्मतें इसी से हलाक हुईं कि वे अल्लाह की किताब में जिदाल करने लगी थीं। (मुस्लिम, अ़ब्दुल्लाह बिन अ़मर बिन शुऐब। मज़हरी)

यह जिदाल (झगड़ना) जिसको क़ुरआन व हदीस ने कुफ़्र क़रार दिया इससे मुराद क़ुरआनी आयतों पर ताने करना और फ़ुज़ूल क़िस्म के शुब्हे निकालकर उसमें झगड़ा डालना है, या क़ुरआन की किसी आयत के ऐसे मायने बयान करना जो क़ुरआन की दूसरी आयतों और सुन्नत की वज़ाहतों और दलीलों के ख़िलाफ़ हों, जो क़ुरआन में रद्दोबदल करने के दर्जे में है, वरना किसी अस्पष्ट या संक्षिप्त कलाम की तहक़ीक़ या मुश्किल कलाम का हल तलाश करना या किसी आयत से अहकाम व मसाईल

के निकालने में आपस में बहस व तहक़ीक़ करना इसमें दाख़िल नहीं, बल्कि वह तो बड़ा सवाब है। (जैसा कि क़ाज़ी बैज़ावी रह. ने वज़ाहत की है। तफ़सीरे क़ुर्तुबी, मज़हरी)

فَلَا يَغْرُرْكَ تَقَلُّبُهُمْ فِى الْبِلَادِ ○

क़ुरैश के काफ़िर सर्दी में यमन का और गर्मी में मुल्के शाम का तिजारती सफ़र करते थे और बैतुल्लाह के हरम की ख़िदमत की वजह से उनका सारे अ़रब में सम्मान व इज़्ज़त थी, इसलिये अपने सफ़रों में सुरक्षित रहते और तिजारती लाभ हासिल करते थे। इसी से उनकी मालदारी और सरदारी क़ायम थी, इस्लाम और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की मुख़ालफ़त के बावजूद उनकी यह सूरत क़ायम रहना उनके लिये फ़ख़्र व ग़ुरूर का सबब था, कि अगर हम अल्लाह के नज़दीक मुजरिम होते तो ये नेमतें छिन जातीं। इससे कुछ मुसलमानों को भी शुब्हे पैदा होने की संभावना थी इसलिये इस आयत में फ़रमाया कि अल्लाह तआ़ला ने अपनी हिक्मत व मस्लेहत से उनको यह चन्द दिन की मोहलत दे रखी है इससे आप या मुसलमान किसी धोखे में न पड़ें, चन्द दिन की मोहलत के बाद उन पर अ़ज़ाब आने वाला है और यह सरदारी व मालदारी फ़ना होने वाली है जिसकी शुरूआ़त जंगे बदर से हुई और फ़त्हे मक्का तक छह साल के अन्दर इसका पूरी तरह ज़ुहूर हो गया।

اَلَّذِيْنَ يَحْمِلُوْنَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهٗ

अ़र्श को उठाने वाले फ़रिश्ते अब चार हैं और क़ियामत के दिन आठ हो जायेंगे, और अ़र्श के गिर्द कितने फ़रिश्ते हैं उनकी तादाद अल्लाह ही जानता है। कुछ रिवायतों में उनकी सफ़ों की तादाद बतलाई है जो लाखों तक पहुँचती है, उनको **करूबी** कहा जाता है। ये सब अल्लाह तआ़ला के मुक़र्रब (ख़ास और क़रीबी) फ़रिश्ते हैं। इस आयत में बतलाया गया है कि ये सब मुक़र्रब फ़रिश्ते मोमिनों के लिये ख़ास तौर पर जो गुनाहों से तौबा करने वाले और शरीअ़त के ताबेदार हो जायें उनके लिये दुआ़यें करते हैं, या तो अल्लाह तआ़ला ने उनको इस काम पर लगाया है या उनकी फ़ितरत व तबीयत ही ऐसी है कि वे अल्लाह के नेक बन्दों के लिये दुआ़यें करते रहते हैं। इसी लिये हज़रत मुतर्रिफ़ बिन अ़ब्दुल्लाह इब्ने शख़ीर ने फ़रमाया कि अल्लाह के बन्दों में मोमिनों के भला चाहने वाले सबसे ज़्यादा अल्लाह के फ़रिश्ते हैं, उनकी दुआ़ मोमिनों के लिये एक तो यह होती है कि उनकी मग़फ़िरत फ़रमा और जहन्नम के अ़ज़ाब से बचा, और हमेशा रहने वाली जन्नतों में दाख़िल फ़रमा। इसके साथ यह दुआ़ भी करते हैं कि:

وَمَنْ صَلَحَ مِنْ اٰبَآئِهِمْ وَاَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيّٰتِهِمْ

यानी उनके बाप-दादों और उनकी बीवियों और उनकी औलादों में से जिनमें मग़फ़िरत की सलाहियत हो, यानी जिनका ख़ात्मा ईमान पर हुआ है उनको भी उन्हीं लोगों के साथ जन्नत में दाख़िल फ़रमा।

इससे मालूम हुआ कि ईमान तो निजात की शर्त है, ईमान के बाद दूसरे नेक आमाल हैं। मुसलमान के संबन्धी- बाप-दादा या बीवी और औलाद अगर उसके दर्जे से नीचे भी हों तो अल्लाह तआ़ला उनके सम्मान में कम दर्जे के सम्बन्धियों को भी जन्नत में उन्हीं के साथ कर देंगे ताकि उनकी ख़ुशी व मुसर्रत मुकम्मल हो जाये, जैसा कि क़ुरआने करीम की एक दूसरी आयत में इरशाद है 'अल्हक़्ना बिहिम् ज़ुर्रिय्य-तहुम्'।

हज़रत सईद बिन जुबैर रह. ने फ़रमाया कि मोमिन जब जन्नत में जायेगा तो अपने बाप बेटे भाई वग़ैरह को पूछेगा कि वे कहाँ हैं, उसको बतलाया जायेगा कि उन्होंने तुम्हारे जैसा अ़मल नहीं किया (इसलिये वे यहाँ नहीं पहुँच सकेंगे)। यह कहेगा कि मैंने जो अ़मल किया था (वह सिर्फ़ अपने लिये नहीं बल्कि) अपने और उनके लिये किया था। हुक्म होगा कि उनको भी जन्नत में दाख़िल कर दो। (तफ़सीर इब्ने कसीर)

तफ़सीरे मज़हरी में इस रिवायत को नक़ल करके फ़रमाया है कि यह मौक़ूफ़ मरफ़ू के हुक्म में है और इस बारे में बिल्कुल स्पष्ट है कि सलाहियत जो इस आयत में शर्त क़रार दी गई है उससे मुराद ईमान है।

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنَادَوْنَ لَمَقْتُ اللَّهِ أَكْبَرُ مِن مَّقْتِكُمْ أَنفُسَكُمْ إِذْ تُدْعَوْنَ إِلَى الْإِيمَانِ فَتَكْفُرُونَ ۝ قَالُوا رَبَّنَا أَمَتَّنَا اثْنَتَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَلْ إِلَىٰ خُرُوجٍ مِّن سَبِيلٍ ۝ ذَٰلِكُم بِأَنَّهُ إِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ ۖ وَإِن يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا ۚ فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ ۝

इन्नल्लज़ी-न क-फ़रू युनादौ-न लमक़्तुल्लाहि अक्बरु मिम्मक़्तिकुम् अन्फ़ु-सकुम् इज़् तुद्औ-न इलल्-ईमानि फ़-तक्फ़ुरून (10) क़ालू रब्बना अ-मत्त-नस्नतैनि व अह्यै-तनस्नतैनि फ़अ्-तरफ़्ना बिज़ुनूबिना फ़-हल् इला ख़ुरूजिम् मिन् सबील (11) ज़ालिकुम् बिअन्नहू इज़ा दुअियल्लाहु वह्दहू क-फ़र्तुम् व इंय्युश्रक् बिही तुअ्मिनू, फ़ल्-हुक्मु लिल्लाहिल् अ़लिय्यिल्-कबीर (12)	जो लोग इनकारी हैं उनको पुकार कर कहेंगे- अल्लाह बेज़ार होता था ज़्यादा उससे जो तुम बेज़ार हुए हो अपने जी से, जिस वक़्त तुमको बुलाते थे यक़ीन लाने को फिर तुम मुन्किर होते थे। (10) बोलेंगे ऐ हमारे रब! तू मौत दे चुका हमको दो बार और ज़िन्दगी दे चुका दो बार, अब हम क़ायल हुए अपने गुनाहों के, फिर अब भी है निकलने को कोई राह? (11) यह तुम पर इस वास्ते है कि जब पुकारा किसी ने अल्लाह को अकेला तो तुम मुन्किर होते, और जब पुकारते उसके साथ शरीक को तो तुम यक़ीन लाने लगते, अब हुक्म वही जो करे अल्लाह सबसे ऊपर बड़ा। (12)

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

जो लोग काफ़िर हुए (वे जब दोज़ख़ में जाकर अपने शिर्क व कुफ़्र इख़्तियार करने पर हसरत व अफ़सोस करेंगे और ख़ुद उनको अपने से सख़्त नफ़रत होगी, यहाँ तक ग़ुस्से के मारे अपनी उंगलियाँ

काट-काटकर खायेंगे जैसा कि दुर्रे मन्सूर में हज़रत हसन से रिवायत है। उस वक़्त) उनको पुकारा जायेगा कि जैसी तुमको (इस वक़्त) अपने आप से नफ़रत है इससे बढ़कर ख़ुदा को (तुम से) नफ़रत थी जबकि तुम (दुनिया में) ईमान की तरफ़ बुलाये जाते थे फिर (बुलाने के बाद) तुम नहीं मानते थे (इससे मक़सद उनकी हसरत व शर्मिन्दगी में और ज़्यादती करना है)। वे लोग कहेंगे कि ऐ हमारे परवर्दिगार! (हम जो दोबारा ज़िन्दा होने का इनकार किया करते थे अब हमको अपनी ग़लती मालूम हो गई, चुनाँचे देख लिया कि) आपने हमको दो बार मुर्दा रखा (एक मर्तबा पैदाईश से पहले कि हम बेजान माद्दे की सूरत में थे और दूसरी मर्तबा इस आ़लम में आने और ज़िन्दा होने के बाद परिचित मौत से मुर्दा हुए) और दो बार ज़िन्दगी दी (एक दुनिया की ज़िन्दगी और दूसरी आख़िरत की ज़िन्दगी। ये चार हालतें हैं जिनमें से इनकार तो सिर्फ़ एक यानी आख़िरत की ज़िन्दगी का था मगर बाक़ी तीन हालतों का ज़िक्र इसलिये कर दिया कि वे यक़ीनी थीं, और इस इक़रार का मक़सद यह था कि अब चौथी क़िस्म भी पहली तीन की तरह यक़ीनी हो गई) सो हम अपनी ख़ताओं का (जिनमें असल मरने के बाद दोबारा ज़िन्दा होने का इनकार था, बाक़ी सब उसी की क़िस्में थीं) इक़रार करते हैं, तो क्या (यहाँ से) निकलने की कोई सूरत है? (कि दुनिया में फिर जाकर इन ख़ताओं का प्रायश्चित कर लें। जवाब में इरशाद होगा कि तुम्हारे निकलने की कोई सूरत नहीं होगी बल्कि हमेशा यहीं रहना होगा। और) वजह इसकी यह है कि जब सिर्फ़ अल्लाह का नाम लिया जाता था (यानी तौहीद का ज़िक्र होता था) तो तुम इनकार करते थे, और अगर उसके साथ किसी को शरीक किया जाता था तो तुम मान लेते थे, इसलिये यह फ़ैसला अल्लाह का (किया हुआ) है जो बुलन्द शान वाला (और) बड़े रुतबे वाला है (यानी चूँकि अल्लाह तआ़ला की बड़ाई और ऊँची शान के एतिबार से यह बड़ा भारी जुर्म था इसलिये फ़ैसले में सज़ा भी बड़ी हुई यानी हमेशा के लिये जहन्नम)।

هُوَ الَّذِيْ يُرِيْكُمْ اٰيٰتِهٖ وَيُنَزِّلُ لَكُمْ مِّنَ السَّمَآءِ رِزْقًا ۭ

وَمَا يَتَذَكَّرُ اِلَّا مَنْ يُّنِيْبُ ۝ فَادْعُوا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ وَلَوْ كَرِهَ الْكٰفِرُوْنَ ۝ رَفِيْعُ الدَّرَجٰتِ ذُو الْعَرْشِ ۚ يُلْقِي الرُّوْحَ مِنْ اَمْرِهٖ عَلٰى مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ لِيُنْذِرَ يَوْمَ التَّلَاقِ ۝ يَوْمَ هُمْ بٰرِزُوْنَ ۚ لَا يَخْفٰى عَلَى اللّٰهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ ۭ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ۭ لِلّٰهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ۝ اَلْيَوْمَ تُجْزٰى كُلُّ نَفْسٍۢ بِمَا كَسَبَتْ ۭ لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ ۭ اِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ۝ وَاَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْاٰزِفَةِ اِذِ الْقُلُوْبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كٰظِمِيْنَ ۥ مَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ حَمِيْمٍ وَّلَا شَفِيْعٍ يُّطَاعُ ۝ يَعْلَمُ خَآئِنَةَ الْاَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُوْرُ ۝ وَاللّٰهُ يَقْضِيْ بِالْحَقِّ ۭ وَالَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ لَا يَقْضُوْنَ بِشَيْءٍ ۭ اِنَّ اللّٰهَ هُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ ۝ اَوَلَمْ يَسِيْرُوْا فِي الْاَرْضِ فَيَنْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ كَانُوْا مِنْ قَبْلِهِمْ ۭ كَانُوْا هُمْ اَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَّاٰثَارًا فِي الْاَرْضِ فَاَخَذَهُمُ اللّٰهُ بِذُنُوْبِهِمْ ۭ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِّنَ اللّٰهِ مِنْ وَّاقٍ ۝ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ كَانَتْ تَّاْتِيْهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ فَكَفَرُوْا فَاَخَذَهُمُ اللّٰهُ ۭ اِنَّهٗ قَوِيٌّ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ۝

हुवल्लज़ी युरीकुम् आयातिही व युनज़्ज़िलु लकुम् मिनस्समा-इ रिज़्क़न्, व मा य-तज़क्करु इल्ला मंय्युनीब (13) फ़द्अुल्ला-ह मुख़्लिसी-न लहुद्दी-न व लौ करिहल्-काफ़िरून (14) रफ़ीअुद्-द-रजाति ज़ुल्अर्शि युल्क़िर्रू-ह मिन् अम्रिही अ़ला मंय्यशा-उ मिन् अ़िबादिही लि-युन्ज़ि-र यौमत्तलाक़ (15) यौ-म हुम् बारिज़ू-न, ला यख़्फ़ा अ़लल्लाहि मिन्हुम् शैउन्, लि-मनिल्-मुल्कुल्-यौ-म, लिल्लाहिल्-वाहिदिल्-क़ह्हार (16) अल्यौ-म तुज्ज़ा कुल्लु नफ़्सिम्-बिमा क-सबत्, ला ज़ुल्मल्-यौ-म, इन्नल्ला-ह सरीअुल्-हिसाब (17) व अन्ज़िर्हुम् यौमल्-आज़ि-फ़ति इज़िल्-क़ुलूबु ल-दल्-हनाजिरि काज़िमी-न, मा लिज़्ज़ालिमी-न मिन् हमीमिंव्-व ला शफ़ीअिंय्-युता-अु (18) यअ्लमु ख़ाइ-नतल्-अअ्युनि व मा तुख़्फ़िस्-सुदूर (19) वल्लाहु यक़्ज़ी बिल्हक़्क़ि वल्लज़ी-न यद्अू-न मिन् दूनिही ला यक़्ज़ू-न बिशैइन्, इन्नल्ला-ह हुवस्समीअुल्-बसीर (20) ❁

वही है तुमको दिखलाता अपनी निशानियाँ और उतारता है तुम्हारे वास्ते आसमान से रोज़ी और सोच (विचार) वही करे जो रुजू रहता हो। (13) सो पुकारो अल्लाह को ख़ालिस कर-कर उसके वास्ते बन्दगी और पड़े बुरा मानें इनकारी लोग। (14) वही है ऊँचे दर्जों वाला मालिक अ़र्श का, उतारता है भेद की बात अपने हुक्म से जिस पर चाहे अपने बन्दों में से, ताकि वह डराये मुलाक़ात के दिन से (15) जिस दिन वे लोग निकल खड़े होंगे छुपी न रहेगी अल्लाह पर उनकी कोई चीज़, किसका राज है उस दिन? अल्लाह का है जो अकेला है दबाव वाला। (16) आज बदला मिलेगा हर जी को जैसा उसने कमाया, बिल्कुल ज़ुल्म नहीं आज, बेशक अल्लाह जल्द लेने वाला है हिसाब। (17) और ख़बर सुना दे उनको उस नज़दीक आने वाले दिन की जिस वक़्त दिल पहुँचेंगे गलों को तो वे दबा रहे होंगे, कोई नहीं गुनाहगारों का दोस्त और न सिफ़ारिशी कि जिसकी बात मानी जाये। (18) वह जानता है चोरी की निगाह और जो कुछ छुपा हुआ है सीनों में। (19) और अल्लाह फ़ैसला करता है इन्साफ़ से, और जिनको पुकारते हैं उसके सिवाय नहीं फ़ैसला करते कुछ भी, बेशक अल्लाह जो है वही है सुनने वाला देखने वाला। (20) ❁

अ-व लम् यसीरू फ़िल्अर्ज़ि फ़-यन्ज़ुरू कै-फ़ का-न आ़कि-बतुल्लज़ी-न कानू मिन् क़ब्लिहिम्, कानू हुम् अशद्-द मिन्हुम् क़ुव्व-तंव्-व आसारन् फ़िल्अर्ज़ि फ़-अ-ख़ा-ज़हुमुल्लाहु बिज़ुनुबिहिम्, व मा का-न लहुम् मिनल्लाहि मिंव्वाक़ (21) ज़ालि-क बि-अन्नहुम् कानत् तअ्तीहिम् रुसुलुहुम् बिल्बय्यिनाति फ़-क-फ़रू फ़-अ-ख़ा-ज़हुमुल्लाहु, इन्नहू क़विय्युन् शदीदुल्-अ़िक़ाब (22)	क्या वे फिरे नहीं मुल्क में कि देखते अन्जाम कैसा हुआ उनका जो थे उनसे पहले, वे थे इनसे सख़्त ज़ोर (ताक़त) में और निशानियों में जो छोड़ गये ज़मीन में, फिर उनको पकड़ा अल्लाह ने उनके गुनाहों पर, और न हुआ उनको अल्लाह से कोई बचाने वाला। (21) यह इसलिये कि उनके पास आते थे उनके रसूल खुली निशानियाँ लेकर फिर मुन्किर हो गये तो उनको पकड़ा अल्लाह ने, बेशक वह ज़ोरावर है सख़्त अ़ज़ाब देने वाला। (22)

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

वही है जो तुमको अपनी (क़ुदरत की) निशानियाँ दिखलाता है (ताकि तुम उनसे तौहीद पर दलील हासिल करो) और (वही है जो) आसमान से तुम्हारे लिये रिज़्क़ भेजता है (यानी बारिश भेजता है जिससे रिज़्क़ पैदा होता है, यह भी उपरोक्त निशानियों में से है), और (उन निशानियों से) सिर्फ़ वही शख़्स नसीहत क़ुबूल करता है जो (ख़ुदा की) तरफ़ रुजू (करने का इरादा) करता है (क्योंकि रुजू करने के इरादे से ग़ौर व फ़िक्र करना नसीब होता है, उससे हक़ तक पहुँच हो जाती है)। तो (जब तौहीद पर दलीलें क़ायम हैं तो) तुम लोग ख़ुदा को ख़ालिस एतिक़ाद करके (यानी तौहीद के साथ) पुकारो (और मुसलमान हो जाओ) अगरचे काफ़िरों को नागवार हो (इसकी परवाह न करो, क्योंकि) वह बुलन्द और आला दर्जों वाला है, वह अ़र्श का मालिक है, वह अपने बन्दों में से जिस पर चाहता है वही यानी अपना हुक्म भेजता है, ताकि वह (वही वाला लोगों को) जमा होने के दिन (यानी क़ियामत के दिन) से डराये, जिस दिन सब लोग (ख़ुदा के) सामने आ मौजूद होंगे (कि) उनकी बात ख़ुदा से छुपी न रहेगी। आज के दिन किसकी हुकूमत होगी? बस अल्लाह ही की होगी जो यक्ता (और) ग़ालिब है। आज हर शख़्स को उसके किये (हुए कामों) का बदला दिया जायेगा, आज (किसी पर) कुछ ज़ुल्म न होगा, अल्लाह तआ़ला बहुत जल्द हिसाब लेने वाला है। और (इसलिये) आप एक क़रीब आने वाली मुसीबत के दिन (यानी क़ियामत के दिन) से डराईये, जिस वक़्त कलेजे मुँह को आ जाएँगे (ग़म से) घुट-घुट जाएँगे (उस दिन) ज़ालिमों (यानी काफ़िरों) का न कोई दिली दोस्त होगा और न कोई सिफ़ारिशी होगा जिसका कहा माना जाये।

(और) वह (ऐसा है कि) आँखों की चोरी को जानता है, और उन (बातों) को भी जो सीनों में छुपी हैं (जिनको दूसरा नहीं जानता। मतलब यह है कि वह बन्दों के तमाम खुले और छुपे आमाल से बाख़बर है जिन पर सज़ा और जज़ा मौक़ूफ़ है)। और अल्लाह तआ़ला ठीक-ठीक फ़ैसला कर देगा। और ख़ुदा के सिवा जिनको ये लोग पुकारा करते हैं वे किसी तरह का भी फ़ैसला नहीं कर सकते (क्योंकि) अल्लाह ही सब कुछ सुनने वाला, सब कुछ देखने वाला है।

(इसी तरह अल्लाह तआ़ला कमाल की तमाम सिफ़ात का मालिक और झूठे माबूद उन तमाम सिफ़ात से ख़ाली हैं इसलिये फ़ैसला ख़ुदा तआ़ला के सिवा किसी के बस में नहीं। और ये लोग जो इन स्पष्ट दलीलों के बाद भी इनकार करते हैं तो) क्या उन लोगों ने मुल्क में चल-फिरकर नहीं देखा कि जो (काफ़िर) लोग उनसे पहले गुज़र चुके हैं (उस कुफ़्र की वजह से) उनका कैसा अन्जाम हुआ। वे लोग ताक़त और उन निशानों में जो कि ज़मीन पर छोड़ गये हैं (जैसे इमारतें और बाग़ात वग़ैरह) इन (मौजूदा लोगों) से बहुत ज़्यादा थे। सो उनके गुनाहों की वजह से ख़ुदा ने उन पर पकड़ फ़रमाई (यानी अ़ज़ाब नाज़िल किया) और उनका कोई ख़ुदा से बचाने वाला न हुआ।

(आगे उनके गुनाहों की तफ़सील है कि) यह पकड़ इस सबब से हुई कि उनके पास उनके रसूल स्पष्ट दलीलें (यानी मोजिज़े जो नुबुव्वत की निशानियाँ और दलीलें होते हैं) लेकर आते रहे, फिर उन्होंने न माना, तो अल्लाह ने उन पर पकड़ फ़रमाई, बेशक वह बड़ी क़ुव्वत वाला, सख़्त सज़ा देने वाला है (जब इन मौजूदा काफ़िरों में भी वही अ़ज़ाब को वाजिब करने वाली चीज़ें जमा हैं तो ये लोग पकड़ से कैसे बच सकते हैं)।

मआ़रिफ़ व मसाईल

رَفِيعُ الدَّرَجٰتِ.

दरजात से मुराद कुछ हज़रात ने सिफ़ात क़रार दिया है जिससे 'ऊँचे दर्जों' के मायने हुए 'ऊँची सिफ़ात' यानी उसकी कमाली सिफ़ात सबसे ज़्यादा बुलन्द शान वाली हैं। इमाम इब्ने कसीर ने इसको अपने ज़ाहिर पर रखकर यह मायने बयान किये कि इससे मुराद अ़र्शे अ़ज़ीम की बुलन्दी का बयान है कि वह तमाम ज़मीनों और आसमानों पर हावी और सब के ऊपर छत के जैसा बुलन्द है। जैसा कि सूरः मआ़रिज की इस आयत में है:

مِنَ اللّٰهِ ذِي الْمَعَارِجِ ○ تَعْرُجُ الْمَلٰٓئِكَةُ وَالرُّوْحُ اِلَيْهِ فِيْ يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهٗ خَمْسِيْنَ اَلْفَ سَنَةٍ.

इमाम इब्ने कसीर रह. की तहक़ीक़ इस आयत के मुताल्लिक़ यह भी है कि यह पचास हज़ार साल की मात्रा उस दूरी और सफ़र का बयान है जो सातवीं ज़मीन से अ़र्श तक है, और इसी को पहले और बाद के बुज़ुर्गों व उलेमा की बड़ी जमाअ़त के नज़दीक ज़्यादा बेहतर क़रार दिया है, और बयान किया है कि बहुत से उलेमा के नज़दीक रहमान का अ़र्श एक सुर्ख़ याक़ूत से बना है जिसका क़ुत्र (किनारा) इतना बड़ा है कि वह पचास हज़ार साल की दूरी है, इसी तरह उसकी बुलन्दी सातवीं ज़मीन से पचास हज़ार साल की दूरी तक है। और मुफ़स्सिरीन हज़रात में से कुछ ने फ़रमाया कि 'रफ़ीउ़द्द-रजाति' 'राफ़िउ़द्द-रजाति' के मायने में है, यानी अल्लाह तआ़ला मुत्तक़ी मोमिनों के दर्जों

को बुलन्द फ़रमाने वाला है जैसा कि क़ुरआन की आयतें इस पर सुबूत हैं-

نَرْفَعُ دَرَجٰتٍ مَّنْ نَّشَآءُ

(सूरः अन्आ़म आयत 83) औरः

هُمْ دَرَجٰتٌ عِنْدَاللّٰهِ

(सूरः आले इमरान आयत 163)

يَوْمَ هُمْ بٰرِزُوْنَ لَا يَخْفٰى عَلَى اللّٰهِ مِنْهُمْ

बारिज़ू-न से मुराद यह है कि मैदाने हश्र की ज़मीन चूँकि एक बराबर सतह बना दी जायेगी जिसमें कोई पहाड़ या गढ़ा या इमारत और दरख़्त न होगा जिसकी आड़ हो सके, इसलिये सब खुले मैदान में सामने होंगे।

لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ

यह कलिमा ऊपर बयान हुई आयतों में 'यौमत्तलाक़' और 'यौ-म हुम् बारिज़ू-न' के बाद आया है और यह ज़ाहिर है कि 'यौमत्तलाक़' मुलाक़ात और जमा होने का दिन दूसरी बार का सूर फूँकने के बाद होगा। इसी तरह 'यौ-म हुम् बारिज़ू-न' का वाक़िआ भी उस वक़्त होगा जब दूसरी बार का सूर फूँकने के बाद नई ज़मीन एक बराबर सतह की सूरत में बना दी जायेगी, जिस पर कोई आड़ और पहाड़ न होगा। इसके बाद यह कलिमा 'लि-मनिल् मुल्कुल् यौ-म' लाने से बज़ाहिर यह मालूम होता है कि हक़ तआ़ला का यह इरशाद दूसरी बार का सूर फूँकने से तमाम मख़्लूक़ात के दोबारा पैदा होने के बाद होगा। इसकी ताईद इमाम क़ुर्तुबी रह. ने नुहास के हवाले से एक हदीस से पेश की है जो अबू वाईल ने हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत की है, वह यह कि तमाम आदमी एक साफ़ ज़मीन पर जमा किये जायेंगे जिस पर किसी ने कोई गुनाह नहीं किया होगा। उस वक़्त एक मुनादी को हुक्म होगा जो यह आवाज़ देगा 'लि-मनिल् मुल्कुल् यौ-म' यानी आज के दिन मुल्क किसका है? इस पर तमाम मख़्लूक़ात मोमिन व काफ़िर यह जवाब देंगे कि 'लिल्लाहिल् वाहिदिल् क़ह्हार'। मोमिन तो अपने एतिक़ाद के मुताबिक़ ख़ुशी और लज़्ज़त के साथ कहेंगे और काफ़िर मजबूर व आ़जिज़ होने की बिना पर रंज व ग़म के साथ इसका इक़रार करेंगे।

लेकिन कुछ दूसरी रिवायतों से मालूम होता है कि यह इरशाद हक़ तआ़ला ख़ुद ही उस वक़्त फ़रमायेंगे जबकि पहली बार के सूर फूँकने के बाद सारी मख़्लूक़ात फ़ना हो जायेगी और फिर मख़्सूस मुक़र्रब फ़रिश्तों- जिब्रील, मीकाईल, इस्राफ़ील और मलकुल्-मौत अ़लैहिमुस्सलाम को भी मौत आ जायेगी और सिवाय अल्लाह तआ़ला की पाक ज़ात के कोई न होगा, उस वक़्त हक़ तआ़ला फ़रमायेगा 'लि-मनिल् मुल्कुल् यौ-म' और चूँकि उस वक़्त जवाब देने वाला कोई न होगा तो ख़ुद ही जवाब देगा 'लिल्लाहिल् वाहिदिल् क़ह्हार'। हज़रत हसन बसरी रह. ने फ़रमाया कि इसमें सवाल करने वाला और जवाब देने वाला सिर्फ़ एक अल्लाह ही है। मुहम्मद बिन कअ़ब क़रज़ी रह. का भी यही क़ौल है और इसकी ताईद हज़रत अबू हुरैरह और हज़रत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अ़न्हुमा की इस हदीस से होती है कि क़ियामत के दिन अल्लाह तआ़ला सारी ज़मीनों को बायें हाथ में और आसमानों को

दायें हाथ में लपेटकर फ़रमायेंगेः

انا الملك اين الجبارون اين المتكبرون.

यानी मैं ही मलिक और मालिक हूँ, आज जब्बार और घमण्डी लोग कहाँ हैं। तफ़सीर दुर्रे मन्सूर में इस तरह की दोनों रिवायतें नक़ल करके कहा गया है कि हो सकता है कि यह कलिमा दो मर्तबा दोहराया जाये, एक पहली बार के सूर फूँकने और आलम के फ़ना होने के वक़्त, दूसरे दूसरी बार के सूर फूँकने और तमाम मख़्लूक़ात के दोबारा ज़िन्दा होने के वक़्त। तफ़सीर बयानुल-क़ुरआन में फ़रमाया कि क़ुरआने करीम की तफ़सीर इस पर मौक़ूफ़ नहीं कि दो ही मर्तबा क़रार दिया जाये, बल्कि हो सकता है कि उक्त आयतों में उस वाक़िए का ज़िक्र हो जो पहली बार के सूर फूँकने के बाद हुआ था, उसको इस वक़्त हाज़िर मान करके यह कलिमा फ़रमाया गया हो। वल्लाहु आलम

يَعْلَمُ خَآئِنَةَ الْاَعْيُنِ

नज़र की ख़ियानत से मुराद यह है कि कोई शख़्स लोगों से चुराकर ऐसी चीज़ पर नज़र डाले जो उसके लिये हराम और नाजायज़ हो, जैसे किसी ग़ैर-मेहरम पर जिन्सी इच्छा से नज़र करे और जब किसी को देखे तो नज़र हटा ले, या इस तरह नज़र डाले कि जिसको देखने वाले महसूस न करें, अल्लाह तआला के नज़दीक ये सब चीज़ें ज़ाहिर हैं।

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مُوْسٰى بِاٰيٰتِنَا وَسُلْطٰنٍ مُّبِيْنٍ ﴿٢٣﴾ اِلٰى فِرْعَوْنَ وَهَامٰنَ وَقَارُوْنَ فَقَالُوْا سٰحِرٌ كَذَّابٌ ﴿٢٤﴾ فَلَمَّا جَآءَهُمْ بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا اقْتُلُوْٓا اَبْنَآءَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ وَاسْتَحْيُوْا نِسَآءَهُمْ ۚ وَمَا كَيْدُ الْكٰفِرِيْنَ اِلَّا فِيْ ضَلٰلٍ ﴿٢٥﴾ وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُوْنِيْٓ اَقْتُلْ مُوْسٰى وَلْيَدْعُ رَبَّهٗ ۚ اِنِّيْٓ اَخَافُ اَنْ يُّبَدِّلَ دِيْنَكُمْ اَوْ اَنْ يُّظْهِرَ فِي الْاَرْضِ الْفَسَادَ ﴿٢٦﴾ وَقَالَ مُوْسٰٓى اِنِّيْ عُذْتُ بِرَبِّيْ وَرَبِّكُمْ مِّنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَّا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ ﴿٢٧﴾ وَقَالَ رَجُلٌ مُّؤْمِنٌ ۖ مِّنْ اٰلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ اِيْمَانَهٗٓ اَتَقْتُلُوْنَ رَجُلًا اَنْ يَّقُوْلَ رَبِّيَ اللّٰهُ وَقَدْ جَآءَكُمْ بِالْبَيِّنٰتِ مِنْ رَّبِّكُمْ ۭ وَاِنْ يَّكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهٗ ۚ وَاِنْ يَّكُ صَادِقًا يُّصِبْكُمْ بَعْضُ الَّذِيْ يَعِدُكُمْ ۭ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِيْ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ ﴿٢٨﴾ يٰقَوْمِ لَكُمُ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ظٰهِرِيْنَ فِي الْاَرْضِ ۡ فَمَنْ يَّنْصُرُنَا مِنْۢ بَاْسِ اللّٰهِ اِنْ جَآءَنَا ۭ قَالَ فِرْعَوْنُ مَآ اُرِيْكُمْ اِلَّا مَآ اَرٰى وَمَآ اَهْدِيْكُمْ اِلَّا سَبِيْلَ الرَّشَادِ ﴿٢٩﴾ وَقَالَ الَّذِيْٓ اٰمَنَ يٰقَوْمِ اِنِّيْٓ اَخَافُ عَلَيْكُمْ مِّثْلَ يَوْمِ الْاَحْزَابِ ﴿٣٠﴾ مِثْلَ دَاْبِ قَوْمِ نُوْحٍ وَّعَادٍ وَّثَمُوْدَ وَالَّذِيْنَ مِنْۢ بَعْدِهِمْ ۭ وَمَا اللّٰهُ يُرِيْدُ ظُلْمًا لِّلْعِبَادِ ﴿٣١﴾ وَيٰقَوْمِ اِنِّيْٓ اَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ ﴿٣٢﴾ يَوْمَ تُوَلُّوْنَ مُدْبِرِيْنَ ۚ مَا لَكُمْ مِّنَ اللّٰهِ مِنْ عَاصِمٍ ۚ وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهٗ مِنْ هَادٍ ﴿٣٣﴾ وَلَقَدْ جَآءَكُمْ يُوْسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنٰتِ فَمَا زِلْتُمْ فِيْ شَكٍّ مِّمَّا جَآءَكُمْ بِهٖ ۭ حَتّٰىٓ اِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَنْ يَّبْعَثَ اللّٰهُ مِنْۢ بَعْدِهٖ رَسُوْلًا ۭ كَذٰلِكَ يُضِلُّ اللّٰهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُّرْتَابٌ ﴿٣٤﴾ الَّذِيْنَ يُجَادِلُوْنَ فِيْٓ

آيَاتِ اللّٰهِ بِغَيْرِ سُلْطٰنٍ اَتٰهُمْ ۖ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللّٰهِ وَ عِنْدَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ۚ كَذٰلِكَ يَطْبَعُ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ قَلْبِ
مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ ۝ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يٰهَامٰنُ ابْنِ لِيْ صَرْحًا لَّعَلِّيْٓ اَبْلُغُ الْاَسْبَابَ ۝ اَسْبَابَ السَّمٰوٰتِ
فَاَطَّلِعَ اِلٰٓى اِلٰهِ مُوْسٰى وَاِنِّيْ لَاَظُنُّهٗ كَاذِبًا ۚ وَكَذٰلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوْٓءُ عَمَلِهٖ وَصُدَّ عَنِ السَّبِيْلِ ۚ وَمَا
كَيْدُ فِرْعَوْنَ اِلَّا فِيْ تَبَابٍ ۝ وَقَالَ الَّذِيْٓ اٰمَنَ يٰقَوْمِ اتَّبِعُوْنِ اَهْدِكُمْ سَبِيْلَ الرَّشَادِ ۝ يٰقَوْمِ اِنَّمَا
هٰذِهِ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا مَتَاعٌ ۫ وَّاِنَّ الْاٰخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ ۝ مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزٰٓى اِلَّا مِثْلَهَا ۚ
وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَاُولٰٓئِكَ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُوْنَ فِيْهَا بِغَيْرِ
حِسَابٍ ۝ وَيٰقَوْمِ مَا لِيْٓ اَدْعُوْكُمْ اِلَى النَّجٰوةِ وَتَدْعُوْنَنِيْٓ اِلَى النَّارِ ۝ تَدْعُوْنَنِيْ لِاَكْفُرَ بِاللّٰهِ وَ
اُشْرِكَ بِهٖ مَا لَيْسَ لِيْ بِهٖ عِلْمٌ ۫ وَّاَنَا اَدْعُوْكُمْ اِلَى الْعَزِيْزِ الْغَفَّارِ ۝ لَا جَرَمَ اَنَّمَا تَدْعُوْنَنِيْٓ اِلَيْهِ
لَيْسَ لَهٗ دَعْوَةٌ فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي الْاٰخِرَةِ وَاَنَّ مَرَدَّنَآ اِلَى اللّٰهِ وَاَنَّ الْمُسْرِفِيْنَ هُمْ اَصْحٰبُ النَّارِ ۝
فَسَتَذْكُرُوْنَ مَآ اَقُوْلُ لَكُمْ ۚ وَاُفَوِّضُ اَمْرِيْٓ اِلَى اللّٰهِ ۚ اِنَّ اللّٰهَ بَصِيْرٌۢ بِالْعِبَادِ ۝ فَوَقٰىهُ اللّٰهُ سَيِّاٰتِ مَا
مَكَرُوْا وَحَاقَ بِاٰلِ فِرْعَوْنَ سُوْٓءُ الْعَذَابِ ۝ اَلنَّارُ يُعْرَضُوْنَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَّعَشِيًّا ۚ وَيَوْمَ تَقُوْمُ
السَّاعَةُ ۫ اَدْخِلُوْٓا اٰلَ فِرْعَوْنَ اَشَدَّ الْعَذَابِ ۝

ع
النصف

व ल-क़द् अर्सल्ना मूसा बिआयातिना व सुल्तानिम् मुबीन (23) इला फ़िर्औ-न व हामा-न व क़ारू-न फ़क़ालू साहिरुन् कज़्ज़ाब (24) फ़-लम्मा जा-अहुम् बिल्हक़्क़ि मिन् अिन्दिना क़ालुक़्तुलू अब्नाअल्लज़ी-न आमनू म-अहू वस्तह्यू निसा-अहुम्, व मा कैदुल्-काफ़िरी-न इल्ला फ़ी ज़लाल (25) व क़ा-ल फ़िर्औनु ज़रूनी अक़्तुल् मूसा वल्यद्अु रब्बहू इन्नी अख़ाफ़ु अंय्यु-बद्दि-ल दी-नकुम्

और हमने भेजा मूसा को अपनी निशानियाँ देकर और खुली सनद (23) फ़िरऔन और हामान और क़ारून के पास, फिर कहने लगे यह जादूगर है झूठा। (24) फिर जब पहुँचा उनके पास लेकर सच्ची बात हमारे पास से बोले मार डालो बेटे उनके जो यक़ीन लाये हैं उसके साथ और ज़िन्दा रखो उनकी औरतें, और जो दाव है मुन्किरों का सो ग़लती में। (25) और बोला फ़िरऔन मुझको छोड़ो कि मार डालूँ मूसा को और पड़ा पुकारे अपने रब को, मैं डरता हूँ कि बिगाड़ दे तुम्हारा दीन

औ अंय्युज़्हि-र फ़िल्अर्ज़िल्-फ़साद (26) व क़ा-ल मूसा इन्नी उज़्तु बिरब्बी व रब्बिकुम् मिन् कुल्लि मु-तकब्बिरिल्-ला युअ्मिनु बियौमिल्-हिसाब (27) ❁

व क़ा-ल रजुलुम्-मुअ्मिनुम्-मिन् आलि फ़िर्औ-न यक्तुमु ईमानहू अ-तक़्तुलू-न रजुलन् अंय्यक़ू-ल रब्बियल्लाहु व क़द् जा-अकुम् बिल्-बय्यिनाति मिर्रब्बिकुम्, व इंय्यकु काज़िबन् फ़-अ़लैहि कज़िबुहू व इंय्यकु सादिकंय्-युसिब्कुम् बअ्ज़ुल्लज़ी यअ़िदुकुम्, इन्नल्ला-ह ला यह्दी मन् हु-व मुस्रिफ़ुन् कज़्ज़ाब (28) या क़ौमि लकुमुल्-मुल्कुल्-यौ-म ज़ाहिरी-न फ़िल्अर्ज़ि फ़-मंय्यन्सुरुना मिम्बअ्सिल्लाहि इन् जा-अना, क़ा-ल फ़िर्औनु मा उरीकुम् इल्ला मा अरा व मा अह्दीकुम् इल्ला सबीलर्-रशाद (29) व क़ालल्लज़ी आम-न या क़ौमि इन्नी अख़ाफ़ु अ़लैकुम् मिस्-ल यौमिल्-अह्ज़ाब (30) मिस्-ल दअ्बि क़ौमि नूहिंव्-व आ़दिंव्-व समू-द वल्लज़ी-न मिम्बअ्दिहिम्, व मल्लाहु युरीदु

या फैलाये मुल्क में ख़राबी। (26) और कहा मूसा ने मैं पनाह ले चुका हूँ अपने और तुम्हारे रब की हर ग़ुरूर वाले से जो यक़ीन न करे हिसाब के दिन का। (27) ❁

और बोला एक ईमान वाला मर्द फ़िरऔन के लोगों में जो छुपाता था अपना ईमान- क्या मारे डालते हो एक मर्द को इस बात पर कि कहता है मेरा रब अल्लाह है, और लाया तुम्हारे पास खुली निशानियाँ तुम्हारे रब की, और अगर वह झूठा होगा तो उस पर पड़ेगा उसका झूठ, और अगर वह सच्चा होगा तो तुम पर पड़ेगा कोई न कोई वादा जो तुमसे करता है, बेशक अल्लाह राह नहीं देता उसको जो हो बेलिहाज़ झूठा। (28) ऐ मेरी क़ौम! आज तुम्हारा राज है चढ़ रहे हो मुल्क में, फिर कौन मदद करेगा हमारी अल्लाह की आफ़त से अगर आ गई हम पर। बोला फ़िरऔन मैं तो वही बात सुझाता हूँ तुमको जो सूझी मुझको और वही राह बतलाता हूँ जिसमें भलाई है। (29) और कहा उसी ईमान वाले ने ऐ मेरी क़ौम! मैं डरता हूँ कि आये तुम पर दिन अगले फ़िर्क़ों के जैसा (30) जैसे हाल हुआ नूह की क़ौम का और आ़द और समूद का और जो लोग उनके बाद हुए और अल्लाह बेइन्साफ़ी नहीं चाहता

ज़ुल्मल्-लिल्ज़िबाद (31) व या क़ौमि इन्नी अख़ाफ़ु अ़लैकुम् यौमत्तनाद (32) यौ-म तुवल्लू-न मुद्बिरी-न मा लकुम् मिनल्लाहि मिन् आ़सिमिन् व मंय्युज़्लिलिल्लाहु फ़मा लहू मिन् हाद (33) व ल-क़द् जा-अकुम् यूसुफ़ु मिन् क़ब्लु बिल्बय्यिनाति फ़मा ज़िल्तुम् फ़ी शक्किम् मिम्मा जा-अकुम् बिही, हत्ता इज़ा ह-ल-क क़ुल्तुम् लंय्यब्असल्लाहु मिम्बअ़्दिही रसूलन्, कज़ालि-क युज़िल्लुल्लाहु मन् हु-व मुस्रिफ़ुम्-मुर्ताब (34) अल्लज़ी-न युजादिलू-न फ़ी आयातिल्लाहि बिग़ैरि सुल्तानिन् अताहुम्, कबु-र मक़्तन् अ़िन्दल्लाहि व अ़िन्दल्लज़ी-न आमनू, कज़ालि-क यत्बअ़ुल्लाहु अ़ला क़ुल्लि क़ल्बि मु-तकब्बिरिन् जब्बार (35) व क़ा-ल फ़िर्औ़नु या हामानुब्नि-ली सर्हल्-लअ़ल्ली अब्लुग़ुल्-अस्बाब (36) अस्बाबस्समावाति फ़-अत्तलि-अ़ इला इलाहि मूसा व इन्नी ल-अज़ुन्नुहू काज़िबन्, व कज़ालि-क ज़ुय्यि-न लिफ़िर्औ़-न सू-उ अ़-मलिही व सुद्-द अ़निस्सबीलि, व मा कैदु फ़िर्औ़-न इल्ला फ़ी तबाब (37) ✿

बन्दों पर। (31) और ऐ मेरी क़ौम! मैं डरता हूँ कि तुम पर आये दिन हाँक पुकार का (32) जिस दिन भागोगे पीठ फेरकर, कोई नहीं तुमको अल्लाह से बचाने वाला, और जिसको ग़लती में डाले अल्लाह तो कोई नहीं उसको सुझाने वाला। (33) और तुम्हारे पास आ चुका है इससे पहले यूसुफ़ खुली बातें लेकर फिर तुम रहे धोखे ही में उन चीज़ों से जो वह तुम्हारे पास लेकर आया यहाँ तक कि जब मर गया लगे कहने हरगिज़ न भेजेगा अल्लाह उसके बाद कोई रसूल, इसी तरह भटकाता है अल्लाह उसको जो हो बेबाक शक करने वाला (34) वे जो कि झगड़ते हैं अल्लाह की बातों में बग़ैर किसी सनद के जो पहुँचती हो उनको, बड़ी बेज़ारी है अल्लाह के यहाँ और ईमान वालों के यहाँ, इसी तरह मुहर कर देता है अल्लाह हर दिल पर ग़ुरूर वाले सरकश के। (35) और बोला फ़िरऔ़न कि ऐ हामान! बना मेरे वास्ते एक ऊँचा महल शायद मैं जा पहुँचूँ रस्तों में (36) रस्तों में आसमानों के, फिर झाँककर देखूँ मूसा के माबूद को और मेरी अटकल में तो वह झूठा है, और इसी तरह भले दिखला दिये फ़िरऔ़न को उसके बुरे काम और रोक दिया गया सीधी राह से, और जो दाव था फ़िरऔ़न का सो तबाह होने के वास्ते। (37) ✿

व कालल्लज़ी आम-न या क़ौमित्तबिअ़ूनि अह्दिकुम् सबीलर्रशाद (38) या क़ौमि इन्नमा हाज़िहिल्-हयातुद्दुन्या मताअुंव्-व इन्नल्-आख़िर-त हि-य दारुल्-क़रार (39) मन् अ़मि-ल सय्यि-अतन् फ़ला युज्ज़ा इल्ला मिस्लहा व मन् अ़मि-ल सालिहम्-मिन् ज़-करिन् औ उन्सा व हु-व मुअ्मिनून् फ़-उलाइ-क यद्ख़ुलूनल्-जन्न-त युर्ज़क़ू-न फ़ीहा बिग़ैरि हिसाब (40) व या क़ौमि मा ली अद्अ़ूकुम् इलन्नजाति व तद्अ़ू-ननी इलन्नार (41) ● तद्अ़ू-ननी लि-अक्फ़ु-र बिल्लाहि व उश्रि-क बिही मा लै-स ली बिही अ़िल्मुंव्-व अ-न अद्अ़ूकुम् इलल्-अ़ज़ीज़िल्-ग़फ़्फ़ार (42) ला ज-र-म अन्नमा तद्अ़ू-ननी इलैहि लै-स लहू दअ़्वतुन् फ़िद्दुन्या व ला फ़िल्-आख़िरति व अन्-न मरद्दना इलल्लाहि व अन्नल्-मुस्रिफ़ी-न हुम् अस्हाबुन्नार (43) फ़-सतज़्कुरू-न मा अक़ूलु लकुम् व उफ़व्विज़ु अम्री इलल्लाहि, इन्नल्ला-ह बसीरुम्-बिल्अ़िबाद (44) फ़-वक़ाहुल्लाहु

और कहा उसी ईमान वाले ने ऐ क़ौम! राह चलो मेरी पहुँचा दूँ तुमको नेकी की राह पर। (38) ऐ मेरी क़ौम! यह जो ज़िन्दगी है दुनिया की सो कुछ बरत लेना है और वह घर जो पिछला है वही है जमकर रहने का घर। (39) जिसने की है बुराई तो वही बदला पायेगा उसके बराबर और जिसने की है भलाई मर्द हो या औरत और वह यक़ीन रखता हो सो वे लोग जायेंगे जन्नत में, रोज़ी पायेंगे वहाँ बेशुमार। (40) और ऐ क़ौम! मुझको क्या हुआ है बुलाता हूँ तुमको निजात की तरफ़ और तुम बुलाते हो मुझको आग की तरफ़। (41) ● तुम बुलाते हो मुझको कि मुन्किर हो जाऊँ अल्लाह से और शरीक ठहराऊँ उसका उसको जिसकी मुझको ख़बर नहीं, और मैं बुलाता हूँ तुमको उस ज़बरदस्त गुनाह बख़्शने वाले की तरफ़। (42) ख़ुद ही ज़ाहिर है कि जिसकी तरफ़ तुम मुझको बुलाते हो उसका बुलावा कहीं नहीं दुनिया में और न आख़िरत में, और यह कि हमको फिर जाना है अल्लाह के पास, और यह कि ज़्यादती वाले वही हैं दोज़ख़ के लोग। (43) सो आगे याद करोगे जो मैं कहता हूँ तुमको और मैं सौंपता हूँ अपना काम अल्लाह को, बेशक अल्लाह की निगाह में हैं सब बन्दे। (44) फिर बचा लिया मूसा

सय्यिआति मा म-करू व हा-क़ बि-आलि फ़िर्औ-न सूउल्-अ़ज़ाब (45) अन्नारु युअ्-रज़ू-न अ़लैहा ग़ुदुव्वंव्-व अ़शिय्यन् व यौ-म तक़ूमुस्सा-अ़तु, अद्ख़िलू आ-ल फ़िर्औ-न अशद्दल्-अ़ज़ाब (46)	को अल्लाह ने बुरे दाव से जो वे करते थे और उलट पड़ा फ़िरऔ़न वालों पर बुरी तरह का अ़ज़ाब। (45) वह आग है कि दिखला देते हैं उनको सुबह और शाम, और जिस दिन क़ायम होगी क़ियामत हुक्म होगा दाख़िल करो फ़िरऔ़न वालों को सख़्त से सख़्त अ़ज़ाब में। (46)

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

और हमने मूसा (अ़लैहिस्सलाम) को अपने अहकाम और खुली दलील (यानी मोजिज़ा) देकर फ़िरऔ़न और हामान और क़ारून के पास भेजा, तो उन लोगों (में से कुछ ने या सब) ने कहा कि (नऊज़ु बिल्लाह) यह जादूगर (और) झूठा है। (जादूगर मोजिज़े में कहा और झूठा नुबुव्वत व अहकाम के दावे में कहा। यह क़ौल फ़िरऔ़न, हामान और क़ारून तीन की तरफ़ मन्सूब किया गया है मगर क़ारून चूँकि बनी इस्राईल में से था और बज़ाहिर मूसा अ़लैहिस्सलाम पर ईमान रखता था उसका उनको जादूगर कहना बज़ाहिर मुश्किल और दूर की बात है, लेकिन हो सकता है यह उस वक़्त भी मुनाफ़िक़ हो, मूसा अ़लैहिस्सलाम पर ज़ाहिर में ईमान का दावा करता हो हक़ीक़त में ऐसा न हो। और यह भी मुम्किन है कि यह क़ौल सिर्फ़ फ़िरऔ़न व हामान का हो अक्सरियती एतिबार से तीनों की तरफ़ निस्बत कर दी गई हो)। फिर (उसके बाद) जब वह (आ़म) लोगों के पास दीने हक़ जो कि हमारी तरफ़ से था, लेकर आये (जिस पर कुछ लोग मुसलमान भी हो गये) तो उन (ज़िक्र शुदा) लोगों ने (मश्विरे के तौर पर) कहा कि जो लोग उनके साथ (होकर) ईमान ले आये हैं उनके बेटों को क़त्ल कर डालो (ताकि उनकी संख्या और क़ुव्वत न बढ़ जाये जिससे सल्तनत के ख़ात्मे और पतन का अन्देशा है) और (चूँकि औ़रतों से ऐसा अन्देशा नहीं और साथ ही यह कि हमारे घरों में काम करने के लिये उनकी ज़रूरत है इसलिये) उनकी लड़कियों को ज़िन्दा रहने दो (ग़र्ज़ कि उन्होंने मूसा अ़लैहिस्सलाम के ग़लबे का ख़तरा महसूस करके उसको रोकने और बन्दिश की यह तदबीर की) और उन काफ़िरों की तदबीर बिल्कुल बेअसर रही (चुनाँचे आख़िर में मूसा अ़लैहिस्सलाम ग़ालिब आये। बनी इस्राईल के नवजात लड़कों के क़त्ल का हुक्म एक तो हज़रत मूसा अ़लैहिस्सलाम की पैदाईश से पहले दिया गया था जिसके नतीजे में हज़रत मूसा अ़लैहिस्सलाम को दरिया में डालने की नौबत आई और क़ुदरत ने इस बच्चे को ख़ुद फ़िरऔ़न के घर में पलवाया। यह दूसरा फ़ैसला उनके लड़कों को क़त्ल करने का मूसा अ़लैहिस्सलाम की पैदाईश और नुबुव्वत के बाद उस वक़्त का है जबकि इनके मोजिज़े देखकर आले फ़िरऔ़न ने यह ख़तरा महसूस किया कि इनका जत्था बढ़ गया तो हमारी सल्तनत की ख़ैर नहीं। फिर यह किसी रिवायत में नज़र से नहीं गुज़रा कि लड़कों के क़त्ल करने का यह क़ानून उस वक़्त नाफ़िज़ हुआ या नहीं। फिर उसके बाद ख़ुद मूसा अ़लैहिस्सलाम के क़त्ल के बारे

में गुफ़्तगु हुई) और फ़िरऔन ने (दरबार वालों से) कहा कि मुझको छोड़ दो मैं मूसा को क़त्ल कर डालूँ और उसको चाहिए कि अपने रब को (मदद के लिये) पुकारे। मुझको अन्देशा है कि वह (कहीं) तुम्हारा दीन (न) बदल डाले, या मुल्क में कोई फ़साद (न) फैला दे (कि एक नुक़सान दीन का है और दूसरा नुक़सान दुनिया का। और फ़िरऔन का यह कहना कि मुझको छोड़ो, या तो इस वजह से है कि दरबार वालों ने शायद इसलिये क़त्ल की राय न दी होगी कि उसको मुल्क की मस्लेहत के ख़िलाफ़ समझा होगा कि आ़म चर्चा होगा कि एक निहत्थे और बेसामान के शख़्स से डर गये, और या यह कहना यह ज़ाहिर करने के तौर पर है कि आ़म सुनने वाले यह समझें कि अब तक उनके क़त्ल में देरी सलाहकारों के रोकने के सबब से हुई, अगरचे वास्तव में क़त्ल करने पर ख़ुद उसको जुर्रत न थी। क्योंकि दिल में तो मोजिज़ों से यक़ीन हो ही गया था, इसलिये उसको ख़तरा था कि उनको क़त्ल किया तो किसी आसमानी अ़ज़ाब व बला में मुब्तला हो जाऊँगा मगर अपने ख़ौफ़ को दरबारियों के सर डालने के लिये ऐसा कहा। और इसी तरह 'उसको चाहिये कि अपने रब को मदद के लिये पुकारे' कहना भी लोगों पर अपनी बहादुरी जतलाने के लिये होगा, अगरचे दिल अन्दर से थर्रा रहा हो)।

और मूसा (अ़लैहिस्सलाम ने जब यह बात सुनी चाहे डायरेक्ट ख़ुद सुनी हो या किसी माध्यम से तो उन्होंने) कहा कि मैं अपने और तुम्हारे (यानी सब के) परवर्दिगार की पनाह लेता हूँ, हर घमण्डी और बद-दिमाग़ शख़्स (की बुराई) से, जो हिसाब के दिन पर यक़ीन नहीं रखता (और इसलिये हक़ का मुक़ाबला करता है)।

और (उस मश्विरे की मज्लिस में) एक मोमिन शख़्स ने जो कि फ़िरऔन के ख़ानदान में से थे (और अब तक) अपना ईमान पोशीदा रखते थे (यह मश्विरा सुनकर लोगों से) कहा क्या तुम एक शख़्स को (सिर्फ़) इस बात पर क़त्ल करते हो कि वह कहता है कि मेरा परवर्दिगार अल्लाह है, हालाँकि वह तुम्हारे रब की तरफ़ से (इस दावे पर) दलीलें (भी) लेकर आया है (यानी मोजिज़े भी दिखलाता है जो दलील है नुबुव्वत के दावे में सच्चा होने की, और दलील मौजूद होते हुए दलील वाले की मुख़ालफ़त करना और मुख़ालफ़त भी इस दर्जे की कि क़त्ल का इरादा किया जाये बहुत ही नामुनासिब है) और अगर (मान लो) वह झूठा है तो उसका झूठ उसी पर पड़ेगा (और ख़ुद ही अल्लाह की तरफ़ से रुस्वा हो जायेगा, क़त्ल करने की क्या ज़रूरत) और अगर वह सच्चा हुआ तो वह जो कुछ भविष्यवाणी कर रहा है (कि ईमान न लाने की सूरत में ऐसा-ऐसा अ़ज़ाब होगा) उसमें से कुछ तो तुम पर (ज़रूर ही) पड़ेगा। (तो इस सूरत में क़त्ल करने से और ज़्यादा बला अपने सर पर लेना है। ग़र्ज़ कि उसके झूठा होने की सूरत में क़त्ल करना फ़ुज़ूल और सच्चा होने की सूरत में नुक़सान देने वाली चीज़ है, फिर ऐसा काम क्यों किया जाये, और यह कुल्ली क़ायदा है कि) अल्लाह तआ़ला ऐसे शख़्स को मक़सूद तक नहीं पहुँचाता जो (अपनी) हद से गुज़र जाने वाला (और) बहुत झूठ बोलने वाला हो (यानी वक़्ती तौर पर थोड़ी-बहुत उसकी बात चल जाये तो मुम्किन है मगर अन्जामकार उसकी नाकामी यक़ीनी है। पस इस कुल्ली क़ायदे के ऐतिबार से अगर मान लो मूसा अ़लैहिस्सलाम झूठे हों तो इस वजह से कि नुबुव्वत का झूठा दावा करना बहुत बड़ा गुनाह और सख़्त जुर्रत है, ऐसे झूठे और बोहतान बाज़ को भी अगर क़हर व हलाकत का शिकार न किया जाये तो मख़्लूक़ को ख़ुद शुब्हे, भ्रम और धोखे में मुब्तला करना लाज़िम आता है और अ़क़्ली तौर पर यह हक़ तआ़ला से नहीं

हो सकता, इसलिये ज़रूरी है कि यह नाकाम व रुस्वा होंगे, फिर क़त्ल करने की क्या ज़रूरत है? और अगर सच्चे हैं तो तुम लोग यक़ीनन झूठे हो और झूठ में हद से गुज़रने वाले भी हो कि फ़िरऔन की ख़ुदाई के दावेदार हो और हद से गुज़रने वाले झूठे को कामयाबी होती नहीं। पस तुम लोग क़त्ल में कामयाब न होगे, या तो क़ुदरत न होगी या उसका आख़िरी नतीजा बुरा होगा। बहरहाल दोनों हालतों का तक़ाज़ा यही हुआ कि उनको क़त्ल न किया जाये। और इस पर यह शुब्हा न किया जाये कि इससे तो यह लाज़िम आता है कि किसी फ़साद फैलाने वाले को कभी क़त्ल न किया जाये। जवाब यह है कि यह तक़रीर उस सूरत में है जहाँ झूठा होने या सच्चा होने में शुब्हा हो और मोजिज़ों से अगरचे कम दर्जे का हो उनके सच्चा होने का गुमान व संभावना ज़रूर थी, और जहाँ यक़ीनी और निश्चित दलीलों से झूठा होना यक़ीनी हो वहाँ ऐसा नहीं होगा। और अगरचे उस मोमिन को मूसा अ़लैहिस्सलाम के सच्चा होने का पूरा यक़ीन था मगर इस अन्दाज़ से गुफ़्तगू करना लोगों की तबीयत की रियायत से था, कि वे कुछ ग़ौर करने पर आमादा हो जायें। आगे भी इसी क़त्ल से रोकने के मुताल्लिक़ मज़मून है)।

ऐ मेरे भाईयो! आज तो तुम्हारी हुकूमत है कि इस सरज़मीन में तुम हाकिम हो, सो ख़ुदा के अ़ज़ाब में हमारी कौन मदद करेगा अगर (उनके क़त्ल करने से) वह हम पर आ पड़ा (जैसा कि उनके सच्चे होने की सूरत में इसकी संभावना है)। फ़िरऔन ने (यह तक़रीर सुनकर जवाब में) कहा कि मैं तुमको वही राय दूँगा जो ख़ुद समझ रहा हूँ (कि उनका क़त्ल ही मुनासिब है) और मैं तुमको बिल्कुल मस्लेहत का तरीक़ा बतलाता हूँ। और उस मोमिन ने (जब देखा कि नसीहत में नर्मी और मुख़ातब के ख़्याल की रियायत से काम नहीं चलता तो अब डराने और धमकी से काम लिया और) कहा साथियो! मुझको तुम्हारे बारे में दूसरी उम्मतों की तरह बुरे दिन का अन्देशा है जैसा कि क़ौमे नूह और आ़द और समूद और उनके बाद वालों (यानी क़ौमे लूत वग़ैरह) का हाल हुआ था, और अल्लाह तो बन्दों पर किसी तरह का ज़ुल्म करना नहीं चाहता (लेकिन जब तुम हरकतें ही ऐसी करोगे तो ज़रूर ही अपनी सज़ा को पहुँचोगे)।

और (यह डराना था दुनिया के अ़ज़ाब से, आगे आख़िरत के अ़ज़ाब से डराना है कि) साहिबो! मुझको तुम्हारे बारे में उस दिन का अन्देशा है जिसमें कसरत से आवाज़ें दी जाएँगी (यानी उस दिन में बड़े-बड़े वाक़िआ़त होंगे, क्योंकि आवाज़ें देने की कसरत यानी एक दूसरे को आवाज़ देना वाक़िआ़त के बड़ा और अहम होने में होता है। चुनाँचे सबसे पहले सूर फूँकने की आवाज़ होगी जिससे मुर्दे ज़िन्दा होंगे। अल्लाह तआ़ला का इरशाद है:

يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِنْ مَّكَانٍ قَرِيْبٍ ۝ يَّوْمَ يَسْمَعُوْنَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ.

एक आवाज़ व ऐलान हिसाब के लिये होगा। अल्लाह तआ़ला का क़ौल है:

يَوْمَ نَدْعُوْا كُلَّ اُنَاسٍ م بِاِمَامِهِمْ

एक आवाज़ एक दूसरे को पुकारना और आवाज़ देना जन्नत व दोज़ख़ वालों में होगा। सूरः आराफ़ में अल्लाह तआ़ला का फ़रमान है:

وَنَادٰٓى اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ .... الخ.

وَنَادٰٓى اَصْحٰبُ الْاَعْرَافِ ....الخ.

وَنَادٰٓى اَصْحٰبُ النَّارِ.............. الخ.

एक आवाज़ व पुकार आख़िर में मौत को दुंबे की शक्ल में ज़िबह करने के वक़्त होगी जैसा कि हदीस में है कि ऐ जन्नत वालो! अब किसी के लिये मौत नहीं, ऐ जहन्नम वालो! अब किसी के लिये मौत नहीं, जो जहाँ है अब वह हमेशा ज़िन्दा रहेगा। और आगे उस दिन की एक हालत बयान की गई है कि) जिस दिन (हिसाब की जगह से) पीठ फेरकर (दोज़ख़ की तरफ़) लौटोगे (जैसा कि इमाम बग़वी ने तफ़सीर की है, और उस वक़्त) तुमको ख़ुदा (के अ़ज़ाब) से कोई बचाने वाला न होगा (और इस मज़मून का तक़ाज़ा हिदायत क़ुबूल करने का है लेकिन) और जिसको ख़ुदा ही गुमराह करे उसको कोई हिदायत करने वाला नहीं।

और (आगे डाँट-डपट और तंबीह है इस पर कि मूसा अ़लैहिस्सलाम से पहले एक और पैग़म्बर को भी झुठला चुके हैं, यानी) इससे पहले तुम लोगों के पास यूसुफ़ (अ़लैहिस्सलाम तौहीद व नुबुव्वत की) दलीलें लेकर आ चुके हैं (यानी इसी क़िब्ती क़ौम में जिनमें से तुम भी हो, और तुम्हारे पूर्वजों से तुम तक भी उनकी ख़बर निरंतर पहुँची है) सो तुम उन बातों में भी बराबर शक (व इनकार) ही में रहे जो वह तुम्हारे पास लेकर आये थे, यहाँ तक कि जब उनकी वफ़ात हो गई तो तुम कहने लगे कि बस अब अल्लाह किसी रसूल को न भेजेगा। (यह क़ौल शरारत के तौर पर था। मतलब यह कि अव्वल तो यूसुफ़ भी रसूल न थे और अगर मान लो थे भी तो जब एक को न माना तो अल्लाह मियाँ कहेंगे कि दूसरे को भेजने से क्या फ़ायदा, तो हमेशा के लिये यह झगड़ा ख़त्म हो गया। इससे असल मक़सद रिसालत के मसले की नफ़ी करना है जैसा कि अगले क़ौल से मालूम होता है कि जिस तरह इस मसले में तुम ग़लत काम करने वाले हो) इसी तरह अल्लाह तआ़ला आपे से बाहर हो जाने वाले (और) शुब्हों में गिरफ़्तार रहने वाले को ग़लती में डाले रखता है, जो बिना किसी सनद के जो उनके पास मौजूद हो ख़ुदा की आयतों में झगड़े निकाला करते हैं। इस (उल्टी बहस) से ख़ुदा तआ़ला को भी बड़ी नफ़रत है और मोमिनों को भी। और (जिस तरह तुम्हारे दिलों पर मुहर लगा रखी है) इसी तरह अल्लाह तआ़ला हर घमण्डी, सरफिरे और ज़ालिम के पूरे दिल पर मुहर कर देता है (कि उसमें हक़ समझने की बिल्कुल ही गुन्जाईश नहीं रहती। यह तक़रीर थी उन मोमिन बुज़ुर्ग की जो फ़िरऔ़न के ख़ानदान में से हैं और अब तक ईमान का इज़हार नहीं किया था, और इस तक़रीर से उन बुज़ुर्ग का ईमान को छुपाना जाता रहा, चाहे पहली तक़रीर से या बाद की तक़रीर से यानी 'ऐ मेरी क़ौम! मैं डरता हूँ कि आये तुम पर अगले फ़िर्क़ों जैसा दिन' और पहली सूरत ही ज़ाहिर है। अल्लाह तआ़ला ने फ़रमाया कि 'तुम्हारे पास आ चुका है खुली दलीलें लेकर..........')।

और फ़िरऔ़न ने (जो यह लाजवाब तक़रीर सुनी तो उस मोमिन को कुछ जवाब दे न सका, अपनी पुरानी जहालत पर अपने गुमान में हुज्जत क़ायम करने के लिये हामान से) कहा- ऐ हामान! मेरे लिये एक बुलन्द इमारत बनवाओ (मैं उस पर चढ़कर देखूँगा) शायद मैं आसमान पर जाने की राहों तक पहुँच जाऊँ। फिर (वहाँ जाकर) मूसा के ख़ुदा को देखूँ-भालूँ और मैं तो मूसा को (उसके दावे में) झूठा समझता हूँ। (आगे फ़िरऔ़न के मज़ीद बुरे किरदार का ज़िक्र है) और इसी तरह

फ़िरऔन के (दूसरे) बुरे काम (भी) उसको अच्छे मालूम हुए थे और (सीधे) रास्ते से रुक गया, और (मूसा अ़लैहिस्सलाम के मुक़ाबले में बड़ी-बड़ी तदबीरें कीं मगर) फ़िरऔन की हर तदबीर बेकार ही गई (किसी में कामयाब न हुआ)। और उस मोमिन ने (जब देखा कि फ़िरऔन से कोई माक़ूल जवाब नहीं बन पड़ा तो फिर दोबारा) कहा कि ऐ भाईयो! तुम मेरी राह पर चलो, मैं तुमको ठीक-ठीक रास्ता बतलाता हूँ। (यानी फ़िरऔन ने जो कहा था कि मैं तुम्हें नेकी के रास्ते की तरफ़ हिदायत करता हूँ उसका बताया हुआ रास्ता हरगिज़ नेकी यानी हिदायत का रास्ता नहीं, बल्कि नेकी और हिदायत का रास्ता मेरा बतलाया हुआ रास्ता है) ऐ भाईयो! यह दुनियावी ज़िन्दगी महज़ चन्द दिन है और (असल) ठहरने का मक़ाम तो आख़िरत है (जहाँ बदला देने का यह क़ानून है कि) जो शख़्स गुनाह करता है उसको तो बराबर-सराबर ही बदला मिलता है, और जो नेक काम करता है चाहे मर्द हो या औरत बशर्ते कि मोमिन हो, ऐसे लोग जन्नत में जाएँगे (और) वहाँ उनको बेहिसाब रिज़्क़ मिलेगा।

और (इस तक़रीर के वक़्त फ़िरऔन की आल में के उस मोमिन को यह महसूस हुआ कि ये लोग मेरी बातों पर ताज्जुब कर रहे हैं और बजाय मेरी बात मानने के मुझको ही अपने कुफ़्र के तरीक़े की तरफ़ बुलाना चाहते हैं, इसलिये यह भी कहा कि) ऐ मेरे भाईयो! यह क्या बात है कि मैं तो तुमको निजात (के रास्ते) की तरफ़ बुलाता हूँ और तुम मुझको दोज़ख़ (के रास्ते) की तरफ़ बुलाते हो? (यानी) तुम मुझको इस बात की तरफ़ बुलाते हो कि (अल्लाह की पनाह) मैं ख़ुदा के साथ कुफ़्र करूँ और ऐसी चीज़ों को उसका साझी बनाऊँ जिसके (साझी होने की) मेरे पास कोई भी दलील नहीं, और मैं तुमको ज़बरदस्त, ख़ता बख़्शने वाले ख़ुदा की तरफ़ बुलाता हूँ, यक़ीनी बात है कि तुम जिस चीज़ (की इबादत) की तरफ़ मुझको बुलाते हो वह न तो दुनिया ही में (किसी दुनियावी ज़रूरत के लिये) पुकारे जाने के लायक़ है और न (अ़ज़ाब को दूर करने के लिये) आख़िरत ही में, और (यक़ीनी बात है कि) हम सब को ख़ुदा तआ़ला के पास जाना है। और (यक़ीनी बात है कि) जो लोग (बन्दगी के) दायरे से निकल रहे हैं (जैसे ग़ैरुल्लाह की पूजा करने वाले) वे सब दोज़ख़ी होंगे। सो (अब तो मेरा कहना तुम्हारे जी को नहीं लगता मगर) आगे चलकर तुम मेरी बात को याद करोगे, और (चूँकि उस मोमिन को यह गुमान व शुब्हा पहले से है कि ये लोग इस नसीहत पर मेरे ख़िलाफ़ हो जायें और तकलीफ़ पहुँचायें और मुम्किन है कि उस वक़्त धमकी के कुछ आसार व निशानियाँ भी उनकी तरफ़ से सामने आई हों, इसलिये यह भी कहा कि) मैं अपना मामला अल्लाह के सुपुर्द करता हूँ। ख़ुदा तआ़ला सब बन्दों का (ख़ुद) निगराँ है (मैं तुमसे बिल्कुल नहीं डरता)।

फिर ख़ुदा तआ़ला ने उस (मोमिन) को उन लोगों की बुरी तदबीरों से महफ़ूज़ रखा (चुनाँचे वह उनके सताने और तकलीफ़ देने से महफ़ूज़ रहा और हज़रत क़तादा रह. के क़ौल के मुताबिक़ उसको भी मूसा अ़लैहिस्सलाम के साथ दरिया में ग़र्क़ होने से निजात हुई जैसा कि तफ़सीर दुर्रे मन्सूर में नक़ल किया गया है)। और फ़िरऔन वालों पर (मय फ़िरऔन के) तकलीफ़ वाला अ़ज़ाब नाज़िल हुआ (जिसका बयान यह है कि) वे लोग (बर्ज़ख़ में) सुबह व शाम आग के सामने लाये जाते हैं (और उनको बतलाया जाता है कि तुम क़ियामत के दिन इसमें दाख़िल होगे) और जिस दिन क़ियामत क़ायम होगी (हुक्म होगा) कि फ़िरऔन वालों को (मय फ़िरऔन के) बहुत ही सख़्त अ़ज़ाब में दाख़िल करो।

मआरिफ़ व मसाईल

आले फ़िरऔन में का मोमिन

ऊपर अनेक जगह तौहीद व रिसालत के इनकारियों की डाँट-डपट और धमकी के ज़िमन में काफ़िरों की मुख़ालफ़त व दुश्मनी का बयान हुआ है जिससे तबई तौर पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को रंज व मलाल होता था, आपकी तसल्ली के लिये उपरोक्त तक़रीबन दो रुकूअ में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और फ़िरऔन का किस्सा ज़िक्र किया गया है। इस किस्से में फ़िरऔन और उसकी कौम के साथ एक लम्बी गुफ़्तगू और बातचीत उस बुज़ुर्ग व नेक शख़्स की है जो ख़ुद फ़िरऔन की आल में से होने के बावजूद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मोजिज़े देखकर ईमान ले आया था मगर मस्लेहत के तहत अपने ईमान को उस वक़्त तक छुपा रखा था। इस गुफ़्तगू के वक़्त उसके ईमान का भी यक़ीनी व निश्चित ऐलान हो गया।

तफ़सीर के इमामों में से मुक़ातिल, सुद्दी और हज़रत हसन बसरी रह. ने फ़रमाया कि यह फ़िरऔन का चचाज़ाद भाई था और यह वही शख़्स था जिसने उस वक़्त जबकि क़िब्ती के क़त्ल के वाक़िए में उसके क़िसास (ख़ून का बदला ख़ून) के तौर पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को क़त्ल करने का मश्विरा फ़िरऔन के दरबार में हो रहा था तो यही शहर के किनारे से दौड़कर आया और मूसा अलैहिस्सलाम को ख़बर देखकर मश्विरा दिया कि मिस्र से बाहर चले जायें जिसका वाक़िआ सूरः क़सस में हक़ तआला ने बयान फ़रमाया है 'व जा-अ मिन् अक़्सल् मदीनति यस्आ.........' में।

आले फ़िरऔन के इन मोमिन का नाम कुछ हज़रात ने हबीब बतलाया है, मगर सही यह है कि हबीब उस शख़्स का नाम है जिसका किस्सा सूरः यासीन में आया है, इसका नाम शमआन है। सुहैली ने इस नाम को ज़्यादा सही क़रार दिया है, और दूसरे हज़रात ने इसका नाम हिज़क़ील बतलाया है। सालबी ने हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से यही क़ौल नक़ल किया है।

एक हदीस में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि सिद्दीक़ीन चन्द हैं- एक हबीब नज्जार जिसका किस्सा सूरः यासीन में है, दूसरा आले फ़िरऔन का मोमिन, तीसरे अबू बक्र और वह इन सब में अफ़ज़ल हैं। (तफ़सीरे क़ुर्तुबी)

يَكْتُمُ إِيْمَانَهُ

इससे मालूम हुआ कि कोई शख़्स अगर लोगों के सामने अपने ईमान का इज़हार न करे, दिल से पुख़्ता एतिक़ाद रखे तो वह मोमिन है, मगर शरीअत की स्पष्ट वज़ाहतों से यह साबित है कि ईमान के मक़बूल होने के लिये सिर्फ़ दिल का यक़ीन काफ़ी नहीं बल्कि ज़बान से इक़रार करना शर्त है, जब तक ज़बान से इक़रार न करेगा मोमिन न होगा। अलबत्ता ज़बान का इक़रार लोगों के सामने ऐलान के साथ करना ज़रूरी नहीं, इसकी ज़रूरत सिर्फ़ इस वजह से है कि जब तक लोगों को उसके ईमान का इल्म न होगा वे उसके साथ मुसलमानों जैसा मामला न कर सकेंगे। (तफ़सीरे क़ुर्तुबी)

مُؤْمِنٌ مِّنْ اٰلِ فِرْعَوْنَ

ने इस गुफ़्तगू और कलाम में आले फ़िरऔन और फ़िरऔन को विभिन्न उन्वानों से हक़ और ईमान की तरफ़ बुलाया, और वे जो हज़रत मूसा अ़लैहिस्सलाम को क़त्ल करने के पीछे लगे थे उनको इससे बाज़ रखा।

يٰقَوْمِ اِنِّیْٓ اَخَافُ عَلَیْكُمْ یَوْمَ التَّنَادِ○

तनादि से मुराद तनादी है जिसके मायने हैं आपस में एक दूसरे को निदा और आवाज़ देने के। क़ियामत के दिन को 'यौमुत्तनादि' इसलिये कहा गया कि उस दिन बेशुमार निदायें और आवाज़ें होंगी जिनका कुछ ज़िक्र ख़ुलासा-ए-तफ़सीर में आ चुका है, और हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि जब क़ियामत का दिन होगा तो अल्लाह का एक मुनादी निदा देगा कि अल्लाह के मुख़ालिफ़ लोग खड़े हो जायें। इससे मुराद वे लोग होंगे जो तक़दीर का इनकार करते थे और फिर जन्नत वाले दोज़ख़ वालों को और दोज़ख़ वाले जन्नत वालों को और आराफ़ वाले दोनों को निदा देकर अपनी-अपनी बातें करेंगे, और उस वक़्त हर ख़ुशनसीब और बदनसीब का नाम मय वल्दियत लेकर उनके नतीजे का ऐलान किया जायेगा कि फ़ुलाँ पुत्र फ़ुलाँ नेकबख़्त व कामयाब हो गया, इसके बाद बदबख़्ती का कोई शुब्हा व गुंजाईश नहीं रही, और फ़ुलाँ पुत्र फ़ुलाँ बदबख़्त हो गया, अब उसकी नेकबख़्ती का कोई शुब्हा व गुमान नहीं रहा। (इब्ने अबी हातिम फ़िसुन्नति, मज़हरी)

मुस्नद बज़्ज़ार व बैहक़ी में हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अ़न्हु की रिवायत से मालूम होता है कि यह नेकबख़्ती व बदबख़्ती का ऐलान आमाल के वज़न के बाद होगा।

और हज़रत अबू हाज़िम आरज रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि वह अपने नफ़्स को मुख़ातब करके फ़रमाया करते थे- ऐ आरज! क़ियामत के दिन आवाज़ दी जायेगी कि फ़ुलाँ क़िस्म के गुनाह करने वाले खड़े हो जायें, तू उनके साथ खड़ा होगा। फिर आवाज़ दी जायेगी कि फ़ुलाँ क़िस्म के गुनाह करने वाले खड़े हों, तू उनके साथ भी खड़ा होगा। फिर निदा की जायेगी कि फ़ुलाँ क़िस्म के गुनाह करने वाले खड़े हों, तू उनके साथ भी खड़ा होगा। और मैं समझता हूँ हर गुनाह के ऐलान के वक़्त तुझे उनके साथ खड़ा होना पड़ेगा (क्योंकि तूने हर क़िस्म के गुनाह जमा कर रखे हैं)।

(अबू नुऐम, तफ़सीरे मज़हरी)

یَوْمَ تُوَلُّوْنَ مُدْبِرِیْنَ

यानी जब तुम पुश्त फेरकर लौटोगे। ख़ुलासा-ए-तफ़सीर में इमाम बग़वी के हवाले से इसके मायने यह बयान हुए हैं कि यह उस हालत का बयान है जब मुजरिम हिसाब के मक़ाम से जहन्नम की तरफ़ ले जाये जायेंगे। इसका हासिल यह है कि पहले ये आवाज़ें और ऐलानात जिनका ज़िक्र "यौमुत्तनादि" की तफ़सीर में ऊपर हुआ है वो सब हो चुकेंगी, उसके बाद ये लोग हिसाब में खड़े होने के स्थान से मुड़कर जहन्नम की तरफ़ लेजाये जायेंगे।

और कुछ मुफ़स्सिरीन हज़रात के नज़दीक यह हाल दुनिया में पहली बार के सूर फूँके जाने के वक़्त का बयान किया गया है, कि जब पहला सूर फूँका जायेगा और ज़मीन फटेगी तो ये लोग इधर उधर भागेंगे मगर हर तरफ़ फ़रिश्तों का पहरा होगा कहीं निकलने का रास्ता न होगा। इन हज़रात के

नज़दीक "यौमुत्तनादि" से मुराद भी पहली बार का सूर फूँकने वक़्त है कि उसमें हर तरफ़ से चीख़ पुकार होगी। आयत की दूसरी क़िराअत से इसकी ताईद होती है जो हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु और इमाम ज़ह्हाक रह. से मन्क़ूल है कि "यौमुत्तनाद्दि" पढ़ते थे जो नद्द मस्दर से निकला है जिसके मायने भागने के हैं, तो यौमुत्तनाद्दि के मायने भी इस तफ़सीर के एतिबार से भागने का दिन हुए और 'तुवल्लू-न मुद्बिरीन' इसी की वज़ाहत व तफ़सील हुई।

तफ़सीरे मज़हरी में एक लम्बी हदीस इब्ने जरीर, मुस्नद अबू यअ़ला, बैहक़ी और मुस्नद अ़ब्द बिन हुमैद वग़ैरह के हवाले से हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से नक़ल की है जिसमें क़ियामत के दिन सूर के तीन बार फूँके जाने का ज़िक्र है। पहली बार का फूँकना **फ़ज़अ़** और दूसरी बार का **सअ़क़** और तीसरी बार का फूँकना **नशर**। **फ़ज़अ़** से सारी मख़्लूक़ में घबराहट और बेचैनी पैदा होगी यही सूर फूँका जाना और लम्बा होकर **सअ़क़** बन जायेगा जिससे सब बेहोश हो जायेंगे, फिर मर जायेंगे। आ़म तौर पर इन दोनों बार के सूर फूँकने के मजमूए को पहली बार का सूर फूँकना कहा गया है, जिसकी वजह ज़ाहिर है कि यह एक ही बार के फूँकने के वक़्त दो कैफ़ियतें होंगी, पहली फ़ज़अ़ और दूसरी सअ़क़। इस हदीस में भी फ़ज़अ़ वाले सूर फूँकने के वक़्त लोगों के इधर-उधर भागने का ज़िक्र करके यह फ़रमाया हैः

وَهُوَالَّذِیْ یَقُوْلُ اللّٰهُ یَوْمَ التَّنَادِ.

जिससे मालूम हुआ कि आयत में 'यौमत्तनादि' से मुराद पहली बार के सूर फूँकने के वक़्त लोगों का बेक़रारी व घबराहट में इधर-उधर दौड़ना है। (वल्लाहु सुब्हानहू व तआ़ला आलम)

كَذٰلِكَ يَطْبَعُ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ٥

यानी जिस तरह फ़िरऔ़न व हामान के दिलों ने मूसा अ़लैहिस्सलाम और आले फ़िरऔ़न में के मोमिन की नसीहतों से कोई असर नहीं लिया इसी तरह अल्लाह तआ़ला मुहर कर देते हैं हर ऐसे शख़्स के दिल पर जो मुतकब्बिर और जब्बार हो (मुतकब्बिर, तकब्बुर करने वाला और जब्बार के मायने हैं ज़ालिम क़ातिल) जिसका असर यह होता है कि उसमें ईमान का नूर दाख़िल नहीं होता और उसको अच्छे बुरे की तमीज़ नहीं रहती। एक क़िराअत में मुतकब्बिर और जब्बार को दिल की सिफ़त क़रार दिया है। वजह यह है कि तमाम अख़्लाक़ व आमाल का स्रोत (पैदा होने और निकलने की जगह) और सरचश्मा दिल ही है, हर अच्छा बुरा अ़मल दिल ही से पैदा होता है। इसी लिये हदीस में फ़रमाया है कि इनसान के बदन में एक गोश्त का टुकड़ा (यानी दिल) ऐसा है जिसके दुरुस्त होने से सारा बदन दुरुस्त हो जाता है और उसके ख़राब होने से सारा बदन ख़राब हो जाता है। (क़ुर्तुबी)

وَقَالَ فِرْعَوْنُ يٰهَامٰنُ ابْنِ لِيْ صَرْحًا

सरह के मायने बुलन्द तामीर के हैं। ज़ाहिर इसका यह है कि फ़िरऔ़न ने अपने वज़ीर हामान को हुक्म दिया कि ऐसी बुलन्द तामीर बनाओ जो आसमान के क़रीब तक चली जाये जिस पर जाकर मैं ख़ुदा को झाँककर देख लूँ। यह अहमक़ाना ख़्याल जो कोई अदना समझ का आदमी भी नहीं कर सकता मिस्र की हुकूमत के मालिक फ़िरऔ़न का या तो वास्तविक है जो उसकी इन्तिहाई बेवक़ूफ़ी और हिमाक़त की दलील है, और वज़ीर ने अगर उसके हुक्म का पालन किया तो वज़ीर भी परले दर्जे

का बेवक़ूफ़ है। मगर किसी भी हाकिम व बादशाह से ऐसे अहमक़ाना तसव्वुर की उम्मीद नहीं की जा सकती इसलिये कुछ हज़राते मुफ़स्सिरीन ने कहा कि यह तो वह भी जानता था कि कितनी ही बुलन्द तामीर बना ले वह आसमान तक नहीं पहुँच सकता, मगर अपने लोगों को बेवक़ूफ़ बनाने और दिखाने के लिये यह हरकत की थी। फिर किसी सही और मज़बूत रिवायत से यह साबित नहीं है कि ऐसा कोई आलीशान बुलन्द महल तामीर हुआ या नहीं। इमाम क़ुर्तुबी रह. ने नक़ल किया है कि यह बुलन्द तामीर कराई गई थी जो बुलन्दी पर पहुँचते ही गिर गई।

दारुल-उलूम देवबन्द के पहले सदर-मुदर्रिस मौलाना मुहम्मद याक़ूब साहिब रह. के ख़ास शागिर्द मेरे वालिद माजिद मौलाना मुहम्मद यासीन साहिब ने अपने उक्त उस्ताद से नक़ल करके फ़रमाया कि उस बुलन्द महल के गिरने के लिये ज़रूरी नहीं कि कोई आसमानी अ़ज़ाब आया हो बल्कि हर तामीर की बुलन्दी उसकी बुनियादों के संभालने पर निर्भर होती है, उसने कितनी भी गहरी बुनियाद रखी हो मगर एक हद तक ही गहरी होगी, जब उसके ऊपर तामीर चढ़ाता ही चला गया तो लाज़िम था कि जब उसकी बुनियादों की बरदाश्त से ज़्यादा हो जाये तो गिर जाये, इससे फ़िरऔन व हामान की दूसरी बेवक़ूफ़ी साबित हुई। वल्लाहु आलम

فَسَتَذْكُرُوْنَ مَآ اَقُوْلُ لَكُمْ وَاُفَوِّضُ اَمْرِیْٓ اِلَی اللّٰهِ. اِنَّ اللّٰهَ بَصِیْرٌۢ بِالْعِبَادِo

यह आले फ़िरऔन में के मोमिन का आख़िरी कलाम है जो अपनी क़ौम को हक़ की तरफ़ बुलाने के सिलसिले में किया गया, जिसमें इज़हार है कि आज तो तुम मेरी बात नहीं मानते मगर जब अ़ज़ाब तुम्हें आ पकड़ेगा तो उस वक़्त तुमको मेरी बात याद आयेगी, मगर उस वक़्त का याद आना बेकार होगा। और अब जबकि इस लम्बी गुफ़्तगू व बातचीत और नसीहत व दावत के ज़रिये आले फ़िरऔन में के उस मोमिन का ईमान उन लोगों पर ज़ाहिर हो गया तो फ़िक्र हुई कि अब ये लोग उनके पीछे लग जायेंगे इसलिये फ़रमाया कि मैं अपना मामला अल्लाह के सुपुर्द करता हूँ वह अपने बन्दों का निगराँ व मुहाफ़िज़ है। इमामे तफ़सीर मुक़ातिल रह. ने फ़रमाया कि उनके गुमान के मुताबिक़ क़ौमे फ़िरऔन उनके पीछे पड़ गयी तो यह पहाड़ की तरफ़ भाग निकले और उनकी पकड़ में न आ सके, जिसका ज़िक्र अगली आयत में इस तरह आया है:

فَوَقٰىهُ اللّٰهُ سَیِّاٰتِ مَا مَكَرُوْا وَحَاقَ بِاٰلِ فِرْعَوْنَ سُوْٓءُ الْعَذَابِo

यानी उसको अल्लाह तआ़ला ने क़ौमे फ़िरऔन की बुरी तदबीरों के शर (बुराई) से बचा लिया मगर ख़ुद क़ौमे फ़िरऔन सख़्त अ़ज़ाब में पकड़ी गई। मौला-ए-करीम ने आले फ़िरऔन के इस मोमिन को दुनिया में अव्वल तो आले फ़िरऔन की उनके ख़िलाफ़ तदबीरों से बचाया जिसकी तफ़सील क़ुरआन में बयान नहीं हुई, मगर क़ुरआन के अलफ़ाज़ से इतना मालूम होता है कि उनको क़त्ल करने और तकलीफ़ पहुँचाने के लिये क़ौमे फ़िरऔन ने बहुत सी तदबीरें की थीं और फिर जब क़ौमे फ़िरऔन ग़र्क़ हुई तो उस मोमिन बन्दे को हज़रत मूसा अ़लैहिस्सलाम के साथ निजात दी गई और आख़िरत की निजात तो ज़ाहिर ही है।

اَلنَّارُ یُعْرَضُوْنَ عَلَیْهَا غُدُوًّا وَّعَشِیًّا وَیَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ اَدْخِلُوْٓا اٰلَ فِرْعَوْنَ اَشَدَّ الْعَذَابِo

हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने इस आयत की तफ़सीर में फ़रमाया कि

आले फ़िरऔन की रूहें सियाह परिन्दों की शक्ल में हर दिन सुबह व शाम दो मर्तबा जहन्नम के सामने लाई जाती हैं और जहन्नम को दिखलाकर उनसे कहा जाता है कि तुम्हारा ठिकाना यह है।

(अ़ब्दुर्रज़्ज़ाक़ व इब्ने अबी हातिम, मज़हरी)

और बुख़ारी व मुस्लिम में हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि जब तुम में से कोई मर जाता है तो आ़लमे बर्ज़ख़ में सुबह व शाम उसको वह मक़ाम दिखलाया जाता है जहाँ क़ियामत के हिसाब के बाद उसको पहुँचना है, और यह मक़ाम दिखलाकर रोज़ाना उससे कहा जाता है कि तुझे आख़िरकार यहाँ पहुँचना है। अगर यह शख़्स जन्नत वालों में से है तो उसका जन्नत का ठिकाना उसको दिखलाया जायेगा और जहन्नम वालों में से है तो उसका जहन्नम का ठिकाना उसको दिखलाया जायेगा।

क़ब्र का अ़ज़ाब

यह आयत दलील है क़ब्र के अ़ज़ाब की, और हदीस की निरंतर रिवायतें और उम्मत का इजमा (एकमत होना) इस पर सुबूत हैं जिनको अहक़र ने एक मुस्तक़िल रिसाले में जमा कर दिया है यह रिसाला अहकामुल-क़ुरआन के छठे हिस्से का एक भाग होकर अ़रबी भाषा में प्रकाशित हो गया है।

وَاِذْ يَتَحَاجُّوْنَ فِى النَّارِ فَيَقُوْلُ الضُّعَفٰٓؤُا لِلَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْٓا اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ اَنْتُمْ مُّغْنُوْنَ عَنَّا نَصِيْبًا مِّنَ النَّارِ ۞ قَالَ الَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْٓا اِنَّا كُلٌّ فِيْهَآ اِنَّ اللّٰهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ ۞ وَقَالَ الَّذِيْنَ فِى النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ادْعُوْا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِّنَ الْعَذَابِ ۞ قَالُوْٓا اَوَلَمْ تَكُ تَاْتِيْكُمْ رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّنٰتِ ۗ قَالُوْا بَلٰى ۗ قَالُوْا فَادْعُوْا ۚ وَمَا دُعٰٓؤُا الْكٰفِرِيْنَ اِلَّا فِىْ ضَلٰلٍ ۞

ع ٥ / १०

व इज़् य-तहाज्जू-न फ़िन्नारि फ़-यक़ूलुज़्ज़ु-अ़फ़ा-उ लिल्लज़ीनस्तक्बरू इन्ना कुन्ना लकुम् त-बअ़न् फ़-हल् अन्तुम् मुग़्नू-न अ़न्ना नसीबम्-मिनन्नार (47) क़ालल्लज़ीन--स्तक्बरू इन्ना कुल्लुन् फ़ीहा इन्नल्ला-ह क़द् ह-क-म बैनल्-अ़िबाद (48) व क़ालल्लज़ी-न फ़िन्नारि लि-ख़-ज़-नति जहन्न-मद्ऊ रब्बकुम् युख़फ़्फ़िफ़् अ़न्ना यौमम्	और जब आपस में झगड़ेंगे आग के अन्दर फिर कहेंगे कमज़ोर ग़ुरूर करने वालों को हम थे तुम्हारे ताबे फिर कुछ तुम हम पर से उठा लोगे हिस्सा आग का? (47) कहेंगे जो ग़ुरूर करते थे- हम सब ही पड़े हुए हैं उसमें, बेशक अल्लाह फ़ैसला कर चुका बन्दों में। (48) और कहेंगे जो लोग पड़े हैं आग में दोज़ख़ के दारोग़ाओं को- माँगो अपने रब से कि हम पर हल्का कर

मिनल्-अ़ज़ाब (49) क़ालू अ-व लम् तकु तअ्तीकुम् रुसुलुकुम् बिल्बय्यिनाति, क़ालू बला, क़ालू फ़द्अू व मा दुआउल्-काफ़िरी-न इल्ला फ़ी ज़लाल (50) ✿	दे एक दिन थोड़ा अ़ज़ाब। (49) वे बोले क्या न आते थे तुम्हारे पास तुम्हारे रसूल खुली निशानियाँ लेकर? कहेंगे क्यों नहीं! बोले फिर पुकारो, और कुछ नहीं काफ़िरों का पुकारना मगर भटकना। (50) ✿

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

और (वह वक़्त भी ध्यान में रखने के क़ाबिल है) जबकि काफ़िर लोग दोज़ख़ में एक-दूसरे से झगड़ेंगे, तो कम दर्जे के लोग (यानी पैरवी करने वाले) बड़े दर्जे के लोगों से (यानी पेशवाओं से जिनकी वे दुनिया में पैरवी किया करते थे) कहेंगे कि हम (दुनिया में) तुम्हारे ताबे थे, सो क्या तुम हम से आग का कोई हिस्सा हटा सकते हो? (यानी जब दुनिया में तुमने हमें अपना ताबेदार और पैरोकार बना रखा था तो आज तुम्हें हमारी मदद करनी चाहिए) वे बड़े लोग कहेंगे कि हम सब ही दोज़ख़ में हैं (यानी हम अपना ही अ़ज़ाब कम नहीं कर सकते तो तुम्हारा क्या करेंगे) अल्लाह तआ़ला (अपने) बन्दों के दरमियान (निश्चित और आख़िरी) फ़ैसला कर चुका (अब उसके ख़िलाफ़ करने की किसको मजाल है)। और (उसके बाद) जितने लोग दोज़ख़ में होंगे (यानी बड़े और छोटे पैरवी करने वाले और जिनकी पैरवी की जाती थी वे सब मिलकर) जहन्नम के ज़िम्मेदार फ़रिश्तों से (दरख़्वास्त के तौर पर) कहेंगे कि तुम ही अपने परवर्दिगार से दुआ़ करो कि किसी दिन तो हमसे अ़ज़ाब हल्का कर दे (यानी अ़ज़ाब के बिल्कुल हट जाने या हमेशा के लिये कम हो जाने की उम्मीद तो नहीं, कम से कम एक दिन की तो कुछ छुट्टी मिल जाया करे)। फ़रिश्ते कहेंगे कि (यह बतलाओ) क्या तुम्हारे पास तुम्हारे पैग़म्बर मोजिज़े लेकर नहीं आते रहे (और दोज़ख़ से बचने का तरीक़ा नहीं बतलाते रहे थे)? दोज़ख़ी कहेंगे कि हाँ आते तो रहे थे (मगर हमने उनका कहना न माना, जैसा कि एक दूसरी आयत में इसका इज़हार है 'बला क़द् जाअना नज़ीरुन् फ़-कज़्ज़ब्ना..)। फ़रिश्ते कहेंगे कि तो फिर (हम तुम्हारे लिये दुआ़ नहीं कर सकते, क्योंकि काफ़िरों के लिये दुआ़ करने की हमको इजाज़त नहीं है) तुम ही (अगर जी चाहे तो ख़ुद) दुआ़ कर लो, और (तुम्हारी दुआ़ का भी कुछ नतीजा न होगा क्योंकि) काफ़िरों की दुआ़ (आख़िरत में) बिल्कुल बेअसर है (क्योंकि आख़िरत में कोई दुआ़ बग़ैर ईमान के क़ुबूल नहीं हो सकती और ईमान का मौक़ा दुनिया ही में था वह तुम खो चुके, और यह जो कहा कि "आख़िरत में" इससे फ़ायदा यह है कि दुनिया में तो काफ़िरों की दुआ़ भी क़ुबूल हो सकती है जैसा कि सबसे बड़े काफ़िर शैतान की सबसे बड़ी दुआ़ क़ियामत तक ज़िन्दा रहने की क़ुबूल कर ली गई)।

إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُوْمُ الْاَشْهَادُ ﴿٥١﴾ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ الظّٰلِمِيْنَ مَعْذِرَتُهُمْ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوْٓءُ الدَّارِ ﴿٥٢﴾ وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْهُدٰى وَاَوْرَثْنَا بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ الْكِتٰبَ ﴿٥٣﴾ هُدًى وَّ ذِكْرٰى لِاُولِي الْاَلْبَابِ ﴿٥٤﴾ فَاصْبِرْ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ وَّاسْتَغْفِرْ لِذَنْۢبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْاِبْكَارِ ﴿٥٥﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ يُجَادِلُوْنَ فِيْٓ اٰيٰتِ اللّٰهِ بِغَيْرِ سُلْطٰنٍ اَتٰىهُمْ ۙ اِنْ فِيْ صُدُوْرِهِمْ اِلَّا كِبْرٌ مَّا هُمْ بِبَالِغِيْهِ ۚ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ ۖ اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ ﴿٥٦﴾ لَخَلْقُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٥٧﴾ وَمَا يَسْتَوِي الْاَعْمٰى وَالْبَصِيْرُ ۙ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَلَا الْمُسِيْٓءُ ۭ قَلِيْلًا مَّا تَتَذَكَّرُوْنَ ﴿٥٨﴾ اِنَّ السَّاعَةَ لَاٰتِيَةٌ لَّا رَيْبَ فِيْهَا وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿٥٩﴾ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُوْنِيْٓ اَسْتَجِبْ لَكُمْ ۭ اِنَّ الَّذِيْنَ يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِيْ سَيَدْخُلُوْنَ جَهَنَّمَ دٰخِرِيْنَ ﴿٦٠﴾ ع ٦

इन्ना ल-नन्सुरु रुसु-लना वल्लज़ी-न आमनू फ़िल्हयातिद्दुन्या व यौ-म यक़ूमुल्-अश्हाद (51) यौ-म ला यन्फ़अुज़्ज़ालिमी-न मअ़ज़ि-रतुहुम् व लहुमुल्-लअ़्-नतु व लहुम् सूउद्दार (52) व ल-क़द् आतैना मूसल्-हुदा व औरस्ना बनी इस्राईलल्-किताब (53) हुदंव्-व ज़िक्रा लि-उलिल्-अल्बाब (54) फ़स्बिर् इन्-न वअ़्दल्लाहि हक़्क़ुंव्-वस्तग़्फ़िर् लि-ज़म्बि-क व सब्बिह् बिहम्दि रब्बि-क बिल्अ़शिय्यि वल्-इब्कार (55) इन्नल्लज़ी-न युजादिलू-न फ़ी आयातिल्लाहि बिग़ैरि सुल्तानिन्

हम मदद करते हैं अपने रसूलों की और ईमान वालों की दुनिया की ज़िन्दगानी में और जब खड़े होंगे गवाह (51) जिस दिन काम न आयें मुन्किरों को उनके बहाने और उनको फटकार है और उनके वास्ते बुरा घर। (52) और हमने दी मूसा को राह की सूझ और वारिस किया बनी इस्राईल को किताब का (53) सुझाने और समझाने वाली अ़क़्लमन्दों को। (54) सो तू ठहरा रह बेशक अल्लाह का वादा ठीक है, और बख़्शवा अपना गुनाह और पाकी बोल अपने रब की ख़ूबियाँ शाम को और सुबह को। (55) जो लोग झगड़ते हैं अल्लाह की बातों में बग़ैर किसी सनद के

अताहुम् इन् फ़ी सुदूरिहिम् इल्ला किब्रुम् मा हुम् बिबालिग़ीहि फ़स्तअ़िज़् बिल्लाहि, इन्नहू हुवस्समीअुल्-बसीर (56) ल-ख़ल्क़ुस्-समावाति वल्अर्ज़ि अक्बरु मिन् ख़ल्क़िन्नासि व लाकिन्-न अक्सरन्नासि ला यअ्लमून (57) व मा यस्तविल्-अअ्मा वल्बसीरु वल्लज़ी-न आमनू व अ़मिलुस्-सालिहाति व लल्मुसी-उ, क़लीलम् मा त-तज़क्करून (58) इन्नस्सा-अ-त लआति-यतुल्-ला रै-ब फ़ीहा व लाकिन्-न अक्सरन्नासि ला युअ्मिनून (59) व क़ा-ल रब्बुकुमुद्अूनी अस्तजिब् लकुम्, इन्नल्लज़ी-न यस्तक्बिरू-न अ़न् अ़िबादती स-यद्ख़ुलू-न जहन्न-म दाख़िरीन (60) ❁	जो पहुँची हो उनको, और कोई बात नहीं उनके दिलों में ग़ुरूर है, कभी न पहुँचेंगे उस तक, सो तू पनाह माँग अल्लाह की बेशक वह सुनता देखता है। (56) यक़ीनन पैदा करना आसमानों का और ज़मीन का बड़ा है लोगों के बनाने से लेकिन बहुत लोग नहीं समझते। (57) और बराबर नहीं अंधा और आँखों वाला और न ईमान वाले जो भले काम करते हैं और न बदकार, तुम बहुत कम सोचते हो। (58) तहक़ीक़ क़ियामत आनी है इसमें धोखा नहीं व लेकिन बहुत से लोग नहीं मानते। (59) और कहता है तुम्हारा रब- मुझको पुकारो कि पहुचूँ तुम्हारी पुकार को, बेशक जो लोग तकब्बुर करते हैं मेरी बन्दगी से अब दाख़िल होंगे दोज़ख़ में ज़लील होकर। (60) ❁

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

हम अपने पैग़म्बरों की और ईमान वालों की दुनियावी ज़िन्दगानी में भी मदद करते हैं (जैसा कि ऊपर मूसा अ़लैहिस्सलाम के क़िस्से से मालूम हुआ) और उस दिन भी जिसमें गवाही देने वाले (फ़रिश्ते जो कि आमाल नामे लिखते थे और क़ियामत के दिन इस बात की गवाही देंगे कि रसूलों ने तब्लीग़ का काम किया और काफ़िरों ने झुठलाने का काम, ग़र्ज़ कि वे फ़रिश्ते गवाही के लिये) खड़े होंगे (इससे मुराद क़ियामत का दिन है। वहाँ की मदद का हाल अभी काफ़िरों को आग का अ़ज़ाब दिये जाने से मालूम हो चुका है, आगे उस दिन का बयान है यानी) जिस दिन कि ज़ालिमों (यानी काफ़िरों) को उनका उ़ज़्र करना कुछ नफ़ा न देगा (यानी अव्वल तो कोई ख़ास और क़ाबिले तवज्जोह माज़िरत न होगी और अगर कुछ बेक़रारी वालों जैसी हरकत हुई तो वह लाभदायक न होगी) और उनके लिये लानत होगी और उनके लिये उस जहान में ख़राबी होगी (पस इस तरह आप और आपकी

पैरवी करने वाले भी कामयाब होंगे और मुख़ालिफ़ लोग ज़लील व क़हर का शिकार होंगे, तो आप तसल्ली रखिये) और (आपसे पहले) हम मूसा (अ़लैहिस्सलाम) को हिदायत नामा (यानी तौरात) दे चुके हैं और (फिर) हमने वह किताब बनी इस्राईल को पहुँचाई थी कि वह हिदायत और नसीहत (की किताब) थी (सही) अ़क़्ल रखने वालों के लिये, (बख़िलाफ़ बेअ़क़्लों के कि वे उससे फ़ायदा उठाने वाले न हुए। इसी प्रकार मूसा अ़लैहिस्सलाम की तरह आप भी रिसालत व वही से सम्मानित हैं और इसी प्रकार बनी इस्राईल की तरह आपके पैरोकार आपकी किताब की ख़िदमत करेंगे, और जैसे उनमें अ़क़्ल वाले तस्दीक़ करने वाले और बात मानने वाले थे और बेअ़क़्ल लोग इनकारी व मुख़ालिफ़, इसी तरह आपकी उम्मत में भी दोनों तरह के लोग हैं) सो (इससे भी) आप (तसल्ली हासिल कीजिये और काफ़िरों के सताने और तकलीफ़ें पहुँचाने पर) सब्र कीजिये। बेशक अल्लाह तआ़ला का वायदा (जिसका ऊपर आयत नम्बर 51 में ज़िक्र हुआ है बिल्कुल) सच्चा है। और (अगर कभी सब्र के आला दर्जे में कुछ कमी हो गई हो जो शरई उसूलों और क़ायदों के अनुसार वास्तव में तो गुनाह नहीं मगर आपके बुलन्द रुतबे के एतिबार से उसकी तलाफ़ी होने में एक गुनाह ही की तरह है, उसकी तलाफ़ी कीजिये, वह तलाफ़ी यह है कि) अपने (उस) गुनाह की (जिसको आपकी बुलन्द शान के एतिबार से मजाज़ी तौर पर गुनाह कह दिया गया है) माफ़ी माँगिये और (ऐसे शग़ल में लगे रहिये कि ग़मगीन व दुखी करने वाली चीज़ों की तरफ़ तवज्जोह ही न हो। वह शग़ल यह है कि) शाम और सुबह (यानी पाबन्दी से हमेशा) अपने रब की पाकी और तारीफ़ बयान करते रहिये।

(यह मज़मून तो आपकी तसल्ली के मुताल्लिक़ हो गया। आगे इनकार करने वालों और झगड़ने व बेकार की बहस करने वालों पर डाँट-डपट और रद्द है, यानी) जो लोग बिना किसी सनद के कि उनके पास मौजूद हो, ख़ुदा की आयतों में झगड़े निकाला करते हैं (उनको कोई वजह शुब्हे में डालने वाली नहीं है कि वह झगड़ने का सबब हो बल्कि) उनके दिलों में निरी बड़ाई (ही बड़ाई) है, कि वे उस तक कभी पहुँचने वाले नहीं (और वह बड़ाई झगड़ने और बेकार की बहस करने का सबब है क्योंकि वे अपने को बड़ा समझते हैं, पैरवी करने से शर्म आती है, वे ख़ुद औरों ही को अपना ताबेदार बनाने की हवस रखते हैं। लेकिन उनको यह बड़ाई नसीब न होगी, बल्कि जल्द ही ज़लील व रुस्वा होंगे। चुनाँचे जंगे बदर वग़ैरह में मुसलमानों से पराजित हुए) सो (जब ये ख़ुद बड़ाई चाहते हैं तो आप से जलन व दुश्मनी सब कुछ करेंगे लेकिन) आप (अन्देशा न कीजिये बल्कि उनकी बुराई से) अल्लाह की पनाह माँगते रहिये, बेशक वही है सब कुछ सुनने वाला, सब कुछ देखने वाला (तो वह अपनी कमाल वाली सिफ़ात से अपनी पनाह में आये हुए लोगों को महफ़ूज़ रखेगा)।

(यह झगड़ना तो आपको रसूल मानने में था आगे उनका क़ियामत के बारे में झगड़ना व बहस करना और साथ ही उसका रद्द बयान हुआ है। यानी वे लोग जो आदमियों के दोबारा पैदा होने के इनकारी हैं बड़े कम-अ़क़्ल हैं, इस वास्ते कि) यक़ीनन आसमानों और ज़मीन का (पहली बार में) पैदा करना आदमियों के (दोबारा) पैदा करने के मुक़ाबले में बड़ा काम है, (जब बड़े काम पर क़ुदरत साबित हो गई तो छोटे पर तो अच्छी तरह साबित है, और यह दलील सुबूत के लिये काफ़ी और तसल्ली बख़्श है) और लेकिन अक्सर आदमी (इतनी बात) नहीं समझते (क्योंकि वे ग़ौर ही नहीं करते और बाज़े ऐसे भी हैं जो ग़ौर भी करते हैं और समझते भी हैं और मानते भी हैं, इस तरह क़ुरआन

को सुनने वालों की दो क़िस्म हो गईं- एक इसको समझने और मानने वाले, ये आँखों वाले और ईमान वाले हैं, दूसरे न समझने और न मानने वाले ये अंधे और बुरे अ़मल वालों के जैसे हैं) और (इन दोनों क़िस्मों के आदमी यानी एक) देखने वाला (दूसरा) अंधा और (एक) वे लोग जो ईमान लाये और उन्होंने अच्छे काम किये और (दूसरे) बदकार, आपस में बराबर नहीं हुए (इसमें आपकी तसल्ली भी है कि हर क़िस्म के लोग हुआ करते हैं सब कैसे समझने लगें, और इनकार करने वालों पर क़ियामत के अ़ज़ाब की वईद भी है कि हम सब को बराबर न रखेंगे। आगे इनकारी लोगों को यानी उन लोगों को जो अंधों और बुरे आमाल वालों की तरह हैं मुख़ातब करके डाँट-डपट है, फ़रमाते हैं कि) तुम लोग बहुत ही कम समझते हो (वरना अंधे और बुरे अ़मल वाले न रहते)।

(और क़ियामत के मुताल्लिक़ झगड़ने और बेकार की बहस करने का जवाब देकर आगे उसके आने और ज़ाहिर होने की ख़बर देते हैं कि) क़ियामत तो ज़रूर ही आकर रहेगी, उस (के आने) में किसी तरह का शक है ही नहीं, मगर अक्सर लोग (दलीलों और निशानियों में सोच विचार न करने के सबब उसको) नहीं मानते। और (उनका एक झगड़ना व बहस करना तौहीद में था कि ख़ुदा के साथ शरीक करते थे, आगे उसके बारे में कलाम है, यानी) तुम्हारे रब ने फ़रमा दिया है कि (ग़ैरों को अपनी ज़रूरतों के लिये मत पुकारो बल्कि) मुझको पुकारो, मैं (उस पुकार को छोड़कर जो नामुनासिब है) तुम्हारी (हर) दरख़्वास्त क़ुबूल कर लूँगा। (दुआ़ के मुताल्लिक़ क़ुरआनी आयतः

فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُوْنَ اِلَيْهِ اِنْ شَآءَ

का यही मतलब है, कि नामुनासिब दरख़्वास्त व दुआ़ को रद्द कर दिया जायेगा)। जो लोग (सिर्फ़) मेरी इबादत से (जिसमें मुझसे दुआ़ माँगना भी दाख़िल है) सरकशी करते हैं (और ग़ैरों को पुकारते और उनकी इबादत करते हैं, हासिल यह हुआ कि जो लोग तौहीद से मुँह मोड़कर शिर्क करते हैं) वे जल्द ही (यानी मरते ही) ज़लील होकर जहन्नम में दाख़िल होंगे।

मआ़रिफ़ व मसाईल

اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا.

इस आयत में अल्लाह तआ़ला का वादा है कि वह अपने रसूलों और मोमिनों की मदद किया करते हैं, दुनिया में भी और आख़िरत में भी। और ज़ाहिर यह है कि यह मदद मुख़ालिफ़ों और दुश्मनों के मुक़ाबले में मक़सूद है। अक्सर अम्बिया अ़लैहिमुस्सलाम के मुताल्लिक़ तो इसका वाक़े होना ज़ाहिर है मगर बाज़े नबियों जैसे हज़रत यहया, हज़रत ज़करिया और हज़रत शुऐब अ़लैहिमुस्सलाम जिनको दुश्मनों ने शहीद कर दिया, या बाज़ों को वतन छोड़कर दूसरी जगह हिजरत करनी पड़ी जैसे हज़रत इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम और ख़ातिमुल-अम्बिया हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम उनके बारे में शुब्हा हो सकता है।

इमाम इब्ने कसीर ने इब्ने जरीर के हवाले से इसका जवाब दिया है कि आयत में मदद से मुराद मदद करना और दुश्मनों से बदला लेना है, चाहे उनकी मौजूदगी में उनके हाथों से या उनकी वफ़ात के बाद। यह मायने तमाम नबियों व मोमिनों पर बिना किसी को अलग किये सादिक़ हैं, जिन लोगों

ने अपने नबियों को क़त्ल किया फिर वे कैसे-कैसे अ़ज़ाबों में गिरफ़्तार करके रुस्वा किये गये इससे तारीख़ भरी पड़ी है। हज़रत यहया, हज़रत ज़करिया और हज़रत शुऐब अ़लैहिमुस्सलाम के क़ातिलों पर उनके दुश्मनों को मुसल्लत कर दिया जिन्होंने उनको ज़लील व रुस्वा करके क़त्ल किया। नमरूद को अल्लाह ने कैसे अ़ज़ाब में पकड़ा, ईसा अ़लैहिस्सलाम के दुश्मनों पर अल्लाह तआ़ला ने रूम वालों को मुसल्लत कर दिया जिन्होंने उनको ज़लील व रुस्वा किया और फिर क़ियामत से पहले पहले अल्लाह तआ़ला उनको दुश्मनों पर ग़ालिब फ़रमायेंगे। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के दुश्मनों को तो अल्लाह तआ़ला ने मुसलमानों ही के हाथों पस्त व पराजित किया, उनके सरकश सरदार मारे गये, कुछ क़ैद करके लाये गये बाक़ी बचे मक्का फ़तह होने के वक़्त गिरफ़्तार करके लाये गये जिनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने आज़ाद कर दिया। आपका कलिमा दुनिया में बुलन्द हुआ और वही सब दीनों पर ग़ालिब आया, पूरे अ़रब इलाक़े पर आपके ज़माने ही में इस्लाम की हुकूमत क़ायम हो गई।

يَوْمَ يَقُوْمُ الْاَشْهَادُ○

यानी जिस दिन खड़े होंगे गवाह। इससे मुराद क़ियामत का दिन है, वहाँ तो नबियों और मोमिनों के लिये अल्लाह की मदद का ख़ुसूसी ज़हूर होगा।

اِنْ فِیْ صُدُوْرِهِمْ اِلَّا كِبْرٌ مَّا هُمْ بِبَالِغِيْهِ

यानी ये लोग जो अल्लाह की आयतों में बग़ैर किसी हुज्जत व दलील के झगड़ा व बहस करते हैं और असल मक़सद इस दीन से इनकार करना है, जिसका सबब इसके सिवा कुछ नहीं कि इनके दिलों में तकब्बुर है। ये अपनी बड़ाई चाहते हैं और अपनी बेवक़ूफ़ी से यूँ समझे हुए हैं कि यह बड़ाई हमें अपने मज़हब पर क़ायम रहने से हासिल है, इसको छोड़कर मुसलमान हो जायेंगे तो हमारी यह सरदारी व ताक़त न रहेगी। क़ुरआने करीम ने फ़रमा दिया कि 'मा हुम् बिबालिग़ीहि' यानी ये अपनी वह बड़ाई, इज़्ज़त और सरदारी जो इनके गुमान में है उसको इस्लाम लाये बग़ैर न पा सकेंगे, हाँ अगर इस्लाम ले आते तो इज़्ज़त व बड़ाई इनके साथ होती। (तफ़सीरे क़ुर्तुबी)

وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُوْنِیْٓ اَسْتَجِبْ لَكُمْ اِنَّ الَّذِيْنَ يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِیْ سَيَدْخُلُوْنَ جَهَنَّمَ دٰخِرِيْنَ○

दुआ़ की हक़ीक़त, उसके फ़ज़ाईल व दर्जे और क़ुबूलियत की शर्त

दुआ़ के लफ़्ज़ी मायने पुकारने के हैं और अक्सर इस्तेमाल किसी हाजत व ज़रूरत के लिये पुकारने में होता है, कभी सिर्फ़ ज़िक्रुल्लाह को भी दुआ़ कहा जाता है। यह आयत उम्मते मुहम्मदिया का ख़ास सम्मान है कि उनको दुआ़ माँगने का हुक्म दिया गया और उसके क़ुबूल होने का वादा किया गया, और जो दुआ़ न माँगे उसके लिये अ़ज़ाब की वईद (वायदा व धमकी) आई है।

हज़रत क़तादा रह. ने कअ़बे अहबार रह. से नक़ल किया है कि पहले ज़माने में यह ख़ुसूसियत अम्बिया अ़लैहिमुस्सलाम की थी कि उनको अल्लाह तआ़ला की तरफ़ से हुक्म होता था कि आप दुआ़

करें मैं क़ुबूल करूँगा, उम्मते मुहम्मदिया की यह ख़ुसूसियत है कि यह हुक्म तमाम उम्मत के लिये आम कर दिया गया। (तफ़सीर इब्ने कसीर)

हज़रत नौमान बिन बशीर रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने इस आयत की तफ़सीर में यह हदीस बयान फ़रमाई कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमायाः

إِنَّ الدُّعَاءَ هُوَ الْعِبَادَةُ

यानी दुआ़ इबादत ही है। और फिर आपने दलील के तौर पर यह आयत तिलावत फ़रमाईः

إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي

(अहमद व तिर्मिज़ी, नसाई व अबू दाऊद वग़ैरह। इब्ने कसीर)

तफ़सीरे मज़हरी में है कि जुमला 'इन्नद्दुआ़-अ हुवल्-इबादतु' में अ़रबी ग्रामर के हिसाब से यह मफ़्हूम भी हो सकता है कि दुआ़ इबादत ही का नाम है, यानी हर दुआ़ इबादत ही है और यह मफ़्हूम भी हो सकता है कि हर इबादत ही दुआ़ है। यहाँ दोनों गुंजाईशें हैं, और यहाँ मुराद यह है कि दुआ़ और इबादत अगरचे लफ़्ज़ी मफ़्हूम के एतिबार से दोनों अलग-अलग हैं मगर मिस्दाक़ के एतिबार से दोनों इकट्ठे हैं कि हर दुआ़ इबादत है और हर इबादत दुआ़ है। वजह यह है कि इबादत नाम है किसी के सामने बहुत ज़्यादा पस्ती व आ़जिज़ी इख़्तियार करने का, और ज़ाहिर है कि अपने आपको किसी का मोहताज समझकर उसके सामने सवाल के लिये हाथ फैलाना बड़ी पस्ती इख़्तियार करने वाली बात है जो इबादत का मफ़्हूम है। इसी तरह हर इबादत का हासिल भी अल्लाह तआ़ला से मग़फ़िरत व जन्नत और दुनिया व आख़िरत की आ़फ़ियत माँगना है, इसी लिये एक हदीसे क़ुदसी में है कि अल्लाह तआ़ला ने फ़रमाया कि जो शख़्स मेरी तारीफ़ व सना में इतना मशग़ूल हो कि अपनी हाजत माँगने की भी उसे फ़ुर्सत न मिले मैं उसको माँगने वालों से ज़्यादा दूँगा (यानी उसकी हाजत पूरी कर दूँगा)। (जज़री फ़िन्निहाया) और तिर्मिज़ी व मुस्लिम की एक रिवायत में ये अलफ़ाज़ हैं:

من شغله القران عن ذكرى ومسئلتى اعطيته افضل ما اعطى السائلين.

यानी जो शख़्स क़ुरआन के पढ़ने में इतना मशग़ूल हो कि मुझसे अपनी हाजतें माँगने की भी उसे फ़ुर्सत न मिले तो मैं उसको इतना दूँगा कि माँगने वालों को भी उतना नहीं मिलता। इससे मालूम हुआ कि हर इबादत भी वही फ़ायदा देती है जो दुआ़ का फ़ायदा है।

और अ़रफ़ात की हदीस में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि अ़रफ़ात में मेरी दुआ़ और मुझसे पहले नबियों की दुआ़ यह (कलिमा) हैः

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

ला इला-ह इल्लल्लाहु वस्दहू ला शरी-क लहू लहुल-मुल्कु व लहुल-हम्दु व हु-व अ़ला कुल्लि शैइन् क़दीर। (इब्ने अबी शैबा, मज़हरी)

इसमें इबादत और अल्लाह के ज़िक्र को दुआ़ फ़रमाया है, और इस आयत में इबादत (यानी दुआ़) को छोड़ने वालों को जो जहन्नम की वईद सुनाई गई है वह उस सूरत में है जब उनका यह अ़मल घमंड और तकब्बुर के तौर पर हो, यानी जो शख़्स तकब्बुर के तौर पर अपने आपको दुआ़ से बेपरवाह (ग़ैर-ज़रूरत मन्द) समझकर दुआ़ छोड़े यह कुफ़्र की निशानी है, इसलिये जहन्नम के अ़ज़ाब

की धमकी का मुस्तहिक़ ठहरा, वरना अपनी ज़ात के एतिबार से आम दुआयें फ़र्ज़ व वाजिब नहीं, उनके छोड़ने से कोई गुनाह नहीं, अलबत्ता तमाम उलेमा का इस पर इत्तिफ़ाक़ है कि वह मुस्तहब और अफ़ज़ल है (तफ़सीरे मज़हरी) और हदीसों की वज़ाहतों के मुताबिक़ बरकतों का सबब है।

दुआ के फ़ज़ाईल

हदीसः रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया हैः

الدعاء مخ العبادة

यानी दुआ इबादत का मग़्ज़ है। (तिर्मिज़ी, हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत से)

हदीसः रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि अल्लाह तआला से उसका फ़ज़्ल माँगा करो क्योंकि अल्लाह तआला सवाल करने और हाजत तलब करने को पसन्द फ़रमाता है और सबसे बड़ी इबादत यह है कि सख़्ती के वक़्त आदमी सहूलत व बेहतरी का इन्तिज़ार करे।

(तिर्मिज़ी, हज़रत इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत से)

हदीसः रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि जो शख़्स अल्लाह से अपनी हाजत (ज़रूरत) का सवाल नहीं करता अल्लाह तआला का उस पर ग़ज़ब होता है।

(तिर्मिज़ी, इब्ने हिब्बान, हाकिम)

इन सब रिवायतों को तफ़सीरे मज़हरी में नक़ल करके फ़रमाया कि दुआ न माँगने वाले पर अल्लाह के ग़ज़ब की वईद (धमकी और अज़ाब का वायदा) उस सूरत में है कि न माँगना तकब्बुर और अपने आपको बरी समझने की बिना पर हो, जैसा कि ऊपर आयत नम्बर 60 'इन्नल्लज़ी-न यस्तक्बिरू-न............' के अलफ़ाज़ से साबित होता है।

हदीसः रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि दुआ से आजिज़ न हो, क्योंकि दुआ के साथ कोई हलाक नहीं होता। (इब्ने हिब्बान, हाकिम, हज़रत अनस रज़ि. की रिवायत से)

हदीसः रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि दुआ मोमिन का हथियार है और दीन का सुतून और आसमान व ज़मीन का नूर है। (हाकिम, मुस्तद्रक अबू हुरैरह रज़ि. की रिवायत से)

हदीसः रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया जिस शख़्स के लिये दुआ के दरवाज़े खोल दिये गये उसके वास्ते रहमत के दरवाज़े खुल गये, और अल्लाह तआला से कोई दुआ इससे ज़्यादा अच्छी व प्यारी नहीं माँगी गई कि इनसान उससे आफ़ियत का सवाल करे। (तिर्मिज़ी, हाकिम, हज़रत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत से)

लफ़्ज़ **आफ़ियत** बड़ा जामे लफ़्ज़ है जिसमें बला से हिफ़ाज़त और हर ज़रूरत व हाजत का पूरा होना दाख़िल है।

मसलाः किसी गुनाह या रिश्ता तोड़ने की दुआ माँगना हराम है, वह दुआ अल्लाह के नज़दीक क़ुबूल भी नहीं होती। (हदीस, हज़रत अबू सईद ख़ुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत से)

दुआ के क़ुबूल होने का वादा

उक्त आयत में इसका वादा है कि जो बन्दा अल्लाह से दुआ माँगता है वह क़ुबूल होती है, मगर

कई बार इनसान यह भी देखता है कि दुआ़ माँगी वह क़ुबूल नहीं हुई। इसका जवाब एक हदीस में है जो हज़रत अबू सईद ख़ुदरी रज़ियल्लाहु अ़न्हु से मन्क़ूल है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि मुसलमान जो भी दुआ़ अल्लाह से करता है अल्लाह उसको अ़ता फ़रमाता है बशर्तेकि उसमें किसी गुनाह या रिश्ता तोड़ने की दुआ़ न हो। और क़ुबूल फ़रमाने की तीन सूरतों में से कोई सूरत होती है- एक यह कि जो माँगा वही मिल गया, दूसरे यह कि उसकी माँगी हुई चीज़ के बदले उसको आख़िरत का कोई अज्र व सवाब दे दिया गया, तीसरे यह कि माँगी हुई चीज़ तो न मिली मगर कोई आफ़त व मुसीबत उस पर आने वाली थी वह टल गई। (मुस्नद अहमद, मज़हरी)

दुआ़ क़ुबूल होने की शर्तें

ऊपर दर्ज हुई आयत में तो बज़ाहिर कोई शर्त नहीं, यहाँ तक कि मुसलमान होना भी दुआ़ के क़ुबूल होने की शर्त नहीं है, काफ़िर की भी दुआ़ अल्लाह तआ़ला क़ुबूल फ़रमाता है, यहाँ तक कि शैतान की दुआ़ क़ियामत तक ज़िन्दा रहने की क़ुबूल हो गई। न दुआ़ के लिये कोई वक़्त शर्त न तहारत और न बावुज़ू होना शर्त है, मगर मोतबर हदीसों में कुछ चीज़ों को दुआ़ के क़ुबूल होने के लिये रुकावटें होना बयान फ़रमाया है, उन चीज़ों से बचना लाज़िम है जैसा कि हदीस में हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि बाज़े आदमी बहुत सफ़र करते और आसमान की तरफ़ दुआ़ के लिये हाथ उठाते हैं और या रब! या रब! कहकर अपनी हाजत माँगते हैं मगर उनका खाना हराम, पीना हराम, लिबास हराम, उनको हराम ही से ग़िज़ा दी गई तो उनकी दुआ़ कहाँ से क़ुबूल होगी। (मुस्लिम)

इसी तरह ग़फ़लत व बेपरवाई के साथ बग़ैर ध्यान दिये दुआ़ के कलिमात पढ़ें तो हदीस में उसके बारे में भी आया है कि ऐसी दुआ़ भी क़ुबूल नहीं होती। (तिर्मिज़ी, अबू हुरैरह रज़ि. की रिवायत से)

اَللّٰهُ الَّذِیْ جَعَلَ لَكُمُ الَّیْلَ لِتَسْكُنُوْا فِیْهِ وَ النَّهَارَ مُبْصِرًا ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَذُوْ فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَ لٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا یَشْكُرُوْنَ ﴿۶۱﴾ ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ خَالِقُ كُلِّ شَیْءٍ ۘ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ فَاَنّٰى تُؤْفَكُوْنَ ﴿۶۲﴾ كَذٰلِكَ یُؤْفَكُ الَّذِیْنَ كَانُوْا بِاٰیٰتِ اللّٰهِ یَجْحَدُوْنَ ﴿۶۳﴾ اَللّٰهُ الَّذِیْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ قَرَارًا وَّ السَّمَآءَ بِنَآءً وَّ صَوَّرَكُمْ فَاَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَ رَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّیِّبٰتِ ؕ ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ ۚۖ فَتَبٰرَكَ اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِیْنَ ﴿۶۴﴾ هُوَ الْحَیُّ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ فَادْعُوْهُ مُخْلِصِیْنَ لَهُ الدِّیْنَ ؕ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ ﴿۶۵﴾ قُلْ اِنِّیْ نُهِیْتُ اَنْ اَعْبُدَ الَّذِیْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ لَمَّا جَآءَنِیَ الْبَیِّنٰتُ مِنْ رَّبِّیْ ؗ وَ اُمِرْتُ اَنْ اُسْلِمَ لِرَبِّ الْعٰلَمِیْنَ ﴿۶۶﴾ هُوَ الَّذِیْ خَلَقَكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ یُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوْۤا اَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُوْنُوْا شُیُوْخًا ۚ وَ مِنْكُمْ مَّنْ یُّتَوَفّٰى مِنْ قَبْلُ وَ لِتَبْلُغُوْۤا اَجَلًا مُّسَمًّى وَّ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ﴿۶۷﴾ هُوَ الَّذِیْ یُحْیٖ وَ یُمِیْتُ ۚ فَاِذَا قَضٰۤى اَمْرًا فَاِنَّمَا یَقُوْلُ لَهٗ كُنْ فَیَكُوْنُ ﴿۶۸﴾

अल्लाहुल्लज़ी ज-अ-ल लकुमुल्लै-ल लितस्कुनू फ़ीहि वन्नहा-र मुब्सिरन्, इन्नल्ला-ह लज़ू फ़ज़्लिन् अ़लन्नासि व लाकिन्-न अक्सरन्नासि ला यश्कुरून (61) ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम् ख़ालिक़ु कुल्लि शैइन्। ला इला-ह इल्ला हु-व फ़-अन्ना तुअ्फ़कून (62) कज़ालि-क युअ्फ़कुल्लज़ी-न कानू बिआयातिल्लाहि यज्हदून (63) अल्लाहुल्लज़ी ज-अ़-ल लकुमुल्-अर्-ज़ क़रारंव्-वस्समा-अ बिनाअंव्-व सव्व-रकुम् फ़-अह्स-न सु-व-रकुम् व र-ज़-क़कुम् मिनत्तय्यिबाति, ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम् फ़-तबारकल्लाहु रब्बुल्-आ़लमीन (64) हुवल्-हय्यु ला इला-ह इल्ला हु-व फ़द्अूहु मुख़्लिसी-न लहुद्दी-न, अल्हम्दु लिल्लाहि रब्बिल्-आ़लमीन (65) क़ुल् इन्नी नुहीतु अन् अअ्बुदल्लज़ी-न तद्अू-न मिन् दूनिल्लाहि लम्मा जा-अनियल्-बय्यिनातु मिर्रब्बी व उमिर्तु अन् उस्लि-म लि-रब्बिल्-आ़लमीन (66) हुवल्लज़ी ख़-ल-क़कुम् मिन् तुराबिन् सुम्-म मिन् नुत्फ़तिन् सुम्-म मिन्

अल्लाह है जिसने बनाया तुम्हारे वास्ते रात को कि उसमें चैन पकड़ो और दिन बनाया देखने को, अल्लाह तो फ़ज़्ल वाला है लोगों पर और लेकिन बहुत से लोग हक़ नहीं मानते। (61) वह अल्लाह है रब तुम्हारा हर चीज़ बनाने वाला, किसी की बन्दगी नहीं उसके सिवाय फिर कहाँ से फिरे जाते हो? (62) इसी तरह फिरे जाते हैं जो लोग कि अल्लाह की बातों से मुन्किर होते रहते हैं। (63) अल्लाह है जिसने बनाया तुम्हारे लिये ज़मीन को ठहरने की जगह और आसमान को इमारत और सूरत बनाई तुम्हारी तो अच्छी बनायें सूरतें तुम्हारी, और रोज़ी दी तुमको सुथरी चीज़ों से, वह अल्लाह है रब तुम्हारा सो बड़ी बरकत है अल्लाह की जो रब है सारे जहान का। (64) वह है ज़िन्दा रहने वाला, किसी की बन्दगी नहीं उसके सिवाय सो उसको पुकारो ख़ालिस कर-कर उसकी बन्दगी, सब ख़ूबी अल्लाह को जो रब सारे जहान का। (65) तू कह कि मुझको मना कर दिया कि पूजूँ उनको जिनको तुम पुकारते हो सिवाय अल्लाह के जब पहुँच चुकीं मेरे पास खुली निशानियाँ मेरे रब से, और मुझको हुक्म हुआ कि ताबे रहूँ जहान के परवर्दिगार का। (66) वही है जिसने बनाया तुमको ख़ाक से फिर पानी की बूँद से फिर जमे

अ-ल-क़तिन् सुम्-म युख़्रिजुकुम् तिफ़्लन् सुम्-म लितब्लुग़ू अशुद्-दकुम् सुम्-म लि-तकूनू शुयूख़न् व मिन्कुम् मंय्यु-तवफ़्फ़ा मिन् क़ब्लु व लि-तब्लुग़ू अ-जलम्-मुसम्मंव्-व लअ़ल्लकुम् तअ़्क़िलून (67) हुवल्लज़ी युह़्यी व युमीतु फ़-इज़ा क़ज़ा अम्रन् फ़-इन्नमा यक़ूलु लहू कुन् फ़-यकून (68) ✿	हुए ख़ून से फिर तुमको निकालता है बच्चा फिर जब तक कि पहुँचो अपने पूरे ज़ोर को फिर जब तक कि हो जाओ बूढ़े, और कोई तुम में ऐसा है कि मर जाता है इससे पहले, और जब तक कि पहुँचो लिखे वादे को और ताकि तुम सोचो। (67) वही है जो जिलाता है और मारता है, फिर जब हुक्म करे किसी काम का तो यही कहे उसको कि 'हो जा' वह हो जाता है। (68) ✿

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

अल्लाह ही है जिसने तुम्हारे (नफ़े के) लिये रात बनाई ताकि तुम उसमें आराम करो, और उसी ने दिन को (देखने के लिये) रोशन बनाया (ताकि बेतकल्लुफ़ रोज़ी हासिल करो) बेशक अल्लाह तआ़ला का लोगों पर बड़ा ही फ़ज़्ल है (कि उनकी मस्लेहतों की कैसी-कैसी रियायत फ़रमाई) और लेकिन अक्सर आदमी (इन नेमतों का) शुक्र अदा नहीं करते (बल्कि उल्टा शिर्क करते हैं)। यह अल्लाह है तुम्हारा रब (जिसका ज़िक्र हुआ, न वे जिनको तुमने तराश रखा है) वह हर चीज़ का पैदा करने वाला है, उसके सिवा कोई इबादत के लायक़ नहीं, सो (तौहीद के साबित होने के बाद) तुम लोग कहाँ (शिर्क करके) उल्टे चले जा रहे हो? (और इन लोगों जिनको संबोधन किया जा रहा है की क्या विशेषता है जिस तरह तास्सुब व दुश्मनी से ये उल्टे चले जा रहे हैं) इसी तरह वे (पहले) लोग भी उल्टे चला करते थे जो अल्लाह की (बनाई हुई और नाज़िल की हुई) निशानियों का इनकार किया करते थे। अल्लाह ही है जिसने ज़मीन को (मख़्लूक़ के) ठहरने की जगह बनाया, और आसमान को (ऊपर से) छत (की तरह) बनाया, और तुम्हारा नक़्शा बनाया, सो उम्दा नक़्शा बनाया (चुनाँचे इनसान के अंगों के बराबर किसी हैवान के अंगों में तनासुब नहीं, और यह देखी और मानी हुई बात है) और तुमको उम्दा-उम्दा चीज़ें खाने को दीं (पस) यह अल्लाह है तुम्हारा रब, सो बड़ा आ़लीशान है अल्लाह, जो सारे जहान का परवर्दिगार है। वही (हमेशा से है और हमेशा) ज़िन्दा (रहने वाला) है, उसके सिवा कोई इबादत के लायक़ नहीं, सो तुम (सब) ख़ालिस एतिक़ाद करके उसको पुकारा करो (और शिर्क न किया करो) तमाम ख़ूबियाँ उसी अल्लाह के लिये हैं जो परवर्दिगार है तमाम जहानों का।

आप (इन मुश्रिकों को सुनाने के लिये) कह दीजिए कि मुझको इससे मनाही कर दी गई है कि मैं उन (शरीकों) की इबादत करूँ जिनको ख़ुदा के अ़लावा तुम पुकारते हो, जबकि मेरे पास मेरे रब की निशानियाँ आ चुकी हैं। (इससे मुराद अ़क़्ली और रिवायती व किताबी दलीलें हैं। मतलब यह कि

शिर्क से मुझे मनाही हुई है) और मुझको यह हुक्म हुआ है कि मैं (सिर्फ़) रब्बुल-आलमीन के सामने (इबादत में) गर्दन झुका लूँ (मतलब यह कि मुझको तौहीद का हुक्म है)। वही है जिसने तुमको (यानी तुम्हारे बाप को) मिट्टी से पैदा किया, फिर (आगे उनकी नस्ल को) नुत्फ़े से, फिर ख़ून के लोथड़े से, (जैसा कि सूरः हज में बयान हुआ है) फिर तुमको बच्चा करके (माँ के पेट से) निकालता है, फिर (तुमको ज़िन्दा रखता है) ताकि तुम अपनी जवानी को पहुँचो, फिर (तुमको और ज़िन्दा रखता है) ताकि तुम बूढ़े हो जाओ। और कोई-कोई तुम में से (इन उम्रों से यानी जवानी और बुढ़ापे से) पहले ही मर जाता है (यह तो सब का अलग-अलग हाल हुआ कि कोई जवान हुआ कोई न हुआ, कोई बूढ़ा हुआ कोई न हुआ) और (यह चीज़ सब में साझा है कि तुम में से हर एक को एक ख़ास उम्र देता है) ताकि तुम सब (अपने-अपने) निर्धारित वक़्त (जो तक़दीर में तय है) तक पहुँच जाओ (पस यह चीज़ सब के लिये है और बाक़ी की जो हालतें हैं वो सब इसी कुल्ली क़ायदे के तहत में हैं) और (यह सब कुछ इसलिये किया) ताकि तुम लोग (इन चीज़ों में ग़ौर करके ख़ुदा तआ़ला की तौहीद को) समझो। वही है जो ज़िन्दा करता है और मारता है, फिर वह जब किसी काम को (फ़ौरन) पूरा करना चाहता है, सो बस उसके मुताल्लिक़ (इतना) फ़रमा देता है कि 'हो जा' सो वह हो जाता है।

मआ़रिफ़ व मसाईल

ऊपर ज़िक्र हुई आयतों में हक़ तआ़ला के इनामात और कामिल क़ुदरत की चन्द निशानियाँ पेश करके तौहीद की दावत दी गई है।

جَعَلَ لَكُمُ الَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا

ग़ौर कीजिये कि कितनी बड़ी नेमत है कि क़ुदरत ने तमाम इनसानी तब्क़ों बल्कि जानवरों तक के लिये फ़ितरी तौर पर नींद का एक वक़्त तय कर दिया और उस वक़्त को अंधेरा करके नींद के लिये मुनासिब बना दिया, और सब की तबीयत व फ़ितरत में रख दिया कि उसी वक़्त यानी रात को नींद आती है, वरना जिस तरह इनसान अपने कारोबार के लिये अपनी-अपनी तबीयत व सहूलत के लिहाज़ से समय को मुक़र्रर करता है अगर नींद भी इसी तरह उसके इख़्तियार में होती और हर इनसान अपनी नींद का प्रोग्राम विभिन्न वक़्तों में बनाया करता तो न सोने वालों को नींद की लज़्ज़त व राहत मिलती न जागने वालों के काम की व्यवस्था सही बैठती, क्योंकि इनसानों की हाजतें आपस में एक दूसरे से जुड़ी होती हैं अगर नींद के वक़्त अलग-अलग होते तो जागने वालों के उन कामों में ख़लल पड़ जाता जो सोने वालों से संबन्धित हैं, और सोने वालों के वो काम ख़राब हो जाते जिनका ताल्लुक़ जागने वालों से है। और सिर्फ़ इनसानों की नींद का वक़्त मुतैयन होता जानवरों व पशुओं की नींद के वक़्त दूसरे होते तो भी इनसानी कामों का निज़ाम गड़बड़ा जाता।

وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ

इनसान की सूरत को अल्लाह तआ़ला ने सब जानवरों से विशेष, आला और बेहतर अन्दाज़ में बनाया है। इसको सोचने समझने की अ़क्ल अ़ता फ़रमाई, इसके हाथ-पाँव ऐसे बनाये कि उनसे तरह तरह की चीज़ें व उत्पादन बनाकर अपनी राहत के सामान पैदा कर लेता है। इसका खाना-पीना भी

आम जानवरों से अलग और ख़ास है, वो अपने मुँह से चरते और पीते हैं, यह हाथों से काम लेता है। आम जानवरों की गिज़ा एक-एक चीज़ें हैं, कोई गोश्त खाता है, कोई घास और पत्ते, और वह भी बिल्कुल सिंगल, बख़िलाफ़ इनसान के कि यह अपने खाने को विभिन्न क़िस्म की चीज़ों- फलों, तरकारियों, गोश्त और मसाले से मज़ेदार व पसन्दीदा बनाकर खाता है। एक-एक फल से तरह-तरह के खाने और अचार, मुरब्बे, चटनी तैयार करता है। ऐसी मख़्लूक़ को बनाकर अल्लाह तआ़ला ने अपनी कामिल क़ुदरत का मुज़ाहरा फ़रमाया है।

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ أَنَّىٰ يُصْرَفُونَ ﴿٦٩﴾ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِالْكِتَابِ وَبِمَا أَرْسَلْنَا بِهِ رُسُلَنَا ۖ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿٧٠﴾ إِذِ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلَاسِلُ يُسْحَبُونَ ﴿٧١﴾ فِي الْحَمِيمِ ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُونَ ﴿٧٢﴾ ثُمَّ قِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تُشْرِكُونَ ﴿٧٣﴾ مِنْ دُونِ اللَّهِ ۖ قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا بَلْ لَمْ نَكُنْ نَدْعُو مِنْ قَبْلُ شَيْئًا ۚ كَذَٰلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ الْكَافِرِينَ ﴿٧٤﴾ ذَٰلِكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَفْرَحُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَمْرَحُونَ ﴿٧٥﴾ ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا ۖ فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ ﴿٧٦﴾ فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ ۚ فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ ﴿٧٧﴾ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ ۗ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۚ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ ﴿٧٨﴾

ع ٨ ١٢

अलम् त-र इलल्लज़ी-न युजादिलू-न फ़ी आयातिल्लाहि, अन्ना युस्रफ़ून (69) अल्लज़ी-न कज़्ज़बू बिल्किताबि व बिमा अर्सल्ना बिही रुसु-लना, फ़सौ-फ़ यअ्लमून (70) इज़िल्-अग़्लालु फ़ी अअ्नाक़िहिम् वस्सलासिलु युस्हबून (71) फ़िल्हमीमि सुम्-म फ़िन्नारि युस्जरून (72) सुम्-म क़ी-ल लहुम् ऐ-न मा कुन्तुम् तुश्रिकून (73) मिन् दूनिल्लाहि, क़ालू	क्या तूने न देखा उनको जो झगड़ते हैं अल्लाह की बातों में, कहाँ से फेरे जाते हैं। (69) वे लोग कि जिन्होंने झुठलाया इस किताब को और उसको जो भेजा हमने अपने रसूलों के साथ। सो आख़िर जान लेंगे (70) जब तौक़ पड़ें उनकी गर्दनों में और ज़न्जीरें भी घसीटे जायें (71) जलते पानी में, फिर आग में उनको झोंक दें। (72) फिर उनको कहें कहाँ गये जिनको तुम शरीक बतलाया करते थे (73) अल्लाह के सिवाय। वे बोलें हमसे

ज़ल्लू अ़न्ना बल्-लम् नकुन्-नद्अू मिन् क़ब्लु शैअन्, कज़ालि-क युज़िल्लुल्लाहुल्-काफ़िरीन (74) ज़ालिकुम् बिमा कुन्तुम् तफ़्रहू-न फ़िल्अर्ज़ि बिग़ैरिल्-हक़्क़ि व बिमा कुन्तुम् तम्रहून (75) उद्ख़ुलू अब्वा-ब जहन्न-म ख़ालिदी-न फ़ीहा फ़बिअ्-स मस्वल्-मु-तकब्बिरीन (76) फ़स्बिर् इन्-न वअ्दल्लाहि हक़्क़ुन् फ़-इम्मा नुरि-यन्न-क बअ्ज़ल्लज़ी नअिदुहुम् औ न-तवफ़्फ़-यन्न-क फ़-इलैना युर्जअून (77) व ल-क़द् अर्सल्ना रुसुलम्-मिन् क़ब्लि-क मिन्हुम् मन् क़सस्ना अ़लै-क व मिन्हुम् मल्लम् नक़्सुस् अ़लै-क, व मा का-न लि-रसूलिन् अंय्यअ्ति-य बिआ-यतिन् इल्ला बि-इज़्निल्लाहि फ़-इज़ा जा-अ अम्रुल्लाहि क़ुज़ि-य बिल्-हक़्क़ि व ख़ासि-र हुनालिकल्-मुब्तिलून (78) ❁

चूक गये, कोई नहीं! हम तो पुकारते न थे पहले किसी चीज़ को, इसी तरह बिचलाता है अल्लाह मुन्किरों को। (74) यह बदला उसका जो तुम इतराते फिरते थे ज़मीन में नाहक़, और उसका जो तुम अकड़ते थे। (75) दाख़िल हो जाओ दरवाज़ों में दोज़ख़ के हमेशा रहने को उसमें, सो क्या बुरा ठिकाना है घमण्ड वालों का। (76) सो तू ठहरा रह बेशक अल्लाह का वादा ठीक है, फिर अगर हम दिखाला दें तुझको कोई वादा जो हम उनसे करते हैं या क़ब्ज़ कर लें तुझको हर हालत में हमारी ही तरफ़ फिरकर आयेंगे। (77) और हमने भेजे हैं बहुत रसूल तुझसे पहले बाज़े उनमें वे हैं कि हमने सुनाया तुझको उनका अहवाल और बाज़े हैं कि नहीं सुनाया, और किसी रसूल की ताक़त में न था कि ले आता कोई निशानी मगर अल्लाह के हुक्म से, फिर जब हुक्म आया अल्लाह का, फ़ैसला हो गया इन्साफ़ से, और टोटे में पड़े उस जगह झूठे। (78) ❁

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

क्या आपने उन लोगों (की हालत) को नहीं देखा जो अल्लाह की आयतों में झगड़े निकालते हैं (हक़ से) कहाँ फिरे चले जा रहे हैं? जिन लोगों ने इस किताब (यानी क़ुरआन) को झुठलाया और उस चीज़ को जो हमने अपने पैग़म्बरों को देकर भेजा था, सो उनको अभी (यानी क़ियामत में जो क़रीब है) मालूम हुआ जाता है जबकि तौक़ उनकी गर्दनों में होंगे और (उन तौक़ों में) ज़न्जीरें (पिरोई हुई

होंगी, जिनका सिरा फ़रिश्तों के हाथ में होगा और उन जन्ज़ीरों से) उनको घसीटते हुए खौलते पानी में ले जाये जाएँगे। फिर ये आग में झोंक दिये जाएँगे। फिर उनसे पूछा जायेगा कि अल्लाह के अलावा वे (दूसरे माबूद) कहाँ गये जिनको तुम (खुदाई में) शरीक ठहराते थे (यानी तुम्हारी मदद क्यों नहीं करते)? वे कहेंगे कि वे सब तो हमसे ग़ायब हो गये, बल्कि (सच बात तो यह है कि) हम इससे पहले (दुनिया में जो बुतों को पूजते थे तो अब मालूम हुआ कि) किसी को भी नहीं पूजते थे (यानी मालूम हुआ कि वे कोई चीज़ नहीं थे। ऐसी बात ग़लती ज़ाहिर होने के वक़्त कही जाती है जैसे कोई शख़्स तिजारत में खुसारा उठाये और उससे पूछा जाये कि तुम फ़ुलाँ माल की तिजारत किया करते हो और वह कहे कि मैं तो किसी की भी तिजारत नहीं करता, यानी जब उसका फ़ायदा और फल हासिल न हो तो यूँ समझना चाहिये कि गोया वह काम ही न हुआ। आगे अल्लाह तआ़ला का इरशाद है कि) अल्लाह तआ़ला इसी तरह काफ़िरों को ग़लती में फंसाये रखता है (कि जिस चीज़ के कुछ न होने और बेफ़ायदा होने का वहाँ वे खुद इक़रार करेंगे आज यहाँ उनकी इबादत में मशग़ूल हैं। इरशाद होगा कि) यह (सज़ा) उसके बदले में है कि तुम दुनिया में नाहक़ खुशियाँ मनाते थे और इसके बदले में कि तुम इतराते थे। (और इससे पहले उनको हुक्म होगा) जहन्नम के दरवाज़ों में घुसो (और) हमेशा-हमेशा उसमें रहो, सो (अल्लाह की आयतों से) तकब्बुर करने वालों का वह बुरा ठिकाना है।

(और जब उनसे इस तरह बदला लिया जायेगा) तो आप (थोड़ा-सा) सब्र कीजिये, बेशक अल्लाह तआ़ला का वायदा सच्चा है। फिर जिस (अ़ज़ाब) का (उमूमी तौर पर) हम उनसे वायदा कर रहे हैं (कि कुफ़्र अ़ज़ाब को वाजिब करने वाला है) उसमें से कुछ थोड़ा-सा (अ़ज़ाब) अगर हम आपको दिखला दें (यानी आपकी ज़िन्दगी में उन पर वह नाज़िल हो जाये) या (उसके नाज़िल होने से पहले ही) हम आपको वफ़ात दे दें (फिर चाहे बाद में नाज़िल हो या न हो) सो (दोनों गुमान व संभावनायें हैं, कोई एक सूरत ज़रूरी नहीं, लेकिन हर हाल और हर संभावना पर) हमारे ही पास उनको आना होगा (और उस वक़्त यक़ीनन उन पर अ़ज़ाब पड़ेगा)। और (इस बात को याद करके भी तसल्ली हासिल कीजिये कि) हमने आप से पहले बहुत-से पैग़म्बर भेजे, जिनमें से बाज़े तो वे हैं कि उनका क़िस्सा हमने आपसे (मुख़्तसर तौर पर या तफ़सील से) बयान किया है, और बाज़े वे हैं जिनका हमने आप से क़िस्सा बयान नहीं किया, और (इतनी बात सब में साझा है कि) किसी रसूल से यह न हो सकेगा कि कोई मोजिज़ा अल्लाह के हुक्म के बग़ैर ज़ाहिर कर सके (और उम्मत की हर फ़रमाईश पूरी कर सके। सो बाज़े इसलिये भी उनको झुठलाते रहे, इसी तरह ये लोग आपको झुठलाते हैं तो आप तसल्ली रखिये और सब्र कीजिये) फिर जिस वक़्त (अ़ज़ाब नाज़िल होने के लिये) अल्लाह का हुक्म आयेगा (चाहे दुनिया में या आख़िरत में, जैसा कि उपयुक्त आयत 77 में अल्लाह तआ़ला का क़ौल है) तो ठीक-ठीक (अ़मली) फ़ैसला हो जायेगा और उस वक़्त बातिल वाले घाटे में रह जाएँगे।

मआ़रिफ़ व मसाईल

يُسْحَبُوْنَ٥ فِى الْحَمِيْمِ. ثُمَّ فِى النَّارِ يُسْجَرُوْنَ٥

हमीम खौलता हुआ गर्म पानी है। इस आयत से यह समझ में आता है कि जहन्नम वालों को

पहले हमीम में डाला जायेगा उसके बाद जहीम यानी जहन्नम में। और बज़ाहिर इससे यह समझ में आता है कि हमीम जहन्नम से बाहर किसी जगह है। सूरः साफ़्फ़ात की आयत नम्बर 68 'सुम्-म इन्-न मरजि-अ़हुम् ल-इलल् जहीम' से भी यही समझ में आता है कि हमीम जहन्नम से बाहर किसी जगह का नाम है, जहन्नम वालों को उसका पानी पिलाने के लिये लाया जायेगा फिर जहन्नम में लौटा दिया जायेगा। और क़ुरआन की कुछ आयतों से मालूम होता है कि हमीम भी जहीम ही में है जैसे सूरः रहमान की आयत 43-44:

هٰذِهٖ جَهَنَّمُ الَّتِیْ یُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُوْنَ یَطُوْفُوْنَ بَیْنَهَا وَبَیْنَ حَمِیْمٍ اٰنٍ○

इसमें वज़ाहत है कि हमीम भी जहन्नम के अन्दर है।

ग़ौर करने से मालूम होता है कि इन दोनों बातों में कोई टकराव और विरोधाभास नहीं, जहन्नम ही के बहुत से तब्क़े (दर्जे) होंगे जिनमें तरह-तरह के अ़ज़ाब होंगे, उन्हीं में एक तब्क़ा हमीम का भी हो सकता है जिसको नुमायाँ और विशेष होने के सबब जहन्नम से अलग भी कहा जा सकता है और चूँकि यह भी जहन्नम की का एक तब्क़ा है इसलिये इसको जहन्नम भी कहा जा सकता है। इमाम इब्ने कसीर रह. ने फ़रमाया कि जहन्नम वाले ज़न्जीरों में जकड़े हुए कभी खींचकर हमीम में डाल दिये जायेंगे कभी जहीम में।

قَالُوْا ضَلُّوْا عَنَّا.

यानी जहन्नम में पहुँचकर मुश्रिक लोग कहेंगे- वे बुत और शैतान जिनकी हम इबादत किया करते थे आज ग़ायब हो गये। मुराद यह है कि हमें नज़र नहीं आ रहे अगरचे वे भी जहन्नम के किसी हिस्से में पड़े हों, जैसा कि क़ुरआन की दूसरी आयतों से उनका जहन्नम में होना साबित है। जैसे सूरः अम्बिया की आयत 98 में इसका ज़िक्र है।

بِمَا كُنْتُمْ تَفْرَحُوْنَ فِی الْاَرْضِ بِغَیْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَمْرَحُوْنَ○

तफ़्रहून फ़रह से निकला है जिसके मायने हैं ख़ुश और प्रसन्न होना। और तम्रहून मरह से निकला है जिसके मायने हैं इतराना और माल व दौलत पर फ़ख़्र व ग़ुरूर में मुब्तला होकर दूसरों के हक़्क़ों में ज़ुल्म व ज़्यादती करना। मरह तो पूरी तरह बुरा और हराम है और फ़रह यानी ख़ुशी में यह तफ़सील है कि माल व दौलत के नशे में ख़ुदा को भूलकर गुनाहों से लज़्ज़त हासिल करना और उन पर ख़ुश होना यह तो हराम व नाजायज़ है और इस आयत में यही फ़रह मुराद है, जैसे क़ारून के क़िस्से में भी फ़रह इसी मायने में आया है:

لَا تَفْرَحْ اِنَّ اللّٰهَ لَا یُحِبُّ الْفَرِحِیْنَ○

यानी बहुत ख़ुश न हो, अल्लाह तआ़ला ख़ुश होने वालों को पसन्द नहीं करता। और दूसरा दर्जा फ़रह का यह है कि दुनिया की नेमतों और राहतों को अल्लाह तआ़ला का इनाम समझकर उन पर ख़ुशी व मुसर्रत का इज़हार करे, यह जायज़ बल्कि अच्छा और हुक्म शुदा है। ऐसी ही फ़रह के मुताल्लिक़ क़ुरआने करीम ने फ़रमायाः

فَبِذٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوْا

यानी इस पर ख़ुश होना चाहिये। उक्त आयत में मरह के साथ कोई शर्त नहीं, यह हर तरह अ़ज़ाब का सबब है, और फ़रह के साथ 'बिग़ैरिल्-हक़्क़ि' की क़ैद लगाकर बतला दिया कि नाहक़ और नाजायज़ लज़्ज़तों पर ख़ुश होना हराम और हक़ व जायज़ नेमतों पर बतौर शुक्र के ख़ुश होना इबादत और सवाब है।

فَاصْبِرْ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ فَاِمَّا نُرِيَنَّكَ............ الآية.

इस आयत से मालूम होता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ख़ुशी के साथ इसके मुन्तज़िर थे कि काफ़िरों को अ़ज़ाब मिले, इसलिये आपकी तसल्ली के लिये इस आयत में यह फ़रमाया कि आप ज़रा सब्र करें, अल्लाह ने जो वायदा उनके लिये अ़ज़ाब का किया है वह ज़रूर पूरा होगा, चाहे आपकी ज़िन्दगी ही में या आपकी वफ़ात के बाद। काफ़िरों के लिये अ़ज़ाब का इन्तिज़ार करना बज़ाहिर 'रह्मतुलू-लिल्आ़लमीन' की शान के ख़िलाफ़ है लेकिन जबकि मुजरिमों को सज़ा देने से मक़सद ग़ैर-मुजरिम मोमिनों को जिन पर ज़ुल्म किया गया था तसल्ली देना हो तो मुजरिमों को सज़ा शफ़क़त व रहमत के ख़िलाफ़ नहीं। किसी मुजरिम को सज़ा देना किसी के नज़दीक भी रहमत (मेहरबानी व रहम-दिली) के ख़िलाफ़ नहीं समझा जाता।

اَللّٰهُ الَّذِىْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَنْعَامَ لِتَرْكَبُوْا مِنْهَا وَمِنْهَا تَاْكُلُوْنَ ۝ وَلَكُمْ فِيْهَا مَنَافِعُ وَلِتَبْلُغُوْا عَلَيْهَا حَاجَةً فِىْ صُدُوْرِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُوْنَ ۝ وَيُرِيْكُمْ اٰيٰتِهٖ ۖ فَاَىَّ اٰيٰتِ اللّٰهِ تُنْكِرُوْنَ ۝ اَفَلَمْ يَسِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ فَيَنْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۭ كَانُوْٓا اَكْثَرَ مِنْهُمْ وَاَشَدَّ قُوَّةً وَّاٰثَارًا فِى الْاَرْضِ فَمَآ اَغْنٰى عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ۝ فَلَمَّا جَاۗءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ فَرِحُوْا بِمَا عِنْدَهُمْ مِّنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِمْ مَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ۝ فَلَمَّا رَاَوْا بَاْسَنَا قَالُوْٓا اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَحْدَهٗ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهٖ مُشْرِكِيْنَ ۝ فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ اِيْمَانُهُمْ لَمَّا رَاَوْا بَاْسَنَا ۭ سُنَّتَ اللّٰهِ الَّتِىْ قَدْ خَلَتْ فِىْ عِبَادِهٖ ۚ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكٰفِرُوْنَ ۝

अल्लाहुल्लज़ी ज-अ़-ल लकुमुल्-अन्आ़-म लि-तर्कबू मिन्हा व मिन्हा तअ्कुलून (79) व लकुम् फ़ीहा मनाफ़िअ़ु व लि-तब्लुग़ू अ़लैहा हा-जतन् फ़ी सुदूरिकुम् व अ़लैहा व अ़लल्-फ़ुल्कि तुह्मलून (80) व	अल्लाह है जिसने बना दिये तुम्हारे वास्ते चौपाये (जानवर) ताकि सवारी करो बाज़ों पर और बाज़ों को खाते हो। (79) और उनमें तुमको बहुत फ़ायदे हैं और ताकि पहुँचो उन पर चढ़कर किसी काम तक जो तुम्हारे जी में हो, और उन पर और कश्तियों पर लदे फिरते हो। (80) और

युरीकुम् आयातिही फ़-अय्-य आयातिल्लाहि तुन्किरून (81) अ-फ़-लम् यसीरू फ़िल्अर्ज़ि फ़-यन्ज़ुरू कै-फ़ का-न आ़क़ि-बतुल्लज़ी-न मिन् क़ब्लिहिम्, कानू अक्स-र मिन्हुम् व अशद्-द क़ुव्वतंव्-व आसारन् फ़िल्अर्ज़ि फ़मा अग़्ना अ़न्हुम् मा कानू यक्सिबून (82) फ़-लम्मा जा-अत्हुम् रुसुलुहुम् बिल्बय्यिनाति फ़रिहू बिमा अ़िन्दहुम् मिनल्-अ़िल्मि व हा-क़ बिहिम् मा कानू बिही यस्तह्ज़िऊन (83) फ़-लम्मा रऔ बअ्सना क़ालू आमन्ना बिल्लाहि वह्-दहू व क-फ़र्ना बिमा कुन्ना बिही मुश्रिकीन (84) फ़-लम् यकु यन्फ़अ़ुहुम् ईमानुहुम् लम्मा रऔ बअ्सना, सुन्नतल्लाहिल्लती क़द् ख़-लत् फ़ी अ़िबादिही व ख़ासि-र हुनालिकल्-काफ़िरून (85) ❁

दिखलाता है तुमको अपनी निशानियाँ फिर अपने रब की कौन-कौनसी निशानियों को न मानोगे। (81) क्या फिरे नहीं वे मुल्क में कि देख लेते कैसा अन्जाम हुआ उनसे पहलों का, वे थे इनसे ज़्यादा और ज़ोर में सख़्त और निशानियों में जो छोड़ गये हैं ज़मीन पर, फिर काम न आया उनके जो वे कमाते थे। (82) फिर जब पहुँचे उनके पास उनके रसूल खुली निशानियाँ लेकर इतराने लगे उस पर जो उनके पास थी ख़बर, और उलट पड़ी उन पर वह चीज़ जिस पर ठट्ठा करते थे। (83) फिर जब उन्होंने देख लिया हमारी आफ़त को बोले हम यक़ीन लाये अल्लाह अकेले पर और हमने छोड़ दीं वो चीज़ें जिनको शरीक बतलाते थे। (85) फिर न हुआ कि काम आये उनको उनका यक़ीन लाना जिस वक़्त देख चुके हमारा अ़ज़ाब, रस्म पड़ी हुई अल्लाह की जो चली आई है उसके बन्दों में, और ख़राब हुए उस जगह इनकारी लोग। (85) ❁

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

अल्लाह ही है जिसने तुम्हारे लिये मवेशी बनाये ताकि उनमें बाज़ों से सवारी लो और उनमें बाज़े (ऐसे हैं कि उनको) खाते भी हो। और तुम्हारे लिये उनमें और भी बहुत फ़ायदे हैं (कि उनके बाल और ऊन काम आती है) और (इसलिये बनाये) ताकि तुम उन पर (सवार होकर) अपने मतलब तक पहुँचो जो तुम्हारे दिलों में है (जैसे किसी से मिलने के लिये जाना, तिजारत के लिये जाना वग़ैरह-वग़ैरह), और (सवार होने में कुछ उन्हीं की विशेषता नहीं बल्कि) उन पर (भी) और कश्ती पर (भी) लदे-लदे फिरते हो। और (उनके अ़लावा) तुमको अपनी (क़ुदरत की) और भी निशानियाँ दिखलाता

रहता है (चुनाँचे हर बनी हुई चीज़ उसकी कारीगरी और कमाले क़ुदरत पर एक निशान है) सो तुम अल्लाह तआ़ला की कौन-कौनसी निशानियों का इनकार करोगे?

(और ये लोग जो दलीलों के कायम होने के बाद भी तौहीद के इनकारी हैं तो क्या इनको शिर्क के वबाल की ख़बर नहीं और) क्या इन लोगों ने मुल्क में चल-फिरकर नहीं देखा कि जो (मुश्रिक) लोग इनसे पहले गुज़र चुके हैं (इस शिर्क की बदौलत) उनका क्या अन्जाम हुआ? (हालाँकि) वे लोग इनसे (संख्या में भी) ज़्यादा थे और क़ुव्वत में और निशानियों में (भी) जो कि ज़मीन पर छोड़ गये (जैसे इमारतें वग़ैरह) बढ़े हुए थे, सो उनकी (यह पूरी की पूरी) कमाई उनके कुछ भी काम न आई (और अल्लाह के अ़ज़ाब से न बच सके)। ग़र्ज़ कि जब उनके पैग़म्बर उनके पास खुली दलीलें लेकर आये तो वे लोग अपने (उस कमाने-खाने के) इल्म पर बड़े इतराये जो उनको हासिल था (यानी आर्थिक ज्ञान और रोज़ी कमाने को असल मकसद समझकर और उसमें जो उनको क़ाबलियत व महारत और दक्षता हासिल थी उस पर ख़ुश हुए और आख़िरत का इनकार करके उसकी तलब को पागलपन और उसके इनकार पर अ़ज़ाब के वायदे व धमकी का मज़ाक़ उड़ाया) और (इसके वबाल में) उन पर वह अ़ज़ाब आ पड़ा जिसके साथ मज़ाक़ करते थे। फिर जब उन्होंने हमारा अ़ज़ाब देखा तो कहने लगे (अब) हम एक अल्लाह पर ईमान लाये और उन सब चीज़ों से हम इनकारी हुए जिनको हम उसके साथ शरीक ठहराते थे। सो उनका यह ईमान लाना फ़ायदेमन्द न हुआ जब उन्होंने हमारा अ़ज़ाब देख लिया (क्योंकि वह ग़ैर-इख़्तियारी और मजबूरी का ईमान है और बन्दा मुकल्लफ़ है इख़्तियारी ईमान का) अल्लाह तआ़ला ने अपना यही मामूल "यानी आ़दत और तरीक़ा" मुक़र्रर किया है जो उसके बन्दों में पहले से होता चला आया है, और उस वक़्त (यानी जबकि ईमान नफ़ा देने वाला न हुआ) काफ़िर घाटे में रह गये (पस इन मुश्रिक लोगों को भी यह समझकर डरना चाहिये, इनके लिये भी यही होगा, फिर कुछ तलाफ़ी न हो सकेगी)।

मआ़रिफ़ व मसाईल

فَرِحُوْا بِمَا عِنْدَهُمْ مِّنَ الْعِلْمِ

यानी इन अन्जाम से ग़ाफ़िल इनकारी लोगों के पास जब अल्लाह तआ़ला के रसूल तौहीद (अल्लाह के एक होने) और ईमान की स्पष्ट दलीलें लेकर आये तो ये लोग अपने इल्म को अम्बिया के लाये हुए इल्म से बेहतर और हक़ समझकर अम्बिया के कलाम का रद्द करने लगे। यह इल्म जिस पर काफ़िर ख़ुश और मगन थे और उसके मुक़ाबले में अम्बिया के उलूम को रद्द करते थे, या तो उनकी सख़्त जहालत थी कि नाहक़ और बातिल को हक़ और सही समझ बैठे थे, जैसे यूनानी फ़लॉस्फ़रों के ज़्यादातर उलूम व तहक़ीक़ात जो अल्लाह तआ़ला की ज़ात और फ़रिश्तों व आसमानी चीज़ों वग़ैरह से मुताल्लिक़ हैं इसी नमूने के हैं जिनकी कोई दलील नहीं। उनको परले दर्जे की जहालत तो कह सकते हैं उनका नाम इल्म रखना इल्म की तौहीन है। या फिर उनके इस इल्म से मुराद दुनिया की तिजारत व हुनर मन्दी और उद्योग वग़ैरह का इल्म है जिसमें ये लोग वास्तव में माहिर थे और क़ुरआने करीम ने उनके इस इल्म का ज़िक्र सूरः रूम की आयत में इस तरह फ़रमाया हैः

يَعْلَمُوْنَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْاٰخِرَةِ هُمْ غٰفِلُوْنَ○

यानी ये लोग दुनिया की ज़ाहिरी ज़िन्दगी और इसके फ़ायदे हासिल करने को तो कुछ जानते समझते हैं मगर आख़िरत जहाँ हमेशा रहना है और जहाँ की राहत व मुसीबत हमेशा रहने वाली है उससे बिल्कुल जाहिल व ग़ाफ़िल हैं। इस आयत में भी अगर यही दुनिया का ज़ाहिरी इल्म मुराद लिया जाये तो मतलब यह होगा कि ये लोग चूँकि क़ियामत और आख़िरत के इनकारी और वहाँ की राहत व मुसीबत से जाहिल व ग़ाफ़िल हैं इसी लिये अपने इसी ज़ाहिरी हुनर पर ख़ुश और मगन होकर अम्बिया के उलूम की तरफ़ मुतवज्जह नहीं होते। (तफ़सीरे मज़हरी)

فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ اِيْمَانُهُمْ

यानी अ़ज़ाब सामने आने के बाद ये लोग ईमान का इक़रार कर रहे हैं मगर इस वक़्त का ईमान अल्लाह के नज़दीक मक़बूल व मोतबर नहीं। हदीस में है कि:

يقبل الله توبة العبد مالم يغرغر. (ابن كثير)

यानी अल्लाह तआ़ला बन्दे की तौबा उस वक़्त से पहले-पहले क़ुबूल करते हैं जिस वक़्त रूह के निकलने और मौत का ग़रग़रा सामने आ जाये। इसी तरह पर आसमानी अ़ज़ाब के सामने आ जाने के बाद किसी की तौबा और ईमान क़ुबूल नहीं होता।

या अल्लाह! हम आप से आले हा-मीम की बरकत से मौत से पहले आ़फ़ियत व माफ़ी, मौत के वक़्त आसानी व दरगुज़र और मौत के बाद मग़फ़िरत व रहमत का सवाल करते हैं। या अल्लाह! क़ुबूल फ़रमा। बेशुमार रहमतें और दुरूद नाज़िल हों नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम पर।

सूरः मोमिन अल्लाह की मदद व तौफ़ीक़ से 13 रबीउल-अव्वल सन् 1392 हिजरी शनिवार के दिन पूरी हुई। तमाम तारीफ़ अव्वल व आख़िर और ज़ाहिर व बातिन में अल्लाह ही के लिये है।

अल्हम्दु लिल्लाह सूरः मोमिन की तफ़सीर का हिन्दी तर्जुमा मुकम्मल हुआ।

सूरः हा-मीम् अस्सज्दा

सूरः हा-मीम् अस्सज्दा मक्का में नाज़िल हुई। इसमें 54 आयतें और 6 रुकूअ़ हैं।

اٰيَاتُهَا ٥٤ (٤١) سُوۡرَةُ حٰمٓ السَّجۡدَةِ مَكِّيَّةٌ (٦١) رُكُوۡعَاتُهَا ٦

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ

حٰمٓ ۚ تَنۡزِيۡلٌ مِّنَ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ ۚ كِتٰبٌ فُصِّلَتۡ اٰيٰتُهٗ قُرۡاٰنًا عَرَبِيًّا لِّقَوۡمٍ يَّعۡلَمُوۡنَ ۙ بَشِيۡرًا وَّنَذِيۡرًا ۚ فَاَعۡرَضَ اَكۡثَرُهُمۡ فَهُمۡ لَا يَسۡمَعُوۡنَ ۞ وَقَالُوۡا قُلُوۡبُنَا فِىۡۤ اَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدۡعُوۡنَاۤ اِلَيۡهِ وَفِىۡۤ اٰذَانِنَا وَقۡرٌ وَّمِنۡۢ بَيۡنِنَا وَبَيۡنِكَ حِجَابٌ فَاعۡمَلۡ اِنَّنَا عٰمِلُوۡنَ ۞ قُلۡ اِنَّمَاۤ اَنَا بَشَرٌ مِّثۡلُكُمۡ يُوۡحٰۤى اِلَىَّ اَنَّمَاۤ اِلٰهُكُمۡ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ فَاسۡتَقِيۡمُوۡۤا اِلَيۡهِ وَاسۡتَغۡفِرُوۡهُ ؕ وَوَيۡلٌ لِّلۡمُشۡرِكِيۡنَ ۙ الَّذِيۡنَ لَا يُؤۡتُوۡنَ الزَّكٰوةَ وَهُمۡ بِالۡاٰخِرَةِ هُمۡ كٰفِرُوۡنَ ۞ اِنَّ الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَهُمۡ اَجۡرٌ غَيۡرُ مَمۡنُوۡنٍ ۞

बिस्मिल्लाहिर्रह्मानिर्रहीम

शुरू अल्लाह के नाम से जो बेहद मेहरबान निहायत रहम वाला है।

हा-मीम् (1) तन्ज़ीलुम्-मिनर्रह्मानिर्रहीम (2) किताबुन् फ़ुस्सिलत् आयातुहू क़ुरआनन् अ़-रबिय्यल् लिक़ौमिंय्-यअ़्लमून (3) बशीरंव्-व नज़ीरन् फ़-अअ़्र-ज़ अक्सरुहुम् फ़हुम् ला यस्मअ़ून (4) व क़ालू क़ुलूबुना फ़ी अकिन्नतिम्-मिम्मा तद्अ़ूना इलैहि व फ़ी आज़ानिना वक़्रुंव्-व मिम्बैनिना व बैनि-क हिजाबुन् फ़अ़्मल् इन्नना	हा-मीम्। (1) उतारा हुआ है बड़े मेहरबान रहम वाले की तरफ़ से। (2) एक किताब है कि अलग-अलग की हैं इसकी आयतें, क़ुरआन अ़रबी भाषा का एक, समझ वाले लोगों को (3) सुनाने वाला ख़ुशख़बरी और डर, पर ध्यान में न लाये वे बहुत लोग, सो वे नहीं सुनते। (4) और कहते हैं हमारे दिल ग़िलाफ़ में हैं उस बात से जिसकी तरफ़ तू हमको बुलाता है और हमारे कानों में बोझ है और हमारे और तेरे बीच में पर्दा है सो तू अपना काम

आमिलून (5) ▲ क़ुल् इन्नमा अ-न ब-शरुम्-मिस्लुकुम् यूहा इलय्-य अन्नमा इलाहुकुम् इलाहुंव्-वाहिदुन् फ़स्तक़ीमू इलैहि वस्तग़्फ़िरूहु, व वैलुल्-लिल्मुश्रिकीन (6) अल्लज़ी-न ला युअ्तूनज़्ज़का-त व हुम् बिल्-आख़िरति हुम् काफ़िरून (7) इन्नल्लज़ी-न आमनू व अमिलुस्-सालिहाति लहुम् अज्रुन् ग़ैरु मम्नून (8) ❁	कर हम अपना काम करते हैं। (5) ▲ तू कह मैं भी आदमी हूँ जैसे तुम, हुक्म आता है मुझको कि तुम पर बन्दगी एक हाकिम की है सो सीधे रहो उसकी तरफ़ और उससे गुनाह बख़्शवाओ, और ख़राबी है शरीक करने वालों को (6) जो नहीं देते ज़कात और वे आख़िरत से मुन्किर हैं। (7) बेशक जो लोग यक़ीन लाये और किये भले काम उनको सवाब मिलना है जो मौक़ूफ़ न हो (यानी जिसका अन्त न हो)। (8) ❁

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

हा-मीम् (इसके मायने अल्लाह को मालूम हैं)। यह कलाम रहमान व रहीम की तरफ़ से नाज़िल किया जाता है। यह (कलाम) एक किताब है जिसकी आयतें साफ़-साफ़ बयान की गई हैं, यानी ऐसा क़ुरआन है जो अ़रबी (भाषा में) है (ताकि जो अप्रत्यक्ष रूप से इसके मुख़ातब हैं यानी अ़रब के लोग वे आसानी से समझ लें और) ऐसे लोगों के लिये (नफ़ा) है जो अ़क्लमन्द हैं। (यानी अगरचे अहकाम के मुकल्लफ़ और मुख़ातब सभी हैं मगर उनसे नफ़ा वही लोग उठाते हैं जो समझ-बूझ रखते हैं। क़ुरआन ऐसे लोगों को) ख़ुशख़बरी देने वाला है और (न मानने वालों के लिये) डराने वाला है, सो (इसका तक़ाज़ा यह था कि सभी इस पर ईमान लाते मगर) अक्सर लोगों ने (इससे) मुँह मोड़ा फिर वे सुनते ही नहीं। और (जब आप उनको सुनाते हैं तो) वे लोग कहते हैं कि जिस बात की तरफ़ आप हमको बुलाते हैं हमारे दिल उससे पर्दों में हैं (यानी आपकी बात हमारी समझ में नहीं आती), और हमारे कानों में डाट (लग रही) है, और हमारे और आपके बीच एक पर्दा है, सो आप अपना काम किये जाईये, हम अपना काम कर रहे हैं (यानी हमसे क़ुबूल करने की उम्मीद न रखिये, हम अपने अ़मली तरीक़े को न छोड़ेंगे)। आप फ़रमा दीजिये कि (तुम्हें ईमान पर मजबूर कर देना तो मेरे बस की बात नहीं क्योंकि) मैं भी तुम ही जैसा बशर हूँ (ख़ुदा नहीं जो दिलों में उलट-फेर कर सकूँ अलबत्ता अल्लाह तआ़ला ने मुझे यह विशेषता बख़्शी है कि) मुझ पर यह वही नाज़िल होती है कि तुम्हारा माबूद एक ही माबूद है (और यह वही ऐसी है कि हर शख़्स ग़ौर करे तो उसका हक़ और माक़ूल होना उसकी समझ में आ सकता है। और जबकि मेरी नुबुव्वत और वही मोजिज़ों के ज़रिये साबित हो चुकी तो मेरी बात बहरहाल मानना सब पर फ़र्ज़ है, तुम्हारे क़ुबूल न करने की कोई वजह नहीं, ज़रूर क़ुबूल करो) उस (सच्चे माबूद) की तरफ़ सीध बाँध लो (यानी उसके सिवा किसी की इबादत की

तरफ़ तवज्जोह न करो) और उससे माफ़ी माँगो (यानी पिछले शिर्क वाले आमाल से तौबा करो, और अपनी ख़ता की माफ़ी माँगो) और ऐसे मुश्रिकों के लिये बड़ी ख़राबी है जो (नुबुव्वत की दलीलों को देखने और तौहीद की दलीलों को सुनने के बावजूद अपने बातिल और ग़ैर-हक़ तरीक़े को नहीं छोड़ते और) ज़कात नहीं देते, और ये आख़िरत के इनकारी ही रहते हैं। (उनके बरख़िलाफ़) जो लोग ईमान ले आये और उन्होंने नेक काम किये उनके लिये (आख़िरत में) ऐसा अज्र है जो (कभी) मौक़ूफ़ होने (बन्द और बाधित होने) वाला नहीं।

मआ़रिफ़ व मसाईल

ये सात सूरतें जो हा-मीम से शुरू हुई हैं, जिनको आले हा-मीम या हवामीम कहा जाता है, आपस में पहचान और फ़र्क़ की निशानी के लिये इनके साथ नाम में कुछ और अलफ़ाज़ भी शामिल किये जाते हैं। मसलन सूरः मोमिन के हा-मीम को **हा-मीम् अल्मोमिन** और इस सूरत के हा-मीम को **हा-मीम अस्सज्दा** या **हा-मीम फ़ुस्सिलत** भी कहा जाता है। इस सूरत के ये दोनों नाम परिचित हैं हा-मीम फ़ुस्सिलत और हा-मीम अस्सज्दा।

इस सूरत के पहले मुख़ातब (संबोधित) अ़रब के क़ुरैश हैं जिनके सामने यह क़ुरआन नाज़िल हुआ और उनकी भाषा में नाज़िल हुआ। उन्होंने क़ुरआन के कमाल और बेमिसाल होने को देखा और महसूस किया। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के बेशुमार मोजिज़े देखे इसके बावजूद क़ुरआन से मुँह फेर लिया और बेतवज्जोही बरती। और समझना क्या सुनना भी गवारा न किया, और नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की शफ़क़त भरी नसीहतों के जवाब में आख़िरकार यह कह बैठे कि आपकी बातें न हमारी समझ में आती हैं न हमारे दिल उनको क़ुबूल करते हैं न हमारे कान उनको सुनने के लिये तैयार हैं। हमारे और आपके बीच तो दोहरे पर्दे रुकावट हैं। बस अब आप अपना काम करें, हमें हमारे हाल पर छोड़ दें।

यही मफ़्हूम है इस सूरत की शुरू की पाँच आयतों का। इन आयतों में हक़ तआ़ला ने क़ुरैश की ख़ुसूसियत से इसका इज़हार फ़रमाया कि क़ुरआन को अ़रबी भाषा में तुम्हारी ख़ातिर नाज़िल किया गया कि तुम्हें इसके मज़ामीन समझने में दुश्वारी न हो। इसके साथ क़ुरआने करीम की तीन सिफ़तें बतलाई गयीं- अव्वल यह कि **फ़ुस्सिलत् आयातुहू** फ़ुस्सिलत तफ़सील से लिया गया है जिसके असल मायने मज़ामीन को अलग-अलग करके स्पष्ट और नुमायाँ कर देना है। इससे मुराद खोलकर वज़ाहत से बयान करना है, चाहे वह मुख़्तलिफ़ फ़सलों (अध्यायों) में हो या एक ही जगह। क़ुरआने करीम की आयतों में अहकाम, वाक़िआ़त, अ़क़ीदे, बातिल और ग़ैर-हक़ वालों का रद्द वग़ैरह मुख़्तलिफ़ मज़ामीन को अलग-अलग भी बयान किया गया है और हर मज़मून को मिसालों से स्पष्ट करके समझाया गया है। दूसरी और तीसरी सिफ़त क़ुरआने करीम की यह बतलाई कि वह **बशीर** और **नज़ीर** है, यानी अपने मानने वालों को हमेशा की राहतों की ख़ुशख़बरी और न मानने वालों को हमेशा के अ़ज़ाब से डराता है। और इन सब सिफ़ात को बयान करके आख़िर में फ़रमाया 'लिक़ौमिंय्यअ़्लमून' यानी क़ुरआन की आयतों का अ़रबी भाषा में होना, स्पष्ट और साफ़ होना और ख़ुशख़बरी व डराने पर आधारित होना, यह सब ऐसे ही लोगों को नफ़ा दे सकता है जो सोचने और समझने का इरादा भी

करें। 'यअ्लमून' के लफ़्ज़ से इस जगह यही सोचने समझने की सलाहियत मुराद है, इसी लिये ख़ुलासा-ए-तफ़सीर में इसका तर्जुमा दानिशमन्द से किया गया है। मगर अ़रब के लोगों और क़ुरैश वालों ने इन सब बातों के बावजूद इससे मुँह मोड़ा, समझना क्या सुनना भी गवारा न किया जिसका ज़िक्र इन्हीं आयतों में 'फ़-अअ्र-ज़ अक्सरुहुम्' से फ़रमाया है।

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के सामने मक्का के काफ़िरों की तरफ़ से एक पेशकश

क़ुरैश के काफ़िर जो इस सूरत के बिना किसी माध्यम के (यानी अप्रत्यक्ष रूप से) मुख़ातब हैं, उन्होंने क़ुरआन नाज़िल होने के बाद इस्लाम के शुरू ज़माने में ज़ोर व ताक़त के साथ इस्लाम की तहरीक (आंदोलन) को दबाने और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम और आप पर ईमान लाने वालों को तरह-तरह की तकलीफ़ें पहुँचाकर ख़ौफ़ज़दा करने की बहुत सी कोशिशें कीं, लेकिन इस्लाम उनके बरख़िलाफ़ बढ़ता और ताक़त पकड़ता चला गया। पहले हज़रत हमज़ा जो क़ुरैश के माने हुए सरदार थे वह मुसलमान हो गये, फिर हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अ़न्हु जैसे क़वी और बहादुर शख़्स इस्लाम में दाख़िल हो गये, तो अब मक्का के क़ुरैश ने डराने का रास्ता छोड़कर लुभाने और लालच के ज़रिये इस्लाम की तब्लीग़ का रास्ता रोकने की तदबीरें सोचनी शुरू कर दीं। इसी सिलसिले का एक वाक़िआ़ जिसको हाफ़िज़ इब्ने कसीर रह. ने मुस्नद बज़्ज़ार, अबू यअ्ला और बग़वी की रिवायतों से नक़ल किया है, इन सब रिवायतों में थोड़ा-थोड़ा फ़र्क़ है। इब्ने कसीर रह. ने उनमें से इमाम बग़वी की रिवायत को सबसे ज़्यादा सही और क़रीब क़रार दिया और उन सब के बाद मुहम्मद बिन इस्हाक़ की किताबुस्सीरत से इस वाक़िए को नक़ल करके इन सब रिवायतों पर उसको तरजीह दी। इसलिये यह क़िस्सा इस जगह इब्ने इस्हाक़ ही की रिवायत के मुताबिक़ नक़ल किया जाता है।

मुहम्मद बिन इस्हाक़ ने बयान किया कि मुहम्मद बिन कअ़ब क़ुरज़ी कहते हैं कि मुझे यह रिवायत पहुँची है कि उतबा बिन रबीआ़ जो क़ुरैश का बड़ा सरदार माना जाता था, एक दिन क़ुरैश की एक जमाअ़त के साथ मस्जिदे हराम (काबे के इहाते वाली मस्जिद) में बैठा हुआ था। दूसरी तरफ़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम मस्जिद के एक हिस्से में अकेले बैठे थे। उतबा ने अपनी क़ौम से कहा कि अगर आप लोगों की राय हो तो मैं मुहम्मद (सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम) से गुफ़्तगू करूँ और उनके सामने कुछ लुभावनी चीज़ें पेश करूँ कि अगर वह उनमें से किसी को क़ुबूल कर लें तो हम वो चीज़ें उन्हें दे दें ताकि वह हमारे दीन व मज़हब के ख़िलाफ़ तब्लीग़ करना छोड़ दें। यह उस वक़्त का वाक़िआ़ है जबकि हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु अ़न्हु मुसलमान हो चुके थे और मुसलमानों की ताक़त दिन-ब-दिन बढ़ रही थी। उतबा की पूरी क़ौम ने एक ज़बान होकर कहा कि ऐ अबुल-वलीद! (यह उसकी कुन्नियत है) ज़रूर ऐसा करें और उनसे गुफ़्तगू कर लें।

उतबा अपनी जगह से उठकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की ख़िदमत में हाज़िर हुआ और यह गुफ़्तगू शुरू की कि ऐ हमारे भतीजे! आपको मालूम है कि हमारी क़ौम क़ुरैश में आपको ऊँचे नसब और शराफ़त का एक मक़ाम हासिल है, आपका ख़ानदान बड़ा और हम सब के नज़दीक

इज़्ज़त व सम्मान का मालिक है, मगर आपने क़ौम को एक बड़ी मुश्किल में फंसा दिया है। आप एक ऐसी दावत लेकर आये जिसने हमारी जमाअत में फूट डाल दी, उनको बेवक़ूफ़ बनाया, उनके माबूदों पर और उनके दीन पर ऐब लगाया, और उनके जो बाप-दादा (पूर्वज) गुज़र चुके हैं उनको काफ़िर क़रार दिया। इसलिये आप मेरी बात सुनें, मैं चन्द चीज़ें आपके सामने पेश करता हूँ ताकि आप उनमें से किसी को पसन्द कर लें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- अबुल-वलीद! कहिये जो कुछ आपको कहना है, मैं सुनूँगा।

उतबा अबुल-वलीद ने कहा कि ऐ भतीजे! आपने जो तहरीक चलाई है अगर इससे आपका मक़सद माल जमा करना है तो हम वायदा करते हैं कि आपके लिये इतना माल जमा कर देंगे कि आप सारी क़ौम से ज़्यादा मालदार हो जायें। और अगर मक़सद सत्ता व सरदारी हासिल करना है तो हम आपको तमाम क़ुरैश का सरदार तस्लीम कर लेंगे और आपके हुक्म के बग़ैर कोई काम न करेंगे। और अगर आप बादशाहत चाहते हैं तो हम आपको अपना बादशाह तस्लीम करते हैं और अगर यह सूरत है कि आपके पास आने वाला कोई जिन्न या शैतान है जो आपको इन कामों पर मजबूर करता है और आप उसको दूर करने से आ़जिज़ हैं तो हम आपके लिये ऐसे इलाज करने वाले बुलवायेंगे जो आपको इस तकलीफ़ से निजात दिला दें, इसके लिये हम अपने माल ख़र्च करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि कई बार कोई जिन्न इनसान पर ग़ालिब आ जाता है जिसका इलाज किया जाता है। उतबा यह लम्बी तक़रीर करता रहा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम सुनते रहे।

इसके बाद फ़रमाया कि अबुल-वलीद! आप अपनी बात पूरी कर चुके? उसने कहा हाँ। आपने फ़रमाया कि अब मेरी बात सुनिये। उतबा ने कहा कि बेशक मैं सुनूँगा।

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने अपनी तरफ़ से कोई जवाब देने के बजाय इस सूरः फ़ुस्सिलत (हा-मीम अस्सज्दा) की तिलावत शुरू फ़रमा दी।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ○ حٰمٓ○ تَنْزِيْلٌ مِّنَ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ○ كِتٰبٌ فُصِّلَتْ اٰيٰتُهٗ قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا لِّقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ○

मुस्नद बज़्ज़ार और बग़वी की रिवायत में है कि जब आप इस सूरत की आयतें पढ़ते-पढ़ते इस आयत पर पहुँच गयेः

فَاِنْ اَعْرَضُوْا فَقُلْ اَنْذَرْتُكُمْ صٰعِقَةً مِّثْلَ صٰعِقَةِ عَادٍ وَّثَمُوْدَ○

(यानी आयत नम्बर 13 पर) तो उतबा ने आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के मुँह मुबारक पर हाथ रख दिया और अपने नसब और रिश्ते की क़सम दी कि उन पर रहम कीजिये, आगे कुछ न फ़रमाईये। और इब्ने इस्हाक़ की रिवायत में है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने ये आयतें पढ़नी शुरू कीं तो उतबा ख़ामोशी के साथ सुनने लगा और अपने हाथों की पीठ पीछे टेक लगा ली ताकि ग़ौर से सुन सके, यहाँ तक कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम इस सूरत की सज्दे वाली आयत पर पहुँच गये और आपने सज्दा किया। फिर उतबा को ख़िताब करके फ़रमायाः-

ऐ अबुल-वलीद! आपने सुन लिया, जो कुछ सुना अब आपको इख़्तियार है जो चाहो करो। उतबा आपकी मज्लिस से उठकर अपनी मज्लिस की तरफ़ चला तो ये लोग दूर से उतबा को देखकर आपस में कहने लगे कि ख़ुदा की क़सम अबुल-वलीद का चेहरा बदला हुआ है। अब इसका वह चेहरा नहीं

जिसमें यहाँ से गया था। जब उतबा अपनी मज्लिस में पहुँचा तो लोगों ने पूछा कहो अबुल-वलीद क्या ख़बर लाये? उतबा अबुल-वलीद ने कहा कि मेरी ख़बर यह है किः

اِنی سمعتُ قولا واللّٰه ماسمعتُ مثله قطّ واللّٰه ماھوبالسحرولا بالشعرولا بالکھانة یا معشرقریش اطیعونی واجعلُوھا لی خَلُوًا بین الرجل وبین ماھوفیه فاعتزلوہ فواللّٰه لیکونن لقوله الذی سمعت نباء فان تصبه العرب فقد کفیتموہ بغیرکم وان یظھر علی العرب فملکه ملککم وعزہ عزّکم وکنتم اسعد الناس به.

(ابن کثیر ص ۹۱ ج ۴)

तर्जुमाः- मैंने ऐसा कलाम सुना कि ख़ुदा की क़सम उससे पहले कभी ऐसा कलाम नहीं सुना था। ख़ुदा की क़सम न तो यह जादू का कलाम है न शे'र या काहिनों का कलाम है (जिसको वे शैतानों से हासिल करते हैं)। ऐ मेरी क़ौम क़ुरैश! तुम मेरी बात मानो और इस मामले को मेरे हवाले कर दो, मेरी राय यह है कि तुम लोग उनके मुक़ाबले और सताने से बाज़ आ जाओ और उनको उनके काम पर छोड़ दो, क्योंकि उनके इस कलाम की ज़रूर एक ख़ास शान होने वाली है, तुम अभी इन्तिज़ार करो, अ़रब के बाक़ी लोगों का मामला देखो। अगर क़ुरैश के अ़लावा अ़रब के बाक़ी लोगों ने उनको शिकस्त दे दी तो तुम्हारा मतलब बग़ैर तुम्हारी किसी कोशिश के हासिल हो गया, और अगर वह अ़रब पर ग़ालिब आ गये तो उनकी हुकूमत तुम्हारी हुकूमत होगी, उनकी इ़ज़्ज़त से तुम्हारी इ़ज़्ज़त होगी, और उस वक़्त तुम उनकी कामयाबी के शरीक होगे।''

उसके साथी क़ुरैशियों ने जब उसका यह कलाम सुना तो कहने लगे कि ऐ अबुल-वलीद तुम पर तो मुहम्मद ने अपनी ज़बान से जादू कर दिया है। उतबा ने कहा मेरी राय तो यही है जो कुछ कह चुका, आगे तुम्हें इख़्तियार है जो चाहो करो।

وَقَالُوْا قُلُوْبُنَا فِیْٓ اَکِنَّةٍ.

इस जगह क़ुरैश के काफ़िरों के तीन क़ौल नक़ल किये गये- अव्वल यह कि आपके कलाम से हमारे दिलों पर पर्दा पड़ा हुआ है, आपकी बात हमारी समझ में नहीं आती। दूसरे यह कि आपके कलाम से हमारे कान बहरे हैं। तीसरे यह कि हमारे और आपके बीच पर्दे रुकावट हैं। क़ुरआन में इस क़ौल को निंदा और बुराई के तौर पर नक़ल किया है जिससे उनका कहना ग़लत मालूम होता है। मगर दूसरी जगह ख़ुद क़ुरआन ने उनका ऐसा ही हाल बयान फ़रमाया है। सूरः अन्आ़म की आयत 25 में हैः

وَجَعَلْنَا عَلٰی قُلُوْبِھِمْ اَکِنَّةً اَنْ یَّفْقَھُوْہُ وَفِیْٓ اٰذَانِھِمْ وَقْرًا.

और इसी तरह का मज़मून सूरः बनी इस्राईल और सूरः कहफ़ में भी है।

इसका जवाब यह है कि काफ़िरों के इस कहने से मतलब यह था कि हम तो मजबूर व माज़ूर हैं कि हमारे दिलों पर पर्दा और कानों में बोझ और बीच के पर्दे हैं, तो हम कैसे आपकी बात सुनें और मानें, गोया अपने आपको मजबूर साबित करना था। और क़ुरआन ने जो उनका ऐसा ही हाल बयान फ़रमाया उसमें उनको मजबूर नहीं क़रार दिया बल्कि उसका हासिल यह है कि उनमें अल्लाह की

आयतों को सुनने और समझने की पूरी सलाहियत थी मगर जब उन्होंने किसी तरह उधर कान भी न लगाये और समझने का इरादा भी न किया तो सज़ा के तौर पर उन पर ग़फ़लत व जहालत मुसल्लत कर दी गयी, मगर वह भी इस दर्जे में नहीं कि ये लोग बिल्कुल बेइख़्तियार बना दिये जायें बल्कि अब भी इरादा कर लें तो फिर सुनने और समझने की सलाहियत वापस आ जायेगी। (बयानुल-क़ुरआन)

इनकारी लोगों के इनकार व मज़ाक़ उड़ाने का पैग़म्बराना जवाब

काफ़िरों ने जो अपने दिलों पर पर्दे, कानों में बोझ वग़ैरह का इक़रार किया, यह तो ज़ाहिर है कि इससे मुराद यह न था कि उनमें अ़क़्ल नहीं या बहरे हैं, बल्कि एक क़िस्म का मज़ाक़ उड़ाना था। मगर इस ज़ालिमाना जुर्रत व मज़ाक़ उड़ाने का जो जवाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को तालीम किया गया वह यह था कि उनके मुक़ाबले में कोई सख़्ती की बात न करें, बल्कि अपनी तवाज़ो का इज़हार करें कि मैं ख़ुदा नहीं जो हर काम का मालिक व मुख़्तार हूँ बल्कि तुम ही जैसा एक इनसान हूँ, फ़र्क़ सिर्फ़ इसका है कि मुझे मेरे रब ने वही भेजकर हिदायत की, उसकी ताईद के लिये मोजिज़े दिये, जिसका असर यह होना चाहिये था कि तुम सब मुझ पर ईमान लाते, और अब भी मैं तुम्हें यही वसीयत करता हूँ कि अपना रुख़ इबादत व ताअ़त में सिर्फ़ एक अल्लाह की तरफ़ कर लो और पिछले गुनाहों से तौबा कर लो।

संबोधन के आख़िर में क़ुरआनी ख़ुशख़बरी व डराने के दोनों पहलू उनके सामने कर दिये कि मुश्रिकों के लिये बड़ी ख़राबी है और मोमिनों के लिये हमेशा का सवाब। इसमें मुश्रिकों की ख़राबी बयान करने के तहत में इसकी वजह यह ज़िक्र की गयी है कि 'ला युअ्तूनज़्ज़का-त' यानी ये लोग ज़कात नहीं दिया करते थे। इसमें चन्द सवालात पैदा होते हैं- अव्वल तो यह कि ये आयतें मक्की हैं और ज़कात की फ़र्ज़ियत मदीना में नाज़िल हुई है, तो फ़र्ज़ होने से पहले ही उन पर ज़कात की अदायेगी न करने का इल्ज़ाम कैसे दुरुस्त हुआ?

इसका जवाब तो अ़ल्लामा इब्ने कसीर रह. ने यह दिया है कि असल ज़कात तो इस्लाम के शुरू ज़माने ही में नमाज़ के साथ ही फ़र्ज़ हो गयी थी जिसका ज़िक्र सूरः मुज़्ज़म्मिल की आयतों में आया है, मगर इसके निसाबों की तफ़सीलात और वसूल करने का इन्तिज़ाम मदीना तय्यिबा में हुआ है, इसलिये यह नहीं कह सकते कि मक्का में ज़कात फ़र्ज़ नहीं थी।

क्या काफ़िर शरई आमाल के मुकल्लफ़ और मुख़ातब हैं या नहीं?

दूसरा इश्काल यह है कि काफ़िर बहुत से फ़ुक़हा के नज़दीक ऊपर के शरई अहकाम के मुख़ातब नहीं होते, यानी नमाज़, रोज़ा, हज, ज़कात के अहकाम उन पर लागू नहीं होते। उन पर लागू होने

वाला हुक्म तो यह है कि वे पहले ईमान क़ुबूल करें, ईमान के बाद ये फ़राईज़ लागू होते हैं। तो जब उन पर ज़कात का फ़र्ज़ लागू ही नहीं तो उसके छोड़ने पर नाराज़गी व अ़ज़ाब कैसा?

जवाब यह है कि बहुत से इमामों व फ़ुक़हा के नज़दीक तो काफ़िर भी शरई आमाल के मुख़ातब हैं, उनके एतिबार से तो यह इश्काल ही नहीं होता, और जो लोग काफ़िरों को अहकाम का मुख़ातब नहीं मानते वे कह सकते हैं कि इसमें ज़कात के छोड़ने पर असल बुराई व निंदा नहीं बल्कि उनका ज़कात न देना चूँकि कुफ़्र की बिना पर था और ज़कात न देना उसकी निशानी थी, इसलिये उन पर नाराज़गी का इज़्हार करने का हासिल यह हुआ कि तुम मोमिन होते तो ज़कात की पाबन्दी करते, तुम्हारा क़सूर ईमान न लाना है। (बयानुल-क़ुरआन)

तीसरा सवाल यहाँ यह होता है कि इस्लामी अहकाम में सबसे मुक़द्दम तो नमाज़ है, इसका ज़िक्र नहीं किया गया, ज़कात को ख़ास तौर से ज़िक्र करने में क्या हिक्मत है? इसका जवाब अ़ल्लामा क़ुर्तुबी रह. वग़ैरह ने यह दिया है अ़रब के क़ुरैश मालदार लोग थे और सदक़ा व ख़ैरात तथा ग़रीबों की इमदाद करना उनकी ख़ास ख़ूबी थी, मगर जो लोग मुसलमान हो जाते ये लोग उनको इस तरह की ख़ानदानी और आर्थिक इमदाद से भी मेहरूम कर देते थे, उसकी निंदा करना मक़सूद है, इसलिये ज़कात को ख़ास तौर पर ज़िक्र किया गया। वल्लाहु आलम

لَهُمْ اَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُوْنٍ○

लफ़्ज़ **मम्नून** के मायने कटे हुए के हैं। मुराद यह है कि ईमान व नेक अ़मल के पाबन्द लोगों को आख़िरत में जो अज्र दिया जायेगा वह हमेशा के लिये होगा, बीच में ख़त्म न होगा। और मुफ़स्सिरीन हज़रात में से कुछ ने इसका यह मतलब क़रार दिया है कि मोमिन जिन नेक आमाल का आ़दी होता है अगर किसी बीमारी या सफ़र या दूसरे उ़ज़्र से किसी वक़्त वह अ़मल भी छूट जाये तो भी उस अ़मल का अज्र ख़त्म नहीं किया जाता बल्कि अल्लाह तआ़ला फ़रिश्तों को हुक्म देते हैं कि मेरा बन्दा जो अ़मल अपनी तन्दुरुस्ती और फ़ुर्सत के समय में पाबन्दी से किया करता था उसके उ़ज़्र की हालत में भी वह आमाल बग़ैर किये हुए उसके नामा-ए-आमाल में लिखे जाते रहें। इस मज़मून की हदीसें सही बुख़ारी में हज़रत अबू मूसा अश्अ़री रज़ियल्लाहु अ़न्हु से और शरहुस्सुन्नत बग़वी में हज़रत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अ़न्हु और अनस रज़ियल्लाहु अ़न्हु से और रज़ीन ने हज़रत अ़ब्दुल्लाह इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत की हैं। (तफ़सीरे मज़हरी)

قُلْ اَئِنَّكُمْ لَتَكْفُرُوْنَ بِالَّذِيْ خَلَقَ الْاَرْضَ فِيْ يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُوْنَ لَهٗٓ اَنْدَادًا ۭ ذٰلِكَ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ ۝ وَجَعَلَ فِيْهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبٰرَكَ فِيْهَا وَقَدَّرَ فِيْهَآ اَقْوَاتَهَا فِيْٓ اَرْبَعَةِ اَيَّامٍ ۭ سَوَاۗءً لِّلسَّاۗىِٕلِيْنَ ۝ ثُمَّ اسْتَوٰٓى اِلَى السَّمَاۗءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْاَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا اَوْ كَرْهًا ۭ قَالَتَآ اَتَيْنَا طَاۗىِٕعِيْنَ ۝ فَقَضٰىهُنَّ سَبْعَ سَمٰوَاتٍ فِيْ يَوْمَيْنِ وَاَوْحٰى فِيْ كُلِّ سَمَاۗءٍ اَمْرَهَا ۭ وَزَيَّنَّا السَّمَاۗءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيْحَ ڰ وَحِفْظًا ۭ ذٰلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ ۝

क़ुल् अ-इन्नकुम् ल-तक्फ़ुरू-न बिल्लज़ी ख़-लक़ल्-अर्-ज़ फ़ी यौमैनि व तज्अलू-न लहू अन्दादन्, ज़ालि-क रब्बुल्-आलमीन (9) व ज-अ-ल फ़ीहा रवासि-य मिन् फ़ौक़िहा व बार-क फ़ीहा व क़द्-र फ़ीहा अक़्वा-तहा फ़ी अर्ब-अति अय्यामिन्, सवाअल्-लिस्सा-इलीन (10) सुम्मस्तवा इलस्समा-इ व हि-य दुख़ानुन् फ़क़ा-ल लहा व लिल्-अर्ज़िअ्तिया तौअन् औ कर्हन्, क़ा-लता अतैना ता-इअीन (11) फ़-क़ज़ाहुन्-न सब्-अ समावातिन् फ़ी यौमैनि व औहा फ़ी कुल्लि समाइन् अम्रहा, व ज़य्यन्नस्-समा-अद्दुन्या बि-मसाबी-ह व हिफ़्ज़न्, ज़ालि-क तक़्दीरुल्-अज़ीज़िल्-अलीम (12)	तू कह- क्या तुम मुन्किर हो उससे जिसने बनाई ज़मीन दो दिन में और बराबर करते हो उसके साथ औरों को, वह है रब जहान का। (9) और रखे उसमें भारी पहाड़ ऊपर से और बरकत रखी उसके अन्दर और ठहराईं उसमें ख़ुराकें उसकी चार दिन में, पूरा हुआ पूछने वालों को। (10) फिर चढ़ा आसमान को और वह धुआँ हो रहा था, फिर कहा उसको और ज़मीन को आओ तुम दोनों ख़ुशी से या ज़ोर से, वो बोले हम आये ख़ुशी से (11) फिर कर दिये वो सात आसमान दो दिन में और उतारा हर आसमान में उसका हुक्म और रौनक़ दी हमने सबसे वरले आसमान को चिराग़ों से और महफ़ूज़ कर दिया, यह साधा हुआ है ज़बरदस्त ख़बर रखने वाले का। (12)

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

आप (उन लोगों से) फ़रमाईये कि क्या तुम लोग ऐसे ख़ुदा का इनकार करते हो जिसने ज़मीन को (बावजूद उसकी बड़ी लम्बाई-चौड़ाई के) दो दिन (के बराबर वक़्त) में पैदा कर दिया, और तुम उसके शरीक ठहराते हो? यही (ख़ुदा जिसकी क़ुदरत मालूम हुई) सारे जहान का रब है। और उसी ने ज़मीन में उसके ऊपर पहाड़ बना दिये, और इस (ज़मीन) में फ़ायदे की चीज़ें रख दीं (जैसे पेड़-पौधे व जानवर वग़ैरह) और इस (ज़मीन) में इस (के रहने वालों) की ग़िज़ाएँ तजवीज़ कर दीं (जैसा कि देखा जाता है कि ज़मीन के हर हिस्से में रहने वालों के मुनासिब अलग-अलग ग़िज़ाएँ हैं। यानी ज़मीन में हर क़िस्म के मेवे पैदा कर दिये, कहीं कुछ कहीं कुछ जिनका सिलसिला बराबर जारी है। ये सब) चार

दिन में (हुआ, दो दिन में ज़मीन दो दिन में पहाड़ वग़ैरह जो गिनने में) पूरे हैं पूछने वालों के लिये (यानी उन लोगों के लिये जो कायनात की पैदाईश व बनावट के अन्दाज़ और समय की मात्रा के बारे में आप से सवालात करते हैं जैसा कि यहूदियों ने आप से आसमान व ज़मीन की पैदाईश के बारे में सवाल किया था। दुर्रे मन्सूर)

फिर (ये सब कुछ पैदा करके) आसमान (के बनाने) की तरफ़ तवज्जोह फ़रमाई और वह उस वक़्त धुआँ सा था (यानी आसमान का माद्दा जो ज़मीन के माद्दे के बाद ज़मीन की मौजूदा सूरत से पहले बन चुका था वह धुएँ की शक्ल में था) सो उससे और ज़मीन से फ़रमाया कि तुम दोनों (को हमारी फ़रमाँबरदारी की तरफ़ आना तो ज़रूर पड़ेगा, अब तुमको इख़्तियार है कि) ख़ुशी से आओ या ज़बरदस्ती से। (मतलब यह है कि हमारे तक़दीरी अहकाम जो तुम दोनों में जारी हुआ करेंगे उनका जारी होना तो तुम्हारे इख़्तियार से बाहर है वो तो होकर रहेंगे, लेकिन जो समझ व शऊर तुमको अता हुआ है उसके एतिबार से यह भी हो सकता है कि तुम हमारे तक़दीरी अहकाम को अपनी ख़ुशी से क़ुबूल करो या उनसे दिल में नाराज़ हो और वो ज़बरदस्ती तुम्हारे अन्दर नाफ़िज़ किये जायें। जैसे इनसान के लिये बीमारियों और मौत का मामला है कि उनका होना तो तक़दीरी मामला है जिसको इनसान टाल नहीं सकता, मगर कोई अक़्लमन्द इसको राज़ी ख़ुशी क़ुबूल करता है और सब्र व शुक्र के फ़ायदे हासिल करता है, कोई नाराज़ व नाख़ुश रहता है, घुट-घुटकर मरता है। तो अब तुम देख लो कि हमारे इन अहकाम पर राज़ी रहा करोगे या नाराज़ी का मामला करोगे। और मुराद उन तक़दीरी अहकाम से जो आसमान व ज़मीन में जारी होने वाले थे ये हैं कि आसमान अभी सिर्फ़ धुएँ के माद्दे की शक्ल में था, उसका सात आसमानों की सूरत में बनना तक़दीरी हुक्म था और ज़मीन अगरचे बन चुकी थी मगर इसमें भी हज़ारों तब्दीलियाँ क़ियामत तक चलने वाली थीं) दोनों ने अ़र्ज़ किया कि हम ख़ुशी से (इन अहकाम के लिये) हाज़िर हैं। सो दो दिन में उसके सात आसमान बना दिये और (चूँकि सातों आसमानों को फ़रिश्तों से आबाद कर दिया गया था इसलिये) हर आसमान में उसके मुनासिब अपना हुक्म (फ़रिश्तों को) भेज दिया। (यानी जिन फ़रिश्तों से जो काम लेना था वह उनको बतला दिया) और हमने इस क़रीब वाले आसमान को सितारों से सजाया और ज़ीनत दी और (शैतानों को आसमानी ख़बरें चोरी करने से रोकने के लिये) इसकी हिफ़ाज़त की। यह तजवीज़ है (ख़ुदा-ए-) ज़बरदस्त, सब कुछ जानने वाले की तरफ़ से।

मआ़रिफ़ व मसाईल

इन आयतों में असल मक़सद तौहीद (अल्लाह के एक होने) के इनकारी मुश्रिकों को उनके कुफ़्र व शिर्क पर एक दिल में उतर जाने वाले अन्दाज़ में तंबीह करना है कि इसमें हक़ तआ़ला की बनाने और वजूद में लाने की सिफ़त और आसमान व ज़मीन की बड़ी मख़्लूक़ात को बेशुमार हिक्मतों पर आधारित पैदा करने की तफ़सील देकर उनको तंबीह व डाँट के तौर पर ख़िताब किया गया है, कि क्या तुम ऐसे बेअ़क़्ल हो कि ऐसे अ़ज़ीम ख़ालिक़ व क़ादिर के साथ दूसरों को ख़ुदाई में शरीक क़रार देते हो। इसी किस्म की तंबीह व तफ़सील सूरः ब-क़रह के तीसरे रुकूअ़ में आ चुकी है:

كَيْفَ تَكْفُرُوْنَ بِاللّٰهِ وَكُنْتُمْ اَمْوَاتًا فَاَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيْتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيْكُمْ ثُمَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ٥ هُوَالَّذِىْ خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا ثُمَّ اسْتَوٰٓى اِلَى السَّمَآءِ فَسَوّٰهُنَّ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيْمٌ٥

सूरः ब-क़रह की आयतों में बनाने और पैदा करने दिनों के निर्धारण और तफ़सील का ज़िक्र नहीं। सूरः हा-मीम अस्सज्दा की ऊपर ज़िक्र हुई आयतों में इसका भी ज़िक्र है।

आसमान व ज़मीन के बनाने में तरतीब और दिनों का निर्धारण

तफ़सीर बयानुल-क़ुरआन में हज़रत सय्यिदी हकीमुल-उम्मत (मौलाना अशरफ़ अ़ली थानवी) क़ुद्दि-स सिरुहू ने फ़रमाया कि यूँ तो ज़मीन व आसमान की पैदाईश (बनाने और पैदा करने) का ज़िक्र मुख़्तसर और तफ़सील से क़ुरआने करीम में सैंकड़ों जगह आया है मगर इनमें तरतीब का बयान कि पहले क्या बना बाद में क्या बना, यह ग़ालिबन सिर्फ़ तीन आयतों में आया है- एक यह सूरः हा-मीम अस्सज्दा की आयत, और दूसरी सूरः ब-क़रह की ऊपर बयान हुई आयत, तीसरी सूरः 'नाज़िआ़त' की यह आयतें:

ءَاَنْتُمْ اَشَدُّ خَلْقًا اَمِ السَّمَآءُ بَنٰهَا ٥ رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوّٰهَا ٥ وَاَغْطَشَ لَيْلَهَا وَاَخْرَجَ ضُحٰهَا٥ وَالْاَرْضَ بَعْدَ ذٰلِكَ دَحٰهَا٥ اَخْرَجَ مِنْهَا مَآءَهَا وَمَرْعٰهَا٥ وَالْجِبَالَ اَرْسٰهَا٥

और पहली नज़र में इन सब मज़ामीन में कुछ विरोधाभास और भिन्नता सी भी मालूम होती है क्योंकि सूरः ब-क़रह और सूरः हा-मीम सज्दा की आयत से ज़मीन की पैदाईश आसमान से पहले होना मालूम होता है और सूरः नाज़िआ़त की आयतों से इसके उलट बज़ाहिर ज़मीन की पैदाईश आसमान के बाद मालूम होती है। हज़रत थानवी रह. ने फ़रमाया कि सब आयतों में ग़ौर करने से मेरे ख़्याल में तो यह आता है कि यूँ कहा जाये कि पहले ज़मीन का माद्दा बना और अभी उसकी मौजूदा शक्ल व हालत न बनी थी कि उसी हालत में आसमान का माद्दा बना जो धुएँ की शक्ल में था। उसके बाद ज़मीन मौजूदा शक्ल व सूरत पर फैला दी गयी, फिर इस पर पहाड़ और पेड़ वग़ैरह पैदा किये गये। फिर आसमान के धुएँ वाले और बहने वाले माद्दे के सात आसमान बना दिये। उम्मीद है कि सब आयतें इस तक़रीर पर सही बैठ जायेंगी। आगे असल हक़ीक़त से अल्लाह तआ़ला ही ख़ूब वाक़िफ़ हैं। (तफ़सीर बयानुल-क़ुरआन, सूरः ब-क़रह रुकूअ़ 3)

सही बुख़ारी में हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु से इसी आयत के तहत में चन्द सवालात व जवाबात ज़िक्र हुए हैं, उनमें इस आयत की जो वज़ाहत हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने फ़रमाई वह तक़रीबन यही है जो हज़रत थानवी रह. ने आयतों को एक दूसरे के साथ मुताबिक़ करने के लिये बयान फ़रमाई है। उसके अलफ़ाज़ जो इमाम इब्ने कसीर रह. ने इसी आयत के तहत में नक़ल किये हैं ये हैं:

وخلق الارض فى يومين ثم خلق السمآء ثم استوىٰ الى السّمآء فسوّٰهن فى يومين اخرين ثم دحى الارض

ودحيها ان اخرج منها الماء والمرعٰى وخلق الجبال والرمال والجما د والاٰكام ومابينهما فى يومين اخرين فذلك قوله تعالٰى دحٰها.

और हाफ़िज़ इब्ने कसीर रह. ने इब्ने जरीर के हवाले से हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु से सूरः हा-मीम सज्दा की आयत की तफ़सीर में यह रिवायत भी नक़ल की है कि:

मदीना के यहूदी नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की ख़िदमत में पहुँचे और आसमानों और ज़मीन की पैदाईश के बारे में सवाल किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि अल्लाह तआ़ला ने ज़मीन क़ो इतवार और पीर के दिन पैदा फ़रमाया, और पहाड़ और उसमें जो कुछ मादनियात (खनन वाली चीज़ें) वग़ैरह हैं उनको मंगल के रोज़ और दरख़्त और पानी के चश्मे और शहर और इमारतें और वीरान मैदान बुध के रोज़, ये कुल चार रोज़ हो गये, जैसा कि इस आयत में है:

ءَاِنَّكُمْ لَتَكْفُرُوْنَ بِالَّذِىْ خَلَقَ الْاَرْضَ فِىْ يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُوْنَ لَهٗٓ اَنْدَادًا. ذٰلِكَ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ ۝ وَجَعَلَ فِيْهَا رَوَاسِىَ مِنْ فَوْقِهَا وَبٰرَكَ فِيْهَا وَقَدَّرَ فِيْهَآ اَقْوَاتَهَا فِىْٓ اَرْبَعَةِ اَيَّامٍ. سَوَآءً لِّلسَّآئِلِيْنَ۝

यानी उन लोगों के लिये जो इस तख़्लीक़ (बनाने और पैदा करने) का सवाल करें।

फिर फ़रमाया और जुमेरात के दिन आसमान बनाये और जुमा के दिन सितारे और सूरज व चाँद और फ़रिश्ते। ये सब काम जुमे के दिन में तीन घड़ी बाक़ी थीं जब पूरे हुए। उनमें से दूसरी घड़ी में आफ़तें व मुसीबतें जो हर चीज़ पर आने वाली हैं वो पैदा फ़रमाई हैं और तीसरी घड़ी में आदम अ़लैहिस्सलाम को पैदा फ़रमाया और उनको जन्नत में ठहराया, और शैतान को सज्दे का हुक्म दिया और सज्दे से इनकार करने पर जन्नत से निकाल दिया गया। यह सब तीसरी घड़ी के ख़त्म तक हुआ। (यह हदीस बहुत लम्बी है यहाँ मुख़्तसर बयान की गयी है। इब्ने कसीर)

इमाम इब्ने कसीर रह. ने इस रिवायत को नक़ल करके फ़रमाया कि इस हदीस को ग़रीब फ़रमाया है। और सही मुस्लिम में एक हदीस हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु की रिवायत से आई है जिसमें दुनिया की पैदाईश की शुरूआ़त शनिवार के दिन से बतलाई गयी है, उसके हिसाब से आसमान व ज़मीन की पैदाईश का सात दिन में होना मालूम होता है, मगर क़ुरआन के आ़म बयानात में यह तख़्लीक़ छह दिन में होना स्पष्ट रूप से मज़कूर है जैसा कि फ़रमायाः

وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِىْ سِتَّةِ اَيَّامٍ وَّمَامَسَّنَامِنْ لُّغُوْبٍ۝

यानी हमने पैदा किया आसमानों और ज़मीन को और जो कुछ उनके अन्दर है उसको छह दिन में, और हमें कोई थकान पेश नहीं आयी। इसलिये और साथ ही इसकी सनद के एतिबार से भी हदीस के बड़े इमामों ने इस रिवायत को मालूल क़रार दिया है। इब्ने कसीर ने इसको मुस्लिम व नसाई के हवाले से नक़ल करके फ़रमायाः

وهومن غرائب الصحيح المسلم كما فى زادالمسير. لابن الجوزى.

यानी यह हदीस सही मुस्लिम के अ़जाइब में से है। और फिर फ़रमाया कि इमामा बुख़ारी रह. ने अपनी किताब तारीख़े कबीर में इस रिवायत को मालूल क़रार दिया है, और कुछ लोगों ने इस रिवायत

को हज़रत अबू हुरैरह से हज़रत कअ़बे अहबार के हवाले से नक़ल किया है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम का इरशाद नहीं, और फ़रमाया कि यही ज़्यादा सही है। (इब्ने कसीर पेज 94 जिल्द 4)

इसी तरह इमाम इब्ने मदीनी और इमाम बैहक़ी रह. वग़ैरह हदीस के हाफ़िज़ों ने भी इसको कअ़बे अहबार रह. का क़ौल क़रार दिया है। (हाशिया ज़ादुल-मसीर, इब्ने जौज़ी पेज 273 जिल्द 7)

पहली रिवायत जो इमाम इब्ने जरीर रह. ने हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु से नक़ल की है, इमाम इब्ने कसीर रह. के फ़ैसले के मुताबिक़ उसमें भी ग़राबत है। एक वजह ग़राबत की यह भी है कि इस रिवायत में हज़रत आदम अ़लैहिस्सलाम की पैदाईश आसमानों की पैदाईश के साथ आख़िरी दिन जुमे की आख़िरी घड़ी में, और उसी घड़ी में सज्दे का हुक्म और शैतान को जन्नत से निकालना बयान हुआ है, हालाँकि अनेक क़ुरआनी आयतों में जो आदम अ़लैहिस्सलाम की पैदाईश का क़िस्सा और सज्दे का हुक्म और शैतान का निकाला जाना बयान हुआ है उसके मज़मून से बहुत आसानी से यह मालूम होता है कि आदम अ़लैहिस्सलाम की पैदाईश का वाक़िआ आसमान व ज़मीन की पैदाईश से बहुत ज़माने के बाद हुआ है, जबकि ज़मीन में उसकी तमाम ज़रूरतें मुकम्मल हो चुकीं और जिन्नात व शयातीन वहाँ बसने लगे, उसके बाद फ़रमायाः

إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً.

(मैं ज़मीन में एक ख़लीफ़ा बनाने वाला हूँ। जैसा कि तफ़सीरे मज़हरी में है)

ख़ुलासा यह है कि आसमान व ज़मीन की पैदाईश के वक़्तों, दिन और उनमें तरतीब हदीस की जिन रिवायतों में आई है उनमें कोई रिवायत ऐसी नहीं जिसको क़ुरआन की तरह क़तई और यक़ीनी कहा जा सके, बल्कि यह शुब्हा व संभावना ग़ालिब है कि वे इस्राईली रिवायतें हों, मरफ़ूअ़ हदीसें न हों जैसा कि इमाम इब्ने कसीर रह. ने मुस्लिम, नसाई की हदीस के मुताल्लिक़ इसकी वज़ाहत फ़रमाई है, इसलिये क़ुरआन की आयतों ही को असल क़रार देकर मक़सूद मुतैयन करना चाहिये और क़ुरआनी आयतों को जमा करने से एक बात तो यह यक़ीनी मालूम हुई कि आसमान व ज़मीन और उनके अन्दर की तमाम चीज़ें सिर्फ़ छह दिन में पैदा हुई हैं, दूसरी बात सूरः हा-मीम् सज्दा की आयत से यह मालूम हुई कि ज़मीन और उसके पहाड़ दरख़्त वग़ैरह की पैदाईश में पूरे चार दिन लगे, तीसरी बात यह मालूम हुई कि आसमनों की पैदाईश में दो दिन ख़र्च हुए, जिसमें पूरे दो दिन होने की वज़ाहत नहीं बल्कि कुछ इशारा इस तरफ़ मिलता है कि ये दो दिन पूरे ख़र्च नहीं हुए आख़िरी दिन जुमे का कुछ हिस्सा बच गया। इन आयतों के ज़ाहिर से यह मालूम होता है कि छह दिन में से पहले चार दिन ज़मीन पर बाक़ी दो दिन आसमानों की पैदाईश में ख़र्च हुए और ज़मीन की पैदाईश आसमान से पहले हुई। मगर सूरः नाज़िआ़त की आयत में ज़मीन के फैलाने और मुकम्मल करने को स्पष्ट तौर पर आसमान के बनाने के बाद फ़रमाया है, इसलिये वह सूरत कुछ बईद नहीं जो ऊपर तफ़सीर बयानुल-क़ुरआन के हवाले से बयान हुई है कि ज़मीन की पैदाईश दो हिस्सों में हुई है, पहले दो दिन में ज़मीन और उसके ऊपर पहाड़ों वग़ैरह का माद्दा तैयार कर दिया गया, उसके बाद दो दिन में सात आसमान बनाये, उसके बाद दो दिन में ज़मीन का फैलाव और उसके अन्दर जो कुछ पहाड़, दरख़्त, नहरें, चश्मे वग़ैरह बनाये थे उनकी तकमील हुई। इस तरह ज़मीन के बनाने के चार दिन एक साथ नहीं रहे। और

आयत हा-मीम सज्दा में जो बयान की तरतीब यह रखी गयी कि पहले ज़मीन को दो दिन में पैदा करने का ज़िक्र फ़रमाया 'ख़-लक़ल् अर्-ज़ फ़ी यौमैनि' इसके बाद मुश्रिक लोगों को तंबीह की गयी। फिर अलग करके फ़रमायाः

وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبٰرَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَآ اَقْوَاتَهَا فِيٓ اَرْبَعَةِ اَيَّامٍ.

इसमें इस पर तो सभी मुफ़स्सिरीन का इत्तिफ़ाक़ है कि ये चार दिन उन पहले दो दिनों को शामिल करके हैं, उनसे अलग चार दिन नहीं, वरना मजमूआ आठ दिन हो जायेगा जो क़ुरआनी वज़ाहत के ख़िलाफ़ है।

अब यहाँ ग़ौर करने से इस मक़ाम का बज़ाहिर यह तक़ाज़ा मालूम होता है कि 'ख़-लक़ल् अर्-ज़ फ़ी यौमैनि' फ़रमाने के बाद पहाड़ों वग़ैरह की तख़्लीक़ (बनाने) को भी 'फ़ी यौमैनि' (दो दिन में) के लफ़्ज़ से ताबीर किया जाता तो इसका मजमूआ चार दिन होना ख़ुद-ब-ख़ुद मालूम हो जाता, मगर क़ुरआने करीम ने बयान का अन्दाज़ इसके बजाय यह रखा कि ज़मीन में पैदा की जाने वाली बाक़ी बची चीज़ों को ज़िक्र करके फ़रमाया कि ये कुल चार दिन हुए। इससे बज़ाहिर इशारा इस तरफ़ निकलता है कि ये चार दिन निरंतर और लगातार नहीं थे बल्कि दो हिस्सों में बंटे हुए थे- दो दिन आसमानों के बनाने से पहले और दो दिन उनके बनाने के बाद, और ऊपर ज़िक्र हुई आयत में जो 'ज-अ़-ल फ़ीहा रवासि-य मिन् फ़ौक़िहा.........' का ज़िक्र है यह आसमानों के बनाने के बाद का बयान है। वल्लाहु सुब्हानहू व तआ़ला आलम।

وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا.

ज़मीन में पहाड़ इसके सन्तुलन को दुरुस्त रखने के लिये पैदा किये गये हैं जैसा कि क़ुरआन पाक की अनेक आयतों में इसकी वज़ाहत आई है। इसके लिये यह ज़रूरी नहीं था कि इन पहाड़ों को ज़मीन की सतह के ऊपर ऊँचा व बुलन्द करके रखा जाये, ज़मीन के अन्दर भी रखे जा सकते थे, मगर ऊपर रखने और इनकी बुलन्दी को आम इनसानों, जानवरों की पहुँच से दूर रखने में ज़मीन के बसने वालों के लिये हज़ारों बल्कि बेशुमार फ़ायदे थे, इसलिये इस आयत में 'मिन फ़ौक़िहा' के लफ़्ज़ से इस ख़ास नेमत की तरफ़ इशारा कर दिया गया।

وَقَدَّرَ فِيهَآ اَقْوَاتَهَا فِيٓ اَرْبَعَةِ اَيَّامٍ سَوَآءً لِّلسَّآئِلِينَ○

'अक़्वात' 'क़ूत' की जमा (बहुवचन) है जिसके मायने हैं रिज़्क़ और रोज़ी, जिसमें इनसान की आ़म ज़रूरतें दाख़िल हैं। जैसा कि अबू उबैद का क़ौल है। (ज़ादुल-मसीर, इब्ने जौज़ी)

और हज़रत हसन और इमाम सुद्दी रह. ने इसकी तफ़सीर में फ़रमाया कि अल्लाह तआ़ला ने ज़मीन के हर हिस्से में उसके बसने रहने वालों की मस्लेहतों के मुनासिब रिज़्क़ और रोज़ी मुक़द्दर फ़रमा दी। मुक़द्दर फ़रमाने का मतलब यह है कि यह हुक्म जारी कर दिया कि ज़मीन के उस हिस्से में फ़ुलाँ-फ़ुलाँ चीज़ें इतनी-इतनी मात्रा में पैदा हो जायें। अल्लाह के इसी मुक़द्दर व तय करने से ज़मीन के हर हिस्से की कुछ ख़ुसूसियतें हो गयीं, हर जगह विभिन्न प्रकार की मादनियात (ज़मीन और खानों से निकलने वाली चीज़ें) और विभिन्न प्रकार की नबातात (पेड़-पौधे) और दरख़्त व जानवर उस ख़ित्ते की ज़रूरतें उनके मिज़ाज और पसन्द के मुताबिक़ पैदा फ़रमा दिये।

इसी से हर ख़ित्ते (इलाक़े) की बनी हुई चीज़ें और पहनने की चीज़ें भिन्न और अलग-अलग होती हैं। यमन में अ़सब, साबूर में साबूरी रै में तयालिसा। किसी ख़ित्ते में गेहूँ, किसी में चावल और दूसरे ग़ल्ले, किसी जगह में रूई, किसी में जोट, किसी में सेब अंगूर और किसी में आम। चीज़ों के इस अलग-अलग और भिन्न होने में हर ख़ित्ते के मिज़ाजों की मुनासबत भी है और इक्रिमा और इमाम ज़ह्हाक रह. के क़ौल के मुताबिक़ यह फ़ायदा भी है कि दुनिया के सब ख़ित्तों और मुल्कों में आपसी व्यापार और सहयोग की राहें खुलें, कोई ख़ित्ता दूसरे ख़ित्ते से बेपरवाह न हो, एक-दूसरे की ज़रूरत पर ही आपसी सहयोग की मज़बूत तामीर हो सकती है। हज़रत इक्रिमा रह. ने फ़रमाया कि बाज़े ख़ित्तों में नमक को सोने के बराबर तौलकर फ़रोख़्त किया जाता है।

गोया ज़मीन को हक़ तआ़ला ने इस पर बसने वाले इनसानों और जानवरों की तमाम ज़रूरतों, ग़िज़ा, ठिकाने और लिबास वग़ैरह का एक ऐसा अ़ज़ीमुश्शान गोदाम बना दिया है जिसमें क़ियामत तक आने और बसने वाले अरबों और खरबों इनसानों और बेशुमार जानवरों की सब ज़रूरतें रख दी हैं। वह ज़मीन के पेट में बढ़ती और ज़रूरत के मुताबिक़ क़ियामत तक निकलती रहेंगी। इनसान का काम सिर्फ़ यह रह गया कि अपनी ज़रूरतों को ज़मीन से निकालकर अपनी ज़रूरत के मुताबिक़ इस्तेमाल करे। आयत में आगे फ़रमाया 'सवाअल् लिस्सा-इलीन' इस जुमले का ताल्लुक़ अक्सर हज़राते मुफ़स्सिरीन ने 'चार दिनों' के साथ क़रार दिया है। मायने यह हैं कि ये तमाम बड़ी-बड़ी और विशाल चीज़ें बनाने का काम ठीक चार दिन में हुआ है। और चूँकि उर्फ़ में जिसको चार कह दिया जाता है वह कभी चार से कुछ कम कभी कुछ ज़्यादा भी होता है, मगर कस्र (इकाई और दशमलव) का ज़िक्र न करके उसको चार ही कह देते हैं। आयत में इस जगह लफ़्ज़ 'सवाअन्' बढ़ाकर इस शुब्हे व गुमान को यक़ीनी बनाकर यह बतला दिया कि यह काम पूरे चार दिन में ठीक हुआ है। और 'लिस्सा-इलीन' फ़रमाने के मायने यह हैं कि जो लोग आसमान व ज़मीन की पैदाईश के बारे में आप से सवालात कर रहे हैं जैसा कि यहूदियों का सवाल करना तफ़सीर इब्ने जरीर और दुर्रे मन्सूर में मन्क़ूल है, उन सवालात करने वालों को यह बतला दिया गया है कि पैदा करने और बनाने का यह सब काम ठीक चार दिन में हुआ है। (इब्ने कसीर, क़ुर्तुबी, रूहुल-मआ़नी)

और बाज़े मुफ़स्सिरीन इब्ने ज़ैद वग़ैरह ने 'लिस्सा-इलीन' का ताल्लुक़ जुमला 'क़द्द-र फ़ीहा अक़्वातहा' के साथ क़रार दिया है और सा-इलीन के मायने तालिबीन व मोहताजों के लिये हैं। इस सूरत में मायने यह होंगे कि ज़मीन में अल्लाह तआ़ला ने जो विभिन्न प्रकार की जिन्सों और ग़ल्लों वग़ैरह की रोज़ी और ज़रूरतें पैदा फ़रमाई हैं, ये उन लोगों के फ़ायदे के लिये हैं जो इनके तालिब और ज़रूरत मन्द हैं, और चूँकि तालिब व मोहताज आ़दतन सवाल किया करते है इसलिये इसको सा-इलीन के लफ़्ज़ से ताबीर कर दिया। (बहरे मुहीत)

और इमाम इब्ने कसीर रह. ने इस तफ़सीर को नक़ल करके फ़रमाया कि यह ऐसा ही है जैसा कि क़ुरआने करीम ने फ़रमाया 'आताकुम् मिन् कुल्लि मा स-अल्तुमूहु' यानी अल्लाह तआ़ला ने वो सब चीज़ें अ़ता फ़रमाईं जो तुमने माँगीं। क्योंकि यहाँ भी माँगने से मुराद उनका ज़रूरत मन्द होना है, सवाल करना शर्त नहीं, क्योंकि हक़ तआ़ला ने ये चीज़ें न माँगने वालों को भी अ़ता फ़रमाई हैं।

فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا اَوْ كَرْهًا قَالَتَآ اَتَيْنَا طَآئِعِيْنَ ٥

यह आसमान व ज़मीन को ख़िताब करके हुक्म देना और उनका इताअ़त व फ़रमाँबरदारी से जवाब देना कुछ मुफ़स्सिरीन के नज़दीक मजाज़ है कि ज़मीन व आसमान अल्लाह तआ़ला के फ़रमान के ताबे हर काम के लिये तैयार पाये गये। मगर इब्ने अ़तीया और तफ़सीर के दूसरे मुहक़्क़िक़ इमामों ने फ़रमाया कि इसमें कोई मजाज़ (हक़ीक़त से हटकर दूसरे मायने में बात करना) नहीं, सब अपनी हक़ीक़त पर है। अल्लाह तआ़ला ने आसमान व ज़मीन में शऊर व समझ ख़िताब के समझने की भी पैदा फ़रमा दी थी और उनको बोलने की ताक़त भी जवाब देने के लिये अ़ता फ़रमा दी थी। तफ़सीर बहरे मुहीत में इसको नक़ल करके फ़रमाया है कि यही तफ़सीर ज़्यादा अच्छी और बेहतर है।

इमाम इब्ने कसीर रह. ने इसको नक़ल करके कुछ हज़रात का यह क़ौल भी नक़ल किया है कि ज़मीन की तरफ़ से यह जवाब ज़मीन के उस हिस्से ने दिया था जिस पर बैतुल्लाह की तामीर हुई और आसमान के उस हिस्से ने जो बैतुल्लाह की सीध में है (जिसको बैतुल-मामूर कहा जाता है)।

فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِّثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَّ
ثَمُودَ ۝ إِذْ جَاءَتْهُمُ الرُّسُلُ مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ ۖ قَالُوا لَوْ شَاءَ
رَبُّنَا لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً فَإِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ كَافِرُونَ ۝ فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ
الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً ۖ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً ۖ وَكَانُوا
بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ ۝ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَّحِسَاتٍ لِّنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ
فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَىٰ ۖ وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ ۝ وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا
الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ۝ وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ
آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ۝ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ ۝ حَتَّىٰ إِذَا مَا
جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ
عَلَيْنَا ۖ قَالُوا أَنطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۝ وَمَا
كُنتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَٰكِن ظَنَنتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا
يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ ۝ وَذَٰلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنتُم بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ ۝
فَإِن يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ ۖ وَإِن يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُم مِّنَ الْمُعْتَبِينَ ۝ وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ
فَزَيَّنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم
مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ ۖ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ ۝

फ़-इन् अअ्रज़ू फ़क़ुल् अन्ज़र्तुकुम् साअ़ि-क़तम् मिस्-ल साअ़ि-क़ति आ़दिंव्-व समूद (13) इज़् जा-अत्हुमुर्-रसुलु मिम्-बैनि ऐदीहिम् व मिन् ख़ल्फ़िहिम् अल्ला तअ़्बुदू इल्लल्ला-ह, क़ालू लौ शा-अ रब्बुना ल-अन्ज़-ल मलाइ-कतन् फ़-इन्ना बिमा उर्सिल्तुम् बिही काफ़िरून (14) फ़-अम्मा आ़दुन् फ़स्तक्बरू फ़िल्अर्ज़ि बिग़ैरिल्-हक़्क़ि व क़ालू मन् अशद्दु मिन्ना क़ुव्वतन्, अ-व लम् यरौ अन्नल्लाहल्लज़ी ख़-ल-क़हुम् हु-व अशद्दु मिन्हुम् क़ुव्वतन्, व कानू बिआयातिना यज्हदून (15) फ़-अर्सल्ना अ़लैहिम् रीहन् सर्सरन् फ़ी अय्यामिन्- नहिसातिल् लिनुज़ी-क़हुम् अ़ज़ाबल्-ख़िज़्यि फ़िल्हयातिद्दुन्या, व ल-अ़ज़ाबुल्-आख़िरति अख़्ज़ा व हुम् ला युन्सरून (16) व अम्मा समूदु फ़-हदैनाहुम् फ़स्तहब्बुल्-अ़मा अ़लल्-हुदा फ़-अ-ख़ज़त्हुम् साअ़ि-क़तुल्-अ़ज़ाबिल्-हूनि बिमा कानू यक्सिबून (17) व नज्जैनल्लज़ी-न आमनू व कानू यत्तक़ून (18) ❁

फिर अगर वे टलायें तो तू कह मैंने ख़बर सुना दी तुमको एक सख़्त एक अ़ज़ाब की जैसे अ़ज़ाब आया आ़द और समूद पर। (13) जब आये उनके पास रसूल आगे से और पीछे से कि न पूजो किसी को सिवाय अल्लाह के, कहने लगे अगर हमारा रब चाहता तो भेजता फ़रिश्ते सो हम तुम्हारा लाया हुआ नहीं मानते। (14) सो वे जो आ़द थे वे ग़ुरूर करने लगे मुल्क में नाहक़ और कहने लगे कौन है हमसे ज़्यादा ज़ोर में, क्या देखते नहीं कि अल्लाह जिसने उनको बनाया वह ज़्यादा है उनसे ज़ोर में, और थे हमारी निशानियों से मुन्किर। (15) फिर भेजी हमने उन पर हवा बड़े ज़ोर की कई दिन जो मुसीबत के थे ताकि चखायें उनको रुस्वाई का अ़ज़ाब दुनिया की ज़िन्दगानी में, और आख़िरत के अ़ज़ाब में तो पूरी रुस्वाई है और उनको कहीं मदद नहीं। (16) और वे जो समूद थे सो हमने उनको राह बतलाई फिर उनको अच्छा लगा अंधा रहना राह सूझने से, फिर पकड़ा उनको कड़क ने ज़िल्लत के अ़ज़ाब की, बदला उसका जो कमाते थे। (17) और बचा दिया हमने उन लोगों को जो यक़ीन लाये थे और बचकर चलते थे। (18) ❁

व यौ-म युह्शरु अअ्दाउल्लाहि इलन्नारि फ़हुम् यू-ज़अ़ून (19) हत्ता इज़ा मा जाऊहा शहि-द अ़लैहिम् सम्अुहुम् व अब्सारुहुम् व जुलूदुहुम् बिमा कानू यअ्मलून (20) व क़ालू लिजुलूदिहिम् लि-म शहित्तुम् अ़लैना, क़ालू अन्त-क़नल्लाहुल्लज़ी अन्त-क़ कुल्-ल शैइंव्-व हु-व ख़-ल-क़कुम् अव्व-ल मर्रतिंव्-व इलैहि तुर्जअ़ून (21) व मा कुन्तुम् तस्ततिरू-न अंय्यश्ह-द अ़लैकुम् सम्अुकुम् व ला अब्सारुकुम् व ला जुलूदुकुम् व लाकिन् ज़नन्तुम् अन्नल्ला-ह ला यअ्लमु कसीरम्-मिम्मा तअ्मलून (22) व ज़ालिकुम् ज़न्नुकुमुल्लज़ी ज़नन्तुम् बिरब्बिकुम् अर्दाकुम् फ़-अस्बह्तुम् मिनल्-ख़ासिरीन (23) फ़-इंय्यस्बिरू फ़न्नारु मस्वल्-लहुम्, व इंय्यस्तअ्तिबू फ़मा हुम् मिनल्-मुअ्तबीन (24) व क़य्यज़्ना लहुम् क़ु-रना-अ फ़-ज़य्यनू लहुम् मा बै-न ऐदीहिम् व मा ख़ल्फ़हुम् व हक़्-क़ अ़लैहिमुल्-क़ौलु फ़ी उ-ममिन् क़द् ख़लत् मिन् क़ब्लिहिम् मिनल्-जिन्नि वल्-इन्सि इन्नहुम् कानू ख़ासिरीन (25) ❁

और जिस दिन जमा होंगे अल्लाह के दुश्मन दोज़ख़ पर फिर उनकी जमाअ़तें बनाई जायेंगी (19) यहाँ तक कि जब पहुँचें उस पर बतायेंगे उनको उनके कान और उनकी आँखें और उनके चमड़े जो कुछ वे करते थे। (20) और वे कहेंगे अपने चमड़ों को तुमने क्यों बतलाया हमको, वो बोलेंगे हमको बुलवाया अल्लाह ने जिसने बुलवाया हर चीज़ को और उसी ने बनाया तुमको पहली बार और उसी की तरफ़ फेरे जाते हो। (21) और तुम पर्दा न करते थे इस बात से कि तुमको बतलायेंगे तुम्हारे कान और न तुम्हारी आँखें और न तुम्हारे चमड़े, पर तुमको यह ख़्याल था कि अल्लाह नहीं जानता बहुत चीज़ें जो तुम करते हो। (22) और यह वही तुम्हारा ख़्याल है जो तुम रखते थे अपने रब के हक़ में उसी ने तुमको ग़ारत किया फिर आज रह गये टोटे में। (23) फिर अगर वे सब्र करें तो आग उनका घर है और अगर वे मनाया चाहें तो उनको कोई नहीं मनाता। (24) और लगा दिये हमने उनके पीछे साथ रहने वाले, फिर उन्होंने ख़ूबसूरत बना दिया उनकी आँखों में उसको जो उनके आगे है और जो उनके पीछे है और ठीक पड़ चुकी उन पर अ़ज़ाब की बात उन फ़िर्क़ों के साथ जो गुज़र चुके उनसे पहले जिन्नों के और आदमियों के, बेशक वे थे टोटे (घाटे) वाले। (25) ❁

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

फिर (तौहीद की दलीलें सुनकर भी) अगर ये लोग (तौहीद से) मुँह मोड़ें तो आप कह दीजिये कि मैं तुमको ऐसी आफ़त से डराता हूँ जैसी आ़द व समूद पर (शिर्क व कुफ़्र की बदौलत) आफ़त आई थी (मुराद अ़ज़ाब से हलाक करना है जैसा कि मक्का के क़ुरैश के सरदार जंगे बदर में हलाक और क़ैद किये गये। और यह आ़द व समूद का क़िस्सा उस वक़्त हुआ था) जबकि उनके पास उनके आगे से भी और उनके पीछे से भी पैग़म्बर आये (यानी जो पैग़म्बर उनकी तरफ़ भेजे गये और उनके समझाने में जान-तोड़ कोशिश की गई। जैसे कोई शख़्स अपने किसी प्यारे को किसी मुसीबत व तबाही की तरफ़ जाते देखे तो वह कभी आगे से आकर उसे रोकता है कभी पीछे से पकड़ता है, और इसकी मिसाल क़ुरआन में शैतान का यह क़ौल है कि उसने कहा था कि 'मैं आदम की औलाद को गुमराह करने उनके आगे से भी आऊँगा और उनके पीछे से भी' और उन पैग़म्बरों ने यही कहा कि) अल्लाह के सिवा और किसी की इबादत न करो। उन्होंने जवाब दिया कि (तुम जो अल्लाह की तरफ़ से आने का और तौहीद की तरफ़ बुलाने का दावा करते हो यही ग़लत है, क्योंकि) अगर हमारे रब को (यह) मन्ज़ूर होता (कि किसी को पैग़म्बर बनाकर भेजे) तो फ़रिश्तों को भेजता, इसलिये हम इस (तौहीद) से भी इनकारी हैं जिसको देकर (तुम्हारे दावे के मुताबिक़) तुम (पैग़म्बरी के तौर पर) भेजे गये हो। फिर (इस साझा क़ौल के बाद हर क़ौम के ख़ास की तफ़सील यह है कि) वे जो आ़द के लोग थे, वे दुनिया में नाहक़ का तकब्बुर करने लगे और (जब अ़ज़ाब की धमकी सुनी तो) कहने लगे वह कौन है जो क़ुव्वत में हमसे ज़्यादा है? (कि वह हमें ऐसे अ़ज़ाब में मुब्तला कर सके और हम उसके दूर करने पर क़ादिर न हों। आगे जवाब है कि) क्या उनको यह नज़र न आया कि जिस ख़ुदा ने उनको पैदा किया वह उनसे क़ुव्वत में बहुत ज़्यादा है (मगर इसके बावजूद भी वे ईमान न लाये) और हमारी आयतों का इनकार करते रहे तो हमने उन पर एक सख़्त हवा ऐसे दिनों में भेजी जो (अल्लाह का अ़ज़ाब नाज़िल होने की वजह से उनके हक़ में) मन्हूस थे, ताकि हम उनको इस दुनियावी ज़िन्दगी में रुस्वाई के अ़ज़ाब का मज़ा चखाएँ और आख़िरत का अ़ज़ाब और ज़्यादा रुस्वाई का सबब है, और (उस अ़ज़ाब के वक़्त किसी तरफ़ से भी) उनको मदद न पहुँचेगी।

और वे जो समूद थे तो (उनकी कैफ़ियत यह हुई कि) हमने उनको (पैग़म्बर के ज़रिये से) रास्ता बतलाया, उन्होंने गुमराही को हिदायत के मुक़ाबले में पसन्द किया तो उनको पूरी तरह ज़िल्लत के अ़ज़ाब की आफ़त ने पकड़ लिया उनकी बदकारियों की वजह से, और हमने (उस अ़ज़ाब से) उन लोगों को निजात दी जो ईमान लाये और हमसे डरते थे। (यहाँ तक दुनियावी अ़ज़ाब का ज़िक्र था आगे आख़िरत के अ़ज़ाब का ज़िक्र है) और (उनको वह दिन भी याद दिलाईये) जिस दिन अल्लाह तआ़ला के दुश्मन (यानी काफ़िर लोग) दोज़ख़ की तरफ़ जमा कर- (ने) के (लिये हिसाब के मक़ाम में) लाये जाएँगे, फिर (रास्ते में उनकी अधिकता के सबब बिखरने से बचाने और इकट्ठे रहने के लिये) वे रोके जाएँगे (ताकि पीछे रहने वाले साथ हो जायें जैसा कि हज़रत सुलैमान अ़लैहिस्सलाम के वाक़िए में तमाम लश्करों को जमा करने के लिये 'फ़हुम् यू-ज़ऊन' फ़रमाया, यानी उनको रोका जायेगा)। यहाँ तक कि जब वे (सब जमा होकर) उस (दोज़ख़) के क़रीब आ जाएँगे (मुराद हिसाब

का स्थान है जहाँ से दोज़ख़ क़रीब ही नज़र आयेगी जैसा कि हदीस में आया है कि दोज़ख़ को हिसाब के मक़ाम में हाज़िर करेंगे और यह काफ़िर अपने चारों तरफ़ आग ही आग देखेगा। ग़र्ज़ कि जब हिसाब होने की जगह में आ जायेंगे और हिसाब शुरू होगा) तो उनके कान और आँखें और उनकी खालें उनके आमाल की गवाही देंगी। और (उस वक़्त) वे लोग (ताज्जुब के साथ) अपने जिस्म के अंगों से कहेंगे कि तुमने हमारे ख़िलाफ़ क्यों गवाही दी? (हम तो दुनिया में सब कुछ तुम्हारी ही राहत के लिये करते थे जैसा कि हदीस में हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अ़न्हु की रिवायत से उनका यह क़ौल नक़ल किया है कि 'मैं तुम्हारे ही लिये सब कोशिश किया करता था') वे (जिस्म के अंग) जवाब देंगे कि हमको उस (क़ादिरे मुतलक़) अल्लाह ने बोलने की ताक़त दी जिसने हर (बोलने वाली) चीज़ को बोलने की ताक़त दी (जिससे हमने अपने अन्दर ख़ुद उसकी क़ुदरत को देख लिया) और उसी ने तुमको पहली बार पैदा किया था, और उसी के पास फिर (दोबारा ज़िन्दा करके) लाये गये हो (तो हम ऐसे बड़ाई वाले व क़ुदरत वाले के पूछने पर हक़ बात को कैसे छुपा सकते थे इसलिए गवाही दे दी)। और (आगे हक़ तआ़ला उन इनकारी लोगों को ख़िताब फ़रमायेंगे कि) तुम (दुनिया में) इस बात से तो अपने को (किसी तरह) छुपा (और बचा) ही न सकते थे कि तुम्हारे कान और आँखें और खालें तुम्हारे ख़िलाफ़ गवाही दें, (क्योंकि हक़ तआ़ला की कामिल क़ुदरत और हर चीज़ को शामिल इल्म हक़ीक़त में साबित है जिसका तक़ाज़ा यह था कि बुरे आमाल से बचते) और लेकिन तुम (इसलिये न बचे कि) इस गुमान में रहे कि अल्लाह तआ़ला को तुम्हारे बहुत-से आमाल की ख़बर भी नहीं। और तुम्हारे इसी गुमान ने जो कि तुमने अपने रब के साथ किया था तुमको बरबाद किया (क्योंकि इस गुमान से कुफ़्रिया आमाल के करने वाले हुए और वो बरबादी का सबब बने) फिर तुम (हमेशा के) घाटे में पड़ गये। सो (इस हालत में) अगर ये लोग (उस बरबादी व घाटे पर) सब्र करें (और तक़दीर पर राज़ी रहकर उज़्र व माज़िरत कुछ न करें) तब भी दोज़ख़ ही इनका ठिकाना है (यह नहीं कि इनका सब्र रहम किये जाने का सबब हो जाये जैसा कि दुनिया में अक्सर ऐसा हो जाता था) और अगर वे उज़्र करना चाहेंगे तो भी मक़बूल न होगा। और हमने (दुनिया में) उन (काफ़िरों) के लिये कुछ साथ रहने वाले (शैतान) मुक़र्रर कर रखे थे सो उन्होंने उनके अगले-पिछले आमाल उनकी नज़र में अच्छे बना रखे थे (इसलिये उन पर जमे और अड़े हुए थे) और (कुफ़्र पर जमे और अड़े रहने की वजह से) उनके हक़ में भी उन लोगों के साथ अल्लाह का क़ौल (यानी अ़ज़ाब का वायदा) पूरा होकर रहा जो उनसे पहले जिन्न और इनसान (काफ़िर) हो गुज़रे हैं, बेशक वे भी घाटे में रहे।

मआ़रिफ़ व मसाईल

فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيْحًا صَرْصَرًا.

यह उस सख़्त अ़ज़ाब की वज़ाहत व बयान है जो इससे पहले आयत में 'साअ़ि-क़ति आ़दिंव्-व समूद' के उनवान से बयान हुआ है। साअ़िक़ा के असल मायने मदहोश व बेहोश करने वाली चीज़ के हैं इसी लिये गिरने वाली बिजली को भी साअ़िक़ा कहा जाता है और नागहानी आफ़त व मुसीबत के लिये भी यह लफ़्ज़ इस्तेमाल होता है। आ़द क़ौम पर जो हवा का तूफ़ान मुसल्लत किया गया वह भी

इसी साअिक़ा का एक हिस्सा है इसी को 'रीह-ए-सरसर' के नाम से बयान किया गया है जो तेज़ व तुन्द हवा को कहा जाता है, जिसमें तेज़-रफ़्तारी के साथ सख़्त आवाज़ भी हो। (तफ़सीरे क़ुर्तुबी)

इमाम ज़ह्हाक रह. ने फ़रमाया कि इन लोगों पर अल्लाह तआ़ला ने तीन साल तक बारिश बिल्कुल बन्द कर दी और तेज़ व तुन्द ख़ुश्क हवायें चलती रहीं और आठ दिन सात रातें लगातार हवा का सख़्त तूफ़ान रहा। कुछ रिवायतों में है कि यह वाक़िआ़ शव्वाल के महीने में एक बुध के रोज़ से शुरू होकर दूसरे बुध तक रहा, और जिस किसी क़ौम पर अ़ज़ाब आया है वह बुध ही के दिन आया है। (तफ़सीरे क़ुर्तुबी व मज़हरी)

हज़रत जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अ़न्हु फ़रमाते हैं कि जब अल्लाह तआ़ला किसी क़ौम की भलाई चाहते हैं तो उन पर बारिश बरसाते हैं और ज़्यादा तेज़ हवाओं को उनसे रोक लेते हैं। और जब किसी क़ौम को मुसीबत में मुब्तला करना होता है तो बारिश उनसे रोक ली जाती है और हवायें ज़्यादा और तेज़ चलने लगती हैं।

فِیْٓ اَیَّامٍ نَّحِسَاتٍ.

इस्लामी उसूल और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की हदीसों से साबित है कि कोई दिन या रात अपनी ज़ात में मन्हूस नहीं है। क़ौमे आ़द पर हवा के तूफ़ान के दिनों को नहिसात (नहूसत वाले) फ़रमाने का हासिल यह है कि ये दिन उस क़ौम के हक़ में उनके बुरे आमाल के सबब मन्हूस हो गये थे। इससे यह लाज़िम नहीं आता कि ये दिन सब के लिये मन्हूस हों।

(तफ़सीरे मज़हरी व बयानुल-क़ुरआन)

और इस मसले की पूरी तहक़ीक़ कि कोई चीज़ अपनी ज़ात में मन्हूस हो सकती है या नहीं, नाचीज़ की किताब 'अहकामुल-क़ुरआन' हिस्सा पाँच में देख लें जो अ़रबी भाषा में छप चुकी है।

فَهُمْ يُوْزَعُوْنَ○

यह वज़अ़ से निकला है जिसके मायने रोकने और मना करने के आते हैं, उसी के मुताबिक़ ऊपर बयान हुए ख़ुलासा-ए-तफ़सीर में इसका तर्जुमा रोकने से किया गया है। और अक्सर मुफ़स्सिरीन हज़रात ने यही मायने लिये हैं कि जहन्नम वाले जो बड़ी संख्या में होंगे उनको मैदाने हश्र और हिसाब के मक़ाम की तरफ़ जाने के वक़्त बिखरने से बचाने के लिये अगले हिस्से को कुछ रोक दिया जायेगा ताकि पिछले लोग भी आ मिलें। और मुफ़स्सिरीन में से कुछ हज़रात ने 'यू-ज़ऊन' का तर्जुमा 'युसाक़ू-न व युद्फ़ऊ-न' से किया है जिसके मायने यह हैं कि उनको हिसाब की जगह की तरफ़ हाँक कर धक्के देकर लाया जायेगा। (तफ़सीरे क़ुर्तुबी)

وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُوْنَ اَنْ يَّشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ............... الاٰية.

आयत के मायने यह हैं कि इनसान अगर छुपकर कोई जुर्म व गुनाह करना चाहे तो दूसरे लोगों से तो छुपा सकता है ख़ुद अपने ही बदनी अंगों और हाथ-पैर वग़ैरह से कैसे छुपाये। जब यह मालूम हो जाये कि हमारे कान, आँख, हाथ, पाँव और बदन की खाल और बाल सब हमारे नहीं बल्कि सरकारी गवाह हैं, और जब इनसे हमारे आमाल को पूछा जायेगा तो सच्ची गवाही दे देंगे तो फिर छुपाकर कोई जुर्म व गुनाह करने का कोई रास्ता ही नहीं रहता। इस रुस्वाई से बचने का इसके सिवा

कोई इलाज नहीं कि गुनाह को ही छोड़ा जाये। मगर तुम लोग यानी तौहीद व रिसालत के इनकारी लोगों का ज़ेहन इधर तो क्या जाता कि हमारे बदनी अंग और हिस्से भी बोलने लगेंगे और हमारे ख़िलाफ़ अल्लाह के सामने गवाही देंगे, मगर इतनी बात तो हर अ़क्ल वाले की समझ में आ सकती थी कि जिस ज़ात ने हमें एक हक़ीर (मामूली और घटिया) चीज़ से पैदा करके सुनने और देखने वाला इनसान बनाया, पाला और जवान किया, क्या उसका इल्म हमारे आमाल व हालात को अपने घेरे में लिये हुए नहीं होगा? मगर तुमने इस आसानी सी चीज़ के ख़िलाफ़ यह गुमान कर रखा था कि अल्लाह तआ़ला को हमारे बहुत से आमाल की कुछ ख़बर नहीं इसलिये तुम्हें शिर्क व कुफ़्र करने पर जुर्रत हुई। इसी को उक्त आयत नम्बर 23 में इस तरह बयान किया है:

وَذٰلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِىْ ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ اَرْدٰكُمْ.

यानी तुम्हारे इसी बुरे गुमान ने तुम्हें बरबाद किया।

इनसान के बदनी अंगों और हिस्सों की मेहशर में गवाही

सही मुस्लिम में हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि एक दिन हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के साथ थे, आपको हंसी आ गयी। फिर आपने फ़रमाया कि आप लोगों को मालूम है कि मैं किस बात पर हंस रहा हूँ? हमने अ़र्ज़ किया कि अल्लाह और उसका रसूल ही जानते हैं। आपने फ़रमाया कि मुझे हंसी उस कलाम पर आई जो मैदाने हश्र और हिसाब के मक़ाम में बन्दा अपने रब से करेगा। यह अ़र्ज़ करेगा कि ऐ मेरे परवर्दिगार! क्या आपने मुझे ज़ुल्म से पनाह नहीं दी? अल्लाह तआ़ला फ़रमायेगा कि बेशक दी है। इस पर बन्दा कहेगा कि अगर यह बात है तो मैं अपने हिसाब व किताब के मामले में और किसी की गवाही पर मुत्मईन नहीं हूँगा, सिवाय इसके कि मेरे वजूद ही में से कोई गवाह खड़ा हो। अल्लाह तआ़ला फ़रमायेगा:

كَفٰى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيْبًا٥

यानी अच्छा है, लो तुम ख़ुद ही अपना हिसाब कर लो। उसके बाद उसके मुँह पर मुहर कर दी जायेगी और उसके बदनी अंगों और हाथ-पैर वग़ैरह से कहा जायेगा कि तुम इस उसके आमाल बतलाओ। हर अंग बोल उठेगा और सच्ची गवाही पेश कर देगा। उसके बाद उसकी ज़बान खोल दी जायेगी तो वह ख़ुद अपने बदनी अंगों पर नाराज़ होकर कहेगा:

بُعْدًا لَّكُنَّ وَسُحْقًا فَعَنْكُنَّ اُنَاضِلُ.

यानी तुम ग़ारत व बरबाद हो मैंने तो दुनिया में जो कुछ किया तुम्हारे ही आराम पहुँचाने के लिये किया था (अब तुम ही मेरे ख़िलाफ़ गवाही देने लगे)।

और हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु की रिवायत में है कि उस शख़्स के मुँह पर मुहर लगा दी जायेगी और उसकी रान को कहा जायेगा कि तो बोल और इसके आमाल बयान कर, तो इनसान की रान और गोश्त और हड्डी सब उसके आमाल की गवाही दे देंगे। (मुस्लिम, मज़हरी)

और हज़रत माक़ल बिन यसार रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि हर आने वाला दिन इनसान को यह आवाज़ देता है कि मैं नया दिन हूँ और

जो कुछ तू मेरे अन्दर अ़मल करेगा क़ियामत में मैं उस पर गवाही दूँगा। इसलिये तुझे चाहिये कि मेरे ख़त्म होने से पहले-पहले कोई नेकी करे कि मैं उसकी गवाही दूँ। और अगर मैं चला गया तो फिर तू मुझे कभी न पायेगा। इसी तरह हर रात इनसान को यह निदा देती है। (अबू नुऐम, तफ़सीरे क़ुर्तुबी)

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَا تَسْمَعُوْا لِهٰذَا الْقُرْاٰنِ وَالْغَوْا فِيْهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُوْنَ ۝ فَلَنُذِيْقَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا عَذَابًا شَدِيْدًا ۙ وَّلَنَجْزِيَنَّهُمْ اَسْوَاَ الَّذِيْ كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۝ ذٰلِكَ جَزَآءُ اَعْدَآءِ اللّٰهِ النَّارُ ۚ لَهُمْ فِيْهَا دَارُ الْخُلْدِ ۭ جَزَآءًۢ بِمَا كَانُوْا بِاٰيٰتِنَا يَجْحَدُوْنَ ۝ وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا رَبَّنَآ اَرِنَا الَّذَيْنِ اَضَلّٰنَا مِنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ نَجْعَلْهُمَا تَحْتَ اَقْدَامِنَا لِيَكُوْنَا مِنَ الْاَسْفَلِيْنَ ۝

व क़ालल्लज़ी-न क-फ़रू ला तस्मअ़ू लिहाज़ल्-क़ुर्आनि वल्ग़ौ फ़ीहि लअ़ल्लकुम् तग़्लिबून (26) फ़-लनुज़ीक़न्नल्लज़ी-न क-फ़रू अ़ज़ाबन् शदीदंव्-व ल-नज्ज़ियन्नहुम् अस्वअल्लज़ी कानू यअ़्मलून (27) ज़ालि-क जज़ा-उ अअ़्दा-इल्लाहिन्नारु लहुम् फ़ीहा दारुल्-ख़ुल्दि जज़ाअम् बिमा कानू बिआयातिना यज्हदून (28) व क़ालल्लज़ी-न क-फ़रू रब्बना अरिनल्लज़ैनि अज़ल्लाना मिनल्-जिन्नि वल्-इन्सि नज्अ़ल्हुमा तह्-त अक़्दामिना लियकूना मिनल्-अस्फ़लीन (29)	और कहने लगे मुन्किर (लोग) मत कान धरो इस क़ुरआन के सुनने को और बक-बक करो इसके पढ़ने में शायद तुम ग़ालिब हो। (26) सो हमको ज़रूर चखाना है मुन्किरों को सख़्त अ़ज़ाब और उनको बदला देना है बुरे से बुरे कामों का जो वे करते थे। (27) यह सज़ा है अल्लाह के दुश्मनों की आग, उनका इसी में घर है सदा को, बदला उसका जो हमारी बातों से इनकार करते थे। (28) और कहेंगे वे लोग जो मुन्किर हैं ऐ हमारे रब! हमको दिखला दे वे दोनों जिन्होंने हमको बहकाया जो जिन्न है और जो आदमी, कि डालें हम उनको अपने पाँव के नीचे कि वे रहें सब से नीचे। (29)

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

और ये काफ़िर (आपस में) यह कहते हैं कि इस क़ुरआन को सुनो ही मत, और (अगर पैग़म्बर

सुनाने लगें तो) इसके बीच में शोर मचा दिया करो, शायद (इस तदबीर से) तुम ही ग़ालिब रहो (और पैग़म्बर हारकर ख़ामोश हो जायें)। तो (उनके इस नापाक इरादे और अज़्म के बदले में) हम उन काफ़िरों को सख़्त अ़ज़ाब का मज़ा चखा देंगे, और उनको उनके बुरे-बुरे कामों की सज़ा देंगे। यही सज़ा है अल्लाह के दुश्मनों की, यानी दोज़ख़ उनके लिये वहाँ हमेशा रहने की जगह होगी, इस बात के बदले में कि वे हमारी आयतों का इनकार किया करते थे। (और जब अ़ज़ाब में मुब्तला होंगे तो) वे काफ़िर कहेंगे कि ऐ हमारे परवर्दिगार! हमको वे दोनों शैतान और इनसान दिखा दीजिये जिन्होंने हमको गुमराह किया था, हम उनको अपने पैरों तले मसल डालें, ताकि वे ख़ूब ज़लील हों।

(यानी उनको उस वक़्त उन लोगों पर ग़ुस्सा आयेगा जिन्होंने उनको दुनिया में बहकाया था। आदमी भी और शैतान भी चाहे एक-एक हों या अनेक हों। और यूँ तो वे गुमराह करने वाले भी सब जहन्नम में ही होंगे मगर इस गुफ़्तगू के वक़्त वे उनके सामने नहीं होंगे इसलिये सामने लाने की दरख़्वास्त की। किसी आयत में या रिवायत में यह मज़कूर नहीं देखा कि उनकी यह दरख़्वास्त मन्ज़ूर होगी या नहीं। वल्लाहु आलम।)

मआ़रिफ़ व मसाईल

لَا تَسْمَعُوْا لِهٰذَا الْقُرْاٰنِ وَالْغَوْا فِيْهِ

काफ़िर लोग जब क़ुरआन के मुक़ाबले से आजिज़ हो गये और इसके ख़िलाफ़ उनकी सारी तदबीरें नाकाम हो गयीं तो उस वक़्त उन्होंने यह हरकत शुरू की। हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने फ़रमाया कि अबू जहल ने लोगों को इस पर तैयार किया कि जब मुहम्मद (सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम) क़ुरआन पढ़ा करें तो तुम उनके सामने जाकर चीख़ व पुकार और शोर व गुल करने लगा करो ताकि लोगों को पता ही न चले कि वह क्या कह रहे हैं। कुछ लोगों ने कहा कि सीटियाँ और तालियाँ बजाकर और बीच में तरह-तरह की आवाज़ें निकाल कर क़ुरआन सुनने से लोगों को रोकने की तैयारी करो। (तफ़सीरे क़ुर्तुबी)

क़ुरआन की तिलावत के वक़्त ख़ामोश होकर सुनना वाजिब है, ख़ामोश न रहना काफ़िरों की आ़दत है

उपरोक्त आयत से मालूम हुआ कि क़ुरआन की तिलावत (पढ़ने) में ख़लल डालने की नीयत से शोर व गुल करना तो कुफ़्र की निशानी है। इससे यह भी मालूम हुआ कि ख़ामोश होकर सुनना वाजिब और ईमान की निशानी है। आजकल रेडियो पर क़ुरआन की तिलावत ने ऐसी सूरत इख़्तियार कर ली है कि हर होटल और मजमे के मौक़ों में रेडियो खोला जाता है, जिसमें क़ुरआन की तिलावत हो रही हो और होटल वाले ख़ुद अपने धंधों में लगे रहते हैं और खाने पीने वाले अपने शग़ल में। उसकी सूरत वह बन जाती है जो काफ़िरों की निशानी और पहचान थी। अल्लाह तआ़ला मुसलमानों को हिदायत फ़रमायें कि या तो ऐसे मौक़ों में क़ुरआन की तिलावत के लिये न खोलें, अगर खोलना है

और बरकत हासिल करनी है तो चन्द मिनट सब काम बन्द करके ख़ुद भी उस तरफ़ मुतवज्जह होकर सुनें और दूसरों को भी इसका मौक़ा दें।

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلٰٓئِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ۝ نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ ۚ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِيٓ أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ ۝ نُزُلًا مِنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ ۝ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ۝ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ۚ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ ۝ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا ۚ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ ۝ وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ ۖ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۝

ع ١٨

इन्नल्लज़ी-न क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मस्तक़ामू त-तनज़्ज़लु अ़लैहिमुल्-मलाइ-कतु अल्ला तख़ाफ़ू व ला तह़्ज़नू व अब्शिरू बिल्-जन्नतिल्लती कुन्तुम् तू-अ़दून (30) नह़्नु औलिया-उकुम् फ़िल्-ह़यातिद्दुन्या व फ़िल्-आख़िरति व लकुम् फ़ीहा मा तश्तही अन्फ़ुसुकुम् व लकुम् फ़ीहा मा तद्दअ़ून (31) नुज़ुलम् मिन् ग़फ़ूरिर्रहीम (32) ✿
व मन् अह़्सनु क़ौलम् मिम्-मन् दआ़ इलल्लाहि व अ़मि-ल सालिहंव्-व क़ा-ल इन्ननी मिनल्-मुस्लिमीन (33) व ला तस्तविल्-ह-स-नतु व लस्सय्यि-अतु इद्फ़अ़् बिल्लती हि-य

तहक़ीक़ जिन्होंने कहा हमारा रब अल्लाह है फिर इसी पर क़ायम रहे उन पर उतरते हैं फ़रिश्ते कि तुम मत डरो और न ग़म खाओ, और ख़ुशख़बरी सुनो उस जन्नत की जिसका तुमसे वायदा था। (30) हम हैं तुम्हारे साथी दुनिया और आख़िरत में और तुम्हारे लिये वहाँ है जो चाहे तुम्हारा जी, और तुम्हारे लिये वहाँ है जो कुछ माँगो। (31) मेहमानी है उस बख़्शने वाले मेहरबान की तरफ़ से। (32) ✿
और उससे बेहतर किसकी बात जिसने बुलाया अल्लाह की तरफ़ और किया नेक काम और कहा मैं हुक्म मानने वाला हूँ। (33) और बराबर नहीं नेकी और न बदी, जवाब में वह कह जो उससे बेहतर हो फिर तू देख ले कि तुझ में और जिसमें

अह्सनु फ़-इज़ल्लज़ी बैन-क व बैनहू अ़दा-वतुन् क-अन्नहू वलिय्युन् हमीम (34) व मा युलक़्क़ाहा इल्लल्लज़ी-न स-बरू व मा युलक़्क़ाहा इल्ला ज़ू हज़्ज़िन् अ़ज़ीम (35) व इम्मा यन्ज़ग़न्न-क मिनश्शैतानि नज़्ग़ुन् फ़स्तअ़िज़् बिल्लाहि, इन्नहू हुवस्समीअुल्-अ़लीम (36)	दुश्मनी थी गोया दोस्ती रखने वाला गहरे ताल्लुक़ वाला। (34) और यह बात मिलती है उन्हीं को जो सहार रखते हैं और यह बात मिलती है उसी को जिसकी बड़ी क़िस्मत है। (35) और जो कभी चूक लगे तुझको शैतान के चूक लगाने से तो पनाह पकड़ अल्लाह की, बेशक वही है सुनने वाला जानने वाला। (36)

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

जिन लोगों ने (दिल से) इक़रार कर लिया कि हमारा (असली) रब (सिर्फ़) अल्लाह है (मतलब यह है कि शिर्क छोड़कर तौहीद इख़्तियार कर ली) फिर (उस पर) जमे रहे (यानी उसको छोड़ा नहीं) उन पर (अल्लाह की तरफ़ से रहमत व ख़ुशख़बरी के) फ़रिश्ते उतरेंगे (अव्वल मौत के वक़्त, फिर क़ब्र में, फिर क़ियामत में, जैसा कि तफ़सीर दुर्रे मन्सूर में हज़रत ज़ैद बिन असलम की रिवायत से साबित है, और कहेंगे) कि तुम न (आख़िरत के हालात से) अन्देशा करो और न (दुनिया के छोड़ने पर) ग़म करो (क्योंकि आगे तुम्हारे लिये इसका बेहतरीन बदला और अमन व आ़फ़ियत है) और तुम जन्नत (के मिलने) पर ख़ुश रहो, जिसका तुमसे (पैग़म्बरों के द्वारा) वायदा किया जाया करता था। हम दुनियावी ज़िन्दगी में भी तुम्हारे साथी थे और आख़िरत में भी रहेंगे (दुनिया में फ़रिश्तों का साथी होना यह है कि वे इनसान के दिल में नेक कामों का ख़्याल व पैग़ाम डालते रहते हैं, और कोई तकलीफ़ व मुसीबत पेश आ जाये तो उस पर सब्र व सुकून फ़रिश्तों ही के साथ होने का असर होता है। और आख़िरत में साथी होना तो आमने सामने खुलकर होगा, जैसा कि क़ुरआने करीम में है 'व त-तलक़्क़ाहुमुल् मलाइ-कतु' और एक दूसरी आयत में 'यद्ख़ुलू-न अ़लैहिम् मिन् कुल्लि बाब' वग़ैरह) और तुम्हारे लिये इस (जन्नत) में जिस चीज़ को तुम्हारा जी चाहेगा मौजूद है (यानी जो कुछ ज़बान से माँगोगे वह तो मिलेगा ही बल्कि माँगने की भी ज़रूरत न होगी, जिस चीज़ को तुम्हारा दिल चाहेगा मौजूद हो जायेगी) यह मेहमानी के तौर पर होगा माफ़ करने वाले, रहम करने वाले की तरफ़ से (यानी ये नेमतें इज़्ज़त व सम्मान के साथ इस तरह मिलेंगी जिस तरह मेहमानों को मिलती हैं। आगे अच्छे हाल के बाद अच्छी बात और आमाल को बताया गया है)।

और उससे बेहतर किसकी बात हो सकती है जो (लोगों को) ख़ुदा की तरफ़ बुलाये और (ख़ुद भी) नेक अ़मल करे, और (फ़रमाँबरदारी के इज़हार के लिये) कहे कि मैं फ़रमाँबरदारों में से हूँ (यानी बन्दगी को अपना फ़ख़्र समझे, इनकारी लोगों की तरह इससे आ़र न करे)। और (चूँकि अल्लाह की तरफ़ बुलाने और मख़्लूक़ की इस्लाह का इरादा करने वालों को अक्सर जाहिलों की तरफ़ से तकलीफ़ें

पहुँचाने और सताने का सामना होता है इसलिये आगे उनको ज़ुल्म के मुक़ाबले में इन्साफ़ और बुराई के बदले में भलाई करने की तालीम व हिदायत की जाती है। और तजुर्बे से साबित है कि दावत के प्रभावी और कामयाब होने का भी यही तरीक़ा है कि मुख़ालिफ़ों के सताने और तकलीफ़ें देने पर सब्र करके उनके साथ अच्छा बर्ताव किया जाये, इसलिये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को ख़िताब करके फ़रमाया जिसमें ताबे होकर सब मुसलमान शामिल हैं कि) नेकी और बुराई बराबर नहीं होती (बल्कि हर एक का असर अलग होता है, और जब यह बात साबित हो गयी) तो अब आप (मय अपने मानने वालों के) नेक बर्ताव से (बुराई को) टाल दिया कीजिये। फिर एक दम से (आप देखेंगे कि) आप में और जिस शख़्स में दुश्मनी थी वह ऐसा हो जायेगा जैसा कि कोई दिली दोस्त होता है (यानी बदी का बदला बदी से देने में तो दुश्मनी बढ़ती है और नेकी करने से अगर दुश्मन की तबीयत में सलामती हो तो दुश्मनी घटती है, यहाँ तक कि अक्सर तो दुश्मनी बिल्कुल ही जाती रहती है और इस मामले में वह एक दोस्त की तरह हो जाता है चाहे दिल से दोस्त न हो) और यह बात उन्हीं लोगों को नसीब होती है जो (अख़्लाक़ के एतिबार से) बड़े मुस्तक़िल (मिज़ाज) हैं। और यह बात उसी को नसीब होती है जो (सवाब के एतिबार से) बड़ा नसीब वाला है।

और अगर (ऐसे वक़्त में) आपको शैतान की तरफ़ से (ग़ुस्से का) कुछ वस्वसा आने लगे तो (फ़ौरन) अल्लाह की पनाह माँग लिया कीजिये, बेशक वह ख़ूब सुनने वाला है, ख़ूब जानने वाला है ('तबीयत में सलामती होने' की शर्त से यह शंका दूर हो गयी कि कई बार शरीर आदमी पर नर्मी करने का उल्टा असर होता है, क्योंकि यह सिर्फ़ ऐसे लोगों से संभव है जो अपनी तबीयत की सलामती खो बैठते हैं और वे बहुत ही कम होते हैं)।

मआ़रिफ़ व मसाईल

सूरत के शुरू से यहाँ तक क़ुरआन और रिसालत व तौहीद के इनकारियों से ख़िताब है। उनको हक़ तआ़ला की कामिल क़ुदरत की निशानियाँ सामने करके तौहीद की दावत, फिर इनकार करने वालों का अन्जाम और आख़िरत व दोज़ख़ के अ़ज़ाब का तफ़सीली बयान चला आया है। यहाँ से कामिल मोमिनों के हालात और दुनिया व आख़िरत में उनके सम्मान व इ़ज़्ज़त का बयान और उनके लिये ख़ास हिदायतों का ज़िक्र है। कामिल मोमिन वही होते हैं जो ख़ुद भी अपने आमाल व अख़्लाक़ में सही राह पर और पूरी तरह शरीअ़त के मुताबिक़ हों, और दूसरों को भी अल्लाह की तरफ़ दावत दें और उनकी इस्लाह (सुधार) की फ़िक्र करें। इसी सिलसिले में इस्लाम की दावत देने वालों के लिये सब्र और बुराई के बदले में भलाई करने की हिदायत है।

'इस्तिक़ामत' के मायने

पहले 'हिस्से' को लफ़्ज़ 'इस्तिक़ामत' से ताबीर फ़रमाकर इरशाद हुआः

اِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوْا.

यानी जिन लोगों ने सच्चे दिल से अल्लाह तआ़ला को अपना रब यक़ीन कर लिया और इसका

इक़रार भी कर लिया। यह तो असल ईमान हुआ, आगे इस पर क़ायम भी रहे यह नेक अ़मल हुआ। इस तरह ईमान और नेक अ़मल के जमा करने वाले हो गये। लफ़्ज़ **इस्तिक़ामत** का जो मफ़्हूम ख़ुलासा-ए-तफ़सीर में बयान हुआ है कि ईमान व तौहीद पर क़ायम रहे उसको छोड़ा नहीं, यह तफ़सीर हज़रत सिद्दीक़े अकबर रज़ियल्लाहु अ़न्हु से मन्क़ूल है और तक़रीबन यही मज़मून हज़रत उस्मान ग़नी रज़ियल्लाहु अ़न्हु से नक़ल किया गया है, उन्होंने 'इस्तिक़ामत' की तफ़सीर अ़मल के इख़्लास से फ़रमाई है। और हज़रत फ़ारूक़े आज़म रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने फ़रमाया किः

الاستقامة ان تستقيم على الامر والنهى ولا تروغ روغان الثعالب. (مظهرى)

"इस्तिक़ामत यह है कि तुम अल्लाह के तमाम अहकाम, हुक्म की हुई बातों और मना की गयी बातों पर सीधे जमे रहो, उससे इधर-उधर फ़रार का रास्ता लोमड़ियों की तरह न निकालो।"

इसलिये उलेमा ने फ़रमाया कि **इस्तिक़ामत** यूँ तो एक मुख़्तसर लफ़्ज़ है मगर तमाम इस्लामी अहकाम को अपने अन्दर समोये हुए है जिसमें अल्लाह के तमाम अहकाम पर अ़मल और तमाम हराम व बुरी बातों से हमेशा के लिये बचना शामिल है। तफ़सीरे कश्शाफ़ में है कि इनसान का 'रब्बुनल्लाहु' (हमारा रब अल्लाह है) कहना तभी सही हो सकता है जबकि वह दिल से यक़ीन करे कि मैं हर हाल और हर क़दम में अल्लाह तआ़ला की तरबियत में हूँ, मुझे एक साँस भी उसकी रहमत के बग़ैर नहीं आ सकता। और इसका तक़ाज़ा यह है कि इनसान इबादत के तरीक़े पर ऐसा मज़बूत व जमा हुआ रहे कि उसका दिल और जिस्म दोनों उसकी बन्दगी से बाल बराबर भी न हटें।

इसी लिये जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से हज़रत सुफ़ियान बिन अ़ब्दुल्लाह सक़फ़ी रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने यह सवाल किया कि या रसूलल्लाह! मुझे इस्लाम की एक जामे बात बतला दीजिये जिसके बाद मुझे किसी और से कुछ न पूछना पड़े तो आपने फ़रमायाः

قُلْ اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ ثُمَّ اسْتَقِمْ.

यानी तुम अल्लाह पर ईमान लाने का इक़रार करो, फिर उस पर मुस्तक़ीम रहो। (मुस्लिम शरीफ़) मुस्तक़ीम रहने की ज़ाहिर मुराद यही है कि ईमान पर भी मज़बूती से जमे रहो और उसके तक़ाज़े के मुताबिक़ नेक आमाल पर भी।

इसी लिये हज़रत अ़ली और हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हुमा ने इस्तिक़ामत की परिभाषा फ़राईज़ के अदा करने से फ़रमाई और हज़रत हसन बसरी रह. ने फ़रमाया- इस्तिक़ामत यह है कि तमाम आमाल में अल्लाह की फ़रमाँबरदारी करो और उसकी नाफ़रमानी से बचो। इससे मालूम हुआ कि इस्तिक़ामत की पूर्ण परिभाषा वही है जो ऊपर हज़रत फ़ारूक़े आज़म रज़ियल्लाहु अ़न्हु से नक़ल की गयी है और हज़रत सिद्दीक़े अकबर और हज़रत उस्मान ग़नी रज़ियल्लाहु अ़न्हुमा की परिभाषा भी इसी की तरफ़ लौटती है जिसमें नेक आमाल के साथ अ़मल में इख़्लास की ताकीद है। (तफ़सीरे मज़हरी) इमाम जस्सास रह. ने भी मज़कूरा तफ़सीर को अबुल-आ़लिया रह. से नक़ल करके इख़्तियार किया है और अ़ल्लामा इब्ने जरीर रह. ने भी।

تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلٰٓئِكَةُ.

फ़रिश्तों का उतरना और वह ख़िताब जो इस आयत में आया है हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने फ़रमाया कि मौत के वक़्त होगा, और क़तादा रह. ने फ़रमाया कि मेहशर में क़ब्रों से निकलने के वक़्त होगा, और वकीअ़ बिन जर्राह रह. ने फ़रमाया कि तीन वक़्तों में होगा- अव्वल मौत के वक़्त, फिर क़ब्रों के अन्दर, फिर मेहशर में क़ब्रों से उठने के वक़्त। और अबू हय्यान रह. ने तफ़सीर बहरे मुहीत में फ़रमाया कि मैं तो कहता हूँ कि मोमिनों पर फ़रिश्तों का उतरना हर दिन होता है जिसके निशानात व बरकतें उनके आमाल में पाये जाते हैं, अलबत्ता उनको देखना और उनसे कलाम करना व सुनना यह उन्हीं स्थानों में होगा।

और अबू नुऐम रह. ने हज़रत साबित बिनानी रह. से नक़ल किया है कि उन्होंने सूरः हा-मीम अस्सज्दा की तिलावत फ़रमाई यहाँ तक की आयत नम्बर 30 'त-तनज़्ज़लु अ़लैहिमुल् मलाइ-कतु.....' पर पहुँचे तो फ़रमाया कि हमें यह हदीस पहुँची है कि मोमिन जिस वक़्त अपनी क़ब्र से उठेगा तो वे फ़रिश्ते जो दुनिया में उसी के साथ रहा करते थे वे मिलेंगे और उसको कहेंगे कि तुम ख़ौफ़ व ग़म न करो बल्कि जन्नत की ख़ुशख़बरी सुनो जिसका तुमसे वायदा किया जाता था। उनका कलाम सुनकर मोमिन को इत्मीनान हो जायेगा। (तफ़सीरे मज़हरी)

لَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِىٓ اَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ٥ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ٥

फ़रिश्ते पक्के सच्चे मोमिनों को बतलायेंगे कि तुम्हें जन्नत में हर वह चीज़ मिलेगी जिसको तुम्हारा दिल चाहे और हर वह चीज़ जो तुम माँगो। इसका हासिल तो यह है कि तुम्हारी हर इच्छा पूरी की जायेगी, चाहे तुम माँगो या न माँगो। आगे 'नुज़ुलन्' मेहमानी के मायने में फ़रमाकर इस तरफ़ इशारा कर दिया कि बहुत सी वो नेमतें भी मिलेंगी जिनकी तमन्ना भी तुम्हारे दिल में पैदा नहीं हुई, जैसा कि मेहमान के सामने बहुत सी वो चीज़ें भी आती हैं जिनका पहले से कोई तसव्वुर नहीं होता, ख़ुसूसन जबकि किसी बड़े का मेहमान हो। (तफ़सीरे मज़हरी)

हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि जन्नत में किसी परिन्दे को उड़ता हुआ देखकर तुम्हारे दिल में उसका गोश्त खाने की इच्छा पैदा होगी तो वह उसी वक़्त भुना भुनाया तुम्हारे सामने आ गिरेगा। कुछ रिवायतों में है कि वह न आग से छुयेगा न धुएँ से, ख़ुद-ब-ख़ुद पक कर सामने आ जायेगा। (बज़्ज़ार, बैहक़ी हज़रत इब्ने मसऊद की रिवायत से, मज़हरी)

और हदीस में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि मोमिन को जन्नत में अगर अपने घर में बच्चा पैदा होने की इच्छा होगी तो उसका हमल (गर्भ) और उसकी पैदाईश फिर उसका दूध छुड़ाना फिर जवान होना सब एक घड़ी में हो जायेगा। (तिर्मिज़ी व बैहक़ी वग़ैरह, मज़हरी)

وَمَنْ اَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَآ اِلَى اللّٰهِ.

यह कामिल मोमिनों के हालात का दूसरा हिस्सा है कि वे सिर्फ़ ख़ुद ही अपने ईमान व अ़मल पर कनाअ़त नहीं करते बल्कि दूसरे लोगों को भी इसकी दावत देते हैं। और फ़रमाया कि उससे अच्छा किसका क़ौल हो सकता है जो लोगों को अल्लाह की तरफ़ बुलाये। मालूम हुआ कि इनसान के कलाम में सबसे अफ़ज़ल व बेहतर वह कलाम है जिसमें दूसरों को हक़ की दावत दी गयी हो। इसमें अल्लाह की तरफ़ दावत देने की सब सूरतें दाख़िल हैं- ज़बान से, तहरीर से या किसी और उनवान से।

अज़ान देने वाला भी इसमें दाख़िल है, क्योंकि वह दूसरों को नमाज़ की तरफ़ बुलाता है। इसी लिये हज़रत सिद्दीक़ा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने फ़रमाया कि यह आयत मुअज़्ज़िनों के बारे में नाज़िल हुई है। और इस 'दआ़ इलल्लाहि' के बाद 'अ़मि-ल सालिहन्' आया है। इससे मुराद यह है कि अज़ान व तकबीर के बीच दो रक्अ़त नमाज़ पढ़ ले।

एक हदीस में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि अज़ान व तकबीर के बीच जो दुआ़ की जाती है वह रद्द नहीं होती। (अबू दाऊद, तिर्मिज़ी हज़रत अनस रज़ि. से। मज़हरी)

अज़ान और अज़ान के जवाब देने के फ़ज़ाईल व बरकतें सही हदीसों में बहुत बड़ी हैं बशर्ते कि इख़्लास के साथ अल्लाह के लिये अज़ान दे, उजरत व मुआ़वज़ा मक़सद न हो। ये हदीसें इस जगह तफ़सीरे मज़हरी में जमा कर दी हैं।

وَلَا تَسْتَوِى الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ

यहाँ से अल्लाह की तरफ़ दावत देने की ख़िदमत अन्जाम देने वालों को ख़ास हिदायतें दी गयी हैं जिसका हासिल यह है कि वे बुराई का बदला बुराई से न दें बल्कि सब्र और एहसान से काम लें। चुनाँचे फ़रमायाः

اِدْفَعْ بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ

यानी हक़ की दावत देने वालों की ख़स्लत यह होनी चाहिये कि वे लोगों की बुराई को अच्छे तरीक़े से दूर करें। वह यह कि बुराई का बदला बुराई से न लेना और माफ़ कर देना तो बेहतर अ़मल है और ज़्यादा बेहतर यह है कि जिसने तुम्हारे साथ बुरा सुलूक किया तुम उसको माफ़ भी कर दो और उसके साथ एहसान का बर्ताव करो। हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने फ़रमाया कि इस आयत में हुक्म यह है कि जो शख़्स तुम पर गुस्से का इज़हार करे तुम उसके मुक़ाबले में सब्र से काम लो। जो तुम्हारे साथ जहालत से पेश आये तुम उसके साथ संयम व बुर्दबारी का मामला करो और जिसने तुम्हें सताया उसको माफ़ कर दो। (तफ़सीरे मज़हरी)

कुछ रिवायतों में है कि सिद्दीक़े अकबर रज़ियल्लाहु अ़न्हु को किसी शख़्स ने गाली दी या बुरा कहा तो आपने उसके जवाब में फ़रमाया कि अगर तुम अपने कलाम में सच्चे हो कि मैं मुजरिम व ख़तावार और बुरा हूँ तो अल्लाह तआ़ला मुझे माफ़ फ़रमा दे, और अगर तुमने झूठ बोला है तो अल्लाह तआ़ला तुम्हें माफ़ फ़रमा दे। (तफ़सीरे क़ुर्तुबी)

وَمِنْ اٰيٰتِهِ الَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ

وَالْقَمَرُ ۭ لَا تَسْجُدُوْا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوْا لِلّٰهِ الَّذِىْ خَلَقَهُنَّ اِنْ كُنْتُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ ۝ فَاِنِ اسْتَكْبَرُوْا فَالَّذِيْنَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُوْنَ لَهٗ بِالَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْـَٔمُوْنَ ۝ وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنَّكَ تَرَى الْاَرْضَ خَاشِعَةً فَاِذَآ اَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَآءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ ۭ اِنَّ الَّذِىْٓ اَحْيَاهَا لَمُحْىِ الْمَوْتٰى ۭ اِنَّهٗ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ۝

السجدة (11)

व मिन् आयातिहिल्लैलु वन्नहारु वश्शम्सु वल्क़-मरु, ला तस्जुदू लिश्शम्सि व ला लिल्क़-मरि वस्जुदू लिल्लाहिल्लज़ी ख़ा-ल-क़हुन्-न इन् कुन्तुम् इय्याहु तअ्बुदून (37) फ़-इनिस्तक्बरू फ़ल्लज़ी-न अिन्-द रब्बि-क युसब्बिहू-न लहू बिल्लैलि वन्नहारि व हुम् ला यस्अमून (38) ۞ व मिन् आयातिही अन्न-क तरल्-अर्-ज़ ख़ाशि-अतन् फ़-इज़ा अन्ज़ल्ना अ़लैहल् मा-अह्तज़्ज़त् व र-बत्, इन्नल्लज़ी अह्याहा ल-मुह्यिल् -मौता, इन्नहू अ़ला कुल्लि शैइन् क़दीर (39)	और उसकी क़ुदरत के नमूने हैं रात और दिन और सूरज और चाँद, सज्दा न करो सूरज को और न चाँद को और सज्दा करो अल्लाह को जिसने उनको बनाया अगर तुम उसी को पूजते हो। (37) फिर अगर ग़ुरूर करें तो जो लोग तेरे रब के पास हैं पाकी बोलते रहते हैं उसकी रात और दिन, और वे नहीं थकते। (38) ۞ और उसकी एक निशानी यह कि तू देखता है ज़मीन को दबी पड़ी फिर जब उतारा हमने उस पर पानी ताज़ा हुई और उभरी, बेशक जिसने उसको ज़िन्दा किया वह ज़िन्दा करेगा मुर्दों को, वह सब कुछ कर सकता है। (39)

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

और उसकी (क़ुदरत और अकेला व तन्हा माबूद होने की) निशानियों में से रात और दिन है, और सूरज है और चाँद है (पस) तुम लोग न सूरज को सज्दा करो और न चाँद को (जैसा कि सितारों के पुजारी सितारों की इबादत किया करते थे। तफ़सीरे कश्शाफ़) और (सिर्फ़) उस ख़ुदा तआ़ला को सज्दा करो जिसने इन (सब) निशानियों को पैदा किया, अगर तुमको अल्लाह की इबादत करनी है। (यानी अगर ख़ुदा की इबादत करनी है तो वह सिर्फ़ इसी सूरत में हो सकती है कि उसके साथ किसी दूसरे की इबादत न करो, मुश्रिक लोगों की तरह अल्लाह की इबादत के साथ दूसरों को इबादत में शरीक कर दिया तो फिर वह अल्लाह की इबादत नहीं रहती) फिर अगर ये लोग (एक अल्लाह की इबादत इख़्तियार करने और अपनी बाप-दादा वाली शिर्क की रस्मों को छोड़ने से शर्म) और तकब्बुर करें तो (इनकी हिमाक़त है, क्योंकि) जो फ़रिश्ते आपके रब के क़रीबी हैं वे रात और दिन उसकी पाकी बयान करते हैं और वे (इससे ज़रा) नहीं उकताते। (जब अल्लाह के ख़ास और क़रीबी फ़रिश्ते जो इन लोगों से लाखों दर्जे सम्मानित और इज़्ज़त व रुतबे वाले हैं उनको शर्म नहीं तो इन अहमक़ों को शर्म करने या ऐब समझने का क्या मौक़ा है)। और उसकी (क़ुदरत और तौहीद की) निशानियों में

से एक यह है कि (ऐ मुख़ातब!) तू ज़मीन को देखता है कि दबी-दबाई पड़ी है, फिर जब हम उस पर पानी बरसाते हैं तो वह उभरती और फूलती है। (इससे तौहीद पर भी दलील हासिल होती है और मरने के बाद दोबारा ज़िन्दा होने पर भी, क्योंकि) जिसने इस ज़मीन को (इसके मुनासिब) ज़िन्दा कर दिया वही मुर्दों को (उनके मुनासिब) ज़िन्दा कर देगा, बेशक वह हर चीज़ पर क़ादिर है।

मआ़रिफ़ व मसाईल

अल्लाह तआ़ला के सिवा किसी को सज्दा करना जायज़ नहीं

لَا تَسْجُدُوْا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوْا لِلّٰهِ الَّذِیْ خَلَقَهُنَّ

इस आयत से साबित हुआ कि सज्दा सिर्फ़ ख़ालिक़े कायनात का हक़ है, उसके सिवा किसी सितारे या इनसान वग़ैरह को सज्दा करना हराम है, चाहे वह इबादत की नीयत से हो या सिर्फ़ सम्मान व अदब की नीयत से, दोनों सूरतें पूरी उम्मत के नज़दीक हराम हैं। फ़र्क़ सिर्फ़ इतना है कि जो इबादत की नीयत से किसी को सज्दा करेगा वह काफ़िर हो जायेगा और जिसने सिर्फ़ अदब व सम्मान के लिये सज्दा किया उसको काफ़िर न कहेंगे मगर हराम काम करने का मुजरिम और गुनाहगार कहा जायेगा।

इबादत का सज्दा तो अल्लाह के सिवा किसी को किसी उम्मत व शरीअ़त में हलाल नहीं रहा, क्योंकि वह शिर्क में दाख़िल है और शिर्क तमाम नबियों की शरीअ़तों में हराम रहा है। अलबत्ता किसी को अदब व सम्मान के तौर पर सज्दा करना, यह पिछली शरीअ़तों में जायज़ था। दुनिया में आने से पहले हज़रत आदम अ़लैहिस्सलाम के लिये सब फ़रिश्तों को सज्दे का हुक्म हुआ। यूसुफ़ अ़लैहिस्सलाम को उनके वालिद और भाईयों ने सज्दा किया जिसका ज़िक्र क़ुरआन में मौजूद है, मगर उम्मत के तमाम फ़ुक़हा (क़ुरआन व हदीस के माहिर उलेमा) की सर्वसम्मति से यह हुक्म उन शरीअ़तों में था, इस्लमा में ख़त्म और निरस्त क़रार दिया गया और ग़ैरुल्लाह को सज्दा बिल्कुल और हर हाल में हराम क़रार दिया गया।

وَهُمْ لَا يَسْئَمُوْنَ۝

इस पर तो उम्मत का इजमा (एक राय और सर्वसम्मति) है कि इस सूरत में सज्दा-ए-तिलावत वाजिब है, सज्दे की जगह में उलेमा का मतभेद है। क़ाज़ी अबू बक्र इब्ने अ़रबी ने अहकामुल-क़ुरआन में लिखा है कि हज़रत अ़ली और हज़रत इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहु अ़न्हुमा पहली आयत के ख़त्म पर सज्दा करते थे यानी 'इन् कुन्तुम् इय्याहु तअ़्बुदून' पर और इसी को इमाम मालिक रह. ने इख़्तियार फ़रमाया है। और हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु दूसरी आयत के आख़िर यानी 'ला यस्अमून' पर सज्दा करते थे और हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने भी यही फ़रमाया कि दूसरी आयत के ख़त्म पर सज्दा करें। इमाम मसरूक़, अबू अ़ब्दुर्रहमान सुलमी, इब्राहीम नख़ई, इब्ने सीरीन, क़तादा रह. वग़ैरह और फ़ुक़हा की अक्सर जमाअ़त 'ला यस्अमून' ही पर सज्दा करते थे। इमाम अबू बक्र जस्सास रह. ने अहकामुल-क़ुरआन में फ़रमाया कि यही मज़हब तमाम हनफ़ी इमामों का है, और

फ़रमाया कि मतभेद की बिना पर एहतियात भी इसी में है कि दूसरी आयत के ख़त्म पर सज्दा किया जाये, क्योंकि अगर सज्दा पहली आयत से वाजिब हो चुका है तो वह अब अदा हो जायेगा और अगर इसी आयत से वाजिब हुआ है तो उसका अदा होना ख़ुद ज़ाहिर है।

إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آيَاتِنَا لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَا ۗ أَفَمَن
يُلْقَىٰ فِي النَّارِ خَيْرٌ أَم مَّن يَأْتِي آمِنًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۚ اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ ۖ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝ إِنَّ
الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَمَّا جَاءَهُمْ ۖ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ ۝ لَّا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا
مِنْ خَلْفِهِ ۖ تَنزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ۝ مَّا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِن قَبْلِكَ ۚ إِنَّ
رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُو عِقَابٍ أَلِيمٍ ۝ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَّقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ ۖ أَأَعْجَمِيٌّ
وَعَرَبِيٌّ ۗ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ ۖ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ
عَمًى ۚ أُولَٰئِكَ يُنَادَوْنَ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ ۝ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ ۗ وَلَوْلَا
كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ ۚ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ ۝ مَّنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ ۖ
وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ۗ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ ۝

ع ٥ ١٢ ١٩

इन्नल्लज़ी-न युल्हिदू-न फ़ी आयातिना ला यख़्फ़ौ-न अ़लैना, अ-फ़-मंय्युल्क़ा फ़िन्नारि ख़ैरुन् अम्-मंय्यअ्ती आमिनंय्यौमल्-क़ियामति, इअ्मलू मा शिअ्तुम् इन्नहू बिमा तअ्मलू-न बसीर (40) इन्नल्लज़ी-न क-फ़रू बिज़्ज़िक्रि लम्मा जा-अहुम् व इन्नहू ल-किताबुन् अ़ज़ीज़ (41) ला यअ्तीहिल्-बातिलु मिम्बैनि यदैहि व ला मिन् ख़ल्फ़िही, तन्ज़ीलुम्-मिन् हकीमिन् हमीद (42) मा युक़ालु ल-क इल्ला मा क़द् क़ी-ल लिर्रुसुलि	जो लोग टेढ़े चलते हैं हमारी बातों में वे हमसे छुपे हुए नहीं, भला एक जो पड़ता है आग में वह बेहतर या एक जो आयेगा अमन से क़ियामत के दिन, किये जाओ जो चाहो बेशक जो तुम करते हो वह देखता है। (40) जो लोग मुन्किर हुए नसीहत से जब आई उनके पास और वह किताब है नादिर (41) इस पर झूठ का दख़ल नहीं आगे से और न पीछे से, उतारी हुई है हिक्मतों वाले सब तारीफ़ों वाले की। (42) तुझे वही कहते हैं जो कह चुके हैं सब

मिन् क़ब्लि-क, इन्-न रब्ब-क लज़ू मग़्फ़ि-रतिंव्-व ज़ू अिक़ाबिन् अलीम (43) व लौ जअ़ल्नाहु क़ुर्आनन् अअ़्-जमिय्यल्-लक़ालू लौ ला फ़ुस्सिलत् आयातुहू अ-अअ़्-जमिय्युंव्-व अ़-रबिय्युन्, क़ुल् हु-व लिल्लज़ी-न आमनू हुदंव्-व शिफ़ाउन्, वल्लज़ी-न ला युअ्मिनू-न फ़ी आज़ानिहिम् वक़्रुंव्-व हु-व अ़लैहिम् अ़मन्, उलाइ-क युनादौ-न मिम्-मकानिम्-बअ़ीद (44) ❁

रसूलों से तुझसे पहले, तेरे रब के यहाँ माफ़ी भी है और दर्दनाक सज़ा भी है। (43) और अगर हम इसको करते क़ुरआन ओपरी भाषा का तो कहते इसकी बातें क्यों न खोली गईं क्या ओपरी भाषा की किताब और अ़रबी लोग, तू कह- यह ईमान वालों के लिये समझ है और रोग का दूर करने वाला, और जो यक़ीन नहीं लाते उनके कानों में बोझ है और यह क़ुरआन उनके हक़ में अंधापन है, उनको पुकारते हैं दूर की जगह से। (44) ❁

व ल-क़द् आतैना मूसल्-किता-ब फ़ख़्तुलि-फ़ फ़ीहि, व लौ ला कलि-मतुन् स-बक़त् मिर्रब्बि-क लक़ुज़ि-य बैनहुम्, इन्नहुम् लफ़ी शक्किम् मिन्हु मुरीब (45) मन् अ़मि-ल सालिहन् फ़लि-नफ़्सिही व मन् असा-अ फ़-अ़लैहा, व मा रब्बु-क बिज़ल्लामिल्-लिल्-अ़बीद (46)

और हमने दी थी मूसा को किताब फिर उसमें झगड़ा पड़ा और अगर न होती एक बात जो पहले निकल चुकी थी तेरे रब की तरफ़ से तो उनमें फ़ैसला हो जाता और वे ऐसे धोखे में हैं इस क़ुरआन से जो चैन नहीं लेने देता। (45) जिसने की भलाई सो अपने वास्ते और जिसने की बुराई सो वह भी उसी पर, और तेरा रब ऐसा नहीं जो ज़ुल्म करे बन्दों पर। (46)

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

बेशक जो लोग हमारी आयतों में ग़लत रास्ता इख़्तियार करते हैं (यानी यह कि हमारी आयतों का तक़ाज़ा उन पर ईमान लाने फिर उन पर जमे रहने का है, उसको छोड़कर उनको झुठलाते हैं (तफ़सीर दुर्रे मन्सूर में हज़रत क़तादा रह. से यह तफ़सीर नकल की गयी है) वे लोग हम पर छुपे नहीं हैं (उनको हम जहन्नम का अ़ज़ाब देंगे)। सो भला जो शख़्स दोज़ख़ में डाला जाये (जैसे काफ़िर) वह अच्छा है या वह शख़्स जो क़ियामत के दिन अमन व अमान के साथ (जन्नत में) आये? (आगे

उनको डराने के लिये इरशाद है कि) जो जी चाहे (ख़ूब) कर लो वह तुम्हारा सब किया हुआ देख रहा है (एक दफ़ा ही सज़ा देगा)। जो लोग इस क़ुरआन का इनकार करते हैं जबकि यह उनके पास पहुँचता है (उनमें ख़ुद सोचने-समझने की कमी है) और (इस क़ुरआन में कोई कमी नहीं, क्योंकि) यह (क़ुरआन मजीद) बड़ी वक़अ़त वाली किताब है जिसमें ख़िलाफ़े हक़ीक़त बात न इसके आगे की तरफ़ से आ सकती है और न इसके पीछे की तरफ़ से (यानी इसमें किसी पहलू और किसी दिशा से इसका शुब्हा व गुमान नहीं कि यह क़ुरआन अल्लाह की तरफ़ से नाज़िल शुदा न हो। और फिर हक़ीक़त के ख़िलाफ़ इसको अल्लाह के तरफ़ से न उतरा हुआ कह दिया जाये जैसा कि काफ़िर आप पर यही शुब्हा करते थे। हक़ तआ़ला ने एक कुल्ली क़ायदे से इस ख़ास शुब्हे को दूर कर दिया, इस तरह कि इसका बेमिसाल और आ़जिज़ कर दने वाला होना सब के नज़दीक मुसल्लम है इसलिये यह साबित हो गया कि) यह हिक्मत वाले और तारीफ़ वाले ख़ुदा तआ़ला की तरफ़ से नाज़िल किया गया है (और इसके बावजूद जो ये लोग आपको झुठलाते हैं तो यह मालूम करके तसल्ली कर लीजिये कि) आपको वही बातें (झुठलाने और तकलीफ़ देने की) कही जाती हैं जो आप से पहले रसूलों को कही गई हैं, (उन्होंने सब्र किया था आप भी सब्र कीजिये और इससे भी तसल्ली हासिल कीजिये कि) आपका रब बड़ी मग़फ़िरत वाला और दर्दनाक सज़ा देने वाला है (पस अगर ये मुख़ालिफ़ लोग मुख़ालफ़त से बाज़ आकर मग़फ़िरत के मुस्तहिक़ न हो गये तो इनको सज़ा भी दूँगा, फिर आप किस लिये परेशान हों)।

और (ये लोग एक शुब्हा यह करते हैं कि क़ुरआन का कुछ हिस्सा ग़ैर-अ़रबी भी होना चाहिये था, जैसा कि तफ़सीर दुर्रे मन्सूर में क़ुरैश के लोगों का ऐसा क़ौल हज़रत सईद बिन जुबैर रह. से नक़ल किया है जिससे इसका बेमिसाल व अ़जीब होना ख़ूब ज़ाहिर होता कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम जो ग़ैर-अ़रबी भाषा नहीं जानते वह ग़ैर-अ़रबी भाषा में कलाम करें। सो बात यह है कि) अगर हम इसको (सारा का सारा या कुछ हिस्सा) अ़जमी "यानी अ़रबी भाषा के अ़लावा किसी और" (भाषा का) क़ुरआन बनाते (तो यह हरगिज़ न होता कि इसको मान लेते बल्कि इसमें एक और हुज्जत निकालते, क्योंकि जब मानने और समझने का इरादा नहीं होता तो हर अन्दाज़ पर कुछ न कुछ बात निकाल ली जाती है, चुनाँचे अगर ऐसा होता) तो यूँ कहते कि इसकी आयतें (इस तरह) साफ़-साफ़ क्यों नहीं बयान की गईं (कि हम समझ लेते, यानी अ़रबी में क्यों नहीं आया। अगर कुछ हिस्सा ग़ैर-अ़रबी में होता तो कहते यह कुछ हिस्सा भी अ़रबी में क्यों नहीं है? और यूँ कहते कि) यह क्या बात कि ग़ैर-अ़रबी किताब और अ़रबी रसूल? (ख़ुलासा यह है कि अब जो क़ुरआन अ़रबी है तो कहते हैं ग़ैर-अ़रबी क्यों नहीं, और अगर ग़ैर-अ़रबी होता तो कहते अ़रबी क्यों नहीं, किसी हाल पर इनको क़रार नहीं। फिर ग़ैर-अ़रबी होने से क्या फ़ायदा होता। आगे इस मज़मून से जवाब देने का हुक्म है कि ऐ पैग़म्बर) आप कह दीजिये कि यह क़ुरआन ईमान वालों के लिये तो (नेक कामों के बतलाने में) रास्ता दिखाने वाला और (बुरे कामों से जो रोग दिलों में पैदा हो जाते हैं जब इस क़ुरआन की रहनुमाई पर अ़मल किया जाये तो यह उन रोगों से) शिफ़ा है। (पस चूँकि ईमान वालों में सोच-विचार और हक़ की तलब करने की कमी न थी उनके हक़ में क़ुरआन अपनी हक़्क़ानियत के सबब नफ़ा-बख़्श हुआ) और जो (हक़ के ज़ाहिर होने के बावजूद के मुख़ालफ़त व दुश्मनी के सबब) ईमान नहीं लाते उनके कानों में डाट है (जिससे हक़ को इन्साफ़ और सोचने व ग़ौर करने से नहीं

सुनते और वह कमी यही है) और (इसी कमी की वजह से) वह क़ुरआन उनके हक़ में अंधापन है (सोच-विचार की कमी और इन्साफ़ से काम न लेने से तास्सुब ताक़तवर रहता है और तास्सुब हिदायत क़ुबूल करने से रुकावट बल्कि और ज़्यादा गुमराही का सबब हो जाता है। अंधेपन का सबब होने की यह वजह है जैसे सूरज कायनात को रोशनी देता है और चमगादड़ को अंधा कर देता है और) ये लोग (हक़ बात सुनने के बावजूद नफ़े से मेहरूम रहने में ऐसे हैं कि गोया) किसी बड़ी दूर जगह से पुकारे जा रहे हैं (कि आवाज़ सुनते हों मगर समझते न हों)।

और (आपकी तसल्ली के लिये जैसा कि ऊपर मुख़्तसर तौर पर रसूलों का ज़िक्र हुआ है अब ख़ास मूसा अ़लैहिस्सलाम का ज़िक्र होता है कि) हमने मूसा (अ़लैहिस्सलाम) को भी किताब दी थी, सो उसमें भी विवाद व झगड़ा हुआ (किसी ने माना किसी ने न माना, यह कोई नई बात आपके लिये नहीं हुई, पस आप ग़मगीन न हों) और (ये इनकार करने वाले अ़ज़ाब के ऐसे मुस्तहिक़ हैं कि) अगर एक बात न होती जो आपके रब की तरफ़ से पहले ठहर चुकी है (कि पूरा अ़ज़ाब आख़िरत में मिलेगा) तो इनका (निश्चित) फ़ैसला (दुनिया ही में) हो चुका होता, और ये लोग (हुज्जत और दलीलें क़ायम होने के बावजूद) अभी तक उस (फ़ैसले यानी वायदा हुए अ़ज़ाब) की तरफ़ से ऐसे शक में (पड़े) हैं जिसने उनको तरद्दुद "यानी शकव व दुविधा और असमंजस" में डाल रखा है (कि उनको अ़ज़ाब का यक़ीन ही नहीं आता हालाँकि फ़ैसला ज़रूर वाक़े होगा, और उस फ़ैसले का हासिल यह है कि) जो शख़्स नेक अ़मल करता है वह अपने नफ़े के लिये (यानी वहाँ उसका नफ़ा और सवाब पायेगा) और जो शख़्स बुरा अ़मल करता है उसका वबाल (यानी नुक़सान व अ़ज़ाब) उसी पर पड़ेगा, और आपका परवर्दिगार बन्दों पर ज़ुल्म करने वाला नहीं (कि कोई नेकी जो शर्तों के मुताबिक़ अ़मल में लाई गयी हो उसको शुमार न करे, या किसी बदी को ज़ायद शुमार करे)।

मआ़रिफ़ व मसाईल

'कुफ़्र' इनकार की एक ख़ास क़िस्म है उसकी मतलब और अहकाम

اِنَّ الَّذِيْنَ يُلْحِدُوْنَ فِىْٓ اٰيٰتِنَا.

इससे पहली आयत में तौहीद व रिसालत के उन इनकार करने वालों को डाँट-डपट और उनके अ़ज़ाब का ज़िक्र था जो रिसालत व तौहीद का खुलकर साफ़ इनकार करते थे। यहाँ से इनकार की एक ख़ास क़िस्म का ज़िक्र किया जाता है जिसका नाम इल्हाद है। लहद और इल्हाद के लुग़वी मायने एक तरफ़ माईल होने के हैं। क़ब्र की लहद को भी इसी लिये लहद कहते हैं कि वह एक तरफ़ माईल होती है। क़ुरआन व हदीस की परिभाषा में क़ुरआनी आयतों से निकलने और मुँह फेरने को इल्हाद कहते हैं। लुग़वी मायने के एतिबार से तो यह आ़म है, स्पष्ट रूप से खुले तौर पर इनकार व मुँह मोड़े या ग़लत और उल्टे-सीधे मतलब बयान करके या उनका सहारा लेकर बहाने से विमुख हो, लेकिन आ़म तौर से इल्हाद ऐसे मुँह मोड़ने को कहते हैं कि ज़ाहिर में तो क़ुरआन और उसकी आयतों पर ईमान व तस्दीक़ का दावा करे मगर उनके मायने अपनी तरफ़ से ऐसे गढ़े जो क़ुरआन व सुन्नत की वज़ाहतों और उम्मत की अक्सरियत के ख़िलाफ़ हों, और जिससे क़ुरआन का मक़सद ही उलट जाये।

हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु से इस आयत की तफ़सीर में इल्हाद के यही मायने मन्क़ूल हैं। उन्होंने फ़रमायाः

الالحاد وضع الكلام على غير موضعه.

और उक्त आयत में इरशाद 'ला यख़्फ़ू-न अ़लैना' भी इसकी तरफ़ इशारा है कि इल्हाद कोई ऐसा कुफ़्र है जिसको ये लोग छुपाना चाहते थे इसलिये अल्लाह तआ़ला ने फ़रमाया कि ये हम से अपना कुफ़्र नहीं छुपा सकते।

और ऊपर बयान हुई आयत ने स्पष्ट रूप से यह बतला दिया कि क़ुरआनी आयतों से इनकार व रूगरदानी साफ़ और खुले लफ़्ज़ों में हो या मायनों में ग़लत मतलब बयान करके क़ुरआन के अहकाम को बदलने की फ़िक्र करे, यह सब कुफ़्र व गुमराही है।

ख़ुलासा यह है कि इल्हाद एक क़िस्म का छुपा कुफ़्र है कि ज़ाहिर में क़ुरआन और क़ुरआन की आयतों को मानने का दावा और इक़रार करे लेकिन क़ुरआनी आयतों के मायने ऐसे गढ़े जो दूसरी क़ुरआन व सुन्नत और इस्लामी उसूल की दूसरी वज़ाहतों और दलीलों के विरुद्ध हों। इमाम अबू यूसुफ़ ने 'किताबुल-ख़िराज' में फ़रमायाः

كذالك الزنادقة الذين يلحدون وقد كانوا يظهرون الاسلام.

'ऐसे ही वे गुमराह व बेदीन लोग हैं जो इल्हाद करते हैं और बज़ाहिर इस्लाम का दावा करते हैं।'

इससे मालूम हुआ कि मुल्हिद और ज़िन्दीक़ दोनों एक ही मायने वाले हैं, जो ऐसे काफ़िर को कहा जाता है जो ज़ाहिर में इस्लाम का दावा करे और हक़ीक़त में उसके अहकाम की तामील से मुँह मोड़ने का यह बहाना बनाये कि क़ुरआन के मायने ही ऐसे गढ़े जो शरई वज़ाहतों और उसूल के ख़िलाफ़ और उम्मत की आ़म सहमति के ख़िलाफ़ हों।

एक मुग़ालते का ख़ात्मा

अ़क़ायद की किताबों में एक उसूल यह बयान किया गया है कि 'तावील' (दूर का और ग़ैर-परिचित मतलब बयान) करने वाले को काफ़िर नहीं कहना चाहिये। यानी जो शख़्स ग़लत अ़क़ीदों और कुफ़्रिया कलिमात को किसी 'तावील' से इख़्तियार करे वह काफ़िर नहीं। लेकिन इस उसूल का मफ़्हूम अगर आ़म लिया जाये कि कैसे ही निश्चित और यक़ीनी हुक्म में तावील करे और कैसी ही ग़लत तावील करे वह हर हाल में काफ़िर नहीं तो इसका नतीजा यह लाज़िम आता है कि दुनिया में मुश्रिक, बुत-परस्त और यहूदी व ईसाई लोगों में से किसी को भी काफ़िर न कहा जाये, क्योंकि बुत-परस्त और मुश्रिक लोगों की तावील तो क़ुरआन में बयान हुई है:

مَانَعْبُدُهُمْ اِلَّا لِيُقَرِّبُوْنَآ اِلَى اللّٰهِ زُلْفٰى.

यानी हम बुतों की उनकी ज़ात के लिये इबादत नहीं करते बल्कि इसलिये करते हैं कि वे हमारी सिफ़ारिश करके हमें अल्लाह तआ़ला के क़रीब कर दें। तो दर हक़ीक़त इबादत अल्लाह ही की है। मगर क़ुरआन ने उनकी इस तावील के बावजूद उन्हें काफ़िर कहा। यहूदियों व ईसाईयों की तावीलें तो बहुत ही मशहूर व परिचित हैं, जिनके बावजूद क़ुरआन व सुन्नत की शरई वज़ाहतों और दलीलों में

उनको काफ़िर कहा गया है। इससे मालूम हुआ कि तावील करने वाले को काफ़िर न कहने का मफ़्हूम आम नहीं।

इसी लिये उलेमा व फ़ुक़हा ने वज़ाहत फ़रमाई है कि वह तावील जो काफ़िर बनने और काफ़िर क़रार देने से रुकावट होती है उसकी शर्त यह है कि वह दीन की ज़रूरी चीज़ों में उनके यक़ीनी व निश्चित मफ़्हूम के ख़िलाफ़ न हो। दीन की ज़रूरी चीज़ों से मुराद वो अहकाम व मसाईल हैं जो इस्लाम और मुसलमानों में इतने मुतवातिर (निरंतर व मुसलसल) और मशहूर हों कि मुसलमानों के अनपढ़ जाहिलों तक को भी उनसे वाक़फ़ियत हो। जैसे पाँच नमाज़ों का फ़र्ज़ होना, सुबह की दो ज़ोहर की चार रक्अ़त का फ़र्ज़ होना। रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ होना। सूद, शराब, ख़िन्ज़ीर का हराम होना वग़ैरह। अगर कोई शख़्स इन मसाईल से संबन्धित क़ुरआनी आयतों में ऐसी तावील करे जिससे मुसलमानों का मुतवातिर और मशहूर मफ़्हूम उलट जाये वह बिला शुब्हा तमाम उम्मत की राय में काफ़िर है, क्योंकि वह दर हक़ीक़त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की तालीम से इनकार है और ईमान की तारीफ़ (परिभाषा) उम्मत के जमहूर के नज़दीक यही है कि:

تَصدیق النّبی صلّی اللّٰہ علیہ وَسَلَّم فیما علم مجیئہٗ بہٖ ضرورۃ.

"यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की तस्दीक़ करना उन तमाम बातों और मामलों में जिनका बयान करना और हुक्म करना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से ज़रूरी तौर पर साबित हो, यानी ऐसा यक़ीनी साबित हो कि उलेमा के सिवा अवाम भी उसको जानते हों।"

इसलिये कुफ़्र की परिभाषा इसके मुक़ाबले में यह होगी कि जिन चीज़ों का लाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से ज़रूरी और निश्चित तौर पर साबित हो उनमें से किसी का इनकार करना कुफ़्र है। तो जो शख़्स दीन की ऐसी ज़रूरी बातों और हुक्मों में तावील करके उस हुक्म को बदले वह आपकी लाई हुई तालीम का इनकार करता है।

इस ज़माने में कुफ़्र व इल्हाद का बाज़ार गर्म है

इस ज़माने में एक तरफ़ तो दीन और दीन के अहकाम से जहालत और ग़फ़लत इन्तिहा को पहुँच गयी कि नये लिखे-पढ़े लोग बहुत सी दीन की ज़रूरी बातों से भी नावाक़िफ़ रहते हैं। दूसरी तरफ़ ख़ुदा से दूर करने वाली नई तालीम जिसकी बुनियाद ही माद्दापरस्ती (भौतिकवाद) पर है, कुछ उसके असर से और उस पर अतिरिक्त यूरोप के इस्लाम-विरोधी विद्वानों और विचारकों के फैलाये हुए इस्लाम के ख़िलाफ़ शुब्हात और ग़लत-फ़हमियों से मुतास्सिर होकर बहुत से ऐसे लोगों ने इस्लाम और इस्लामी उसूल पर बहस व गुफ़्तगू शुरू कर दी है जिनको इस्लाम की बुनियादी चीज़ों और उसके अहकाम, क़ुरआन व हदीस के उलूम से कोई वास्ता नहीं। उन्होंने इस्लाम के मुताल्लिक़ अगर कुछ मालूमात भी हासिल की हैं तो इस्लाम के दुश्मन यूरोप वालों से हासिल की हैं। ऐसे लोगों ने क़ुरआन व हदीस की निश्चित, लाज़िमी और क़तई वज़ाहतों और दलीलों में तरह-तरह की ग़लत और ख़िलाफ़े हक़ीक़त तावीलें (मतलब बयान) करके इस्लामी शरीअ़त के सर्वसम्मत और निश्चित व क़तई वज़ाहत व दलीलों से साबित शुदा अहकाम को बदलने और उसमें कमी-बेशी करने को इस्लाम की ख़िदमत

समझ लिया। जब उनसे कहा जाता है कि यह खुला कुफ़्र है तो मशहूर उसूल का सहारा लेते हैं कि हम इस हुक्म के इनकारी तो नहीं बल्कि एक तावील (मतलब बयान) कर रहे हैं इसलिये हम पर यह कुफ़्र आयद नहीं होता।

इसलिये वक़्त की अहम ज़रूरत समझकर हमारे उस्ताद हुज्जतुल-इस्लाम हज़रत मौलाना सैयद मुहम्मद अनवर शाह कश्मीरी रह. ने इस मसले की तहक़ीक़ के लिये एक मुस्तकिल किताब लिखी जिसका नाम है 'इक्फ़ारुल्-मुल्हिदीन वल्-मुत-अव्विलीन फी शैइन् मिन् ज़रूरियातिद्दीन' उसमें हर तब्क़े हर मस्लक के उलेमा व फ़ुक़हा की वज़ाहतों से साबित किया है कि दीन की ज़रूरी बातों में किसी की तावील नहीं सुनी और मानी जायेगी। और यह तावील उनको काफ़िर क़रार देने में रुकावट नहीं। यह किताब अ़रबी भाषा में प्रकाशित हुई है, नाचीज़ ने इसका ख़ुलासा उर्दू भाषा में "ईमान और कुफ़्र क़ुरआन की रोशनी में" के नाम से छाप दिया है, और अहकामुल-क़ुरआन के पाँचवे हिस्से में उसका ख़ुलासा अ़रबी भाषा में बयान कर दिया है, उसको देखा जा सकता है। यहाँ उसका ख़ुलासा हज़रत शाह अ़ब्दुल-अ़ज़ीज़ मुहद्दिस दहलवी रह. की एक तहरीर से नक़ल करने पर इक्तिफ़ा किया जाता है।

हज़रत शाह अ़ब्दुल-अ़ज़ीज़ रह. ने फ़रमाया कि क़ुरआनी आयतों में ग़लत तावील जिसको क़ुरआन की ऊपर दर्ज हुई आयत में इल्हाद फ़रमाया है उसकी दो क़िस्में हैं- अव्वल वह बातिल और ग़लत तावील जो क़तई मुतवातिर शरई वज़ाहतों और बयानात या क़तई इजमा के ख़िलाफ़ हो वह तो बिला शुब्हा कुफ़्र है। दूसरी यह कि वह ऐसी शरई वज़ाहतों और दलीलों के ख़िलाफ़ हो जो अगरचे ज़न्नी हैं मगर यक़ीन के क़रीब हैं या उर्फ़ी इजमा के ख़िलाफ़ हों, ऐसी तावील गुमराही और गुनाह है, कुफ़्र नहीं। इन दो क़िस्म की तावीलों के अ़लावा बाक़ी तावीलात जो क़ुरआन व हदीस के अलफ़ाज़ में विभिन्न और अनेक संभावना होने की बिना पर हों वह तावील उम्मत के आ़म फ़ुक़हा का इज्तिहादी मैदान है जो हदीस की वज़ाहत के मुताबिक़ हर हाल में अज्र व सवाब दिलाने वाला है।

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَمَّا جَآءَهُمْ وَإِنَّهُ لَكِتٰبٌ عَزِيزٌ ۝ لَّا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ م بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ.

मुफ़स्सिरीन की अक्सरियत ने फ़रमाया कि ज़िक्र से मुराद यहाँ क़ुरआन है और जुमला 'इन्नल्लज़ी-न क-फ़रू बिज़्ज़िक्रि' यह इससे पहले के जुमले 'इन्नल्लज़ी-न युल्हिदू-न' से बदल है और अ़रबी ग्रामर के हिसाब से ऐसे दो जुमलों का हुक्म एक होता है, इसलिये इसका हासिल यह हुआ कि ये लोग हम से छुप नहीं सकते और इसलिये अ़ज़ाब से नहीं बच सकते। आगे क़ुरआन के अल्लाह की तरफ़ से महफ़ूज़ होने को बयान फ़रमाया है कि 'इन्नहू ल-किताबुन् अ़ज़ीज़' यानी यह किताब अल्लाह के नज़दीक अ़ज़ीज़ व करीम है, कोई बातिल इसमें रास्ता नहीं पा सकता। (हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु से यही तफ़सीर नक़ल की गयी है। मज़हरी)

لَّا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ م بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ.

आगे इस किताब के लिये अल्लाह की तरफ़ से हिफ़ाज़त का बयान है। क़तादा रह. और सुद्दी रह. ने फ़रमाया कि बातिल से मुराद शैतान है और 'मिम्बैनि यदैहि व ला मिन् ख़ल्फ़िही' यानी न सामने से आ सकता है न पीछे से, इससे मुराद तमाम दिशायें हैं। मतलब यह है कि शैतान का कोई

तसर्रुफ़ (कब्ज़ा व इख़्तियार और दख़ल-अन्दाज़ी) व तदबीर इस किताब में नहीं चलती कि वह इस किताब में कमी-बेशी या कोई रद्दोबदल कर सके।

तफ़सीरे मज़हरी में इसको नकल करके फ़रमाया कि शैतान इस जगह आम है जिन्नात में का शैतान हो या आदमी शैतान, किसी की रद्दोबदल और कमी-बेशी क़ुरआन में नहीं चलती। जैसे बाज़े राफ़ज़ियों ने क़ुरआन में दस पारों का, बाज़ों ने ख़ास-ख़ास आयतों का इज़ाफ़ा करना चाहा मगर किसी की बात न चली।

अबू हय्यान रह. ने बहरे मुहीत में फ़रमाया कि लफ़्ज़ बातिल अपने अलफ़ाज़ के एतिबार से शैतान के साथ मख़्सूस नहीं, हर बातिल और बातिल करने वाला शैतान की तरफ़ से हो या किसी दूसरे की तरफ़ से, क़ुरआन में वह नहीं चल सकता। फिर तबरी के हवाले से आयत का यह मफ़्हूम बतलाया कि किसी बातिल (ग़ैर-हक़) वाले की मजाल नहीं कि सामने आकर इस किताब में कोई तब्दीली करे और न उसकी यह मजाल है कि पीछे से छुपकर इसके मायने में रद्दोबदल और टेढ़ करे।

तबरी की तफ़सीर इस मक़ाम से बहुत ज़्यादा मुनासिब है, क्योंकि क़ुरआन में रद्दोबदल और ग़लत मतलब बयान करने की दो ही सूरतें हो सकती हैं- अव्वल यह कि कोई बातिल वाला खुले तौर पर क़ुरआन में कोई कमी व ज़्यादती करना चाहे, उसको तो 'मिम्बैनि यदैहि' से ताबीर फ़रमाया। दूसरे यह कि कोई शख़्स बज़ाहिर ईमान का दावा करे मगर छुपकर ग़लत मतलब और मायने बयान करने के ज़रिये क़ुरआन के मायने में रद्दोबदल और कमी-बेशी करे, उसको 'मिन ख़ल्फ़िही' के लफ़्ज़ से ताबीर फ़रमाया। ख़ुलासा यह है कि यह किताब अल्लाह के नज़दीक ऐसी अज़ीज़ व सम्मानित है कि न इसके अलफ़ाज़ में कोई कमी-बेशी और तब्दीली पर किसी को क़ुदरत है और न मायने में बदलाव करके क़ुरआन के अहकाम बदल देने की मजाल है। जब कभी किसी बदबख़्त ने इसका इरादा किया वह हमेशा रुस्वा और ज़लील हुआ, क़ुरआन उसकी नापाक तदबीर से पाक-साफ़ रहा। अलफ़ाज़ में तब्दीली की राह न होना तो हर शख़्स देखता समझता है कि तक़रीबन चौदह सौ साल से सारी दुनिया में पढ़ा जाता है, लाखों इनसानों के सीनों में महफ़ूज़ है, एक ज़ेर ज़बर की ग़लती किसी से हो जाये तो बूढ़ों से लेकर बच्चों तक, आलिमों से लेकर जाहिलों तक लाखों मुसलमान उसकी ग़लती पकड़ने वाले खड़े हो जाते हैं। इसके साथ 'मिन् ख़ल्फ़िही' के अलफ़ाज़ से इस तरफ़ इशारा कर दिया कि क़ुरआन की हिफ़ाज़त जो अल्लाह तआ़ला ने अपने ज़िम्मे ली है 'इन्ना लहू लहाफ़िज़ून' वह सिर्फ़ अलफ़ाज़ के साथ मख़्सूस नहीं, बल्कि इसके मायने की हिफ़ाज़त का भी अल्लाह ही ज़िम्मेदार है। उसने अपने रसूल सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम और उनके बिला वास्ता शागिर्दों यानी सहाबा-ए-किराम के ज़रिये क़ुरआन के मायने और इसके अहकाम को भी ऐसा महफ़ूज़ कर दिया है कि कोई मुल्हिद बेदीन इसमें ग़लत मतलब बयान करने के ज़रिये रद्दोबदल का इरादा करे तो हर जगह हर ज़माने में हज़ारों उलेमा उसकी तरदीद के लिये खड़े हो जाते हैं और वह ज़लील व नामुराद होता है। और हक़ीक़त यही है कि जिस आयत में क़ुरआन की हिफ़ाज़त का ज़िम्मा लिया गया है उसमें सिर्फ़ इसके अलफ़ाज़ ही नहीं बल्कि मायने भी शामिल हैं क्योंकि क़ुरआन सिर्फ़ अलफ़ाज़ का नाम नहीं बल्कि तरतीब व मायने दोनों के मजमूए का नाम है।

ख़ुलासा मज़कूरा आयतों के मज़मून का यह हो गया कि जो लोग बज़ाहिर मुसलमान हैं, इसलिये

खुलकर क़ुरआन का इनकार तो नहीं करते मगर क़ुरआनी आयतों में ग़लत मतलब बयान करने से काम लेकर उनको ऐसे मतलब पर महमूल करते हैं जो क़ुरआन और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की निश्चित वज़ाहतों के ख़िलाफ़ है, उनकी इस रद्दोबदल से भी अल्लाह तआ़ला ने अपनी किताब को ऐसा महफ़ूज़ कर दिया है कि ये गढ़े हुए मायने किसी के चल नहीं सकते। क़ुरआन व हदीस की दूसरी स्पष्ट वज़ाहतें और उम्मत के उलेमा उसकी कलई खोल देते हैं, और सही हदीसों की वज़ाहत के मुताबिक़ क़ियामत तक मुसलमानों में ऐसी जमाअ़त क़ायम रहेगी जो कमी-बेशी और रद्दोबदल करने वालों की इस हरकत का पर्दा चाक करके क़ुरआन के सही मतलब व मायने को स्पष्ट कर दे। और दुनिया से वे लोग अपने कुफ़्र को कैसा ही छुपायें अल्लाह तआ़ला से नहीं छुपा सकते। और जब अल्लाह तआ़ला उनकी इस साज़िश से बाख़बर है तो उनको इसकी सज़ा मिलना भी ज़रूरी है।

ءَاَعْجَمِىٌّ وَّعَرَبِىٌّ

अ़रब के सिवा जितनी क़ौमें दुनिया में हैं उन सब को **अ़जम** कहा जाता है, और जब इस पर हर्फ़ 'हमज़ा' बढ़ाकर **अअ़्जम** कहा जाये तो इसके मायने ग़ैर-फ़सीह कलाम के होते हैं। इसलिये अ़जमी उस शख़्स को कहेंगे जो अ़रबी न हो, अगरचे कलाम फ़सीह (उम्दा और बेहतरीन) बोलता हो और अअ़्जमी उसको जो उम्दा, साफ़ और अच्छा कलाम न कर सके। (तफ़सीरे क़ुर्तुबी)

ऊपर ज़िक्र हुई आयत में 'अअ़्जमिय्युन' फ़रमाया है, इसका मतलब यह हुआ कि अगर हम क़ुरआन को अ़रबी भाषा के अ़लावा किसी और भाषा में भेजते तो अ़रब के क़ुरैश जो क़ुरआन के पहले मुख़ातब हैं उनको यह शिकायत होती कि यह किताब हमारी समझ में नहीं आती, और ताज्जुब से कहते कि नबी तो अ़रबी है और किताब अअ़्जमी है जो फ़सीह (साफ़ और उम्दा अ़रबी) नहीं।

قُلْ هُوَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا هُدًى وَّشِفَآءٌ

यहाँ क़ुरआने करीम की दो सिफ़तें बतलाई हैं- एक यह कि वह हिदायत है, ज़िन्दगी के हर क्षेत्र में इनसान को ऐसा रास्ता बताता है जो उसके लिये नफ़ा देने वाला और मुफ़ीद ही हो। दूसरे यह कि वह शिफ़ा है। क़ुरआने करीम का अन्दरूनी बीमारियों कुफ़्र व शिर्क, तकब्बुर व हसद, हिर्स व लालच वग़ैरह से शिफ़ा होना तो ज़ाहिर ही है, ज़ाहिरी और जिस्मानी रोगों से शिफ़ा होना भी इसमें दाख़िल है जैसा कि तजुर्बा और अनुभव है कि बहुत सी जिस्मानी बीमारियों का इलाज क़ुरआनी दुआ़ओं से होता है और कामयाब होता है।

اُولٰٓئِكَ يُنَادَوْنَ مِنْ مَّكَانٍ م بَعِيْدٍ○

यह एक मिसाल का अन्दाज़ है, जो आदमी कलाम को समझता हो अ़रब के लोग उसको कहते हैं 'अन्-त तस्मअु मिम्-मकानिन् क़रीब' यानी तुम क़रीब से सुन रहे हो। और जो कलाम को न समझे उसको कहते हैं 'अन्-त तुनादा मिम्-बअ़ीद' यानी तुम्हें दूर से आवाज़ दी जा रही है। (तफ़सीरे क़ुर्तुबी)

मतलब यह है कि ये लोग चूँकि क़ुरआनी हिदायत को सुनने और समझने का इरादा नहीं रखते इसलिये गोया इनके कान बहरे हैं और आँखें अंधी हैं। इनको हिदायत की तालीम देना ऐसा है जैसे किसी को बहुत दूर से पुकारा जाये कि उसके कानों तक उसकी आवाज़ न पहुँचे।

पच्चीसवाँ पारह (इलैहि युरद्दु)

إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ ۚ وَمَا تَخْرُجُ مِن ثَمَرَاتٍ مِّنْ أَكْمَامِهَا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنثَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ ۚ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِي قَالُوا آذَنَّاكَ مَا مِنَّا مِن شَهِيدٍ ﴿٤٧﴾ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَدْعُونَ مِن قَبْلُ ۖ وَظَنُّوا مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ ﴿٤٨﴾ لَّا يَسْأَمُ الْإِنسَانُ مِن دُعَاءِ الْخَيْرِ وَإِن مَّسَّهُ الشَّرُّ فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ ﴿٤٩﴾ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِّنَّا مِن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَٰذَا لِي وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُّجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَىٰ ۚ فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ ﴿٥٠﴾ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ ﴿٥١﴾ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِن كَانَ مِنْ عِندِ اللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُم بِهِ مَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ ﴿٥٢﴾ سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ ۗ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿٥٣﴾ أَلَا إِنَّهُمْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِّقَاءِ رَبِّهِمْ ۗ أَلَا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطٌ ﴿٥٤﴾

इलैहि युरद्दु ज़िल्मुस्सा-अति व मा तख़्रुजु मिन् स-मरातिम्-मिन् अक्मामिहा व मा तह्मिलु मिन् उन्सा व ला त-ज़अु इल्ला बिज़िल्मिही, व यौ-म युनादीहिम् ऐ-न शु-रकाई क़ालू आज़न्ना-क मा मिन्ना मिन् शहीद (47) व ज़ल्-ल अ़न्हुम् मा कानू यद्अू-न मिन् क़ब्लु व ज़न्नू मा लहुम् मिम्-महीस (48) ला यस्अमुल्-इन्सानु मिन् दुआ़-इल्ख़ैरि व इम्-मस्सहुश्शर्रु फ-यऊसुन् क़नूत (49) व ल-इन् अज़क्नाहु रह्म-तम् मिन्ना मिम्-

उसी की तरफ़ हवाला है क़ियामत की ख़बर का और नहीं निकलते कोई मेवे अपने ग़िलाफ़ से और नहीं रहता हमल किसी मादा को और न वह जने कि जिसकी उसको ख़बर नहीं, और जिस दिन उनको पुकारेगा कहाँ हैं मेरे शरीक बोलेंगे हमने तुझको कह सुनाया हम में कोई इसका इक़रार नहीं करता। (47) और चूक गया उनसे जो पुकारते थे पहले और समझ गये कि उनको कहीं नहीं छुटकारा। (48) नहीं थकता आदमी माँगने से भलाई, और अगर लग जाये उसको बुराई तो आस तोड़ बैठे नाउम्मीद होकर। (49) और अगर हम चखायें उसको कुछ अपनी मेहरबानी

बअ़्दि ज़र्रा-अ मस्सत्हु ल-यक़ूलन्-न हाज़ा ली व मा अज़ुन्नुस्साअ-त क़ाइ-मतंव्-व ल-इर्-रुजिअ़्तु इला रब्बी इन्-न ली अ़िन्दहू लल्हुस्ना, फ़-लनुनब्बि-अन्नल्लज़ी-न क-फ़रू बिमा अ़मिलू व लनुज़ीक़न्नहुम् मिन् अ़ज़ाबिन् ग़लीज़ (50) व इज़ा अन्अ़म्ना अ़लल्-इन्सानि अअ़्-र-ज़ व नआ बिजानिबिही व इज़ा मस्सहुश्शर्रु फ़ज़ू दुआ़इन् अ़रीज़ (51) क़ुल् अ-रऐतुम् इन् का-न मिन् अ़िन्दिल्लाहि सुम्-म कफ़र्तुम् बिही मन् अज़ल्लु मिम्मन् हु-व फ़ी शिक़ाक़िम्-बअ़ीद (52) सनुरीहिम् आयातिना फ़िल्आफ़ाक़ि व फ़ी अन्फ़ुसिहिम् हत्ता य-तबय्य-न लहुम् अन्नहुल्-हक़्क़ु, अ-व लम् यक्फ़ि बिरब्बि-क अन्नहू अ़ला कुल्लि शैइन् शहीद (53) अला इन्नहुम् फ़ी मिर्यतिम्-मिल्लिक़ा-इ रब्बिहिम्, अला इन्नहू बिकुल्लि शैइम्-मुहीत (54) ✿

एक तकलीफ़ के बाद जो उसको पहुँची थी तो कहने लगे यह है मेरे लायक़ और मैं नहीं समझता कि क़ियामत आने वाली है, और अगर मैं फिर भी गया अपने रब की तरफ़ बेशक मेरे लिये है उसके पास ख़ूबी, सो हम जतला देंगे मुन्किरों को जो उन्होंने किया है और चखायेंगे उनको एक गाढ़ा अ़ज़ाब। (50) और जब हम नेमतें भेजें इनसान पर तो टला जाये और मोड़े अपनी करवट, और जब लगे उसको बुराई तो दुआ़यें करे चौड़ी। (51) तू कह भला देखो तो अगर यह हो अल्लाह के पास से फिर तुमने इसको न माना फिर उससे गुमराह ज़्यादा कौन जो दूर चला जाये मुख़ालिफ़ होकर। (52) अब हम दिखलायेंगे उनको अपने नमूने दुनिया में और ख़ुद उनकी जानों में यहाँ तक कि खुल जाये उन पर कि यह ठीक है, क्या तेरा रब थोड़ा है हर चीज़ पर गवाह होने के लिये? (53) सुनता है! वे धोखे में हैं अपने रब की मुलाक़ात से, सुनता है! वह घेर रहा है हर चीज़ को। (54) ✿

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

(ऊपर जिस क़ियामत का ज़िक्र है कि उसमें उनको जज़ा मिलेगी उस) क़ियामत के इल्म का हवाला ख़ुदा ही की तरफ़ दिया जा सकता है (यानी इस सवाल के जवाब में कि क़ियामत कब

आयेगी जैसा कि काफ़िर इनकार के मक़सद से ऐसा कहा करते थे, यही कहा जायेगा कि उसका इल्म ख़ुदा ही को है, मख़्लूक़ को उसका इल्म न होने से उसका ज़ाहिर न होना लाज़िम नहीं आता) और (क़ियामत ही की क्या विशेषता है उसका इल्म हर चीज़ को अपने घेरे में लिये है यहाँ तक कि) कोई फल अपने ख़ोल में से नहीं निकलता और न किसी औरत को हमल "यानी गर्भ" रहता है, और न वह बच्चे को जन्म देती है, मगर यह सब उसकी इत्तिला से होता है (और उस इत्तिला की वजह उसकी इल्म वाली सिफ़त का ज़ाती होना है जो आला दर्जे का कमाल होने के साथ-साथ तौहीद की भी दलील है और क़ियामत के इल्म की दलील भी। पस इससे दोनों मज़मूनों की ताईद हो गयी)।

और (आगे उस क़ियामत के एक वाक़िए का ज़िक्र है जिससे तौहीद का सुबूत और शिर्क का रद्द व बातिल होना भी ज़ाहिर होता है यानी) जिस दिन अल्लाह तआ़ला उन (मुश्रिकों) को पुकारेगा (और कहेगा) कि (जिनको तुमने मेरा शरीक क़रार दे रखा था वे) मेरे शरीक (अब) कहाँ हैं (उनको बुलाओ कि तुमको इस मुसीबत से बचायें) वे कहेंगे कि (अब तो) हम आप से यही अ़र्ज़ करते हैं कि हम में (इस अ़क़ीदे का) कोई दावेदार नहीं (यानी अपनी ग़लती के इक़रारी हैं, चूँकि वहाँ अ़क़ीदों की हक़ीक़तें ज़ाहिर हो जायेंगी। पस यह इक़रार या तो ग़ैर-इख़्तियारी और मजबूरी वाला है या इसलिये है कि इससे निजात व छुटकारे की कुछ उम्मीद हो) और जिन-जिनको ये लोग पहले से (यानी दुनिया में) पूजा करते थे वे सब ग़ायब हो जाएँगे। और (जब ये हालात देखेंगे तो) ये लोग समझ लेंगे कि उनके लिये कहीं बचाव की सूरत नहीं (उस वक़्त झूठे ख़ुदाओं का बेबस होना और एक ख़ुदा का हक़ होना मालूम हो जायेगा। आगे इनसानी तबीयत पर शिर्क व कुफ़्र का एक बड़ा असर बयान फ़रमाते हैं कि जो शख़्स तौहीद व ईमान से ख़ाली है उस) आदमी (के अख़्लाक़ व अ़क़ीदे और आमाल ऐसे बुरे होते हैं कि एक तो किसी हालत में यानी ख़ुशहाली और तंगी दोनों में) तरक़्क़ी की इच्छा से उसका जी नहीं भरता (जो हद से ज़्यादा हिर्स व लालच की निशानी है) और (ख़ास तंगी वग़ैरह की हालत में यह कैफ़ियत है कि) अगर उसको कोई तकलीफ़ पहुँचती है तो नाउम्मीद परेशान हो जाता है (और यह हद से ज़्यादा नाशुक्री और अल्लाह तआ़ला से बदगुमानी की निशानी है) और (जब तंगी दूर हो जाती है तो उस वक़्त उसकी यह कैफ़ियत है कि) अगर हम उसको किसी तकलीफ़ के बाद जो कि उस पर आ पड़ी थी, अपनी मेहरबानी का मज़ा चखा देते हैं तो कहता है कि यह तो मेरे लिये होना ही चाहिए था (क्योंकि मेरी तदबीर व क़ाबलियत और कमाल इसी को चाहता थी, और यह भी बहुत ज़्यादा नाशुक्री और तकब्बुर है) और (उस नेमत में यहाँ तक फूलता है कि यूँ भी कहता है कि) मैं क़ियामत को आने वाला नहीं ख़्याल करता, और अगर (असंभव होते हुए मान लो आई भी और) मैं अपने रब के पास पहुँचाया भी गया (जैसा कि नबी कहते हैं) तो मेरे लिये उसके पास भी बेहतरी ही है (क्योंकि मैं हक़ पर हूँ और उसका मुस्तहिक़ हूँ। क़ियामत का इनकार जो कुफ़्र का बहुत बड़ा दर्जा है और क़ियामत आने की सूरत में यह गुमान कि वहाँ भी मुझे इनामात मिलेंगे, यह अल्लाह के मामले में बहुत बड़े धोखे में मुब्तला होना है। ग़र्ज़ कि कुफ़्र व शिर्क से ये ख़राबियाँ पैदा हुई। वह ऐसी बुरी चीज़ है) सो (ये लोग यहाँ जो चाहें हक़ पर होने और हक़दार होने का दावा कर लें अब बहुत जल्दी) हम इन इनकार करने वालों को इनके (ये) सब किरदार ज़रूर बतला देंगे, और इनको सख़्त अ़ज़ाब

का मज़ा चखा देंगे।

और (साथ ही कुफ़्र व शिर्क का एक असर यह है कि) जब हम (ऐसे) आदमी को नेमत अ़ता करते हैं तो (हम से और हमारे अहकाम से) मुँह मोड़ लेता है और करवट फेर लेता है (जो इन्तिहाई दर्जे की नाशुक्री है) और (तंगी व नुकसान की हालत में कुफ़्र व शिर्क के आसार में से एक यह है कि) जब उसको तकलीफ़ पहुँचती है तो (नेमत छिन जाने पर आह व फ़रियाद करने के तौर पर, न कि नेमत देने वाले की तरफ़ इल्तिजा के तौर पर) ख़ूब लम्बी-चौड़ी दुआएँ करता है (और यह बहुत बड़े दर्जे की बेसब्री और दुनिया की मुहब्बत में मशग़ूली है। आगे रिसालत और क़ुरआन की सच्चाई और हक़ होने की तरफ़ दावत देने के लिये इरशाद है कि ऐ पैग़म्बर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम!) आप (इन इनकार करने वालों से) कहिये कि (ऐ मुन्किरो! क़ुरआन के हक़ होने पर जो दलीलें क़ायम हैं जैसे इसका मोजिज़ा "बेमिसाल, चमत्कारी और अपने अलफ़ाज़ व मायने के एतिबार से बेनज़ीर और दूसरों को आ़जिज़ कर देने वाला" होना, और ग़ैब की ख़बरें सही-सही देना, अगर तुम अपनी सोच-समझ से काम न लेने की वजह से इनको यक़ीन का ज़रिया नहीं समझते तो कम से कम इसके संभव होने के दर्जे की तो नफ़ी तुम भी नहीं कर सकते, क्योंकि नफ़ी पर तुम्हारे पास कोई दलील तो क़ायम नहीं, सो) भला यह तो बतलाओ कि अगर (उक्त संभावना की बुनियाद पर) यह क़ुरआन ख़ुदा तआ़ला के यहाँ से आया हो (और) फिर तुम इसका इनकार करो तो ऐसे शख़्स से ज़्यादा कौन ग़लती में होगा जो (हक़ से) ऐसी दूर-दराज़ मुख़ालफ़त में पड़ा हो? (इसलिये इनकार में जल्दबाज़ी न करो बल्कि सोच-समझ से काम लो ताकि हक़ स्पष्ट और मुतैयन हो जाये, और इन लोगों से तो क्या उम्मीद है कि ये तदबीर करें मगर ख़ैर) हम (ख़ुद ही) जल्द ही इनको अपनी (क़ुदरत की) निशानियाँ (जो कि क़ुरआन के हक़ और सच्चा होने पर निशानी और दलील हों) उनके इर्द-गिर्द में भी दिखा देंगे (कि भविष्यवाणी के मुताबिक़ तमाम अ़रब फ़तह होगा) और ख़ुद (ख़ास) उनकी ज़ात में भी (दिखलायेंगे कि बदर में मारे जायेंगे और उनका ठिकाना मक्का भी फ़तह हो जायेगा) यहाँ तक कि (उन भविष्यवाणियों के ज़ाहिर होने से ग़ैर-इख़्तियारी तौर पर) उन पर ज़ाहिर हो जायेगा कि वह क़ुरआन हक़ है (कि इसकी भविष्यवाणियाँ किस तरह सही हो रही हैं। गोया ग़ैर-इख़्तियारी और मजबूर करने वाला इल्म बिना इख़्तियारी तस्दीक़ के मक़बूल नहीं, लेकिन हुज्जत पूरी करने में तो ज़्यादा मज़बूती आ जायेगी। ग़र्ज़ कि इसकी हक़ीक़त एक दिन इस तरह ज़ाहिर होगी, बाक़ी फ़िलहाल जो ये लोग आपकी वही-ए-रिसालत का इनकार कर रहे हैं आप ग़मगीन न हों, क्योंकि अगर ये लोग इस पर गवाही न दें तो) क्या आपके रब की यह बात (आपके हक़ पर होने की गवाही व सुबूत के लिये) काफ़ी नहीं कि वह हर (वाक़ई) चीज़ का गवाह है (और उसने जगह-जगह आपकी रिसालत की गवाही दी है। आगे इस इनकार की असल वजह बतलाते हैं और इससे तसल्ली भी ज़्यादा हो सकती है) याद रखो कि वे लोग अपने रब के सामने जाने की तरफ़ से शक में पड़े हैं (इसलिये दिल में डर नहीं जिससे हक़ को तलब करें, मगर) याद रखो कि वह हर चीज़ को (अपने इल्म के) घेरे में लिये हुए है (पस उनके शक व शुब्हे को भी जानता है और उस पर सज़ा देगा)।

मआरिफ़ व मसाईल

فَذُوْدُعَآءٍ عَرِيْضٍ○

मक़सद यह है कि काफ़िर इनसान की ख़स्लत यह है कि जब अल्लाह तआला उसको कोई नेमत दौलत व इज़्ज़त या आफ़ियत देते हैं तो उनमें मगन और मस्त होकर असल नेमत देने वाले यानी अल्लाह तआला से और भी ज़्यादा दूर हो जाता है और उसका तकब्बुर और ग़फ़लत बढ़ जाती है, और जब कोई मुसीबत पेश आती है तो अल्लाह तआला से लम्बी-लम्बी दुआयें माँगने लगता है। लम्बी दुआ को इस जगह अरीज़ यानी चौड़ी से ताबीर फ़रमाया, जिसमें ज़्यादा मुबालग़ा है। क्योंकि जिस चीज़ का अ़र्ज़ (चौड़ाई) बड़ा हो उसका तूल (लम्बाई) उससे ज़्यादा बड़ा होना ख़ुद-ब-ख़ुद मालूम है, इसी लिये जन्नत की वुस्अ़त (चौड़ाई) बयान फ़रमाने में भी हक़ तआला ने फ़रमायाः

عَرْضُهَا السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ.

यानी जन्नत इतनी वसीअ़ (बड़ी) है कि उसके अ़र्ज़ में सब आसमान व ज़मीन समा जायें।

और लम्बी दुआयें माँगना अगरचे अपने आप में एक अच्छी और पसन्दीदा चीज़ है जैसा कि सही हदीसों में दुआ के आदाब में ज़िक्र किया गया है कि दुआ में फ़रियाद करना व गिड़गिड़ाना और बार-बार दोहराना बेहतर है (जैसा कि बुख़ारी व मुस्लिम और मुहद्दिसीन ने नक़ल किया है), लेकिन इस जगह उस काफ़िर इनसान की जो बुराई और निंदा की गयी है वह हक़ीक़त में दुआ के लम्बा करने पर नहीं बल्कि उसकी कुल मिलाकर इस बुरी ख़स्लत पर है कि जब उसको अल्लाह तआला नेमत इनायत फ़रमा दें तो तकब्बुर और ग़ुरूर में मदहोश हो जाये, और जब मुसीबत आये तो अपनी परेशानी को बार-बार पुकारता और कहता फिरे जैसा कि ग़ाफ़िल लोगों की आदत होती है कि अल्लाह से दुआ करना मक़सद नहीं होता बल्कि अपना दुखड़ा रोना और लोगों से कहते रहना मक़सद होता है। वल्लाहु सुब्हानहू व तआला आलम

سَنُرِيْهِمْ اٰيٰتِنَا فِى الْاٰفَاقِ وَفِىْٓ اَنْفُسِهِمْ.

यानी हम अपनी कामिल क़ुदरत और एक होने की निशानियाँ उन लोगों को दिखलाते हैं आफ़ाक़ (कायनात) में भी और ख़ुद उनके अपने तन-बदन में भी। आफ़ाक़ उफ़ुक़ की जमा (बहुवचन) है, आसमान के निचले किनारे को कहा जाता है। आफ़ाक़ से मुराद आ़लम के अतराफ़ हैं यानी सारे आ़लम की बड़ी-छोटी चीज़ें और मख़्लूक़ात, आसमान व ज़मीन और उनके बीच की मख़्लूक़ात में से हर चीज़ को देखो तो वो अल्लाह तआला के वजूद और उसके इल्म व क़ुदरत के हर चीज़ को घेरे हुए होने और उसके यक्ता होने की गवाही देती हैं, और उससे ज़्यादा क़रीब की चीज़ ख़ुद इनसान की अपनी जान और जिस्म है। इसके एक-एक हिस्से, अंग और उसमें काम करने वाली बारीक और नाज़ुक मशीनों को देखिये कि उनमें इनसान की राहत व सहूलत के कैसे-कैसे इन्तिज़ाम रखे गये हैं कि अ़क़्ल हैरान रह जाती है। फिर उन नाज़ुक मशीनों को इतना मज़बूत बनाया है कि सत्तर अस्सी साल तक वो घिसती नहीं। इनसान के आ़म जोड़ों में जो स्प्रिंग लगे हुए हैं अगर इनसानी कारीगरी

होती तो फ़ौलादी स्प्रिंग भी घिसकर ख़त्म हो जाते। यहाँ हाथों की खाल और उस पर लिखी हुई लकीरें और रेखायें भी सारी उम्र नहीं घिसते। जिनमें कोई मामूली अक़्ल व शऊर का आदमी भी ग़ौर करे तो इस यक़ीन पर मजबूर होगा कि इसकी पैदा करने वाली और क़ायम रखने वाली कोई ऐसी ज़ात है जिसके इल्म व क़ुदरत की कोई इन्तिहा नहीं, और जिसका मिस्ल (उसके जैसा) कोई नहीं हो सकता। वाक़ई अल्लाह की क्या बड़ी शान है जो सबसे बेहतर बनाने वाला है।

सूरः हा-मीम् अस्सज्दा अल्लाह की मदद व तौफ़ीक़ से 20 रबीउस्सानी सन् 1392 हिजरी शनिवार के दिन पूरी हुई।

अल्हम्दु लिल्लाह सूरः हा-मीम् अस्सज्दा की हिन्दी तफ़सीर मुकम्मल हुई।

सूरः शूरा

सूरः शूरा मक्का में नाज़िल हुई। इसमें 53 आयतें और 5 रुकूअ़ हैं।

اٰياتها ٥٣ (٤٢) سُوْرَةُ الشُّوْرٰى مَكِّيَّةٌ (٦٢) رُكوعاتها ٥

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

حٰمٓ ۚ عٓسٓقٓ ۞ كَذٰلِكَ يُوْحِيْٓ اِلَيْكَ وَاِلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكَ ۙ اللّٰهُ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۞ لَهٗ
مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۭ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ ۞ تَكَادُ السَّمٰوٰتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْ
فَوْقِهِنَّ وَالْمَلٰۗىِٕكَةُ يُسَبِّحُوْنَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُوْنَ لِمَنْ فِي الْاَرْضِ ۭ اَلَآ اِنَّ اللّٰهَ
هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ۞ وَالَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهٖٓ اَوْلِيَاۗءَ اللّٰهُ حَفِيْظٌ عَلَيْهِمْ ڮ وَمَآ اَنْتَ
عَلَيْهِمْ بِوَكِيْلٍ ۞ وَكَذٰلِكَ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا لِّتُنْذِرَ اُمَّ الْقُرٰى وَمَنْ حَوْلَهَا
وَتُنْذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيْهِ ۭ فَرِيْقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيْقٌ فِي السَّعِيْرِ ۞ وَلَوْ شَاۗءَ اللّٰهُ لَجَعَلَهُمْ اُمَّةً
وَّاحِدَةً وَّلٰكِنْ يُّدْخِلُ مَنْ يَّشَاۗءُ فِيْ رَحْمَتِهٖ ۭ وَالظّٰلِمُوْنَ مَا لَهُمْ مِّنْ وَّلِيٍّ وَّلَا نَصِيْرٍ ۞ اَمِ
اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهٖٓ اَوْلِيَاۗءَ ۚ فَاللّٰهُ هُوَ الْوَلِيُّ وَهُوَ يُحْيِ الْمَوْتٰى ۡ وَهُوَ عَلٰي كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۞

बिस्मिल्लाहिर्रह्मानिर्रहीम

शुरू अल्लाह के नाम से जो बेहद मेहरबान निहायत रहम वाला है।

हा-मीम् (1) अ़ैन्-सीन्-क़ाफ़् (2) कज़ालि-क यूही इलै-क व इलल्लज़ी-न मिन् कब्लिकल्लाहुल् अ़ज़ीज़ुल्-हकीम (3) लहू मा फ़िस्समावाति व मा फ़िल्अर्ज़ि, व हुवल् अ़लिय्युल्-अ़ज़ीम (4) तकादुस्-समावातु य-तफ़त्तर्-न मिन् फ़ौक़िहिन्-न	हा-मीम्। (1) अ़ैन-सीन-क़ाफ़। (2) इसी तरह वही भेजता है तेरी तरफ़ और तुझसे पहलों की तरफ़ अल्लाह ज़बरदस्त हिक्मतों वाला। (3) उसी का है जो कुछ है आसमानों में और ज़मीन में और वही है सबसे ऊपर बड़ा। (4) क़रीब है कि फट पड़ें आसमान ऊपर से और फ़रिश्ते पाकी

वल्मलाइ-कतु युसब्बिहू-न बिहम्दि रब्बिहिम् व यस्तग़्फ़िरू-न लिमन् फ़िल्-अर्ज़ि, अला इन्नल्ला-ह हुवल् ग़फ़ूरुर्-रहीम (5) वल्लज़ीनत्त-ख़ज़ू मिन् दूनिही औलिया-अल्लाहु हफ़ीज़ुन् अ़लैहिम् व मा अन्-त अ़लैहिम् बि-वकील (6) व कज़ालि-क औहैना इलै-क क़ुरआनन् अ़-रबिय्यल् -लितुन्ज़ि-र उम्मल्-क़ुरा व मन् हौ-लहा व तुन्ज़ि-र यौमल्-जम्अि ला रै-ब फ़ीहि, फ़रीक़ुन् फ़िल्-जन्नति व फ़रीक़ुन् फ़िस्सअ़ीर (7) व लौ शा-अल्लाहु ल-ज-अ़-लहुम् उम्म-तंव्-वाहि-दतंव्-व लाकिंय्युद्ख़िलु मंय्यशा-उ फ़ी रह्मतिही, वज़्ज़ालिमू-न मा लहुम् मिंव्वलिय्यिंव्-व ला नसीर (8) अमित्त-ख़ज़ू मिन् दूनिही औलिया-अ फ़ल्लाहु हुवल्-वलिय्यु व हु-व युह्यिल्-मौता व हु-व अ़ला कुल्लि शैइन् क़दीर (9) ❁

बोलते हैं ख़ूबियाँ अपने रब की और गुनाह बख़्शवाते हैं ज़मीन वालों के, सुनता है! वही है अल्लाह माफ़ करने वाला मेहरबान। (5) और जिन्होंने पकड़े हैं उसके सिवाय साथी, अल्लाह को वे सब याद हैं और तुझ पर नहीं उनका ज़िम्मा। (6) और इसी तरह उतारा हमने तुझ पर क़ुरआन अ़रबी भाषा का कि तू डर सुनाये बड़े गाँव को और उसके आस-पास वालों को, और ख़बर सुना दे जमा होने के दिन की उसमें धोखा नहीं, एक फ़िर्क़ा जन्नत में और एक फ़िर्क़ा आग में। (7) और अगर चाहता अल्लाह तो सब लोगों को करता एक ही फ़िर्क़ा व लेकिन वह दाख़िल करता है जिसको चाहे अपनी रहमत में और गुनाहगार जो हैं उनका कोई नहीं साथी और न मददगार। (8) क्या उन्होंने पकड़े हैं उससे वरे काम बनाने वाले, सो अल्लाह जो है वही है काम बनाने वाला और वही जिलाता है मुर्दों को और वह हर चीज़ कर सकता है। (9) ❁

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

हा-मीम् अ़ैन-सीन-क़ाफ़ (इसके मायने तो अल्लाह ही को मालूम हैं। जिस तरह दीनी उसूल की तहक़ीक़ और ज़बरदस्त फ़ायदों के लिये यह सूरत आप पर नाज़िल हो रही है) इसी तरह आप पर और जो (पैग़म्बर) आप से पहले हो चुके हैं उन पर अल्लाह जो ज़बरदस्त हिक्मत वाला है (दूसरी सूरतों और किताबों की) वही भेजता रहा है। (और उसकी यह शान है कि) उसी का है जो कुछ

आसमानों में है और जो कुछ ज़मीन में है, और वही सबसे बरतर और बड़ी शान वाला है (उसकी बड़ाई वाली शान को अगर कुछ ज़मीन वाले न पहचानें और न मानें मगर आसमानों में उसकी मारिफ़त रखने वाले और बड़ाई को पहचानने वाले फ़रिश्ते इस कसरत से हैं कि) कुछ बईद नहीं कि आसमान (उनके बोझ की वजह से) अपने ऊपर से (कि उधर ही से बोझ पड़ता है) फट पड़ें (जैसा कि हदीस में है:

اَطَّتِ السَّمَآءُ وَحُقَّ لَهَا اَنْ تَئِطَّ مَا فِيْهَا مَوْضِعُ اَرْبَعَةِ اَصَابِعَ اِلَّا وَمَلَكٌ وَاضِعٌ جَبْهَتَهٗ سَاجِدًا لِلّٰهِ.

यानी आसमान में ऐसी आवाज़ पैदा होने लगी जैसी किसी चीज़ पर ज़्यादा बोझ पड़ जाने से हुआ करती है। और उसमें ऐसी ही आवाज़ होनी चाहिये क्योंकि पूरे आसमानों में चार अंगुली की जगह भी ऐसी नहीं जिसमें कोई फ़रिश्ता अपनी पेशानी टेककर सज्दे में न हो। तिर्मिज़ी व इब्ने माजा) और (वे) फ़रिश्ते अपने रब की तस्बीह और तारीफ़ करते हैं और ज़मीन वालों (में जो लोग उसकी बड़ाई का हक़ अदा नहीं करते बल्कि शिर्क व कुफ़्र में मुब्तला हैं इसलिये अ़ज़ाब के मुस्तहिक़ हैं। वे फ़रिश्ते उन) के लिये (एक ख़ास वक़्त तक) माफ़ी माँगते हैं (इस सीमित माफ़ी माँगने से मुराद यह है कि फ़रिश्ते इसकी दुआ़ करते हैं कि उन पर दुनिया में कोई सख़्त अ़ज़ाब न आ जाये जिससे सभी हलाक हो जायें। दुनिया की मामूली सज़ायें और आख़िरत का असली अ़ज़ाब इस इस्तिग़फ़ार के मफ़्हूम से अलग है, और अल्लाह तआ़ला फ़रिश्तों की इस दुआ़ व दरख़्वास्त को क़ुबूल फ़रमाकर उनको दुनिया के सार्वजनिक अ़ज़ाब से बचा लेता है) ख़ूब समझ लो कि अल्लाह ही माफ़ करने वाला, रहमत करने वाला है (अगरचे काफ़िरों के लिये यह माफ़ी व रहमत सीमित और सिर्फ़ दुनिया की हद तक होती है) और जिन लोगों ने अल्लाह के अ़लावा दूसरे कारसाज़ ''यानी काम बनाने वाले'' क़रार दे रखे हैं अल्लाह तआ़ला उन (के बुरे आमाल) को भी देखभाल रहा है (जिसकी सज़ा उनको मुनासिब वक़्त पर मिलेगी) और आपको उन पर कोई इख़्तियार नहीं दिया गया (कि आप जब चाहें उन पर अ़ज़ाब नाज़िल करा दें)।

और (आपको इन लोगों पर फ़ौरी अ़ज़ाब न आने से रंज व मलाल न होना चाहिये क्योंकि आपका काम तब्लीग़ करने का है वह आप कर चुके, इससे ज़्यादा की फ़िक्र आप न करें। चुनाँचे) हमने इसी तरह (जैसा कि आप देख रहे हैं) आप पर (यह) अ़रबी क़ुरआन वही के ज़रिये से (महज़ इसलिये) नाज़िल किया है ताकि आप (सबसे पहले) मक्का में रहने वालों को और जो लोग उसके आस-पास हैं उनको डरायें और (यह डराना भी एक बड़ी चीज़ से है यानी) जमा होने के दिन से डरायें (इससे मुराद क़ियामत है जिसमें तमाम पहले और बाद के अफ़राद एक मैदान में जमा होंगे) जिस (के आने) में ज़रा शक नहीं (जिसमें फ़ैसला यह होगा कि) एक गिरोह जन्नत में (दाख़िल) होगा और एक दोज़ख़ में (दाख़िल) होगा। (बस आपका काम इतना ही है कि उस दिन से उनको डरायें) और (रहा उनका ईमान लाना या न लाना यह अल्लाह की मर्ज़ी व चाहत पर मौक़ूफ़ है) अगर अल्लाह तआ़ला को मन्ज़ूर होता तो उन सब को एक ही तरीक़े का बना देता (यानी सब को ईमान नसीब हो जाता जैसा कि हक़ तआ़ला ने फ़रमायाः

وَلَوْ شِئْنَا لَاٰتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدٰهَا.

यानी अगर हम चाहते तो हर शख़्स को सही हिदायत पर पहुँचा देते) लेकिन (बहुत सी हिक्मतों की बिना पर उसको यह मन्ज़ूर नहीं हुआ बल्कि) वह जिसको चाहता है (ईमान देकर) अपनी रहमत में दाख़िल कर लेता है (और जिसको चाहता है उसके कुफ़्र व शिर्क पर छोड़ देता है कि वह रहमत में दाख़िल नहीं होता), और (उन) ज़ालिमों का (जो कि कुफ़्र व शिर्क में मुब्तला हैं क़ियामत के दिन) कोई हिमायती और मददगार नहीं। (आगे शिर्क का बातिल होना बयान किया जाता है) क्या उन लोगों ने ख़ुदा के सिवा दूसरे कारसाज़ "काम बनाने वाले यानी माबूद" क़रार दे रखें हैं? सो (अगर कारसाज़ बनाना है तो) अल्लाह ही कारसाज़ (बनाने का हक़दार) है और वही मुर्दों को ज़िन्दा करेगा, और वही हर चीज़ पर क़ुदरत रखता है (तो कारसाज़ बनाने के लायक़ वही है जो हर चीज़ पर यहाँ तक कि मुर्दों को ज़िन्दा करने पर क़ादिर है, उसकी क़ुदरत की ख़ुसूसियत यह है कि और चीज़ों पर तो बराये नाम कुछ दूसरों को भी इस वक़्त क़ुदरत व इख़्तियार हासिल है मगर मुर्दों को ज़िन्दा करने की क़ुदरत में कोई बराये नाम भी शरीक नहीं)।

मआरिफ़ व मसाईल

'यतफ़त्तर्-न' इसमें हदीस के हवाले से ऊपर बयान हुआ है कि फ़रिश्तों के बोझ से आसमान में ऐसी आवाज़ पैदा हुई जैसी किसी चीज़ पर बड़ा भारी बोझ रख देने से हुआ करती है। इससे मालूम हुआ कि फ़रिश्तों में भारी होने वाला बोझ है और इसमें कोई मुहाल बात नहीं, क्योंकि यह बात तो मानी हुई है कि फ़रिश्ते भी जिस्म वाले हैं अगरचे उनके जिस्म लतीफ़ हों। और लतीफ़ जिस्म जब बहुत बड़ी तादाद में हो जायें तो उनका बोझ पड़ना कोई मुहाल व असंभव बात नहीं। (बयानुल-क़ुरआन)

لِتُنْذِرَ اُمَّ الْقُرٰى.

'उम्मुल्-क़ुरा' के मायने में सारी बस्तियों और शहरों की असल और बुनियाद, मुराद मक्का मुकर्रमा है। इसका नाम उम्मुल-क़ुरा इसलिये रखा गया कि यह शहर सारी दुनिया के शहरों और बस्तियों से और सारी ज़मीन से अल्लाह के नज़दीक अफ़ज़ल व सम्मानित है जैसा कि इमाम अहमद रह. ने अपनी मुस्नद में हज़रत अदी बिन हमरा ज़ोहरी से रिवायत की है। उन्होंने फ़रमाया कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से उस वक़्त सुना जबकि आप (मक्का मुकर्रमा से हिजरत कर रहे थे और) मक्का के बाज़ार हज़ूरा के स्थान पर थे कि आपने मक्का मुकर्रमा को ख़िताब करके फ़रमायाः

انك لخير ارض اللّٰه واحبّ ارض اللّٰه اِلَيَّ ولولا اِنّی اُخرجْت منك لماخرجت. (وروى مثله الترمذى والنسائى و ابن ماجة وقال الترمذى حديث حسن صحيح)

"तू मेरे नज़दीक अल्लाह की सारी ज़मीन से बेहतर है और सारी ज़मीन से ज़्यादा महबूब है। अगर मुझे इस ज़मीन से निकाला न जाता तो मैं अपनी मर्ज़ी से कभी इस ज़मीन को न छोड़ता।"

وَمَنْ حَوْلَهَا.

यानी मक्का मुकर्रमा के आस-पास। इससे मुराद आस-पास के अरब देश भी हो सकते हैं और पूरी ज़मीन के पूरब व पश्चिम भी।

وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ذَٰلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ ○ فَاطِرُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا يَذْرَؤُكُمْ فِيهِ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ○ لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ○

व मख़्त-लफ़्तुम् फ़ीहि मिन् शैइन् फ़हुक्मुहू इलल्लाहि, ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बी अ़लैहि तवक्कल्तु व इलैहि उनीब (10) फ़ातिरुस्-समावाति वल्अर्ज़ि, ज-अ़-ल लकुम् मिन् अन्फ़ुसिकुम् अज़्वाजंव्-व मिनल्-अन्आमि अज़्वाजन् यज़्-रउकुम् फ़ीहि, लै-स कमिस्लही शैउन् व हुवस्समीअ़ुल्-बसीर (11) लहू मक़ालीदुस्समावाति वल्अर्ज़ि यब्सुतुर्-रिज़्-क़ लिमंय्-यशा-उ व यक़्दिरु, इन्नहू बिकुल्लि शैइन् अ़लीम (12)	और जिस बात में झगड़ा करते हो तुम लोग कोई चीज़ हो उसका फ़ैसला है अल्लाह के हवाले, वह अल्लाह है रब मेरा, उसी पर है मुझको भरोसा और उसी की तरफ़ मेरी रुजू है। (10) बिना निकालने (बग़ैर किसी नमूने के पहली बार में बनाने) वाला आसमानों का और ज़मीन का, बना दिये तुम्हारे वास्ते तुम ही में से जोड़े और चौपायों में से जोड़े, बिखेरता है तुमको इसी तरह, नहीं है उसकी तरह का-सा कोई, और वही है सुनने वाला देखने वाला। (11) उसी के पास हैं कुन्जियाँ आसमानों की और ज़मीन की, फैला देता है रोज़ी जिसके वास्ते चाहे और माप कर देता है, वह हर चीज़ की ख़बर रखता है। (12)

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

और (आप उन लोगों से जो तौहीद में आप से झगड़ते व मतभेद रखते हैं यह कहिये कि) जिस-जिस बात में तुम (हक़ वालों के साथ) झगड़ा करते हो उस (सब) का फ़ैसला अल्लाह तआ़ला ही के सुपुर्द है (वह यह है कि दुनिया में दलीलों और मोजिज़ों के ज़रिये तौहीद का हक़ होना स्पष्ट फ़रमा दिया और आख़िरत में ईमान वालों को जन्नत और ईमान न लाने वालों को जहन्नम में डाला जायेगा) यह अल्लाह (जिसकी यह शान है) मेरा रब है (और तुम्हारे ख़िलाफ़ व मुख़ालफ़त करने से जो किसी तकलीफ़ व नुक़सान के पहुँचने का अन्देशा हो सकता है उसके बारे में) मैं उसी पर भरोसा करता हूँ और (दुनिया व दीन के सब कामों में) उसी की तरफ़ रुजू करता हूँ। (इससे तौहीद का मज़मून ख़ूब मज़बूती के साथ बयान हो गया। आगे कमाल वाली दूसरी सिफ़ात के बयान से इसकी और अधिक ताकीद की जाती है, यानी) वह आसमानों का और ज़मीन का पैदा करने वाला है (और

तुम्हारा भी पैदा करने वाला है, चुनाँचे) उसने तुम्हारे लिये तुम्हारी जिन्स के जोड़े बनाये और (इसी तरह) मवेशियों के जोड़े बनाये। (और) इस (जोड़े मिलाने) के ज़रिये से तुम्हारी नस्ल चलाता रहता है (वह ज़ात व सिफ़ात में ऐसा कामिल है कि) कोई चीज़ उसके जैसी नहीं, और वही हर बात का सुनने वाला (और) देखने वाला है (बख़िलाफ़ दूसरों के कि उनका सुनना देखना बहुत सीमित है और अल्लाह के मुक़ाबले में न होने के बराबर है)। उसी के इख़्तियार में हैं आसमानों की और ज़मीन की कुन्जियाँ (यानी उनमें इख़्तियार चलाने और उलट-फेर करने का सिर्फ़ उसी को हक़ है जिसमें से एक इख़्तियार चलाना यह है कि) जिसको चाहता है ज़्यादा रोज़ी देता है और (जिसको चाहे) कम देता है, बेशक वह हर चीज़ का पूरा जानने वाला है (हर एक को मस्लेहत के मुताबिक़ देता है)।

मआरिफ़ व मसाईल

وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيْهِ مِنْ شَىْءٍ فَحُكْمُهٗٓ اِلَى اللّٰهِ.

यानी जिस मामले और जिस काम में भी तुम में आपस में कोई झगड़ा व विवाद हो उसका फ़ैसला अल्लाह ही के सुपुर्द है, क्योंकि असल हुक्म सिर्फ़ अल्लाह ही का है जैसा कि एक दूसरी आयत में इरशाद है 'इनिलू हुक्मु इल्ला लिल्लाहि'। और दूसरी अक्सर आयतों में जो इताअत के हुक्म में रसूल को और कुछ आयतों में 'उलुलू-अम्र' (हाकिमों और इख़्तियार वालों) को भी शामिल किया गया है वो इसके ख़िलाफ़ और टकराने वाली नहीं, क्योंकि 'रसूल' या 'उलुलू-अम्र' जो कुछ फ़ैसला या हुक्म करते हैं वह एक हैसियत से अल्लाह तआ़ला का ही हुक्म होता है। अगर वह फ़ैसला वही या किताब व सुन्नत के बयान और दलीलों से है तो उसका अल्लाह का हुक्म होना ज़ाहिर है, और अगर अपने इज्तिहाद (ग़ौर व फ़िक्र और तहक़ीक़) से है तो चूँकि इज्तिहाद का मदार भी क़ुरआन व सुन्नत के बयानात और दलीलों पर होता है इसलिये वह भी एक हैसियत से अल्लाह ही का हुक्म है। उम्मत के मुज्तहिदीन हज़रात के इज्तिहाद भी इस हैसियत से अल्लाह की के अहकाम में दाख़िल हैं। इसी लिये उलेमा ने फ़रमाया कि आ़म आदमी जो क़ुरआन व सुन्नत को समझने की सलाहियत नहीं रखते उनके हक़ में मुफ़्ती का फ़तवा ही शरई हुक्म कहलाता है।

شَرَعَ لَكُمْ مِّنَ الدِّيْنِ مَا وَصّٰى بِهٖ

نُوْحًا وَّالَّذِيْٓ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهٖٓ اِبْرٰهِيْمَ وَمُوْسٰى وَعِيْسٰٓى اَنْ اَقِيْمُوا الدِّيْنَ وَلَا تَتَفَرَّقُوْا فِيْهِ ؕ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِيْنَ مَا تَدْعُوْهُمْ اِلَيْهِ ؕ اَللّٰهُ يَجْتَبِيْٓ اِلَيْهِ مَنْ يَّشَآءُ وَيَهْدِيْٓ اِلَيْهِ مَنْ يُّنِيْبُ ۝ وَمَا تَفَرَّقُوْٓا اِلَّا مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًاۢ بَيْنَهُمْ ؕ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَّبِّكَ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى لَّقُضِيَ بَيْنَهُمْ ؕ وَاِنَّ الَّذِيْنَ اُوْرِثُوا الْكِتٰبَ مِنْۢ بَعْدِهِمْ لَفِيْ شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيْبٍ ۝ فَلِذٰلِكَ فَادْعُ ۚ وَاسْتَقِمْ كَمَآ اُمِرْتَ ۚ وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَآءَهُمْ ۚ وَقُلْ

آمَنتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِن كِتَابٍ ۖ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ ۖ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ ۖ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ ۖ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ ۖ اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا ۖ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ ۝

शर-र-अ लकुम्-मिनद्दीनि मा वस्सा बिही नूहंव्वल्लज़ी औहैना इलै-क व मा वस्सैना बिही इब्राही-म व मूसा व ओसा अन् अक़ीमुद्-दी-न व ला त-तफ़र्रक़ू फ़ीहि, कबु-र अलल्-मुश्रिकी-न मा तद्अूहुम् इलैहि, अल्लाहु यज्तबी इलैहि मंय्यशा-उ व यह्दी इलैहि मंय्युनीब (13) व मा त-फ़र्रक़ू इल्ला मिम्-बअ्दि मा जा-अहुमुल्-अिल्मु बग़्यम् बैनहुम्, व लौ ला कलि-मतुन् स-बक़त् मिर्रब्बि-क इला अ-जलिम् मुसम्मल्-लक़ुज़ि-य बैनहुम्, व इन्नल्लज़ी-न ऊरिसुल्-किता-ब मिम्-बअ्दिहिम् लफ़ी शक्किम्-मिन्हु मुरीब (14) फ़-लिज़ालि-क फ़द्अु वस्तक़िम् कमा उमिर्-त व ला तत्तबिअ् अह्वा-अहुम् व क़ुल् आमन्तु बिमा अन्ज़लल्लाहु मिन् किताबिन् व उमिर्तु लि-अअ्दि-ल बैनकुम्, अल्लाहु रब्बुना व रब्बुकुम्, लना अअ्मालुना

राह डाल दी तुम्हारे लिये दीन में वही जिसका हुक्म किया था नूह को और जिसका हुक्म भेजा हमने तेरी तरफ़ और जिसका हुक्म किया हमने इब्राहीम को और मूसा को और ईसा को यह कि क़ायम रखो दीन को और इख़्तिलाफ़ (झगड़ा) न डालो उसमें, भारी है शिर्क करने वालों को वो चीज़ जिसकी तरफ़ तू उनको बुलाता है, अल्लाह चुन लेता है अपनी तरफ़ से जिसको चाहे और राह देता है अपनी तरफ़ उसको जो रुजू लाये। (13) और जिन्होंने इख़्तिलाफ़ (झगड़ा) डाला सो समझ आ चुकने के बाद आपस की ज़िद से, और अगर न होती एक बात जो निकली है तेरे रब से एक मुक़र्रर शुदा वादे तक तो फ़ैसला हो जाता उनमें और जिनको मिली है किताब उनके बाद, वे यक़ीनन इससे धोखे में हैं जो चैन नहीं आने देता। (14) सो तू उसी तरफ़ बुला और क़ायम रह जैसा कि फ़रमा दिया है तुझको, और मत चल उनकी इच्छाओं पर और कह मैं यक़ीन लाया हर किताब पर जो उतारी अल्लाह ने, और मुझको हुक्म है कि इन्साफ़ करूँ तुम्हारे बीच में, अल्लाह रब है हमारा और तुम्हारा, हमको मिलेंगे

व लकुम् अअ्मालुकुम्, ला हुज्ज-त बैनना व बैनकुम्, अल्लाहु यज्मअु बैनना व इलैहिल्-मसीर (15)	हमारे काम और तुमको तुम्हारे काम, कुछ झगड़ा नहीं हम में और तुम में, अल्लाह इकट्ठा करेगा हम सब को, और उसी की तरफ़ फिर जाना है। (15)

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

अल्लाह तआ़ला ने तुम लोगों के वास्ते वही दीन मुक़र्रर किया जिसका उसने नूह (अ़लैहिस्सलाम) को हुक्म दिया था और जिसको हमने आपके पास वही के ज़रिये से भेजा है, और जिसका हमने इब्राहीम और मूसा और ईसा (अ़लैहिमुस्सलाम) को (मय उनके सब पैरोकारों के) हुक्म दिया था (और उनकी उम्मतों को यह कहा था) कि इसी दीन को क़ायम रखना और इसमें फूट न डालना। (मुराद इस दीन से दीन के उसूल हैं जो तमाम शरीअ़तों में साझा हैं, जैसे तौहीद व रिसालत और मरने के बाद दोबारा ज़िन्दा होना और इसी तरह की बातें। और क़ायम रखना यह कि इसको तब्दील मत करना और इसको छोड़ना मत। और तफ़रीक़ यह कि किसी बात पर ईमान लायें और किसी पर ईमान न लायें, या कोई ईमान लाये और कोई न लाये। हासिल यह कि तौहीद वग़ैरह पुराना दीन है जो कि शुरू से इस वक़्त तक तमाम शरीअ़तें इसमें मुत्तफ़िक़ रही हैं, और इसी के तहत में नुबुव्वत की भी ताईद हो गयी। पस चाहिये था कि इसके क़ुबूल करने में लोगों को ज़रा भी पसोपेश न होता मगर फिर भी) मुश्रिक लोगों को वह बात (यानी तौहीद) बड़ी नागवार गुज़रती है जिसकी तरफ़ आप उनको बुला रहे हैं। (और इसी के साथ यह भी कि) अल्लाह अपनी तरफ़ जिसको चाहता है खींच लेता है (यानी हक़ दीन क़ुबूल करने की तौफ़ीक़ देता है) और जो शख़्स (ख़ुदा की तरफ़) रुजू करे उसको अपने तक पहुँचना नसीब फ़रमाता है (चाहत के बाद चुनना होता है और चुनने यानी ईमान की तौफ़ीक़ के बाद अगर फ़रमाँबरदारी और अल्लाह की तरफ़ रुजू होना हो तो उस पर अल्लाह की निकटता और बेहिसाब सवाब हासिल होता है। ख़ुलासा यह है कि मुश्रिक लोग इनकार व हठधर्मी पर अड़े हैं और मोमिन हज़रात तौफ़ीक़ व हिदायत वाले हैं) और (हमारा जो पहली उम्मतों को हुक्म थाः

أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ.

तो बहुत लोग इस पर क़ायम न रहे और बिखराव व फूट का शिकार हो गये। इसका सबब कोई धोखा व मुग़ालता न था कि उनके माज़ूर होने का शुब्हा व गुमान हो बल्कि) वे लोग इसके बाद कि उनके पास (यानी उनके कानों और ज़ेहनों तक सही) इल्म पहुँच चुका था, आपस की ज़िदाज़िदी से आपस में अलग-अलग हो गये (इस तरह कि पहले माल व दौलत और रुतबे व मक़ाम की तलब के कारण उनकी ग़र्ज़ें अलग-अलग हुईं फिर फ़िर्क़े बन गये। ऐसे वक़्त में दीन को भी दूसरे के अपमान व ऐब निकालने की आड़ बनाया करते हैं, होते-होते मस्लक व मज़हब अलग-अलग हो जाता है, फिर अहकाम और ऊपर की बातों से उसूल में जा पहुँचते हैं) और (ये लोग इस भारी जुर्म में कि हक़ को समझने के बाद बिखरे और अलग-अलग हुए ऐसे सख़्त अ़ज़ाब के मुस्तहिक़ हो गये थे कि) अगर

आपके परवर्दिगार की तरफ़ से एक मुक़र्ररा वक़्त तक (के लिये मोहलत देने की) एक बात पहले क़रार न पा चुकती (कि उनका तयशुदा अ़ज़ाब आख़िरत में होगा) तो (दुनिया ही में) उन (के झगड़ों) का फ़ैसला हो चुका होता (यानी अ़ज़ाब से तहस-नहस और ख़ात्मा कर दिया जाता। और अगरचे पहली उम्मतों पर अ़ज़ाब आया लेकिन ग़ैर ईमान वालों पर आया, मोमिनों में से जिन्होंने बिखराव और फूट पड़ने का काम किया ईमान वाला होने की वजह से उन पर नहीं आया। अगर किसी पर आना साबित हो जाये तो सब पर नहीं आया। इस उसूल को मान लेने पर यह मायने होंगे कि जिन बाज़ों पर नहीं आया उसकी वजह अ़ज़ाब को लाने वाली बातों का न होना नहीं बल्कि उसकी वजह एक रुकावट और बाधा का वजूद है यानी एक वक़्ते मुक़र्ररा तक ढील और छूट होना।

यह तो क़िस्सा पहली उम्मतों का हुआ) और जिन लोगों को उन (पहली उम्मतों) के बाद किताब दी गई है (इससे मुराद हुज़ूरे पाक के ज़माने के मुश्रिक हैं) वे (लोग) उस (किताब) की तरफ़ से ऐसे (मज़बूत) शक में पड़े हैं जिसने (उनको) दुविधा और असमंजस में डाल रखा है (मतलब यह कि पहली उम्मतों में से कुछ ने जैसे इनकार किया था इसी तरह अब इनकी नौबत आई) सो आप (किसी के इनकार से दुखी न होजिए बल्कि जिस तरह आप उनको पहले से बुला रहे हैं जिसका ज़िक्र इस आयत में है:

كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِيْنَ مَا تَدْعُوْهُمْ اِلَيْهِ.

यानी अल्लाह का एक होना) उसी तरफ़ (उनको बराबर) बुलाते रहिये, और जिस तरह आपको हुक्म हुआ है (कि 'फ़-लिज़ालि-क फ़द्‌अु' उस पर) अटल और क़ायम रहिये, और उनकी (बुरी) इच्छाओं पर न चलिये (यानी ये मुख़ालफ़त करके यह चाहते हैं कि हमको कहना छोड़ दें तो आप छोड़िये नहीं) और आप कह दीजिये कि (मैं जिस बात की तरफ़ तुमको बुलाता हूँ मैं ख़ुद भी उस पर अ़मल करता हूँ चुनाँचे) अल्लाह ने जितनी किताबें नाज़िल फ़रमाई हैं (जिनमें क़ुरआन भी दाख़िल है) मैं सब पर ईमान लाता हूँ (जिनके साझा और सर्वसम्मति वाले मज़ामीन में से तौहीद भी है) और मुझको यह (भी) हुक्म हुआ है कि (अपने और) तुम्हारे बीच में अ़दल (व इन्साफ़) रखूँ (यानी जिस चीज़ को तुम पर वाजिब व लाज़िम कहूँ अपने ऊपर भी उसको लाज़िम रखूँ, यह नहीं कि तुमको परेशानी व बन्धन में डालूँ औ ख़ुद आज़ाद रहूँ। ऐसे मज़ामीन और मामले से सही तबीयत व मिज़ाज रखने वाले को पैरवी की तरफ़ दिलचस्पी व रुचि होती है। और इस पर भी अगर नर्म न हों तो आख़िरी बात यह है कि) अल्लाह हमारा भी मालिक है और तुम्हारा भी मालिक है (यानी वह सब का हाकिम है और) हमारे आमाल हमारे लिये और तुम्हारे आमाल तुम्हारे लिये, हमारी-तुम्हारी कुछ बहस नहीं। अल्लाह (जो सब का मालिक है क़ियामत में) हम सब को जमा करेगा (इसमें शक नहीं कि) उसी के पास जाना है (वह सब का फ़ैसला आमाल के मुवाफ़िक़ कर देगा, इस वक़्त तुम से बहस फ़ुज़ूल है, हाँ तब्लीग़ किये जायेंगे)।

मआ़रिफ़ व मसाईल

شَرَعَ لَكُمْ مِّنَ الدِّيْنِ مَا وَصّٰى بِهٖ نُوْحًا............. الاٰية.

इनसे पहले की आयतों में अल्लाह तआ़ला की ज़ाहिरी और जिस्मानी नेमतों का ज़िक्र था, यहाँ से बातिनी और रूहानी नेमतों का बयान है। वह यह है कि अल्लाह तआ़ला ने तुम्हारे लिये ऐसा मज़बूत और स्थिर दीन अ़ता फ़रमाया जो तमाम अम्बिया अ़लैहिमुस्सलाम में साझा और मुत्तफ़िक़ा है। आयत में अम्बिया-ए-अ़लैहिस्सलाम में से पाँच का ज़िक्र फ़रमाया, सबसे पहले नूह अ़लैहिस्सलाम और आख़िर में हमारे रसूल ख़ातमुल-अम्बिया और बीच में हज़रत इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम, इसलिये कि वह अबुल-अम्बिया (नबियों के बाप) हैं और अ़रब के लोग बावजूद अपने कुफ़्र व शिर्क के उनकी नुबुव्वत के क़ायल थे, और उनके बाद हज़रत मूसा व ईसा अ़लैहिमस्सलाम का ज़िक्र इसलिये किया गया कि क़ुरआन नाज़िल होने के वक़्त इन्हीं दो पैग़म्बरों के मानने वाले यहूदी व ईसाई मौजूद थे। सूरः अहज़ाब में भी अम्बिया अ़लैहिमुस्सलाम के अ़हद के ज़िक्र में इन्हीं पाँच का ज़िक्र आया है:

وَاِذْ اَخَذْنَا مِنَ النَّبِيّٖنَ مِيْثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُّوْحٍ وَّاِبْرٰهِيْمَ وَمُوْسٰى وَعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ.

फ़र्क़ यह है कि सूरः अहज़ाब में ख़ातमुल-अम्बिया का ज़िक्र पहले और नूह अ़लैहिस्सलाम का बाद में है, और सूरः शूरा में नूह अ़लैहिस्सलाम का ज़िक्र पहले और आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम का बाद में है। इसमें शायद इशारा इस तरफ़ हो कि हज़रत ख़ातमुल-अम्बिया अ़लैहिस्सलाम अगरचे पैदाईश और ज़ाहिर होने के ज़माने के एतिबार से सबसे आख़िर में हैं मगर नुबुव्वत व रिसालत की शुरू की तक़सीम में सबसे पहले हैं जैसा कि एक हदीस में फ़रमाया है कि मैं पैदाईश के एतिबार से तमाम अम्बिया में पहले हूँ और भेजे जाने के एतिबार से सबसे आख़िर में हूँ।

(इब्ने माजा, दारमी, बहज़ बिन हकीम रज़ियल्लाहु अ़न्हु की रिवायत से, और उन्होंने इस हदीस को हसन कहा है, और इसी तरह मिश्कात में रिवायत किया गया है, पेज 584)

रहा यह सवाल कि सबसे पहले पैग़म्बर तो हज़रत आदम अ़लैहिस्सलाम हैं, नबियों के ज़िक्र को उनसे क्यों शुरू न किया गया? इसकी वजह यह है कि हज़रत आदम अ़लैहिस्सलाम सबसे पहले पैग़म्बर हैं जो दुनिया में तशरीफ़ लाये, बुनियादी अ़क़ीदों और दीन की अहम चीज़ों में अगरचे वह भी साझा थे मगर उनके ज़माने में इनसानों में शिर्क व कुफ़्र नहीं था, कुफ़्र व शिर्क का मुक़ाबला हज़रत नूह अ़लैहिस्सलाम से शुरू हुआ है, इस लिहाज़ से नूह अ़लैहिस्सलाम पहले पैग़म्बर हैं जिनको इस तरह के मामलात पेश आये जो बाद के अम्बिया को पेश आने वाले थे, इसलिये सिलसिले को नूह अ़लैहिस्सलाम से शुरू किया गया। वल्लाहु आलम

اَنْ اَقِيْمُوا الدِّيْنَ وَلَا تَتَفَرَّقُوْا فِيْهِ.

यह जुमला पहले ही जुमले की वज़ाहत और ख़ुलासा है कि वह दीन जिसमें सब अम्बिया अ़लैहिमुस्सलाम साझा और एक हैं, उस दीन को क़ायम रखो, उसमें झगड़ा व फूट डालना जायज़ नहीं बल्कि तबाही का सबब है।

दीन का क़ायम करना फ़र्ज़ और उसमें बिखराव व फूट डालना हराम है

इस आयत में दो हुक्म बयान हुए हैं- एक दीन का क़ायम करना, दूसरे इसका नकारात्मक पहलू

यानी उसमें फूट डालने की मनाही। जबकि मुफ़स्सिरीन की बड़ी जमाअत के नज़दीक 'अन् अक़ीमुद्दी-न' में हर्फ़ 'अन' तफ़सीर के लिये है, तो दीन के मायने मुतैयन हो गये कि मुराद वही दीन है जो तमाम अम्बिया अलैहिमुस्सलाम में साझा चला आ रहा है, और यह भी ज़ाहिर है कि नबियों में साझा वह दीन उसूली अक़ीदों यानी तौहीद, रिसालत, आख़िरत पर ईमान और इबादतों के उसूल नमाज़, रोज़ा, हज, ज़कात की पाबन्दी है। साथ ही चोरी, डाका, ज़िना, झूठ फ़रेब, दूसरों को बिना शरई वजह के तकलीफ़ देने वग़ैरह और अहद तोड़ने की हुर्मत (हराम होना) है, तमाम आसमानी दीनों में साझा और सर्वसम्मति से माने हुए चले आये हैं। और यह भी क़ुरआनी वज़ाहत से साबित है कि ऊपर के अहकाम में नबियों की शरीअ़तों में आंशिक भिन्नता (यानी कुछ अहकाम का एक दूसरे से अलग और मुख़्तलिफ़ होना) भी हैं जैसा कि क़ुरआन में इरशाद है:

لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَّمِنْهَاجًا.

इस मजमूए से साबित हुआ कि आयत के इस जुमले में जिस दीन के क़ायम करने का हुक्म और उसमें बिखराव और फूट डालने की मनाही बयान हुई है वह अल्लाह के वही अहकाम हैं जो सब अम्बिया अलैहिमुस्सलाम की शरीअ़त में साझा और मुत्तफ़िक़ा चले आये हैं। उन्हीं में झगड़ा व फूट डालना हराम और उम्मतों की तबाही का सबब है।

हदीसः हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अ़न्हु फ़रमाते हैं कि एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने हमारे सामने एक सीधी लकीर खींची, फिर उस लकीर के दाहिने बायें दूसरी छोटी लकीरें खींचीं और फ़रमाया कि ये दाहिने बायें की लकीरें वो तरीक़े हैं जो शैतानों ने ईजाद किये हैं और उसके हर रास्ते पर एक शैतान मुसल्लत है जो लोगों को उस तरफ़ चलने की तालीम करता है और फिर सीधी लकीर की तरफ़ इशारा करके फ़रमायाः

وَاَنَّ هٰذَا صِرَاطِيْ مُسْتَقِيْمًا فَاتَّبِعُوْهُ.

यानी यह मेरा सीधा रास्ता है तुम इसी की पैरवी करो। (अहमद, नसाई, दारमी, मज़हरी)

इस मिसाल देने में सिराते मुस्तक़ीम से मुराद वही मज़बूत दीन का रास्ता है जो तमाम अम्बिया अ़लैहिमुस्सलाम में साझा चला आया है। उसके अन्दर शाख़ें निकालना, यह बिखराव व फूट डालना हराम और शैतानों का अ़मल है, और इन्हीं सर्वसम्मति वाले और सब के माने हुए अहकाम में फूट व झगड़ा डालने की सख़्त मनाही सही हदीसों में आई है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमायाः

من فارق الجماعة شبرا فقد خلع ربقة الاسلام من عنقه.

यानी जिस शख़्स ने मुसलमानों की जमाअ़त से एक बालिश्त भी अलग होने को अपनाया उसने इस्लाम का अ़क़ीदत का हल्क़ा अपने गले से निकाल दिया। (अहमद व अबू दाऊद)

और हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने फ़रमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया हैः

يَدُ اللّٰهِ عَلَى الْجَمَاعَةِ.

यानी अल्लाह का हाथ है जमाअ़त पर। (तिर्मिज़ी, हसन सनद के साथ)

और हज़रत मुआ़ज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि शैतान इनसानों के लिये भेड़िया है जैसे बकरियों के रेवड़ के पीछे भेड़िया लगता है तो वह उसी बकरी को पकड़ता है जो अपने रेवड़ और गल्ले से पीछे या इधर-उधर रह जाये। इसलिये तुम्हें चाहिये कि जमाअ़त के साथ रहो, अ़लैहदा न हो। (अहमद, ये सब हदीसें तफ़सीरे मज़हरी में हैं)

कलाम का ख़ुलासा यह है कि इस आयत में उस साझा दीन और सर्वसम्मति वाले और सब के माने हुए (उसूल व अ़क़ीदों) को क़ायम रखने का हुक्म है, जिस पर तमाम अम्बिया अ़लैहिमुस्सलाम सहमत और मुश्तरक चले आये हैं। इसमें झगड़े और अलग राह डालने को **तफ़र्रुक़** (फूट व बिखराव) के लफ़्ज़ से ताबीर करके वर्जित किया गया (यानी मना किया गया) है। इन्हीं निश्चित व यक़ीनी अहकाम में झगड़े पैदा करने और बिखराव डालने को उक्त हदीसों में ईमान के लिये ख़तरा और तबाही का सबब बताया है।

मुज्तहिद इमामों के अहकाम वाले मतभेद 'मना किये गये तफ़र्रुक़' में दाख़िल नहीं

इससे स्पष्ट हो गया कि ऊपर के मसाईल में जहाँ क़ुरआन व हदीस में कोई स्पष्ट हुक्म मौजूद नहीं या क़ुरआन व सुन्नत के बयानात में कोई ज़ाहिरी टकराव है, वहाँ मुज्तहिद इमामों का अपने अपने इज्तिहाद (क़ुरआन व सुन्नत और सहाबा के अ़मल में ग़ौर व फ़िक्र करने) से कोई हुक्म मुतैयन कर लेना, जिसमें आपस में मतभेद होना, राय और नज़र के भिन्न होने की बिना पर लाज़िमी है, इस वर्जित और मना किये गये बिखराव और फ़िर्क़ों में बंट जाने से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं। ऐसा मतभेद सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अ़न्हुम में ख़ुद हुज़ूरे पाक के ज़माने से चला आया है और वह उम्मत के फ़ुक़हा की इत्तिफ़ाक़े राय से रहमत है।

और दीन के क़ायम करने से मुराद उस पर क़ायम-दायम रहना, उसमें किसी शक व शुब्हे को रास्ता न देना और किसी हाल में उसको न छोड़ना है। (तफ़सीरे क़ुर्तुबी)

كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِيْنَ مَا تَدْعُوْهُمْ اِلَيْهِ.

यानी दीने हक़ का (जिसमें तौहीद मुख्य रुक्न है दुनिया के पहले दिन से तमाम अम्बिया अ़लैहिमुस्सलाम की सर्वसम्मति से हक़ होना साबित हो जाने के बावजूद जो लोग शिर्क के आ़दी हो चुके हैं उनको आपकी तौहीद की दावत बड़ी भारी मालूम होती है, जिसका कारण नफ़्सानी इच्छाओं और शैतानी तालीमात की पैरवी और सही रास्ते को छोड़ना है जिसकी ऊपर मनाही बयान हुई है। आगे फ़रमाते हैं:

اَللّٰهُ يَجْتَبِيْٓ اِلَيْهِ مَنْ يَّشَآءُ وَيَهْدِيْٓ اِلَيْهِ مَنْ يُّنِيْبُ ○

यानी सिराते मुस्तक़ीम (सही रास्ते) की हिदायत के दो ही तरीक़े हैं- एक यह कि अल्लाह तआ़ला ख़ुद किसी को अपने दीन और सिराते मुस्तक़ीम के लिये चुनकर उसकी फ़ितरत व तबीयत ही

को उसके मुताबिक़ बना दे, जैसे अम्बिया अ़लैहिमुस्सलाम और ख़ास औलिया-अल्लाह, जिनके बारे में क़ुरआन ने फ़रमाया है:

اِنَّآ اَخْلَصْنٰهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى الدَّارِ ۝

यानी हमने उनको एक ख़ास काम के लिये ख़ालिस कर दिया है जो आख़िरत की फ़िक्र है, और ख़ास-ख़ास नबियों के बारे में क़ुरआन ने 'मुख़्लस' होने की वज़ाहत फ़रमाई है जिसके मायने चुने हुए और ख़ास किये हुए के हैं। यही मफ़्हूम है 'अल्लाहु यज्तबी इलैहि मंय्यशा-उ' का। हिदायत का यह तरीक़ा मख़्सूस व सीमित है, और दूसरा आ़म तरीक़ा हिदायत पाने का यह है कि जो शख़्स अल्लाह की तरफ़ रुजू हो और उसके दीन पर चलने का इरादा कर ले तो उसको अल्लाह तआ़ला दीने हक़ की हिदायत कर देता है। यह मतलब है दूसरे जुमले 'व यहदी इलैहि मंय्युनीब' का। ख़ुलासा यह है कि हिदायत पाने के सिर्फ़ दो तरीक़े हैं- एक ख़ुसूसी कि अल्लाह तआ़ला किसी को ख़ुद ही सिराते मुस्तक़ीम के लिये चुन ले। दूसरा उमूमी कि जो शख़्स अल्लाह की तरफ़ रुजू हो और उसके दीने हक़ की तलाश करे तो अल्लाह तआ़ला उसको उसके मक़सद यानी हिदायत तक पहुँचा देता है। और मक्का के मुश्रिक लोगों को जो तौहीद की दावत भारी मालूम होती है इसका सबब यह है कि वे दीन के समझने और उस पर चलने का इरादा भी नहीं करते।

وَمَا تَفَرَّقُوْٓا اِلَّا مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ الْعِلْمُ

'मा तफ़र्रक़ू' की ज़मीर हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने मक्का के क़ुरैश की तरफ़ लौटाई और मतलब यह क़रार दिया कि क़ुरैश के काफ़िरों ने जो दीने हक़ और सिराते मुस्तक़ीम से अ़लैहदगी और बेज़ारी इख़्तिार की यह अपने आप में भी सख़्त नादानी थी, इस पर मज़ीद यह है कि अल्लाह की तरफ़ से इल्म आ जाने के बाद भी उन्होंने ऐसा किया। इल्म आ जाने से मुराद हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु के नज़दीक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम का आ जाना है, जो सारे इलाही उलूम का सरचश्मा (स्रोत) थे। और कुछ हज़रात ने 'मा तफ़र्रक़ू' की ज़मीर पिछली उम्मतों के लोगों की तरफ़ लौटाई और मायने यह क़रार दिये कि पिछली उम्मतों के लोगों ने अपने अपने नबियों के दीन से दूरी और अ़लैहदगी इख़्तियार की, इसके बावजूद कि उनके पास अम्बिया के ज़रिये सिराते मुस्तक़ीम का सही इल्म आ चुका था। पहली उम्मतें मुख़ातब हों या उम्मते मुहम्मदिया के काफ़िर, दोनों का तक़ाज़ा यह था कि ख़ुद तो गुमराही में पड़े ही अपने रसूलों को भी अपने रास्ते पर चलाने के इच्छुक थे इसलिये इसके बाद हुज़ूरे पाक सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को ख़िताब करके इरशाद फ़रमाया:

فَلِذٰلِكَ فَادْعُ ۚ وَاسْتَقِمْ كَمَآ اُمِرْتَ ۚ وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَآءَهُمْ ۚ وَقُلْ اٰمَنْتُ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنْ كِتٰبٍ ۚ وَاُمِرْتُ لِاَعْدِلَ بَيْنَكُمْ ۗ اَللّٰهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ ۗ لَنَآ اَعْمَالُنَا وَلَكُمْ اَعْمَالُكُمْ ۗ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ ۗ اَللّٰهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا ۚ وَاِلَيْهِ الْمَصِيْرُ ۝

हाफ़िज़ इब्ने कसीर रह. ने फ़रमाया कि यह आयत दस मुस्तक़िल जुमलों पर मुश्तमिल है और हर जुमला ख़ास अहकाम पर आधारित है। गोया इस एक आयत में अहकाम की दस फ़स्लें ज़िक्र हुई हैं। इसकी नज़ीर पूरे क़ुरआन में एक आयतुल-कुर्सी के सिवा कोई नहीं। आयतुल-कुर्सी में भी दस

अहकाम की दस फ़स्लें आयी हैं।

पहला हुक्म 'फ़-लिज़ालि-क फ़द्अु' यानी अगरचे मुश्रिक लोगों पर आपकी तौहीद की दावत भारी है मगर इसकी वजह से आप अपनी दावत को न छोड़ें और लगातार दावत के इस काम को जारी रखें। दूसरा हुक्म 'वस्तकिम् कमा उमिर्-त' है। यानी आप उस दीन पर ख़ुद क़ायम और जमे रहें जिसकी दावत लोगों को देते हैं, और यह जमाव ऐसा होना चाहिये जैसा कि आपको हुक्म दिया गया है। यानी तमाम अहकाम- अ़क़ीदे, आमाल, अख़्लाक़ व आ़दात और रहन-सहन व ज़िन्दगी गुज़ारने में सही दरमियाने रास्ते पर क़ायम रहें, किसी तरफ़ कमी-बेशी का अदना सा मैलान न हो। और ज़ाहिर है कि ऐसा क़ायम व मज़बूती से जमना आसान काम नहीं, इसी लिये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से जब कुछ सहाबा ने आपके सफ़ेद बाल आ जाने का ज़िक्र किया तो आपने फ़रमाया 'शय्यबत्नी हूदु' यानी मुझे सूरः हूद ने बूढ़ा कर दिया। सूरः हूद में भी यही हुक्म इन्हीं अलफ़ाज़ के साथ आया है। (मआ़रिफ़ुल-क़ुरआन जिल्द चार में सूरः हूद की तफ़सीर के तहत में 'इस्तिक़ामत' "जमाव और मज़बूती से क़ायम रहने" के मफ़्हूम और उसकी दुश्वारी और अहमियत पर मुस्तक़िल कलाम किया गया है, वहाँ देख लिया जाये)।

तीसरा हुक्म 'व ला तत्तबिअ़् अहवा-अहुम्' यानी अपने तब्लीग़ के फ़रीज़े में आप किसी मुख़ालिफ़ की मुख़ालफ़त की परवाह न करें। चौथा हुक्म 'क़ुल् आमन्तु बिमा अन्ज़लल्लाहु मिन् किताबिन्' यानी आप ऐलान फ़रमा दें कि अल्लाह तआ़ला ने जितनी किताबें नाज़िल फ़रमाई हैं मेरा उन सब पर ईमान है। पाँचवाँ हुक्म 'उमिर्तु लि-अअ़्दि-ल बैनकुम्' इसका ज़ाहिरी मफ़्हूम तो यही है कि मेरे पास जो आपस के मामलात झगड़ों के आयें मुझे हुक्म किया गया है कि मैं उनमें अ़दल व इन्साफ़ करूँ। कुछ हज़रात ने यहाँ अ़दल के मायने बराबरी के लेकर आयत का यह मफ़्हूम क़रार दिया है कि मैं तुम्हारे दरमियान दीन के सब अहकाम को बराबर रखूँ कि हर नबी और हर किताब पर ईमान लाऊँ और अल्लाह के तमाम अहकाम का पालन करूँ। ऐसा नहीं कि कुछ पर ईमान हो कुछ पर न हो, या कुछ अहकाम की तामील हो कुछ की न हो। छठा हुक्म "अल्लाहु रब्बुना' यानी अल्लाह हमारा सब का पालने वाला है। सातवाँ हुक्म 'लना अअ़्मालुना व लकुम् अअ़्मालुकुम्' यानी हमारे आमाल हमारे काम आयेंगे तुम्हें उनका कोई नफ़ा व नुक़सान नहीं पहुँचेगा, और तुम्हारे आमाल तुम्हारे काम आयेंगे हमें उससे कोई नफ़ा व नुक़सान न पहुँचेगा।

मुफ़स्सिरीन में से कुछ हज़रात ने फ़रमाया कि यह आयत मक्का मुकर्रमा में उस वक़्त नाज़िल हुई थी जबकि काफ़िरों से जिहाद करने के अहकाम नाज़िल न हुए थे। जिहाद के अहकाम की आयतों ने इस हुक्म को मन्सूख़ (निरस्त और ख़त्म) कर दिया, क्योंकि जिहाद का हासिल ही यह है कि जो लोग नसीहत व तंबीह का असर न लें उनसे क़िताल (जंग व जिहाद) करके उन्हें मग़लूब (पराजित) कर दिया जाये, यह नहीं कि उनको उनके हाल पर छोड़ दें। और कुछ हज़रात ने फ़रमाया कि यह हुक्म मन्सूख़ नहीं और आयतों का मतलब यह है कि जब हमने हक़ को दलीलों और हुज्जतों से साबित कर दिया तो अब उसका न मानना सिर्फ़ मुख़ालफ़त और हठधर्मी ही की वजह से हो सकता है, और मुख़ालफ़त व बैर आ गया तो अब दलीलों की गुफ़्तगू फ़ुज़ूल हुई, तुम्हारा अ़मल तुम्हारे आगे मेरा अ़मल मेरे आगे आयेगा। (तफ़सीरे क़ुर्तुबी)

आठवाँ हुक्म 'ला हुज्ज-त बैनना व बैनकुम्' हुज्जत से मुराद बहस व मुबाहसा है। मुराद यह है कि हक़ स्पष्ट और साबित हो जाने के बाद भी अगर तुम दुश्मनी व मुख़ालफ़त से काम लेते हो तो अब गुफ़्तगू फ़ुज़ूल है, हमारे और तुम्हारे बीच अब कोई बहस नहीं। नवाँ हुक्म 'अल्लाहु यज्मअु बैनना' यानी क़ियामत के दिन हम सब को अल्लाह तआ़ला जमा फ़रमा देंगे और हर एक अ़मल का बदला देंगे। दसवाँ हुक्म 'व इलैहिल् मसीर' यानी हम सब उसी की तरफ़ लौटकर जाने वाले हैं।

وَالَّذِيْنَ يُحَاجُّوْنَ فِي اللّٰهِ مِنْۢ بَعْدِ مَا اسْتُجِيْبَ لَهٗ حُجَّتُهُمْ دَاحِضَةٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَّلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ ﴿۱۶﴾ اَللّٰهُ الَّذِيْٓ اَنْزَلَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ وَالْمِيْزَانَ ؕ وَمَا يُدْرِيْكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيْبٌ ﴿۱۷﴾ يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِهَا ۚ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مُشْفِقُوْنَ مِنْهَا ۙ وَيَعْلَمُوْنَ اَنَّهَا الْحَقُّ ؕ اَلَآ اِنَّ الَّذِيْنَ يُمَارُوْنَ فِي السَّاعَةِ لَفِيْ ضَلٰلٍۭ بَعِيْدٍ ﴿۱۸﴾

वल्लज़ी-न युहाज्जू-न फ़िल्लाहि मिम्-बअ्दि मस्तुजी-ब लहू हुज्जतुहुम् दाहि-ज़तुन् अि़न्-द रब्बिहिम् व अ़लैहिम् ग़-ज़बुंव्-व लहुम् अ़ज़ाबुन् शदीद (16) अल्लाहुल्लज़ी अन्ज़लल्-किता-ब बिल्हक़्क़ि वल्मीज़ा-न, व मा युद्री-क लअ़ल्लस्सा-अ़-त क़रीब (17) यस्तअ्जिलु बिहल्लज़ी-न ला युअ्मिनू-न बिहा वल्लज़ी-न आमनू मुश्फ़िक़ू-न मिन्हा व यअ्लमू-न अन्नहल्-हक़्क़ु, अला इन्नल्लज़ी-न युमारू-न फ़िस्सा-अ़ति लफ़ी ज़लालिम्-बअ़ीद (18)	और जो लोग झगड़ा डालते हैं अल्लाह की बात में जब लोग उसको मान चुके उनका झगड़ा बातिल है उनके रब के यहाँ, और उन पर ग़ुस्सा है और उनको सख़्त अ़ज़ाब है। (16) अल्लाह वही है जिसने उतारी किताब सच्चे दीन पर और तराज़ू भी, और तुझको क्या ख़बर है शायद वह घड़ी पास हो। (17) जल्दी करते हैं उस घड़ी की वे लोग कि यक़ीन नहीं रखते उस पर, और जो यक़ीन रखते हैं उनको उसका डर है और जानते हैं कि वह ठीक है, सुनता है! जो लोग झगड़ते हैं उस घड़ी के आने में वे बहक कर दूर जा पड़े। (18)

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

और जो लोग अल्लाह तआ़ला (के दीन) के बारे में (मुसलमानों से) झगड़े निकालते हैं, इसके

बाद कि वह मान लिया गया (यानी बहुत से समझदार अ़क़्ल वाले आदमी मुसलमान होकर उसको मान चुके हैं, और हुज्जत वाज़ेह हो जाने के बाद बहस व झगड़ा करना और ज़्यादा बुरा है, सो) उन लोगों की हुज्जत उनके रब के नज़दीक बातिल है, और उन पर (ख़ुदा की तरफ़ से) ग़ज़ब (पड़ने वाला) है, और उनके लिये (कियामत में) सख़्त अ़ज़ाब (होने वाला) है। (और उससे बचने का तरीक़ा यही है कि अल्लाह को और उसके दीन को मानो, यानी उसकी किताब जो अल्लाह और बन्दों के हुक़ूक़ सब को शामिल है उसको वाजिबुल-अ़मल जानो, क्योंकि) अल्लाह ही है जिसने (इस) किताब (यानी क़ुरआन) को हक़ के साथ और (इसमें जो ख़ास हुक्म है) इन्साफ़ (का उस) को नाज़िल फ़रमाया (जब यह अल्लाह की किताब है तो अल्लाह को मानना बग़ैर इस किताब के मानने के मोतबर नहीं। कुछ ग़ैर-मुस्लिम जो अल्लाह को मानने का तो दावा करते हैं मगर क़ुरआन को नहीं मानते वह निजात के लिये काफ़ी नहीं)। और (ये लोग जो आप से क़ियामत का मुतैयन वक़्त पूछते हैं तो) आपको (उसकी) क्या ख़बर, (लेकिन आपको ख़बर न होने से उस दिन का इनकार करना लाज़िम नहीं आता बल्कि उसका आना यक़ीनी है, और वक़्त निर्धारित करने के लिये मुख़्तसर तौर पर इतना समझ लेना काफ़ी है कि) अ़जब नहीं कि क़ियामत क़रीब हो। (मगर) जो लोग उसका यक़ीन नहीं रखते (वे उस दिन से डरने के बजाय इनकार करने और मज़ाक़ उड़ाने के तौर पर) उसका तक़ाज़ा करते हैं (कि वह जल्द क्यों नहीं आ जाती) और जो लोग यक़ीन रखने वाले हैं वे उससे (काँपते और) डरते हैं और यक़ीन रखते हैं कि वह बरहक़ है। याद रखो कि (इन दोनों क़िस्म के लोगों में पहली क़िस्म के लोग यानी) जो लोग क़ियामत के (इनकारी हैं और उसके) बारे में झगड़ते हैं, बड़ी दूर (दराज़) की गुमराही में (मुब्तला) हैं।

मआ़रिफ़ व मसाईल

इनसे पहले की आयतों में दुनिया वालों को उस मज़बूत दीन की तरफ़ दावत दी गयी थी जिस पर तमाम आसमानी किताबें और अम्बिया अ़लैहिमुस्सलाम मुत्तफ़िक़ हैं। और उस पर क़ायम रहने और जमाव व मज़बूती इख़्तियार करने की तालीम व हिदायत थी। मगर कुछ काफ़िर लोग जो सुनने और मानने का इरादा ही नहीं रखते उन्होंने इस पर भी मुसलमानों से हुज्जत बाज़ी शुरू की। कुछ रिवायतों में है कि यहूदियों व ईसाईयों में के कुछ अहले किताब ने यह हुज्जत पेश की कि हमारे नबी तुम्हारे नबी से पहले और हमारी किताब तुम्हारी किताब से पहले है, इसलिये हमारा दीन तुम्हारे दीन से अफ़ज़ल है। और कुछ रिवायतों में यही मज़मून क़ुरैश के काफ़िरों की तरफ़ से ज़िक्र किया गया है, क्योंकि वे अपने आपको इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम के दीन का मानने वाला कहते थे।

क़ुरआने करीम ने मज़कूरा आयतों में उनको आगाह व सचेत किया कि दीने इस्लाम और क़ुरआन की हुज्जत लोगों पर पूरी हो चुकी है और ख़ुद तुम्हारे समझदार इन्साफ़-पसन्द लोग तस्लीम करके मुसलमान हो चुके हैं, अब यह तुम्हारी हुज्जत बाज़ी बातिल और गुमराही है जिसका कोई ठिकाना नहीं। अब अगर इसको नहीं मानोगे तो ख़ुदा का ग़ज़ब तुम पर टूटेगा। आगे क़ुरआन के अल्लाह की जानिब से होने और अल्लाह व बन्दों के हुक़ूक़ के लिये जामे (पूर्ण और व्यापक) क़ानून होने का ज़िक्र है:

أَنْزَلَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ وَالْمِيْزَانَ.

इस जगह किताब से मुराद आम आसमानी किताब है जिसमें क़ुरआन और पहली किताबें सब दाख़िल हैं, और हक़ से मुराद वह हक़ दीन है जिसका ज़िक्र ऊपर आया है। और मीज़ान के लफ़्ज़ी मायने तराज़ू के हैं, वह चूँकि इन्साफ़ क़ायम करने और हक़ पूरा देने का एक आला (ज़रिया) है इसलिये हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने मीज़ान की तफ़सीर अ़दल व इन्साफ़ से की है। इमामे तफ़सीर मुजाहिद रह. ने फ़रमाया कि यहाँ मीज़ान से मुराद वह आ़म तराज़ू है जिसको लोग इस्तेमाल करते हैं और इससे मुराद सब के हुक़ूक़ की पूरी अदायेगी और इन्साफ़ है। तो लफ़्ज़ हक़ में अल्लाह के सब हुक़ूक़ और लफ़्ज़ मीज़ान में बन्दों के सब हुक़ूक़ की तरफ़ इशारा हो गया।

और यह जो फ़रमाया कि मोमिन लोग क़ियामत से डरते हैं। इससे मुराद एतिक़ाद वाला ख़ौफ़ है जो क़ियामत की हौलानाक चीज़ों से है, साथ ही अपनी अ़मली कोताहियों पर नज़र करने से लाज़िमी होता है। मगर कई बार किसी मोमिन पर अल्लाह तआ़ला की मुलाक़ात का शौक़ ग़ालिब होकर उस ख़ौफ़ पर ग़ालिब आ जाता है, वह इसके ख़िलाफ़ नहीं, जैसा कि क़ब्र में बाज़े मुर्दों का यह कहना साबित है कि क़ियामत जल्द आ जाये। वजह यह है कि क़ब्र में जब फ़रिश्तों की तरफ़ से इनसान को रहमत व मग़फ़िरत की ख़ुशख़बरी मिल जायेगी तो क़ियामत का ख़ौफ़ मग़लूब हो जायेगा।

اَللّٰهُ لَطِيْفٌ بِعِبَادِهٖ يَرْزُقُ مَنْ يَّشَآءُ ۚ وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيْزُ ﴿١٩﴾ مَنْ كَانَ يُرِيْدُ حَرْثَ الْاٰخِرَةِ نَزِدْ لَهٗ فِيْ حَرْثِهٖ ۚ وَمَنْ كَانَ يُرِيْدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهٖ مِنْهَا وَمَا لَهٗ فِي الْاٰخِرَةِ مِنْ نَّصِيْبٍ ﴿٢٠﴾

अल्लाहु लतीफ़ुम्- बिअ़िबादिही यर्ज़ुक़ु मंय्यशा-उ व हुवल्-क़विय्युल्-अ़ज़ीज़ (19) ✿	अल्लाह नर्मी रखता है अपने बन्दों पर रोज़ी देता है जिसको चाहे, और वही है ज़ोरावार ज़बरदस्त। (19) ✿
मन् का-न युरीदु हर्सल्-आख़िरति नज़िद् लहू फ़ी हर्सिही व मन् का-न युरीदु हर्सद्दुन्या नुअ्तिही मिन्हा व मा लहू फ़िल्-आख़िरति मिन्-नसीब (20)	जो कोई चाहता हो आख़िरत की खेती ज़्यादा करें हम उसके वास्ते उसकी खेती और जो कोई चाहता हो दुनिया की खेती उसको देवें हम कुछ उसमें से, और उसके लिये नहीं आख़िरत में कुछ हिस्सा। (20)

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

(और ये लोग जो दुनिया की नाज़ व नेमत पर इतराकर आख़िरत को भुला बैठे हैं और यह

समझते और कहते हैं कि अगर हमारा अ़मल अल्लाह की रज़ा के ख़िलाफ़ होता तो हमको यह ऐश व आराम क्यों देता, ख़ूब समझ लो कि यह उनकी भूल है, यह दुनिया की दौलत व नेमत राज़ी होने की दलील नहीं बल्कि इसकी वजह तो यह है कि) अल्लाह तआ़ला (दुनिया में) अपने बन्दों पर (आ़म तौर से) मेहरबान है (उसी उमूमी रहमत के सबब सब को रोज़ी देता है, सेहत व तन्दुरुस्ती देता है जिसमें हिक्मत व मस्लेहतों की बिना पर कमी-बेशी भी होती है कि) जिसको (जिस क़द्र) चाहता है रोज़ी देता है (मगर रोज़ी देना सब को शामिल है) और (दुनिया में इस लुत्फ़ व मेहरबानी से यह समझ लेना कि उनका तरीक़ा हक़ है और आख़िरत में भी लुत्फ़ व मेहरबानी जारी रहेगी, सरासर धोखा है। वहाँ तो उनके बुरे आमाल पर अ़ज़ाब होगा जो कोई मुहाल व असंभव नहीं क्योंकि) वह क़ुव्वत वाला (और) ज़बरदस्त है।

(ग़र्ज़ कि उनकी सारी ख़राबियों की जड़ दुनिया पर इतराना और घमण्ड करना है, उनको चाहिये कि इससे बाज़ आ जायें और आख़िरत की फ़िक्र करें, क्योंकि) जो शख़्स आख़िरत की खेती का तालिब हो हम उसको उसकी खेती में तरक़्क़ी देंगे (नेक आमाल खेती और उस पर मिलने वाला सवाब उसका फल है, और उसकी तरक़्क़ी यह है कि सवाब बहुत ज़्यादा बढ़ाकर मिलेगा जैसा कि क़ुरआन में इरशाद है कि एक नेकी का बदला दस गुना मिलेगा), और जो दुनिया की खेती का तालिब हो (यानी सारे अ़मल व कोशिश का मक़सद दुनिया की दौलत व फ़ायदा हो, आख़िरत के लिये कुछ कोशिश न करे) तो हम उसको कुछ दुनिया (अगर चाहें) दे देंगे और आख़िरत में उसका कुछ हिस्सा नहीं (क्योंकि उसकी शर्त ईमान है, वह उनमें है नहीं)।

मआ़रिफ़ व मसाईल (1)

اَللّٰهُ لَطِيْفٌ م بِعِبَادِهٖ

लफ़्ज़ **लतीफ़** लुग़त के एतिबार से चन्द मायनों में इस्तेमाल होता है, यहाँ हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने इसका तर्जुमा हफ़ी यानी मेहरबान के मायने से और हज़रत इक्रिमा ने बार्र यानी एहसान करने वाले से किया है।

---

(1) शुक्र-ए-नेमत

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

24 रबीउस्सानी सन् 1392 हिजरी दिन बुध की सुबह को "मआ़रिफ़ुल-क़ुरआन" की तफ़सीर यहाँ तक पहुँचाने और दारुल-उलूम के दूसरे काम करने के बाद ज़ोहर की नमाज़ अदा की और ये पन्ने तकिये के नीचे दबाकर रखे कि खाने के बाद थोड़ा सा आराम करके फिर तफ़सीर का काम शुरू करूँगा। मगर इनसान और उसके इरादों की कमज़ोरी का अन्दाज़ा इससे कीजिये कि आज पूरे 56 दिन के बाद 20 जुमादस्सानी सन् 1352 हिजरी दिन बुध को दोबारा इस काग़ज़ पर क़लम लगाने की नौबत इसके बाद आयी कि एक अ़रसे तक ज़िन्दगी से मायूसी रही, और डेढ़ पारा क़ुरआन की तफ़सीर जो लिखनी बाक़ी थी उसके पूरा करने की वसीयत अपने नेक बच्चे मौलवी मुहम्मद तक़ी सल्ल-महू को करके अपनी हसरत की थोड़ी सी तलाफ़ी कर चुका और दिल को फ़ारिग़ कर चुका था। .... बाक़ी हाशिया अगले पेज पर ....

हज़रत मुक़ातिल ने फ़रमाया कि अल्लाह तआ़ला अपने सभी बन्दों पर मेहरबान है यहाँ तक कि काफ़िर व बदकार पर भी दुनिया में उसकी नेमतें बरसती हैं। हक़ तआ़ला की इनायतें और लुत्फ़ व करम अपने बन्दों पर बेशुमार तरह के हैं इसलिये तफ़सीरे क़ुर्तुबी ने लफ़्ज़ लतीफ़ के मायने भी बहुत से बयान फ़रमाये हैं और सब का हासिल लफ़्ज़ हफ़ी और बार्र में शामिल है।

अल्लाह तआ़ला का रिज़्क़ तो सारी मख़्लूक़ात के लिये आ़म और शामिल है। दरिया और ख़ुश्की में रहने वाले वो जानवर जिनको कोई नहीं जानता उसका रिज़्क़ उनको भी पहुँचता है। इस आयत में जो यह इरशाद फ़रमाया कि रिज़्क़ देता है जिसको चाहता है, इसका हासिल ज़्यादा वाज़ेह वह है जिसको तफ़सीरे मज़हरी ने इख़्तियार किया है कि अल्लाह तआ़ला के रिज़्क़ की बेशुमार क़िस्में हैं, बक़द्रे ज़रूरत जीने के लिये रिज़्क़ तो सब के लिये आ़म है, फिर रिज़्क़ की ख़ास-ख़ास क़िस्मों की तक़सीम में अपनी कामिल हिक्मत से मुख़्तलिफ़ दर्जे और पैमाने रखे हैं। किसी को माल व दौलत का

.... पिछले पेज का बाक़ी हाशिया ....

वाक़िआ़ यह हुआ कि दोपहर के खाने के बाद ही मेरे सीने में सख़्त दर्द हुआ, अगले दिन डॉक्टरों की जाँच के मुताबिक़ मेरे दिल पर सख़्त हमला (हार्ट अटैक) साबित हुआ। मेरे मुख़्लिस मुहिब्बे मोहतरम डॉक्टर सग़ीर अहमद हाशमी अल्लाह तआ़ला उनकी ख़ूबियों और इनायतों को बरक़रार रखे, को हक़ तआ़ला ने मेरी दूसरी ज़िन्दगी का ज़रिया बना दिया। उन्होंने अपनी ख़ास तदबीर से मुझे फ़ौरन दिल की बीमारियों के इलाज वाले अस्पताल में दाख़िल करा दिया जबकि मैं अपने इख़्तियार से इस पर किसी तरह आमादा न था। क्योंकि अस्पताल में मरीज़ों के साथ सुलूक के जो नमूने देखे और अनुभव करता आया था उनके सबब मेरा दिल किसी तरह मुत्मईन न था कि मैं किसी अस्पताल में और ख़ास तौर पर मौत व ज़िन्दगी की कश्मकश के हाल में दाख़िल हूँ, मगर डा. साहिब ने कुछ तदबीरें करके मुझे वहाँ पहुँचवा दिया। बाद में साबित हो गया कि वही मेरी दोबारा ज़िन्दगी का ज़ाहिरी सबब बना, बग़ैर अस्पताल में भर्ती हुए इलाज मुम्किन नहीं था।

25 रबीउस्सानी सन् 1392 हिजरी दिन जुमेरात को दिल की बीमारियों के अस्पताल में दाख़िल हुआ और अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ के डॉक्टर बड़े माहिर होने के साथ-साथ हमदर्द और मेहरबान भी साबित हुए। चन्द दिन में अल्लाह तआ़ला ने ख़तरे से निकाल दिया, मज़ीद एहतियाती इलाज के लिये 32 दिन मुझे अस्पताल में रहना पड़ा। 11 जौलाई सन् 1972 ईसवी दिन सोमवार को मुझे अस्पताल से रुख़्सत किया गया और अपने मकान जो कि लसबीला में स्थित है चन्द हफ़्ते ठहरने का इरादा कर लिया। यहाँ भी एहतियाती तदबीरें और इलाज जारी है।

आज 20 जुमदस्सानी को जो इत्तिफ़ाक़ से मेरे पाकिस्तान कराची पहुँचने की तारीख़ है और आज पाकिस्तान में आये हुए मुझे चौबीस साल पूरे होकर पच्चीसवाँ शुरू हो रहा है, और अल्लाह के फ़ज़्ल से सेहत व क़ुव्वत भी धीरे-धीरे अब कुछ बढ़ रही है तो अल्लाह के नाम पर आज ये पन्ने फिर उठाये और यह हाशिया लिख दिया।

तफ़सीर मआ़रिफ़ुल-क़ुरआन की सूरतेहाल यह है कि जब यह हादसा मुझे पेश आया तो मैं मआ़रिफ़ुल-क़ुरआन को तक़रीबन क़ुरआन के आख़िर तक लिख चुका था, एक ख़ास सबब से बीच की छठी मन्ज़िल रह गयी थी उसको लिखने का काम सूरः शूरा के इस मक़ाम तक पहुँचा था। आगे तक़रीबन डेढ़ पारा क़ुरआने करीम का सूरः हुजुरात तक लिखना बाक़ी था, अब हक़ तआ़ला ने गोया दोबारा ज़िन्दगी अ़ता फ़रमाई और इलाज करने वाले डॉक्टरों ने कुछ लिखने पढ़ने की इजाज़त दी तो बरख़ुरदार मौलवी मुहम्मद तक़ी को साथ लगाकर बनामे ख़ुदा आज फिर यह काम शुरू किया है। अल्लाह ही है मददगार। (मुहम्मद शफ़ी)

रिज़्क़ ज़्यादा दे दिया, किसी को सेहत व क़ुव्वत का, किसी को इल्म व मारिफ़त का, किसी को दूसरी किस्मों और अन्दाज़ का, इस तरह हर इनसान दूसरे का मोहताज भी रहता है और यही आपस में एक दूसरे का मोहताज रहना उनको आपसी मदद व सहयोग पर आमादा करता है जिस पर इनसानी तमद्दुन (रहन-सहन और सामाजिक ज़िन्दगी) की बुनियाद है।

हज़रत जाफ़र बिन मुहम्मद रह. ने फ़रमाया कि रिज़्क़ के मामले में अल्लाह तआ़ला की रहमत व मेहरबानी बन्दों पर दो तरह की है- अव्वल तो यह कि हर एक जानदार को उसके हाल के मुनासिब ग़िज़ा और ज़िन्दगी की ज़रूरतें अ़ता फ़रमाता है। दूसरे यह कि वह किसी को उसका पूरा रिज़्क़ उम्र भर का एक ही बार में नहीं दे देता, वरना अव्वल तो उसकी हिफ़ाज़त करना मुश्किल हो जाता, और कितनी भी हिफ़ाज़त करता वह फिर भी सड़ने और ख़राब होने से न बचता। (मज़हरी व क़ुर्तुबी)

एक तजुर्बा किया हुआ अ़मल

मौलाना शाह अ़ब्दुल-ग़नी फूलपूरी रह. ने फ़रमाया कि हज़रत हाजी इमदादुल्लाह रह. से मन्क़ूल है कि जो शख़्स सुबह को सत्तर मर्तबा पाबन्दी से यह आयत पढ़ा करे वह रिज़्क़ की तंगी से महफ़ूज़ रहेगा। और फ़रमाया कि यह बहुत तजुर्बा किया हुआ अ़मल है। आयत यही है जो ऊपर ज़िक्र हुई (यानी ऊपर लिखी गई आयत नम्बर 19 'अल्लाहु लतीफ़ुम् बि-अ़िबादिही यर्ज़ुक़ु मंय्यशा-उ व हुवल् क़विय्युल्-अ़ज़ीज़)।

أَمْ لَهُمْ شُرَكٰٓؤُا شَرَعُوا لَهُمْ مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللّٰهُ ۚ وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ ۗ وَإِنَّ الظّٰلِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٢١﴾ تَرَى الظّٰلِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ ۗ وَالَّذِينَ اٰمَنُوا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فِي رَوْضٰتِ الْجَنّٰتِ ۚ لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۚ ذٰلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ ﴿٢٢﴾ ذٰلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللّٰهُ عِبَادَهُ الَّذِينَ اٰمَنُوا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ ۗ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبٰى ۗ وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا ۚ إِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ شَكُورٌ ﴿٢٣﴾

अम् लहुम् शु-रका-उ श-रअ़ू लहुम् मिनद्दीनि मा लम् यअ्ज़म्-बिहिल्लाहु, व लौ ला कलि-मतुल्-फ़स्लि लक़ुज़ि-य बैनहुम् व इन्नज़्ज़ालिमीन-न लहुम् अ़ज़ाबुन् अलीम (21) तरज़्ज़ालिमी-न	क्या उनके लिये और शरीक हैं कि राह डाली है उन्होंने उनके वास्ते दीन की कि जिसका हुक्म नहीं दिया अल्लाह ने, और अगर न मुक़र्रर हो चुकी होती एक बात फ़ैसले की तो फ़ैसला हो जाता उनमें, और बेशक जो गुनाहगार हैं उनको अ़ज़ाब है दर्दनाक। (21) तू देखेगा गुनाहगारों को

मुश्फ़िक़ी-न मिम्मा क-सबू व हु-व वाक़िअुम् बिहिम्, वल्लज़ी-न आमनू व अ़मिलुस्सालिहाति फ़ी रौज़ातिल्-जन्नाति लहुम्-मा यशाऊ-न अ़िन्-द रब्बिहिम्, ज़ालि-क हुवल्-फ़ज़्लुल्-कबीर (22) ज़ालिकल्लज़ी युबश्शिरुल्लाहु अ़िबा-दहुल्लज़ी-न आमनू व अ़मिलुस्सालिहाति, क़ुल्-ला अस्अलुकुम् अ़लैहि अज्रन् इल्लल्-म-वद्द-त फ़िल्क़ुर्बा, व मंय्-यक़्तरिफ़् ह-स-नतन् नज़िद् लहू फ़ीहा हुस्नन्, इन्नल्ला-ह ग़फ़ूरुन् शकूर (23)	कि डरते होंगे अपनी कमाई से और वह पड़कर रहेगा उनपर, और जो लोग यक़ीन लाये और भले काम किये बाग़ों में हैं जन्नत के, उनके लिये है जो वे चाहें अपने रब के पास, यही है बड़ी बुज़ुर्गी। (22) यह है जो ख़ुशख़बरी देता है अल्लाह अपने ईमान वाले बन्दों को जो करते हैं भले काम, तू कह- मैं माँगता नहीं तुमसे इस पर कुछ बदला मगर दोस्ती चाहिए रिश्तेदारी में और जो कोई कमायेगा नेकी हम उसके लिये बढ़ा देंगे उसकी ख़ूबी, बेशक अल्लाह माफ़ करने वाला हक़ मानने वाला है। (23)

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

(दीने हक़ को तो ख़ुदा ने बनाया और मुक़र्रर फ़रमाया है, मगर ये लोग जो इसको नहीं मानते तो) क्या इनके (तजवीज़ किये हुए ख़ुदाई में) कुछ शरीक हैं जिन्होंने इनके लिये ऐसा दीन मुक़र्रर कर दिया है जिसकी ख़ुदा ने इजाज़त नहीं दी (मतलब यह है कि कोई ज़ात इस क़ाबिल नहीं कि ख़ुदा के ख़िलाफ़ उसका मुक़र्रर किया हुआ दीन मोतबर हो सके) और अगर (ख़ुदा की तरफ़ से) एक फ़ैसले वाली बात (ठहरी हुई) न होती (यानी यह कि इन पर असल अ़ज़ाब मौत के बाद होगा) तो (दुनिया ही में) इनका (अ़मली) फ़ैसला हो चुका होता, और (आख़िरत में) इन ज़ालिमों को ज़रूर दर्दनाक अ़ज़ाब होगा। (उस दिन) आप उन ज़ालिमों को देखेंगे कि अपने आमाल (के वबाल) से डर रहे होंगे और वह (वबाल) उन पर (ज़रूर) पड़कर रहेगा।

(यह तो इनकार करने वालों "यानी काफ़िरों" का हाल होगा) और जो लोग ईमान लाये और उन्होंने अच्छे काम किये (होंगे) वे जन्नतों के बाग़ों में (दाख़िल) होंगे। (जन्नत को बहुवचन इसलिये लाये कि जन्नत के अनेक तब्क़े और दर्जे हैं, हर तब्क़ा एक जन्नत है और हर तब्क़े में अनेक बाग़ात हैं, अपने-अपने रुतबे के मुताबिक़ कोई कहीं होगा कोई कहीं होगा) वे जिस चीज़ को चाहेंगे उनके रब के पास उनको मिलेगी, यही बड़ा इनाम है (न कि वह फ़ानी ऐश व आराम जो दुनिया में मौजूद है)। यही है जिसकी ख़ुशख़बरी अल्लाह तआ़ला अपने उन बन्दों को दे रहा है जो ईमान लाये और अच्छे

इसके कि उनकी तलवारों में लड़ाई और मारामारी की अधिकता की वजह से दनदाने पड़ गये हैं। ज़ाहिर है कि बहादुर के लिये यह कोई ऐब नहीं बल्कि हुनर है। उसका अ़रबी शे'र यह है:

ولا عيب فيهم غيران سيوفهم   بهن فلول من قراع الكتائب

एक उर्दू के शायर ने इसी तरह का मज़मून इस तरह लिखा है:

मुझ में एक ऐब बड़ा है कि वफ़ादार हूँ मैं

उसने वफ़ादारी को ऐब के लफ़्ज़ से ताबीर करके अपनी बेगुनाही को बहुत ऊँचा करके दिखलाया है।।

ख़ुलासा यह है कि रिश्तेदारी व ताल्लुक़ के हुक़ूक़ की रियायत जो वास्तव में कोई मुआ़वज़ा नहीं मैं तुमसे इसके सिवा कुछ नहीं चाहता।

मज़कूरा आयत की यही तफ़सीर बुख़ारी व मुस्लिम में हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु से मन्क़ूल है और तफ़सीर के इमामों में इमाम मुजाहिद रह., इमाम क़तादा रह. और बहुत बड़ी जमाअ़त ने इसी तफ़सीर को इख़्तियार किया है। यही तमाम अम्बिया अ़लैहिमुस्सलाम की आवाज़ हर दौर में रही है कि अपनी क़ौम को खोलकर बता दिया कि हम जो कुछ तुम्हारी भलाई और ख़ैरख़्वाही के लिये कोशिश करते हैं, तुमसे उसका कोई मुआ़वज़ा हम नहीं माँगते, हमारा मुआ़वज़ा सिर्फ़ अल्लाह तआ़ला देने वाला है। सय्यिदुल-अम्बिया सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की शान तो उन सब में ऊँची और बुलन्द है, वह कैसे क़ौम से कोई मुआ़वज़ा तलब करते।

हदीस के इमाम सईद बिन मन्सूर, इब्ने सअ़द, अ़ब्द बिन हुमैद, हाकिम और बैहक़ी रह. ने इमाम शाबी रह. से यह वाक़िआ़ नक़ल किया है और हाकिम ने इसकी सनद को सही कहा है। वाक़िआ़ यह है कि इमाम शाबी रह. कहते हैं कि लोगों ने हमसे इस आयत की तफ़सीर के मुताल्लिक़ सवालात किये तो हमने हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु को ख़त लिखकर इसकी सही तफ़सीर मालूम की आपने जवाब में लिखा कि:

ان رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و سلم كان وسط النسب فى قريش ليس بطن من بطونهم الا وقد ولدوه فقال اللّٰه تعالىٰ 'قُلْ لَّآ اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا' على ماادعوكم عليه 'اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِى الْقُرْبٰى' تودّونى لقرابتى منكم وتحفظونى بها. (روح المعانى)

"हुज़ूरे पाक सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम क़ुरैश के ऐसे नसब से ताल्लुक़ रखते थे कि उसकी हर शाखा से आपका विलादत का रिश्ता क़ायम था। इसलिये अल्लाह तआ़ला ने यह फ़रमाया कि "आप मुश्रिकों से यह कहिये कि अपनी दावत पर मैं तुमसे कोई मुआ़वज़ा सिवाय इसके नहीं माँगता कि तुम मुझसे रिश्तेदारी की मुरव्वत व दोस्ती का मामला करके बग़ैर किसी तकलीफ़ के अपने दरमियान रहने दो और मेरी हिफ़ाज़त करो।"

और इमाम इब्ने जरीर रह. वग़ैरह ने ये अलफ़ाज़ भी नक़ल किये हैं:

ياقوم إذا ابيتم ان تتابعونى فاحفظوا قرابتى منكم ولا تكون غيركم من العرب اولى بحفظى و نصرتى منكم. (روح المعانى)

"ऐ क़ौम! अगर तुम मेरी पैरवी से इनकार करते हो तो तुम से जो मेरा ख़ानदानी रिश्ता है उसका लिहाज़ तो करो, और ऐसा न हो कि अ़रब के दूसरे लोग (जिनके साथ मेरी रिश्तेदारी नहीं) मेरी हिफ़ाज़त और मदद में तुम पर बाज़ी ले जायें।"

और हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु ही से कमज़ोर सनद के साथ एक रिवायत यह भी मन्क़ूल है कि जब यह आयत नाज़िल हुई तो कुछ लोगों ने आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से यह सवाल किया कि आपकी रिश्तेदारी व ख़ानदान में कौन लोग हैं तो आपने फ़रमाया कि अ़ली और फ़ातिमा और उनकी औलाद। इस रिवायत की सनद को दुर्रे मन्सूर में अ़ल्लामा सुयूती ने और कश्शाफ़ की हदीसों की तख़रीज में हाफ़िज़ इब्ने हजर रह. ने ज़ईफ़ (कमज़ोर) क़रार दिया है, और चूँकि इसका हासिल यह होता है कि मैं अपनी ख़िदमत का इतना मुआ़वज़ा माँगता हूँ कि मेरी औलाद की तुम रियायत किया करो, जो आ़म अम्बिया अ़लैहिमुस्सलाम ख़ुसूसन सय्यिदुल-अम्बिया की शान के मुनासिब भी नहीं। इसलिये ज़्यादा सही और पसन्दीदा तफ़सीर उम्मत की अक्सरियत के नज़दीक वही है जो ऊपर लिखी गयी। राफ़ज़ियों ने इस रिवायत को न सिर्फ़ इख़्तियार किया बल्कि इस पर बड़े किले तामीर कर डाले जिनकी कोई बुनियाद नहीं।

आले रसूल सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के मान-सम्मान और मुहब्बत का मसला

ऊपर जो कुछ लिखा गया है उसका ताल्लुक़ सिर्फ़ इस बात से है कि ऊपर ज़िक्र हुई आयत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने अपनी ख़िदमत के मुआ़वज़े में क़ौम से अपनी औलाद की मुहब्बत व सम्मान के लिये कोई दरख़्वास्त नहीं की। इसके यह मायने किसी के नज़दीक नहीं कि रसूले मक़बूल सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की आल की अपनी जगह मुहब्बत व बड़ाई कोई अहमियत नहीं रखती, ऐसा ख़्याल कोई बदबख़्त गुमराह ही कर सकता है। मसले की हक़ीक़त यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की ताज़ीम व मुहब्बत का सारी कायनात से ज़ायद होना ईमान का हिस्सा बल्कि ईमान का मदार है, और इसके लिये लाज़िम है कि जिसको जिस क़द्र क़रीबी निस्बत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से है उसकी ताज़ीम व मुहब्बत भी उसी पैमाने से वाजिब व लाज़िम होने में कोई शुब्हा नहीं, कि इनसान की अपनी पीठ की औलाद को सबसे ज़्यादा नज़दीकी की निस्बत हासिल है इसलिये उनकी मुहब्बत बिला शुब्हा ईमान का हिस्सा है, मगर इसके यह मायने नहीं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की पाक बीवियाँ और दूसरे सहाबा-ए-किराम जिनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के साथ अनेक क़िस्म की निकटता और रिश्ते की निस्बतें हासिल हैं उनको भुला दें।

ख़ुलासा यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के अहले बैत और आल का मसला उम्मत में कभी मतभेद का विषय नहीं रहा, सबके नज़दीक इत्तिफ़ाक़े राय से उनकी मुहब्बत व अ़ज़मत लाज़िम है। झगड़े और मतभेद वहाँ पैदा होते हैं जहाँ दूसरों की बड़ाई और इज़्ज़त पर हमला किया जाता है वरना आले रसूल होने की हैसियत से आ़म सादात हज़रात चाहे उनका नसबी

सिलसिला कितना ही दूर का भी हो, उनकी मुहब्बत व अ़ज़मत पूरी तरह नेकबख़्ती और अज्र व सवाब है। और चूँकि बहुत से लोग इसमें कोताही बरतने लगे इसी लिये हज़रत इमाम शाफ़ई रह. ने चन्द शे'रों में इसकी सख़्त निंदा फ़रमाई। वो शे'र ये हैं और हक़ीक़त में यही उम्मत की अक्सरियत का मस्लक व मज़हब है:

يا راكبًا قف بالمحصّب من منًى   واهتف بساكن خيفها والناهض

سحرًا اذا فاض الحجيج الى منًى   فيضًا كملتطم الفرات الفائض

ان كان رفضًا حُبُّ الِ محمّد   فليشهد الثقلان انّى رافضى

यानी ऐ सवार! मिना की मुहस्सब वादी के क़रीब रुक जाओ, और जब सुबह के वक़्त हज के लिये आने वालों का सैलाब एक ठाठें मारते हुए दरिया की तरह मिना की तरफ़ रवाना हो तो उस इलाक़े के हर बाशिन्दे और हर राह चलने वाले से पुकारकर यह कह दो कि अगर सिर्फ़ आले मुहम्मद (सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम) की मुहब्बत ही का नाम राफ़ज़ी होना है तो इस कायनात के तमाम जिन्नात व इनसान गवाह रहें कि मैं भी राफ़ज़ी हूँ।

أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا ۖ فَإِن يَشَإِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَىٰ قَلْبِكَ ۗ وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ ۚ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿٢٤﴾ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ﴿٢٥﴾ وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ ۚ وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ﴿٢٦﴾

अम् यक़ूलूनफ़्तरा अ़लल्लाहि कज़िबन् फ़-इंय्य-श-इल्लाहु यख़्तिम् अ़ला क़ल्बि-क, व यम्हुल्लाहुल्-बाति-ल व युहिक़्क़ुल्-हक़्-क़ बि-कलिमातिही, इन्नहू अ़लीमुम्-बिज़ातिस्सुदूर (24) व हुवल्लज़ी यक़्बलुत्-तौब-त अ़न् अ़िबादिही व यअ़्फ़ू अ़निस्-सय्यिआति व यअ़्लमु मा तफ़्अ़लून (25) व यस्तजीबुल्लज़ी-न आमनू व अ़मिलुस्सालिहाति व यज़ीदुहुम्-मिन् फ़ज़्लिही, वल्काफ़िरू-न लहुम् अ़ज़ाबुन् शदीद (26)	क्या वे कहते हैं कि इसने बाँधा अल्लाह पर झूठ सो अगर अल्लाह चाहे मुहर कर दे तेरे दिल पर और मिटाता है अल्लाह झूठ को और साबित करता है सच को अपनी बातों से, उसको मालूम है जो दिलों में है। (24) और वही है जो क़ुबूल करता है तौबा अपने बन्दों की और माफ़ करता है बुराईयाँ और जानता है जो कुछ तुम करते हो (25) और दुआ सुनता है ईमान वालों की जो भले काम करते हैं और ज़्यादा देता है उनको अपने फ़ज़्ल से, और जो मुन्किर हैं उनके लिये सख़्त अ़ज़ाब है। (26)

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

क्या ये लोग (आपके बारे में नऊज़ु बिल्लाह) यूँ कहते हैं कि इन्होंने ख़ुदा पर झूठ बोहतान बाँध रखा है? (कि नुबुव्वत और वही का ख़िलाफ़े हक़ीक़त दावा किया है) सो (इनका यह क़ौल ख़ुद एक झूठ और बोहतान है, इसलिये कि आपकी सच्ची ज़बान से अल्लाह का यह मोजिज़े वाला कलाम जारी हो रहा है जो सच्चे नबी के सिवा किसी की ज़बान पर जारी नहीं हो सकता। अगर मआज़ल्लाह आप अपने रसूल होने के दावे में सच्चे न होते तो अल्लाह यह कलाम आप पर जारी न करता। चुनाँचे) ख़ुदा (को यह क़ुदरत हासिल है कि) अगर (वह) चाहे तो आपके दिल पर बन्द लगा दे (और यह कलाम आपके दिल पर न उतारा जाये, न बाक़ी रहे, बल्कि छिन जाये, और आप बिल्कुल भूल जायें, और इस सूरत में ज़ाहिर है कि ज़बान से इसका निकलना और जारी होना नहीं हो सकता) और अल्लाह तआ़ला (की यह आदत है कि वह नुबुव्वत के) बातिल (दावे) को मिटाया करता है (चलने नहीं देता, यानी ऐसे झूठे दावेदार के हाथ पर मोजिज़े ज़ाहिर नहीं होते) और (नुबुव्वत के) हक़ (दावे) को अपने अहकाम से साबित (और ग़ालिब) किया करता है (पस आप सच्चे और वे झूठे हैं। और चूँकि) वह (यानी अल्लाह तआ़ला) दिलों (तक) की बातें जानता है (कहाँ यह कि ज़बान की बातों और बदनी अंगों के काम, पस अल्लाह तआ़ला को उन लोगों के अक़ीदों, बातों और आमाल सब की ख़बर है, उन सब पर ख़ूब सज़ा देगा। हाँ जो लोग अपने कुफ़्र और बुरे आमाल से तौबा कर लें उन्हें माफ़ कर देगा, क्योंकि यह उसका क़ानून है) और वह ऐसा (रहम करने वाला) है कि अपने बन्दों की तौबा (अगर वह तौबा की शर्तों के साथ हो) क़ुबूल करता है, और वह (उस तौबा की बरकत से पहले गुज़रे हुए) तमाम गुनाह माफ़ फ़रमा देता है। और जो कुछ तुम करते हो वह उस (सब) को जानता है (पस उसको यह भी मालूम है कि तौबा ख़ालिस की है या ग़ैर-ख़ालिस)।

और (जब कोई शख़्स कुफ़्र से तौबा करके मुसलमान हो गया तो उसकी जो इबादतें पहले क़ुबूल न होती थीं अब क़ुबूल होने लगेंगी, क्योंकि अल्लाह तआ़ला) उन लोगों की इबादत (बशर्ते कि दिखावे के लिये न हो) क़ुबूल करता है जो ईमान लाये और उन्होंने नेक अ़मल किये, (वो इबादतें यही नेक अ़मल हैं और उनको क़ुबूल करने का मतलब यह है कि उनको सवाब देता है) और (उस सवाब के अ़लावा जो अपने आप में उस अ़मल का मिलना चाहिये) उनको अपने फ़ज़्ल से और ज़्यादा (सवाब) देता है। (यह तो ईमान वालों के लिये हुआ) और जो लोग कुफ़्र कर रहे (यानी उस पर जमे हुए) हैं (और ईमान नहीं लाये) उनके लिये सख़्त अ़ज़ाब (मुक़र्रर) है।

मआ़रिफ़ व मसाईल

ऊपर दर्ज हुई आयतों में से पहली आयत में हक़ तआ़ला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की नुबुव्वत व रिसालत और क़ुरआन को ग़लत और ख़ुदा तआ़ला पर झूठ कहने वालों को अपना एक आ़म उसूल व नियम बतलाकर जवाब दिया है, जिसका ख़ुलासा यह है कि ऐसे काम जो आ़दतन इनसान नहीं कर सकते, जिनको ख़र्क़-ए-आ़दत या मोजिज़ा कहा जाता है, अगरचे बाज़े-

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

क्या ये लोग (आपके बारे में नऊज़ु बिल्लाह) यूँ कहते हैं कि इन्होंने ख़ुदा पर झूठ बोहतान बाँध रखा है? (कि नुबुव्वत और वही का ख़िलाफ़े हक़ीक़त दावा किया है) सो (इनका यह कौल ख़ुद एक झूठ और बोहतान है, इसलिये कि आपकी सच्ची ज़बान से अल्लाह का यह मोजिज़े वाला कलाम जारी हो रहा है जो सच्चे नबी के सिवा किसी की ज़बान पर जारी नहीं हो सकता। अगर मआ़ज़ल्लाह आप अपने रसूल होने के दावे में सच्चे न होते तो अल्लाह यह कलाम आप पर जारी न करता। चुनाँचे) ख़ुदा (को यह क़ुदरत हासिल है कि) अगर (वह) चाहे तो आपके दिल पर बन्द लगा दे (और यह कलाम आपके दिल पर न उतारा जाये, न बाक़ी रहे, बल्कि छिन जाये, और आप बिल्कुल भूल जायें, और इस सूरत में ज़ाहिर है कि ज़बान से इसका निकलना और जारी होना नहीं हो सकता) और अल्लाह तआ़ला (की यह आ़दत है कि वह नुबुव्वत के) बातिल (दावे) को मिटाया करता है (चलने नहीं देता, यानी ऐसे झूठे दावेदार के हाथ पर मोजिज़े ज़ाहिर नहीं होते) और (नुबुव्वत के) हक़ (दावे) को अपने अहकाम से साबित (और ग़ालिब) किया करता है (पस आप सच्चे और वे झूठे हैं। और चूँकि) वह (यानी अल्लाह तआ़ला) दिलों (तक) की बातें जानता है (कहाँ यह कि ज़बान की बातों और बदनी अंगों के काम, पस अल्लाह तआ़ला को उन लोगों के अ़क़ीदों, बातों और आमाल सब की ख़बर है, उन सब पर ख़ूब सज़ा देगा। हाँ जो लोग अपने कुफ़्र और बुरे आमाल से तौबा कर लें उन्हें माफ़ कर देगा, क्योंकि यह उसका क़ानून है) और वह ऐसा (रहम करने वाला) है कि अपने बन्दों की तौबा (अगर वह तौबा की शर्तों के साथ हो) क़ुबूल करता है, और वह (उस तौबा की बरकत से पहले गुज़रे हुए) तमाम गुनाह माफ़ फ़रमा देता है। और जो कुछ तुम करते हो वह उस (सब) को जानता है (पस उसको यह भी मालूम है कि तौबा ख़ालिस की है या ग़ैर-ख़ालिस)।

और (जब कोई शख़्स कुफ़्र से तौबा करके मुसलमान हो गया तो उसकी जो इबादतें पहले क़ुबूल न होती थीं अब क़ुबूल होने लगेंगी, क्योंकि अल्लाह तआ़ला) उन लोगों की इबादत (बशर्ते कि दिखावे के लिये न हो) क़ुबूल करता है जो ईमान लाये और उन्होंने नेक अ़मल किये, (वो इबादतें यही नेक अ़मल हैं और उनको क़ुबूल करने का मतलब यह है कि उनको सवाब देता है) और (उस सवाब के अ़लावा जो अपने आप में उस अ़मल का मिलना चाहिये) उनको अपने फ़ज़्ल से और ज़्यादा (सवाब) देता है। (यह तो ईमान वालों के लिये हुआ) और जो लोग कुफ़्र कर रहे (यानी उस पर जमे हुए) हैं (और ईमान नहीं लाये) उनके लिये सख़्त अ़ज़ाब (मुक़र्रर) है।

मआ़रिफ़ व मसाईल

ऊपर दर्ज हुई आयतों में से पहली आयत में हक़ तआ़ला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की नुबुव्वत व रिसालत और क़ुरआन को ग़लत और ख़ुदा तआ़ला पर झूठ कहने वालों को अपना एक आ़म उसूल व नियम बतलाकर जवाब दिया है, जिसका ख़ुलासा यह है कि ऐसे काम जो आ़दतन इनसान नहीं कर सकते, जिनको ख़र्क़-ए-आ़दत या मोजिज़ा कहा जाता है, अगरचे बाज़े

साहिर जादूगर भी अपने जादू से ऐसे काम कर दिखाते हैं। यह तो ज़ाहिर है कि उन दोनों में से कोई भी बग़ैर अल्लाह तआ़ला के इरादे और मर्ज़ी के कुछ नहीं कर सकता, हक़ तआ़ला ही अपने फ़ज़्ल से नबियों की नुबुव्वत साबित करने के लिये उनको मोजिज़े अ़ता फ़रमाते हैं, जिनमें पैग़म्बर का कोई इख़्तियार नहीं होता।

इसी तरह जादूगरों का जादू भी अपनी हिक्मत और इम्तिहान व आज़माईश की बिना पर चलने देते हैं मगर जादू और मोजिज़े में फ़र्क़ और नबी और जादूगर में पहचान के लिये उसने यह उसूल व क़ायदा जारी कर रखा है कि जो शख़्स नुबुव्वत का झूठा दावा करे उसके हाथ से कोई जादू कामयाब नहीं होता, जब तक वह नुबुव्वत का दावा न करे जादू चलता है, नुबुव्वत का झूठा दावा करने के बाद उसका जादू अल्लाह तआ़ला नहीं चलने देते।

और जिनको अल्लाह तआ़ला नुबुव्वत व रिसालत अ़ता फ़रमाते हैं उनको मोजिज़े भी अ़ता फ़रमाते हैं और उनके मोजिज़ों का ज़ाहिर होना भी स्पष्ट फ़रमाते हैं। इस तरह तकवीनी और तक़दीरी तौर पर उनकी नुबुव्वत को साबित कर देते हैं। दूसरे अपने कलाम की आयतों में उनकी तस्दीक़ नाज़िल फ़रमा देते हैं।

जब यह उसूल व नियम मालूम हो गया तो अब यह समझो कि क़ुरआने करीम एक मोजिज़ा है कि तमाम दुनिया के जिन्नात व इनसान इसकी एक आयत की मिसाल बनाने से आ़जिज़ हैं, जिनका आ़जिज़ होना नुबुव्वत के ज़माने में साबित हो चुका और आज तक साबित है। ऐसा खुला हुआ मोजिज़ा नुबुव्वत के किसी झूठे दावेदार से उक्त उसूल व क़ायदे के एतिबार से ज़ाहिर नहीं हो सकता इसलिये आपका वही व रिसालत का दावा सही और हक़ है, उसको ग़लत और झूठ कहने वाले गुमराह और बोहतान लगाने वाले हैं।

दूसरी आयत में इनकारियों और मुख़ालिफ़ों को नसीहत की गयी है कि अब भी कुफ़्र व इनकार से बाज़ आ जायें और तौबा कर लें, अल्लाह तआ़ला बड़ा रहीम व करीम है, तौबा करने वालों की तौबा क़ुबूल फ़रमा लेता है और उनकी ख़ताओं को बख़्श देता है।

तौबा की हक़ीक़त

तौबा के लफ़्ज़ी मायने लौटने और रुजू करने के हैं, और शरई इस्तिलाह में किसी गुनाह से बाज़ आने को तौबा कहते हैं। इसके सही व मोतबर होने के लिये तीन शर्तें हैं:

एक यह कि जिस गुनाह में फ़िलहाल मुब्तला है उसको फ़ौरन छोड़ दे, दूसरे यह कि गुज़रे वक़्त में जो गुनाह हुआ उस पर शर्मिन्दा हो और तीसरे यह कि आईन्दा उसे छोड़ देने का पुख़्ता इरादा व अ़हद कर ले और कोई शरई फ़रीज़ा छोड़ा हुआ है तो उसे अदा या क़ज़ा करने में लग जाये। और अगर गुनाह बन्दों के हुक़ूक़ से संबन्धित है तो वह माल लौटाये या उससे माफ़ कराये, और अगर वह ज़िन्दा नहीं और उसके वारिस मौजूद हैं तो उनको लौटाये, अगर वारिस भी नहीं हैं तो बैतुल्माल में दाख़िल कराये, बैतुल्माल भी नहीं है या उसका इन्तिज़ाम सही नहीं है तो उसकी तरफ़ से सदका कर दे। और अगर कोई ग़ैर-माली हक़ किसी का अपने ज़िम्मे वाजिब है जैसे किसी को नाहक़ सताया है, बुरा भला कहा है, या उसकी ग़ीबत की है तो उसे जिस तरह मुम्किन हो राज़ी करके उससे माफ़ी

हासिल करे।

और यह तो हर क़िस्म की तौबा के लिये ज़रूरी है ही कि गुनाह का छोड़ना अल्लाह के लिये हो, अपनी किसी जिस्मानी कमज़ोरी व मजबूरी की बिना पर न हो, और शरीअ़त में असल मतलूब तो यह है कि तौबा सारे ही गुनाहों से की जाये, लेकिन अगर सिर्फ़ किसी ख़ास गुनाह से तौबा की गयी तो अहले सुन्नत हज़रात के मस्लक के मुताबिक़ उस गुनाह की हद तक तो माफ़ी हो जायेगी दूसरे गुनाहों का वबाल सर पर रहेगा।

وَلَوْ بَسَطَ اللّٰهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهٖ لَبَغَوْا فِي الْاَرْضِ وَلٰكِنْ يُّنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَآءُ ۭ
اِنَّهٗ بِعِبَادِهٖ خَبِيْرٌۢ بَصِيْرٌ ۝ وَهُوَ الَّذِيْ يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْۢ بَعْدِ مَا قَنَطُوْا وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهٗ ۭ وَهُوَ
الْوَلِيُّ الْحَمِيْدُ ۝ وَمِنْ اٰيٰتِهٖ خَلْقُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيْهِمَا مِنْ دَاۗبَّةٍ ۭ وَهُوَ عَلٰي
جَمْعِهِمْ اِذَا يَشَاۗءُ قَدِيْرٌ ۝ وَمَآ اَصَابَكُمْ مِّنْ مُّصِيْبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ اَيْدِيْكُمْ وَيَعْفُوْا عَنْ كَثِيْرٍ ۝
وَمَآ اَنْتُمْ بِمُعْجِزِيْنَ فِي الْاَرْضِ ښ وَمَا لَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ وَّلِيٍّ وَّلَا نَصِيْرٍ ۝ وَمِنْ اٰيٰتِهِ الْجَوَارِ
فِي الْبَحْرِ كَالْاَعْلَامِ ۝ اِنْ يَّشَاْ يُسْكِنِ الرِّيْحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلٰي ظَهْرِهٖ ۭ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ
شَكُوْرٍ ۝ اَوْ يُوْبِقْهُنَّ بِمَا كَسَبُوْا وَيَعْفُ عَنْ كَثِيْرٍ ۝ وَّيَعْلَمَ الَّذِيْنَ يُجَادِلُوْنَ فِيْٓ اٰيٰتِنَا ۭ مَا
لَهُمْ مِّنْ مَّحِيْصٍ ۝

व लौ ब-सतल्लाहुर्रिज़्-क़ लिअ़िबादिही ल-बग़ौ फ़िल्अर्ज़ि व लाकिंय्-युनज़्ज़िलु बि-क़-दरिम् मा यशा-उ, इन्नहू बिअ़िबादिही ख़बीरुम्-बसीर (27) व हुवल्लज़ी युनज़्ज़िलुल्-ग़ै-स मिम्बअ़्दि मा क़-नतू व यन्शुरु रह़्म-तहू, व हुवल् वलिय्युल्-हमीद (28) व मिन् आयातिही ख़ल्क़ुस्-समावाति वल्-अर्ज़ि व मा बस्-स फ़ीहिमा मिन् दाब्बतिन्, व हु-व अ़ला जम्अ़िहिम् इज़ा यशा-उ क़दीर। (29) ❁ ❖	और अगर फैला दे अल्लाह रोज़ी अपने बन्दों के लिये तो धूम उठा दें मुल्क में व लेकिन उतारता है माप कर जितनी चाहता है, बेशक वह अपने बन्दों की ख़बर रखता है देखता है। (27) और वही है जो उतारता है बारिश उसके बाद कि आस तोड़ चुके और फैलाता है अपनी रहमत, और वही है काम बनाने वाला सब तारीफ़ों के लायक़। (28) और उसकी एक निशानी है बनाना आसमानों का और ज़मीन का और जिस क़द्र बिखेरे हैं उनमें जानवर, और वह जब चाहे उन सब को इकट्ठा कर सकता है। (29) ❁ ❖

व मा असाबकुम् मिम्-मुसी-बतिन् फ़बिमा क-सबत् ऐदीकुम् व यअ़्फ़ू अ़न् कसीर (30) व मा अन्तुम् बिमुअ़्जिज़ी-न फ़िल्अर्ज़ि व मा लकुम् मिन् दूनिल्लाहि मिंव्वलिय्यिंव्-व ला नसीर (31) व मिन् आयातिहिल्-जवारि फ़िल्-बह्रि कल्-अअ़्लाम (32) इंय्यशअ् युस्किनिर्-री-ह फ़-यज़्लल्-न रवाकि-द अ़ला ज़ह्रिही, इन्-न फ़ी ज़ालि-क लआयातिल्-लिकुल्लि सब्बारिन् शकूर (33) औ यूबिक़्हुन्-न बिमा क-सबू व यअ़्फ़ु अ़न् कसीर (34) व यअ़्-लमल्लज़ी-न युजादिलू-न फ़ी आयातिना, मा लहुम् मिम्-महीस (35)	और जो पड़े तुम पर कोई सख़्ती सो वह बदला है उसका जो कमाया तुम्हारे हाथों ने और माफ़ करता है बहुत से गुनाह। (30) और तुम थका देने वाले नहीं भागकर ज़मीन में, और कोई नहीं तुम्हारा अल्लाह के सिवाय काम बनाने वाला और न मददगार। (31) और उसकी एक निशानी है कि जहाज़ चलते हैं दरिया में जैसे पहाड़। (32) अगर चाहे थाम दे हवा को फिर रहें सारे दिन ठहरे हुए उसकी पीठ पर, बेशक इस बात में पते हैं हर क़ायम रहने वाले के लिये जो एहसान माने। (33) या तबाह कर दे उनको उनकी कमाई की वजह से और माफ़ भी करे बहुतों को। (34) और ताकि जान लें वे लोग जो झगड़ते हैं हमारी क़ुदरतों में कि नहीं उनके लिये भागने की जगह। (35)

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

और (अल्लाह तआ़ला की हिक्मत वाली सिफ़त के आसार में से यह है कि उसने सब आदमियों को ज़्यादा माल नहीं दिया क्योंकि) अगर अल्लाह तआ़ला अपने सब बन्दों के लिये (मौजूदा हालात में जैसी उनकी तबीयतें हैं) रोज़ी कुशादा कर देता तो वे दुनिया में (उमूमी तौर पर) शरारत करने लगते (क्योंकि जब सारे इनसान मालदार होते और कोई किसी का बिल्कुल मोहताज न होता तो कोई भी किसी से न दबता), लेकिन (यह भी नहीं किया कि बिल्कुल ही किसी को कुछ न दिया हो, बल्कि) जितना रिज़्क़ चाहता है (मुनासिब) अन्दाज़ से (हर एक के लिये) उतारता है, (क्योंकि) वह अपने बन्दों (की मस्लेहतों) को जानने वाला (और उनका हाल) देखने वाला है। और वह ऐसा (रहीम) है जो (बहुत सी बार) लोगों के नाउम्मीद हो जाने के बाद बारिश बरसाता है और अपनी रहमत (के आसार दुनिया में) फैलाता है, (आसार से मुराद पेड़-पौधे और फल-फूल हैं) और वह (सब का) काम बनाने वाला (और उस काम बनाने पर) तारीफ़ के क़ाबिल है। और उस (की क़ुदरत) की निशानियों में से

आसमानों और ज़मीन का पैदा करना है, और उन जानदारों का जो उसने आसमान और ज़मीन में फैला रखे हैं, और वह (क़ियामत के दिन दोबारा ज़िन्दा करके) इन (मख़्लूक़ात) के जमा कर लेने पर भी जब वह (जमा करना) चाहे क़ादिर है।

और (वह बदला लेने वाला मगर साथ ही माफ़ करने वाला भी है चुनाँचे ऐ गुनाहगारो!) तुमको जो कुछ मुसीबत (हक़ीक़त में) पहुँचती है तो वह तुम्हारे ही हाथों के किये हुए कामों से (पहुँचती है और फिर भी हर गुनाह पर नहीं बल्कि बाज़े बाज़े गुनाहों पर) और बहुत (से गुनाहों) से तो दरगुज़र ही कर देता है (चाहे दोनों ज़हान में या सिर्फ़ दुनिया में)। और (अगर वह सब पर पकड़ करने लगे तो) तुम ज़मीन (के किसी हिस्से) में (पनाह लेकर उसको) हरा नहीं सकते, और (ऐसे वक़्त में) ख़ुदा तआ़ला के सिवा तुम्हारा कोई भी हामी और मददगार नहीं (हो सकता)। और उसकी (क़ुदरत की) निशानियों में से जहाज़ हैं समुद्र में (ऐसे ऊँचे) जैसे पहाड़ (मुराद यह है कि उनका समुद्र में चलना दलील है हक़ तआ़ला की अ़जीब कारीगरी की वरना) अगर वह चाहे हवा को ठहरा दे, तो वो (समुद्री जहाज़) समुद्र की सतह पर खड़े-के-खड़े रह जाएँ (यह उसी का काम है कि हवा को चलाता है और उससे वो जहाज़ चलते हैं) बेशक इसमें (क़ुदरत पर दलालत करने वाली) निशानियाँ हैं हर साबिर-शाकिर (यानी मोमिन) के लिये (इसकी वज़ाहत सूरः लुक़मान के आख़िरी रुकूअ़ में इसी क़िस्म के जुमले के तहत गुज़र चुकी। ग़र्ज़ कि अगर वह चाहे तो हवा को रोक करके जहाज़ों को खड़ा कर दे) या (अगर वह चाहे ज़ोर की हवा चलाकर) उन जहाज़ों (के सवारों) को उनके (कुफ़्र वग़ैरह बुरे) आमाल के सबब तबाह कर दे, और (उनमें) बहुत-से आदमियों से दरगुज़र कर जाये (यानी उस वक़्त ग़र्क़ न हों चाहे आख़िरत में सज़ा पाने वाले हों)। और (उस तबाही के वक़्त) उन लोगों को जो कि हमारी आयतों में झगड़े निकालते हैं मालूम हो जाये कि (अब) उनके लिये कहीं बचाव (की सूरत) नहीं (क्योंकि ऐसे वक़्तों में वे भी अपने गुमान किये और ख़ुद गढ़े हुए "ख़ुदाई के" शरीकों को आ़जिज़ समझते थे)।

मआ़रिफ़ व मसाईल

इन आयतों के मज़मून का पीछे से संबन्ध और शाने नुज़ूल

इन आयतों में अल्लाह तआ़ला ने तौहीद (अल्लाह के एक और अकेला माबूद होने) के अ़क़ीदे को साबित करने के लिये अपनी उस कामिल हिक्मत का तज़किरा फ़रमाया है जिसके ज़रिये उसने कायनात को एक मज़बूत व स्थिर निज़ाम में जकड़ा हुआ है, और मक़सद यह है कि कायनात का यह मज़बूत निज़ाम इस बात की खुली दलील है कि कोई हकीम व ख़बीर ज़ात इसे चला रही है।

इस मज़मून की शुरूआत हक़ तआ़ला ने अपने उस आर्थिक सिस्टम की तरफ़ इशारा फ़रमाकर की है जो उसने अपनी हिक्मत से दुनिया में जारी फ़रमाया है। और यह मज़मून पिछली आयतों से इस तरह जुड़ा है कि पिछली आयतों में यह बयान किया गया था कि अल्लाह तआ़ला मोमिनों की इबादत को क़ुबूल फ़रमाता है जिसमें उनकी दुआ़ओं का क़ुबूल होना भी दाख़िल है। अब यहाँ यह शुब्हा हो सकता था कि यह बात अधिकतर देखने में आती है कि मुसलमान अपने किसी दुनियावी

मक़सद के लिये दुआ करता है लेकिन वह मक़सद पूरा नहीं होता। इस इश्काल व शुब्हे का जवाब ऊपर दर्ज हुई आयतों में से सबसे पहली आयत में दिया गया है। उसका ख़ुलासा यह है कि इनसान की हर इच्छा का पूरा होना कई बार ख़ुद इनसान की व्यक्तिगत या सामूहिक मस्लेहत के ख़िलाफ़ होता है लिहाज़ा अगर किसी वक़्त किसी इनसान की कोई दुआ बज़ाहिर क़ुबूल न हो तो उसके पीछे कायनात की वो अ़ज़ीम मस्लेहतें होती हैं जिन्हें उसके पैदा करने वाले अ़लीम व हकीम के सिवा कोई नहीं जानता। अगर दुनिया के हर इनसान को हर क़िस्म का रिज़्क़ और हर क़िस्म की नेमतें अ़ता कर दी जायें तो दुनिया का यह निज़ाम हिक्मत के साथ चल ही नहीं सकता। (तफ़सीरे कबीर)

चुनाँचे कुछ रिवायतों से इसकी ताईद होती है कि यह आयत उन मोमिनों के बारे में नाज़िल हुई थी जो काफ़िरों की माल व दौलत देखकर तमन्ना किया करते थे कि यह वुस्अ़त व ख़ुशहाली हमें भी हासिल हो जाये। इमाम बग़वी रह. ने हज़रत ख़ब्बाब बिन अरत रज़ियल्लाहु अ़न्हु का यह क़ौल नक़ल किया है कि हमने बनू क़ुरैज़ा, बनू नज़ीर, और बनू क़ैनुक़ाअ़ के माल व दौलत को देखा तो हमारे दिलों में भी मालदारी की तमन्ना पैदा हुई, इस पर यह आयत नाज़िल हुई। और हज़रत अ़मर बिन हुरैस रज़ियल्लाहु अ़न्हु फ़रमाते हैं कि सुफ़्फ़ा वाले हज़रात में से कुछ ने हुज़ूरे पाक सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के सामने इस इच्छा का इज़्हार किया था कि अल्लाह तआ़ला हमें मालदार बना दे, इस पर यह आयत नाज़िल हुई। (तफ़सीर रूहुल-मआ़नी वग़ैरह)

दुनिया में दौलत की आ़म फ़रावानी फ़साद का सबब है

बहरहाल! आयत में यह इरशाद फ़रमाया गया है कि अगर दुनिया के हर शख़्स पर हर क़िस्म के रिज़्क़ और हर क़िस्म की नेमत की फ़रावानी (ज़्यादती व अधिकता) कर दी जाती तो इनसानों का एक दूसरे के ख़िलाफ़ बिगाड़ व फ़साद हद से बढ़ जाता। इसलिये कि दौलत की अधिकता की वजह से न कोई किसी का मोहताज होता और न कोई किसी से दबता। दूसरी तरफ़ मालदारी की एक ख़ासियत यह है कि जितनी दौलत बढ़ती है उतना ही लालच व हिर्स में भी इज़ाफ़ा होता है। इसका लाज़िमी नतीजा यह होता कि एक दूसरे की जायदाद व माल पर क़ब्ज़ा जमाने के लिये ज़ोर-ज़बरदस्ती का इस्तेमाल आ़म हो जाता, लड़ाई-झगड़े, सरकशी और दूसरे बुरे आमाल हद से ज़्यादा बढ़ जाते। इसलिये अल्लाह तआ़ला ने हर फ़र्द को हर क़िस्म का रिज़्क़ और हर क़िस्म की नेमत देने के बजाय उन नेमतों को अपने बन्दों पर इस तरह तक़सीम किया है कि किसी के पास माल व दौलत ज़्यादा है, कोई सेहत व क़ुव्वत में दूसरे से बढ़ा हुआ है, कोई हुस्न व जमाल से मालामाल है, किसी के पास इल्म व समझ की दौलत दूसरों से ज़्यादा है, ग़र्ज़ कि हर शख़्स किसी न किसी चीज़ के लिये दूसरों का मोहताज है, और इस आपसी ज़रूरत व आवश्यकता पर तमद्दुन की इमारत खड़ी है 'व लाकिंय्युनज़्ज़िलु बि-क़-दरिम् मा यशा-उ' का मतलब यही है कि अल्लाह ने अपनी नेमतें एक ख़ास अन्दाज़े से दुनिया के लोगों पर नाज़िल की हैं। और आगे 'इन्नहू बिअ़िबादिही ख़बीरुम् बसीर' (बिला शुब्हा वह अपने बन्दों को जानने वाला देखने वाला है) फ़रमाकर इस तरफ़ भी इशारा कर दिया कि अल्लाह तआ़ला ख़ूब जानता है कि किस शख़्स के लिये कौनसी नेमत मुनासिब है और कौनसी नुक़सानदेह, लिहाज़ उसने हर शख़्स को उसके हाल के मुनासिब नेमतें दी हैं। और अगर किसी से

कोई नेमत छीन ली है तो वह उसकी और पूरे आलम की मस्लेहत ही की बिना पर छीनी है। और यह बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि हर-हर फ़र्द के बारे में यह मस्लेहत हमारी समझ में भी आ जाये क्योंकि यहाँ हर इनसान अपनी मालूमात के एक सीमित दायरे में रहकर सोचता है और अल्लाह तआला के सामने पूरी कायनात की मस्लेहतें हैं, इसलिये उसकी तमाम हिक्मतों तक पहुँच मुम्किन ही नहीं है।

इसकी एक महसूस की जाने वाली मिसाल यह है कि किसी मुल्क का एक ईमानदार हाकिम व बादशाह बहुत सी बार ऐसे अहकाम जारी करता है जो कुछ अफ़राद के ख़िलाफ़ पड़ते हैं और वे उनकी वजह से मुसीबतों का शिकार हो जाते हैं। जो शख़्स इस तरह मुसीबतों का शिकार हुआ है वह चूँकि सिर्फ़ अपने फ़ायदे के सीमित दायरे में रहकर सोच रहा है इसलिये मुम्किन है कि उसे बादशाह और हाकिम का यह क़दम उठाना बुरा महसूस हो, लेकिन जिस शख़्स की निगाह पूरे मुल्क व क़ौम के हालात पर है और जो यह समझता है कि किसी एक शख़्स के फ़ायदे पर पूरे मुल्क को क़ुरबान नहीं किया जा सकता, वह उस इक़दाम को बुरा ख़्याल नहीं करता। अब जो ज़ात पूरी कायनात का निज़ाम चला रही है उसकी हिक्मतों का समझना और मुकम्मल इल्म हासिल करना आख़िर कैसे किया जा सकता है? अगर यह नुक्ता ज़ेहन में रहे तो वो दिल में आने वाले ख़्यालात और शुब्हे अपने आप ख़त्म हो सकते हैं जो दुनिया में किसी शख़्स को मुसीबतों में गिरफ़्तार देखकर पैदा होते हैं।

इसी आयत से यह भी मालूम होता है कि दुनिया के तमाम इनसानों का माल व दौलत में बराबर और समान होना न मुम्किन है न पसन्दीदा, और न दुनिया के इस निज़ाम के बनाने की मस्लेहतें इसका तक़ाज़ा करती हैं। इस मसले की पूरी तफ़सीर इन्शा-अल्लाह सूरः ज़ुख़रुफ़ की आयत 32 'नहनु क़सम्ना बैनहुम मओ़ीश-तहुम्........' के तहत आयेगी।

जन्नत और दुनिया का फ़र्क़

यहाँ यह शुब्हा हो सकता है कि जन्नत में तो तमाम इनसानों पर हर क़िस्म की नेमतों की फ़रावानी कर दी जायेगी, वहाँ यह चीज़ फ़साद (ख़राबी और बिगाड़) का सबब क्यों नहीं होगी? इसका जवाब यह है कि दुनिया में फ़साद का सबब माल व दौलत की फ़रावानी के साथ हिर्स व लालच के वो जज़्बात हैं जो दौलतमन्दी के साथ-साथ उमूमन बढ़ते ही रहते हैं, इसके उलट जन्नत में नेमतों की आ़म बारिश तो होगी लेकिन हिर्स व हवस और सरकशी के यह जज़्बात ख़त्म कर दिये जायेंगे, चुनाँचे वहाँ यह फ़साद ज़ाहिर नहीं होगा। हकीमुल-उम्मत हज़रत थानवी रह. ने ख़ुलासा-ए-तफ़सीर में "मौजूदा हालात में" के अलफ़ाज़ इसी तरफ़ इशारा करने के लिये बढ़ाये हैं।

(तफ़सीर बयानुल-क़ुरआन)

अब यहाँ यह एतिराज़ बिल्कुल फ़ुज़ूल है कि दुनिया में भी माल व दौलत की फ़रावानी करके हिर्स व हवस के जज़्बात क्यों न ख़त्म कर दिये गये? क्योंकि दुनिया के बनाने का मक़सद ही एक ऐसा जहान पैदा करना है जो ख़ैर व शर (अच्छाई और बुराई) दोनों की क़ुव्वतों से मुरक्कब हो, इसके बग़ैर इनसानों की वह आज़माईश मुम्किन ही नहीं है जो दुनिया के पैदा करने का असल मंशा है। लिहाज़ा अगर यहाँ इनसानों में से ये जज़्बात ख़त्म कर दिये जाते तो दुनिया की पैदाईश का असली

मक़सद ही ख़त्म हो जाता। इसके बरख़िलाफ़ जन्नत ख़ालिस ख़ैर पर मुश्तमिल होगी, इसलिये वहाँ ये जज़्बात ख़त्म कर दिये जायेंगे।

هُوَالَّذِیْ یُنَزِّلُ الْغَیْثَ مِنْ م بَعْدِ مَاقَنَطُوْا.

"और वह ऐसा है जो लोगों के नाउम्मीद हो जाने के बाद बारिश बरसाता है।"

यूँ तो अल्लाह तआ़ला की आ़म आ़दत है कि जब ज़मीन को पानी की सख़्त ज़रूरत होती है, बारिश बरसा देते हैं। लेकिन यहाँ "नाउम्मीद हो जाने के बाद" फ़रमाकर इस तरफ़ इशारा कर दिया गया है कि कभी-कभी बारी तआ़ला बारिश बरसाने में आ़म आ़दत के ख़िलाफ़ इतनी देरी कर देते हैं जिससे लोग नाउम्मीद होने लगें। इससे आज़माईश के अ़लावा इस बात पर तंबीह मक़सूद होती है कि बारिश और कहत (सूखा) सब अल्लाह की क़ुदरत के क़ब्ज़े में है, वह जब चाहता है लोगों के बुरे आमाल वग़ैरह की बिना पर बारिश रोक लेता है ताकि लोग उसकी रहमत की तरफ़ मुतवज्जह होकर उसके सामने आ़जिज़ी व इन्किसारी का इज़हार करें, वरना अगर बारिश का भी कोई लगा-बंधा वक़्त होता जिससे कभी ज़रा सा थी वक़्त इधर-उधर न हो तो तो लोग उसे पूरी तरह ज़ाहिरी असबाब के तहत समझकर अल्लाह तआ़ला की क़ुदरत से बेतवज्जोह हो जाते। और यहाँ "नाउम्मीद होने" से मुराद अपनी तदबीरों से नाउम्मीद होना है, वरना अल्लाह की रहमत से मायूसी तो कुफ़्र है।

وَمَا بَثَّ فِیْهِمَا مِنْ دَآبَّةٍ.

"दाब्बतुन" असल लुग़त में हर उस चीज़ को कहते हैं जो अपने इख़्तियार से चलने और हरकत करने वाली हो, बाद में यह लफ़्ज़ सिर्फ़ जानवरों के लिये इस्तेमाल होने लगा है। इस आयत में आसमान और ज़मीन दोनों की तरफ़ निस्बत करके यह कहा गया है कि उनमें अल्लाह तआ़ला ने बहुत सी चलने वाली मख़्लूक़ात पैदा की हैं, ज़मीन पर ये चलने वाली मख़्लूक़ात तो ज़ाहिर हैं, आसमान में इनसे मुराद फ़रिश्ते भी हो सकते हैं और यह भी मुम्किन है कि आसमानों में कुछ ऐसे जानवर मौजूद हों जो अभी तक इनसान के इल्म में नहीं आ सके।

बहरहाल! मक़सद यह है कि अगरचे दुनिया के निज़ाम की मस्लेहत से अल्लाह तआ़ला ने हर इनसान को माल व दौलत में वुस्अ़त अ़ता नहीं की, बल्कि एक हकीमाना अन्दाज़ से रिज़्क़ की तक़सीम फ़रमाई है, लेकिन कायनात की जो नेमतें उमूमी फ़ायदे की हैं उनसे हर शख़्स को नवाज़ा है। बारिश, बादल, ज़मीन, आसमान और उनकी मख़्लूक़ात सब इनसानों के फ़ायदे के लिये पैदा की गयी हैं और ये सब चीज़ें अल्लाह की वह्दानियत (एक और तन्हा माबूद होने) पर दलालत करती हैं। इसके बाद किसी शख़्स को कोई तकलीफ़ पहुँचती है तो वह उसके अपने आमाल की वजह से पहुँचती है, लिहाज़ा उसे उस पर अल्लाह तआ़ला का शिक्वा-शिकायत करने के बजाय अपने गिरेबान में मुँह डालना चाहिये

وَمَآ اَصَابَکُمْ مِّنْ مُّصِیْبَةٍ فَبِمَا کَسَبَتْ اَیْدِیْکُمْ وَیَعْفُوْا عَنْ کَثِیْرٍo

का यही मतलब है। हज़रत हसन रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि जब यह आयत नाज़िल हुई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि क़सम है उस ज़ात की जिसके क़ब्ज़े में मेरी जान है, जिस शख़्स को किसी लकड़ी से कोई ख़राश मिलती है, या कोई रग धड़कती है या

कृदम बहकता है, यह सब उसके गुनाह के सबब से होता है, और हर गुनाह की सज़ा अल्लाह तआ़ला नहीं देते बल्कि जो गुनाह अल्लाह तआ़ला माफ़ कर देते हैं वह उनसे बहुत ज़्यादा हैं जिन पर कोई सज़ा दी जाती है। हज़रत अशरफ़ुल-मशाईख़ ने फ़रमाया कि जिस तरह जिस्मानी अज़ीयतें और तकलीफ़ें गुनाहों के सबब आती हैं इसी तरह बातिनी रोग भी किसी गुनाह का नतीजा होते हैं। आदमी से कोई एक गुनाह हो गया तो वह सबब बन जाता है दूसरे गुनाहों में मुब्तला होने का, जैसा कि हाफ़िज़ इब्ने क़य्यिम रह. ने 'अद्दवाउश्शाफ़ी' में लिखा है कि गुनाह की एक नक़द सज़ा यह होती है कि उसके साथ दूसरे गुनाहों में मुब्तला हो जाता है, इसी तरह नेकी की एक नक़द जज़ा यह है कि एक नेकी दूसरी नेकी को खींच लाती है।

अ़ल्लामा बैज़ावी रह. वग़ैरह ने फ़रमाया कि यह आयत उन लोगों के लिये मख़्सूस है जिनसे गुनाह हो सकते हैं। अम्बिया अ़लैहिमुस्सलाम जो गुनाहों से मासूम (महफ़ूज़ व सुरक्षित) हैं या नाबालिग़ बच्चे और मजनूँ जिनसे कोई गुनाह नहीं होता, उनको जो तकलीफ़ व मुसीबत पहुँचती है वह इस हुक्म में दाख़िल नहीं, उसके दूसरे असबाब और हिक्मतें होती हैं, मसलन दर्जात को बुलन्द करना, और हक़ीक़त में उनकी हिक्मतों को पूरी तरह इनसान नहीं जान सकता। (वल्लाहु आलम)

फ़ायदा

हदीस की कुछ रिवायतों से साबित है कि जिन गुनाहों पर कोई सज़ा दुनिया में दे दी जाती है मोमिन के लिये उससे आख़िरत में माफ़ी हो जाती है। जैसा कि इमाम हाकिम रह. ने मुस्तद्रक में और बग़वी रह. ने हज़रत अ़ली कर्रमल्लाहु वज्हहू से मरफ़ूअ़न नक़ल किया है। (तफ़सीरे मज़हरी)

فَمَآ اُوْتِيْتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ وَّاَبْقٰى لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ ﴿٣٦﴾ وَالَّذِيْنَ يَجْتَنِبُوْنَ كَبٰٓئِرَ الْاِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَاِذَا مَا غَضِبُوْا هُمْ يَغْفِرُوْنَ ﴿٣٧﴾ وَالَّذِيْنَ اسْتَجَابُوْا لِرَبِّهِمْ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ ۖ وَاَمْرُهُمْ شُوْرٰى بَيْنَهُمْ ۖ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ﴿٣٨﴾ وَالَّذِيْنَ اِذَآ اَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُوْنَ ﴿٣٩﴾ وَجَزٰٓؤُا سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا ۚ فَمَنْ عَفَا وَاَصْلَحَ فَاَجْرُهٗ عَلَى اللّٰهِ ۚ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الظّٰلِمِيْنَ ﴿٤٠﴾ وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهٖ فَاُولٰٓئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِّنْ سَبِيْلٍ ﴿٤١﴾ اِنَّمَا السَّبِيْلُ عَلَى الَّذِيْنَ يَظْلِمُوْنَ النَّاسَ وَيَبْغُوْنَ فِي الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ۚ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿٤٢﴾ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ اِنَّ ذٰلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْاُمُوْرِ ﴿٤٣﴾

फ़मा ऊतीतुम् मिन् शैइन् फ़-मताअुल्-हयातिद्दुन्या व मा अ़िन्दल्लाहि ख़ैरुंव्-व अब्क़ा लिल्लज़ी-न आमनू व अ़ला रब्बिहिम्	सो जो कुछ मिला है तुमको कोई चीज़ हो सो वह बरत लेना है दुनिया की ज़िन्दगानी में और जो कुछ अल्लाह के यहाँ है बेहतर है और बाक़ी रहने वाला वास्ते ईमान वालों के जो अपने रब पर

य-तवक्कलून (36) वल्लज़ी-न यज्तनिबू-न कबा-इरल्-इस्मि वल्फ़वाहि-श व इज़ा मा ग़ज़िबू हुम् यग़्फ़िरून (37) वल्लज़ीनस्तजाबू लिरब्बिहिम् व अक़ामुस्सला-त व अम्रुहुम् शूरा बैनहुम् व मिम्मा रज़क़्नाहुम् युन्फ़िक़ून (38) वल्लज़ी-न इज़ा असा-बहुमुल्-बग़्यु हुम् यन्तसिरून (39) व जज़ा-उ सय्यि-अतिन् सय्यि-अतुम्-मिस्लुहा फ़-मन् अ़फ़ा व अस्ल-ह फ़-अज्रुहू अ़लल्लाहि, इन्नहू ला युहिब्बुज़्-ज़ालिमीन (40) व ल-मनिन्त-स-र बअ़्-द ज़ुल्मिही फ़-उलाइ-क मा अ़लैहिम् मिन् सबील (41) इन्नमस्सबीलु अ़लल्लज़ी-न यज़्लिमूनन्ना-स व यब्ग़ू-न फ़िल्अर्ज़ि बिग़ैरिल्-हक़्क़ि, उलाइ-क लहुम् अ़ज़ाबुन् अलीम (42) व ल-मन् स-ब-र व ग़-फ़-र इन्-न ज़ालि-क लमिन् अ़ज़्मिल्-उमूर (43) ✿

भरोसा रखते हैं। (36) और जो लोग कि बचते हैं बड़े गुनाहों से और बेहयाई से और जब ग़ुस्सा आये तो वे माफ़ कर देते हैं। (37) और जिन्होंने कि हुक्म माना अपने रब का और क़ायम किया नमाज़ को और काम करते हैं मश्विरे से आपस के और हमारा दिया कुछ ख़र्च करते हैं। (38) और वे लोग कि जब उन पर हो चढ़ाई तो वे बदला लेते हैं। (39) और बुराई का बदला है बुराई वैसी ही, फिर जो कोई माफ़ करे और सुलह करे सो उसका सवाब है अल्लाह के ज़िम्मे, बेशक उसको पसन्द नहीं आते गुनाहगार। (40) और जो कोई बदला ले अपने मज़्लूम होने के बाद सो उन पर भी नहीं कुछ इल्ज़ाम। (41) इल्ज़ाम तो उन पर है जो ज़ुल्म करते हैं लोगों पर और धूम उठाते हैं मुल्क में नाहक़, उन लोगों के लिये है दर्दनाक अज़ाब। (42) और अलबत्ता जिसने सहा और माफ़ किया बेशक ये काम हिम्मत के हैं। (43) ✿

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

(और तुम ऊपर सुन चुके हो कि दुनिया के तालिब की हर दुनियावी तमन्ना पूरी होती और आख़िरत से मेहरूम रहता है, और आख़िरत के तालिब को तरक़्क़ी होती है। साथ ही सुन चुके हो कि दुनिया के ज़्यादा माल-सामान का अन्जाम अच्छा नहीं, उससे अक्सर नुक़सानदेह आमाल पैदा होते हैं) सो (इससे साबित हुआ कि मतलूब बनाने के क़ाबिल दुनिया नहीं बल्कि आख़िरत है, और बाक़ी

दुनिया की चीज़ों में से) जो कुछ तुमको दिया-दिलाया गया है वह सिर्फ़ (चन्द दिन की) दुनियावी ज़िन्दगी के बरतने के लिये है (कि उम्र के ख़ात्मे के साथ उसका भी ख़ात्मा हो जायेगा) और जो (अज्र और सवाब आख़िरत में) अल्लाह तआ़ला के यहाँ है वह इससे कहीं बढ़ा हुआ और (हालत के एतिबार से भी) बेहतर है और (मात्रा के लिहाज़ से भी) ज़्यादा पायेदार (यानी हमेशा रहने वाला है। पस दुनिया की तलब छोड़कर आख़िरत की तलब करो, मगर आख़िरत के हासिल करने के लिये कम से कम शर्त तो ईमान लाना और कुफ़्र को छोड़ना है, और आख़िरत के मुकम्मल दर्जों के लिये तमाम वाजिबात व फ़राईज़ को इख़्तियार करना और तमाम गुनाहों को छोड़ना ज़रूरी है। और निकटता के दर्जे हासिल करने के लिये नफ़्ली इबादतों और नेकियों को अपनाना और नामुनासिब जायज़ चीज़ों को छोड़ देना भी पसन्दीदा है, चुनाँचे) वह (सवाब जिसकी तफ़सील ऊपर गुज़री) उन लोगों के लिये है जो ईमान ले आये और अपने परवर्दिगार पर भरोसा करते हैं, और जो कि बड़े गुनाहों से और (उनमें) बेहयाई की बातों से (ख़ास तौर पर ज़्यादा) बचते हैं, और जब उनको गुस्सा आता है तो माफ़ कर देते हैं।

और जिन लोगों ने कि अपने रब का हुक्म माना और वे नमाज़ के पाबन्द हैं, और उनका हर (अहम) काम (जिसमें शरीअ़त का कोई स्पष्ट हुक्म मौजूद न हो) आपस के मश्विरे से होता है, और हमने जो कुछ उनको दिया है उसमें से ख़र्च करते हैं। और जो ऐसे (इन्साफ़ वाले) हैं कि जब उन पर (किसी तरफ़ से कुछ) ज़ुल्म किया जाता है तो वे (अगर बदला लेते हैं तो) बराबर का बदला लेते हैं (ज़्यादती नहीं करते, और यह मतलब नहीं कि माफ़ नहीं करते) और (बराबर का बदला लेने के लिये हमने यह इजाज़त दे रखी है कि) बुराई का बदला वैसी ही बुराई है (बशर्ते कि वह काम अपने आप में गुनाह न हो) फिर (बदला लेने की इजाज़त के बाद) जो शख़्स माफ़ करे और (आपसी मामले की) इस्लाह करे (जिससे दुश्मनी जाती रहे और दोस्ती हो जाये) तो उसका सवाब (वायदे के मुताबिक़) अल्लाह के ज़िम्मे है (और जो बदला लेने में ज़्यादती करने लगे तो यह सुन ले कि) वाक़ई अल्लाह तआ़ला ज़ालिमों को पसन्द नहीं करता।

और जो (ज़्यादती न करे बल्कि) अपने ऊपर ज़ुल्म हो चुकने के बाद बराबर का बदला ले ले, सो ऐसे लोगों पर कोई इल्ज़ाम नहीं। इल्ज़ाम सिर्फ़ उन लोगों पर है जो लोगों पर ज़ुल्म करते हैं (चाहे शुरू में हो या बदला लेने के वक़्त) और नाहक़ दुनिया में सरकशी (और तकब्बुर) करते (फिरते) हैं (और यही तकब्बुर ज़ुल्म का सबब हो जाता है। और नाहक़ इसलिये कहा कि सरकशी और तकब्बुर हमेशा नाहक़ ही होता है। आगे उस इल्ज़ाम का बयान है कि) ऐसों के लिये दर्दनाक अ़ज़ाब (मुक़र्रर) है। और जो शख़्स (दूसरे के ज़ुल्म पर) सब्र करे और माफ़ कर दे, यह ज़रूर बड़े हिम्मत के कामों में से है (यानी ऐसा करना बेहतर और बुलन्द-हिम्मती का तक़ाज़ा है)।

मआ़रिफ़ व मसाईल

ऊपर ज़िक्र हुई आयतों में दुनिया की नेमतों का नाक़िस और फ़ानी होना और उसके मुक़ाबिल आख़िरत की नेमतों का कामिल भी होना और हमेशा रहने वाला होना बयान फ़रमाया है। और आख़िरत की नेमतों के हासिल करने के लिये सबसे अहम और बड़ी शर्त तो ईमान है कि इसके बग़ैर

वो नेमतें वहाँ किसी को न मिलेंगी। लेकिन ईमान के साथ अगर नेक आमाल का भी पूरा एहतिमाम कर लिया तो आख़िरत की ये नेमतें शुरू ही में मिल जायेंगी वर्ना अपने गुनाहों और कोताहियों की सज़ा भुगतने के बाद मिलेंगी। इसलिये उपरोक्त आयतों में सबसे पहली शर्त तो 'अल्लज़ी-न आमनू' बयान फ़रमाई, इसके बाद ख़ास-ख़ास आमाल का ज़िक्र फ़रमाया गया जिनके बग़ैर उसूल के मुताबिक़ आख़िरत की नेमतें शुरू से न मिलेंगी बल्कि अपने गुनाहों की सज़ा भुगतने के बाद मिलेंगी। और उसूल व नियम के मुताबिक़ इसलिये कहा गया कि अल्लाह तआ़ला चाहे तो सब गुनाहों को माफ़ फ़रमाकर शुरू ही में आख़िरत की नेमतें बड़े से बड़े गुनाहगार व बदकार को दे सकते हैं, वह किसी क़ानून के पाबन्द नहीं। अब वो आमाल व सिफ़ात देखिये जिनको इस जगह अहमियत से ज़िक्र फ़रमाया है।

पहली सिफ़तः

عَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ○

यानी हर काम और हर हाल में अपने रब पर भरोसा रखें, उसके सिवा किसी को असली कारसाज़ न समझें।

दूसरी सिफ़तः

اَلَّذِيْنَ يَجْتَنِبُوْنَ كَبٰٓئِرَ الْاِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ.

यानी जो बड़े गुनाहों से, ख़ास तौर पर बेहयाई के कामों से परहेज़ करने वाले हैं। बड़े गुनाह क्या हैं? इसकी तफ़सील सूरः निसा वग़ैरह में पहले बयान हो चुकी और अहक़र ने एक मुख़्तसार से रिसाले में बड़े और छोटे गुनाहों की पूरी फ़ेहरिस्त भी लिख दी है जो 'गुनाह-ए-बेलज़्ज़त' के नाम से प्रकाशित हो गया है।

बड़े गुनाहों में सभी गुनाह दाख़िल थे, उनमें से बेहयाई के कामों को अलग करके बयान फ़रमाने में यह हिक्मत है कि बेहयाई के गुनाह आम बड़े गुनाहों से ज़्यादा सख़्त भी हैं और वो एक फैलने वाले रोग होते हैं, जिससे दूसरे लोग भी प्रभावित होते हैं। फ़वाहिश का लफ़्ज़ उन कामों के लिये बोला जाता है जिनमें बेहयाई हो, जैसे ज़िना और उस तक ले जाने वाली चीज़ें, और वे बुरे आमाल जो ढिटाई के साथ खुले तौर पर किये जायें वो भी फ़वाहिश कहलाते हैं कि उनका वबाल भी बहुत सख़्त और पूरे इनसानी समाज को ख़राब करने वाला है।

तीसरी सिफ़तः

وَاِذَا مَا غَضِبُوْا هُمْ يَغْفِرُوْنَ○

यानी वे जब गुस्से में आते हैं तो माफ़ कर देते हैं। यह अच्छे अख़्लाक़ का आला नमूना है। क्योंकि किसी की मुहब्बत या किसी पर गुस्सा ये दोनों चीज़ें जब ग़ालिब आती हैं तो अच्छे भले अक़्लमन्द और क़ाबिल आदमी को अन्धा बहरा कर देती हैं। वह जायज़ व नाजायज़, हक़ व बातिल और अपने किये के परिणाम पर ग़ौर करने की सलाहियत खो बैठता है। जिस पर गुस्सा आता है उसकी कोशिश यह होने लगती है कि जितना हो सके उस पर गुस्सा उतारा जाये। मोमिनों व नेक लोगों की अल्लाह तआ़ला ने यह सिफ़त बयान फ़रमाई कि वे सिर्फ़ इसी पर बस नहीं करते कि गुस्से

के वक़्त हक़ व नाहक़ की हदों पर क़ायम रहें बल्कि अपना हक़ होते हुए भी माफ़ कर देते हैं।

चौथी सिफ़तः

اَلَّذِيْنَ اسْتَجَابُوْا لِرَبِّهِمْ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ.

इस्तिजाब से मुराद यह है कि अल्लाह तआ़ला की तरफ़ से जो हुक्म मिले उसको फ़ौरन बचून व चरा और बिना किसी संकोच के क़ुबूल करने और उस पर अ़मल करने के लिये तैयार हो जाये, वह अपनी तबीयत के मुताबिक़ हो या मुख़ालिफ़, हर हाल में उसकी तामील करे। इसमें इस्लाम के तमाम फ़राईज़ की अदायेगी और तमाम हराम व नाजायज़ और मक्रूह चीज़ों से बचने की पाबन्दी शामिल है, मगर फ़राईज़ में चूँकि नमाज़ सबसे अहम फ़र्ज़ है और इसमें यह विशेषता भी है कि इस पर अ़मल करने से दूसरे फ़राईज़ की पाबन्दी और मना की हुई चीज़ों से बचने की तौफ़ीक़ भी हो जाती है इसलिये इसको नुमायाँ और ख़ास करके बयान फ़रमा दिया 'अक़ामुस्सला-त' यानी ये लोग नमाज़ को उसके तमाम वाजिबात और आदाब के साथ सही-सही अदा करते हैं।

पाँचवीं सिफ़तः

وَاَمْرُهُمْ شُوْرٰى بَيْنَهُمْ.

यानी उनके काम आपस में मश्विरे से तय होते हैं। मुराद यह है कि अहम मामलात जिनमें शरीअ़त ने कोई ख़ास हुक्म मुतैयन नहीं कर दिया है उनको तय करने में ये आपसी मश्विरे से काम लेते हैं। अहम कामों की क़ैद ख़ुद लफ़्ज़ अम्र से समझ में आती है, क्योंकि उर्फ़ में अम्र ऐसे ही कामों के लिये बोला जाता है जिनकी अहमियत हो जैसा कि सूरः आले इमरान की आयतः

وَشَاوِرْهُمْ فِى الْاَمْرِ

(यानी आयत 159) के तहत तफ़सील गुज़र चुकी है। उसमें यह भी वाज़ेह कर दिया गया है कि अहम और बड़े मामलात में हुकमूत व रियासत के मामलात भी दाख़िल हैं और आ़म अहम मामलात भी। अ़ल्लामा इब्ने कसीर रह. ने फ़रमाया कि हुकूमत के अहम और बड़े मामलात में मश्विरा लेना वाजिब है। इस्लाम में अमीर का चुनाव भी मश्विरे पर मौक़ूफ़ करके ज़माना जाहिलीयत की शख़्सी (निजी और व्यक्तिगत) बादशाहतों को ख़त्म किया है, जिन्हें हुकूमत व रियासत विरासत के तौर पर मिलती थी इस्लाम ने सबसे पहले उसको ख़त्म करके असली लोकतंत्र की बुनियाद डाली, मगर पश्चिमी लोकतंत्र और प्रजातंत्र की तरह अ़वाम को हर तरह के इख़्तियारात नहीं रहते, शूरा वालों पर भी कुछ पाबन्दियाँ लगाई हैं। इस तरह इस्लाम का निज़ामे हुकूमत निजी बादशाहत और पश्चिमी लोकतंत्र दोनों से अलग एक बहुत ही मोतदिल (दरमियानी और सही) क़ानून है, इसकी तफ़सील मआ़रिफ़ुल-क़ुरआन की दूसरी जिल्द में (सूरः आले इमरान की आयत 159 की तफ़सीर के तहत) मुलाहिज़ा फ़रमायें।

इमाम जस्सास रह. ने अहकामुल-क़ुरआन में फ़रमाया कि इस आयत से मश्विरे की अहमियत स्पष्ट हो गयी और यह कि हमको इसका हुक्म है कि ऐसे मश्विरे वाले अहम कामों में जल्दबाज़ी और अपनी राय से काम न करें, अ़क़्ल व समझ वालों से मश्विरा लेकर क़दम उठायें।

मश्विरे की अहमियत और उसका तरीक़ा

ख़तीब-ए-बग़दादी ने हज़रत अ़ली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत किया है कि उन्होंने फ़रमाया- मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से अ़र्ज़ किया कि आपके बाद अगर हमें कोई ऐसा मामला पेश आये जिसमें क़ुरआन ने कोई फ़ैसला नहीं किया और आप से भी उसका कोई हुक्म हमें नहीं मिला तो हम कैसे अ़मल करें? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमायाः

اجمعوا له العابدین من امتی واجعلوه بینکم شوریٰ ولا تقضوا برای واحد. (روح المعانی بحوالہ خطیب)

"उसके लिये मेरी उम्मत के इबादत गुज़ारों को जमा कर लो और आपस में मश्विरा करके तय कर लो, किसी की तन्हा राय से फ़ैसला न करो।"

इस रिवायत के कुछ अलफ़ाज़ में फ़ुक़हा व आ़बिदीन का लफ़्ज़ आया है जिससे मालूम हुआ कि मश्विरा उन लोगों से लेना चाहिये जो फ़ुक़हा यानी दीन की समझ-बूझ रखने वाले और इबादत गुज़ार हों। 'रूहुल-मआ़नी' के लेखक ने फ़रमाया कि जो मश्विरा इस तरीक़े पर नहीं बल्कि बेइल्म बेदीन लोगों में दायर हो उसका फ़साद (ख़राबी) उसकी बेहतरी व ख़ूबी पर ग़ालिब रहेगा।

इमाम बैहक़ी रह. ने 'शुअ़बुल-ईमान' में हज़रत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत किया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि जिस शख़्स ने किसी काम का इरादा किया और उसमें मश्विरा लेकर अ़मल किया तो अल्लाह तआ़ला उसको 'अरशद उमूर' की तरफ़ हिदायत फ़रमा देगा, यानी उसका रुख़ उसी तरफ़ फेर देगा जो उसके लिये अन्जाम के एतिबार से ख़ैर और बेहतर हो। इसी तरह की एक हदीस इमाम बुख़ारी ने 'अल्-अदबुल्-मुफ़रद' में और अ़ब्द बिन हुमैद ने मुस्नद में हज़रत हसन रज़ियल्लाहु अ़न्हु से भी नक़ल की है, जिसमें आपने यही उपरोक्त आयत पढ़कर यह फ़रमाया हैः

ماتشاور قوم قط الاھدُوا لارشدامرھم.

"जब कोई क़ौम मश्विरे से काम करती है तो ज़रूर उनको सही रास्ते की तरफ़ हिदायत कर दी जाती है।"

एक हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि जब तक तुम्हारे अमीर व हाकिम वे लोग हों जो तुम सब में बेहतर हैं और तुम्हारे मालदार लोग सख़ी हों (कि अल्लाह की राह में और ग़रीबों पर ख़र्च करें) और तुम्हारे काम आपसी मश्विरे से तय हुआ करें उस वक़्त तक तुम्हारे लिये ज़मीन के ऊपर रहना यानी ज़िन्दा रहना बेहतर है, और जब तुम्हारे अमीर व हाकिम तुम्हारी क़ौम के बुरे लोग हो जायें और तुम्हारे मालदार बख़ील हो जायें और तुम्हारे काम औरतों के सुपुर्द हो जायें कि वे जिस तरह चाहें करें उस वक़्त तुम्हारे लिये ज़मीन की पीठ की बजाय ज़मीन का पेट बेहतर होगा, यानी ज़िन्दगी से मौत बेहतर होगी। (तफ़सीर रूहुल-मआ़नी)

छठी सिफ़तः

مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ○

यानी वे लोग अल्लाह के दिये हुए रिज़्क़ में से नेक कामों में ख़र्च करते हैं, जिसमें ज़कात, फ़र्ज़

और नफ़्ली सदके सब शामिल हैं। क़ुरआन के आम अन्दाज़ के मुताबिक़ ज़कात व सदक़ात का ज़िक्र नमाज़ के साथ आना चाहिये था यहाँ नमाज़ के ज़िक्र के बाद मश्चिरे का मसले पहले बयान करके फिर ज़कात का बयान आया, इसमें शायद इस तरफ़ इशारा हो कि नमाज़ के क़ायम करने के लिये मस्जिदों में पाँच वक़्त इज्तिमा होता है, उस इज्तिमे से मश्चिरे के मामलों में मश्चिरा लेने का काम भी लिया जा सकता है। (तफ़सीर रूहुल-मआ़नी)

सातवीं सिफ़तः

وَالَّذِيْنَ اِذَآ اَصَابَهُمُ الْبَغْىُ هُمْ يَنْتَصِرُوْنَ○

यानी जब इन पर कोई ज़ुल्म करता है तो ये बराबर का इन्तिक़ाम लेते हैं, उसमें बराबरी की हद से आगे नहीं बढ़ते। यह सिफ़त हकीकत में तीसरी सिफ़त की वज़ाहत व तफ़सील है। क्योंकि तीसरी सिफ़त का मज़मून यह था कि ये लोग अपने मुख़ालिफ़ को माफ़ कर देते हैं मगर बाज़े हालात ऐसे भी पेश आ सकते हैं कि माफ़ कर देने से फ़साद बढ़ता है तो वहाँ इन्तिक़ाम (बदला) लेना ही बेहतर होता है। उसका क़ानून इस आयत में बतला दिया कि अगर किसी जगह इन्तिक़ाम लेना ही मस्लेहत समझा जाये तो इसका ख़्याल रखना ज़रूरी है कि उस बदला लेने में बराबरी से आगे न बढ़ें वरना ये ख़ुद ज़ालिम हो जायेंगे। इसी लिये इसके बाद फ़रमायाः

وَجَزٰٓؤُا سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا.

यानी बुराई की जज़ा (बदला) उसके बराबर बुराई करना है। यानी जितना नुक़सान माली या जिस्मानी किसी ने तुम्हें पहुँचाया है ठीक उतना ही तुम पहुँचा दो। जैसी बुराई उसने तुम्हारे साथ की है वैसी ही तुम कर लो, मगर इसमें यह शर्त है कि वह बुराई अपनी ज़ात में गुनाह न हो। मसलन किसी शख़्स ने उसको शराब जबरन पिला दी तो इसके जवाब में उसके लिये जायज़ न होगा कि वह उसको ज़बरदस्ती शराब पिला दे।

इस आयत में अगरचे बराबर का बदला लेने की इजाज़त दे दी गयी है मगर आगे यह भी फ़रमा दिया किः

فَمَنْ عَفَا وَاَصْلَحَ فَاَجْرُهٗ عَلَى اللّٰهِ.

यानी जो माफ़ कर दे और इस्लाह का रास्ता इख़्तियार करे उसका अज्र अल्लाह के ज़िम्मे है। जिसमें यह हिदायत कर दी कि माफ़ कर देना अफ़ज़ल है। इसके बाद की दो आयतों में इसी की और अधिक तफ़सील आई है।

माफ़ करने और बदला लेने में मोतदिल फ़ैसला

हज़रत इब्राहीम नख़ई रह. ने फ़रमाया कि पहले बुज़ुर्ग हज़रात यह पसन्द न करते थे कि मोमिन लोग अपने आपको बुरे लोगों और फ़ासिक़ों के सामने ज़लील करें और उनकी जुर्रत बढ़ जाये इसलिये जहाँ यह ख़तरा हो कि माफ़ करने से बदकारों की जुर्रत बढ़ेगी, वे दूसरे नेक लोगों को सतायेंगे वहाँ इन्तिक़ाम ले लेना बेहतर होगा, और माफ़ी का अफ़ज़ल होना उस सूरत में है जबकि ज़ुल्म करने वाला अपने फ़ेल (हरकत) पर शर्मिन्दा हो और ज़ुल्म पर उसकी जुर्रत बढ़ जाने का ख़तरा न हो। क़ाज़ी

अबू बक्र इब्ने अ़रबी ने अहकामुल-क़ुरआन में और अ़ल्लामा क़ुर्तुबी ने अपनी तफ़सीर में इसी को इख़्तियार किया है कि माफ़ी व इन्तिक़ाम के दोनों हुक्म अलग-अलग हालात के एतिबार से हैं। जो ज़ुल्म करने के बाद शर्मिन्दा हो जाये उसको माफ़ कर देना अफ़ज़ल है और जो अपनी ज़िद और ज़ुल्म पर जमा हुआ हो उससे इन्तिक़ाम (बदला) लेना अफ़ज़ल है।

और हज़रत अशरफ़ुल-मशाईख़ ने बयानुल-क़ुरआन में इसको इख़्तियार फ़रमाया कि अल्लाह तआ़ला ने इन दोनों आयतों में पक्के सच्चे मोमिनों और नेक हज़रात की दो ख़ुसूसियतें (विशेषतायें) ज़िक्र फ़रमाई हैं- 'हुम् यग़्फ़िरून' में तो यह बतलाया कि ये ग़ुस्से में मग़लूब नहीं होते बल्कि रहम व करम इनके मिज़ाज में ग़ालिब रहता है, माफ़ कर देते हैं। और 'हुम् यन्तसिरून' में यह बतलाया कि ये भी उन्हें नेक लोगों की ख़ुसूसियत है कि अगर कभी ज़ुल्म का बदला लेने का तक़ाज़ा और जज़्बा उनके दिल में पैदा भी हो और बदला लेने लगें तो उसमें हक़ से आगे नहीं निकलते, अगरचे माफ़ कर देना उनके लिये अफ़ज़ल (बेहतर और अच्छा) है।

وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهٗ مِنْ وَّلِيٍّ مِّنْ بَعْدِهٖ ؕ وَتَرَى الظّٰلِمِيْنَ لَمَّا رَاَوُا الْعَذَابَ يَقُوْلُوْنَ هَلْ اِلٰى مَرَدٍّ مِّنْ سَبِيْلٍ ۝ وَتَرٰىهُمْ يُعْرَضُوْنَ عَلَيْهَا خٰشِعِيْنَ مِنَ الذُّلِّ يَنْظُرُوْنَ مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍّ ؕ وَقَالَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّ الْخٰسِرِيْنَ الَّذِيْنَ خَسِرُوْٓا اَنْفُسَهُمْ وَاَهْلِيْهِمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ؕ اَلَآ اِنَّ الظّٰلِمِيْنَ فِيْ عَذَابٍ مُّقِيْمٍ ۝ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِّنْ اَوْلِيَآءَ يَنْصُرُوْنَهُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ ؕ وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهٗ مِنْ سَبِيْلٍ ۝ اِسْتَجِيْبُوْا لِرَبِّكُمْ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَ يَوْمٌ لَّا مَرَدَّ لَهٗ مِنَ اللّٰهِ ؕ مَا لَكُمْ مِّنْ مَّلْجَاٍ يَّوْمَئِذٍ وَّمَا لَكُمْ مِّنْ نَّكِيْرٍ ۝ فَاِنْ اَعْرَضُوْا فَمَآ اَرْسَلْنٰكَ عَلَيْهِمْ حَفِيْظًا ؕ اِنْ عَلَيْكَ اِلَّا الْبَلٰغُ ؕ وَاِنَّآ اِذَآ اَذَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا ۚ وَاِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌۢ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْهِمْ فَاِنَّ الْاِنْسَانَ كَفُوْرٌ ۝ لِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ ؕ يَهَبُ لِمَنْ يَّشَآءُ اِنَاثًا وَّيَهَبُ لِمَنْ يَّشَآءُ الذُّكُوْرَ ۝ اَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَّاِنَاثًا ۚ وَيَجْعَلُ مَنْ يَّشَآءُ عَقِيْمًا ؕ اِنَّهٗ عَلِيْمٌ قَدِيْرٌ ۝

व मंय्युज़्लिलिल्लाहु फ़मा लहू मिंव्-वलिय्यिम्-मिम्-बअ्दिही, व तरज़्-ज़ालिमी-न लम्मा र-अवुल्-अ़ज़ा-ब यक़ूलू-न हल् इला मरद्दिम्-मिन् सबील (44) व तराहुम् युअ्रज़ू-न	और जिसको राह न सुझाये अल्लाह तो कोई नहीं उसका काम बनाने वाला उसके सिवा, और तू देखे गुनाहगारों को जिस वक़्त देखेंगे अ़ज़ाब कहेंगे किसी तरह फिर जाने की भी होगी कोई राह। (44) और तू देखे उनको कि सामने लाये जायें

अ़लैहा ख़ाशिअ़ी-न मिनज़्ज़ुल्लि यन्ज़ुरू-न मिन् तर्फ़िन् ख़फ़िय्यिन्, व क़ालल्लज़ी-न आमनू इन्नल्-ख़ासिरीनल्लज़ी-न ख़सिरू अन्फ़ु-सहुम् व अह्लीहिम् यौमल्-क़ियामति, अला इन्नज़्ज़ालिमी-न फ़ी अ़ज़ाबिम्-मुक़ीम (45) व मा का-न लहुम् मिन् औलिया-अ यन्सुरूनहुम् मिन् दूनिल्लाहि, व मंय्युज़्लिलिल्लाहु फ़मा लहू मिन् सबील (46) इस्तजीबू लि-रब्बिकुम् मिन् क़ब्लि अंय्यअ्ति-य यौमुल्-ला मरद्-द लहू मिनल्लाहि, मा लकुम् मिम्-मल्ज-इंय्यौमइज़िंव्-व मा लकुम् मिन्-नकीर (47) फ़-इन् अअ्रज़ू फ़मा अर्सल्ना-क अ़लैहिम् हफ़ीज़न्, इन् अ़लै-क इल्लल्-बलाग़ु, व इन्ना इज़ा अज़क़्नल्-इन्सा-न मिन्ना रह्म-तन् फ़रि-ह बिहा व इन् तुसिब्हुम् सय्यि-अतुम् बिमा क़द्द-मत् ऐदीहिम् फ़-इन्नल्-इन्सा-न कफ़ूर (48) लिल्लाहि मुल्कुस्समावाति वल्अर्ज़ि, यख़्लुक़ु मा यशा-उ, य-हबु लिमंय्यशा-उ इनासंव्-व य-हबु लिमंय्यशाउज़्ज़ुकूर (49) औ

आग के आँखें झुकाये हुए ज़िल्लत से देखते होंगे छुपी निगाह से और कहें वे लोग जो ईमान वाले थे बेशक टोटे वाले वही हैं जिन्होंने गंवाया अपनी जान को और अपने घर वालों को क़ियामत के दिन, सुनता है! गुनाहगार पड़े हैं सदा के अ़ज़ाब में। (45) और कोई न हुए उनके हिमायती जो मदद करते उनकी अल्लाह के सिवा, और जिसको भटकाये अल्लाह उसके लिये कहीं नहीं राह। (46) मानो अपने रब का हुक्म इससे पहले कि आये वह दिन जिसको फिरना नहीं अल्लाह के यहाँ से, नहीं मिलेगा तुमको बचाव उस दिन और न मिलेगा ग़ायब हो जाना। (47) फिर अगर वे मुँह फेरें तो तुझको नहीं भेजा हमने उन पर निगहबान, तेरा ज़िम्मा तो बस यही है पहुँचा देना। और हम जब चखाते हैं आदमी को अपनी तरफ़ से रहमत उस पर फूला नहीं समाता और अगर पहुँचती है उनको कुछ बुराई बदले में अपनी कमाई के तो इनसान बड़ा नाशुक्रा है। (48) अल्लाह का राज है आसमानों में और ज़मीन में, पैदा करता है जो चाहे बख़्शता है जिसको चाहे बेटियाँ और बख़्शता है जिसको चाहे बेटे (49) या उनको देता है

युज़व्विजुहुम् ज़ुक्रानंव्-व इनासन् व यज्अलु मंय्यशा-उ अ़क़ीमन्, इन्नहू अ़लीमुन् क़दीर (50)	जोड़े बेटे और बेटियाँ और कर देता है जिसको चाहे बाँझ, वह है सब कुछ जानता कर सकता। (50)

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

(यह हाल तो हिदायत वालों का था कि वे दुनिया में अल्लाह की तरफ़ से हिदायत और आख़िरत में सवाब से सम्मानित हुए) और (आगे गुमराह लोगों का हाल सुनो, वह यह है कि) जिसको अल्लाह तआ़ला गुमराह कर दे तो उसके बाद उस शख़्स का (दुनिया में भी) कोई मददगार नहीं (कि उसको राह पर ले आये) और (क़ियामत में भी बुरा हाल होगा। चुनाँचे उस रोज़) आप (उन) ज़ालिमों को देखेंगे जिस वक़्त कि उनको अ़ज़ाब का मुआ़यना होगा कि (बहुत ही अफ़सोस व शर्मिन्दगी से) कहते होंगे कि क्या (दुनिया में) वापस जाने की कोई सूरत (हो सकती) है? (ताकि फिर अच्छे अ़मल करके आयें) और (साथ ही) आप उनको इस हालत में देखेंगे कि वे दोज़ख़ के सामने लाये जाएँगे ज़िल्लत के मारे झुके हुए होंगे (और वह उसको) सुस्त- (सुस्त) निगाह से देखते होंगे (जैसे डरा हुआ आदमी देखा करता है, और एक दूसरी आयत में जो नाबीना होने की ख़बर दी है वह हश्र के वक़्त है और यह उसके बाद का वाक़िआ़ है, चुनाँचे वहाँ लफ़्ज़ 'नह्शुरुहू' की वज़ाहत है) और (उस वक़्त) ईमान वाले (अपने बचने पर शुक्र करने के लिये और उन पर मलामत करने के लिये) कहेंगे कि पूरे घाटे वाले वे लोग हैं जो अपनी जानों से और अपने संबन्धियों से (आज) क़ियामत के दिन घाटे में पड़े (इसकी तफ़सीर सूरः ज़ुमर के दूसरे रुकूअ़ में गुज़र चुकी है) याद रखो कि ज़ालिम (यानी मुश्रिक और काफ़िर) लोग हमेशा के अ़ज़ाब में (गिरफ़्तार) रहेंगे और (वहाँ) उनके कोई मददगार न होंगे जो ख़ुदा से अलग (होकर) उनकी मदद करें। और जिसको ख़ुदा गुमराह कर दे उस (की निजात) के लिये कोई रास्ता ही नहीं (यानी न उज़्र करना, न किसी की मदद, न और कुछ)।

(आगे काफ़िरों से ख़िताब है कि ऐ लोगो! जब तुमने क़ियामत के ये हौलनाक हालात सुन लिये तो) तुम अपने रब का (ईमान वग़ैरह का) हुक्म मान लो इससे पहले कि ऐसा दिन आ पहुँचे जिसके लिये ख़ुदा की तरफ़ से हटना न होगा (यानी जिस तरह दुनिया में अ़ज़ाब हटता जाता है आख़िरत में ऐसी कोई सूरत न होगी, और) न तुमको उस दिन कोई (और) पनाह मिलेगी और न तुम्हारे बारे में कोई (ख़ुदा से) रोक-टोक करने वाला है (कि इतना ही पूछ ले कि इनका यह हाल क्यों बनाया गया। और ऐ पैग़म्बर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम इन लोगों को यह सुना दीजिये) फिर अगर ये लोग (यह सुनकर भी) मुँह मोड़ें (और ईमान न लायें) तो (आप फ़िक्र और ग़म में न पड़ें, क्योंकि) हमने आपको इन पर निगराँ करके नहीं भेजा (जिससे कि आपको ख़ुद से पूछताछ का अन्देशा हो), आपके ज़िम्मे तो सिर्फ़ (हुक्म का) पहुँचा देना है (जिसको आप कर रहे हैं, फिर आप इससे ज़्यादा फ़िक्र क्यों करें) और (उनके हक़ से मुँह मोड़ने का सबब अल्लाह के साथ ताल्लुक़ की कमज़ोरी है, जिसकी निशानी यह है कि) हम जब (इस क़िस्म के) आदमी को अपनी इनायत का मज़ा चखा देते हैं तो वह उस पर

(इतराकर) ख़ुश हो जाता है (और नेमत देने वाले पर निगाह करके शुक्र नहीं करता) और अगर (ऐसे) लोगों पर उनके (उन बुरे) आमाल के बदले में जो पहले अपने हाथों कर चुके हैं कोई मुसीबत आ पड़ती है तो (ऐसा) आदमी नाशुक्री करने लगता है (और ऐसा नहीं करता कि गुनाहों से तौबा व इस्तिग़फ़ार करके इबादत व नेकी के ज़रिये अल्लाह की तरफ़ रुजू हो, और ये दोनों हालतें इस बात की निशानी हैं कि उसका ताल्लुक़ अपनी नफ़्सानी लज़्ज़तों के साथ ज़्यादा और अल्लाह तआ़ला के साथ नहीं है या कमज़ोर है, और इसी से वह कुफ़्र में मुब्तला हुआ है। और चूँकि यह हालत उन लोगों की तबीयत का हिस्सा बन गयी है इसलिये उनसे आप ईमान की उम्मीद ही क्यों रखें जो ग़म का करण बने। आगे फिर तौहीद का बयान है कि) अल्लाह तआ़ला ही की है (सब) बादशाहत आसमानों की और ज़मीन की, वह जो चाहता है पैदा करता है (चुनाँचे) जिसको चाहता है बेटियाँ अ़ता फ़रमाता है और जिसको चाहता है बेटे अ़ता फ़रमाता है। या उनको (जिसके लिये चाहे) जमा कर देता है (कि) बेटे भी (देता है) और बेटियाँ भी, और जिसको चाहता है बेऔलाद रखता है। बेशक वह बड़ा जानने वाला, बड़ी क़ुदरत वाला है।

मआ़रिफ़ व मसाईल

उपर्युक्त आयतों की शुरू की आयतों में उन लोगों का अन्जाम बयान हुआ है जो नेक मोमिनों के मुक़ाबले में बजाय आख़िरत की फ़िक्र के सिर्फ़ दुनिया की लज़्ज़त व राहत के तलबगार हैं। इसके बाद 'इस्तजीबू लि-रब्बिकुम्' में उनको नसीहत की गयी है कि क़ियामत का अ़ज़ाब आने से पहले तौबा कर लें और ईमान ले आयें। और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को तसल्ली और इत्मीनान दिलाया गया है कि आपकी बार-बार तब्लीग़ और कोशिश के बावजूद अगर ये लोग होश में न आयें तो आप ग़म न करें:

فَاِنْ اَعْرَضُوْا فَمَآ اَرْسَلْنٰكَ عَلَيْهِمْ حَفِيْظًا.

का यही मतलब है।

आख़िरी आयतों (यानी आयत नम्बर 49 और 50) में कायनात की पैदाईश और बनाने में जो हक़ तआ़ला की कामिल क़ुदरत और पूर्ण हिक्मत का नज़ारा होता है जिसमें कोई उसका शरीक नहीं, इनको बयान करके तौहीद की दावत दी गयी है। इस सिलसिले में आसमानों और ज़मीन के बनाने का ज़िक्र फ़रमाने के बाद क़ुदरत का एक उसूल व नियम बयान फ़रमाया कि 'यख़्लुक़ु मा यशा-उ' यानी उसको हर बड़ी-छोटी चीज़ के बनाने पर पूरी क़ुदरत है, वह जब चाहे जो चाहे पैदा कर देता है। इसी सिलसिले में इनसान की पैदाईश का ज़िक्र फ़रमायाः

يَهَبُ لِمَنْ يَّشَآءُ اِنَاثًا وَّيَهَبُ لِمَنْ يَّشَآءُ الذُّكُوْرَ ○ اَوْيُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَّاِنَاثًا. وَيَجْعَلُ مَنْ يَّشَآءُ عَقِيْمًا. اِنَّهٗ عَلِيْمٌ قَدِيْرٌ○

यानी इनसान की तख़्लीक़ (पैदा करने और बनाने) में किसी के इरादे व इख़्तियार बल्कि इल्म व ख़बर का भी कोई दख़ल नहीं, और किसी का दख़ल तो क्या होता इनसान के माँ-बाप जो उसकी पैदाईश का ज़ाहिरी सबब बनते हैं ख़ुद उनके इरादे और इख़्तियार का भी बच्चे की तख़्लीक़ (पैदाईश)

में कोई दख़ल नहीं। पैदाईश में दख़ल होना तो दूर की बात, बच्चे की पैदाईश से पहले माँ को भी कुछ ख़बर नहीं होती कि उसके पेट में क्या, कैसा और किस तरह बन रहा है, यह सिर्फ़ हक़ तआ़ला का काम है कि किसी को औलाद लड़कियाँ दे देता है किसी को नरीना औलाद लड़के बख़्श देता है, किसी को लड़के और लड़कियाँ दोनों अ़ता फ़रमा देता है और किसी को बिल्कुल बाँझ कर देता है, कि उनसे कोई औलाद नहीं होती।

इन आयतों में बच्चों की किस्में बयान करने में हक़ तआ़ला ने पहले लड़कियों का ज़िक्र फ़रमाया है लड़कों का ज़िक्र बाद में किया है। इसी आयत के इशारे से हज़रत वासिला बिन अस्क़ा रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने फ़रमाया कि जिस औरत के पेट से पहले लड़की पैदा हो वह मुबारक होती है। (क़ुर्तुबी)

وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ ۚ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ ﴿٥١﴾ وَكَذَٰلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا ۚ مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَٰكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا ۚ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٥٢﴾ صِرَاطِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ أَلَا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ ﴿٥٣﴾

व मा का-न लि-ब-शरिन् अंय्युकल्लि-महुल्लाहु इल्ला वह्यन् औ मिंव्वरा-इ हिजाबिन् औ युर्सि-ल रसूलन् फ़यूहि-य बि-इज़्निही मा यशा-उ, इन्नहू अ़लिय्युन् हकीम (51) व कज़ालि-क औहैना इलै-क रूहम्-मिन् अम्रिना, मा कुन्-त तद्री मल्किताबु व लल्ईमानु व लाकिन् ज-अ़ल्नाहु नूरन्-नह्दी बिही मन् नशा-उ मिन् अ़िबादिना, व इन्न-क ल-तह्दी इला सिरातिम्-मुस्तक़ीम (52) सिरातिल्लाहिल्लज़ी लहू मा फ़िस्समावाति व मा फ़िल्अर्ज़ि, अला इलल्लाहि तसीरुल्-उमूर (53) ❁

और किसी आदमी की ताक़त नहीं कि उससे बातें करे अल्लाह मगर इशारे से या पर्दे के पीछे से, या भेजे कोई पैग़ाम लाने वाला फिर पहुँचा दे उसके हुक्म से जो वह चाहे, तहक़ीक़ वह सबसे ऊपर है हिक्मतों वाला। (51) और इसी तरह भेजा हमने तेरी तरफ़ एक फ़रिश्ता अपने हुक्म से तू न जानता था कि क्या है किताब और न ईमान व लेकिन हमने रखी है यह रोशनी इससे राह सुझा देते हैं जिसको चाहें अपने बन्दों में, और बेशक तू सुझाता है सीधी राह (52) राह अल्लाह की, उसी का है जो कुछ है आसमानों में और ज़मीन में, सुनता है! अल्लाह ही तक पहुँचते हैं सब काम। (53) ❁

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

और किसी इनसान की (मौजूदा हालत में) यह शान नहीं कि अल्लाह उससे कलाम फ़रमाये मगर (तीन तरह से) या तो इल्हाम से (कि दिल में कोई अच्छी बात डाल दे) या आड़ और पर्दे के बाहर से (कुछ कलाम सुना दे जैसे कि मूसा अ़लैहिस्सलाम ने सुना था) या किसी फ़रिश्ते को भेज दे कि वह ख़ुदा के हुक्म से जो ख़ुदा को मन्ज़ूर होता है पैग़ाम पहुँचा देता है। (इसकी वजह यह है कि) वह बड़ी बुलन्द शान वाला है (जब तक वह ख़ुद ताक़त न दे कोई उससे हमकलाम नहीं हो सकता, मगर इसके साथ) बड़ी हिक्मत वाला (भी) है (इसी लिये बन्दों की मस्लेहत से उसने कलाम के तीन मज़कूरा तरीक़े मुक़र्रर फ़रमा दिये हैं)। और (जिस तरह इनसान के साथ हमारे हमकलाम होने का तरीक़ा बयान किया गया है) इसी तरह (यानी इस क़ायदे के मुताबिक़) हमने आपके पास (भी) वही यानी अपना हुक्म भेजा है (और आपको नबी बनाया है, और यह वही ऐसा हिदायत नामा है कि आपके बेमिसाल उलूम में इसी की बदौलत तरक़्क़ी हुई, चुनाँचे इससे पहले) आपको न यह ख़बर थी कि (अल्लाह की) किताब क्या चीज़ है, और न यह ख़बर थी कि ईमान (के कमाल की इन्तिहा) क्या है (अगरचे जहाँ तक ईमान की बात है तो वह नबी को नुबुव्वत से पहले भी हासिल होता है) लेकिन हमने (आपको नुबुव्वत और क़ुरआन दिया और) इस क़ुरआन को (सब से पहले आपके लिये और बाद में दूसरों के लिये) एक नूर बनाया (जिससे आपको यह अ़ज़ीम उलूम और बुलन्द मर्तबे वाले हालात हासिल हुए और) जिसके ज़रिये हम अपने बन्दों में से जिसको चाहते हैं हिदायत करते हैं (पस इसके अ़ज़ीम नूर होने में कोई शुब्हा नहीं, अब जो अंधा ही हो वह इस नूर के नफ़े से मेहरूम बल्कि इसका इनकारी है, जैसे ये एतिराज़ करने वाले लोग) और इसमें कोई शुब्हा नहीं कि आप (इस क़ुरआन और वही के ज़रिये से आ़म लोगों को) एक सीधे रास्ते की हिदायत कर रहे हैं, यानी उस ख़ुदा के रास्ते की कि उसी का है जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ ज़मीन में है (आगे इन अहकाम के मानने और न मानने वालों की जज़ा व सज़ा का ज़िक्र है कि) याद रखो सब मामलात उसी की तरफ़ लौटेंगे (पस वह सब पर जज़ा व सज़ा देगा)।

मआ़रिफ़ व मसाईल

ऊपर ज़िक्र हुई आयतों में से पहली आयत यहूदियों के एक दुश्मनी भरे मुतालबे के जवाब में नाज़िल हुई है जैसा कि इमाम बग़वी और इमाम क़ुर्तुबी रह. वग़ैरह ने लिखा है कि यहूदियों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से कहा कि हम आप पर कैसे ईमान ले आयें जबकि आप न ख़ुदा तआ़ला को देखते हैं और न उससे आमने-सामने कलाम करते हैं जैसा कि मूसा अ़लैहिस्सलाम करते और अल्लाह तआ़ला को देखते थे।

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि यह कहना ग़लत है कि हज़रत मूसा अ़लैहिस्सलाम ने अल्लाह तआ़ला को देखा है। इस पर यह आयत नाज़िल हुई, जिसका हासिल यह है कि किसी इनसान के लिये अल्लाह तआ़ला के साथ आमने-सामने कलाम करना इस दुनिया में मुम्किन

नहीं, ख़ुद हज़रत मूसा अ़लैहिस्सलाम ने भी आमने-सामने कलाम नहीं सुना बल्कि पर्दे के पीछे सिर्फ़ आवाज़ सुनी।

इस आयत में यह भी बतला दिया गया कि किसी बशर (इनसान) से अल्लाह तआ़ला के कलाम करने की सिर्फ़ तीन सूरतें हो सकती हैं- एक वही के ज़रिये यानी किसी मज़मून को दिल में डाल देना। यह जागते हुए भी हो सकता है और नींद में सोते हुए भी, जैसा कि बहुत सी हदीसों में मन्क़ूल है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया 'उल्कि-य फ़ी रौओ़' यानी यह बात मेरे दिल में डाली गयी है, और अम्बिया अ़लैहिमुस्सलाम के ख़्वाब भी वही होते हैं, उनमें शैतानी अ़मल-दख़ल नहीं हो सकता। उस सूरत में आ़म तौर पर अलफ़ाज़ अल्लाह तआ़ला की तरफ़ से नहीं होते सिर्फ़ एक मज़मून दिल में आता है जिसको वह अपने अलफ़ाज़ में ताबीर करते हैं।

दूसरी सूरत 'मिंव्वरा-इ हिजाबिन्' है, यानी जागते हुए कोई कलाम पर्दे के पीछे से सुने जैसे हज़रत मूसा अ़लैहिस्सलाम को तूर पहाड़ पर पेश आया कि अल्लाह तआ़ला का कलाम सुना मगर ज़ियारत नहीं हुई इसी लिये ज़ियारत (देखने) की दरख़्वास्त की 'रब्बि अरिनी अन्ज़ुर् इलै-क' जिसका जवाब नफ़ी में दिया गया 'लन तरानी'।

और यह पर्दा जो इनसान को दुनिया में हक़ तआ़ला की ज़ियारत से रुकावट है वह कोई ऐसी चीज़ नहीं जो हक़ तआ़ला को छुपा सके, क्योंकि उसके मुहीत नूर को कोई चीज़ छुपा नहीं सकती बल्कि इनसान की देखने की क़ुव्वत की कमज़ोरी ही उसके लिये हक़ तआ़ला को देखने के बीच पर्दा और आड़ होती है। इसी लिये जन्नत में जबकि इसकी बीनाई (देखने की ताक़त) मज़बूत कर दी जायेगी तो वहाँ हर जन्नती हक़ तआ़ला की ज़ियारत से सम्मानित होगा जैसा कि सही हदीसों की वज़ाहत के मुताबिक़ 'अहले सुन्नत वल्-जमाअ़त' का मज़हब है।

यह क़ानून जो उपरोक्त आयत में इरशाद है दुनिया के बारे में है कि दुनिया में कोई इनसान अल्लाह तआ़ला से आमने-सामने यानी बेहिजाब कलाम नहीं कर सकता, और इनसान की विशेषता कलाम में इसलिये है कि गुफ़्तगू इनसान ही के मुताल्लिक़ थी वरना ज़ाहिर यह है कि फ़रिश्तों से भी अल्लाह तआ़ला का कलाम बेपर्दा और आमने-सामने नहीं होता जैसा कि तिर्मिज़ी की रिवायत में जिब्रील अ़लैहिस्सलाम से मन्क़ूल है कि मैं बहुत क़रीब हो गया था और फिर भी सत्तर हज़ार हिजाब रह गये थे। और मेराज की रात में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम का हक़ तआ़ला से बेपर्दा और आमने-सामने कलाम अगर साबित हो जाये जैसा कि कुछ उलेमा का क़ौल है तो वह इसके ख़िलाफ़ नहीं, क्योंकि वह कलाम इस आ़लम में नहीं था आसमानों के जहान में था। वल्लाहु आलम

तीसरी सूरत 'औ युर्सि-ल रसूलन्' है। यानी किसी फ़रिश्ते जिब्रील वग़ैरह को अपना कलाम देकर भेजा जाये वह रसूल को पढ़कर सुना दे और यही तरीक़ा आ़म रहा है, क़ुरआन मजीद पूरा इसी तरह फ़रिश्तों के वास्ते से नाज़िल हुआ है। मज़कूरा तफ़सील में लफ़्ज़ वही को सिर्फ़ दिल में बात डालने के मायने में लिया गया है मगर अक्सर यह लफ़्ज़ अल्लाह तआ़ला के कलाम की तमाम क़िस्मों के लिये भी इस्तेमाल होता है जैसा कि सही बुख़ारी की एक लम्बी हदीस में वही की क़िस्मों में फ़रिश्ते के ज़रिये कलाम को भी शुमार फ़रमाया है। और उसमें यह भी तफ़सील है कि फ़रिश्ते के

ज़रिये जो वही आती है उसकी भी दो सूरतें होती हैं- कभी तो फ़रिश्ता अपनी असली हालत व शक्ल में होता है कभी इनसानी शक्ल में सामने आता है। वल्लाहु सुब्हानहू व तआ़ला आलम

مَا كُنْتَ تَدْرِىْ مَا الْكِتٰبُ وَلَا الْاِيْمَانُ وَلٰكِنْ..................الاٰية

यह आयत पहली ही आयत के मज़मून का पूरक (आख़िरी हिस्सा) है जिसका हासिल यह है कि दुनिया में बिना पर्दे के आमने-सामने कलाम तो किसी का न हुआ न हो सकता है अलबत्ता अल्लाह तआ़ला अपने मख़्सूस बन्दों पर अपनी वही भेजते हैं जिसके तीन तरीक़े पहली आयत में बयान हुए। अल्लाह के इस उसूल व आ़दत के मुताबिक़ आप पर भी वही भेजी जाती है। यहूदियों का यह मुतालबा कि आप अल्लाह तआ़ला से बेपर्दा आमने-सामने क्यों मुख़ातिब नहीं होते महज़ जाहिलाना और मुख़ालफ़त के तौर पर है इसलिये यह फ़रमाया कि किसी इनसान को यहाँ तक कि किसी रसूल को जो कुछ भी इल्म मिलता है वह सब अल्लाह तआ़ला ही का अ़तीया (दैन) है और जब तक अल्लाह तआ़ला वही के ज़रिये उनको न बतला दें तो न उन्हें किसी किताब की वाक़फ़ियत हो सकती है न ईमान की तफ़सीली बातों की। किताब की वाक़फ़ियत वही से पहले न होना तो ज़ाहिर ही है, ईमान से वाक़फ़ियत न होने के मायने यह हैं कि ईमान की तफ़सीलात और ईमान के अहकाम या ईमान का आला मर्तबा जो वही के बाद हासिल होता है वही से पहले उसकी वाक़फ़ियत नहीं होती, वरना उम्मत की सर्वसम्मति से यह बात साबित है कि अल्लाह तआ़ला जिस इनसान को अपना रसूल व नबी बनाते हैं उसको शुरू ही से ईमान पर पैदा फ़रमाते हैं। उनकी फ़ितरत ईमान पर आधारित होती है, नुबुव्वत के अ़ता करने और वही के नाज़िल होने से पहले भी वे पक्के मोमिन होते हैं। ईमान के उसूल उनकी फ़ितरत व पैदाईश में दाख़िल होते हैं। यही वजह है कि तमाम अम्बिया अ़लैहिमुस्सलाम से जब उनकी क़ौमों ने मुख़ालफ़त की तो उन पर तरह-तरह के इल्ज़ाम लगाये मगर किसी पैग़म्बर पर किसी उम्मत ने यह इल्ज़ाम नहीं लगाया कि तुम भी तो नुबुव्वत के दावे से पहले हमारी तरह बुतों को पूजा करते थे। इमाम क़ुर्तुबी रह. ने अपनी तफ़सीर में और क़ाज़ी अ़याज़ ने शिफ़ा में इस मज़मून को पूरी तफ़सील से लिखा है।

अल्हम्दु लिल्लाह सूरः शूरा की हिन्दी तफ़सीर मुकम्मल हुई।

सूरः ज़ुख़रुफ़

सूरः ज़ुख़रुफ़ मक्का में नाज़िल हुई। इसमें 89 आयतें और 7 रुकूअ़ हैं।

اٰیَاتُهَا ٨٩ (٤٣) سُوْرَةُ الزُّخْرُفِ مَكِّيَّةٌ (٦٣) رُكُوْعَاتُهَا ٧

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

حٰمٓ ۚ﴿١﴾ وَالْكِتٰبِ الْمُبِيْنِ ۙ﴿٢﴾ اِنَّا جَعَلْنٰهُ قُرْءٰنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ۚ﴿٣﴾ وَاِنَّهٗ فِيْٓ اُمِّ الْكِتٰبِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيْمٌ ۭ﴿٤﴾ اَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا اَنْ كُنْتُمْ قَوْمًا مُّسْرِفِيْنَ ﴿٥﴾ وَكَمْ اَرْسَلْنَا مِنْ نَّبِيٍّ فِي الْاَوَّلِيْنَ ﴿٦﴾ وَمَا يَاْتِيْهِمْ مِّنْ نَّبِيٍّ اِلَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ﴿٧﴾ فَاَهْلَكْنَآ اَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا وَّمَضٰى مَثَلُ الْاَوَّلِيْنَ ﴿٨﴾

बिस्मिल्लाहिर्रह्मानिर्रहीम

शुरू अल्लाह के नाम से जो बेहद मेहरबान निहायत रहम वाला है।

हा-मीम् (1) वल्-किताबिल्-मुबीन (2) इन्ना जअ़ल्नाहु क़ुर्आनन् अ़-रबिय्यल् लअ़ल्लकुम् तअ़्क़िलून (3) व इन्नहू फ़ी उम्मिल्-किताबि लदैना ल-अ़लिय्युन् हकीम (4) अ-फ़-नज़्रिबु अ़न्कुमुज़्ज़िक्-र सफ़्हन् अन् कुन्तुम् क़ौमम्-मुस्रिफ़ीन (5) व कम् अर्सल्ना मिन्-नबिय्यिन् फ़िल्-अव्वलीन (6) व मा यअ्तीहिम् मिन् नबिय्यिन् इल्ला कानू बिही यस्तह्ज़िऊन (7) फ़-अह्लक्ना	हा-मीम्। (1) क़सम है इस वाज़ेह किताब की (2) हमने रखा इसको क़ुरआन अ़रबी भाषा का ताकि तुम समझो। (3) और तहक़ीक़ यह क़ुरआन लौह-ए-महफ़ूज़ में हमारे पास है बरतर स्थिर। (4) क्या फेर देंगे हम तुम्हारी तरफ़ से यह किताब मोड़कर इस सबब से कि तुम हो ऐसे लोग कि हद पर नहीं रहते। (5) और बहुत भेजे हैं हमने नबी पहलों में। (6) और नहीं आता लोगों के पास कोई पैग़ाम लाने वाला जिससे ठट्ठा नहीं करते। (7) फिर बरबाद

अशद्-द मिन्हुम् बत्शंव्-व मज़ा म-सलुल्-अव्वलीन (8)	कर डाले हमने उनसे सख़्त ज़ोर वाले और चली आई है मिसाल पहलों की। (8)

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

हा-मीम् (इसके मायने अल्लाह को मालूम हैं)। क़सम है इस स्पष्ट किताब की कि हमने इसको अ़रबी भाषा का क़ुरआन बनाया ताकि (ऐ अ़रब वालो!) तुम (आसानी से) समझ लो। और वह हमारे पास लौह-ए-महफ़ूज़ में बड़े रुतबे की और हिक्मत से भरी हुई किताब है (पस जब वह समझने में आसान और ख़ास हमारी हिफ़ाज़त में होने और मोजिज़ा होने की वजह से बड़े रुतबे वाली और हिक्मत भरे मज़ामीन पर मुश्तमिल है तो ऐसी किताब को ज़रूर मानना चाहिये, लेकिन अगर तुम न मानो तब भी हम अपनी हिक्मत के तक़ाज़े से उसका भेजना और तुमको उसका मुख़ातब बनाना न छोड़ेंगे चुनाँचे इरशाद है कि) क्या हम तुम से इस नसीहत (की किताब) को (महज़) इस बात पर हटा लेंगे कि तुम (फ़रमाँबरदारी की) हद से गुज़रने वाले हो (और इसको नहीं मानते, यानी चाहे तुम मानो या न मानो मगर नसीहत तो बराबर की जायेगी और यह फ़ैज़ कामिल होकर रहेगा ताकि इससे मोमिनों को नफ़ा हो और तुम पर हुज्जत क़ायम हो) और हम पहले लोगों में (उनके झुठलाने के बावजूद) बहुत-से नबी भेजते रहे हैं (यह नहीं हुआ कि उनके झुठलाने की वजह से नुबुव्वत का सिलसिला बन्द हो जाता) और (ऐ पैग़म्बर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम! जैसे हमने उनके झुठलाने की परवाह नहीं की इसी तरह आप भी कुछ परवाह और ग़म न कीजिये, क्योंकि) उन (पहले) लोगों (का भी यही हाल था कि उन) के पास कोई नबी ऐसा नहीं आया जिसके साथ उन्होंने मज़ाक़ उड़ाने का काम न किया हो। फिर हमने उन लोगों को जो कि इन (मक्का वालों) से ज़्यादा ताक़तवर थे (झुठलाने और मज़ाक़ उड़ाने की सज़ा में) ग़ारत कर डाला, और पहले लोगों की यह हालत हो चुकी है (पस न आप ग़म करें कि इनका भी ऐसा ही हाल होना है जैसा कि बदर वग़ैरह में हुआ, और न ये बेफ़िक्र हों कि नमूना मौजूद है)।

मआ़रिफ़ व मसाईल

यह सूरत मक्की है, अलबत्ता हज़रत मुक़ातिल रह. का क़ौल है कि इस सूरत की आयत नम्बर 45 'वस्अल् मन् अर्सल्ना..........' मदनी है। और एक क़ौल यह भी है कि यह सूरत मेराज के वक़्त आसमान पर नाज़िल हुई (तफ़सीर रूहुल-मआ़नी) वल्लाहु आलम।

وَالْكِتٰبِ الْمُبِيْنِ○

(क़सम है स्पष्ट किताब की) इससे मुराद क़ुरआने करीम है। अल्लाह तआ़ला जब किसी चीज़ की क़सम खाते हैं तो उमूमन वह चीज़ बाद के दावे की दलील हुआ करती है, यहाँ क़ुरआने करीम की क़सम खाकर इस तरफ़ इशारा फ़रमा दिया गया है। क़ुरआन अपने आप में अपने मोजिज़ा होने की वजह से अपनी हक़्क़ानियत की दलील है, और क़ुरआन को वाज़ेह (स्पष्ट) कहने का मतलब यह

है कि इसके वअ़ज़ व नसीहत पर मुश्तमिल मज़ामीन आसानी से समझ में आ जाते हैं, लेकिन जहाँ तक इससे शरई अहकाम के निकलाने और समझने का ताल्लुक़ है वह बिला शुब्हा एक मुश्किल काम है, इज्तिहाद की पूरी सलाहियत के बग़ैर अन्जाम नहीं दिया जा सकता। चुनाँचे दूसरी जगह यह बात स्पष्ट कर दी गयी है। फ़रमायाः

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْاٰنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ ○

(और बिला शुब्हा हमने क़ुरआन को नसीहत हासिल करने के लिये आसान बनाया है, पस क्या है कोई नसीहत हासिल करने वाला?) इसमें फ़रमा दिया गया है कि क़ुरआन नसीहत हासिल करने के लिये आसान है लिहाज़ा इससे मसाईल व अहकाम निकालने और समझने का आसान होना लाज़िम नहीं आता, बल्कि दूसरी दलीलों से साबित है कि इस काम के लिये दूसरे संबन्धित उलूम में पूरी महारत शर्त है।

मुबल्लिग़ को मायूस होकर नहीं बैठना चाहिये

اَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا اَنْ كُنْتُمْ قَوْمًا مُّسْرِفِيْنَ ○

(क्या हम तुमसे इस नसीहत को इस बात पर हटा लेंगे कि तुम हद से गुज़रने वाले हो?) मतलब यह है कि तुम अपनी सरकशी और नाफ़रमानी में चाहे कितने ही हद से गुज़र जाओ लेकिन हम तुम्हें क़ुरआन के ज़रिये नसीहत करना नहीं छोड़ेंगे। इससे मालूम हुआ कि जो शख़्स दावत व तब्लीग़ का काम करता हो उसे हक़ का पैग़ाम हर शख़्स के पास लेकर जाना चाहिये और किसी गिरोह या जमाअ़त को तब्लीग़ करना महज़ इस बिना पर नहीं छोड़ना चाहिये कि वह तो इन्तिहाई दर्जे के गुमराह, बेदीन या बदकार व फ़ासिक़ हैं, उन्हें क्या तब्लीग़ की जाये।

وَلَئِنْ سَاَلْتَهُمْ مَّنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ لَيَقُوْلُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيْزُ الْعَلِيْمُ ۙ﴿۹﴾ الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ مَهْدًا وَّجَعَلَ لَكُمْ فِيْهَا سُبُلًا لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ ۚ﴿۱۰﴾ وَالَّذِيْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءًۢ بِقَدَرٍ ۚ فَاَنْشَرْنَا بِهٖ بَلْدَةً مَّيْتًا ۚ كَذٰلِكَ تُخْرَجُوْنَ ﴿۱۱﴾ وَالَّذِيْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنَ الْفُلْكِ وَالْاَنْعَامِ مَا تَرْكَبُوْنَ ۙ﴿۱۲﴾ لِتَسْتَوٗا عَلٰى ظُهُوْرِهٖ ثُمَّ تَذْكُرُوْا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ اِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُوْلُوْا سُبْحٰنَ الَّذِيْ سَخَّرَ لَنَا هٰذَا وَمَا كُنَّا لَهٗ مُقْرِنِيْنَ ۙ﴿۱۳﴾ وَاِنَّآ اِلٰى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ ﴿۱۴﴾ وَجَعَلُوْا لَهٗ مِنْ عِبَادِهٖ جُزْءًا ۚ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَكَفُوْرٌ مُّبِيْنٌ ۚ﴿۱۵﴾ اَمِ اتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنٰتٍ وَّاَصْفٰىكُمْ بِالْبَنِيْنَ ﴿۱۶﴾ وَاِذَا بُشِّرَ اَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمٰنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهٗ مُسْوَدًّا وَّهُوَ كَظِيْمٌ ﴿۱۷﴾ اَوَمَنْ يُّنَشَّؤُا فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِيْنٍ ﴿۱۸﴾ وَجَعَلُوا الْمَلٰٓئِكَةَ الَّذِيْنَ هُمْ عِبٰدُ الرَّحْمٰنِ اِنَاثًا ۚ اَشَهِدُوْا خَلْقَهُمْ ۚ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْئَلُوْنَ ﴿۱۹﴾ وَقَالُوْا لَوْ شَآءَ الرَّحْمٰنُ مَا عَبَدْنٰهُمْ ۗ مَا لَهُمْ بِذٰلِكَ مِنْ عِلْمٍ ۗ

ع ١٥

إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ۝ أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا مِّن قَبْلِهِ فَهُم بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ ۝ بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مُّهْتَدُونَ ۝ وَكَذَٰلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مُّقْتَدُونَ ۝ قُلْ أَوَلَوْ جِئْتُكُم بِأَهْدَىٰ مِمَّا وَجَدتُّمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ ۖ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ كَافِرُونَ ۝ فَانتَقَمْنَا مِنْهُمْ ۖ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ ۝

व लइन् स-अल्तहुम् मन् ख़-लक़स्-समावाति वल्अर्-ज़ ल-यक़ूलुन्-न ख़-ल-क़हुन्नल्-अ़ज़ीज़ुल्-अ़लीम (9) अल्लज़ी ज-अ़-ल लकुमुल्-अर्-ज़ मह्दंव्-व ज-अ़-ल लकुम् फ़ीहा सुबुलल्-लअ़ल्लकुम् तह्तदून (10) वल्लज़ी नज़्ज़-ल मिनस्समा-इ मा-अम् बि-क़-दरिन् फ़-अन्शर्ना बिही बल्द-तम्-मैतन् कज़ालि-क तुख़्रजून (11) वल्लज़ी ख़-लक़ल्-अज़्वा-ज कुल्लहा व ज-अ़-ल लकुम् मिनल्-फ़ुल्कि वल्-अन्आ़मि मा तर्कबून (12) लि-तस्तवू अ़ला ज़ुहूरिही सुम्-म तज़्कुरू निअ़्-म-त रब्बिकुम् इज़स्तवैतुम् अ़लैहि व तक़ूलू सुब्हानल्लज़ी सख़्ख़-र लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़्रिनीन (13) व इन्ना इला रब्बिना ल-मुन्क़लिबून (14) व ज-अ़लू लहू मिन् अ़िबादिही जुज़्अन्, इन्नल्-इन्सा-न ल-कफ़ूरुम्-मुबीन (15) ✿

और अगर तू उनसे पूछे किसने बनाये आसमान और ज़मीन तो कहें बनाये उस ज़बरदस्त ख़बरदार ने। (9) वही है जिसने बना दिया तुम्हारे लिये ज़मीन को बिछौना और रख दीं तुम्हारे वास्ते उसमें राहें ताकि तुम राह पाओ। (10) और जिसने उतारा आसमान से पानी माप कर फिर उभार खड़ा किया हमने उससे एक मुर्दा देस को, इसी तरह तुमको भी निकालेंगे। (11) और जिसने बनाये सब चीज़ के जोड़े और बना दिया तुम्हारे वास्ते कश्तियों और चौपायों को जिस पर तुम सवार होते हो (12) ताकि चढ़ बैठो तुम उसकी पीठ पर, फिर याद करो अपने रब का एहसान जब बैठ चुको उस पर और कहो पाक ज़ात है वह जिसने बस में कर दिया हमारे इसको और हम न थे इसको क़ाबू में ला सकते (13) और हमको अपने रब की तरफ़ फिर जाना है। (14) और ठहराई है उन्होंने हक़ तआ़ला के वास्ते औलाद उसके बन्दों में से, तहक़ीक़ इनसान बड़ा खुला नाशुक्रा है। (15) ✿

अमित्त-ख़ा-ज़ मिम्मा यख़्लुक़ु बनातिंव्-व अस्फ़ाकुम् बिल्-बनीन (16) व इज़ा बुश्शि-र अ-हदुहुम् बिमा ज़-र-ब लिर्रह्मानि म-सलन् ज़ल्-ल वजूहुहू मुस्वद्दंव्-व हु-व कज़ीम (17) अ-व मंयुनश्श-उ फ़िल्-हिल्यति व हु-व फ़िल्ख़िसामि ग़ैरु मुबीन (18) व ज-अ़लुल्-मलाइ-कतल्लज़ी-न हुम् अ़िबादुर्रह्मानि इनासन्, अ-शहिदू ख़ल्क़हुम्, स-तुक्तबु शहा-दतुहुम् व युस्अलून (19) व क़ालू लौ शा-अर्रह्मानु मा अ़बद्नाहुम्, मा लहुम् बिज़ालि-क मिन् अ़िल्मिन् इन् हुम् इल्ला यख़्रुसून (20) अम् आतैनाहुम् किताबम्-मिन् क़ब्लिही फ़हुम् बिही मुस्तम्सिकून (21) बल् क़ा-लू इन्ना वजद्ना आबा-अना अ़ला उम्म-तिंव्-व इन्ना अ़ला आसारिहिम् मुह्तदून (22) व कज़ालि-क मा अर्सल्ना मिन् क़ब्लि-क फ़ी क़र्-यतिम् मिन् नज़ीरिन् इल्ला क़ा-ल मुत्-रफ़ूहा इन्ना वजद्ना आबा-अना अ़ला उम्म-तिंव्-व इन्ना अ़ला आसारिहिम्-मुक़्तदून (23) क़ा-ल अ-व लौ

क्या उसने रख लीं अपनी मख़्लूक़ात में से बेटियाँ और तुमको दे दिये चुनकर बेटे। (16) और जब उनमें किसी को ख़ुशख़बरी मिले उस चीज़ की जिसको रहमान के नाम लगाया तो सारे दिन रहे उसका मुँह स्याह और वह दिल में घुट रहा है। (17) क्या ऐसा शख़्स कि परवरिश पाता है ज़ेवर में और वह झगड़े में बात न कह सके। (18) और ठहराया उन्होंने फ़रिश्तों को जो बन्दे हैं रहमान के औरतें, क्या देखते थे उनका बनना, अब लिख रखेंगे उनकी गवाही और उनसे पूछ होगी। (19) और कहते हैं अगर चाहता रहमान तो हम न पूजते उनको, कुछ ख़बर नहीं उन को इसकी ये सब अटकलें दौड़ाते हैं। (20) क्या हमने कोई किताब दी है उनको इससे पहले सो उन्होंने उसको मज़बूत पकड़ रखा है। (21) बल्कि कहते हैं हमने पाया अपने बाप-दादों को एक राह पर और हम उन्हीं के क़दमों पर हैं राह पाये हुए। (22) और इसी तरह जिस किसी को हमने भेजा तुझसे पहले डर सुनाने वाला किसी गाँव में सो कहने लगे वहाँ के ख़ुशहाल लोग हमने तो पाया अपने बाप-दादों को एक राह पर और हम उन्हीं के क़दमों पर चलते हैं। (23) वह बोला और

जिअ्तुकुम् बि-अह्दा मिम्मा वजत्तुम् अ़लैहि आबा-अकुम्, क़ालू इन्ना बिमा उर्सिल्तुम् बिही काफ़िरून (24) फ़न्त-क़म्ना मिन्हुम् फ़न्ज़ुर् कै-फ़ का-न आ़कि-बतुल्-मुकज़्ज़िबीन (25) ✿ ●	जो मैं ला दूँ तुमको उससे ज़्यादा सूझ की राह जिस पर तुमने पाया अपने बाप-दादों को? तो यही कहने लगे हम तुम्हारा लाया हुआ नहीं मानेंगे। (24) फिर हमने उनसे बदला लिया सो देख ले कैसा हुआ अन्जाम झुठलाने वालों का। (25) ✿ ●

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

और अगर आप उनसे पूछें कि आसमान और ज़मीन को किसने पैदा किया है तो वे ज़रूर यही कहेंगे कि उनको ज़बरदस्त, जानने वाले (ख़ुदा तआ़ला) ने पैदा किया है (और ज़ाहिर है कि जिस ज़ात ने तन्हा ये अ़ज़ीम मख़्लूक़ात पैदा की हों इबादत भी तन्हा उसी की करनी चाहिये, लिहाज़ा तौहीद ख़ुद उनके मानने और स्वीकार करने से साबित हो गयी। आगे अल्लाह तआ़ला तौहीद को मज़ीद दलील से मज़बूत करने के लिये अपने उन कामों का बयान फ़रमाते हैं जो तौहीद पर दलालत करने वाले हैं यानी यह ज़मीन व आसमान उसने पैदा किया है) जिसने तुम्हारे (आराम के) लिये ज़मीन को फ़र्श (के जैसा) बनाया (कि इस पर आराम करते हो) और इस (ज़मीन) में उसने तुम्हारे (मन्ज़िले मक़सूद तक पहुँचने के) लिये रास्ते बनाये ताकि (उन रास्तों पर चलकर) तुम मन्ज़िले मक़सूद तक पहुँच सको। और जिसने आसमान से पानी एक (ख़ास) अन्दाज़े से (अपनी मर्ज़ी और हिक्मत के मुताबिक़) बरसाया, फिर हमने उस (पानी) से सूखी ज़मीन को (उसके मुनासिब) ज़िन्दा किया (और इससे तौहीद पर दलालत के अ़लावा यह भी समझ लेना चाहिये कि) इसी तरह तुम (भी अपनी क़ब्रों से) निकाले जाओगे।

और जिसने (मुख़्तलिफ़ जिन्सों व प्रजातियों में) तमाम (मुख़्तलिफ़) क़िस्में (यानी जातियाँ) बनाईं और तुम्हारी वो कश्तियाँ और चौपाये बनाये जिन पर तुम सवार होते हो ताकि तुम उन (कश्तियों और चौपायों) की (सतह और) पीठ पर जमकर (इत्मीनान से) बैठो, फिर जब उस पर बैठ चुको तो अपने रब की (इस) नेमत को (दिल से) याद करो, और (ज़बान से पसन्दीदगी के इज़हार के तौर पर) यूँ कहो कि उसकी ज़ात पाक है जिसने इन चीज़ों को हमारे बस में कर दिया, और हम तो ऐसे (ताक़तवर और हुनरमन्द) न थे जो इनको क़ाबू में कर लेते। (क्योंकि जानवर से ज़्यादा ताक़त नहीं और अल्लाह की तरफ़ से इल्म व समझ दिये बग़ैर कश्ती चलाने की तदबीर से वाक़िफ़ नहीं, दोनों के मुताल्लिक़ हक़ तआ़ला ने तदबीर सिखा दी) और हमको अपने रब की तरफ़ लौटकर जाना है (इसलिये हम इस पर सवार होकर शुक्र से ग़फ़लत या तकब्बुर नहीं करते) और (बावजूद तौहीद की दलीलों के स्पष्ट होने के) उन लोगों ने (शिर्क इख़्तियार कर रखा है और वह भी कैसा बुरा कि फ़रिश्तों को ख़ुदा की बेटियाँ कहते हैं और उनकी इबादत करते हैं, पस एक ख़राबी तो यह हुई कि

उन्होंने) ख़ुदा के बन्दों में से (जो मख़्लूक़ होते हैं) ख़ुदा का हिस्सा ठहरा दिया (हालाँकि ख़ुदा का कोई अंग व हिस्सा होना अ़क़्लन मुहाल है) वाक़ई (ऐसा) इनसान खुला नाशुक्रा है (कि ख़ुदा तआ़ला के साथ इतना बड़ा कुफ़्र करता है कि उसको हिस्से और अंग वाला क़रार देता है जिससे ख़ुदा तआ़ला का मआ़ज़ल्लाह हादिस "हमेशा बाक़ी न रहने वाला" होना लाज़िम आता है)।

(ग़र्ज़ कि एक ख़राबी तो यह हुई और दूसरी ख़राबी यह कि लोग लड़की को नाक़िस समझते हैं और फिर ख़ुदा के लिये बेटियाँ मानते हैं तो) क्या अल्लाह तआ़ला ने अपनी मख़्लूक़ात में से (तुम्हारे गुमान में अपने लिये तो) बेटियाँ पसन्द कीं और तुमको बेटों के साथ मख़्सूस किया, हालाँकि (तुम बेटियों को इतना बुरा समझते हो कि) जब उनमें से किसी को उस चीज़ के होने की ख़बर दी जाती है जिसको ख़ुदा रहमान का नमूना (यानी औलाद) बना रखा है (मुराद बेटी है) तो (इस क़द्र नाराज़ हो कि) सारे दिन उसका चेहरा बेरौनक़ रहे और वह दिल ही दिल में घुटता रहे (तो हैरत है कि ख़ुदा की तरफ़ नुक़्स "वाली चीज़" की निस्बत करते हो। यहाँ तक उनके ग़लत अ़क़ीदे की इल्ज़ामी तरदीद थी जिसकी वज़ाहत सूरः साफ़्फ़ात में गुज़र चुकी है। आगे इसी अ़क़ीदे की तहक़ीक़ी तरदीद की जाती है कि अगरचे लड़की होना बज़ाते ख़ुद कोई ज़िल्लत या शर्म की बात नहीं जैसे तुम समझते हो, लेकिन इसमें तो कोई शक नहीं कि वह अपनी असल पैदाईश के एतिबार से नाक़िस अ़क़्ल और कमज़ोर राय वाली ज़रूर है, जब यह बात है तो) क्या (ख़ुदा ने औलाद बनाने के लिये लड़की को पसन्द किया है) जो कि (आ़दतन) बनने-संवरने में पले-बढ़े (जो ज़ेवरात और बनाव-सिंघार की तरफ़ उसकी रुचि और दिलचस्पी का सबब होती है, और इसका लाज़िमी नतीजा अ़क़्ल व राय का नापुख़्ता होना है) और वह (सोच-विचार वाली क़ुव्वत के कमज़ोर होने की बिना पर) बहस करने में बयान की क़ुव्वत (भी) न रखे। (चुनाँचे औ़रतें उमूमन अपने दिल की बात को क़ुव्वत और वज़ाहत के साथ बयान करने पर मर्दों के मुक़ाबले में कम क़ादिर होती हैं, अक्सर अधूरी बात कहेंगी और उसमें फ़ुज़ूल बातें मिला देंगी जिनका असल मक़सद में कुछ दख़ल न हो। ये दो ख़राबियाँ हुईं) और (और तीसरी ख़राबी शिर्क लाज़िम आने से हटकर यह है कि) उन्होंने फ़रिश्तों को जो कि ख़ुदा के (बनाये हुए) बन्दे हैं (इसलिये अल्लाह को उनकी पूरी हालत मालूम है और चूँकि वे नज़र नहीं आते इसलिये उनकी कोई सिफ़त बग़ैर अल्लाह तआ़ला के बतलाये हुए किसी को मालूम नहीं हो सकती और अल्लाह ने कहीं यह नहीं बतलाया कि फ़रिश्ते औ़रत हैं लेकिन इसके बावजूद इन्होंने उनको बिना दलील) औ़रत क़रार दे रखा है (और उनके औ़रत होने पर न कोई अ़क़्ली दलील मौजूद है न किताबी और रिवायती, लिहाज़ा देखी हुई बात होनी चाहिये तो) क्या ये उनकी पैदाईश के वक़्त मौजूद थे (और देख रहे थे? जवाब ज़ाहिर है कि इन्होंने फ़रिश्तों की पैदाईश और बनाने को नहीं देखा, लिहाज़ा इनके इस बेवक़ूफ़ी भरे दावे की हक़ीक़त स्पष्ट हो गयी) इनका यह दावा (जो बिना दलील के है आमाल के दफ़्तर में) लिख लिया जाता है और (क़ियामत में) इनसे पूछताछ होगी।

(यह गुफ़्तगू तो फ़रिश्तों के बेटियाँ होने से मुताल्लिक़ थी) और (आगे उनके माबूद होने के मुताल्लिक़ बयान है कि) वे लोग यूँ कहते हैं कि अगर अल्लाह तआ़ला (इस बात को ख़ुशी से) चाहता (कि फ़रिश्तों की इबादत न हो, यानी इस इबादत से वह नाख़ुश होता) तो हम (कभी) उनकी इबादत न करते (क्योंकि वह करने ही न देता, बल्कि जबरन रोक देता, जब नहीं रोका तो मालूम हुआ कि

वह उनकी इबादत न करने से खुश नहीं बल्कि इबादत करने से खुश है। आगे उनकी तरदीद है कि) उनको इस (बात) की कुछ तहक़ीक़ नहीं (है) बिल्कुल बेतहक़ीक़ बात कर रहे हैं (क्योंकि अल्लाह तआ़ला का अपने बन्दों को किसी काम पर क़ुदरत दे देना इस बात की दलील नहीं है कि वह उस काम पर राज़ी भी है जैसे कि आठवें पारे में सूरः अन्आ़म की आयत 49 में इसकी तफ़सील गुज़र चुकी है। अब यह बतलायें कि) क्या हमने इनको इस (क़ुरआन) से पहले कोई किताब दे रखी है कि ये (इस दावे में) उससे दलील पकड़ते हैं (हक़ीक़त यह है कि न इनके पास अ़क़्ली दलील है न किताबी और रिवायती) बल्कि (महज़ अपने बाप-दादों की पैरवी है, चुनाँचे) वे कहते हैं कि हमने अपने बाप-दादाओं को एक तरीक़े पर पाया है और हम भी उनके पीछे-पीछे रास्ता चल रहे हैं। और (जिस तरह ये लोग बिना दलील बल्कि ख़िलाफ़े दलील अपनी पुरानी रस्म को सनद के तौर पर पेश करते हैं) इसी तरह हमने आप से पहले किसी बस्ती में कोई पैग़म्बर नहीं भेजा मगर (पहले) वहाँ के ख़ुशहाल लोगों ने (और बाद में उनके मानने वालों ने) यही कहा कि हमने अपने बाप-दादाओं को एक तरीक़े पर पाया है और हम भी उन्हीं के पीछे-पीछे चले जा रहे हैं। (इस पर) उनके (उस) पैग़म्बर ने (उनसे) कहा कि क्या (बाप-दादा के तरीक़े ही की पैरवी किये जाओगे) अगरचे मैं उससे अच्छा (मन्ज़िले) मक़सूद पर पहुँचा देने वाला तरीक़ा तुम्हारे पास लाया हूँ कि जिस पर तुमने अपने बाप-दादाओं को पाया हो। वे (मुख़ालफ़त और दुश्मनी के तौर पर) कहने लगे कि हम तो इस (दीन) को मानते ही नहीं जिसको देकर (तुम्हारे गुमान के मुताबिक़) तुमको भेजा गया है। सो (जब दुश्मनी व मुख़ालफ़त हद से बढ़ गयी उस वक़्त) हमने उनसे इन्तिक़ाम लिया, सो देखिए झुठलाने वालों का कैसा (बुरा) अन्जाम हुआ।

मआ़रिफ़ व मसाईल

جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ مَهْدًا.

(तुम्हारे लिये ज़मीन को फ़र्श बनाया) मतलब यह है कि ज़मीन की ज़ाहिरी सूरत और इसका आराम फ़र्श के जैसा है, लिहाज़ा यह ज़मीन के गोल होने के ख़िलाफ़ नहीं।

وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنَ الْفُلْكِ وَالْاَنْعَامِ مَا تَرْكَبُوْنَ٥

(और तुम्हारे लिये वो कश्तियाँ और चौपाये बनाये जिन पर तुम सवार हो।) इनसान की सवारियाँ दो क़िस्म की होती हैं- एक वो सवारियाँ जिन्हें इनसान अपनी कारीगरी और हुनर के ज़रिये ख़ुद बनाता है और दूसरे वो हैवानात जिनकी पैदाईश में इनसानी कारीगरी का कोई दख़ल नहीं। 'कश्तियाँ' बोलकर सवारियों की पहली क़िस्म मुराद है और "चौपाये' से दूसरी क़िस्म। बहरहाल मक़सद यह है कि इनसान के इस्तेमाल की तमाम सवारियाँ चाहे उनकी तैयारी में इनसानी कारीगरी को दख़ल हो या न हो, अल्लाह तआ़ला की एक बहुत बड़ी नेमत हैं। चौपायों का नेमत होना तो पूरी तरह ज़ाहिर है कि वो इनसान से कई गुना ज़्यादा ताक़तवर होते हैं लेकिन अल्लाह तआ़ला ने उन्हें इनसान के आगे ऐसा राम (ताबेदार) कर दिया है कि एक बच्चा भी उनके मुँह में लगाम या नाक में नकील डालकर जहाँ चाहता है उन्हें लेजाता है। इसी तरह वो सवारियाँ भी अल्लाह की बड़ी नेमत हैं जिनकी तैयारी

में इनसानी हुनर और कारीगरी को दख़ल है। हवाई जहाज़ से लेकर मामूली साईकिल तक ये सारी सवारियाँ अगरचे बज़ाहिर इनसान ने ख़ुद बनाई हैं लेकिन इनके बनाने के तरीक़े सुझाने वाला अल्लाह तआ़ला के सिवा कौन है? यह वह क़ादिरे मुतलक़ ही तो है जिसने इनसानी दिमाग़ को वह ताक़त अ़ता की है जो लोहे को मोम बनाकर रख देती है। इसके अ़लावा उनके बनाने में जो कच्चा माल इस्तेमाल होता है वह और उसकी विशेषतायें तो डायरेक्ट अल्लाह तआ़ला ही की पैदा की हुई हैं।

ثُمَّ تَذْكُرُوْا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ

(और ताकि तुम याद करो अपने परवर्दिगार की नेमत को) इससे इशारा फ़रमा दिया गया कि एक अ़क़्ल व होश वाले इनसान का काम यह है कि वह असल नेमत देने वाले की नेमतों को इस्तेमाल करते हुए ग़फ़लत, बेपरवाई और बेतवज्जोही का मुज़ाहरा करने के बजाय इस बात पर ध्यान दे कि यह मुझ पर अल्लाह तआ़ला का इनाम है लिहाज़ा मुझ पर उसके शुक्र की अदायेगी और आ़जिज़ी व विनम्रता का इज़हार वाजिब है। एक काफ़िर और मोमिन में दर हक़ीक़त यही फ़र्क़ है कि कायनात की नेमतों को दोनों इस्तेमाल करते हैं लेकिन काफ़िर उन्हें ग़फ़लत और बेपरवाई से इस्तेमाल करता है और मोमिन अल्लाह के इनामात को ध्यान में रखकर अपना सर विनम्रता से उसके हुज़ूर में झुका देता है। इसी मक़सद से क़ुरआन व हदीस में मुख़्तलिफ़ कामों के अन्जाम देने के वक़्त सब्र व शुक्र के मज़ामीन पर मुश्तमिल दुआ़यें तालीम की गयी हैं। और अगर इनसान अपनी रोज़मर्रा की ज़िन्दगी में उठते-बैठते चलते-फिरते उन दुआ़ओं को अपना मामूल बना ले तो उसका हर मुबाह काम भी इबादत बन जाता है। ये दुआ़यें अ़ल्लामा जज़री रह. की किताब "हिस्ने हसीन" और हकीमुल-उम्मत हज़रत थानवी रह. की "मुनाजाते मक़बूल" में देखी जा सकती हैं।

सफ़र के वक़्त की दुआ़यें

سُبْحٰنَ الَّذِىْ سَخَّرَلَنَا هٰذَا ....الخ.

(पाक है वह ज़ात जिसने इसको हमारे लिये क़ब्ज़े में कर दिया.......) यह सवारी पर बैठकर पढ़ने की दुआ़ है। चुनाँचे नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से अनेक रिवायतों में मन्क़ूल है कि आप सवारी पर बैठते वक़्त ये कलिमात पढ़ा करते थे और सवार होने का पूरा मुस्तहब तरीक़ा हज़रत अ़ली रज़ियल्लाहु अ़न्हु से यह मन्क़ूल है कि सवारी पर पाँव रखते वक़्त "बिस्मिल्लाह" कहे, फिर सवार हो जाने के बाद 'अल्हम्दु लिल्लाह' और उसके बाद ये कलिमातः

سُبْحٰنَ الَّذِىْ سَخَّرَ لَنَا هٰذَا وَمَا كُنَّا لَهٗ مُقْرِنِيْنَ ۝ وَاِنَّآ اِلٰى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ ۝

'सुब्हानल्लज़ी सख़्ख़-र लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़्रिनीन। व इन्ना इला रब्बिना लमुन्क़लिबून।' (तफ़सीरे क़ुर्तुबी)

और नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से यह भी रिवायत है कि अगर आप किसी सफ़र पर जा रहे होते तो उपर्युक्त कलिमात के बाद यह दुआ़ भी पढ़ते थेः

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ الصَّاحِبُ فِى السَّفَرِ وَالْخَلِيْفَةُ فِى الْاَهْلِ وَالْمَالِ. اَللّٰهُمَّ اِنِّىْٓ اَعُوْذُبِكَ مِنْ وَّعْثَآءِ السَّفَرِ وَكَاٰبَةِ

الْمُنْقَلَبِ وَالْحَوْرِ بَعْدَ الْكَوْرِ وَسُوْءِ الْمَنْظَرِ فِي الْاَهْلِ وَالْمَالِ.

अल्लाहुम्-म अन्तस्साहिबु फ़िस्स-फ़रि वल्-ख़ली-फ़तु फ़िल्-अह्लि वल्-मालि, अल्लहुम्-म इन्नी अऊज़ु बि-क मिंव्वअ्साइस्स-फ़रि व काबतिल् मुन्क-लबि वल्हौरि बअ्दल्-कौरि व सूइल्-मन्ज़रि फ़िल्-अह्लि वल्-मालि।

और एक रिवायत में ये अलफ़ाज़ भी नक़ल किये गये हैं:

اَللّٰهُمَّ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ ظَلَمْتُ نَفْسِيْ فَاغْفِرْ لِيْ اِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ.

अल्लाहुम्-म ला इला-ह इल्ला अन्-त ज़लम्तु नफ़्सी फ़ग़्फ़िर् ली इन्नहू ला यग़्फ़िरुज़्ज़ुनू-ब इल्ला अन्-त। (तफ़सीरे क़ुर्तुबी)

وَمَا كُنَّا لَهٗ مُقْرِنِيْنَo

(और हम तो ऐसे न थे जो इनको क़ाबू में कर लेते) यह बात मशीनी सवारियों पर भी इसी तरह सादिक़ आती है जिस तरह जानवरों और चौपायों पर। क्योंकि अगर अल्लाह तआ़ला उनका कच्चा मैटेरियल पैदा न करता, या उसमें वह ख़ासियतें और आसार न रखता या इनसानी दिमाग़ को उन ख़ासियतों के मालूम करने की ताक़त न बख़्शता तो सारी कायनात मिलकर भी ऐसी सवारियाँ पैदा न कर सकती थी।

وَاِنَّآ اِلٰى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَo

(और बिला-शुब्हा हम अपने परवर्दिगार ही की तरफ़ लौटने वाले हैं) इन अलफ़ाज़ के ज़रिये तालीम यह दी गयी है कि इनसान को अपने हर दुनियावी सफ़र के वक़्त आख़िरत का वह कठिन सफ़र याद करना चाहिये जो हर हाल में पेश आकर रहेगा, और उसे सहूलत के साथ तय करने के लिये नेक आमाल के सिवा कोई सवारी नहीं होगी।

وَجَعَلُوْا لَهٗ مِنْ عِبَادِهٖ جُزْءًا

(और उन्होंने ख़ुदा के बन्दों में से ख़ुदा का हिस्सा ठहराया) यहाँ हिस्से से मुराद औलाद है कि मुश्रिक लोग फ़रिश्तों को अल्लाह की बेटियाँ कहा करते थे और "औलाद" के बजाय "जुज़ और हिस्से" का लफ़्ज़ इख़्तियार करके मुश्रिक लोगों के इस ग़लत दावे की अ़क़्ली तरदीद की तरफ़ इशारा कर दिया गया है जिसका ख़ुलासा यह है कि अगर अल्लाह के कोई औलाद हो तो वह उसका हिस्सा होगी क्योंकि बेटा बाप का हिस्सा और पार्ट होता है, और यह अ़क़्ली क़ायदा है कि हर कुल अपने वजूद में जुज़ (हिस्से और अंग) का मोहताज होता है तो इससे लाज़िम आयेगा कि मआ़ज़ल्लाह ख़ुदा तआ़ला भी अपनी औलाद का मोहताज हो, और ज़ाहिर है कि किसी भी क़िस्म की मोहताजी अल्लाह की शान के बिल्कुल ख़िलाफ़ है।

اَوَمَنْ يُّنَشَّؤُا فِي الْحِلْيَةِ......... الخ.

(क्या जो सजने-संवरने में परवरिश पाये) इससे मालूम हुआ कि औरत के लिये ज़ेवर का इस्तेमाल और शरीअ़त की हद के अन्दर सजने-संवरने के तरीक़े इख़्तियार करना जायज़ है। चुनाँचे इस पर सब की सहमति है लेकिन साथ ही बयान का अन्दाज़ यह बता रहा है कि सजने-संवरने में

इतना मगन होना और खो जाना कि सुबह व शाम बनाव-सिंगार ही में लगी रहे यह मुनासिब नहीं, बल्कि यह अ़क़्ल व राय की कमज़ोरी की निशानी भी है और उसका सबब भी।

وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ۝

(और वह बहस करने में बयान की क़ुव्वत भी न रखे) मतलब यह है कि औरतों की अक्सरियत ऐसी है कि वह अपने दिल की बात को मज़बूती और वज़ाहत के साथ बयान करने पर मर्दों के बराबर क़ादिर नहीं होती, इसी लिये अगर कहीं मुबाहसा हो जाये तो अपने दावे को साबित करना और दूसरे की दलीलों को काटना उसके लिये मुश्किल होता है, लेकिन यह हुक्म अक्सरियत के एतिबार से है लिहाज़ा अगर कुछ औरतें बातचीत और बयान के सलीक़े की मालिक हों और इस मामले में मर्दों से भी बढ़ जायें तो इस आयत के ख़िलाफ़ नहीं, क्योंकि हुक्म अक्सरियत पर लगता है और अक्सरियत बिला-शुब्हा ऐसी ही है।

وَاِذْ قَالَ اِبْرٰهِيْمُ لِاَبِيْهِ وَقَوْمِهٖٓ اِنَّنِيْ بَرَآءٌ مِّمَّا تَعْبُدُوْنَ ۝ اِلَّا الَّذِيْ فَطَرَنِيْ فَاِنَّهٗ سَيَهْدِيْنِ ۝ وَجَعَلَهَا كَلِمَةًۢ بَاقِيَةً فِيْ عَقِبِهٖ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ ۝ بَلْ مَتَّعْتُ هٰٓؤُلَآءِ وَاٰبَآءَهُمْ حَتّٰى جَآءَهُمُ الْحَقُّ وَرَسُوْلٌ مُّبِيْنٌ ۝ وَلَمَّا جَآءَهُمُ الْحَقُّ قَالُوْا هٰذَا سِحْرٌ وَّاِنَّا بِهٖ كٰفِرُوْنَ ۝

व इज़् क़ा-ल इब्राहीमु लि-अबीहि व क़ौमिही इन्ननी बराउम् मिम्मा तअ़्बुदून (26) इल्लल्लज़ी फ़-त-रनी फ़-इन्नहू स-यह्दीन (27) व ज-अ़-लहा कलि-मतम् बाक़ि-यतन् फ़ी अ़क़िबिही लअ़ल्लहुम् यर्जिअ़ून (28) बल् मत्तअ़्तु हाउला-इ व आबा-अहुम हत्ता जा-अहुमुल्-हक़्क़ु व रसूलुम्-मुबीन (29) व लम्मा जा-अहुमुल्-हक़्क़ु क़ालू हाज़ा सिह्रुंव्-व इन्ना बिही काफ़िरून (30)	और जब कहा इब्राहीम ने अपने बाप को और उसकी क़ौम को- मैं अलग हूँ उन चीज़ों से जिनको तुम पूजते हो (26) मगर जिसने मुझको बनाया सो वह मुझको राह सुझायेगा। (27) और यही बात पीछे छोड़ गया अपनी औलाद में ताकि वे रुजू रहें। (28) कोई नहीं! पर मैंने बरतने दिया उनको और उनके बाप-दादों को यहाँ तक कि पहुँचा उनके पास सच्चा दीन और रसूल खोलकर सुना देने वाला। (29) और जब पहुँचा उनके पास सच्चा दीन कहने लगे यह जादू है और हम इसको न मानेंगे। (30)

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

और (वह वक़्त भी क़ाबिले ज़िक्र है) जबकि इब्राहीम (अ़लैहिस्सलाम) ने अपने बाप से और

अपनी क़ौम से फ़रमाया मैं उन चीज़ों (की इबादत) से बेज़ार (और बेताल्लुक़) हूँ जिनकी तुम इबादत करते हो, मगर हाँ (उस ख़ुदा से ताल्लुक़ रखता हूँ) जिसने मुझे पैदा किया, फिर वही मुझको (मेरे दीन व दुनिया की मस्लेहतों तक) रास्ता दिखाता है। (मतलब यह कि इन लोगों को इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम का हाल याद करना चाहिये कि वह ख़ुद भी तौहीद का एतिक़ाद रखते थे) और (वसीयत के ज़रिये) वह इस (अ़क़ीदे) को अपनी औलाद में (भी) एक क़ायम रहने वाली बात कर गये (यानी अपनी औलाद को भी वसीयत की जिसका असर कुछ-कुछ हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के तशरीफ़ लाने तक भी बराबर रहा यहाँ तक कि ज़माना-ए-जाहिलीयत में भी अ़रब में कुछ लोग शिर्क से नफ़रत करते थे, और यह वसीयत उन्होंने इसलिये की थी) ताकि (हर ज़माने में मुश्रिक) लोग (तौहीद "यानी ईमान" वालों से तौहीद का अ़क़ीदा सुन-सुनकर शिर्क से) बाज़ आते रहें (मगर ये लोग फिर भी बाज़ नहीं आते और इस तरफ़ तवज्जोह नहीं करते) बल्कि मैंने (जो) इनको और इनके बाप-दादाओं को (दुनिया का) ख़ूब सारा सामान दिया (उसमें पूरी तरह मशग़ूल और ग़ाफ़िल हो रहे हैं) यहाँ तक कि (उसी मशग़ूलियत और ग़फ़लत की नींद से जगाने के लिये) इनके पास सच्चा क़ुरआन (जो बेमिसाल और आ़जिज़ कर देने वाला होने की वजह से अपनी सच्चाई की आप ही दलील है) और साफ़-साफ़ बतलाने वाला रसूल (अल्लाह की तरफ़ से) आया। और जब इनके पास यह सच्चा क़ुरआन पहुँचा (और इसका बेमिसाल व आ़जिज़ कर देने वाला होना ज़ाहिर हुआ) तो कहने लगे कि यह तो जादू है और हम इसको नहीं मानते।

मआ़रिफ़ व मसाईल

وَاِذْ قَالَ اِبْرٰهِيْمُ........... الخ.

पिछली आयतों के आख़िर में बारी तआ़ला ने यह बयान फ़रमाया था कि अ़रब के मुश्रिक लोगों के पास अपने शिर्क पर सिवाय अपने बाप-दादों की रस्मों के कोई दलील नहीं है, और यह ज़ाहिर है कि स्पष्ट अ़क़्ली और नक़ली (किताबी व रिवायती) दलीलों की मौजूदगी में महज़ बाप-दादों की पैरवी पर जमे और अड़े रहना हक़ व इन्साफ़ से किस क़द्र दूर है। अब इन आयतों में इस तरफ़ इशारा फ़रमाया गया है कि अगर अपने बाप-दादा ही के रास्ते पर चलना चाहते हो तो हज़रत इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम के रास्ते पर क्यों नहीं चलते जो तुम्हारे सबसे सम्मानित पूर्वज हैं और जिनके साथ नसबी वाबस्तगी को तुम ख़ुद अपने लिये फ़ख़्र का सरमाया समझते हो। वह न सिर्फ़ तौहीद के क़ायल थे और अपनी औलाद को भी इसकी वसीयत करके गये बल्कि ख़ुद उनका अ़मली तरीक़ा यह बताता है कि खुले हुई अ़क़्ली और नक़ली दलीलों की मौजूदगी में महज़ बाप-दादों की पैरवी करना जायज़ नहीं, जब वह दुनिया में भेजे गये तो उनकी सारी क़ौम अपने बाप-दादों की पैरवी में शिर्क में मुब्तला थी, लेकिन उन्होंने अपने बाप-दादों की अन्धी पैरवी के बजाय खुली और रोशन दलीलों की पैरवी करते हुए अपनी क़ौम से बेज़ारी का इज़हार किया और फ़रमाया 'इन्नी बराउम् मिम्मा तअ़बुदून' (जिन चीज़ों की इबादत तुम करते हो मैं उनसे बरी हूँ)।

इससे यह भी मालूम हुआ कि अगर कोई शख़्स किसी बुरे अ़मल या बुरे अ़क़ीदे वाले गिरोह या

जमाअ़त के बीच रहता है और ख़ामोश रहने की सूरत में यह अन्देशा है कि उसको उस गिरोह का हम-ख़्याल समझा जायेगा तो महज़ अपने अ़क़ीदे और अ़मल का दुरुस्त कर लेना ही काफ़ी नहीं बल्कि उस गिरोह के अ़क़ीदों व आमाल से अपनी बराअत का इज़हार भी ज़रूरी है। चुनाँचे यहाँ हज़रत इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम ने सिर्फ़ इतना ही नहीं किया कि अपने अ़क़ीदों व आमाल को मुश्रिक लोगों से अ़मलन अलग कर लिया बल्कि ज़बान से भी बराअत का खुले तौर पर इज़हार फ़रमाया।

وَجَعَلَهَا كَلِمَةً ۢ بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ.

(और वह इसको अपनी औलाद में एक क़ायम रहने वाली बात कर गये) मतलब यह है कि अपने तौहीद के अ़क़ीदे को उन्होंने अपनी ज़ात ही तक सीमित नहीं रखा बल्कि अपनी औलाद को भी इसी अ़क़ीदे पर क़ायम रहने की वसीयत फ़रमाई। चुनाँचे आपकी औलाद में एक बड़ी तायदाद ईमान व तौहीद वालों की हुई और ख़ुद मक्का मुकर्रमा और उसके आस-पास में नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के तशरीफ़ लाने और नबी बनाकर भेजे जाने के वक़्त तक ऐसे सलामती की फ़ितरत वाले हज़रात मौजूद थे जो सदियाँ गुज़रने के बाद भी हज़रत इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम के असली दीन ही पर क़ायम रहे।

इससे यह भी मालूम हुआ कि अपनी ज़ात के अ़लावा अपनी औलाद को सही दीन पर कारबन्द करने और रखने की फ़िक्र भी इनसान के फ़राईज़ में दाख़िल है। अम्बिया अ़लैहिमुस्सलाम में से हज़रत इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम के अ़लावा हज़रत याक़ूब अ़लैहिस्सलाम के बारे में भी क़ुरआने करीम ने बताया है कि उन्होंने वफ़ात के वक़्त अपने बेटों को सही दीन पर क़ायम रहने की वसीयत की थी। लिहाज़ा जिस सूरत से मुम्किन हो औलाद के आमाल व अख़्लाक़ की इस्लाह (सुधारने और संवारने) में अपनी पूरी कोशिश ख़र्च कर देना ज़रूरी भी है और नबियों की सुन्नत भी। और यूँ तो औलाद की इस्लाह के बहुत से तरीक़े हैं जिन्हें मौक़े के अनुसार इख़्तियार किया जा सकता है लेकिन हज़रत शैख़ अ़ब्दुल-वह्हाब शेरानी रह. ने 'लताईफ़ुल्-मिनन वल्-अख़्लाक़' में लिखा है कि औलाद की इस्लाह के लिये सबसे ज़्यादा कारगर अ़मल यह है कि माँ-बाप उनकी दीनी इस्लाह के लिये दुआ़ का एहतिमाम करें। अफ़सोस है कि इस आसान तदबीर से आजकल ग़फ़लत आ़म होती जा रही है और इसके बुरे अन्जाम को माँ-बाप ख़ुद अपनी आँखों से देखते रहते हैं।

وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَٰذَا الْقُرْآنُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ ﴿٣١﴾ أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۚ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۚ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضًا سُخْرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٣٢﴾

व क़ालू लौ ला नुज़्ज़ि-ल हाज़ल्-क़ुरआनु अ़ला रजुलिम्-मिनल् क़र्यतैनि अ़ज़ीम (31) अ-हुम्	और कहते हैं क्यों न उतरा यह क़ुरआन किसी बड़े मर्द पर इन दोनों बस्तियों में के। (31) क्या वे बाँटते हैं तेरे रब की

यक़्सिमू-न रह्म-त रब्बि-क, नह्नु क़सम्ना बैनहुम् मओ़ी-श-तहुम् फ़िल्-हयातिद्दुन्या व रफ़अ्ना बअ्-ज़हुम् फ़ौ-क बअ्ज़िन् द-रजातिल्-लियत्तख़ि-ज़ बअ्ज़ुहुम् बअ्ज़न् सुख़्रिय्यन्, व रह्मतु रब्बि-क ख़ैरुम्-मिम्मा यज्मअ़ून (32)	रहमत को, हमने बाँट दी है उनमें रोज़ी उनकी दुनिया की ज़िन्दगानी में और बुलन्द कर दिये दर्जे बाज़ों के बाज़ों पर कि ठहराता है एक दूसरे को ख़िदमतगार और तेरे रब की रहमत बेहतर है उन चीज़ों से जो समेटते हैं। (32)

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

(यह तो काफ़िरों ने क़ुरआन के बारे में कहा) और (रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के बारे में) कहने लगे कि यह क़ुरआन (अगर अल्लाह का कलाम है और रिसालत की हैसियत से आया है तो) इन दोनों बस्तियों (मक्का और तायफ़ के रहने वालों) में से किसी बड़े आदमी पर क्यों नाज़िल नहीं किया गया? (यानी रसूल के लिये बड़ी शान वाला होना ज़रूरी है और आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम माल और रियासत नहीं रखते तो यह पैग़म्बर नहीं हो सकते। बारी तआ़ला उनके इस शुब्हे की तरदीद फ़रमाते हैं कि) क्या ये लोग आपके रब की (ख़ास) रहमत (यानी नुबुव्वत) को तक़सीम करना चाहते हैं (यानी यह चाहना कि नुबुव्वत हमारी राय के मुताबिक़ लोगों को मिलनी चाहिये गोया ख़ुद तक़सीम करने की हवस करना है कि यह तक़सीम हमारे सुपुर्द हो हालाँकि यह हवस कोरी नादानी है क्योंकि) दुनियावी ज़िन्दगी में (तो) उनकी रोज़ी हम (ही) ने तक़सीम कर रखी है, और (उस तक़सीम में) हमने एक को दूसरे पर बरतरी दे रखी है, ताकि (इससे यह मस्लेहत हासिल हो कि) एक-दूसरे से काम लेता रहे (और दुनिया का इन्तिज़ाम क़ायम रहे), और (ज़ाहिर और यक़ीनी बात है कि) आपके रब की रहमत इस (दुनियावी माल व असबाब) से कहीं बेहतर है, जिसको ये लोग समेटते फिरते हैं (पस जब दुनियावी माल व मता और रोज़ी की तक़सीम हमने उनकी राय पर नहीं रखी हालाँकि यह अदना दर्जे की चीज़ है तो नुबुव्वत जो ख़ुद भी आला दर्जे की चीज़ है और उसकी मस्लेहतें भी बहुत ज़्यादा बड़े दर्जे की हैं वह क्योंकर उनकी राय पर तक़सीम की जाती)।

मआ़रिफ़ व मसाईल

इन आयतों में बारी तआ़ला ने अ़रब के मुश्रिकों के एक एतिराज़ का जवाब दिया है जो वह आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की रिसालत पर किया करते थे। दर असल शुरू में तो वे यह यक़ीन करने पर ही तैयार न थे कि अल्लाह का कोई रसूल इनसान हो सकता है, चुनाँचे उनका यह एतिराज़ क़ुरआने करीम ने जगह-जगह ज़िक्र फ़रमाया है कि हज़रत मुहम्मद (सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम) को हम रसूल कैसे मान लें जबकि वह आ़म इनसानों की तरह खाते-पीते और बाज़ारों में

चलते हैं, लेकिन जब क़ुरआन की अनेक आयतों के ज़रिये यह वाज़ेह कर दिया गया कि यह सिर्फ़ नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ही की ख़ुसूसियत नहीं बल्कि दुनिया में जिस क़द्र नबी आये हैं वे सब इनसान ही थे, तो अब उन्होंने पैंतरा बदलकर यह एतिराज़ किया कि अगर किसी इनसान ही को नुबुव्वत सौंपनी थी तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम माली एतिबार से कोई बड़ी हैसियत वाले नहीं हैं, यह पद और मक़ाम हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के बजाय मक्का और तायफ़ के किसी बड़े दौलतमन्द और बड़े रुतबे वाले इनसान को क्यों नहीं दिया गया? रिवायतों में है कि इस सिलसिले में उन्होंने मक्का मुकर्रमा से वलीद बिन मुग़ीरा और उतबा बिन रबीआ़ के और तायफ़ से उरवा बिन मसऊद सक़फ़ी, हबीब बिन अ़मर सक़फ़ी या किनाना बिन अ़ब्दे यालैल के नाम पेश किये थे। (तफ़सीर रूहुल-मआ़नी)

मुश्रिक लोगों के इस एतिराज़ के बारी तआ़ला ने दो जवाब दिये हैं- पहला जवाब उपरोक्त आयतों में से दूसरी आयत में और दूसरा जवाब अगली आयतों में दिया गया है उसकी वज़ाहत भी वहीं आयेगी। इस पहले जवाब का ख़ुलासा यह है कि तुम्हें इस मामले में दख़ल देने का कोई हक़ ही नहीं है कि अल्लाह तआ़ला नुबुव्वत का पद और ओहदा किसको दे रहा है और किसको नहीं दे रहा? नुबुव्वत की तक़सीम तुम्हारे हाथ में नहीं है कि किसी को नबी बनाने से पहले तुमसे राय ली जाये, यह काम पूरी तरह अल्लाह तआ़ला के हाथ में है और वही अपनी अ़ज़ीम मस्लेहतों के मुताबिक़ इसे अन्जाम देता है। तुम्हारा वजूद और अ़क्ल व शऊर इस अ़ज़ीम काम की सलाहियत ही नहीं रखता कि नुबुव्वत की तक़सीम का काम तुम्हारे सुपुर्द कर दिया जाता और नुबुव्वत की तक़सीम तो बहुत ऊँचे दर्जे की चीज़ है तुम्हारी हैसियत और वजूद व शऊर तो इसकी भी ज़िम्मेदारी नहीं उठा सकते कि ख़ुद तुम्हारी रोज़ी और रोज़ी के सामान की तक़सीम का काम तुम्हारे सुपुर्द किया जा सके, क्योंकि हम जानते हैं कि ऐसा किया गया तो तुम एक दिन भी दुनिया के निज़ाम को न चला सकोगे और सारा निज़ाम अस्त-व्यस्त होकर रह जायेगा। इसलिये अल्लाह तआ़ला ने दुनियावी ज़िन्दगी में तुम्हारी रोज़ी की तक़सीम भी तुम्हारे ज़िम्मे नहीं रखी बल्कि रोज़ी की तक़सीम का काम ख़ुद अपने हाथ में रखा है। जब यह अदना दर्जा का काम तुम्हारे हवाले नहीं किया जा सकता तो नुबुव्वत की तक़सीम जैसा अ़ज़ीम (बड़ा और अहम) काम तुम्हारे हवाले कैसे कर दिया जाये। आयतों के कलाम का मक़सद तो इतना ही है लेकिन मुश्रिक लोगों को जवाब देने के साथ ही बारी तआ़ला ने दुनिया के रोज़ी व गुज़ारे के निज़ाम से मुताल्लिक़ जो इशारे कर दिये हैं उनसे आर्थिक और रोज़ी की तक़सीम के अनेक उसूल निकलते हैं यहाँ उनकी मुख़्तसर वज़ाहत ज़रूरी है।

रोज़ी की तक़सीम का क़ुदरती निज़ाम

نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَّعِيْشَتَهُمْ

(हमने तक़सीम किया है उनके दरमियान उनकी रोज़ी और जीविका को) मक़सद यह है कि हमने अपनी मुकम्मल हिक्मत से दुनिया का निज़ाम ऐसा बनाया है कि यहाँ हर शख़्स अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिये दूसरे की इमदाद का मोहताज है और तमाम लोग इसी आपस में एक दूसरे के ज़रूरत मन्द होने के रिश्ते में बंधे हुए पूरे समाज की ज़रूरतों की पूर्ति कर रहे हैं। इस आयत ने खोलकर यह

बात बतला दी है कि अल्लाह तआला ने रोज़ी और जीविका की तक़सीम का काम (कम्यूनिज़्म की तरह) किसी इख़्तियार वाली इनसानी संस्था के सुपुर्द नहीं किया जो योजना बनाकर यह तय करे कि समाज की ज़रूरतें क्या हैं? उन्हें किस तरह पूरा किया जाये? पैदावार के साधनों को किस अनुपात से किन कामों में लगाया जाये और उनके बीच आमदनी की तक़सीम किस बुनियाद पर की जाये?

इसके बजाय ये तमाम काम अल्लाह ने अपने हाथ में रखे हैं और अपने हाथ में रखने का मतलब यही है कि हर शख़्स को दूसरे का मोहताज बनाकर दुनिया का निज़ाम ही ऐसा बना दिया है जिसमें अगर (ख़ुद क़ब्ज़ा वग़ैरह जमाने के ज़रिये) ग़ैर-फ़ितरी रुकावटें पैदा न की जायें तो वह निज़ाम ख़ुद-ब-ख़ुद ये तमाम समस्यायें हल कर देता है। आपसी ज़रूरत के इस निज़ाम को मौजूदा आर्थिक परिभाषा में "तलब व रसद" का निज़ाम कहा जाता है। "तलब व रसद" का क़ुदरती क़ानून यह है कि जिस चीज़ की रसद कम हो और तलब ज़्यादा उसकी क़ीमत बढ़ती है लिहाज़ा पैदावार के वसाईल उस चीज़ की तैयारी में ज़्यादा नफ़ा देखकर उसी तरफ़ मुतवज्जह हो जाते हैं, और जब रसद तलब के मुक़ाबले में बढ़ जाती है तो क़ीमत घट जाती है, चुनाँचे उस चीज़ की मज़ीद तैयारी नफ़े का सौदा नहीं रहती और पैदावार के वसाईल उसके बजाय किसी और ऐसे काम में लग जाते हैं जिसकी ज़रूरत ज़्यादा हो। इस्लाम ने "तलब व रसद" की इन्हीं क़ुदरती क़ुव्वतों के ज़रिये दौलत की पैदाईश और तक़सीम का काम लिया है और आम हालात में "रोज़ी की तक़सीम" का काम किसी इनसानी इदारे के हवाले नहीं किया। इसकी वजह यह है कि योजना बनाने के चाहे कितने आधुनिक तरीक़े मालूम कर लिये जायें लेकिन उनके ज़रिये रोज़ी और जीविका की एक-एक आंशिक ज़रूरत को समेटना मुम्किन नहीं, और इस क़िस्म की आर्थिक समस्यायें उमूमन ऐसे ही क़ुदरती निज़ाम के ताबे चलती हैं। ज़िन्दगी के ज़्यादातर आर्थिक मसाईल इसी तरह क़ुदरती तौर पर ख़ुद-ब-ख़ुद तय पाते हैं और उन्हें हुकूमत की मन्सूबा बन्दी के हवाले करना ज़िन्दगी में एक बनावटी जकड़ बन्दी पैदा करने के सिवा कुछ नहीं।

मिसाल के तौर पर यह बात कि दिन का वक़्त काम के लिये है और रात का सोने के लिये किसी सामाजिक समझौते या इनसानी मन्सूबा बन्दी के तहत नहीं तय पाई बल्कि क़ुदरत के अपने आप काम करने वाले सिस्टम ने ख़ुद-ब-ख़ुद यह फ़ैसला कर दिया है। इसी तरह यह मसला कि कौन शख़्स किससे शादी करे तबई मुनासबतों के फ़ितरी निज़ाम के तहत ख़ुद-ब-ख़ुद अन्जाम पाता है और इसे मन्सूबा बन्दी के ज़रिये हल करने का किसी को ख़्याल नहीं आया। या मसलन यह बात कि कौन शख़्स इल्म व फ़न के किस विभाग और क्षेत्र को अपना मैदान बनाये, इसे तबई ज़ौक़ और मुनासबत के बजाय हुकूमत की मन्सूबा बन्दी के हवाले कर देना एक ख़्वाह-मख़्वह की ज़बरदस्ती है और इससे क़ुदरत का निज़ाम अस्त-व्यस्त हो सकता है। इसी तरह रोज़ी और जीविका के निज़ाम को भी क़ुदरत ने अपने हाथ में रखा है और हर शख़्स के दिल में वही काम डाल दिया है जो उसके लिये ज़्यादा मुनासिब है और जिसे वह बहुत अच्छे तरीक़े से अन्जाम दे सकता है, चुनाँचे हर शख़्स चाहे वह एक झाड़ू देने वाला ही क्यों न हो अपने काम पर ख़ुश है और उसी को अपने लिये फ़ख़्र की चीज़ समझता है:

كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُوْنَ ○

अलबत्ता सरमायेदाराना सिस्टम की तरह इस्लाम ने व्यक्तियों को इतनी आज़ादी नहीं दी कि वे हर जायज़ व नाजायज़ तरीक़े से दौलत समेटकर दूसरों के लिये रिज़्क़ के दरवाज़े बन्द कर दें, बल्कि आमदनी के स्रोतों में हलाल व हराम को अलग करके सूद, सट्टा, जुआ और चीज़ों का भण्डार करने को ममनू (वर्जित) क़रार दे दिया है, फिर जायज़ आमदनी पर भी ज़कात, दसवाँ वग़ैरह के वाजिबात आयद करके उन ख़राबियों की रोकथाम कर दी है जो मौजूदा सरमायेदाराना निज़ाम में पाई जाती हैं, इसके बावजूद भी अगर कभी इजारेदारियाँ (यानी कुछ अफ़राद के चीज़ों और माल पर कब्ज़े) क़ायम हो जायें तो उनको तोड़ने के लिये हुकूमत के हस्तक्षेप को जायज़ रखा है, यहाँ उसकी तफ़सील का मौक़ा नहीं, इस विषय पर अहक़र की मुस्तक़िल किताबें "मसला-ए-सूद" "इस्लाम का निज़ामे तक़सीमे दौलत" और "इस्लामी निज़ाम में मआशी इस्लाहात" पढ़े जायें।

आर्थिक बराबरी की हक़ीक़त

وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجٰتٍ.

(और हमने एक को दूसरे पर बरतरी दे रखी है) इससे मालूम हुआ कि आर्थिक बराबरी (इस मायने में कि दुनिया के तमाम अफ़राद की आमदनी बिल्कुल बराबर हो) न पसन्दीदा है न अमली तौर पर मुम्किन। इसकी तफ़सील यह है कि अल्लाह तआ़ला ने इस कायनात के हर रुक्न (सदस्य) पर कुछ ज़िम्मेदारियाँ आयद की हैं और कुछ हुक़ूक़ दिये हैं, और दोनों में अपनी हिक्मत से यह अनुपात रखा है कि जिसके ज़िम्मे जितने फ़राईज़ हैं उसके उतने ही हुक़ूक़ हैं। इनसान के अ़लावा जितनी मख़्लूक़ात हैं उनके ज़िम्मे चूँकि फ़राईज़ सबसे कम हैं कि वह शरअ़न हलाल व हराम और जायज़ व नाजायज़ के पाबन्द नहीं हैं इसलिये उनके हुक़ूक़ भी सबसे कम हैं, चुनाँचे इनसान को उनके मामले में विस्तृत आज़ादी अ़ता की गयी है कि वह उनसे चन्द मामूली सी पाबन्दियों के साथ जिस तरह चाहे नफ़ा उठा सकता है। चुनाँचे कुछ हैवानों को वह काटकर खाता है, कुछ पर सवारी करता है, कुछ मख़्लूक़ात को पामाल करता है मगर उसे उन मख़्लूक़ात की हक़-तल्फ़ी नहीं समझा जाता, इसलिये कि उन मख़्लूक़ात पर चूँकि फ़राईज़ कम हैं इसलिये उनके हुक़ूक़ भी बहुत कम हैं।

फिर कायनात में सबसे ज़्यादा फ़राईज़ इनसान और जिन्नात पर आयद किये गये हैं कि वे अपने हर क़ौल व फ़ेल, हर चलत-फिरत और गतिविधि में अल्लाह तआ़ला के सामने जवाबदेह हैं और अगर अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी न करें तो आख़िरत के अ़ज़ाब के मुस्तहिक़ हैं इसलिये अल्लाह तआ़ला ने इनसान और जिन्नात को हुक़ूक़ भी दूसरी मख़्लूक़ात के मुक़ाबले में कहीं ज़्यादा अ़ता किये हैं। फिर इनसानों में भी यह लिहाज़ है कि जिसकी ज़िम्मेदारी और फ़राईज़ दूसरों से ज़्यादा है उसके हुक़ूक़ भी ज़ायद हैं। इनसानों में सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदारी अम्बिया अ़लैहिमुस्सलाम पर होती है, चुनाँचे उनको बहुत से हुक़ूक़ भी दूसरों से ज़ायद अ़ता किये गये हैं।

आर्थिक सिस्टम और रोज़ी के निज़ाम में भी अल्लाह तआ़ला ने यही रियायत रखी है कि हर शख़्स को उतने रोज़ी और गुज़ारे के हुक़ूक़ दिये जायें जितने फ़राईज़ की ज़िम्मेदारी वह अपने सर ले,

और ज़ाहिर है कि फ़राईज़ में बराबरी का पैदा होना बिल्कुल नामुम्किन और उनमें फ़र्क़ और कमी-ज़्यादती लाज़िमी है। ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता कि हर शख़्स के आर्थिक और कमाने की ज़िम्मेदारियाँ दूसरों से बिल्कुल बराबरी हों इसलिये कि आर्थिक और रोज़ी हासिल करने के काम व ज़िम्मेदारियाँ इनसानों की फ़ितरी सलाहियतों पर निर्भर हैं, जिनमें जिस्मानी ताक़त, सेहत, दिमाग़ी क़ुव्वतें और उम्र, ज़ेहनी स्तर, चुस्ती और फ़ुर्ती जैसी चीज़ें दाख़िल हैं और यह बात हर शख़्स खुली आँखों देख सकता है कि इन गुणों के एतिबार से इनसानों में बराबरी और समानता पैदा करना बड़ी से बड़ी तरक़्क़ी याफ़्ता (विकसित) कम्यूनिस्ट हुकूमत के बस में भी नहीं। जब इनसानों की सलाहियतों में फ़र्क़ और कमी-ज़्यादती होना लाज़िमी है तो उनके फ़राईज़ (कर्तव्य और ज़िम्मेदारियों) में भी लाज़िमी तौर पर फ़र्क़ होगा और आर्थिक हुक़ूक़ चूँकि उन्हीं फ़राईज़ पर मौक़ूफ़ हैं इसलिये आर्थिक यानी आमदनी में भी फ़र्क़ और कमी-ज़्यादती होना लाज़िमी है, क्योंकि अगर सब की आमदनी बिल्कुल बराबर कर दी जाये और फ़राईज़ (ज़िम्मेदारियों) में फ़र्क़ और असमानता रहे तो इससे कभी अ़दल व इन्साफ़ क़ायम नहीं हो सकता। इसलिये कि उस सूरत में कुछ लोगों की आमदनी उनकी ज़िम्मेदारियों से ज़्यादा और कुछ की उनकी ज़िम्मेदारियों से कम हो जायेगी जो खुली नाइन्साफ़ी है।

इससे स्पष्ट हो गया कि आमदनी में मुकम्मल बराबरी और समानता किसी भी दौर में इन्साफ़ की बात नहीं हो सकती, लिहाज़ा कम्यूनिज़्म अपनी तरक़्क़ी के शिख़र पर पहुँचने के दौर (1) में भी जिस बराबरी का दावा करती है वह किसी भी हाल में न क़ाबिले अ़मल है और न अ़दल व इन्साफ़ के मुताबिक़। अलबत्ता यह तय करना कि किसके फ़राईज़ ज़्यादा और किसके कम हैं, और उनके एतिबार से उसे कितने हुक़ूक़ मिलने चाहियें एक बहुत ही नाज़ुक और मुश्किल काम है और इनसान के पास ऐसा कोई पैमाना (मानदण्ड) नहीं है जिससे वह इस बात का ठीक-ठीक निर्धारण कर सके।

कई बार यह महसूस होता है कि एक माहिर और तजुर्बेकार इंजीनियर ने एक घन्टे में इतनी आमदनी हासिल कर ली है जो एक ग़ैर-हुनरमन्द मज़दूर ने दिन भर मनों मिट्टी ढोकर भी हासिल नहीं की, लेकिन अगर इन्साफ़ से देखा जाये तो इस चीज़ से हटकर कि मज़दूर की दिनभर की आज़ाद मेहनत ज़िम्मेदारी के उस बोझ के बराबर नहीं हो सकती जो इंजीनियर ने उठा रखा है, इंजीनियर की यह आमदनी सिर्फ़ उस एक घन्टे की मेहनत का सिला नहीं बल्कि उसमें सालों साल की उस दिमाग़ी मेहनत, पसीना बहाने और जान को फ़ना करने के सिले का एक हिस्सा भी शामिल है जो उसने इंजीनियरिंग की तालीम व तरबियत और फिर उसमें तजुर्बा व महारत हासिल करने में बरदाश्त की है। कम्यूनिस्ट देशों में आबादी के विभिन्न वर्गों के बीच तन्ख़्वाहों का ज़बरदस्त फ़र्क़ और असमानता पाई जाती है लेकिन ठोकर यहाँ खाई है कि पैदावार के तमाम साधनों को हुकूमत की क़ब्ज़े और अंडर में देकर साधनों के लिये फ़राईज़ का निर्धारण और फिर उनकी मुनासबत से उन पर आमदनी की तक़सीम भी सारी की सारी हुकूमत ही के हवाले कर दी है, हालाँकि जैसा कि ऊपर अ़र्ज़

(1) कम्यूनिज़्म का कहना यह है फ़िलहाल तो आमदनी की पूरी बराबरी संभव नहीं लेकिन अगर कम्यूनिज़्म के प्राथमिक उसूलों पर अ़मल किया जाता है तो एक वक़्त ऐसा आ जायेगा जब आमदनी में पूरी तरह बराबरी या मिल्कियतों में पूर्ण हिस्सेदारी पैदा हो जायेगी और मुकम्मल कम्यूनिज़्म का दौर होगा।

किया गया फ़राईज़ और हुक़ूक़ के बीच अनुपात बाक़ी रखने के लिये इनसान के पास कोई पैमाना (जाँचने का मेयार) नहीं है, चुनाँचे कम्यूनिज़्म के काम करने के तरीक़े के तहत मुल्क भर के इनसानों की रोज़ी का निर्धारण हुकूमत के चन्द कारिन्दों के हाथ में आ गया और उन्हें यह इख़्तियार मिल गया है कि जिस शख़्स को जितना चाहें दें, जितना चाहें रोक लें। अव्वल तो इसमें बेईमानों और अपनों को फ़ायदा पहुँचाने वालों को एक बड़ा मैदान मिल जाता है जिसके सहारे अफ़सर शाही फलती फूलती है, दूसरे अगर हुकूमत के तमाम कारिन्दों को फ़रिश्ता भी मान लिया जाये और वे वास्तव में यही चाहें कि मुल्क में आमदनी की तक़सीम हक़ व इन्साफ़ की बुनियाद पर हो तो उनके पास आख़िर वह कौनसा पैमाना है जिससे वह यह फ़ैसला कर सकें कि एक इंजीनियर और एक मज़दूर के फ़राईज़ (ज़िम्मेदारियों) में कितना फ़र्क़ है, और उसके हिसाब से उनकी आमदनियों में कितना फ़र्क़ इन्साफ़ के मुताबिक़ है।

हक़ीक़त यह है कि इस बात का ठीक-ठीक फ़ैसला इनसानी अ़क़्ल की पहुँच से क़तई ऊपर की बात है, इसी लिये इसे क़ुदरत ने अपने हाथ में रखा है। जिस आयत पर बहस हो रही है:

وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجٰتٍ

में अल्लाह तआ़ला ने इसी तरफ़ इशारा फ़रमाया है कि इस फ़र्क़ का निर्धारण हमने इनसानों के हवाले करने के बजाय अपने हाथ में रखा है, और अपने हाथ में रखने का मतलब यहाँ भी यही है कि दुनिया में हर शख़्स की ज़रूरतें दूसरे के साथ जोड़ करके निज़ाम ऐसा बना दिया है कि हर शख़्स अपनी ज़रूरत और तक़ाज़ा पूरा करने के लिये दूसरे को इतना देने पर मजबूर है जितने का वह मुस्तहिक़ है। यहाँ भी आपसी ज़रूरत पर आधारित तलब व रसद का निज़ाम हर शख़्स की आमदनी का निर्धारण करता है, यानी हर शख़्स इस बात का फ़ैसला ख़ुद करता है कि जितने फ़राईज़ मैंने अपने ज़िम्मे लिये हैं उनका कितना मुआ़वज़ा मेरे लिये काफ़ी है, उससे कम मिले तो यह काम करने पर राज़ी न हो, और यह ज़्यादा माँगने लगे तो काम लेने वाला इससे काम न ले:

لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا

का यही मतलब है कि हमने आमदनी में फ़र्क़ इसलिये रखा है ताकि एक शख़्स दूसरे से काम ले सके वरना सब की आमदनी बराबर होती तो कोई किसी के काम न आता।

हाँ यह बात ज़रूर है कि कुछ असाधारण हालात में बड़े-बड़े सरमायेदार तलब व रसद के इस क़ुदरती सिस्टम से नाजायज़ फ़ायदा उठाकर ग़रीबों को इस बात पर मजबूर कर सकते हैं कि वे अपने वास्तविक हक़ और पात्रता से कम उजरत पर काम करें। इस्लाम ने अव्वल तो हलाल व हराम और जायज़ व नाजायज़ के विस्तृत अहकाम के ज़रिये तथा अख़्लाक़ी हिदायतों और आख़िरत के तसव्वुर के ज़रिये ऐसी सूरतेहाल को पैदा होने से रोका है, और अगर कभी किसी जगह पर यह सूरत पैदा हो जाये तो इस्लामी हुकूमत को यह इख़्तियार दे दिया है कि उन असाधारण हालात की हद तक वह उजरतों को मुतैयन कर सकती है, लेकिन ज़ाहिर है कि यह सिर्फ़ ग़ैर-मामूली (असाधारण) हालात के लिये है इसलिये इस मक़सद के लिये पैदावार के तमाम संसाधनों को हुकूमत के हवाले कर देने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसके नुक़सानात फ़ायदों से कहीं ज़्यादा हैं।

इस्लामी बराबरी का मतलब

ऊपर बयान हुई तहरीर से यह बात अच्छी तरह स्पष्ट हो जाती है कि आमदनी में मुकम्मल बराबरी न अ़दल व इन्साफ़ का तक़ाज़ा है न अ़मली तौर पर कहीं क़ायम हुई है, न हो सकती है, और न यह इस्लाम का मतलूब है। अलबत्ता इस्लाम ने जिस बराबरी को क़ायम किया है वह क़ानून, सामाजिक ज़िन्दगी, रहन-सहन और हुक़ूक़ की अदायेगी की बराबरी है। इसका मतलब यह है कि ऊपर बयान हुए क़ुदरती तरीक़ेकार के तहत जिस शख़्स के जितने हुक़ूक़ मुतैयन हो जायें उन्हें हासिल करने के क़ानूनी और सामाजिक हक़ूक़ में सब बराबर हैं। इस बात के कोई मायने नहीं हैं कि एक अमीर या किसी पद और रुतबे वाला इनसान अपना हक़ इज़्ज़त के साथ आसानी से हासिल कर ले और ग़रीब को अपने हुक़ूक़ हासिल करने के लिये दर-बदर की ठोकरें खानी पड़ीं और ज़लील व अपमानित होना पड़े, क़ानून अमीर के हुक़ूक़ की हिफ़ाज़त करे और ग़रीब को बेयार व मददगार छोड़ दे, इसी को हज़रत अबू बक्र सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने अपने एक ख़ुतबे में इरशाद फ़रमाया थाः

والله ماعندی اقوی الضّعیف حتّٰی اخذالحق له ولا عندی اضعف من القویّ حتّی اخذالحقّ منهٗ.

"ख़ुदा की क़सम मेरे नज़दीक एक कमज़ोर आदमी से ज़्यादा ताक़तवर कोई नहीं जब तक कि मैं उसका हक़ उसे न दिलवा दूँ। और मेरे नज़दीक एक ताक़तवर आदमी से ज़्यादा कमज़ोर कोई नहीं जब तक कि मैं उससे (कमज़ोर का) हक़ वसूल न कर लूँ।"

इसी तरह ठेठ आर्थिक दृष्टिकोण से इस्लामी बराबरी का मतलब यह है कि इस्लाम की नज़र में हर शख़्स को कमाई के बराबर मौक़े हासिल हैं और इस्लाम इस बात को गवारा नहीं करता कि चन्द बड़े-बड़े दौलतमन्द माल व दौलत के दहानों पर क़ाबिज़ होकर अपनी इजारा दारियाँ क़ायम कर लें और छोटे ताजिरों के लिये बाज़ार में बैठना दूभर बना दें। चुनाँचे सूद, सट्टा, जुआ, चीज़ों का भण्डार करना और मुकम्मल क़ब्ज़े वाले व्यापारिक समझौतों को ममनू (वर्जित) क़रार देकर, तथा ज़कात, दसवाँ, ख़िराज, ख़र्चे, सदक़े और दूसरे वाजिबात लागू करके ऐसा माहौल पैदा कर दिया गया है जिसमें हर इनसान अपनी ज़ाती सलाहियत, मेहनत और सरमाये के हिसाब से कमाई के मुनासिब मौक़े हासिल कर सकता है और उससे एक ख़ुशहाल समाज और माहौल की तामीर हो सकती है। इसके बावजूद आमदनी का जो फ़र्क़ बाक़ी रहे वह हक़ीक़त में लाज़िमी है, और जिस तरह इनसानों के दरमियान हुस्न व ख़ूबसूरती, ताक़त व सेहत, अ़क़्ल व समझ और आल व औलाद के फ़र्क़ (कम-ज़्यादा होने) को मिटाना मुम्किन नहीं, इसी तरह इस फ़र्क़ और नाबराबरी को भी मिटाया नहीं जा सकता।

وَلَوْلَآ اَنْ يَّكُوْنَ النَّاسُ اُمَّةً وَّاحِدَةً لَّجَعَلْنَا لِمَنْ يَّكْفُرُ

بِالرَّحْمٰنِ لِبُيُوْتِهِمْ سُقُفًا مِّنْ فِضَّةٍ وَّمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُوْنَ ۝ وَلِبُيُوْتِهِمْ اَبْوَابًا وَّسُرُرًا عَلَيْهَا

يَتَّكِـُٔوْنَ ۝ وَزُخْرُفًا ۭ وَاِنْ كُلُّ ذٰلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۭ وَالْاٰخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِيْنَ ۝

व लौ ला अंय्यकूनन्नासु उम्म-तंव्-वाहि-दतल् ल-जअ़ल्ना लिमंय्यक्फ़ुरु बिर्रह्मानि लि-बुयूतिहिम् सुक़ुफ़म्-मिन् फ़िज़्ज़तिंव् व मआ़रि-ज अ़लैहा यज़्हरून (33) व लिबुयूतिहिम् अब्वाबंव्-व सुरुरन् अ़लैहा यत्तकिऊन (34) व ज़ुख़्रुफ़न्, व इन् कुल्लु ज़ालि-क लम्मा मताअ़ुल्-हयातिद्-दुन्या, वल्-आख़िरतु अ़िन्-द रब्बि-क लिल्-मुत्तक़ीन (35) ✿	और अगर यह बात न होती कि सब लोग हो जायें एक दीन पर तो हम देते उन लोगों को जो मुन्किर हैं रहमान से उनके घरों के वास्ते छत चाँदी की और सीढ़ियाँ जिन पर चढ़ें (33) और उनके घरों के वास्ते दरवाज़े और तख़्त जिन पर तकिया लगाकर बैठें (34) और सोने के, और यह सब कुछ नहीं है मगर बरतना दुनिया की ज़िन्दगी का, और आख़िरत तेरे रब के यहाँ उन्हीं के लिये है जो डरते हैं। (35) ✿

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

(और ये काफ़िर लोग माल व दौलत की अधिकता को नुबुव्वत की सलाहियत व क़ाबलियत की शर्त समझते हैं हालाँकि नुबुव्वत एक अ़ज़ीमुश्शान चीज़ है इसलिये उसकी सलाहियत की शर्त भी अ़ज़ीमुश्शान होनी चाहिये) और (दुनिया की दौलत व रुतबा हमारे नज़दीक इस क़द्र हक़ीर है कि) अगर यह बात (अपेक्षित) न होती कि (क़रीब-क़रीब) तमाम आदमी एक ही तरीक़े के हो जाएँगे (यानी काफ़िर हो जायेंगे) तो जो लोग अल्लाह तआ़ला के साथ कुफ़्र करते हैं (और ख़ुदा के नज़दीक सख़्त नापसन्दीदा हैं) हम उन (सब) के लिये उनके घरों की छतें चाँदी की कर देते और ज़ीने भी (चाँदी के कर देते) जिन पर वे चढ़ा (उतरा) करते, और उनके घरों के किवाड़ भी (चाँदी के कर देते) और तख़्त भी (चाँदी के कर देते) जिन पर तकिया लगाकर बैठते हैं। और (यही चीज़ें) सोने की भी (कर देते, यानी कुछ चाँदी की कुछ सोने की। मगर यह सामान सब काफ़िरों के लिये नहीं दिया कि अक्सर इनसानों की तबीयत में माल व दौलत और सामान की हिर्स ग़ालिब है और इस फ़र्ज़ की गयी सूरत में कुफ़्र इस माल व मता के हासिल करने का यक़ीनी सबब बन जाता, पस चन्द थोड़े से आदमियों को छोड़कर क़रीब-क़रीब सभी कुफ़्र इख़्तियार कर लेते, इसलिये हमने तमाम काफ़िरों को माल व दौलत की यह वुस्अ़त नहीं दी, वरना अगर यह मस्लेहत न होती तो हम ऐसा ही करते और ज़ाहिर है कि दुश्मन को क़द्र व वुस्अ़त की चीज़ नहीं दिया करते। इससे मालूम हुआ कि दुनियावी माल व दौलत हक़ीक़त में कोई अ़ज़ीमुशान चीज़ नहीं, पस वह नुबुव्वत जैसे अ़ज़ीम और बड़े मर्तबे व मक़ाम के लिये सलाहियत की शर्त भी नहीं हो सकती। इसके बजाय नुबुव्वत की शर्त वो आला दर्जे

के कमालात और ख़ूबियाँ हैं जो अल्लाह की तरफ़ से नबियों को अ़ता होते हैं और ये कमालात और ख़ूबियाँ मुहम्मद सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम में पूरी तरह जमा हैं, पस नुबुव्वत उन्हीं के लिये ज़ेबा "लायक़" थी न कि मक्का और तायफ़ के सरदारों और मालदारों के लिये) और (दुनिया के हक़ीर व ज़लील होने की एक बिल्कुल ज़ाहिर वजह बयान फ़रमाते हैं कि) यह सब (साज़ व सामान जिसका ऊपर ज़िक्र हुआ) कुछ भी नहीं सिर्फ़ दुनियावी ज़िन्दगी की चन्द दिन की कामयाबी है (फिर फ़ना, आख़िर फ़ना) और आख़िरत (जो हमेशा रहने वाली है और इसलिये इससे बेहतर है वह) आपके रब के यहाँ ख़ुदा तआ़ला से डरने वालों के लिये है।

मआ़रिफ़ व मसाईल

माल व दौलत की ज़्यादती फ़ज़ीलत का सबब नहीं है

काफ़िरों ने जो यह कहा था कि मक्का और तायफ़ के किसी बड़े मालदार को नबी क्यों न बना दिया गया? इन आयतों में इसका दूसरा जवाब दिया गया है और इसका ख़ुलासा यह है कि बेशक नुबुव्वत के लिये सलाहियत की कुछ शर्तों का पाया जाना ज़रूरी है लेकिन माल व दौलत की ज़्यादती (अधिकता) की बिना पर किसी को नुबुव्वत नहीं दी जा सकती, क्योंकि माल व दौलत हमारी निगाह में इतनी हक़ीर (मामूली और बेक़ीमत) चीज़ है कि अगर तमाम लोगों के काफ़िर बन जाने का अन्देशा न होता तो हम सब काफ़िरों पर सोने-चाँदी की बारिश कर देते। और सही तिर्मिज़ी की एक हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम का इरशाद है:

لو كانت الدّنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرًا منها شربة مَاء.

(यानी अगर दुनिया अल्लाह के नज़दीक मच्छर के एक पर के बराबर भी दर्जा रखती तो अल्लाह तआ़ला किसी काफ़िर को इससे पानी का एक घूँट भी न देता) इससे मालूम हुआ कि न माल व दौलत की ज़्यादती कोई फ़ज़ीलत (बड़ाई) की चीज़ है न उसकी कमी इनसान के कम रुतबे वाला होने की पहचान है। अलबत्ता नुबुव्वत के लिये कुछ आला दर्जे के गुणों, ख़ूबियों और कमालात ज़रूरी हैं वह सरकारे दो आ़लम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम में मुकम्मल तौर पर पाये जाते हैं, इसलिये यह एतिराज़ बिल्कुल ग़लत और बेहूदा है।

और ऊपर दर्ज हुई आयतों में यह जो कहा गया है कि अगर काफ़िरों पर माल व दौलत की इतनी फ़रावानी (अधिकता) कर दी जाती तो सब लोग काफ़िर हो जाते, इसमें मुराद लोगों की भारी अक्सरियत है वरना अल्लाह के कुछ नेक बन्दे आज भी ऐसे मौजूद हैं जो यह यक़ीन रखते हैं कि कुफ़्र इख़्तियार करके वे माल व दौलत से निहाल हो सकते हैं लेकिन वह माल व दौलत की ख़ातिर कुफ़्र को इख़्तियार नहीं करते, ऐसे कुछ लोग शायद उस वक़्त भी ईमान पर क़ायम रह जाते लेकिन उनकी संख्या आटे में नमक के बराबर होती।

وَمَنْ يَّعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمٰنِ نُقَيِّضْ لَهٗ شَيْطٰنًا فَهُوَ لَهٗ قَرِيْنٌ ۝ وَاِنَّهُمْ لَيَصُدُّوْنَهُمْ عَنِ السَّبِيْلِ وَيَحْسَبُوْنَ اَنَّهُمْ مُّهْتَدُوْنَ ۝ حَتّٰۤى اِذَا جَآءَنَا قَالَ يٰلَيْتَ بَيْنِيْ وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِيْنُ ۝ وَلَنْ يَّنْفَعَكُمُ الْيَوْمَ اِذْ ظَّلَمْتُمْ اَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُوْنَ ۝ اَفَاَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ اَوْ تَهْدِي الْعُمْيَ وَمَنْ كَانَ فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ۝ فَاِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَاِنَّا مِنْهُمْ مُّنْتَقِمُوْنَ ۝ اَوْ نُرِيَنَّكَ الَّذِيْ وَعَدْنٰهُمْ فَاِنَّا عَلَيْهِمْ مُّقْتَدِرُوْنَ ۝ فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِيْۤ اُوْحِيَ اِلَيْكَ ۚ اِنَّكَ عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ۝ وَاِنَّهٗ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ ۚ وَسَوْفَ تُسْـَٔلُوْنَ ۝ وَسْـَٔلْ مَنْ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُّسُلِنَاۤ اَجَعَلْنَا مِنْ دُوْنِ الرَّحْمٰنِ اٰلِهَةً يُّعْبَدُوْنَ ۝

व मंय्यअ्शु अन् ज़िक्रिर्-रह्मानि नुक़य्यिज़् लहू शैतानन् फ़हु-व लहू क़रीन (36) व इन्नहुम् ल-यसुद्दूनहुम् अ़निस्सबीलि व यह्सबू-न अन्नहुम् मुह्तदून (37) हत्ता इज़ा जा-अना क़ा-ल या लै-त बैनी व बैन-क बुअ़्दल्-मश्रिक़ैनि फ़-बिअ्सल्-क़रीन (38) व लंय्यन्फ़-अ़कुमुल्-यौ-म इज़् ज़लम्तुम् अन्नकुम् फ़िल्-अ़ज़ाबि मुश्तरिकून (39) अ-फ़-अन्-त तुस्मिअ़ुस्सुम्-म औ तह्दिल्-अ़ुम्-य व मन् का-न फ़ी ज़लालिम्-मुबीन (40) फ़-इम्मा नज़्ह-बन्-न बि-क फ़-इन्ना मिन्हुम् मुन्तक़िमून (41) औ नुरियन्नकल्लज़ी व-अ़द्नाहुम् फ़-इन्ना अ़लैहिम्-मुक़्तदिरून (42) फ़स्तम्सिक्

और जो कोई आँखें चुराये रहमान की याद से हम उस पर मुक़र्रर कर दें एक शैतान फिर वह रहे उसका साथी। (36) और वे उनको रोकते रहते हैं राह से और ये समझते हैं कि हम राह पर हैं। (37) यहाँ तक कि जब आये हमारे पास कहे किसी तरह मुझमें और तुझमें फ़र्क़ हो पूरब व पश्चिम का सा कि क्या बुरा साथी है। (38) और कुछ फ़ायदा नहीं तुमको आज के दिन जबकि तुम ज़ालिम ठहर चुके इस बात से कि तुम अ़ज़ाब में शामिल हो। (39) सो क्या तू सुनायेगा बहरों को या सुझायेगा अंधों को और खुली ग़लती में भटकने वालों को। (40) फिर अगर कभी हम तुझको यहाँ से ले जायें तो हमको उनसे बदला लेना है (41) या तुझ को दिखा दें जो इनसे वायदा ठहराया है तो ये हमारे बस में हैं। (42) सो तू

बिल्लज़ी ऊहि-य इलै-क इन्न-क अ़ला सिरातिम्-मुस्तक़ीम (43) व इन्नहू ल-ज़िक्रुल्-ल-क व लिक़ौमि-क व सौ-फ़ तुस्अलून (44) वस्अल् मन् अर्सल्ना मिन् क़ब्लि-क मिर्रुसुलिना, अ-जअ़ल्ना मिन् दूनिर्रह्मानि आलि-हतंय्-युअ़्बदून (45) ✿	मज़बूत पकड़े रह उसी को जो तुझको हुक्म पहुँचा, तू है बेशक सीधी राह पर। (43) और यह मज़कूर रहेगा तेरा और तेरी क़ौम का और आगे तुमसे पूछ होगी। (44) और पूछ ले जो रसूल भेजे हमने तुझसे पहले (क्या) कभी हमने रखे हैं रहमान के सिवाय दूसरे हाकिम कि पूजे जायें। (45) ✿

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

और जो शख़्स अल्लाह तआ़ला की नसीहत (यानी क़ुरआन और वही) से (जान-बूझकर) अंधा बन जाये (जैसे ये काफ़िर हैं कि काफ़ी और तसल्ली-बख़्श दलीलों के होते हुए अनजान बनने से काम लेते हैं) हम उस पर एक शैतान मुसल्लत कर देते हैं, सो वह (हर वक़्त) उसके साथ रहता है। और वे (साथ रहने वाले शैतान) उन (क़ुरआन से मुँह मोड़ने वालों) को (बराबर) (हक़) रास्ते से रोकते रहते हैं (और उन पर क़ब्ज़े का यही असर है) और ये लोग (हक़ रास्ते से दूर होने के बावजूद) यह ख़्याल करते हैं कि वे (यानी हम सही) रास्ते पर हैं। (सो जिसकी गुमराही की यह सूरत और यह हालत हो उसके राह पर आने की क्या उम्मीद है, सो ग़म क्यों किया जाये। और यह भी तसल्ली रखिये कि उनका यह ग़फ़लत बरतना जल्दी ही ख़त्म होगा और जल्दी ही उनको अपनी ग़लती ज़ाहिर हो जायेगी क्योंकि यह ग़फ़लत में रहना सिर्फ़ दुनिया ही दुनिया तक है) यहाँ तक कि जब ऐसा शख़्स हमारे पास आयेगा (और उसकी ग़लती ज़ाहिर होगी) तो (उस शैतान से) कहेगा कि काश! मेरे और तेरे बीच में (दुनिया में) पूरब और पश्चिम के बराबर फ़ासला होता (क्यों) कि (तू तो) बुरा साथी था (कि तूने मुझको गुमराह किया, मगर यह हसरत व अफ़सोस उस वक़्त काम न आयेगा) और (उनसे कहा जायेगा कि) जबकि तुम (दुनिया में) कुफ़्र कर चुके थे तो (जिस तरह आज अफ़सोस व मायूसी तुम्हारे काम नहीं आई इसी तरह) आज यह बात (भी) तुम्हारे काम न आयेगी कि तुम (और शयातीन) सब अ़ज़ाब में शरीक हो (जैसे दुनिया में कई बार दूसरे को मुसीबत में शरीक देखकर किसी हद तक तसल्ली हो जाती है वहाँ चूँकि अ़ज़ाब बहुत ज़्यादा सख़्त होगा इसलिये दूसरे की तरफ़ तवज्जोह और ध्यान भी न होगा, हर शख़्स अपने हाल में मुब्तला होगा और अपने ही को सबसे ज़्यादा परेशानी में फंसा हुआ समझेगा)। सो (आपको जब उनकी यह हालत मालूम हो गयी कि उनकी हिदायत की कोई उम्मीद नहीं तो) क्या आप (ऐसे) बहरों को सुना सकते हैं या (ऐसे) अन्धों को और उन लोगों को जो खुली गुमराही में (मुब्तला) हैं, राह पर ला सकते हैं? (यानी उनकी हिदायत आपके इख़्तियार से बाहर है आप इसके पीछे न पड़ें)।

फिर (उनकी यह सरकशी ख़ाली जाने वाली नहीं, बल्कि इस पर ज़रूर सज़ा मुरत्तब होने वाली है चाहे आपकी ज़िन्दगी में हो चाहे आपकी वफ़ात के बाद हो। पस) अगर हम (दुनिया से) आपको उठा लें तो भी हम इन (काफ़िरों) से बदला लेने वाले हैं। या अगर इनसे जो हमने अ़ज़ाब का वायदा कर रखा है वह (आपकी ज़िन्दगी में इन पर नाज़िल करके) आपको (भी) दिखला दें तब भी (कुछ बईद नहीं, क्योंकि) हमको इन पर हर तरह की क़ुदरत है। (मतलब यह कि अ़ज़ाब ज़रूर होगा चाहे कभी हो, और जब यह बात है) तो आप (तसल्ली रखिये और इत्मीनान से) इस क़ुरआन पर क़ायम रहिये जो आप पर वही के ज़रिये से नाज़िल किया गया है (क्योंकि) आप बेशक सीधे रास्ते पर हैं। (मतलब यह कि अपना काम किये जाईये और दूसरों के काम का ग़म न कीजिये) और यह क़ुरआन (जिस पर क़ायम रहने को हम कहते हैं) आपके लिये और आपकी क़ौम के लिये बेशक बड़े शर्फ़ "यानी इज़्ज़त व सम्मान" की चीज़ है, (आपके लिये तो इसलिये कि आप अप्रत्यक्ष रूप से मुख़ातब हैं और क़ौम के लिये इस वास्ते कि वे प्रत्यक्ष रूप से मुख़ातब हैं। आ़म बादशाहों से हमकलामी बड़ा शर्फ़ "इज़्ज़त व सम्मान की बात" समझी जाती है कहाँ यह कि तमाम बादशाहों के बादशाह "यानी अल्लाह तआ़ला" का मुख़ातब बनना) और जल्दी ही (क़ियामत के दिन) तुम सब (अपने-अपने ज़िम्मे के वाजिब हुक़ूक़ के बारे में) पूछे जाओगे (पस आप से सिर्फ़ तब्लीग़ के बारे में सवाल होगा जिसको आप ख़ूब अदा कर चुके हैं और अ़मल के मुताल्लिक़ उनसे सवाल होगा। पस जब आप से उनके आमाल के बारे में पूछ न होगी तो आप ग़म क्यों करते हैं)।

और (हमने जो आप पर नाज़िल होने वाली वही को हक़ क़रार दिया है इसमें काफ़िरों को सबसे बड़ा एतिराज़ तौहीद "यानी अल्लाह के एक और अकेला माबूद होने" के अ़क़ीदे पर है जिसके हक़ होने में उनको बड़ा कलाम है। सो हक़ीक़त में वह ऐसी हक़ बात है कि उस पर तमाम अम्बिया अ़लैहिमुस्सलाम का इजमा "सर्वसम्मति और एक राय" है, और चूँकि अम्बिया अ़क़्ली व नक़ली दलीलों के जामे हैं इसलिये गोया इस पर हज़ारों अ़क़्ली व नक़ली "किताबी और रिवायती" दलीलें क़ायम हैं, चुनाँचे अगर आपका जी चाहे तो) आप उन सब पैग़म्बरों से जिनको हमने आप से पहले भेजा है पूछ लीजिये (यानी उनकी किताबों और सहीफ़ों से जिनका कुछ बाक़ी हिस्सा मौजूद है तहक़ीक़ कर लीजिये) क्या हमने ख़ुदा-ए-रहमान के सिवा (कभी भी) दूसरे माबूद ठहरा दिये थे कि उनकी इबादत की जाये? (इससे दूसरों को सुनाना मन्ज़ूर है कि जिसका जी चाहे तहक़ीक़ कर ले और किताबों में देखने को रसूलों से पूछना मुहावरे के तौर पर कह दिया।)

मआ़रिफ़ व मसाईल

अल्लाह की याद से मुँह मोड़ना बुरी सोहबत का सबब है

وَمَنْ يَّعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمٰنِ............. الخ.

मतलब यह है कि जो शख़्स अल्लाह की नसीहत यानी क़ुरआन और वही (भेजे हुए पैग़ाम) से जान-बूझकर मुँह मोड़े तो हम उस पर एक शैतान मुसल्लत कर देते हैं जो दुनिया में भी उसके साथ

लगा रहता है और उसे नेकियों से रोककर बुराईयों पर उभारता रहता है, और आख़िरत में भी जब यह शख़्स क़ब्र से उठेगा तो यह शैतान उसके साथ-साथ होगा यहाँ तक कि दोनों जहन्नम में दाख़िल हो जायें। (तफ़सीरे क़ुर्तुबी) और यहाँ जिस शैतान को मुसल्लत करने का ज़िक्र है वह उस शैतान के अलावा है जो हर मोमिन व काफ़िर के साथ लगाया गया है, क्योंकि वह मोमिन से कुछ ख़ास वक़्तों में हट भी जाता है और यह हमेशा साथ लगा रहेगा। (तफ़सीर बयानुल-क़ुरआन)

وَلَنْ يَّنْفَعَكُمُ الْيَوْمَ............ الخ.

इस आयत की दो तफ़सीरें हो सकती हैं- एक यह कि जब तुम्हारा कुफ़्र व शिर्क साबित हो चुका है तो आख़िरत में तुम्हारी यह तमन्ना कुछ काम न आयेगी कि काश! यह शैतान मुझसे दूर होता, क्योंकि उस वक़्त तुम सब अ़ज़ाब में शरीक होगे। इस सूरत में नफ़ा न देने का ताल्लुक़ अफ़सोस करने वाले से होगा।

और दूसरी तफ़सीर यह मुम्किन है कि वहाँ पहुँचने के बाद तुम्हारा और शैतानों का अ़ज़ाब में संयुक्त रूप से मुब्तला होना तुम्हारे लिये कुछ भी फ़ायदेमन्द नहीं होगा। दुनिया में बेशक ऐसा होता है कि एक मुसीबत में चन्द आदमी शरीक हो जायें तो हर एक का ग़म हल्का हो जाता है लेकिन वहाँ चूँकि हर एक को अपनी-अपनी पड़ी होगी और कोई किसी का दुख नहीं बाँट सकेगा इसलिये इस शरीक होने से कोई फ़ायदा नहीं पहुँचेगा।

नेक शोहरत भी दीन में पसन्दीदा है

وَاِنَّهٗ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ.

(और यह क़ुरआन आपके लिये और आपकी क़ौम के लिये बड़े सम्मान की चीज़ है) "ज़िक्र" से यहाँ मुराद नेक शोहरत है। और मतलब यह है कि क़ुरआने करीम आप और आपकी क़ौम के लिये बड़े सम्मान व इ़ज़्ज़त और नेक शोहरत का सबब है। इमाम राज़ी रह. फ़रमाते हैं कि इस आयत से यह मालूम हुआ कि नेक शोहरत एक दिलचस्पी की चीज़ है, इसी लिये अल्लाह तआ़ला ने यहाँ इसका एक एहसान के तौर पर ज़िक्र फ़रमाया है, और इसी लिये हज़रत इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम ने यह दुआ़ फ़रमाई थी किः

وَاجْعَلْ لِّيْ لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْاٰخِرِيْنَ٥

(और आने वाले लोगों में मेरा ज़िक्र जारी रख। तफ़सीरे कबीर)

लेकिन यह याद रखना चाहिये कि नेक शोहरत उस वक़्त अच्छी और पसन्दीदा है जब वह ज़िन्दगी का मक़सद बनाये बग़ैर इनसान के नेक आमाल से ख़ुद-बख़ुद हासिल हो जाये, और अगर इनसान नेकियाँ सिर्फ़ इसी मक़सद से करे कि उनसे दुनिया में नाम होगा तो यह "रिया" (दिखावा) है जिससे नेकियों का सारा फ़ायदा जाता रहता है और उल्टा गुनाह लाज़िम हो जाता है। इस आयत में "आपकी क़ौम" से मुराद कुछ मुफ़स्सिरीन ने सिर्फ़ क़बीला क़ुरैश को क़रार दिया है और इससे क़ुरैश की फ़ज़ीलत (बड़ाई) साबित की है, लेकिन अ़ल्लामा क़ुर्तुबी रह. फ़रमाते हैं कि सही यह है कि इससे

मुराद आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की पूरी उम्मत है चाहे किसी रंग व नस्ल से ताल्लुक़ रखती हो, क़ुरआने करीम उन सब के लिये बड़ाई व सम्मान और नेक शोहरत का ज़रिया है। (क़ुर्तुबी)

وَسْئَلْ مَنْ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُّسُلِنَا.

(आप उन सब पैग़म्बरों से जिनको हमने आप से पहले भेजा है पूछ लीजिये) यहाँ यह सवाल पैदा होता है कि पिछले नबी तो वफ़ात पा चुके हैं उनसे पूछने का हुक्म कैसे दिया जा रहा है? इसका जवाब कुछ मुफ़स्सिरीन ने तो यह दिया है कि आयत का मतलब यह है कि अगर अल्लाह तआ़ला किसी मोजिज़े के तौर पर पिछले नबियों से आपकी मुलाक़ात करा दे तो उस वक़्त उनसे यह बात पूछ लीजिये चुनाँचे मेराज की रात में आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की मुलाक़ात तमाम नबियों से हुई और अ़ल्लामा क़ुर्तुबी रह. ने कुछ रिवायतें नक़ल की हैं जिनसे मालूम होता है कि आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने अम्बिया अ़लैहिमुस्सलाम की इमामत करने के बाद उनसे यही बात पूछी थी लेकिन उन रिवायतों की सनद हमें मालूम नहीं हो सकी, चुनाँचे अक्सर मुफ़स्सिरीन ने आयत का मतलब यह बताया है कि ख़ुद अम्बिया अ़लैहिमुस्सलाम से पूछना मुराद नहीं बल्कि उन पर नाज़िल होने वालों सहीफ़ों (आसमानी किताबों) से तहक़ीक़ करना और उनकी उम्मतों के उलेमा से पूछना मुरद है। चुनाँचे बनी इस्राईल के नबियों के जो सहीफ़े अब मौजूद हैं उनमें बहुत सी रद्दोबदल और कमी-बेशी के बावजूद तौहीद की तालीम और शिर्क से बेज़ारी की तालीम आज तक शामिल है, मिसाल के तौर पर मौजूदा बाईबिल की निम्नलिखित इबारतें मुलाहिज़ा फ़रमाईये।

नबियों के सहीफ़ों (किताबों) में तौहीद की तालीम

मौजूदा तौरात में है:

"ताकि तू जाने कि ख़ुदावन्द ही ख़ुदा है और उसके सिवा कोई है ही नहीं।" (इस्तिस्ना 4:35)

और "सुन ऐ इस्राईल! ख़ुदावन्द हमारा ख़ुदा एक ही ख़ुदा है।" (इस्तिस्ना 6:4)

और हज़रत अशज़िया अ़लैहिस्सलाम के सहीफ़े में है:

"मैं ही ख़ुदावन्द हूँ और कोई नहीं, मेरे सिवा कोई ख़ुदा नहीं, ताकि पूरब से पश्चिम तक लोग जान लें कि मेरे सिवा कोई नहीं। मैं ही ख़ुदावन्द हूँ, मेरे सिवा कोई दूसरा नहीं।" (यस्अ़याह 45:605)

और हज़रत मसीह अ़लैहिस्सलाम का यह क़ौल मौजूदा इन्जीलों में ज़िक्र हुआ है:

"ऐ इस्राईल सुन! ख़ुदावन्द हमारा ख़ुदा एक ही ख़ुदावन्द है, और तू ख़ुदावन्द अपने ख़ुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी अ़क़्ल और अपनी सारी ताक़त से मुहब्बत रख।" (मरक़ुस 12:29 व मत्ता 22:36)

नक़ल किया गया है कि आपने एक मर्तबा मुनाजात (अल्लाह से दुआ़) करते हुए फ़रमाया:

"और हमेशा की ज़िन्दगी यह है कि वे तुझ एक और बरहक़ ख़ुदा को और यसूअ़ मसीह को जिसे तूने भेजा है जानें।" (यूहन्ना 17:3)

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مُوْسٰى بِاٰيٰتِنَآ اِلٰى فِرْعَوْنَ وَمَلَا۟ئِهٖ فَقَالَ اِنِّيْ رَسُوْلُ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝ فَلَمَّا جَآءَهُمْ بِاٰيٰتِنَآ اِذَا هُمْ مِّنْهَا يَضْحَكُوْنَ ۝ وَمَا نُرِيْهِمْ مِّنْ اٰيَةٍ اِلَّا هِيَ اَكْبَرُ مِنْ اُخْتِهَا ؗ وَاَخَذْنٰهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ ۝ وَقَالُوْا يٰٓاَيُّهَ السّٰحِرُ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ ۚ اِنَّنَا لَمُهْتَدُوْنَ ۝ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ اِذَا هُمْ يَنْكُثُوْنَ ۝ وَنَادٰى فِرْعَوْنُ فِيْ قَوْمِهٖ قَالَ يٰقَوْمِ اَلَيْسَ لِيْ مُلْكُ مِصْرَ وَهٰذِهِ الْاَنْهٰرُ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِيْ ۚ اَفَلَا تُبْصِرُوْنَ ۝ اَمْ اَنَا خَيْرٌ مِّنْ هٰذَا الَّذِيْ هُوَ مَهِيْنٌ ۙ وَّلَا يَكَادُ يُبِيْنُ ۝ فَلَوْلَآ اُلْقِيَ عَلَيْهِ اَسْوِرَةٌ مِّنْ ذَهَبٍ اَوْ جَآءَ مَعَهُ الْمَلٰٓئِكَةُ مُقْتَرِنِيْنَ ۝ فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهٗ فَاَطَاعُوْهُ ۚ اِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمًا فٰسِقِيْنَ ۝ فَلَمَّآ اٰسَفُوْنَا انْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَاَغْرَقْنٰهُمْ اَجْمَعِيْنَ ۝ فَجَعَلْنٰهُمْ سَلَفًا وَّمَثَلًا لِّلْاٰخِرِيْنَ ۝

व ल-कद् अर्सल्ना मूसा बिआयातिना इला फ़िर्औ-न व म-लइही फ़का-ल इन्नी रसूलु रब्बिल्-आलमीन (46) फ़-लम्मा जा-अहुम् बिआयातिना इज़ा हुम् मिन्हा यज़्हकून (47) व मा नुरीहिम् मिन् आ-यतिन् इल्ला हि-य अक्बरु मिन् उख़्तिहा व अख़ज़्नाहुम् बिल्अज़ाबि लअल्लहुम् यर्जिअून (48) व क़ालू या अय्युहस्-साहिरुद्अु लना रब्ब-क बिमा अ़हि-द अ़िन्द-क इन्नना ल-मुह्तदून (49) फ़-लम्मा कशफ़्ना अ़न्हुमुल्-अ़ज़ा-ब इज़ा हुम् यन्कुसून (50) व नादा फ़िर्औनु फ़ी कौमिही क़ा-ल या कौमि अलै-स ली मुल्कु मिस्-र व हाज़िहिल्-अन्हारु तज्री मिन् तह्ती

और हमने भेजा मूसा को अपनी निशानियाँ देकर फ़िरऔन और उसके सरदारों के पास तो कहा मैं भेजा हुआ हूँ जहान के रब का। (46) फिर जब वह लाया उनके पास हमारी निशानियाँ तो लगे उन पर हंसने। (47) और जो दिखलाते गये हम उनको निशानी सो पहली से बड़ी और पकड़ा हमने उनको तकलीफ़ में ताकि वे बाज़ आयें। (48) और कहने लगे ऐ जादूगर! पुकार हमारे वास्ते अपने रब को जैसा सिखा रखा है तुझको हम ज़रूर राह पर आ जायेंगे। (49) फिर जब उठा ली हमने उन पर से तकलीफ़ तभी वे वादा तोड़ डालते। (50) और पुकारा फ़िरऔन ने अपनी क़ौम में बोला ऐ मेरी क़ौम! भला मेरे हाथ में नहीं हुकूमत मिस्र की और ये नहरें चल रही हैं मेरे महल के

अ-फ़ला तुब्सिरून (51) अम् अ-न ख़ैरुम् मिन् हाज़ल्लज़ी हु-व महीनुंव्-व ला यकादु युबीन (52) फ़-लौ ला उल्कि-य अ़लैहि अस्वि-रतुम् मिन् ज़-हबिन् औ जा-अ म-अ़हुल्-मलाइ-कतु मुक़्तरिनीन (53) फ़स्तख़फ़्-फ़ क़ौमहू फ़-अताअ़ूहु, इन्नहुम् कानू क़ौमन् फ़ासिक़ी-न (54) फ़-लम्मा आ-सफ़ूनन्तक़म्ना मिन्हुम् फ़-अग़रक़्नाहुम् अज्मअ़ीन (55) फ़-जअ़ल्नाहुम् स-लफ़ंव्-व म-सलल्-लिल्आख़िरीन (56) ✿	नीचे, क्या तुम नहीं देखते? (51) भला मैं हूँ बेहतर उस शख़्स से जिसको कुछ इज़्ज़त नहीं और साफ़ नहीं बोल सकता। (52) फिर क्यों न आ पड़े उस पर कंगन सोने के या आते उसके साथ फ़रिश्ते परा बाँधकर। (53) फिर अक़्ल खो दी अपनी क़ौम की, फिर उसी का कहना माना बेशक वे लोग थे नाफ़रमान। (54) फिर जब हमको ग़ुस्सा दिलाया तो हमने उनसे बदला लिया, फिर डुबो दिया उन सब को। (55) फिर कर डाला उनको गये-गुज़रे और एक नज़ीर पिछलों के वास्ते। (56) ✿

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

और हमने मूसा (अ़लैहिस्सलाम) को अपनी दलीलें (यानी लाठी और चमकते हाथ के मोजिज़े) देकर फ़िरऔ़न और उसके सरदारों के पास भेजा था, सो उन्होंने (उन लोगों के पास आकर) फ़रमाया कि मैं रब्बुल-आ़लमीन की तरफ़ से (तुम लोगों की हिदायत के लिये) पैग़म्बर (होकर आया) हूँ। (मगर फ़िरऔ़न और फ़िरऔ़न के लोगों ने नहीं माना) फिर (हमने दूसरी दलीलें सज़ाओं के रंग में उनकी नुबुव्वत साबित करने के लिये ज़ाहिर कीं, यानी सूखा पड़ना वग़ैरह मगर उन लोगों की फिर भी यह हालत रही कि) जब मूसा (अ़लैहिस्सलाम) उनके पास हमारी (वो) निशानियाँ लेकर आये (जो नौ निशानियाँ कहलाती हैं) तो वे एक दम से उन (मोजिज़ों) पर हंसने लगे (कि यह क्या अच्छे मोजिज़े हैं, महज़ मामूली वाक़िआ़त व हदसे हैं, क्योंकि सूखा और अकाल वग़ैरह वैसे भी हो जाता है, मगर यह उनकी बेवक़ूफ़ी थी क्योंकि दूसरे इशारात से साफ़ मालूम हो रहा था कि ये वाक़िआ़त ग़ैर-मामूली हैं और मोजिज़ों के तौर पर हो रहे हैं। इसी लिये उन्होंने उन पर जादू की तोहमत लगाई थी जैसा कि सूरः आराफ़ में "लितस्ह-रना बिहा" के अलफ़ाज़ इस पर सुबूत हैं)।

और (उन निशानियों की कैफ़ियत यह थी कि) हम उनको जो निशानी दिखलाते थे वह दूसरी निशानी से बढ़कर होती थी (मतलब यह कि सब निशानियाँ बड़ी ही थीं और यह मतलब नहीं कि हर निशानी हर निशानी से बड़ी थी। यह एक मुहावरा है, जब कई चीज़ों का कमाल बयान करना चाहते

हैं तो यूँ ही बोलते हैं कि एक से बढ़कर एक। और यह भी मुम्किन है कि हक़ीक़त में भी हर आने वाली निशानी पिछली निशानी से कुछ बड़ाई व बरतरी रखती हो)। और हमने (उन निशानियों के ज़ाहिर करने से) उन लोगों को अ़ज़ाब में पकड़ा था ताकि वे (अपने कुफ़्र से) बाज़ आ जाएँ (यानी वो निशानियाँ नुबुव्वत की दलील भी थीं और उनके लिये सज़ा भी थीं, मगर वे लोग बाज़ न आये इसके बावजूद कि हर निशानी के ज़ाहिर होने और आ पड़ने पर इसका चन्द बार अ़हद भी किया) और उन्होंने (मूसा अ़लैहिस्सलाम से हर निशानी पर यह) कहा कि ऐ जादूगर! (यह लफ़्ज़ पहले से पड़ी आ़दत के मुताबिक़ ज़्यादा बदहवास होने की वजह से उनके मुँह से निकल जाता होगा, वरना ऐसी आ़जिज़ाना दरख़्वास्त के मौक़े पर यह शरारत का लफ़्ज़ बोलना मुहाल और दूर की बात मालूम होती है। बहरहाल मतलब यह था कि ऐ मूसा) हमारे लिये अपने रब से उस बात की दुआ़ कर दीजिए जिसका उसने आप से अ़हद कर रखा है (और वह बात है हमारे बाज़ आ जाने पर सूखे और अकाल का दूर कर देना, हम वायदा करते हैं कि अगर आप इस अ़ज़ाब को दूर करा दें तो) हम ज़रूर राह पर आ जाएँगे। फिर जब हमने वह अ़ज़ाब उनसे हटा दिया तब ही उन्होंने (अपना) अ़हद तोड़ दिया (इन नौ निशानियों का बयान सूरः आराफ़ में आ चुका है)।

और फ़िरऔ़न ने (ग़ालिबन इस ख़्याल से कि कहीं मोजिज़े देखकर आ़म लोग मुसलमान हो जायें) अपनी क़ौम में यह मुनादी कराई (और उस मुनादी में) यह बात कही (यानी कहलवाई) कि ऐ मेरी क़ौम! क्या मिस्र (और उसके अधीन इलाक़ों) की बादशाही मेरी नहीं है? और (देखो) ये नहरें मेरे (महल के) नीचे बह रही हैं, क्या तुम (ये चीज़ें) देखते नहीं हो? (और मूसा अ़लैहिस्सलाम के पास कुछ भी सामान नहीं तो बतलाओ कि मैं अफ़ज़ल और पैरवी के क़ाबिल हूँ या मूसा अ़लैहिस्सलाम)? बल्कि मैं (ही) अफ़ज़ल हूँ उस शख़्स से (यानी मूसा अ़लैहिस्सलाम से) जो कि (माल व रुतबे के एतिबार से) कम-क़द्र (आदमी) है और बयान की क़ुव्वत भी नहीं रखता। (और अगर यह शख़्स अपने आपको पैग़म्बर बताता है) तो इसके (हाथों में) सोने के कंगन क्यों नहीं डाले गये (जैसे दुनिया के बादशाहों की आ़दत है कि जब किसी पर ख़ास इनायत करते हैं तो उसको आ़म दरबार में सोने के कंगन पहनाते हैं। मतलब यह कि अगर इस शख़्स को नुबुव्वत अ़ता होती तो ख़ुदा की तरफ़ से इसके हाथ में सोने के कंगन होते) या फ़रिश्ते इसके साथ में परा बाँधकर आये होते (जैसा कि बादशाहों के ख़ास सरदारों और बड़े आदमियों का जुलूस इसी तरह निकलता है) ग़र्ज़ कि उसने (ऐसी बातें करके) अपनी क़ौम को (अ़क़्ली तौर पर) मग़लूब कर दिया और वे उसके कहने में आ गये, (और) वे लोग (कुछ पहले से भी) शरारत के भरे थे (इस वजह से फ़िरऔ़न की बातों का उन पर ज़्यादा असर हुआ)। फिर जब उन लोगों ने (बराबर कुफ़्र व दुश्मनी पर जमे और अड़े रहने का काम करके) हमको गुस्सा दिलाया तो हमने उनसे बदला लिया और उन सब को डुबो दिया। और हमने उनको आईन्दा आने वालों के लिये ख़ास तौर के पहले गुज़रे हुए और (इब्रत का) नमूना बना दिया (ख़ास तौर के पहले गुज़रे हुए बनाने का मतलब यह है कि लोग उनका क़िस्सा याद करके इब्रत दिलाते हैं कि देखो पहलों में ऐसे-ऐसे हुए हैं और उनका ऐसा-ऐसा हाल हुआ है)।

मआ़रिफ़ व मसाईल

हज़रत मूसा अ़लैहिस्सलाम का वाकिआ़ पीछे बार-बार गुज़र चुका है और इन आयतों में उनके जिन वाक़िआ़त की तरफ़ इशारा किया गया है वो तफ़सील के साथ सूरः आराफ़ में आये हैं। यहाँ उनका वाक़िआ़ याद दिलाने से मक़सद यह है कि मक्का के काफ़िर नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की नुबुव्वत पर आपके मालदार न होने से जो शुब्हा कर रहे हैं, यह कोई नया शुब्हा नहीं बल्कि फ़िरऔन और उसकी क़ौम ने यही शुब्हा हज़रत मूसा अ़लैहिस्सलाम की नुबुव्वत पर किया था। फ़िरऔन का कहना यह था कि मैं मिस्र देश का मालिक हूँ और मेरे महलों के नीचे नहरें बहती हैं इसलिये मैं मूसा अ़लैहिस्सलाम से (मआ़ज़ल्लाह) अफ़ज़ल हूँ, फिर मेरे मुक़ाबले में उन्हें नुबुव्वत क्योंकर मिल सकती है? लेकिन जिस तरह उसका यह शुब्हा उसके कुछ काम न आ सका और वह अपनी क़ौम समेत ग़र्क़ होकर रहा, इसी तरह मक्का के काफ़िरों का यह एतिराज़ करना भी इन्हें दुनिया व आख़िरत के वबाल से न बचा सकेगा।

وَلَا يَكَادُ يُبِيْنُ٥

(और जो बयान की क़ुव्वत भी नहीं रखता) अगरचे हज़रत मूसा अ़लैहिस्सलाम की दुआ़ से अल्लाह तआ़ला ने उनकी ज़बान की लड़खड़ाहट दूर कर दी थी लेकिन फ़िरऔन को उनका पहला मन्ज़र ही याद था इसलिये उसने हज़रत मूसा अ़लैहिस्सलाम पर यह ऐब लगाया, और यह भी हो सकता है कि यहाँ "बयान की क़ुव्वत" से मुराद ज़बान की रवानी (तेज़ी से चलने) के बजाय दलीलों की क़ुव्वत व वज़ाहत हो, और फ़िरऔन का मतलब यह हो कि हज़रत मूसा अ़लैहिस्सलाम के पास ऐसी काफ़ी दलीलें नहीं हैं जो मुझे मुत्मईन कर सकें। हालाँकि यह फ़िरऔन का पूरी तरह तोहमत लगाना था वरना हज़रत मूसा अ़लैहिस्सलाम ने दलीलों और हुज्जतों के मुक़ाबले में फ़िरऔन को निश्चित तौर पर लाजवाब कर दिया था। (तफ़सीरे कबीर व रूहुल-मआ़नी)

فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهٗ

इसके दो तर्जुमे हो सकते हैं- एक यह कि फ़िरऔन ने "अपनी क़ौम को आसानी से अपना ताबे बना लिया।" और दूसरे यह कि "उसने अपनी क़ौम को बेवक़ूफ़ पाया।" (तफ़सीर रूहुल-मआ़नी)

فَلَمَّآ اٰسَفُوْنَا..........

यह 'असिफ़ुन्' से निकला है जिसके लुग़वी मायने हैं अफ़सोस। लिहाज़ा इस जुमले के लफ़्ज़ी मायने हुए "पस जब उन्होंने हमें अफ़सोस दिलाया" और अफ़सोस गुस्से के मायने में भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है इसलिये इसका मुहावरे वाला तर्जुमा उमूमन इस तरह किया जाता है कि "जब उन्होंने हमें गुस्सा दिलाया" और चूँकि बारी तआ़ला अफ़सोस और गुस्से की असर क़ुबूल करने वाली कैफ़ियतों से पाक है इसलिये इसका मतलब यह है कि उन्होंने काम ऐसे किये जिससे हमने उन्हें सज़ा देने का पुख़्ता इरादा कर लिया। (तफ़सीर रूहुल-मआ़नी)

وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ ۝ وَقَالُوا ءَأَلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ ۚ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا ۚ بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ ۝ إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ ۝ وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنكُم مَّلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ ۝ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ ۚ هَٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ ۝ وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ ۖ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ۝ وَلَمَّا جَاءَ عِيسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُم بِالْحِكْمَةِ وَلِأُبَيِّنَ لَكُم بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ ۖ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ۝ إِنَّ اللَّهَ هُوَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ ۚ هَٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ ۝ فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِن بَيْنِهِمْ ۖ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ عَذَابِ يَوْمٍ أَلِيمٍ ۝

व लम्मा ज़ुरिबब्नु मर्य-म म-सलन् इज़ा कौमु-क मिन्हु यसिद्दून (57) व क़ालू अ-आलि-हतुना ख़ैरुन् अम् हु-व, मा ज़-रबूहु ल-क इल्ला ज-दलन्, बल् हुम् कौमुन् ख़सिमून (58) इन् हु-व इल्ला अ़ब्दुन् अन्अ़म्ना अ़लैहि व ज-अ़ल्नाहु म-सलल्-लि-बनी इस्राईल (59) व लौ नशा-उ ल-जअ़ल्ना मिन्कुम् मलाइ-कतन् फ़िल्अर्ज़ि यख़्लुफ़ून (60) व इन्नहू ल-अ़िल्मुल्लिस्सा-अ़ति फ़ला तम्तरुन्-न बिहा वत्तबिअ़ूनि, हाज़ा सिरातुम्-मुस्तक़ीम (61) व ला यसुद्दन्नकुमुश्-शैतानु इन्नहू लकुम् अ़दुव्वुम्-मुबीन (62) व लम्मा जा-अ अ़ीसा बिल्बय्यिनाति का-ल क़द् जिअ्तुकुम् बिल्-हिक्मति व

और जब मिसाल लाये मरियम के बेटे की तभी तेरी क़ौम उससे चिल्लाने लगते हैं (57) और कहते हैं- हमारे माबूद बेहतर हैं या वह, यह मिसाल जो डालते हैं तुझपर सो झगड़ने को, बल्कि ये लोग हैं झगड़ालू। (58) वह क्या है एक बन्दा है कि हमने उस पर फ़ज़्ल किया और खड़ा कर दिया उसको बनी इस्राईल के वास्ते। (59) और अगर हम चाहें निकालें तुम में से फ़रिश्ते रहें ज़मीन में तुम्हारी जगह। (60) और वह निशान है क़ियामत का सो उसमें शक मत करो और मेरा कहा मानो, यह एक सीधी राह है। (61) और न रोक दे तुम को शैतान वह तो तुम्हारा खुला दुश्मन है। (62) और जब आया ईसा निशानियाँ लेकर बोला मैं लाया हूँ तुम्हारे पास पक्की

लि-उबय्यि-न लकुम् बअ्ज़ल्लज़ी तख़्तलिफ़ू-न फ़ीहि फ़त्तक़ुल्ला-ह व अतीअ़ून (63) इन्नल्ला-ह हु-व रब्बी व रब्बुकुम् फ़अ़्बुदूहु, हाज़ा सिरातुम्-मुस्तक़ीम (64) फ़ख़्त-लफ़ल्-अह्ज़ाबु मिम्-बैनिहिम् फ़वैलुल्-लिल्लज़ी-न ज़-लमू मिन् अ़ज़ाबि यौमिन् अलीम (65)	बातें और बतलाने को बाज़ी वह चीज़ जिसमें तुम झगड़ते थे, सो डरो अल्लाह से और मेरा कहा मानो। (63) बेशक अल्लाह जो है वही है रब मेरा और रब तुम्हारा सो उसी की बन्दगी करो, यह एक सीधी राह है। (64) फिर फट गये कितने फ़िर्क़े उनके बीच से सो ख़राबी है गुनाहगारों को आफ़त से दुख वाले दिन की। (65)

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

(एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने इरशाद फ़रमाया था कि अल्लाह के सिवा जितनों की नाहक़ इबादत की जाती है उनमें से किसी में कोई ख़ैर नहीं। इस पर क़ुरैश के कुछ लोगों ने यह एतिराज़ किया कि ईसाई लोग हज़रत ईसा अ़लैहिस्सलाम की इबादत करते हैं मगर उनके बारे में आप भी मानते हैं कि उनमें ख़ैर ही ख़ैर थी, इसके जवाब में अल्लाह तआ़ला इरशाद फ़रमाते हैं) और जब (ईसा) इब्ने मरियम (अ़लैहिस्सलाम) के मुताल्लिक़ (एक एतिराज़ करने वाले की तरफ़ से) एक अ़जीब मज़मून बयान किया गया (अ़जीब इसलिये कि सरसरी नज़र ही से इसका ग़लत होना ख़ुद उनको मालूम हो सकता था, पस अ़क़्ल रखकर ऐसा एतिराज़ करना बहुत अ़जीब था। ग़र्ज़ कि जब यह एतिराज़ किया गया) तो एक दम से आपकी क़ौम के लोग उस (एतिराज़ के सुनने) से (ख़ुशी के मारे) चिल्लाने लगे और (उस एतिराज़ करने वाले के साथ होकर) कहने लगे कि (बतलाईये आपके नज़दीक) हमारे माबूद ज़्यादा बेहतर हैं या ईसा (अ़लैहिस्सलाम बेहतर हैं। मक़सद यह है कि आप ईसा अ़लैहिस्सलाम को तो यक़ीनन बेहतर समझते हैं हालाँकि आपने जो यह कहा था कि अल्लाह तआ़ला के सिवा जितनों की नाहक़ इबादत की जाती है उनमें कोई ख़ैर नहीं, इसका तक़ाज़ा तो यह है कि हज़रत ईसा अ़लैहिस्सलाम में बिल्कुल भलाई न हो, इससे एक तो आपका यह क़ौल (मआ़ज़ल्लाह) दुरुस्त नहीं रहा। दूसरे मालूम हुआ कि जिनको आप ख़ैर कहते हैं ख़ुद उनकी भी इबादत हुई है इसलिये इससे शिर्क का सही होना साबित हो गया। आगे इस एतिराज़ का जवाब है, पहले मुख़्तसर तौर पर फिर विस्तार से। मुख़्तसर तौर पर तो यह कि) उन लोगों ने जो यह (अ़जीब मज़मून) आप से बयान किया है तो सिर्फ़ झगड़ने की ग़र्ज़ से (न कि हक़ की तलब और तलाश के लिये, वरना ख़ुद उन पर इस एतिराज़ का बेहूदा और ग़लत होना छुपा न रहता, और इन लोगों का झगड़ना कुछ इसी एतिराज़ के साथ ख़ास नहीं) बल्कि ये लोग (अपनी आ़दत से) हैं ही झगड़ालू (कि अक्सर हक़ बातों में झगड़े निकालते हैं)।

(आगे तफ़सीली जवाब है यानी) ईसा (अ़लैहिस्सलाम) तो सिर्फ़ एक ऐसे बन्दे हैं जिन पर हमने (मक़बूलियत और नुबुव्वत के कमालात देकर अपना) फ़ज़्ल किया था और उनको बनी इस्राईल के लिये (प्रथम रूप से और बाद में दूसरों के लिये भी) हमने (अपनी क़ुदरत का) नमूना बनाया था (ताकि लोग यह समझ लें कि ख़ुदा तआ़ला को इस तरह बग़ैर बाप के पैदा करना भी कुछ मुश्किल नहीं। इससे उनके दोनों एतिराज़ों का जवाब निकल आया जिसकी वज़ाहत मआ़रिफ़ व मसाईल में आयेगी) और (हम तो इससे ज़्यादा अ़जीब व ग़रीब चीज़ों पर क़ादिर हैं, चुनाँचे) अगर हम चाहते तो हम तुमसे फ़रिश्तों को पैदा कर देते (जिस तरह तुमसे तुम्हारे बच्चे पैदा होते हैं) कि वे ज़मीन पर (इनसान की तरह) एक के बाद एक रहा करते (यानी पैदाईश भी आदमियों की तरह होती और मौत भी। पस बग़ैर बाप के पैदा होने से यह लाज़िम नहीं आता कि हज़रत ईसा अ़लैहिस्सलाम अल्लाह के बन्दे और उसकी क़ुदरत के ताबे नहीं रहे। लिहाज़ा यह चीज़ हज़रत ईसा अ़लैहिस्सलाम के माबूद होने की दलील नहीं बन सकती बल्कि इस तरह पैदा करने में कुछ हिक्मतें थीं जिनमें से एक तो ऊपर बयान हुई कि उन्हें अपनी क़ुदरत का एक नमूना बनाना था) और (दूसरी हिक्मत यह थी कि) वह (यानी ईसा अ़लैहिस्सलाम इस तरह पैदा होने में) क़ियामत के (संभव होने के) यक़ीन का ज़रिया हैं (इस तरह कि क़ियामत में दोबारा ज़िन्दा होने में इससे ज़्यादा और क्या मुश्किल और दूर की बात है कि दोबारा ज़िन्दगी ख़िलाफ़े आ़दत है और हज़रत ईसा अ़लैहिस्सलाम के बग़ैर बाप के पैदा होने से साबित हो गया कि अल्लाह तआ़ला ख़िलाफ़े आ़दत चीज़ों और बातों के ज़ाहिर करने पर क़ादिर है। पस इससे क़ियामत व आख़िरत के अ़क़ीदे का सही होना साबित हो गया। और जब तुमने आख़िरत के अ़क़ीदे की यह दलील सुन ली) तो तुम लोग उस (के सही होने) में शक मत करो, और (तौहीद और आख़िरत वग़ैरह अ़क़ीदों में) तुम लोग मेरी पैरवी करो, यह (मजमूआ़ जिसकी तरफ़ मैं तुमको बुलाता हूँ) सीधा रास्ता है। और तुमको शैतान (इस राह पर आने से) रोकने न पाये, वह बेशक तुम्हारा खुला दुश्मन है।

और (यहाँ तक तो काफ़िरों के मज़कूरा एतिराज़ का जवाब था, आगे ख़ुद ईसा अ़लैहिस्सलाम के दावत के मज़मून से तौहीद के साबित होने और शिर्क के बातिल होने की ताईद है यानी) जब ईसा (अ़लैहिस्सलाम खुले-खुले) मोजिज़े लेकर आये तो उन्होंने (लोगों से) कहा कि मैं तुम्हारे पास समझ की बातें लेकर आया हूँ (ताकि तुम्हारे अ़क़ीदों की इस्लाह करूँ) और ताकि (हलाल व हराम आमाल में से) कुछ बातें तुम से बयान करूँ जिनमें तुम झगड़ा कर रहे हो (जिससे झगड़ा व शुब्हे में पड़ना दूर हो जाये। जब मैं इस तरह आया हूँ) तो तुम लोग अल्लाह से डरो (और मेरी नुबुव्वत का इनकार न करो, क्योंकि यह ख़ुदा की मुख़ालफ़त है) और मेरा कहना मानो (क्योंकि नुबुव्वत की तस्दीक़ के लिये यह ज़रूरी है। और ईसा अ़लैहिस्सलाम ने यह भी कहा कि) बेशक अल्लाह ही मेरा भी रब है और तुम्हारा भी रब है, सो (सिर्फ़) उसी की इबादत करो, (और) यही (अल्लाह तआ़ला को एक मानना) सीधा रास्ता है। सो (बावजूद ईसा अ़लैहिस्सलाम के तौहीद के बारे में इस खुले और स्पष्ट बयान के फिर भी) मुख़्तलिफ़ गिरोहों ने (इस बारे में) आपस में झगड़ा डाल लिया (यानी तौहीद के ख़िलाफ़ तरह-तरह के मज़हब बनाये और गढ़कर निकाल लिये, चुनाँचे तौहीद में ईसाई वग़ैरह लोगों का इख़्तिलाफ़ भी मालूम है) सो उन ज़ालिमों (यानी अहले किताब और ग़ैर अहले किताब मुश्रिकों) के

लिये एक दर्दनाक अ़ज़ाब के दिन से बड़ी ख़राबी (होने वाली) है (पस हज़रत ईसा अ़लैहिस्सलाम की इस दावत से ख़ुद तौहीद की ताईद हो गयी, लिहाज़ा हज़रत ईसा अ़लैहिस्सलाम की नाहक़ इबादत से शिर्क के सही होने पर दलील पकड़ना 'मुद्दई सुस्त गवाह चुस्त' की मिसाल है)।

मआ़रिफ़ व मसाईल

وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا اِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّوْنَ ○

इन आयतों के शाने नुज़ूल (उतरने के मौक़े और सबब) में मुफ़स्सिरीन ने तीन रिवायतें बयान फ़रमाई हैं- एक यह कि एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने क़बीला क़ुरैश के लोगों से ख़िताब करते हुए इरशाद फ़रमाया थाः

يا معشر قريش لا خير فی احد يعبد من دون الله.

यानी "ऐ क़ुरैश के लोगो! अल्लाह के सिवा जिस किसी की इबादत की जाती है उसमें कोई ख़ैर नहीं।"

इस पर मुश्रिक लोगों ने कहा कि ईसाई हज़रत ईसा अ़लैहिस्सलाम की इबादत करते हैं लेकिन आप ख़ुद मानते हैं कि वह अल्लाह के नेक बन्दे और उसके नबी थे। उनके इस एतिराज़ के जवाब में ये आयतें नाज़िल हुईं। (तफ़सीरे क़ुर्तुबी)

दूसरी रिवायत यह है कि जब क़ुरआने करीम की आयतः

اِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ.

(बिला शुब्हा ऐ मुश्रिको! तुम और जिनकी तुम इबादत करते हो वो जहन्नम का ईंधन बनेंगे।)

नाज़िल हुई तो इस पर अ़ब्दुल्लाह बिन ज़िबअ़री ने जो उस वक़्त काफ़िर थे यह कहा कि इस आयत का तो मेरे पास बेहतरीन जवाब मौजूद है और वह यह कि ईसाई लोग हज़रत मसीह अ़लैहिस्सलाम की इबादत करते हैं और यहूदी हज़रत उज़ैर अ़लैहिस्सलाम की, तो क्या ये दोनों भी जहन्नम का ईंधन बनेंगे? यह बात सुनकर क़ुरैश के मुश्रिक लोग बहुत ख़ुश हुए, इस पर अल्लाह ने एक तो यह आयत नाज़िल फ़रमाईः

اِنَّ الَّذِيْنَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِّنَّا الْحُسْنٰٓى اُولٰٓئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُوْنَ ○

(यानी सूरः अम्बिया की आयत 101) और दूसरे सूरः ज़ुख़रुफ़ की ऊपर दर्ज हुई आयतें।

(तफ़सीर इब्ने कसीर वग़ैरह)

तीसरी रिवायत यह है कि एक मर्तबा मक्का के मुश्रिक लोगों ने यह बेहूदा ख़्याल ज़ाहिर किया कि मुहम्मद (सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम) ख़ुदाई का दावा करना चाहते हैं, उनकी मर्ज़ी यह है कि जिस तरह ईसाई हज़रत मसीह अ़लैहिस्सलाम को पूजते हैं इस तरह हम भी उनकी इबादत किया करें, इस पर ऊपर ज़िक्र हुई आयतें नाज़िल हुईं। और हक़ीक़त में तीनों रिवायतों में कोई टकराव नहीं, काफ़िरों ने तीनों ही बातें कही होंगी जिनके जवाब में अल्लाह तआ़ला ने ऐसी जामे आयतें नाज़िल फ़रमा दीं जिनसे उनके तीनों एतिराज़ों का जवाब हो गया। इस आख़िरी एतिराज़ का जवाब तो

मज़कूरा आयतों में बिल्कुल स्पष्ट है कि जिन लोगों ने हज़रत मसीह अ़लैहिस्सलाम की इबादत शुरू कर दी है उन्होंने न किसी ख़ुदाई हुक्म से ऐसा किया, न ख़ुद हज़रत मसीह अ़लैहिस्सलाम की यह इच्छा थी और न क़ुरआन उनकी ताईद करता है, उन्हें तो हज़रत ईसा अ़लैहिस्सलाम के बिना बाप के पैदा होने से धोखा लगा था और क़ुरआन इस मुग़ालते (धोखे में पड़ने) की तरदीद करता है, फिर यह कैसे मुम्किन है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम (मआ़ज़ल्लाह) ईसाईयों की देखा देखी अपनी ख़ुदाई का दावा कर बैठें।

और पहली और दूसरी रिवायतों में काफ़िरों के एतिराज़ का हासिल तक़रीबन एक ही है। उनका जवाब उपर्युक्त आयतों से इस तरह निकलता है कि अल्लाह तआ़ला ने जो यह फ़रमाया था कि अल्लाह के सिवा जितनों को लोगों ने माबूद बना रखा है वो जहन्नम का ईंधन होंगे, या हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने जो फ़रमाया था कि उनमें ख़ैर नहीं, इससे मुराद वो माबूद थे जो या तो बेजान हों जैसे पत्थर के बुत, या जानदार हों मगर ख़ुद अपनी इबादत का हुक्म देते या उसे पसन्द करते हों जैसे शयातीन, फ़िरऔ़न और नमरूद वग़ैरह। हज़रत ईसा अ़लैहिस्सलाम उनमें कैसे दाख़िल हो सकते हैं जबकि वह किसी भी मर्हले पर अपनी इबादत को पसन्द नहीं करते थे। ईसाई उनकी किसी हिदायत की बिना पर उनकी इबादत नहीं करते, बल्कि उन्हें हमने अपनी क़ुदरत का एक नमूना बनाकर बग़ैर बाप के पैदा किया था ताकि लोगों पर यह स्पष्ट हो कि अल्लाह तआ़ला को अपनी तख़्लीक़ (किसी चीज़ के बनाने और पैदा करने) में असबाब के किसी माध्यम की ज़रूरत नहीं, लेकिन ईसाईयों ने इसका ग़लत मतलब लेकर उन्हें माबूद बना लिया, हालाँकि उनका यह माबूद बनाना अ़क़्लन भी ग़लत था और ख़ुद हज़रत ईसा अ़लैहिस्सलाम की दावत के भी बिल्कुल ख़िलाफ़ था। क्योंकि उन्होंने हमेशा तौहीद (अल्लाह के एक और अकेला माबूद होने) की तालीम दी थी। ग़र्ज़ कि हज़रत ईसा अ़लैहिस्सलाम का अपनी इबादत से बेज़ार होना इस बात से रुकावट है कि उन्हें दूसरे बातिल माबूदों की कतार और जमाअ़त में शामिल किया जाये।

इससे काफ़िरों का यह एतिराज़ भी ख़त्म हो गया जिसका ज़िक्र ख़ुलासा-ए-तफ़सीर में आया है कि जिनको आप ख़ुद ख़ैर कहते हैं (यानी हज़रत ईसा अ़लैहिस्सलाम) उनकी भी इबादत हुई है तो इससे मालूम हुआ कि ग़ैरुल्लाह की इबादत कुछ बुरी बात नहीं। मज़कूरा आयत में इसका जवाब स्पष्ट है कि हज़रत ईसा अ़लैहिस्सलाम की जो इबादत हुई वह अल्लाह की मर्ज़ी के भी ख़िलाफ़ थी और ख़ुद हज़रत ईसा अ़लैहिस्सलाम की दावत के भी, लिहाज़ा उससे शिर्क के सही होने पर दलील पकड़ना और तर्क लेना नहीं किया जा सकता।

وَلَوْ نَشَآءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَّلٰٓئِكَةً فِى الْاَرْضِ يَخْلُفُوْنَ٥

यह ईसाईयों के उस मुग़ालते (धोखे और ग़लत-फ़हमी) का जवाब है जिसकी बिना पर उन्होंने हज़रत ईसा अ़लैहिस्सलाम को माबूद क़रार दिया था। उन्होंने हज़रत मसीह अ़लैहिस्सलाम के बग़ैर बाप के पैदा होने से उनकी ख़ुदाई पर दलील ली थी। बारी तआ़ला उनकी तरदीद में फ़रमाते हैं कि यह तो हमारी क़ुदरत का सिर्फ़ एक नमूना था, और हम तो इससे भी बढ़कर ख़िलाफ़े आ़दत कामों पर क़ादिर हैं। बग़ैर बाप के पैदा होना तो कोई बहुत ज़्यादा ख़िलाफ़े आ़दत नहीं, क्योंकि हज़रत आदम अ़लैहिस्सलाम तो बग़ैर माँ-बाप क पैदा हुए थे, अगर हम चाहें तो ऐसा काम भी कर सकते हैं

जिसकी अब तक कोई नज़ीर (मिसाल व जोड़) नहीं और वह यह कि इनसानों से फ़रिश्ते पैदा कर दें।

وَاِنَّهٗ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ

(और बिला शुब्हा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम क़ियामत का यक़ीन करने के लिये एक ज़रिया हैं।)

इसकी दो तफ़सीरें की गयी हैं- एक वह जो ख़ुलासा-ए-तफ़सीर में बयान हुई, यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ख़िलाफ़े आदत बग़ैर बाप के पैदा होना इस बात की दलील है कि अल्लाह तआ़ला बग़ैर ज़ाहिरी असबाब के भी लोगों को पैदा कर सकता है। इससे साबित हुआ कि मुर्दों को दोबारा ज़िन्दा कर देना उसके लिये कुछ मुश्किल नहीं। लेकिन अक्सर मुफ़स्सिरीन ने इस आयत का मतलब यह बताया है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का दोबारा आसमान से नाज़िल होना क़ियामत की निशानी है। चुनाँचे आपका आख़िरी ज़माने में दोबारा तशरीफ़ लाना और दज्जाल को क़त्ल करना मुतवातिर हदीसों से साबित है। इस मसले की कुछ तफ़सील सूरः आले इमरान में आयत नम्बर 55 की तफ़सीर (जिल्द 2) में और कुछ जिल्द 3 में सूरः मायदा की आख़िर की आयतों की तफ़सीर में गुज़र चुकी है। अधिक तफ़सील के लिये अहक़र के रिसाले "मसीह-ए-मौऊद की पहचान" वग़ैरह की तरफ़ रुजू किया जाये।

وَلِاُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِىْ تَخْتَلِفُوْنَ فِيْهِ

(और ताकि मैं बयान करूँ तुमसे कुछ वो बातें जिनमें तुम झगड़ा करते हो।) चूँकि बनी इस्राईल में मुख़ालफ़त और हठधर्मी का ग़लबा था इसलिये उन्होंने शरीअ़त के कुछ अहकाम में रद्दोबदल कर डाली थी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने इसकी हक़ीक़त वाज़ेह फ़रमा दी, और "कुछ बातें" इसलिये फ़रमाया कि बाज़ी बातें और मामलात ख़ालिस दुनियावी थे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उनमें झगड़े और मतभेद को दूर करने की ज़रूरत न समझी होगी। (तफ़सीर बयानुल-क़ुरआन)

هَلْ يَنْظُرُوْنَ اِلَّا السَّاعَةَ اَنْ تَاْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَّهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ ۝ اَلْاَخِلَّاۤءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ اِلَّا الْمُتَّقِيْنَ ۝ يٰعِبَادِ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ وَلَاۤ اَنْتُمْ تَحْزَنُوْنَ ۝ اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاٰيٰتِنَا وَكَانُوْا مُسْلِمِيْنَ ۝ اُدْخُلُوا الْجَنَّةَ اَنْتُمْ وَاَزْوَاجُكُمْ تُحْبَرُوْنَ ۝ يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِصِحَافٍ مِّنْ ذَهَبٍ وَّاَكْوَابٍ ۚ وَفِيْهَا مَا تَشْتَهِيْهِ الْاَنْفُسُ وَتَلَذُّ الْاَعْيُنُ ۚ وَاَنْتُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ۝ وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِيْۤ اُوْرِثْتُمُوْهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ۝ لَكُمْ فِيْهَا فَاكِهَةٌ كَثِيْرَةٌ مِّنْهَا تَاْكُلُوْنَ ۝ اِنَّ الْمُجْرِمِيْنَ فِيْ عَذَابِ جَهَنَّمَ خٰلِدُوْنَ ۝ لَا يُفَتَّرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيْهِ مُبْلِسُوْنَ ۝ وَمَا ظَلَمْنٰهُمْ وَلٰكِنْ كَانُوْا هُمُ الظّٰلِمِيْنَ ۝ وَنَادَوْا يٰمٰلِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ ۚ قَالَ اِنَّكُمْ مّٰكِثُوْنَ ۝

हल् यन्ज़ुरू-न इल्लस्सा-अ़-त अन् तअ्ति-यहुम् बग़्-ततंव्-व हुम् ला	अब यही है कि राह देखते हैं क़ियामत की कि आ खड़ी हो उन पर अचानक

यश्अुरून (66) अल्-अख़िल्ला-उ यौमइज़िम्-बअ्ज़ुहुम् लि-बअ्ज़िन् अ़दुव्वुन् इल्लल्-मुत्तक़ीन (67) ❁ या अ़िबादि ला ख़ौफ़ुन् अ़लैकुमुल्-यौ-म व ला अन्तुम् तह्ज़नून (68) अल्लज़ी-न आमनू बिआयातिना व कानू मुस्लिमीन (69) उद्ख़ुलुल्-जन्न-त अन्तुम् व अज़्वाजुकुम् तुह्बरून (70) युताफ़ु अ़लैहिम् बिसिहाफ़िम्-मिन् ज़-हबिंव्-व अक्वाबिन् व फ़ीहा मा तश्तहीहिल्-अन्फ़ुसु व त-लज़्ज़ुल्-अअ्युनु व अन्तुम् फ़ीहा ख़ालिदून (71) व तिल्कल्-जन्नतुल्लती ऊरिस्तुमूहा बिमा कुन्तुम् तअ्मलून (72) लकुम् फ़ीहा फ़ाकि-हतुन् कसी-रतुम् मिन्हा तअ्कुलून (73) इन्नल्-मुज्रिमी-न फ़ी अ़ज़ाबि जहन्न-म ख़ालिदून (74) ला युफ़त्तरु अ़न्हुम् व हुम् फ़ीहि मुब्लिसून (75) व मा ज़लम्नाहुम् व लाकिन् कानू हुमुज़्ज़ालिमीन (76) व नादौ या मालिकु लि-यक़्ज़ि अ़लैना रब्बु-क, का-ल इन्नकुम् माकिसून (77)

और उनको ख़बर भी न हो। (66) जितने दोस्त हैं उस दिन एक दूसरे के दुश्मन होंगे मगर जो लोग हैं डर वाले। (67) ❁

ऐ मेरे बन्दो! न डर है तुम पर आज के दिन और न तुम ग़मगीन होगे। (68) जो यक़ीन लाये हमारी बातों पर और रहे हुक्म मानने वाले (69) चले जाओ जन्नत में तुम और तुम्हारी औरतें कि तुम्हारी इज़्ज़त करें। (70) लिये फिरेंगे उनके पास रकाबियाँ सोने की और आबख़ोरे (पानी पीने के बर्तन) और वहाँ है जो दिल चाहे और जिससे आँखें आराम पायें और तुम उनमें हमेशा रहोगे। (71) और यह वही जन्नत है जो मीरास पाई तुमने बदले में उन कामों के जो करते थे। (72) तुम्हारे वास्ते उनमें बहुत मेवे हैं उनमें से खाते रहो। (73) अलबत्ता जो लोग कि गुनाहगार हैं वे दोज़ख़ के अ़ज़ाब में हमेशा रहने वाले हैं। (74) न हल्का होता है उन पर से और वे उसी में पड़े हैं आस टूटे। (75) और हमने उन पर ज़ुल्म नहीं किया लेकिन थे वही बेइन्साफ़। (76) और पुकारेंगे- ऐ मालिक! कहें हम पर फ़ैसला कर चुके तेरा रब, वह कहेगा तुमको हमेशा रहना है। (77)

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

ये लोग (हक़ स्पष्ट होने के बावजूद बातिल पर जमे और अड़े हुए हैं तो) बस क़ियामत का इन्तिज़ार कर रहे हैं कि वह इन पर अचानक आ पड़े और इनको ख़बर भी न हो। (इनकार के बावजूद इन्तिज़ार से मुराद यह है कि इनका दलीलों को न मानना ऐसा है जैसे कोई शख़्स आँखों से देखने का मुन्तज़िर हो कि जब आँखों से देख लूँगा तब मानूँगा, और उस क़ियामत के दिन के वाक़िआत ये हैं कि) तमाम (दुनियावी) दोस्त उस दिन एक-दूसरे के दुश्मन हो जाएँगे सिवाय ख़ुदा तआ़ला से डरने वालों (यानी ईमान वालों) के। (क्योंकि उस दिन बातिल की दोस्ती का नुक़सान महसूस होगा तो लाज़िमी तौर पर उससे नागवारी और घिन और दोस्तों से नफ़रत होगी कि ये लोग नुक़सान का सबब हुए और हक़ की दोस्ती का नफ़ा और सवाब महसूस होगा इसलिये वह बाक़ी रहेगी। और उन मोमिनों को अल्लाह तआ़ला की तरफ़ से आवाज़ होगी) ऐ मेरे बन्दो! तुम पर आज कोई ख़ौफ़ (की बात ज़ाहिर होने वाली) नहीं, और न तुम ग़मगीन होगे। (यानी वे बन्दे) जो हमारी आयतों पर ईमान लाये थे और (इल्म व अ़मल के एतिबार से हमारे) फ़रमाँबरदार थे। तुम और तुम्हारी (ईमान वाली) बीवियाँ ख़ुशी-ख़ुशी जन्नत में दाख़िल हो जाओ (और जन्नत में जाने के बाद उनके लिये यह होगा कि) उनके पास सोने की रकाबियाँ (खाने की चीज़ों से भरी हुई) और गिलास (पीने की चीज़ों से भरे हुए सोने के या और किसी चीज़ के) लाये जाएँगे (यानी जन्नत के नौउम्र लड़के-लड़कियाँ लाएँगे) और वहाँ वे चीज़ें मिलेंगी जिनको जी चाहेगा और जिनसे आँखों को लज़्ज़त मिलेगी, और (उनसे कहा जायेगा कि) तुम यहाँ हमेशा रहोगे। और (उनसे कहा जायेगा कि) यह वह जन्नत है जिसके तुम मालिक बना दिये गये (तुमसे कभी न ली जायेगी) अपने (नेक) आमाल के बदले में। (और) तुम्हारे लिये इसमें बहुत-से मेवे हैं जिनमें से खा रहे हो।

(यह तो ईमान वालों का हाल हुआ। आगे काफ़िरों का ज़िक्र है कि) इसमें कोई शक नहीं कि नाफ़रमान (यानी काफ़िर) लोग दोज़ख़ के अ़ज़ाब में हमेशा रहेंगे। वह (अ़ज़ाब) उन (पर) से हल्का न किया जायेगा, और वे उसी (अ़ज़ाब) में मायूस पड़े रहेंगे। और (आगे हक़ तआ़ला का इरशाद है कि) हमने इन पर (ज़रा भी) ज़ुल्म नहीं किया (कि नाहक़ अ़ज़ाब दिया हो) लेकिन ये ख़ुद ही ज़ालिम थे (कि कुफ़्र व शिर्क करके अपना नुक़सान कर लिया)। और (आगे उनका बाक़ी हाल मज़कूर है कि जब निजात से बिल्कुल मायूस हो जायेंगे उस वक़्त मौत की तमन्ना करेंगे और दोज़ख़ के मालिक नाम के दरोग़ा फ़रिश्ते को) पुकारेंगे कि ऐ मालिक! (तुम ही दुआ़ करो कि) तुम्हारा परवर्दिगार (हमको मौत देकर) हमारा काम ही तमाम कर दे, वह (फ़रिश्ता) जवाब देगा कि तुम हमेशा इसी हाल में रहोगे (न निकलोगे न मरोगे)।

मआ़रिफ़ व मसाईल

दोस्ती हक़ीक़त में वही है जो अल्लाह के लिये हो

اَلْاَخِلَّآءُ يَوْمَئِذٍۭ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ اِلَّا الْمُتَّقِيْنَ○

(तमाम दोस्त उस रोज़ एक दूसरे के दुश्मन हो जायेंगे सिवाय ख़ुदा से डरने वालों के।)

इस आयत ने यह बात खोलकर बता दी कि ये दोस्ताना ताल्लुक़ात जिन पर इनसान दुनिया में नाज़ करता है और जिनकी ख़ातिर हलाल व हराम एक कर डालता है, क़ियामत के रोज़ न सिर्फ़ यह कि कुछ काम न आयेंगी बल्कि दुश्मनी में तब्दील हो जायेंगी। चुनाँचे हाफ़िज़ इब्ने कसीर रह. ने इस आयत के तहत हज़रत अ़ली रज़ियल्लाहु अ़न्हु का यह इरशाद मुसन्नफ़ अ़ब्दुर्रज़्ज़ाक़ और इब्ने अबी हातिम की रिवायत से नक़ल किया है कि दो दोस्त मोमिन थे और दो काफ़िर, मोमिन दोस्तों में से एक का इन्तिक़ाल हुआ और उसे जन्नत की ख़ुशख़बरी सुनाई गयी तो उसे अपना दोस्त याद आया। उसने दुआ़ की कि या अल्लाह! मेरा फ़ुलाँ दोस्त मुझे आपकी और आपके रसूल की फ़रमाँबरदारी की ताकीद करता, भलाई का हुक्म देता और बुराई से रोकता था, और यह याद दिलाता रहता था कि मुझे एक दिन आपके पास हाज़िर होना है, लिहाज़ा या अल्लाह! उसको मेरे बाद गुमराह न कीजियेगा ताकि वह भी (जन्नत के) वह मनाज़िरा (दृश्य) देख सके जो आपने मुझे दिखाये हैं, और आप जिस तरह मुझसे राज़ी हुए हैं इसी तरह उससे भी राज़ी हो जायें। इस दुआ़ के जवाब में उससे कहा जायेगा कि जाओ अगर तुम्हें मालूम हो जाये कि मैंने तुम्हारे उस दोस्त के लिये क्या अज्र व सवाब रखा है तो रोओ कम और हंसो ज़्यादा। इसके बाद जब दूसरे दोस्त की वफ़ात हो चुकेगी तो दोनों की रूहें जमा होंगी, बारी तआ़ला उनसे फ़रमायेगा कि तुम में से हर शख़्स दूसरे की तारीफ़ करे, तो उनमें से हर एक दूसरे के बारे में यह कहेगा कि वह बेहतरीन भाई, बेहतरीन साथी और बेहतरीन दोस्त है।

इसके उलट जब दो काफ़िर दोस्तों में से एक का इन्तिक़ाल होगा और उसे बताया जायेगा कि उसको जहन्नम में डाला जायेगा तो उसे भी अपना दोस्त याद आयेगा, उस वक़्त वह यह दुआ़ करेगा कि या अल्लाह! मेरा फ़ुलाँ दोस्त मुझे आपकी और आपके रसूल की नाफ़रमानी करने का हुक्म देता था, बुराई की ताकीद करता और भलाई से रोकता था, और मुझसे कहा करता था कि मैं कभी आपके सामने हाज़िर न हूँगा, लिहाज़ा या अल्लाह! उसको मेरे बाद हिदायत न दीजियेगा, ताकि वह भी (दोज़ख़ के) वो मनाज़िर (दृश्य) देखे जो आपने मुझे दिखाये हैं, और आप जिस तरह मुझसे नाराज़ हुए हैं इसी तरह उससे भी नाराज़ हों। इसके बाद दूसरे दोस्त का भी इन्तिक़ाल हो जायेगा तो दोनों की रूहें जमा की जायेंगी और उनसे कहा जायेगा कि तुम में से हर शख़्स अपने साथी की तारीफ़ करे, तो उनमें से हर एक दूसरे के बारे में कहेगा कि यह बदतरीन भाई बदतरीन साथी और बदतरीन दोस्त है। (इब्ने कसीर पेज नम्बर 134 जिल्द 4)

इसी लिये दुनिया व आख़िरत दोनों के लिहाज़ से बेहतरीन दोस्ती वह है जो अल्लाह के लिये हो। जिन दो मुसलमानों में सिर्फ़ अल्लाह के लिये मुहब्बत हो उनके बड़े फ़ज़ाईल हदीसों में बयान हुए हैं जिनमें से एक यह है कि मैदाने हश्र में ये लोग अल्लाह के अ़र्श के साये में होंगे। और अल्लाह के लिये मुहब्बत का मतलब यह है कि दूसरे से इस बिना पर ताल्लुक़ हो कि वह अल्लाह के दीन का सच्चा पैरवी करने वाला है। चुनाँचे दीनी उलूम के उस्ताज़, शैख़ व मुर्शिद, उलेमा और अल्लाह वालों से तथा इस्लामी दुनिया के तमाम मुसलमानों से बेलौस (निःस्वार्थ) मुहब्बत इसमें दाख़िल है।

لَقَدْ جِئْنٰكُمْ بِالْحَقِّ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كٰرِهُوْنَ ۝ اَمْ اَبْرَمُوْٓا
اَمْرًا فَاِنَّا مُبْرِمُوْنَ ۝ اَمْ يَحْسَبُوْنَ اَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوٰىهُمْ ۭ بَلٰى وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُوْنَ ۝ قُلْ اِنْ
كَانَ لِلرَّحْمٰنِ وَلَدٌ ڰ فَاَنَا اَوَّلُ الْعٰبِدِيْنَ ۝ سُبْحٰنَ رَبِّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُوْنَ ۝
فَذَرْهُمْ يَخُوْضُوْا وَيَلْعَبُوْا حَتّٰى يُلٰقُوْا يَوْمَهُمُ الَّذِيْ يُوْعَدُوْنَ ۝ وَهُوَ الَّذِيْ فِي السَّمَاۗءِ اِلٰهٌ
وَّفِي الْاَرْضِ اِلٰهٌ ۭ وَهُوَ الْحَكِيْمُ الْعَلِيْمُ ۝ وَتَبٰرَكَ الَّذِيْ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۚ
وَعِنْدَهٗ عِلْمُ السَّاعَةِ ۚ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ۝ وَلَا يَمْلِكُ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهِ الشَّفَاعَةَ اِلَّا
مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ ۝ وَلَىِٕنْ سَاَلْتَهُمْ مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُوْلُنَّ اللّٰهُ فَاَنّٰى يُؤْفَكُوْنَ ۝ وَقِيْلِهٖ
يٰرَبِّ اِنَّ هٰٓؤُلَاۗءِ قَوْمٌ لَّا يُؤْمِنُوْنَ ۝ فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلٰمٌ ۭ فَسَوْفَ يَعْلَمُوْنَ ۝

ल-क़द् जिअ्नाकुम् बिल्हक़्क़ि व लाकिन्-न अक्स-रकुम् लिल्हक़्क़ि कारिहून (78) अम् अब्रमू अम्रन् फ़-इन्ना मुब्रिमून (79) अम् यह्सबू-न अन्ना ला नस्मअ़ु सिर्रहुम् व नज्वाहुम्, बला व रुसुलुना लदैहिम् यक्तुबून (80) क़ुल् इन् का-न लिर्रह्मानि व-लदुन् फ़-अ-न अव्वलुल्-आ़बिदीन (81) सुब्हा-न रब्बिस्समावाति वल्अर्ज़ि रब्बिल्-अ़र्शि अ़म्मा यसिफ़ून (82) फ़-ज़र्हुम् यख़ूज़ू व यल्अ़बू हत्ता युलाक़ू यौमहुमुल्लज़ी यू-अ़दून (83) व हुवल्लज़ी फ़िस्समा-इ इलाहुंव्-व फ़िल्अर्ज़ि इलाहुन्, व हुवल् हकीमुल्-

हम लाये हैं तुम्हारे पास सच्चा दीन पर तुम बहुत लोग सच्ची बात से बुरा मानते हो। (78) क्या उन्होंने ठहराई है एक बात तो हम भी कुछ ठहरायेंगे। (79) क्या ख़्याल रखते हैं कि हम नहीं जानते उनका भेद और उनका मश्विरा, क्यों नहीं! और हमारे भेजे हुए उनके पास लिखते रहते हैं। (80) तू कह अगर हो रहमान के वास्ते औलाद तो मैं सबसे पहले पूजूँ। (81) पाक ज़ात है वह रब आसमानों का और ज़मीन का साहिब अ़र्श का उन बातों से जो ये बयान करते हैं। (82) अब छोड़ दे इनको बक-बक करें और खेलें यहाँ तक कि मिलें अपने उस दिन से जिसका इनको वादा दिया है। (83) और वही है जिसकी बन्दगी है आसमान में और उस की बन्दगी है ज़मीन में और वही है हिक्मत वाला

अ़लीम (84) व तबा-रकल्लज़ी लहू मुल्कुस्समावाति वल्अर्ज़ि व मा बैनहुमा व अ़िन्दहू अ़िल्मुस्सा-अ़ति व इलैहि तुर्जअ़ून (85) व ला यम्लिकुल्लज़ी-न यद्अ़ू-न मिन् दूनिहिश्शफ़ा-अ़-त इल्ला मन् शहि-द बिल्हक़्क़ि व हुम् यअ़्लमून (86) व ल-इन स-अल्-तहुम् मन् ख़-ल-क़हुम ल-यक़ूलुन्नल्लाहु फ़-अन्ना युअ़्फ़कून (87) व क़ीलिही या रब्बि इन्-न हा-उला-इ क़ौमुल्-ला युअ़्मिनून। (88) फ़स्फ़ह् अ़न्हुम् व क़ुल् सलामुन्, फ़सौ-फ़ यअ़्लमून (89) ❁	सबसे ख़बरदार। (84) और बड़ी बरकत है उसकी जिसका राज है आसमानों में और ज़मीन में और जो कुछ उनके बीच में है, और उसी के पास है ख़बर क़ियामत की और उसी तक फिर कर पहुँच जाओगे। (85) और इख़्तियार नहीं रखते वे लोग जिनको ये पुकारते हैं सिफ़ारिश का, मगर जिसने गवाही दी सच्ची और उनको ख़बर थी। (86) और अगर तू उनसे पूछे कि उनको किसने बनाया तो कहेंगे अल्लाह ने, फिर कहाँ से उलट जाते हैं। (87) क़सम है रसूल के इस कहने की कि ऐ रब! ये लोग हैं कि यक़ीन नहीं लाते। (88) सो तू मुँह फेर ले इनकी तरफ़ से और कह सलाम है, अब आख़िर को मालूम कर लेंगे। (89) ❁

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

(और ऊपर जिन सज़ाओं का बयान हुआ उनकी वजह यह है कि) हमने सच्चा दीन (जिसका मुख्य रुक्न तौहीद व रिसालत का यक़ीन लाना है) तुम्हारे पास पहुँचाया लेकिन तुम में अक्सर आदमी सच्चे दीन से नफ़रत रखते हैं। (अक्सर आदमी या तो इसलिये कहा कि बाज़े लोग आईन्दा ईमान लाने वाले थे, और या इसलिये कि नफ़रत तो सही मायने में कुछ ही को थी, दूसरे बाज़े महज़ दूसरों की पैरवी में हक़ रास्ते को छोड़े हुए थे, और यह नफ़रत शामिल है रसूल की मुख़ालफ़त और तौहीद की मुख़ालफ़त दोनों को। आगे दोनों की तफ़सील है कि) हाँ! क्या उन्होंने (रसूल को नुक़सान पहुँचाने के बारे में) कोई इन्तिज़ाम दुरुस्त किया है, सो हमने भी एक इन्तिज़ाम दुरुस्त किया है (और ज़ाहिर है कि ख़ुदाई इन्तिज़ाम के सामने उनका इन्तिज़ाम नहीं चल सकता, चुनाँचे आप महफ़ूज़ रहे और वे लोग नाकाम, और आख़िर को बदर में हलाक हुए। इसका तफ़सीली ज़िक्र सूरः अन्फ़ाल रुकूअ़ चार की आयत 'व इज़् यम्कुरु बिकल्लज़ी-न क-फ़रू..........' में है) हाँ! (ये लोग जो आपको नुक़सान पहुँचाने के लिये ख़ुफ़िया तदबीरें करते हैं) क्या इन लोगों का यह ख़्याल है कि हम इनकी चुपके-चुपके (कही हुई) बातों को और इनके (ख़ुफ़िया) मश्विरों को नहीं सुनते, (वरना अगर हमको सुनने वाला समझते हैं तो फिर ऐसी जुर्रत क्यों करते हैं? आगे उनके इस ख़्याल की तरदीद फ़रमाते हैं कि)

हम ज़रूर सुनते हैं और (इसके अलावा) हमारे फ़रिश्ते (जो आमाल को लिखने वाले हैं) उनके पास हैं वे भी लिखते हैं (अगरचे इसकी ज़रूरत नहीं लेकिन आम आदत यह है कि मुजरिम के लिये पुलिस की लिखी हुई रिपोर्ट हाकिम के मुआयने से ज़्यादा इल्ज़ाम के क़ाबिल होती है। यह तो उनकी रसूल की मुख़ालफ़त का बयान हुआ, आगे तौहीद की मुख़ालफ़त के बारे में फ़रमाते हैं कि ऐ पैग़म्बर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम!) आप (इन मुश्रिक लोगों से) कहिये कि (तुम जो अपनी कुछ मुश्रिकाना बातों में हक़ तआला की तरफ़ औलाद की निस्बत करते हो तो) अगर (मान लो जबकि यह असंभव है) ख़ुदा-ए-रहमान के औलाद हो तो सबसे पहले उसकी इबादत करने वाला मैं हूँ। (जिस तरह तुम फ़रिश्तों को ख़ुदा की बेटियाँ समझकर उनकी इबादत करते हो, इसी तरह मैं भी उस सूरत में ख़ुदा की औलाद की इबादत करता। मतलब यह कि मुझको तुम्हारी तरह हक़ बात के मानने से इनकार नहीं, तुम अगर साबित कर दो तो सबसे पहले मैं उसको मानूँ, और जब उसको ख़ुदा की औलाद मान लूँ तो चूँकि ख़ुदा की औलाद भी ख़ुदा ही होनी चाहिये और ख़ुदा इबादत का हक़दार है, इसलिये मैं उसकी इबादत भी करूँ, मगर चूँकि यह बात बिल्कुल ग़लत और बातिल है इसलिये न मैं मानूँगा और न इबादत करूँगा)।

(आगे शिर्क से अल्लाह तआला के पाक होने का बयान है यानी) आसमानों और ज़मीन का मालिक जो कि अर्श का भी मालिक है, उन बातों से पाक है जो ये (मुश्रिक) लोग (उसके बारे में) बयान कर रहे हैं। (जब ये लोग हक़ के स्पष्ट होने के बावजूद अपनी दुश्मनी व बैर से बाज़ नहीं आते) तो आप इनको इसी धंधे और तफ़रीह में रहने दीजिए यहाँ तक कि इनको अपने उस दिन से साबक़ा पड़े जिसका इनसे वायदा किया जाता है (उस वक़्त सब हक़ीक़त मालूम हो जायेगी। और "रहने देने" का मतलब यह नहीं कि तब्लीग़ न कीजिये बल्कि मतलब यह है कि इनकी मुख़ालफ़त की तरफ़ ध्यान न दीजिये और इनके ईमान न लाने से ग़मगीन न होजिए)। और वही ज़ात है जो आसमान में भी इबादत के क़ाबिल है और ज़मीन में भी क़ाबिले इबादत है। और वही बड़ी हिक्मत वाला और बड़े इल्म वाला है (और कोई इल्म व हिक्मत में उसका शरीक नहीं, पस ख़ुदाई भी उसी के साथ ख़ास है)।

और वह ज़ात बड़ी बुलन्द शान वाली है जिसके लिये आसमान और ज़मीन की और जो मख़्लूक़ उनके दरमियान में है उसकी बादशाही साबित है, और (इल्म ऐसा कामिल है कि) उसको क़ियामत की ख़बर (भी) है (जिसका किसी मख़्लूक़ को पता नहीं)। और (जज़ा व सज़ा का मालिक भी वही है चुनाँचे) तुम सब उसी के पास लौटकर जाओगे (और उसको हिसाब दोगे) और (उस वक़्त अल्लाह तआला का बिना किसी और साझी के जज़ा व सज़ा का मालिक होना ऐसा ज़ाहिर व खुला होगा कि) ख़ुदा के सिवा जिन माबूदों को ये लोग पुकारा करते हैं वे सिफ़ारिश (तक) का इख़्तियार न रखेंगे, हाँ! जिन लोगों ने हक़ बात (यानी ईमान के कलिमे) का इक़रार किया था और वे (दिल से) तस्दीक़ भी किया करते थे (वे अलबत्ता अल्लाह की इजाज़त से ईमान वालों की सिफ़ारिश कर सकेंगे, मगर उससे काफ़िरों को क्या फ़ायदा?)।

और (हमने जो ऊपर तौहीद का मज़मून बयान किया है जिसमें ये लोग झगड़ा करते हैं सो उसकी बुनियादी बातों और उसूलों को ये भी तस्लीम करते हैं, चुनाँचे) अगर आप इनसे पूछें कि

इनको (यानी तुमको) किसने पैदा किया है तो यही कहेंगे कि अल्लाह ने (पैदा किया है), सो (ज़ाहिर है कि इबादत का हक़दार वही हो सकता है जो पैदा करने पर क़ादिर हो। पस) ये लोग (बुनियादी और उसूली बातों को तो मानते हैं मगर फिर उसके नतीजे और मतलूब के मानने के वक़्त ख़ुदा जाने) किधर उल्टे जा रहे हैं। (इन तमाम बातों से स्पष्ट है कि इन काफ़िरों के जुर्म किस क़द्र सख़्त हैं, लिहाज़ा सज़ा भी यक़ीनन सख़्त होगी। और आगे सज़ा की सख़्ती को और ज़्यादा ताकीद के साथ बयान करने के लिये एक और बात का बयान फ़रमाते हैं कि जिस तरह ख़ुदा तआ़ला को क़ियामत की ख़बर है इसी तरह) उसको रसूल के इस कहने की भी ख़बर है कि ऐ मेरे रब! ये ऐसे लोग हैं कि (बावजूद मेरे इस क़द्र समझाने-बुझाने और डराने के) ईमान नहीं लाते (इससे सज़ा की सख़्ती और बढ़ गयी कि जुर्म तो सख़्त थे ही उनके साथ रसूल की नालिश भी मौजूद है। पस समझ लेना चाहिये कि कैसा सख़्त अ़ज़ाब होगा। और जब आपको यह मालूम हो गया कि उनका अन्जाम यह होने वाला है) तो आप उनसे बेरुख़ रहिये (यानी उनके ईमान की ऐसी उम्मीद न रखिये जो बाद में रंज व ग़म का सबब हो) और (अगर वे आप से मुख़ालफ़त और जहालत की बात करें तो आप बुराई दूर करने के लिये) यूँ कह दीजिये कि तुमको सलाम करता हूँ (और कुछ नहीं कहता, और न कुछ वास्ता रखता हूँ। आगे हक़ तआ़ला तसल्ली के लिये फ़रमाते हैं कि आप थोड़ा सब्र कीजिये) सो उनको अभी (मरते ही) मालमू हो जायेगा।

मआ़रिफ़ व मसाईल

اِنْ كَانَ لِلرَّحْمٰنِ وَلَدٌ فَاَنَا اَوَّلُ الْعٰبِدِيْنَ ○

(अगर ख़ुदा-ए-रहमान की कोई औलाद होती तो मैं सबसे पहले उसकी इबादत करता) इसका मतलब यह नहीं है कि मआ़ज़ल्लाह ख़ुदा की औलाद होने की किसी भी दर्जे में कोई संभावना है, बल्कि मक़सद दर असल यह बताना है कि मैं तुम्हारे अ़क़ीदों का इनकार किसी मुख़ालफ़त या हठधर्मी से नहीं कर रहा हूँ बल्कि दलीलों की वजह से कर रहा हूँ। अगर सही दलीलों से ख़ुदा की औलाद का वजूद साबित हो जाता तो मैं उसे ज़रूर मान लेता, लेकिन अ़क्ल व नक़ल की हर दलील इसकी तरदीद करती है इसलिये मानने का कोई सवाल नहीं। इससे मालूम हुआ कि ग़ैर-हक़ वालों के साथ बहस-मुबाहसे के वक़्त अपने हक़ पर होने को ज़ाहिर करने के लिये यह कहना जायज़ और मुनासिब है कि अगर तुम्हारा दावा सही दलीलों के साथ साबित होता तो मैं उसे तस्लीम कर लेता, क्योंकि कभी-कभी बात करने के इस अन्दाज़ से मुख़ालिफ़ के दिल में ऐसी नर्मी पैदा हो सकती है जो उसे हक़ के क़ुबूल करने पर तैयार कर दे।

وَقِيْلِهٖ يٰرَبِّ اِنَّ هٰٓؤُلَآءِ قَوْمٌ لَّا يُؤْمِنُوْنَ ○

यह जुमला इस बात को स्पष्ट करने के लिये लाया गया है कि उन काफ़िरों पर अल्लाह का ग़ज़ब नाज़िल होने के कितने सख़्त और प्रबल असबाब मौजूद हैं। एक तरफ़ तो अपने आप में उनके जुर्म सख़्त हैं, दूसरी तरफ़ वह रसूल जो तमाम जहानों के लिये रहमत और गुनाहगारों के सिफ़ारिशी बनाकर भेजे गये हैं (सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम), जब ख़ुद उन लोगों की शिकायत करें और यह

फ़रमायें कि ये लोग बार-बार समझाने और डराने के बावजूद ईमान नहीं लाते तो अन्दाज़ा किया जा सकता है कि उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को किस क़द्र तकलीफ़ पहुँचाई होगी, वरना मामूली तकलीफ़ पर रहमतुल्-लिल्आ़लमीन सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम अल्लाह तआ़ला से ऐसी दर्द भरी शिकायत न फ़रमाते।

وَقُلْ سَلٰمٌ ؕ فَسَوْفَ يَعْلَمُوْنَ۠

आख़िर में वही तालीम व हिदायत की गयी है जो हर हक़ के दाऊ़ी को हमेशा की गयी कि मुख़ालिफ़ों की दलीलों व शुब्हात का जवाब तो दे दो लेकिन वे जो जहालत व बेवक़ूफ़ी या बुरा-भला कहने की बात करें उसका जवाब उन्हीं की भाषा में देने के बजाय ख़ामोशी इख़्तियार करो। और यह जो फ़रमाया कि कह दो तुमको सलाम करता हूँ, इससे मक़सद यह नहीं है कि उन्हें "अस्सलामु अ़लैकुम" कहा जाये, क्योंकि किसी ग़ैर-मुस्लिम को इन अलफ़ाज़ से सलाम करना जायज़ नहीं, बल्कि यह एक मुहावरा है कि जब किसी शख़्स से ताल्लुक़ तोड़ना होता है तो कहते हैं कि "मेरी तरफ़ से सलाम" या "तुम्हें सलाम करता हूँ।" इससे वास्तविक तौर पर सलाम करना मक़सद नहीं होता बल्कि मतलब यह होता है कि मैं ख़ूबसूरती के साथ तुमसे ताल्लुक़ ख़त्म करना चाहता हूँ। लिहाज़ा जिन हज़रात ने इस आयत से दलील लेकर काफ़िरों को "अस्सलामु अ़लैकुम या सलाम" कहना जायज़ क़रार दिया है उनका क़ौल ग़ैर-वरीयता प्राप्त है। (तफ़सीर रूहुल-मआ़नी)

अल्लाह का शुक्र है कि आज दिनाँक 3 रजब सन् 1392 हिजरी सोमवार के दिन सूरः जुख़्रुफ़ की तफ़सीर पूरी हुई।

अल्हम्दु लिल्लाह सूरः जुख़्रुफ़ की हिन्दी तफ़सीर मुकम्मल हुई।

सूरः दुख़ान

सूरः दुख़ान मक्का में नाज़िल हुई। इसमें 59 आयतें और 3 रुकूअ़ हैं।

آيَاتُهَا ٥٩ (٤٤) سُوْرَةُ الدُّخَانِ مَكِّيَّةٌ (٦٤) رُكُوْعَاتُهَا ٣

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝

حٰمٓ ۚ وَالْكِتٰبِ الْمُبِيْنِ ۙ اِنَّآ اَنْزَلْنٰهُ فِيْ لَيْلَةٍ مُّبٰرَكَةٍ اِنَّا كُنَّا مُنْذِرِيْنَ ۝ فِيْهَا يُفْرَقُ كُلُّ اَمْرٍ حَكِيْمٍ ۙ اَمْرًا مِّنْ عِنْدِنَا ۭ اِنَّا كُنَّا مُرْسِلِيْنَ ۚ رَحْمَةً مِّنْ رَّبِّكَ ۭ اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ۙ رَبِّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۘ اِنْ كُنْتُمْ مُّوْقِنِيْنَ ۝ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ يُحْيٖ وَيُمِيْتُ ۭ رَبُّكُمْ وَرَبُّ اٰبَاۗىِٕكُمُ الْاَوَّلِيْنَ ۝ بَلْ هُمْ فِيْ شَكٍّ يَّلْعَبُوْنَ ۝

बिस्मिल्लाहिर्रह्मानिर्रहीम

शुरू अल्लाह के नाम से जो बेहद मेहरबान निहायत रहम वाला है।

हा-मीम् (1) वल्-किताबिल्-मुबीन (2) इन्ना अन्ज़ल्नाहु फ़ी लै-लतिम् मुबा-र-कतिन् इन्ना कुन्ना मुन्ज़िरीन (3) फ़ीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन् हकीम (4) अम्रम् मिन् अि़न्दिना, इन्ना कुन्ना मुर्सिलीन (5) रह्मतम् मिर्रब्बि-क इन्नहू हुवस्समीअ़ुल्-अ़लीम (6) रब्बिस्समावाति वल्अर्ज़ि व मा बैनहुमा। इन् कुन्तुम् मूक़िनीन (7) ला इला-ह इल्ला हु-व युह्यी व	हा-मीम्। (1) क़सम है इस वाज़ेह किताब की। (2) हमने इसको उतारा एक बरकत की रात में, हम हैं कह-सुनाने वाले। (3) उसी में जुदा होता है हर काम जाँचा हुआ (4) हुक्म होकर हमारे पास से, हम हैं भेजने वाले (5) रहमत से तेरे रब की, वही है सुनने जानने वाला (6) रब आसमानों का और ज़मीन का और जो कुछ उनके बीच है। अगर तुमको यकीन है। (7) किसी की बन्दगी नहीं सिवाय उसके, जिलाता है और

युमीतु, रब्बुकुम् व रब्बु आबा-इकुमुल्-अव्वलीन (8) बल् हुम् फ़ी शक्किंय्-यल्अ़बून (9)	मारता है, रब तुम्हारा और रब तुम्हारे अगले बाप-दादों का। (8) कोई नहीं! वे धोखे में हैं खेलते। (9)

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

हा-मीम् (इसके मायने अल्लाह को मालूम हैं)। क़सम है इस स्पष्ट (मायनों वाली) किताब की कि हमने इसको (लौहे-महफ़ूज़ से दुनिया के आसमान पर) एक बरकत वाली रात (यानी शबे-क़द्र) में उतारा है (क्योंकि) हम (अपनी मेहरबानी की वजह से अपने इरादे में अपने बन्दों को) आगाह करने वाले थे। (यानी हमको यह मन्ज़ूर हुआ कि उनको नुक़सानात से बचा लेने के लिये अच्छाई और बुराई से बाख़बर कर दें, यह क़ुरआन को नाज़िल करने का मक़सद था। आगे उस रात की बरकतों और फ़ायदों का बयान है कि) उस रात में हर हिक्मत वाला मामला हमारी पेशी से हुक्म (सादिर) होकर तय किया जाता है (यानी साल भर के मामलात जो सारे के सारे ही हिक्मत पर आधारित होते हैं जिस तरह अन्जाम देने अल्लाह को मन्ज़ूर होते हैं उस तरीक़े को मुतैयन करके उनकी इत्तिला संबन्धित फ़रिश्तों को करके उनके सुपुर्द कर दिये जाते हैं। चूँकि वह रात ऐसी है और क़ुरआन का उतरना सबसे ज़्यादा हिक्मत वाला काम था इसलिये इसके लिये भी यही चुनी गयी, और यह क़ुरआन इसलिये नाज़िल किया गया कि) हम आपको पैग़म्बर बनाने वाले थे रहमत की वजह से, जो आपके रब की तरफ़ से होती है (ताकि आपके माध्यम से अपने बन्दों को आगाह कर दें) बेशक वह बड़ा सुनने वाला, बड़ा जानने वाला है (इसलिये बन्दों की रियायत करता है)।

(और वह ऐसा है) जो कि मालिक है आसमानों और ज़मीन का और जो (मख़्लूक़) उन दोनों के दरमियान है उसका भी। अगर तुम यक़ीन लाना चाहो (तो तौहीद की ये दलीलें यक़ीन लाने के लिये काफ़ी मौजूद हैं, आगे तौहीद की वज़ाहत व ख़ुलासा है कि) उसके सिवा कोई इबादत के लायक़ नहीं, वही जान डालता है और वही जान निकालता है, वह तुम्हारा भी रब है और तुम्हारे अगले बाप-दादाओं का भी रब है। (और इस वज़ाहत व तफ़सील का तक़ाज़ा तो यह था कि वे लोग मान लेते मगर वे लोग फिर भी नहीं मानते) बल्कि वे (तौहीद जैसी वास्तविक चीज़ की तरफ़ से) शक में (पड़े) हैं (और दुनिया के) खेल (कूद) में लगे हुए हैं (आख़िरत की फ़िक्र नहीं, जो हक़ को तलब करें और उसमें सोचने-समझने से काम लें)।

मआरिफ़ व मसाईल

इस सूरत की फ़ज़ीलत

हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि जो शख़्स जुमे की रात में सूरः दुख़ान पढ़ ले तो सुबह को उसके गुनाह माफ़ हो चुके

होंगे। और हज़रत उमामा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि जिस शख़्स ने जुमे की रात या दिन में सूरः दुख़ान पढ़ ली अल्लाह तआ़ला उसके लिये जन्नत में घर बनायेंगे। (तफ़सीरे क़ुर्तुबी, सालबी की रिवायत से)

ऊपर ज़िक्र हुई आयतों में क़ुरआन की बड़ाई और कुछ ख़ास सिफ़तों का बयान है 'वल्-किताबिल् मुबीन' यानी स्पष्ट किताब से मुराद क़ुरआन है। इस आयत में अल्लाह तआ़ला ने क़ुरआन की क़सम खाकर इरशाद फ़रमाया है कि इसको हमने एक मुबारक रात में नाज़िल फ़रमाया जिसका मक़सद ग़ाफ़िल इनसानों को बेदार करना है। इसी तरह की क़सम इन्हीं अलफ़ाज़ के साथ सूरः ज़ुख़्रुफ़ के शुरू में भी गुज़र चुकी है वहाँ इसका बयान आ चुका है।

'लैलतिम् मुबा-रकतिन्' से मुराद अक्सर मुफ़स्सिरीन के नज़दीक शबे क़द्र है जो रमज़ान मुबारक के आख़िरी अ़शरे (दशक) में होती है। इस रात को मुबारक फ़रमाना इसलिये है कि इस रात में अल्लाह तआ़ला की तरफ़ से अपने बन्दों पर बेशुमार इनायतें व बरकतें नाज़िल होती हैं और क़ुरआने करीम का शबे क़द्र में नाज़िल होना क़ुरआन की सूरः क़द्र में वज़ाहत के साथ आया है:

إِنَّآ أَنزَلْنَـٰهُ فِى لَيْلَةِ ٱلْقَدْرِ.

इससे ज़ाहिर हुआ कि यहाँ भी मुबारक रात से मुराद शबे-क़द्र ही है। और एक हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से यह भी मन्क़ूल है कि अल्लाह तआ़ला ने दुनिया की शुरूआ़त से लेकर आख़िर तक जितनी किताबें अपने नबियों पर नाज़िल फ़रमाई हैं वो सब की सब रमज़ान मुबारक के महीने ही की विभिन्न तारीख़ों में नाज़िल हुई हैं। हज़रत क़तादा ने हज़रत वासिला रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत से नक़ल किया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम के सहीफ़े (आसमान से उतरने वाली अहकाम की किताबें) रमज़ान की पहली तारीख़ में, तौरात रमज़ान की छठी तारीख़ में, ज़बूर बारहवीं तारीख़ में, इन्जील अट्ठारहवीं तारीख़ में और क़ुरआन चौबीस तारीख़ गुज़रने के बाद यानी पच्चीसवीं रात में नाज़िल हुआ। (तफ़सीरे क़ुर्तुबी)

क़ुरआन के शबे क़द्र में नाज़िल होने का मतलब यह है कि लौहे-महफ़ूज़ से पूरा क़ुरआन दुनिया वाले आसमान पर इसी रात में नाज़िल कर दिया गया था, फिर तेईस साल की मुद्दत में थोड़ा-थोड़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम पर नाज़िल होता रहा। और कुछ हज़रात ने फ़रमाया कि हर साल में जितना क़ुरआन नाज़िल होना मुक़द्दर होता था उतना ही शबे क़द्र में लौहे-महफ़ूज़ से दुनिया वाले आसमान पर नाज़िल कर दिया जाता था। (तफ़सीरे क़ुर्तुबी)

और कुछ मुफ़स्सिरीन हज़रात- इक्रिमा रह. वग़ैरह से मन्क़ूल है कि उन्होंने इस आयत में मुबारक रात से मुराद शबे बराअत यानी शाबान महीने के मध्य की रात क़रार दी है मगर इस रात में क़ुरआन के नाज़िल होना दूसरी तमाम क़ुरआन वज़ाहतों और हदीस की रिवायतों के ख़िलाफ़ है:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِىٓ أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْاٰنُ

और:

إِنَّآ أَنزَلْنَـٰهُ فِى لَيْلَةِ ٱلْقَدْرِ

जैसी खुली वज़ाहतों और दलीलों के होते हुए बग़ैर किसी मज़बूत दलील के नहीं कहा जा सकता कि क़ुरआन का नाज़िल होना शबे बराअत में हुआ। अलबत्ता शाबान की पन्द्रहवीं रात को हदीस की कुछ रिवायतों में शबे बराअत या लैलतुस्सक के नाम से ताबीर किया गया है और इस रात का मुबारक होना और इसमें अल्लाह तआ़ला की रहमत के उतरने का ज़िक्र है। इसके साथ कुछ रिवायतों में यह मज़मून भी आया है जो इस जगह मुबारक रात की सिफ़त में बयान फ़रमाया है यानीः

فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ○ أَمْرًا مِّنْ عِندِنَا.

यानी इस रात में हर हिक्मत वाले मामले का फ़ैसला हमारी तरफ़ से किया जाता है। जिसके मायने हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने यह बयान फ़रमाये हैं कि यह रात जिसमें क़ुरआन नाज़िल हुआ यानी शबे क़द्र, इसी में मख़्लूक़ात के बारे में तमाम अहम मामलात जिनके फ़ैसले उस साल में अगली शबे-क़द्र तक ज़ाहिर व उत्पन्न होने वाले हैं तय किये जाते हैं कि कौन-कौन इस साल में पैदा होंगे, कौन-कौन आदमी इसमें मरेंगे, किसको किस क़द्र रिज़्क़ इस साल में दिया जायेगा। यही तफ़सीर दूसरे तफ़सीर के इमामों- हज़रत क़तादा, हज़रात मुजाहिद, हज़रत हसन रह. वग़ैरह हज़रात से भी नक़ल की गयी है। और महदवी ने फ़रमाया कि इसके मायने यह हैं कि ये तमाम फ़ैसले जो अल्लाह की बनाई हुई तक़दीर में पहले ही से तयशुदा थे इस रात में संबन्धित फ़रिश्तों को सुपुर्द कर दिये जाते हैं, क्योंकि क़ुरआन व सुन्नत की दूसरी दलीलें और बयानात इस पर सुबूत हैं कि अल्लाह तआ़ला ने ये फ़ैसले इनसान की पैदाईश से भी पहले अज़ल (कायनात के पहले दिन) ही में लिख दिये थे। तो इस रात में इनके तय करने का हासिल यही हो सकता है कि तक़दीर व हुक्म का नाफ़िज़ करना जिन फ़रिश्तों के ज़रिये होता है इस रात में यह सालाना (वार्षिक) अहकाम उनके सुपुर्द कर दिये जाते हैं। (तफ़सीरे क़ुर्तुबी)

चूँकि हदीस की कुछ रिवायतों में शबे-बराअत यानी शाबान की पन्द्रहवीं रात के मुताल्लिक़ भी आया है कि इसमें मौतों और रिज़्क़ों के फ़ैसले लिखे जाते हैं इसलिये कुछ हज़रात ने उक्त आयत में मुबारक रात की तफ़सीर बराअत की रात से कर दी है, मगर यह सही नहीं, क्योंकि यहाँ इस रात में क़ुरआन के उतरने का ज़िक्र सबसे पहले है और उसका रमज़ान में होना क़ुरआन की दलीलों और स्पष्ट वज़ाहतों से मुतैयन है। और शबे बराअत के मुताल्लिक़ जो यह मज़मून कुछ रिवायतों में आया है कि उसमें रोज़ी वग़ैरह के फ़ैसले होते हैं, अव्वल तो इमाम इब्ने कसीर रह. ने इसके मुताल्लिक़ फ़रमाया कि यह रिवायत मुर्सल है और ऐसी रिवायत स्पष्ट दलीलों और बयानात के मुक़ाबले में क़ाबिले भरोसा नहीं हो सकती। इसी तरह क़ाज़ी अबू बक्र इब्ने अ़रबी ने फ़रमाया कि आधे शाबान की रात के बारे में कोई क़ाबिले भरोसा रिवायत ऐसी नहीं जिससे साबित हो कि रिज़्क़ और मौत व ज़िन्दगी के फ़ैसले इस रात में होते हैं बल्कि उन्होंने फ़रमाया कि इस रात की फ़ज़ीलत में भी कोई क़ाबिले भरोसा हदीस नहीं आई। लेकिन तफ़सीर रूहुल-मआ़नी में एक बिला सनद रिवायत हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु से इस मज़मून की नक़ल की है कि रिज़्क़ और मौत व ज़िन्दगी वग़ैरह के फ़ैसले आधे शाबान की रात में लिखे जाते हैं और शबे क़द्र में फ़रिश्तों के हवाले किये जाते हैं, अगर यह रिवायत साबित हो तो इस तरह दोनों क़ौल में मुवाफ़क़त हो सकती है वरना असल बात

जो क़ुरआन के ज़ाहिर और सही हदीसों से साबित है वह यही है कि सूरः दुख़ान की आयत में 'लैलतिम् मुबारकतिन्' और 'फ़ीहा युफ़्रक़ु' वग़ैरह के सब अलफ़ाज़ शबे क़द्र ही के बारे में हैं। रहा शबे बराअत की फ़ज़ीलत का मामला सो वह एक मुस्तक़िल मामला है जो हदीस की कुछ रिवायतों में मन्क़ूल है, मगर उनमें से अक्सर रिवायतें ज़ईफ़ (कमज़ोर) हैं इसी लिये क़ाज़ी अबू बक्र बिन अ़रबी रह. ने इस रात की किसी फ़ज़ीलत से इनकार किया है, लेकिन शबे बराअत की फ़ज़ीलत की रिवायतें अगरचे सनद के एतिबार से कमज़ोरी से कोई ख़ाली नहीं मगर उनकी सनदों और रिवायतों के काफ़ी तादाद में होने की वजह से उनको एक तरह की क़ुव्वत (मज़बूती) हासिल हो जाती है इसलिये बहुत से बुज़ुर्गों ने उनको क़ुबूल किया है, क्योंकि आमाल की फ़ज़ीलतों में ज़ईफ़ (कमज़ोर) रिवायतों पर अ़मल कर लेने की भी गुंजाईश है। वल्लाहु आलम

فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَآءُ

بِدُخَانٍ مُّبِيْنٍ ۞ يَّغْشَى النَّاسَ ۖ هٰذَا عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۞ رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ اِنَّا مُؤْمِنُوْنَ ۞
اَنّٰى لَهُمُ الذِّكْرٰى وَقَدْ جَآءَهُمْ رَسُوْلٌ مُّبِيْنٌ ۞ ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوْا مُعَلَّمٌ مَّجْنُوْنٌ ۞ اِنَّا
كَاشِفُوا الْعَذَابِ قَلِيْلًا اِنَّكُمْ عَآئِدُوْنَ ۞ يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرٰى ۚ اِنَّا مُنْتَقِمُوْنَ ۞

फ़र्तक़िब् यौ-म तअ्तिस्समा-उ बिदुख़ानिम्-मुबीन (10) यग़्शन्ना-स, हाज़ा अ़ज़ाबुन् अलीम (11) रब्बनक्शिफ़् अ़न्नल्-अ़ज़ा-ब इन्ना मुअ्मिनून (12) अन्ना लहुमुज़्ज़िक्रा व क़द् जा-अहुम् रसूलुम्-मुबीन (13) सुम्-म तवल्लौ अ़न्हु व क़ालू मुअ़ल्लमुम्-मज्नून (14) इन्ना काशिफ़ुल्-अ़ज़ाबि क़लीलन् इन्नकुम् आ़-इदून (15) यौ-म नब्तिशुल् बत्शतल्-कुब्रा इन्ना मुन्तक़िमून (16)

सो तू इन्तिज़ार कर उस दिन का कि लाये आसमान खुला धुआँ (10) जो घेर ले लोगों को, यह है दर्दनाक अ़ज़ाब। (11) ऐ रब! खोल दे हम पर से यह आफ़त हम यक़ीन लाते हैं। (12) कहाँ मिले उनको समझना और आ चुका उनके पास रसूल खोलकर सुनाने वाला। (13) फिर उससे पीठ फेरी और कहने लगे सिखाया हुआ है बावला। (14) हम खोले देते हैं यह अ़ज़ाब थोड़ी मुद्दत तक तुम फिर वही करोगे। (15) जिस दिन पकड़ेंगे हम बड़ी पकड़ तहक़ीक़ हम बदला लेने वाले हैं। (16)

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

(और जब ये लोग हक़ के स्पष्ट होने के बावजूद नहीं मानते) सो आप (इनके लिये) उस दिन

का इन्तिज़ार कीजिए कि आसमान की तरफ़ एक नज़र आने वाला धुआँ पैदा हो जो इन सब लोगों पर आ़म हो "यानी फैल" जाये, यह (भी) एक दर्दनाक सज़ा है (जो इनको होगी। इससे मुराद ग़ल्ले का अकाल और कमी है जिसमें मक्का वाले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की बददुआ़ से मुब्तला हो गये थे। और यह बददुआ़ एक मर्तबा मक्का में हुई थी और एक बार मदीना में, और क़ायदा है कि भूख की शिद्दत और ख़ुश्की में आसमान व ज़मीन के बीच आँखों के सामने धुआँ सा नज़र आया करता है। ग़र्ज़ कि मक्का वाले अपनी जानों से तंग आ गये और लगे आ़जिज़ी करने, चुनाँचे भविष्यवाणी के तौर पर फ़रमाते हैं कि उस वक़्त अल्लाह की बारगाह में अ़र्ज़ करेंगे कि) ऐ हमारे रब! हमसे इस मुसीबत को दूर कर दीजिये हम ज़रूर ईमान ले आएँगे (चुनाँचे भविष्यवाणी इस तरह पूरी हुई कि अबू सुफ़ियान और क़ुरैश के दूसरे लोगों ने आपको लिखा भी और आये भी कि आप दुआ़ करें और यमामा के सरदार समामा को जिसने ग़ल्ला बन्द कर दिया था समझायें। और 'रूहुल-मआ़नी' के लेखक ने अबू सुफ़ियान का ईमान लाने का वायदा भी नक़ल किया है। आगे उनके इस वायदे का सच्चे दिल से न होना इरशाद फ़रमाते हैं कि) उनको (इससे) कब नसीहत होती है (जिससे उनके ईमान लाने की उम्मीद की जाये) हालाँकि (इससे पहले) उनके पास ज़ाहिर शान का पैग़म्बर आया (यानी जिसकी नुबुव्वत की शान ज़ाहिर थी) फिर भी ये लोग उससे सरकशी करते रहे और यही कहते रहे कि (किसी दूसरे इनसान का) सिखाया हुआ है (और) दीवाना है।

(पस जब इतने बड़े रसूल के आने पर जिसकी रिसालत की दलीलों में कोई बात बनाने और शुब्हा निकालने की गुंजाईश नहीं हो सकती, ये लोग ईमान नहीं लाये तो क़हत के होने "सूखा पड़ने" पर जिसमें बेइन्साफ़ आदमी यह भी शुब्हा व गुमान निकाल सकता है कि यह एक साधारण घटना है जो तबई असबाब के तहत हुई है और कुफ़्र की सज़ा नहीं है, कब ईमान लाने की उम्मीद है। उनका यह कहना सिर्फ़ वक़्त को टालना है मगर ख़ैर) हम (हुज्जत पूरी करने के लिये) किसी क़द्र अ़ज़ाब को हटा देंगे (मगर) तुम फिर अपनी उसी (पहली) हालत पर आ जाओगे। (चुनाँचे यह भविष्यवाणी इस तरह पूरी हुई कि आपने दुआ़ फ़रमाई, बारिश हुई और समामा को भी ख़त लिखा कि ग़ल्ला आने दें, और मक्का वालों को ख़ुशहाली व फ़राग़त मयस्सर हुई मगर ईमान तो क्या लाते वह नर्मी और तवाज़ो व आ़जिज़ी भी जाती रही, फिर वही ज़ोर और वही शोर। और "किसी क़द्र" इसलिये फ़रमाया कि उस अ़ज़ाब के टलने की मुद्दत सिर्फ़ दुनियावी ज़िन्दगी तक है फिर मरने के बाद जो मुसीबत आयेगी उसका कहीं ख़ात्मा नहीं, चुनाँचे इरशाद है कि) जिस दिन हम बड़ी सख़्त पकड़ पकड़ेंगे (उस दिन) हम (पूरा) बदला ले लेंगे (यानी आख़िरत में पूरी सज़ा होगी)।

मआ़रिफ़ व मसाईल

उपर्युक्त आयत में जिस 'स्पष्ट और दिखाई देने वाले धुएँ' का ज़िक्र भविष्यवाणी के तौर आया है कि आप इन्तिज़ार करें उस वाज़ेह धुएँ का जो आसमान पर होगा और लोगों पर छा जायेगा, उसके बारे में हज़राते सहाबा व ताबिईन से तीन क़ौल मन्क़ूल हैं- अव्वल यह कि यह क़ियामत की निशानियों में से एक निशानी है जो क़ियामत के बिल्कुल क़रीब ज़ाहिर होगी। यह क़ौल हज़रत अ़ली मुर्तज़ा, हज़रत इब्ने अ़ब्बास, हज़रत इब्ने उमर, हज़रत अबू हुरैरह और हज़रत ज़ैद बिन अ़ली

रज़ियल्लाहु अन्हुम और हसन बसरी, इब्ने अबी मुलैका रह. वग़ैरह का है, और हज़रत अबू सईद ख़ुदरी और हज़रत हुज़ैफ़ा बिन असीद ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु अन्हुमा से यह क़ौल मरफ़ूअ़न भी रिवायत किया गया है जिसकी तफ़सीर आगे आती है। दूसरा क़ौल यह है कि यह भविष्यवाणी ज़ाहिर हो चुकी है और इसका मिस्दाक़ मक्का मुकर्रमा का क़हत (सूखा पड़ना) है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की बद्दुआ से उन पर मुसल्लत हुआ था, वे भूखों मरने लगे, मुर्दार जानवर तक खाने लगे, आसमान पर बजाय बारिश बादल के उनको धुआँ नज़र आता था। यह क़ौल हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु वग़ैरह का है। तीसरा क़ौल यह है कि इस दुख़ान (धुएँ) से मुराद वह गर्द व गुबार है जो मक्का फ़तह होने के दिन मक्का मुकर्रमा के आसमान पर छा गया था, यह क़ौल अ़ब्दुर्रहमान आरज वग़ैरह का है। (तफ़सीरे क़ुर्तुबी)

ज़्यादा मशहूर पहले ही दो क़ौल हैं, तीसरे क़ौल के मुताल्लिक़ इमाम इब्ने कसीर रह. ने फ़रमाया- यह क़ौल बहुत ग़रीब बल्कि मुन्कर है। बाक़ी दोनों का ज़िक्र सही हदीसों में आया है। तफ़सीर रूहुल-मआ़नी ने दूसरे क़ौल को तरजीह दी है और उपर्युक्त बयानुल-क़ुरआन के ख़ुलासा-ए-तफ़सीर में इसी को इख़्तियार किया गया है। इमाम इब्ने कसीर और इमाम क़ुर्तुबी से पहले क़ौल की तरजीह मालूम होती है। वल्लाहु आलम। दोनों क़ौलों की रिवायतें इस प्रकार हैं:-

सही मुस्लिम में हज़रत हुज़ैफ़ा बिन उसैद रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने एक बालाख़ाने (दूसरी मन्ज़िल के मकान) से हम पर नज़र फ़रमाई, हम आपस में क़ियामत की निशानियों का तज़किरा कर रहे थे, आपने फ़रमाया कि क़ियामत उस वक़्त तक क़ायम न होगी जब तक तुम दस निशानियाँ न देख लो। सूरज का पश्चिम की तरफ़ से निकलना (उदय होना), और धुआँ, और दाब्बा (ज़मीन से निकलने वाला एक अ़जीब व ग़रीब जानवर), और याजूज-माजूज का निकलना, और ईसा अ़लैहिस्सलाम का उतरना, और दज्जाल का निकलना, और तीन जगह ज़मीन का धंस जाना- एक पूरब में, दूसरे पश्चिम में, तीसरे अ़रब के इलाक़े में, और आग जो अ़दन के निचले हिस्से से निकलेगी और लोगों को हंकाकर ले चलेगी, जहाँ रात को लोग सोने के लिये ठहरेंगे रुक जायेगी जहाँ दोपहर को आराम के लिये रुकेंगे यह भी रुक जायेगी। (तफ़सीर इब्ने कसीर)

इमाम इब्ने जरीर ने अबू मालिक अश्अ़री रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत किया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि मैं तुम्हें तीन चीज़ों से डराता हूँ- एक दुख़ान (यानी धुआँ) जो मोमिन के लिये सिर्फ़ एक तरह का ज़ुकाम पैदा कर देगा और काफ़िर के तमाम बदन में भर जायेगा यहाँ तक कि उसके हर बदनी सूराख़ (खुली जगहों) और कानों से निकलने लगेगा, और दूसरी चीज़ दाब्बा (यानी कोई अ़जीब क़िस्म का जानवर ज़मीन से निकलेगा) और तीसरे दज्जाल। इस रिवायत को इमाम इब्ने कसीर ने नक़ल करके फ़रमाया (इसकी सनद उम्दा है)। इसी मज़मून की एक रिवायत इब्ने अबी हातिम के हवाले से हज़रत अबू सईद ख़ुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु से भी इमाम इब्ने कसीर रह. ने नक़ल की है और इब्ने अबी हातिम के हवाले से हज़रत अ़ली कर्रमल्लाहु वज्हहू से यह रिवायत नक़ल की है कि दुख़ान (धुएँ) की भविष्यवाणी गुज़री नहीं (बल्कि क़ियामत के क़रीब) यह धुआँ मोमिन के लिये एक तरह का ज़ुकाम पैदा कर देगा और काफ़िर के अन्दर भर जायेगा यहाँ तक

कि उसके बदन के हर सूराख़ से निकलने लगेगा। इसी तरह का मज़मून इब्ने जरीर के हवाले से हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अ़न्हु और हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु से भी नकल किया है जिसको नक़ल करके इमाम इब्ने कसीर रह. ने फ़रमायाः

هذا اسناد صحيح الى ابن عباسؓ حبر الامة وترجمان القران وهكذا قول من وافقه من الصّحابة والتابعينؒ مع الاحاديث المرفوعة من الصّحاح والحسان وغيرهما الّتى اوردوها مما فيه مقنع ودلالة ظاهرة على ان الدّخان من الأيات المنتظرة مع انّه ظاهر القران (فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَآءُ بِدُخَانٍ مُّبِيْنٍ) وعلى ما فسره ابن مسعود انما هو خيال راوه فى اعينهم من شدّة الجوع والجهد و هكذاقوله تعالى (يَغْشَى النَّاسَ) يتغشاهم ويعمهم ولوكان امرًا خياليا يخص اهل مكة المشركين لماقيل فيه يغشى الناس.

तर्जुमाः क़ुरआन के तर्जुमान और हिब्रे उम्मत हज़रत इब्ने अ़ब्बास तक यह सनद सही है और यही क़ौल दूसरे हज़राते सहाबा व ताबिईन का है जिन्होंने हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु की मुवाफ़क़त फ़रमाई है। इसके साथ वो मरफ़ूअ़ हदीसें जिनमें कुछ सही कुछ हसन हैं वो भी यह साबित करने के लिये काफ़ी हैं कि धुआँ क़ियामत की उन निशानियों में से है जिनका इन्तिज़ार है, अभी आई नहीं, ख़ुसूसन जबकि क़ुरआन के ज़ाहिरी अलफ़ाज़ भी इस पर गवाह हैं और हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊद की मशहूर तफ़सीर में जिस धुएँ का ज़िक्र है वह तो एक ख़्याली धुआँ था जो भूख की सख़्ती से उनकी आँखों को महसूस होता था, उसके लिये लफ़्ज़ 'यग़शन्ना-स' बईद मालूम होता है, क्योंकि यह ख़्याली धुआँ तो मक्का वालों के लिये मख़्सूस था और यग़शन्ना-स के अलफ़ाज़ ये बतलाते हैं कि वह सब लोगों पर आ़म तौर पर छा जायेगा।''

और पहले क़ौल यानी हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊद के क़ौल की रिवायत बुख़ारी व मुस्लिम और मुस्नद अहमद और तिर्मिज़ी, नसाई वग़ैरह में इस तरह आई है कि हज़रत मसरूक़ रह. ने रिवायत किया है कि एक दिन हम कूफ़ा की मस्जिद में दाख़िल हुए जो कन्दा के दरवाज़ों के क़रीब है वहाँ देखा कि एक वाअ़िज़ (नसीहत व बयान करने वाला) लोगों को वअ़ज़ सुना रहा है और इस आयत यानीः

يَوْمَ تَأْتِي السَّمَآءُ بِدُخَانٍ مُّبِيْنٍo

के बारे में उसने मुख़ातब लोगों से सवाल किया कि तुम जानते हो कि इस दुख़ान (धुएँ) से क्या मुराद है? फिर फ़रमाया कि यह एक धुआँ होगा जो क़ियामत के दिन निकलेगा जो मुनाफ़िक़ों के कानों और आँखों को ले लेगा और मोमिन को उससे सिर्फ़ ज़ुकाम की सी कैफ़ियत पैदा होगी।

मसरूक़ रह. कहते हैं कि वाअ़िज़ की यह बात सुनकर हम हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अ़न्हु के पास गये, उनसे इसका ज़िक्र कया वह लेटे हुए थे घबराकर उठ बैठे और फ़रमाया कि अल्लाह ने तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को यह हिदायत फ़रमाई है किः

قُلْ مَآ اَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ وَّمَآ اَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِيْنَo

यानी मैं तुमसे तुम्हारी तालीम व तब्लीग़ की ख़िदमत का कोई मुआ़वज़ा नहीं माँगता और न मैं उन लोगों में से हूँ जो तकल्लुफ़ करके कोई बात बनायें। इसलिये इल्म का तक़ाज़ा यह है कि आदमी

जिस चीज़ को नहीं जानता साफ़ कह दे कि मैं नहीं जानता इसका इल्म अल्लाह ही को है (तकल्लुफ़ से बात न बनाये)। फिर फ़रमाया कि अब तुम्हें इस आयत की तफ़सीर का एक वाक़िआ सुनाता हूँ वह यह है कि जब क़ुरैश के लोगों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की इस्लाम की दावत को क़ुबूल करने से इनकार किया और अपने कुफ़्र पर जमे रहे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उनके लिये बद्दुआ फ़रमाई कि या अल्लाह! उन पर ऐसा कहत (अकाल और सूखा) डाल दे जैसा कि आपने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के ज़माने में डाला था। इस बद्दुआ का असर यह हुआ कि ये लोग सख़्त कहत में मुब्तला हो गये यहाँ तक कि हड्डियाँ और मुर्दार जानवर तक खाने लगे। ये लोग आसमान की तरफ़ नज़रें उठाते थे तो धुएँ के सिवा कुछ नज़र नहीं आता था। और एक रिवायत में है कि उनका कोई आदमी आसमान की तरफ़ नज़र उठाता तो भूख की तेज़ी व सख़्ती से उसको धुआँ सा नज़र आता था। इसके बाद अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु ने दलील में यह आयत तिलावत फ़रमाईः

فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَآءُ بِدُخَانٍ مُّبِيْنٍo

(यानी यही ऊपर दर्ज हुई आयत नम्बर 10) जब यह वाक़िआ पेश आया तो लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की ख़िदमत में हाज़िर हुए और दरख़्वास्त की कि अपने क़बीले मुज़र के लिये अल्लाह से बारिश की दुआ करें वरना वे सब हलाक हो जायेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने दुआ फ़रमाई तो अल्लाह ने बारिश दे दी, इस पर यह आयत नाज़िल हुईः

اِنَّا كَاشِفُ الْعَذَابِ قَلِيْلًا اِنَّكُمْ عَآئِدُوْنَo

यानी हम तुम्हारे इस अज़ाब को चन्द दिन के लिये हटाये लेते हैं (मगर जब तुम मुसीबत से निकल जाओगे) तो फिर अपने कुफ़्र की तरफ़ लौट जाओगे। चुनाँचे ऐसा ही हुआ फिर वे अपने पिछले हाल की तरफ़ लौट गये तो अल्लाह तआला ने यह आयत नाज़िल फ़रमाईः

يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرٰى اِنَّا مُنْتَقِمُوْنَo

(यही ऊपर दर्ज हुई आयत नम्बर 16) यानी जिस दिन हम सख़्त पकड़ पकड़ेंगे उस दिन से डरो। फिर हज़रत इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु ने फ़रमाया कि यह बड़ी सख़्त पकड़ ग़ज़वा-ए-बदर में हो चुकी। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु ने यह वाक़िआ नक़ल करने के बाद फ़रमाया कि पाँच चीज़ें गुज़र चुकी हैं- यानी दुख़ान, रूम, क़मर, बतशा, लिज़ाम। (इब्ने कसीर) दुख़ान से मुराद इस तफ़सीर पर मक्का का कहत (सूखा पड़ना) है, और रूम से मुराद वह भविष्यवाणी है जो सूरः रूम में उनके ग़लबे के बारे में आई हैः

وَهُمْ مِّنْ م بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُوْنَo

और क़मर से चाँद का टुकड़े होना मुराद है जिसका ज़िक्रः

اِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُo

में है। और **'बतशा'** उपर्युक्त तफ़सीर के मुताबिक़ ग़ज़वा-ए-बदर में क़ुरैश के काफ़िरों का बुरा अन्जाम है। और **लिज़ाम** से इंशारा इस आयत की तरफ़ हैः

فَسَوْفَ يَكُوْنُ لِزَامًا۝

ऊपर ज़िक्र हुई आयतों में ग़ौर कीजिए तो इनमें चन्द भविष्यवाणियाँ हैं- अव्वल धुएँ का आसमान पर ज़ाहिर होना और सब लोगों पर छा जाना। दूसरे मुश्रिक लोगों का इस अ़ज़ाब से आजिज़ आकर ईमान का वायदा करके अल्लाह से दुआ़यें माँगना। तीसरे उनके वायदे का झूठा होना और बाद में मुकर जाना। चौथे अल्लाह तआ़ला का उनके झूठे वायदे पर भी हुज्जत पूरी करने के तौर पर कुछ अ़रसे के लिये उनसे अ़ज़ाब का हटा देना और यह जतला देना कि तुम इस वायदे पर क़ायम न रहोगे। पाँचवे फिर दोबारा उनको सख़्त पकड़ में पकड़ लेना। हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अ़न्हु की तफ़सीर के मुताबिक़ ये सब की सब भविष्यवाणियाँ पूरी हो चुकीं, पहली चार तो मक्का वालों पर सख़्त अकाल और सूखा मुसल्लत होने और फिर उसके दूर होने के दौरान पूरी हुईं और पाँचवीं जंगे-बदर में पूरी हो गयी। लेकिन इस तफ़सीर पर क़ुरआन के ज़ाहिरी अलफ़ाज़ से यह बईद (दूर की बात) मालूम होता है कि भूख की सख़्ती के सबब आसमान पर ख़्याली धुआँ नज़र आने को क़ुरआने करीम ने 'तअ्तिस्समा-उ' और 'दुख़ानिम्-मुबीन' और 'यग़्शन्ना-स' के अलफ़ाज़ से ताबीर किया हो, क्योंकि बज़ाहिर इन अलफ़ाज़ से आ़म आसमान पर खुला हुआ धुआँ छा जाना और सब लोगों का उस धुएँ से प्रभावित होना मालूम होता है। उक्त तफ़सीर में न आसमान पर धुएँ का छा जाना साबित होता है और न लोगों का उस धुएँ से प्रभावित होना मालूम होता है, बल्कि यह धुआँ तो ख़ुद उनकी अपनी मुसीबत की सख़्ती का असर था। इसी लिये हाफ़िज़ इब्ने कसीर रह. ने क़ुरआन के ज़ाहिरी अलफ़ाज़ के मुताबिक़ इसको तरजीह दी कि यह 'दुख़ाने मुबीन' (वाज़ेह धुआँ) क़ियामत की निशानियों में से है, और उसको तरजीह इसलिये भी है कि वो हदीस की मरफ़ूअ़ रिवायतों से साबित है। यह सिर्फ़ हज़रत अ़ब्दुल्लाह इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहु अ़न्हु का अपना क़ौल है। मगर इस तफ़सीर पर बज़ाहिरः

اِنَّا كَاشِفُ الْعَذَابِ قَلِيْلًا اِنَّكُمْ عَآئِدُوْنَ۝

से यह इश्काल व शुब्हा पैदा होता है कि क़ियामत में तो काफ़िरों से कोई अ़ज़ाब नहीं हटाया जायेगा यहाँ चन्द दिन के लिये अ़ज़ाब हटा देने का ज़िक्र कैसे दुरुस्त होगा? इमाम इब्ने कसीर रह. ने फ़रमाया कि इसके दो मायने हो सकते हैं- एक यह कि इससे मुराद यह हो कि अगर हम तुम्हारे कहने के मुताबिक़ अ़ज़ाब हटा दें और तुम्हें फिर दुनिया में लौटा दें तो तुम फिर वही कुफ़्र व इनकार करने लगोगे। जैसा कि एक दूसरी आयत में यही मज़मून इस तरह आया हैः

وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَابِهِمْ مِّنْ ضُرٍّ لَّلَجُّوْا فِىْ طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُوْنَ۝

और एक और आयत में फ़रमायाः

وَلَوْ رُدُّوْا لَعَادُوْا لِمَانُهُوْا عَنْهُ.

दूसरे मायने यह भी हो सकते हैं कि 'काशिफ़ुल्-अ़ज़ाबि' में अ़ज़ाब के हटाने और खोलने से मुराद यह हो कि अगरचे अ़ज़ाब आने के असबाब मुकम्मल हो चुके और अ़ज़ाब तुम्हारे क़रीब आ चुका है मगर कुछ दिन के लिये हम उसको पीछे कर देते हैं जैसा कि यूनुस अ़लैहिस्सलाम की क़ौम

के बारे में आया है 'कशफ़्ना अन्हुमुल्-अज़ा-ब' हालाँकि यूनुस अलैहिस्सलाम की क़ौम पर अज़ाब आ नहीं चुका था सिर्फ़ अज़ाब के आसार नज़र आये थे, उसको अज़ाब हटाने से ताबीर कर दिया गया है। ख़ुलासा यह है कि अगर दुख़ान की भविष्यवाणी को क़ियामत की निशानियों में शुमार किया जाये तो 'काशिफ़ुल्-अज़ाबि' के अलफ़ाज़ से इस पर भी कोई इश्काल और शुब्हा नहीं रहता और इस तफ़सीर पर:

يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرٰى

(जिस दिन हम पकड़ेंगे बड़ी पकड़) से मुराद क़ियामत के दिन की पकड़ होगी। हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अ़न्हु की तफ़सीर में जो जंगे-बदर की पकड़ को फ़रमाया है वह अपनी जगह सही है, वह भी एक सख़्त पकड़ ही थी लेकिन इससे यह लाज़िम नहीं आता कि आगे क़ियामत में उससे बड़ी पकड़ न हो। और इसमें भी कुछ दूर की और मुश्किल बात मालूम नहीं होती कि क़ुरआने करीम ने मक्का के काफ़िरों को इन आयतों में एक आने वाले अज़ाब से डराया है, इसके बाद जो भी अज़ाब उन पर आया उसको किसी दर्जे में इसका मिस्दाक़ समझकर सहाबा-ए-किराम रज़ियल्लाहु अ़न्हुम ने इन आयतों का ज़िक्र फ़रमा दिया हो, जिससे इसके क़ियामत की निशानियों में से होने की नफ़ी नहीं होती जैसा कि तफ़सीर रूहुल-मआनी में अ़ल्लामा सफ़ारीनी की किताब 'अल्-बुहूरुज़्ज़ाख़िरा' के हवाले से ख़ुद हज़रत इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत किया है:

هما دخانان مضى واحد والّذى بقى يملأ مابين السّماء ولارض ولا يصيب المؤمن الابالزكمة واما الكافر فيشق مسامعه فيبعث اللّٰه تعالٰى عند ذٰلك الريح الجنوب من اليمن فتقبض روح كل مؤمن ويبقٰى شرار النّاس. (روح المعانى)

तर्जुमाः दुख़ान दो हैं- एक गुज़र चुका (यानी मक्का में सूखा पड़ने के वक़्त) और दूसरा जो बाक़ी है वह आसमान और ज़मीन की दरमियानी फ़िज़ा को भर देगा और मोमिन को उससे सिर्फ़ ज़ुकाम की कैफ़ियत पैदा होगी और काफ़िर के तमाम बदनी सुराख़ों (खुले अंगों और जगहों) को फाड़ डालेगा, उस वक़्त अल्लाह तआ़ला यमन की तरफ़ से दक्षिणी हवा भेज देंगे जो हर मोमिन की रूह क़ब्ज़ कर लेगी और सिर्फ़ काफ़िर बुरे लोग बाक़ी रह जायेंगे।''

अगरचे 'रूहुल-मआनी' के लेखक ने अपनी पसन्दीदा तफ़सीर के मुताबिक़ इस रिवायत के सही होने के मुताल्लिक़ अपने शक का इज़हार किया है मगर यह रिवायत साबित हो जाये तो क़ुरआन के ज़ाहिरी मतलब और मरफ़ूअ़ हदीसों के साथ कोई टकराव और विरोधाभास नहीं रहता। वल्लाहु सुब्हानहू व तआ़ला आलम

وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَآءَهُمْ رَسُوْلٌ كَرِيْمٌ ﴿١٧﴾ اَنْ اَدُّوْٓا اِلَيَّ عِبَادَ اللّٰهِ ۖ اِنِّيْ لَكُمْ رَسُوْلٌ اَمِيْنٌ ﴿١٨﴾ وَّاَنْ لَّا تَعْلُوْا عَلَى اللّٰهِ ۚ اِنِّيْٓ اٰتِيْكُمْ بِسُلْطٰنٍ مُّبِيْنٍ ﴿١٩﴾ وَاِنِّيْ عُذْتُ بِرَبِّيْ وَرَبِّكُمْ اَنْ تَرْجُمُوْنِ ﴿٢٠﴾ وَاِنْ لَّمْ تُؤْمِنُوْا لِيْ فَاعْتَزِلُوْنِ ﴿٢١﴾ فَدَعَا رَبَّهٗٓ اَنَّ هٰٓؤُلَآءِ قَوْمٌ

مُّجْرِمُوْنَ ﴿۲۲﴾ فَاَسْرِ بِعِبَادِىْ لَيْلًا اِنَّكُمْ مُّتَّبَعُوْنَ ﴿۲۳﴾ وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا ۭ اِنَّهُمْ جُنْدٌ مُّغْرَقُوْنَ ﴿۲۴﴾
كَمْ تَرَكُوْا مِنْ جَنّٰتٍ وَّعُيُوْنٍ ﴿۲۵﴾ وَّزُرُوْعٍ وَّمَقَامٍ كَرِيْمٍ ﴿۲۶﴾ وَّنَعْمَةٍ كَانُوْا فِيْهَا فٰكِهِيْنَ ﴿۲۷﴾
كَذٰلِكَ ۣ وَاَوْرَثْنٰهَا قَوْمًا اٰخَرِيْنَ ﴿۲۸﴾ فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاۗءُ وَالْاَرْضُ وَمَا كَانُوْا
مُنْظَرِيْنَ ﴿۲۹﴾ وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِيْٓ اِسْرَاۗءِيْلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِيْنِ ﴿۳۰﴾ مِنْ فِرْعَوْنَ ۭ اِنَّهٗ كَانَ
عَالِيًا مِّنَ الْمُسْرِفِيْنَ ﴿۳۱﴾ وَلَقَدِ اخْتَرْنٰهُمْ عَلٰي عِلْمٍ عَلَي الْعٰلَمِيْنَ ﴿۳۲﴾ وَاٰتَيْنٰهُمْ مِّنَ الْاٰيٰتِ مَا
فِيْهِ بَلٰۗـؤٌا مُّبِيْنٌ ﴿۳۳﴾

व ल-क़द् फ़तन्ना क़ब्लहुम् क़ौ-म फ़िर्औ-न व जा-अहुम् रसूलुन् करीम (17) अन् अद्दू इलय्-य अ़िबादल्लाहि, इन्नी लकुम् रसूलुन् अमीन (18) व अल्-ला तअ़्लू अ़लल्लाहि, इन्नी आतीकुम् बिसुल्तानिम्-मुबीन (19) व इन्नी उ़ज़्तु बिरब्बी व रब्बिकुम् अन् तर्जुमून (20) व इल्लम् तुअ्मिनू ली फ़अ़्तज़िलून (21) फ़-दआ़ रब्बहू अन्-न हा-उला-इ क़ौमुम्-मुज्रिमून (22) ▲ फ़-अस्रि बिअ़िबादी लैलन् इन्नकुम् मुत्त-बअ़ून (23) वत्रुकिल्-बह्-र रह्वन्, इन्नहुम् जुन्दुम् मुग़्रक़ून (24) कम् त-रकू मिन् जन्नातिंव्-व अ़ुयून (25) व ज़ुरूअ़िंव्-व मक़ामिन् करीम (26) व

और जाँच चुके हैं हम उनसे पहले फ़िरऔन की क़ौम को और आया उनके पास रसूल इज़्ज़त वाला (17) कि मेरे हवाले करो बन्दे ख़ुदा के मैं तुम्हारे पास आया हूँ भेजा हुआ मोतबर (18) और यह कि चढ़े न जाओ अल्लाह के मुक़ाबिल मैं लाता हूँ तुम्हारे पास सनद खुली हुई। (19) और मैं पनाह ले चुका हूँ अपने रब और तुम्हारे रब की इस बात से कि तुम मुझको संगसार करो। (20) और अगर तुम नहीं यक़ीन करते मुझ पर तो मुझसे परे हो जाओ। (21) फिर दुआ़ की अपने रब से कि ये लोग गुनाहगार हैं। (22) ▲ फिर ले निकल रात से मेरे बन्दों को ज़रूर तुम्हारा पीछा करेंगे (23) और छोड़ जा दरिया को थमा हुआ यक़ीनन वे लश्कर डूबने वाले हैं। (24) बहुत से छोड़ गये बाग़ और चश्मे (25) और खेतियाँ और घर ख़ासे (26) और आराम का

नअ्-मतिन् कानू फ़ीहा फ़ाकिहीन (27) कज़ालि-क, व औरस्नाहा क़ौमन् आख़रीन (28) फ़मा ब-कत् अ़लैहिमुस्समा-उ वल्अर्ज़ु व मा कानू मुन्ज़रीन (29) ❁	सामान जिसमें बातें बनाया करते थे। (27) यूँ ही हुआ, और वो सब हाथ लगा दिया हमने एक दूसरी क़ौम के। (28) फिर न रोया उन पर आसमान और ज़मीन और न मिली उनको ढील। (29) ❁
व ल-क़द् नज्जैना बनी इस्राई-ल मिनल्-अ़ज़ाबिल्-मुहीन (30) मिन् फ़िर्औ-न, इन्नहू का-न आ़लि-यम् मिनल्-मुस्रिफ़ीन (31) व ल-क़दिख़्तर्नाहुम् अ़ला अ़िल्मिन् अ़लल्-आ़लमीन (32) व आतैनाहुम् मिनल्-आयाति मा फ़ीहि बलाउम्-मुबीन (33)	और हमने बचा निकाला बनी इस्राईल को ज़िल्लत की मुसीबत से (30) जो फ़िरऔ़न की तरफ़ से थी, बेशक वह था चढ़ रहा हद से बढ़ जाने वाला। (31) और उनको हमने पसन्द किया जान-बूझकर जहान के लोगों से। (32) और दीं हमने उनको निशानियाँ जिनमें थी खुली मदद। (33)

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

और हमने उनसे पहले फ़िरऔ़न की क़ौम को आज़माया था और (वह आज़माईश यह थी कि) उनके पास एक मुअ़ज़्ज़ज़ "यानी सम्मानित" पैग़म्बर (अर्थात मूसा अ़लैहिस्सलाम) आये थे। (पैग़म्बर के आने से आज़माईश यह होती है कि कौन ईमान लाता है और कौन नहीं लाता, और उन्होंने आकर फ़िरऔ़न और फ़िरऔ़न की क़ौम से फ़रमाया) कि इन अल्लाह के बन्दों (यानी बनी इस्राईल) को (जिनको तुमने तरह-तरह की तकलीफ़ों में फंसा रखा है) मेरे हवाले कर दो (और इनसे अलग हट जाओ कि मैं जहाँ और जिस तरह मुनासिब हो इनको आज़ाद करके रखूँ) मैं तुम्हारी तरफ़ (ख़ुदा का) रसूल (होकर आया) हूँ (और) दियानतदार हूँ (कोई बात वही से कमी-बेशी नहीं करता हूँ जो हुक्म होता है पहुँचाता हूँ, पस तुमको मानना चाहिये)। और यह (भी फ़रमाया) कि तुम ख़ुदा से सरकशी मत करो (ऊपर बन्दों के हुक़ूक़ का हुक्म था और यहाँ अल्लाह के हक़ का), मैं तुम्हारे सामने (अपनी नुबुव्वत की) एक खुली दलील पेश करता हूँ (इससे मुराद लाठी और चमकते हाथ का मोजिज़ा है)। और (जब फ़िरऔ़न और फ़िरऔ़न वालों ने न माना बल्कि आपस में आपके क़त्ल का मश्विरा हुआ उस वक़्त आपने सुनकर फ़रमाया कि) मैं अपने परवर्दिगार और तुम्हारे रब की पनाह लेता हूँ इससे कि तुम लोग मुझको पत्थर (या पत्थर के अ़लावा किसी और चीज़) से क़त्ल करो। और अगर तुम

मुझ पर ईमान नहीं लाते तो मुझसे अलग ही रहो (यानी मुझे तकलीफ़ पहुँचाने के पीछे मत लगो क्योंकि मुझको तो कोई नुक़सान न पहुँचेगा, मुझसे अल्लाह का वायदा है 'फ़ला यसिलू-न इलैकुमा.....' लेकिन तुम्हारा जुर्म और सख़्त हो जायेगा, इसलिये ख़ैरख़्वाही से कहता हूँ कि ऐसा मत करो। मगर वे कब बाज़ आते थे) तब मूसा (अलैहिस्सलाम) ने अपने रब से दुआ की कि ये बड़े सख़्त मुजरिम लोग हैं (कि जुर्मों से बाज़ नहीं आते, अब इनका फ़ैसला कर दीजिये। इरशाद हुआ कि हमने दुआ क़ुबूल की और इनके फ़ैसले का वक़्त आ गया) तो अब मेरे बन्दों (यानी बनी इस्राईल) को तुम रात-ही-रात में लेकर चले जाओ (क्योंकि) तुम लोगों का (फ़िरऔ़न की तरफ़ से) पीछा (भी) होगा (इसलिये रात में निकल जाने से इतनी दूर तो निकल जाओगे कि यह पीछा करके तुमको पा न सके) और (सफ़र के दौरान जो दरिया बाधा और रुकावट होगा) तुम उस दरिया को (पहले लाठी मारना कि वह ख़ुश्क होकर रास्ता दे देगा, फिर पार होने के बाद जब उसको उसी हालत पर देखो तो फ़िक्र न करना कि इसी तरह फ़िरऔ़न भी शायद पार हो जायेगा बल्कि तुम उसको उसी) सुकून की हालत में (यानी पानी के हट जाने और रास्ते के ख़ुश्क हो जाने से दरिया की जो हालत व शक्ल पैदा हुई है उसी हालत पर) छोड़ देना (और बेफ़िक्र रहना, क्योंकि उसके उस हालत में रहने की यह हिक्मत है कि) उन (फ़िरऔ़न वालों) का सारा लश्कर (उस दरिया में) डुबो दिया जायेगा (इस तरह कि वे उसमें घुसेंगे और जब उसमें आ जायेंगे तो चारों तरफ़ से पानी आ मिलेगा। चुनाँचे ऐसा ही हुआ कि मूसा अ़लैहिस्सलाम पार हो गये और फ़िरऔ़नी ग़र्क़ हुए और) वे लोग कितने ही बाग़ और (कितने ही) चश्मे (यानी नहरें) और (कितनी ही) खेतियाँ और (कितने ही) उम्दा मकानात (और कितने ही) आराम के सामान जिसमें वे ख़ुश रहा करते थे, छोड़ गये।

(यह क़िस्सा) इसी तरह हुआ और हमने एक दूसरी क़ौम को उनका मालिक बना दिया (मुराद बनी इस्राईल हैं) सो (चूँकि वे बहुत ही बुरे और नापसन्दीदा थे इसलिये) न तो उन पर आसमान और ज़मीन को रोना आया और न उनको (अ़ज़ाब से कुछ और) मोहलत दी गई। (यानी अगर कुछ और जीते तो जहन्नम के अ़ज़ाब से कुछ और दिन बचे रहते)।

और हमने (इस तरह) बनी इस्राईल को सख़्त ज़िल्लत के अ़ज़ाब यानी फ़िरऔ़न (के ज़ुल्म व सितम) से निजात दी। वाक़ई वह (फ़िरऔ़न) बड़ा सरकश (और बन्दगी की) हद से निकल जाने वालों में से था। (एक नेमत तो बनी इस्राईल पर यह हुई) और (इसके अ़लावा) हमने बनी इस्राईल को (और भी नेमतें देकर) अपने इल्म (और हिक्मत) की रू से (कुछ बातों में) तमाम दुनिया-जहान वालों पर (या तमाम मामलात में मख़्लूक़ के एक बड़े हिस्से पर मसलन उस ज़माने के लोगों पर) बरतरी दी। और (इन नेमतों में इनाम होने के अ़लावा अल्लाह की क़ुदरत पर दलालत भी थी जिसका हासिल यह है कि) हमने उनको (अपनी क़ुदरत की) ऐसी (बड़ी-बड़ी) निशानियाँ दीं जिनमें खुला इनाम (पाया जाता) था (यानी जो एहसान उन पर किया गया उसमें दो सिफ़तें पाई जाती थीं, इनाम होना भी और क़ुदरत की दलील होना भी। फिर उनमें से कुछ ज़ाहिरी और महसूस की जाने वाली नेमतें थीं जैसे फ़िरऔ़न से निजात दिलाना और कुछ मानवी थीं जैसे इल्म व किताब और मोजिज़ों को देखना)।

मआरिफ़ व मसाईल

وَاِنِّیْ عُذْتُ بِرَبِّیْ وَرَبِّکُمْ اَنْ تَرْجُمُوْنِ○

(मैं अपने परवर्दिगार और तुम्हारे परवर्दिगार की पनाह लेता हूँ इससे कि तुम मुझे रजम करो) रजम के मायने संगसार करने यानी पत्थर मार-मारकर हलाक कर देने के भी आते हैं और किसी को गाली देने और बुरा भला कहने के भी। यहाँ दोनों मायने मुराद हो सकते हैं, लेकिन राजेह (वरीयता प्राप्त) यह है कि यहाँ संगसार करने के मायने मुराद हैं क्योंकि फ़िरऔन की क़ौम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कत्ल वग़ैरह की धमकियाँ दे रही होगी।

وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا.

(और दरिया को सुकून की हालत में छोड़ देना।)

''रहवुन'' के मायने हैं ''साकिन''। दर असल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और आपके साथियों के पार हो जाने के बाद उनकी इच्छा तबई तौर पर यह होनी चाहिये थी कि दरिया दोबारा अपनी असली हालत पर आ जाये ताकि फ़िरऔन का लश्कर पार न हो सके, इसलिये अल्लाह तआला ने उन्हें तंबीह फ़रमा दी कि ख़ुद पार होने के बाद समुद्र को उसकी हालत पर साकिन (ठहरा हुआ) ही छोड़ देना और दोबारा पानी के जारी होने की फ़िक्र मत करना, ताकि फ़िरऔन ख़ुश्क रास्ता बना हुआ देखकर दरिया के बीचों-बीच पहुँच जाये, उस वक़्त हम दरिया को जारी कर देंगे और यह लश्कर डूब जायेगा। (तफ़सीर इब्ने कसीर)

وَاَوْرَثْنٰهَا قَوْمًا اٰخَرِیْنَ○

(और हमने उनका वारिस एक दूसरी क़ौम को बना दिया।)

सूरः शु-अरा में वज़ाहत है कि इस ''दूसरी क़ौम'' से मुराद बनी इस्राईल हैं, और इस पर जो मशहूर शुब्हा होता है कि मशहूर तारीख़ों से कहीं यह साबित नहीं होता कि बनी इस्राईल दोबारा मिस्र में आबाद हुए, इसका जवाब भी सूरः शु-अरा की तफ़सीर में गुज़र चुका है।

ज़मीन व आसमान का रोना

فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَآءُ وَالْاَرْضُ.

(पस उन पर आसमान व ज़मीन को रोना नहीं आया।)

मतलब यह है कि उन्होंने ज़मीन पर कोई ऐसा नेक काम नहीं किया था कि उनके मर जाने से ज़मीन रोये, और न उनका कोई नेक अमल आसमान तक पहुँचा था कि उनको आसमान रोये। और यह बात अनेक रिवायतों से साबित है कि किसी नेक बन्दे की मौत पर आसमान व ज़मीन रोते हैं। हाफ़िज़ अबू यअ़ला रह. ने हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत से हुज़ूरे पाक सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का यह इरशाद नक़ल किया है कि आसमान में हर बन्दे के लिये दो दरवाज़े मुक़र्रर हैं- एक से उसका रिज़्क़ नाज़िल होता है, दूसरे से उसका अमल और उसकी गुफ़्तगू ऊपर पहुँचती है। चुनाँचे जब वह बन्दा मरता है तो ये दरवाज़े उसे याद करके रोते हैं, इसके बाद आप सल्लल्लाहु

अ़लैहि व सल्लम ने (दलील के तौर पर) यही आयत तिलावत फ़रमाई किः

فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَآءُ وَالْاَرْضُ.

हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु से भी इसी क़िस्म की रिवायतें नक़ल की गयी हैं। (इब्ने कसीर) एक और हदीस में जो हज़रत शुरैह बिन उबैद हज़रमी रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने इरशाद फ़रमाया- "जो मोमिन भी ऐसी ग़रीबुल-वतनी (यानी परदेस में होने) की हालत में मरता है कि उस पर कोई रोने वाला न हो तो उस पर आसमान व ज़मीन रोते हैं, इस पर भी आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने यही आयत तिलावत फ़रमाई और फ़रमाया कि ये ज़मीन व आसमान किसी काफ़िर पर नहीं रोते। (इब्ने जरीर) हज़रत अ़ली रज़ियल्लाहु अ़न्हु से भी मन्क़ूल है कि उन्होंने नेक आदमी के मरने पर आसमान व ज़मीन के रोने का ज़िक्र फ़रमाया। (तफ़सीर इब्ने कसीर)

और कुछ हज़रात ने आयत के अलफ़ाज़ को मिसाल का अन्दाज़ क़रार दिया है और कहा है कि आसमान व ज़मीन का हक़ीक़त में रोना मुराद नहीं बल्कि मक़सद यह है कि उनका वजूद ऐसा नाक़ाबिले तवज्जोह था कि उसके ख़त्म हो जाने पर किसी को अफ़सोस नहीं हुआ, लेकिन ज़िक्र हुई रिवायतों की रोशनी में ज़्यादा सही यही मालूम होता है कि यहाँ आसमान व ज़मीन का हक़ीक़त में रोना मुराद है, क्योंकि जब आयत के असली मायने मुम्किन हैं और रिवायतें से भी उनकी ताईद होती है तो ख़्वाह-मख़्वाह इसे मिसाल व इशारे पर महमूल करने की ज़रूरत नहीं। रहा यह शुब्हा कि आसमान व ज़मीन में शऊर कहाँ है जो वह रो सकें? तो इसका जवाब ज़ाहिर है कि कायनात की हर मख़्लूक़ में कुछ न कुछ शऊर ज़रूर मौजूद है जैसा कि क़ुरआने करीम की आयतः

اِنْ مِّنْ شَيْءٍ اِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهٖ.

से मालूम होता है। और अब रफ़्ता-रफ़्ता आधुनिक विज्ञान भी इसी नतीजे पर पहुँच रहा है। हाँ यह ज़रूरी नहीं कि आसमान व ज़मीन का रोना वैसा ही हो जैसे इनसानों का रोना होता है, उनके रोने की कैफ़ियत यक़ीनन अलग और भिन्न होगी जिसकी हक़ीक़त हमें मालूम नहीं।

وَلَقَدِ اخْتَرْنٰهُمْ عَلٰى عِلْمٍ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ○

(और हमने बनी इस्राईल को अपने इल्म की रू से दुनिया जहान वालों पर बरतरी दी।) इससे बनी इस्राईल का उम्मते मुहम्मदिया पर बरतर और ऊँचे रुतबे वाला होना लाज़िम नहीं आता, क्योंकि इससे मुराद उस ज़माने के दुनिया जहान वाले हैं और उस वक़्त बिला शुब्हा वे तमाम क़ौमों से अफ़ज़ल थे, और यह ऐसा ही है जैसे हज़रत मरियम अ़लैहस्सलाम के लिये "दुनिया जहान की औरतों" पर फ़ज़ीलत का क़ुरआने करीम ने ज़िक्र फ़रमाया है और यह भी मुम्किन है कि किसी ख़ास पहलू से बनी इस्राईल को तमाम दुनिया और हर ज़माने के लोगों पर कोई फ़ज़ीलत (बड़ाई और बरतरी) हासिल हो लेकिन मजमूई हैसियत से अफ़ज़लियत उम्मते मुहम्मदिया ही को हासिल है (तफ़सील के लिये देखिये तफ़सीर इब्ने कसीर वग़ैरह) और "अ़ला इल्मिन" (अपने इल्म की रू से) का मतलब यह है कि हमारे हर काम में हिक्मत होती है, पस उनको बरतरी देना चूँकि हमारे इल्म में हिक्मत व मस्लेहत का तक़ाज़ा था इसलिये हमने उनको बरतरी दे दी।

وَاٰتَيْنٰهُمْ مِّنَ الْاٰيٰتِ مَا فِيْهِ بَلٰٓؤٌا مُّبِيْنٌ۝

(और हमने उनको ऐसी निशानियाँ दीं जिनमें खुला इनाम था।) निशानियों से मुराद असा (लाठी) और चमकता हुआ हाथ वग़ैरह के मोजिज़े हैं। और बलाउन के दो मायने आते हैं- एक इनाम और दूसरे आज़माईश, यहाँ दोनों मायने बिना किसी तकल्लुफ़ के लेने मुम्किन हैं। (तफ़सीरे क़ुर्तुबी)

اِنَّ هٰٓؤُلَآءِ لَيَقُوْلُوْنَ۝ اِنْ هِيَ اِلَّا مَوْتَتُنَا الْاُوْلٰى وَمَا نَحْنُ بِمُنْشَرِيْنَ۝ فَاْتُوْا بِاٰبَآئِنَآ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ۝ اَهُمْ خَيْرٌ اَمْ قَوْمُ تُبَّعٍ ۙ وَّالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ؕ اَهْلَكْنٰهُمْ ؗ اِنَّهُمْ كَانُوْا مُجْرِمِيْنَ۝ وَمَا خَلَقْنَا السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لٰعِبِيْنَ۝ مَا خَلَقْنٰهُمَآ اِلَّا بِالْحَقِّ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ۝ اِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ مِيْقَاتُهُمْ اَجْمَعِيْنَ۝ يَوْمَ لَا يُغْنِيْ مَوْلًى عَنْ مَّوْلًى شَيْئًا وَّلَا هُمْ يُنْصَرُوْنَ۝ اِلَّا مَنْ رَّحِمَ اللّٰهُ ؕ اِنَّهٗ هُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ۝

इन्-न हा-उला-इ ल-यक़ूलून (34) इन् हि-य इल्ला मौततुनल्-ऊला व मा नह्नु बिमुन्शरीन (35) फ़अ्तू बिआबा-इना इन् कुन्तुम् सादिक़ीन (36) अ-हुम् ख़ैरुन् अम् क़ौमु तुब्बअिंव्-वल्लज़ी-न मिन् क़ब्लिहिम्, अह्लक्नाहुम् इन्नहुम् कानू मुज्रिमीन (37) व मा ख़लक़्नस्समावाति वल्अर्-ज़ व मा बैनहुमा लाअिबीन (38) मा ख़लक़्नाहुमा इल्ला बिल्हक़्क़ि व लाकिन्-न अक्स-रहुम् ला यअ्लमून (39) इन्-न यौमल्-फ़स्लि मीक़ातुहुम् अज्मअीन (40) यौ-म ला युग़्नी मौलन् अम्-मौलन् शैअंव्-व ला हुम् युन्सरून (41)	ये लोग कहते हैं (34) और कुछ नहीं हमारा यही मरना है पहला और हमको फिर उठना नहीं। (35) भला ले तो आओ हमारे बाप-दादों को अगर तुम सच्चे हो। (36) भला ये बेहतर हैं या तुब्बा की क़ौम और जो उनसे पहले थे हमने उनको ग़ारत कर दिया, बेशक वे थे गुनाहगार। (37) और हमने जो बनाया आसमान और ज़मीन और जो उनके बीच है खेल नहीं बनाया। (38) उनको तो बनाया हमने ठीक काम, पर बहुत लोग नहीं समझते। (39) बेशक फ़ैसले का दिन उन सब का वादा है (40) जिस दिन काम न आये कोई रफ़ीक़ (साथी और दोस्त) किसी रफ़ीक़ के कुछ भी, और न उनको मदद पहुँचे (41)

इल्ला मर्रहिमल्लाहु, इन्नहू हुवल् अ़ज़ीज़ुर्रहीम (42) ✿	मगर जिस पर रहमत करे अल्लाह, बेशक वही है ज़बरदस्त रहम वाला। (42) ✿

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

ये लोग (क़ियामत की वईदें और धमकियाँ सुनकर क़ियामत का इनकार करते हैं और) कहते हैं कि आख़िरी हालत बस यही हमारा दुनिया का मरना है और हम दोबारा ज़िन्दा न होंगे। (मतलब यह कि आख़िरी हालत वह आख़िरत की ज़िन्दगी नहीं बल्कि यह दुनियावी मौत ही आख़िरी हालत है जिसके बाद कुछ होना नहीं है) सो (ऐ मुसलमानो!) अगर तुम (आख़िरत के दावे में) सच्चे हो तो (इन्तिज़ार कौन करे, अभी) हमारे बाप-दादाओं को (ज़िन्दा करके) सामने लाओ। (आगे उनकी कुफ़्रिया बातों पर तंबीह व डाँट-डपट है कि इनको ज़रा सोचना चाहिये कि) ये लोग (ताक़त और शान व शौकत में) ज़्यादा बढ़े हुए हैं या तुब्बा (यमन के बादशाह) की क़ौम? और जो क़ौमें इनसे पहले गुज़र चुकी हैं (जैसे आ़द व समूद वग़ैरह, यानी ये क़ौमें ज़्यादा बढ़ी हुई थीं मगर) हमने उनको भी हलाक कर डाला (सिर्फ़ इसलिये कि) वे नाफ़रमान थे (सो ये लोग अगर नाफ़रमानी से बाज़ न आयेंगे तो ये क्योंकर अपने को बचा लेंगे)।

और (आगे क़ियामत के हक़ होने और उसकी हिक्मत का बयान है कि) हमने आसमानों और ज़मीन को और जो कुछ उनके बीच में है उसको इस तौर पर नहीं बनाया कि हम बेकार काम करने वाले हों (बल्कि) हमने उन दोनों को (उनकी दूसरी मख़्लूक़ात समेत) किसी हिक्मत ही से बनाया है, (मसलन उनसे एक तो अल्लाह की कामिल क़ुदरत पर दलालत होती है, दूसरे जज़ा व सज़ा का सुबूत मिलता है) लेकिन अक्सर लोग नहीं समझते (कि जो ज़ात ऐसे बड़े और भारी जिस्मों को पहली बार में पैदा करने पर क़ादिर हो वह इनके दोबारा पैदा करने पर भी क़ादिर है) बेशक फ़ैसले का दिन (यानी क़ियामत का दिन) उन सब (के दोबारा ज़िन्दा होने और जज़ा व सज़ा मिलने) का मुक़र्ररा वक़्त है (जिसका आना और ज़ाहिर होना अपने मौक़े पर ज़रूर होगा। आगे क़ियामत के कुछ वाक़िआ़त हैं, यानी) जिस दिन कोई ताल्लुक़ और रिश्ते वाला किसी ताल्लुक़ वाले के ज़रा काम न आयेगा, और न (और ही किसी की तरफ़ से, जैसे उनके गुमान किये हुए ख़ुदाओं की तरफ़ से) उनकी कुछ हिमायत की जायेगी। हाँ मगर जिस पर अल्लाह तआ़ला रहम फ़रमाये (कि रहमत से उसके हक़ में बारी तआ़ला की इजाज़त से की गयी सिफ़ारिश काम आयेगी और अल्लाह उसका मददगार होगा) वह (अल्लाह) ज़बरदस्त है (काफ़िरों से बदला लेगा), मेहरबान है (मुसलमानों पर रहमत फ़रमायेगा)।

मआ़रिफ़ व मसाईल

فَاْتُوْا بِاٰبَآئِنَآ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ○

(अगर तुम सच्चे हो तो हमारे बाप-दादों को ला मौजूद करो।) क़ुरआने करीम ने उनके इस एतिराज़ का जवाब इसलिये नहीं दिया कि बिल्कुल ज़ाहिर था और वह यह कि तमाम इनसानों की

दोबारा ज़िन्दगी का दावा आख़िरत में किया जा रहा है, उसी वक़्त अल्लाह तआ़ला सब को ज़िन्दा करेगा। दुनिया में मौत व ज़िन्दगी क़ुदरत के मख़्सूस क़ानूनों और मस्लेहतों की पाबन्द है, अगर अल्लाह तआ़ला इस वक़्त किसी को दूसरी ज़िन्दगी अ़ता नहीं फ़रमा रहा तो यह इस बात की दलील कैसे बन गयी कि आख़िरत में भी वह दोबारा ज़िन्दा न कर सकेगा। (बयानुल-क़ुरआन)

तुब्बा क़ौम का वाक़िआ़

أَهُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمُ تُبَّعٍ.

(क्या ये लोग शान व शौकत के एतिबार से बढ़े हुए हैं या तुब्बा की क़ौम।)

क़ुरआने करीम में तुब्बा क़ौम का ज़िक्र दो जगह आया है- एक यहाँ और दूसरे सूरः क़ॉफ़ में, लेकिन दोनों जगहों पर इसका सिर्फ़ नाम ही ज़िक्र हुआ है कोई तफ़सीली वाक़िआ़ मज़कूर नहीं। इसलिये इस बारे में मुफ़स्सिरीन हज़रात ने लम्बी बहसें की हैं कि इससे कौन मुराद है? वाक़िआ़ यह है कि तुब्बा किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं बल्कि यह यमन के उन हमीरी बादशाहों का निरंतर लक़ब रहा है जिन्होंने एक लम्बे समय तक यमन के पश्चिमी हिस्से को अपनी हुकूमत की राजधानी क़रार देकर अ़रब, शाम, इराक़ और अफ़्रीक़ा के कुछ हिस्सों पर हुकूमत की। इसी लिये तुब्बा की जमा (बहुवचन) तबाबिआ़ आती है और उन बादशाहों को यमन के तबाबिआ़ कहा जाता है, यहाँ उन तबाबिआ़ में से कौनसा तुब्बा मुराद है? इस बारे में हाफ़िज़ इब्ने कसीर रह. की तहक़ीक़ ज़्यादा सही मालूम होती है कि इससे मुराद औसत तुब्बा है जिसका नाम असअ़द अबू कुरैब बिन मुलेकरब यमानी है। यह बादशाह नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के नबी बनकर तशरीफ़ लाने से कम से कम सात सौ साल पहले गुज़रा है और हमीरी बादशाहों में इसकी हुकूमत की मुद्दत सबसे ज़्यादा रही है। इसने अपने दौरे हुकूमत में बहुत से इलाक़े फ़तह किये यहाँ तक कि समरक़न्द तक पहुँच गया। मुहम्मद बिन इस्हाक़ रह. की रिवायत है कि इन्हीं फ़ुतूहात के दौरान वह एक मर्तबा मदीना मुनव्वरा की बस्ती से गुज़रा और इस पर चढ़ाई का इरादा किया। मदीना वालों ने यह तरीक़ा इख़्तियार किया कि दिन के वक़्त उससे जंग करते और रात को उसकी मेहमानी करते। इससे उसको शर्म आई और उसने मदीना वालों से लड़ाई का इरादा बदल दिया। इसी दौरान वहाँ के दो यहूदी आ़लिमों ने उसे चेताया कि इस शहर पर उसका बस नहीं चल सकता इसलिये कि यह आख़िरी ज़माने के नबी की हिजरत का स्थान है, चुनाँचे वह उन यहूदियों को साथ लेकर यमन चला आया और उन यहूदियों की तालीम व तब्लीग़ से प्रभावित होकर उसने हज़रत मूसा का दीन क़ुबूल कर लिया जो उस वक़्त सच्चा दीन था, फिर उसकी क़ौम भी उससे प्रभावित होकर इस्लाम ले आई लेकिन उसकी वफ़ात के बाद यह क़ौम फिर गुमराह हो गयी और इसने बुत-परस्ती और आग की पूजा शुरू कर दी जिसके नतीजे में उन पर अल्लाह का वह क़हर नाज़िल हुआ जिसका मुफ़स्सल ज़िक्र सूरः सबा में आ चुका है।

(ख़ुलासा तफ़सीर इब्ने कसीर से, पेज 144 जिल्द 4)

इस वाक़िए से ज़ाहिर होता है कि जिस तुब्बा का यहाँ ज़िक्र है वह बज़ाते ख़ुद इस्लाम ले आया था अलबत्ता उसकी क़ौम बाद में गुमराह हो गयी थी। यही वजह है कि क़ुरआने करीम में दोनों जगह

तुब्बा क़ौम का ज़िक्र किया गया है, तुब्बा का नहीं। इसकी ताईद हज़रत सहल बिन सअ़द और हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हुमा की रिवायतों से भी होती है जिन्हें इमाम इब्ने अबी हातिम, इमाम अहमद और तबरानी रह. वग़ैरह ने रिवायत किया है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने इरशाद फ़रमायाः

لا تسبّوا تبّعا فانّہٗ قد کان اسلم.

तुब्बा को बुरा-भला मत कहो इसलिये कि वह इस्लाम ले आया था। (तफ़सीर इब्ने कसीर)

مَا خَلَقْنٰهُمَآ اِلَّا بِالْحَقِّ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ۝

(हमने इन दोनों यानी ज़मीन व आसमान को किसी हिक्मत ही से बनाया है लेकिन अक्सर लोग नहीं समझते।)

मतलब यह है कि अगर सोचने-समझने वाली अ़क़्ल हो तो आसमान व ज़मीन और इनके अन्दर जो मख़्लूक़ात पैदा की गयी हैं वो सब बहुत सी हक़ीक़तों पर दलालत करती हैं, मसलन एक तो अल्लाह की कामिल क़ुदरत पर, दूसरे आख़िरत के मुम्किन होने पर, क्योंकि जिस ज़ात ने इन विशाल और बड़ी चीज़ों को अ़दम (नापैदी) से वजूद अ़ता किया वह यक़ीनन इस बात पर भी क़ादिर है कि इन्हें एक मर्तबा फ़ना करके दोबारा पैदा कर दे। तीसरे जज़ा व सज़ा की ज़रूरत पर, क्योंकि अगर आख़िरत की जज़ा व सज़ा न हो तो वजूद में आने वाला यह सारा कारख़ाना बेकार हो जाता है। इसके बनाने और पैदा करने की तो हिक्मत ही यह है कि इसको आज़माईश की जगह बनाया जाये और इसके बाद आख़िरत में जज़ा व सज़ा दी जाये, वरना नेक व बद दोनों का अन्जाम एक होना लाज़िम आता है जो अल्लाह की हिक्मत वाली शान से बईद है। चौथे यह कि कायनात सोचने समझने वालों को अल्लाह की इताअ़त व फ़रमाँबरदारी पर उभारने वाली भी है, क्योंकि ये सारी मख़्लूक़ात उसका बहुत बड़ा इनाम हैं, और बन्दे पर वाजिब है कि इस नेमत का शुक्र उसके ख़ालिक़ (पैदा करने वाले) की इताअ़त करके अदा करे।

اِنَّ شَجَرَتَ الزَّقُّوْمِ ۝ طَعَامُ الْاَثِيْمِ ۝ كَالْمُهْلِ ۚ يَغْلِيْ فِي الْبُطُوْنِ ۝ كَغَلْيِ الْحَمِيْمِ ۝ خُذُوْهُ فَاعْتِلُوْهُ اِلٰى سَوَآءِ الْجَحِيْمِ ۝ ثُمَّ صُبُّوْا فَوْقَ رَاْسِهٖ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيْمِ ۝ ذُقْ ۚ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْكَرِيْمُ ۝ اِنَّ هٰذَا مَا كُنْتُمْ بِهٖ تَمْتَرُوْنَ ۝ اِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِيْ مَقَامٍ اَمِيْنٍ ۝ فِيْ جَنّٰتٍ وَّعُيُوْنٍ ۝ يَّلْبَسُوْنَ مِنْ سُنْدُسٍ وَّاِسْتَبْرَقٍ مُّتَقٰبِلِيْنَ ۝ كَذٰلِكَ ۗ وَزَوَّجْنٰهُمْ بِحُوْرٍ عِيْنٍ ۝ يَدْعُوْنَ فِيْهَا بِكُلِّ فَاكِهَةٍ اٰمِنِيْنَ ۝ لَا يَذُوْقُوْنَ فِيْهَا الْمَوْتَ اِلَّا الْمَوْتَةَ الْاُوْلٰى ۚ وَوَقٰهُمْ عَذَابَ الْجَحِيْمِ ۝ فَضْلًا مِّنْ رَّبِّكَ ۚ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ۝ فَاِنَّمَا يَسَّرْنٰهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ ۝ فَارْتَقِبْ اِنَّهُمْ مُّرْتَقِبُوْنَ ۝

इन्-न श-ज-रतज़्ज़क्कूम (43) तआमुल्-असीम (44) कल्मुह्लि यग्ली फ़िल्बुतून (45) क-ग़ल्यिल्-हमीम (46) ख़ुज़ूहु फ़अ्तिलूहु इला सवाइल्-जहीम (47) सुम्-म सुब्बू फ़ौ-क रअ्सिही मिन् अ़ज़ाबिल्-हमीम (48) ज़ुक़् इन्न-क अन्तल्-अ़ज़ीज़ुल्-करीम (49) इन्-न हाज़ा मा कुन्तुम् बिही तम्तरून (50) इन्नल्-मुत्तक़ी-न फ़ी मक़ामिन् अमीन (51) फ़ी जन्नातिंव्-व अुयून (52) यल्बसू-न मिन् सुन्दुसिंव्-व इस्तब्रक़िम् मु-तक़ाबिलीन (53) कज़ालि-क, व ज़व्वज्नाहुम् बिहूरिन् अ़ीन (54) यद्अू-न फ़ीहा बिकुल्लि फ़ाकि-हतिन् आमिनीन (55) ला यज़ूक़ू-न फ़ीहल्-मौ-त इल्लल्-मौ-ततल्-ऊला व वक़ाहुम् अ़ज़ाबल्-जहीम (56) फ़ज़्लम्-मिर्रब्बि-क, ज़ालि-क हुवल् फ़ौज़ुल्-अ़ज़ीम (57) फ़-इन्नमा यस्सर्नाहु बिलिसानि-क लअ़ल्लहुम् य-तज़क्करून (58) फ़र्तक़िब् इन्नहुम् मुर्तक़िबून (59) ✿	बेशक पेड़ सींहड का (43) खाना है गुनाहगार का। (44) जैसे पिघला हुआ ताँबा खौलता है पेटों में (45) जैसे खौलता पानी। (46) पकड़ो इसको और धकेल कर ले जाओ बीचों-बीच दोज़ख़ के। (47) फिर डालो इसके सर पर जलते पानी का अ़ज़ाब। (48) यह चख, तू ही है बड़ा इज़्ज़त वाला सरदार। (49) यह वही है जिसमें तुम धोखे में पड़े थे। (50) बेशक डरने वाले, घर में हैं चैन के (51) बाग़ों में और चश्मों में। (52) पहनते हैं पोशाक रेशमी पतली और गाढ़ी एक दूसरे के सामने, (53) इसी तरह होगा। और ब्याह दें हम उनको हूरें बड़ी आँखों वालियाँ (54) मंगवायेंगे वहाँ हर मेवा दिल के सुकून से, (55) न चखेंगे वहाँ मौत मगर जो पहले आ चुकी, और बचाया उनको दोज़ख़ के अ़ज़ाब से (56) फ़ज़्ल से तेरे रब के, यही है बड़ी मुराद मिलनी। (57) सो यह क़ुरआन आसान किया हमने इसको तेरी बोली में ताकि वे याद रखें। (58) अब तू राह देख वे भी राह तकते हैं। (59) ✿

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

बेशक ज़क़्क़ूम का पेड़ (जिसकी तहक़ीक़ सूरः साफ़्फ़ात के दूसरे रुकूअ़ में गुज़र चुकी है) बड़े

मुजरिम (यानी काफ़िर) का खाना होगा, जो (बुरी सूरत वाला होने में) तेल की तलछट जैसा होगा (और) वह पेट में ऐसा खौलेगा जैसा तेज़ गर्म पानी खौलता है। (और फ़रिश्तों को हुक्म होगा कि) इसको पकड़ो फिर घसीटते हुए दोज़ख़ के बीचों-बीच तक ले जाओ। फिर इसके सर के ऊपर तकलीफ़ देने वाला गर्म पानी छोड़ दो। (और उससे मज़ाक़ उड़ाने के तौर पर कहा जायेगा कि) ले चख तू बड़ा इज़्ज़त वाला और रुतबे वाला है (यह तेरा सम्मान हो रहा है जैसा कि तू दुनिया में अपने आपको इज़्ज़त व सम्मान वाला समझ कर हमारे अहकाम से शर्म किया करता था। और दोज़ख़ियों से कहा जायेगा कि) यह वही चीज़ है जिसमें तुम शक (व इनकार) किया करते थे।

(यह तो काफ़िर दोज़ख़ियों का हाल हुआ आगे ईमान वालों का ज़िक्र है कि) बेशक ख़ुदा से डरने वाले अमन (चैन) की जगह में होंगे, यानी बाग़ों में और नहरों में। (और) वे लिबास पहनेंगे बारीक और मोटा रेशम का, आमने-सामने बैठे होंगे। (और) यह बात इसी तरह है, और हम उनका गोरी-गोरी बड़ी-बड़ी आँखों वालियों से निकाह करेंगे। (और) वहाँ इत्मीनान से हर क़िस्म के मेवे मँगाते होंगे। (और) वहाँ वे सिवाय उस मौत के जो दुनिया में आ चुकी थी और मौत का ज़ायक़ा भी न चखेंगे (यानी मरेंगे नहीं), और अल्लाह उनको दोज़ख़ से (भी) बचा लेगा। (और) यह सब कुछ आपके रब के फ़ज़्ल से होगा, बड़ी कामयाबी यही है।

(और ऐ पैग़म्बर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम! आपका काम इतना है कि आप उनको कहते रहिये) सो (इसी ग़र्ज़ से) हमने इस क़ुरआन को आपकी भाषा (अ़रबी) में आसान कर दिया है ताकि ये लोग (इसको समझकर इससे) नसीहत क़ुबूल करें। तो (अगर ये लोग न मानें तो) आप (इन पर मुसीबतों के नाज़िल होने के) मुन्तज़िर "यानी इन्तिज़ार करने वाले" रहिये ये लोग भी (आप पर मुसीबतों के उतरने के) मुन्तज़िर हैं (पस आप तब्लीग़ से ज़्यादा फ़िक्र में न पड़िये, न मुख़ालफ़त पर रंज कीजिये, इनका मामला ख़ुदा के सुपुर्द करके सब्र कीजिये, वह ख़ुद समझ लेगा)।

मआ़रिफ़ व मसाईल

इन आयतों में आख़िरत के कुछ हालात बयान किये गये हैं, और आ़दत के मुताबिक़ यहाँ भी क़ुरआने करीम ने दोज़ख़ और जन्नत दोनों ही के अहवाल एक के बाद दूसरे के बयान फ़रमाये हैं।

إِنَّ شَجَرَتَ الزَّقُّوْمِ.

ज़क़्क़ूम की हक़ीक़त से मुताल्लिक़ कुछ ज़रूरी बातें सूरः सॉफ़्फ़ात की तफ़सीर में लिखी जा चुकी हैं वहाँ देखी जायें, यहाँ इतनी बात क़ाबिले ज़िक्र है कि क़ुरआने करीम की आयतों से बज़ाहिर यह निकलता है कि काफ़िरों को ज़क़्क़ूम दोज़ख़ में दाख़िल होने से पहले ही खिलाया जायेगा क्योंकि यहाँ ज़क़्क़ूम खिलाने क बाद यह हुक्म ज़िक्र हुआ है कि "इसे खींचकर दोज़ख़ के बीचों-बीच ले जाओ।" इसके अ़लावा सूरः वाक़िआ़ की आयत 'हाज़ा नुज़ुलुहुम् यौमद्दीन' से भी कुछ हज़रात ने यही समझा है, क्योंकि "नुज़ूल" उनके नज़दीक बुनियादी तौर पर मेहमान की उस ख़ातिर-तवाज़ो को कहा जाता है जो असल दावत से पहले की जाये, बाद के खाने को "ज़ियाफ़त" या "मादबत" कहते हैं। यूँ क़ुरआनी अलफ़ाज़ में इसकी गुंजाईश भी है कि ज़क़्क़ूम का खिलाना जहन्नम में दाख़िल होने के बाद

हो। इस सूरत में 'नुज़ुल' का इस्तेमाल दावत के असल खाने के मायने में होगा। और इस आयत में जिसकी तफ़सीर बयान हो रही है में जो इसके बाद जहन्नम की तरफ़ घसीट लेजाने का ज़िक्र है इसका मतलब यह होगा कि वह था तो पहले भी जहन्नम ही में लेकिन ज़क़्क़ूम खिलाने के बाद उसे और अधिक ज़लील करने और तकलीफ़ पहुँचाने के लिये दोज़ख़ के बीच में लेजाया जायेगा। वल्लाहु आलम। (बयानुल-क़ुरआन, संक्षिप्तता के साथ)

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍo

इन आयतों के ज़रिये जन्नत की हमेशा बाक़ी रहने वाली नेमतों की तरफ़ इशारा किया गया है और नेमत की तक़रीबन तमाम क़िस्मों को जमा कर दिया गया है। क्योंकि इनसानी ज़रूरत की चीज़ें उमूमन ये होती हैं:

1. रहने की उम्दा जगह।
2. उम्दा लिबास।
3. बेहतर जीवन-साथी।
4. खाने-पीने की उम्दा चीज़ें।
5. इन सब नेमतों के बाक़ी रहने की ज़मानत।
6. रंज व तकलीफ़ से पूरी तरह सुरक्षित रहने का यक़ीन।

यहाँ इन छह की छह बातों को जन्नत वालों के लिये साबित कर दिया गया है जैसा कि इन छह आयतों पर ग़ौर करने से साफ़ ज़ाहिर है। यहाँ जन्नत वालों की क़ियाम गाह को "अमीन" (अमन वाली) कहकर इस तरफ़ भी इशारा फ़रमा दिया गया है कि इनसानों के रहने की जगह की सबसे क़ाबिले तारीफ़ सिफ़त उसका पुर-अमन (शान्ति पूर्वक) यानी ख़तरों से महफ़ूज़ होना है।

سُنْدُسٍ وَّاسْتَبْرَقٍ.

ये दोनों रेशमी कपड़ों के नाम हैं। सुन्दुस पतले व बारीक रेशम का कपड़ा है और इस्तिब्रक़ मोटे रेशम का।

وَزَوَّجْنٰهُمْ بِحُوْرٍ عِيْنٍo

'तज़वीज' के मायने असल में हैं "किसी को किसी का जोड़ क़रार दे देना" बाद में यह लफ़्ज़ निकाह कराने के मायने में ख़ूब ज़्यादा इस्तेमाल होने लगा है। इस जगह इसके दोनों मायने हो सकते हैं। दूसरे मायने के लिहाज़ से मतलब यह होगा कि जन्नती मर्दों को 'हूरे ऐन' से बाक़ायदा निकाह करा दिया जायेगा, और अगरचे जन्नत में कोई शख़्स अहकाम का पाबन्द नहीं होगा लेकिन निकाह का यह बन्धन इज़्ज़त व सम्मान के तौर पर होगा इसलिये कोई शुब्हा नहीं, और अगर पहले मायने लिये जायें तो मतलब यह होगा कि 'हूरे ऐन' को जन्नती मर्दों का जोड़ा क़रार दे दिया जायेगा और ये जन्नती औरतें हिबा (तोहफ़े और उपहार) के तौर पर उन्हें अ़ता कर दी जायेंगी और उसके लिये दुनिया की तरह निकाह के बन्धन की ज़रूरत नहीं होगी।

لَا يَذُوْقُوْنَ فِيْهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُوْلٰى.

मतलब यह है कि जो मौत एक मर्तबा आ चुकी बस वह आ चुकी, उसके बाद कोई मौत उन पर नहीं आयेगी। और यह बात अगरचे जहन्नम वालों को भी हासिल होगी लेकिन ज़ाहिर है कि वह उनके लिये और ज़्यादा तकलीफ़ का सबब होगी और जन्नत वालों के लिये ख़ुशी व प्रसन्नता में इज़ाफ़े का सबब। क्योंकि नेमत चाहे कितनी बड़ी हो उसके जाते रहने और ख़त्म होने का तसव्वुर लाज़िमी तौर पर परेशानी का सबब होता है और जन्नत वाले जब यह तसव्वुर करेंगे कि ये नेमतें हम से कभी नहीं छिनेंगी तो इससे उनकी ख़ुशियों में इज़ाफ़ा होगा।

अल्लाह का शुक्र है कि आज दिनाँक 6 रजब सन् 1392 हिजरी जुमेरात के दिन इशा की नमाज़ के वक़्त सूरः दुख़ान की तफ़सीर पूरी हुई।

अल्हम्दु लिल्लाह सूरः दुख़ान की हिन्दी तफ़सीर मुकम्मल हुई।

सूरः जासिया

सूरः जासिया मक्का में नाज़िल हुई। इसमें 37 आयतें और 4 रुकूअ़ हैं।

اٰيَاتُهَا ٣٧ (٤٥) سُوْرَةُ الْجَاثِيَةِ مَكِّيَّةٌ (٦٥) رُكُوْعَاتُهَا ٤

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝

حٰمٓ ۝ تَنْزِيْلُ الْكِتٰبِ مِنَ اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ ۝ اِنَّ فِى السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ لَاٰيٰتٍ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ۝
وَفِيْ خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُثُّ مِنْ دَآبَّةٍ اٰيٰتٌ لِّقَوْمٍ يُّوْقِنُوْنَ ۝ وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَ النَّهَارِ
وَمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ السَّمَآءِ مِنْ رِّزْقٍ فَاَحْيَا بِهِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيْفِ الرِّيٰحِ
اٰيٰتٌ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ ۝ تِلْكَ اٰيٰتُ اللّٰهِ نَتْلُوْهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ ۚ فَبِاَيِّ حَدِيْثٍۭ بَعْدَ اللّٰهِ وَ
اٰيٰتِهٖ يُؤْمِنُوْنَ ۝ وَيْلٌ لِّكُلِّ اَفَّاكٍ اَثِيْمٍ ۝ يَّسْمَعُ اٰيٰتِ اللّٰهِ تُتْلٰى عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِرًا
كَاَنْ لَّمْ يَسْمَعْهَا ۚ فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ ۝ وَاِذَا عَلِمَ مِنْ اٰيٰتِنَا شَيْئَا ۨ اتَّخَذَهَا هُزُوًا ۗ
اُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ ۝ مِنْ وَّرَآئِهِمْ جَهَنَّمُ ۚ وَلَا يُغْنِيْ عَنْهُمْ مَّا كَسَبُوْا شَيْئًا وَّلَا
مَا اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَوْلِيَآءَ ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ۝ هٰذَا هُدًى ۚ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِ
رَبِّهِمْ لَهُمْ عَذَابٌ مِّنْ رِّجْزٍ اَلِيْمٌ ۝

बिस्मिल्लाहिर्रह्मानिर्रहीम

शुरू अल्लाह के नाम से जो बेहद मेहरबान निहायत रहम वाला है।

हा-मीम् (1) तन्ज़ीलुल्-किताबि मिनल्लाहिल् अ़ज़ीज़िल्-हकीम (2) इन्-न फ़िस्समावाति वल्अर्ज़ि लआयातिल्-लिल्-मुअ्मिनीन (3) व फ़ी ख़ल्किकुम् व मा यबुस्सु मिन्	हा-मीम्। (1) उतारना किताब का है अल्लाह की तरफ़ से जो ज़बरदस्त है हिक्मतों वाला। (2) बेशक आसमानों में और ज़मीन में बहुत निशानियाँ हैं मानने वालों के वास्ते। (3) और तुम्हारे बनाने में और जिस क़द्र फैला रखे हैं जानवर

दाब्बतिन् आयातुल्-लिक़ौमिंय्-यूक़िनून (4) वख़्तिलाफ़िल्लैलि वन्नहारि व मा अन्ज़लल्लाहु मिनस्समा-इ मिर्रिज़्क़िन् फ़-अस्या बिहिल्-अर्-ज़ बअ्-द मौतिहा व तस्रीफ़िर्-रियाहि आयातुल् लिक़ौमिंय्-यअ्क़िलून (5) तिल्-क आयातुल्लाहि नत्लूहा अ़लै-क बिल्हक़्क़ि फ़बि-अय्यि हदीसिम्-बअ्दल्लाहि व आयातिही युअ्मिनून (6) वैलुल्-लिकुल्लि अफ़्फ़ाकिन् असीम (7) यस्मअु आयातिल्लाहि तुत्ला अ़लैहि सुम्-म युसिर्रु मुस्तक्बिरन् क-अल्लम् यस्मअ्हा फ़-बश्शिरहु बि-अ़ज़ाबिन् अलीम (8) व इज़ा अ़लि-म मिन् आयातिना शै-अनित्त-ख़-ज़हा हुज़ुवन्, उलाइ-क लहुम् अ़ज़ाबुम्-मुहीन (9) मिंव्वरा-इहिम् जहन्नमु व ला युग़्नी अ़न्हुम् मा क-सबू शैअंव्-व ला मत्त-ख़ज़ू मिन् दूनिल्लाहि औलिया-अ व लहुम् अ़ज़ाबुन् अ़ज़ीम (10) हाज़ा हुदन् वल्लज़ी-न क-फ़रू बिआयाति रब्बिहिम् लहुम अ़ज़ाबुम् मिर्रिज्ज़िन् अलीम (11) ❁

निशानियाँ हैं उन लोगों के वास्ते जो यक़ीन रखते हैं (4) और बदलने में रात दिन के और जो उतारी अल्लाह ने आसमान से रोज़ी फिर ज़िन्दा कर दिया उससे ज़मीन को उसके मर जाने के बाद, और बदलने में हवाओं के निशानियाँ हैं उन लोगों के वास्ते जो समझ से काम लेते हैं। (5) ये बातें हैं अल्लाह की हम सुनाते हैं तुझको ठीक-ठीक, फिर कौनसी बात को अल्लाह और उसकी बातों को छोड़कर मानेंगे। (6) ख़राबी हर झूठे गुनाहगार के लिये (7) कि सुनता है बातें अल्लाह की कि उसके पास पढ़ी जाती हैं, फिर ज़िद करता है ग़ुरूर से गोया सुना ही नहीं, सो ख़ुशख़बरी सुना दे उसको एक दर्दनाक अ़ज़ाब की। (8) और जब ख़बर पाये हमारी बातों में से किसी की, उसको ठहराये ठट्ठा (मज़ाक़), ऐसों को ज़िल्लत का अ़ज़ाब है। (9) उनके परे दोज़ख़ है, और काम न आयेगा उनके जो कमाया था ज़रा भी और न वे कि जिनको पकड़ा था अल्लाह के सिवा साथी, और उनके वास्ते बड़ा अ़ज़ाब है। (10) यह सुझा दिया, और जो मुन्किर हैं अपने रब की बातों से उनके लिये एक बला का दर्दनाक अ़ज़ाब है। (11) ❁

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

हा-मीम्। यह नाज़िल की हुई किताब है अल्लाह ग़ालिब, हिक्मत वाले की तरफ़ से। (और जब यह ऐसी किताब है तो इसके मज़ामीन को ख़ूब तवज्जोह से सुनना चाहिये। चुनाँचे इस जगह पर एक मज़मून तो तौहीद का है जिसका बयान यह है कि) आसमानों और ज़मीन में ईमान वालों के (दलील हासिल करने के) लिये (क़ुदरत और तौहीद की) बहुत-सी दलीलें हैं। और (इसी तरह) ख़ुद तुम्हारे और उन जानवरों के पैदा करने में जिनको ज़मीन में फैला रखा है, (साथ ही क़ुदरत व तौहीद की) दलीलें हैं उन लोगों के (समझने के) लिये जो यक़ीन रखते हैं। और (इसी तरह) एक के बाद एक रात और दिन के आने जाने में, और (इसी तरह) उस रिज़्क़ (के माद्दे) में जिसको अल्लाह तआ़ला ने आसमान से उतारा (मुराद बारिश है) फिर उस (बारिश) से ज़मीन को तरोताज़ा किया उसके सूख जाने के बाद। और (इसी तरह) हवाओं के बदलने में (दिशा और हालत व कैफ़ियत के एतिबार से कि कभी पुरवा है कभी पछवा, कभी गर्म है कभी ठंडी। ग़र्ज़ कि इन सब चीज़ों में क़ुदरत व तौहीद की) दलीलें हैं उन लोगों के लिये जो (सलामती वाली) अ़क्ल रखते हैं।

(इससे तौहीद "अल्लाह के एक और अकेला माबूद होने" पर दलील पकड़ने का तरीक़ा दूसरे पारे में सूरः ब-क़रह की आयत 164 में गुज़र चुका है। दूसरा मज़मून नुबुव्वत का है जिसका बयान यह है कि) ये अल्लाह तआ़ला की आयतें हैं जो सही-सही तौर पर हम आपको पढ़कर सुनाते हैं (जिससे नुबुव्वत साबित होती है, लेकिन इतनी बड़ी बेजोड़ और आ़जिज़ कर देने वाली दलील के बावजूद भी अगर ये लोग नहीं मानते) तो फिर अल्लाह और उसकी (ऐसी) आयतों के बाद और कौनसी बात (इससे बढ़कर होगी जिस) पर ये लोग ईमान लाएँगे। (तीसरा मज़मून आख़िरत का है जिसमें हक़ के उन मुख़ालिफ़ों को सज़ा भी होगी जिसका बयान यह है कि) बड़ी ख़राबी होगी हर ऐसे शख़्स के लिये जो (अ़क़ीदों से संबन्धित बातों में) झूठा हो (और आमाल में) नाफ़रमान हो। जो (इसके बावजूद कि) ख़ुदा की आयतों को सुनता (भी) है जबकि उसके सामने पढ़ी जाती हैं (और) फिर भी वह तकब्बुर करता हुआ (अपने कुफ़्र पर) इस तरह अड़ा रहता है जैसे उसने उन (आयतों) को सुना ही नहीं, सो ऐसे शख़्स को एक दर्दनाक अ़ज़ाब की ख़बर सुना दीजिये। (और उस शख़्स की शरारत का यह हाल है कि) जब वह हमारी आयतों में से किसी आयत की ख़बर पाता है तो उसकी हंसी उड़ाता है, ऐसे लोगों के लिये (आख़िरत में) ज़िल्लत का अ़ज़ाब (होने वाला) है। (मतलब यह है कि जिन आयतों को तिलावत में सुनता है उनको भी झुठलाता है और जिन आयतों की वैसे ही ख़बर सुन लेता है उनको भी झुठलाता है, ग़र्ज़ कि आयतों के झुठलाने में बहुत बढ़ा हुआ है। आगे उस अ़ज़ाब को मुतैयन करके बताया गया है, यानी) उनके आगे जहन्नम (आ रही) है और (उस वक़्त) न तो उनके वे चीज़ें ज़रा काम आएँगी जो (दुनिया में) कमा गये थे (इसमें आमाल और माल व जायदाद सब आ गये) और न वे (काम आयेंगे) जिनको अल्लाह के सिवा कारसाज़ (और माबूद) बना रखा था, और उनके लिये बड़ा अ़ज़ाब होगा। (और उस अ़ज़ाब की वजह यह है कि) यह क़ुरआन पूरा-का-पूरा हिदायत (और लाज़िमी तौर पर माननीय) है और (इसका तक़ाज़ा यही है कि) जो लोग अपने रब की (इन) आयतों को नहीं मानते उनके लिये सख़्ती वाला दर्दनाक अ़ज़ाब होगा।

मआरिफ़ व मसाईल

यह पूरी सूरत मक्की है, सिर्फ़ एक क़ौल यह है कि आयत नम्बर 14 मदनी है और बाक़ी मक्की, लेकिन अक्सर हज़रात के क़ौल के मुताबिक़ पूरी सूरत हिजरत से पहले ही नाज़िल हुई है। दूसरी मक्की सूरतों की तरह इसका बुनियादी मज़मून अ़क़ीदों ही की इस्लाह (सुधार) है, चुनाँचे इसमें तौहीद, रिसालत और आख़िरत के अ़क़ीदों ही को विभिन्न तरीक़ों से दलीलों से मज़बूत किया गया है, ख़ास तौर से आख़िरत को साबित करने वाली दलीलें, इनकार करने वालों के शुब्हों और दहरियों (अधर्मी लोगों) की तरदीद इसमें ज़्यादा तफ़सील से आई है।

اِنَّ فِی السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ لَاٰیٰتٍ لِّلْمُؤْمِنِیْنَ٥

इन आयतों से तौहीद (अल्लाह के एक होने) को साबित करना मक़सद है। इससे मिलती-जुलती आयतें दूसरे पारे के अन्दर (सूरः ब-क़रह के रुकूअ़ 4 में) गुज़र चुकी हैं, वहीं उनकी विस्तृत तफ़सीर बयान हुई है, और यह भी कि इन चीज़ों से तौहीद (अल्लाह का एक होना) क्योंकर साबित होती है, दोनों मक़ामात में उनवान का जो थोड़ा-थोड़ा फ़र्क़ है इससे मुताल्लिक़ नुक्तों की बातें उलेमा हज़रात इमाम राज़ी रह. की तफ़सीरे कबीर में देख सकते हैं। अलबत्ता एक बात क़ाबिले ज़िक्र है कि यहाँ कायनात की विभिन्न निशानियाँ बयान फ़रमाकर एक जगह यह फ़रमाया गया है कि इसमें ''ईमान लाने वालों के लिये'' निशानियाँ हैं, दूसरी जगह इरशाद है कि ''यक़ीन करने वालों के लिये'' निशानियाँ हैं और तीसरी जगह इरशाद है कि ''अ़क़्ल रखने वालों के लिये'' निशानियाँ हैं। इसमें बयान के अलग-अगल अन्दाज़ और विविधता के अ़लावा इस तरफ़ भी इशारा है कि इन निशानियों से पूरा फ़ायदा तो वही उठा सकते हैं जो ईमान ले आयें। दूसरे नम्बर पर यह उन लोगों के लिये मुफ़ीद हो सकती हैं जो चाहे फ़ौरन ईमान न लायें लेकिन उनके दिल में यक़ीन पैदा हो जाये कि ये चीज़ें तौहीद पर दलालत कर रही हैं, क्योंकि यह यक़ीन किसी न किसी दिन ईमान का सबब बन सकता है, और तीसरे दर्जे में उन लोगों के लिये मुफ़ीद हैं जो चाहे फ़िलहाल न मोमिन हों न यक़ीन रखने वाले, लेकिन सही और सलामती वाली अ़क़्ल रखते हों और इनमें सूझ-बूझ के साथ ग़ौर करें। क्योंकि अ़क़्ल व समझ के साथ जब भी इन निशानियों पर ग़ौर किया जायेगा, आख़िरकार उससे ईमान व यक़ीन ज़रूर पैदा होकर रहेगा। हाँ जो लोग सही अ़क़्ल न रखते हों या इन मामलों में अ़क़्ल को तकलीफ़ देना ही गवारा न करें उनके सामने हज़ार दलीलें पेश कर लीजिये सब नाकाफ़ी रहेंगी।

وَیْلٌ لِّکُلِّ اَفَّاکٍ اَثِیْمٍ٥

(बड़ी ख़राबी होगी उस शख़्स के लिये जो झूठा और नाफ़रमान हो।)

इस आयत के शाने नुज़ूल (नाज़िल होने के सबब और मौक़े) में अनेक रिवायतें हैं। कुछ से मालूम होता है कि यह नज़र बिन हारिस के बारे में नाज़िल हुई, कुछ में है कि हारिस बिन कल्दा के बारे में, और कुछ का कहना है कि इससे मुराद अबू जहल और उसके साथी हैं। (तफ़सीरे क़ुर्तुबी) और हक़ीक़त यह है कि क़ुरआनी मफ़्हूम की वज़ाहत के लिये किसी एक शख़्स को मुतैयन करने की ज़रूरत नहीं ''कुल'' का लफ़्ज़ बता रहा है कि चाहे आयत के नाज़िल होने के पसे मन्ज़र में ये तीनों

अफ़राद हों लेकिन मुराद हर वह शख़्स है जो उन जैसी सिफ़ात को अपने अन्दर रखता हो।

مِنْ وَّرَآئِهِمْ جَهَنَّمُ

"वरा-उ" का लफ़्ज़ अरबी में "पीछे" के लिये ज़्यादा और "सामने" के लिये कम इस्तेमाल होता है, लेकिन अक्सर मुफ़स्सिरीन ने यहाँ "सामने" के मायने क़रार दिये हैं। चुनाँचे ख़ुलासा-ए-तफ़सीर में तर्जुमा इसी के मुताबिक़ किया गया है, अलबत्ता कुछ मुफ़स्सिरीन ने "पीछे" के मायने लिये हैं और मतलब यह क़रार दिया है कि दुनिया में वे जिस घमंड व इतराहट और तकब्बुर के साथ ज़िन्दगी गुज़ार रहे हैं इसके पीछे यानी बाद में, जहन्नम आने वाली है। (तफ़सीरे क़ुर्तुबी)

اَللّٰهُ الَّذِىْ سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لِتَجْرِىَ الْفُلْكُ فِيْهِ بِاَمْرِهٖ وَلِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهٖ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ۚ وَسَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا مِّنْهُ ۚ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ۞ قُلْ لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يَغْفِرُوْا لِلَّذِيْنَ لَا يَرْجُوْنَ اَيَّامَ اللّٰهِ لِيَجْزِىَ قَوْمًا بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ۞ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهٖ ۚ وَمَنْ اَسَآءَ فَعَلَيْهَا ۚ ثُمَّ اِلٰى رَبِّكُمْ تُرْجَعُوْنَ ۞

अल्लाहुल्लज़ी सख़्ख़-र लकुमुल्-बह्-र लितज्रियल्-फ़ुल्कु फ़ीहि बिअम्रिही व लि-तब्तग़ू मिन् फ़ज़्लिही व लअ़ल्लकुम् तश्कुरून (12) व सख़्ख़-र लकुम् मा फ़िस्समावाति व मा फ़िल्अर्ज़ि जमीअ़म्-मिन्हु, इन्-न फ़ी ज़ालि-क ल-आयातिल् लिक़ौमिंय्-य-तफ़क्करून (13) क़ुल् लिल्लज़ी-न आमनू यग़्फ़िरू लिल्लज़ी-न ला यर्जू-न अय्यामल्लाहि लि-यज्ज़ि-य क़ौमम्-बिमा कानू यक्सिबून (14) मन् अ़मि-ल सालिहन् फ़लिनफ़्सिही व मन् असा-अ फ़-अ़लैहा सुम्-म इला रब्बिकुम् तुर्जअ़ून (15)	अल्लाह वह है जिसने तुम्हारे बस में कर दिया दरिया को कि चलें उसमें जहाज़ उसके हुक्म से और ताकि तलाश करो उसके फ़ज़्ल से और ताकि तुम हक़ मानो। (12) और काम में लगा दिया तुम्हारे जो कुछ है आसमानों में और ज़मीन में सब को अपनी तरफ़ से, इसमें निशानियाँ हैं उन लोगों के वास्ते जो ध्यान करते हैं। (13) कह दे ईमान वालों को, दरगुज़र करें उनसे जो उम्मीद नहीं रखते अल्लाह के दिनों की ताकि वह सज़ा दे एक क़ौम को बदला उसका जो कमाते थे। (14) जिसने भला काम किया तो अपने वास्ते और जिसने बुरा किया सो अपने हक़ में, फिर अपने रब की तरफ़ फेरे जाओगे। (15)

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

अल्लाह ही है जिसने तुम्हारे (फ़ायदे के) लिये दरिया को (क़ुदरत के) ताबे बनाया ताकि उसके हुक्म से उसमें कश्तियाँ चलें और ताकि (उन कश्तियों में सफ़र करके) तुम उसकी रोज़ी तलाश करो, और ताकि (वह रोज़ी हासिल करके) तुम शुक्र करो। और (इसी तरह) जितनी चीज़ें आसमानों में हैं और जितनी चीज़ें ज़मीन में हैं उन सब को अपनी तरफ़ से (यानी अपने हुक्म और फ़ज़्ल से क़ुदरत के) ताबे बनाया (ताकि तुम्हारे फ़ायदों का सबब हो), बेशक इन बातों में उन लोगों के लिये (क़ुदरत की) दलीलें हैं जो ग़ौर करते रहते हैं। (और काफ़िरों की शरारतों पर कई बार मुसलमानों को गुस्सा आ जाया करता था, आगे उनको दरगुज़र करने का हुक्म है) आप ईमान वालों से फ़रमा दीजिये कि उन लोगों से दरगुज़र करें जो ख़ुदा के मामलात (यानी आख़िरत की जज़ा व सज़ा) का यक़ीन नहीं रखते, ताकि अल्लाह तआ़ला एक क़ौम को (यानी मुसलमानों को) उनके (इस नेक) अ़मल का (अच्छा) सिला दे। (क्योंकि वहाँ का क़ायदा कुल्लिया है कि) जो शख़्स नेक काम करता है सो अपने ज़ाती फ़ायदे (व सवाब) के लिये (करता है) और जो शख़्स बुरा काम करता है उसका वबाल उसी पर पड़ता है, फिर (सब नेक और बद काम करने के बाद) तुमको अपने परवर्दिगार के पास लौटकर जाना है (पस वहाँ तुमको तुम्हारे अच्छे आमाल व अख़्लाक़ का बेहतरीन सिला और तुम्हारे मुख़ालिफ़ों को उनके कुफ़्र व नाफ़रमानी पर बदतरीन सज़ा दी जायेगी। लिहाज़ा तुमको यहाँ दरगुज़र 'माफ़ करना' ही मुनासिब है)।

मआ़रिफ़ व मसाईल

اَللّٰهُ الَّذِىْ سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لِتَجْرِىَ الْفُلْكُ فِيْهِ بِاَمْرِهٖ وَلِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهٖ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ٥

क़ुरआने करीम में फ़ज़्ल तलाश करने से मुराद उमूमन रोज़ी कमाने की जिद्दोजहद होती है। यहाँ इसका मतलब यह भी हो सकता है कि तुम्हें समन्दर में कश्ती चलाने पर इसलिये क़ुदरत दी गयी ताकि उसके ज़रिये तुम तिजारत कर सको। और यह भी मुम्किन है कि फ़ज़्ल तलाश करने का कश्ती चलाने से कोई ताल्लुक़ न हो बल्कि यह समन्दर को ताबे करने की एक मुस्तक़िल क़िस्म हो, और मतलब यह हो कि समन्दर में हमने बहुत सी फ़ायदा देने वाली चीज़ें पैदा करके समन्दर को तुम्हारे लिये ताबे कर दिया है, ताकि तुम उन्हें तलाश करके फ़ायदा उठाओ। चुनाँचे आधुनिक विज्ञान के हिसाब से यह मालूम है कि समन्दर में खनिज पदार्थों के इस क़द्र ज़ख़ीरे और ज़मीन की पोशीदा दौलतें हैं इतनी ख़ुश्की (पानी से बाहर की दुनिया) में भी नहीं हैं।

قُلْ لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يَغْفِرُوْا لِلَّذِيْنَ لَا يَرْجُوْنَ اَيَّامَ اللّٰهِ.

(आप ईमान वालों से फ़रमा दीजिये कि उन लोगों से दरगुज़र करें जो ख़ुदा तआ़ला के मामलात का यक़ीन नहीं रखते।)

इस आयत के शाने नुज़ूल (उतरने के मौक़े और सबब) में दो रिवायतें हैं- एक यह कि मक्का मुकर्रमा में किसी मुश्रिक ने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अ़न्हु से गाली-गलौज की थी। हज़रत उमर

रज़ियल्लाहु अन्हु ने उसके बदले में उसे कुछ तकलीफ़ पहुँचाने का इरादा फ़रमाया, इस पर यह आयत नाज़िल हुई। इस रिवायत के मुताबिक़ यह आयत मक्की है। दूसरी रिवायत यह है कि ग़ज़वा-ए-बनू मुस्तलिक़ के मौक़े पर नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम और आपके सहाबा ने मुरैसीअ़ नाम के एक कुएँ के क़रीब पड़ाव डाला, मुनाफ़िक़ों का सरदार अ़ब्दुल्लाह बिन उबई भी मुसलमानों के लश्कर में शामिल था, उसने अपने गुलाम को कुएँ से पानी भरने के लिये भेजा, उसे वापसी में देर हो गयी, अ़ब्दुल्लाह बिन उबई ने वजह पूछी तो उसने कहा कि उमर (रज़ियल्लाहु अ़न्हु) का एक गुलाम कुएँ के एक किनारे पर बैठा हुआ था, उसने किसी को उस वक़्त तक पानी भरने की इजाज़त नहीं दी जब तक कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम और हज़रत अबू बक्र के मशकीज़े नहीं भर गये। इस पर अ़ब्दुल्लाह बिन उबई ने कहा कि "हम पर और उन लोगों पर तो वही मिसाल फ़िट बैठती है:

سمّن كلبك يأكلك.

(अपने कुत्ते को मोटा करो तो वह तुमको खा जायेगा।)

हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अ़न्हु को इसकी इत्तिला हुई तो वह तलवार संभालकर अ़ब्दुल्लाह बिन उबई की तरफ़ चले, इस पर यह आयत नाज़िल हुई। इस रिवायत के मुताबिक़ यह आयत मदनी है। (तफ़सीरे क़ुर्तुबी व रूहुल-मआ़नी) इन रिवायतों की सनदी तहक़ीक़ से अगर दोनों का सही होना साबित हो तो दोनों में मुवाफ़क़त इस तरह हो सकती है कि असल में यह आयत मक्का मुकर्रमा में नाज़िल हो चुकी थी, फिर जब ग़ज़वा-ए-बनू मुस्तलिक़ के मौक़े पर उसी से मिलता-जुलता वाक़िआ पेश आया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने इस आयत को उस मौक़े पर भी तिलावत फ़रमाकर वाक़िए को इस पर भी मुन्तबिक़ फ़रमाया, और शाने नुज़ूल की रिवायतों में ऐसा बहुत बार हुआ है। या फिर यह भी मुम्किन है कि हज़रत जिब्रील अ़लैहिस्सलाम याददेहानी के लिये ग़ज़वा-ए-बनू मुस्तलिक़ के वाक़िए में दोबारा यह आयत ले आये हों कि यह मौक़ा इस आयत पर अ़मल करने का है। उसूले तफ़सीर की इस्तिलाह में इसे "नुज़ूले मुकर्रर" (दोबारा उतरना) कहा जाता है, और आयत में "अय्यामल्लाहि" के लफ़्ज़ से मुराद अधिकतर मुफ़स्सिरीन के नज़दीक अल्लाह तआ़ला के वो मामलात हैं जो वह आख़िरत में इनसानों के साथ करेगा यानी जज़ा व सज़ा। क्योंकि "अय्याम" का लफ़्ज़ "वाक़िआत व मामलात" के मायने में अ़रबी में ख़ूब ज़्यादा इस्तेमाल होता है।

यहाँ दूसरी बात यह ध्यान देने और ग़ौर करने की है कि बात यूँ भी कही जा सकती थी "आप ईमान वालों से फ़रमा दीजिये कि वे मुश्रिक लोगों से दरगुज़र करें।" इसके बजाय कहा यूँ गया है कि "उन लोगों से दरगुज़र करें जो ख़ुदा तआ़ला के मामलात का यक़ीन नहीं रखते।" इससे शायद इस बात की तरफ़ इशारा हो कि उन लोगों को असल सज़ा आख़िरत में दी जायेगी और चूँकि ये लोग आख़िरत का यक़ीन नहीं रखते इसलिये यह सज़ा उनके लिये ग़ैर-अपेक्षित और अचानक होगी, और ग़ैर-अपेक्षित और अचानक की तकलीफ़ बहुत ज़्यादा होती है इसलिये उनको पहुँचने वाला अ़ज़ाब बहुत सख़्त होगा और उसके ज़रिये उनकी तमाम बद-आमलियों का पूरा-पूरा बदला ले लिया जायेगा, दुनिया में आप इन छोटी-छोटी बातों पर उनकी गिरफ़्त की फ़िक्र न कीजिए।

कुछ हज़रात ने फ़रमाया है कि इस आयत का हुक्म जिहाद के अहकाम नाज़िल होने के बाद

मन्सूख़ (ख़त्म और निरस्त) हो गया। लेकिन ज़्यादातर गहन अध्ययन वाले मुफ़स्सिरीन का कहना है कि आयत का जिहाद के हुक्म से कोई ताल्लुक़ नहीं, यह तो आ़म रहन-सहन और सामाजिक ज़िन्दगी में छोटी-छोटी बातों का बदला न लेने की तालीम है जो हर ज़माने के लिये आ़म है और आज भी इसका हुक्म बाक़ी है। लिहाज़ा इसे मन्सूख़ (निरस्त) क़रार देना दुरुस्त नहीं, ख़ुसूसन अगर इसका शाने नुज़ूल ग़ज़्वा-ए-बनू मुस्तलिक़ का वाक़िआ़ हो तो जिहाद की आयतें इसके लिये नासिख़ (हुक्म को निरस्त रकने वाली) नहीं बन सकतीं, क्योंकि जिहाद की आयतें इससे पहले नाज़िल हो चुकी थीं।

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ

الْكِتٰبَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنٰهُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ وَفَضَّلْنٰهُمْ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ ۝ وَاٰتَيْنٰهُمْ بَيِّنٰتٍ مِّنَ الْاَمْرِ ۚ فَمَا اخْتَلَفُوْٓا اِلَّا مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ الْعِلْمُ ۙ بَغْيًاۢ بَيْنَهُمْ ۗ اِنَّ رَبَّكَ يَقْضِيْ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فِيْمَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ۝ ثُمَّ جَعَلْنٰكَ عَلٰى شَرِيْعَةٍ مِّنَ الْاَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَآءَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ ۝ اِنَّهُمْ لَنْ يُّغْنُوْا عَنْكَ مِنَ اللّٰهِ شَيْـًٔا ۗ وَاِنَّ الظّٰلِمِيْنَ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ۚ وَاللّٰهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِيْنَ ۝ هٰذَا بَصَآئِرُ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَّرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُّوْقِنُوْنَ ۝

व ल-क़द् आतैना बनी इस्राईलल्-किता-ब वल्-हुक्-म वन्नुबुव्व-त व रज़क़्नाहुम् मिनत्तय्यिबाति व फ़ज़्ज़ल्नाहुम् अ़लल्-आ़लमीन (16) व आतैनाहुम् बय्यिनातिम् मिनल्-अम्रि फ़-मख़्त-लफ़ू इल्ला मिम्बअ़्दि मा जा-अहुमुल्-अ़िल्मु बग़्यम्-बैनहुम्, इन्-न रब्ब-क यक़्ज़ी बैनहुम् यौमल्-क़ियामति फ़ीमा कानू फ़ीहि यख़्तलिफ़ून (17) सुम्-म जअ़ल्ना-क अ़ला शरी-अ़तिम्-मिनल्-अम्रि फ़त्तबिअ़्हा व ला तत्तबिअ़्	और हमने दी बनी इस्राईल को किताब और हुकूमत और पैग़म्बरी और खाने को दीं सुथरी चीज़ें और बड़ाई दी उनको जहान पर। (16) और दीं उनको खुली बातें दीन की, फिर उन्होंने फूट जो डाली तो समझ आ चुकने के बाद आपस की ज़िद से, बेशक तेरा रब फ़ैसला करेगा उनमें क़ियामत के दिन जिस बात में वे झगड़ते थे। (17) फिर तुझको रखा हमने एक रास्ते पर दीन के काम के सो तू उसी पर चल और मत चल इच्छाओं पर

अस्वाअल्लज़ी-न ला यअ्लमून (18) इन्नहुम् लंय्युग़्नू अ़न्-क मिनल्लाहि शैअन्, व इन्नज़्ज़ालिमी-न बअ्ज़ुहुम् औलिया-उ बअ्ज़िन् वल्लाहु वलिय्युल्-मुत्तक़ीन (19) हाज़ा बसा-इरु लिन्नासि व हुदंव्-व रह्मतुल्-लिक़ौमिंय्-यूक़िनून (20)	नादानों की। (18) वे हरगिज़ तेरे काम न आयेंगे अल्लाह के सामने ज़रा भी, और बेइन्साफ़ एक दूसरे के साथी हैं और अल्लाह साथी है डरने वालों का। (19) ये सूझ की बातें हैं लोगों के वास्ते और राह की, और रहमत है उन लोगों के लिये जो यक़ीन लाते हैं। (20)

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

और (नुबुव्वत कोई अनोखी चीज़ नहीं जो इसका इनकार किया जाये, चुनाँचे इससे पहले) हमने बनी इस्राईल को (आसमानी) किताब और हिक्मत (यानी अहकाम का इल्म) और नुबुव्वत दी थी, (यानी उनमें नबी पैदा किये थे) और हमने उनको अच्छी-अच्छी चीज़ें खाने को दी थीं (इस तरह कि तीह के मैदान में **मन्न व सलवा** नाज़िल किया और उनको मुल्क शाम का मालिक बनाया जो ज़मीनी बरकतों की खान है) और हमने (कुछ चीज़ों में) उनको दुनिया जहान वालों पर बरतरी दी (जैसे समन्दर का फाड़ देना और बादल का साया करना वग़ैरह), और हमने उनको दीन के बारे में खुली-खुली दलीलें दीं (यानी उनको बड़े स्पष्ट और खुले मोजिज़े दिखलाये। ग़र्ज़ कि ज़ाहिरी, बातिनी और इल्मी हर तरह की नेमतें दीं) सो (चाहिये तो यह था कि ख़ूब इताअ़त करते मगर) उन्होंने इल्म ही के आने के बाद आपस में झगड़ा किया, आपस की ज़िद्दा-ज़िद्दी की वजह से (जिसका बयान दूसरे पारे के दसवें रुकूअ़ के शुरू में हो चुका है। मतलब यह है कि जो इल्म झगड़े ख़त्म करने का सबब होना चाहिये था उन्होंने नफ़्सा-नफ़्सी की वजह से उल्टा उसे झगड़े का ज़रिया बना लिया, सो) आपका रब उनके बीच क़ियामत के दिन उन मामलों में (अ़मली) फ़ैसला करेगा जिनमें ये आपस में झगड़ा किया करते थे।

फिर (बनी इस्राईल में नुबुव्वत का दौर ख़त्म होने के बाद) हमने आपको (नुबुव्वत दी और आपको) दीन के एक ख़ास तरीक़े पर कर दिया, सो आप उसी तरीक़े पर चलते रहिये (यानी अ़मल में भी और तब्लीग़ में भी) और इन जाहिलों की इच्छाओं पर न चलिये (यानी इनकी इच्छा तो यह है कि आप तब्लीग़ करना छोड़ दें और इसी लिये ये तरह-तरह से परेशान करते हैं ताकि आप तंग होकर तब्लीग़ छोड़ दें, सो अगरचे आप से यह गुमान व शुब्हा भी नहीं मगर तब्लीग़ी काम के एहतिमाम के लिये आपको फिर इसका हुक्म होता है। आगे इसी अन्दाज़ पर इस हुक्म की वजह और सबब बयान फ़रमाते हैं कि) ये लोग ख़ुदा के मुक़ाबले में आपके ज़रा भी काम नहीं आ सकते (पस इनकी बात मानना न होने पाये) और ज़ालिम लोग एक-दूसरे के दोस्त होते हैं (और एक-दूसरे का कहना मानते हैं) और अल्लाह तआ़ला परहेज़गार लोगों का दोस्त है (और नेक लोग उसका कहना माना करते हैं।

सो जब आप ज़ालिम नहीं हैं बल्कि मुत्तक़ी और परहेज़गार लोगों के सरदार हैं तो आपको उनकी बात मानने और पैरवी से क्या ताल्लुक़? अलबत्ता अल्लाह के अहकाम की पैरवी से ख़ास ताल्लुक़ है। ग़र्ज़ कि आप नुबुव्वत और सच्ची शरीअ़त वाले हैं और) यह क़ुरआन (जो आपको मिला है यह) आ़म लोगों के लिये समझ-बूझ की बातों का सबब और हिदायत का ज़रिया है, और यक़ीन (यानी ईमान) लाने वालों के लिये बड़ी रहमत (का सबब) है।

मआ़रिफ़ व मसाईल

इन आयतों का विषय नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की रिसालत को साबित करना है और उसके तहत में काफ़िरों के तकलीफ़ें पहुँचाने पर आपकी तसल्ली भी फ़रमाई गयी है।

शुरू की दो आयतों के मज़मून से दो बातें समझ में आती हैं- एक तो बनी इस्राईल को किताब व नुबुव्वत देने से आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की नुबुव्वत की ताईद, दूसरे आपकी तसल्ली कि बनी इस्राईल को झगड़े की जो वजह पेश आई थीं वही आपकी क़ौम को आपके साथ झगड़ा करने में पेश आई हैं यानी दुनिया की मुहब्बत और जलन व नफ़्सानियत, यह नहीं कि आपकी दलीलों में कुछ कमी हो, पस आप ग़म न करें। (तफ़सीर बयानुल-क़ुरआन)

पिछली उम्मतों की शरीअ़तों का हुक्म हमारे लिये

ثُمَّ جَعَلْنٰكَ عَلٰى شَرِيْعَةٍ مِّنَ الْاَمْرِ.

(फिर हमने आपको दीन के एक ख़ास तरीक़े पर कर दिया।) यहाँ यह बात ज़ेहन में रहनी चाहिये कि दीने इस्लाम के कुछ तो उसूली अ़क़ीदे हैं जैसे तौहीद व आख़िरत वग़ैरह और कुछ अ़मली ज़िन्दगी से मुताल्लिक़ अहकाम हैं, जहाँ तक उसूली अ़क़ीदों का ताल्लुक़ है वो तो हर नबी की उम्मत में एक जैसे रहे हैं और उनमें कभी तरमीम और तब्दीली नहीं हुई, लेकिन अ़मली अहकाम मुख़्तलिफ़ नबियों की शरीअ़तों में अपने-अपने ज़माने के लिहाज़ से बदलते रहे हैं, उपर्युक्त आयत में उन्हीं दूसरी क़िस्म के अहकाम को "दीन के एक ख़ास तरीक़े" से ताबीर फ़रमाया गया है, और इसी वजह से फ़ुक़हा ने इस आयत से यह नतीजा निकाला है कि उम्मते मुहम्मदिया के लिये सिर्फ़ शरीअ़ते मुहम्मदी ही के अहकाम वाजिबुल-अ़मल हैं, पिछली उम्मतों को जो अहकाम दिये गये थे वो हमारे लिये उस वक़्त तक वाजिबुल-अ़मल नहीं हैं जब तक क़ुरआन व सुन्नत से उनकी ताईद न हो जाये।

फिर ताईद की एक शक्ल तो यह है कि क़ुरआन या हदीस में स्पष्ट रूप से यह फ़रमाया गया हो कि फ़ुलाँ नबी की उम्मत का यह हुक्म हमारे लिये भी वाजिबुल-अ़मल (अ़मल करने के लिये अनिवार्य) है, और दूसरी सूरत यह है कि क़ुरआने करीम या नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम किसी पिछली उम्मत का कोई हुक्म अच्छाई और तारीफ़ के तौर पर बयान फ़रमायें और उसके बारे में यह न फ़रमायें कि यह हुक्म हमारे ज़माने में मन्सूख़ (ख़त्म और निरस्त) हो गया है। इससे भी यह मालूम हो जाता है कि यह हुक्म हमारी शरीअ़त में भी जारी है और हक़ीक़त में उस हुक्म का वाजिबुल-अ़मल होना भी उस सूरत में शरीअ़ते मुहम्मदिया का एक हिस्सा होने की हैसियत ही से होता है। यहाँ मसले की हक़ीक़त समझने के लिये इतनी बात काफ़ी है। तफ़सीलात उसूले फ़िक़्ह की

किताबों में बयान हुई हैं।

أَمْ حَسِبَ الَّذِيْنَ اجْتَرَحُوا السَّيِّاٰتِ أَنْ نَّجْعَلَهُمْ كَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ سَوَآءً مَّحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَآءَ مَا يَحْكُمُوْنَ ۞ وَخَلَقَ اللّٰهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزٰى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ۞

अम् हसिबल्लज़ीनज्त-रहुस्सय्यिआति अन् नज्अ़-लहुम् कल्लज़ी-न आमनू व अ़मिलुस्सालिहाति, सवाअम्-मह्याहुम् व ममातुहुम्, सा-अ मा यह्कुमून (21) ✿	क्या ख़्याल रखते हैं जिन्होंने कमाई हैं बुराईयाँ कि हम कर देंगे उनको बराबर उन लोगों के जो कि यक़ीन लाये और किये भले काम, एक सा है उनका जीना और मरना? बुरे दावे हैं जो करते हैं। (21) ✿
व ख़-लक़ल्लाहुस्-समावाति वल्-अर्-ज़ बिल्हक़्क़ि व लितुज्ज़ा कुल्लु नफ़्सिम्-बिमा क-सबत् व हुम् ला युज़्लमून (22)	और बनाये अल्लाह ने आसमान और ज़मीन जैसे चाहियें और ताकि बदला पाये हर कोई अपनी कमाई का, और उन पर ज़ुल्म न होगा। (22)

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

ये (क़ियामत का इनकार करने वाले) लोग जो बुरे-बुरे काम (कुफ़्र व शिर्क और ज़ुल्म व नाफ़रमानी) करते (रहते) हैं, क्या यह ख़्याल करते हैं कि हम इनको उन लोगों के बराबर रखेंगे जिन्होंने ईमान और नेक अ़मल इख़्तियार किया कि उन सब का जीना-मरना बराबर हो जाये (यानी मोमिनों का मरना-जीना इस मायने में बराबर हो जाये कि जिस तरह ज़िन्दगी में लज़्ज़तों से फ़ायदा न उठाया "यानी दुनिया में उसकी लज़्ज़तों से मेहरूम रहे" इसी तरह मौत के बाद भी मेहरूम रहें। और इसी तरह काफ़िरों का मरना-जीना भी इस मायने में बराबर हो जाये कि जैसे इस ज़िन्दगी में अ़ज़ाब और तकलीफ़ों से बचे रहे इसी तरह मरने के बाद भी अ़ज़ाब से सुरक्षित और महफ़ूज़ रहें। मतलब यह कि आख़िरत के इनकार से यह लाज़िम आता है कि नेक बन्दों को कहीं उनकी नेकी और फ़रमाँबरदारी का फल न मिले और मुख़ालिफ़ों पर कभी मुख़ालफ़त का वबाल न पड़े) ये बुरा हुक्म लगाते हैं। और अल्लाह तआ़ला ने आसमानों और ज़मीन को हिक्मत के साथ पैदा किया (एक हिक्मत तो यह है कि इन अ़ज़ीमुश्शान मख़्लूक़ात के बनाने और पैदा किये जाने पर उसकी क़ुदरत देखकर से हर अ़क़्ल व होश रखने वाला यह समझ लेगा कि जो पहली मर्तबा इन चीज़ों को पैदा कर सकता है वह इनको फ़ना करके दोबारा भी इसी तरह मौजूद कर सकता है, जिससे क़ियामत व

आख़िरत का वजूद साबित होता है) और (दूसरी हिक्मत यह है कि) ताकि हर शख़्स को उसके किये का बदला दिया जाये (और यह सब जानते हैं कि दुनिया में पूरा बदला है नहीं, इसलिये आख़िरत का होना ज़रूरी हो गया) और (इस बदले में) उन पर ज़रा भी ज़ुल्म न किया जायेगा।

मआरिफ़ व मसाईल

आख़िरत का जहान और उसमें जज़ा व सज़ा अ़क़्लन ज़रूरी है

ऊपर ज़िक्र हुई दो आयतों में से पहली आयत का हासिल क़ियामत और बदले के दिन के ज़रूरी होने पर एक अ़क़्ली दलील पेश करना है, वह यह कि यह बात तो हर शख़्स देख रहा है किसी को इससे इनकार की गुंजाईश नहीं कि दुनिया में अच्छे-बुरे आमाल का बदला पूरा नहीं मिलता, बल्कि आ़म तौर से काफ़िर, बदकार, बुरे लोग दुनिया की दौलत और ऐश व आराम में ज़िन्दगी गुज़ारते हैं और अल्लाह के नेक व फ़रमाँबरदार बन्दे तंगदस्ती, ग़ुर्बत और मुसीबतों व आफ़तों में मुब्तला रहते हैं। अव्वल तो दुनिया में बुरे काम करने वालों और मुजरिमों के जुर्म का इल्म ही अक्सर नहीं होता, इल्म भी हो गया तो अक्सर पकड़े नहीं जाते, कभी पकड़े भी गये तो हलाल हराम झूठ सच की परवाह किये बग़ैर सज़ा से बचने के रास्ते ढूँढ लेते हैं, और सैकड़ों में से किसी एक को सज़ा हो भी गयी तो वह भी उसके जुर्म और अ़मल की पूरी सज़ा नहीं होती। इस तरह ख़ुदा तआ़ला के बाग़ी और अपनी इच्छाओं की पैरवी करने वाले इस दुनिया की ज़िन्दगी में दनदनाते फिरते रहते हैं और बेचारे मोमिन, शरीअ़त के पाबन्द बहुत सी दौलत और लज़्ज़तों को तो हराम समझकर छोड़ देते हैं और मुसीबतों व आफ़तों से बचने के लिये भी सिर्फ़ जायज़ तरीक़े इख़्तियार करते हैं, इसलिये दुनिया में उनका बड़ी राहतों और लज़्ज़तों से मेहरूम रहना ज़ाहिर है।

और जब यह मालूम हो गया कि इस दुनिया में आमाल की पूरी जज़ा नहीं मिलती तो अब अगर इस दुनिया के बाद दूसरा आख़िरत का आ़लम और उसमें दोबारा ज़िन्दगी और जज़ा व सज़ा का निफ़ाज़ (जारी और लागू करना) न हो तो फिर दुनिया में किसी चोरी, डाके, ज़िना, क़त्ल वग़ैरह को जुर्म कहना बेवक़ूफ़ी के सिवा क्या है। ये लोग तो दुनिया में अक्सर बड़ी कामयाब ज़िन्दगी गुज़ारते हैं। एक चोर डाकू रात भर में इतनी दौलत हासिल कर लेता है जो एक ग्रेजुएट सालों की नौकरी और मेहनत से हासिल नहीं कर सकता, तो अगर आख़िरत और उसका हिसाब किताब कुछ न हो तो उस चोर डाकू को उस शरीफ़ ग्रेजुएट से बेहतर और अफ़ज़ल कहना पड़ेगा, जो कोई अ़क़्ल वाला गवारा नहीं कर सकता। रहा यह कहना कि उन लोगों पर दुनिया में सख़्त सज़ायें हर हुकूमत में मुक़र्रर हैं मगर आजकल का तजुर्बा यह बतला रहा है कि मुजरिम सिर्फ़ वह पकड़ा जाता है जो बेवक़ूफ़ हो, होशियार आ़दी मुजरिम के लिये सज़ा से बचने के रास्ते खुले हुए हैं। एक रिश्वत ही का चोर दरवाज़ा उनके फ़रार के लिये काफ़ी है।

ख़ुलासा यह है कि या तो यह तस्लीम किया जाये कि दुनिया में कोई भलाई बुराई, नेकी बदी कोई चीज़ नहीं, अपना मतलब जिस तरह हासिल हो वह पूरी तरह सही है, मगर इसका दुनिया में कोई क़ायल नहीं। और जब नेकी बदी का फ़र्क़ तस्लीम किया जाये तो फिर दोनों का अन्जाम बराबर

रहे बल्कि बद और मुजरिम नेक से ज़्यादा आराम में रहे, इसके बराबर कोई ज़ुल्म नहीं हो सकता। इसी को क़ुरआने करीम की उक्त आयत में फ़रमाया कि क्या तुम यह चाहते हो कि मुजरिम और ग़ैर-मुजरिम दोनों को दुनिया व आख़िरत में बराबर कर दिया जायेः

سَوَآءً مَّحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ.

यह बहुत ही अहमक़ाना फ़ैसला है। जबकि दुनिया में नेकी बदी की जज़ा सज़ा पूरी नहीं मिलती तो आख़िरत की दूसरी ज़िन्दगी और उसमें जज़ा सज़ा होना लाज़िमी है। दूसरी आयत में भी इसी मज़मून को मुकम्मल करने के लिये फ़रमाया गयाः

وَلِتُجْزٰى كُلُّ نَفْسٍۭ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ○

यानी ज़ुल्म व ज़्यादती के मिटाने और इन्साफ़ क़ायम करने के लिये बदले के दिन का होना ज़रूरी है। रहा यह शुब्हा कि दुनिया ही में हर अ़मल का बदला अच्छा या बुरा क्यों न निपटा दिया गया, यह कायनात को पैदा करने की इस हिक्मत के ख़िलाफ़ है कि इस आ़लम को हक़ तआ़ला ने अ़मल और इम्तिहान का घर बनाया है, बदले का घर और मक़ाम नहीं बनाया। वल्लाहु आलम

اَفَرَءَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ اِلٰهَهٗ هَوٰىهُ وَاَضَلَّهُ اللّٰهُ عَلٰى عِلْمٍ وَّخَتَمَ عَلٰى سَمْعِهٖ وَقَلْبِهٖ وَجَعَلَ عَلٰى بَصَرِهٖ غِشٰوَةً ؕ فَمَنْ يَّهْدِيْهِ مِنْۢ بَعْدِ اللّٰهِ ؕ اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ ﴿٢٣﴾ وَقَالُوْا مَا هِىَ اِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوْتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَآ اِلَّا الدَّهْرُ ۚ وَمَا لَهُمْ بِذٰلِكَ مِنْ عِلْمٍ ۚ اِنْ هُمْ اِلَّا يَظُنُّوْنَ ﴿٢٤﴾ وَاِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ اٰيٰتُنَا بَيِّنٰتٍ مَّا كَانَ حُجَّتَهُمْ اِلَّآ اَنْ قَالُوا ائْتُوْا بِاٰبَآئِنَآ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿٢٥﴾ قُلِ اللّٰهُ يُحْيِيْكُمْ ثُمَّ يُمِيْتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ لَا رَيْبَ فِيْهِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٢٦﴾

ع ٣ ١٩

अ-फ़-रऐ-त मनित्त-ख़-ज़ इला-हहू हवाहु व अज़ल्लहुल्लाहु अ़ला अ़िल्मिंव्-व ख़-त-म अ़ला सम्अ़िही व क़ल्बिही व ज-अ़-ल अ़ला ब-सरिही ग़िशा-वतन्, फ़-मंय्यह्दीहि मिम्-बअ़्दिल्लाहि, अ-फ़ला तज़क्करून (23) व क़ालू मा हि-य इल्ला	भला देख तू जिसने ठहरा लिया अपना हाकिम अपनी इच्छा को और राह से बिचला दिया उसको अल्लाह ने जानता बूझता और मुहर लगा दी उसके कान पर और दिल पर और डाल दी उसकी आँख पर अंधेरी, फिर कौन राह पर लाये उसको अल्लाह के सिवाय, सो क्या तुम ग़ौर नहीं करते? (23) और कहते हैं और कुछ नहीं

हयातुनद्दुन्या नमूतु व नह्या व मा युह्लिकुना इल्लद्-दह्रु व मा लहुम् बिज़ालि-क मिन् अिल्मिन् इन् हुम् इल्ला यज़ुन्नून (24) व इज़ा तुत्ला अ़लैहिम् आयातुना बय्यिनातिम्-मा का-न हुज्ज-तहुम् इल्ला अन् क़ालुअ्तू बिआबा-इना इन् कुन्तुम् सादिक़ीन (25) क़ुलिल्लाहु युह्यीकुम् सुम्-म युमीतुकुम् सुम्-म यज्मअुकुम् इला यौमिल्-क़ियामति ला रै-ब फ़ीहि व लाकिन्-न अक्सरन्नासि ला यअ़्लमून (26) ❁	बस यही है हमारा जीना दुनिया का, हम मरते हैं और जीते हैं और हम जो मरते हैं सो ज़माने से, और उनको कुछ ख़बर नहीं उसकी महज़ अटकलें दौड़ाते हैं। (24) और जब सुनाई जायें उनको हमारी आयतें खुली-खुली और कुछ दलील नहीं उनकी मगर यही कि कहते हैं ले आओ हमारे बाप-दादों को अगर तुम सच्चे हो। (25) तू कह कि अल्लाह ही जिलाता है तुमको फिर मारेगा तुमको फिर इकट्ठा करेगा तुमको क़ियामत के दिन तक, इस में कुछ शक नहीं पर बहुत लोग नहीं समझते। (26) ❁

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

सो क्या (तौहीद व आख़िरत के इन स्पष्ट बयानात के बाद) आपने उस शख़्स की हालत भी देखी जिसने अपना ख़ुदा अपनी नफ़्सानी इच्छा को बना रखा है (कि जो दिल में आता है उसी के पीछे चलता रहता है) और ख़ुदा तआ़ला ने उसको बावजूद समझ-बूझ के गुमराह कर दिया है (कि हक़ को सुना और समझा भी मगर नफ़्सानी इच्छा की पैरवी से गुमराह हो गया), और (ख़ुदा तआ़ला ने) उसके कान और दिल पर मुहर लगा दी है और उसकी आँख पर पर्दा डाल दिया है (यानी नफ़्स परस्ती की बदौलत हक़ के क़ुबूल करने की सलाहियत बहुत ही कमज़ोर हो गयी) सो ऐसे शख़्स को ख़ुदा के (गुमराह कर देने के) बाद कौन हिदायत करे, (इसमें तसल्ली भी है। आगे उन मुन्किर लोगों को डाँट-डपट के तौर पर ख़िताब है कि) क्या तुम (इन बयानात को सुनकर) फिर भी नहीं समझते? (यानी ऐसा समझना जो फ़ायदा देने वाला हो। अगरचे आ़म मायने के एतिबार से समझते थे) और ये (मरने के बाद ज़िन्दा होने के इनकारी) लोग यूँ कहते हैं कि सिवाय इस दुनिया की ज़िन्दगी के और कोई हमारी ज़िन्दगी (आख़िरत में) नहीं है, हम (यही एक मरना) मरते हैं और (यही एक जीना) जीते हैं, (मक़सद यह कि मौत की तरह ज़िन्दगी भी दुनिया ही के साथ ख़ास है) और हमको सिर्फ़ ज़माने (की गर्दिश) से मौत आ जाती है (मतलब यह कि ज़माना गुज़रने के साथ-साथ जिस्मानी क़ुव्वतें ख़र्च होती रहती हैं और इन तबई असबाब से मौत आ जाती है, और इसी तरह ज़िन्दगी का सबब भी तबई चीज़ें हैं, पस जब मौत व ज़िन्दगी तबई असबाब के ताबे हैं और तबई असबाब आख़िरत की

ज़िन्दगी का तक़ाज़ा नहीं करते तो आख़िरत की ज़िन्दगी न होगी) और उन लोगों के पास इस पर कोई दलील नहीं सिर्फ़ अटकल से हाँक रहे हैं (यानी आख़िरत की ज़िन्दगी की नफ़ी "इनकार" पर कोई दलील नहीं) और (न हक़ वालों की दलील का वह कुछ जवाब दे सकते हैं चुनाँचे) जिस वक़्त (इस बारे में) उनके सामने हमारी खुली-खुली आयतें पढ़ी जाती हैं (जो मक़सद साबित करने के लिये काफ़ी हैं) तो उनका (इस पर) इसके अ़लावा और कोई जवाब नहीं होता, कहते हैं कि हमारे बाप-दादाओं को (ज़िन्दा करके) सामने ले आओ अगर तुम (इस दावे में) सच्चे हो। (और इस जवाब के सिवा कोई और जवाब नहीं दे सकते, मसलन यह कि किसी अ़क़्ली दलील से इसका अ़क़्लन मुहाल होना साबित कर देते) आप (उनके जवाब में) यूँ कह दीजिये कि अल्लाह तआ़ला तुमको (जब तक चाहता है) ज़िन्दा रखता है, फिर (जब चाहेगा) तुमको मौत देगा, फिर क़ियामत के दिन जिस (के आने) में ज़रा शक नहीं तुमको (ज़िन्दा करके) जमा करेगा, (पस दावा उस दिन ज़िन्दा करने का है और दुनिया में मुर्दों को ज़िन्दा न करने से उस दिन में ज़िन्दा करने की नफ़ी लाज़िम नहीं आती) लेकिन अक्सर लोग नहीं समझते (और बिना दलील के हक़ का इनकार करते हैं)।

मआ़रिफ़ व मसाईल

مَنِ اتَّخَذَ اِلٰهَهٗ هَوٰهُ.

यानी वह शख़्स जिसने अपनी नफ़्सानी इच्छाओं को अपना माबूद बना लिया। यह तो ज़ाहिर है कि कोई काफ़िर भी अपनी नफ़्सानी इच्छाओं को अपना ख़ुदा या माबूद नहीं कहता मगर क़ुरआने करीम की इस आयत ने यह बतलाया कि इबादत दर हक़ीक़त फ़रमाँबरदारी और हुक्म मानने का नाम है, जो शख़्स ख़ुदा की फ़रमाँबरदारी के मुक़ाबले में किसी दूसरे की फ़रमाँबरदारी इख़्तियार करे वही उसका माबूद कहलायेगा, तो जिस शख़्स को हलाल व हराम और जायज़ नाजायज़ की परवाह नहीं, ख़ुदा तआ़ला ने जिसको हराम कहा है वह उसमें ख़ुदा का हुक्म मानने के बजाय अपने नफ़्स की पैरवी करे तो अगरचे वह अपने नफ़्स को ज़बान से अपना माबूद न कहे मगर हक़ीक़त में वही उसका माबूद हुआ। इसी मज़मून को किसी बुज़ुर्ग ने एक शे'र में कहा है:

सौदा गश्त अज़ सज्दा-ए-राहे बुताँ पेशानीम
चन्द बर ख़ुद तोहमते दीने मुसलमानी नहम

इसमें नफ़्सानी इच्छाओं को बुतों से ताबीर किया है। जिसने अपनी इच्छाओं को ही इमाम व मुक़्तदा बना लिया और उनके पीछे चलने लगा तो गोया ये इच्छायें ही उसके बुत हैं। हज़रत अबू उमामा रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने फ़रमाया कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से सुना है कि आसमान के नीचे दुनिया में जितने माबूदों की इबादत की गयी है उनमें सबसे ज़्यादा नापसन्दीदा अल्लाह के नज़दीक नफ़्सानी इच्छा है। हज़रत शद्दाद बिन औस रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि अ़क़्लमन्द वह शख़्स है जो अपने नफ़्स को क़ाबू में रखे और मरने के बाद के वास्ते अ़मल करे, और फ़ाजिर (बदकार व गुनाहगार) वह है जो अपने नफ़्स को उसकी इच्छा के पीछे छोड़ दे और इसके बावजूद अल्लाह से आख़िरत की भलाई की

तमन्ना करता रहे। और हज़रत सहल बिन अ़ब्दुल्लाह तस्तरी रह. ने फ़रमाया कि तुम्हारी बीमारी तुम्हारी नफ़्सानी इच्छायें हैं। हाँ अगर तुम उनकी मुख़ालफ़त करो तो यह बीमारी ही तुम्हारी दवा भी है। (ये सब रिवायतें तफ़सीरे क़ुर्तुबी से ली गयी हैं)

وَمَا يُهْلِكُنَآ اِلَّا الدَّهْرُ.

लफ़्ज़ दहर दर असल उस तमाम मुद्दत के मजमूए का नाम है जो इस दुनिया के पहले दिन से आख़िरी दिन तक है, और कभी बहुत बड़ी मुद्दत को भी दहर कहा जाता है। काफ़िरों ने यह क़ौल दलील के तौर पर पेश किया है कि हमारी मौत व ज़िन्दगी का ख़ुदा के हुक्म व मर्ज़ी से कोई ताल्लुक़ नहीं बल्कि तबई असबाब के ताबे है जिसको मौत के बारे में तो सब ही देखते जानते हैं कि इनसान के बदनी अंग और उसकी क़ुव्वतें इस्तेमाल के सबब घटती रहती हैं और एक लम्बा ज़माना गुज़र जाने के बाद वो बिल्कुल बेकार हो जाती हैं इसी का नाम मौत है, इसी पर ज़िन्दगी को भी क़ियास कर लो कि वह भी किसी ख़ुदाई हुक्म से नहीं बल्कि माद्दे की तबई हरकतों से हासिल होती है।

दहर या ज़माने को बुरा कहना अच्छा नहीं

काफ़िरों व मुश्रिकों ने ज़माने की गर्दिश (उलट-फेर और चकर) ही को सारी कायनात और उनके सारे हालात की वजह और सबब क़रार देते थे, और उसी की तरफ़ मन्सूब करते थे जैसा कि इस आयत में ज़िक्र किया गया है, हालाँकि हकीक़त में यह सब काम अल्लाह तआ़ला जल्ल शानुहू की क़ुदरत व इरादे से होते हैं। इसी लिये सही हदीसों में दहर या ज़माने को बुरा कहने की मनाही आई है क्योंकि काफ़िर जिस क़ुव्वत को दहर के लफ़्ज़ से ताबीर करते हैं हक़ीक़त में वह क़ुव्वत व क़ुदरत हक़ तआ़ला ही की है, इसलिये दहर को बुरा कहने का नतीजा वास्तव में ख़ुदा तआ़ला तक पहुँचता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि ज़माने को बुरा न कहो क्योंकि ज़माना हक़ीक़त में अल्लाह ही है। मुराद यह है कि ये जाहिल जिस काम को दहर (ज़माने) का काम कहते हैं वह हक़ीक़त में अल्लाह तआ़ला ही की क़ुव्वत व क़ुदरत का काम है, दहर कोई चीज़ नहीं। इससे यह लाज़िम नहीं आता कि दहर (ज़माना) अल्लाह तआ़ला के नामों में से कोई नाम हो, क्योंकि यहाँ एक दूसरे मायने में अल्लाह तआ़ला को दहर कहा गया है।

وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۭ وَيَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَّخْسَرُ الْمُبْطِلُوْنَ ۝ وَتَرٰى كُلَّ اُمَّةٍ جَاثِيَةً ۣ كُلُّ اُمَّةٍ تُدْعٰٓى اِلٰى كِتٰبِهَا ۭ اَلْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ۝ هٰذَا كِتٰبُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ ۭ اِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ۝ فَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِيْ رَحْمَتِهٖ ۭ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِيْنُ ۝ وَاَمَّا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ۣ اَفَلَمْ تَكُنْ اٰيٰتِيْ تُتْلٰى عَلَيْكُمْ فَاسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُّجْرِمِيْنَ ۝ وَاِذَا قِيْلَ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ وَّالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيْهَا قُلْتُمْ مَّا نَدْرِيْ مَا السَّاعَةُ

إِنْ نَّظُنُّ إِلَّا ظَنًّا وَّمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِيْنَ ۝ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّاٰتُ مَا عَمِلُوْا وَحَاقَ بِهِمْ مَّا
كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ۝ وَقِيْلَ الْيَوْمَ نَنْسٰىكُمْ كَمَا نَسِيْتُمْ لِقَآءَ يَوْمِكُمْ هٰذَا وَمَاْوٰىكُمُ النَّارُ
وَمَا لَكُمْ مِّنْ نّٰصِرِيْنَ ۝ ذٰلِكُمْ بِاَنَّكُمُ اتَّخَذْتُمْ اٰيٰتِ اللّٰهِ هُزُوًا وَّغَرَّتْكُمُ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا ۚ
فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُوْنَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُوْنَ ۝ فَلِلّٰهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمٰوٰتِ وَرَبِّ الْاَرْضِ رَبِّ
الْعٰلَمِيْنَ ۝ وَلَهُ الْكِبْرِيَآءُ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۖ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۝

व लिल्लाहि मुल्कुस्समावाति वल्अर्ज़ि, व यौ-म तक़ूमुस्सा-अ़तु यौमइज़िंय्-यख़्-सरुल्-मुब्तिलून (27) व तरा कुल्-ल उम्मतिन् जासि-यतन्, कुल्लु उम्मतिन् तुद्आ़ इला किताबिहा, अल्यौ-म तुज्ज़ौ-न मा कुन्तुम् तअ़्मलून (28) हाज़ा किताबुना यन्तिक़ु अ़लैकुम् बिल्हक़्क़ि, इन्ना कुन्ना नस्तन्सिख़ु मा कुन्तुम् तअ़्मलून (29) फ़-अम्मल्लज़ी-न आमनू व अ़मिलुस्सालिहाति फ़-युद्ख़िलुहुम् रब्बुहुम् फ़ी रह्मतिही, ज़ालि-क हुवल् फ़ौज़ुल्-मुबीन (30) व अम्मल्लज़ी-न क-फ़रू, अ-फ़ लम् तकुन् आयाती तुत्ला अ़लैकुम् फ़स्तक्बर्तुम् व कुन्तुम् क़ौमम्-मुज्रिमीन (31) व इज़ा क़ी-ल इन्-न वअ़्दल्लाहि हक़्क़ुंव्-वस्सा-अ़तु ला रै-ब फ़ीहा क़ुल्तुम् मा नद्री

और अल्लाह ही का राज है आसमानों में और ज़मीन में, और जिस दिन क़ायम होगी क़ियामत उस दिन ख़राब होंगे झूठे। (27) और तू देखे हर फ़िर्क़े को कि बैठे हैं घुटनों के बल, हर फ़िर्क़ा बुलाया जाये अपने-अपने दफ़्तर के पास, आज बदला पाओगे जैसा तुम करते थे। (28) यह हमारा दफ़्तर है बोलता है तुम्हारे काम ठीक, हम लिखवाते जाते थे जो कुछ तुम करते थे। (29) सो जो लोग यक़ीन लाये हैं और भले काम किये सो उनको दाख़िल करेगा उनका रब अपनी रहमत में, यह जो है यही है खुली मुराद मिलनी। (30) और जो मुन्किर हुए क्या तुमको सुनाई न जाती थीं मेरी बातें? फिर तुमने ग़ुरूर किया और हो गये तुम लोग गुनाहगार। (31) और जब कहिये कि अल्लाह का वादा ठीक है और क़ियामत में कुछ शुब्हा नहीं, तुम कहते थे हम नहीं समझते क्या

मस्सा-अतु इन्-नज़ुन्नु इल्ला ज़न्नंव्-व मा नह्नु बिमुस्तैक़िनीन (32) व बदा लहुम् सय्यिआतु मा अ़मिलू व हा-क़ बिहिम् मा कानू बिही यस्तह्ज़िऊन (33) व क़ीलल्-यौ-म ननूसाकुम् कमा नसीतुम् लिक़ा-अ यौमिकुम् हाज़ा व मअ्वाकुमुन्नारु व मा लकुम् मिन्-नासिरीन (34) ज़ालिकुम् बि-अन्न-कुमुत्तख़ज़्तुम् आयातिल्लाहि हुज़ुवंव्-व ग़र्रत्कुमुल्-हयातुद्दुन्या फ़ल्यौ-म ला युख़्रजू-न मिन्हा व ला हुम् युस्तअ्-तबून (35) फ़लिल्लाहिल्-हम्दु रब्बिस्समावाति व रब्बिल्-अर्ज़ि रब्बिल्-आ़लमीन (36) व लहुल्-किब्रिया-उ फ़िस्समावाति वल्अर्ज़ि, व हुवल् अ़ज़ीज़ुल्-हकीम (37) ❁

है क़ियामत, हमको आता तो है एक ख़्याल सा और हमको यक़ीन नहीं होता। (32) और खुल जायें उन पर बुराईयाँ उन कामों की जो किये थे और उलट पड़े उन पर वह चीज़ जिस पर ठट्ठा करते थे। (33) और हुक्म होगा कि आज हम तुमको भुला देंगे जैसे तुमने भुला दिया था अपने इस दिन की मुलाक़ात को, और तुम्हारा घर दोज़ख़ है, और कोई नहीं तुम्हारा मददगार। (34) यह तुम पर इस वास्ते कि तुमने पकड़ा अल्लाह की बातों को ठट्ठा और बहके रहे दुनिया की ज़िन्दगानी पर, सो आज न उनको निकालना मन्ज़ूर है वहाँ से और न उनसे तौबा दरकार है। (35) सो अल्लाह ही के वास्ते है सब ख़ूबी जो रब है आसमानों का और रब है ज़मीन का, रब सारे जहान का। (36) और उसी के लिये बड़ाई है आसमानों में और ज़मीन में और वही है ज़बरदस्त हिक्मत वाला। (37) ❁

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

और (ऊपर जो कहा गया है कि "अल्लाह तआ़ला तुमको जमा करेगा" तो इसको कुछ मुश्किल न समझा जाये क्योंकि) अल्लाह ही की बादशाहत है आसमानों में और ज़मीन में (वह जो चाहे इख़्तियार चलाये, पस तुम्हें मौत के बाद ज़िन्दा करके जमा करना भी उसके लिये कोई मुश्किल नहीं) और जिस दिन क़ियामत क़ायम होगी उस दिन बातिल वाले घाटे में पड़ेंगे। और (उस दिन) आप हर फ़िर्क़े को देखेंगे कि (डर के मारे) घुटनों के बल पड़ेंगे। हर गिरोह अपने नामा-ए-आमाल (में लिखे हुए आमाल के हिसाब) की तरफ़ बुलाया जायेगा (यह मतलब है नामा-ए-आमाल की तरफ़ बुलाने का, वरना नामा-ए-आमाल तो ख़ुद उनके पास होंगे और उनसे कहा जायेगा कि) आज तुमको तुम्हारे किये का बदला मिलेगा। (और कहा जायेगा कि) यह (नामा-ए-आमाल) हमारा (लिखाया हुआ) दफ़्तर है जो

तुम्हारे मुक़ाबले में ठीक-ठीक बोल रहा है, (यानी तुम्हारे आमाल को ज़ाहिर कर रहा है और) हम (दुनिया में) तुम्हारे (सब) आमाल को (फ़रिश्तों से) लिखवाते जाते थे (और यह उन्हीं का मजमूआ है)। सो (हिसाब के बाद फ़ैसला यह होगा कि) जो लोग ईमान लाये थे और उन्होंने अच्छे काम किये थे तो उनको उनका रब अपनी रहमत में दाख़िल करेगा और यह खुली कामयाबी है। और जो लोग काफ़िर थे (उनसे कहा जायेगा कि) क्या मेरी आयतें तुमको पढ़-पढ़कर नहीं सुनाई जाती थीं? सो तुमने (उनको क़ुबूल करने से) तकब्बुर किया था और तुम (इस वजह से) बड़े मुजरिम थे। और (तुम्हारा यह हाल था कि) जब (तुम से) कहा जाता था कि अल्लाह का वायदा (दोबारा ज़िन्दा करके जज़ा व सज़ा देने का) हक़ है और क़ियामत में कोई शक नहीं है, तो तुम (बहुत ही बेपरवाई से) कहा करते थे कि हम नहीं जानते कि क़ियामत क्या चीज़ है (सुनने-सुनाने से) सिर्फ़ एक ख़्याल-सा तो हमको भी होता है और हमको (उसका) यक़ीन नहीं। और (उस वक़्त) उनको अपने तमाम बुरे आमाल ज़ाहिर हो जाएँगे और जिस (अ़ज़ाब) के साथ वे मज़ाक़ किया करते थे वह उनको आ घेरेगा। और (उनसे) कहा जायेगा कि आज हम तुमको भुलाए देते हैं (यानी रहमत से मेहरूम किये देते हैं जिसको दूसरे मायने में भुलाना कह दिया) जैसा कि तुमने अपने इस दिन के आने को भुला रखा था, और (आज से) तुम्हारा ठिकाना जहन्नम है और कोई तुम्हारा मददगार नहीं।

यह (सज़ा) इस वजह से है कि तुमने अल्लाह की आयतों की हंसी उड़ाई थी और तुमको दुनियावी ज़िन्दगी ने धोखे में डाल रखा था (कि उसमें मशग़ूल होकर आख़िरत से बिल्कुल ग़ाफ़िल बल्कि इनकारी हो गये थे) सो आज न तो ये लोग दोज़ख़ से निकाले जाएँगे और न इनसे ख़ुदा (की नाराज़गी) की तलाफ़ी चाही जायेगी (यानी इसका मौक़ा न दिया जायेगा कि तौबा करके ख़ुदा को राज़ी कर लें। जब ये तमाम मज़ामीन सुन लिये) सो (इनसे यह भी समझ में आ गया कि) तमाम ख़ूबियाँ अल्लाह ही के लिये (साबित) हैं जो परवर्दिगार है आसमानों का और परवर्दिगार है ज़मीन का, (और आसमान व ज़मीन ही की क्या ख़ुसूसियत है वह तो) परवर्दिगार है तमाम आ़लम का, और उसी को बड़ाई है (जिसका) आसमानों में और ज़मीन में (आसार व निशानियों से ज़हूर हो रहा है) और वही ज़बरदस्त, हिक्मत वाला है।

मआ़रिफ़ व मसाईल

وَتَرٰى كُلَّ اُمَّةٍ جَاثِيَةً.

'जासियतन्' जुसू से निकला है जिसके मायने घुटनों के बल बैठने के हैं, और हज़रत सुफ़ियान रह. ने फ़रमाया- जुसू उस तरह बैठने को कहते हैं जिसमें ज़मीन पर सिर्फ़ घुटने और पाँव के पंजे टिक जायें, इस तरह का बैठना हौल और ख़ौफ़ की वजह से होगा। और "कुल्-ल उम्मतिन" के लफ़्ज़ से यह ज़ाहिर है कि ख़ौफ़ व घबराहट की यह सूरत तमाम मेहशर वालों चाहे वे मोमिन हों या काफ़िर, नेक हों या बद सब को पेश आयेगी। और कुछ दूसरी आयतों और रिवायतों में जो मेहशर के ख़ौफ़ व घबराहट से नबियों और नेक लोगों को अलग क़रार दिया गया है यह उसके ख़िलाफ़ नहीं, क्योंकि मुम्किन है कि यह दहशत व ख़ौफ़ थोड़ी मुद्दत के लिये नबियों और नेक लोगों पर भी तारी

हो, मगर थोड़ी देर और कम मुद्दत होने की बिना पर इसको न होने के हुक्म में रखा गया। और यह भी हो सकता है कि 'कुल्-ल उम्मतिन्' (हर फ़िर्के और गिरोह) से मुराद आ़म मेहशर वाले न हों बल्कि अक्सर मुराद हों जैसा कि लफ़्ज़ कुल कई बार अक्सर के लिये बोला जाता है। और कुछ मुफ़स्सिरीन हज़रात ने जासिया के मायने ऐसी बैठक के किये हैं जैसे नमाज़ में होती है, तो फिर वह इश्काल व शुब्हा ख़ुद ही ख़त्म हो जाता है क्योंकि यह बैठना ख़ौफ़ वाला बैठना नहीं बल्कि अदब के तौर पर बैठना है।

كُلُّ اُمَّةٍ تُدْعٰى اِلٰى كِتٰبِهَا.

किताब से मुराद इस जगह अक्सर मुफ़स्सिरीन के नज़दीक वह नामा-ए-आमाल है जो फ़रिश्ते दुनिया में लिखते रहे थे, और अब मेहशर में आमाल के ये दफ़्तर उड़ा दिये जायेंगे, हर एक आदमी का नामा-ए-आमाल उसके हाथ में पहुँच जायेगा और उससे कहा जायेगाः

اِقْرَاْ كِتٰبَكَ كَفٰى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيْبًا۝

यानी अपना नामा-ए-आमाल पढ़ लो और ख़ुद ही हिसाब लगा लो कि तुम्हें इन आमाल का क्या बदला मिलना चाहिये। और उस आमाल नामे की तरफ़ बुलाने का मतलब उनके हिसाब की तरफ़ बुलाना है जैसा कि ख़ुलासा-ए-तफ़सीर में आ चुका है। वल्लाहु आलम

अल्लाह का शुक्र है कि आज दिनाँक 11 रजब सन् 1392 हिजरी मंगल के दिन सूरः जासिया की तफ़सीर पूरी हुई।

अल्हम्दु लिल्लाह सूरः जासिया की तफ़सीर का हिन्दी तर्जुमा मुकम्मल हुआ।

छब्बीसवाँ पारः (हा-मीम्)

सूरः अहक़ाफ़

सूरः अहक़ाफ़ मक्का में नाज़िल हुई। इसमें 35 आयतें और 4 रुकूअ़ हैं।

آياتها ٣٥ (٤٦) سُوْرَةُ الْاَحْقَافِ مَكِّيَّةٌ (٦٦) رُكُوْعَاتُهَا ٤

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

حٰمٓ ۚ تَنْزِيْلُ الْكِتٰبِ مِنَ اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ ۝ مَا خَلَقْنَا السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَآ اِلَّا بِالْحَقِّ وَاَجَلٍ مُّسَمًّى ۗ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا عَمَّآ اُنْذِرُوْا مُعْرِضُوْنَ ۝ قُلْ اَرَءَيْتُمْ مَّا تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَرُوْنِيْ مَاذَا خَلَقُوْا مِنَ الْاَرْضِ اَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِى السَّمٰوٰتِ ۗ اِيْتُوْنِيْ بِكِتٰبٍ مِّنْ قَبْلِ هٰذَآ اَوْ اَثٰرَةٍ مِّنْ عِلْمٍ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ۝ وَمَنْ اَضَلُّ مِمَّنْ يَّدْعُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَنْ لَّا يَسْتَجِيْبُ لَهٗٓ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَآئِهِمْ غٰفِلُوْنَ ۝ وَاِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوْا لَهُمْ اَعْدَآءً وَّكَانُوْا بِعِبَادَتِهِمْ كٰفِرِيْنَ ۝

बिस्मिल्लाहिर्रह्मानिर्रहीम

शुरू अल्लाह के नाम से जो बेहद मेहरबान निहायत रहम वाला है।

हा-मीम् (1) तन्ज़ीलुल्-किताबि मिनल्लाहिल्-अ़ज़ीज़िल्-हकीम (2) मा ख़लक़्नस्समावाति वल्अर्-ज़ व मा बैनहुमा इल्ला बिल्हक़्क़ि व अ-जलिम्-मुसम्मन्, वल्लज़ी-न क-फ़रू अ़म्मा उन्ज़िरू मुअ़्रिज़ून (3) क़ुल् अ-रऐतुम् मा तद्अ़ू-न मिन्	हा-मीम्। (1) उतारना किताब का है अल्लाह ज़बरदस्त हिक्मत वाले की तरफ़ से। (2) हमने जो बनाये आसमान और ज़मीन और जो उनके बीच में है सो ठीक काम पर और एक ठहरे वादे पर, और जो लोग मुन्किर हैं वे डर को सुनकर मुँह फेर लेते हैं। (3) तू कह भला देखो तो जिन को तुम पुकारते हो अल्लाह के सिवाय

الجزء السادس والعشرون - ٢٦

दूनिल्लाहि अरूनी मा-ज़ा ख़-लक़ू मिनल्-अर्ज़ि अम् लहुम् शिर्कुन् फ़िस्समावाति, ईतूनी बिकिताबिम्-मिन् क़ब्लि हाज़ा औ असा-रतिम्-मिन् अ़िल्मिन् इन् कुन्तुम् सादिक़ीन (4) व मन् अज़ल्लु मिम्मंय्यद्अ़ू मिन् दूनिल्लाहि मल्-ला यस्तजीबु लहू इला यौमिल्-क़ियामति व हुम् अ़न् दुआ़-इहिम् ग़ाफ़िलून (5) व इज़ा हुशिरन्नासु कानू लहुम् अअ़्दाअंव्-व कानू बिअ़िबा-दतिहिम् काफ़िरीन (6)	दिखलाओ तो मुझको उन्होंने क्या बनाया ज़मीन में या उनका कुछ साझा है आसमानों में? लाओ मेरे पास कोई किताब इससे पहले की या कोई इल्म जो चला आता हो अगर हो तुम सच्चे। (4) और उससे ज़्यादा गुमराह कौन जो पुकारे अल्लाह के सिवाय ऐसे को न पहुँचे उसकी पुकार को क़ियामत के दिन तक और उन को ख़बर नहीं उनके पुकारने की। (5) और जब लोग जमा होंगे वे होंगे उनके दुश्मन और होंगे उनके पूजने से इनकारी। (6)

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

हा-मीम (इसके मायने अल्लाह को मालूम हैं)। यह किताब अल्लाह ज़बरदस्त, हिक्मत वाले की तरफ़ से भेजी गई है (इसलिये इसके मज़ामीन क़ाबिले ग़ौर हैं। आगे तौहीद और आख़िरत का बयान है कि) हमने आसमान और ज़मीन को और जो इनके बीच में हैं उनको हिक्मत के साथ एक मुक़र्ररा मुद्दत (तक) के लिये पैदा किया है, और जो लोग काफ़िर हैं उनको जिस चीज़ से डराया जाता है (मसलन यह कि तौहीद के इनकार पर तुमको क़ियामत में अ़ज़ाब होगा) वे उससे बेरुख़ी (और बेतवज्जोही) करते हैं (और तौहीद को क़ुबूल नहीं करते)। आप (उनसे तौहीद के बारे में) कहिये कि यह तो बतलाओ कि जिन चीज़ों की तुम अल्लाह तआ़ला (की तौहीद) को छोड़कर इबादत करते हो (उनके इबादत का हक़दार होने की क्या दलील है, अगर दलील अ़क़्ली है तो) मुझको यह दिखलाओ कि उन्होंने कौनसी ज़मीन पैदा की है या उनका आसमानों (के पैदा करने) में कुछ साझा है (और ज़ाहिर है कि तुम भी उनको ख़ालिक़ नहीं मानते जो कि दलील हो सकती है इबादत के मुस्तहिक़ होने की, बल्कि मख़्लूक़ कहते हो जो कि इबादत के मुस्तहिक़ होने के ख़िलाफ़ है, पस अ़क़्ली दलील तो है नहीं, और अगर तुम्हारे पास किताबी और नक़ली दलील है तो) मेरे पास कोई (सही) किताब (लाओ जिसमें शिर्क का हुक्म हो और) जो इस (क़ुरआन) से पहले की हो (क्योंकि तुम भी जानते हो कि क़ुरआन में शिर्क की नफ़ी है, पस किसी और ही किताब की ज़रूरत होगी) या (अगर किताब न हो तो) कोई और (मोतबर) मज़मून (जो ज़बानी) नक़लशुदा (चला आता हो और किताब में लिखा न हो) लाओ, अगर तुम (शिर्क के दावे में) सच्चे हो। (मतलब यह कि नक़ल वाली दलील का क़ाबिले

तस्दीक़ और मोतबर होना ज़रूरी है, किसी नबी की किताब हो या उनका ज़बानी क़ौल हो) और (ज़ाहिर है कि ऐसी दलील कोई पेश नहीं कर सकता मगर जो अपने बातिल अ़क़ीदे से फिर भी बाज़ न आये ऐसे शख़्स के बारे में फ़रमाते हैं कि) उस शख़्स से ज़्यादा गुमराह कौन होगा जो (दलील से आ़जिज़ होने और उसके ख़िलाफ़ पर दलील क़ायम होने के बावजूद) अल्लाह तआ़ला को छोड़कर ऐसे माबूद को पुकारे जो क़ियामत तक भी उसका कहना न करे, और उनको उनके पुकारने (तक) की भी ख़बर न हो। और (फिर) जब (क़ियामत में) सब आदमी (हिसाब के लिये) जमा किए जाएँ तो वे (माबूद) उन (इबादत करने वालों) के दुश्मन हो जाएँ और उनकी इबादत ही का इनकार कर बैठें (पस ऐसे माबूदों की इबादत करने से बढ़कर क्या ग़लती है कि इबादत करने की कोई माक़ूल वजह नहीं और इबादत न करने से असबाब व कारण बहुत सारे हैं)।

मआ़रिफ़ व मसाईल

قُلْ اَرَءَيْتُمْ مَّاتَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ.

इन आयतों में मुश्रिकों के शिर्क के दावे को बातिल करने के लिये उनसे उनके दावे पर दलील का मुतालबा किया गया है, क्योंकि कोई दावा बग़ैर सुबूत व दलील के अ़क़्लन या शरअ़न क़ाबिले अ़मल नहीं होता। फिर इसमें जितनी क़िस्में दलीलों की हो सकती हैं सब को जमा कर दिया है और साबित किया है कि तुम्हारे दावे पर किसी क़िस्म की भी दलील व गवाही मौजूद नहीं इसलिये इस बेदलील दावे पर क़ायम रहना गुमराही है। इस आयत में दलीलों की तीन क़िस्में की गयी हैं- एक अ़क़्ली दलील जिसकी नफ़ी के लिये फ़रमायाः

اَرُوْنِیْ مَاذَا خَلَقُوْا مِنَ الْاَرْضِ اَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِی السَّمٰوٰتِ.

दूसरी क़िस्म नक़ली (किताबी व रिवायती) दलील है और यह ज़ाहिर है कि अल्लाह तआ़ला के मामले में नक़ली दलील वही मोतबर हो सकती है जो ख़ुद हक़ तआ़ला की तरफ़ से आई हो जैसे आसमानी किताबें तौरात इंजील और क़ुरआन वग़ैरह, या उन हज़रात के अक़वाल जिनको अल्लाह तआ़ला ने अपना रसूल व नबी चुना है। इन दोनों क़िस्मों में से पहली क़िस्म की नफ़ी तो इससे फ़रमाईः

اِيْتُوْنِیْ بِكِتٰبٍ مِّنْ قَبْلِ هٰذَا.

यानी अगर तुम्हारे पास बुतपरस्ती की कोई किताबी और रिवायती दलील मौजूद है तो किसी आसमानी किताब को पेश करो जिसमें बुतपरस्ती और शिर्क की इजाज़त दी गयी हो। और दूसरी क़िस्म यानी नबियों के अक़वाल की नफ़ी के लिये फ़रमायाः

اَوْ اَثٰرَةٍ مِّنْ عِلْمٍ.

यानी अगर अल्लाह की किसी किताब में तुम शिर्क व बुतपरस्ती की कोई दलील व सुबूत नहीं दिखा सकते तो कम से कम नबियों में से किसी का क़ौल दिखलाओ जो मोतबर सनद के साथ उनसे साबित हो। और जब तुम यह भी पेश नहीं कर सकते तो तुम्हारा क़ौल व अ़मल सिवाय गुमराही के

और क्या हो सकता है। लफ़्ज़ 'असारतिम् मिन् इल्मिन्' में 'असारतन्' मस्दर है शुजाअ़त और समाहत वग़ैरह के वज़न पर है जिसके मायने नक़ल व रिवायत के हैं, इसी लिये हज़रत इक्रिमा और मुक़ातिल रह. ने 'असारतिम् मिन् इल्मिन्' की तफ़सीर में 'रिवायतुन् अ़निल्-अम्बिया' फ़रमाया और इमाम क़ुर्तुबी रह. ने इसकी तफ़सीर हसन सनद के साथ फ़रमाई है। ख़ुलासा यह हुआ कि नक़ली दलील की दो क़िस्में मोतबर हैं- एक आसमानी किताब जो अल्लाह तआ़ला ने किसी पैग़म्बर पर नाज़िल फ़रमाई, दूसरे पैग़म्बर का क़ौल जो मोतबर सनदों के साथ पैग़म्बर से साबित हो, 'असारतिम् मिन् इल्मिन्' का यही मफ़्हूम है। यह सब मज़मून तफ़सीरे क़ुर्तुबी से लिया गया है और यही तफ़सीर पसन्दीदा और स्पष्ट है। कुछ हज़रात से 'असारतिम् मिन् इल्मिन्' की तफ़सीर में दूसरे क़ौल भी मन्क़ूल हैं मगर वह साबित नहीं और क़ुरआनी तरतीब व अन्दाज़ के मुनासिब भी नहीं इसलिये अक्सर हज़रात के नज़दीक पसन्दीदा नहीं। वल्लाहु आलम

وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَٰتُنَا بَيِّنَٰتٍ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ لِلْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُمْ هَٰذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ ۝ أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَىٰهُ ۖ قُلْ إِنِ ٱفْتَرَيْتُهُۥ فَلَا تَمْلِكُونَ لِى مِنَ ٱللَّهِ شَيْـًٔا ۖ هُوَ أَعْلَمُ بِمَا تُفِيضُونَ فِيهِ ۖ كَفَىٰ بِهِۦ شَهِيدًۢا بَيْنِى وَبَيْنَكُمْ ۖ وَهُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ۝ قُلْ مَا كُنتُ بِدْعًا مِّنَ ٱلرُّسُلِ وَمَآ أَدْرِى مَا يُفْعَلُ بِى وَلَا بِكُمْ ۖ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰٓ إِلَىَّ وَمَآ أَنَا۠ إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ۝ قُلْ أَرَءَيْتُمْ إِن كَانَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَكَفَرْتُم بِهِۦ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنۢ بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ عَلَىٰ مِثْلِهِۦ فَـَٔامَنَ وَٱسْتَكْبَرْتُمْ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّٰلِمِينَ ۝

व इज़ा तुत्ला अ़लैहिम् आयातुना बय्यिनातिन् क़ालल्लज़ी-न क-फ़रू लिल्हक़्क़ि लम्मा जा-अहुम् हाज़ा सिह्रुम्-मुबीन (7) अम् यक़ूलूनफ़्तराहु, क़ुल् इनिफ़्तरैतुहू फ़ला तम्लिकू-न ली मिनल्लाहि शैअन्, हु-व अअ़्लमु बिमा तुफ़ीज़ू-न फ़ीहि, कफ़ा बिही शहीदम्-बैनी व बैनकुम्, व हुवल् ग़फ़ूरुर्रहीम (8) क़ुल् मा कुन्तु बिद्अ़म्-मिनर्रुसुलि व मा अद्री मा	और जब सुनाई जायें उनको हमारी खुली-खुली बातें कहते हैं मुन्किर सच्ची बात को जब उन तक पहुँची यह खुला जादू है। (7) क्या कहते हैं यह बना लाया है, तू कह अगर मैं यह बना लाया हूँ तो तुम मेरा भला नहीं कर सकते अल्लाह के सामने ज़रा भी, उसको ख़ूब ख़बर है जिन बातों में तुम लग रहे हो, वह काफ़ी है हक़ बताने वाला मेरे और तुम्हारे बीच और वही है बख़्शने वाला मेहरबान। (8) तू कह मैं कुछ नया रसूल नहीं आया और मुझको मालूम नहीं क्या होना है मुझ

युफ़्अ़लु बी व ला बिकुम्, इन् अत्तबिअु इल्ला मा यूहा इलय्-य व मा अ-न इल्ला नज़ीरुम्-मुबीन (9) क़ुल् अ-रऐतुम् इन् का-न मिन् अ़िन्दिल्लाहि व कफ़र्तुम् बिही व शहि-द शाहिदुम् मिम्-बनी इस्राई-ल अ़ला मिस्लिही फ़आम-न वस्तक्बर्तुम्, इन्नल्ला-ह ला यह्दिल्-क़ौमज़्ज़ालिमीन (10) ✿	से और तुम से, मैं उसी पर चलता हूँ जो हुक्म आता है मुझको, और मेरा काम तो यही है डर सुना देना खोलकर। (9) तू कह भला देखो तो अगर यह आया हो अल्लाह के यहाँ से और तुमने इसको नहीं माना और गवाही दे चुका एक गवाह बनी इस्राईल का एक ऐसी किताब की, फिर वह यकीन लाया और तुमने ग़ुरूर किया, बेशक अल्लाह राह नहीं देता गुनाहगारों को। (10) ✿

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

और जब हमारी खुली-खुली आयतें (जो कि मोजिज़ा होने के सबब रिसालत की दलील हैं) इन (रिसालत के इनकारी) लोगों के सामने पढ़ी जाती हैं तो ये मुन्किर लोग उस सच्ची बात के मुताल्लिक जबकि वह उन तक पहुँचती है यूँ कहते हैं कि यह खुला जादू है (हालाँकि जादू की नज़ीर का मुम्किन होना और इसकी नज़ीर का मुम्किन न होना इस क़ौल के बातिल होने की खुली दलील है। और इससे बढ़कर और सुनो) क्या ये लोग यह कहते हैं कि इस शख़्स ने (यानी आपने नऊज़ु बिल्लाह) इस (क़ुरआन) को अपनी तरफ़ से बना लिया है (और ख़ुदा की तरफ़ मन्सूब कर दिया? आगे इस क़ौल का जवाब है कि) आप कह दीजिये कि अगर मैंने इसको अपनी तरफ़ से बनाया होगा (और ख़ुदा के ज़िम्मे लगा दिया होगा) तो (ख़ुदा तआ़ला अपनी आ़दत व दस्तूर के मुताबिक़ लोगों को धोखे से बचाने के लिये मुझको नुबुव्वत के झूठे दावे पर जल्द ही हलाक कर देगा) फिर (जब वह मुझको हलाक करने लगेगा तो) तुम (या और) लोग मुझको ख़ुदा (के अ़ज़ाब से) ज़रा भी नहीं बचा सकते। (मतलब यह कि नुबुव्वत के झूठे दावे पर अ़ज़ाब का होना ऐसा लाज़िमी है कि मेरा कोई हामी व मददगार भी उसे नहीं रोक सकता, मगर मुझको अ़ज़ाब नहीं हुआ। यह दलील है इसकी कि मैं अपने नुबुव्वत के दावे में झूठा नहीं, और जब मैं झूठा नहीं तो यह समझ लो कि) वह ख़ूब जानता है तुम क़ुरआन में जो-जो बातें बना रहे हो (इसलिये तुमको सज़ा होगी। ग़र्ज़ यह कि) मेरे और तुम्हारे बीच (सच और झूठ का फ़ैसला करने के लिये) वह काफ़ी गवाह (यानी बाख़बर) है (लिहाज़ा अगर मैं झूठा हूँगा मुझको फ़ौरन अ़ज़ाब देगा, और अगर तुम झूठे होगे तो तुमको जल्द या देर में अ़ज़ाब देगा) और (अगर किसी को यह शुब्हा हुआ कि जब वह हमारी बातों से वाक़िफ़ है और फिर भी हम पर अ़ज़ाब नहीं आया तो जिस तरह नुबुव्वत के दावा करने वाले पर अ़ज़ाब न आना उसकी सच्चाई की दलील

है इसी तरह हम इनकार करने वालों पर अ़ज़ाब न आना हमारी सच्चाई की दलील बन सकती है तो इसका जवाब यह है कि) वह बड़ी मग़फ़िरत वाला (इसलिये मग़फ़िरत की कुछ क़िस्में मसलन दुनिया में काफ़िरों पर अ़ज़ाब न आना भी ज़ाहिर कर देता है और) बड़ी रहमत वाला है (इसलिये रहमत की कुछ क़िस्में भी जिसको रहमते आ़म्मा कहते हैं काफ़िरों के लिये भी ज़ाहिर कर देता है। लिहाज़ा इनकारियों के इनकार पर दुनिया में अ़ज़ाब न होना उनके सच्चा होने की दलील नहीं, जबकि नुबुव्वत के दावेदार का मामला इसके विपरीत है कि वहाँ झूठा दावा और अ़ज़ाब का उतरना दोनों लाज़िम व मल्ज़ूम "यानी एक दूसरे के साथ लाज़िमी जुड़े हुए और अनिवार्य" हैं क्योंकि नुबुव्वत का झूठा दावा करने वाले को दुनिया में अ़ज़ाब न देना लोगों की गुमराही का सबब बन सकता है बख़िलाफ़ दूसरे मुजरिमों के। आगे नुबुव्वत को ताकीद के साथ साबित किया जा रहा है)।

आप कह दीजिये कि कोई मैं अनोखा रसूल तो हूँ नहीं (कि तुम्हारे लिये ताज्जुब का सबब हो क्योंकि मुझसे पहले बहुत से पैग़म्बर आ चुके हैं जिनकी ख़बर लगातार तुमने भी सुनी है) और (इसी तरह किसी और अ़जीब बात का भी मैं दावा नहीं करता जैसा कि मिसाल के तौर पर इल्मे ग़ैब है, चुनाँचे मैं ख़ुद कहता हूँ कि मुझको ग़ैब की बातों में से सिर्फ़ वो मालूम हैं जो वही से मुझे बता दी गयी हैं, ग़ैब की और किसी बात की ख़बर मुझे नहीं यहाँ तक कि) मैं नहीं जानता कि मेरे साथ क्या किया जायेगा, और न (यह मालूम कि) तुम्हारे साथ (क्या किया जायेगा। लिहाज़ा जब अपने और तुम्हारे आईन्दा के हालात के इल्म का मैं दावेदार नहीं हूँ तो दूर की ग़ैबी बातों के बारे में तो क्या दावा करता, अलबत्ता जिन बातों का इल्म वही से हो गया है चाहे वो अपने बारे में हों या ग़ैर के और चाहे दुनिया के हालात हों या आख़िरत के उनका इल्म बेशक कामिल है। चुनाँचे आगे इरशाद है कि) मैं तो (इल्म व अ़मल में) सिर्फ़ उसी की पैरवी करता हूँ जो मेरी तरफ़ वही के ज़रिये आता है, और (उसी की तब्लीग़ भी करता हूँ। और अगर तुम इसको नहीं मानते तो मेरा कोई नुक़सान नहीं क्योंकि) मैं तो सिर्फ़ साफ़-साफ़ डराने वाला हूँ (जिसको मैं दलीलों से साबित कर चुका हूँ)।

(ऊपर क़ुरआन को अपनी तरफ़ से बना लेने के काफ़िरों के इल्ज़ाम की तरदीद 'उसको ख़ूब ख़बर है जिन कामों में तुम लग रहे हो' से मुख़्तसर तौर पर की गयी थी आगे उसकी तफ़सील के तौर पर इरशाद है कि) आप कह दीजिये कि तुम मुझको यह बताओ कि अगर यह क़ुरआन अल्लाह की तरफ़ से हो और (फिर) तुम इसके मुन्किर हो, और (किसी दलील से इसके अल्लाह की ओर से होने की मज़ीद ताईद भी हो जाये, मसलन इसी दलील से कि) बनी इस्राईल (के उलेमा) में से कोई (मोतबर) गवाह (जो इल्म व ईमानदारी के एतिबार से माना हुआ व मोतबर हो और एक हो या ज़्यादा, गुज़रे ज़माने में हो या मौजूदा में या भविष्य में) इस जैसी किताब (यानी इस किताब के अल्लाह की जानिब से होने) पर गवाही देकर ईमान ले आये और तुम (बावजूद बेइल्म होने के इस किताब पर ईमान लाने से) तकब्बुर ही में रहो (तो इस सूरत में तुमसे ज़्यादा बेइन्साफ़ कौन होगा, और बेइन्साफ़ लोगों की यह हालत है कि) बेशक अल्लाह तआ़ला बेइन्साफ़ लोगों को (उनके बैर व दुश्मनी के सबब) हिदायत नहीं किया करता (बल्कि वे हमेशा गुमराही में रहते हैं और गुमराही का अन्जाम आग है)।

मआ़रिफ़ व मसाईल

وَمَآ اَدْرِیْ مَایُفْعَلُ بِیْ وَلَابِکُمْ. اِنْ اَتَّبِعُ اِلَّا مَایُوْحٰٓی اِلَیَّ.

इस आयत में जुमला 'इन् अत्तबिअ़ु' अलग करने के मायने में है यानी मैं नहीं जानता सिवाय उसके जो मुझ पर वही की जाये। इसी बिना पर इमामे तफ़सीर ज़ह्हाक रह. से इस आयत की तफ़सीर वह मन्क़ूल है जो ऊपर दर्ज ख़ुलासा-ए-तफ़सीर में इख़्तियार की गयी है। जिसका हासिल यह है कि ग़ैबी मामलात का इल्म मुझे सिर्फ़ वही के ज़रिये हो सकता है, जिस ममाले के मुताल्लिक़ वही से मुझे इल्म न हो चाहे वह मेरी ज़ात से संबन्धित हो या उम्मत के मोमिन व काफ़िर लोगों से, और चाहे वह मामला दुनिया का हो या आख़िरत का उसकी मुझे कुछ ख़बर नहीं। ग़ैबी मामलात के बारे में मैं जो कुछ कहता हूँ वह सब अल्लाह की वही (यानी उसके बताने और भेजे हुए पैग़ाम) से कहता हूँ। चुनाँचे क़ुरआने करीम में ख़ुद बयान हुआ है कि अल्लाह तआ़ला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को ग़ैबी चीज़ों और मामलात के मुताल्लिक़ बेशुमार उलूम अ़ता फ़रमाये हैं:

تِلْکَ مِنْ اَنْبَآءِ الْغَیْبِ نُوْحِیْھَآ اِلَیْکَ

का यही मतलब है। आख़िरत की चीज़ों- दोज़ख़, जन्नत, हिसाब-किताब, सज़ा व जज़ा से मुताल्लिक़ तो ख़ुद क़ुरआने करीम में बेशुमार तफ़सीलात बयान हुई हैं और दुनिया में पेश आने वाले आईन्दा के वाक़िआ़त की बहुत सी तफ़सीलात सही मुतवातिर हदीसों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से मन्क़ूल हैं जिससे साबित हुआ कि उपर्युक्त आयत का हासिल सिर्फ़ इतना है कि मैं ग़ैबी मामलों के मुकम्मल इल्म में ख़ुदा तआ़ला की तरह नहीं और उनके इल्म में ख़ुदमुख़्तार नहीं बल्कि मुझे अल्लाह की वही के ज़रिये जो कुछ बतला दिया जाता है वह मैं ज़िक्र कर देता हूँ।

तफ़सीर रूहुल-मआ़नी में इस क़ौल को नक़ल करके लिखा है कि मेरा एतिक़ाद यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम इस दुनिया से उस वक़्त तक रुख़्सत नहीं हुए जब तक कि अल्लाह तआ़ला की ज़ात व सिफ़ात और आख़िरत व दुनिया में पेश आने वाले अहम मामलात से वही के ज़रिये आपको बाख़बर नहीं कर दिया गया। रहा व्यक्तियों व अफ़राद के आंशिक व्यक्तिगत हालात व मामलात का इल्म कि फ़ुलाना शख़्स कल को क्या काम करेगा और उसका अन्जाम क्या होगा, फ़ुलाँ-फ़ुलाँ शख़्स अपने घरों में क्या-क्या काम कर रहे हैं या करेंगे, इन ग़ैबी मामलों का इल्म न कोई कमाल है न इसके न होने से नुबुव्वत के कमाल में कोई फ़र्क़ आता है।

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के इल्मे ग़ैब के मुताल्लिक़ अदब का तक़ाज़ा

जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के इल्मे ग़ैब के मुताल्लिक़ अदब का तक़ाज़ा यह है कि यूँ न कहा जाये कि आप ग़ैब नहीं जानते थे, बल्कि यूँ कहा जाये कि अल्लाह तआ़ला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को ग़ैब के मामलों का बहुत बड़ा इल्म दिया था जो नबियों में

से किसी दूसरे को नहीं मिला। और मुफ़स्सिरीन हज़रात में से कुछ ने जो यह फ़रमाया कि इस आयत में इल्म की नफ़ी सिर्फ़ दुनियावी मामलात के मुताल्लिक़ है आख़िरत के मुताल्लिक़ इल्मे ग़ैब की नफ़ी इसमें शामिल नहीं (जैसा कि इमाम क़ुर्तुबी) उन्होंने ग़ालिबन आयत के जुमले 'इन् अत्तबिअ़ु इल्ला मा यूहा इलय्-य' को बाक़ी के मज़मून से अलग करने के मयाने में क़रार नहीं दिया, इसलिये इल्मे ग़ैब की नफ़ी को दुनिया के मामलात के साथ मख़्सूस फ़रमाया, क्योंकि आख़िरत के मुताल्लिक़ तो खुले तौर पर आपने बतला दिया कि काफ़िर दोज़ख़ में और मोमिन जन्नत में जायेगा।

وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ م بَنِيٓ اِسْرَآءِيْلَ عَلٰى مِثْلِهٖ فَاٰمَنَ وَاسْتَكْبَرْتُمْ.

इस आयत का मज़मून तक़रीबन वही है जो सूरः शु-अ़रा के आख़िरी रुकूअ़ की आयत नम्बर 97 का है यानीः

اَوَلَمْ يَكُنْ لَّهُمْ اٰيَةً اَنْ يَّعْلَمَهٗ عُلَمٰٓؤُا بَنِيٓ اِسْرَآءِيْلَ.

जिसका हासिल यह है कि जाहिल यहूदी व ईसाई जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की रिसालत और क़ुरआन का इनकार करते हैं ये ख़ुद अपनी किताबों से भी नावाक़िफ़ और जाहिल हैं। क्योंकि बनी इस्राईल के बहुत से उलेमा अपनी किताबों में नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की नुबुव्वत और आपकी निशानियों को देखकर आप पर ईमान ले आये हैं। क्या उन उलेमा की गवाही भी इन जाहिल लोगों के लिये काफ़ी नहीं। इस आयत में यह इरशाद है कि तुम जो यह कहते हो कि मेरा रिसालत का दावा और क़ुरआन का अल्लाह की किताब होना ग़लत और झूठ है, अव्वल तो इसके ग़लत होने के लिये वह बात काफ़ी है जो पहले अभी ज़िक्र की गयी है कि जो शख़्स अल्लाह पर ऐसा खुला बोहतान और झूठ बाँधे कि मुझे उसने नबी बनाकर भेजा है और वास्तव में वह नबी नहीं है तो उस पर इस दुनिया ही में अ़ज़ाब का आ जाना और उसका हलाक किया जाना ज़रूरी है, ताकि आ़म लोग धोखे से बच सकें। और फ़र्ज़ करो तुम इसको भी नहीं मानते तो कम से इस गुमान व संभावना को तो नज़र-अन्दाज़ न करो कि अगर मेरा दावा सही हुआ और यह किताब अल्लाह की तरफ़ से ही हुई और तुम इससे कुफ़्र व इनकार पर जमे रहो तो तुम्हारा क्या अन्जाम होगा, ख़ुसूसन उस सूरत में कि ख़ुद तुम्हारी क़ौम बनी इस्राईल ही में कोई बड़ा आदमी इसके अल्लाह की तरफ़ से होने की गवाही दे दे और मुसलमान हो जाये, और तुम इस इल्म के बाद भी अपनी ज़िद और तकब्बुर पर जमे रहो तो तुम किस क़द्र अ़ज़ाब के हक़दार बनोगे।

इस आयत के अलफ़ाज़ में बनी इस्राईल के किसी ख़ास आ़लिम का नाम नहीं लिया गया और न यह मुतैयन किया गया कि यह गवाही इस आयत के उतरने से पहले लोगों के सामने आ चुकी है या आईन्दा आने वाली है, बल्कि एक शर्त लगाकर यह फ़रमाया है कि अगर भूतकाल में, या वर्तमान में या भविष्य में ऐसा हो जाये तो तुम्हें अपनी फ़िक्र करनी चाहिये कि तुम अ़ज़ाब से कैसे बचोगे। इसलिये आयत का मज़मून समझना इस पर मौक़ूफ़ नहीं है कि बनी इस्राईल के उलेमा में से किसी ख़ास और निर्धारित गवाह को इसका मिस्दाक़ क़रार दिया जाये, बल्कि जितने हज़रात यहूदियों व ईसाईयों में से इस्लाम में दाख़िल हुए जिनमें हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन सलाम रज़ियल्लाहु अ़न्हु ज़्यादा परिचित हैं वे सभी इसमें दाख़िल हैं, अगरचे हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन सलाम रज़ियल्लाहु अ़न्हु का ईमान

लाना इस आयत के नाज़िल होने के बाद मदीना मुनव्वरा में हुआ और यह पूरी सूरत मक्की है। (तफ़सीर इब्ने कसीर)

और कुछ रिवायतों में जो हज़रत सअ़द रज़ियल्लाहु अ़न्हु से मन्क़ूल है कि यह आयत हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन सलाम रज़ियल्लाहु अ़न्हु के बारे में नाज़िल हुई। (जैसा कि हज़रत मालिक की हदीस से बुख़ारी, मुस्लिम और नसाई में रिवायत किया गया है) और हज़रत इब्ने अ़ब्बास, इमाम मुजाहिद, इमाम ज़ह्हाक, इमाम क़तादा वग़ैरह तफ़सीर के इमामों सब ने बइत्तिफ़ाक़ फ़रमाया कि यह आयत हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन सलाम रज़ियल्लाहु अ़न्हु के मुताल्लिक़ नाज़िल हुई है, तो यह इस आयत के मक्की होने के ख़िलाफ़ नहीं, क्योंकि इस सूरत में यह भविष्यवाणी आईन्दा के लिये हो जायेगी (जैसा कि इमाम इब्ने कसीर रह. ने फ़रमाया है)।

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَّا سَبَقُونَا إِلَيْهِ ۚ وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَٰذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ ۝ وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً ۚ وَهَٰذَا كِتَابٌ مُّصَدِّقٌ لِّسَانًا عَرَبِيًّا لِّيُنذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَبُشْرَىٰ لِلْمُحْسِنِينَ ۝

व क़ालल्लज़ी-न क-फ़रू लिल्लज़ी-न आमनू लौ का-न ख़ैरम्-मा स-बक़ूना इलैहि, व इज़् लम् यह्तदू बिही फ़-स-यक़ूलू-न हाज़ा इफ़्कुन् क़दीम (11) व मिन् क़ब्लिही किताबु मूसा इमामंव्-व रह्म-तन्, व हाज़ा किताबुम् मुसद्दिक़ुल्-लिसानन् अ़-रबिय्यल् लियुन्ज़िरल्लज़ी-न ज़-लमू व बुश्रा लिल्-मुह्सिनीन (12)	और कहने लगे इनकारी लोग ईमान वालों को अगर यह दीन बेहतर होता तो ये न दौड़ते इस पर हमसे पहले, और जब राह पर नहीं आये इसके बतलाने से तो ये अब कहेंगे यह झूठ है बहुत पुराना। (11) और इससे पहले किताब मूसा की थी राह डालने वाली और रहमत और यह किताब है उसकी तस्दीक़ करती अ़रबी भाषा में ताकि डर सुनाये गुनाहगारों को और ख़ुशख़बरी नेकी वालों को। (12)

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

और ये काफ़िर लोग ईमान वालों (के ईमान लाने) के बारे में यूँ कहते हैं कि अगर यह क़ुरआन (जिस पर ये लोग ईमान लाये हैं) कोई अच्छी (यानी सच्ची) चीज़ होता तो ये (कम दर्जे के) लोग इसकी तरफ़ हमसे आगे न बढ़ते (यानी हम लोग बड़े अ़क़्ल व समझ वाले हैं और ये लोग कम-अ़क़्ल हैं, और हक़ बात को अ़क़्लमन्द पहले क़ुबूल करता है, तो अगर यह हक़ होता तो हम पहले मानते,

जब हमने नहीं माना तो यह हक़ नहीं, ये लोग बेअ़क़्ली से उधर दौड़ने लगे हैं। काफ़िरों का यह कौल उनके हद से ज़्यादा तकब्बुर की दलील है जिसका ज़िक्र ऊपर 'इस्तक्बरतुम' में आया है) और जब (मुख़ालफ़त व तकब्बुर के सबब) इन लोगों को क़ुरआन से हिदायत नसीब न हुई तो (अपने बैर और ज़िद की बिना पर) ये कहेंगे कि यह (भी झूठे मज़ामीन की तरह एक) पुराना झूठ (मज़मून) है। और इस (क़ुरआन) से पहले मूसा (अ़लैहिस्सलाम) की किताब (नाज़िल हो चुकी) है जो (हज़रत मूसा अ़लैहिस्सलाम की उम्मत क लिये आ़म तौर पर) राह दिखाने वाली (थी) और (ईमान वालों के लिये ख़ास तौर पर) रहमत थी, (और जिस तरह तौरात में इसकी भविष्यवाणी है) यह (उसी तरह की) एक किताब है जो उस (की भविष्यवाणी) को सच्चा करती है (और) अ़रबी भाषा में (है), ज़ालिमों के डराने के लिये और नेक लोगों को ख़ुशख़बरी देने के लिये (नाज़िल हुई है)।

मआ़रिफ़ व मसाईल

لَوْ كَانَ خَيْرًا مَّا سَبَقُوْنَآ اِلَيْهِ

तकब्बुर व गुरूर इनसान की अ़क्ल को भी ख़राब कर देता है। घमंडी आदमी अपनी अ़क्ल और अपने अ़मल को अच्छाई-बुराई और उम्दा व ख़राब का मेयार समझने लगता है, जो चीज़ उसको पसन्द न हो चाहे दूसरे लोग उसको कितना ही अच्छा समझें यह उन सब को बेवक़ूफ़ समझता है हालाँकि ख़ुद बेवक़ूफ़ है। काफ़िरों के इसी दर्जे के गुरूर व तकब्बुर का इस आयत में बयान है कि इस्लाम व ईमान चूँकि उनको पसन्द नहीं था तो दूसरे लोग जो ईमान के शैदाई थे उनको यह कहते थे कि अगर यह ईमान कोई अच्छी चीज़ होती तो सबसे पहले हमें पसन्द आती, इन दूसरे ग़रीब फ़क़ीर लोगों की पसन्द का क्या एतिबार।

इब्ने मुन्ज़िर रह. वग़ैरह ने एक रिवायत नक़ल की है कि हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अ़न्हु जब मुसलमान नहीं हुए थे उनकी एक बाँदी जिसका नाम ज़नीरा था पहले मुसलमान हो गयी थी, यह उसको उसके इस्लाम पर मारते और धमकाते थे कि किसी तरह वह इस्लाम को छोड़ दे, और क़ुरैश के काफ़िर कहा करते थे कि इस्लाम कोई अच्छी चीज़ होती तो ज़नीरा जैसी हक़ीर औरत इसमें हमसे आगे न होती। इसके बारे में उक्त आयत नाज़िल हुई। (तफ़सीरे मज़हरी)

وَمِنْ قَبْلِهٖ كِتٰبُ مُوْسٰٓى اِمَامًا وَّرَحْمَةً

इस कलाम से एक तो ऊपर गुज़री आयत नम्बर 9 के मज़मून का सुबूत मिला कि आप कोई अनोखे रसूल और क़ुरआन कोई अनोखी किताब नहीं कि उन पर ईमान लाने में लोगों को शुब्हा हो बल्कि आप से पहले मूसा अ़लैहिस्सलाम रसूल होकर आ चुके हैं और उन पर तौरात नाज़िल हो चुकी है जिसको ये काफ़िर और यहूदी व ईसाई सभी मानते हैं। दूसरे ऊपर जो 'गवाही दे चुका एक गवाह' आया है इससे भी मज़बूती हासिल हो गयी, क्योंकि मूसा अ़लैहिस्सलाम और तौरात ख़ुद क़ुरआन और रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के सच्चा होने के गवाह हैं।

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلَا خَوْفٌ
عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۝ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝ وَ
وَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا ۖ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا ۖ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ
ثَلَاثُونَ شَهْرًا ۚ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي
أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي ۖ إِنِّي تُبْتُ
إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ۝ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ
فِي أَصْحَابِ الْجَنَّةِ ۖ وَعْدَ الصِّدْقِ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ ۝ وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أُفٍّ لَكُمَا
أَتَعِدَانِنِي أَنْ أُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ الْقُرُونُ مِنْ قَبْلِي وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ اللَّهَ وَيْلَكَ آمِنْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ
حَقٌّ فَيَقُولُ مَا هَٰذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ۝ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ
مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ ۖ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ ۝ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِمَّا عَمِلُوا ۖ وَلِيُوَفِّيَهُمْ
أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ۝ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي
حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي
الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ ۝

ع ٢

इन्नल्लज़ी-न क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मस्तक़ामू फ़ला ख़ौफ़ुन् अ़लैहिम् व ला हुम् यह्ज़नून (13) उलाइ-क अस्हाबुल्-जन्नति ख़ालिदी-न फ़ीहा जज़ाअम् बिमा कानू यअ्मलून (14) व वस्सैनल्-इन्सा-न बिवालिदैहि इह्सानन्, ह-मलत्हु उम्मुहू कुर्हंव्-व व-ज़अ़त्हु कुर्हन्, व हम्लुहू व फ़िसालुहू सलासू-न शह्रन्, हत्ता इज़ा ब-ल-ग़ अशुद्-दहू व ब-ल-ग़

बेशक जिन्होंने कहा हमारा रब अल्लाह है फिर साबित-क़दम रहे तो न डर है उन पर और न वे ग़मगीन होंगे। (13) वे लोग हैं जन्नत वाले सदा रहेंगे उसमें, बदला है उन कामों का जो करते थे। (14) और हमने हुक्म कर दिया इनसान को अपने माँ-बाप से भलाई का, पेट में रखा उसको उसकी माँ ने तकलीफ़ से और जन्म दिया उसको तकलीफ़ से, और हमल में रहना उसका और दूध छोड़ना तीस महीने में है यहाँ तक कि जब पहुँचा अपनी क़ुव्वत

अर्बअ़ी-न स-नतन् क़ा-ल रब्बि औज़िअ़्नी अन् अश्कु-र निअ़्म-तक-ल्लती अन्अ़म्-त अ़लय्-य व अ़ला वालिदय्-य व अन् अअ़्म-ल सालिहन् तर्ज़ाहु व अस्लिह् ली फ़ी ज़ुर्रिय्यती, इन्नी तुब्तु इलै-क व इन्नी मिनल्-मुस्लिमीन (15) उलाइ-कल्लज़ी-न न-तक़ब्बलु अ़न्हुम् अह्स-न मा अ़मिलू व न-तजा-वज़ु अ़न् सय्यिआतिहिम् फ़ी अस्हाबिल्-जन्नति, वअ़्दस्-सिद्क़िल्लज़ी कानू यू-अ़दून (16) वल्लज़ी क़ा-ल लिवालिदैहि उफ़्फ़िल्-लकुमा अ-तअ़िदानिनी अन् उख़्र-ज व क़द् ख़-लतिल्-क़ुरूनु मिन् क़ब्ली व हुमा यस्तग़ीसानिल्ला-ह वैल-क आमिन् इन्-न वअ़्दल्लाहि हक़्क़ुन् फ़-यक़ूलु मा हाज़ा इल्ला असातीरुल्-अव्वलीन (17) उलाइकल्लज़ी-न हक़्-क़ अ़लैहिमुल्-क़ौलु फ़ी उ-ममिन् क़द् ख़-लत् मिन् क़ब्लिहिम् मिनल्-जिन्नि वल्-इन्सि, इन्नहुम् कानू ख़ासिरीन (18) व लि-कुल्लिन् द-रजातुम्-मिम्मा अ़मिलू व लियुवफ़्फ़ि-यहुम्

को और पहुँच गया चालीस वर्ष को कहने लगा ऐ मेरे रब! मेरी किस्मत में कर कि शुक्र करूँ तेरे एहसान का जो तूने मुझ पर किया और मेरे माँ बाप पर, और यह कि करूँ नेक काम जिससे तू राज़ी हो और मुझको दे मेरी नेक औलाद, मैंने तौबा की तेरी तरफ़ और मैं हूँ हुक्म मानने वाला। (15) ये वे लोग हैं जिनसे हम क़ुबूल करते हैं बेहतर से बेहतर काम जो किये हैं और माफ़ करते हैं हम बुराईयाँ उनकी, रहने वाले जन्नत के लोगों में, सच्चा वादा जो उनसे किया जाता था। (16) और जिस शख़्स ने कहा अपने माँ-बाप को मैं बेज़ार हूँ तुमसे, क्या मुझको वादा देते हो कि मैं निकाला जाऊँगा क़ब्र से, और गुज़र चुकी हैं बहुत जमाअ़तें मुझसे पहले, और वे दोनों फ़रियाद करते हैं अल्लाह से कि ऐ तेरी ख़राबी! तू ईमान ले आ, बेशक अल्लाह का वादा ठीक है, फिर कहता है ये सब नक़लें हैं पहलों की। (17) ये वे लोग हैं कि जिन पर साबित हुई बात अ़ज़ाब की शामिल और फ़िर्क़ों में जो गुज़र चुके हैं इनसे पहले जिन्नों के और आदमियों के, बेशक वे थे टोटे में पड़े। (18) और हर फ़िर्क़े के कई दर्जे हैं अपने किये कामों के मुवाफ़िक़ और ताकि

अअ्मालहुम् व हुम् ला युज़्लमून (19) व यौ-म युअ्रज़ुल्लज़ी-न क-फ़रू अ़लन्नारि, अज़्हब्तुम् तय्यिबातिकुम् फ़ी हयातिकुमुद्-दुन्या वस्तम्तअ्तुम् बिहा, फ़ल्यौ-म तुज्ज़ौ-न अ़ज़ाबल्-हूनि बिमा कुन्तुम् तस्तक्बिरू-न फ़िल्अर्ज़ि बिग़ैरिल्-हक़्क़ि व बिमा कुन्तुम् तफ़्सुक़ून (20) ✿	पूरे दे उनको उनके काम और उन पर ज़ुल्म न होगा। (19) और जिस दिन लाये जायेंगे मुन्किर (लोग) आग के किनारे पर, ज़ाया किये तुमने अपने मज़े दुनिया की ज़िन्दगानी में और उनको बरत चुके, अब आज सज़ा पाओगे ज़िल्लत का अ़ज़ाब, बदला उसका जो तुम ग़ुरूर करते थे मुल्क में नाहक़, और उसका जो तुम नाफ़रमानी करते थे। (20) ✿

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

जिन लोगों ने (सच्चे दिल से) कहा कि हमारा रब अल्लाह है (यानी तौहीद को रसूल की तालीम के मुताबिक़ क़ुबूल किया) फिर (उस पर) जमे रहे (यानी उसको छोड़ा नहीं) सो यक़ीनन (इसका नतीजा यह है कि) उन लोगों पर (आख़िरत में) कोई ख़ौफ़ (की बात पड़ने वाली) नहीं और न वे (वहाँ) ग़मगीन होंगे। (यह तो उनके तकलीफ़ व नुक़सान से बचने का बयान था, आगे उस फ़ायदे का ज़िक्र है जो उनको मिलने वाला है कि) ये लोग जन्नती हैं जो उसमें हमेशा रहेंगे उन (नेक) कामों के बदले में जो वे करते थे। (जिनमें से ईमान लाने और उस पर क़ायम रहने का ऊपर ज़िक्र है) और (जिस तरह हमने अल्लाह के हुक़ूक़ को वाजिब किया है जिसका ज़िक्र हो चुका इसी तरह बन्दों के हुक़ूक़ को भी वाजिब किया है चुनाँचे उनमें से एक बहुत बड़ा हक़ माँ-बाप का है, इसलिये) हमने इनसान को अपने माँ-बाप के साथ नेक सुलूक करने का हुक्म दिया है (और ख़ास तौर पर माँ के साथ और ज़्यादा क्योंकि) उसकी माँ ने उसको बड़ी मशक़्क़त के साथ पेट में रखा और (फिर) बड़ी मशक़्क़त के साथ उसको जन्म दिया और उसको पेट में रखना और उसका दूध छुड़ाना (अक्सर) तीस महीने (में पूरा होता) है, (इतने दिनों में तरह-तरह की मुसीबत उठाती है और इन मुसीबतों में कम या ज़्यादा बाप की भी शिर्कत होती है बल्कि अक्सर चीज़ों का इन्तिज़ाम आ़दतन बाप ही को करना पड़ता है, और अपने आराम में ख़लल आ जाना यह दोनों को बराबर तौर पर पेश आता है इसलिये भी माँ-बाप का हक़ इनसान पर ज़्यादा वाजिब किया गया है। ग़र्ज़ कि उसके बाद पलता-बढ़ता है) यहाँ तक कि जब (पलते-बढ़ते) वह अपनी जवानी को (यानी बालिग़ होने की उम्र को) पहुँच जाता है और (फिर बालिग़ होने के बाद एक ज़माने में) चालीस साल (की उम्र) को पहुँचता है तो (जो नेकबख़्त होता है वह) कहता है कि ऐ मेरे परवर्दिगार! मुझको इस पर हमेशगी दीजिए कि मैं आपकी उन नेमतों का शुक्र किया करूँ जो आपने मुझको और मेरे माँ-बाप को अ़ता फ़रमाई हैं। (अगर माँ

बाप मुसलमान हैं तब तो दीन की नेमत भी, वरना दुनिया की नेमत तो ज़ाहिर ही है और माँ-बाप की नेमत का असर औलाद पर भी पहुँचता है। चुनाँचे उनका वजूद व बक़ा जो दुनियावी नेमत है उसकी बदौलत तो ख़ुद औलाद का वजूद ही होता है और दीनी नेमत का असर यह होता है कि उनकी तालीम व तरबियत उसके लिये इल्म व अ़मल का ज़रिया बनती है) और (वह यह भी कहता है कि मुझको इसकी भी पाबन्दी नसीब कीजिये कि) मैं नेक काम करूँ जिससे आप ख़ुश हों, और मेरी औलाद में भी मेरे (नफ़े के) लिये सलाहियत पैदा कर दीजिये, (दुनियावी नफ़ा यह कि देख-देखकर राहत हो और दीनी नफ़ा यह कि अज्र व सवाब हो, और) मैं आपकी जनाब में (गुनाहों से भी) तौबा करता हूँ और मैं (आपका) फ़रमाँबरदार हूँ (इससे मक़सूद अपनी ग़ुलामी का इक़रार है न कि दावा)।

(आगे इन आमाल का नतीजा बयान फ़रमाते हैं कि) ये वे लोग हैं कि हम इनके कामों को क़ुबूल कर लेंगे और इनके गुनाहों से दरगुज़र करेंगे, इस तौर पर कि ये जन्नत वालों में से होंगे (और यह सब) उस सच्चे वायदे की वजह से (हुआ) जिसका इनसे (दुनिया में) वायदा किया जाता है।

(यहाँ तक तो भलाई करने वाले और नेकबख़्त लोगों का बयान हुआ। आगे ज़ालिम और बदबख़्त लोगों का ज़िक्र है यानी) और जिसने (अल्लाह और बन्दों के हुक़ूक़ दोनों को बरबाद व ज़ाया कर दिया जैसा कि उसके इस हाल से मालूम होता है कि उसने) अपने माँ-बाप से कहा (जिनके हक़ की बन्दों के हुक़ूक़ में सबसे ज़्यादा ताकीद है, ख़ुसूसन जबकि वे मुसलमान भी हों और ख़ुसूसन जबकि वे उसको भी इस्लाम की दावत दे रहे हों) कि तुफ़ "यानी लानत" है तुम पर, क्या तुम मुझको यह वायदा (यानी ख़बर) देते हो कि मैं (क़ियामत में दोबारा ज़िन्दा होकर) क़ब्र से निकाला जाऊँगा? हालाँकि मुझसे पहले बहुत-सी उम्मतें गुज़र गईं (जिनको हर ज़माने में उनके पैग़म्बर यूँ ही ख़बरें देते चले आये मगर आज तक किसी बात का ज़हूर न हुआ। इससे मालूम हुआ कि ये सब बातें ही बातें हैं) और वे दोनों (ग़रीब माँ-बाप उसके इस इनकार से कि जो बड़ा कुफ़्र है घबराकर) अल्लाह से फ़रियाद कर रहे हैं (और बहुत ही दर्दमन्दी से उससे कह रहे हैं) कि अरे तेरा नास हो ईमान ले आ (और क़ियामत को भी बरहक़ समझ) बेशक अल्लाह तआ़ला का वायदा सच्चा है, तो यह (इस पर भी) कहता है कि ये बे-सनद बातें अगलों से नक़ल होती चली आ रही हैं (मतलब यह कि ऐसा बदनसीब है कि कुफ़्र और माँ-बाप से बदसुलूकी दोनों का करने वाला है, और बदसुलूकी भी इस दर्जे की कि माँ-बाप की मुख़ालफ़त के साथ उनसे कलाम में भी बदतमीज़ी करता है)।

(आगे इन आमाल का नतीजा बयान फ़रमाते हैं कि) ये वे लोग हैं कि इनके हक़ में भी उन लोगों के साथ अल्लाह का क़ौल (यानी अ़ज़ाब का वायदा) पूरा होकर रहा जो इनसे पहले (काफ़िर) जिन्नात और इनसान गुज़र चुके हैं, बेशक ये (सब) घाटे में रहे।

और (आगे उपर्युक्त तफ़सील को ख़ुलासे के तौर पर फ़रमाते हैं कि ज़िक्र हुए दोनों फ़रीक़ों में से) हर एक (फ़रीक़) के लिये उनके (विभिन्न) आमाल की वजह से अलग-अलग दर्जे (किसी को जन्नत के किसी को दोज़ख़ के) मिलेंगे, और (अलग-अलग दर्जे इसलिये मिलेंगे) ताकि अल्लाह तआ़ला सब को उनके आमाल (की जज़ा) पूरे कर दे और उन पर (किसी तरह का) ज़ुल्म न होगा। (ऊपर भलाई और अच्छे काम करने वालों की जज़ा में तो जन्नत को मुतैयन तौर से बयान कर दिया गया था मगर ज़ालिमों का अ़ज़ाब मुतैयन करके नहीं बताया गया था, संक्षिप्त में फ़रमा दिया था 'उन

पर अ़ज़ाब की बात साबित हुई' और 'वे टोटे में पड़े' इसलिये आगे अ़ज़ाब को मुतैयन करके बयान फ़रमाते हैं कि वह दिन याद करने के क़ाबिल है) जिस दिन काफ़िर लोग आग के सामने लाये जाएँगे (और उनसे कहा जायेगा) कि तुम अपनी लज़्ज़त की चीज़ें अपनी दुनियावी ज़िन्दगी में हासिल कर चुके (यहाँ कोई लज़्ज़त तुमको नसीब न होगी) और उनको ख़ूब बरत चुके (यहाँ तक कि उनमें पड़कर हमको भी भूल गये) सो आज तुमको ज़िल्लत की सज़ा दी जायेगी (चुनाँचे सज़ा के लिये आग है और ज़िल्लत में से यह मलामत और फटकार है) इस वजह से कि तुम दुनिया में नाहक़ तकब्बुर किया करते थे (तकब्बुर से मुराद ऐसा तकब्बुर है जो ईमान से रोक दे क्योंकि हमेशा का अ़ज़ाब उसी के साथ ख़ास है) और इस वजह से कि तुम नाफ़रमानियाँ किया करते थे (इसमें कुफ़्र, बदकारी, ज़ुल्म और उनकी तमाम सूरतें दाख़िल हो गईं)।

मआ़रिफ़ व मसाईल

ऊपर दर्ज हुई आयतों में पहली दो आयतें तो पिछले ही कलाम की पूरक हैं जो उससे पहली आयतों में आया है कि ज़ालिमों के लिये वईद (सज़ा का वायदा), अ़ज़ाब और नेक मोमिनों के लिये फ़लाह व कामयाबी की ख़ुशख़बरी थी। पहली आयत यानीः

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا.

इस आयत में बड़ी ख़ूबी और उम्दगी के साथ पूरे इस्लाम व ईमान और नेक आमाल सब को जमा कर दिया गया। "रब्बुनल्लाह" का इक़रार पूरा ईमान है और इस पर जमे रहने में मरते वक़्त तक ईमान पर क़ायम रहना भी शामिल है और उसके तक़ाज़ों पर पूरा-पूरा अ़मल भी। लफ़्ज़ 'इस्तिक़ामत' और इसकी अहमियत की वज़ाहत व तफ़सील सूरः "हा-मीम् सज्दा" में बयान हो चुकी है। उक्त आयत में ईमान और उस पर जमे रहने पर यह वायदा किया गया है कि ऐसे लोगों को न आईन्दा किसी तकलीफ़ व परेशानी का ख़ौफ़ होगा न गुज़रे ज़माने की तकलीफ़ पर रंज व अफ़सोस रहेगा। बाद की आयत में इस बेनज़ीर राहत के हमेशा बाक़ी रहने और कभी ख़त्म न होने की ख़ुशख़बरी दी गयी है। इसके बाद की चार आयतों में इनसान को उसके माँ-बाप के साथ अच्छा सुलूक करने की हिदायत और उसके ख़िलाफ़ करने की बुराई और साथ ही इनसान पर उसके माँ-बाप के एहसानात का और औलाद के लिये सख़्त मेहनत व मशक़्क़त बरदाश्त करने का तज़किरा और बड़ी उम्र को पहुँचने के साथ इनसान को अल्लाह तआ़ला की तरफ़ रुजू व झुकाव की ख़ास तालीम व हिदायत फ़रमाई गयी है। ऊपर गुज़री आयतों से इसकी मुनासबत और ताल्लुक़ इमाम इब्ने कसीर रह. के क़ौल के मुताबिक़ यह है कि क़ुरआने करीम का आ़म अन्दाज़ यह है कि वह जहाँ इनसान को अल्लाह तआ़ला की फ़रमाँबरदारी व इबादत की तरफ़ दावत देता है तो साथ-साथ ही माँ-बाप के साथ अच्छे सुलूक और ख़िदमत व इताअ़त के अहकाम भी देता है। क़ुरआने करीम की बहुत सी आयतें जो मुख़्तलिफ़ सूरतों में बयान हुई इस पर सुबूत हैं। इसी अन्दाज़ के मुताबिक़ यहाँ भी अल्लाह की तौहीद की दावत के साथ माँ-बाप के साथ अच्छे सुलूक का ज़िक्र किया गया। और इमाम क़ुर्तुबी रह. ने क़ुशैरी रह. के हवाले से पहली आयतों से ताल्लुक़ व संबन्ध की वजह यह बयान की है कि इसमें

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के लिये एक तसल्ली का पहलू है कि आप ईमान व तौहीद की दावत देते रहें, कोई क़ुबूल करेगा कोई न करेगा इससे ग़मगीन न हों क्योंकि इनसानों का हाल यही है कि वे सब अपने माँ-बाप के साथ भी एक जैसे नहीं रहते, कुछ अच्छा सुलूक करते हैं और कुछ उनके साथ भी बदसुलूकी करते हैं। वल्लाहु आलम

बहरहाल इन चार आयतों में असल मज़मून इनसान को अपने माँ-बाप के साथ अच्छे सुलूक की तालीम व हिदायत देना है और उसके तहत में कुछ दूसरी तालीमात आई हैं। अगरचे हदीस की कुछ रिवायतों से इन आयतों का हज़रत सिद्दीक़े अकबर रज़ियल्लाहु अ़न्हु की शान में नाज़िल होना मालूम होता है और इसी बिना पर तफ़सीरे मज़हरी ने 'व वस्सैनल् इन्सा-न' में इनसान के अलिफ़ लाम को अ़हद का क़रार देकर इससे मुराद सिद्दीक़े अकबर को क़रार दिया है, लेकिन यह ज़ाहिर है कि अगर क़ुरआन की किसी आयत के उतरने का सबब कोई ख़ास व्यक्ति या ख़ास वाक़िआ़ हो तो फिर भी हुक्म सब के लिये आ़म ही होता है। आयत के उतरने का ख़ास सबब व मौक़ा सिद्दीक़े अकबर रज़ियल्लाहु अ़न्हु हों और आयतों में दर्ज ख़ुसूसियात उन्हीं की सिफ़ात हों तब भी आयतों का मक़सद आ़म तालीम ही है। और अगर असल आयतों को आ़म तालीम क़रार दिया जाये तो इसमें भी सिद्दीक़े अकबर रज़ियल्लाहु अ़न्हु इस तालीम के पहले मिस्दाक़ क़रार पायेंगे।

जवान होने और चालीस साल उम्र होने के बाद की जो ख़ुसूसियतें इन आयतों में मज़कूर हैं वो ख़ुसूसियतें मिसाल देने के तौर पर होंगी। अब उपर्युक्त आयतों के ख़ास-ख़ास अलफ़ाज़ की वज़ाहत व तफ़सीर देखिये।

وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ اِحْسٰنًا.

लफ़्ज़ **वसीयत** ताकीदी हुक्म के मायने में आता है और **एहसान** अच्छा सुलूक करने के मायने में है, जिसमें उनकी ख़िदमत व हुक्म मानना भी दाख़िल है और अदब व सम्मान भी।

حَمَلَتْهُ اُمُّهٗ كُرْهًا وَّوَضَعَتْهُ كُرْهًا.

लफ़्ज़ **कुरहा** उस मशक़्क़त को कहते हैं जो इनसान को किसी वजह से बरदाश्त करनी पड़े और **करहा** उस मेहनत व मशक़्क़त का नाम है जिस पर उसको कोई दूसरा आदमी मजबूर करे। यह दूसरा जुमला इसकी ताकीद के लिये है कि माँ-बाप की ख़िदमत व इताअ़त ज़रूरी होने की एक वजह यह भी है कि उन्होंने तुम्हारी पैदाईश से लेकर जवानी तक तुम्हारे लिये बड़ी मशक़्क़तें बरदाश्त की हैं, ख़ुसूसन माँ की मेहनत व मशक़्क़त बहुत ही नुमायाँ है इसलिये यहाँ बयान सिर्फ़ माँ की मशक़्क़त का किया गया है कि उसने एक लम्बी मुद्दत नौ महीने अपने पेट में तुमको उठाये रखा जिसमें उसको तरह-तरह की तकलीफ़ें और मशक़्क़तें बरदाश्त करनी पड़ीं, फिर पैदाईश के वक़्त सख़्त दर्द और तकलीफ़ के साथ तुम्हारा वजूद इस दुनिया में आया।

माँ का हक़ बाप से ज़्यादा है

आयत के शुरू में अच्छे सुलूक का हुक्म माँ और बाप दोनों के लिये है मगर इस जगह सिर्फ़ माँ की मेहनत व मशक़्क़त का ज़िक्र करने में हिक्मत यह है कि माँ की मेहनत व मशक़्क़त लाज़िमी

और ज़रूरी है। हमल (गर्भ) के ज़माने की तकलीफ़ें, फिर हमल के बाहर आने और पैदाईश के दर्द की तकलीफ़ हर हाल में हर बच्चे के लिये लाज़िमी है जो सिर्फ़ माँ ही की मेहनत है। बाप के लिये परवरिश पर मेहनत उठाना इतना लाज़िमी व ज़रूरी नहीं हो सकता है कि किसी बाप को औलाद की तरबियत में कोई भी मेहनत मशक़्क़त उठानी पड़े जबकि वह मालदार और नौकर-चाकर वाला हो, दूसरों से औलाद की ख़िदमत ले, या वह किसी दूसरे मुल्क में चला गया और ख़र्च भेजता रहा। यही वजह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने औलाद पर माँ के हक़ को सबसे ज़्यादा रखा है। एक हदीस में इरशाद है:

صِلْ اُمَّكَ ثُمَّ اُمَّكَ ثُمَّ اُمَّكَ ثُمَّ اَبَاكَ ثُمَّ اَدْنَاكَ فَاَدْنَاكَ.

यानी सिला-रहमी और ख़िदमत करो अपनी माँ की फिर अपनी माँ की फिर अपनी माँ की, उसके बाद अपने बाप की और उसके बाद जो ज़्यादा क़रीब रिश्तेदार हो उसकी, फिर जो उसके बाद हो। (तफ़सीरे मज़हरी)

وَحَمْلُهٗ وَفِصٰلُهٗ ثَلٰثُوْنَ شَهْرًا.

इस जुमले में भी माँ की मेहनत व मशक़्क़त ही का बयान है कि बच्चे के हमल (गर्भ) और बच्चे की पैदाईश की मशक़्क़त के बाद भी माँ को मेहनत से फ़राग़त नहीं मिलती, क्योंकि उसके बाद बच्चे की ग़िज़ा भी क़ुदरत ने माँ की छातियों में उतारी है वह उसको दूध पिलाती है। आयत में इरशाद यह फ़रमाया कि बच्चे का हमल (गर्भ) और दूध छुड़ाना तीस महीने में है। हज़रत अ़ली कर्रमल्लाहु वज्हहू ने इस आयत से इस बात पर दलील ली है कि हमल की मुद्दत कम से कम छह माह की है, क्योंकि क़ुरआने करीम ने दूध पिलाने की अधिक से अधिक मुद्दत तो दो साल पूरे मुतैयन फ़रमा दी है जैसा कि इरशाद है:

وَالْوَالِدٰتُ يُرْضِعْنَ اَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ.

और यहाँ हमल (गर्भ) और दूध पिलाने दोनों की मुद्दत तीस महीने क़रार दी गयी तो दूध पिलाने की मुद्दत के दो साल यानी चौबीस महीने निकलने के बाद छह महीने ही बाक़ी रह जाते हैं जिसको हमल की कम से कम मुद्दत क़रार दिया गया। एक रिवायत में है कि हज़रत उस्मान ग़नी रज़ियल्लाहु अ़न्हु के ज़माने में एक औरत के पेट से छह माह हो जाने पर बच्चा पैदा हो गया जबकि आ़म आ़दत नौ महीने में और कम से कम सात महीने में बच्चा पैदा होने की है, हज़रत उस्मान ग़नी रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने उसको नाजायज़ हमल क़रार देकर सज़ा का हुक्म दे दिया, हज़रत अ़ली कर्रमल्लाहु वज्हहू को इत्तिला मिली तो उन्होंने हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अ़न्हु को इस सज़ा से मना किया और फ़रमाया कि क़ुरआन में हमल और दूध पिलाने की कुल मुद्दत तीस महीने है, फिर दूध पिलाने की मुद्दत का चौबीस महीने होना दूसरी जगह मुतैयन कर दिया है इसलिये बाक़ी बची मुद्दत छह महीने ही हमल की कम से कम मुद्दत है। हज़रत उस्मान ग़नी रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने उनकी इस दलील को क़ुबूल करके अपना हुक्म वापस ले लिया। (तफ़सीरे क़ुर्तुबी)

इसी लिये हमल (गर्भ) की कम से कम मुद्दत के बारे में उम्मत के तमाम इमाम हज़रात एक राय हैं कि वह छह महीने हो सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दत कितनी है इसमें इमामों के अक़वाल

अलग-अलग हैं, क़ुरआन ने इसके मुताल्लिक़ कोई फ़ैसला नहीं दिया।

फ़ायदाः इस आयत में हमल की तो कम से कम मुद्दत का बयान किया गया और दूध पिलाने की ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दत का, इसमें इशारा है कि हमल की कम से कम मुद्दत छह महीने मुतैयन है, इससे कम में सही सालिम बच्चा पैदा नहीं हो सकता, मगर ज़्यादा से ज़्यादा कितने समय तक बच्चा हमल में रह सकता है इसमें आदतें अलग-अलग हैं, यह मुतैयन नहीं। इसी तरह दूध पिलाने की ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दत मुतैयन है कि दो साल तक दूध पिलाया जा सकता है, कम से कम मुद्दत कुछ मुतैयन नहीं। कुछ औरतों के दूध होता ही नहीं, कुछ का दूध चन्द महीनों में ख़ुश्क हो जाता है, कुछ बच्चे माँ का दूध ज़्यादा नहीं पीते या उनको नुक़सान देता है तो दूसरा दूध पिलाना पड़ता है।

हमल और दूध पिलाने की ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दत में उम्मत के फ़ुक़हा का मतभेद

हमल की ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दत इमामे आज़म अबू हनीफ़ा रह. के नज़दीक दो साल है। इमाम मालिक रह. से विभिन्न रिवायतें नक़ल की गयी हैं- चार साल, पाँच साल, सात साल। इमाम शाफ़ई रह. के नज़दीक चार साल, इमाम अहमद रह. की भी मशहूर रिवायत चार ही साल की है। (मज़हरी)

और दूध पिलाने के ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दत जिसके साथ दूध पिलाने की हुर्मत के अहकाम संबन्धित होते हैं अक्सर फ़ुक़हा के नज़दीक दो साल हैं। इमाम मालिक, इमाम शाफ़ई, इमाम अहमद बिन हंबल और हनफ़ी इमामों में से इमाम अबू यूसुफ़ और इमाम मुहम्मद रह. सब इस पर मुत्तफ़िक़ (एकमत) हैं, और सहाबा-ए-किराम में हज़रत उमर और हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हुमा का भी यह क़ौल है। (दारे क़ुतनी) हज़रत अ़ली मुर्तज़ा और हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अ़न्हुमा का भी यही इरशाद है। (इब्ने अबी शैबा) सिर्फ़ इमामे आज़म अबू हनीफ़ा रह. से यह मन्क़ूल है कि ढाई साल तक बच्चे को दूध पिलाया जा सकता है जिसका हासिल हनफ़िया की अक्सरियत के नज़दीक यह है कि अगर बच्चा कमज़ोर हो, माँ के दूध के सिवा कोई ग़िज़ा दो साल तक भी न लेता हो तो मज़ीद छह महीने दूध पिलाने की इजाज़त है, क्योंकि इस पर सब का इत्तिफ़ाक़ है कि दूध पिलाने की मुद्दत पूरी होने के बाद माँ का दूध बच्चे को पिलाना हराम है मगर हनफ़ी फ़ुक़हा हज़रात का फ़तवा भी इमामों की अक्सरियत के मस्लक पर है कि दो साल की मुद्दत के बाद अगर दूध पिलाया गया तो उससे दूध पिलाने की हुर्मत के अहकाम साबित नहीं होंगे। सय्यिदी हज़रत हकीमुल-उम्मत (मौलाना अशरफ़ अ़ली थानवी रह.) ने बयानुल-क़ुरआन में फ़रमाया कि अगरचे फ़तवा इमामों की अक्सरियत के क़ौल पर है मगर अ़मल में एहतियात करना बेहतर है, ढाई साल की मुद्दत के अन्दर जिस बच्चे को दूध पिलाया गया है उससे निकाह के सिलसिले में एहतियात बरती जाये। कुछ हज़रात ने आयतः

وَحَمْلُهُ وَفِصٰلُهُ ثَلٰثُوْنَ شَهْرًا

से इमामे आज़म रह. के क़ौल के मुताबिक़ दूध पिलाने की अधिकतर मुद्दत ढाई साल साबित करने की कोशिश की है। तफ़सीरे मज़हरी में फ़रमाया कि यह दुरुस्त नहीं क्योंकि सहाबा-ए-किराम

रज़ियल्लाहु अन्हुम की जमाअत- हज़रत अली मुर्तज़ा और हज़रत उस्मान ग़नी रज़ियल्लाहु अन्हुमा ने आयत की तफ़सीर यह मुतैयन कर दी है कि इसमें छह महीने कम से कम मुद्दत हमल के और चौबीस महीने दूध पिलाने की मुद्दत के मुराद हैं। और हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने फ़रमाया कि क़ुरआने करीम ने हमल और दूध पिलाने की संयुक्त मुद्दत तीस महीने बतलाई है, हर एक की अलग-अलग हद नहीं बतलाई, इसका सबब यह है कि आम आदत यूँ है कि बच्चा नौ महीने में पैदा होता है और जब बच्चा पूरे नौ महीने में पैदा हो तो माँ का दूध पिलाने की ज़रूरत सिर्फ़ इक्कीस महीने रह जाती है। और अगर बच्चा सात महीने में पैदा हो जाये तो तेईस महीने दूध पिलाने की ज़रूरत होती है, और जो बच्चा छह महीने में पैदा हो जाये तो चौबीस महीने यानी पूरे दो साल दूध पिलाने की ज़रूरत होगी। (तफ़सीरे मज़हरी)

حَتّٰىٓ اِذَا بَلَغَ اَشُدَّهٗ وَبَلَغَ اَرْبَعِيْنَ سَنَةً

लफ़्ज़ अशुद्द के लुग़वी मायने क़ुव्वत के हैं। सूरः अन्आम में 'हत्ता यब्लु-ग़ अशुद्-दहू' के तहत में इसकी तफ़सीर 'बालिग़ होने से पहले' की गयी है, यानी जब बच्चा बालिग़ होने की उम्र को पहुँच जाये। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने फ़रमाया कि 'बलूग़े अशुद्द' से मुराद अट्ठारह साल की उम्र को पहुँचना है। उपर्युक्त आयत में भी कुछ हज़रात ने 'बलूग़े अशुद्द' (क़ुव्वत को पहुँचने) के मायने यही किये हैं कि बच्चा बालिग होने की उम्र को पहुँच जाये और उसके बादः

بَلَغَ اَرْبَعِيْنَ سَنَةً

(पहुँच गया चालीस साल की उम्र को) को उम्र की एक मुस्तक़िल मन्ज़िल क़रार दिया। यह क़ौल इमाम शअ़बी रह. और इब्ने ज़ैद रह. का है, और हसन बसरी रह. ने क़ुव्वत को पहुँचने और चालीस साल की उम्र को पहुँचने दोनों को एक ही मायने में कहा है और 'चालीस साल को पहुँचने' को 'क़ुव्वत को पहुँचने' की तफ़सीर व ताकीद क़रार दिया है। (तफ़सीरे क़ुर्तुबी) और इबारत का ख़ुलासा यूँ क़रार दिया है कि पहले बच्चे के हमल का, फिर उसकी पैदाइश का, फिर दूध पीने के ज़माने का ज़िक्र करने के बाद 'हत्ता इज़ा ब-ल-ग़' फ़रमाने का हासिल यह है किः

فعاش واستمرت حياته حتّى اذا اكتهل واستحكم قوّته وعقله. (روح المعانى)

यानी दूध छूटने के बाद बच्चा ज़िन्दा रहा और उम्र पाई यहाँ तक कि वह बालिग़ और ताक़तवर हो गया और उसकी क़ुव्वत और अक़्ल मुकम्मल हो गयी तो अब उसको अपने पैदा करने वाले और पालने वाले की तरफ़ रुजू होने की तौफ़ीक़ नसीब हुई और वह यूँ दुआयें माँगने लगा किः

رَبِّ اَوْزِعْنِيْٓ اَنْ اَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِيْٓ اَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلٰى وَالِدَيَّ وَاَنْ اَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضٰىهُ وَاَصْلِحْ لِيْ فِيْ ذُرِّيَّتِيْ. اِنِّيْ تُبْتُ اِلَيْكَ وَاِنِّيْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ۝

यानी ऐ मेरे पालने वाले! मुझे तौफ़ीक़ अता कर कि मैं तेरी उस नेमत का शुक्र अदा करूँ जो तूने मुझको इनायत फ़रमाई और जो मेरे माँ-बाप को अता फ़रमाई, और मुझे यह तौफ़ीक़ दे कि मैं वह अमल करूँ जिससे तू राज़ी हो जाये, और मेरे लिये मेरी औलाद की भी इस्लाह फ़रमा दे, मैं तेरी तरफ़ रुजू होता हूँ और मैं तेरे फ़रमान के ताबे मुसलमानों में से हूँ।

क़ुरआन ने इस जगह 'हत्ता इज़ा ब-ल-ग़ अशुद्-दहू' से लेकर 'मिनल् मुस्लिमीन' तक सब कलिमे माज़ी (भूतकाल) के इस्तेमाल फ़रमाये जिससे ज़ाहिर यह है कि यह बयान किसी ख़ास वाकिए और ख़ास शख़्स का है जो आयत के नाज़िल होने के वक़्त हो चुका है। इसी लिये तफ़सीरे मज़हरी ने इसी को इख़्तियार किया है कि ये सब हालात हज़रत अबू बक्र सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अ़न्हु के हैं उन्हीं का बयान आ़म अलफ़ाज़ में इस हिक्मत से किया गया है कि दूसरे मुसलमानों को भी इसकी तरफ़ दिलचस्पी हो कि वे भी ऐसा ही किया करें, और इसकी दलील वह रिवायत है जो इमाम क़ुर्तुबी रह. ने अ़ता रह. की रिवायत से हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु से नक़ल की है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने जब अपनी बीस साल की उम्र में हज़रत ख़दीजा रज़ियल्लाहु अ़न्हा के माल से तिजारत का इरादा फ़रमाया और मुल्के शाम का सफ़र किया तो उस सफ़र में हज़रत अबू बक्र सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अ़न्हु आपके साथ थे, उस वक़्त उनकी उम्र अट्ठारह साल की थी जो 'क़ुव्वत की उम्र को पहुँचने' पर सही बैठता है। फिर उस सफ़र में उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के ऐसे हालात देखे कि वह इतने मुरीद हो गये कि सफ़र से वापसी के बाद हर वक़्त आपके साथ रहने लगे, यहाँ तक कि जब आपकी उम्र शरीफ़ चालीस साल की हो गयी और आपको अल्लाह तआ़ला ने नुबुव्वत व रिसालत का सम्मान व रुतबा अ़ता फ़रमाया उस वक़्त हज़रत अबू बक्र रज़ियल्लाहु अ़न्हु की उम्र अड़तीस साल थी, मर्दों में सबसे पहले उन्होंने इस्लाम क़ुबूल किया। फिर जब उनकी उम्र चालीस साल की हो गयी उस वक़्त यह दुआ़ माँगी जो ऊपर आयत में ज़िक्र हुई है "रब्बि औज़िअ़नी............" और यही 'चालीस साल को पहुँचने' का मिस्दाक़ है। और जब यह दुआ़ माँगी 'अन् अ़अ्म-ल सालिहन् तरज़ाहु' तो अल्लाह ने यह दुआ़ क़ुबूल फ़रमाई, उनको नौ ऐसे गुलामों को ख़रीदकर आज़ाद करने की तौफ़ीक़ बख़्शी जो मुसलमान हो गये थे और उनके मालिक उनको इस्लाम लाने पर तरह-तरह की तकलीफ़ें और यातनायें देते थे। इसी तरह उनकी दुआ़ 'मुझको दे मेरी नेक औलाद' भी क़ुबूल हुई, उनकी औलाद में कोई ऐसा न रहा जो ईमान न लाया हो। इसी तरह सहाबा-ए-किराम रज़ियल्लाहु अ़न्हुम में यह ख़ुसूसियत हक़ तआ़ला ने सिद्दीक़े अकबर रज़ियल्लाहु अ़न्हु ही को अ़ता फ़रमाई कि वह ख़ुद भी मुसलमान हुए, माँ-बाप भी, औलाद भी और सब को नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की सोहबत का सम्मान भी हासिल हुआ। और तफ़सीर रूहुल-मआ़नी में है कि इसकी ताईद इस बात से भी होती है कि तमाम सहाबा-ए-किराम मुहाजिरीन व अन्सार में उस वक़्त यह ख़ुसूसियत सिर्फ़ सिद्दीक़े अकबर की ही थी कि वे ख़ुद भी मुसलमान हुए और उनके माँ-बाप भी मुसलमान हो गये। रहा यह सवाल कि सिद्दीक़े अकबर के वालिद अबू क़हाफ़ा रज़ियल्लाहु अ़न्हु फ़त्हे मक्का के बाद मुसलमान हुए हैं और यह सूरत पूरी मक्की है इसलिये ये आयतें भी मक्का में नाज़िल हुईं, उस वक़्त माँ-बाप पर अल्लाह की नेमत होने का ज़िक्र कैसे मुनासिब होगा? सो इसका जवाब यह है कि कुछ हज़रात ने इन आयतों को मदनी कहा है इस पर तो कोइ इश्काल नहीं रहता, और अगर मक्की भी हों तो इससे मुराद इस्लाम की नेमत से सम्मानित होने की दुआ़ होगी। (रूह)

इस तफ़सीर के एतिबार से अगरचे ये सब हालात सिद्दीक़े अकबर रज़ियल्लाहु अ़न्हु के बयान हुए मगर हुक्म आ़म है, सब मुसलमानों को इसकी हिदायत करना मक़सूद है कि आदमी की उम्र जब चालीस साल के क़रीब हो जाये तो उसको आख़िरत की फ़िक्र ग़ालिब हो जानी चाहिये, पिछले गुनाहों

से तौबा को ताज़ा करे और आईन्दा के लिये उनसे बचने का पूरा एहतिमाम करे, क्योंकि आदत और तजुर्बा यह है कि चालीस साल की उम्र में जो अख़्लाक़ व आदतें किसी शख़्स की हो जाती हैं फिर उनका बदलना मुश्किल होता है।

हज़रत उस्मान ग़नी रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि मोमिन बन्दा जब चालीस साल की उम्र को पहुँच जाता है तो अल्लाह तआ़ला उसका हिसाब आसान फ़रमा देते हैं, और जब साठ साल की उम्र को पहुँचे तो उसको अपनी तरफ़ रुजू व तवज्जोह नसीब फ़रमा देते हैं, और जब सत्तर साल की उम्र को पहुँच जाये तो तमाम आसमान वाले उससे मुहब्बत करने लगते हैं, और जब अस्सी साल को पहुँचता है तो अल्लाह तआ़ला उसके एहसानात को क़ायम फ़रमा देते हैं और उसके गुनाहों को मिटा देते हैं, और जब नब्बे साल की उम्र हो जाये तो अल्लाह तआ़ला उसके सब अगले पिछले गुनाह माफ़ कर देते हैं और उसको अपने घर वालों के बारे में शफ़ाअ़त करने का हक़ दे देते हैं और आसमान में उसके नाम के साथ लिख दिया जाता है कि यह 'असीरुल्लाह फ़िल्-अर्ज़' है, यानी ज़मीन में अल्लाह की तरफ़ से क़ैदी है। (इब्ने कसीर, अबू यअ़ला व मुस्नद अहमद वग़ैरह के हवाले से)

और यह ज़ाहिर है कि इससे मुराद वही मोमिन बन्दा है जिसने अपनी ज़िन्दगी शरीअ़त के हुक्मों के ताबे होकर तक़्वे व परहेज़गारी के साथ गुज़ारी है। इमाम इब्ने कसीर रह. ने चूँकि पहली तफ़सीर को इख़्तियार किया है कि इससे आ़म इनसान मुराद है तो ख़ुसूसियत के जो अलफ़ाज़ इसमें आये हैं जैसेः

حَتّٰىٓ اِذَا بَلَغَ اَشُدَّهٗ وَبَلَغَ اَرْبَعِيْنَ سَنَةً............ الخ.

वो सब मिसाल व समझाने के तौर पर हैं, जिसमें यह हिदायत देना मक़सूद है कि इनसान जब चालीस साल की उम्र को पहुँच जाये तो उसको अपनी इस्लाह (सुधार) और अपने घर वालों की इस्लाह और आख़िरत की फ़िक्र ग़ालिब हो जानी चाहिये। वल्लाहु सुब्हानहू व तआ़ला आलम

اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ اَحْسَنَ مَا عَمِلُوْا وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّاٰتِهِمْ.

यानी ऐसे मोमिन मुसलमान जिनके ये हालात हों जो ऊपर गुज़रे हैं उनकी नेकियाँ क़ुबूल कर ली जाती हैं और गुनाह माफ़ कर दिये जाते हैं। यह हुक्म भी आ़म है, अगर इसके उतरने का सबब हज़रत सिद्दीक़े अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु हों तो वह इसके पहले मिस्दाक़ होंगे। हज़रत अ़ली रज़ियल्लाहु अन्हु के आगे आ रहे इरशाद से भी आयत के मफ़्हूम का आ़म होना मालूम होता है। इमाम इब्ने कसीर रह. ने अपनी तफ़सीर में सनद के साथ मुहम्मद इब्ने हातिब रह. की यह रिवायत नक़ल की है कि मैं एक मर्तबा अमीरुल-मोमिनीन हज़रत अ़ली रज़ियल्लाहु अन्हु की ख़िदमत में हाज़िर था, उस वक़्त उनके पास कुछ दूसरे हज़रात भी मौजूद थे जिन्होंने हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु पर कुछ ऐब लगाये इस पर हज़रत अ़ली रज़ियल्लाहु अन्हु ने फ़रमाया किः

كان عثمان رضی الله عنه من الّذين قال الله تعالٰی فيهم: اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ اَحْسَنَ مَا عَمِلُوْا وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّاٰتِهِمْ فِیْٓ اَصْحٰبِ الْجَنَّةِ وَعْدَ الصِّدْقِ الَّذِیْ كَانُوْا يُوْعَدُوْنَ، قال والله عثمان واصحاب عثمان

رضی اللہ عنہم، قالہا ثلاثاً. (ابن کثیرؒ)

"उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु उन लोगों में से थे जिनके बारे में अल्लाह तआ़ला ने फ़रमाया है किः

اُولٰٓئِکَ الَّذِیْنَ نَتَقَبَّلُ عَنْھُمْ اَحْسَنَ مَا عَمِلُوْا وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَیِّاٰتِھِمْ فِیْٓ اَصْحٰبِ الْجَنَّةِ. وَعْدَ الصِّدْقِ الَّذِیْ کَانُوْا یُوْعَدُوْنَ ○

ख़ुदा की क़सम इस आयत के मिस्दाक़ (यानी जिन पर यह सही बैठती है) हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु और उनके साथी हैं। यह बात हज़रत अ़ली रज़ियल्लाहु अन्हु ने तीन मर्तबा फ़रमाई।"

وَالَّذِیْ قَالَ لِوَالِدَیْهِ اُفٍّ لَّکُمَا.

पहले गुज़री आयत में माँ-बाप की ख़िदमत व फ़रमाँबरदारी के अहकाम थे, इस आयत में उस शख़्स का अ़ज़ाब व सज़ा बयान हुई है जो अपने माँ-बाप के साथ बदसुलूकी, बदज़ुबानी से पेश आये, ख़ास तौर पर जबकि माँ-बाप उसको इस्लाम और नेक आमाल की तरफ़ दावत देते हों उनकी बात न मानना दोहरा गुनाह है। इमाम इब्ने कसीर रह. ने फ़रमाया कि आयत का मतलब आ़म है, जो शख़्स भी अपने माँ-बाप के साथ बदसुलूकी से पेश आये वह इसका मिस्दाक़ है।

मरवान ने जो इस आयत का मिस्दाक़ हज़रत अ़ब्दुर्रहमान बिन अबू बक्र रज़ियल्लाहु अन्हु को अपने किसी ख़ुतबे में कहा था उसकी तरदीद व खंडन सही बुख़ारी में हज़रत आ़यशा रज़ियल्लाहु अन्हा से नक़ल किया गया है। सही बात यही है कि आयत का मतलब आ़म है, किसी सही रिवायत में किसी ख़ास व्यक्ति का आयत का मिस्दाक़ होना मन्क़ूल नहीं।

اَذْھَبْتُمْ طَیِّبٰتِکُمْ فِیْ حَیَاتِکُمُ الدُّنْیَا.

यानी काफ़िरों को ख़िताब करके यह कहा जायेगा कि तुमने अगर कुछ अच्छे काम दुनिया में किये थे तो उनका बदला भी तुम्हें दुनियावी नेमतों और ऐश व आराम की शक्ल में दिया जा चुका है अब आख़िरत में तुम्हारा कुछ हिस्सा बाक़ी नहीं रहा। यह ख़िताब काफ़िरों को है जिससे मालूम होता है कि काफ़िरों के नेक आमाल जो ईमान न लाने की वजह से अल्लाह के नज़दीक मक़बूल नहीं आख़िरत में तो उनकी कोई क़ीमत नहीं, मगर दुनिया में अल्लाह तआ़ला उनका बदला उनको दे देते हैं। काफ़िर व बदकार को माल व दौलत और इज़्ज़त व रुतबा वग़ैरह जो दुनिया में मिलता है वह उनके नेक आमाल, दान पुन, हमदर्दी, सच्चाई वग़ैरह का बदला होता है। मोमिनों के लिये यह हुक्म नहीं है कि अगर उनको दुनिया में कोई नेमत माल व दौलत वग़ैरह मिल जायें तो आख़िरत के हक़ से मेहरूम हो जायें।

दुनिया की लज़्ज़तों और ऐश उठाने से परहेज़ की तरग़ीब

इस आयत में काफ़िरों को अ़ज़ाब व सज़ा उनके दुनियावी लज़्ज़तों में मशग़ूल रहने की बिना पर किया गयी, इसलिये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम और सहाबा व ताबिईन रह. ने दुनिया की लज़्ज़तों को छोड़ देने की आ़दत बना ली जैसा कि उनकी ज़िन्दगी के हालात इस पर गवाह हैं, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने हज़रत मुआ़ज़ रज़ियल्लाहु अन्हु को यमन भेजने के वक़्त

यह वसीयत फ़रमाई थी कि दुनिया के ऐश व आराम में पड़ने से परहेज़ करते रहना, और हज़रत अ़ली कर्रमल्लाहु वज्हहू की रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि जो शख़्स अल्लाह तआ़ला से थोड़ा रिज़्क़ लेने पर राज़ी हो जाये तो अल्लाह तआ़ला भी उसके थोड़े अ़मल पर राज़ी हो जाते हैं। (तफ़सीरे मज़हरी, बग़वी की रिवायत से)

وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنْذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ
النُّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ۝
قَالُوا أَجِئْتَنَا لِتَأْفِكَنَا عَنْ آلِهَتِنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ۝ قَالَ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ
اللَّهِ وَأُبَلِّغُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ وَلَٰكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ ۝ فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ
قَالُوا هَٰذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا ۚ بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ ۖ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝ تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ
رَبِّهَا فَأَصْبَحُوا لَا يُرَىٰ إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ ۚ كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ ۝ وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِيمَا إِنْ
مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ
وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ۝

वज़्कुर् अख़ा आ़दिन्, इज़् अन्ज़-र क़ौमहू बिल्-अह़्क़ाफ़ि व क़द् ख़-लतिन्-नुज़ुरु मिम्-बैनि यदैहि व मिन् ख़ल्फ़िही अल्ला तअ़्बुदू इल्लल्ला-ह, इन्नी अख़ाफ़ु अ़लैकुम् अ़ज़ा-ब यौमिन् अ़ज़ीम (21) क़ालू अजिअ्-तना लितअ्फ़ि-कना अ़न् आलि-हतिना फ़अ्तिना बिमा तअ़िदुना इन् कुन्-त मिनस्सादिक़ीन (22) क़ा-ल इन्नमल्-अ़िल्मु अ़िन्दल्लाहि व उबल्लिग़ुकुम् मा उर्सिल्तु बिही व लाकिन्नी अराकुम् क़ौमन् तज्हलून (23) फ़-लम्मा रऔहु	और याद कर आ़द के भाई को जब डराया अपनी क़ौम को अहक़ाफ़ में और गुज़र चुके थे डराने वाले उसके आगे से और पीछे से कि बन्दगी न करो किसी की अल्लाह के सिवाय, मैं डरता हूँ तुम पर आफ़त से एक बड़े दिन की। (21) बोले क्या तू आया हमारे पास कि फेर दे हम को हमारे माबूदों से, सो ले आ हम पर जो वायदा करता है अगर है तू सच्चा। (22) कहा यह ख़बर तो अल्लाह ही को है और मैं तो पहुँचा देता हूँ जो कुछ भेज दिया मेरे हाथ लेकिन मैं देखता हूँ तुम लोग नादानी करते हो। (23) फिर जब

आरिज़म्-मुस्तक़्बि-ल औदि-यतिहिम् क़ालू हाज़ा आरिज़ुम् मुम्तिरुना, बल् हु-व मस्तअ्जल्तुम् बिही, रीहुन् फ़ीहा अ़ज़ाबुन् अलीम (24) तुदम्मिरु कुल्-ल शैइम्-बि-अम्रि रब्बिहा फ़-अस्बहू ला युरा इल्ला मसाकिनुहुम्, कज़ालि-क नज्ज़िल्-क़ौमल्-मुज्रिमीन (25) व ल-क़द् मक्कन्नाहुम् फ़ीमा इम्-मक्कन्नाकुम् फ़ीहि व जअ़ल्ना लहुम् सम्अ़ंव्-व अब्सारंव्-व अफ़्इ-दतन् फ़मा अग़्ना अ़न्हुम् सम्अुहुम् व ला अब्सारुहुम् व ला अफ़्इ-दतुहुम् मिन् शैइन् इज़् कानू यज्हदू-न बिआयातिल्लाहि व हा-क़ बिहिम् मा कानू बिही यस्तह्ज़िऊन (26) ❁

देखा उसको बादल सामने आया उनके नालों के, बोले यह बादल है हम पर बरसेगा, कोई नहीं! यह तो वह चीज़ है जिसकी तुम जल्दी करते थे, हवा है जिसमें अ़ज़ाब है दर्दनाक। (24) उखाड़ फेंके हर चीज़ को अपने रब के हुक्म से, फिर कल को रह गये कि कोई नज़र नहीं आता था सिवाय उनके घरों के, यूँ हम सज़ा देते हैं गुनाहगार लोगों को। (25) और हमने ताक़त दी था उनको उन चीज़ों की जिनकी तुमको ताक़त नहीं दी, हमने उनको दिये थे कान और आँखें और दिल, फिर उनके काम न आये उनके कान और न उनकी आँखें और न उनके दिल किसी चीज़ में इसलिये कि मुन्किर होते थे अल्लाह की बातों से, और उलट पड़ी उन पर जिस बात से कि वे ठट्ठा करते थे। (26) ❁

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

और आप क़ौमे आ़द के भाई (यानी हूद अ़लैहिस्सलाम) का (इनसे) ज़िक्र कीजिए जबकि उन्होंने अपनी क़ौम को जो कि ऐसे मक़ाम पर रहते थे कि वहाँ रेग के लम्बे झुके हुए तूदे थे (यह मक़ाम की निशानदेही इसलिये की गयी कि देखने वालों के ज़ेहन में उसका ध्यान आ जाये) इस (बात) पर (अल्लाह के अ़ज़ाब से) डराया कि तुम ख़ुदा के सिवा किसी की इबादत मत करो (वरना तुम पर अ़ज़ाब नाज़िल होगा) और (यह ऐसी ज़रूरी और सही बात है कि) उन (हूद अ़लैहिस्सलाम) से पहले और उनसे पीछे (इसी मज़मून के मुताल्लिक़) बहुत-से डराने वाले (पैग़म्बर अब तक) गुज़र चुके हैं (और अ़जब नहीं कि हूद अ़लैहिस्सलाम ने उन सब का तौहीद की तरफ़ दावत देने में मुत्तफ़िक़ होना उनके सामने बयान भी किया हो, पस जुमला 'और गुज़र चुके थे डराने वाले' का बीच में बढ़ा देना इन फ़ायदों के लिये है कि दावत के मज़मून की ताकीद हो जाये और हूद अ़लैहिस्सलाम ने डराने में

यह फ़रमाया कि) मुझको तुम पर एक बड़े (सख़्त) दिन के अ़ज़ाब का अन्देशा है (अगर उससे बचना है तो तौहीद क़ुबूल कर लो) वे कहने लगे, क्या तुम हमारे पास इस इरादे से आये हो कि हमको हमारे माबूदों से फेर दो? सो (हम तो फिरने वाले हैं नहीं, बाक़ी) अगर तुम सच्चे हो तो जिस (अ़ज़ाब) का तुम हम से वायदा करते हो उसको हम पर ला दो। उन्होंने फ़रमाया कि पूरा इल्म तो ख़ुदा ही को है (कि अ़ज़ाब कब तक आयेगा) और मुझको तो जो पैग़ाम देकर भेजा गया है मैं तुमको पहुँचा देता हूँ, (चुनाँचे इसमें मुझसे यह भी कहा गया कि तुम पर अ़ज़ाब आयेगा मैंने तुमको इत्तिला कर दी, इससे ज़्यादा न मुझको इल्म है और न ताक़त) लेकिन मैं तुमको देखता हूँ कि तुम लोग ख़ालिस जहालत की बातें करते हो (कि एक तो तौहीद को क़ुबूल नहीं करते फिर अपने मुँह से बला माँगते हो, फिर मुझसे उसकी फ़रमाईश करते हो। अलबत्ता अपने सच्चा होने का मैं दावेदार हूँ जिस पर दलील क़ायम कर चुका हूँ और जिस वाक़िए में तुमको शुब्हा है उसके ज़ाहिर होने का वक़्त मुझको नहीं बतलाया गया हाँ ज़ाहिर ज़रूर होगा जब अल्लाह चाहे देख लेना)।

(ग़र्ज़ कि जब किसी तरह उन्होंने हक़ को क़ुबूल न किया तो अब अ़ज़ाब का इस तरह सामान शुरू हुआ कि अव्वल एक बादल उठा) सो उन लोगों ने जब उस बादल को अपनी वादियों के मुक़ाबिल आता देखा तो कहने लगे कि यह तो बादल है जो हम पर बरसेगा, (इरशाद हुआ कि) नहीं-नहीं (बरसने वाला बादल नहीं) बल्कि यह वही (अ़ज़ाब) है जिसकी तुम जल्दी मचाते थे (कि वह अ़ज़ाब जल्दी लाओ, और इस बादल में) एक आँधी है जिसमें दर्दनाक अ़ज़ाब है। वह (आँधी) हर चीज़ को (जिसके हलाक करने का हुक्म होगा) अपने परवर्दिगार के हुक्म से हलाक कर देगी। चुनाँचे (वह आँधी झपटती और आदमियों और मवेशियों को उठा-उठाकर पटख़ देती थी जिससे) वे ऐसे (तबाह) हो गये कि सिवाय उनके मकानों के और कुछ (आदमी और जानवर) न दिखाई देता था। हम मुजरिमों को यूँ ही सज़ा दिया करते हैं।

और हमने उन (यानी क़ौमे आ़द के) लोगों को उन बातों में क़ुदरत दी थी कि तुमको उन बातों में क़ुदरत नहीं दी (उन बातों से मुराद वो इख़्तियारात और अ़मली ताक़त है जो जिस्मानी व माली क़ुव्वत पर मौक़ूफ़ हैं) और हमने उनको कान और आँख और दिल (सब ही कुछ) दिये थे, सो चूँकि वे लोग अल्लाह तआ़ला की आयतों का इनकार करते थे इसलिये (जब उन पर अ़ज़ाब आया है तो) न उनके कान उनके ज़रा काम आये और न उनकी आँखें और न उनके दिल, और जिस (अ़ज़ाब) की वे हंसी किया करते थे उसी ने उनको आ घेरा (यानी न उनके हवास उनको अ़ज़ाब से बचा सके और न उनकी तदबीर जिसका इल्म व एहसास दिल से होता है, न उनकी क़ुव्वत, पस तुम्हारी तो क्या हक़ीक़त है)।

وَلَقَدْ اَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِّنَ الْقُرٰى وَصَرَّفْنَا الْاٰيٰتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ ۝ فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ قُرْبَانًا اٰلِهَةً ۭ بَلْ ضَلُّوْا عَنْهُمْ ۚ وَذٰلِكَ اِفْكُهُمْ وَمَا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ ۝

ल-क़द् अह्लक्ना मा हौलकुम् मिनल्-क़ुरा व सर्रफ़्नल्-आयाति लअ़ल्लहुम् यर्जिअ़ून (27) फ़-लौ ला न-स-रहुमु-ल्लज़ीनत्त-ख़ाज़ू मिन् दूनिल्लाहि क़ुर्बानन् आलि-हतन्, बल् ज़ल्लू अ़न्हुम् व ज़ालि-क इफ़्कुहुम् व मा कानू यफ़्तरून (28)	और हम ग़ारत कर चुके हैं जितनी तुम्हारे आस पास हैं बस्तियाँ और तरह-तरह से फेरकर सुनाईं उनको बातें ताकि वे लौट आयें। (27) फिर क्यों न मदद पहुँची उनको उन लोगों की तरफ़ से जिनको पकड़ा था अल्लाह से वरे माबूद बड़े दर्जे पाने को, कोई नहीं! गुम हो गये उनसे और यह उनका झूठ था, और जो अपने जी से बाँधते थे। (28)

इन आयतों के मज़मून का पीछे से संबन्ध

ऊपर तफ़सील के साथ आ़द क़ौम का किस्सा बयान हुआ था, आगे दूसरी ऐसी ही क़ौमों का ज़िक्र है जिन पर कुफ़्र और नबियों की मुख़ालफ़त की वजह से अ़ज़ाब आये और हलाक हुए। उनकी उजड़ी हुई बस्तियाँ भी मक्का वालों के सफ़रों के वक़्त रास्ते में आती थीं उनसे इब्रत (नसीहत व सबक़) हासिल करने के लिये उनका मुख़्तसर सा हाल इन आयतों में आया है।

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

और हमने तुम्हारे आस-पास की और बस्तियाँ भी (इस कुफ़्र व शिर्क के सबब) ग़ारत की हैं, (जैसे क़ौमे समूद और क़ौमे लूत कि मुल्क शाम को जाते हुए उन बस्तियों से गुज़रते थे, और चूँकि मक्का से एक तरफ़ यमन है दूसरी दिशा में शाम है इसलिये ''जितनी तुम्हारे आस-पास हैं'' फ़रमा दिया) और हमनें (हलाक करने से पहले उनकी तंबीह व चेतावनी के लिये) बार-बार अपनी निशानियाँ (उनको) बतला दी थीं ताकि वे (कुफ़्र व शिर्क से) बाज़ आएँ (मगर बाज़ न आये और हलाक हुए) सो अल्लाह तआ़ला के सिवा जिन-जिन चीज़ों को उन्होंने अल्लाह की नज़दीकी हासिल करने को अपना माबूद बना रखा था (कि ये मुसीबत में हमारे काम आयेंगे, हलाकत व अ़ज़ाब के वक़्त) उन्होंने उनकी मदद क्यों न की? बल्कि वे सब उनसे ग़ायब हो गये, और वह (माबूद और सिफ़ारिश करने वाला समझना) महज़ उनकी तराशी और गढ़ी हुई बात है (और कहीं वास्तव में वे सिफ़ारिश करने वाले या माबूद थोड़ा ही थे)।

وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ ۚ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا ۖ فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِم مُّنذِرِينَ ﴿٢٩﴾ قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنزِلَ مِن بَعْدِ مُوسَىٰ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَىٰ طَرِيقٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿٣٠﴾ يَا قَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ وَآمِنُوا بِهِ يَغْفِرْ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرْكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣١﴾ وَمَن لَّا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءُ ۚ أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٣٢﴾

व इज़् सरफ़्ना इलै-क न-फ़रम्-मिनल्-जिन्नि यस्तमिअ़ूनल्-क़ुरआ-न फ़-लम्मा ह-ज़रूहु क़ालू अन्सितू फ़-लम्मा क़ुज़ि-य वल्लौ इला क़ौमिहिम् मुन्ज़िरीन (29) क़ालू या क़ौमना इन्ना समिअ़्ना किताबन् उन्ज़ि-ल मिम्बअ़्दि मूसा मुसद्दिक़ल्-लिमा बै-न यदैहि यह्दी इलल्-हक़्क़ि व इला तरीक़िम्-मुस्तक़ीम (30) या क़ौमना अजीबू दाअ़ि-यल्लाहि व आमिनू बिही यग़्फ़िर् लकुम् मिन् ज़ुनूबिकुम् व युजिर्कुम् मिन् अ़ज़ाबिन् अलीम (31) व मल्-ला युजिब् दाअ़ि-यल्लाहि फ़लै-स बिमुअ़्जिज़िन् फ़िल्अर्ज़ि व लै-स लहू मिन् दूनिही औलिया-उ, उलाइ-क फ़ी ज़लालिम्-मुबीन (32)	और जिस वक़्त मुतवज्जह कर दिये हमने तेरी तरफ़ कितने लोग जिन्नों में से सुनने लगे क़ुरआन, फिर जब वहाँ पहुँच गये बोले चुप रहो, फिर जब ख़त्म हुआ उल्टे फिरे अपनी क़ौम को डर सुनाते हुए। (29) बोले ऐ हमारी क़ौम! हमने सुनी एक किताब जो उतरी है मूसा के बाद सच्चा करने वाली सब अगली किताबों को, सुझाती है सच्चा दीन और एक सीधी राह। (30) ऐ हमारी क़ौम! मानो अल्लाह के बुलाने वाले को और उस पर यक़ीन लाओ ताकि बख़्शे तुमको कुछ तुम्हारे गुनाह और बचा दे तुमको एक दर्दनाक अ़ज़ाब से। (31) और जो कोई न मानेगा अल्लाह के बुलाने वाले को तो वह न थका सकेगा भागकर ज़मीन में और कोई नहीं उसका उसके सिवाय मददगार, वे लोग खुले भटकते हैं। (32)

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

और (उनसे उस वक़्त का क़िस्सा ज़िक्र कीजिये) जबकि हम जिन्नात की एक जमाअ़त को आपकी तरफ़ ले आये जो (आख़िर में यहाँ पहुँचकर) क़ुरआन सुनने लगे थे। ग़र्ज़ कि जब वे क़ुरआन (के पढ़े जाने की जगह) के पास आ पहुँचे तो (आपस में) कहने लगे कि चुप रहो (और इस कलाम को सुनो) फिर जब क़ुरआन पढ़ा जा चुका (यानी जितना उस वक़्त पैग़म्बर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को नमाज़ में पढ़ना था वो ख़त्म हो चुका) तो वे लोग (उस पर इमान ले आये और) अपनी क़ौम के पास (उसकी) ख़बर पहुँचाने के वास्ते वापस गये (और जाकर उनसे) कहने लगे कि ऐ भाईयो! हम एक (अ़जीब) किताब सुनकर आये हैं जो मूसा (अ़लैहिस्सलाम) के बाद नाज़िल की गई है, जो अपने से पहली किताबों की तस्दीक़ करती है (और दीने) हक़ और सही रास्ते की तरफ़

रहनुमाई करती है। (यह तो दीने इलाम के हक़ व सच्चा होने को साबित व ज़ाहिर करना है, आगे उसके क़ुबूल करने का हुक्म है, पहले तरग़ीब व शौक़ दिलाकर फिर डराकर यानी) ऐ भाईयो! अल्लाह की तरफ़ बुलाने वाले का कहना मानो (इस बुलाने वाले से मुराद क़ुरआन या नबी करीम सल्ल. हैं) और (कहना मानना यह है कि) उस पर ईमान ले आओ (इसमें इशारा हो गया कि वह ईमान लाने की तरफ़ दावत देता है न कि और किसी दुनियावी ग़र्ज़ की तरफ़। पस अगर तुम ऐसा करोगे तो) अल्लाह तआ़ला तुम्हारे गुनाह माफ़ कर देगा और तुमको दर्दनाक अ़ज़ाब से महफ़ूज़ रखेगा। और जो शख़्स अल्लाह की तरफ़ बुलाने वाले का कहना न मानेगा तो वह ज़मीन (के किसी हिस्से) में (भागकर ख़ुदा को) हरा नहीं सकता, और ख़ुदा के सिवा उसका कोई मददगार भी न होगा (कि वह उसको बचा सके और) ऐसे लोग खुली गुमराही में (मुब्तला) हैं (कि इसके बावजूद कि हक़ की तरफ़ दावत देने वाले के सच्चा होने पर दलीलें क़ायम हैं फिर भी उसकी बात न मानें)।

मआ़रिफ़ व मसाईल

मक्का के काफ़िरों को सुनाने के लिये इससे पहली आयत में कुफ़्र और घमंड करने की मज़म्मत (बुराई) और उनका हलाक करने वाला होना बयान हुआ है। उपर्युक्त आयतों में मक्का वालों को शर्म दिलाने के लिये जिन्नात के ईमान लाने का वाक़िआ़ बयान किया गया है कि जिन्नात तो तकब्बुर व ग़ुरूर में तुम से भी ज़्यादा हैं मगर क़ुरआन सुनकर उनके दिल भी मोम हो गये, वे मुसलमान हो गये। तुम्हें तो अल्लाह तआ़ला ने जिन्नात से ज़्यादा अ़क़्ल व शऊर बख़्शा है मगर इसके बावजूद तुम ईमान नहीं लाते। जिन्नात के क़ुरआन सुनने और ईमान लाने का वाक़िआ़ सही हदीसों में इस तरह आया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के नबी बनने के वक़्त जब जिन्नात को आसमानी ख़बरें सुनने से रोक दिया गया तो आपकी नुबुव्वत के बाद जो जिन्न आसमानी ख़बरें सुनने के लिये ऊपर जाता तो उस पर दहकता अंगारा फेंककर दफ़ा कर दिया जाने लगा।

जिन्नात में इसका तज़किरा हुआ कि इसका सबब मालूम करना चाहिये कि कौनसा नया वाक़िआ़ दुनिया में हुआ है जिसकी वजह से जिन्नात को आसमानी ख़बरों से रोक दिया गया। जिन्नात के मुख़्तलिफ़ गिरोह दुनिया के विभिन्न इलाक़ों में इसकी तहक़ीक़ात के लिये फैल गये, उनका एक गिरोह हिजाज़ की तरफ़ भी पहुँचा, उस रोज़ नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम अपने चन्द सहाबा के साथ बतने नख़्ला स्थान में तशरीफ़ रखते थे और उकाज़ बाज़ार की तरफ़ जाने का इरादा था। (अ़रब के लोग तिजारती और सामाजिक मामलों के लिये विभिन्न मक़ामात पर ख़ास-ख़ास दिनों में बाज़ार लगाते थे जिसमें हर ख़ित्ते के लोग जमा होते, दुकानें लगतीं और सभायें व जलसे होते थे, जैसे हमारे ज़माने में इसी तरह की नुमाईश जगह-जगह होती हैं, उन्हीं में से एक बाज़ार उकाज़ के स्थान में लगता था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ग़ालिबन इस्लाम की दावत व तब्लीग़ के लिये तशरीफ़ ले जा रहे थे) इस जगह बतने नख़्ला में आप सुबह की नमाज़ पढ़ा रहे थे कि वे जिन्नात यहाँ पहुँचे, क़ुरआन सुनकर कहने लगे कि बस वह नई बात यही है जो हमारे और आसमानी ख़बरों के बीच रुकावट व बाधा बनी है।

(अहमद, बुख़ारी, मुस्लिम, तिर्मिज़ी, नसाई और एक जमाअ़त इब्ने अ़ब्बास रज़ि. की रिवायत से)

और एक रिवायत में है कि वे जिन्नात जब यहाँ आये तो आपस में कहने लगे कि ख़ामोश होकर क़ुरआन सुनो। जब आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम नमाज़ से फ़ारिग़ हुए तो इस्लाम की हक़्क़ानियत पर यक़ीन व ईमान लाकर अपनी क़ौम के पास वापस गये और उनको उस वाक़िए के असली सबब की और इसकी ख़बर दी कि हम तो मुसलमान हो गये तुमको भी चाहिये कि ईमान ले आओ, मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को उन जिन्नात के आने जाने और क़ुरआन सुनकर ईमान ले आने की ख़बर नहीं हुई यहाँ तक कि सूरः जिन्न नाज़िल हुई जिसमें आपको इस वाक़िए की ख़बर दी गयी। (इब्ने मुन्ज़िर, अ़ब्दुल-मलिक की रिवायत से)

और एक रिवायत में है कि ये जिन्नात नसीबीन के मक़ाम के रहने वाले थे और कुल नौ या कुछ रिवायतों के मुताबिक़ सात थे। जब इन्होंने अपनी क़ौम को यह ख़बर सुनाई और ईमान लाने की तरग़ीब दी तो फिर उनमें से तीन सौ व्यक्ति इस्लाम लाने के लिये हाज़िरे ख़िदमत हुए। (अबू नुऐम, वाक़िदी, कअ़बे अहबार की रिवायत से। ये सब रिवायतें तफ़सीर रूहुल-मआ़नी में हैं)

और दूसरी हदीसों में जिन्नात के आने की रिवायत दूसरी तरह की भी आई है मगर चूँकि ये अनेक वाक़िआ़त विभिन्न वक़्तों में पेश आये हैं इसलिये कोई टकराव नहीं, इसकी ताईद उस रिवायत से भी होती है जो तबरानी ने औसत में और इब्ने मर्दूया ने हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु से नक़ल की है कि जिन्नात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की ख़िदमत में बार-बार हाज़िर हुए।

ख़फ़ाजी रह. ने फ़रमाया कि हदीसों की रिवायतें जमा करने से मालूम होता है कि जिन्नात के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की ख़िदमत में हाज़िर होकर लाभ उठाने के वाक़िआ़त छह मर्तबा पेश आये हैं। (बयानुल-क़ुरआन, रूहुल-मआ़नी) इसी वाक़िए की तफ़सीर उपर्युक्त आयतों में बयान की गयी है।

كِتٰبًا اُنْزِلَ مِنْ ۢ بَعْدِ مُوْسٰى

इसमें "मूसा के बाद" की क़ैद से कुछ हज़रात ने समझा है कि ये जिन्नात यहूदी थे क्योंकि मूसा अ़लैहिस्सलाम के बाद तो ईसा अ़लैहिस्सलाम पर इन्जील नाज़िल हुई उसका ज़िक्र नहीं किया, लेकिन इसकी कोई स्पष्ट रिवायत तो है नहीं, और इन्जील का ज़िक्र न करने से उनके यहूदी होने पर दलील पकड़ना नाकाफ़ी है, क्योंकि इन्जील के ज़िक्र न करने की यह वजह भी हो सकती है कि इन्जील अक्सर अहकाम में तौरात के ताबे है, और क़ुरआन तौरात की तरह एक मुस्तक़िल किताब है, इसके अहकाम व क़ानून तौरात से बहुत अलग हैं। तो यह हो सकता है कि मक़सद यह बतलाना हो कि तौरात जैसी मुस्तक़िल किताब क़ुरआन ही है।

يَغْفِرْ لَكُمْ مِّنْ ذُنُوْبِكُمْ

हर्फ़ 'मिन' असल में तबईज़ यानी आंशिक होने के मायने के लिये आता है, अगर यही मायने यहाँ लिये जायें तो हर्फ़ 'मिन' के बढ़ाने का फ़ायदा यह होगा कि इस्लाम क़ुबूल कर लेने से बन्दों के हुक़ूक़ माफ़ नहीं होते। इसलिये यह फ़रमाना मुनासिब हुआ कि बाज़े गुनाह यानी अल्लाह के हुक़ूक़ माफ़ हो जाते हैं। और कुछ हज़रात ने इस हर्फ़ 'मिन' को ज़ायद क़रार दिया है अगर यह माना जाये तो फिर यह मायने लेने और मतलब बयान करने की ज़रूरत नहीं रहती।

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقٰدِرٍ عَلٰٓى أَنْ يُّحْيِۦَ الْمَوْتٰى ۚ بَلٰٓى إِنَّهٗ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ ۖ أَلَيْسَ هٰذَا بِالْحَقِّ ۖ قَالُوا بَلٰى وَرَبِّنَا ۚ قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ۝ فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَّهُمْ ۚ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ ۙ لَمْ يَلْبَثُوٓا إِلَّا سَاعَةً مِّنْ نَّهَارٍ ۚ بَلٰغٌ ۚ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفٰسِقُونَ ۝

अ-व लम् यरौ अन्नल्लाहल्लज़ी ख़-लक़स्समावाति वल्अर्-ज़ व लम् यअ्-य बिख़ल्क़िहिन्-न बिक़ादिरिन् अला अंय्युह्यि-यल्-मौता, बला इन्नहू अ़ला कुल्लि शैइन् क़दीर (33) व यौ-म युअ्रज़ुल्लज़ी-न क-फ़रू अ़लन्नारि, अलै-स हाज़ा बिल्हक़्क़ि, क़ालू बला व रब्बिना, क़ा-ल फ़ज़ूक़ुल्-अ़ज़ा-ब बिमा कुन्तुम् तक्फ़ुरून (34) फ़स्बिर् कमा स-ब-र उलुल्-अ़ज़्मि मिनर्रुसुलि व ला तस्तअ्जिल्-लहुम्, क-अन्नहुम् यौ-म यरौ-न मा यू-अ़दू-न लम् यल्बसू इल्ला सा-अ़तम् मिन्-नहारिन्, बलाग़ुन् फ़-हल् युस्लकु इल्लल्-क़ौमुल्-फ़ासिक़ून (35) ✿ ❖

क्या नहीं देखते कि वह अल्लाह जिसने बनाये आसमान और ज़मीन और न थका उनके बनाने में वह क़ुदरत रखता है कि ज़िन्दा करे मुर्दों को? क्यों नहीं! वह हर चीज़ कर सकता है। (33) और जिस दिन सामने लायें मुन्किरों को आग के क्या यह ठीक नहीं? कहेंगे क्यों नहीं! क़सम है हमारे रब की, कहा तो चखो अ़ज़ाब बदला उसका जो तुम मुन्किर होते थे। (34) सो तू ठहरा रह जैसे ठहरे रहे हैं हिम्मत वाले रसूल और जल्दी न कर उनके मामले में, ये लोग जिस दिन देख लेंगे उस चीज़ को जिसका इनसे वायदा है जैसे ढील न पाई थी मगर एक घड़ी दिन की, यह पहुँचा देना है, अब वही ग़ारत होंगे जो लोग नाफ़रमान हैं। (35) ✿ ❖

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

क्या उन लोगों ने यह न जाना कि जिस ख़ुदा ने आसमान और ज़मीन को पैदा किया और उनके

पैदा करने में ज़रा नहीं थका, वह इस पर (और भी ज़्यादा) क़ुदरत रखता है कि मुर्दों को (क़ियामत में) ज़िन्दा कर दे (और वह इस पर क़ादिर) क्यों न हो बेशक वह (तो) हर चीज़ पर क़ादिर है। (यह तो मुम्किन होना साबित हुआ) और जिस दिन (वह हो पड़ेगी और) वे काफ़िर लोग दोज़ख़ के सामने लाये जाएँगे (और उनसे पूछा जायेगा कि) क्या ये दोज़ख़ एक हक़ीक़त नहीं है? (जैसा कि दुनिया में इसके वजूद व हक़ीक़त की नफ़ी किया करते थे जैसा कि उनका क़ौल क़ुरआन में ज़िक्र है 'व मा नह्नु बिमुअ़ज़्ज़बीन' कि हमको अ़ज़ाब न होगा) वे कहेंगे कि हमको अपने परवर्दिगार की क़सम! ज़रूर एक हक़ीक़त है। इरशाद होगा (अच्छा) तो अपने कुफ़्र के बदले में (जिसमें दोज़ख़ का इनकार भी आ गया) इस (दोज़ख़) का अ़ज़ाब चखो।

(आगे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को तसल्ली देने के लिये फ़रमाया कि जब उनसे कुफ़्र का बदला लिया जाना मालूम हो गया) तो आप (वैसा ही) सब्र कीजिये जैसा और हिम्मत वाले पैग़म्बरों ने सब्र किया था और उन लोगों के लिये (अल्लाह के) इन्तिक़ाम की जल्दी न कीजिये (जिसको आप मुसलमानों की दिलजोई के लिये चाहते थे। और बड़ी अ़जीब बात यह है कि वे अ़ज़ाब के मुस्तहिक़ लोग ख़ुद जल्दबाज़ी करते हैं, और इसका अ़जीब होना ज़ाहिर है कि मुद्दई (दावा करने वाला यानी वादी) अगर मुद्दआ़ अ़लैहि (जिस पर दावा किया है यानी प्रतिवादी) की सज़ा जल्दी चाहे तो बईद नहीं लेकिन मुद्दआ़ अ़लैहि अगर सज़ा जल्दी चाहे तो बहुत ही अ़जीब बात है, सो अगरचे अल्लाह की हिक्मत से अ़ज़ाब फ़ौरी नहीं होगा लेकिन जब उसको देखेंगे उस वक़्त उन पर उसका वही असर होगा जो फ़ौरी अ़ज़ाब का होता है, क्योंकि) जिस दिन ये लोग उस चीज़ को (यानी अ़ज़ाब को) देखेंगे जिसका इनसे वायदा किया जाता है तो (उस वक़्त अ़ज़ाब की सख़्ती से ऐसा मालूम होगा कि) गोया ये लोग (दुनिया में) दिन भर में एक घड़ी रहे हैं (यानी दुनिया की लम्बी मुद्दत छोटी मालूम होगी और यही मालूम होगा कि फ़ौरन ही अ़ज़ाब आ गया। आगे काफ़िरों को तंबीह है कि) यह (ख़ुदा की तरफ़ से हुज्जत पूरी करने के लिये) पहुँचा देना है (जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के ज़रिये हो चुका) सो (इसके बाद) वही बरबाद होंगे जो नाफ़रमानी करेंगे (क्योंकि तब्लीग़ के बाद कोई उज़्र न रहा और रसूल का इसमें कोई नुक़सान नहीं, इससे और ताकीद के साथ तसल्ली भी हो गयी)।

मआ़रिफ़ व मसाईल

أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ.

इसमें "मिनर्रुसुलि" का हर्फ़ 'मिन' मुहक़्क़िक़ हज़रात के नज़दीक बयान के लिये है आंशिक मायने बयान करने के लिये नहीं। मायने यह हैं कि तमाम रसूल जो मज़बूत इरादे व हिम्मत वाले ही होते हैं। मालूम हुआ कि मज़बूती व हिम्मत वाला होना सभी नबियों की सिफ़त है, अलबत्ता रसूलों के दरमियान सिफ़ात के दर्जों में बढ़ौतरी और कमी-बेशी ख़ुद क़ुरआन के इरशाद से साबित है:

تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ.

इसलिये जो अम्बिया अ़लैहिमुस्सलाम मज़बूती व हिम्मत की सिफ़त में दूसरों से ज़्यादा विशेषता

रखते हैं ख़ास उन रसूलों के लिये यह लक़ब के तौर पर मशहूर हो गया और उनके मुतैयन करने में भी मतभेद है, और अक्सर का क़ौल है कि 'उलुल्-अ़ज़्म' का लक़ब जिनको दिया गया है ये वे हज़रात हैं जिनका ज़िक्र सूरः अहज़ाब की इस आयत में है:

وَاِذْ اَخَذْنَا مِنَ النَّبِيّٖنَ مِيْثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُّوْحٍ وَّاِبْرٰهِيْمَ وَمُوْسٰى وَعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ...... الخ.

(यानी सूरः अहज़ाब की आयत 7 में)

हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि दुनिया का ऐश व आराम और मज़े उड़ाना मुहम्मद और आले मुहम्मद की शान नहीं, क्योंकि अल्लाह तआ़ला 'उलुल्-अ़ज़्म' से सिवाय सब्र के और किसी चीज़ पर राज़ी नहीं और मुझे यही हुक्म दिया है कि:

فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ اُولُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ.

(आप वैसा ही सब्र कीजिये जैसा और हिम्मत वाले पैग़म्बरों ने सब्र किया था।)

अल्लाह का शुक्र है कि उसकी मदद व तौफ़ीक़ से आज दिनाँक 22 रजब सन् 1392 हिजरी दिन शनिवार को सूरः अहक़ाफ़ की तफ़सीर पूरी हुई।

अल्हम्दु लिल्लाह सूरः अहक़ाफ़ की तफ़सीर मुकम्मल हुई, साथ ही इस सिलसिला-ए-तफ़सीर की यह सातवीं जिल्द भी समापन को पहुँची। अल्लाह रब्बुल-इज़्ज़त आख़िरी जिल्द का तर्जुमा करने की भी तौफ़ीक़ अ़ता फ़रमाये और यह काम तकमील को पहुँचे। आमीन